Telephone : 205

Telegrams : 'Bhavishya'

New

भविष्य

तार का पता :—
'भविष्य' इलाहाबाद

एक प्रार्थना

वार्षिक चन्दे अथवा फ़ी कॉपी के मूल्य में कुछ भी नुक़ताचीनी करने में पहिले मित्रों को 'भविष्य' में प्रकाशित अलभ्य सामग्री और उसके प्राप्त करने के असाधारण व्यय पर भी दृष्टिपात करना चाहिए।

इलाहाबाद—वृहस्पतिवार ; ११ जून, १९३१

सं० १, पूर्ण सं० ३७

प्रवासी भारतवासियों के सुधार के लिए अथक उद्योग करने वाले



डॉक्टर तारकनाथ दास, एम० ए०, पी-एच० डी०, वाशिङ्गटन (अमेरिका)

THE FINE ART PRINTING COTTAGE. CHANDRALOK. ALLAHABAD.

इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और दूरदर्शी पाठक-पाठिकाओं से आशा की जाती है कि यथाशक्ति 'भविष्य' तथा 'चाँद' और विद्याविनोद-ग्रन्थमाला का प्रचार कर, वे संस्था को और भी अधिक सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !!

भविष्य

पाठकों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, वे एकमात्र भारतीय परिवारों एवं व्यक्तिगत मङ्गल-कामना को दृष्टि में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !!

वर्ष १, खण्ड ४ | इलाहाबाद—बृहस्पतिवार; ११ जून, १९३१ | सं० १, पूर्ण सं० ३७

कानपुर स्टेशन के पास बम फटा !

बम्बई की राष्ट्रीय सभा पर शौकत-पन्थियों का आक्रमण !

सभा में भाग लेने के कारण मुसलमानों ने पठानों को पीटा !!

महात्मा गाँधी से कानपुर को अपना केन्द्र बनाने की प्रार्थना

गवर्नर-गोली-काण्ड के अभियुक्त श्री० हरिकृष्ण भी लटका दिए गए !

[१०वीं जून की रात तक आए हुए 'भविष्य' के ख़ास तार]

—बम्बई का १०वीं जून का समाचार है कि डोंगरी नामक स्थान में एक सार्वजनिक-सभा में, जहाँ डॉ० अन्सारी, पं० जवाहरलाल नेहरू तथा श्री० अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ मौजूद थे और जहाँ दिल्ली के समझौते के सम्बन्ध में भाषण दिए जा रहे थे, कुछ साम्प्रदायिक (शौकत-पन्थी) मुसलमानों ने उपद्रव मचाया और सभा के अन्त में उस पर ईंट और पत्थरों की वर्षा भी की गई। कहा जाता है कि इन मुसलमानों ने कोई आधे दर्जन ऐसे पठानों पर भी आक्रमण किया, जो सभा में भाग लेने की नीयत से उसमें सम्मिलित हुए थे। पुलिस ने आकर डण्डों के ज़ोर से मामला शान्त किया। कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं।

—बम्बई का ९वीं जून का समाचार है कि आज तीसरे पहर काँङ्ग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। बङ्गाल प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस-कमिटी के निर्वाचन सम्बन्धी विवादों का निबटारा करने के लिए श्री० एनी नियुक्त किए गए। दिल्ली के समझौते से देश में उत्पन्न होने वाली परिस्थिति और भावी गोलमेज़-परिषद के प्रति कॉङ्ग्रेस के मनोभावों पर भी विचार किया गया। अभी तक कुछ निश्चय नहीं हो सका है।

—कानपुर का तार है, कि आज सवेरे स्थानीय सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन के पास एकाएक बम का भीषण धड़ाका हुआ। स्टेशन के आस पास चारों ओर सनसनी फैल गई। कहा जाता है कि इस धड़ाके से केवल एक राह-चलते मनुष्य को चोट आई है।

—अमृतसर का ८वीं जून का समाचार है कि पुलिस ने पञ्जाब नौजवान-भारत-सभा के अध्यक्ष श्री० अहमददीन को गिरफ़्तार कर लिया है। आप लुधियाना भेज दिए गए हैं।

—१०वीं जून की रात का एक तार है कि, अभियुक्तों के अदालत में उपस्थित न होने के कारण, दिल्ली षड्यन्त्र केस १६ जून के लिए स्थगित कर दिया गया।

कहा जाता है कि प्रतिवादी पक्ष के वकीलों की फ़ीस के सम्बन्ध में, स्पेशल ट्रिब्यूनल ने स्थानीय सरकार से सिफ़ारिश की है।

—स्थानीय भटवरिया ग्राम में ज़मींदार और किसानों में दङ्गा हो जाने तथा वर्तमान साम्प्रदायिक दङ्गों की भीषणता के कारण, जिसमें अनेक लोग हताहत हो चुके हैं—श्री० मुशीर हुसैन क़िदवई ने महात्मा जी को तार दिया है कि आप कुछ दिनों के लिए अपना हेड क्वार्टर कानपुर में ले आवें।

"भारत पूर्ण स्वाधीनता चाहता है"

प्रेज़िडेण्ट पटेल का अमेरिका को सन्देश

लन्दन का ५वीं जून का समाचार है, कि श्री० विट्ठलभाई पटेल ने अमेरिका के कॉङ्ग्रेस वालों को अपने सन्देश में कहा है, कि भारत सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर पूर्ण-स्वाधीनता चाहता है। इससे कम वह कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता। भारत को फिर आन्दोलन शुरू करना पड़ेगा। इसमें सन्देह नहीं कि एक समय आएगा जब ब्रिटेन को भारत के साथ समझौता करना ही पड़ेगा।

—बारडोली का ७वीं जून का समाचार है कि एक प्रेस-प्रतिनिधि से श्री० अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ ने कहा है कि केवल पेशावर में ही एक लाख से अधिक लालकुर्ती वाले सैनिक तैयार हैं। सरकार वहाँ की जनता को डराने के लिए सन्धि की शर्तों के विरुद्ध दमन नीति का पूर्ण उपयोग कर रही है। बहुत लोगों ने लगान नहीं चुकाया है, किन्तु केवल लालकुर्ती वालों पर ही लगान के लिए मामले चलाए जा रहे हैं। सीमाप्रान्त में लगानबन्दी-आन्दोलन का उतना ज़ोर नहीं था, किन्तु किसान लगान चुकाने में असमर्थ होने के कारण ही रुपए नहीं चुका सके हैं।

ख़बर है कि ख़ाँ साहब भूपाल भी गए थे, और वहाँ नवाब साहब तथा मौ० शौकतअली आदि लोगों से मिले थे; किन्तु "एकता कॉन्फ़्रेन्स" के द्वारा किसी प्रकार के साम्प्रदायिक समझौते की आशा नहीं है !

—लाहौर का ९वीं जून का समाचार है कि आज पुलिस ने 'केसरी' के ऑफ़िस की तलाशी ली और 'केसरी' की कुछ प्रतियाँ उठा कर ले गई, जिनमें अफ़ग़ानिस्तान के भूतपूर्व अमीर अमानुल्ला ख़ाँ के सम्बन्ध में कुछ लेख प्रकाशित हुए थे।

—बम्बई का ७वीं जून का समाचार है, कि आज पं० जवाहरलाल नेहरू सिकन्दराबाद से यहाँ आए। यहाँ स्थानीय कॉङ्ग्रेस-कमिटी की ओर से आपका अपूर्व स्वागत किया गया। आपने एक सार्वजनिक सभा में गाँधी-इर्विन समझौते के सम्बन्ध में एक व्याख्यान भी दिया। आपने कहा कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता, कि सन्धि कब भङ्ग हो जायगी। आपने आगे कहा कि यदि सत्याग्रह फिर शुरू हुआ तो इस बार का संग्राम पहले की अपेक्षा अधिक भीषण होगा।

—ग़ाज़ीपुर का ९वीं जून का समाचार है कि ८वीं जून को कारन्दा नामक स्थान में राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की एक सभा हुई थी, जिसमें केन्द्रीय किसान-सङ्घ के मन्त्री पं० मोहनलाल गौतम भी पधारे थे। आपने सङ्घ का उद्देश्य बतलाते हुए किसानों के सङ्गठन पर ज़ोर दिया। कार्यकर्ताओं ने भविष्य में इस ओर विशेष ध्यान देने का निश्चय किया है।

९वीं जून का मियाँवाली का तार है कि पञ्जाब-गवर्नर गोली-काण्ड के १८ वर्षीय अभियुक्त श्री० हरिकृष्ण को भी आज प्रातःकाल ६ बजे फाँसी पर लटका दिया गया। न तो उनकी लाश उनके सम्बन्धियों को दी गई और न उन्हें अन्त्येष्टि क्रिया करने की आज्ञा ही मिली।



—२री जून का एक स्थानीय समाचार है, कि आज सवेरे ज़िला-कॉङ्ग्रेस कमिटी की एक बैठक हुई। इसमें, तहसीलों में किसान-सङ्घ के सङ्गठन की आवश्यकता बतलाई गई और प्रत्येक तहसील के लिए एक-एक सङ्गठनकर्ता नियुक्त किया गया।

—बारडोली का ४थी जून का समाचार है, कि ५ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने ताल्लुक़े में भ्रमण कर लगभग ७० दूकानों में विदेशी कपड़ों पर सीलें लगवा दी हैं।

—गोंडा का ६ठी जून का समाचार है, कि मनकापुर के राजा साहब के सुपुत्र कुँवर राघवेन्द्र प्रतापसिंह, ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री० चुन्नीलाल तथा सेक्रेटरी श्री० लालविहारी टण्डन, और बलरामपुर कॉङ्ग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री० भगवतीप्रसाद पर दो महीने के लिए १४४वीं धारा जारी की गई है, जिससे वे ज़िले भर में दो महीने तक कोई भाषण नहीं दे सकेंगे।

—ब्रह्मण बरिया (बङ्गाल) का २री जून का समाचार है कि स्थानीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी बाबू ललितकुमार बर्मन बङ्गाल ऑर्डिनेन्स के अनुसार गिरफ़्तार कर कुमिल्ला भेज दिए गए हैं।

कानपुर पर शनि की दृष्टि

आपदा कभी अकेली नहीं आती। कानपुर के सम्बन्ध में यह कहावत अक्षरशः चरितार्थ हुई है। दो-दो बार भयङ्कर दङ्गा होने और उससे होने वाले परिणाम को पाठक भूले न होंगे। अब ५वीं जून की ख़बर है कि वहाँ के कलक्टरगञ्ज मुहल्ले में, जहाँ कि ग़ल्ले के तथा अन्य वस्तुओं के बड़े-बड़े मालगोदाम हैं। अग्निदेव ने विशेष कृपा की। २६ घण्टों तक आग जलती रही, बड़ी मुश्किल से आग बुझाई जा सकी है।

इस अग्नि-काण्ड के अनेक व्यापारियों को बहुत क्षति उठानी पड़ी है। ७ लाख से अधिक की आर्थिक क्षति होने का अन्दाज़ा लगाया जाता है।

—कानपुर का ८वीं जून का समाचार है, कि यहाँ दो और स्थानों में आग लग गई। फ़ायर ब्रिगेड वालों ने बहुत शीघ्र पहुँच कर आग बुझाई। फिर भी ७ दूकान और मकान जल कर भस्म हो ही गए।

बर्मा-विद्रोह के समाचार

—बर्मा की ख़बरों से पता चलता है, कि वहाँ की परिस्थिति अभी तक उसी प्रकार अशान्त बनी हुई है। सरकारी सेना विद्रोहियों का दमन करने की पूर्ण चेष्टा कर रही है, किन्तु विद्रोहियों का उपद्रव कम होता नज़र नहीं आ रहा है।

थायेटमेयो के समाचारों से मालूम होता है, कि गत २८वीं मई को सरकारी सैनिकों की लगभग ५० विद्रोहियों से मुठभेड़ हुई, जिसके फल-स्वरूप ४ विद्रोही घायल हुए और उनकी १ बन्दूक़ छीन ली गई। गत ३०वीं मई को बर्मा राइफ़ल की एक पल्टन ने थारावड्डी के एक गाँव में ४ विद्रोहियों को भी गिरफ़्तार किया था।

रङ्गून की एक ख़बर है कि गत २री जून को कैप्टेन लेन ने क्योकटॉङ्गदी में विद्रोहियों पर हमला किया। कहा जाता है कि इस अचानक आक्रमण से, विद्रोही दल जङ्गलों में भाग गया, और दल के नेता का कुछ सामान और एक घोड़ा, कैप्टेन साहब के हाथ लगा।

वेट्टीगाँ में २री जून की चढ़ाई में सैनिकों ने १२ विद्रोहियों को मारा और एक को गिरफ़्तार कर लिया।

२री जून को मेलीगाङ्ग नामक स्थान में लगभग २०० विद्रोहियों के साथ सरकारी सेना का मुठभेड़ हुआ। सरकारी सेना में एक सिपाही मारा गया और एक हवलदार घायल हुआ। यह पता नहीं, विद्रोहियों की ओर के कितने लोग मरे या घायल हुए।

गत ३री जून को भी इन्हीं सिपाहियों ने वेट्टीगाँ से दक्षिण की ओर एक गाँव में १० विद्रोहियों को गिरफ़्तार किया। उस गाँव का मुखिया भी गिरफ़्तार कर लिया गया।

हेनज़ादा के बेसीन नामक स्थान में भी ३ विद्रोही गिरफ़्तार किए गए हैं।

बर्मा के राष्ट्रवादी नेता श्री० उत्तामा ने भारतीय नेताओं और धारासभा के सदस्यों से इस बात का अनुरोध किया है कि वे इस बात का प्रयत्न करें कि भारतीय सेना बर्मा में न भेजी जाय, क्योंकि इससे वहाँ वालों में विद्वेष फैलने की सम्भावना है!

—बारीसाल का ६ठी जून का समाचार है, कि स्थानीय शङ्कर मठ के श्री० बेनीमाधव घोषाल बङ्गाल ऑर्डिनेन्स के अनुसार गिरफ़्तार किए गए हैं।

—बारीसाल का ६ठी जून का दूसरा समाचार है, कि आज सवेरे श्री० देवकुमार घोष नामक एक व्यक्ति बङ्गाल ऑर्डिनेन्स के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं।

—चटगाँव का ५वीं जून का समाचार है, कि श्री० महेन्द्रकुमार बरुआ नामक एक युवक बङ्गाल क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट के अनुसार गिरफ़्तार किए गए हैं।

—चटगाँव का ६ठी जून का समाचार है कि वहाँ अनेक स्थानों में विस्फोटक पदार्थ पा जाने के कारण ज़िला मैजिस्ट्रेट ने निम्न-लिखित आज्ञा जारी की है:—

"सार्वजनिक शान्ति बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि 'भद्रलोग' श्रेणी के १६ से २५ वर्ष तक की आयु के नवयुवकों को, जो चटगाँव म्युनिसिपलटी के अन्दर रहते हैं या जेट्टी और पहाड़ी के रहने वाले हैं, १४४वीं धारा के अनुसार यह हिदायत की जाती है कि वे ७½ बजे सन्ध्या समय से प्रातःकाल तक अपने मकान न छोड़ें। यह आज्ञा ८वीं जून से लागू समझी जायगी। आवश्यकता पड़ने पर लोग कोतवाली से पास लेकर कहीं जा सकते हैं।

—५वीं जून की ख़बर है, कि आज कैप्टेन लेन की अधीनता में कुछ पञ्जाबी सिपाहियों की, प्रोम के वेट्टो नामक स्थान में लगभग ३०० विद्रोहियों से मुठभेड़ हुई। कहा जाता है कि १०० के लगभग विद्रोही हताहत हुए हैं। २२ लाशें पुलिस के द्वारा लाई गई हैं, जिनमें दल के नेता की भी लाश बतलाई जाती है। सरकारी सेना में किसी के हताहत होने की कोई ख़बर नहीं है।

थारावड्डी और हेनज़ादा ज़िलों में डकैतियाँ होने की ख़बरें भी मिली हैं

—६ठी जून का समाचार है, कि सपरिषद गवर्नर ने यहाँ के २२ गाँवों में एक साल के लिए अतिरिक्त पुलिस रक्खे जाने की आज्ञा दे दी है

थारावड्डी ज़िले में दो डकैतियाँ होने की ख़बर मिली है। कहा जाता है कि कुछ हथियारबन्द लुटेरों ने एक मुखिया के घर पर छापा मारा और मालगुज़ारी के कुछ रुपए, जो उस मुखिए ने गाँव से वसूल किए थे, लेकर चम्पत हो गए!

इन्थावड्डी में, सूखी घासों की ढेर में आग लगा दी जाने की ख़बर मिली है।

ख़ुफ़िया पुलिस की अज्ञात युवकों से मुठभेड़

कानपुर षड्यन्त्र के सम्बन्ध में गिरफ़्तारियाँ!!

कानपुर का ६ठी जून का समाचार है, कि आज २½ बजे के लगभग यहाँ के कुछ पुलिस कर्मचारियों ने एक व्यक्ति को जिस पर षड्यन्त्र केस में फ़रार होने का सन्देह किया गया था, गिरफ़्तार करने की कोशिश की, जिसके फल-स्वरूप उस सन्दिग्ध व्यक्ति तथा उसके ३ अन्य साथियों ने पुलिस वालों पर गोलियाँ चला दीं जिससे पुलिस वाले सख़्त घायल हुए हैं।

कहा जाता है कि २½ बजे के लगभग दो युवक साइकिल लेकर कचहरी रोड पर खड़े थे। इसी समय एक एक्का वहाँ पर आ पहुँचा जिस पर पुलिस के ३ कर्मचारी एवं मुख़बिर सवार थे। इन युवकों को देख कर पुलिस वालों ने एक्का रोक लिया, और उन युवकों के समीप पहुँच कर बोले कि हमारे पास आप लोगों की गिरफ़्तारी का वारण्ट है। उन युवकों ने उत्तर दिया कि यदि आप हमें वारण्ट दिखला दें तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। कहा जाता है कि इसके बाद उन युवकों ने पुलिस के कर्मचारियों से कहा कि आप हमारी साइकिलों को अपने एक्के से बाँध लें, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। जब पुलिस वाले साइकिलों को एक्के से बाँधने लगे तो उन युवकों ने उन पर फ़ायरें करना शुरू कर दीं, और उन्हें घायल कर भाग गए।

'पायनियर' के सम्वाददाता के कथनानुसार उक्त व्यक्ति पर लाहौर षड्यन्त्र केस के फ़रार अभियुक्त काशीराम होने का सन्देह किया जाता है।

कहा जाता है कि पीछा करने वाले पुलिस अफ़सरों में ख़ुफ़िया-विभाग के इन्स्पेक्टर राय साहब शम्भूनाथ भी थे। यह भी कहा जाता है कि वीरभद्र तिवारी नामक एक व्यक्ति भी, जो पहले एक प्रमुख कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ता था, इन लोगों के साथ था! कितने व्यक्ति घायल हुए हैं, इसका ठीक-ठीक पता नहीं लग सका है, क्योंकि वे घायल जिस हस्पताल में रक्खे गए हैं, वहाँ पुलिस का कड़ा पहरा है।

कहा जाता है कि इस घटना के बाद, शहर कॉङ्ग्रेस कमिटी के सहायक मन्त्री तथा स्थानीय मज़ूर-सभा के उपाध्यक्ष श्री० गोपीनाथ सिंह के मकान की तलाशी ली गई। वे मकान पर नहीं थे। पुलिस उनके यहाँ से एक बक्स, जिसमें कुछ काग़ज़-पत्र थे, उठा ले गई। युक्त-प्रान्तीय नौजवान भारत-सभा के अध्यक्ष श्री० भूपेन्द्रनाथ सान्याल, जो उसी रोज़ नौजवान भारत सभा के सङ्गठन के सम्बन्ध में संयोगवश कानपूर पहुँचे थे, तथा श्री० गोपीनाथ सिंह के मकान पर ठहरे हुए थे, तथा कानपुर की बेकार-सभा के सभापति और स्थानीय तथा प्रान्तीय युवक-पक्ष के सेक्रेटरी श्री० प्रकाशनारायण सक्सेना, गिरफ़्तार कर लिए गए। कहा जाता है कि ये तलाशियाँ और गिरफ़्तारियाँ कानपुर षड्यन्त्र के सम्बन्ध में की गई हैं, जिसका मामला शीघ्र ही शुरू होने वाला है।

सरकार ने इस घटना के सम्बन्ध में एक विज्ञप्ति भी निकाली है, जिसमें कहा गया है कि उक्त व्यक्ति, आक्रमणकारियों के साथी होने के सन्देह पर गिरफ़्तार किए गए हैं। बाद की ख़बरों से पता चलता है, कि श्री० गोपीनाथ सिंह और श्री० प्रकाशनारायण सक्सेना छोड़ दिए गए हैं। आशा की जाती है कि श्री० सन्याल भी शीघ्र ही छोड़ दिए जायँगे।

—पाठकों को याद होगा, कि गत २री जून को चटगाँव में डिनामाईट से भरे हुए ८ कनस्तर पाए गए थे। ४थी जून का समाचार है कि अस्करदीघी नामक स्थान में, एक मकान से ऐसे ही २ और कनस्तर बरामद हुए हैं। कहा जाता है कि उक्त मकान के मालिक ने—जो उस मकान के पास ही रहता है—घर में तार देख कर पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस के जाँच करने पर वहाँ २ कनस्तर पाए गए। कहा जाता है कि दोनों कनस्तर मोमजामे में लपेटे हुए और बिजली के तारों से कस कर बँधे हुए थे। इस सम्बन्ध में एक व्यक्ति गिरफ़्तार किया गया है। पुलिस बड़ी सरगर्मी से जाँच कर रही है।

—कलकत्ते का ६ठी जून का एक समाचार है, कि श्याम बाज़ार पोस्ट-ऑफ़िस में एक लावारिस (Un-claimed) पार्सल से एक बम निकला है। कहा जाता है कि कोई अज्ञात व्यक्ति वह पार्सल वहाँ रख कर चम्पत हो गया था। अन्त में अधिकारियों ने जब उसे खोला तो उसमें से एक बम निकला, जिसकी 'फ़्यूज़' जली हुई थी। उस पर बङ्गला में लिखा था—"पोस्ट मास्टर को उपहार—वन्देमातरम्।"

स्थानीय पुलिस ने उक्त वस्तु को, जो बम बतलाया जाता है, अपने अधिकार में कर लिया है। इस सम्बन्ध में उत्तरीय कलकत्ते में एक घर की तलाशी ली गई और ९ युवक गिरफ़्तार किए गए हैं। कुछ सन्देह-जनक वस्तुएँ, जिनमें बम बनाने के कुछ सामान भी शामिल बतलाया जाता है, बरामद हुए हैं।

ज़मींदार और किसानों में दङ्गा

८ मरे अनेक घायल हुए

गत ७वीं जून का स्थानीय समाचार है, कि भटवरिया नामक एक गाँव में ज़मींदार और किसानों में भयङ्कर दङ्गा हो गया, जिसके फल-स्वरूप ८ मनुष्य मरे और अनेक घायल हुए।

कहा जाता है कि ज़मींदार ज़वादहुसैन ने लगभग १०० आदमियों के साथ, किसानों से मालगुज़ारी वसूलने के लिए उन पर 'चढ़ाई' कर दी। कहा जाता है कि इन लोगों के पास एक बन्दूक़ और तमञ्चे भी थे।

कहा जाता है, कि जब ज़मींदार ने किसानों से कर देने के लिए कहा तो उन लोगों ने कर देने से इन्कार कर दिया। इस पर दोनों ओर से वाद-विवाद होने लगा। अन्त में ज़मींदार की ओर के फ़ायरें की गईं, जिससे किसानों की ओर का एक आदमी मरा। इस पर किसान उत्तेजित हो उठे और उन्होंने ज़मींदार को तथा उसके आदमियों को घेर कर मारना शुरू किया, जिसके फल-स्वरूप ज़मींदार और उसके ६ अन्य आदमी खेत रहे।

इस मारपीट और हत्याकाण्ड का एक कारण यह भी बतलाया जाता है, कि अपनी प्रजा के प्रति उस ज़मींदार का व्यवहार अच्छा नहीं था। उसने उनके प्रति अनेक अत्याचार किए थे, इसी से लोग उससे असन्तुष्ट थे।

पुलिस कई घण्टे बाद घटनास्थल पर पहुँची और लाशों को उठा कर इलाहाबाद ले आई। किसानों की ओर के घायल व्यक्तियों को काँङ्ग्रेस अस्पताल में लाने के लिए काँङ्ग्रेस की ओर से एम्बुलेन्सकार भेजी गई। कहा जाता है कि जो २-३ घायल व्यक्ति काँङ्ग्रेस अस्पताल में लाए गए थे, उन्हें पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है।

शाही क़ैदी की रिहाई का शाहाना तरीक़ा!

पञ्जाब-पुलिस के मुँह पर पाँचवाँ थप्पड़ !!

श्री० वीरेन्द्र पाँचवीं बार भी बेदाग़ छोड़ दिए गए !!!

लाहौर का २री जून का मनोरञ्जक समाचार है कि आज शाम को ३॥ बजे महाशय कृष्ण के सुपुत्र श्री० वीरेन्द्र एक विशेष नाटकीय ढङ्ग से लाहौर जेल से विमुक्त कर दिए गए। आप नौकरशाही सरकार की आज्ञा से, आज चार महीनों से, सन् १८१८ के रेगूलेशन के अनुसार, बिना किसी प्रकार के अभियोग के ही पकड़ कर क़ैद कर लिए गए थे। आपकी गिरफ़्तारी और क़ैद की पञ्जाब के अख़बारों में बड़ी चर्चा रहती थी। आपके साथ ही श्री० एहसान इलाही नाम के एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता भी क़ैद कर लिए गए थे, जो अभी तक क़ैद में ही हैं।

पाठकों को स्मरण होगा, श्री० वीरेन्द्र इस गिरफ़्तारी के पहले चार बार और भी गिरफ़्तार करके इसी प्रकार छोड़े जा चुके हैं। सब से पहले आप श्री० सॉण्डर्स की हत्या के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए थे, इसके बाद वॉयसराय की गाड़ी पर बम फेंकने के अभियोग में गिरफ़्तार हुए। गत साल पिकेटिङ्ग के अपराध में पकड़े गए थे और अन्त में पञ्जाब के गवर्नर पर गोली चलाने के सन्देह में पकड़े गए थे। परन्तु प्रत्येक बार पुलिस द्वारा व्यर्थ ही परेशान करके आप प्रायः इसी प्रकार छोड़ दिए गए हैं, किन्तु आपके इस बार की रिहाई का वृत्तान्त विशेष मनोरञ्जक है।

अन्तिम गिरफ़्तारी

आपकी यह पाँचवीं गिरफ़्तारी गत १० फ़रवरी को हुई थी। उस दिन शाम को जब कि आप स्टूडेण्ट यूनियन के अधिवेशन में, जिसके आप एक उत्साही कार्यकर्ता रहे हैं, जा रहे थे, रास्ते में ही गिरफ़्तार कर लिए गए। इसी दिन श्री० एहसान इलाही भी गिरफ़्तार करके लाहौर के सेण्ट्रल जेल में बन्द कर दिए गए।

अभियोग बताए जाने के लिए आन्दोलन

इन दोनों युवकों की गिरफ़्तारी के बाद जनता ने प्रेस और प्लेटफ़ॉर्म—दोनों स्थानों से सरकार से ज़ोरदार अनुरोध किया कि इन पर जो अभियोग लगाए गए हैं, उनकी बुनियाद प्रकट की जाय। श्री० वीरेन्द्र के सम्बन्ध में एसेम्बली में भी प्रश्न किए गए। परन्तु कोई फल नहीं हुआ। दोनों अभियुक्तों को अपने अभियोग के सम्बन्ध में, उनके क़ानूनी सलाहकारों से सलाह मशविरा करने का भी सुयोग नहीं दिया गया। वे कोई परामर्श तक प्राप्त नहीं कर सके। इसी तरह उनके रिश्तेदारों को भी उनके अभियोगों के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया। इसके सिवा अभियुक्तों पर कई प्रकार की पाबन्दियाँ भी लगा दी गईं। मुलाक़ातों और चिट्ठियों के सम्बन्ध में उन्हें विशेष कष्टों का सामना करना पड़ा, जिनकी विस्तृत चर्चा 'भविष्य' के पिछले अङ्कों में हो चुकी है।

छुटकारे का दिलचस्प ढङ्ग

आज अकस्मात एसिस्टेण्ट जेलर साहब श्री० वीरेन्द्र के पास गए और उनसे कहा कि अपना हिसाब-किताब कर लें। यह सुन कर वह हैरान रह गए। क्योंकि साधारणतः क़ैदियों का हिसाब-किताब स्थान परिवर्तन या छुटकारे के समय ही हुआ करता है। इसलिए श्री० वीरेन्द्र ने इसका कारण पूछा। पर उन्हें कुछ बताया न गया। इसके बाद आज्ञा हुई, कि आप अपना बिस्तर आदि बाँध लें और सब चीज़ें इकट्ठी कर लें। इस पर श्री० वीरेन्द्र ने फिर पूछा कि आख़िर माजरा क्या है? इस पर आपको बताया गया, कि आप मुलतान जेल भेजे जायँगे। यह सुनते ही आपने अपने मित्र एहसान इलाही साहब को जगाया और उनसे दर्द-भरे दिल से विदा ली। उस समय श्री० एहसान इलाही की तबीयत ख़राब थी। आप अक्सर बीमार रहते हैं।

शाही क़ैदी की रिहाई का शाहाना तरीक़ा

इसके बाद श्री० वीरेन्द्र जेल के दफ़्तर में लाए गए। वे शर्बत की बोतल, कुछ बर्तन और कुछ अन्यान्य चीज़ें अपने मित्र (श्री० एहसान इलाही) के लिए छोड़ना चाहते थे। इस पर कहा गया कि चूँकि यात्रा लम्बी है, इसलिए शर्बत की बोतल आदि आप अपने साथ ले जाइए। ऑफ़िसर ने कहा कि मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। निदान सब चीज़ें मँगवाई गईं। संयोगवश दरवाज़े के बाहर एक बन्द लॉरी खड़ी थी। श्री० वीरेन्द्र ने समझा कि वास्तव में वे वहाँ से तब्दील किए जा रहे हैं। परन्तु थोड़ी देर बाद ही आपसे कहा गया कि आप छोड़ दिए गए। अब आप अपने घर जा सकते हैं। आपने इच्छा प्रकट की कि मुझे अपने पिता को टेलीफ़ोन करने दिया जाए। परन्तु आज्ञा नहीं मिली, ताकि कहीं जेल के सामने कोई प्रदर्शन न हो जाए।

आपने अपने साथी श्री० एहसान इलाही के बारे में दरियाफ़्त किया तो कहा गया कि कुछ पता नहीं कि वे कब छोड़े जायँगे। ख़ैर, वहाँ से छूट कर चार बजे आप अपने घर आए।

छुटकारे से पूर्व आपकी तलाशी ली गई और सरकार की ओर से जो अभियोग आप पर लगाए गए थे, तथा उनका जो उत्तर आपने दिया था, जो जजों को दिया गया था, उसकी एक नक़ल आपको दे दी गई।

माता के चरणों में

श्री० वीरेन्द्र को अकस्मात आए देख कर उनकी माता आश्चर्य में पड़ गईं। उन्होंने माता के चरणों में भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। रात के दस बजे तक आपके घर पर मित्रों तथा हितैषियों का ताँता लगा रहा, जो आपसे मिलने और आपके माता-पिता को बधाई देने आए थे।

श्री० वीरेन्द्र की इच्छा

वीरेन्द्र जी को अपनी मुक्ति से ज़रा भी प्रसन्नता न थी। वे अपने मित्र मि० एहसान के लिए अत्यन्त चिन्तित थे। उनकी बातों से मालूम हुआ, कि जब तक एहसान साहब छोड़े नहीं जाते, तब तक उन्हें अपने छुटकारे की कोई ख़ुशी नहीं है। आपने बताया कि मि० एहसान बीमार हैं और आपका छुटकारा अत्यावश्यक है।

सेशन्स जजों का फ़ैसला

श्री० वीरेन्द्र की रिहाई का यह कारण बताया जाता है कि जिन दो सेशन्स जजों के सामने इनका मुक़दमा रक्खा गया था, उन्होंने इन्हें सर्वथा निरपराध पाया। फलतः इसी फ़ैसले के अनुसार वे छोड़े गए हैं।

श्री० एहसान इलाही

कहा जाता है कि श्री० एहसान इलाही के काग़ज़ात भी जजों के सामने रक्खे गए थे, परन्तु कुछ मालूम नहीं हुआ, कि उन्होंने उनके सम्बन्ध में क्या निर्णय किया। यह भी नहीं मालूम कि बेचारे एहसान साहब कब छोड़े जायँगे?

* * *

कानपुर जाँच-कमीशन की रिपोर्ट

केवल कलक्टर हटाया जायगा !!

"पुलिस ने वैसी कर्तव्यशीलता नहीं दिखाई, जैसी कि उससे आशा की जाती थी।"

कानपुर के दङ्गे के सम्बन्ध में जाँच करने के लिए जो कमीशन नियुक्त किया गया था, उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है।

दङ्गे के कारणों पर विचार करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है, कि भद्र अवज्ञा आन्दोलन तथा बार-बार की हड़तालों ने मुसलमानों में असन्तोष उत्पन्न कर दिया था। इस कारण उन्होंने भी तन्ज़ीम आन्दोलन शुरू कर दिया। इन्हीं आन्दोलनों से हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य बढ़ता गया, जो अन्त में इस दङ्गे के रूप में भड़क उठा।

दङ्गे के तात्कालिक कारणों के सम्बन्ध में रिपोर्ट में कहा गया है, कि कॉङ्ग्रेस के हड़ताल सम्बन्धी घोषणा करने से तथा 'वानर-सेना' के स्वयंसेवकों के हड़ताल सम्बन्धी प्रयत्नों से ही दङ्गे का सूत्रपात हुआ। पुलिस की अकर्मण्यता के सम्बन्ध में कमीशन का कहना है :—

"प्रत्येक श्रेणी के व्यक्ति, जिन्होंने हमारे सामने अपना बयान दिए हैं, और-और बातों में मतभेद रखते हुए भी, पुलिस की अकर्मण्यता के सम्बन्ध में वे सब एकमत हैं। सबों का कहना है, कि दङ्गे के समय अनेक अवसरों पर पुलिस चुपचाप तमाशा देखती रही, इस प्रकार के बयान देने वालों में यूरोपियन व्यापारी, हिन्दू तथा मुसलमान सज्जन, सैनिक अफ़सर, अपर इण्डिया चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स के सेक्रेटरी, भारतीय ईसाइयों के प्रतिनिधि तथा भारतीय अफ़सर भी शामिल हैं। बयान के इस भाग की, जिस पर सभी बयान देने वालों का एक मत है, अवहेलना करना असम्भव है। × × × इसमें सन्देह नहीं, दङ्गे के समय, पहले ३ दिन तक पुलिस ने वैसी कर्तव्यशीलता नहीं दिखलाई, जैसी कि उससे आशा की जाती थी।"

कमीशन फिर आगे कहता है :—

"दङ्गे के समय पुलिस की उदासीनता और अकर्मण्यता के सम्बन्ध में अधिकारियों के पास शिकायतें भी की गई थीं, किन्तु यह बड़े शोक की बात है कि उन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। दङ्गे के समय सब से भीषण बात यह हुई कि स्थानीय अधिकारियों ने परिस्थिति की गम्भीरता को अच्छी तरह नहीं समझा, वे मुहल्लों के भीतर होने वाली घटनाओं से अनभिज्ञ रहे और लोगों के जानोमाल की रक्षा नहीं कर सके। × × × इस सम्बन्ध का एक उदाहरण यह है कि पुलिस के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट जब एक ऐसे स्थान की गश्त लगाने के लिए निकले, जहाँ लूट और हत्याएँ हो रही थीं, तो पुलिस पहरे वालों ने उन्हें यह ख़बर दी कि 'चारों ओर अमन-अमान है'।"

ज़िला-मैजिस्ट्रेट मि० सेल के सम्बन्ध में कमीशन का कहना है :—

"जान पड़ता है, ज़िला-मैजिस्ट्रेट परिस्थिति की गम्भीरता का शीघ्र अनुभव नहीं कर सके। मेस्टन रोड वाले मन्दिर का तो एक अपना ही इतिहास है। यही स्थान १९१३ के भयङ्कर दङ्गे का केन्द्र था। यहाँ पर के मस्जिद और मन्दिर के सम्बन्ध में हिन्दू-मुसलमानों के दिल में उसी समय से ग़ुबार जमा हुआ था। ज़िला-मैजिस्ट्रेट यह बात जानते थे। इस स्थान से वह दूर भी नहीं थे। वह समय, उनके वह स्थान छोड़ कर अन्यत्र चले जाने का नहीं था। यदि उन्होंने समय पर कार्रवाई की होती और पुलिस को बुला कर, जो उस समय पास ही थी, मन्दिर की रक्षा के लिए कोशिश की होती, तो इसमें सन्देह नहीं कि मन्दिर की रक्षा हो जाती। इसी प्रकार वे बज़ाज़ा और सर फ़ा के मस्जिदों की भी रक्षा कर सकते थे। इन्हीं मन्दिर और मस्जिदों के जलाए जाने की ख़बरों से लोग उत्तेजित हो उठे और दङ्गे ने भीषण रूप धारण कर लिया, साधारणतः लोगों का यही विचार है और स्वयं ज़िला-मैजिस्ट्रेट ने भी हम लोगों के सामने इसे स्वीकार किया है। परिस्थिति को समझ न सकना और परिस्थिति के अनुसार कार्य करने से चूक जाना, यह ज़िला-मैजिस्ट्रेट के हक़ में बड़ी भारी भूल है।"

कमीशन की सिफ़ारिशों को दृष्टि में रखते हुए गवर्नमेण्ट ने कानपूर के कलक्टर मि० सेल को इसीलिए वहाँ से हटा देने का निश्चय किया है, कि उनमें अब जनता का विश्वास बिल्कुल नहीं रह गया है। ऐसी हालत में उनका हटा देना ही ठीक समझा गया। पुलिस की अकर्मण्यता के सम्बन्ध में गवर्नमेण्ट ने प्राइवेट जाँच (Departmental Enqui ry) करने का विश्वास दिलाया है; किन्तु कोतवाल साहब के सम्बन्ध में कहा गया है, कि चूँकि वे गवर्नमेण्ट के पुराने वफ़ादार सेवकों में हैं और सरकार के बड़े विश्वासपात्र व्यक्ति हैं, इसलिए उनके सम्बन्ध में कोई ख़ास कार्रवाई नहीं की जायगी।

केवल पेशावर में १ लाख फ़ौज का संगठन हो चुका है !!

सरकारी दमन हमारे आन्दोलन में सहायक हो रहा है !

सीमा प्रान्त के नृशन्स अत्याचारों की कहानी

पिछले युद्ध में जितने स्वयंसेवक सब प्रान्तों ने मिला कर दिए थे, आगामी युद्ध में उतना केवल सीमाप्रान्त देगा !!

३री जून के प्रातःकाल दिल्ली स्टेशन पर 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के विशेष सम्वाददाता से बातचीत करते हुए 'सीमा प्रान्त के गाँधी' ख़ाँ अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ ने कहा कि सीमा-प्रान्त की सरकार की दमन-नीति ज़ोरों पर जारी है और बार-बार याद दिलाने पर भी वह गाँधी-इर्विन समझौते का पालन नहीं कर रही है। अब हम गम्भीरतापूर्वक सोच रहे हैं कि सरकार की दमन-नीति के जवाब में सीमा प्रान्त में ज़ोरदार आन्दोलन आरम्भ कर देने का समय आ गया है या नहीं?

ख़ाँ साहब ने बताया, कि लगातार सीमा प्रान्त में दौरा करने के कारण मेरा स्वास्थ्य इधर कुछ दिनों से ख़राब हो गया है। जेल से छूटने के बाद से ही यह दौरा जारी है; यहाँ तक कि तब से अब तक मैं अपनी छोटी लड़की को भी नहीं देख सका हूँ, जो मारी में पढ़ती है।

सीमा प्रान्त की साधारण अवस्था के सम्बन्ध में ख़ाँ अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ ने कहा कि एक तरह से सरकार की नीति लालकुर्ती वालों के आन्दोलन को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। मुझे यह कहते प्रसन्नता होती है कि सिर्फ़ पेशावर ज़िले में ही एक लाख लालकुर्ती वालों की फ़ौज का सङ्गठन हो चुका है। बन्नू, कोहाट, डेराइस्माइल ख़ाँ में भी हज़ारों लालकुर्ती वाले हैं। गाँवों के लोगों में स्वतन्त्रता के लिए प्रेम और उत्साह ख़ूब है। स्वतन्त्रता की भावी लड़ाई में लोग उम्मीद रखते हैं कि पिछले युद्ध में अन्य सब प्रान्तों ने मिल कर जितने स्वयंसेवक दिए थे, सीमा प्रान्त उतने स्वयंसेवक अकेले ही देगा !!

समझौता हो जाने के बाद भी राजनीतिक क़ैदियों को न छोड़ने से इस प्रान्त में बहुत बेचैनी फैल रही है। मैंने इस सम्बन्ध में महात्मा गाँधी से पत्र-व्यवहार किया है। गाँधी जी ने सरकार के विलम्ब करने पर खेद प्रकट किया और अब तक न छोड़े गए क़ैदियों का मुझसे पूरा विवरण माँगा है। गाँधी जी ने यह मत प्रकट किया कि इस विलम्ब का कारण क़ानूनी उलझन है जो सीमा प्रान्त में बहुत ही बदनाम है।

सीमा-प्रान्त के अत्याचार के सम्बन्ध में आपने सरकार के 'ओछेपन' के दो उदाहरण दिए। ख़ाँ साहब ने कहा कि मालकन्द एजन्सी के कुछ लड़के, जो मुझसे मिलना चाहते थे, पुलिस द्वारा बुरी तरह पीटे गए। उनमें से एक लड़का, जिसे बुरी तरह मार पड़ी थी, गाँधी जी के पास जाँच के लिए शिमला भेज दिया गया था। दूसरे एक आदमी की भेड़ खो गई। उसने 'लालकुर्ती सङ्घ' के दफ़्तर में रिपोर्ट दी। उस पर २५) जुर्माना किया गया। अपराध यह था, कि पुलिस के बदले उसने लालकुर्ती सङ्घ में क्यों रिपोर्ट दी।

ख़ाँ साहब ने ज़ोर देते हुए कहा कि हमारा आन्दोलन पूर्णतया अहिंसामय है और एङ्ग्लो-इण्डियन अख़बार जिस तरह प्रचार कर रहे हैं, वह शैतानी से भरा हुआ है। आपने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, कि यदि सरकार लालकुर्ती वालों के सम्बन्ध में अपनी नीति में परिवर्तन न करेगी, तो हम प्रान्त भर में आन्दोलन आरम्भ कर देंगे, जिसका सामना करना सरकार को असम्भव हो जायगा।

ख़ाँ साहब अपने साथ कई मुक़दमों के फ़ैसले भी ले जा रहे हैं, जिन्हें वे गाँधी जी को दिखावेंगे। अपने राजनीतिक गुरु महात्मा गाँधी के समान ख़ाँ साहब भी तीसरे दर्जे से यात्रा करते हैं।

अभियुक्तों ने अदालत की कार्यवाही में भाग लेने से इन्कार कर दिया!

सरकारी वकील, मुख़बिर और पुलिस अफ़सरों को गोली मारने की चेष्टा !!

मुख़बिर ने बम तो बनाया, पर 'धूल के समान' किस वस्तु से बनाया, सो नहीं जानता !!

अभियुक्तों के अड़ जाने पर ट्रिब्यूनल को १०वीं जून तक कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी!

'सोप फ़ैक्टरी' का साईनबोर्ड कैसा था? देहली षड्यन्त्र केस की मनोरञ्जक कार्यवाही!

दिल्ली का ३री जून का समाचार है, कि आज दिल्ली षड्यन्त्र केस की कार्रवाई प्रारम्भ होने के समय प्रोफ़ेसर निगम ने ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट से पूछा कि गवर्नमेण्ट ने हम लोगों की सफ़ाई के सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध किया है। प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि मुझे आशा है कि गवर्नमेण्ट इस विषय में शीघ्र ही कोई निर्णय करेगी। प्रो० निगम ने कहा कि हम लोगों की सफ़ाई का मौजूदा प्रबन्ध अस्थायी है, गवर्नमेण्ट इस विषय में कितना ख़र्च करना चाहती है, यह मालूम हो जाना भी आवश्यक है।

शस्त्र और गोली-बारूद

इसके बाद मुख़बिर कैलाशपति ने अपना बयान प्रारम्भ करते हुए कहा, कि ४ सितम्बर को दिल्ली वाली सभा में तय हुआ था कि देश में आतङ्क का कार्य प्रारम्भ किया जाय। इसके लिए सदस्यों में शस्त्रों के बाँटे जाने का भी निश्चय हुआ था। ३ या ४ फ़ौजी रिवॉल्वर मय कारतूसों के धन्वन्तरि और मुझको, दो-तीन रिवॉल्वर वैशम्पायन को, और ३ या ४ रिवॉल्वर विद्याभूषण को दिए गए थे। आज़ाद ने अपने लिए दो रिवॉल्वर चुने थे। एक मौज़र पिस्तौल यशपाल को दिया गया था। दिल्ली वाली सभा में यू० पी० का प्रान्तीय सङ्गठनकर्ता वीरभद्र तिवारी की जगह विद्याभूषण नियुक्त हुआ था।

धन्वन्तरि और दोनों ४ सितम्बर को लाहौर गए। जाते समय उन्होंने मुझसे कहा था कि वहाँ सी० आई० डी० के एस० पी० ख़ाँ बहादुर अब्दुल अज़ीज़ को मारने का प्रयत्न किया जायगा और इस कार्य में सुखदेवराज तथा एक दूसरे आदमी की सहायता ली जायगी।

५ सितम्बर को सवेरे दुर्गादेवी और वैशम्पायन बम्बई के लिए रवाना हो गए।

५ सितम्बर को आज़ाद 'बम फ़ैक्टरी' में रहे। विमल के कहने से मैं क्वीन्स गार्डन में विद्याभूषण से मिला।

सरकारी वकील को गोली मारने का प्रयत्न

मैं विद्याभूषण को प्रो० निगम के घर ले गया। निगम के घर में एक सभा की गई। उसमें तय हुआ कि विद्याभूषण पण्डित जगतनारायण मुल्ला एडवोकेट और शाहजहाँपुर के बनारसीदास को गोली से मारने का प्रबन्ध करे।

प्रश्न—वे कौन थे?

उत्तर—जगतनारायण मुल्ला काकोरी केस में सरकारी वकील थे। (इस पर हँसी हुई) बनारसीदास मुख़बिर था।

विद्याभूषण—अच्छा, वह तुम्हारा बड़ा भाई था !!

इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि सभा में यह भी निश्चय हुआ था, कि विद्याभूषण पूजा की छुट्टी में कहीं से धन प्राप्त करने का प्रबन्ध करे। इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि मैं विद्याभूषण को किनारी बाज़ार में काशीराम के घर ले गया। हज़ारीलाल और भवानीसिंह भी वहीं रहा करते थे। दूसरे दिन आज़ाद, विद्याभूषण और केशवचन्द्र, गौरीशङ्कर-मन्दिर के पीछे एकत्र हुए। वहाँ निश्चय हुआ कि विद्याभूषण आगरा जाकर ख़ुफ़िया तौर से शिवचरण के घर का पता लगाए। विद्याभूषण के साथ केशव भी आगरा गया था। शिवचरण के घर का पता लग गया, परन्तु शिवचरण घर पर नहीं था। वहाँ से लौटने पर अपनी पिस्तौल वग़ैरह साथ लेकर विद्याभूषण यू० पी० के लिए रवाना हो गया।

इसके बाद शिनाख़्त करने के लिए क़रीब आधे दर्जन पिस्तौल और रिवॉल्वर मेज़ पर लाकर रख दिए गए, जिनमें से कुछ को मुख़बिर ने पहचान लिया।

मि० पील की तलाश

एक दिन विमल और निगम के साथ मैं मि० पील का मकान देखने के लिए गया। मकान के बाहर और सामने गोरखों का कड़ा पहरा था। यह देख कर हम लोगों ने सोचा, कि बिना मोटर के काम न चलेगा। इसके बाद जब हम लोगों ने सुना कि भगतसिंह को फाँसी देना निश्चय हो गया है, तब हम लोगों ने सोचा कि मि० पील को अवश्य ही समाप्त कर देना चाहिए। परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी।

षड्यन्त्रकारी साहित्य और कुछ हथियार जो मेरे पास थे, वे मैंने हज़ारीलाल की सम्मति से कपूरचन्द के यहाँ रख दिए। हज़ारीलाल का कहना था कि कपूरचन्द विश्वसनीय व्यक्ति है।

सितम्बर के दूसरे सप्ताह में विमल के नाम 'साइचिटस्ट' वात्स्यायन का एक पत्र आया जिसमें 'साइचिटस्ट' से अम्बाला में मिलने के लिए लिखा था। विमल जा नहीं सका, इसलिए 'साइचिटस्ट' स्वयं ही दिल्ली आया। मैं उससे मिला, मिलने पर मालूम हुआ कि वह आजकल फ़रार है, क्योंकि उसकी एक ग्रूप फ़ोटो पञ्जाब के एक दूसरे फ़रार अभियुक्त के पास लाहौर के रामकृष्ण एण्ड सन्स के दूकान की तलाशी के वक़्त पुलिस के हाथ लग गई थी। आज़ाद ने इस विषय में सहायता लेने के लिए साइचिटस्ट को धन्वन्तरि के पास भेज दिया। उन दिनों आज़ाद कहा करता था कि यदि वॉयसराय की ट्रेन पर तीन-चार बमों के द्वारा एक बार फिर से प्रयत्न किया जाय, तो सम्भव है कि इस बार सफलता मिले। इस सम्बन्ध में आज़ाद, गिरिवरसिंह, मैं, यशपाल और विमल प्रयोग भी कर रहे थे। आज़ाद ने कहा कि किसी स्पेशल बैटरी की ज़रूरत नहीं है, मामूली बैटरी से ही काम चल सकता है। यशपाल ने कहा कि अब आगे से हम लोग बुझाई हुई पिकरिक एसिड का प्रयोग करेंगे। हम लोग मामूली पॉकेट बैटरियों द्वारा बन्दूक़ उड़ाने का प्रयोग किया करते थे। इस सम्बन्ध में मुख़बिर ने अदालत में पेश की गई बैटरियों, तारों और दूसरी वस्तुओं की शिनाख़्त की।

रुद्रदत्त के कार्य

एक दिन आज़ाद ने मुझसे अभियुक्त प्यारेलाल गुप्त के यहाँ से अपना गहरे भूरे रङ्ग का कोट ले आने के लिए कहा। परन्तु वह मुझे मिला नहीं। इसके बाद मैं अजमेर चला गया और वहाँ जे० पी० बागर भट्ट के यहाँ ठहरा। अजमेर जाने का अभिप्राय गवर्नमेण्ट कॉलेज में वेतन के दिन डाका डालने का था।

मैंने मदनगोपाल से दल के लिए कहीं से धन का प्रबन्ध करने के लिए कहा। अभियुक्त रुद्रदत्त से भी मैं मिला था। उसने छुट्टनलाल और हज़ारीलाल का परिचय मुझसे कराया था, जोकि लोको वर्कशॉप में काम करते थे। वे दोनों षड्यन्त्रकारी विचारों के व्यक्ति थे और दल के कार्यों में सहयोग करना चाहते थे। रुद्रदत्त ने उन दोनों से ४०) रुपए प्राप्त किए। इसके बाद मैं दिल्ली वापस चला आया।

रुद्रदत्त भी मेरे साथ दिल्ली आया था। उस समय बालकृष्ण, गिरिवरसिंह और यशपाल बम-फ़ैक्टरी में थे। परन्तु तीन दिन के बाद यशपाल चला गया। भवानीसिंह कानपुर से सितम्बर महीने के आख़ीर में आया। वह फ़ैक्टरी हाउस का किराया देने के लिए आज़ाद से सौ रुपया लाया था। उसमें से ८०) रुपए किराए में दे दिए गए।

विद्याभूषण—और बाक़ी बीस तुम खा गए। (इस पर हँसी हुई)

मुख़बिर—१५) रु० मैंने अपने पास रख लिए और ५) रु० भवानीसिंह को दे दिए। फ़ैक्टरी हाउस २८ सितम्बर को ख़ाली किया गया था।

धन-संग्रह का विचार स्थगित

बीमार पड़ जाने के कारण मैं धन-संग्रह का कार्य करने के लिए अजमेर नहीं जा सका। भवानीसहाय को वहाँ भेज कर मैंने गवर्नमेण्ट कॉलेज के वेतन लूटने का कार्य स्थगित कर दिया। उन्हीं दिनों हज़ारीलाल कपूरचन्द के यहाँ से एक बार ३० और दूसरी बार ३५ रुपए लाया। मैंने २५) रु० अभियुक्त हरकेश के मार्फ़त एक बनिए से उधार भी लिए थे। हरकेश ने बनिए से मुझे अपना भाई बतलाया था।

अभियुक्त—ज़रा अपना और हरकेश का चेहरा तो मिलाओ। (इस पर हँसी हुई)

इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि हरकेश दल का सदस्य था और मैंने उसे एक हवाई पिस्तौल दी थी। मैंने कई बार इलाहीबख़्श एण्ड सन्स की दूकान से हवाई पिस्तौलें ख़रीदी थीं। हरकेश ने निशाने का अभ्यास कर लेने के बाद हवाई पिस्तौल मुझे लौटा दी। एक हवाई पिस्तौल मैंने मुख़बिर रामलाल तैलङ्ग को और दूसरी मुख़बिर मदनगोपाल को भी दिया था।

इसके बाद मुख़बिर के सामने शिनाख़्त के लिए कुछ बमों के नमूने पेश किए गए, जिनकी शिनाख़्त करते हुए उसने कहा कि इनको मैंने, आज़ाद और यशपाल ने मिल कर बनाया था। इसके बाद सरकारी वकील के यह पूछने पर कि ये बम किस वस्तु के बने हैं, मुख़बिर ने कहा कि ये बम बाज़ार में धूल की तरह कोई चीज़ बिकती है, उसी से बनाए गए हैं, परन्तु मैं नहीं जानता उसे कहते क्या हैं।

अभियुक्त वात्सायन की शिकायत

इस बीच में सफ़ाई के वकील मि० बलजीतसिंह ने ट्रिब्यूनल का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि कुछ दिन हुए मोहर्रम की छुट्टियों में अभियुक्त वात्सायन किसी मामले में अमृतसर जेल भेजा गया था। वहाँ उसके काग़ज़ात, कपड़े और कुछ किताबें रख ली गई थीं, जिन्हें दिल्ली वापस आते समय उसे साथ लाने की इजाज़त नहीं दी गई। अगर काग़ज़ात कहीं पुलिस के हाथ में पड़ गए, तो अभियुक्तों की सफ़ाई में बाधा पड़ने की आशङ्का है। इस पर ट्रिब्यूनल ने अमृतसर के जेल-अधिकारियों को लिखने का वचन दिया।

इसके बाद अदालत जलपान के लिए स्थगित हो गई।

एक क़ानूनी प्रश्न

अदालत के फिर बैठने पर मि० आसफ़अली ने कहा कि अदालत ने अभियुक्त विमल के बयान की नक़ल देना अस्वीकार कर दिया है, यह हमारी सम्मति में उचित नहीं। विमलप्रसाद का बयान इस मामले की गवाही का एक अंश है, हमें उसकी नक़ल पाने का क़ानूनी हक़ है। हम नहीं समझते कि ट्रिब्यूनल बयान की नक़ल देने में क्यों आपत्ति करता है। विमल के बयान का सम्बन्ध अन्य अभियुक्तों से भी है, इस कारण ट्रिब्यूनल से हमारी प्रार्थना है, कि वह नक़ल देने की इजाज़त दे दे।

इस पर सरकारी वकील मि० ज़फ़रुल्ला ख़ाँ ने कहा कि विमल ने क़ानून के किस नियम के अनुसार बयान दिया था? उसने जो कुछ कहा था, अपनी तरफ़ से कहा था। उसका बयान या तो अदालत के सामने स्वतन्त्र भाषण था या इस मामले की गवाही का एक अंश मात्र था। वह दो में से क्या था, इसका निर्णय अदालत ही कर सकती है। यदि अभियुक्त-विमल का बयान गवाही का अंश था, तो सफ़ाई को उसकी नक़ल पाने का हक़ हो सकता है।

मि० आसफ़अली ने कहा है, कि वह बयान एक ऐसे अभियुक्त के द्वारा हुआ, जिसकी ओर से कोई क़ानूनी सहायता का प्रबन्ध न हुआ था। अब आगे से वह अदालत के बिना बुलाए कार्रवाई में कोई भाग न लेगा। इसके बाद आपने कहा कि अगर सबूत की ओर से अभियुक्त विमल के बयान का आगे चल कर उपयोग किया जा सकता है, तो सफ़ाई-पक्ष को भी उस बयान से पूरा-पूरा लाभ उठाने का हक़ है और उसके लिए उसे बयान की नक़ल मिलनी चाहिए। बयान की नक़ल मिलने में कोई भी क़ानूनी रुकावट न होनी चाहिए, क्योंकि बयान ट्रिब्यूनल के सामने की दैनिक कार्रवाई का भाग है।

श्री० के० बी० अमीरअली (ट्रिब्यूनल के एक सदस्य) ने कहा कि आप अपनी अर्ज़ी अभी स्थगित रख कर तब क्यों न पेश करें, जब सबूत उस बयान से कोई लाभ उठाने लगे?

मि० आसफ़अली ने कहा कि मैं आज ही नक़ल लेने के लिए उत्सुक नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब केवल यही है कि सफ़ाई के बयान की नक़ल पाने का हक़ ट्रिब्यूनल स्वीकार कर ले।

इस पर ट्रिब्यूनल ने विचार करने का वचन दिया।

अभियुक्तों की चेतावनी

इसके बाद अभियुक्त प्रो० निगम ने उठ कर ट्रिब्यूनल के सामने अभियुक्तों की ओर से एक वक्तव्य देते हुए कहा कि गवर्नमेण्ट की ओर से अभियुक्तों के लिए ख़र्च मन्ज़ूर करने में जो देरी की जा रही है वह सर्वथा अनुचित है। इस विषय में हम लोग आज से चार महीने पहले गवर्नमेण्ट के पास अर्ज़ी भेज चुके हैं, परन्तु अब तक कुछ भी निर्णय नहीं किया गया। हमारे वकीलों ने हम लोगों को नोटिस दी है, कि अगर दो रोज़ के अन्दर हम लोगों का मेहनताना वग़ैरह न तय हो गया, तो हम लोग सफ़ाई की ओर से पैरवी करना छोड़ देंगे। इसलिए हम लोगों ने निश्चय किया है कि अगली बैठक में हम लोग अदालत की कार्रवाई में, तब तक कोई भाग न लेंगे, जब तक कि सरकार की ओर से इस विषय में कोई निश्चित निर्णय न आ जायगा।

इसके बाद मुख़बिर कैलाशपति ने कुछ साइनबोर्डों की शिनाख़्त की। एक हरद्वारीलाल दर्ज़ी की दूकान का साइनबोर्ड था और दूसरा जवाहर स्वदेशी स्टोर का था। मुख़बिर ने कहा कि हम लोगों के 'सोप फ़ैक्टरी' का साइनबोर्ड भी इसी प्रकार का था।

इसके बाद उसने कहा कि प्रो० निगम ने काश्मीर से आकर मुझको बतलाया कि लाहौर में धन्वन्तरि मिला था, उसने कहा कि हम लोग ख़ान बहादुर अब्दुल अज़ीज़ को गोली से उड़ा देने का प्रबन्ध कर रहे हैं।

एक क़ानूनी आपत्ति

इस पर मि० आसफ़अली ने कहा कि मुख़बिर की उपरोक्त गवाही क़ानूनन नाजायज़ है। क्योंकि वह एक तीसरे व्यक्ति से सुनी-सुनाई बात कह रहा है।

चौधरी ज़फ़रुल्ला ख़ाँ ने कहा कि मुख़बिर की गवाही क़ानूनन् जायज़ है। क्योंकि अभियुक्त षड्यन्त्र में सम्मिलित थे। मुख़बिर की गवाही में यह पहले ही कहा जा चुका है, कि के० बी० अब्दुल अज़ीज़ को मारने की स्कीम सब लोगों ने मिल कर सोची थी।

मि० बोस—यह सुनी-सुनाई बात है और प्रसङ्ग-हीन है।

मि० आसफ़अली—बिल्कुल सुनी-सुनाई बात है।

इस पर अदालत ने सफ़ाई-पक्ष की आपत्ति को मिसिल में दर्ज कर लिया।

इसके बाद फिर मुख़बिर ने अपनी गवाही के सिलसिले में कहना शुरू किया कि निगम ने मुझसे कहा कि धन्वन्तरि ने कहा है कि के० बी० अब्दुल अज़ीज़ रोज़ अपने बाग़ में टहलने के लिए जाता है, वहीं एक झाड़ी में छिप कर उसको गोली मारी जायगी। निगम ने धन्वन्तरि से यह बात सुन कर उससे कहा था कि यह स्कीम सम्भवतः असफल रहेगी। निगम ने सलाह दी कि एक व्यक्ति साइकिल से के० बी० अब्दुल अज़ीज़ की मोटर के सामने गिर पड़े, इस पर मोटर रुक जायगी और तब ख़ाँ बहादुर अब्दुल अज़ीज़ को गोली मारने का यथेष्ट अवसर मिल जायगा। परन्तु धन्वन्तरि ने निगम की सलाह नहीं मानी और असफल हुआ। धन्वन्तरि को डर था कि मोटर के सामने साइकिल से गिरने में कहीं ऐसा न हो कि मोटर न रुके और साइकिल वाले व्यक्ति के ऊपर से निकल जाय।

जब के० बी० अब्दुल अज़ीज़ को मारने का प्रयत्न असफल हो गया और उसका समाचार अख़बारों में निकल गया तब निगम ने मुझसे कहा कि प्रयत्न असफल हुआ। क्योंकि उन्होंने हमारी सलाह नहीं मानी।

क़ानूनी आपत्ति

इस पर मि० आसफ़अली ने कहा कि मुख़बिर के बयान का केवल अन्तिम वाक्य क़ानूनन् मिसिल में दर्ज होने लायक़ है, क्योंकि उसमें निगम के विषय की बात है, जिसने मुख़बिर से बात की थी, परन्तु बाक़ी वह सब अंश, जिसमें धन्वन्तरि और निगम की बातचीत है, क़ानूनन् गवाही के निश्चित नियमों के विरुद्ध है, इसलिए मिसिल में न दर्ज होनी चाहिए।

अदालत ने मि० आसफ़अली की बात मान ली।

इसके बाद मुख़बिर ने कहा, कि यशपाल उस समय तक दिल्ली लौट आया था और मुझे निगम के घर पर मिला था।

यशपाल ने कहा कि कराची जाने के पहले मुझे ख़्यालीराम गुप्त के यहाँ से प्रकाशोदेवी के लिए एक फ़्रॉक बनवाना है। यशपाल अपना पिस्तौल मेरे पास छोड़ गए। दो-तीन दिन बाद निगम के पास यशपाल का एक तार आया, जिसमें उन्होंने २५ रुपए माँगे थे। मैंने भवानीसिंह से यशपाल को २५ रुपए भेज देने के लिए कह दिया।

आसफ़ (टण्डन) उन दिनों नैनीताल में था। धन्वन्तरि से मालूम हुआ कि पञ्जाब की पुलीस दिल्ली में आसफ़ (टण्डन) की तलाश में है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। मैं प्रोफ़ेसर भगवतदयाल के यहाँ गया। उनसे टण्डन का नैनीताल का पता मालूम हुआ। भगवतदयाल टण्डन की डाक को रवाना कर दिया करते थे। भगवतदयाल से मेरा परिचय धन्वन्तरि ने अगस्त के महीने में कराया था।

इस पर मि० आसफ़अली ने कहा कि अच्छा हो अगर अदालत 'आसफ़' का असली नाम (टण्डन) मिसिल में दर्ज कर ले। मि० आसफ़ ने कहा, कि मुझे इस बात की बड़ी चिन्ता है। (इस पर अदालत में बड़ी हँसी हुई)

के० बी० अमीरअली (ट्रिब्यूनल के सदस्य) ने मि० आसफ़अली को सम्बोधित करते हुए कहा—क्या अपने नाम पर ऐसी बातें सुनना आपके लिए प्रशंसा की बात नहीं है? (इस पर फिर हँसी हुई)

इसके बाद मुख़बिर कैलाशपति ने अपनी गवाही के सिलसिले में कहा कि मैं अक्टूबर महीने के बीच में अजमेर गया और वहाँ के स्थानीय सदस्यों की एक सभा की। सभा में ब्यावर-मिल के दैनिक ख़ज़ाने को, सन्ध्या-समय शहर लाने के वक़्त, लूटने का निश्चय हुआ। मैंने केशवचन्द्र गुप्त को इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्यावर भेजा। लौटने पर केशवचन्द्र ने बतलाया, कि चालान में रुपया कम रहता है और लूटने की स्कीम भी कठिन है। इस पर वह स्कीम छोड़ दी गई।

मैंने मुख़बिर मदनगोपाल से अजमेर के गवर्नमेण्ट कॉलेज के वेतन लूटने का प्रबन्ध करने के लिए कहा। मैंने उससे शिवचरण मुख़बिर को, जो कि उस समय अजमेर में था, गोली मारने के लिए भी कहा था।

इसके बाद मैं दिल्ली लौट आया। भवानीसिंह ने बतलाया कि दीदी (सुशीला) अपने गोद लिए हुए लड़के सहित दिल्ली आ गई हैं। भवानीसिंह लड़के के बाल कटाने के लिए एक सैलून में ले गया था। भवानीसिंह ने मुझसे यह भी कहा कि आसफ़ (टण्डन) मुझसे मिलना चाहता है। मैं दूसरे दिन आसफ़ से मिला।

आसफ़ ने कहा कि के० बी० अब्दुल अज़ीज़ पर गोली चलाने की घटना से पञ्जाब की पुलिस वहाँ बहुत सतर्क हो गई है और उसकी चिन्तना बहुत बढ़ गई है, इसलिए उसका ध्यान बँटाने के लिए दिल्ली में कोई घटना पैदा की जानी चाहिए। परन्तु धनाभाव के कारण मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैंने आसफ़ से कहा कि तुम कॉलेज में अब प्रोफ़ेसरी के पद का कार्य करने मत जाओ क्योंकि तुम्हारे नाम वारण्ट निकल चुका है।

मुख़बिर रामलाल को, जोकि सी० आई० डी० विभाग से निकाल दिया गया था, मैंने क्रान्तिकारी दल का सङ्गठन करने के लिए सागर (मध्य प्रान्त—स०) भेज दिया। उस समय रुद्रदत्त और हरकेश को रुपयों की सख़्त ज़रूरत थी। भवानीसिंह एक ज़ेवर बेच कर ४०) रुपए ले आया।

इसके बाद अदालत की कार्यवाही उस दिन के लिए स्थगित हो गई।

दिल्ली का ४थी जून का समाचार है, कि आज अभियुक्तों के देर से पहुँचने के कारण दिल्ली षड्यन्त्र केस के स्पेशल ट्रिब्यूनल की कारंवाई साढ़े ११ बजे के बाद प्रारम्भ हुई। आज अभियुक्त अदालत में आने के लिए राज़ी ही नहीं होते थे; क्योंकि गवर्नमेण्ट ने अभियुक्तों की सफ़ाई की पैरवी के लिए १२८) रुपए दैनिक से अधिक देना नामञ्ज़ूर कर दिया है। परन्तु यह समझाने-बुझाने पर, कि आप अपना मन्तव्य ट्रिब्यूनल के सामने चल कर पेश कर दें, अभियुक्त आज के दिन अदालत में हाज़िर होने के लिए राज़ी हो गए।

ट्रिब्यूनल के सदस्यों के आते ही प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि आज गवाही दर्ज करने की कारंवाई प्रारम्भ करने के पहले मैं सफ़ाई-पक्ष का प्रश्न हल कर देना चाहता हूँ। इस पर गवाही के कठघरे में खड़ा मुख़बिर कैलाशपति अपने कमरे में भेज दिया गया। मुख़बिर के जाते समय 'लौटा क्यों जा रहा है?' 'लौटा क्यों जा रहा है?' की ध्वनि हुई। विद्याभूषण के कहने पर सफ़ाई-कमिटी के सेक्रेटरी श्री० रघुनन्दनसरन को पैरवी करने वाले वकीलों के साथ बैठने के लिए कुर्सी दी गई। इसके बाद अभियुक्तों ने दो वक्तव्य दिए।

'मुक़दमा पाखण्ड है'

उन अभियुक्तों की तरफ़ से, जिन्होंने अपनी पैरवी के लिए वकील खड़े किए थे, प्रोफ़ेसर निगम ने कहा कि सफ़ाई के ख़र्च के लिए हम लोगों की तीन सौ रुपए की दैनिक माँग बिल्कुल न्यायोचित थी, परन्तु बाद में इसे हम लोगों ने घटा कर २३२) रुपए दैनिक कर दिए। यह हमारी न्यायपरता का प्रमाण है। गवर्नमेण्ट सबूत-पक्ष के लिए हज़ारों रुपया ख़र्च कर रही है, परन्तु सफ़ाई के लिए थोड़ी सी रक़म—२३२) रुपए दैनिक ख़र्च करना भी मञ्ज़ूर नहीं हुआ। सफ़ाई के लिए पूर्ण सुविधा न प्रदान करने का इरादा करके गवर्नमेण्ट हम लोगों के मुक़दमे को पाखण्ड में परिणत कर रही है। यह तो न्याय से साफ़-साफ़ मुँह मोड़ना है। जब तक कि शासन की कार्य-कारिणी और न्याय-विभाग बिल्कुल एक-दूसरे से अलग-अलग नहीं कर दिए जाते, तब तक न्याय की अधिक आशा नहीं की जा सकती। यदि गवर्नमेण्ट का यही रुख़ बना रहा तो मुक़दमा सिवा पाखण्ड के और कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अब आगे से अदालत में हमारा उपस्थित होना सर्वथा व्यर्थ है।

गवर्नमेण्ट का जो रुख़ है, उससे ज़ाहिर होता है कि वह इस मामले में हम लोगों के विरुद्ध लोगों के मनोभावों को दूषित करने और हमें हिंसक क्रान्तिकारी साबित करने का पूर्ण प्रयत्न कर रही है। हम लोग इस निश्चय पर पहुँचने के लिए बाध्य हुए हैं कि गवर्नमेण्ट हम लोगों के साथ न्याय नहीं करना चाहती। इसलिए यदि सफ़ाई के सम्बन्ध में गवर्नमेण्ट ने जो तय किया है, वह उसका अन्तिम निर्णय है, तो अभियुक्तों के सामने सिवा इसके, कि वे इस केस की कारंवाई में भाग लेने से इन्कार कर दें, और कोई दूसरा उपाय नहीं है।

इसके बाद प्रो० निगम ने अपनी तरफ़ के वकीलों को धन्यवाद देते हुए कहा, कि अब आप लोगों को हम लोगों के कार्य से छुट्टी है। आख़ीर में आपने कहा कि यदि गवर्नमेण्ट अपनी तरफ़ से न्याय का रुख़ ग्रहण करेगी, तो हम लोग उससे समझौता करने के लिए तैयार रहेंगे।

श्री० वात्सायन का वक्तव्य

इसके बाद उन अभियुक्तों की तरफ़ से, जिनकी पैरवी के लिए वकीलों का प्रबन्ध न था, अभियुक्त वात्सायन ने कहा कि हमें न्याय की कोई आशा नहीं थी, इसीलिए हम लोगों ने अपनी पैरवी का प्रबन्ध पहले से ही नहीं किया था। जिस बात की हमें आशङ्का थी, वही हुई। इसके बाद आपने कहा कि हम किसी बात से डरते नहीं, न यहाँ कठघरे में खड़े होकर हम डर सीखने के लिए तैयार ही हैं।

आख़ीर में आपने कहा कि कल से हम लोग अदालत में हाज़िर नहीं होंगे। हम लोग आज ही फ़ैसला सुनने के लिए तैयार हैं।

मि० आसफ़अली

इसके बाद सफ़ाई के प्रमुख वकील मि० आसफ़-अली ने अपनी तरफ़ के अन्य वकीलों की तरफ़ से कहा कि गवर्नमेण्ट ने सफ़ाई की पैरवी के लिए जो ख़र्च मञ्ज़ूर किया है, वह सबूत की पैरवी के ख़र्च को देखते हुए, बिल्कुल ही कम है।

ख़ाँ बहादुर अमीरुद्दीन के प्रश्न के उत्तर में मि० आसफ़अली ने कहा कि कुल १२८) रुपए दैनिक, जो कि सब सफ़ाई के वकीलों के लिए मञ्ज़ूर हुआ है, कोई जूनियर वकील भी मञ्ज़ूर न करेगा। इसके बाद आपने कहा कि अब चूँकि अभियुक्तों की ओर से हम लोग अपने काम से बरी कर दिए गए हैं, इसलिए अब आगे से हम लोग इस अदालत में बार के सदस्यों की हैसियत से बैठा करेंगे।

अभियुक्त कपूरचन्द के वकील मि० बोस ने कहा कि कपूरचन्द के पिता से पूछ कर कल मैं बतलाऊँगा कि आगे मेरी स्थिति क्या होगी।

इसके बाद ट्रिब्यूनल के जज लोग परस्पर सलाह करने के लिए अलग चले गए और अदालत क्रान्तिकारी नारों के बीच स्थगित कर दी गई।

अभियुक्तों के बयानों के बाद विश्राम के अवसर पर ट्रिब्यूनल के जजों ने बड़ी देर तक इस सम्बन्ध में परस्पर परामर्श किया। मि० आसफ़अली और मि० बोस से भी सलाह ली गई थी। इसके बाद आज की कारंवाई कल के लिए स्थगित कर दी गई। सारे अभियुक्त राष्ट्रीय गीत गाने में व्यस्त रहे।

दिल्ली ९वीं जून—आज अभियुक्त अपने पूर्व-निश्चय के अनुसार अदालत में उपस्थित नहीं हुए। जजों ने सलाह करके यह निश्चित किया कि मामला १०वीं जून तक स्थगित रक्खा जाय। मि० बोस को छोड़ कर, प्रतिवादी पक्ष के सभी वकील अनुपस्थित थे।

कहा जाता है, कि सम्भवतः सरकार अभियुक्तों से, समझौता करने की कोशिश में है, यदि समझौता न हो सका तो, एक ऐसा ऑर्डिनेन्स जारी कर दिया जायगा, जिससे अभियुक्तों की अनुपस्थिति में भी मामला चल सके।

किन्तु यह भी आशा की जाती है कि सरकार प्रतिवादी पक्ष के वकीलों का अलाउन्स बढ़ा देगी। अभियुक्तों को अदालत में उपस्थित करने के लिए किसी प्रकार का बल-प्रयोग नहीं किया जायगा।

ट्रिब्यूनल स्थानीय सरकार से, अभियुक्तों की माँग के सम्बन्ध में बातचीत कर रही है। सम्भवतः १० जून तक स्थानीय सरकार अपना निर्णय पेश भी कर देगी। ट्रिब्यूनल की कार्यवाही फलतः १० जून तक के लिए स्थगित कर दी गई।

* * *

—लाहौर, २ जून—श्री० जगदीशचन्द्र, जो उस दिन लाहौर के शालामार बाग़ में पुलिस की गोलियों द्वारा मारे गए थे, उनकी लाश, 'मिलाप' के लोकल सम्वाददाता के कथनानुसार, म्युनिसिपैलिटी के ख़र्च से जलाई गई थी और मृतकों के रजिस्टर में, जहाँ मृत व्यक्ति के पिता का नाम लिखा जाता है, वहाँ उन्हें 'लावारिस' लिखा गया।

स्व० सुखदेव की बहिन का नाम सरकारी स्कूल से ख़ारिज कर दिया गया!

"बदली हुई मनोवृत्ति" का ताज़ा नमूना !!

लायलपुर, २ जून—सरदार भगतसिंह के अन्यतम साथी स्वर्गीय सुखदेव की बहिन कुमारी लीलावती थापर को अधिकारियों ने, इसलिए गवर्नमेण्ट गर्ल्स स्कूल से निकाल दिया है, कि उसके पिता राजनीति में भाग लेते हैं। इसी सिलसिले में यह बता देना भी अनुचित न होगा, कि गत मार्च में जब यह लड़की कई दिनों तक ग़ैर हाज़िर रही तब भी इसका नाम रजिस्टर से काट दिया गया था। उन दिनों यह सारा परिवार श्री० सुखदेव से मिलने गया हुआ था। लड़की की वापसी पर उसे विश्वास दिलाया गया कि उसका नाम पुनः दर्ज कर लिया जाएगा। इसलिए वह तीन महीने तक स्कूल में पढ़ती रही। आठवीं कक्षा से नवीं कक्षा में भेजी गई। अब अचानक उसे सूचना मिली है, कि उसका नाम ख़ारिज कर दिया गया और अब उसे स्कूल में स्थान नहीं मिल सकता!

*

इङ्गलैण्ड हर साल ३० लाख रुपए भावी युद्ध के लिए ज़हर तैयार करने में ख़र्च कर रहा है !!

अमेरिकन वैज्ञानिकों का भयङ्कर ज़हरीला गैस तैयार करने की चेष्टा !!

ब्रिटेन और आयर्लैण्ड की रोटेरियन कॉन्फ़्रेन्स में, जिसकी बैठक लैण्डडिडनो नामक स्थान में हुई थी, प्रोफ़ेसर डिलज़े प्रिन्स ने एक भाषण देते हुए बताया कि अमेरिका के बड़े-बड़े वैज्ञानिक भावी महा संग्राम के लिए एक भीषण विषाक्त गैस तैयार करने में व्यस्त हैं। इसके साथ ही इङ्गलैण्ड भी इस काम के लिए (अर्थात् ज़हरीला गैस तैयार करने में) प्रति वर्ष ३० लाख रुपए ख़र्च करता है।

*

सरदार भगतसिंह और उनके साथियों की चिताभूमि से पहरा हटा लिया गया!

समस्त स्थान बराबर कर दिया गया !!

'भविष्य' के पाठकों को स्मरण होगा, कि गत बैसाखी के मेले के अवसर पर जनता ने स्व० सरदार भगतसिंह, स्व० राजगुरु और स्व० सुखदेव की चिताभूमि पर एक स्मारक बना दिया था, जिसे पुलिस ने बलपूर्वक तोड़ दिया था और वहाँ एक ज़बरदस्त पहरा बिठा दिया गया था। अब गत २री जून के फ़ीरोज़पुर से आए हुए एक तार से पता चला है, कि पुलिस ने उपर्युक्त चिताभूमि से अपना पहरा हटा लिया है। अब केवल दो सिपाही रावी नदी के पुल की दूसरी ओर बैठे दिखाई देते हैं। दफ़ा १४४ अभी बदस्तूर जारी है। चिताओं का चिह्न तक मिटा दिया गया है और वहाँ की भूमि बिल्कुल समतल कर दी गई है। पुराने पुल की कोठी, जो इस चिताभूमि के पास ही है, गिराई जा रही है, इससे मालूम होता है, कि सारा स्थान बिल्कुल समतल कर दिया जायगा; ताकि लोगों को मालूम तक न होने पाए कि मृत व्यक्तियों की अन्तिम चिता कहाँ थी?

* * *

मेरठ षड्यन्त्र केस में श्री० केदारनाथ सहगल की गर्जना

'ग़ुलाम की ज़िन्दगी मौत से कहीं बदतर है'

"मैं अपने विश्वास के वास्ते प्रत्येक मुसीबत का स्वागत करूँगा :: देशों की इज़्ज़त और स्वतन्त्रता के लिए आत्म-विसर्जन करने वाले हमें भी सीधा रास्ता दिखा गए हैं।"

—केदारनाथ सहगल

पञ्जाब के विख्यात नेता और मेरठ षड्यन्त्र केस के अन्यतम अभियुक्त श्री० केदारनाथ सहगल के उस वक्तव्य का, जो उन्होंने अपने मुक़दमे की सफ़ाई में मेरठ की ख़ास अदालत के सामने दिया है, एक अंश गत सप्ताह के 'भविष्य' में प्रकाशित हो चुका है और दूसरा अंश पाठकों के मनोरञ्जनार्थ नीचे दिया जाता है :—

मैं गुप्त षड्यन्त्रों का क़ायल नहीं

श्री० केदारनाथ जी ने अपने बयान को जारी रखते हुए कहा, मैं गुप्त षड्यन्त्रों का बिल्कुल क़ायल नहीं हूँ, मेरा काम करने का ढङ्ग अपनी शक्ति-योग्यता के अनुसार ग़रीब जनता को शिक्षित बनाना है और यह बात सभी जानते हैं, क्योंकि मैं कोई बात छिपा कर नहीं रखता। जिस शासन-प्रणाली ने हमारे देश को ग़ुलामी के गढ़े में गिरा रक्खा है और जिसके कारण हमारे देश-वासी, न तो पूरा कपड़ा प्राप्त कर सकते हैं और न पूरी ख़ुराक—अगर विश्वास न हो तो आप स्वयं इस बङ्गले से, जिसमें आप इस लम्बे मामले की कारवाई करके थक रहे हैं—बाहर निकल कर देखें, कि नन्हें-नन्हें बच्चों के तन पर कपड़ा तक नज़र नहीं आता। ग्रीष्म में वे गर्मियों से जलते हैं, जाड़ों में सर्दी से ठिठुरते हैं! क्या कभी षड्-यन्त्रों द्वारा ऐसी शासन-प्रणालियों का विध्वंस हुआ है?

शासन-तन्त्र को बदलने का उपाय

अनुचित शासन-तन्त्र को बदलने का एक ही रास्ता है और वह है, सर्वसाधारण में जागृति और साम्य का प्रचार करना। फिर कौन सा शासन-तन्त्र है जो सर्व-साधारण की इच्छा के विरुद्ध अपनी जड़ मज़बूत कर सकता है? चूँकि यह मुक़दमा विचारों के आधार पर चलाया गया है; इसलिए आपके सामने तमाम बातें रख दी गई हैं। आप इससे जो चाहें नतीजा निकाल सकते हैं। मैं अपने विश्वास के वास्ते प्रत्येक मुसीबत का स्वागत करूँगा। देशों की इज़्ज़त और स्वतन्त्रता के लिए आत्म-विसर्जन करने वाले हमें भी सीधा रास्ता दिखा गए हैं। सच जानिए, अब आपके जेल का ख़्याल ही दूर हो गया है। क्योंकि ग़ुलाम की ज़िन्दगी मौत से कहीं बदतर है।

पञ्जाब में पार्टी के कार्य

मैजिस्ट्रेट ने अपने ऑर्डर में कहा है, कि पार्टी ने अपने कार्य के लिए सब से पहला क्षेत्र पञ्जाब को चुना। क्योंकि पञ्जाब की भूमि बीज वपन के योग्य पहले ही बन गई थी। मैं मैजिस्ट्रेट की इस ग़लत-फ़हमी को दूर करना चाहता हूँ। वास्तव में पञ्जाब की ज़मीन कुछ इतनी अच्छी नहीं थी, जो बीज वपन के लिए तैयार पड़ी हो। मेरी गिरफ़्तारी से चार साल पहले पञ्जाब में 'ऑल-इण्डिया यूनियन' का अधिवेशन हुआ था, जिसकी स्वागतकारिणी सभा के अध्यक्ष मशहूर पूँजीपति के पुत्र चुने गए और उस अधिवेशन के लिए नियमानुसार बड़े-बड़े विज्ञापन दिए जाते थे। दैनिक पत्रों में पूरे पन्ने का विज्ञापन निकलता रहा। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि शायद ही किसी को ट्रेड-यूनियन के लाभ का ख़्याल भी आया हो। इस अधिवेशन के प्रधान भारत के विख्यात नेता स्वर्गवासी श्री० सी० आर० दास थे, जिनका नाम सुनते ही जनता बिना बुलाए ही हज़ारों की तादाद में उनका दर्शन करने के लिए आ जाती थी। यह सभा ब्रेडला हॉल में हुई थी। मुझे भी बतौर दर्शक के निमन्त्रण दिया गया था। इस हॉल में प्रायः दो हज़ार आदमी समा सकते हैं। परन्तु काफ़ी इन्तज़ाम के बाद सिर्फ़ चालीस आदमी आए थे और इसी उपस्थिति के सामने श्री० सी० आर० दास ने अपना भाषण पढ़ा। जिस समय वे अपना भाषण पढ़ रहे थे, उसी समय कितने ही आदमी उठ-उठ कर चले गए और जो प्लेट-फ़ॉर्म पर थे, वह आपस में कानाफूसी करने लगे कि यह पञ्जाब की राजधानी है या हम लोग अरब की मरुभूमि में बैठे हैं, जहाँ कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ता। यह ट्रेड-यूनियन की सभा का संक्षिप्त विवरण है।

नाम के 'लेबर यूनियन' है और उसके प्रधान पञ्जाब के एक बैरिस्टर साहब हैं जो लेबर की ओर से अक्सर कौन्सिल के सदस्य चुने जाते हैं। परन्तु वह न तो कोई यूनियन है न किसी को उस पर भरोसा है। बरायनाम यूनियन का दफ़्तर उनकी जेब में रहता है। क्योंकि उनकी जेब ही तमाम काग़ज़ात का आल्मारा है। मेरा प्यारा भाई श्री० जगन्नाथ सहगल लाहौर के दैनिक पत्र 'वन्दे-मातरम्' का मैनेजर था। वह प्रेस-यूनियन का कोषाध्यक्ष भी था। क्योंकि मैं 'ख़बरदार स्टीम प्रेस' का मालिक हूँ, जो अब मेरी गिरफ़्तारी के कारण बन्द पड़ा है। इस प्रेस में प्रायः २२-२३ आदमी काम करते थे। मैंने अपने भाई से एक दिन कहा, कि मेरे प्रेस के आदमियों को भी मेम्बर बना लो। इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि 'मैं बिना रुपए का ख़ज़ाञ्ची हूँ। प्रेस-यूनियन की कई मीटिङ्गें बुलाई गईं, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ और न आपके प्रेस का कोई कर्मचारी मेम्बर ही बनना चाहता है।' यह 'लेबर यूनियन' का हाल था। सिवा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे वर्कशॉप के लाहौर में कोई बड़ा कारख़ाना नहीं है, जिसमें कोई यूनियन खड़ी की जा सके; बल्कि मेरी गिरफ़्तारी तक तो यह हाल था, कि म्युनिसिपल कमिटी के ग़रीब झाड़ूदार एक दिन हमारे पास आए और कहने लगे कि हमें कमिटी के दारोग़े बहुत तङ्ग करते हैं, रिश्वत माँगते हैं। हम लोग थोड़ी तनख़्वाहें पाने वाले हैं, उन्हें कहाँ से दें। मैंने उन्हें सलाह दी कि अपना यूनियन क़ायम करो। परन्तु उन बेचारों के कुछ समझ में ही न आया और फिर वे मेरे पास नहीं आए। यही पञ्जाब का उस ज़माने का हाल है, और जिसका उल्लेख मैजि-स्ट्रेट ने किया है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यूनियन का यह हाल है कि लाहौर में ही उनकी दो सभाएँ हैं। एक सरकारी रेलवे की और दूसरी ग़ैर-सरकारी। दोनों का अस्तित्व अलग-अलग है। इसी से आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं, कि पञ्जाब की ज़मीन किस क़दर तैयार है।

मेरा आदर्श

श्रीमान, मेरी यह इच्छा है, कि मैं आपके सामने अपने राजनीतिक विचार उपस्थित कर दूँ, जिसके लिए मैंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है और जिसकी वजह से विरोधियों की आँखों में खटकता रहा हूँ। मेरी यह आन्तरिक इच्छा है कि भारत को एक 'सोशलिस्ट स्टेट' के रूप में परिणत कर दिया जावे और इसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर तमाम चीज़ों का समुचित प्रबन्ध किया जाए। इसी तन्त्र के सामने प्रत्येक मनुष्य को अपनी दिमाग़ी और राजनीतिक उन्नति करने का मौक़ा मिले। मेरी आन्तरिक इच्छा इसी प्रकार की शासन-प्रणाली देखने की है, जिसके अन्दर हमारा कोई देशवासी रात को भूखा न रहे। जाड़े में उसे काफ़ी गरम कपड़े मिलें और गर्मियों में भी वह शरीर की रक्षा कर सके। मैं ऐसी शासन-प्रणाली चाहता हूँ, जिसमें किसी को पैदाइशी हक़ न हो। जिसकी बदौलत एक बुद्धू नालायक़ अपार सम्पत्ति का मालिक हो और उस धन को अपने भोग-विलास में स्वाहा कर दे और दूसरा जो सब प्रकार से योग्य हो, बस अछूत के घर में पैदा होने के कारण बेकार, ग़रीब और दर-दर टुकड़े माँगने वाला हो, अपनी योग्यता को जौ के भाव पर नीलाम करता फिरे और इतने पर भी उसे भर पेट भोजन और रहने को अच्छी जगह नसीब न हो!!

कैसा शासन चाहिए

मेरी इच्छा ऐसे शासनतन्त्र को पसन्द करेगी, जिसके अन्दर क्या नौकर और क्या रिआया, अपने अधि-कारों को सुरक्षित रख सकें। चाहे कोई नौकर या मातहत ख़ुशामद करे या न करे, वह किसी का ताबेदार न हो और ख़र्च के लिए काफ़ी रुपए मिलें। मैं ऐसा शासन चाहता हूँ जिसके न्यायाधीश वादी और प्रतिवादी के प्रति मित्रता का भाव रक्खें और नक़ली मुहब्बत न दिखावें, घुड़कियाँ देने से बाज़ आएँ और केवल इन्साफ़ किया करें। मैं ऐसा शासन चाहता हूँ, जहाँ लोगों को आज़ादी की शिक्षा प्राप्त हो। भारत भारतीयों के लिए होना चाहिए. मैं यह नहीं चाहता कि शासन की बाग-डोर अङ्गरेज़ों से छीन कर देश के पूँजीपतियों को सौंप दी जाए। जैसे मुट्ठी भर अङ्गरेज़ करते रहे या कर रहे हैं कि तमाम दौलत उनके हाथों में रहे और ६२ प्रतिशत लोगों को वहीं का वहीं रहने दिया जाए। इस देश के करोड़ों किसान और मज़दूर, जो खाने और पहनने की सारी चीज़ें पैदा करते हैं, जिन्हें पूँजीपति तमाम सुखों से वञ्चित रखते हैं, हिन्दुस्तान उन्हीं के लिए होना चाहिए। सिर्फ़ यही विचार मेरे दिमाग़ में आरम्भ से अन्त तक है जिसके लिए मेरी ज़िन्दगी गुज़री है और आइन्दा भी गुज़रेगी। देश के नौजवानों की भी यही राय है और उसीका परिणाम काँग्रेस का वह प्रस्ताव है, जिसका उल्लेख मैं अपने बयान में कर चुका हूँ।

मैजिस्ट्रेट ने मुझ से पूछा था कि मैं 'कम्यूनिस्ट' हूँ या नहीं। मैं उस प्रश्न का आज उत्तर देता हूँ। मुझे निहायत अफ़सोस है कि मैं अभी तक अपने दिमाग़ को कम्यूनिस्ट बनाने के लिए तैयार नहीं कर सका हूँ, परन्तु आज मुझे यह मालूम हो गया है, कि मैं उसका इच्छुक हूँ। इसीलिए मैंने इसका ज़िक्र भी यहाँ कर दिया है।

* * *

एक परमावश्यक अपील

(आप बिना हानि उठाए हुए कैसे संस्था को सामयिक सहायता कर सकते हैं ?)

पिछले २-३ वर्षों में संस्था को केवल अपनी निर्भीक नीति को अक्षुण्ण रखने के लिए जो मूल्य चुकाना पड़ा है, इसका समाचार आपने समय-समय पर पढ़ा ही होगा। फल-स्वरूप आज हमारे सामने जीवन और मृत्यु का प्रश्न उपस्थित हो गया है। देश की वर्तमान आर्थिक परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए अनुभवी पाठक-पाठिकाएँ हमारी कठिनाइयों का सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। और यदि शीघ्र ही हमें अपने प्रेमी पाठक-पाठिकाओं का वास्तविक सहयोग प्राप्त न हुआ, तो परिस्थिति हमारे हाथों से बाहर हो सकती है। ऐसी हालत में संस्था की सहायता करना प्रत्येक विचारशील भारतवासी का कर्त्तव्य होना चाहिए; और चूँकि 'चाँद' तथा 'भविष्य'-परिवार की संस्था पर सदैव कृपा-दृष्टि रही है—और यह केवल उनके सहयोग और सहानुभूति का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, कि संस्था अब तक इतने अधिक एवं प्रबल विरोधियों का मुक़ाबला ईमानदारी से करती रही है—जब कभी संस्था पर आपत्ति आई है, संस्था के प्रेमियों ने उसे अपने दामन में छिपा लिया है—इसी अभिन्न-सहयोग से प्रोत्साहित होकर इन पंक्तियों का लेखक आपसे यह परमावश्यक अपील करने का साहस कर रहा है। मुझे आशा है, यथाशक्ति आप संस्था की सहायता करके अवश्य अपने कर्त्तव्य का पालन करेंगे।

आप सहायता कैसे कर सकते हैं ?

(१) यदि आप 'भविष्य' तथा 'चाँद' के ग्राहक नहीं हैं, तो उसके ग्राहक बन कर।
(२) यदि आप एक पत्र के ग्राहक हैं, तो दूसरे पत्र के ग्राहक बन कर।
(३) यदि आप दोनों पत्रों के ग्राहक हैं तो पुस्तकें मँगा कर।
(४) यदि अब तक आपने हमारी प्रकाशित पुस्तकों का नया सेट नहीं मँगाया है, तो उसे मँगा कर, जिसमें निम्न-लिखित पुस्तकें हैं।—

(क) पुनर्जीवन (स्वर्गीय काउण्ट टॉल्सटॉय)
(ख) लतखोरीलाल (श्री० जी० पी० श्रीवास्तव, बी० ए०, एल्-एल्० बी०)
(ग) रहस्यमयी (श्री० ऋषभचरण जैन)
(घ) चित्तौड़ की चिता (प्रो० रामकुमार वर्मा, एम० ए०)

(५) यदि आप सेट मँगा चुके हैं, तो संस्था द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तकों में से कम से कम १०) रु० के मूल्य की पुस्तकें मँगा कर इस परीक्षा के अवसर पर संस्था की सहायता कर सकते हैं।
(६) यदि ये सारी पुस्तकें भी आपके पास मौजूद हैं, तो अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित इसी मूल्य की पुस्तकें मँगा कर भी आप थोड़ी-बहुत सहायता कर सकते हैं। आपके लिखने पर बड़ा सूचीपत्र सेवा में भेज दिया जायगा।
(७) यदि आप चाहें तो अपने इष्ट-मित्रों अथवा सखी-सहेलियों में भी इन्हीं बातों का प्रचार कर अनायास ही इस कठिन समय में संस्था की सहायता करके अपार यश के भागी हो सकते हैं।

इस संस्था द्वारा प्रकाशित केवल उन पुस्तकों की सूची, जो इस समय प्रस्तुत हैं—नीचे दी जा रही है। यों तो संस्था द्वारा प्रकाशित अन्य बहुत सी पुस्तकें हैं, पर उनके सारे संस्करण समाप्त हो चुके हैं, और चूँकि आर्थिक कठिनाइयों के कारण अब तक उनका नवीन संस्करण प्रकाशित नहीं हो सका है, इसीलिए इस संक्षिप्त सूची में उनका उल्लेख नहीं किया गया।

मुझे आशा है, उपरोक्त पंक्तियों पर आप अवश्य ध्यान देने की कृपा करेंगे और यथाशक्ति संस्था की सहायता करके हमें और भी उत्साह से देश तथा समाज की सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे; यदि आपने ऐसा नहीं किया, तो वास्तव में मुझे हार्दिक क्लेश होगा और इसका परिणाम संस्था के लिए घातक सिद्ध हो सकता है!

मुझे आशा है, मेरी इन पंक्तियों पर मेरे भाई और बहिनें गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे!

आपका सदैव शुभचिन्तक,

[signature]

सञ्चालक 'चाँद' और 'भविष्य' तथा विद्याविनोद-ग्रन्थमाला इत्यादि

१—पुनर्जीवन ...	४)	११—दाम्पत्य जीवन ...	२॥)	२१—रहस्यमयी ...	१॥)
२—पाक-चन्द्रिका ...	४)	१२—प्राणनाथ ...	२॥)	२२—जननी जीवन ...	१)
३—मालिका ...	३)	१३—महात्मा ईसा ...	२॥)	२३—शुक्ल ...	१)
४—आदर्श चित्रावली ...	४)	१४—बाल-रोग-विज्ञानम् ...	२॥)	२४—मनमोदक ...	॥)
५—व्यङ्ग चित्रावली ...	५)	१५—मानिक-मन्दिर ...	२॥)	२५—ग्रह का फेर ...	।॥)
६—सन्तान-शास्त्र ...	४)	१६—विधवा-विवाह-मीमांसा ...	३)	२६—घरेलू चिकित्सा ...	।॥)
७—लतखोरीलाल ...	४)	१७—देवदास ...	२)	२७—आशा पर पानी ...	॥=)
८—मणिमाला ...	३)	१८—मनोहर ऐतिहासिक कहानियाँ ...	२)	२८—मेहरुन्निसा ...	॥)
९—निर्वासिता ...	३)	१९—विवाह और प्रेम ...	२)	२९—मदन के प्रति ...	।=)
१०—दुबे जी की चिट्ठियाँ ...	३)	२०—मनोरञ्जक कहानियाँ ...	१॥)	३०—राष्ट्रीय गान ...	।)



हमारे रक्षक !



"कौन हैं, हुज़ूर ? सलाम ! सब अमन-अमान है !"





११ जून, सन् १९३१

बर्मा-विद्रोह का रहस्य

पाँच महीने से अधिक का समय हो गया; परन्तु अब तक सरकार की ओर से इस विषय पर स्पष्ट रूप से कोई प्रकाश नहीं डाला गया, कि आख़िर बर्मा में विद्रोह क्यों हुआ और अब तक बराबर फ़ौज पर फ़ौज भेजते रहने पर भी, वह शान्त क्यों नहीं किया जा सका? जब-तब सरकारी विज्ञप्तियों के प्रकाशन की रस्म अदा कर दी जाती है, जिसका आशय प्रायः यह होता है, कि विद्रोही दबाए जा रहे हैं और सरकार अपने कर्तव्य-पालन में पूर्णतया व्यस्त है। विद्रोह के कारणों के विषय में कभी कहा जाता है, कि बर्मा-निवासी किसी बर्मी को बर्मा का राजा बनाने के लिए विद्रोह कर रहे हैं और कभी कह दिया जाता है, कि विद्रोह का कारण एकमात्र आर्थिक समस्या ही है। वह कैसी आर्थिक समस्या है और उसके हल करने का, फ़ौजों द्वारा बर्मियों के क़त्ले-आम करने के सिवाय और भी कोई उपाय है या नहीं, इसका उत्तर बार-बार सरकारी और ग़ैर-सरकारी पत्रों और व्यक्तियों द्वारा पूछे जाने पर भी अब तक नहीं मिल रहा है!! सरकारी और ग़ैर-सरकारी ढङ्ग से सर्वत्र इस बात की माँग पेश की जा रही है, कि बर्मा की परिस्थिति की जाँच करने के लिए एक स्वतन्त्र कमीशन की नियुक्ति की जाय, परन्तु उन्मत्त नौकरशाही की व्यावहारिक राजनीति में जाँच-कमीशनों द्वारा समस्या हल करने का नियम नहीं है। वह पहले पूर्ण दमन करती है, समस्या आर्थिक हो या कुछ भी हो। कम से कम एशियाई देशों के लिए उसका यही सनातन नियम रहा है! दमन कर लेने के बाद, अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए अन्त में वह जाँच-कमीशन नियुक्त करती रही है। बर्मा में पाँच महीने से दमन का ही उपाय काम में लाया जा रहा है, जाँच-कमीशन का अवसर अभी तक उपस्थित नहीं हुआ है! सरकारी और ग़ैर-सरकारी-सभी लोगों का यह विश्वास है, कि पाँच महीने का समय बर्मा-सरीखे पहाड़ी और जङ्गलों से ढँके प्रान्त के विद्रोह के लिए भी बहुत काफ़ी समय है; अब तक विद्रोह समाप्त हो जाना चाहिए था—परन्तु पता नहीं, आख़िर रहस्य क्या है? विद्रोह के बहाने धीरे-धीरे फ़ौजें इकट्ठी करके बर्मा को सीमा-प्रान्त की तरह फ़ौजी अड्डा (Military Base) बनाने का तो प्रयत्न नहीं किया जा रहा? यदि बर्मा का विद्रोह आर्थिक कारणों से शुरू हुआ है तो उचित तो यह था, कि उन कारणों की जाँच की जाती और उसके लिए कोई शान्तिमय उपाय ढूँढ़ा जाता, सफलता न होने पर ही फ़ौजी उपाय काम में लाए जाते। परन्तु इस देश की नौकरशाही ने बर्मियों को जङ्गली जानवरों की तरह गोलियों से बराबर पाँच महीने के ऊपर से शिकार करने की नीति को ही उनकी आर्थिक समस्या हल करने का सर्वोत्तम उपाय सोचा है! थोड़े दिन हुए प्रमुख बर्मी नेताओं की एक बड़ी सभा हुई थी। सभा में बर्मा-कौन्सिल के कितने ही मेम्बर तथा अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे (जिनमें अधिकांश ऐसे व्यक्ति उपस्थित थे, जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य गवर्नमेण्ट की चाटुकारी करना हो रहा है) उसमें उन्होंने बर्मियों के प्रति सरकारी नीति के सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए हैं, उनसे बर्मा की स्थिति का कुछ पता चलता है। दोनों प्रस्ताव इस प्रकार हैं:—

"इस सभा की राय है, कि गवर्नमेण्ट लोकमत के नेताओं से परामर्श करे और नेताओं के साथ कॉन्फ़्रेन्स करके अशान्ति को मिटाने के उपाय और मार्ग ढूँढ़ निकाले।"

"इस सभा की राय में सरकार की ओर से जो उपाय काम में लाए जा रहे हैं, जैसे उन गाँवों को जला डालना, जिनमें किसी समय विद्रोही ठहरे हुए थे, निरपराध लोगों को गिरफ़्तार कर लेना, तरह-तरह से उन्हें तङ्ग करना और ऐसे लोगों को फिर से गिरफ़्तार करना, जिन्हें जाँच के बाद सरकारी अदालतों ने निर्दोष बतलाया था, ये उपाय लोगों को शान्त नहीं कर सकते; बल्कि अशान्ति को ही अधिक बढ़ाने वाले सिद्ध होंगे।"

इन प्रस्तावों से मालूम होता है, कि यदि सरकार ने बुद्धि से काम लिया होता तो सम्भवतः यह 'विद्रोह' आज इतना भीषण रूप धारण न किए होता! हमारा तो ख़्याल है, कि बर्मा-विद्रोह के मूल में दो प्रश्नों का सम्मिश्रण है। इनमें से एक बर्मा का पृथक्करण, और दूसरा बर्मा को फ़ौजी अड्डा बनाने का विचार हो सकता है।

बर्मा के पृथक्करण के लिए नौकरशाही इस बात की कोशिश में है कि बर्मियों के भाव भारतवासियों के प्रति दूषित हो जायँ। बर्मा-विद्रोह के सम्बन्ध में जितनी भी ख़बरें भेजी जाती हैं, उनमें भारतीयों से सम्बन्ध रखने वाली ख़बरों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। कोई भी ऐसी ख़बर नहीं होती, जिसमें यह न कहा गया हो, कि बर्मियों ने हिन्दुस्तानियों पर आक्रमण किया, उन्हें लूटा, मारा और उनके मकानों को जला दिया।

बर्मा का अङ्गरेज़ी पत्र 'रङ्गून गज़ट' कहता है, कि "बर्मा-विद्रोह का प्रारम्भिक कारण चाहे आर्थिक-कष्ट भले ही रहा हो, परन्तु अब सम्भवतः विजयोन्माद से उत्साहित हो विद्रोहियों ने मौजूदा शासन को बिल्कुल उखाड़ फेंकने का ही निश्चय कर लिया है।" उसका कहना है कि "यदि इस मामले में सरकार की ओर से ढील-ढाल की गई तो बर्मा, न केवल भारत से ही, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य से भी पृथक हो जायगा।"

उपरोक्त समाचार द्वारा 'रङ्गून गज़ट' ने ब्रिटिश साम्राज्य की हित-चिन्ता के साथ ही साथ भारत की जो भी हित-चिन्ता करने की उदारता दिखलाई है, वह सर्वथा अनावश्यक है। बर्मा का भारत से अलग होने का विचार यदि सत्य हो, तो भी भारतवासियों के लिए कोई हानि-लाभ का विषय नहीं है। भारतवासियों की सब से बड़ी राष्ट्रीय संस्था कॉङ्ग्रेस ने घोषणा कर दी है, कि बर्मा भारत के साथ या भारत से पृथक रहने के प्रश्न में बिल्कुल स्वतन्त्र है। दूसरे, 'रङ्गून गज़ट' की अपेक्षा यह तो भारतवासी ही अधिक अच्छी तरह समझते हैं, कि बर्मा भारत से अलग रहना चाहता है या पृथक? बर्मा में जितने भी राजनैतिक दल हैं उनमें एक को छोड़ कर, सभी दल बर्मा के पृथक्करण के विरोधी हैं। एक दल, जो पृथक्करण का समर्थक है, उसमें सभी 'जी-हुज़ूर' और सरकारी नौकर तथा गवर्नमेण्ट के चाटुकार भरे हुए हैं। 'रङ्गून गज़ट' उसी दल का एक अङ्गरेज़ी पत्र है। बर्मा के सभी प्रमुख नेतागण पृथक्करण के विरोधी हैं। बर्मीज़ एसोसिएशन ने, जो कि बर्मा की एक प्रमुख संस्था है, ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री आदि के नाम एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा था, जिसमें पृथक्करण के सब तर्कों का खण्डन किया गया था। उसमें पृथक्करण के विरोधियों ने जो लिखा था, उसका सारांश यह है, कि "भारत और बर्मा का सम्बन्ध बहुत पुराना है। बर्मा का धर्म भारत में ही उत्पन्न हुआ था। बर्मा की संस्कृति भारतीय है और बर्मा के आचार-विचारों में भी भारतीयता की छाप है। वह भारत से अलग हो ही नहीं सकता। उसकी उन्नति का तमाम इतिहास भारतीयों के सहयोग का इतिहास है।"

आगे चल कर 'रङ्गून गज़ट' कहता है, कि "बर्मा के विद्रोही भारतवासियों के हृदयहीन अर्थ-शोषण से ऊब कर उनके तीव्र विरोधी हो गए हैं। यही कारण है कि जगह-जगह हिन्दुस्तानियों पर आक्रमण होते हैं!"

हमारी समझ से बर्मा के निवासी ब्रिटेन के अर्थ-शोषण से अधिक भारतवासियों के अर्थ-शोषण से कदापि न ऊबे होंगे। इस सम्बन्ध में बाबा राघवदास जी ने, जो कि अभी थोड़े ही दिन हुए, बर्मा की यात्रा करके लौटे हैं, कुछ प्रसिद्ध पुङ्गी नेताओं से बातचीत की थी। जिसका उल्लेख आपने सहयोगी 'आज' में प्रकाशित अपने एक लेख में किया है। पुङ्गी नेताओं ने कहा—"भारतीय लूटते हैं या अङ्गरेज़? बर्मा प्रान्त में तेल के कुएँ हैं, परन्तु बर्मा का तेल बर्मा में ही अमेरिकन तेल से अधिक महँगा बिकता है! इसका कारण अङ्गरेज़ों की लूट के सिवा और क्या हो सकता है? चावल का व्यापार पहले हिन्दुस्तानियों के हाथ में था, परन्तु अब वह अङ्गरेज़ों के हाथ में है। सोने और जवाहरात की खानों में तथा सागवन की लकड़ी के व्यापार में उनका अक्षुण्ण अधिकार है। बर्मा की ख़ास तिजारत सागवन की लकड़ी है। यह व्यापार अत्यन्त मूल्यवान है। अपर बर्मा के अन्तिम राजा श्री० थिबौ की, जिनको नौकरशाही ने बम्बई प्रान्तान्तर्गत रत्नागिरि के क़िले में बन्द कर रक्खा था (डफ़रिन के ज़माने में ४९ वर्ष पूर्व), चतुर लड़की ने लेबर-कमीशन के पास जर्मन कौन्सिल की मार्फ़त एक पत्र भेजा था, जिसमें अपने पिता के गद्दी

से उतारे जाने का हृदय-विदारक विवरण दिया है। उसमें उन्होंने लिखा है, कि एक अङ्गरेज़ी व्यापारी को जङ्गल की लकड़ी का ठेका दिया गया था। उसने ठेके के अलावे ५ लाख रुपयों की लकड़ी चुरा कर ज़्यादा काटी ! कुछ दिनों के बाद यह बात जङ्गल-मन्त्री को ज्ञात हो गई। राजा की सलाह से उसने उस धूर्त व्यापारी पर मुक़दमा चलाया और उससे ५ लाख वसूल किए। वह व्यापारी अङ्गरेज़ तो था ही, वह इस चोरी के दण्ड से ज़रा भी लज्जित न हुआ, बल्कि उसने एक और चाल चली। उसने लोअर बर्मा के अङ्गरेज़ गवर्नर के पास अपील की और कहा, कि मुझ पर राजा ने जुर्माना किया है, अङ्गरेज़ सरकार प्रतिकार करे। उनको कुछ बहाना तो चाहिए था ही; बस इसी बात को वे ले उड़े। एक फ़ौजी अफ़सर तुरन्त भेजा गया। उसने प्रधान मन्त्री को फोड़ कर राजा से कहा कि आप हमारी कुछ शर्तें मान लीजिए और उन शर्तों को तय करने के लिए आपको कलकत्ता चलना पड़ेगा। वह कुटुम्ब-सहित कलकत्ता जाने को तैयार हो गया। तब से वह लौटा नहीं। माण्डले से वह रत्नागिरी पहुँचाया गया और अत्यन्त कष्ट के दिन बिता कर अन्त में बेचारा मर ही गया ! इस प्रकार लकड़ी के व्यापार के नाम पर लोभी अङ्गरेज़ों ने बर्मी भाइयों का गौरव बर्मी राज्य को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला ! वही बर्मा को लूटते हैं, या भारतीय ?"

वास्तव में, हिन्दुस्तानियों पर बर्मियों द्वारा आक्रमण होने का मूल कारण हिन्दुस्तानियों का अर्थ-शोषण न होकर, नौकरशाही की कुटिल नीति है। बात यह है, कि राष्ट्रीय आन्दोलनों के कारण नौकरशाही हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध हो गई है। गत वर्ष उसने कुछ राष्ट्रीय विचार के हिन्दुस्तानियों पर पुलिस की रक्षा में कुछ बदमाश बर्मियों द्वारा आक्रमण करा दिया। पुलिस की सहायता से उन सरकार-समर्थक बर्मियों ने हिन्दुस्तानियों के घरों में घुस-घुस कर अत्याचार किए ! इस घटना के बाद से बर्मा-निवासी हिन्दुस्तानियों ने अपना सङ्गठन कर लिया। सङ्गठन हो जाने पर नौकरशाही ने बर्मियों के दिलों में उनकी ओर से सन्देह पैदा करने का काम शुरू किया। बर्मा के गवर्नर सर चार्ल्स इन्स ने रङ्गून यूनिवर्सिटी के उपाधि-वितरणोत्सव पर बर्मी विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए जो शब्द कहे थे, वे इस भेद-नीति के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। आपने कहा था—"बर्मी ग्रेजुएटो ! तुम्हें नौकरी नहीं मिलती, तुम्हारा व्यापार नहीं, तुम लोग भूखों मरते हो, इसका एकमात्र कारण ये हिन्दुस्तानी हैं। ये हिन्दुस्तानी आकर तुमको लूटते हैं × × × इत्यादि !!" ये हैं विचार बर्मा की नौकरशाही के सब से उच्च पदाधिकारी और शाहन्शाह की गवर्नमेण्ट के सम्मानित प्रतिनिधि सर चॉर्ल्स इन्स के !!! इस प्रकार के प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप बर्मी लोग हिन्दुस्तानियों पर आक्रमण करते हैं कहा जाता है, कि हिन्दुस्तानियों पर आक्रमण करने वाले इन बर्मी लोगों में ऐसे लोगों की ही संख्या अधिक है, जो कहने को तो बर्मी हैं; परन्तु जिनकी हैसियत भारत के एङ्ग्लो-इण्डियनों के सदृश है। वे हिन्दुस्तानियों द्वारा बर्मी स्त्रियों से पैदा नाजायज़ सन्तान हैं। उन्हें 'ज़हरवादी' कहते हैं। वे भारत के एङ्ग्लो-इण्डियनों की तरह सदा नौकरशाही का साथ देने के लिए तत्पर रहते हैं। इनकी संख्या तीन लाख के क़रीब बतलाई जाती है।

दूसरा कारण बर्मियों द्वारा हिन्दुस्तानियों पर आक्रमण होने का यह है, कि बर्मा-विद्रोह को दबाने वाली फ़ौजें और पुलिस सब की सब भारतीय हैं। बर्मा के विद्रोही लाख भारत-प्रेमी हों; परन्तु युद्ध की हालत में बर्मी लोग उनका स्वागत सिवा युद्ध के और भला कर ही क्या सकते हैं ?

नौकरशाही जान-बूझ कर विद्रोह दबाने के काम में हिन्दुस्तानी फ़ौजों को ही भेज रही है। बर्मियों के संहार के साथ ही साथ भारतीयों के विरुद्ध घृणा का भाव फैलाने का इससे अधिक उत्तम उपाय और हो ही क्या सकता था ? सोचा गया है, कि इस रीति से बर्मा एक दिन स्वयं ही कहेगा, कि हम भारत से सर्वथा अलग रहना चाहते हैं। परन्तु हम समझते हैं कि नौकरशाही की यह इच्छा पूरी न हो सकेगी। हमारा तो ख़्याल है, कि भारत से पृथक कराने की इस कोशिश में नौकरशाही बर्मा को भारत की अपेक्षा ब्रिटिश साम्राज्य से ही अधिक दूर करती चली जा रही है। भारत और बर्मा के बीच में पैदा किया हुआ विद्वेष स्थायी कदापि नहीं हो सकता। भारत और बर्मा की क़ुदरती एकता दोनों को अधिक समय तक अलग नहीं रहने दे सकती। मूर्ख से मूर्ख बर्मी के लिए भी यह समझना कठिन न होगा, कि भारतीय फ़ौज और पुलिस नौकरशाही का साथ केवल अपने उदर-पोषण मात्र के लिए देती रही है, वास्तविक भारत बर्मा के साथ है !

सम्भवतः बर्मा-विद्रोह के द्वारा, बर्मा-पृथक्करण के अतिरिक्त, नौकरशाही जो दूसरा उद्देश्य सिद्ध करना चाहती है, वह है बर्मा में सीमा-प्रान्त की तरह का सैनिक अड्डा बनाने का विचार। सिङ्गापुर में जल-सेना का अड्डा बन ही रहा है, बर्मा में स्थल-सेना का अड्डा उस स्कीम की पूर्ति कर देगा। बर्मा के सदृश पहाड़ी, जङ्गली और समुद्र-तटवर्ती सैनिक अड्डा दूसरा नहीं हो सकता। उधर अण्डमान टापू में एङ्ग्लो-इण्डियनों की बस्ती बढ़ाई ही जा रही है। बर्मा प्राकृतिक दृष्टि से एक समृद्धिशाली प्रदेश है। इन सब कारणों को देखते हुए यह असम्भव नहीं मालूम होता, कि नौकरशाही बर्मा में भी सीमा-प्रान्त की ही तरह एक सैनिक अड्डा बनाने की फ़िक्र में है। विद्रोह दबाने के बहाने, हमारा अनुमान है कि यहाँ से भेजी हुई फ़ौजें वहाँ स्थायी रूप से अपने अड्डों के बनाने के कार्य में लगी हुई हैं। 'विद्रोह' के शान्त हो जाने पर भी, उन प्रदेशों में, जहाँ फ़ौजें क़ायम हो चुकी हैं, सम्भवतः विद्रोह की आशङ्का से रक्षा करने के लिए भविष्य में बराबर ही क़ायम रहेंगी। सीमा-प्रान्त में भी तो अफ़्रीदी आदि पहाड़ी जातियों के आक्रमण की आशङ्का से रक्षा करने के लिए सेनाएँ तैनात रहती हैं !

बर्मा और सिङ्गापुर का सम्मिलित सैनिक अड्डा भारत और एशिया के लिए आगे चल कर साम्राज्यवाद का गढ़ सिद्ध होगा। इससे अपनी रक्षा करने के लिए एशियाई राष्ट्र-नायक क्या करते हैं, इसका भी पता चलेगा ही।

बर्मा के निवासी विद्रोह-प्रेमी मनुष्य नहीं हैं। वे स्वभाव के सीधे, सन्तोषी और शान्तिप्रिय होते हैं। सन्तोषी प्रकृति होने के कारण ही उन्हें नौकरशाही पुलिस और सेना में भर्ती नहीं करती। प्रायः इन विभागों में सभी हिन्दुस्तानी ही रहते हैं। यह विद्रोह बर्मियों के लिए कोई सुख का कार्य नहीं है। कई प्रकार के अत्याचारों से विवश होकर ही उन्होंने इस उपाय को ग्रहण किया है ! स्वयं 'रङ्गून गज़ट' तक का कहना है कि "इस 'विद्रोह' में बहुत से सीधे-सादे बर्मी केवल धमकी और ज़बरदस्ती के ज़ोर से शामिल कर लिए गए हैं। फिर भी आर्थिक कष्टों की समस्या इसके मूल में है।" नौकरशाही ने भारत के इतिहास में बदनाम 'जज़िया' कर से भी निन्दनीय कर, जिसे 'कैपिटेशन टैक्स' कहते हैं, थारावड्डी आदि कई ज़िलों में लगाया है। इस कर के अनुसार प्रत्येक बर्मी कुटुम्ब को फ़ी आदमी पीछे ढाई रुपए देने पड़ते हैं ! यह कर सब करों से अतिरिक्त है। चावल का भाव घट जाने के कारण इस सस्ती के समय में भी वहाँ के ग़रीब बर्मी-किसान भारतीयों की ही तरह लगान देने में सर्वथा असमर्थ हैं। इन सब विवशताओं द्वारा विकल बर्मियों की रक्षा करना तो दूर, नौकरशाही जङ्गलों में घेर-घेर कर उनका शिकार खेल रही है ! अर्थ-शोषण, और तरह-तरह के करों के द्वारा पहले कङ्गाल बना देना, फिर पेट के लिए अपनी ग़ैर-क़ुदरती अवस्था से 'विद्रोह' करने वाले ग़रीबों पर न्याय और क़ानून से स्थापित शासन को उखाड़ फेंकने का अभियोग लगा कर, उनका जङ्गलों में घेर-घेर कर शिकार खेलना, वास्तव में कितना जघन्य पाप है ? इसका उत्तर भविष्य ही देगा !!

* * *

गिरफ़्तारी या प्रतिशोध ?

पाठकों को स्मरण होगा, विगत ३री फ़रवरी को लाहौर के शालामार बाग़ में श्री० जगदीशचन्द्र नामक एक २२ वर्षीय नवयुवक को पुलिस की गोलियों का शिकार होना पड़ा था। उस समय पुलिस की ओर से यह कहा गया था, कि श्री० जगदीशचन्द्र 'फ़रार' अभियुक्तों में से एक था; किन्तु पञ्जाब के कई प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों का कहना था, कि अभागा जगदीशचन्द्र, न तो 'फ़रार अभियुक्त' था और न उसने पुलिस वालों पर हमला ही किया, जैसा कि पुलिस वालों की ओर से कहा गया था। इन समाचार-पत्रों की दृष्टि में उस नवयुवक का एकमात्र अपराध यही था, कि वह श्री० सुखदेवराज नामक एक 'फ़रार' कहे जाने वाले अभियुक्त के समीप बैठा हुआ पाया गया था; पर चूँकि मामला सन्दिग्ध था, इसलिए हमने अपनी ओर से कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझा; किन्तु हाल में स्वर्गीय श्री० जगदीशचन्द्र के पितामह रायबहादुर श्री० ठाकुरदत्त धवन, भूतपूर्व डिस्ट्रिक्ट और सेशन्स जज तथा मैनेजिङ्ग डाइरेक्टर फ़्रण्टियर बैङ्क लिमिटेड, डेरा-इस्माइल ख़ाँ ने अपना जो वक्तव्य समाचार-पत्रों में, इस निर्मम-हत्या के सम्बन्ध में प्रकाशित कराया है, उससे सारी घटना पर भरपूर प्रकाश पड़ता है। आपका कहना है :—

"मेरे पोते जगदीशचन्द्र के सम्बन्ध में—जो ३री फ़रवरी को शालामार बाग़ में पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ था, समाचार-पत्रों में अनेक भ्रान्तिपूर्ण बातें छपी हैं। कुछ पत्रों में कहा गया है, कि जगदीशचन्द्र किसी षड्यन्त्र केस का 'फ़रार' अभियुक्त था, जो सर्वथा निराधार और झूठ है। जहाँ तक उसके सम्बन्ध में हम लोगों को मालूम है, न तो वह किसी मामले में गिरफ़्तार ही हुआ था और न उसने कभी किसी षड्यन्त्र में भाग ही लिया था—और न आज तक विभिन्न षड्यन्त्र केसों के किसी भी सरकारी गवाह ने अपने बयान में उसका नाम तक लिया है। पिछले एक वर्ष से जगदीशचन्द्र लखनऊ कॉलेज के एक बोर्डिङ्ग-हाउस में पढ़ रहा था। थर्ड-ईयर (बी० ए०) की परीक्षा पास करके वह अपनी गर्मी की छुट्टियाँ यहाँ (डेराइस्माइल ख़ाँ) बिताने आ रहा था।

"उसका एकमात्र अपराध यही कहा जा सकता है, कि वह एक 'फ़रार' कहे जाने वाले व्यक्ति के पास बैठा हुआ पाया गया, और शायद अपनी गिरफ़्तारी के भय से उस समय वह भाग निकलना चाहता था, जब कि 'फ़रार' व्यक्ति गिरफ़्तार कर लिया गया ! ऐसा प्रतीत होता है, कि पुलिस वालों ने अपनी उद्दण्डता छिपाने के लिए तथा पुलिस वालों के अतिरिक्त

कोई गवाह वहाँ न होने के कारण परिस्थिति का सर्वथा अनुचित लाभ उठा कर—उसने एक मनगढ़न्त कहानी बना डाली है, जिसमें कहा जाता है, कि भागते समय जगदीशचन्द्र ने पुलिस पर पिस्तौल द्वारा आक्रमण किया था; यद्यपि यह भी स्वीकार किया गया है, कि पुलिस वालों में से किसी को चोट तक नहीं आई। ऐसा प्रतीत होता है, कि परिस्थिति की भीषणता के कारण पुलिस वाले बौखला गए थे; किन्तु उन्हें जगदीशचन्द्र को जान से मार डालने का कोई हक़ नहीं था और उन्हें यह साबित करना पड़ेगा, कि उन्होंने जगदीशचन्द्र की जाने या अनजाने में हत्या नहीं की है! उस वक़् दिन का समय था; पुलिस वाले आसानी से उसे अच्छी तरह शनाख़्त कर सकते थे, उनके पास शक्ति भी पर्याप्त थी और वह बेचारा अकेला था! क्या उन्होंने उनसे आत्म-समर्पण करने तक को कहा था??

"४थी फ़रवरी को लाश की जो 'परीक्षा' की गई, उसका भी अधिक मूल्य नहीं हो सकता। जल्दी-जल्दी परीक्षा करके लाश जला डाली गई और उसी रोज़ प्रातःकाल, जबकि उसके सम्बन्धी ९ बजे लाश माँगने गए, तो उन्हें मालूम हुआ कि लाश फूँक डाली गई है। सम्बन्धियों को पुलिस वालों से जिरह तक करने का अवसर नहीं दिया गया।"

यह भयङ्कर दुर्घटना अपने ढङ्ग की अनोखी नहीं है। इसके पहिले भी पुलिस द्वारा इसी प्रकार कई जानें ली जा चुकी हैं। लाहौर के समीप धर्मपुर नामक स्थान में पुलिस के एक साधारण सिपाही द्वारा श्री० विश्वेश्वरनाथ नाम का एक नवयुवक गोली का शिकार हो चुका है; इलाहाबाद के कम्पनी बाग़ में भी श्री० चन्द्रशेखर "आज़ाद" की मृत्यु पुलिस की गोलियों द्वारा हो चुकी है, और इसी प्रकार की एक घटना हो चुकी है चिटगाँव में; किन्तु अभी तक पुलिस वालों को अपनी भूलों और इन हत्याओं पर सम्भवतः इसलिए खेद नहीं हुआ है; क्योंकि उन पर इन हत्याओं में से किसी पर भी अभियोग नहीं चलाया गया और चूँकि देशवासियों ने अब तक इन निर्मम हत्याओं की ओर कभी विशेष ध्यान भी नहीं दिया!

हमें इस बात का तनिक भी विरोध नहीं है, कि पुलिस 'फ़रार' अभियुक्तों को पकड़े ही नहीं और न हम यही कहते हैं, कि उन्हें देख कर भी वह आँखें बन्द कर ले; किन्तु हमें उन उपायों एवं साधनों पर अवश्य रोष होता है, जो ऐसे मौक़ों पर प्रायः काम में लाए जाते हैं। हम उदाहरण के तौर पर गवर्नमेण्ट के शब्दों में "सब से भयङ्कर विप्लवकारी और विप्लवकारी-दल के "प्रधान सेनापति" स्वर्गीय श्री० चन्द्रशेखर "आज़ाद" को ही लिए लेते हैं। पुलिस वालों ने उनकी गिरफ़्तारी में जिस जल्दबाज़ी और उद्दण्डता से काम लिया, वह अनुचित था। उन्हें यह तो समझ ही लेना चाहिए था, कि ऐसे मौक़ों पर आत्म-रक्षा के लिए विप्लवकारी प्रायः तमञ्चों से आक्रमण किया करते हैं, फिर किसी दूसरे तरीक़े से उन्हें जीवित गिरफ़्तार कर लेना चाहिए था। कहा जाता है, श्री० 'आज़ाद' के पैर में मि० नटबावर की पहली गोली ही बहुत घातक लग चुकी थी, जिससे वे खड़े भी नहीं हो सकते थे; नहीं तो—स्वयं पुलिस-अफ़सरों का कहना है—कि यदि वे चल-फिर सकते, तो एक भी पुलिस का अफ़सर वहाँ से जीवित न लौटा होता। फिर थोड़ी देर तक प्रतीक्षा कर लेने में ही क्या हानि हुई जाती थी? जिस प्रकार इतनी देर तक पुलिस वाले पेड़ों के पीछे अपने जीवन की ख़ैर मना रहे थे; तो थोड़ी देर तक और खड़े रहने में उनकी कौन सी शान बिगड़ी जाती थी? सामने घायल पड़ा हुआ व्यक्ति २-४ अथवा अधिक से अधिक ८-१० घण्टों में अवश्य ही आत्म-समर्पण कर दिए होता। आख़िर कभी तो उसकी गोलियाँ समाप्त होतीं ही, जो बराबर पेड़ों पर लग रही थीं; किन्तु ऐसा न करके, चारों ओर से पुलिस वालों ने, कहा जाता है, घेर कर उन पर गोलियों की तब तक वर्षा की, जब तक उनका शरीर बिल्कुल ठण्डा नहीं हो गया। हमारा कहना केवल इतना ही है, कि "भयङ्कर विप्लवकारी" होते हुए भी बहुत सम्भव था, न्यायालय में उनके विरुद्ध कोई ऐसा निश्चित-प्रमाण न मिल सकता, जिसके द्वारा उन्हें प्राण-दण्ड दिया जा सकता; बहुत सम्भव है, उन्हें ५-६ वर्षों का कारावास-दण्ड ही दिया गया होता; फिर पुलिस वालों को यदि गोलियाँ चलाने की आवश्यकता ही प्रतीत हुई, तो मर्मस्थलों में न मार कर, वे ऐसे स्थानों पर वार किए होते, जिससे वे जीवित ही पकड़े जा सकते। इस सम्बन्ध में सब से गम्भीर प्रश्न तो यह है, कि श्री० 'आज़ाद' के मरने के हफ़्तों बाद तक पुलिस को उनके 'आज़ाद' होने तक का भ्रम रहा। ऐसी सन्दिग्ध परिस्थिति में किसी व्यक्ति की जान ले लेना कभी उचित नहीं कहा जा सकता! थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, यह व्यक्ति 'आज़ाद' न होकर, कोई दूसरा ही होता, तो पुलिस वाले उसके जीवन का मूल्य किस प्रकार चुका सकते थे?

श्री० 'आज़ाद' की अपेक्षा श्री० जगदीशचन्द्र का प्रश्न विशेष रूप से विवेचनीय है। जैसा कि आपके दादा ने कहा है; पुलिस ने केवल अपनी उद्दण्डता के कारण ही एक निरपराध नवयुवक की जान ले ली। किसी 'फ़रार अभियुक्त' का प्रत्येक साथी 'फ़रार' ही नहीं समझा जा सकता। प्रेस की रिपोर्टों से पता चलता है, कि उस समय लगभग १२० पुलिस (कुछ का तो कहना है कि यह संख्या ४०० से अधिक थी) शालामार बाग़ को चारों ओर से घेरे हुई थी। यदि वास्तव में १०० व्यक्ति ही मान लिए जावें, तो क्या १०० व्यक्ति २ अधमरे विप्लवकारियों को जीवित नहीं पकड़ सकते थे? यदि वे ऐसा नहीं कर सकते थे, तो क्या वे एक क्षण के लिए भी पुलिस की नौकरी में रहने योग्य हैं?? अधिक से अधिक १ सिपाही की जान चली गई होती, अथवा दो-चार व्यक्ति घायल ही हो गए होते; किन्तु दो-चार सिपाहियों के चोटों (जिसकी केवल सम्भावना ही की जा सकती है) की अपेक्षा, क्या श्री० जगदीशचन्द्र के जीवन का मूल्य कुछ भी नहीं आँका जा सकता था? फिर यदि गोली चलाने का ही शौक़ अथवा आवश्यकता समझी गई, तो गोली पैर में, कमर में अथवा हाथ पर मारी जा सकती थी; किन्तु ऐसा नहीं किया गया। यद्यपि आत्म-रक्षा (Self-Defence) में गोली चलाने के, ब्रिटिश क़ानून के अनुसार, विशेष नियम निर्मित हैं; जिनमें ऐसे अवसरों पर केवल नीचे की ओर घायल करने का ही अनुमोदन किया गया है। पर ऐसा नहीं किया गया; क्योंकि मृत्यु के बाद श्री० जगदीशचन्द्र की लाश की जाँच-रिपोर्ट से पता चला है, कि उन पर क़रीब ५-६ गोलियाँ चलाई गई थीं, और कहा जाता है, डॉक्टरी परीक्षा में ये सारी गोलियाँ मस्तक, गले और छाती में ही पाई गई थीं। एक दुबले-पतले २२ वर्षीय नवयुवक की इस प्रकार निर्मम हत्या करके पञ्जाब की पुलिस ने ब्रिटिश शासन को जितना कलङ्कित किया है, हमें भय है, सारे समुद्र का जल भी उस कलङ्क-कालिमा को धोने में समर्थ नहीं हो सकेगा!! फिर इस नवयुवक की लाश को उसके निकट-सम्बन्धियों को न देना (जो चन्द घण्टों के भीतर ही शाही क़िले में पहुँच गए थे) और चटपट उसे फूँक डालना हद दर्जे का कमीनापन है और इस नृशंसता के टक्कर का दूसरा उदाहरण दीपक लेकर ढूँढ़ने पर भी सारे ब्रह्माण्ड में नहीं मिल सकता। अस्तु।

इस सिलसिले में पाठकों को हम यह भी बतला देना चाहते हैं, कि पुलिस के साधारण कर्मचारियों का इस मामले में उतना दोष नहीं है, जितना उच्च पदाधिकारियों का, जिनको भारतीय कोष से मोटी-मोटी तनख़्वाहें मिलती हैं! बिना अपने अफ़सरों का इशारा पाए निम्न श्रेणी के कर्मचारी ऐसा भीषण दुस्साहस कर ही नहीं सकते थे। इस सम्बन्ध में हमें शब्द नहीं मिलते, जिनसे हम देहली षड्यन्त्र केस में 'षड्यन्त्रकारियों' की ओर से मुक़दमे की पैरवी करने वाले श्री० आसफ़अली को हम धन्यवाद दे सकें, जिन्होंने अपने कौशल से पञ्जाब ख़ुफ़िया पुलिस के डिपुटी इन्सपेक्टर-जनरल मि० पील को—जो देहली षड्यन्त्र केस की पैरवी करने के लिए गवर्नमेण्ट की ओर से नियुक्त किए गए हैं—यह कहने के लिए बाध्य किया, कि उसने अपने मातहतों को यह स्पष्ट आज्ञा दे रक्खी है, कि स्वयं क्रान्तिकारियों की गोलियों के शिकार होने की अपेक्षा उन्हें (पुलिस कर्मचारियों को) स्वयं क्रान्तिकारियों पर वार कर देना चाहिए। १२वीं मई को देहली षड्यन्त्र केस के मामले में जिरह करते हुए श्री० आसफ़अली ने मि० पील से प्रश्न किया कि "क्या यह बात सच है, कि आप अपने मातहतों को यह आदेश दे चुके हैं, कि रात के समय यदि क्रान्तिकारी या फ़रार अभियुक्त कहीं मिल जायँ तो वे (पुलिस वाले) उन्हें गोली से उड़ा दें?" इसके उत्तर में मि० पील ने जो उत्तर दिया था, वह बहुत ही स्पष्ट किन्तु उद्दण्ड था। आपने कहा—"मैंने अपने मातहतों को यह आदेश अवश्य दिया है, कि जहाँ तक हो सके, वे ख़ुद गोली न खायँ, बल्कि उन्हीं पर (क्रान्तिकारियों पर) गोलियाँ चला दें।"

यदि सच पूछा जाय तो मि० पील का यह उत्तर वर्तमान शासन-प्रणाली की वास्तविक मनोवृत्ति का परिचायक है। इस उत्तर का स्पष्ट अर्थ यह है, कि जहाँ कहीं भी षड्यन्त्रकारी अथवा सन्दिग्ध व्यक्ति पुलिस वालों को मिल जायँ, वे गोलियाँ चला दें और उनकी हत्याएँ कर डालें!! जिस देश की पुलिस बिना अपने हाकिमों का प्रमाणयुक्त इशारा पाए हुए ही देशवासियों पर अमानुषिक अत्याचार करने में शैतान से टक्कर ले सकती है, वह हाकिमों का 'खुला लाइसेन्स' पाकर कितना अधिक खुल कर खेल सकती है, यह लिखने का नहीं, बल्कि कल्पना का विषय है। अस्तु।

स्वर्गीय श्री० जगदीशचन्द्र के दादा ने ठीक ही कहा है, कि पुलिस को इस बात का प्रमाण देना होगा, कि उसने उनके प्रतिभाशाली पोते की (जो २२ वर्ष की अवस्था में ही थर्ड-ईयर का विद्यार्थी था) निर्मम हत्या नहीं की है; किन्तु वर्तमान शासन-प्रणाली की मनोवृत्ति को दृष्टि में रखते हुए हमें इस बात में सन्देह है, कि पुलिस अपनी ओर से ऐसा करेगी! स्वर्गीय श्री० जगदीशचन्द्र की हत्या के दूसरे ही सप्ताह एसोसिएटेड प्रेस की ओर से इस आशय का एक शिगूफ़ा छोड़ा गया था, कि इस मृत्यु (हत्या?) के सम्बन्ध में शीघ्र ही गवर्नमेण्ट की ओर से किसी मैजिस्ट्रेट को जाँच करने के लिए नियुक्त किया जायगा; लेकिन लाख चेष्टा करने पर भी आज तक हम यह नहीं जान सके हैं, कि ऐसी किसी जाँच-कमिटी का वास्तव में निर्माण हुआ भी है, या यह केवल एक चालबाज़ी मात्र थी, ताकि

देशवासियों का क्रोध इस सूचना द्वारा एक हद तक शान्त हो जाय ? हमें आज तक उन 'सौभाग्यशाली' मैजिस्ट्रेट महोदय के नाम तक का पता नहीं चल सका है, ताकि हम इस बात का निर्णय कर सकें कि उनमें ऐसे नाज़ुक-हत्या के मामले की जाँच कर सकने की क्षमता भी है या नहीं ?

स्वर्गीय श्री० जगदीशचन्द्र के पितामह से इस सम्बन्ध में हमें केवल इतना ही निवेदन करना है, कि वे अपनी "रायबहादुरी" को तिलाञ्जलि देकर तथा खुली अदालत में पुलिस वालों पर अपने पोते की हत्या का अभियोग चला कर देशवासियों को ब्रिटिश-न्याय की परीक्षा करने का अवसर प्रदान करें ; पर क्या वे ऐसा करेंगे ??

* * *

कानपुर में शैतान का ताण्डव

हम देख रहे हैं कानपुर का वायु-मण्डल दिनोंदिन कलुषित तथा हिंसापूर्ण होता जा रहा है। कानपुर के अधिकारियों की उपेक्षनीय उदासीनता एवं शिथिलता, पुलिस की अकर्मण्यता तथा कुछ जाहिल मुसलमानों की उद्दण्डता ने मानो कानपुर जैसे व्यापारिक केन्द्र को एक बार ही तहस-नहस करने की शपथ खा ली है। कानपुर के सम्बन्ध में वहाँ के स्थानीय सहयोगी 'प्रताप' ने हाल ही में जो टिप्पणी की है, वह इस प्रकार है :—

"कानपुर के साम्प्रदायिक दङ्गे की चिनगारियाँ अभी तक बुझी नहीं हैं। रह-रह कर आग भड़क उठती है। कानपुर के नागरिकों के दिल और दिमाग़ उनके क़ाबू में नहीं रहे हैं। मोहर्रम के अवसर पर जिस बात की आशङ्का थी, वह हो गई। दोनों जातियों में काफ़ी तनातनी बढ़ गई। इस वर्ष के मोहर्रम के अखाड़ों का प्रदर्शन भी एक अभूतपूर्व घटना थी। गत कई वर्षों से कानपुर के मोहर्रम के जुलूसों को देखने वाले लोगों का यह कहना है, कि इस वर्ष का-सा जोशो-ख़रोश कभी देखने में न आया था। हज़ारों मुसलमान "अल्लाहो अकबर" के नारे लगाते हुए शहर की सड़कों से निकले। दसों अखाड़े, जिनमें सैकड़ों हथियारबन्द लोग थे, अपने कर्तब दिखलाते और जातिगत विद्रोह फैलाते हुए शहर की सड़कों पर दिखलाई देते थे। हथियारबन्द अखाड़ों के साथ पुलिस का कोई ख़ास प्रबन्ध न था। अखाड़ों को हथियार की इजाज़त देते समय भी अधिकारियों ने इस बात का ख़्याल न रक्खा, कि गवर्नर-इन-कौन्सिल (सपरिषद्-गवर्नर) की हथियारों की रोक सम्बन्धी आज्ञा का पालन होता है या नहीं। जो भी ऐरा-ग़ैरा नत्थू-ख़ैरा एक मजमा बना कर पटेबाज़ी और तलवारों के हाथ दिखलाता सामने आया, वह हथियारों की बन्दिश से बरी कर दिया गया। इस ढील का, या यों कहें, कि इस तरह की शहबाज़ी का, जो नतीजा होना था, वही हुआ। हमारे मुसलमान भाई यह समझ बैठे कि अब शहर का कोई पुरसाँ-हाल नहीं है। फलतः उन्होंने, एक दिन, अपना-अपनी दूकानों पर बैठे हुए हिन्दुओं को ज़बर्दस्ती घसीटा और अलम (झण्डे) की ताज़ीम के लिए उन्हें खड़ा किया। और इस घटना के तीसरे दिन मुसलमान गुण्डों ने रास्ते में पड़ने वाले मन्दिरों पर गोश्त और हड्डियाँ फेंकीं तथा कानपुर नगर के प्रसिद्ध रईस राय गोपीनाथ साहब के मकान पर जूठे कुल्हड़ और गोश्त के टुकड़े फेंके और उनके मकान के सामने बड़ा भारी हो-हल्ला मचाया। इस दृश्य को स्वयं ज़िलाधीश अपनी आँखों से देख रहे थे। जिन-जिन महानुभावों ने यह घटना अपनी आँखों देखी है, उनका कहना है कि अगर उस दिन रायसाहब गोपीनाथ के घर पर अधिकारी लोग अनायास न पहुँच गए होते, तो रायसाहब का मकान और साथ ही चौक, सराफ़ा बिना लुटे न रहता। यह दृश्य देख कर ख़ुद कलेक्टर मिस्टर सेल ने कहा था कि "ऐसा मालूम पड़ता है मानो इन सब लोगों का लक्ष्य रायसाहब ही हैं।" (It seems, the whole of their activity is directed towards Rai Saheb) इस मनोवृत्ति का, इस अभूतपूर्व प्रदर्शन और अभूतपूर्व नारेबाज़ी का जो परिणाम होना था, वही हुआ। कुछ ही दिन पहले कानपुर के हिन्दू-मुसलमान लड़ चुके थे। और इस बार मोहर्रम पर, हिन्दुओं ने मुसलमानों की इस ज़िन्दादिली को जो देखा, तो वे भी चौंक उठे। हिन्दुओं के बाज़ार बन्द हुए। दिल में पड़ी हुई गाँठें और भी कड़ी हो गईं। उधर से हमारे कुछ नादान मुसलमान भाइयों ने चौक, सराफ़े तथा अन्य स्थानों के हिन्दू व्यापारियों और रईसों के पास धमकी के पत्र भेजने शुरू कर दिए। पत्रों में लिखा रहता था कि हमें इतने हज़ार रुपए दो, वरना इस्लामी ख़ञ्जर तुम्हारे लहू से रँगा जायगा। ऐसी परिस्थिति से अगर कानपुर के हिन्दू नागरिकों के दिलों में क्षोभ तथा विरोध का सञ्चार हो जाय, तो इसमें आश्चर्य ही क्या ? इस तरह किसी प्रकार मोहर्रम के दिन कट ही रहे थे, कि एक दिन यानी मोहर्रम ख़त्म होने के चार रोज़ पहले, एक और आफ़त उठ खड़ी हुई। यह आफ़त आई श्री० गाँधी-सेवा-समिति वाचनालय के एक साइनबोर्ड के रूप में। कानपुर नगर के जनरलगञ्ज नामक मोहल्ले में श्री० गाँधी-सेवा-समिति का दफ़्तर है। इसी दफ़्तर में उक्त समिति का एक वाचनालय भी है। समिति के दफ़्तर और वाचनालय का सूचक एक साइनबोर्ड सड़क पर टँगा हुआ है। वह इस तरह पर टँगा हुआ है, कि गाँधी-सेवा-समिति के दफ़्तर के छज्जे के एक खम्भे से तार बाँध कर दूसरे सामने वाले मकान के खम्भे में वह तार लगा दिया गया है और इसी तार पर, उक्त समिति का साइनबोर्ड झूले की तरह लटक रहा है। इस साइनबोर्ड के नीचे बिजली के तार हैं। साइनबोर्ड बिजली के तारों से २ फ़ीट ६ इञ्च ऊँचा है। मोहर्रम के अलम कई बरसों से इस बोर्ड के नीचे से बराबर निकलते चले आ रहे हैं। यह बोर्ड गत ६-७ बरसों से लटक रहा है। मोहर्रम के अलम-बरदारों ने इस बोर्ड के नीचे से अलम ले जाने में अभी तक कोई आपत्ति नहीं की थी। इस वर्ष भी एक-दो रोज़ तक अलम बराबर बोर्ड के नीचे से निकले। लेकिन गत २५ मई को अलम वाले मुसलमान सज्जन एकदम बिगड़ उठे और बोले कि यह बोर्ड हट जायगा, तभी अलम निकलेंगे, गाँधी के बोर्ड के नीचे से अलम नहीं निकलेंगे। तनातनी अधिक बढ़ने का सूत्रपात यहीं से होता है। समझदार मुसलमान सज्जन अपने सहधर्मियों की इस हठ को बुरा समझते थे और समझते हैं। पर धर्मान्धता के आगे उनकी भी न चल पाई। उस दिन बहुत-कुछ समझाने-बुझाने पर जब अलम आगे बढ़ा तो दुर्भाग्य से छज्जों पर खड़े हुए कुछ हिन्दू भाइयों ने तालियाँ पीट दीं। इस पर अलम फिर पीछे को खिसक गया और लोग अड़ गए। उस दिन कॉङ्ग्रेस के सेवक श्री० सुन्दरलाल, श्री० गङ्गाधर गणेश जोग, श्री० बालकृष्ण शर्मा, श्री० इक़बाल कृष्ण कपूर आदि सज्जनों ने साइनबोर्ड को न हटाने के पक्षपाती हिन्दू भाइयों को यह कह कर समझाया कि हमारी तरफ़ से तालियाँ बजी हैं, इसके लिए हमें कुछ प्रायश्चित्त करना चाहिए, और साइनबोर्ड एक ओर खिसका देना चाहिए। हमें यह कहते बहुत प्रसन्नता होती है कि हिन्दू भाई इस बात को मान गए, साइनबोर्ड एक ओर हटा दिया गया और अलम निकल गए। पर इस घटना के तीसरे रोज़ फिर वही सवाल उठा। उस दिन हिन्दू लोग उक्त साइनबोर्ड को हटाने को तैयार न थे। इसी बीच मुसलमान लीडरों की तरफ़ से बोर्ड के सम्बन्ध में जो झूठा प्रचार किया गया, वह निन्दनीय है। गवर्नर सर मैलकम के पास इस आशय के तार भेजे गए कि बोर्ड नया है और वह गाँधी के नाम का बोर्ड है, इसलिए मुसलमान गाँधी-बोर्ड के नीचे से अपना अलम नहीं निकाल सकते। इस बात को सब मुसलमान जानते हैं, कि बोर्ड बहुत ज़माने से वहीं पर टँग रहा है। पर किसी की यह हिम्मत न पड़ी कि वह इस झूठे तारों का खण्डन करता। ग़रज़ यह, कि मामला तूल पकड़ता गया और अन्त को गत ३० मई को कानपुर में गोलियाँ चल ही गईं। फल-स्वरूप १४ मुसलमान और ४ हिन्दू घायल हुए ; उनमें से एक मुसलमान और दो हिन्दू मर भी गए ! हमारे अज्ञानी मुस्लिम भाइयों की ज़रा सी हठ की वजह से सारा का सारा मोहर्रम का त्योहार फीका पड़ गया और शहर में बद-अमनी फैली, सो अलग ! साइनबोर्ड अभी यथास्थान लटका हुआ है। ताज़िए दफ़नाए नहीं गए हैं। सुनते हैं, चहल्लुम के रोज़ ताज़िए दफ़नाए जायँगे।

* * *

और इधर ? पुलिस का राज्य शहर में फैला है। पुलिस गुण्डापन कर रही है। भले-भले आदमियों को बहानेबाज़ी से गिरफ़्तार कर लेना, उन्हें गालियाँ देना, उन्हें पीटना और शहर भर में व्यर्थ का रौब जमाते फिरना आजकल पुलिस वालों का पेशा हो रहा है। प्रश्न उठता है, यह पुलिस-राज्य है या गुण्डा-राज्य है ? हमारे पास ऐसी-ऐसी शिकायतें मौजूद हैं, कि पुलिस के गुण्डों ने बिना कारण, निहायत हरमज़दगी के साथ, लोगों को १४४ के बहाने या कर्फ़्यू ऑर्डर की आड़ में गिरफ़्तार कर लिया, बुरी तरह मारा-पीटा और बाद में उन्हें छोड़ दिया। शहर के पुलिस-स्वामी और ज़िले के अधीश्वर अपने लाडिले, लाल पगिया वाले गुण्डों के ये चरित्र सुनते और बात टाल जाते हैं। क्या मानी हैं इसके ? क़ानून के राज (Rule of Law) के क्या यह अर्थ निकलते हैं, कि शहर में गुण्डापन का राज (Rule of Goondaism) हो जाय ? इस वक़्त कानपुर मे क़ानून के राज की आड़ में गुण्डापन राज कर रहा है और ऊँचे अधिकारी कान में तेल डाले पड़े हैं। यह है ब्रिटिश न्याय और ब्रिटिश क़ानून का नमूना !"

ऊपर की पंक्तियों से परिस्थिति की भीषणता का कुछ अन्दाज़ा लगाया जा सकता है। हाल ही के समाचारों से पता चला है कि कानपुर में जो भीषण अग्नि-काण्ड हुए हैं, उनमें क़रीब ७ लाख की सम्पत्ति स्वाहा हो चुकी है और यह सारी सम्पत्ति बेचारे हिन्दुओं की ही बतलाई जाती है। इस अग्नि-काण्ड का रहस्य अभी तक नहीं खुला है। यह प्रश्न केवल कानपुर का नहीं है। स्वतन्त्रता के विरोधियों की ओर से इस प्रकार के गुण्डापन का आयोजन प्रायः सभी बड़े-बड़े शहरों तथा व्यापारिक केन्द्रों में भीतर ही भीतर हो रहा है। देहली, आगरा, बम्बई, कलकत्ता और कानपुर आदि स्थान भविष्य में इन साम्प्रदायिक मनोमालिन्य तथा उत्पात के केन्द्र बन सकते हैं—हमारा ऐसा अनुमान है। इन सभी स्थानों पर भीतर ही भीतर आग सुलग रही है अथवा जान-बूझ कर सुलगाई जा रही है। राजनीति के विद्यार्थियों का अनुमान है कि ये सारी तैयारियाँ गोलमेज़ परिषद को विफल करने के लिए हो रही हैं। क्या देश के ७ करोड़ मुसलमानों में आज एक भी ऐसी आत्मा शेष नहीं रह गई है, जो अपनी जाति को भविष्य के गर्भ में छिपी हुई भीषण परिस्थिति का सिंहावलोकन कराके उसे रसातल जाने से रोक सके ?

* * *



डाकू

[श्री० बदरीनारायण जी शुक्ल]

उसने कहा—मैं डाकू हूँ।

मैं ज़ोर से हँस पड़ा। उसने अकचका कर पूछा—आप हँस क्यों पड़े ?

हँसी का वेग रुक जाने पर मैंने कहा—तुम्हारी बात से।

वह बोला—मैंने ऐसी कौन सी बात कही ?

"यही, कि तुम डाकू हो।"

"तो इसमें हँसने की क्या बात है ?"

"डाकू ऐसे नहीं होते।"

"कैसे नहीं होते ?"

"जैसे तुम हो।"

"मैं कैसा हूँ ?"

"मेरा मतलब यह कि डाकू कभी पुलिस के पास आकर नहीं कह सकते कि हम डाकू हैं। डाकू ऐसे नहीं होते।"

"तब कैसे होते हैं ?"

"डाकू होते हैं हत्यारे, चोर, लुटेरे। रातोरात क़त्ल कर डालते हैं, रास्ता-चलते निस्सहाय राहगीरों को लूट लेते हैं, पर पुलिस का नाम सुनते ही भाग जाते हैं। उनकी इतनी हिम्मत कहाँ, कि आकर थाने में कहें कि वे डाकू हैं। तुम डाकू नहीं हो।"

उसने ठण्डी साँस ली। कुछ रुक कर बोला—आपने मेरी कथा तो सुनी नहीं। पहिले सब सुन लीजिए, तब निर्णय कीजिए कि मैं डाकू हूँ या नहीं ?

मैं सँभल कर बैठ गया। उसने कहना प्रारम्भ किया—"मैं कहाँ का रहने वाला हूँ तथा मेरे पिता का नाम क्या है, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं। केवल इतना ही कह देना यथेष्ट होगा कि हम लोग इसी ज़िले के एक छोटे शहर के रहने वाले हैं। मेरे पिता बड़े आदमी थे और लेन-देन का रोज़गार करते थे। इलाक़े भर में उनका नाम था। बहुत से किसान उनके क़र्ज़दार थे। जिसे रुपए की आवश्यकता होती, वह पिता जी के पास पहुँचता। वे भी काग़ज़ लिखा कर उसकी हैसियत के अनुसार क़र्ज़ दे देते। वे जिस तरह ऋण देते थे, उसी तरह मीठी-मीठी बातें करके उसको वसूल करना भी जानते थे। जहाँ तक मुझे याद है, उनका रुपया कभी नहीं डूबा। अस्तु।

"ज्योंही मैं कुछ बड़ा हुआ, पिता ने मुझे स्कूल से निकाल कर अपना रोज़गार सिखाना प्रारम्भ कर दिया। मेरी बुद्धि तीक्ष्ण थी। मैं बहुत जल्द लेन-देन के दाव-पेच सीख गया। धीरे-धीरे पिता जी ने कारबार से हाथ खींचना शुरू किया और सारा काम मेरे सिर आ पड़ा। मैं बड़े उत्साह से काम करता। मुझे उस काम में दिलचस्पी होती थी। पिता जी भी मेरी नई सूझ और बुद्धि की तारीफ़ किया करते थे। कुछ तो पिता जी की निगरानी से और कुछ मेरी उस काम में आसक्ति होने के कारण कुछ ही सालों में मैं पक्का रोज़गारी बन गया। बीस वर्ष का होते न होते मैंने सब काम अपने हाथ में ले लिया। लेना-देना, रखना-उठाना, लिखना-पढ़ना—सब मैं ही करता था। पिता जी बिल्कुल अलग हो, ईश्वर-भजन में लग गए थे। इसलिए दो साल बाद जब उनकी मृत्यु हुई, तब हमारे कारबार को कुछ भी धक्का न लगा।

"पिता जी मेरी तरह काइयाँ न थे, अतः उनकी व्यापार-विधि सरल होने के कारण मुझे पसन्द न थी। पर जब तक वे ज़िन्दा थे, तब तक मुझे उनकी सलाह से काम करना पड़ता था। कारबार से अलग होते हुए भी वे उपदेश देने का मौक़ा हाथ से न जाने देते थे; बुढ़ापे में मनुष्य की मुख्य इच्छा यही होती है कि लोग उसका उपदेश सुनें और उसके अनुसार आचरण करें। मैं उन्हें दुखी न करना चाहता था, इसलिए उनकी सलाह के अनुसार चलता। उनके मरते ही मैं पूर्ण स्वतन्त्र हो गया और व्यापार का ढङ्ग अपने इच्छानुसार बदल दिया। मेरा विश्वास था कि जब तक रोज़गार में चालाकी या धूर्तता से काम न लिया जाय, तब तक यथेच्छ लाभ नहीं होता। जो व्यापारी जितना ही चालबाज़ होता है, वह उतनी ही उन्नति कर सकता है। इसलिए पिता जी के सादे व्यापार में उनके मरते ही मेरी चालाकियों का समावेश होने लगा।

२

"मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आसपास के गाँवों के किसान मेरे यहाँ क़र्ज़ लेने आया करते थे। पर इन गाँवों में कुछ ऐसे लोग भी थे, जो उस समय तक कभी मेरे यहाँ न आए थे। उन लोगों को अपने चङ्गुल में फँसाने के लिए मैंने नए-नए रास्ते खोज निकाले। जङ्गल में रहने वाले भील-गोंड दो पत्थरों को आपस में रगड़ कर उनसे आग पैदा करते हैं, उसी तरह मैंने भी दो किसानों को आपस में लड़ा कर उससे स्वयं फ़ायदा उठाने की सोची। यह काम अधिक कठिन न था। गाँव के पटवारी का मुँह मीठा कर देने से ही वह मेरे मन की कर देता। किसी से कहता—'फ़लाँ शख़्स ज़बर-दस्ती तुम्हारे खेत की मेड़ जोत रहा है और तुम ख़ामोश बैठे हो! नालिश क्यों नहीं कर देते, मैं शहादत दूँगा। अङ्गरेज़ सरकार की अमलदारी है, किसी की ज़मीन हड़प लेना हँसी-खेल थोड़े ही है।' दूसरे से कहता—'उस मेड़ पर का बबूल का पेड़ तो तुम्हारा है जी, जो रामसुख अपना कह कर दबाए बैठा है। आज तुम्हारा पेड़ हज़म कर लिया, कल तुम्हारे खेत को अपना कह कर जोत लेगा। इत्यादि।' बस, अदालत में मुक़दमा दायर हो जाता। किसान कुछ पेशियाँ तो लड़ते, पर बाद में घर में रुपया न रहने से मेरी शरण आते। उस समय मैं मनमाने ब्याज पर उनको क़र्ज़ दे देता और इस तरह उन्हें अपने पञ्जे में जकड़ लेता, जिससे वे फिर कभी न छूट सकते।

"मैंने अपने गुप्तचर चारों ओर के गाँवों में नियत कर रक्खे थे, जो मुझे समय-समय पर ख़बर दिया करते कि किस मनुष्य को रुपए की कितनी आवश्यकता है। अतः जब कोई आदमी मेरे पास रुपयों के लिए आता, तब उसकी आवश्यकता के अनुसार मैं उससे ब्याज लेता। जिसे रुपए की बहुत ज़रूरत होती, उससे ख़ूब ब्याज लेता, जिसे कम होती, उससे कुछ कम। ऐसे मौक़ों पर 'दोअन्नी रुपया' ब्याज पर रक़म देना साधारण सी बात थी।

"मैं धनवानों और पढ़े-लिखे लोगों से हमेशा बचता रहता था। उन लोगों को कभी क़र्ज़ न देता। क्योंकि पढ़े-लिखे लोगों से एक तो अधिक ब्याज मिलना मुश्किल था। दूसरे, पूरा रुपया भी वे लोग वापस करते, इसमें भी सन्देह था। इसलिए उनके लिए हमेशा मेरी तिजोरी ख़ाली रहती थी और अपढ़ तथा ग़रीब किसानों के लिए सदा भरी। मेरे मुख्य शिकार भोले-भाले किसान ही थे, जो तीन-तेरह कुछ न जानते थे।

"लोग कहते हैं कि क़र्ज़ का रुपया कठिनाई से वापस मिलता है। बात है भी सच। बिना ख़ून-पसीना किए पूरा धन वसूल नहीं होता। परन्तु मुझे कभी अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। ज्योंही वादे पर किसान रक़म न देते, त्योंही मैं उन पर नालिश कर देता। उनके रोने-गिड़गिड़ाने का मुझ पर कोई असर न होता। उनके पैर पड़ने पर मैं पाँव झिटक देता। लोग मुझे सख़्त-दिल कहते, पर मुझे इस कहने की परवाह न थी। यथार्थतः यदि आप अपना रुपया वसूल करना चाहते हैं, तो आपको हृदय कठोर करना ही पड़ेगा। आपने ज़रा भी नर्मी दिखलाई और आपकी रक़म डूबी। अस्तु, मैं अदालत के ज़रिए अपना रुपया वसूल कर लेता। दीवानी के सारे अफ़सरों और अमलों को मैंने चाँदी की जूतियों से सीधा कर लिया था, इसलिए डिक्री मिलने में ज़रा भी देर न होती। और फिर डिक्री जारी करा देने में मुझे कभी सङ्कोच न होता। किसान यह बात जानते थे, इसलिए डर के मारे समय से कुछ पहिले ही रुपया दे जाते या आकर अपना काग़ज़ बदल जाते थे। इस तरह अपना रुपया वसूल करने में मुझे कभी ज़्यादा दिक़्क़त नहीं उठानी पड़ी।"

३

कुछ देर दम लेकर उसने फिर कहना शुरू किया—"इस प्रकार चलते हुए मैंने कुछ ही वर्षों में पिता जी द्वारा छोड़े हुए धन को दूना कर लिया; किन्तु इतने से ही मुझे सन्तोष न हुआ। बालक पेड़ की एक डाल पर चढ़ कर और भी ऊँची शाखा पर पहुँचने की इच्छा करता है। मेरे दिल में भी वही अतृप्ति सुलग उठी। मेरा ख़्याल था कि अभी बहुत कम किसान मुझसे लेन-देन करते हैं। यदि कोई अच्छा ज़रिया मैं निकाल सकूँ तो निश्चय ही उनकी संख्या बढ़ जाय और मैं मालामाल हो जाऊँ। यही सोच कर जिस तरह पक्षी को फँसाने के लिए शिकारी दाना फेंकता है, उसी तरह मैंने भी किसानों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सराफ़े की एक दूकान खोल दी। दूकान बहाना मात्र थी, असली ध्येय था किसानों को अपनी ओर खींचना।

किन्तु उससे दोहरा मतलब सिद्ध हुआ। आने वाले किसानों की संख्या तो बढ़ ही गई, साथ ही दूकान से लाभ भी ख़ूब होने लगा। गहने बनाने वाला सोनार सिखाया-पढ़ाया था। वह तोले में चवन्नी भर खोटी धातु मिला देता। बेचारे किसान असली और नक़ली का भेद क्या जानें? वे मेरे विश्वास पर तथा दूसरी दूकानों से कुछ सस्ता देख कर सहर्ष मेरी दूकान से गहने ख़रीदते। उस समय जो ज़ेवर मैं बेचता था, यदि उनकी रासायनिक परीक्षा की जाती, तो निश्चय ही असली की जगह नक़ली बेचने का जुर्म मुझ पर लग जाता। परन्तु सीधे-सादे किसानों को इतना ज्ञान कहाँ! और पढ़े-लिखे लोगों से मेरा नाता-रिश्ता ही क्या था?

"दूकान खुल जाने से कभी-कभी आफ़त के मारे किसान अपनी स्त्रियों का गहना बेंचने भी आने लगे। जिस दिन ऐसा कोई शिकार फँस जाता, उस दिन मेरी बन पड़ती। अच्छी चीज़ को ख़राब और खरी को खोटी कह कर मैं रुपए का माल आठ आने में ही ख़रीद लेता। किसान कुछ देर तो यहाँ-वहाँ करता, किन्तु अन्त में ग़रज़ होने के कारण मेरे कहे हुए दामों पर ही उसे बेंच कर मुँह लटकाए हुए चला जाता। फिर मैं उस चीज़ को साफ़ करा कर या उसका आकार परिवर्तन कर उसे पूरे दामों में बेंच लेता। अपनी चालाकी का प्रमाण देने के लिए मैं आपको एक दिन का हाल सुनाता हूँ।"

वह फिर कुछ देर के लिए रुक गया।

उसकी आत्म-कथा दिलचस्प होती जा रही थी। मैंने सामने रक्खी फ़ाइलें अलग कर दीं और दत्तचित्त होकर उसकी बातें सुनने लगा।

उसने पुनः कहना प्रारम्भ किया—"जेठ के महीने का सवेरा था। दिन खिल रहा था। प्रातः सूर्य कौन्सिल के उम्मेदवारों की तरह नम्र था। ठण्डी-ठण्डी हवा मन में ताज़गी लाने में 'टॉनिक' का काम कर रही थी। आकाश में रूई के ढेरों के समान बादल के छोटे-छोटे टुकड़े जहाँ-तहाँ उड़ रहे थे, जो मानो मौन भाषा में कह रहे थे कि बरसात अब ज़्यादा दूर नहीं है। यही ऋतु मेरी सब से अच्छी व्यापारिक ऋतु थी। इन दिनों पचीसों किसान रोज़ मेरे यहाँ आते और अनाज या हल के बैल मोल लेने के लिए क़र्ज़ ले जाते थे। उस दिन ज्योंही मैंने दूकान खोली, त्योंही एक अधेड़ आदमी घुटनों तक धोती और एक मैली सी सदरी पहिने सीढ़ियों पर चढ़ा। उसके देहाती जूतों पर धूल की मोटी तह जमी थी, जिसे देख कर मैं समझ गया कि वह दूर से आ रहा है। इतने सवेरे मेरे ग्राहक कभी न आते थे। आज उठते ही शिकार सामने पाकर मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया और बड़ी आवभगत से उसे भीतर ले जाकर बिठाया। कुछ देर तक इधर-उधर की बातें होने के बाद मैंने उसका मतलब पूछा।

"किसान के चेहरे पर ख़ुशी का कोई चिन्ह न था। पाला मारे हुए चमेली के फूल की तरह उसका मुँह कुम्हलाया हुआ था। साफ़ मालूम हो रहा था कि किसी भारी सङ्कट में पड़ कर ही वह मेरे पास आया था। यह बात मुझे ख़ुश करने के लिए काफ़ी थी, पर मैंने अपनी प्रसन्नता ज़ाहिर न होने दी।

"उसने सकुचाते हुए, अनिच्छा से एक पोटली बग़ल से निकाल कर मेरे सामने रख दी और बड़ी देर तक अपने दुख का रोना रोता रहा। उसकी बातों से मैंने यह सारांश निकाला कि वह एक भला आदमी और मामूली बड़ा किसान था। हर साल उसके यहाँ इतना अनाज हो जाता था कि मज़दूरी और लगान चुका कर तथा बीज और साल भर के खाने के लिए निकाल कर बाक़ी अनाज वह बेच लेता था, जिससे ऊपरी ख़र्च के लिए रुपए निकल आते थे। किन्तु गए साल खलिहान में आग लग जाने से सारा ग़ल्ला जल गया, जिसके साथ ही उसकी सब आशाएँ भी स्वाहा हो गईं। उस पर उसी साल उसे छोटी लड़की का गौना करना पड़ा, जिसमें रही-सही पूँजी भी चली गई। साल भर तो उसने किसी तरह अपना काम चलाया, पर अब जब खेत बोने का मौक़ा आया तब उसे बीज की चिन्ता हुई। उसके पास न अनाज था, न रुपया। कुछ सरकारी तक़ावी का रुपया भी देना था, जिसके लिए उसे नोटिस मिल चुका था। पर वह क़र्ज़ न लेना चाहता था। क़र्ज़ के नाम से वह उतना ही डरता था, जितना बकरा शेर से। उसके बाप ने एक बार एक महाजन से क़र्ज़ लिया था, जिसके कारण उसे बहुत तकलीफ़ और बड़ी बेइज़्ज़ती उठानी पड़ी थी। वह मरते समय अपनी क़सम देकर उससे कह गया था कि—'बेटा, चाहे भूखों मरना पड़े, पर क़र्ज़ कभी मत लेना।' उनके शब्दों की अवहेलना कर उसने जो सरकारी तक़ावी ली थी, उसकी क़िस्त का समय टल जाने पर उसके नाम वारण्ट तथा क़ुर्क़ी निकलने की नौबत आ गई थी। इसीलिए अब वह क़र्ज़ से दूर ही रहना चाहता था। परन्तु अन्य कोई प्रबन्ध न हो सकने के कारण वह उस पोटली में रख कर कुछ गहने मेरे यहाँ बेचने लाया था। वह जानता था, कि यह भी भारी बेइज़्ज़ती है। वह जानता था कि उस गहने के साथ उसके घर की आबरू जा रही है, पर दूसरा कोई उपाय न होने के कारण लाचार होकर उसे इस पथ का अवलम्बन करना पड़ा।

उद्बोधन

[कवि-सम्राट पं० अयोध्यासिंह जी उपाध्याय 'हरिऔध']

परम दुचित अवलोकि जाति-जीवन को,
जो न तू बनत बिचलित बहुतेरो है।
जो न रोम-रोम खरो होत देस-दुख देखि,
जो न भूत हित को रहत चितचेरो है।
'हरिऔध' तो तू महा पामरता-पूतरो है,
खलता-निकेतन अधमता-बसेरो है।
काठ ते कमठ पोठहू ते है कठिन मन,
पाहन ते पबि ते कठोर उर तेरो है।

* * *

"मैंने उत्सुकता से वह पोटली खोली। उसमें सोने का एक मोटा कण्ठा था। हलके मेघों से ढके रहने पर भी जिस प्रकार चन्द्रमा की कान्ति नहीं छिपती, उसी प्रकार मैल के भीतर से उस कण्ठे का खरा सोना दमक रहा था। मैंने अन्दाज़ लगाया, उसकी क़ीमत १२०) से किसी तरह कम न थी। उसे देखते ही मेरे मुँह में पानी भर आया, किन्तु मैंने अपने मन की बात प्रकट न होने दी और बड़े ग़ौर से उसकी परीक्षा की। फिर मुँह बना कर कहा—इसका सोना तो खोटा है।

"किसान के शरीर में जैसे किसी ने सुई घुसेड़ दी। वह चौंक उठा! उसका चेहरा फीका पड़ गया। जिस वृक्ष का सहारा लेने वह जा रहा था, मानो उसकी जड़ भी हिलती हुई मालूम हुई। उसने घबरा कर पूछा—क्या! इसका सोना खोटा है? यह आप क्या कहते हैं? मैंने ख़ुद इस कण्ठे के १६०) दिए हैं। अभी दो साल पहले ही तो इसे प्रयाग में ख़रीदा था!

"मैंने झूठी सहानुभूति दिखलाते हुए कहा—इस सौदे में तुम ठग गए। सच पूछो तो यह कण्ठा १००) का भी नहीं है। सीधा और सज्जन देख कर बेचने वाले ने तुम्हारे साथ दग़ा की।

"किसान कुछ देर तक हतबुद्धि सा बैठा रहा। उसके चेहरे के भावों को देख कर मैं ताड़ गया कि मेरी बात का उसे विश्वास हो रहा है। और होता क्यों न? मैं सराफ़ था। सोने-चाँदी की पहिचान मुझसे अधिक कौन जानता था? कुछ देर सोच कर उसने कहा—तब आप क्या कहते हैं?

"मैंने कहा—मैंने तो कह दिया कि इसका सोना अच्छा नहीं है। फिर यह दो साल तक पहिना गया है, जिससे घिस भी गया है। अतः मेरा दिल इसे ख़रीदने का नहीं होता; किन्तु तुम इतने सवेरे से मेरे यहाँ आए हो, इसलिए तुम्हारी ज़रूरत देख कर मैं तुम्हें एकदम निराश भी नहीं कर सकता। यदि बेचना चाहो तो इस कण्ठे के मैं ६०) दे सकता हूँ, अधिक नहीं।

"मैं जानता था, इतने में वह कदापि उसे न देगा, परन्तु ग़रज़ उसकी थी, इसलिए कम से कम कहने में ही मेरा फ़ायदा था। मेरी बात सुन उसने कण्ठा मेरे हाथ से ले लिया और उसे उलट-पलट कर देखता हुआ उदासी से बोला—साठ नहीं, यदि आप सवा सौ दें तो मैं और कहीं न जाकर इसे आपको ही दे दूँ।

"किन्तु मैं सवा सौ क्यों देता? यदि इतने रुपए दे देता तो मेरा रोज़गार करना ही व्यर्थ था। मैंने साफ़ नाहीं कर दी। किसान निराश हो रहा था। वह बड़े असमञ्जस में पड़ा था। एक ओर ज़रूरत उसे दबा रही थी, दूसरी ओर कण्ठे को पानी में फेंकते उसका दिल टुकड़े-टुकड़े हो रहा था। कुछ देर इधर-उधर करके वह सौ तक आ गया। किन्तु इतना भी मेरे लिए बहुत था। यदि इस सौदे में मुझे दूना नफ़ा भी न हुआ, तो इस रोज़गार से फ़ायदा ही क्या? मैंने उसे और भी अपनी ओर खींचने के लिए सत्तर रुपए कह दिए। उस समय मुझे उसका मुँह देख कर उस पर दया आ रही थी। पर साथ ही लाभ का ध्यान न भूला था। फ़ायदे के ख़्याल के आगे दया की कुछ न चल सकती थी।

"आख़िर अस्सी रुपए में सौदा तय हो गया। मैंने तुरत रुपए गिन कर कण्ठे को 'सेफ़' में बन्द कर दिया। किसान दुखी-हृदय से वह छोटी सी रक़म लिए हुए घर चला गया।

"इसी तरह मैंने कितनी ही बार लोगों को धोखा देकर उनका माल ठगा था।"

४

"तीस वर्ष तक मैं इसी प्रकार छल-कपट से ग़रीबों का धन लूटता रहा, पर मुझे कभी अपने काम पर दुख न हुआ, कभी आत्म-ग्लानि न हुई, कभी यह विचार भी मन में न आया कि मैं अपने ही भाइयों का गला काट रहा हूँ। जिस प्रकार आरा चलाना बढ़ई का स्वभाव हो जाता है, उसी प्रकार छल-प्रपञ्च कर सीधे-सादे किसानों को ठगना मेरा स्वभाव हो गया था। नित्य नई चिड़िया फँसाने की चालें सोचता, रोज़ धोखा देने के नए आविष्कार करता। कभी दो आदमियों को लड़ा कर उनके मुक़दमे के ख़र्च के लिए ऋण देता, और कभी किसी की कन्या का विवाह करा कर बाद में एक-एक के दस-दस उससे वसूल करता। जब वह देने लायक़ न रह जाता, तब कोर्ट की सहायता से उसकी सारी सम्पत्ति नीलाम करा लेता। नीलाम का माल ख़रीदने वाला भी मेरा ही आदमी होता, जो रुपए की चीज़ दो आने में लेता और बाद में लोगों को दिखाने के लिए उसे मुझे बेच देता। मैं सम्पत्ति के झगड़े में न पड़ना चाहता था, अतएव शीघ्र ही मैं उसे पूरे-पूरे दामों में किसी और को बेच देता था। इस तरह के सैकड़ों उपायों से मैं अपना घर भर रहा था। उस समय मेरी केवल एक लालसा—एक आकांक्षा थी, रुपया पैदा करना। कैसा भी कार्य—

अच्छा या बुरा—करने में कभी मुझे हिचकिचाहट न होती, यदि उससे कुछ लाभ की आशा होती। रुपया ही एक ऐसा पदार्थ था, जिसके लिए मैं जी रहा था। वही मेरा हित, मित्र, पुत्र, इष्टदेव और मेरा ईश्वर था। रुपए को ही मैं सर्वस्व समझता था। 'रुपया' शब्द सुनने के लिए मेरे कान लालायित रहते, उसे छूने के लिए हाथ उत्सुक रहते। उसे देख कर मैं अपने को कृतार्थ समझता था—आँखें ख़ुशी से चमक उठतीं और मन आनन्द से नाच उठता था। उसकी खनखनाहट सुन, मुझे एक प्रकार का आनन्द होता था—जैसा नन्हें शिशु की मीठी बोली सुन माता को होता है। रुपए पाकर मैं स्वर्ग पा जाता था।

"यदि सावधानी से चलिए तो रुपया बाढ़ के पानी की तरह बढ़ता है—धीरे-धीरे इतना बढ़ जाता है कि रखने को जगह नहीं रहती। मैं हज़ारपती से लखपती और लखपती से शीघ्र ही करोड़पती होने वाला था, पर अच्छा खाना मैंने कभी न खाया, कभी साफ़ कपड़े न पहिने। डर था, यदि चोर मेरी अच्छी स्थिति ताड़ पावेंगे तो एक ही दिन में कङ्गाल हो जाऊँगा। इसीलिए मैं ग़रीबी तौर से रहता और अपने को ग़रीब ही कहता, यद्यपि घर में तहख़ाने रुपयों और ज़ेवरों से खचाखच भरे थे। लोग मुझे अपने को ग़रीब कहते सुन कर चुपचाप हँसते, पर मैंने न तो उसका कारण ही आज तक किसी से पूछा और न किसी को अपने को धनवान ही कहने दिया।

"इस प्रकार मेरे ३० वर्ष रुपयों के संसार में, रुपयों के बीच, रुपयों से खेलते हुए और रुपयों का ही स्वप्न देखते हुए बीत गए। रुपयों के विचार के अतिरिक्त अन्य कोई विचार कभी मेरे मन में न आया। मैंने कभी इस लोक या परलोक की चिन्ता न की। मरने के बाद क्या होगा, इसकी कभी फ़िक्र न की। कभी मोक्ष पाने की इच्छा से तीर्थ-यात्रा न की, न कभी ग़रीबों या ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा ही दी। स्वर्ग भी कोई लोक है, इसका मुझे विश्वास न था। पुनर्जीवन के विचार को मैं 'बुढ़िया-पुरान' कहता था और उसके मानने वालों पर हँसता था। मेरे लिए इस संसार में केवल एक ही चीज़ थी और वह था रुपया। इसी में मुझे सारा सुख था।"

५

"प्रत्येक मनुष्य के जीवन-काल में एक न एक ऐसी घटना होती है, जो उसके विचार-क्रम में महत् परिवर्तन कर देती है। उसके दिमाग़ में उथल-पुथल मच जाती है और वह अपने पुराने रास्ते से भटक कर दूर जा पड़ता है। उस समय उसके ज्ञान-चक्षु खुल जाते हैं और वह अपने पूर्व कृत्यों की आलोचना-प्रत्यालोचना करने के योग्य हो जाता है।

"मेरे जीवन के क्रम को भी एक ऐसी ही घटना ने बदल दिया। उस घटना ने मेरी आँखें खोल दीं। मुझे घने अन्धकार से निकाल कर प्रकाश में कर दिया। उस समय स्वयं मैंने अपने को लोभी, स्वार्थी, कपटी और नीच कहा। उस पापमय जीवन के कारण मुझे अपने आप से घृणा हो गई, आत्मग्लानि से हृदय दग्ध होने लगा और मैं प्रायश्चित्त करने के लिए व्याकुल हो उठा। मेरा वही विचार मुझे आपके पास तक लाया है। मुझे आशा थी कि मेरा प्रायश्चित्त पुलिस-कोर्ट में ही होगा।"

यह कह कर वह ठहर गया। उसकी आँखों में उस समय घृणा के भाव साफ़ व्यक्त थे। चेहरे पर उद्वेग के कारण पसीने की बूँदें झलक रही थीं। उन्हें दाहिने हाथ की उँगली से पोंछ कर वह फिर कहने लगा—"अब मैं आपको वह घटना सुनाता हूँ, जो मुझमें इस भारी परिवर्तन की उद्भावक थी।

"मुलई किसान से मेरा पुराना सम्बन्ध था। बहुत समय से उसका मेरे यहाँ लेन-देन चल रहा था। कई बार उसने मुझसे क़र्ज़ लिया, और समय पर वापस कर दिया। वह एक बड़ा किसान था। उसके खेत बड़े उपजाऊ थे। मेरे दाँत उसकी जायदाद पर लगे थे। मैं बार-बार उसकी सम्पत्ति हड़पने की इच्छा से उसे क़र्ज़ देकर अपने चङ्गुल में फँसाना चाहता, पर वह वादे का सच्चा था। हर बार समय पर रुपया दे जाता। इस तरह बहुत दिन बीत गए। आख़िर एक दिन वह मेरे फन्दे में आ ही गया।

"मुलई के एक जवान लड़का था, जो काम-काज में बाप को पूरी मदद देता था। मुलई उससे बहुत ख़ुश था। जी-जान से उसे चाहता था। सबसे उसकी तारीफ़ किया करता था। लड़का था भी सुशील और मिहनती, जिस काम में लग जाता, उसे पूरा करके ही छोड़ता। जाड़ा, गरमी और बरसात सब सहने की उसको टेव पड़ गई थी। नई उम्र में ही वह पूरा किसान हो गया था।

"एक दिन मुलई का वही लड़का बीमार पड़ा। मुलई ने दो-चार दिन तो घर की ही दवा की, पर जब बुख़ार न हटा, तब वैद्य को बुला कर दिखाया। वैद्य ने बताया कि लड़के को मोतीझरा हो गया है। मुलई लड़के के लिए विशेष चिन्तित हो उठा। वह विधिपूर्वक उसकी दवा कराने लगा। पर दवा के ख़र्च के लिए उसके पास रुपए न थे, इसलिए दौड़ा हुआ मेरे पास आया। मैंने उसके लिए कभी नाहीं न की थी, उस बार भी बिना टालमटोल किए ही उसे मुँह-माँगी रक़म दे दी। वह दो महीने के अन्दर रुपया वापस करने का वादा करके मुझे आशीर्वाद देता हुआ घर चला गया।

"ईश्वर की इच्छा होती है तो हैज़ा और प्लेग के रोगी भी अच्छे हो जाते हैं, नहीं तो साधारण बुख़ार से ही लोगों की मृत्यु हो जाती है। मुलई का लड़का दो माह तक खाट पर पड़ा रहा। उसका मोतीझरा साफ़ हो गया, बुख़ार भी हट गया, सबको उम्मीद हो गई कि वह बच जायगा। परन्तु एक दिन रात को सब की आशा के विरुद्ध माता-पिता को रोता छोड़ कर उसके प्राण निकल गए। मुलई ने छाती में घूँसा मार कर उसका क्रिया-कर्म किया। कुछ दिन बाद वह एक कम्बल ओढ़े मेरे पास आया। वादे पर रुपए न दे सकने के लिए उसने माफ़ी माँगी और लड़के की 'तेरही' के लिए कुछ और रुपयों की आवश्यकता बतलाई; एक माह के अन्दर सब ख़र्च चुका देने का वादा भी किया। मुझे मुलई की विपत्ति पर न रञ्ज था, न सहानुभूति थी। मैं तो अपना फन्दा कसते देख, मन ही मन ख़ुश हो रहा था। मैंने तुरन्त रुपए निकाल कर उसे दे दिए।

"एक महीना गुज़र गया, पर मुलई न रुपए लाया न स्वयं आया। पता लगाने पर मालूम हुआ कि वह बीमार है। लड़के की चिन्ता तथा उसकी सेवा-शुश्रूषा में उसने अपना स्वास्थ्य ख़राब कर लिया था। फलतः उसके मरते ही शोक के साथ बुख़ार ने भी मुलई को धर दबाया। बुख़ार की हालत में ही वह दूसरी बार मुझसे रुपए लेने आया था, उसी हालत में उसने लड़के की 'तेरही' की थी। अतः बीमारी घटने की अपेक्षा और बढ़ गई। उस समय वह महीने भर से खाट पर पड़ा था। लड़के के शोक में वह पानी में पड़े मिट्टी के ढेले की तरह घुल गया था; उस पर बुख़ार ने और भी उसकी जान आधी कर दी थी।

"मैंने इस अवसर से लाभ उठाने के विचार से कोर्ट में मुलई के नाम नालिश कर दी। बीमारी के कारण वह पेशी पर हाज़िर न हो सका; अतः मुझे अनायास ही डिक्री मिल गई।

"कुर्क़अमीन को साथ लेकर मैं एक दिन मुलई की जायदाद नीलाम कराने उसके घर पहुँचा। इस नई विपत्ति की ख़बर पाते ही मुलई लड़खड़ाता हुआ बाहर निकल आया। वह इतना दुर्बल हो गया था कि पहिचाना न जाता था। उसका दृढ़ और बलिष्ठ शरीर इस समय केवल अस्थि-पञ्जर रह गया था। बुख़ार क्या कर सकता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने उसी दिन देखा। मुलई को उस समय भी ज्वर था, पर कुर्क़ी की बात सुन वह अपने को सँभाल न सका। एकदम बिस्तर से उठ कर बाहर आ गया। ठण्ढ लगने या सन्निपात होने का उसे कुछ डर न था। वह एकदम मेरे पास आकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़ कर विनती करने लगा। उसे देख कर मुझे कुछ-कुछ तरस आ रहा था, पर ऐसा मौक़ा फिर न मिलेगा, यह सोच कर मैंने उसे डाँट कर चले जाने को कहा और कुर्क़अमीन को अपना काम करने की आज्ञा दी। मुलई मेरा उत्तर सुन कर निराश हो गया। वह कमज़ोरी के कारण खड़ा न रह सका, वहीं धम से गिर गया। लोग उसे उठा कर भीतर ले गए।

"उस दिन शाम को जब मैं घर पहुँचा तब प्रसन्नचित्त था। क्योंकि जिस जायदाद पर इतने दिनों से मेरी आँख गड़ी थी, आज वह मेरे क़ब्ज़े में आ गई थी। मुझे विश्वास था कि मुलई डिक्री के रुपए न चुका सकेगा।

"दूसरे दिन सवेरे ही मैंने सुना कि उसी रात को मुलई की मृत्यु हो गई।

"आठ बजते न बजते मुलई की स्त्री विलाप-मूर्त्ति बनी हुई मेरे घर पहुँची। आते ही उसने मेरी देहली पर अपनी चूड़ियाँ फोड़ दीं और सिर पटक कर रोना-चिल्लाना शुरू कर दिया। साथ ही मुझे गालियाँ भी देती जाती थी। उसकी गालियों का सारांश यही था कि मुलई पुत्र-शोक में पहिले ही घुल चुका था, बुख़ार ने उसे मौत के मुँह तक पहुँचा दिया था, फिर भी यदि मैं इतना बड़ा धक्का न देता तो वह बच जाता। इस भारी विपत्ति, बदनामी और बेइज़्ज़ती को वह सह न सका, उसका हृदय फट गया और वह मर गया। सच-मुच मैंने ही उसे मारा है। मैंने ही कुर्क़ी करा कर उसकी जान ली है।

"उस स्त्री का रोना-चिल्लाना सुन, मुहल्ले भर के लोग जमा हो गए। वह उन्हें सुना-सुना कर और भी चिल्लाने और मुझे कोसने लगी। मैं चुपचाप उसका करुण-विलाप सुन रहा था और आप ही आप कटा जा रहा था। उसे कुछ उत्तर देने की मुझमें हिम्मत न थी। मेरा हृदय भी मुझसे बार-बार कहने लगा कि मुलई की मृत्यु का मैं ही ज़िम्मेदार हूँ। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उस स्त्री को मेरे दरवाज़े से हटाया। चलते समय उसने कहा—'तू डाकू है, तू चोर है, हत्यारा है। तूने ही मेरा सौभाग्य-सिन्दूर छीना है। मेरा वश होता, तो मैं तेरा गला घोट कर उनका बदला लेती। अब ईश्वर ही तुमसे समझेगा।' उसके ये शब्द आज भी अङ्गारे की तरह मेरे हृदय में जल रहे हैं।

"उसी दिन शाम को मैंने सुना कि मुलई की स्त्री ने फाँसी लगा कर आत्म-हत्या कर ली। पति के शोक से तथा उसकी मृत्यु के बाद अनाथा गृहहीना होकर रहने तथा भीख माँग कर पेट भरने की अपेक्षा उसने मर जाना ही अच्छा समझा।

"अपने कार्य का इतना भीषण परिणाम मैंने कभी न देखा था, इस दुखदायी घटना ने मेरा कलेजा हिला दिया। उस स्त्री के वे अन्तिम शब्द मुझे बार-बार याद आने लगे—'तू डाकू है, तू चोर है, तू हत्यारा है।'

(शेष मैटर १७वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)



स्पेन की क्रान्ति और उसके कारण

[डॉ० मथुरालाल जी शर्मा, एम० ए०, डी० लिट्]

इस समय स्पेन अन्य यूरोपीय देशों से पिछड़ा हुआ है, परन्तु एक समय यह सबसे आगे था। १२वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जो यूरोप में अपूर्व जागृति हुई थी, उसमें स्पेन और पोर्तुगाल का प्रधान हाथ था। उस समय स्पेन और पोर्तुगाल की जल-सेना सबसे उन्नत थी और यहाँ के नाविक बड़े प्रवीण थे। स्पेन के सम्राट भी बड़े उन्नति-प्रिय और महत्वाकांक्षी थे। देश-देशान्तरों के विद्वान्, सैनिक और चतुर मल्लाहों को उस समय स्पेन में आश्रय मिला करता था। जब यूरोप में महासागरों को पार करने योग्य जहाज़ बनने लगे और वहाँ के मल्लाह अज्ञात तथा अवनत देशों की खोज करके वहाँ या तो अपना राज्य जमाने लगे या वाणिज्य स्थापित करने लगे तो स्पेन और पोर्तुगाल में बड़ी खटपट आरम्भ हुई। इन दोनों देशों के जहाज़ उस समय उन्नत हो चुके थे और वे दोनों ही देशों के मल्लाह भी बड़े साहसी तथा योग्य थे। अतः जहाँ स्पेन का जहाज़ पहुँचता था वहाँ पोर्तुगाल का भी जहाज़ पहुँच जाया करता था। इस प्रकार के हित-सङ्घर्ष के कारण जब इन दोनों देशों का मनोमालिन्य बढ़ने लगा और पारस्परिक युद्ध की नौबत आने लगी तो तत्कालीन ईसाइयों के गुरु पोप ने इनका आपसी समझौता कर दिया और उस समय के अज्ञात संसार को दो भागों में विभक्त कर दिया। इस निबटारे के अनुसार पोर्तुगाल की राजधानी लिसबन से पूर्व की ओर का संसार पोर्तुगाल को और पश्चिम की ओर का संसार स्पेन के हिस्से में आया। अपने-अपने हिस्से के संसार में प्रभु ईसा के अनुयायी ये दोनों देश विजय प्राप्त कर सकते थे और वाणिज्य स्थापित कर सकते थे, साथ ही अपने मार्ग के विघ्नों का निवारण करने के लिए मनमाना रक्तपात भी कर सकते थे। स्पेन के नाविकों ने स्वर्णराशियाँ लूटने के लिए दक्षिण अमेरिका में और पोर्तुगालियों ने अपना राज्य जमाने के लिए तथा कल्पनातीत लाभ पहुँचाने वाले व्यापार को स्थापित करने के लिए एशिया में जो लोमहर्षण नृशंसताएँ की थीं, उनका उल्लेख इस लेख में अप्रासङ्गिक होगा। यहाँ हम केवल इतना ही बतला देना चाहते हैं कि लगभग ८० वर्ष तक पूर्वी संसार में पोर्तुगाल की और पश्चिमी संसार में स्पेन की ख़ूब तूती बोलती रही। सम्पूर्ण एशिया का व्यापार, जो पहले अरबी सौदागरों के हाथ में था, वह पोर्तुगालियों ने छीन लिया, जिससे पोर्तुगाल यूरोप और एशिया का वाणिज्य-केन्द्र बन गया। उधर स्पेन अमेरिका की स्वर्ण-राशियों से सम्पन्न होकर अपनी प्रभूत सेना तथा अप्रतिहत सामुद्रिक शक्ति के कारण यूरोप के अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में एक मुख्य देश बन गया। सोलहवीं शताब्दी के पश्चात् जितने यूरोपीय युद्ध हुए, उनमें एक तरफ़ स्पेन अवश्य सम्मिलित रहता था। फिर जब पोर्तुगाल भी स्पेन में मिल गया तो स्पेन और भी अधिक प्रबल तथा दुर्धर्ष बन गया। अपने को अजेय और सर्वाधिक सम्पन्न समझ कर स्पेन यूरोप के युद्धों में अधिकाधिक सम्मिलित होने लगा और अपने व्यापार तथा विजय-विस्तार की उपेक्षा करने लगा। अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में इसके पतन का यही सबसे बड़ा कारण हुआ, फिर भी १७वीं शताब्दी के अन्त तक तो स्पेन की जल-सेना का सारा यूरोप लोहा मानता था और स्पेन के सम्राटों से मैत्री स्थापित करने में यूरोप के सम्राट अपना गौरव समझते थे। सन् १६८८ में जब स्पेन और इङ्गलैण्ड में युद्ध छिड़ा और स्पेन की नौसेना ने इङ्गलैण्ड पर चढ़ाई की, तो महारानी एलिज़ाबेथ त्राहि-त्राहि करने लगी थीं और सारा देश त्रस्त हो गया था। यह इङ्गलैण्ड का सौभाग्य था, कि उसी समय तूफ़ान उठा और प्रतिकूल पवन की सहायता से इङ्गलैण्ड की नौसेना ने स्पेन के 'आरमेडा' को हरा दिया।

ऐसा सम्पन्न और शक्तिशाली देश होकर भी स्पेन अन्य यूरोपीय देशों से उन्नति-पथ में क्यों पिछड़ गया? इसका एक कारण तो हम पहिले ही बतला चुके हैं। दूसरा कारण यह था कि अन्य देशों की भाँति यहाँ प्रजातन्त्र राज्य अब तक स्थापित न हो सका। निरङ्कुश शासन वर्तमान संसार के अनुकूल नहीं है। अब वास्तव में राजा, महाराजा और सम्राटों का समय गया। अब लोकमत इतना जागृत हो गया है और जनता में शासन-सूत्र अपने हाथ में लेने की अभिलाषा इतनी प्रबल हो उठी है कि निरङ्कुशता सहन नहीं की जा सकती। जिन देशों में इस समय अनियन्त्रित शासक विद्यमान हैं, वहाँ या तो आधुनिक विचारों का पूर्ण प्रवेश नहीं हुआ है या शासक अपने बाहुबल, कूटनीति और शासन-चातुरी से जहाँ तक हो, अपने दिन काट रहे हैं। इस समय संसार में उन्नत देश वे ही हैं, जिनमें सदियों से प्रजातन्त्र शासन स्थापित हो चुका है या जहाँ के सम्राट् के अधिकार अत्यन्त सीमित करके वास्तविक सत्ता जनता ने अपने हाथ में ले ली है। बात यह है कि परम्परागत स्वार्थमय विलास में पले हुए सम्राट् सम्पूर्ण देश का हित कैसे सोच सकते हैं? यही कारण था कि अभी कुछ वर्ष पूर्व तक मिस्रि, टर्की, अरब, ईरान, अफ़ग़ानिस्तान, चीन और स्याम—ये सब देश अत्यन्त अवनत दशा में थे। युद्ध के पश्चात् जहाँ-जहाँ प्रजातन्त्र शासन स्थापित हो गया या जहाँ के सम्राट् के अधिकार सीमित कर, शासन की बागडोर जनता ने अपने हाथ में ले ली, वे देश उन्नत राष्ट्रों में परिगणित होने लगे और शेष पूर्ववत् अन्धकार में पड़े रहे।

स्पेन में स्वातन्त्र्याभिलाषा और उसकी प्राप्ति का प्रबल पिछली शताब्दी के आरम्भ से ही शुरू हो गया था। नेपोलियन की विजय-बाढ़ से भयभीत होकर तत्कालीन स्पेन-सम्राट् ने जब अपना सिंहासन त्याग कर, अपने पुत्र को राज्यगद्दी पर बैठाया और कुछ समय बाद जब वह पुनः शासन करने की अभिलाषा करने लगा तो स्पेन में घोर अराजकता फैल गई। नेपोलियन ने अपने भाई जोज़ेफ़ को स्पेन का सम्राट् बना कर वहाँ शान्ति स्थापित करना चाहा, परन्तु उधर जन-विक्षोभ अत्यन्त प्रबल हो उठा था और इधर नेपोलियन का पतन आरम्भ हो गया था, अतः स्पेन-निवासियों ने देश-व्यापी बलवा करके शासन-विधान का निर्माण कर ही लिया। फ़्रान्स की राज्य-क्रान्ति एक नवयुग का आरम्भ था। नेपोलियन की निरन्तर विजय ने सम्पूर्ण यूरोपीय देशों में लोकमत तथा राष्ट्रीयता को जागृत कर दिया था और सर्वत्र लोग स्वाधीनता, समता और राष्ट्रीयता के गीत गाने लगे थे। यही लहर थी, जिसने स्पेन में जीवन सञ्चार किया था और शासन-विधान का निर्माण करवाया था। नेपोलियन के अधःपतन के पश्चात् यूरोपीय राष्ट्र तथा ग्रेट-ब्रिटेन के राज-प्रतिनिधियों की वायना नगर में एक कॉङ्ग्रेस हुई, जिसमें पदच्युत सम्राटों के भविष्य और यूरोपीय राष्ट्रों की सीमाओं पर विचार किया गया। नेपोलियन का पतन वास्तव में राष्ट्रीय जागृति और लोकमत-प्राबल्य के कारण हुआ था, परन्तु विजयलाभ का वितरण करने के लिए एकत्र हुए राज-प्रतिनिधि। कारण यह था कि अभी लोक-जागृति का केवल श्रीगणेश ही हुआ था और जनता में सङ्गठन की क्षमता नहीं आ पाई थी। वायना की कॉङ्ग्रेस में यह तय पाया कि नेपोलियन-विजय से पूर्व जो सम्राट गद्दियों पर थे, उनको पुनः अपने-अपने सिंहासनों पर बैठा दिया जावे और उस समय जो भिन्न-भिन्न राष्ट्रों की सीमाएँ थीं, वे ही फिर निश्चित कर दी जावें। इस निश्चय के अनुकूल फ़र्डीनेण्ड राज्य-सिंहासन पर विराजमान किया गया। अपना समय निकालने के लिए उसने शासन-सूत्र अपने हाथ में लेते वक़्त शासन-विधान की रक्षा करने तथा उसके अनुकूल राज्य करने का वचन दिया। परन्तु अपनी प्रतिज्ञा को भूलने में उसने बड़ी फुर्ती की। १९वीं शताब्दी का प्रथम पाद यूरोप में निरङ्कुश शासन का काल था। फ़्रान्स की राज्य-क्रान्ति के कारण जो जनता में स्वाधीनता की प्रबल अभिलाषा जागृत हो उठी थी और उसकी प्राप्ति के लिए लोग आन्दोलन करने लगे थे, उसका दमन करने पर सम्पूर्ण राष्ट्र तुले हुए थे और निरङ्कुश सत्ता को पुनर्जीवित तथा चिरजीविनी बनाने के लिए छल, बल तथा कौशल—सम्पूर्ण उपायों का उपयोग किया जा रहा था। इसमें सबसे आगे था ऑस्ट्रिया; और इस नीति का विधायक था, ऑस्ट्रिया का प्रधान सचिव। इस सर्वव्यापी निरङ्कुश नीति से उत्साहित होकर फ़र्डीनेण्ड भी निरङ्कुश बन गया और स्पेन में फिर बलवे होने लगे। सन् १८२० में जनता की विजय हुई और फ़र्डीनेण्ड के अधिकार सङ्कुल कर दिए गए। उसने भविष्य में शासन-विधान को पालन करने का वचन दिया। यह

अधिक समय तक नहीं निभा और सन् १८२३ से १८३३ तक पुनः फ़र्डीनेण्ड ने अत्यन्त निरङ्कुशता तथा स्वच्छन्दता के साथ राज्य किया। इस अर्से में उसने न लोकमत की परवाह की, न ईश्वर-कोप का भय। इसके पश्चात् सन् १८३७ तथा सन् १८७६ में, स्पेन ने फिर निरङ्कुशता का अन्त करने का प्रयत्न किया। सन् १८७६ में जो शासन-विधान निश्चय किया गया था, वह कहने को इस समय का शासन-विधान है, परन्तु उसका पालन पूर्ण-रूप से कभी भी नहीं किया गया। सन् १९२३ से १९३१ की फ़रवरी तक तो उसको बालाए-ताक़ रख दिया गया था।

सन् १८६६ से १८७४ तक स्पेन में सम्राज्ञी इसाबेला राज्य करती थी, परन्तु प्रजातन्त्रवादियों का पक्ष अत्यन्त प्रबल जान कर वह सिंहासन छोड़ भागी। उसके पलायन के पश्चात् स्पेन में पूर्ण प्रजातन्त्र की स्थापना हो गई, जिसमें यह घोषित कर दिया गया कि स्पेन के राजवंश को अब स्पेन में राज्य करने का कोई अधिकार नहीं है। यह प्रजातन्त्र-शासन कुछ समय तक चलता रहा, किन्तु फिर जनरल मार्टीनेज़ कम्पोज़ ने अपने सैनिक बल की सहायता से निर्वासित सम्राज्ञी के पुत्र एल्फ्रेन्ज़ो बारहवें को राज-सिंहासन पर बैठा दिया।

शस्त्र-बल से एल्फ्रेन्ज़ो गद्दी पर तो बैठ गया, पर जनता ने उसका अभिनन्दन नहीं किया। सेना और राजकर्मचारीगण तथा कुछ राजपक्ष के लोगों के सिवाय शेष जनता उससे घृणा ही करती रही और प्रजातन्त्र-दल उत्तरोत्तर वृद्धि पाता गया। वर्तमान निर्वासित सम्राट एल्फ्रेन्ज़ो १६ वर्ष की आयु में, सन् १९०२ में, गद्दी पर बैठा। यह अत्यन्त होनहार, बुद्धिमान, निर्भीक और चतुर था। लेकिन जनता वास्तव में भला या बुरा किसी भी प्रकार का बादशाह नहीं चाहती थी, इसलिए आरम्भ से ही एल्फ्रेन्ज़ो का विरोध होता रहा और इसका सामना करता-करता ही वह गत मास अपना देश छोड़ भागा। सन् १९०५ में जब वह गाड़ी में बैठा हुआ पेरिस के बाज़ार में घूम रहा था, तो किसी ने उस पर बम मारा, पर वह बच गया। फिर एक वर्ष बाद बेटनबर्ग की राजकुमारी और महारानी विक्टोरिया की भतीजी यूजीनी को ब्याह कर वह अपनी राजधानी में आया और मेड्रिड के अलङ्कृत बाज़ार में होकर गुज़रा, तो फिर उस पर बम का वार किया गया। इससे उसके १२ साथी मारे गए और नववधू की 'सेतीन' की पोशाक ख़ून में लथपथ हो गई। इस प्रकार अनेक बार उसके प्राणों का अन्त करने के प्रयत्न किए गए, परन्तु एल्फ्रेन्ज़ो भयभीत नहीं हुआ। इस प्रकार के ख़तरों की उपेक्षा करने और उनका स्मरण करने में उसको आह्लाद हुआ करता था। इस प्रकार



स्पेन का निर्वासित सम्राट—एल्फ़ेंज़ो

की घटनाओं से सम्बन्ध रखने वाली चीज़ों की उसने अपने राजप्रासाद में एक छोटी प्रदर्शिनी सी बना रक्खी थी और अपने मेहमानों को उसे बड़े गौरव और गर्व के साथ बतलाया करता था। व्यक्तिगत साहस, वीरता, प्रतिभा और प्रताप की एल्फ्रेन्ज़ो में कमी नहीं थी, परन्तु उसने लोकप्रिय बनने की तथा लोकमत का आदर करने की कभी चेष्टा नहीं की। वह समझता था कि उसकी सत्ता और शक्ति का आधार उसकी अकुण्ठित तलवार है। जब अनुभव ने उसकी धारणा निस्सार सिद्ध की, तब उसको विश्वास हुआ कि जन-जागृति कितनी बलवती है। इङ्गलैण्ड पहुँच कर शाह अमानुल्ला का अनुकरण करते हुए एल्फ्रेन्ज़ो ने कहा है कि रक्तपात से बचने के लिए और अपने देश का कल्याण चाहने के लिए उसने अपने अधिकारों की रक्षा के निमित्त तलवार नहीं खींची, वरना विजय उसके हाथ में थी। बादशाह सलामत के कथन को मिथ्या सिद्ध करने की इस लेख में आवश्यकता नहीं है। एल्फ्रेन्ज़ो की जीवनी और इतने वर्ष तक शस्त्र-बल की सहायता से शासन करने के उसके प्रयत्न स्पष्ट बतला रहे हैं कि उसका झुकाव किधर की ओर था।

एल्फ्रेन्ज़ो की बीबी अङ्गरेज़ थी और माता ऑस्ट्रियन, इसलिए यूरोपीय महासमर के समय उसकी जान बड़ी दुविधा में थी। न वह जर्मनी का पक्ष कर सकता था और न अङ्गरेज़ों का विरोध। फिर भी बीबी का प्रभाव अधिक था, इसलिए हृदय से वह अङ्गरेज़ों की ओर झुकता रहा। प्रत्यक्ष में उसने उदासीन नीति का अवलम्बन किया। महासमर का प्रभाव जो सम्पूर्ण संसार पर पड़ा, वह स्पेन पर भी पड़ा। परन्तु उसके अतिरिक्त मोरक्को के साथ जो उसने युद्ध छेड़ दिया, उससे उसको भारी हानि उठानी पड़ी। मोरक्को के निवासी रीफ़ लोग लड़ने में बड़े मज़बूत हैं। पहाड़ी देश का एक-एक कोना उन लोगों का देखा हुआ है और उस प्रदेश में युद्ध करने का उनको ख़ूब अभ्यास है। स्पेन की नृशंस नीति और एल्फ्रेन्ज़ो के साम्राज्यवाद से ऊब कर उन लोगों ने स्पेन का सामना करने की तैयारी कर दी। सन् १९२० के आस-पास का समय मुस्लिम जगत् में एक अपूर्व जागृति का समय था। अफ़ग़ानिस्तान, ईरान, ईराक़, अरब, टर्की, मिसिर, ट्यूनिस, अलजियर्स और मोरक्को—सभी में नवजीवन का सञ्चार हो रहा था और सब स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए यूरोपीय देशों से टक्करें ले रहे थे। इस व्यापक जागृति में मोरक्को भी शामिल हो गया और प्राणपण से उसने स्पेन का सामना करना आरम्भ किया। मोरक्को के स्वाधीनता-संग्राम का नेता था अब्दुल करीम। यह अत्यन्त योग्य, वीर, साहसी, सर्वप्रिय तथा नीतिज्ञ है। जङ्गली और अव्यवस्थित रीफ़ लोग इसके नेतृत्व में सङ्गठित होकर स्वदेश पर बलिदान होने को उत्सुक हो गए और लगभग दो वर्षों तक स्पेन की सुसङ्गठित, सुसज्जित और सुशिक्षित सेना से लोहा लेते रहे। रीफ़ लोगों के पास न वैज्ञानिक शस्त्र थे और न आधुनिक अन्य साधन। उनके सैकड़ों आहत सैनिकों को न किसी प्रकार की चिकित्सा मिलती थी और न यथोचित भोजन। फिर भी अब्दुल-करीम के योग्य नेतृत्व में ये लोग ऐसे साहस और उत्साह के साथ लड़े कि यूरोपीय सैनिकों के कई बार छक्के छुड़ा दिए। आख़िर विज्ञान की तो विजय होनी ही थी, परन्तु एक रणाङ्गण में अब्दुल करीम की सेना ने स्पेन के १०,००० वीर सैनिकों को एक ही दिन में धराशायी कर दिया। ये सिपाही स्पेन की सेना के नाक समझे जाते थे। अतः इस लज्जाजनक पराजय और विनाश की सूचना से स्पेन में खलबली मच गई। एल्फ्रेन्ज़ो की नीति का विरोध करने वाले दो दल खड़े हो गए—एक सैनिक दल और दूसरा प्रजातन्त्रवादी दल। सैनिक दल कहता था कि सेना का नेतृत्व यथोचित नहीं किया जाता और पशुओं के समान वीर योद्धाओं को कटवाया जा रहा है। प्रजातन्त्रवादियों का कहना था कि रीफ़ लोगों पर अपना आतङ्क जमाने से और उनको दासता की बेड़ी में जकड़े रहने से स्पेन का कौन सा हित होता है? सम्राट एल्फ्रेन्ज़ो अपनी साम्राज्याभिलाषा को पूरी करने के लिए और अपनी शान रखने के लिए व्यर्थ देशवासियों का बलिदान कर रहा है।

अन्य यूरोपीय देशों की अपेक्षा स्पेन में सैनिकता सब से अधिक है। एक समय स्पेन को मुसलमानों ने अधिकृत कर लिया था और वहाँ अपनी ख़िलाफ़त स्थापित कर ली थी, परन्तु वे अधिक काल तक टिकने नहीं पाए। स्पेन-निवासियों को मुसलमानों का आधिपत्य सहन नहीं हुआ और प्रत्येक स्पेनवासी उन्हें मार भगाना अपना धर्म और ध्येय समझने लगा। सैनिक बनने में, मुसलमानों को मारने में और देश की रक्षा करने में लोग अपना गौरव समझने लगे। इस प्रकार मुसलमानों से दो शताब्दियों तक युद्ध चलता रहा और अन्त में

डाकू (कहानी)

(१५वें पृष्ठ का शेषांश)

"उस दिन से मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया। जो देखता वही मेरी ओर उँगली उठा कर मुलई और उसकी स्त्री के बारे में कुछ कह देता। लोग मुझसे आँखें चुराने लगे। कोई मुझसे बात न करता। धीरे-धीरे मुझे स्वयं बाहर निकलते डर मालूम होने लगा। कोई देख न ले, कोई मुलई का नाम लेकर कुछ कह न बैठे। मैं घर में पड़ा-पड़ा इसी बात पर विचार किया करता। उस समय मुझे मालूम हुआ कि मैं कितना नीच और कितना पापपूर्ण व्यवसाय कर रहा था। आत्मग्लानि से मेरा अन्तःकरण अशान्त हो उठा। मैंने कितनों को घरहीन बनाया था, कितनों के खेत नीलाम कराए थे, कितनों के बर्तन-भाँड़े बिकवाए थे, यह याद कर स्वयं मैं अपनी नज़रों में गिर गया। मन प्रायश्चित्त करने के लिए तड़प उठा। मैंने पाप से अर्जित वह सब सम्पत्ति ग़रीबों को बाँट दी और आपके पास चला आया। सोचा, यहाँ मेरा प्रायश्चित्त हो जायगा।"

वह चुप हो गया।

आज उसकी बातों से मुझे मालूम हुआ, धनी किस प्रकार ग़रीबों को लूटते हैं। किस प्रकार देश के ये डाकू दिन-दहाड़े हमारी आँखों के सामने ही ग़रीबों का गला घोंटते हैं और हम देख कर भी नहीं देखते, जान कर भी नहीं जानते और सुन कर भी अनसुनी कर देते हैं। डाकुओं के पीछे जङ्गल में मारे-मारे फिरते हैं, परन्तु यहाँ ये सभ्य डाकू रोज़ हमारी आँखों में धूल झोंकते हैं और हम इनकी ओर आँख उठा कर भी नहीं देखते।

मैंने कहा—बेशक, तुम किसी डाकू से कम नहीं हो।

वह बोला—"तब मुझे गिरफ़्तार कर लीजिए। बन्द कर दीजिए मुझे जेल में। मैं अपने पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए तैयार हूँ।" उसने अपने दोनों हाथ हथकड़ी डालने के लिए मेरे सामने बढ़ा दिए।

मैंने दयापूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देखते हुए कहा—मैं तुम्हें गिरफ़्तार नहीं कर सकता।

वह मानो चौंक उठा। बोला—क्यों?

मैंने ठण्डी साँस ली। कहा—क़ानून हमारा बनाया हुआ नहीं है। स्वराज्य होने पर कदाचित् मैं तुम्हें गिरफ़्तार कर सकूँ।

* * *

स्पेन से वे लोग अपना बोरिया-बँधना लेकर रवाना हुए। परन्तु इसका फल यह हुआ कि स्पेन में जिधर देखो उधर सैनिक दिखाई देने लगे। शरीफ़ लोग सैनिक बनने के सिवाय अन्य काम से घृणा करने लगे और सैनिक होना उच्च कुलीनता का लक्षण माना जाने लगा। तब से यह परम्परा अब तक चली आ रही है। इस समय भी स्पेन में सैनिक अफ़सरों का इतना बाहुल्य है कि प्रति ३०० सैनिकों पर वहाँ एक जनरल होता है। एल्फ़ेन्ज़ो का एकमात्र सहारा यह सेना ही थी। एक जनरल की सहायता से ही उसका पिता गद्दी पर बैठा था और जनरलों की सहायता से ही वह स्वयं सिंहासन पर टिका हुआ था। एक बार जब स्पेन में साम्यवादियों का बड़ा ज़ोर हो चला था और धड़ाधड़ हड़तालें होने लगी थीं, तो एल्फ़ेन्ज़ो ने कहा था, कि 'हज़ार हड़तालें हों, मुझे चिन्ता नहीं, मेरे जनरलों की हड़ताल न होनी चाहिए।' बेचारे एल्फ़ेन्ज़ो को क्या मालूम था कि एक समय ऐसा भी आवेगा कि जनरलों से काम न चलेगा। मोरक्को में जब सैनिकों का भीषण संहार हुआ, तब से ही स्पेन की सेना में कुछ बेदिली फैलने लगी। फिर भी अधिकांश सेना एल्फ़ेन्ज़ो के साथ थी। सन् १९२३ में जब प्रजातन्त्रवादियों का आन्दोलन अत्यन्त प्रबल हो गया और बादशाह सलामत का आसन डगमगाने लगा तो जनरल प्राइमो डि रिवेरा ने उसकी लाज रख ली। उसने शस्त्र-बल से आन्दोलन का दमन करके शासन-विधान को एक तरफ़ धर दिया और सैनिक शासन होने लगा। रिवेरा ने येन-केन-प्रकारेण ७ वर्ष तक तो अपना शासन चलाया, परन्तु जब उसने देखा कि स्थिति क़ाबू से बाहर हो रही है तो त्याग-पत्र दे दिया। फिर एल्फ़ेञ्ज़ो शस्त्र-शक्ति की अमोघता को मानता रहा और जनरल बेरङ्गूर को अपना दाहिना हाथ बना कर उसी प्रकार शासन करता रहा। उसको शायद पता न था कि सेना में असन्तोष बढ़ता जाता है और कई जनरल प्रजातन्त्र के पक्षपाती बन गए हैं।

स्पेन की अधिकांश उपजाऊ भूमि का स्वामी स्वयं सम्राट है या बड़े-बड़े लक्षाधीश अमीर लोग। कृषक लोगों का ज़मीन पर कुछ अधिकार नहीं माना जाता। भारतवर्ष में हमको इस व्यवस्था पर चाहे आश्चर्य न होता हो, लेकिन यूरोप में अब यह प्रथा सहन नहीं की जा सकती। वहाँ भूमि किसान की या देश की मानी जाने लगी है। पाठकों को यह जान कर विस्मय होगा कि स्पेन में इसका विरोध कृषकों ने नहीं, किन्तु सुधारकों, विद्वानों और स्वयं कुछ अमीरों ने करना आरम्भ किया था। तदुपरान्त कृषक लोग भी अपने अधिकारों को समझने लगे और आन्दोलन गाँव-गाँव में फैल गया। जगह-जगह किसान-सभाओं का सङ्गठन किया गया और परम्परागत व्यवस्था का खुल्लमखुल्ला विरोध किया जाने लगा। उधर ज्यों-ज्यों देश में उद्योग-धन्धों की उन्नति हुई, त्यों-त्यों मज़दूर-दल भी प्रबल होने लगा। यूरोपीय महासमर के पश्चात् श्रमजीवी लोग अपने अधिकारों को ही अनुभव नहीं करने लगे, बल्कि शासन-सूत्र को भी अपने हाथ में लेने का साहस करने लगे और उसके लिए सङ्गठित होकर प्रयत्न करने लगे। स्पेन का श्रमजीवी दल सोशलिस्ट (साम्यवादी) है। इसकी व्यवस्था सेन्टियगो इग्लीसियस (Santiago Iglesias) ने की थी और उसके नेतृत्व में इस दल की शक्ति ख़ूब बढ़ी। उसके देहान्त के बाद भी इसकी उन्नति नहीं रुकी और सङ्गठन बढ़ता ही गया। इस समय स्पेन का श्रमजीवी दल दो भागों में विभक्त है, एक जनरल लेबर यूनियन और दूसरा नेशनल लेबर कॉन्फ़िडरेशन। यूनियन का केन्द्र मेड्रिड नगर में है और कॉन्फ़िडरेशन का केन्द्र बारसिलोना में। यूनियन की नीति अति उग्र नहीं है, परन्तु उसका सम्बन्ध है साम्यवादियों से ही। कॉन्फ़िडरेशन का सम्बन्ध फ़्रान्स के सेन्डीकेलिस्ट (हड़तालवादियों) से है। इससे प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारें अत्यन्त भयभीत रहती हैं। प्राइमो डि रिवेरा के त्याग-पत्र दे देने के बाद गत वर्ष इस फ़िडरेशन ने देश-व्यापी हड़तालें करके शासन असम्भव कर दिया था। इन हड़तालों में स्कूल तथा कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी ख़ूब योग दिया था। एल्फ़ेन्ज़ो कहता तो रहा कि "हज़ार हड़तालें हों, मुझे चिन्ता नहीं", परन्तु वास्तव में उसके आसन ढीले पड़ गए थे। तोप, तलवार और सङ्गीनों की परवा न करके जब हज़ारों मज़दूर सड़कों पर घूमते थे, सभाएँ करके एल्फ़ेन्ज़ो से सिंहासन-त्याग के लिए कहते थे तथा राजप्रासाद के झरोखों के नीचे खड़े होकर 'इन्क़िलाब ज़िन्दाबाद' के नारे लगाते थे तो एल्फ़ेन्ज़ो घण्टों तक जनरल बेरङ्गूर के साथ एकान्त में परामर्श किया करता था।

भाषा, प्रान्त और जाति की भिन्नता के कारण भी स्पेन की जनता कई भागों में विभक्त है। स्पेन में कई ऐसी भाषाएँ बोली जाती हैं, जिनमें कोई भी समानता



रीफ़-नेता—श्री० अब्दुल करीम

नहीं है। इसी प्रकार स्पेन की जनता भी कई क़ौमों का समूह है। जुदे-जुदे प्रान्तों के लोग अब तक अपने को एक देश के निवासी नहीं समझते। यह भाषा, प्रान्त और जाति-भेद वैसा नहीं है, जैसा हमारे देश में है। स्पेन विभिन्न भाषाएँ अरबी और हिन्दी के समान नितान्त पृथक है। वहाँ की क़ौमें अपने को ऐसे अलग-अलग मानती हैं, जैसे काबुली और बङ्गाली। प्रान्त-भेद इतना है कि केटेलोनिया नामक प्रान्त के निवासी मेड्रिड सरकार का आधिपत्य स्वीकार करने में अपना अपमान समझते हैं। स्पेन के लगभग प्रत्येक बादशाह को इस प्रान्त के विरुद्ध सेनाएँ भेजनी पड़ी हैं और केवल शस्त्र-बल के द्वारा ही यह प्रान्त केन्द्रीय सरकार के अधीन रहता आया है। आधुनिक जागृति ने इस भिन्नता को एक प्रकार की एकता का रूप देकर बादशाह का विरोधी बना दिया था। लोग समझते थे कि निरङ्कुश शासन उनको अपनी भाषा, अपनी प्रान्तिकता और अपनी क़ौमियत भुलवाना चाहता है। यदि प्रजातन्त्र शासन होता तो किसी का व्यक्तित्व और विशेषता नष्ट करने का प्रयत्न न किया जाता और स्विटज़रलैण्ड, जर्मनी तथा अन्य देशों की भाँति संयुक्त शासन (Federal Government) में सब रहते। इस भावना ने समस्त स्पेन को राजवंश का उच्छेद करने तथा प्रजातन्त्र की स्थापना करने का प्रयत्न करने में एक कर दिया है।

यूरोपीय महासमर फ़्रान्स की राज्यक्रान्ति के समान संसार के इतिहास में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है। फ़्रान्स की राज्यक्रान्ति ने स्वाधीनता और समता के भावों का यूरोप में प्रचार किया और यूरोपीय महासमर के प्रभाव से सम्पूर्ण जगत् में स्वतन्त्रता की अदम्य अभिलाषा जागृत हो उठी। यों तो स्पेन एक शताब्दी से स्वतन्त्र होना चाह रहा था और उसके वास्ते लड़ भी रहा था, परन्तु महासमर के बाद इस अभिलाषा ने कई रूप धारण किए। प्रजातन्त्र की अभिलाषा, साम्यवाद, हड़तालवाद, विद्यार्थी-आन्दोलन, कम्यूनिज़्म आदि कई रूपों में प्रकट होने लगी। प्राइमो ने तलवार के बल से इसको ७ वर्षों तक दबाया, पर आख़िर दबी नहीं। हार कर उसने त्याग-पत्र दिया और इधर यह ज्वालामुखी धधकने लगा। एल्फ़ेञ्ज़ो के विरुद्ध कैसा आन्दोलन हुआ, हड़तालों के कारण शासन-सञ्चालन किस प्रकार कठिन कर दिया गया, फ़ौजी शासन द्वारा जनता को त्रस्त करने के क्या-क्या प्रयत्न किए गए, प्रेस का गला घोंट कर लोकमत को दमन करने की क्या चेष्टा की गई, संसार को स्थिति की वास्तविकता से किस प्रकार अनभिज्ञ रक्खा गया, अन्त में हार कर एल्फ़ेञ्ज़ो ने म्युनिसिपल चुनाव की आज्ञा दी और किस प्रकार अपने भाग्य की परीक्षा लेना चाहा, चुनाव का फल अपने प्रतिकूल जान कर आख़िरकार अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में वह किस प्रकार सिंहासन छोड़ कर रात में अपने प्राण बचा कर भागा, इन सब बातों का उल्लेख 'भविष्य' के एक पिछले अङ्क में हो चुका है। एल्फ़ेञ्ज़ो कभी इङ्गलैण्ड में और कभी फ़्रान्स में अपने अतीत वैभव की स्मृतियों को भुलाने की कोशिश कर रहा है और ३९ लाख पौण्ड, जो वह पहले ही विदेशी बैङ्कों में जमा कर चुका था, उस पर अपना जीवन काट रहा है। इधर स्पेन में प्रजातन्त्र की स्थापना हो चुकी है। एल्फ़ेन्ज़ो चाहे कहता रहे कि मैंने राज्य नहीं त्यागा है, लेकिन स्पेन रिपब्लिक ने हुक्म दे दिया है कि जिन टिकट पर एल्फ़ेन्ज़ो के चित्र हैं, वे भविष्य में उल्टे चिपकाए जावें। अब से सब पत्रों में बादशाह सलामत के पैर ऊपर और सिर नीचे दिखाया जावेगा। जनरल बेरङ्गूर को क़ैद कर लिया गया है और देशभक्तों को मुक्त कर दिया गया है। प्रजातन्त्रवादी दल के प्रमुख नेता सेवार ज़मोरा ने ही जनरल बेरङ्गूर के हाथ से त्याग-पत्र लिया था। बेरङ्गूर ने बादशाह के प्रधान-मन्त्री की हैसियत से शासन-भार ज़मोरा के हाथ में सौंपा था। ज़मोरा इस समय प्रजातन्त्र का प्रधान है। नवीन सरकार को संसार के सब प्रधान राष्ट्रों ने स्वीकार कर लिया है और स्पेन में जिधर देखो उधर ही परिवर्तन होने लगे हैं। प्रजातन्त्र सरकार ने जनरल बेरङ्गूर और बादशाह के साथियों के साथ उदारता का बर्ताव करना चाहा था और बेरङ्गूर को जेल से छोड़ भी दिया गया था, परन्तु लोकमत इसके विरुद्ध था और प्रजातन्त्रवादियों की तरफ़ से घोर उत्पात होने लगे। अतः सरकार ने बेरङ्गूर को पुनः जेल में बन्द कर दिया है। गत १ मई को सम्पूर्ण यूरोप में साम्यवाद-दिवस मनाया गया था, उसमें स्पेन के राष्ट्रपति ज़मोरा भी सम्मिलित हुए थे। स्पेन की सरकार प्रत्यक्ष में तो सोशलिस्ट (साम्यवादी) मालूम पड़ती है। देखें, रीफ़ लोगों के साथ इसका क्या बर्ताव होता है। जैसे लेनिन ने अधिकृत एशियाई देशों को प्रजातन्त्र बना दिया था, क्या ज़मोरा भी रीफ़ों को उसी प्रकार स्वतन्त्र कर देगा या वैसा ही सोशलिस्ट साबित होगा, जैसे इङ्गलैण्ड के प्रधान-सचिव मिस्टर मैकडॉनेल्ड हैं?

* * *



राजपूताने में शिकार

[एक भूतपूर्व उच्च कर्मचारी]

क्या नरेश और क्या जागीरदार, राजपूताने में शिकार का व्यसन सबको लगा हुआ है। यों तो राज्य के आवश्यक कार्यों को देखने के लिए भी महाराजाओं को कठिनता से समय मिलता है और उत्पीड़ित प्रजा की पुकार सुनने के वास्ते उनके पास कोई निश्चित समय ही नहीं रहता, लेकिन शिकार में जाने के वास्ते वीर महाराजा न अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हैं और न अपने शारीरिक सुख की चिन्ता। ज्योंही शिकार की ख़बर आई कि महाराजा तत्काल प्रस्थान कर देते हैं। जीवों की हत्या राजपूतों के लिए उत्सव है। ग़रीब और अमीर, युवा और वृद्ध, विलासी और कार्यशील, संयमी और मद्यप्रिय, मूर्ख और योग्य—सबकी शिकार में समान रुचि है। शिकार करना इन लोगों के भोग का एक अङ्ग है। पहिले के राजपूत प्रायः बड़े जानवरों का ही शिकार किया करते थे, लेकिन आजकल के शिक्षित क्षत्रिय उन्नत हो गए हैं और गाय के अतिरिक्त सब जीवों का शिकार करते हैं। यों तो किसी भी प्रकार के पक्षी और पशु को मार कर राजपूतों को हर्ष हुआ करता है, परन्तु हिरन, सूअर और चीता तथा शेर का शिकार करके इनको विशेष उल्लास तथा प्रमोद होता है। चीता और शेर की ख़बर सुन कर तो महाराजा साहब के गुदगुदी चलने लगती है। अन्तर्राष्ट्रीय महारथी संसार-स्थिति की चिन्ता छोड़ देते हैं, कर्तव्य-परायण नरेश अपने राज-काज को स्थगित कर देते हैं और मद्यपटु महाराजा भी अन्तःपुर की प्रमदा और बरायडी की बोतल के आनन्द को भूल जाते हैं। ज्योंही ख़बर मिली कि अमुक स्थान में शेर या चीता पड़ा हुआ है, त्योंही झटपट प्रस्थान की तैयारियाँ होने लगती हैं।

प्रत्येक रियासत में मीलों लम्बे-चौड़े कई जङ्गल महाराजा के शिकार के वास्ते 'रिज़र्व्ड' होते हैं। इनमें महाराजा के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता। अङ्गरेज़-अफ़सरों को तो इन स्थानों में शिकार करने की आज्ञा बड़ी आसानी से हो जाती है, परन्तु भारतवासियों में महाराजा या महाराज-कुमार तथा राज के उच्च प्रतिष्ठित मेहमानों के अतिरिक्त और किसी को वहाँ शिकार करने की इजाज़त नहीं है। भरतपुर के भूतपूर्व महाराजा और झालावाड़ के राजराणा ज़ालिमसिंह तो गोरे प्रभुओं को भी अपने 'हाँके' (रिज़र्व्ड जङ्गल) में शिकार करने की इजाज़त नहीं देते थे, परन्तु इस गुस्ताख़ी के कारण उनको अन्त में अनेक कष्ट भोगने पड़े। तब से सब महाराजाधिराजों के कान खड़े हो गए और अब कोई इस बात का साहस नहीं कर सकता कि साहब लोगों को शिकार करने से मना कर दे। साहब ही क्या, उनकी मेम और मिसों को भी महेन्द्र महाराजाधिराज बहादुर नहीं रोक सकते, बल्कि अत्यन्त विनीत भाव और ख़ुशामद के साथ उनको निमन्त्रित करते हैं और उनकी स्वीकृति को अपना सौभाग्य तथा गौरव मानते हैं। जब साहब या मेम या मिस शिकार के लिए किसी रियासत में आते हैं, तो उनके लिए बड़ा प्रबन्ध किया जाता है। जिस ओर उनका रुख़ हो जाता है, उस इलाक़े में घोर खलबली मच जाती है। जब स्वयं महाराजा और समस्त राजकर्मचारी ही निरन्तर चिन्तित रहते हैं कि कहीं मेमसाहब, की नाराज़गी न हो जाए, तो फिर असहाय प्रजा की क्या गिनती? बेचारे किसान बुरी तरह बेगार में पीसे जाते हैं और मेम साहबा का दौरा ऐसा विक्षोभ उत्पन्न कर देता है, जैसे प्लेग या हैज़े का प्रकोप। गत फ़रवरी में बड़े साहब (एजेण्ट टू दी गवर्नर-जनरल राजपूताना) की मेम बूँदी में शिकार करने आई थीं, उस समय इलाक़े में से ८०० खाटें बेगार में मँगवाई गई थीं। केवल इसी से पाठक अनुमान कर सकते हैं कि गोरे और गोरियों का आना प्लेग-प्रकोप है या नहीं। हमको यह भी मालूम हुआ है कि ये ८०० खाटें अभी तक लोगों को वापस नहीं मिली हैं और न मिलेंगी, क्योंकि राज्य के छोटे कर्मचारियों ने इनको परस्पर बाँट लिया है। अब बूँदी में श्रीयुत पुनासकर दीवान बन कर आए हैं। कई रियासतों में दीवानगीरी करते-करते आपके बाल, खाल और हाड़ सफ़ेद हो गए हैं। देखें, अब आप बूँदी में क्या कारगुज़ारी दिखाते हैं। मेखभाण, माणिकलाल, धन्नालाल, भट्टाचार्य आदि अनेक दीवान बूँदी के सचिव-सिंहासन को सुशोभित कर चुके हैं। मन्त्री बनने से पूर्व इन सबको प्रबन्ध-पटुता बड़ी प्रसिद्ध थी, परन्तु सिंहासन पर बैठे नहीं, कि न जाने इनकी अक़्ल कहाँ चली गई। लोगों को विश्वास होने लगा है कि चाहे बृहस्पति ही क्यों न हो, बूँदी के मन्त्रि-पद पर बैठने के बाद वह अपनी बुद्धि की रक्षा नहीं कर सकता। हम हृदय से चाहते हैं कि वयोवृद्ध पुनासकर जी को यह कलङ्क न लगे। परन्तु फ़रवरी में जो ८०० खाटें बेगार में छीनी गई थीं, वे अब तक वापस नहीं हुईं, इससे तो अनुमान होता है कि पुनासकर साहब की निपुणता में भी दीमक लगना आरम्भ हो गया है।

रियासत और ठिकाणों के 'हाँकों' में आदमी नियत रहते हैं। जो सदैव जानवरों की गति का निरीक्षण किया करते हैं। इन लोगों को ज्योंही शेर या चीते या दूसरे बड़े जानवरों का पता लगा कि राज में सूचना भेजते हैं। सूचना पाते ही जागीरदार तो तत्काल शिकार के लिए रवाना हो जाते हैं। जागीरदारों के पास प्रायः १०-५ गाँव तो होते ही हैं। सूचना पाते ही हाथी, घोड़ा, ऊँट या मोटर में बैठ कर फ़ौरन वहाँ पहुँच जाते हैं, जिस गाँव से शिकार की ख़बर आई हो। ज़ागीरदार के साथ दो-चार उसके नौकर होते हैं और शेष बेगार में पकड़े हुए गाँव के लोग। शिकार के वास्ते बेगार लेते समय यह नहीं देखा जाता कि किसको कितना ज़रूरी काम है। चाहे किसी को आर्थिक हानि हो या पारिवारिक कष्ट, जागीरदार जी के शिकार में सबको बिला उज्र शरीक होना पड़ता है। जागीरदारों के शिकार में उतना ठाठ और आडम्बर नहीं होता, जितना नरेशों के शिकार में। यों तो 'डाला' भी नरेशों की नक़ल करने में कोई कमी नहीं करते, परन्तु आख़िर हो कहाँ तक? कहाँ दस-पाँच गाँव का ठाकुर और कहाँ एक रियासत का स्वामी महाराजाधिराज नरेन्द्र रत्न बहादुर देवजू।

महाराजा जब शिकार के लिए प्रस्थान करते हैं तो उनके साथ दो-चार जागीरदार, दो-चार ए० डी० सी० और सम्भव हो तो डॉक्टर, कम्पाउण्डर आदि भी होते हैं। कोटा के महाराव साहब अपने हाईकोर्ट के जज और राजमन्त्री आपजी ओङ्कारनाथसिंह को भी साथ रखते हैं। हमको एक मित्र से पता लगा है कि यदि आपजी किसी कारण साथ न जावें तो महाराव साहब भी शिकार का दौरा स्थगित कर देते हैं। जब राजपूताने में मोटरों का प्रचार नहीं था, तो शिकार के दौरों के कारण प्रजा को महान कष्ट होता था। महाराजा लोग बग्घी या घोड़ों पर चढ़ कर जाया करते थे और रात्रि में जहाँ ठहरते, वहाँ गाँव के आस-पास के लोगों की शामत आ जाती थी। घोड़ों के लिए घास, दाना, साथियों के लिए चारपाइयाँ, दूध, दही, तरकारी, मांस, अण्डे सब मुफ़्त में—बेगार में मँगवाए जाते थे। इस समय अनाचारी घूसख़ोर कर्मचारी ख़ूब माल बनाते थे। परन्तु अब मोटरों के द्वारा महाराज शीघ्र ही शिकारगाह पर पहुँच जाते हैं, जिससे मार्ग की बेगार स्वतः ही बन्द हो गई है। "हाँके" के पास ही नरेश का कैम्प लग जाता है, और वहाँ से नित्य जिधर शेर या अन्य जानवरों की ख़बर हो, उधर शिकार किया जाता है। चीते या शेर के शिकार के लिए "बावली" बाँधी जाती है। जिधर शेर के आने

रोते हैं एडीटर हमें मैटर नहीं मिलता

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

फ़ैशन में कोई उनके बराबर नहीं मिलता!
अब और मिज़ाजे दिले मिस्टर नहीं मिलता!!
दिल ही नहीं मिलता है तो क्या हाथ मिलाएँ!
कुछ उनसे हमें हाथ मिला कर नहीं मिलता!!
शुहरत की तमन्ना जिसे घेरे न हो दिन-रात!
ऐसा तो कोई भी हमें लीडर नहीं मिलता!!
आज़ाद जो हैं सब से यही कहते हैं खुल कर!
आराम ग़ुलामी में घड़ी भर नहीं मिलता!!
निकली जो सड़क कोई तो घर से हुए बेघर!
अब हमको किराए पे कहीं घर नहीं मिलता!!
जन्नत का मज़ा हमको मिले क्यों न वतन में!
परदेस में आराम घड़ी भर नहीं मिलता!!
क्यों रुक गई चलती हुई "गाँधी" की यह आँधी!
रोते हैं एडीटर हमें मैटर नहीं मिलता!!
वह शौक़ से तड़पाएँ इसे अब सरे-मक़तल!
"बिस्मिल" के लिए क्या उन्हें ख़ञ्जर नहीं मिलता!!

की आशा हो, उधर एक भैंसा किसी वृक्ष से बाँध दिया जाता है। प्रायः शेर इस भैंसे को पहले मारता है और फिर दूसरे दिन खाने आता है। खाकर वह वहाँ पर सो जाता है। चीते का भी यही स्वभाव है। उसके वास्ते भैंसा नहीं बाँधा जाता, बल्कि एक बकरा ही काफ़ी होता है। किसी बकरे को एक बड़ी खाँची में रख कर एक ऊँचे वृक्ष से लटका दिया जाता है। ऊँचे के कारण वह कूद तो सकता नहीं और भयभीत होकर रात के समय चिल्लाने लगता है। इस आवाज़ को सुन कर चीता आता है और उसको मार कर खाता है। फिर कहीं पास में ही पड़ रहता है। यह ख़बर आने पर "हाँका" दिया जाता है। जिधर उस जानवर के निकलने का मौक़ा हो, उधर वृक्षों पर चारपाइयाँ बँधवा कर महाराजा और उनके जागीरदार कुछ फ़ासले पर एक पंक्ति में बैठ जाते हैं। बेगार में पकड़े हुए सैकड़ों लोग लाठी, पत्थर, शोर, ढोल आदि के द्वारा भारी हल्ला मचा कर उस जानवर को खदेड़ कर भगाते हैं और जब वह भागता है तो आनन्द के साथ वृक्षों पर विराजमान महाराजा बहादुर उसको गोली से मारते हैं। यदि महाराजा किसी प्रकार चूक जावें और ख़तरे की बात हो, तो साथ के जागीरदार उस पर गोली चला सकते हैं, परन्तु यदि महाराज के पहले किसी ने गोली चला दी, तो भारी अपराध समझा जाता है। यदि शिकार हो गया तो महाराजा साहब को बड़ी प्रसन्नता होती है, वरना नैराश्य और परेशानी के कारण लोगों पर खीझना शुरू कर देते हैं। शिकार से लौट कर कैम्प में आने पर प्रायः साधारण दिनचर्या आरम्भ होती है। मद्यप्रिय नरेश मद्य-पान करते हैं और दूसरे मारे हुए हिरन, ख़रगोश, तीतर, बटेर आदि के मांस का आस्वादन। एक-दो महाराजा तो अपनी कुछ पत्नियों और उपपत्नियों को भी बन्द मोटरों में साथ ही ले जाते हैं और कैम्प में बन्द रखते हैं। एक नवयुवक शौक़ीन महाराजा अपनी महाराणी को शिकार भी खेलवाते हैं। इनके यहाँ ज़नाने में तो पर्दा है, परन्तु सवोयन में नहीं है। आख़िर विदेश की हवा खाने पर बन्द मकानों में दिल कैसे लग सकता है? एक प्रसिद्ध महाराजा तो शिकार में अपने साथ वेश्याएँ भी ले जाते हैं। फ़ौरन मारे हुए और फ़ौरन पका कर खाए हुए जानवरों के संहार के बाद आप देवी की पूजा करते हैं और फिर "देवियों" का मधुर गान तथा मनोहर नृत्य देखते हैं। गायन और घुँघरुओं की मधुर ध्वनि को सुनते-सुनते आपकी आँखें बन्द होती हैं। फिर रात में शायद साम्राज्य-रक्षा और अटूट राजभक्ति आदि के स्वप्न देखते हैं। सुनते हैं कि राजपूताने में बीकानेर महाराजा और कोटा महाराव ने सबसे अधिक शेर मारे हैं। कोटा रियासत के विस्तृत और सघन वनों में शेरों की कमी नहीं है और महाराव साहब को भी प्रायः फ़ुरसत ही रहती है, परन्तु बीकानेर में न घने जङ्गल हैं और न महाराजा को राजनीतिक समस्याओं के हल करने से अवकाश। फिर इनको शेर और समय दोनों कहाँ से मिलते हैं, यह अचम्भे की बात है। हमको मालूम हुआ है कि अब तक बीकानेर-नरेश लगभग २४० शेरों का प्राणान्त कर चुके हैं। पहले तो हमने सुना था कि बीकानेर महाराज के पास कप्तान हाटे नामक एक विलक्षण व्यक्ति रहते हैं। ये सज्जन यूरोप के महासमर में सम्मिलित हुए थे। ये वहाँ से एक ऐसे गैस का ज्ञान प्राप्त करके आए हैं कि जिधर शेर हो, उधर उसकी शीशी खोलते ही वह शिथिल होकर उसी जगह बैठ जाता है और फिर महाराजा साहब अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर व्याख्यान देने से जब निवृत्त होते हैं तो उसको गोली से मार डालते हैं। इसमें उनको समय नहीं लगता। परन्तु जाँच करने पर पता चला है कि यह केवल अफ़वाह है। बीकानेर में न कोई कप्तान हाटे हैं और न कोई ऐसे गैस का प्रयोग किया जाता है। महाराजा साहब स्वयं बड़े निशानेबाज़ हैं और निरन्तर कार्यरत रहने के कारण उनको शिकार के लिए अवकाश भी मिल जाता है। अपनी रियासत में शेर की कमी हो तो क्या, उनका ऐसे महाराजाओं, नवाबों और ठाकुरों से गहरा स्नेह है, जिनके जङ्गलों में शेर निवास किया करते हैं। बीकानेर के मोनोग्राम में लिखा रहता है, "जय जङ्गलधर बादशाह।" इसीसे महाराजा की वीरता का अनुमान हो सकता है।

जयपुर के नवयुवक, नवशिक्षित और नवविवाहित तथा नवाभिषिक्त महाराजा मोटर द्वारा हिरणों का शिकार करते हैं। आपकी योग्यता का अभी लोगों को और तो विशेष परिचय नहीं मिला, लेकिन मोटर हाँकने में आपकी दक्षता राज्य के कोने-कोने में प्रसिद्ध हो गई है। मार्ग में चाहे पेड़ हो या झाड़ी, गढ़ा हो या नाली, फ़सल हो या पानी, जिधर हिरण जाता है उधर आप मोटर को ले जाते हैं इक्ष्वाकु वंश के महाराजा दुष्यन्त का रथ भी हिरण के पीछे इसी प्रकार दौड़ता था। इङ्गलैण्ड के वुलविच विद्यालय में अर्सें तक सैनिक शिक्षा प्राप्त करने पर भी यदि महाराजा साहब को मोटर-ड्राइवर का काम करना न आता, तो लोगों को आश्चर्य होता। जयपुर जैसी विस्तृत रियासत के राजप्रबन्ध के लिए इस दुर्लभ गुण की बड़ी आवश्यकता थी। इसी गुण का फल है कि जिधर हिरण उधर मोटर। कभी तो बन्दूक का प्रयोग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। हिरण थक कर गिर जाता है या मोटर के पहिए के नीचे दब जाता है। फिर उसका हलाल करना ही बाक़ी रहता है। उदयपुर के वर्तमान महाराणा तो शायद ही शिकार को जा सकते हों। लेकिन स्वर्गीय महाराणा वृद्धावस्था में भी घोड़े पर चढ़ कर शिकार खेलने जाया करते थे और उनका निशाना अचूक होता था। सुना है कि कटोली के महाराजा ने कटार से कई शेरों का शिकार किया है।

साहस और वीरता की प्राप्ति तथा वृद्धि के लिए शिकार करना आवश्यक है और अभ्यास के लिए आरम्भ में छोटे जानवरों का शिकार करना ही पड़ता है, परन्तु साथ ही शिकार का व्यसन होना भी अहितकर है। राज्य-प्रबन्ध को छोड़ कर शिकार में जाना, अपने विनोद के वास्ते सैकड़ों-हज़ारों प्रजाजनों को कष्ट देना और उनकी हानि करना भी उचित नहीं कहा जा सकता। जङ्गलों को 'रिज़र्व्ड' रखना और हिंसक पशुओं को एक प्रकार से पालना, प्रजा के ऊपर ज़ुल्म है। 'हाँके' के आसपास के गाँव वालों को जानवरों से महान कष्ट रहता है। उनके देखते-देखते हिरण, सूअर, साँभर और रोझा आदि जानवर उनके खेतों को उजाड़ डालते हैं, लेकिन कृषक कुछ नहीं कर सकते। हाँके के जानवरों को मारना या हाँके के पास गोली चलाना अपराध माना जाता है। यह केवल इसलिए कि जङ्गल में पशुओं की बहुतायत रहे और महाराजा को समय पर ख़ूब शिकार मिले। महाराजा का क्षणिक विनोद और जनता का आजन्म दुख! रामराज्य का कैसा सुन्दर आदर्श है! हाँका देते समय प्रायः मनुष्यों को शेर मार भी डालता है। महाराजा स्वयं तो आधे आसमान पर बैठे हुए सिगार पिया करते हैं। शेर के निकलने पर गोली मार देते हैं। लगी तो ठीक और न लगी तो ठीक। परन्तु यदि शेर यदि किसी प्रकार बिगड़ गया या केवल घायल हो गया तो हाँका देने वाले लोगों के प्राण सङ्कट में पड़ जाते हैं। प्रतिवर्ष कई आदमी इस प्रकार शेरों के भेंट हो जाते हैं। बीसवीं शताब्दी में भी ऐसा होना वास्तव में आश्चर्य की बात है। शिकार की बेगार का तो पाठक अनुमान भी नहीं लगा सकते। आसपास के गाँवों का दूध, दही, घी, तरकारी, खाटें, रस्से, तख़्ते, बकरे, भैंसें—सब कैम्प में एकत्र कर लिए जाते हैं। क्या जाने किस समय कितनी चीज़ की आवश्यकता हो जाए और न मिलने पर इलाक़े के कर्मचारी की कारगुज़ारी में फ़र्क़ आ जावे। इसलिए ज़रूरत से कई गुना प्रबन्ध किया जाता है। जब महाराजा शिकार करके वापस पधार जाते हैं तो इनमें से कुछ चीज़ें लोगों को वापस मिलती हैं और शेष हड़प! बूँदी के ८०० खाटों की कहानी ऊपर कही जा चुकी है। ऐसी कहानियाँ राजपूताने में असाधारण नहीं हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि कहीं कम है और कहीं अधिक। विचारशील नरेशों को गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए कि आख़िर यह कब तक निभेगी।

इस जागृति के ज़माने में लोग कब तक अपनी फ़सलों, बीमार बच्चों तथा पत्नियों को छोड़ कर शिकार में हाँका देने के लिए बेगार में आवेंगे? बनैले पशुओं द्वारा अपनी फ़सलों को उजड़ता हुआ वे कब तक देखेंगे। शिकार-पार्टियों द्वारा अपने लहलहाते हुए खेतों को कुचलता हुआ देखना उनको कब तक सहन होगा? प्रजा यह कब तक देखती रहेगी कि न्यायालय को छोड़ कर महाराजा शिकार करने चले जावें और फ़रीक़ैन सैकड़ों मील का सफ़र करके तारीख़-पेशी के लिए जो आए हैं, निराश होकर वापस जावें?

* * *

पतझड़

[श्री० राजाराम जी 'पुनीत']

"ए हो विटप! तुम्हारे क्यों,
भू-पतित हुए हैं सारे पर्ण?
बिगड़ गई है सारी शोभा,
कान्ति तुम्हारी हुई विवर्ण?"
कहा विटप ने "यदपि इस समय
रङ्ग हमारे बिगड़ गए;
पर कुछ दिन में ही धारूँगा,
कोमल पल्लव नए-नए।
इन्हीं पल्लवों से फिर पुष्पित
होंगे सुरभि-प्रसारक फूल;
फिर इन फूलों से निकलेंगे,
बहु सुन्दर फल जीवन-मूल।
यह है अटल नियम जगती का,
वही फूलते-फलते हैं;
जो नवीनता में अवसर पर
प्राचीनता बदलते हैं।
ढङ्ग देश का, रङ्ग समय का,
जो विलोक कर चलते हैं;
वेष-चाल निज प्रथा बदलते
जो हैं, वही सँभलते हैं।
नूतनता ही तो जीवन है,
है नवीनता में रस भव्य;
नवीनता के साधन में ही,
निहित सुभग जीवन-कर्त्तव्य।
नूतनता यह मन का भोजन,
सुख-आनन्द-शान्ति-आगार;
है नवीनता में आकर्षण
सुन्दरता, जीवन का सार॥"

* * *

❁ 'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ ❁

पेशावर के शहीदों की स्मृति



सरदार गङ्गासिंह का लड़का, जो पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ था

सरदार गङ्गासिंह का शेष परिवार

सरदार गङ्गासिंह की लड़की, जो पुलिस की गोलियों की शिकार हुई थी

गत ३१वीं मई, सन् १९३० को पेशावर में जो पुलिस ने गोलियाँ चलाई थीं, उनमें सरदार गङ्गासिंह का एक मासूम बच्चा और एक लड़की मारे गए थे। इन निरपराध मृतकों का जो जुलूस निकाला गया था, उस पर भी गोलियों की वर्षा हुई थी और फल-स्वरूप एक २२ वर्षीय निरपराध नवयुवक—चिमनलाल ढोङ्गरा (जिनका बड़ा चित्र पाठक ऊपर देखेंगे) भी पुलिस की गोलियों के शिकार हुए थे।

❊ ❊ 'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ ❊ ❊

मारवाड़ की सैर



मारवाड़ के हीजड़े (मुसलमान)



मारवाड़ की बागड़ी क़ौम का पुरुष



मारवाड़ का मीना या मैणा (जेल में)



मारवाड़ के साँसी (कञ्जर)



मारवाड़ी कलाल (कलवार) की दूकान



मारवाड़ के थोरी लोग



कपड़े के बँधेरे (अथवा नव-मुस्लिम रङ्गरेज़)

❁ ❁ 'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ ❁ ❁

मारवाड़ की सैर



मारवाड़ की पालकी



राजपूत-मजलिस (गहलोत वंश के)



वंशावली रखने वाला "बही-भाट"



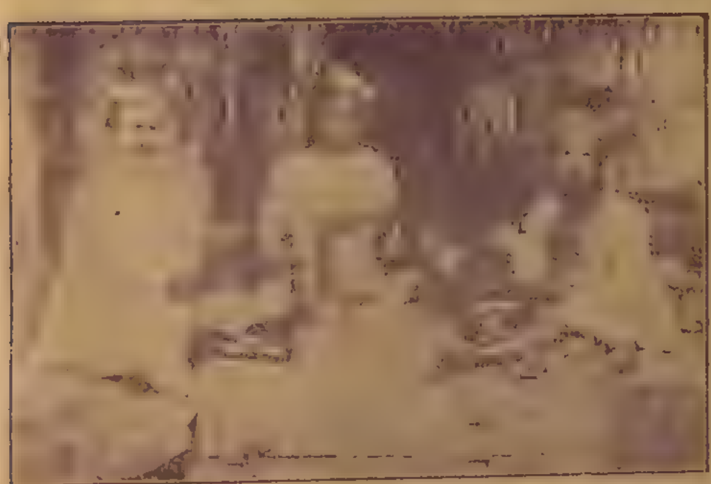
मारवाड़ का ग्रामीण-जीवन



मारवाड़ का ठठेरा-परिवार



मारवाड़ का मुख्य बाजा (नौबत-शहनाई)



मारवाड़ के ओसवाल वैश्य (पटवे का काम करते हुए)



मारवाड़ के बावरी (जीव-जन्तु मारने वाले शिकारी)

❋ 'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ ❋



रानपुर (गुजरात) के भूत-पूर्व डिक्टेटर और सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्ता—श्री० डॉक्टर भगवानदास जी दवे।

संसार में सब से धनी, अमेरिका निवासी मि० रॉकफ़ेलर। कहा जाता है, आपका ऐश्वर्य मि० हेनरी फ़ोर्ड की अपेक्षा कहीं अधिक है।



कन्या महाविद्यालय (जालन्धर) के झण्डाभिवादन का दृश्य



जालन्धर के सुप्रसिद्ध कन्या महाविद्यालय में हाल ही में सीमा-प्रान्त के गांधी—ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ ने राष्ट्रीय झण्डा फहराया था—साथ ही श्री० ख़ान बादशाह भी संस्था में पधारे थे; पाठक देखेंगे चित्र में आप दोनों ही बिजली के खम्भे के समीप खड़े हैं और उनके चारों ओर संस्था की छात्राएँ तथा कर्मचारीगण खड़े हैं।



क्योंकर उसके निगहे-नाज़ से जीना होगा, ज़हर् दे, उस पे यह ताकीद, कि पीना होगा !
किसी से एक अलम, एक ग़म नहीं उठता, हम एक ग़म नहीं, लाखों उठाए बैठे हैं।

क्योंकर उसके निगहे-नाज़ से जीना होगा,
ज़हर दे, उस पे यह ताकीद, कि पीना होगा।
तेरी मिज़गाँ[1] की न थी दस्तदराज़ी[2] मशहूर,
दिल झपट कर किसी रहगीर[3] का छीना होगा।
चाक दिल तेग़[4] तग़ाफ़ुल[5] से किया है तुमने,
रिश्तए[6] तारे नज़र से तुम्हें सीना होगा।
हश्र[7] में सर से गुज़र जायगा तूफ़ाँ जिसका,
वह हमारी ही ख़िजालत[8] का पसीना होगा।
ख़ुल्द[9] में फिर किसी काफ़िर ही का दिल बहलेगा
गर न माशूक़ो, मयो[10], साग़रो[11], मीना[12] होगा
ख़ाक कर देगी तेरी बर्क़ तजल्ली[13] एक दिन,
तूर सैना[14] तेरे मुश्ताक़ का सीना होगा।
इम्तिहाँ करके तेरा साफ़ पशेमान[15] हुए,
हमने जाना था रक़ीबों से भी कीना होगा।
तेरा दो रोज़ का वादा भी नहीं हश्र से कम,
एक-एक दिन मुझे एक-एक महीना होगा।
चैन देते नहीं वह "दाग़" किसी तरह मुझे,
मैं जो मरता हूँ, तो कहते हैं कि जीना होगा।

—महाकवि "दाग़" देहलवी

* * *

बादाख़्वारों[16] से यह माना उसे कीना होगा,
छुप के मैख़ाने[17] में ज़ाहिद[18] को भी पीना होगा।
तुमने यह सोच के दिल को मेरे छीना होगा,
कि यही अपनी अँगूठी का नगीना होगा।
इश्क़ कहते हैं, जिसे कुछ वह हँसी-खेल नहीं,
कभी मरना हमें होगा, कभी जीना होगा।
सोज़े-दिल[19] पर जो मेरे दीदएतर[20] रोएँगे,
जेठ बैसाख में, सावन का महीना होगा।
आप सच कहते हैं, यह आप बजा कहते हैं,
मौत ही का मेरे माथे पे पसीना होगा।
ग़ैरमुमकिन है कि आ जाय तबीयत मेरी,
आपने दिल किसी कमज़ोर का छीना होगा।
वार ख़ञ्जर का जो करते हैं, करें शौक़ से आज,
चाके दिल आपको मेरा कभी सीना होगा।
लख़्ते दिल, लख़्ते जिगर[21], पाएँगे हम खाने को,
ख़ूने दिल, ख़ूने जिगर, इश्क़ में पीना होगा।

१—बरौनी, २—हाथ मारना, ३—बटोही, ४—तलवार, ५—ग़फ़लत, ६—डोरा, ७—प्रलय, ८—लज्जा ९—स्वर्ग, १०—शराब, ११—प्याला, १२—शराब की बोतल, १३—बिजली का प्रकाश, १४—पहाड़ का नाम है, जहाँ हज़रत मूसा ईश्वर का दर्शन करने के लिए गए थे, १५—लज्जित, १६—शराबी, १७—शराबख़ाना, १८—परहेज़गार, १९—दिल की जलन, २०—आँखें, २१—कलेजे के टुकड़े,

क्या मिले 'बिस्मिले' जाँबाज़[22] का मक़तल में निशाँ,
कहीं दिल होगा, कहीं सर, कहीं सीना होगा।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

* * *

यह मेरे पास जो चुपचाप आए बैठे हैं,
हज़ार फ़ितनए[23] महशर के उठाए बैठे हैं।
वह जानते हैं, यह आग लगाए बैठे हैं,
हम उनके दर पर उन्हीं के बिठाए बैठे हैं।
उदू[24] से बज़्मे[25] उदू में लड़ा रहे हो निगाह,
नहीं ख़्याल, कि अपने-पराए बैठे हैं!
न ज़ब्त है, न तहम्मुल[26], न दम, न दिल, न जिगर,
तुम्हारे इश्क़ में हम सब गँवाए बैठे हैं!
उठाओ तेग़, सँभालो कमाँ, लगाओ तीर,
तुम्हारे सामने सर हम झुकाए बैठे हैं।
किसी से एक अलम[27], एक ग़म नहीं उठता,
हम एक ग़म नहीं, लाखों उठाए बैठे हैं।
कहीं न उनकी नज़र से नज़र किसी की लड़े,
वह इस लेहाज़ से आँखें झुकाए बैठे हैं।
कोई हसीं नज़र आया, यह बेक़रार हुए,
जनाब "नूह" को हम आज़माए बैठे हैं।

—"नूह" नारवी

* * *

किसी हसीं से दिल अपना लगाए बैठे हैं,
रक़म जो पास थी, वह भी गँवाए बैठे हैं।
तुम्हारे दर पे जो मुद्दत से आए बैठे हैं,
तरह-तरह की वह आफ़त उठाए बैठे हैं।
ग़ज़ब तो यह है, वह हमको नज़र नहीं आते,
बहुत दिनों से नज़र में समाए बैठे हैं।
ज़रूर आज किसी दिल-जले ने की फ़रियाद,
कि बेतरह वह दिल अपना दबाए बैठे हैं।
न उनको दीन से मतलब न उनको दुनिया से,
तुम्हारे दर पे जो धूनी रमाए बैठे हैं।
करम[28] कभी नहीं करना, वफ़ा नहीं आती,
किसी को ख़ूब सा हम आज़माए बैठे हैं।
हिना[29] लगाते हैं, उस नाज़नी के हाथों में,
हम अपना रङ्ग बहुत-कुछ जमाए बैठे हैं।
मुझे वह देख के महफ़िल में ग़ैर से बोले,
यह किसके हज़रते "बिस्मिल" बुलाए बैठे हैं!

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

२२—जान पर खेलने वाला। २३—फ़िसाद, २४—दुश्मन, २५—सभा, २६—सन्तोष, २७—रञ्ज, २८—कृपा, २९—मेंहदी।

* * *

ज़ुल्म का कब चराग़ जलता है!

आह से दिल का दाग़ जलता है,
यह हवा में चराग़ जलता है!
ख़ुद-बख़ुद दिल का दाग़ जलता है,
बे जलाए चराग़ जलता है!
ख़ानए[1] दिल में दाग़ जलता है,
बन्द घर में चराग़ जलता है!
क्यों न रौशन हो महफ़िले[2] आलम,
सबके घर में चराग़ जलता है!
दाग़े दिल काम आया मरने पर,
क़ब्र में यह चराग़ जलता है!
ग़ैर के घर वह जाने वाले हैं
रहगुज़र[3] में चराग़ जलता है!
उसकी क़ुदरत का वाह क्या कहना
आसमाँ पर चराग़ जलता है!
अपनी महफ़िल से फेंक दो बाहर
रश्क़[4] से हर चराग़ जलता है!
है शरर[5] इसमें हुस्ने क़ुदरत का
सङ्ग[6] में भी चराग़ जलता है!
बेकसी[7] है ग़ज़ब की मदफ़न पर
झिलमिला कर चराग़ जलता है!
नूर[8] फैला है उसका काबे में,
बुतकदे[9] में चराग़ जलता है
शाम से सुबह तक शबे[10] फ़ुरक़त
साथ मेरे चराग़ जलता है!
दिल में है याद रूए-जानाँ[11] की
आइने में चराग़ जलता है!
नूरे-हक़[12] मैं उसे समझता हूँ
तूर[13] पर जो चराग़ जलता है!
मर रहे हैं पतिङ्गे जल-जल कर
इसी ग़म में चराग़ जलता है!
आहे मज़लूम[14] गुल करेंगे उसे
ज़ुल्म का कब चराग़ जलता है!
रूबरू इसके तुम जो आते हो
जल के कैसा चराग़ जलता है!
चश्मेतर[15] में नहीं है लख़्ते-जिगर[16]
लबे साहिल[17] चराग़ जलता है!
तबआ[18] रोशन से अपनी ऐ "बिस्मिल"
हर ज़मीं पर चराग़ जलता है!

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

१—घर, २—संसार, ३—रास्ता, ४—ईर्षा, ५—चिनगारी, ६—पत्थर, ७—उदासीनता, ८—ज्योति, ९—मन्दिर, १०—विरह की रात, ११—प्रेमिका, १२—ईश्वरी ज्योति १३—पहाड़ का नाम, १४—जिस पर ज़ुल्म किया जाय, १५—आँसू भरी आँखें, १६—कलेजे के टुकड़े, १७—किनार, १८—तेज़ तबीयत।

जेलों में मनुष्यत्व का अभाव

मेरे कुछ अनुभव

[डॉ० एस० के० वैद्य]

['बॉम्बे क्रॉनिकल' में प्रकाशित इस लेख के लेखक बम्बई के सुप्रसिद्ध नागरिक डॉ० एस० के० वैद्य हैं। आप गत सत्याग्रह आन्दोलन में जेल हो आए हैं। वहाँ जेल-जाँच-कमिटी के एक सदस्य से आपकी भिड़न्त हो गई थी। इस लेख में आपने उसी के कुछ कठोर अनुभव बतलाए हैं। 'सी' क्लास के क़ैदियों की दुर्दशा का जो वर्णन आपने किया है, वह बड़ा ही रोमाञ्चकारी है। आपका कहना है कि केवल जेल के अधिकारी ही मनुष्यत्वहीन नहीं होते; जेल-जाँच-कमिटियाँ भी वैसे ही होती हैं। उनके सदस्य वहाँ क़ैदियों की शिकायतें सुनने नहीं जाते, वरन् उन्हें दबोचने और अपमानित करने जाते हैं।

—सम्पादक]

मैंने यह बात पहले से ही सोच ली थी कि जेल की नौबत आने पर मैं अदालत और जेल, दोनों ही जगह एक आदर्श सत्याग्रही का व्यवहार करूँगा। जब मैं अपने साथियों सहित विचाराधीन क़ैदी की हालत में बाइकुल्ला जेल पहुँचाया गया तो वहाँ के क़ैदी हमारे अनेक कॉङ्ग्रेसी मित्रों ने हमारा हार्दिक स्वागत किया। जेल-प्रवेश की प्रारम्भिक रस्मों में कम से कम हम लोगों के साथ कोई बुरी लगने लायक़ बात नहीं हुई। हम लोगों के पास जो कुछ नक़द या गहना आदि था, वह जेलर के सिपुर्द कर दिया गया। हजामत बनाने के उस्तरे व इस सम्बन्ध की अन्य वस्तुओं के साथ ले जाने की आज्ञा भी मिल गई, परन्तु बिस्तर, पानी पीने का कूज़ा, सिगरेट, सुपारी आदि बाहर ही रोक लिए गए। यद्यपि हम लोग अभी विचाराधीन क़ैदी थे, फिर भी हम लोगों का जेल-जीवन प्रारम्भ हो गया। हममें से तीन को बी-क्लास और शेष छः को सी-क्लास में स्थान दिया गया था। हम लोगों को रहने की जगह जेल के आँगन को बाँईं ओर एक बड़ी ही प्राचीन ढङ्ग की इमारत के दूसरे खण्ड में दी गई थी। इमारत का हॉल यथेष्ट लम्बा-चौड़ा और हवादार था। एक दस फ़ीट लम्बा और दस फ़ीट चौड़ा कमरा स्नानागार के लिए नियत था, जिसमें हिन्दुस्तानी ढङ्ग से एक नल-कल लगा हुआ था। और एक कोने में दो नई चाल के कमोड (पाख़ाने के गमले) रक्खे हुए थे। इसी में एक तरफ़ पेशाब करने के लिए एक पुराना, लोहे का पीपा भी रक्खा हुआ था, जो बिल्कुल खुला हुआ था और सम्भवतः किसी समय तेल का पीपा रहा होगा। इस हॉल में हम लोग ६ क़ैदी रहते थे, जिनमें मुश्किल से एक या दो सज्जन पश्चिमीय ढङ्ग के इन कमोडों का व्यवहार जानते थे। दो कमोड रहने के कारण हम लोग दो-दो की पारी बाँध कर ही उनका प्रयोग कर पाते थे। प्रत्येक बार भङ्गी को साफ़ करना पड़ता था। हम लोगों को अपने एक नवयुवक साथी को कमोड के प्रयोग करने की रहस्यमय विधि सिखलानी पड़ी थी। हमारे एक साथी को इस शिक्षा के ग्रहण करने में बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस नई परिस्थिति से वे अपना मानसिक सामञ्जस्य स्थापित करने में बिल्कुल ही असमर्थ थे। उन्हें काफ़ी कष्ट रहता था। कुछ पेट-दर्द रहने पर भी वे यथासम्भव उसके प्रयोग से बचते रहने का प्रयत्न करते थे। पानी के 'टब' की कमी हम लोगों को अधिक खटकी। पता लगाने पर मालूम हुआ कि ऐसा टब इस्पताल-वार्ड में है। मुझे आश्चर्य है कि बम्बई सरीखे नगर के जेलों में अब तक अधिकारियों ने पानी के टबों का प्रबन्ध नहीं कर पाया है।

जेल की एक घटना

हम लोग ९ फ़रवरी की सन्ध्या को इस जेल में आए थे। दूसरे ही दिन ६ बजे सुबह जेल-कमिटी का आगमन हुआ। कमिटी के आने के समय हम लोगों में इसी पानी के टब के विषय में बातचीत हो रही थी। कमिटी के पाँच व्यक्ति ऊपरी खण्ड में आकर हम लोगों के सामने खड़े हो गए। उनमें से एक ने मुझसे पूछा कि आपको कोई शिकायत तो नहीं है? हम लोगों के मन में उस समय स्वास्थ्य और सफ़ाई सम्बन्धी बातें जमी हुई थीं। मैंने उत्तर में उस व्यक्ति से कहा कि दो 'कमोड' हैं और उन्हें बराबर साफ़ रखने के लिए एक भङ्गी भी है ही, अगर किसी बात की कमी है तो वह पानी के टब की है, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से वह अत्यन्त आवश्यक है। उस व्यक्ति ने कहा कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण सरकार इस समय उसका प्रबन्ध करने और नया ख़र्च उठाने में असमर्थ है। मैंने उत्तर में कहा, सरकार को, इस आर्थिक कठिनाई की हालत में भी, कॉङ्ग्रेस वालों पर लाठी-चार्ज करने के लिए अतिरिक्त-पुलिस का ख़र्च कैसे मिल जाता है? मैंने कहा, अगर अनुचित न समझा जाय तो तब तक हम लोगों को इस्पताल-वार्ड ही के टब के प्रयोग करने की आज्ञा दे दी जाए। सबको नहीं तो, कम से कम उन्हीं लोगों को प्रयोग करने की आज्ञा दे दी जाय, जिन्हें पश्चिमीय ढङ्ग के कमोडों का अभ्यास नहीं है। या अगर यह भी न हो सकता हो तो मैं ५००) एक नया क्लोसेट बनाने के लिए दे सकता हूँ। अगर उसे बनवा कर उसमें एक पत्थर लगवा दिया जाय, जिसमें लिखा हो कि यह कॉङ्ग्रेस की सहायता से निर्मित हुआ है। इस पर उनमें से एक ने, जिसके नाम से मैं उस समय परिचित न था, लेकिन अब परिचित हूँ, जो कुछ जवाब दिया, उसका सारांश यह है—"आप पानी के एक टब के लिए इतना रूपक बाँध रहे हैं? अगर आप इन सब सुखों की लालसा नहीं त्याग सकते, तो जेल ही क्यों आए?"

मैं साधारणतया नम्र बोलने वाला आदमी हूँ। उसके शब्द और ढङ्ग बड़े अपमानजनक थे। जेल-कमिटी के सदस्य के मुँह से तो, जिसे कि क़ैदियों का सामान्यतः रक्षक होना चाहिए और भी अपमानजनक थे। ऐसे शब्दों का मतलब यही हो सकता है कि शिकायत करने वाला जेल की कोई शिकायत न कर सके और ऐसी डाँट-डपटों के द्वारा क़ैदी जेल के ढाँचे में जकड़ दिया जाय।

मेरा क्रोध

जहाँ मैं नम्रभाषी हूँ, वहाँ अकारण अपमानित करने वाले पर भीषण रूप से भड़क उठने वाला भी; चाहे वह अपमान करने वाला कितना ही बड़ा क्यों न हो। इस मामले में तो वह जेल का एक मामूली व्यक्ति ही था। उसके जवाब में मैंने अवश्य ही अत्यन्त भयानक भाषा का प्रयोग किया होगा और मेरे आकार-प्रकार में भी भयानकता आ गई होगी। मुझे केवल इतना ही याद है कि जेल-कमिटी का वह सदस्य जान लेकर सीढ़ी से नीचे भागा और दूसरे दो सदस्य आकर मुझे शान्त हो जाने के लिए समझाने लगे। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि मेरा इरादा उनके प्रति ऐसा व्यवहार करने का बिल्कुल नहीं था। उस दिन के प्रातःकालीन ड्रामा का यहीं से अन्त हुआ। हम लोगों को रञ्ज था कि ऐसी बातें व्यर्थ में क्यों हो गईं।

चेतावनी

इस घटना के क़रीब १५ मिनिट पश्चात् मेरा नाम पुकारा गया। मैंने जेलर के साथ उन पाँच सज्जनों में से एक ऐसे सज्जन को देखा, जिसके हाथ में एक पुस्तक थी और जिससे पढ़ कर मुझे चेतावनी दी गई। मुझे मालूम हुआ कि वह जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट हैं। उस पुस्तक से पढ़ कर जो चेतावनी मुझे सुनाई गई थी उसकी नक़ल माँगने पर भी वह मुझे मिल नहीं सकी। फिर भी जो कुछ मुझे याद है, वह यहाँ बयान करता हूँ। चेतावनी जेल-कमिटी के मेम्बरों ने लिखी थी, क्योंकि उस पर उनके हस्ताक्षर मौजूद थे। चेतावनी को पढ़ते समय मुझसे यह कह दिया गया था कि जेल-कमिटी के सदस्यों के आज्ञानुसार यह चेतावनी मुझे सुनाई जा रही है। चेतावनी में कहा गया था कि एक क़ैदी क्रोध में आपे से बाहर हो गया। मालूम होता है कि उस क़ैदी का सहज ही क्रोधित हो जाने का स्वभाव है। क़ैदी ने इस्पताल के पानी के टब की माँग पेश की थी, जोकि स्वास्थ्य के नियमों के विचार से अस्वीकार कर दी गई, क्योंकि इस्पताल के टब का प्रयोग रोग पैदा कर सकता है। इसके पश्चात् चेतावनी में मेरे व्यवहार की निन्दा की गई थी और उसमें कहा गया था कि यह अपराध पहला ही होने के कारण क्षमा किया जाता है। उसकी पुनरावृत्ति करने पर भीषण परिणाम हो सकते हैं। सुपरिण्टेण्डेण्ट ने उन परिणामों को गिन कर बतलाया और कहा—"सुपरिण्टेण्डेण्ट की हैसियत से मैं तुम्हारी सारी सुविधाएँ वापस ले सकता हूँ। मैं

वेणी

[श्री० छन्नूलाल जी, विशारद]

कैधौं बाल व्यालिनी है कुटिल कराल अति,
कैधौं मैन ऐन माँहि सुखद नसैनी है।
कञ्चन की पाटी पर नीलम की लीक कैधौं,
कैधौं तीन धारा मिली सुखद त्रिबेनी है।
कामिन के कुटिल करेजे काटिबे के हित,
कैधौं ये कटार काढ़ि धरी अति पैनी है।
मनुज को मन अति चञ्चल तुरङ्ग "लाल"
मारिबे को कोड़ा कैधौं बाला तेरी बेनी है।

* * *

तुम्हें दण्ड-स्वरूप विशेष प्रकार का भोजन दे सकता हूँ। मैं तुम्हें काल-कोठरी में बन्द कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी मुलाक़ातें रोक सकता हूँ। मैं तुम्हारा घर से खाना आना बन्द कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे पत्रों को रोक सकता हूँ। मतलब यह कि इतनी बात मैं तुम्हें जेल-सम्बन्धी नियमों के विषय में बतलाए देता हूँ कि जेल की तमाम बातों के लिए मैं यहाँ का 'सर्वशक्तिमान' हूँ।" यह सब मैंने सुना और अच्छी तरह से सुना। सुन लेने के बाद मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो अपनी चेतावनी के नीचे इस अर्थ की एक टिप्पणी भी जोड़ दे सकते हैं कि अभियुक्त के सामने पढ़ कर सुना दी गई, मैं उस पर अपना हस्ताक्षर करने को तैयार हूँ। लेकिन याद रहे, मैं भी इतना कह रखता हूँ कि अगर किसी ने भी बेमतलब मेरा जेल में अपमान किया, तो मैं उसे सहन नहीं कर सकूँगा। मैं अपमान का बदला अपमान से लूँगा और साथ में उसका ब्याज भी जोड़ लूँगा। मैंने उन्हें स्पष्ट बतला दिया कि मैं जेल में अपमानित होने के लिए नहीं आया हूँ। इस पर काफ़ी लम्बी-चौड़ी बातें छिड़ गईं, जिनसे मेरा ख़्याल है कि हम लोगों की परिस्थिति अधिक स्पष्ट हो गई।



मैंने कहा कि जेल-कमिटी के सदस्य जेलों में जाँच करने इसीलिए भेजे जाते हैं कि क़ैदी अपनी शिकायतें उनके सामने कह सकें। जेल-जाँच-कमिटी के सदस्यों का पद क़ैदियों के अभिभावक का है। वे आए, उन्होंने हमसे पूछा, हमने अपनी शिकायत उनसे बतला दी। मैंने कह दिया कि स्वास्थ्य के विचार से एक जल के टब की अत्यन्त आवश्यकता है। यहाँ तक कि इसके लिए मैं कॉङ्ग्रेस की तरफ़ से ५००) तक देने को तैयार हो गया। कमिटी मेरी बात माने या न माने, लेकिन मेरा निवेदन है कि उसे किसी क़ैदी को दबोच देने या उसका अपमान कर डालने का अधिकार नहीं है।

सदस्य के विचार में असम्बद्धता

कमिटी का एक सदस्य, यदि बम्बई नगर की रहन-सहन को जानते हुए भी जल के टब की आवश्यकता को विलासिता समझ लेता है, तो हम उसकी इस समझ को विचार-दोष मात्र समझ लेंगे। परन्तु यदि वह जाँच-कमिटी के सदस्य-पद के गर्व में किसी को नीचा दिखलाने का प्रयत्न करता हो, तो निस्सन्देह वह कमिटी के लिए अनुपयुक्त है।

चेतावनी में कहीं इस बात का ज़िक्र न था कि जल का टब आवश्यक है या कोई विलासिता है। मैं नहीं कह सकता कि कमिटी भर के सदस्य बी-क्लास वालों के लिए जल के टब को आवश्यकता समझते हैं या विलासिता। मुझे नहीं मालूम कि सी-क्लास वालों की क्या दशा होती होगी। लेकिन सुनने में आया है कि सी-क्लास की एक-एक कोठरी में आठ-आठ, दस-दस क़ैदी रक्खे जाते थे। चार बजे शाम को वे बन्द कर दिए जाते थे और सवेरे ६ बजे फिर बाहर किए जाते थे। बीच के इतने घण्टों में उनके पेशाब आदि करने के लिए कोठरी में एक तरफ़ लोहे का एक ढकन-रहित पीपा लगा हुआ था। इस देश के निवासियों के लिए स्वास्थ्य का कैसा उत्तम और आदर्श प्रबन्ध है? पेशाब की नथुने फाड़ने वाली दुर्गन्धि से सारी कोठरी व्याप्त रहती है। लेकिन यदि संयोगवश किसी क़ैदी का कहीं पेट भी ख़राब हुआ, तब उस कोठरी का वायु-मण्डल कैसा रहता होगा, इसका अनुमान पाठक ही कर सकते हैं। अपने दूसरे साथी क़ैदियों के सामने ही पाख़ाने जाने का दृश्य कितना वीभत्स होता होगा, इसका भी अनुमान किया जा सकता है। जेल के अधिकारियों तथा जेल-जाँच-कमिटी के सदस्यों की मनुष्यता बिल्कुल लुप्त हो जाती है। क़ैदियों की दुर्दशा देखने का उन्हें अभ्यास-सा हो जाता है। अगर किसी सी-क्लास के क़ैदी ने कोई शिकायत की और उस पर मालिक लोग नाराज़ हो गए, तो बस समझ लीजिए कि उसे जीते ही नरक-यातना भोगनी पड़ेगी। मैंने काल-कोठरी की यातना भोगने वाले एक क़ैदी का दृश्य देखा है। उसे भोजन का दण्ड दिया गया था। कितना करुणा-पूर्ण दृश्य था! उसे नमक की काँजी दी जाती थी। इस भोजन से वह अत्यन्त दुर्बल हो गया था। इतने पर भी अधिकारी सन्तुष्ट न हों, तो उसे और भी अधिक कठोर दण्ड दिया जा सकता था। उसके छुटकारे के दो ही रास्ते थे, या तो वह अधिकारी की बात मान ले, और इस यातना से छूट जाय, या फिर स्वयं ईश्वर के हाथों से छूटे।

मुझे याद है कि मैंने जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट से एक बार कहा था कि मैं दण्ड भोगने के लिए तैयार हूँ, परन्तु अपमानित होने के लिए कदापि नहीं तैयार हूँ। मैं शरीर की ताड़ना स्वीकार कर लूँगा, परन्तु मन की ताड़ना नहीं स्वीकार कर सकता। अब आज जब मैं इन बातों पर विचार करता हूँ, तो एक अन्तर्ध्वनि मुझसे कहती है—"क्यों वैद्य! ये शब्द वीरोचित तो बड़े ही थे, परन्तु उनका वैसा ही वीरोचित पालन ईश्वर के हाथ में ही था, चाहो तो आज़मा कर देख लो।"

* * *

रजत-रज

[संग्रहकर्ता—श्री० लक्ष्मीनारायण जी अग्रवाल]

रात्रि पुष्पों को गुप्त रूप से खिला देती है, परन्तु इसका धन्यवाद प्रभात को मिलता है।

जिस मनुष्य को अपनी वाणी पर अधिकार नहीं, वह अपनी इच्छा पर क्या अधिकार रख सकता है?

❀

प्रशंसा से मैं लज्जित होता हूँ, क्योंकि वास्तव में मैं उसकी गुप्त-रूप से याचना करता हूँ।

❀

आकाश में तारे स्थिर हैं, नदी में लहरों के साथ उनका प्रतिबिम्ब चञ्चल।

❀

कवि की कल्पना में जो सत्य है, वह सम्भव और असम्भव से विभक्त नहीं हो सकता। उसमें एक अपूर्व चेतना निर्द्वन्द मुस्कराती रहती है।

गगन-चुम्बी शैल-शिखर बर्फ़ का मोटा लिहाफ़ ओढ़े ठिठुर कर सोता है।

❀

यदि तुम आकाश पर थूकोगे, तो वह तुम्हारे ही ऊपर गिर कर तुम्हारे रूप को विकृत कर देगा।

❀

मानव-हृदय अपनी दुर्बलताओं में ही सबल होने का स्वाँग भरता है।

❀

सौन्दर्य दुःख का जनक है, लक्ष्मी क्लेशों की जननी। उत्थान ही पतन का मूल कारण है।

❀

यदि कोई देश-सेवक कहता है कि काम में मेरा जी नहीं लगता, तो मुझे उसकी कर्तव्य-निष्ठा में सन्देह होने लगता है।

यह मेरा पतन है या उसका?

❀

क्रोध में मधुर स्मृति का लोप हो जाता है।

दुर्जन से विषधर अच्छा है।

वह एक बार डसता है, यह बार-बार दुख देता है।

❀



अजी सम्पादक जी महाराज,

जय राम जी की !

कहिए, देश के लीडरों की आजकल कैसी कट रही है, इसका भी कुछ पता है ? कोई आन्दोलन न होने के कारण बेचारे बैठे-बैठे फ़ाक़े खाए जा रहे हैं। क्या करें, कोई काम ही नहीं। बड़े-बड़े लीडरों का समय तो व्याख्यान देने, लेख लिखने तथा प्रेस-प्रतिनिधियों के प्रश्नों का उत्तर देने में कट जाता है, परन्तु बेचारे छुटभइयों की मिट्टी पलीद हो रही है। इन बेचारों की इतनी हैसियत भी नहीं कि स्वास्थ्य सुधारने के लिए कहीं बाहर ही चले जायँ। अपने शहर में भला इतनी गुञ्जायश तो है कि एकाध देशभक्त डॉक्टर मुफ़्त में चिकित्सा करने को तैयार हो जाते हैं। बाहर जाकर यदि गले में ढोल डाल कर यह मुनादी करते फिरें कि "हम लीडर हैं ! हमने देश के लिए इतने कष्ट उठाए हैं, इतने दिन जेल में पड़े रहे हैं और अब भी आवश्यकता पड़े तो तुरन्त जेल में जा बैठें।" तब भी शायद ही कोई पतियाय। ऐसे व्यक्ति स्वास्थ्य सुधारने के लिए हिन्दुस्तान के बाहर जाना तो दूर रहा, अपने शहर के बाहर भी नहीं जा सकते। और ऐसे लीडर, ईश्वर की दया से, थोड़े नहीं हैं। इनकी संख्या बहुत है। कोई नगर ऐसा न होगा, जिसमें इनकी काफ़ी संख्या न हो। गत आन्दोलन में ऐसे लीडरों की संख्या बहुत बढ़ गई। जो कोई स्वेच्छा से अथवा पुलिस की कृपा से एक बार भी जेल चला गया, वह परमात्मा की कृपा से लीडर होकर ही निकला। और क्यों न होता ? जब छूट कर आए तो स्टेशन पर स्वागत हुआ, शहर में जुलूस निकला, सभा हुई—उसमें उन्हें भी दो-चार शब्द बोलने पड़े। जेल से छूट कर घर की ओर चलते समय अपने लीडर होने में यदि कुछ शको-शुबह उत्पन्न भी हुआ, तो वह उपर्युक्त बातों से बिल्कुल ही निर्मूल हो गया। कुछ ऐसे महानुभाव भी थे, जो "करघा छोड़ तमाशे जाय, नाहक़ चोट जुलाहा खाय" वाली कहावत के अनुसार बेगार में धर लिए गए। उन्होंने जेल ही में क़सम खा ली थी कि अब ऐसे तमाशों के पास भी न फटकेंगे, जिनकी बदौलत जेल की हवा खानी पड़े। तमाशबीनी का परिणाम ख़राब होता है। ऐसे लोग लौट कर आए तो घर के काम-धन्धों में ऐसे जुटे कि फ़ुर्सत ही न मिले। कोई सभा-वभा देखते हैं तो कतरा कर निकल जाते हैं। किसी ने पूछा भी कि—"आज सभा में न चलोगे ?" तो उत्तर दिया कि—"एक बड़ा आवश्यक काम है, उससे फ़ुर्सत मिली तो पहुँच जाऊँगा।" परन्तु बहुधा फ़ुर्सत ही नहीं मिलती—यदि कुछ लोक-लाज का ध्यान आ गया तो सभा समाप्त होने के समय पहुँच गए। लोगों ने सूरत देख ली—बस इतना ही काफ़ी है। इन लोगों के सम्बन्ध में अपने राम बिल्कुल निश्चिन्त हैं। यदि चिन्ता है तो उन लोगों की, जो कि अपने को लीडर समझते हैं या फिर उन बेचारों की, जो लीडरी के अतिरिक्त और कोई काम कर ही नहीं सकते और न करना चाहते हैं। संसार में ऐसे काम बहुत ही कम हैं, जिनमें आम के आम और गुठलियों के दाम खड़े हो सकें। उन बहुत कम कामों में लीडरी भी सम्मिलित है। उन बड़े-बड़े लीडरों की बात छोड़ दीजिए, जिनका 'स्वास्थ्य सुधारने के लिए' हिन्दुस्तान भर का जलवायु बहुत ही नाक़िस साबित हो चुका है। भगवान जाने, हिन्दुस्तान के निवासियों का स्वास्थ्य किस प्रकार अपने अड्डे पर डटा रहता है। वह तो कहिए बड़ी ख़ैर है कि अभी मङ्गल-ग्रह का रास्ता नहीं मिला, अन्यथा पृथ्वी-मण्डल भर का जलवायु उनका स्वास्थ्य सुधारने में कच्चा खा जाता और उन बेचारों को मङ्गल-ग्रह जाना पड़ता। इन लीडरों की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि इन लीडरों की माया अपने राम जैसे साधारण व्यक्ति की समझ के बाहर की बात है। उन लीडरों की दशा पर ग़ौर कीजिए, जिनकी लीडरी केवल शहर अथवा अधिक से अधिक ज़िले तक परिमित है। ये बेचारे स्वप्न देख रहे थे कि एक दिन वह भी आवेगा, जब कि ये जिस शहर में जायँगे, वहाँ के रईस और अमीरों में इस बात पर जूता चलने के लिए तैयार हो जायगा कि नेता महोदय को हम अपने यहाँ टिकावेंगे। तब नेता जी एक छोटा सा व्याख्यान देकर उस झगड़े को रफ़ा-दफ़ा कर देंगे। इसके पश्चात् शहर में जुलूस निकलेगा। बाज़ारों में, दूकानों पर, मकानों की छतों पर लोग इस प्रकार भरे होंगे, जैसे कि चारपाई में खटमल। कोई फूल बरसाएगा, कोई गुलदस्ता फेंक मारेगा; नेता जी की जय-जयकार से आकाश का कलेजा दहल उठेगा। इसके पश्चात् जनाब फ़ोटो खींचे जायँगे, मानपत्र दिए जायँगे। लोग तरह-तरह की बातें पूछने आवेंगे। प्रत्येक समय बड़े-बड़े आदमी हाथ बाँधे हुए नौकरों की तरह सामने खड़े रहेंगे। स्वास्थ्य ठीक न रहने पर भी तर माल उड़ाने पड़ेंगे। और फिर सभा की जायगी—व्याख्यान दिया जायगा। व्याख्यान के पश्चात् यदि नेता जी को ज़ुकाम भी हो जायगा तो देश भर के पत्रों में यह समाचार निकल जायगा और सारा देश नेता जी का ज़ुकाम अच्छा करने के लिए ईश्वर से रो-रोकर प्रार्थना करेगा। जब वहाँ से चलेंगे तो अगले स्टेशन तक के लिए न जाने कहाँ से टिकट भी आ जायगा। वहाँ पहुँचेंगे तो स्टेशन पर स्वागत के लिए आदमी मौजूद ही रहेंगे। वहाँ फिर वही बातें। इस प्रकार अपनी जेब से एक छदाम निकाले बिना ही नेता जी आराम से सारा हिन्दुस्तान घूम आवेंगे। बताइए, इस सुख के आगे स्वर्ग-सुख भी झेंप जाता है। जब स्वर्ग-सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य पहाड़ों की कन्दराओं और जङ्गली जानवरों के मठों में घुसे पड़े रहते हैं, तो इस सुख की प्राप्ति के लिए यदि कभी-कभी जेल में पड़ा रहना पड़े तो क्या हर्ज है ? बिना तपस्या किए स्वर्ग-सुख नहीं मिल सकता। इस सुख-प्राप्ति की तपोभूमि जेल है। सो जनाब, तपोभूमि की सैर भी कर आए। परन्तु अब बाहर तो क्या, अपने ही शहर में कोई नहीं पूछता। नेता जी जूतियाँ चटकाते घूमते हैं। कोई ऐसा विषय भी नहीं, जो दूसरे-तीसरे व्याख्यान ही फटकार दिया करें। अकारण व्याख्यान दें तो उनके पास उतने आदमी भी न फटकें, जितने कि परेड की बाज़ार में ताक़त की दवा और ऊसर साँड़े का तेल बेचने वालों के पास जमा हो जाते हैं। महात्मा जी ने सन्धि करके सब गुड़ गोबर कर दिया। आन्दोलन चलता रहता तो कुछ तो क़द्र होती। या फिर स्वराज्य ही मिल जाय, जिससे कि जेल जाने का सर्टीफ़िकेट दिखा कर कोई ओहदा प्राप्त करें। इस प्रकार अधर में लटकने से तो कहीं के न रहे। इससे तो यही अच्छा था कि जेल में ही पड़े रहते—और कुछ न होता तो क़ीमत ही बढ़ती रहती। हारे दर्जे और कुछ न हो तो हिन्दू-मुसलमानों का दङ्गा ही होता रहे, जिससे सम्भव है, जाँच-कमीशन की मेम्बरी मिल जाय अथवा जा-बेजा तौर से हिन्दुओं को दबा कर तथा मुसलमानों की हाँ में हाँ मिला कर हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित करें और इस प्रकार कुछ नाम कमाने का अवसर हाथ लगे। कुछ लोगों ने तो अपना बाहरी रूप और रङ्ग-ढङ्ग बिल्कुल महात्मा गाँधी जैसा बनाया, परन्तु फिर भी महात्मा जी जैसी क़द्र न हुई। अफ़सोस !

सम्पादक जी, ऐसी दशा में हमारे भूतपूर्व जेल-तपस्वी क्या करें। कोई रोज़गार-धन्धा करें तो उसके लिए रुपया चाहिए। दूसरे यह काम भी नेता जी की चित्तवृत्ति के प्रतिकूल है। नेता और रोज़गार-धन्धा ! शिव ! शिव ! यही करना होता तो जेल की हवा क्या झख मारने के लिए खाई फिर ! यदि ऐसा कर भी लें तो नेतापन पर हरताल पुती जाती है। वह नेता ही क्या, जो व्याख्यान देने, प्रेस-प्रतिनिधियों से बात करने के अतिरिक्त पेट के धन्धे के लिए कुछ करे। जिसके लिए लोगों को प्रत्येक समय षट्रस व्यञ्जन लिए खड़ा रहना चाहिए, वह पेट के धन्धे की चिन्ता करे—डूब मरने की बात है। अतएव ये लोग करें तो क्या करें ? कदाचित् आप कह उठें कि देहातों में घूम-घूम कर ग्राम-सङ्गठन करें, किसानों में जागृति पैदा करें, सो जनाब, यह कहना जितना सरल है उतना सरल करना नहीं है। देहातों में घूमने में बड़ी कठिनाइयाँ हैं। उन कठिनाइयों को आप समझ ही नहीं सकते—कभी देहातों में घूमे हों तो समझें। पहली बात तो यह है कि जेल की रोटियाँ खाने, देश-सेवा करने और व्याख्यान देने के कारण नेता महोदय का हाज़मा इतना ख़राब हो गया है कि अङ्गूर, सेब, सन्तरा, केला, अमरूद, गँडेरी, ककड़ी, दूध, दही, मक्खन, शहद इत्यादि के अतिरिक्त इन्हें कुछ हज़म ही नहीं होता। ये चीज़ें देहातों में कहाँ धरी हैं। देहात वाले इन चीज़ों का प्रबन्ध भी नहीं कर सकते। हाँ, इन चीज़ों से भरा हुआ एक छकड़ा प्रत्येक समय नेता जी के साथ रहे तो फिर देखिए, ऐसा बढ़िया ग्राम-सङ्गठन हो, जैसा शहद की मक्खियों का होता है। इसमें सन्देह नहीं कि किसान ही देश के अन्नदाता हैं और किसानों के उद्धार पर ही देश का उद्धार निर्भर है। किसानों का जीवन ही आदर्श जीवन है। देहातों के जलवायु का क्या कहना ! किसानों के बराबर कोई सीधा और सच्चा नहीं, किसानों के बराबर कोई भलामानुष नहीं। ग़र्ज़ कि तमाम ज़माने की ख़ूबियाँ केवल किसानों में ही घुस कर रह गई हैं। साथ ही जितनी परेशानी और मुसीबत पृथ्वी पर ब्रह्मा जी ने तवल्लुद की है, वह सब किसानों को ही झेलनी पड़ती है। यह सब ठीक है, परन्तु उनके बीच में रह कर काम करना—यह ज़रा टेढ़ी खीर है। उन्हें तो दूर से ही शिक्षा दी जा सकती है। क्योंकि न तो वहाँ अङ्गूर और सन्तरे हैं, न ख़स की टट्टियाँ और न बिजली के पङ्खे और न मोटरकारें। जौ-बेझरे की रोटियाँ और मट्ठा कौन खाय ? छकड़ों पर कौन सवार हो ? जलती हुई धूप में कौन घूमे ? अङ्गूर की जगह महुए

(शेष मैटर २६वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए)

स्वर्गीय सरदार भगतसिंह

[श्री० जितेन्द्रनाथ सन्याल]

(गताङ्क से आगे)

पाँचवाँ परिच्छेद

हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन

सरदार भगतसिंह मुचलके के बन्धन से छूटने के बाद ही फिर क्रान्ति के कार्य-क्षेत्र में कूद पड़े। इस समय क्रान्तिकारी-दल मरणासन्न अवस्था में था। कानपुर के प्रस्ताव का कुछ भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ा था। सरदार भगतसिंह ने बहुत थोड़े समय में संस्था में नई जान डाल दी।

इस समय क्रान्तिकारी दल भिन्न-भिन्न शहरों में अलग-अलग दलों में विभक्त हो गया था और उन दलों के सामने कोई निश्चित कार्य-प्रणाली नहीं थी। लाहौर, दिल्ली, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद तथा बिहार के कुछ स्थानों में इस प्रकार के छोटे-छोटे अनेक दल हो गए थे। अन्त में १९२८ के जुलाई महीने में कानपुर में एक सभा की गई और उसमें यह निश्चित किया गया कि उन दलों के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं की एक केन्द्रीय समिति स्थापित की जाय।

इस निश्चय के अनुसार सरदार भगतसिंह और श्री० विजयकुमार सिंह देश में भ्रमण करने लगे। १९२८ के सितम्बर महीने में दिल्ली के पुराने क़िले में एक महत्वपूर्ण सभा की गई। इस सभा में बिहार, युक्त-प्रान्त, पञ्जाब और राजपूताने के २-२ सदस्य सम्मिलित हुए थे। यह सभा दो दिनों तक होती रही।

इस सभा में सरदार भगतसिंह ने क्रान्तिकारियों का ध्यान साम्यवाद की ओर आकर्षित किया। अन्त में उनकी ज़ोरदार दलीलों से बाध्य होकर सभा ने साम्यवादी सिद्धान्तों के अनुसार एक कार्य-प्रणाली तैयार की। इसके बाद से पुलिस के अफ़सरों तथा मुख़बिरों की हत्या का महत्व बहुत घट गया। अब ऐसे ही कार्यों की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा, जिससे जनता में जागृति फैले।

सरदार भगतसिंह ने यह प्रस्ताव भी पेश किया कि दल का नाम हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से बदल कर हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रक्खा जाय। पहले तो युक्त-प्रान्त के प्रतिनिधियों ने इसका घोर विरोध किया। उनका कहना था कि संस्था का नामकरण श्री० रामप्रसाद बिस्मिल, श्री० शचीन्द्र सन्याल और श्री० योगेश चटर्जी जैसे विख्यात विप्लव-वादियों का किया हुआ है, और इस नाम से संस्था बहुत प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकी है, अतएव नाम नहीं बदला जाय। किन्तु अन्त में सरदार भगतसिंह का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

इसी सभा में यह भी निश्चित किया गया कि संस्था को दो दलों में विभक्त कर दिया जाय; एक दल में तो संस्था के वास्तविक कार्यकर्त्ता रहें, और दूसरे दल में वे लोग रहें, जो वास्तविक कार्य तो नहीं कर सकते हैं, किन्तु संस्था के प्रति सच्ची सहानुभूति रखते हैं। यह भी निश्चित किया गया कि कार्यकर्त्ताओं का दल अस्त्र-शस्त्र का संग्रह करेगा, आतंकवादी प्रस्तावों को कार्यरूप में परिणत करेगा और दल की कार्यवाही को सार्वजनिक कार्यवाही के रूप में उन्नत करने की चेष्टा करेगा; और इस दल का नाम 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी' रहेगा। दूसरे दल का काम होगा व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक चन्दों से धन इकट्ठा करना, कार्यकर्त्ता-दल के सदस्यों के रहने का प्रबन्ध करना और प्रचार-कार्य करना।

एक केन्द्रीय समिति भी स्थापित की गई, जिसमें युक्त-प्रान्त, पञ्जाब और बिहार के २-२ सदस्य तथा राजपूताना के एक सदस्य सम्मिलित किए गए। सरदार भगतसिंह समिति के एक महत्वपूर्ण कार्यकर्त्ता थे, और श्री० विजयकुमार सिंह के हाथ में संस्था का अन्त-र्प्रान्तीय सम्बन्ध बनाए रखने का भार था। संस्था का हेड क्वार्टर झाँसी में स्थापित किया गया, और राज-पूताना के प्रतिनिधि श्री० कुन्दनलाल उसके प्रधान बनाए गए। कार्यकर्त्ता-दल अर्थात् सेना के अध्यक्ष बनाए गए, श्री० चन्द्रशेखर आज़ाद, जो लगभग आधे दर्जन षड्यन्त्र केसों में फ़रार थे, (काकोरी षड्यन्त्र केस में भी ये फ़रार थे) और जिन्होंने २७वीं फ़रवरी, १९३१ को इलाहाबाद के आल्फ़्रेड पार्क के समीप, पुलिस वालों के साथ वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए प्राण विसर्जन किया। सरदार भगतसिंह कार्यकर्त्ता-दल के तो एक कार्य-कुशल नेता थे ही, साथ ही प्रचार-कार्य भी ये ज़ोरों के साथ करते थे।



स्वर्गीय सरदार भगतसिंह के पूज्य पिता सरदार किशनसिंह जी

उपर्युक्त सभा में ही यह भी निश्चित किया गया था कि हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य घर-बार से सम्बन्ध त्याग दें और दल के कार्य की ओर अपनी सारी शक्ति लगा दें। इस सभा में धार्मिक साम्प्रदायिकता के बहिष्कार का भी प्रस्ताव किया गया था। इस कारण सरदार भगतसिंह को अपने धर्म के वाह्य चिह्न-स्वरूप लम्बे बालों को कटवा देना पड़ा और दाढ़ी भी बनवानी पड़ी।

कुछ समय के बाद हेड क्वार्टर झाँसी से हटा कर आगरे लाया गया। यहाँ दो मकान किराए पर लिए गए, और अनेक नवयुवक अपना घर त्याग कर यहीं रहने लगे। ये नवयुवक बराबर दरिद्रता की दशा में रहते थे, क्योंकि उस समय संस्था के पास रुपयों की बहुत कमी थी। एक बार तो तीन दिन और तीन रात तक, उनके भोजन के लिए एक-एक प्याली चाय के सिवा कुछ नहीं था। भयङ्कर जाड़े की रात में भी उन युवकों के पास न तो बिस्तरा था और न ओढ़ने को काफ़ी कम्बल। ८-९ युवकों को केवल २ या ३ कम्बलों से काम चलाना पड़ता था। सरदार भगतसिंह इस प्रकार की तकलीफ़ें सहने के आदी न थे। वे घर पर विलासतापूर्ण जीवन बिता चुके थे। परन्तु तो भी ऐसे अवसरों पर उन्होंने कभी कष्ट का अनुभव नहीं किया।

सरदार भगतसिंह में अध्ययन करने का उत्साह नित्य बढ़ता ही जाता था। आगरे में भी वे पुस्तकों का संग्रह करने लगे। इसी उद्देश्य से वे इधर-उधर भ्रमण किया करते और संस्था से सहानुभूति रखने वालों से किताबें माँग-माँग कर इकट्ठा करते। बहुत थोड़े समय में एक छोटा सा पुस्तकालय स्थापित हो गया। पुस्तकालय में अर्थशास्त्र को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया था। वे नित्य साम्यवाद का अध्ययन किया करते और उसी पर तर्क-वितर्क किया करते। उनका अध्ययन, संस्था के किसी भी सदस्य से कम विस्तृत या गम्भीर नहीं था। साहित्य का अध्ययन करते समय वे कभी-कभी सुन्दर और हृदयग्राहिणी उक्तियाँ याद कर लिया करते थे। लाहौर षड्यन्त्र केस के समय जब वे जेल में बन्द थे, उन मनोहर उक्तियों को सुना-सुना कर अपने मित्रों को प्रसन्न रक्खा करते थे।

* * *

छठा परिच्छेद

सॉण्डर्स हत्या-काण्ड

अब हमें एक ऐसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन करना है, जिसका सरदार भगतसिंह की मृत्यु से गहरा सम्बन्ध है। यहाँ पर साइमन कमीशन और उसके बहिष्कार की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। बस, इतना ही कह देना काफ़ी होगा कि साइमन कमीशन के बहिष्कार सम्बन्धी प्रदर्शनों ने जनता में एक अपूर्व उत्साह उत्पन्न कर दिया था।

३० अक्टूबर, १९२८ को कमीशन लाहौर आने वाला था। वहाँ कमीशन का बहिष्कार करने के लिए एक भारी जुलूस सङ्गठित किया गया। किन्तु अधिका-रियों ने १४४वीं धारा की घोषणा कर दी, और प्रदर्शनों

को रोकने के लिए पुलिस को आज्ञा दे दी। फलतः जुलूस और पुलिस में मुठभेड़ हो गई और लाला लाजपतराय आदि अनेक कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आक्रमण किया। आहत लाला जी १७वीं नवम्बर को संसार से चल बसे। जनता का विश्वास था कि पुलिस के द्वारा पीटे जाने के कारण ही लाला जी की मृत्यु हुई है। उक्त जुलूस पर लाठी-प्रहार के लिए लाहौर-पुलिस के सीनियर सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० स्कॉट और लाला जी पर आक्रमण करने के सम्बन्ध में पुलिस के सहायक सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० सॉण्डर्स ज़िम्मेदार ठहराए गए। १७वीं दिसम्बर १९२८ की सन्ध्या के समय, ठीक पुलिस ऑफ़िस के सामने मि० सॉण्डर्स की हत्या की गई। चाननसिंह नामक एक कॉन्स्टेबिल भी, जिसने हत्याकारियों का पीछा किया था, मारा गया। हत्याकारियों का कोई पता नहीं चला। दूसरे दिन सवेरे शहर के भिन्न-भिन्न स्थानों में, मकानों की दीवारों पर पर्चे चिपके हुए पाए गए। पर्चे के ऊपर मोटे टाइपों में लाल रङ्ग में छपा था "दी हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी।" इसके नीचे मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा था। "सॉण्डर्स मारा गया, लाला जी का बदला लिया गया।" आदि।

यह सॉण्डर्स हत्या-काण्ड का संक्षिप्त वर्णन है। लाहौर षड्यन्त्र-केस के मुख़बिर जयगोपाल के बयान के अनुसार सारी कहानी इस प्रकार बतलाई जाती है:—

लाला लाजपतराय की मृत्यु के बाद से पञ्जाब के विप्लववादी उन पुलिस-अफ़सरों को मार कर लाला जी की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जो लाला जी पर आक्रमण किए जाने के सम्बन्ध में ज़िम्मेदार थे। इसमें उनका एक उद्देश्य तो यह था कि सार्वजनिक आन्दोलन को हिंसा की ओर आकर्षित किया जाय और दूसरा यह कि संसार को यह दिखला दिया जाय कि भारत लाला जी पर किए गए आक्रमण को सहन नहीं कर सकता।

इस उद्देश्य को कार्यरूप में परिणत करने के लिए यह निश्चित किया गया कि सरदार भगतसिंह और श्री० शिवराम राजगुरु, मि० स्कॉट पर, रिवॉल्वर से आक्रमण करें। इस कार्य का भार पं० चन्द्रशेखर आज़ाद के हाथों सौंपा गया। ये ही आक्रमणकारियों के रक्षक नियुक्त किए गए।

सारा षड्यन्त्र बड़ी सावधानी से रचा गया, और इसके लिए यथेष्ट प्रबन्ध भी किया गया। पहले इन तीनों युवकों ने विचार किया था कि पुलिस के साथ प्राण का मोह त्याग कर घोर युद्ध किया जाय। इस सम्बन्ध में श्री० यतीन्द्रनाथ मुखर्जी और उनके साथियों के उदाहरण ने, उन्हें बहुत उत्साहित किया। यहाँ पर यह उल्लेख कर देना अनुचित नहीं होगा कि, १९१६ के लगभग श्री० यतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने अपने साथियों सहित पुलिस से मोर्चा लिया था, और कुछ देर तक घोर युद्ध होने के बाद वे वीरगति को प्राप्त हुए थे। इन युवकों ने भी ऐसा ही करना विचारा। उनका विश्वास था कि इस प्रकार प्राण त्याग करके वे युवकों को क्रान्तिकारी संस्था की ओर आकर्षित कर सकेंगे।

किन्तु यह षड्यन्त्र दो प्रकार से असफल हुआ। एक तो, मि० स्कॉट के बदले वे मि० सॉण्डर्स की हत्या कर बैठे। दूसरे, पुलिस के पीछा नहीं करने के कारण उसके साथ युद्ध भी नहीं कर सके। सॉण्डर्स को मारने के लिए जब गोली चलाई गई तो केवल एक पुलिस-अफ़सर, मि० फ़र्न ऑफ़िस से बाहर निकले। किन्तु उनके शिर पर से जब दो गोलियाँ सनसनाती हुई निकल गईं, तो उन्होंने लौट ही जाना उचित समझा। केवल चाननसिंह ने उन युवकों का पीछा किया। आक्रमणकारियों ने उसे बार-बार लौट जाने के लिए कहा, किन्तु जब उसने लौटने से इन्कार किया, तो वह भी वहीं पर ठण्डा कर दिया गया।

इसके बाद तीनों युवक डी० ए० वी० कॉलेज के बोर्डिङ्ग हाउस में चले गए, जो पुलिस-ऑफ़िस के समीप ही था। वहाँ वे पुलिस वालों के आने की प्रतीक्षा करने लगे। किन्तु जब कोई नहीं आया तो वे दो साइकिलों पर, अपने वास-स्थान की ओर चले गए। इनमें से एक साइकिल किसी साइकिल के व्यापारी से बलपूर्वक उधार ली गई थी।

सरदार भगतसिंह और उनके साथियों के डी० ए० वी० कॉलेज के बोर्डिङ्ग-हॉउस से रवाना होने के बाद ही पुलिस दल-बल के साथ आ धमकी और बोर्डिङ्ग-हाउस चारों ओर से घेर लिया गया। आने-जाने के सभी रास्ते रोक दिए गए और कोने-कोने की तलाशी ली जाने लगी। केवल इतना ही नहीं, लाहौर से बाहर जाने वाली सभी सड़कों पर पुलिस का कड़ा पहरा बिठा दिया गया, और रेलवे-स्टेशनों पर भी ख़ुफ़िया पुलिस की कड़ी निगरानी रहने लगी। लाहौर से बाहर जाने वाले सभी युवकों पर कड़ी नज़र रक्खी जाती थी। किन्तु इन तीनों युवकों ने पुलिस के सारे



स्वर्गीय सरदार भगतसिंह की दादी और सरदार किशनसिंह की पूजनीया जननी

प्रयत्नों को निष्फल कर दिया, और वे सकुशल लाहौर से बाहर चले गए।

लाहौर से निकल भागने के लिए सरदार भगतसिंह ने जो उपाय सोचा था, वह जितना ही चतुरतापूर्ण था उतना ही साहसपूर्ण भी। उन्होंने एक सरकारी अफ़सर की तरह कपड़े पहने; अपना नाम भी ख़ूब बड़ा सा रख लिया, और उसी नाम के लेबल अपने ट्रङ्क और पोर्टमेण्टो पर लगवा लिए। उन्होंने पुलिस वालों की आँखों में धूल झोंकने के लिए एक सुन्दर युवती को भी अपने साथ लिया और उसी सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन पर, फ़र्स्ट क्लास के कमरे में सवार हुए, जहाँ कि ख़ुफ़िया पुलिस वाले मि० सॉण्डर्स के हत्यारों का पता लगाने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए गए थे। श्री० राजगुरु सरदार भगतसिंह के अर्दली बने थे। अर्दली का वेष-भूषा बनाने के साथ ही साथ एक टिफ़िन केरियर भी वे बराबर अपने हाथ में रखते थे। यह कहने की आवश्यकता नहीं, कि ख़तरे के लिए विशेष रूप से सभी तैयार थे।

श्री० चन्द्रशेखर आज़ाद ने सरल तरीक़ा ढूँढ़ निकाला। उन्होंने मथुरा के लिए तीर्थयात्रियों की एक टोली तैयार की, जिसमें केवल बूढ़े लोग थे। एक ब्राह्मण पण्डित का वेष धारण करके, इसी टोली के साथ हुए, और सकुशल लाहौर के बाहर पहुँच गए!

* * *

सातवाँ परिच्छेद

बाद की कार्यवाहियाँ

सरदार भगतसिंह से पुलिस वाले अच्छी तरह परिचित थे, इसलिए ख़ुफ़िया पुलिस वालों ने अनुमान किया कि वे भी सॉण्डर्स हत्या-काण्ड में सम्मिलित रहे होंगे। इसी अनुमान के सहारे वे सरदार भगतसिंह की खोज करने लगे, किन्तु उनका कोई पता नहीं चला। पुलिस-अफ़सरों को जो गुप्त आज्ञाएँ दी गई थीं, उनमें एक यह भी थी कि सरदार भगतसिंह जहाँ कहीं भी पाए जायँ, तुरन्त गिरफ़्तार कर लिए जायँ। उनका पता लगाने के लिए कई स्पेशल पुलिस-अफ़सर नियुक्त किए गए। जो पुलिस-कॉन्स्टेबिल उन्हें पहचानते थे, वे बड़े-बड़े जङ्क्शनों पर तैनात किए गए, और रेलवे पुलिस ने भी कड़ी निगरानी रखनी शुरू की। इतने उपाय किए जाने पर भी सरदार भगतसिंह बिना रोक-टोक के चारों ओर भ्रमण किया करते थे।

सॉण्डर्स हत्या-काण्ड की सफलता ने, क्रान्तिकारी दल की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ा दी और इसने विद्यार्थियों के बीच भी बड़ी सनसनी उत्पन्न कर दी। इसके बाद से दल की आर्थिक दशा सुधरने लगी। हत्या-काण्ड के पहले दल की आर्थिक अवस्था बहुत शोचनीय थी। जिस दिन हत्या-काण्ड हुआ था, उस दिन उन युवकों के पास इतने पैसे भी नहीं थे, कि रात को घर में चिराग़ जला सकें! किन्तु थोड़े ही दिनों में चन्दे मिलने लगे, और कुछ दिनों के लिए उनका अर्थाभाव दूर हो गया।

इसी समय राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन कलकत्ते में होने वाला था। यह निश्चित किया गया कि सरदार भगतसिंह और श्री० विजयकुमार सिंह, परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए वहाँ जायँ, और बङ्गाल के क्रान्तिकारी दल से सम्बन्ध स्थापित करें। काकोरी-षड्यन्त्र केस के सम्बन्ध में युक्त-प्रान्त में गिरफ़्तारियाँ होने, तथा बङ्गाल में क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेण्ट एक्ट के प्रचलित होने से, युक्त-प्रान्त और बङ्गाल के क्रान्तिकारी दलों का सम्बन्ध टूट गया था। देवघर षड्यन्त्र-केस ने इस टूटे हुए सम्बन्ध को और भी छिन्न-भिन्न कर दिया।

बङ्गाल प्रान्तीय विप्लवी दल के अन्तरङ्ग सदस्यों से मिलने में सरदार भगतसिंह को कोई विशेष कठिनाई नहीं उठानी पड़ी। उन पर उस दल के उन वीर नेताओं का बहुत प्रभाव पड़ा, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग जेल की चहारदीवारी के अन्दर बिताया था। किन्तु साथ ही उन्हें यह भी पता चला कि युक्त-प्रान्त और पञ्जाब के विप्लवियों ने जिस मार्ग को ग्रहण किया है, उस पर उनका विश्वास नहीं है। केवल एक ही बात में वे सहमत थे, कि देश की स्वाधीनता के लिए हिंसात्मक क्रान्ति की आवश्यकता है। किन्तु अन्य बातों में, जैसे साम्यवाद, दल के कार्य-क्रम में त्रासवाद का स्थान, गोपन की आवश्यकता आदि बातों में उनके विचारों में बहुत ही अन्तर था।

पुराने त्रासवादियों के साथ बातचीत करने से उन्हें पता चला कि बम बनाने की बड़ी आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से वे किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में लगे, जो बम बनाने की कला में दक्ष हो और दल के सदस्यों को बम बनाना सिखाया करे। कुछ कठिनाई के बाद उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिल गया। किन्तु पहले उसने कहा कि बङ्गाल के क्रान्तिकारी नेताओं ने बम बनाने और उसका व्यवहार करने का विरोध

किया है, अतएव संस्था का एक सदस्य होने के कारण, मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। किन्तु सरदार भगतसिंह ने उसे विश्वास दिलाया कि यह बात बङ्गाल के लिए भले ही लागू हो सकती है, किन्तु युक्तप्रान्त और पञ्जाब के लिए यह लागू नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उसे यह भी विश्वास दिलाया कि बम बनाने का कार्य केवल इन्हीं प्रान्तों तक परिमित रहेगा, बङ्गाल का उससे कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।

इसी समय सरदार भगतसिंह ने, 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' की बिहार-शाखा के नए सदस्यों से भी जान-पहचान कर ली। संस्था का बिहारी एक नया केन्द्र कलकत्ते में स्थापित किया गया। एक सदस्य उसके अध्यक्ष बनाए गए। फ़रार अभियुक्तों को आश्रय देने के लिए यहाँ एक आश्रम भी खोला गया।

संस्था के प्रति व्यापारियों की सहानुभूति होने के कारण, बम बनाने के लिए रासायनिक द्रव्यों को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ती थी। इस कार्य के लिए आगरे में एक नया मकान किराए पर लिया गया था। यहीं बम तैयार करना निश्चित हुआ। बम-मास्टर भी निश्चित समय पर आ पहुँचे। बहुत थोड़े ही समय में चुने हुए सदस्यों के एक दल ने बम बनाना सीख लिया। अगले दो महीने तक यह दल इसी प्रकार का सामान तैयार करने में लगा रहा। आगरा के अलावा, लाहौर और सहारनपुर में भी बम बनाने के केन्द्र स्थापित किए गए।

आगरे में पहले-पहल जो बम तैयार किए गए थे, उनमें से दो झाँसी लाए गए, और वहाँ पटक कर उनकी परीक्षा ली गई। बम बनाने में सफलता प्राप्त करने पर, सदस्यों को बहुत आनन्द हुआ।

इसी समय दल का एक सदस्य बीमार पड़ गया। पता चला कि उसे चेचक निकल आई है। सरदार भगतसिंह और उनके साथी रात-दिन उसकी सेवा किया करते थे। छूत लग जाने की उन्होंने ज़रा भी परवाह न की। इन लोगों की सेवा-शुश्रूषा से वह युवक शीघ्र ही नीरोग हो गया। किन्तु यह आश्चर्य की बात है कि वही युवक गिरफ़्तार होने पर सरकारी गवाह बन गया, और उसने अपने उन्हीं साथियों को फँसाया, जिन्होंने उसकी रुग्णावस्था में, अपनी जान की परवाह न कर, उसकी सेवा की थी!

* * *

आठवाँ परिच्छेद

एसेम्बली में बम-काण्ड

८वीं अप्रैल, १९२९ को दिल्ली में एक अपूर्व घटना हुई। कहा जाता है कि उस दिन हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के दो सदस्य एसेम्बली-भवन में, बिना किसी के देखे, घुस गए और उन्होंने सरकारी अफ़सरों की ओर दो बम फेंके! भीषण धड़ाके के साथ दोनों बम फट पड़े और सारा कमरा धुएँ से भर गया। वे बेञ्च, जिनके समीप वे बम गिरे थे, चूर-चूर हो गए, और सतह के एक हिस्से में भी एक गड्ढा सा हो गया। किन्तु किसी को चोट नहीं आई।

इस समय एसेम्बली का दृश्य भी देखने ही योग्य था। उसके वीर सदस्यगण समीप वाले कमरे की ओर इस प्रकार भागे, मानो किसी भीषण जन्तु ने उनका पीछा किया हो! कहा जाता है कि कुछ लोग तो जान बचाने के लिए ग़ुस्लख़ाने में भी घुस पड़े थे! दर्शकों की गैलरी भी ख़ाली पड़ी थी।

इस अपूर्व दृश्य में, कुछ लोग ऐसे भी थे, जो अपनी जगहों पर निश्चल-भाव से डटे रहे। इन लोगों में पं० मोतीलाल नेहरू, पं० मदनमोहन मालवीय और सर जेम्स क्रेरर भी थे। सेण्ट्रल गेट और महिलाओं की गैलरी के मध्य भाग में दो युवक स्थिर भाव से खड़े थे। ये दोनों ऐतिहासिक व्यक्ति—सरदार भगतसिंह और श्री० बटुकेश्वरदत्त थे!

जिस अवसर पर, एसेम्बली में बम फेंका गया था, वह अवसर भी बड़ा महत्वपूर्ण था। इस समय बम्बई में मज़दूर आन्दोलन ज़ोरों पर था। उसकी सफलता से सरकार भयभीत हो उठी थी। इसी आन्दोलन को रोकने के लिए सरकार एसेम्बली में एक क़ानून बनाना चाहती थी।

जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन एसेम्बली के दरवाज़े पर पुलिस का कड़ा पहरा था। यह एक रहस्य है कि सरदार भगतसिंह और श्री० बटुकेश्वर दत्त इस पहरे के बीच से एसेम्बली-भवन में कैसे चले गए! यह आश्चर्य और भी बढ़ जाता है, जब हमें मालूम होता है कि वे केवल उसी दिन वहाँ नहीं गए थे, बल्कि घटना के ३-४ रोज़ पहले से वे वहाँ जाते-आते थे! यह दो कारणों से सम्भव हो सकता है; एक तो वे यूरोपियन वेष-भूषा से सज्जित थे, इस कारण किसी को सन्देह करने का मौक़ा नहीं मिल सकता था, और दूसरे, उनके



स्वर्गीय सरदार भगतसिंह की पूजनीया जननी—श्रीमती विद्यावती

पास दर्शकों के टिकिट मौजूद थे। वे तीन रोज़ लगातार एसेम्बली-भवन में गए। वहाँ जाते समय, उनके एक पॉकेट में एक तैयार बम और दूसरे में भरा हुआ रिवॉल्वर रहता था! वे बराबर सुयोग की ताक में रहे, और जब मौक़ा हाथ लगा तो उन्होंने अपने मन्सूबे को पूरा किया, मानो बम फेंकने और सलाई जलाने में कुछ अन्तर ही नहीं है!

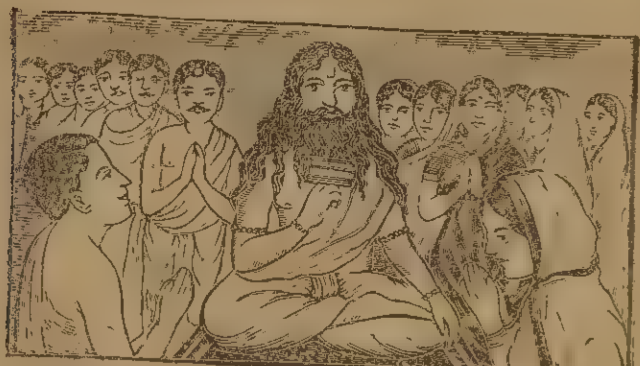
यहाँ पर हम ज़ोर देकर कह सकते हैं कि यदि वे युवक चाहते तो, सकुशल वहाँ से निकल भागना उनके लिए कोई कठिन बात न थी। उन्होंने अपनी इच्छा से पुलिस के हाथों आत्म-समर्पण कर दिया, और आनन्द-पूर्वक उस कठिन दण्ड को गले लगाने के लिए तैयार हो गए, जो इस प्रकार के अपराधों के लिए अपरिहार्य है!

दोनों युवकों के पास भरे हुए रिवॉल्वर थे। यदि वे चाहते तो वे उन सरकारी अफ़सरों को मार सकते थे, जो बम फटने के बाद भय से इधर-उधर दौड़ रहे थे। किन्तु इस प्रकार का कोई घृणित कार्य उन लोगों ने नहीं किया। उन लोगों ने अपने रिवॉल्वर निकाल लिए और पुलिस सार्जेण्टों के सामने, जो इस समय घटना-स्थल पर मौजूद थे, उन्हें सामने की कुर्सी पर रख दिए! इसके बाद उन दोनों ने 'इन्क़िलाब ज़िन्दाबाद' तथा 'साम्राज्यवाद की क्षय' के नारे लगाए। ये नारे भारत में पहले-पहल इन्हीं युवकों द्वारा लगाए गए थे। पीछे युवक-समाज के लिए इन नारों का लगाना एक साधारण सी बात हो गई। नारे लगाते समय उन युवकों ने कुछ क्रान्तिकारी पर्चे भी बाँटने शुरू किए, इन पर्चों पर 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी' लिखा हुआ था। इन पर्चों में एक अपील भी थी, जो टाईप की हुई थी और जिसके ऊपर लाल रङ्ग में एक शीर्षक लगा था। ये शीर्षक वे ही थे, जो सॉण्डर्स हत्या-काण्ड के बाद निकाले गए पर्चों में थे। अपील के पर्चे को इस प्रकार शुरू किया गया था, "बहरे को सुनने के लिए ज़ोर से कहना पड़ता है।" उसमें फ़्रेन्च विप्लवी वेलियण्ट के कुछ उद्धरण देकर क्रान्तिकारी दल के कार्यों का समर्थन किया गया था और कहा गया था कि "जनता के प्रतिनिधि, अपने निर्वाचकों के पास लौट जायँ और जनता को भावी विप्लव के लिए तैयार करें।"

पर्चे वितरण करने के बाद ही दो पुलिस सार्जेण्ट और कुछ कॉन्स्टेबिल आगे बढ़े और उन्होंने सरदार भगतसिंह तथा श्री० बटुकेश्वरदत्त को गिरफ़्तार कर लिया। रङ्ग-मञ्च से अदृश्य होने के पहले, उन्होंने एक बार फिर, 'इन्क़लाब ज़िन्दाबाद' और 'साम्राज्यवाद की क्षय' के नारे लगाए। इन नारों की ध्वनि से एसेम्बली-भवन गूँज उठा और भयभीत दर्शक आश्चर्य-चकित रह गए!

(क्रमशः)

* * *



मुफ़्त ! मुफ़्त !! मुफ़्त !!

जो कवच २) में मिलता था, आज वह सिर्फ़ १५ दिन के वास्ते मुफ़्त भेजा जाता है। यह कवच संसार भर के जादू, तन्त्र-मन्त्र, ज्योतिष चमत्कारों से परिपूर्ण है, इसके धारण करने से हर तरह के काम सिद्ध होते हैं। जैसे रोज़गार में लाभ, मुक़दमे में जीत, सन्तान-लाभ, हर तरह के सङ्कटों से छुटकारा, इम्तिहान में पास होना, इच्छानुसार नौकरी मिलना, जिसको चाहे वस कर लेना, हर प्रकार के रोगों से छुटकारा पाना, देश-देशान्तरों का हाल क्षण भर में जान लेना, भूत-प्रेतों को वश में कर लेना, स्वप्न-दोष का न होना, मरे हुओं से बातचीत करना, राज-सम्मान होना, कहाँ तक गिनाएँ, बस जिस काम में हाथ डालिएगा, फ़तह ही फ़तह है। १५ दिन तक फ़्री, बाद १५ दिन के १ कवच का मूल्य २), तीन का ५॥) डाक-महसूल ॥=)'; ध्यान रहे मरे हुओं की १ पुश्त तक का हाल बतावेगा, दूसरे के ज़िम्मेदार हम नहीं। अगर कोई झूठा साबित करे तो १५) इनाम। सन्तान चाहने वाले स्त्री और पुरुष दोनों ही कवच मँगावें।

पता—एस० कुटी हाटखोला (कलकत्ता)

रजिस्टर्ड

शान्तिधारा

महात्मा का प्रसाद नीचे लिखे रोगों में रामबाण है, जैसे हैज़ा, प्लेग, दस्त, उलटी, पेचिश, फ़सली बुख़ार, मलेरिया, निमोनिया, फोड़ा-फुन्सी, हड्डी के जोड़ों का दर्द, कान व पेट का दर्द, दमा, खाँसी, सर्दी, बिच्छू, साँप और-और ज़हरीले डङ्कों का काटना, कुछ दिन नियमानुसार लेप करने से श्वेत-कुष्ठ जड़ से मिट जाता है। हर एक घर में सदा रखने की चीज़ है। मूल्य छोटी शीशी ॥), बड़ी १), एक बार ६ शीशी मँगाने से डाक-ख़र्च माफ़।

शान्तिधारा औषधालय

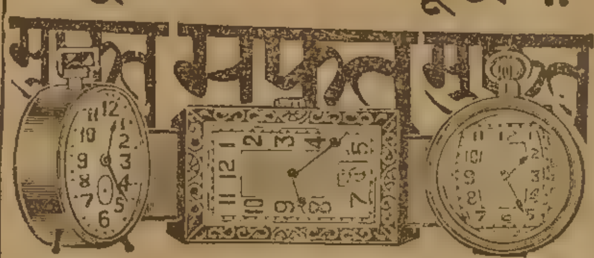
८२ कोलूटोला स्ट्रीट, कलकत्ता

असल रुद्राक्ष माला

-) आना का टिकट भेज कर १० दाना नमूना तथा रुद्राक्ष माहात्म्य मुफ़्त मँगा देखिए।

रामदास एण्ड को०,
३ चोरबगान स्ट्रीट, कलकत्ता

लूटो ! लूटो !! ख़ूब लूटो !!!



हमारी मशहूर दाद की दवा २४ घण्टे में दाद को साफ़ कर देती है। १ दर्जन का दाम ३।), दो दर्जन एक साथ लेने से ३ सच्ची घड़ियाँ ठीक समय बताने वाली गारण्टी सहित, साथ में पैर के नाप का जूता भी मुफ़्त मिलेगा। डाक-महसूल १ दर्जन ॥), दो दर्जन १)

पता—फ़्रेण्ड्स ऑफ़ इण्डिया, हाटखोला (कलकत्ता)

सच्चा और असली

"नेत्र-बन्धु सुर्मा"



रतौंधी, तारीकी, धुन्ध, जाला, माड़ा, लाली, मोतियाबिन्द, ढलका, नाख़ूना और खुजली अर्थात् नेत्र सम्बन्धी तमाम रोगों को जड़ से आराम कर देने के लिए हमारा यह नेत्र-बन्धु सुर्मा अपूर्व बल और गुण सम्पन्न है। अगर आँखों में किसी क़िस्म की शिकायत न भी हो तो भी इसे बराबर लगाने से नेत्र की ज्योति तेज़ बनी रहती है, आँखों में होने वाली तमाम बीमारियों से बचाए रखता है। बच्चे, जवान, मर्द और औरत सबको समान रूप से हितकारी है। दाम प्रति तोला १) रुपया, डा० म० अलग। एक तोला से कम सुर्मा नहीं मिलेगा।

पता—एस० ए० बी० बक्सो एण्ड कं०
कोठी नं० ७० कोलूटोला स्ट्रीट, कलकत्ता

दी कलकत्ता होमियो फ़ारमेसी को

असली और ताज़ी दवाइयाँ -)॥ प्रति ड्राम क्रमशः २४, ३०, ४८, ६०, और १०४ शीशियों वाले फ़ैमिली बक्स की क़ीमत मय एक ड्रापर और हिन्दी में एक चिकित्सा-विधान के ३), ३॥), ५॥), ६।।।) और १०।।।=) गोलियाँ, दूध की मिठाई, ग्लूब फ़ाएल्स, कार्क, कार्डबोर्ड-केस वग़ैरह सस्ते दाम पर मिलते हैं। उल्लिखित फ़ैमिली बॉक्स यदि अङ्गरेज़ी में चिकित्सा-विधान सहित लेना हो तो १) अधिक लगेगा।

पता—एस० आर० बिस्वास एन्ड सन्स, ७५—१ कोलूटोला स्ट्रीट, कलकत्ता

प्रैण्ड क्लियरिङ्ग सेल !!

दोनों हाथों लूटिए !!!

हमारे निहायत ख़ुशबूदार ओटो मोहिनी एसेन्स (मूल्य प्रत्येक शीशी ८ आना) की ६ शीशियाँ ख़रीदने वाले को निम्न-लिखित चीज़ें उपहार में दी जायँगी १—नं० २६ एच० की सुन्दर और मज़बूत घड़ी; १ फ़ैन्सी पॉकेट वाच (गारण्टी ३ वर्ष); १ ट्वाय रिस्टवाच (लेदर बैण्ड के साथ) १ रूमाल; १ जोड़ी जूता (ज़ीन का बना हुआ), १ मनीबेग; १ फ़ाउण्टेन पेन; १ ड्रापर; १ चश्मा; १ सेट कुर्त्ते की बटन; ८ अँगूठियाँ। दाम इन उपहार की चीज़ों के साथ ६ शीशियों का केवल ३) पोस्टेज १० आना।



पता—एम० एन० वाच को०,
२०, जयमित्र स्ट्रीट, हथखोला, कलकत्ता

यदि आपका घर पुत्र-रत्न से शून्य हो तो हमसे पत्र-व्यवहार करिए।

वैद्यराज, पो० बरालोकपुर,
इटावा (यू० पी०)

अग्रवाल वर चाहिए

बीसा अग्रवाल उच्च घराने की विवाह योग्य शिक्षित कन्याओं के लिए, जो कि यू० पी० के निवासी हैं, ऐसे वरों की दरकार है, जो १८ से २१ साल तक के स्वस्थ, सदाचारी, शिक्षित और कम से कम २००) मासिक बँधी हुई आमदनी रखने वाले आदर्श सुधारक हों; लेने-देने का ठहराव, फ़ज़ूल ख़र्च व कुरीतियाँ कुछ न होंगी, किन्तु विवाह बहुत सादापन से आडम्बर-रहित होगा, जन्म-पत्र नहीं मिलाई जायगी, कोई भाई मन्तव्य विरुद्ध लिखा पढ़ी न करें। व्यापारी लाइन विशेष वाञ्छनीय है।

अग्रवाल समिति,
D. बलदेव बिलडिङ्ग, झाँसी
JHANSI

आगे के लिए अभी से चेत जाइए

(सम्बत् १९८८ का हाल)

यदि आप यह जानना चाहें कि हमारा यह साल कैसा रहेगा—कौन वस्तु ख़रीद कर बेचने में लाभ होगा, नौकरी कब लगेगी, तरक़्क़ी, तबादला कब होगा, विवाह कब होगा, सन्तान क्या होगी, अचानक धन-प्राप्ति, मुक़दमे की हार-जीत, इमतिहान पास, रोग-कष्ट, मृत्यु इत्यादि—तो आज ही एक पोस्ट कार्ड पर किसी फूल का नाम व अपना नाम और उमर लिख भेजिएगा। हम साल भर में होने वाले माहवारी हालात १।) रु० में भेज देंगे। भृगु-संहिता से तमाम उमर का हाल २॥) रु० में। जन्म-कुण्डली की नक़ल भेजें या दाहिने हाथ का पञ्जा छाप कर भेजें। विधि न मिले तो रुपया वापस करेंगे।

पता—मैनेजर ज्योतिषशास्त्र कार्यालय,
(४) पो० बहरोड, राज्य अलवर

साहित्य का सपूत

[श्री० जी० पी० श्रीवास्तव, बी० ए०, एल् एल्० बी०]

अङ्क—३ ; दृश्य—२

रास्ता

(टेसू एक किताब लिए तेज़ी से आता है और बजरबट्टू उसका पीछा करता हुआ आता है)

बजरबट्टू—अरे ! टेसू टेसू टेसू टेसू टेसू—

टेसू—(दूसरे किनारे तक पहुँच कर एकाएक घूम पड़ता है और पहले किनारे तक जाता हुआ) क्या है बाबू बजरबट्टू बट्टू बट्टू बट्टू बट्टू—

बजरबट्टू—(पिछड़ता हुआ) अयँ ? अयँ ? अबे ज़रा ज़बान रोक के बातें कर । बता सम्पादक जी कहाँ हैं ?

टेसू—चूल्हे में ।

बजरबट्टू—यह क्या ?

टेसू—तब मैं क्या जानूँ वह कहाँ हैं ? अब मुझसे उनसे मतलब ?

बजरबट्टू—क्यों ?

टेसू—क्योंकि अब मैं उनके यहाँ नौकर नहीं हूँ। मैं अब रामलीला-मण्डली में काम करता हूँ, जिसके मन्त्री बाबू यदुनाथ राय हैं। उसीके लिए यह देखिए (किताब दिखा कर) अपना पार्ट याद करने जाता हूँ।

(चल देता है)

बजरबट्टू—(अकेला) अजब मुश्किल है। अब क्या करूँ ? ऐसे सम्पादकों से ईश्वर बचाए, जो लेख लेते वक़्त लेखकों के द्वार खटखटाते-खटखटाते दरवाज़ा तोड़ डालते हैं, मगर पुरस्कार देने के वक़्त ढूँढ़े से भी नहीं मिलते ।

(रामदयाल का बड़बड़ाते हुए आना)

रामदयाल—साला सम्पादक बना है। जन्म भर का दग़ाबाज़ कहीं का । जब लेख लिखवाना था तो कहा कि फ़ी पेज मैं पुरस्कार..... इस हिसाब से दूँगा । जब देने की बारी आई तो महीनों दौड़ाने के बाद अब कहता क्या है कि हमने किताब वाला पेज थोड़े ही कहा था, हमारे यहाँ साढ़े तीन हाथ के आदमी के क़द के बराबर पूरे तख़्ते भर काग़ज़ का एक पेज गिना जाता है । तेरे बेईमान की ।

बजरबट्टू—लो, एक से दो हुए । अरे भाई रामदयाल, मैं भी तो यही रोना रो रहा हूँ । ख़ैर, तुमसे उसने इतना भी कहा, मगर मुझसे तो वह मिलता ही नहीं । मिले तो बताऊँ, कि पुरस्कार नापने वाला पेज कितना बड़ा होता है ।

रामदयाल—अजी यह सब न देने के बहाने हैं । ऐसे पुरस्कार पर लानत है ।

बजरबट्टू—पहले यह तो बताओ, वह है कहाँ ? मैं हूँ बजरबट्टू। क्या मुफ़्त थोड़े ही दिमाग़ का पसीना बहाया है ?

रामदयाल—क्या इसके लिए तुम दावा करके सभों की निगाहों में अपने को गिराओगे कि यह भी पुरस्कार लेते हैं।

बजरबट्टू—अरे ! इसमें ज़िल्लत की कौन सी बात है ? क्या भीख थोड़े ही माँगता हूँ । सभी दिमाग़ी पेशे वाले अपनी-अपनी मिहनत के दाम लेते हैं । एक वकील अपनी योग्यतानुसार बिना फ़ीस लिए ज़बान तक नहीं हिलाता । तो इस पेशे वाले अपनी उजरत क्यों न लें ? क्या इनके मुँह नहीं कि पेट नहीं होता या यह लोग ख़ाली हवा खाकर जीते हैं ? अच्छा दावा-फावा तो बाद को देखा जाएगा, पहिले मैं तो उनसे निबट लूँ। आओ ज़रा चल कर बताओ हैं कहाँ ?

रामदयाल—मारो गोली, ऐसे बेईमानों का मुँह देखना भी पाप है ।

बजरबट्टू—मगर इनको ठीक करना सब से बड़ा धर्म भी है, ताकि वह दूसरों के साथ फिर ऐसा बर्ताव न कर सकें । यह तुम्हीं लोगों के दब्बूपन से बेईमान बने हुए हैं । आओ चलो ।

(पकड़ ले जाता है । और दूसरी तरफ़ से साहित्यानन्द आता है)

साहित्यानन्द—पुरस्कार-याचकों के मारे रास्ता चलना मुश्किल—उहुँक—मार्ग गमन करना कठिनतर है । भला पुरस्कार कभी दिया भी जाता है कि मैं ही दूँ। ये मूर्ख इतना नहीं बोध करते कि पुरस्कार कदापि देने की वस्तु नहीं होती । यह शब्द तो सिर्फ़—उहुँक—मात्र लेखकों को उत्साहित कर लेख लिखवाने के लिए प्रयोग किया जाता है । बस इसके अतिरिक्त इस शब्द का कुछ भी अर्थ नहीं ।(पोस्टमैन का आना और साहित्यानन्द को एक ख़त देकर जाना)

साहित्यानन्द—(ख़त देखता हुआ एकाएक ख़ुशी से उछल कर) ओहोहो ! यह तो तिलोत्तमा का कृपा-पत्र है। इस बार बड़ी उत्कण्ठापूर्ण प्रतीक्षा के उपरान्त मिला । (जल्दी-जल्दी फाड़ कर पढ़ता हुआ) "सुधामय हृदयनाथ"—बाप रे बाप ! एकदम सुधामय हृदयनाथ मुझको लिख दिया। (प्रेम-उमङ्ग से छाती पीट कर) हाय ! हाय ! मारे आनन्द के हृदय फुदकने लगा। ओहोहो ! (ख़त कलेजे से लगाता हुआ) अरी प्यारी ! (इधर-उधर देखता हुआ) कहीं साला टेसुआ न देखता हो और जाकर मेरी कङ्कालिनी से कह दे। (ख़त लेकर एक किनारे पर जाता है) यहाँ पढ़ूँ। (फिर इधर-उधर देख कर) नहीं, यहाँ ठीक नहीं। (दूसरे किनारे पर जाकर) यहाँ। (पढ़ता हुआ) "प्राणेश्वर" !—ओहोहो ! (नाचता हुआ) मुझको प्राणेश्वर भी लिखा। उसके पिता मेरे सम्बन्ध में चाहे भ्रम में पड़े रहें या भाड़ में, वह तो भ्रम में नहीं है। मुझे प्राणेश्वर भी लिखती है। (इधर-उधर देख कर वहाँ से हट जाता है) यहाँ पढ़ूँ। (ख़त को देख कर चौंक कर फिर इधर-उधर देखता है) धत् तेरे की ! अब टेसुआ साले का भय कैसा ? उसको तो कई दिन हुए मैं निकाल चुका हूँ।(पढ़ता हुआ)जिस दिन आप मेरे यहाँ जलपान करने आए थे और आपने मेरे हाथ से पान खाया था, उसी दिन से मेरी दशा विचित्र है। यही जी चाहता है कि मैं सदा आपका चन्द्रमुख,जिस पर उस दिन हरा टीका शोभायमान था,निरखा करूँ।"(साहित्यानन्द का मुँह सूख जाता है) अरररर ! यह क्या ? मैं कहाँ उसके यहाँ जलपान करने गया था। वह तो मेरे स्थान पर संसारीनाथ गया था। हाय ! तो क्या वह भी भ्रम में पड़ी ? यही नहीं, वरन् उस मूर्ख पर मुझे समझ कर मोहित भी हो बैठी ? अनर्थ! अनर्थ!! महा अनर्थ !!! उस पाजी ने उसके हाथ से पान खाने—उहुँक—भक्षण करने का आनन्द भी प्राप्त कर लिया। हाय ! हाय ! ऐसी धृष्टता ? साले का प्राण ले लूँगा। (क्रोध और डाह से काँपता हुआ) और देखूँ उसने क्या किया। (ख़त की तरफ़ पढ़ने के लिए देखता है)

(बजरबट्टू और रामदयाल का आना)

रामदयाल—वह देखिए वह हैं।

बजरबट्टू—अजी सम्पादक जी, जय राम जी की। (कुछ जवाब न पाकर) ओहो ! पुरस्कार देते वक़्त सम्पादक जी बहरे भी बन जाते हैं। (साहित्यानन्द को हिला कर) अजी सम्पादक जी कहिए, मिज़ाज कैसा है ?

साहित्यानन्द—(चौंक कर देखता है, फिर सँभल कर) कौन लेखक बजरबट्टू ?

रामदयाल—जी हाँ, और रामदयाल भी।

(साहित्यानन्द वहाँ से हट कर फिर ख़त पढ़ने की कोशिश करता है)

बजरबट्टू—(साहित्यानन्द को बेदर्दी से हिला कर) अजी मैं आपका मिज़ाज पूछता हूँ मिज़ाज।

साहित्यानन्द—मिज़ाज ? उहुँक—स्वभाव—हाँ स्वभाव उत्तम है। अपना कहिए। (फिर ख़त की तरफ़ देखता है)

बजरबट्टू—ओहो ! अब ऐसी उदासीनता ? क्यों सम्पादक जी (ख़त एकाएक छीन कर) इसे क्या देखते हैं। ज़रा मेरी तरफ़ तो देखिए।

साहित्यानन्द—अरे ! वह बड़ा महत्वपूर्ण पत्र है। उसे मुझे दीजिए।

बजरबट्टू—मेरा भी आपसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है।

साहित्यानन्द—परन्तु इस समय मुझे अवकाश नहीं है। क्षमा कीजिए।

बजरबट्टू—अभी अवकाश हुआ जाता है। इस साले को फाड़ के फेंके देता हूँ।

साहित्यानन्द—हाँ-हाँ-हाँ ऐसा अनर्थ न कीजिएगा।

बजरबट्टू—तब सीधी तरह से मेरी बात सुनिए। आप जानते हैं कि मैं चचा बजरबट्टू हूँ। मुझे भी आपके यहाँ बार-बार जाने का अवकाश नहीं रहता।

साहित्यानन्द—अच्छा कहिए।

बजरबट्टू—(ख़त देकर) इसको तो रखिए जेब में और मेरा पुरस्कार चुपके से ढीला कीजिए। बस यही काम है।

साहित्यानन्द—क्या कहा पुरस्कार ? आहाहाहा ? क्या आप लोग भी पुरस्कार लेंगे ? ऐसा न कहिए। आप लोग तो अमीर आदमी हैं। बड़ी-बड़ी कोठियाँ हैं।

बजरबट्टू—जिसके यहाँ से आप काग़ज़ लेते हैं वह तो मुझसे भी अमीर है, जिसके यहाँ आप अख़बार छपाते हैं उसकी कोठी शहर में सब से बड़ी है।

साहित्यानन्द—हाँ-हाँ।

बजरबट्टू—तो इसी नियम के अनुसार उन लोगों के भी दाम न देते होंगे।

साहित्यानन्द—नहीं-नहीं-नहीं। परन्तु पुरस्कार की बात—उहुँक—वार्ता और है। इसको उद्योगी और धनाढ्य लेखक लेना अपमान समझते हैं। इसी हेतु पत्र के नियमों में स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि "जो पुरस्कार लेना चाहे उनको पुरस्कार भी दिया जाता है।" अर्थात् सबको नहीं दिया जाता।

बजरबट्टू—मुझे वैसा बेवक़ूफ़ न समझिएगा, जो ईमानदारी और मिहनत की कमाई को इज़्ज़त की नज़रों से न देखे।

साहित्यानन्द—परन्तु पुरस्कार तो हम केवल पुरस्कृत्य लेखों पर देते हैं।

रामदयाल—अब आए दूसरे रङ्ग पर। देखा ? गोया आप दो ही चार लेख पढ़ने योग्य छापते हैं,बाक़ी

पाठकों को धोखा देने के लिए अख़बार में कूड़ा-कर्कट भरते हैं। तभी तो पुरस्कृत्य और अपुरस्कृत्य का आपने झगड़ा उठाया। शायद आप छपाई और काग़ज़ के दाम भी इसी तरह देते होंगे। जिसे आप पुरस्कृत्य समझते होंगे उसकी छपाई दी जाती होगी, जिसे नहीं उसको नहीं—क्यों सम्पादक जी ?

साहित्यानन्द—ऐसा तो होना ही चाहिए, परन्तु मुद्रक और विक्रेता यह स्वीकार करें तब तो।

रामदयाल—तब क्या आपने लेखकों ही को उल्लू समझ रक्खा है, इन्हीं की कमाई मारने के लिए पुरस्कृत्य-अपुरस्कृत्य का झगड़ा निकाला जाता है? लेख पढ़ने क़ाबिल नहीं होता तो उसे आप छापते क्यों हैं? जब छापा तो उसके दाम दीजिए। छपाई के दाम तो भले ही देते हैं, लिखाई के दाम देने में क्यों नानी मरती है?

साहित्यानन्द—आपने तो कहा था कि हम पुरस्कार नहीं लेंगे।

रामदयाल—बेशक! जब आपने पुरस्कार नापने वाला पेज साढ़े तीन हाथ का बताया था, ताकि मैं चिढ़ कर अपना पुरस्कार छोड़ दूँ। पढ़ने के पेज, पेज के बराबर; मगर पुरस्कार देने के वक्त पेज आदमी के बराबर! ऐसा अन्धेर?

बजरबट्टू—सुनिए सम्पादक जी। मैं हूँ बजरबट्टू। आप ऐसे न जाने कितने सम्पादकों से पाला पड़ चुका है। चुपके से मेरी मिहनत के दाम दीजिए और यह ढकोसलेबाज़ी अपने घर रखिए।

साहित्यानन्द—अच्छा-अच्छा, जब हिसाब होगा तब दाम दिया जाएगा।

(जाना चाहता है)

बजरबट्टू—(साहित्यानन्द को पकड़ कर) चले कहाँ, हिसाब होते कितनी देर लगती है। सीधे-सीधे कॉलम गिन लीजिए।

साहित्यानन्द—वाह! वाह! पढ़ने और छापने के लिए पत्र-पत्रिकाओं का एक कॉलम—उहूँक—खण्ड जो होता है वह पुरस्कार का हिसाब लगाने के लिए पूरा एक खण्ड नहीं माना जाता; क्योंकि उनमें सैकड़ों पंक्तियाँ छोटी होती हैं। इसीलिए उनका हिसाब बड़ा टेढ़ा—उहूँक—महान वक्र तथा कई मासिक में समाप्त होता है?

बजरबट्टू—ठहरिए-ठहरिए, मैं अभी आपका सारा हिसाब-किताब ठीक किए देता हूँ। तेरे बेईमान की!

(बजरबट्टू और रामदयाल साहित्यानन्द को ख़ूब मारते हैं)

साहित्यानन्द—अरे बाप रे बाप! अरे बाप रे बाप! मर गया।

(यदुनाथ अपने बनावटी भेष में आकर छुड़ा देता है)

जदुनाथ—हाँ-हाँ, इस बेचारे को क्यों मारे डालते हो?

साहित्यानन्द—हाय! मार डाला। बहुत मारा। कौन तिलोत्तमा के पिता? आहा! ख़ूब आए—उहूँक—सुन्दर आए। हाँ-हाँ, इन सभों से पूछिए कि मैं सम्पादक हूँ कि नहीं।

रामदयाल—कौन यह बेईमान? भला यह सम्पादक होने लायक़ है? यह सम्पादक नहीं, यह चोट्टा और उठाईगीर है।

(ग़ुस्से में चल देता है)

साहित्यानन्द—(छटपटा कर) अयँ? नहीं-नहीं, मैं उठाईगीर नहीं, सम्पादक हूँ सम्पादक। इनसे पूछिए इनसे। (बजरबट्टू) भाई मारा तो मारा। आह! बहुत चोट लगी है। मैं पुरस्कार दूँगा। परन्तु इन्हें जल्दी से बता दो कि मैं सम्पादक हूँ। दूँगा पुरस्कार दूँगा।

बजरबट्टू—चलो-चलो, मैं मारने का पुरस्कार नहीं लेता। क्या बताऊँ, यह आ गए नहीं तो बताता। अच्छा फिर सही।

(चल देता है)

साहित्यानन्द—अररररर! यह भी बिना बताए चला गया। महानुभाव विश्वास कीजिए, मैं ही सचमुच सम्पादक हूँ।

यदुनाथ—अगर आप सम्पादक हैं तो ये लोग गिद्ध की तरह लिपटे मारते क्यों थे?

साहित्यानन्द—पुरस्कार के लिए।

यदुनाथ—और आपने नहीं दिया।

साहित्यानन्द—देता तो मारा क्यों जाता? सम्पादक होकर मैं कहीं ऐसी ग़लती—उहूँक—अशुद्धि कर सकता था?

यदुनाथ—तब तो आप सम्पादक, आपके बाप सम्पादक और आपके सात पुश्त सम्पादक हैं। मार तक खा लिया, मगर पुरस्कार नहीं दिया। सम्पादक हो तो ऐसा हो। अब आपके सम्पादक होने में तनिक भी सन्देह नहीं है।

अछूत की साध !

[श्री० सियारामशरण जी, 'प्रभात']

जाने दो हे पूज्य-पुजारी !
  भीतर मुझको जाने दो।
देव-देव की सौम्य मूर्ति पर—
  यह निर्माल्य चढ़ाने दो।
क्या कहते हो—"दूर-दूर हट—
  पापी! नीच! अधम! कङ्गाल!"
क्या कहते—"अपवित्र बना दी—
  मैंने मन्दिर की दीवाल !!
मारोगे! हाँ! इतना मारो—
  रह न जाय बाक़ी ये प्राण!"
देव-देव के ही मन्दिर में—
  हो जाए मेरा निर्वाण !!
साध लगी थी बहुत दिनों से।
  उसको आज बुझाऊँगा।
जी भर कर जैसे हो प्रभु पर
  यह निर्माल्य चढ़ाऊँगा।

साहित्यानन्द—(ख़ुशी से ताली बजा कर) ओ-हो! तब तो मार खाना आज मेरा सफल हो गया। वाह! वाह! अब तो आपको विश्वास हो गया न, कि मैं सम्पादक हूँ। अरे आप रोते—उहूँक—रुदन क्यों करने लगे?

यदुनाथ—(रूमाल से आँख पोंछता हुआ) आह धोखा खा गया! बड़ी देर के बाद मेरा भ्रम दूर हुआ। क्या करूँ। हाय! अब पछताते नहीं बन पड़ता।

साहित्यानन्द—क्या हुआ क्या भगवन? बताइए।

यदुनाथ—मेरा दुर्भाग्य और तिलोत्तमा की कामनाओं की आहुति।

साहित्यानन्द—क्या क्या क्या?

यदुनाथ—तिलोत्तमा की साहित्यिक योग्यता देख कर मेरी हार्दिक कामना थी, कि मैं उसे किसी सम्पादक ही से ब्याहूँगा। और उसकी भी यही इच्छा थी। इसीलिए भ्रम में पड़ कर मैंने उस आदमी के साथ, जिसे अब तक मैं सम्पादक समझता था, तिलोत्तमा के विवाह करने का वचन दे दिया। अब जाना कि वह नहीं, आप सम्पादक हैं। आह! क्या करूँ। कुछ समझ में नहीं आता।

(पछताता हुआ जाता है)

साहित्यानन्द—हाय! यह क्या। सब किया-धरा अन्त में चौपट! हाय! मार खाना तक व्यर्थ हो गया। क्या करूँ। कहीं वह पाजी संसारीनाथ तिलोत्तमा से शादी भी न कर ले। अरे! वह चले गए। वह जा रहे हैं। अजी महानुभाव सुनिए तो—

(दौड़ता हुआ उसी तरफ़ जाता है)

पट-परिवर्तन

(क्रमशः)

* * *

दुबे जी की चिट्ठी

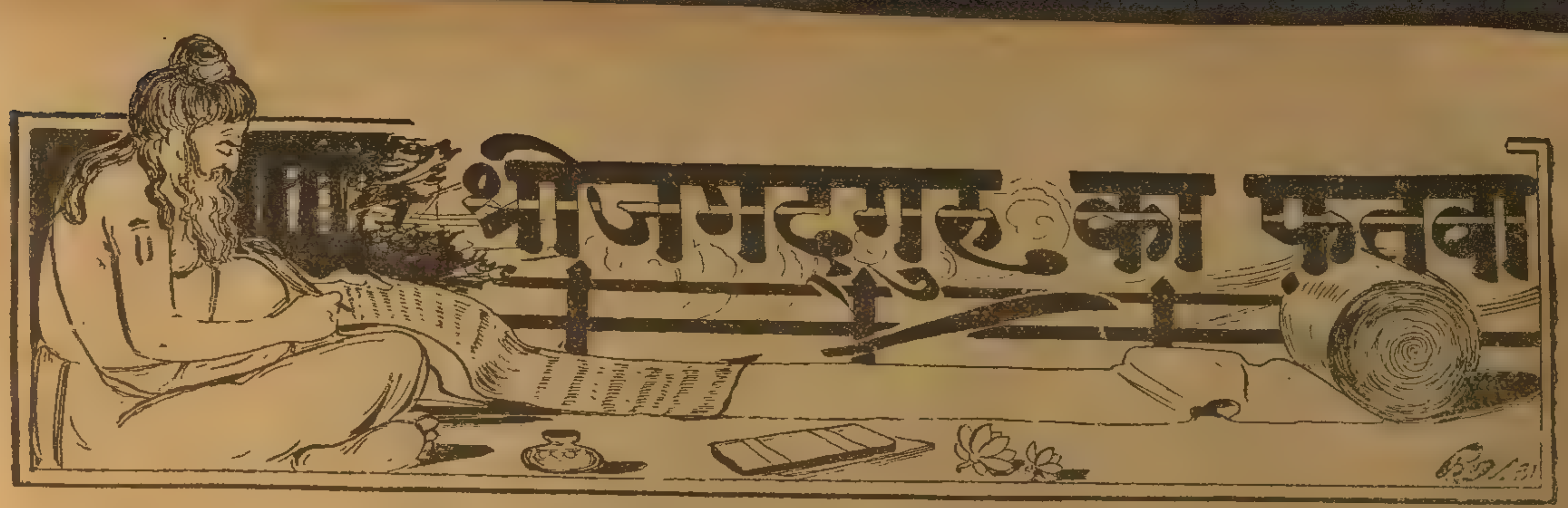
(२६वें पृष्ठ का शेषांश)

और सन्तरे की जगह कैथा! सो डॉक्टर दोनों चीज़ों को स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकर बताते हैं। जौ-बेझरा कैसे हज़्म होगा, गेहूँ तो हज़्म होता नहीं। फल और दूध-मक्खन के अतिरिक्त और कुछ खा ही नहीं सकते। जौ-बेझरा खाना होता तो जेल क्या बुरा था, जहाँ किसी भी समय (कोई क़ानून तोड़ कर) खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ जो व्याख्यान देंगे उनको प्रेस में कौन भेजेगा? जङ्गल में मोर नाचा किसने देखा? तमाम ज़माने भर की ख़ियाफ़त ख़र्च कर दीजिए, मगर दाद देने वाला कोई नहीं। कोई बात ज़रा भी उल्टी पड़ जाय तो उजड्ड किसान सिर की खाज मिटाने को तैयार हो जायँगे। वहाँ का खेल तो कभी-कभी का ही ठीक है। और वह भी इस तरह कि चार दिन पहले से कहला भेजा कि अमुक दिन नेता जी पधारेंगे। उनके लिए पाव भर मक्खन और मक्खन के लिए मिश्री हो, शकर न हो, दो सेर दूध और जितने प्रकार के फल मिल सकें वे सब प्रस्तुत रहें। क्योंकि इसके अतिरिक्त और कुछ खाएँगे तो लौट कर आना कठिन हो जायगा। इस प्रकार तैयारी करके नेता जी एक दिन मोटरकार अथवा रेल द्वारा देहात में पहुँचे। लोगों से जय बुलवाई, पैर छुवाए और एक व्याख्यान में उनको सङ्गठित होने की शिक्षा देकर, स्वराज्य में सर्व-सुख-प्राप्ति का सब्ज़ बाग़ दिखा कर और ज़मींदारों तथा सरकार को कोस कर वापस आ गए। शहर में आकर किसी चेले द्वारा प्रेस में अपने दौरे तथा व्याख्यान की रिपोर्ट भिजवा दी—बस ग्राम-सङ्गठन और किसानों की जाग्रति का पहाड़ खुद गया। शहर में जब कभी व्याख्यान देना पड़ा तो यही रोना रोना पड़ता है कि आप लोग किसानों का सङ्गठन कीजिए। कहते किनसे हैं? व्यापारियों से, नौकरी-पेशा वालों से। जिन्हें पेट के धन्धे से ही छुट्टी नहीं। अपने लिए तो शहर का सङ्गठन ही ठीक है। देहात का सङ्गठन दूसरे करें! सो फ़िलहाल शहर के सङ्गठन का काम भी पिलपिलाया हुआ है। ऐसी दशा में इन नेताओं के लिए कोई काम नहीं रह गया। दिन भर बैठे चर्ख़ा चलावें, यह भी असम्भव है। चर्ख़ा चलाना तो वैसा ही है, जैसा भगवान का पूजन करना। घण्टे आध घण्टे काफ़ी है। समय पर क़सम खा सकते हैं कि हम नित्य चर्ख़ा चलाते हैं। अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए चर्ख़ा चलाना बड़ा कष्ट-साध्य है। चर्ख़ा तो दूसरों से ही चलवाना ठीक है। या फिर महात्मा जी चर्ख़ा चला सकते हैं। और यदि नेता लोग दिन भर चर्ख़ा चलाने लगेंगे, तो बस फिर भगवान मालिक हैं। जनता को शिक्षा कौन देगा?

ये सब कठिनाइयाँ नेता लोगों के सामने हैं। सम्पादक जी, आप ही बतावें, इन कठिनाइयों से निकलने की क्या युक्ति है?

भवदीय,
—विजयानन्द (दुबे जी)

* * *



[हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द विरूपाक्ष]

पूर्व भारत में हमारी प्रेयसी सखी ने बड़ी धूमधाम से अपना तुमुल ताण्डव आरम्भ कर दिया है। चुने हुए छैल-छबीलों पर अन्धाधुन्ध हाथ फेर रही है। बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स और बङ्गाल-क्रिमिनल एमेण्डमेण्ट एक्ट की पुरानी रगों में नई रूह आ गई है। बात यह है कि सखी को जब प्रेम का दौरा होता है तो कमबख़्त मृगी-रोग को भी मात कर देता है।

❀

मगर सच पूछिए तो इस देश के नवयुवक हैं भी नितान्त अरसिक। इन्हें न तो, बोसा देना आता है, न जी बहलाना आता है। "बुते काफ़िर" की तरह कम-बख़्तों को 'फ़क़त तरसाना आता है।' आप ही बताइए, हमारी सुशीला सखी के रामराज्य में इन्हें क्या तकलीफ़ है जो कभी 'इन्क़िलाब ज़िन्दाबाद' के नारे बुलन्द करते और कभी अपने मानवोचित अधिकारों के लिए बेचारी के आराम में ख़लल डालते

❀

बक़ौल 'विशाल' कवि के 'कहाँ व्यथा निकरी कित जाय के!' चटगाँव में दो-चार टीन 'विस्फोटक' क्या मिल गया, सारे बङ्गाल और आसाम की शामत आ गई। अब उनकी प्रतिज्ञा है कि इन दोनों देशों में जब तक एक भी नवयुवक आज़ाद रहेगा, तब तक अन्न-जल न ग्रहण करेंगी। बताइए, यह दिल की उत्कट लगन नहीं, तो और क्या है?

❀

इसलिए हमारी तो राय है कि श्रीमान लाट विलिंग्डन साहब कोई ऐसा ऑर्डिनेन्स पास कर दें कि इस देश का कोई बच्चा कभी नौजवान ही न हो और जो कमबख़्ती के मारे नौजवान हो गए हैं, उनके लिए किसी ऐसे टॉनिक की व्यवस्था की जाए, जिससे शीघ्र ही बुढ़ौती आ जाए। क्योंकि इस देश में जब तक नौजवानों का टिड्डी-दल मौजूद रहेगा तब तक श्रीमती के दिल को तस्कीन न होगी।

❀

विलायत से ख़बर आई है कि पुण्यमयी वी ब्रिटानिया भावी महासमर में विपक्षियों को अनायास ही वैतरणी पार करा देने के लिए जी-जान से प्रयत्न कर रही हैं और प्रति वर्ष तीस लाख रुपए केवल ज़हरीली गैस तैयार करने में ख़र्च डालती हैं। भई, यह उदारता का रोग ही ऐसा है। कमबख़्त जिसे पकड़ लेता है, वह क्या रुपयों का मुँह देखता है?

❀

दरअसल आजकल एक ऐसे ही नुस्ख़े की ज़रूरत भी है। दूर क्यों जाइएगा, भारतवर्ष को ही लीजिए। देवढ़ी पर भूख के मारे चूहे दण्ड पेल रहे हैं, परन्तु जन-संख्या दिन-दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रही है। दस वर्षों में पूरे पाँच करोड़ बढ़ गए। अब बताइए, बेचारे यमराज अकेले कितने लोगों के लिए स्वर्ग-नर्क की व्यवस्था करें? बस, इसीलिए जॉनबुल का अम्मा जान ने भी उनका हाथ बटाने का विचार कर लिया है!

❀

हैज़ा, चेचक और प्लेग, बेचारे काम करते-करते थक गए। इन्फ़्लूएन्ज़ा ने तो ऐसा 'ओवर वर्क' किया कि बेचारा ख़ुद ही बीमार पड़ गया! हवाई जहाज़, मोटर और रेल-गाड़ियों से कुछ आशा थी, परन्तु ये सब के सब काम-चोर निकले। भला साल-दो साल में एक आध टक्कर लेने से क्या हो सकता है? ऐसी दशा में बी ब्रिटानिया ज़हरीली गैस न तैयार करें तो क्या करें? इतने बड़े साम्राज्य की रक्षा तो किसी तरह करनी ही पड़ेगी!

❀

श्रीजगद्गुरु की प्रार्थना है, कि अगर श्रीमती ब्रिटानिया जी अपने 'तीस लक्खी' गैस की एक मुट्ठी कानपुर भेज दें तो बड़ी मेहरबानी हो। क्योंकि प्रयत्न पर प्रयत्न होते जाते हैं, तो भी वह कमबख़्त इस धराधाम से अपना बोरिया-बिस्तर समेटने का नाम नहीं लेता। छुरियाँ चलीं, तलवारें और गोलियाँ चलीं; अन्त में 'खाण्डवदाह' भी हुआ, मगर वह मरने का नाम ही नहीं लेता। इससे मालूम होता है, कमबख़्त ने यमराज से बग़ावत आरम्भ कर दी है।

❀

ख़ैर, अभी ख़ुदा के फ़ज़्ल से 'चहलुम' बाक़ी है और माशा अल्लाह, उसीका भरोसा भी है। क्योंकि मुहर्रम से तो कुछ भी करते-धरते न बना। यह तो कहिए कि कलक्टरगञ्ज पर अग्नि ने कृपा कर दी, इससे थोड़ी सी ठण्ढक आ गई, वरना यह जेठ-असाढ़ की भयङ्कर लू सारा मज़ा ही किरकिरा कर देती और दिल का अरमान 'जल-भुन कर, सिकुड़ कर' माशूक़ के रुख़सार का तिल बन जाता।

❀

जनाब आली, मुहर्रम वीरता का त्योहार है। साल भर में यही दस रोज़ तो बेचारे मुसलमानों को अपनी वीरता की बानगी दिखा कर 'खेत खाय गदहा और मारा जाय जुलाहा', इस कहावत को चरितार्थ करने का मौक़ा मिलता है। पहले वे आपस में ही 'गदका-बनेठी' भाँज कर अपनी युद्ध-कला का प्रदर्शन कर दिया करते थे, परन्तु जब देश में काफ़िर मौजूद ही हैं तो 'अजायुद्ध' के बदले वास्तविक युद्ध ही क्यों न किया जाए, जिससे त्योहार भी सविधि और साङ्गोपाङ्ग सम्पन्न हो और आक़बत के लिए भी कुछ 'सरमाया' मुहय्या हो जाय।

❀

इसीलिए, केवल कानपुर में ही नहीं, बल्कि अन्यान्य कई स्थानों में भी चेष्टाएँ हुईं। कहीं ख़ुदा ने कामयाबी बख़्शी और कहीं दाँव ख़ाली चला गया। सो यह तो होता ही रहता है। आप क्या चाहते हैं कि महा चीमड़ कुफ़्र एक ही दिन में टूट जाए? अजी वाह! यह भी क्या कोई गन्ना है या मूली?

❀

भई, हमें तो दिल्ली का मुहर्रम सब से अधिक पसन्द आया। वहाँ वालों को 'पहाड़ी धीरज' के मज़े कई बार मिल चुके थे और वे समझ गए थे, कि इन प्रयत्नों से न तो कुफ़्र का ही बाल टेढ़ा होगा और न पैन इस्लामिज़्म को ही कुछ मदद मिलेगी। कमबख़्त काफ़िर दो-चार हों तो भला कोशिश भी की जाय, यहाँ तो जिधर देखिए, उधर ही गाही के गाही मौजूद हैं। इसलिए उन्होंने विफल परिश्रम छोड़ कर बी पुलिस से ही मज़ाक़ आरम्भ कर दिया! माशा अल्लाह, अच्छी दिल्लगी रही।

❀

माल चाब-चाब कर ऐंठे ख़ाँ बने फिरते हैं। न लड़के की छट्ठी में मङ्गल गाने आएँ, न विवाह-शादी के अवसर पर मुबारकबादी ही दें। इसलिए आओ बच्चू, ज़रा थोड़ी देर तक यह ताज़िए की रस्सी तो खींचो। यही तो मौक़ा है और क्या आक़बत में काम आओगे? अरे वाह रे,

'सरबस खाइ भोग करि नाना,
समर माँझ भा दुर्लभ प्राना?

❀

बड़ी मुश्किल हुई! बेचारे तीसमार ख़ाँ बुरे फँसे! कहीं शान में आकर अकड़ गए तो वह भी जम जाने के लिए तैयार! अगत्या झख मार कर रस्सी थामनी ही पड़ी! अच्छा हुआ, दिल्ली के मुसलमानों की ज़िद रह गई और पुलिस को थोड़ा सा ताज़िएदारी का सवाब भी मिल गया, जो हश्र के दिन काम आ जाएगा। अल्लाह मियाँ कुछ तो मुरव्वत करेंगे?

❀

एक बात और हुई। इसी बहाने भारत का जन्म-जन्मान्तर का खाया हुआ नमक भी थोड़ा सा अदा हो गया। बेचारी पुलिस को इस जीवन में फिर ऐसा सुयोग कहाँ मिलता। इसलिए चतुर सुपरिण्टेण्डेण्ट ने इस अवसर को ग़नीमत समझा और 'सपरिवार' अर्थात् सदल बल रस्सी पकड़ने लग गए। कसर इतनी ही रह गई कि मुसलमानों ने उनसे एक हाथ से रस्सी पकड़ने और दूसरे से छाती पीटते हुए मुँह से 'हाय हसन' कहते रहने की माँग न की। ख़ैर, अगली बार देखा जायगा।

❀

कलकत्ते की 'बङ्गाल चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स' नाम की 'गौराङ्ग वणिक-सभा' ने बड़े लाट को लिखा है कि— "यद्यपि विदेशी बहिष्कार के लिए किसी को डराया-धमकाया नहीं जाता, परन्तु इस आन्दोलन के पीछे कॉङ्ग्रेस की सारी शक्ति लगी हुई है—यह धारणा ही महा अनर्थ कर रही है और यह बात गाँधी-इर्विन समझौते के विरुद्ध है। इसलिए लाट साहब को चाहिए कि इस 'धारणा' को निकाल बाहर करने के लिए भारतवासियों को कोई तीव्र जुलाब देने की व्यवस्था करें। अन्यथा इसके निकलने का और उपाय ही क्या है?

❀

श्रीजगद्गुरु को भी आशा थी, कि समझौते के बाद खद्दर की खुरखुरी लँगोटी से पिण्ड छूटेगा और बुढ़ौती में एक बार फिर मलमल के मज़े मिलेंगे। मगर यहाँ तो 'लिखत सुधाकर लिखि गए राहू!' बेचारे इर्विन साहब ने तो समझौते में मैञ्चेस्टर और लङ्का-

शायर के आँसू पोंछने की बड़ी चेष्टा की। परन्तु उन्हें क्या मालूम था, कि भारत के कलूटों ने मलमल की ममता एकदम छोड़ दी है। भई, असल बात तो यह है कि पूरे पौने दो सौ वर्ष तक अङ्गरेज़ों की शीतल छत्र-छाया में रहने पर कमबख़्तों को अक़्ल न आई। वरना क्या तनज़ेब और आबेरवाँ छोड़ कर इस भयङ्कर गर्मी में खद्दर पहनते !

❀

भई, सच पूछो तो दादा जॉनबुल भी पूरी पहेली हैं। जब तक अँतड़ी को चोट नहीं पहुँचती, तब तक उनके मुँह से सच्ची बात भी नहीं निकलती। देखिए न, कल तक कॉङ्ग्रेस उनकी नज़रों में केवल कुछ 'गुमराह' पढ़े-लिखे लोगों की सभा मात्र थी, सर्वसाधारण से उसका कोई वास्ता था, न सरोकार ! परन्तु आज उसके 'दल की धारणा' लोगों को न साटन पहनने देती है और न तनज़ेब। अमाँ, इतना घबराते क्यों हो ? 'स्टेट्समैन' को कह दो, अपने कॉलमों में थोड़ा-सा कोस दे।

❀

बस जनाब, श्रीजगद्गुरु का यह हदीसी फ़तवा है कि आज से कोई भारतवासी 'विदेशी बहिष्कार' का नाम न ले। क्योंकि भारत में व्यापार करने का इस्तमरारी पट्टा अल्लाह मियाँ ने 'बङ्गाल चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स' को लिख दिया है। भारतवासियों को अधिकार नहीं, कि वे अपने शिल्प की उन्नति की चेष्टा करें। क्योंकि ऐसा करना समझौते के बिल्कुल विरुद्ध है ! अगर भारतवासी नहीं मानेंगे तो चेम्बर लाट साहब को चिट्ठी लिख देगी।

❀

प्रयत्न तो बहुत हुए; खद्दर का कुर्ता पहनने के अपराध में लोग जेल तक भेजे गए, गाँधी टोपी पहनना राजद्रोह माना गया, ऑर्डिनेन्स पास हुए, लाठियाँ चलीं, एण्टी-पिकेटरों की पलटनें खड़ी की गईं। ग़र्ज़ें कि कुछ भी उठा न रक्खा गया, मगर इन कालों की तक़दीर में सुन्दर, महीन और मुलायम कपड़ा बदा ही नहीं है तो क्या कीजिएगा, आपने तो काफ़ी चेष्टा की। इनको गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए कुछ भी उठा न रक्खा, परन्तु कोई फल न हुआ। इसलिए, अब क्या कीजिएगा, जाने भी दीजिए और भोगने दीजिए, इन्हें अपनी करनी का फल !

* * *

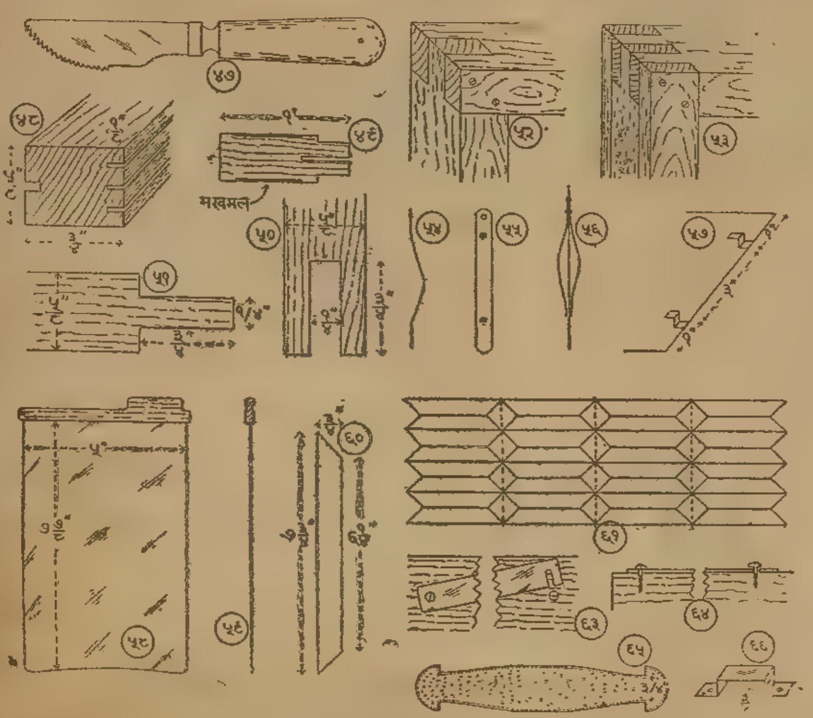
स्वर्ण संयोग !

फ़ोटोग्राफ़ी

हिन्दी में बिलकुल नई चीज़ !!

[डॉक्टर गोरखप्रसाद, डी॰ एस-सी॰ (एडिन) एफ़॰ आर॰ ए॰ एस॰, रीडर, प्रयाग-विश्वविद्यालय]

'फ़ोटोग्राफ़ी' हिन्दी में अपने ढङ्ग की बिलकुल नई और सर्वाङ्ग सुन्दर पुस्तक है। इसकी सहायता से आप घर बैठे फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हैं। नौसिखिए फ़ोटोग्राफ़रों को फ़ोटो खींचते समय जिन-जिन बातों की कठिनाइयाँ पड़ती हैं, उन्हें भली-भाँति अनुभव करके यह पुस्तक लिखी गई है और स्थान-स्थान पर चित्र देकर एक-एक बात ऐसे अच्छे ढङ्ग से समझाई गई है कि वह अनायास ही मन में बैठ जाती है।



प्लेट-घर बनाना

प्लेट-घर बनाने और उसे डेवेलप करने की रीति लेखक महोदय ने इस पुस्तक में विस्तार-पूर्वक लिखी है और १८ चित्र देकर इस सम्बन्ध की सारी बातें ऐसे अच्छे ढङ्ग से समझाया है कि सीखने वाले को किसी की सहायता की ज़रा भी आवश्यकता नहीं पड़ती।



कम-प्रकाश-प्रदर्शन पाए नेगेटिव का स्वरूप

प्लेट किस तरह डेवेलप किए जाते हैं, कम या अधिक डेवेलप करने से प्लेट पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब बातों का विस्तृत विवरण आपको इस पुस्तक में मिलेगा। साथ ही हल्के, शुद्ध और गाढ़े निगेटिवों का स्वरूप भी इसमें दिया गया है।

सच बात तो यह है कि फ़ोटोग्राफ़ी के सम्बन्ध में ऐसी उच्च कोटि की पुस्तक भारतीय भाषाओं में तो है ही नहीं, अङ्गरेज़ी में भी इनी-गिनी ही पुस्तकें इसके टक्कर की मिलेंगी। यही कारण है कि पुस्तक बड़े ज़ोरों से बिक रही है। मूल्य केवल ७) सात रुपए।

मौर्य-कालीन भारत का यह बहुत ही प्रामाणिक और गवेषणापूर्ण इतिहास है। यह संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अङ्गरेज़ी आदि भाषाओं के कितने ही प्रामाणिक तथा महत्वपूर्ण ग्रन्थों का मन्थन करके लिखा गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग से छाँट कर इसमें कई प्रामाणिक तथा नयनाभिराम चित्र भी दिए गए हैं। इसके लेखक श्रीयुत सत्यकेतु विद्यालङ्कार को उनकी इसी पुस्तक के लिए हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से १,२००) का मङ्गलप्रसाद पुरस्कार मिला है। मूल्य ५)

योरप के इतिहास में रोम, यूनान आदि देशों के उलट-फेर का हाल पढ़ कर जहाँ आप चकित हो जायँगे, वहीं क्रमशः योरप के सभी देशों में राजा की निरङ्कुशता का अन्त होते तथा प्रजा की सम्मिलित और सामूहिक शक्ति की प्रभावशालिता देख कर आनन्दित भी होंगे। सारी पुस्तक बहुत ही प्राञ्जल तथा ओजपूर्ण भाषा में लिखी गई है। भारत के प्रसिद्ध विद्वानों तथा पत्रों ने मुक्तकण्ठ से इसकी प्रशंसा की है। मूल्य ४)

यह राजनैतिक चहल-पहल का ज़माना है। जिसे देखिए, वही राजनीति-सम्बन्धी किसी न किसी प्रकार की आलोचना करने में व्यग्र है। इसीलिए आपका कर्तव्य है कि इतिहास तथा राजनीति सम्बन्धी उत्तमोत्तम ग्रन्थों का अध्ययन करके आप भी देश की वर्तमान समस्याओं के सुलझाने में सहायक बनिए।

फ्रान्स का इतिहास कई दृष्टियों से बहुत ही उपयोगी तथा महत्त्वपूर्ण है। विशेषतः वहाँ की राज्यक्रान्ति अत्याचार-पीड़ित प्रजा के लिए पथ-प्रदर्शक का काम दे सकती है। निरङ्कुश शासकों तथा पूँजीपतियों के अत्याचारों से पीड़ित होकर जनता ने जो उग्र रूप धारण किया था, उसे इस ग्रन्थ की प्रभावशालिनी पंक्तियों में पढ़ कर पाठकों के रोंगटे खड़े हो जायँगे। मूल्य ३)

अर्थशास्त्र के विश्व-विख्यात पण्डित चाणक्य का लिखा "अर्थशास्त्र" एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण, उपयोगी और उच्चकोटि का ग्रन्थ है। उसी के एक अंश राज्य-शासन-व्यवस्था पर इस ग्रन्थ में सरल रूप से आलोचनात्मक विवेचना की गई है। इसे पढ़ने से पता चलेगा कि आधुनिक कूटनीति, राजनीति और शासन-व्यवस्था की प्रत्येक महत्वपूर्ण बातें किसी समय में भारतवासी भली-भाँति जानते थे।

एक प्रति का मूल्य केवल १॥) डेढ़ रुपया।

...ted and Published by Tribeni Prasad B. A.—Editor, at The Fine Art Printing Cottage
28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad.

Our London Office :
11, Aldwych, W. C. 2

Telephone : 206
Telegrams : 'Bhavishya'

Our American Office :
50, Church St. New York

सम्पादक :—
श्री० त्रिवेणीप्रसाद, बी० ए०

भविष्य

'भविष्य' का चन्दा
वार्षिक चन्दा ... १२) रु०
छः माही चन्दा ... ६॥) रु०
तिमाही चन्दा ... ३॥) रु०
एक प्रति का मूल्य चार आने
Annas Four Per Copy

तार का पता :—
'भविष्य' इलाहाबाद

एक प्रार्थना

वार्षिक चन्दे अथवा फ़ी कॉपी के मूल्य में कुछ भी नुक़्ताचीनी करने में पहिले मित्रों को 'भविष्य' में प्रकाशित अलभ्य सामग्री और उसके प्राप्त करने के असाधारण व्यय पर भी दृष्टिपात करना चाहिए।

वर्ष १, खण्ड ४

इलाहाबाद—बृहस्पतिवार ; १८ जून, १९३१

संख्या २, पूर्ण संख्या ३८



इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और दूरदर्शी पाठक-पाठिकाओं से आशा की जाती है कि यथाशक्ति 'भविष्य' तथा 'चाँद' और विद्याविनोद-ग्रन्थमाला का प्रचार कर, व संस्था को और भी अधिक सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !!

भविष्य

पाठकों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, वे एकमात्र भारतीय परिवारों एवं व्यक्तिगत मङ्गल-कामना की दृष्टि में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !!

वर्ष १, खण्ड ४ | इलाहाबाद—वृहस्पतिवार; १८ जून, १९३१ | सं० २, पूर्ण सं० ३८

श्री० सान्याल तथा 'भविष्य' और 'चाँद' के सम्पादक गिरफ़्तार !!

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट स्वयं छिप कर गिरफ़्तारी का दृश्य देखने आया

विचाराधीन क़ैदी हथकड़ी तथा बेड़ियों से जकड़ कर अदालत में लाए गए !!

लाहौर के नेताओं, पत्रकारों तथा राजनैतिक संस्थाओं की तलाशियाँ

स्वर्गीय सर्दार भगतसिंह के राजनैतिक विचारों एवं सिद्धान्तों के सम्बन्ध में जो अनेक भ्रान्तियाँ फैली हुई हैं, केवल उन्हें एक हद तक दूर करने के अभिप्राय से उनके अन्यतम सहयोगी एवं मित्र श्री० जितेन्द्रनाथ सान्याल ने उनकी एकसंक्षिप्त जीवनी अङ्गरेज़ी में लिखी थी, जो इस संस्था द्वारा "फ़ाइन आर्ट प्रिन्टिङ्ग कॉटेज" (चाँद-प्रेस) में मुद्रित हुई थी; किन्तु संयुक्त प्रान्तीय गवर्नमेन्ट द्वारा पुस्तक ज़ब्त कर ली गई! १२ वीं जून के प्रातःकाल संस्था पर पुलिस का धावा हुआ और सहगल जी को स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित तलाशी का वारण्ट दिखाया गया। इस वारण्ट में एक विशेषता यह थी, कि तलाशी लेने की आज्ञा के अतिरिक्त एक जुमला यह भी जोड़ दिया गया था, कि "यदि आवश्यकता समझी जाय, तो तलाशी के सिलसिले में 'बल-प्रयोग' भी किया जा सकता है।" संस्था में पुस्तक की केवल एक प्रति मिली, जिसे पुलिस ले गई। अस्तु।

दूसरे दिन, अर्थात् १३वीं जून की शाम को पुलिस का एक सबल-दल संस्था में फिर पहुँचा, जिसमें ४-५ दारोग़ा, ख़ुफ़िया पुलिस के कर्मचारी तथा १०-१५ सिपाही आदि थे। जेल की लॉरी हाते के बाहर खड़ी रक्खी गई। सहगल जी के पास इत्तिला भेजी गई कि पुलिस 'चाँद' तथा 'भविष्य' के सम्पादक, मुद्रक तथा प्रकाशक को गिरफ़्तार करने आई है। श्री० त्रिवेणीप्रसाद जी, बी० ए० ने इस शुभ समाचार का बड़ी प्रसन्नता से स्वागत किया। चलते समय प्रेस तथा कार्यालय के कर्मचारियों ने उन्हें बधाई दी। उन पर फूलों की वर्षा की गई, हार आदि पहना कर वे पुलिस वालों के हवाले कर दिए गए। चूँकि सहगल जी के साथ निजी मोटर में बैठने की आज्ञा नहीं दी गई, अतएव उन्हें जेल की लॉरी में ही बैठना पड़ा। प्रेस-कर्मचारियों ने "इन्क़िलाब ज़िन्दाबाद" तथा "भगतसिंह ज़िन्दाबाद" आदि के नारों से मानो सिविल लाइन को सर पर उठा लिया।

कहा जाता है, जिस समय गिरफ़्तारी की रस्म अदा हो रही थी, उस समय संस्था के बग़ल वाले बँगले में अपनी मोटर में छिपे हुए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब सारा दृश्य देख रहे थे। सहगल जी स्वयं श्री० त्रिवेणीप्रसाद जी का आवश्यक सामान अपने साथ लेकर जेल तक गए; किन्तु डिस्ट्रिक्ट जेल के जेलर ने सामान लेने से इसलिए इन्कार कर दिया कि उन्हें अधिकारियों की ओर से आज्ञा नहीं मिली थी; बहुत कहने-सुनने पर २) रु० उन्होंने दूध आदि के लिए स्वीकार किए, एक कम्बल और तकिया भी ले लिया गया।

इसी समय मालूम हुआ कि श्री० जितेन्द्रनाथ सान्याल भी भारतीय दण्ड-विधान की धारा १२४-ए के अनुसार गिरफ़्तार करके इसी जेल में लाए जा चुके हैं।

दूसरे रोज़ श्री० अखिलनाथ सान्याल, बार-एट-लॉ श्री० जे० सी० मुकर्जी एडवोकेट तथा सहगल जी जेल में 'अभियुक्तों' से मिलने गए; किन्तु पहिले मिलने की अनुमति देने से साफ़ इन्कार कर दिया गया; यहाँ तक कि सहगल जी जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट के दुर्व्यवहार से खीज कर बाहर लौट आए; फिर थोड़ी देर के बाद साहब बहादुर अपना आगा-पीछा सोच कर स्वयं बाहर आए और बड़ी कृपा प्रदर्शित करते हुए 'अभियुक्तों' से मिलने की उन्हें तथा क़ानूनी सलाहकारों को आज्ञा दे दी गई! मिलने पर दोनों अभियुक्तों को सभों ने ख़ूब प्रसन्नचित्त पाया। उनका कहना था कि "सरदार भगतसिंह की जीवनी लिखने और प्रकाशित करने के कारण जेल आने से हमें जितना सन्तोष और प्रसन्नता हुई है, उसका अनुभव हम लोग ही कर सकते हैं—बाहर वाले नहीं" दूसरे दिन मुलाक़ात करने की आज्ञा यह कह नहीं दी गई, कि जेल के नियमित कार्यों में बाधा होती है, केवल रविवार को भेंट की जा सकती है।

इधर श्री० अखिलनाथ सान्याल ने कलक्टर साहब को १४ जून को इस आशय का पत्र लिखा कि चूँकि मैं 'अभियुक्तों' का क़ानूनी सलाहकार नियुक्त हुआ हूँ, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि बिना मेरी जानकारी के कोई कार्यवाही न होनी चाहिए। दूसरे दिन कैम्प अमानगञ्ज (इलाहाबाद से लगभग २० मील दूर) से कलक्टर साहब का पत्र मिला कि "अभियुक्त १६ जून को मेरे सामने पेश किए जायँगे" न पत्र में यह लिखा था कि कहाँ पेश किए जायँगे—अमानगञ्ज में, डिस्ट्रिक्ट जेल में अथवा अदालत में; और न समय ही लिखा गया था। शाम को सरकारी वकील से पूछने पर मालूम हुआ कि उन्हें अब तक कोई सूचना ही नहीं मिली है। दूसरे दिन सुबह जाँच की गई; पर कोई पता नहीं चला। १६ जून को १० बजे जेलर से पूछने पर मालूम हुआ, कि इस सम्बन्ध में उन्हें भी कोई पता नहीं है !!

१६ जून की दोपहर को एकाएक किसी भले आदमी ने सान्याल साहब (बैरेस्टर) को हाईकोर्ट में सूचना दी कि 'अभियुक्त' अदालत में पेश हैं। मुकर्जी साहब को ज़रा पहले ही सूचना मिल गई थी, इसलिए वे पहले से ही हाज़िर थे। जब बैरिस्टर सान्याल अदालत में पहुँचे तो सरकारी गवाहियाँ लगभग समाप्त हो चुकी थीं। सरकारी गवाहों में सुपरिण्टेण्डेण्ट-पुलिस, दारोग़ा और पेशकार आदि ही थे, जिन्होंने चीफ़ सेक्रेटरी की आज्ञा तथा तलाशी आदि का समर्थन किया। इन गवाहों से 'अभियुक्त' श्री० जितेन्द्रनाथ सान्याल स्वयं इच्छानुकूल जिरह कर चुके थे!

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से प्रार्थना की गई, कि विचाराधीन क़ैदियों को भविष्य में हथकड़ी और बेड़ियों से न जकड़ा जाय, पर उन्होंने यह कह कर प्रार्थना अस्वीकार कर दी कि सान्याल बनारस षड्यन्त्र-केस में दण्डित हो चुका है। श्री० त्रिवेणीप्रसाद जी के सम्बन्ध में कहा गया कि 'वह उनका साथी है।'

वकीलों की ओर से 'अभियुक्तों' को ज़मानत पर छोड़ने की प्रार्थना की गई, जो तुरन्त अस्वीकृत कर दी गई। और अगली पेशी १ली जुलाई के लिए स्थगित बतलाई गई। अभियुक्त जिस प्रकार आए थे, हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ कर वापस भेज दिए गए। ये लोग अभी तक 'सी' क्लास में ही रक्खे गए हैं।

१७ वीं जून की शाम को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की आज्ञा के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट और सेशन्स जज की अदालत में ज़मानत पर 'अभियुक्तों' के छोड़े जाने की दरख़्वास्त दी गई, पर उन्होंने कल १८ वीं जून की दोपहर को दरख़्वास्त पर विचार करने का 'हुक्म' लिख दिया। 'भविष्य' के विशेष प्रतिनिधि को विश्वस्त-सूत्र से पता चला है कि सरकारी वकील को गवर्नमेन्ट की ओर से इस दरख़्वास्त के विरोध करने का आदेश दिया गया है।

लाहौर का समाचार है कि इसी पुस्तक के सम्बन्ध में वहाँ १४वीं जून को अनेक तलाशियाँ हुई हैं। जिनमें कुछ व्यक्तियों एवं संस्थाओं के नाम ये हैं:—मेसर्स रामकृष्ण एण्ड सन्स, अनारकली, पुस्तक-विक्रेता और प्रकाशक; कॉमरेड रामचन्द्र, बी० ए० संयुक्त सम्पादक 'वीर भारत'; कॉमरेड क्रान्तिकुमार; लाला गनपतराय, बी० ए० सम्पादक 'वन्देमातरम्'; सरदार किशनसिंह जी, (स्वर्गीय सरदार भगतसिंह के पूज्य पिता) मेहता आनन्दकिशोर; मेसर्स वर्मा एण्ड कम्पनी; "अखिल भारतवर्षीय भगतसिंह, राजगुरु, सुखदेव स्मारक सङ्घ"; हिन्दोस्तानी सेवा दल; 'वीर भारत' कार्यालय; 'वन्देमातरम्' कार्यालय; सर्वेण्ट्स ऑफ़ दि पीपुल सोसाइटी आदि-आदि; किन्तु किसी भी स्थान से पुस्तक की एक भी प्रति पुलिस वालों के हाथ नहीं लगी! बेचारों को निराश हो कर लौट जाना पड़ा !!



—बम्बई प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी शराब और ताड़ी की दूकानों पर धरना देने का विचार कर रही है। प्रोग्राम तैयार हो जाते ही धरना प्रारम्भ कर दिया जायगा।

—कलकत्ता का १४ जून का समाचार है कि अलीपुर सेन्ट्रल जेल के राजनीतिक बन्दियों ने, जिन्होंने क़रीब ६ रोज़ से अनशन कर रक्खा था और जिनमें कुछ अनशनकारी बेहोश हो गए थे, श्रीयुत सत्येन्द्रचन्द्र मित्र, एम० एल० ए० और श्रीमती विमल प्रतिभा देवी के कहने से १५ रोज़ के लिए अनशन स्थगित कर दिया है। इस बीच में उनकी शिकायतों को दूर करने का प्रयत्न किया जावेगा।

—मद्रास का ११वीं जून का समाचार है, कि अरगाम में साम्प्रदायिक उपद्रव के कारण पुलिस ने गोली चला दी। भीड़ तितर-बितर हो गई और एक हिन्दू कुली मारा गया! परिस्थिति क़ाबू में बतलाई जाती है।

—पेशावर का १२वीं जून का समाचार है, कि १२ लालकुर्ती वालों का विचार सिटी मैजिस्ट्रेट की अदालत में प्रारम्भ हो गया है। उन पर फ़ौजदारी की ३०२, ११५ और १२४-ए धाराओं के अभियोग लगाए गए हैं। ये लोग चारसद्दा के बबरा गाँव में १२ अप्रैल को एक राजद्रोही नाटक खेलने के अपराध में गिरफ़्तार हुए थे।

—रङ्गून का १२वीं जून का समाचार है, कि एक बौद्ध मठ में चार-पाँच कारतूस और उनके बनाने के पूरे औज़ार पाए गए हैं। पुलिस ने हाते की ज़मीन खोद कर बाँस की एक झाड़ी के निकट बन्दूक़ और पिस्तौल के कारतूसों से भरे हुए दो बोरों का पता लगाया है। अब तक कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई।

—ख़बर है कि बूँदी (राज्य) में पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी। घटना इस प्रकार है। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ़्तार करके उसे इतना अधिक पीटा कि वह अस्पताल पहुँचाया गया। कहा जाता है कि वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। इस पर क्षुब्ध जनता ने दीवान के घर को घेर लिया। पुलिस ने एकत्र भीड़ पर गोली चला दी, जिससे एक की मृत्यु हुई और दो घायल हुए। शहर ने इसके विरोध में हड़ताल की।

—पेशावर का ११वीं जून का समाचार है, कि बाँदा-मुल्ला ख़ाँ के लालकुर्ती वालों ने एक सभा करके सरकार की ओर से हिन्दुओं को दी गई, उस विज्ञप्ति पर विचार किया, जिसमें सरकार ने अकबरपुर के हिन्दुओं को सावधान किया था, कि अफ़रीदी लोग लालकुर्ती वालों के भेष में बहुत शीघ्र ही हिन्दुओं पर आक्रमण करने वाले हैं। सभा के सभापति मौलवी मोहम्मद फ़िदा-हुसैन थे। एक प्रस्ताव पास करके सीमा प्रान्त की सरकार से हिन्दुओं की रक्षा के लिए काफ़ी प्रबन्ध रखने के लिए और गत वर्ष की तरह के डाके की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कहा गया। सभा ने यह भी निश्चय किया कि अगर सरकार सन्तोषजनक प्रबन्ध करने में असमर्थ हो, तो लालकुर्ती वाले अपने हिन्दू भाइयों को बचाने के लिए कोई बात उठा न रक्खेंगे और जीवन-बलिदान तक से न हिचकेंगे।

सभा में घोषणा की गई, कि लालकुर्ती वालों को वर्दी की हालत में शस्त्र धारण करने की इजाज़त नहीं है। यदि इसके विरुद्ध कोई शस्त्र रखता हुआ दिखलाई पड़े तो समझना चाहिए कि वह 'ख़ुदाई ख़िदमतगार' नहीं है।

—शालामार बाग़ में गोली के शिकार स्वर्गीय जगदीशचन्द्र के पिता लाला ऊधोदास ने, जो कि डेरा-इस्माइल ख़ाँ के अवसर-प्राप्त तहसीलदार हैं, लाहौर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नाम निम्न आशय का पत्र लिखा है:—

मेरी पहले की प्रार्थनाओं का, जिनमें मैंने आपसे अपने बेटे जगदीशचन्द्र की पुलिस के हाथों मृत्यु का विवरण पूछा था और घटना की जाँच के समय अपने हाज़िर हो सकने की आज्ञा माँगी थी, आपने कोई उत्तर देने की कृपा नहीं की। मैं घटना का वास्तविक तथ्य जानने के लिए उत्सुक हूँ। निम्न-लिखित सरकारी नक़लों के लिए २) रु० का मनीऑर्डर भेजता हूँ।

(१) जाँच की पूरी फ़ाइल।

(२) लाश-परीक्षा की रिपोर्ट।

(३) अन्तिम संस्कार आदि की कार्रवाइयों का विवरण। म्युनिसिपल रजिस्टरों में जो दर्ज हुआ है, उसकी नक़ल।

मुझे आशा है, कि नक़लें वी० पी० द्वारा भेजी जायँगी। यदि २) रु० का ख़र्च कम पड़े तो कृपा करके रजिस्टरी द्वारा भेज दीजिएगा।

कॉङ्ग्रेस-कार्यकारिणी सभा के प्रस्ताव

कॉङ्ग्रेस वर्किङ्ग कमिटी (कार्यकारिणी समिति) की बम्बई वाली बैठक में निम्न-लिखित प्रस्ताव पास हुए हैं:—

कॉङ्ग्रेस कार्यकारिणी कमिटी कॉङ्ग्रेस संस्थाओं द्वारा खद्दर बेचने वाली दूकान के अतिरिक्त अन्य कपड़े की दूकानों को सार्टीफ़िकट देने की नीति को अनुचित समझती है और आदेश देती है, कि वे संस्थाएँ अपनी दी हुई सार्टीफ़िकटें वापस ले लें।

कॉङ्ग्रेस कार्यकारिणी कमिटी को इस बात का खेद है, कि कुछ कॉङ्ग्रेस संस्थाओं ने, विदेशी वस्त्रों को कुछ समय के लिए बेचने की इजाज़त देकर, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के सम्बन्ध में कॉङ्ग्रेस के निश्चय किए हुए आदेशों का उल्लङ्घन किया है। कार्यकारिणी कमिटी की ओर से इन संस्थाओं को आदेश दिया जाता है, कि वे इस प्रकार की सब इजाज़तें तुरन्त हटा दें; क्योंकि वे कॉङ्ग्रेस की निर्धारित नीति के विरुद्ध हैं। भारत में मौजूद विदेशी वस्त्रों को न बेचने देने और बाहर से विदेशी वस्त्रों को न मँगाने का कॉङ्ग्रेस निश्चय कर चुकी है। विदेशी वस्त्र-बहिष्कार के सम्बन्ध में कॉङ्ग्रेस द्वारा निर्णय किए हुए प्रोग्राम के किसी भी नियम के उल्लङ्घन होने पर कॉङ्ग्रेस के प्रेज़िडेण्ट को अधिकार दिया जाता है, कि उस उल्लङ्घन करने वाले व्यक्ति या कमिटी के विरुद्ध जो भी उचित कार्रवाई समझें, करें।

कॉङ्ग्रेस कार्यकारिणी कमिटी निश्चय करती है कि प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटियाँ अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी को अपनी आय का वही रक़म इस वर्ष दें जो कि उन्होंने गत वर्ष दिया था। इसके लिए ता० १५ अगस्त तय की जाती है।

कमिटी पण्डित जवाहरलाल नेहरू को दिल्ली के चुनाव के झगड़े का निर्णायक नियुक्त करती है। भारतीय क़र्ज़ और नागरिकों के स्वत्वों के सम्बन्ध में स्थापित की गई जाँच-कमेटियों की रिपोर्टें देने की तारीख़ें बढ़ा कर २१ और ३० जून कर दी गई हैं।

—कॉमरेड अहसानअली से उनके भाई लाहौर सेण्ट्रल जेल में मिले थे। आजकल आप हृदय की बीमारी से अस्वस्थ हो गए हैं। लाहौर तिब्बिया कॉलेज के प्रिन्सिपल हकीम मुहम्मद हुसैन क़ुरेशी ने कॉमरेड अहसानअली के स्वास्थ्य की परीक्षा करके बतलाया कि आपके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। जेल में उनकी औषधि का ठीक प्रबन्ध नहीं है।

—बम्बई की श्रीमती गङ्गाबाई ने महात्मा गाँधी को एक चाँदी की बहुत सुन्दर कुर्सी और पावदान समर्पित किया है। गाँधी जी ने हँसते हुए कहा—"क्या आप ये सब चीज़ें नीलाम के लिए लाई हैं?"

—कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मि० सेल की जगह नैनीताल के सेटेलमेण्ट ऑफ़िसर मि० ए० डब्लू० हूबटसन नियुक्त किए गए हैं।

शराब की दूकान पर बम

चाँदपुर का १६वीं जून का समाचार है, कि आज साढ़े सात बजे शाम के वक़्त पूरन बाज़ार में एक शराब की दूकान पर बम फटने की घटना हो गई। दो व्यक्ति मरे और चार घायल हुए हैं। दूकान पर पुलिस का पहरा है।

२,५५८ कारतूसों की चोरी

लाहौर का १२वीं जून का समाचार है, कि फ़िरोज़पूर बन्दूक़, बारूद आदि के बिक्रेता मेसर्स दौलतराम विद्याप्रकाश की दूकान से २,५५८ कारतूस एकाएक ग़ायब हो गए हैं। इस सम्बन्ध में पुलिस ने दूकान के मैनेजर को गिरफ़्तार कर लिया है।

देशी नरेशों की नई सूझ

सङ्घ-योजना का विरोध

कुछ दिनों से शिमले में अफ़वाह उड़ रही है, कि महाराज पटियाला की बातों में आकर कई भारतीय नरेश भावी गोलमेज़ सम्मेलन में सङ्घ-योजना के विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहते हैं।

कहा जाता है, कि कुछ नरेशों का यह निश्चित मत है, कि रियासतों के स्वार्थ से सङ्घ का विरोध रहेगा! किसी भी रूप में सङ्घ योजना के कार्य रूप में परिणत करने पर देशी राज्यों की स्वतन्त्रता में बाधा पहुँचना अवश्यम्भावी है।

सीमा प्रान्त में हरीकुर्ती वालों की संस्था

पेशावर का १०वीं जून का समाचार है, कि ज़मींदारों के हितों की रक्षा करने और लालकुर्ती वालों का विरोध करने के लिए हरी कुर्ती वालों के नाम से एक संस्था क़ायम की गई है। इसका मुक़ाम पेशावर के नज़दीक ख़लील ग्राम में है।

डकैती के अभियोग में डॉक्टर गिरफ़्तार

राजबाड़ी का १२वीं जून का समाचार है, कि कुटीश्वर मण्डल के घर में डकैती के सम्बन्ध में डॉक्टर पूरनचन्द्र कुण्डू और चार अन्य व्यक्ति गिरफ़्तार कर लिए गए हैं।

बिजोलिया सत्याग्रह की जाँच

भारतीय राज्य-प्रजा सम्मेलन ने बिजोलिया के किसानों के सत्याग्रह की जाँच करने के लिए अत्यन्त प्रभावशाली सज्जनों की एक कमिटी नियुक्त की है। बिजोलिया सत्याग्रह के नेता पण्डित हरिभाऊ जी उपाध्याय ने इस सम्बन्ध में भारतीय राज्य-प्रजा सम्मेलन के अवसर पर महात्मा गाँधी, सरदार वल्लभभाई पटेल आदि अनेक नेताओं से बातचीत की थी। सब ने सहानुभूति दिखलाई है। भारतीय राज्य-प्रजा सम्मेलन में बिजोलिया के किसानों की सहायता के लिए पूर्ण उत्साह था।

—बम्बई में मि० एस० ए० ब्रेलवी के सभापतित्व में बम्बई के नौकरी-पेशा वालों की एक कॉन्फ़्रेन्स हुई। कॉन्फ़्रेन्स ने अपने प्रस्ताव में पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य की घोषणा की, व्यवस्थापक सभाओं में नौकरी पेशा वालों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की माँग पेश की और बेकारी की जाँच करने के लिए एक कमिटी नियुक्त करने की सिफ़ारिश की। एक प्रस्ताव में कहा गया, कि नौकरी-पेशा वालों की तनख़्वाह कम है, मानसिक परिश्रम करने वाले नौकरों का वेतन कम से कम १००) रुपया मासिक होना चाहिए, छुट्टी और काम करने के घण्टों के सम्बन्ध में भी प्रस्ताव पास किया गया। स्वाधीनता वाले प्रस्ताव पर पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था। आपने कहा कि वास्तविक स्वाधीनता राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वाधीनता की उत्पत्ति है। भारत-सरीखे देश की स्वाधीनता की लड़ाई में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र की स्वाधीनता को अलग रखना असम्भव है। जो लोग भारतीय समस्या के सुलझाने के राजनीतिक उपाय की अपेक्षा सामाजिक और आर्थिक उपाय को अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, वे अपने-अपने उपायों से कार्य करने के लिए स्वतन्त्र हैं। कॉङ्ग्रेस को एक विशाल राष्ट्रीय संस्था के नाते हर प्रकार के दृष्टिकोण को स्थान देना पड़ता है।

किसानों के सङ्गठन की योजना

मन्त्री ज़िला किसान सङ्घ इलाहाबाद ने हमारे पास निम्न-लिखित समाचार प्रकाशनार्थ भेजा है:—

इलाहाबाद ज़िले के तहसीलों में किसान-सङ्घ स्थापित करने के लिए कार्यकर्ताओं की एक बैठक २ जून को सुबह ७॥ बजे इलाहाबाद में हुई। सभी तहसीलों से आए हुए लगभग ४० कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हुए। पण्डित मोहनलाल गौतम मन्त्री केन्द्रीय किसान-सङ्घ ने सङ्घ का उद्देश्य और कार्यक्रम भली-भाँति समझाया, जिससे कार्यकर्ताओं को प्रत्येक तहसील में किसान-सङ्घ स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई और प्रत्येक तहसील में किसान-सङ्घ स्थापित करने का निश्चय हुआ। निम्न-लिखित सज्जन अपनी-अपनी तहसील में किसान-सभाएँ सङ्गठित करने के लिए नियुक्त किए गए।

१—श्री० करमइलाही ...	करछना
२—श्री० आदित्यप्रसाद, बी० ए० ...	मेजा
३—श्री० श्रीनाथसिंह	बारा
४—श्री० महाराज किशोर	हँडिया
५—श्री० कृष्णचन्द्र वैद्य	फूलपुर
६—श्री० श्यामसुन्दर शुक्ल	सोरॉंव
७—श्री० स्वामी ईश्वरानन्द	सिराथू
८—श्री० साधोराम	मझनपुर
९—श्री० विश्वनाथ	चायल

इलाहाबाद में एक विराट किसान-कॉन्फ़्रेन्स करने का भी विचार किया जा रहा है।

श्री० हरीकिशन की जन्म-भूमि गल्ला-ढेर में मैशीनगनों का प्रदर्शन

जुलूस और शोक-सभा की कड़ी मनाही

इस तैयारी पर भी हज़ारों लालकुर्ती वालों की भीड़

मर्दान (पेशावर) १३ जून। तारीख़ १२ जून को मर्दान में ख़बर पहुँची कि स्व० श्री० हरीकिशन की जन्म-भूमि गल्लाढेर में कल एक महती सभा होगी। इस ख़बर को पाते ही तमाम इर्द-गिर्द के हज़ारों लालकुर्ती वाले स्वयंसेवक गल्लाढेर में आकर एकत्र हो गए। असिस्टेण्ट कमिश्नर की ओर से होतीमर्दान में यह मुनादी करा दी गई कि जो व्यक्ति हरीकिशन के लिए शोक-सभा करेगा या जुलूस निकालेगा, वह गिरफ़्तार कर लिया जावेगा। तख़्तबाई और चारसद्दा के तमाम रास्ते भी रोक लिए गए। पुलिस का ज़बरदस्त पहरा था, ताकि कोई लालकुर्ती वाला गल्लाढेर की ओर न जा सके। परन्तु इन पाबन्दियों के होते हुए भी प्रायः २५-३० हज़ार लालकुर्ती वाले तथा अन्यान्य लोग गल्लाढेर आ पहुँचे। पुलिस के कई अफ़सर भी अपने दल तथा तीन मैशीनगनों के साथ गल्लाढेर पहुँच गए थे। गाँव वालों ने लोगों के भोजन के लिए तीस मन चावल एकत्र कर लिए थे। परन्तु मर्दान से लालकुर्ती दल के मुखिया गल्लाढेर पहुँचे तो उन्होंने सभा बन्द कर देने की आज्ञा दी। क्योंकि व्यर्थ विवाद हो जाने की सम्भावना थी। लोग अपने नेता की बात मान गए और एक बजे के बाद सभी अपने-अपने स्थानों को वापस लौट गए।

हरीकिशन की फाँसी की ख़बर सुन कर एक स्त्री ने प्राण त्याग दिया !

छः दिन पहले स्त्री ने बच्चा प्रसव किया था

'रोज़ाना मिलाप' के सम्वाददाता ने लाहौर से ख़बर भेजी है कि मियाँवाली जेलख़ाने में एक हिन्दू चौकीदार रहता है। बाज़ लोग कहते हैं, कि वह चौकीदार नहीं, कोई ऊँचे पद का कर्मचारी है। उसकी बीबी ने गत ३ जून को एक बच्चा प्रसव किया। लड़का तथा प्रसूती दोनों ही काफ़ी तनदुरुस्त थे। छः दिन तक उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हुई। परन्तु ९ जून को जब प्रसूती ने श्री० हरीकिशन के फाँसी पर लटकाए जाने की ख़बर सुनी तो एकाएक बीमार हो गई और अपने छः दिन के सद्यजात शिशु को छोड़ कर तुरन्त ही चल बसी ! उसका पिता बच्चे की परवरिश कर रहा है और उसे अपने किसी रिश्तेदार स्त्री को सौंपने के लिए घर गया है।

बनारस बम-केस की अभियुक्त महिलाओं का सनसनीदार बयान

सी० आई० डी० के अफ़सरों ने धोखा देकर मनमाना बयान लिखवा लिया

छुटकारे के बाद एक अभियुक्त को शनाख़्त न कर सकने के कारण एक महिला फिर गिरफ़्तार कर ली गई !!

गत १३ जून को बनारस के स्पेशल मैजिस्ट्रेट के इजलास में 'बनारस बम-केस' नामक मुक़दमे की पेशी हुई, जिसमें तीन बङ्गाली महिलाएँ अभियुक्त हैं। आज मैजिस्ट्रेट ने चार अभियुक्तों के बयान लिए, जिनमें दो बङ्गाली महिलाएँ हैं, जो न तो अङ्गरेज़ी समझती हैं और न हिन्दुस्तानी जानती हैं, इसलिए उन्होंने अपना बयान बङ्गला भाषा में दिया।

अभियुक्त विमलकुमार राय ने अभियोग अस्वीकार करते हुए अपने को निर्दोष बताया।

पुलिस की चालबाज़ी

श्रीमती मृणालिनी दासी ने भी अपने को निरपराध बताया और कहा कि मेरे पास कोई भड़कने वाली वस्तु या गोलियाँ न थीं। एक प्रश्न के उत्तर में इन्होंने कहा कि मेरी गिरफ़्तारी के दो मास बाद बङ्गाली और हिन्दुस्तानी पुलिस अफ़सर मेरे पास आए और मुझसे कहा कि तुम एक बयान दे दो तो तुम्हें छोड़ दिया जाए। मुझसे यह भी कहा गया कि हिन्दुस्तानी मैजिस्ट्रेट तुम्हें छोड़ देंगे। दूसरे दिन मैं अदालत में ले जाई गई, जहाँ मैंने बयान दिया। परन्तु जब मुझे मालूम हुआ कि यह मैजिस्ट्रेट नहीं हैं तो मैंने हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया।

प्रश्न—परन्तु इन गवाहों ने तुम्हारे विरुद्ध गवाहियाँ क्यों दीं ?

उत्तर—क्योंकि ये सब पुलिस के आदमी हैं !

इसके बाद अभियुक्ता ने कहा—मुझे कई प्रकार के चकमे दिए गए। मैंने अपना बयान भी बङ्गाली पुलिस अफ़सर के कहने के अनुसार दिया।

गवाह पुलिस के आदमी हैं

श्रीमती मृणालिनी के बाद उनकी पुत्री योगमाया का बयान हुआ। योगमाया बड़ी तत्परता से अपनी माता को, जब वे अपनी अस्वस्थता के कारण अदालत में बेहोश हो जाती थीं, सेवा करती थी। आज वह बहुत प्रसन्न थी। उसने मुस्कुराते हुए अपना संक्षिप्त बयान दिया। उसने कहा—मैं अपनी माता की एकमात्र कन्या हूँ। मैं मिदनापुर की रहने वाली हूँ।

इसने किसी और प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। परन्तु जब मैजिस्ट्रेट ने पूछा कि गवाहों ने तुम्हारे विरुद्ध क्यों गवाहियाँ दी हैं तो उसने उत्तर दिया कि ये गवाह पुलिस के आदमी हैं और पुलिस-विभाग की मेहरबानियों से लाभ उठाते हैं।

तीसरी अभियुक्ता श्रीमती मायारानी सेन ने अपने बयान में कहा, कि मैं विस्फोटक पदार्थों के बारे में कुछ नहीं जानती ! पुलिस वाले मुझसे प्रति दिन इलाहाबाद के यूरोपियन हवालात में आकर कहा करते थे, कि यदि तुम पुलिस के कथनानुसार अदालत में अपना बयान देना स्वीकार करो, तो तुम्हें तथा तुम्हारे भाई को (जो गिरफ़्तार हैं) छोड़ दिया जाएगा। सी० आई० डी० वाले प्रति दिन आकर मुझसे इस तरह की बातें कहा करते थे। मैं बीमार हो गई और अस्पताल भेजी गई तो दो सी० आई० डी० के अफ़सर आए और मुझे मैजिस्ट्रेट की कोठी पर ले गए। वहाँ मैंने एक बयान दिया और फिर बनारस वापस भेज दी गई। सभी गवाह पुलिस के आदमी हैं और उनमें से एक तो हमेशा ही पुलिस की ओर से गवाहियाँ दिया करता है।

अन्त में इन्होंने कहा कि मुझे पहले छोड़ दिया गया था। परन्तु फिर किसी मि० राय को शनाख़्त कराने के लिए पुलिस मुझे ले गई। परन्तु मैं ऐसा नहीं कर सकी, इसलिए दुबारा गिरफ़्तार कर ली गई।

इसके बाद मुक़द्दमा अगली पेशी के लिए मुल्तवी कर दिया गया !

—सीमा प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी ने कार्यकारिणी की एक विशेष बैठक करके निश्चय किया है कि २१वीं जून को समस्त सीमा प्रान्त में "दमनात्मक क़ानून-दिवस" मनाया जाय। प्रान्तीय कमिटी ने प्रत्येक ज़िला कमिटी को शान्तिपूर्ण सभाएँ करने और सीमा प्रान्त के दमनात्मक क़ानूनों को तुरन्त हटा लेने के लिए प्रदर्शन करने का आदेश दिया है।

बङ्गाल में भीषण अन्न-कष्ट !

भूखे मर रहे हैं और कितने ही पत्ते चबा कर जीते हैं !

भूखे बच्चे को अन्न न दे सकने के कारण पिता ने आत्म-हत्या कर ली !

१३ जून की कलकत्ते की ख़बर है, कि भीषण दुर्भिक्ष के कारण बङ्गाल और आसाम के हर स्थानों की हालत बड़ी ही शोचनीय हो रही है। मालूम हुआ है कि इन स्थानों के लोग भूख से तड़प रहे हैं और अन्न न मिलने के कारण एक प्रकार के घास की पत्तियाँ खाकर जीवन-यापन कर रहे हैं। चारों ओर भीषण अकाल के चिह्न दिखाई पड़ रहे हैं। श्यामपुर (ज़िला रङ्गपुर) में एक आदमी ने भूख के मारे जान दे दी है। और इसी ज़िले में प्रायः बीस आदमी भीषण अन्न-कष्ट भोग रहे हैं, इनमें से कौन किस समय चल बसे, नहीं कहा जा सकता। चाँदीपुर और हरीपुर के इलाक़े में ६ आदमी भूख की यन्त्रणा से प्राण दे चुके हैं ! और एक आदमी ने, अपने प्यारे बच्चों को भूख से छटपटाता देख कर आत्म-हत्या कर ली है। प्रायः बीस आदमी अन्नाभाव के कारण घास-पात पर जीवन बिता रहे हैं। इस अञ्चल के बुभुक्षितों की सहायता के लिए 'रिलीफ़ कमेटियाँ' बन रही हैं।

—फ़ीरोज़पुर का १४ जून का समाचार है, कि पञ्जाब प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के सदस्य और कॉङ्ग्रेस के एक पुराने और प्रसिद्ध कार्यकर्ता भगत धानमल ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा १०८ के अनुसार कल १२ बजे रात को गिरफ़्तार कर लिए गए।

—लुधियाना के सेशन्स जज ने हजूरासिंह, बचनसिंह, निधियासिंह और ईशरसिंह को, जिन पर ताज़ीरात हिन्द की दफ़ा ३९९ के अनुसार जनरल पोस्ट ऑफ़िस पर डाका डालने का षड्यन्त्र करने का अभियोग लगाया गया था, निर्दोष कह कर बरी कर दिया। मुख़बिर भी छोड़ दिया गया। सेशन्स जज ने अपने फ़ैसले में सबूत पक्ष की निस्सारता की कड़ी टीका करते हुए अभियोग को असम्भव बतलाया है।

मथुरा में दमन चक्र

४१ कॉङ्ग्रेसमैन गिरफ़्तार

मथुरा का १३ जून का समाचार है कि यहाँ जो ४१ कॉङ्ग्रेसमैन गिरफ़्तार किए गए हैं उनमें से प्रोफ़ेसर किशनचन्द और श्री० हरिकिशन की तरफ़ से, जो कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा १०८ के अनुसार गिरफ़्तार किए गए थे, आज ज़मानत की दरख़ास्तें दी गईं, परन्तु मैजिस्ट्रेट ने असाधारण शर्तें लगा कर ज़मानत की दरख़्वास्त पर विचार करने के लिए १९ जून नियत कर दी। इस प्रकार अभियुक्त तुरन्त ज़मानत पर छूटने की सुविधा से वञ्चित रहे।

ये ४१ कॉङ्ग्रेसमैन गत मास में गिरफ़्तार हुए थे। कहा जाता है, कि स्थानीय अधिकारीगण यहाँ के ग्रामीणों को धमका रहे हैं। पण्डित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे नेताओं को मथुरा आकर परिस्थिति की गम्भीरता देखने के लिए बुलाया गया है।

दो बम फटे

—नागपुर का १४ जून का समाचार है, कि नीमार ज़िले में एक स्थान पर दो बम फटे, जिनमें एक बम से एक लड़का घायल हो गया और दूसरे से बाज़ार में एक मकान की छत टूट गई।

अब तक पुलिस इस घटना का पता नहीं लगा सकी।

रायबरेली में दमन !

"बदली हुई मनोवृत्ति" का नमूना

लखनऊ का १३ जून का समाचार है, कि रायबरेली की परिस्थिति उत्तरोत्तर गम्भीर रूप धारण करती जा रही है। गवर्नमेण्ट ने प्रच्छन्न दमन जारी कर दिया है। रायबरेली ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के सभापति पण्डित माताप्रसाद मिश्र पर १४४ धारा लगा कर भाषण करने, किसी सभा में भाग लेने, पर्चा बाँटने, चन्दा एकत्र करने या लिख कर किसानों या मज़दूरों की वर्तमान परिस्थिति का किसी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रचार की मनाही कर दी गई है। अनेक ग्रामीण कार्यकर्ता और स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए जा रहे हैं। कई सौ सशस्त्र पुलिस बाहर से बुला ली गई है। किसानों पर कर की लम्बी-लम्बी रक़मों के वसूल करने में मार पड़ती है। ताल्लुक़ेदारों के अत्याचारों में सरकार सहयोग दे रही है। सरदार ब्रजलालसिंह की ज़मींदारी में किए गए अत्याचारों के सम्बन्ध में प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के सामने अत्याचारों की जाँच करने के लिए एक प्रस्ताव पेश होने वाला है।

—कानपुर पुलिस ने कॉन्स्टेबिलों पर गोली चलाने वाले क्रान्तिकारियों के पकड़ने के लिए १०००) रु० इनाम की घोषणा की है। कॉङ्ग्रेस ने वीरभद्र तिवारी को, अपनी संस्था से अलग कर दिया है।

—कानपुर का १९ जून का समाचार है कि आज शाम के वक़्त श्री० भूपेन्द्रनाथ सान्याल को, जो कि श्री० प्रकाशनारायण सक्सेना और श्री० गोपीनाथ सिंह के साथ कानपुर के पुलिस कॉन्स्टेबिलों पर गोली चलने की घटना के सम्बन्ध में गिरफ़्तार कर लिए गए थे, आज शनाख़्त की परेड होने वाली थी।

कहा जाता है, कि यदि घायल कॉन्स्टेबिल कह देंगे, कि श्री० भूपेन्द्रनाथ सान्याल गोलीकाण्ड में शामिल नहीं थे, तो वे छोड़ दिए जायँगे; किन्तु शनाख़्त की परेड कल के लिए स्थगित कर दी गई है।

इलाहाबाद स्टेशन की घटना

ता० १६ की रात को १० बजे पं० जवाहरलाल बम्बई-मेल से इलाहाबाद पहुँचे। आपको लेने के लिए बहुत से कॉङ्ग्रेस-कार्यकर्ता और नागरिक स्टेशन पर एकत्र थे। जिस समय पण्डित जी स्टेशन से बाहर होने के लिए पुल पार करने जा रहे थे, उस समय सहसा एक मुसलमान पण्डित जी की माता के चरण छूने के लिए प्रयास करता हुआ दिखलाई पड़ा। लोगों ने उसे अलग हटा दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद पुल पर से जाते हुए लोगों में सहसा गड़बड़ मच गई। मालूम हुआ कि उपरोक्त मुसलमान ने कुछ लोगों पर क़ैंची अथवा छुरे से आक्रमण कर दिया है। तीन व्यक्ति घायल हुए हैं। उनमें से एक चौदह वर्ष का बालक है, जो मध्य प्रान्त के सागर का निवासी है और जो केवल पण्डित जवाहरलाल नेहरू को देखने के लिए स्टेशन आया था। २ अन्य व्यक्ति भी घायल हुए हैं।

—वज़ीराबाद का १४ जून का समाचार है कि वज़ीराबाद के नागरिकों ने भाई अविनाश किरपालसिंह धर्मशाला के महन्त पर दुराचरण और दुर्व्यवहार का जो मामला चलाया था, उसके फ़ैसले के अनुसार महन्त अपने पद से हटा दिया गया है।

बङ्गाल ऑर्डिनेन्स का भूत

राजशाही का १४ जून का समाचार है कि श्री० हरिपद बागची, श्री० व्योमकेश राय और श्री० आद्यानाथ कर्मकार बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं।

* * *

विदेश

—लन्दन का ११वीं जून का समाचार है, कि दिनेशचन्द्र गुप्त की प्रिवी कौन्सिल में अपील करने की अर्ज़ी नामन्ज़ूर कर दी गई। १० दिसम्बर को लेफ़्टेनेण्ट कर्नल सिम्सन की हत्या करने के अपराध में कलकत्ता हाईकोर्ट ने फाँसी की सज़ा सुनाई थी। आपकी माता के दया-प्रार्थना वाली अपील विचाराधीन होने के कारण अभी तक आप लटकाए नहीं गए हैं।

—जेनेवा का १२वीं जून का समाचार है, कि अन्तर्राष्ट्रीय लेबर कॉन्फ़्रेन्स में भारत की ओर से गए हुए प्रतिनिधियों ने वहाँ अभूतपूर्व परिस्थिति पैदा कर दी है। मि० बालचन्द हीराचन्द और मि० घोष तथा मि० बागला, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय लेबर कॉन्फ़्रेन्स के भारतीय प्रतिनिधि थे, कॉन्फ़्रेन्स की अनुचित कार्रवाई से असन्तुष्ट होकर बाहर निकल आए। जेनेवा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।

बात यह थी कि कॉन्फ़्रेन्स की कमिटी ने कॉन्फ़्रेन्स में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ग़ैर-भारतीय मि० टलिटन को चुन लिया। भारतीय प्रतिनिधि मि० बालचन्द्र हीराचन्द्र तथा उनके साथियों ने इसे भारत का अपमान समझा। कॉन्फ़्रेन्स को छोड़ने के पहले मि० बालचन्द हीराचन्द ने एक वक्तृता देकर कहा कि "हिन्दुस्तान हमेशा अन्याय बर्दाश्त करने में असमर्थ है। यह तीसरी मर्तबा है, जब कि एक ग़ैर-भारतीय भारत की ओर से प्रतिनिधि होकर बोलने और कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।" अन्य राष्ट्रों के उपस्थिति प्रतिनिधि इस पर बहुत प्रभावित हुए।

राजनीतिक विचारों पर प्रतिबन्ध

ब्रिटिश कम्यूनिस्ट पार्टी के एक सदस्य, मि० विलियम गैलेशर ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कॉङ्ग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए इङ्गलैण्ड से भारत आना चाहते थे। परन्तु भारत-मन्त्री ने आपको पासपोर्ट देने से इन्कार कर दिया है। यह बात नई नहीं है और भी कई मौक़ों पर ब्रिटिश नागरिकों को केवल उनके कुछ विशेष राजनीतिक विचारों के कारण पासपोर्ट नामन्ज़ूर कर दिए गए हैं।

—हाउस ऑफ़ कॉमन्स में एक सदस्य के यह कहने पर, कि कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० सेल के विरुद्ध तब तक कोई कार्रवाई न की जाय, जब तक कि हाउस ऑफ़ कॉमन्स में कानपुर के उपद्रव की रिपोर्ट पर बहस न हो जाय, मि० वेजवुड बेन ने कहा, कि मि० सेल के सामने सरकार की ओर से दो बातें रक्खी गई थीं—तबादला करा लें या छुट्टी ले लें। उन्होंने छुट्टी ले लेना मन्ज़ूर कर लिया है। उनके विरुद्ध और कोई भी कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं है।

अनुदार दल के एक सदस्य, मि० ब्रैकेन ने कहा, कि कानपुर के उपद्रव के सम्बन्ध में प्रान्त का गवर्नर कमज़ोरी स्वीकार कर चुका है, ऐसी अवस्था में छोटे-छोटे कर्मचारियों का भविष्य क्यों नष्ट किया जाय, जब कि उच्च पदस्थ कर्मचारी निर्दोष बने रह सकते हैं। मि० बेन ने कहा, कि मैं समझता हूँ कि इसमें छोटे कर्मचारियों के भविष्य नष्ट करने का सवाल नहीं है।

* * *

स्व० हरीकिशन के सम्बन्ध में स्व० भगतसिंह का पत्र

स्व० हरीकिशन के विचाराधीन मामले को दृष्टि में रखते हुए स्वर्गीय सरदार भगतसिंह ने जेल से अपने एक मित्र को एक पत्र लिखा था। हरीकिशन की फाँसी के कारण इस पत्र का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। वह पत्र लाहौर के सुप्रसिद्ध अङ्गरेज़ी सहयोगी 'पीपुल' में इस प्रकार प्रकाशित हुआ है:—

"मुझे बहुत दुःख है कि इस सम्बन्ध में लिखा हुआ मेरा पिछला पत्र अपने निर्दिष्ट स्थान पर ठीक समय से नहीं पहुँच सका और इसलिए वह निरर्थक हुआ अथवा अपने उद्देश्य की पूर्ति में सर्वथा असफल रहा! अतएव मैं तुम्हारे पास यह पत्र इसलिए भेज रहा हूँ कि तुम साधारणतः सारे राजनीतिक मामलों तथा विशेषतः षड्यन्त्र-सम्बन्धी मामलों में सफ़ाई के सम्बन्ध में मेरे क्या विचार हैं, जान जाओ। पिछले पत्र में मैंने जिन बातों की विवेचना की है उनके अतिरिक्त इससे एक बात यह भी सिद्ध होगी कि इस घटना के बाद मेरी बुद्धि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है और यह पत्र इस बात का लिखित प्रमाण भी रहेगा।

"जो हो, मैंने उस पत्र में लिखा था कि वकीलों का बताया हुआ सफ़ाई का रास्ता हमें अख़्तियार नहीं करना चाहिए। परन्तु हमारे-तुम्हारे विरोध करने पर भी वही हुआ। तथापि अब हम उस विषय पर अधिक गवेषणापूर्वक विचार कर सकते हैं और भविष्य में सफ़ाई के सम्बन्ध में हमारी क्या नीति होनी चाहिए, इस सम्बन्ध में निश्चित सिद्धान्त निर्धारित कर सकते हैं।

"तुम जानते हो, कि मैं सारे राजनीतिक अपराधियों के मामलों की सफ़ाई का समर्थक रहा हूँ। परन्तु इसका यह मतलब नहीं है, कि इसके द्वारा वास्तविक युद्ध का 'सौन्दर्य' सर्वथा नष्ट हो जाय। (ध्यान रहे यहाँ 'सौन्दर्य' का अर्थ कार्य के उस मूल अभिप्राय से है, जिसकी प्रेरणा से हम कार्य में प्रवृत्त होते हैं) जब मैं यह कहता हूँ, कि सभी राजनीतिक अभियुक्त अपने-अपने मामलों में सफ़ाई दें तो इसका तात्पर्य यह नहीं है, कि इसमें कोई अपवाद नहीं है। उदाहरण द्वारा मैं इसे स्पष्ट किए देता हूँ। किसी ख़ास उद्देश्य को लेकर कोई व्यक्ति कुछ कर बैठता है। उसकी गिरफ़्तारी के पश्चात् उस कार्य का राजनीतिक महत्व घट नहीं जाना चाहिए! उस कार्य की अपेक्षा वह कार्यकर्त्ता ही अधिक प्रसिद्ध न हो जाय! एक उदाहरण द्वारा मैं इसे और भी स्पष्ट किए देता हूँ। श्री० हरीकिशन गवर्नर की हत्या करने आया। इस कार्य का मैं नैतिक विवेचन नहीं करना चाहता! मैं इस मामले के केवल राजनीतिक पहलू पर विचार प्रकट करना चाहता हूँ! वह गिरफ़्तार कर लिया गया! दुर्भाग्यवश इस सम्बन्ध में कुछ पुलिस के अफ़सर हताहत हुए। अब सफ़ाई का प्रश्न उपस्थित होता है। ख़ैर, जब भाग्यवश गवर्नर बच गए, तो इस मामले में सच्ची घटनाओं का बहुत सुन्दर बयान दिया जा सकता था, जैसा कि नीचे की अदालत में दिया गया था, और इससे क़ानूनी उद्देश्य भी सिद्ध हो जाता। इसके बाद वकील की बुद्धिमत्ता और योग्यता सब-इन्स्पेक्टर की मृत्यु के कारण का अर्थ निकालने पर निर्भर थी। वकील के इस कहने मात्र से, कि वह गवर्नर को सिर्फ़ घायल करना चाहता था, और मारने की मन्शा उसकी न थी, तथा ऐसी-ऐसी अन्य बातों से अभियुक्त को क्या लाभ हुआ? क्या ऐसी मन्शा की सम्भावना का अनुमान कोई भी समझदार व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर सकता है? क्या इसका कुछ क़ानूनी महत्व भी था? बिल्कुल नहीं; तब इस कार्य-विशेष का ही नहीं, वरन् सारे आन्दोलन के सौन्दर्य को नष्ट करने से क्या लाभ हुआ? चेतावनियों और सारहीन विरोधों से हमारा काम कब तक चल सकता है? चेतावनी तो बहुत पहले ही दे दी गई थी! षड्यन्त्रकारी-दल द्वारा शक्ति के अनुसार क्रांतिकारी-युद्ध पूर्ण उत्साह से प्रारम्भ कर दिया गया था! वॉयसराय की रेल-दुर्घटना असफल होने पर भी चेतावनी का स्वरूप नहीं थी! चटगाँव की घटना, न तो चेतावनी थी और न विरोध ही। इसी प्रकार श्री० हरीकिशन का यह कार्य भी युद्ध का एक अंश ही था—न कि चेतावनी! कार्य में चूक जाने पर अपराधी कार्य के परिणाम को एक खिलाड़ी की तरह निर्द्वंदतापूर्वक स्वीकार कर सकते हैं। काम कर चुकने पर उसे गवर्नर के भाग्यवश बच जाने पर प्रसन्न होना चाहिए था। किसी व्यक्ति की हत्या से हमारा कोई मतलब नहीं सधता। इन कार्यों का राजनीतिक महत्व है। क्योंकि ये एक ऐसी मनोवृत्ति और वायु-मण्डल



स्वर्गीय हरीकिशन

की रचना करते हैं, जो कि अन्तिम युद्ध के लिए अत्यन्त आवश्यक है। अस्तु! वैयक्तिक कार्यों की सार्थकता इसी में है, कि जन-साधारण की नैतिक सहानुभूति अपनी ओर आकृष्ट कर सके। कभी-कभी हम इन कार्यों को "क्रियात्मक प्रचार" (Propaganda) कह कर पुकारते हैं।

इस सम्पूर्ण विवेचन का आशय यह है, कि उपर्युक्त बातों को दृष्टि में रखते हुए ही लोगों को अपनी सफ़ाई देनी चाहिए। यह एक साधारण सिद्धान्त है, कि पारस्परिक प्रतिद्वन्दी दल सदैव अधिक प्राप्त करने और कम खोने की कोशिश करता है। कोई भी जनरल ऐसी नीति अख़्तियार नहीं कर सकता, जिसमें उसे प्राप्त करने की अपेक्षा खोने की अधिक सम्भावना हो! मुझसे बढ़ कर हरीकिशन की मूल्यवान ज़िन्दगी को बचाने की चिन्ता किसी को न होगी; परन्तु मैं तुम्हें जता देना चाहता हूँ, कि जो वस्तु उसके जीवन को अमूल्य बना देती है, उसे हमें किसी प्रकार भी विस्मरण नहीं कर देना चाहिए। किसी भी भाँति जान बचा लेना हमारी नीति नहीं है! यह कॉङ्ग्रेस की या आराम-कुर्सी पर बैठे हुए राजनीतिज्ञों (Arm-chair politicians) की नीति भले हो; परन्तु हमारी नीति यह कदापि नहीं है!

"सफ़ाई की नीति अधिकांशतः स्वयं अपराधी के विचार पर ही निर्भर है। परन्तु यदि स्वयं अपराधी भयभीत और विचलित नहीं है, बल्कि पहले की तरह ही उत्साहपूर्ण है, तो उसके उस कार्य का, जिसके लिए उसने अपने जीवन को सङ्कट में डाला है, पहले विचार होना चाहिए। उसके व्यक्तिगत प्रश्न का विचार उसके बाद होना चाहिए। फिर भी कुछ भ्रम हो सकता है। अर्थात् भी मामले भी हो सकते हैं, जिनका स्थानीय महत्व अधिक और सार्वदेशिक महत्व कुछ भी न हो, वहाँ अपराधी को भावावेश में अपने अपराध को कदापि स्वीकार न कर लेना चाहिए!

"श्री० निर्मलकान्त राय का सुप्रसिद्ध मामला इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। परन्तु इस प्रकार के महत्वपूर्ण राजनैतिक मामलों में व्यक्तिगत पहलू का ख़्याल राजनीतिक पहलू की अपेक्षा अधिक (नहीं?) होना चाहिए। यदि तुम हरीकिशन वाले मामले के सम्बन्ध में मेरे निष्पक्ष और स्वतन्त्र विचार जानना चाहते हो, तो मेरा स्पष्ट कथन यह है कि यह मुक़द्दमा क़ानूनी पेशे की दम्भपूर्ण बलिवेदी पर अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना की राजनीतिक हत्या है!!

"यहाँ मैं एक और बात का ज़िक्र भी कर देना चाहता हूँ, वह यह, कि जिन लोगों पर इस मामले के गला घोंट डालने का उत्तरदायित्व है, वे मुक़दमे के परिणाम के बाद अपनी ग़लती समझ लेने पर भी अपनी ज़िम्मेदारी को सँभाल न सकने के कारण, हमारे नवयुवक साथी के महान चरित्र के सौन्दर्य को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

"यह अत्यन्त लज्जाजनक झूठ है। वास्तव में आज तक जितने ऐसे युवक मुझे मिले, उन सब में वह अत्यन्त बहादुर लड़का था। लोगों को हम पर दया रखनी चाहिए। अच्छा हो कि वे लोग हमें भूल जायँ, इसकी अपेक्षा, कि हमारी रक्षा के नाम पर हमें अन्धः-पतित और निन्दित बना दें।

"वकीलों को भी इतना निःशङ्क नहीं हो जाना चाहिए कि ऐसे नवजवानों के जीवन, नहीं-नहीं, मृत्यु का भी दुरुपयोग करें, जो अपने को विपन्न मानव-समाज की मुक्ति जैसे उत्तम उद्देश्य के लिए निछावर कर देते हैं! वास्तव में मुझे यह देख कर अपार वेदना होती है, कि राजनैतिक कार्यकर्ताओं में भी हम सत्तावाद का भाव उत्पन्न कर रहे हैं। अन्यथा क्यों कोई वकील इतनी अधिक फ़ीस माँगे, जितना कि उपरोक्त मामलों में दिया गया है?

राजविद्रोहात्मक मामलों में तुम्हें बता देता हूँ, कि किस सीमा तक हम सफ़ाई पेश कर सकते हैं। पिछले साल हमारा एक साथी जब साम्यवादी भाषण देने के जुर्म में गिरफ़्तार किया गया था और जब उसने अपने को निर्दोष बताया, तब हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ऐसे मामलों में हमें अपने उसूल और सिद्धान्त को प्रचार की बात स्वीकार कर लेनी चाहिए और स्वतन्त्र भाषण का अधिकार माँगना चाहिए! परन्तु यदि किसी ऐसे व्यक्ति पर जुर्म लगाया जा रहा हो, जिसने वैसी बातें नहीं कही हों, और वे बातें आन्दोलन के हित की विरोधिनी हों, तो उस दशा में हमें अवश्य

(शेष भ:ग ८वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए)

नए लाहौर षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

पाँच अभियुक्तों की अनुपस्थिति

गत ९वीं जून को नियमानुसार लाहौर के सेण्ट्रल जेल में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने नवीन लाहौर षड्यन्त्र केस की फिर पेशी हुई। जेल के अधिकारियों ने अदालत की आज्ञा को ठुकरा कर इस मुक़दमे के अन्यतम अभियुक्त श्री० सुखदेवराज को अभियुक्तों से अलग कर दिया था, इसलिए रायज़ादा जहाँगीरीलाल, सरदार गुलाबसिंह, मि० अमीरचन्द, मि० वंशीलाल और श्री० धर्मपाल आज अदालत में नहीं आए थे। बाक़ी २१ अभियुक्त उपस्थित थे। अभियुक्तों ने अदालत-गृह में प्रवेश करते ही 'इन्क़िलाब ज़िन्दाबाद' 'सरदार भगतसिंह ज़िन्दाबाद' 'शहीदाने-वतन ज़िन्दाबाद' 'ग़द्दाराने वतन मुर्दाबाद' के नारे लगाए और सम्मिलित स्वर से जातीय गीत गाया।

वादी की ओर से रायबहादुर पं० ज्वालाप्रसाद और रायसाहब गोपाल लाल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर तथा प्रतिवादियों की ओर से लाला श्यामलाल एडवोकेट, मेहता अमरनाथ, लाला अमोलकराम कपूर और मेहता प्राणनाथ पैरवीकार थे।

गुपचुप बातें

मुक़दमे की कार्रवाई आरम्भ होने से पहले जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट और उनके एसिस्टेण्ट अदालत में आए और कमिश्नरों से एकान्त में कुछ बातें कीं। कमिश्नरगण अदालत में वापस आए तो अभियुक्तों के वकील लाला श्यामलाल ने पूछा कि क्या जेल के अधिकारियों ने श्री० सुखदेवराज को अलग करने का कोई कारण बताया था?

प्रेज़िडेण्ट ने बताया, कि इस मामले के सम्बन्ध में अभी तक कोई बात मालूम नहीं हुई है। इसके बाद अदालत ने कहा कि हम अभियुक्तों को हाज़िर होने के लिए एक ताज़ा वारण्ट जारी कर सकते हैं और उनके आने पर मुक़दमे की सुनाई आरम्भ हो सकती है।

शिकायतों का ढेर

इसके बाद अदालत ने एक वारण्ट जारी किया। इसी अदालत के सामने अभियुक्त सरदार गुलाबसिंह की एक दरख़्वास्त पेश हुई, जिसमें लिखा था कि हमने सरकार से प्रार्थना की थी, कि हमें अपने मुक़दमे में सफ़ाई देने के लिए ३००) प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएँ; ताकि हम कोई अच्छा वकील कर सकें। अदालत ने भी इसके लिए सिफ़ारिश कर दी थी, परन्तु सरकार ने इस प्रार्थना को ठुकरा दिया। स्वयं तो वह इस मामले में अपने वकीलों के लिए ३००) से अधिक प्रति दिन ख़र्च करती है। पुलिस ने अपना सारा बल लगा दिया है। रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं और हमें सिर्फ़ १२८) दिए जाते हैं। इसके सिवा हमारे प्रार्थना करने पर भी हमारे अत्यन्त आवश्यक गवाह सरदार भगतसिंह को फाँसी पर लटका दिया गया। हालाँकि हाईकोर्ट ने हमारी दरख़्वास्त पर कह दिया था कि इनको फाँसी नहीं हो सकती। हमने सरकारी गवाहों को जेल में भेजने के लिए प्रार्थना की तो सरकार ने शाही क़िले को ही जेल क़रार दे दिया। अन्त में जब हाईकोर्ट ने आज्ञा दी तो सरकारी गवाह जेल में रक्खे जाने लगे, परन्तु जेल को ही क़िला बना दिया गया। अर्थात् वहाँ भी वे पुलिस से घिरे रहते हैं। अन्त में जब हमने हाईकोर्ट की शरण की तो सरकार ने अपनी ग़लती स्वीकार की। परन्तु इतने पर भी रक्षा के बहाने उनके पास उसी तरह से पुलिस का जमघट लगा रहता है। अब, जबकि श्री० सुखदेवराज को अदालत ने हमारे साथ रहने की आज्ञा दे दी है तो भी सरकार ने उन्हें हमसे अलग रक्खा दिया है।

"सरकार हमें फाँसी पर लटकाना चाहती है"

इन बातों से मालूम होता है, कि सरकार हमें सफ़ाई का अवसर नहीं देना चाहती और हमें फाँसी पर लटका देना चाहती है। उसे न तो इन्साफ़ से कुछ ग़र्ज़ है, न अदालत की आज्ञा की परवाह है! वह अपने ही हाथों अपने क़ानून की धज्जियाँ उड़ा रही है!

इसलिए हम श्री० सुखदेवराज के अपने से अलग किए जाने के प्रतिवाद में अदालत में उस समय तक न आएँगे, जब तक कि हमें सन्तोषजनक उत्तर न दिया जाएगा। इसके बाद एक और दरख़्वास्त, चार और ग़ैरहाज़िर अभियुक्तों की ओर से दी गई। उसमें भी सरकार की ग़ैर-क़ानूनी कार्रवाइयों की निन्दा की गई थी।

अदालत ने आज के लिए मुक़दमे की सुनवाई स्थगित कर दी और अभियुक्तों के वकील अभियुक्तों से मिलने तथा उन्हें समझा-बुझा कर अदालत में लाने के लिए जेल गए।

दूसरे दिन नियमानुसार फिर उपर्युक्त मामले की पेशी हुई। आज अदालत में वे पाँचों अभियुक्त भी हाज़िर थे, जो कल नहीं आए थे। परन्तु उनके वकील ने कहा कि हम उन्हें समझा-बुझा कर किसी तरह लाए हैं, अगर श्री० सुखदेवराज के अलग करने का सन्तोषजनक कारण नहीं बताया जाएगा, तो वे कल से फिर नहीं आएँगे।

सरकारी गवाह का बयान

इसके बाद सरकारी गवाह ख़ैरातीराम ने अपने बयान का सिलसिला जारी रखते हुए कहा कि गोलबाग़ की मीटिङ्ग के बाद हंसराज ने मुझसे पूछा कि मकान वाले से सब बातें तय हुईं या नहीं? हमने थोड़ी देर बाद आकर कहा कि मकान ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग रामलीला के चौबारे में चले गए और वहीं जाकर सो गए। जब हम सो कर उठे थे मलिकराज ने हमें रोटी खिलाई। १२½ बजे हंसराज ने आकर इशारा किया, जिसका मतलब यह था कि हंसराज बुला रहा है। जब हम लोग वहाँ से चले तो रास्ते में कुन्दनलाल ने मुझसे कहा कि रामलाल को अलग कर दो। मैं रामलाल को छोड़ कर उस मकान में गया, जिसे रूपचन्द ने ठीक किया था।

"आतशी चक्कर" के अद्भुत करश्मे

वहाँ पर रूपचन्द और हंसराज मौजूद थे और जो ट्रङ्क इनके पास था, वह खुला हुआ था। मैंने वहाँ पर तीन सन्दूक़चियाँ देखीं। इनके अलावा रिव्ट सिलेण्डर और कुछ भड़कने वाली चीज़ें भी देखीं। मेरे सामने ही हंसराज ने एक सिलेण्डर के अन्दर एक टीनकेस रक्खा और उसके इर्दगिर्द रिव्टें भी रख दीं। इसके बाद हंसराज ने एक सिगरेट के ढक्कन में एक सूराख़ किया और उसमें आतशी पलीता का एक सिरा रख दिया। इसके बाद उसने इन पर पतरियाँ और ताँबे चढ़ाए। इसके बाद उसने मुझसे बताया कि यह बम तैयार हो गया। जब बम बिल्कुल तैयार हो गया तो हंसराज ने आग जलाने की अँगीठी पर उसे रख दिया और उसको उस पलीता के एक सिरे से लगा दिया, जिसका सम्बन्ध मोमबत्ती के साथ था। इसके बाद उसने एक ग्लेक्सो का डिब्बा उठाया और उसमें पहले की तरह एक बम तैयार किया। परन्तु जब दूसरा बम तैयार हो गया, तो रिव्टें ख़तम हो गईं। इससे रूपचन्द दूसरी रिव्टें बाज़ार से ख़रीद लाया। जब यह दूसरा बम भी बन कर तैयार हो गया तो हंसराज ने एक काली सन्दूक़ची को खोल डाला। इसमें दो बैटरियाँ लगी हुई थीं? हंसराज ने एक बल्ब लगा कर बैटरियों की परीक्षा की कि वह ठीक काम कर रही हैं या नहीं। इसके बाद उसने सन्दूक़ची को उठा कर आलमारी में रख दिया और उसके नीचे एक इश्तहार लगा दिया, जिस पर लिखा था "आतशी चक्कर युद्ध क्षेत्र में!" इसके बाद लकड़ी वाले बक्स में एक दूसरा बम रख कर उसके और बिजली के तारों के बीच में गनकॉटन रक्खा। इसके बाद सन्दूक़ची का ढकना इस तरीक़े से रक्खा गया, कि देखने वाला यह न समझ सके कि इसका मुँह किधर है।

पुलिस वालों को मारने का षड्यन्त्र

जिस समय हंसराज बम फ़िट कर रहा था, उसी समय मलिक कुन्दनलाल भी वहाँ आ गया। इसके बाद हंसराज ने हम लोगों को बताया कि छोटे बम पर एक मोमबती रक्खी जाएगी। और जैसे ही वह जल कर समाप्त होगी, वैसे ही पलीते में आग लग जायगी। इसके बाद गनकॉटन में आग लगेगी। तब वह छोटा बम फट जाएगा। जिसके फटने के बाद पुलिस आएगी। उसने यह भी बताया कि मोमबत्ती इसलिए रक्खी जायगी, ताकि आग लगाने वाला आदमी बच जावे। जब बम फटेगा तो पुलिस वाले आएँगे और तलाशी लेना आरम्भ करेंगे। जब यह इश्तहार देखेंगे तो उसे उठाएँगे। जिसके लिए अवश्य ही पहले सन्दूक़ची उठानी पड़ेगी। बस, बम फट जाएगा और पुलिस वाले घायल होकर मर जायँगे। इसके अलावा वहाँ पर कुछ बोतलें भी रक्खी गईं। और ज़मीन पर एक चटाई बिछा दी गई। बक्स ८-९ इञ्च के क़रीब लम्बा और ५-६ इञ्च चौड़ा था।

एक काले रङ्ग का बक्स दिखाने पर गवाह ने कहा, वह ऐसा ही था। 'आतशी चक्कर' शीर्षक इश्तहार मैंने पहले भी शाहदरा में देखा था। जब दोनों बम फ़िट हो गए तो सलाह हुई कि हम लोगों को बारी-बारी से कम्पनी बाग़ में जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग कम्पनी बाग़ में मिले।

अदालत के पूछने पर गवाह ने कहा कि मैं उर्दू नहीं पढ़ा हूँ। इस पर एक अभियुक्त ने कहा, नहीं, तुम अङ्ग्रेज़ी पढ़े हुए हो। इस पर बड़ी हँसी हुई।

मुख़बिर फिर कहने लगा—हम लोग कुछ देर तक कम्पनी बाग़ में बैठे रहे और रामलाल चला गया। इसके बाद हंसराज ने कहा, कि २९ जून को कुन्दनलाल और धर्मवीर बमों में आग लगाएँगे। शाहदरा में ही हंसराज ने मुझे बताया था कि मलिक कुन्दनलाल और धर्मवीर पार्टी के सदस्य हैं। हंसराज ने मुझे यह भी बतलाया कि पार्टी ने उसकी ड्यूटी गुजराँवाला और साँगला-हिल में बम फ़िट करने की लगाई है। परन्तु तुम रुपए नहीं लाए, इसलिए हमको लाहौर जाकर रुपए लाने पड़ेंगे। इसके बाद हंसराज ने कहा कि अब तुम अलहदा हो जाओ। इसी दरमियान में रामलाल आ गया। इसके बाद रामलाल और मैं वहाँ से चले आए। रास्ते में झङ्ग बाज़ार के पास हमें गुरुचरण मिल गया। वह सिनेमा देखने जा रहा था। हम लोग भी उसके साथ सिनेमा देखने चले। रात को

हमें जागना पड़ा, इसलिए सवेरे की गाड़ी से हम लाहौर नहीं जा सके। इसके बाद हम लोग एक बजे की गाड़ी से शेख़ूपुरा चले गए, ताकि जाते वक़्त एक बार रामप्रताप को देख लें। शेख़ूपुरा में हमें वंशीलाल मिला। १६ जून को मैं शेख़ूपुरा में ही रहा। १७ को शाहदरा आ गया। वंशीलाल १६ जून को ही लाहौर चला गया था। १८ जून को हंसराज फिर मुझसे मिला। उसने मुझे एक डिब्बा दिखा कर कहा, कि इसे किसी ऐसी जगह रक्खो कि मौक़े पर फ़ौरन मिल जाय। इसके बाद हंसराज ने मुझसे अपना कोट बदल लिया। कोट बदलने का कारण यह बताया, कि लाहौर में कोई पहचान न ले। इसके बाद वह डिबिया मैंने सत्यनारायण मन्दिर के हाते में गाड़ दिया। हंसराज लाहौर चला आया।

१९ जून को सवेरे फिर मुझे हंसराज मिला। मेरे पूछने पर उसने बताया कि दो जगह बम फटा है, परन्तु मुझे उन स्थानों के नाम याद नहीं हैं। इसके साथ ही उसने मुझे यह भी बतलाया कि आनन्दस्वरूप (इन्द्रपाल) रावलपिण्डी और सरदार गुलाबसिंह गूजराँवाला में बम फ़िट करने गए थे। जिस समय ये बातें हो रही थीं, उस समय वहाँ केवल हमीं दो आदमी थे। इसके बाद वंशीलाल आया और हंसराज को लेकर लाहौर चला गया।

इसी दिन शाम को हंसराज और वंशीलाल फिर शाहदरा वापस आ गए और छः-सात रोज़ तक वहीं रहे। ये दोनों प्रति दिन कहीं चले जाते और शाम को फिर वापस आ जाते। पूछने पर हंसराज ने बताया कि हम लोग रोज़ लाहौर जाते हैं। जब मैं और हंसराज लायलपुर जा रहे थे, तो वंशीलाल ने पूछा था कि कहाँ जा रहे हो। मैंने उत्तर दिया कि कहीं एक ज़रूरी काम के लिए जा रहा हूँ।

मुख़बिर की मज़ेदार बातें

१९ जून की शाम को जब हंसराज और वंशीलाल आए थे, तो हंसराज नहाने चला गया था। उस वक़्त वंशीलाल ने बताया, कि पञ्जाब के छः स्थानों में जो बम फटे हैं, वह सब काम हमीं लोगों ने किया है। हंसराज ने मुझे पार्टी का मेम्बर भी बना लिया है और पार्टी का सारा भेद मुझे बता दिया है।

इन्हीं दिनों हंसराज ने मुझे क्लोरोफ़ॉर्म की एक शीशी दी थी और मैंने उसे विशनदास को दे दी थी।

इसी समय ट्रिब्यूनल के सदस्य मि० सलीम ने गवाह से प्रश्न किया—आपने विशनदास को यह शीशी इसलिए दे दी थी, कि इस मामले में उसकी गवाही हो या आपके पास कोई जगह न थी, अथवा आप उसे अपने पास रखना नहीं चाहते थे? (इस पर बड़ी हँसी हुई)

उत्तर—मैंने बिना किसी मतलब के शीशी उसके पास रख दी थी।

हंसराज ने मुझे बताया कि मैं एक ऐसा गैस तैयार कर रहा हूँ कि वह जिसके मुँह पर रख दिया जाएगा, वह फ़ौरन बेहोश हो जाएगा। इसके बाद एक रोज़ हंसराज ने मुझे एक पोस्टर और वही "आतशी चक्कर" वाला विज्ञापन दिया और कहा कि इसे लायलपुर में कुन्दनलाल और धर्मवीर के पास पहुँचा दो। इन दिनों जगन्नाथ शाहदरा आया था। वंशीलाल ने मेरे सामने ही पोस्टरों का बण्डल उसे देकर कहा कि इसे कुन्दनलाल को दे देना।

मुख़बिर की तमाशबीनी!

लायलपुर से वापस आने पर जगन्नाथ ने हंसराज को एक बन्द लिफ़ाफ़ा दिया। दूसरे रोज़ हंसराज वहाँ से चला गया, उसने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। जिस रोज़ हंसराज मेरे यहाँ से गया था, उसके दूसरे रोज़ अमरीकसिंह मेरे पास आया और कहा कि हंसराज ने जो डिब्बी तुम्हें दी है, उसे मुझे दे दो। मैंने वह डिब्बी अमरीकसिंह को दे दी। वंशीलाल को इस बात का कुछ भी पता न था। इसके बाद कुन्दनलाल आया और पूछने लगा कि हंसराज कहाँ गया है। मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं। मेरे पूछने पर कुन्दनलाल ने बताया कि धर्मवीर उस मकान में गए थे और बम में आग लगा कर चले आए। जब बम फट गया तो मैं भी तमाशबीन की तरह वहाँ खड़ा होकर तमाशा देखता रहा। इसके बाद कुन्दनलाल शाहदरा से चला गया। इसके बाद मेरे पास विशनदास आया और उसने पूछा कि हंसराज कौन है और कहाँ काम करता है? मैंने उसे बताया कि वह किसी प्रेस में काम करता है। परन्तु उसे मेरी बात का विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने उसे बताया कि वह हिन्दुस्तान सोशल रिपब्लिकन आर्मी का मेम्बर है। मैंने पार्टी का तमाम भेद विशनदास को बता दिया। हंसराज ने लौटने पर सुना तो बहुत नाराज़ हुआ। मैंने विशनदास को 'आतशी चक्कर' वाला इश्तहार भी दिखला दिया था। इसके बाद तीन-चार रोज़ तक हंसराज मेरे पास नहीं आया।

एक रोज़ वंशीलाल, भीमसेन आदि मेरे पास आए। वंशीलाल हंसराज की तलाश में था। मैंने वंशीलाल से पूछा कि वह क्यों हंसराज की तलाश में है, तो उसने बतलाया कि चिनिवट में एक स्थान पर बहुत सा रुपया मिल सकता है। हंसराज को वहाँ पर ले जाकर डाका डालने का मसविदा (Plan) तैयार कराना है।

इस पर जहाँगीरीलाल अभियुक्त ने कहा—ज़रा ज़ोर से बोलो।

कुन्दनलाल ने कहा—ज़रा सुर से बोलो (हँसी)

मुख़बिर ने कहा—यह थिएटर नहीं है, कि सुर में बोलूँ (हँसी)

गवाह फिर कहने लगा—इसके बाद वंशीलाल और भीमसेन लाहौर चले गए। इसके दूसरे रोज़ वंशीलाल और हंसराज आए, पर भीमसेन उनके साथ न था। हंसराज ने अपना सारा सामान उठा लिया और कहा कि चिनिवट जा रहा हूँ। वंशीलाल ने मुझे बताया कि जो रुपए वहाँ लूटे जायँगे वे पार्टी को दे दिए जायँगे। पार्टी खुल्लम-खुल्ला काम करेगी। परन्तु हंसराज से इस सम्बन्ध में मेरी कोई बातचीत नहीं हुई।

इसके बाद आज के लिए अदालत बरख़ास्त हुई और ११ जून को मुक़दमे की फिर पेशी हुई। सरकारी गवाह ख़ैरातीराम ने फिर अपना बयान जारी करते हुए कहा कि १५ तारीख़ को मैं अपने मकान से सत्यनारायण वाली बैठक में जा रहा था। रास्ते में मैंने अमरीकसिंह को विशनदास के पास खड़े देखा। मैं भी खड़ा हो गया। मैंने अमरीकसिंह को एक रुक्क़ा देते देखा। अमरीकसिंह उसी रुक्क़े पर विशनदास से जवाब लेकर चला गया। पूछने पर विशनदास ने बतलाया कि हंसराज ने कुचला माँगा था।

इसके बाद मैं बीमार हो गया और रावलपिण्डी चला आया। फिर जब अच्छा हुआ तो शाहदरा आया। वहाँ से ५ सितम्बर को पुलिस मुझे गिरफ़्तार करके शाही क़िले में ले गई। ६ सितम्बर को मैंने बयान देना आरम्भ किया और सात को समाप्त कर दिया।

मुख़बिर की आत्म-कहानी

२ सितम्बर को जब मैं रावलपिण्डी आया तो विशनदास मुझसे मिलने आया। तब उसने मुझे बतलाया कि सरदार अमरीकसिंह गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके बाद ५ सितम्बर को पुलिस ने मेरे मकान पर छापा मारा और मैं गिरफ़्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुझसे इस तरीक़े से पूछना आरम्भ किया कि मानो उसे सब बातें मालूम हैं। इसलिए मैंने बयान दे दिया। २० अक्टूबर को पुलिस-अफ़सर ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें माफ़ी दिलाना चाहता हूँ। मैंने कहा, मर्ज़ी हो तो दिलवाइए, न मर्ज़ी हो तो मत दिलवाइए॥

प्रश्न—(मि० सलीम) जब तुमने पुलिस में बयान दिया था तो यह तय कर लिया था या नहीं, कि अगर मुझे अभियुक्त बनाया जाएगा तो अदालत में जाने पर इस बयान से इन्कार कर दूँगा?

उत्तर—मैंने ऐसा कुछ तय नहीं किया था?

गवाह ने फिर कहना आरम्भ किया—मुझे २० अक्टूबर का माफ़ी का वादा दे दिया गया। उसके बाद पुलिस मुझे लायलपुर ले गई। वहाँ पर मैंने मैजिस्ट्रेट के सामने उन स्थानों की शनाख़्त की, जहाँ बम फ़िट किए गए थे, जहाँ मैंने रामलाल को अलग किया था और उस कमरे का शनाख़्त किया, जहाँ बम फटे थे।

शाही क़िले में मैंने अभियुक्तों को शनाख़्त किया था और मैंने मैजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया था वह दुरुस्त है।

मि० सलीम—जब हंसराज ने तुम्हें सदस्य बनाया, तब तुम जानते थे कि पार्टी का मेम्बर कौन-कौन है?

गवाह—जब हंसराज ने मुझे बताया कि मैं क्रान्ति-पार्टी का मेम्बर हूँ, तो उसने यह भी बतलाया कि मलिक कुन्दनलाल भी मेम्बर है।

मि० सलीम—जब तुम्हें पार्टी का मेम्बर बनाया गया तो तुम्हें पार्टी के कोई नियम भी बताए गए थे?

गवाह—मुझे तीन रूल ज़बानी बता दिए गए थे।

मि० सलीम—वह कौन-कौन से रूल हैं?

गवाह—(१) बलपूर्वक अङ्गरेज़ी राज्य को हिन्दुस्तान से निकाल देना, (२) किसी से पार्टी का भेद न बताना, और कोई पार्टी का भेद बताए तो उसकी सज़ा क़त्ल है। पार्टी की मदद के लिए आवश्यकता पड़े तो अपना सारा काम भी छोड़ देना प्रत्येक मेम्बर का कर्तव्य है।

इसके बाद मैंने किसी मेम्बर से पार्टी के सम्बन्ध में कोई बातचीत न की।

प्रश्न—पार्टी के रूल के सम्बन्ध में तुमने विशनदास से बातचीत की थी? और उसका भेद भी बताया था?

उत्तर—हाँ।

प्रश्न—क्या इसकी सज़ा भी मौत है?

उत्तर—हाँ।

प्रश्न—फिर क्यों बताया?

उत्तर—मैं उसके विचार जानना चाहता था।

प्रश्न—जिस समय तुमने विशनदास से पार्टी का भेद बताया तो क्या उसे पार्टी का मेम्बर बनाने की कोशिश की?

उत्तर—नहीं। मैंने उससे कहा था कि अगर पार्टी की बातें कहोगे तो उसकी सज़ा मौत होगी।

प्रश्न—जिस वक़्त रामलाल तुम्हारे साथ लायलपुर गया था, उस समय वह क्या काम करता था, कहाँ रहता था और उसके खाने-पीने का इन्तज़ाम क्या था?

उत्तर—उस वक़्त रामलाल कोई काम नहीं करता था। वह शाहदरा में अपने बहनोई के पास रहता था और वहीं खाता-पीता था!

प्रश्न—जब हंसराज ने तुमसे पार्टी का भेद बतलाया तो क्या उसने तुमको मजबूर किया कि मेम्बर बन जाओ?

उत्तर—बिल्कुल नहीं।

गवाह से मज़ेदार ज़िरह

प्रतिवादी पक्ष के वकील की जिरह में गवाह ने कहा—मुझे पता नहीं कि मेरा बाप लेन-देन का काम करता है या नहीं ? मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे बाप के पास कितनी ज़मीन है ? वह इनकम-टैक्स देता है, परन्तु मुझे उसकी तादाद नहीं मालूम है। मेरा बाप तिजारत का काम नहीं करता। मेरा एक बड़ा भाई मोहनलाल है, जिसकी उम्र ३० वर्ष की है। मेरे चचा के भी एक लड़का है। उसका नाम बनवारीलाल है और उसकी उम्र २३ साल के क़रीब है। मेरे पास अलग कोई पूँजी नहीं है। मोहनलाल और बनवारीलाल की बात मैं नहीं जानता। मेरे पिता के पास कई मुनीम हैं। मैं उनकी तादाद नहीं जानता। एक-दो के नाम बता सकता हूँ। उनमें कुछ के नाम ग़ुलाम-महम्मद, मूलचन्द, हरदत्तराम, हरीकृष्ण आदि हैं। जिन दिनों में मैं स्कूल में पढ़ता था, उन दिनों हमारा मकान शाहदरा में था। मैं अपने पिता से स्कूल का ख़र्च लेता था। मेरे बाप के पास मोटर, ताँगा और साइकिल है। शाहदरा में हमारे तीन-चार मकान हैं। हमारे रहने का मकान मन्दिर की बैठक से दो-तीन फ़र्लांग पर है। मेरा चचा बिहारीलाल भी कोई काम नहीं करता। मोहनलाल और बनवारीलाल भी कोई काम नहीं करते। मोहनलाल खेवड़ा में काम नहीं करता था। शङ्करशाह दिसम्बर, सन् १९२९ में मर गए। शाहदरा में सत्यनारायण का मन्दिर उन्होंने ही बनवाया था। इस मन्दिर की चाबियाँ मेरे पास रहती थीं। जब मैं डी० ए० वी० कॉलेज में भर्ती हुआ तो मैंने चाबियाँ अपने पिता को दे दीं और स्वयं बोर्डिङ्ग में चला गया। मन्दिर के पुजारी का नाम मैं नहीं जानता। उसे रहने के लिए एक कमरा दिया गया है। मैं किसी मज़हब का क़ायल नहीं हूँ। क्योंकि मुझे फ़रार होना पड़ता तो मुसलमानों के यहाँ भी खाना पड़ता था। इसलिए मैं मन्दिर में पूजा के लिए नहीं जाता था। जिन दिनों मैं कॉलेज में पढ़ता था, उन दिनों मैं न तो कॉङ्ग्रेस का मेम्बर था और न किसी राजनीतिक सभा में भाग लेता था। इन दिनों मुझे इन्क़िलाबी किताबें पढ़ने का शौक़ न था। क्योंकि उस समय मेरे विचार क्रान्तिकारी न थे। लायलपुर के कॉलेज में दाख़िल होने के लिए मेरी सिफ़ारिश डिप्टी कमिश्नर ने की थी।

प्रश्न—तुमने लायलपुर का कृषि-कॉलेज क्यों छोड़ा ?

उत्तर—मुझे कुश्ती लड़ने का शौक़ था और जब मैं क्लास में जाता था, तो मुझे नींद आ जाती थी। इसलिए मैंने ख़्याल किया कि माता-पिता का रुपया व्यर्थ न खोना चाहिए। इसीलिए मैंने कॉलेज छोड़ दिया।

मैं कुन्दनलाल को लायलपुर आर्य-समाज के सालाना जलसे से पहले नहीं जानता था। उस दिन मेरी कुन्दनलाल और दासराम से किसी राजनीतिक विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई। मैं भाई बालमुकुन्द का व्याख्यान सुनने गया था। परन्तु उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। मैंने कोई व्याख्यान नहीं सुना था। सन् १९२९ की कॉङ्ग्रेस के बाद से मेरे विचार राजनीतिक हो गए। इससे पहले मैंने राजनीतिक विषयों पर दासराम, चरनदास, और कुन्दनलाल से कोई बातचीत न की थी।

मैं विज़िटर (दर्शक) और डेलीगेट (प्रतिनिधि) में कोई फ़र्क़ नहीं समझता। मैं कॉङ्ग्रेस-पण्डाल में २५) का टिकिट लेकर गया था। मुझे मालूम नहीं टिकट पर क्या लिखा था ? जब कोई प्रस्ताव पास होता था तो जिधर अधिक आदमी होते थे, उधर ही मैं हाथ उठा देता था ! उस दिन वॉयसराय को बधाई देने का प्रस्ताव पेश होकर पास हो गया। मैं आज तक नौजवान भारत-सभा का मेम्बर नहीं बना। वैसे मैंने अख़बारों में सभा का नाम कई बार पढ़ा था।

कॉङ्ग्रेस के अवसर पर ही मेरे विचार ऐसे हो गए थे कि अगर वॉयसराय को मारना ही है तो मारने दो, इसमें हमारा क्या हर्ज है। कॉङ्ग्रेस के दिनों में मलिक कुन्दनलाल शाहदर में मेरे पास आया था। वॉयसराय को बधाई का प्रस्ताव दिन को पास हुआ था। मैंने ख़ासकर किसी की स्पीच नहीं सुनी। साधारण लोगों का उत्साह देख कर मेरे विचारों में परिवर्तन हो गया था। मैंने हंसराज को भी कॉङ्ग्रेस के पण्डाल में देखा था। सब से पहले राजनीतिक विषय पर मेरी बातचीत दुर्गादास से हुई थी।

मैं नज़ीर मुहम्मद को जानता हूँ। उसने कॉलेज में कोई ज़हरीली चीज़ खाकर आत्म-हत्या कर ली थी। उसके पास एक चिट्ठी मिली थी, जिसमें लिखा था कि मैंने आत्म-हत्या कर ली है, क्योंकि मुझे ख़ैरातीराम से ख़ौफ़ है। इसके लिए पुलिस ने मुझे कई बार थाने में बुलाया था।

इस प्रश्न पर सरकारी वकील ने एतराज़ किया और कहा कि इस मुक़द्दमे से इस प्रश्न का कोई सरोकार नहीं है।

प्रतिवादी के वकील ने कहा, कि मैं यह प्रमाणित करना चाहता हूँ, कि गवाह को इस मुक़द्दमे के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, वह इस मुक़द्दमे से बचने के लिए सरकारी गवाह बना है।

इसके बाद प्रतिवादी वकील की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा—कृषि-कॉलेज छोड़ने के बाद मैं शर्म से अपने पिता से रुपए माँगने नहीं गया। हंसराज ने मुझसे मेम्बर बनाने से पहले रुपए नहीं माँगे थे।

मि० सलीम—जब तुम्हें अपने पिता से रुपए माँगने में शर्म मालूम होती थी, तो तुम किससे रुपए लेना चाहते थे ?

गवाह—अपने भाई मोहनलाल से लेने का इरादा था।

कृषि-कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने कोई काम करना आरम्भ नहीं किया ! मैं हंसराज के मकान पर उससे कभी मिलने नहीं गया। हंसराज ने कृषि-कॉलेज में मुझसे रुपया नहीं माँगा था। जब मैं लायलपुर गया तो वंशीलाल पुलिस में नौकर थे। परन्तु उसके दूसरे ही रोज़ डिसचार्ज कर दिए गए। मैंने वंशीलाल से वादा किया था, कि तुम्हें हरिकृष्ण लाल के दफ़्तर में नौकर करा दूँगा। मेरे और दुर्गादास की मौजूदगी में शाहदरा में कोई कॉङ्ग्रेस वालण्टियर नहीं आया। इसके बाद मैं शाहदरा से लाहौर आकर राजनीतिक सभाओं और जुलूसों में शामिल होने लगा। इसके बाद मैंने दुर्गादास से किताबें लेकर पढ़ीं, इससे मेरे दिल में और भी परिवर्तन हुए। दुर्गादास ने मुझे नहीं बताया कि वह कितने दिनों तक शाहदरा में ठहरेगा। जिस रोज़ महात्मा गाँधी की गिरफ़्तारी हुई थी, उस रोज़ लाहौर में हड़ताल थी। जुलूस निकले और सभा हुई। मैं और दुर्गादास इनमें शामिल थे। दुर्गादास के आने के बाद उससे मुझसे बातचीत हुई तो उसने कहा कि मुल्क की आज़ादी में तुम्हें कुछ हिस्सा लेना चाहिए। दुर्गादास के आने के दो-तीन दिन बाद जगन्नाथ आया। उसके विचार भी क्रान्तिकारी थे, वह दिन भर मेरे पास रह कर फ़ीरोज़पुर चला गया और वहाँ से लौट कर बताया कि वहाँ भी क्रान्तिकारी दल है और मैं उसका मेम्बर हूँ ! इसके सिवा दुर्गादास ने मुझसे और किसी क्रान्तिकारी दल का पता नहीं बताया। मैं जानता हूँ कि पिक्रिक एसिड बम बनाने के काम में आता है। एक बार दुर्गादास पिक्रिक एसिड लाया था। परन्तु इसके बाद फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं लाया।

इसके बाद मुक़दमा कल के लिए मुल्तवी हो गया।

मुख़बिर के बयानों में समता

दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस की एक मनोरञ्जक परिस्थिति

दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में, जिसमें २७ नवयुवकों पर स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने मामला चल रहा है, एक मनोरञ्जक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। मुख़बिर ख़ैरातीराम की जिरह के समय सफ़ाई के वकील ने अदालत से कहा, कि मुख़बिर ने अपनी गिरफ़्तारी के समय पुलिस के सामने जो बयान दिया था, उसका प्रत्येक शब्द उस बयान के प्रत्येक शब्द से मिलता है, जोकि उसने अपने पहले बयान के डेढ़ मास पश्चात् मैजिस्ट्रेट की अदालत में दिया था। इस पर ट्रिब्यूनल के एक सदस्य मि० सलीम ने मुख़बिर से इसका कारण पूछा।

सबूत के वकील ने मुख़बिर के पुलिस के सामने दिए हुए बयान पर जिरह करने में क़ानूनी आपत्ति पेश की। परन्तु कई घण्टों की बहस के बाद ट्रिब्यूनल ने सफ़ाई-पक्ष की बात मान ली।

(क्रमशः)

* * *

बिहार में निर्भीक डकैती !

स्टेशन-मास्टर पर गोली !!

पटना का १६ जून का समाचार है, कि मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले के हाजीपुर स्टेशन से एक अत्यन्त निर्भीक डकैती का समाचार आया है, जिसमें डाकुओं ने बन्दूक़ों और ख़ञ्जरों का प्रयोग किया। कहा जाता है कि हाजीपुर के स्टेशन मास्टर, असिस्टेण्ट स्टेशन मास्टर और दो क़ुलियों के साथ अपने स्टेशन ऑफ़िस से डाक के दो थैले लेकर, जिनमें रुपया था, स्टेशन पर खड़ी हुई गाड़ी में रखने के लिए आ रहे थे, इतने में डाकुओं के एक दल ने उन पर हमला कर दिया। डाकुओं द्वारा थैले छीनने का प्रयत्न करने पर स्टेशन के कर्मचारियों और डाकुओं में द्वन्द्व छिड़ गया। परन्तु डाकू स्टेशन मास्टर और असिस्टेण्ट स्टेशन मास्टर पर गोली चला कर भाग निकले। एक क़ुली को छुरा भोंक दिया। स्टेशन-मास्टर की हालत चिन्ताजनक है।

दिल्ली षड्यन्त्र केस फिर स्थगित

दिल्ली षड्यन्त्र केस की बैठक १६ तारीख़ को होने वाली थी। परन्तु अभियुक्तों के हाज़िर होने से इन्कार कर देने पर कल के लिए स्थगित कर दी गई। कहा जाता है, शायद कल तक सरकारी निर्णय का पता चल सके।

* * *

(५वें पृष्ठ का शेषांश)

अभियोग अस्वीकार कर लेना चाहिए। यद्यपि वर्तमान आन्दोलन में कॉङ्ग्रेस को इसलिए, कि बिना सफ़ाई पेश किए अपने आदमियों को जेल जाने की अनुमति दी है, उसे बहुत घाटा उठाना पड़ा है—मेरे विचार से यह एक भूल थी। जो हो, मेरा अनुमान है कि तुम मेरे पिछले पत्र के साथ-साथ यह पत्र पढ़ रहे हो; तुम राजनीतिक मामलों में सफ़ाई के सम्बन्ध में मेरे विचार जान गए होगे ! श्री० हरीकिशन के मुक़दमे के सम्बन्ध में मेरी राय यह है, कि हाईकोर्ट में अवश्य ही उसकी अपील की जाय और उसे बचाने की पूरी चेष्टा की जाय।

आशा है, ये दोनों पत्र मेरे इस विषय के सम्बन्ध में सही बातों पर पर्याप्त प्रकाश डालेंगे।

तुम्हारा..........

* * *

क्या मौलाना साहब इन प्रश्नों के उत्तर देने का साहस करेंगे?

जनाब अज़ीज़ हसन साहब बकाली द्वारा भयानक भण्डाफोड़ !!

हिन्दू-मुसलमानों में झगड़ा कराने के लिए उन्हें धन कौन देता है ???

दिल्ली से, उर्दू में 'पेशवा' नाम का एक विशुद्ध इस्लामी और साहित्यिक मासिक पत्र निकलता है। इसके सुयोग्य सम्पादक जनाब अज़ीज़ हसन साहब बकाली हैं। आपने 'पेशवा' के जून, १९३१ की संख्या में मौ० शौकतअली से कई प्रश्न किए हैं; जो बड़े ही मज़ेदार हैं। 'भविष्य' के पाठकों के मनोरञ्जनार्थ उनका अनुवाद नीचे दिया जाता है। जनाब अज़ीज़ हसन साहब लिखते हैं:—मुझे इससे बहस नहीं कि मुसलमानों के दुर्भाग्य से मौ० मुहम्मदअली का देहान्त होगया और मौ० शौकतअली साहब जैसी अक़्ल के आदमी भी नेताओं में गिने जाने लगे, जिनकी दिमाग़ी परिस्थितियों से जानकार अनभिज्ञ नहीं हैं। पराधीन भारत का दुर्भाग्य है, कि मौ० शौकतअली सर्वसाधारण की स्मरण-शक्ति से अनुचित लाभ उठा रहे हैं। चूँकि आवश्यकता से अधिक लज्जाशील बने हैं, इसलिए गुण्डों के बल पर भरोसा करके, काली झण्डियों और "शौकत गो बैक" की ध्वनि से सम्बोधित होते हुए भी दौरे पर निकल गए हैं और उसे सफल बताते हुए भी नहीं लजाते। इसके साथ ही इस मिथ्यापन पर सगर्व घोषणा करते हैं, कि छः महीने के अन्दर केवल भारत ही नहीं, वरन् सारे संसार के मुसलमान सङ्गठित हो जायँगे !!

मैं मुसलमानों की जानकारी और सर्व-साधारण के लाभार्थ निम्नलिखित प्रश्न करता हूँ और आशा करता हूँ कि मौ० शौकतअली इन प्रश्नों के उत्तर देकर मुसलमानों के बड़े भाग को सन्तुष्ट करेंगे—

(१) लन्दन में भारत के विख्यात शत्रु मि० चर्चिल से आपकी क्या बातें हुईं ?

(२) क्या आपने वर्तमान मज़दूर शासन-तन्त्र को उलटने के लिए विलायत के कन्ज़रवेटिवों से कोई प्रतिज्ञा की है और ये घोषणाएं और दौरे क्या उसी के चिन्ह हैं ?

(३) क्या आप उन कारणों का वर्णन कर सकते हैं, कि कल तक जिस शासन-तन्त्र की फ़ौजों में नौकरी हराम थी और जिस सरकार से सहयोग हराम था, वह पाँच सौ उलमाओं के फ़तवे की मौजूदगी में कल का हराम आज हलाल कैसे हो गया ?

(४) आपकी और ब्रिटिश सरकार की क्षणिक-सन्धि कब हुई, उसकी शर्तें क्या हैं और उस क्षणिक-सन्धि पर हस्ताक्षर किसके हैं ?

(५) भारत-सरकार या ब्रिटिश-सरकार ने उन माँगों में से कितने की पूर्ति की है, जिनके आधार पर आपने युद्ध-घोषणा की थी ?

(६) आपके फ़िलस्तीन और मिश्र की यात्रा का ख़र्च किसने दिया था और आपने वहाँ के पराधीन मुसलमानों की दशा से ग़ुलाम हिन्दोस्तान को क्यों बेख़बर रक्खा ?

(७) क्या मुस्लिम-जगत् के प्रतिष्ठित मुसलमानों ने आपसे यह प्रार्थना नहीं की थी, कि ईश्वर के लिए जिस तरह संभव हो, तुम भारतवर्ष को स्वतन्त्र कराओ, जिसमें हम भी आराम की साँस ले सकें ?

(८) फ़िलस्तीन के मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों का अन्त कराने के लिए आपने भारत-सरकार और केन्द्रीय सरकार से इङ्गलैण्ड में क्या बातें कीं और क्या आप उन अत्याचारों से अनभिज्ञ हैं, जो फ़िलस्तीन के मुसलमानों पर ब्रिटिश साम्राज्य की चश्म-पोशी से यहूदी कर रहे हैं ? क्या इन अत्याचारों के बाद भी आप अङ्गरेज़ी सरकार से सुलह करना चाहते हैं ?



लङ्काशायर का स्वप्न

(९) क्या यह ठीक है, कि आपके वर्तमान दौरे के ख़र्च भारत-सरकार के ख़ज़ाने से दिए गए ?

(१०) क्या यह सत्य है कि हैदराबाद के एक बहुत बड़े अङ्गरेज़ पदाधिकारी ने आपसे कहा था, कि आप अपना भेद-नीति सम्बन्धी आन्दोलन जारी रखिए, ख़र्च के लिए हैदराबाद के ख़ज़ाने से आपको एक लाख रुपए, चार क़िस्तों में मिल जायँगे ? और क्या यह वही अङ्गरेज़ पदाधिकारी है, जिसकी वजह से निज़ाम के व्यक्तित्व का प्रभाव हैदराबाद दक्षिण से कम हो गया है ? क्या ऐसी हालत में, जब कि निज़ाम को अङ्गरेज़ी प्रभाव के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, आपका हैदराबाद के अङ्गरेज़ पदाधिकारियों से निज़ाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ रुपए प्राप्त करना इस्लाम की सेवा है ?

(११) क्या आप इसकी कोई वजह बता सकते हैं, कि आपके तमाम साथियों ने किन कारणों से आपका साथ छोड़ दिया और आप इस्लामी बहादुरों की जगह अङ्गरेज़ 'प्यालाचटों' की गोद में चले गए ?

(१२) क्या आप मेहरबानी करके उन तमाम फ़ण्डों में से, जिनकी संख्या पचास से किसी हालत में भी कम नहीं है, किसी एक फ़ण्ड का भी हिसाब मुसलमानों के नियुक्त किए हुए कमीशन को देने के लिए तैयार हैं ?

(१३) आज तक आपने विशुद्ध इस्लामी उपकार के नाम पर ग़रीब मुसलमानों से कितना रुपया जमा किया और उस रुपए से मुसलमानों को क्या फ़ायदा पहुँचा ?

(१४) आपकी और मियाँ सर फ़ज़्ले हुसेन तथा होम मेम्बर मि० क्रेरार की, काँङ्ग्रेस से क्षणिक समझौते के बाद क्या बातचीत हुई ?

मुझे आशा है कि आप इस प्रश्नावली को पढ़ कर क्रुद्ध होने और गालियाँ देने के बदले इनका उचित उत्तर देकर मुझे कृतज्ञता प्रगट करने का अवसर देंगे, ताकि मुसलमान आपकी वर्तमान कार्यावली के सम्बन्ध में एक निश्चित सम्मति क़ायम कर सकें और अगर कोई ग़लत-फ़हमी हो तो आपके बयान के बाद दूर हो जाय ??

* * *

विदेशी वस्त्रों का अन्तिम संस्कार

मारवाड़ियों में खलबली !!

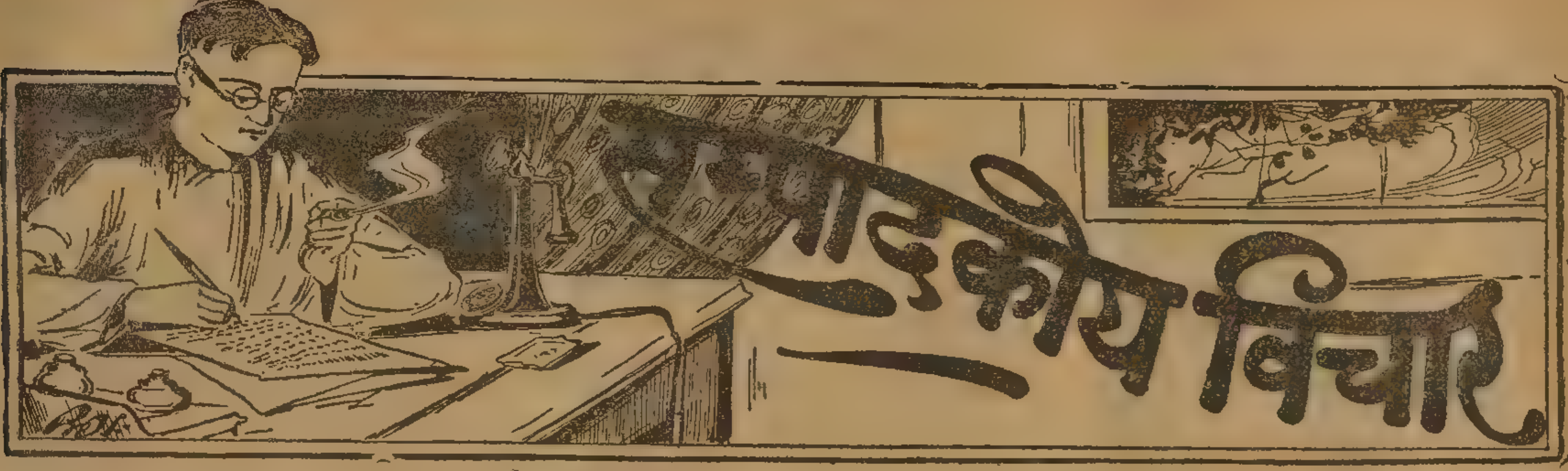
बम्बई की विदेशी-वस्त्र-निर्यात कम्पनी ने वह शर्तें प्रकाशित कर दीं, जिनके अनुसार विदेशी कपड़े का मौजूदा स्टॉक विदेशों को भेजा जावेगा। फ़िलहाल कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और कराँची-जैसे प्रमुख बाज़ारों का विदेशी कपड़ा ख़रीदा जाएगा और अफ़ग़ानिस्तान, पर्शिया, अरेबिया, चीन, इण्डोचाइना और स्ट्रेट सेटिलमेण्ट आदि स्थानों में भेजा जावेगा।

कम्पनी बाज़ार-दर से ६० प्रतिशत क़ीमत में विदेशी कपड़ा ख़रीदेगी। स्टॉक लेने पर कुल क़ीमत का ६० प्रतिशत रुपया तो अदा कर दिया जावेगा, पर १० प्रतिशत ज़मानत की तौर पर रख लिया जावेगा, जिससे वह फिर विदेशी कपड़े का व्यापार न करें और न विदेशी सूत ही मँगवावें।

कम्पनी के डायरेक्टरों ने म० गाँधी से भेंट की और बहुत देर तक बातचीत की। मालूम हुआ है, कि बहुत से व्यापारियों ने नुक़सान उठाना स्वीकार कर लिया है, यदि उनका सारा मौजूदा स्टॉक बाहर भेज दिया जाय। एक डाइरेक्टर ने एक पत्र-प्रतिनिधि से कहा, कि विदेशी कपड़ा एक इञ्च भी भारत में न रहने पावेगा और सभी बाहर भेज दिया जावेगा।

कहा जाता है, इस समाचार से विशेषकर मारवाड़ियों में बड़ी खलबली मच रही है।

* * *



भविष्य

१८ जून, सन् १९३१

भारत-सरकार का आर्थिक सङ्कट

इस समय सम्पूर्ण संसार में वाणिज्य-शिथिलता है। पिछले तीन वर्षों से प्रकृति की उदारता और रूस के पञ्च-वर्षीय आयोजन के कारण संसार में अन्न की चिन्ताजनक प्रचुरता हो गई है! इस समय सम्पूर्ण भारत में दो रुपए मन गेहूँ बिक रहा है और कुछ देशी रियासतों में तो सवा रुपए मन लेने वाला भी कोई नहीं मिलता। रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और फ्रान्स में भी गेहूँ की इसी प्रकार बहुतायत है। अभी हाल ही में गेहूँ उत्पन्न करने वाले प्रधान देशों के प्रतिनिधियों की लन्दन में एक कॉन्फ्रेन्स हुई थी, जिसमें प्रकट किया गया था, कि सब देशों में मिल कर इस समय दो सौ पचीस करोड़ मन गेहूँ फ़ालतू है! कॉन्फ्रेन्स में यह भी निश्चय हुआ है, कि राष्ट्र-सङ्घ की सहायता से भविष्य में गेहूँ की खेती कम करवाई जावे। इस अन्न-बाहुल्य के कारण अन्य कृषि-जन्य पदार्थ भी अत्यन्त सस्ते हो गए हैं और किसानों की क्रय-शक्ति घट गई है, जिसका प्रभाव वाणिज्य के प्रत्येक अङ्ग पर पड़ा है और शिथिलता ने भयङ्कर रूप धारण कर लिया है। भारतवर्ष के स्वातन्त्र्य-संग्राम ने इस शिथिलता को और भी अधिक भीषण बना दिया है। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण ज़कात की आमदनी अत्यन्त कम हो गई; रेलों की आय घट गई, पुलिस और सेना तथा जेल-ख़र्च बढ़ गया और क्रान्तिकारियों की तलाश और मुक़दमों में लाखों रुपए स्वाहा होने लगे। इस क्षति की पूर्ति केवल भूमि-कर की आमदनी से हो सकती थी। परन्तु अन्न-बाहुल्य और तज्जन्य व्यापार-शैथिल्य ने उधर भी सङ्कट उपस्थित करके "मरे को मारे शाहमदार" वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया। पिछले बारह मास में भारी ब्याज-दर पर भारत-सरकार करोड़ों रुपए जनता से उधार ले चुकी है। अभी हाल ही में एक और भारी ऋण की घोषणा की गई है, जिस पर ६) रु० सैकड़ा ब्याज दिया जाएगा!! इस ऋण का पिछले सप्ताह तक केवल ३८ फ़ी सदी ही एकत्र हुआ है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस ऋण की पूरी रक़म इकट्ठा करने में काफ़ी समय लगेगा। उधर शिथिलता के कारण यू० पी० और पञ्जाब की गवर्नमेण्टों ने किसानों को दस फ़ी सदी लगान तक की माफ़ी कर दी; पर इससे भी स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ है और किसानों में असन्तोष अधिकाधिक बढ़ता ही जाता है। इस विषय पर विचार करने के लिए संयुक्त प्रान्त के गवर्नर सर मेलकम हेली ने महात्मा गाँधी को नैनीताल बुलाया था। महात्मा गाँधी ने जो प्रस्ताव गवर्नर के सामने रक्खा, वह सरकार को नहीं रुचा। फलतः गवर्नमेण्ट लगान वसूल करने में सख़्तियाँ कर रही है और किसानों में भय, विरोध तथा व्याकुलता बढ़ रही है! इसी विषय पर विचार करने के लिए संयुक्त-प्रान्त के ताल्लुक़ेदारों का एक डेपूटेशन भी महात्मा गाँधी की सेवा में उपस्थित हुआ था। नैनीताल से प्रस्थान करते समय महात्मा गाँधी ने किसानों की सभा में भाषण देते हुए कहा था, कि किसानों को यथासम्भव रुपए में चार आने से लेकर आठ आने तक लगान जमा कर देना चाहिए।

इस अर्थ-सङ्कट से त्रस्त होकर गवर्नमेण्ट को अब अपने ख़र्च में कमी करने की सूझी है और गत मास के अन्तिम सप्ताह में "किफ़ायत-कारिणी" कमिटी (Retrenchment Committee) की नियुक्ति की गई है। इस कमिटी की परामर्श-समिति में गत २७वीं मई को दीवान बहादुर श्री० रङ्गाचार्यर ने एक बड़ा स्पष्ट और मार्मिक भाषण दिया। आपने कहा कि कम से कम अगले पाँच वर्ष तक वर्तमान व्यापारिक शिथिलता के सुधरने की आशा नहीं है, इसलिए ख़र्च में जो कुछ कमी की जाय, वह ऐसी हो, जो दस या बीस वर्ष तक निभ सके। आपने सैनिक ख़र्च की विशेष शिकायत की। कमी-कमिटी को गवर्नमेण्ट ने केवल इतना अधिकार दिया है, कि सैनिक सामान की ख़रीद पर वह विचार करे और अफ़सर तथा सैनिकों की संख्या पर कोई टीका-टिप्पणी ही न करे। परन्तु दीवान बहादुर का कहना है, कि सेना के भारतीय और यूरोपीय दोनों विभागों की तनख़्वाहों और एलाउन्स की जाँच करना कमिटी के अधिकारों से बाहर नहीं है। आपने कुछ महकमों के अन्त या सङ्कोच का उल्लेख भी किया और बड़े अफ़सरों के समुद्र-एलाउन्स, सफ़र-एलाउन्स, इनाम और पेन्शन आदि की जाँच करने की भी ज़रूरत बतलाई। विभिन्न महकमों में ख़र्च की कमी करने के लिए पाँच सब-कमिटियाँ बना दी गई हैं और उनका काम आरम्भ हो गया है। अनुमान किया गया है कि इस जाँच में लगभग पाँच महीने लगेंगे।

जब पं० जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गाँधी ने कहा था, कि भारत में किसी अफ़सर की तनख़्वाह ५००) रुपयों मासिक से अधिक न होनी चाहिए तो ऐङ्गलो इण्डियन पत्रों ने बड़ी खिल्ली उड़ाई थी और इस गम्भीर कथन को पागल का प्रलाप समझा था। लेकिन जब अन्न का मूल्य पहिले से पञ्चमांश रह गया है और व्यापार में भयङ्कर शिथिलता है तो सरकार को विवश होकर इसी अनुपात के अनुकूल अपना ख़र्च भी घटाना पड़ेगा। भारत-सरकार की प्रधान आय ज़मीन के लगान से होती है और जब अन्न इतना सस्ता हो गया है, तो इस लगान में भारी कमी होगी। अगर ऐङ्गलो इण्डियन पत्र यत्न करके भारत-सरकार की सहायता करने के लिए इङ्गलैण्ड से उन धन-राशियों को वापस मँगवा लें, जो अनेक निन्दनीय साधनों द्वारा भारत से वहाँ पहुँचाई गई हैं, तो उनके दोस्त-अफ़सरों की ऊँची तनख़्वाहें जारी रह सकती हैं, अन्यथा इन मदों में भयङ्कर कमी का होना अनिवार्य है!

* * *

षड्यन्त्रों का भूत

इस देश की पुलिस षड्यन्त्रों की ताक में रहते-रहते कुछ ऐसी हतबुद्धि सी हो गई है, कि उसे सोते-जागते सर्वत्र षड्यन्त्र ही षड्यन्त्र नज़र आते हैं! छोटी से छोटी घटना को भी किसी बड़े षड्यन्त्र से सम्बद्ध कर देने में उसे कोई कठिनाई भी तो नहीं होती! उसके पास षड्यन्त्र-केस खड़ा करने का आवश्यक सामान हर वक़्त मौजूद रहता है। मुख़बिर, मनचाहे गवाह और फ़रार अभियुक्तों की सच्ची-झूठी सूची आदि षड्यन्त्रों के आवश्यक सामान, रहस-मण्डलियों के रास-लीला के आवश्यक सामानों की तरह सदैव उसके साथ-साथ रहते हैं। वही फ़रार अभियुक्त कभी लाहौर वालों की लीला के पात्र बना लिए जाते हैं; कभी दिल्ली वालों के काम में आ जाते हैं और कभी 'लैमिङ्गटन रोड गोली-काण्ड' में लाकर खड़े कर दिए जाते हैं!

लैमिङ्गटन रोड वाले मामले का—जिसका अभी थोड़े ही दिन हुए फ़ैसला सुनाया गया है और जिसके अनुसार सब अभियुक्त निर्दोष कह कर छोड़ दिए गए हैं—संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:—

सारजण्ट टेलर और उनकी पत्नी पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने बम्बई के लैमिङ्गटन रोड पर ९ अक्टूबर, सन् १९३० की रात को गोली चला दी थी। फल-स्वरूप वे दोनों कुछ घायल हो गए। पुलिस ने खोज की। खोज में उसे 'एक बहुत भयङ्कर षड्यन्त्र' हाथ लग गया! उसने पहले ही से शायद सोच रक्खा था, कि गोली चलाने वाले, निश्चय ही 'क़ानून द्वारा स्थापित गवर्नमेण्ट' को उखाड़ कर फेंक देने का प्रयत्न करने वाले लोग रहे होंगे। इस सिद्धान्त के आधार पर एक राजनीतिक षड्यन्त्र की रचना कर दी गई। कुछ लोग पकड़े गए, जिन पर हत्या का प्रयत्न करने, राजद्रोह फैलाने, षड्यन्त्र करने और "बादशाह के विरुद्ध युद्ध" करने का अभियोग आरोपित कर दिया गया। षड्यन्त्र केसों में प्रायः मुख़बिर मिल ही जाते हैं, इसलिए एक अभियुक्त मुख़बिर बना लिया गया, षड्यन्त्र केसों में 'फ़रार' अभियुक्त भी होते हैं, इसकी पूर्ति में श्रीमती दुर्गादेवी, श्री० सुखदेवराज और स्वामी राव के नाम जोड़ दिए गए और सबूत की गवाही के लिए ११० गवाह तैयार थे ही! सबूत की ओर से कहा गया, कि अभियुक्तों का सम्बन्ध उत्तर भारत के षड्यन्त्रकारियों से है। कुछ अभियुक्तों ने गीता-अध्ययन के लिए छोटी-छोटी समाजें खोल रक्खी थीं; इस बात पर सबूत की ओर से बहुत ज़ोर दिया गया। सबूत की दृष्टि से अभियुक्तों का गीता-पाठ षड्यन्त्र का द्योतक समझा गया! जिस नौकरशाही को गीता-सदृश ग्रन्थों के पाठ में भी षड्यन्त्रों के छाया-चित्र दिखलाई देते हों, उसे इस देश में बिना परिश्रम अगणित षड्यन्त्रों के चलाने

का सामान कितनी आसानी से मिल सकता है—यह विचार करने का विषय है !

महीनों यह केस चलता रहा। अन्त में हाईकोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया कि सारे अभियुक्त सर्वथा निर्दोष हैं, वे तुरन्त छोड़ दिए जायँ और जिनके नाम वारण्ट कटे हैं वे भी रद्द कर दिए जायँ !!

भारत की ग़रीब जनता का इस निराधार षड्यन्त्र केस में जितने धन का अपव्यय हुआ है, वह इस देश की ग़ैर-ज़िम्मेदार शासन-प्रणाली की अत्यन्त मामूली सी घटना है। 'टाइम्स ऑफ़ इण्डिया' सरीखे सरकारी पत्र तक ने इस षड्यन्त्र-केस के विषय में पुलिस की जो टीका की है, वह नौकरशाही के लिए विचारणीय है। वह कहता है—"इस प्रकार के षड्यन्त्रों की छाया के पीछे दौड़ते फिरना अनावश्यक है। इसकी अपेक्षा यदि पुलिस अपना ध्यान प्रकट अपराधों की ओर रक्खे—चाहे वह अपराध षड्यन्त्र सम्बन्धी हों या किसी और प्रकार के हों—और अपराधी को अपराध करते समय ही पकड़ने का प्रयत्न करे, तो इससे देश का अधिक उपकार हो सकता है। षड्यन्त्र-केस बहुत हो चुके। इन केसों में सार्वजनिक समय और धन का जितना व्यय होता है, उतना लाभ भी होता है या नहीं, इस बात में घोर सन्देह है।"

हमारा तो ख़याल है कि वह नौकरशाही, जो गीता-पाठ तक करने वालों में षड्यन्त्रकारी होने का प्रमाण ढूँढ़ती है, 'टाइम्स ऑफ़ इण्डिया' की शिक्षा को नहीं ग्रहण कर सकती। उसमें न तो इस बात का विवेक ही शेष रहा है और न उसे इसकी आवश्यकता ही है। न जाने इस शासन-प्रणाली के अन्त होने में अभी कितनी देर लगेगी !!

* * *

जोधपुर के नए दीवान

प्रयाग के प्रसिद्ध कमिश्नर कुँवर महाराजसिंह शीघ्र ही दो वर्ष के लिए जोधपुर की राज-सभा के उप-प्रधान बन कर जा रहे हैं। जोधपुर का शासन-सञ्चालन एक राज-सभा के द्वारा होता है, जिसके प्रधान स्वयं महाराजा साहब हैं; परन्तु शासन-भार वास्तव में उप-प्रधान के ऊपर होता है। सर सुखदेव की विदाई के बाद से उप-प्रधान के पद पर कर्नल विण्ढम थे, पर अब आप रिटायर हो रहे हैं। कर्नल विण्ढम पहले जोधपुर में रेज़िडेण्ट थे और उसके बाद कोटा तथा काश्मीर रियासत के भी अर्से तक रेज़िडेण्ट रह चुके हैं। इसलिए देशी रियासतों के प्रबन्ध और समस्याओं का आपको काफ़ी अनुभव है। जब सर सुखदेव को वर्तमान महाराजा ने अकस्मात् विदा करके (इस सम्बन्ध में अनेक रहस्यपूर्ण बातें बतलाई जाती हैं) कर्नल विण्ढम की नियुक्ति की, तो जोधपुर रियासत की जनता की यह आशा थी कि शासन का स्वरूप सुधरेगा और रियासत की उन्नति होगी। पिछले छः सात साल के प्रबन्ध-काल में कर्नल विण्ढम ने किसी को व्यक्तिगत व्यवहार के लिए शिकायत का मौक़ा नहीं दिया। शिक्षा-विभाग और हवाला-विभाग (रेवेन्यू) में उन्होंने कुछ उन्नति भी की। न्याय-विभाग का ढङ्ग भी कर्नल विण्ढम ने बहुत-कुछ सुधारा। परन्तु कर्नल विण्ढम से जितनी आशा थी, उतनी उन्नति नहीं हुई। उन्होंने शिक्षा-विभाग, हवाला-विभाग, इञ्जीनियरिङ्ग और रेलवे-विभाग में ऊँची-ऊँची तनख़्वाह वाले अङ्गरेज़ ला-लाकर बिठा दिए और सब काम उन्हीं के सुपुर्द छोड़ दिया। अङ्गरेज़ी अफ़सरों के—और विशेषकर रेलवे अफ़सरों के प्रतिकूल जो शिकायतें होती थीं, उनकी प्रायः कम सुनवाई हुआ करती थी। इसी अर्से में ठाकुर साहब पोखरण का स्वर्गवास हो जाने के कारण अङ्गरेज़ों का पक्ष और भी प्रबल हो गया था। वास्तव में स्वर्गीय कर्नल सर प्रताप के समय से ही अङ्गरेज़ों का जोधपुर में ख़ूब ज़ोर था, परन्तु कर्नल विण्ढम ने उनके पक्ष को और भी प्रबल कर दिया है, वरना पिछले दो साल के अन्दर रेलवे के कई अङ्गरेज़ अफ़सरों को अपने बोरिए-बँधने बाँधने पड़ते। वास्तव में यह आश्चर्य की बात है कि पिछले कई साल से रेलवे-विभाग में प्रायः हानि रहती आई है !

जोधपुर-नरेश बड़े सच्चरित्र सज्जन हैं और देश-विदेश दोनों का आपको अनुभव है। यों भी आप बड़े उदार और उन्नतिप्रिय हैं, परन्तु दुख की बात यह है कि प्रबन्ध-सञ्चालन में आपकी पर्याप्त रुचि नहीं है और आपका अधिकांश समय ऐसे निर्व्यसन कार्यों में कटता है, जिनसे प्रबन्ध को कोई सहायता नहीं मिल सकती। यह हर्ष की बात है, कि श्रीमती महारानी जोधपुर बड़ी योग्य महिला हैं और प्रबन्ध-विषय में आपकी रुचि है। ऐसे दुर्लभ दम्पति के शासन-काल में भी यदि रियासत की सन्तोषप्रद उन्नति नहीं हुई, तो यही कहना पड़ेगा, कि राजा और प्रजा दोनों के लिए दुर्भाग्य की बात है।

राजपूताने की दो-चार रियासतों में जो कुछ उन्नति के चिह्न दिखाई दे रहे हैं, उसका श्रेय वहाँ के नरेशों को तो है ही; परन्तु वास्तव में यह कार्य है उन्नतिप्रिय प्रधान-मन्त्रियों का। इसमें किसको सन्देह हो सकता है कि सर कान्तिचन्द्र ने जयपुर में वर्तमान प्रबन्ध की नींव डाली। श्री० श्याम जी कृष्ण वर्मा ने उदयपुर को एक भारी सङ्कट से बचाया और सर रघुनाथ ने कोटा के राज-प्रबन्ध को उन्नत किया। दूसरी ओर सर सुखदेव ने जोधपुर में, सर गोपीनाथ ने जयपुर में, श्री० चन्नालाल ने बूँदी में और श्री० परमानन्द ने झालावाड़ में जो लीलाएँ रचीं, उनको ये रियासतें भूल नहीं सकतीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजपूताने की रियासतों के प्रबन्ध का स्वरूप वहाँ के राजमन्त्रियों पर निर्भर है। बीकानेर और बूँदी जैसी रियासतों में दीवान की कुछ नहीं चल सकती; परन्तु अधिकांश रियासतों में दीवान चाहे तो बिगाड़ सकता है और चाहे तो बना सकता है। इसलिए उन्नतिप्रिय नरेश बहुत सोच-समझ कर दीवान नियत करते हैं।

यह प्रत्यक्ष है कि अपने दीवान की नियुक्ति में जोधपुर महाराजा बहुत सोच-विचार करते हैं। सर सुखदेव को रुख़सत करने के बाद कर्नल विण्ढम की नियुक्ति कई दृष्टियों से बड़ी बुद्धिमत्ता का कार्य था। उस समय महाराजा साहब ने केवल यह विचार नहीं किया कि कर्नल विण्ढम आख़िर अङ्गरेज़ हैं, काले आदमियों की उन्नति कहाँ तक उनका अभीष्ट हो सकता है ? अब से दो वर्ष पूर्व महाराजा जोधपुर ने सर शङ्करन नायर को अपनी राज-सभा का उप-प्रधान बनाने का प्रयत्न किया था और बड़ी ज़ोर से अफ़वाह फैल गई थी कि शीघ्र ही सर शङ्करन जोधपुर राज्य का शासन-भार ग्रहण करेंगे, परन्तु पता नहीं वे क्यों नहीं आए। अब कुँवर महाराजसिंह जोधपुर जा रहे हैं। अभी उनको केवल दो वर्ष के लिए बुलाया गया है, परन्तु यह केवल ज़ाब्ते की बात है। यदि महाराजा साहब आपके कार्य से सन्तुष्ट रहे, तो अर्से तक आप जोधपुर में ही रक्खे जावेंगे। कुँवर महाराजसिंह स्वयं एक पञ्जाबी रियासत के उच्च सरदार स्वर्गीय राजा सर हरनामसिंह के योग्य पुत्र हैं और 'रँगीला-रसूल' वाले मुक़द्दमे में विद्वत्तापूर्ण फ़ैसला देने वाले कुँवर दलीपसिंह के सहोदर हैं। आप अर्से से प्रयाग में कमिश्नर थे और कुछ अर्से के लिए बनारस में भी इसी पद पर काम कर चुके हैं। हम आशा करते हैं कि जोधपुर के सचिव-सिंहासन पर बैठ कर भी आप अपनी योग्यता, निष्पक्षता, प्रबन्ध-पटुता, उदारता और उन्नतिप्रियता का परिचय देंगे। जोधपुर में एक उन्नतिशील दीवान की बड़ी आवश्यकता थी, जो कुँवर महाराजसिंह की नियुक्ति से पूरी हो गई है। इस समय जोधपुर के सम्पूर्ण प्रबन्ध-विभागों को पुनः सङ्गठित करने की, शिक्षा को उन्नत बनाने की, जुडिशल विभाग से सुधार करने की, स्वतन्त्र हाईकोर्ट स्थापित करने की और विशेषकर रेलवे-विभाग की अधाधुन्धी का अन्त करने की बड़ी आवश्यकता है। बेगार-प्रथा, दास-प्रथा, अनेक प्रकार के अनुचित कर्म, ठिकानों के साथ अनेक प्रकार की सख़्तियाँ और ठिकानों की अपनी प्रजा पर अनेक प्रकार की सख़्तियाँ ऐसे बड़े राज्य में कलङ्क की बात है। हम आशा करते हैं कि कुँवर महाराजसिंह इन मध्य-कालीन बेहूदगियों को एकदम हटा कर शासन को उन्नत बनाएँगे और वर्तमान काल-गति का ख़याल रख कर महाराजा बहादुर का ध्यान जन-जागृति की ओर आकर्षित करेंगे।

* * *

भारत में सैण्डहर्स्ट कॉलेज

गोलमेज़ के निर्णय के अनुकूल भारत में उच्च सैनिक शिक्षा देने के लिए सैण्डहर्स्ट कॉलेज स्थापित किया जाएगा। अब तक वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन दो-चार भाग्यवान नवयुवकों को, जिन्हें सरकार भेजती है, उच्च सैनिक शिक्षा के लिए इङ्गलैण्ड जाना पड़ता है; परन्तु यहाँ सैण्डहर्स्ट कॉलेज स्थापित होने के पश्चात् उच्च सैनिक शिक्षा यहाँ ही प्राप्त की जा सकेगी। इस प्रस्ताव को कार्यरूप में परिणत करने के लिए एक कमिटी नियत की गई है, जिसका नाम 'सैण्डहर्स्ट कमिटी' है। गत २९ तारीख़ को इस कमिटी में भाषण देते हुए भारत के प्रधान सेनापति सर फ़िलिप चेटवुड ने कहा है, कि "हमारा प्रथम कर्तव्य है योग्य और युवक अफ़सरों का एक निरन्तर ताँता तैयार करना। जब हमको पर्याप्त संख्या में भारतीय अफ़सर मिलने लग जायँगे, तो सेना के भारतीय अंश को हम जितना चाहेंगे, बढ़ा सकेंगे। ऐसा न हो सकेगा तब तक हम भारतीय अंश का विस्तार एक परिमित सीमा तक ही कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार तैयार करना इस समय मुख्य समस्या है।" सर फ़िलिप ने यह भी कहा है, कि भारतीय सैनिक विस्तार के लिए प्रथम बार आठ सौ सत्तर अफ़सर की आवश्यकता होगी और तदनन्तर प्रतिवर्ष साठ हिन्दुस्तानी अफ़सर सैण्डहर्स्ट कॉलेज में तैयार किए जायँगे।

भारत के लिए स्वराज्य की योग्यता परखने के प्रतिकूल अनुदार अङ्गरेज़ों की यह सब से बड़ी दलील है, कि भारतवर्ष आत्म-रक्षा नहीं कर सकता और यदि अङ्गरेज़ी सेनाएँ हटा ली जायँगी तो सारे देश में अराजकता फैल जायगी और विदेशी लोग भारत पर आक्रमण कर देंगे। ये अनुदार लोग यह कहना भूल जाते हैं, कि यह भयङ्कर स्थिति सरकार की पौरुष-शोषक नीति का ही फल है। सन् १८५७ से पहिले भारत के सैनिकों में और सेनानायकों में कौन सी बात की कमी थी ? परन्तु ग़दर के बाद सम्पूर्ण देश को निःशस्त्र करके सरकार ने भारतवासियों को पङ्गु बना दिया और शनैः-शनैः भारतीय सैनिक अफ़सरों को सेना में से निकाल दिया गया ! बहुत-कुछ शोर-ग़ुल मचाने के बाद दो-चार नवयुवकों को प्रति वर्ष अफ़सर बनाया जाने लगा और सेना की आठ "यूनिट" को हिन्दुस्तानी बनाने का आयोजन किया गया। एक ओर सरकार की यह मन्थर नीति और दूसरी ओर अयोग्यता का आरोप। देखें, अब भविष्य में सरकार किस नीति का अवलम्बन करती है।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू कई बार स्पष्ट कह चुके हैं, कि सेना यदि स्वराज्य सरकार के अधिकार में नहीं हुई तो वह स्वराज्य नहीं है। इस मार्ग को पूरा करने के लिए सर फ़िलिप को साठ अफ़सर नहीं, परन्तु छः सौ अफ़सर प्रतिवर्ष तैयार करने पड़ेंगे; पर क्या ऐसा होगा ??

* * *

प्रेज़िडेण्ट-पटेल की निराशा !

पाठकों को शायद बतलाना न पड़ेगा, कि भारत के केन्द्रीय धारा सभा के प्रतिभाशाली प्रेज़िडेण्ट (भूतपूर्व) श्री० विट्ठलभाई पटेल उन इने-गिने राजनीतिज्ञों में से हैं, जिनके भारतीय होने पर आज समस्त भारत को गर्व है। ब्रिटेन तक आपकी दूरदर्शिता एवं राजनीतिज्ञता का क़ायल है और यदि हम भूल नहीं करते, तो राजनीतिक मामलों में महात्मा गाँधी तक ने आपको भारत का सर्व-श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ स्वीकार किया है। अतएव भावी 'गोलमेज़' परिषद के सम्बन्ध में उस दिन लन्दन की कॉमनवेल्थ ऑफ़ इण्डिया लीग की अध्यक्षता में आपने जो भाषण दिया है, उसे पागल का प्रलाप नहीं कहा जा सकता। जिन लोगों ने भावी गोलमेज़ परिषद से लम्बी-चौड़ी आशाएँ बाँध रक्खी हैं, उन्हें आपके भाषण को विशेष मनोयोग से पढ़ना चाहिए, जिसके प्रत्येक शब्द से निराशा टपक रही है। आपके भाषण का सार इस प्रकार है :—

"भारत अपने आन्तरिक और बाहरी शासन में पूर्ण स्वतन्त्रता चाहता है। वह वैदेशिक शासन का अपमान और पतन अधिक दिनों तक नहीं सहन कर सकता। अगर मत लिए जायँ, तो भारत की सारी जनता ब्रिटेन से सम्बन्ध-विच्छेद करने के पक्ष में अपना मत देगी। पर कॉङ्ग्रेस समझौता करना चाहती है और बिना किसी बन्धन के पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य मन्ज़ूर करने को तैयार है। भारत शान्ति चाहता है, पर अपनी शर्तों पर ! यहाँ के राजनीतिज्ञों से बातचीत करने पर मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, कि यद्यपि गाँधी जी भारत के सम्बन्ध में निर्णय करने की पूर्ण आशा से यहाँ आ रहे हैं, तथापि शान्तिपूर्ण समझौता होने की मुझे आशा नहीं है। महात्मा जी को समझौते का प्रयत्न असफल होने पर, पुनः युद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्रिटिश व्यापारी, व्यापार सम्बन्धी संरक्षणों को चाहते हैं, ताकि उनका व्यापार चले। पर भारत की सद्भावना के बिना कोई भी संरक्षण व्यर्थ सिद्ध होगा ! संरक्षणों पर अधिक ज़ोर देकर वे कट्टरता बढ़ा रहे हैं। सच्ची सद्भावना ही लाखों संरक्षणों से कहीं अधिक हितकर है। पूर्ण स्वतन्त्रता और पूर्ण ग़ुलामी के बीच में अन्य कोई स्थान नहीं है। साधारण मार्ग से ब्रिटिश लोगों को भारत की गम्भीर स्थिति का अनुभव नहीं कराया जा सकता। हमें कुछ असाधारण कार्य करने चाहिएँ, जिससे ब्रिटिश लोगों की कल्पना हमारी ओर खिंचे। फिर वे लोग शीघ्र ही पूछेंगे, कि भारत में क्या हो रहा है और उसके प्रति न्याय करने को तैयार होंगे ! जब तक यह नहीं होता, तब तक भारतीयों का निश्चय है कि वे भारत में ब्रिटिश सरकार का चलना असम्भव कर देंगे।"

हमें आशा है, विचारशील देशवासी इन पंक्तियों की गम्भीरता पर समुचित ध्यान देंगे !

* * *

प्रतापगढ़ में १०,००० किसानों का विराट सम्मेलन

राजा कालाकाँकर के त्याग और बलिदान का नमूना

ज़मींदारों का अस्तित्व तभी तक रह सकता है, जब तक वे प्रजा के रक्षक बने हैं

श्री० बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन का सन्देश

११वीं जून को प्रातःकाल से प्रतापगढ़ ज़िला-किसान-परिषद् की बैठक आरम्भ हुई। सर्व-प्रथम राष्ट्रीय झण्डा बड़ी धूमधाम से फहराया गया। कहा जाता है, उपस्थित किसानों की संख्या १०,००० के लगभग थी। इसके बाद "बन्देमातरम्" गान के पश्चात् परिषद की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। परिषद के मनोनीत सभापति श्री० बाबू पुरुषोत्तमदास जी टण्डन अपने मामा श्री० सूर्यप्रसाद खन्ना की एकाएक मृत्यु हो जाने के कारण पधार न सके, जिससे लोगों को बड़ी निराशा हुई।

स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष कालाकाँकर के राजा साहब ने अपने भाषण के सिलसिले में कहा— भदरी के रायसाहब तथा मैंने, कॉङ्ग्रेस के साथ समझौता करके, किसानों के कर में, रुपए में ६ आना छूट दे दी है; किन्तु इस समय किसानों की ऐसी दुरवस्था हो रही है, कि इतनी छूट होने पर भी, किसान कर चुकाने में असमर्थ हैं। यदि कॉङ्ग्रेस हमें आज्ञा देगी तो हम अधिक छूट देने के लिए तैयार हैं !

इसके बाद आपने किसानों से अनुरोध किया कि वे अहिंसा के पथ पर दृढ़ रहें, और कहा कि ज़मींदारों का अस्तित्व तभी तक रह सकता है, जब तक कि वे प्रजा-रक्षक बने रहेंगे। प्रजा के उत्पीड़क बनने से उनकी भलाई की सम्भावना नहीं है। उन्होंने ताल्लुक़ेदारों से भी अनुरोध किया कि वे लगान के सम्बन्ध में अपने रय्यतों से समझौता कर लें। इसके बाद श्री० वेङ्कटराव के प्रस्ताव करने पर सरदार नर्बदाप्रसाद सिंह ने सभापति का आसन ग्रहण किया।

श्री० टण्डन जी का सन्देश

तत्पश्चात् सभापति की आज्ञानुसार श्री० मोहनलाल गौतम ने बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन का सन्देश पढ़ कर सुनाया। अपने सन्देश में श्री० टण्डन जी ने कहा था कि "आज देश के सामने किसानों की आर्थिक दुरवस्था एक भारी समस्या है। किसान कर चुकाने में सब प्रकार से असमर्थ हैं। किसानों को उचित है कि युक्त-प्रान्त के गवर्नर से मिलने के बाद, महात्मा जी ने उन्हें जो सलाहें दी हैं, उसी के अनुसार वे चलें। किसानों की अवस्था दिन-बदिन ख़राब होती जा रही है, और मेरी यह दृढ़ धारणा है कि सरकार भी किसानों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है। यदि सरकार कर नहीं घटाएगी, तो ज़मींदारों और किसानों में भेद-भाव प्रतिदिन बढ़ता ही जायगा। हमारे पास नित्य-प्रति ऐसे समाचार आ रहे हैं, जिनसे विदित होता है कि लगान वसूलने के लिए ज़मींदार किसानों के साथ बहुत अत्याचार कर रहे हैं। इसका फल यह हो रहा है कि किसानों के हृदय में ज़मींदारों के प्रति खार जमता जा रहा है। बहुधा ज़मींदारों और किसानों में मार-पीट भी हो जाया करती है और वास्तव में इसका उत्तरदायित्व सरकार के मत्थे है। जब सरकार ने लगान में मुआफ़ी नहीं की है, तो ज़मींदार वो किसानों को तङ्ग करने को बाध्य हैं। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि सरकार को १३३८ फ़सली साल का आधा कर ज़मींदारों को माफ़ कर देना चाहिए और ज़मींदार भी इसी के अनुसार किसानों को आधी छूट दे दें। यदि सरकार ऐसा न करेगी तो किसानों की आर्थिक दुरवस्था और बढ़ जायगी और उनमें बहुत असन्तोष फैल जायगा। किसानों से मेरा अनुरोध है कि वे महात्मा जी की आज्ञा का अनुसरण करें। किसी हालत में भी वे हिंसा-मार्ग का अनुसरण न करें। क्योंकि ऐसा करने से उनके उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा पहुँचेगी। उन्हें शान्तिपूर्वक ज़मींदारों के अत्याचारों का सामना करना चाहिए। किसानों को अपना सङ्गठन करना चाहिए। यदि वे अपना सङ्गठन करेंगे तो इसमें सन्देह नहीं कि एक दिन उनमें ऐसी शक्ति आ जायगी कि ज़मींदार तो क्या, स्वयं सरकार भी उन पर अत्याचार नहीं कर सकेगी।"

सभापति का अभिभाषण

सभापति सरदार नर्बदाप्रसाद सिंह ने अपने भाषण में विगत आन्दोलन की चर्चा करते हुए बतलाया कि किसान ही उस आन्दोलन की जान थे। आगे आपने कहा कि भावी शासन-विधान में किसानों के हितों की ओर विशेष ध्यान रक्खा जायगा, और उनके ऊपर करों का जो बोझ है, वह बहुत हल्का कर दिया जायगा।

आपने गाँधी-इर्विन समझौते की शर्तों का स्पष्टीकरण करते हुए लोगों को बतलाया कि कॉङ्ग्रेस ऐसा कोई भी शासन-विधान नहीं स्वीकार कर सकती, जिसमें जनता की हालत सुधारने का अधिकार जनता को न दे दिया जायगा। इस सम्बन्ध में आपने भारत के सैनिक व्यय और बड़ी-बड़ी नौकरियों की तनख़्वाहों का ज़िक्र किया और कहा कि जब तक इन बातों में ख़र्च घटाने का अधिकार हमें न मिल जायगा, तब तक न तो किसानों का बोझ हल्का किया जा सकेगा, न उनकी आर्थिक दशा ही सुधारी जा सकेगी। इसके बाद कराची कॉङ्ग्रेस द्वारा जनता के घोषित अधिकारों के आधार पर स्वराज्य की व्याख्या करते हुए आपने बतलाया कि सब से पहिली बात जो कॉङ्ग्रेस स्वराज्य स्थापित होने पर करेगी, वह किसानों के भूमि-कर घटाने की बात होगी।

सभापति के भाषण के बाद, बहुत शोर-गुल शुरू हो गया, परन्तु स्थानीय किसान-नेता ठाकुर झिंगुरसिंह के मञ्च पर आकर किसानों की भाषा में प्रार्थना करते ही लोग तुरन्त शान्त हो गए।

शोक-प्रस्ताव

इसके बाद श्री० मोहनलाल गौतम ने पण्डित मोतीलाल नेहरू, बाबू गणेशशङ्कर विद्यार्थी, मौलाना मुहम्मदअली और महाराज महमूदाबाद की मृत्यु पर शोक-प्रस्ताव उपस्थित किए, जिन्हें लोगों ने खड़े होकर पास किया।

कॉन्फ़्रेन्स की उस दिन की कार्रवाई साढ़े ६ बजे रात को समाप्त हुई।

ता० १२ की कार्रवाई के दिन प्रतापगढ़ ज़िला-कॉन्फ़्रेन्स के फाटक पर राजा कालाकाँकर के भाई कुँवर ब्रिजेशसिंह गिरफ़्तार कर लिए गए।

* * *



चोर !

[श्री० अचलेश्वरप्रसाद जी शर्मा, 'देवेश']

पुलिस-इन्स्पेक्टर और सरकारी गवाहों के बयान समाप्त होते ही मैजिस्ट्रेट ने मेरी ओर मुख़ातिब होकर पूछा—क्यों मिस्टर.......तुमने उपस्थित जनता को नमक-क़ानून तोड़ने के लिए उकसाया ?

मैं—इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता । हाँ, मेरी राय में प्रत्येक समझदार व्यक्ति को ऐसे अत्याचारी क़ानून को भङ्ग करने का अधिकार है ।

मैजिस्ट्रेट—इसके मानी यह हैं कि तुम लोगों को चोरी करने की शिक्षा देते हो ?

मैं—नमक बनाने की सलाह देना क्या चोरी करने की शिक्षा देना है ?

मैजिस्ट्रेट—हाँ, क़ानून ऐसा ही कहता है ।

मैं—वाह ! अपने जन्म-सिद्ध अधिकार को प्राप्त करना तो चोरी हुई और उस अधिकार को सदैव के लिए छीन लेना क्या हुआ ? सरकार ने नोनियों की रोज़ी सदैव के लिए छीन ली, उनके गुज़ारे का कोई प्रबन्ध नहीं किया । कहिए, क़ानूनन् यह कृत्य चोरी है, डाकेज़नी ?

मैजिस्ट्रेट—इन बातों का तुम पर लगाए गए इलज़ाम से कोई सरोकार नहीं है । अतः ताज़ीरात-हिन्द की ११६।६ के अनुसार तुम्हें डेढ़ वर्ष की सपरिश्रम सज़ा दी जाती है ।

मैं—अच्छी बात है । धन्यवाद !

मामला समाप्त होते ही मैं मोटर-लॉरी द्वारा सेण्ट्रल-जेल में पहुँचा दिया गया । जेलर ने मेरा नाम, पता आदि लिख कर सन्तरी के साथ मुझे "सी" क्लास वाले वार्ड में भेज दिया ।

२

दोपहर का समय था । मैं बैरक के सामने एक वृक्ष की छाया में बैठा रामायण का पाठ कर रहा था । एकाएक किसी ने पीछे से आवाज़ दी—बाबू जी, नमस्ते !

"नमस्ते भाई" कह कर मैं उसकी ओर मुड़ कर बैठ गया । मैंने देखा कि फटे-पुराने तथा धूलि-धूसरित चिथड़े पहने, हाथ में झाड़ू लिए, एक नौजवान कर जोड़े खड़ा है । उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, पर अधरों पर सङ्कोच-भरी मुस्कान नाच रही थी । मैंने पुस्तक बन्द करते हुए कहा—"कहो भाई, क्या चाहते हो ?"

"एक बीड़ी बाबू जी !"—एक उँगली उठा कर अत्यन्त दीन-भाव से उसने कहा ।

"हम लोग बीड़ी नहीं पीते भाई !......तुम कैसे आए यहाँ ?"

"झाड़ू लगाने वालों के साथ ।"

"तुम्हें किस बात पर सज़ा हुई ?"

"चोरी करने पर ।"

"कैसी चोरी ? नक़द रुपए-पैसों की ?"

"नहीं"

"गहनों की ?"

"नहीं"

"फिर किस चीज़ की ? कपड़ों की ?"

"नहीं, खाने-पीने की चीज़ की ।"

"खाने-पीने की ? कहाँ, किस चीज़ की ?"

"सेठ लक्ष्मीनारायण के बग़ीचे में कुछ फल तोड़ने की !"

"कितने दिन की सज़ा हुई ?"

"पहले तीन महीने की थी, फिर बग़ीचे में घास खोदते समय भाग जाने की चेष्टा करने पर एक साल की हो गई ।"

"महज़ फलों की चोरी के कारण तीन महीने की सज़ा ?"

इज़्ज़त हमारी और आपकी बनी रहे

[श्री० गङ्गाविष्णु जी पाण्डेय विद्याभूषण, 'विष्णु']

जैसे होगा वैसे हम लेंगे आपसे स्वराज्य,
हाँ प्रसन्न चाहे आप नाक-भौं तनी रहे ।
वादे सैकड़ों किए हैं आपने हमारे साथ,
फिर भी कभी न आप बात के धनी रहे ।
अब तो हमें भी यह बुद्धि आ गई है 'विष्णु'
क्यों किसी के पास व्यर्थ वस्तु अपनी रहे ।
चुपचाप दे दें आप है भला इसी में अब,
इज़्ज़त हमारी और आपकी बनी रहे ।

"जी हाँ !"

"अच्छा बैठो, अपना ख़ुलासा हाल कहो । तुम कौन जाति के हो ?"

"राजपूत—चौहान ।"

"नाम ?"

"वीरसिंह ।"

"क्या करते थे ?"

"खेती ।"

"फिर चोरी क्यों की ?"

वह इसका उत्तर दे ही रहा था, कि इतने में एक लाल टोपीधारी वार्डर कुछ क़ैदियों को साथ लिए वहाँ आ पहुँचा । वीरसिंह उसे देखते ही घबरा कर उठ खड़ा हुआ और झाड़ू से इधर-उधर के काग़ज़ बटोरने लगा । पर उस लाल टोपीधारी ने आते ही उसे मनमाने ढङ्ग से गालियाँ देनी शुरू कीं और पल भर बाद उसी का झाड़ू छीन कर इस बुरी तरह से उसकी पीठ पर प्रहार किया कि बेचारा मारे दर्द के तिलमिला उठा ।

वह दानवी लीला मुझसे न देखी गई । मैंने नम्रतापूर्वक प्रहारकर्ता से कहा—अरे भाई, क्यों मारते हो बेचारे ग़रीब को—इस बुरी तरह ?

"ग़रीब ?" वह आँखें निकाल कर दाँत पीसता हुआ बोला—"यह ग़रीब नहीं, अव्वल नम्बर का उचक्का है—चोर है साला ।"

"नासमझ, भूखा व्यक्ति चोरी के अलावा कर ही क्या सकता है ?"—मैंने कहा—"और तिस पर भी इस बेचारे ने तो महज़ कुछ फलों की चोरी की थी ?"

"अजी, आप भी कैसी भोली बातें करते हैं । इनके बड़े लम्बे-चौड़े क़िस्से हैं । अच्छा अभी तो देर हो रही है, फिर बताऊँगा आपको इनका हाल ।"

"अच्छी बात है ।"

"नमस्ते !"

"वन्दे !"

जमादार चला गया । मैं भी रोटी खाने की घण्टी बज जाने से रसोईघर की ओर चल दिया ।

३

"कहो भाई, फिर तुम कल शाम को क्यों नहीं आए ?"

"अजी साहब, कल एक ज़बरदस्त घटना यहाँ हो गई थी । उसमें मुझे भी फँसाने की चेष्टा हो रही थी, इसलिए इधर-उधर न जा सका ।"

"क्या हुआ ?"

"तनहाई की कोठरियों की जेलर साहब ने तलाशी लिवाई थी । सो उसमें मेरे पड़ोस की कोठरी में कोई २० सेर के तो गुड़ निकला और ५ सेर अफ़ीम तथा ७ सेर चरस निकली । ४०-५० रुपए नक़द भी निकले । जेलर साहब ने सोचा, मेरा भी इसमें हाथ है । अतः मुझे भी वहाँ रोक लिया था । परन्तु अन्त में मैं निर्दोष छूटा ।"

"अरे ! इतनी चीज़ें जेल के भीतर—एक ही क़ैदी के पास !"

"जी हाँ, इससे भी ज़्यादा-ज़्यादा माल भरा है, कई कोठरियों में ।"

"जेल में कैसे आ जाता है भाई, इतना सामान ? फाटक पर तो कड़ा पहरा रहता है ?"

"ये सब सिपाही लोग ले आते हैं । सब पैसे की माया है । पैसा हो तो दुनिया की प्रत्येक चीज़ आपके पास पहुँच सकती है । विश्वास मानिए—रण्डी और शराब तक ।"

"पर क़ैदियों के पास पैसे कहाँ से आते हैं ? उनके तो कपड़े भी बदलवा दिए जाते हैं —यहाँ दाख़िल होते ही ?"

"वे अपने सम्बन्धियों के नाम शहर में जाने वाले सिपाही के हाथ चिट्ठी भेज देते हैं । आधी चीज़ें सिपाही रख लेता है, आधी क़ैदी को मिल जाती हैं । फिर वे यहाँ आपस में जुआ खेलते हैं—व्यापार करते हैं ।"

"ख़ूब ! कैसा सुन्दर प्रबन्ध है !!......अब बतलाइए चोरी करना कौन सिखलाता है ?"

"सरकार सिखलाती है। एक दफ़े इस जेल में आए हुए क़ैदी को ऐसा चस्का लग जाता है कि फिर उससे रहा ही नहीं जाता। वह निरन्तर चोरी आदि कर्म करता ही रहता है और छूटते ही फिर जेल में आ जाता है। यहाँ कई क़ैदी ८-८ बार के हैं।"

"देख लीजिए जमादार साहब !"

"ख़ूब देख रक्खा है बाबू जी ! जेलख़ाना है, कई तरह के मनमाने काम होते हैं यहाँ ! देखिए, बेचारे कंजरों और अन्य जरायम-पेशा लोगों का हाल। बेचारे बिला क़सूर ही फाँस लिए जाते हैं—ऐसा किए बिना अफ़सरों की—सफ़ैयों की पूर्ति हो नहीं सकती !"

"ख़ैर जी, आप पर क्या इलज़ाम लगाया गया था ?"

"पटवारी पर हमला करने का।"

"आपने किया था ?"

"अजी क्या किया था। पटवारी आया था, जायदाद ज़ब्ती का हुक्म लेकर और छेड़ख़ानी करने लगा मेरी स्त्री से ! मैंने ज़रा रोका तो बस......हमला करने का जुर्म लगा कर गिरफ़्तार करवा दिया। मामला साबित नहीं हुआ, तो भी मैजिस्ट्रेट ने तीन साल की सज़ा दे दी।"

"अरे भाई ! नौकरशाही से न्याय की तो आशा ही क्या की जा सकती है। इसके तो सभी कृत्य ऐसे ही होते हैं। मगर ख़ैर, इससे छुटकारा पाने का इलाज भी अब भारत के शुभचिन्तकों ने खोज निकाला है। आप छूट कर बाहर जायँगे तो क्या करेंगे ?"

"मेहनत-मज़दूरी—और क्या ? खेत, घर-बार आदि तो सब ज़ब्त हो ही गए, बाल-बच्चों का भी अभी कुछ पता नहीं है। आप ही कहिए, क्या करना चाहिए ?"

"कितनी सज़ा शेष रही है।"

"दो वर्ष"

"अभी दो वर्ष और ?"

"जी हाँ"

"ख़ैर, जब भी छूटो, मेरी समझ से तो सीधे किसी खादी के उत्पादक-केन्द्र में पहुँच जाओ, वहाँ मुफ़्त में धुनाई-कताई और बुनाई की कला सीख लो। मादक द्रव्यों को सर्वथा त्याग दो और शेष समय राष्ट्र-सेवा में व्यतीत करो।"

"वाह बाबू जी ! बातें तो आपने एक-एक लाख रुपए की कहीं।"

मुझे उसके भोलेपन पर मन ही मन कुछ हँसी सी आ गई। समय बहुत हो गया था, अतः मैंने उससे कहा—अच्छा भाई, तुम्हारा बहुत सा समय मैंने ले लिया। क्षमा करना। हो सके तो अभी कहीं से ढूँढ़ कर वीरसिंह को भेज देना।

"अभी भेजता हूँ।—नमस्ते !" कह कर जमादार फ़ौरन हमारी बैठक के बाहर चला गया।

मैं वीरसिंह की प्रतीक्षा में वहीं खड़ा रहा।

४

वीरसिंह पूरे एक सप्ताह तक नहीं आया। इस बीच जमादार रामभरोसे के भी दर्शन नहीं हुए। मैंने समझा, जमादार ने मेरी साफ़-साफ़ बातें सुन कर ही वीरसिंह को मेरे पास आने देना उचित नहीं समझा है। पर मेरा ख़्याल ग़लत निकला। आठवें दिन सवेरे ही वीरसिंह अपने ८-६ अन्य साथियों के साथ झाड़ू लिए हुए आ पहुँचा। और लोग तो जमादार का "जल्दी करो" का हुक्म पाते ही काम में जुट गए, पर वीरसिंह जमादार के इशारे से हँसता हुआ मेरी ओर चला आया। टट्टियों के पास पहुँचने पर हम में इस प्रकार बातचीत होने लगी:—

मैं—कहो भाई ! मैंने कहलवाया था तो भी तुम मिलने नहीं आए ?

वीर०—क्या कहूँ बाबू जी, मुन्शी साहब ने एक जगह ड्यूटी बोल दी थी, सो उसी में फँस गया था।

मैं—किस जगह ?

वीर०—एक गोरा साहब आया है—अपने नौकर का ख़ून करके—उसके पास मेरी ड्यूटी बोल दी गई थी।

मैं—तुम क्या करते थे उसके पास ?

वीर०—उसके कमरे में झाड़ू लगाता, बिस्तर करता, उसके बर्तन साफ़ करता।

मैं—अच्छा ! जेल में भी रङ्ग-भेद ?

वीर०—देख लीजिए।

मैं—आज तो तुमने नए कपड़े धारण कर लिए हैं। यह उसकी सेवाओं का पुरस्कार है क्या ?

"नहीं जी" उसने झेंपते हुए कहा—"आज जेलों का अफ़सर आने वाला है, इसलिए सभी क़ैदियों को नए कपड़े मिले हैं। सफ़ाई भी इसीलिए हो रही है—इतनी जल्दी—सब बैरकों की।"

जो कहे बीबी उन्हें मञ्जूर है !

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

रङ्ग गरमी लाएगी अप्रैल से,
आग बरसेगी मेरे खपरैल से !

❀

जो ऑनर मिला है तो दिल शाद है,
कि अब हमको सारा गज़ट याद है !

❀

पास बी० ए० होके शोहरत मिल गई,
पढ़ चुके कॉलिज में दौलत मिल गई !

❀

पढ़ कर अब पोथी बिरहमन क्या करे,
उठ गया है इसका फ़ैशन क्या करे !

❀

अब पढ़े-लिक्खों का यह दस्तूर है,
जो कहे बीबी उन्हें मञ्जूर है !

❀

लड़ने ही भिड़ने का सब को रोग है,
इन दिनों यह मुल्क का सञ्जोग है !

❀

कम्पनी बाग़ की हवा खाओ,
नल का पानी पियो जिए जाओ !

❀

ख़िताब अहले यूरोप से क्या मिल गया,
वह दिल में यह समझे ख़ुदा मिल गया !

❀

मैं—अच्छा ! तब तो अपनी बातें भी जल्दी-जल्दी समाप्त हो जानी चाहिएँ। बोलो, उस दिन तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पिता खेती किया करते थे, फिर तुमने क्यों छोड़ दिया—वह काम ?

वीर०—मैंने छोड़ा कहाँ ? छुड़वा दिया गया, मुझसे सरकार ने लगान-वसूली में मेरा सारा घर-बार ज़ब्त कर नीलाम कर दिया। पिता जी के पास खाने को एक दाना भी न रहा। उधर बोहरा बार-बार आकर धमकियाँ देने लगा। अन्त में दुखी हो, उन्होंने मेरी एक छोटी बहिन और एक पञ्चवर्षीय भाई को जान से मार डाला और स्वयं विष-पान कर मर गए। माता जी पहले ही मर चुकी थीं, मैं उस...समय ननिहाल...

इसके आगे वह कुछ न कह सका। उसका कण्ठ अवरुद्ध हो गया। चेहरे पर भीषण विषण्णता छा गई ! आँखों से झरना बहने लगा !!

मैंने उसके कन्धे पर हाथ रख कर कहा—भाई ! रोने से क्या हो सकता है ? सभी जानते हैं कि आजकल की नौकरशाही हृदयहीना है—महात्मा गाँधी के शब्दों में मतलबी है। उसके लिए ये कार्य साधारण हैं। मैं ख़ूब अच्छी तरह जानता हूँ, कि किसानों के साथ कितने पाशविक अत्याचार किए जाते हैं—लगान-वसूली के समय मैंने अपनी आँखों से देखे हैं, कई हृदय-विदारक दृश्य !! वास्तव में बेचारे अशिक्षित किसान के पास ऐसे अवसरों पर सिवाय आत्म-हत्या या लूट-खसोट करने के और उपाय ही क्या है ? यह ठीक है कि आत्म-हत्या कायरता है और चोरी इत्यादि कर्म महापाप ! किन्तु अज्ञानी मनुष्य करे भी तो क्या ? मेरे ख़्याल से आज जितने चोर या ख़ूनी जेलों में दिखाई दे रहे हैं, उनमें से अधिकांश का इतिहास ठीक आप ही का सा है। सच पूछा जाय तो वर्तमान शासन-प्रणाली ही चोरी आदि दुष्कर्मों की जन्मदाता तथा पोषक है। अतः वही सच्चा डाकू है—लुटेरा है !!

मैंने देखा कि मेरी बातें उसकी समझ में आ रही हैं। उसकी आँखों के आँसू अब सूख गए थे। उसका मुख-मण्डल अब गम्भीर बनता जा रहा था। ऐसा प्रतीत होता था, मानो वह किसी जटिल समस्या को सुलझाने की फ़िक्र कर रहा है। मैंने फिर कहना शुरू किया—अब ज़रा सरकार की आदर्श व्यवस्था का भी हाल सुन लो। जब तक तुम बाहर थे, सरकार ने कभी यह मालूम भी करवाया कि तुम्हारा हाल क्या है ?

"नहीं।"

"तुमको पेट भर रूखा-सूखा भोजन तथा बीमारी की हालत में अस्पतालों की रद्दी-सद्दी दवाई भी मिलती है कि नहीं, इसका भी कभी ख़्याल किया उसने ?"

"कभी नहीं।"

"अच्छा, इसके विपरीत जब तुम जेल में रख दिए गए, तब तुम्हें दोनों समय भोजन मिलने लगा, ओढ़ने-बिछाने और पहनने का सामान भी मिल जाता है और रहने को मकान तो है ही ! तो कहने का मतलब यह कि इस शासन-प्रणाली में ही सैकड़ों तरह के दोष घुसे हुए हैं। इसलिए महात्मा गाँधी ने इसे शान्त और उचित उपायों द्वारा नष्ट करने का बीड़ा उठाया है।"

"जी हाँ, मैं जानता हूँ।"

"अच्छा, अब कितने दिन रहे हैं, तुम्हारी रिहाई में ?"

"सिर्फ़ २० दिन।"

"ठीक है। तब तो तुम छुटते ही सीधे कॉङ्ग्रेस-ऑफ़िस में पहुँच जाना। वहाँ तुम्हारे लिए सब प्रबन्ध हो जायगा। तुमको धुनाई, कताई, बुनाई आदि सब काम सिखला दिए जाएँगे, ताकि तुम स्वतन्त्र रूप से अपना निर्वाह कर सकोगे। चोरी करना पाप है। भविष्य में मारे भूख के चाहे प्राण भी चले जायँ, तो भी चोरी मत करना ! अच्छा, अब जा सकते हो, जमादार बुला रहा है।"

वह 'नमस्ते' कह कर चला गया। कई तरह की बातें सोचते हुए मैं भी अपनी बैरक की ओर रवाना हुआ।

× × ×

आजकल वीरसिंह हमारे ज़िले का एक प्रसिद्ध ग्राम-प्रचारक बन गया है। वह जगह-जगह घूम-घूम कर ग्राम-पञ्चायतें स्थापित करता है। ग्रामीणों से शराब-निषेध के प्रतिज्ञा-पत्र लिखवाता है तथा खादी की उपयोगिता बतला कर अनभिज्ञ लोगों को कताई-बुनाई भी सिखलाता है। अब यदि कोई उससे पूछे तो वह यह भी बतला सकता है कि वास्तव में चोर कौन है ?

* * *



फ़िलीपाइन्स का स्वतन्त्रता-संग्राम

[श्री० मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव]

एशिया महाद्वीप के पूर्व-दक्षिण में, प्रशान्त महासागर के निकट 'फ़िलीपाइन्स' नाम का एक द्वीप-समूह है, जिसमें ल्युज़म, केमेरिन्स, मिण्डानो, शने, केबू, सामार, मिण्डोरो, बोहल, पलवल, नेग्रोस और लेश्राइट के अतिरिक्त और भी प्रायः तीन हज़ार छोटे-छोटे द्वीप हैं। फ़िलीपाइन्स भूमध्य रेखा के पास है, इसलिए यहाँ वर्षा काफ़ी होती है और यहाँ की भूमि भी काफ़ी उपजाऊ है। चावल, तम्बाकू, ऊख, नारियल, क़हवा और जूट आदि चीज़ें यहाँ बहुतायत से पैदा होती हैं। मनीला इस द्वीप-समूह की राजधानी अथवा प्रधान नगर है। फ़िलीपाइन्स की जन-संख्या १ करोड़, ३ लाख, ५० हज़ार ६४०; और क्षेत्रफल १ लाख, १५ हज़ार वर्गमील है।

आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व इस द्वीप-समूह के अधिवासी नितान्त बर्बर और असभ्य थे। यहाँ तक कि नर-मांस तक भक्षण कर जाते थे। इनका रहन-सहन आदि हमारे देश के कोल, भील और मुसहर आदि जङ्गलियों से भी गया-बीता था।

१६वीं शताब्दी के आरम्भ में स्पेन वालों की इस देश पर नज़र पड़ी और उन्होंने अपने बाहुबल द्वारा इस पर क़ब्ज़ा कर लिया तथा वहाँ के निरीह अधिवासियों को सभ्य और शिक्षित बनाने की जगह उन पर नाना प्रकार के अत्याचार करने लगे। शासन की बाग-डोर स्पेन के परोपकारव्रती पादड़ी महोदयों के हाथ में थी। ये लोग फ़िलीपाइन्स-निवासियों को ख़ुदा के इकलौते पुत्र प्रभु ईसा मसीह की शरण में ले जाकर उनका उद्धार करने आए थे और शायद इसीलिए वे उन्हें एक घृणित पशु से भी गया-बीता समझते थे। वास्तव में इनका उद्देश्य फ़िलीपाइन्स-निवासियों को स्पेन का ग़ुलाम बनाना था। इसलिए वे सदैव इस बात की चेष्टा में रहते थे, कि इनके अन्दर स्वाधीन-चिन्ता और आत्म-विश्वास के भाव न आने पाएँ। इसीलिए वे उन्हें 'बाइबिल' पढ़ाने के अतिरिक्त और किसी प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं समझते थे। स्पेनी पादड़ियों के मारे फ़िलीपाइन्स वाले न तो विदेशों में व्यापार कर सकते थे और न यह जानने पाते थे कि फ़िलीपाइन्स और स्पेन के सिवा संसार में और भी कोई देश है। इन स्पेनी पादड़ियों का अत्याचार यहाँ तक बढ़ गया था, कि वे फ़िलीपाइन्स-निवासियों की स्त्रियों के प्रति सम्मान का व्यवहार करना भी आवश्यक नहीं समझते थे।

धीरे-धीरे समय ने पलटा खाया। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए स्पेन वालों ने, जो थोड़ी सी शिक्षा फ़िलीपाइन्स वालों को दी थीं, उसीसे उनके ज्ञान-चक्षु खुलने लगे—उन्हें अपनी पराधीनता का ज्ञान होने लगा और वे समझने लगे कि ये महाप्रभुगण हमारा उद्धार करने नहीं, वरन् हमें अपना ग़ुलाम बनाने आए हैं। क्योंकि इनके अत्याचार और शोषण के कारण देश तबाह हो रहा है और ये हमारी ही उपार्जित की हुई, हमारे ही देश की वस्तुओं का व्यापार करके स्वयं मालामाल होते जा रहे हैं। उन्होंने निश्चय किया कि इन्हें इस देश से निकालना चाहिए।

परन्तु उनकी अवस्था ऐसी न थी कि वे स्पेन जैसे एक उन्नत और शक्तिशाली राष्ट्र से लोहा ले सकते। इसलिए सब से पहले उन्होंने पादड़ियों के अन्यायों और अत्याचारों का प्रतिवाद आरम्भ किया। अपने पवित्र धर्म के प्रचार के लिए स्पेन वालों ने देशी पादड़ियों का भी एक दल तैयार किया था। फलतः यह दल अपने अन्यान्य देशवासियों की अपेक्षा शिक्षित और समझदार था। साथ ही धर्म-प्रचारक होने के कारण देश के नवयुवकों पर इसका प्रभाव भी काफ़ी था। इसने स्पेनियों के अत्याचारों के विरुद्ध आन्दोलन करने की इच्छा से 'बान्धव समिति' नाम की एक संस्था की स्थापना की। परन्तु फ़िलीपाइन्स के दयालु उद्धारक कब चाहते थे कि उनके कृत्यों का विरोध हो और उनकी मनमानी-घरजानी में 'नेटिव' हस्तक्षेप करें। इसलिए उन्होंने फ़िलीपाइन्स वालों की 'बान्धव समिति' को एकदम कुचल डालने का विचार किया।

परन्तु वास्तव में बान्धव-समिति कोई गुप्त संस्था न थी और न स्पेन वालों के विरुद्ध कोई गुप्त षड्यन्त्र करना ही उसका उद्देश्य था, इसलिए उसे कुचलने के लिए कोई उपर्युक्त बहाना ढूँढ़ा जाने लगा। अन्त में निश्चय हुआ कि किसी गुप्तचर को समिति का सदस्य बनाया जाए; वह नेटिवों को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित करे और जब नेटिव इसके लिए तैयार हो जायँ तो पशुबल द्वारा उन्हें अच्छी तरह दबा दिया जाय, ताकि फिर कभी सिर उठाने के लायक़ न रह जायँ।

यह युक्ति काम कर गई। सरल हृदय फ़िलीपाइन्स-वासी शीघ्र ही इस माया-जाल में फँस गए और सन् १८७२ में, कावाई नामक स्थान में उन्होंने विद्रोह का झण्डा ऊँचा कर दिया। वीरवर फ़ादर बुर्गो इस विद्रोह के नेता हुए। हज़ारों देश-प्रेमी युवक अपनी गरीयसी मातृ-भूमि को विदेशियों के कराल चङ्गुल से मुक्त करने की इच्छा से फ़ादर बुर्गो की पताका के नीचे आकर डट गए।

स्पेन वाले तो यह चाहते ही थे। वे बहुत पहले से इस अवसर की प्रतीक्षा में तैयार बैठे थे। विद्रोह की ख़बर पाते ही वे अपनी सेना लेकर कावाई पहुँचे और मनमाने रूप के दमन आरम्भ कर दिया। कावाई के प्रायः सभी शिक्षित, सम्मानीय और नेतृस्थानीय लोग सपरिवार पकड़ कर लोदोन द्वीप में निर्वासित कर दिए गए। फ़ादर बुर्गो तथा उनके तीन और साथी प्रकाश्य स्थान पर फाँसी पर लटका दिए गए!

परन्तु स्पेन वालों ने अपनी मूर्खतावश जो विद्रोह का बीज बोया था, वह नष्ट नहीं हुआ। इस दमन ने मानो फ़िलीपाइन्स वालों को और भी सचेष्ट कर दिया। फ़ादर बुर्गो ने जो चिनगारी छोड़ी थी, वह धीरे-धीरे अच्छी तरह सुलग गई। नेटिवों को जब मालूम हो गया कि स्पेन वाले सहज ही उनके देश का पिण्ड न छोड़ेंगे तो उन्होंने और भी ज़ोर-शोर से उनके विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किया। माद्रिद और बार्सिलोना आदि स्थानों में कई राजद्रोही समितियों की स्थापनाएँ हुईं। सारे द्वीप-समूह में गुप्त प्रचार का आयोजन हुआ। स्पेनवाले भी निश्चिन्त न थे। उन्होंने देशवासियों को पकड़-पकड़ कर जेलों में ठूँसना आरम्भ कर दिया। एक बार १६६ नेटिव गुप्त षड्यन्त्र के सन्देह में पकड़ कर सङ्कीर्ण तहख़ाने में बन्द कर दिए गए थे, जिनमें ५४ तो अत्यन्त गर्मी के कारण वहीं ढेर हो गए और बाक़ी १४२ गोलियों से उड़ा दिए गए! इसके कुछ दिन बाद ही और भी कितने ही फ़िलीपाइन्सवासी इसी तरह मार डाले गए।

ग़र्ज़ेकि दमन के लिए कुछ उठा न रक्खा गया। परन्तु इतिहास इस बात का साक्षी है कि भड़के हुए विद्रोहानल को दमन नहीं बुझा सकता। स्वतन्त्रता की लगन जब पराधीनों के दिलों में घर कर लेती है, तो पशु-बल द्वारा वह नहीं मिटाई जा सकती। स्पेन वालों की सारी चेष्टाएँ व्यर्थ गईं। मुक्तिकामी फ़िलीपाइन्स-वासियों ने 'नौजवान फ़िलीपाइन्स समिति' की स्थापना की। इसके उत्साही कार्यकर्ता सारे देश में स्वाधीनता का प्रचार करने लगे। कितने ही नवयुवक विप्लववाद का अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से विदेशों में चले गए। इस नौजवान समिति के सञ्चालकों में सोम रिज़ाल, पिलर, जिना और माबिनी अन्यतम थे।

इन कई नवयुवकों में सोम रिज़ाल का नाम विशेष उल्लेखनीय है। विदेशों से जो युवक विप्लववाद का अध्ययन करके आए थे, उनमें रिज़ाल अग्रगण्य थे। इन्होंने ऑस्ट्रिया, बेलजियम, जर्मनी, स्पेन और जापान आदि कई देशों में भ्रमण करके विप्लव का ज्ञान प्राप्त किया था। इनमें लिखने और बोलने की भी असाधारण क्षमता थी। लेखनी में जादू था तो वाणी में चिनगारी! यह अद्वितीय क्षमताशाली युवक मानो मूर्तिमान विप्लव था। स्वदेश लौटने पर इन्होंने सब से पहले देशवासियों के सामने शिक्षा का एक नवीन आदर्श उपस्थित किया। सन् १८८६ में इन्होंने एक उपन्यास लिखा। उसमें

स्पेनियों के अत्याचारों और फ़िलीपाइन्सवासियों के दुखों का अत्यन्त हृदयग्राही और कारुणिक चित्र अङ्कित था। इस पुस्तक का देशवासियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। रिज़ाल सारे देश के नवयुवकों के प्रियपात्र बन गए।

परन्तु इसके साथ ही रिज़ाल स्पेनियों की आँखों पर भी चढ़ गए। परिणाम यह हुआ कि उन्हें कुछ दिनों के लिए देश छोड़ देना पड़ा। परन्तु कुछ दिन के बाद ही अभयदान पाने पर वे पुनः वापस आ गए।

अब की आते के साथ ही उन्होंने "फ़िलीपाइन्स लीग" नाम की एक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य था देश से पादड़ियों को भगाना और स्पेनी अधिकारियों का स्वेच्छाचार दूर करना। इसके लिए पादड़ियों ने रिज़ाल पर मुक़दमा चलाया और उन्हें फाँसी पर लटका देने के लिए अधिकारियों पर दबाव डालने लगे। परन्तु प्रधान-शासनकर्ता स्पेनी होने पर भी पादड़ियों की तरह मनुष्यत्वहीन न था। इसलिए यों जीती मक्खी निगल जाने का उसे साहस नहीं हुआ। उसने रिज़ाल को फ़िलीपाइन्स से निर्वासित करके मिन्दानों भेज दिया। इस पर सारे देश के पादड़ी बिगड़ उठे और बेचारे शासनकर्ता को अपने पद से स्तीफ़ा देकर स्पेन चला आना पड़ा। उसकी जगह व्लास्को नाम का एक दूसरा स्पेनी नवीन शासनकर्ता बन कर आया।

रिज़ाल के निर्वासन से देशवासी अत्यन्त उत्तेजित हो उठे। उन्होंने परामर्श किया कि इस प्रकार के प्रत्यक्ष आन्दोलन से काम नहीं चलेगा। बिना गुप्त षड्यन्त्र के स्पेन के शिकञ्जे से फ़िलीपाइन्स का मुक्त होना असम्भव है, इसलिए उन्होंने 'काटीपूनन' नाम की एक गुप्त समिति की स्थापना की। इसके प्रधान प्रतिष्ठाता कावाइत के प्रधान शिक्षक एण्ड्रेस बेनिफ़ेसियो थे। ये बड़े ही योग्य कार्यकर्ता और अनन्य देशभक्त थे। इनकी देख-रेख में साल भर तक समिति का कार्य बड़े उत्साह से चलता रहा। भावी विद्रोह के लिए प्रचुर शस्त्रादि तथा अन्यान्य आवश्यक सामग्री एकत्र की गई।

उपर्युक्त शिक्षक महोदय के अतिरिक्त दो और नवयुवक इस समिति के प्राण थे। इनमें एक का नाम एगुईनाल्डो और दूसरे का मालवर था। ये दोनों ही बड़े वीर, साहसी, युद्ध-विद्या विशारद और परम देशभक्त थे। इन्होंने बड़े परिश्रम से देश को मुक्त करने के लिए देश-भक्तों की एक बलवती सेना एकत्र की। परन्तु कुछ दिन के बाद ही एक देशद्रोही विश्वासघातक ने भण्डाफोड़ कर दिया। उसने इस षड्यन्त्र का बहुत सा भेद स्पेनी अधिकारियों को बता दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि अधिकारियों ने तीन सौ कर्मवीरों को पकड़ कर क़ैद कर लिया।

परन्तु इतने से ही काटीपूनन का ध्वंस नहीं हुआ। उसने अवशिष्ट विद्रोहियों को लेकर पूरी तैयारी से पहले ही एगुईनाल्डो की अध्यक्षता में युद्ध-घोषणा कर दी। वीर एगुईनाल्डो अपने मुट्ठी भर साथियों को लेकर स्पेन की शिक्षित और महती सेना का मुक़ाबिला करने को चल पड़ा। अधिकार-मद-गर्वित स्पेनियों ने पहले तो इसे एक मज़ाक़ समझा। परन्तु शीघ्र ही उन्हें मालूम हो गया कि विद्रोही मुष्टिमेय होने पर भी अत्यन्त दृढ़ और साहसी हैं। फलतः इनका दमन कोई आसान काम नहीं है। इधर एगुईनाल्डो के योद्धाओं ने भी निश्चय कर लिया था कि या तो स्वतन्त्र होंगे या स्वतन्त्रा की बलिवेदी पर निछावर हो जायँगे, उन्होंने प्राणपण से शत्रुओं का मुक़ाबिला किया। स्पेनी घबरा उठे; उनकी विशाल सेना त्राहि-त्राहि करने लगी। अगत्या मजबूर होकर स्पेनियों ने सुलह का पैग़ाम भेजा। एगुईनाल्डो की युद्ध-सामग्री भी समाप्त हो गई थी। इसलिए अधिक दिनों तक युद्ध जारी रखना किसी प्रकार सम्भव नहीं। अतः उन्होंने भी इस अवसर को ग़नीमत समझा और निश्चय किया कि स्पेनियों के पैसे से ही उनका सत्यानाश किया जाय। इसलिए सन् १८६७ में उन्होंने सन्धि कर ली और स्पेनियों से कई लाख रुपए लेकर हाँङ्गकाँङ्ग चले आए।

इधर साल भर के बाद ही सन्धि की शर्तों को ठुकरा कर स्पेनियों ने पुनः अत्याचार आरम्भ कर दिया। फिर वही पुरानी बेढङ्गी रफ़्तार आरम्भ हुई। फलतः अत्याचार के साथ ही साथ विद्रोह की छिपी हुई ज्वाला भी धधक उठी। सन्धि की एक शर्त के अनुसार रिज़ाल निर्वासन से मुक्त हो चुके थे। और ब्रॉकेन नाम की एक आइरिश कुमारी के साथ विवाह-बन्धन में आबद्ध होकर शान्तिमय जीवन बिताने की तैयारी में थे। इतने में स्पेनियों ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया और राजद्रोह का मिथ्या अभियोग लगा कर फाँसी पर लटका दिया। रिज़ाल की विधवा पत्नी ब्रॉकेन यह घोर अत्याचार देख कर अत्यन्त विचलित हो उठी। वह जानती थी कि परम देश-प्रेमी होने पर भी रिज़ाल इस मामले में सम्पूर्ण निर्दोष थे। वे सुयोग पाकर अपनी मातृभूमि की स्वतन्त्रता के लिए विद्रोह आरम्भ कर सकते थे, परन्तु अबकी बार उन्होंने कुछ नहीं किया था। वीर नारी ब्रॉकेन की धमनियों में आइरिश रक्त बह रहा था। उसके रोम-रोम में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी। उसने पति के मिशन को पूरा करने का बीड़ा उठाया और स्वयं विद्रोह का प्रचार करने को निकल पड़ी। ब्रॉकेन की वाणी में उत्साह तथा उसके शब्दों में चिनगारियाँ भरी थीं। श्रोताओं के सामने वह विदेशियों के अत्याचारों और देशवासियों की इस दयनीय दशा का ऐसा सुन्दर ख़ाका खींच देती थी कि नवयुवकों का हृदय फड़क उठता था। थोड़े दिनों के प्रयत्न के बाद ही ब्रॉकेन की इच्छा पूरी हुई। नवयुवकों का ज़बरदस्त दल स्पेन वालों से अत्याचारों का बदला लेने को तैयार हो गया। सारे फ़िलीपाइन्स द्वीप-समूह में विद्रोहानल धधक उठा। वीर पत्नी ब्रॉकेन भी समर-साज से सुसज्जित होकर युद्ध करने चली। इससे युवक दल और भी उत्साहित हो उठा।

स्पेनी भी तैयार थे। युद्ध आरम्भ हुआ। देशभक्तों के उष्ण रक्त से द्वीप-वसुन्धरा रञ्जित हो उठी। वीर-बाला ब्रॉकेन रणचण्डिका की भाँति शत्रुओं को शमन-सदन की राह दिखाने लगी। उसने अपने प्यारे पति का बदला कौड़ी-कौड़ी चुका लिया।

इसी समय एक अमेरिकन सेना भी फ़िलीपाइन्स वालों की मदद के लिए आ पहुँची। उधर एगुईनाल्डो ने भी काफ़ी तैयारी कर ली थी। अमेरिका के बाद ही वह भी सदल-बल आ पहुँचा।

इस सम्मिलित शक्ति के सामने भला स्पेन कैसे ठहर सकता था। उसने हार मान कर तलवार रख दी। अमेरिका ने भी उसे कुछ रुपए देकर वहाँ से सदा के लिए विदा कर दिया। फ़िलीपाइन्स विजयी हुआ, परन्तु स्वतन्त्र नहीं हो सका!

फ़िलीपाइन्स द्वीपपुञ्ज अमेरिका के लिए एक महत्व-पूर्ण राजनीतिक स्थान है। क्योंकि वहाँ से चीन का महासागर और एशिया का उदीयमान राष्ट्र जापान बहुत निकट है और यह सम्भव है कि कभी अमेरिका और जापान में संग्राम छिड़ जाए, इसीलिए अमेरिका फ़िलीपाइन्स में अपना एक फ़ौजी अड्डा क़ायम रखना चाहता था और इसीलिए उसने फ़िलीपाइन्स को स्पेन के अधिकार से निकालने की चेष्टा की थी। यद्यपि वह बार-बार कहता है कि जब फ़िलीपाइन्स निवासी अपने देश का शासन-भार लेने के योग्य हो जावेंगे तब हम यहाँ से चले जाएँगे। परन्तु फ़िलीपाइन्स वालों में यह योग्यता कब आएगी, इसकी कोई अवधि नहीं है। अस्तु।

स्पेन से छुटकारा पाने पर, जब एगुईनाल्डो आदि फ़िलीपाइन्सवासियों को यह मालूम हो गया, कि ये दूसरे उद्धारक भी उसी थैली के चट्टे-बट्टे हैं, तब उन्होंने अमेरिका के विरुद्ध भी युद्ध की घोषणा कर दी। कई महीने तक संग्राम चलता रहा। अन्त में दुर्भाग्यवश एगुईनाल्डो और मालवर को अमेरिकनों ने पकड़ कर क़ैद कर लिया। फलतः सुयोग्य सञ्चालक के अभाव में देशभक्तों का दल भी छिन्न-भिन्न हो गया और अभागा फ़िलीपाइन्स मानो ताड़ से गिर कर खजूर पर अटक गया।

अब अमेरिका ही उसका भाग्य-विधाता है। परन्तु वह स्पेन वालों की तरह नितान्त स्वार्थी और अत्याचारी नहीं है। उसने फ़िलीपाइन्स वालों को सभ्य, शिक्षित और समुन्नत करने की भरपूर चेष्टा की है। कई अमेरिकन मिशन यहाँ काम कर रहे हैं। इन्होंने फ़िलीपाइन्स वासी नर-नारियों को उच्च शिक्षा देने का काफ़ी प्रयत्न किया है। बच्चों तथा नवयुवकों के अतिरिक्त प्रौढ़ों और बूढ़ों को भी व्यावहारिक शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। भाषा शिक्षा के अलावा कृषि तथा कला-कौशल भी सिखाया जाता है। नवयुवकों को आलस्यहीन, कार्यपटु और शक्तिशाली बनाने की चेष्टा हो रही है।

इस समय फ़िलीपाइन्स द्वीप-समूह एक उन्नत और सभ्य देश है। अमेरिका ने वहाँ के कृषि और वाणिज्य की उन्नति की ओर भी ध्यान दिया है। पूँजीपतियों को पूँजी लगा कर व्यापार करने का तरीक़ा बताया गया है। इसके साथ ही स्त्री-शिक्षा की भी यथेष्ट उन्नति हुई है।

परन्तु अमेरिका का यह स्वर्णशृङ्खल फ़िलीपाइन्स वालों को पसन्द नहीं है। वे उसे तोड़ फेंकने के लिए आज भी व्याकुल हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति की चेष्टा अनवरत चल रही है और हमें विश्वास है कि अन्त तक चलती रहेगी? हमारी आन्तरिक कामना है कि फ़िलीपाइन्स विजयी हो, स्वाधीन हो और सुखी हो।

* * *

वह शोहरत के लिए क्यों मर रहे हैं?

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

वह क्यों इल्ज़ाम नाहक़ धर रहे हैं,
हम उन पर दिल से, जी से मर रहे हैं।
बुरा कहता है, अब उनको ज़माना,
वह अच्छा नाम पैदा कर रहे हैं।
यह क्या कहते हो साहब से डरे क्यों,
यहाँ तो अरदली से डर रहे हैं।
न होंगे उनके कहने से हम बदनाम,
हमें बदनाम वह क्यों कर रहे हैं?
कहीं शोहरत मिला करती है ऐसे,
वह शोहरत के लिए क्यों मर रहे हैं?
कोई सुनता नहीं फिर भी हमारी,
ख़ुशामद हम तो सब की कर रहे हैं।
कोई बेदर्द क़ातिल से यह कह दे,
तड़प कर आज "बिस्मिल" मर रहे हैं।

* * *



राजपूताने के राजकुमारों और जागीरदारों की शिक्षा

[एक भूतपूर्व उच्च कर्मचारी]

मध्यकालीन राजपूताने के राजकुमार और जागीरदारों की शिक्षा चाहे आदर्श न हो, परन्तु तो भी सामयिक और स्थिति के अनुसार थी। कोई-कोई नरेश तो उच्च-कोटि के विद्वान और राजनीतिज्ञ थे। महाराणा कुम्भ संस्कृत के अच्छे पण्डित थे और काव्य में उनकी अच्छी गति थी। कुम्भ की लिखी हुई 'गीतगोविन्द' की टीका का इस समय भी विद्वानों में बड़ा आदर है। साहित्य के अतिरिक्त अन्य कई कलाओं को भी कुम्भ भली प्रकार समझते थे। नाट्य, सङ्गीत, नृत्य, गृह-निर्माण, अश्व-परीक्षा आदि कई विषयों पर उन्होंने ग्रन्थ लिखे थे, जिनका प्रामाणिक उल्लेख मिलता है, परन्तु दुर्भाग्यवश ये पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही महाराणा कुम्भ बड़े वीर, योद्धा और प्रबन्धपटु भी थे। जयपुर महाराज जयसिंह का ज्योतिष-ज्ञान काशी की पण्डित-मण्डली में भी माना जाता था। जयपुर, काशी और दिल्ली में जो उन्होंने मान-मन्दिर बनवाए थे, ये उसके प्रमाण हैं। उन्होंने युक्लेदस की रेखागणित का संस्कृत भाषा में अनुवाद करवाया था। साथ ही अपने राज्य का प्रबन्ध करने में तथा अन्य राज्यों के साथ नीतिपूर्वक बर्ताव करने में भी ये बड़े निपुण थे। अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ में महाराजा जयसिंह ने जो नगर (जयपुर) बसाया था, वह वर्तमान इञ्जीनियरों के वास्ते भी एक नमूना है। जयपुर के महाराज रामसिंह भी बड़े योग्य शासक हुए हैं। जयपुर के विस्तृत तथा भव्य उपवन, जो भारत में क्या, शायद एशिया-खण्ड में अपना सानी नहीं रखते, महाराज रामसिंह के बनाए हुए हैं। जयपुर का अजायबघर भी, जो कलकत्ते के अजायबघर से दूसरे दर्जे का है, इन्हीं का कार्य है। इन्होंने संस्कृत कॉलेज, महाराजा कॉलेज, आर्टस् स्कूल तथा अन्य कई उपयोगी संस्थाओं की स्थापना की थी। इसी प्रकार बूँदी के महाराजा रामसिंह भी राजपूताने में प्रसिद्ध थे। इनके समय में बूँदी को छोटी काशी माना जाता था और अनेक विद्वानों को वहाँ तत्काल आश्रय मिलता था। इनका न्याय, प्रबन्ध, नीति और पाण्डित्य सम्पूर्ण राजपूताना में प्रसिद्ध था। कोटा के महाराव भीमसिंह मुग़लों के पतन-काल में बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे। राजनैतिक विषयों में इनकी गहरी गति थी और फ़र्रुख़सियर के दीवान हुसेन और अब्दुल्ला इनसे परामर्श किए बिना कोई काम नहीं करते थे। इन्हीं की सलाह से बादशाह फ़र्रुख़सियर ने जज़िया कर बन्द किया था। महाराजा जसवन्तसिंह, बुद्धसिंह, रतनसिंह आदि मुग़ल साम्राज्य के स्तम्भ माने जाते थे। महाराजा मानसिंह की वीरता और नीतिज्ञता का उल्लेख करना ही निष्फल है, क्योंकि शिक्षित लोगों में सब उनसे परिचित हैं। महाराणा संग्रामसिंह का रण-पाण्डित्य और महाराणा प्रताप का स्वाभिमान तथा अप्रतिम साहस भारतवर्ष के इतिहास की शोभा है। इसमें सन्देह नहीं कि उस समय राजपूताना के नरेशों को मुग़ल सम्राटों के सामने नम्रतापूर्वक अपना सिर झुकाना पड़ता था और कई नरेशों को विवश होकर अपनी लड़कियाँ भी उनको ब्याहनी पड़ी थीं। परन्तु इतने पर भी उस समय की स्थिति इस समय से कई अंशों में अच्छी थी। इस समय जिस प्रकार बड़े-बड़े नरेश प्रत्येक गोरे अफ़सर और उसकी गोरी से डरते हैं और उनकी उँगलियों पर थिरक-थिरक कर नाचते हैं, यह दशा उस समय नहीं थी। मुग़ल सम्राटों का आधिपत्य नरेशों ने अवश्य स्वीकार किया था और विवश होकर उनको बेटियाँ भी ब्याहनी पड़ी थीं, परन्तु प्रत्येक मुग़ल बादशाह नरेशों पर शासन नहीं कर सकता था। मानसिंह काबुल का गवर्नर नियत किया गया था और शाही सेना उसके नेतृत्व में कई बार लड़ी थी। इसी प्रकार जब जयसिंह दक्षिण में शिवाजी महाराज को पकड़ने भेजा गया था, तो बड़े-बड़े मुग़ल-अफ़सर उसके मातहत थे। यह उस समय की बात है, जब दिल्ली के सिंहासन पर अत्यन्त कट्टर मुसलमान औरङ्गज़ेब था, जो प्रत्येक हिन्दू से जज़िया लेना और उनको प्रत्येक प्रकार के कष्ट देना क़ुरान के अनुकूल समझता था।

इसका कारण प्रथम तो यह था कि मुग़ल-काल में बादशाह शासन करते थे और इस समय अङ्गरेज़ जाति शासन करती है। इङ्गलैण्ड के बादशाह चित्र-लिखित बादशाह से कुछ ही अच्छे हैं। वहाँ जो कुछ होता है, सो पार्लामेण्ट करती है। भारतवर्ष में जो अङ्गरेज़ अफ़सर आते हैं, वे पार्लामेण्ट के और इसलिए सम्पूर्ण अङ्गरेज़ जाति के एजेण्ट होते हैं। जब एक जाति इस प्रकार दूसरी जाति पर शासन करती है, तो उसका प्रत्येक व्यक्ति अफ़सर बन जाता है। ब्रिटिश भारत में तो अब यह बात नहीं है, परन्तु राजपूताने में किसी भी अङ्गरेज़ को अप्रसन्न करना भारत-सरकार को अप्रसन्न करना समझा जाता है और उसके विरुद्ध कोई बात करना घोर राजद्रोह माना जाता है। इसलिए राजपूताने के नरेश अपनी आबरू बचाए रखने के लिए गोरे और गोरियों से सदैव डरते रहते हैं। गोरा चाहे अफ़सर हो या नाटक का ऐक्टर या रेल का गार्ड, वह आख़िर है तो सफ़ेद वर्ण वाला। उसके सामने महाराजाधिराज अपना सब ज्ञान भूल जाते हैं। मध्य-काल में नरेशों का पद इसलिए भी ऊँचा था कि सब को सामयिक शिक्षा दी जाती थी और साम्राज्य की नीति, स्थिति और शक्ति से सबको परिचय करवाया जाता था। संग्रामसिंह, प्रतापसिंह, जसवन्तसिंह, जयसिंह, मानसिंह, रामसिंह और बुद्धसिंह तथा भीमसिंह अकस्मात् ही वीर नेता, योग्य शासक, चतुर नीतिज्ञ और निपुण कलाविद् नहीं बन गए थे। इनको अपने कार्य के लिए सब विषयों की योग्य शिक्षा दी गई थी। इस समय नरेशों को अयोग्य, बुद्धू, भीरु, विलासी, चाटुकार और अपव्ययी बनाने के लिए गोरी सरकार ने अनेक यन्त्रों का निर्माण कर रक्खा है। इस काम के लिए सरकार के पास अनेक साधन हैं, परन्तु उन सब में सर्वोत्तम साधन है मेयो कॉलेज। राजपूताने के नरेश-पुत्र तथा जागीरदारों के 'कुँवर' इसी संस्था में शिक्षा ग्रहण करते हैं। राजकुमार ८-१० साल का हुआ कि रेज़ीडेण्ट साहब महाराजा को उपदेश देने लगते हैं कि महाराज-कुमार को शीघ्र कॉलेज में भेजा जावे। प्रत्यक्ष में साहब बहादुर सलाह देते हैं, परन्तु वास्तव में होता है वह हुक्म, जिसका टालना साधारण महाराजाओं की ताक़त से परे है। इस समय बीकानेर महाराज-कुमार ही शायद ऐसे हैं, जिन्होंने मेयो कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके अपने को योग्य नहीं बनाया है, वरना शेष सब राजकुमारों ने वहाँ ही दीक्षा ग्रहण की है। हमको पता नहीं, कि बीकानेर के दोनों महाराज-कुमार मेयो कॉलेज में जाकर पवित्र क्यों नहीं बने और बीकानेर-दरबार पर गोरे अधिकारियों के सदुपदेश का असर क्यों नहीं पड़ा। परन्तु हमको केवल इतना अवश्य मालूम हो गया है और वह अत्यन्त विश्वस्त-सूत्रों से मालूम हुआ है कि मेयो कॉलेज के शिक्षामृत से वञ्चित रहने का महाराज-कुमार-द्वय को तनिक भी खेद नहीं है और बीकानेर की जनता इस बात से प्रसन्न है कि उनको मेयो कॉलेज नहीं भेजा गया। जैसे रईसों पर दबाव डाला जाता है, उसी प्रकार जागीरदारों के भी कान ऐंठे जाते हैं और उनके बच्चों को भी मेयो कॉलेज भेजा जाता है। नियम यह है कि या तो जागीरदार का पुत्र पढ़े ही नहीं और जो पढ़े तो मेयो कॉलेज में जाकर पढ़े। राजपूताने के नरेश और राजकुमारों के सम्पर्क के अभिलाषी ब्रिटिश भारत-निवासी कई बड़े-बड़े नरेश और ताल्लुक़ेदारों के पुत्र भी मेयो कॉलेज में पढ़ने आया करते हैं। डुमराँव, चरखारी, बैंगनपल्ली आदि के स्वामी इसी संस्था के स्नातक हैं।

मेयो कॉलेज को स्थापित हुए लगभग आधी शताब्दी हो चुकी है। आरम्भ में इस संस्था का सम्बन्ध प्रयाग-विश्वविद्यालय से था और एन्ट्रेन्स तक यहाँ शिक्षा दी जाती थी। परीक्षा विश्वविद्यालय के हाथ में थी। गत शताब्दी का उत्तरार्द्ध वह समय था, जब ग़दर की भीषणता गोरे-गोरियों को भूली न थी और भारतीय नरेशों को महारानी विक्टोरिया अपने घोषणा-पत्र में पारस्परिक मैत्री का वचन दे चुकी थी। उस समय नरेशों के प्रति अङ्गरेज़ों की नीति कुछ और थी, और अब कुछ और है। उस ज़माने में इनको खुल्लमखुल्ला मातहत शासक (Feudatory Princes) नहीं कहा जाता था। कारण यह था कि भारत की नाक में तब तक नकेल भली प्रकार नहीं पड़ चुकी थी। देश को निःशस्त्र करके सरकार अत्यन्त चौकस होकर देख रही थी कि देखें, देश का जीवन निःशेष हो गया है या नहीं। इस चौकसी के समय में सरकार नरेशों की शिक्षा में उस नीति का अवलम्बन नहीं कर सकती थी, जो उसने लॉर्ड लिटन के बाद से ग्रहण की और जिसके फल लॉर्ड

कर्ज़न के समय से प्रकट होने लगे। इसके अतिरिक्त आरम्भ में जो राजकुमार और कँवर मेयो कॉलेज में पढ़ने गए, वे उन पिताओं के पुत्र थे, जिनके कानों में मुग़ल साम्राज्य के पतन और अङ्गरेज़ राज्य की स्थापना की बातें अब तक गूँज रही थीं। उनमें मध्यकाल की मुछक और शान अब तक बाक़ी थी। दब्बूपन और भीरुता ने उनकी नैसर्गिक योग्यता को ढक नहीं दिया था। ऐसे पिताओं के पुत्र एकदम दब्बू और कीचड़ नहीं बन सकते थे। इन्हीं सब कारणों से आरम्भ में जो लोग मेयो कॉलेज से शिक्षा पाकर निकले, उनमें दो-चार जागीरदार और एक-दो नरेश योग्य बन गए। हमारी धारणा है कि सरकार को इससे प्रसन्नता नहीं हुई होगी।

शनैः-शनैः अङ्गरेज़ों ने नीति बदली और ग़ुलामी की ज़ञ्जीरों को अधिकाधिक सुदृढ़ करना आरम्भ किया। जो नरेश पहले मित्र कहे जाते थे, वे अब मातहत नरेश कहे जाने लगे। इस नीति के साथ ही साथ शिक्षा-नीति में भी परिवर्तन होने लगा। जब नरेश मातहत बना लिए गए, तो उनकी शिक्षा-पद्धति ऐसी होनी चाहिए, जिससे योग्यतापूर्वक मातहती करना आवे। मेयो कॉलेज की शिक्षा का प्रधान ध्येय अब यह हो गया कि नरेशों और जागीरदारों को सम्राट की भक्ति, साम्राज्य की वफ़ादारी और गोरे अफ़सरों की ख़ातिरदारी करना सिखाया जावे। इसलिए मेयो कॉलेज की शिक्षा का उद्देश्य बन गया थोड़ी अङ्गरेज़ी बोलना, शिकार खेलना, अङ्गरेज़ी में निमन्त्रण-पत्र, बधाई-पत्र, शोक-पत्र और कभी-कभी प्रेम-पत्र लिखना, विदेशी कपड़े पहनना, विलायत में कपड़े सिलवाना, सम्राट को दैवी शक्ति समझना, अङ्गरेज़ों से आदरपूर्वक और अङ्गरेज़िनों से मुस्कानपूर्वक हाथ मिलाना, अङ्गरेज़ और उनकी बीबियों तथा मिसों को अपने यहाँ शिकार खेलने बुलवाना, उनके खाने-पीने तथा सोने-बैठने का उचित प्रबन्ध करना आदि। मेयो कॉलेज के पाठ्य-क्रम में इन विषयों का अभी समावेश नहीं किया गया है। परन्तु इन बातों पर वहाँ ज़ोर ख़ूब दिया जाता है। इस समय मेयो कॉलेज का किसी भी विश्वविद्यालय से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह अब राजनैतिक संस्था माना जाता है और उसमें प्रवेश अजमेर के चीफ़ कमिश्नर के द्वारा होता है। उसमें महाराजा और जागीरदार-वंश के लड़के ही भरती किए जाते हैं।

मेयो कॉलेज अजमेर में, स्टेशन से लगभग एक मील की दूरी पर, बना हुआ है। इसकी इमारत बड़ी सुन्दर है और खेल के मैदान भी बड़े साफ़ और विस्तृत हैं। कॉलेज के चारों ओर रियासतों के मकान बने हुए हैं, जिनमें उन रियासतों के राजकुमार या कँवर जो पढ़ते हैं, वे ठहरते हैं। जब वह ख़ाली होते हैं तो दूसरी रियासतों के विद्यार्थियों के काम में आते हैं। इनमें काश्मीर हाउस, जयपुर हाउस, भरतपुर हाउस, कॉलविन हाउस और जोधपुर हाउस अच्छे बने हुए हैं। विद्यार्थियों की देख-रेख करने के लिए प्रत्येक हाउस पर एक सुपरिण्टेण्डेण्ट होता है, जिसको वेतन रियासत से मिलता है, पर वह मातहत होता है मेयो कॉलेज के प्रिन्सिपल का। इसको वहाँ मोतमिद कहा जाता है। इसकी निगरानी केवल जागीरदारों के लड़कों पर होती है, राजकुमारों पर नहीं। राजकुमारों के अलग गार्डियन और ट्यूटर हुआ करता है। मेयो कॉलेज में भी लड़के उसी ठाठ के साथ रहते हैं, जैसे अपने घर पर। बल्कि कुछ जागीरदारों के लड़के तो राजकुमार और सम्पन्न कँवरों का अनुकरण करने की धुन में अपनी हैसियत से भी आगे बढ़ जाते हैं। यह बुराई अन्य कॉलेजों में भी पाई जाती है, परन्तु मेयो कॉलेज के बराबर नहीं। प्रत्येक लड़के के साथ २-३ नौकर होना तो साधारण सी बात है। राजकुमारों के साथ तो १०० तक नौकर होते हैं। मोतमिदों का शासन जैसा बोर्डिङ्ग-हाउस के सुपरिण्टेण्डेण्ट का हुआ करता है, उससे कहीं कम है। प्रत्यक्ष में तो बड़ी सख़्ती और पाबन्दी नज़र आती है, परन्तु भीतर खोखलापन है। लड़के अपने नौकर और पैसे के द्वारा सभी कुछ कर लेते हैं। लेखक से एक वृद्ध मोतमिद ने कहा था कि जब एक हाउस के कुएँ की सफ़ाई होने लगी, तो उसमें सैकड़ों शराब की बोतलें निकलीं। लड़के पीकर उसमें डाल दिया करते होंगे। मेयो कॉलेज के अहाते में नगर के स्त्री-पुरुष सभी सैर करने जाया करते हैं। लड़कों को सिनेमा आदि देखने की भी इजाज़त है। क्रिश्चियन मिशन स्कूल की लड़कियाँ प्रायः मेयो कॉलेज की सड़कों पर ही अधिक घूमती हैं, क्योंकि उधर हवा साफ़ है और मार्ग भी निर्विघ्न है। इधर-उधर लड़के खेला ही करते हैं, इसलिए एकान्त का भी भय नहीं है और अपने साथ मास्टरनी या नौकर को ले जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती।

मेयो कॉलेज के लड़कों के साथ जो आदमी रहते हैं, वे बड़ा माल बनाते हैं। लड़का सुधरे या बिगड़े, उनको इससे क्या मतलब ? वे तो उसकी अनुरक्ति में सहायक बन कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। इन नौकरों

इलाहाबाद की गर्मी ग़ज़ब है !

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

मिज़ाज उनका, दमाग़ उनका अजब है,
ज़माने भर से झगड़ा बे-सबब है।
इसी पर नाज़ है, उनको बहुत-कुछ
निराला अहले "यूरोप" का अदब है।
हम अपनी "डायरी" में "नोट" कर लें,
वह कहते हैं,"डिनर" की "डेट" कब है ?
किसी से भी नहीं मिलते वह खुल कर,
सलीक़ा है कोई, यह कोई ढब है ?
फ़िदा क्यों दिल से, जी से हों न "मिस्टर",
"मिसे लन्दन" का ग़मज़ा भी ग़ज़ब है।
न आया है, न आएगा समझ में,
नहीं मिलते वह हमसे क्या सबब है।
जिसे देखो तड़पता है, वह "बिस्मिल",
'इलाहाबाद' की गर्मी ग़ज़ब है !!

* * *

के द्वारा लड़कों को विलास के सब पदार्थ उपलब्ध हो जाते हैं। हाउस में, नगर में, सिनेमा-हॉल में, मार्ग में, जहाँ इनका मौक़ा होता है, लड़के को बिगाड़ देते हैं। जब मेयो कॉलेज से छुट्टियाँ होती हैं, तो एक-दो दिन विद्यार्थियों को घर पहुँचने के लिए लगते हैं। वे दिन बड़ी स्वच्छन्दता और उच्छृङ्खलता के होते हैं। लेखक का यह आशय नहीं है कि मेयो कॉलेज के सभी ही लड़के दुराचारी होते हैं। महाराज-कुमारों और नरेशों के तो गार्डियन साथ रहते हैं, इसलिए छोटे आदमियों को उनको बिगाड़ने का मौक़ा नहीं मिलता और कुछ जागीरदार के लड़कों के साथ भी नेक आदमी रहते हैं। साथ ही कई लड़के स्वभाव से ही नेक होते हैं। कोयला, कुचामण, डूँगरपुर और दाँता के लड़के मेयो कॉलेज में ही पढ़े हैं, परन्तु अभी तो बड़े नेक, सदाचारी और समझदार मालूम होते हैं। परन्तु दुख की बात यह है कि अधिकांश लड़के बिगड़ते ही हैं, सुधरते नहीं। इसका प्रथम कारण है उनके पारिवारिक संस्कार ! जिनके माता-पिता मद्य पीते हों, और जिनके कुल में मद्य-पान एक परम्परागत प्रथा हो, उनका शराब पीना क्या आश्चर्य की बात है ? ऐसे लड़के यदि शराबी और दुराचारी न बनें तो अचम्भा है ? ईसरदा ठिकाने के सम्बन्ध में एक ज़िम्मेदार सज्जन ने जो हमको पत्र लिखा है, वह अनेक आत्म-विनाशकारी घटनाओं से भरा हुआ है। एक समय वेश्याओं का नृत्य देखने के वास्ते जब ईसरदा के ठाकुर साहब बैठे, तो अपने बड़े पुत्र को अत्यन्त प्यार के साथ अपने पास बैठा लिया और उसके हाथ से युवती वेश्या को कई बार रुपए दिलवाए। एक हितैषी कर्मचारी ने जब हाथ जोड़ कर अर्ज़ किया कि कँवर साहब की किशोरावस्था है, उनको ऐसे उत्तेजक अवसरों से बचाना चाहिए, तो ठाकुर साहब ने उत्तर दिया कि तुम रईसों के मामलों को नहीं समझते, अङ्गरेज़ी पढ़े-लिखे सब ऐसी ही बातें किया करते हैं। मेरा लड़का क्या नपुंसक है, जो वेश्या के नाच को न देखे। ऐसी अनेक घटनाएँ इस पत्र में उल्लिखित हैं। ईसरदा के कँवर साहब ने जो कुछ जन्म से अपने घर में देखा और सुना, उसका वे ख़ुद भी अब अनुकरण करने लग गए हैं। इस प्रकार जिन बालकों के संस्कार जन्म से बिगड़े हुए हैं, उनको भला मेयो कॉलेज क्या सुधार सकता है ? दूसरा कारण है इन लड़कों के बिगड़ने का मेयो कॉलेज का वायुमण्डल। इस संस्था में जागीरदार और नरेशों के सिवाय अन्य कोई भरती नहीं किया जाता। सब विद्यार्थी एक ही प्रकार के संस्कारों में पले हुए, जी-हुज़ूरों से घिरे हुए और अत्यन्त लाड़-चाव से पले हुए होते हैं। जीवन की गम्भीरता, विपत्ति का माधुर्य, परिश्रम-साध्य सफलता, चरित्र की पवित्रता और विचारों की उच्चता कभी इनको स्पर्श भी नहीं करने पाती। जिस संस्था में भिन्न-भिन्न स्थिति के लड़के एक साथ रहते हैं, जहाँ जीवन-सङ्घर्ष के वास्ते लड़के तैयार होते हैं, जहाँ लड़के जीवन की कठिनाइयों पर बैठ कर प्रायः विचार किया करते हैं, वहाँ दुराचारियों का दुराचार भी सद्सङ्गति के कारण शिथिल हो जाता है। एक सच्चरित्र लड़के के सरल तथा सुन्दर जीवन का कई पर अच्छा प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। ग़रीब अमीर से शिक्षा लेता है और अमीर ग़रीब से। जहाँ सभी अमीर हों, सब ही दूसरों की कमाई पर मौज करने वाले हों, सब अपनी जागीरों और रियासतों को अपनी सम्पत्ति समझते हों, जहाँ कभी त्यागी महापुरुषों का सम्पर्क भी न होता हो, जहाँ जीवन की पवित्रता का रहस्य समझाने का कोई अधिकारी न हो, जहाँ लड़कों की पारस्परिक बातों का विषय शिकार, सूट, शराब, ढोलण या वेश्या हो, वहाँ लड़के कैसे सुधर सकते हैं ? वास्तव में हमको अचम्भा होता है कि ऐसी संस्था में रह कर भी कुचामण, खातोली और कोयला के लड़कों ने व्यसनों से प्रेम करना क्यों नहीं सीखा ! 'लङ्का निशिचर-निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा।' लेखक ऐसे कई मेयो कॉलेज के विद्यार्थियों को जानता है, जो अजमेर स्टेशन पर शराब आदि का पूर्ण प्रबन्ध करके वहाँ से घर को रवाना होते थे और मार्ग में सदैव एक दिन के लिए गाड़ी चूक जाया करते थे।

मेयो कॉलेज में पढ़ने वाले महाराज-कुमार या नरेशों पर नियन्त्रण काफ़ी होता है। जहाँ तक लेखक को मालूम है, कोई नरेश मेयो कॉलेज से व्यसन लेकर नहीं निकला। जिनके गार्डियन अङ्गरेज़ होते हैं, उनको अङ्गरेज़ी शिष्टाचार, खान-पान और रहन-सहन की शिक्षा विशेष रूप से आप से आप ही मिल जाती है। ऐसे नरेशों को गर्मी के दिनों में अपनी रियासतों में रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वे शीत पर्वतों पर भगवान शङ्कर के समान निवास करते हैं। भारतीय भोजन भी इनको पचना बन्द हो जाता है और अङ्गरेज़ी खाना बनने लगता है। घुड़दौड़, बालनृत्य, फ़ोटोग्राफ़ी आदि में इनकी रुचि बढ़ जाती है। यदि गार्डियन साहब के

घर में मेम साहब या मिस साहबान हुईं तो उनके साथ ताश, केरम या पिङ्गपोङ्ग खेलना भी आ जाता है। सारांश यह है कि जिनके साहब गार्डियन होते हैं, वे ख़ुद भी पूरे साहब बन जाते हैं। जयपुर के युवक महाराजा की मूँछों का अभाव इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोटा महाराज-कुमार ने फ़ोटोग्राफ़ी की दीक्षा कप्तान बिल्ज़ी से ली थी। जोधपुर-नरेश ने प्रबन्धोपेक्षा और एकपत्नी-व्रत का मन्त्र अपने गोरे गुरु से ही सुना था। जिन महाराज-कुमारों के गार्डियन भारतवर्षीय होते हैं, उनमें आधुनिक संस्कृति नहीं आती। वास्तव में हिन्दुस्तानी गार्डियन अपने शिष्य से डरा करते हैं। उसको भय रहता है कि कहीं महाराज-कुमार नाराज़ हो जावें और महाराजा साहब अप्रसन्न होकर उसको नौकरी से अलग कर दें। इसलिए वह केवल इतना कर सकता है कि लड़के को घोर व्यसनों में न फँसने दे और छोटे आदमी उसके मुँह न लग जावें। परन्तु व्यवहार, शिष्टाचार, आचार और विचार के विषय में वह नहीं बोलता। यह सब बातें परम्परा पर छोड़ दी जाती हैं। जैसे पहले से होता आया है, वैसे ही महाराज-कुमार को भी करना चाहिए, यह बात प्रायः दुहराई जाया करती है। इसके कारण लड़का नवीनता से शून्य रहता है। उसका बाह्य कलेवर तो सूट-बूट और टोप से बदल जाता है, परन्तु अन्दर का संसार परम्परा की दुहाई के कारण बदल नहीं सकता। इस प्रकार एक कृत्रिम परिस्थिति में पल कर महाराज-कुमार अपने को पृथ्वीनाथ, महाराजाधिराज और सर्व-शक्तिमान समझने लगते हैं। जो पहले होता था, सो अब भी होगा—यह भाव नरेशों को उन्नत नहीं होने देते। वे यह नहीं समझ पाते कि यदि पोशाक, सवारी और भाषा में अन्तर आ सकता है, तो शिष्टता और व्यवहार क्यों नहीं बदल सकते?

बड़े-बड़े किसानों के कँवरों और महाराज-कुमारों पर मेयो कॉलेज के मास्टर तथा उनके गार्डियन और मोतमिद कठोर नियन्त्रण रखने से डरते हैं। उनका ध्येय रहता है वास्तव में इन लोगों को प्रसन्न रखना और अपना मौक़ा देखते रहना। किसी को प्राइवेट सेक्रेटरी बनने की इच्छा रहती है, किसी को कामदार होने की। इसलिए समय पर डाँट-डपट के बजाय ये लोग चाटुकारी से काम लिया करते हैं। इतने पर भी मेयो कॉलेज के मास्टरों में से २-३ के अतिरिक्त न कोई प्राइवेट सेक्रेटरी बना और न कोई कामदार, परन्तु तो भी लोग मृग-तृष्णा को नहीं त्यागते।

मेयो कॉलेज में सब से बड़ी त्रुटि यह है कि वहाँ का वायु-मण्डल विद्यालय का वायु-मण्डल नहीं है। लड़कों के घरू-जीवन में और कॉलेज-जीवन में बहुत कम अन्तर है। जिस प्रकार घर पर उनको हुज़ूर-हुज़ूर करने वाले, ख़ुशामद करने वाले, अन्याय और कठोरता को सहने वाले घेरे रहते हैं, वैसे ही कॉलेज में वे लोग उनके साथ रहते हैं। रईसों के लड़कों को तो मास्टर, मोतमिद, गार्डियन, जागीरदार और अन्य लोग सब ख़ुशामद ही किया करते हैं। उनकी इच्छा का विरोध कोई नहीं करता। उनके व्यवहार में दोष कोई नहीं दिखाता। उनकी कठोर प्रकृति को नरम बनाने का कोई यत्न नहीं करता। सबको कृपा-पात्र बनने की अभिलाषा रहती है। ऐसी परिस्थिति से घिरे रहने के कारण महाराज-कुमार लोग मेयो कॉलेज के जीवन से वह लाभ नहीं उठा सकते, जो एक विद्यार्थी को कॉलेज में रह कर उठाना चाहिए। जहाँ छोटे-बड़े का भेद नहीं होता, जहाँ सम्पत्ति के कारण मनुष्य की पूजा नहीं होती, जहाँ विवश शिष्टता का व्यवहार करना पड़ता है, जहाँ अनेक प्रकार की प्रकृतियों को सहन करना पड़ता है और अपने स्वभाव को परिस्थिति के अनुकूल बनाना पड़ता है, वहीं विद्यार्थी असली संस्कृत, शिक्षा और दीक्षा प्राप्त कर सकता है।

वास्तव में मेयो कॉलेज की शिक्षा का ध्येय भी वह नहीं है, जो शिक्षा-संस्थाओं का हुआ करता है। कँवरों और महाराज-कुमारों को जीवन में अपने लिए कमाने की आवश्यकता तो है ही नहीं। इसलिए किसी विशेष सफलता की तैयारी के लिए जो परिश्रम करने का उत्साह होता है, वह वहाँ के विद्यार्थियों में नहीं पाया जाता। उनको घर जाकर अपनी जागीरें और रियासतें भोगना है। सो भोगने के लिए कौन सी विशेष योग्यता की आवश्यकता है? ठिकानों का और रियासतों का प्रबन्ध इन लोगों को अवश्य करना होता है, परन्तु यह वास्तव में पुस्तकों का विषय नहीं है और प्रत्येक रियासत अपनी रूढ़ि-परम्परा की रक्षा करना चाहती है, अतः प्रत्येक रियासत की शासन-समस्याएँ अलग-अलग हैं। इस कारण प्रबन्ध-विषय का भी कॉलेज में ज्ञान नहीं करवाया जाता। प्रबन्ध-नीति, शासन-सुधार, राजनैतिक जागृति, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, साम्यवाद आदि विषयों की भी चर्चा [illegible] और राजद्रोह समझी जाती है। 'पायनियर', 'टाइम्स ऑफ़ इण्डिया' और एक-दो और ऐसे ही पत्रों के सिवाय अन्य पत्र मेयो कॉलेज में घुस नहीं सकते। देश-प्रेम की बात नहीं की जा सकती। वहाँ के लड़के सिनेमा देखने चाहे जाएँ, परन्तु किसी भाषण को सुनने नहीं जा सकते। राजनैतिक विषय की वे कोई पुस्तक अपने पास नहीं रख सकते। प्रथम राजनैतिक आन्दोलन का वहाँ के लड़कों को कुछ पता ही नहीं होता और वहाँ लड़के आपस में मिलते समय गन्दी बातें ही अधिक करते हैं। पर कोई भूलवश यदि किसी भारतीय नेता की कोई चर्चा कर भी दे, तो यह अपराध समझा जाता है। लेखक को एक मेयो कॉलेज के विद्यार्थी से ही एक मनोरञ्जक बात मालूम हुई है। प्रिन्सिपल ने एक क्लास से कहा कि संसार के सब से महान पुरुष पर एक लेख लिखो। मेयो कॉलेज के लड़के लेख तो क्या लिखेंगे, परन्तु जो भी उलटी-सीधी १०-२० पंक्तियाँ लिख सकते थे, सबने लिखीं। इनमें एक विद्यार्थी ने महात्मा गाँधी पर लेख लिख मारा। इससे प्रिन्सिपल बड़ा क्रुद्ध हुआ और लड़के को बहुत धमकाया। प्रिन्सिपल ने कहा कि सबसे महान पुरुष है बादशाह पञ्चम जॉर्ज या किचनर या लॉयड जॉर्ज। सबको नतशिर होकर गुरु जी की आज्ञा स्वीकार करनी पड़ी और दूसरे दिन एक स्वर से सबको कहना पड़ा कि संसार का सब से महान पुरुष है लॉर्ड किचनर। इस समय संयुक्त शासन (Federal constitution) भारतीय नरेशों ने स्वीकार कर लिया है, परन्तु मेयो कॉलेज में इसकी बात नहीं हो सकती। हमारा विश्वास है कि वहाँ के मास्टरों में शायद ही कोई संयुक्त शासन का मतलब समझता हो, फिर विद्यार्थियों का तो कहना ही क्या?

तो फिर मेयो कॉलेज में क्या शिक्षा दी जाती है? वहाँ के पढ़े हुए लड़के कैसे निकलते हैं? क्या मेयो कॉलेज सुधर सकता है? राजकुमारों की शिक्षा का ढङ्ग वास्तव में क्या होना चाहिए? इन विषयों पर हम अपने विचार अगले सप्ताह में प्रकट करेंगे।

* * *

शरमा गई दोज़ख़ भी मई-जून के आगे !!

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

वह और क्या बताए, दुनिया में काम अपना,
आता है बिरहमन को बस राम-राम जपना।
क्या पूस में तबीयत, सर्दी से ख़ुश करें हम,
ढाएगा क़हर[1] दिल पर, बैसाख का यह तपना।
बँगलों पे जाके "बिस्मिल" करने लगे ख़ुशामद,
मतलब यह है कि समझें, वह ख़ैरख़्वाह अपना !

❀

पाजामे की इज़्ज़त नहीं, पतलून के आगे,
क्यों बहस अबस[2] हम करें क़ानून के आगे?
गर्मी से कोई दम हमें राहत[3] नहीं मिलती,
शरमा गई दोज़ख़ भी मई-जून के आगे !
पामालिए[4] तौक़ीर[5] से डरते हो जो "बिस्मिल"
तो सर न उठाना कभी क़ानून के आगे।

१—ग़ज़ब, २—बेकार, ३—आराम, ४—पाँव से मलना, ५—इज़्ज़त।

कनक-कण

[संग्रहकर्त्ता—श्री० चन्द्रकान्त प्रसाद]

मेरे लिए एक अपमान-जनक समझौते की अपेक्षा उस पराजय का मूल्य कहीं अधिक है, जिसमें आत्म-सम्मान को ज़रा भी ठेस न लगे।

—वल्लभ भाई पटेल

❀

अगर मुझमें स्वदेशी-भावना है तो धर्म के विषय में मैं अपने पूर्वजों के धर्म पर ही दृढ़ रहूँगा। इससे मैं अपनी परिवर्ती धार्मिक परिस्थिति का उपयोग करता हूँ। अगर मुझे उसमें ख़ामी दिखाई दे तो उसे दूर करके मुझे अपने धर्म की सेवा करनी चाहिए। राजनैतिक बातों में भी मुझे देशी संस्थाओं का ही उपयोग करना चाहिए। आर्थिक विषय में मुझे अपने आस-पास रहने वालों की बनाई चीज़ों का ही उपयोग करना चाहिए। अगर आदमी स्वदेशी-भावना के अनुसार आचरण करे तो दुनिया में सतयुग जल्दी आ जायगा।

—महात्मा गाँधी

❀

किसी जाति या राष्ट्र के निर्माण-कार्य में जितनी सहायता पुरुष कर सकते हैं, स्त्रियाँ उनकी अपेक्षा किसी तरह कम सहायता नहीं कर सकतीं।

—बर्नर्लैण्ड

❀

हमारा प्राचीन इतिहास कितना भी गौरव-पूर्ण हो, उपनिषद चाहे संसार की पुस्तकों में श्रेष्ठ समझे जाएँ, हमारे ऋषि-मुनियों की समता संसार का कोई भी व्यक्ति न कर सके, पर इससे हमारी आधुनिक श्रेष्ठता नहीं झलकती। हम बहुत कमज़ोर हैं। हमारी कमज़ोरी शारीरिक है। सब से पहले हमारे युवकों को मज़बूत होना चाहिए। धर्म तो फिर बाद में आता है।

—स्वामी विवेकानन्द

❀

यदि मनुष्य सीखना चाहे, तो उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ न कुछ शिक्षा दे सकती है।

—डिकेन्स

❀

जितनी बार हमारा पतन हो, उतनी बार उठने में ही गौरव है।

—महात्मा गाँधी

❀

निर्बलों का दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं। निर्बल होना पाप है। हमें सामाजिक, शारीरिक, शिक्षा-सम्बन्धी और राजनैतिक दृष्टि से सशक्त हो जाने दो, तब, हाँ केवल तभी, भारत एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन सकेगा।

—स्वामी विवेकानन्द

कविता-कुञ्ज

रङ्ग दिखलाएँगे

[कविवर अयोध्यासिंह उपाध्याय "हरिऔध"]

मुँह खोल-खोल जब बात हँसने की पड़ी,
तब हँस-हँस क्यों न सबको हँसाएँगे ?
मँह-मँह महक रहे हैं जो महँक भरे,
कैसे तो न महती मही को महँकाएँगे ?
'हरिऔध' पाई है न हार तब कैसे नहीं,
हार किसी महिमामयी को पहनाएँगे ?
रङ्ग वाले मिले आज दुगुने रङ्गीले बने,
फूल भला कैसे नहीं रङ्ग दिखलाएँगे ॥१॥
जो न सँभलेंगे, मुँह के बल गिरेंगे क्यों न,
ठीक न चलेंगे ठोकरें तो क्यों न खाएँगे ?
बात-बात में जो बहकें तो क्यों रहेगी बात,
बात बिगड़ेगी क्यों न बात जो बनाएँगे ?
'हरिऔध' बिना मुँह खोले क्यों खुलेंगे भेद,
आँख न खुली तो कैसे खुल-खेल पाएँगे ?
रङ्ग उतरा तो कैसे फिर से चढ़ेगा रङ्ग,
रङ्ग बिगड़ा तो कैसे रङ्ग दिखलाएँगे ॥२॥

* * *

जल-विन्दु

[श्री० गिरधारीलाल जी 'सन्त']

स्वाति के सुन्दर, सुखद नक्षत्र ,
मेघमाला से घिरा आकाश था।
ढक लिया निशि-नाथ ने था निज वदन,
गहन तम का अवनि-तल पर राज्य था !
प्रखर चलता था पवन अति वेग से,
रोष से सागर गरज अति था रहा।
गिर रहे जल-विन्दु थे आकाश से,
वृष्टि-जल था जलधि-बर में मिल रहा।
श्याम घन को छोड़ कर अवगत हुआ,
विन्दु इक छोटा महातन क्षीण सा।
सोच कर बोला व्यथा पाकर महा,
खेद ! अति ही हीन थी उसकी दशा।
"नष्ट कर अस्तित्व अपना मैं अभी,
वृहत् पारावार में मिल जाऊँगा।
हूँ निकम्मा, क्षुद्र हूँ, अति हेय हूँ,
सृष्टि-तल पर कुछ नहीं कर पाऊँगा।
हा विधाता ! व्यर्थ ही उत्पत्ति की,
नाम मेरा शीघ्र ही मिट जायगा।
हो गया मैं हाय ! अश्रुत आज से
जगत क्योंकर लाभ मुझसे पायगा ?"
सोचता इस भाँति वह जल-विन्दु ही,
जलधि-तल पर सीप में जब जा गिरा।
बन गया द्रुत रत्न इक रमणीय वह,
कान्ति, शोभा, ज्योति, आभा से भरा।
सीप से बाहर निकाला जब गया,
अमित शोभा, रूप, गुण की खान था।
जा मिला द्रुत राज-रमणी-हार में,
वक्ष-थल को कर रहा द्युतिमान था।

फूल के प्रति

[कुमारी दयावती गर्ग]

हरे-हरे पल्लव के अन्दर,
खिले हुए हो प्यारे फूल !
आस-पास हैं लगे तुम्हारे,
कितने लम्बे काले शूल !!

❀

उन शूलों को भूल किन्तु तुम,
अपनी शोभा दिखलाते !
अति रमणीय कान्ति से अपनी,
सब का मन हो हरषाते !!

❀

सुन्दर शीतल सुखद वायु में,
फैला निज सुगन्ध प्यारी !
सर्व जगत की हर लेते हो,
रोग-व्याधि बहु दुखकारी !!

❀

वीरों के उर की माला बन,
वक्षस्थल पर शोभित हो !
श्रेष्ठ मान पाते हो प्यारे,
उनके सङ्ग सुशोभित हो !!

❀

फूल तुम्हारे धन्य भाग हैं,
गए साथ 'मोती' के तुम !
उनके साथ चिता में जल कर,
पाया पद निर्वाण कुसुम !!

❀

फूल तुम्हारे उपकारों को,
किन्तु भूल जाते हैं हम !
तोड़-मरोड़ फेंक घूरे पर,
प्रसन्नता पाते हैं हम !!

❀

क्षमाशीलता का परिचय तुम,
बहु विधि से देते हो फूल !
नत-मस्तक हो करें नमस्ते,
करो 'दया' हे सुख के मूल !

* * *

ज़िमींदार जी

[श्री० गङ्गाविष्णु पाण्डेय, विद्याभूषण, 'विष्णु']

काहू से न प्रीति, अनरीति को ही भाखैं सदा,
लोग मारे भय के न आवत दुवारे हैं !
जो कहूँ किसान का लगान माँहि देर होय,
तो बुलाय घाम में बिठावत दुवारे हैं !!
कोई फ़रियाद लैके आवे तो सुनो न जाय,
हाथ जोड़े ठाढ़े तौहू जात ललकारे हैं !
लेत हैं बेगार मार-मार के ग़रीबन ते,
'विष्णु' ऐसे ज़मींदार ठाकुर हमारे हैं !!

* * *

स्वागत

[कुमारी गायत्री देवी 'विन्दु']

स्वागत तेरा ऐ स्वदेश पर,
बिके हुए अनुरागी !
निज स्वदेश-हित तन, मन, धन,
वैभव जीवन के त्यागी !!

❀

आ, निर्भय कर्तव्य-क्षेत्र में,
अपना नाम अमर कर !
लेकर मार्ग अहिंसा का,
बन भारत-वीर समर कर !!

❀

बढ़ आया यदि आगे तो,
अब पैर न पीछे रखना !
मरते दम तक मातृ-भूमि की,
शान-मान को रखना !!

❀

हो निर्भय कर्तव्य-क्षेत्र में,
आगे पैर बढ़ा दे !
देश-प्रेम का, स्वार्थ-त्याग कर,
जग को पाठ पढ़ा दे !!

* * *

विहङ्गम गान

[श्री० सत्यव्रत जी शर्मा 'सुजन']

सखि , यह तेरा कोमल गान !
किससे सीखा राग गहन यह,
ताल, छन्द, सोने सी तान ?
मिला कहाँ कलकण्ठ सजनि ! यह,
पाया कहाँ सुरों का ज्ञान ?

❀

किधर किन्नरी-पुरी अजान ?—
गाती जाती जहाँ नित्य तुम,
भर पङ्खों से शून्य उड़ान !
कैसे तृण, तरु, पात वहाँ के,
कैसे हैं सखि ! साँझ-विहान ?

❀

विहग-कुमारि ! इधर दो कान !
दोगी ज़रा माधुरी अपनी,
कितने नीरस मेरे प्राण !
उड़ा ले चलोगी मुझको भी,
जहाँ गीत का तना वितान !!
विहग-कुमारि ! इधर दो कान !!!

* * *



कराची कॉङ्ग्रेस की स्वागतकारिणी के दफ़्तर के कतिपय प्रमुख कार्यकर्त्ता—बाँईं ओर से बैठे हुए—श्री० शिवदास वी० माणिक, स्वामी गोविन्दानन्द, डॉ० ताराचन्द जे० लालवानी और श्री० गुलराज मल। बाँईं ओर से खड़े—श्री० डी० डॉ० चौधरी, श्री० गोपालदास एम० लालवानी, श्री० शिवराम चायन।

बम्बई में मोपला कॉङ्ग्रेस नेता का स्वागत



मालाबार के सुप्रसिद्ध मोपला-लीडर—जनाब अब्दुल रहमान साहब सम्पादक "अलअमीन" के बम्बई में स्वागत का दृश्य। दर्शकों की इसी भीड़ में पाठक जनाब अब्दुल रहमान साहब को बीच में हाथ में फूलों की डाली लिए खड़े देखेंगे। आपका यह स्वागत विक्टोरिया टरमिनस पर ट्रेन से उतरते ही बम्बई कॉङ्ग्रेस की ओर से हुआ था।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

मारवाड़ की सैर



कछवाहा खाँप का राजपूत



पड़िहार वंश का राजपूत



क़ायमख़ानी राजपूत (नव-मुसलिम)



मारवाड़ की प्रसिद्ध सवारी (ऊँट)



जयपुर-राज्य का इन्द्रवाण रथ



राजपूतों की मुख्य सवारी

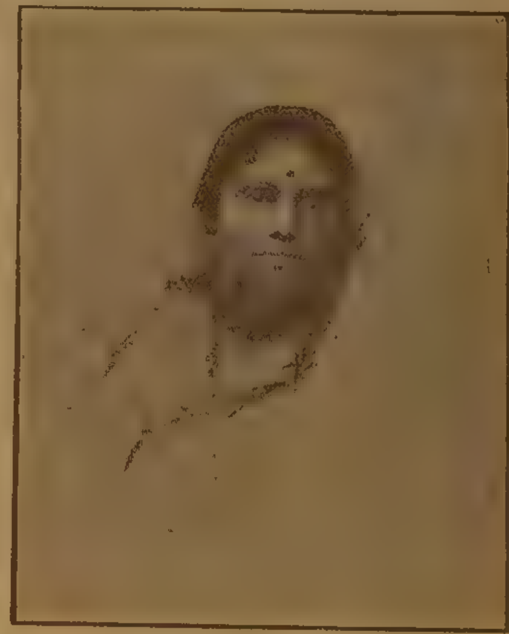


मारवाड़ की ऊँट-बग्घी या ऊँट-गाड़ी

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



नैरोबी (दक्षिण अफ़्रिका) का सुविशाल आर्य-समाज-मन्दिर



श्रीमती उपावती राय—जमशेदपुर टाउन कॉङ्ग्रेस कमिटी की प्रधाना।



आईओवा (Iowa) स्टेट यूनिवर्सिटी (अमेरिका) के राजनीति शास्त्र (Political Science) के अध्यापक और सुप्रसिद्ध विद्वान—श्री० डॉक्टर सुधीन्द्र बोस

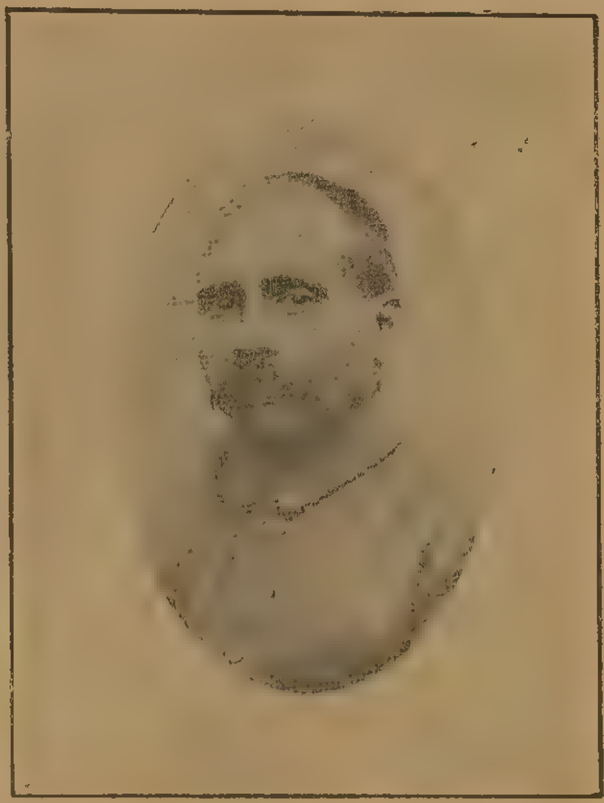


न्यूज़ीलैण्ड (अफ़्रिका) एसोसिएशन के प्रेज़िडेण्ट श्री० जयलाल कल्याण की नैरोबी—जिन्होंने एक यूरोपियन से विवाह किया है। इस चित्र में बैठी हुई महिला आपकी धर्मपत्नी हैं।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



श्री० गोकुलचन्द्र जी—जिन्होंने 'मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक' के लिए ४०,०००) रु० का दान दिया था। इस वर्ष भी आपने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को १०,०००) रु० का दान दिया है !



श्री० गङ्गाप्रसाद जी उपाध्याय, एम० ए०, जिन्हें इस वर्ष "आस्तिकवाद" नामक दर्शन-शास्त्र की सर्वोत्कृष्ट पुस्तक लिखने के लिए १,२००) रु० का पुरस्कार दिया गया है।



स्वर्गीय बाबू मङ्गलाप्रसाद जी—जिनकी पुण्य-स्मृति में, श्री० 'मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक' प्रत्येक वर्ष हिन्दी के किसी एक विषय के सर्वश्रेष्ठ लेखक को दिया जाता है।



कुमार पशुपतिसिंह—आप बिहार प्रान्तीय युवक-कॉन्फ्रेन्स के सेक्रेटरी और मुँगेर के प्रधान कार्यकर्त्ता हैं।



गाँधी अस्पताल (हरचन्दराय-नगर, कराची) के ऑफ़िस-इञ्चार्जों का ग्रुप



नैरोबी (अफ़्रिका) के आर्य-कन्या-पाठशाला की कार्यकारिणी-समिति के सदस्य और इस संस्था में पढ़ने वाली कुछ कन्याएँ



एक इशारा उसका काफ़ी था मगर हो तो सही, मुश्किलों का सहल करना भी तो मुश्किल एक है !
मुझको बैठी हैं हज़ारों आरज़ूएँ घेर कर, किस तरह दिल में जगह मैं दूँ, मेरा दिल एक है !

हुस्न में, और इश्क़ में, गर है तो मुश्किल एक है,
उस तरफ़ सारी ख़ुदाई[१] है, इधर दिल एक है।
चाहिए ख़लवतकदा[२] एक राज़दारे-इश्क़[३] को,
दिल हो, या नासूर हो, दोनों का हासिल एक है !
आबला है, ज़ख़्म है, नासूर है, आख़िर में दाग़,
मैं समझता था, रहे-उलफ़त[४] में हासिल एक है।
एक इशारा उसका काफ़ी था, मगर हो तो सही,
मुश्किलों का सहल करना भी, तो मुश्किल एक है।
ख़ाक होकर रहरवाने[५] इश्क़ ठहरे जा बजा,
बस युहीं इस दश्त[६] में हर इक की मंज़िल एक है।
दिल को दिखलाई भी तूने किस क़यामत की निगाह,
देखता हूँ मैं अज़ल[७] से तर्ज़े-बिस्मिल[८] एक है।
हलक़हाए[९] चश्म[१०] के हमराह[११] आँखें भी हैं ख़ुश्क[१२],
वक़्त वह आया, कि अब दरिया-ओ साहिल[१३] एक है।
ऐ ख़ुदा उस बज़्म में इस बेकसी[१४] की दाद दे,
मैं अकेला एक तरफ़, और सारी महफ़िल एक है।
मर के जो उभरा जहाँ उसका किनारा है वही,
इस मुहीते[१५] इश्क़ में हर एक का साहिल एक है।
जिस तरफ़ जाता हूँ मैं कहती है नाकामी "अज़ीज़"
लाख तदबीरें हों लेकिन सबका हासिल एक है।

—"अज़ीज़" लखनवी

क्या करें उन पर तसद्दुक़[१६], हमकि मुश्किल एक है।
कहने-सुन्ने को हैं दो पहलू, मगर दिल एक है।
अहले दिल ने बाद मुद्दत के किया यह फ़ैसला,
हुस्न हो, या इश्क़ हो, दोनों का हासिल एक है।
जिस्म से दम का निकल जाना कोई आसाँ नहीं,
सैकड़ों मुश्किल में, यह मुश्किल भी मुश्किल एक है।
दैरो[१७] मसजिद की हक़ीक़त पे मुसाफ़िर हमसे पूछ
हैं तो दो रस्ते, मगर दोनों की मञ्ज़िल एक है।
कर दिया बहरेफ़ना[१८] ने यूँ असीरे मौजे ग़म,
डूबने वाले का अब दरिया वो साहिल एक है।
ज़ादए[१९] उल्फ़त से पाए शौक़ उठ सकता नहीं,
मैं समझता हूँ, कि मैं हूँ एक, मञ्ज़िल एक है।
इश्क़ो-उल्फ़त पर न हो क्यों हुस्न वाले का असर,
लाखों परवाने हैं, लेकिन शम्आ[२०] महफ़िल एक है।
नामुरादे[२१] इश्क़ जब मैं हूँ तो क्या लुत्फ़े हयात[२२],
मेरे जीने औ मर जाने का हासिल एक है।

१—संसार, २—एकान्त, ३—भेद रखने वाला, ४—प्रेम-पथ, ५—रास्ता चलने वाला, ६—जङ्गल, ७—आदि, ८—तड़पने का ढङ्ग, ९—घेरा, १०—आँख, ११—साथ, १२—सूखा, १३—किनारा, १४—कोई न पूछने वाला, १५—घेरा, १६—निछावर, १७—मन्दिर, १८—कालरूपी समुद्र, १९—राह, २०—दीपक, २१—निराश, २२—जीवन,

मुझको बैठी हैं हज़ारों आरज़ूएँ घेर कर,
किस तरह दिल में जगह मैं दूँ, मेरा दिल एक है।
अहले-आलम[२३] पर हुआ रङ्गी बयानी का असर,
मानना सबको पड़ा अन्दाज़े-"बिस्मिल" एक है।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

उल्फ़त का इलाज आह ! कोई काम न आया,
जी खोल के रोया भी तो आराम न आया !
दिल सीने में जब तक रहा आराम न आया,
काम आएगा किसके जो मेरे काम न आया।
काम उसके न काश आए वह मग़रूर भी यूँही,
जैसे दिले आवारा मेरे काम न आया।
यह कह के सिरहाने से वह बीमार के उट्ठे,
सद शुक्र[२४] कि मुझ पर कोई इलज़ाम न आया।

केसर की क्यारी

(पहिला हिस्सा)

'भविष्य' के विगत खण्डों में केसर की क्यारी शीर्षक के अन्तर्गत जितनी कविताएँ प्रकाशित हुई हैं, पाठकों के अनुरोध के कारण उनका एक सुन्दर संग्रह इसी नाम से शीघ्र ही प्रकाशित होगा और बहुत सी

नई कविताएँ भी

जोड़ दी जावेंगी। इस पुस्तक का सम्पादन कविवर 'बिस्मिल' दूसरी बार करेंगे, इसीसे पुस्तक की उत्तमता का अन्दाज़ा लगाया जा सकता है। छपाई-सफ़ाई दर्शनीय होगी, पुस्तक सजिल्द प्रकाशित की जायगी। मूल्य लगभग २) रु० होंगे। शीघ्र ही अपना ऑर्डर रिजिस्टर करा लीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा।

—व्यवस्थापक 'भविष्य'

पुरदर्द[२५] कोई शै मेरे सीने में कभी थी,
सोचा तो बहुत याद, मगर नाम न आया।
ताहश्र[२६] न भूलेगी 'अज़ीज़' अपनी शबे-हिज्र,[२७]
क्या रात थी वह रात कि आराम न आया।

—"अज़ीज़" लखनवी

मरना दिले नाकाम किसी काम न आया,
मिट्टी में भी मिल कर हमें आराम न आया।
यह सुबह का आना तो कोई काम न आया,
क्यों वह मेरे पहलू में सरे शाम न आया।

२३—संसार, २४—सैकड़ों धन्यवाद, २५—दर्द से भरा हुआ, २६—प्रलय, २७—विरह की रात,

औरों को इनायत[२८] हुए ख़ुम[२९] साक़िए महफ़िल
लेकिन मेरी क़िस्मत में कोई जाम[३०] न आया।
क्यों उससे है कन्धा न लगाने की शिकायत,
जो साथ मेरी लाश के दो गाम[३१] न आया।
औरों के तो नाम अन्जुमने[३२] नाज़ में आए,
लेकिन कभी भूले से मेरा नाम न आया।
बेचैन रहे वादए महशर पे किसी के,
हम मर गए, जब भी हमें आराम न आया।
इन्सान वह इन्सान नहीं हज़रते "बिस्मिल"
दुनिया में किसी के जो कभी काम न आया।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

यह क्या बताऊँ ज़ख़्म में कैसी ख़राश[३३] है,
सुन लीजिएगा आज जिगर पाश-पाश[३४] है।
अल्लह रे भीड़ शहर में रस्ता नहीं कहीं,
देखें तो आओ चल के ज़रा किसकी लाश है।
एक रोज़ जुस्तजू[३५] थी किसी और की हमें,
या आज है वह दिन कि ख़ुद अपनी तलाश है।
क्यों चारासाज़[३६] ज़ब्त करूँ अब मैं या नहीं,
नाला रुका है जब से जिगर में ख़राश है।
हैं तेरे साथ-साथ ज़माने की क़ुव्वतें[३७],
क्यों ऐ निगाहे शौक़ यह किसकी तलाश है।
ताबूत[३८] को "अज़ीज़" के आहिस्ता ले चलो,
टुकड़े सब इस शहादे मुहब्बत की लाश है।

—"अज़ीज़" लखनवी

अल्लह रे कैसी नाख़ुने ग़म की ख़राश है,
दिल टुकड़े-टुकड़े है, तो जिगर पाश-पाश है।
जाते हैं लोग कन्धे पे जिसको लिए हुए,
शायद वह उनके कुश्तए[३९] उल्फ़त की लाश है !
असरारे[४०] हुस्नो इश्क़ ज़माने से है जुदा,
मख़फ़ी[४१] है कोई राज़[४२] कोई राज़ फ़ाश[४३] है।
रास आए क्यों न दिल को हवा कूए यार की,
आग़ाज़[४४] ही से इसकी वहीं बूदोबाश[४५] है।
फिर काम लूँगा जज़्बे[४६] मुहब्बत से हम-नशीं[४७],
फिर ज़र्रहाए[४८] दिल की दोबारा तलाश है
आए हैं अहले[४९] हुस्न जो मातम के वास्ते।
क्या उठने वाली हज़रते "बिस्मिल" की लाश है ?

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

२८—दिए गए, २९—मटका शराब का, ३०—प्याला, ३१—क़दम, ३२—सभा, ३३—छिल जाना, ३४—टुकड़े-टुकड़े ३५—तलाश, ३६—दवा करने वाला, ३७—ताक़तें ३८—शव, ३९—मुहब्बत में मरे हुए, ४०—भेद, ४१—छुपा हुआ, ४२—भेद, ४३—ज़ाहिर, ४४—शुरू, ४५—रहन-सहन, ४६—प्रेम का खिंचाव, ४७—साथी, ४८—दिल के टुकड़े, ४९—सुन्दरियाँ।

बिल्कुल नया स्टॉक ! बिल्कुल नया स्टॉक !!

डाक-व्यय नहीं लिया जायगा !!

निम्न-लिखित पुस्तकों का भारी स्टॉक हाल ही में आया है और बिक्री के लिए तैयार है। यह सब पुस्तकें एक से एक सुन्दर, शिक्षाप्रद, सरस और हिन्दी-साहित्य में अपूर्व रत्न हैं। इन्हें यदि पुस्तक-प्रेमी जन मँगा कर पढ़ेंगे तो उन्हें रुपए ख़र्च करने का पछतावा न होगा। एक बार अवश्य ही ऑर्डर देकर परीक्षा लें। जो सज्जन ३० जून, सन् १९३१ तक पुस्तकों का १५) रु० अथवा इससे अधिक का ऑर्डर देंगे, उनसे निर्धारित कमीशन के अलावा डाक-व्यय भी नहीं लिया जायगा। आशा है, पाठकगण शीघ्र ही इस ख़ास सुविधा से लाभ उठावेंगे।

—व्यवस्थापक

रङ्गमहल-रहस्य (बी० स० पु०) ४॥)
रॉबिन्सन क्रूसो (इं० प्रे०) १॥)
" " (रा० न० ला०) ७)
रूपनगर की राजकुमारी (लक्ष्मी० पु०) ३)
वज्राघात (प्र० पु०) २॥)
वाराङ्गना रहस्य (पा० एं० को०) ५)
विचित्र वधू रहस्य (इं० प्रे०) १)
विचित्र योगी (गं० पु० मा०) १), १॥)
विधवा आश्रम (ना० दा० एं० सं०) १॥)
विधाता का विधान (हि० ग्रं० र०) २॥), ३)
विजया (गं० पु० मा०) १॥), २)
वेदना (चाँ० बु० डि०) २॥)
शशाङ्क (इं० प्रे०) ३)
शशिप्रभा (बै० प्रसाद) २॥)
शाही चोर (ना०दा०सं०) ।)
शाही जादूगरनी (ना० दा० सं०) १।), २)
शाही डाकू (ना० दा० सं०) १॥), १॥।), २)
शाही लकड़हारा (ना० दा० सं०) २), २।), २॥)
शीलादेवी (इं० प्रे०) २)
शान्ति कुटीर (हिं० ग्रं० र०) १॥।)
शेक्सपियर कथागाथा (रा० नारायण ला०) १॥)
षोड़शी (इं० प्रे०) १।)
सर्वस्व समर्पण (हिं० पु० ए०) ४)
सुप्रभात (ना० दा० सं०) १॥), २)

सेवासदन (हिं० पु० ए०) २॥), ३)
हृदय का काँटा (त०मा०) १॥)
हृदय की प्यास (गं० पु० मा०) १॥), २)

स्व० बङ्किमचन्द्र चटर्जी के उपन्यास

इन्दिरा (हिं० पु० ए०) ।=)
देवी चौधरानी (हिं० पु० ए०) ॥।)
विष-वृक्ष (हिं० पु० ए०) १)
युगलाङ्गुलीय (ख० वि० प्रे०) =)
लोक रहस्य (हिं० पु० ए०) ॥=)

नाटक और प्रहसन

(१) पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक

कृष्णाकुमारी (गं० पु० मा०) १॥)
कृष्णार्जुन युद्ध (प्र० पु०) ॥=)
ख़ाँजहाँ (गं० प० मा०) १=), १॥=)
चार बेचारे (बी० स० पु०) १॥)
चाँद बीबी (सा० भ० लि०) १।), १॥।)
चिरकुमार सभा (हिं० ग्रं० र०) १।), २)
छत्रपति शिवाजी (हिं० क० त० प्र०) १।)
जयद्रथ बध (गं० पु० मा०) ॥।=)
डाकघर (इं० प्रे०) ।-)

तिलोत्तमा (मैथिली०) ॥)
दुर्गावती (गं० पु० मा०) १), १॥)
देश-दशा (ठ० ब० ऑ०) ॥।)

नाटक

धर्मयोगी (ठ० ब० ऑ०) ॥।), १)
नल-दमयन्ती („) ॥।)
नागानन्द (ख० प्रे०) ।)
नूरजहाँ (हि० रा० र०) १=)
नेत्रोन्मिलन (हिं० पु० ए०) ॥-)
परिवर्तन (रा० श्या०) १)
परमभक्त प्रह्लाद („) १)
पूर्व भारत (ग० पु० मा०) ॥।=), १।=)
प्रायश्चित्त (हिं० ग्रं० र०) ।)
बलिदान (सा० भ० लि०) १।)
बुद्ध-चरित्र (ग० पु० मा०) ॥।), १।)
भक्त चन्द्रहास (नि० एं० को०) १।)
भारत-माता (रा० श्या०) ।)
भारतवर्ष (ठ० ब० ऑ०) ॥।)
भीष्म (प्र० पु०) ॥)
„ (हिं० ग्रं० र०) १।)
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र नाटकावली (ख० वि० प्रे०) ३)
„ „ (इं० प्रे०) ३॥)
भीष्म (प्र० पु०) ॥)
„ (हिं० ग्रं० र०) १।)
भीष्म-प्रतिज्ञा (ठ० ब० ऑ०) ॥।)

भूल-चूक (बी० स० पु०) ॥।)
मध्यम व्यायोग (गं० पु० मा०) =)
महात्मा ईसा (बी० स० पु०) २)
महामाया (एस० आर० बेरी) १)
मुक्तधारा (प्र० पु०) ॥=)
मूर्ख-मण्डली (गं० पु० मा०) ॥।=)
रणधीर प्रेम-मोहिनी (हिं० पु० ए०) ॥=)
राजा-रानी (इं० प्रे०) १)
लबड़धोंधों (गं० पु० मा०) ॥।=), १।=)
सत्यनारायण (निहाल) १)
सत्य हरिश्चन्द्र (इं० प्रे०) ≡)
" " (ठ० ब० ऑ०) ॥।)
सत्याग्रही प्रह्लाद (निहाल) १)
सम्राट परीक्षित (निहाल) १।)
संग्राम (हिं० पु० ए०) १॥।)
सावित्री सत्यवान (ठ० ब० ऑ०) ॥।)
सीता (हिं० ग्रं० र०) ॥-)
सीता बनवास (ठ० ब० ऑ०) ॥
सुहराब रुस्तम (हिं० ग्रं० र०) ॥=)
हिन्द (एस० आर० बेरी) १)

थिएट्रिकल नाटक

अत्याचार (ख० प्रे०) ।)
असीरे हिर्स (ठ० ब० ऑ०) ।≡)
नल-दमयन्ती (") ॥।)

इतिहास

अकबरी दरबार (इं० प्रे०) २॥)
मुसलमानी राज्य का इतिहास (इं० प्रे०) २॥)
लन्दन पेरिस की सैर (इं० प्रे०) २)
अलबेरूनी का भारत (इं० प्रे०) सेट ६॥)
आधुनिक इङ्गलैण्ड (इं० प्रे०) २)
भूपरिचय (") २॥)
भूप्रदक्षिणा (") १०)
अफ़ग़ानिस्तान (पॉपुलर) २)
अङ्गरेज़ जाति का इतिहास (ज्ञा० मं०) २।)
अशोक के धर्म-लेख (ज्ञा० मं०) २॥।)
आदर्श भूमि अथवा चित्तौर (इं० प्रे०) १॥)
इटली की स्वाधीनता (त० भा० ग्रं०) ॥)
इत्सिङ्ग की भारत-यात्रा (इं० प्रे०) २॥।)
चेतसिंह और काशी-विद्रोह (प्र० पु०) ॥=)
जापान की राजनीतिक प्रगति (ज्ञा० मं०) ३॥=)
तिब्बत में तीन वर्ष (हिं० पु० ए०) २॥)
पश्चिमी यूरोप (दो भाग) (ज्ञा० मं०) ४।-)
पञ्जाब का भीषण हत्याकाण्ड (नि० चं०) १॥।)
पञ्जाब-हरण (हिं० पु० ए०) २)
प्राचीन भारत (ज्ञा० मं०) ३।-)

व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

भारतीय स्वाधीनता और ब्रिटेन का भविष्य

समृद्धि और गौरव के घोर अधःपतन की आशङ्का

भारत से सम्बन्ध होने के पहले ब्रिटेन संसार का एक अत्यन्त ग़रीब और नगण्य राष्ट्र था

लॉर्ड रॉथर मियर की अपने देशवासियों को चेतावनी

[इस लेख के लेखक प्रसिद्ध भारतद्रोही विस्काउण्ट रॉथर मियर हैं। आपने ब्रिटेन वालों को सावधान करते हुए कहा है कि यदि ब्रिटेन संसार के राष्ट्रों में अपनी स्थिति क़ायम रखना चाहता है, तो भारत को अपने हाथ से न जाने दे। भारत से सम्बन्ध होने के पहले ब्रिटेन "बिल्कुल मामूली, ग़रीबी का मारा नगण्य देश था।" पुर्तगाल वालों का उदाहरण देकर आपने बतलाया है, कि संसार में प्रतिष्ठित, धनी और शक्तिशाली राष्ट्र बने रहने के लिए भारत पर मज़बूत पञ्जा जमाए रखना अनिवार्य है। आपका कहना है कि अङ्गरेज़ों के आने से पहले हिन्दुस्तान मलेरिया का दलदल, दुर्गम जङ्गल और अत्यन्त गन्दी प्रथाओं का केन्द्र था। लॉर्ड क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्ज़ ने सभ्य शासन स्थापित करके भारतवासियों का देशी अत्याचारियों से त्राण किया। लेखक का प्रलाप वास्तव में पढ़ने योग्य है।

—सं० 'भविष्य']

पुर्तगाल की दशा देखने से इस बात का पता लगता है कि ब्रिटेन के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है।

सन् १४९७ की जुलाई में पुर्तगाल वालों के तीन जहाज़ टेगस स्थान से उस ऐतिहासिक यात्रा के लिए रवाना हुए थे, जिसने आगे चल कर पुर्तगाल के ही नहीं, बल्कि इङ्गलैण्ड के भविष्य का भी परिवर्तन कर दिया।

उन जहाज़ों ने वास्को-डि-गामा के नेतृत्व में पहले-पहल भारत के, बहुत दिन से खोजे जाने वाले, समुद्री मार्ग का पता लगाया था। उनकी इस सफल यात्रा ने पूर्वीय देशों में पुर्तगाल वालों के व्यापार-साम्राज्य की नींव डाल दी, जिसके आधार पर एक शताब्दी तक वीर-नाविकों का यह छोटा सा नगण्य देश संसार के राष्ट्रों में अत्यन्त शक्तिशाली और समृद्धिशाली गिना जाता रहा।

पुर्तगाल के पथ का अनुसरण करके फिर अङ्गरेज़ों ने पूर्व में पुर्तगाल वालों से कहीं बढ़ कर विस्तृत साम्राज्य की रचना की। तब से यही साम्राज्य हम अङ्गरेज़ों की शक्ति और समृद्धि का आधार है।

उन तीन पुर्तगाल के जहाज़ों ने, जिन्होंने भारत के समुद्री मार्ग का पता लगाया था, संसार की व्यापार-प्रणाली में युगान्तर उपस्थित कर दिया।

इसके पहले हिन्द महासागर के व्यापार पर अरब वालों का एकमात्र आधिपत्य था। आजकल की तरह उस समय भी भारतवर्ष यूरोपीय मुल्कों को अपनी तरह-तरह की बहुमूल्य वस्तुएँ व्यापार के लिए भेजा करता था।

अत्यन्त लाभ

वास्को-डि-गामा के समय में भारतवर्ष पश्चिमीय देशों को गरम मसाला दिया करता था, जोकि सर्द मुल्क में रहने वालों के भोजन का आवश्यक अङ्ग है। गरम मसाला के साथ-साथ विविध प्रकार के रेशमी कपड़े, हाथी-दाँत, सोना, जवाहिरात और एशिया की दूसरी बहुमूल्य विलासिता की वस्तुएँ भेजी जाती थीं। इनको अरब के व्यापारी जहाज़ में लाद कर लाल-सागर और फ़ारस की खाड़ी तक पहुँचा दिया करते थे। वहाँ से वे वस्तुएँ वेनिस वाले व्यापारियों के हाथों में पहुँचती थीं, और वहाँ से फिर बहुत अधिक नफ़े पर यूरोप के मुल्कों को बेच दी जाती थीं।

वास्को-डि-गामा की समुद्र-यात्रा ने वेनिस और अरब दोनों की ही प्राचीन व्यापारिक प्रथाओं को बदल दिया। उसने पूर्वीय देशों की समृद्धि से लाभ उठाने का एक नया द्वार खोल दिया।

पुर्तगाल वालों ने भारत का जो समुद्री मार्ग ढूँढ निकाला था, उसका उपयोग उनके बाद भी लगभग ८० से सौ वर्षों तक डच और अङ्गरेज़ लोग करते रहे। आज से कुछ समय पहले तक वह यूरोप और एशिया के बीच का मुख्य मार्ग रहा है, यद्यपि सन् १८६९ में, स्वेज़-नहर के निकलने के बहुत पहले से ही, ब्रिटेन संसार के व्यापारिक राष्ट्रों में पुर्तगाल के बाद अपनी प्रधानता क़ायम कर चुका था।

भारत के साथ इन दोनों देशों के सम्बन्धों की तुलना इतिहास के किसी भी विद्यार्थी के लिए महत्व का विषय है। भारत के साथ निकट सम्बन्ध स्थापित होने से पहले पुर्तगाल और ब्रिटेन, दोनों ही देश बिल्कुल मामूली और ग़रीब थे। पूर्वीय देशों से व्यापार प्रारम्भ करते ही वे दोनों एक ही पुश्त में शक्तिशाली और सम्पत्तिशाली बन गए।

वास्को-डि-गामा ने भारत के जल-मार्ग का पता, सन् १४९७ में लगाया था, परन्तु इसके थोड़े ही समय बाद, सन् १५५० तक पुर्तगाल का नगर लिसबन संसार का सब से धनी नगर गिना जाने लगा।

पुर्तगाल का स्वर्ण-युग

सोलहवीं शताब्दी पुर्तगाल के लिए स्वर्ण-युग था। उस समय संसार में व्यापार की दृष्टि से टेगस नदी का वैसा ही महत्वपूर्ण स्थान था, जैसा कि अभी कुछ समय पहले इङ्गलैण्ड की टेम्स नदी का था। टेगस नदी के दोनों तटों पर बहुत दूर तक गोदामों की क़तारें बनी हुई थीं, जहाँ पूर्वीय देशों से आया हुआ माल एकत्र हुआ करता था और वहाँ से फिर जहाज़ों पर लाद-लाद कर वह यूरोप के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता था। पुर्तगाल में यत्र-तत्र बहुतायत से फैले हुए बड़े-बड़े गिर्जाघर, मठ और भवन आज भी पुर्तगाल की उस समय की समृद्धि की याद दिलाते हैं, जब कि उसका भारत से सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हुआ था।

पुर्तगाल छोटा सा देश था, इस कारण वह अपना साम्राज्य समुद्र-तटों के बहुत अन्दर तक नहीं फैला सका। 'कमज़ोर' हिन्दुओं और 'प्रतिस्पर्धी' अरबों के अतिरिक्त उसे थोड़े ही समय बाद अपने यूरोपियन प्रतिद्वन्द्वी डच और अङ्गरेज़ों का भी मुक़ाबला करना पड़ा। इस प्रकार एक सौ वर्ष के अन्दर पुर्तगाल वालों की शक्ति भारत में क्षीण होने लगी। बम्बई प्रान्त के समुद्र तटवर्ती गोआ तथा अन्य दो छोटे-छोटे नगर ही अब पुर्तगाल वालों के अधीन रह गए हैं। एक समय था, जब कि 'गोआ' नगर अपनी समृद्धि के कारण 'गोआ दि गोल्डेन' (सुनहला गोआ) के नाम से प्रसिद्ध था, उसमें सौ गिर्जाघर बने हुए थे, परन्तु आज वह बिल्कुल ग़रीब और नगण्य है।

समृद्धि का पतन

बड़े-बड़े जहाज़ी बेड़े, जो कभी पूर्वीय देशों से तरह-तरह के खाद्य पदार्थ, तरह-तरह के रेशम, सोना, हीरा, जवाहरात और कितनी ही और बहुमूल्य वस्तुएँ ले जाकर टेगस के मुहाने पर लगा करते थे, धीरे-धीरे पुर्तगाल के लिसबन नगर को छोड़ते हुए एक दूसरे ही झण्डे के नीचे टेम्स के मुहाने पर जाकर लगने लगे। आज हालत यह है कि सम्पूर्ण पुर्तगाल देश की वार्षिक आमदनी केवल 'लन्दन कन्ट्री कौन्सिल' की आमदनी से भी कहीं कम है। उसका ५० फ़ीसदी व्यापार अब इङ्गलैण्ड को केवल शराब भेजना रह गया है। यह वही देश है, जो किसी समय हमारे इङ्गलैण्ड की ही तरह समुद्र का विजयी अधिपति था। आज वह यूरोपीय राष्ट्रों में तीसरे दर्जे का मुल्क है। पुर्तगाल को गौरव-पद के शिखर पर पहुँचाने वाला भारत का सम्बन्ध ही था, और उसे पतन के गर्त में डालने वाला भारत का सम्बन्ध-विच्छेद था।

यह सब जानते हुए भी इस वक़्त इङ्गलैण्ड में ऐसे मूर्ख और कमज़ोर राजनीतिज्ञ मौजूद हैं, जोकि जान-बूझ कर राष्ट्रीय वैभव की ऐसी 'ऐतिहासिक कुञ्जी' को खो देने पर उतारू हो गए हैं।

ब्रिटिशों से पहले का भारत

लगभग ५० वर्ष राज्य करने के बाद सन् १७०७ में औरङ्गज़ेब की मृत्यु हुई। उस समय से मुग़ल-साम्राज्य क्रमशः क्षीण होता गया। साथ ही भारतवर्ष भर में छोटे-छोटे राजाओं की अराजकता की गड़बड़ भी फैलती गई।

एक शताब्दी तक निर्दयता, अत्याचार, अकाल और बीमारी का अखण्ड राज्य रहा। वर्ण-व्यवस्था के कठिन जञ्जाल के द्वारा ब्राह्मण लोग, जिनके हाथों में राज्य-

सूत्र था, ग़रीबों का सङ्गठित अर्थ-शोषण करते रहे। अठारहवीं शताब्दी के अन्त में जब क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश-नीति के आधार पर सभ्य-शासन की स्थापना की, तब जाकर कहीं धीरे-धीरे देशी और जङ्गली उच्छृङ्खल शासकों के लगातार अत्याचारों से भारत के निवासियों को त्राण मिला।

इन तथ्यों से जो निष्कर्ष निकलता है, उसे,'भय है कि यहाँ के कमज़ोर और भावुक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ, जिनके हाथों में भारत का शासन-सूत्र है, भुला रहे हैं। 'ब्रिटिश भारत' ये शब्द केवल शब्द नहीं हैं। 'ब्रिटिश भारत' दो सौ वर्ष के लगातार साहस, परिश्रम और त्याग की एक वास्तविक रचना है।

आधुनिक भारत का रचयिता ब्रिटेन

'हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तानियों के हवाले' करने की बात निरी मूर्खता है। 'हिन्दुस्तानियों का हिन्दुस्तान', हिन्दुस्तानियों के सौभाग्य से नष्ट हो चुका। हिन्दुस्तानियों का हिन्दुस्तान तो मलेरिया का दलदल, दुर्गम जङ्गल और अत्यन्त गन्दी और निर्दय प्रथाओं का मुल्क था। उसके निवासी न्याय का नाम नहीं जानते थे और अत्याचारी राजाओं के ग़ुलाम थे। अङ्गरेज़ों के आने से पहले पुश्तों तक किस दुरवस्था, बीमारी और भय का साम्राज्य था, उसकी आज के भारत-निवासी कल्पना तक नहीं कर सकते।

४१ हज़ार मील लम्बी रेल, जिसके द्वारा ६,२५० लाख यात्री प्रति वर्ष यात्रा करते हैं और बहुत सा माल इधर-उधर भेजा जाता है और जिसमें ब्रिटेन का ६२ करोड़, ३० लाख पाउण्ड का मूल-धन लगा हुआ है; सिंचाई आदि के विस्तृत प्रबन्ध, जिसके द्वारा देश की लम्बी-चौड़ी भूमि उपजाऊ बनाई गई है; चार हज़ार अस्पताल, १८ विश्वविद्यालय, घटती हुई मृत्यु-संख्या और बढ़ती हुई जन्म-संख्या आदि अनेक ऐसी बातें हैं, जो कि भारतवर्ष में अङ्गरेज़ों के आने से पैदा हुई हैं। बिना अङ्गरेज़ों की मदद के हिन्दुस्तानियों को इनमें से कोई भी चीज़ न प्राप्त होती। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और कराची के बड़े-बड़े बन्दरगाह, जिनमें मीलों के लम्बे डक और गोदाम बने हुए हैं; बिजलीघर और उनका चतुर्दिक प्रकाश, साफ़-सुथरी सड़कें और सार्वजनिक इमारतें, जोकि यूरोपीय देश की किसी भी इमारत से बराबरी कर सकती हैं, भारतीय रचना नहीं हैं। यह सब अङ्गरेज़ों की कृति है। इस देश में प्रवेश करते ही प्रत्येक विदेशी यात्री के सामने उपर्युक्त बातें आ जाती हैं। देखते ही उसे मालूम हो जाता है कि भारत में गत ६ पुश्तों से अङ्गरेज़ी धन और जन ने कितना परिवर्तन कर दिया है।

'गाँधी की झुठाई'

'ब्रिटिश भारत' का जो यथार्थ मतलब है, उस दृष्टि से गोलमेज़ में उसका कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया। भारतीय नरेशों, हिन्दुओं, मुसलमानों और अन्त्यजों तक के प्रतिनिधि आए, परन्तु ऐसा प्रतिनिधि न आया, जो कि ब्रिटेन और भारत के सम्मिलित हित की तरफ़ से बोलता और कहता कि अङ्गरेज़ों ने भारत की प्राथमिक अवस्था के निवासियों और उनकी प्रथाओं की नींव पर कैसा विशाल सभ्यता का भवन निर्माण कर दिया है!

कॉन्फ़्रेन्स में ब्रिटिश भारत के किसी भी प्रतिनिधि ने इन महत्वपूर्ण बातों का ज़िक्र नहीं किया। जितने प्रतिनिधि आए थे, सबने, यहाँ तक कि सरकार की ओर से नियुक्त किए गए अनुदार-दल वालों तक ने, गाँधी के इस झूठ कथन का ही समर्थन किया कि अङ्गरेज़ों का अस्तित्व भारत में अनधिकारपूर्ण है।

थोड़े से राष्ट्रवादियों का आन्दोलन, जोकि हिन्दुस्तान से अङ्गरेज़ों को मय बोरिया-बँधना के निकाल बाहर कर देना चाहते हैं, उन्हीं मिल-मालिकों के सहारे चल रहा है, जोकि हमारे ही द्वारा उस देश में उत्पन्न किए गए साधनों से धनी हो सके हैं। गाँधी के समर्थक वे कपड़े के मिल-व्यवसायी हैं, जोकि अपनी मिलों को बालक मज़दूरों के ख़ून-पसीने से चला रहे हैं। वे देश में राष्ट्रीय शासन इसलिए चाहते हैं कि ब्रिटिश माल देश में बिल्कुल न आने पाए और भारतीय व्यापार पर उनका पूर्ण आधिपत्य क़ायम हो जाय।

वे भारत के लिए, लिए गए क़र्ज़ को न देने की बात इसलिए कर रहे हैं, जिससे भारत में अङ्गरेज़ों की जो पूँजी लगी हुई है, उसे वे हड़प कर लें और आपस में बाँट लें।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति ब्रिटेन के लिए वैसी ही भयावह सिद्ध होगी, जैसी कि पुर्तगाल के लिए हुई थी। हिन्दुस्तान से सम्बन्ध होने से पहले हमारा राष्ट्र पुर्तगाल के सदृश ही ग़रीब और नगण्य था। इस सम्बन्ध के हटते ही हम लोग पुर्तगाल वालों की दशा पर पहुँच जायँगे।

ब्रिटेन की ज़िम्मेदारियाँ जितनी गम्भीर भारत के प्रति हैं, उतनी संसार में और कहीं किसी के प्रति नहीं हैं। हमें चाहिए कि हम उन ज़िम्मेदारियों का साहसपूर्वक सामना करें। इसके लिए बहुत कुछ पीछे लौटना पड़ेगा। ब्रिटिश पार्लमेण्ट को सायमन कमीशन रिपोर्ट के बाहर जाना ही न चाहिए था। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में केवल प्रान्तीय स्वाधीनता देने की राय दी थी। परन्तु इधर मुस्लिम कॉन्फ़्रेन्स ने हिन्दुस्तान की भावुकता और खोखली बातों के ऊपर का आवरण हटा कर भारतीय परिस्थिति को जैसा स्पष्ट कर दिया है, उससे तो प्रान्तीय स्वाधीनता की सफलता में भी सन्देह होता है। सम्भव है कि हम लोगों को और भी अधिक पीछे लौटना पड़े और भारत में रहने वाले उन बहुत से अङ्गरेज़ों का समर्थन करना पड़े, जिनका कहना है कि सन् १९१७ के सुधार भी समय से बहुत पहले और आवश्यकता से अधिक हैं। वास्तव में भारत में उपद्रवों की जड़ उन्हीं सुधारों से पैदा हुई है।

* * *

धुनाई-कला की कुञ्जी

[श्री० परशुराम जी मेहरोत्रा, एम० ए०]

चटाई पर से रूई उठाने के लिए या धुनते समय उसे ऊँचे-नीचे करने के लिए ताँत को झुलाने की क्रिया को 'झूल' कहते हैं। 'झूल' में डण्डा कूदता नहीं है; फ़कत ताँत ही ऊँची-नीची हुआ करती है। झूल धुनाई-कला की कुञ्जी है। ताँत को झुलाने की अपेक्षा, पूरी धुनकी को दबाने में हाथ को ज़ोर अधिक देना पड़ता है; लेकिन ताँत के साथ दबा कर डण्डा धुनने की क्रिया में मदद नहीं करता है, उल्टी अड़चन डालता है, रूई की गति को रोकता है। इस वजह से ताँत के साथ डण्डे को भी ऊँचा-नीचा करने में शक्ति का व्यर्थ ही में ख़र्च होता है।

लेकिन धुनकी को नीचे दबाने में या उसके दाहिने भाग को नीचे नवाना जानने के लिए ख़ास तालीम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह काम तो तुरन्त ही किया जा सकता है। इस वजह से नया धुनने वाला धुनने के लिए इन रीतियों को ही अपनाता है। तिस पर भी दो-तीन क्रियाओं का कार्य-क्षेत्र तो भिन्न-भिन्न है ही। इतना ही नहीं, बल्कि सच बात तो यह है कि एक का काम दूसरी रीति का अनुसरण करने से हो भी नहीं सकता है।

'झूल' का काम

रूई को ठेठ चटाई के धरातल के समीप से थोड़ा-थोड़ा लेकर पहले खुली चटाई पर ही धुन कर फिर थड़ के ऊँचे भाग पर चढ़ाते जाना—यही रीति धुनने की अच्छी रीति कहलाती है। ऐसा करने से धुनते समय उसका करकट दूर होता है और वह चटाई पर आकर गिरता तथा चट से उसके नीचे जा बैठता है। ढेर पर रख कर धुनने से करकट ढेर पर ही आ पड़ता है और वहाँ वह इकट्ठा होता जाता है। और बहुत सा कचड़ा तो पोल के साथ ही लगा चला जाता है।

ठेठ चटाई से रूई उठाने का काम 'झूल' नामक क्रिया का सहारा लेने ही से सुगम होता है, 'दबाव' से या नवाने से नहीं हो सकता।

दबाव का काम

यह हुआ करता है कि धुनी हुई रूई को थड़ी की ऊँचाई पर से उठा-उठा कर वक्त-वक्त पर आगे फेंका जा सके, इस वजह से धुनकी को कुछ ऊँची बाँधना चाहिए। रूई लेने के लिए इस ऊँचाई पर से ताँत फ़कत झुलाने ही की बदौलत चटाई तक नहीं पहुँच सकती है। इस कसर की पूर्ति करने का काम 'दबाव' का है और यह दबाव बहुत ज़रा सा ही आवश्यक होता है।

नवान का अभिप्राय

दाहिने सिरे को नीचे नवाने का काम यह होता है कि धुनते समय ताँत पर से जब कोई फुटकी या गुत्थी छिटक कर इधर-उधर जा पड़े तो उसे ले लेना, जाने न देना। इसकी आवश्यकता कभी-कभी ही पड़ती है।

'झूल' कम से कम मेहनत से और रूई को क़ब्ज़े में रखने के लिए, रूई को उठाने और धुनने में अधिक से अधिक सुगमता धुनने वाले के मार्ग में कर देती है। झूल का काम यह भी होता है कि धुनी जाती हुई रूई को आगे जाने में बहुत-कुछ खुला रास्ता दे और उसके करकट इत्यादि को अधिक से अधिक निकाल डाले। 'झूल' की सहायता लेने से काम भी अन्य रीतियों की अपेक्षा अधिक निकलता है। इसका कारण यह है कि दबाने की अपेक्षा झुलाने में समय कम लगता है।

यह सच है कि झूल के बिना भी तेज़ रफ़्तार से रूई धुनी जा सकती है, परन्तु यह रफ़्तार धुनने वाले को ख़ूब थका डालती है और उस रीति से एक आसन बैठ कर लम्बे समय तक धुनना कठिन है।

'झूल' से जितना आराम मिलता है, उतना अन्य किसी क्रिया से सम्भव नहीं। पेशेवर धुनिए भी ताँत को झुला कर ही धुनते हैं। नए सिखवैए की नज़र में तो झुलाना, दबाना, नवाना, ये तीनों क्रियाओं में कोई अन्तर नहीं। वह समझता है कि इन सब से एक ही तरह का काम निकलता है और इसलिए वह उसे हैरान करती है।

धुनकी विषम गढ़त की होने के कारण क़ाबू में तुरन्त नहीं आती है और वह उसकी उलझन में वृद्धि करती है, धुनने के लिए उन्हें रूई भी दी जाती है। इस कारण बहुतेरे विद्यार्थी तो इन तीनों उलझनों के बीच ग़ोता खाने लगते हैं। और उन्हें धुनना भी बहुत दिनों में आ पाता है। कितनों ही को तो महीनों तक झूल आती ही नहीं। इस कठिनाई को ही दूर करने के अभिप्राय से अहमदाबाद में एक नया प्रयोग कर देखा, वह इस प्रकार था :—

उलझन बढ़ाने वाली दोनों वस्तुओं को—रूई तथा धनुषों को—हमने निकाल डालीं। धुनकी को खादी डोरी की मदद से घन्नी से लटकाया। विद्यार्थियों को ख़ाली धुनकी पर बैठना बताया। उन्हें पहले-पहल 'झूल' ही सिखाई। बहुतेरे विद्यार्थी तो २-४ घण्टों में ही झुलाना सीख गए और जो लोग बहुत उतावलेपन के साथ मुठिया मारते और उसके फल-स्वरूप सीखने में देरी लगाते—उन्हें एक-दो, एक-दो गिना कर चोट सिखाता। 'एक' के उच्चारण पर चोट पड़ती और ताँत नीची जाती; 'दो' कहते ही ताँत ऊँची आती। ऐसा करते-करते इन विद्यार्थियों को भी झट 'झूल' आ जाती।

'झूल' सीखने के लिए विद्यार्थियों को देने योग्य ६ सूचनाएँ हैं, जोकि इस प्रकार हैं :—

१—धुनकी टँगी होने के कारण उसे झुलाने में आसानी होती है। झूल यदि जल्दी सीखना इष्ट है तो धुनकी को कुछ ऊँची बाँधना ठीक होता है। सूप को नीचे नवाते समय उसका सिरा ज़मीन से तीन इञ्च के लगभग ऊँचा रहे तो उत्तम है।

२—लेकिन 'झूल' का मुख्य कारण तो पट्टा है—यदि उसे हाथ पर साधारण रूप से तङ्ग जमाया गया है तो काफ़ी है।

३—'झूल' के वास्ते बाएँ हाथ की हथेली के ऊपरी भाग को मूठ के पिछले भाग पर दबा कर रखना चाहिए।

४—मूठ को जकड़ कर पकड़ना ठीक नहीं। अपने हाथ का समस्त भार धुनकी पर छोड़ देना चाहिए और उसे धुनकी पर लगभग मुक्त और आराम के साथ बैठाया हुआ रखना चाहिए। अगर झूल तुरन्त न आ जावे तो ऐसे विद्यार्थी के हाथ को शुरू में तो बिल्कुल मुक्त ही रखना चाहिए।

५—मुठिया दोषपूर्ण खाँचे बग़ैर होना चाहिए, उसकी अटक (डण्डी व गोलाई के सङ्गम की दीवार जैसी जगह) आधे इञ्च वाली हो तो सुन्दर है; उसकी खाँच में १ या सवा डोरे भर क्रमशः ढाल होना चाहिए। मूठ बिना पॉलिश की खुरखुरी, ऊपर कुछ चपटी और पिछली ओर कुछ-कुछ ढाल हो—ऐसी धुनकी लेना चाहिए।

६—मुठिया की ठोंक ऊपर से नीचे या तो खड़ी-बेड़ी लगाना चाहिए।

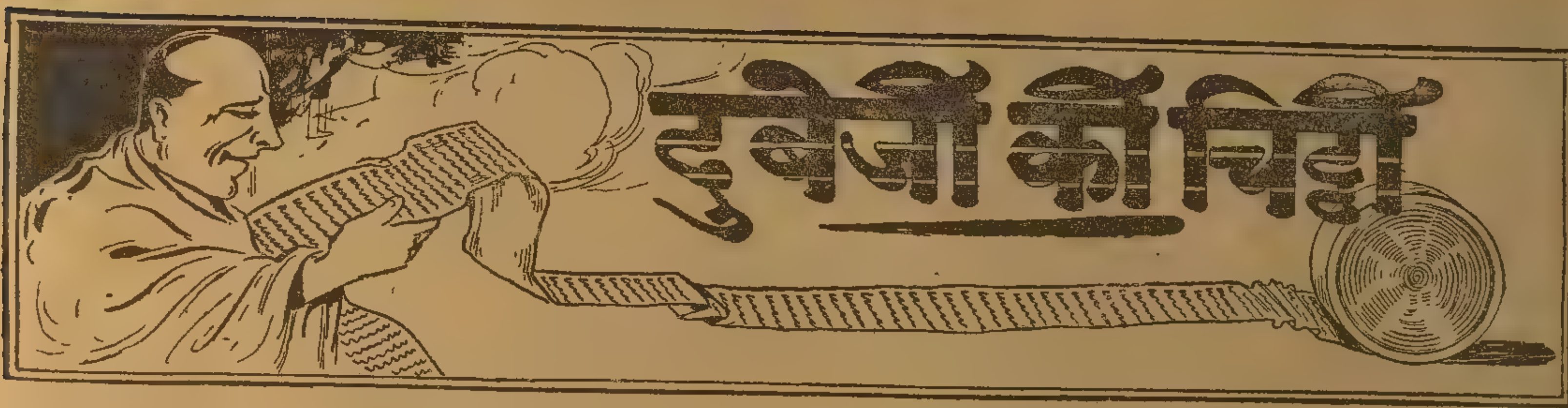
* * *

भारत-गान

[श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव]

भारत प्यारा देश हमारा,
जग के सब देशों से न्यारा।
इसमें शत-स्वर्गों का धन है,
इसका अतिशय पावन मन है,
यह जग की आँखों का तारा ॥ १॥
मूर्तिमान यह स्वयं सुछबि है,
शान्ति गान-गायक सत्कवि है,
किसको होगा भला न प्यारा ॥ २॥
ज्ञान-रश्मियों का यह रवि है,
अरि-जन शिर-छेदक गुरु पवि है,
नहीं किसी से यह है हारा ॥ ३॥
किसको छला चाहता है यह,
सबका भला चाहता है यह,
इसने जग पर तन-मन वारा ॥ ४॥
हम इसका उद्धार करेंगे,
इसके ही हित जिएँ-मरेंगे,
यह अपनी आँखों का तारा ॥ ५॥

* * *



अजी सम्पादक जी महाराज,

जय राम जी की !

हिन्दुस्तान की नौकरशाही इस बात की सरतोड़ चेष्टा कर रही है, कि किसी प्रकार कोई ऐसा चमत्कार हो जाय, जिससे कि गोलमेज़-सभा का कचूमर निकल जाय। यद्यपि आजकल चमत्कारों का युग नहीं रहा—वह युग तो हज़रत ईसा के साथ समाप्त हो गया, परन्तु फिर भी नौकरशाही घोर आशावाद से काम ले रही है। यदि यह कहा जाय कि वह सोलहो आने चमत्कार के भरोसे ही बैठी है, सो बात भी नहीं है। वह कर्मयोग का सिद्धान्त उसी प्रकार मानती है, जिस प्रकार कि कंस और रावण ने माना था। "किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तो" यह उसका मूल-मन्त्र है। महात्मा जी के गोलमेज़ सभा में जाने की बात तय हो जाने पर नौकरशाही उसी प्रकार व्याकुल हो उठी, जिस प्रकार कि नखहीन खल्वाट सिर में खुजली होने पर व्याकुल हो उठता है। "हैं! महात्मा जी लन्दन जायँगे—ग़ज़ब हो गया। तब तो आई शामत। गर्मियों में नैनीताल और शिमले का आनन्द लूटने को कैसे मिलेगा? यहाँ तो बड़े-बड़े लखपती, सेठ-साहूकार, राजे-महाराजे हाथ बाँधे खड़े रहते हैं। "होम" में तो कोई टके को भी न पूछेगा। वलायत में यह स्वर्ग-सुख कदाचित कभी-कभी ख़्वाब में मिले तो मिले—मगर जब मिलेगा तो नींद भी हराम कर देगा।" ऐसे विचार नौकरशाही की खोपड़ी-शरीफ़ा में बर्रे की भाँति गूँजे, तब घबरा कर ईसा-मसीह से दुआ माँगी—या ईसा-मसीह, महात्मा जी की मत पलट दे—अथवा उनके डॉक्टरों की मत पलट दे, जिससे कि वे महात्मा जी को वलायत जाने की आज्ञा ही न दें।

नौकरशाही इसी चिन्ता में थी, कि महात्मा जी ने कह दिया कि—"बिना मुसलमानों को राज़ी किए मैं वलायत जाऊँगा ही नहीं।" फिर क्या था, नौकरशाही मारे ख़ुशी के तकधिनाधिन नाच उठी। उसने सोचा, अब क्या है—पौबारह हैं! ईसा-मसीह चाहेंगे तो मुसलमान क़यामत तक राज़ी न होंगे। उनकी नकेल तो अपने हाथ में है। जहाँ ज़रा शह दी तो नकेल तुड़ा कर बलबलाते हुए दुलत्तियाँ फटकारने लगेंगे। सो जनाब, हुआ भी वैसा ही। मौ० शौकतअली और उनके कुछ अनुयायियों ने ख़ूब दुलत्तियाँ फटकारीं। हिन्दुओं को कोसा, कॉङ्ग्रेस को बुरा-भला कहा, महात्मा जी को खरी-खोटी सुनाईं। इधर बिल्ली के भागों छींका टूटा, बनारस, कानपुर आदि में साम्प्रदायिक दङ्गे हुए। नौकरशाही ने तय कर डाला कि अब तो महात्मा जी वलायत कदापि न जा सकेंगे, सीधे-सच्चे आदमी हैं, जो कहा है उसका पालन अवश्य करेंगे; चाहे स्वराज्य मिले या न मिले। परन्तु नौकरशाही को यह पता नहीं था कि सीधे-सच्चे होते हुए भी महात्मा जी इतने बेवक़ूफ़ नहीं हैं, जो नौकरशाही के जाल में फँस जायँ! अन्त में जब महात्मा जी ने यह कहा कि वह प्रत्येक दशा में जाने को तैयार हैं, तो नौकरशाही मानो आकाश से गिरी! सारा गुड़ गोबर हो गया!! परन्तु फिर भी उसे मुसलमानों से बहुत-कुछ आशा है। उसकी डूबती हुई नौका को पार लगाने वाले केवल मुसलमान ही हैं। वह प्रत्येक समय यही रटा करती है—'मौलाना शौकतअली तुम लग मेरी दौर—जैसे काग जहाज को सूझे और न ठौर!'

मौलाना शौकतअली भी भक्तवत्सल ठहरे। नौकरशाही की टेर पर ध्यान न देकर, महात्मा जी की बात मान लें—यह भला कैसे हो सकता है। भोपाल-कॉन्फ्रेन्स के भँवर में जो नैया आ गई थी, उसे मौलाना ने किस ख़ूबी से निकाला। अपने राम तो इन हथकण्डों पर जी-जान से निसार हैं। जहाँ मौलाना हों वहाँ कोई निर्णय हो जाय! अजी तोबा कीजिए। आख़िर इतना भारी-भरकम व्यक्तित्व किस दिन काम आवेगा? इधर अनेक राष्ट्रवादी मुसलमान नेता, उधर अकेले मौलाना! मगर क्या मजाल जो त्योरी पर ज़रा भी मैल आ जाय! और मैल आवे कैसे? जिस खूँटे के बल पर वह कूद रहे हैं, पहले उस पर तो ग़ौर कीजिए। विशुद्ध अष्टधातु का बना हुआ है!!

भोपाल-कॉन्फ्रेन्स के असफल होने पर नौकरशाही को पुनः कुछ आशा बँधी है। डूबते को तिनके का सहारा! सारा दारोमदार तो इस बात पर है कि किसी प्रकार गोलमेज़ सभा न होने पावे, और चाहे जो हो जाय—जी हाँ! चाहे हिन्दू-मुसलमान आक़बत तक लड़ते रहें, चाहे रोज़ बम फटा करें, चाहे भारत में ग़दर फैल जाय। इन सबका सामना करने की शक्ति नौकरशाही में है, परन्तु गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स—उहुँक—उसका तो न होना ही अच्छा है। भगवान जाने, वहाँ महात्मा जी कौन सा मन्त्र फूँक दें। महात्मा जी का इङ्गलैण्ड जाना ही बहुत ख़तरनाक बात है। क्योंकि जो महात्मा जी से मिलता है, वही उनका समर्थक बन जाता है। बड़ा अन्धेर है। लॉर्ड इर्विन ही को देख लीजिए। जब तक महात्मा जी से नहीं मिले, तब तक बड़े शरीफ़ और भलेमानुष रहे। ख़ूब दमन किया, ख़ूब ऑर्डिनेन्स निकाले। मगर महात्मा जी से भेंट होते ही जनाब, उनकी तो हवा पलट गई। और अब देखिए, इङ्गलैण्ड में बैठे कैसी बातें बना रहे हैं। जी हाँ, चर्चिल साहब से मोरचा ले रहे हैं। कौन चर्चिल? वही चर्चिल, जो भारत को इतना प्यार करते हैं कि उसे अपने से अलग होने देना नहीं चाहते। क्योंकि उनका विश्वास है कि हमारा यह पाला-पोसा बच्चा यदि हमसे अलग हो गया तो फिर इसकी ख़ैर नहीं—न जाने बेचारे की क्या दुर्दशा हो। अभी तो हमें कमा के खिलाता है, फिर इसे अपना पेट भरना भी कठिन हो जायगा। और सच्ची बात तो यह है कि अभी तक तो हमने इसकी देख-भाल की और जब हमारी बुढ़ौती आई और वह समय आया कि यह हमारी रक्षा करे, हमारा पेट भरे, तब लोग कहते हैं कि इसे स्वतन्त्र कर दो—क्या ख़ूब! आजकल ठहरा कलियुग! लड़के माँ-बाप का ख़्याल नहीं करते? यदि स्वतन्त्र हो जाने पर हमारा पालन-पोषण करने के बजाय खोपड़ी सहलाने लगे तो क्या होगा? इसलिए और चाहे जो हो, भारत को स्वतन्त्रता नहीं मिलनी चाहिए। सो जनाब, लॉर्ड इर्विन साहब भारत-हितैषी चर्चिल साहब से ज़बान लड़ाते हैं। यह क्या है? यह महात्मा जी के जादू का असर है। सो जनाब, ऐसे जादूगर को इङ्गलैण्ड जाने ही क्यों दिया जाय! कहीं ऐसा न हो कि चर्चिल इत्यादि पर भी उनका जादू चल जाय, तो ग़ज़ब ही हो जाय। हालाँकि ऐसी उम्मीद नहीं है। चर्चिल इत्यादि भी वह जिन हैं कि कभी क़ाबू में आवेंगे ही नहीं। परन्तु फिर भी सतर्क रहना अच्छा है। जहाँ तक हो सके, ऐसा अवसर ही क्यों आने दिया जाय।

और सुनिए! उधर अमेरिका से एक डेपूटेशन इङ्गलैण्ड में महात्मा जी की सहायता करने आवेगा। यह और भी मनहूस बात है। उन अलल बछेड़ों को भला कौन दबा सकेगा। वे हिन्दुस्तानी तो हैं नहीं, जो दफ़ा १४४ और इसी प्रकार की अन्य बातों से भय खा जायँ! उनसे यदि अधिक छेड़-छाड़ की जायगी, तो वे धौल-धप्पा कर बैठेंगे। इधर उदार-दल के लॉयड जॉर्ज इत्यादि भी कुछ ढुलमुल-यक़ीन आदमी हैं। कहीं भावुकता में आकर महात्मा जी को ईसा-मसीह का अवतार मान बैठें तो जनाब नौकरशाही तो कहीं की न रहेगी। और श्रीमान पञ्चम जार्ज! उनको तो महात्मा जी की झलक भी न दिखाना चाहिए। वह भी बड़े सहृदय और भावुक हैं। इसके अतिरिक्त मज़दूर-पार्टी है, साम्यवादी दल है, और स्वतन्त्रता-प्रिय स्त्रियों की फ़ौज है। ग़रज़ सब तरफ़ से आफ़त ही आफ़त है! इसी लिए तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि महात्मा जी इङ्गलैण्ड जावें ही नहीं। बस इसी में कुशल है। सो जनाब, इसकी कोई युक्ति निकालनी चाहिए। मौलाना शौकतअली आदमी तो काम के हैं, परन्तु ज़रा कुछ थोड़े से भड़भड़िए बहुत हैं, इसलिए पढ़े-लिखे लोगों पर उनका प्रभाव कम पड़ता है। और कोई ऐसा आदमी दिखाई नहीं पड़ता। क्या किया जाय, कुछ समझ में नहीं आता। सम्पादक जी, आप ही कोई युक्ति बताइए। मगर युक्ति बढ़िया हो। निशाने पर ऐसी बैठे, जैसा तीर बैठता है। वह केवल इतना करे कि महात्मा जी को समझा-बुझा कर गोलमेज़ सभा में जाने से रोक दे। महात्मा जी उसकी बात मान जायँ, तब तो अच्छा ही है, अन्यथा कोई ऐसी चाल चले कि महात्मा जी नाराज़ होकर रूठ जायँ कि—"अब मैं गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में कदापि न जाऊँगा।" यदि कोई ऐसा वीर-बाँकुड़ा, चञ्चल-चतुर मिल जाय, तो फिर क्या कहना है! उसका तो भाग्य खुल ही जाय—साथ में अपने राम और आपकी भी कुछ चाँदी हो जाय! चेष्टा कीजिए। सम्भव है, भाग्य लड़ जाय! परन्तु यदि ऐसा आदमी मिल जाय, तो उसे किसी सन्दूक़ में बन्द करके रख लीजिएगा। ऐसा न हो किसी दुष्ट क्रान्तिकारी को पता लग जाय तो "शूट" कर दे—इसका ध्यान रखिएगा।

भवदीय,

—विजयानन्द (दुबे जी)

हिन्दी-पत्रकार-परिषद

हिन्दी सम्पादक सम्मेलन के प्रधान स्वामी भवानीदयाल संन्यासी का अभिभाषण

गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर 'हिन्दी पत्रकार परिषद' या 'हिन्दी सम्पादक सम्मेलन' का अधिवेशन हुआ था। सभापति का आसन सुविख्यात प्रवासी भारतीय बन्धु स्वामी भवानीदयाल जी संन्यासी ने ग्रहण किया था। इस अवसर पर स्वामी जी ने जो सामयिक अभिभाषण पढ़ा था, वह नीचे दिया जाता है :—

ओ३म् विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव।
यद्भद्रन्तन्न आसुव ।१। यजु० अ० ३०, मं० ३

बहिनो और भाइयो !

इस हिन्दी पत्रकार परिषद के प्रधान का आसन प्रदान कर आपने मुझे जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आपका अहसान मानता हूँ। मुझे प्रारम्भ में ही सत्य के विचार से यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं इस महान आसन के सर्वथा अयोग्य हूँ और मुझसे अधिक योग्य और अनुभवी पत्रकार यहाँ विद्यमान हैं, तो भी आपने मुझ-जैसे एक प्रवासी पत्रकार को इस पद पर प्रतिष्ठित कर अपनी उदारता का ही परिचय दिया है। मैंने आपकी आज्ञा को इस आशा और विश्वास से शिरोधार्य कर लिया है कि इस परिषद के कार्य-सञ्चालन में आपसे मुझे पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

इस परिषद की उपस्थिति पर दृष्टिपात करते ही मेरे हृदय में अमर-शहीद श्री० गणेशशङ्कर विद्यार्थी की स्मृति जागृत हो आती है, जो हिन्दी पत्रकार-कला की उन्नति, उत्कर्ष और विकास के लिए जीवन की अन्तिम घड़ी तक अमोघ प्रयत्न करते रहे। साथ ही लाला भगवानदीन जी और श्री० कृष्ण बलदेव जी वर्मा का भी स्मरण आए बिना नहीं रह सकता। यदि ये सज्जन आज हमारे मध्य में होते तो हमारा कार्य बहुत कुछ सरल हो गया होता, किन्तु यह सोच कर हृदय में व्यथा हो रही है कि वे हमसे सदा के लिए बिदा ले चुके। परमात्मा उनकी आत्मा को शान्ति और सद्गति दे।

पत्रकारों के इस परिषद के हेतु के सम्बन्ध में पूर्व के प्रधानों ने बहुत कुछ कहा है, अतएव उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति करके आपका समय नष्ट करना उचित नहीं है। सब से पहले मैं इस बात का स्मरण दिलाना अत्यन्त आवश्यक समझता हूँ, कि किसी भी संस्था की उन्नति—वास्तविक उन्नति—उसके आदर्श की स्थिरता पर निर्भर करती है। जिसके सामने आदर्श है उसकी गति निश्चित है। जिसका लक्ष्य है वह उसको प्राप्त करेगा ही। इसलिए ऐसे सम्मेलनों के अवसर पर हम लोगों को नित्य की अशान्तिमय दिनचर्या से एक बार बाहर निकल कर यह सोचना ही होगा कि हमारा आदर्श क्या है और क्या हम उसकी ओर जा रहे हैं? मैं तो यह समझता हूँ और मैं यह चाहता हूँ कि आप लोग भी स्थिरता-पूर्वक इस बात का विचार करें कि पत्रकारों का आसन, वास्तव में संसार को शिक्षा देने वाले व्यास का आसन है। मैं तो कर्म से चातुर्वर्ण्य मानता हूँ। जो लोग लेखन के द्वारा—समाचार-पत्र या ग्रन्थों के द्वारा—लोक-शिक्षा का कार्य करते हैं, उन्हीं को मैं ब्राह्मण मानता हूँ। पत्रकारों का कार्य यथार्थ में ब्रह्म-कर्म ही है। कोई भी पत्रकार इसे न भूले। जो पत्रकार इसे भूल जाते हैं, मेरे विचार में वे पत्रकार के आदर्श और कर्म से च्युत होते हैं। अतएव इस आदर्श के विषय में जितना ही कहा जाय, थोड़ा होगा। कारण, पत्रकार-कर्म यदि ब्रह्म-कर्म न हो और उसका आसन यदि ब्रह्म का आसन न हो तो उसमें कोई बात ऐसी नहीं है जो विद्वानों के लिए वरेण्य हो। मेरी यह धारणा है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जिनका हृदय ओत-प्रोत है वे इस आदर्श को भली-भाँति जानते हैं और इसी आदर्श से प्रेरित होकर इस कर्म को करना भी चाहते हैं। परन्तु अनेक बार परिस्थिति उन्हें पथ-भ्रष्ट भी कर देती है और वास्तव में ऐसी परिस्थिति अत्यन्त भयावह है। कहा जाता है कि यह युग वैश्य-प्रधान होने से ब्रह्म-कर्म भी उसके आश्रित हो रहा है। यह भी प्रकट किया जाता है कि



स्वामी भवानीदयाल जी संन्यासी

"कामर्शलाइजेशन" हो रहा है अर्थात् लोक-शिक्षा का यह पवित्र कर्म व्यापार की एक वस्तु बन रहा है। किन्तु सोचने की बात तो यह है कि लोक-शिक्षा का काम व्यापार की एक वस्तु हो, इससे बढ़ कर इस आसन की अप्रतिष्ठा और इस कर्म का उल्लङ्घन दूसरा और क्या हो सकता है? लोक-शिक्षा का कर्म जब व्यापार की वस्तु हो जाता है तब उसे लोक-शिक्षा के नाम से पुकारना इस पवित्र शब्द का दुरुपयोग करना है। इस बात को पाश्चात्य देश के पत्रकार चाहे न मानें, पर भारतीय सभ्यता के अनुयायी, राष्ट्र के पुजारी और देश की सेवा के लिए ही इस कर्म में प्रवृत्त होने वाले पत्रकारों से मैं यह अवश्य कहूँगा और मुझे यह विश्वास है कि वे इसे मानेंगे कि लोक-शिक्षा व्यापार की वस्तु नहीं हो सकती—नहीं होनी चाहिए। हाँ, परिस्थिति एक चीज़ है, जिसका विचार करना होगा।

महात्मा गाँधी इस बात को नहीं मानते। उपार्जन के जिस साधन के कारण लोक-शिक्षा सब से पहले व्यापार की वस्तु होती है, उस साधन को ही ग्रहण करने से महात्मा गाँधी ने अस्वीकार कर दिया है। मैं आप लोगों से यह नहीं कहूँगा कि आप लोग भी इसका अनुकरण करें और अपने पत्रों में विज्ञापनों का छापना बन्द कर दें, क्योंकि सब लोग महात्मा नहीं हो सकते। सब को अपने गन्तव्य स्थान का मार्ग परिस्थिति से होकर ही निकालना पड़ता है। यदि हम विज्ञापन न लें तो बहुत कम मूल्य में हम समाचार-पत्र नहीं दे सकते और समाचार-पत्र को तैयार करने में जो विपुल धन व्यय होता है उसको भी प्राप्त नहीं कर सकते। आधुनिक अवस्था यह है, अतएव विज्ञापन हमें लेने ही होंगे और हम ले ही रहे हैं। परन्तु इन विज्ञापनों को प्रकाशित करने में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कि हम धन के लोभ से कोई ऐसा विज्ञापन तो नहीं छाप रहे हैं, जिससे देश की हानि होती हो।

लोक-शिक्षा को व्यापार की वस्तु बनाने वाली दूसरी बात प्रतिद्वन्द्विता है। प्रतिद्वन्द्विता स्वयं कोई बुरी वस्तु नहीं है, यदि वह धर्माविरुद्ध हो। लोक-शिक्षा का उत्तम से उत्तम प्रकार ढूँढ निकालने में जो प्रतिद्वन्द्विता होगी, वह तो ब्रह्म-कर्म ही होगा और उससे लोक-शिक्षा के कार्य की उन्नति ही होगी। पर जब तक शिक्षा का ध्यान एक ओर रह जाता है और किसी तरह पत्र की बिक्री बढ़े यह ध्यान मुख्य हो जाता है, तब भले आदमी ऐसे उपाय भी करते हुए दिखाई देते हैं, जिनके विषय में महात्मा टॉल्सटॉय के ये शब्द बहुत ही उपयुक्त जान पड़ते हैं कि यदि वे होश में होते तो ऐसा कभी न करते। सन्सेशन जिसे कहते हैं—सनसनी फैलाने वाला समाचार, चाहे वह सच हो या झूठ और सच भी हो तो आधा सच और आधा झूठ, और सच का वह आधा हिस्सा भी भ्रम फैलाने वाला हो? यह है क्या? किसी भी शिष्ट-मण्डली में कोई भी भद्र पुरुष ऐसी बात भी नहीं करता, पर समाचार-पत्रों के सम्पादक बेधड़क अपने पत्रों में ऐसे शीर्षक छापते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ख़ून हुआ हो तो उस ख़ून की ख़बर ऐसे ढङ्ग से छापी जायगी कि एक पाठक को भ्रम हो कि उसके मकान के पास ही हत्याकाण्ड हुआ है। पर लोक-शिक्षा को व्यापार की वस्तु बनाने का यह एक ही प्रकार नहीं है। किसी भद्र पुरुष के विषय में बिना सोचे-समझे सत्यासत्य का ज़रा भी विचार न करके ऐसी गन्दी भाषा में कि गन्दी भाषा पसन्द करने वालों को रुचिकर हो, कोई भी बात बेज़िम्मेदारी से लिख देना, यह भी पत्र की बिक्री बढ़ाने का किसी-किसी पत्र के लिए साधन हो जाता है। एक और भी ढङ्ग है। वह यह कि किसी भद्र पुरुष को समाचार-पत्र में लेख लिख कर झूठ-मूठ धमकाना या उसकी ख़ुशामद करना अथवा उसके विचारों का महज़ इसलिए कि वे उसके विचार हैं, प्रचार करना या चित्र छापना जिससे वह ख़ुश हो, लोक-शिक्षा के उच्चादर्श से गिर कर व्यापार करने का एक बहुत ही गन्दा और घृणित ढङ्ग है। पत्र को लोक-प्रिय बनाने के इस ढङ्ग में जो प्रतिस्पर्धा है वह बहुत ही भयङ्कर है। ऐसी प्रतिद्वन्द्विता लोक-शिक्षा के पवित्र कार्य की अप्रतिष्ठा और ब्रह्म-कर्म की मर्यादा का उल्लङ्घन है। जिन्होंने अपने सामने लोक-शिक्षा का उच्च आदर्श रक्खा है वे ऐसी प्रतिद्वन्द्विता नहीं कर सकते, पत्र को लोक-प्रिय बनाने का ऐसा गन्दा ढङ्ग अख़्तियार नहीं कर सकते और वे ही वास्तव में श्रेष्ठ और लोकोपकारी पत्रकार हैं। थोड़ी सी चमक दिखा कर मर जाने वाले जीव नहीं—लोक-शिक्षा का अपना कार्य पूरा करके अमर रहने वाले पत्रकार हैं। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि जो कोई भी पत्रकार हो—नए हों या पुराने—वे अपने आदर्श के पथ से भ्रष्ट न हों, चाहे उन्हें अपने व्रत में

रहते हुए धन मिले या न मिले। केवल धन ही पैदा करने की जिनकी इच्छा हो, उनके लिए यह कोई आवश्यक नहीं है कि वे पत्रकार बनें। बहुत से धन्धे हैं। भक्त बन कर, भगवान की लीला का भाव बता कर, अन्दर ही अन्दर व्यभिचार करने वाला पुरुष लोक-समाज की दृष्टि में अत्यन्त निन्दनीय होता है। इस निन्दा का कारण यही है कि वह कर्म तो ऐसा करता है, जो भक्त का नहीं है और अपने आपको बताता है भगवद्भक्त ही। उसी प्रकार लोक-शिक्षा का भाव बता कर जो लोग सभी उपायों से धन कमाने में ही व्यस्त हो जाते हैं और अपने कर्म को छोड़ देते हैं, वे भी निन्दनीय कर्म करते हैं।

हिन्दी पत्रकारों का यश इतना निष्कलङ्क और इतना गौरवमय होना चाहिए कि वे लोक-शिक्षा को व्यापार की वस्तु बनाने की पाश्चात्य पद्धति के वश में न होकर पाश्चात्य देशों के पत्रकारों के लिए भी आदर्श बनें, अपने हृदयों को ऊँचा करें—उनके लिए कोई बात असम्भव नहीं है।

परिस्थिति की दूसरी बात पत्र-कर्म करने वाले कर्मियों की आर्थिक अवस्था की है। बड़ी ही भयङ्कर दुर्दशा है। चौबीसों घण्टे जो लोक-हित का ही चिन्तन करते हैं, उनके जीवन-निर्वाह का भी पर्याप्त प्रबन्ध नहीं है। इतने कम वेतन पर इतनी ज़िम्मेदारी और

जिन आँखों ने आँख लगाई नहीं

[श्री० बालकृष्ण राव]

जिन आँखों में शील का नाम नहीं,
जिनमें छवि प्रीति की छाई नहीं।
जिनमें नहीं सिन्धु दया का छिपा,
जिनमें कुछ 'पीर पराई' नहीं।
जिन आँखों ने आँसुओं की प्रिय को
कभी मोती लड़ी पहनाई नहीं।
उन आँखों को जानिए राख की हैं,
'जिन आँखों ने आँख लगाई नहीं'॥

इतनी चिन्ता का भार सिर पर रखने वाला और दूसरा कोई भी व्यवसाय नहीं है। अङ्गरेज़ों द्वारा चलाने वाले अङ्गरेज़ी पत्र के प्रधान-सम्पादक तीन-चार हज़ार रुपए तक मासिक वेतन इसी देश में पाते हैं और उन्हें जो काम करना पड़ता है, वह हिन्दी-पत्रों के प्रधान सम्पादकों के काम का दशांश भी नहीं होता। "सर्वाग्रे तण्डुलः प्रस्थमूलः" इसका अर्थ सभी कामों में ध्यान में रक्खा जाता है, पर समाचार-पत्रों के काम में इसकी केवल उपेक्षा ही होती है और इसका फल यह होता है कि जो उत्तम पत्रकार अपने आदर्श से च्युत होकर लोक-शिक्षा को व्यापार की वस्तु बनाना पसन्द नहीं करते, वे सदा दरिद्र ही रहते हैं और गृह-चिन्ता तथा अति परिश्रम की थकावट के कारण अपने आदर्शमय निश्चित मार्ग को प्रशस्त करने में समर्थ नहीं होते। जब तक पत्रकारों की आर्थिक अवस्था इतनी अच्छी न हो कि निश्चिन्त होकर वे लोक-शिक्षा का काम कर सकें, तब तक उनके द्वारा संसार के सामने समाचार-पत्रों का आदर्श रखने का महान कार्य का उपक्रम भी नहीं हो सकता। इसलिए इस परिषद् में हम लोगों को इन्हीं तीन बातों का विचार करना होगा और इन्हीं का उपाय भी करना होगा :—

(१) हिन्दी पत्रकारों के सामने उनका विमलादर्श सदा बना रहे।

(२) लोक-शिक्षा और व्यापार का सम्बन्ध इस प्रकार नियन्त्रित हो, कि व्यापार लोक-शिक्षा में सहायक हो—लोक-शिक्षा व्यापार के अधीन न हो।

(३) पत्रकारों की आर्थिक अवस्था अच्छी हो।

मुझे आशा है कि इन बातों पर आप लोग अच्छी तरह से विचार करेंगे।

* * *

साहित्य का सपूत

[श्री० जी० पी० श्रीवास्तव, बी० ए०, एल्-एल्० बी०]

अङ्क—३; दृश्य—३

साहित्यानन्द का सम्पादकीय कमरा

(चपला का नख़रे से भागती हुई और संसारीनाथ का उसका पीछा करते हुए आना)

चपला—नहीं-नहीं, ईश्वर के लिए मेरा हाथ न पकड़िए।

संसारी—अच्छा तो चरण-कमल ही पर सर रख लेने दो।

(पैरों पर गिरने के लिए बढ़ता है)

चपला—(पिछड़ती हुई) नहीं-नहीं, हाथ जोड़ती हूँ।

संसारी—मैं भी हाथ जोड़ता हूँ। ज़रा चरण-धूलि से कुछ सन्तोष कर लेने दो। देखो, तुम्हारे दर्शनों के लिए किस तरह बेमौत मर रहा था, तड़प रहा था।

चपला—जी हाँ। तभी तो महीनों से मुँह छिपाए हुए थे।

संसारी—आह! क्या मैं अपनी ख़ुशी से नहीं आता था? मेरा बस चलता तो आने की कौन कहे, तुम्हें सामने बिठाए रातों-दिन पूजा ही किया करता? एक क्षण के लिए भी तुम्हें अपनी निगाहों से ओट होने न देता। मगर क्या करूँ अपनी तक़दीर को, कि यहाँ चोर की तरह आने तक का भी मौक़ा नहीं पाता।

चपला—क्यों नहीं। (मुस्कुरा कर) तिलोत्तमा के साथ शादी करने के मनसूबों से छुट्टी मिले तब तो।

संसारी—क्या? क्या? क्या? अरे! तुम भी जान-बूझ कर अनजान बनने लगीं? मेरी तो जान पर आ बनी है और तुम्हें ठट्ठे की सूझी है।

चपला—इसमें ठट्ठे की कौन सी बात है? आप शौक़ से शादी कीजिए। मैं अभी से मुबारकबाद देती हूँ।

संसारी—आह! न मानोगी। हाथ जोड़ता हूँ। इस क्षण भर के मिलन को यों हँसी में न टालो। तुम तो जानती ही हो कि तिलोत्तमा सिर्फ़ एक नाम के सिवा और कुछ भी नहीं है।

चपला—जी रहने दीजिए। जिसने न देखा हो उससे कहिए। मुझे सब बातों की ख़बर है।

संसारी—(अलग) यह क्या? कहीं यदुनाथ ने तो नहीं साहित्यानन्द के लिए कोई सचमुच ही तिलोत्तमा नाम की लड़की ढूँढ़ निकाल कर मेरे सर यह नई आफ़त खड़ी कर दी?

चपला—क्यों, क्या हुआ? चोरी पकड़ी जाते ही सिटपिटा गए।

संसारी—हाय! मुझ पर क्यों अविश्वास करती हो? मैं इस नाम की कोई भी स्त्री नहीं जानता।

चपला—सचमुच? अगर मैं उसका चित्र दिखा दूँ, तब तो उसे आप पहचानेंगे?

संसारी—अयँ! कैसा चित्र?

चपला—बड़ा सुन्दर और हृदय में बसने वाला।

संसारी—(अलग) हाय! क्या मेरे दोस्तों ने मेरी जड़ खोदने के लिए किसी स्त्री का चित्र भी इसके पास भिजवा दिया?

चपला—सबूत के डर से अभी से घबड़ाने लगे?

संसारी—मैं आप ही मर रहा हूँ! मुझे इन बातों से क्यों परेशान करती हो?

चपला—तो क्या मैं झूठ कहती हूँ?

संसारी—कहाँ है चित्र, देखूँ तो सही।

चपला—अभी लाती हूँ।

(दौड़ती हुई जाना)

संसारी—(अकेला) मैं नहीं जानता था कि यह कम्बख़्त यदुनाथ मेरा दोस्त होकर मेरा ही गला काट रहा है? मेरी मदद करने के बहाने मेरे ही सर्वनाश की ताक में है? उसकी ऐसी-तैसी। दोस्ती गई भाड़ में, आज मैं बिना उसके कलेजे का ख़ून पिए मानूँगा नहीं।

(चपला एक नीली या बैंगनी रङ्ग की भड़कीली ओढ़नी और काग़ज़ से लिपटे हुए एक पैकेट को लेकर आती है)

चपला—(संसारीनाथ को ओढ़नी देकर) लीजिए इसे पहले सर पर डाल कर जिस तरह से फ़ोटोग्राफ़र लोग कैमरा के प्लेट पर चित्र देखने के लिए काले कपड़े का घूँघट निकालते हैं, वैसा ही इससे घूँघट निकाल लीजिए। क्योंकि चित्र शीशे पर इस तरह गुप्त ढङ्ग से बना है, कि जब तक काले-नीले या बैंगनी रङ्ग के कपड़े से घेर कर यह देखा नहीं जाता, तब तक उस पर चारों तरफ़ से रोशनी पड़ने से वह साफ़ दिखाई नहीं पड़ता।

संसारी—(ओढ़नी लेकर अपने सिर पर डालता हुआ—अलग) बाप रे बाप! इतना बड़ा विश्वासघात! कम्बख़्तों ने चित्र भी भिजवाया तो ऐसा गुप्त, ताकि उनकी बदमाशी का मैं पता तक न पाऊँ? अच्छा! (प्रकट) हाँ लाओ, अब वह चित्र देखूँ।

चपला—(पैकेट खोलती हुई) निकालती हूँ। जब तक एक मिनट के लिए ज़रा आँखें बन्द कर लीजिए, ताकि आँखों से चकाचौंध मिट जाए। आँखें बन्द कर लीं? अच्छा जब मैं कहूँ तब खोलिएगा। (पैकेट से एक आईना निकाल कर संसारीनाथ के मुँह के सामने करती है) अब आँखें फाड़ कर इसे देखिए तो (मुस्कुराती है)

संसारी—(घूँघट काढ़े हुए) अरे! यह चित्र कहाँ, यह तो आइना है।

चपला—हाँ, हाँ, इसी में देखिए प्रेम-रस की लेखिका श्रीमती तिलोत्तमा देवी को। देखा? (हँसती है)

संसारी—आह! अब समझा। (जल्दी से ओढ़नी फेंक कर चपला को गोद में उठा लेता है) अरी चपला, तू तो बड़ी नटखट है। (मुँह चूम लेता है) आह! प्यारी!

(चपला अपने को छुड़ा कर भाग जाती है और संसारीनाथ उसका पीछा करना चाहता है)

संसारी—(उस तरफ़ देखता हुआ एकाएक घबड़ा कर) अरे! चपला की माँ ने देख लिया। हाय! ग़ज़ब! यह क्या हुआ? (लौट कर दूसरी तरफ़ भागना चाहता है। मगर उधर से भी पलट पड़ता है।) अर-ररर! इधर से उसके बाप आ रहे हैं। हाय! अब किधर भागूँ?

(मेज़ के नीचे घुस कर छिप जाता है—मेज़ बेत या चीड़ की बहुत हल्की और काफ़ी बड़ी, जिसके नीचे दो आदमी आसानी से बैठ सकें, होनी चाहिए।)

(साहित्यानन्द और बनावटी रूप में यदुनाथ का बातें करते हुए आना।)

साहित्यानन्द—तो वह दुष्ट संसारीनाथ पत्रिका निकाल कर सम्पादक भी बन बैठा?

यदुनाथ—जी हाँ, यह उनका विज्ञापन देख लीजिए। (विज्ञापन दिखाता है। उसे साहित्यानन्द गुस्से में छीन कर फाड़ देता है) इसे फाड़िए चाहे जो कुछ कीजिए, मगर आप उन्हें अब गाली-वाली न दीजिए।

साहित्यानन्द—तो क्या सचमुच ही आप अपनी तिलोत्तमा का विवाह उसी के साथ करेंगे?

यदुनाथ—हम लोगों के सौभाग्य से अब वह सच-मुच सम्पादक भी बन गए तो अब हमें अपना वचन पालन करने में कौन सी आनाकानी रह गई? क्योंकि यही तो हमारी सदा की लालसा थी, कि तिलोत्तमा को किसी सम्पादक ही से वरूँगा।

साहित्यानन्द—परन्तु वह धूर्त है धूर्त, महाधूर्त।

यदुनाथ—वाह! वाह! यह तो और भी अच्छा है। क्योंकि उनके ऐसे आजकल के सम्पादकों के लिए यही तो एक ख़ास गुण है, जो अपना चमत्कार दिखाएगा।

साहित्यानन्द—(अलग) अररररर! धूर्तता भी आधुनिक सम्पादकीय गुण निकल गई? (प्रकट) परन्तु, परन्तु उसमें योग्यता नहीं है, ख्याति नहीं है, बुद्धि नहीं है, इत्यादि-इत्यादि भी नहीं है। तिलोत्तमा ऐसी साहित्यिक—तिक—तिक—तिक—ज्ञा को ऐसे अनुचित पात्र से विवाह करना साहित्य का ख़ून करना—उहुँक—रुधिर करना है। आप उसके लिए उच्च कोटि का उच्च सम्पादक चुनिए, जिसकी जिह्वा से साहित्य की धारा बहती हो, जिसके मुख खोलते ही कविता टपकती हो। उस साहित्य-सेविका के लिए ऐसा साहित्य का सपूत होना चाहिए।

यदुनाथ—परन्तु अफ़सोस तो यह है कि आज-कल ऐसा विलक्षण साहित्य का सपूत भला है कहाँ?

साहित्यानन्द—ना-ना, अफ़सोस—उहुँक—खेद न कीजिए, यह क्या खड़ा है।

यदुनाथ—कौन आप? हाँ आप हैं तो वैसे ही, इसमें शक नहीं है। मगर मेरे किस काम के?

साहित्यानन्द—बड़े काम के हैं।

यदुनाथ—मगर आपके तो स्त्री है ही है।

साहित्यानन्द—(इधर-उधर देख कर आहिस्ते से) परन्तु वह मूर्खा है, अशिक्षिता है, कलङ्किनी है। वह कदापि मेरे सदृश सुयोग्य सम्पादक की अर्धाङ्गिनी होने के योग्य नहीं है। तभी तो कहता हूँ कि ऐसा सुअवसर पाकर मूर्खता न कीजिए।

यदुनाथ—हाय! मुझे पहले यह बात मालूम न थी। मगर अब क्या हो सकता है, अब तो बात पक्की हो चुकी। इसी पूर्णमासी को ब्याह है।

साहित्यानन्द—आयँ! इसी पूर्णमासी को, हाय! हाय! अच्छा तो इसके पहिले ही चुपके से मेरे साथ...!

यदुनाथ—ऐसा जो कहीं हो सकता तो फिर क्या कहना था? मगर हम लोग तो सत्यहरिश्चन्द्र के सगे मामू के वंश से हैं। वचन देकर कभी तोड़ नहीं सकते। हाँ, वह तोड़ दें तो अलबत्ता और बात है। क्षमा कीजिए कृपानिधान, तिलोत्तमा के योग्य तो ईश्वर ने आप ही को रचा था, मगर क्या करूँ? भाग्य का लेखा हाय! अब कैसे मेटूँ?

(पछताता हुआ जाता है)

साहित्यानन्द—(टहलता हुआ) आह! अब क्या करूँ? किस भाँति इस दुष्ट संसारीनाथ से उसका वचन भङ्ग कराऊँ? जाकर उसको ऐसा डण्डा मारूँ कि वचन समेत उसका मुण्ड ही भङ्ग हो जाए और वह अधम पूर्णमासी के पहिले सीधे—उहुँक—सरल यमपुरी सिधार दे। तब मैं ही मैं रह जाऊँ। बस यही युक्ति ठीक है।.. परन्तु इसमें तो फाँसी पाने का भय है। हाय! तब क्या करूँ? (हताश होकर मेज़ के पास कुरसी पर बैठता है) यदि वह दुष्ट वचन भङ्ग करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, तो मेरा सकल परिश्रम नष्ट हो जायगा। (चौंक कर कुछ सुनता है) अरे! यह पदध्वनि किसकी है। क्या कोई पुरस्कार माँगने वाला तो नहीं है? इन लोगों के मारे आजकल घड़ी भर भी विश्राम नहीं मिलता।

(जिस मेज़ के नीचे संसारीनाथ बैठा हुआ है, उसी के नीचे संसारीनाथ के उल्टी तरफ़ अपना मुँह किए साहित्यानन्द इस तरह घुस कर बैठता है, मानो उसे ख़बर नहीं है कि उसके नीचे उसके सिवाय और भी कोई है।)

(सरला का आना)

सरला—अयँ! कहाँ गए? अभी तो उनकी आवाज़ यहीं सुनाई पड़ रही थी।

(संसारीनाथ अपने सर पर मेज़ लिए हुए खड़ा हो जाता है और उसी तरह मेज़ लिए चल देता है। और साहित्यानन्द अपनी जगह पर ज्यों का त्यों बैठा रह जाता है।)

साहित्यानन्द—अरे! अरे! यह क्या?

सरला—(साहित्यानन्द को देख कर) अयँ! तुम मेज़ के नीचे थे?

साहित्यानन्द—(उठ कर) तू है? धत् तेरे की! चल हट, मैं तुझ ऐसी मूर्खा से वार्तालाप करना नहीं चाहता, जिसे इतना भी ज्ञान नहीं कि सम्पादकीय कोठरी में किस प्रकार अनुमति प्राप्त कर आना चाहिए।

सरला—और मुझे तो तुम ऐसे ज्ञानी का मुँह तक देखना गवारा नहीं, जिसे इतनी भी तमीज़ नहीं कि कुर्सी पर बैठना चाहिए या दुम दबा कर मेज़ के नीचे। मगर क्या करूँ, बात ही ऐसी पड़ गई कि आना पड़ा।

साहित्यानन्द—अरे जा, हम ऐसे उच्च सम्पादकगण लेख लेते समय चौकी के ऊपर विराजमान रहते हैं, परन्तु उसका पुरस्कार देते समय झट उसके नीचे दुबक जाते हैं। यह सम्पादकीय कला-कौशल तू क्या जाने?

सरला—तुम्हारी कला-कौशल गई भाड़ में। कुछ अपनी मूँछ की भी फ़िक्र है?

साहित्यानन्द—(मूँछें ऐंठ कर) है क्यों नहीं? रोज़—उहुँक—प्रतिदिन ऐंठता हूँ।

सरला—अरे! एक दिन उखड़ जाएगी। याद रक्खो। तब इसे ऐंठने के बदले कर्मों पर हाथ रख कर रोओगे। बताए देती हूँ, जवान लड़की का घर में अब बिठाले रखना अच्छा न होगा। अब भी ख़ैरियत है, उसकी शादी तुरन्त संसारीनाथ के साथ कर दो।

साहित्यानन्द—उस पाजी संसारीनाथ के साथ? अरे! वह तो महा-महा-महादुष्ट है।

सरला—सभी मर्दुए ऐसे होते हैं। फिर भी वह तुमसे लाख दर्जे अच्छा है। उसके अक्ल तो है।

साहित्यानन्द—उसने मेरे गले—उहुँक—ग्रीवा पर छुरी फेरी है छुरी, तू क्या जाने?

सरला—अब अपना गला देखो या अपनी नाक। कहे देती हूँ, कहना मान जाओ, नहीं पछताओगे। अब इससे ज़्यादा मुझसे न कहलाओ। यही अपना बड़ा सौभाग्य समझो कि बिना दौड़े-धूपे लड़का मिल गया है और वह बिना कुछ लिए-दिए शादी भी कर लेगा।

साहित्यानन्द—परन्तु उस धूर्त की बातचीत—उहुँक—वार्तालाप तो अन्य जगह पक्का हो चुका है।

सरला—क्या?

साहित्यानन्द—अरे! दूसरी जगह उसकी बातचीत पक्की हो गई है।

सरला—यह तुम्हारी मूर्खता की बदौलत। जो अब तक इसकी फ़िक्र नहीं की। अब भी कोशिश करो तो मैं दावे से कहती हूँ कि वह वहाँ छोड़ कर और कहीं शादी कर नहीं सकता।

साहित्यानन्द—हाँ? वहाँ की बातचीत उखड़ जाएगी? (जल्दी-जल्दी टहल कर सोचता हुआ) हाँ, सम्भव है। ओहो! सम्भव नहीं अवश्य है, अवश्य। यह युक्ति तो अत्युत्तम उत्पन्न हो गई। परन्तु, परन्तु, पूर्णमासी के पहिले उससे साक्षात् हो तब तो।

सरला—अभी तो वह यहीं था, तुम्हारे पास।

साहित्यानन्द—कहाँ? यहाँ? मेरे पास? असम्भव है।

सरला—वाह रे आँख के अन्धे! और मेज़ कौन तुम्हारे सर पर से उठा ले गया?

साहित्यानन्द—कौन? वही था? वही धूर्त? अरे! मैं समझा कि तूने हटा दिया। अच्छा किधर गया किधर? किस दिशा में उसने गमन किया? बोलो-बोलो-बोलो।

सरला—इधर ही। मगर जहाँ तक मैं समझती हूँ, अभी वह यहीं कहीं होगा।

साहित्यानन्द—हाँ। तब तू दौड़ कर द्वार में ताला लगा दे ताला। जब तक मैं पिछवाड़े का द्वार बन्द करने जाता हूँ, ताकि वह यहाँ से बाहर निकल न पावे। शीघ्रता कर शीघ्रता। साले को पूर्णमासी तक घर ही में बन्द रक्खूँगा।

(बदहवास जाता है)

सरला—वाह री बदहवासी! लड़की की शादी के लिए कहाँ इतनी लापरवाही थी और कहाँ अब ऐसी छटपटाहट? अरे सुनो तो!

(पीछे-पीछे जाती है।)

पट-परिवर्तन

(क्रमशः)

* * *

प्राप्ति-स्वीकार

नक़ली फूलों के हार

श्रीमती मूर्तिकुमारी देवी विहराघाट, शाहाबाद ने हमारे पास कुछ कपड़ों के बने हुए नक़ली फूल तथा एक हार समालोचनार्थ भेजा है। हार में मसनवी, चमेली तथा गुलाब के फूल इतने सफ़ाई से बनाए गए हैं, कि एकाएक उन्हें देख कर सुगन्धयुक्त फूलों का भ्रम हो जाता है। इस हार का मूल्य ४) रु० रक्खा गया है, जो परिश्रम को दृष्टि में रखते हुए कुछ भी नहीं है। फुटकर फूलों के गुच्छों का मूल्य ।) से ॥) तक रक्खा गया है। हमने ये सारे उपहार स्थानीय म्युनिसिपल अजायबघर को देवी जी की ओर से भेंट कर दिए हैं।

—स० 'भविष्य'

स्वर्गीय श्री० हरीकिशन

[श्री० अभ्यङ्कर वर्मा, एम० ए०, एल्-एल० बी०]

संक्षिप्त परिचय

गत २३ दिसम्बर को पञ्जाब विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन के समय पञ्जाब के गवर्नर पर पिस्तौल का हमला करने के अपराध में, पेशावरी युवक श्री० हरीकिशन को गत ६ जून को, मियाँवाली जेल में फाँसी दे दी गई !

श्री० हरीकिशन का जन्म सीमान्त के विख्यात नगर मर्दान से कई मील के फ़ासले पर ग़ल्लाढेर नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम लाला गुरुदासमल है, जो ग़ल्लाढेर के एक अच्छे ज़मींदार और रईस हैं। आपके नौ सन्तान हैं, जिनमें श्री० हरीकिशन अन्यतम थे। हरीकिशन बड़े सुन्दर, तीक्ष्ण बुद्धि और होनहार युवक थे। इन्होंने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की थी।

हरीकिशन का ख़ानदान विख्यात देश-प्रेमी है और इसी देश-प्रेम के अपराध में इनके भाई श्री० भगतराम आज भी पेशावर जेल में क़ैद हैं।

कहते हैं, भाई की क़ैद ने श्री० हरीकिशन को विशेष विक्षुब्ध कर दिया था और कभी-कभी वह अपने पिता से कहा करते थे, कि मैं काकोरी के शहीदों की तरह मरना चाहता हूँ। इस घटना के बाद से ही वह राजनीतिक पुस्तकें और समाचार-पत्र आदि बड़े ध्यान से पढ़ने लगे थे। श्री० हरीकिशन महात्मा गाँधी के अनन्य भक्त थे और उन्हें देवता-तुल्य समझते थे। भारत की स्वतन्त्रता के लिए वे महात्मा जी को देवदूत मानते थे।

विद्या-व्यसनी होने के अतिरिक्त श्री० हरीकशन को शिकार का भी ख़ूब शौक़ था। वे बन्दूक़ और पिस्तौल का अचूक निशाना लगा सकते थे। इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने गाँव तथा देहात में यथेष्ट ख्याति प्राप्त की थी।

इन सद्गुणों के सिवा हरीकिशन को अपनी ज़मींदारी तथा गृहस्थी के कामों से भी ख़ासी दिलचस्पी थी। घर का काम-काज वे बड़ी तत्परता और मनोयोग के साथ देखा करते तथा इन कामों में अपने पूज्य पिता को यथेष्ट साहाय्य पहुँचाया करते थे।

हरीकिशन का स्वभाव शान्त, शीलवान और प्रकृति गम्भीर थी; परन्तु अकस्मात् उनके स्वभाव में न जाने क्यों ऐसा परिवर्तन हो गया कि उन्होंने एक दिन चुपचाप घर छोड़ दिया और लापता हो गए। घर वालों ने इधर-उधर बड़ी ढूँढ़-खोज की, परन्तु कहीं पता न चला।

अपराध

हम ऊपर कह आए हैं, कि गत २३ दिसम्बर को पञ्जाब विश्वविद्यालय का पारितोषिक वितरण महोत्सव था। विश्वविद्यालय के चान्सलर तथा पञ्जाब के गवर्नर साहब परीक्षोत्तीर्ण विद्यार्थियों को पदवियाँ आदि प्रदान करने आए थे। विश्वविद्यालय के भीतर और बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था। बिना टिकिट के कोई विश्वविद्यालय-भवन के पास भी नहीं जा सकता था। गवर्नर महोदय के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, प्रोफ़ेसर तथा अन्यान्य गण्य-मान्य सज्जन भी उपस्थित थे। सभा की कार्यवाही निर्विघ्न समाप्त हुई। पदवी-वितरण के बाद गवर्नर महोदय तथा अन्यान्य वक्ताओं के भाषण हुए। अन्त में सभा विसर्जित करके जब गवर्नर महोदय बाहर जा रहे थे, तो एकाएक एक नवयुवक ने हॉल के भीतर से उन पर फ़ायर किया। गवर्नर महोदय की भुजा और पीठ पर दो गोलियाँ लगीं। इसके अतिरिक्त सरदार चननसिंह नामक एक सहकारी पुलिस-इन्स्पेक्टर, वधावनसिंह नामका एक सुफ़िया पुलिस-इन्स्पेक्टर तथा कुमारी मेक्डरमण्ड नाम की एक गोरी महिला को भी चोटें लगीं। इनमें सरदार चननसिंह की चोट करारी थी, इसलिए वह उसी दिन शाम को मेयो अस्पताल में जाकर मर गया। शेष सभी आहत बच गए! गवर्नर साहब को भी, ईश्वर की कृपा से, साधारण चोटें लगी थीं, इस लिए मरहमपट्टी के बाद वे भी शीघ्र ही अच्छे हो गए।

गोली चलाने वाला नवयुवक अभी हॉल के बाहर बरामदे में खड़ा गोलियाँ चला ही रहा था, कि गवर्नर के बॉडी-गॉर्ड के सब-इन्स्पेक्टर मेहता दीवनचन्द ने उसे गिरफ़्तार कर लिया। कहने की आवश्यकता नहीं, कि यह युवक श्री० हरीकिशन था।

इसके साथ ही श्री० गिरिधारीलाल नाम का एक और नवयुवक भी गिरफ़्तार किया गया, जो बी० टी० की डिग्री लेने आया था, परन्तु अन्त में पुलिस ने उसे छोड़ दिया।

जामा तलाशी में श्री० हरीकिशन के पास एक पिस्तौल, छः गोलियाँ, एक चाक़ू और कुछ काग़ज़ बरामद हुए थे।

मुक़दमे की पहली पेशी

गत ३री जनवरी को लाहौर के बोर्स्टल जेल में श्री० हरीकिशन के मुक़दमे की पहली पेशी हुई। हरीकिशन ने किसी प्रकार की सफ़ाई देने से इन्कार कर दिया। उनकी ओर से कोई वकील भी खड़ा नहीं किया गया था। ये बड़ी शान्ति से अदालत के कमरे में बैठे रहे। चेहरे पर किसी प्रकार की घबराहट या अशान्ति का कोई चिन्ह न था। अदालत की कार्यवाही में उन्होंने कोई हिस्सा नहीं लिया और न अदालत के किसी प्रश्न का कोई उत्तर ही दिया। परन्तु अपना अपराध स्वीकार करते हुए उन्होंने इतना कहा था—

"मैं यह नहीं बता सकता, कि मैं लाहौर में कब आया। परन्तु मैं यहाँ गवर्नर को मारने के लिए आया था। मैं यह भी नहीं बताना चाहता, कि मैं लाहौर में कहाँ ठहरा था। मैं २३ दिसम्बर को टिकिट के साथ युनिवर्सिटी हॉल में गया था। मैंने कुल छः फ़ायर किए। वह गवर्नर पर किए और बाक़ी अपने को बचाने के लिए, न कि इस ख़्याल से कि इससे कोई मारा जाय। अदालत में जो चीज़ें—पिस्तौल और गोलियाँ आदि—पेश की गई हैं, वे मेरी हैं। मैं और कुछ कहना नहीं चाहता और न यह बताना चाहता हूँ कि मैंने यह कार्य क्यों किया। मैंने जो कुछ किया है, अपनी इच्छा से किया है।"

अदालत ने उसी दिन अभियुक्त को सेशन्स सुपुर्द कर दिया। इसके बाद ही श्री० हरीकिशन के पिता लाला गुरुदासमल भी लाहौर आ गए। उस समय हरीकिशन ने भूख-हड़ताल कर रक्खी थी। परन्तु पिता के अनुरोध करने पर उसे तोड़ दिया। इसके बाद पिता के कहने से मुक़दमे की 'पैरवी' के लिए वे भी तैयार हो गए।

फाँसी की आज्ञा

२१ जनवरी को सेशन्स जज की अदालत में श्री० हरीकिशन के मुक़दमे की पेशी हुई। आपकी ओर से मि० आसफ़अली बैरिस्टर, मि० विश्वेश्वरनाथ तथा मि० रामलाल आनन्द पैरवीकार नियुक्त हुए। जूरी ने इन्हें चननसिंह की हत्या करने तथा गवर्नर और इन्स्पेक्टर वधावन पर आक्रमण करने के लिए भारतीय दण्ड-विधान की धाराएँ ३०२ और ३०७ के अनुसार अपराधी बताया। साथ ही इस बात की सिफ़ारिश भी की कि इसकी कच्ची उम्र का ख़्याल कर के दया की जाए। परन्तु सेशन्स जज ने दया करना उचित न समझ, श्री० हरीकिशन को फाँसी की आज्ञा सुना दी। हरीकिशन ने सज़ा सुन कर गम्भीरता से उत्तर दिया—

"बहुत अच्छा!"

अपील

इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की गई, परन्तु नामञ्जूर हो गई और पता लगा कि श्री० हरीकिशन को सरदार भगतसिंह आदि के साथ ही फाँसी दे दी जायगी। परन्तु उनके पिता ने प्रिवी कौन्सिल में अपील करने के लिए दरख़्वास्त दी कि फाँसी मुल्तवी रक्खी जाए। अधिकारियों ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली, परन्तु प्रिवी कौन्सिल से भी अपील नामञ्जूर हो गई।

दया की प्रार्थना

इसके बाद मेहता अमरनाथ एडवोकेट ने प्रार्थना की, कि वे सरकार से दया की प्रार्थना करना चाहते हैं, इसलिए अपराधी को अभी फाँसी न दी जाए। परन्तु अधिकारियों ने इस प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया।

अन्तिम इच्छा

गत ८ जून को श्री० हरीकिशन के पिता आदि उनसे अन्तिम बार मिलने के लिए मियाँवाली जेल में गए थे। यद्यपि यह मिलन अन्तिम मिलन था, परन्तु हरीकिशन के सम्बन्ध में कुछ बताया नहीं गया था। उन्हें यह भी मालूम न था, कि फाँसी किस रोज़ होगी। इस समय हरीकिशन के चेहरे पर प्रसन्नता थी। उन्होंने अपनी यह अन्तिम इच्छा प्रकट की थी, कि मेरी लाश मेरे रिश्तेदारों को दे दी जाय। साथ ही, जैसा कि कहा जाता है, उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि मेरा अन्तिम संस्कार वहीं हो, जहाँ सरदार भगतसिंह आदि का हुआ था और मेरा पुनर्जन्म इसी देश में हो, ताकि मैं मातृ-भूमि को ग़ुलामी के बन्धन से मुक्त करने में भाग ले सकूँ।

परन्तु दुख की बात है कि अधिकारियों ने उनकी अन्तिम इच्छाएँ भी पूरी न कीं। परिजनों के प्रार्थना करने पर भी लाश उन्हें न दी गई, यहाँ तक कि उन्हें जेल के पास भी न जाने दिया गया।

बड़े भाई पर ख़फ़गी

सब से बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि श्री० हरीकिशन के बड़े भाई लाला जमनादास, जो शेख़ूपुरा की सरकारी कचहरी में नौकर थे, बरख़ास्त कर दिए गए हैं ! उनका अपराध शायद यही है कि वे श्री० हरीकिशन के सगे भाई हैं !!

पञ्जाब के अख़बारों से पता चला है, कि पञ्जाब-सरकार की सूचना पाकर श्री० हरीकिशन के आत्मीय उनसे अन्तिम साक्षात् करने के लिए गत ८ जून को मियाँवाली पहुँचे । सरकार ने उनके बड़े भाई श्री० भगतराम को भी पेशावर जेल से बुला दिया था। जिस समय वे पेशावर से यहाँ लाए गए, उनके हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ पड़ी थीं।

श्री० हरीकिशन के आत्मीयों ने वहाँ पहुँच कर मैजिस्ट्रेट की सेवा में एक दरख़्वास्त देकर पूछा कि उन्हें कब फाँसी दी जाएगी ? परन्तु मैजिस्ट्रेट ने उत्तर दिया कि वे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते । आप लोग जेल वालों से पूछिए, शायद उन्हें मालूम हो ।

अन्त में ये लोग जेल के सुपरिंटेण्डेण्ट साहब की सेवा में पहुँचे ; परन्तु उन्होंने भी इस सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया । अवश्य ही उन्होंने यह बताने की कृपा की, कि फाँसी हो जाने पर श्री० हरीकिशन का अन्तिम संस्कार हिन्दू धर्मानुसार किया जाएगा ।

८ तारीख़ को ११ बज कर दस मिनिट पर इन लोगों को मुलाक़ात का अवसर मिला । जेल के बहुत से कर्मचारियों के साथ जेल के दारोग़ा साहब हाथ में घड़ी लिए हुए वहाँ मौजूद थे और ज्यों ही साढ़े ग्यारह बजे त्यों ही आपने उन्हें बाहर चले जाने की आज्ञा प्रदान की । क्योंकि मुलाक़ात के लिए कुल बीस मिनिट का समय दिया गया था ।

इस मुलाक़ात के पहले एक और भी उल्लेखनीय बात हुई थी। शायद पाठकों को मालूम होगा, कि फाँसी की सज़ा पाया हुआ अपराधी, जब तक उसे फाँसी नहीं दे दी जाती, बहुधा एक निर्जन कोठरी में रक्खा जाता है। साधारणतया उसकी कोठरी के सामने थोड़ा सा सहन होता है जो लोहे के मज़बूत छड़ों से घिरा होता है और उसमें भी कई ताले जड़े होते हैं। पहले श्री० हरीकिशन के रिश्तेदारों को उसी सहन के बाहर से खड़े होकर मुलाक़ात कर लेने को कहा गया, परन्तु उन लोगों ने कहा कि इस तरह प्रायः दो सौ फ़ीट की दूरी पर इस चिलचिलाती धूप में खड़े होकर बातचीत करना कैसे सम्भव हो सकता है ? तब कहीं अफ़सरों ने हाते के अन्दर जाकर मुलाक़ात करने की आज्ञा प्रदान की ।

इस मुलाक़ात के समय श्री० हरीकिशन ने जो अपनी अन्तिम इच्छा प्रकट की थी, उसका ज़िक्र हम ऊपर कर चुके हैं । उनकी यह इच्छा थी कि उनका शव-संस्कार उनके रिश्तेदारों द्वारा हो, परन्तु अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया और जेल के पास ही एक क़ब्रिस्तान में ले जाकर लाश जला दी गई। यह क़ब्रिस्तान लावारिस मुसलमानों की लाशें दफ़नाने के लिए है और महाशय राजपाल की हत्या करने वाला, अलमदीन की लाश यहीं दफ़नाई गई थी । इस घटना से वहाँ के हिन्दुओं और मुसलमानों में एक सनसनी सी फैल गई है । मुसलमानों के क़ब्रिस्तान में हिन्दू की लाश जलाई जाने के कारण दोनों जातियों के लोग अप्रसन्न हैं ।

फाँसी हो जाने के थोड़ी देर बाद ही श्री० हरीकिशन के पिता ने फूल के लिए मैजिस्ट्रेट के पास दरख़्वास्त दी थी, जिसके उत्तर में आज्ञा हुई कि आप गवर्नमेण्ट को तार दें । तार दिया गया, परन्तु कोई उत्तर न मिला । अन्त में, कहते हैं कि मैजिस्ट्रेट ने विश्वास दिलाया कि सरकारी आज्ञा का इन्तज़ार किया जाएगा और कल सुबह तक फूल का प्रवाह आदि न होगा ? परन्तु अन्त में मालूम हुआ कि आधी रात को ही वह ठिकाने लगा दिया गया । अभी तक इस बात का भी पता नहीं लगा, कि अन्तिम संस्कार के लिए कोई ब्राह्मण बुलाया गया था या नहीं । लोगों का ख़याल है, कि अगर कोई बुलाया गया होगा तो वह अवश्य ही मियाँवाली से बाहर का होगा । जिस स्थान पर अन्त्येष्टि हुई थी, वहाँ अभी तक पुलिस का पहरा पड़ रहा है ।

फाँसी के पहले श्री० हरीकिशन का वज़न नौ पौण्ड बढ़ा हुआ था । उनके भाई श्री० भगतराम को, फाँसी का हाल पहले ही मालूम था, किन्तु वे बिल्कुल प्रसन्न-चित्त दिखाई देते थे ।

* * *

कुछ सम्मतियाँ

Sjt. Bhola Lal Das, B.A., LL.B., Laharia-Sarai, writes to say:

I have been watching all-along the whirlwind of political dangers which you and your press have been thrown into. It is also a great relief to me to learn that you have been facing all these troubles with an undaunted courage and perseverance . . . About BHAVISHYA, I should only say that it has really surpassed all the Indian weeklies and has rightly found its way into all the nooks and corners of the country. To tell you the truth, I find my own thoughts much below its high standard and hence I do not attempt to write further . . .

❀

Sjt. Amrit Lal Bhatia, B. Sc., LL. B., writes from Muttra :

. . . you are to be congratulated for your fearless journalism at great personal risk and monetary sacrifice. Yours is an unparalleled record in the cause of social reform and advancement. . . .

❀

Sjt. Daya Krishna, M. A., Director of Education, Kotah State writes :

. . . you will be glad to know that I am getting your CHAND for all the girl's and middle schools in the district and at my inspection of schools I always try to find out if the boys and *teachers* read it regularly. I have also got a copy of your excellent book *Samaj Darshan* which appealed to me so much 8 years ago, and recommended in every Middle School Library in the district.

❀

Dr. B. L. Atreya, M. A., D. Litt. of the Hindu University Benares writes :

Kindly execuse me for a little delay in expressing my thanks to you for the trouble you took in showing me the *Chand* Press and the *Matri Mandir*. My visit to Allahabad has really become sanctified by my pilgrimage, to those two places, from where I have brought a good deal of inspiration. In the person of Mr. Saigal I have discovered a really great man of both thought and action, whose name will go to the posterity as one of the builders of free India. Political freedom is only an external expression of intellectual, moral and religious freedom, to bring about which the CHAND has been striving so long. I wish I could partake in this *Mahayajna* which is being performed by you for awakening the soul of India which is even now dreaming the dreams of superstition, ignorance, social injustice, slavery and persecution of the fair sex-dreams from which other nations have already freed themselves. I pray to the Almighty to give you more and more power to continue the work you have undertaken.

I compliment you most sincerely on the admirable service you are doing through your publications to the community and specially to the female section of it and I hope you will continue in your work heedless of all orthodox opposition and senseless criticism. . . .

❀

प्रो॰ विश्वेश्वर, सिद्धान्त-शिरोमणि, गुरुकुल विश्व-विद्यालय, वृन्दावन से लिखते हैं :—

आपकी आयोजनाएँ हिन्दी-संसार में एकदम क्रान्तिकारिणी होती हैं। 'भविष्य' का सुन्दर और सफल प्रकाशन इसका एक नया नमूना है। अभी तो निकला ही है, परन्तु निकलते-निकलते ही 'भविष्य' हिन्दी के समस्त साप्ताहिकों से बाज़ी मार ले गया। 'भविष्य' के उज्ज्वल आदर्श को प्रस्तुत करने और इस क्रान्तिकारी प्रकाशन के लिए हार्दिक बधाई। परमात्मा हमारे 'भविष्य' को सफल बनाए—यही कामना है।

❀

डॉक्टर धनीराम जी 'प्रेम' लन्दन से लिखते हैं :—

'भविष्य' के दो अङ्क इस सप्ताह मिले। धन्यवाद ! पत्र को देख कर और पढ़ कर बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार के सर्वाङ्ग-सुन्दर-कलेवर, पाठ्य-विषय, चित्र आदि—पत्र की हिन्दी में बड़ी आवश्यकता थी। इस देश में ऐसे साप्ताहिक पत्रों की बहुलता देख कर मुझे यह कमी बहुत अखरती थी। मुझे गर्व है कि आप इस आशातीत सफलता को प्राप्त करने में, कठिनाइयों के रहते हुए भी, सफल हो सके। मेरी यही कामना है कि 'भविष्य' का भविष्य उज्ज्वल तथा कण्टक-रहित हो, ताकि वह हमारी प्यारी मातृभूमि के भविष्य-निर्माण में हाथ बटा सके।

❀

साहित्याचार्य पं॰ गयाप्रसाद जी शास्त्री लिखते हैं :—

आपका 'भविष्य' नियमपूर्वक बराबर आ रहा है। मैं भी अपने इष्ट-मित्रों में तथा मरीज़ों में आपके 'भविष्य' का बड़े प्रेम से प्रचार कर रहा हूँ। इसके सिवाय मैं और आपकी सेवा ही क्या कर सकता हूँ। वास्तव में आपने 'भविष्य' निकाल कर पत्रकारों के लिए सफल सम्पादन-कला का एक जीता-जागता आदर्श संसार के सामने रख दिया है। जो कुछ भी हो, आपकी सम्पादन-कला-कुशलता तथा दूरदर्शिता की प्रशंसा तो आपके विपक्षियों को भी करनी पड़ती है। आपकी इस अपूर्व प्रतिभा के लिए बधाई !

❀

आर्यमित्र

× × × इसमें प्रति सप्ताह लगभग २० चित्र और कितने ही गद्य-पद्यात्मक लेख रहते हैं। कथा-कहानी और विनोद की मात्रा भी उचित मात्रा में दी जाती है। देश-विदेश के प्रायः समस्त समाचारों का सुन्दर और सुव्यवस्थित संग्रह देख कर तबियत ख़ुश हो जाती है। 'भविष्य' की प्रत्येक प्रति सिली और कटी हुई होती है। छपाई और काग़ज़ भी अच्छे हैं। हिन्दी में 'भविष्य' अपने ढङ्ग का निराला है। हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि 'भविष्य' का भविष्य उज्ज्वल हो और वह उत्तरोत्तर उन्नति करता जाय।

"भविष्य"

[पं॰ रमाशङ्कर जी मिश्र, कविरत्न "श्रीपति"]

राजहंस के समान चतुर, विवेकी, धीर ;
केसरी-सा जानता है शक्ति की उपासना !
रुद्र के समान, सच्ची क्रान्ति का पुजारी एक ;
नित्य रत कर्म में, न लोभ की कुवासना !
ग्राह के समान ग्रस लेता जो कुरीतियों को,
साधक स्वतन्त्रता का, कोई जिसे त्रास ना !
दासता के नागपाश काटने को वैनतेय,
कैसा है "भविष्य" कोई जानता विकास ना !

❀

श्री॰ रजनीकान्त जी शास्त्री, बी॰ ए॰, बी॰ एल॰ बक्सर से लिखते हैं :—

'भविष्य' की सजावट देख कर चित्त प्रसन्न हो जाता है। यह देश का हित अवश्य साधन करेगा। ऐसे होनहार पत्र के निकालने के लिए आपको बधाई है। भगवान् इसे चिरजीवी करें। इसके लिए भी लेख भेजने का प्रयत्न करूँगा।

❀

श्री॰ हरीशचन्द्र "ज़िया" देवन्दपूर, बी॰ ए॰, एल्-एल्॰ बी॰, वकील रायबरेली से लिखते हैं :—

"भविष्य" देख कर मैं दङ्ग रह गया। दिल लोट-पोट हो गया। लोग देखें कि पत्र इस तरह निकाला जाता है। आपको दिल से बधाई देता हूँ॥

❀

कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी :—

'भविष्य' का भविष्य बहुत उज्ज्वल मालूम होता है, हर पहलू से लाजवाब है। सहगल जी को दिल से बधाई देता हूँ।

चरचा हर एक जगह सरे-बाज़ार यही है।
दिल जिसपे है क़ुरबान, वह अख़बार यही है॥

❀

श्री॰ जनार्दनप्रसाद झा 'द्विज' बी॰ ए॰, काशी से लिखते हैं :—

'भविष्य' की पहिली संख्या नहीं मिल सकी, शेष मिल रहा हैं। बहुत अच्छा निकल रहा है, बधाई ! भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आपका 'भविष्य' उज्ज्वल है।

❀



[हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द विरूपाक्ष]

यह सुन कर प्रत्येक भले आदमी को दुख होगा, कि श्रीमती नौकरशाही को 'भगतसिंह-रोग' (?) हो गया है ! फलतः जिस तरह राम से डरा हुआ मारीच 'रा'* सुनते ही घबरा उठता था या जिस तरह बिजली की मारी कुतिया 'लुआठा' देख कर बेचैन हो जाती है, उसी तरह हमारी सखी भी 'भगतसिंह' शब्द सुनते ही भड़क उठती हैं।

❀

भगतसिंह के अन्त्येष्टि-स्थान को अच्छी तरह से खरोंच लेने के बाद, अब उन्होंने अख़बारों और प्रेसों के पनाले सूँघना आरम्भ कर दिया है। जहाँ कहीं उस नाम की गन्ध पाती हैं, वहीं चढ़ दौड़ती हैं तथा उस स्थान का कोना-कोना सूँघ डालती हैं। अल्लाह ख़ैर करे, कहीं इस मूज़ी मर्ज़ के कारण श्रीमती ने इस बुढ़ौती में श्रीजगद्गुरु को अलविदा कह दिया तो फ़तवा-प्रेमी पाठक गङ्गा और मदार की अपूर्व जोड़ी के दर्शन के लिए तरसते ही रह जायँगे।

❀

इसलिए हमारी राय है कि सब से पहले देवनागरी वर्णमाला के—'भ' 'ग' और 'त'—अक्षर इण्डियन पिनलकोड की दफ़ा १२४-अ के अनुसार यावज्जीवन के लिए द्वीपान्तरित कर दिए जाएँ, देश में जितने भगत, भगत नामधारी अ-भगत और बगुला-भगत हैं, ये सारे के सारे फाँसी पर लटका दिए जायँ तथा यह घोषणा कर दी जाय कि आइन्दे से कोई अपने लड़के का नाम 'भगत' न रक्खे ! 'भतीजे' चचा बना दिए जायँ और इसके साथ ही अगर भारतवासी 'भगई' पहनना भी छोड़ दें तो क्या कहना, माशा-अल्लाह सखी एकदम चङ्गी हो जायँ !

❀

उस दिन अलक़रुबाह, जिस वक़्त हिज़ होलीनैंस की फ़ाक़ामस्ती छन रही थी, 'भविष्य' के सम्पादक श्रीयुत वैतरणीप्रसाद—नहीं, श्रीयुत त्रिवेणीप्रसाद जी, बी० ए० के एक पत्र से मालूम हुआ कि श्रीमती की 'नौची' अर्थात् आयुष्मती पुलिस ने 'भविष्य' तथा 'चाँद' ऑफ़िस पर कृपा की थी और ज़ब्ती की आज्ञा सुनाते हुए, ढूँढ़-ढाँढ़ कर 'सरदार भगतसिंह' नाम की अङ्गरेज़ी पुस्तक की एक प्रति उठा ले गई !

❀

ठीक ही किया। क्योंकि 'चाँद' और 'भविष्य' कार्यालय पर धावा बोलना तो इधर कुछ दिनों से आयुष्मती का 'मासिक धर्म' सा हो गया है। किसी न किसी बहाने आकर दर्शन दे ही जाती हैं और ढूँढ़-ढाँढ़, पूछ-ताछ तथा देख-रेख तो प्रतिदिन क्यों, प्रति क्षण का व्यापार है। भई, यह प्रेम का पन्थ ही निराला है। आपने तो सुना ही होगा—

यह इश्क़ ? आह इससे तहीतर 'तबल' नहीं,
दुनिया में इससे बढ़ कर दिमाग़ो ख़लल नहीं !
इक ख़्वाब, आह ! ख़्वाबे परेशाँ है, ख़्वाबे इश्क़,
दुश्मन को भी ख़ुदा न दिखाए अज़ाबे इश्क़ !

❀

परन्तु जनाब, यह 'भगतसिंह' नामधेया अङ्गरेज़ी पोथी थी भी बड़ी भयङ्कर ! सुनते हैं, लेखक ने इसके वर्ण-वर्ण में साम्राज्य-विध्वंसी कीटाणु भर दिए थे और आवरण पृष्ठ पर सरदार भगतसिंह की बम-गोले की तरह एक तस्वीर भी छाप दी गई थी। यह तो कहिए कि हमारी सखी, निगाहे बददूर, ज़रा पोढ़ कलेजे वाली हैं, कोई दूसरी होती तो इतने पर तड़प-तड़प कर जान दे देती !

❀

ख़ैर, अब न्याय के विश्लेषण-यन्त्रों द्वारा पुस्तक के साम्राज्य-ध्वंसी कीटाणुओं का पता लग जाएगा। क्योंकि उसके 'छापक' अर्थात् प्रिण्टर श्री० त्रिवेणीप्रसाद जी, बी० ए० और प्रकाशक श्री० सान्याल महाशय श्रीमती के मेहमाँ-सराय में बुला लिए गए हैं। फलतः हिज़ होलीनेस को भी निश्चिन्त होकर भाँग-बूटी छानने का मौक़ा मिल गया है। क्योंकि पूरी आशा है कि अदालती चिकित्सा से श्रीमती का रोग कुछ उपशम हो जायगा।

❀

सुनते हैं, आजकल चटगाँव में बड़ी बहार है। १६ वर्ष से २६ वर्ष के हिन्दू नौजवानों पर वहाँ के मैजिस्ट्रेट बहादुर का मातृ-स्नेह ऐसा उबल पड़ा है कि 'बच्छ देखि जनु धेनु लवाई !' आपकी आज्ञा है कि ८॥ से सवेरे पाँच बजे तक उपर्युक्त उमर का कोई हिन्दू घर से बाहर न निकले। अच्छी बात है, इससे हिन्दू युवक 'निशाचर' होने से बच जाएँगे। मगर कुछ लोगों की अक़्ल में यह बात नहीं घुसती कि आख़िर हिन्दू नवयुवकों पर ही यह नज़रे-इनायत क्यों है ? इसके उत्तर में हिज़ होलीनेस का कथन है कि—

जाहि जाहि सों मन रमै, ताहि ताहि सों काम !

❀

इसके अतिरिक्त, मालूम होता है कि चटगाँव के मैजिस्ट्रेट साहब लड़कपन के ही हिन्दू-प्रेमी हैं, इसलिए मौक़ा पाते ही आपकी वह 'बालेपन की प्रीति' फसफसा उठती है। क्योंकि चटगाँव के विद्रोहियों को आसानी से गिरफ़्तार करने के लिए, बङ्गाल की बुद्धिमती सरकार ने जब वहाँ के बावन गाँवों में 'पिटुनी पुलिस' तैनात करने की व्यवस्था की थी, तो मैजिस्ट्रेट बहादुर ने यह घोषणा की थी कि इसका ख़र्च केवल हिन्दुओं से ही वसूल किया जाए।

❀

लक्षणों से यह भी मालूम होता है कि चटगाँव के ये मैजिस्ट्रेट साहब विद्रोह-रोग के 'हाज़िक़ुल मुल्क' हैं। विद्रोह-दमन के ऐसे आज़मूदा और मुजर्रब नुस्ख़े आपको मालूम हैं कि बस कुछ न पूछिए। इसलिए हमारी राय है कि इन्हें कुछ दिनों के लिए बर्मा भेज दिया जाय। क्योंकि ऐसे वीर-बाँकुरों की आजकल वहाँ बड़ी ज़रूरत है।

❀

चटगाँव की पुलिस ने जो कई टीन डाइनामाइट आविष्कृत करके ब्रिटिश साम्राज्य को बाल-बाल बचा लिया है, इसके लिए उसे विक्टोरिया क्रॉस तो मिलना ही चाहिए। साथ ही इस आविष्कार के लिए कि यह कार्य अवश्य ही १६ वर्ष से २६ वर्ष तक के हिन्दू नवयुवकों का है, मैजिस्ट्रेट बहादुर को भी कोई ऊँची मनसबदारी मिलनी चाहिए। क्योंकि आपके उर्वर मस्तिष्क के इस अद्भुत आविष्कार ने इससे पहले के सारे आविष्कारकों का 'रिकार्ड बीट डाउन' कर दिया है।

❀

हमारी यह दृढ़ धारणा है कि अगर चटगाँव के पूर्व प्रशंसित मैजिस्ट्रेट साहब अपने पद पर कुछ दिन डटे रह गए और उनके मस्तिष्क की अलौकिक उर्वरता भी इसी तरह नए-नए आविष्कार करती गई तो निश्चय ही एक दिन सारा चटगाँव लॉयल (Loyal) पुर बन जाएगा। ख़ासकर वहाँ के हिन्दू युवक तो निश्चय ही तम्बूरा लेकर श्रीमती सखी नौकरशाही का गुणगान आरम्भ कर देंगे।

❀

मगर हमारी तो समझ में नहीं आता कि जब धर्मशास्त्रानुसार यह बात सिद्ध हो चुकी है कि चटगाँव के १६ से २६ वर्ष तक की उमर वाले सभी हिन्दू नवयुवक श्रीमती का तख़्ता उलट देना चाहते हैं, तो सिर्फ़ उन्हें रात को अपने-अपने घरों में क़ैद रखने से क्या लाभ होगा। ऐसे ख़तरनाक चीज़ों को फ़ौरन तोपदम करा देना चाहिए, ताकि 'रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी !'

❀

मगर, चूँकि हमारी श्रीमती न्याय की जीती-जागती पुतली हैं, इसीलिए उन्होंने 'सब धान बाइस पसेरी' के हिसाब से तौलना आरम्भ कर दिया है। वास्तविक राजद्रोही का पता लगाने के लिए चटगाँव के तमाम हिन्दू युवकों को अलग-अलग कहाँ तक सूँघती फिरें। इसीलिए उन्होंने एक ही ढेले से सारा शिकार मारा है। 'क्या जाने किस वेष में नारायण मिल जायँ।'

❀

---

* 'रा' अस नाम सुनत दसकन्धर,
रहत प्रान नहिं मम उर अन्तर !
—तुलसीदास

५०) रु० की पुस्तकें

२) रु० मासिक क़िश्त पर कैसे ली जा सकती हैं ?

(१) जो लोग अपनी ज्ञान-वृद्धि के उत्सुक हैं और प्रत्येक मास पुस्तकें मँगवाया करते हैं—जिससे बार-बार उन्हें डाक-व्यय देकर सरकारी ख़ज़ाना भरना पड़ता है—उनकी सुविधा के लिए तथा हिन्दी के प्रचार को दृष्टि में रखते हुए यह निश्चय किया गया है, कि कार्यालय से ५०) रु० के मूल्य की इच्छानुकूल पुस्तकें इस स्कीम के अनुसार प्रत्येक मेम्बर को रेलवे-पार्सल द्वारा भेज दी जावें और वे नियमित रूप से प्रत्येक मास के पहले सप्ताह में २) रु० कार्यालय को भेजते रहें।

(२) पुस्तकें केवल 'चाँद' तथा 'भविष्य' के प्रतिष्ठित ग्राहकों को ही दी जावेंगी, हर किसी को नहीं।

(३) कार्यालय का छपा हुआ प्रार्थना-पत्र इसी के साथ भेजा जा रहा है। ग्राहकों को इसी पर हस्ताक्षर करके भेजना चाहिए।

(४) प्रार्थना-पत्र स्वीकृत होने पर पुस्तकें देने पर विचार किया जायगा, यदि किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का सन्देह उपस्थित हुआ, तो बिना किसी प्रकार का कारण बतलाए, उन्हें इन्कार कर दिया जायगा।

(५) सब प्रकार का इतमीनान हो जाने से यहाँ से इक़रारनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जायगा और साथ ही उनके पास पुस्तकों का बड़ा और नया सूचीपत्र भेज दिया जायगा, ताकि ग्राहक अपनी इच्छानुकूल पुस्तकें पसन्द करके अपना ऑर्डर बना कर भेज सकें।

(६) सूचीपत्र में जिन पुस्तकों का उल्लेख न होगा और यदि ग्राहक अन्य पुस्तकें मँगाना चाहेंगे तो उन्हें भेजने के लिए संस्था बाध्य न होगी।

(७) इन पुस्तकों पर किसी भी प्रकार का कमीशन नहीं दिया जायगा, चाहे वे अपनी प्रकाशित हों अथवा बाहरी (कमीशन केवल नक़दी पुस्तकें ख़रीदने पर ही देने का नियम है—इसे पाठक स्मरण रक्खें)।

(८) ऑर्डर देते समय ग्राहकों को ५०) रु० की जगह ६०-७० रुपयों की पुस्तकों का ऑर्डर बना कर भेजना चाहिए, क्योंकि प्रायः ऐसा होता है, कि माँगी हुई समस्त पुस्तकें स्टॉक में तैयार नहीं होतीं, अतएव उस समय जो भी पुस्तकें तैयार होंगी, उनमें से ५०) रु० के मूल्य की पुस्तकें भेज दी जावेंगी।

(९) पुस्तक भेजने में रेल का जो किराया लगेगा (जो नाम-मात्र का होता है) वह, तथा बिल्टी की रजिस्ट्री आदि का व्यय, ग्राहकों को ही देना होगा।

(१०) बिल्टी रेल तथा डाक-व्यय के अतिरिक्त ६) रु० की वी० पी० द्वारा भेजी जायगी, और शेष २२ क़िश्तें २) रु० मासिक की होंगी, जो प्रत्येक अङ्गरेज़ी मास के प्रथम सप्ताह में आ जाना चाहिए। भेजने में जो व्यय होगा वह ग्राहकों को ही देना होगा।

(११) यदि २ क़िश्तें पिछड़ गईं तो शेष सारा रुपया ग्राहकों को एक-मुश्त फ़ौरन चुका देना होगा! अन्यथा क़ानूनी कार्रवाही की जायगी और मुक़दमे के ख़र्च लिए ग्राहकों को ज़िम्मेदार होना पड़ेगा।

(११) यदि एक वर्ष तक प्रत्येक मास को क़िश्त समय पर अदा होती रही, तो उस ग्राहक को दूसरी बार भी ५०) रु० की पुस्तकें इसी शर्त पर भेज दी जावेंगी—पर यदि एक भी क़िश्त समय पर न पहुँची अथवा मुक़दमा आदि करना पड़ा तो उस ग्राहक से भविष्य में कोई व्यवहार न रक्खा जायगा।

हमें पूर्ण आशा है, पढ़ने के व्यसनी पाठक इस नई स्कीम द्वारा ईमानदारी से उचित लाभ उठावेंगे और हमें भी उत्तरोत्तर सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे।

* * *

उपरोक्त नियमों में किसी भी प्रकार का परिवर्त्तन नहीं किया जायगा, व्यर्थ में आए हुए पत्रों का तब तक उत्तर नहीं दिया जायगा, जब तक पते का टिकटदार लिफ़ाफ़ा पत्रोत्तर के लिए न भेजा जायगा।

—मैनेजिङ्ग डाईरेक्टर की आज्ञा से

व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक,

इलाहाबाद

ऑर्डर-फ़ॉर्म

श्री० प्रबन्धक महोदय,

'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

महाशय जी,

मुझे आपकी नई स्कीम बहुत पसन्द है। आप मेरा नाम इसके मेम्बरों की सूची में लिख लें और प्रकाशित होते ही पुस्तकों का नया सूचीपत्र तथा इक़रारनामे (Agreement) का फ़ॉर्म हस्ताक्षर करने के लिए भेज दें। मुझे ५०) रु० के मूल्य की पुस्तकें एक साथ मँगाना स्वीकार है। ६) की वी० पी० (डाक-व्यय सहित) स्वीकार कर ली जायगी और नियमित रूप से आपको २) रु० हर मास के शुरू में पहुँचते रहेंगे।

मेरा 'चाँद' / 'भविष्य' का ग्राहक-नम्बर—————— है।

हस्ताक्षर——————

पूरा पता——————

——————

——————

यदि पुस्तक मँगाना चाहते हों तो इसी ऑर्डर-फ़ॉर्म को साफ़-साफ़ भर कर भेजने की कृपा करें ताकि शर्तनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जा सके।

ted by Tribeni Prasad B. A. (In Jail) and from 19th June Printed,
Published and Edited by Bhuvneshwar Prasad Misra, M. A., at The
28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad.

टेलीफ़ोन-नम्बर—२०५

तार का पता—'भविष्य'

सम्पादक :—
श्री० त्रिवेणीप्रसाद, बी० ए०
(जेल में)

भविष्य

स्थानापन्न सम्पादक :—
श्री० भुवनेश्वरनाथ मिश्र, एम० ए०

'भविष्य' का चन्दा

वार्षिक चन्दा	... १२) रु०
छः माही चन्दा	... ६॥) रु०
तिमाही चन्दा	... ३॥) रु०

एक प्रति का मूल्य चार आने
Annas Four Per Copy

एक प्रार्थना

वार्षिक चन्दे अथवा फ़्री कॉपी के मूल्य में कुछ भी नुक़्ताचीनी करने में पहिले मित्रों को 'भविष्य' में प्रकाशित अलभ्य सामग्री और उसके प्राप्त करने के असाधारण व्यय पर भी दृष्टिपात करना चाहिए।

वर्ष १, खण्ड ४ | इलाहाबाद—बृहस्पतिवार : २५ जून, १९३१ | संख्या ३, पूर्ण सं० २९

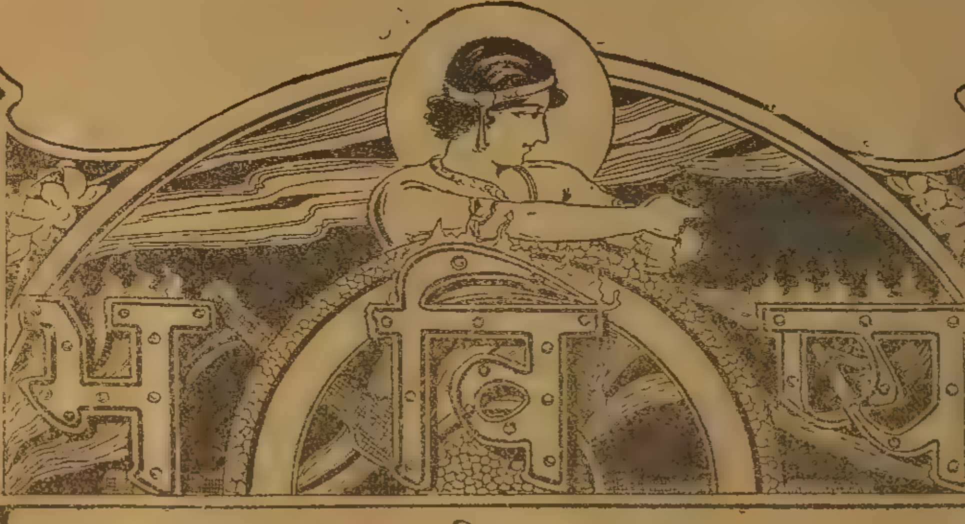


[illegible]

Our London Office :
11. Aldwych, W. C. 2

Our American Office :
50, Church St. New York

इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और दूरदर्शी पाठक-पाठिकाओं से आशा की जाती है कि यथाशक्ति 'भविष्य' तथा 'चाँद' और विद्याविनोद-ग्रन्थमाला का प्रचार कर, वे संस्था को और भी अधिक सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !!



पाठकों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, वे एकमात्र भारतीय परिवारों एवं व्यक्तिगत महत्व-कामना की दृष्टि में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !!

वर्ष १, खण्ड ४ | इलाहाबाद—बृहस्पतिवार ; २५ जून, १९३१ | सं० ३, पूर्ण सं० ३९

लाहौरी युवक के पास रिवॉल्वर और २०० कारतूस मिले !

तलवार बाँटने और सड़क पर बम बनाने की धमकियाँ !!

गवर्नमेण्ट हाउस पर पिकेटिङ्ग के मन्सूबे :: लाहौर के मुसलमानों का अनर्गल प्रलाप

—लाहौर के मुग़लपुरा नामक स्थान में एक इञ्जिनियरिङ्ग कॉलेज है। आज से कुछ दिन पहले इस कॉलेज के अङ्ग्रेज़ प्रिन्सिपल ने किसी कारण से कॉलेज के एक प्रोफ़ेसर को बरख़ास्त कर दिया। इस पर कॉलेज के बहुत से मुसलमान छात्र नाराज़ हो गए और अपने सजातीय प्रोफ़ेसर का पक्ष लिया। इससे प्रिन्सिपल साहब झुँझला उठे और कह दिया कि हम तो मुसलमानों से तङ्ग आ गए। बस, फिर क्या था, कॉलेज के बहुत से मुसलमान छात्र रूठ गए और प्रिन्सिपल साहब के विरुद्ध मानो जहाद की घोषणा कर दी गई।

इसी समय दुर्भाग्यवश एक और घटना हो गई। रसूल इञ्जिनियरिङ्ग कॉलेज के हिन्दू प्रिन्सिपल ने कॉलेज के अहाते में एक मुसलमान को दूकान खोलने की आज्ञा न दी, इसलिए ९१ मुसलमान छात्रों ने प्रिन्सिपल के विरुद्ध भूख-हड़ताल कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि लाहौर के 'टोडी' मुसलमानों और उनके अख़बारों ने इस ज़रा सी बात को तिल का ताड़ बना दिया। दोनों प्रिन्सिपलों के विरुद्ध तुमुल आन्दोलन चल रहा है। अख़बारों में गरमागरम मन्तव्य प्रकाशित हो रहे हैं, सभाएँ और मीटिंगें हो रही हैं। इस तूफ़ाने-बेतमीज़ी का जो थोड़ा सा दिग्दर्शन सहयोगी 'मिलाप' के इन्क़िलाब के आधार पर कराया है, वह यों है—

गत १३ जून को इस आन्दोलन के सम्बन्ध में एक बृहत जुलूस निकाला गया। इसके बाद मियाँ अब्दुल अज़ीज़ साहब बैरिस्टर के सभापतित्व में एक महती सभा हुई, जिसमें सबसे पहले मौ० मज़हर अली 'मज़हर' ने एक स्पीच दी और फ़रमाया कि मुसलमान सरकार को बता देना चाहते हैं, कि वे एक प्रिन्सिपल तो क्या, मुसलमान प्रत्येक ऐसे व्यक्ति से बदला लेंगे जो उन्हें चैलेञ्ज देगा।

इसके बाद मौलाना डॉक्टर ग़ज़नवी साहब उठे और फ़रमाया कि हिन्दू अख़बार कहते हैं कि कतिपय 'टोडी' मुसलमानों ने प्रदर्शन किया। मैं पूछता हूँ, टोडी कौन हैं? क्या मुसलमान इसलिए टोडी हैं कि वे अपनी उचित शिकायतें सरकार के सामने रख रहे हैं? सच पूछो तो टोडी वे लोग हैं, जो अपनी घृणित साम्प्रदायिकता को छिपाने के लिए राष्ट्रीयता का जामा पहने इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं। हम उन्हें सावधान कर देते हैं कि अगर वे अपनी चालों से बाज़ न आएँगे तो हम उन्हें तबाह और बरबाद कर डालेंगे।

इसके बाद मियाँ अब्दुल अज़ीज़ साहब ने कहा—हम सरकार को अवसर देते हैं कि वह निरपेक्ष कमिटी द्वारा घटना की जाँच कराए कि वास्तव में मुसलमानों की माँग ठीक है या नहीं। मुसलमानों को उचित है कि वे अपने उचित अधिकार से एक इञ्च भी पीछे न हटें। अगर पड़ोसी जातियाँ इस माँग को अपने विरुद्ध समझती हैं तो यह उनकी ग़लती है और उन्हें अपनी ग़लती को समझना चाहिए। अङ्गरेज़ प्रिन्सिपल के विरुद्ध यही शिकायतें नहीं हैं, जो मुसलमान छात्रों ने पेश की हैं, बल्कि और भी बहुत-सी शिकायतें हैं, जिनका उल्लेख मैं इस समय नहीं करना चाहता। अन्त में आपने सरकार की चुप्पी पर अफ़सोस ज़ाहिर करते हुए कहा कि उसे फ़ौरन एक कमीशन नियुक्त करना चाहिए !!

अन्त में मलिक लाल दीन क़ैसर ने कहा—कि यह प्रसन्नता की बात है कि इस सभा में सब विचारों के मुसलमान मौजूद हैं। मौ० ग़ज़नवी ने कहा है कि जब यह आन्दोलन दृढ़ लोगों के हाथों में आ जाएगा तो बड़ा ही भयङ्कर हो जावेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यह आन्दोलन बड़ा ही भीषण हो जावेगा और इसमें नमक क़ानून ही नहीं तोड़ा जावेगा, बल्कि कई क़ानून तोड़े जावेंगे। हम तलवारें रक्खेंगे, पिस्तौलें रक्खेंगे और बम बनाएँगे। मगर छिप कर नहीं। सरे-बाज़ार बम के कारख़ाने खोलेंगे। हम गुप्त षड्यन्त्र नहीं करेंगे, पर जो कुछ करेंगे सरे-आम करेंगे। प्रिन्सिपल ने इस्लाम की तौहीन की है। मुसलमानों को चाहिए कि इस तौहीन का बदला लें। मैंने बहुत रुपया कमाया है, और जब तक यह रुपए मेरे पास हैं, मैं इस आन्दोलन की सहायता करूँगा। अन्त में आपने स्वयंसेवकों के लिए अपील की और कहा कि मुसलमानों को क़ानून तोड़ने और हर तरह की मुसीबतें बरदाश्त करने को तैयार रहना चाहिए।

इसके बाद की इस सम्बन्ध में जो ख़बरें सहयोगी 'मिलाप' को मिली हैं वे और भी मज़ेदार हैं। लाहौर की १८ जून की ख़बर है कि मुसलमानों ने उपर्युक्त मुग़लपुरा वाले कॉलेज पर धरना देने का निश्चय किया है। २२ जून से धरना आरम्भ होने वाला था। सुना गया है कि इसलिए कम से कम पाँच हज़ार स्वयंसेवक भर्ती किए जायँगे। लाहौर की तमाम मस्जिदों में इसके लिए सभाएँ होंगी।

गत १६ जून को स्वयंसेवक भर्ती करने के लिए जो सभा हुई थी, उसमें मौलाना दाऊद ग़ज़नवी ने कहा कि हमारा यह आन्दोलन उस समय तक नहीं रुकेगा, जब तक हमारे क़दम वॉयसरीगल लॉज के तले ख़ून में न रँग जायँगे। मलिक लालदीन ने कहा—लोगों का ख़्याल है कि २४ जून को कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी हो जाती हैं, इसलिए अब पिकेटिङ्ग व्यर्थ है, परन्तु मैं शिमला पहुँचूँगा और पञ्जाब के गवर्नर की कोठी पर पिकेटिङ्ग करूँगा। मैं तमाम गाँवों को बाग़ी करूँगा और जब २२ जून को कॉलेज में इम्तिहान होगा तो मैं वहाँ भी पिकेटिङ्ग करूँगा।

—लाहौर का २२ जून का समाचार है कि लाहौर के बादामी बाग़ रेलवे स्टेशन पर पुलिस का जासूस गश्त लगा रहा था। एकाएक उसे एक गाड़ी से उतरने वाले नवयुवक पर सन्देह हुआ, जिसके हाथ में एक सूटकेस था। युवक सरकार रोड की तरफ़ चला। पुलिस वाले ने उसका पीछा किया। थोड़ी दूर जाने पर एक दूसरा युवक भी सूट-केस वाले युवक के साथ हो गया। इतने में दोनों नवयुवकों की नज़र पुलिस वाले पर पड़ी और उसे देखते ही वे भागने लगे। पुलिस वाले ने भी शोर मचाते हुए उनका पीछा किया। सिपाही की चीख़-पुकार सुन कर राहगीरों ने सूट-केस वाले नवयुवक को पकड़ लिया। अन्त में वह नवयुवक थाने में पहुँचाया गया। वहाँ उसकी तलाशी ली गई तो उसके सूट-केस से एक ४५० बोर का वेब्ली स्कॉट रिवॉल्वर और २०० कारतूस निकले।

—डेराइस्माईल ख़ाँ, २२ जून। गत २ मई को पुलिस अफ़सरों की गोलियों से, लाहौर के शालामार बाग़ में मारे जाने वाले श्री० जगदीशचन्द्र के पिता ने निश्चय किया है, कि वे उन पुलिस अफ़सरों के विरुद्ध क़ानूनी कार्रवाई करेंगे, जिनका सम्बन्ध उनके पुत्र की हत्या से है। यह भी कहा जाता है, कि इस सम्बन्ध में पञ्जाब की सरकार तथा लाहौर के मैजिस्ट्रेट को कई चिट्ठियाँ लिखी गई थीं, परन्तु किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। लाहौर की नौजवान-भारत सभा ने श्री० जगदीशचन्द्र की पुण्य-स्मृति में एक वाचनालय खोलने का प्रस्ताव स्वीकार किया है।

* * *



सन्धि की शर्तों पर अमल करो

सरदार पटेल का बोरसद के किसानों को उपदेश

बोरसद का १८वीं जून का समाचार है, कि सरदार पटेल ने भाषण देते हुए कहा, कि केवल सन्धि की शर्तों का पालन कराने के लिए महात्मा जी को बोरसद में इतने अधिक दिनों तक ठहरना पड़ा है; यदि वे इस बात को पहले जानते होते, तो सन्धि को कभी भी स्वीकार न करते; पर चूँकि सन्धि को हमने स्वीकार कर लिया है, अतएव हमारा यह कर्तव्य है कि हम अक्षरशः उसका पालन करें। बोरसद भारतवर्ष के इतिहास में किसानों के त्याग के लिए प्रसिद्ध है। किसानों को युद्ध और सुलह दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें रामराज्य के लिए अपने को तैयार करना चाहिए। इस समय विदेशी वस्त्रों का घोर बहिष्कार होना चाहिए। जो विदेशी वस्त्र नहीं त्याग सकते वे अवसर आने पर अपना जीवन कैसे दे सकते हैं? प्रत्येक व्यक्ति को खादी धारण कर भारतवर्ष के सामने एक आदर्श उपस्थित करना चाहिए।

—मद्रास से भयङ्कर अग्नि-काण्ड के समाचार आए हैं। तीन सौ मकान जल कर ख़ाक हो गए और पचास हज़ार की सम्पत्ति स्वाहा हो गई!

—तिन्नेवल्ली (मद्रास) की ख़बर है कि कथूर ग्राम में १२० मकान और १७ प्रनाज के ढेर जल कर भस्म हो गए, जिससे दस हज़ार की हानि कूती जाती है!

—हैदराबाद (सिन्ध) का समाचार है, कि बाढ़ आदि से तथा अनाज का भाव गिरने के कारण वहाँ के ज़मींदार बहुत कष्ट में हैं, कितने तो लगान चुकाने में भी असमर्थ हो रहे हैं। सरकार ने रुपए में दो आने की माफ़ी दे दी है, परन्तु ज़मींदार लोग ५० प्रतिशत माफ़ी कराने पर तुले हुए हैं।

—मद्रास की तरह नागपुर से भी भयङ्कर अग्नि-काण्ड के समाचार आए हैं। पाटनस्वाँगी गाँव में एक स्त्री आग जला रही थी, इसी समय एक चिनगारी उड़ कर छप्पर में जा लगी, जिसके फल-स्वरूप भयानक अग्नि-काण्ड हुआ! लू और गर्मी के कारण अग्नि ने और भी प्रचण्ड रूप धारण कर लिया और दस घण्टे तक आग जलती रही। वहाँ के आपस के धनी-मानी सज्जन सहायता का प्रबन्ध कर रहे हैं।

—पेशावर का १६वीं जून की ख़बर है, कि भयानक भूकम्प के कारण काबुल के पास १५ मनुष्यों की मृत्यु हो गई और असंख्य मकान नष्ट हो गए।

'असला' नामक ज्वालामुखी ही इस भयानक भूकम्प का कारण बताया जाता है।

—अभी हाल में बम्बई प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के अध्यक्ष ने दूकानदारों के चेतावनी स्वरूप यह सूचना निकाली है कि मादक द्रव्यों की दूकानों पर फिर नए उत्साह से धरना प्रारम्भ किया जायगा।

—सीतापुर (लखनऊ) जेल में बहुत से क़ैदियों के इन्फ़्लुएआ से पीड़ित होने का समाचार आया है। वहाँ शहर में 'काला ज्वर' ज़ोर से फैल रहा है।

—चटगाँव का समाचार है कि २२वीं जून से वहाँ आगामी दो महीनों के लिए १४४वीं दफ़ा जारी रक्खी जायगी।

—कलकत्ते का २२वीं जून का समाचार है कि वहाँ दिन दोपहर को डाक का एक क्लर्क जब वह एक चपरासी के साथ डेढ़ हज़ार रुपए का थैला लिए मोटर में "एम्पायर थिएटर" की ओर जा रहा था, कुछ डाकुओं द्वारा लूट लिया गया। कहा जाता है कि डाकू एक दूसरी मोटर में चढ़े हुए पहुँचे और ड्राइवर की आँखों में मिर्च की बुकनी झोंक कर थैली लेकर चम्पत हो गए! पीछा करने पर भी उन्हें कोई पकड़ न सका। उनकी मोटर में जाली नम्बर लगा हुआ था!

—विगत मई मास के 'युवक' में "इन्क़िलाब ज़िन्दाबाद" और "नौजवानों से—" शीर्षक लेख के कारण सर्चलाइट प्रेस 'युवक' ऑफ़िस आदि की तलाशियाँ ली गईं। पुलिस 'युवक' की कई प्रतियाँ उठा ले गई है! कहा जाता है कि उसके सम्पादक, प्रकाशक तथा मुद्रक श्री० बेनीपुरी पर भी धारा १२४-ए के अनुसार मुक़दमा चलने वाला है।

—यू० पी० सरकार ने 'फाँसी के शहीद', 'क्षणिक सन्धि अथवा महात्मा गाँधी की सूझ' और "वर्तमान आन्ध्रा" नामक तीन पुस्तकों के ज़ब्त होने की घोषणा की है।

बिजौलिया का सत्याग्रह

बिजौलिया सत्याग्रह के अग्रगण्य नेता श्री० हरिभाऊ उपाध्याय ने अभी सत्याग्रह के सम्बन्ध में एक वक्तव्य निकाल कर यह प्रकट किया है, कि एक जाँच कमिटी बिजौलिया के सम्बन्ध में जाँच करने के लिए नियुक्त की गई है। आशा की जाती है, कि निकट-भविष्य में ही समझौता हो जायगा।

—कहा जाता है कि पण्डित जवाहरलाल जी नेहरू के जितने पत्र आते हैं वे सब उन्हें मिलने के पहिले ही डाकघर में खोल कर पढ़ लिए जाते हैं। इस बात की शिकायत पण्डित जी ने यू० पी० के पोस्ट-मास्टर जनरल से की है।

—१६वीं जून का समाचार है कि सहयोगी "आज" के प्रधान सम्पादक श्री० बाबूराव विष्णु पराड़कर धारा १२४ ए के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं।

—हिजली (बङ्गाल) का समाचार है कि प्रफुल्लरञ्जन सेनगुप्त नामक एक नज़रबन्द क़ैदी जब हिजली हिरासत से हतिया प्रायद्वीप में निर्वासन काल काटने के लिए भेजे जा रहे थे, उसी समय उन्हें अपनी स्त्री की सख़्त बीमारी का तार मिला। उन्होंने सरकार से प्रार्थना की, कि उन्हें अपनी रुग्णा स्त्री को देखने दिया जाय। किन्तु उनकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रफुल्ल बाबू की धर्मपत्नी मृत्युशय्या पर अन्तिम घड़ियाँ गिन रही हैं।

—२३ जून का कोण्टाई का समाचार है कि भगवानपुर थाने में पुलिस कॉन्स्टेबलों ने भीमेश्वरी ब्राञ्च कॉङ्ग्रेस कमिटी पर धावा कर, वहाँ के स्थानीय कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ता बरेन्द्रनाथदास प्रियानाथ दास और आशुतोष मैत्रेय को गिरफ़्तार कर लिया।

—त्रिचनापल्ली (मद्रास) का समाचार है कि "रङ्गविलास सिनेमा" के मैनेजर तथा अन्य कर्मचारियों पर बम फेंकने के अपराध में चार मुसलमान चौक में गिरफ़्तार किए गए हैं। बम फटने से कोई घायल नहीं हुआ!

पुलिस की गाँव वालों से मुठभेड़!

एक ग्रामीण मरा :: दो कॉन्स्टेबिल घायल!

ढाका का १७वीं जून का समाचार है, कि नारायणगञ्ज सब डिवीज़न के अन्तर्गत मनोहरदीह थाने के 'चारबगवर' ग्राम में पुलिस और ग्रामीणों में भयानक मुठभेड़ हो गई। कहा जाता है ज़ाब्ता फ़ौजदारी की ११०वीं धारा के अभियोग में दो व्यक्तियों को पकड़ने के लिए पुलिस सब-इन्स्पेक्टर, पुलिस और चौकीदारों की एक टोली के साथ उस ग्राम में गया। कहा जाता है कि जैसे ही पुलिस अभियुक्तों के घर पहुँची, गाँव वाले लाठी और भाले के साथ जुट गए, जिसके परिणाम-स्वरूप दो कॉन्स्टेबिल बुरी तरह घायल हुए। पुलिस ने भी फ़ायर किया जिससे एक व्यक्ति मर गया और कई घायल हुए। गाँव वाले शीघ्र ही तितर-बितर हो गए। इस सम्बन्ध में अब तक दो गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं। परन्तु ११०वीं धारा के दोनों अभियुक्त लापता हैं। मृतक और घायल व्यक्ति नारायणगञ्ज अस्पताल में भेज दिए गए हैं, कॉन्स्टेबिलों की हालत चिन्ताजनक बताई जाती है। नारायणगञ्ज के सब डिविज़नल अफ़सर तथा ढाका के पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट घटना के सम्बन्ध में जाँच कर रहे हैं।

—चटगाँव का १७वीं जून का समाचार है, कि सशस्त्र पुलिस के एक ज़बरदस्त दल ने, जो मैगज़ीन पर आक्रमण करने वाले फ़रार अभियुक्तों के टोह में था—श्रीपुर जैस्तापुरा और कनुगुपाड़ा के देहातों में कई बड़े-बड़े थर्मामीटर और सल्फ़्यूरिक एसिड की बोतलों का एक घर में पता लगाया है। इस सम्बन्ध में और भी कई गिरफ़्तारियाँ हुई हैं।

—सलेम का १६वीं जून का समाचार है कि भारतीय दण्ड-विधान की १४३वीं धारा के अनुसार १६ व्यक्ति ग़ैर क़ानूनी संस्था के सदस्य होने के सम्बन्ध में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं जो ताड़ी की दूकानों की नीलामी पर पिकेटिङ्ग कर रहे थे।

अभियुक्तों में से एक नवयुवक पर सौ रुपए का जुर्माना हुआ है; जुर्माना न चुकाने पर डेढ़ मास की क़ैद की सज़ा भुगतनी होगी। शेष अभियुक्तों को छः छः मास की सख़्त सज़ा सुनाई गई।

—गायबाँधा (बङ्गाल) का गत १४वीं जून का समाचार है कि बङ्गाल क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट ऐक्ट के अनुसार श्री० शचीन्द्रनाथ रक्षित गिरफ़्तार कर हिजली के कैम्प जेल में भेज दिए गए! पुलिस बड़ी देर तक उनका घर घेरे रही। श्री० रक्षित अभी बिल्कुल नौजवान हैं और कॉङ्ग्रेस के एक अत्यन्त उत्साही कार्यकर्ता हैं।

—चटगाँव का २२ जून का समाचार है कि दीवान बाज़ार में घरों की तलाशी लेते समय कई भयङ्कर बम और कारतूस तथा दो बक्सों में बम के मसाले, एसिड और बिजली के तार पाए गए। कई और मकानों की तलाशियाँ हुईं और तीन नवयुवक गिरफ़्तार हुए। गिरफ़्तार युवकों में अनिल रक्षित भी हैं, जो मैगज़ीन पर धावा वाले केस में भी सम्मिलित बतलाए जाते हैं।

मथुरा में पुलिस का गुण्डापन !

महिलाओं पर आक्रमण :: राष्ट्रीय झण्डे का अपमान !!

मथुरा से श्री० सुन्दरलाल अरोड़ा, वकील ने निम्नलिखित विवरण हमारे पास प्रकाशनार्थ भेजा है :—

बिजहरी ग्राम के निवासियों ने दो पुलिस सब-इन्सपेक्टरों और २२ कॉन्स्टेबिलों पर ताज़ीरात हिन्द की दफ़ा ३६९ के अनुसार जो मामला चलाया था और जिसके विषय में महात्मा गाँधी ने भारत सरकार को भी लिखा था, उसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने डिप्टी कलक्टर रायबहादुर सरदारसिंह की अदालत में भेज दिया है। ग्रामनिवासियों की तरफ़ से २२ गवाह पेश किए गए हैं। उन सबों ने ग्रामीणों की शिकायतों का समर्थन किया है। उनकी गवाहियों से पता चलता है कि पुलिस के आदमी बिजहरी गाँव के ११ मकानों में जबरन घुस गए और वहाँ से चाँदी-सोने के ज़ेवरात और रुपए उठा ले गए। मकान के अन्दर जो खाने-पीने का सामान था उसे उन्होंने खाया और अन्य वस्तुओं को नष्ट कर दिया। उनके रास्ते में जो कोई भी स्त्री-पुरुष आया उस पर उन्होंने आक्रमण किया और राष्ट्रीय झण्डों को तोड़ कर फेंक दिया। गाँव से जाते समय ग्रामीणों को चेतावनी देते गए कि यदि तुम लोग फिर कॉङ्ग्रेस की कार्रवाइयों में भाग लोगे तो बुरी तरह से ख़बर ली जायगी। डिप्टी मैजिस्ट्रेट ने इस मामले को ख़ारिज कर दिया है।

इधर पुलिस का चलाया हुआ दफ़ा १०७ का केस बिजहरी ग्राम के १८ निवासियों के विरुद्ध ज्वाइन्ट मैजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा है। सबूत की तरफ़ से ३० गवाहों के पेश किए जाने की ख़बर है। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में अभियुक्तों की तरफ़ से जिरह होने पर हेड कॉन्स्टेबिल ने कहा कि पुलिस की डायरी में लिखा है, कि सब इन्स्पेक्टर तेजसिंह, दोयम अफ़सर और चार कॉन्स्टेबिल दफ़ा १०७ के वारण्ट जारी करने बिजहरी गाँव गए थे, इसके अतिरिक्त और दूसरा भी कारण उन लोगों के बिजहरी जाने का उस डायरी में दर्ज नहीं है। आगे प्रश्न करने पर उसने कहा कि डायरी में यह कहीं नहीं लिखा है कि उन पुलिस के आदमियों ने दस अभियुक्तों के मकानों की तलाशी ली या साथ में बिजहरी से कुछ चीज़ें लेते आए !!

बिजहरी निवासियों की शिकायत है कि बन्दूकों, बर्छों और लाठियों सहित क़रीब ५५ पुलीस के आदमी गाँव में कुछ लोगों को दफ़ा १४० के अनुसार गिरफ़्तार करने के लिए आए थे। गाँव के तीन आदमियों की सहायता से उन्होंने गिरफ़्तारियाँ कीं और उपर्युक्त ज़्यादतियाँ भी कीं।

इस घटना से ज़िले भर में सनसनी फैल गई है।

ज़िला कॉङ्ग्रेस कमेटी के जनरल-सेक्रेटरी प्रोफ़ेसर कृष्णचन्द्र ने इस घटना की जाँच करके अपना विवरण डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहाँ भेज दिया था। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उसे एक शिकायत समझ कर डिप्टी कलक्टर के यहाँ भेज दिया। डिप्टी कलक्टर ने ज़िला कॉङ्ग्रेस के मन्त्री का बयान दर्ज कर लिया है।

महात्मा जी का गोलमेज़ परिषद में सम्मिलित होने का कारण

"मैं बहुमत को अपने पक्ष में नहीं ला सका"

कॉङ्ग्रेस छाया नहीं, तत्त्व चाहती है

गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स में जाने के सम्बन्ध का प्रस्ताव, कॉङ्ग्रेस की कार्य-कारिणी-समिति में किस प्रकार पास हुआ, इसके सम्बन्ध में महात्मा जी १८वीं जून के 'यङ्ग इण्डिया' में लिखते हैं :—

जनता को विदित है कि कॉङ्ग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने गोलमेज़ परिषद में अपना प्रतिनिधि न भेजने की बार-बार घोषणा की थी। किन्तु अब उसने कॉङ्ग्रेस का विचार गोलमेज़ परिषद के सम्मुख रखने के लिए मुझे वहाँ भेजने का निश्चय कर लिया है। जनता को यह जानने का पूर्ण अधिकार है कि ऐसा क्यों किया गया।

साधारणतः कार्यकारिणी का कोई सदस्य समिति में होने वाली बहसों को प्रकाशित नहीं कर सकता है। उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है; किन्तु उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में स्वयं कार्यकारिणी ने, सर्व-साधारण की जानकारी के लिए उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध की बातें जनता के सामने रखने का अधिकार दे दिया है, जिसमें मैं अपनी तथा कार्यकारिणी-समिति की स्थिति अभिव्यक्त कर सकूँ।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं सर्वथा असहमत था। किन्तु आपत्ति रहते हुए भी, जन-सत्तावाद के भाव ने, मुझे इस प्रस्ताव के सामने मस्तक झुकाने के लिए बाध्य किया। मैं अपने पक्ष की पुष्टि के लिए कार्यकारिणी समिति से लड़ा, और स्वयं भी एक प्रस्ताव समिति के सामने मैंने रक्खा, जो राष्ट्र-हित के विचार से अधिक युक्तियुक्त था; किन्तु समिति के अधिकांश सदस्यों को मैं अपनी ओर न कर सका। उनका विचार था कि, साम्प्रदायिक समझौते के न होने के कारण ही, यदि गोलमेज़ परिषद में कॉङ्ग्रेस का प्रतिनिधि न भेजा जायगा तो कॉङ्ग्रेस अपने शत्रुओं के हाथों की कठ-पुतली बन जायगी और परिषद में कॉङ्ग्रेस के विचारों की मिट्टी पलीद की जायगी।

यद्यपि बहुमत के विचार के सम्बन्ध में बहुत-कुछ कहा जा सकता है, किन्तु फिर भी मैं यहाँ पर अपने विचारों को अधिक उपादेय मानता हूँ। लाहौर कॉङ्ग्रेस में, साम्प्रदायिकता के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास किया गया था, मेरा विचार उससे मिलता-जुलता है। कार्यकारिणी के सम्मुख मैंने यह प्रस्ताव किया था कि यदि समझौता असफल हुआ, तो कॉङ्ग्रेस को भावी गोलमेज़ परिषद से, स्वराज्य प्राप्त करने की आशा त्याग देनी चाहिए और उसे तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए; जब तक सारे सम्प्रदाय साम्प्रदायिकतावाद से ऊब न जायँ और राष्ट्रीय पथ का अवलम्बन न करें। इस बीच में कॉङ्ग्रेस अपनी शक्ति बढ़ा सकती है और जनता में कार्य कर हिन्दुओं की भाँति अन्य सम्प्रदायों को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम स्वातन्त्र्य संग्राम को स्थगित कर दें। अधिकार प्राप्त करने के लिए कॉङ्ग्रेस सर्वदा तैयार है। किन्तु गोलमेज़ परिषद से, जो कॉङ्ग्रेस को अधिकार देना नहीं चाहती, अधिकार प्राप्त करने में कॉङ्ग्रेस सर्वथा असमर्थ है। कॉङ्ग्रेस छाया नहीं चाहती, वह तत्व चाहती है। अतएव वह अधिकारों की छाया के लिए भले ही ठहर सकती थी; किन्तु स्वाधीनता के तत्व के लिए प्रतीक्षा कर सकती है। भारत की मूक जनता स्वतन्त्रता के तत्व नहीं को समझ सकती है, और उसे उसकी अत्यन्त आवश्यकता भी है।

इसके बाद महात्मा जी कहते हैं कि मेरी इस युक्ति से सदस्यगण सन्तुष्ट नहीं हुए। मेरा विश्वास है कि वे सदस्यगण जनता को अपनी युक्तियों से सन्तुष्ट नहीं कर सकेंगे।

अन्त में आप कहते हैं "मैंने कार्यकारिणी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, और यदि गोलमेज़ परिषद में गया, तो मैं उत्साहपूर्वक अपना कर्तव्य पालन करूँगा।"

* * *

—दिल्ली का समाचार है कि गत सोमवार को काकोरी केस के क़ैदी श्रीयुत प्रेमकिशन खन्ना अपनी ५ वर्ष की पूरी सज़ा काट कर बरेली जेल से रिहा हो गए। श्रीयुत खन्ना को पाँच वर्ष की कड़ी क़ैद की सज़ा मिली थी। कहा जाता है जेल-जीवन में आपको बहुत कष्ट सहने पड़े, जिनमें तनहाई और बेड़ी आदि का दण्ड विशेष-रूप से उल्लेखनीय है।

—दिल्ली का समाचार है कि गत रविवार के प्रातः-काल आज़ाद मैदान में श्रीमती सत्यवती देवी के द्वारा बड़े समारोह के साथ राष्ट्रीय झण्डाभिवादन कराया गया। आपने अपने सारगर्भित भाषण में कराची कॉङ्ग्रेस के द्वारा उपस्थित किए गए रचनात्मक कार्य-क्रम पर विशेष रूप से ज़ोर दिया। आपने कहा कि सत्य और अहिंसा हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का पथ-प्रदर्शक होना चाहिए, जब तक हमारा देश स्वतन्त्र नहीं है, तब तक हम अपने राष्ट्रीय झण्डे पर अभिमान नहीं कर सकते। स्वतन्त्र राष्ट्र ही अपने झण्डे की प्रतिष्ठा कर सकते हैं, पराधीन राष्ट्रों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता।

—पाठकों को यह जान कर अत्यन्त खेद होगा, कि राष्ट्रवादी मुसलमानों के लाख प्रयत्न करने पर भी उस मुस्लिम-सम्मेलन में सफलता प्राप्त न हो सकी, जिसका एक विराट अधिवेशन हाल ही में शिमला में हुआ था। उस विफलता की सारी ज़िम्मेदारी मौलाना शौकतअली-जैसे साम्प्रदायिक मुल्लाओं की हठधर्मी बतलाई जाती है।

—चाँदपुर का १६ जून का समाचार है कि पूरन बाज़ार के एक शराब की दूकान पर बम फेंकने के अभियोग में अतुलचन्द्र घोष, जो एक सुसम्पन्न और प्रतिष्ठित नवयुवक हैं तथा अश्विनीकुमार दास गिरफ़्तार हुए हैं।

—रङ्गून का १६वीं जून का समाचार है कि भण्डा से और तीन अन्य ज़िलाओं के लिए कुछ अतिरिक्त सेना स्पेशल ट्रेन से भेजी गई है।

७ सशस्त्र डकैतियाँ सिर्फ़ हेन्ज़ादा में ही हुई हैं और दो हज़ार रुपए की सम्पत्ति लूट ली गई है। सायम्पों तथा थारावड्डी से भी ऐसे समाचार मिले हैं। थारावड्डी में पाँच गिरफ़्तारियाँ हुई हैं।

—बम्बई का १८ जून का समाचार है कि मजगाँव के रे रोड पर पिछले हफ़्ते में दो बार बम का भयङ्कर धड़ाका हो चुका है, जिसके फल-स्वरूप दो लड़के बुरी तरह घायल हुए हैं। धड़ाका इतना भयानक था कि कई मकान तक गिर पड़े।

घटना-स्थल पर तहक़ीक़ात करने पर केवल एक फ़ुट गहरा गढ़ा मिला है। चाय की एक दूकान में काम करने वाले मुसलमान के एक लड़के के दाहिने हाथ की उँगली में चोट आई है।

—कराची का २०वीं जून का समाचार है कि शिकारपूर के बाज़ार में बम के जो विस्फोटक द्रव्य पाए गए थे, उसके सम्बन्ध में श्री० टेकचन्द्र को चार वर्ष के लिए सपरिश्रम कारावास दण्ड दिया गया और शेष दो अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया।

—चाँदपुर (बङ्गाल) का १९वीं जून का समाचार है कि हकीम अब्दुल हलीम अन्य आठ कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक शराब की दूकान पर बम के धड़ाके के सम्बन्ध में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं।

—कलकत्ते का २३वीं जून का समाचार है कि हरानचन्द्र साहा नामक एक बङ्गाली नौजवान हुगली ज़िला के भद्रेश्वर स्थान में चाय पीते हुए गिरफ़्तार कर लिया गया है! पुलिस का सन्देह है कि मिदनापुर के मैजिस्ट्रेट मि० पेड्डी की हत्या का फ़रार अभियुक्त श्री० विमल कुमार दास गुप्त यही व्यक्ति हैं!

—कोयलवर और सतपहाड़ी (शाहाबाद) में बम फटने के सम्बन्ध में आरा में कई जगह तलाशियाँ हुईं किन्तु कोई सन्देहजनक वस्तु नहीं मिली। पहले के गिरफ़्तार व्यक्तियों के अतिरिक्त और कोई इधर गिरफ़्तारियाँ नहीं हुई हैं।

मि० चर्चिल की बेतुकी बातें

मि० चर्चिल अपनी औंधी खोपड़ी और उससे निकली हुई लज़्ज़तदार बातों के लिए काफ़ी प्रख्यात हो चुके हैं। अभी उस दिन फ़ॉकस्टोन नामक स्थान में भाषण देते हुए बेचारे घबराहट में कुछ के कुछ बक गए। कानपुर के दङ्गे का कारण उन्होंने गाँधी-इर्विन समझौता बताया है और कहा कि अङ्गरेज़ भारत के शासन से ज़रा भी हाथ खींच लें तो भारत का सत्यानाश हो जाय। उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि संस्कृति और सभ्यता के विकास का एक मात्र कारण गोरे शासक ही हैं! बात तो असल यह है कि मि० चर्चिल को कानपुर के मैजिस्ट्रेट मि० सेल पर दङ्गे का सारा अपराध प्रमाणित होना सर्वथा असह्य तथा अप्रिय था!

—महात्मा जी के राउण्डटेबुल कॉन्फ़्रेन्स में शामिल होने की ख़बर से लन्दन के भारतीयों में एक सनसनी फैल गई है। लन्दन की कॉङ्ग्रेस कमिटी अभी से तैयारियाँ कर रही है और अनेक भारतीय संस्थाएँ भी इसमें ख़ूब ही दिलचस्पी ले रही हैं।

* * *

किसानों की कष्ट-कहानी

तूफ़ान और अकाल का भयङ्कर प्रकोप

जूट और तम्बाकू का भाव बेहद घट जाने के कारण रङ्गपुर के किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। जूट और तम्बाकू ही यहाँ की ख़ास उपज है और दोनों की हालत एक-सी हो रही है। पिछले साल मई मास में बड़े ज़ोरों का तूफ़ान आया था, जिससे कितने ही व्यक्ति बेघर के हो गए और अधिकांश फ़सल नष्ट हो गई। फिर जुलाई में भूकम्प हुआ, जिससे घर-बार की क्षति तो हुई ही, ब्रह्मपुत्र में अचानक भयङ्कर बाढ़ आ गई और फलतः ज़िले के अधिकांश हिस्सों की फ़सल एकदम नष्ट हो गई! इस समय अकाल का प्रकोप विशेषतः गायबाँधा सब-डिविज़न के शङ्हट्टा, फूलछड़ी और सुन्दर गञ्ज थानों में है, जिनका क्षेत्रफल ४५० वर्गमील है। सरकारी सहायता के अतिरिक्त वहाँ की डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी सहायता कर रही है, जहाँ आठ सौ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। इस समय प्रतिदिन दो सौ रुपए की औसत का ख़र्च है। अब तक ज़िले में किसानों को १,४२,००० रुपए क़र्ज़ दिए गए हैं! रामकृष्ण मिशन, मारवाड़ी रिलीफ़ सोसाइटी, स्थानीय कॉङ्ग्रेस कमिटी तथा अन्यान्य संस्थाएँ भी इसमें बड़ी तत्परता से सहयोग प्रदान कर रही हैं। इस साल अच्छी फ़सल होने का शुभ-लक्षण दिखाई दे रहा है।

लगान के घट जाने पर भी ग़रीबी के मारे बेचारे किसान लगान देने में असमर्थ हैं; किन्तु ज़मींदार अत्याचार करने से बाज़ नहीं आते और बेगार तथा नज़राना के लिए उन दरिद्र किसानों को तबाह कर रहे हैं! वहाँ आस-पास के कई गाँवों में १४४ दफ़ा लगा दी गई है, जिसमें लगान के सम्बन्ध में कोई भाषण न दे सके।

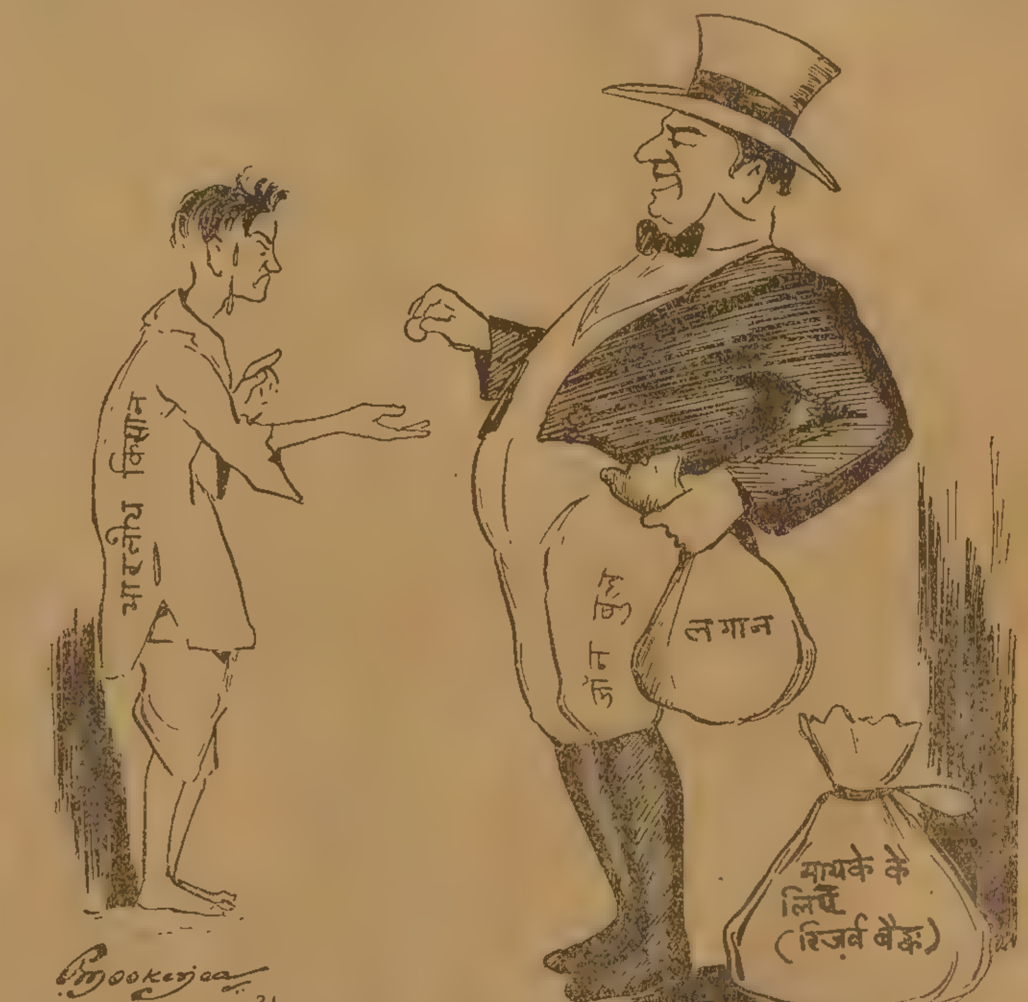
किसान पीसे जा रहे हैं

ताल्लुक़ेदार और पुलिस वालों का प्रहार!

ख़बर है कि पं० माताप्रसाद और बा० शीतला-सहाय जी ने, जो रायबरेली ज़िले में कॉङ्ग्रेस कार्य करने गए थे, पं० जवाहरलाल जी के पास रिपोर्ट भेजी है, कि रायबरेली के किसानों की अवस्था अत्यन्त शोचनीय है। ताल्लुक़ेदार ज़ुल्म कर रहे हैं और सरकार उन्हें शह दे रही है! उनका कहना है कि मठगाँव नामक एक ग्राम में पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठियाँ बरसाईं, जिसके फल-स्वरूप बहुत लोग घायल हुए, जिनमें से कई इलाहाबाद कॉङ्ग्रेस हस्पताल में लाए गए हैं। लाठी चलने का कारण यह बतलाया जाता है कि एक कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ता लगानबन्दी के सम्बन्ध में व्याख्यान देने के कारण गिरफ़्तार कर थाने की हिरासत में बन्द किया गया। कहा जाता है कि उसके छुड़ाने के लिए किसानों ने पुलिस से प्रार्थना की, किन्तु उनकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया गया। इस पर वे किसान चौकी के पास ही डटे रहे। कहा जाता है कि इसीलिए पुलिस ने उन पर लाठियाँ चला दीं। पं० जवाहरलाल जी ने वचन दिया है, कि दिल्ली जाते समय वे रायबरेली जाकर स्वयं इस घटना की जाँच करेंगे। एक सब-कमिटी भी नियुक्त कर दी गई है, जो रायबरेली ज़िले में ताल्लुक़ेदारों के अत्याचारों के सम्बन्ध में जाँच करेगी।

—लाहौर का समाचार है कि गत २२वीं जून के प्रातःकाल एक हिन्दू की लाश पुलिस को मिली। जाँच करने पर ज्ञात हुआ कि नौकरी न मिलने के कारण उस आदमी ने आत्म-हत्या कर ली थी।

* * *



“चार आने की माफ़ी”

ज़मींदार और किसानों में युद्ध का हृदयविदारक दृश्य

भटवरिया (इलाहाबाद) का हत्याकाण्ड क्यों और कैसे हुआ ?

इलाहाबाद ज़िला के अन्तर्गत भटवरिया नामक ग्राम के गोली और हत्या-काण्ड का समाचार पाठक 'भविष्य' के विगत अङ्क में पढ़ चुके होंगे, जिसमें वहाँ के ज़मींदार स्वर्गीय जवाद हुसेन भी अपने साथियों सहित मारे गए थे। इसी सम्बन्ध में स्थानीय शहर कॉङ्ग्रेस कमिटी के मन्त्री श्री० मुज़फ़्फ़र हुसेन ने कॉङ्ग्रेस-सम्बन्धी जाँच की एक रिपोर्ट हमारे पास प्रकाशनार्थ भेजी है, जो अविकल रूप में नीचे प्रकाशित है :—

जब हम लोगों को मालूम हुआ कि तहसील मञ्झन-पुर में ज़मींदारों और काश्तकारों के दरम्यान फ़साद हो गया, तो हम लोग बाबू पुरुषोत्तमदास जी टण्डन, प्रेज़िडेण्ट ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के कहने के मुताबिक़ एम्बुलेन्स कार और दो कम्पाउण्डरों को लेकर मौक़े-वारदात पर इस ख़्याल से रवाना हुए कि हर दो फ़रीक़ में से, जिसे भी तबई इमदाद की ज़रूरत हो, कॉङ्ग्रेस हॉस्पिटल में लाकर उसका इलाज करें और मौजूदा वाक़यात की जाँच-पड़ताल करें। हम तक़रीबन डेढ़ बजे यहाँ से रवाना हुए और छः बजे मौक़े-वारदात यानी भटवरिया पहुँचे और गाँव के अन्दर दाख़िल हुए। पुलिस वालों और दो-चार बुढ़ियों के अलावा, जो इन्तहाई परेशानी की हालत में गाँव में बैठी हुई थीं, गाँव में कोई आदमी न था, हर एक मकान बन्द था ; अन्दर से और कोई बाहर से। जो मकान अन्दर से बन्द थे, उनके बारे में मालूम हुआ कि इस मकान को औरतों ने अन्दर से बन्द कर लिया है। दरियाफ़्त करने से मालूम हुआ कि गाँव के अन्दर महमूद ख़ाँ साहब डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस और दूसरे पुलिस के ऑफ़िसर तहक़ीकात में मसरूफ़ हैं। और गाँव के तमाम मर्द वहीं पकड़ कर बैठाए गए हैं, जिसमें हमें बताया गया कि ऐसे ज़ख़्मी भी मौजूद हैं, कि जिनके जिस्म में अब तक गोलियाँ या छर्रे भी मौजूद हैं। और एक अहीर के बारे में तो यहाँ तक बताया गया है, कि उसके गले में छुरा लगा है और उसकी हालत मख़्दूस है। ख़ैर, हमने एक जगह बैठ कर इस मज़मून का ख़त डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट के नाम तहरीर करके अपने कारकुन अल्लाबख़्श के मारफ़त रवाना किया, कि हम लोग इलाहाबाद से भटवरिया के फ़साद को सुन कर एम्बुलेन्स कार और कम्पाउण्डर्स लेकर इस ग़र्ज़ से आए हैं, कि ज़ख़्मियों का इलाज व मरहम-पट्टी करें, उम्मीद है कि आप हमें इसकी इजाज़त देंगे। अल्लाबख़्श ने वापस आकर यह बतलाया कि डिप्टी साहब शकल देखते ही बहुत बिगड़े और ख़ास पुलिस के लबोलहजे में कहा कि कहाँ चले आते हो और क्या काम है ? अल्ला-बख़्श ने बढ़ कर ख़त उनके हाथ में दे दिया और उनसे कहा कि इसे पढ़ लीजिए, सब कुछ इसी में लिखा है। उन्होंने ख़त देख कर अलहदा डाल दिया और यह कहा कि तुम लोग गाँव में क्यों आए, तुम्हें मालूम नहीं है, कि यहाँ १४४ दफ़ा लगी है ? अल्लाबख़्श ने कहा कि हमको तो इस दफ़ा १४४ की कोई इत्तला नहीं दी गई। इस पर उन्होंने अपने ख़ास टोन में फ़रमाया कि हम तुमसे कहते हैं, कि हमारी ज़बान १४४ है। अल्लाबख़्श यह कह कर चले आए, कि आप लिख कर हमारे पास भेजिए, तो हम इस पर ग़ौर करेंगे। अल्लाबख़्श को वापस आए पाँच मिनट भी नहीं गुज़रे थे, कि हम लोग जहाँ बैठे हुए थे, वहाँ एक साहब तशरीफ़ लाए, जो अपने को ज़मींदार साहब का मुला-ज़िम बतलाते थे। उनके पीछे-पीछे दो-तीन कॉन्स्टेबिल थे। वे हम लोगों को मुख़ातिब करके यह फ़रमाने लगे कि आप ही लोगों ने किसानों को बिगाड़ा और फ़साद कराया है, आप लोग यहाँ से निकल जाइए। जब उनसे यह कहा गया कि आप यह किस हैसियत से कहते हैं, और हम हरगिज़ यहाँ से नहीं जा सकते, तो वह बहुत बिगड़े और नामुलायम अलफ़ाज़ इस्तेमाल करने लगे। हम लोग ख़ामोश हो गए और उनसे बातचीत करने से इन्कार कर दिया। इस अरसे में अल्लाबख़्श से यह मालूम करके, कि ज़ख़्मी वहाँ बैठे हुए हैं, हमारे दोनों कम्पाउण्डर वहाँ इस ख़्याल से गए, कि अगर मुमकिन हो तो वहीं पर उनकी कुछ मरहम-पट्टी की जावे। मगर डिप्टी साहब उनसे और भी ज़्यादा बिगड़े और यहाँ तक फ़रमाया कि तुम्हें कान पकड़ कर निकाल दिया जावेगा। आख़िर को वह भी यही कह कर वापस चले आए, कि आप तहरीरी नोटिस दीजिए, तब हम इस पर ग़ौर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग गाँव में चारों तरफ़ घूमते रहे और जो लोग मिल सके उनसे हालत दरियाफ़्त किया। क़रीब शाम को हम लोग भटवरिया से रवाना हुए। क़रीब के गाँव में सरसरी तहक़ीकात की, जिससे हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे कि भटवरिया के छः व सात घर के एक छोटे से मौज़े में ७ जून को जवादहुसेन साहब ज़मींदार सुबह-सवेरे—तक़रीबन १५० आदमी लेकर भटवरिया पहुँचे। गाँव के लोग भी यह देख कर इकट्ठा हो गए। जवाद-हुसेन साहब ने उन लोगों से कहा कि आज मैं देखूँगा कि कौन असली बाप का है, जो लगान अदा नहीं करता और क़सम खाई कि मैं आज बिना लगान लिए यहाँ से नहीं जाऊँगा। काश्तकारों ने उनसे कहा कि फ़सल ख़रीफ़ का लगान अदा कर चुके, रबी की माफ़ी का परचा हमें अब तक नहीं मिला, जब तक हमें ठीक-ठीक यह न मालूम हो कि कितनी माफ़ी हुई है और कॉङ्ग्रेस का यह हुक्म न मिल ले, तब तक लगान हम अदा नहीं कर सकते और न हमारे पास इतना रुपया है कि हम पूरा लगान अदा कर सकें। बाज़ काश्तकारों ने यह भी कहा कि २६ में भी माफ़ी हुई थी। आपने हमसे उस साल भी ज़बरदस्ती पूरा लगान वसूल कर लिया था, हम इस मरतबा बिला तय हुए न देंगे। और आपको इस साल की माफ़ी भी देनी होगी। इस अरसे में ज़मींदार के दो सिपाही अलहदा होकर काश्तकारों के पास आए और उनसे मुतालबाना अन्दाज़ में यह कहा कि लगान तुम्हें अदा करना पड़ेगा, चाहे अब दो या बाद में। अच्छा हो, अगर आज ही थोड़ा-बहुत लगान दे दो, क्या फ़ायदा कि झगड़ा-बखेड़ा हो। काश्तकारों ने कहा कि आज तो आप अपने साथ इतने आदमियों को लेकर आए हैं, आज तो लगान हम नहीं दे सकते। कल अगर आप हमेशा की तौर पर आवेंगे तो हम आपको कुछ न कुछ लगान देंगे। इतने ही में जवाद हुसेन साहब के साथियों ने थप्पड़ चला दिया। जवाद हुसेन साहब ने मना किया, मगर वह बिगड़े कि आप हमें फिर किस लिए लाए हैं। वे काश्तकारों को गालियाँ देने लगे और कहा कि आज हम इन्हें दुरुस्त कर देंगे। इसके बाद दोनों तरफ़ से थप्पड़बाज़ियाँ शुरू हो गईं, जब ख़ूब तेज़ी से थप्पड़बाज़ियाँ शुरू हुईं तो जवाद हुसेन साहब ने बन्दूक़ का फ़ायर करना शुरू किया, जिसमें एक दर्ज़ी मर कर गिरा और लोगों के ज़ख़्म आए। तब काश्तकार वहाँ से भागे और अपने-अपने घरों में घुस कर किवाड़ा बन्द कर लिया। ज़मींदार साहब के आदमी गाँव में घुस गए और लोगों के छप्पर वग़ैरह पीटने लगे और दो-तीन घरों में आग भी लगा दी। बाज़ लोगों का बयान है कि वह लोग कुछ आतशबाज़ी भी छुड़ा रहे थे और मकानों में आग इसी आतशबाज़ी से लगी है। इसके बाद भटवरिया का शोर-गुल व आग सुन कर दूसरे गाँव से काश्तकार इकट्ठे होकर इधर आ गए और इन्हें देख कर ज़मींदार के आदमी गाँव से बाहर भागे। गाँव के लोग भी मकानों से बाहर निकल आए और सब काश्तकार मिल कर हमलावर हुए। कुछ देर तक लड़ाई भी हुई और गोली भी चलती रही, उसके बाद ज़मींदार के आदमी भाग खड़े हुए। ख़ुश एतक़ाद लोगों का कहना है, कि ख़ुद-बख़ुद बन्दूक़ से फ़ायर होना बन्द हो गया और बाज़ लोगों का कहना है कि जवाद हुसेन साहब के पास की गोलियाँ ख़तम हो गईं और जो फ़ाज़िल कारतूस पेटी में लगा हुआ उनके मुलाज़िम के गले में था, वह उसके भाग जाने की वजह से उन्हें न मिल सका। नतीजा यह हुआ कि सब लोग भाग गए और जो पाँच-सात आदमी बाक़ी रहे थे, वह जान से मारे गए। बाज़ लोगों का बयान यह है कि उन मक़-तूलों में से भी बाज़ लोग शायद गोली से मरे। शहीदन जवाद हुसेन साहब की गोली का शिकार हो गया। इस वक़्त गाँव की हालत बहुत ख़राब है, पूरे गाँव पर पुलिस का सख़्त पहरा है, औरतें और बच्चे सख़्त परेशान हैं। उन्हें हम लोगों के पहुँचने से कुछ ढाढ़स हुआ और हमारे वापसी की ख़बर सुन कर वह बहुत परेशान हुए। पुलिस ने एक घर में घुस कर तमाम मर्दों को पकड़ कर हिरासत में कर लिया है, जिनको दाना-पानी भी नसीब नहीं होता, ज़ख़्मियों की मरहम-पट्टी तो बहुत दूर रही। यह भी बयान किया गया है, कि पुलिस ने बाज़ घरों से मर्दों को तलाश करते हुए कुछ ज़ेवर और मुख़्तलिफ़ सामान भी निकाल लिया है।

—मुज़फ़्फ़र हसन	—शिवमूर्ति
मन्त्री	मन्त्री
शहर कॉङ्ग्रेस कमिटी	ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी
प्रयाग	प्रयाग

* * *

किसानों पर भयङ्कर ज़ुल्म

लगान न देने के कारण गिरफ़्तारियाँ

अब तक १०० आदमी पकड़े गए।

लखनऊ के १८वीं जून के समाचारों से विदित होता है, कि उपज न होने के कारण वहाँ के किसान लगान चुकाने में सर्वथा असमर्थ हैं, इस कारण वे धड़ा-धड़ गिरफ़्तार किए जा रहे हैं।

गत १८वीं जून का बाराबङ्की ज़िले का समाचार है, कि दौलतपुर कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रधान बा० बलदेव-प्रसाद तथा ८ और व्यक्ति १०७वीं धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए। अब तक वहाँ गिरफ़्तारियों की संख्या सौ तक पहुँच चुकी है। जेल में जल और भोजन की अत्यन्त दुर्व्यवस्था बताई जाती है।

"मैं क्रान्तिकारी हूँ और मुझे क्रान्तिकारी होने का गर्व है"

लाहौर के नए षड्यन्त्र केस में श्री० सुखदेवराज का सनसनीपूर्ण बयान !

मैजिस्ट्रेट दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता :: जेल-सुप० ने अदालत की आज्ञा ठुकरा दी !!

१३ जून को लाहौर सेन्ट्रल जेल में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने श्री० सुखदेवराज फिर पेश किए गए।

सरकारी वकील रायबहादुर पण्डित ज्वालाप्रसाद ने, अभियुक्त सुखदेवराज की अर्ज़ी, जोकि उसने हरीकिशन की फाँसी के सम्बन्ध में अदालत के नाम लिखी थी और जिसे जेल के अधिकारियों ने रोक रक्खा था, आज ट्रिब्यूनल के सामने पेश की और कहा कि यह अर्ज़ी केवल प्रचार के अभिप्राय से लिखी गई थी। यह अर्ज़ी अख़बारों में न छपने देनी चाहिए।

अभियुक्त सुखदेवराज ने कहा, कि यह अर्ज़ी जेल के अधिकारियों ने मुझसे ली थी, इसलिए वह मुझको ही मिलनी चाहिए। अर्ज़ी मिल जाने के बाद मैं इस बात पर विचार करूँगा, कि वह अदालत में पेश की जाय या न की जाय ?

इस पर सरकारी वकील ने कहा कि अर्ज़ी अभियुक्त को न मिलनी चाहिए। यदि अभियुक्त यह अर्ज़ी अदालत में नहीं पेश करना चाहता, तो उसे जेल के अधिकारियों के पास वापस कर देनी चाहिए।

सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने कहा कि अभियुक्त अर्ज़ी को अदालत में पेश करने या न करने के विषय में अपना मत परिवर्तन कर सकता है। अभियुक्त को उसकी अर्ज़ी उसे मिल जाना आवश्यक है। सम्भव है कि वह अदालत में पेश करने के पहले अपने वकील से इस बात की सलाह लेना चाहता हो, कि अर्ज़ी पेश की जाय या नहीं ? जेल के अधिकारियों को यह निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है कि अदालत में पेश की जाने वाली कौन सी वस्तु आपत्तिजनक है और कौन सी ग़ैर-आपत्तिजनक है। आइन्दा से अब उन्हें अर्ज़ियों को सीधे अदालत में भेज देना चाहिए।

मि० सलीम— मान लीजिए कि अभियुक्त अपने वकील की सलाह से अर्ज़ी पेश करना चाहता है।

सरकारी वकील—यह तो ठीक है, परन्तु उस दिन अभियुक्त का कहना था, कि मैं तब तक अदालत की कार्रवाइयों में भाग न लूँगा, जब तक कि मेरी अर्ज़ी के सम्बन्ध में कोई निर्णय न हो जायगा।

सरकारी वकील की बौखलाहट

मि० सलीम—अदालत अभियुक्त को अपने उसी मत पर आज भी स्थिर रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।

इस पर सरकारी वकील ने इस बात को ज़ोर देकर कहा कि अर्ज़ी जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट के पास लौटा दी जाय। सम्भव है कि सबूत-पक्ष को अभियुक्त की लिखावट प्रमाणित करने या उसके विरुद्ध गवाही देने के लिए उसकी ज़रूरत पड़े। अदालत इसे अपनी मिसिल में दर्ज कर ले या कम से कम उसकी ज़ाब्ते की नक़ल ले ली जाय।

मि० श्यामलाल ने कहा कि यदि यही बात है तो सबूत-पक्ष अर्ज़ी के प्रकाशन को रोकने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, अभियुक्त को अर्ज़ी के मिसिल में दर्ज हो जाने का कोई डर नहीं है।

ट्रिब्यूनल के एक सदस्य, रायबहादुर गङ्गाराम सोनी ने कहा, कि यद्यपि अभियुक्त ने उस दिन कहा था कि जब तक अर्ज़ी का निर्णय न हो जायगा, तब तक मैं अदालत की कार्रवाई में भाग न लूँगा, फिर भी उसे अपनी अर्ज़ी वापस लेने का अधिकार है।

सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने कहा कि वह चाहे तो अपनी अर्ज़ी नष्ट कर सकता है।

सरकारी वकील ने कहा—मैंने उसे अदालत की आज्ञा से पेश किया है।

रायबहादुर गङ्गाराम—परन्तु वह अभियुक्त की तरफ़ से पेश हुई समझी जायगी।

सरकारी वकील—नहीं-नहीं, यह बात नहीं है। अगर अर्ज़ी अदालत में पेश न की जाय, तो वह जेल-अधिकारियों के पास वापस भेज देने के लिए मुझे मिल जानी चाहिए। वह मेरे अधिकार में है और मेरे विश्वास पर दी गई है।

रायबहादुर गङ्गाराम—परन्तु आपका अधिकार अनुचित है। उसका हक़दार अभियुक्त है।

इस पर मि० सलीम ने सरकारी वकील से कहा कि जब अभियुक्त कहता है कि मैं अर्ज़ी पेश करूँगा, तब आप कहते हैं कि वह पेश नहीं होनी चाहिए और अब जब वह कहता है कि मैं नहीं पेश करूँगा तब आप कहते हैं कि उसे ज़रूर पेश करनी चाहिए। यह एक ऐसी बात है जिसे मैं समझने में असमर्थ हूँ।

सरकारी वकील ने कहा—जेल-अधिकारी अर्ज़ी को वापस चाहते हैं। वे उसे अभियुक्त के आमालनामा (History Ticket) में दर्ज कर सकते हैं या उससे और कोई लाभ उठा सकते हैं।

इस पर सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने कहा कि जेल के नियमों का इस रीति से प्रयोग न होना चाहिए कि अभियुक्त की सफ़ाई में बाधा पड़े। यदि अभियुक्त यह समझ लेगा कि जेल में उसकी लिखी हुई कोई भी अर्ज़ी उसके वकील के देखने के पहले ही अदालत या सबूत-पक्ष देख सकता है, तो अभियुक्त के लिए कोई भी अर्ज़ी लिखना या अपने वकील से सलाह लेना मुश्किल हो जायगा। अदालत और सरकारी वकील को अभियुक्त और उसके वकील के बीच के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

सफ़ाई के वकील की अर्ज़ी

मि० श्यामलाल ने अभियुक्त की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए निम्न-लिखित अर्ज़ी अदालत के सामने पेश की।

(१) १० जून को अभियुक्त सुखदेवराज ने जेल में अदालत के सामने पेश करने के लिए कुछ अर्ज़ियाँ लिखी थीं।

(२) जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने उन अर्ज़ियों को अदालत में पेश करने की इजाज़त नहीं दी।

(३) अभियुक्त ने अदालत आने पर सुपरिण्टेण्डेण्ट के इस कार्य का विरोध किया। इस पर अदालत ने उन अर्ज़ियों के पेश करने का हुक्म जारी किया।

(४) हुक्म पर सुपरिण्टेण्डेण्ट ने एक अर्ज़ी तो भेजी, किन्तु दूसरी रोक ली।

(५) अभियुक्त ने अदालत से प्रार्थना की कि सुपरिण्टेण्डेण्ट के पास से आई हुई अर्ज़ी मुझे दे दी जाय, जिससे अदालत के सामने पेश करने के पहले मैं उस पर विचार कर लूँ।

(६) दूसरी अर्ज़ी के सम्बन्ध में, जिसे जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने रोक रक्खी थी, अदालत ने सुपरिण्टेण्डेण्ट को एक नोटिस दिया। जिसमें उनसे अभियुक्त की अर्ज़ी रोक रखने का कारण पूछा गया था और यह भी पूछा गया था कि भविष्य में ऐसी अर्ज़ी रोकने के लिए तुमसे कैफ़ियत तलब क्यों न की जाय ?

(७) इस पर १३ जून को सरकारी वकील ने वह अर्ज़ी पेश की और कहा कि ग़लती से जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने वह अर्ज़ी रोक ली थी।

(८) इस पर अभियुक्त ने अदालत से प्रार्थना की कि अर्ज़ियाँ मुझे वापस मिल जायँ, जिससे मैं अदालत में पेश करने के पहले उन पर अपने वकील की सलाह ले सकूँ।

(९) सरकारी वकील ने इस प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि अर्ज़ियाँ जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट के पास वापस भेज दी जायँ, अर्ज़ियों में लिखी हुई बातें अभियुक्त के विरुद्ध प्रमाण-रूप में प्रयुक्त की जा सकती हैं।

(१०) अब अभियुक्त की सफ़ाई के सम्बन्ध में एक विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। जिस अर्ज़ी को जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने रोक रक्खी थी, उसकी ज़रूरत केवल १० जून तक थी, उसके बाद किसी दूसरी तारीख़ को पेश करने का कोई तात्पर्य नहीं है। अभियुक्त उपर्युक्त तारीख़ को अर्ज़ी उपस्थित करने से रोक लिया गया, परन्तु फिर भी सबूत-पक्ष उस अर्ज़ी का, अभियुक्त के विरुद्ध सबूत के लिए उपयोग करना चाहता है।

(११) क़ानून के मुताबिक़ अभियुक्त को उसकी सफ़ाई के लिए पूर्ण सुविधा मिलनी चाहिए। यह अदालत जेल के उन नियमों के प्रयोग की इजाज़त न दे, जिनसे अभियुक्त को सफ़ाई में बाधा पड़ती हो।

(१२) अगर अदालत या सबूत-पक्ष अभियुक्त और उसके वकील के बीच किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने लगे तो अभियुक्त के लिए कोई अर्ज़ी लिखना या अपने वकील से सलाह लेना मुश्किल हो जायगा।

(१३) ऐसी कठिनाइयाँ सम्भवतः आगे भी पड़ सकती हैं, इसलिए अभियुक्त अदालत से निम्न-लिखित हुक्म जारी कर देने की प्रार्थना करता है :—

(क) यह कि अभियुक्त को लिखी हुई अर्ज़ी साथ लाने, अदालत और सबूत-पक्ष को अर्ज़ी में लिखी बातों को न जानने देने और अदालत के सामने अर्ज़ी पेश करने के पहले वकील से सलाह लेने का अधिकार रहे।

(ख) यह कि जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट को ऐसी अर्ज़ी रोक लेने का कोई अधिकार नहीं है।

(ग) किसी भी हालत में जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट को यह अधिकार नहीं है, कि इस तरह की अर्ज़ियों को सबूत-पक्ष को दे दे।

सरकारी वकील का विरोध

सरकारी वकील ने इस अर्ज़ी का विरोध किया और कहा कि इसका एक मात्र तात्पर्य समाचार-पत्रों में प्रचार के लिए छपाना है।

मि० श्यामलाल ने कहा—मैं सरकारी वकील के इस आक्षेप का, कि हमारा उद्देश्य केवल प्रचार-कार्य करना है, अभियुक्तों के हितों की रक्षा करना नहीं है, ज़बर्दस्त विरोध करता हूँ।

इस पर ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि सरकारी वकील को सफ़ाई के वकील के प्रति कहे हुए शब्दों का स्पष्टीकरण करना चाहिए।

सरकारी वकील—मेरे कथन का उद्देश्य मि० श्यामलाल पर कोई व्यक्तिगत आक्षेप करना नहीं है।

मि० श्यामलाल ने कहा कि मैं सरकारी वकील के उद्देश्य को मान लेता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी अर्ज़ी का उद्देश्य अभियुक्त की स्थिति को अदालत के सामने बिल्कुल स्पष्ट करना मात्र है।

इसके बाद आपने हाईकोर्ट के एक सर्क्युलर का हवाला देते हुए कहा कि जेल के अधिकारी अगर अभियुक्त की सफ़ाई में किसी प्रकार की बाधा डालते हों तो अदालत को अख़्तियार है कि वह अभियुक्त के हितों की रक्षा करे।

मि० सलीम—आप अदालत से क्या चाहते हैं ?

मि० श्यामलाल—मैं चाहता हूँ कि अर्ज़ियाँ सुखदेवराज को लौटा दी जायँ और सुपरिण्टेण्डेण्ट को इस बात की हिदायत कर दी जाय, कि आगे से वह ऐसी अर्ज़ी रोक न रक्खें।

इसके बाद प्रेज़िडेण्ट ने सरकारी वकील से पूछा कि आप इस अर्ज़ी को क्यों रख लेना चाहते हैं ?

सरकारी वकील—सबूत-पक्ष के लिए यह एक गवाही का कार्य करेगी। मैं इसके द्वारा प्रमाणित करूँगा कि अभियुक्त क्रान्तिकारी है, क्योंकि अर्ज़ी में वह श्री० हरीकिशन को अपना साथी कहता है और उसके कार्यों की प्रशंसा करता है।

"मुझे क्रान्तिकारी होने का गर्व है"

मि० श्यामलाल—मैं फिर से इस बात पर ज़ोर देता हूँ, कि अभियुक्त को अपनी अर्ज़ियाँ वापस पाने का अधिकार है। अभियुक्त अपने आपको क्रान्तिकारी स्वीकार करने से डरता नहीं। इधर-उधर के हवालों से क्रान्तिकारी साबित करने की क्या आवश्यकता है ? मैं अभियुक्त की तरफ़ से अदालत के सामने एक अर्ज़ी पेश करने वाला हूँ, जिसमें उसने अपने आपको क्रान्तिकारी स्वीकार किया है और उसके लिए उसे गर्व है। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं, कि वह अपनी अर्ज़ी वापस पाने के क़ानूनी हक़ से वञ्चित रहे।

इसके बाद मि० श्यामलाल ने श्री० सुखदेवराज के हाथ की लिखी हुई निम्न-लिखित अर्ज़ी अदालत के सामने पेश कर दी।

"सबूत-पक्ष की घृणित चालें"

"शुरू गिरफ़्तारी के समय से ही सबूत की तरफ़ से जैसी घृणित चालें मेरे साथ चली जा रही हैं और उनसे मेरी सफ़ाई के प्रबन्धों में जैसी बाधाएँ पहुँचाई जा रही हैं, उन्हें देखते हुए मैं निम्न-लिखित बातें अदालत के सामने उपस्थित कर देना चाहता हूँ :—

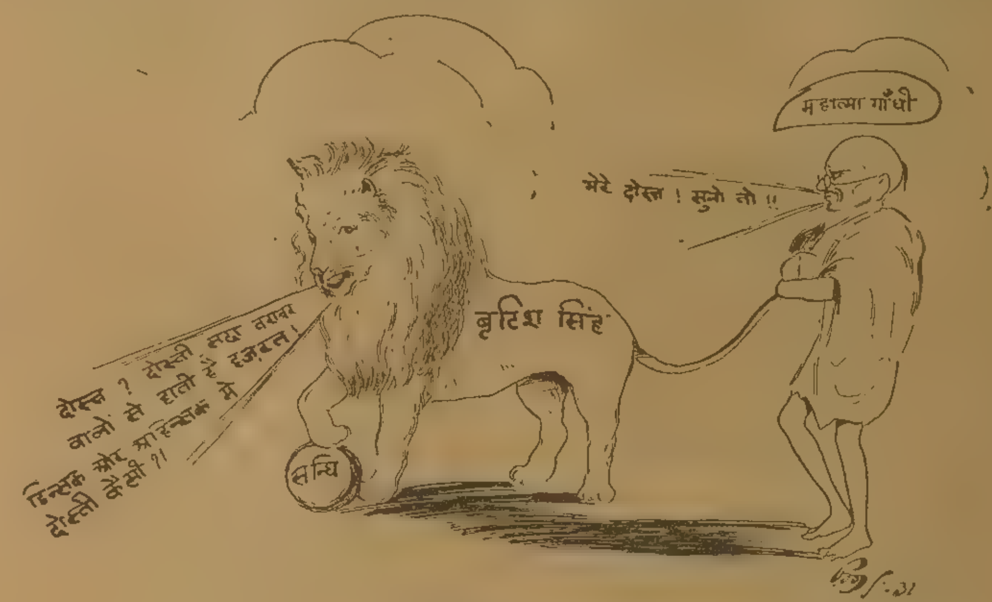
(१) ३री मई को गिरफ़्तार होते ही मैं तुरन्त लाहौर फ़ोर्ट पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। मैंने अपने वकील से मिलने की इजाज़त के लिए दरख़्वास्त दी, परन्तु पुलिस अधिकारियों ने साफ़ नामञ्ज़ूर कर देने तक की कृपा नहीं दिखलाई। मेरी और मेरे वकील की अर्ज़ियाँ पड़ी रहीं, उन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। यदि मेरी ओर से इस अदालत ने हस्तक्षेप न किया होता, तो शायद अब तक भी मैं पुलिस की हिरासत में ही पड़ा रहता।

(२) पुलिस ने ११-१२ दिन के बीच में दो बार मैजिस्ट्रेट की अदालत से मुहलतें लीं। पहले दफ़ा मैजिस्ट्रेट ने पुलिस की मुहलत की दरख़्वास्त एक मिनट में ही मञ्ज़ूर कर ली। उन्होंने अभियुक्त की बात को धैर्य देकर सुनना भी अनुचित समझा। दूसरी दफ़ा पुलिस की मुहलत की दरख़्वास्त मेरी ग़ैर-मौजूदगी में ही मञ्ज़ूर करके बाद में उसकी ख़बर मेरे पास पहुँचा दी गई !

मैजिस्ट्रेटों ने मेरी शिकायत दर्ज करने से इन्कार कर दिया

(३) शिनाख़्त-परेड के समय मैजिस्ट्रेटों ने, परेड के समय की ग़ैर-क़ानूनी कार्रवाइयों के विरुद्ध मेरी जो शिकायत थी, उसे बार-बार प्रार्थना करने पर भी लिखने से इन्कार कर दिया। मैजिस्ट्रेटों ने शिनाख़्त-परेड के समय मेरे वकील को उपस्थित रहने की भी इजाज़त नहीं दी। व्यवहार से मैजिस्ट्रेट पुलिस अफ़सरों के मातहत मालूम पड़ते थे, स्वतन्त्र विचार के नहीं। ऐसी शासन-प्रणाली में, जिसमें न्याय-विभाग कार्यकारिणी के हाथ का यन्त्र है, अमन और क़ानून की रक्षा का जैसा रूप होना चाहिए वैसा ही उनका था। बेचारा मैजिस्ट्रेट दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वह अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करे या रोटी देने वाली कार्यकारिणी की इच्छाओं का पालन करे।

(४) २री जून को पुलिस की दोनों मुहलतों के बीत जाने पर मैं न्यायालय की हिरासत में भेज दिया गया और साथ ही अदालत की ओर से हिदायत कर दी गई कि मैं इस केस के अन्य अभियुक्तों के साथ ही रक्खा जाऊँ, जिससे सफ़ाई के सम्बन्ध में पारस्परिक परामर्श करने में सुविधा हो। परन्तु जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने



शेर-बकरी सम्मेलन

इन आज्ञाओं का उल्लङ्घन करना ही उचित समझा और मुझे १४० नं० के कमरे में बन्द करने की इज़्ज़त प्रदान की, जिसमें सरदार भगतसिंह और राजगुरु अपनी फाँसियों के थोड़े ही पहले रह चुके थे। ४थी जून को जाकर कहीं मैं अपने केस के अन्य सहयोगी अभियुक्तों के साथ रक्खा गया।

(५) ६ ठी जून को पूर्वाह्न के समय, जब कि मेरे सहयोगी अभियुक्त अदालत में हाज़िर थे, मैं जेल के फाटक पर मुलाक़ात करने के लिए कह कर बुलाया गया। परन्तु वहाँ आने पर मुलाक़ात के बजाय, मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ कि मैं दण्ड-गृह में पहुँचाया जा रहा हूँ। डिप्टी जेलर ने मुझसे कहा कि अदालत से भी उच्च, राजसत्ता के हुक्म के मुताबिक़ अदालत का वह हुक्म, जिसके अनुसार तुम्हें अन्य अभियुक्तों से मिलने की इजाज़त दे दी गई थी, हटा लिया गया। उच्च राजसत्ता से, जिसका अर्थ प्रान्तीय गवर्नमेण्ट है, मेरे लिए कालकोठरी का भी हुक्म दिया है, क्योंकि मेरी कोठरी के २० गज़ इर्दगिर्द कोई भी राजनीतिक या अन्य प्रकार का बन्दी नहीं आ सकता।

उपरोक्त बातों से यह साफ़ ज़ाहिर है कि गवर्नमेण्ट ईमानदारी का बर्ताव नहीं कर रही है। इस केस में हम लोगों को दण्डित करने के लिए उसे अपने पक्ष की प्रबलता पर विश्वास नहीं है। वह निन्दनीय उपायों से सफ़ाई के कार्यों में बाधाएँ उपस्थित करके हम लोगों को दण्डित करना चाहती है। सबूत-पक्ष मेरे और मेरे साथियों के विरुद्ध चलने वाले केस की कमज़ोरी से भली-भाँति परिचित है, इस कारण उसने नीच प्रकार की चालों का आश्रय ग्रहण किया है। सफ़ाई का सङ्गठित प्रबन्ध होने पर यह केस तारों द्वारा बने हुए घर की तरह नष्ट-भ्रष्ट हो सकता है। अदालत के यह फ़ैसला कर देने के बाद, कि मैं अन्य अभियुक्तों के साथ ही रक्खा जाऊँ, सबूत-पक्ष का प्रान्तीय गवर्नमेण्ट द्वारा अदालत के हुक्म को बदलवा देने का कार्य निश्चय ही सम्मानपूर्ण नहीं कहा जा सकता। श्रीमान, मेरा तो कथन है कि सबूत-पक्ष क़ानून को अपने हाथों में उठाए ले रहा है। उसका जो भाव है वह अदालत की तौहीन करने का एक स्पष्ट केस है। मुझे अन्य अभियुक्तों से अलग रखने के मामले में सबूत-पक्ष जब अदालत द्वारा असफल हुआ, तब उसने अदालत के हुक्म का अतिक्रमण करने का एक दूसरा उपाय सोचा और उसमें सफलता प्राप्त कर ली। यह ऐसा उद्धत कार्य है, जो भलमनसाहत से दूर है !

"मुक़द्दमा महज़ पाखण्ड है"

गवर्नमेण्ट ने अपनी उद्धत नीति के द्वारा यह बात साबित कर दी है कि यह मुक़द्दमा निरा पाखण्ड है। वह इस अदालत के फ़ैसले को तभी तक मानेगी, जब तक वह उसके हितों के विरुद्ध नहीं है। अपने विरुद्ध फ़ैसला होने पर वह उस फ़ैसले को शून्य बना देने के लिए किस हद तक जा सकती है, यह उसने अभी दिखला दिया है। अत्याचार के विरुद्ध लड़ने वाले कमज़ोर, परन्तु सच्चे विद्रोहियों को कुचल डालने के लिए सम्पूर्ण शासन-यन्त्र का प्रयोग करने तक से वह नहीं हिचकती। मैं क्रान्तिकारी हूँ और मुझे क्रान्तिकारी होने का गर्व है। सबूत-पक्ष को ईमानदारी से काम लेना चाहिए, अन्यथा इस मुक़द्दमे से फ़ायदा ही क्या है ? अदालत में अभियुक्तों के सहयोग की आवश्यकता ही क्या है ? अदालत द्वारा अभियुक्तों के छोड़ दिए जाने पर भी सबूत-पक्ष उन्हें छोड़ने से इन्कार कर देगा और सम्भव है कि सन् १८१८ के तीसरे रेगुलेशन के अनुसार उन्हें रोक रक्खा जाय।

मैंने अपना केस जहाँ तक सम्भव था, स्पष्टता के साथ

प्रकट कर दिया है। अदालत से मेरी प्रार्थना है कि वह सबूत-पक्ष की ग़ैर-क़ानूनी कार्यवाहियों के विरुद्ध अपनी शक्ति का परिचय दे और अभियुक्तों के हित की रक्षा करे। यदि मुक़दमा न्याय से होना है, तो दोनों दलों को अदालत के प्रभुत्व को मानना चाहिए, अन्यथा सब व्यर्थ है।

आशा है कि मेरी शिकायतों को शीघ्र ही दूर किया जायगा।

इसके बाद अदालत ने हुक्म दिया कि सुखदेवराज की अर्ज़ी जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट के पास सुखदेवराज को लौटा देने के लिए भेज दी जाय। आगे के लिए अदालत ने कहा कि मौक़ा पड़ने पर हुक्म दिया जायगा।

इसके बाद अदालत की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

ता० १६ जून—आज जलपान के बाद अदालत के बैठने पर श्री० सुखदेवराज की फिर पेशी हुई। दर्शकों की गैलरी खचाखच भरी हुई थी।

अभियुक्त सुखदेवराज ने अपने सहयोगी अभियुक्तों से अलग रक्खे जाने के विरोध में एक अर्ज़ी दी थी, उसी पर अभियुक्त की तरफ़ से मि० श्यामलाल ने आज बहस की।

अर्ज़ी में कहा गया था, कि अभियुक्त अदालत के २ जून वाले हुक्म के अनुसार न्याय-विभाग की हिरासत में कर दिया गया था। साथ ही अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुन लेने के बाद यह भी सिफ़ारिश की थी कि अभियुक्त सुखदेवराज अपने केस के अन्य अभियुक्तों के साथ एक ही बैरक में रक्खा जा सकता है। जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने अदालत की सिफ़ारिश का पालन किया; परन्तु ६ जून को अभियुक्त सुखदेवराज अन्य अभियुक्तों से फिर अलग कर दिया गया, जिसका कारण जेल के नियमों का कोई उल्लङ्घन नहीं था, बल्कि प्रान्तीय सरकार का हुक्म था !! अर्ज़ी में यह भी कहा गया था कि अभियुक्त जेल के अन्य क़ैदियों से बिल्कुल अलग एक कालकोठरी में रक्खा गया है। अभियुक्त ने ट्रिब्यूनल से प्रार्थना की, कि वह सरकारी वकील से गवर्नमेण्ट द्वारा जारी किए गए इस हुक्म का कारण पूछे, जो यदि सन्तोषजनक न समझ पड़े, तो ट्रिब्यूनल अभियुक्त को अन्य अभियुक्तों के साथ रहने की आज्ञा दे दे। यदि ट्रिब्यूनल की आज्ञाओं या सिफ़ारिशों का पालन न हो सके, तो अभियुक्त को ज़मानत पर ही छोड़ दिया जाय।

अर्ज़ी ख़ारिज

मि० श्यामलाल ने अदालत से पूछा कि क्या सुखदेवराज के अन्य अभियुक्तों से अलग रक्खे जाने के कारण के विषय में जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट का कोई उत्तर आया है?

प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि इस विषय में वहाँ से कोई ख़बर नहीं आई है।

मि० श्यामलाल ने कहा कि क़ैदियों के अलग रखने के विषय में स्त्री-पुरुष-भेद का या श्रेणी-भेद का विचार किया जाता है। अदालत से दण्डित हो जाने वाले क़ैदी तक आपस में मिलने-जुलने से वञ्चित नहीं किए जाते। यदि किसी श्रेणी में केवल एक ही क़ैदी होता है, तो उसे अन्य श्रेणी के क़ैदियों से मिलने-जुलने दिया जाता है।

मि० सलीम—आपका मतलब यह है कि सुखदेवराज को अलग रखना अनिश्चित समय तक के लिए काल-कोठरी में रखने के बराबर है?

मि० श्यामलाल—जी हाँ, क़ैदी के लिए एकान्तवास से बढ़ कर और कोई दण्ड नहीं हो सकता। केस के अधिक समय तक चलने की सम्भावना है। यह सम्भव है कि इस एकान्तवास का अभियुक्त के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े। इस तरह से बिल्कुल अलग रखने से उसकी सफ़ाई में भी बाधा पड़ेगी। ऐसी हालत में, जब कि अभियुक्त के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो और उसकी सफ़ाई में बाधा पड़ती हो, अदालत को हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

मि० श्यामलाल ने कहा कि इस सम्बन्ध में मैं हाईकोर्ट में ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा २६-ए के अनुसार कार्रवाई करने वाला हूँ। अदालत से मेरी प्रार्थना है, कि वह इस केस की सुनवाई तब तक के लिए स्थगित कर दे। इस पर ट्रिब्यूनल ने २२ ता० तक के लिए केस स्थगित कर दिया।

दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के मुख़बिर ख़ैरातीराम की जिरह स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने आज भी जारी रही।

मि० श्यामलाल के जिरह करने पर मुख़बिर ने कहा, कि लाहौर फ़ोर्ट में अभियुक्तों की शिनाख़्त होने के समय मैं नहीं जानता था कि मुझे माफ़ी मिल जायगी। लॉयलपुर की कुछ जगहों के पते बतलाने पर मुझे माफ़ी मिली थी। पहरा देने वाले के हाथ मैंने सी० आई० डी० अफ़सरों के पास एक ख़बर भेजी थी, जिसका अभिप्राय यह था कि वे सरकारी वकील से कह कर मेरी तरफ़ से अदालत में एक ऐसी अर्ज़ी दाख़िल कर दें, जिससे मैं जेल की हिरासत से बदल कर लाहौर-फ़ोर्ट की हिरासत में कर दिया जाऊँ, क्योंकि जेल में मेरा स्वास्थ्य बराबर ख़राब होता जा रहा था। यह ख़बर मैंने लाहौर सेन्ट्रल जेल में आने के एक सप्ताह बाद भेजी थी। चार कॉन्स्टेबिल, नूर हुसेन नाम के एक हेड कॉन्स्टेबिल के साथ मेरे पहरे पर तैनात थे। लाहौर फ़ोर्ट में हेड कॉन्स्टेबिल तो दिखलाई पड़ता था, परन्तु वे चार कॉन्स्टेबिल वहाँ नहीं थे। ख़बर भेजने के बाद मुझसे कोई पुलिस अफ़सर नहीं मिला, सिर्फ़ सरकारी वकील और एक मैजिस्ट्रेट जेल में मुझसे मिलने के लिए आए थे।

मुख़बिर की अर्ज़ी

मि० अमोलकराम कपूर के जिरह करने पर मुख़बिर ने कहा, कि जिस दिन मुझसे सरकारी वकील और मैजिस्ट्रेट मिले थे, उस दिन मैंने एक काग़ज़ पर हस्ताक्षर किया था। काग़ज़ मुझे मैजिस्ट्रेट ने दिया था। उसे पढ़ लेने के बाद मैंने उस पर अपना हस्ताक्षर बनाया था। सरकारी वकील से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। वह काग़ज़ मेरी ओर से लिखी हुई अर्ज़ी थी, जिसमें लिखा था कि मेरा स्वास्थ्य जेल में बराबर ख़राब होता जा रहा है, इसलिए जेल से बदल कर मैं लाहौर-फ़ोर्ट में कर दिया जाऊँ या ज़मानत पर छोड़ दिया जाऊँ। अर्ज़ी में यह भी लिखा था, कि सेन्ट्रल जेल में मुझे जान का ख़तरा मालूम होता है।

फ़ोर्ट में

आगे जिरह करने पर मुख़बिर वह तारीख़ या महीना नहीं बतला सका, जब उसके पिता और भाई जेल में उससे मिले थे। दूसरे प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि मुझे यह याद नहीं, कि वे मुझसे मैजिस्ट्रेट के सामने मेरे बयान हो जाने के पहले मिले थे या बाद। मैं अदालत में १४ जनवरी, सन् १९३१ को हाज़िर हुआ था। मेरे पिता और भाई मुझसे इसके पहले ही मिल चुके थे। १४ जनवरी के बाद मैं उनसे दो बार मिला था। किन्तु मिलने की तारीख़ें मुझे याद नहीं हैं। लाहौर फ़ोर्ट में मैं अपनी कोठरी में रहा करता था। शौच क्रियादि और स्नान के समय के अतिरिक्त कोठरी के बाहर निकलने की इजाज़त नहीं मिली थी। माफ़ी मिल जाने के बाद, दिन और रात दोनों वक़्त, मैं कोठरी में ही रक्खा जाता था। माफ़ी मिलने के पहले दिन के वक़्त मैं कोठरी के अन्दर हथकड़ियाँ डाल कर और रात के वक़्त, एक हाथ में हथकड़ी डाल कर, जिसकी ज़ञ्जीर कॉन्स्टेबिल की चारपाई से बँधी रहती थी, खुले में रक्खा जाता था।

इसके बाद अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

आज ही मुख़बिर इन्द्रपाल की उस अर्ज़ी पर भी विचार हुआ, जिसमें कहा गया था, कि मुख़बिर को क़ानूनी सलाहकार से मिलने की इजाज़त दी जाय, क्योंकि हाईकोर्ट में वह ज़मानत पर छोड़े जाने के लिए एक अर्ज़ी पेश करना चाहता है।

सरकारी वकील ने कहा कि अदालत किस क़ानून के अनुसार मुख़बिर को क़ानूनी सलाहकार से मिलने की इजाज़त दे सकती है? जेल के नियमों के अनुसार अदालत अभियुक्त को केवल गवाही के लिए बुला सकती है; दूसरे किसी भी कार्य के लिए वह उसे नहीं बुला सकती। अदालत में हाज़िर होने के वक़्त भी अभियुक्त जेल-अधिकारियों की हिरासत में रहता है।

इस पर रायबहादुर गङ्गाराम ने कहा कि यदि अदालत अभियुक्त को ज़मानत पर छोड़ सकती है, तो क्या वह अदालत में क़ानूनी सलाहकार से मिलने की इजाज़त नहीं दे सकती?

इस पर पण्डित ज्वालाप्रसाद ने कहा कि अदालत को इन मामलों में वहाँ तक अख़्तयार है, जहाँ तक किसी जेल-नियम का उल्लङ्घन नहीं होता। इस केस में इन्द्रपाल के विरुद्ध कोई मामला नहीं चल रहा है और न वह कोई अभियुक्त ही है। वह सबूत-पक्ष का एक गवाह है, जिसका बयान अभी समाप्त नहीं हुआ है।

अदालत ने अर्ज़ी मञ्ज़ूर कर ली और क़ानूनी सलाहकार से मिलने की इजाज़त दे दी गई।

(क्रमशः)

* * *

'भगतसिंह प्रिवी कौन्सिल अपील-फ़ण्ड' का हिसाब

लाहौर १८ जून—कुमारी लज्जावती ने "भगतसिंह प्रिवी कौन्सिल अपील-फ़ण्ड" का निम्न-लिखित हिसाब प्रकाशित किया है:—

आय	व्यय
१२,८९१॥।=)।	सॉलिसिटर की फ़ीस २,७०६॥।-)॥।
	फ़ैसले की नक़ल आदि के लिए ८७०)
(इसमें १,२७९॥।=) मेहता अमरनाथ के द्वारा प्राप्त हुए थे)	(इसी में वे रुपए भी शामिल हैं, जो रामशरणदास आदि के मामले की पैरवी में ख़र्च किए गए थे।
	अन्य ... ... २६७-)॥
	प्रिवी कौन्सिल में श्री० हरीकिशन के मामले की पैरवी के लिए पं० जवाहरलाल की अनुमति से पं० सन्तानम ने ख़र्च किया—१,०००)
१२,८९१॥।=)।	५,१४३॥।≡)।

इस प्रकार ७,७४७॥।≡) बाक़ी बचते हैं। इसमें से ६७॥) मेहता अमरनाथ के पास था। उन्होंने मुझे वह रुपया भगतसिंह प्रिवी कौन्सिल अपील-फ़ण्ड में ले लेने का अधिकार दिया है। बाक़ी रुपए अर्थात् ७,६८६।=) पं० जवाहरलाल जी के पास गत मई मास में भेज दिए गए। वे एक कमिटी क़ायम करेंगे, जो इसी प्रकार के मामलों की पैरवी में ये रुपए ख़र्च करेगी, या इस प्रकार के मामलों के अभियुक्तों के सम्बन्धियों को (यदि आवश्यक हो तो) सहायता प्रदान करेगी। ६१॥)॥ का एक चेक उनके पास शीघ्र ही भेज दिया जायगा।



भविष्य

२५ जून, सन् १९३१

गाँधी-इर्विन समझौते का श्राद्ध !

गोलमेज़ का भविष्य

गवर्नमेण्ट की उस मूर्खता की आलोचना करते हुए, जिससे प्रेरित होकर स्वर्गीय सरदार भगतसिंह तथा उनके साथियों को फाँसी पर लटका दिया गया था—हमने 'भविष्य' के कॉङ्गरेस-अङ्क में लिखा था—"× × × कि यद्यपि गाँधी-इर्विन समझौते की सफलता पर एक ओर जहाँ अधिकांश जनता ने हर्ष और सन्तोष प्रकट किया था, वहाँ दूसरी ओर एक छोटा-सा दल ऐसा भी था, जिसने सदा इस समझौते को सन्देह एवं घृणा की दृष्टि से देखा था; दुर्भाग्य से आज देश में ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसने बलात् बहुमत को दूसरे दल वालों की दूरदर्शिता का क़ायल कर दिया है और २२वीं मार्च को देश का जो सब से कमज़ोर दल था, वही स्वेच्छाचारिता का पुट पाकर २३वीं मार्च की शाम को देश का सब से प्रबल अङ्ग बन गया है। आज एक ऐसा दल भी देश में उपस्थित हो गया है, जो महात्मा गाँधी के नेतृत्व में कार्य करना चाहता अवश्य है, किन्तु इच्छा से नहीं; बाध्य होकर! क्योंकि देश के समक्ष कोई दूसरा कार्यक्रम उपस्थित ही नहीं है, अतएव कर्तव्य समझ कर ही यह दल महात्मा गाँधी और उनकी राजनीति का साथ दे रहा है। गर्म-दल के नवयुवक तो आज खुले-आम महात्मा जी को गालियाँ दे रहे हैं। बम्बई में मज़दूर-दल के नेताओं ने "गाँधी का नाश हो" के खुले नारे लगाए थे और २९वीं मार्च का समाचार है, कि कराची पहुँचने पर एक दल ने महात्मा गाँधी का काले झण्डे लेकर इसी प्रकार के नारों से स्वागत किया है।

"हमें नेताओं की ज़रूरत नहीं", "गाँधी-इर्विन समझौते का नाश हो", "महात्मा गाँधी का नाश हो" आदि अनेक प्रकार के नारों द्वारा देश के पूज्य एवं प्रतिष्ठित नेताओं का स्वागत होना, भविष्य के गर्भ में छिपी हुई एक विषम परिस्थिति का परिचायक है, इसमें सन्देह नहीं। × × ×"

आज हम देख रहे हैं, हमारी ये पंक्तियाँ निराधार नहीं थीं और अपनी धारणा की पुष्टि में हम आज जितने प्रमाण उपस्थित कर सकते हैं, उतने प्रमाण पहिले उपस्थित करना शायद हमारे लिए सम्भव न था। पिछले लगभग चार महीनों में जिन विचारशील लोगों ने ब्रिटिश मनोवृत्ति और उसकी समय-समय पर निर्मित होने वाली चालों का अध्ययन किया होगा, वे सहज ही समझ सकते हैं, कि ब्रिटिश गवर्नमेण्ट का लॉर्ड इर्विन को मध्यस्थ बना कर समझौते के लिए हाथ बढ़ाना कूटनिति की एक अन्यतम चाल थी और अपनी इस चाल में उसे पूर्ण सफलता भी प्राप्त हुई। कॉङ्ग्रेस ने महात्मा गाँधी को मध्यस्थ बना कर जो सौदा मोल लिया था—उस पर टिप्पणी करना इस समय हमारा अभीष्ट नहीं है; किन्तु इतना हम अवश्य कह देना चाहते हैं, कि यह सौदा बहुत मँहगा हुआ था! वचन-बद्ध कॉङ्ग्रेस यह बात समझती न हो, सो बात नहीं है; किन्तु अब उसके सामने कोई उपाय भी तो शेष नहीं रह गया है! इस समय 'साँप-छछूँदर' वाला मसला उसके लिए अक्षरशः चरितार्थ हो रहा है। न वह निगल सकती है और न थूक ही सकती है, अस्तु।

गवर्नमेण्ट की ओर से समझौते के लिए हाथ बढ़ाए जाने का कारण स्पष्ट है। भारत-जैसे पराधीन और सदियों के ग़ुलाम देश की सर्वथा असहाय एवं निःशस्त्र जनता ने विगत राष्ट्रीय आन्दोलन में अपनी स्वातन्त्र्य-पिपासा का जो अनुपम उदाहरण ब्रिटिश-सिंह के सामने उपस्थित किया है, उसकी स्वप्न में भी उसे आशा नहीं थी। वास्तव में जिस मूल्य पर आज भारतवासी स्वतन्त्रता का सौदा कर रहे हैं, वह संसार के इतिहास में अद्वितीय है। एक ऐसी भीषण परिस्थिति का मुक़ाबला करने के लिए ब्रिटिश-सिंह उस समय तैयार नहीं था। उसके पास उस समय, न तो सङ्गठित साधन ही उपस्थित थे और न वह भारत के सम्बन्ध में एक निश्चित-नीति का ही निर्णय कर सका था, अतएव ब्रिटेन को इस विषम परिस्थिति को समझने एवं एक निश्चित-नीति के निर्णय करने के लिए थोड़े समय की आवश्यकता थी, जो उसे सहज ही प्राप्त हो गई। हमारी तो निश्चित-धारणा है, कि यदि महात्मा गाँधी अनुचित जल्दबाज़ी न किए होते, तो उस समय ब्रिटेन अपनी नैतिक पराजय के लिए मुँह-माँगा मूल्य देने को सहज ही बाध्य किया जा सकता था। उदाहरण के लिए केवल स्वर्गीय सरदार भगतसिंह आदि की फाँसी को ही ले लीजिए। क्या यह फाँसी इस क्षणिक सन्धि (Truce) के पहिले नहीं दी जा सकती थी? फिर वह कौन-सा रहस्यपूर्ण कारण था, जिसने ऐसा नहीं होने दिया? अस्तु—

इङ्गलैण्ड-स्थित हमारे परम प्रतिष्ठित एवं 'भविष्य' के विशेष सम्वाददाता ने हमें बतलाया है, कि भारत के सम्बन्ध में ब्रिटेन अब अपनी नीति निर्धारित कर चुका है। शायद पाठकों को बतलाना न होगा, कि 'वह निश्चित-नीति' केवल यही है, कि किसी भी मूल्य में ब्रिटेन भारत को स्वतन्त्र करने के लिए तैयार नहीं है और यदि भविष्य में—गोलमेज़ के विफल होने पर, जिसकी पग-पग पर सम्भावना है—भारतवासियों ने ज़रा भी सर उठाया, तो ब्रिटेन का बच्चा-बच्चा प्रत्येक उठे हुए सर को कुचलना अपना कर्तव्य ही नहीं, बल्कि धर्म समझेगा! हमारे लन्दन-स्थित विशेष सम्वाददाता की धारणाओं का अक्षरशः अनुमोदन करते हुए शिमला-स्थित हमारे विशेष सम्वाददाता ने—जिन्हें 'नर्म-दल' का सदस्य होते हुए भी, भारतीय राजनीति में अन्यतम स्थान प्राप्त है—लिखा है कि ब्रिटेन भावी महायुद्ध के लिए अपनी नीति पूर्णतया निर्धारित कर चुका है। समस्त भारत में अब तक ४०८ ऐसे व्यक्तियों की सूची बन चुकी है, जो गोलमेज़ के विफल होते ही तुरन्त किसी विशेष ऑर्डिनेन्स अथवा क़ानून द्वारा भारत से बाहर निर्वासित कर दिए जायँगे! हमारे परम प्रतिष्ठित मित्र ने हमें यहाँ तक लिखा है, कि संयुक्त-प्रान्त से कुल २८ व्यक्ति निर्वासित होंगे। इन २८ सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से अधिकांश व्यक्ति इलाहाबाद के हैं (हमारे पास उनकी नामावली तक आ चुकी है)। हमारे लन्दन एवं शिमला-स्थित सम्वाददाताओं का यह भी कहना है, कि गोलमेज़ परिषद के विफल होते ही, जिसे निश्चित ही समझना चाहिए, (हमारे लन्दन-स्थित सम्वाददाता ने × × × "which is absolutely certain in view of the present political situation in this beautiful land of the whites." लिखा है) महात्मा गाँधी आदि यहाँ आने वाले कॉङ्ग्रेस के नेताओं को सम्भवतः भारत में तब तक लौटने की आज्ञा नहीं दी जायगी, जब तक भारतवासी भविष्य में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए आन्दोलन करने की शपथ न खा लेंगे। इसके बाद ब्रिटिश-भारत की नौकरशाही खुल कर फाग खेलेगी। पशुबल एवं आत्म-बल का तुमुल संग्राम होगा। इस संग्राम में जो विजय-लाभ करेगा (जिसकी ब्रिटेन को पूर्ण आशा है) समस्त संसार उसी के सामने मस्तक नत करेगा—उसी के सर पर विजय का सेहरा बाँधा जायगा—हमारे इन परम प्रतिष्ठित सम्वाददाताओं का यह भी कहना है, कि गोलमेज़ परिषद के अधिवेशन के पूर्व ही भारतवासियों के धैर्य एवं सहनशीलता की भरपूर परीक्षा ली जायगी और प्रत्येक उपायों द्वारा—चाहे वे वैध हों अथवा अवैध—इस बात का प्रयत्न किया जायगा, कि कॉङ्ग्रेस के प्रतिनिधि गोलमेज़ परिषद में भाग ही न ले सकें और तब ब्रिटिश-सिंह संसार को अपनी परोपकार-प्रियता, नेकनीयती एवं सचाई की दुहाई देकर कह सकेगा, कि भारतवासी कितने ज़लील और कमीने हैं, जो अपनी प्रतिज्ञाओं तक का पालन नहीं कर सकते—यद्यपि ब्रिटेन शीघ्र से शीघ्र भारतवासियों की स्वतन्त्रता-रूपी धरोहर, उन्हें सौंप कर हिमालय की ओर प्रस्थान करने को उत्सुक है!

वर्तमान परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए, हम अपने इन प्रतिष्ठित सम्वाददाताओं की इस भविष्यवाणी को सर्वथा निस्सार भी नहीं कह सकते। आज समस्त भारत में दमन-चक्र का जिस वेग से सञ्चालन हो रहा है, वह हमारे सम्वाददाताओं की धारणाओं को सर्वथा पुष्ट करने वाला है—इसमें सन्देह नहीं। इस सिलसिले में पाठकों को घटना-क्रम की ओर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अस्तु।

कराची कॉङ्ग्रेस में जाने के पूर्व महात्मा गाँधी ने अपना इस आशय का एक वक्तव्य प्रकाशित किया था, कि जब तक हिन्दू-मुसलमानों की समस्या पूर्णरूपेण हल नहीं हो जायगी, वे गोलमेज़ परिषद में न तो शरीक ही होंगे और न उसकी कार्यवाही में भाग ही लेंगे। भारत की कमीनी नौकरशाही ने इस सामयिक

वक्तव्य का हृदय की सारी कुटिलता से स्वागत किया और पूरे एक सप्ताह के बाद जगह-जगह हिन्दू-मुस्लिम दङ्गों का आयोजन उपस्थित कर दिया गया। बम्बई, मद्रास, बङ्गाल एवं संयुक्त-प्रान्त इन साम्प्रदायिक उपद्रवों के विशेष केन्द्र बन गए—शैतान ने अपनी सफलता से उन्मत्त होकर ठहाका लगाया! कानपुर के दङ्गे को खुल्लमखुल्ला किस प्रकार पुलिस की ओर से प्रोत्साहन दिया गया और किस प्रकार वहाँ अधिकारियों ने जनता से कॉङ्ग्रेस वालों एवं महात्मा गाँधी को बुलाने के ताने मार-मार कर अपनी स्वेच्छाचारिता एवं नीचता का परिचय दिया है, इसका पता कानपुर की जाँच कमिटी के सामने दिए गए अनेक बयानों; तथा एक हद तक, कमिटी की एकाङ्गी रिपोर्ट से भी चलता है। अस्तु।

महात्मा गाँधी ने पुनः अपने वक्तव्य तथा देश की परिस्थिति पर दृष्टिपात किया और फलाफल सोच कर हाल ही में उन्होंने एक नया वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें महात्मा जी का कहना था, कि साम्प्रदायिक समझौते के होने में चूँकि उन्हें सन्देह है और चूँकि गोलमेज़ परिषद् में, यदि वे निमन्त्रित किए गए तो शरीक न होने से संसार की दृष्टि में भारतीय कॉङ्ग्रेस की उदासीनता प्रगट होगी—इसलिए वे 'साम्प्रदायिक समझौता न होते हुए भी, यदि केवल भारतीय गवर्नमेण्ट गाँधी-इर्विन समझौते को मनसा-वाचा कर्मणा से पालन करती रही, तो वे गोलमेज़-परिषद में भाग लेने को सर्वथा तैयार रहेंगे।' इस वक्तव्य के प्रकाशित होते ही नौकरशाही ने पुनः दमन-चक्र चलाना शुरू कर दिया है और पिछले ३ सप्ताहों से भारतीय प्राङ्गण में एक बार पुनः शैतान का ताण्डव प्रारम्भ हो गया है।

गुजरात के बोरसद एवं बारदोली ताल्लुक़ों में गवर्नमेण्ट की ओर से गाँधी-इर्विन समझौते के विरुद्ध जिस नीचता एवं क्षुद्रता का परिचय दिया गया है, वह देशवासियों पर प्रकट ही है। गाँधी-इर्विन समझौते के अनुसार वहाँ ज़मीनों की वापसी में, पटेलों एवं गाँव के मुखियों को उनकी ज़मीनें लौटाने में तथा लगान वसूल करने की सख़्तियों ने सरकारी नीति को स्पष्ट कर दिया है। हमारा तो अनुमान है कि महात्मा जी यदि परिस्थिति की भीषणता को समझने में ज़रा भी विलम्ब करते अथवा स्वयं वहीं अपना डेरा-डण्डा धर कर न बैठ गए होते, तो न जाने आज वहाँ कैसी भीषण परिस्थिति उपस्थित हो गई होती।

बङ्गाल में जिस स्वेच्छाचारिता का परिचय दिया जा रहा है, वह और भी भीषण है। प्रत्येक सप्ताह हमारे पास दो-तीन बङ्गाल के प्रतिभाशाली नवयुवकों की नज़रबन्दी अथवा गिरफ़्तारियों के समाचार आ रहे हैं। चटगाँव के हिन्दू नवयुवकों पर जो अत्याचार ढाए जा रहे हैं, वह भी उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। हालत यहाँ तक नाज़ुक हो गई है, कि बङ्गाल का कोई भी नवयुवक किसी समय भी अपने को सुरक्षित नहीं समझ रहा है।

बिहार की दशा और भी शोचनीय हो रही है। वहाँ ऐसे १२० राजबन्दी, जिन्हें न्याय की दृष्टि से गाँधी-इर्विन समझौता होते ही अन्य राजनैतिक क़ैदियों की भाँति मुक्त हो जाना चाहिए था—आज तक विभिन्न जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। मोरे और केटिया (ज़िला सारन) नामक स्थानों से अभी तक अतिरिक्त-पुलिस (Punitive Police) नहीं हटाई गई है और बेचारे सर्वथा निर्दोष नगर-निवासियों को इनका पालन-पोषण आज तक करना पड़ रहा है! बीहपुर (ज़िला भागलपुर) नामक स्थान में आज गुण्डाराज फैला हुआ है। नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि वहाँ की पुलिस के लिए गाँव की बहू-बेटियों के सतीत्व से खेलना एवं निर्दोष नागरिकों को छेड़ कर उन्हें ठोंक-पीट देना एक साधारण सी बात हो गई है!

मध्य-प्रान्त की परिस्थिति भी कम दयनीय नहीं है। वहाँ भी आज तक ८० राजबन्दी, जो विगत राष्ट्रीय आन्दोलन में अपनी स्वतन्त्र-प्रियता के अपराध में पकड़े गए थे—जेलों में पड़े सड़ रहे हैं।

पञ्जाब में भी आज सैकड़ों राजबन्दी, जेल-रूपी रौरव नर्क में पड़े जगन्नियन्ता को इसलिए कोस रहे हैं, कि उसने इन अभागों का जन्म इस ग़ुलाम देश में क्यों दिया? पञ्जाब के प्रत्येक राजबन्दी में गवर्नमेण्ट को हिंसा की गन्ध आ रही है। अपनी इस मनोवृत्ति को वहाँ के गवर्नर महोदय समय-समय पर प्रकट भी करते रहे हैं।

सीमा-प्रान्त में होने वाले जिन अत्याचारों की कहानी ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ साहब ने महात्मा गाँधी को सुनाई है, वह वास्तव में बड़ी रोमाञ्चकारी है। वहाँ की पुलिस और फ़ौज ने जनता के धैर्य की जैसी परीक्षा ली है, उसे वर्णन करने की हममें शक्ति नहीं है। समय-समय पर प्रकाशित समाचारों द्वारा पाठक स्वयं इसका निर्णय कर सकते हैं। उस दिन महात्मा जी के सुपुत्र श्री० देवीदास गाँधी से सीमा-प्रान्त में होने वाले अत्याचारों का वर्णन करते हुए 'सीमा-प्रान्त के गाँधी' ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ने कहा है, कि अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि फ़ौजी सिपाही नागरिकों के घरों में घुस-घुस कर हमारी बहू-बेटियों को इसलिए छेड़ते हैं, कि किसी भी तरह हम लोग अहिंसा के व्रत से विचलित हो जायँ, ताकि नौकरशाही को खुल कर खेलने का अवसर प्राप्त हो सके। ख़ाँ साहब का कहना है कि "हम लोग और सब प्रकार के अत्याचारों को सहन करने के लिए सर्वथा तैयार थे; किन्तु हमें स्वप्न में भी इन ज़लील हरकतों की आशा नहीं थी।" गत सप्ताह के 'यङ्ग-इण्डिया' में इस बात का विस्तृत विवरण प्रकाशित हुआ है।

संयुक्त-प्रान्त में आज जैसा भीषण दमन हो रहा है और जिन-जिन साधनों एवं उपायों को काम में लाया जा रहा है—वह उस समय भी नहीं हुआ था, जब कि विगत राष्ट्रीय आन्दोलन अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था। मथुरा, रायबरेली, गोंडा, सुल्तानपुर, बाराबङ्की एवं इलाहाबाद आदि ज़िलों में किसानों पर पुलिस एवं ज़मींदारों द्वारा जैसे नृशंस एवं अमानुषिक अत्याचार हो रहे हैं, वैसे शायद अन्य किसी भी प्रान्त में न हुए होंगे। मथुरा एवं गोंडा आदि ज़िलों में तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई है, कि पुलिस द्वारा दिन-दहाड़े बहू-बेटियाँ बेइज़्ज़त की जा रही हैं, घर लूटे जा रहे हैं और न जाने कैसे-कैसे लोमहर्षण अत्याचार हो रहे हैं! भारतीय दण्ड-विधान की धारा १२४-अ (राज-विद्रोह) द्वारा हाल ही में कई विशेष गिरफ़्तारियाँ हुई हैं और होने वाली हैं! पिछले दो सप्ताहों में इस प्रकार की ४ विशेष गिरफ़्तारियाँ केवल इलाहाबाद और काशी में ही हुई हैं!

बर्मा में 'विद्रोह' की आड़ लेकर जैसे भीषण और ख़ून को खौलाने वाले अत्याचार हो रहे हैं, वह भी अध्ययन का विषय है। नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि "विद्रोहियों" के सर काट कर सड़कों पर घुमाए जा रहे हैं और पुलिस की चौकियों पर उनका प्रदर्शन किया जा रहा है!!

* * *

जो लोग आगामी गोलमेज़-परिषद् की ओर आशा-पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, उनकी आँखों में उँगली डाल कर हम उनका ध्यान इन केवल उदाहरण-स्वरूप कतिपय घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहते हैं और उन्हें बतलाना चाहते हैं, कि जहाँ गवर्नमेण्ट ने इस क्षणिक सन्धि के समय का प्रत्येक पल अपने सङ्गठन एवं नीति-निर्माण में व्यय किया है, वहाँ कॉङ्ग्रेस द्वारा इस संयोग का पूर्णतया दुरुपयोग हुआ है। जहाँ एक ओर गवर्नमेण्ट प्रत्येक आवश्यक एवं सन्दिग्ध गाँव अथवा उसके निकट फ़ौजी ढङ्ग की नई-नई पुलिस-चौकियाँ बनवा रही है (इलाहाबाद से कानपुर के बीच में अब तक ऐसी ५-६ फ़ौजी ढङ्ग की पुलिस-चौकियों का निर्माण हाल ही में हुआ है), वहाँ दूसरी ओर कॉङ्ग्रेस के कार्यकर्ता आपस के कलह में ही अपने समय और शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक ओर जहाँ गवर्नमेण्ट नए ढङ्ग का फ़ौजी-सङ्गठन कर रही है, जगह-जगह नए ढङ्ग के पुलों का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ दूसरी ओर पं० जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रभावशाली नेताओं को, जब कि उन्हें किसानों के सङ्गठन में रत रहना चाहिए—देहली आदि स्थानों में कॉङ्ग्रेस के निर्वाचन-विवाद को शान्त करने के लिए नियुक्त किया जा रहा है!! एक ओर जब कि गवर्नमेण्ट भावी संग्राम से मुक़ाबला करने के लिए फ़ौजें तथा पुलिस की नई भर्तियाँ कर रही है, तो दूसरी ओर धनाभाव के कारण कॉङ्ग्रेस के वालण्टियर, जिन्हें इस समय समुचित शिक्षा मिलनी चाहिए थी—निकाले जा रहे हैं!!

भारत के प्रमुख राष्ट्रीय नेता एवं राजनीतिज्ञ भावी युद्ध की सम्भावनाओं को समझते न हों—सो बात भी नहीं है। समय-समय पर पं० जवाहरलाल नेहरू, श्री० सुभाषचन्द्र बोस तथा प्रेज़िडेण्ट पटेल आदि प्रतिष्ठित नेताओं ने गाँधी-इर्विन समझौते तथा आगामी गोलमेज़ परिषद से जैसी घोर निराशा प्रकट की है, वह पाठकों से छिपा न होगा। भारत-केन्द्रीय धारा-सभा के स्वनाम-धन्य प्रेज़िडेण्ट (भूतपूर्व) श्री० विट्ठलभाई पटेल उन इने-गिने राजनीतिज्ञों में से हैं, जिनके भारतीय होने पर आज समस्त भारत को गर्व है। ब्रिटेन तक आपकी दूरदर्शिता एवं राजनीतिज्ञता का क़ायल है और यदि हम भूल नहीं करते, तो राजनीतिक मामलों में महात्मा गाँधी तक ने आपको भारत का सर्व-श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ स्वीकार किया है। अतएव भावी 'गोलमेज़ परिषद के सम्बन्ध में उस दिन लन्दन की कॉमनवेल्थ ऑफ़ इण्डिया लीग की अध्यक्षता में आपने जो भाषण दिया है, उसे पागल का प्रलाप नहीं कहा जा सकता। जिन लोगों ने भावी गोलमेज़ परिषद से लम्बी-चौड़ी आशाएँ बाँध रक्खी हैं, उन्हें आपके भाषण को विशेष मनोयोग से पढ़ना चाहिए, जिसके प्रत्येक शब्द से निराशा टपक रही है। आपके भाषण का सार इस प्रकार है:—

"भारत अपने आन्तरिक और बाहरी शासन में पूर्ण स्वतन्त्रता चाहता है। वह वैदेशिक शासन का अपमान और पतन अधिक दिनों तक नहीं सहन कर सकता। अगर मत लिए जायँ, तो भारत की सारी जनता ब्रिटेन से सम्बन्ध-विच्छेद करने के पक्ष में अपना मत देगी। पर कॉङ्ग्रेस समझौता करना चाहती है और बिना किसी बन्धन के पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य मञ्ज़ूर करने को तैयार है। भारत शान्ति चाहता है, पर अपनी शर्तों पर! यहाँ के राजनीतिज्ञों से बातचीत करने पर मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, कि यद्यपि गाँधी जी भारत के सम्बन्ध में निर्णय करने की पूर्ण आशा से यहाँ आ रहे हैं, तथापि शान्तिपूर्ण समझौता होने की मुझे आशा नहीं है। महात्मा जी को, समझौते का प्रयत्न असफल होने पर, पुनः युद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्रिटिश व्यापारी, व्यापार सम्बन्धी संरक्षणों को चाहते हैं, ताकि उनका व्यापार चले। पर भारत की सद्भावना के बिना कोई भी संरक्षण व्यर्थ सिद्ध होगा! संरक्षणों पर अधिक ज़ोर देकर वे कटुता बढ़ा रहे हैं। सच्ची सद्भावना ही लाखों संरक्षणों से कहीं अधिक हितकर है। पूर्ण स्वतन्त्रता और पूर्ण ग़ुलामी के बीच

में अन्य कोई स्थान नहीं है। साधारण तरीक़े से ब्रिटिश लोगों को भारत की गम्भीर स्थिति का अनुभव नहीं कराया जा सकता। हमें कुछ असाधारण कार्य करने चाहिएँ, जिससे ब्रिटिश लोगों की कल्पना हमारी ओर खिंचे। फिर ये लोग शीघ्र ही पूछेंगे, कि भारत में क्या हो रहा है और उसके प्रति न्याय करने को तैयार होंगे! जब तक यह नहीं होता, तब तक भारतीयों का निश्चय है कि वे भारत में ब्रिटिश सरकार का चलना असम्भव कर देंगे।"

नर्म-दल के प्रमुख नेता सर शङ्करन नायर ने भी—जो गवर्नमेण्ट द्वारा भारतीय शासन सुधार-समिति के सभापति नियुक्त किए गए थे—अपनी जो रिपोर्ट पेश की थी, उसी के साथ एक मेमोरण्डम भी पेश किया था—इस मेमोरण्डम में भी पग-पग पर आपने भावी गोलमेज़ परिषद् से अपनी निराशा प्रकट की है और भारत में पुनः राष्ट्रीय युद्ध होने की सम्भावना का खुले शब्दों में समर्थन किया है।

वर्तमान परिस्थिति एवं ब्रिटिश मनोवृत्ति को दृष्टि में रखते हुए, जिसका संक्षिप्त उल्लेख ऊपर किया गया है, गोलमेज़ की असफलता का सन्देह बिल्कुल निराधार नहीं कहा जा सकता, अतएव निकट-भविष्य में ही भारत के लिए एक विषम एवं गम्भीर परिस्थिति उपस्थित होने की सम्भावना है; पर हम जानना चाहते हैं, कि क्या कॉङ्ग्रेस का वर्तमान सङ्गठन उस भीषण परिस्थिति का मुक़ाबला करने को तैयार है??

* * *

बर्मा-पृथक्करण की समस्या

लन्दन का १८ जून का समाचार है, कि भारत और ब्रिटेन की सरकारें गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स के समय बर्मा-पृथक्करण के सम्बन्ध में एक विशेष कॉन्फ़्रेन्स करने का विचार कर रही हैं। यद्यपि अभी यह नहीं मालूम हो सका है, कि उस विशेष कॉन्फ़्रेन्स में बर्मा-पृथक्करण के पक्ष-विपक्ष की बात निर्णय की जायगी या बर्मा-पृथक्करण को स्वीकृत सिद्धान्त मान कर केवल उसके विवरणात्मक प्रश्नों का विचार किया जायगा, फिर भी बर्मा के सम्बन्ध में अलग कॉन्फ़्रेन्स करने की योजना हमें अधिक उत्साहप्रद नहीं मालूम पड़ती। गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स के होते हुए, जिसे कि बर्मा के सम्बन्ध में विचार करने का पूरा हक़ है, बर्मा के लिए एक अलग कॉन्फ़्रेन्स करने का विचार केवल अनावश्यक ही नहीं, वरन् सन्देह पैदा करने वाला मालूम पड़ता है। हम ब्रिटेन और भारतीय सरकारों के उस विचार के मूल में—बर्मा के सम्बन्ध में भारत-मन्त्री ने गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स के अधिवेशन समाप्त होने के बाद हाउस ऑफ़ कॉमन्स में जो घोषणा की थी—उसका समर्थन और उसके व्यावहारिक स्वरूप की झलक देखते हैं। भारत-मन्त्री ने अपनी घोषणा में कहा था, कि "बर्मा-पृथक्करण एक स्वीकृत सिद्धान्त है।" अर्थात् अब वह विवाद का विषय नहीं रहा। बर्मा, जोकि भारत-सरकार का ही एक प्रान्त है, उसके सम्बन्ध में एक विशेष कॉन्फ़्रेन्स की योजना और वह भी ठीक ऐसे समय, जब कि सम्पूर्ण भारत से सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं का विचार गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स में हो ही रहा हो, सम्भवतः बर्मा-पृथक्करण के स्वीकृत सिद्धान्त की भूमिका है। लोगों में बर्मा को भारत से अलग सोचने-विचारने का अभ्यास डालने के लिए पृथक्करण का यह पहला सोपान है। समझा यह गया है, कि धीरे-धीरे इस तरह की नज़ीरों के क़ायम हो जाने पर बर्मा का पृथक्करण एक स्वाभाविक घटना हो जायगी और उसके लिए लोगों के दिलों में कोई विद्रोह न रह जायगा।

सम्भव है कि बर्मा-विद्रोह से प्रभावित होकर और पृथक्करण के विरुद्ध परिस्थिति की गम्भीरता को देख कर बृटेन और भारत की सरकारों ने इस विशेष कॉन्फ़्रेन्स के द्वारा बर्मियों की शिकायतों के सुनने का विचार किया हो; यह भी सम्भव है कि उस कॉन्फ़्रेन्स में बर्मा-पृथक्करण के विरोधी-प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया जाय। बात चाहे जो कुछ हो, परन्तु बर्मियों की माँगों को स्वीकार करने के इस ढङ्ग को हम अच्छा नहीं समझते। बर्मियों की माँग अलग कॉन्फ़्रेन्स की नहीं है। वे गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स में बर्मा के वास्तविक प्रतिनिधि चाहते थे—वे गोलमेज़ के प्रतिनिधि होकर बर्मा के सम्बन्ध में उस परिस्थिति का खण्डन करना चाहते हैं, जोकि सरकारी चालों से वहाँ उत्पन्न हो गई है; वे बर्मा-पृथक्करण के सम्बन्ध में वास्तविक बर्मा का मत प्रकट करना चाहते हैं। अलग कॉन्फ़्रेन्स के द्वारा गोलमेज़ की स्वीकृत बातों का सीधा खण्डन न हो सकेगा। कम से कम अब तक भारत का एक भाग होने के नाते बर्मा को उस गोलमेज़ में शामिल होने और अपने मत प्रकट करने का, भारत के किसी भी अन्य प्रान्त की तरह पूर्ण अधिकार है; जिस गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स में स्वयं उसके पृथक्करण के निर्णय का प्रयत्न हो रहा हो। यदि ब्रिटेन और भारत की सरकारें अब बर्मा की न्यायोचित माँगों को स्वीकार करने में विवश हुई हैं, तो उन्हें इसके लिए अलग कॉन्फ़्रेन्स के आवरण की क्या ज़रूरत है? माँगों को स्वीकार करते हुए भी अलग कॉन्फ़्रेन्स के द्वारा वे जिस उद्देश्य की सिद्धि करना चाहती हैं, उसमें भी उन्हें सफलता की आशा न करनी चाहिए। एशिया के लोग अब इतने भोले नहीं रहे, कि केवल अलग और सम्मिलित कॉन्फ़्रेन्सों के भ्रम में पड़ कर अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जायँ। देखना है, बर्मा की इस विशेष कॉन्फ़्रेन्स का रूप क्या होता है। प्रमुख भारतीय नेताओं को बर्मा के इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

* * *

न्याय का अभिनय

हाल में ही दिल्ली षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों ने ट्रिब्यूनल के द्वारा प्रान्तीय सरकार से इस बात की प्रार्थना की थी, कि सफ़ाई के सम्बन्ध में जो व्यय सरकार अभियुक्तों के लिए देती है, वह पर्याप्त नहीं है इस कारण उन्हें प्रतिदिन एक सौ रुपए अधिक के हिसाब से व्यय मिले, जिससे वे सफ़ाई का उचित क़ानूनी प्रबन्ध कर सकें। इस सम्बन्ध में सन्तोषजनक उत्तर न मिलने के कारण उन्होंने अदालत की कार्रवाई में भाग लेना छोड़ दिया। इधर जो समाचार प्रकाशित हुए हैं, उनके पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि प्रान्तीय सरकार ने उन्हें यह रक़म देने से साफ़ इन्कार कर दिया है। इतना ही नहीं; कहते हैं कि प्रान्तीय सरकार ने वॉयसराय महोदय की सेवा में इस बात की सिफ़ारिश की है, कि वे एक विशेष ऑर्डिनेन्स के द्वारा ट्रिब्यूनल को इस बात का अधिकार दें कि वह अभियुक्तों की अनुपस्थिति में मामला चला सके।

अभियुक्तों तथा सरकार, दोनों ही पक्ष की परिस्थितियों पर उचित रूप से प्रकाश डालने के लिए यह आवश्यक जान पड़ता है, कि इस स्थान पर प्रोफ़ेसर निगम के उन शब्दों का हवाला दिया जाय, जो कि उन्होंने ट्रिब्यूनल के सम्मुख विगत ४थी जून को कहे थे। उन अभियुक्तों की ओर से, जिन्होंने अपनी पैरवी के लिए वकील खड़े किए थे, प्रोफ़ेसर निगम ने कहा कि "सफ़ाई के ख़र्च के लिए हम लोगों की तीन सौ रुपए की दैनिक माँग बिल्कुल न्यायोचित थी, परन्तु बाद में उसे हम लोगों ने घटा कर २३२) रुपए कर दिए। यह हमारी न्याय-प्रियता का प्रमाण है। सरकार सबूत-पक्ष के लिए हज़ारों रुपए ख़र्च कर रही है; परन्तु सफ़ाई के लिए थोड़ी सी रक़म अर्थात् २३२) रुपए तक दैनिक ख़र्च उसे देना स्वीकार नहीं हुआ। सफ़ाई के लिए पूर्ण सुविधा न प्रदान करने का इरादा करके गवर्नमेण्ट हम लोगों के मुक़दमे को पाखण्ड में परिणत करना चाहती है।×××सरकार का जो रुख़ है, उससे प्रकट होता है कि वह इस मामले में हम लोगों के विरुद्ध में लोगों के मनोभावों को दूषित करने और हमें हिंसक क्रान्तिकारी साबित करने का पूर्ण प्रयत्न कर रही है। हम लोग इस निश्चय पर पहुँचने के लिए बाध्य हुए हैं, कि सरकार हम लोगों के साथ न्याय करना नहीं चाहती। इसलिए सफ़ाई के सम्बन्ध में सरकार ने जो निश्चय किया है; वह यदि उसका अन्तिम निर्णय है, तो अभियुक्तों के सामने सिवा इसके, कि वे इस केस की कार्रवाई में भाग लेने से इनकार कर दें, और कोई दूसरा उपाय नहीं है।"

इस वक्तव्य के दूसरे दिन से अर्थात् विगत पाँचवीं जून से दिल्ली षड्यन्त्र केस के अभियुक्त अदालत में उपस्थित नहीं हुए। स्थानीय सरकार का रुख़ सन्तोषजनक नहीं है और यदि यह बात सच है कि प्रान्तीय सरकार ने वॉयसराय के पास उपरोक्त ऑर्डिनेन्स के जारी करने की सिफ़ारिश की है—तथा जिसके झूठ होने का कोई प्रमाण हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि प्रान्तीय सरकार ने अपने कर्तव्य का उचित रूप से पालन नहीं किया तथा उसकी यह कार्रवाई न्याय की प्रेरक शक्ति के अभाव की द्योतिका है।

इस सम्बन्ध में इस बात की चर्चा करना अनावश्यक नहीं होगा, कि केवल सबूत-पक्ष के सीनियर वकील की फ़ीस के लिए ही सरकार प्रतिदिन दो सौ रुपए ख़र्च करती है। क़ानून के अनुसार प्रत्येक साधारण अभियुक्त को भी उसकी सफ़ाई के ख़र्च के लिए प्रतिदिन बीस रुपए का ख़र्च सरकार की ओर से दिया जाता है। फिर दिल्ली षड्यन्त्र केस की बात ही क्या। उसके लिए विशेष क़ानून का प्रयोग कर तीन जजों की एक विशेष अदालत बैठाई गई है और उस विशेष अदालत को वे विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जो साधारण अदालत को नहीं मिलते। इस अवस्था में यदि क़ानूनन् प्रत्येक व्यक्ति की सफ़ाई के पीछे सरकार यदि बीस रुपए प्रतिदिन भी ख़र्च करे, तो वह रक़म २३२) रुपए प्रतिदिन अर्थात् उस रक़म से कम होगी, जो अभियुक्त माँग रहे हैं।

अभियुक्तों की इस माँग पर विचार करने के लिए सरकार ने क़रीब २० दिनों तक मामले की कार्रवाई स्थगित रक्खी। आर्थिक दृष्टि से भी सरकार का यह कार्य अनुचित और फ़िज़ूलख़र्च से पूर्ण है। दिल्ली षड्यन्त्र का अभियोग चलाने के लिए सरकार को आज प्रति दिन दो हज़ार से अधिक रुपए व्यय करने पड़ रहे हैं। इस हिसाब से भी प्रान्तीय सरकार ने केवल इन २० दिनों में ही इतना व्यय किया है, जितने में यदि अभियुक्तों की उचित माँग पूरी कर दी जाती, तो एक वर्ष से अधिक अवधि का ख़र्च निकल आता! और कौन कह सकता है, कि इतने दिनों में दिल्ली षड्यन्त्र केस का निर्णय समाप्त न हो जाता?

आर्थिक दृष्टि से भिन्न, यदि हम नैतिक दृष्टि से विचार करें; तो भी सरकार का यह पवित्र कर्तव्य है कि अभियुक्तों की माँग को शीघ्र ही स्वीकार कर ले। उचित तो यह था, कि सरकार उन अभियुक्तों की सफ़ाई के लिए भी उतना ही ख़र्च देती, जितना कि उनके अभियोगों के सबूत के लिए व्यय कर रही है। यदि क़ानून

एक या उससे अधिक मनुष्यों की फाँसियों के लिए प्रति दिन दो सहस्र से अधिक रुपए व्यय करने का आदेश देता है, तो वही क़ानून इस बात को मना नहीं करता कि भगवान के दिए हुए उन मँहगे प्राणों की रक्षा के निमित्त उतना भी व्यय न किया जाय ! यदि किसी अभियोग को प्रमाणित करने के लिए सरकार दो सहस्र से अधिक रुपए व्यय कर सकती है, तो साथ ही सरकार के लिए यह न्यायोचित है कि वह उन अभागे अभियुक्तों को भी उतना ही व्यय दे, जिससे वे पूर्ण सुविधा के साथ अपनी निर्दोषिता प्रकट कर सकें।

इस सम्बन्ध में हम एक बात लॉर्ड विलिङ्गडन से कहे बिना नहीं रह सकते। वह यह कि यदि दिल्ली षड्यन्त्र के अभियुक्त सरकार के द्वारा अपनी उचित माँग के अस्वीकृत कर दिए जाने के विरोध में अदालत में उपस्थित नहीं होते, तो इसमें उनका दोष नहीं है ; इसकी जड़ में प्रान्तीय सरकार की स्वेच्छाचारिता है। और उस स्वेच्छाचारिता के लिए किसी भी ऑर्डिनेन्स का जारी करना न्याय की प्रेरक शक्ति के नैतिक सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा। इतना ही नहीं, ऑर्डिनेन्स के साथ ही यह भी आवश्यक होगा, कि वर्तमान ट्रिब्यूनल भङ्ग कर दिया जाय तथा उसके स्थान पर हाईकोर्ट के तीन जजों की नियुक्ति की जाय। इसका अर्थ यह है कि वर्तमान ट्रिब्यूनल के जजों और हाईकोर्ट के तीन जजों के वेतन का ही अन्तर उस रक़म से न जाने कितने गुणा अधिक सिद्ध होगा, जो अभियुक्त माँग रहे हैं। हम आशा करते हैं, लॉर्ड विलिङ्गडन परिस्थिति की इस दारुण अवस्था का अनुभव करेंगे और किसी विशेष ऑर्डिनेन्स का निर्माण कर लॉर्ड इर्विन की भाँति न्याय की हत्या न करेंगे। बम्बई में उतरते ही लॉर्ड विलिङ्गडन ने अपने न्यायपूर्ण और वैध-शासन की दुहाई दी थी ; पर क्या वास्तव में वे इस मामले में अपनी न्यायप्रियता का परिचय देंगे ?

* * *

देशी राज्य-प्रजा कॉन्फ़्रेन्स

देशी राज्य-प्रजा कॉन्फ़्रेन्स का तृतीय अधिवेशन बम्बई में सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। सभा के प्रधान वयोवृद्ध बाबू रामानन्द चटर्जी ने अपने भाषण में कहा कि भाषा, भाव, धर्म और संस्कृति की दृष्टि से ब्रिटिश भारत और भारतीय भारत में कोई भेद नहीं है। प्रान्त-भेद केवल राजनैतिक और कृत्रिम भेद है। आपने कहा कि अनियन्त्रित शासन एक दूषित राज-विधि है। चाहे शासक प्रजा-हितैषी हो तो भी इस प्रकार के शासन में प्रजा की प्रबन्ध-शक्ति तथा देशभक्ति का पूर्णतया विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमारे नरेशों को चाहिए, कि शासन-कार्य में वे अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को भी साथ लें। जो लोग जनता के महत्व को भूले हुए हैं, उनको समझना चाहिए कि आख़िर राजा या बादशाह से तो राज्य या साम्राज्य नहीं बनता, देश के रक्षक, पोषक, कर्ता और धर्ता तो वहाँ के लोग ही हैं, न कि एक राजा ? इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान में रखने योग्य बात है कि यह समय निरङ्कुश राजसत्ता का नहीं है। इस समय ७० स्वतन्त्र देश हैं, जिनमें ४९ प्रजातन्त्र हैं। शेष देशों में अधिकांश में प्रतिनिधि-शासन है और सम्राट की शक्ति नियन्त्रित है। लेकिन हमारे देशी नरेश प्रायः सब ही निरङ्कुश शासक हैं। इस निरङ्कुशता को बनाए रखने में अङ्गरेज़ अफ़सरों का भी पूरा हाथ है, क्योंकि रियासतों के अन्धाधुन्ध शासन की अपेक्षा ब्रिटिश भारत का शासन तुलनात्मक दृष्टि से लोगों को अच्छा जँचता है। बाबू रामानन्द ने कहा कि फ़ेडरल विधान के किसी भी मुख्य अङ्ग को नरेशों ने स्वीकार नहीं किया है। गोलमेज़ियों ने जो फ़ेडरल विधान तजवीज़ किया है, यदि वही जारी हुआ, तो व्यवस्थापिका सभा की दशा अब से भी हीन हो जाएगी। रियासतों की ओर से जो लोग एसेम्बली के मेम्बर होंगे, वे नरेशों के प्रतिनिधि होंगे, न कि प्रजा के। ये लोग यूरोपीय और अन्य जी-हुज़ूर मेम्बरों से मिल कर एसेम्बली की उपयोगिता को नष्ट कर देंगे और फ़ेडरल-विधान वर्तमान शासन से भी बुरा साबित होगा। सभापति ने अङ्कों द्वारा सिद्ध किया, कि भारतीय नरेशों का व्यक्तिगत ख़र्च महाराजाधिराज पञ्चम जॉर्ज से भी अधिक है। काश्मीर जलवायु, चेत्रफल, जङ्गल और भूमि सब बातों में स्वीट्ज़रलैण्ड से कम नहीं है, परन्तु निरङ्कुश शासन के कारण शिक्षा, सम्पत्ति, जन-संख्या और शिल्प-कला आदि में दोनों देशों की कोई तुलना ही नहीं। यही दशा हैदराबाद और ज़ेकोस्लोवेकिया का मुक़ाबिला करने पर हैदराबाद की सिद्ध होती है! बाबू रामानन्द ने कहा, कि अधिकांश रियासतों में सम्मेलन, भाषण तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तक प्राप्त नहीं है !!

वास्तव में श्रीयुत चटर्जी ने अपने भाषण में अत्यधिक संयम से काम लिया है। रियासतों के निरङ्कुश शासन का इससे अधिक ज्वलन्त दृष्टान्त और क्या हो सकता है, कि देशी राज्य-प्रजा-कॉन्फ़्रेन्स का अधिवेशन भी किसी देशी राज्य में न हो सका। देशी नरेश गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स में विराज कर अपने परम्परागत अधिकारों को अमर रखने के लिए तो उत्सुक हैं ; लेकिन प्रजा की बात तक सुनने को तैयार नहीं ! अपने राज्य में पाँच आदमियों को मिल कर बात नहीं करने देते और ब्रिटिश भारत में जो लोग उनकी पोल खोलते हैं, उनको लुच्चे, लफ़ङ्गे और ग़ैर-ज़िम्मेदार लोग बतलाते हैं ! 'भविष्य' में 'एक भूतपूर्व उच्चाधिकारी' की लिखी हुई जो वर्तमान राजपूताने पर लेख-माला प्रकाशित हो रही है, उससे पाठक जान सकते हैं, कि अधिकांश रियासतों का कैसा बुरा हाल है। प्रजा की अधिकांश कमाई राजा-महाराजा अपने महलों पर, मोटरों पर, अपने पुत्र-पुत्रियों के विवाहों पर, अपनी पत्नियों और उपपत्नियों पर, नायिकाओं पर तथा किशोरिकाओं पर, यहाँ तक कि घोड़ों, कुत्तों और तोतों पर ख़र्च डालते हैं और बेचारी प्रजा के लिए न शिक्षा का प्रबन्ध है, न चिकित्सा का इन्तज़ाम, न व्यवस्थित न्यायालय, न योग्य पुलिस, न पानी पीने को कुएँ, न चलने को रास्ते !! राजाओं ने अपनी रियासतों को अपनी सम्पत्ति समझ रक्खा है और ग़रीब कृषकों को अपने विलास के लिए धन कमाने की सजीव मैशीनें !!! प्रतिनिधि-शासन, नियन्त्रित सत्ता, शिक्षोन्नति और ग्राम-सुधार तो दूर की बातें हैं, राजपूताने में तो प्रायः सब नरेश प्रजा के किसी भी अधिकार को स्वीकार तक नहीं करते। कुछ अरसा हुआ तब बीकानेर महाराजा ने कहा था कि "बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार हमें कब और क्या शासन-सुधार करना चाहिए, इसका हमको स्वयं पता लग जावेगा, लेकिन यह सुधार हम जब चाहेंगे और जैसा चाहेंगे, वैसा करेंगे। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप हमको पसन्द नहीं है।" महाराजा साहब को बाहरी लोगों का हस्तक्षेप पसन्द नहीं और रियासती लोगों के मुँह पर आपने ताले जड़ रक्खे हैं। शासन-सुधार का समय और प्रकार आपके सिवाय और कोई समझ ही नहीं सकता। यह है बीकानेर की बात, फिर टोंक, बूँदी, जैसलमेर, बाँसवाड़ा, करौली और धौलपुर का तो कहना ही क्या ?

* * *

"मैनचेस्टर गार्जियन" का स्वप्न

विलायत के 'मैनचेस्टर गार्जियन' ने गवर्नमेण्ट को सलाह दी है, कि जब तक गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स नहीं हो जाती और उसके अनुसार कोई शासन-विधान नहीं बन जाता, तब तक वह भारत में शासन सुधार के उन स्वीकृत सिद्धान्तों का प्रयोग क्यों न प्रारम्भ कर दिया जाय, जिनके विषय में कोई मत-भेद नहीं है और जिनके लिए स्वयं साइमन कमीशन तक ने अपनी रिपोर्ट में सिफ़ारिश की है। उदाहरण के लिए उसने "प्रान्तीय स्वाधीनता" (Provincial Autonomy) का ज़िक्र किया है। उसका कहना है, कि इस तरह से कार्य प्रारम्भ कर देने से भारतीय समस्या की कठिनाई बहुत-कुछ कम हो जायगी।

हमें भय है 'मैनचेस्टर गार्जियन' की शुभाभिलाषा इस देश में चरितार्थ न हो सकेगी। नए-नए सुधारों के प्रारम्भ की कौन कहे, यहाँ की नौकरशाही तो इस फ़िक्र में है कि गाँधी-इर्विन समझौता कब भङ्ग हो और कब दमन जारी हो। ताकि इस बार उसे खुल कर खेलने का मौक़ा मिले। जो हुकूमत क्षणिक सन्धि तक के निर्वाह करने की क्षमता नहीं दिखला सकती, उससे यह आशा नहीं की जा सकती, कि वह भारतवासियों को सन्तोष देने के लिए इस देश में नए-नए शासन-सुधार प्रचलित करेगी। 'मैनचेस्टर गार्जियन' को भारतीय समस्या की कठिनाइयों के कम करने की भले ही चिन्ता हो; परन्तु यहाँ की नौकरशाही का तो भारतीय समस्याओं को अधिक से अधिक उलझाए रखने में ही स्वार्थ सिद्ध होता है और बिना वर्तमान शासन-प्रणाली का अन्त हुए इस अभागे देश में किसी भी प्रकार का सुधार एक बार ही असम्भव है।

* * *

इटली सरकार का महात्मा गाँधी को तार

मोशिए मुसोलिनी की महात्मा जी से मिलने की उत्कट अभिलाषा !

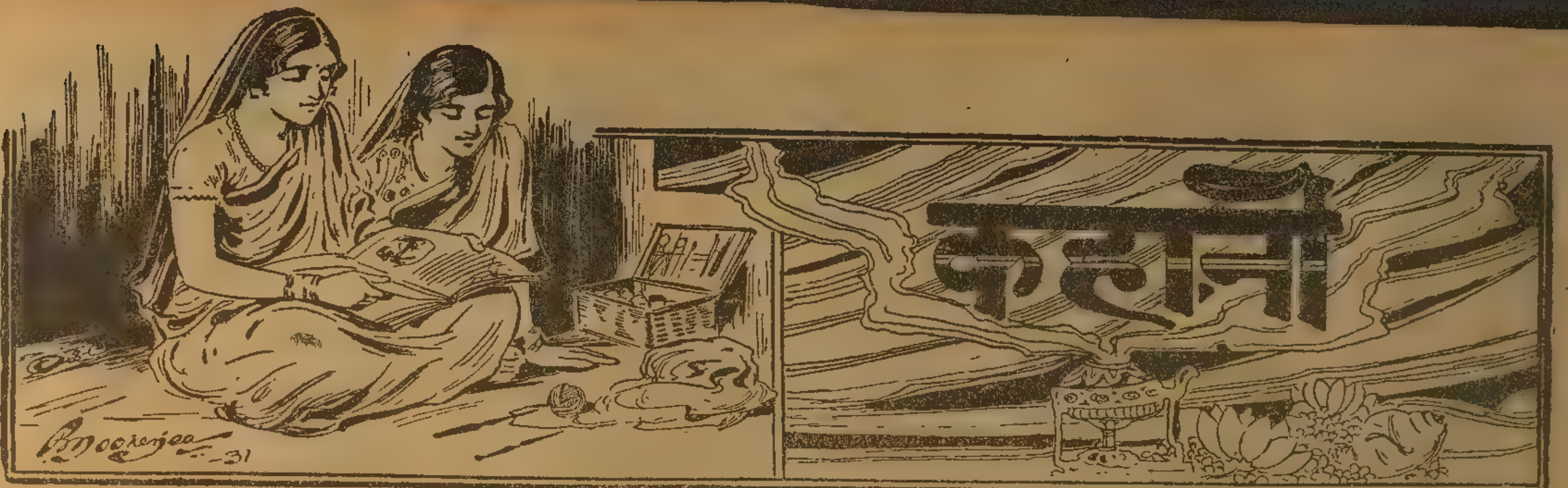
इटली का समाचार है, कि वहाँ की सरकारने अ० भा० का० क० की कार्यकारिणी के प्रमुख सदस्यों के पास तार भेज कर महात्मा जी की यूरोप-भ्रमण का कार्य-क्रम पूछा है और यह भी जानना चाहा है या महात्मा जी मुसोलिनी का आतिथ्य स्वीकार करेंगे या नहीं ? मुसोलिनी महात्मा जी से मिलने के लिए बहुत इच्छुक हैं।

कई जहाज़ी कम्पनियों ने महात्मा जी से प्रार्थना की है कि यूरोप जाते समय वे उनके ही जहाज़ों का प्रयोग करें। वे आपसे एक पैसा तक किराया स्वरूप नहीं लेंगे।

—उस दिन लन्दन के हाउस ऑफ़ लार्ड्स में लॉर्ड लायड के यह पूछने पर कि भारतवर्ष में अभी तक कितने बलवे हुए और कितने व्यक्ति हताहत हुए, लॉर्ड स्नेल ने यह उत्तर दिया कि केवल १९३१ में ६ जून तक कानपुर के दङ्गे को लेकर २२ बलवे हुए और ३०९ आदमी की मृत्यु हुई !

—लन्दन की एक ख़बर है, कि भारत के उपमन्त्री लॉर्ड पील से एसेम्बली के भूतपूर्व प्रेज़िडेण्ट श्री० पटेल से एक बन्द कमरे में तीन घण्टे तक बातें होती रहीं। अनुमानतः बातचीत का विषय भारत की वर्तमान परिस्थिति तथा आगामी गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स था। बातें हो ही रही थीं, कि मि० जिन्ना भी पहुँच गए और उनके साथ श्री० पटेल का साम्प्रदायिक समझौते पर बड़ी देर तक वार्तालाप हुआ।

* * *



क़ैदी

[श्री० हरिश्चन्द्र जी वर्मा, विशारद]

रात्रि के आठ बज चुके थे। प्रकाश अपने कमरे में मेज़ के सामने बैठा तकली चलाने में तन्मय था। उसके दाहिने हाथ में छोटी-सी सुन्दर रूई की पूनी थी और बाएँ में तकली। दृष्टि लगी थी एकटक तकली के ऊपर। सामने ही अङ्गरेज़ी की पुस्तक भी खुली पड़ी थी, परन्तु उसका ध्यान उस ओर न था। इस समय तो वह अपनी प्रिय तकली रानी के नाच ही में निमग्न था।

हाथ की रूई समाप्त होने पर जब उसने और रूई निकालने के लिए दराज़ की ओर दृष्टि फेरी तो अकस्मात् उसकी दृष्टि द्वार पर जा पड़ी। उसका हृदय धक् से हो गया! हाथ जहाँ का तहाँ रह गया! प्रकाश ने देखा, उसके पिता आग्नेय-नेत्रों से उसकी ओर देख रहे हैं। उसके नेत्र झुक गए, आशङ्का से उसका हृदय काँप उठा। रायसाहब गोपालस्वरूप पुत्र के इस तकली-प्रेम को देख कर क्रुद्ध उठे। उन्होंने झपट कर प्रकाश के हाथ से तकली छीन ली और उसे तोड़ कर एक ओर फेंकते हुए सक्रोध उसकी ओर देख कर बोले—क्यों रे, यह क्या कर रहा है? क्या पढ़ना-लिखना छोड़ कर कॉङ्ग्रेसी बनेगा?

अपनी प्यारी तकली की ऐसी दुर्दशा देख कर प्रकाश क्षुभित हो उठा। उसने सभय नेत्रों से एक बार तकली की ओर, और फिर पिता की ओर देखा और आँखें नीची कर लीं। रायसाहब पुत्र की यह धृष्टता सहन न कर सके और बढ़ कर तड़ाक से एक तमाचा उसके कोमल गाल पर मार ही तो दिया और बोले—तकली चलाएँगे! पढ़ना-लिखना तो ख़ाक नहीं। जब देखो, व्यर्थ बातों में समय नष्ट किया करता है।

प्रकाश का मुख तमतमा उठा। उसके भूरे नेत्र डबडबा आए। वह कातर दृष्टि से सामने पड़ी पुस्तक की ओर देखने लगा।

"ख़बरदार, जो कभी इन बातों पर ध्यान भी दिया। सीधी तरह पढ़ने में मन लगाओ।"—कह कर रायसाहब बाहर चले गए।

प्रकाश ने मुख उठा कर द्वार की ओर देखा। उसके सभीत नेत्रों में अश्रु-बिन्दु छलक रहे थे।

२

अनेक प्रयत्न करने पर भी प्रकाश पढ़ने में मन न लगा सका। उसके हृदय में सदा यही विचार चक्कर लगाते कि कब अवसर प्राप्त हो और वह तकली चलावे। कभी-कभी पिता की रुद्र मूर्ति का विचार कर वह पुस्तक खोल कर पढ़ने बैठता, परन्तु दो-चार पंक्ति भी न पढ़ने पाता था कि मन किसी अन्य स्थान पर जा अटकता। वह सोचता, आज देश भर में स्वदेशी की गूँज है। घर-घर में चर्ख़े का प्रचार है। जिसके हाथ में देखो, तकली रानी नाच रही हैं। परन्तु मुझे तो उसका चलाना तो दूर, छूने तक की मनाही है।......परन्तु यदि यथेष्ट समय दिया जावे, तो क्या दिन भर में मैं पाव छटाँक सूत नहीं कात सकता? कात सकता हूँ, और इसी प्रकार अति शीघ्र ही एक कुर्ता तैयार हो सकता है। बस इन्हीं विचारों में न जाने कब तकली मेज़ की दराज़ से निकल आती और खुली पुस्तक पर नाचने लगती।

प्रकाश जब कभी किसी से खादी की प्रशंसा सुनता अथवा समाचार-पत्र में इस सम्बन्ध में किसी का व्याख्यान पढ़ता, तो उसका हृदय एक महत् आकांक्षा से आलोकित हो उठता। वह मन में कहता—'आह! मेरे शरीर पर भी खादी के वस्त्र होते!' परन्तु तुरन्त ही वह अपनी परवशता और पिता के विरोध का विचार कर उद्विग्न हो उठता। उसका हृदय रोने लगता।

३

होली का त्योहार आया। महीनों के उत्सुक लोग वस्त्र बनवाने के लिए दुकानों पर टूट पड़े। जिसे देखो वह खादी ख़रीद रहा था। किसी ने कुर्ता बनवाया, कोई कोट सिलवा रहा था। प्रकाश जब स्कूल में सुनता कि आज उसके एक मित्र ने खद्दर की धोती ख़रीदी है, एक ने कुर्ता सिलवाया है, तो उसका हृदय विचलित हो उठता। अपने विदेशी वस्त्रों को देख कर वह घृणा से झुँझला उठता और बलपूर्वक उनको फाड़ने का प्रयत्न करता।

अन्त में एक दिन बड़े साहस के साथ उसने अपनी माता से कहा—माँ! मेरे लिए भी एक गाढ़े का कुर्ता सिलवा दो, मैं भी खादी पहनूँगा।

माँ चौंक कर बोली—खादी! खादी पहन कर क्या कॉङ्ग्रेसी बनेगा?

"क्यों माँ! खद्दर पहनने से क्या कॉङ्ग्रेसी हो जाते हैं।"

"और नहीं तो क्या? बेटा! तू इन बातों में न पड़। इन कॉङ्ग्रेस वालों की बातों पर ध्यान भी मत दे। ये तो पागल हो गए हैं। व्यर्थ ही देश-भक्ति का रोग अलाप कर अपना सिर फोड़वा रहे हैं।"

"परन्तु माँ! बिना कष्ट सहे तथा जेल गए तो स्वराज्य भी नहीं मिलने का।"

"न सही, तू सुख से रहे। हमें इसी में स्वराज्य है। हमें और स्वराज्य का क्या करना है?"

"नहीं माँ! मैं तो खद्दर अवश्य पहनूँगा।"

"तू तो पागल हो गया है।"—कह कर माँ चली गई।

प्रकाश की प्रार्थना का कुछ भी फल न हुआ। उसकी कोमल अभिलाषाएँ पद्दलित कर दी गईं।

४

प्रकाश का स्वास्थ्य गिरने लगा। प्रति दिन की चिन्ता तथा निराशा ने उसके सुन्दर कलेवर को खोखला करना आरम्भ कर दिया। उसके मुख की वह आभा, जो कभी उसके माता-पिता के हृदयों को प्रफुल्लित कर देती थी, न जाने कहाँ विलीन हो गई। वह हर समय एकान्त में बैठा किसी चिन्ता में लीन रहता। आधी रात बीत जाती। लैम्प तेल न रहने के कारण बुझने लगता, परन्तु उसकी विचार-धारा का अन्त न होता था।

गत तीन-चार मास से उसका मन पुस्तकों में बिलकुल न लगता था। परीक्षा हुई, परन्तु वह पास न हो सका। परीक्षा-फल सुन कर पिता नाराज़ हुए, माता ने भाग्य को कोसा, परन्तु प्रकाश ने कुछ ध्यान न दिया। परीक्षा की सफलता अब उसके लिए कोई महत्व न रखती थी। धीरे-धीरे वह बीमार रहने लगा।

५

प्रकाश अब भी है। परन्तु उसके तब और अब में बहुत अन्तर है। अब वह कठिनता से पहचाना जाता है। दवा हो रही है, परन्तु कुछ होता दिखाई नहीं देता। उसे मानो अब जीवन से कुछ मोह नहीं है। प्रातःकाल जब प्रभात-फेरी वाले उसके कमरे के नीचे से—

"जागो हुआ सवेरा गाँधी जगा रहा है!"

गाते हुए निकलते हैं, तो वह कह उठता है कि "क्या कभी मुझ 'क़ैदी' के जीवन का अन्त न होगा?"

*   *   *

क़लम पकड़ नहीं सकते, मगर एडीटर हैं !!

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

ग़रीब, नातवाँ[1], मुफ़लिस हैं, और बेज़र[2] हैं!
न पूछो रङ्गे-ज़माना, कि सब से घट कर हैं !!
मिला के हाथ वह साहब से ख़ुद को भूल गए!
समझ रहे हैं कि क़िस्मत के हम सिकन्दर हैं !!
कभी कलेजे में चुभते हैं, यह कभी दिल में!
जनाब, आपके फ़िक़रे नहीं हैं, नश्तर हैं !!
नहीं है कुछ उन्हें 'पब्लिक' की बेहतरी से ग़रज़!
इसी ख़याल में वह मस्त हैं, कि "लीडर" हैं !!
एडीटरी भी हँसी-खेल, या तमाशा है!
क़लम पकड़ नहीं सकते, मगर "एडीटर" हैं !!
यही ग़ुरूर किसी रोज़ ख़ाक कर देगा!
वह अपने दिल में समझते हैं सब से बढ़ कर हैं !!
चुभें न क्यों दिले-दुश्मन में बैठते-उठते!
यह बात सच है कि 'बिस्मिल' के शेर[3] नश्तर हैं !!

१—कमज़ोर, २—निर्धन, ३—पद्य।

*   *   *



जापान का राजवंश

[डॉ० मथुरालाल जी शर्मा, एम० ए०, डी० लिट्]

संसार के इतिहास में किसी भी देश का राजवंश इतना पुराना नहीं, जितना जापान का है। वर्तमान राजवंश का संस्थापक नीनीगिनो मिकोटो था, जिसका शासन-काल इतिहासज्ञों ने ईसा-मसीह से ६६० वर्ष पूर्व निश्चित किया है। तब से अब तक जापान का शासन-सूत्र इसी वंश के हाथ में चला आया है। प्रथम संस्थापक ने एक दर्पण, तलवार और रत्नमाला राजचिह्न-स्वरूप भेंट किए थे। ये राजचिह्न अब तक इस राजकुल के अधिकार में रहते आए हैं। जापान के वर्तमान सम्राट इस कुल में एक सौ चौबीसवें सम्राट हैं। इस अर्से में न किसी वाह्य शत्रु ने जापान पर हमला करने का साहस किया है और न राजवंश के विपरीत कभी आन्तरिक विप्लव ही हुआ है। जापान के सम्राट् सम्पूर्ण देश में बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते हैं और प्रजा उनको सूर्य का पुत्र समझती है। इस राजकुल की विशेषता यह है कि समय के अनुसार शासन-शैली में परिवर्तन करने में और अपने अधिकारों को नियन्त्रित करने में पीछे नहीं रहा है, और अधिकांश सम्राट ऐसे हुए हैं, जो अपने जीवन का एकमात्र ध्येय देश का अभ्युदय समझते थे। संसार के इतिहास में जापान का राजपरिवार ही ऐसा है, जिसमें और प्रजा में कभी खटपट नहीं हुई और जिसने उत्तरोत्तर अपने देश को उन्नत किया।

बयासीवें सम्राट तक जापान में अनियन्त्रित निरङ्कुश शासन था। इस सुदीर्घ काल में राजपरिवार की सत्ता अपरिमित और अत्यन्त प्रबल थी। कभी सम्राट का परिवार प्रबल होता था और कभी सम्राज्ञी का पितृकुल। इस अर्से में दसवें, बारहवें, पन्द्रहवें, सैंतीसवें, बयालीसवें और पचासवें सम्राट बड़े प्रजा-हित-साधक और उन्नतिप्रिय हुए। बयालीसवें सम्राट ने जापान को कूपमण्डूकता से मुक्त किया और चीनी संस्कृति का अपने देश में प्रचार किया। इसी समय में स्वीकोटेनो प्रथम सम्राज्ञी हुई, जिसने स्वयं राज्य किया और उसके पश्चात् आठ महिलाओं ने और शासन किया। सन् ११८९ ईस्वी में, जिस समय बयासीवाँ सम्राट कोटागो राज्य करता था, सम्राट और सेनापति में कई बरसों तक युद्ध रहा और अन्त में सब शासन-शक्ति सेनापति के हाथ में आ गई। सम्राट-कुल का अन्त तो नहीं हुआ, परन्तु वे नाममात्र के राजा रह गए। जैसे महाराष्ट्रों के उत्तरकाल में शिवाजी का वंश केवल नाममात्र का राजवंश था और सम्पूर्ण राज्यशक्ति पेशवाओं के हाथ में थी, ठीक वैसी ही अवस्था सात सौ वर्ष तक जापान की रही। परन्तु विचित्र बात यह है कि इस दशा में भी राजवंश के प्रति प्रजा की भक्ति में अन्तर नहीं आया। लोग नामधारी सम्राटों का भी वैसा ही सम्मान करते थे, जैसे शक्तिशाली और निरङ्कुश शासकों का।

यह सात सौ वर्षों का समय वास्तव में सैनिक शासन का समय था। इस अर्से में राज-परिवार को कई बार घोर आर्थिक सङ्कट का सामना करना पड़ा था और कठिनता से राज-मर्यादा और प्रतिष्ठा की रक्षा हो सकी थी। परन्तु सैनिक शासन का समय भी जापान में पैशाचिक शासन का समय नहीं था। सैनिक शासकों में भी कई उन्नत और प्रजा-हितैषी शासक हुए। और उन्होंने अपने देश को कई प्रकार से उन्नत बनाने का प्रयत्न किया। इन शासकों ने राजवंश के प्रति कभी भी अनादर प्रगट नहीं किया। टोकोटोमी हिदेयोशी नामक सैनिक शासक अत्यन्त प्रबल, चतुर और बुद्धिमान था। वास्तव में वही जापान का सम्राट था, लेकिन फिर भी वह यथानियम सम्राट का अभिवादन करता था और राजकुल को बड़े सुख के साथ रखता था। इस सैनिक शासन-काल में शासन-विधि का परम्परागत स्वरूप वैसा ही जारी रहा। एक समय बौद्ध-धर्म के समभावों के प्रभाव से लोगों में राजवंश के प्रति कुछ अश्रद्धा होने लगी थी, परन्तु यह प्रवृत्ति अधिक पुष्ट न होने पाई।

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में जापान और पश्चिमी संसार का सम्पर्क बढ़ने लगा। इससे पूर्व प्रायः समस्त एशिया को किसी न किसी रूप में गोरे लोग दबा चुके थे और कहीं अपना शासन, कहीं अपना वाणिज्य स्थापित करके एशिया के प्रति रक्त-शोषण की नीति जारी कर चुके थे। भारतवर्ष, स्याम, इण्डो-चाइना और चीन में जब गोरी जातियाँ अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुकीं, तो उनकी दृष्टि जापान पर पड़ी। इस समय एशिया और अफ्रिका को अधिकृत करने के लिए यूरोपीय देशों में घोर सङ्घर्ष का आरम्भ हो चुका था। लगभग पचास वर्ष की घुड़दौड़ में दक्षिण एशिया में ग्रेट-ब्रिटेन को विजय प्राप्त हो गई थी, परन्तु पूर्वीय एशिया में यूरोप को एक और अन्तर्राष्ट्रीय समस्या का सामना करना था। यह थी अमेरिका की वाणिज्य-नीति। भारतवर्ष से अङ्गरेज़ों ने फ्रान्स, हॉलैण्ड और पोर्चगाल के व्यापारियों को खदेड़ भगाया था, लेकिन अमेरिका का सामना करना साधारण बात नहीं थी। इसलिए जब अमेरिका ने चीन और जापान के साथ व्यापारिक सन्धि स्थापित करके अपने व्यापार को विस्तृत करना चाहा, तो अङ्गरेज़ों ने कान नहीं हिलाया।

अमेरिका और यूरोप के सम्पर्क से जापान ने जितना शीघ्र लाभ उठाया, उतना किसी एशियाई देश ने नहीं उठाया। उधर सम्पर्क का आरम्भ हुआ और इधर जागृति का सूत्रपात। यूरोपीय व्यापार, यूरोपीय शिक्षा, यूरोपीय रहन-सहन और यूरोपीय राजनीति का जापान पर बड़ा प्रभाव पड़ा और जनता में एक अपूर्व जागृति के चिन्ह दिखाई देने लगे। जापान का साहित्य पश्चिमी साँचे में ढलने लगा। लोगों को अपने अतीत गौरव और वैभव पर अभिमान होने लगा और अधिकार-प्राप्ति के लिए आन्दोलन शुरू हो गया। इसी समय अमेरिका वाणिज्य-सन्धि स्थापित करने के लिए जापान पर दबाव डालने लगा। तत्कालीन सैनिक शासक शोगुनेत की आन्तरिक और परराष्ट्र-नीति का देश भर विरोध करने लगा और सम्राट-सत्ता को पुनः स्थापित करने का उद्योग होने लगा। फलतः सन् १८६७ में शोगुनेत ने स्वयं सब सत्ता तत्कालीन सम्राट मीजी के हाथ में सौंप दी। उस समय मीजी की अवस्था केवल सोलह वर्ष की थी, परन्तु उसने असाधारण शासन-योग्यता का परिचय दिया। योग्य और राजभक्त राजनीतिज्ञों की सहायता से उसने बहुत अच्छा शासन किया और उदार-नीति का अवलम्बन किया। यों तो सम्पूर्ण एशिया एक रूढ़ि-ग्रस्त भूखण्ड है, परन्तु जापान के रीति-रिवाज और रूढ़ियों की अनेकता और कठोरता ऐसी थी, जिसे देख कर कोई भी सुधार-प्रिय नरेश निराश हो जाता। परन्तु सम्राट मीजी ने अपने देश को उन्नत और आधुनिक बनाने में अप्रतिभ साहस और दूरदर्शिता दिखलाई। दबाव में आकर जापान ने कई गोरे देशों से ऐसी सन्धियाँ कर ली थीं, जिसके कारण इन लोगों को अनेक विशेष अधिकार प्राप्त हो गए थे। परन्तु इस देश-व्यापी जागृति के कारण और सम्राट मीजी की उदार नीति के कारण विदेशियों की तूती जापान में अधिक समय तक न बोल सकी। मीजी के आरम्भ-काल में पश्चिमीय सभ्यता की जापान में ऐसी भारी लहर आई और देश ने उसका ऐसा अभिनन्दन किया कि देखते-देखते ही जापान का रूपान्तर हो गया। पश्चिमीय संस्कृति को जापान ने खुले हाथों से अपनाया, नवीन शिक्षा-शैली को ग्रहण किया। वैज्ञानिक शिक्षा का प्रचार किया

सफल-जीवन

[श्री० "मगन"]

शुचि सत्य-मार्ग पर जिसने ;
दृढ़ रह कर नाम कमाया !
जिसके न पड़ी तन-मन में ;
पापों की कलुषित-छाया !!

※

लख प्राणि-मात्र को दुख में ;
जिसका मन रोने लगता !
उद्धार-भाव मन-मन्दिर—
में सोते-जगते जगता !!

※

हाँ, इस जग-मध्य उसी का ;
बस जीवन सफल कहाया !
पर-हित-वश होकर जिसने ;
तिल-तिल कर प्राण गँवाया !!

और सब भाँति अपने ज्ञान-क्षितिज को विस्तृत किया। कला-कौशल की ओर सरकार ने विशेष ध्यान दिया और जगह-जगह सरकार की सहायता से कल-कारख़ाने स्थापित हो गए। सैकड़ों नवयुवक भिन्न-भिन्न प्रकार की वैज्ञानिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए यूरोपीय देशों में जाने लगे और जापान तीस वर्ष के अन्दर ही यूरोपीय देशों की समता करने लगा। इस सर्व-व्यापी जागृति का परिणाम यह हुआ कि जापानी लोग शासन-सुधार की आवश्यकता का अनुभव करने लगे और सम्राट मीजी ने भी अपूर्व उदारता दिखाते हुए, स्वयं अपने अधिकारों को सीमित करके, पार्लियामेण्टरी (जनसत्तात्मक) शासन स्थापित कर दिया। सब जागीरदारों ने स्वयं अपने विशेष अधिकारों को त्याग कर, देश को उन्नत किया। वर्तमान शताब्दी के आरम्भ में ही इन सर्वव्यापी सुधारों के कारण जापान की, संसार के उन्नत और शक्तिशाली देशों में गणना होने लगी। आज से तीस वर्ष पहले अन्तर्राष्ट्रीय जगत में जापान की कोई प्रतिष्ठा न थी, परन्तु गत महायुद्ध से पहिले ही सम्पूर्ण उन्नत गोरे राष्ट्र उसको आदर और भय की दृष्टि से देखने लग गए थे। चीन और रूस ने इसको युद्ध करके दबाना चाहा, परन्तु उस समय जापान की सैनिक शक्ति इतनी सङ्गठित और उन्नत हो चुकी थी कि दोनों अभिमानी देशों को उलटे मुँह की खानी पड़ी और जापान का मस्तक और भी ऊँचा हो गया। सन् १९१२ में सम्राट मीजी का देहान्त हो गया और सम्राट तेशो राजसिंहासन पर बैठा।

तेशो का शासन-काल विश्व-व्यापी संसार-सङ्कट का समय था। इस भयङ्कर भूकम्प ने अनेक राज-नीतिज्ञ महारथियों की बुद्धि की परीक्षा ले ली। कई रत्न-पण्डितों का अन्त कर दिया, अनेक सम्राटों के राज-मुकुट गिरा दिए और कई राष्ट्रों को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला और दासता की बेड़ियों में जकड़ दिया। यदि इस समय जापान उन्नत और शक्तिशाली न हो गया होता, तो उसको मिश्र और ईराक़ की भाँति आज किसी न किसी गोरी शक्ति की संरक्षता में रहना पड़ता। किन्तु जापान इतना उन्नत और प्रबल हो गया था, कि ग्रेट-ब्रिटेन और जर्मनी दोनों सहायता के लिए उसका मुँह ताकने लगे। यह अङ्गरेज़ों का सौभाग्य था कि जापान ने उनका पक्ष ग्रहण किया। चीन और जापान के सानिध्य से जापानी सेना ने जर्मनी के जङ्गी जहाज़ों को खदेड़ भगाया और उसके पश्चात् जापान के सैनिक जहाज़ों ने हिन्द महासागर, प्रशान्त महासागर और रोम सागर में पहरा दिया। इस शक्ति-प्रदर्शन के कारण संसार जापान का लोहा मानने लगा और जापान की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। सन् १९२६ में सम्राट तेशो का स्वर्गवास हो गया और वर्तमान सम्राट राजसिंहासन को अलंकृत करने लगे। युवराज युवराजावस्था में ही समस्त यूरोप में भ्रमण करके अपने ज्ञान-क्षितिज को विस्तृत कर चुके थे और संसार की स्थिति से परिचित हो चुके थे। राजसिंहासन पर बैठने के पश्चात् वर्तमान सम्राट ने अपने जीवन को नियमित बना कर तथा देश के उन्नति-मार्ग में सहायक बन कर और भी प्रजाप्रिय बन गए। सम्राट मीजी के पौत्र में जिस योग्यता और निपुणता की जनता आशा करती थी, उसी का आपने परिचय दिया।

अन्तर्राष्ट्रीय जगत में जापान का महत्व इतना बढ़ गया है कि कोई भी समस्या उसके सहयोग के बिना हल नहीं हो सकती। गत नवम्बर में जापान, ग्रेटब्रिटेन और अमेरिका के बीच नौ-सेना को परिमित करने के विषय में एक सन्धि हुई थी और यह आशा प्रकट की गई थी कि अन्य राष्ट्र भी इस सन्धि का अनुकरण करके समर-सम्भावना को कम करेंगे। इस सन्धि से पाठकगण अनुमान लगा सकते हैं कि संसार में जापान की प्रतिष्ठा अमेरिका और ग्रेटब्रिटेन के समान है। इस समय एक जापानी न्यायाधीश हेग अदालत का अध्यक्ष है और राष्ट्र-सङ्घ में जापान की ख़ूब चलती है। संसार के सम्पूर्ण सभ्य राष्ट्रों में जापान के काउन्सल अर्थात् राज-प्रतिनिधि रहते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैण्ड आदि देशों में एशिया-निवासियों के साथ बड़े अत्याचार होते हैं; परन्तु जापानियों के साथ दुर्व्यवहार करने का किसी को साहस नहीं होता। सन् १९२१ में जब ड्यूक ऑफ़ ग्लोस्टर जापान गया तो जापानी सरकार ने उसका बड़े धूमधाम के साथ स्वागत किया था, परन्तु ड्यूक ने भी जापान-नरेश के सामने वैसा ही व्यवहार किया था, जैसा एक महान स्वतन्त्र राष्ट्र के अधिपति के सामने उसको करना चाहिए था। चित्र* में पाठक देखेंगे कि जापान-नरेश किस प्रकार खड़े हुए हैं और ड्यूक कैसी नम्रता के साथ उनसे मिल रहा है। विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि जिस समय ब्रिटिश-सरकार का कोई गोरा अफ़सर किसी वैष्णव भारतीय नरेश के यहाँ मेहमान होकर जाता है, तो तीतर-बटेर और हिरण आदि पशुओं का उसके हाथों से संहार करवा कर उसका मनोविनोद किया जाता है, परन्तु जब ड्यूक जापान गया तो जापान के प्रधान मन्त्री के साथ उसके द्वारा हिरणों को हरी घास खिलवाई गई और इस प्रकार जापान-सरकार ने अपने बौद्ध-मत की दयालुता का एक हिंसा-प्रिय जाति के प्रतिनिधि को परिचय दिया।

देखिए जलता है कब घर-घर चराग़े इत्तेफ़ाक़ !

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

हाथ मलता है, वह अब रोशन दमाग़े इत्तेफ़ाक़,
जिसने महफ़िल में, जलाया था चराग़े इत्तेफ़ाक़ !
किसक़दर रोशन था, एक-एक दिल में दाग़े इत्तेफ़ाक़,
बुझ गया, नाइत्तेफ़ाक़ी से चराग़े इत्तेफ़ाक़ !
बन गई बादेख़िज़ाँ,[1] नाइत्तेफ़ाक़ी की हवा,
हो गया बरबाद, कितना जल्द बाग़े इत्तेफ़ाक़ !
रोग़ने[2] उलफ़त से, अहले हिन्द को लेना था काम,
फिर बुझा सकती, न आँधी भी चराग़े इत्तेफ़ाक़ !
आतिशे[3] बुग़्ज़ो हसद ने, ख़ाक कर डाला इसे,
फूलने-फलने न पाया, अपना बाग़े इत्तेफ़ाक़ !
फिर अँधेरा छा गया, चारों तरफ़ आफ़ाक़[4] में,
हो के रोशन बुझ गया, फ़ौरन चराग़े इत्तेफ़ाक़ !
बाग़बाँ ग़ाफ़िल हैं, क्यों लेते नहीं इसकी ख़बर,
सूख कर सहरा[5] हुआ जाता है बाग़े इत्तेफ़ाक़ !
हज़रते "बिस्मिल" यही है रात-दिन दिल की लगन,
देखिए जलता है कब घर-घर चराग़े इत्तेफ़ाक़ !

१—हवा, २—तेल, ३—आग, ४—संसार, ५—जङ्गल,

जापान की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई शक्ति के साथ उसकी साम्राज्य-नीति भी अधिकाधिक स्वार्थमयी और जटिल होती जाती है। रूस और चीन उसके निकट-वर्ती राष्ट्र हैं, इसलिए इनके साथ उसकी हमेशा खटपट रहती है। इन दोनों राष्ट्रों को युद्ध में परास्त करके यह अपना आतङ्क जमा चुका है। रूस में साम्य-वादी सरकार की स्थापना के पश्चात् से ही जापान का उसके साथ व्यवहार पहिले की अपेक्षा कुछ अच्छा हो गया है और रूस ने भी अपनी परम्परागत हरण-नीति का त्याग कर दिया है। परन्तु साम्यवादी प्रचारक जापान में ऐसी दृष्टि से नहीं देखे जाते और समय-समय पर उनके साथ कठोरताएँ हुआ करती हैं ! साथ ही मज़दूर-दल और साम्यवादी लोगों का पक्ष भी प्रबल होता जाता है और कोई आश्चर्य नहीं, यदि किसी दिन जापान की पार्लियामेण्ट इन लोगों के हाथ में आ जाय। बात यह है कि साम्यवादी विचार-धारा जिस प्रकार अन्य उन्नत राष्ट्रों में फैलती जाती है, उसी प्रकार जापान में भी यह पहुँच गई है और इस विषय में जापान और रूस में लड़ाई होना अधिक सम्भव नहीं है। चीन के व्यापार पर हमेशा से जापान का दाँत लगा हुआ है। जिस समय चीन में निरङ्कुश शासन था, तो वहाँ के सम्राट पर दबाव डाल कर जापान ने ऐसी व्यापारिक सन्धि करवा रक्खी थी, जिससे जापान को पुष्कर लाभ हुआ करता था। जिस समय चीन में राजा और प्रजा में सङ्घर्ष आरम्भ हुआ, उस समय जापान ने चीन के राजवंश को प्रचुर धन से सहायता दी। जापान जानता था कि सम्राट् की सहायता करने में उसका हित है। जागृत प्रजा जापान की व्यापार-सन्धि का अन्त करना चाहती थी और जापा-नियों के विशेषाधिकारों को रद्द करना चाहती थी। इसलिए उसको सहायता देने से या उदासीन रहने से जापान का क्या लाभ था? बल्कि उसकी हानि थी। जापान को तो आर्थिक लाभ उसी अवस्था में होता, जब चीन की जनता कुचल दी जाती, सम्राट् की विजय हो तो, राजपरिवार जापान के ऋण से दब जाता, और जापान के विशेषाधिकार अक्षुण्ण रूप से जारी रहते। चीन में प्रजातन्त्र स्थापित हो चुका, उसके पश्चात भी जापान अपनी अनुदार नीति का अनुसरण करता रहा। इस समय अर्से से चीन में गृह कलह जारी है। स्वर्गीय डॉक्टर सनयातसेन की धर्मपत्नी के नेतृत्व में साम्यवादी दल सोशलिस्ट सरकार स्था-पित करना चाहता है और शासक-पार्टी जन-सत्तात्मक शासन को ही चीन के लिए हितकर समझती है। इस कलह में भी जापान शासक-पार्टी के साथ है। वैसे तो अब चीन में जापान, अमेरिका या ग्रेटब्रिटेन किसी का भी विशेष अधिकार नहीं चल सकता, परन्तु जापान को यदि किसी पार्टी से लाभ हो सकता है तो वह केवल शासक-पार्टी से, अतः जापान की नीति सदैव अनुदार रहती है।

पिछले १२ वर्ष से जापान का व्यापार संसार में ख़ूब चमकने लगा है। महासमर के समय समस्त यूरो-पीय देशों से एशिया में पक्का माल आना प्रायः बन्द हो गया था। उस मौक़े से जापान ने ख़ूब लाभ उठाया और एशिया के सब देशों में उसका माल पहुँचने लगा। अभी भारत-सचिव श्री० बेन ने पार्लिया-मेण्ट में जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने अङ्कों द्वारा बतलाया था कि महासमर से पूर्व की अपेक्षा इस समय चीन के साथ इङ्गलैण्ड का व्यापार केवल तृतीयांश रह गया है। इसका कारण यह है कि चीन के बाज़ार को जापान ने अपने माल से पाट दिया है। जब से भारत में स्वातन्त्र्य संग्राम जारी हुआ है, तब से जापान को और अधिक लाभ होने लगा है। इस समय करोड़ों रुपए का कपड़ा और दूसरा माल जापान से भारतवर्ष में आता है।

विश्वव्यापी आर्थिक शैथिल्य का प्रभाव इस समय जापान पर भी पड़ रहा है। सरकार ने राजकर्मचारियों की तनख़्वाह कम करने का प्रस्ताव किया, तब एक बार तो बड़ा असन्तोष उमड़ा था, पर अब शान्ति है। पाठकों को यह जान कर आश्चर्य होगा कि जापान के प्रधान मन्त्री को केवल १,४००) रुपए मासिक वेतन मिलता है और अब भविष्य में उसको केवल १,२००) रुपए मासिक मिलेंगे।

* * *

* जापान-नरेश और ड्यूक का चित्र अन्यत्र देखिए।

भारत में सर्वतोमुखी क्रान्ति

[श्री॰ चन्द्रपालसिंह जी, बी॰ ए॰]

हमारे देश में बहुत दिनों से प्रत्येक क्षेत्र में एक ऐसी महान् सर्वव्यापी क्रान्ति की आवश्यकता थी, जो बिलकुल ही उसकी कायापलट कर दे। उसके युवक-गण वृद्ध भारत का अग्नि-संस्कार करने को उतावले हो रहे थे, और उस दिन का स्वर्ण-स्वप्न देख रहे थे; जब कि असहाय, परतन्त्र, दीन-हीन, जीर्ण-शीर्ण, दक़ियानूसी वृद्ध भारत के अग्नि-स्तूप में से सर्व-शक्ति-सम्पन्न, स्वतन्त्र, समृद्धिशाली, नव्य-भव्य भारत का उदय हो। वास्तव में सैकड़ों वर्षों की ग़ुलामी तथा रक्तशोषण से एवं परम्परा से अपरिवर्तित रूप से चली आने वाली धार्मिक तथा सामाजिक रूढ़ियों और पाखण्डों के कारण भारत की दशा उस असाध्य रोगी के सदृश हो गई थी, जिसकी रोग से मुक्ति केवल उसके प्राणान्त के साथ ही हो सकती है। बहुत से लोग तो भारत की दशा से सचमुच निराश हो गए थे। इधर-उधर के सुधारों से सिवाय रोग की अवधि बढ़ने के कोई लाभ न होता था। वह ज़माना पाश्चात्य सभ्यता के दौर-दौरे का था। पूर्व न केवल पश्चिम का राजनैतिक और आर्थिक दास था, वरन् वह उसकी दिमाग़ी ग़ुलामी में भी बँधा हुआ था। पूर्व पर पश्चिम का ऐसा जादू पड़ गया था कि वह उसका प्रत्येक बात में अन्धानुकरण करने में ही अपने को परम सौभाग्यशाली समझता था। यह दशा बड़ी ही भय और आशङ्का से पूर्ण थी। उस समय ज्ञात होता था कि भारत की जीवन-शक्ति का स्रोत नितान्त ही सूख गया है। अतएव भारत को नवीन जन्म देने के लिए एक सर्वव्यापी, सर्वतोमुखी महान् क्रान्ति की आवश्यकता थी। प्रश्न केवल यही था कि क्या उस क्रान्ति में से गुज़रने की भी शक्ति उसमें अवशिष्ट है तथा उस क्रान्ति का रूप कैसा हो?

क्रान्ति के रूप को ठीक-ठीक समझने के लिए दो-एक उदाहरण यदि दे दिए जायँ, तो कदाचित् अप्रासङ्गिक न होगा। जिस प्रकार सब प्रकार की औषधि करने पर भी कोई फोड़ा बढ़ता ही जाता है तो उसको चीर कर उसका मवाद निकालने के लिए डॉक्टर के नश्तर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार देश की असाध्य बुराइयों को दूर करने के लिए क्रान्ति की आवश्यकता होती है। इसी तरह यदि कोई मकान इतना जीर्ण-शीर्ण हो जाय, कि अगर आज उसकी एक जगह मरम्मत की जाती है, तो कल दूसरी जगह वह खिसक पड़ता है और यह ख़तरा बना रहता है कि न जाने कब यह सब का सब उसमें रहने वालों के सिरों पर गिर पड़े, तो इसके सिवाय कोई चारा नहीं रह जाता कि उस मकान को गिरा कर दूसरा नया मकान बनाया जाय। हाँ, उस पुराने मकान के कुछ अच्छे मसाले को काम में लाया जा सकता है। डॉक्टर के नश्तर का अथवा उस पुराने मकान को गिराने का काम ही क्रान्ति करती है। प्रत्येक राष्ट्र को क्रान्ति की ज़रूरत होती है। वही उसकी बार-बार अवरुद्ध होने वाली जीवन-गति को सञ्चालित करके ताज़ा बनाए रखती है। एक प्रकार से क्रान्ति ही राष्ट्रों को जीवन देने वाली शक्ति है। फिर वह चाहे हिंसात्मक हो अथवा अहिंसात्मक। क्रान्ति का शाब्दिक अर्थ है, सहसा होने वाला एक महान् परिवर्त्तन।

इस प्रकार की क्रान्तियाँ पश्चिमी देशों में बहुत हुई हैं। जब-जब प्रजा किसी निरङ्कुश राजा के अत्याचार से पीड़ित हुई है, अथवा किन्हीं सामाजिक एवं धार्मिक रूढ़ियों के कारण समाज छिन्न-भिन्न हो गया है, अथवा मुट्ठी भर सत्ताधारियों ने देश की सारी सम्पत्ति पर क़ब्ज़ा करके श्रमजीवियों को पेट भरने भर को भी नहीं छोड़ा है, तब-तब उस देश की प्रजा ने विद्रोह करके उस अत्याचारपूर्ण प्रणाली का सर्वनाश कर दिया है। फ़्रान्स, इङ्गलैण्ड, इटली, हॉलैण्ड और रूस आदि देशों की क्रान्तियाँ इसका उदाहरण हैं। भारत के नवयुवक ऐसी ही क्रान्ति की योजना का प्रयत्न कर रहे थे, या स्वप्न देख रहे थे।

ये सभी क्रान्तियाँ सशस्त्र थीं और हज़ारों-लाखों दोषी-निर्दोषी स्त्री-पुरुषों के रक्त से सनी हुई होती थीं। इनका परिणाम भी जोखिमपूर्ण होता था। यह आवश्यक नहीं था कि वाञ्छित फल मिले ही। प्रायः यह इन क्रान्तियों में कई वर्गों और व्यक्तियों के स्वार्थों का ताण्डव-नृत्य होता था, जिसका परिणाम था, उनका एक दूसरे से एकाधिकार पाने के लिए प्रतिद्वन्दिता। पर तो भी ये क्रान्तियाँ अत्याचार, विषमता और पाखण्ड को मिटाने के लिए नितान्त आवश्यक थीं।

भारत में महात्मा गाँधी के दस महीनों के इस विगत आन्दोलन ने जो क्रान्ति की आग प्रज्ज्वलित कर दी है, वह अभूतपूर्व है। उसमें सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह अहिंसात्मक है। सब कुछ अपने पर सह कर विपक्षी की ओर एक अँगुली भी न उठा कर सफलतापूर्ण लड़ाई करना संसार के इतिहास में एक अद्वितीय मौजिज़ा (Miracle) है। जो जागृति इन दस महीनों में देश के प्रत्येक वर्ग में हुई है, जो सङ्गठन लोगों में आ गया है, जो शक्ति उन्होंने सम्पन्न कर ली है, जो आत्म-विश्वास उनके हृदयों में भर गया है, वह सैकड़ों वर्षों में भी प्राप्त होना कठिन था। यद्यपि इस आन्दोलन के पीछे कई वर्षों की तैयारी थी—किस क्रान्ति के पीछे यह तैयारी नहीं होती—तो भी इसके संक्रामक एवं विस्फोटक रूप तथा अद्भुत प्रभाव को देख कर इसको एक विचित्र दैवी क्रान्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं कह सकते। क्या युवक, क्या वृद्ध; क्या स्त्री, क्या बच्चे—किसी भी अवस्था के लोग इसके जादू भरे प्रभाव से नहीं बचे। क्या हिन्दू, क्या मुसलमान; क्या ईसाई, क्या पारसी—किसी भी धर्म के लोग इसमें भाग लिए बिना नहीं रहे। क्या किसान, क्या मज़दूर; क्या व्यापारी, क्या ज़मींदार—सभी वर्ग के व्यक्तियों ने इस महान राष्ट्र-यज्ञ में अपनी यथाशक्ति आहुतियाँ डाली हैं। बहुत से कुटुम्बों ने तो अपना सर्वस्व इसमें झोंक दिया है। क्या राजनैतिक, क्या आर्थिक, क्या धार्मिक, क्या सामाजिक, क्या साहित्यिक, क्या सांस्कृतिक—किसी भी क्षेत्र में विचार-सम्बन्धी मनोवैज्ञानिक क्रान्ति हुए बिना नहीं रही। इतने बड़े देश में थोड़े से समय में इतनी महान अहिंसात्मक क्रान्ति! संसार के इतिहास के पन्ने उलट जाइए, आपको कहीं भी ऐसा उदाहरण देखने को न मिलेगा। यद्यपि इस क्रान्ति की अभी पूर्णाहुति नहीं हुई, इस नाटक का अभी अन्तिम दृश्य सामने नहीं आया, और यह आन्दोलन अस्थायी रूप से बन्द कर दिया गया है, पर तो भी इसका अदृष्ट और सर्वव्यापी प्रभाव लोगों के हृदयों पर सदा रासायनिक क्रिया करता रहेगा।

महात्मा गाँधी वर्तमान युग की महान विभूति हैं। ऐसे पुरुष सहस्रों वर्षों में एकाध ही होते हैं। मैशीन-रूपी राक्षस से पीड़ित, हिंसा और स्वार्थ के विषमय वातावरण से परिवेष्टित आधुनिक संसार के लिए महात्मा जी मसीहा हैं। उनका सत्य और अहिंसा का सन्देश आज अमृत का काम कर रहा है। भारत को अपने पुनरुत्थान के लिए ऐसे ही महात्मा की आवश्यकता थी, जो अपने दिव्य आत्मिक बल से मरणासन्न देश में एक साथ ही जीवन-सञ्चार कर दे। उन्होंने अब तक संसार में होने वाली हिंसात्मक क्रान्तियों के बदले ऐसी अहिंसात्मक क्रान्ति प्रज्ज्वलित की है, जो उन क्रान्तियों के गुणों को रखते हुए भी उनके दुर्गुणों से रहित है।

भारतीय क्रान्ति बहुत-कुछ अंशों में केवल एक मनोवैज्ञानिक क्रान्ति (Psychological Revolution) है, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है; और सचमुच मानसिक विचारों की क्रान्ति ही, वास्तविक क्रान्ति है। उसके बाद जो कुछ होता है, वह तो उसका अनिवार्य प्रतिरूप है। दृश्य-जगत (Objective World) भी तो हमारे मन का केवल प्रतिबिम्ब (Correlative) मात्र है।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन ने राजनैतिक क्षेत्र में जो क्रान्ति उत्पन्न की है, पहले हम उसी का दिग्दर्शन कराते हैं। इस आन्दोलन ने कॉङ्ग्रेस की प्रतिष्ठा को जितना ऊँचा कर दिया है, उतना कई वर्षों में भी नहीं हो सकती थी। यह कितनी बड़ी बात है कि जो सरकार इस आन्दोलन से पूर्व कॉङ्ग्रेस को केवल मुट्ठी भर विद्रोहियों की नगण्य संस्था समझती थी, वही सरकार उससे समझौते को तैयार होती है तथा गोलमेज़-परिषद् सम्बन्धी अपनी नीति को बदल कर कॉङ्ग्रेस को उसमें भाग लेने के लिए सम्मानपूर्वक निमन्त्रित करती है। इसका कारण केवल कॉङ्ग्रेस की दिन-दिन बढ़ती हुई शक्ति थी। इस आन्दोलन के कारण कॉङ्ग्रेस ने बच्चे-बच्चे के हृदय में घर कर लिया है। आन्दोलन के दरम्यान कॉङ्ग्रेस ने जो अद्भुत सङ्गठन, कार्य-कुशलता, उत्तरदायित्व तथा प्रबन्ध-क्षमता दिखाई, उससे स्पष्ट ज्ञात होता था कि अब वह दिन दूर नहीं, कि कॉङ्ग्रेस भारतीय नौकरशाही के बराबर की सङ्गठित सरकार हो जाय। ऑर्डिनेन्स पर ऑर्डिनेन्स निकलते रहने पर भी कॉङ्ग्रेस का कार्य जिस ख़ूबी के साथ चलता रहा, वह स्वयं ही केवल विजय कहला सकता है। जिस सफलता के साथ कॉङ्ग्रेस पिकेटिङ्ग करती थी, जिस कुशलता के साथ वह देश-द्रोहियों का सामाजिक बहिष्कार कराती थी तथा जिस क्षमता के साथ वह जुर्माने वसूल करती थी और मुक़दमे तय करती थी, वह उसको बराबर की गवर्नमेण्ट कहलाने के लिए काफ़ी था।

सब से बड़ी सफलता जो कॉङ्ग्रेस को इन दिनों में मिली है, वह है किसानों का सङ्गठन। इस आन्दोलन से पूर्व कॉङ्ग्रेस का सन्देश देश के गाँवों में नहीं पहुँचा था। किसान नहीं जानते थे कि स्वराज्य किस चिड़िया का नाम है। इस आन्दोलन ने किसानों में बड़ी जागृति उत्पन्न कर दी और उनमें अपने स्वत्वों के

लिए लड़ने की शक्ति पैदा कर दी। जगह-जगह नमक-क़ानून तोड़ने और लगानबन्दी के आन्दोलन ने उनके हृदयों में वीरता, उत्साह और आशा का सञ्चार कर दिया। अब वे लोग पहले के से लाल पगड़ी को देख कर भागने वाले, घूस ख़ोर सरकारी नौकरों के शिकार नहीं रहे। कॉङ्ग्रेस और महात्मा गाँधी के प्रति उनके हृदयों में श्रद्धा है तथा नौकरशाही के प्रति घोर असन्तोष। कॉङ्ग्रेस के वालण्टियरों में अधिक संख्या ग्रामनिवासियों ही की थी, जिन्होंने लाठियाँ खाईं, सब कष्ट झेले तथा जेल गए। कॉङ्ग्रेस की शक्ति की 'रीढ़ की हड्डी' वे ही हैं। उन पर कॉङ्ग्रेस सदैव विश्वास रख सकती है। इसी प्रकार मज़दूरों में भी अपूर्व सङ्गठन हुआ है। ग्रामों में राजनैतिक जागृति (Political Consciousness) बहुत बढ़ गई है। यह बात इसीसे प्रमाणित होती है कि शायद ही कोई ऐसा अभागा गाँव रह गया होगा, जहाँ कोई समाचार-पत्र न आता हो, अथवा जहाँ के लोग बाहर की ख़बरें सुनने में दिलचस्पी न लेते हों। समाचार-पत्रों की ग्राहक-संख्या दिन-दिन बढ़ती जाती है। लोग बड़े चाव से समाचार-पत्र पढ़ते हैं तथा राजनैतिक समस्याओं पर बातें करते हैं।

इस आन्दोलन ने कॉङ्ग्रेस पर महात्मा गाँधी के प्रभाव को बहुत बढ़ा दिया। अब वही एकमात्र उसके सर्वेसर्वा हैं। उनके अनुयायियों में उनके प्रति अटल विश्वास है। और ऐसा विश्वास हो भी क्यों न उस पुरुष के प्रति, जिसमें अपने विचारों को कार्यरूप में परिणत कर देने की अद्भुत शक्ति है? भगतसिंह की फाँसी और अस्थायी सन्धि के प्रश्नों पर प्रत्येक क्षण यह सम्भावना थी कि कॉङ्ग्रेस में दो दल हो जायँगे, परन्तु ऐसा न हुआ। यह महात्मा जी की कार्य-क्षमता में जनता का अनन्य विश्वास होने का प्रबल प्रमाण है। इस आन्दोलन के कारण कॉङ्ग्रेसमैनों में अद्भुत सैनिक सङ्गठन आ गया है तथा कॉङ्ग्रेस की मैशीनरी सुचारु रूप से सञ्चालित होने लगी है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो विशेष राजनैतिक महत्व रखती है, वह है अन्य देशों की भारत के स्वातन्त्र्य-संग्राम के प्रति नैतिक सहानुभूति। इस लड़ाई के विपक्षी की ओर से सब प्रकार के अत्याचार सहने पर भी, अहिंसात्मक रहने से भारत को दूसरे राष्ट्रों की सहज में यथेष्ट सहानुभूति प्राप्त हुई, जो लाखों रुपए ख़र्च करके प्रचार करने से भी नहीं हो सकती थी। यहाँ तक कि स्वयं इङ्गलैण्ड के बहु-संख्यक लोग—विशेषतः लेबर-पार्टी के सदस्य—भारत के स्वराज्य-प्राप्ति के अधिकार के हामी हैं। अन्य प्रभावशाली देशों की सहानुभूति विशेष अन्तर्राष्ट्रीय महत्व रखती है। इससे इङ्गलैण्ड को भी अपनी मनमानी करने की हिम्मत नहीं रही तथा अमेरिका आदि देशों में उसका जो भारत के विरुद्ध प्रचार होता था, उसकी भी निस्सारता सिद्ध हो गई।

हमारा सब से बड़ा शस्त्र जो इस लड़ाई में था, वह विदेशी वस्त्र का बहिष्कार (जो केवल आर्थिक महत्व रखता है) तथा सम्पूर्ण ब्रिटिश माल का बहिष्कार! यह इतना अमोघ शस्त्र था कि केवल इसी ने इङ्गलैण्ड के छक्के छुड़ा दिए और उसे अस्थायी सन्धि करने को विवश कर दिया। आर्थिक बहिष्कार (Economic Boycott) बड़ी विकट मार है। जर्मनी की हार केवल इसी कारण हुई थी। यदि केवल ब्रिटिश माल का बहिष्कार किया जाय तो विकट अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति उपस्थित हो सकती है, जिसकी साधारण शुरुआत भारत में आने वाले कपड़े पर इङ्गलैण्ड की अपेक्षा अन्य देशों (विशेषतया जापान) पर ५ प्रति शत अधिक कर लगाने के कारण जापान और इङ्गलैण्ड में परस्पर विद्वेष बढ़ने से हुई थी।

गोलमेज़-परिषद् में न जाकर कॉङ्ग्रेस के सविनय-अवज्ञा आन्दोलन की घोषणा कर देने से एक और लाभ यह हुआ कि उससे गवर्नमेण्ट को कॉङ्ग्रेस की महती शक्ति का पता लग गया, जिससे वह अब उसकी सहज उपेक्षा नहीं कर सकती और साथ ही उसे यह ज्ञात हो गया कि कॉङ्ग्रेस ही देश की वास्तविक प्रतिनिधि है और जो नाम के प्रतिनिधि वहाँ गए, वे केवल खिलौने मात्र थे। जब तक माँग के पीछे शक्ति नहीं होती, तब तक माँग पूरी नहीं होती, चाहे वह कितनी ही न्याययुक्त क्यों न हो। अतः इतने शक्ति-प्रदर्शन के बाद कॉङ्ग्रेस अब इङ्गलैण्ड को अधिक अधिकार देने को बाध्य कर सकती है।

एक और महत्वपूर्ण फल जो इस आन्दोलन से हुआ, वह है मुसलमानों में अपूर्व राष्ट्रीय जागृति तथा राष्ट्रीय मुस्लिम-दल का सङ्गठन। इस आन्दोलन से पहले मुसलमानों में नाम-मात्र को राष्ट्रीयता का भाव था और मुस्लिम जनता धर्मान्ध मौलवी-मुल्लाओं के हाथ की कठपुतली थी। राष्ट्रीय नेता जो दो-एक थे, उनका प्रभाव भी नहीं के बराबर था। यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक बात है कि जब तक कोई जाति किसी उच्च उद्देश्य के लिए त्याग नहीं करती, कष्ट नहीं झेलती, तब तक उसमें न तो सङ्गठन आता है, न विचारों की एकता और न उस उद्देश्य के प्रति अनन्य भाव। इस आन्दोलन ने मुसलमानों में अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ, तसद्दुक़ अहमद ख़ाँ शेरवानी, डॉक्टर आलम, डॉक्टर सय्यद महमूद आदि जैसे त्यागी, विचारवान, राष्ट्रीय नेताओं को उत्पन्न किया है, जिनके प्रयत्न से मुसलमानों में एक नई राष्ट्रीय लहर आ गई है और अब हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रश्न बहुत-कुछ सुलझ गया है तथा कट्टर धर्मान्ध मुस्लिम नेताओं के प्रयत्न निष्फल से हो गए हैं। १९२०-२१ की हिन्दू-मुस्लिम एकता केवल स्वार्थ पर अवलम्बित थी, अतः नाम-मात्र की थी। हृदय नहीं मिले थे। अब की एकता सच्ची एकता होगी। सरहद के ख़ूँख़्वार पठानों में महात्मा गाँधी के सिद्धान्तों के प्रति श्रद्धा के भाव का उदय होना एक बड़ा मोजिज़ा—आश्चर्यपूर्ण घटना—है। उन्होंने इस लड़ाई में जिस अतुल त्याग और असीम साहस का परिचय दिया है, वह भारत भर में अद्वितीय है। उसने हिन्दुओं को मुसलमानों की माँगों को बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लेने के मार्ग को बहुत सुगम बना दिया है, क्योंकि एक जाति का दूसरी जाति के प्रति अविश्वास मिटने पर ही तो दोनों में एकता का अङ्कुर उग सकता है। मुसलमानों में अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ (जिनको सरहद के गाँधी जैसे प्रिय नाम से सब पुकारते हैं) जैसे उदाराशय नेता का उदय होना भारत के उज्ज्वल भविष्य का सूचक है।

आर्थिक क्षेत्र में सफलतापूर्वक विदेशी वस्त्र का बहिष्कार ही भारत के लिए करोड़ों रुपयों का लाभ है। भारत की राजनैतिक ग़ुलामी, आर्थिक ग़ुलामी पर ही अवलम्बित है। जहाँ दूसरी की कड़ियाँ टूटीं, वहाँ पहली से मुक्ति हुई। सब से बड़ी सफलता जो कॉङ्ग्रेस को इस क्षेत्र में हुई, वह थी व्यापारियों द्वारा विदेशी कपड़े के आयात का बिल्कुल बन्द कराना। रचनात्मक रूप से खादी का जो प्रचार हुआ है, वह भी कम नहीं। इस आन्दोलन ने खद्दर की प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ा दिया। बड़े-बड़े सूट-बूट-धारी अफ़सरों अथवा स्वतन्त्र पेशे वालों को लेखक ने कम से कम घर में तो खद्दर पहनते देखा है। हाल की महात्मा जी की शिमला-यात्रा भी इसका प्रमाण है। खद्दर के बढ़ते हुए प्रचार के कारण करोड़ों भूखों का जो उदर-पोषण हुआ तथा बेकारी की समस्या कुछ दूर तक सुलझी, उसका मूल्य कूतना असम्भव है। साथ ही स्वदेशी की हर प्रकार से जो उन्नति हुई वह भी कम महत्व की नहीं है।

सामाजिक क्षेत्र में इस आन्दोलन ने जो क्रान्ति पैदा कर दी है, वह और भी अधिक आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण है। भारतीय समाज, विशेषतया हिन्दू-समाज सैकड़ों वर्षों से अनेक रोगों से ग्रस्त है, जिनके कारण दिन पर दिन उसकी जीवन-शक्ति (vitality) क्षीण होती जाती थी। इसी कारण राजनैतिक प्रगति में भी बाधा होती थी। परन्तु महात्मा गाँधी के थोड़े समय के इस आन्दोलन ने हिन्दू-समाज के लिए वह काम किया है, जो आर्य-समाज, ब्रह्म-समाज आदि अनेक समाज तथा शुद्धि और सङ्गठन के आन्दोलन वर्षों में भी नहीं कर सके। तसद्दुक़ अहमद ख़ाँ शेरवानी ने लखनऊ की राष्ट्रीय मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स में बिल्कुल ठीक कहा था कि महात्मा गाँधी जैसे सैकड़ों सुधारक सैकड़ों वर्षों में हिन्दू-जाति में वह जागृति, सुधार तथा सङ्गठन नहीं उत्पन्न कर सकते थे, जोकि इस आन्दोलन में भाग लेने से उसमें अपने आप आ गया है।

स्त्री-जाति सम्बन्धी जागृति विशेष उल्लेखनीय है। स्त्रियों ने, जो अब तक गृहस्थी के जञ्जाल ही से छुटकारा न पाती थीं; घर की चहारदीवारी तक ही जिनका जगत सीमित था; पर्दे की प्रथा, अधिक आभूषण पहनने का शौक़ आदि कुरीतियों से जो ग्रस्त थीं—उन्होंने जो काम इस आन्दोलन में किया है, वह पुरुषों के लिए ईर्ष्या की वस्तु है। इस आन्दोलन की सफलता का बहुत अधिक श्रेय केवल स्त्रियों को है। सच पूछो तो शराब और विदेशी वस्त्र पर पिकेटिङ्ग उन्हीं ने सफल बनाई। हज़ारों-लाखों की संख्या में केसरिया साड़ी पहिने, राष्ट्रीय झण्डे लिए तथा राष्ट्रीय गीत गाते हुए महिलाओं के विराट जुलूस जब बम्बई, आगरा, बनारस प्रभृति नगरों में निकलते थे, तब हृदय एक अनिर्वचनीय आनन्द से नाच उठता था तथा स्वतन्त्र भारत एवं समता-प्राप्त नारी-जाति का भव्य दृश्य आँखों के आगे नाचने लगता था। छोटे-बड़े सब घरों की बालिकाएँ, युवतियाँ एवं वृद्धा नारियाँ जिस अदम्य उत्साह से मूर्त्तिमती भगवती दुर्गा सी गुण्डों और बदमाशों के बीच धरना देती थीं, नृशंस पुलिस की लाठियाँ सहती थीं तथा सहर्ष जेल जाती थीं, वह पुरुषों के लिए अनुकरणीय है। इस आन्दोलन में भारतीय महिलाओं द्वारा ऐसे-ऐसे वीरतापूर्ण कार्य किए गए हैं, जिनका उदाहरण संसार के किसी भी स्वतन्त्र कहे जाने वाले देश में न मिलेगा तथा जो सदैव भारत का मुख उज्ज्वल करते रहेंगे। पर्दे को फाड़ कर, बाहर निकल कर पुरुषों के साथ काम करती हुई, स्त्रियों का दृश्य सचमुच स्वर्गीय था। लेखक ऐसे कितने ही उदाहरण जानता है, जिनमें अपने पतियों के जेल जाने के पश्चात् उनकी स्त्रियों ने पर्दे से बाहर निकल कर उनका काम सँभाला है। हिन्दुओं में तो कम से कम पर्दा अब नाम-मात्र को रह गया है। श्रीमती लीलावती मुन्शी के शब्दों में "जिन स्त्रियों ने ब्रिटिश सरकार के घुटने टिका दिए, वे पति, पिता और पुत्र के भी घुटने टिका सकती हैं। वे अब जग गई हैं—अपनी ताक़त जानती हैं। अब वे गुड़िया बन कर नहीं रह सकतीं। वे शक्ति और स्वाधीनता का मज़ा चख चुकी हैं।" स्त्रियों में यह अद्भुत कायापलट उस 'जादूगर' का ही प्रभाव है। हज़ारों की संख्या में शहरों का तो कहना ही क्या, गाँवों में स्त्रियाँ सभाओं में जाती हैं और बड़े चाव से व्याख्यान सुनती हैं। स्त्रियों में इतनी जागृति उस देश के लिए, जिसने स्त्री-जाति को बिल्कुल पददलित कर रक्खा था, बड़े सौभाग्य

का सूचक है। उन स्त्रियों ने, जिन्हें थोड़ी भी इस आन्दोलन की हवा लगी है, न केवल पर्दा छोड़ दिया, भारी-भारी आभूषणों का पहनना त्याग दिया, सादा जीवन अख़्तियार कर लिया, चर्ख़ा कातना शुरू कर दिया तथा खद्दर पहनना प्रारम्भ कर दिया, वरन् उनके विचारों में—मनोवृत्तियों में—भी महान परिवर्तन हो गया। वे स्वतन्त्र भारत की, स्वतन्त्र सन्तान की योग्य जननी हो गई हैं।

इस आन्दोलन के दिनों में छोटे-छोटे बालकों ने जिस उत्साह और चाव से काम किया था, वह भी कम महत्व का नहीं है। नगर-नगर में बाल-सभाएँ और वानर-सेनाओं का सङ्गठन एक बिल्कुल नया काम था। बचपन में जो भाव हमारे हृदय-पटल पर अङ्कित हो जाते हैं, वह जन्म भर नहीं मिटते। क्या आप समझते हैं कि जो बच्चे असहयोग के ज़माने में जन्मे हैं अथवा उसी वातावरण में पले हैं तथा इस सविनय अवज्ञा आन्दोलन के जुलूसों में 'महात्मा गाँधी की जय' 'इन्क़लाब ज़िन्दाबाद' आदि के नारे लगाते हुए 'झण्डा ऊँचा रहे हमारा' आदि राष्ट्रीय गीत गाते हुए घूमे हैं, कभी राष्ट्रीय भाव से सूने रह सकते हैं, अथवा बड़े होने पर देशद्रोही हो सकते हैं? कदापि नहीं। यह बच्चे तो भावी स्वतन्त्रता-संग्राम में आजकल के युवाओं से भी अधिक जोश से लड़ेंगे तथा स्वतन्त्र भारत की ज़िम्मेदारियाँ इन्हीं के सबल कन्धों पर पड़ेंगी। इस आन्दोलन में इन बच्चों ने वह-वह काम किए, जो बड़ी उम्र के लोग नहीं कर सकते। लाहौर के राजपाल का क़िस्सा अभी ताज़ा ही है और सदा भारतीय बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी पुस्तकों में मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा जायगा। इस प्रकार इस आन्दोलन ने वीर बालकों की एक जाति की जाति (Race) उत्पन्न कर दी है, जो बिना स्वतन्त्रता लिए दम नहीं लेगी। गोद के दुधमुँहे बच्चों को तोतली बोली से 'महात्मा गाँधी की जय' और 'इन्क़लाब ज़िन्दाबाद' कहते हुए सुन कर लोग कहते थे कि यह आन्दोलन तो ईश्वरीय प्रेरणा से सञ्चालित प्रतीत होता है।

सामाजिक क्षेत्र में एक और प्रकार की ज़बरदस्त क्रान्ति हुई है। वह है, जाँत-पाँत के भाव का क्षीण होना और समता का भाव आना तथा खान-पान की पाबन्दियों का टूटना। इस आन्दोलन ने सारे देश में एक साथ एक बड़े युद्ध का वातावरण पैदा कर दिया था। हज़ारों की संख्या में भाग लेने वाले स्वयंसेवक और सेविकाएँ अपने को युद्ध में लड़ने वाले सैनिक समझते हुए कोई भी जाति-उपजाति का ख़्याल न रखते थे और खाने-पीने में किसी बात का विचार नहीं करते थे। यह दृश्य सचमुच देखने लायक़ होता था कि सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक जो हिन्दू, मुसलमान, छोटी-बड़ी—सभी-जाति के होते थे, सत्याग्रह-छावनियों में एक साथ बैठ कर सप्रेम कच्चा भोजन करते थे। इस आन्दोलन ने, सच पूछा जाय तो पुराने दक़ियानूसी विचारों के गढ़ में बम के गोले का काम किया है। जितनी भी सामाजिक रूढ़ियाँ समाज में घुन का काम करती थीं, वे अब अपनी अन्तिम घड़ियाँ गिन रही हैं।

सब से बड़ा काम जो इस आन्दोलन ने किया, वह था देश के प्रत्येक वर्ग में त्याग-भाव को जाग्रत करना तथा उसे प्रदर्शित करने का सुअवसर देना। व्यापारियों, सेठ-साहूकारों, पूँजीपतियों, ज़मींदारों, किसानों, विद्यार्थियों—सबने यथाशक्ति धन-जन से सहायता की थी। किसी भी जीवित-जागृत जाति के लिए त्याग की बड़ी भारी आवश्यकता है। त्याग ही उसका जीवन है। जब तक किसी समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपना सर्वस्व, अपना जीवन तक समाज की धरोहर नहीं समझता और सारे समाज पर आपत्ति पड़ने पर उसे सहर्ष समर्पित करने को तैयार नहीं हो जाता, तब तक वह समाज कदापि न उन्नत हो सकता है और न जीवित रह सकता है। व्यष्टि को समष्टि में अन्तर्हित कर देना ही सच्चा त्याग है। स्वतन्त्रता का मूल्य यह त्याग ही है। इस आन्दोलन ने यह दिखा दिया कि भारत अपनी स्वतन्त्रता के लिए कोई भी मूल्य चुका सकता है। राष्ट्रीय सैनिकों ने इस अहिंसात्मक स्वातन्त्र्य-संग्राम में जो अद्भुत साहस और धैर्य का परिचय दिया है तथा जो वीरतापूर्ण कार्य किए हैं, वे इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाकर सदैव चिरस्मरणीय रहेंगे। बिना ख़ून में गर्मी लाए चुपचाप खड़े अथवा बैठे धड़ाधड़ लाठियों की मार खाना, घोड़ों की टापों से कुचले जाना तथा आगे छाती किए हुए गोलियों की बौछार सहना किसी भी स्वतन्त्र देश के लिए गौरव की बात है। स्त्रियों और बालकों की वीरता का तो कहना ही क्या? उसकी बराबरी तो कोई देश आज तक नहीं कर सका। स्वयंसेवकों का सैनिकों जैसा सङ्गठन तथा नियमन (Discipline) भी एक शताब्दी से अधिक समय से ग़ुलाम तथा निःशस्त्र एवं कायर देश के लिए अनोखी और दर्शनीय वस्तु थी। इसके साथ ही देश के धनिक लोगों का तत्परता के साथ आन्दोलन की धन और अन्न से सहायता करना कम महत्व का नहीं है। कॉङ्ग्रेस को धन की कमी कहीं भी कभी नहीं पड़ी। करोड़ों रुपयों का दान कॉङ्ग्रेस को मिला होगा। कपड़े के व्यापारियों ने लाखों-करोड़ों रुपए की हानि सह कर विदेशी कपड़े का मँगाना बन्द कर दिया तथा आए हुए माल पर कॉङ्ग्रेस की मुहर लगवा दी, यह भी कम त्याग नहीं है। अन्य देशों में पूँजीपतियों और श्रमजीवियों में होने वाली लड़ाई तथा द्वेष के विरुद्ध भारतीय पूँजीपतियों का यह अपूर्व त्याग प्रबल विष (Antidote) का काम करता है—दोनों वर्गों में प्रेम, सहयोग और भ्रातृ-भाव उत्पन्न करने की ओर प्रवृत्त होता है। बोल्शेविज़्म के प्रबल शत्रु गाँधीवाद का जादू यहीं प्रकट हो जाता है। गाँधी का आन्दोलन तो वर्गिक द्वेष (Class hatred) उत्पन्न करने के बजाय सबको उसमें यथाशक्ति भाग लेने को प्रेमपूर्वक आमन्त्रित करता है। धनियों की स्वार्थवृत्ति का नष्ट होना और उनका राष्ट्रीय हित की ओर अग्रसर होना कॉङ्ग्रेस के सर्व-प्रिय होने का प्रमाण है। बङ्गाल के स्वदेशी आन्दोलन के समय जिन मारवाड़ियों ने उससे अनुचित लाभ उठाया और बङ्गालियों के कोप-भाजन बने, उन्होंने इस आन्दोलन में अपने पाप का पूर्ण प्रायश्चित्त किया। यहीं तक नहीं, विद्यार्थीगण अपने जीवन के सुखमय स्वप्नों को भुला कर, सारी आशाओं पर पानी फेर कर, इस संग्राम में कूद पड़े; कृषक-गण अपनी बाप-दादों से चली आने वाली जायदादों और घर-बार को छोड़ कर जङ्गलों में जा बसे, नौकरी-पेशा लोग अपनी नौकरियों की परवाह न कर राष्ट्र के साथ हो चले; फ़ौजी सैनिकों ने अपनी जान को जोखिम में डाल कर गोली चलाने से इन्कार कर दिया; ये सब राष्ट्र-यज्ञ की गौरवपूर्ण आहुतियाँ हैं, जिन पर वृद्ध भारत अपनी ग़ुलामी की दशा में भी अपना सिर ऊँचा कर सकता है। इस आन्दोलन ने देश के एक कोने से दूसरे कोने तक त्याग-भाव की एक अद्भुत विद्युत-लहरी फैला दी। लोगों पर जादू सा पड़ गया। देश-प्रेम के मतवाले अपनी-अपनी बलियों को राष्ट्र की वेदी पर बलिदान करने को उतावले हो उठे और एक-दूसरे से प्रतिद्वन्द्विता करने लगे। यह दृश्य देवताओं के लिए भी दर्शनीय था।

साहित्यिक क्षेत्र में यदि इस आन्दोलन का अथवा महात्मा गाँधी का नैतिक प्रभाव देखना हो, तो आजकल के सामयिक पत्रों के लेखों, कहानियों तथा प्रकाशित पुस्तकों को पढ़ जाइए। आपको इनमें सादगी, विचारों की गहनता तथा अश्लीलता का अभाव मिलेगा। यदि गाँवों की ओर आप निकल जाइए, तो स्त्रियों को वैसे ही राष्ट्रीय गीत गाते सुनेंगे। जहाँ देखो वहीं वायु-मण्डल राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत है। स्थायी मौलिक साहित्य के निर्माण का समय तो अभी आया है। साथ ही हिन्दी को राष्ट्र-भाषा होने का गौरव प्राप्त हो गया है।

इससे भी अधिक स्थायी क्रान्ति जो हुई है, वह सांस्कृतिक क्षेत्र में हुई। यद्यपि इसका कारण साधारण तौर से और व्यापक रूप से गाँधीवाद है, पर इस आन्दोलन ने उसे अधिक जागरूक बना दिया है। भारतवर्ष पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से जड़वाद की ओर प्रवाहित हो चला था। वह पश्चिम की शान-शौकत से चकित हो गया था और अपने आप को बिल्कुल भूल सा गया था। परन्तु गाँधी की आँधी ने उसकी सुप्त आध्यात्मिकता को जगा दिया। उसमें अब आत्म-गौरव का भाव आ गया है। वह स्वयं स्वतन्त्र विचार करने लगा है और उसे पाश्चात्य सभ्यता की भीतरी पोल का पता चलता जाता है। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गाँधी ने स्वयं एक लँगोटी से गुज़र करके, एक ग़रीब से ग़रीब की तरह रह कर 'सादा जीवन और उच्च विचार' (Plain living and high thinking) का जो सन्देश लोगों को दिया है, वह सदा भारतीयों को ठीक रास्ते पर लगाता रहेगा और अपने पूर्वज ऋषियों के आदर्श का स्मरण दिलाता रहेगा। उनका चर्ख़ा भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। वह आज संसार में पूँजीवाद और मैशीनवाद से होने वाली सब बुराइयों की रामबाण औषध है। वह अमीर-ग़रीब में समता, प्रेम और भ्रातृभाव उत्पन्न करने वाला है। वह बेकारी की समस्या को सुलझाने वाला है। वह संसार को बोल्शेविज़्म से होने वाली ख़ून-ख़राबी से बचाने वाला है। संसार को भारत का दिव्य सन्देश यही चर्ख़ा है। खद्दर के प्रचार ने लोगों में सात्विकता का भाव भर दिया है। उनमें समता और सादगी भर गई है।

इतना ही नहीं, इस आन्दोलन (असहयोग आन्दोलन भी इसी आन्दोलन की भूमिका-मात्र था) ने सारे देश में एक जागृति-काल (Renaissance) उपस्थित कर दिया, जिससे साहित्य-कला आदि प्रत्येक क्षेत्र में मौलिकता आ गई है। इन आन्दोलनों ने ऐसे न जाने कितने दार्शनिकों को उत्पन्न किया है, जो अपने मौलिक विचार से देश के ज्ञान-भण्डार को बढ़ाएँगे। लोगों की बुद्धि (Intellect) सचेष्ट हो गई है, स्वतन्त्र-विवेचन उनमें आ गया है। पहिले की सी दिमाग़ी ग़ुलामी अब रफ़ू-चक्कर होती जाती है। लेखक ऐसे कितने ही व्यक्तियों को जानता है, जिनके मस्तिष्क पर असहयोग आन्दोलन की टक्कर ने प्रतिक्रिया की है और वे अब बड़े स्वतन्त्र विचारक और दार्शनिक हो गए हैं, जिनका किसी भी देश को गर्व हो सकता है!

इस महान क्रान्ति के भिन्न-भिन्न रूपों और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न प्रभावों का पूरा तरह वर्णन करना इस लेख में असम्भव है। अभी तो इस क्रान्ति का पूर्वार्ध भी पूरा नहीं हुआ। यह भारत की अद्वितीय अहिंसात्मक क्रान्ति संसार भर में युगान्तर उपस्थित कर देगी और भारत को फिर से भूले-भटके संसार का गुरुत्व पद पाने का सौभाग्य प्रदान करेगी, और वह दिन शीघ्र आने वाला है, जब सारा संसार एक बार इन शब्दों से निनादित हो उठेगा कि "भारत के दिव्य महात्मा द्वारा प्रेरित यह अहिंसात्मक क्रान्ति चिरजीवी हो!"

* * *

भारतीय क्रान्ति के प्रति डेनियल जे० ली के विचार

"अस्पष्ट प्रतिज्ञाओं के द्वारा भारतवासियों को धोखा देने का समय नहीं रहा।"

"चीन के सम्बन्ध में जापानी राजनीतिज्ञों को ठोकर खाते देख कर भी अङ्गरेज़ों की आँखें अभी नहीं खुली हैं।"

श्री० डेनियल जे० ली ने 'चाइना वीकली रिव्यू' में भारत के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण लेख लिखा है। पाठकों के लाभ के लिए उसका भावानुवाद यहाँ पर दिया जाता है :—

जब भारतीय सरकार भद्र अवज्ञा आन्दोलन को नहीं दबा सकी, तथा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रचलित अन्य आन्दोलनों का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो उसने महात्मा गाँधी के साथ सलाह-मशविरा करके, सुलह कर लेना ही उचित समझा। यही सुलह गाँधी-इर्विन समझौते के नाम से प्रसिद्ध है। क्या इस समझौते की शर्तें भारतीय जनता के लिए सन्तोष-प्रद हैं? अथवा क्या इस समझौते से यह प्रकट होता है कि भारतीय क्रान्ति का अन्त हो गया? इन प्रश्नों का उत्तर बिना भारत की आर्थिक तथा सामाजिक समस्या पर विचार किए, देना असम्भव है। भारत की वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वहाँ भ्रमण करने की आवश्यकता है। समाचार-पत्रों से ठीक-ठीक बातों का पता चलना सम्भव नहीं। वास्तव में भारतीय क्रान्ति की लहर संसार के कोने-कोने में पहुँच चुकी है। भारतीय क्रान्ति, आज संसार के प्रत्येक राजनीति-विशारद के विचार की सामग्री हो गई है। प्रत्येक देश की जनता अपने रोज़मर्रा की बातचीत में भारतीय क्रान्ति का उल्लेख किया करती है।

भारत में प्रवेश करने से पहले इस लेख का लेखक यह नहीं जानता था कि भारतवासी किन मुसीबतों में दिन बिता रहे हैं, और अत्याचारी शासकगण किस तरह उनके साथ पेश आ रहे हैं। यह बात सच है कि अख़बारों द्वारा थोड़ी-बहुत ख़बर मिलती रही थी, किन्तु वह अपर्याप्त थी। मुझे वास्तव में यह नहीं मालूम था कि भारतवासी क्रान्ति के मैदान में कितनी दूर अग्रसर हो चुके हैं। राजनीति-विज्ञान के एक विद्यार्थी की हैसियत से मैंने स्वयं अपनी आँखों से भारतीय परिस्थिति का निरीक्षण करना शुरू किया। इसी क्रान्ति का अध्ययन करने के लिए, भारत के मुख्य-मुख्य नगरों में मैंने कई मास बिता दिए।

बहिष्कार का प्रभाव

भारतीय क्रान्ति में 'अहिंसा' और 'असहयोग' परिचित शब्द हैं। हम इन शब्दों से परिचित तो अवश्य हैं, किन्तु इनका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखने ही पर मालूम होता है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। भारत में आने के कुछ ही दिनों बाद मैं एक सूट का ऑर्डर देने के लिए एक अङ्गरेज़ दर्ज़ी की दूकान पर गया। उस दर्ज़ी ने मुझसे कहा कि "मैं यह ठीक-ठीक नहीं कह सकता कि कपड़े कब दूँगा, क्योंकि भारतीय यूरोपियनों का काम करने से इन्कार कर रहे हैं। इस आन्दोलन से मैं घबड़ा सा गया हूँ। भारतवासी यह नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। अङ्गरेज़ों ने उनकी इतनी भलाई की है, उसके लिए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाशित न कर, भारतवासी उल्टे उन्हें ही विपद में डाल रहे हैं।" जिस किसी अङ्गरेज़ व्यापारी से मैं मिला, उसने इन्हीं बातों की शिकायत की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस भद्र अवज्ञा आन्दोलन को नहीं रोकेगी, तो परिस्थिति और भी भयङ्कर रूप धारण कर लेगी। ये अङ्गरेज़ इस आन्दोलन की जड़ तक तो पहुँचते नहीं थे, उल्टे भारतवासियों को दोष देते थे। वास्तव में भारतवासियों के प्रति उनके भाव में घृणा का भाव मिश्रित होता था। वे इस बात का ज़रा भी विचार नहीं करते थे कि भारत में अङ्गरेज़ों के राजनैतिक आधिपत्य से भारतवासियों को कितनी हानि हो रही है। जब मैं बाज़ारों में गया, तो देखा कि अङ्गरेज़ी माल वहाँ बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जापानी माल मिलने में कोई विशेष कठिनाई नहीं थी। इसका कारण एक तो यह है कि भारतवासी विशेषतया अङ्गरेज़ी माल का ही बहिष्कार कर रहे हैं और दूसरे यह कि जापानी माल कम अच्छा होने पर भी सस्ता है।

एक बार जब मैं मोटर पर, होटल को लौट रहा था, रास्ते में मैंने टैक्सी ड्राइवर को एक तम्बाकू वाले की दूकान पर मोटर खड़ी करने के लिए कहा, क्योंकि मुझे कुछ सिगरेट ख़रीदने थे। किन्तु ड्राइवर ने उस दूकान पर मोटर खड़ी करने से इन्कार कर दिया। उसने कहा कि "समीप ही एक दूकान है, जहाँ चीनी सिगरेट मिलता है, चलिए वहीं मोटर खड़ी करूँगा। आपको अङ्गरेज़ी सिगरेट नहीं ख़रीदना चाहिए।" इससे साफ़ मालूम पड़ता है, कि जनता किस प्रकार क्रान्ति में भाग ले रही है।

एक दिन मैं एक चीनी रेस्टॉरेण्ट में गया। वहाँ रेस्टॉरेण्ट के मालिक ने एक ऐसे भारतीय से मेरी जान-पहचान कराई, जिन्होंने इङ्गलैण्ड में शिक्षा प्राप्त की थी और जो अनेक वर्षों से सरकारी नौकरी कर रहे थे। उनसे भारत की आर्थिक अवस्था के सम्बन्ध में मेरी जो बातें हुईं, उनसे कुछ उद्धरण मैं यहाँ दूँगा। उन्होंने कहा—"यदि आप ५० वर्ष पहले भारत आए होते, तो जहाँ कहीं भी आप जाते, भारतवासी आपका स्वागत करने से न चूकते। यदि आप देहातों में जाते तो पीने के लिए जल के स्थान पर आपको दूध दिया जाता और क्षुधा मिटाने के लिए काफ़ी रोटियाँ मिलतीं। वहाँ आप देखते कि स्त्रियाँ सोने के आभूषणों से सजी हुई हैं और इन आभूषणों का मूल्य हज़ारों रुपए से कम नहीं है। यह तो मैं साधारण श्रेणी के मनुष्यों की बातें कह रहा हूँ, धनी व्यक्तियों के सम्बन्ध में बातें कुछ और ही होतीं। किन्तु आज आप ठीक इसके विपरीत यहाँ की दशा पाएँगे। आज यदि आप देहातों में जायँ तो आप वहाँ अतिथि-सत्कार की आशा नहीं कर सकते। इसके विपरीत वे ही आपसे सहायता की आशा करेंगे। अब, धनी व्यक्ति भी बहुत कम ही सोने के आभूषण पहनते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति को सुधारने के लिए, पूर्ण स्वाधीनता से कम किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। दीवार के सहारे खड़े रह कर भी हम अपने अत्याचारी शासकों के साथ युद्ध करेंगे, क्योंकि अन्य किसी प्रकार से स्वतन्त्रता मिल नहीं सकती।"

मैंने भारत में जो कुछ देखा है, उसके अनुसार उपर्युक्त बातों में कुछ भी अत्युक्ति नहीं है।

एक मिलता-जुलता उदाहरण

उस जापानी राजनीतिज्ञ ने, जिसने चीनी-सरकार के समक्ष २० शर्तों को पेश किया था, अन्त में स्वीकार किया कि यह उसके जीवन की सब से बड़ी भूल है। अन्य जापानी राजनीतिज्ञों ने भी उसे एक भयङ्कर भूल मानी है। यद्यपि वे इसे भूल मानते हैं; किन्तु केवल बातों ही तक अपनी भूल स्वीकार करते हैं। चीन के प्रति उनके भावों में कुछ भी अन्तर नहीं हुआ है। जापानियों ने चीनियों के हृदय में सद्भाव उत्पन्न न कर, उल्टे अपने आचरणों से उनके हृदय में अपने प्रति घृणा का भाव उत्पन्न कर दिया है। इसका फल यह हुआ है कि चीनियों ने भी जापानी माल का ठीक उसी तरह बहिष्कार किया है, जिस तरह कि भारतवासियों ने अङ्गरेज़ी माल का। इससे जापानी व्यापार को भी ब्रिटिश व्यापार की ही तरह क्षति उठानी पड़ी है। अक्सर हम कहा करते थे कि ठोकरें खाने के बाद सँभलना आसान है। किन्तु अङ्गरेज़ इस तथ्य को समझ नहीं रहे हैं। जापानी राजनीतिज्ञों के ठोकर खाने पर भी, अङ्गरेज़ों की आँखें अभी नहीं खुली हैं। अब भी वे बल-प्रयोग को शान्ति-रक्षा का अन्तिम साधन समझते हैं। आज भारत में नाना प्रकार के अन्याय और अत्याचारों का साम्राज्य है। केवल ६ महीनों के भीतर ५४,००० भारतीय जेलों में बन्द किए गए थे। भारतीय सरकार ने समझा था कि यह क्रान्ति सन् ५७ के ग़दर की पुनरावृत्ति-मात्र है और बल-प्रयोग से इसका दमन किया जा सकता है। किन्तु अन्त में यह देख कर कि सशस्त्र सैनिक इस आन्दोलन का दमन करने में असमर्थ हैं, सरकार ने समझौता स्वीकार कर लिया। अब ज़रा समझौते की ओर देखिए। यह समझौता भारतीय आन्दोलन का एक परिच्छेद मात्र है। इससे यह कदापि नहीं विदित होता है कि क्रान्ति का अन्त हो गया। यदि सरकार चाहती है कि भारतवासी शान्ति क़ायम रक्खें, तो वह भारतवासियों के प्रति सद्भाव और मित्रता प्रकाशित करे, और उन्हें पूर्ण स्वाधीनता प्रदान करे। सरकार को उचित है कि व्यर्थ की अस्पष्ट प्रतिज्ञाओं द्वारा फिर भारतवासियों को बेवक़ूफ़ बनाने की कोशिश न करे। गाँधी जी कहते हैं—"एक समय वह था, जब मैं ब्रिटिश प्रजा होने का गर्व करता था। मैं अपने देश और ग्रेट-ब्रिटेन की भलाई के लिए अनेक बातें सोचा करता था। किन्तु अङ्गरेज़ राजनीतिज्ञों के कपटपूर्ण व्यवहार और उनकी अस्पष्ट प्रतिज्ञाओं ने मेरे हृदय में अङ्गरेज़ सरकार के प्रति अविश्वास उत्पन्न कर दिया है। अब ऐसी हालत में सहयोग असम्भव है।" मैं फिर कहता हूँ, कि अङ्गरेज़ ऐसी-ऐसी बातें कह कर, कि वे भारत की भलाई के लिए ही यहाँ आए हैं, भारतवासियों को बेवक़ूफ़ बनाने की कोशिश न करें। इसमें किसी को भी सन्देह नहीं हो सकता है कि अङ्गरेज़ अपनी भलाई के लिए भारत आए थे, भारतवासियों के प्रति हितकामना से प्रेरित होकर नहीं। और जब तक उनकी इच्छा पूरी होती रहेगी, वे यहाँ ठहरे रहेंगे। किन्तु क्या मैं अङ्गरेज़ों से यह कह सकता हूँ, कि जब तक वे भारतवासियों के प्रति सच्चाई और ईमानदारी का व्यवहार न करेंगे और उन्हें पूर्ण-स्वाधीनता न दे देंगे, तब तक उनका उद्देश्य भी पूरा नहीं हो सकता?

* * *

कविता-कुञ्ज

प्रेम

–:–

[कविवर श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव]

भ्रातृ-प्रेम का दृढ़ बन्धन है,
पर तोड़ो उसको इस काल !
नहीं देखते हो क्या चिन्ता—
से कुञ्चित भारत का भाल ?
भाई ही भाई न, आजकल
भाई सभी देशवासी।
भाई वही नहीं हैं केवल—
जो हैं दुष्ट देश-त्रासी॥
अन्य प्रेम को त्याग, इस समय,
केवल करो देश से प्रेम !
अपना सारा क्षेम भूल कर,
सन्तत करो देश का क्षेम !!

❀

सन्तति तुमको अति प्यारी है,
पर छोड़ो उसकी ममता !
भारत की शिशु-संसृति करती,
क्या न उसी की है समता !!
अपनी ही सन्तान न सन्तति,
सन्तति सब भारत-सन्तान !
रक्खोगे क्या आज नहीं तुम,
दृढ़ता से उन सबका ध्यान ?
अन्य प्रेम को त्याग इस समय,
केवल करो देश से प्रेम !
अपना सारा क्षेम भूल कर,
सन्तत करो देश का क्षेम !!

❀

बहुत ठीक है, देख न सकते,
माता का भूखों मरना !
निश्चय है कर्तव्य हर समय,
ही उसका पोषण करना !!
पर दुख से कितनी कातर है,
जन्म-भूमि, माँ की माता !
उसके दुख में क्या न तुम्हें है,
माँ का प्रेम भूल जाता ?
अन्य प्रेम को त्याग इस समय,
केवल करो देश से प्रेम !
अपना सारा क्षेम भूल कर,
सन्तत करो देश का क्षेम !!

❀

पथ में दुख ही दुख दिखते, पर,
आवेगा वह सुख-संसार !
जिसको पाकर भूल जायगा,
तृण-सा सम्प्रति दुख का भार !!
तब भाई पर, सन्तति पर,
माता पर करना खुल कर प्यार !
पहले उसको भूल देख लो,
स्वर्गिक स्वतन्त्रता का द्वार !!
अन्य प्रेम को त्याग इस समय,
केवल करो देश से प्रेम !
अपना सारा क्षेम भूल कर,
सन्तत करो देश का क्षेम !!

* * *

भिखारिन

[श्री० देवीप्रसाद जी गुप्त 'कुसुमाकर' बी० ए०, एल्-एल्० बी०]

बिखरे केश बदन पर चिथड़े,
मुख उदास है खड़ी हुई।
कृश तन भूख-प्यास से व्याकुल,
पर निश्चय है अड़ी हुई।
कब से खड़ी द्वार पर तेरे,
निशि-दिन अलख जगाती है।
रो-रोकर यह कौन भिखारिन,
तुझको टेर बुलाती है ?
मैला अञ्चल उसका निशि-दिन,
व्याकुल रुदन भिगोता था।
तब तू आलस के वश हाकर,
लम्बी ताने सोता था।
चीख़-चीख़ कर चिल्लाती थी,
तड़प-तड़प रह जाती थी।
कातर-वदना, हृदय-वेदना,
रो-रो तुझे सुनाती थी।
किन्तु तुझे तो नशा चढ़ा था,
कौन नशा था, क्या जानें।
जिसको पीकर भूला अपनी,
और पराई पहचानें।
कुचलीं क्रूर काल ने क्रमशः,
उसकी सब अभिलाषाएँ।
तुझको जगा-जगा कर हारी,
उसकी सारी आशाएँ।
अब तूने अँगड़ाई ली है,
कुछ आशा सी होती है।
फूट-फूट कर और कदाचित,
इसीलिए वह रोती है।

❀

यह क्या "माँ" "माँ" कह कर दौड़ा,
चरणों पर जाकर लेटा।
क्या कहती है अरी भिखारिन।
"चिरञ्जीव मेरे बेटा"

* * *

विहग-गान

श्री० 'केसरी']

जाग अयि ! जगती !! अलस-भरी !
उतर रही कल किरण-तरी पर हँसती उषा-परी।
जाग.........

निर्वासित-सी रजनी-रानी—
छोड़ ओस-मिस लोचन-पानी—
चली;गगन के हिय की मुरझी विकसित फूल-लरी।
जाग अयि जगती ! अलस-भरी !
तोड़ स्नेह का झूठा सपना;
वञ्चक मोह-जाल ले अपना—
बुझा दीप, टूटी परवानों को निद्रा गहरी।
जाग.........अलस-भरी !
निशि के उर की स्नेह-कली-सी,
शाप-विधुर किन्नरी-लली सी ;
मली नियति कर से निशि-गन्धा की बहार गुज़री।
जाग.........अलस-भरी !
सोई पल्लव-सेज सलोनी ;
लतिका की अजान मृदु छौनी—
परस-पुलक से प्रात-पवन के कलिका हँस सिहरी।
जाग अयि जगती ! अलस-भरी !
प्राची ने ले कुङ्कुम-रोली ;
खेली दिग्वधुओं से होली।
बँटता है सौरभ-सुहाग मधु-नृप-गृह देख अरी।
जाग अयि ! जगती !! अलस-भरी !

* * *

गीत

[श्री० रत्नचन्द्र जी छत्रपति]

कैसा तेरा प्यार ?
हे मेरे यौवन की रानी !
कह न सकी तुम करुण-कहानी,
काँपी सरिता, निशा सिरानी,
वायु खोलती द्वार—कैसा तेरा प्यार ?

❀

वन की ज्योति गन्ध से हिलमिल,
फूल चमकते तरु पर झिलमिल,
मन्द-मन्द शीतल मलयानिल,
लता पहनती हार—कैसा तेरा प्यार ?

❀

मन की यह नीरव पागलता,
प्राणों की चञ्चल आकुलता,
भावों की अस्फुट विह्वलता,
जाती नभ के पार—कैसा तेरा प्यार ?

* * *

'भविष्य' की सामाहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



बम्बई कॉङ्ग्रेस के उन नेताओं का चित्र, जिनके नेतृत्व में हाल ही में महात्मा गाँधी के दर्शनार्थ प्रभात-फेरी का एक वृहत जलूस निकला था।
(बाईं ओर से) श्री० नगीनदास मास्टर, श्री० वी० सम्बामूर्ति, श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय और श्री० के० एफ़० नरीमन।



विगत मङ्गलवार को बम्बई में महात्मा गाँधी के दर्शनार्थ निकलने वाला "अखिल भारत-भारत प्रभात-फेरी-सङ्घ" के वृहत् जुलूस का दृश्य।

बम्बई में राष्ट्रीय नेताओं का सम्मेलन



बम्बई में महात्मा गाँधी के निवासस्थान (गामदेवी) में लिया हुआ आपका चित्र । इस चित्र में पाठक देखेंगे महात्मा जी अपने नाम के आए हुए पत्रों को पढ़ रहे हैं । महात्मा जी का यह चित्र १०वीं जून को लिया गया है ।



पं० मदनमोहन मालवीय



सरदार वल्लभभाई पटेल



डॉक्टर अन्सारी



बाबू राजेन्द्र प्रसाद



श्री० के० एफ़० नॉरिमैन



श्रीमती सरोजिनी नायडू

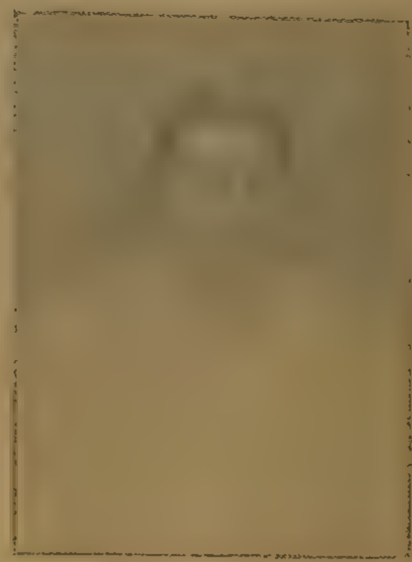
बम्बई में राष्ट्रीय नेताओं का सम्मेलन



श्री० सुभाषचन्द्र बोस



पं० जवाहरलाल नेहरू



श्री० के० एम० मुन्शी

कांग्रेस कार्यकारिणी कमिटी को इस बात का खेद है, कि कुछ कांग्रेस संस्थाओं ने, विदेशी वस्त्रों को कुछ समय के लिए बेचने की इजाज़त देकर, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के सम्बन्ध में कांग्रेस के निश्चय किए हुए आदेशों का उल्लङ्घन किया है। कार्यकारिणी कमिटी की ओर से इन संस्थाओं को आदेश दिया जाता है, कि वे इस प्रकार की सब इजाज़तें तुरन्त हटा दें, क्योंकि वे कांग्रेस की निर्धारित नीति के विरुद्ध हैं। भारत में आकर विदेशी वस्त्रों को न बेचने देने और बाहर से विदेशी वस्त्रों को न मँगाने का कांग्रेस निश्चय कर चुकी है। विदेशी वस्त्र-बहिष्कार के सम्बन्ध में कांग्रेस द्वारा निर्णय किए गए प्रोग्राम के किसी भी नियम के उल्लङ्घन होने पर कांग्रेस के प्रेसिडेण्ट को अधिकार दिया जाता है, कि उस उल्लङ्घन करने वाले व्यक्ति या कमिटी के विरुद्ध जो भी उचित कार्रवाई समझें, करें।



ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ



सेठ जमनालाल बजाज़



श्री० जैरामदास दौलतराम

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



जापान के परराष्ट्र सचिव



जापान के वर्तमान सम्राट

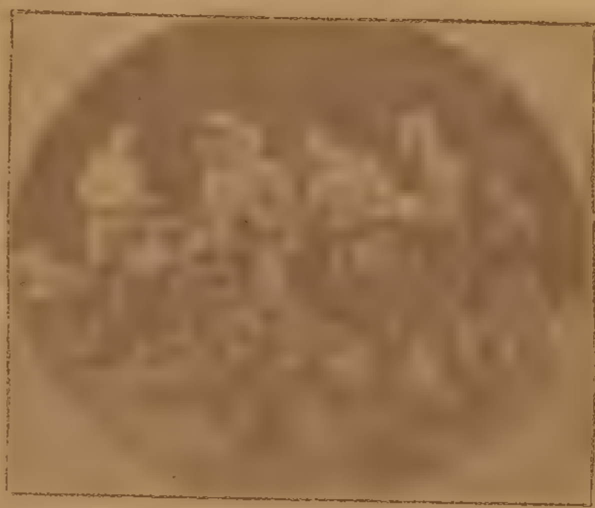


सम्राट मेजी



जापान-नरेश और ड्यूक ऑफ़ ग्लोस्टर की भेंट

ड्यूक ऑफ़ ग्लोस्टर मृगों को हरित तृण खिला रहे हैं





श्री० नारायणप्रसाद सिंह—आप भूतपूर्व एम० एल० ए० और बिहार-प्रान्त के प्रमुख नेता हैं। नौकरशाही ने आपको भी एक साल के लिए कठिन कारागार का दण्ड दिया था !!



श्री० स्वामी अगरदास जी उदासीन—आप सच्चे साधु, सक्खर (सिन्ध) की काँग्रेस कमिटी के प्रधान हैं और सरगर्मी से स्वतन्त्रता-संग्राम में भाग ले रहे हैं।



स्वर्गीया जगरानी देवी—आप प्रवासी भारतवासियों के अनन्य सेवक स्वामी भवानीदयाल जी संन्यासी की धर्मपत्नी थीं।



तिश्ना कामे इश्क़ हूँ मैं, है यही मेरा इलाज, हल्क़ तर करने को दो तलवार का पानी मुझे।
रोज़ा रक्खा दिन को मैंने, रात को फ़ाक़ा किया, काबे वालों की रहेगी याद मेहमानी मुझे॥

पानी

क्या डुबो देगी मेरे अश्कों[१] की तुग़ियानी[२] मुझे,
अब नज़र आता है, घर में, पानी ही पानी मुझे।
क्या है ख़ञ्जर से नदामत[३], है गिराँ जानी[४] मुझे,
क़त्लगह में एक करने दे लहू-पानी मुझे।
यों सदा[५] देता है ज़ाहिद[६] आके मैख़ाने[७] के पास,
मैं बहुत प्यासा हूँ पिलवा दे कोई पानी मुझे!
दम मेरा निकला है यादे अबरूए[८] ख़मदार में,
ग़ुस्ले मय्यत[९] को मिले तलवार का पानी मुझे।
यों है मैख़ाने में कसरत मैकशी[१०] की इन दिनों,
अब दवा को भी नहीं मिलता यहाँ पानी मुझे।
नशा से है काम साक़ी, मै से कुछ मतलब नहीं,
तू पिला दे काश अपने हाथ से पानी मुझे।
मैं ज़माने में हूँ ऐसा ख़ूगरे[११] हर गर्मो सर्द,
फ़ायदा करता है अकसर कुनकुना पानी मुझे।
तिश्ना[१२]-कामे इश्क़ हूँ मैं, है यही मेरा इलाज,
हल्क़ तर करने को दो तलवार का पानी मुझे।
जिसने पिलवाए हैं अकसर मैकदे में ख़ुम[१३] के ख़ुम,
"नूह" अब देता नहीं दो घूँट वह पानी मुझे!

—"नूह" नारवी

कुलफ़ते[१४] दुनिया मिटे भी तो सख़ी के फ़ैज़[१५] से,
हाथ धोने को मिले बहता हुआ पानी मुझे।
ज़र्रा-ज़र्रा है मेरे कश्मीर का मेहमाँ नेवाज़,[१६]
राह में पत्थर के टुकड़ों ने दिया पानी मुझे।

—"चकबस्त" लखनवी

दुर्द[१७] का साग़र[१८] भी साक़ी मेरी क़िस्मत में न था;
शौक़ में करना पड़ा आख़िर लहू पानी मुझे।

—"यास" लखनवी

ग़र्क़[१९] कर दे ऐ सरिश्के[२०] ग़म की तुग़ियानी मुझे
डूब मरने के लिए काफ़ी है यह पानी मुझे।
हेच है मेरी निगाहों में मताए[२१] रोज़गार,
गौहरे[२२] नायाब भी है बूँद भर पानी मुझे।
आए हैं वह खींच कर मक़तल में तेग़े[२३] आबदार,
सर से ऊँचा अब नज़र आने लगा पानी मुझे।
तेग़े क़ातिल से तक़ाज़ा है यह मुझ नाशाद[२४] का,
हाथ धोलूँ जान से तू दे अगर पानी मुझे।
गाहे[२५] गाहे बादये गुलरङ्ग[२६] पी लेता हूँ "बर्क़",
ग़म ग़लत करने को रास[२७] आया है यह पानी मुझे।

—"बर्क़" देहलवी

बात क्या है मुझको ऐ साक़ी सुरूर[२८] आता नहीं,
दे रहा है तू शराबे नाब या पानी मुझे?

—"ज़ाहिद" इलाहाबादी

याद अब आती नहीं, दिल की परेशानी मुझे,
मुस्कुरा कर, उसने ऐसा कर दिया पानी मुझे।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

परेशानी

क्या हो इश्क़े ज़ुल्फ़े[२९] जानाँ में तनासानी[३०] मुझे,
मिल गई उसके भी हिस्से की परेशानी मुझे।
क्या तअल्लुक़ है इसी का नाम ऐ ज़ुल्फ़े सियाह,
जो परेशानी तुझे हो, वह परेशानी मुझे।
क्या बताऊँ अरसए महशर[३१] में वजहे इज़्तराब,[३२]
तुम परेशाँ हो इसी की है परेशानी मुझे।

—"नूह" नारवी

मञ्ज़िले इबरत[३३] है दुनिया अहले दुनिया शाद हैं,
ऐसी दिलजमई से होती है परेशानी मुझे।
क़ौम का ग़म मोल लेकर दिल का यह आलम हुआ,
याद भी आती नहीं अपनी परेशानी मुझे।

—"चकबस्त" लखनवी

जोशे वहशत में ज़मीं पर पाँव पड़ने का नहीं,
ले उड़ेगी नकहते[३४] गुल की परेशानी मुझे।

—"यास" लखनवी

मैं हूँ अफ़सुर्दा-दिली[३५] पर इस क़दर नाज़ुक दमाग़,
मौजे बूए गुल से होती है परेशानी मुझे।

—"बर्क़" देहलवी

दो घड़ी को भूल जाता हूँ नशेमन[३६] का ख़याल,
याद जब सय्याद की आती है मेहमानी मुझे।
कहने-सुनने के लिए 'ज़ाहिद' हूँ लेकिन क्या करूँ,
मै[३७] नहीं मिलती तो होती है परेशानी मुझे।

—"ज़ाहिद" इलाहाबादी

पड़ गई थी ज़ुल्फ़े जानाँ की जो परछाँई कभी,
फिरती है घेरे हुए अब तक परेशानी मुझे।
तुम परेशाँ जब थे, तो मैं भी परेशाँहाल था,
तुम परेशाँ अब नहीं, क्यों हो परेशानी मुझे।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

मेहमानी

रोज़ा रक्खा दिन को मैंने, रात को फ़ाक़ा किया,
काबे वालों की रहेगी याद मेहमानी मुझे।

—"नूह" नारवी

आ तुझे आग़ोश[३८] में रख लूँ कलेजा चीर कर,
फ़र्ज़ है ऐ तीरे जानाँ तेरी मेहमानी मुझे,

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

ग़म मुझे, हसरत मुझे, आज़ारे पिनहानी मुझे,
क्या हुई है उनको दिल देकर पशेमानी[३९] मुझे!

—"नूह" नारवी

ज़ाहिदे मग़रूर रोने पर मेरे हँसता है क्या,
बख़्शवाएगा यही अश्के पशेमानी मुझे।
यारब आग़ाज़े[४०] मुहब्बत का बख़ैर अञ्जाम[४१] हो,
दिल लगा कर हो रही है, क्या पशेमानी मुझे।

—"यास" लखनवी

मैं न दिल देता, न आतीं यह बलाएँ मेरे सर,
अपने हाथों हाथ आई है पशेमानी मुझे।

—"ज़ाहिद" इलाहाबादी

हश्र में आया हूँ मुँह अपना कफ़न से ढाँक कर,
है गुनाहों से कुछ इस दरजा पशेमानी मुझे।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

जानी

हिज्र में मर कर तो हासिल हो तनासानी मुझे,
काश मिल जाए वह मेरा दुश्मने जानी मुझे।

—"नूह" नारवी

वह जो मिल जाए तो हो जाए तनासानी मुझे,
जान से बढ़ कर है मेरा दुश्मने जानी मुझे।

—"ज़ाहिद" इलाहाबादी

नज़अ्[४२] में आया है क्यों बालीं[४३] पे ख़ञ्जर खैंच कर,
ऐसे आलम में न छेड़ ऐ दुश्मने जानी मुझे।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

बानी

कौन आया, कौन बैठा, कौन रुख़सत हो गया,
फ़र्ज़ उस महफ़िल में है सब की निगहबानी मुझे।
कूए दुश्मन में फिरूँ, या बज़्मे[४४] जानाँ में रहूँ,
मिल गई है दोज़ख़ो जन्नत की दरबानी मुझे।

—"नूह" नारवी

हक़परस्ती[४५] की जो मैंने बुतपरस्ती छोड़ कर,
बरहमन कहने लगा इलहाद[४६] का बानी मुझे।

—"चकबस्त" लखनवी

(शेष मैटर २८वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

१—आँसू, २—बाढ़, ३—लज्जा, ४—जीना दूभर है, ५—आवाज़, ६—परहेज़गार, ७—शराबख़ाना, ८—टेढ़ी भौं, ९—जनाज़ा, १०—शराब पीना, ११—आदी, १२—प्यासा, १३—घड़ों, १४—दुख, १५—कृपा, १६—आवभगत करने वाला, १७—तलछट, १८—प्याला, १९—डुबोना, २०—आँसू, २१—दुनिया की दौलत, २२—अनमोल मोती, २३—चमकती हुई तलवार, २४—दुखी,

२५—कभी, २६—लाल शराब, २७—उपयुक्त, २८—नशा, २९—माशूक़, ३०—आराम, ३१—प्रलय, ३२—बेचैनी, ३३—नसीहत का मुक़ाम, ३४—फूलों की महक, ३५—मुरझाया हुआ, ३६—घोंसला, ३७—शराब,

३८—गोद, ३९—लज्जा, ४०—शुरू, ४१—आख़िर, ४२—अन्तिम समय, ४३—सिरहाना, ४४—महफ़िल, ४५—ईश्वर-भक्ति, ४६—एकेश्वरवाद।

बिल्कुल नया स्टॉक !

बिल्कुल नया स्टॉक !!

डाक-व्यय नहीं लिया जायगा !!

निम्न-लिखित पुस्तकों का भारी स्टॉक हाल ही में आया है और बिक्री के लिए तैयार है। यह सब पुस्तकें एक से एक सुन्दर, शिक्षाप्रद, सरस और हिन्दी-साहित्य में अपूर्व रत्न हैं। इन्हें यदि पुस्तक-प्रेमी जन मँगा कर पढ़ेंगे तो उन्हें रुपए ख़र्च करने का पछतावा न होगा। एक बार अवश्य ही ऑर्डर देकर परीक्षा लें। जो सज्जन ३० जून, सन् १९३१ तक पुस्तकों का १५) रु० अथवा इससे अधिक का ऑर्डर देंगे, उनसे निर्धारित कमीशन के अलावा डाक-व्यय भी नहीं लिया जायगा। आशा है, पाठकगण शीघ्र ही इस ख़ास सुविधा से लाभ उठावेंगे।

—व्यवस्थापक

बीसवीं सदी का महाभारत (प्र० पु०) ॥।)
भारतवर्ष का इतिहास (मि० बं०) ३)
भारतवर्ष का इतिहास (इं० प्रे०) १॥।)
भारतवर्ष का इतिहास मिश्रबन्धु कृत (सा० स० ब०) ३॥।)
भारतवर्ष का इतिहास (ज्ञा० मं०) १॥।)
योरुप का इतिहास (इं० प्रे०) ५)
राजस्थान का इतिहास (पाँच भाग) (ब० प्रे०) २॥)
रूस का पञ्चायती राज्य (हिं० पु० ए०) ॥।)
रोम का इतिहास (त० भा० ग्रं०) १)
सचित्र दिल्ली (त० भा० ग्रं०) ॥।)
सन् ५७ का ग़दर (दो भाग) (हिं० पु० ए०) ≈)
सम्राट अशोक (प्र० पु०) १)
हिन्दी भाषा की उत्पत्ति (इं० प्रे०) ।=)
हिन्दी-साहित्य का संक्षिप्त इतिहास (हिं० सा० सं०) ।=)
हिन्दुस्तान (दो भाग) (इं० प्रे०) २॥)
हिन्दू त्योहारों का इतिहास (चाँ० का०) १॥)
हुमायूँनामा (इं० प्रे०) १॥)

जीवनी

उज्ज्वल तारे (इं० प्रे०) १)
मौलाना हाली और उनका काव्य (इं० प्रे०) १)
सीता-बनवास (") ॥=)
बुद्धदेव (") १।)
विद्यासागर (") ३)
अकबर („) १)
अहिल्याबाई (") १।)
" " (हिं० पु० भं०) ।)
आत्मवीर सुक़रात (ओं० प्रे०) ।=)
आदर्श-महात्मागण (रा० ना० ला०) १।)
आदर्श-महिला (इं० प्रे०) २)
आदर्श-महिलाएँ (राम० अ०) १।)
आर्य्य-महिला-रत्न (ब० प्रे०) २।), २॥।)
इटली के विधायक महात्मागण (ज्ञा० मं०) २।)
उद्योगी पुरुष (प्र० पु०) ।=)
कमाल पाशा (ब० प्रे०) १।), १॥।)
कल्याण-मार्ग का पथिक (ज्ञा० मं०) १॥)
कारनेगी और उसके विचार (गं० पु० मा०) १॥=)
श्रीकृष्ण-जीवनी (ब० प० रा०) १)
कोविद-कीर्तन (इं० प्रे०) १)
गाँधी जी कौन हैं ? (हिं० मं०) ॥-)
गुरु गोविन्दसिंह (ओं० प्रे०) ।=)
गुरु गोविन्दसिंह (इं० प्रे०) १।)
गुरु नानक (ओं० प्रे०) ।=)
छत्रपति शिवाजी (ओं० प्रे०) ।=)
छत्रपति शिवाजी (पॉपुलर) १॥)
जगमगाते हीरे (ज्ञा० हि० का०) १)
जे० एन० टाटा (ओं० प्रे०) ।=)
दमयन्ती (इं० प्रे०) ।)
दादाभाई नौरोजी (प्र० पु०) =)॥, ।=)
देवी जोन (प्र० पु०) ।=)
द्रौपदी (गं० पु० मा०) ॥)
द्विजेन्द्रलाल राय (गं० पु० मा०) ≡)
धन-कुबेर कारनेगी (हिं० पु० ए०) १)
नल-दमयन्ती (ब० प्रे०) २)
नादिरशाह (") २), २॥)
नैपोलियन बोनापार्ट (नि० चं०) २॥)
पतिव्रता (इं० प्रे०) १)
पतिव्रता गान्धारी (इं० प्रे०) ॥=)
परशुराम (नि० चं०) १)
पार्वती (गं० पु० मा०) १), १॥)
पृथ्वीराज (पा० ए० कं०) १।)
" (पॉपुलर) १)
पृथ्वीराज चौहान (ओं० प्रे०) ।=)
प्रह्लाद (इं० प्रे०) ।)
बुद्धदेव (इं० प्रे०) १।), १॥)
भगवान बुद्ध (हिं० पु० भं०) १)
भारत के दस रत्न (ज्ञा० हि० का०) ।-)
भारत-भक्त एेण्ड्यूज़ (सा० स०) २।), २॥।)
यतीन्द्र दास (चाँ० बु०) ॥)
भारतीय विदुषी (इं० प्रे०) ॥)
भारतीय साधक (इं० प्रे०) ॥)
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (") ॥।)
भीम-चरित्र (सु० ग्रं० प्र० मं०) ॥।)
महात्मा गाँधी (सा० हि०) ४॥)
महात्मा गोखले (ओं० प्रे०) ।=)
महात्मा शेख़सादी (हिं० पु० ए०) ॥)
महादेव गोविन्द रानाडे (इं० प्रे०) १॥)
महाराणा प्रताप (पॉपुलर) १)
महाराणा प्रताप (ओं० प्रे०) ।=)
महाराणा प्रताप (नि० चं०) १।)
माईकेल मधुसूदन दत्त (हिं० पु० भं०) ।)
मुस्लिम-महिला-रत्न (ब० प्रे०) २॥), ३)
युधिष्ठिर (इं० प्रे०) ।=)
महारानी पद्मावती (ओं० प्रे०) ।=)
महारानी शैव्या (") ।=)
महारानी सीता (ओं० प्रे०) ।=)
रमेशचन्द्र दत्त (ओं० प्रे०) ।=)
राजकुमार कुणाल (ख० वि० प्रे०) १।)
राणा जङ्गबहादुर (इं० प्रे०) १।)
रामकृष्ण परमहंस (ओं० प्रे०) ।=)
लवकुश (पॉपुलर) ॥=)
लक्ष्टसिंह (हिं० पु० भं०) ।)
लाजपत-महिमा (क० पु० भं०) ३)
लॉर्ड किचनर (नि० चं०) १)
बङ्किमचन्द्र चटर्जी (गं० पु० मा०) १)
विद्यापति (हिं० पु० भं०) ।)
विदेशी विद्वान (इं० प्रे०) १)
बिहार के नवयुवक-हृदय (हि० पु० भं०) ३)
वीर अर्जुन (ब० प्रे०) ३॥), ३॥।), ४)
वीर-केसरी शिवाजी (हिं० पु० ए०) ४)
वीर वैरागी बन्दा (फुटकर) ॥।=)
शकुन्तला (ब० प्रे०) ॥=), २)
शङ्कराचार्य (पॉपुलर) ॥=)
शिवाजी (पा० ए० कं०) १।)
" (हिं० पु० भं०) ।)
सती (इं० प्रे०) ।-)
सती पार्वती (ब० प्रे०) २)
सती बेहुला („) २।)
सम्राट अशोक (प्र० पु० का०) ।=)
सावित्री (इं० प्रे०) ।)
सावित्री-सत्यवान (सचित्र) (ब० प्रे०) १॥), १॥।), २)
सीता (ब० प्रे०) २॥), २॥।), ३)
स्वामी दयानन्द (ओं० प्रे०) ।=)
स्वामी रामतीर्थ (ओं० प्रे०) ।=)
हरिश्चन्द्र-शैव्या (ब० प्रे०) २।)
हिन्दी-कोविद-रत्नमाला (दो भाग) (इं० प्रे०) ३॥।)

व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

महात्मा जी के अहिंसात्मक-आन्दोलन से क्या भारत को आज़ादी मिलेगी ?

[श्री० पृथ्वीपालसिंह जी, बी० ए०]



भारत को स्वतन्त्र करने के लिए तुमुल युद्ध छिड़ा हुआ है। आज हमें दो विभिन्न धाराएँ एक ही ध्येय की प्राप्ति के उद्देश्य से हा-हा करती हुई, बड़े वेग से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक धारा है उबलते हुए, उफनते हुए जल की, उसकी लहरें बड़ी विकट हैं, उसका ताप बड़ा तीखा और तीव्र है, उसकी लपेट में पड़ कर वैरी जीता नहीं बचता। दूसरी धारा भी बड़ी प्रबल है, द्रुति-वेग से प्रवाहित हो रही है, परन्तु उसकी लहरों में उद्विग्नता होते हुए भी स्निग्धता है, उसके जल में शान्ति और शीतलता है, फिर भी इस धारा के विकट भँवर में पड़ कर प्रतिद्वन्दी बचता नहीं दिखाई दिया। प्रथम धारा का स्रोत है हिंसा का धधकता हुआ भीषण ज्वालामुखी तथा दूसरी धारा का है, शान्तिमय शीतल सरोवर।

प्रथम धारा में तैरने वाले देश के दीवाने अपने भुज-बल और पौरुष में विश्वास रखते हैं—वे हिंसात्मक क्रान्ति द्वारा भारत को ब्रिटिश सत्ता के विषाक्त पाश से मुक्त करने का दावा करते हैं! वे गिड़गिड़ाने और याचना करने में विश्वास नहीं करते। वे कहते हैं कि संसार का इतिहास साक्षी है, स्वतन्त्रता माँगे नहीं मिलती, वरन् दूसरों से हाथ मरोड़ कर ऐंठ ली जाती है। वे आयर्लैण्ड के स्वातन्त्र्य युद्ध के रोमाञ्चकारी रक्त-रञ्जित इतिहास के उन महत्वपूर्ण पन्नों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं, वे रूस के स्वातन्त्र्य संग्राम की उन भयङ्कर घड़ियों की हमें याद दिलाते हैं, जब रूस का वायुमण्डल तोपों के गर्जन-तर्जन, मार-काट तथा नृशंसों के ख़ून के छींटों से वीभत्स रूप धारण किए हुए था; वे चीन तथा अमेरिका की जङ्गे-आज़ादी की ख़ून से लथपथ कहानियों और गाथाओं को सुनाते हैं और निर्भय होकर उसी हिंसात्मक क्रान्ति द्वारा भारत को भी इसी प्रकार स्वतन्त्रता प्रदान कराने की सोचते हैं। वे आह्वान करते हैं ख़ूनी क्रान्ति का—"आ, माँ दुर्गा! आ! हाथ में रक्त से नहाई हुई शमशीर थामे, वैरियों के लोहू का माथे पर तिलक लगाए, उनके कटे हुए सिरों का मुण्ड-माल पहिने, उनके धूल में लोटते हुए क्षत-विक्षत अङ्गों पर, उनके धराशायी वक्षस्थलों पर, गर्व से उछलती-कूदती आ! और भारत में भयङ्कर क्रान्ति का भैरवनाद कर। इन कायर भारतीयों को एक बार फिर कर्तव्य-पथ पर अग्रसर कर। इन भूले हुओं को उनके प्राचीन गौरव, साहस और शौर्य की याद दिला। इन भीरु देशवासियों को अपनी अद्भुत दैवी शक्ति से एक बार फिर शिवा और प्रताप बना—इन निहत्थों को उत्तेजित कर इन्हें अस्त्र-शस्त्र गहा और इन्हें ऐसा वीर-पाठ पढ़ा कि यह ललकार कर वैरी-दल पर धावा बोल दें और क्षण भर में भारत की पुण्य-भूमि को इन नृशंसों के भार से मुक्त कर दें।"

इसी क्रान्ति के उपासक थे सरदार भगतसिंह, इसी क्रान्ति के पुजारी थे स्वर्गीय सुखदेव और राजगुरु। इसी क्रान्ति का शङ्ख फूँकते थे भारतमाता के स्वर्गीय लाल—क्रान्तिकारी दल के आज़ाद और जगदीश आदि, जो भारतीय स्वतन्त्रता के लिए युद्ध करते हुए अमर-गति को प्राप्त हुए। आज मालूम नहीं, कितने ही नौजवान, तोप-तमञ्चे, छुरी-कटारी द्वारा भारत को आज़ाद करने के लिए, अपनी जान हथेली पर लिए घूम रहे हैं। कितने ही देश को स्वतन्त्र करने के उद्देश्य से इस भयङ्कर दल के अनुगामी होकर फाँसी से झूल गए, कितने ही जेलों में पड़े घोर यातनाएँ सह रहे हैं तथा कितने ही फाँसी से झूलने और कारागृह-प्रवासी होने के लिए तैयार घूम रहे हैं। इनका ध्येय निर्मल है, दिव्य है, श्लाघ्य है, सराहनीय है, परन्तु इनकी नीति अनुचित है। स्वतन्त्रता के उपासक सभी पूज्य हैं। स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर बलिदान होने वाले देश के गौरव हैं। हम उन्हें पथ-भ्रष्ट, मूर्ख, पागल, देशघातक आदि कहना उनका अपमान करना समझते हैं। हम उनके साहस, शौर्य और देश-प्रेम के लिए उन्हें सादर मस्तक झुकाते हैं, परन्तु साथ ही साथ हम निस्सङ्कोच, निर्भय होकर उनकी हिंसात्मक नीति का विरोध भी करते हैं। माना कि अन्य देशों ने अपने को परतन्त्रता से 'लाल-क्रान्ति' द्वारा ही मुक्त किया है, परन्तु इसके अर्थ यह कदापि नहीं हैं कि भारतवर्ष के लिए भी वही साधन सफल साबित हो। देश की वर्तमान अवस्था और परिस्थिति देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि हिंसात्मक क्रान्ति, त्रासवाद या आतङ्कवाद से हमारा कल्याण न होगा। सदियों से जिस देश के नर-नारी काठ की कठपुतलियों की तरह आचरण कर रहे हों, जिनका विश्वास हो 'भाग्य' पर, 'होनी' पर, 'करम-लिखे' पर, तथा जो 'कोउ नृप होय हमैं का हानी' वाली थोथी कहावत के प्रेमी हैं, उनमें एकाएक घोर परिवर्तन कर देने की आशा—और वह परिवर्तन भी कैसा भीषण और भयङ्कर!—यह सब सोच कर क्षण भर के लिए माथा चकरा उठता है। जिनके पास शाक-भाजी काटने के लिए एक छुरी भी न हो, कुत्ता मारने को एक डण्डा भी न हो, वे क्या सचमुच हिंसात्मक क्रान्ति द्वारा एक शक्तिशाली सत्ता से युद्ध करके स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकेंगे? भूत-चुड़ैल से भय खाने वाले, वृक्ष की छाया को साक्षात् यम समझने वाले, चिउँटियों को आटा चटाने वाले, सड़क फूँक-फूँक कर क़दम रखने वाले, मूँग की दाल और मूली का साग मात्र खाकर जीवन व्यतीत करने वाले क्या वास्तव में ख़ूनी क्रान्ति द्वारा देश आज़ाद कर सकेंगे? भारतीय समाज की सदियों की मनोवृत्ति देखते हुए तथा अपनी लाचारी और वर्तमान अवस्था का अध्ययन करते हुए हिंसात्मक क्रान्ति का नुस्ख़ा हमें तनिक भी नहीं जँचता। साधन, शक्ति और स्थिति को तौल कर, आगा-पीछा देख कर, पैर बढ़ाना श्रेयस्कर होता है, अन्यथा भयङ्कर भूल पर आँसू बहाने के अतिरिक्त दूसरा चारा नहीं रह जाता।

यदि क्रान्तिवाद से कल्याण न होगा, तो फिर क्या महात्मा जी के अहिंसावाद से होगा? हमें इस लेख में इसी गहन प्रश्न पर विचार करना है।

आज हम देख रहे हैं कि देश का देश महात्मा जी की उँगलियों के इशारों पर नाच रहा है। उस दो हड्डियों के नन्हें से व्यक्ति ने कुछ ऐसा जादू कर दिया है कि आज उसके अलौकिक तेज के सामने ब्रिटिश सत्ता ने भी घुटने टेक दिए हैं। वह भारत का भाग्य-विधाता बन रहा है। वह स्वयं अकेला ही सब कुछ है—सारे नेता, कॉङ्ग्रेस, सारी संस्थाएँ और सच पूछिए तो समस्त देश एक तरफ़ और महात्मा एक तरफ़। जो कुछ वह कहता है, सभी उसे शिरोधार्य करते हैं। उसके विरुद्ध कोई चूँ तक नहीं करता। कॉङ्ग्रेस महासभा हो या कार्यकारिणी की बैठक हो, उसी की तूती बोलती है। वह सच कहे या ग़लत—अनुचित कहे या उचित, बस उसी का बोल-बाला है। जो कुछ वह कहता है, सब चुपके से स्वीकार कर लेते हैं। उसकी महान शक्ति से शिमला से लेकर 'व्हाइट हॉल' तक के ब्रिटिश शासन के सभी सञ्चालक परिचित हैं। ब्रिटिश सरकार के लिए महात्मा जी 'हौआ' हैं। संसार उन्हें क्राइस्ट या कृष्ण की तरह पूजता है। देश उनके पीछे चलने के लिए दीवाना है। वास्तव में भारत का भविष्य महात्मा के हाथों में है। महात्मा जी हमें किस ओर लिए जा रहे हैं? उनका ध्येय क्या है? उनका अहिंसात्मक आन्दोलन उस ध्येय-प्राप्ति के लिए कहाँ तक सफल होगा? उनका वर्तमान अहिंसात्मक आन्दोलन भावी भारतीय राज्यक्रान्ति के लिए उपयुक्त वातावरण उपस्थित करने का एक साधन-मात्र है या स्वतन्त्रता प्राप्त करने का मूल मन्त्र? इन सब समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें महात्मा जी के उद्देश्य और उनकी नीति का स्पष्ट ज्ञान होना उचित है।

महात्मा जी को कोई क्रान्तिवादी कहता है, तो कोई उन्हें आदर्शवादी बताता है। न तो महात्मा जी क्रान्तिकारी ही हैं और न आदर्शवादी। महात्मा जी शान्तिमय सामाजिक जीवन के लिए सरकार और शासन-व्यवस्था का होना अनिवार्य समझते हैं। वे राज्य-व्यवस्था के नियमों का पालन करना राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का धर्म समझते हैं। वे सरकार और राज्य-व्यवस्था को किसी देश-विशेष के मनुष्यों द्वारा अपने ही हित के लिए निर्माण की हुई चीज़ समझते हैं। उनका यह विश्वास है कि यदि वह चीज़, जो मनुष्य अपने हित के लिए निर्माण करता है, अहितकारी साबित होती है, तो उसमें मनमाना परिवर्तन तथा उलट-फेर कर देने का उसे पूर्ण अधिकार है। सरकार और शासन-व्यवस्था में विश्वास करने वाला महात्मा क्रान्तिवादी नहीं है। वह भारत के लिए भविष्य-शासन-विधान का काल्पनिक चित्र भी नहीं खींचता, आदर्श सरकार और आदर्श शासन-प्रणाली के काल्पनिक ढाँचे भी नहीं तैयार करता। वह तो सारी परिस्थिति हस्तामलकवत देखता है और उनके विकारों के दूर करने के लिए साधनों की खोज करता है। वह आदर्शवादी भी नहीं है। महात्मा जी का उद्देश्य है वर्तमान सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का, उनका ध्येय है देश को पाश्चात्य सभ्यता के कुप्रभावों से बचाए रखने का तथा हिन्दी को राष्ट्र-भाषा बना देने का। वे चाहते हैं भारतवासी विदेशियों के ग़ुलाम न रहें, खाने-पीने, ओढ़ने-पहिनने की वस्तुएँ भी स्वयं बनाएँ और उन्हीं को प्रयोग में लाएँ। उनके सामने प्रमुख समस्या है भारत को स्वतन्त्र करने की; और उस ध्येय-प्राप्ति के लिए उन्होंने वह साधन खोजा है, जो संसार के स्वातन्त्र्य-युद्धों के इतिहास में ढूँढ़े नहीं मिलता। प्रारम्भ में संसार के वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ महात्मा के साधनों की ख़ूब खिल्ली उड़ाते थे। महात्मा के धार्मिक, आध्यात्मिक तथा नीति-शास्त्र पर अवलम्बित अहिंसात्मक आन्दोलन की ओर लक्ष्य करके सभी व्यंग्यपूर्ण हँसी हँसते थे। समय की गति ने उन हँसी उड़ाने वालों को हैरत में डाल दिया है। आज वे भी दाँतों तले उँगली दबाते हैं और पूछते हैं—यह अहिंसात्मक असहयोग क्या बला है? क्या सचमुच महात्मा गाँधी भारत को इसके द्वारा आज़ाद कर सकेगा?

महात्मा जी की युद्ध-प्रणाली की जान है 'अहिंसा'।

उनकी राजनैतिक नीति समझने के लिए हमें यह जानना उचित है कि वह मनुष्य के स्वभाव और उसकी प्रकृति आदि के विषय में क्या विचार रखते हैं। महात्मा जी ने १६, फ़रवरी १९२१ के 'यङ्ग इण्डिया' में मनुष्य तथा उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। वे कहते हैं कि 'मनुष्य स्वभाव से ही शान्ति-प्रेमी तथा स्नेही होता है।' महात्मा जी के अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन तथा त्याग और बलिदान द्वारा औरों को वश में कर लेने की नीति का यही सार है। उनका कहना है, मनुष्य को अकेला छोड़ दीजिए, वह सदैव निर्मल तथा शुद्ध आचरण वाला बना रहेगा; उसे स्वेच्छानुसार संसार में विचरने दीजिए, वह सदा न्याय-सङ्गत कार्य करेगा, उसके हाथों में शक्ति दे दीजिए, वह उसका सदुपयोग ही करेगा। यदि आप उसे बता दीजिए कि यह कार्य अच्छा है, तो वह बड़े प्रेम से उसे अपना लेगा। महात्मा जी के ख़याल से किसी भी व्यक्ति में बुरा आचरण करने, पाप करने तथा कुमार्गगामी होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। महात्मा जी अहिंसात्मक नीति में घोर विश्वास रखते हैं। जैसे चरख़ा द्वारा वह संसार भर की व्याधियों, विपत्तियों तथा रोगों आदि को दूर करने का दावा रखते हैं, इसी प्रकार अहिंसात्मक नीति से वह चोरों की चोरी छुड़ाने, डकैतों की डकैती की कुटेव छुड़ाने की सोचते हैं। उनका कहना है कि यदि कोई चोर तुम्हारे यहाँ चोरी करने आता है, तो उसको सुमार्ग पर लाने के लिए उचित है कि दूसरे दिन घर की बहुमूल्य चीज़ें आँगन में फैला दो और घर के द्वार खुले छोड़ दो, जिससे कि चोर बड़ी सुविधा से उन चीज़ों को हस्तगत कर सके। ऐसा करने से जिस समय चोर चोरी करने के लिए घर में प्रवेश करेगा, यह लीला देख कर स्तिमित हो जायगा। वह चीज़ें उठा ले जायगा, लेकिन निरन्तर उसके मस्तिष्क में वेदनायुक्त भावों के तूफ़ान उठते रहेंगे और ज्योंही वह तुम्हारे उदार तथा विशाल हृदय से परिचित हो जायगा, वह अपने किए पर पश्चात्ताप, तुम्हारी चीज़ें तुम्हें लौटा देगा, तुमसे क्षमा-याचना करेगा और उस घड़ी से चोरी करना भी छोड़ देगा।

महात्मा जी चरित्र-सुधार तथा विकार-विनाश के लिए अपने इस साधन को बड़ी महत्ता देते हैं। वे कहते हैं कि यदि सब दशाओं में नहीं, तो कम से कम अधिकांश दशाओं में प्रेम तथा सहानुभूति का प्रभाव, पशुबल के प्रभाव से अधिक तीव्र होता है। महात्मा जी का यह भी विश्वास है कि प्रकृति ने मनुष्य को ऐसा बल और ऐसी स्वाभाविक प्रवृत्ति दी है, जिससे कि वह अनायास आने वाली विपत्तियों और कष्टों का हँस-हँस कर स्वागत कर सकता है तथा सहन कर सकता है। इसी विचार-धारा के सहारे महात्मा जी ने भारत को परतन्त्रता से मुक्त करने का अनोखा यन्त्र आविष्कार किया है। उनका कहना है कि वे राज्यनियमों को भङ्ग करेंगे, सरकार से मोरचा लेंगे और उस पर विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन स्वयं सदा शान्तिमय रहेंगे।

महात्मा जी का विश्वास है कि यदि उनके बताए पथ पर समस्त देश आचरण करने को प्रस्तुत हो जाय, तो वे एक ही वर्ष में भारत को स्वतन्त्र कर सकते हैं, भारत से मद्य-मदिरा की कुटेव को दूर कर सकते हैं, भारत में हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित कर सकते हैं, भारत से अछूत-समस्या के कलङ्क को धो सकते हैं तथा देश को इस योग्य बना सकते हैं कि ज़रूरत की पहिनने-ओढ़ने तथा खाने-पीने की चीज़ें स्वयं पैदा करके अपना पालन-पोषण कर सके। यह क्रान्तिकारी परिवर्तन वह अपने असहयोग आन्दोलन द्वारा करने की सोचते हैं, उस असहयोग आन्दोलन का प्राण है अहिंसा।

वर्तमान शासन-प्रणाली भारत के हित के लिए घातक है, अन्याय और अनाचार की तूती बोल रही है। सरकार और शासन-पद्धति का अस्तित्व समाज के सुख और उसके विकास के लिए होता है। वर्तमान भारतीय सरकार की छत्र-छाया में सुख का नाम नहीं, दुःख के पहाड़ दिन-दहाड़े सिर पर टूटते हैं, ग़रीब किसान और मज़दूर भूखों मर रहे हैं, कोई उनका पुरसाँहाल नहीं। स्वास्थ्य और बुद्धि-विकास दूर रहा, जीवन के लाले पड़ रहे हैं। यदि कोई इस दशा पर आँसू बहाता है, गिला करता है, तो दमन-नीति का शिकार होता है। महात्मा जी का कहना है कि यदि चाहते हो इस दारुण परतन्त्रता से मुक्त होना, तो उसका इलाज स्वयं अपने पास ढूँढो। वर्तमान सरकार को उखाड़ना तथा इस दूषित शासन-प्रणाली को नष्टप्राय करना तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि सरकार तथा शासन-व्यवस्था तुम्हारे ही सहयोग पर निर्भर है। सहयोग वापस लेते ही सरकार धराशायी हो जायगी तथा शासन-व्यवस्था चकनाचूर हो जायगी। असहयोग द्वारा एक शक्तिशाली साम्राज्य को नीचा दिखाने की नीति महात्मा जी ने विशेषकर परवश, लाचार तथा अस्त्र-शस्त्र-विहीन राष्ट्रों के लिए ही तजवीज़ किया है। भारत आज एक शक्तिशाली सत्ता के चरणों के नीचे दबा हुआ कराह रहा है। सर उठाते ही बन्दूक़ का कुन्दा सर पर बैठता है तथा गोली कलेजे पर। निस्सहाय, निहत्थे भारतीयों के पास अपनी प्राण-रक्षा के लिए पास में कोई अस्त्र-शस्त्र नहीं है, फिर भला महात्मा जी भारतीयों को तोपों के मुक़ाबिले में क्या गुलेल गढ़ा कर खड़ा कर देते।

उनका कहना है कि यदि अन्याय, अत्याचार या पाप से तुम्हें बचना है, यदि इनका विनाश करना है, तो नीति की दृष्टि से सर्व-प्रथम तुम्हें स्वयं उस अन्याय, अत्याचार अथवा पाप में सहयोग देने से हाथ रोकना होगा। इसी नीति के अनुसार यदि हम वास्तव में वर्तमान ब्रिटिश शासन-पद्धति को शैतानी समझते हैं और शासकों को क्रूर तथा अन्यायी समझते हैं, तो हमें उचित है कि हम उससे असहयोग कर दें। इस असहयोग की भयङ्कर अग्नि के प्रकोप में ब्रिटिश सत्ता भस्म हो जायगी—भारत-भूमि से अन्याय और अत्याचार, दुःख और क्लेश तथा रोग, अकाल, सब दूर हो जायगा—यही दुखी भारत स्वर्ग-भूमि बन जायगा। महात्मा ने असहयोग आन्दोलन की विस्तृत योजना बड़े सुन्दर रूप से हमारे सामने रख दी है। हमें असहयोग आन्दोलन के आदि से अन्त तक के दाँव-पेच और क्रम से परिचित हो जाना आवश्यक है।

असहयोग के अर्थ हैं, अन्यायी सरकार के शासन-सञ्चालन में सहायता देने तथा उसके कृपा-पात्र बनने से इन्कार कर देना; सरकार द्वारा प्रदत्त ग़ुलामी-सूचक उपाधियाँ, जो वास्तव में राष्ट्रीय उत्थान के युग में हेय तथा घृणास्पद समझी जाती हैं, वापस कर देना। इसके अतिरिक्त असहयोग का तात्पर्य है, वकीलों का सरकारी कचहरियों से सम्बन्ध-विच्छेद, तथा आपस के झगड़ों के फ़ैसले के लिए पञ्चायतों की स्थापना, विद्यार्थियों का सरकारी शिक्षा-केन्द्रों को ठुकरा देना तथा राष्ट्रीय विद्यालयों की शरण जाना; राष्ट्र को विदेश की बनी वस्तुओं तथा वस्त्रों का मोह त्यागना, स्वदेश की चीज़ों से ही अपना काम निकालना, चाहे वे सुन्दर हों या कुरूप, कष्टप्रद हों या सुखप्रद। सरकारी अफ़सरों का अपने पदों से इस्तीफ़ा देना, क्योंकि जो कुछ भी अनाचार या अन्याय होता है, वह सब इन्हीं देशी अफ़सरों के हाथों से होता है। असहयोग का सब से विकट मोरचा है पुलिस के सिपाहियों और सैनिकों का सरकारी चाकरी को ठुकरा कर राष्ट्रीय झण्डे के नीचे आ जाना तथा देशवासियों का लगान और विभिन्न करों के देने से इन्कार कर देना।

महात्मा जी ने अपने असहयोग आन्दोलन की यह योजना तैयार की थी। उसका क्रम भी उपरोक्त वर्णन के अनुसार रक्खा था। उन्होंने अभी तक निर्दिष्ट-पथ का ही अवलम्बन किया है। वे अपनी नीति के कट्टर पालक हैं, उसमें हेर-फेर तथा अन्तर न तो उन्होंने अभी तक किया है और न करने को तैयार ही हैं। एक समय यह प्रश्न पेश हुआ कि क्या कॉङ्ग्रेस वालों के लिए यह उचित होगा कि वे कौन्सिलों और एसेम्बली में प्रवेश करें तथा वहाँ जाकर असहयोग-नीति का पालन करें—जिसका अभिप्राय था कौन्सिलों और एसेम्बली में घुस कर बात-बात का विरोध करना 'वाक आउट' (Walk Out) करना तथा इस प्रकार रोड़े अटका कर सरकार के कामों पर पानी फेरना। महात्मा जी ने कौन्सिलों और एसेम्बली में जाने की बात का घोर विरोध किया। उन्होंने कड़क कर कहा कि हम 'शैतान' के साथ किसी प्रकार का भी नाता जोड़ने को तैयार नहीं। वे कौन्सिलों और एसेम्बली में प्रवेश करना ही असहयोग-नीति के विरुद्ध समझते हैं। ठीक भी है, व्यवस्थापिका-सभा के चुनाव में भाग लेने का तथा उसका सदस्य होने का स्पष्ट मतलब है कि हम १९१९ की सुधार-व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। सुधार-व्यवस्था को स्वीकार करना सहयोग करना है। इस प्रकार का सहयोग असहयोग की योजना के विरुद्ध है। महात्मा जी ने स्वयं कौन्सिल-प्रवेश के पक्ष में कभी अपनी सम्मति न दी। असहयोग के सच्चे आदर्श को महात्मा जी ने सदा अछूता ही रक्खा।

महात्मा जी ने अपनी युद्ध-प्रणाली का जीवन-प्राण अहिंसा रक्खा है और घड़ी-घड़ी वे उसी का शङ्ख फूँकते रहते हैं। शान्ति के पैग़म्बर गाँधी का अहिंसावाद बड़ा कठिन आदर्श उपस्थित करता है। जो उसके पालन करने में पूर्ण-रूपेण 'मनसा-वाचा-कर्मणा' से सफल हो गया, वह स्वयं महात्मा या तपस्वी के पद का अधिकारी हो गया।

महात्मा के शान्तिमय युद्ध के लिए बड़े त्यागी और दृढ़-चरित्र सैनिकों की आवश्यकता है। अहिंसात्मक असहयोग ठोस तथा सच्ची देश-सेवा और बलिदान चाहता है। यह एक आध्यात्मिक युद्ध-प्रणाली है। द्रोह, वैमनस्य, प्रतिरोध, प्रतिहिंसा, घृणा आदि के भावों के छाया-मात्र से इसकी पवित्रता दूषित हो जाती है। यद्यपि हम इस आध्यात्मिक शस्त्र द्वारा एक अन्यायी शासन-तन्त्र को परास्त करने के लिए युद्ध ठानते हैं, परन्तु फिर भी हम उस सत्ता के प्रति घृणा के भाव हृदय में लाने के भी अधिकारी नहीं, हम क्रोध अथवा रोष प्रकट करने के

(२५वें पृष्ठ का शेषांश)

केसर की क्यारी

आसानी

ख़िज्र को राहे-मुहब्बत से कुछ आगाही नहीं,
जितनी दुश्वारी उन्हें है उतनी आसानी मुझे।
—"नूह" नारवी

मुश्किलाते दह्र ने बदली वह शक्ले ज़िन्दगी,
मौत ने मेरी न पहचाना ब-आसानी मुझे।
—"बर्क़" देहलवी

तूफ़ानी

"नूह" मेरा नाम कब लेता है कोई साफ़-साफ़,
महफ़िले जानाँ में सब कहते हैं तूफ़ानी मुझे।
—"नूह" नारवी

मैं जो ऐ "बिस्मिल" जनाबे "नूह" का शागिर्द हूँ,
इस सबब से जानते हैं लोग तूफ़ानी मुझे।
—"बिस्मिल" इलाहाबादी

* * *

भी हक़दार नहीं, मारने-काटने या हिंसा करने की बात तो दूर रही। हम असहयोगी की हैसियत से अपने आन्दोलन की ओर औरों का ध्यान अपने बलिदान द्वारा आकर्षित करने के अधिकारी हैं, न कि अपने बैरियों पर बम या पिस्तौल चला कर। अहिंसात्मक असहयोग चरित्र-दृढ़ता की एक विकट कसौटी है। सच्चा असहयोगी वही है, जो सीधा-सादा और सरल प्रकृति का है, कृत्रिमता जिसके पास से होकर नहीं गुज़री है तथा जो सदाचारी है, सत्यवादी है और आत्मत्यागी है।

महात्मा जी ने अपने नीति-पोषकों और सच्चे सैनिकों को आदेश दिया है। उस आदेशानुसार महात्मा जी ने उन्हें व्यर्थ के दिखावे से बचने को कहा है। अहितकारी प्रस्ताव पर घृणासूचक ध्वनि करने का तथा हित की बात पर ताली पीटने का निषेध किया है। उनके बताए पथ पर चलने वाले यदि सरकारी नियमों के भङ्ग करने पर गिरफ़्तार किए जाते हैं, तो उन्हें गिरफ़्तारी से बचने का हक़ नहीं, यदि वे फाँसी पर चढ़ाए जाते हैं तो फाँसी के तख़्ते पर चढ़ने से इन्कार करने का अधिकार नहीं। वे सरकारी कचहरियों में अभियोग चलाए जाने पर सफ़ाई नहीं पेश कर सकते। असहयोगी हैं न। यदि वे धरना देते हैं तो वहाँ भी वे बल-प्रदर्शन नहीं कर सकते, किसी पर बेजा दबाव डाल कर उसे मद्य-मदिरा या विदेशी वस्तुओं या वस्त्रों को ख़रीदने या बेचने से नहीं रोक सकते! महात्मा के अहिंसात्मक युद्ध में बल-प्रयोग की गुञ्जाइश कहाँ? यह युद्ध ही अनोखा है, इसमें न तो तोपों की आवश्यकता है, न बन्दूक़ों की; न तो तलवारों की ज़रूरत है, न छुरा-कटारी तथा तीरों की। यह शान्तिमय युद्ध है, इसमें हमारे ही त्याग, सहनशक्ति तथा बलिदान-शक्ति की परीक्षा है। सरकार से असहयोग किया जायगा, उसके राज्य-नियमों को भङ्ग किया जायगा, भले ही हमें दूसरी ओर से गोलियों की बौछार सहनी पड़े, लाठियों की मार सहनी पड़े, हमारे सीनों पर घोड़े दौड़ाए जायँ, पर हम असहयोगी तथा अहिंसाव्रतधारी होते हुए हाथ नहीं उठा सकते, उफ़ नहीं कर सकते। बैरियों की मार से चाहे प्राणों से हाथ ही क्यों न धोने पड़ें, परन्तु हम अपने हृदय में प्रतिहिंसा का भाव भी नहीं ला सकते।

पाश्चात्य देशों में महात्माओं ने अपने रक्त-स्राव से गिर्जाघरों की स्थापना की थी—महात्मा जी ने भी आत्म-बलिदान, कष्ट-सहन, त्याग और तपस्या द्वारा भारत में स्वतन्त्रता देवी के पुण्य-मन्दिर का निर्माण करना सोचा है।

महात्मा जी के इस अहिंसात्मक असहयोग की बड़ी आलोचनाएँ हो चुकी हैं। उन आलोचनाओं को हम दुहराना नहीं चाहते। हम इस लेख में महात्मा जी की नीति का खण्डन नहीं करना चाहते। दोष-युक्त होते हुए भी उनकी वर्तमान युद्ध-प्रणाली ने भारत में नव-जीवन सञ्चार किया है, एक अनोखी जाग्रति की लहर पैदा कर दी है। राजनीति की चख़चख़, स्वतन्त्रता की पहेली, जो कभी पढ़े-लिखे लोगों की ही बपौती सी हो रही थी, आज वह भारत के किसानों और मज़दूरों के घर की चीज़ हो रही है। गाँव के किसान आज़ादी, स्वराज्य, स्वतन्त्रता का नाम सुन कर भड़क उठते थे, महात्मा जी ने उन्हें जगाया और स्वातन्त्र्य युद्ध के मर्म से उन्हें परिचित कराया। हमें महात्मा जी की एक हद तक विजय स्वीकार करनी पड़ेगी, उन्होंने अपनी अलौकिक नीति द्वारा ब्रिटिश सरकार को नाकों चना चबवा दिया तथा चारों ओर विश्वव्यापिनी हलचल पैदा कर दी।

अभी तक किसी देश ने कोरे अहिंसा के प्रयोग से स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं की है। महात्मा जी का यह नया प्रयास है। उनका कहना है, मनुष्य स्वभाव से शान्तिप्रेमी और स्नेही है, और इसी आधार-शिला पर उनकी सारी नीति अवलम्बित है। हमें उनके इस कथन में तनिक भी विश्वास नहीं। यह महात्मा जी के व्यक्तित्व का प्रभाव है, उनके उपदेश का चमत्कार है, जो अभी तक अहिंसाव्रत जैसे-तैसे निभता गया है। मनुष्य का स्वभाव, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति और वास्तविक प्रकृति क्या है? इसका उत्तर चौरीचौरा का हत्याकाण्ड है। यदि मार्ग में चलते हुए एक नन्हें से बालक को आप एक चपत लगा दें, तो उस समय वह भयवश न बोलेगा—लेकिन दूर जाते ही गाली देगा। यदि अधिक चपल हुआ तो कङ्कड़ फेंक कर मार देगा। हमें मनुष्य के स्वभाव का, वास्तविक रूप का नित्य उसके मुखाकृति और मनोभावों से पता लगता रहता है। भला कौन बोरसद में माँ-बहिनों पर किए गए अत्याचारों की हृदय-द्रावक कहानियाँ सुन कर जो मसोस कर न रह गया होगा, क्रोध से किसका चेहरा तमतमा न उठा होगा तथा रोष से किसका ख़ून उबल न उठा होगा। 'स्वभाव से ही मनुष्य अहिंसाप्रेमी, शान्तिप्रिय तथा स्नेही है' यह ख़्याल भ्रमपूर्ण है, मिथ्या है। भविष्य हमारे इस कथन का समर्थन करेगा।

परन्तु हमारे इस कथन का यह निष्कर्ष निकालना कि हम चुपके-चुपके हिंसा का पक्ष-पोषण कर रहे हैं, भारी भूल होगी। भारत की वर्तमान स्थिति, अपनी शक्ति और साधनहीनता तथा लाचारी आदि को दृष्टि में रख कर हमने ख़ूनी क्रान्तिकारियों की नीति का प्रारम्भ ही में विरोध किया। वर्तमान समय में अच्छा हो या बुरा हो, महात्मा का बताया पथ ही श्रेयस्कर प्रतीत होता है—भविष्य की दैव जाने। महात्मा जी के अहिंसात्मक आन्दोलन की संक्षिप्त विवेचना द्वारा उसके नीच-ऊँच और नग्न-रूप से हमने पाठकों को परिचित करा दिया है। उनके आन्दोलन ने देश में कैसी उत्तेजना पैदा कर दी है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। अब सब से कठिन प्रश्न हमारे सामने यह है कि क्या अहिंसात्मक आन्दोलन केवल जाग्रति पैदा करने तथा देश में होने वाली भावी राज्यक्रान्ति के लिए उपयुक्त वातावरण उपस्थित करने का साधन-मात्र ही है या स्वतन्त्रता प्राप्त करने का मूल-मन्त्र?

हमारा अपना विश्वास है कि महात्मा जी के अहिंसात्मक युद्ध द्वारा स्वतन्त्रता मिलना कठिन है—स्वतन्त्रता मिलेगी किसी अन्य नीति से। हाँ, उनके अहिंसात्मक आन्दोलन द्वारा भावी राज्यक्रान्ति के लिए उपयुक्त वातावरण अवश्य उपस्थित हो जायगा। जिस समय हम अपने घर की माँ-बहिनों को केशों से घसिटते, डण्डों से पिटते देखेंगे और देखेंगे कि वे उफ़ भी नहीं करतीं, तब हमारे हृदय में उत्तेजना पैदा होगी। जिस घड़ी हम इन नेत्रों से अपने घर के नन्हें-नन्हें बालकों के वक्षस्थलों पर घोड़ों के चरण-प्रहार और गोलियों की बौछार होते देखेंगे और उन्हें हँस-हँस कर स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर बलिदान होते देखेंगे, तब हमारे हृदय पर ठेस लगेगी। हमारी रक्तहीन धमनियों में ज़ोरों से रक्त प्रवाहित होगा। जब हम अपनी आँखों से नित्य नए अन्याय और अत्याचार होते देखेंगे तथा जब अन्याय की हद हो जायगी, अत्याचार चरम-सीमा को पहुँच जायगा, तब हम अनायास ही पागल हो उठेंगे—हमारे हृदय से एकाएक भयङ्कर लपटें प्रकट होंगी। वे प्रलयकारी लपटें प्रतिपक्षियों के लिए काल हो जायँगी—वे हमारी परतन्त्रता की शृङ्खला को भस्म करके दम लेंगी। वह घड़ी होगी, जब हमारा देश स्वतन्त्र होगा और हम अपनी विजय पर ख़ुशियाँ मनाएँगे।

* * *



भारतीय भारत



भारत की देशी रियासतें

[सहयोगी 'रियासत' के उद्गार]

झिन्द की रेलवे बन्धक

झिन्द राज्य से एक सम्बाददाता ने कुछ काग़ज़ात भेजे हैं, जिनसे मालूम होता है, कि वहाँ केवल फ़ौलादी पञ्जे द्वारा राज्य-शासन हो रहा है और ख़ज़ाना ख़ाली होने के कारण अब राज्य की सम्पत्ति पर भी हाथ साफ़ किया जा रहा है। कहा जाता है कि पिछले महीने जब महाराजा बहादुर विलायत जा रहे थे, तो ख़ज़ाने में उल्लू बोल रहे थे। उधर महाराजा को आवश्यकता थी कि विलायत जाकर ख़ूब ख़र्च करें और अपने महाराजा होने का प्रमाण दें। फलतः राज्य की रेलवे लाइन, जो झिन्द और पानीपत के बीच में है, भिवानी के एक सेठ के यहाँ नौ लाख रुपए में बन्धक रक्खी गई। तब महाराजा बहादुर यह रुपए लेकर तीर्थ-यात्रा करने के लिए लन्दन गए।

महाराजा झिन्द के इस उदाहरण से इस बात का अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि ये राजे-महाराजे लन्दन-यात्रा के लिए किस तरह अपनी जायदादें बरबाद करते और ग़रीब प्रजा के पसीने की कमाई को किस बेरहमी के साथ अपने विलास-वह्नि में झोंक देते हैं।

* * *

ओरछा की करेन्सी

ओरछा राज्य में आज से पहले अपना सिक्का जारी था, जिसे 'गजाशाही' कहते थे और इससे वहाँ व्यापार में बड़ी सहूलियत थी। परन्तु ओरछा के वर्तमान शासक महाराजा वीरसिंह को गद्दी पर बैठे अभी साल ही भर हुआ और आपके सब्ज़ क़दम की बदौलत राज्य अपने स्वतन्त्र सिक्के से वञ्चित हो रहा है। अब राज्य भर से यह सिक्का लेकर भारत-सरकार को सौंप दिया जाएगा और उसके बदले में सरकार पचीस लाख रुपए ओरछा राज्य को देगी। अन्दाज़ा लगाया गया है, कि तमाम ओरछा राज्य के सिक्कों की चाँदी की क़ीमत पचीस लाख रुपए से कम न होगी। महाराजा वीरसिंह के हाथ से करेन्सी निकल जाने का असर तमाम बुन्देलखण्ड में महसूस किया जा रहा है। परन्तु पोलिटिकल एजेण्टों को प्रसन्न रखने की तदबीर ही क्या थी? इसके साथ ही अगर देशी रजवाड़े सरकार की भक्ति का कोई कार्यतः प्रमाण न दें तो उनके कुकर्मों पर परदा ही कैसे पड़ा रह सकता है?

* * *

रामपुर में शासन-परिषद

शिमला से समाचार मिला है, कि रियासत रामपुर के गत एक वर्ष के हालात को देख कर भारत सरकार ने निश्चय किया है कि वहाँ एक शासन परिषद (कौन्सिल ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन) स्थापित की जाए। इस परिषद के प्रभु अर्थात् प्रधान एक गोरे साहब होंगे, इस परिषद को शासन-सम्बन्धी सभी अधिकार प्राप्त होंगे और नवाब बहादुर की वही परिस्थिति होगी, जो हैदराबाद के निज़ाम बहादुर की है। आपके नाम पर कौन्सिल अपने इच्छानुसार सारा शासन-कार्य किया करेगी। नवाब साहब को यह अधिकार भी न रहेगा कि अपनी इच्छा से एक पन्द्रह रुपए का नौकर रख सकें या किसी को बरख़ास्त कर सकें।

जब नवाब साहब ने गद्दी पर बैठते ही अपनी शान दिखानी आरम्भ कर दी थी और तीन मास के भीतर मसूरी के होटलों में कई लाख रुपए बरबाद कर दिए, तभी हमने ये सभी बातें सर्व-साधारण पर प्रकट कर दीं और सरकार का ध्यान भी इधर आकृष्ट कर दिया। उन दिनों राज्य में एक बहुत बड़े अङ्गरेज़ अफ़सर रहते थे, जो भूतपूर्व नवाब साहब के प्रिय थे और वर्तमान नवाब साहब को अपने पुत्र की तरह प्यार करते थे। इन्होंने बड़ी चेष्टा की कि रियासत की दशा बिगड़ने न पाए और वर्तमान नवाब बदनामी के दाग़ से बच जाएँ। परन्तु नवाब भी तो आख़िर नवाब ही ठहरे। कैसे सम्भव था कि आप इन नेकदिल अफ़सर की सलाह पर ध्यान देते। फलतः आपके सभी कर्मों का फल अब इस कौन्सिल या परिषद के रूप में प्रकट होने वाला है।

* * *

पटियाला में विवाह-कर

श्रीमान पटियाला-नरेश ने इस साल अपनी तीन राजकुमारियों की शादियाँ की हैं। इन शादियों के सम्बन्ध में बड़ी मज़ेदार बातें प्रकट हुई हैं। कहते हैं, विवाह के लिए राजकोष में रुपयों की बड़ी कमी थी, इसलिए पटियाला-सरकार की आज्ञा से राज्य के प्रत्येक अफ़सर, नौकर और पेन्शन पाने वाले की तनख़्वाह से तिहाई रक़म नेवता-स्वरूप काट ली गई है। इसके सिवा ख़ज़ाने की कमी की पूर्ति के लिए भी यह विचार किया जाता है कि मालगुज़ारी के साथ एक आना फ़ी रुपया प्रजा से अधिक वसूल किया जाए। हमें अफ़सोस है कि हम पटियाला के इस नए विवाह-कर के विरुद्ध हैं और इस नेवता को एक प्रकार का 'जज़िया' समझते हैं।

* * *

भूपाल का ऋण ग्रहण

भूपाल के सम्बाददाता ने लिखा है, कि नवाब साहब विलायत जाने की तैयारियाँ कर रहे हैं, परन्तु यहाँ ख़ज़ाने में चूहे दण्ड पेल रहे हैं। नवाब साहब की लीडरी की चेष्टा यहाँ की प्रजा और सरकारी नौकर, दोनों के लिए महँगी प्रमाणित हो रही है। क्योंकि लगान वसूल करने के लिए प्रजा पर लज्जाजनक अत्याचार हो रहे हैं और नौकरों के सर पर वेतन में कमी करने का कुल्हाड़ा तैयार है। परन्तु फिर भी रुपए एकत्र होने की कोई सम्भावना नहीं है। इसलिए नवाब साहब का विचार है कि पचीस लाख रुपए कहीं से क़र्ज़ लेकर विलायत जाएँ। इसके लिए एजेण्टों से बातचीत भी आरम्भ हो गई है। अगर बाहर से ऋण न मिला तो जरनैल साहब के पुत्रों पर हाथ साफ़ होगा, क्योंकि उनके पिता का कमाया हुआ धन उनके पास है।

अब ज़रा विचार कीजिए कि भूपाल के नवाब के राज्य से 'राम-राज्य' की उपमा दी जाती है और नवाब हमीद उल्लाह साहब की तुलना हज़रत उमर से की जाती है। अथवा वहाँ बेकस और फ़ाक़ा करने वाले किसानों से, उनका अनाज और जानवर नीलाम करके लगान वसूल किया जाता है और कर्मचारियों के वेतनों में कमी करके उनसे कहा जाता है कि रात को भूखे सो जाओ। क्योंकि नवाब साहब को रुपए की आवश्यकता है, ताकि वे विलायत में आनन्द से गुलछर्रे उड़ाएँ, अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले अख़बारों को तबाह करें, और लीडरी का सार्टीफ़िकेट प्राप्त करने के लिए शौकतअली जैसे लोगों की जेबें भरें।

दोस्तो, कुछ दिन और ठहर जाओ और कॉङ्ग्रेस के 'रोलर' को थोड़ा सा और फैलने दो, तब आपसे पूछेंगे कि आपको प्रजा की पसीने की कमाई को इस प्रकार बरबाद करने का क्या हक़ है? और तुम्हारे इस लज्जाजनक कर्म का दण्ड क्या होना चाहिए।

* * *

जोधपुर-नरेश का द्यूत-प्रेम

जोधपुर-नरेश इधर एक मुद्दत से सट्टेबाज़ी की कुटेव में पड़ गए थे। आपके कई शुभचिन्तकों ने आपसे निवेदन किया कि यह कार्य अच्छा नहीं है। इससे आज तक किसी ने रुपया नहीं पैदा किया। इसके फेर में पड़ कर व्यर्थ रुपए न बरबाद कीजिए। परन्तु महाराज ने इन बातों की कोई परवाह न की और बराबर सट्टेबाज़ी करते रहे। परन्तु अब हाल में समाचार आया है कि इस सट्टेबाज़ी (जिसे एक प्रकार का जुआ ही कहना चाहिए) में एक करोड़ रुपए का नुक़सान हुआ है। अब महाराजा पछता रहे हैं और अपने सट्टेबाज़ी के सलाहकारों को गालियाँ दे रहे हैं, कि उन्होंने उनसे यह 'तिजारत' क्यों शुरू कराई। हमें ख़बर मिली है कि इस एक करोड़ की बरबादी के सम्बन्ध में भारत-सरकार ने भी महाराज को ख़ूब फटकारा है। शिमले में, अनुमान किया जाता है कि शायद इस सम्बन्ध में वहाँ कोई अफ़सर भी भेजे जायँगे। क्योंकि सरकार को सन्देह है कि इस सट्टेबाज़ी में राज्य के कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं। इन लोगों ने काफ़ी रुपए उड़ाए हैं। रुपए लूटने के लिए ही ये महाराज से सट्टा करवाते थे। अङ्गरेज़ अफ़सरों के आ जाने पर ये लोग भी बिदा कर दिए जायँगे।

हम महाराज जोधपुर और उनके सट्टेबाज़ी के सलाहकारों से पूछना चाहते हैं कि ये एक करोड़ रुपए कहाँ से आएँगे। क्या यह ग़रीब किसानों द्वारा पसीने बहा कर पैदा न किए गए थे? इस सट्टेबाज़ी से जोधपुर की ग़रीब प्रजा का क्या उपकार हुआ? क्या महाराजा जोधपुर के लिए यह 'तिजारत' एक लज्जाजनक कार्य न था?

* * *

रियासतों का दहेज

रियासतों में दहेज की कुप्रथा पराकाष्ठा को पहुँच गई है। इसके कारण रियासत वालों को अपनी लड़कियों की शादियों के लिए बड़े सङ्कट का सामना करना पड़ता है। लड़के वाले उस समय तक विवाह की बातचीत भी नहीं करते, जब तक कि लड़की वाले लाखों रुपए देने का वादा नहीं कर लेते। महाराज बिजावर का अपने लड़के की शादी महाराजा पटियाला की लड़की से करने का प्रधान कारण यह था कि बिजावर-नरेश को लाखों रुपए दहेज में मिलने की आशा थी। एक नरेश ने चाहा कि अपनी लड़की की शादी नाहन राज्य के राजकुमार से करें। परन्तु चूँकि मुँह-माँगा दहेज देने की सामर्थ्य उनमें न थी, इसलिए वह सम्बन्ध नहीं हो सका। इस तरह की सैकड़ों घटनाएँ हैं कि पूरा रुपया न मिलने के कारण शादियाँ न हो सकीं।

इस दहेज की कुप्रथा से बङ्गाल तबाह हो चुका है। कितनी ही कन्याओं को इस कुप्रथा को मिटाने के लिए आत्म-हत्या तक करनी पड़ी है। ऐसे गन्दे रिवाज का देशी रियासतों में होना अतीव लज्जा की बात है।

* * *

राजाओं को जवानी का शौक़

मध्य भारत के एक राजा साहब, जो अपनी निन्दनीय हरकतों के कारण दो बार अधिकारहीन हो चुके हैं, एक स्थानीय समाचार-पत्र के कथनानुसार, जब दिल्ली आए थे तो आपने एक डॉक्टर से कहा था—

"डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह भी सम्भव हो, फिर पचीस साल का जवान हो जाऊँ। मैं फ्रान्सीसी डॉक्टर को वह तमाम फ़ीस देने को तैयार हूँ, जो इन्दौर के सर हुकुमचन्द ने दी।"

ये महाराजा साहब साठ साल से भी अधिक अवस्था के हैं और अभी दो साल हुए, आपने एक नई शादी तेरह वर्ष की लड़की से की है। अब आप इनकी मनोवृत्ति का अन्दाज़ा लगाइए। यही कारण है कि आजकल रियासतों में योग्य मन्त्रियों की उतनी क़दर नहीं है, जितनी ताक़त की गोलियाँ देने वाले हकीमों की है।

* * *

साहित्य का सपूत

[श्री० जी० पी० श्रीवास्तव, बी० ए०, एल्-एल्० बी०]

अङ्क—२; दृश्य—४

रास्ता

(रमाकान्त और संसारीनाथ का ख़ुशी में बातें करते आना)

रमाकान्त—कहो दोस्त, अब तो समझे ?

संसारी—हाँ भाई, तुम लोगों की सचमुच बड़ी ही बेढब चाल थी। अब जाकर समझ में आई। मुझे तो स्वप्न में भी उम्मीद न थी कि भला कभी साहित्यानन्द ख़ुद अपने मुँह से चपला की शादी के लिए मुझसे कहेंगे।

रमाकान्त—अभी क्या, जब नाक रगड़ें तब बात है। बस तुम ज़रा अकड़े रहो।

संसारी—नहीं भाई, यह न कहो। हाथ जोड़ता हूँ, इसके लिए मुझे अब मजबूर न करो। बहुत हो चुका, अब सब्र नहीं हो सकता।

रमाकान्त—तो क्या जान निकल जाएगी ? अजी नहीं। जब नाडमेंद्री में तुम नहीं मर सके, तो अब कुछ थोड़े ही मर जाओगे।

संसारी—एक तो रो-रोकर यह दिन देखना नसीब भी हुआ, उसमें भी टालमटूल। आख़िर इससे फ़ायदा ?

रमाकान्त—तुम क्या जानो ? बस समझ लो कि यह भी हम लोगों का एक मसख़रापन है, जिसकी थाह नहीं मिलती। (पीछे देख कर अलग) अरे ! वह फिर पहुँचा। (प्रकट) अच्छा आओ, इधर चलो तो इसका रहस्य बताता हूँ।

(दोनों का एक तरफ़ जाना और दूसरी तरफ़ से लालटेन लिए साहित्यानन्द का आना)

साहित्यानन्द—(लालटेन रख कर) थक गया—उहुँक—शिथिल हो गया। संसारीनाथ के पीछे-पीछे घूमते उहुँक—उसके पश्चात्-पश्चात् भ्रमण करते शिथिल हो गया। (पगड़ी उतार कर सर पर हाथ फेरने के बाद) कहाँ वह चपला के साथ विवाह करने के लिए इतना लालायित था और कहाँ वह अब इस वार्ता से पलायन करता-करता फिरता है। इसका कारण केवल तिलोत्तमा की विद्वत्ता और साहित्यिक योग्यता है, जिससे चकित होकर अब इधर वह ध्यान नहीं देता। क्या बताऊँ, किसी प्रकार से चपला के विवाह के जाल में फँसा कर, उससे मैं उसका तिलोत्तमा के साथ विवाह करने का वचन भङ्ग करा देता, फिर वह चूल्हे-भाड़ में जाए, मुझे तनिक भी चिन्ता नहीं है। जहाँ मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ, तहाँ तो फिर हाँ ! मैं भला उस पाजी के साथ कहीं चपला का विवाह करूँगा ? अस्तु ! बहुत घेरने-घारने पर उसने इतना तो कहा कि अच्छा सोच-समझ कर उत्तर दूँगा। परन्तु वह दृष्टिगोचर हो तब तो उससे उत्तर पूछूँ। कहीं वह इसी भाँति पूर्णमासी तक न सोचता-समझता रह जाए ? हाय ! हाय ! तब तो साला तिलोत्तमा को मार ही ले जाएगा। ऐसी विदुषी, ऐसी पण्डिता, ऐसी उच्च विचारशीला रमणी उस पाजी को मिले और मैं अपनी सारी योग्यता लिए मुँह देखता रह जाऊँ। हे ईश्वर ! यह तुम्हारा कैसा उल्टा—उहुँक—विरुद्ध न्याय है।

(यदुनाथ का बनावटी रूप में आना)

यदुनाथ—(अलग) ओहो ! उस्तादों से चाल ? मैं पहिले ही समझता था। ख़ैर ! अब तो छिप कर इसकी बातें भी सुन लूँ। (प्रकट) जय राम जी की !

साहित्यानन्द—(घूम कर लालटेन उठा कर मुँह देखता हुआ) कौन ? कौन ? संसारीनाथ ? अरे ! नहीं आप हैं ? आहा ! प्रणाम ! प्रणाम ! मैं आप ही के यहाँ जा रहा था ?

यदुनाथ—क्यों ?

साहित्यानन्द—क्या आपने नहीं सुना ? संसारीनाथ मेरी पुत्री से विवाह करना चाहता है। इसीलिए मैं आपको सावधान करने जा रहा था कि वह आप लोगों को धोखा दे रहा है।

यदुनाथ—मैं समझता हूँ कि कहीं वह आपको न धोखा दे रहा हो।

साहित्यानन्द—नहीं-नहीं, इसे आप विश्वास तो कीजिए !

यदुनाथ—मेरे विश्वास करने से क्या होता है, जब तिलोत्तमा को भी विश्वास हो तब तो। क्योंकि वह शिक्षिता लड़की है और अपने हृदय में संसारीनाथ की इतनी अटल भक्ति धारण किए हुए है कि जब तक वह स्वयं अपनी आँखों से संसारीनाथ को अन्य युवती से विवाह करते देख न लेगी, तब तक वह उसके विरुद्ध कोई भी बात सुन नहीं सकती, न वह किसी प्रकार से अपने सङ्कल्प पर से पिछड़ सकती है। और न उसकी धारणा ही मिट सकती है। यही तो अड़चन है। अच्छा जय राम जी की ! पूर्णमासी नज़दीक है और अभी मुझे बहुत-कुछ इन्तज़ाम करना है।

(चल देता है)

साहित्यानन्द—अरे ! तो क्या सचमुच ही मुझे चपला को संसारीनाथ के साथ विवाह करना पड़ेगा ? अच्छा यही सही। उस पाजी को मैं तिलोत्तमा के साथ कदापि विवाह न करने दूँगा। परन्तु वह दुष्ट मुझे कहीं मिले भी तो सही। अब उसे कहाँ खोजूँ ?

(जाता है)

* * *

दृश्य—५

धनीराम का मकान

(रमाकान्त का दौड़ते हुए आना)

रमाकान्त—(धनीराम के दरवाज़े पर पुकारता हुआ) बाबू धनीराम ! अजी बाबू धनीराम ! ज़रा जल्दी आइएगा।

(धनीराम का बाहर आना)

धनीराम—ओहो ! बाबू रमाकान्त ? आ गए ? कहो-कहो, क्या ख़बर है ?

रमाकान्त—क़िला फ़तह हो गया।

धनीराम—सचमुच ?

रमाकान्त—हाँ, साहित्यानन्द ने अपनी लड़की की शादी संसारीनाथ से कर दी।

धनीराम—वाह यदुनाथ ! ग़ज़ब की खोपड़ी रखता है। मैं तो उसके मसख़रेपन को महज़ खेल ही समझता था, मगर उफ़ ओ ! उसके भीतर कितनी गहरी चाल थी, अब जाना। किन-किन तरकीबों से उसने साहित्यानन्द

को यह शादी कर देने के लिए मजबूर किया है कि तारीफ़ नहीं करते बनती।

रमाकान्त—अच्छा तारीफ़ पीछे कीजिएगा। मगर आप तो सब सामान से लैस हैं, जिसके जानने के लिए मैं दौड़ाया गया हूँ। क्योंकि आज पूर्णमासी है। आज साहित्यानन्द तिलोत्तमा के साथ चुपचाप अपनी शादी करने आपके यहाँ आएगा।

धनीराम—अरे! भाई तुम लोगों की मिहनत तो अब पूरी हो गई। अब उसके पीछे क्यों पड़े हो?

रमाकान्त—वाह! वाह! मार्के की बात, जिसके बिना हमारा सारा खेल फ़ीका है, वह तो अभी बाक़ी ही है।

धनीराम—क्या?

रमाकान्त—वही तिलोत्तमा के साथ साहित्यानन्द की शादी। उसके अख़बार निकालने के उद्देश्य की पूर्ति।

धनीराम—अजी चलो भी। भला यह झूठमूठ की शादी किस तरह निबाहोगे?

रमाकान्त—आप बस देखते जाइए। वह लीजिए, बाजे वाले अपनी-अपनी डफली लिए पहुँच भी गए।

(दो-चार बाजे वालों का आना)

बाजे वाले—सरकार लोगों की बढ़ती रहे। अब हुकुम है सरकार, बजाना शुरू करें?

रमाकान्त—हाँ जी।

(बाजे वाले बाजा बजाते हैं। और बनावटी रूप में यदुनाथ तेज़ी से आता है।)

यदुनाथ—हाँ-हाँ, बन्द करो, बाजा बन्द करो। और तुम लोग जाओ।

(बाजा बन्द हो जाता है और बाजे वाले जाते हैं)

रमाकान्त—यह क्या? क्या प्रोग्राम बदल दिया?

यदुनाथ—नहीं जी। अभी-अभी साहित्यानन्द ने ख़त लिख कर मुझे ताकीद की है कि शादी चुपचाप होगी। किसी के कानोंकान ख़बर न हो और न बाजे-गाजे का ही कुछ इन्तज़ाम हो।

धनीराम—यह क्यों?

यदुनाथ—अपनी स्त्री के डर के मारे। वह चाहता है कि उसकी स्त्री को ख़बर न हो और वह शादी कर ले। फिर बाद को देखा जाएगा। तब वह क्या कर सकती है? ख़ाली चाँद ही तो गञ्जी कर सकती है। शादी तो नहीं उलट सकती।

धनीराम—हाँ, ख़्याल तो अच्छा है। चलो इस बेकार की झंझट से अच्छी छुट्टी मिली।

यदुनाथ—मगर उसी के साथ उस कम्बख़्त ने एक बुरी शर्त लगा दी है, जिससे मेरे होश गुम हैं।

धनीराम और रमाकान्त—वह क्या?

यदुनाथ—वह शादी के पहले तिलोत्तमा को देखना चाहता है।

रमाकान्त—यह तो बुरी सुनाई। संसारीनाथ की शादी हो जाने से उसे कुछ इतमीनान सा हो गया है तभी।

धनीराम—अब कहो। अब तो क़लई खुल जाएगी?

यदुनाथ—क्या बताऊँ, अगर मुझे पहले से इसकी ख़बर होती! ख़ैर, फिर भी कोई हर्ज नहीं। जो कुछ जल्दी में कर सका, वही ठीक है।

(दासी का बाहर से आना)

दासी—आप लोग ज़रा हट जाइए। तिलोत्तमा दीदी की डोली आ गई। (पीछे घूम कर) डोली वहीं उतार दो।

यदुनाथ—हम लोग मुँह फेरे खड़े हैं, उन्हें बेखटके भीतर ले जाओ।

(दासी बाहर जाकर एक नवयुवती को साथ लाती है और उसे लिए मकान में जाती है।)

धनीराम—अरे यार! क्या सचमुच तुमने किसी स्त्री का भी इन्तज़ाम किया है। ग़ज़ब करते हो। कहाँ से लाए? कौन है कौन? है तो यार बड़ी ख़ूबसूरत।

यदुनाथ—इसे इस वक़्त बस तिलोत्तमा ही समझ लीजिए। अरे! दूल्हे साहब आ रहे हैं। आप लोग खसकिए, खसकिए!

(धनीराम और रमाकान्त का एक तरफ़ जाना; और दूसरी तरफ़ से साहित्यानन्द का बग़ल में एक गठरी दबाए इधर-उधर आगे-पीछे ताकते हुए आना।)

साहित्यानन्द—ओहो! पहुँच गया, पहुँच गया। सकुशल पहुँच गया। मुझे मार्ग भर यही शङ्का बनी रही कि कहीं वह चण्डालिनी न मेरे पीछे आती हो। इसीलिए मैं अपना विवाह-वस्त्र सब काँख के नीचे दबाए हुए हूँ।

यदुनाथ—आहा! आप हैं। दूल्हाराम। शुभागमन! शुभागमन! शुभ......!

साहित्यानन्द—अभी नहीं, अभी नहीं, तनिक विलम्ब कीजिए। मुझे दूल्हाराम तो बन जाने दीजिए। (बग़ल की गठरी में से जामा-जोड़ा, मौर इत्यादि निकाल कर पहनता है) उसी कलङ्किनी के मारे इसे छिपा कर लाया था। नहीं तो ठाठ-बाट करके धूमधाम के साथ पालकी पर आरूढ़ होकर आता। हाँ, शुभागमन कीजिए, परन्तु पहिले देवी जी को मेरा प्रणाम भेज—उहुँक—प्रस्थान कर दीजिए। क्योंकि देवी का दर्शन करके तब शुभ कार्य आरम्भ करना चाहिए। यह बड़ा आवश्यकीय है।

यदुनाथ—अच्छी बात है।

(यदुनाथ भीतर जाकर लौट आता है और दासी कुर्सियाँ लाकर बाहर रखती है।)

साहित्यानन्द—(अलग) तब तक मैं अपनी सब से उत्तम कविता स्मरण कर लूँ, ताकि जैसे ही वह पदार्पण करें, वैसे ही मैं अपनी योग्यता झाड़ दूँ!

(दासी नवयुवती को साथ लेकर निकलती है।)

यदुनाथ—यही मेरी पुत्री तिलोत्तमा है।

साहित्यानन्द—(अलग) हाय! हाय! यह तो बड़ी ही सुन्दरी है। जैसा गुण है, वैसा ही रूप भी है। उस पर अभी बालिका, निरी बालिका है। ऐसा अपूर्व सौन्दर्य, ऐसा विलक्षण माधुर्य! वाह रे हम! वाह रे हमारा भाग्य!

यदुनाथ—अब तो आप देख चुके? यह यहाँ से जाए न?

साहित्यानन्द—नहीं-नहीं (हाथ जोड़ कर), अभी नहीं। तनिक आप लोग बैठ जाइए। मैं इनका अपनी उच्च कविता से सत्कार तो कर लूँ।

(सब लोग कुर्सियों पर बैठते हैं और दासी तिलोत्तमा के पीछे खड़ी होती है।)

साहित्यानन्द—(तिलोत्तमा को लक्ष्य करके कविता पढ़ता है।)

अवलोकन कर तव मुख प्रवाल।
द्रुतगति मञ्जु-मनोहर मुखरित उद्वेलक तव चाल।
सिहर-सिहर मन उठहि उबाल॥

यदुनाथ—वाह! वाह! मुख के साथ प्रवाल और मन के साथ उबाल! क्या कहना है? कवियों की तो नानी मर गई होंगी।

साहित्यानन्द—जी हाँ, मूँगे के समान मुख बताना अब तक किसी के बाप—उहुँक—पिता को भी नहीं सूझा था। और सौन्दर्य देखते ही मन के लिए उबल उठना देखिए कितना सुन्दर हुआ है।

यदुनाथ—क्यों नहीं, क्यों नहीं! अब तो तिलोत्तमा, तुम्हें भी इसका कुछ उत्तर देना चाहिए।

साहित्यानन्द—अवश्य, अवश्य! परन्तु कविता का उत्तर कविता ही में हो।

तिलोत्तमा—बहुत अच्छा, सुनिए साहित्यनिधान—
कुवलित केशानन्द तुरङ्ग—
उच्चपिडत खल्लोलित बेंचित दौड़ रहे, मन में मेरे
आशा धनुष घटावर वञ्चित
नयन तरल तीखे तेरे
अरे-अरे पगहीन भुजङ्ग॥

यदुनाथ—बलिहारी पुत्री, बलिहारी! कैसा जोड़ का तोड़ कहा है। कहिए साहित्याचार्य जी, है न आप ही की कविता के समान?

साहित्यानन्द—(बौखलाया है) जी हाँ, अपूर्व है—अपूर्व—बिल्कुल मुँहतोड़—उहुँक—सम्पूर्ण मुखभञ्ज उत्तर है।

यदुनाथ—इसके शब्द ही ऐसे हैं। देखिए उच्चपिडत खल्लोलित बेंचित इत्यादि। भला ऐसे अलौकिक शब्द हिन्दी के भण्डार में कहीं मिल सकते हैं?

साहित्यानन्द—कोष में भी नहीं?

यदुनाथ—जी नहीं।

साहित्यानन्द—हाँ? तब तो यह निस्सन्देह सब से उच्च कविता होगी। मैं इसे अपनी पत्रिका के मुख-पृष्ठ ही पर प्रकाशित करूँगा। यह मेरा ही नहीं, सच पूछिए तो हिन्दी का सौभाग्य है, जो इस साहित्य-रमणी का विवाह मेरे साथ होने जा रहा है। आह! योग्यता में दोनों पल्ला बराबर!

यदुनाथ—अब तो आपने इसे देख-भाल कर अपना सब तरह से इतमीनान कर लिया?

साहित्यानन्द—जी हाँ। यह सकल प्रकार से मेरे योग्य है। मेरे ऐसे विद्वानों के लिए ऐसे ही देवियाँ चाहिए, तभी हिन्दी का शीश उच्च हो सकता है।

तिलोत्तमा—परन्तु मैं भी तो देख लूँ कि यह मेरे योग्य हैं या नहीं। पुरुषों की इच्छा तो इच्छा, क्या स्त्रियों की इच्छा इच्छा ही नहीं है।

यदुनाथ—अवश्य है। यह हम लोगों की मूर्खता है, जो हम अपनी स्त्रियों की इच्छाओं का कुछ भी ख़्याल नहीं करते। इसीलिए दिनोंदिन यह देश रसातल को जा रहा है। बेटी, तुम शिक्षिता हो। तुम देश की स्त्रियों में अगुआ बनो, ताकि तुम्हारी बहिनें तुम्हारा अनुकरण करके अपना सङ्कट दूर करें।

तिलोत्तमा—तब तो मैं भी इनकी परीक्षा लेकर अपना सन्देह मिटा लूँगी, तब विवाह करूँगी।

यदुनाथ—अवश्य। कहिए साहित्यानन्द जी, आप तो इसकी परीक्षा ले चुके। अब आप भी इसकी परीक्षा के लिए तैयार हैं?

साहित्यानन्द—हाँ-हाँ, ऐसी मनमोहनी देवी के लिए मैं कुएँ तक में कूद सकता हूँ, परीक्षा की क्या वार्ता है?

तिलोत्तमा—एवमस्तु। अच्छा दासी—(साहित्यानन्द से) क्षमा कीजिएगा, दासी साहित्यिक भाषा समझ नहीं सकती। इस हेतु इससे अपभ्रंश भाषा बोलना पड़ता है—(दासी से) हाँ दासी, इनकी उम्र मुझे कुछ ढली हुई मालूम होती है। इसलिए इन्हें तनिक दौड़ा कर और उठा-बैठा कर देख कि इनमें कुछ शक्ति है या नहीं।

साहित्यानन्द—अरे! यह किस ढङ्ग की परीक्षा है?

दासी—अब आना-कानी न कीजिए। जैसा हुकुम होता है वैसा कीजिए।

(दासी साहित्यानन्द का हाथ पकड़ कर दौड़ाती है और जब वह थक जाता है, तब उठाती-बैठाती है।)

यदुनाथ—(अलग) अब मैं जाकर इसकी स्त्री को ख़बर कर दूँ, तब मज़ा आए।

(चुपके से चल देता है)

साहित्यानन्द—बस-बस-बस। श्वास फूल गया। अरे बस कर।

तिलोत्तमा—अब देख, इनके बाल नक़ली तो नहीं हैं। क्योंकि आजकल बहुत से बुड्ढे नक़ली बाल लगा कर शादी करने के लिए जवान बन जाते हैं।

(दासी साहित्यानन्द की पगड़ी उतार कर उसके बाल नोचती है।)

साहित्यानन्द—अरे! अरे! इतने ज़ोर—उहुँक—बल से नहीं। सकल खोपड़ी चरचरा उठी।

तिलोत्तमा—दाँतों को भी देख ले। शायद पत्थर के बने हों।

दासी—हाँ-हाँ, मुँह न छिपाइए। सामने मुँह कीजिए।

साहित्यानन्द—नहीं-नहीं,मेरे दन्त असली—उहुँक—मूल हैं मूल। शपथपूर्वक कहता—

दासी—मैं मूल-फूल कुछ नहीं समझती। इधर मुँह कीजिए।

(ज़बरदस्ती उसका मुँह सामने करके मुँह पर घूँसा मारती है।)

साहित्यानन्द—अरे! बाप रे बाप! मर गया। भाड़ में गई ऐसी परीक्षा।

तिलोत्तमा—अरे आप तो अभी से घबड़ाने लगे? अच्छा दासी जल्दी कर। हाँ, कपड़े से इनका मुँह भी मल कर देख ले, कहीं पाउडर तो नहीं लगाए हुए हैं।

(दासी एक कपड़ा लेकर, जिसमें छिपी हुई कालिख लगी होती है, साहित्यानन्द के मुँह पर ख़ूब रगड़ती है। इस तरह उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाता है।)

साहित्यानन्द—अरे! धीरे-धीरे मल। हाय! हाय! सम्पूर्ण मुख भन्ना उठा। अरे! बोलो-बोलो, अब तो मैं इस परीक्षा में सफल हुआ?

(ग़ुस्से में सरला का आना और उसके पीछे संसारीनाथ, चपला, यदुनाथ, रमाकान्त, घनीराम का आना।)

तिलोत्तमा—यह लीजिए, आपके इम्तहान का नतीजा सुनाने यह आ गईं।

सरला—आयँ! यह क्या! यह क्या देख रही हूँ? इनके मुँह में कालिख क्यों लगाई जा रही है?

दासी—बुढ़ौती में शादी करने आए हैं, इसलिए।

साहित्यानन्द—क्या? क्या? क्या? मेरे मुँह में कालिख? और यह कौन? हाय! हाय! यह हरामज़ादी यहाँ कैसे पहुँची?

सरला—शादी, कैसी शादी? अरे! यह तो सचमुच शादी के कपड़े भी पहने हुए हैं। और यह (तिलोत्तमा की तरफ़ झपटती हुई) चुड़ैल कौन है। क्या इसीसे यह शादी करने आया है? खड़ी तो रह डाइन, तेरे बालों में आग लगा दूँ।

तिलोत्तमा—अच्छा यह लीजिए। शौक़ से आग लगाइए। (अपने सर से बाल उतार कर फेंकती है। उसके बाद अपने ज़नाने कपड़े उतार कर टेसू की शकल में नज़र आता है।)

सरला—कौन, टेसुआ?

टेसू—जी सरकार!

साहित्यानन्द—हाय! हाय! यह क्या, यह तो मानो सब लोगों ने मिल कर मुझको उल्लू बनाया। यह शादी नहीं, बरबादी हो गई। हाय! बाप रे बाप! मैं लुट गया। कहीं भी मुँह दिखाने लायक़ नहीं रह गया।

(सब लोग साहित्यानन्द को प्रणाम करके हँसते हैं और वह सबको मारने दौड़ता है)

ड्राप

[समाप्त]

* * *

संयुक्त-प्रान्त के अभागे किसानों की दयनीय दशा

श्री० टण्डन जी का विचारपूर्ण वक्तव्य

संयुक्त-प्रान्त की लगान-सम्बन्धी नीति का पूरा अध्ययन करके प्रयाग के सुप्रसिद्ध तपस्वी श्री० पुरुषोत्तमदास जी टण्डन ने जो वक्तव्य प्रकाशित किया है, वह वास्तव में विचारणीय है। यदि परिस्थिति की गम्भीरता पर शीघ्र ही यथोचित ध्यान न दिया गया, तो इसका परिणाम बड़ा भयङ्कर हो सकता है। अपने इस वक्तव्य में टण्डन जी ने किसानों तथा ज़मींदारों की कठिनाइयों और उनके हल करने के साधनों पर भी विचार किया है। आपका कहना है :—

पिछले १० महीनों से खेती की उपज का भाव बहुत गिर रहा है। आजकल जैसा भाव है, वैसा ही १९वीं सदी के पिछले हिस्से में था। युक्त-प्रान्त में लगान प्रधानतया सिक्के के रूप में चुकाया जाता है, यद्यपि कुछ स्थानों में 'बटाई' प्रथा भी चलती है। बटाई-प्रथा में उपज का कुछ हिस्सा देकर लगान चुकाया जाता है। अतः भाव की तेज़ी-मन्दी का प्रभाव ज़मींदार और किसान दोनों पर समान रूप से पड़ता है, तथा भाव की मन्दी के कारण लगान की छूट का प्रश्न भी उपस्थित होता है। पञ्जाब में 'बटाई' प्रथा से ही प्रधानतया किसानों और ज़मींदारों के बीच लगान चुकाया जाता है। इधर युक्त-प्रान्त में यह प्रथा बहुत ही कम स्थानों में प्रचलित है और लगान रुपए में ही चुकाया जाता है।



श्री० पुरुषोत्तमदास जी टण्डन

इसलिए युक्त-प्रान्त में लगान-सम्बन्धी विचार करते समय अनाज के भाव का भी विचार रखना पड़ता है। किसानों से लगान चूस लेने में युक्त-प्रान्त बरसों से प्रसिद्ध रहा है और किसान प्रायः भूखे ही रहते आए हैं। १९२८ में रुपए की विनिमय दर १ शिलिङ्ग ६ पेन्स निश्चित कर सरकार ने उसका मूल्य १२॥) प्रतिशत बढ़ा दिया, जिसके फल-स्वरूप लगान भी १२॥ प्रतिशत बढ़ा दिया गया। तब से अनाज का भाव गिरता ही गया और आज उसका वही भाव है, जो १८८६ या ८७ में था।

भाव की मन्दी के सिवाय १९२७ से किसान बराबर ख़राब फ़सल होने के कारण पीड़ित रहे हैं। इससे परिस्थिति का सामना करने की उनकी शक्ति और भी घट गई और क़र्ज़ बढ़ गया।

१९३० के अक्टूबर में आरम्भ किए हुए करबन्दी आन्दोलन के दो पहलू हैं—(१) राजनीतिक (२) आर्थिक। मूलतः आन्दोलन के आर्थिक पहलू का ही किसानों पर बहुत प्रभाव पड़ा। वे पूरा लगान चुकाने में असमर्थ हो गए थे, उनकी ज़मीन अलाभजनक हो गई थी, अतः करबन्दी आन्दोलन की पुकार सुनते ही उसमें भाग लेना उनके लिए आसान तथा लाभदायक भी हो गया था। विराम-सन्धि के साथ करबन्दी का आन्दोलन बन्द हो गया, पर किसानों की आर्थिक दुरवस्था और भी बढ़ गई।

समझौते की घोषणा के बाद ही लगान और मालगुज़ारी में छूट दिला कर किसानों की अवस्था में सुधार करने के लिए कॉङ्ग्रेस वाले तथा सार्वजनिक कार्यकर्ता सरकार से मिले। सरकार ने कुछ ध्यान न दिया और पूर्ण उदासीनता की नीति बरत रही है। किसान ज़मींदारों को लगान का बहुत छोटा हिस्सा चुका सकते थे, पर ज़मींदारों से बक़ाया वसूली में सरकार कड़ाई से काम ले रही थी। अवध के दो बड़े ताल्लुक़े, कालाकाँकर और भदरी इस बात के उदाहरण हैं। कालाकाँकर के राजा पर ख़रीफ़ की मालगुज़ारी का ६०,०००) बक़ाया था, जिसमें से १० मार्च तक आपने ४० हज़ार रुपया चुका दिया। यह बात प्रसिद्ध है कि लगान-वसूली की कठिनाई के कारण बक़ाया मालगुज़ारी चुकाना सम्भव न था। फिर भी आपकी मक़बूज़ा जायदाद ज़ब्त कर ली गई और सरकार ने राजा साहब का अपमान किया।

'लीडर' में २४ अप्रैल को रायबहादुर श्री० स्वरूपनारायण वकील और कन्नौज के ज़मींदार तथा स्थानीय तहसीलदार के जो पत्र प्रकाशित हुए हैं, उनसे मालूम होता है कि यद्यपि उन्होंने ७५ प्रतिशत ख़रीफ़ की मालगुज़ारी चुका दी थी, तथापि बक़ाया न चुकाने के लिए उनकी मोटर क़ुर्क़ कर ली गई। तहसीलदार को यह बताने पर भी कि सरकार ने घोषणा कर दी है कि ७५ फ़ीसदी मालगुज़ारी चुकाने वाले के साथ सख़्ती न की जाय, तहसीलदार ने ज़ब्त माल लौटाने से इन्कार कर दिया और कलक्टर की आज्ञा का आश्रय लिया। ये कुछ ही उदाहरण हैं, जिनसे पता चलता है कि मालगुज़ारी की वसूली में कितनी कड़ाई की जा रही है। सरकारी माँग पूरी करने के लिए ज़मींदारों को बड़ी रक़में उधार लेनी पड़ीं। साथ ही, किसानों से अधिक से अधिक लगान वसूल करने के लिए वे क़ानूनी और ग़ैर-क़ानूनी सब तरह के उपायों का प्रयोग करने लगे। इस कार्य में उन्हें कहीं-कहीं पुलिस और माल के कर्मचारियों से भी मदद मिली। किसानों को अब अपनी शक्ति का पता लग गया है और वे ज़मींदारों के अत्याचार का विरोध करने खड़े हो गए। यही कारण है कि कई ज़िलों में किसानों और ज़मींदारों के बीच तीक्ष्ण विरोध के लक्षण दिखाई पड़े हैं।

बहुत आनाकानी और विलम्ब के बाद सरकार ने अब स्वीकार किया है कि किसान पूरा लगान नहीं चुका सकते और मई महीने में, उसने छूट की योजना प्रकाशित की है। पर अवस्था-सुधार के लिए यह योजना अपर्याप्त है। उसने ६७ लाख मालगुज़ारी की छूट दी है तथा लगान में २ करोड़ २० लाख की कमी कर दी

है। छूट का अधिकांश रबी के लिए है। ख़रीफ़ की फ़सल के समय भी भाव बहुत मन्दा था, पर उस समय बहुत कम छूट दी गई। भाव की मन्दी और स्थानीय विपत्तियों के कारण पूरे फ़सली साल १३३८ के लिए यह सारी छूट दी गई है। साल भर की पूरी मालगुज़ारी ७ करोड़ है। साल भर के लिए मालगुज़ारी में ६·१ फ़ी सदी और लगान में १२ फ़ी सदी छूट पड़ती है। यह देखते हुए कि भाव पहले की अपेक्षा आधा घट गया और अनेक ज़िलों में फ़सल को बहुत नुक़सान पहुँचा है, यह छूट अत्यन्त अपर्याप्त मालूम होती है।

इस विषय की पिछली विज्ञप्ति में सरकार ने साहस कर यह आशा प्रकट की, कि इस मुआफ़ी के बाद जो कुछ लगान बच रहता है, वह इतना है कि वर्तमान गिरे हुए भाव के रहते भी अपनी उपज में से किसान चुका सकते हैं। हम यह समझने में असमर्थ हैं कि किस बुनियाद पर सरकार ने ऐसी आशा प्रकट की है। खेती की उपज, अनाज का वर्तमान भाव और किसानों की आर्थिक दशा—ये सब ज़बर्दस्त कारण उसका विरोध कर रहे हैं। हमने कुछ ज़िलों के किसानों की आर्थिक अवस्था के सम्बन्ध में आँकड़े जमा किए हैं। वे इस प्रकार हैं :—

ज़िला	औसत	खेती का ख़र्च (लगान सहित)	उपज का मूल	घाटा
इलाहाबाद	१३,०००	१४३)	७३≡)	७२।)
रायबरेली	१६	१३७)	५६॥)	७७।)
सुल्तानपुर	७	७३)	३०)	४३)
उन्नाव	६·७	५८)	३६)	२२)
गोरखपुर	४·७	२४।–)	१२≡)	१२=)
५ ज़िलों का औसत	६·४८	८७)	८७–)	४५।=)

हमें कानपुर के १५१ गाँवों के आँकड़े मिले हैं। इनके कुल खेतों का रक़बा ३७२ बीघा है। कुल उपज की क़ीमत १०१५) था और कुल लगान ११२६) इसमें खेती का ख़र्च शामिल नहीं है। खेती का ख़र्च छोड़ देने पर भी हर गाँव पीछे ११४) का घाटा रहता है।

ये आँकड़े जहाँ-तहाँ से जमा कर लिए गए हैं। हम यह दावा नहीं करते कि इससे भी विस्तृत जाँच करने पर इन आँकड़ों में परिवर्तन न होगा। पर इससे यह अच्छी तरह दीख पड़ता है कि वर्तमान लगान के रहते हुए खेती की उपज से कितना घाटा पड़ता है। इससे यह बात भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि लगान में भारी छूट मिलनी चाहिए, तभी किसानों की अवस्था कुछ सुधर सकती है।

आवश्यक रियायतें

(१) साधारणतया लगान २० करोड़ से घटा कर १० करोड़ कर दिया जाय।

(२) सरकारी मुतालबा ७ करोड़ से ४॥ करोड़ कर दिया जाय।

नोट—छूट की इस दर से ज़मींदार को मालगुज़ारी में दी गई छूट का चौगुना लगान छोड़ देना पड़ेगा, यानी इस समय से उनका लाभ कम हो जायगा।

(३) दख़ीलकार और ग़ैर-दख़ीलकार दोनों तरह के किसानों को छूट दी जाय, दोनों की छूट का परिणाम अलग-अलग हो सकता है। छूट निश्चित नियमों के अनुसार दी जाय और व्यक्तियों का ख़्याल न रख कर कार्य का विचार रक्खा जाय। इस नियम की घोषणा साफ़, तुली हुई भाषा में की जाय, जिसमें घोषणा की शर्तों को सुन कर ही हर किसान जान सकें कि मुझे कितनी छूट मिली है। इस बात पर ध्यान दिया जाय कि छूट पाने वाले व्यक्तियों को चुनने का अधिकार क़ानूनगो को न दिए जायँ। किसानों को सताने और उनसे घूस लेने के अपने रोज़ाना व्यवसाय के लिए उन्हें नया अवसर न दिया जाय।

(४) प्रान्त के किसानों की आर्थिक दशा की तुरन्त जाँच की जाय। जाँच-कमिटी को उनकी अवस्था-सुधार के, उनकी मुख्य शिकायतें दूर करने के और किसानों, ज़मींदारों तथा सरकार के बीच के सम्बन्ध-सुधार के व्यावहारिक उपाय सुझाना चाहिए।

* * *

(३७ वें पृष्ठ का शेषांश)

कच्ची बात अपनी लेखनी-जिह्वा से न निकालें। अन्यथा आपस में रञ्जिश हो जायगी!

बारहवें प्रश्न का उत्तर यह है कि फ़ण्डों का हिसाब-किताब रखना क्लर्कों का काम है। मौलाना क्लर्क नहीं हैं। मौलाना लीडर हैं, लीडर! लीडरों का काम फ़ण्ड इकट्ठा करना और उसे ख़र्च कर देना है। वह हिसाब-किताब रक्खें तो बस हो चुका। उन्हें इतनी फ़ुरसत ही कहाँ है? हाँ, यदि बकाली साहब को कुछ सन्देह हो तो उसका निवारण इस प्रकार किया जा सकता है कि बकाली साहब कोई फ़ण्ड इकट्ठा करके मौलाना को सौंपें और यह कह दें कि इसका हिसाब-किताब मौलाना को देना पड़ेगा। साथ ही एक क़ुर्क भी दें। फिर देखिए, हिसाब-किताब ऐसा आइने की तरह उज्ज्वल रहता है कि बकाली साहब उसमें अपना मुँह देख लें। पिछले फ़ण्डों का हिसाब-किताब माँगना अन्याय है। इतनी पुरानी बातें याद किस मकुए को हैं।

तेरहवें प्रश्न का उत्तर यह है कि मौलाना ने कितना रुपया जमा किया, यह तो याद नहीं। और न उसका अन्दाज़ा ही मिल सकता है; क्योंकि मौलाना के पेट की थाह नहीं। रही मुसलमानों को लाभ पहुँचने की बात, सो जनाब, लाभ तो प्रत्यक्ष है। सब से बड़ा लाभ तो यही पहुँचा कि मुसलमानों में हिन्दुओं से शत्रुता रखने की अक़्ल आ गई। बनारस, आगरा, कानपुर इत्यादि में जो मुसलमानों ने हिन्दुओं की जानो-माल पर हाथ साफ़ किया—यह उसी अक़्ल का एक नन्हा-सा नमूना है। यह लाभ क्या कम हुआ! परन्तु समझता कौन है? समझे तो तब, जब खोपड़ी शरीफ़ा में कुछ अक़्ल हो।

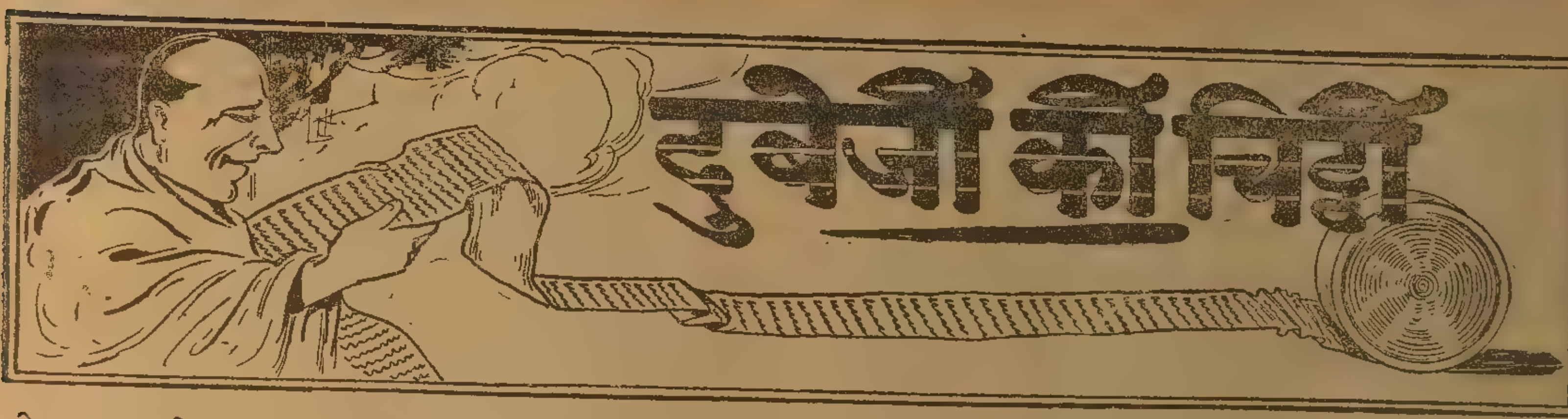
चौदहवें और अन्तिम प्रश्न का उत्तर यह है कि कॉङ्ग्रेस के क्षणिक समझौते के पश्चात् मौलाना की फ़ज़ले हुसेन तथा होम-मेम्बर से कोई ख़ास बातचीत नहीं हुई। ख़ाली कुछ खाना-पीना, हँसी-दिल्लगी और धौल-धप्पा हुआ था। मौलाना को बहुत अफ़सोस होगा, जब कि वह यह जानेंगे कि "बकाली साहब" हर जगह अपनी टाँग अड़ाते फिरते हैं। आख़िर वह होते कौन हैं? उनसे मतलब? न वह क़ाज़ी न मुल्ला! मौलाना की रहस्यपूर्ण बातें सिवाय मुल्लाओं के और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मुल्ला लोग ख़ास अल्लाह मियाँ के प्रतिनिधि हैं। भविष्य में बकाली साहब ऐसे बेतुके प्रश्न न करें और यदि करें तो इस प्रकार खुले रूप से न करें। उन्हें जो कुछ पूछना हो, चुपचाप मौलाना से मिल कर पूछ लिया करें। यदि बकाली साहब का भाग्य अच्छा हुआ और उन्होंने मौलाना की बात मानी, तो बकाली साहब को भी लाभ हो जायगा। इस प्रकार बेतुके प्रश्न करने से उन्हें हानि पहुँचने का भय है। इधर तो हिन्दुस्तान के कुँजड़े, क़साई उनके दुश्मन हो जायँगे और उधर सी० आई० डी० विभाग उन्हें राजविद्रोही अथवा क्रान्तिकारी दल का आदमी समझ कर जेल की हवा खिलाने का आयोजन करने लगेगा।

आशा है "बकाली साहब" अपने राम का यह परामर्श अवश्य मानेंगे।

भवदीय,

—विजयानन्द (दुबे जी)

* * *



अजी सम्पादक जी महाराज,

जय राम जी की !

उर्दू मासिक पत्र 'पेशवा' के सम्पादक बकाली साहब ने मौलाना शौकतअली से जो १४ प्रश्न किए हैं, वे अपने राम की समझ में बड़े ही बेतुके प्रश्न हैं। उनमें कुछ भी सार नहीं है। मौलाना शौकतअली ऐसी बातों का उत्तर इस जीवन में कभी न देंगे। वह केवल उन्हीं बातों का उत्तर दे सकते हैं, जिनमें उन्हें अतिसार की गन्ध आवे, सारहीन बातों का उत्तर वह कभी नहीं दे सकते। हाँ, उनकी ओर से अपने राम सब बातों का उत्तर ताल ठोंक कर दे सकते हैं। सुनिए :—

पहला प्रश्न है—"लन्दन में भारत के विख्यात शत्रु चर्चिल से उनकी क्या बातें हुईं ?" इसका उत्तर यह है कि प्रथम तो चर्चिल साहब भारत के शत्रु नहीं, मित्र हैं। जो उन्हें शत्रु समझता है, वह हिन्दुस्तान में रहने योग्य नहीं है। आज चर्चिल को शत्रु बक दिया, कल मौलाना को भी शत्रु समझ लिया जायगा। अतएव ऐसी बातों का उत्तर कुछ नहीं। व्यर्थ की बातों का उत्तर मौलाना नहीं देते। इसके अतिरिक्त मौलाना से चर्चिल की जो कुछ बात हुई, वह केवल खाने-पीने की बातचीत थी। चर्चिल साहब ने मौलाना से पूछा था कि—"आजकल आप की जीविका कैसे चलती है ?" मौलाना ने इस्लामी शिष्टाचार के नाते मुस्कुरा कर केवल इतना कहा था—"आपकी जूतियों के तुफ़ैल से सुबह से शाम तक दो रोटियाँ मिल ही जाती हैं। इससे अधिक मुझसे खाया भी नहीं जाता—बदहज़्मी हो जाती है।"

प्रश्न नं० २ का उत्तर यह है, कि मौलाना ने मज़दूर-शासन-तन्त्र को उलटने के लिए अनुदार-दल से कोई प्रतिज्ञा नहीं की। मौलाना ऐसे बेवक़ूफ़ नहीं कि ऐसी छोटी-छोटी बातों पर प्रतिज्ञाएँ करते फिरें। इसके अतिरिक्त मज़दूर-शासन-तन्त्र तो, यदि अल्लाह-मियाँ चाहेंगे तो, स्वयं उलट जायगा। मज़दूरों का शासन भी कोई शासन में शासन है। तोबा कीजिए ! मज़दूरों में शासन की लियाक़त उत्पन्न हो जाय तो फिर अल्लाहोताला के प्रतिनिधि अमीर और रईस क्या झख मारने के लिए भू-मण्डल पर तवल्लुद हुए हैं। घोषणाएँ और दौरे करना तो मौलाना की आदत हो गई है। इसलिए बेचारे मजबूर हैं। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में वह और कुछ नहीं जानते।

तीसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि हराम-हलाल तो मौलानाओं के बाएँ हाथ का खेल है। जिसे चाहें क्षण में हराम कर दें और जिसे चाहें हलाल ! पहले फ़ौज की नौकरी इसलिए हराम थी, कि मौलाना लड़ने-भिड़ने के ख़िलाफ़ थे। अब आजकल, जब कि कॉङ्ग्रेस जैसी अहिंसावादी संस्था तक युद्ध के लिए कमर कसे है, तो मौलाना पीछे कैसे रह सकते हैं ? वह भी लड़ने को तैयार हैं। परन्तु उन्हें बिना हथियारों की लड़ाई पसन्द नहीं, इसलिए वह फ़ौज में नौकरी की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार हथियार क़ब्ज़े में आ जाएँगे। फिर देखिए, कैसी घमासान मचती है, कि संसार तमाशा देखने दौड़ा आवे। रही सरकार से सहयोग करने की बात, सो जनाब मौलाना को स्वराज्य लेना है, इसलिए यह चाल चल रहे हैं। बिना सरकार से सहयोग किए स्वराज्य कैसे मिलेगा ? जब स्वराज्य मिल जायगा, तब फिर असहयोग कर देंगे। न कहिएगा सम्पादक जी, कितनी प्यारी "स्कीम" है ?

चौथे प्रश्न का उत्तर यह है कि मौलाना से सरकार की लड़ाई ही कब थी। यह "पेशवा" के सम्पादक को कैसे मालूम हुआ कि सरकार से उनकी कभी लड़ाई भी थी ? शायद उन्होंने इस बात से कि मौलाना कभी-कभी सरकार को धमकी दिया करते थे, यह नतीजा निकाला था कि सरकार से मौलाना की लड़ाई है। अजी जनाब, वह तो केवल प्यार-मुहब्बत की बातें थीं। सर्व-साधारण उन बातों को क्या समझ सकते हैं। वे सब व्यर्थ बातें हैं।

पाँचवें प्रश्न का उत्तर यह है कि मौलाना कभी किसी के द्वार पर भीख माँगने नहीं गए। घर बैठे कोई कुछ दे गया हो तो उसके लिए वह क्या करें ? मौलाना के सम्बन्ध में यह कहना, कि उन्होंने कभी किसी से कुछ माँगा—मौलाना की तौहीन करना है। स्वयं अल्लाह मियाँ तो उन्हें कुछ दे नहीं सकते—ब्रिटिश सरकार या भारत-सरकार की हस्ती ही क्या है। मौलाना माँगने के क़ायल नहीं—छीन लेने के क़ायल हैं। जब तक छीना-झपटी, नोच-खसोट से मिले, तब तक माँगने वाले की ऐसी-तैसी। रही युद्ध-घोषणा की बात, सो मौलाना सदैव लड़ने पर कमर बाँधे घूमते हैं। मगर अफ़सोस है कि आज तक उनकी जोड़ का कोई पहलवान ही नहीं मिला। वैसे सच बात तो यह है कि सब ज़बानी जमा-ख़र्च है, न कोई लड़ाई है, न कोई झगड़ा है, केवल लोगों की समझ का फेर है।

छठे प्रश्न का उत्तर यह है कि मौलाना को फ़िलस्तीन और मिश्र का ख़र्च किसी ने दिया हो। 'पेशवा'-सम्पादक से मतलब ? आख़िर वह होते कौन हैं ? "क़ाज़ी जी दुबले क्यों ? शहर के अन्देशे से।" गोया मौलाना की इतनी हैसियत भी नहीं कि कभी-कभी स्वास्थ्य सुधारने के लिए देश के बाहर जा सकें। यदि प्रत्येक इक्के तथा ठेलेवाला एक-एक रुपया भी दे, तो जनाब मौलाना पृथ्वी-प्रदक्षिणा कर सकते हैं। मिश्र इत्यादि किस गिनती में हैं। रही वहाँ के मुसलमानों की दशा, सो जनाब, वहाँ के मुसलमानों की दशा के सम्बन्ध में कुछ न कहना ही अच्छा है। क्योंकि यदि यह कहा जाय कि वहाँ के मुसलमानों की दशा ख़राब है, तो हिन्दुस्तान के मुसलमानों में जोश पैदा होगा, और यदि यह कहा जाय कि अच्छी है तो ईर्षा उत्पन्न होगी। ये दोनों बातें बुरी हैं। इसलिए इस सम्बन्ध में चुप रहना ही अच्छा है। एक चुप सौ बलाएँ टालती है। हालाँकि मौलाना स्वयम् वह बदसूरत बला हैं कि तमाम ज़माने की बलाएँ उनसे काँपती हैं, परन्तु फिर भी चुप रहना ही ठीक है।

सातवें प्रश्न का उत्तर यह है, कि मुसलमानों ने केवल प्रार्थना ही नहीं की, नाक रगड़ी, एड़ियाँ रगड़ीं, दाँत पीसे, हाथ मले, सिर धुना, पेट पीटा, छाती कूटी, सब कुछ तो किया—क्या नहीं किया; परन्तु मौलाना का हृदय ही नहीं पसीजता। इसका कारण केवल यह है कि मुसलमानों ने केवल अपनी नाक रगड़ी, अपना सिर धुना। मौलाना का क्या बिगड़ा ? हाँ, यदि मुसलमान अपना पेट पीटने के बजाय मौलाना का पेट और पीठ दोनों पीटते, उनका सिर धुनते, तो मौलाना को पता लगता कि मुसलमान क्या चाहते हैं। जब तक बेचारे मौलाना को यह पता न लगे कि मुसलमान चाहते क्या हैं, तब तक वह कर ही क्या सकते हैं ? भविष्य में लोग यह ध्यान रक्खें कि जो बात मौलाना से करवाना चाहें, उसकी ख़बर उन तक पहुँचा दें। ख़बर पहुँचाने का ढङ्ग उन पर बताया जा चुका है। अल्ला-अल्ला, ख़ैर सल्ला !

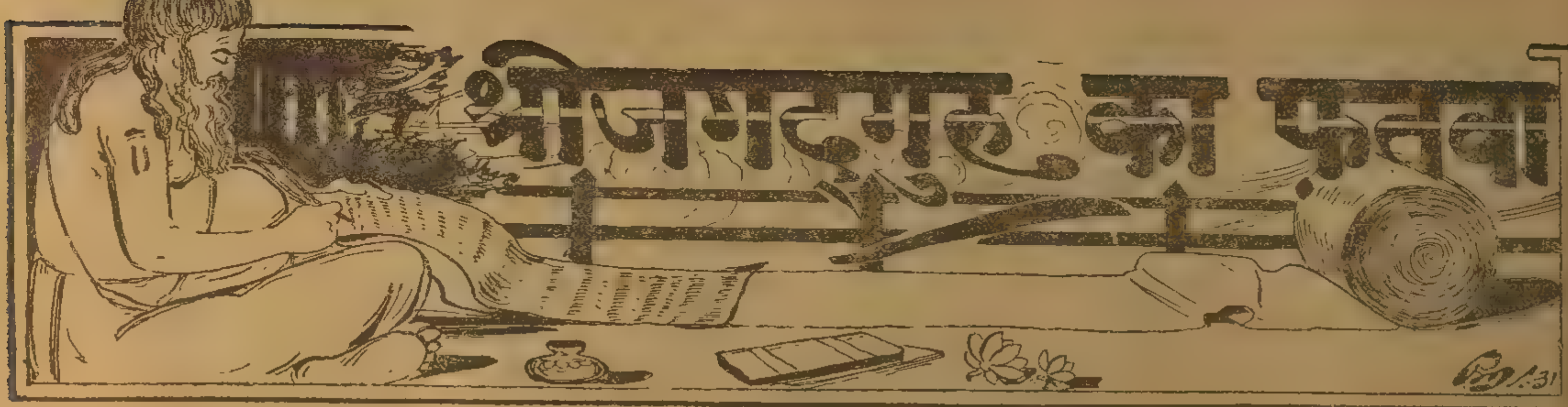
आठवें प्रश्न का उत्तर यह है कि फ़िलस्तीन के मुसलमानों पर कोई अत्याचार ही नहीं हुआ। किसकी मजाल है कि मुसलमानों पर अत्याचार कर सके। जो मुसलमानों पर अत्याचार करेगा, वह अल्लाह मियाँ की दुआ से नेस्तो-नाबूद हो जायगा। और मुसलमान भी इतने कमज़ोर नहीं हैं कि अत्याचारों को सहन कर लें। विशेषतः जब मौलाना उनको दर्शन दे आए हैं। मौलाना को देखते ही उनमें उतना ही तगड़ापन आ गया, जितने तगड़े कि स्वयम् मौलाना हैं। अब भला कोई अत्याचार कर तो ले ! मौलाना के होते हुए मुसलमानों पर अत्याचार क्या मज़ाक़ है ! लोगों में समझ का माद्दा तो रहा ही नहीं, जो मुँह में आया बक दिया।

नवें प्रश्न का उत्तर यह है कि भारत-सरकार पहले अपना पेट तो भर ले, दूसरों को ख़र्च क्या देगी। स्वयम् तो वह क़र्ज़ लेती फिरती है। वह कहावत है कि—"आप मियाँ माँगने और द्वार खड़े दुरवेश !" भारत-सरकार से मौलाना ने कभी कोई रुपया नहीं लिया। और क्यों जनाब, यह दौरा क्या चीज़ है ? मौलाना को तो कभी कोई दौरा आता नहीं। यह माना जा सकता है कि उनके दिमाग़ में कुछ फ़ितूर अवश्य है, परन्तु दौरा-वौरा उन्हें कुछ नहीं आता।

दसवें प्रश्न का उत्तर यह है कि राज-काज की बातें इस प्रकार न पूछी जाती हैं और न इस प्रकार उनका उत्तर दिया जा सकता है। यदि "पेशवा"-सम्पादक को कुछ शको-शुबह हो तो वह मौलाना से मिल कर उसे दूर कर लें। इस प्रकार पत्रों में लिख कर पूछना भलमनसी नहीं है। अरे भई, मनुष्य का पैर कभी-कभी ऊँचे-नीचे पड़ ही जाता है—यह तो स्वाभाविक बात है। परन्तु भले आदमियों का यह धर्म नहीं है कि किसी को इस प्रकार बदनाम करें। बकाली साहब, आपको मौलाना के कद्दू जैसे सिर की क़सम—अब इन बातों को जाने दीजिए। आपसी तू-तू मैं-मैं से क्या लाभ ? तबेले का लतिहाव अच्छा नहीं होता।

ग्यारहवें प्रश्न का उत्तर यह है कि यह संसार असार है। इसमें कोई किसी का साथी नहीं होता, हंस अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। किसी ने क्या ख़ूब कहा है—"जगत का झूठा सब व्यवहार। कोई नहीं किसी का साथी, मतलब के सब यार !" मौलाना न किसी की गोद में गए हैं, न किसी के कन्धे पर सवार हुए हैं। यह सब बकाली साहब की ख़ाम-ख़्याली है। मौलाना को अन्य 'प्यालाचटों' की गोद में जाने की आवश्यकता ! वह स्वयम् क्या किसी "प्यालाचट" से कम हैं ? और लोग तो केवल प्यालाचट ही हैं, मौलाना तो 'देगचट' तथा "सम्पूर्ण सर्विस सेट चट" हैं। उन पर यह दोषारोपण करना कि वह "प्यालाचटों" की गोद में चले गए, उनका अपमान करना है। बकाली साहब, कृपा करके भविष्य में ऐसी

(शेष मैटर ३६वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए



[हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द विरूपाक्ष]

मुक़ाम भाजव, पोस्ट नवलगढ़, ज़िला सीकर (राजपूताना) के श्री० नन्दलाल जी शर्मा ने अख़बारों में यह ख़बर छपवाई है कि सीकर के पास किसी गाँव में एक गाय का बछड़ा है, जो आज छः महीने से प्रत्येक रात्रि को ११ बजे अत्यन्त मधुर ध्वनि से 'राम-नाम' जपा करता है। श्री० शर्मा जी इस वत्सोच्चारित राम-नाम ध्वनि से अपने कर्ण-कुहरों को पवित्र भी कर चुके हैं।

❀

श्रीजगद्गुरु की धारणा है कि ये उपरिप्रशंसित श्रीवत्सराज अवश्य ही पूर्व-जन्म में कोई वैष्णवाचार्य रहे होंगे और किसी प्रकार के बलदायक धर्म-कार्य के कारण विधाता ने अब की बार आपको यह 'सींगपुच्छ-युक्त' योनि प्रदान की है। इस जन्म की सींगें और पूँछ पूर्व-जन्म की उपाधियाँ हैं। हमारी यह भी धारणा है कि यदि शर्मा जी प्रार्थना करें, तो दयालु वत्सराज उन्हें अवश्य ही बता देंगे कि पहले जन्म में आप किस मठ के आचार्य थे।

❀

एक बात और ज़बरदस्ती समझ के अन्दर घुस रही है, और वह यह है, कि जब वत्सराज ने राम-नाम जपना आरम्भ कर दिया है, तो माशाअल्लाह, कुछ दिनों के बाद विधवा-विवाहादि धर्मध्वंसी कार्यों के विरुद्ध व्याख्यान भी झाड़ने लगेंगे। फलतः जब दादा श्रीसनातन धर्म के ऐसे 'सींगदार' मददगार तैयार हो जायँगे, तो फिर—'बाल न बाँका करि सके जो जग बैरी होय।'

❀

चलिए, अच्छा हुआ, बेचारे सनातनियों की दक्षिणा, और भूरि-भोजन की व्यवस्था की क़बाहत से भी जान बची। हलवा, पूरी और क़लाकन्द की बर्फ़ी की जगह अब एक मूठी हरी घास और थोड़ी सी सरसों की खली से ही काम चल जाएगा और बदले में घर पोतने के लिए गोबर मिल जाएगा, सो अलग। अर्थात् 'आम का आम और गुठलियों का भी दाम' वसूल हो जाएगा।

❀

इसलिए हमारी राय है कि सुनामगञ्ज सिलहट के जो बहुत से नमः शूद्र राम-नाम छोड़ कर 'लाइलाह इल्लिल्लाह' जपने की तैयारी कर रहे हैं, उनकी चिन्ता छोड़ दी जाए अर्थात् उन्हें सुन्नत करा लेने दी जाए। और उनकी जगह राम-नाम जपने वाले बैलों को दे दी जाए। इससे हिन्दू-जाति के ह्रास का मसला तो बाआसानी हल हो ही जाएगा, साथ ही सनातन-धर्म भी अचल-अटल हो जाएगा।

❀

बस, अब दिया करें महात्मा गाँधी काश्मीर के नवयुवकों को यह उपदेश कि विधवाओं से विवाह करने का सङ्कल्प कर लो और घोषणा कर दो कि अगर जाति की विधवाओं से विवाह न करने दिया जाएगा, तो कुजाति, अजाति या परजाति की विधवाओं से कर लेंगे। अमाँ, कर कैसे लोगे? कोई हँसी-खेल है क्या? जब चोग़ा-चपकन पहन कर विवाह करने चलोगे, तो छोड़ दिए जायँगे, पीछे से दो-चार राम-नाम जपने वाले सींगदार आचार्य और ऐसा हुरपेटन हुरपेटेंगे, कि छट्ठी का दूध याद आ जाएगा।

❀

कानपुर के दङ्गे के सम्बन्ध में जाँच-कमिटी ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसके सम्बन्ध में नाना मुनियों ने नाना प्रकार का अभिमत प्रकाशित किया है। परन्तु हमारे संयुक्त-प्रान्त की गोरी सभा (यूरोपियन एसोसिएशन) ने जो भावग्राही जनार्दन की भाँति इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण मौलिक-तत्व का आविष्कार किया है, वह माशा-अल्लाह, विशेष रोचक है।

❀

श्रीमती गोरी सभा की सम्मति है, कि कौन्सिलों और एसेम्बली में लोगों को पुलिस के कार्यों की आलोचना करने दी जाती है तथा कभी-कभी पुलिस के कार्यों की जाँच के लिए कमिटियाँ बिठा दी जाती हैं। बस, यही कानपुर के दङ्गे का कारण है! क्यों, क्या समझा आपने? बताइए तो ज़रा ईमानदारी के साथ।

❀

कौन्सिलों में पुलिस के कामों की आलोचना और कभी-कभी उसके कार्यों की जाँच के लिए कमिटियों की नियुक्ति! इतना बड़ा अनर्थ, भला कानपुर की जनता कैसे बरदाश्त कर सकती थी? इसलिए वह आपस में ही लड़ मरी! फलतः कानपुर का दङ्गा वहाँ की जनता का पुलिस के प्रति प्रगाढ़-प्रेम का परिणाम था।

❀

इसलिए भविष्य में पुलिस के कार्यों की आलोचनाएँ करने वालों को सावधान कर देना चाहिए और कमिटियों द्वारा उसके कार्यों की जाँच कराने का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए, वरना सारा भारतवर्ष मथुरा के यदुवंशियों की तरह आपस में ही लड़ कर मर जाएगा।

❀

यही कारण है कि कानपुर की सुशीला पुलिस ने दङ्गा रोकने की कोई चेष्टा न की। कैसे करती? उसी के लिए तो यह सारा काण्ड हो रहा था। ऐसी दशा में दङ्गा रोक कर क्या कृतघ्नता का कलङ्क अपने मत्थे मढ़ लेती? कोई सुनता तो आख़िर क्या कहता?

❀

परन्तु इतने से ही बस न समझ लीजिएगा। क्योंकि उपर्युक्त समीचीन कारण के सिवा इस दङ्गे का एक और भी महा समीचीन कारण था। यानी गत आन्दोलन के समय सखी नौकरशाही ने दुर्बल नीति का अनुसरण कर, आन्दोलनकारियों की खोपड़ियों की मरम्मत करने में थोड़ी-सी कञ्जूसी दिखाई थी, इसलिए कानपुर के हिन्दुओं और मुसलमानों ने स्वयं अपनी खोपड़ियों का सनीचर उतार कर उस घाटे की पूर्ति कर ली।

❀

ख़ैर, देर से सही, परन्तु श्रीमती संयुक्त-प्रान्त की सरकार की समझ में भी यह बात आ गई है और उन्होंने गत आन्दोलन के अवसर पर जो दुर्बलता दिखाई थी, उसका प्रतिकार आरम्भ कर दिया है। सारे संयुक्त-प्रान्त में गिरफ़्तारियों का बाज़ार गर्म है। लक्षणों से मालूम होता है, कि अब की वे अपनी दुर्बलता ही नहीं दूर करेंगी, वरन् लगे हाथ गाँधी-इर्विन समझौते का श्राद्ध भी कर डालेंगी। आख़िर उस बेचारे को भी तो शीघ्रातिशीघ्र स्वर्ग भेजना अत्यावश्यक है।

❀

भई, ये लुधियाना के सेशन्स-जज महोदय तो बड़े ही अरसिक आदमी मालूम होते हैं। आव देखा न ताव, बेचारी पुलिस को ऐन ग्रीष्म में फटकार दिया और वह भी महज़ पञ्जाब के कई नौजवानों को राजद्रोह के झूठे इलज़ाम में फँसाने जैसे मामूली कार्य के लिए! हज़रत की समझ-शरीफ़ में यह भी न आया कि अगर बेचारी पुलिस ऐसा न करे तो सखी नौकरशाही का सारा रङ्ग ही भङ्ग हो जाय।

❀

बात यह थी कि पुलिस के एक चतुर चर ने एक अतीव भयङ्कर गुप्त षड्यन्त्र का दिवा-स्वप्न देखा। चार नौजवान गिरफ़्तार कर लिए गए। परन्तु उनके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिला। अन्त में पुलिस ने उन्हें मैजिस्ट्रेट साहब के पास भेजा। मैजिस्ट्रेट साहब भी चतुर आदमी थे और जजी की ताक में थे, इसलिए उन्होंने अभियुक्तों को सेशन्स सुपुर्द कर दिया। आख़िर इतनी बड़ी बहादुरी हासिल करने का मौक़ा बेचारे कैसे जाने देते?

❀

मगर जनाब, सेशन्स जज ने सारा गुड़ गोबर करके धर दिया। अभियुक्तों को बेदाग़ छोड़ दिया, पुलिस की निन्दा की और इस मामले के लिए सरकार का जो समय, श्रम और अर्थ बरबाद हुआ, उसके लिए दुःख प्रकाश किया। ख़ैर, हमें विश्वास है कि सालाना 'पुलिस-जयन्ती' के अवसर पर लुधियाना पुलिस को स्वर्णपदक आदि से पुरस्कृत कर श्रीमान लाट साहब, सेशन्स जज की इस भूल का सुधार कर डालेंगे।

❀

ख़ैर, पुलिस के सम्बन्ध में अपनी अरसिकता का परिचय देने पर भी सेशन्स-जज ने अभियुक्तों की हैरानी, परेशानी और आर्थिक क्षति के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा और न उनसे कोई सहानुभूति ही दिखाई। क्योंकि दुर्भाग्यवश जब उन्होंने इस अभागे देश में जन्म लिया है, तो उन्हें इतना तो भोगना ही चाहिए। हर्रे लगी न फिटकिरी, महीनों तक आराम से 'सी' क्लास की अधजली रोटियाँ और सात्विक शाक खाने को मिला। रात को जेल के कम्बल पर सुख से लेट कर 'मुफ़्त की गङ्गा में हराम के ग़ोते' लगाने का मौक़ा मिला। हमारी तो राय है कि इन अभियुक्तों से चौअन्नी रोज़ के हिसाब से 'जेल-ख़र्च' वसूल कर लेना चाहिए।

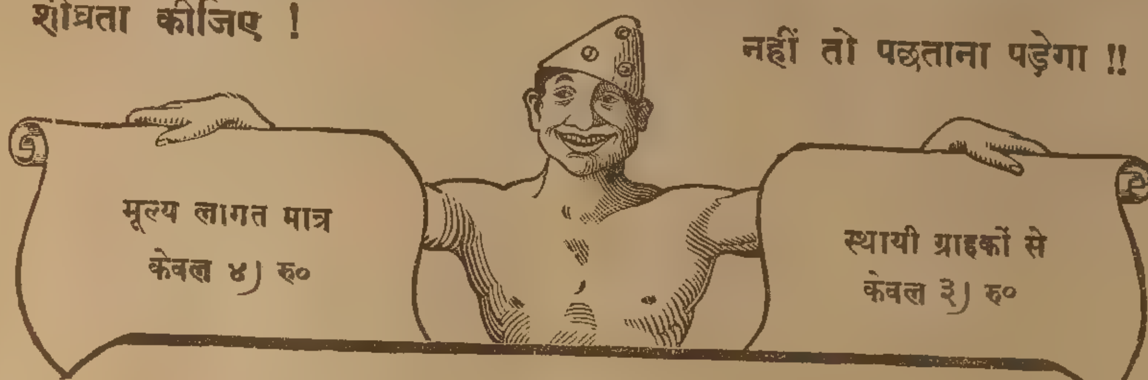
❀

कहावत है कि 'जिसके लिए चोरी की उसी ने कहा चोर!' बेचारे मि० चर्चिल ज़ोर लगा रहे हैं कि हिन्दुस्तान वाले विलायती कपड़े पहनते रहें, ताकि ब्रिटेन की तोंदें सुरक्षित रहें और ब्रिटेन का 'स्टार' नामक पत्र उन्हें कोस रहा है कि ज़बरदस्ती किसी को विलायती कपड़े पहनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्यों जनाब, आख़िर ये भारतवासी हैं किस मर्ज़ की दवा, जो इतना भी न करेंगे?

❀

शीघ्रता कीजिए !

नहीं तो पछताना पड़ेगा !!



व्यङ्ग-चित्रावली

यह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले हैं। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा; मनुष्यता की याद आने लगेगी; और सामाजिक क्रान्ति की भावना प्रबल वेग से हृदय में उमड़ने लगेगी। प्रत्येक सामाजिक कुरीतियों का चित्रों द्वारा नग्न प्रदर्शन किया गया है। बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, छुआछूत, परदा-प्रथा, पण्डे-पुरोहितों तथा साधु-महन्तों के भयङ्कर कारनामे, अन्ध-विश्वास, पाखण्ड तथा आचरण सम्बन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीतियों का सजीव चित्र देखना हो तो इस चित्रावली को अवश्य मँगाइए। एकरङ्गे, दुरङ्गे, तथा तिरङ्गे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर पद्यमय पंक्तियों में उनका भाव तथा परिचय अङ्कित किया गया है। आज तक ऐसी चित्रावली कहीं से प्रकाशित नहीं हुई। मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से ३)

स्मृति-कुञ्ज

नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुखान्त कहानी है। हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय का उद्भव, उसका विकाश और उसकी अविरत आराधना की अनन्त तथा अविच्छिन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुखों की आहुति कर सकता है—ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक और चित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, सुख-दुख, साधन-उत्सर्ग, एवं उच्चतम आराधना का सात्विक चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर दीख पड़ने लगता है। मूल्य केवल ३); स्थायी ग्राहकों से २।)

मूर्खराज

यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी एक बार हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी चिन्ता काफ़ूर हो जायगी। दुनिया के झञ्झटों से जब कभी आपका जी ऊब जाय, इस पुस्तक को उठा कर पढ़िए, मुँह की मुर्दनी दूर हो जायगी, हास्य की अनोखी छटा छा जायगी। पुस्तक को पूरी किए बिना आप कभी न छोड़ेंगे—यह हमारा दावा है। इसमें किशनसिंह नामक एक महामूर्ख व्यक्ति की मूर्खतापूर्ण बातों का संग्रह है। भाषा अत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है। मूल्य केवल २)

अपराधी

सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय के "रिज़रेक्शन" विक्टर ह्यूगो के "लॉ मिज़रेबुल" इबसन के "डॉल्स हाउस" गोस्ट और ब्रियो का "डैमेज़्ड गुड्स" या "मेटरनिटी" के आनन्द का अनुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास की उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर सर्वथा अवलम्बित होती है। उपन्यास नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !!

सच्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, उसकी पारलौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुदृष्टि, सरला का पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, ये सब ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की धारा बह निकलती है। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है। मूल्य केवल लागत मात्र २॥), स्थायी ग्राहकों से १॥।≈)

☞ व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

Registered No. A—2085

विज्ञानम्

इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित, 'विष-विज्ञान', 'उपयोगी चिकित्सा', 'स्त्री-रोग-विज्ञानम्' आदि-आदि अनेक पुस्तकों के रचयिता, स्वर्ण-पदक-प्राप्त प्रोफ़ेसर श्री० धर्मानन्द जी शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य हैं, अतएव पुस्तक की उपयोगिता का अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है। आज भारतीय स्त्रियों में शिशु-पालन सम्बन्धी समुचित ज्ञान न होने के कारण सैकड़ों, हज़ारों और लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रति वर्ष अकाल मृत्यु के कलेवर हो रहे हैं। इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक रोग, उनका उपचार तथा ऐसी सहज घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई हैं, जो बहुत कम ख़र्च में प्राप्त हो सकती हैं। इसे एक बार पढ़ लेने से प्रत्येक माता को उसके समस्त कर्त्तव्य का ज्ञान सहज ही में हो सकता है और वे शिशु-सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ कर, उसका उपचार स्वयं कर सकती हैं। मूल्य केवल २॥) रु०; स्थायी ग्राहकों से १॥।=)

यह वह मालिका नहीं, जिसके फूल मुरझा जायँगे; इसके फूलों की एक-एक पङ्खुरी में सौन्दर्य है, सौरभ है, मधु है, मदिरा है। आपकी आँखें तृप्त हो जायँगी . इस संग्रह की प्रत्येक कहानी करुण-रस की उमड़ती हुई धारा है।

इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता का महत्व, प्रेम की महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सौन्दर्य तथा वासना का नृत्य, मनुष्य के नाना प्रकार के पाप ,उसकी घृणा, क्रोध, द्वेष आदि भावनाओं का सजीव चित्रण। आप देखेंगे कि प्रत्येक कहानी के अन्दर लेखक ने किस सुगमता और सचाई के साथ ऊँचे आदर्शों की प्रतिष्ठा की है। कहानियों की घटनाएँ इतनी स्वाभाविक हैं कि एक बार पढ़ते ही आप उसमें अपने परिचितों को ढूँढ़ने लगेंगे। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, मधुर तथा मुहावरेदार है।

सजिल्द, तिरङ्गे प्रोटेक्टिङ्ग कवर से सुशोभित; मूल्य लागत-मात्र केवल ४) ; स्थायी ग्राहकों से ३)

बैजी को

हास्य-रस की यह अनुपम पुस्तक है। इसके प्रत्येक पृष्ठ में हास्य-धारा प्रवाहित हो रही है ! भिन्न-भिन्न प्रकार के सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों की इसमें ऐसी मार्मिक चुटकी ली गई है कि पुस्तक हाथ में लेने पर आपको छोड़ने की इच्छा नहीं होगी ! सामाजिक ढकोसलों का भण्डाफोड़ ऐसे मनोरञ्जक ढङ्ग से किया गया है कि हँसते-हँसते आपके पेट में बल पड़ जायँगे ; और समाज में क्रान्ति मचाने की इच्छा आपके हृदय में हिलोरें मारने लगेगी। अनेक पत्र-पत्रिकाओं ने इस पुस्तक की मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की है। शीघ्रता कीजिए ! इस समय केवल थोड़ी सी प्रतियाँ और शेष हैं ; अन्यथा दूसरे संस्करण की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ! भाषा अत्यन्त सरल तथा हास्यरसपूर्ण है; छपाई-सफ़ाई अत्यन्त सुन्दर तथा दर्शनीय; सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल लागत-मात्र ३) स्थायी ग्राहकों से २।) मात्र !

देवदास

यह बहुत ही सुन्दर और महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास है। वर्तमान वैवाहिक कुरीतियों के कारण क्या-क्या अनर्थ होते हैं ; लड़के-लड़कियों का जीवन किस प्रकार नष्ट होता है; विविध परिस्थितियों में पड़ने पर मनुष्य के हृदय में किस तरह नाना प्रकार के भाव उदय होते हैं और वह उद्भ्रान्त-सा हो जाता है—इसका जीता-जागता चित्र इस पुस्तक में खींचा गया है। छपाई-सफ़ाई अत्यन्त सुन्दर; भाषा सरल एवं मुहावरेदार है। मूल्य केवल लागत-मात्र २); स्थायी ग्राहकों से १॥)

निर्वासिता

निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से क्षीणकाय भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला उठेगा। अन्नपूर्णा का नैराश्यपूर्ण जीवन-वृत्तान्त पढ़ कर अधिकांश भारतीय महिलाएँ आँसू बहावेंगी। कौशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों की छातियाँ फूल उठेंगी। उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण-प्रधान है। निर्वासिता उपन्यास नहीं, हिन्दू-समाज के वक्षस्थल पर दहकती हुई चिता है, उसके एक-एक स्फुलिङ्ग में जादू का असर है। इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घण्टों विचार करना होगा, भेड़-बकरियों के समान समझी जाने वाली करोड़ों अभागिनी स्त्रियों के प्रति करुणा का स्रोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का झण्डा बुलन्द करना होगा ; यही इस उपन्यास का संक्षिप्त परिचय है। भाषा अत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है। शीघ्रता कीजिए, केवल थोड़ी सी प्रतियाँ शेष हैं, नहीं तो दूसरे संस्करण की राह देखनी पड़ेगी। मूल्य ३) रु०

Printed, Published and Edited by Bhuvneshwar Nath Misra, M. A., at The Fine Art Printing Cottage, 28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad.

Our London Office :
11, Aldwych, W. C. 2

सम्पादक :—
श्री० त्रिवेणीप्रसाद, (जेल में)

स्थानापन्न सम्पादक :—
श्री० भुवनेश्वरनाथ मिश्र

भविष्य

'भविष्य' का चन्दा

वार्षिक चन्दा ... १२) रु०
छः माही चन्दा ... ६॥) रु०
तिमाही चन्दा ... ३॥) रु०
एक प्रति का मूल्य चार आने
Annas Four Per Copy

एक प्रार्थना

वार्षिक चन्दे अथवा फ़ी कॉपी के मूल्य में कुछ भी नुक़ताचीनी करने में पहिले मित्रों को 'भविष्य' में प्रकाशित अलभ्य सामग्री और उसके प्राप्त करने के असाधारण व्यय पर भी दृष्टिपात करना चाहिए।

वर्ष १, खण्ड ४ | इलाहाबाद—बृहस्पतिवार ; २ जुलाई, १९३१ | सं० ४, पूर्ण सं० ४०



स्वर्गीय देशबन्धु श्री० चित्तरञ्जन दास

... तो पछताना पड़ेगा !!



व्यङ्ग-चित्रावली

यह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले हैं। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा ; मनुष्यता की याद आने लगेगी ; और सामाजिक क्रान्ति की भावना प्रबल वेग से हृदय में उमड़ने लगेगी। प्रत्येक सामाजिक कुरीतियों का चित्रों द्वारा नग्न प्रदर्शन किया गया है। बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, छुआछूत, परदा-प्रथा, पण्डे-पुरोहितों तथा साधु-महन्तों के भयङ्कर कारनामे, अन्ध-विश्वास, पाखण्ड तथा आचरण सम्बन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीतियां का सजीव चित्र देखना हो तो इस चित्रावली को अवश्य मँगाइए। एकरङ्गे, दुरङ्गे, तथा तिरङ्गे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर पद्यमय पंक्तियों में उनका भाव तथा परिचय अङ्कित किया गया है। आज तक ऐसी चित्रावली कहीं से प्रकाशित नहीं हुई। मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से ३)

स्मृति कुञ्ज

नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुखान्त कहानी है। हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय का उद्भव; उसका विकाश और उसको अविरत आराधना की अनन्त तथा अविच्छिन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुखों की आहुति कर सकता है—ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक और चित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, सुख-दुख, साधन-उत्सर्ग, एवं उच्चतम आराधना का सात्विक चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर दीख पड़ने लगता है। मूल्य केवल ३) ; स्थायी ग्राहकों से २।)

मनमोदक

यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी एक बार हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी चिन्ता काफ़ूर हो जायगी। दुनिया के झंझटों से जब कभी आपका जी ऊब जाय, इस पुस्तक को उठा कर पढ़िए, मुँह की मुर्दनी दूर हो जायगी, हास्य की अनोखी छटा छा जायगी। पुस्तक को पूरी किए बिना आप कभी न छोड़ेंगे—यह हमारा दावा है। इसमें किशनसिंह नामक एक महामूर्ख व्यक्ति की मूर्खतापूर्ण बातों का संग्रह है। भाषा अत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है। मूल्य केवल २)

अपराधी

सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय के "रिज़रेक्शन" विक्टर ह्यूगो के "लॉ मिज़रेबुल" इबसन के "डॉल्स हाउस" गोस्ट और ब्रियो का "डैमेज़्ड गुड्स" या "मेटरनिटी" के आनन्द का अनुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास की उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर सर्वथा अवलम्बित होती है। उपन्यास नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !!

सच्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, उसकी पारलौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुदृष्टि, सरला का पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, ये सब ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की धारा बह निकलती है। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है। मूल्य केवल लागत मात्र २॥), स्थायी ग्राहकों से १॥।=)

☞ [illegible]

इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और दूरदर्शी पाठक-पाठिकाओं से आशा की जाती है कि यथाशक्ति 'भविष्य' तथा 'चाँद' और विद्याविनोद-ग्रन्थमाला का प्रचार कर, वे संस्था को और भी अधिक सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !!

भविष्य

पाठकों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, वे एकमात्र भारतीय परिवारों एवं व्यक्तिगत मङ्गल-कामना को दृष्टि में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !!

वर्ष १, खण्ड ४ | इलाहाबाद—वृहस्पतिवार ; २ जुलाई १९३१ | संख्या ४, पूर्ण संख्या ४०

क्या नेहरू जी तथा राष्ट्रपति पटेल भी गिरफ़्तार होंगे ??

भारतव्यापी रेलवे-हड़ताल का विराट आयोजन तथा 'अल्टीमेटम'

आगरा तथा बाँदा ज़िले के किसानों पर गोलियों की वर्षा

ज़मींदारों तथा ताल्लुक़ेदारों को पं० जवाहरलाल नेहरू की चेतावनी !

"पायोनियर" का शिमला-स्थित विशेष प्रतिनिधि का कहना है कि तनख़्वाह की काट-छाँट के कारण अखिल भारतीय रेलवे के कर्मचारी सङ्घ ने एक बैठक कर यह तय कर लिया है कि इसके विषय में शीघ्र कुछ सुधार हो, अन्यथा १ली अगस्त को हिन्दुस्तान भर में हड़ताल की जाय। रेलवे बोर्ड को इस आशय की एक चुनौती भी दी गई। अधिकारी बहुत चिन्तित हैं। ट्रेड यूनियन के सदस्य यह चाहते हैं कि कर्मचारी बर्ख़ास्त न किए जायँ। सभी रेलवे के एजेण्टों को शीघ्र ही शिमला बुलाया गया है। ख़तरा केवल रेलवे पर ही नहीं है, अपितु स्वभावतः सारे सफ़र एवं चीज़ों के आने-जाने पर इसका भयानक असर पड़ेगा और साधारणतः मज़दूरों पर तो इसका असर पड़ेगा ही, इस कतर-ब्योंत की नीति से संसार की आर्थिक स्थिति को भी बड़ा धक्का लगेगा।

स्थानीय "पायोनियर" के शिमला-स्थित विशेष प्रतिनिधि का ताज़ा तार है "पण्डित जवाहरलाल नेहरू के कार्यों से यहाँ क्षोभ फैला हुआ है, क्योंकि वे तथा सरदार पटेल ऐसे आग लगाने वाली तथा भड़काने वाली बातें अपने भाषणों में कह रहे हैं, जिनके कारण गाँधी-इर्विन समझौते के पूर्व वे सहज ही गिरफ़्तार हो गए होते। विश्वस्त स्थलों में इस बात की ख़बर है कि सरदार पटेल और पं० जवाहरलाल नेहरू पर शीघ्र ही नोटिस जारी की जायगी, जिसकी अवहेलना करने पर वे तुरन्त गिरफ़्तार कर लिए जाएँगे।

"यहाँ लोगों का ख़्याल है और बहुत ज़ोरों की अफ़वाह है कि महात्मा गाँधी को इस बात की सूचना दी गई है कि ऐसे कृत्यों से गाँधी-इर्विन समझौते को धक्का पहुँचता है और ख़ाँ अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ की भड़काने वाली बातों का भी भयानक असर पड़ता है—परन्तु इसके साथ ही साथ यहाँ यह भावना भी काम कर रही है कि यदि अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में कोई कारंवाई शुरू की, तो काँङ्ग्रेस शीघ्र इस बात का आन्दोलन करने लगेगी कि अधिकारियों ने सन्धि की शर्तें भङ्ग कर दीं और सत्याग्रह संग्राम बड़े ज़ोर-शोर से फिर शुरू हो जायगा।"

—लाहौर का ३०वीं जून का समाचार है कि राष्ट्रीयता का प्रबल समर्थक और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के हमारे सहयोगी "पीपुल" के यशस्वी सम्पादक श्री० फ़िरोज़चन्द जी "विदेश-सम्बन्ध ऑर्डिनेन्स" के ख़िलाफ़ एक लेख छापने के अपराध में गिरफ़्तार कर लिए गए और 'पीपुल'-आफ़िस की तलाशी भी ली गई। बाद का समाचार है कि वे दो हज़ार रुपए की ज़मानत पर छोड़े गए हैं।

—बाँदा का २५वीं जून का समाचार है कि राजपुर थाने के रूपावली ग्राम में कुछ दिन पूर्व एक ग्रामीण को गिरफ़्तार करने के लिए एक सब-इन्स्पेक्टर आए, परन्तु अपने कार्य में बाधा उपस्थित होते देख उन्होंने फ़ायर कर दिया। फल-स्वरूप एक ग्रामीण मरा और कई घायल हुए। घटना के कारण का विस्तृत पता अभी तक नहीं लगा है।

—श्री० जितेन्द्रनाथ सान्याल तथा 'चाँद' और 'भविष्य' के सम्पादक श्री० त्रिवेणी प्रसाद जी पर जो 'सरदार भगतसिंह' नामक अङ्गरेज़ी पुस्तक छापने तथा प्रकाशित करने के कारण दफ़ा १२४-ए के अनुसार केस चल रहा है, उसकी पेशी १ली जुलाई को हुई। श्री० अखिलनाथ सान्याल बार-एट-लॉ तथा श्री० जी० सी० मुकर्जी एडवोकेट ने इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र पेश किया, कि चूँकि अभी बहुत से काग़ज़ात तथा प्रमाण संग्रह करने हैं, इसलिए थोड़ी और मोहलत मिलनी चाहिए। उन्होंने महात्मा गाँधी, पं० मदनमोहन मालवीय, सहयोगी 'पीपुल' तथा 'हिन्दोस्तान टाइम्स' के सम्पादक (क्रमशः) लाला फ़िरोज़चन्द तथा श्री० जे० एन० साहनी आदि कई गवाहों को तलब करने की प्रार्थना भी की थी, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अस्वीकार कर दी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कहना है, कि यदि इलाहाबाद के चन्द गवाह वे पेश करना चाहें, तो कर सकते हैं। शेष काग़ज़ात दाख़िल करने के लिए ६ जुलाई मुक़र्रर हुई है और बहस के लिए ११ जुलाई। अदालत में ख़ुफ़िया पुलिस के कई अफ़सर भी उपस्थित थे।

—नागपुर का गत ३०वीं जून का समाचार है, कि बेतूल के मैजिस्ट्रेट ने नागपुर प्रान्तीय काँङ्ग्रेस कमिटी के मन्त्री श्री० धर्माधिकारी को १२४-ए दफ़ा में राजविद्रोह का अभियोग लगा कर गिरफ़्तार कर लिया है। कहा जाता है कि श्री० धर्माधिकारी की गिरफ़्तारी का कारण बेतूल-कॉन्फ़्रेन्स में दी हुई उनकी वक्तृता है।

—रायबरेली से लौटते हुए लखनऊ में २६वीं जून को पण्डित जवाहरलाल जी ने लखनऊ के 'अमीनुद्दौला पार्क' में किसानों की एक विराट सभा में भाषण देते हुए कहा, कि हमारे पिछले युद्ध से भारतवर्ष का ही नहीं, वरन् सारे संसार का नक़्शा बदल गया है, पहले की भाँति विदेशी हमें ग़ुलाम और पददलित नहीं समझते और अब वे भारतीय स्थिति का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन कर रहे हैं।

किसानों की करुण एवं दयनीय दशा का ज़िक्र करते हुए, पण्डित जी ने ताल्लुक़ेदारों को चेतावनी दी, कि "या तो उन्हें (ताल्लुक़ेदारों को) निकट-भविष्य में हिन्दुस्तान छोड़ देना चाहिए, नहीं तो राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के सामने अपने अपराधों को स्वीकार करते हुए दण्ड भुगतने के लिए तय्यार रहना चाहिए।"

—आगरा के गढ़ी साहगा के दङ्गे के सम्बन्ध के नए समाचारों से पता चलता है, कि लगान न देने के कारण २७वीं मई को कई क़ुर्क़-अमीन गाँव में लगान वसूल करने गए और साथ ही साथ ज़ब्ती का वारण्ट भी लेते गए और ग्रामीणों की ढोरें, ऊँट और अन्य जायदाद ज़ब्त कर लिए गए। कहा जाता है, गाँव वालों ने भाला तथा बर्छी आदि ले-लेकर उन पर आक्रमण किया; इस पर ज़मींदार के आदमियों ने पुलिस की सहायता से गोलियाँ चलाईं, जिसके फल-स्वरूप तीन किसान गोलियों के शिकार होकर तथा एक लाठी से आहत होकर इस असार संसार से चल बसा !

—बम्बई का २९वीं जून का समाचार है, कि कई महीनों के बाद बम्बई में ३०० व्यक्तियों ने बम्बई प्रान्तीय काँङ्ग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री० के० एफ़० नॉरीमैन के संरक्षण में मादक द्रव्यों की दूकानों पर धरना प्रारम्भ कर दिया है। २री जुलाई को कवासजी जहाँगीर-हॉल में ताड़ी की दूकानों की नीलामी होने वाली है, जिसके लिए पाँच सौ देश-सेविकाएँ तैयार रक्खी गई हैं। काँङ्ग्रेस कमिटी ने एक विज्ञप्ति निकाल कर इस बात की घोषणा की है, कि दिल्ली के समझौते के अनुसार पिकेटिङ्ग सर्वथा शान्तिपूर्ण होगी। शहर की कुल १२७ ताड़ी की दूकानों पर इस प्रभावशाली धरना के कारण बड़ी सनसनी फैल रही है।



—बनारस का २४वीं जून का समाचार है, कि बाबू दुर्गाप्रसाद खत्री, जो स्थानीय कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ता हैं, की दूकान और घर की तलाशी ली गई और पुलिस उनके घर से "रक्त-मण्डल" नामक पुस्तक की कई प्रतियाँ उठा ले गई।

—मज़दूरी घट जाने के कारण 'बनारस कॉटन मिल' के ३०० मज़दूरों ने हड़ताल कर दी है।

—अमृतसर की ख़बर है, कि स्थानीय उर्दू साप्ताहिक "मज़दूर-किसान" के सम्बन्ध में "नवजवान भारत-सभा" 'कीर्ति'-ऑफ़िस, ओङ्कार-प्रेस तथा इन प्रेसों के मैनेजर आदि के निवास-स्थानों की तलाशी ली गई "मज़दूर-किसान" एक साम्यवादी पत्र है और अभी हाल ही में अमृतसर से निकलने लगा है।

—गुजरात कॉलेज के प्रिन्सिपल ने कुछ छात्रों की भर्त्ती अपने कॉलेज में इसलिए अस्वीकार कर दी है, कि उन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लिया था। विद्यार्थी इस सम्बन्ध में प्रिन्सिपल से फिर मिले थे, परन्तु प्रिन्सिपल ने उनके कार्य को मूर्खतापूर्ण बताते हुए, उन्हें लेने से इन्कार कर दिया। छात्रों ने महात्मा जी के पास इस शिकायत का तार भेजा है।

—लखनऊ का समाचार है, कि बाराबङ्की में भी दफ़ा १४४ लगा दी गई है और जगह-जगह पर पुलिस-कॉन्स्टेबिल तैनात कर दिए गए हैं।

—मद्रास का १९वीं जून का समाचार है, कि कुम्बकोनम में ६-७ स्वयंसेवक मादक द्रव्यों की दुकान पर पिकेटिङ्ग कर रहे थे कि २०-३० गुण्डों ने आकर उन पर हमला किया और जबरन उन्हें गाड़ी में बिठा कर कई जगहों पर छोड़ आए। कुम्भकोनम में वे फिर चिकित्सा के लिए लाए गए हैं।

श्री० निम्बकर क्या फिर गिरफ़्तार होंगे ?

ख़बर है कि मेरठ षड्यन्त्र केस के अभियुक्त श्री० निम्बकर पर, जो ज़मानत पर छूट कर आए थे, सरकार की ओर से नोटिस दिया गया है कि मि० निम्बकर बतावें, कि वे पुनः क्यों न गिरफ़्तार कर लिए जायँ ?

कहा जाता है कि निम्बकर महोदय की ज़मानत इस शर्त पर मञ्जूर हुई थी, कि फ़ैसले तक किसी भी राजनीतिक कार्य में भाग न लेंगे, परन्तु इसके विरुद्ध उनका बम्बई में दो बार कार्यकर्त्ताओं में भाषण देने की बात कही जाती है।

—इलाहाबाद कॉङ्ग्रेस कमिटी शीघ्र ही विदेशी वस्त्रों की दूकानों पर धरना शुरू करने वाली है और विदेशी वस्त्र-व्यवसाइयों से उसने प्रार्थना की है कि वे अपने कपड़ों पर शीघ्र ही कॉङ्ग्रेस की सील-मुहर लगवा लें।

—बम्बई कॉङ्ग्रेस कमिटी के अध्यक्ष ने यह घोषणा निकाली है, कि बम्बई में शीघ्र ही मादक-द्रव्यों की दूकानों पर धरना जारी कर दिया जायगा। वहाँ निकट भविष्य में ही ताड़ी की दूकानों की नीलामी होने वाली है।

—अमृतसर का समाचार है, कि भाई लाभसिंह पर राजविद्रोह का अभियोग लगा कर दफ़ा १२४-ए में उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनका जुर्म राजविद्रोहात्मक व्याख्यान देना बतलाया जाता है।

—ख़बर है कि अमृतसर के मैजिस्ट्रेट ने एक प्रधान अकाली कॉङ्ग्रेस नेता सरदार दरशनसिंह के नाम इस आशय की एक नोटिस जारी की है, कि सरदार साहब सबूत पेश करें कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी के १०८वीं धारा के अनुसार वे क्यों न गिरफ़्तार कर लिए जायँ—अब वे इधर-उधर व्याख्यान देकर राजविद्रोह का प्रचार करते रहे हैं ?

—मेरठ का समाचार है कि ज़मींदारों ने एक विराट सभा कर किसानों की अत्यन्त दयनीय दशा पर विचार किया और सर्व-सम्मति से यह प्रस्ताव पास हुआ कि ज़मींदार यथाशक्ति लगान में छूट दें, ताकि किसान अपनी आर्थिक स्थिति का सुधार करने में समर्थ हो सकें।

—संयुक्त प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी ने चार सब-कमिटियाँ नियुक्त कर प्रान्त के किसानों की दयनीय दशा की जाँच की व्यवस्था की है।

कानपुर में लाल पर्चे बाँटे गए

कानपुर का २४वीं जून का समाचार है, कि वहाँ लाल पर्चे, जिसमें ख़ुफ़िया पुलिस के अफ़सरों तथा कॉङ्ग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं की जानें ले लेने की धमकी दी गई है, बाँटते समय कुछ लड़के गिरफ़्तार हुए और कई घरों की तलाशियाँ भी ली गईं। श्री० जोग तथा वीरभद्र तिवारी की हत्याओं की धमकी विशेष रूप से दी गई है।

—कानपुर के ख्यातनामा यशस्वी कलक्टर मि० सेल छुट्टी लेकर (!) 'आबोहवा' बदलने के लिए २६ जून को रवाना हो गए, उनकी जगह पर कैप्टन इगोटसन नियुक्त किए गए हैं।

—नवाखाली (बङ्गाल) का समाचार है, कि बिशनसिंह नामक का एक नैपाली नौजवान पर 'मैज्दी' स्टेशन मास्टर को सन्देह हुआ और तलाशी लेने पर उसके पास दो भयानक राइफ़लें और कुछ कारतूस बरामद हुए! बिशनसिंह आर्म्स ऐक्ट की १९वीं धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिया गया है।

—पेशावर का २४वीं जून का समाचार है कि 'तेखल' के नवाब के भतीजे श्री० अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ कुछ लाल-कुर्ती वाले नेताओं के साथ इस कारण गिरफ़्तार कर लिए गए हैं, कि उन्होंने एक ग़ैर-क़ानूनी संस्था बना कर पुलिस को, जब वह कुछ व्यक्तियों को गिरफ़्तार करने गई थी, उसकी कार्यवाही में बाधा डाल रहे थे।

दादा की दूकान पर पोते का धरना !

दादा के मुक्के खाकर भी पोता डटा ही रहा !

डेराइस्माईल ख़ाँ का २४वीं जून का समाचार है कि एक विदेशी कपड़े की दूकान पर कुछ स्वयंसेवक पिकेटिङ्ग कर रहे थे, जिनमें दूकानदार का एक पौत्र भी था। दूकानदार इस बात से सख़्त नाराज़ हुआ। उसने पोते की पीठ पर कई मुक्के जमा दिए, परन्तु पोता अपनी ड्यूटी पर डटा ही रहा। जब उसकी ड्यूटी बदली तो स्वयंसेवकों ने उसे फूलों की माला पहनाई और बड़ी धूमधाम से उसका जुलूस निकाला। परिणाम यह हुआ कि लड़के के दादा जी ने विदेशी कपड़ों पर कॉङ्ग्रेस की मुहर लगवा ली।

म० गाँधी की लन्दन-यात्रा रोकने के लिए पेन्शनर फ़ौजियों का जत्था

लन्दन न जाइए, हम यहीं सब कुछ प्राप्त कर सकेंगे !

भूतपूर्व रिसालदार की खुली चिट्ठी

रिसालदार अनूपसिंह पञ्जाब के एक फ़ौजी पेन्शन-याफ़्ता हैं। इन्होंने महात्मा गाँधी की सेवा में एक 'आख़िरी फ़रियाद' शीर्षक खुली चिट्ठी भेजी है। उसमें लिखा है कि—"सेवक पचीस-तीस हज़ार 'रिटायर्ड' सिपाहियों का नेता होने की हैसियत से बड़ी विनम्रता से आपकी सेवा में निवेदन करता है कि वर्तमान समय में भी हम सिपाहियों के साथ कोई रियायत नहीं की गई है। लोग बड़े कष्ट में हैं। लाखों रुपए का नुक़सान सिपाही के लिए कोई साधारण बात नहीं है, जिसका विवरण शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा। सेवक एक फ़ौजी जत्थे के साथ आपकी सेवा में पहुँचेगा ताकि आपको इङ्गलैण्ड जाने से रोका जाए। क्योंकि मेरी धारणा है कि अगर हममें सङ्गठन है तो भारत में ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लन्दन जाने में कोई लाभ नहीं है, इसलिए ज़रूरत भी नहीं।—अनूपसिंह।"

लाहौर के मेकलेगन कॉलेज पर मुसलमानों का धरना

लाहौर का २३ वीं जून का समाचार है कि अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार मुसलमानों ने लाहौर के मेकलेगन इञ्जिनियरिङ्ग कॉलेज के सामने ज़बरदस्त पिकेटिङ्ग आरम्भ कर दी। गत २३ जून की रात के दो बजे से ही पिकेटरों ने कॉलेज को घेर लिया। इसके सम्बन्ध में पहले से ही काफ़ी तैयारियाँ कर ली गई थीं। कुछ मुसलमान नेताओं ने कोशिश की थी कि पिकेटिङ्ग का विचार छोड़ दिया जाय, परन्तु कोई परिणाम नहीं हुआ, पिकेटिङ्ग आरम्भ होकर ही रही। स्वयंसेवकों ने कॉलेज के पास सड़क पर खड़े होकर गाना और 'अल्लाहो अकबर' के नारे लगाना आरम्भ कर दिया। रात के दो बजे अकस्मात यह गगन-भेदी स्वर सुन कर कॉलेज के लड़के बहुत घबराए। क्योंकि जो लोग शोर कर रहे थे, उनके ढङ्ग अच्छे नहीं थे। परन्तु थोड़ी देर के बाद ही पुलिस भी पहुँच गई और स्वयंसेवकों को कॉलेज के हाते से बाहर निकाल दिया। इसलिए सवेरे ६ बजे तक ये लोग कॉलेज के बाहर शोर गुल करते रहे।

धरना या धींगा मस्ती

कॉलेज के विद्यार्थियों की परीक्षा होने वाली थी। सवेरा होते ही विद्यार्थी कॉलेज के दरवाज़े पर पहुँचे। परन्तु देखा कि पिकेटरों का दल रास्ता रोके हुए खड़ा है। इनके पिकेटिङ्ग का ढङ्ग बिल्कुल निराला था। ये कॉलेज में जाने की चेष्टा करने वाले को बलपूर्वक पकड़ कर रोक लेते थे, हाथ जोड़ कर चिरौरी करने के बदले उन्हें मुक्के दिखाया जाता था। इतने पर भी अगर कोई आगे बढ़ता तो पिकेटर उसके आगे लेट जाते और उसकी टाँगों से चिमट जाते थे। यहाँ तक नौबत पहुँच जाती थी कि राहगीरों का चलना मुश्किल हो जाता था। इस

धींगा-मुश्ती के कारण मि० सत्यपाल नाम के एक छात्र की बड़ी दुर्गत हुई। एक छात्र बेचारा साइकिल पर से गिरा दिया गया।

पिकेटिङ्ग का दृश्य

पिकेटिङ्ग करने वाले स्वयंसेवक कॉलेज के हाल के चारों ओर खड़े थे और छः-सात सौ तमाशाई मुसलमान कॉलेज के फाटक पर खड़े थे, जिनके हाथों में कई झण्डे थे, जिन पर लिखा था, 'केप्टन वेटकर को निकाल दो।'

परीक्षा स्थगित

परीक्षा के स्थगित होने की सूचना कॉलेज के फाटक पर टाँग दी गई थी। परन्तु पिकेटर-दल किसी छात्र को उस सूचना-पत्र के पास फटकने ही न देता था। परन्तु जब कोई छात्र उसे पढ़ने के लिए चिरौरी करता था, तो वह बड़ी सावधानी से क़ैदी की तरह पहुँचाया जाता था और अन्त में फिर उसी तरह कड़े पहरे में बाहर निकाल दिया जाता था। जब देखा गया कि नोटिस किसी छात्र को पढ़ने नहीं दिया जाता, तो सिटी मैजिस्ट्रेट की आज्ञा से एक बोर्ड फाटक से दूर सड़क पर लटका दिया गया।

पुलिस की चुप्पी

एक ओर तो यह हालत थी कि बेचारे निर्दोष विद्यार्थी पिकेटरों द्वारा परेशान किए जाते थे, और दूसरी ओर पुलिस के हथियारबन्द जवान लाठियाँ टेके खड़े तमाशा देख रहे थे। नुमाइश के लिए दो लॉरियाँ, जिनमें हथकड़ियाँ और बन्दूक़ें थीं, लाकर खड़ी कर दी गई थीं। मैजिस्ट्रेट और सुपरिण्टेण्डेण्ट भी खड़े थे। यहाँ तक कि अन्त में पिकेटरों ने कॉलेज के हाते के अन्दर घुस कर प्रोफ़ेसरों के निवास-स्थानों पर धरना प्रारम्भ कर दिया, परन्तु अधिकारीवर्ग चुपचाप खड़ा था। अन्त में जब स्वयंसेवकों की ज़्यादती ज़रूरत से बढ़ गई, तो हाते के अन्दर से हटाए गए। अभी तक पिकेटिङ्ग जारी है।

—लाहौर की २६वीं जून की ख़बर है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० अब्दुल मजीद ने इस मुक़दमे का फ़ैसला सुना था, जिसमें 'अर्थल' नामक अख़बार के सम्पादक मि० फ़तहसिंह बाग़ी और उसके मालिक मि० बिहारीलाल गिरफ़्तार थे। 'अर्थल' में सरदार भगतसिंह की फाँसी के बाद कुछ ऐसे लेख प्रकाशित हुए थे, जो आपत्तिजनक समझे गए थे। मैजिस्ट्रेट ने मि० बिहारीलाल को छोड़ दिया और मि० बाग़ी को चार साल की क़ैद और चार सौ रुपए जुर्माने की सज़ा दी।

—बनारस का २६वीं जून का समाचार है, कि सहयोगी "आज" के सम्पादक श्री० बाबूराव विष्णु पराड़कर, जिन पर राजविद्रोह का अभियोग लगाया गया है, ज़मानत पर छूटे हैं।

—बनारस का समाचार है, कि विगत २६वीं जून को संयुक्त-प्रान्त के प्रसिद्ध कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ता बाबा राघवदास के "आज" में बर्मा-सम्बन्धी लेखों के सम्बन्ध में दस गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। बाबा राघवदास भी अभी बर्मा से भ्रमण कर लौटे हैं।

समझौते का भङ्ग

बोरसद का २६वीं जून का समाचार है कि आनन्द ताल्लुक़ा 'गना' ग्राम में पुलिस दल के साथ जाकर कुछ देनदार किसानों की चार भैंसें और घर की अन्य चीज़ें उठा लाई। आनन्द ताल्लुक़ा के कॉङ्ग्रेस-कमिटी के मन्त्री ने विज्ञापन बँटवा कर यह घोषित कर दिया है कि कोई इन ज़ब्त-शुदा चीज़ों की नीलामी न ले।

महात्मा जी ने इसके विरुद्ध वहाँ के कलक्टर को लिखा है कि यह देहली समझौते का सरासर भङ्ग करना है। महात्मा जी स्वयं वहाँ जाने वाले हैं।

—गन्तूर का २७वीं जून का समाचार है कि मि० प्रकाशन की अध्यक्षता में आन्ध्र-प्रान्तीय राजनीतिक परिषद बड़े समारोह के साथ समाप्त हो गई।

शासन का सूत्र भारतीयों के हाथ आ जावे

लन्दन में भारतीय राष्ट्र-परिषद के अध्यक्ष की हैसियत से व्याख्यान देते हुए एसेम्बली के भूतपूर्व प्रेज़िडेण्ट श्री० पटेल साहब ने विगत २६वीं जून को कहा—"भारतवर्ष के वर्तमान वातावरण को ठीक रखने का केवल एक ही तरीक़ा है, और वह है भारत का शासन-सूत्र सर्वांशतः अङ्गरेज़ों के हाथ से हटा कर भारतीयों के हाथ में चले जाना। यदि महात्मा गाँधी लन्दन की गोलमेज़ से पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य भी लेकर लौटे तो भारतीय गवर्नमेण्ट से उसे स्वीकार करा लेना दुष्कर है। यहाँ की सरकार तो संरक्षणों के तय करने में ही व्यस्त है; यदि यही मनोवृत्ति जारी रही तो शीघ्र गाँधी-इर्विन समझौता भङ्ग हो जायगा और उसकी सारी ज़िम्मेदारी ब्रिटेन पर ही होगी और समझौते की शर्तें रद्दी के टोकरे में फेंक दी जाएँगी।

"गोलमेज़ के विफल होने का अर्थ है अङ्गरेज़ों का भारत में सदा के लिए व्यापार का सर्वनाश और उस समय इङ्गलैण्ड को भारत से सम्बन्ध बनाए रखने की आशा सदा के लिए त्याग देना चाहिए।"

—गत २६वीं जून को बम्बई के माधव बाग़ में महिलाओं की एक महती सभा में उनके विगत युद्ध में अथक परिश्रम एवं अनुपम देश-प्रेम की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए महात्मा जी ने विदेशी वस्त्र बहिष्कार एवं मादक द्रव्यों की दूकानों पर पिकेटिङ्ग करने का उपदेश दिया।

—पबना (बङ्गाल) का समाचार है, कि वहाँ किसानों और मज़दूरों में भयङ्कर हाहाकार मचा हुआ है। मज़दूरी और ग़ल्ला इतना सस्ता हो गया है, कि कोई पूछता नहीं और हज़ारों आदमियों को रोज़ एक वक़्त भी खाना नसीब नहीं होता। मद्रास सरकार ने अपने प्रान्त में गत सत्याग्रह आन्दोलन में मुस्तैदी से काम करने वाले बहादुर सेवकों और अफ़सरों को पुरस्कार-स्वरूप ५८,०२६) बाँटा है।

—१९३० ई० के अप्रैल से दिसम्बर तक नौ महीने में भारत-सरकार के आबकारी-विभाग को मादक-द्रव्य-निषेध आन्दोलन के द्वारा पिछले चार साल के इन्हीं महीनों की औसत आमदनी की अपेक्षा तीन करोड़ रुपए से भी अधिक की कमी रही।

—सलेम की २५वीं जून की ख़बर है, कि लाहौर षड्यन्त्र केस के सरदार भगतसिंह के साथ आजन्म कालेपानी के सज़ायाफ़्ता श्री० बटुकेश्वर दत्त स्थानीय जेल में बीमार होने के कारण कोयम्बटूर जेल को भेजे गए। वहाँ का जलवायु उनके अनुकूल नहीं हुआ और उनका वज़न भी घट गया है।

—मद्रास का २६वीं जून का समाचार है, कि वहाँ चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने मि० सुब्बाराव पर एक इस आशय की नोटिस जारी की है कि अमन और क़ानून से संस्थापित इस सरकार के ख़िलाफ़ द्वेष एवं विद्रोह का प्रचार करने के कारण क्यों न उनसे एक वर्ष का मुचलका और ५००) रुपए की दो ज़मानत माँगी जाय?

—लाहौर का २६वीं जून का समाचार है, कि किसानों पर कपूरथला राज्य की ओर से लगान वसूली में बड़ी सख़्ती की जा रही है। कहा जाता है कि फगवारा के कई प्रमुख नागरिक गिरफ़्तार कर लिए गए हैं और उनकी जायदाद ज़ब्त हो गई है।

आजीवन क़ैदी पं० जगतराम हरियानवी के पिता का देहान्त

स्यालकोट (पञ्जाब) के श्री० कृष्णगोपाल ने लाहौर के "मिलाप" में एक चिट्ठी छपवा कर जनता का ध्यान पं० जगतराम जी हरियानवी की ओर आकर्षित किया है जो मीआद पूरी हो जाने पर भी जेल में ही सड़ाए जा रहे हैं। पत्र का भावार्थ यों है:—

"हरियान प्रान्त निवासी पण्डित जगतराम जी को आज से प्रायः सत्तरह वर्ष पूर्व—सन १९१४-१५ राजनीतिक षड्यन्त्र में शामिल रहने के कारण आजन्म क़ैद की सज़ा दी गई थी। आमतौर पर आजन्म क़ैद की सज़ा प्राप्त हुए चौदह वर्ष के बाद छोड़ दिए जाते हैं, परन्तु पण्डित जी अभी तक मुक्त नहीं किए गए, हालाँ कि आपकी क़ैद की मीआद को पूरी हुए तीन साल गुज़र गए। पण्डित जी को इस जेल-जीवन में कैसे भीषण कष्टों का सामना करना पड़ा है, वह एक लम्बी अथवा अत्यन्त कारुणिक कहानी है। इसी बीच में आपके छोटे भाई का देहान्त हो गया। आपकी स्नेहमयी जननी ने स्वर्ग की राह ली, परन्तु न जाने क्यों सरकार उन्हें छोड़ने की कृपा न की? अन्त में आपके पूज्य पिता जी का भी स्वर्गवास हो गया और अब आपकी धर्मपत्नी की देख-रेख करने वाला भी कोई नहीं रह गया। पण्डित जी का स्वास्थ्य बिल्कुल ख़राब हो गया है। अब वे किसी प्रकार के ख़तरनाक कार्य के लायक़ नहीं रह गए हैं, साथ ही उनकी क़ैद-अवधि भी बरसों पहले समाप्त हो चुकी है। परन्तु वे छोड़े नहीं जा रहे हैं। हम सरकार की इस उदासीनता की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस अन्याय के विरुद्ध आन्दोलन किया जाए।

—मद्रास के इण्डियन चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स ऐण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष मि० एम० जमाल मुहम्मद ने संयुक्त-प्रान्त के किसानों की दयनीय आर्थिक दशा की ओर वॉयसराय का ध्यान आकर्षित करते हुए निम्न आशय का तार दिया है:—

"किसानों को लगान में जो छूट मिली है, वह काफ़ी और सन्तोषप्रद नहीं है। सरकार ज़मींदारों को लगान वसूल कराने में जो अनुचित सहायता कर रही है, उस पर हमें हार्दिक दुख है। दफ़ा १४४ के कारण कई जगह स्थिति और भी अधिक भयानक हो गई है। कमिटी वॉयसराय को चेतावनी देती है कि इस अत्यन्त भयावह परिस्थिति में ज़ोर-ज़ुल्म करना अत्यन्त अवाञ्छनीय है और परिणाम अत्यन्त प्रलयङ्कर हो सकता है; अतएव इस वायु-मण्डल को सुधारने का सरल साधन केवल एक यही है कि इस पर पूरी सहानुभूति और सदयता का व्यवहार किया जाय और किसानों की गिरती हुए दशा का पूरा सुधार हो।"

—मद्रास का २६वीं जून का समाचार है, कि चिरकालक ताल्लुक़ा के इक्कीस नाम्बोदरों को उत्तरी मालाबार के मैजिस्ट्रेट ने पैंतीस रुपए से लेकर पचहत्तर रुपए तक का जुर्माना इसलिए किया है कि ये लोग लगान वसूल करते हुए एक अफ़सर के कार्य में बाधा डाला है और जब वे एक मन्दिर में कुछ चीज़ों को ज़ब्त करने गए थे तब उन्होंने छेड़छाड़ की थी!

—प्रयाग में विदेशी वस्त्रों की दूकानों पर पिकेटिङ्ग शुरू होने वाली थी, परन्तु शहर के मुसलमानों ने अपनी आर्थिक क्षति बताते हुए इसका घोर विरोध किया है। इसके उत्तर में पं० जवाहरलाल जी ने उन्हें यह समझाने की कोशिश की है, कि खादी-प्रचार से जुलाहों को ही विशेष लाभ है, अतएव उन्हें विदेशी वस्त्र बहिष्कार में सहयोग प्रदान करना चाहिए।

"मैं क्षणिक समझौता नहीं, स्थायी शान्ति चाहता हूँ"

महात्मा जी की 'नेक नीयती' की प्रशंसा

नए वॉयसराय का पहिला भाषण

शिमला का २७ वीं जून का समाचार है कि "चेम्सफ़र्ड क्लब" की ओर से दिए गए भोज में लॉर्ड वेलिङ्गडन ने पहली बार राजनीतिक विषय पर भाषण दिया। यों तो सारा भाषण ठीक वैसा ही है जैसा व्याख्यान वॉयसराय तथा गवर्नरों द्वारा ऐसे अवसरों पर देने की परिपाटी चली आई है। पाठकों के लाभार्थ उसका मर्मांश इस प्रकार है :—

किसानों की दयनीय दशा से द्रवित हो कर वॉयसराय ने कहा "किसानों के कष्ट दूर करने के लिए प्रान्तीय सरकारें पूरी कोशिश कर रही हैं। कॉमन्स सभा में प्रधान मन्त्री ने भारत को आर्थिक सहायता देने तथा ऐसी स्थिति उत्पन्न करने का आश्वासन दिया है कि जिसमें नई शासन-व्यवस्था सफलतापूर्वक चलाई जा सके। इस कठिन समय में मैं इस घोषणा को भारत के सभी वर्गों के लिए अत्यन्त लाभदायक समझता हूँ। राष्ट्रपति हूवर की घोषणा से भी भारत को बहुत लाभ होगा। इसके परिणाम-स्वरूप भारत को छः करोड़ पौण्ड से अधिक की देन से छुट्टी मिल जायगी। आशा की जा सकती है कि ये तीनों बातें मिल कर सम्पूर्ण आर्थिक स्थिति को बदल देंगी और हमें फिर अच्छे दिन देखने को मिलेंगे।

देश की राजनीतिक परिस्थिति का ज़िक्र करते हुए लॉर्ड वेलिङ्गडन ने कहा—"हाल के कठिन एवं कठोर समय में सेना और पुलिस ने जिस प्रकार अपने कर्तव्यों का पालन किया है, वह प्रशंसनीय है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति की सर्व-प्रथम बात गाँधी-इर्विन समझौता है।

मैंने इस समझौते को कार्यरूप में परिणत करने का दायित्व अपने ऊपर लिया है, अतः प्रान्तीय सरकारों की सहायता से पूरी निष्ठा के साथ इस बात की कोशिश करूँगा कि इसकी शर्तों का पूरा-पूरा पालन हो। मैं सहर्ष और पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ कि गाँधी जी भी इसी तरह दिल से चाहते हैं कि उनकी ओर से की गई शर्तों का पूर्णतः पालन हो। परन्तु मैंने कुछ लोगों को ऐसी बातें करते सुना है कि यह समझौता स्थायी शान्ति के लिए नहीं है, अपितु विराम सन्धि जिसका उद्देश्य लड़ने के लिए फिर तैयारी करने का समय देना है, स्पष्टतः मेरी राय इस सम्बन्ध में यह है कि यह समझौते के पालन करने का उचित ढङ्ग नहीं है। मैं शान्ति का समर्थक हूँ, क्षणिक युद्ध-विराम का नहीं। समझौते का तात्पर्य झगड़े और आन्दोलन को हटा कर सहयोग और सद्भाव स्थापित करना है और एक ऐसे वायुमण्डल को उत्पन्न करना है, जो नए शासन-सुधारों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए अनुकूल हो। मैं इस देश के सरकारी, ग़ैर-सरकारी तथा सभी जाति और धर्म वालों से प्रार्थना करता हूँ, कि वे इस समझौते की शर्तों को पूरी करने में मेरी सहायता करें। मैं अपने देश-वासियों से अपील करता हूँ कि यहाँ हमारे सामने जो कठिनाइयाँ उपस्थित हैं, उनका अनुभव करें और भारत की स्थिति को साम्राज्य का अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न समझें और उसे अपनी दलबन्दी का प्रश्न न बनावें। समाचार पत्रों से मेरी अपील है कि इस महान उद्देश की सिद्धि में अपने अत्यन्त प्रभावशाली सहयोग से मेरी सहायता करें।

अन्त में भारत के साथ ब्रिटेन के भावी सम्बन्ध की चर्चा करते हुए आपने कहा "मेरा विश्वास है कि भारत की अधिकांश जनता तथा रजवाड़े यह चाहते हैं कि ब्रिटेन के साथ भारत का सम्बन्ध बना रहे। हम सभी वह परिस्थिति लाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं जब भारत साम्राज्य में बराबरी का हक़दार होगा, परन्तु वह ब्रिटिश पताके के नीचे ही होगा। और संसार की यह सबसे महत्वपूर्ण बात होगी।



लॉर्ड वेलिङ्गडन

[भारत के वर्तमान वॉयसराय और गवर्नर जनरल]

अन्त में आपने परमात्मा से यह आशीर्वाद चाहा कि वह उनमें सच्चो ईसाई-अन्तः शक्ति एवं धैर्य दें, जिससे प्रेरित होकर वे अपने कार्यक्रम समाप्त होने के पूर्व ही भारत का विधिवत् गवर्नर-जनरल होने का गौरव प्राप्त होगा और भारत सुख-समृद्धि की ओर निस्सन्देह आगे बढ़ता जाएगा।

* * *

बाराबङ्की में किसानों की दयनीय दशा का विवरण

पाठकों को पता होगा कि संयुक्त प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी ने प्रान्त के दरिद्र एवं कङ्गाल किसानों पर ज़मींदारों का और सरकार के गुर्गों द्वारा होने वाले लोमहर्षक अत्याचारों तथा किसानों की वास्तविक स्थिति का ठीक-ठीक पता लगाने के लिए भिन्न-भिन्न ज़िलों के लिए भिन्न-भिन्न कमिटियाँ नियुक्त की थीं उसमें बाराबङ्की ज़िले के लि श्री० मोहनलाल जी सक्सेना नियुक्त हुए थे। उन्होंने निम्न लिखित विज्ञप्ति प्रकाशित कराई है :—

"कमिटी ने बाराबङ्की कॉङ्ग्रेस ऑफ़िस में गत २४वीं जून को ज़िला के ज़मींदार सङ्घ के सभापति श्री० ठाकुर रघुनाथसिंह की उपस्थिति में जाँच का कार्य प्रारम्भ किया। लगभग पचास गवाहों से अधिक के बयान लिए गए। उनमें से सब किसी ने इस बात को अस्वीकार किया कि कई कॉङ्ग्रेस के आदमियों ने लगान देने से उन्हें मना किया।

उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है, कि लगान देने में काफ़ी विलम्ब हुआ है, पर इसका कारण केवल यही था, उनका ग़ल्ला बिकने में देरी हुई तथा सरकार द्वारा लगान में छूट की ख़बरें उन्हें देर से मिलीं।

बम्सा और इचूलिया के किसानों ने कहा कि वे लगान की बाक़ी देने के लिए तैयार थे, परन्तु जिस दम (लगान वसूल करने वाले) दो रुपए प्रतिशत के हिसाब से अपने तथा राजा साहब के लिए नज़राना तथा रुपए पर दो पैसा भूमा के लिए लेने के लिए उतारू हो गए और इसे लिए बिना वे लगान मञ्जूर न करेंगे, ज़िलादारों ने उनके घर पर धावा किया और सशस्त्र पुलिस उनकी सहायता के लिए सरकार से ख़ास तौर पर तैनात हुई थी। गाँव के कितने ही किसान घर छोड़ कर भाग गए और सीधे तहसील में जाकर लगान जमा किया। किसानों में से अधिकांश जिनकी गवाही की गई है, ज़मींदारों से बुरी तरह जूते से पीटे गए और उनमें से बहुतों को बड़ी चोट आई है। घटना की विकटता तथा लगान में विलम्ब का दूसरा प्रबल कारण यह बताया जाता है, कि कितने ज़मींदारों ने प्राप्त रुपए की रसीद नहीं दी तथा पटवारी की बही में दर्ज रुपयों से अधिक लगान माँग रहे थे।

—लाहौर की ख़बर है कि "ट्रिब्यून" में सरदार भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरु स्मारक के लिए अपील करने के कारण जो प्रेस की तलाशी तथा "ट्रिब्यून" की ज़ब्ती हुई थी, उसके विरोध-स्वरूप लाहौर शहर में बड़े-बड़े अक्षरों में छाप कर अपील के पोस्टर चिपका दिए गए हैं।

—मेरठ षड्यन्त्र केस के छः अभियुक्त श्रीथेंगड़े, श्री अलवे, श्रीझाबवाला, मि० कदम और मि० सहगल गत २७वीं जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट से ज़मानत पर छोड़ दिए। इनमें श्रीथेंगड़े चार-चार हज़ार रुपए की दो ज़मानतों तथा शेष दो-दो हज़ार की दो ज़मानतें देने तथा इस शर्त पर कि वे किसी राजनीतिक मामले में भाग न लेंगे, छूटे हैं।

—दिल्ली का २६वीं जून का समाचार है कि दिल्ली षड्यन्त्र केस का मुख़बिर कैलाशपति जब गवाही देने के लिए डॉक में खड़ा था तब तक सेण्ट स्टिफ़ेन्स कॉलेज के एक विद्यार्थी ने उस पर दो जूते चलाए। जूते लगे नहीं! वह तुरन्त गिरफ़्तार कर लिया गया, विशेष एवं विस्तृत विवरण के लिए पाठक आगामी अङ्क की प्रतीक्षा करें।

* * *

देहली में सीमा-प्रान्त के 'गाँधी' और नेहरू जी की गर्जना

अङ्गरेज़ रूपी "विचित्र जानवर को" मनोरञ्जक व्याख्या !

"सीमा-प्रान्त का प्रत्येक व्यक्ति ब्रिटिश शासन से ऊब गया है"

"जो सरकार अपनी रक्षा नहीं कर सकती, वह मुसलमानों की रक्षा कैसे करेगी ?"

उस दिन दिल्ली के विशाल जन-समूह में पण्डित जवाहरलाल तथा सीमा-प्रान्त के 'गाँधी' ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ के अत्यन्त प्रभावोत्पादक भाषण हुए।

ख़ाँ साहब ने अपने ओजस्वी भाषण में कहा कि पठान ही इस नौकरशाही का अन्त कर देंगे, क्योंकि उनकी अपार राजभक्ति का पुरस्कार उन्हें नृशंस अत्याचार और भीषण दमन के रूप में मिलता है। हबीब नूर को बिना मामला चलाए फाँसी पर लटका देना पाशविक शासन का एक सबल प्रमाण है !



सीमा-प्रान्त के गाँधी ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ाँ

अङ्गरेज़ों के स्वभाव की चर्चा करते हुए ख़ाँ साहब ने बड़ी दिलचस्प व्याख्या की। आपने कहा, कि ये अङ्गरेज़ एक विचित्र जानवर हैं, यदि तुम उसके सामने झुक जाओ, नम्रता का व्यवहार करो और पूजा करो, तो वह तुम्हें ठुकरा देगा और कहेगा, "भागो, यू काला आदमी"; लेकिन अगर तुम डट जाओ और सामने खड़े हो जाओ, तो वह स्वयं तुम्हारे सामने मस्तक नत कर देगा !

देश की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुए ख़ाँ साहब ने कहा कि सीमा-प्रान्त का प्रत्येक व्यक्ति ब्रिटिश शासन से ऊब गया है। 'इन्क़िलाब' तो निश्चित है और उसे भारत में आने से कोई रोक नहीं सकता। माँ की कड़ियाँ उससे अवश्य टूटेंगी।

मुसलमानों को लक्ष्य करते हुए उन्होंने कहा कि क्या इस्लाम आज़ादी नहीं चाहता ? क्या वह पीड़ितों और ग़रीबों की सहायता नहीं करना चाहता ? तब फिर क्यों नहीं तुम लोग ब्रिटिश दासत्व से पिण्ड छुड़ा लेते ? (हम अवश्य आज़ादी चाहते हैं की आवाज़)

अङ्गरेज़ सङ्गठन और शक्ति के सामने झुकते हैं और जब तक हम स्वतन्त्रता के लिए सङ्गठित और शक्तिशाली न बन लेंगे, तब तक अङ्गरेज़ हमें आज़ादी नहीं देंगे। सरकार पठानों की शर्तें इसलिए मान लेने के लिए तैयार है, क्योंकि वे सङ्गठित हैं। सङ्गठन का महत्व बताते हुए ख़ाँ साहब ने कहा कि जो जातियाँ सोती हैं और जिन्हें दासत्व में ही आनन्द आता है, वे संसार से नष्ट हो जाती हैं और जो जातियाँ कष्ट सहन करतीं और त्याग दिखाती हैं, वे अपनी मनचाही वस्तु (अर्थात् स्वतन्त्रता) प्राप्त कर लेती हैं ! अन्त में उन्होंने कहा कि सरकार बूढ़ी हो गई है, अपनी रक्षा वह स्वयं नहीं कर सकती; वह मुसलमानों की रक्षा भला कैसे कर सकती है ?

इसके बाद पण्डित जवाहरलाल नेहरू का अत्यन्त ओजस्वी भाषण प्रारम्भ हुआ। उन्होंने कहा, पैंतीस करोड़ प्राणी आज़ादी के लिए जाग उठे हैं और उन्होंने स्वतन्त्र होने का निश्चय कर लिया है। उनके इस दृढ़ सङ्कल्प ने संसार के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है ! और दूर-दूर देशों से लोग हमारे सेनापति (अर्थात् महात्मा गाँधी) के दर्शन के लिए आ रहे हैं !

हम लोगों ने जो मूक कष्ट सहे हैं और जो महान त्याग का भाव प्रदर्शित किया है, उसने हमें संसार की नज़रों में ऊँचा कर दिया है और हम आज पहले से अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। यह क्षणिक सन्धि ही इसका प्रबल प्रमाण है।

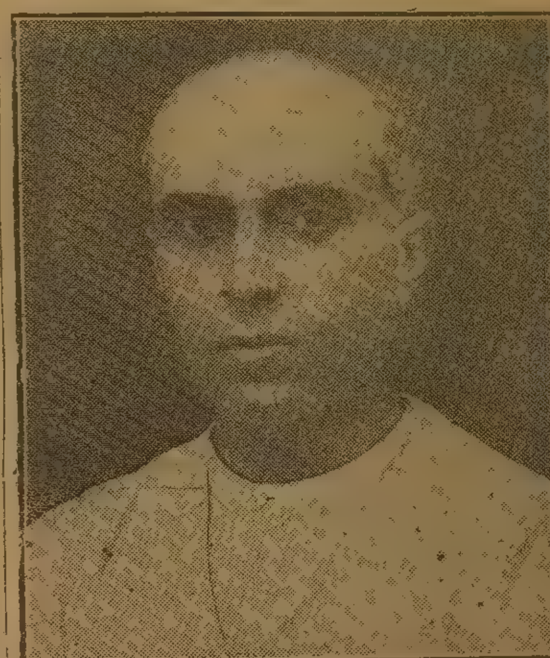
गोलमेज़ के सम्बन्ध में पण्डित जी ने कहा—"महात्मा जी अङ्गरेज़ों तथा संसार को भारत का सन्देशा देंगे। उनकी आवाज़ देश की पैंतीस करोड़, मूक आत्माओं की आवाज़ होगी और सम्भवतः उनकी माँगें स्वीकार कर ली जायँगी।"

पण्डित जी ने फिर कहा—"देश की मुक्ति वकीलों और केवल बहसों से नहीं होगी। अपनी ही शक्ति से हमें गोलमेज़ में या उसके बाहर सफलता मिलेगी। हमारा युद्ध नौकरशाही के सङ्गठन के विरुद्ध है। सङ्गठन के बिना उत्साह और शक्ति किसी काम की न होगी। देश में एक मज़बूत सङ्गठन की अत्यन्त आवश्यकता है।"

क्षणिक सन्धि के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए पण्डित जी ने कहा—"सरकार ने सचाई और शुद्ध हृदय से इसे पालन नहीं किया है। यू० पी० में दमन-चक्र ज़ोरों से चल रहा है। चुने-चुने काँग्रेस-कार्यकर्ता नित्य गिरफ़्तार हो रहे हैं। सरकार पर ही समझौता तोड़ने की सारी ज़िम्मेदारी है। इस शक्तिशाली सरकार के लिए अपने वचन का पालन न करना अत्यन्त लज्जास्पद है।"

यू० पी० के किसानों की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए पण्डित जी ने कहा कि किसानों की स्थिति अत्यन्त भयावह हो गई है। इच्छा रखते हुए भी वे लगान नहीं दे सकते। सरकार और ज़मींदारों की सारी ताक़त उन्हें कुचलने में लगी हुई है। जब हमारे किसान भाई इस प्रकार सताए जा रहे हैं, तब 'समझौता'-'समझौता' चिल्लाते रहना हमारे लिए सर्वथा असम्भव है। हमें इसके प्रतिकार के लिए कोई न कोई उपाय काम में लाना ही होगा !

अगर युद्ध फिर प्रारम्भ हुआ तो उसका उत्तरदायित्व सरकार पर होगा। सरकार को यह स्मरण रखना चाहिए कि किसानों में अब भी इतनी ताक़त है, कि सरकार से मोर्चा ले सकते हैं। सरकार को पिछले युद्ध से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। गत वर्ष सत्तर हज़ार स्त्री-पुरुष और बच्चों ने त्याग किया था, तो अब वे उससे भी अधिक त्याग करने को तैयार हैं। अगर हमारा आन्दोलन पुनः चला, तो उसका रूप बहुत भयङ्कर होगा ! मैं यह नहीं कह सकता कि अन्तिम विजय कब होगी; परन्तु सत्य और न्याय की सदा विजय होती है। अन्त में भावी युद्ध की तैयारी के लिए ज़ोर देते हुए आपने विदेशी वस्त्र बहिष्कार और हिन्दुस्तानी सेवा-दल के सङ्गठन की



भूतपूर्व राष्ट्रपति पण्डित जवाहरलाल नेहरू

आवश्यकता पर लोगों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया।

* * *

महात्मा जी का सुख-स्वप्न

यदि एक घण्टे के 'डिक्टेटर' होते—

सूरत से १२ मील दक्षिण 'मरोली' में व्याख्यान देते हुए महात्मा जी ने कहा, कि यदि वे एक घण्टे के लिए भारतवर्ष के 'डिक्टेटर' होते, तो सब से पहले सभी मादक द्रव्यों की दूकानों को बिना हरजाना दिए बन्द करा देते, सारे ताड़ के पेड़ कटवा डालते, मिल-मालिकों को मज़दूरों से सदस्य-सम्बन्ध स्थापित करने तथा मज़दूरों के लिए जलपान और मन-बहलाव के लिए प्रबन्ध करने को बाध्य करते !

मादक द्रव्यों के निषेध से जो आपकी क्षति होती, उसे फ़ौज का ख़र्च कम कर पूरा कर लेते। कल-कारख़ानों के बन्द हो जाने से बेकार मज़दूरों के लिए कारख़ानों के पास ही खेती-धन्धा खोल देते !

* * *

"गुलामी की कड़ियों को छिन्न-भिन्न कर डालो"

शौकत-पन्थी मुसलमान डॉ० अन्सारी से राष्ट्रीयता का सबक़ लें

मुसलमानों में राष्ट्रीयता एवं भारतीयता का भाव उत्पन्न करने वाले, हिन्दू-मुस्लिम-एकता के प्रबल पक्षपाती, राष्ट्रीय महासभा के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉ० अन्सारी ने फ़रीदपुर में होने वाली बङ्गदेशीय राष्ट्रीय मुस्लिम परिषद् के सभापति की हैसियत से गत २७वीं जून को जो अत्यन्त प्रभावशाली, महत्वपूर्ण एवं ओजमयी वक्तृता दी थी, उसका सारांश पाठकों के लाभार्थ यहाँ दिया जाता है :—

—स० 'भविष्य'

"पिछली बार युद्ध में देश ने जो अनुपम त्याग किया है, उसकी अमर-कहानी देश और विदेश हर कहीं सुनी जा रही है और मित्रों ही ने नहीं, दुश्मनों तक ने भी हमारे बलिदान का गुणगान किया है! यद्यपि मुसलमानों में कुछ ऐसे व्यक्ति उत्पन्न हो गए हैं, जिनका एकमात्र कर्तव्य राष्ट्रीयता के पथ में रोड़े अटकाना तथा मुसलमानों को ग़लत रास्ते पर ले जाना है, तथापि इस युद्ध में मुसलमानों का भी पूरा सहयोग मिला है! विशेषतः सीमा-प्रान्त के मुसलमानों ने अपने वीरतापूर्ण कष्ट-सहन एवं मर्दानगी भरे युद्ध-कौशल से अमर और अप्रतिम यश प्राप्त किया है।

"आज तक राष्ट्रीय मुसलमानों ने अपना कोई विभिन्न दल स्थापित करने की इच्छा नहीं की थी! परन्तु मुसलमानों के पारस्परिक ईर्ष्या-द्वेष के कारण हमें राष्ट्रीय मुस्लिम-सङ्घ अलग स्थापित करना पड़ा है। सदा से हमारी चेष्टा और उद्देश्य यही रहा है, कि मुसलमानों के न्याय-सङ्गत एवं उचित अधिकारों की रक्षा की जाय तथा स्वतन्त्रता के युद्ध में अपने हमवतन हिन्दू भाइयों का भरपूर साथ दिया जाय। हमारे साथ देश के सभी शिक्षित मुसलमान हैं; हमारी शक्ति उन्हीं की है और अधिकांश मुसलमान हमारे ही साथ हैं। देश की वर्तमान राजनीतिक महत्व के समय की गम्भीरता महसूस करते हुए राष्ट्रीय मुस्लिम-दल ने इस बात की कोशिश की कि सभी मुसलमान मिल कर मुल्क की लड़ाई में शामिल हो जायँ और आपस का मैं-मैं, तू-तू मिट जाय—विशेषतः इस समय में, जब भारत की स्वाधीनता दाव पर चढ़ी हुई है। राष्ट्रीय मुस्लिम सङ्घ की नीति प्रजातन्त्र एवं विशुद्ध राष्ट्रीयता की नींव पर अवलम्बित है! इसके अनुसार जो बहुसंख्यक हैं, वे बहुसंख्यक बने रहेंगे, जो अल्पसंख्यक हैं वे अल्पसंख्यक!"

इसके पश्चात् डॉक्टर साहब ने शिमले में अपनी पेश की हुई शर्तों की चर्चा करते हुए यह प्रमाणित किया कि किस प्रकार जन-सत्तावाद और राष्ट्रीयता की पवित्र भावनाओं से प्रेरित होकर उन्हें अपने इतर मुसलमान भाइयों के सम्मुख रक्खा था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया! "हम राष्ट्रीय मुसलमानों की नीति सदा से देश के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों में एकता स्थापित करने की रही है, क्योंकि वैसा किए बिना देश का उद्धार असम्भव है। एक बार इस बात को समझ लेने पर किसी प्रकार का शक-सन्देह नहीं रह जाता।"

निर्वाचन और अल्प-संख्यक तथा बहुसंख्यक विषय पर प्रकाश डालते हुए श्री० अन्सारी साहब ने कहा—

"मैं तो यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ कि अल्प संख्यकों के उचित अधिकारों की रक्षा उतनी ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है, जितना बहुसंख्यकों का उचित सञ्चालन। बङ्गाल और पञ्जाब के मुसलमान जो बहुसंख्यक हैं, अल्प नहीं किए जाएँगे। बिहार और युक्त-प्रान्त में मुसलमानों की संख्या कम है, उनके साथ हिन्दू वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा बङ्गाल और पञ्जाब में मुसलमान हिन्दुओं के साथ करेंगे। जहाँ यह बात स्पष्टतः समझ में आ गई कि आपस में टुकड़ों के लिए मैं-मैं, तू-तू स्वतः समाप्त हो जायगा और सदा के लिए हमारा दृष्टि-कोण ही इस विषय की ओर बदल जायगा।"

अन्त में डॉक्टर साहब ने कहा कि "पिछले बीस



डॉ० अन्सारी

साल के कड़ुए अनुभव के पश्चात् राष्ट्रीय मुसलमानों का यह मत है, कि भावी शासन-प्रणाली में संयुक्त निर्वाचन तथा बालिग़ों को मताधिकार होने से ही भारत के मुसलमानों का कल्याण है।

"हम जन-सत्तावादी हैं और प्रजातन्त्र तभी सम्भव होगा, जब हम राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधा डालने वाली सारी बातों का घोर विरोध करें। दोनों जातियों में सद्भाव, शान्ति और एकता से ही यह सम्भव है। मताधिकार के विस्तार से ही इस साम्प्रदायिकता का नाश होगा और इससे राष्ट्रीयता की नीति के सिवा किसी दूसरी नीति पर काम नहीं चल सकता!"

अन्त में डॉक्टर अन्सारी ने अपना भाषण समाप्त करते हुए कहा—

"मैं चाहता हूँ कि आप जगें और परिस्थिति का मुक़ाबिला करें और इस्लाम के सच्चे सपूत की भाँति युद्ध में भिड़ जायँ। 'इस्लाम ख़तरे में है, इस्लाम ख़तरे में है' चिल्लाने से काम नहीं चल सकेगा। मुसलमान बहादुर क़ौम है, वे अपने पड़ोसियों के प्रति उदार भाव रखते हैं। इस्लाम ने तुम्हें विदेशी हुकूमत के नीचे रहने की आज्ञा नहीं दी। तेरह सौ वर्ष पूर्व इसने तुम्हें आज़ाद बना दिया! तुमने ग़ुलामी की कड़ियाँ स्वयं बना कर पहन लीं; उन्हें छिन्न-भिन्न कर डालो और इतिहास में भारतवर्ष के उद्धार करने वालों में अपना अमर नाम लिखा लो।"

* * *

एक ज़मींदार का अनुकरणीय कार्य

कानपुर ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री० बृजबिहारीलाल मेहरोत्रा ने हमारे पास निम्न आशय का एक सम्वाद भेजा है :—

विजयीपुर ज़िला कानपुर के ज़मींदार पं० शीतलाप्रसाद जी अग्निहोत्री ने पाँच हज़ार किसानों की एक सभा में महात्मा गाँधी द्वारा निर्धारित ढङ्ग पर अपने आसामियों से लगान लेने की घोषणा की। ता० २४वीं जून से उन्होंने मौरूसी काश्तकारों को रुपए में चार आने और ग़ैर-मौरूसी किसानों को रुपए में आठ आने की छूट देना शुरू भी कर दिया। श्री० अग्निहोत्री जी बधाई के पात्र हैं। अन्य ज़मींदार सज्जनों को भी आपका अनुसरण करना चाहिए।

विदेशी वस्त्र का एक सूत भी न आ सकेगा!

बम्बई में २६वीं जून को अपार जन-समूह में भाषण देते हुए सरदार पटेल ने बड़े गम्भीरी एवं ओजस्वी शब्दों में कहा—"मैं इस बात की चुनौती देता हूँ, कि कोई एक भी उदाहरण दे, जहाँ गुजरात के किसानों ने सन्धि की शर्तों की अवहेलना की है?"

विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार पर ज़ोर देते हुए, सरदार साहब ने कहा—"अब तो विदेशी वस्त्रों के लिए भारतवर्ष में कोई स्थान ही नहीं है।

"स्वराज्य सरकार के विधान का पहला क़ानून यह होगा कि भारतवर्ष में एक भी विदेशी सूत न आवे। भारत के विदेशी-वस्त्र-व्यवसाइयों से तो कोई समझौता हो ही नहीं सकता!"

सभापति श्री० नॉरीमैन ने अन्त में यह घोषणा की, कि शीघ्र ही बम्बई में मादक द्रव्यों की दूकानों पर धरना प्रारम्भ हो जायगा!

"हरीकिशन की फाँसी" ज़ब्त

चित्र में घृणा का भाव!

कलकत्ता का २८वीं जून का समाचार है कि बङ्गाल की सरकार ने कलकत्ता गज़ट के एक विशेष अङ्क द्वारा "हरीकिशन की फाँसी" शीर्षक एक चित्र की, जिसमें हरीकिशन की फाँसी का दृश्य दिखाया गया है, ज़ब्ती की घोषणा की है। बङ्गाल-सरकार की धारणा है कि इस चित्र द्वारा सरकार के प्रति घृणा का भाव फैलता है।

ज़मींदार द्वारा प्रजा की बहू-बेटियों की अस्मत पर हाथ !

किसानों का माल तथा इज़्ज़त—दोनों लूटी गईं !!

दिन-दहाड़े महिलाओं पर बलात्कार किया गया :: उन्नाव ज़िले में शैतान का ताण्डव

स्थानीय मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध भीषण दोषारोपण :: किराए के गुण्डों द्वारा उत्पात कराया गया !

विगत सप्ताह के "यङ्ग इण्डिया" में उन्नाव ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री० विश्वम्भरदयाल जी त्रिपाठी, एम० ए०, एल-एल० बी० का एक पत्र प्रकाशित हुआ है, जिसमें किसानों पर किए गए ज़मींदारों और नौकरशाही के गुर्गों के लोमहर्षण ताण्डव का नग्न चित्र अङ्कित किया गया है। हम पत्र का अविकल अनुवाद पाठकों के सामने रखते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं, कि वे इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और देखें कि पतन की किस सीमा पर हम पहुँच गए हैं !! महात्मा जी का कहना है कि कुछ विशेष आपत्तिजनक घटनाएँ पत्र में से निकाल दी गई हैं। इस सम्बन्ध में अधिक प्रकाश डालने वाले पत्रों और सम्वादों को हम 'भविष्य' में सहर्ष स्थान देंगे।

—सम्पादक 'भविष्य']

उन्नाव ज़िले के पुरवा तहसील में पीपरी नाम का एक गाँव है। २०वीं मई, १९३१ के दिन वहाँ के ज़मींदारों ने सबडिविज़नल मैजिस्ट्रेट पण्डित चन्द्रमोहन नाथ तथा कुछ सशस्त्र-पुलिस लेकर गाँव पर धावा किया। स्थानीय कॉङ्ग्रेस-मन्त्री बा० लीलाधर अस्थाना, बी० ए०, बी० एल० इस सम्बन्ध में दो बार डिप्टी कमिश्नर से मिलने गए, पर काम में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण वे मिल न सके ! ४थी जून को लक्ष्मीशङ्कर बाजपेयी, एम० ए०, एल्-एल्० बी०, जो ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के संयुक्त मन्त्री हैं, डिप्टी-कमिश्नर के पास गए और 'पीपरी' की घटनाओं के सम्बन्ध में बातें कीं। उसी दिन सन्ध्या-समय पं० लक्ष्मीशङ्कर बाजपेयी और स्वामी स्वरूपानन्द घटनास्थल पर जाकर जाँच करने के लिए नियुक्त हुए और वे ५वीं जून को वहाँ पहुँच गए। इसी बीच डिप्टी कमिश्नर ने उन्नाव तहसील के सब-डिविज़नल मैजिस्ट्रेट मि० घावले को सरकारी जाँच के लिए भेजा, जो ५वीं जून को ही वहाँ पहुँचे। जाँच-कमीशन के सामने किसानों ने जो बयान दिए हैं, उनसे नीचे लिखी बातें खुलती हैं :—

१—ज़मींदार-बन्धु, जो उस गाँव के एकमात्र अधिपति हैं और स्वयं पास के मडरवाँ में रहते हैं, धावा की तैयारी कर सब-डिविज़नल मैजिस्ट्रेट और सशस्त्र पुलिस गार्ड लेकर मोटर-लॉरी से ३०वीं मई के प्रातःकाल अपनी ज़मींदारी के गाँव में पहुँचे।

२—ज़मींदारों ने अपने जाने के पहले ही ख़ाली गाड़ियाँ, काफ़ी संख्या में अपने नौकर और कुछ भाड़े के बदमाश, जिनमें अधिकांश जाति के पासी थे, भेज दिए थे, जिससे वे दबाव और धमकी से लगान वसूल कर सकें और उन किसानों का, जो पहले के दिए हुए लगान के अतिरिक्त कुछ भी देने में असमर्थ थे, सब कुछ उठा कर ढो ले जा सकें !

३—किसानों में से अधिकांश को, जो पकड़े जा सके, ज़मींदारों और उनके मुख़्तार ने लाठी और बयटों से बुरी तरह पीटा। कुछ को तो ग़ालती से सब-डिविज़नल मैजिस्ट्रेट के सामने ही, जिन पर स्पष्टतः खुले तौर पर ज़मींदारों और उनके आदमियों को इस विषय में उसकाने का अभियोग है, पीटा।

४—किसानों के घर ज़बर्दस्ती से खोल दिए गए, दरवाज़े हटा दिए गए और ताले तोड़ दिए गए ! उनकी जो कुछ सम्पत्ति थी, सब उठा कर गाड़ी पर रख ली गई !

५—असहाय औरतों के शरीर पर से नृशंसतापूर्वक गहने छीन लिए गए !

६—कई स्त्रियों को बेइज़्ज़त किया गया !

७—उस दल के चार मनुष्यों ने एक अबला पर ज़बर्दस्ती बलात्कार करके उसका सतीत्व अपहरण किया !!!

८—सब-डिविज़नल मैजिस्ट्रेट साहब तथा दल के सारे व्यक्ति किसानों और उनकी स्त्रियों पर जितना अधिक अत्याचार, नृशंसता और अपमान कर सकते थे, करके पाँच या छः घण्टे बाद लूट का माल लेकर वहाँ से चल दिए !



मधुर-मिलन

९—किसानों ने, आधी मालगुज़ारी पहले ही दे दी थी और उनमें से कुछ ने तो सारा लगान चुका दिया था; परन्तु उन लोगों ने एक आवेदन-पत्र में अपनी दुख-गाथा, जो उन ज़मींदारों के विरुद्ध थी, तहसीलदार की सेवा में पेश की थी, जिसके कारण ज़मींदार क्रोधोन्मत्त होकर उक्त कृत्यों में प्रवृत्त हुए !

१०—गाँव वालों ने अपने गाँव और घर छोड़ दिए हैं और पास के गाँवों में शरण ली है। गाँव उजड़ गया है और उस देहात के आसपास के गाँव तक आतङ्क से त्रस्त हैं !

जाँच में किसानों की गवाही से वस्तु-स्थिति का जैसा पता लगा है, वह ऐसा ही है। सब-डिविज़नल मैजिस्ट्रेट इस घटना के सम्बन्ध में कान में तेल डाल कर सो गए और गाँव की इन घटनाओं का पता तक डिप्टी-कमिश्नर को नहीं दिया गया। कॉङ्ग्रेस के मन्त्री ने घटना का सच्चा वर्णन देते हुए 'लीडर' और 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में दो तार भेजे, परन्तु तीसरे दिन उन्हें ख़बर मिली कि तार आपत्तिजनक थे, इसलिए रोक लिए गए ! बात इतनी गम्भीर है, कि इसे हमें योंही टाल नहीं देना चाहिए, न हम टाल ही सकते हैं। इसके कारण ज़िले भर में सनसनी फैली हुई है। यह ज़हर अधिक न फैले तथा लोगों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि शीघ्र ही और पक्षपात-रहित न्याय किया जाय।

दारुण अर्थ-सङ्कट और सरकार द्वारा असन्तोषप्रद लगान में छूट के कारण किसानों की स्थिति पहले ही से ज़िले में भयानक हो चली है। यह किसानों के लिए अत्यन्त सराहनीय विषय है कि अत्यन्त अशिक्षित होते हुए भी सैकड़ों बार ज़मींदारों द्वारा सिर फोड़े जाने, जूते पड़ने और अन्यान्य नाना प्रकार के नृशंस अत्याचार होते रहने पर भी वे पूर्णतः अहिंसक बने रहे और ऐसा एक भी उदाहरण पेश नहीं किया जा सकता, जहाँ आत्म-रक्षा तक के लिए भी उन्होंने हिंसा का आश्रय लिया हो।

* * *

बङ्गाल के किसान तबाह हो रहे हैं !

बङ्गाल से किसानों की अत्यन्त हृदय-विदारक तबाही के समाचार आए हैं। विशेषतः उत्तरी बङ्गाल में तो मज़दूरी और सामान इतने सस्ते हो गए हैं, कि उन्हें कोई पूछता ही नहीं ! सरकार किसानों को कम सूद पर क़र्ज़ दे रही है और स्थानीय कॉङ्ग्रेस कमिटी तथा अन्य संस्थाएँ चन्दा जमा कर किसानों में बाँट रही हैं।

चार किसान मरे और कई घायल

शिमला की २९वीं जून की उड़ती ख़बर है कि आगरा के 'गढ़ी सटजा' गाँव से लगान वसूल करने के लिए कुछ अफ़सर गए, जहाँ क्रोधोन्मत्त जन-समूह का सामना करना पड़ा। अन्त में परिणाम-स्वरूप पुलिस को फ़ायर करना पड़ा और चार ग्रामीण चोट खाकर मर गए। विश्वस्त समाचार अभी नहीं मिले हैं।

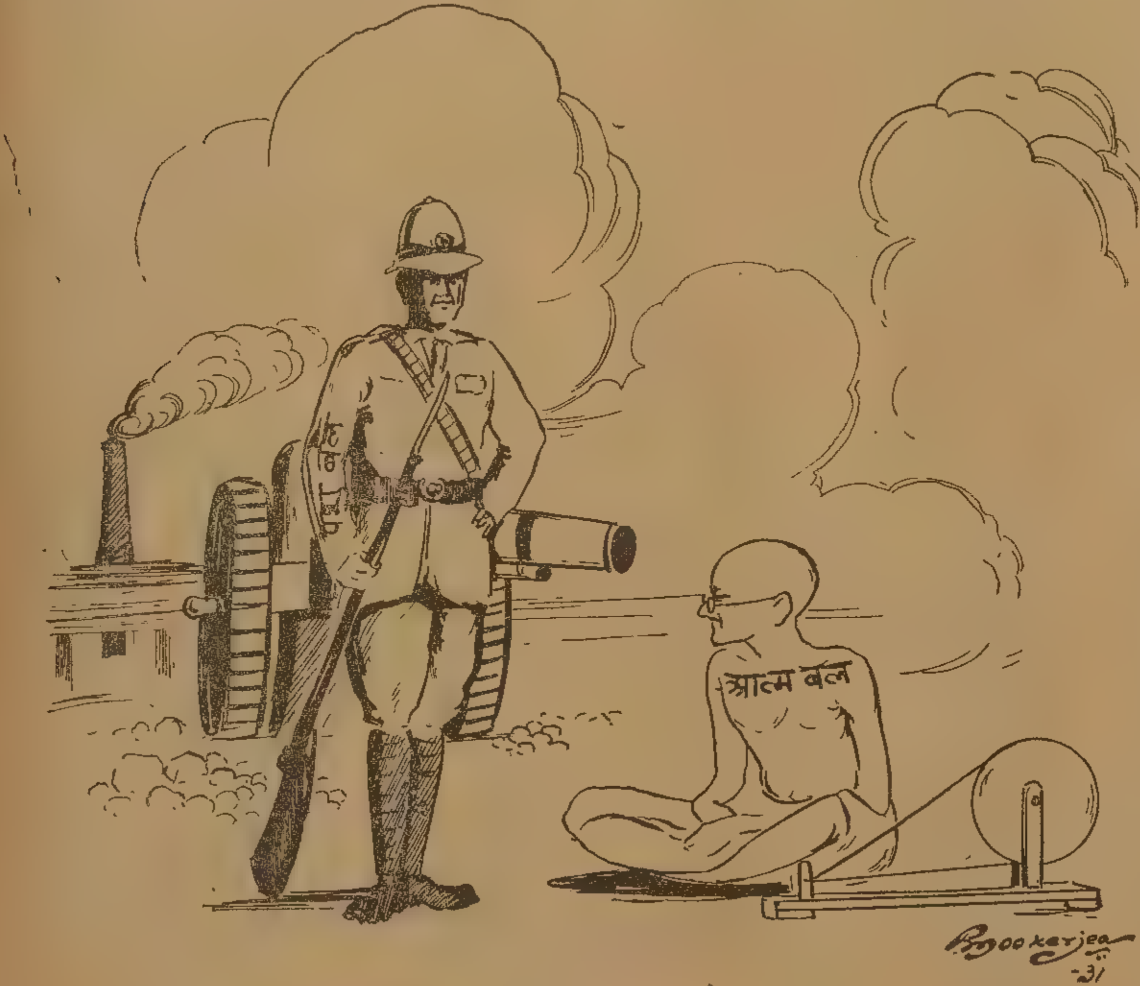
* * *

मेरठ षड्यन्त्र केस के एक यूरोपियन अभियुक्त की गर्जना

"ब्रिटिश साम्राज्य के लिए मुझमें किसी भी प्रकार का प्रेम नहीं है"

मेरठ षड्यन्त्र केस के अभियुक्त बेञ्जिमिन फ्रैन्सिस ब्रैडले ने अपने बयान में कुछ ऐसी मनोरञ्जक बातों का ज़िक्र किया है, जोकि अब तक अज्ञात थीं। आपने कहा कि पहले-पहल मैं अक्टूबर सन् १९२१ में भारत-सरकार द्वारा नियुक्त होकर एक इञ्जीनियर की हैसियत से भारत आया था। नौ महीना रहने के बाद सन् १९२२ में मैं इङ्गलैण्ड लौट गया।

इसके बाद आपने संसार के मज़दूरों के साथ मिल कर पूँजीवादियों के अर्थ-शोषण और साम्राज्यवाद के अत्याचारों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, कम्यूनिस्टों के दल में शामिल होने का अपना इतिहास बतलाया।



श्रेष्ठ कौन है ?

आपने कहा कि मेरा जन्म मज़दूर श्रेणी के कुटुम्ब में हुआ था, इस कारण १४ वर्ष की उम्र में ही मैंने फ़ैक्टरी में काम करना शुरू कर दिया था। थोड़े समय के बाद मैं इञ्जीनियरी का काम सीखने लगा। यूरोपीय महायुद्ध प्रारम्भ होने के समय मेरी उम्र १६ वर्ष की थी। युद्ध के समय मैं ब्रिटिश जङ्गी बेड़े में भर्ती हो गया। बेलजियम के समुद्र-तट पर ढाई साल तक मैं जहाज़ में मॉनीटर पद पर काम करता रहा। मैंने मनुष्यों को टुकड़े-टुकड़े उड़ जाते, भयानक प्रकार से वध होते और जीवन भर के लिए पङ्गु होते हुए देखा।

सन् १९१४ से लेकर सन् १९१८ तक जन-साधारण का जो क़त्ले-आम हुआ था, उसका ठीक-ठीक वर्णन करना मेरे लिए असम्भव है। पूँजीवादियों द्वारा सञ्चालित इस क़त्ले-आम में एक करोड़ और पाँच लाख मज़दूरों का वध हुआ था, जिनमें मेरा एक भाई भी था। यह सब संसार के अर्थ-शोषण में सुविधा पैदा करने के लिए किया गया। इस युद्ध में जिन-जिन देशों ने भाग लिया था, उनमें से किसी भी देश के पूँजीपतियों ने मज़दूरों के प्रति अपने वचनों का पालन नहीं किया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने आयर्लैण्ड, मिश्र या भारत, किसी के प्रति भी अपना वचन नहीं पालन किया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने इन वचनों का पालन आयर्लैण्ड में 'ब्लैक और टैन' के रूप में, मिश्र में जङ्गी बेड़ों के रूप में और भारत में जलियाँवाला बाग़ और उसके बाद के लगातार दमन के रूप में किया है।

सन् १९१७ में रूस की राज्यक्रान्ति हुई, जिसमें रूस के मज़दूरों ने सफलतापूर्वक अपनी सत्ता क़ायम कर ली। हम संसार के मज़दूर इसी बात के नेतृत्व की परीक्षा कर रहे थे और इसी बात से संसार के पूँजीवादी सब से अधिक डरते थे।

भयानक दशा

सन् १९१९ में सैन्य-भङ्ग के समय सेना से हटाए जाने पर मैं अपने पेशे के काम में लग गया। परन्तु सन् १९२१ में मैं बेकार हो गया। लेकिन मैं अकेला बेकार नहीं था, मेरे साथ २५ लाख बेकारों की सेना थी। कुछ समय बाद एक शर्तनामे पर हस्ताक्षर करके मैं अक्टूबर सन् १९२१ में एक इञ्जीनियर की हैसियत से भारत आ गया। इस बार मैं भारत सरकार का नौकर हुआ। सन् १९२१ और सन् १९२२ के बीच नौ महीने के अन्दर मुझे लाहौर, कराँची, रावलपिण्डी और बम्बई देखने का मौक़ा मिला। इस थोड़े से समय में मुझे हिन्दुस्तानी मज़दूरों के बहुत निकट सम्पर्क में आने और उनकी अत्यन्त भयानक अवस्था जानने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं उनकी यह अवस्था देख कर बहुत प्रभावित हुआ। परन्तु उस समय मैं उनकी किसी प्रकार से सहायता न कर सकता था। मैं इङ्गलैण्ड लौट आया। वहाँ उस समय अङ्गरेज़ मज़दूरों के विरुद्ध बड़े नीच दोषारोपण किए जा रहे थे।

मैं इसको ज़ोर देकर कहना चाहता हूँ कि मैं अपना बयान संसार के सब से बड़े साम्राज्य के प्रधान नगर के मज़दूर की हैसियत से और एक ऐसे मज़दूर की हैसियत से, जिसने ब्रिटेन के श्रेणी-युद्ध में भाग लिया है, जोकि यूरोपीय युद्ध के समय से अक्सर बेकार रहा है, जोकि उस देश के पूँजीपतियों के दमन का दर्शक और शिकार भी रहा है, दे रहा हूँ।

इसके बाद आपने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य के लिए मुझमें किसी प्रकार का भी प्रेम नहीं है, यद्यपि उसके लिए मैं युद्ध कर चुका हूँ। साम्राज्य अर्थ-शोषण के आधार पर निर्मित है।

❀ ❀ ❀

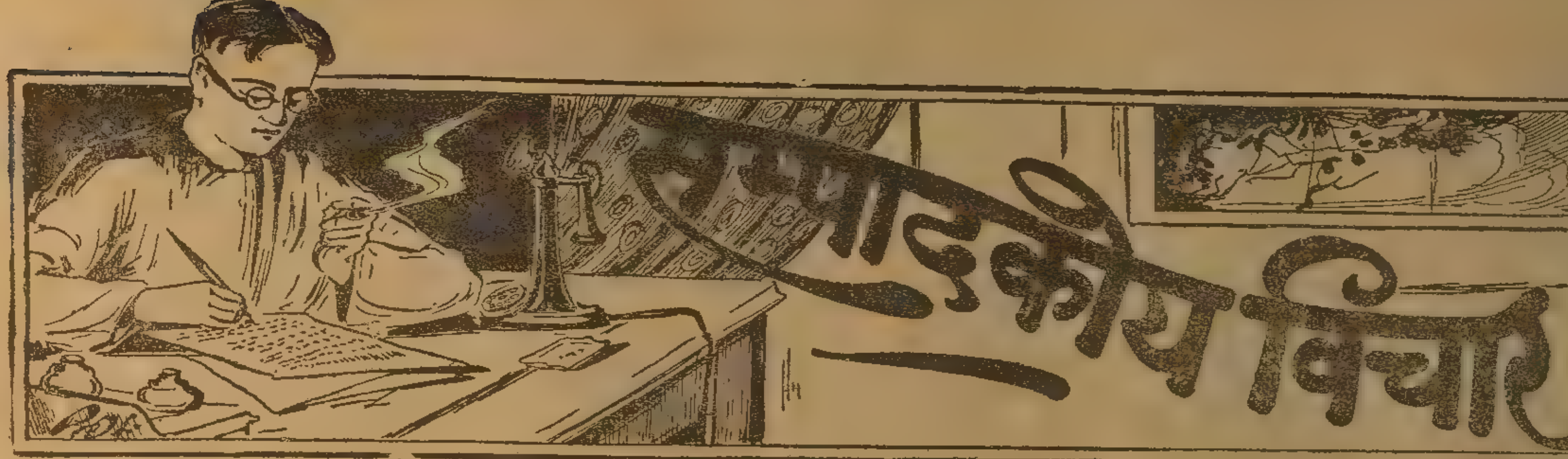
पटने में बम का भयङ्कर विस्फोट !

सब-इन्स्पेक्टर मरा :: हेड कॉन्स्टेबिल घायल !

पटना का २९वीं जून का समाचार है, कि ९ बजे रात को पीरबहोर के नया टोला की चौकी में एक सब-इन्स्पेक्टर और एक हेड कॉन्स्टेबिल पर बम फेंका गया, जिसके फल-स्वरूप सब-इन्स्पेक्टर तो वहीं मर गया और हेड कॉन्स्टेबिल को सख़्त चोट आई है। सूरजनाथ चौबे और हज़ारीलाल, जो दिल्ली षड्यन्त्र केस के फ़रार हैं, इस सम्बन्ध में पकड़े गए हैं।

घटना-क्रम इस प्रकार है। ऊपर के दो सन्दिग्ध व्यक्तियों के सम्बन्ध में लखनऊ की पुलिस ने पटना की पुलिस के पास यह लिखा था कि उन पर सख़्त निगरानी रक्खी जाय। कारण कि वे लखनऊ से रायफ़ल और कारतूस लेकर पटना गए हुए बताए जाते थे। पटना की पुलिस इन दोनों व्यक्तियों पर सदा चौकन्नी दृष्टि रखती थी २८वीं जून की रात को ८ बजे पुलिस ने उन्हें साइकिल पर आते देखा। पुलिस-दल की ओर बिना देखे हुए ये लोग भागे, पर पुलिस पीछे लगी हुई थी। घबड़ाहट में उन लोगों में एक ने पुलिस-पार्टी पर बम फेंका, जिससे सब-इन्स्पेक्टर रामनारायणसिंह जनरल हस्पताल में मर गया और हेड कॉन्स्टेबिल धीरेन्द्रनाथ सेन भी बुरी दशा में अस्पताल में पड़ा हुआ है। बम फटने पर भी पुलिस के दल ने इन लोगों का पीछा किया और उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया, जिन्हें स्वयं भी बम से चोट आ गई थी। उनमें से हज़ारीलाल, जो दिल्ली षड्यन्त्र केस में फ़रार है, सख़्त घायल हो गया है, दूसरा व्यक्ति सूरजनाथ चौबे है, जो पटना का विद्यार्थी और शाहाबाद ज़िले का निवासी बतलाया जाता है। दोनों गिरफ़्तार व्यक्तियों के पास से बम-रिवॉल्वर और कारतूस आदि मिले हैं। शहर में आतङ्क फैला हुआ है।

—लाहौर षड्यन्त्र केस के आजन्म कालेपानी के सज़ायाफ़्ता क़ैदी श्री० बटुकेश्वर दत्त, श्री० गयाप्रसाद, श्री० कमलनाथ तिवारी, श्री० विजयकुमारसिंह तथा श्री० शिववर्मा, जो इस समय मद्रास-जेल में क़ैद हैं, सम्भवतः शीघ्र ही अण्डमान टापू में भेज दिए जायँगे।



भविष्य

२ जुलाई, सन् १९३१

शिमला शैल-शिखर का अभिनय

शिमला शैल-शिखर से दुःखान्त एवं नैराश्यपूर्ण अभिनय के समाचार आए हैं—उस दुःखान्त अभिनय के समाचार, जिसका सूत्रपात गत १९वीं मार्च को दिल्ली में और गत १०वीं और ग्यारहवीं मई को भोपाल में साम्प्रदायिक एवं राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा हुआ था !

गत १९वीं मार्च को दिल्ली में साम्प्रदायिक एवं राष्ट्रवादी मुसलमानों की एक सभा हुई थी। इस सभा में जमायतुल-उलेमा और मुस्लिम-लीग के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे। मतभेद की कई बातों पर बहस-मुबाहसा होने के बाद सभा के द्वारा यह निश्चय हुआ, कि एक छोटी सब-कमिटी बनाई जाय, जिसमें सर मुहम्मद शफ़ी, सर मुहम्मद इक़बाल, मौलाना शौकतअली तथा अन्य लोग भी सम्मिलित हों। कई बार इस सब-कमिटी की बैठक हुई, जिनमें अन्य बातों के अतिरिक्त निर्वाचन के महत्वपूर्ण मसले के सभी पहलुओं पर विचार किया गया, परन्तु कमिटी का अन्तिम निर्णय अभी हो भी नहीं पाया था, कि कमिटी के कुछ साम्प्रदायिक मुस्लिम सदस्यों ने बिना किसी सूचना के ही दिल्ली छोड़ दिया। फल-स्वरूप कमिटी की कार्यवाही बिना किसी निश्चित निर्णय के अधूरी ही रह गई।

इसके बाद नवाब भोपाल ने, अपने कई ऐसे मित्रों के आग्रह और सलाह से, जो सभी विभिन्न मुस्लिम पार्टियों के प्रतिनिधि थे, साम्प्रदायिक एवं राष्ट्रीय दलों के मुसलमानों के पारस्परिक मतभेद को दूर करने के निमित्त, दोनों ही दलों के नेताओं को १०वीं और ११वीं मई को भोपाल में निमन्त्रित किया। इस प्रकार साम्प्रदायिक मुस्लिम नेताओं में सर मुहम्मद इक़बाल, मौलाना शौकतअली एवं नवाब इस्माइल ख़ाँ तथा राष्ट्रीय मुस्लिम नेताओं में डॉक्टर अन्सारी, श्री० शेरवानी, और चौधरी ख़लीक़ुज़्ज़मा साहब निमन्त्रित किए गए।

दोनों पक्ष के मुस्लिम नेताओं के इस सम्मेलन में सर मुहम्मद शफ़ी ने अपने पक्ष की ओर से निम्न-लिखित प्रस्ताव राष्ट्रीय मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधियों के विचारार्थ रक्खा :—

(क) दश वर्ष तक पृथक निर्वाचन ही रहे। इसके बाद संयुक्त निर्वाचन-प्रणाली वय-प्राप्त सर्व-साधारण मताधिकार के साथ उस अवस्था में प्रारम्भ की जाय, जब कि फ़ेडरल अथवा प्रान्तीय किसी भी व्यवस्थापक सभा के बहु-संख्यक साम्प्रदायिक निर्वाचन के मुस्लिम सदस्य संयुक्त निर्वाचन के पक्ष में हों। इस अवस्था में पृथक निर्वाचन-प्रणाली उठा दी जाय।

(ख) आने वाली भारतीय शासन-योजना में प्रथम बार पृथक निर्वाचन-प्रणाली के अनुसार ही काम लिया जाय। तत्पश्चात् प्रथम व्यवस्थापक सभा के जीवन-काल के पाँचवें वर्ष के प्रारम्भ में संयुक्त तथा पृथक निर्वाचन के सम्बन्ध में सभी निर्वाचकों का मत लिया जाय।

इसी प्रकार डॉक्टर अन्सारी ने राष्ट्रीय पक्ष के मुस्लिम नेताओं की ओर से साम्प्रदायिक मुस्लिम सदस्यों के विचारार्थ निम्न-लिखित प्रस्ताव रक्खा :—

(क) प्रथम दश वर्षों तक संयुक्त निर्वाचन-पद्धति से काम लिया जाय; तत्पश्चात् निर्वाचन-प्रणाली के सम्बन्ध में सभी मुस्लिम निर्वाचकों का मत लिया जाय।

(ख) प्रथम व्यवस्थापक सभाओं में ५० प्रतिशत संयुक्त निर्वाचन-प्रणाली से सदस्य चुने जायँ। तत्पश्चात् दूसरी व्यवस्थापक सभाओं में २/३ भाग संयुक्त एवं १/३ भाग पृथक निर्वाचन-प्रणाली के द्वारा तथा इसके बाद सदा के लिए संयुक्त निर्वाचन-प्रणाली के द्वारा सदस्य चुने जायँ, जिसके साथ ही वय-प्राप्त सर्व-साधारण मताधिकार भी सम्मिलित हो।

उपरोक्त प्रस्ताव के साथ विचारार्थ निम्न-लिखित संशोधन भी पेश हुए :—

(क) प्रथम व्यवस्थापक सभाओं में २/३ भाग पृथक और १/३ भाग संयुक्त निर्वाचन-पद्धति से; द्वितीय व्यवस्थापक सभाओं में ५० प्रतिशत दोनों प्रणाली के द्वारा और उसके बाद संयुक्त निर्वाचन-प्रणाली के द्वारा सदस्य चुने जायँ, जिसके साथ ही वय-प्राप्त सर्व-साधारण मताधिकार भी सम्मिलित हो।

(ख) प्रथम पाँच वर्षों तक पृथक निर्वाचन द्वारा सदस्य चुने जायँ और ६वें वर्ष के प्रारम्भ में दोनों निर्वाचन प्रणाली के सम्बन्ध में सभी निर्वाचकों का मत लिया जाय;

अथवा

प्रथम व्यवस्थापक सभाओं में २/३ भाग पृथक निर्वाचन-पद्धति से और १/३ भाग संयुक्त निर्वाचन द्वारा सदस्य चुने जायँ तथा पाँचवें वर्ष के प्रारम्भ में दोनों निर्वाचन-प्रणाली के सम्बन्ध में सभी निर्वाचकों का मत लिया जाय।

साथ ही मौलाना शौकतअली ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि पूर्ण अथवा आंशिक रूप में संयुक्त निर्वाचन-प्रणाली के व्यवहार में प्रथम बीस वर्षों तक स्वर्गीय मौलाना मुहम्मदअली के निर्दिष्ट उपायों को व्यवहार में लाया जाय।

उपरोक्त सभी प्रस्तावों पर दोनों पक्ष के नेताओं की सम्मिलित कमिटी ने विचार किया। तत्पश्चात् इस कमिटी की बैठक इसलिए स्थगित हो गई कि प्रत्येक पक्ष इस मामले में अपनी-अपनी कमिटी के मत स्थिर कर लें। भोपाल का वातावरण कुछ ऐसा सुन्दर था कि इन दोनों पक्षों के नेताओं को इस बात की आशा बँध गई थी कि पारस्परिक मतभेद दूर हो जाना सम्भव है। परन्तु सारे भारत को और विशेषकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुसलमानों के आश्चर्य का उस समय ठिकाना न रहा, जब कि २९वीं मई को दिल्ली में अखिल भारतीय साम्प्रदायिक मुस्लिम सभा की कार्यकारिणी समिति ने, न केवल डॉक्टर अन्सारी तथा सर मुहम्मद शफ़ी के प्रस्तावों को (जो उन्होंने सभी साम्प्रदायिक मुस्लिम नेताओं की ओर से भोपाल में उपस्थित किया था) ही अस्वीकार किया, वरन् उन प्रस्तावों के स्थान पर निम्न-लिखित प्रस्ताव रक्खा :—

"भारत के नए शासन-विधान में पहले पृथक निर्वाचन-प्रणाली के द्वारा ही मुस्लिम सदस्य चुने जायँ। तत्पश्चात् यदि पृथक व्यवस्थापक सभाओं के जीवन-काल में ही पृथक निर्वाचन-प्रणाली के द्वारा चुने सदस्यों का बहुमत अथवा किसी प्रान्त के १० प्रतिशत मुस्लिम निर्वाचक संयुक्त एवं पृथक निर्वाचन-प्रणाली के सम्बन्ध में सभी मुस्लिम निर्वाचकों के मत लेना चाहें, तो इस सम्बन्ध में सभी मुस्लिम निर्वाचकों के मत लिए जायँगे।"

जहाँ एक ओर अखिल भारतीय साम्प्रदायिक मुस्लिम सभा की कार्यकारिणी समिति ने अपने उपरोक्त निर्णय के आधार पर अपने प्रतिनिधियों को सुलह करने का अधिकार दिया; वहाँ अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम सभा की कार्यकारिणी ने निम्न-लिखित आशय का निर्णय किया :—

"इस समिति को अखिल भारतीय साम्प्रदायिक मुस्लिम सभा की कार्यकारिणी समिति का निर्णय इसलिए स्वीकार नहीं है कि उक्त निर्णय लखनऊ के गत अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम सम्मेलन के प्रस्तावों का विरोधी है तथा उसके भाव राष्ट्रीय एवं मुस्लिम हितों के प्रतिकूल हैं।

"इस समिति को दुख है कि साम्प्रदायिक मुसलमानों की उक्त कार्यकारिणी समिति अपने प्रतिनिधियों के उस निर्णय से पीछे हट गई है, जोकि उन्होंने १०वीं और ११वीं मई को भोपाल-सम्मेलन में किया था। समिति साथ ही साथ अपने प्रतिनिधियों को इस बात का अधिकार देती है कि राष्ट्रीय एवं मुस्लिम सम्प्रदाय के वास्तविक हितों का ध्यान रखते हुए, आगामी भोपाल-सम्मेलन में दोनों मुस्लिम सम्प्रदायों में एकता स्थापित करने के लिए कोई भी उचित मार्ग शेष न रक्खें।"

कहना नहीं होगा कि मुस्लिम दल के दोनों पक्ष की कार्यकारिणी समितियों के इन निर्णयों के बाद वास्तविक सन्धि एवं एकता की कोई आशा शेष न रही। फिर भी, चूँकि गत ६ठी जून को भोपाल में दोनों दलों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन निश्चित हो चुका था; अतएव डॉक्टर अन्सारी अन्य राष्ट्रीय मुस्लिम प्रतिनिधियों के साथ इस अवसर पर भोपाल गए। परन्तु उक्त सम्मेलन इसलिए न हो सका कि साम्प्रदायिक मुस्लिम दल के दो प्रतिनिधि—सर मुहम्मद शफ़ी और सर मुहम्मद इक़बाल अनुपस्थित थे। इस स्थान पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि उपरोक्त दोनों सज्जनों की राय के अनुसार ही सम्मेलन की उक्त तिथि निश्चित हुई थी। फिर भी उस समय मौलाना शौकतअली और मौलाना शफ़ी दाउदी उपस्थित थे। इन सज्जनों के साथ

डॉक्टर अन्सारी आदि का इस बात पर पारस्परिक समझौता हुआ कि दोनों दलों के सम्मुख निर्णय के लिए यह योजना रहे। भारत के नए शासन-विधान में प्रथम पाँच वर्षों तक पृथक निर्वाचन-प्रणाली के द्वारा मुस्लिम सदस्य चुने जायँ। इसके बाद संयुक्त निर्वाचन-पद्धति को व्यवहार में लाया जाय; पर इसके साथ ही स्वर्गीय मौलाना मुहम्मदअली के निर्दिष्ट पथ पर चला जाय। इसके साथ ही यह शर्त भी तय हुई थी कि यदि किसी भी व्यवस्थापक सभा के ६० प्रतिशत मुस्लिम सदस्य मौलाना मुहम्मदअली के निर्दिष्ट मार्ग के विरुद्ध अपना मत प्रकट करें, तो उसकी उपेक्षा भी की जा सकती है।

साथ ही दोनों दलों के प्रतिनिधियों के सम्मुख एक यह योजना रखने का भी विचार पारस्परिक समझौते में तय हुआ कि प्रथम दश वर्षों तक पृथक निर्वाचन का व्यवहार हो, तत्पश्चात् संयुक्त निर्वाचन के द्वारा सदस्य उस समय तक चुने जायँ, जब तक $\frac{2}{3}$ मुस्लिम सदस्य इसका विरोध न करें।

मौलाना शौकतअली तथा मौलाना शफ़ी दाउदी एवं डॉक्टर अन्सारी तथा उनके साथी प्रतिनिधियों के इस व्यक्तिगत और पारस्परिक समझौते के साथ ही यह निश्चित हुआ, कि इस सम्बन्ध में निर्णय करने के लिए दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन २१वीं और २२वीं जून को शिमले में हो। निश्चित तिथि को सम्मेलन का नाटक हुआ भी, पर वह एक दुखान्त नाटक था। इस दुखान्त नाटक के लिए हमें दुख अवश्य है; पर आश्चर्य नहीं है। इसका कारण स्पष्ट है। दिल्ली और भोपाल के प्रारम्भिक अभिनयों से लेकर शिमला शैल-शिखर पर के अभिनय के निश्चय तक, सारी बातें ऐसी ही थीं, जिन्हें सुन और समझ कर साधारण बुद्धि का मनुष्य भी इस अभिनय के अवश्यम्भावी एवं अनिवार्य असफलता का निर्णय कर सकता था। हमारी उसी पूर्व-कल्पित असफलता की चर्चा करते हुए डॉक्टर अन्सारी ने अभी उसी दिन कहा है :—

"× × × we found that the Simla atmosphere for obvious reasons, was very inauspicious for any compromise. Our apprehensions have, alas, turned out to be only true. The unfortunate Simla surroundings and *influences*, now too well known to the public to require specific mention, proved too strong for the forces working for unity and all efforts to find a formula that would unite the two parties were set at naught."

अर्थात्—" × × × हम लोगों ने देखा कि स्पष्ट कारणों से शिमला का वातावरण किसी प्रकार की सन्धि के लिए अत्यन्त ही अधिक अशुभ था। हम लोगों का वह भय, अफ़सोस, पूर्णतः सत्य प्रमाणित हुआ। शिमला का अमङ्गलपूर्ण वायुमण्डल एवं प्रेरक शक्तियाँ, जो इतनी अधिक व्यक्त हैं कि जनता के सम्मुख उनके विशेष उल्लेख की आवश्यकता नहीं—उन शक्तियों के मुक़ाबिले में, जो सन्धि स्थापना में लगी हुई थीं, बहुत अधिक बलवान साबित हुईं और इस कारण दोनों दलों के बीच पारस्परिक एकता स्थापित करने का सारा प्रयत्न विफल हो गया।"

उन प्रेरक शक्तियों की चर्चा करते हुए आगे चल कर डॉक्टर अन्सारी महोदय कहते हैं :—

"I have reasons to believe, that left to themselves, the decision of the Working Committee of the All India Muslim Conference might probably have been different, but sinister influences working behind the scenes have brought negotiations, so well begun, to an abrupt end."

अर्थात्—"मेरे पास ऐसा विश्वास करने के लिए कारण है, कि यदि अखिल भारतीय मुस्लिम (साम्प्रदायिक) सभा की कार्यकारिणी समिति बिना किसी बाह्य प्रभाव के स्वतन्त्र रूप से अपना मत स्थिर कर सकी होती तो उसका निश्चय सम्भवतः कुछ और ही हुआ होता; 'परन्तु परदे के भीतर काम करने वाली कुटिल शक्तियों' ने सन्धिक्रम के इस सुन्दर प्रारम्भ का आकस्मिक अन्त कर दिया!"

डॉक्टर अन्सारी के उपरोक्त कथन से अक्षरशः सहमत होते हुए भी हम इस स्थान पर उक्त सम्मेलन की असफलता पर विचार करना अनावश्यक समझते हैं; कारण, इस प्रकार के सम्मेलनों की सफलता और असफलता उन शक्तियों पर निर्भर रहती हैं, जो अप्रत्यक्ष एवं अव्यक्त रूप से कार्य करती हैं। वे शक्तियाँ, चाहे उनकी गति कुछ देशद्रोही एवं धर्मद्रोही मुल्लाओं की स्वयं उपज हों अथवा किसी दूसरे स्रोत से प्रवाहित होती हों; उनका परिणाम साधारणतः सारे देश और विशेषकर अखिल मुस्लिम सम्प्रदाय के लिए कितना घातक एवं भयावह सिद्ध होगा; इस बात पर प्रकाश डालना ही हमारा अभीष्ट है। परन्तु इसके पहले, कि हम इस सम्बन्ध में अपना विचार प्रकट करें, शिमला के अभिनय की कुछ परिस्थितियों की चर्चा करना हम आवश्यक समझते हैं। और वह यह कि विगत रविवार अर्थात् गत २०वीं जून तक साम्प्रदायिक मुसलमानों की ओर से यह बात स्वतन्त्रतापूर्वक कही जाती थी कि यदि राष्ट्रीय मुसलमान यह बात स्वीकार कर लें कि भारत के नए शासन-विधान में पहले पाँच वर्षों के लिए पृथक निर्वाचन-प्रणाली ही व्यवहार में लाई जाय तथा उसके बाद प्रथम व्यवस्थापक सभा के मुस्लिम सदस्यों अथवा सभी मुस्लिम निर्वाचकों के बहुमत के द्वारा यह बात निश्चित कर ली जाय कि पृथक एवं संयुक्त निर्वाचन में किस पद्धति से काम लिया जाय, तो वे राष्ट्रीय मुसलमानों के साथ सन्धि के लिए खुले अधिवेशन में सम्मिलित होने को तैयार हैं। परन्तु साम्प्रदायिक मुसलमानों की ओर से राष्ट्रीय मुसलमानों के फँसाने की यह चाल तनिक विचार करने पर ही स्पष्ट हो जाती है। यदि पाँच वर्ष के लिए प्रथम व्यवस्थापक सभाओं के जीवन-काल तक भी साम्प्रदायिक मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का खुला मैदान मिल गया तो उस अवधि के बाद अर्थात् दूसरी व्यवस्थापक सभाओं के जीवन-काल में पृथक निर्वाचन-प्रणाली की यह अवधि बढ़ाना सहज है। इसके अतिरिक्त यदि संयुक्त निर्वाचन-प्रणाली का कार्यरूप में लाया जाना व्यवस्थापक सभाओं के मुस्लिम सदस्यों के बहुमत पर ही निर्भर रहा, तो इसका अर्थ यह है कि संयुक्त निर्वाचन-प्रणाली के व्यवहार में लाए जाने का निश्चय उन साम्प्रदायिक मुसलमानों के हाथ में ही रहेगा, जो पृथक निर्वाचन के कारण ही व्यवस्थापक सभाओं के सदस्य हैं, तथा जिनका अस्तित्व एवं भरपूर स्वार्थ इस बात में है कि देश एवं धर्मद्रोह के मूल्य पर भी पृथक निर्वाचन-प्रणाली सदा के लिए स्थापित रहे। यह तो हुआ व्यवस्थापक सभाओं के साम्प्रदायिक मुस्लिम सदस्यों की बात। इनके अतिरिक्त यदि संयुक्त निर्वाचन-प्रणाली का भविष्य सभी मुस्लिम निर्वाचकों के बहुमत पर निर्भर हो, तो इसका अर्थ यह है कि उक्त प्रणाली सर्वसाधारण मुस्लिम जनता के बहुमत पर निर्भर होगी। विगत १० वर्षों के अनुभव से यह बात पूर्णतः स्पष्ट है कि धूर्त, देशद्रोही एवं अपना उल्लू सीधा करने वाले लोगों के क्षणिक सङ्केत से ही इस अभागे देश का वातावरण परस्पर के साम्प्रदायिक द्वेष, घृणा और अविश्वास से सहज ही दूषित हो सकता है। इस अवस्था में देश की बेचारी भोली-भाली अशिक्षित मुस्लिम जनता के बहुमत से संयुक्त निर्वाचन-प्रणाली की आशा रखना बालू से तेल निकालने की आशा के बराबर है!

इस पृथक निर्वाचन-प्रणाली के दूषित इतिहास पर दृष्टिपात करते ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि राष्ट्रीय विचार के भारतवासियों ने सन् १९१६ ई० में साम्प्रदायिक निर्वाचन का अस्तित्व केवल अस्थायी रूप से स्वीकार किया था; परन्तु यह स्वीकृति सन्तोष के स्थान पर असन्तोष फैलाने में बहुत-कुछ सहायक हुई। कारण, साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक उसमें सन्तोष न कर सके, जो उन्हें मिला था; प्रत्युत थोड़े दिनों में ही नागरिक एवं सरकारी विभागों के प्रत्येक अङ्ग में साम्प्रदायिक स्थानों के पृथक्करण के सम्बन्ध में उनकी लालसा जाग्रत हो उठी और वे अपनी माँग पेश करने लगे। परिणाम-स्वरूप सन् १९१९ ई० के माण्टेगु चेम्सफ़ोर्ड शासन-सुधार के समय जबकि देश को प्रतिनिधित्व अधिकार की नक़ल दी गई; साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व ने देश के हिन्दू-मुस्लिम भ्रातृत्व-भाव को बहुत धक्का पहुँचाया। और यदि हिन्दू-मुस्लिम-कलह के मूल पर विचारपूर्वक ध्यान दिया जाय तो यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जायगी कि हमारे पारस्परिक स्नेह एवं भ्रातृत्व-भाव में रोड़ा अटकाने का तथा हमारे आपस के द्वेष, घृणा और वैर की नींव दृढ़ करने का प्रधान कारण इस अभागे देश का साम्प्रदायिक निर्वाचन ही है। इस स्थान पर यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यदि १९३३ ई० की शासन-योजना में यह साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व स्थापित रहा, तो इसका परिणाम देश के लिए केवल भयावह ही नहीं होगा, वरं भारत में वह सर्वतोमुखी क्रान्ति फैलेगी, जिसकी भीषण ज्वाला से ब्रिटेन बच नहीं सकता। तात्पर्य यह कि भारत में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की जिस विषैली नीति से ब्रिटेन सदा के लिए भारत को साम्राज्य का ग़ुलाम बनाना चाहता है, उसकी भीषणता भारत का ही सर्वनाश करेगी, यह बात नहीं। भारत के उस सर्वनाश से ब्रिटिश साम्राज्य बच नहीं सकता, कारण साम्राज्य के सारे ऐश्वर्य, सारे वैभव, सारी शक्ति एवं सारी मर्यादा के अन्तराल में दीन-हीन, क्षुधित एवं दरिद्र भारत की काया—उसके काँपते हुए प्राण पखेरू छिपे हुए हैं। और जिस दिन काया की वह दीवार टूट जायगी, जिस दिन प्राणों का वह 'पक्षी' उड़ जायगा, उस दिन साम्राज्य का सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य, सारी शक्ति एवं सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जायगी। अतः साम्प्रदायिक निर्वाचन के सम्बन्ध में हिन्दू-मुस्लिम तथा भारत की समस्या तो अलग रही, स्वयं ब्रिटेन की समस्या इस प्रकार उलझेगी, जिसकी कठिनाइयों पर विचार करना ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का और विशेषकर 'टोरी' राजनीतिज्ञों का एक प्रमुख कर्तव्य है।

पर 'टोरी' राजनीतिज्ञों को ही सचेत करने से हमारा काम नहीं चलेगा। हमें स्वयं भारत को और विशेषकर भारत के साम्प्रदायिक मुसलमानों को साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के इस विनाशकारी रोग से बचाना होगा। हमें भोली-भाली मुस्लिम जनता को कुछ इने-गिने शौकतअलियों और शफ़ी दाउदियों; हसरत मुहानियों और सर इक़बालों; ज़फ़रअलियों और सर फ़ज़्ले हसनों जैसे देशद्रोही मुल्ला-पन्थियों से सावधान करना होगा। हमें ख़ुदा पाक के उन करोड़ों भोले-भाले बन्दों और रसूल की उन करोड़ों उम्मतों को बड़ी मुहब्बत और ज़्यादा से ज़्यादा फ़राख़-दिली से यह बतलाना होगा कि साम्प्रदायिक निर्वाचनों से न तो

दुनिया बनेगी और न दीन की ही ख़िदमत हो सकेगी। गत अप्रैल मास की १८वीं तारीख़ को अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम कॉन्फ़्रेन्स के लखनऊ वाले अधिवेशन के सभापति के पद से अपना ओजपूर्ण भाषण देते हुए बिहार प्रान्त के सम्भ्रान्त मुस्लिम नेता सर अलीइमाम ने कहा था—

"Separate electorate connote the negation of nationalism, and without nationalism freedom is impossible."

अर्थात्—"पृथक निर्वाचन, राष्ट्रीयता का विरोधी है और बिना राष्ट्रीयता के स्वतन्त्रता असम्भव है।"

उसी भाषण में आगे चल कर सर अलीइमाम ने कहा था :—

'Separate electorate and responsible Government are two contradictory things and cannot go together."

अर्थात्—"पृथक निर्वाचन और उत्तरदायी शासन दो परस्पर-विरोधी बातें हैं और इनका साथ नहीं हो सकता।"

उसी सम्मेलन के प्लेटफ़ॉर्म से कॉङ्ग्रेस के भूतपूर्व प्रेज़िडेण्ट एवं देश के उच्च प्रतिष्ठ मुसलमान डॉक्टर अन्सारी ने अपने महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक भाषण में कहा था :—

"The insistence on separate electorates would prove suicidal to the continuance of the Mussalmans in this country as a political or cultural force of any significance. Politically separate electorates are bound to prove the most effective method of perpetuating and accentuating communal bitterness and sectional exclusiveness. And what does it imply for Mussalmans? It implies in the Province where Mussalmans are in a minority and in India as a whole the absolute impossibility of their being at all effective as a political force in spite of the weightage that is asked for. It implies political impotence with consequent bitterness, sense of futility, demoralisation, ruin."

अर्थात्—"पृथक निर्वाचन के लिए आग्रह करना मुसलमानों की राजनीतिक एवं संस्कृति सम्बन्धी अनुबन्ध के लिए घातक प्रमाणित होगा, एवं इस देश में मुसलमानों की राजनीतिक एवं संस्कृति सम्बन्धी शक्ति का कोई महत्व नहीं रह जायगा। राजनीतिक रूप में पृथक निर्वाचन साम्प्रदायिक वैमनस्य एवं पृथकता को स्थापित करने तथा महत्वपूर्ण बनाने का निश्चय ही एक बहुत प्रबल साधन होगा। मुसलमानों के लिए इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जिन प्रान्तों में मुसलमानों की संख्या कम है और विशेषकर के भारतवर्ष में समष्टि रूप से वे अपनी कोई प्रभावोत्पादक राजनीतिक शक्ति नहीं निर्माण कर सकते ; चाहे उन्हें वे सभी अधिकार उसी परिमाण में प्राप्त हो जायँ जितना वे चाहते; इसका अर्थ वह राजनीतिक अशक्यता है जो आगे चल कर कटुता, नैतिक-हीनता, लघुता के भाव और सर्वनाश में परिणत होगी।"

डॉक्टर अन्सारी के ये शब्द राजनीतिक दृष्टि से गवेषणापूर्ण हैं। साम्प्रदायिक मुसलमानों में दो प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के वे लोग हैं, जो पूर्ण सच्चाई और ईमानदारी के साथ पृथक निर्वाचन-प्रणाली को मुस्लिम हित के लिए उपयोगी समझते हैं ; दूसरे प्रकार के वे लोग हैं, जो इसे स्वयं मुस्लिम सम्प्रदाय के लिए भी अहितकर समझते हुए भी उसका पुष्ट-पोषण इसलिए करते हैं कि यह उनकी रोटी का सहारा है। हम इन दोनों प्रकार के साम्प्रदायिक मुसलमानों का ध्यान डॉक्टर अन्सारी के उपरोक्त महत्वपूर्ण शब्दों की ओर आकर्षित करेंगे।

यहाँ हम उन साम्प्रदायिक मुसलमानों का ध्यान पुनः राजनीति के उस महत्वपूर्ण अंश पर आकर्षित करना चाहते हैं, जो समझते हैं कि पृथक निर्वाचन उनके सम्प्रदाय के लिए हितकर है। भारत में बङ्गाल, पञ्जाब और सीमा प्रान्त, इन्हीं तीन प्रान्तों में मुसलमानों की संख्या अधिक है। इनमें सीमा प्रान्त शासन-सुधार की सीमा में नहीं आता। शेष है बङ्गाल एवं पञ्जाब। इन प्रान्तों में मुसलमानों की संख्या इतनी अधिक नहीं है कि प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं में उनका ही बोलबाला हो। इस स्थान पर यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मुसलमानों की साम्प्रदायिकता की प्रतिक्रिया हिन्दुओं और सिक्खों के हृदयों में प्रतिध्वनित हुए बिना नहीं रहेगी और यदि बङ्गाल व्यवस्थापक सभा के हिन्दू सदस्य एवं पञ्जाब व्यवस्थापक सभा के हिन्दू और सिक्ख सदस्य उक्त दोनों प्रान्तों के मुस्लिम सदस्यों का विरोध करने लगें तो उक्त दोनों प्रान्तों की व्यवस्थापक सभाओं में मुसलमान सदस्यों के लिए कोई भी बिल पास करना कठिन हो जावेगा।

उपरोक्त बातों पर ध्यान रखते हुए शिमला-शैल-शिखर का अभिनय दुखान्त और हास्य हुआ है! पर जहाँ एक ओर दोनों दल के मुस्लिम प्रतिनिधियों के सम्मेलन की असफलता पर हमें दुख है, वहाँ राष्ट्रीय पक्ष के मुसलमान प्रतिनिधियों के औचित्य और न्याय-प्रियता पर हमें गौरव भी है। हम तो उस दिन की कल्पना करते हैं, जब कि डॉक्टर अन्सारी की चिर-सञ्चित लालसा फलेगी और उनका उद्देश्य सफल होगा। हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी निर्विकार भाव से उद्देश्य-पथ की ओर बढ़ना होगा। देश में प्रबल गति से बहने वाला स्वतन्त्रता का उद्दाम और अनियन्त्रित प्रवाह किसी भी प्रकार रुक नहीं सकता। बालू की दीवारें उसे रोक नहीं सकतीं। कुछ कठ-मुल्लाओं का व्यक्तिगत स्वार्थ हिन्दोस्तान एवं इस्लाम को ख़तरे में नहीं डाल सकता!!

* * *

स्वर्गीय देशबन्धु चितरञ्जन दास

श्रद्धाञ्जलि

इस अभागे देश में कितनी ही लोकोत्तर विभूतियाँ आईं और अपनी प्रभा का दान देकर अनन्त में विलीन हो गईं। इस गुमराहों के लिए ही हमारे रहनुमा आए और हमारे राह का इशारा कर अपने निर्विकल्प पथ पर चल कर हमारी आँखों से ओझल हो गए! उनकी पवित्र स्मृति और उनके पुनीत उपदेशों के दिव्य प्रकाश में चल कर हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हैं। उनके चरण-चिन्हों पर चल कर हम अपने इष्ट की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। उनकी अमर कीर्ति को समय फीका नहीं कर सकता।

आज से छः वर्ष पहले की बात है। भारत के भाग्य-गगन का एक उज्ज्वलतम सितारा अचानक अस्त हो गया। देश ने आहें भरीं, दुश्मनों ने भी आदर और श्रद्धा से उस महान् आत्मा की स्मृति में सिर झुकाए। लोकमान्य की मृत्यु के बाद देश को इतनी गहरी चोट कभी नहीं आई थी!

वैभव और विलास की गोदी में पाले जाकर भी देशबन्धु के फ़क़ीराना दिल ने माँ की पुकार सुन, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। अलीपुर के विख्यात् षड्यन्त्र केस का सूत्रपात सन् १६०८ में हुआ। श्री० अरविन्द घोष को कोई पैरवीकार नहीं मिलता था। देशबन्धु का भाव-प्रवण हृदय मचल पड़ा और जिस तेजस्विता, वीरता एवं बुद्धि-कौशल से उन्होंने उस मामले की पैरवी की, वह सब पर प्रकट है! देश का तक़ाज़ा था, देशबन्धु परीक्षा में पूरे उतरे और सारे देश की सहानुभूति उनके चरणों में लोटने लगी!

पञ्जाब-हत्याकाण्ड से देशबन्धु के हृदय को सब से गहरी ठेस लगी और बैरिस्टरी पर लात मार, वे देश के युद्ध-प्राङ्गण में कूद पड़े। बाल-बच्चे सहित उन्हें सरकार की मेहमानी मन्ज़ूर करनी पड़ी, बङ्गाल का शेर सीख़चों में बन्द कर दिया गया!

गया की कॉङ्ग्रेस देशबन्धु के युद्धमय—सङ्घर्षमय जीवन की प्रमुख घटना है। स्वर्गीय पण्डित मोतीलाल जी के साथ परामर्श कर, उन्होंने स्वराज्य-पार्टी स्थापित की और अपने सिद्धान्त का झण्डा ख़ूब ज़ोरों से फहराया। तर्क और आत्म-विकास से क़ायल होकर उनकी इस अङ्गनी नीति को देश ने ख़ूब अख़्तियार किया! यह देशबन्धु का ही व्यक्तित्व था, जो गाँधीवाद के विरुद्ध स्वराज्य-पार्टी स्थापित कर, देश के अधिकांश शिक्षित व्यक्तियों के दिमाग़ को अपने साँचे में ढाल सका! देशबन्धु ने अपनी पार्टी द्वारा सरकार के दाँत किस प्रकार खट्टे किए, यह राजनीति से सम्बन्ध रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति जानता होगा।

मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाता है, पर अपनी कृतियों की ख़ुशबू अपने पीछे छोड़ जाता है। देशबन्धु के अनिन्द्य गौरव, अपूर्व आत्म-विश्वास, अप्रतिम प्रतिभा, अक्षुण्ण त्याग, अविरल तपस्या और अखण्ड बलिदान की गाथा आज भी देश और विदेश के घर-घर में गाई जाती है। दार्जिलिङ्ग की पर्वत-शिखर-माला से टकरा कर वायु ने करुणा-भरी तान में गाया था :—

"তুমি আমাদের সর্ব্ব জীবনের চির সাধনার
চির কল্পনার ফল।"

प्रकृति इस एक अलाप की कारुणिकता में निश्चेष्ट और गत-काय होकर एक क्षण के लिए अपने व्यापार से उदासीन थी, उधर संसार का एक अत्यन्त उज्ज्वल नक्षत्र अस्त हो रहा था—देशबन्धु की तपःपूत आत्मा ब्रह्म की विराटता में लीन हो रही थी!! १६२५ के १६वीं जून की वह भयानक सन्ध्या क्या कोई कभी भूल सकता है।

देश की वर्तमान राजनीतिक उलझनों और बङ्गाल की दुखद विशृङ्खलतापूर्ण 'मैं-मैं, तू-तू' में तो देशबन्धु का अभाव अत्यधिक अखर रहा है। हम उनकी पुण्य स्मृति में अत्यन्त आदर और प्रेम के साथ अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हैं।

* * *

एक अङ्गरेज़ आई०सी०एस०की निराशा

श्री० बरनॉर्ड हॉटन, आई० सी० एस० ने हाल ही में विलायती पत्रों में गोलमेज़ परिषद् के भविष्य तथा ब्रिटेन की मनोवृत्ति के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किए हैं, वह वास्तव में विवेचनीय एवम् विचारणीय हैं। अपने इस छोटे से वक्तव्य में हॉटन महोदय ने ब्रिटेन के साम्राज्यवादियों की प्रकृति का उल्लेख करते हुए बतलाया है, कि गोलमेज़ परिषद् में महात्मा जी की समस्त माँगों का उत्तर केवल 'नहीं' से तो न दिया जायगा, परन्तु मि० मैकडॉनल्ड तथा उनके

साथी बहुत नम्रतापूर्वक अपना खेद प्रकट करते हुए उनसे कहेंगे, कि यद्यपि हम भारत को शीघ्र से शीघ्र मुक्त कर देना चाहते हैं; किन्तु ब्रिटेन की राजनैतिक परिस्थिति हमें आपकी सम्पूर्ण राष्ट्रीय माँगों को देने में रुकावट पैदा कर रही है। मि० हॉटन का यह वक्तव्य भारतवासियों को विशेष रूप से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। आपने विलायती पत्रों में लिखा है:—

"मुसोलिनी का कहना है, कि शब्द तो सुन्दर होते ही हैं, बन्दूकें, तोपें, मैशीनगनें, जहाज़ और वायुयान उनसे भी अधिक सुन्दर होते हैं। मुसोलिनी के उपरोक्त कथन की जानकारी कॉङ्ग्रेस के प्रतिनिधियों को हो जाना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें—और विशेषकर मि० गाँधी को गोलमेज़ सभा से बड़ी-बड़ी आशाएँ हैं, पर इन लोगों को साम्राज्यवाद के स्वभाव का ज्ञान नहीं है।

"साम्राज्यवाद में पुस्तकों में लिखित सिद्धान्त-वाक्यों का कोई स्थान नहीं है। उनका प्रयोग केवल कभी-कभी भोले-भालों को धोखा देने के लिए कर लिया जाता है। साम्राज्यवाद का अर्थ शस्त्रों के संरक्षण में दूसरे देशों में उद्योग-धन्धों के द्वारा आर्थिक लूट है। अङ्गरेज़ भारत, मिश्र, मलाया, इराक़, पैलेसटाइन, केनिया और दूसरे एक दर्जन के क़रीब मुल्कों पर वहाँ के निवासियों को उन्नत और जागृत बनाने के लिए शासन नहीं कर रहे हैं; उनका उद्देश्य इन मुल्कों को अपने माल का बाज़ार बनाना, उनके कच्चे माल को अपने देश में पहुँचाना और अपनी पूँजी फैलाने का क्षेत्र पैदा करना है। इस बीसवीं सदी में पूँजी फैलाने का कार्य सब से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि उद्योग-धन्धों को क़ायम करने आदि का कार्य बैङ्कों पर ही अधिक निर्भर रहता है।

"भारत में रूई और जूट आदि के उद्योग-धन्धों में जो ब्रिटिश पूँजी लगी हुई है, उसके हित का विचार करके चुङ्गी लगाई जाती है। ब्रिटिश नीति में केवल कुछ नगरनिवासियों के हित की बात सोची जाती है, जोकि केवल अपने ही स्वार्थ का संरक्षण चाहते हैं।

"इसमें कोई सन्देह नहीं, कि भारत के मामलों में ब्रिटेन के राजनीतिज्ञों में मतभेद है। चर्चिल के दल वाले भारत के सम्बन्ध में अब से एक शताब्दी पहले की दृष्टि से विचार करते हैं। मैकडॉनल्ड और बाल्डविन-सरीखे लोग, जो कि अधिक जटिल और कुटिल हैं, भारतीय नेताओं को सुन्दर शब्दों और मामूली सुधारों के द्वारा बहला देना चाहते हैं। जिन मामूली सुधारों के दिए जाने की बात कही जा रही है, उनसे ब्रिटिश सत्ता के मूल में कोई परिवर्तन नहीं होता। उन सुधारों का उद्देश्य हिन्दुस्तानियों के धनी वर्ग को अपनी तरफ़ मिला लेना मात्र है। परन्तु कम्यूनिस्ट-दल को छोड़ कर, ब्रिटेन के और सभी दल भारत को पराधीन बना कर रखना चाहते हैं, इसके लिए भिन्न-भिन्न दलों की चालों में चाहे जो भी अन्तर हो।

"दिल्ली में गाँधी-इर्विन वार्तालाप के समय मि० गाँधी के हाथ में असहयोग आन्दोलन का अस्त्र था, जो कि ब्रिटिश सत्ता की जड़ को हिला रहा था। परन्तु अब लन्दन आने के समय भारत निःशस्त्र हो गया है और देश भर में अव्यवस्थाओं का साम्राज्य छाया हुआ है। मि० गाँधी और उनके साथी यहाँ आकर कराची-कॉङ्ग्रेस की माँगों और दूसरी माँगों को चाहे दुहराएँ भले ही, परन्तु ब्रिटेन के साम्राज्यवादी उन्हें उस हद को साफ़-साफ़ समझा देंगे, जहाँ तक कि वे जाने को तैयार हैं। उस समय हिन्दुस्तानियों को एक बार फिर मुसोलिनी के उपरोक्त वाक्य की यथार्थता जानने का अवसर मिलेगा।

"मि० गाँधी की माँगों का उत्तर कठोर 'नहीं' से नहीं दिया जायगा। जैसे अभी भगतसिंह और उनके साथियों की फाँसी के सम्बन्ध में कह दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार हर मामले में वही नहीं कर सकती, जो कि उसकी इच्छा है। वैसे ही इस बार मि० मैकडॉनल्ड और उनके साथी मि० गाँधी से कह देंगे, कि केवल ब्रिटेन की राजनीतिक परिस्थिति हमें भारत की सम्पूर्ण राष्ट्रीय माँगों को देने में रोक रही है। जो वस्तु मि० गाँधी लॉर्ड इर्विन से नहीं प्राप्त कर सके, जिनके समर्थक विराम-सन्धि के मामले में सम्पूर्ण ब्रिटिश दल थे, वह मि० मैकडॉनल्ड से मिलने की सम्भावना नहीं है; क्योंकि पार्लामेण्ट शासन-विधान के विषय में उन्हें निर्णय का पूर्णाधिकार नहीं समर्पित कर देगी। मज़दूर गवर्नमेण्ट भारत के विद्रोह का सामना कर रही थी, इस बात का ख़्याल करके राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुसार दूसरे दल वालों का मौन हो जाना एक बात है, परन्तु अधीन देश के प्रतिनिधियों के साथ खुली कॉन्फ्रेन्स में शासन-विधान के विषय में बातें करना दूसरी ही बात है।"

हमें आशा है, विचारशील भारतवासी एक भूतपूर्व आई० सी० एस० की इन पंक्तियों की गम्भीरता पर समुचित रूप से विचार करेंगे।

* * *

अर्थ-सङ्कट का नया नुस्ख़ा

भारत-सरकार कितने ही वर्षों से अर्थ-सङ्कट में है। बजट को पूरा करने के लिए इसने पिछले १९ वर्ष के अन्दर कई नए टैक्स लगाए हैं और कई पुराने टैक्सों को बढ़ा भी दिया है। नमक, डाक और रूई के कर से भी जब सङ्कट-निवारण नहीं हुआ; तो सरकार ने क़र्ज़ लेना शुरू किया। इस विधि से सरकार का भी काम जैसे-तैसे चलने लगा और विलायत के धनी ऋणदाताओं को अपना रुपया लगाने का तथा चैन से ब्याज कमाने का मौक़ा भी मिल गया। सन् १९१९ से इस सङ्कट की विषमता और भी बढ़ने लगी और सरकार अधिकता के साथ ऋण लेने लगी। गत वर्ष के स्वातन्त्र्य संग्राम ने सरकार की आमदनी के सब दरवाज़ों पर रोक लगा कर एक भयङ्कर स्थिति उपस्थित कर दी और वर्ष भर में ही सरकार को दो बार क़र्ज़ लेने की नौबत आ गई। पिछली बार तो सरकार ६ प्रतिशत सालाना तक ब्याज देने को तैयार हो गई, पर अब साहूकारों में इसकी साख दिनोंदिन घटती जाती है, इसलिए पर्याप्त क़र्ज़ भी नहीं मिलता। इधर स्वातन्त्र्य-संग्राम और आज्ञा-भङ्ग, उधर विश्वव्यापी वाणिज्य-शैथिल्य और कृषिजन्य पदार्थों का सस्तापन। ऐसी भीषण स्थिति से हैरान होकर भारत-सरकार ने राष्ट्र-सङ्घ के अर्थ-विभाग के डायरेक्टर सर आर्थर साल्टर को अपना इलाज करवाने के लिए बुलवाया। सर आर्थर की चिकित्सा-विधि यूरोप के राजनीतिज्ञों को पसन्द नहीं आई, इसलिए पिछले अक्टूबर में आप त्याग-पत्र ही देने वाले थे, कि भारत और चीन सरकार ने आपको निमन्त्रित कर लिया। भारत-सरकार के लिए नुस्ख़ा तजवीज़ करके अब सर आर्थर चीन चले गए हैं और वहाँ की आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं। सर आर्थर ने यह सलाह दी है, कि प्रत्येक प्रान्त में निपुण और विशेषज्ञ अफ़सरों की एक अर्थ-समिति हो, जो ख़र्च को सदैव आँखें फाड़-फाड़ कर देखा करे। इन प्रान्तिक समितियों के ऊपर एक केन्द्रीय समिति हो, जो केन्द्रीय सरकार के ख़र्च को देखने के अतिरिक्त प्रान्तिक समितियों को भी सलाह देती रहे। भारत-सरकार और प्रान्तिक सरकारें इन समितियों की सलाह के बिना कोई ख़र्च नहीं करें।

हमारे ख़्याल से सर आर्थर के नुस्ख़े से भारत-सरकार का रोग घटेगा नहीं, बल्कि बढ़ जायगा। ख़र्च की अधिकता और आमदनी की कमी से तो सरकार पहले ही हैरान है और जो कहीं सर आर्थर की तजवीज़ स्वीकार कर ली गई तो एक नया महकमा और जारी हो जायगा, जिसके वार्षिक व्यय का अभी अनुमान भी नहीं किया गया है। वास्तव में सरकार अपने असली रोग को तो छिपाए रखना चाहती है और केवल उपद्रवों की चिकित्सा करवाना चाहती है।

भारतवर्ष संसार भर में सबसे अधिक निर्धन देश है, पर यहाँ की सरकार का ख़र्चा अत्यन्त समृद्ध देशों की सरकारों के ख़र्चे से भी ज़्यादा है। यहाँ के डिप्टी कलक्टर की भी तनख़्वाह जापान के प्रधान सचिव और टर्की के राष्ट्रपति से कम नहीं है। वॉयसराय के बराबर अमेरिका के प्रेज़िडेण्ट को भी वेतन नहीं मिलता! वार्षिक आमदनी का अधिकांश केवल सेना-विभाग पर निछावर कर दिया जाता है। नई देहली के निर्माण में ग़रीब किसानों की करोड़ों की कमाई स्वाहा कर दी गई। हमारी सरकार को यदि कोई हाथ रोकने की सूझती है, तो शिक्षा-विभाग के लिए; वरना इसकी उदारता विश्व-विदित है।

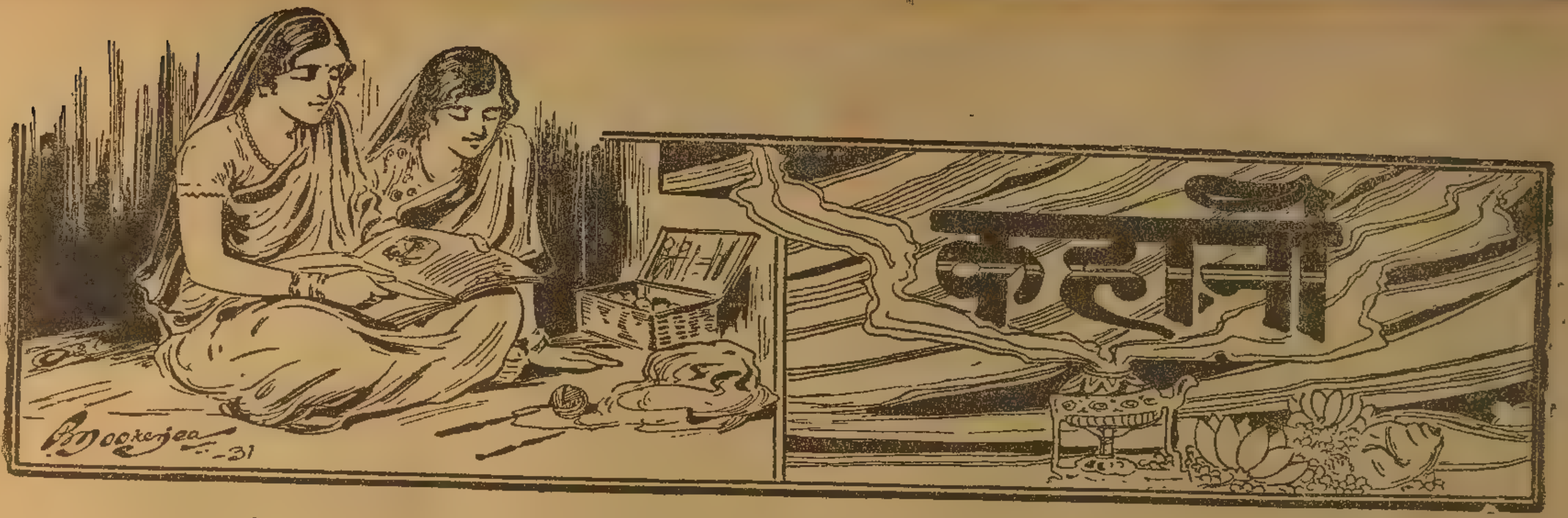
इस अवस्था में न सर आर्थर का नुस्ख़ा कारगर हो सकता है और न किसी नए टैक्स से काम चल सकता है। इस अर्थ-सङ्कट के निवारण का एकमात्र उपाय यही है, कि ख़र्चे में भारी कमी की जावे। कङ्गाल देश अपने कर्मचारियों के इस भयङ्कर और प्रचुर वेतन को सहन नहीं कर सकता। महात्मा-गाँधी चाहते हैं कि ५००) रु० मासिक से किसी अधिकारी को अधिक वेतन न दिया जाए, क्योंकि इस देश में जो ५००) रु० से अधिक ख़र्च करता है, वह भारी पाप करता है। भारत-सरकार ने इस समय एक "किफ़ायत कारिणी" (Retrenchment Committee) कमिटी बैठा रक्खी है और वह छानबीन कर रही है। हम देखना चाहते हैं कि वह कितनी निर्भीकता से काम करती है और देखें, उसकी तजवीज़ क्या होती है? हमारी दृढ़ धारणा है कि आज नहीं तो कल, सरकार को महात्मा गाँधी का नुस्ख़ा ही सेवन करना पड़ेगा। भारत की दरिद्रता का निदान जैसा साबरमती के कारुणिक वैद्य ने किया है, वैसा और कर ही कौन सकता है?

* * *

बीसवीं सदी के अत्याचार

भारत की देशी रियासतें पाशविकता की दृष्टि से सारे संसार में अपना सानी नहीं रखतीं। जो लोग बिजौलिया-सत्याग्रह के सम्बन्ध में कुछ भी जानते हैं, वे अवश्य हमारी इस धारणा की पुष्टि करेंगे, इसमें सन्देह नहीं। अभी कल की बात है, कि वहाँ के सत्याग्रही कार्यकर्ता श्री० मणिलाल जी पर इतने अमानुषिक अत्याचार किए गए, कि २०वीं शताब्दी के किसी भी शासन को कलङ्कित करने के लिए वे काफ़ी हैं! कहा जाता है कि उन्हें कम्बल ओढ़ा कर धूप में घण्टे भर बिठाया गया!! जो लोग कभी राजपूताने में रहे हों और जिन्हें वहाँ की गर्मी का अनुभव है, वे ही इसका अनुमान कर सकते हैं कि आजकल धूप में कम्बल ओढ़ कर बैठना कितना कष्टकर है। इस प्रकार के अमानुषिक अत्याचारों से रियासती सरकारों के प्रति प्रजा के हृदय में यदि असद्भाव की वृद्धि हो, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? इस समय सारा संसार एक ओर है और ये अभागी भारतीय रियासतों की सरकारें दूसरी ओर।

* * *



आरोप

[श्री० ऋषभचरण जी जैन]

माँ, बाप, जवानी और दौलत की क़ुरबानी करके बाबू सुन्दरलाल ने एम० ए० पास किया। पर पास कर लेना ही तो सीढ़ी पार कर लेना नहीं है, इसलिए बेचारे बेकार बैठ कर दुर्भाग्य के दिन बीतने की बाट देखने लगे।

ब्याह हो चुका था, पर बच्चा कोई नहीं हुआ था। प्रकृति उनकी भावुक और उदार थी, इसलिए बाप न बनने का कुछ ज़्यादा खेद भी उन्हें न था। फिर अर्थाभाव और बेकारी में तो सन्तान की इच्छा करना उनके निकट कोरी विडम्बना थी!

लिखते कुछ नहीं थे, तो भी उन्हें साहित्यिक कहना पड़ेगा। भावुकता और सुन्दर वाक्य-रचना अगर साहित्यिक के प्रधान गुण हैं, तो आप भी मान लीजिए, वे साहित्यिक हैं। एच० जी० वेल्ज़ की ताज़ी रचना की मौलिक समालोचना करने की शक्ति जिस आदमी में हो, मैं समझता हूँ, उसे साहित्यिक मानने में आपको सङ्कोच न होना चाहिए। अच्छे लेखकों पर श्रद्धा का भाव रखना और मुग्ध हो-होकर—अधिकारपूर्वक—उनकी रचनाओं की प्रशंसा के राग गाना, क्या आप एक साहित्यिक में स्वाभाविक नहीं मानेंगे? बस, समझिए और कहिए—बाबू सुन्दरलाल साहित्यिक हैं।

स्त्री का ज़ेवर धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा है, पर नौकरी के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करते। इसका अर्थ यह नहीं, कि वे चिन्ता से घुले नहीं जा रहे हैं, या अर्द्ध-शिक्षिता सुन्दरी स्त्री के ताने-तिश्ने उनके दिल में बर्छे की तरह नहीं चुभते हैं! पर करें क्या, आदत से लाचार हैं। किसी के आगे गिड़गिड़ा नहीं सकते, भीख नहीं माँग सकते, डाका नहीं डाल सकते!

जब गृहिणी ज़्यादा परेशान करती है, तो उठ कर किसी दोस्त के यहाँ चल देते हैं।

एक दिन दोपहर का वक़्त था। सुन्दरलाल बैठक में बैठे किताब पढ़ रहे थे। सहसा एक अजनबी आता नज़र पड़ा।

हाथ में उसके एक कम्बल था और शरीर पर खद्दर का कुर्ता। दाढ़ी-मूँछें बढ़ी हुईं, हाथ-पैर पतले-पतले, आँखें काफ़ी बड़ी और उम्र थोड़ी होने पर भी भाव-भङ्गी उसकी ख़ासे प्रौढ़ आदमियों की सी थी।

बैठक के आगे आकर वह ठहर गया और चिक उठा कर भीतर झाँका। बोला—थोड़ा पानी पीना चाहता हूँ!

मामूली बात थी, तो भी सुन्दरलाल को उसके स्वर और लहजे में विशेषता दिखाई पड़ी। पूछा—कहाँ से आते हैं?

अजनबी हँस पड़ा और बोला—पानी पिलाने के लिए यह पूछना ज़रूरी है?

सुन्दरलाल झेंप गए और यह कहते हुए उठे—ना, क्षमा कीजिएगा!

कुल्ला करके अजनबी ने पानी पिया और एक बार कड़कती धूप को और दूसरी बार सुन्दरलाल के बैठक को देख कर कहने लगा—ठहरें या जाएँ?

सुन्दरलाल ख़ुद ही कहने वाले थे कि ठहरिए। अब ख़ुद उसके मुँह से यह बात सुन कर कुछ घबरा से गए। बोले—जी, आइए, आपका घर है।

अजनबी हँसा और बिना कुछ बोले, पैर झाड़ कर भीतर चला आया।

"अगर मैं सो जाऊँ तो आपको तकलीफ़ तो न होगी?"—इस प्रश्न का इच्छानुकूल उत्तर पाकर अजनबी पैर फैला कर सो गया।

२

चार बजे उसकी नींद खुली, तो आँखें मल कर कहने लगा—तो अब जाता हूँ, महाशय, धन्यवाद!

"जी, अभी? भोजन बन रहा है।"

"भोजन बन रहा है? सचमुच? आप ही के लिए या मेरे लिए भी?"

सुन्दरलाल फिर झेंपे। "जी नहीं, आपके लिए भी बन रहा है। खाकर जाइएगा।"

उसने कुछ सोच कर कहा—भोजन तो मैं कर लूँगा, पर आज फिर मुझसे हिला न जायगा। अगर आप कल तक के लिए मेरा आतिथ्य स्वीकार कर सकें, तो इस वक़्त भोजन खिलाएँ, वरना मेरा वह रास्ता है—नमस्कार!

कह कर उसने उठने का उपक्रम किया।

सुन्दरलाल के मुँह से वही निकला, जो उनके जैसे आदमी के मुँह से निकलना चाहिए था—"आप बड़ी ख़ुशी से रहें!"

'ख़ुशी' कहते और उसमें 'बड़ी' विशेषण लगाते वक़्त उनकी जीभ अटकने को हुई, पर अटकी नहीं।

उसने नल पर जाकर स्नान किया, सुन्दरलाल से माँग कर धोती पहनी, बालों में तेल डाला और आकर बैठा।

अब सुन्दरलाल ने फिर पूछा—कहिए, कहाँ से आना हुआ?

वह फिर हँसा और बोला—तो क्या खाना खिलाने के लिए यह पूछना ज़रूरी है?

सुन्दरलाल झेंपे तो अब भी, पर निरुत्तर न हुए—"जी नहीं, यों ही पूछा था। अच्छा, आपका शुभ-नाम?"

उसने मुस्करा कर कहा—क्या कीजिएगा पूछ कर?

"कुछ नहीं।"

"बस, तो अब कृपा करके भोजन का प्रबन्ध कीजिए, मैं भूखा हूँ।"

भोजन तैयार ही था। दोनों जाकर बैठे।

खाना खाकर बैठक में लौटे, तो सुन्दरलाल ने कहा—आप बैठिए, मैं अभी आया।

कह कर वह भीतर चले। खाते-खाते गृहिणी ने सङ्केत किया था, उसी का कारण जानने के लिए यह जाना हुआ था।

गृहिणी ने पूछा—कौन हैं, ये जोगी महाशय?

सुन्दरलाल बोले—पता नहीं।

इसके बाद उन्होंने सारी बातें सुना दीं।

"अजब आदमी हो? न जाने कौन सा ऐरा-ग़ैरा है! जान न पहचान बड़ी बी सलाम—"

गृहिणी की बेतुकी उक्ति की आलोचना का लोभ त्याग कर सुन्दरलाल बोले—है तो भला आदमी, कोई चोर-उचक्का तो जान नहीं पड़ता।

"अजी, ऐसे भले बहुत देखे हैं! समझे? ख़ैर, जो हुआ सो हुआ, अब दयापूर्वक इन्हें राज़ी-ख़ुशी बिदा कर दो और कहो—'महाराज, हम तो ग़रीब आदमी हैं, हम पर दया करो।' जाने कहाँ से आ जाते हैं..."

"अरे नहीं, भला इस तरह कहा जाता है? दुनिया में आदमीयत भी तो कोई चीज़ है। बेचारा कल ख़ुद ही चला जायगा......"

सहसा बैठक में किसी ने उन्हें पुकारा। "ओहो! परसराम आया है।" कह कर सुन्दरलाल उधर दौड़े।

परसराम कॉलेज का दोस्त है, ऑफ़िस में नौकर है और सुन्दरलाल से दिली मुहब्बत और हमदर्दी रखता है।

परसराम से बात करने में ज़्यादा देर न लगी और हँसते-हँसते लौट कर सुन्दरलाल ने गृहिणी से कहा—नौकरी लग गई।

"सच?"

"सच।"

"कितने की?"

"अभी तो पचहत्तर मिलेंगे।"

"चलो, क्या थोड़े हैं।"—कहते-कहते गृहिणी हर्ष-विह्वल हो गई।

"और फिर तरक़्क़ी तो ख़ूब है।"

"तरक़्क़ी ख़ूब है?"

"हाँ, और ऊपर की भी......कुछ है!"

हर्ष-वेग से दोनों का गला रुँध गया, पति किसी और सोच में पड़े, पत्नी किसी और में।

तब सहसा पति ने पूछा—क्या सोचती हो?

पत्नी ने हँस कर पति की ओर ताका।

"क्या सोच रही हो?"

"वह है अभी?"

"कौन? परसराम?"

"नहीं; तुम्हारा जोगी।"

"हाँ, है। क्यों?"

"कुछ नहीं।"

"कुछ तो?"

"ओहो! बड़ा भाग्यवान है। घर में पैर पड़ते ही ख़ुशी का मौक़ा आया!"

सुन्दरलाल हँसते हुए बैठक की ओर चले गए।

३

रात को गृहिणी सोई भीतर, और उस अजनबी दोस्त के साथ सुन्दरलाल ने खाट बिछाया बैठक में।

बिजली बुझा कर सुन्दरलाल जब सोए, तो अजनबी ने कहा—भाई साहब !

"कहिए; पानी लाऊँ ?"

"ना ; नींद तो नहीं आ रही है ।"

"नहीं ।"

"आपने मेरा नाम पूछा था ?"

"हाँ ।"

"मेरा नाम रामचरन है ।"

"मकान कहाँ है ?"

"अगर इसका जवाब न दूँ, तो आप बुरा न मानें ।"

सुन्दरलाल चुप हुए, तो रामचरन ने कहा—मुझे ज़रा देर में सोने की आदत है । अगर आपको नींद न आती हो, तो कुछ देर बातचीत में वक़्त काट लें !

"हाँ-हाँ, ज़रूर ।"

मिनट भर बाद ही साहित्यिक चर्चा छिड़ गई । सुन्दरलाल तो रामचरन की दो-चार बातें सुन कर ही अवाक् रह गए ! दिल को दिल से राहत है ! सुन्दरलाल ने देखा, बड़ी हजामत वाला सीधा-सादा गँवार-सा रामचरन ऊँचे दर्जे का साहित्यिक है !

फिर तो वह बात जमी कि रात का एक बज गया ।

सुबह उठते ही रामचरन हँस कर बोला—भाई साहब, अब तो मुझे जाना चाहिए !

"अरे ! अभी से ?"—फ़ौरन उन्हें रात की बातें याद आ गईं । कहा—"आपको आसानी से न छोड़ूँगा ।"

रामचरन फिर हँसा और बोला—इस घर से जल्दी जाने को तो मन करता नहीं, पर......जाना ही चाहिए !

"नहीं जी, आप रहिए, आपका घर है, अपना घर समझ कर रहिए । आपको रख कर मुझे बड़ी ख़ुशी होगी !"

"घर तो आपका ही समझना होगा, आप सचमुच रखना चाहते हैं, तो एकाध दिन रहूँगा !"

सुन्दरलाल भीतर गए । गृहिणी ने मुस्करा कर कहा—दफ़्तर जाने की तैयारी करो !

"हाँ, भोजन........"

"वह भी खायगा ?"

"हाँ !"

गृहिणी भ्रू-कुञ्चित करते-करते हठात् रुक गईं । अजनबी मेहमान के पैरों की करामात के सम्बन्ध में कल जो मन्तव्य दिया था, हठात् उन्हें वह याद हो आया ।

सुन्दरलाल भी समझ गए । मुस्करा कर बोले—क्यों ? उसकी ख़ातिर नहीं करोगी ?

गृहिणी ने इसका उत्तर नेत्रों द्वारा दिया ।

४

उस दिन ऑफ़िस में देर हो गई । परसराम ने अपनी वृहदाकार मित्र-मण्डली से उसी दिन उनका परिचय करा दिया । जब सबकी बधाइयों के बोझ से ख़ुश होते हुए घर लौटे, तो उन्होंने कल्पनातीत दृश्य देखा । गृहिणी चूल्हे के आगे बैठी थी और रामचरन आलथी-पालथी मारे उसके सामने बैठा हँस रहा था ।

गृहिणी का मुँह खुला है ।

सुन्दरलाल की आहट सुनी तो पलट कर रामचरन हँस पड़ा और बोला—हमारी सुलह हो गई !

कुछ न समझ कर सुन्दरलाल जवाब में हँसे ।

रामचरन ने कहा—हमने हजामत बनवा ली और भाभी ने मुँह खोल दिया । क्यों भैया, मेरे सामने मुँह न खोलने से कैसे काम चलता भला ? मुँह खोला और बोल पड़ीं, तो बहुत सी असुविधाओं से बच गईं । बाज़ार से साग के लिए कह दिया, नल का पानी आज सूख गया तो कुएँ से पानी मँगा लिया, घी ख़तम हो चुका था, तो आज्ञा पाकर मैंने वह भी ला दिया । क्यों भैया, देखा तुमने, कितनी आसानी हो गई !

गृहिणी झट से बोल उठी—इनकी ज़िद भी......

रामचरन ने गर्ज कर कहा—फिर वही 'इनकी' ?

"ना, इसकी ! इसकी ज़िद भी मैंने तुड़वा कर छोड़ी । दाढ़ी बढ़ा कर अच्छा-ख़ासा भालू बना हुआ था । मैंने कहा—बर्तन तब छूने दूँगी, जब रीछ से मनुष्य बन जायगा !

उदार सुन्दरलाल यह दृश्य देख कर पुलकित हुए ।

अगले दिन सुबह उठ कर रामचरन बाज़ार चल दिया, और साग-सब्ज़ी में बँधा अँगौछा लेकर घण्टे भर में लौटा । आकर झटपट नहाया-धोया और बोला—भाई साहब, शाम को मेरे लिए एक कुर्ते का खद्दर और एक धोती लेते आना !

अर्थात् उसने घोषणा की कि मैं अब इस घर से टलूँगा नहीं !

सुन्दरलाल ने हँस कर मानो उसकी घोषणा का स्वागत किया ।

५

कई महीने बीत गए हैं । रामचरन सोलह आने घर का आदमी बन गया है । साग लाता है, सौदा ख़रीदता है, भाभी का मनोरञ्जन करता है; सुन्दरलाल के साथ कभी शतरञ्ज खेलता है और बाक़ी समय पुस्तकें पढ़ने में बिता देता है ।

अनेक अवसरों पर बच्चों की तरह रूठता है, मचलता है, रो देता है और बुरी-बुरी गालियाँ तक देने लगता है और अनेक अवसरों पर आँखों में आँसू भर कर इन गालियों के लिए पैर पकड़ कर क्षमा माँगता है ।

सुन्दरलाल को एक दैव-दत्त भाई मिला है और गृहिणी को एक देवता-रूप देवर । परन्तु दुनिया के कुछ पाजी लोग यह कहने में नहीं चूकते कि अच्छा रोटी-कपड़े पर नौकर मिल गया है !

पर सुन्दरलाल को उसने अपना परिचय आज तक नहीं दिया है । एक दिन आग्रह की मात्रा बढ़ गई, तो उसने कहा—देखिए, मेरा नाम रामचरन, मेरे भाई का नाम सुन्दरलाल, मेरी भाभी का नाम .....मालूम नहीं । बस इससे आगे कुछ भी पूछा, तो ईश्वर की क़सम, इसी दम इस घर से चल दूँगा ।

इसके बाद सुन्दरलाल ने कभी ज़िद न की !

सुन्दरलाल नियमित रूप से ऑफ़िस जाते हैं, एक ट्यूशन भी मिल गया है ।

गृहिणी उस दिन पड़ोस में एक अँगूठी देख कर आई थीं । सुन्दरलाल के पास कुछ रुपए एकत्र हो गए थे । शायद इसी से गृहिणी का मन उस सुन्दर अँगूठी के लिए बेतरह ललचा उठा ।

सुन्दरलाल आए तो प्रस्ताव पेश हुआ । रामचरन भी कमर पर हाथ रक्खे वहीं खड़ा था । गृहिणी का प्रस्ताव सुन कर सुन्दरलाल बोले—अभी कुछ दिन तो बीतने दो !

ऐसे मामलों में औरतों के पास तर्क का अभाव होता है, अगर नहीं होता तो वे उसका उपयोग करना अहितकर समझती हैं । ज़रा मुँह बनाना और उदास हो जाना ही इस वक़्त तो काफ़ी से ज़्यादा प्रभावपूर्ण तर्क है ! बस, गृहिणी ने वही किया ।

सुन्दरलाल पिघलते न दिखाई दिए, तो रामचरन का चेहरा तमतमा उठा । डाँट कर बोला—भाई साहब, अँगूठी लानी होगी !

सुन्दरलाल ने बिना उधर देखे, हँस कर कहा—वाह ! क्या देवर-भाभी मिले हैं । कोई धौंस है ? नहीं लाते ।

पर उसी वक़्त उन्होंने पलट कर रामचरन का भाव देखा, तो सहम गए ।

रामचरन ने पैर पटक कर कहा—इस घर में तब अन्न ग्रहण करूँगा, जब अँगूठी आ जायगी !

अँगूठी आ गई, उसने तभी अन्न ग्रहण किया ।

६

रामचरन ने अपने हाथ से अँगूठी भाभी की उँगली में पहराई, और ख़ुश होकर बोला—वाह ! कैसी सुन्दर है ! क़ुरबान जाऊँ !

सुन्दरलाल ज़रा कुछ 'रिज़र्व' रहना सीख गए हैं, इसलिए दूसरों से भी वैसी आशा करने का अपना अधिकार समझने लगे हैं । अङ्गरेज़ी दफ़्तर में काम करते हैं, इसलिए 'डिसिप्लिन' और नियम के भी कुछ आदी हो गए हैं ।

अँगूठी लाना उन्हें बुरा नहीं लगा, पर रामचरन का हठ पसन्द न आया । एक बार मन में आया था, वे भी हठ पकड़ जायँ, पर अँगूठी लाने में कुछ मानसिक कष्ट उन्हें देना नहीं था, क्योंकि रुपया मौजूद था, इसलिए रामचरन के हठ की जगह गृहिणी का मन रखने के लिए उन्होंने तुरन्त अँगूठी ला दी ।

रामचरन का वह हठ भी उन्हें अच्छा न लगा और आज यह 'क़ुरबान जाऊँ !' कहना भी उन्हें खला । पर बात को वे पी गए ।

रामचरन ने उस दिन अँगूठी, उँगली और अँगूठी या उँगली-वाली की तारीफ़ के पुल बाँध दिए । खाना खाया, घूमने गया और सोया—पर यह तारीफ़ बीच-बीच में बराबर जारी रही ! सुन्दरलाल की 'रिज़र्वड्नेस' जैसे उसी दिन समाप्त होनी थी, इसलिए रामचरन की बात सुन-सुन कर उसके प्रति अनिवार्य रूप से विरक्ति बढ़ती जा रही थी ।

आख़िर तारीफ़ करता-करता रामचरन सो गया । सुन्दरलाल को नींद आई, तब उस दिन पहले-पहल, उनके मन में बुरे-बुरे भाव थे ।

नई चीज़ थी, इसलिए गृहिणी ने सोते वक़्त अँगूठी उतार कर डिबिया में बन्द कर दी ।

सोने से पहले, जब रामचरन दूध पीने आया था, तो भाभी के हाथ में अँगूठी नहीं देखी थी । वजह भी उसने पूछी थी और बता भी दी गई थी ।

रात को अचानक गृहिणी की नींद टूट गई । कोई पास से गुज़र रहा था । उसने पूछा—कौन ?

रामचरन ने साफ़ आवाज़ में कहा—मैं हूँ भाभी !

"क्यों ?"

"कुछ नहीं, पाख़ाने गया था !"

बैठक में पहुँचा, तो सुन्दरलाल की नींद खुल गई । पूछा—कौन ?

"मैं हूँ, भाई साहब !"

"क्यों ?"

"कुछ नहीं, पेशाब करने गया था !"

सब सो गए ।

७

सुबह-गजरदम गृहिणी दौड़ी आई । आँखें फटी थीं और हाथ छाती पर थे । सुन्दरलाल को जगाया और धीरे से बोली—ग़ज़ब हो गया !

"क्यों ?"

"चोरी हो गई !"

"चोरी ?"

"हाँ ; अँगूठी चोरी चली गई !"

"अँगूठी ?"

"हाँ, डिबिया ख़ाली रक्खी है !"

सुन्दरलाल दौड़ कर वहाँ गए । डिबिया सचमुच ख़ाली थी । बोले—रामचरन से तो पूछो ; वह रात को उठा था !

"हाँ, उठा तो था !"

"पेशाब करने गया था ; उससे पूछो, शायद पता लगे ।"

गृहिणी को याद था—पाख़ाने गया था । तो भी चुप रही और पति के साथ बैठक में पहुँची ।

पर जब दरवाज़े पर पहुँचे, तो गृहिणी रुकी और धीरे से बोली—एक बात सोच लो ।

"क्या ?"

"बुरा न मान जाय ?"

"वाह ! बुरा क्यों मानेगा ? यही पूछेंगे, जब वह उठा तो उसे कुछ सन्देह तो नहीं हुआ !"

गृहिणी में धीरज ज़रूर था, पर व्यग्रता क्या कम थी ? इसलिए बोली—अच्छा चलो ।

"चलो ।"

"आगे तुम चलो । तुम्हीं पूछना ।"

"अच्छा" कह कर सुन्दरलाल आगे बढ़े । रामचरन जागा ।

"देखो रामचरन,"—सुन्दरलाल ने कहना शुरू किया—"रात को अँगूठी ग़ायब हो गई ।"

"ग़ायब हो गई ?"

"हाँ, इन्होंने डिबिया में रक्खी थी ।"

"डिबिया में ?"

"बस, सुबह देखते हैं, तो डिबिया ख़ाली !"

"डिबिया ख़ाली ?"

"हाँ ।"

"वाह !"—कह कर रामचरन उठा और बे-साख़्ता उधर चला । ख़ाली डिबिया देख कर पागलों की तरह खड़ा रह गया और बोला—"वाह ! अच्छा जादू हो गया ?"

सुन्दरलाल भी आकर बोले—तुम रात को उठे थे, तो.........!

"कौन उठा था, मैं ?"—रामचरन ने बात काट कर कहा—"मैं कभी उठता भी हूँ ? ना, मैं नहीं उठा रात को !"

अब गृहिणी ने कहा—रामचरन, इस समय हँसी रहने दो !

रामचरन ने चकित होकर कहा—अरे भाभी, तू भी ऐसी बात कहती है ? मेरी तो एक बार आँख लगी कि सवेरा होता है । मैं रात को उठ कर भला क्या करूँगा ?

फिर आप ही आप बोला—"वाह भई, अच्छा जादू हुआ !" और यह कहता हुआ वह फिर बैठक की तरफ़ चल दिया ।

पति-पत्नी एक-दूसरे का मुँह ताकते खड़े रह गए ।

"उठा तो ज़रूर था !"—सुन्दरलाल बोले ।

"हाँ, उठा तो ज़रूर था !"—गृहिणी ने भी कहा ।

"मेरी आँख खुल गई थी, मैंने पूछा था तो बोला—पेशाब करने गया था ।"

"मेरी भी आँख खुल गई थी । मैंने पूछा तो बोला—पाख़ाने गया था ।"

"अरे !"

"क्यों ?"

"क्या तुम्हारे पास आया था ?"

"हाँ; इधर ही तो है पाख़ाना !"

"ओहो !"

"ओहो !" कह कर सुन्दरलाल पाख़ाने की तरफ़ दौड़े और किवाड़ खोल कर देखा । पत्थर पर इधर-उधर मैला लगा हुआ था और बदबू आ रही थी । जैसे कोई अँधेरे में बैठा हो और असावधानी से बिगाड़ गया हो !

फिर देखा, आधा भरा हुआ लोटा भी मोरी पर रक्खा है ।

"पाख़ाने गया तो था !"—आकर उन्होंने गृहिणी से कहा ।

"फिर झूठ क्यों बोला ?"

कुछ सोच कर सुन्दरलाल बोले—"दाल में काला है !" और बैठक की तरफ़ चले ।

गृहिणी ने रोका—"देखो, सुनो !"

"हाँ ।"

"कहीं हँसी तो नहीं करता है ?"

जैसे क्षण-भर में सारी समस्या सुलझ गई । सुन्दरलाल ने ख़ुश होकर कहा—ओहो ! यही बात है ! यही बात है !

पति-पत्नी भाग कर बैठक में पहुँचे ।

कुछ दिन हुए, रामचरन ने एक सन्दूक़ची मोल ले ली थी । इस वक़्त वह उसे हाथ में लिए चुपचाप खड़ा था ।

सुन्दरलाल जाते ही हँस पड़े और बोले—वाह भई, ख़ूब चकमा दिया !

"कैसा चकमा ?"

"बस, अब भेद खुल गया । लाओ, अब क्या है ?"

"भाई साहब ! क्या कहते हो ?"

"अब भी बाज़ नहीं आते ?"

"क्यों ?"

"ला भैया, दे-दे अँगूठी ?"

"अरे ! मैं कहाँ से दे दूँ ?"

"जहाँ रक्खी हो !"

"मैंने ली हो, तब न !"

"यह कौन कहता है कि ली है; वाह भई, अच्छा सबक़ सिखाया ! लाओ, अब कभी खुले में नहीं रक्खेंगे ।"

"भाई साहब ! आपको शर्म नहीं आती ? क्या मैं चोर हूँ ? मैंने अँगूठी चुराई है ? लानत है, तुम पर !"—कहते-कहते रामचरन की आँखें जलने लगीं ।

अब सुन्दरलाल सँभले । बोले—क्या ?

"कैसे तुमने चोर कहा मुझे ?"

"चोर तो नहीं कहता ।"

"फिर ? मैं क्या जानूँ अँगूठी की बात ?"

"अच्छा तुम रात को उठे किसलिए थे ?"

"मैं तो नहीं उठा ।"

"झूठ बोलते हो !"

"तुम झूठ बोलते हो ! तुम्हें शर्म नहीं आती ?"

रामचरन की आँखों में आँसू भर आए और सुन्दरलाल क्रोधित हो उठे । दोनों में से कोई न बोल सका ।

तब गृहिणी आगे बढ़ी । नम्र स्वर में बोली—भाई रामचरन, तुम कैसी बातें करते हो ! तुम्हें नींद में याद नहीं रहा, तुम रात को उठे थे । मैं बोली थी, तो याद करो, तुमने जवाब भी दिया । तुम्हारे भाई पूछते हैं कि जब तुम उठे थे, तो किसी चोर का वहम तो नहीं हुआ ?

"ओहो ! आज कैसा पागल बन रहा हूँ ! मैं कहता हूँ, मैं उठा ही नहीं । क्या अच्छी बात है ! तुम मुझे झूठा कहते हो, मैं तुम्हें झूठा कहता हूँ !"

गृहिणी के कुछ बोलने के पहले ही सुन्दरलाल ने कड़क कर कहा—पाजी, इस सन्दूक़ची में क्या है ?

"सन्दूक़ची में क्या है ? लो देखो, क्या है !"—कह कर रामचरन ने सन्दूक़ची सुन्दरलाल के सामने फेंक दी ।

सन्दूक़ची टूट गई और उसमें से एक माला, एक पुस्तक, एक क़लम । कुछ स्याही की टिकियाँ, एक ताली और पाँच-छः बटन निकल पड़े ।

और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में वह अँगूठी पड़ी-पड़ी, जैसे दुष्टतापूर्वक हँस रही थी !

तीनों के मन में जैसा विभ्राट उपस्थित हुआ, मैं उसकी कल्पना करते भी डरता हूँ !

८

अँगूठी उठा कर और रामचरन से उसी दम घर छोड़ देने के लिए कह कर सुन्दरलाल बाहर चले गए तो साक्षात् मूर्ति बने हुए रामचरन के पास आकर गृहिणी ने कहा—रामचरन !

रामचरन ने पलट कर कहा—हाँ, भाभी !

आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट थी ।

"तुम जाना मत !"

"कहाँ ?"

"घर छोड़ कर मत जाना !"

"क्यों ?"

"भाई हैं, उनके कहे का बुरा न मानना ।"

"बुरा तो मानूँगा, पर जाऊँगा क्यों ?"

"नहीं, बुरा न मानो, देखो—भूल भी तो तुम्हारी थी । हँसी इतनी देर की नहीं होती; तभी अँगूठी दे देते !"

"पर मैंने तो अँगूठी ली ही नहीं, मैं दे कैसे देता ?"

"अच्छा, नहीं ली, नहीं ली ! अब जाने दो उस रार को ! कहो, जाओगे तो नहीं ?"

"जाऊँगा क्यों ? घर छोड़ कहाँ जाऊँगा ?"

"बस तो......"

९

सुन्दरलाल मुँह फुलाए दफ़्तर चले गए और देवर-भाभी बैठ कर ख़रबूज़े के बीज छीलने लगे ।

सहसा सामने से एक आदमी आया और रामचरन को देख कर ठिठक गया । रामचरन ने सिर उठा कर उसे देखा, और गृहिणी पल्ला नीचा करके पीछे सरक गई ।

उस आदमी ने कहा—राम-राम भैया !

रामचरन का चेहरा लाश की तरह सुफ़ेद हो गया, वह कुछ न बोला ।

नवागत ने फिर पूछा—यहाँ कब से हो ?

"कोई तीन महीने से ।"—रामचरन का कण्ठ फूटा ।

"उधर तो सब रो-धोकर बैठ गए ! कहाँ-कहाँ रहे ?"

"योंही घूमता रहा । अब यहाँ घर बना कर बैठा हूँ ।"

"तो यहीं रहने का इरादा है ?"

"सोलह आने !"

"अच्छा तो राम-राम, फिर मिलूँगा !"

वह आदमी गया तो रामचरन व्यग्र हो उठा । भाभी ज़रा लेट गई थी, थोड़ी देर में नींद में ग़ाफ़िल हो गई ।

तब वह चुपके से उठा और कुर्त्ता-धोती पहन, कम्बल कन्धे पर डाल, जल्दी-जल्दी एक तरफ़ चल दिया ।

* * *

अगले दिन कई आदमी सुन्दरलाल के घर आए । एक वृद्धा थी, एक वृद्ध थे, एक दासी थी और एक वही आदमी था, जो पहले दिन दोपहर को रामचरन से बात कर गया था ।

जब मालूम हुआ कि रामचरन कल से ही ग़ायब है, तो सबने सिर पीट लिया ।

अब रहस्य खुला । रामचरन एम० ए० तक पढ़ा था और बैरिस्टरी पास करने विलायत जाना चाहता था । माँ-बाप की इकलौती सन्तान थी, जाने न दिया गया । बाप लाखों-करोड़ों के आदमी थे और देश भर में प्रसिद्ध थे ।

(शेष मैटर १६वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)



प्रक्षुब्ध यूरोप

[डॉक्टर मथुरालाल जी शर्मा, एम० ए०, डी० लिट्]



'भविष्य' के किसी पिछले अङ्क में पाठकों ने फ़्रान्स के एक प्रसिद्ध राजनीतिक मॉन्शियर ब्रियेंट के यूरोपियन सङ्गठन का हाल पढ़ा होगा। उस लेख में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह आयोजन एशियाई जागृति का फल है। कुछ मास पूर्व यूरोप के अधिकांश राष्ट्रों ने इस सङ्गठन से सहमत होकर प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए थे और निश्चय किया गया था कि इस मास में सङ्गठन-आयोजन पर और अधिक विचार करने के लिए जेनेवा में सभा की जावे और उसमें रूस तथा टर्की के भी प्रतिनिधि बुलाए जायँ। जेनेवा में यह सभा हुई या नहीं, और हुई तो उसमें क्या निर्णय हुआ, इसके विस्तृत समाचार अभी तक भारत में नहीं पहुँच पाए हैं, परन्तु पिछले चार मासों में यूरोप में जो घटनाएँ हुई हैं और जो अन्तर्राष्ट्रीय उलझनें उपस्थित हुई हैं, उनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि निकट भविष्य में यूरोपीय सङ्गठन होना असम्भव है।

रूस के पञ्च-वर्षीय आयोजन से प्रायः सभी यूरोपीय राष्ट्र त्रस्त हो उठे हैं, और ग्रेट-ब्रिटेन में तो अनुदार-दल ने यह आन्दोलन भी करना शुरू कर दिया है कि रूस के माल का बहिष्कार किया जाय। फ़्रान्स, बेलजियम और इनके साथी अन्य देश भी इस विषय की चिन्ता करने लगे हैं। उधर टर्की रूस के तम्बाकू से भयभीत हो रहा है। पिछले मास में कमालपाशा ने भाषण देते हुए कहा था कि रूस के सस्ते तम्बाकू के कारण टर्की में तम्बाकू की खेती नष्ट होती जाती है और लोगों की आमदनी का एक मुख्य साधन लुप्त होता जाता है। रूस के प्रति यूरोपीय राष्ट्रों के इन भावों को देखते हुए हमें विश्वास नहीं होता कि मॉन्शियर ब्रियेण्ट और उनके साथियों ने सङ्गठन-सभा में रूस के प्रतिनिधि भी बुलाए हों।

अभी लन्दन में एक गेहूँ कॉन्फ़्रेन्स हुई थी, जिसमें संसार के गेहूँ पैदा करने वाले सभी मुख्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। इस समय यूरोप में इतना फ़ालतू गेहूँ मौजूद है, कि उसकी खपत की व्यवस्था वहाँ के राजनीतिज्ञों के सामने एक जटिल समस्या हो रही है। यूरोपीय देशों में सब से अधिक गेहूँ रूस में उत्पन्न होता है और यह उसका मुख्य निर्यात है। सारे यूरोप में जितना गेहूँ ख़र्च होता है, उसका चतुर्थांश केवल रूस में उत्पन्न होता है। इस समय रूस में २५ लाख टन गेहूँ फ़ालतू पड़ा हुआ है। कॉन्फ़्रेन्स में यह निश्चय हुआ है कि गेहूँ की खेती कम की जाय और खाने के अतिरिक्त गेहूँ का और उपयोग भी किया जाय। परन्तु रूस ने खेती कम करने के प्रस्ताव का विरोध किया है। उसका कहना है कि उसके गेहूँ के निर्यात का विरोध करते समय यूरोपीय देशों को उसके आयात का भी ध्यान रखना चाहिए। वास्तव में यह जटिल प्रश्न है। यदि यूरोपीय राष्ट्रों ने अपना गुट बना कर रूसी गेहूँ का बहिष्कार करके उसकी खेती को सीमित करने का प्रयत्न किया, तो रूस इसका उत्तर अपने आयात के बहिष्कार के रूप में देगा। रूस के साम्यवादी विचार यूरोप की किसी भी सरकार को वाञ्छनीय नहीं हैं और उनके प्रचार को यथासम्भव सब भाँति रोका जाता है। इसलिए रूस के साथ सम्पर्क बढ़ाना किसी को अभीष्ट नहीं है। इस अवस्था में मॉन्शियर ब्रियेण्ट का सङ्गठन-आयोजन केवल ख़याली-पुलाव ही है।

स्पेन की सोशलिस्ट सरकार को संसार के सम्पूर्ण प्रमुख राष्ट्रों ने स्वीकार कर लिया है, परन्तु वहाँ अभी शान्ति-स्थापना नहीं हुई है। सम्राट एल्फ़ान्जो सिंहासन त्याग कर भाग गया है, किन्तु उसके पक्ष के लोगों और प्रजातन्त्रवादियों में अभी सङ्घर्ष जारी है। पिछले महीने जब सरकार ने जनरल बेरङ्गर को कारावास से मुक्त कर दिया, तो प्रजातन्त्रवादियों ने राज-पक्ष वालों के विरुद्ध भयङ्कर तूफ़ान बेतमीज़ी खड़ा किया और मैड्रिड नगर में प्रजातन्त्र-पक्ष और राज-पक्ष के लोगों में कई उपद्रव हुए, जिन्हें शान्त करने के लिए पुलिस को गोलियाँ चलानी पड़ीं और कई आदमी मारे गए। आख़िर सरकार ने विवश होकर जनरल बेरङ्गर को फिर कारावास में बन्द कर दिया। स्पेन की सरकार खुल्लमखुल्ला साम्यवादी सरकार है। वर्तमान राष्ट्रपति ज़मोरा और उनका मन्त्रि-मण्डल सब साम्यवादी हैं। कई सचिव ऐसे हैं, जो साम्यवादी आन्दोलन के कारण जेल भोग चुके हैं। पहली मई को यूरोप में जो साम्यवाद-दिवस मनाया गया था, उसमें स्पेन के राष्ट्रपति और उनका मन्त्रि-मण्डल भी सम्मिलित था। रूस और स्पेन दोनों साम्यवाद के अनुयायी हैं और शेष यूरोप के देशों में साम्यवादियों का संसर्ग ख़तरनाक समझा जाता है। यूरोप के एक छोर पर रूस है, दूसरे पर स्पेन। पुर्तगाल में साम्यवादी कई महीने से उत्पात मचा रहे हैं और जर्मनी, पोलैण्ड, ऑस्ट्रिया, ज़ेकोस्लोवेकिया और यूगोस्लोवेकिया तथा अन्य अनेक देशों में भी साम्यवादियों की संख्या और शक्ति बढ़ती जाती है। मध्य यूरोप की साम्यवादी प्रवृत्तियों पर रूस और स्पेन की सरकारों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अनुमान करना कठिन नहीं है। साथ ही यह आशा भी दुराशा मात्र है कि साम्यवादी और साम्राज्यवादी देशों का सङ्गठन हो सकेगा।

वर्सेल की सन्धि के अनुसार जर्मनी और ऑस्ट्रिया में पारस्परिक कोई सन्धि नहीं हो सकती। यह शर्त उस समय की गई थी, जब धन और जन की भयङ्कर क्षति के कारण विजेता राष्ट्रों की प्रतिशोध-प्रवृत्ति अत्यन्त उग्र हो गई थी। पिछले बारह वर्ष के अनुभव से अब यूरोप के राष्ट्रों के भावों में परिवर्तन होने लगा है और समझदार राजनीतिज्ञ कहने लगे हैं कि यह शर्त अत्यन्त कठोर थी। लोकमत भी इस शर्त के बहुत विरुद्ध है। इस मत-परिवर्तन से उत्साहित होकर जर्मनी और ऑस्ट्रिया में अनेक आर्थिक सम्बन्धों के विषय में अभी हाल ही में एक पारस्परिक सन्धि हुई है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों का कहना है कि इस सन्धि के बिना वे अपनी अनेक कठिनाइयों को हल नहीं कर सकते और न अपने आर्थिक सङ्कट का निवारण कर सकते हैं। जर्मनी और ऑस्ट्रिया की इस सन्धि के कारण फ़्रान्स सब से अधिक नाराज़ है। वहाँ के पत्र इसका घोर विरोध कर रहे हैं और वहाँ की राज-सभा में भी इस विषय पर कई बार बहसें हो चुकी हैं तथा प्रश्न किए जा चुके हैं। यूरोपीय सङ्गठन के पक्षपाती मॉन्शियर ब्रियेण्ट ने भी राष्ट्र-सङ्घ में इस सन्धि का घोर विरोध किया है और इस बात पर ज़ोर दिया है कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया को वर्सेल-सन्धि की शर्तों से एक इञ्च भी इधर-उधर हटने का अधिकार नहीं है। परन्तु राष्ट्र-सङ्घ में इतना बल कहाँ है कि वह किसी प्रबल राष्ट्र के विरुद्ध अपना कोई आख़िरी फ़ैसला दे दे। वास्तव में बात यह है कि यदि राष्ट्र-सङ्घ ऐसा फ़ैसला दे दे और देश-विशेष उसको न माने, तो उसे विवश करने के लिए राष्ट्र-सङ्घ के पास कोई साधन नहीं है। यही कारण है कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया की आर्थिक सन्धि के विषय में राष्ट्र-सङ्घ ने स्वयं निर्णय न करके, इस विषय को हेग के न्यायालय को सौंप दिया है। जहाँ तक हम अनुमान कर सकते हैं, हेग की अदालत इस सन्धि के केवल क़ानूनी पहलू पर विचार करेगी, क्योंकि उसे लोकमत और जन-जागृति से कोई सम्बन्ध नहीं है। होना यह चाहिए था कि इस सन्धि पर विचार करते हुए राजनैतिक और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से अधिक काम लिया जाता। ख़ैर, देखें, हेग में क्या होता है। 'भविष्य' के पाठकों को यह स्मरण होगा कि हेग-न्यायालय के प्रधान जापान के एक विद्वान जज हैं।

ज्यों-ज्यों यूरोप शस्त्रों को सीमित करने का प्रयत्न करता है, त्यों-त्यों यह प्रश्न अधिकाधिक भयावह रूप धारण करता जाता है। गत नवम्बर में अमेरिका, जापान और ब्रिटिश साम्राज्य में नौ-सेना को सीमित करने के विषय में एक सन्धि हुई थी। तदनुसार तीनों राष्ट्र अपनी-अपनी नौ-सेनाओं को सीमित करने के लिए सहमत हो गए थे। शर्त यह ठहरी थी कि फ़्रान्स और इटली भी परस्पर इसी प्रकार की सन्धि कर लें,

---

आरोप

(१५वें पृष्ठ का शेषांश)

विलायत न जा सका, तो रामचरन का मस्तिष्क कुछ विकृत हो गया। इलाज करने पर कुछ अवस्था सुधरी, तो एक दिन बिना कहे-सुने उठ कर न जाने किधर चल दिया। जिस आदमी ने उससे बात की थी, वह उसका गुमाश्ता था। उसने समझा, रामचरन ने ब्याह कर लिया है और गृहस्थी बना कर रहता है।

यह कहानी जब सुन्दरलाल ने सुनी तो सिर पीट लिया और अपने उस आरोप के लिए वे आज तक पछताते हैं!

* * *

तब इस विषय को व्यावहारिक रूप दिया जाय। कारण यह है कि फ़्रान्स की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई नौ-सेना और इटली के कूटनीतिज्ञ प्रधान-सचिव वीर मुसोलिनी की परराष्ट्र-नीति से सभी भयभीत हैं। ग्रेट-ब्रिटेन यह सोचता है कि वह अपनी नौ-सेना को सीमित कर दे और फ़्रान्स तथा इटली दिन प्रतिदिन अपनी सेना को बढ़ाते जायँ, तो परिणाम अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि दोनों देश शक्तिशाली बन कर या तो ग्रेट-ब्रिटेन को दबा लेंगे या परस्पर लड़ कर दक्षिण यूरोप में ऐसी स्थिति उपस्थित कर देंगे, जिससे ग्रेट-ब्रिटेन के हाथ से मिश्र और ट्रान्स जोरडाना निकल जायँगे, तथा भारतवर्ष के साथ व्यापार बन्द हो जायगा। इसीलिए पिछले कई महीनों से इङ्गलैण्ड के परराष्ट्र-सचिव मि० हैण्डर्सन फ़्रान्स और इटली में सन्धि करवाने के लिए सिर-तोड़ प्रयत्न कर रहे थे। कभी वे फ़्रान्स जाते थे और कभी इटली; कभी एक मसविदा पेश किया जाता था और कभी दूसरा। गत फ़रवरी में मि० हैण्डर्सन को बड़ी निराशा हो गई थी, क्योंकि फ़्रान्स और इटली अपनी-अपनी सेना बढ़ाने में परस्पर होड़ करने लग गए थे। परन्तु अन्त में स्थिति बदली और दोनों देशों में सन्धि स्थापित हो गई। इस विषय में फ़्रान्स के परराष्ट्र-विभाग के विशेषज्ञ रेनेमेसिग्ली और ग्रेट-ब्रिटेन के परराष्ट्र-विभाग के विशेषज्ञ रॉबर्ट एलक्रेगी ने अथक परिश्रम किया है। देखना यह है कि सन् १९३२ में जो शस्त्र-सीमा-बन्धन के लिए कॉन्फ़्रेन्स होगी, उसमें इन सन्धियों की पुष्टि की जायगी या नहीं। अभी ताज़ी ही ख़बर है कि जर्मनी ने एक विशाल जङ्गी जहाज़ बनाया है, जिसमें कई भयङ्कर तोपें रक्खी गई हैं और उसके साथ कई जल-मग्न नौकाएँ भी जोड़ी गई हैं। इस शक्ति-सञ्चय की प्रवृत्ति को देखते हुए क्या आशा की जा सकती है कि निरस्त्रीकरण सफल होगा?

यूगोस्लोवेकिया, ऑस्ट्रिया और हङ्गरी में अराजक लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। इन लोगों का एक सङ्गठन है, जिसकी शाखाएँ इन तीनों देशों में फैली हुई हैं। पिछले महीने में यूगोस्लोवेकिया की पुलिस ने तेईस अराजकों को गिरफ़्तार किया था और इन सब पर यह अपराध लगाया गया था कि इन लोगों ने दो ख़ुफ़िया पुलिस के अधिकारियों की और एक पत्र-सम्पादक की हत्या की है। एक पुल, रेलवे लाइन तोड़ा है और पुलिस पर कई हमले किए हैं। अदालत में सरकारी वकील ने अराजक सङ्गठन का विस्तृत और मनोरञ्जक वर्णन किया है। गत २२ मई को बेलग्रेड (यूगोस्लोवेकिया की राजधानी) के हाईकोर्ट ने फ़ैसला सुनाया, जिसमें तीन अराजकों को प्राणदण्ड और ग्यारह को दो वर्ष से बीस वर्ष तक के कारावास का दण्ड दिया गया।

पुर्तगाल में कई महीने से राजनैतिक और आर्थिक कारणों से बलवे हो रहे हैं। सरकार दमन करने का प्रयत्न कर रही है और जनता में अशान्ति बढ़ती जाती है। घटनाओं की गति ठीक वैसी ही है, जैसी स्पेन में थी। जनरल कारमोना पुर्तगाल के प्रेज़िडेण्ट भी हैं और प्रधान सेना-नायक भी। दमन के द्वारा प्रत्यक्ष में शान्ति स्थापित हो जाती है, परन्तु असन्तोष की ज्वाला चाहे जब भड़क उठती है। क्रान्ति की लहर पुर्तगाल में ही नहीं, किन्तु उसके उपनिवेशों में भी फैली हुई है। मदीरा नामक टापू में निरन्तर बलवे हो रहे हैं। अन्न की बहुलता के समय में भी वहाँ रोटियाँ दुर्लभ हो रही हैं, जिसके कारण चाहे जब बलवे हो जाया करते हैं। इस टापू के सब अख़बारों का पुर्तगाल-सरकार ने गला घोंट रक्खा है। अन्य देशों से इसका सम्बन्ध विच्छेद कर रक्खा है और पशु-बल का पूर्ण प्रयोग किया जा रहा है। जनरल कारमोना ने अपनी सैनिक चातुरी के बल से अभी देशव्यापी विप्लव को रोक रक्खा है और शासन-समिति (केबिनेट) को जीवित रक्खा है, परन्तु किसी दिन स्पेन की भाँति पुर्तगाल में भी राजनैतिक भूकम्प उपस्थित हो जाय, तो पाठकों को आश्चर्य न करना चाहिए। गत १२ फ़रवरी को पोप पियस ग्यारहवें ने अपने शासन का नवाँ वार्षिकोत्सव मनाया, जिसमें कैथोलिक, अक्रिश्चियन, रोगी, निर्धन, मज़दूर और मालिकों को विशेष सन्देश भेजा गया। पोप ने लैटिन भाषा में भाषण दिया, जिसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करके रेडियो द्वारा देश-देशान्तरों के निवासियों को सुनाया गया। इसके एक सप्ताह पश्चात् भाषण देते हुए पोप ने इटैलियन सरकार की तीव्र निन्दा की। उसने कहा कि सरकार पवित्र रविवार को भी नवयुवकों को गिरजाघरों में तो जाने नहीं देती और शारीरिक व्यायाम में लगाए रहती है,

हाथ वह मलते हैं, लेकिन लीडरी मिलती नहीं!

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

मुफ़्त घर बैठे हुए दुनिया से यूँ बेहतर बनें,
चाहते हैं वह किसी सूरत से हम लीडर बनें!

* * *

उनको आएगी समझ, लेकिन अभी कुछ देर में,
नासमझ हैं जो पड़े हैं लीडरी के फेर में!

* * *

वाह क्या अच्छी तबीयत है, यह अच्छा ज़ौक़ है,
काम कुछ करते नहीं, बस लीडरी का शौक़ है!

* * *

काम अच्छा कर रहे हैं, लीडरी के वास्ते,
रात-दिन वह मर रहे हैं, लीडरी के वास्ते!

* * *

बाग़े-आलम में कहीं दिल को कली खिलती नहीं,
हाथ वह मलते हैं, लेकिन लीडरी मिलती नहीं!

* * *

नासमझ हैं यूँ समझ उनको न आएगी कभी,
आरज़ू यह दिल से, यह हसरत न जाएगी कभी!
चुप रहो "बिस्मिल" यूँही बैठे हुए देखा करो,
सच तो यह है, लीडरी सौ रङ्ग लाएगी अभी!

* * *

अश्लील समाचार-पत्रों को उत्साहित करती है, कई निन्दनीय सिनेमा और नृत्यों का प्रचार होने देती है और प्रोटेस्टेण्ट लोगों को अपने धर्म का प्रचार करने से नहीं रोकती। सरकारी अफ़सर इस दोषारोपण को निर्मूल बतलाते हैं। उन्होंने घोषित किया है कि सिनेमा के चित्रों की, प्रकाशित होने से पहिले ख़ूब जाँच कर ली जाती है। कोई समाचार-पत्र अश्लील नहीं है। रविवार अधिकांश लोग मनाते हैं और प्रोटेस्टेण्ट लोगों को लेटरन सन्धि की शर्तों के अनुकूल ही धर्म-प्रचार करने की इजाज़त दी जाती है।

अभी कुछ समय पूर्व रोमानिया, हङ्गरी, ज़ेकोस्लोवेकिया और ऑस्ट्रिया में जो दशवर्षीय मनुष्य-गणना हुई थी, उस समय इन देशों की अल्प-संख्यक जातियों में और उनके कारण पार्श्ववर्ती देशों में बड़ी हलचल रही। वर्सेल की सन्धि के अनुसार केवल उन्हीं अल्प-संख्यक जातियों को सरकारी पत्र-व्यवहार में अपनी भाषा का उपयोग करने का अधिकार होता है, जिनकी संख्या बीस प्रतिशत से कम न हो। ज़ेकोस्लोवेकिया में जर्मन, यहूदी और स्लेव लोग अल्प-संख्यक हैं। इन लोगों की यह शिकायत थी कि सरकार इनकी संख्या कम प्रकट करने का प्रयत्न कर रही है। साथ ही सरकार ने यह विज्ञप्ति प्रकाशित की थी कि अल्प-संख्यक जातियों की शिकायत की रक्षा करने के लिए सरकार ने सब कुछ किया है।

स्पेन और इटली में कैथलिक धर्मोपदेष्टाओं के प्रति जनता प्रदर्शन किया करती है। इटली के फ़ेसिस्ट लोग और स्पेन के प्रजातन्त्रवादी तथा साम्राज्यवादी लोग कैथलिक धर्म-प्रचार को राजनैतिक दृष्टि से हानिकर समझते हैं। इन लोगों की धारणा है कि कैथलिक धर्म का प्रचार स्वतन्त्रता और साम्यवाद का विरोधी है। ऐसी ही लहर फ़्रान्स की राज्यक्रान्ति के समय भी उठी थी। नेपोलियन कहा करता था कि धर्म-प्रचार राजसत्ता का परम सहायक है। जिन लोगों को एक कल्पित अदृश्य शक्ति के सामने विवशता स्वीकार करने की आदत पड़ जाती है, वे अनियन्त्रित शासक की तरङ्गमयी आज्ञाओं को शिरोधार्य करने के आदी बन जाते हैं। स्पेन के साम्यवादी इसीलिए राजपक्षवादियों को और कैथलिक प्रचारकों को एक ही लाठी से हाँकना चाहते हैं। अभी हाल में प्रचारकों के एक आश्रम पर इन लोगों ने आक्रमण भी किया था। इटली में भी यही दशा है। देखें, पोप की सत्ता इस राजनैतिक और वैज्ञानिक युग में कितने दिन की और मेहमान है।

नॉर्वे, स्वीडन, फ़िनलैण्ड, डेनमार्क और आइसलैण्ड में भी व्यापार-शैथिल्य और आर्थिक सङ्कट अनुभव किया जाने लगा है। इन सब देशों में कृषक और श्रमजीवी लोग शासन-व्यय को कम करने पर ज़ोर दे रहे हैं, और उधर लोग कर बढ़ाने की तजवीज़ें कर रहे हैं। गत फ़रवरी में इन सब देशों के प्रतिनिधियों की ओस्लो (नॉर्वे) नगर में एक सभा हुई थी, जिसमें सबने मिल कर एक आर्थिक सन्धि की है। लेथुएनिया, लेटविया, एस्टोनिया और फ़िनलैण्ड, इन चारों छोटे-छोटे राष्ट्रों में भी आर्थिक दुरवस्था ऐसी ही भयङ्कर है।

फ़िनलैण्ड में अभी हाल में जो निर्वाचन हुआ है, उसमें श्री० पेहरएविन्द स्विन्हूफ़ग राष्ट्रपति चुने गए हैं। यह बड़ा अनुभवी, योग्य और वयोवृद्ध शासक है। इसका जन्म १८६१ में हुआ था, १८८६ में इसने क़ानून की परीक्षा पास की थी और १८८८ से अब तक यह किसी न किसी पद पर योग्यतापूर्वक काम करता रहा है। सन् १९०३ में इसने फ़िनलैण्ड के स्वशासन अधिकारों पर बड़ा ज़ोर दिया था और १९१० के लगभग समस्त फ़िनलैण्ड इसको राष्ट्र-नेता मानने लग गया था। यूरोपीय महासमर के आरम्भ होते ही रूस के ज़ार ने इसको ख़तरनाक समझ कर साइबेरिया में क़ैद कर दिया था, परन्तु मार्च सन् १९१७ में रूसी राज्यक्रान्ति हुई और अस्थायी साम्यवादी सरकार ने इसको वापस आने की आज्ञा दे दी। वापस आने पर, सन् १९१८ में अपने देश की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए इसने अथक आन्दोलन किया और सन् १९१९ के आरम्भ में आख़िर फ़िनलैण्ड स्वतन्त्र देश बन ही गया। अभीष्ट-सिद्धि के बाद यह प्रायः एकान्तवास करने लगा। परन्तु सन् १९३० में अनेक राजनैतिक दल-बन्दियों के कारण इसको पुनः राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा और अपनी नेतृत्व-शक्ति के बल से इसने पुनः फ़िनलैण्ड में शान्ति स्थापित की। इस समय वह राष्ट्रपति के आसन को सुशोभित कर रहा है।

* * *





राजपूताने के त्यौहार

[एक भूतपूर्व उच्च कर्मचारी]

राजपूताने के त्यौहार वास्तव में जनता के नहीं, किन्तु राजाओं के उत्सव हैं। प्रजा उनमें सम्मिलित होती है, परन्तु केवल उपकरण के रूप में; भोक्ता के रूप में नहीं। इन त्यौहारों की तिथियाँ तथा उत्सव-काल भी राजा लोग ही निश्चित करते हैं। प्रजा का उनमें इतना ही हाथ है कि अपने नरेश का मनोरञ्जन करे और उसके आनन्द को बढ़ावे। जो त्यौहार राजपूताने में विशेष रूप से मनाए जाते हैं, उनमें मुख्य हैं, 'दसेरा', 'होली', 'गणगोर' और 'तीज'। कुछ रियासतों में जन्माष्टमी भी बड़े ठाट-बाट के साथ मनाई जाती है। 'दसेरा' या विजयादशमी राजपूताने का विशेष त्यौहार है। प्रायः सब रियासतों में यह धूमधाम के साथ मनाया जाता है। परन्तु कोटा और अलवर में इसका विशेष महत्व है। यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह त्यौहार इन रियासतों में कब और क्यों इस रूप में शुरू हुआ। ऐसा जान पड़ता है कि वर्तमान नरेशों के हूण और सिथियन पुरुषाओं ने आबू पहाड़ पर दीक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात् आर्य त्यौहारों को बड़े चाव और अभिमान के साथ अपनाना आरम्भ किया और इस प्रकार से यह परम्परा बन गई। अन्य रियासतों में विजयादशमी पर राज्य से शस्त्र, घोड़े, हाथी, यान आदि की पूजा की जाती है, और रियासत के प्रायः सब जागीरदार महाराजा को "सलाम" करने आते हैं। और कुछ रियासतों में महाराजा अपनी सारी सेना को साथ लेकर जुलूस में निकलते हैं। परन्तु कोटा राज्य में दसेरा मनाने का हमने एक विचित्र ही ढङ्ग देखा। ऐसी उन्नत रियासत में भी बचपन का प्रदर्शन देख कर किसी को आश्चर्य हुए बिना नहीं रह सकता। कोटा के महाराव विजयादशमी से तीन-चार दिन पूर्व ही अपने कुलदेव और देवियों की पूजा करने लगते हैं और प्रातः-सायं ऐसा सैनिक जुलूस बना कर निकला करते हैं, मानो युद्ध करने जाते हैं! विजयादशमी के दिन यह देखा जाता है कि रावण के मरने का कौन सा समय है। हमारी समझ में नहीं आता कि रावण को मरे हुए हज़ारों वर्ष बीत चुके, तो भी कोटा के धुरन्धर राज-ज्योतिषी उसके पुनः-पुनः मरने का मुहूर्त कैसे देख लिया करते हैं। रावण तथा उसके कुटुम्बियों की प्रतिमाएँ, सुना जाता है, पहले लकड़ी और कपड़े की बनाई जाती थीं, लेकिन वर्तमान महाराव को यह वार्षिक व्यय करना सहन नहीं हो सका, इसलिए अब वे चूने तथा पत्थर की पक्की बनवा दी गई हैं। उनके ऊपर केवल मुख मात्र लकड़ी के बना दिए जाते हैं और उतने भाग को ही प्रतिवर्ष नष्ट कर दिया जाता है। जब अपनी सम्पूर्ण सेना को साथ लेकर महाराव रावण को मारने के लिए प्रस्थान करते हैं, तो वह दृश्य बड़ा मनोरञ्जक होता है। दो-तीन मिट्टी के टीलों को तोड़ने के वास्ते अपनी सम्पूर्ण सेना, सारे जागीरदार और रियासत की पञ्चमांश प्रजा को साथ लेकर जाना लड़कपन से भी बढ़ कर नहीं तो क्या है? बहुत-कुछ तलाश करने पर भी हमको यह पता नहीं लगा कि महाराव साहब रावण को किस नाते मारने जाते हैं। भारतवर्ष के अन्य नगरों में जो रामलीलाएँ होती हैं और बच्चों को राम-लक्ष्मण बना कर उनके हाथ से जो रावण-बध करवाया जाता है, वह तो हमारी समझ में आता है। परन्तु कोटे का रावण-बध हमारी समझ में नहीं आया। सवारी के समय महाराव राम नहीं बनते, बल्कि पूर्ण कला से महाराव ही रहते हैं। उनके साथ की सेना भी सेना के ही रूप में होती है। वही अङ्गरेज़ी बाजा, आधुनिक वर्दी, क़वायद में चलना—सब आधुनिक ठाट होता है। महाराव के कपड़े मुग़लों के समय के होते हैं, परन्तु जूते आजकल के। हमसे एक उच्च कर्मचारी ने कहा कि महाराव वास्तव में भगवान राम के रूप में रावण को मारते हैं, परन्तु हमें वह बात जँची नहीं। क्योंकि न तो महाराव का स्वरूप कुछ बना हुआ था और न उनके जागीरदारों तथा सैनिकों के मुख पर बन्दर, भालू आदि के स्वाँग थे। यदि स्वरूप बदले बिना ही महाराव अपने को प्रत्यक्ष भगवान रामचन्द्र समझते हों, तो इससे बढ़ कर कोई धृष्टता नहीं हो सकती। जब महाराव रावण की प्रतिमाओं से लगभग १०० गज़ की दूरी पर पहुँच जाते हैं, तो शहर-कोतवाल को रावण के पास सन्धि के वास्ते भेजा जाता है। वह आकर रावण की प्रतिमा के सामने कहता है—"रावण जी, मान जाओ। सीता को वापस कर दो।" मिट्टी का बना हुआ रावण भी इतना गुस्ताख़ और बेख़ौफ़ होता है कि कोटाधिपति के सन्देश का उत्तर तक नहीं देता। तब कोतवाल वापिस होकर हाथ बाँध कर अर्ज़ करता है—"अन्नदाता, रावण जी नहीं मानते, सीता को वापिस नहीं करते।" तब महाराव साहब पुनः कोतवाल से कहते हैं कि मनाओ। वह फिर उसी प्रकार उत्तर देता है। इस प्रकार तीन आवृत्तियाँ हो जाती हैं, तब महाराव आगे बढ़ते हैं। जिस वर्ष हमने यह तमाशा देखा था, उस वर्ष कुबाड़ी के कँवर चन्द्रसेन शहर-कोतवाल थे। आप मेयो कॉलेज के स्नातक और देश-विदेश घूमे हुए आधुनिक विचार के नवयुवक हैं। इस प्रकार नाटक करते हुए उनको मन ही मन बड़ा दुःख हुआ, परन्तु करते क्या? यह कोतवाल का मुख्य कर्तव्य था, इसका पालन किए बिना काम कैसे चलता? इस प्रकार सन्धि की बातचीत असफल हो जाने पर महाराव हाथी पर बैठ कर आगे बढ़ते हैं। कुछ हाथी की सूँड़ द्वारा और कुछ मैशीन द्वारा रावण का सिर गिरा दिया जाता है और उसी समय तोपों की फ़ैरें होने लगती हैं। तत्पश्चात् महाराव सीता के चित्र की पूजा करते हैं और इस प्रकार व्यर्थ की परेशानी उठा कर रात में वापस लौटते हैं। रावण के ऊपर वह पचरङ्गा झण्डा फहराया जाता है जो भाटवार के युद्ध में जयपुर की सेना से छीन लिया गया था।

बीसवीं शताब्दी में यह लड़कों का खेल वास्तव में उपहास्य है। किसी समय शायद यह खेल उपयोगी रहा हो, परन्तु अब यह निष्फल तमाशा है। यदि रामलीला ही करना है, तो रामलीला के ही ढङ्ग पर होनी चाहिए। यदि दशहरे के मेले को अन्य प्रकार से उपयोगी बनाया जावे और महाराव साहब मिट्टी के रावण के साथ खेल खेलने के बजाय अपने राज्य के सजीव और निर्धन कृषकों से वर्ष में एक दिन तो खुले दिल से मिलें और उनकी कठिनाइयों को जान कर उनको हटाने का उद्योग करें, तो कितनी अच्छी बात हो और कितना सुन्दर आदर्श अन्य नरेशों के भी सामने उपस्थित हो। उस समय मेले में स्वास्थ्य, शिक्षा, मितव्ययिता, खाद, पशु-पालन आदि विषयों पर व्याख्यान दिलवाए जावें और स्वयं महाराव प्रत्येक व्याख्यान में दस-पाँच मिनट जाकर बैठें और लोगों की रुचि बढ़ावें, तो वह एक ऐसा कार्य होगा, जो राजा को शोभा देता है। मिट्टी के रावण पर सेना लेकर चढ़ाई करना और उससे सन्धि की बातचीत करवाने का ढोंग करना, किसी उन्नत नरेश को शोभा नहीं दे सकता। कोटा-राज्य के आपजी ओङ्कारनाथ सिंह जी ढोंग को बहुत कम पसन्द करते हैं, ऐसा हमसे कहा गया है। शायद इसीलिए उन्होंने प्रति वर्ष होने वाली वाइली प्रदर्शिनी, जिसमें रियासत की कला-कौशल को कुछ प्रोत्साहन मिलता था, वह तो बन्द करवा दी। सम्भव है, सैनिक वीर होने के कारण या तो तोपों के फ़ैर में उनको आनन्द आता हो या महाराव साहब से इस विषय की बातचीत करने का उनको साहस न होता हो। इस समय जब कोटा और जयपुर में पारस्परिक इतनी मित्रता और घनिष्टता है, तो पचरङ्गा झण्डा रावण के सिर पर फहराना भी अच्छा नहीं मालूम होता। उन्नतिशील शासकों ने परम्परागत रूढ़ियों को बात की बात में लुप्त करके अपने राष्ट्रों को आधुनिक बना डाला। कमाल-पाशा, रिज़ाअली शाह पहलवी और इब्नसऊद ने कट्टर देशों को उदार बना दिया और पिछले दस वर्ष के अन्दर वह उन्नति कर दिखाई, जो किसी की कल्पना में भी नहीं आ सकती थी। यदि पर्दा, फ़ेज़ और क़ुरान-शिक्षा का लोप किया जा सकता है, तो क्या बच्चों का खेल-तमाशा जैसे दशहरे का अन्त नहीं किया जा सकता? लेकिन राजपूताना में अभी आधुनिकता ने प्रवेश किया ही नहीं। नरेश और जागीरदार, जो दो-चार शब्द अङ्गरेज़ी बोलना सीखते हैं, सो केवल इसलिए कि साहब और मेम से बातचीत कर सकें। उन्नति और उत्थान का भाव प्रथम तो राजपूतों के हृदय में जम ही नहीं सकता, दूसरे मेयो कॉलेज में उन्नति की चर्चा होती ही नहीं। जहाँ उन्नति और सुधार राज-विद्रोह के नाम से अभिहित किए जाते हों, उस संस्था के दीक्षित विद्यार्थी तमाशा-पसन्द और गम्भीरता-शून्य कैसे नहीं बनेंगे?

होली का त्यौहार राजपूताने में वैसे धूमधाम के साथ नहीं मनाया जाता, जैसे संयुक्त-प्रान्त में मनाया जाता है। भरतपुर, धौलपुर और अलवर में फिर भी कुछ विशेष चहल-पहल रहती है। परन्तु शेष रियासतों

में यह अत्यन्त साधारण त्यौहार है। इसका महत्व इसी में है कि उस दिन राजमहलों में विशेष आमोद-प्रमोद होता है। दो-तीन रियासतों में यह भी प्रथा है कि नगर के प्रतिष्ठित कुलों की महिलाएँ राजप्रासाद में होली खेलने जाती हैं और जो देवी होली खेलने में चतुर सिद्ध होती है, उसे महाराजा की ओर से भेंट दी जाती है। बाहर के लोगों को यह पता नहीं लग सकता कि भेंट महारानी की दी हुई है या महाराजा की। प्रजा के लोगों को इस विषय की विवेचना करने का भी अधिकार नहीं है। इतना कहना काफ़ी है कि राजा ने इनाम बख़्शा है। इनाम की मात्रा महाराजा की रसिकता और महिला की कला-लालित्य पर निर्भर है। हमारे मित्र पं० अर्जुनलाल सेठी ने हमको एक ऐसे सेठ जी से मिलाया था, जिनकी विधवा भावज को महाराजा साहब ने होली पर प्रसन्न होकर पैर में सोना बख़्शा था। सेठ जी ने हमको बड़े गर्व के साथ सब हाल सुनाया। उन्होंने कहा—"हमारी तो जो कुछ इज़्ज़त-आबरू है, सो श्रीअन्नदाता की ही बख़्शी हुई है। मेरा घर-बार, स्त्री-बच्चे सब मेरे धणी के हैं। मेरी माँ को भी राज से होली पर सोना मिला था। परन्तु मेरे घरवाली के पैर में चाँदी ही रही। वह ऐसी शर्मदार है कि घर के बाहर नहीं निकलती। पारसाल मेरे भाई का देहान्त हो गया, तब मेरी भौजाई कलकत्ते से यहाँ आकर रहने लगी। वह इसी बार गढ़ में होली खेलने गई और सोना लेकर आई। दरबार माई-बाप है। वहाँ गढ़ में हज़ारों स्त्रियाँ हैं, किसकी पूछ है? परन्तु रवावन्दी फ़रमा कर मेरे कुल पर भी निगाह डाली।" सेठी जी का उस परिवार में बड़ा मेल-जोल है, इसलिए उन्होंने वह सोने का ज़ेवर भी मँगवा कर दिखाया, जो बख़्शा गया था। हमारा अनुमान है कि वह सब वज़न में लगभग २०० तोले के होगा। माई-बाप की पुत्रियों पर ऐसी ही कृपा होनी चाहिए। जिस रियासत का यह ज़िक्र है, वहाँ गत कई वर्षों से महाराजा की अनुपस्थिति के कारण इस प्रकार राजप्रासाद में होली नहीं मनाई गई है और नए महाराजा साहब की तबीयत को देखते हुए अनुमान होता है कि भविष्य में यह प्रथा शायद लुप्त हो जावेगी। अब की होली पर देखें क्या होता है?

कई रियासतों में होली पर दरबार लगता है, जिसमें महाराजा के सामने वेश्याएँ नृत्य करती हैं और ताज़ीमी तथा नोम-ताज़ीमी सरदारों को महाराजा अपने हाथ से इत्र-पान बख़्शते हैं। जहाँ के नरेशों में प्रकृतिवश या बुढ़ापे के कारण रसिकता कम है, वहाँ होली का त्यौहार इसी भाँति मनाया जाता है। कुछ नए महाराजा भी, जिनको बाहर की हवा लग चुकी है और जिनकी महारानियाँ उनकी रसिकता को मर्यादा के बाहर नहीं निकलने देतीं, वे भी ऐसे त्यौहारों की बेहूदगियों को हटाते जाते हैं। प्रायः सम्पूर्ण राजपूताने में होली के अवसर पर अत्यन्त अश्लील गाने गाए जाते हैं। ब्रिटिश भारत के निवासी इस अश्लीलता का अनुमान भी नहीं कर सकते। हमने संयुक्त-प्रान्त के कई नगरों की होली देखी है, परन्तु ऐसी अश्लीलता कहीं नहीं देखी। करौली, कोटा, बूँदी और झालावाड़ में तो अश्लीलता पराकाष्ठा पर पहुँच जाती है। हमारी समझ में नहीं आता कि माई-बाप कहलाने के शौक़ीन नरेश अपने पुत्रों के इस कृत्य को क्यों नहीं रोकते? इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो नरेश लोग अपनी जनता को सभ्य और शिष्ट बनाने की चिन्ता नहीं करते या वे स्वयं ऐसे गाने सुनने के प्रेमी हैं। वरना जहाँ अन्नदाता का हुक्म अटल है, वहाँ ऐसे गाने रोकने में देर क्या लगती है? दुख की बात यह है कि भलाई के वास्ते निरङ्कुशता का उपयोग नहीं किया जाता। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, जनता में आतङ्क जमाने के लिए और अपनी पाशविक तरङ्गों का कौतूहल दिखाने के लिए तलवार और बन्दूक़ सदा तैयार रहती है। निरङ्कुश शासन में यही तो सब से बड़ी बुराई है। स्वार्थ, अज्ञान, प्रमाद, काम और क्रोध के वश होकर शासक अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने लगता है, और जो शक्ति उसको आर्त्तत्राण के लिए तथा धर्म-संस्थापन हेतु दी हुई है, उसका उपयोग जनता को त्रस्त, भयभीत और दलित करने में करता है। अन्यथा राजपूताने के नरेश चाहें तो उनकी पिछड़ी हुई रियासतें १८ वर्ष में उन्नत देशों की समकक्ष बन सकती हैं।

कोटा रियासत में साधारण होली के सिवाय तीन होलियाँ और मनाई जाती हैं। देशव्यापी होली के दिन तो केवल होलिका-दहन और अश्लील गाने गाए जाते हैं। इन गानों में "नाथ्या पण्डा" नामक गाना बड़ा ही अश्लील और बहुत ही प्रचलित है। जब हमारे परम मित्र श्री० कन्हैयालाल जी गोवा अपनी 'पेथोलोजी ऑफ़ प्रिन्सेज़' नामक पुस्तक लिख रहे थे, तो उन्होंने हमसे राजपूताने के कुछ गाने लिखवा कर मँगवाए। हमने 'नाथ्या पण्डा' की केवल वे पंक्तियाँ उनको लिख भेजी थीं, जो अपेक्षाकृत कम अश्लील हैं। आपने उत्तर में लिखा था :—

"Nowhere in India I believe such obscene songs are sung as in Rajputana. The *Teej* song from Jaisalmer and the *Nathia Panda* from Kotah are the most horrible. Nothing can be more obscene than the latter. I wonder how the prince and the public there stand it."

साधारण होली के पाँच दिन बाद कोटा नगर में नाव की होली और नौ दिन बाद हाथियों की होली होती है। होली के ग्यारह दिन बाद पुनः लोग होली खेलते हैं, जिसको यहाँ नहान कहते हैं।

कोटा नगर चम्बल नदी के तट पर बसा हुआ है। शहर के नीचे नदी में पानी भी गहरा रहता है। उसमें नावें और आगबोट चला करते हैं। महाराव स्टीमर में बैठ कर ही नदी के ऊपरी भाग में शिकार करने जाया करते हैं। उधर से चम्बल चट्टानें काटती हुई और जङ्गल को चीरती हुई आती है। बरसात में यहाँ स्वर्गीय दृश्य होता है। यों तो उदयपुर और जोधपुर के आसपास का भी दृश्य बुरा नहीं है, परन्तु कोटा की सी स्थिति राजपूताने में किसी भी नगर की नहीं है। जयपुर और उदयपुर में मनुष्यकृत सुन्दरता है और कोटे में प्राकृतिक शोभा। ऐसा मालूम होता है कि इस प्राकृतिक छटा ने ही यहाँ वल्लभ-सम्प्रदाय को आकर्षित किया है और इसी ने यहाँ के शासक तथा शासितों को इतना रसिक बनाया है। पञ्चमी के दिन कोटा-नरेश नाव में बैठ कर नदी के किनारे-किनारे नगरनिवासियों से होली खेलते हैं। नाव में उनके पास कुछ बड़े-बड़े जागीरदार और दो-चार मुँहलगे लोग होते हैं, जो अवसर के अनुकूल बातें किया करते हैं। महाराव के सामने १९-२० नगर की युवती वाराङ्गनाएँ खड़ी हुई गाना गाया करती हैं और प्रजापालक नरेश उन पर रङ्ग की पिचकारी चलाया करते हैं। जब इस विलास से ऊब जाते हैं, तो तट पर खड़े हुए स्त्री-पुरुषों की तरफ़ पिचकारी का मुँह हो जाता है। यह होली लगभग ४-५ घण्टे तक होती है और क्षीण वस्त्राभूषित, पिचकारी विलुप्तावरण वेश्याएँ वृद्ध महाराव के मनोरञ्जनार्थ निरन्तर सम्मुख खड़ी हुई स्खलित तथा कम्पित स्वर से गाती रहती हैं और महाराव के फ़व्वारे की प्रतीक्षा किया करती हैं। नवमी के दिन महाराव अपने जागीरदारों के साथ हाथी पर बैठ कर, सेना साथ लेकर बाज़ार में नगरनिवासियों से होली खेलने निकलते हैं। यह त्यौहार स्वयं लेखक ने देखा है। इस दिन नगर में ख़ूब चहल-पहल रहती है। महाराव जनता पर रङ्ग डालते हुए निकलते हैं और जनता भी अपने-अपने घरों में से अपने नरेश पर रङ्ग तथा अबीर डालती है। राजा और प्रजा का पारस्परिक ममत्व इस दिन ख़ूब प्रकट होता है। हमने इस त्यौहार की एक बुराई भी सुनी थी, लेकिन सन् १९२१ की होली पर वह दिखाई नहीं दी। सम्भव है, या तो वर्तमान महाराव ने उस निन्द्य प्रथा को बन्द कर दिया है या स्वयं जनता में ही उसके विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया है। हमसे एक कोटा-निवासी मित्र ने कहा था कि हाथियों की होली के दिन यदि कोई युवती खड़ी रह कर दरबार का फ़व्वारा झेलती है, तो उसको राज से इनाम दिया जाता है। उस दिन हमने ख़ूब तलाश किया कि किसी रमणी ने यह इनाम प्राप्त करने का यत्न किया या नहीं, परन्तु हमको पता नहीं चला। परन्तु हमारे मित्र की बात की कई अन्य लोगों ने भी पुष्टि की। ऐसा मालूम होता है कि १०-२० वर्ष पूर्व कभी ऐसा हो गया होगा या ऐसा हुआ करता होगा।

श्रावण शुक्ला तृतीया भी राजपूताने का ख़ास त्यौहार है। राजपूताने की सब रियासतों में विशेषकर राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थों के घरों में यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियाँ अपने घरों में एक मिट्टी का खिलौना सा बना कर पूजती हैं, ख़ास शृङ्गार करती हैं और झुण्ड बना-बना कर कहीं घरों में और कहीं सड़कों पर अश्लील गाने गाती फिरती हैं। नरेश इस दिन दरबार में बैठते हैं और सरदारों को बुला कर उनका सत्कार करते हैं। उदयपुर, बूँदी, कोटा और झालावाड़ में राज्य के उच्च कर्मचारियों को इस अवसर पर दरबार (नरेश) पगड़ियाँ बख़्शीस करते हैं, जो प्रतिष्ठा का बड़ा चिह्न माना जाता है। कई रियासतों में महाराजा जुलूस बना कर नगर में निकलते हैं और नगर के बाहर जाकर हाथी, शेर तथा चीतों की लड़ाई देख कर मनोविनोद करते हैं। तीज की सवारियाँ (जुलूस) कई रियासतों में निकलती हैं, परन्तु बूँदी में इनकी ख़ास शान है। वर्तमान रावराजा को ऐसी बातों से विशेष अनुराग है। आपकी विलासिता, रसिकता और मद्यप्रियता में पूरा राजसीपन है। रियासत के कर्मचारियों को चाहे चार-चार मास तक वेतन न मिले और राजकोष की यह दशा हो कि वहाँ दो सिपाहियों का पहरा रखने की भी आवश्यकता न पड़े, लेकिन तीज के दिन आप अपनी वीरता, उदारता, गुणग्राहकता और रसिकता प्रकट किए बिना नहीं रहते। अभी हाल की बात है कि तीज के दिन आपने अपने एक हाथी का शिकार करके अपनी अप्रतिम वीरता और बेनज़ीर निशानेबाज़ी का परिचय दिया था। सवारी भी बड़े ठाट और वैभव के साथ निकली थी और देश-देशान्तरों से आई हुई वाराङ्गनाओं का यथोचित सत्कार हुआ था तथा स्वदेशी मङ्गलामुखियों को भी सन्तुष्ट किया गया था। बूँदी के रावराजा को उनकी प्रजा "निगाह-दौलत" कहती है, अर्थात् जिधर नरेश की नज़र पड़े उधर ही दौलत है। अतः यदि राजकोष में रुपए की कमी है तो कोई बात नहीं। क्योंकि जिधर हुज़ूर की दृष्टि पड़ती है, उधर ही धन की वर्षा होने लगती है। बात यह है कि जैसे भारत-सरकार को पहले माँगते ही ऋण मिल जाया करता था, उसी प्रकार बूँदी-नरेश को भी बड़े-बड़े सेठ-साहूकार फ़ौरन क़र्ज़ दे दिया करते थे। भूतपूर्व रावराजा तक तो यह बात चली, पर अब इसमें शिथिलता आने लगी है। जब भारत-सरकार को ही ऋण मिलना बन्द सा हो गया है, तो बेचारी बूँदी की क्या गिनती! इसके अतिरिक्त अब बूँदी के आसपास ऐसे साहसी तथा सम्पन्न साहूकार भी नहीं हैं। इतने

पर भी रावराजा की उदारता में किञ्चित अन्तर नहीं आया है। जैसे पहले के रावराजा मेखभाण पर मुग्ध हुए थे और उनके घर को निहाल कर दिया था, उसी प्रकार वर्तमान नरेश भी अकस्मात् ही भट्टाचार्य जी पर लट्टू हो गए थे। यह मालूम नहीं कि वह आकस्मिक प्रसन्नता तीज के दिन हुई या किस दिन, परन्तु प्रसन्नता इतनी हुई कि भट्टाचार्य को ताज़ीमी सरदार बना दिया गया और १०-१२ हज़ार रुपए वार्षिक की जागीर बख़्श दी गई। अब तीज दूर नहीं है। देखें, बूँदी के नए दीवान मिस्टर पुनास्कर भी मेखभाण और भट्टाचार्य के समान मालिक के कृपा-पात्र बनते हैं या नहीं।

तीज से मिलता-जुलता ही गणगोर का त्यौहार है। यह चैत्र की शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है। इसको राजा और प्रजा दोनों समान उमङ्ग के साथ मनाते हैं। राजधानियों में एक-दो जगह नरेशों के जुलूस भी निकलते हैं, पर श्रावणी तीज जैसी चहल-पहल नहीं होती। इस दिन उदयपुर के महाराणा साहब अपने उमरावों के साथ नाव में विराज कर तालाब में घूमते हैं और दरबारियों को इनाम-बख़्शीश वितरण किया जाता है। सब रियासतों की महारानियाँ गणगोर का ज़नाना दरबार करती हैं, जिनमें नगर की स्त्रियों को भी जाने की इजाज़त होती है। उस दरबार में प्रायः स्त्रियाँ ही होती हैं। जैसे राजकुल में गणगोर मनाई जाती है, उसी प्रकार जागीरदार भी नक़ल करते हैं। इस दिन दो काष्ठ-प्रतिमाओं का जुलूस निकाला जाता है, परन्तु सब रियासतों में नहीं। उदयपुर में इसकी विशेष धूम रहती है। वहाँ के जागीरदारों के यहाँ भी यह बड़ा उत्सव है। शायद तीज या गणगोर पर मेहमानों का आतिथ्य करने के लिए एक बार भींडर के रावसाहब ने १००) की शराब मँगवाई थी। तीज और गणगोर शराब पीने के ख़ास दिन हैं। इन अवसरों पर कुछ राजपूताने के नरेश तो रोम वालों के विलास को भी मात कर देते हैं।

सर प्रताप के कारण जोधपुर से तो इन त्यौहारों की बेहूदगियाँ प्रायः हट गई हैं। और जयपुर में कई वर्ष से स्थगित सी थीं। बीकानेर महाराजा ने इनको कला का रूप देकर संस्कृत बना दिया है। परन्तु शेष रियासतों में अत्यन्त धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। आश्चर्य इस बात पर है कि कोटा में भी ये बुराइयाँ जारी हैं। यहाँ के महाराव बड़े सच्चरित्र और सुशासक सुने जाते हैं। लेखक ने भी रियासत के कुछ अंश में शासन की उत्तमता को देखा है। ऐसे नरेश बुढ़ापे में बच्चों की भाँति मिट्टी के खिलौने को तोड़ें या नगर की सहस्रों युवतियों से घिर कर गणगोर के दिन बाग़ में बैठें—यह अच्छा नहीं है। राजाओं के लिए ये कार्य कलङ्क-स्वरूप हैं। ऐसे कार्यों से राजा तथा प्रजा—दोनों का पतन होता है। जहाँ तक हो सके ऐसी विनाशकारी एवं दूषित परम्परा को शीघ्रातिशीघ्र त्याग देना चाहिए। हम आशा करते हैं कि जयपुर भी जोधपुर का अनुकरण करेगा और अपने भोग-विलास को बीकानेर के समान कला का रूप देकर सुन्दर तथा संस्कृत बनावेगा। यह हम मानते हैं कि विलास मनुष्य-जीवन का और विशेषकर नरेशों के जीवन का आवश्यक अङ्ग है। महाराज जनक और महाराज मैसोर की भाँति निर्लिप्त, संयमी और त्यागी होना प्रत्येक राजा के लिए सम्भव नहीं। परन्तु विलास में मर्यादा, संयम, कला, संस्कृति और सुन्दरता होनी चाहिए। राजपूतों के विलास में इसका नितान्त अभाव है।

* * *

कविता-कुञ्ज

गाँधी-महत्व

[श्री० गङ्गाविष्णु जी पाण्डेय 'विष्णु']

गाँधी जिस कार्य को उठाता पूरा करता है,
गाँधी के न दिल में ज़रा भी अभिमान है।
गाँधी वैष्णवी कला का अंश है अवश्यमेव,
गाँधी 'विष्णु' सर्व-श्रेष्ठ विश्व में पुमान् है।
रूस में, अमेरिका में, चीन और योरुप में,
मानी मानवों में मिलता इसी को मान है।
गाँधी-सा सुपुत्र मातृ-भूमि को मिला है आज;
पूज्य गाँधी से ही ऊँची भारत की शान है।

❀

खादी का प्रचार भी किया इसी ने भारत में,
नमक के सत्याग्रह का भी यही प्राण है।
भारत के भाल को समुन्नत किया इसी ने,
राजनीति में इसी का सर्व-श्रेष्ठ स्थान है।
भाइयों के दुःख से सहानुभूति है इसीको,
देश की परिस्थिति का पूरा-पूरा ज्ञान है।
गाँधी के सरीखा पुत्र पाके मातृ-भूमि की भी,
ऊँची से भी ऊँची 'विष्णु' भूमि पर शान है।

❀

गाँधी ने समुज्ज्वल किया है मुख भारत का,
गाँधी पै हरेक देशभाई को गुमान है।
गाँधी में न दोष एक ढूँढ़े से भी मिलता है,
गाँधी मानवों में सर्व सद्गुणों की खानि है।
गाँधी, देश के लिए ही मरता है रात-दिन,
गाँधी को सदैव मातृ-भूमि का ही ध्यान है।
गाँधी पूर्ण योगी का सा जीवन बिता रहा है,
गाँधी की निराली 'विष्णु' भूमि पर शान है।

❀

तिरङ्गा

[श्री० चन्द्रदत्त जी पाण्डेय]

विश्व-केतु-सा फहरा जावे, वृहद् व्योम में यह केतन
हिन्दू-यवन और ईसाई, करें समर्पित निज जीवन,
अये तिरङ्गे ! ऊपर जाओ,
अनुपम शान्ति सुखद सरसाओ,
इस पतझड़ में मधुऋतु लाओ,
विकसित होवें सरस-सुमन;
बिछुड़े जन सब मिलें परस्पर,
झरें प्रेम के निर्झर झर-झर,
प्लावित होवें धरणी-अम्बर,
नवल-स्फूर्ति का हो सिरजन;
सब तुमको निज शीश नवावें,
भारत के गीतों को गावें,
सभी तुम्हारे नीचे आवें,
भय का करके पूर्ण दमन;
ज़रा और ऊपर चढ़ जाओ, अये पताके! प्रमुदित-मन!

❀

बटमार !

[श्री० मैथिलीशरण जी 'नेहनिधि']

रक्त-वर्ण प्राची का अञ्चल
था वसन्त का विमल प्रभात।
सुखद पौन की मन्थर गति से
हिलते थे तरुओं के पात॥
बाल चपलता लिए लताओं
का छूता था कोमल गात।
वह समीर गुदगुदा रहा था
हँसती थीं कलियाँ अवदात॥
खग-कुल की मीठी स्वर-लहरी
जाती थी वसुधा पर फैल !
छोटे-छोटे बच्चों से थी
भरी हुई गाँवों की गैल॥
ऐसे सुन्दर स्वर्ण-काल में
तेरे शुभ मन्दिर का द्वार—
खुला हुआ था, तेरे पूजक
कर बाँधे थे कई क़तार—
खड़े हुए, तब विनय-गीत से
बहा रहे थे वे रस-धार।
सारी जगती मुग्ध हृदय से
लखती थी तुझको साकार॥
तेरी रूप-माधुरी की मैं
प्यासी बेकल थी असहाय।
चिर-सञ्चित अभिलाषा का अब
टूटा बाँध महा अकुलाय॥
सोचा "प्रियतम आज मिलेंगे"
भरी चँगेरी चुन-चुन फूल।
तिलक ललाट गले में माला
डाली, पहना शुद्ध दुकूल॥
मिलनोत्कण्ठा बढ़ा रही थी
पहुँच गया था मन्दिर पास।
भरी चँगेरी झटकी किसने ?
तोड़ी दुखिया की सब आस !!
तत्काल उलट कर देखा, पर
छलिया ! देख गई मैं हार।
नहीं दिखाई दिए, निठुर बन
भाग गए ऐरे 'बटमार' !!

*

हृदय-यज्ञ

[श्री० देवीप्रसाद जी गुप्त 'कुसुमाकर' बी० ए०, एल्-एल्० बी०]

मैं नभ के तारों को चुन कर, माला आज बनाऊँगा।
प्रभा सूर्य की एकत्रित कर, मैं आरती सजाऊँगा॥
लेकर मैं सौन्दर्य विश्व का, तुमको भेंट चढ़ाऊँगा।
नीरव के गम्भीर गीत को, गाकर तुम्हें रिझाऊँगा॥
इस प्रकार पूजा-अर्चा कर, तुमको प्रभु ! पधराऊँगा।
फिर तुमको आचार्य बना कर, हृदय-यज्ञ रचवाऊँगा॥
जिसमें जीवन की कटुता की, आहुतियाँ दिलवाऊँगा।
सारी यह अज्ञान-कलुषता, इसमें भस्म कराऊँगा॥

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



पिता की दूकान पर पुत्री का धरना। (बाँईं ओर अकेली) श्रीमती लीलावती देवी व्यास। आप इन्दौर की एक उत्साहिनी कार्यकर्त्री हैं। इस चित्र में पाठक देखेंगे, आप अपने पिता की विलायती कपड़े की दूकान पर अन्य स्वयंसेविकाओं के साथ धरना दिए खड़ी हैं।



गाज़ीपुर का एक बालक-स्वयंसेवक — [illegible] के [illegible] पर [illegible] दिखाकर [illegible] किया था।



आगरे के हिन्दुस्तानी सेवा-दल द्वारा राष्ट्रीय झण्डे के अभिवादन का दृश्य। दल के प्रधान श्री० मनोहरलाल जी राष्ट्रीय झण्डा फहरा रहे हैं।

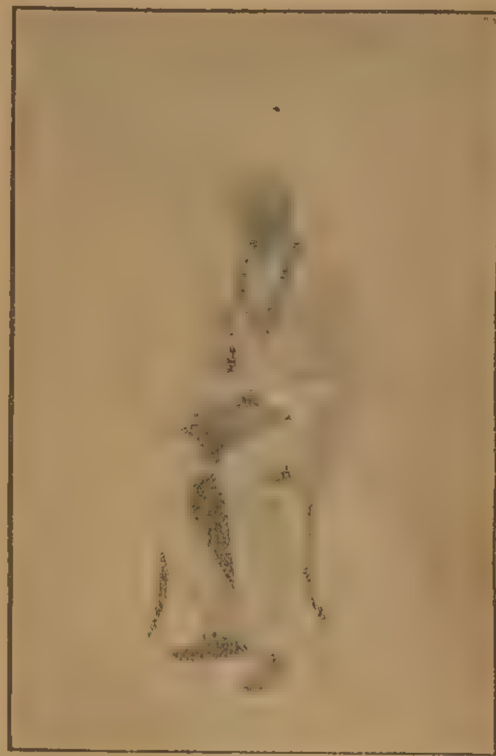


बम्बई की हाल ही में होने वाली [illegible] सभा का दृश्य, जब कि वहाँ [illegible] एकत्र हुए थे—पाठक इस चित्र में बम्बई के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता श्री० के० एफ़० नरीमैन को भाषण देते हुए देखेंगे।

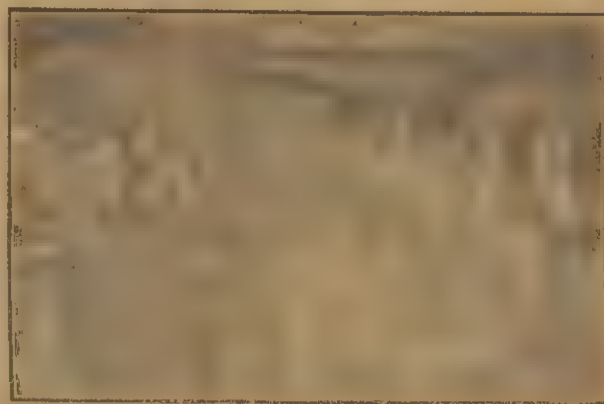
'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



माननीय रैवरैण्ड सी० डी० लाला एम० एल० सी० (ट्रीनीडाड)



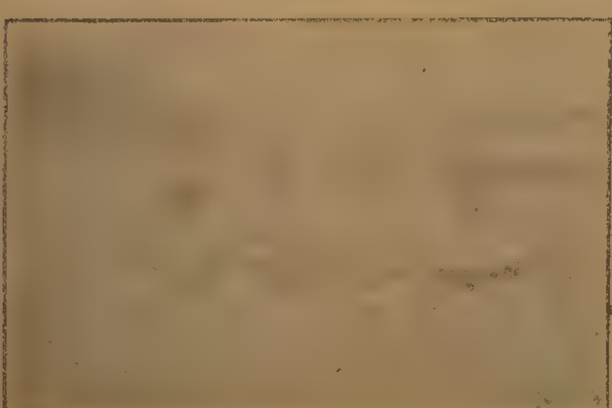
श्री० इन्द्रमणिलाल गुप्त। आप मुज़फ़्फ़रपुर के अत्यन्त साहसी कार्यकर्ता हैं और देश-प्रेम के पुरस्कार-स्वरूप दो बार जेल हो आए हैं।



मथुरा के गत महिला-राजनीतिक सम्मेलन के जुलूस का दृश्य। आगे-आगे सम्मेलन की सभा-नेत्री, दिल्ली-निवासिनी श्रीमती सत्यवती देवी और श्रीमती मेमोदेवी जा रही हैं।



श्री० रामअनुग्रह प्रसाद मिश्र। आपकी आयु केवल १७ वर्ष की है। आप रीवाँ के रहने वाले हैं और दिल्ली के वायुयान-क्लब में हवाई जहाज़ चलाने की शिक्षा पा रहे हैं।



महिला राजनीतिक सम्मेलन, मथुरा की कतिपय कार्यकर्त्रियाँ। (बाँईं ओर से) श्रीमती चन्द्रावती देवी, श्री० कृष्णा देवी, श्री० सौभाग्यवती देवी और श्रीमती प्रकाशवती देवी।



सुप्रसिद्ध पहलवान गामा (रुस्तमे-हिन्द) हाल ही में जिनकी मृत्यु की झूठी अफ़वाह फैल गई थी। आप पूर्णतः प्रसन्न तथा स्वस्थ हैं।

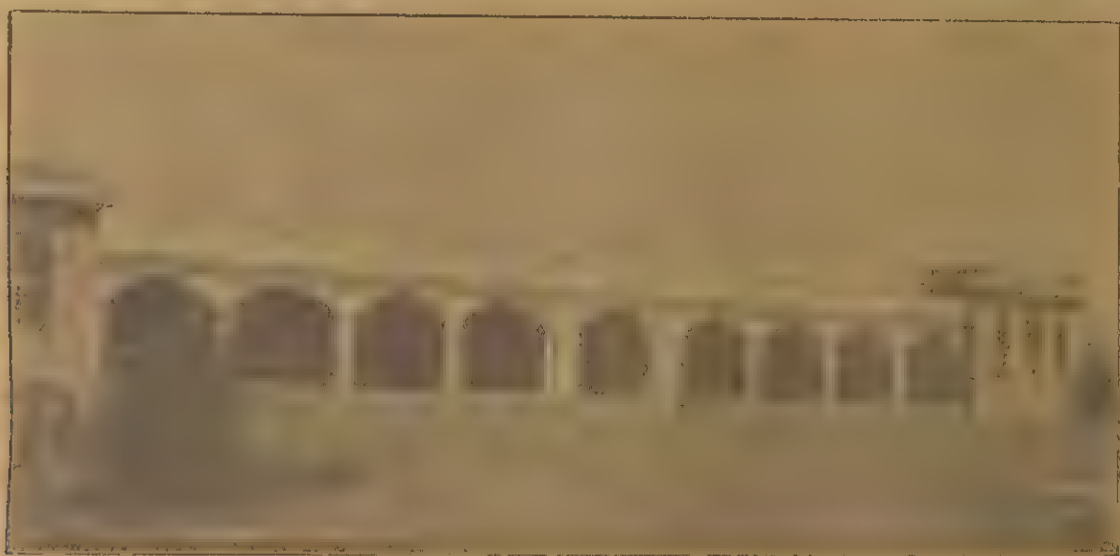
'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



एक आदर्श विवाह। वर—श्री० आसकरन राँका और वधू—सौ० श्रीमती राँका। यह आदर्श विवाह, सम्पूर्ण पुरानी रूढ़ियों को ठुकरा कर, अभी हाल में ही कलकत्ते में हुआ है। वर की आयु २३ वर्ष और वधू की १६ वर्ष है। श्रीमती देवी चार महीने तक कारागार में भी रह चुकी हैं।

ठाकुर जगमोहनसिंह नेगी, बी० ए०। आप गढ़वाल के प्रमुख कार्यकर्ता हैं और देश-भक्ति के फल-स्वरूप जेल और जुर्माने की सज़ा भी पा चुके हैं। जेल से छूटने पर आपने काशी के हिन्दू-विश्वविद्यालय से 'लॉ फ़ाइनल' की परीक्षा दी है।



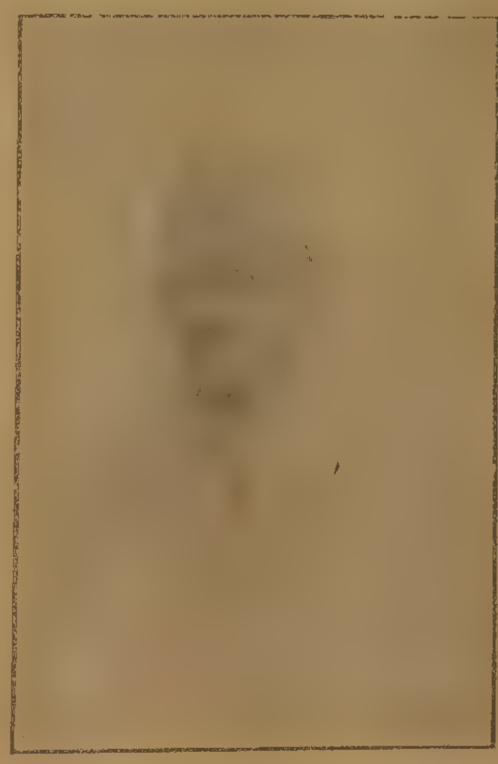


नैरोबी (अफ़्रीका) का आर्य-कन्या-पाठशाला



श्री० महात्मा गजाधर—आप कराची के बेकार मज़दूरों के लीडर हैं और उन्हें इन विपत्ति के दिनों में यथेष्ट सहायता पहुँचाई है। महात्मा गाँधी जी ने आपके अदम्य उत्साह की बड़ी प्रशंसा की है। आप कॉङ्ग्रेस-प्रेमी और कराची डिस्ट्रिक्ट कॉङ्ग्रेस कमिटी के उप-सभापति भी हैं।

श्री० मदनगोपाल सन्याल। आप मेरठ की बाल-सभा के प्रमुख कार्यकर्ता और अन्यतम प्रवर्तक भी हैं।



'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



[illegible] । पाठक इस चित्र में [illegible]
तथा डॉक्टर हार्डिकर आदि सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेताओं को उपस्थित देखेंगे ।



बम्बई का वह दृश्य, जिसमें राष्ट्रपति सरदार पटेल ने कॉङ्ग्रेस-भवन पर अपने हाथ से हाल ही में राष्ट्रीय झण्डा फहराया था । इस चित्र में बाँई ओर से पाठक
[illegible]
आदि राष्ट्रीय नेताओं को उपस्थित देखेंगे ।



आबरू इश्क़ में पाए किसी क़ाबिल हो जाय, दिल से जिस दिल को, वह दिल कह दें, वही दिल हो जाय।
मौत अच्छी है, ग़मे-इश्क़ में मरना अच्छा, जो के वह क्या करे, जीना जिसे मुश्किल हो जाय!

आज मक़तल[१] में तमन्ना[२] मेरी हासिल हो जाय,
सुर्ख़रूई[३] तेरी शम्शीर[४] की क़ातिल हो जाय।
—"बकुट" मुरादाबादी

हुस्न ख़ुदबीनो[५] ख़ुदआरा[६] जो मुक़ाबिल हो जाय,
दिले हैरतज़दा[७] आईनए महफ़िल हो जाय।
गर असर कुछ मेरी फ़रियाद को हासिल हो जाय,
मेरी हर आह शिकस्ता[८] भी मेरा दिल हो जाय।
निगहे यास[९] कशाकश[१०] में पड़ी है अब तो,
मौजे[११] तूफ़ाँ को यह लाज़िम है कि साहिल[१२] हो-
जाय।
—"इशरत" देहलवी

तेरी रहमत[१३] से हो मुश्किल से भी मुश्किल आसान,
वरना, आसान से आसान भी मुश्किल हो जाय।
ज़ुल्म पर ज़ुल्म सितम पर जो सितम करते हैं,
उनका मतलब है कि जीना मुझे मुश्किल हो जाय।
—"बहार" आज़मगढ़ी

रङ्ग लाएगा सरे-दार[१४] यह ख़ूने शुहदा[१५],
इतना मालूम यह उनको सरे-महफ़िल हो जाय।
—"साक़िब" सहारनपुरी

और भी एक निगहे लुत्फ़ जो क़ातिल हो जाय,
दिल तो बिस्मिल[१६] है, जिगर[१७] भी मेरा—
बिस्मिल हो जाय।
दम है अटका हुआ आँखों में ज़रा आ जाओ,
सहल बीमारे मुहब्बत की भी मुश्किल हो जाय।
—"जिगर" थानवी

आइना गर तेरी सूरत का मुक़ाबिल हो जाय,
अपना नज़्ज़ारा[१८] तुझे आज ही मुश्किल हो जाय।
तू अगर लुत्फ़ करे जलवा दिखा दे अपना,
कुञ्जे तनहाई[१९] भी ऐ जाँ मुझे महफ़िल हो जाय।
—"जौहर" मथरावी

क़त्ल करके मुझे ठण्डा जो तेरा दिल हो जाय,
सुर्ख़रू ख़ूँ में नहा कर तेरा बिस्मिल हो जाय।
लाई है बज़्म में क़ातिल की यह उम्मीद मुझे,
लज़्ज़ते जामे-शहादत[२०] कहीं हासिल हो जाय।

१—बलिवेदी, २—इच्छा, ३—सफलता, ४—तलवार, ५—अपने को देखना, ६—अपने को सँवारना, ७—आश्चर्यजनक, ८—टूटा हुआ, ९—निराशा, १०—खींचातानी, ११—लहर, १२—किनारा, १३—कृपा, १४—शूली पर, १५—क़त्ल होने वाले, १६—घायल, १७—कलेजा, १८—दृश्य, १९—अकेला, २०—मौत का प्याला,

"दास" मुझ सा भी कोई ख़ूगरे आज़ार[२१] न हो,
फिर यह हसरत है कि वह ज़ौर[२२] पे मायल[२३]
हो जाय।
—"दास" मुरादाबादी

मैं वह मायूसे[२४] तमन्ना हूँ ज़माने भर में,
जिसकी आसानी भी आसानी से मुश्किल हो जाय।
—"दर्द" बदायूनी

दूर तूफ़ाँ में जो तैराक़ से साहिल हो जाय,
तेरी मरज़ी हो तो हर मौज पे मञ्ज़िल हो जाय।
निगहे नाज़ सरे-बज़्म जो उठ जाय तेरी,
कोई वहशी, कोई मजनूँ, कोई बिस्मिल हो जाय।
—"दिलावर" अकबराबादी

बन्दए[२५] हक़ है वही, हक़ से जो वासिल[२६] हो जाय,
क़तरा वह बह्र[२७] है जो बह्र में शामिल हो जाय।
आइना उसके किसी दिन जो मुक़ाबिल हो जाय,
अपनी सूरत पे वह बुत आप ही मायल हो जाय।
फिर मैं पूछूँ कि जफ़ा मद्दे-नज़र[२८] है कि वफ़ा,
ऐ जफ़ापेशा[२९] जो मेरा सा तेरा दिल हो जाय।
मुझको जो काम हो मुश्किल, वह उन्हें हो आसाँ,
उनको जो काम हो आसाँ, मुझे मुश्किल हो जाय।
—"शाकिर" ग्वालियरी

बेनक़ाब आज अगर वह सरे महफ़िल हो जाय,
दिल मेरा इसके लिए परदए महमिल हो जाय।
मुझ पे बेवजह सितम, ग़ैर से बेवजह वफ़ा,
साफ़ मतलब है कि जीना मेरा मुश्किल हो जाय।
क़ारे[३०] दरिया में भी हासिल हो सुकूने[३१] साहिल,
मेरे क़ाबू में जो ऐ "शौक़" मेरा दिल हो जाय।
—"शौक़" बुलन्दशहरी

मुश्किलें सब अभी आसान हुई जाती हैं,
काश क़ाबू में मेरे आज मेरा दिल हो जाय।
जो उन्हें देख ले जी-जान से हो जाय निसार,
जिसको वह देख लें एक आन में बिस्मिल हो जाय।
—"तालिब" कानपुरी

मैं न हूँगा तो रक़ीबों का रहेगा जमघट,
यह तो मुमकिन नहीं ख़ाली तेरी महफ़िल हो जाय।

२१—दुख का आदी, २२—ज़ुल्म, २३—झुकाव, २४—निराशा, २५—ईश्वर का दास, २६—मिलन, २७—समुद्र, २८—ध्यान रहे, २९—ज़ालिम, ३०—गड्ढा, ३१—आराम,

मैं यह समझूँगा मिली दोनों जहाँ की न्यामत,
तेरी महफ़िल में मुझे बार[३२] जो हासिल हो जाय।
—"क़मर" चिरयाधली

सूरते आइना फिर कोई मुक़ाबिल हो जाय,
हैरतो दीद का फिर हक़ मुझे हासिल हो जाय।
—"क़ैसर" देहलवी

गरमिये शम्आ[३३] तेरा रुख़ जो सूए दिल हो जाय,
अभी जल-भुन के, यह परवानए महफ़िल हो जाय।
आबरू इश्क़ में पाए, किसी क़ाबिल हो जाय,
दिल से जिस दिल को, वह दिल कह दें—,
वही दिल हो जाय।
लज़्ज़ते ज़ख़्म सितम यूँ मुझे हासिल हो जाय,
हो जिधर तीर तेरा, दिल से उधर—
दिल हो जाय।
शम्आ-क़ुदरत[३४] यही कहती है सरे बज़्मे अज़ल,[३५]
जिसको जलना हो वह परवानए महफ़िल हो जाय।
ज़र्रए कूचए ग़म को है यूँही बेताबी[३६],
तुम जो रख दो क़दम उस पर हमातन[३७]—
दिल हो जाय।
लुत्फ़ तो जब है तरक़्क़ी करे यूँ बहरे सरिश्क[३८],
दूर नज़रों से मेरी मञ्ज़रे साहिल हो जाय।
नाम रौशन करे अब दश्ते[३९] वफ़ा में अपना,
दिल निडर हो के चराग़े सरे मञ्ज़िल हो जाय।
नज़्आ[४०] के वक़्त वह बालीं[४१] से तो उठते हैं मगर,
कहीं ऐसा न हो मरना मेरा मुश्किल हो जाय।
और क्या है यह है तरतीबे[४२] अनासिर[४३] से ग़रज़,
हो जो आज़ाद वह पाबन्दे सलासिल[४४] हो जाय,
है मेरी वज्ह से यह हुस्न, यह ज़ीनत यह बहार,
मैं जो उठ जाऊँ तो सूनी अभी महफ़िल हो जाय।
सैर दरिया को हैं आमादा तुम्हारे वहशी,
टुकड़े-टुकड़े न कहीं दामने साहिल हो जाय।
मौत अच्छी है, ग़मे-इश्क़ में मरना अच्छा,
जी के वह क्या करे, जीना जिसे मुश्किल हो जाय।
सुनने वाला जो सुने दिल से कलामे[४५] "बिस्मिल"
मेरा दावा यह है वह सूरते बिस्मिल हो जाय।
—"बिस्मिल" इलाहाबादी

३२—आदर, ३३—दीपक, ३४—प्रकृति का दीपक, ३५—आदि, ३६—बेचैनी, ३७—बिल्कुल, ३८—आँसू, ३९—जङ्गल, ४०—आख़ीर समय, ४१—सिरहाना, ४२—बनावट, ४३—पञ्चतत्व ४४—क़ैद, ४५—कविता।

कुछ सम्मतियाँ

Sjt. Bhola Lal Das, B.A., LL.B., Laharia-Sarai, writes to say:

I have been watching all-along the whirlwind of political dangers which you and your press have been thrown into. It is also a great relief to me to learn that you have been facing all these troubles with an undaunted courage and perseverance . . . About BHAVISHYA, I should only say that it has really surpassed all the Indian weeklies and has rightly found its way into all the nooks and corners of the country. To tell you the truth, I find my own thoughts much below its high standard and hence I do not attempt to write further . . .

❀

Sjt. Amrit Lal Bhatia, B. Sc., LL. B., writes from Muttra :

. . . you are to be congratulated for your fearless journalism at great personal risk and monetary sacrifice. Yours is an unparalleled record in the cause of social reform and advancement. . . .

❀

Sjt. Daya Krishna, M. A., Director of Education, Kotah State writes :

. . . you will be glad to know that I am getting your CHAND for all the girl's and middle schools in the district and at my inspection of schools I always try to find out if the boys and *teachers* read it regularly. I have also got a copy of your excellent book *Samaj Darshan* which appealed to me so much 8 years ago, and recommended in every Middle School Library in the district.

❀

Dr. B. L. Atreya, M. A., D. Litt. of the Hindu University Benares writes :

Kindly execuse me for a little delay in expressing my thanks to you for the trouble you took in showing me the *Chand* Press and the *Matri Mandir*. My visit to Allahabad has really become sanctified by my pilgrimage, to those two places, from where I have brought a good deal of inspiration. In the person of Mr. Saigal I have discovered a really great man of both thought and action, whose name will go to the posterity

I compliment you most sincerely on the admirable service you are doing through your publications to the community and specially to the female section of it and I hope you will continue in your work heedless of all orthodox opposition and senseless criticism. . . . as one of the builders of free India. Political freedom is only an external expression of intellectual, moral and religious freedom, to bring about which the CHAND has been striving so long. I wish I could partake in this *Mahayajna* which is being performed by you for awakening the soul of India which is even now dreaming the dreams of superstition, ignorance, social injustice, slavery and persecution of the fair sex-dreams from which other nations have already freed themselves. I pray to the Almighty to give you more and more power to continue the work you have undertaken.

❀

प्रो॰ विश्वेश्वर, सिद्धान्त-शिरोमणि, गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन से लिखते हैं :—

आपकी आयोजनाएँ हिन्दी-संसार में एकदम क्रान्तिकारिणी होती हैं। 'भविष्य' का सुन्दर और सफल प्रकाशन इसका एक नया नमूना है। अभी तो निकला ही है, परन्तु निकलते-निकलते ही 'भविष्य' हिन्दी के समस्त साप्ताहिकों से बाज़ी मार ले गया। 'भविष्य' के उज्ज्वल आदर्श को प्रस्तुत करने और इस क्रान्तिकारी प्रकाशन के लिए हार्दिक बधाई। परमात्मा हमारे 'भविष्य' को सफल बनाए—यही कामना है।

❀

डॉक्टर धनीराम जी 'प्रेम' लन्दन से लिखते हैं :—

'भविष्य' के दो अङ्क इस सप्ताह मिले। धन्यवाद! पत्र को देख कर और पढ़ कर बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार के सर्वाङ्ग-सुन्दर-कलेवर, पाठ्य-विषय, चित्र आदि—पत्र की हिन्दी में बड़ी आवश्यकता थी। इस देश में ऐसे साप्ताहिक पत्रों की बहुलता देख कर मुझे यह कमी बहुत अखरती थी। मुझे गर्व है कि आप इस आशातीत सफलता को प्राप्त करने में, कठिनाइयों के रहते हुए भी, सफल हो सके। मेरी यही कामना है कि 'भविष्य' का भविष्य उज्ज्वल तथा कण्टक-रहित हो, ताकि वह हमारी प्यारी मातृभूमि के भविष्य-निर्माण में हाथ बटा सके।

❀

साहित्याचार्य पं॰ गयाप्रसाद जी शास्त्री लिखते हैं :—

आपका 'भविष्य' नियमपूर्वक बराबर आ रहा है। मैं भी अपने इष्ट-मित्रों में तथा मरीज़ों में आपके 'भविष्य' का बड़े प्रेम से प्रचार कर रहा हूँ। इसके सिवाय मैं और आपकी सेवा ही क्या कर सकता हूँ। वास्तव में आपने 'भविष्य' निकाल कर पत्रकारों के लिए सफल सम्पादन-कला का एक जीता-जागता आदर्श संसार के सामने रख दिया है। जो कुछ भी हो, आपकी सम्पादन-कला-कुशलता तथा दूरदर्शिता की प्रशंसा तो आपके विपक्षियों को भी करनी पड़ती है। आपकी इस अपूर्व प्रतिभा के लिए बधाई!

❀

आर्यमित्र

× × × इसमें प्रति सप्ताह लगभग २० चित्र और कितने ही गद्य-पद्यात्मक लेख रहते हैं। कथा-कहानी और विनोद की मात्रा भी उचित मात्रा में दी जाती है। देश-विदेश के प्रायः समस्त समाचारों का सुन्दर और सुव्यवस्थित संग्रह देख कर तबियत ख़ुश हो जाती है। 'भविष्य' की प्रत्येक प्रति सिली और कटी हुई होती है। छपाई और काग़ज़ भी अच्छे हैं। हिन्दी में 'भविष्य' अपने ढङ्ग का निराला है। हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि 'भविष्य' का भविष्य उज्ज्वल हो और वह उत्तरोत्तर उन्नति करता जाय।

❀

"भविष्य"

[पं॰ रमाशङ्कर जी मिश्र, कविरत्न "श्रीपति"]

राजहंस के समान चतुर, विवेकी, धीर ;
केसरी-सा जानता है शक्ति की उपासना !
रुद्र के समान, सच्चा क्रान्ति का पुजारी एक ;
नित्य रत कर्म में, न लोभ की कुवासना !
ग्राह के समान ग्रस लेता जो कुरीतियों को,
साधक स्वतन्त्रता का, कोई जिसे त्रास ना !
दासता के नागपाश काटने को वैनतेय,
कैसा है "भविष्य" कोई जानता विकास ना ?

❀

श्री॰ रजनीकान्त जी शास्त्री, बी॰ ए॰, बी॰ एल॰ बक्सर से लिखते हैं :—

'भविष्य' की सजावट देख कर चित्त प्रसन्न हो जाता है। यह देश का हित अवश्य साधन करेगा। ऐसे होनहार पत्र के निकालने के लिए आपको बधाई है। भगवान् इसे चिरजीवी करें। इसके लिए भी लेख भेजने का प्रयत्न करूँगा।

❀

श्री॰ हरीशचन्द्र "ज़या" देवन्दपुर, बी॰ ए॰, एल॰ एल॰ बी॰, वकील रायबरेली से लिखते हैं :—

"भविष्य" देख कर मैं दङ्ग रह गया। दिल लोट-पोट हो गया। लोग देखें कि पत्र इस तरह निकाला जाता है। आपको दिल से बधाई देता हूँ।

❀

कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी :—

'भविष्य' का भविष्य बहुत उज्ज्वल मालूम होता है, हर पहलू से लाजवाब है। सहगल जी को दिल से बधाई देता हूँ।

चरचा हर एक जगह सरे-बाज़ार यही है।
दिल जिसपे है क़ुरबान, वह अख़बार यही है॥

❀

श्री॰ जनार्दनप्रसाद झा 'द्विज' बी॰ ए॰, काशी से लिखते हैं :—

'भविष्य' की पहिली संख्या नहीं मिल सकी, शेष मिल रही हैं। बहुत अच्छा निकल रहा है। बधाई! भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आपका 'भविष्य' उज्ज्वल है।

भारत में 'कोकीन' का विष-वृक्ष

[श्री० पृथ्वीपालसिंह जी, बी० ए०]

प्रायः लोग किसी न किसी दुर्व्यसन में फँसे हुए दिखाई पड़ते हैं। जिन व्यसनों से मनुष्य की शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक स्थिति पर धक्का पहुँचता है, वे एक नहीं, अनेक हैं। लोग जानते हुए भी उन बलाओं को बड़े प्यार से गले लगाते हैं और उनके ग़ुलाम बन जाते हैं। जान-बूझ कर आग से खेलना, विष का प्याला ओठों से लगा लेना और अन्त में अपने स्वास्थ्य तथा सम्पत्ति से हाथ धो बैठना, यह तो मनुष्य का नित्य का धन्धा है। कौन नहीं जानता कि मादक वस्तुओं के सेवन से पग-पग पर पतन और सर्वनाश की आशङ्का रहती है? फिर भी हम देखते हैं कि लोग क्षणिक सुख के लिए काल तक से नहीं डरते। भारतवर्ष में हमें नन्हें-नन्हें बालक सिगरेट, बीड़ी बड़े चाव से पीते हुए दिखाई पड़ते हैं। बड़े-बूढ़ों का तो कहना ही क्या है; भङ्ग-बूटी गङ्गा के तट पर छानना, ख़ुद पीना और घर के बाल-गोपालों को भी एकाध घूँट पिला देना उनके लिए साधारण सी बात है। परन्तु उनका शौक़ भङ्ग-बूटी तक ही परिमित नहीं है। प्रति वर्ष लाखों और करोड़ों रुपए की विलायती शराब, अफ़ीम, गाँजा, चण्डू आदि इन लोगों के गले के नीचे उतर जाते हैं। लाखों और करोड़ों का ब्योरा तो हमें सरकारी विज्ञप्तियों से मिलता है। नशे का शौक़ करने वालों की न पूछिए! लुक-छिप कर खेतों से भङ्ग की पत्तियाँ तोड़ लेना, तम्बाकू के खेतों में भीगी हुई रात को घुस कर बोझ के बोझ तम्बाकू के पौधों को जड़ से उखाड़ लाना, घर ही में 'ठर्रा' तैयार करके घड़ों ढाल जाना आदि साधारण बातें हैं। मदिरा पीने वाले पानी की तरह मदिरा पीते हैं और भङ्ग खाने वाले दाल-भात की तरह भङ्ग खाते हैं! कभी मथुरा जी जाइए तो यमुना के तट पर जहाँ पण्डों के भङ्गघोटने खटक रहे हों, इसकी बहार देखिए। विशालकाय पण्डे भङ्ग की गोली या गिलास से तृप्त नहीं होते, वरन् पाव-पाव भर के समूचे गोले निगल जाते हैं। इसी प्रकार यदि पीने वालों की लीला देखनी हो तो कभी क्षण भर के लिए अपने नगर की 'कलवरिया' में चले जाइए। वहाँ दुनिया ही दूसरी दिखाई पड़ेगी। प्याले पर प्याले ढल रहे होंगे, ठर्रे का दौर चलता होगा, तेल की पकौड़ियों, गोश्त और मछली के तले हुए टुकड़ों के दोनों पर हाथ साफ़ हो रहे होंगे। एकाध प्याला पिया और तनिक झोंका आया, पैर डगमगाने लगे और मस्त हाथी की तरह झूम-झूम कर 'किधर जाते हो यार मेरे नयना लगाए' आदि बाज़ारू गानों को गा-गाकर लगे नाचने। बस नशा आते ही फिर वे मनुष्य संसार को भूल जाते हैं—प्याला अलग फेंक, समूची बोतल ही मुँह से लगा लेते हैं। कितना पी जाते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। नित्य के पीने वालों के लिए दो-एक बोतलों का ढाल जाना तो मामूली बात है।

आज भारत के अगणित नर-नारी अपना स्वास्थ्य तथा धन इन मादक वस्तुओं के पीछे नष्ट कर रहे हैं। प्रायः निर्धन मनुष्य—क़ुली-कबाड़ी और मज़दूर आदि ही इन दुर्व्यसनों में अधिक फँसे दिखाई देते हैं। ग़रीबों का यह पतन देख कर जी भर आता है, दुःख होता है, कलेजा फटने लगता है। माया के मद में चूर हो, जो पथभ्रष्ट हो जाते हैं, उन पर हमें दया नहीं आती, परन्तु फिर भी मनुष्य के नाते हम इन्हें कुमार्गगामी होने से रोकना अपना धर्म समझते हैं। आर्य-समाज आदि धार्मिक संस्थाओं ने तथा कॉङ्ग्रेस ने मादक वस्तु के बहिष्कार के लिए जी-जान से कोशिशें कीं, परन्तु उसका कोई विशेष फल नहीं हुआ। हमारी समझ में सब से पहले हमें मनुष्यों की मानसिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करना होगा। केवल धार्मिक फ़तवों तथा तिरङ्गे झण्डे के फहराने से मादकता का बहिष्कार होना स्वप्न की बात है। दूसरे जब तक हमारी सुशीला सरकार मादक वस्तुओं के प्रयोग की रोक-थाम के लिए सच्चे हृदय से अमेरिकन सरकार की तरह तैयार न होगी, तब तक हमारे लिए बहिष्कार-आन्दोलन में सफलता प्राप्त करना कठिन हो जायगा।

अभी तक तो शराब, भाँग, अफ़ीम, चण्डू आदि की ही चर्चा सुनने में आती थी, परन्तु कुछ समय से 'कोकीन' नाम की एक नई बला का नाम भी सुनने में आ रहा है। लोगों का ध्यान इस विष-बेलि की ओर अभी तक विशेष रूप से आकर्षित नहीं हुआ है, परन्तु हम देखते हैं कि यह नई व्याधि भीतर ही भीतर जड़ पकड़ रही है तथा धीरे-धीरे हमारे नाश का कारण बन रही है।

एक दिन की बात है, मैं अपने एक सम्पादक-मित्र के साथ घूमने जा रहा था। मैं उन्हें बहुत पहिले से जानता था, परन्तु यह नहीं मालूम था कि आप पहुँचे हुए योगियों में से हैं। वे सहसा एक पानवाले की दूकान पर रुक गए और बोले—"आओ, पान खा लो।" मुझे पान खाने की आदत नहीं है। परन्तु 'इसरार' पर 'इन्कार' भी नहीं करता। हम लोग दूकान के सामने खड़े हो गए। तँबोली पान बनाने लगा और मेरे साथी की ओर ताक कर धीरे से पूछा, डाल दूँ? सम्पादक जी ने मुस्करा कर उत्तर दिया—"हाँ जी, पूछना क्या है।" मुझे इस प्रश्नोत्तर के वास्तविक मर्म का पता न था। मैं समझता था, शायद प्रश्न है, तम्बाकू डालने या न डालने का। पान वाले ने फिर पूछा—"एक में या दोनों में?" सम्पादक-मित्र ने मुझसे धीरे से कान में कुछ कहा। मैं चौंक उठा और उनसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना की, कि ख़ुदा के लिए मुझे बख़्शो। इसके बाद रास्ते भर इस नई बला के गुण और दोष पर मेरी उनकी बातचीत होती रही।

इसके बाद मुझे इस नई बला का नाम जब-तब सुनाई पड़ जाता है। हाल ही में मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। उसमें मैंने 'कोकीन' का जो वर्णन पढ़ा तो मैं काँप उठा। कोकीन विष है और आज लोग इसका बड़े चाव से सेवन करते हैं। मेरा यह कथन पाठक मनगढ़न्त, कोरी कवि-कल्पना तथा प्रलाप मात्र न समझें, जो कुछ मैं लिख रहा हूँ, सरकारी विज्ञप्ति और बड़े जानकारों की खोज के आधार पर।

कोकीन क्या है, कहाँ से आती है और आज भारत के कोने-कोने में गुप्त रूप से कैसे फैल रही है तथा इस कोकीन द्वारा क्या अनर्थ हो रहा है, यह सब जान कर पाठकों को इस बला से सचेत हो जाना चाहिए।

'कोकीन' के चमकते हुए डले यूरोप और अमेरिका से आते हैं। इसका स्वाद तीखा और प्रभाव मादक होता है। डॉक्टर लोग चीर-फाड़ करने से पहिले सुइयों द्वारा कोकीन का रस उस स्थान पर प्रविष्ट कर देते हैं। इस रस के प्रभाव से वह स्थान शून्य हो जाता है। डॉक्टर मनमाना मांस तराश लेता है, परन्तु रोगी उफ़ भी नहीं करता। कोकीन के पौधे बोलेविया, पीरू, जावा, ब्रेज़िल तथा दक्षिण अमेरिका के कुछ भागों में पाए जाते हैं। कहते हैं, कोकीन के पौधों की पत्तियाँ तोड़ कर सुखा ली जाती हैं और उन्हें विविध विधियों से छान-बना कर एक प्रकार का सत् तैयार किया जाता है। कोकीन की सुखाई हुई ताज़ी पत्तियों के चुटीले प्रभाव की न पूछिए। बड़ी तेज़ होती है। उधर के लोगों का कहना है कि यह शक्ति-वर्द्धक रसों और पाकों की चची है। लोग कोकीन की पत्तियाँ सुखा कर रख लेते हैं और जब मौज आती है, तब उन्हें चाय की तरह एकाध प्याला पी लेते हैं। पीते ही नींद भाग जाती है और पीने वाले रात भर बिना पलक मारे काम-काज करते रहते हैं। कोकीन की पत्तियों की चाय का स्वाद भी ख़ासा होता और प्रभाव भी बाहर से देखने में बुरा नहीं पड़ता है। यह काम-शक्ति को उत्तेजित करने में अपना सानी नहीं रखती और निद्रा का इससे बढ़ कर कोई विकट बैरी नहीं। परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी यह एक भयङ्कर विष है। इसका काटा उठ कर पानी भी नहीं माँगता।

विद्यार्थियों की परीक्षा के दिनों का एक-एक क्षण मोती के मोल का होता है। रात-रात जग कर पढ़ते हैं। नींद को भगाने के लिए कोई खाना छोड़ देता है, कोई आँखों में अमृतधारा मलता है और कोई ललाट पर 'ओरियण्टल बाम।' और नहीं तो कोई चाय या काफ़ी के ही सहारे नींद से छुटकारा पाने का यत्न करता है। बर्मा के विद्यार्थियों को किसी ने कोकीन के गुणों से परिचित करा दिया। यह जानते ही कि कोकीन निद्रा को निर्वासित करती है, उन अबोध बालकों ने कोकीन खाना प्रारम्भ कर दिया! उन्हें कोकीन के वास्तविक अनिष्टकारिता का ज्ञान न था। उन्हें पता न था कि यह अमृत के रूप में हलाहल है। आज वे अपनी भूल पर आठ-आठ आँसू रो रहे हैं।

चाल सब मात* हुई शिमले में!

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

सुलह की बात हुई शिमले में,
बहस दिन-रात हुई शिमले में।
हाथ मिलने को मिला, दिल न मिला,
यों मुलाक़ात हुई शिमले में!
रोये बिछड़े हुए दोनों मिल कर,
ऐसी बरसात हुई शिमले में।
अपनी हठ पर वह रहे, ज़िद पे रहे,
सैंकड़ों घात हुई शिमले में।
सुलह हो जाय किसी तौर मगर,
चाल सब मात हुई शिमले में।
तै हुई बात न कोई "बिस्मिल"
बस यही बात हुई शिमले में!!

* शिमले में जो मुसलमानों की कॉन्फ़्रेन्स हुई थी, उसको लक्ष्य करके यह कविता लिखी गई है।—सं० भ०

व्यभिचारी और कामान्ध अपनी इन्द्रियों की तृप्ति के लिए संसार के सभी अच्छे-बुरे साधनों का आश्रय लेते हैं। वे अनेक प्रकार के रसों, भस्मों और पाकों का सेवन करते हैं, अपनी कुटेवों की पूर्ति के लिए कुछ उठा नहीं रखते। इसलिए आज वे इन्द्रियों के ग़ुलाम 'कोकीन' के भी ग़ुलाम हो रहे हैं। क्षणिक आनन्द के लिए वे अपने स्वास्थ्य की जड़ में मानो मट्ठा डाल देते हैं!

बड़े दुःख की बात है कि हमारे इस अभागे देश में कोकीन-प्रेमियों की संख्या बढ़ रही है और साथ ही साथ कोकीन के ग़ैर-क़ानूनी व्यापार की भी वृद्धि हो रही है। प्रत्येक वर्ष बम्बई, कराची, कलकत्ता, मद्रास, मरमोगा और पॉण्डीचेरी आदि बन्दरगाहों पर लाखों रुपए की कोकीन गुप्त-रूप से उतरती है और छिपे-छिपे देश के प्रमुख नगरों—कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, लाहौर, मुलतान, अहमदाबाद तथा सूरत आदि स्थानों में पहुँचा दी जाती है। फिर इन कोकीन-केन्द्रों से यह विष देश के कोने-कोने में पहुँच जाता है। कोकीन के गुप्त व्यापार का सञ्चालन बड़ी होशियारी के साथ किया जाता है। कोकीन भारत में विदेशों से आती है—विशेषकर पूर्वीय देशों से। इसे लाता कौन है? यही जहाज़ों पर के झाड़ू लगाने वाले, कोयला झोंकने वाले, जहाज़ चलाने वाले मल्लाह तथा जहाज़ों के अध्यक्ष और इञ्जीनियर आदि। लोगों को हवा तक नहीं लगने पाती—कोकीन आती है और दिग्दिगान्तर में फैल जाती है। सी० आई० डी० के बड़े-बड़े पदाधिकारी, मुहकमा आबकारी के बड़े-बड़े अफ़सर जहाज़ों का कोना-कोना सूँघा करते हैं और कोकीन-चोर इन सबकी आँखों में धूल झोंक कर कोकीन निकाल ले जाते हैं। कभी-कभी जब कोकीन-चोर पकड़े जाते हैं, तब पता चलता है कि भारत में कोकीन कैसे लाई जाती है। इस चोरी का पता लगा लेना सचमुच शैतान का काम है। कोकीन कभी तो अख़बारों के पुलिन्दों में, कभी खिलौने के खोखलों में और कभी पुस्तकों के बीच में छिपा कर लाई जाती है। कोकीन लाने के और भी अनेक ढङ्ग हैं, जो अभी तक प्रकाश में नहीं आए हैं।

जिन नगरों में कोकीन का व्यापार होता है, वहाँ कोकीन-व्यापारियों के जासूसों की टोलियाँ पुलिस के जासूसों के पीछे लगी रहती हैं। इसके पूर्व कि पुलिस कोकीन के गुप्त स्थानों पर छापा मारे, कोकीन-व्यापारियों के जासूस उन्हें सचेत कर देते हैं। पुलिस वाले बड़े हौसले से जाते हैं, तलाशी लेते हैं और अन्त में अपना-सा मुँह लिए चले आते हैं। कोकीन-व्यापारियों के दूत अपनी चौकसी में चूके नहीं, कि कोकीन-चोरी पकड़ी गई। कितनी ही चोरियाँ अभी तक खुली हैं, लेकिन पुलिस वालों के फ़रिश्ते भी यह पता नहीं लगा पाते कि किन कारख़ानों से यह ग़ैर-क़ानूनी कोकीन भारत के लिए आती है। कारख़ानों की बोतलों और पैकटों को व्यापारी पहले ही तोड़-फोड़ कर फेंक देते हैं—फिर भला उन कोकीन-जननियों का पता लगे तो कैसे लगे?

यद्यपि कोकीन के ग़ैर-क़ानूनी व्यापार और प्रयोग की रोक-थाम के लिए बड़े कठोर क़ानून बने हैं, परन्तु चोरों की तीव्र बुद्धि, अलौकिक सूझ और अनोखी युक्तियों के सामने सब व्यर्थ हो जाते हैं। विभिन्न प्रान्तों में कोकीन-व्यापार-निषेध के लिए विभिन्न क़ानून हैं। परन्तु सभी प्रान्तों के क़ानून एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं। बम्बई प्रान्त में कोकीन-निषेध-नियम निम्न-लिखित हैं:—"सरकार से विशेष आज्ञा प्राप्त किए हुए व्यक्ति ही कोकीन विदेश से मँगा सकते हैं और वह भी डाक द्वारा नहीं मँगा सकते। कोकीन का बेचना, मँगाना, ख़रीदना आदि जुर्म है। इसके लिए ज़िलाधीश की आज्ञा लेना आवश्यक और अनिवार्य है? एक डॉक्टर को अधिकार है कि वह बीस 'ग्रेन' कोकीन अपने पास रख सके तथा सर्वसाधारण को भी छः ग्रेन तक रखने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए किसी डॉक्टर के नुस्ख़े की मौजूदगी भी आवश्यक है। क़ानून ने कोकीन-चोरों के लिए तथा कोकीन-सम्बन्धी नियमों को भङ्ग करने वालों के लिए कारावास तथा जुर्माने का दण्ड भी निर्धारित कर दिया है। प्रथम बार के अपराधी के लिए एक वर्ष का कठिन कारावास तथा २,०००) रुपया जुर्माना या दोनों की सज़ा का नियम रक्खा है तथा दुबारा इसी जुर्म में दण्डित होने वाले के लिए दो वर्ष की कठिन सज़ा तथा २,०००) जुर्माना निर्धारित है। कोकीन के नियमों को भङ्ग करने वाले अभियुक्त जब जेल से मुक्त होकर आते हैं, तो उन पर बड़ी तीव्र दृष्टि रक्खी जा सकती है। क़ानून के अनुसार उनसे ज़मानत भी माँगी जा सकती है तथा सख़्ती तो यहाँ तक है कि क़ानून चाहे तो कोकीन-चोरों को आश्रय देने वाले मकान-मालिकों को भी कारागृह में बन्द कर दे।" इतना सब क़ानूनी दाँव-पेंच तथा नियन्त्रण किया गया है, परन्तु सब व्यर्थ। कोकीन का व्यापार उसी धूम से जारी है। कोकीन-चोर दिन-दहाड़े आँखों में से काजल निकाल लेते हैं और उनका कोई बाल भी बाँका नहीं कर पाता। १९२२-२३ में बम्बई प्रान्त में १०,९०० ग्रेन कोकीन की चोरी पकड़ी गई थी, १९२३-२४ में २९,००० ग्रेन कोकीन चोरों के पास से बरामद हुई तथा सन् १९२४ ही के अक्टूबर मास में मुहकमा आबकारी ने ४६,९०० ग्रेन कोकीन एक साथ एक ही स्थान से ढूँढ़ निकाला। गत वर्ष की सरकारी विज्ञप्ति के देखने से पता चलता है कि रङ्गून में ८२९ औंस, कलकत्ते में ९२९ औंस, बम्बई में २७९ औंस तथा इसी प्रकार एक ही वर्ष के अन्तर्गत कलकत्ते में और भी कई बार सैकड़ों औंस कोकीन की चोरी पकड़ी गई। कोकीन का व्यापार, इसका प्रचार और प्रसार बढ़ रहा है। क़ानून के रोके नहीं रुक सकता। चोरों की संख्या-वृद्धि होगी और कोकीन-चोरी भी बढ़ेगी। इस विष-वृक्ष को जड़-मूल से नष्ट करने के लिए हमें घोर आन्दोलन करना होगा—बच्चे-बच्चे को इस मादक पदार्थ के वीभत्स परिणामों से परिचित कराना होगा, लोगों की वृत्ति और चरित्र को शुद्ध करना होगा, तब हम समाज को इस विष-बेलि के विकट पाश से मुक्त करा सकेंगे।

पेरिस की सुन्दर वारविलासिनियाँ कोकीन का सेवन करती हैं। इसके सेवन करने से कुछ समय के लिए उनके मुरझाए हुए चेहरों पर झिलमिलाहट सी दौड़ने लग जाती है। एक प्रकार के प्रकाश की रेखाएँ क्रीड़ा करने लगती हैं, उनके शुष्क ओठों पर कान्ति आ जाती है तथा उनके हृदय में कामाग्नि धू-धू कर धधक उठती है। अगणित प्रेमियों की प्रेम-पिपासा की तृप्ति के लिए, अपने घृणित प्रेम-व्यवसाय की उन्नति के लिए, कण भर कोकीन खाकर पेरिस नगर की किन्नरियाँ रात भर घोर नारकीय लीलाएँ करती हैं। आज भारतवर्ष में भी वेश्याएँ इसी कार्य के लिए कोकीन की शरण लेती हैं, परन्तु सुनते हैं, हमारे देश में वेश्याओं की अपेक्षा अधिक संख्या में नवयुवक और बड़े-बूढ़े ही कोकीन सेवन करते हैं। वे नवयुवक, जो जीवन के प्रभात में अपनी शक्तियों का अधिक अपव्यय करते हैं तथा आगे चल कर जिनका जीवन घोर तमिस्रा से आच्छन्न हो जाता है, अपने रहे-सहे पुरुषार्थ को भी कोकीन खा-खाकर नष्ट डालते हैं। नवयुवकों के अतिरिक्त हमारे देश के मौलवी और मुल्ला, पण्डित और पुजारी—जो मसजिदों के स्वामी और मठों के अधिपति हैं तथा जिनके भगवान और धर्म-ग्रन्थ उन्हें शराब आदि पीने से मना करते हैं, आज वे भी कोकीन को शायद भगवान का प्रसाद समझ कर अपना रहे हैं। कोकीन-उपासकों का भारत में एक समुदाय सा क़ायम हो गया है और इस समुदाय के प्रत्येक सदस्य को पता रहता है कि कोकीन किन स्थानों पर मिलती है तथा कौन उसका व्यापार करता है। बुरे कामों में जो लिप्त होते हैं, वे अपने स्वभाव और चरित्र वालों से बड़ी जल्दी परिचित हो जाते हैं तथा अपने अड्डों को भी ख़ूब ताड़ लेते हैं।

इन कोकीन-उपासकों से पूछिए, तब आपको पता चलेगा कि जिसने कोकीन का सेवन प्रारम्भ कर दिया, वह कोकीन बिना निर्जीव-सा ही रहता है। कोकीन काम-शक्ति को बढ़ाती है अवश्य, परन्तु अन्त में बिना कोकीन का कण खाए मनुष्य किसी भी काम का नहीं रहता। धीरे-धीरे वह अपनी शक्ति और अपना मनुष्यत्व तक खो बैठता है। उसकी धमनियों में रक्त वेग से प्रवाहित ही नहीं होता, जब तक वह कोकीन का सेवन नहीं करता। यही हालत उनकी भी होती है, जो निद्रा भगाने के लिए कोकीन-प्रेमी बन जाते हैं। कुछ समय में बिना कोकीन के वे एक दिन भी सुख से अपना समय नहीं व्यतीत कर पाते और न कार्य ही आसानी से कर पाते हैं। जो कोकीन खाने के आदी हैं, यदि उन्हें दो-एक दिन इससे वञ्चित रक्खा जाय तो फिर देखिए उनकी क्या दशा हो जाती है! जो काश्मीरी सेब से लाल नज़र आते थे, वे ही लूह के मारे आम से दिखाई देने लगते हैं। चलते हुए उन्हें नेत्रों के सामने तितलियाँ सी उड़ती दिखाई पड़ती हैं, सर घूमने सा लगता है, वे निर्जीव—मृतप्राय से हो जाते हैं। क्षणिक सुख के लिए वे अपना भविष्य घोर अन्धकारमय कर लेते हैं और जीवन की अन्तिम घड़ियाँ रो-रोकर बिताते हैं। यदि कोकीन-सेवन की हानियों के विषय में आप किसी डॉक्टर से पूछें, तो वह आपको ऐसी बातें बताएगा कि सुन कर रोंगटे खड़े हो जायँगे।

देश के निर्धन कुली-कबाड़ी ताड़ी, ठर्रा, भङ्ग आदि के शौक़ में तबाह हो रहे हैं और पढ़े-लिखे धनी बाबू लोग कोकीन तथा विदेशी शराब आदि के व्यसनों में। हमें इन पथ-भ्रष्ट नर-नारियों की इतनी अधिक चिन्ता नहीं है। भय है, तो यह कि ये स्वयं डूबेंगे और साथ में देश और समाज को भी ले जायँगे। इसी भय से हम समाज के नर-रत्नों को, भारत में इस नए 'कोकीन' नामक विष-वृक्ष के उगते हुए अङ्कुर की ओर सङ्केत करके, उन्हें इसके फल के भयङ्कर परिणाम से सचेत कर देना अपना धर्म समझते हैं।

*   *   *

माँ से—

[श्री० श्रीकृष्णस्वरूप जी शर्मा]

सदियों से तू पड़ी हुई है,
पहिन ग़ुलामी की ज़ञ्जीर!
क्षीण हो गई प्रतिभा तेरी,
दुर्बल तेरा हुआ शरीर!!
लूट लिया तुझको दुष्टों ने,
किया तुझे मजबूर!
किन्तु भुला दे उन कष्टों को,
गया समय वह दूर!!
जाग उठे अब बच्चे तेरे,
समझ गए सारा व्यापार!
काटेंगे तेरे बन्धन या,
कट जाएँगे हम इस बार!!



अजी सम्पादक जी महाराज

जय राम जी की !

अभी हाल में एक दिन अपने राम ज़रा गहरी बूटी छान गए। नशे की झोंक में आँख लग गई तो एक बड़ा विचित्र स्वप्न देखा। देखा कि अपने राम अपने कमरे में बैठे हैं, उसी समय एक अद्भुत आकार-प्रकार का मनुष्य सामने आकर बोला—आपको ज़रा विष्णु भगवान ने वैकुण्ठ में बुलाया है।

यह सुनते ही अपने राम के देवता कूच कर गए। यह विचार उत्पन्न हुआ कि बस अब मर्त्यलोक से सदैव के लिए वियोग हुआ। अफ़सोस, न स्वराज्य का सुख लूट पाए, न हिन्दू-मुसलमानों की कोई बढ़िया भिड़न्त देखी और न एकता का आनन्द लूटा। सोचा था कि स्वराज्य मिलने पर अपने राम भी कुछ दिनों शान झाड़ेंगे, परन्तु वह सब मिट्टी में मिला जा रहा है। ख़ैर, पहले ज़रा एक धुड़की तो बताओ, शायद वह रोब में आ जाए। यह सोच कर अपने राम ने उससे कहा—जाओ हम नहीं जाते, हम कुछ विष्णु भगवान के बाप के नौकर नहीं हैं जो दौड़े जायँ ! पहले काम बताओ। क्या काम है ? विष्णु भगवान तो निठल्ले आदमी हैं। क्षीर-सागर में पड़े जम्हुवाया करते हैं। अपने राम काम-काजी आदमी ठहरे। इतनी फ़ुर्सत नहीं जो व्यर्थ में इधर-उधर मारे-मारे फिरें ! और भई, सच्ची बात यह है कि पहले यह वादा करो कि आज ही हमें यहीं भेज जाओगे। तुम लोगों का क्या विश्वास—वहीं रोक रक्खो तो हमारे सारे अरमान ख़ाक में मिल जायँ !

दूत बोला—यदि आप कहेंगे तो हम आपको यहीं पहुँचा जाएँगे। परन्तु हमें विश्वास नहीं कि आप वैकुण्ठ पहुँच कर फिर मर्त्यलोक में लौटने की इच्छा करेंगे।

अपने राम ने पूछा—क्यों भई, ऐसे वैकुण्ठ में कौन से लाल टँके हैं, जो हम वहीं रह जायँगे। इतना बड़ा ढोल-डौल बढ़ाया, परन्तु बुद्धि ज़रा भी न आई—अफ़सोस ! यदि वैकुण्ठ में ऐसे ही बुद्धिमानों का जमघट है तो अपने राम का उसे दूर ही से प्रणाम है।

दूत ने कहा—वैकुण्ठ जाने के लिए मर्त्यलोक के प्राणी पहाड़ों की कन्दराओं में बैठ कर तपस्या करते हैं—यह भी आपको पता है ?

अपने राम बोले—हमें सब पता है। इन्हीं बातों ने तो मर्त्यलोक की मिट्टी पलीद कर रक्खी है। वैकुण्ठ और स्वर्ग के पीछे लोग दीवाने रहते हैं। ख़ैर, मुझे तुमसे बहस नहीं करना है। मैं मालिकों से बात करता हूँ, नौकरों के मुँह नहीं लगता। जाओ अपना रास्ता नापो।

दूत—आपको चलना तो अवश्य ही पड़ेगा।

"क्यों ?"

"हमारे स्वामी ने बुलाया है, इसलिए हम तो अवश्य आपको ले चलेंगे।"

"और जो हम न चलें ?"

"तो ज़बरदस्ती ले चलेंगे।"

अब अपने राम समझ गए कि यह ख़ाली दूत ही नहीं, वरन् वैकुण्ठ की पुलिस का कोई अफ़सर भी है। क्योंकि केवल पुलिस का आदमी ही ज़बरदस्ती ले जाने का साहस दिखा सकता है।

यह सोच कर अपने राम ने कहा—अच्छा भाई चलता हूँ, परन्तु यह तो बताओ, कितने दिनों बाद छोड़ोगे।

दूत ने उत्तर दिया—अभी थोड़ी देर में लौट आइएगा—दिनों का क्या काम ?

"अच्छा भाई चलो"—यह कह कर मैं उसके साथ हो लिया।

थोड़ी दूर चलने के पश्चात् ख़्याल आया कि विष्णु भगवान ने कोई सवारी तो भेजी ही होगी। यह सोच कर पूछा—क्यों मित्र ? कोई सवारी-अवारी लाए हो या पैदल ही घसीटोगे ?

दूत ने कहा—सवारी की क्या आवश्यकता है, अभी दम में पहुँचे जाते ।

मैंने कहा—यह तो यार तुम दम देते हो। कोई किराए की ही सवारी ले लो। वह दुष्ट गरुड़ हराम की तनख़्वाह खाता है, विष्णु भगवान तो इधर बहुत दिनों से कहीं आते-जाते नहीं। उस गरुड़ ही को लोत लाते।

दूत बोला—वह केवल विष्णु भगवान ही के लिए है।

"अरे तो गरुड़ न सही, कोई चमगादड़, चील या गिद्ध ही को पकड़ लेते।"

"पैदल ही ठीक रहेगा।"

"जान पड़ता है तुम्हें मन्दाग्नि की शिकायत रहती है—तभी पैदल चलने का शौक़ है।"

इसी प्रकार की बातें करते हुए हम दोनों वैकुण्ठ के द्वार पर पहुँचे। मैंने पूछा—विष्णु जी क्षीर-सागर में हैं या वैकुण्ठ में

उसने उत्तर दिया—आजकल दौरे पर हैं, इसलिए वैकुण्ठ में आए हुए हैं। वैसे तो क्षीर-सागर ही में रहते हैं।

ख़ैर साहब, अनेक फाटक तथा द्वारों को तय करके एक बहुत बड़ी बारहदरी में पहुँचे। उस बारहदरी को लाँघ कर एक छोटे से कमरे में पहुँचे। वहाँ विष्णु भगवान बैठे एक प्याली में अफ़ीम घोल रहे थे।

अपने राम देखते ही ताड़ गए। अतएव झट बोल उठे—भगवन्, आज पता लगा कि आपका वर्ण श्याम क्यों है। मर्त्यलोक में आपके इस वर्ण पर लोग बलि-बलि जाते हैं। इस वर्ण की प्रशंसा में कवियों ने ग्रन्थ के ग्रन्थ बना डाले। कोई काली घटाओं की उपमा देता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ बकता है, परन्तु असली बात का पता किसी को नहीं, यह कोई नहीं जानता कि यह सब चीनिया-बेगम की करामात है। लक्ष्मी जी के होते हुए आपने इससे प्रेम बढ़ाया, यह अच्छी बात नहीं है।

विष्णु भगवान कुछ झेंप कर बोले—दुबे जी, मैं तो बहुत प्रयत्न करता हूँ कि यह छूट जाय, पर नहीं छूटती। सतयुग में मुझे इसका बिल्कुल अभ्यास नहीं था। द्वापर में आरम्भ हुआ, त्रेता से बढ़ना शुरू हुआ, कलियुग में बहुत बढ़ गया।

मैंने पूछा—सच कहिएगा भगवन्, महाभारत का युद्ध इसी की झोंक में तो नहीं करा दिया।

विष्णु जी हँस कर बोले—नहीं, यह बात नहीं है। उसके और भी कारण थे।

"तो आजकल क्या दशा है ?"

"आजकल अभ्यास बहुत बढ़ा हुआ है। प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। देखो पहले की अपेक्षा मेरा वर्ण भी अधिक श्याम हो गया है। पहले केवल श्याम था, फिर घनश्याम हुआ और अब आजकल तो घनाघनश्याम हो रहा है। आगे न जाने क्या हो।"

"यह तो बड़ी बुरी बात है भगवन्। यदि मर्त्यलोक वालों को पता लग जायगा कि यह आपकी प्रिय वस्तु है, तो सच मानिए कम से कम भारतवर्ष एक सिरे से अफ़ीमची हो जायगा। मन्दिरों में अफ़ीम का भोग लगा करेगा।

विष्णु जी बोले—और तो कोई जानता नहीं, केवल आप जान गए हैं, सो मेरी लाज आपके हाथ में है।

सम्पादक जी, इच्छा तो हुई कि कह दूँ कि मैं तो जाकर घर-घर डङ्का पीटूँगा कि विष्णु जी बड़े भारी अफ़ीमची हो गए। परन्तु फिर यह सोच कर, कि ऐसा कह देने से कहीं यह मुझे घर न लौटने दें, यहीं रोक लें तो मुसीबत हो। वहाँ लल्ला की महतारी थाने में दुखिया लिखावें। यह सोच कर मैंने कहा—मेरी ओर से आप निश्चिन्त रहिए, यदि कोई आपके सम्बन्ध में पूछेगा तो उसकी बात का उत्तर देने के पूर्व पहले मैं यह कहूँगा कि भाई तुम कुछ सन्देह मत करना। विष्णु भगवान अफ़ीम-वफ़ीम कुछ नहीं खाते—यदि तुमने सुना हो तो उसे बिल्कुल झूठ समझना।

विष्णु जी बोले—हाँ, यह ठीक है। ऐसा ही करना।

मैंने कहा—बस, तय हो गया। ऐसा ही कहूँगा। परन्तु मुझे यह तो बताइए कि आख़िर आपने मुझे यहाँ तक क्यों बुलाया ?

मैंने आपको इसलिए कष्ट दिया है कि मैंने सुना है कि आजकल मेरी लीलाभूमि भारतवर्ष पर बड़ा सङ्कट है। राक्षस तथा निशाचर मेरे भक्तों को बड़ा कष्ट दे रहे हैं। क्या यह बात सत्य है ?

मैंने कहा—कष्ट तो निस्सन्देह दे रहे हैं, परन्तु मैं उन्हें अपने मुख से ऐसे नामों से सम्बोधन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अभी लौट कर भारतवर्ष ही जाना है। कहीं ऐसा न हो कि वहाँ पहुँचते ही धर लिया जाऊँ। और भगवन्, आप तो सब जानते हैं, अन्तर्यामी और न जाने क्या-क्या अल्लम-गल्लम कहलाते हैं।

विष्णु भगवान बोले—अफ़ीम ने आजकल मुझे इतना आलसी बना दिया है कि मैं कुछ भी जानने-बूझने की परवा नहीं करता।

"तब तो भारतवर्ष का सर्वनाश ही समझिए।"

"नहीं, सो नहीं होगा। मैं इस अफ़ीम को त्यागने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जिस दिन यह छूट गई, उसी दिन भारतवर्ष का सारा सङ्कट टल जायगा।"

मैंने कहा—मर्त्यलोक में लोगों ने अफ़ीम छुड़ाने के बहुत से नुस्ख़े बना रक्खे हैं, यदि आप कहें तो आपके पास भी कोई औषध वी० पी० द्वारा भिजवा दूँ।

"सो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयम् छोड़ दूँगा। भारतवासियों को तभी तक कष्ट है, जब तक यह दुष्टा नहीं छूटती। तुम मेरी ओर से मेरे भक्तों को सान्त्वना दे देना कि मैं शीघ्र ही उनके समस्त दुःख हरण करने वाला हूँ। परन्तु यह याद रखना कि अफ़ीम का ज़िक्र न करना।"

"सो कभी न करूँगा—आप निश्चिन्त रहिए।"

"तो बस जाओ, केवल इसीलिए आपको कष्ट दिया था।"

(शेष मैटर ३१वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए)

जर्मनी में बेकारी-समस्या और उसके निवारण का उपाय

इस लेख के लेखक बर्लिन के प्रो० ऑटो ब्राक हैं, जिन्होंने जर्मनी की बेकारी-समस्या का भली-भाँति अध्ययन किया है। यह लेख आपने अमेरिका के 'नेशन' पत्र के लिए लिखा था। संसार की जानकारी के लिए, इसमें आपने बेकारी-समस्या हल करने की जर्मन-प्रणाली का संक्षिप्त परिचय दिया है।

ऐसे समय, जब कि संसार में बेकारों की समस्या राष्ट्रों के शासन-सञ्चालन में भूकम्प सा पैदा किए हुए है, भिन्न-भिन्न देशों के बेकारों की संख्या और उनकी समस्या का अध्ययन अत्यन्त रोचक और लाभकारी सिद्ध होगा। इस लेख में, जर्मनी अपने देश में बेकारी की समस्या दूर करने के लिए कौन-कौन से उपाय काम में लाया है, उन्हीं का कुछ संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। बेकारी की समस्या कितनी जटिल है और जर्मनी अपनी इस समस्या को सुलझाने में किस हद तक सफल या विफल हुआ है, यह सब इस परिचय से मालूम होगा।

इस समय जर्मनी में ४७,६९,००० बेकार मौजूद हैं। इनमें से ८,००,००० को छोड़ कर शेष सभी बेकारी-निवारण के प्रबन्ध से सहायता प्राप्त करते हैं। जिसमें प्रतिवर्ष लगभग ६३,००,००,००० (तिरसठ करोड़) फ्रैङ्क व्यय हो जाता है। इसका अधिक भार कर-दाताओं पर पड़ता है, और उसका शेषांश मज़दूर और मालिक वहन करते हैं।

जर्मनी में बेकारी दूर करने का प्रबन्ध तीन प्रकार की सार्वजनिक व राजकीय संस्थाओं द्वारा होता है। इनके नाम इस प्रकार हैं :—

(१) इनश्योरेन्स (Insurance)

(२) एमरजेन्सी एसिसटैन्स (Emergency Assistance)

(३) गाँवों के सहित म्यूनिसिपल वेलफ़ेयर (Municipal wel-fare including villages)

इनमें से पहली संस्था, बेकारों को उनके कार्य से छूटने के बाद एक निश्चित समय तक सहायता देती है। प्रत्येक बेकार वेतन का ३० फ़ी सैकड़ा से लेकर ५० फ़ी सैकड़ा भाग तक इस सहायता द्वारा पाने का अधिकारी होता है। इस समय यह संस्था २४ लाख बेकारों को सहायता पहुँचाती है। यह संस्था सन् १९२७ ई० में स्थापित की गई थी और उसका स[ञ्चा]लन सरकार द्वारा होता है। कई अवसरों पर यह दिवालिया होते-होते बची। इसे स्थिर रखने का पूरा श्रेय जर्मन-सरकार को है, जिसने समय-समय पर इसकी ऋणों और दान द्वारा सहायता की है। कई बार के अनुभव से अब इस संस्था का सङ्गठन इस रीति का हो पाया है कि अपना अस्तित्व वह अपने बल पर क़ायम रख सके।

दूसरी संस्था, जर्मनी के प्रदेशों का जो सङ्घ-शासन है, उसके बजट के आधार पर चलती है इस धन से यह संस्था सात लाख बेकारों को सहायता पहुँचाती है। यह संस्था उन लोगों को सहायता पहुँचाती है, जिनकी पहिली संस्था द्वारा दी जाने वाली सहायता की अवधि समाप्त हो जाती है। सन् १९३० में इस संस्था ने आठ करोड़ फ़्रैङ्क ऐसी सहायता में व्यय किया। यह संस्था उन्हीं की सहायता करती है, जिनके पास किसी प्रकार की सम्पत्ति नहीं होती। यह संस्था एक प्रकार से दान-संस्था है। पहली संस्था द्वारा दी जाने वाली सहायता में इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। पहली संस्था के सहायता पाने का अधिकार एक निश्चित अवधि तक प्रत्येक कार्य से छूटने वाले व्यक्ति को रहता है। इस संस्था से सहायता पाने वालों को पहली संस्था की सहायता का लगभग ७५ प्रति सैकड़ा ही मिलता है। इस संस्था के फ़ण्ड में सङ्घ-शासन के बजट द्वारा लगभग १० करोड़ फ़्रैङ्क मिलते हैं।

तीसरी संस्था का पूरा भार नगरनिवासियों पर पड़ता है। इनसे सूल किए गए कर से यह संस्था बेकारों की सहायता करती है। इस संस्था के द्वारा ६ लाख, तीस हज़ार बेकारों को सहायता मिलती है। इसी प्रकार गाँवों की ओर से १ लाख ५० हज़ार बेकार सहायता पाते हैं। शेष ८ लाख बेकार किसी प्रकार की सहायता नहीं प्राप्त करते।

अब तक पहली संस्था पर ही बेकारों की सहायता का अधिक बोझ पड़ता रहा है। लेकिन अब दूसरी और तीसरी संस्थाओं पर भी क्रमशः अधिकाधिक सहायता का बोझ पड़ता जा रहा है। इस वर्ष अप्रैल मास के अन्त तक लगभग २० लाख बेकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व इन्हीं दो पिछली संस्थाओं पर पड़ेगा।

बेकारों की समस्या एक स्थायी समस्या सी बन गई है। प्रत्येक राष्ट्र को, जो अपने को प्रजा के प्रति उत्तरदायी समझता है, अपने आय-व्यय में से कुछ न कुछ बेकारों की सहायता के लिए रखना पड़ता है। ज्यों-ज्यों सभ्य-शासन-प्रणालियाँ अपने उत्तरदायित्वों को पहचानती जा रही हैं, त्यों-त्यों प्रत्येक नागरिक के कम से कम जीवन-रक्षण का भार तो अवश्य राज्य-प्रबन्ध का प्रथम सिद्धान्त बनता जा रहा है। इसी आधार पर बेकारों की बेकारी दूर करने और उन्हें जीवित बनाए रखने के प्रबन्ध आज सभी उत्तरदायी राज्यों में पाए जा सकते हैं।

ऊपर कहा जा चुका है कि बेकारी में सहायता पहुँचाने वाली तीन संस्थाओं में पहली संस्था सरकारी सहायता के कारण अब अधिक दृढ़ आधार पर स्थिर हो गई है। लगभग ४३,००,००,००० करोड़ फ़्रैङ्क प्रतिवर्ष इस संस्था की आमदनी रहा करेगी। पहले-पहल जब इस संस्था की हालत इतनी अच्छी न थी, तब प्रत्येक मज़दूर को इस संस्था के फ़ण्ड में अपनी मज़दूरी का १·७५ फ़ी सदी देना पड़ता था। अब वह ३ फ़ी सदी के हिसाब से और बढ़ा दिया गया है। लगभग एक करोड़, ५० लाख मज़दूर इस फ़ण्ड में देने वाले हैं। इस संस्था का फ़ण्ड २० लाख बेकारों की सहायता कर सकता है।

लेकिन जहाँ पहली संस्था अधिक दृढ़ हो गई है, वहाँ दूसरी संथाएँ दृढ़ नहीं हुईं। उनकी दशा अधिक शोचनीय होती जा रही है, जिसके लिए एक तो बेकारी की सहायता पहुँचाने वाली इन तीनों संस्थाओं का पारस्परिक सङ्गठन ही उत्तरदायी है और दूसरे नगरों की जो व्यापारिक दशा गिरती जा रही है, वह भी कम उत्तरदायी नहीं है।

पहली संस्था का कार्य तो बेकारों को, बेकार होने के समय से लेकर कुछ आगे निश्चित समय तक, सहायता देकर समाप्त हो जाता है, लेकिन इन आख़िरी दो संस्थाओं का कार्य ठीक उसी के बाद से प्रारम्भ होता है और लगातार तब तक जारी रहता है, जब तक उनकी बेकारी न दूर हो जाय। जब तक व्यापार की दशा नहीं सुधरती, तब तक दूसरी संस्था पर आश्रित लोगों की संख्या बढ़ती ही चली जायगी। दूसरी संस्था से भी अधिक ख़राब दशा तीसरी संस्था की है। कारण कि बेकार बढ़ते ही जाते हैं और शहर के नागरिक व्यापार की कमी के कारण अधिक दे नहीं सकते। होता यह है कि जिस शहर में जितनी ही अधिक बेकारी है, वहाँ के नागरिकों पर उसके निवारण का भार उतना ही अधिक बढ़ता जा रहा है।

इन दो संस्थाओं पर अधिक बोझ पड़ने का कारण यह भी है कि बेकारों में से वे बेकार जल्दी काम पा जाते हैं, जिनको बेकार हुए थोड़े दिन हुए हैं, कारण इनका अभ्यास अधिक समय का छूटा हुआ न होने के कारण लोग स्वभावतः इनको ही काम पर रखना पसन्द करते हैं। परिणाम यह होता है कि पहली संस्था से सहायता पाने की अवधि में ही ये बेकार काम में लग जाते हैं, और शेष पहले के बेकार वैसे ही बेकार बने हुए दूसरी और तीसरी संस्थाओं पर बोझ डालते रहते हैं। इसका पता निम्न-लिखित ब्योरे से चलेगा :—

तीनों संस्थाओं पर जितना बोझ पड़ता है, उसकी संख्या उतने हज़ारों में गिननी चाहिए।

	संस्था १	संस्था २	संस्था ३
जनवरी १९३०	... २,०६३	... २३०	... २४०
नवम्बर १९३०	... १,७८७	... ५६६	... ५१०
जनवरी १९३१	... २,४००	... ७००	... ७८०

इस ब्योरे से पता चलता है कि शहर के निवासियों का बोझ बहुत अधिक बढ़ गया है और अगर वे बढ़ते हुए बेकारों का प्रबन्ध नहीं करते, जिसके लिए वे असमर्थ हैं, तो अमन और क़ानून के ख़तरे में पड़ जाने की सम्भावना है।

जर्मनी में बेकारों के उद्धार के जो उपाय किए गए हैं, उनका यह संक्षिप्त परिचय है। जर्मनी इस समस्या को हल करने में कहाँ तक पहुँचा है, इस परिचय से यह बात मालूम हो जायगी। इस समय तक के अनुभव के बल पर जर्मनी अपनी बेकारी-निवारण की प्रणाली को अधिक व्यावहारिक नीति पर क़ायम करने का लगातार प्रयत्न कर रहा है। उपरोक्त तीनों संस्थाओं के पारस्परिक सङ्गठन का परिवर्तन भी वहाँ के लोगों के सामने एक कठिन प्रश्न बन गया है। वे उनका अन्योन्याश्रित सम्बन्ध इस विधि का बनाना चाहते हैं, जिसमें किसी एक या दो पर ही बेजा दबाव न पड़े।

* * *

दुबे जी की चिट्ठी

(२९वें पृष्ठ का शेषांश)

इसी समय गरुड़ भी आ गया और काँव-काँव करने लगा। मैंने पूछा—यह क्या कहता है?

"यह भी अफ़ीम माँगता है, इस दुष्ट को भी तो इसका चस्का लग गया है।"

मैं कुछ कहने ही वाला था कि आँख खुल गई। देखा अपने मकान की छत पर लेटा हूँ, सवेरा हो गया है और छत की चहारदीवारी पर एक कौवा बैठा काँव-काँव कर रहा है।

पता नहीं मेरा यह स्वप्न सच था या झूठ।

भवदीय,

—विजयानन्द (दुबे जी)

* * *

बर्मा के भारतीय द्वेष का मूल कारण

[श्रीमती सरलादेवी चौधरानी]

[बङ्गाल की विख्याता विदुषी श्रीमती सरलादेवी चौधरानी, ब्रह्म प्रादेशिक हिन्दू-सम्मेलन का सभानेतृत्व ग्रहण करने के लिए बर्मा गई थीं। वहाँ से लौटने पर बर्मियों के भारतीय विद्वेष आन्दोलन के सम्बन्ध में आपने अपना एक वक्तव्य अख़बारों में प्रकाशित कराया है। इस वक्तव्य में चौधरानी जी ने कई महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला है; इसलिए 'भविष्य' के पाठकों के मनोरञ्जनार्थ उसका मर्मानुवाद नीचे दिया जाता है। —सम्पादक]

आज से एक महीना पहले जब मैंने ब्रह्म प्रदेशीय हिन्दू-सभा के सभानेतृत्व के लिए भारत से बर्मा के लिए प्रस्थान किया था, तब बर्मा की वास्तविक परिस्थिति का मुझे बिल्कुल ज्ञान न था। उस समय मेरे मन में इस बात की कल्पना भी न उठी थी कि बर्मियों के भारतीय द्वेष की अवस्था कहाँ तक गम्भीर हो गई है और उसे तीव्र रूप प्रदान करने में सरकारी कर्मचारियों का हाथ कहाँ तक है?

सुना है, बर्मा के गवर्नर सर चार्लस इन्स ने बर्मा यूनिवर्सिटी के प्रथम कन्वोकेशन के अवसर पर जो भाषण दिया था, उसमें महामान्य सम्राट की बर्मी प्रजा के प्रति आपके हृदय का प्रेम-रस एकदम उछल पड़ा था। आपने भारतवासी और बर्मा-प्रवासी चीनियों की निन्दा द्वारा उस प्रेम-रस को उँडेल कर इस विद्वेष आन्दोलन को अच्छी तरह जगा दिया। इसके बाद गवर्नर महोदय के चाटुकारों ने बड़े आनन्द और बड़ी तत्परता के साथ यह खेल आरम्भ कर दिया। मि० इस्माइल नाम के एक आदमी ने अपना नाम बदल कर बर्मी नाम धारण किया और मुदालियर नाम का एक दूसरा व्यक्ति भी अपना नाम बदल कर उसका साथी बना। ये दोनों थोड़े ही दिनों में, बर्मा को भारत से अलग कराने वाले आन्दोलन के प्रधान पण्डा बन गए और अन्त में ये ही दोनों यूवापी और हङ्वे नाम से, बर्मा के गवर्नर द्वारा गोलटेबिल कॉन्फ्रेन्स के लिए, बर्मा के प्रतिनिधि चुने गए। सन् १९३० के मार्च में रङ्गून के भारतीय मज़दूरों के ऊपर जो अमानुषिक अत्याचार हुए थे, उसके लिए किसी का दण्डित होना तो दूर रहा, बर्मा के अधिकारियों की दृष्टि में कोई अभियुक्त दोषी भी नहीं सिद्ध हुआ! इन्हीं सब कारणों से विच्छेद-वादियों को यथेष्ट प्रश्रय मिला और उन्होंने सारे बर्मा में भारतवासियों के विरुद्ध तीव्र आन्दोलन आरम्भ कर दिया। भारतवासियों को मार डालना, लूट लेना और उनके घरों को जला देना अबाध गति से चलने लगा।

अन्त में जब यह तूफ़ान-बेतमीज़ी पराकाष्ठा पर पहुँचने लगा, तो लज्जित होकर अधिकारियों ने एक इश्तिहार जारी किया, जिसमें लिखा था कि:—

"बर्मी भाषा में लिखी तथा छपी हुई कई पुस्तिकाओं तथा पर्चों में भारतवासियों तथा चीनियों को बर्मा से निकाल देने की बातें दर्ज हैं और ऐसी पुस्तिकाओं तथा पर्चों का प्रचार बड़े व्यापक रूप से बर्मा के कई स्थानों में किया गया और किया जा रहा है। इसलिए यह घोषणा की जाती है कि ऐसी पुस्तिकाएँ तथा ऐसे पर्चों का छापना, नक़ल करना या बाँटना दण्डनीय अपराध है। इस तरह के अपराधियों को पकड़वा देने वाले या इनके सम्बन्ध में ख़बर देने वाले विशेष रूप से पुरस्कृत किए जायँगे।"

कहा जाता है कि गत ७ मार्च से ६ जून तक २१ हज़ार चटगाँववासी, २ लाख, १० हज़ार तामिल और ४७ हज़ार उड़िए तथा तेलेगु किसान और मज़दूर तथा अन्यान्य हज़ारों भारतीय भारत-द्वेषी गुण्डों के उपद्रव के कारण अपना घर-बार और ज़मीन-जायदाद छोड़ कर बर्मा से भाग जाने के लिए बाध्य हु । इन बेचारों को अपने गृहपालित पशुओं को नाम-मात्र के मूल्य पर बेच देना पड़ा है। कहीं-कहीं तो केवल जहाज़ के भाड़े भर के रुपए पाकर ही उन्हें अपनी सम्पत्ति छोड़ देनी पड़ी है। ये पुश्त-दरपुश्त से बर्मा में बस गए थे। वहाँ उनकी काफ़ी सम्पत्ति थी। वास्तव में वे बर्मियों की तरह ही बर्मा के अधिकारी थे। परन्तु उन्हें अपनी सारी सम्पत्ति छोड़ कर प्राण बचाने के लिए अपना जन्म-स्थान छोड़ देना पड़ा है।

रङ्गून के मुग़ल स्ट्रीट के व्यापारी भी बड़े ही सशङ्कित भाव से दिन बिता रहे हैं। कारण यह है कि अगर इस आन्दोलन की प्रगति यों ही बढ़ती गई और बर्मा की सरकार ने इसे रोकने की कोई चेष्टा न की, तो निश्चय ही एक दिन ये भी आफ़त में पड़ जाएँगे। बर्मा का सारा व्यवसाय-वाणिज्य बन्द पड़ा है। किसानों के अभाव के कारण सरकार को ज़मीन का बन्दोबस्त बन्द कर देना पड़ा है। बर्मा में प्रधानतः धान की खेती होती है, परन्तु इस धान की फ़सल के भरोसे सरकारी मालगुज़ारी के कई वर्षों तक अदा होने की कोई सम्भावना नहीं है।

यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि इस भारत-विद्वेषी आन्दोलन से बर्मा के विद्रोहियों का कोई वास्ता नहीं है। ये विद्रोही बिल्कुल ब्रिटिश-विद्वेषी हैं। परन्तु शासक और शासित, दोनों दलों के कुछ उच्च और नीच श्रेणी के दुष्ट प्रकृति वाले विद्रोहियों के इस अशान्ति के कारण सुयोग पाकर अपने व्यक्तिगत उद्यम और उत्साह के साथ भारतवासियों का अनिष्ट-साधन करने पर तुले हुए हैं। विच्छेदवादी बर्मियों तथा बर्मा-प्रवासी अङ्गरेज़ों के अख़बार भारतवासियों के ऊपर मारात्मक आक्रमण और अत्याचार की आग को और भी उकसाने में मानो परस्पर होड़ सी कर रहे हैं। परन्तु बर्मा के गवर्नर और उनकी सरकार इन समाचार-पत्रों के विरुद्ध उँगली उठाने की भी आवश्यकता नहीं समझती।

विच्छेदवादी दल अब तक भारत-विद्वेषियों के हाथों का खिलौना हुआ था, परन्तु अब उसने भी अपना स्वर बदल दिया है। इसका एक प्रमाण, नीचे दिया हुआ एक मन्तव्य है:—

"बर्मा, संसारवासियों के मनों में इस धारणा की सृष्टि कर रहा है कि उसके निवासी इतने उच्छृङ्खल हैं कि उनमें अपने देश के शासन की या ब्रिटिश साम्राज्य में मिश्र राष्ट्रों के उपयुक्त शासन-तन्त्र लाभ करने की योग्यता नहीं है। अर्थनीतिक कष्ट को देखते ही उनकी अधीरता और असंयम, ब्रह्मदेश के कतिपय नेताओं की बालकोचित लम्बी-चौड़ी बातें, एक छोटी जाति के लिए विशेष अयोग्यता का निदर्शन हैं। इन बातों से साफ़ मालूम होता है कि बर्मावासी अपने प्रतिवेशियों से समान अधिकार प्राप्त करने की प्रतिद्वन्द्विता नहीं कर सकते; और इसी कारण वे प्रतिहिंसा की ओर झुक रहे हैं। उनकी यह धारणा बड़ी ही मारात्मक है।"

मुझे आशङ्का हो रही है कि इसके उत्तर में राजा थिबो की सहधर्मिणी रानी सुपायलतो की तरह बर्मियों को सिर्फ़ एक बात ही कहने को है कि—मन्त्रिगण और उनके जाति-कुटुम्ब वाले सभी एक प्रकार के होते हैं। वे स्वयं अपराध करते हैं, परन्तु दोष दूसरों के सिर मढ़ते हैं।

*   *   *

मुख़बिर ने जूते में से बयान निकाल कर अदालत में तहलक़ा मचा दिया!

पुलीस की धूर्तता और बेईमानियों का भयानक भण्डाफोड़!!

पुलीस पर जेल में चोरी और डकैती का भीषण अभियोग!!!

लाहौर षड्यन्त्र केस की मनोरञ्जक कार्यवाही

ता० १७ जून को स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने नए लाहौर षड्यन्त्र केस का मामला फिर पेश हुआ। अभियुक्त बिशनदास बीमार होने के कारण आज अदालत में उपस्थित नहीं हो सका। उसने अपनी उपस्थिति का अधिकार अपने वकील को दे दिया था।

सफ़ाई के वकील मि० अमोलकराम कपूर की जिरह के उत्तर में मुख़बिर ख़ैरातीराम ने कहा कि मैं अपनी गिरफ़्तारी के बाद लाहौर के बाहर केवल लॉयलपुर भेजा गया था। मुझे नहीं मालूम कि २० अक्टूबर १९३० तक मुझे माफ़ी क्यों नहीं मिली। मुझे यह भी नहीं मालुम कि दल का नाम "आतिशी चक्कर पार्टी" के अतिरिक्त और भी कोई है या नहीं। इस केस की जाँच के समय मैंने किसी बम की शिनाख़्त नहीं की था।

सफ़ाई के वकील मि० अमोलकराम ने कहा—इस अदालत के सामने अपने बयान में तुम कह चुके हो कि हंसराज ने शाहदरा में तुमसे कहा था कि मलिक कुन्दनलाल और धर्मवीर लॉयलपुर में "आतिशी चक्कर" के पर्चे बाँटने वाले थे। यह बात न तो तुमने अपने पुलिस के सामने दिए गए बयान में कही है और न मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में कही है। क्या इसका कोई कारण बतला सकते हो?

मुख़बिर—अगर जो आप कहते हैं वह ठीक है, तो उन बयानों में उस बात के न कहने का कारण यह है कि मुझे उस समय उसका ख़्याल नहीं रहा। मुझे नहीं याद कि पुलिस या मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए किसी बयान में वह बात मैंने कही थी या नहीं।

अफ़सरों की हत्या का उद्देश्य

इसके बाद मि० अमरनाथ मेहता एडवोकेट के जिरह करने पर मुख़बिर ने कहा कि हंसराज ने मुझसे कहा था कि "आतिशी चक्कर पार्टी" के उद्देश्यों में एक यह भी है कि जिस दिन भगतसिंह और उनके साथियों को फाँसी दी जाय, उस दिन उच्च यूरोपियन अफ़सरों के बङ्गलों पर बम फेंके जायँ।

इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि दुर्गादास द्वारा क्रान्तिकारी विचारों में परिणत किए जाने पर मैंने दल के कार्यों में भाग लेने का प्रण कर लिया। मैं क्रान्तिकारी दल का उद्देश्य, हिंसक उपायों से शासन में बाधा डालना समझता था। हंसराज ने मुझसे दल का उद्देश्य ब्रिटिश गवर्नमेण्ट को भारत से निकाल बाहर कर देना और पुलिस तथा फ़ौजी शक्तियों को, जिनके आधार पर ब्रिटिश गवर्नमेण्ट भारत में राज्य कर रही है, नष्ट कर देना बतलाया था। दुर्गादास ने मुझसे कहा था कि दल को उच्च अफ़सरों की हत्या करनी चाहिए, जैसा कि भगतसिंह और दूसरों ने किया था। मैं नहीं कह सकता कि हंसराज ने मुझमें कौन सी ख़ूबी देख कर कहा था कि नवयुवकों को भारत की स्वाधीनता प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मुझे याद नहीं कि मैंने पुलिस या मैजिस्ट्रेट के सामने अपने किसी बयान में कहा था कि हंसराज ने मुझसे कहा था कि गुलाबसिंह और मलिक कुन्दनलाल शाहदरा गन-कॉटन बनाने के लिए आए थे। जब मैंने हंसराज को उनके कार्य में सहायता देने का वचन दिया था, तब मैंने उनसे यह नहीं पूछा कि मुझे किस प्रकार की सहायता देनी होगी।

इसके बाद अदालत स्थगित हो गई।

आज स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने मुख़बिर ख़ैरातीराम का बयान समाप्त हुआ।

सफ़ाई के वकील मि० अमरनाथ मेहता के प्रश्न के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि मलिक कुन्दनलाल ने जो मुझसे कहा था कि १९ जून, सन् ३० को सवेरे मैं और धर्मवीर दल के उस मकान में गया था, जहाँ बम फ़िट करके रक्खे हुए थे, वह ठीक है। बत्ती जला कर वे भाग आए थे। बमों के फट जाने के बाद वे वहाँ तमाशा देखने के लिए गए थे। वहाँ बहुत से लोग एकत्र हो गए थे। जब हंसराज ने मुख़बिर इन्द्रपाल के हाथ से एक बम लेकर मुझे दिखलाया तो मैंने समझा कि हंसराज का भी षड्यन्त्रकारी दल से कोई सम्बन्ध है। मैं षड्यन्त्रकारी दल के सदस्य और सहायक का भेद नहीं बतला सकता। लाहौर फ़ोर्ट में मेरा बयान सब-इन्स्पेक्टर "मेहर जी" ने लिखा था। मैं नहीं जानता कि "मेहर जी" मेरे पिता को जानते हैं या उन्होंने मेरी माफ़ी के लिए कोई प्रयत्न किया है।

मि० प्राणनाथ मेहता के जिरह करने पर मुख़बिर ने कहा कि लाहौर में कॉङ्ग्रेस-अधिवेशन के समय मेरी कुन्दनलाल से किसी राजनीतिक विषय पर बातचीत नहीं हुई। हंसराज ने मुझसे कुन्दनलाल, आमरीकसिंह, गुलाबसिंह और रूपचन्द के अतिरिक्त और किसी भी दल के सदस्य का नाम नहीं बतलाया था। मैं भावलपुर रोड की बम-घटना और रावी-तट पर एक सदस्य के मर जाने की घटना के अतिरिक्त दल की और किसी भी कार्रवाई को नहीं जानता।

सरकारी वकील रायबहादुर पण्डित ज्वालाप्रसाद के फिर प्रश्न करने पर मुख़बिर ने कहा कि लाहौर फ़ोर्ट में पुलिस ने मुझे कुछ सिखलाया नहीं। हंसराज के पिता का नाम गिरधारीलाल है, परन्तु मैंने उन्हें कभी देखा नहीं।

आज ता० १९ को स्पेशल ट्रिब्यूनल में बड़ी सनसनी रही। आज तीसरे मुख़बिर मदनगोपाल की गवाही प्रारम्भ हुई। गवाह के कठघरे में मुख़बिर मदनगोपाल के आने पर सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने कहा कि इस मुख़बिर की गवाही क़ानूनन् जायज़ नहीं है, क्योंकि इसको माफ़ी ट्रिब्यूनल बन जाने के बाद और केस उसके अधिकार में सुपुर्द हो जाने के बाद मिली थी। मि० श्यामलाल ने इस सम्बन्ध में सन् १९३० के एक्ट चतुर्थ की नवीं दफ़ा की ओर ट्रिब्यूनल का ध्यान आकर्षित किया।

परन्तु ट्रिब्यूनल ने आपके तर्क को स्वीकार नहीं किया और मुख़बिर का बयान प्रारम्भ हो गया।

मुख़बिर का बयान

शपथ लेने के लिए कहे जाने पर मुख़बिर ने कहा कि जो कुछ मैं कहूँगा, सच कहूँगा; परन्तु यह ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ मैं पुलिस के कहने से पहले कह चुका हूँ और जो ठीक नहीं था, उसे भी इस वक़्त दुहराऊँ।

सरकारी वकील, रायबहादुर पण्डित ज्वालाप्रसाद के प्रश्न के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि मैं अजमेर के यादव स्थान का निवासी हूँ और मैंने सन् १९२९ में मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की थी। सन् १९२९ में जब से मैंने समाचार-पत्रों में एसेम्बली बम-घटना और भगतसिंह और दत्त के विषय की बातें पढ़ीं, तब से मुझे क्रान्तिकारियों से सहानुभूति हो गई। अजमेर में मेरी एक गोशाला थी। केशवचन्द्र नाम का व्यक्ति मुझसे राजनीतिक मामलों की चर्चा किया करता था। वह भगतसिंह और दत्त के कार्यों की प्रशंसा किया करता था और मुझसे कहा करता था कि प्रत्येक नवयुवक का कर्तव्य है कि वह भारत को स्वतन्त्र करने का प्रयत्न करे। एक दिन चन्द्रशेखर आज़ाद की प्रशंसा करते हुए केशव ने मुझसे कहा कि मैं चन्द्रशेखर आज़ाद से तुम्हारा परिचय करा दूँगा। उसने मुझसे यह भी कहा कि मैं उसी दल का सदस्य हूँ। उसके यह कहने के समय मैंने अनुमान लगाया कि मैं भी दल का सदस्य हो गया हूँ।

तीन विभाग

मुख़बिर ने कहा कि केशवचन्द्र ने मुझसे बतलाया था कि दल तीन विभागों में विभक्त है। पहले विभाग में कार्य करने वाले लोग रहते हैं, जिनका काम हत्याएँ करना और डाके डालना रहता है, दूसरा विभाग प्रचारकों का है। इस विभाग का काम नवयुवकों में क्रान्तिकारी विचारों का प्रचार करना और उन्हें सदस्य बनाना रहता है। तीसरा विभाग क्रान्तिकारियों से सहानुभूति रखने वालों का है। इस विभाग के व्यक्ति फ़रार अभियुक्तों और दल के सदस्यों को शरण देते और दल को आर्थिक सहायता पहुँचाते हैं। उसने मुझसे बतलाया था कि क्रान्तिकारी दल का उद्देश्य वर्तमान शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना और उसके स्थान पर हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन शासन क़ायम करना है। उसने मुझसे यह भी बतलाया था कि राष्ट्रीय आन्दोलनों में बाधा डालने वाले पुलीस अफ़सरों की हत्या कर दी जाय। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे पोस्ट-बॉक्स का काम लूँगा अर्थात् मेरे पत्र तुम्हारे पते से आया करेंगे।

दल का साहित्य

आगे प्रश्न करने पर मुख़बिर ने कहा कि केशवचन्द्र मेरे पास एक रिवॉल्वर यह कह कर छोड़ गया कि अपने पास रखने में आजकल डर मालूम हो रहा है, क्योंकि उन लोगों के मकानों की तलाशियाँ हो रही हैं, जो मज़दूर-आन्दोलन में भाग लेते हैं। रिवॉल्वर के साथ उसने कुछ कारतूस भी दिए थे। मैंने उन्हें अपने गोशाला में घास के ढेर के नीचे रख लिया था। कुछ समय बाद मैंने पिस्तौल और कारतूस उन्हें लौटा दिए। इसके बाद विमलप्रसाद और कान्तिप्रसाद से, जोकि दल के सदस्य थे, मेरा परिचय हुआ। इसके दस या पन्द्रह दिन बाद कान्तिप्रसाद ने मुझे "हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन

एसोसिएशन" शीर्षक एक पर्चा दिखलाया, जिसमें लिखा था कि यदि दल का सदस्य, दल का कोई भी भेद किसी पर प्रकट करेगा तो वह मार दिया जायगा। प्रत्येक सदस्य को अपने ज़िले के सङ्गठनकर्ता की आज्ञा माननी पड़ेगी। सदस्यों का कर्त्तव्य है कि वे दल के कार्यों को अपने निजी कार्यों की अपेक्षा अधिक महत्व दें। मुख़बिर ने कहा कि उस पर्चे में यह भी लिखा था कि केन्द्रीय कमिटी को, फ़ौजी शिक्षा के लिए नवयुवकों को विदेश भेजने का प्रबन्ध करना है, जिससे जब भारतवर्ष में विप्लव फैले तो दल देश का नेतृत्व कर सके। उस पर्चे में मैंने यह भी पढ़ा था कि प्रचार-विभाग गुप्त और प्रत्यक्ष दो शाखाओं में विभक्त है। उसमें लिखा था कि प्रत्यक्ष प्रचार का कार्य नौजवान भारत-सभाएँ और सेवा-समितियाँ कर रही हैं। गुप्त प्रचार का मतलब ऐसे राजद्रोहात्मक साहित्य को प्रकाशित करना है जो साहित्य खुले आम नहीं छापा जा सकता। उस पर्चे में लिखा था कि ज़िले के सङ्गठनकर्ताओं के पास हथियार रहा करेंगे, परन्तु बिना केन्द्रीय कमिटी की आज्ञा के वे किसी दूसरे सदस्य को न दिए जा सकेंगे। कान्तिप्रसाद के पास 'बम की फ़िलासफ़ी' शीर्षक एक दूसरा पर्चा भी था। कान्तिप्रसाद ने कहा कि इस पर्चे का उद्देश्य महात्मा गाँधी द्वारा 'यङ्ग इण्डिया' में लिखे गए एक लेख का उत्तर देना था। यह पर्चा हिन्दुस्तान भर में बाँटा गया था।

इसके बाद मुख़बिर ने अपनी गवाही के सिलसिले में कहा कि कान्तिप्रसाद ने तार द्वारा मई, सन् ३० में मुझे दिल्ली बुलाया था। दिल्ली में 'बड़े भैया' अर्थात् चन्द्रशेखर आज़ाद से क्वीन्स गार्डन में मेरा परिचय हुआ।

इसके बाद अदालत जल-पान के लिए स्थगित हो गई।

"बड़े भय्या"

जल-पान के बाद अदालत के फिर बैठने पर मुख़बिर ने कहा कि क्वीन्स गार्डन में आपस में बातचीत होने के बाद 'बड़े भैया' (चन्द्रशेखर आज़ाद) हम लोगों से अलग हो गए। और मैं कान्तिप्रसाद उर्फ़ कैलाशपति के साथ विमलप्रसाद के घर चला गया। रास्ते में कान्तिप्रसाद ने मुझसे कहा कि मैं बड़े भैया के साथ लाहौर जाऊँगा। थोड़ी देर के बाद बड़े भैया एक चमड़े का सन्दूक़ लिए हुए वहाँ पहुँचे। बड़े भैया और कान्तिप्रसाद फ़्रन्टियर-मेल से लाहौर के लिए रवाना हो गए। बड़े भैया सेकण्ड क्लास के डब्बे में और उनके बग़ल वाले 'सरवेण्ट' वाले डब्बे में मैं बैठा। लाहौर रेलवे-स्टेशन पर शिव हम लोगों को लेने के लिए आए थे। वे हम लोगों को सिविल लाइन्स के एक मकान में ले गए, जहाँ भगवतीचरण, एम० जी० शुक्ल उर्फ़ 'प्रान' भी उपस्थित थे। इतना कहने के बाद मुख़बिर ने कहा कि मैंने अपने पहले के बयान में पुलिस के कहने से एम० जी० शुक्ल का वास्तविक नाम यशपाल बतलाया था। भगवतीचरण, यशपाल और बड़े भैया ने आपस में कुछ परामर्श किया। मैं भगवतीचरण के मकान पर क़रीब दो दिन ठहरा था। दो दिन के बाद 'प्रान' मुझे भावलपुर रोड पर के एक बङ्गले पर ले गया। वह दिन ता० २३ मई, सन् १९३० का था।

मुख़बिर 'बैरा' बनाया गया !

भावलपुर रोड के मकान पर मुझसे बैरा का काम करने और सूरज से रसोईदार का काम करने के लिए कहा गया।

इसी बीच में अदालत के सामने यशपाल की फ़ोटो पेश की गई, जिसकी मुख़बिर ने शिनाख़्त की। इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि मैंने और सूरज ने बड़े भैया के आदेशों के अनुसार मकान की सब चीज़ें ठिकाने कीं। उस मकान में मैं २ जून, सन् ३० तक रहा। मेरे रहने के वक़्त उस मकान में सूरज, प्रान, दीदी और भाभी नाम से पुकारी जाने वाली दो औरतें और राज रहते थे। बड़े भैया उस मकान से रात के वक़्त चले जाया करते थे। वे केवल २७ मई को रात को उस मकान में सोए थे। २९ और २८ मई की रातें भी उन्होंने उसी मकान में बिताई थीं। २८ मई की रात को उस बङ्गले में एक धनी नाम का व्यक्ति सोया था। ३० मई को बङ्गले में आसफ़ नाम का एक व्यक्ति आया था। एक दूसरा व्यक्ति, जिसे लोग सरदार कहते थे, ३०-३१ मई और पहली जून को आया था। "जाट" नाम का भी एक व्यक्ति बङ्गले में आया था।

बम की परीक्षा

मुख़बिर ने कहा कि 'भाभी' भगवतीचरण की स्त्री थीं। २८ मई, सन् १९३० को लगभग चार-पाँच बजे शाम को सूरज ने मुझे तैयार होने और राज को कहीं ले जाने के लिए कहा। राज के पैर में ताँगे से चोट आ गई थी। बाहर जाते वक़्त मैंने राज को बङ्गले के एक कमरे में पड़ा हुआ देखा। दीदी उसके बाएँ पैर में पट्टी बाँध रही थीं। मैंने ख़ुद उसकी चोट नहीं देखी थी। मैंने शिव को बड़े भैया से यह कहते हुए सुना था कि शिव और भगवतीचरण किसी बम की परीक्षा करने के लिए कहीं गए थे, वहीं बम के फट जाने से भगवतीचरण और राज घायल हो गए थे, जिसमें भगवतीचरण अधिक घायल हुए थे।

इस बीच में ट्रिब्यूनल ने मुख़बिर से कहा कि मैजिस्ट्रेट के सामने जो तुमने बयान दिया था, उसमें तुमने दाहिने पैर में चोट लगने की बात कही थी, परन्तु इस वक़्त के बयान में तुमने कहा है कि चोट बाएँ पैर में लगी थी। इस पर मुख़बिर ने कहा कि मैं भूल गया, चोट दाहिने पैर में लगी थी, बाएँ में नहीं।

मैजिस्ट्रेट के सामने का बयान

मि० सलीम—पुलिस के सामने दिए गए बयान में तुमने कहा था कि चोट ३ इञ्च लम्बी थी, परन्तु इस वक़्त के बयान में तुमने उसका कोई ज़िक्र नहीं किया ?

मुख़बिर—मैजिस्ट्रेट के सामने जब मेरा बयान हो रहा था, उस समय कुछ शब्द मैं कहता था और कुछ शब्द पुलिस-अफ़सर जोड़ दिया करता था। मैजिस्ट्रेट हम दोनों के सम्मिलित वक्तव्य को लिखता जाता था। ३ इञ्च की चोट की बात जो मेरे बयान में आई है, वह पुलिस-अफ़सर की लिखाई हुई है। पुलिस-अफ़सर के यह लिखाते समय मैं चुप था। पुलिस के सामने जब मेरा बयान लिखा जा रहा था, तब पुलिस ने उपरोक्त बात अपने आप लिख ली थी। लिखते समय मुझसे कहा गया कि यह बात जानी हुई है कि ३ इञ्च की गहरी चोट लगी थी। इस पर मैंने पुलिस से कहा कि मैं झूठ न बोलूँगा। मैजिस्ट्रेट के सामने बयान होने के समय मैं चुप था, पुलिस-अफ़सर बोल कर लिखाता गया। उस समय मैंने इसका विरोध नहीं किया और न इस विषय में मैजिस्ट्रेट का ध्यान ही आकर्षित किया। जहाँ कहीं मैं कुछ भूल जाता था, वहाँ पुलिस-अफ़सर पुलिस के सामने दिए हुए मेरे बयान की नक़ल देख कर, जोकि उस वक़्त उसके पास ही थी, बोल देता था।

इसके बाद अन्य प्रश्नों के उत्तर में मुख़बिर ने अपनी गवाही में आगे कहा कि पुलिस इन्स्पेक्टर के० एस० मिर्ज़ा अताउल्ला शाह मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं गए, यद्यपि मैजिस्ट्रेट उनका बयान लिख रहे थे। मुख़बिर ने कहा कि बयान देने के लिए पुलिस लाहौर फ़ोर्ट से मुझे मैजिस्ट्रेट की अदालत में केवल दो रोज़, ६ और ७ दिसम्बर को ले गई थी। इसके बाद, यद्यपि मेरा बयान अभी पूरा न हुआ था, वह मुझे मैजिस्ट्रेट की अदालत में नहीं ले गई। मैं इस ख़्याल में था कि बयान देने के लिए मैं फिर कभी मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाऊँगा। परन्तु १४ या १५ दिसम्बर को के० एस० मिर्ज़ा अताउल्ला शाह ने मुझसे कहा कि हम लोग तुम्हें दो रोज़ मैजिस्ट्रेट की अदालत में सिर्फ़ क़ानूनी रस्म पूरी करने के लिए अदालत ले गए थे, नहीं मैजिस्ट्रेट तो हम लोगों का दोस्त है।

जेल में बयान रटाने की शिक्षा

इस बीच में अदालत के उपस्थित लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए मुख़बिर ने अदालत के सामने अपने जूते के अन्दर से काग़ज़ का एक टुकड़ा निकाल कर पेश किया और कहा कि परसों जेल में पुलिस के एक डी० एस० पी० ने मुझे मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए मेरे बयान की नक़ल दी और कहा कि इसे ज़बानी याद कर लेना। मैंने उस बयान को पढ़ा, इसके बाद डी० एस० पी० उसे ले गया। कल फिर वही पुलिस-अफ़सर जेल गया और जेल के एक क्लर्क के द्वारा मुझे बुलवा कर बयान की नक़ल दी। उस पुलिस-अफ़सर के हाथ में दिल्ली षड्यन्त्र केस के मुख़बिर कैलाशपति के बयान की भी एक नक़ल थी। पुलिस अफ़सर ने मुझसे कहा कि होशियार रहना, मुख़बिर कैलाशपति द्वारा कही हुई बातों का कहीं खण्डन न हो। बयान पढ़ लेने के बाद वह मुझसे ले लिया गया। लेकिन मैजिस्ट्रेट के सामने जो मैंने बयान दिया था, उसकी नक़ल मेरे पास रहने दी गई। उसी नक़ल से मैंने जो नोट तैयार किए हैं, उन्हें जूते में छिपा कर अदालत के सामने पेश करने के लिए लाया हूँ। डी० एस० पी० अफ़सर ने चेतावनी देते हुए मुझसे कहा था कि अगर बयान में कहीं ग़लती की तो माफ़ी छिन जायगी। जूते के अन्दर लाने के कारण काग़ज़ फट गया है और उसका कुछ अंश अब भी जूते में चिपका हुआ है। इतना कह कर मुख़बिर ने ट्रिब्यूनल के सदस्यों को अपना जूता दिखला दिया।

पुलिस की चिन्ता

इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि मैं अपने बयान की नक़ल ट्रङ्क में बन्द करके रख आया हूँ। ट्रङ्क की कुञ्जी बिस्तर में है। सरदार प्रतापसिंह डी० एस० पी० ने मुझसे पूछा था कि कुञ्जी कहाँ है ? मैंने कहा, कमरे में है। अदालत के हाते में जेल के क्लर्क ने आकर मुझसे, पुलिस अफ़सरों के जेल में जाकर मिलने की बात अदालत से न कहने के लिए कहा। उसने कहा कि इस बात के मालूम हो जाने से मैं बरख़ास्त कर दिया जाऊँगा। क्लर्क से कुञ्जी के विषय में पूछने पर मालूम हुआ कि कुञ्जी नहीं मिली। परन्तु अदालत के जल-पान के समय कोर्ट-इन्स्पेक्टर ने आकर मुझसे पूछा कि बयान की नक़ल का पहला पृष्ठ कहाँ है। मुख़बिर ने अदालत से कहा कि नक़ल को ट्रङ्क में रखते समय उसका पहला पृष्ठ निकाल कर मैंने अन्यत्र रख दिया था। इन्स्पेक्टर के पूछने से मुझे शक होता है कि ट्रङ्क से नक़ल निकाल ली गई है। जो काग़ज़ मैंने अदालत में पेश किया है, उसमें नक़ल के प्रथम १८ पृष्ठों के वाक्य और लाइनों के नम्बर दर्ज हैं। काग़ज़ में जो संख्या दी हुई है, वह लाइनों की है।

जूते के तले का निरीक्षण करने पर काग़ज़ का एक और छोटा सा टुकड़ा निकला।

सफ़ाई के वकील ने जाँच की माँग पेश की

सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने अदालत से इस घटना की जाँच करने की प्रार्थना की।

अदालत के पूछने पर मुख़बिर ने कहा कि मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान की नक़ल का प्रथम पृष्ठ, जो मैंने छिपा कर रक्खा है, उसे पेश करने की आशा रखता

हूँ। परन्तु यदि पुलिस उसे पा गई होगी तो मैं लाचार हूँ।

मि० सलीम के प्रश्न के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि यदि ट्रिब्यूनल ने मुझसे पूछा न होता तो अदालत के उठने के ५-६ मिनट पहले मैंने स्वयं ही सब बात बतलाई होती।

अदालत के उठने पर अदालत का क्लर्क मुख़बिर के साथ बोर्स्टल जेल में जाँच करने के लिए गया।

आज की कार्रवाई में कॉमरेड क्रान्तिकुमार ने, जो कि अभियुक्त धर्मवीर से मुलाक़ात करने के लिए गया था, दर्शकों की गैलरी से अदालत को सम्बोधित करते हुए चिल्ला कर कहा कि पुलिस ने अदालत के अन्दर आने के समय मेरे जेब का एक पत्र ले लिया था, जो कि अब तक मुझे नहीं लौटाया गया।

इस पर अदालत ने इन्स्पेक्टर डेविडसन से मि० क्रान्तिकुमार को गैलरी से निकाल बाहर करने का हुक्म दे दिया।

मि० क्रान्तिकुमार के हटाए जाने के समय दर्शक नन्दलाल ने, जोकि अभियुक्त जहाँगीरीलाल के भाई हैं, ट्रिब्यूनल से निवेदन किया कि पुलिस इन्स्पेक्टर मि० क्रान्तिकुमार को पीट रहे हैं।

इस पर अभियुक्त जहाँगीरीलाल तथा अन्य अभियुक्तों ने ट्रिब्यूनल से कहा कि यदि हम लोगों के रिश्तेदारों और दर्शकों को इस तरह से अपमानित किया जायगा तो हम लोग अदालत में हाज़िर होने से इन्कार कर देंगे। दर्शकों पर इसलिए कड़ाई की जाती है, जिससे वे अदालत में आना छोड़ दें। यह तो असहनीय है।

इस पर दर्शकों की गैलरी में बैठे हुए लोग विरोध-स्वरूप अपनी-अपनी सीटें छोड़ कर बाहर चले गए।

प्रेज़िडेण्ट ने इन्स्पेक्टर डेविडसन से पूछा कि क्या मि० क्रान्तिकुमार के साथ बुरा व्यवहार हुआ? इन्स्पेक्टर ने कहा, जी नहीं, दुर्व्यवहार नहीं हुआ, मैंने केवल कोर्ट की आज्ञा का पालन किया है।

अभियुक्त कुछ बोलना चाहते थे, परन्तु मि० श्यामलाल, अमोलकराम कपूर आदि के कहने से वे चुप रहे।

१६ जून की बैठक में स्पेशल ट्रिब्यूनल ने प्रारम्भ में अदालत के क्लर्क ख़ान गुलमोहम्मद ख़ाँ का बयान दर्ज किया। ख़ान गुलमोहम्मद ख़ाँ को ट्रिब्यूनल ने मुख़बिर मदनगोपाल के बयान के अनुसार उसके छिपाए हुए काग़ज़ को लाने के लिए जेल भेजा था। उसने अपने बयान में कहा कि मैं स्पेशल ट्रिब्यूनल की आज्ञा से बोर्स्टल जेल के फाटक पर कल शाम को चार बज कर पाँच मिनट पर पहुँचा। जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट उस वक़्त मौजूद नहीं थे। क़रीब चार बज कर १५ मिनट पर मैं अन्दर बुलाया गया और प्रवेश-द्वार के बग़ल वाले एक कमरे में, जोकि शायद जेल का ऑफ़िस था, बैठा दिया गया। मुख़बिर भी वहीं बुला लिया गया। इसके बाद जब मुख़बिर को जेल के कर्मचारी उसके कमरे की ओर ले जाने लगे तब मैंने भी मुख़बिर के साथ जाना चाहा, परन्तु सुपरिण्टेण्डेण्ट ने मुझसे कहा कि तुम्हारे जाने की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, मदनगोपाल काग़ज़ स्वयं ही लेता आएगा, अगर कोई होगा। सुपरिण्टेण्डेण्ट ने मुख़बिर के साथ असिस्टेण्ट जेलर को भी भेजा था। मैं ऑफ़िस में बैठा उनके आने का रास्ता देखता रहा। क़रीब पन्द्रह मिनट के बाद मुख़बिर ने आकर काग़ज़ मुझे दे दिया, जिसे मैं अदालत में पेश कर चुका हूँ। उस काग़ज़ पर मैंने सुपरिण्टेण्डेण्ट जेल और असिस्टेण्ट जेलर के हस्ताक्षर करा लिए थे।

सरकारी वकील रायबहादुर पण्डित ज्वालाप्रसाद ने कहा कि अदालत के इस गवाह ने सबूत-पक्ष के विरुद्ध गवाही दी है। इसलिए मुझे इस गवाह से जिरह करने का समय दिया जाय।

इस पर सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने कहा कि नियम के अनुसार इस गवाह से जिरह करने का पहला अधिकार मेरा है। अदालत ने मि० श्यामलाल की बात मान ली।

मि० श्यामलाल की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि बोर्स्टल जेल के फाटक पर पहुँचने पर मुझे फाटक का पहरेदार मिला। मैंने उससे कहा कि अदालत ने मुझे जेल के अन्दर जाने की इजाज़त दी है, परन्तु उसने फाटक खोलने और अन्दर जाने की इजाज़त देने से इन्कार कर दिया। उसने कहा कि शाह ही आपको अन्दर जाने की इजाज़त दे सकते हैं। मैं मोटर पर बैठा बाहर इन्तज़ार करता रहा। असिस्टेण्ट जेलर दोस्त अलीशाह से पूछने पर, जोकि मुख़बिर को उसके कमरे तक पहुँचाने गए थे, मालूम हुआ कि बिना जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट की आज्ञा के जेल के अन्दर जाने की इजाज़त नहीं मिल सकती। मैंने उनसे जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट तक ख़बर पहुँचा देने के लिए कहा। असिस्टेण्ट जेलर ने क़रीब साढ़े चार बजे लौट कर कह दिया कि मुझे जेल के अन्दर कुछ उपयोगी कार्यवश देरी हो गई। साथ ही यह भी कहा कि बिना सुपरिण्टेण्डेण्ट की इजाज़त के आप अन्दर नहीं आ सकते। इस पर मैंने उनसे यही बात लिख कर देने के लिए कहा। इस पर उन्होंने अदालत के हुक्म पर सही कर दी। परन्तु मैंने कहा कि केवल आपकी सही पर्याप्त नहीं है, इस पर जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट की सही भी होना आवश्यक है। इस पर असिस्टेण्ट जेलर अदालत का आज्ञा-पत्र लेकर जेल के अन्दर चले गए। पाँच बज कर १० मिनट पर जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट बाहर आए, मुझे अन्दर लिवा ले गए और ऑफ़िस में एक कुर्सी पर बैठा दिया। मैं मुख़बिर के साथ उसके कमरे तक जाना चाहता था, परन्तु सुपरिण्टेण्डेण्ट ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है। इसके क़रीब पन्द्रह मिनट बाद मुख़बिर लौट आया। उसने कहा कि मेरी ट्रङ्क का ताला तोड़ दिया गया है और यह कह कर उसने मुझे अपनी तालियों का गुच्छा देना चाहा, परन्तु मैंने कहा कि तालियों के गुच्छे के लिए मुझे अदालत से कोई हुक्म नहीं मिला। मुख़बिर ने कहा कि ट्रङ्क से मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए मेरे बयान की नक़ल भी ग़ायब कर दी गई है।

इसके बाद सरकारी वकील रायबहादुर पं० ज्वाला प्रसाद के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि पहले मुख़बिर ने मुझे तालियों का गुच्छा देना चाहा, फिर उसने अपनी ट्रङ्क के ताला टूटने की शिकायत की। इसके बाद उसने वह काग़ज़ दे दिया, जिसके लेने के लिए मैं अदालत की तरफ़ से भेजा गया था। मेरे यह पूछने पर कि कोई और काग़ज़ भी तो नहीं है, मुख़बिर ने कहा था कि इसके अतिरिक्त दूसरा कोई काग़ज़ नहीं है, दूसरे काग़ज़ जो थे वे ग़ायब कर दिए गए हैं। यह काग़ज़, जोकि उसने दिया था, पुराना और फटा हुआ था। मैं नहीं जानता कि मुख़बिर मदनगोपाल वह काग़ज़ कहाँ से लाया था, न इस विषय में किसी शख़्स ने मुझे कोई बात बताई और न मैंने किसी से पूछा ही, क्योंकि अदालत ने ऐसा कोई हुक्म मुझे नहीं दिया था। मुख़बिर की कोठरी तक मेरे न जाने का कारण यह नहीं था कि अदालत से उस विषय में कोई हुक्म नहीं मिला था, बल्कि न जाने का कारण जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट का हस्तक्षेप था। यदि अदालत ने मुख़बिर की कोठरी तक जाने का स्पष्ट आदेश दिया होता तो मैं सुपरिण्टेण्डेण्ट से मुख़बिर के साथ उसकी कोठरी तक जाने का आग्रह करता।

अदालत के क्लर्क की गवाही हो चुकने के बाद मुख़बिर मदनगोपाल पेश किया गया।

मि० श्यामलाल ने ट्रिब्यूनल से प्रार्थना की कि काग़ज़ के सम्बन्ध में अगर मुख़बिर की भी गवाही इसी वक़्त हो जाय तो अच्छा हो।

अदालत के प्रश्न करने पर मुख़बिर ने कहा कि कल शाम के वक़्त मैंने अपने बयान का प्रथम पृष्ठ अदालत के क्लर्क को दिया था। उसे मैंने जेल में अपनी कोठरी के बाहर ज़मीन के अन्दर से निकाला था। अदालत में जो कुछ मैंने कहा था उसका प्रमाण देने के लिए मैंने उस काग़ज़ को ज़मीन के अन्दर सुरक्षित करके रख लिया था। जेल की कोठरी में मेरे दो सूट-केस थे। कल अदालत से जेल जाने पर मैंने देखा कि एक सूट-केस, जिसमें मैजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए बयान की नक़ल रक्खी हुई थी, ग़ायब है। कल बोर्स्टल जेल पहुँचने पर अदालत के क्लर्क को, जिसे अदालत ने मेरे साथ अपने हुक्म से भेजा था, जेल के अधिकारियों ने जेल के फाटक पर ही रोक लिया और मुझे जेल के अन्दर ले गए। वहाँ वार्डर ने, जिसे लोग 'शाह जी' कहते हैं, मुझसे पूछा कि बयान का प्रथम पृष्ठ कहाँ है? मैंने कहा कि अदालत के किसी ज़िम्मेदार अफ़सर की अनुपस्थिति में मैं वह पृष्ठ किसी भी व्यक्ति को नहीं दे सकता। इसके बाद वार्डर ने मेरे सूट-केस की ताली माँगी, जिसे देने से मैंने इन्कार कर दिया। इस पर वार्डर ने सूट-केस का ताला तोड़ डाला, परन्तु उसमें कुछ मिला नहीं। एक दूसरा काग़ज़ मैंने अपनी कोठरी के एक दराज़ में रख दिया था, परन्तु मेरी ग़ैर-मौजूदगी में पुलिस ने उसे भी ग़ायब कर दिया था।

भगवतीचरण की मृत्यु

इसके बाद मुख़बिर की षड्यन्त्र सम्बन्धी गवाही प्रारम्भ हुई। सरकारी वकील ने अदालत के सामने एक जूता पेश किया, जिसकी मुख़बिर ने शिनाख़्त की और कहा कि यह जूता वैसा ही है जैसा राज पहना करता था। इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि 'बड़े भैया' ने कहा था कि वह बम इतना भयानक था कि तीस गज़ का फ़ासला होने पर भी वह राज की पुस्तक के आर-पार निकल गया। घायल हो जाने के बाद भगवतीचरण भावलपुर रोड वाले मकान पर नहीं लाए गए थे। भगवतीचरण के घायल होने के दिन 'बड़े भैया', धनी, प्रान और सूरज मकान से बाहर जाते समय भगवतीचरण के यहाँ जाने के लिए कह गए थे। ग्यारह बजे रात को उन सबके लौटने पर मुझे मालूम हुआ कि भगवतीचरण की मृत्यु हो गई। २९ मई, सन् १९३० को सवेरे वे लोग फिर घर से निकल गए और शाम को ६ बजे वापस आए। उनकी बात-चीत से मुझे मालूम हुआ कि वे भगवतीचरण को रावी-तट के किसी झ़ख़ारे में दफ़न कर आए हैं। प्रान ने मुझसे साइकिलें लाने के लिए कहा। राज ने मुझसे साइकिलों के लाने के लिए नहीं कहा था। मुख़बिर ने कहा कि मैंने पुलिस के कहने से इस सम्बन्ध में राज का नाम लिया था। उसी दिन शाम को दल के उपयोग के लिए शिव दो साइकिलें लाया था। भावलपुर रोड हाउस में हर वक़्त दो-चार साइकिलें मौजूद रहती थीं। ता० २९ या ३० मई को 'बड़े भैया', सरदार, प्रान और जाट एक मोटर लॉरी पर आए और जेल पर आक्रमण करने की स्कीम पर विचार हुआ।

जेल पर आक्रमण

मुख़बिर ने कहा कि पहली जून सन् १९३० को 'बड़े भैया' से मालूम हुआ कि आज जेल पर आक्रमण किया जायगा। इस सम्बन्ध में ३० ता० की रात को कुछ रिवॉल्वर निकाल कर साफ़ कर लिए गए थे। ३१ मई को तीन बम स्वयं प्रान और 'बड़े भैया' ने भर कर तैयार किए थे। उस वक़्त कमरे में शिव बैठा हुआ था और राज सो रहा था। मैंने भगवतीचरण की मृत्यु के

पहले कुछ बम आलमारी में रक्खे हुए देखे थे। वे टेनिस की गेंद के आकार के थे। इसी बीच अदालत में मुख़बिर के सामने सरकारी वकील ने एक बम पेश किया, जिसे देख कर मुख़बिर ने कहा कि वे बम इसी प्रकार के थे। ३१ मई को मैं शिव के साथ एक धुलाई की दूकान के पास गया, जहाँ से शिव एक छोटी सी सन्दूक़ ले आए। मैंने शिव से यह नहीं पूछा कि उसमें क्या है। १ जून को 'बड़े भैया' ने मुझे और सूरज को बुलाया और सूरज से कहा कि हम लोग जेल पर आक्रमण करने जा रहे हैं, मेरे साथ चलो। सूरज ने कहा कि मेरी तबियत ठीक नहीं। इस पर 'बड़े भैया' ने मुझे चलने को कहा। 'बड़े भैया' ने बग़ल के कमरे से एक रिवॉल्वर लाकर मुझे दे दिया। यह फ़ौजी रिवॉल्वर था। मैंने पहले कभी रिवॉल्वर नहीं चलाया था। हवाई पिस्तौल से निशानेबाज़ी का अभ्यास किया था। जेल पर आक्रमण करने के लिए मोटर लॉरी पर मैं, प्रान, 'बड़े भैया', शिव और सरदार जी जाने वाले थे। हम लोग घर से २ बजे मोटर लॉरी पर रवाना हो गए। आसफ़, दीदी, भाभी और राज बङ्गले पर रहे। लॉरी हम लोगों को लेकर एक बाग़ में पहुँची, जहाँ हम लोगों ने ताश खेलना प्रारम्भ कर दिया। थोड़ी देर में दो व्यक्ति एक-एक करके साइकिल पर आए, जिनसे प्रान ने बातें कीं। दूसरे व्यक्ति के रवाना होने के बाद हम लोग लॉरी पर बैठ गए। लॉरी तेज़ी से जेल की ओर रवाना हो गई। बोर्स्टल जेल से दो फ़र्लाङ्ग की दूरी पर एक पेड़ के नीचे हम लोगों ने लॉरी खड़ी कर दी। वहाँ से बोर्स्टल जेल का मुख्य फाटक दिखलाई पड़ता था। मैंने जेल के फाटक के सामने एक जेल-लॉरी खड़ी देखी।

इशारा

शिव बाँसुरी बजाने लगा। मैंने समझा कि भगतसिंह और दत्त को इस बाँसुरी के द्वारा इशारा किया जा रहा है कि उनको जेल से छुड़ाने वाला दल आ गया है। 'बड़े भैया' ने कहा कि बम फेंकना ठीक न होगा, क्योंकि सम्भव है कि उससे भगतसिंह और दत्त को भी चोट लग जाय। मेरे और शिव के लिए निश्चय हुआ था कि हम लोग भगतसिंह के साथ वाले कॉन्स्टेबिलों पर गोली चलाएँ और पिस्तौल भगतसिंह और दत्त को दे दें। प्रान के लिए निश्चय हुआ था कि यदि कोई पुलिस अफ़सर हम लोगों की ओर गोली चलाए तो वह उनका उत्तर दे। 'बड़े भैया' ने अपने लिए सब-इन्स्पेक्टर और मोटर ड्राइवर को गोली मारने की ड्यूटी निश्चय की थी। भगतसिंह और दत्त को छुड़ा कर दल ने उन्हें मोटर में एक घर की तरफ़ ले चलने का विचार किया। हम लोगों ने भगतसिंह और दत्त को एक जेल-लॉरी में जाते हुए देखा और भगतसिंह और दत्त ने भी हम लोगों को देखा। 'बड़े भैया' पर हम लोगों की असफलता का बड़ा आघात पहुँचा। 'बड़े भैया' ने कहा कि यह कार्य हम लोग कल फिर करेंगे। इसलिए हम लोग भावलपुर रोड वाले मकान पर वापस चले आए और मकान में रहने वाले साथियों से असफलता की बात कह दी। 'बड़े भैया' ने कहा कि इस कार्य के लिए बहुत रुपए की आवश्यकता है। मि० आसफ़ ने रुपए के लिए प्रबन्ध करने का वचन दिया। भाभी ने कहा कि आप लोग हमारा ज़ेवर बेंच कर इस कार्य की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। दीदी ने भी अपने ज़ेवर बेचने की इच्छा प्रगट की।

भावलपुर रोड की बम-घटना

रात को हम सब लोग उसी मकान में सोए। दूसरे दिन, २ जून को सवेरे साढ़े पाँच बजे मकान में बम फटने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं जल्दी से 'बड़े भैया' के पास दौड़ गया। उन्होंने कहा कि दल के दूसरे सदस्य मकान से दल का सामान हटाने के लिए गए हैं, क्योंकि बम फटने की ख़बर पुलिस में अवश्य ही पहुँचेगी। अगर सामान जल्दी नहीं हटाया जाता, तो दल का सब सामान पुलिस के हाथ में पड़ जायगा। 'बड़े भैया' ने मुझे एक छोटी सी सन्दूक़, एक रिवॉल्वर और कुछ कारतूस दिए। मैं इन्हें लेकर यूनिवर्सिटी के मैदान में चला आया और वहाँ से पालनपुर के लिए रवाना हो गया। फिर पालनपुर से अजमेर पहुँचा। उस समय रिवॉल्वर और कारतूस मेरे पास थे। सन्दूक़ मैंने प्रान को दे दिया था। मैं अजमेर ६ जून को पहुँचा था। जुलाई सन् ३० में मैं कान्तिप्रसाद के निमन्त्रण पर उनसे दिल्ली में मिला। मैंने अपना रिवॉल्वर कान्तिप्रसाद को दे दिया। कान्तिप्रसाद ने मुझसे एक 'भाई साहब' नाम के व्यक्ति का परिचय कराया और मुझसे अपने साथ अजमेर ले जाने के लिए कहा। बाद में मुझे मालूम हुआ कि 'भाई साहब' भी दल के सदस्य हैं और इस केस के फ़रार अभियुक्त हैं।

इसके बाद अदालत जल-पान के लिए स्थगित हो गई।

सुखदेवराज का क़ानूनी विरोध

जल-पान के बाद अदालत के फिर बैठने पर मुख़बिर ने अपनी गवाही के सिलसिले में कहा कि मैं १३ नवम्बर, सन् १९३० को गिरफ़्तार हुआ था। परन्तु उसी दिन रात को छोड़ भी दिया गया था। इसके बाद १९ नवम्बर को फिर गिरफ़्तार कर लिया गया और दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली से फिर लाहौर पहुँचाया गया, जहाँ मेरा बयान हुआ। मैं पुलिस को अजमेर ले गया, जहाँ से मैंने एक रिवॉल्वर और तीस कारतूस बरामद कराए। मुख़बिर ने अदालत में रक्खे हुए रिवॉल्वर की शिनाख़्त की। इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि मुझे क्षमा प्रदान की गई।

इसके बाद उसने मुख़बिर इन्द्रपाल की शिनाख़्त की।

इसी समय अदालत में अभियुक्त सुखदेवराज भी शिनाख़्त के लिए पेश किए गए। अन्य अभियुक्तों के साथ मिलाए जाने के समय सुखदेवराज ने अदालत से पूछा कि मैं क्यों बुलाया गया हूँ? अदालत ने कहा कि तुम मुख़बिर द्वारा शिनाख़्त कराए जाने के लिए बुलाए गए हो। सुखदेवराज ने अपनी शिनाख़्त किए जाने का यह कह कर विरोध किया कि मेरा मामला इन अभियुक्तों से अलग चलेगा, इसलिए मेरी शिनाख़्त की कार्रवाई मेरे अलग मामला चलने के समय ही होनी चाहिए। यदि मेरी शिनाख़्त की कार्रवाई इस केस के साथ ही की गई, तो इस ट्रिब्यूनल और दोनों पक्ष के वकीलों की हैसियत गवाहों की हो जायगी, और फिर इस ट्रिब्यूनल और इन वकीलों को मेरा अलग मामला करने का अधिकार न रह जायगा।

सरकारी वकील ने सुखदेवराज के कथन का विरोध किया।

परन्तु ट्रिब्यूनल के सदस्यों ने सुखदेवराज के कथन को मान लिया और उन्हें वापस भेज दिया।

धमकी

इसके बाद मि० सलीम के प्रश्न के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि पहले मैंने बयान देने से इन्कार कर दिया था, परन्तु जब पुलिस ने धमकाया कि तुम्हारे पिता, जो कि पोस्टल विभाग में नौकर हैं, उनकी नौकरी में हस्तक्षेप किया जायगा, तब मैंने बयान देना स्वीकार कर लिया। एक दिन एक पुलिस अफ़सर ने मुझे माफ़ी दिला देने के लिए कहा। मैं राज़ी हो गया और मुख़बिर बन गया। पुलिस ने माफ़ी दिलाने की बात मुझसे ३ दिसम्बर, सन् १९३० में कही थी। इसके दूसरे दिन वह मुझे कसूर ले गई और मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। पुलिस के सामने बयान दर्ज होने के समय जो बात मैं नहीं जानता था और जिसे पुलिस मुझसे कहलाना चाहती थी, उसके विषय में उपस्थित पुलिस अफ़सर कह देते थे कि ऐसी बात भी हुई है, अपने बयान में इसे शामिल कर लेने में कोई हानि नहीं है। मुझे यह नहीं बतलाया गया था कि मेरे बयान में उन बातों के शामिल करा देने से पुलिस को क्या लाभ होगा?

इसके बाद अदालत स्थगित हो गई, अगली बैठक सोमवार को होगी।

आज ता० २२ जून को दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस की कार्रवाई स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने फिर शुरू हुई। अभियुक्त भीमसेन ने अदालत से कहा कि आज मेरे पेट में दर्द है। दर्द रहते हुए जेल से अदालत लाए जाने का मैं विरोध करता हूँ। मैं आज अदालत की कार्रवाई में भाग लेने में असमर्थ हूँ। इस पर ट्रिब्यूनल ने अभियुक्त को जेल वापस जाने की इजाज़त दे दी। दर्द रहते हुए जेल से अदालत लाए जाने के विरोध-स्वरूप अभियुक्त ने अपनी ग़ैर-मौजूदगी के लिए वकील को अपना प्रतिनिधि बनाने से इन्कार कर दिया। इसलिए केस कल के लिए स्थगित हो गया।

मुख़बिरों की हिरासत

इसके बाद अभियुक्तों की ओर से सफ़ाई के वकील ने ट्रिब्यूनल के सामने निम्न-लिखित अर्ज़ी पेश की :—

(१) मुख़बिर मदनगोपाल के ता० १९ जून और २० जून के बयानों से साफ़ ज़ाहिर होता है कि मुख़बिरों के हिरासत में रखने के सम्बन्ध में हाईकोर्ट ने जो हुक्म जारी किए थे, उनका पालन नहीं हो रहा। वास्तव में मुख़बिर अब भी पुलिस के हाथ में हैं।

(२) अभियुक्तों को इस बात का विश्वस्त-सूत्र से पता चला है कि असिस्टेण्ट जेलर बी० दौलतअली शाह ख़ुफ़िया-विभाग के आदमियों से मिले हुए हैं। मुख़बिर की गवाही तथा अन्य परिस्थितियों से भी यही बात प्रकट होती है। वास्तव में सी० आई० डी० विभाग की सिफ़ारिश से बी० दौलतअली शाह मुख़बिरों के ऊपर तैनात कर दिए गए हैं। जेल के सभी वार्डर बी० दौलतअली शाह और सी० आई० डी० के आदमियों के हाथ में हैं और यह बात अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि मुख़बिरों पर जो नए २० वार्डर तैनात किए गए हैं, उनका काम मुख़बिरों की जानों की हिफ़ाज़त करना नहीं है, बल्कि सी० आई० डी० अफ़सरों को उनके बयानों के रटाने के कार्य में सहायता पहुँचाना है। मुख़बिरों के सेण्ट्रल जेल से बोर्स्टल जेल में ले जाने का भी यही उद्देश्य था। सेण्ट्रल जेल में अभियुक्त उनकी कार्रवाइयों को ताड़ सकते थे। बोर्स्टल जेल में अब उनकी कार्रवाइयों का पता नहीं चल सकता।

(३) इस अदालत के सामने बी० दौलतअली शाह ने जो यह रिपोर्ट दी है कि सी० आई० डी० के आदमी अभियुक्तों से नहीं मिल पाते, झूठ है। सफ़ाई के वकील ने पहले जो वक्तव्य दिया था कि मुख़बिरों के सम्बन्ध का प्रबन्ध सन्तोषजनक हो गया है, वह ग़लत रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था। मालूम होता है कि मुख़बिरों पर से पुलिस का प्रभाव एक मिनट के लिए भी नहीं हटा। जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट तक का मुख़बिरों पर कोई अधिकार नहीं है।

(४) मुख़बिर मदनगोपाल की गवाही से मालूम होता है कि बी० दौलतअली शाह और सी० आई० डी० के अफ़सर जेल-नियमों के भङ्ग करने, झूठी गवाही देने के लिए उकसाने और अदालत की तौहीन करने के दोषी हैं।

(५) सी० आई० डी० के अफ़सर अदालत के हुक्मों का अप्रत्यक्ष ढङ्ग से उल्लङ्घन करके न्याय का हनन करने के लिए सरकार की व्यापक कार्यकारिणी शक्ति से अनुचित लाभ उठा रहे हैं। मुख़बिरों की रक्षा के बहाने गवर्नमेण्ट से कह कर उन्होंने अफ़सरों और वार्डरों का एक विशेष दल नियुक्त करा लिया है, जोकि मुख़बिरों को बयान सिखलाने का कार्य करता है। अगर गवर्नमेण्ट को अपने बनाए क़ानूनों के लिए कुछ भी इज़्ज़त है तो उसे चाहिए कि बी० दौलतअली शाह और सी० आई० डी० अफ़सरों को, जोकि इतने गम्भीर दोषों के अभियोगी हैं, तुरन्त सज़ा दे। अभियुक्तों को यह बात बहुत अच्छी तरह मालूम है कि इन अपराधियों को निर्दोष साबित करने के लिए कोई न कोई उपाय मिल ही जायगा।

(६) सी० आई० डी० के आदमी केवल जेल के अन्दर ही नहीं, वरन् अदालत के हाते के अन्दर भी मुख़बिरों से मिलते हैं। उस वक्त मुख़बिरों पर पहरा रखने वाली पुलिस अपने आपको सी० आई० डी० के आदमियों का मातहत समझती है। ज़रा सी बात पर जनता के किसी भी व्यक्ति की शिकायत कर देने के लिए वह तैयार रहती है, परन्तु सी० आई० डी० के आदमियों को वह निस्सङ्कोच मुख़बिरों से मिलने देती है।

(७) घर से चलने के समय से लेकर अदालत छोड़ने के समय तक प्रत्येक सबूत के गवाह को, पुलिस अपने क़ब्ज़े में रखती है। जल्दी से जल्दी समन जारी करने के बहाने उसने गवाहों को बुलाने आदि का भार, क़ानून के विरुद्ध, अपने ही ऊपर ले लिया है। उन्हें जगह देने और शहर तथा अदालत के हाते के अन्दर हर तरह की सुविधा पहुँचाने का कार्य भी, उसने बिना किसी के कहे, अपने ऊपर ले लिया है। परिणाम-स्वरूप कोई भी सबूत का गवाह पुलिस के प्रभाव से बाहर नहीं रहने पाता।

(८) बी० दौलतअली शाह ने अदालत की आज्ञाओं का उल्लङ्घन भी किया है। अदालत ने मुख़बिर मदनगोपाल के साथ अपने क्लर्क को कुछ काग़ज़ात लाने के लिए जेल भेजा था, परन्तु बी० दौलतअली शाह ने क्लर्क को मुख़बिर मदनगोपाल के साथ उसकी कोठरी तक नहीं जाने दिया।

(९) अभियुक्तों को मालूम होता है कि जेल-विभाग के कुछ अफ़सर सी० आई० डी० के आदमियों से डरते हैं, इसलिए वे क़ायदे-क़ानून के मुताबिक़ अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर पाते।

(१०) इसलिए अभियुक्त न्याय की रक्षा के लिए अदालत से निम्न-लिखित हुक्मों के जारी करने की प्रार्थना करते हैं।

(क) मुख़बिर फिर से सेण्ट्रल जेल में भेज दिए जायँ।

(ख) सरकार से अनुरोध किया जाय कि वह बी० दौलतअली शाह और सी० आई० डी० के अफ़सरों को जेल-नियमों के भङ्ग करने, चोरी करने और झूठी गवाही देने के लिए उकसाने के लिए उन्हें दण्ड दे।

(ग) बी० दौलतअली शाह मुख़बिरों पर निगरानी रखने के पद से तुरन्त हटा दिए जायँ।

(घ) जब तक उपरोक्त प्रबन्ध न हो जाय और हाईकोर्ट के हुक्मों का पूर्णतया पालन न हो, तब तक मुख़बिरों की गवाही स्थगित रक्खी जाय।

(ङ) अदालत के हाते के अन्दर मुख़बिरों पर पहरा रखने वाली पुलिस को आज्ञा दे दी जाय कि वह किसी भी सी० आई० डी० अफ़सर को मुख़बिरों के पास न जाने दे।

(च) इस मामले से सम्बन्ध रखने वाले सी० आई० डी० अफ़सर अदालत के हाते के अन्दर केवल गवाही देने के लिए आ सकें, परन्तु अदालत के कमरे में बैठने की इजाज़त तो उन्हें किसी हालत में न मिलनी चाहिए।

(छ) कोर्ट-इन्स्पेक्टर को हुक्म दिया जाय कि वह मुख़बिरों तक सी० आई० डी० अफ़सरों के सन्देशा पहुँचाने का कार्य न करे।

नोटिस जारी

मि० सलीम—अगर सी० आई० डी० के अफ़सर जेल के नियमों को भङ्ग करके मुख़बिरों से मिलते हैं तो इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि मुख़बिरों की हिरासत के लिए जो प्रबन्ध किया गया है वह प्रबन्ध दूषित है। केवल उस प्रबन्ध के दुरुपयोग के सम्बन्ध में आपकी शिकायत हो सकती है।

मि० श्यामलाल—हमारा अभिप्राय तत्व से है, छाया से नहीं। हम केवल यह चाहते हैं कि सी० आई० डी० के अफ़सर मुख़बिरों की गवाहियों में बेजा दबाव न डाल सकें, जैसा कि हाईकोर्ट के नियमों का भी अभिप्राय है।

प्रेज़िडेण्ट—जेल तथा सी० आई० डी० के अफ़सरों के अपराधों के विषय में हम केवल ज़िला-मैजिस्ट्रेट को सूचना भेज सकते हैं, जो कि जाँच-पड़ताल के बाद जो उचित कार्रवाई समझें, कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और हम क्या कर सकते हैं?

मि० श्यामलाल—अब तक अधिकारियों ने जो अपराध किए हैं, उन पर सरकार कार्रवाई करे, परन्तु हमें तो आगे के लिए भी अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा करनी है। अभी दो और मुख़बिरों की गवाही होना बाक़ी है। अदालत को चाहिए कि वह पुलिस के अनुचित दबाव से उनकी रक्षा करे। अगर असिस्टेण्ट जेलर बाबू दौलतअली शाह मुख़बिरों की निगरानी के कार्य में बने रहें, तो मुख़बिर पुलिस के अनुचित दबाव से बचे नहीं रह सकते। मेरी प्रार्थना है कि वे इस कार्य से तुरन्त हटा दिए जायँ। उन्होंने इस अदालत के हुक्म की अवज्ञा की है, अदालत के क्लर्क को जेल के बाहर खड़ा रक्खा और उस बीच में उस काग़ज़ को अपने क़ब्ज़े में कर लेने का प्रयत्न किया, जिसको अदालत माँग चुकी थी।

मि० श्यामलाल ने कहा कि सी० आई० डी० के अफ़सर सरकार की कमज़ोरी से अनुचित लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने ग़लत रिपोर्टें भेज-भेज कर सरकार द्वारा मनमाने हुक्म जारी करा लिए हैं। अभियुक्त केवल इतना ही चाहते हैं कि मुख़बिर सी० आई० डी० अफ़सरों के अनुचित दबाव से स्वतन्त्र रहें।

इस पर अदालत ने सरकारी वकील और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नाम नोटिस जारी करते हुए उनसे पूछा कि अभियुक्तों की उपरोक्त अर्ज़ी क्यों न मञ्ज़ूर कर ली जाय? इस अर्ज़ी पर बहस करने के लिए अदालत ने २५ ता० नियत की है।

आज ता० २३ जून को स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के पेश होने पर अभियुक्त भीमसेन, जिसके पेट में एक रोज़ पहले से दर्द था, जेल के दो वार्डरों के सहारे अदालत के कमरे में लाया गया। उससे एक बेञ्च पर लेट जाने के लिए कह दिया गया।

अभियुक्त जहाँगीरीलाल ने ट्रिब्यूनल से कहा कि भीमसेन अब भी अदालत में हाज़िर होने में असमर्थ है। इस दर्द के कारण इतने थोड़े समय में उसका वज़न ४ पौण्ड घट गया है।

जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट का बयान

प्रारम्भ में ट्रिब्यूनल ने भीमसेन के स्वास्थ्य के विषय में सेण्ट्रल जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट मेजर सोंधी का बयान लिया। आपने कहा कि मैंने अभियुक्त की सवेरे परीक्षा की थी, उससे मेरा ख़याल था कि वह अदालत में हाज़िर होने लायक़ है।

अदालत के कहने पर मेजर सोंधी ने अभियुक्त को अदालत में एक बार और देखा और देख कर कहा कि अभियुक्त की हालत सवेरे की अपेक्षा बुरी नहीं है। वह अदालत की कार्रवाई में भाग ले सकता है।

अभियुक्त भीमसेन ने कहा कि मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इस पर उसे बैठने के लिए एक आराम-कुर्सी दी गई। अभियुक्त ने प्रेज़िडेण्ट से कहा कि आप स्वयं आकर देख सकते हैं कि मुझे कितना अधिक दर्द हो रहा है। इसके बाद अभियुक्त ने कहा कि कल मैंने अदालत के सामने जो शिकायत की थी, उसी कारण से मेजर सोंधी मेरे विरुद्ध हो गए हैं और आज अदालत में हाज़िर होने की समर्थता के विषय में इतना ज़ोर दे रहे हैं। वास्तव में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेरे लिए बैठना भी असम्भव है।

कुछ मिनटों के बाद अभियुक्त कुर्सी से नीचे गिर पड़ा।

सुनवाई स्थगित

मुख़बिर मदनगोपाल गवाह के कठघरे में खड़ा था और कार्रवाई प्रारम्भ ही होने वाली थी कि अभियुक्त जहाँगीरीलाल ने ट्रिब्यूनल के सामने एक अर्ज़ी पेश कर दी। अर्ज़ी में लिखा था कि मुख़बिर की गवाही समाप्त हो चुकी है, अब सफ़ाई की ओर से उसकी जिरह होने वाली है। मुख़बिर से जिरह होने के पहले हम सात अभियुक्त, जहाँगीरीलाल, दयानतराय, कुन्दनलाल, गुलाबसिंह, भागराम, धर्मपाल और रूपचन्द, जिरह के सम्बन्ध में कुछ सलाह करने के लिए अभियुक्त सुखदेवराज से मिलना चाहते हैं।

अदालत ने अर्ज़ी मञ्ज़ूर कर ली और इसके लिए एक घण्टे का समय दिया। सफ़ाई के वकील मि० प्राणनाथ मेहता की उपस्थिति में अभियुक्तों ने सुखदेवराज से सलाह की।

इसके बाद अदालत कल के लिए स्थगित हो गई।

(क्रमशः)

* * *



[हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द विरूपाक्ष]

दिल्ली के सुप्रसिद्ध हिन्दी-साहित्य-शिल्पी श्री० चतुरसेन शास्त्री महोदय तो, वल्लाह, छिपे रुस्तम निकले। अब तक हम आपको आयुर्वेदाचार्य, संस्कृत के विद्वान और हिन्दी के धुरन्धर लेखक ही समझते थे, परन्तु हाल में आपके एक और अद्भुत और अलौकिक गुण का पता लगा है। अर्थात् आप सीतापुर में होने वाले मूर्ख-सम्मेलन के सभापति चुने गए हैं। सीतापुरी मूर्खों को उनकी इस क़द्रदानी, परख और गुण-ग्राहकता के लिए बधाई है। वास्तव में किसी ने क्या ख़ूब कहा है—"क़द्रे गौहर शह बेदानद या बेदानद जौहरी !"

❀

हमने सुना है कि शास्त्री जी ने इधर कुछ दिनों से दिल्ली के बाद लखनऊ को अपना निवास या प्रवास-स्थान बनाया है। फलतः हमारी सुदृढ़ धारणा है कि आपको यह सद्गुण, जिसके कारण सीतापुर के गुण-ग्राहियों ने आपको सभापति का महान पद प्रदान करने का निश्चय किया है, सहयोगिनी 'सुधा' के स्वनाम-धन्य 'प्रधान सम्पादक' श्री० दुलारेलाल जी भार्गव के "सत्सङ्ग" से प्राप्त हुआ है। क्योंकि किसी अनुभवी का कथन है कि 'ख़रबूज़ा ख़रबूज़े को देख कर ही रङ्ग पकड़ता है।'

❀

अख़बारों में ख़बर छपी है कि सिलहट के एक बूढ़े दूल्हे ने पुलिस की संरक्षता में एक बालिका से विवाह किया है। बेचारे वृद्ध के इस धर्म-कार्य में सहायता पहुँचा कर पुलिस ने अपना ही नहीं, वरन् महा-मान्या ब्रिटिश सरकार का भी मुखोज्ज्वल कर दिया है। आशा है, बूढ़े दूल्हा के पके रोम से निकली हुई आशीष भारत में ब्रिटिश राज्य को सुदृढ़ बनाने में काफ़ी सहायता पहुँचाएगी।

❀

'महाजनो येन गतः सपन्थाः' के अनुसार हमें विश्वास है कि देश के अन्यान्य बूढ़े भी विवाह के समय 'सिलहटी वृद्ध' का अनुकरण करेंगे और रण्डी, भाँड़ बाजा और आतशबाज़ी आदि विवाहोपयोगी सामग्रियों के प्रबन्ध के साथ ही साथ पुलिस का भी प्रबन्ध कर लिया करेंगे। ख़र्च की एक मद बढ़ जाएगी तो बला से, पुलिस के आ जाने से आपदा विताड़न के साथ-साथ विवाह की शोभा और शान भी तो बढ़ जाएगी !

❀

भई, आजकल हमारी सरकार को रुपए का बड़ा टोटा है। आर्थिक दुरवस्था के कारण किसान मालगुज़ारी नहीं दे रहे हैं, रोज़गार की मन्दी के कारण 'इन्कमटैक्स' भी कम वसूल हो रहा है, माल का यातायात कम हो जाने के कारण रेलवे विभाग की आमदनी भी कम हो गई है। ऐसी हालत में अगर सरकार पुलिस और पलटनों की संरक्षता में देश के बूढ़ों का ब्याह कराया करे और बदले में कुछ दक्षिणा ले लिया करे तो टोटे का सवाल बड़ी आसानी से हल हो सकता है। और बूढ़ों के उपकार का तो कहना ही क्या है?

❀

इससे सब से बड़ी बात तो यह होगी कि देश के सभी बूढ़े सरकार के ख़ैरख़्वाह हो जायँगे। वे न स्वतन्त्रता माँगेंगे, न स्वराज्य और दक्षिणा देंगे सो अलग! बस उनसे यह प्रतिज्ञा करा लेने की ज़रूरत होगी कि अगर बच्चे पैदा कर सकें तो ऐसे करें, जो सिर से पैर तक राज-भक्त और 'देहि पदपल्लव मुदारम्' दल के हों। आशा है, सरकार श्रीजगद्गुरु के इस अयाचित सत्परामर्श पर विचार करेगी।

❀

और सरकारें नहीं तो कम से कम मद्रास की सरकार को तो अवश्य ही हिज़ होलीनेस का यह पवित्र परामर्श स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि अभी हाल में ही अपनी गुण-ग्राहकता का परिचय प्रदान करने के लिए, गत सत्याग्रह-संग्राम में काली खोपड़ियों को सुरकुल करने वाली पुलिस को उसने ९८,००० रुपए बतौर इनाम के दिया है। हमारा ख़याल है कि यह आधे लाख से भी अधिक की रक़म उपर्युक्त तरीक़े से बड़ी आसानी से वसूल हो सकती है।

❀

ख़ैर, गत सत्याग्रह के समय पुलिस ने चुपचाप खड़े या बैठे हुए निरीह निःशस्त्रों पर धड़ाधड़ लाठियाँ बरसा कर जो बहादुरी दिखाई थी, वह ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी जायगी। फलतः इस दुर्दिन के साथियों को इनाम-इकराम तो मिलना ही चाहिए। परन्तु साथ ही कोई व्यवस्था उन लाठियों के लिए भी होनी चाहिए, जिनकी बदौलत साम्राज्य की हिली हुई नींव क़ायम रह सकी थी, वरना बड़ी भारी कृतघ्नता होगी।

❀

इसलिए श्रीजगद्गुरु की राय है कि वे सभी लाठियाँ संग्रह करके लन्दन के ब्रिटिश म्यूज़ियम में सुरक्षित रख दी जाएँ, ताकि देवी ब्रिटानिया के बच्चे उन्हें देखें, उनके प्रति सम्मान प्रदर्शन करें और यह याद रक्खें कि ये ही वे वंश-खण्ड हैं, जिनकी बदौलत गाँधी की आँधी में ब्रिटिश साम्राज्य धूलिसात होते-होते बच गया था।

❀

और, अगर ऐसा सम्भव न हो, तो भारत में ब्रिटिश राज्य की संस्थापना करने वाले महात्मा क्लाइव, वारन् हेस्टिंग्स, नील और लॉरेन्स की मूर्तियों के पास ही ये लाठियाँ भी खड़ी कर दी जावें। क्योंकि अगर ये लाठियाँ न होतीं तो निश्चय ही उनकी स्थापित कीर्ति विलुप्त हो जाती और बेचारों की स्वर्गस्थ (??) आत्माएँ तड़फड़ा कर रह जातीं !

❀

कलकत्ता बड़ा बाज़ार के कतिपय हिन्दुस्तानी और पञ्जाबी नवयुवकों ने गत शुक्रवार को वहाँ के हॉलीडे पार्क में जो अलौकिक वीरता दिखाई थी, उसका विवरण अख़बारों में पढ़ कर हिज़ होलीनेस 'मगन' हो गए हैं। वास्तव में इन वीरों ने संयुक्त-प्रान्त और पञ्जाब का मुखोज्ज्वल कर दिया है। इसलिए श्रीमती गुरुआनी जी की राय से श्रीजगद्गुरु ने इन वीर-पुङ्गवों के नाम पर अपना सारा पुराना जूता उत्सर्ग कर देने का विचार किया है।

❀

बात यह थी कि 'बर्मा-विद्रोह' के सम्बन्ध में कलकत्ते के नागरिकों की एक सभा होने वाली थी; और श्री० जे० एम० सेन गुप्त उसके सभापति होने वाले थे। फलतः ये दोनों ही बातें 'सुभाषी-शास्त्र' के विरुद्ध थीं और इनके हो जाने पर समस्त पञ्जाब और संयुक्तप्रान्त के मुँह में स्याही पुत जाने का भय था। इसलिए बड़ा बाज़ारी (जी हाँ, बाज़ारी) बाँकुरों की टोली 'श्री० सुभाष बोस की जय' के नारे लगाते पहुँची और जिस तरह वीरवर मारीच और सुबाहु आदि ने राजर्षि विश्वामित्र का यज्ञ विध्वंस किया था, उसी तरह इन वीरों ने भी सारी सभा को विध्वंस कर डाला! "कुफ़्र टूटा ख़ुदा-ख़ुदा करके !"

❀

इसके बाद जनाब, जब विजयश्री प्राप्त हो गई तो विरोधी-दल के अधिकार से राष्ट्रीय पताका भी छीन लेना आवश्यक हो गया। लेहाज़ा हमारे रण-बाँकुरों ने जान को हथेली पर रख कर फ़ौरन चढ़ाई कर दी ! मगर, हाय ! हाय !! स्त्रियों ने बीच में आकर सारा लुत्फ़ ही बिगाड़ डाला। इसलिए विजय अधूरी रह गई। नहीं तो, सच मानिए, आज सारे संसार में तहलक़ा मच गया होता। अमेरिका वाले तो इन बहादुरों को निमन्त्रण देने और चित्र लेने के लिए दौड़ पड़े होते अपने-अपने कैमरे लेकर !

❀

परन्तु इससे यह न समझ लीजिएगा कि स्त्रियों के हाथों से झण्डा ले लेने की इन वीरों ने कोशिश ही नहीं की। राम कहिए, ये स्त्रियाँ तो दूसरों की थीं, यदि अपनी माँ-बहिनें होतीं तो भी ये मानने वाले न थे। इन्होंने उनके मान-सम्मान की रक्षा के व्यर्थ के झगड़े में न पड़ कर उनके हाथों से झण्डा छीन लेने की यथेष्ट चेष्टा की—ख़ूब टग ऑफ़ वार के मज़े लिए। परन्तु दईमारी थीं भी दुर्जनी, इसलिए कामयाबी नहीं हुई ! अफ़सोस !!

❀

भई, ऐसे मौक़े पर साधारण सौजन्य, भद्रता और सभ्यता की परवाह करना मूर्खता है, ख़ैरियत हुई कि अन्त में स्त्रियाँ स्वयं ही अपने मान और मर्यादा की रक्षा के लिए भीड़ में से अलग हो गईं। अन्यथा इन युवकों ने उन्हें परास्त करने में कोई दक़ीक़ा बाक़ी नहीं छोड़ा था। इन्हें तो उस समय केवल अपने श्रद्धेय नेता श्री० सुभाषचन्द्र जी बोस महाशय के वक्षस्थल को विजय-माल से विभूषित करने की धुन थी, वे स्त्रियों के सम्मान की रक्षा जैसे तुच्छ विषय पर कैसे ध्यान दे सकते थे ?

❀

इसलिए, हिज़ होलीनेस की विनम्र सम्मति है कि स्व० सरदार भगतसिंह और स्व० गणेशशङ्कर जी विद्यार्थी की स्मृति-रक्षा से पहले इन बड़ा बाज़ारी वीरों की स्मृति-रक्षा का प्रयत्न होना चाहिए। क्योंकि इनकी वीरता, इनके मुखों से निकली हुई सुभाषचन्द्र की जयध्वनि और इनका कठोर-काया स्त्रियों के साथ टग ऑफ़ वार आदि ऐसी कीर्तियाँ हैं, जिनका उदाहरण न तो महाराणा प्रताप के जीवन-चरित में मिल सकता है और न छत्रपति शिवाजी के। फिर बेचारे सरदार भगतसिंह और श्री० गणेशशङ्कर विद्यार्थी की तो हस्ती ही क्या है?

❀

धन्य हैं, कलकत्ते के वे नागरिक, जिन्होंने अपनी आँखों से यह अलौकिक और अनुपम वीरतापूर्ण दृश्य देखा होगा। आह, यदि अल्लाह मियाँ ने उन्हें देवराज इन्द्र की तरह सहस्राक्ष बना दिया होता, तो बेचारे जन्म-जन्मान्तर के लिए निहाल हो गए होते। ख़ैर, इतना भी पुण्य कुछ कम नहीं।

❀

श्री० जगद्गुरु की अन्यतमा प्राण-प्रेयसी (मगर मेहरबानी करके इस विशेषता के कारण इन्हें हर होलीनेस की सौत न समझ लीजिएगा) श्रीमती नौकरशाही तो, देखते हैं, गाँधी-इरविन समझौते को सफल बनाने के लिए दिलोजान से तुल गई हैं क्या, बल्कि पिल पड़ी हैं। न दिन चैन है, न रात। मालूम होता है, बूढ़े भारत के साथ बी-ब्रितानिया का गँठ-बन्धन करा कर ही दम लेंगी।

❀

इसका अन्यतम, किन्तु सफल प्रयत्न श्रीमती ने संयुक्त प्रान्त के बाराबङ्की नामक स्थान में किया है। लाठी भी है सोंटा भी है, गिरफ़्तारियाँ तथा १४४ और १०७ धाराएँ भी हैं। वही पुरानी मुस्तैदी और पुरानी चहल-पहल, जैसी कि श्री० जगद्गुरु के विवाह के शुभ-अवसर पर देखने को मिली थी।

❀

गाँधी-इर्विन समझौता हो गया तो क्या श्रीमती ने वैष्णव धर्म ग्रहण कर लिया—हज कर आईं! समझौते का अर्थ यह थोड़े ही है कि बेचारी अपना चिरभ्यस्त ताण्डव नृत्य ही परित्याग कर दें। आख़िर, आदत छूट जाने पर फिर कभी नाचने की आवश्यकता पड़ेगी तो कुछ तकलीफ़ होगी या नहीं?

❀

इसीलिए, बेचारी कभी राष्ट्रीय झण्डे के सुडौल डण्डे पर रीझ जाती हैं तो कभी कॉङ्ग्रेस-कमेटियों के कोने सूँघने लगती हैं। १४४ और १२४-ए तो मानो अपने नैहर से दहेज़ में लाई हैं, इसलिए इनका प्रयोग तो अत्यावश्यक ही ठहरा। क्योंकि बेकार धरे रहने से इनमें मुर्चा लग जाने का भय है। इसीलिए बेचारी गाहे-माहे इनका प्रयोग कर डालती हैं।

❀

इसके सिवा आसाम, बङ्गाल, बिहार, उड़ीसा-बम्बई और मद्रास आदि की सभी सहेलियाँ ही जब समझौते की छाती पर 'ताथेई ताथेई थेई' करके थिरक रही हैं, तो हमारी संयुक्त प्रान्त वाली ही क्या किसी से कम हैं, जो चुप रहें? इसलिए इन्होंने भी बाराबङ्की में ही अपना बाँकपन आरम्भ कर दिया है। ऐसा न करतीं तो अपनी हमजोलियों में मुँह क्या दिखातीं?

*　　*　　*

कौन सा ऐसा शिक्षित परिवार है,

जिसमें 'चाँद' न जाता हो ?

'चाँद'-जैसे निर्भीक पत्र की ग्राहकता स्वीकार करना—जिसने अपने जीवन में प्रथम प्रभात से ही क्रान्ति की उपासना में अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया है—निश्चय ही सद्विचारों को आमन्त्रित करना है। यदि आप अब तक इसके ग्राहक नहीं हैं, तो तुरन्त ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए ; यदि आप ग्राहक हैं तो अपने इष्ट-मित्रों को ऐसा करने की सलाह दीजिए। 'चाँद' का वार्षिक चन्दा केवल ६।।) रु० है अर्थात् आठ आने फ़ी कॉपी—ऐसी हालत में कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो केवल एक पैसे रोज़ में वह ज्ञान उपार्जन करने से इन्कार करे—जो हज़ारों रुपए व्यय करने में भी आजकल के स्कूल और कॉलेजों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता ? जुलाई, १९३१ की विषय-सूची इस प्रकार है :—

जुलाई, १९३१ की विषय-सूची

लेख	लेखक
१—जीर्ण गृह (कविता)	प्रोफ़ेसर रामकुमार जी वर्मा, एम० ए०
२—भावी शासन-विधान में स्त्रियों का स्थान	सम्पादक
३—बीसवाँ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ...	सम्पादक
४—कनवजियों का ब्याह (कविता)	श्री० देवशङ्कर जी त्रिवेदी
५—पराजय (कहानी)	श्री० विश्वम्भरनाथ जी शर्मा, कौशिक
६—वर्तमान मुस्लिम-जगत	"एक डॉक्टर ऑफ़ लिट्रेचर"
७—वीर-नख-शिख (कविता)	राजकवि श्री० "अम्बिकेश"
८—साम्यवाद की बाढ़	डॉक्टर मथुरालाल जी शर्मा, एम० ए० डी-लिट
९—विनाश के पथ पर (कविता)	श्री० कैलाशपति त्रिपाठी
१०—वेश्या का हृदय (कहानी)	डॉक्टर धनीराम जी 'प्रेम' (लन्दन)
११—मुरझाया फूल (कविता)	श्रीमती गायत्री देवी "विन्दु"
१२—परदे की समस्या	श्री० वृन्दावनदास जी बज़ाज
१३—मारवाड़ी महिलाओं का वेष-भूषा	श्री० गोपीकृष्ण जी मोहता, बी० कॉम०
१४—हमारी सन्तान	श्री० मोहनलाल जी बड़जात्या
१५—हमदर्दी	साहित्याचार्य 'मग'
१६—आधुनिक शिक्षा पर दृष्टिपात	श्री० श्यामनारायण जी बैजल
१७—आर्थिक उथल-पुथल का समाज पर प्रभाव	श्री० रामनिरीक्षण सिंह जी
१८—तू-तू मैं-मैं (कविता)	कविवर श्री० रामचरित जी उपाध्याय
१९—अनासक्त	श्री० ऋषभचरण जी जैन
२०—स्वर्गीय बाबू कृष्णबलदेव वर्मा	श्री० बालदत्त जी पाण्डेय
२१—नारी-जीवन (कविता)	कविवर आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव
२२—उपन्यास-कला और प्रेमचन्द के उपन्यास	श्री० केशरीकिशोर शरण जी, बी० ए० (ऑनर्स), साहित्य-भूषण, विशारद
२३—दिल की आग उर्फ़ दिल-जले की आह	"पागल"
२४—स्वर्गीय देशबन्धु चितरञ्जन दास	सम्पादक
२५—कवि-सम्राट का प्रमाद ...	"
२६—उन्नतिशील मैसूर ...	"
२७—नरक के अड्डे और पाप का व्यापार	"
२८—दुबे जी की चिट्ठी	श्री० विजयानन्द दुबे जी
२९—चुम्बन के प्रति (कविता)	श्री० बालकृष्ण राव
३०—स्वास्थ्य और सौन्दर्य	श्री० रतनलाल जी मालवीय
३१—फूल (कविता)	श्रीमती गायत्रीदेवी "बिन्दु"
३२—केसर की क्यारी (कविता)	सम्पादक 'बिस्मिल'
३३—गृह-विज्ञान	श्री० मोहनलाल जी मेहरा, वैद्य
३४—सङ्गीत-सौरभ	सम्पादक तथा स्वरकार श्री० किरणकुमार मुखोपाध्याय (नीलूबाबू); शब्दकार अज्ञात
३५—जगतगुरु का फ़तवा	हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द विरूपाक्ष

इसके अतिरिक्त ४ तिरङ्गे तथा रङ्गीन चित्र (आर्ट पेपर पर) अनेक चुटीले कार्टून तथा ऐसे चित्रादि पाठकों को मिलेंगे, जो और किसी पत्र-पत्रिका में मिल ही नहीं सकते।

'चाँद' का सम्पादकीय मण्डल

१—पं० भुवनेश्वरनाथ जी मिश्र, एम० ए०

२—पं० नन्दकिशोर जी तिवारी, बी० ए०

३—मुन्शी नवजादिक लाल जी श्रीवास्तव

४—श्री० त्रिवेणीप्रसाद जी, बी० ए० (जेल में)

५—पं० देवीदत्त जी मिश्र, बी० ए०, एल्-एल्० बी०

६—कविवर 'बिस्मिल' इलाहाबादी (उर्दू-कविता-विभाग)

७—कविवर आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव (हिन्दी-क०-वि०)

८—श्री० रामरखसिंह सहगल

हृदय पर हाथ रख कर बतलाइए, समस्त भारत में ऐसा सुसम्पादित और सुसञ्चालित पत्र दूसरा कौन है ?

☞ व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

Printed, Published and Edited by Bhuvneshwar Nath Misra, M. A., vice Tribeni Prasad B. A., in Jail.
At The Fine Art Printing Cottage, 28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad.

Our London Office :
11, Aldwych, W. C. 2

The Bhavishya

Our American Office :
50, Church St. New York

सम्पादक :—
श्री० त्रिवेणीप्रसाद, बी० ए०
(जेल में)

भविष्य

स्थानापन्न सम्पादक :—
श्री० भुवनेश्वरनाथ मिश्र, एम० ए०

'भविष्य' का चन्दा
वार्षिक चन्दा ... १२) रु०
छः माही चन्दा ... ६॥) रु०
तिमाही चन्दा ... ३॥) रु०
एक प्रति का मूल्य चार आने
Annas Four Per Copy

एक प्रार्थना
वार्षिक चन्दे अथवा फ़ी कॉपी के मूल्य में कुछ भी नुक़्ताचीनी करने में पहिले मित्रों को 'भविष्य' में प्रकाशित अलभ्य सामग्री और उसके प्राप्त करने के असाधारण व्यय पर भी दृष्टिपात करना चाहिए।

वर्ष १, खण्ड ४

इलाहाबाद—बृहस्पतिवार ; ६ जुलाई, १९३१

संख्या ५, पूर्ण सं० ४१

"[illegible] ग़ुलामी में हमें तो न ख़ुशी आई नज़र ! ख़ुश रहो अहले-वतन हम तो सफ़र करते हैं !!"



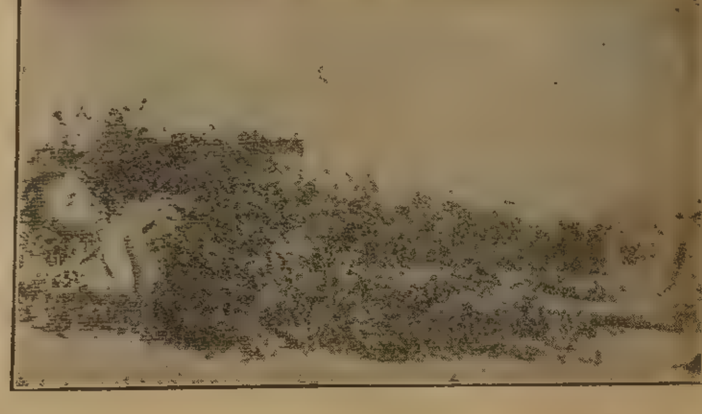


सन् १९३० ई० के एप्रिल मास में, [illegible] के दिन, चटगाँव के सरकारी शस्त्रागार [illegible] क्रान्तिकारी नवयुवकों ने आक्रमण किया था और वहाँ का सामान लूट कर शस्त्रागार में आग लगा दी थी। कहा जाता है कि [illegible] नवयुवक [illegible] आक्रमण [illegible] [illegible]



क्रान्तियों के [illegible] है [illegible] के दिन [illegible] आक्रमण किया था [illegible] [illegible]

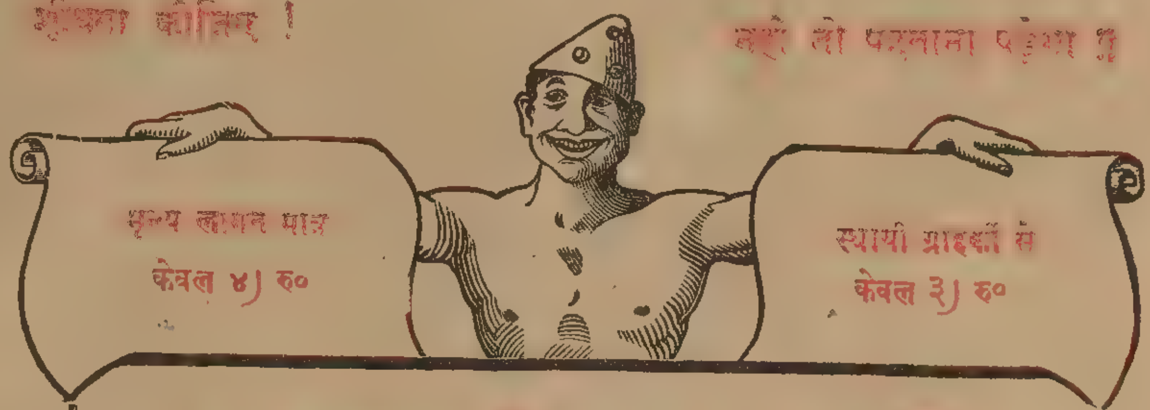




The Fine Art Printing Cottage, Chandralok — Allahabad

शीघ्रता कीजिए !

नहीं तो पछताना पड़ेगा !!



व्यङ्ग-चित्रावली

यह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले हैं। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा; मनुष्यता की याद आने लगेगी; और सामाजिक क्रान्ति की भावना प्रबल वेग से हृदय में उमड़ने लगेगी। प्रत्येक सामाजिक कुरीतियों का चित्रों द्वारा नग्न प्रदर्शन किया गया है। बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, छुआछूत, परदा-प्रथा, पण्डे-पुरोहितों तथा साधु-महन्तों के भयङ्कर कारनामे, अन्ध-विश्वास, पाखण्ड तथा आचरण सम्बन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीतियों का सजीव चित्र देखना हो तो इस चित्रावली को अवश्य मँगाइए। एकरङ्गे, दुरङ्गे, तथा तिरङ्गे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर पद्यमय पंक्तियों में उनका भाव तथा परिचय अङ्कित किया गया है। आज तक ऐसी चित्रावली कहीं से प्रकाशित नहीं हुई। मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से ३)

स्मृति-कुञ्ज

नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुखान्त कहानी है। हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय का उद्भव, उसका विकाश और उसकी अविरत आराधना की अनन्त तथा अविच्छिन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुखों की आहुति कर सकता है—ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक और चित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, सुख-दुख, साधन-उत्सर्ग, एवं उच्चतम आराधना का सात्विक चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर दीख पड़ने लगता है। मूल्य केवल ३); स्थायी ग्राहकों से २।)

मूर्खराज

यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी एक बार हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी चिन्ता काफ़ूर हो जायगी। दुनिया के झंझटों से जब कभी आपका जी ऊब जाय, इस पुस्तक को उठा कर पढ़िए, मुँह की मुर्दनी दूर हो जायगी, हास्य की अनोखी छटा छा जायगी। पुस्तक को पूरी किए बिना आप कभी न छोड़ेंगे—यह हमारा दावा है। इसमें किशनसिंह नामक एक महामूर्ख व्यक्ति की मूर्खतापूर्ण बातों का संग्रह है। भाषा अत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है। मूल्य केवल २)

अपराधी

सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय के "रिज़रेक्शन" विक्टर ह्यूगो के "लॉ मिज़रेबुल" इबसन के "डॉल्स हाउस" गोस्ट और ब्रियो का "डैमेज़्ड गुड्स" या "मेटरनिटी" के आनन्द का अनुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास की उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर सर्वथा अवलम्बित होती है। उपन्यास नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !!

सच्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, उसकी पारलौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुदृष्टि, सरला का पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, ये सब ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की धारा बह निकलती है। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है। मूल्य केवल लागत मात्र २॥), स्थायी ग्राहकों से १॥।=)

☞ व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और दूर-दर्शी पाठक-पाठिकाओं से आशा की जाती है कि यथाशक्ति 'भविष्य' तथा 'चाँद' और विद्याविनोद-ग्रन्थमाला का प्रचार कर, व संस्था को और भी अधिक सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !!



पाठकों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि [illegible] संस्था के प्रकाशन विभाग द्वारा जो जो पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, वे एकमात्र भारतीय परिवारों एवं व्यक्तिगत मङ्गल-कामना को दृष्टि में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !!

वर्ष १, खण्ड ४ | इलाहाबाद—बृहस्पतिवार ; ९ जुलाई, १९३१ | संख्या ५, पूर्ण संख्या ४१

श्री० दिनेश गुप्त भी आख़िर फाँसी पर लटका दिए गए !

माता और बहिन के नाम स्वर्गीय दिनेश के अन्तिम पत्र

स्वर्गीय गुप्त महोदय की लाश भी जेल में ही जलाई गई !!

स्वर्गीय हरिकिशन के पूज्य पिता भी बेटे के सदमे में चल बसे !!

पाठकों को मालूम है, कि श्री० दिनेशचन्द्र गुप्त को, जिन्हें बङ्गाल पुलीस के इन्स्पेक्टर-जनरल मि० सिम्पसन की हत्या करने के अपराध में फाँसी की सज़ा सुनाई गई थी, गत सोमवार की शेष रात्रि को, अलीपुर के सेण्ट्रल जेल में फाँसी दे दी गई। फाँसी देने की तारीख़ और समय बड़ी सावधानी से गुप्त रक्खा गया था ; पूछने पर भी किसी को बताया नहीं गया था। परन्तु गत मङ्गलवार को कलकत्ता के प्रत्येक चौराहे पर पुलिस का कड़ा पहरा नियत कर दिया गया था और पुलिस की लॉरियाँ भी रास्तों में चक्कर लगाने में व्यस्त थीं, इसलिए लोगों ने फाँसी हो जाने का अनुमान कर लिया।

श्री० दिनेश गुप्त की जीवन-भिक्षा की अर्ज़ी बङ्गाल-सरकार ने वॉयसरॉय के पास न भेज कर बीच ही में रोक ली थी। श्री० दिनेश गुप्त के पिता ने फिर गवर्नर एवं वॉयसरॉय के पास उक्त आशय का पत्र भेजा था, पर उस की कोई सुनवाई नहीं हुई।

फाँसी के पश्चात् श्री० दिनेश गुप्त का दाह-संस्कार हिन्दू धर्मानुसार जेल में ही उनके भाई के सामने हुआ ! शहर में शान्तिपूर्ण हड़ताल मनाई गई। फाँसी के एक दिन पूर्व श्री० दिनेश गुप्त ने अपनी माँ और बहिन को दो पत्र लिखे थे, जिनका अविकल अनुवाद नीचे दिया जाता है :—

माता के नाम पत्र

सेण्ट्रल जेल, अलीपुर
३० जून, १९३१

माँ,

यद्यपि यह सोचता हूँ, कि कल सवेरे ही तुम आओगी, तथापि तुम्हें पत्र लिखे बिना नहीं रह सका।

शायद तुम सोचती होगी कि 'भगवान बड़े निष्ठुर हैं, तुमने इतनी कातर प्रार्थना की, तो भी उन्होंने न सुनी ! निश्चय ही वे बड़े पाषाण-हृदय हैं, किसी का हृदय-विदारक आर्तनाद भी उन के कानों तक नहीं पहुँचता।' भगवान क्या हैं, यह मैं नहीं जानता, उनके स्वरूप की कल्पना करना मेरे लिए सम्भव नहीं है, परन्तु इतना तो अवश्य ही समझता हूँ, कि उनकी सृष्टि में कभी अविचार नहीं हो सकता। उनके विचारालय का द्वार सदैव खुला रहता है, उनका विचार-कार्य नित्य ही जारी रहता है। उनके विचार पर अविश्वास न करना, उसे सन्तुष्ट-चित्त से सिर झुका कर स्वीकार कर लेने की चेष्टा करना, किस उद्देश्य से वह क्या करते हैं, यह भला हम लोग कैसे समझ सकते हैं ?

मृत्यु को हम बहुत बड़ा रूप देकर देखते हैं, इसी से वह हमें भयभीत कर सकती है। ठीक, जैसे छोटे बच्चे 'हौवा' से डरते हैं। जिस मृत्यु का स्वागत एक दिन सभी को करना पड़ेगा, वह हमारे हिसाब से दो दिन पहले ही आ जाती है, बस, इसीलिए हम इतने विक्षुब्ध, इतने चञ्चल हो रहे हैं ? वह बिना सूचना दिए ही आती, परन्तु इस समय सूचना दे कर आ रही है ! तो क्या इसलिए हम उसे अपना परम शत्रु समझें ? यह भूल है, सरासर भूल ! मृत्यु ने मित्र रूप में ही मुझे दर्शन दिया है। मेरा प्यार और प्रणाम स्वीकार करना।

तुम्हारा,
'नसू' (दिनेश)

बड़ी बहिन के नाम पत्र

सेण्ट्रल जेल, अलीपुर
३ जुलाई, १९३१

मणि दीदी,

आज तुम्हारा पत्र मिला

जिन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उन्हीं के भाग्य में अशेष दुःख भी बदा होता है। यह तो नहीं जानता, कि उन दुखों की वर-माला पहनने का सौभाग्य और शक्ति कितने लोगों को प्राप्त होती है, जिन्हें होती है, उनका जीवन सार्थकता से परिपूर्ण हो उठता है !

परमात्मा जिसे अपने कार्य के लिए चुन लेते हैं, उसके सारे सुख-सम्पद को धूल में मिला कर उसे पथ का भिखारी और रिक्त कङ्गाल बना देते हैं। वह जिसे वरण करते हैं, मरण-माला भी उसी के गले में पहना देते हैं। वह माला क्या कोई साधारण वस्तु है ?

यह न तुम्हारा हार देव,
यह है तेरी तलवार !
अग्नि-शिखा की लपटें इसमें,
करतीं वज्र प्रहार !
हाय ! कैसी तेरी तलवार !

आनन्द का उपभोग करना इस जीवन में बड़ी बात हो सकती है। परन्तु उससे भी बड़ी बात है, दुःखों का आलिङ्गन करना ! आनन्द तो सभी भोग सकते हैं, परन्तु अपनी इच्छा से दुःख का बोझ उठाने के लिए कितने तैयार हैं ?

जो शक्तियों का मूल स्रोत है, वह अपने कार्य का भार सौंपता है, उसे दुख को ढोने की शक्ति भी प्रदान करता है ! अन्यथा वह उस गुरु-भार को एक क्षण भी कैसे ढो सकता ?

जिसमें जीवन है, श्रेय का स्वागत करने की जिसमें श्रद्धा है, वह क्या कभी 'उनके' महाशङ्ख की आह्वान-ध्वनि को सुन कर स्थिर रह सकता है ? संसार की क्या मजाल है—इस मिथ्या-मोह में कहाँ ऐसा बल है, जो उसे रोक सके ? उसके आह्वान में कौन सी शक्ति है—मैं नहीं जानता।

मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि—

जो तेरा आह्वान-गीत सुन लेते हैं एक बार,
विश्व विसर्जन कर, सङ्कट में कूद पड़ें मँझधार।
हिय अञ्चल फैला, स्वागत करने कष्टों का हार,
मृत्यु गर्जना में तेरी सुनता सङ्गीत उदार !

प्यारी दीदी ! आज बिदा दो !! शायद आज का यह मेरा अन्तिम प्रणाम है !!!

स्नेहभाजन
—दिनेश

(ऊपर जिन पत्रों तथा कविताओं का उल्लेख किया गया है, ये बङ्गला में लिखे गए थे। पाठकों के लाभार्थ उनका हिन्दी अनुवाद कर दिया गया है)

—राशकई (मर्दन) का समाचार है कि स्वर्गीय श्री० हरिकिशन (जिन्हें पञ्जाब गवर्नर पर आक्रमण तथा सब-इन्स्पेक्टर चननसिंह की हत्या के अपराध में हाल ही में मियाँवाली जेल में फाँसी पर लटका दिया गया था) के पूज्य पिता लाला गुरुदास राम का देहान्त ६ठी जुलाई को हो गया ! कहा जाता है, जिस दिन से आपके पुत्र को फाँसी पर लटकाया गया था, उसी दिन से आपको बहुत सदमा पहुँचा और तभी से आप सदैव बीमार रहने लगे। मृत्यु का कारण भी एकाएक हृदय-गति का रुक जाना बतलाया जाता है !!



—हरदोई का २६वीं जून का समाचार है, कि बिलग्राम तहसील के अन्तर्गत जमकन गाँव के एक भारी ज़मींदार और महाजन की हत्या हो गई है। कहा जाता है कि वे रुपए वसूलने के लिए बाहर गए थे, किन्तु लौट कर घर नहीं आ सके !

—दीनाजपुर के २६वीं जून के समाचारों से विदित होता है कि वर्तमान आर्थिक दुरवस्था के कारण २०१ ज़मींदार सरकारी कर नहीं चुका सके हैं। सरकार की ओर से उक्त २०१ ज़मींदारियों की नीलामी की कोशिश की गई, किन्तु कोई ख़रीदार खड़ा नहीं हुआ। अब तक केवल एक स्टेट बेंचा जा सका है।

—कलकत्ते का ३०वीं जून का समाचार है, कि डॉ० अन्सारी ने स्थानीय टाऊन हॉल में भाषण देते हुए कहा है—"यह सम्भव है कि गोलमेज़ परिषद में एक ही दल के व्यक्ति भर दिए जायँ, किन्तु तो भी परिषद को हमारी बातों को अवश्य सुनना पड़ेगा। जब तक राष्ट्रवादी मुसलमान भाग न लेंगे, तब तक साम्प्रदायिक समझौता नहीं हो सकता।"

हॉल में यूरोपियन सदस्यों को छोड़ कर कॉर्पोरेशन के सभी सदस्य उपस्थित थे।

—अमृतसर का १ली जुलाई का समाचार है कि, नौजवान भारत-सभा के अध्यक्ष सरदार गुरुदत्तसिंह पर १०८ और ११७ धाराओं के अनुसार अभियोग लगाया गया है। आप २-२ हज़ार की दो ज़मानतों पर छोड़े गए हैं, जिसमें मामला चलने तक आप किसी राजनैतिक कार्य में भाग न ले सकें !

—लखनऊ के १ली जुलाई के समाचारों से विदित होता है कि मलीहाबाद में कुछ कॉङ्ग्रेस-कार्यकर्त्ता गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। इस सम्बन्ध की अभी पूरी ख़बर नहीं मिली है।

—लखनऊ की १ली जुलाई की ख़बरों से पता चलता है कि वहाँ के किसान अपने लगान के रुपए बैङ्कों में जमा कर रहे हैं। कॉङ्ग्रेस कमिटी ने बड़ी जाँच-पड़ताल के बाद उन लोगों को सलाह दी थी कि वे रुपए में ८ आना लगान दे दें और जो लोग कुछ समर्थ हैं, वे रुपए में १० आना देवें। किन्तु ज़मींदारों ने रसीद देने से इन्कार किया। इस पर किसान अपने रुपए बैङ्कों में जमा कर रहे हैं, जिसमें ज़मींदार उन पर लगान न चुकाने का दोषारोपण न कर सकें।

—लखनऊ का १ली जुलाई का समाचार है, कि कल गोइला नामक एक गाँव में किसानों का एक दल भारतीय दण्ड-विधान की १०७वीं धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिया गया। कहा जाता है कि इनमें से १७ किसान कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ता हैं।

—बोरसद का २री जुलाई का समाचार है, कि महात्मा जी ने कुछ कॉङ्ग्रेस-कार्यकर्त्ताओं को आनन्द तालुक़े के अन्तर्गत गाना नामक गाँव के उन किसानों की एक सूची तैयार करने की आज्ञा दी है, जो लगान चुकाने में असमर्थ हैं अथवा जो लगान की पूरी रक़म नहीं चुका सकते।

लगान न चुकाने के कारण वहाँ की जो चार भैंसें ज़ब्त कर ली गई थीं, उन्हें लौटा देने की आज्ञा कलक्टर ने इस शर्त पर दी है, कि उनके मालिक यह सिद्ध करें कि वे लगान चुकाने में असमर्थ हैं।

—पूना का २री जुलाई का समाचार है, कि वहाँ की पुलिस ने ३ ऐसे व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया है, जिनके पास ३ बन्दूक़ तथा कुछ रासायनिक द्रव्य पाए गए हैं! अभी यह पता नहीं चला है कि ये रासायनिक द्रव्य विस्फोटक हैं या नहीं। कहा जाता है कि जिस समय पुलिस मुहर्रम का प्रबन्ध कर रही थी, उसी समय इन लोगों ने ३ बन्दूक़ों की चोरी की थी, और पीछे पुलिस के भय से ये कोल्हापुर भाग गए। किन्तु वहाँ की पुलिस ने सन्देह पर इन्हें गिरफ़्तार कर लिया और तलाशी लेने पर इनके पास मकान तोड़ने के कुछ औज़ार भी पाए गए। इनके पूना लाए जाने पर वे बन्दूक़ भी बरामद हुए हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

—बनारस का २री जुलाई का समाचार है कि, वहाँ की पुलिस ने स्थानीय नौजवान भारत-सभा के मन्त्री श्री० सीताराम शास्त्री के मकान की तलाशी ली और संस्था के उद्देश्य सम्बन्धी पर्चे की ४०० प्रतियाँ उठा ले गई।

—पाठकों को याद होगा, कि गत २६वीं अक्टूबर, १६३० को, जिस समय चिरनार में जङ्गल-सत्याग्रह जारी था, पानवेल के एक मामलतदार को गोली मारने के अभियोग में कुछ सत्याग्रही गिरफ़्तार किए गए थे। उनका मामला सेशन्स कोर्ट में था। गत २री जुलाई को थाना (बम्बई) का समाचार है कि जूरी के निर्दोष कह देने पर भी जज ने ४७ अभियुक्तों में से केवल १८ को निर्दोष कह कर छोड़ा है। ५ अभियुक्तों को ३-३ वर्ष की, १ को १८ माह की तथा ३ को ६-६ माह की कड़ी क़ैद की सज़ा दी गई है। १६ अभियुक्तों से १००) रुपए से २००) रुपए तक की भिन्न-भिन्न रक़मों का जुर्माना माँगा गया है। ४ अभियुक्तों का मामला बम्बई हाईकोर्ट में भेज दिया गया है।

—लाहौर का २री जुलाई का समाचार है, कि नावसेलर और केरा के बीच रेल के तार काटने और रेल की पटरी उलटने के अभियोग में चार व्यक्ति गिरफ़्तार हुए हैं।

—मद्रास का १ली जुलाई का समाचार है, कि वालटैक्स थिएटर में "खद्दर-भक्ति" नाटक खेला जा रहा था; उसमें स्वयंसेवकों की गिरफ़्तारी, विदेशी वस्त्रों की दूकानों पर धरना और पुलिस की लाठियों के भी दृश्य थे। पुलिस के इस पर एतराज़ करने पर बड़ी गड़बड़ी मची; पर कहा जाता है तुरन्त ही रिज़र्व पुलिस के पहुँच जाने पर मामला शान्त हो गया!

—रायबरेली का समाचार है, कि प्रान्तीय सरकार से पं० जवाहरलाल जी की लिखा-पढ़ी करने के कारण वहाँ सभी स्थानों से १४४ दफ़ा उठा ली गई है। केवल बछरावाँ में जिन-जिन व्यक्तियों पर से १४४ दफ़ा उठा ली गई है, उन पर फिर १०७ दफ़ा जारी हो गई है!

—अमृतसर की ख़बर है, कि स्वर्गीय श्री० हरिकिशन की जीवनी की पुस्तक के सम्बन्ध में, जो वहाँ अभी हाल ही में प्रकाशित हुई थी, ओङ्कार प्रेस, 'कीर्त्ति'-कार्यालय तथा मोती-प्रेस की तलाशियाँ हुईं। मोती-प्रेस तथा एक पुस्तक की दूकान से पुलिस दो सौ प्रतियाँ उठा ले गई। पुस्तक पञ्जाब-सरकार द्वारा ज़ब्त बतलाई जाती है।

—मुलतान का ३री जुलाई का समाचार है, कि सिकन्दराबाद में भयानक दङ्गा हो गया। वहाँ ज़मींदारों को लोगों ने घेर लिया और कहा जाता है कि उन लोगों ने कई घरों में आग लगा दी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट घटनास्थल पर पहुँचे हुए हैं।

—लाहौर का ३री जुलाई की ख़बर है, कि सुखदेवराज के लिए हाईकोर्ट में की गई अपील स्वीकृत हो गई और अब उनसे जेल में Under trial Prisoner (विचाराधीन अभियुक्त) का सा व्यवहार किया जायगा।

—मुज़फ़्फ़रपुर का ३०वीं जून का समाचार है, कि शिवहर थाना के राधामोहन तथा छः अन्य व्यक्तियों को जो चौकीदारी-कर न देने के कारण तथा दङ्गा मचाने के अभियोग में गिरफ़्तार हुए थे, तीन-तीन मास की कड़ी क़ैद तथा पचास रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी गई; जुर्माना न देने पर उन्हें डेढ़ मास की सज़ा और भुगतनी पड़ेगी।

—लखनऊ का ३री जुलाई का समाचार है, कि किसानों में असन्तोष फैलाने के अभियोग में स्वामी गौतम, पण्डित लक्ष्मीचन्द तथा ठाकुर नन्हेसिंह, जो ज़िले के प्रधान कॉङ्ग्रेस कार्यकर्त्ता हैं, गिरफ़्तार कर लिए गए हैं।

रेलगाड़ी के ख़ाली डब्बे में गोलियों का बण्डल

चटगाँव ३० जून। आज रेलवे पुलिस को रेलगाड़ी के ख़ाली डब्बे में बीस गोलियों के दो बण्डल मिले। गाड़ी में कोई मुसाफ़िर न था।

—बाराबङ्की से किसानों के भयङ्कर असन्तोष एवं असह्य कष्ट के समाचार आए हैं। आज तक ज़िले में १०७ दफ़ा में ७०० से अधिक गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं। नित्य ही लोग बहुत अधिक संख्या में गिरफ़्तार होते और जेल भेजे जाते हैं। गिरफ़्तारशुदा व्यक्तियों से एक शर्तनामा पर दस्तख़त करा कर यह प्रतिज्ञा कराई जाती है कि वे सरकार-विरोधी किसी भी आन्दोलन में भाग न लेंगे तथा पूरा-पूरा लगान चुका देंगे। पं० कैलाशनाथ काटजू जाँच के लिए शीघ्र ही जाने वाले हैं। प्रायः जाँच भी मुफ़स्सिल में होती है, जहाँ बेचारे किसान वकील ले जाने का ख़र्च बरदाश्त नहीं कर सकते।

—लाहौर का २री जुलाई का समाचार है, कि सहयोगी 'पिपुल' के सम्पादक लाला फ़िरोज़चन्द जी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए और उनकी ज़मानत दो हज़ार से बढ़ा कर पाँच हज़ार कर दी गई!

—शिमला का ७वीं जुलाई का समाचार है, कि आज सवेरे नार्थवेस्ट रेलवे में एक भयङ्कर ट्रेन-दुर्घटना हो गई। कहा जाता है कि १०॥ बजे के लगभग ८३ अप पैसेञ्जर ट्रेन बरोग और कुमारहट्टी स्टेशनों के बीच, पटरी से उतर गई और उसकी इञ्जिन तथा तीसरे दर्जे की ३ गाड़ियाँ लाइन से ५० फ़ीट नीचे खाई में आ गिरीं! कहा जाता है, कि किसी की जान नहीं गई है, केवल १६ व्यक्ति घायल हुए हैं!

—चिन्सुरा का समाचार है, कि कोदालिया ग्राम में तलवार सहित तीन डाकू गाँव के एक बड़े ज़मींदार के घर में डाका डालने की तैयारी में पहुँचे। पर पुलिस को इसकी ख़बर पहले ही से लग चुकी थी इस कारण वहाँ सशस्त्र पुलिस पहले ही से तैनात थी। दोनों में मुठभेड़ हुई और अन्त में एक पुलिस अफ़सर, दो पुलिस कॉन्स्टेबिल और एक डकैत बुरी तरह घायल हुए। तीनों डकैत पकड़ लिए गए हैं और हिरासत में हैं।

क्या सरकार सीमान्त के गाँधी को गिरफ़्तार करना चाहती थी?

दिल्ली की २६वीं जून की ख़बर है, कि सीमा प्रान्त के गाँधी ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ ने एक प्रेस-प्रतिनिधि से कहा है कि महात्मा गाँधी ने मुझे तार देकर बुलाया था। परन्तु आपने यह बताने से इन्कार किया कि महात्मा गाँधी ने क्यों बुलाया था। प्रतिनिधि ने कहा कि यहाँ अफ़वाह उड़ी थी कि सरकार आपको गिरफ़्तार करना चाहती थी, परन्तु महात्मा गाँधी ने वॉयसरॉय को तार देकर आपकी गिरफ़्तारी स्थगित करा दी इसीलिए महात्मा जी ने आपको बुलाया था। इस पर ख़ाँ साहब मुस्करा कर रह गए और कोई उत्तर नहीं दिया।

—लाहौर की एक ख़बर है कि दशहरा बम-केस के अभियुक्त श्री० अब्दुलग़नी की अपील हाईकोर्ट द्वारा ख़ारिज कर दी गई। फाँसी की सज़ा बहाल रही।

—न्यूयार्क (अमेरिका) का समाचार है, कि ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकास्थ भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री० शैलेन्द्रनाथ घोष को भारत आने के लिए पास-पोर्ट देना अस्वीकार कर दिया है। इसके पहले भी आपको कई बार कोरा जवाब दिया जा चुका था। इस बार आपको आशा थी कि गाँधी-इर्विन समझौते के कारण पास-पोर्ट मिलने में कठिनाई न होगी और इसी आशा से उन्होंने ब्रिटिश सरकार को लिखा भी था; किन्तु आपकी आशा निराशा में परिवर्तित हो गई।

—८ अगस्त, १९३० को झाँसी डिवीज़न के कमिश्नर मि० जी० फ़्लावर्स पर बम चलाने का प्रयत्न करने के अपराध में लक्ष्मीकान्त नामक जो २० वर्षीय युवक पकड़ा गया था और जिसे आजीवन क़ैद की सज़ा दी गई थी, गत ३०वीं जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसके मामले की अपील ख़ारिज कर दी।

सार्वजनिक सभा में पुलीस का निर्मम लाठी-प्रहार !!

नौहझील (मथुरा) में होने वाली एक सार्वजनिक सभा पर भयङ्कर लाठी-वर्षा होने की ख़बर मिली है। कहा जाता है कि गत २६वीं जून को दिल्ली के 'तेज' अख़बार के श्री० रघुवीरसिंह की अध्यक्षता में सभा हो रही थी। उसी समय एक सब-इन्स्पेक्टर साहब कुछ कॉन्स्टेबिलों और चौकीदारों के साथ सभास्थल पर आ धमके और सभा में उपस्थित व्यक्तियों को सभा छोड़ कर चले जाने के लिए कहा; किन्तु कुछ लोग डटे रहे। तब इन्स्पेक्टर साहब ने पहले तो गन्दी-गन्दी गालियाँ दीं, फिर उन्होंने अपने आदमियों को लाठी चलाने की आज्ञा दी। इस लाठी-प्रहार से अनेक व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए। इनमें महाशय घूरेलाल नौहझील का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उनके सर में क़रीब दो अङ्गुल गहरा और चार अङ्गुल चौड़ा घाव हो गया है। उनके अङ्ग-प्रत्यङ्ग में लाठी की चोट है। इसीसे पता चल सकता है, कि लाठी किस बेरहमी के साथ चलाई गई है!

दूसरे दिन महाशय घूरेलाल को खाट पर डाल कर, एक जुलूस निकाला गया। अन्य घायल व्यक्ति अस्पताल भेज दिए गए हैं।

पुलीस की निर्मम स्वेच्छाचारिता !

निर्दोष स्वयंसेवक धोखा देकर पीटा गया

बीहपुर (भागलपुर) से पुलीस की पाशविक नृशंसता की एक ख़बर मिली है, जिससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि पुलीस कॉङ्ग्रेस वालों के साथ किस प्रकार अत्याचार करने पर तुली हुई है।

कहा जाता है कि गत ३०वीं जून को ७॥ बजे सन्ध्या के समय भगवानसिंह नामक मिलिटरी पुलीस का एक आदमी श्री० केदारनाथ नामक एक स्वयंसेवक के पास आया और उनसे कहा कि पुलीस सुपरियटेण्डेण्ट आपको बुलाते हैं। श्री० केदारनाथ ने सुपरियटेण्डेण्ट की लिखित आज्ञा देखे बिना उसके साथ जाने से इन्कार किया। इस पर भगवानसिंह ने कहा कि अगर सीधे नहीं चलोगे तो ज़बर्दस्ती ले चलेंगे। इस पर श्री० केदारनाथ उसके साथ चले। जब वे पुलीस कैम्प में पहुँचे तो सुपरियटेण्डेण्ट को वहाँ न पाकर वे लौटने लगे। पर सिपाहियों ने फाटक बन्द कर दिया। फिर, भगवानसिंह तथा कुछ अन्य पुलीस के व्यक्तियों ने उन्हें लाठी से मारना शुरू किया। जब वे बेहोश हो गए तो उन लोगों ने एक स्थान पर उन्हें फेंक दिया। संयोग-वश कुछ मुसाफ़िरों की दृष्टि इन पर पड़ी। वे उन्हें उठा कर एक धर्मशाले में ले आए। वहाँ से वे अस्पताल पहुँचाए गए। इस घटना के सम्बन्ध में पुलीस सुपरियटेण्डेण्ट के पास तार देने की कोशिश की गई, किन्तु पोस्ट-मास्टर ने तार भेजने से इन्कार कर दिया!

अस्पताल में पुलीस के सुपरियटेण्डेण्ट तथा पुलीस के इन-चार्ज ने उनका बयान नोट कर लिया है।

कहा जाता है, उनकी दशा अत्यन्त चिन्ताजनक है। बायाँ हाथ बेकार हो गया है; आँखों का बचना कठिन है; सीने पर भी सख़्त चोट आई है; कान से ख़ून बह रहा है और अङ्ग-प्रत्यङ्ग में लाठियों की चोट है।

यह बताया जाता है कि नौगछिया की गत पुलिस-जाँच के समय श्री० केदारनाथ ने पुलिस के विरुद्ध गवाही दी थी। सम्भव है, पुलीस वालों ने उसी का बदला लिया हो!

—अछनेरा के किरावली तहसील में आगामी ता० १४ जुलाई को किसान-सम्मेलन होने वाला है। पं० श्रीकृष्णदत्त पालीवाल उसके सभापति चुने गए हैं। तहसील के नामी रईस तथा ज़मींदार कुँवर प्रबल-प्रतापसिंह जी स्वागताध्यक्ष चुने गए हैं।

—मिदनापुर (बङ्गाल) का गत २८वीं जून का समाचार है, कि वहाँ के एक प्रसिद्ध ज़मींदार बाबू वारेन्द्र कृष्णपाल को, जब वे बैलगाड़ी पर अपने गाँव को जा रहे थे, किसी ने मार डाला। उनके साथ उनका एक रिश्तेदार भी जा रहा था, वह भी मार डाला गया!

—नई दिल्ली का ७वीं जुलाई का समाचार है, कि 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के एक रिपोर्टर श्री० चमनलाल पर, गत १०वीं जून को श्री० हरकिशन की फाँसी-सम्बन्धी शोक-सभा में एक भाषण देने के सम्बन्ध में, १०८वीं धारा के अनुसार नोटिस जारी किया गया है, कि वे कारण दिखावें कि १ वर्ष तक शान्ति क़ायम रखने के लिए उनसे १,०००)-१,०००) के दो मुचलके क्यों नहीं लिए जायँ?

—ख़बर है कि सपरिषद गवर्नर ने 'दीन के आँसू,' 'क्रान्ति का पुजारी' नामक दो पुस्तक और 'ख़ून का बदला ख़ून' नामक एक पर्चे के ज़ब्त होने की घोषणा की है।

—कानपुर का गत ७वीं जुलाई का समाचार है कि, ६ठी जुलाई की रात को कुछ मुसलमानों ने एक सभा करके यह निश्चय किया था कि ताज़िए न निकाले जायँ; किन्तु इस निश्चय के विरुद्ध एस० एम० राजा आदि सज्जनों की अध्यक्षता में आज १०० ताज़िए निकाले गए। जिन लोगों ने पिकेटिङ्ग द्वारा बाधा पहुँचाने की चेष्टा की, उसी स्थान पर उनके मामले का विचार कर, उन्हें जुर्माने या क़ैद की सज़ा दे दी गई। इस प्रकार अधिकारियों की सतर्कता और दृढ़ता से कोई दुर्घटना नहीं हुई।

बर्मा-समाचार

शिमला ९ जुलाई—बर्मा की परिस्थिति के सम्बन्ध में एक सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है। उससे पता चलता है कि थायेटमेयो ज़िले को छोड़ कर अन्य सभी ज़िलों की परिस्थिति सुधर रही है। किन्तु थायेटमेयो ज़िले में डकैतियाँ अब भी जारी हैं। कहा जाता है, कि हाल ही में विद्रोहियों ने पेगू से पश्चिम २० मील की दूरी पर कुछ गाँवों पर आक्रमण किया था।

कहा जाता है कि प्रोम ज़िले में ६०० से अधिक मनुष्यों ने आत्म-समर्पण कर दिया है। यह भी ख़बर है, कि लाँकसाउक की शान रियासतों में एक बलवा हो गया था। कहा जाता है कि लगभग ३०० मनुष्य १०० बन्दूक़ों के साथ पिनवा नामक स्थान को गए और वहाँ सरकार के विरुद्ध अनेक भाषण दिए गए। इन विद्रोहियों को दबाने के लिए मिलिटरी पुलीस के तीन दल भेजे गए थे। इनमें से एक दल की गत २री जुलाई को विद्रोहियों से मुठभेड़ हुई। एक सिपाही ज़ख़्मी हुआ। विद्रोहियों की ओर के भी कुछ लोग हताहत हुए।

कुछ ज़िलों में, विद्रोहियों से आत्म-समर्पण कराने में, पुङ्गियों (बर्मन धर्म-गुरुओं) से सहायता ली जाने की कोशिश की जा रही है।

विद्रोहियों की ओर के हताहतों की संख्या २,००० के लगभग बताई जाती है! यह भी बताया जाता है कि इनमें आधे से अधिक या तो युद्ध करते हुए मरे या ज़ख़्मों की उचित चिकित्सा न होने के कारण परमधाम को सिधार गए!

रङ्गून ४ जुलाई—सपरिषद गवर्नर ने अतिरिक्त पुलीस की नियुक्ति के सम्बन्ध में आज्ञा प्रदान कर दी है। कहा जाता है कि यह अतिरिक्त पुलीस हेनज़ादा सब-डिविज़न तथा क्यानगीन के ४ गाँवों में १ साल तक रक्खी जायगी, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति ख़तरनाक बताई जाती है। नजीयक्ला नामक एक पुङ्गी को भाषण के सम्बन्ध की निषेधाज्ञा का उल्लङ्घन करने के अभियोग में ४ माह की सादी क़ैद की सज़ा दी गई है।

सॉन्या की एक ख़बर से पता चलता है कि इसीपों की पुलीस के एक दल पर विद्रोहियों ने गोलियाँ चला दीं जिससे पुलीस का एक सिपाही ज़ख़्मी हुआ। विद्रोहियों की ओर अनेक व्यक्ति घायल हुए।

रङ्गून की ६ जुलाई की ख़बर है कि शान रियासतों में जो पुलीस और विद्रोहियों में मुठभेड़ हुई थी, उसमें क़रीब ४० विद्रोही जान से मारे गए और इतने ही घायल भी हुए। हेनज़ादा के समीप भी जङ्गलों में विद्रोहियों ने पुलीस वालों से मोर्चा लिया था। इसके सम्बन्ध की पूरी बातें अभी नहीं मालूम हुई हैं।

थारावड्डी में हथियारबन्द विद्रोहियों ने एक डाका डाला, एक मनुष्य की हत्या की। इन्सीन से भी दो डाके की ख़बरें आई हैं।

—रङ्गून का ७वीं जुलाई का समाचार है, कि लाशियो नामक स्थान में विद्रोहियों ने सरकारी सेना पर आक्रमण किया। ४थीं जुलाई को भी सिपाहियों के एक दल पर विद्रोहियों ने आक्रमण किया था। कहा जाता है कि इस युद्ध में दो सिपाही मारे गए और दो घायल हुए हैं। यह भी ख़बर मिली है कि ३री जुलाई को कुछ विद्रोहियों ने मागवी ज़िले के एक गाँव में एक मुखिए के यहाँ डाका डाला और कुछ रुपए तथा सरकारी काग़ज़-पत्र उन्होंने लूट लिया। प्रोम में अब तक ९०७ विद्रोहियों के आत्म-समर्पण करने की ख़बर मिली है। पेगू की ख़बरों से पता चलता है कि अनेक गाँवों में सशस्त्र डाकुओं ने डाके डाले और बन्दूक़ आदि हथियार लूट कर वे चम्पत हुए। बीनज़ादा में भी लूट और हत्याएँ हुई हैं।

* * *

एक दारोग़ा साहब की छलकती हुई राजभक्ति का नमूना!

गाँव वालों को बिना मूल्य ही शराब तथा ताड़ी पिलवाने का निमन्त्रण !!

श्री० चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा भयानक भण्डाफोड़ !!!

मद्रास के राष्ट्रीय जीवन के प्राण और महात्मा गाँधी के अन्यतम लेफ़्टिनेन्ट श्री० चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सहयोगी "बॉम्बे क्रॉनिकल" में लिखते हैं :—

धरना देने के सम्बन्ध में कई स्थानों से हमारे पास रिपोर्टें आ रही हैं, उनमें से कुछ तो जितनी ही मनोरञ्जक हैं, उतनी ही कौतूहलपूर्ण भी। यहाँ एक ऐसी घटना का ज़िक्र है कि जिसके दुःखान्त प्रभाव के अतिरिक्त सब कुछ मनोरञ्जक ही है।

एक स्थान पर (जिसका नाम नहीं बताया जायगा) पुलीस के सर्किल इन्स्पेक्टर 'आदि-द्राविड़ों' के जो अत्यन्त दीन-हीन दरिद्र हैं, मुहल्ले में गया और वहाँ के निवासियों को उस शराब की दूकान पर जाने के लिए बाध्य किया जहाँ पिकेटिङ्ग चल रही थी और जिसमें बाधा डालना उनका परम कर्तव्य था।

"तुम्हें दाम देने की ज़रूरत नहीं, आज से दस दिनों तक तुम्हें मुफ़्त ताड़ी मिला करेगी"—इन्स्पेक्टर साहब ने उन अभागे कङ्गाल द्राविड़ों से कहा। इसके बाद सर्किल इन्स्पेक्टर और गाँव के मुखिया श्री० नट्टमयकर से बड़ी मज़ेदार बातें हुईं।

"क्यों जी, तुम्हारे आदमी दिन भर घोर परिश्रम करते-करते थक जाते हैं, तुम लोगों के लिए ताड़ी का प्रबन्ध होना चाहिए। तुम इसके बिना रह नहीं सकते ?"—इन्स्पेक्टर बोले।

मुखिया—हम अपनी ग़रीबी दूर नहीं कर सके और इस नशीली चीज़ के कारण हमारी जाति बदनाम हो चुकी है। ताड़ी या शराब के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। तुम हमें रोटी कमाने का रास्ता क्यों नहीं बताते ; ताड़ी पीने के लिए क्यों बाध्य कर रहे हो ?

इन्स्पेक्टर—अरे तुम्हें अब बिना दाम की ताड़ी मिला करेगी। कॉङ्ग्रेस के आदमी तुम्हें पीने को मना करेंगे, परन्तु यदि तुम उनकी आज्ञा का उल्लङ्घन भी करो तो वे तुम्हें दण्ड तो नहीं दे सकते। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा; मैं तुम्हें दूकान तक ले चलूँगा।

मुखिया—हम कॉङ्ग्रेस के आदमियों से डरते नहीं, वे हमारे और हमारे परिवार की रक्षा का सच्चा रास्ता बताते हैं, अतएव हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं।"

इन्स्पेक्टर—रे मूर्ख ! मैं देखता हूँ कि तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है ; मैं जानता हूँ कि तुम्हें शराब की ज़रूरत है ; चलो, सच बोलो यही बात है न यही ?

मुखिया—मालिक ! हमने ताड़ी की दूकान पर न जाने की क़सम खाई है !

इन्स्पेक्टर—मैं कहता हूँ कि तुम भारी मूर्ख हो, कि मुफ़्त मिलने पर भी ताड़ी नहीं पी लेते।

इतने में एक आदमी बिल का रजिस्टर और छड़ी हाथ में लिए इसी बीच आता है और कहता है—

"मैं पीना चाहता हूँ। यह मुखिया हमारा दुश्मन है ; मैं सरकार का ख़ैर-ख़्वाह हूँ। जो कुछ क्यों न हो, मैं पिऊँगा !"

उसकी धर्मपत्नी दौड़ कर वहाँ पहुँचती है और बोलती है—"यह आदमी पीकर पागल हुआ है। मैं इसकी स्त्री हूँ ! उसकी बातों का कभी ख़्याल मत करना। वह अपनी भलाई नहीं सोच सकता।" इस पर वह पियक्कड़ अपनी औरत पर मारने के लिए झपटा, परन्तु लोगों ने पकड़ लिया। इन्स्पेक्टर ने उस आदमी से चुप रहने के लिए कहा !

वह आदमी बोला—सारा गाँव हमारे ख़िलाफ़ है; वे मुझे मारेंगे और पीटेंगे ; वे मेरी झोपड़ी में आग लगा देंगे !

इन्स्पेक्टर उसकी बातों को नोट कर चलता बना।

* * *

वाह रे बाँके बहादुर !

तो क्या यह अत्यन्त दुख की बात नहीं है कि हमारे अफ़सरों ने समय की प्रगति को पहचाना तक नहीं है ! क्यों वे इस बात की कल्पना कर लेते हैं कि इस विराट आन्दोलन को, जो दीनातिदीन के उपकार के लिए है, रोक कर सरकार की सहायता कर सकेंगे ? शरीर, आत्मा और पारिवारिक सुख के सत्यानाश का मूल कारण इस ज़हर को रोकने के लिए सरकार ने हमें इजाज़त दे दी है। सरकार ने हमें यह इजाज़त दे दी है कि हम भट्टियों पर खड़े होकर ख़रीदारों को लेने से मना करें। फिर इन अफ़सरों को फ़िज़ूल बहादुरी लूटने की क्या पड़ी है ? सब तरह वे जनता के अधिकारों का निरीक्षण और रक्षा करें; वे देखें कि लोग बहकाए नहीं जाते, कोई ख़ून-ख़राबी नहीं होती। परन्तु अफ़सरों का यह सोचना कि सरकार को लोगों को शराब पिलाने के लिए बाध्य करने या ग़रीब-दुखियों के शराब का प्रबन्ध कर देने में जिससे वे प्रलोभन में पड़ जायँ और कॉङ्ग्रेस विफल-प्रयत्न हो जाय, सहायता प्रदान करना उन अफ़सरों की मूर्खता तथा विचार-शून्यता का परिचायक है ? जहाँ तक सरकार को मैं समझ सका हूँ, उसे अफ़सरों की ऐसी मदद की ज़रूरत नहीं। ऐसी-ऐसी बातों के खुल जाने से सरकार को लज्जित होना होगा या वह सत्य को सर्वांशतः अस्वीकार कर देने के लिए बाध्य हो जायगी ! और ऐसे बयान देने पड़ जायँगे जिसे सभी असत्य जानते हैं, इस कारण सरकार जनता की घृणा का पात्र बन जाएगी और जनता तथा सरकार दोनों का अहित होगा।

मादक द्रव्यों से सरकार की आय के बारे में क्या कहा जाय ? यदि पिकेटिङ्ग इतनी सफलतापूर्वक चलती रही और चूँकि यह शान्तिपूर्ण है, अतएव इसके लिए आज्ञा मिल ही जायगी, तो आगामी नीलामी से कुछ भी आमदनी नहीं होगी और सरकार अपनी आमदनी में कुछ करोड़ रुपयों की कमी का मुक़ाबला कैसे करेगी ? अफ़सर साहबान ! यह देखने का आपका कर्त्तव्य नहीं है। सरकार ख़ुद समझ लेगी ! सरकार जानती है कि यदि लोग पिएँगे नहीं तो आबकारी की मालगुज़ारी नहीं मिलेगी। सरकार यह भी जानती है कि मालगुज़ारी के लिए अफ़सरों को रय्यतों की आदत को पतित एवम् भ्रष्ट बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। सरकार ने पाप पर लगान लगाया है और यदि इस पाप के सुधार के लिए कोई आन्दोलन चले तो वह उस आन्दोलन के प्रवाह को मोड़ भी नहीं सकती !

सरकार काफ़ी चतुर, काफ़ी विशाल है कि परिस्थिति आने पर उसका स्वयं मुक़ाबला कर सके। अफ़सरों को सरकार का बजट बचाने के लिए परेशान नहीं होना चाहिए और देहात में सरकार को बदनाम नहीं कर डालना चाहिए, जहाँ अभी तक सरकार का अच्छा नाम बना हुआ है।

सन् १९२६ से १९२९ तक मद्रास-सरकार ने बार-बार इस बात की घोषणा की है कि मादक द्रव्यों के ख़िलाफ़ ज़बर्दस्त लोकमत तैयार किया जाय। मिनिस्टर ने कहा कि बड़े-बड़े अफ़सरों का विचार तो मादक द्रव्यों के विरुद्ध बहुत पहले ही से था, परन्तु पियक्कड़ों का मस्तिष्क नहीं सुधरता।

पियक्कड़ों के बीच जो रहे सहे हैं वे जानते हैं कि यह कितना असत्य अभियोग है। मैं इस विषय पर ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि ऊँची कहाने वाली जातियाँ इस विषय में उदासीन हैं और पीने वाली जातियाँ इस बात में बहुत सतर्क हैं कि उन्हें पीने की सारी सुगमता, सारी सुविधा रुक जाय। जो कुछ हो, क्या पीने वाली जातियों में मादक द्रव्यों के विरुद्ध प्रबल लोकमत उत्पन्न करने का साधन केवल यही है कि "आदि-द्राविड़ों" में सरकारी अफ़सरों को भेज कर उन्हें पीने के लिए तथा ताड़ी की दूकानों पर जाने के लिए बाध्य किया जाय ? और उन्हें मुफ़्त की ताड़ी का प्रबन्ध करा दिया जाय ? सदाचार की बात छोड़ दीजिए। क्या आबकारी के नियम ऐसी हरकतों को न्याय-सङ्गत मानते हैं ? ऐसी याचना नियमानुकूल है ? जिन बातों का ज़िक्र लाइसेन्स-पत्रों में है उसकी भी अवहेलना हमारे अफ़सरान करते हैं ? क्या यह उचित नहीं है कि सरकारी अफ़सर लोग सरकार की घोषणाओं का उचित अनुशीलन करें और इस बात को भली-भाँति समझें कि लोगों को शराब पीने के लिए बाध्य करने पर वे सरकार के क्रोध का भाजन बनेंगे ?

* * *

—कलकत्ते का १ठी जुलाई का समाचार है, कि आज १ बजे के लगभग जब गोआलन्दो ट्रेन कुमारखाली स्टेशन पर पहुँची तो एक हथियारबन्द व्यक्ति डाक की गाड़ी में घुस गया और मेल गार्ड को अपने रिवॉल्वर से ज़ख़्मी किया, किन्तु रुपए की थैली उसके हाथ न लग सकी। आक्रमणकारी लापता है।

—गत ६ ठी जुलाई का स्थानीय समाचार है, कि आज उस मामले के गवाहों की सूची ज़िला मैजिस्ट्रेट के सामने पेश की गई, जिसमें श्री० यतीन्द्रनाथ सान्याल तथा 'चाँद' और 'भविष्य' के सम्पादक श्री० त्रिवेणीप्रसाद जी, १२४-ए धारा के अनुसार अभियुक्त हैं। गवाहों में निम्न-लिखित सज्जनों का नाम पेश किया गया है—'अभ्युदय'-सम्पादक पण्डित कृष्णकान्त मालवीय, एसेम्बली के भूतपूर्व सदस्य तथा पण्डित वेङ्कटेश नारायण तिवारी, भूतपूर्व एम० एल० सी०; हाईकोर्ट के एडवोकेट श्री० प्रेममोहनलाल वर्मा। इन सज्जनों पर आगामी ११वीं जुलाई को अदालत में उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किए जायँगे।

* *

संसार की दृष्टि में महात्मा गाँधी

अर्द्ध-नग्न फ़क़ीर की जादू-भरा वंशी

राजसिंहासन हिल उठे !!

"नीग्रो वर्ल्ड" (Negro World) में मिस्टर गार्डन हैंकूक लिखते हैं :—

भारत में शान्ति का उदय हो रहा है। संसार में आज तक के सब से शक्तिशाली संग्राम में महात्मा गाँधी विजयी हो लौट रहे हैं, जलयान और सेना के बिना ही यह निर्बल भारतीय विजय पर विजय प्राप्त करता चला जा रहा है ! बिना चमक-दमक के वह परम शक्तिशाली सरकार के उच्चतम राजनीतिज्ञों के साथ बैठ जाता है और उनके लिए एक पहेली बन जाता है। उसके समक्ष शासन के पाए हिल जाते हैं। जब यह आधा नङ्गा, क्षीणकाय, सिर मुँड़ाए, टेढ़े-मेढ़े पैरों वाला छोटा आदमी बैठ कर राजाओं के प्रतिनिधि-वक्ताओं से बातें करने लगता है, तो उसकी शक्ति का थाह लगाना असम्भव हो जाता है।

यदि गाँधी शस्त्र उठाए होते तो युद्ध महीनों पहले समाप्त हो गया होता ! परन्तु हज़ारों निरीह भारतीयों की ऐहिक लीला की समाप्ति होती और ब्रिटिश-सिंह का पञ्जा और भी दृढ़ हो गया होता !!

गाँधी की वह कौन सी प्रच्छन्न शक्ति है, जिसकी प्रेरणा से इतिहास अपनी स्वाभाविक और दैनिक प्रगति छोड़ कर एक नवीन स्रोत ही पकड़ लेता है ! यह है गाँधी का देश-प्रेम, विश्व-प्रेम ! गाँधी अन्धे उत्साह के व्यक्ति नहीं हैं न कभी वे आवेश में ही उबल पड़ते हैं ! गाँधी कभी झाँसा-पट्टी में नहीं भरमते परन्तु वे शान्त और सुस्थिर चित्त से अपना पथ खोज लेते हैं और अविचलित रूप से सदा उस पर चलते रहते हैं !! गाँधी में आध्यात्मिक शक्ति की विजय शङ्ख-घोष करती रहती है। गाँधी में ऐहिक शक्तियाँ अपने 'वाटर लू' पर आकर परास्त हो चुकी हैं। गाँधी भारत को प्यार करता है।

गाँधी अपने जीवन की सादगी, अपनी अनन्य देशभक्ति से भारत का सुधार और उद्धार कर रहा है। निग्रो जाति को भी ऐसे ही सुधारक की आवश्यकता है ! हमें भी कुछ ऐसे ही काले गाँधियों की आवश्यकता है जो आगे-आगे रास्ता दिखावें। जितने ही शीघ्र हमारे बीच एक काला गाँधी आ जावे उतने ही शीघ्र हमारा कल्याण हो और हमारी जाति सर्वतोन्मुखी उन्नति करे !

* * *

भारतीय जादूगर

महात्मा गाँधी के अपूर्व आत्म-बल एवम् अश्रुतपूर्व बलिदान के सामने सारा संसार मस्तक झुका रहा है। अभी हाल ही के 'लिटरेरी डाइजेस्ट' (Literary Digest) में उनके विषय में कुछ पंक्तियाँ छपी हैं, उन्हें पाठकों के लाभार्थ यहाँ दिया जाता है :—

महात्मा गाँधी केवल भारतवर्ष के ही लिए पहेली नहीं हैं, वरन् पश्चिमी संसार के सभी बुद्धि-विवेकशील व्यक्ति उन्हें एक पहेली ही समझते हैं।

विश्वास में वे रहस्यवादी हैं। कहा जाता है कि लन्दन के गोलमेज़ की सारी आशाओं और प्रतिज्ञाओं को वे भङ्ग करने पर तुले हुए हैं।

जेल से निकल कर निर्विकार एवम् शुद्ध हृदय से संसार के कृत्यों को तौलने और अपने सेना-नायकों से भावी युद्ध की तैयारी का उन्होंने सिगनल दिया !

दुर्बल, दन्त-हीन ९६ पौण्ड का अखिल राष्ट्रीय नेता चौबीस घण्टों के उपवास और मौन की कठोर तपस्या हँसते-हँसते करता रहता है।

उनके मित्र कहते हैं कि इस मौन-साधना से उन्हें चिन्तन, प्रार्थना, आत्म-निरीक्षण और प्रभु के साथ वार्तालाप के लिए अवसर मिल जाता है !

वह प्रायः आधी लँगोटी पहने चलता है, वॉयसरॉय के सामने जाते हुए, या हाईकोर्ट में भी वही लँगोटी ! आप कनारी की भाँति खाने बैठते हैं।

अपने नौ मास के जेल-जीवन को कच्चे अन्न, चीनीया बादाम, और दही पर ही काटे। सब से सुन्दर खेल जिसमें उनका सब से अधिक मन लगता है, वह है एक पुराने चर्खे पर सूत कातना ! उन्हें तारों के नीचे खुले आकाश में बिना बिछावन के सोने में एक अपूर्व आनन्द आता है। परन्तु चर्खे पर तो उनका हृदय निछावर है। उनकी दृष्टि में सूत कातना एक यज्ञ है और प्रत्येक भारतीय को इस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए। गाँधी कहते हैं—"मैं इस चर्खे के सूत से ही देश के करोड़ों कङ्गाल एवम् दरिद्रों के साथ हिलता-मिलता रहता हूँ और उनके द्वारा, उन दरिद्रों के नारायण से !"



"भारतीय जादूगर"

(महात्मा गाँधी का यह चित्र हाल ही में बम्बई में लिया गया है। पाठक देखेंगे, इस चित्र में महात्मा जी अपने हाथ से अपने लिए नींबू का शर्बत तैयार कर रहे हैं।)

अखिल भारतीय दर्शन-परिषद् के छठे बैठक, ढाका में सम्मेलन के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर वाडिया ने कहा था—

"गाँधी एक ऐसा गुरु है जो पुस्तकों के उद्धरणों से तृप्त या सन्तुष्ट नहीं होता, वरन् जो जीवन का मुक़ाबला कर सकता है, भावना एवं उमङ्ग भर सकता है, उपदेश कर सकता है।"

फिर प्रोफ़ेसर साहब ने कहा था—गाँधी जी अपने उपदेशों से पूर्व और पश्चिम के दर्शन-सिद्धान्तों को मिलाते हैं—क्योंकि पूर्वीय दर्शन 'जीवन-पथ' ढूँढ़ निकालने के लिए व्याकुल है, जबकि पश्चिमीय दर्शन 'जीवन का उदासीन आलोचना' में ही उलझा हुआ है !

सारा संसार इसी के लिए तृषित, इसी के लिए व्याकुल है ! और भारतीयों में भारतीय महात्मा गाँधी के बुद्धि वैभव की सब से सुन्दर उपज यही है। प्रो० वाडिया का कहना है, कि जो कुछ गाँधी जी कहते हैं उसी के अनुसार आचरण भी करते हैं; उनके वचन और कर्म एक से हैं। उनकी दृष्टि में वे विश्वास, जिसके अनुरूप आचरण नहीं हो सकता, निरर्थक से भी बुरे हैं।

भारत की सब से बड़ी सेवा जो गाँधी जी ने की है, वह है भय से लड़ना और उसे जीत लेना और दूसरों को भी वैसा ही करने का उपदेश देना !

यह उस देश में, जहाँ कि भय से जनता पद्दलित एवं अपङ्ग बन चुकी है, एक साधारण विजय नहीं है, वह भय भी पुलिस का, फ़ौज का, लोकमत का भय, देशनिर्वासन का भय, जाति से बहिष्कृत होने का भय, भूतों का भय, छाया का भय......!! हमारी राजनीति, हमारा समाजिक सुधार इस भय से आक्रान्त हो गया है। अभी तक तो सुधार की केवल बात ही बात है !

* * *

फ़रीदपुर मुस्लिम परिषद में डॉ० अन्सारी की गर्जना

"राष्ट्रवादी मुसलमान ही भारतीय मुसलमानों के सच्चे प्रतिनिधि हैं"

डॉक्टर अन्सारी ने फ़रीदपुर की अखिल बङ्गाल मुस्लिम परिषद की कार्यवाही समाप्त करते हुए, अपने भाषण में कहा :—

"यह परिषद इतिहास में अमर रहेगी, क्योंकि यहीं हम लोगों ने अपने विरोधियों की चुनौती स्वीकार की है। मैं उन्हें अपना विरोधी इसलिए कहता हूँ, कि वे मुसलमानों के सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं। वे केवल सरकार की कृपा से गोलमेज़ परिषद में सम्मिलित होने जा रहे हैं। वास्तव में हम राष्ट्रीयतावादी मुसलमान ही भारतीय मुसलमानों के सच्चे प्रतिनिधि हैं। सरकार के शरण देने से उनकी रक्षा नहीं हो सकती। उनका पतन समीप है। वे अपने को, तथा अपने प्रभुओं को छोड़ कर और किसी के प्रतिनिधि नहीं हैं।"

इसके अनन्तर डॉक्टर साहब ने अराष्ट्रीयतावादी मुसलमानों के उन हथकण्डों का वर्णन किया, जिनकी वजह से शिमले का सम्मेलन असफल हुआ है, और जिनके सम्बन्ध की बातें अब प्रकट हो गई हैं।

इसके बाद उन्होंने उपस्थित प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे परिषद के सन्देशे को देश के कोने-कोने में फैलावें।

फ़रीदपुर मुस्लिम परिषद के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव

फ़रीदपुर २९ जून—कल अखिल बङ्गाल राष्ट्रीय मुस्लिम परिषद का अधिवेशन समाप्त हो गया। परिषद में, गोलमेज़ परिषद में मुस्लिम प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में तथा साम्प्रदायिक विवाद के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास हुए। कुछ प्रस्ताव नीचे दिए जाते हैं—

अखिल बङ्गाल राष्ट्रीय मुस्लिम परिषद की सम्मति में निम्न-लिखित प्रस्ताव साम्प्रदायिक समस्या को हल करने के लिए बहुत ही सन्तोषप्रद और उपयुक्त हैं :—

संयुक्त निर्वाचन

(१) भारत के भावी शासन-विधान में संयुक्त निर्वाचन ही प्रतिनिधित्व की नींव हो, और प्रत्येक वय-प्राप्त व्यक्ति को निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार हो। किन्तु यदि प्रत्येक वय-प्राप्त व्यक्ति को वह अधिकार न मिल सके, तो टैक्स या रेण्ट के रूप में कोई निश्चित रक़म देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार अवश्य दिया जाना चाहिए।

(२) (अ) निर्वाचन के उपर्युक्त अधिकार के अतिरिक्त, उन अल्प-मत वालों के लिए, जिनकी संख्या फ़ी सदी २५ से भी कम है, संख्या के अनुसार, प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं में जगहें सुरक्षित रक्खी जायँ; किन्तु अतिरिक्त-सीटों के लिए प्रयत्न करने का भी अधिकार उन्हें प्राप्त हो।

(ब) जिन प्रान्तों में मुसलमान फ़ी सदी २५ से कम हों, वहाँ उनके लिए स्थान सुरक्षित रक्खा जाय, किन्तु उनके अधिकारों के प्रति भी उतना ही ध्यान रक्खा जाय, जितना कि अन्य सम्प्रदायों के लिए रक्खा जाय।

(३) फ़ेडरल लेजिस्लेचर में मुसलमानों का १/३ प्रतिनिधित्व रहे।

(४) पब्लिक सर्विसेज़ कमीशन के हाथों नौकरियों का अधिकार रहे। वह कम से कम योग्यता के आधार पर लोगों को नौकरियों पर नियुक्त करे, किन्तु साथ ही साथ यह भी ध्यान में रक्खे, कि प्रत्येक सम्प्रदाय को नौकरियों में उचित भाग मिले। छोटी-छोटी नौकरियों पर किसी सम्प्रदाय-विशेष का प्रभुत्व न रहे।

(५) फ़ेडरल और प्रान्तीय केबिनेटों में मुसलमानों के हितों की रक्षा की जाय।

(६) सिन्ध एक अलग प्रान्त बना दिया जाय।

(७) सीमा-प्रान्त और बलूचिस्तान का शासन भी भारत के अन्य प्रान्तों की तरह ही हो।

(८) भारत का भावी शासन-विधान फ़ेडरल हो।

(९) (अ) भारत के भावी शासन-विधान में प्राथमिक अधिकारों की भी व्यवस्था हो, जिससे प्रत्येक नागरिक की सभ्यता, भाषा, लिपि, शिक्षा, व्यवसाय, धर्म आदि की रक्षा हो।

(ब) प्राथमिक अधिकार तथा व्यक्ति सम्बन्धी क़ानूनों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाय, जो शासन-विधान के अन्तर्गत हो।

(स) फ़ेडरल लेजिस्लेचर सभा का ३/४ भाग जब तक बहुमत की ओर न हो जाय, तब तक शासन-विधान के प्राथमिक अधिकारों में कुछ हेर-फेर न किया जाय।

(१०) फ़ेडरल शासन-विधान के अन्तर्गत (अ) प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के लिए कोई विशेष निर्वाचन न हो और (ब) प्रान्तों में एक ही सभा रहे।

गोलमेज़ परिषद

परिषद की सम्मति में गोलमेज़ परिषद में किसी विशेष मत के मुसलमानों को स्थान दिया जाना बहुत ही अनुचित होगा। यदि राष्ट्रीयतावादी मुसलमानों को परिषद में स्थान नहीं मिला, तो इससे यह साफ़ ज़ाहिर होगा कि सरकार भारतीय समस्या को हल करने में बाधा उपस्थित करना चाहती है।

वर्तमान परिस्थिति

वर्तमान आर्थिक सङ्कट को ध्यान में रखते हुए, यह परिषद सरकार से तथा ज़मींदारों से अनुरोध करती है कि वे १ साल के लिए, प्रजा से मालगुज़ारी वसूलना छोड़ दें। यह परिषद, महाजनों तथा बैङ्कों से भी अनुरोध करती है, कि वे भी १ साल के लिए, क़र्ज़दारों से विशेषकर किसान क़र्ज़दारों से ब्याज या मूल कुछ भी वसूल न करें।

मुस्लिम महिलाओं से अनुरोध

यह परिषद मुस्लिम महिलाओं से अनुरोध करती है, कि वे अपने को इस योग्य बनावें कि देश की स्वाधीनता के लिए वे कुछ कर सकें।

* * *

बारदोली में ख़ाँ अब्दुल ग़फ़्फ़ार की गर्जना

"इस्लाम धर्म और कॉङ्ग्रेस की नीति बिल्कुल एक है"

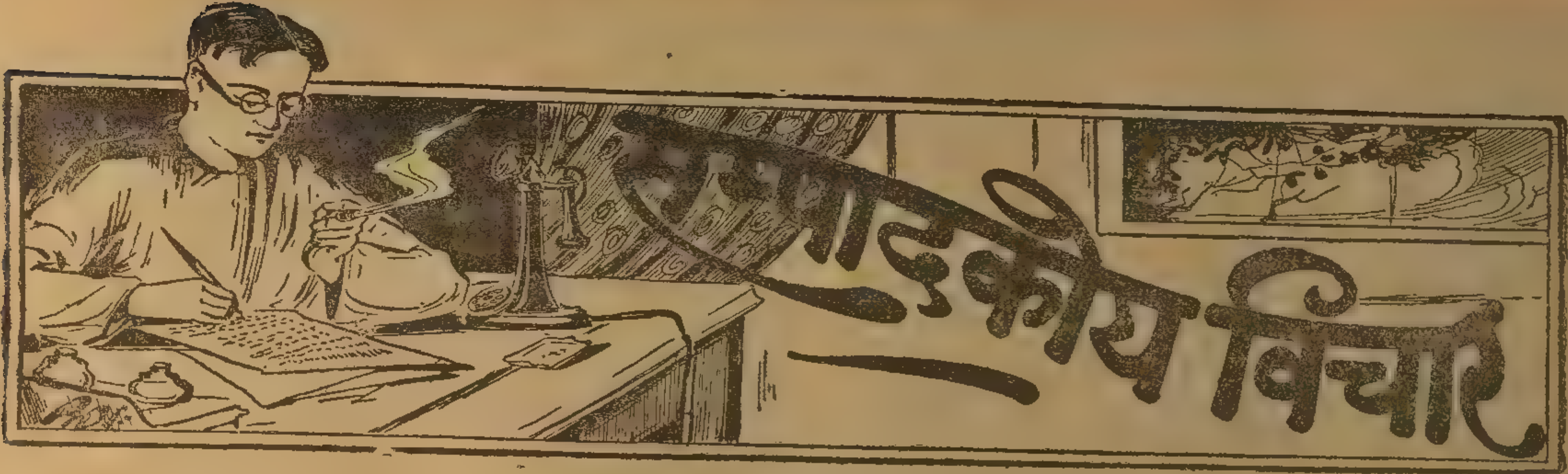
नीचे ख़ाँ अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ के एक भाषण का एक अंश दिया जाता है, जो उन्होंने बारदोली के हिन्दू और मुसलमानों की एक सम्मिलित सभा में दिया था, और जिसके प्रत्येक शब्द में उनके हृदय का सच्चा भाव उद्भासित हो रहा है :—

मुझे आश्चर्य होता है, मेरे कुछ मुसलमान भाई कॉङ्ग्रेस का नाम सुनते ही उससे दूर भागते हैं। वे समझते हैं, कि कॉङ्ग्रेस एक हिन्दू-संस्था है और इसलिए कॉङ्ग्रेस से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। एक विशुद्ध राष्ट्रीय संस्था के सम्बन्ध में कभी ऐसी ग़लत-फ़हमी नहीं फैली थी। मैं अपने भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि वे कॉङ्ग्रेस के नियम, उसके उद्देश्य, तथा उसकी कार्य-प्रणाली का अध्ययन करें। संक्षेप में मैं कह सकता हूँ, कि कॉङ्ग्रेस जनता को ग़ुलामी और आर्थिक लूट से बचाना चाहती है। दूसरे शब्दों में, वह भारत के करोड़ों भूखे और नङ्गे दरिद्रों को अन्न-वस्त्र देना चाहती है। आप ज़रा इस्लाम के इतिहास को पढ़ें और विचारें कि हज़रत ने अपने जीवन में क्या उपदेश किया है? उनका उपदेश था—"ग़ुलामों को मुक्त करो, भूखों को अन्न दो और नङ्गों को वस्त्र दो।" इसलिए कॉङ्ग्रेस की नीति और हज़रत मुहम्मद के उपदेशों में कोई अन्तर नहीं है। कॉङ्ग्रेस का कार्य इस्लाम धर्म के अनुसार ही है। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी साफ़ दिखलाई पड़ती है, उसी प्रकार मैं साफ़-साफ़ देख रहा हूँ कि इस्लाम धर्म और कॉङ्ग्रेस की नीति बिल्कुल एक है। मैं नहीं समझ सकता कि मुसलमान अब तक कॉङ्ग्रेस से अलग किस प्रकार रह सके हैं! इन्हें ही तो इस स्वातन्त्र्य संग्राम में सब से आगे रहने का अधिकार है।

अब ज़रा 'अहिंसा' के सम्बन्ध में विचार करना आवश्यक है। मेरे जैसा पठान यदि इस मार्ग का अवलम्बन करे तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यह कोई नया धर्म नहीं है। १,४०० वर्ष पहले मक्का वालों ने इसका अनुसरण किया था; और उसके बाद से, जिन-जिन लोगों ने अत्याचारियों के पञ्जे से अपने को मुक्त करना चाहा है, उन लोगों ने भी इसका अनुसरण किया है। किन्तु हम लोग इसे इस तरह भूल गए थे, कि जब महात्मा जी ने इसे हमारे सामने रक्खा तो हम लोगों ने समझा कि वह कोई नई चीज़ हमारे सामने रख रहे हैं। इस भूले हुए मार्ग को ढूँढ़ लाने का श्रेय महात्मा जी को तथा उस पर चल कर करामात कर दिखाने का श्रेय बारडोली के लोगों को प्राप्त है।

मैं हिन्दुओं और मुसलमानों से कहता हूँ, कि यह स्वातन्त्र्य-युद्ध दोनों की मुक्ति के लिए चल रहा है। हिन्दू इस युद्ध में भाग लेकर किसी दूसरे का उपकार नहीं कर रहे हैं, और मुसलमान भी इसमें भाग लेकर हिन्दुओं के ऊपर कोई अहसान नहीं लाद रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ भी मौजूद हैं, जो हमारे बीच बैर का बीज बो रही हैं। आप अफ़ग़ानिस्तान के सम्बन्ध की झूठी अफ़वाहों से पूर्णतया परिचित होंगे। हाल में हिन्दू शासन के सम्बन्ध में भी अफ़वाहें उड़ाई जाने लगी हैं। जो लोग मुझे हिन्दू-शासन से सचेत करने के लिए आए हैं, उन्हें मैंने यही उत्तर दिया है कि एक ऐसे विदेशी का ग़ुलाम होकर रहने की अपेक्षा, जो दूर रहता है, एक पड़ोसी का ग़ुलाम बन कर रहना कहीं अच्छा है!

* * *



भविष्य

९ जुलाई, सन् १९३१

किसानों पर अत्याचार

वे कहते हैं, यह शान्ति और सन्धि का समय है, हमें अपनी प्रतिज्ञाओं और वचनों पर दृढ़ रहना चाहिए! सन्धि की शर्तों पर किए गए महात्मा गाँधी और लॉर्ड इर्विन के हस्ताक्षरों की स्याही अभी सूखने भी नहीं पाई थी, कि स्वेच्छाचारी दमन का ताण्डव प्रारम्भ हो गया! दमन के निरङ्कुश चक्र की चाभी आज विशेष तत्परता से ऐंठी जा रही है! महात्मा जी अपने सरल, साधु एवं निश्चल हृदय से सरकार के दर्बार में मिन्नतें करते-फिरते हैं, यहाँ सन्धि भङ्ग हुई, वहाँ सरकार ने ज़ुल्म किए; अमुक व्यक्ति छोड़ा जाय, अमुक ज़ब्ती रद्द कर दी जाय! उधर वॉयसराय साहब भी उन्हें विश्वास दिलाते हैं और क्लबों में भोज के वक़्त गाँधी जी की नेकनीयती की भूरि-भूरि प्रशंसा भी करते हैं; पर साथ ही साथ देश की राष्ट्रीय जागृति को क़ायम रखने के लिए जब सरदार पटेल, पण्डित जवाहरलाल जी तथा ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ के भाषण होते हैं, तो उन्हें ख़तरनाक समझ कर नोटिसें जारी करने के मनसूबे बाँधे जाते हैं; पर सरकार को इसलिए रुक जाना पड़ता है, कि कहीं कॉङ्ग्रेस इसे सन्धि-भङ्ग का पुष्ट प्रमाण समझ कर सत्याग्रह संग्राम न छेड़ दे! पिछले दिनों में देश ने जो अपने शौर्य एवं पराक्रम का परिचय दिया था, उसका आतङ्क अभी भी दुश्मनों के दिल पर बना हुआ है और वे इस बात को महसूस किए बिना नहीं रह सकते, कि राष्ट्र की अन्तरात्मा विक्षुब्ध होकर जग उठी है; उसकी वह जाग्रति कुचल कर किसी भाँति देश की स्वतन्त्रता की उत्कण्ठा दबाई नहीं जा सकती। देश की यह जागृति परमात्मा की देन है, इसे कोई सांसारिक शक्ति दबा नहीं सकती। ठीक इसी बात की गम्भीरता को महसूस करते हुए सन्धि के आदि में पार्लामेण्ट में मि० रैम्ज़े मैकडॉनल्ड ने अपना ऐतिहासिक भाषण देते हुए कहा था "... If you want to suppress this movement you will have to crush the spirit which has been generated in men, women and children from Cape Comerin to the Himalayas." अर्थात्—"× × × यदि तुम इस आन्दोलन को दबाना चाहते हो, तो कन्या कुमारी से लेकर हिमालय तक भारतीय पुरुष, स्त्री और बच्चों की अन्तर्ध्वनि को समूल नष्ट करना होगा!"

देश की ऐसी शक्ति की अजेयता को स्वीकार कर सरकार ने सन्धि की और भारतवर्ष तथा ब्रिटेन ही ने नहीं, वरन् सारे संसार ने शान्ति की एक साँस ली! परन्तु जिस प्रकार 'निरस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण' चिल्लाते रहने तथा लीग ऑफ़ नेशन्स में प्रति वर्ष प्रस्ताव पास करते रहने पर भी प्रति वर्ष युद्ध की नई सामग्रियों के आविष्कार होते जा रहे हैं तथा नई-नई तैयारियाँ हो रही हैं, उसी प्रकार यहाँ भी सन्धि की ओट में शिकार हो रहा है! सरकार कॉङ्ग्रेस की ज़्यादतियों की शिकायत महात्मा जी के पास भेज रही है; गाँधी जी सरकार के द्वारा की गई ज़्यादतियों की शिकायतों को वॉयसराय के पास!

जिस समय हमारे हाथ में शक्ति थी, जब हम सुसङ्गठित और एक-ध्येय थे, सरकार ने हमारी बातें सुनीं और ख़ूब सुनीं, उसे सुनना ही पड़ा, पर आज जब हम दुर्भाग्य से विशृङ्खलित, विपन्न, निराश्रय और निरवलम्ब हो रहे हैं, तो हमारी बातें नक़्क़ारख़ाने में तूती की आवाज़ साबित हो रही है; वस्तुतः सरकार से अपनी बात सुनवा लेने वाली शक्ति हम खो चुके हैं!

पिछले सप्ताह में पाठकों ने वह पत्र पढ़ा होगा, जिसे उन्नाव ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के अध्यक्ष ने महात्मा जी के पास ज़मींदारों एवं नौकरशाही के गुर्गों द्वारा किसानों के धन-जायदाद लूटने और उनकी बेटी-बहिनों के सतीत्व पर आघात करने की लोमहर्षण बातें सप्रमाण भेजी थीं और जिसे हमने पाठकों की जानकारी के लिए सहयोगी "यङ्ग इण्डिया" से उद्धृत किया था। उसमें पाठकों ने वह ख़ून खौलाने वाली बात भी पढ़ी होगी, जिसमें ज़मींदार के चार किराए के बदमाशों ने एक किसान की धर्मपत्नी का सतीत्व अपहरण किया था! वह घाव अभी ताज़ा ही था, कि गत २री जुलाई की "यङ्ग इण्डिया" के सम्पादकीय स्तम्भ में महात्मा गाँधी ने "संयुक्त प्रान्त के किसानों पर सङ्कट" शीर्षक देकर कुछ अत्यन्त रहस्यपूर्ण एवं गोपनीय पत्रों (Confidential Letters) को प्रकाशित किया है, जिन्हें रायबरेली के डिपटी कमिश्नर ने ज़मींदारों के पास निजी तौर पर इसलिए भेजा था, कि ज़मींदार किसानों पर अपनी मनमानी और स्वेच्छाचारिता से काम ले सकें। हम उन पत्रों का अविकल अनुवाद यहाँ दे रहे हैं;

(गोपनीय)

D. O. 12/6 डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ़िस
रायबरेली, १९-६-३१

"मेरे प्रिय............

..........थाने के कुछ उत्तेजना देने वाले व्यक्तियों को गिरफ़्तार करने की बात यहाँ हो रही है। मैं आपका कृतज्ञ होऊँगा, यदि आप पुलिस के ....को सभी आवश्यकीय सहायता दें।

"इसी प्रकार के आदेश आप अपने एजेण्टों अर्थात् मैनेजर और ज़िलेदार इत्यादि को भी देने की कृपा करें।

"कॉङ्ग्रेस, किसान-सभा अथवा पञ्चायतों के विरुद्ध कोई भी आपत्तिजनक उद्योग, जो ज़मींदारों या सरकार के ख़िलाफ़ हो, उनकी इत्तला...............थाने में दी जाय।

"आप अपने आदमी—नौकरों को इस सम्बन्ध में तत्परता, उत्साह और निर्भयतापूर्वक कार्य करने के लिए आदेश दें।

भवदीय,
..............."

दूसरा पत्र इस प्रकार है—

D. O. 11 डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ़िस
रायबरेली, १९-६-३१

"मेरे प्रिय............

मैं देखता हूँ कि आपके ज़िम्मे ख़रीफ़ और रबी की बाक़ी मिला कर.........रु० हैं, जिसमें से सरकार द्वारा स्वीकृत छूट के रुपए घटा लिए गए हैं। यह वास्तव में बहुत बड़ी रक़म है; इस साल की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले ही आपको काफ़ी समय दे दिया है। मैं आपका बहुत कृतज्ञ होऊँगा, यदि आप इस महीने के अन्त तक आधा लगान चुका देंगे और शेष उसके बाद जहाँ तक जल्दी हो सके।

"मुझे स्मरण है, मैंने आपको पहले ही सविस्तार बतला दिया है कि आप लगान शीघ्र ही कैसे वसूल कर सकते हैं। मैं सब प्रकार से आपकी उचित सहायता के लिए तैयार हूँ। यदि आपकी ज़मींदारी में कोई ऐसा गाँव हो, जहाँ लगान वसूली एकदम बन्द है, आर्थिक सङ्कट के कारण नहीं, प्रत्युत् "लगानबन्दी के आन्दोलन" के कारण, तो बिना विलम्ब किए आप उस बाक़ी लगान के लिए उन कुटिल किसानों पर, जो अपने लगान का अधिकांश दे सकते हैं पर नहीं देते, नालिश दायर करें और फ़ैसले के पूर्व ज़ब्ती की आज्ञा के लिए आवेदन-पत्र पेश करें। यदि मालगुज़ारी-विभाग के अफ़सरों को क़ानूनी कार्रवाई पूरा करने में पुलिस की सहायता की आवश्यकता होगी तो उन्हें सहायता दी जायगी और आप ऐसे अवसर से लाभ उठा सकते हैं तथा मालगुज़ारी के अफ़सरों और पुलिस से अपने लगान वसूल करने में सहायता ले सकते हैं।

"जिन ज़मींदारों ने हमारी राय मान ली है, उन्हें इस प्रयोग (Experiment) से बहुत लाभ हुआ है, परन्तु आपको तत्परता दिखानी होगी।

"आपके लिए यह भी उपादेय होगा, कि वसूली के काम का निरीक्षण-भार अपने नौकरों पर न छोड़ें, जो अपनी अकर्मण्यता का बहाना ढूँढ़ने में ही लगे रहते हैं, वरन् आप इसका भार अपने ऊपर ले लें।

"कृपा कर इस पत्र को गोपनीय समझें।

आपका
..............."

इन दोनों पत्रों को उद्धृत करते हुए, महात्मा जी लिखते हैं:—

इन सर्क्यूलरों से साफ़-साफ़ कॉङ्ग्रेस, किसान-सभा के प्रति शत्रुता की महक आती है और ताल्लुक़ेदारों को किसानों के प्रति कठोर बर्ताव करने की याद दिलाती है। इनमें यह भी विश्वास दिलाया गया है, कि सरकार ज़मींदारों और ताल्लुक़ेदारों के इन कार्यों में सहायता प्रदान करेगी। हम सभी ऐसे सर्क्यूलरों के अर्थ को समझते हैं। उनका अभिप्राय शब्दों में प्रकट तात्पर्य से कहीं

अधिक है। इन पत्रों का अर्थ तो यह है, कि जिनके नाम ये लिखे गए हैं, वे मनमानी जो चाहे करें और इसके लिए उन्हें पूरी आज़ादी दी जा रही है !

फिर ये सर्कूलर गुप्त क्यों रक्खे जाते हैं ? क्या इन में यू० पी० सरकार को या डिप्टी कमिश्नर को कोई लज्जित करने वाली बात है ? या इन्हें इसलिए गुप्त रक्खा गया है, कि गुप्त रूप से इसमें हिंसा के लिए प्रोत्साहन है ? मेरे विचार में इन पत्रों में सन्धि की शर्तें साफ़-साफ़ भङ्ग हो जाती हैं। इन्हीं सर्कूलरों से यह पता चलता है, कि रायबरेली के सभी कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं पर क्यों निम्न-लिखित नोटिस जारी की गई।

दफ़ा १४४ के अनुसार ऑर्डर

"यह देखते हुए कि आजकल किसानों में क्षोभ फैला हुआ है और ज़िले के किसानों और ज़मींदारों में द्वेष फैल रहा है, अतः यह वाञ्छनीय नहीं है, कि आप यहाँ कोई व्याख्यान दें, या कोई आन्दोलन करें, क्योंकि इससे बलवा हो जाने की आशङ्का है। मैं, एस० एस० एल० दर,आई० सी० एस० रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की हैसियत से दफ़ा १४४ के अनुसार आपको ऑर्डर देता हूँ, कि दो महीने तक आप ज़िले में कोई भाषण या वक्तृता न दें, न किसी सभा में सम्मिलित ही हों, न कोई विज्ञापन बाँटें, न चन्दा ही वसूल करें, और न कोई भी ऐसा काम लिख कर ही करें; विशेषतः ज़िला के किसानों के लगान सम्बन्धी उपद्रव के सम्बन्ध में या किसी भी ऐसे राजनीतिक विषय में आप भाग न लें, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध लगान, राजनीतिक या मज़दूर-सम्बन्धी आन्दोलन से हो।

ज़िला मैजिस्ट्रेट, रायबरेली"

इस नोटिस की आलोचना करते हुए महात्मा गाँधी लिखते हैं :—

"इस नोटिस का अर्थ तो यह है,कि कॉङ्ग्रेस के सारे कार्य रुक जायँ; मानो सरकार से और कॉङ्ग्रेस से युद्ध छिड़ा हो। स्पष्टतः इससे भी सन्धि भङ्ग हो जाती है ! इसका परिणाम भला हो या बुरा—इस समय तो कॉङ्ग्रेस और सरकार में शान्ति स्थापित है। प्रान्तीय सरकार और ज़िला के अफ़सर इसकी रक्षा करने के लिए बाध्य हैं। यदि वे इसे पसन्द नहीं करते या वे इस बात को महसूस कर रहे हैं कि कॉङ्ग्रेस पूर्णतः शर्तों का पालन नहीं करती, तो वे केन्द्रीय सरकार को इसे भङ्ग कर देने के लिए कह दें। सन्धि को भङ्ग होते देख कर भी कार्यकर्ताओं को इस आज्ञा को पालन करने की राय मैंने दी है और कहा है, कि जब तक मैं केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में मिल न लूँ तथा जब तक कॉङ्ग्रेस कार्यकारिणी इसके सम्बन्ध में कुछ तय नहीं कर लेती, तब तक लोग इस आज्ञा को मानें। पण्डित जवाहरलाल नेहरू के कड़े शब्दों में फटकारने पर सरकार ने यह दफ़ा अब उठा लिया गया है।"

महात्मा जी की राय है कि इस नोटिस के साथ ही साथ इन सर्कूलरों को भी सरकार को रद्द कर देना चाहिए। जब वे अभी-अभी नैनीताल गए थे, तो उन्हें विश्वस्त-सूत्र से पता चला था कि किसानों और ज़मींदारों के इस द्वन्द्व में सरकार उदासीन रहेगी और किसी का पक्ष न लेगी; परन्तु संयुक्त प्रान्तीय सरकार की नीति इस समय बिल्कुल बदली हुई दीख पड़ी है, जैसा कि रायबरेली के किसानों की दयनीय दशा के सम्बन्ध में निम्न-लिखित संक्षिप्त एवं सारगर्भित रिपोर्ट से पता चलेगा :—

"रायबरेली की स्थिति और भी बुरी हो गई है। इस शान्ति के समय में सरकार ने कॉङ्ग्रेस के सङ्गठन पर आक्रमण किया है। सभी मुख्य-मुख्य कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ता १४४ दफ़ा में जकड़ दिए गए हैं। यह दफ़ा हद से अधिक बुरी है और रायबरेली की आवश्यकीय सेवा के लिए कोई भी कार्यकर्ता बेकार से भी बुरा हो गया है ! रायबरेली ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रधान मन्त्री, प्रमुख कार्यकर्ता—सभी दफ़ा १४४ के शिकार हैं ! इस शान्ति के युग में अप्रत्यक्षतः कॉङ्ग्रेस के सङ्गठन को इस प्रकार चौपट करने की सरकारी नीति पर जनता क्षुब्ध है। लोकमत और हम लोगों का निजी झुकाव इस आज्ञा को उल्लङ्घन करने को उत्सुक है; फिर भी हम लोग सन्धि की शर्तों को मान रहे हैं; यह अनुभव करते हुए भी कि ऐसा करने से हम लोग ज़िले के किसानों के इस ऐतिहासिक अर्थ-सङ्कट के समय सहायता एवं सेवा करने के जन्म-सिद्ध अधिकार से अन्यायतः वञ्चित किए जा रहे हैं !

"यह परिवर्तन विशेषतः तब से स्पष्टतः दृष्टिगोचर हो रहा है, जब से इस ज़िला के डिप्टी कमिश्नर सर मैलकम हेली से मिल कर लौटे हैं। पहले ज़िले के अधिकारियों का किसानों के प्रति जो सहानुभूति का भाव था, वह तभी से शत्रुता के रूप में बदल गया है और रायबरेली ज़िले के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक भयङ्कर आतङ्क छाया हुआ है ! ताल्लुक़ेदार सरकार से सहायता का आश्वासन पाकर अपने पुराने जङ्गली ढङ्ग से लगान वसूल करने लगे हैं। अनुचित धमकी का तरीक़ा खुले-आम अख़्तियार किया जा रहा है। अभी हाल ही का एक ताज़ा उदाहरण है, कि रायबरेली के सिविल अस्पताल में एक ऐसा आदमी भर्ती हुआ है, जिसकी आँखें नष्ट और नाक की हड्डी चकनाचूर हो गई है। इसका कारण यह है कि लगान वसूल करने के लिए ताल्लुक़ेदार की पार्टी ने गाँव वालों पर आक्रमण कर दिया था ! एक गर्भिणी स्त्री को मारते-मारते बेहोश कर दिया गया ! उसका मुक़द्दमा कचहरी में चल रहा है। साधारणतः ताल्लुक़ेदारों में एक ख़्याल है कि सिर फोड़ने या हड्डी तोड़ने के सिवा दण्डाभाव में वे किसानों को जितना चाहें पीट सकते हैं और सरकार भी इसे उपेक्षा-दृष्टि से देखेगी। इस प्रकार के ताल्लुक़ेदार, जो पहले ज़माने में ही बहुत कठोर थे, आज और भी कठोर हो गए हैं। वे लगान वसूल करने के लिए कुछ दर्जन लट्ठबाज़ों के साथ गाँवों पर बराबर हमले करने को सोच रहे हैं। वे किसानों को गाली देते हैं; मारते हैं और उन पर आतङ्क जमाते हैं।

"किसानों को 'मुर्ग़ा' बनाने की रीति, जिसमें उन्हें धूप में तब तक खड़ा किया जाता है, जब तक वे पस्त होकर बेहोश न हो जायँ, और गाँव वालों के सामने उन्हें जूते से ख़ूब पीटना एक साधारण सी बात हो गई है। यह कितनी लज्जास्पद और दारुण है तथा इस कारण गाँवों में एक भयङ्कर विपत्ति आ पड़ी है। बिना किसी क़ानूनी कचहरी की राय से किसी किसान की सम्पत्ति को ज़ब्त कर और अपने लगान में उसे वसूल कर लेना, यह ताल्लुक़ेदारों के लिए एक साधारण सी बात है ! हम ऐसी कई घटनाएँ जानते हैं, जहाँ किसान का भूसा बलपूर्वक उठवा कर ताल्लुक़ेदारों के घर ले जाया गया। उनके पशु भी ताल्लुक़ेदारों के घर ज़बर्दस्ती बाँध दिए गए और उनके बच्चों के शरीर पर से बाप की लगान के लिए गहने छीन लिए गए !

"सरकार ने ज़मींदारों को ज़ब्ती का अधिकार फ़ैसले के पूर्व दे रक्खा है। अमीन के साथ-साथ कई पुलिस कॉन्स्टेबिल रहते हैं, जिन्हें देख कर लोग तो यह समझते हैं कि वे आवश्यकता पड़ने पर डिक्री अदा कराने में अमीन की सहायता के लिए आए हुए हैं; परन्तु वस्तुतः वे किसानों पर आतङ्क जमाने के लिए ही आते हैं। रायबरेली के प्रत्येक डिवीज़न में कई सौ ऐसी घटनाएँ हो चुकी हैं।

"सरकार ने ज़मींदारों को इस विषय में भी पूरी सहायता देने के वचन दिए हैं, कि यदि उनके पथ में कोई भी कॉङ्ग्रेस का आदमी बाधक हो, तो वह दफ़ा १०७ या अन्य किसी दफ़ा का शिकार सहज ही बनाया जा सकता है।

"ज़मींदारों से निश्चयपूर्वक यह बात कह दी गई है कि ऐसे मुआमलों में सबल प्रमाण उपस्थित न होने पर भी वर्तमान दशा में साधारण गवाहों से ही काम चल जायगा। अतएव इस प्रकार के कई मामले एकाएक कोर्ट में दायर हो चुके हैं तथा उनसे भी अधिक संख्या में दायर होने की अभी और सम्भावना है। बस पन्द्रह दिन में हम लोग यह देखेंगे, कि रायबरेली में कॉङ्ग्रेस का सारा सङ्गठन चौपट हो गया; लाठियों की वर्षा तो एक आम बात हो गई है !"

महात्मा जी का कहना है कि कई दुखद प्रसङ्ग उन्होंने इस सन्धि-भङ्ग की इस दारुण कहानी से हटा लिया है। इस दुखद अध्याय को समाप्त करने के लिए यह कहना आवश्यक है, कि महात्मा जी को वैसे कई नोटिसें देखने को मिली हैं, जिनमें इस बात की धमकी दी गई है कि यदि ख़ास-ख़ास 'कॉङ्ग्रेसमैन' से किसान सम्बन्ध रक्खेंगे, तो वे गिरफ़्तार कर लिए जायँगे !

और यह सब घटनाएँ उस समय हो रही हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर अभी-अभी गवर्नर से मिल कर नैनीताल से लौटे हैं। महात्मा जी आशा करते हैं कि संयुक्त-प्रान्त के गवर्नर की यह मन्शा नहीं होगी और उन्होंने कॉङ्ग्रेस के आदमियों को तब तक धैर्य रखने के लिए कहा है, जब तक ७वीं जुलाई की बैठक में कार्यकारिणी इस विषय पर अपना निश्चित मत नहीं देती।

* * *

यह है हमारे अभागे देश के एक साधारण प्रान्त के एक साधारण ज़िले में होने वाली लोमहर्षण घटनाओं का एक मर्मस्पर्शी और दारुण दृश्य, जिसमें अत्युक्ति का लेश भी नहीं है ! न मालूम देश के कितने स्थानों में ऐसे ही दानवी अत्याचारों का सूत्रपात्र हो रहा है ! इस बात के सभी क़ायल हैं कि महात्मा जी संयत एवम् शिष्ट भाषा का उपयोग ख़ूब जानते हैं और बिना दृढ़ एवम् विश्वस्त-सूत्र से पता लगाए किसी बात पर सहसा विश्वास नहीं कर बैठते और न उसे अपने पत्र में स्थान ही देते हैं। किसानों का इसमें क्या दोष है ? वे यथाशक्ति लगान चुका रहे हैं और शेष लगान चुकाने की चिन्ता में व्यग्र हैं। उनकी नीयत यह कदापि नहीं है, कि लगान न दिया जाय। उनके पास नमक और तेल तक ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं; जो कुछ ग़ल्ला हुआ था, वह भी इतना सस्ता है, कि कोई उसे पूछने वाला ही नहीं। वे लगान इसलिए नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वे देने से सर्वथा असमर्थ हैं, इसलिए नहीं, कि वे देना चाहते ही नहीं। अतएव "लगान-बन्दी आन्दोलन" की तो इसमें कोई चर्चा ही नहीं आती, जिसका आतङ्क सरकार को खाए जा रहा है; और जिसके कारण वह नाहक़ कॉङ्ग्रेस के पीछे पड़ी हुई है ! हमारे देश के सभी नेता हर जगह इस बात पर काफ़ी ज़ोर दे रहे हैं कि किसान यथाशक्ति जितना भी लगान चुका सकें, चुका दें। महात्मा गाँधी, सरदार पटेल, पण्डित जवाहरलाल जी तथा बाबू राजेन्द्रप्रसाद स्थान-स्थान पर इसी आशय के भाषण दे रहे हैं, सरकार कॉङ्ग्रेस की नीयत और नीति पर नाहक़ सन्देह करती है। देश के इन जयचन्दों—हमारे ही रक्त को चूस कर मोटे बनने वाले, हमारे ही धन से धनिक कहाने वाले, सरकार के पिट्ठू इन अधिकांश ज़मींदारों को—किन शब्दों में स्मरण किया जाय ? नौकरशाही का शह पाकर देश के दरिद्रों, कङ्गालों, निराश्रितों के साथ ये जो अत्याचार कर रहे हैं, उसका परिणाम भविष्य में

भयावह होगा, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं! अब वह समय आ रहा है, जब कि तालुक़ेदारों और किसानों की परिस्थितियों में सहसा परिवर्त्तन होने वाला है। समय का अनियन्त्रित प्रवाह उस परिवर्तन को स्वयं सम्पादित करेगा और संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकेगी!

उन्हें स्मरण करना चाहिए, कि सरकार से भी बड़ी कोई शक्ति है, जिसकी सूक्ष्म लीला इस स्थूल जगत में अहर्निशि हुआ करती है! इन अत्याचारों से भगवान का सिंहासन हिल उठेगा, इन दलित, गत-आशा, आश्रय-हीन, दीनातिदीन और त्यक्त किसानों की आहों के मेघ-खण्ड से एक दिन अखिल विश्व का भाग्याकाश घिर जायगा; और उससे जो जलधारा बरसेगी उसके प्रवाह में पूँजीवाद, धनसत्तावाद सदा के लिए संसार से मिट जायगा और उस भस्म के अवशेष पर एक शान्तिमय, साम्यमय, सुन्दर स्वराज्य का दिव्य शिलान्यास होगा, जिसमें संसार की सारी विषमता, सारा विरोध सदा के लिए नष्ट हो जायँगे!!

* * *

जयचन्दों की कुटिलता

हाल ही में काठियावाड़ के कुछ राजवाड़ों के एक गुप्त षड्यन्त्र का पता चला है। गत सप्ताह के समाचार-पत्रों में जामनगर (कठियावाड़) के जाम-साहब का एक 'गोपनीय पत्र' प्रकाशित हुआ है, जोकि उन्होंने अपने राजवाड़े-बन्धुओं के पास भेजा है। पत्र की तारीख़ २०वीं मई, सन् १९३१ है। उसके पढ़ने से मालूम होता है, कि राजकोट के ठाकोर साहब की गद्दी और भवनगर के महाराजा साहब के विवाह के अवसर पर राजकोट में कई राजवाड़ों का सम्मेलन हुआ था, जिसमें यह निश्चित हुआ कि देशी रियासतों में आपत्तिजनक साहित्य तथा राजविद्रोही पत्रों का प्रवेश रोकने के निमित्त कोई विशेष कारंवाई की जाय। परन्तु वह कारं-वाई किस ढङ्ग की हो, इसका निर्णय एक छोटी कमिटी की सिफ़ारिशों पर छोड़ा गया। कमिटी का सङ्गठन काठियावाड़ के प्रत्येक प्रान्त के एक-एक प्रतिनिधि द्वारा हुआ और इसके अध्यक्ष जामसाहब स्वयं नियुक्त हुए।

इसके बाद स्वयं जामनगर में कमिटी की बैठक हुई, जिसमें सौराष्ट्र के अमीर शेख़ मोहम्मद भाई, गोहेलाबाद के सर प्रभाशङ्कर पट्टानी, झालावाद के राज राना श्री० मानसिंह जी तथा हालर के परशुराम बी० जुनारकर सम्मिलित थे। कमिटी के सम्मुख निम्न-लिखित दो प्रश्न पेश किए गए:—

(१) देशी रियासतों में विदेशी वस्तु बहिष्कार और धरना के आन्दोलनों को रोकना।

(२) देशी रियासतों में आपत्तिजनक साहित्य एवं पत्रों का प्रवेश रोकना।

कुछ देर के वाद-विवाद पर निश्चय हुआ कि पहला प्रश्न प्रत्येक रियासत पर छोड़ दिया जाय, जिससे प्रत्येक रियासत अपनी-अपनी विशेष परिस्थितियों के अवसर समयानुकूल विशेष उपायों के द्वारा आन्दोलनों का विरोध करें।

दूसरे प्रश्न के बारे में यह निश्चय हुआ कि देशी रियासतों में आपत्तिजनक साहित्य एवं पत्रों के प्रवेश को रोकने का सब से सहल उपाय यह है कि भारत-सरकार से कहा जाय कि वह फ़ॉरेन रिलेशन्स-ऑर्डि-नेन्स (Foreign Relations Ordinance) के उप-योग में जहाँ अन्य देश सम्मिलित हैं, भारतीय रियासतों को भी सम्मिलित कर ले। कमिटी का कहना है कि यदि नरेन्द्र-मण्डल (Chamber of Princes) आग्रह करके भारत-सरकार से देशी रियासतों को भी उस ऑर्डिनेन्स के प्रयोग में सम्मिलित किए गए अन्य राष्ट्रों की भाँति सम्मिलित करा सके तो भारत की बहुत सी भीतरी कठिनाइयाँ आप ही आप हल हो जायँ।

जामसाहब के उसी पत्र के अनुसार, जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं, कमिटी ने यह भी निश्चय किया कि यदि भारत-सरकार उक्त ऑर्डिनेन्स के प्रयोग में अन्य देशों की भाँति देशी रियासतों को नहीं सम्मिलित करती तो इसके स्थान निम्न-लिखित उपायों द्वारा रिया-सतों को अपना सहयोग दे:—

(१) प्रान्त के पोस्ट-मास्टर जेनरल अपने अधीन सभी पोस्ट ऑफ़िसों को इस बात की हिदायत कर दें कि वे रियासतों में जाने वाले आपत्तिजनक पत्र अथवा साहित्य रोक लें।

(२) चूँकि पोस्ट ऑफ़िसों के द्वारा आपत्तिजनक पत्र अथवा साहित्य रोक लिए जाने पर भी भारत-सरकार की रेल द्वारा वे साहित्य अथवा पत्र रियासतों में पहुँचाए जा सकते हैं, इसलिए इस प्रकार का कार्य क़ानून की दृष्टि में दण्डनीय हो और ऐसे कार्य करने वालों को भारत-सरकार की कचहरियों द्वारा दण्ड दिया जाय तथा इसके लिए रेलवे पुलीस उत्तरदायी हो।

कहना नहीं होगा कि इसी आशय के पत्र जाम-साहब की ओर से काठियावाड़ के "राजवाड़े-बन्धुओं" को भेजे गए। उन पत्रों में यह बात विशेष रूप से पूछी गई है कि "राजवाड़े-बन्धु" कमिटी की राय से सहमत हैं या नहीं। साथ ही इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि यदि काठियावाड़ के राजवाड़े कमिटी की राय से सहमत हुए तो नरेन्द्र-मण्डल की बैठक में काठियावाड़ के राजवाड़ों की ओर से यह प्रस्ताव रक्खा जायगा कि वह इस मामले में भारत-सरकार से उचित कारंवाई करे।

हमें काठियावाड़ की प्रसिद्ध ऐतिहासिक भूमि के राजवाड़ों के इस निन्दनीय प्रयत्न पर दुख भले ही हो; पर आश्चर्य नहीं है। अधिकांश देशी रियासतों की आज जो दयनीय अवस्था है; अधिकांश देशी रियासतों की अभागी प्रजा पर रियासतों की ओर से आजकल जो अत्याचार हो रहे हैं; उस पर विचार करने से हमें काठियावाड़ के नरेशों की इस हरकत में कोई अस्वाभा-विकता नहीं दीख पड़ती; बात तो सच यह है कि ब्रिटिश भारतीय जनता की राजनीतिक हलचल देख कर हमारे अधिकांश देशी नरेश एक प्रकार से भय-भीत हो गए हैं और उनके हृदयों में सदा इस बात का आतङ्क बना रहता है कि स्वतन्त्र भारत एवं प्रजा-सत्तात्मक शासन प्रणाली उनकी स्वेच्छाचारिता की नींव खोद डालेगी। चाहे वे प्रकट रूप से इस बात को भले ही न व्यक्त करें, पर ब्रिटिश भारत की स्वतन्त्रता का आन्दोलन उन्हें फूटी आँखों भी अच्छा नहीं लगता। वे समझते हैं कि ब्रिटिश भारत के स्वतन्त्र होते अथवा पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य पाते ही रियासतों की प्रजा में प्रजासत्तात्मक शासन के लिए एक उथल-पुथल मच जायगी। वे इस बात का भी अनुभव करते हैं कि उस उथल-पुथल में केवल उनकी सत्ता ही नहीं उठ जायगी, वरन् उनका अस्तित्व भी ख़तरे में हो जायगा। इसी बात का अनुभव करके वे ब्रिटिश भार-तीय एवम् देशी प्रजा के विरुद्ध अपना गुट्ट बना कर भारत-सरकार का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं। इस सहयोग की आड़ में वे देशी रियासतों के भीतर विदेशी वस्त्र बहिष्कार तथा धरना आन्दोलनों को रोकना चाहते हैं। इस चाल में उन्हें एक साथ ही दो बातें सिद्ध करने की चिन्ता है। एक तो वे विदेशी वस्त्र का प्रचार कराकर अपने भारतीय एवम् ब्रिटिश प्रभुओं को प्रसन्न रखना चाहते हैं, जिससे उन्हें खुलेआम अपनी अभागी प्रजा पर ज़ुल्म करने का अवसर प्राप्त हो जाय। दूसरे वे विदेशी वस्त्र के प्रचार से भारतीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन की शक्ति का ह्रास करने का स्वप्न देख रहे हैं। उनकी यह धारणा है कि इस प्रकार अड़ङ्गा लगाने से वे भारतीय स्वतन्त्रता का आन्दोलन दबा सकते हैं। इस बात की कल्पना करते हुए वे फूले नहीं समाते कि भारतीय स्वतन्त्रता का आन्दोलन दब जाने से ही रियासतों की प्रजा अपने अधिकारों के लिए सिर उठाने का साहस नहीं कर सकती।

उनकी इस नीति का परिणाम क्या होगा, यह तो भविष्य बतलाएगा, पर हम इतना अवश्य कहेंगे कि जनता के हृदय से राष्ट्र की स्वतन्त्रता की भावना हटाना कठिन ही नहीं, वरन् पूर्णतः असम्भव कार्य है। सम्भव है, भारत सरकार की सहायता से वे अपने राज्यों में किसी प्रकार का राजनीतिक साहित्य एवम् पत्र न प्रवेश करने दें; परन्तु क्या वे समझते हैं कि ऐसा करने से वे स्वयं अपनी प्रजाओं के राजनीतिक विचारों को बदल सकते हैं? क्या उनका यह दृढ़ विश्वास है कि राज-नीतिक साहित्य का क़ानून द्वारा अपने राज्य से निषेध कर वे अपने प्रजावर्ग के हृदयों में लहराने वाली प्रजा-सत्तात्मक शासन की भावना नष्ट कर सकेंगे? यदि वे ऐसा समझते हैं तो हम यही कहेंगे कि वे इतिहास के अनुभवों की सहायता नहीं लेते। यदि लूई १४वें और महाशक्तिशाली ज़ार के दृढ़ शासनों में क्रमशः फ़्रान्स और बॉलशेविक क्रान्ति नहीं रुक सकी; यदि स्पेन की प्रजा के सामने शक्तिशाली एलफ़ेन्ज़ों का स्वेच्छाचारपूर्ण शासन नहीं ठहर सका, तो यह कब तक सम्भव है कि वे अपने स्वेच्छाचार से रियासतों की प्रजा के अधिकार कुचलते रहें? इतिहास का निर्देश यह है कि जब स्वतन्त्रता की भावनाएँ ग़ुलामी की विवशता पर विजय प्राप्त कर लेती हैं, तब उन्हें कोई क़ानून अथवा राष्ट्रों की सीमा की दीवारें नहीं रोक सकतीं। स्वतन्त्रता का प्रवाह शासकों अथवा शासनों के बन्धन से नहीं बाँधा जा सकता; वह अजेय और असीम होता है। वह जीवनहीन में जीवन, दुर्बल-प्राणों में बल और निरीह आत्माओं में शक्ति, स्फूर्ति एवम् प्राण का सञ्चार करता है। यह कपोल-कल्पना नहीं, वरन् इतिहास का अकाट्य प्रमाण है। हम देशी नरेशों को इस बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यदि आज सारे संसार के राष्ट्रों की सम्मिलित शक्ति भी इस बात का प्रयत्न करे कि ब्रिटिश अथवा देशी भारत में स्वतन्त्रता का आन्दो-लन दबा दिया जाय, तो उसे सफलता नहीं हो सकती। राष्ट्र को नष्ट कर देना भले ही सम्भव हो, पर राष्ट्रीय भावना का नष्ट करना असम्भव है।

* * *

अपमानजनक बातें

साम्राज्य के प्रधान-मन्त्री का आसन ग्रहण करने के पहले मि० मैकडॉनल्ड अपने ओजपूर्ण भाषण में प्रायः ब्रिटेन को इन शब्दों में कोसा करते थे—"भारत को उत्तरदायी शासन न देना ब्रिटेन के नैतिक पतन का द्योतक है।" ये शब्द मि० मैकडॉनल्ड के उस समय के हैं, जब उनका मज़दूर-दल केवल ग़ैर-सरकारी या विरोधी दल (Opposition Party) था और जब मन्त्रि-मण्डल मि० लॉयड जॉर्ज के अधीन कोलिएशन पार्टी का अथवा मि० बाल्डविन के अधीन कन्ज़र्वेटिव (अनुदार) पार्टी का था। परन्तु आज मि० मैकडॉनल्ड के भी रुख़ बदल गए हैं। आज जब उनके मज़दूर-दल के हाथ में साम्राज्य के शासन की बागडोर है तथा जब वे उस शासन के प्रधान हैं, भारत के सम्बन्ध में उनकी बातें न केवल अपमानजनक हैं,

वरन् इस अनन्त सत्य की द्योतिका हैं कि भगवान भी ग़ुलामों को राष्ट्र के शासन का अधिकार नहीं दे सकता। इस सत्य का एक दूसरा पहलू भी है और वह यह कि यदि कोई राष्ट्र स्वराज्य-प्राप्ति के उद्देश्य में अपने प्रिय से प्रिय बलिदान और आहुतियों की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाय तो भगवान भी उसकी स्वतन्त्रता नहीं रोक सकता। ये बातें ब्रिटेन और भारत पर उसी प्रकार लागू और सत्य हैं, जिस प्रकार जीवन और मृत्यु की निराकार सन्धि निश्चित है, एवम् जिस भाँति आज धरातल पर सुदृढ़ ब्रिटिश-सत्ता का अस्तित्व सत्य के रूप में प्रतिष्ठित है। अस्तु।

हाउस ऑफ़-कॉमन्स (House of Commons) में भारत-सरकार की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में उत्तर देते हुए मि० मैकडॉनल्ड ने कहा :—

"It would not be possible to introduce the proposed constitutional changes if financial stability was not assured, and His Majesty's Government were determined not to allow a state of affairs to arise which might jeopardise the financial stability and the good Government of India for which the Secretary of State was at present responsible."

अर्थात्—"जब तक आर्थिक स्थिरता का निश्चय नहीं हो जाय, तब तक भारत के भावी शासन-सुधारों का अमल में लाना सम्भव नहीं है। सम्राट की सरकार का यह निश्चय है कि वह ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होने देगी, जिससे भारत की आर्थिक स्थिरता एवं अच्छा शासन सङ्कटापन्न हो, जिसके लिए इस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ़-स्टेट उत्तरदायी हैं।"

भारत-सरकार की आर्थिक अस्थिरता का हवाला देते हुए प्रधान मन्त्री मि० मैकडॉनल्ड ने अपने उसी भाषण में गिरे हुए भावों की चर्चा की है; परन्तु साथ ही साथ उन्होंने यह भी बतलाया है कि राउण्डटेबल-कॉन्फ़्रेन्स में होने वाले शासन-विधान की राजनीतिक चर्चा में आर्थिक शर्तों की अनिश्चितता के कारण परिस्थिति और भी भयावह हो गई है! हम नहीं जानते मि० मैकडॉनल्ड जैसे ज़िम्मेदार पुरुष के इस नग्न-असत्य पर हम क्या कहें; पर कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति, जो पिछले दो-तीन वर्षों से भारत-सरकार की आर्थिक नीति से जानकारी रखता हो, इस बात को निस्सङ्कोच कह सकता है कि इस भयावह आर्थिक परिस्थिति का प्रधान कारण ब्रिटेन की मुद्रा सम्बन्धी १८ पेन्स के विनिमय-दर की नाशकारी नीति है। इसका स्पष्ट प्रमाण इस बात से मिलता है कि गत महीने में भारत-सरकार ने इङ्गलैण्ड से एक करोड़ पाउण्ड का क़र्ज़ माँगा था। यह क़र्ज़ भारत के नाम पर माँगा गया और भारत-सरकार को इस क़र्ज़ के १/६ भाग से अधिक नहीं मिल सका। भारत-सरकार को उपरोक्त क़र्ज़ का पूरा अंश न मिलना उचित ही था; कारण इङ्गलैण्ड समझता है कि जब तक मुद्रा सम्बन्धी विनिमय-दर की नीति भारत-सरकार नहीं बदलती, तब तक उसकी आर्थिक स्थिति सुधरना कठिन ही नहीं, वरन् असम्भव है और इस स्थिति में भारत को स्वयं इङ्गलैण्ड में भी क़र्ज़ मिलना बहुत कठिन है। परन्तु क़र्ज़ सम्बन्धी भारत-सरकार की इस असफलता पर भी ब्रिटेन के पत्रों और राजनीतिज्ञों ने अवसर नहीं खोया। उन्होंने विगत सत्याग्रह आन्दोलन को कोसते हुए इस बात का ज़ोरों से प्रचार करना आरम्भ कर दिया कि विश्व के बाज़ार में भारत की साख गिर गई है।

भारत की इसी "गिरी हुई साख" को बचाने के निमित्त मि० मैकडॉनल्ड आज उद्विग्न हो उठे हैं (?)......! अपनी इस उद्विग्नता और अर्ध-विक्षिप्तता में उन्होंने यहाँ तक कह डाला है :—

"The Government had, therefore, decided that, should the need arise, they would apply to Parliament for authority necessary to enable them to give financial support under suitable conditions to the Government of India for the purpose of maintaining the country's credit, pending the constitutional settlement and the formulation of provisions for maintaining India's credit in future."

अर्थात्—"ब्रिटेन की सरकार ने इसलिए यह निश्चय किया है कि अवसर आते ही वह भारत की साख क़ायम रखने के लिए उसे उचित शर्तों पर आर्थिक सहायता देने के अधिकार की स्वीकृति पार्लामेण्ट से लेगी तथा शासन-सुधार सम्बन्धी समाधान को स्थगित कर उन शर्तों का स्पष्टीकरण कर लेगी, जिससे भारत की साख भविष्य में क़ायम रह सके।"

मि० मैकडॉनल्ड का यह पागल-प्रलाप ब्रिटेन की उस साम्राज्यवादी दूषित नीति का भयानक स्पष्टीकरण है, जिसमें भारत आज पिस रहा है। हम नहीं जानते आज विश्व के बाज़ार में भारत की साख कैसे गिरी है। आज तक भारत-सरकार ने विश्व-बाज़ार में क़र्ज़ ही कहाँ माँगा? जब-जब भारत-सरकार की रक्त-शोषण आर्थिक नीति के कारण, उसे रुपए की आवश्यकता हुई, तब-तब उसने ब्रिटेन के सामने क़र्ज़ के लिए हाथ फैलाया। और सब से दयनीय बात तो यह है कि जहाँ विश्व के बाज़ार में सूद का भाव तीन रुपए प्रति सैकड़े था, वहाँ उसने ब्रिटेन से छः रुपए सैकड़े का भाव तय करके लिया! भारत-सरकार की इस नीति में चाहे मूक-भारतवासियों की विवशता हो अथवा सरकार के लौह-शासन की दृढ़ता; पर इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि विश्व के बाज़ार से भारत की साख उठ गई है। और यदि थोड़ी देर के लिए हम यह भी मान लें कि भारत की साख विश्व के बाज़ार से उठ गई है, तो इसका अर्थ क्या होगा? भारत ब्रिटेन का आश्रित है; भारत ब्रिटेन का ग़ुलाम देश है। उसका शासन भारतवासियों के हित के लिए नहीं; वरन् उसके गोरे मालिकों की थैली भरने के लिए होता है! इतना ही नहीं, भारत के आयात-निर्यात की चुङ्गी, कर, माल आय-व्यय तथा विनिमय-दर सभी पर भारतवासियों का नहीं, वरन् ब्रिटेन का अधिकार है। इस स्थिति में भारत की साख उठने का अर्थ केवल यही होता है कि विश्व के बाज़ार से ब्रिटेन की साख उठ गई है। फिर दिवालिया ब्रिटेन भला दिवालिया भारत की सहायता किस भाँति कर सकता है? बात भी कुछ वैसी ही है। जो ब्रिटेन अमेरिका का क़र्ज़ख़ोर है, जिस ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति स्वयं ख़राब होने के कारण अमेरिका ने एक वर्ष के लिए क़र्ज़ की किश्त स्थगित करने की उदारता दिखलाई है, वह ब्रिटेन भारत को क़र्ज़ देगा, इसमें कौन सा रहस्य छिपा है? क्या ब्रिटेन की इस प्रत्यक्ष उदारता में भारत की दरिद्र जनता के घोर परिश्रम की कमाई से अधिक से अधिक सूद के रूप में अङ्गरेज़ व्यापारियों की थैली भरने की गहरी चाल नहीं है?

हम मानते हैं भारत-सरकार की आर्थिक स्थिति इस समय ठीक नहीं। हम यह भी मानते हैं कि भावों की मन्दी के कारण उसकी यह वर्तमान आर्थिक समस्या उपस्थित हुई है। पर क्या भारत-सरकार की दशा ब्रिटेन से क़र्ज़ लेने पर ही सुधरेगी? क्या इसका दूसरा कोई निदान नहीं है? भारत-सरकार की आय का लगभग आधा ख़र्च आज भारत में सेना पर व्यय किया जा रहा है—उस सेना पर, जिसका अधिकांश भाग भारत के हित के लिए नहीं; वरन् ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता को अधिक दृढ़ बनाए रखने के लिए भारत के ख़र्च पर क़ायम है। क्या सेना के उस भयानक ख़र्च को कम कर देने से भारत-सरकार की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी? परन्तु भारत-सरकार ऐसा करेगी ही क्यों और यदि करना भी चाहे तो ब्रिटिश सरकार उसे करने ही क्यों देगी?

सच बात यह है कि मि० मैकडॉनल्ड राउण्ड टेबल की असफलता के लिए चाहे आज से ही उछल-कूद वाली कोई भी नीति क्यों न ग्रहण करें, पर न तो अब वे ही और न उनके सम्राट की सरकार ही, भारत तथा संसार के अन्य राष्ट्रों की आँखों में धूल झोंक सकती है। शासन-सुधार का सारहीन टुकड़ा फेंकना अथवा न फेंकना तथा उस टुकड़े को अमल में लाने देना अथवा न लाने देना, निश्चय ही मि० मैकडॉनल्ड तथा सम्राट की सरकार की इच्छा पर है; पर जब कोई भी राष्ट्र स्वतन्त्रता देवी की आहुतियों के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार हो जाता है, तो संसार की सारी सरकारें सम्मिलित होकर भी उसे अपने ध्येय से नहीं हटा सकतीं। भारत की सेना और पुलिस पर अधाधुन्ध ख़र्च कर भारत-सरकार ब्रिटेन के व्यापारियों से दूने सूद पर क़र्ज़ लेकर भारत की साख भले ही 'क़ायम' (!) करती रहे, पर स्वराज्य सरकार उस क़र्ज़ को दे सकेगी अथवा नहीं, यह बात संसार के राष्ट्रों की पञ्चायत निश्चय करेगी। अब रही शासन-सुधारों की बात, वह तो कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र को भीख माँगने से नहीं देता। राष्ट्र के शासन का अधिकार उस राष्ट्र की जनता के आत्म-त्याग एवम् बलिदानों पर निर्भर रहता है। ब्रिटेन और भारत इस अनन्त-सत्य के अपवाद नहीं हैं!!

* * *

अखिल भारतीय रेलवे-हड़ताल

गत २७वीं जून को शिमले में श्री० जमनादास मेहता की अध्यक्षता में अखिल भारतीय रेलवे-कर्मचारी-सङ्घ का विशेष अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में सारे भारत के और प्रायः सभी रेलवे-सङ्घ के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। इन प्रतिनिधियों को अपने-अपने सङ्घों के निर्णय का आदेश विशेष रूप से मिला था। हाल में सारे भारत की रेलवे कम्पनियों की उस अदूरदर्शी और अहितकर नीति पर विचार करने के लिए, जिसका अनुसरण कर वे अपने छोटे-छोटे और मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों की काट-छाँट कर रहे हैं, अखिल भारतीय रेलवे-सङ्घ के इस विशेष सम्मेलन की आयोजना की गई थी।

भारत की रेलवे कम्पनियों की इस काँट-छाँट वाली नीति के सम्बन्ध में यहाँ कुछ प्रकाश डालना आवश्यक जान पड़ता है। गत फ़रवरी में जब काट-छाँट की चर्चा पहले-पहल आरम्भ हुई थी, तभी अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी-सङ्घ ने अखिल भारतीय रेलवे-बोर्ड को एक प्रार्थना-पत्र दिया था, जिसमें बोर्ड से इस बात की प्रार्थना की गई थी कि इस काट-छाँट सम्बन्धी नीति के विषय में विचार करने के लिए बोर्ड और सङ्घ के प्रतिनिधियों की एक सभा बुलाई जाय। परन्तु बोर्ड ने सङ्घ की इस प्रार्थना को असावधानी के साथ अस्वीकार कर दिया था। इस पर सङ्घ ने भारत-सरकार से इस बात की प्रार्थना की कि वह 'ट्रेड डिस्प्युट्स ऐक्ट' (Trade Disputes Act) के अनुसार ऐसा बोर्ड स्थापित करे, जिसमें अखिल भारतीय रेलवे बोर्ड तथा अखिल भारतीय रेलवे-कर्मचारी-सङ्घ के प्रतिनिधि बैठ-

कर आपस में इस झगड़े को निबटा लें। परन्तु भारत की विदेशी सरकार को बोर्ड के हित के विरुद्ध जाना पसन्द न था; कारण ब्रिटिश भारत में प्रायः सभी बड़ी-बड़ी रेलवे कम्पनियाँ तो सरकार की हैं ही, और जो कम्पनियाँ नहीं हैं, वे शीघ्र ही होने वाली हैं। इनके अतिरिक्त ब्रिटिश भारत में जो रेलवे कम्पनियाँ बच जाती हैं, उनका मूल-धन ब्रिटेन ने दिया है और उनके स्वामी ब्रिटेन के पूँजीपति व्यापारी हैं। तात्पर्य यह कि सरकार ने सङ्घ की प्रार्थना अस्वीकार कर दी। सरकार का यह रुख़ समझने के लिए यहाँ यह बात स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि प्रार्थना में सङ्घ की ओर से यह निवेदन किया गया था कि भारत-सरकार उक्त प्रार्थना के सम्बन्ध में अपना निर्णय गत २९वीं मई के पहले ही भेज दे, जिसमें उक्त तारीख़ को बम्बई नगर में होने वाली सङ्घ की जेनरल-काउन्सिल में सरकार के निर्णय पर विचार करने का भरपूर अवसर मिले; पर सरकार ने उत्तर देने में विलम्ब किया और उसकी अस्वीकृति का उत्तर गत २६वीं मई को अर्थात् सङ्घ की जेनरल-काउन्सिल की बैठक के बाद मिला। अस्तु।

शिमला वाले अधिवेशन में भारत-सरकार और अखिल भारतीय रेलवे-बोर्ड के इस रुख़ की निन्दा की गई और यह निश्चय हुआ कि पहली अगस्त अथवा यदि सुविधा हो तो उससे पहले ही भारत की सभी रेलवे कम्पनियों के कर्मचारियों की पूर्ण हड़ताल कराने का यत्न किया जाय। यहाँ इस सम्बन्ध में यह कहना अनुचित न होगा कि गत २६वीं जून को सङ्घ की ओर से वॉयसराय महोदय की सेवा में यह प्रार्थना की गई कि वे सङ्घ के एक डेपुटेशन को मिलने की स्वीकृति दें; परन्तु वॉयसराय महोदय ने उस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। वॉयसराय लॉर्ड वेलिङ्गडन की इस अस्वीकृति के सम्बन्ध में रेलवे-बोर्ड की ओर से जो विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है, उसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि डेपुटेशन के मिलने के सम्बन्ध में वॉयसराय की स्वीकृति २८वीं जून तक ही माँगी गई थी; इसलिए समयाभाव के कारण उन्होंने वह प्रार्थना अस्वीकार कर दी।

इस मामले में हम सरकार और रेलवे-बोर्ड, दोनों की ही नीति का घोर विरोध करते हैं। हमें इस बात पर पूर्ण विश्वास है कि सरकार की इस नीति का परिणाम केवल रेलवे-कर्मचारियों के हित के ही लिए हानिकर नहीं होगा, वरन् सरकार के शासन और बोर्ड के सञ्चालन के पथ में यह इतना अधिक बाधक होगा, जिसकी कल्पना मात्र से हम काँप उठते हैं। बोर्ड के वर्तमान निश्चय के अनुसार प्रति वर्ष तीस सहस्र श्रमजीवी अपनी नौकरी से अलग कर दिए जायँगे। इसका अर्थ यह है कि इस दरिद्र देश में, जहाँ करोड़ों प्राणी दिन-रात पेट की ज्वाला से जलते रहते हैं, वहाँ केवल रेलवे-बोर्ड की ही कृपा से प्रति वर्ष तीस सहस्र परिवार उन करोड़ों भूख से मरने वाले लोगों की टोलियों में सम्मिलित हो जायँगे! पर अभागे भारतवासियों के जीवनों का मूल्य ही क्या है। ग़ुलामों की मृत्यु भेड़ और बकरियों की मृत्यु है!

परन्तु इस स्थान पर हम भारत-सरकार को पूर्ण-रूप से सावधान करना अपना कर्तव्य समझते हैं। हम पत्रकार हैं और पत्रकार का पवित्र कर्तव्य हमें वाध्य करता है कि हम निष्पक्ष एवं निर्विकार भाव से सरकार की नाशकारी नीति के भयावह परिणामों की ओर उसका ध्यान आकर्षित करें। हम चाहते हैं कि भारत-सरकार के उद्योग से अखिल भारतीय रेलवे-बोर्ड और अखिल भारतीय कर्मचारी-सङ्घ में सन्तोषप्रद समझौता हो जाय। अन्यथा यदि सङ्घ को भारतव्यापी रेलवे-हड़ताल के लिए बाधित किया गया और उन्होंने यदि हड़ताल के अपने अन्तिम शस्त्र का प्रयोग किया तो सरकार और अन्य रेलवे कम्पनियों को प्रति दिन करोड़ों का नुक़सान होगा। इतना ही नहीं, यदि यह सर्वव्यापी हड़ताल सफल हुई, जिसकी सफलता के विरुद्ध सोचने के लिए हमारे पास कोई भी साधन नहीं है, तो एक दिन के लिए भी इतने बड़े देश का शासन चलाना सरकार के लिए कठिन हो जायगा।

साथ ही हम इस स्थान में सङ्घ से भी कुछ निवेदन करना अपना कर्तव्य समझते हैं। हमें उसकी कठिनाइयों से पूर्ण सहानुभूति है और हम उसके भावों का आदर करते हैं। फिर भी हम उसे यह परामर्श अवश्य देंगे कि वह यथाशक्ति मामले के सुलझाने का प्रयत्न करे तथा इस पवित्र प्रयत्न में जहाँ तक सम्भव हो, नम्रता एवम् सहनशीलता से काम ले। मनुष्य-जीवन में समझौतों का महत्व बहुत ही बड़ा है, पर यदि सङ्घ के सारे प्रयत्नों पर भी कोई उचित एवम् सम्मानपूर्ण समझौता न हो सका तो हड़ताल के दुखद उपाय के अतिरिक्त उन्हें अन्यत्र शरण है ही कहाँ?

* * *

काट-छाँट और पुरस्कार

इधर केन्द्रीय एवम् भिन्न-भिन्न स्थानीय सरकारों से नौकरी तथा अन्य कई विभागों में काट-छाँट करने के समाचार आ रहे हैं। अभी उस दिन शिमले की ख़बर थी कि काट-छाँट वाली इस नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चय किया है कि वायुयान-विभाग के तथा उसके अड्डों के सम्बन्ध में जो ख़र्च होने वाला था, वह बिल्कुल ही बन्द कर दिया जाय। इस कार्यक्रम में भारतीय रियासतों के वायुयान-विभाग वाले अड्डों के बनाने का काम भी सम्मिलित है। इसके बाद ही दूसरा समाचार आया है कि केन्द्रीय सरकार स्टेट ब्राडकॉस्टिङ्ग (बेतार का तार) विभाग के व्यय में भी काट-छाँट करने वाली है। कुछ दिन हुए मद्रास-सरकार के द्वारा मद्रास ऑबज़रवेटरी (Madras Observatory) के बन्द कर देने की भी सूचना मिली थी। भारत के अन्य स्थानीय सरकारों के द्वारा भिन्न-भिन्न अन्य अनुचित काट-छाँट के समाचार नित्य ही आ रहे हैं। कहीं बेचारे ग़रीब क्लर्कों की काट-छाँट हो रही है, तो किसी विभाग से चपरासी, चौकीदार तथा अन्य निम्न श्रेणी के कर्मचारी निकाले जा रहे हैं!

हम स्वयं काट-छाँट के पक्षपाती हैं। संसार की इस आर्थिक सङ्कट के अवसर में भारत-सरकार के व्यय में काट-छाँट होना केवल उचित ही नहीं, वरन् आवश्यक एवम् अनिवार्य समझते हैं। परन्तु किस विभाग में काट-छाँट होना चाहिए और किस विभाग में नहीं, इस व्यवस्था में हमारा केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों से घोर मतभेद है।

वायुयान-विभाग और बेतार का तार-विभाग ये दोनों ही चीज़ें आधुनिक विज्ञान के अन्तिम और प्रमुख आविष्कार हैं। भारत के अतिरिक्त अन्य सभी देशों में इन विभागों का ख़ूब ही प्रचार हो रहा है। यूरोपीय देशों में जहाँ इस बात का सफल प्रयत्न किया जा रहा है कि देश का बच्चा-बच्चा हवाई-उड़ान की विद्या में विशारद हो तथा जन-साधारण में सर्वत्र बेतार के तार का समुचित उपयोग हो; वहाँ भारत-सरकार इन दोनों विभागों में, जो पहले से ही बहुत अपूर्ण रूप में थे, काट-छाँट कर भारतवासियों को सभ्य-संसार के विज्ञान सम्बन्धी इन दो आवश्यक अङ्गों से वञ्चित कर रही है!

इस समय भारत के करोड़ों रुपए उन भारी-भारी अफ़सरों की तनख़्वाहें, भत्ता और पेन्शनों में स्वाहा हो रहे हैं, जो न तो भारतीय हैं और न उन्हें भारतीय ढङ्ग से ही तनख़्वाह दी जा रही है। दरिद्र भारत की गाढ़ी कमाई से अङ्गरेज़ अफ़सरों को जो विशाल रक़म दी जा रही है, वह सर्वथा अनुचित और निन्दनीय है। और सब से दारुण बात तो यह है कि सरकारी व्यय कम करने के लिए जब काट-छाँट की आवश्यकता पड़ती है, तो सरकार या तो सार्वजनिक विभाग के छोटी-छोटी तनख़्वाह पाने वाले लोगों के वेतन में काट-छाँट करती है अथवा निर्धन एवं असहाय भारतीय क्लर्कों और शारीरिक काम करने वाले निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को नौकरी से अलग करती है। यह दारुणता उस समय भीषण रूप ग्रहण कर लेती है, जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि उन अभागों के निर्वाह के लिए न तो इस देश में इङ्गलैण्ड की भाँति कोई "ग़रीब-क़ानून" (Poor Law) ही है और न उनके निर्वाह का कोई अन्य साधन ही है। परन्तु अभागे भारतीय चाहे भूखे मर जायँ अथवा आत्म-हत्या कर लें, पर इससे सरकार के रुख़ में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह अबाध गति से चल रही है और भविष्य में इसी प्रकार चलती रहने का यत्न करती रहेगी! जो सरकार एक देश का शासन दूसरे देश के हित के लिए करती है, जिस सरकार का उद्देश्य भारत को अनन्त काल तक दरिद्र और ग़ुलाम बना कर ब्रिटेन को संसार का सब से शक्तिशाली साम्राज्य बनाना है, उस सरकार को अभागे भारतवासियों की हाहाकार-भरी दरिद्रता से क्या प्रयोजन? अन्यथा केन्द्रीय सरकार केवल सेना-विभाग से ही कम से कम तीस करोड़ प्रति वर्ष बहुत आसानी से बचा सकती थी। बड़े-बड़े अफ़सरों की तनख़्वाहें, भत्ता और पेन्शनों में कमी कर इससे भी बड़ी रक़म बचाई जा सकती थी। इसके बाद केन्द्रीय सरकारों के द्वारा पुलिस-विभाग तथा बड़े-बड़े अफ़सरों पर व्यय की जाने वाली अपार सम्पत्ति में काट-छाँट किए जाने पर करोड़ों रुपए की बचत होती। उस अवस्था में न तो भारत-सरकार की साख ही विश्व के बाज़ार में कम होती (?) और न भारत की साख क़ायम करने के लिए ब्रिटेन को चिन्ता (!) ही करनी पड़ती। पर यहाँ तो एक दूसरा ही दृश्य है। एक ओर दरिद्रता का भीषण साम्राज्य अपनी नग्न पाशविकता के साथ उपस्थित है और दूसरी ओर ब्रिटेन का लौह-शासन हमारे सिर पर अपनी सारी भीषणता से खड़ा है। इतना ही नहीं, दरिद्रता की मारी हुई इस भूमि में प्रत्येक प्रान्तीय सरकार इस आर्थिक सङ्कट के समय भी पुलिस तथा उन लोगों को पुरस्कार बाँटने में संलग्न है, जिन्होंने गत सत्याग्रह आन्दोलन में सरकार की सहायता की है। इस पुरस्कार के सम्बन्ध में केवल मद्रास सरकार ने ही ४८ हज़ार,६२ रुपए व्यय किए हैं। अन्य प्रान्तीय सरकारों के सम्बन्ध में यदि यही हिसाब रक्खा जाय तो क्या उस ख़र्च से मद्रास ऑबज़र्वेटरी जैसी कई उपयोगी संस्थाएँ और भी स्थापित नहीं की जा सकती थीं? यह बात सरकार के लिए कितनी निन्दनीय है, वह स्वयं ही इसका अनुभव कर सकती है।

* * *

हमारी भयानक दरिद्रता

ब्रिटेन के सम्पर्क से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में इस देश की दरिद्रता एक प्रकार से इस देश-वासियों की पैतृक सम्पत्ति हो गई है; यह बात देश के आर्थिक जीवन की दो स्पष्ट प्रवृत्तियों से भली भाँति

प्रकट हो जाती है। प्रथम यह कि प्रत्येक मनुष्य की आय सन् १८६६ से लेकर सन् १९३० तक तनिक भी नहीं बढ़ सकी है। दूसरी यह कि शिल्प और कला के क्रमशः विनाश के कारण रोज़गार करने वालों की संख्या घटी और कृषि करने वालों की संख्या बढ़ी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि देश के रोज़गार और कृषि की पैदावार, दोनों ही में घाटा होता रहा है।

भिन्न-भिन्न तालिकाओं के देखने से ज्ञात होता है कि इस अभागे देश में पेट की ज्वाला से पीड़ित रहने वालों की संख्या पिछले ३०-४० वर्षों से क्रमशः उन्नति पर है। इसका भयावह परिणाम यह हुआ है कि देशवासियों की जीवन-शक्ति पहले से कहीं अधिक घट गई है। पर एक ओर जहाँ भारतवासियों की जीवन-शक्ति घटी है, वहाँ दूसरी ओर सरकार के द्वारा उन रोगों के रोकने का समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया है, जो आसानी से रोके जा सकते हैं। परिणाम-स्वरूप इस अभागे देश में सन् १९०१ से लेकर सन् १९२१ ई० तक अर्थात् केवल २० वर्षों में मलेरिया से मरने वालों की संख्या एक करोड़, अस्सी लाख है। मलेरिया एक ऐसा रोग है, जिसका भरपूर नियन्त्रण किया जा सकता है तथा उचित उपाय करने से जिसे सदा के लिए देश से हटाया जा सकता है। उपरोक्त अवधि में प्लेग से मरने वालों की संख्या अस्सी लाख है। तात्पर्य यह कि इस देश के अभागे मनुष्यों की जीवन-शक्ति का इतना अधिक ह्रास हो गया है कि वे मलेरिया जैसे रोग के, जिसका प्रतिबन्ध भली भाँति किया जा सकता है, आक्रमण से भी सहज ही प्राण खो देते हैं।

एक ओर तो पेट की ज्वाला से उनकी जीवन-शक्ति का ह्रास होता जा रहा है; दूसरी ओर अपने वर्तमान कष्टों को सहन न कर सकने के कारण वे अपने जीवन के विरुद्ध विद्रोह करने लगे हैं। उन अभागों को मृत्यु की शीतल गोद में सब से अधिक विश्राम और शान्ति मिलती है। पेट-ज्वाला से विवश होकर आत्म-हत्या करने वाले ऐसे लोगों के समाचार चारों ओर से आ रहे हैं। कुछ दिन हुए लाहौर में एक सिक्ख रेलवे गार्ड ने इसलिए आत्म-हत्या करली कि रेलवे की नौकरियों की काट-छाँट में उस बेचारे की भी नौकरी छूट गई। दो महीने पूर्व ही उस अभागे का विवाह हुआ था। अभी कुछ ही दिन हुए डूँगरीवाड़ी (बम्बई) में रहने वाले किसी शेख़ ग़ुलाम हुसैन की आत्म-हत्या की भी ख़बर मिली थी। अब बम्बई के अनन्तराम राव नामक तथा बङ्गाल के सुशीलकुमार दत्त नामक व्यक्तियों की आत्म-हत्याओं के समाचार आए हैं। कहते हैं कि अनन्तराम राव एक साल से बेकार था और कोई रोज़गार न मिलने के कारण परेशान हो गया था। सुशीलकुमार की आत्म-हत्या के सम्बन्ध में पुलिस की जाँच से यह मालूम हुआ कि वह एक सौदागर के यहाँ बहुत थोड़े वेतन पर नौकर था तथा उसका भाई बिल्कुल बेकार था और भरपूर यत्न करने पर भी उसे कहीं भी नौकरी न मिल सकी। इस दारुण परिस्थिति में अपने परिवार वालों का कष्ट उससे न देखा गया और उसने नाइट्रिक एसिड खाकर आत्म-हत्या कर ली।

इस अभागे देश में पेट की ज्वाला से आत्म-हत्या करने वालों की यही संख्या है, सो बात नहीं। ये तो कतिपय वे उदाहरण हैं, जो सुविधा के अनुसार अख़बारों में आ सके हैं। इस दरिद्र देश की विस्तृत भूमि में न जाने कितने सुशीलकुमार और अनन्तराम राव होंगे, यह कौन कह सकता है?

यहाँ एक बात और भी महत्वपूर्ण है। वह यह कि उपरोक्त आत्म-हत्या करने वाले शिक्षित रहे हैं। इससे यह बात प्रकट होती है कि बेकारी और भूख की ज्वाला केवल अपढ़ और मज़दूर श्रेणी के लोगों में ही सीमित नहीं है। अब तो पेट की ज्वाला उन लोगों को भी जलाने लगी है, जो शिक्षित कहे जाने वाले हैं। देश की इस भयानक दरिद्रता में भी देश की आय का लगभग आधा भाग सेना में व्यय किया जाता है तथा शिमले और नैनीताल, दार्जिलिङ्ग और राँची......के शैल-शिखरों के राजसी वैभव में कुछ कमी नहीं होती। दरिद्रता के इस दारुण-उपहास में स्वेच्छाचारपूर्ण शासन का यह नग्न-ताण्डव और कहाँ देखने को मिल सकेगा। फिर भी ब्रिटेन के पत्रकार भारत की राजनीतिक अशान्ति एवम् सत्याग्रह आन्दोलन को कोसते हुए नहीं थकते। उनका कहना है कि भारत अराजकता की ओर बढ़ रहा है! हम तो कहते हैं कि जिस अभागे देश को शासन-व्यवस्था के द्वारा होने वाली दरिद्रता से ऊब कर मनुष्य मृत्यु की शरण में विश्राम करने और शान्ति पाने के लिए लालायित रहता है, उस देश की वर्तमान शासन-प्रणाली से अराजकता का शासन भी अच्छा और श्रेयस्कर है! भारत इस महान सत्य को समझता है और भारत की वर्तमान राजनीतिक अशान्ति के मूल में इस सत्य की सारी शक्तियाँ संलग्न हैं।

* * *

आज़ादी का पुरस्कार

इस विदेशी सल्तनत में कोई भी व्यक्ति स्वतन्त्रतापूर्वक अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकता—चाहे वह अर्थशास्त्रज्ञ हो, प्रकाण्ड पण्डित हो या राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता हो! बम्बई विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान और अन्यतम-प्रोफ़ेसर श्री० के० टी० शाह को भी—जो अपनी निर्भीकता, मौलिक विचार-धारा, एवं अक्षुण्ण प्रतिभा के लिए भारतवर्ष के अर्थ-शास्त्र-संसार में अद्वितीय समझे जाते हैं—अपनी स्वतन्त्र विचार-शैली की क़ीमत चुकानी पड़ी है! नौकरशाही के हाथ की कठपुतली बम्बई यूनिवर्सिटी ने यह तय किया है, कि इस वर्ष के उपरान्त प्रोफ़ेसर साहब वहाँ न रहें। प्रो० शाह बम्बई विश्वविद्यालय के उन जगमगाते हीरों में से हैं, जिनके लिए सारे देश को गर्व हो सकता है! प्रो० शाह का क़ुसूर सिर्फ़ यही है, कि उन्होंने सरकार के पाखण्ड एवं धूर्ततापूर्ण (Exchange policy) विनिमय-नीति पर स्वतन्त्रतापूर्वक विवेचन किया था और इसी कारण वे इस पराधीन देश की सरकार की आँखों में खटके! अपने विचारों को छिपा कर वे सरस्वती का अपमान नहीं कर सकते थे। अतएव वे अपने सिद्धान्त पर दृढ़ रहे—उन्होंने न तो अपनी स्पष्टवादिता के लिए खेद ही प्रकट किया और न क्षमा-याचना ही की।

उनकी "भारतीय सम्पत्ति के साठ साल" नामक पुस्तक इस धाँधली और रक्त-शोषण के युग में भारत की आर्थिक परिस्थिति पर बहुत काफ़ी प्रकाश डालती है। प्रोफ़ेसर शाह स्वतन्त्रतापूर्वक सोचने और निर्द्वन्द्वतापूर्वक अपने विचार प्रकट करने वालों में हैं! उन्हें अपने पद से हटा कर सरकार ने अपनी नीच एवं कलुषित मनोवृत्ति का परिचय तो दिया ही है, किन्तु इस कार्य ने बम्बई विश्वविद्यालय के मस्तक पर भी कलङ्क-कालिमा पोत दी है, उसे सारे समुद्र का जल भी न धो सकेगा!!

* * *

राष्ट्रीय आन्दोलन में ३ हज़ार सरहदी वीराङ्गनाएँ

सहयोगी 'मिलाप' के सम्बाददाता ने ख़बर दी है कि गत २८ और २९ जून को पेशावर के गूजरगढ़ी नामक स्थान में एक ज़बरदस्त सार्वजनिक सभा हुई थी। सभा-नेत्री का स्थान मियाँ शाकिरउल्लाह साहब की बेगम महोदया ने ग्रहण किया था। इस सभा में तीन हज़ार महिलाएँ भी उपस्थित थीं। खद्दर-प्रचार तथा दफ़ा ८ के विरुद्ध कई महत्वपूर्ण भाषण हुए। प्रस्तावों का समर्थन करती हुई बेगम अमीर ख़ाँ ने महिलाओं की ओर से कहा कि ईश्वर न करे, अगर हमारे नवयुवक इस आन्दोलन में असफल रहे, तो हम स्त्रियाँ इसे सफल बनाएँगी। उपस्थित महिलाओं ने एक स्वर से इस उक्ति का समर्थन किया।

छावनी की सड़क पर ख़ुदाई ख़िदमतगारों के जाने की मनाही

नौशहरा में ख़ुदाई ख़िदमतगार रोके गए!

मरदान, २९ जून। कई दिन हुए ख़ुदाई ख़िदमतगारों का एक जत्था रिसालपुर छावनी की सड़क से जा रहा था। परन्तु पुलिस ने छावनी-मैजिस्ट्रेट की आज्ञा से उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। पूछने पर मालूम हुआ कि यह छावनी की सड़क है, इस पर से रात के समय ख़ुदाई ख़िदमतगार नहीं जा सकते! अन्त में एक वकील साहब के इत्तला देने पर स्वयं मैजिस्ट्रेट साहब मौक़े पर आए और पुलिस वालों को समझाया कि यह साधारण रास्ता है। तुम्हें इन्हें रोकने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही आपने पुलिस की आज्ञा का लिहाज़ करते हुए ख़ुदाई ख़िदमतगारों को दूसरे रास्ते से चले जाने का अनुरोध किया।

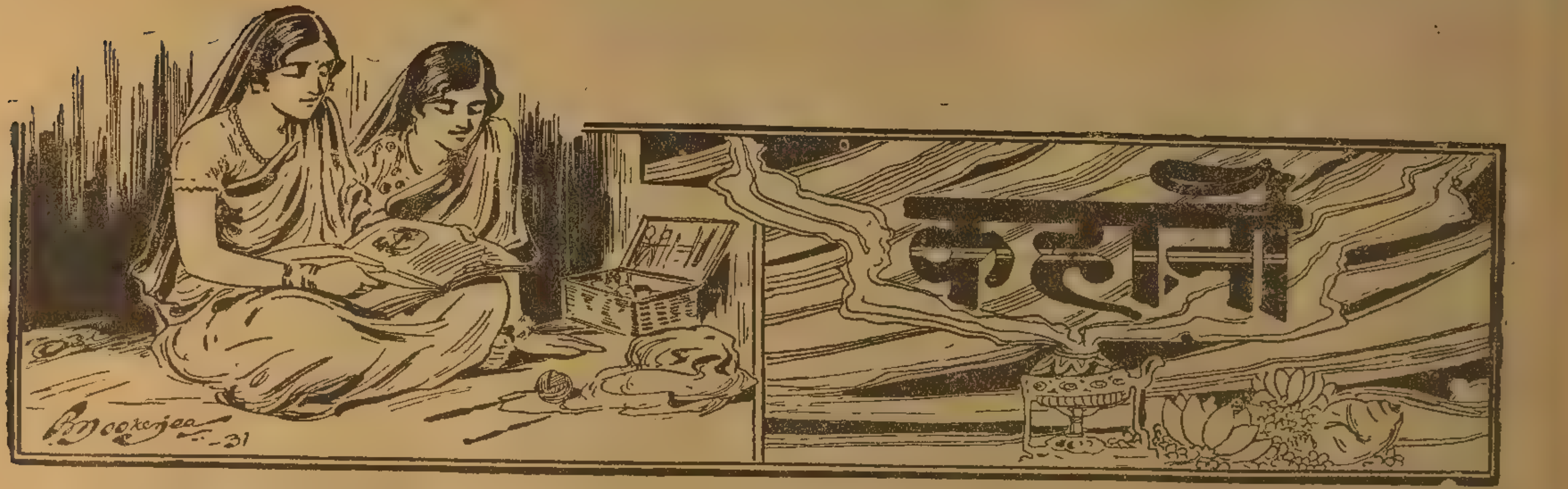
गोरे सार्जेण्ट पर गोली

उटाकामण्ड (मद्रास) की तारीख़ २९ वीं जून की ख़बर है कि मेजर गुडमेल नाम के एक गोरे सार्जेण्ट को किसी ने गोली मार दी। कहते हैं, उक्त गोरा सार्जेण्ट रात को अपने हल्के में गश्त लगा रहा था, वहाँ उसे एक शराबी मिला, जो नशे में बदहोश था। सार्जेण्ट ने अपनी नोटबुक में उसका नाम आदि लिख लिया। इसके बाद वह अपने वासस्थान पर चला आया और ज्योंही आकर आरामकुर्सी पर बैठा, त्योंही एक व्यक्ति उसे पूछता हुआ आया और गोली दाग़ दी। सार्जेण्ट वहीं ढेर हो गया!

सिक्ख गुरुद्वारे में बम का सन्देह

पञ्जाब में पत्तोकी नाम का कोई स्थान है और सिक्खों का एक गुरुद्वारा भी है। कहते हैं, गुरुद्वारे के ग्रन्थी (पुजारी) भाई सुन्दरसिंह ने कौवों को भगाने के लिए एक बोतल में पोटास और मैनसिल पीस कर डाल रक्खा था और आवश्यकता पड़ने पर कौवों को भगाने के लिए पटाख़े बना कर व्यवहार में लाया करते थे। एक दिन उन्होंने बोतल अपनी लड़की को रखने के लिए दी। लड़की ने कौतूहलवश उसे हिला दिया, जिससे बोतल फट गई और बालिका की तीन अँगुलियों में चोट आ गई, इसलिए लड़की अस्पताल भेजी गई। डॉक्टर ने घटना की इत्तला थाने में करा दी। फलतः पुलिस ने ग्रन्थी महोदय के घर और गुरुद्वारे की तलाशी ली, परन्तु बोतल के टुकड़ों के सिवा और कोई सन्देहजनक वस्तु न मिली। ग्रन्थी जी गिरफ़्तार होकर ज़मानत पर छूटे हैं।

* * *



करुण-कहानी

[श्री० ऋषभचरण जी जैन]

पञ्जाब के एक नामी शहर में एक आर्य-समाजी के घर मेरा जन्म हुआ था। वहीं बचपन के लाड़ों में खेली, वहीं किशोरावस्था के मीठे राग गाए, वह जवानी की मधुर तरङ्गों का अनुभव किया, वहीं एक दिन धूम से दूल्हे की बग़ल में बैठ कर सुहागिन बनी और वहीं एक दिन सुहाग की वे प्यारी-प्यारी चूड़ियाँ भी तोड़नी पड़ीं !

इसके बाद वहाँ और क्या-क्या हुआ ? ओह ! उसे कहते रोंगटे खड़े हो जाते हैं ! पर कहूँगी ज़रूर ; बिना कहे नहीं रह सकती ! क्योंकि यह तो पानी का प्रवाह है, जब तक बाँध मज़बूत रहा, रुका रहा और जब बाँध टूट गया तो उसे कौन रोक सकता है ?

माँ-बाप की हम दो बेटियाँ थीं। बहिन मुझसे छः बरस बड़ी थीं। माँ का साया बचपन में ही हम पर से उठ गया था। बहिन ने माँ की जगह ले ली। यानी माँ के प्यार की कमी मुझे महसूस न हुई और अगर बहिन को मैंने पूरे अर्थों में माँ न समझा, तो केवल बहिन भी न समझा।

बहिन ने ऊँचे दर्जे की अङ्गरेज़ी शिक्षा पाई थी। प्रकृति उनकी अत्यन्त गम्भीर और दृढ़ थी। तो भी मेरे लिए उनके हृदय में जो अतुल वात्सल्य छलछला रहा था, उसकी झाँकी अक्सर मुझे मिल ही जाती थी।

बहिन ने एम० ए० पास किया था और मैं पढ़ी थी एफ़० ए० तक। पिता मुझ पर ज़्यादा स्नेह करते थे। ज़्यादा दिन तक बोर्डिङ्ग हाउस में रख कर मेरा वियोग सहना उन्हें मञ्ज़ूर न हुआ। बहिन ने उनके इस स्नेह का प्रतिवाद किया, पर परास्त हुईं, और मुझे बोर्डिङ्ग से उठ जाना पड़ा।

पिता मुझे ज़्यादा प्यार करते थे, इसके कई कारण हैं। बहिन ने ज़्यादा समय पिता से अलग रह कर ही बिताया था और मैं छुटपन से उनके पास ही रही। बहिन गम्भीर थीं और हमेशा पढ़ने-लिखने में लगी रहती थीं, परन्तु मैं पिता जी के बुढ़ापे की लकड़ी बनी हुई थी। बहिन का रङ्ग ज़रा साँवला था, और मैं अनिन्द्य सुन्दरी थी। फिर एक बात और भी थी, मेरी सूरत माँ से क़रीब-क़रीब मिलती-जुलती थी।

मैं थी अठारह वर्ष की और बहिन थीं चौबीस की। पिता जी चाहते थे कि बहिन ब्याह कर लें, पर वे कुछ ध्यान न देती थीं। लाइब्रेरी से रोज़ ढेरों किताबें लातीं और पढ़तीं। न जाने क्या धुन समा गई थी, कि ब्याह की बात सुनतीं तो हँस कर टाल देतीं, या भृकुटी चढ़ा लेती थीं ! पिता जी अपनी भूल पर सिर धुनते और पछताते थे ! क्यों कन्या को ऐसी आज़ादी दी ? कुछ कहना चाहते थे, पर लड़की की लियाक़त का लिहाज़ करके चुप रह जाते थे।

अपनी भूल को दोहराना उन्हें मञ्ज़ूर न था। इसलिए सतर्क हो गए और कॉलेज से मुझे बुला लिया, साथ ही उसी साल मेरा ब्याह कर देने की भी तैयारी करने लगे।

उन्हीं दिनों एक नई बात मैंने सुनी। बहिन ब्याह करने का विचार कर रही थीं। शायद कोई मन-माफ़िक़ वर उन्हें मिल गया था। ख़बर कुछ उड़ती सी थी और हँसते-हँसते सुनाई गई थी, पर मैं ख़ुशी से उछल पड़ी। क्यों उछल पड़ी, इसका वैज्ञानिक समाधान करना मेरे बस की बात नहीं।

दो हफ़्ते बाद तक इस विषय की और कोई बात मैंने न सुनी। अठारह बरस की होने पर भी मैं एक भोली बालिका थी, सारा समय खेल-कूद में बिता देती थी। बस, वह चर्चा मुझे भूल सी गई।

एक दिन बहिन के साथ 'वे' घर पर आए। ओहो ! कैसा था वह रूप ! हँसी तो लुप्त होने का नाम न लेती थी ! आँखें भोली, रङ्ग धूप जैसा, शरीर सुगठित और निर्दोष चेहरा एक अपूर्व तेज से चम-चम कर रहा था ! छरहरा बदन, लम्बा क़द, अङ्गरेज़ी वेश-भूषा और बातचीत का ढङ्ग बड़ा ही आकर्षक और मोहक था ! हाय ! वह मूर्ति अब कहाँ विलीन हो गई !

मैं पापिन उनका नाम न बताऊँगी। वे स्वर्ग के देवता, साक्षात् भगवान के अवतार, सभ्यता और सरलता की मूर्ति और मैं नरक-गामिनी इस जली जीभ से कैसे उनका नाम लूँ ? बहिन ने उनका परिचय मुझसे कराया। वे उसी साल विलायत से लौटे थे और दो हज़ार रुपए पर नौकर थे। उस दिन टी-पार्टी का जो छोटा-मोटा संस्करण हुआ था, पिता जी भी उसमें शामिल थे। बहिन ने पिता जी से भी उनका परिचय कराया था और मुझे ख़ूब याद है, पिता जी उन्हें देखते एकबारगी उन पर मोहित हो गए थे !

उस दिन बहिन ने मानो गम्भीरता की चादर उतार दी थी। ख़ूब हँस और हँसा रही थीं, मुझ पर ढाल-ढाल कर बहुत सी चोज़ भरी बातें कह रही थीं और उनके साथ मिल कर मुझे ख़ूब झेंपा रही थीं। पिता जी तो किसी काम से या किसी काम का बहाना करके, बीच में ही चले गए थे, हम तीनों में वह क़हक़हे उड़े कि जिसका नाम !

बहिन के साथ वे भी हँसते थे। पर मैंने अनुभव किया, कि यह साथ मानो उन्हें ज़बरदस्ती देना पड़ता था। मैं तो बहिन के अत्याचार का शिकार बनी हुई थी ; कुछ बोल नहीं रही थी, इसलिए रह-रह कर उनकी तरफ़ देखती और शर्म से आँखें नीची कर लेती। वे भी बहिन की नज़र बचा कर कनखियों से मुझे देख लेते थे, और सहसा उनके मुँह का भाव बदल जाता था। परन्तु मुझे तो बहिन की नज़र बचाने की ज़रूरत पड़ती न थी, क्योंकि उसका अत्याचार मानो मुझे शर्मिन्दा करने के लिए ही था और मेरी भाव-भङ्गी उस अत्याचार के प्रतिकार की ओट में छिप जाती थी ! उन्हें बहिन की नज़र बचाने की ज़रूरत क्यों पड़ती थी, इसका भेद मुझे आगे चल कर मालूम हुआ।

चाय पी चुके थे, कि एक सखी के यहाँ से बहिन की ज़रूरी बुलाहट आ गई और वे उनसे क्षमा माँग कर चली गईं। वे गईं, कि पिता जी आ गए और ड्रॉइङ्ग रूम में न जाने क्या-क्या बातें करते रहे।

कुछ देर बाद नौकर के द्वारा उन्होंने मुझे भी वहीं बुला लिया। दोनों आराम-कुर्सियों पर बैठे थे। मैं भी जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई। दो-चार मिनिट तो पिता जी ने उनसे इधर-उधर की बातें कीं, फिर चुप हो गए।

तब उन्होंने—ना, नाम न बताऊँगी—मेरी तरफ़ मुँह उठा कर बातें शुरू कीं—"आप क्या पढ़ती हैं ? क्या करती हैं ? क्या जानती हैं ? अमुक पुस्तक पढ़ी है या नहीं ? अमुक पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए।" इत्यादि।

आख़िर मैं सयानी थी, बहुत कुछ समझती थी। इन सब प्रश्नों से मैंने बहिन की टी-पार्टी और व्यंग्य अत्याचार का मेल मिलाया, और उनकी छिपी नज़रों का स्मरण किया, तो जैसे एक बिजली सी मेरे शरीर में दौड़ गई, और एक मधुर भविष्य की कल्पना से रोमाञ्चित होकर मैं उसी दम वहाँ से उठ गई !

२

दो घण्टे बाद बहिन वापस आईं। आते ही हँस कर बोलीं—क्यों, क्या चले गए ?

"हाँ।"—मैंने शर्मा कर उत्तर दिया।

"नाराज़ तो नहीं कर दिया ?"

मैंने अजीब सा भाव बना कर कहा—चलो हटो !

मुझे याद है, कि बहिन मेरे इस भाव पर कुछ चौंकी थीं, तो भी ज़्यादे ध्यान न देकर उसने पूछा—तुझे कैसे लगे ?

मैं तुनुक कर बोली—छिः ! कैसी बातें पूछती हो ?

बहिन फिर चौंकीं और बोलीं—तुझे मेरी क़सम, सच बता। कोई बात ख़राब तो नहीं लगी ?

मैं समझ गई, बहिन मेरी स्वीकृति ले रही हैं। मैंने संक्षेप में उत्तर दिया—नहीं।

बहिन ख़ुशी-ख़ुशी ड्रॉइङ्ग रूम की तरफ़ चलीं। मैं भी उनके पीछे-पीछे गई। न जाने कैसी वह उत्सुकता थी कि बैठी न रह सकी ! बहिन घुस गईं ड्रॉइङ्ग रूम में और मैं खड़ी हो गई बाहर दरवाज़े पर !

रात हो गई थी, बत्तियाँ जल चुकी थीं। ड्रॉइङ्ग रूम में पिता जी कुर्सी पर बैठे किताब देख रहे थे। बहिन जाकर उनके सामने बैठीं। पिता जी ने किताब मेज़ पर रख दी और तुरन्त ही कहा—बेटी, तुम उन्हें छोड़ कर क्यों चली गईं ?

उस दिन पहले-पहल मैंने बहिन को लजाते देखा। सिर झुका कर बोलीं—एक ज़रूरी काम था ?

पिता जी बोले—बड़ा होनहार नौजवान है !

बहिन इस बार सँभल गईं और सिर उठा कर बोलीं—मुझे तो उनका चरित्र बहुत ऊँचे दर्जे का जान पड़ा !

"बेशक ! देख कर मेरा तो दिल बाग़-बाग़ हो गया !"

बहिन का मस्तक झुके बिना न रह सका।

"बेटी, एक बात कहता हूँ।"

"जी ?"

"मैं अगर इन्हें दामाद बना लूँ, तो ?"

बहिन का मस्तक और झुक गया और मैंने देखा था, उसका शरीर रोमाञ्चित हो उठा था।

"मैंने दोनों की बातचीत भी करा दी है। अभी निश्चित उत्तर तो नहीं दिया, पर आशा होती है कि मान जाएँगे !"

मैंने देखा, पिता जी की बात पूरी सुने बिना ही बहिन चिहुँक पड़ी थीं, और हठात् सिर ऊपर उठ गया था।

पिता जी अपनी ही धुन में कहते रहे—सरला (मेरा नाम है) को उन्होंने ख़ूब पसन्द किया है। तुम जानती हो, मैं इस विषय में लड़के-लड़की को पूरी आज़ादी देने का पक्षपाती हूँ। वे तो क़रीब-क़रीब राज़ी हैं, तुम ज़रा सरला से पूछ लेना !

बहिन ने क्षण भर में ही सब कुछ स्थिर कर लिया और रुँधे गले से कहा—वह भी राज़ी है; ब्याह हो जाना चाहिए !

इसके बाद वह उठ कर बाहर आने लगीं। मैं हट गई। लेकिन बहिन ने मुझे देख लिया और हँस कर बोलीं—सरला, वे जो आज शाम को आए थे न, उनके साथ तेरा ब्याह होगा। बोल, राज़ी है न ?

उस वक़्त तो हर्षातिरेक से लजा कर मैं भाग गई थी, पर ब्याह के बाद ख़ुद उनके मुँह से मुझे मालूम हुआ कि बहिन ने कैसा महान त्याग मेरे लिए किया !

३

ब्याह हुआ। तीन साल तीन दिन की तरह उड़ गए। मैं एक सुन्दर बच्चे की माँ बन गई। स्वामी के स्नेह-रस में चौबीस घण्टे डूबी रहती थी। तीन साल में कभी उन्होंने मेरी आधी बात भी न टाली। उनके वे मधुर संस्मरण इस समय कैसी तीव्र वेदना का अनुभव करा रहे हैं ! कभी मुझे ज़ुक़ाम हो गया, तो उन्होंने रुपए को रुपया न समझा, देह को देह न समझा और न खाने-पीने की परवाह की।

परन्तु, उफ़ ! मैंने उनके स्वर्गीय स्नेह का निन्दनीय उपयोग किया। यह लालसा उनके मन में रही, कि मैं किसी दिन अपने हाथ से रोटी करके उन्हें खिलाऊँ। यह ख़्वाहिश आख़िरी दिन तक उनके दिल में रही कि मैं अपने मुँह से किसी चीज़ की फ़र्माइश उनसे करूँ। शादी के बाद तीन साल तक वे इस संसार में रहे, और पहले छः महीने के बाद हमेशा उनके दिल में यह लालसा रही कि मैं उनके साथ जाकर उनकी मित्र-मण्डली से परिचय प्राप्त करूँ, मित्रों के सामने मेरी सुन्दरता पर गर्व करने का सुख वे लूटें और जवानी तथा सौन्दर्य के रङ्गीन दरिया में ग़ोते लगा कर सच्चे और स्वर्गीय सुख का अनुभव करें। पर मैं अभागिनी ऐसी बिगड़ी—ऐसी बही, कि उनका सरल-स्नेह भी मुझे अपनी तरफ़ खींचने में असमर्थ हो गया। वह जाते ऑफ़िस, तो मैं जाती स्कूल की सहेलियों के पास; वह क्लब जाते, तो मैं मोटर लेकर जमुना किनारे पहुँचती; वे जाते सिनेमा, तो मैं घर में बैठ कर नॉविल पढ़ती ! यानी उनकी छाया से, उनकी बू से, और उनके साथ से मुझे यहाँ तक विरक्ति हुई कि एक बार वे गर्मियों में पहाड़ जाना चाहते थे और मुझे चलने को कहा, तो मैंने साफ़ इन्कार कर दिया। आख़िर वे भी रह गए। उस दिन सुबह से शाम तक उनका मन उदास रहा।

एक दिन की बात है। बच्चा पैदा हो चुका था। अकस्मात् पिता जी गेरुए कपड़े पहने मेरे पास आए और एक रजिस्ट्री-शुदा दान-पत्र मुझे सौंप कर बोले—बेटी, मेरा सर्वस्व तेरा है। लीला (बड़ी बहिन) ने बड़ी मुश्किल से सिर्फ़ एक मकान लेना स्वीकार किया है। मैंने आज विधि-पूर्वक संन्यास ले लिया है।

जब मैं रो-धो चुकी और वे चलने को तैयार हुए, तो कहने लगे—बेटी, मेरा एक आदेश मानना। अभी हाल में लीला से मालूम हुआ है कि तू उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करती है। देख बेटी, वे ही तेरे सर्वस्व हैं, उन्हीं के चरणों की शरण जाने में तेरी मुक्ति है। बेटी, मैंने तुझे देवता के हाथ सौंपा है। तू लड़कपन और नादानी छोड़, उन्हें पहचान, और उनकी इज़्ज़त करना सीख, यही मेरा अन्तिम आदेश है !

पिता जी तो बिना कुछ जवाब सुने चले गए। और मैं मोटर में बैठ कर बहिन के पास पहुँची। उन्हें ख़ूब खरी-खरी सुनाई। क्यों उसने मेरे निजी मामले में टाँग अड़ाई और मेरी तौहीन की ? ओह ! वह मेरा कैसा दम्भ था ! कितना घोर पतन था !!

४

उस दिन वे मेरे पास आकर बैठ गए। उनकी आँखें लाल हो रही थीं, जैसे रोकर आए हों। मुँह विषण्ण हो

हम किसी के लिए काँटे नहीं बोने वाले

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

तुम यह क्या कहते हो रोते रहें रोने वाले,
दिल के अरमाँ कभी पूरे नहीं होने वाले !
ख़्वाब से चौंकना दुश्वार नज़र आता है,
देखें कब तक यूँही सोते रहें सोने वाले !
महफ़िले नाज़ में हँस-हँस के यह कहना उसका,
अभी क्या रोए हैं, अब रोएँगे रोने वाले !
बारे ग़म से तेरे उश्शाक़ को फ़ुरसत कैसी,
सर उठा सकते नहीं बोझ के ढोने वाले !
बाग़े आलम से गुज़र जाएँगे नकहत की तरह,
हम किसी के लिए काँटे नहीं बोने वाले !
हो चुके बिस्मिले अन्दाज़ हम उनके "बिस्मिल"
अब किसी के लिए बिस्मिल नहीं होने वाले !

* * *

रहा था, जैसे कोई असह्य कष्टप्रद घटना हुई हो। हाथ-पैर काँप रहे थे, जैसे विवशता और कातरता से व्यग्र हो उठे हों।

धीरे से बोले—सरले !

मैं किताब पढ़ रही थी। रुखाई से बोली—हाँ !

"आज क्या हुआ ?"

"कहाँ ?"

"लीलादेवी से तुमने कुछ कहा था ?"

अब मैंने किताब पर से नेत्र हटाए और स्थिर नेत्रों से उन्हें ताक कर बोली—क्यों ? क्या उन्होंने मेरी शिकायत की है ?

उन्होंने नरमी से कहा—नहीं-नहीं।

"फिर ?"

"आज मैं उनके पास गया था। तो बहुत उदास थीं। बहुत पूछने पर उन्होंने तुम्हारी नाराज़ी की बात बताई। प्रिये, लीला स्वर्ग की देवी हैं, तुम्हें उनका अनादर नहीं करना चाहिए था !"

उनका वक्तव्य सुन कर कुछ देर तो मैं निश्चय न कर सकी कि क्या उत्तर दूँ; फिर क्षण भर बाद मेरे मुँह से निकल पड़ा—सभी देवी-देवता हैं, और मैं ऐसी राक्षसी हूँ कि किसी का भी देवत्व नहीं पहचान सकती !

यह कह कर मैं उसी दम कमरे से बाहर निकल गई और दूसरे कमरे में जा बैठी।

तीन-चार मिनिट मैं चुप बैठी रही। फिर किसी का पद-शब्द सुन पड़ा। सिर उठा कर देखा, वे ही थे। वही भाव था, वही चेष्टा और वही चाल थी। आकर वह मेरे पास बैठ गए और रुँधे गले से बोले—देखो सरले, लीलादेवी ने या मैंने कोई बात तुम्हारा दिल दुखाने को नहीं कही थी। यह तुम कैसे कहती हो कि तुम राक्षसी हो ! छिः ! प्रिये, तुम मेरे सामने ऐसी बात मुँह से निकालती हो ! तुम जानतीं नहीं, तुम्हारी ऐसी बातों से मेरे दिल पर कैसी बीतती है !

मैंने ठिनक कर कहा—आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हैं ?

उनकी आँखों में आँसू भर आए। मैं कुछ सहमी और पिघली।

"देखो सरला"—उन्होंने कहना शुरू किया—"तुम्हारी बातें अब बर्दाश्त नहीं होतीं ! अगर तुम अपने पास मेरा बैठना भी नहीं सह सकतीं, तो अभी यहाँ से चला जाता हूँ। मैं तो तुम्हें अपने दिल की मालिक समझता हूँ, तुम्हें सुखी देखना ही मेरे जीवन का सुख है। मैं जानता हूँ, तुम्हारी इस विरक्ति का कारण लड़कपन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पर तुम पुरुष के दिल से वाक़िफ़ नहीं हो, इस तरह की विरक्ति उसके स्वाभिमान को चूर-चूर कर देती है। सरला, ऐसा मनस्वी मैं नहीं हूँ, जो स्वाभिमान को खोकर क्षण भर भी यहाँ बैठूँ। लो, मैं जाता हूँ।"

वे उठ खड़े हुए।

मेरा दुर्भाग्य मेरे सिर पर खेल रहा था। मैं बोल न सकी।

"देखो सरला"—खड़े-खड़े ही उन्होंने कहा—"तुम्हारी बहिन पर मैं श्रद्धा करता हूँ। तुमने उनका अपमान करके ख़ुद मेरा अपमान किया है। तुम बच्ची नहीं, बच्चे की माँ हो, आदमी को समझने की कुछ शक्ति तुममें होनी चाहिए। देखो, लीला ने मेरे-तुम्हारे लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकतीं।"

वे क्षण भर रुके और मेरे कान खड़े होते देख कर फिर बोले—उनका मेरा विवाह स्थिर हुआ था। मेरा-उनका दिल मिल गया था। पर उस दिन तुम्हारे घर आकर सारे मन्सूबे उलट गए। मैं तुम्हें देख कर स्थिर न रह सका और तुमने भी शायद मुझे पसन्द किया। उन्हें ज्योंही इस बात का पता लगा, आकर मेरे पैरों पर गिर पड़ीं और बोलीं—'तुम्हें सरला को ग्रहण करना होगा।' मैंने अपने वचन का स्मरण दिलाया, बहुत हाँ-ना की, पर उन्होंने एक न सुनी; ब्याह करा कर छोड़ा। यही उनके त्याग का इतिहास है। आशा है, तुम उनकी महानता को समझोगी !

मैं स्तम्भित सी हो गई और वे चले गए।

५

वह बात ज़्यादा देर याद न रही, सखी-सहेलियों और सैर-तमाशों को लेकर मैं जल्दी ही उसे भूल गई। मेरी दिनचर्या में भी कोई अन्तर न पड़ा और मैं सन्ध्या-समय मोटर में बैठ कर सखियों के पास पहुँची। उस दिन मैं पिता की लाखों की सम्पत्ति की मालिकन बन गई थी, मेरी ख़ुशी का क्या ठिकाना था ?

कई सहेलियों का विचार-विनिमय हुआ और अगले दिन मोटरों द्वारा मेरठ की नौचन्दी देखने जाना स्थिर हुआ। ख़ुशी-ख़ुशी घर लौटी। उनकी स्वीकृति मिल जाने का तो निश्चय ही था। पर घर आकर पूछने पर

मालूम हुआ कि वे पोलो खेलने जालन्धर चले गए हैं, तीन-चार दिन में लौटेंगे। एक बार तो मन में कुछ धक्का सा लगा, फिर सँभल गई और भगवान को धन्यवाद दिया कि अनायास ही अनुमति माँगने के अपमान से बच गई !

परन्तु हाय ! मैं क्या जानती थी कि भगवान ने सदा के लिए मुझे उस अपमान से बरी कर देने का विधान रच दिया है !!

अगले दिन हम लोग मेरठ चलीं। मेरे सिवा पाँच और साथिनें थीं। दो मोटरें थीं; एक मेरी और एक हसीना की। हसीना का भाई अबुलहसन उसकी मोटर चला रहा था।

हसीना भी एफ़० ए० तक पढ़ी थी और मेरे साथ ही उसने भी कॉलेज छोड़ा था। अबुलहसन चौबीस बरस का था और एम० ए० फ़ाइनल पढ़ता था। शुरू से ही उनके घर मेरा आना-जाना था और अबुलहसन से मेरा कोई पर्दा न था।

यथासमय मेरठ पहुँचे। उनके एक मित्र के बङ्गले में सब लोग ठहरे। दो दिन वहाँ रहे। ख़ूब, नौचन्दी का आनन्द लिया। परन्तु उस हृदय-विदारक घटना का उल्लेख अब मुझे यहाँ कर देना चाहिए, जो अन्त में मेरे अधःपतन और सर्वनाश का कारण हुई। अस्तु।

अबुलहसन के प्रति मेरे मन में एक अभूतपूर्व भाव का अङ्कुर जम गया।

दो दिन बीत चुके थे। अगले दिन लौटने का इरादा था। सहसा शाम को गर्द-ग़ुब्बार में सनी हुई एक मोटर वहाँ पहुँची और लीला उतरी। चेहरा उसका उतरा हुआ था। मुझे देखते ही चिल्ला कर रोती हुई, गले से लिपट गई। जब कुछ देर बीती और रोना थमा तो उसने कहा—हाय सरला, तेरा सुहाग लुट गया।

पोलो खेलते वक़्त वे घोड़े से गिर पड़े, और उसी दम उनका प्राणान्त हो गया !!

६

कह सकती हूँ, कि उस ताज़े घाव ने कुछ दिन के लिए मेरी आँखें खोल दी थीं। सारा संसार एक बार अँधेरा दीखने लगा था, जीवन में मानो कोई मिठास ही न रह गई। सौन्दर्य मानो काट खाने को आता था, वैभव और ऐश्वर्य पाँवों की बेड़ियाँ बन गए और ऊँची अट्टालिका श्मशान-भूमि से अधिक भयानक हो गई !

हफ़्तों रोती रही, महीनों सिर धुनती और पछताती रही, मुद्दतों आँखों का पानी न सूखा और शरीर सूख कर काँटा हो गया। चेहरे की रङ्गत ज़र्द पड़ गई।

बहिन मेरे पास ही रहती थीं। उनका सारा दिन मुझे सान्त्वना देते बीतता था। आधी-आधी रात तक मेरे मनोरञ्जन के लिए नई-नई कहानियाँ सुनाती रहतीं, रोज़ बाज़ार से अच्छी-अच्छी शिक्षाप्रद पोथियाँ मेरे पढ़ने के लिए लातीं, और हर समय मेरे मुँह की तरफ़ इस तरह देखती रहतीं कि मैं कुछ कहूँ, और वह जवाब दें !

कई महीने बीत गए। दुख हल्का पड़ने लगा, याद धुँधली होने लगी, और दिल बहलने लगा। बहिन के आश्वासन और समय की विचित्रता ने अन्धकारपूर्ण संसार में मानो प्रकाश की क्षीण रेखा उत्पन्न कर दी, बच्चे का मुँह देख कर जीवन का कुछ मोह होने लगा, धन-दौलत और परिस्थिति को देख कर मानो कुछ होश सा हुआ।

कुछ महीने और बीते। स्मृति की धुँधली रेखा भी धीरे-धीरे लुप्त हो गई, सखी-सहेलियों मे दिल बहलने लगा, बच्चे की तोतली बातों पर रह-रह कर हँसी आने लगी, कपड़े-लत्ते पहनने की सुध आई और जीवन फिर कुछ आकर्षक मालूम होने लगा।

और कुछ दिन बीते। सौन्दर्य फिर नई आन-बान से चमकने लगा, चञ्चलता का पुनः प्रादुर्भाव हुआ, मन की कलियाँ खिलने लगीं, दिमाग़ के एक कोने में उदासी ने घर जमा लिया, हृदय रह-रह कर जैसे कुछ माँगने लगा शरीर दिन-दिन निखरने लगा, राग-रङ्ग और हँसी-दिल्लगी की मात्रा बढ़ी।

उस वक़्त चाहे ज़रा होश न हो, परन्तु अब, सिलसिला मिलाने के लिए बहिन को भूलते नहीं बनता। उनकी दशा ठीक मेरे प्रतिकूल थी। पहले महीने में तो उसके चेहरे पर पीलापन दिखाई दिया, फिर शरीर सूखने लगा, और जब नए सिरे से मेरा विकास हो रहा था, तो मेरी देवी-स्वरूपा बहिन खटिया पकड़ चुकी थीं।

७

नौचन्दी पर जो गाँठ लग गई थी, वह अब धीरे-धीरे खुलनी शुरू हुई। आज़ादी तो पहले भी थी और अब भी। वह दिल, जो पहले मानो खूँटे के बल पर उछलता फिरता था, अब खूँटा उखड़ जाने पर रस्ता भूल गया। वे जवानी की तरङ्गें, जो टूटे फूटे किनारे पर टकरा कर शान्त हो जाती थीं, अब शत-धार बह निकलीं। वे पाशविक भावनाएँ, जो कड़ी डाट के नीचे दबी पड़ी थीं, अब डाट खुलने पर मानो वीभत्स रूप मे प्रकट हो गईं !

सहेलियों का आना-जाना, मिलना-जुलना बदस्तूर था। हसीना भी आती थी। मुझे भी बदले में उसके घर जाना पड़ता था ! परन्तु अब अपने आपको धोखा न दूँगी। वास्तव में अबुलहसन की मूर्ति ज़बर्दस्ती मुझे उधर खींच ले जाती थी।

बहिन उन दिनों खाट पर पड़ी थीं। एक दिन उन्होंने मुझे पास बुलाया और बड़े दुलार से बोलीं—देख सरला ! मैंने तुझे बेटी बना कर रक्खा है !

ऐसी बात पहले पहल बहिन के मुँह से निकली थी। मैंने कुछ उत्तर न दिया। सिर्फ़ चकित दृष्टि से उसकी ओर ताकती रही।

बहिन ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा—देख बीबी, मैं तुझे प्राणों से अधिक चाहती हूँ।

फिर भी मैं कुछ न बोली।

"मैं जो कुछ कहूँगी, तेरे भले की कहूँगी।"

फिर क्षण-भर ठहर कर वह बोलीं—तू मेरी बात पर विश्वास तो करती है ?

अब मैं बोली—हाँ।

"तू यह तो जानती है कि तू अभी नादान है ?"

"हाँ।"

"और यह भी कि तुझ पर कितना बोझ है ? पिता की सम्पत्ति है, उनकी (उसकी आँखों में आँसू आ गए) दौलत है, ज़मींदारी का काम है, बच्चे का पालन-पोषण करना है ?"

"हाँ।"

"बहिन, तू दिल पर पत्थर धर कर यह सुन कि मैं अब ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ।"

मैंने चिहुँक कर कहा—क्या ?

"डरती क्यों है ? एक दिन सभी को जाना है ; दो दिन आगे या पीछे।"

मेरी आँखें भर आईं। बहिन फिर कहने लगीं—सरला, मैं अपनी हालत समझती हूँ ; मेरे शरीर में घुन लग चुका है और मैं अब नीम मुर्दा हूँ, आज गई कि कल गई ! तू कान लगा कर मेरी बात सुन और गम्भीरतापूर्वक उस पर विचार कर !

मैं सुनने लगी।

"मैं पत्थर की तरह दिल कड़ा करके वह बात तुझसे कह रही हूँ। अगर बुरी लगे, तो क्षमा करना। मैं तेरा भला चाहती हूँ, और जो कुछ कहूँगी, तेरा भविष्य विचार कर कहूँगी।"

उनकी भूमिका से कुछ ऊब कर मैंने सिर हिला दिया।

उसने ज़रा और धीमे स्वर से कहना शुरू किया—देख, जो हुआ उसको भूल और आगे की सोच। तू अभी लड़की है, तूने अभी कुछ देखा नहीं है, तेरे ऊपर बड़ा भारी दायित्व है, ऐसी स्थिति में तुझे एक पुरुष के सहयोग की अनिवार्य आवश्यकता है। मेरा ऐसा निश्चित मत है।

मेरा मुँह लाल हो गया और मैं चुप बैठी रही।

"हमारे समाज में जो बात जायज़ है और जिसमें कोई पाप मुझे दिखाई नहीं देता, उसे करना अनुचित नहीं। आगा-पीछा सोच कर आज इसलिए मैंने तुझे बुलाया है कि इस विषय में तेरा निश्चित परामर्श लूँ और अपनी सम्मति तुझे सुना दूँ।"

मेरे शरीर में काटो तो लहू नहीं। लज्जा से मुँह कानों तक लाल हो उठा। कहीं अबुलहसन के विषय में तो कुछ बात बहिन ने नहीं सुन ली ? कैसे यह बात आज उसने उठाई।

"ख़ूब सोच ले"—उसने मेरा भाव देख कर कहा—"जल्दी में ऐसी बातों का निर्णय नहीं होता। मैंने सारी परिस्थिति तेरे सामने रख दी है। मुझे आशा है, तू मेरी बात मानेगी। समाज में एक से एक अच्छे युवक निकल सकते हैं, जो..."

मैंने आगे कुछ नहीं सुना और रो पड़ी। परन्तु वह रोना असली रोना न था। थोड़ी देर के बाद अभिनय समाप्त करके मैंने कहा—"बहिन, तू ही ऐसी बात कहेगी ! हाय भगवान् !"—कह कर मैं उसी दम उठ खड़ी हुई।

चलते-चलते कनखियों से देखा था, बहिन के चेहरे पर सन्तोष और आनन्द की रेखा विद्यमान थी। बोलीं—सरला, जल्दी नहीं है, ख़ूब सोच कर जवाब देना।

८

कई दिन मैं घर से न निकली। रोज़ बहिन के पास बैठती और रोज़ वह मेरी आँखों में कुछ पढ़ने की कोशिश करतीं। आख़िर एक दिन वह पूछ ही बैठीं—प्यारी सरला, कुछ विचार किया ?

मैं फिर रोने लगी।

उसने गद्गद कण्ठ से कहा—रो मत, सच बता, तेरी क्या इच्छा है ? मुझसे छिपाने की ज़रूरत नहीं।

मैंने रोते-रोते कहा—जीजी, क्यों दिल को छेदती हो ?

बहिन के मुँह पर वही सन्तोष और आनन्द की रेखा दिखाई दी। बोलीं—ना, सब तेरे भले की बात है।

"जीजी, मेरा दिल दुखता है; मुझसे ऐसी बात मत करो। भगवान ने मेरा सोहाग छीना, तो क्या तुम इस तरह मेरा उपहास करोगी ?"

बहिन ने व्यथित होकर कहा—सरला, उन बातों को भूल जा। भगवान को यही मञ्ज़ूर था। अब तो आगे की बात सोच !

"बस, जीजी, अब चुप रहो। मैं सह नहीं सकती ; कहो तो उठ कर चली जाऊँ।"

बहिन कुछ देर चुप रहीं, फिर बोलीं—तो क्या सारा जीवन वैधव्य में काट देगी ?

मैंने दृढ़ स्वर में कहा—हाँ !

"अकेली सब बोझ सँभाल लेगी ?"

"तुम जो हो ?"

बहिन हँस कर बोलीं—मैं तो कुछ दिन की मेहमान हूँ।

"वाह ! तुम्हारा बिगड़ा ही क्या है ? वैद्य जी..."

"वैद्य जी को छोड़, सोच कर बता, मेरे बिना चला लेगी ?"

"पर तुम तो अच्छी हो रही हो।"

"सरला, मेरी बात का जवाब दे।"

"क्या ?"

"मेरे बाद सारा बोझ उठा लेगी ?"

"उठा लूँगी।"

"ज़मींदारी का ? सम्पत्ति का ? बच्चे का ?"

"सब उठा लूँगी।"

"और जवानी का भी ?"

मैं फिर रोने को हुई, तो वह बोलीं—बस, मैं यही पूछना चाहती थी। अब मुझे और कुछ नहीं कहना है। तू जाने, तेरा काम जाने। पर देख, एक बार फिर विचार कर ले, अभी समय है।

"मैं ख़ूब सोच चुकी हूँ !"

"भगवान तुझे दृढ़ रक्खें।"—बहिन का मुँह तेजोमय हो उठा।

पिछले तीन-चार दिनों में दिल मज़बूत बना चुकी थी। बहिन के आशीर्वाद से मेरी छाती फूल उठी।

इसके तीन दिन बाद मेरी तपस्विनी बहिन का स्वर्गवास हो गया !

६

बहिन मरी, और मैंने अपने जीवन को बदल देने का निश्चय कर लिया। घर से निकलना कम हो गया, शृङ्गार की वस्तुएँ नष्ट कर दीं, बाइस्कोप-थियेटर की बान छोड़ दी, वेश-भूषा सादी हो गई और हसीना के घर जाने की तो क़सम ही खा ली।

दो हफ़्ते बीत गए। एक दिन मैं बरामदे में बैठी, बच्चे से खेल रही थी। शाम का वक्त था, ठण्डी हवा चल रही थी, आसमान पर हल्के बादल थे, तबियत उमङ्ग पर थी।

सहसा अबुलहसन आ गया ! बिल्कुल हिन्दू बना हुआ था। खद्दर की टोपी, खद्दर की अचकन और खद्दर का पायजामा। चेहरे पर मलाल और भोलेपन के आसार थे। वह आकर बैठ गया।

देखते-देखते उसकी आँखों में आँसू भर आए। बच्चे को गोद में लेकर रुँधे गले से बोला—आपका मिज़ाज तो अच्छा है ?

ओह ! उसकी उस छटा ने मेरा सर्वनाश कर दिया ! मन में एक अजीब तरङ्ग उठी और तबियत खिल गई। हँस कर बोली—भगवान की दया है।

मिनिट भर रुक कर उसने इधर-उधर देखा और सिर झुका कर कहने लगा—क्या भगवान सिर्फ़ आप पर ही दया करेंगे। मुझे बिसार देंगे ?

उसके मुँह से 'भगवान' का नाम सुन कर मेरा मन-मयूर नाच उठा ! ओह ! हिन्दू और मुसलमान में भेद ही क्या है ? एक ही ज़मीन पर पैदा हुए हैं, एक ही हवा में साँस लेते हैं, एक ही जैसा चेहरा-मोहरा है। लोग कैसे मूर्ख हैं, जो हिन्दू और मुसलमान को अलग समझते हैं ?

उसने फिर कहा—क्या आप मुझसे रूठ गईं ?

मैं हँस पड़ी। उसी वक्त हवा का एक बड़ा झोंका आया। मैंने कहा—यहाँ ठण्ड है, भीतर चलिए !

बच्चा उसकी गोद में था। जब हम खड़े हुए तो हाय ! इस दृश्य में मुझे कितना सौन्दर्य दिखाई दिया था !!

सारे वादे और सारे इरादे तिनके की तरह उड़ गए ! देवता की याद न रही, बहिन का ख़्याल न आया, अबुलहसन को दिल तो पहले दे दिया था, आज ज़बान भी दे दी !!

अगले दिन सारे अख़बारों में यह ख़बर छप गई कि अबुलहसन से मेरा ब्याह होने वाला है ! यह कारस्तानी भी शायद ख़ुद उसी की थी।

अन्तर्जातीय विवाह के पक्षपाती हिन्दू-मुसलमानों के अनेक सन्देश शाम तक मुझे प्राप्त हुए !

१०

अगले दिन मैं बैठी मुबारकबादी के सन्देश पढ़ रही थी और आनन्द और उत्साह से विह्वल हो रही थी। सहसा एक वृद्ध सज्जन ने कमरे में पदार्पण किया। मैं खड़ी हो गई। उन्होंने मुझसे पूछा—आप ही महाशय......की पुत्री सरला देवी हैं ?

मैंने कहा—हाँ।

वृद्ध महाशय ने सिर से पगड़ी उतार कर मेरे पैरों पर रख दी, और मेरे अकचकाहट पर किञ्चित ध्यान न देकर स्थिर भाव से बोले—बेटी, मैं शहर के आर्य-समाज का प्रधान हूँ और तुम्हारे पिता का अभिन्न मित्र भी। मैंने तुम्हारा इरादा अख़बारों में पढ़ा है ! बेटी ! यह पगड़ी अपने बाप की ही समझो और इसकी लाज रक्खो !

मैंने सहम कर कहा—आप क्या चाहते हैं कि मैं सारा जीवन वैधव्य में ही काट दूँ ?

"नहीं बेटी !"—वृद्ध ने कहा—"अपने समाज के युवक क्या मर गए हैं, जो तुमने उस आवारे को स्वीकार किया है ? बेटी, विवाह अवश्य करो, पर सोच-समझ कर। यह हँसी-खेल नहीं है। हिन्दू-औरत मुसलमान से ब्याह करके कभी सुखी नहीं हो सकती। हिन्दू-मुसलमानों का विवाह-सम्बन्ध कभी हो नहीं सकता।"

मैंने हिम्मत करके कहा—आप तो सुधारक हैं, आपके ऐसे सङ्कुचित विचार ?

"बेटी, यह बातें तुम नहीं समझ सकतीं, तुम अभी बच्ची हो। देखो, अपने पहले स्वामी के ऐश्वर्य की याद करो, अपने पिता की इज़्ज़त का ख़्याल करो और इस सत्तर बरस के बूढ़े की पगड़ी और सफ़ेद बालों की लाज रख लो !"

मैं स्तब्ध सी हो गई। वृद्ध के तेजस्वी नेत्र मानो भीतर घुसे जा रहे थे। मैंने सिर झुका लिया।

वृद्ध ने फिर कहा—बेटी, अगर मेरी बात मञ्ज़ूर हो, तो यह पगड़ी उठा कर मेरे सिर पर रख दो !

मैंने पगड़ी उनके सिर पर रख दी, उन्होंने ख़ुश होकर कहा—तो मञ्ज़ूर है न ?

मैं बोली—सोचूँगी।

उन्होंने पगड़ी पर हाथ लगा कर कहा—अब सोचने-विचारने की गुञ्जाइश नहीं है बेटी, मञ्ज़ूर करो।

"क्या ?"

"कि उससे ब्याह न करोगी।"

"इसी दम ?"

वृद्ध ने दोनों हाथ जोड़ कर कहा—बेटी, मेरे बुढ़ापे में ख़ाक न डालो।

मेरी आँखों में आँसू आ गए। बोली—मञ्ज़ूर है।

वृद्ध "कल फिर आऊँगा" कह कर चले गए।

बाहर से आवाज़ आई—बोलो, वैदिक धर्म की जय !

मैंने खिड़की से झाँक कर देखा—वृद्ध के साथ बहुत से आदमियों की मण्डली "वैदिक धर्म की जय !" बोलती चली जा रही है !

११

हाय ! वह फिर आया और अकस्मात् एक जादू सा हो गया। मेरे सारे निश्चय जिस प्रकार एकबारगी छिन्न-भिन्न हो गए, हिन्दुत्व का गौरव और पिता की लाज का ख़्याल जैसे हठात् ग़ायब हो गया, उसकी कथा कहते मेरा दिल थर्राता है। बस, वह आया, आँखों में आँसू भर लाया, और मेरा हाथ पकड़ कर दो-चार बातें कहीं कि मैंने आत्म-समर्पण कर दिया, और प्रधान महोदय की सारी बातें भी उसे सुना दीं।

हाय ! हाय ! मेरा कलेजा फटता है, फिर भी कहे बिना नहीं बनता ! प्रधान महोदय अगले दिन आने को कह गए थे, इसलिए उसी रात को मैंने विधिपूर्वक अबुलहसन के साथ निकाह पढ़ा लिया !!

जब निकाह पढ़ा जा चुका, तो मैं सहसा अपनी जगह पर उछल पड़ी। देखा—अँधेरे में दो मूर्तियाँ खड़ी हैं। एक मेरे देवता थे और दूसरी थी देवी-स्वरूपा बहिन लीला। दोनों मूर्तियाँ घूर-घूर कर मुझे ताक रही थीं। जैसे ही मैं भयभीत होकर उछली, दोनों मानो ग़ायब हो गए ! और उसी वक्त से जैसे मेरे अनुताप का आरम्भ हुआ।

* * *

मेरे निकाह को पाँच महीने बीत चुके हैं। पहले दो महीने तो अबुलहसन के प्यार का, नहीं प्रदर्शन का, क्या कहना ? उसके बाद से रङ्ग बदलने लगा। बड़े-बड़े दढ़ियल मुल्लाओं की सूरतें दिखाई देने लगीं, यार-दोस्तों की संख्या बढ़ने लगी, रुपया पानी की तरह बहाया जाने लगा। रण्डी, कबाब, शराब और हारमोनियम और तबले की थपक में सारा वक्त बीतने लगा।

वे दोनों मूर्तियाँ या उनकी छाया, हर घड़ी आँखों के आगे रहती हैं। दोनों की आँखें जैसे कलेजे में धँसी जाती हैं, शरीर सूखता जाता है और जीवन के प्रति कोई अनुराग शेष नहीं रह गया है।

अबुलहसन हफ़्तों में दिखाई देता है। कल मैंने कहीं डाला—अरे बे-वफ़ा ! कुछ दिन तो निभाई होती ?

शायद वह शराब पिए हुए था। आँखें लाल करके बोला—हरामज़ादी, बकवाद की, तो जीभ निकाल लूँगा ! ख़बरदार !

मेरे पाप का प्रायश्चित्त शुरू हो गया था। दम साध कर रह गई।

हसीना निकाह में शामिल न हुई थी, न पाँच महीनों में वह मेरे पास आई थी। मेरी बीमारी का हाल सुन कर आज सुबह आई और आते ही रोने लगी, बोली—हाय बहिन ! तेरा यह क्या हाल हुआ ?

मैंने आकाश की तरफ़ उँगली उठा दी।

कुछ देर वह निस्तब्ध रही। फिर कान में बोली—मेरी सलाह मानेगी ?

मैंने प्रश्न-सूचक सङ्केत किया।

"ज़ेवर सारा तेरे क़ब्ज़े में है, आर्य-समाज में चल कर शुद्ध हो जा, समाज के प्रधान मेरे पति के दोस्त हैं !"

ओह ! हसीना का हृदय कितना उदार था !

पर मैंने सिर हिला कर उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया।

उसने अचरज से पूछा—क्यों ?

मैंने फिर आकाश की तरफ़ उँगली उठा दी, और कहा—अब तो देवी-देवताओं के चरणों में जाकर ही शुद्ध होऊँगी !

हसीना कुछ समझी, कुछ नहीं समझी !

बस, यही मेरी कहानी है !

* * *



१९१७ की रूसी क्रान्ति

[श्री॰ प्रभुदयाल जी मेहरोत्रा, एम॰ ए॰, रिसर्च स्कॉलर]

सन् १९०५ की क्रान्ति सन् १९०७ तक पूर्णतया कुचल डाली गई थी। रूस में ऐसे बहुत से लोग थे, जो क्रान्ति की असफलता के लिए प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे। प्रति दिन पानी पी-पीकर इसे कोसा करते थे। अभी तक ये लोग चुप बैठे थे। क्रान्ति के असफल होते ही इन लोगों ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया। ज़ारशाही का इन लोगों ने पूर्ण समर्थन किया और उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए ख़ूब चेष्टाएँ कीं। इनमें अधिकतर ज़मींदार और पादरी थे।

इन लोगों ने मिल कर एक सङ्घ की स्थापना की और उसका नाम रक्खा 'रूसी-प्रजा-सङ्घ' (Union of the Russian people), मोशियो पुरिशकेविच और मोशियो मारकोव इस सङ्घ के प्राण थे। पुलिस के एजेण्ट तक इस सङ्घ में शामिल थे। इसके सिवा कुछ ऐसे व्यापारी तथा धनी किसान थे, जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सरकार का साथ देना आवश्यक समझते थे। इन अन्तिम लोगों का काम था जनता को भुलावा देने के लिए प्रदर्शन करना, मज़दूरों की सभाओं तथा प्रदर्शनों में भाग लेना और ख़ूब सरगर्मी दिखलाना, तथा अन्त में अवसर प्राप्त होते ही सभाओं तथा प्रदर्शनों की शान्ति भङ्ग कर अशान्ति पैदा कर देना, ताकि इन सभाओं और प्रदर्शनों में हस्तक्षेप करने का पुलिस को मौक़ा मिले। इस तरह इन लोगों ने पुलिस को हस्तक्षेप करने को अनेक अवसर दिए और पुलिस ने भी इन अवसरों से ख़ूब लाभ उठाया।

जनता के प्रदर्शनों को पुलिस भङ्ग कर दिया करती थी। कई बार गोलियाँ चलाई गईं। दमन-चक्र तेज़ी से चल रहा था और सहस्रों मज़दूर तथा किसान जेलों में बन्द कर दिए गए थे। बहुतों को आजीवन देश-निकाला दिया गया। बहुत से मज़दूर तथा किसान साइबेरिया के सुदूर प्रान्त की जेलों में बन्द कर दिए गए। यही नहीं, सैकड़ों मनुष्य फाँसी के तख़्तों पर भी लटका दिए गए। सन् १९०७ में १,६९२ आदमियों को फाँसियाँ दी गईं, सन् १९०८ में १,९५९ देशभक्त मौत के घाट उतार दिए गए और सन् १९०९ में १,४३५ माता के लाल संसार से सदा के लिए बिदा कर दिए गए।

ज़ार की पुलिस अपनी इस क्षणिक सफलता पर फूली नहीं समाती थी। उसे अपने कार्यों पर बड़ा गर्व था। देश भर में पुलिस ने विजयोत्सव मनाया। ज़ार की शक्ति प्रतिदिन बढ़ रही थी। क्रान्ति के नए-नए विरोधी पैदा हो रहे थे। ज़मींदार और पूँजीपति, दोनों एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। इस अमानुषिक दमन तथा क्रान्ति-विरोधी सङ्गठन का विशेष श्रेय स्टोलिपिन नाम के एक मनुष्य को था। वह क्रान्ति का घोर शत्रु था और राष्ट्रीय आन्दोलन के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। उसने आन्दोलन को कुचलने में कोई बात उठा नहीं रक्खी। अपनी इस घृणित नीति के कारण वह देश भर में शैतान की तरह प्रसिद्ध था। प्रत्येक गाँव में उसने कुछ ऐसे किसान चुन रक्खे थे, जो सरकार का साथ देने को तैयार थे। ऐसे किसानों की वह सहायता करता था और उनसे आन्दोलन का विरोध करवाता था।

भूमि का प्रश्न अब तक ज्यों का त्यों बना था। ज़ारशाही इस प्रश्न को हल करने में सम्पूर्ण असमर्थ थी। क्योंकि वह बड़े-बड़े ज़मींदारों को अप्रसन्न नहीं करना चाहती थी, साथ ही प्रश्न की अवहेलना भी नहीं की जा सकती थी। क्योंकि जनता में इस प्रश्न पर घोर असन्तोष फैल रहा था। दिन प्रतिदिन ज़मींदार लोग अपनी भूमि छोड़ रहे थे और छोड़ी हुई भूमि किसानों के हाथों में चली आ रही थी। सन् १९०५ से लेकर सन् १९०९ तक के चार वर्षों में बड़े-बड़े ज़मींदारों ने अपनी भूमि का दसवाँ हिस्सा किसानों के हाथों बेच दिया था। धनी किसान प्रति दिन नई-नई भूमि ख़रीद रहे थे।

इन किसानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए सरकार ने अनेक प्रयत्न किए। इसी के लिए स्टोलिपिन ने कई सुधार भी किए। सन् १९०६ की ९वीं नवम्बर को एक क़ानून पास किया गया और धनी किसानों को गाँवों के मुखिया के शासन से अलग होने की अनुमति दे दी गई। सन् १९०५ तक संयुक्त भूमि का ४/५ हिस्सा गाँवों के मुखियों के अधिकार में और केवल १/५ हिस्सा अन्य किसानों के हाथों में था। इन मुखियों में से ७५ फ़ी सदी अपनी भूमि किसानों को मालगुज़ारी पर दे दिया करते थे। सरकार बहुत दिनों तक इन मुखियों का समर्थन करती रही। क्योंकि इनके कारण उसे राजस्व वसूल करने में बड़ी आसानी होती थी। बड़े-बड़े ज़मींदार भी इन मुखियों के पक्षपाती थे। क्योंकि इन्हीं के बल पर वे किसानों पर मनमाना अत्याचार कर सकते थे। परन्तु स्टोलिपिन के कृषि-सम्बन्धी सुधारों के परिणाम-स्वरूप गाँवों पर से मुखियों का पुराना आधिपत्य जाता रहा और उनका अन्त निकटतर आ गया। स्टोलिपिन के सुधारों के प्रचलित होते ही २२ लाख किसान मुखियों के चङ्गुल से अलग हो गए। इनमें से ९ लाख किसानों के पास निजी सम्पत्ति की तौर से भूमि हो गई। फलतः ये सभी ज़ारशाही के समर्थक बन गए।

इन दिनों मज़दूरों का सङ्गठन भी कमज़ोर हो चला था। उनमें अब वह पुरानी शक्ति न रह गई थी। सन् १९०५ की क्रान्ति में तथा हड़ताल आन्दोलन में मज़दूर सब से आगे थे। अपने सङ्गठन के बल पर उन्होंने ज़ारशाही को परेशान कर रक्खा था। उन दिनों दनादन हड़तालें होती थीं। रूस के मज़दूर अपनी शक्ति से तमाम संसार को चकित कर रहे थे। पर 'सब दिन जात न एक समान'—अन्त में उनका सङ्गठन शिथिल हो गया और हड़तालों की संख्या भी पहिले से बहुत कम हो गई। जो हड़तालें होती भी थीं, तो उनमें बहुत कम मज़दूर भाग लेते थे।

सन् १९०९ में तो यह संख्या और भी कम हो गई थी और मज़दूरों का सङ्गठन यहाँ तक कमज़ोर हो गया था कि वे हड़तालों से लाभ न उठा सकते थे। वे हड़तालें करते थे, कुछ दिनों तक वे जारी रहती थीं, पर अन्त में जब ग़रीब मज़दूरों के पास खाने-पीने को कुछ न रह जाता तो वे काम पर वापस चले जाते। पूँजीपतियों की बन आती और वह इस स्थिति से पूरा लाभ उठाते थे। सन् १९०८ में जितनी हड़तालें हुईं, उनमें से ६९ फ़ी सदी का अन्त पूँजीपतियों के लाभ में हुआ। सन् १९०९ में ८० फ़ी सदी हड़तालों ने अन्त में मज़दूरों को हानि पहुँचाई। चौबे जाते छब्बे होने, पर दुबे ही रह जाते। मज़दूरों की इस कमज़ोरी का बहुत बड़ा कारण सोशल-डिमोक्रैटिक पार्टी की कमज़ोरी थी।

इस पार्टी पर ज़ारशाही का पूरा कोप था। उसने इस पार्टी के लीडरों को चुन-चुन कर पकड़ लिया था और बहुतों को देश-निकाला दिया गया था। ग़ैर-क़ानूनी प्रेस भी बन्द कर दिए गए। अतएव पार्टी की जनता तक पहुँच न रह गई थी। उसके सदस्यों की संख्या भी पहिले से अब बहुत कम थी। पढ़े-लिखे लोग विशेषतः पार्टी से अलग हो गए थे। क्योंकि उनमें सरकार का दमन सहने की ज़ुर्रत न थी। एक समय था कि पार्टी में १,५०,००० सदस्य थे। पर अब उसमें बहुत थोड़े सदस्य रह गए थे। जो थे उनमें भी आपस में फूट थी। मेनशेविकों में तो न जाने कितनी ही दलबन्दियाँ हो गई थीं। कई दलों के पास अपने अख़बार भी थे। सभी अपने-अपने ढङ्ग से काम करना चाहते थे। कोई वैध आन्दोलन का पक्षपाती था, तो कोई क्रान्ति का पुजारी और कोई दोनों उपायों से काम लेना चाहता था। 'अपनी-अपनी डफ़ली और अपना-अपना राग' की कहावत पूर्णतया चरितार्थ हो रही थी।

बोल्शेविकों ने मज़दूरों के सामने तीन माँगें रक्खी थीं। उनकी पहली माँग थी, लोकतन्त्रीय प्रजातन्त्र, और पुराने ढर्रे के ज़मींदारों का अन्त करना उनकी दूसरी माँग थी। तीसरी और अन्तिम माँग थी, प्रत्येक दिन ८ घण्टे से अधिक काम न करना। बोल्शेविकों का नेता लेनिन था। वह वैध तथा अवैध, दोनों उपायों से काम लेना चाहता था। बोल्शेविकों ने अपनी प्रत्येक कॉङ्ग्रेस तथा कॉन्फ़्रेन्स में लेनिन की नीति का समर्थन किया।

सन् १९१० में हड़ताल-आन्दोलन ने पुनः ज़ोर पकड़ा। मज़दूरों में फिर एक बार पुरानी जागृति पैदा हो गई। सन् १९१० से लेकर सन् १९१४ तक हड़तालों की संख्या बीस गुनी हो गई। सन् १९१२ में हड़तालों की जो लहर बह रही थी, उसमें कम से कम १० लाख मज़दूर शामिल थे। सन् १९१३ में १५ लाख मज़दूरों ने हड़ताल कर दी। और सन् १९१४ के पहिले ६ महीनों में २० लाख मज़दूर हड़ताल में भाग ले रहे थे। दिन प्रतिदिन राजनैतिक हड़तालों का महत्व बढ़ता जा रहा था। सन् १९१२ के अप्रैल के 'लेना के ख़ूनी-

स्नान' (Lena Blood-bath) ने मज़दूरों में रूह फूँक दी और आम हड़ताल आन्दोलन की धूम मच गई। साइबेरिया में एक स्थान है, जिसे 'लेना' कहते हैं। यह स्थान रेलवे-स्टेशन तथा बड़े-बड़े नगरों से बहुत दूर है। इस स्थान पर सोने की बड़ी-बड़ी खानें हैं और इन खानों में हज़ारों मज़दूर काम करते हैं। ये बेचारे अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत असन्तुष्ट थे। उन्हें बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और कष्टमय जीवन बिताना पड़ता था। अपनी स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने अधिकारियों के सामने कुछ आर्थिक माँगें पेश कीं। माँगें साधारण थीं, परन्तु तो भी पूँजीपतियों ने उनकी अवहेलना कर दी। इस पर मज़दूरों ने एक प्रदर्शन करके अपनी माँगों का समर्थन करना चाहा। वे एक जुलूस बना कर निकल रहे थे कि उन पर गोलियाँ चलाई गईं और वे तितर-बितर कर दिए गए। सैकड़ों मज़दूर सदा के लिए पृथ्वी पर सो गए और वहाँ की ज़मीन ख़ून से लाल हो गई। जनता ने इस घटना का नाम 'ख़ूनी-स्नान' (Blood-bath) रक्खा।

रूस के मज़दूर इस अपमान को चुपचाप सहने वाले न थे। उनके ख़ून में काफ़ी गरमी थी। उन्होंने 'ख़ूनी-स्नान' के उत्तर में हड़ताल कर दी। सन् १९१४ की पहली मई को दस लाख से अधिक मज़दूर हड़ताल में शामिल थे। दिन प्रतिदिन इन हड़तालों को राजनैतिक रूप दिया जा रहा था। मज़दूरों में राजनैतिक आन्दोलन उत्तरोत्तर बढ़ रहा था और ऐतिहासिक दिवसों (२२वीं जनवरी, मई-दिवस आदि) पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था।

गत यूरोपीय महायुद्ध के कुछ दिन पहले रूस के मज़दूरों ने भीषण स्थिति उत्पन्न कर दी। पिटर्सबर्ग की सड़कें रोक दी गई थीं और जनता तथा पुलिस में सशस्त्र सङ्घर्ष हो रहे थे। बोल्शेविकों की केन्द्रीय कमिटी ने युद्ध पर एक मेनीफ़ेस्टो निकाला। इसमें कहा गया था कि पिछले कुछ वर्षों में ज़ारशाही के विरुद्ध क्रान्तिकारी आन्दोलन ने एक बार फिर विशाल आकार धारण कर लिया है। रूस के मज़दूर इस आन्दोलन में आगे रहे हैं। युद्ध के प्रारम्भ होने से पहिले फ़ान्स की प्रजातन्त्र के प्रेज़िडेण्ट पोआङ्कोर, जब ज़ार द्वितीय निकोलस से मिलने आए थे, तो उन्होंने देखा था कि पिट्रोग्राड की सड़कों पर रूस के मज़दूरों ने रुकावटें लगा रक्खी थीं।

उस समय रूस के उद्योग-धन्धे विदेशी पूँजी पर निर्भर करते थे। यूरोप के कई देशों की करोड़ों की पूँजी रूस में लगी थी। इसी पूँजी के बल रूस उद्योग-धन्धे में इतनी उन्नति कर रहा था। मित्र-राष्ट्रों की पूँजी का—विशेषकर फ़ान्स की पूँजी का—इस उन्नति में विशेष भाग था। जर्मनी की पूँजी केवल बिजली के धन्धे में लगी थी। इस विदेशी पूँजी का अन्दाज़ा इसी से लगा लीजिए कि युद्ध का अन्त होने पर रूस के कुल बैङ्कों का $\frac{३}{४}$ हिस्सा यूरोपीय पूँजीपतियों के हाथों में था। पेरिस के बैङ्कों का रूस के कोयले के धन्धों पर पूरा राज था। फ़ान्स और इङ्गलैण्ड के बैङ्क मिल कर तेल के धन्धों को अपने हाथों में किए बैठे थे। बाकू में जितना तेल पैदा होता था, उसका ४० फ़ी सदी इनके हाथों में था। इन्हीं कारणों से बाध्य होकर महायुद्ध में रूस को भाग लेना पड़ा। रूस के आर्थिक तथा राजनैतिक जीवन पर मित्र-राष्ट्रों के बैङ्कों का विशेष प्रभाव था। इसलिए रूस, इङ्गलैण्ड और फ़ान्स के पूँजीपतियों की इच्छा की अवहेलना नहीं कर सकता था। इसके सिवा रूस बालकान देशों को अपनी पैदावार की खपत के लिए बाज़ार बनाना चाहता था। इङ्गलैण्ड और फ़ान्स ने रूस को इस इच्छा-पूर्ति का आश्वासन भी दिया। इसी प्रलोभन ने रूस को युद्ध में मित्र-राष्ट्रों की ओर से भाग लेने को मजबूर कर दिया। इसके सिवा एक और भी बात थी, जिसने रूस को जर्मनी का विरोधी बना दिया। अर्थात् रूस और जर्मनी में कृषि-सम्बन्धी प्रतियोगिता थी, और जर्मनी ने रूस के ग़ल्ले पर बहुत कर लगा रक्खा था। अस्तु।

इस युद्ध ने रूस के द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय (Second International) कॉङ्ग्रेस का अन्त कर दिया। युद्ध के पहिले तक तो साम्यवादी युद्ध का विरोध करते रहे और द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय कॉङ्ग्रेस में उन्होंने इसके विरुद्ध प्रस्ताव भी पास किए थे। पर जैसे ही युद्ध का श्रीगणेश हुआ, उन्होंने अपना रङ्ग बदल दिया और उसका समर्थन करने लगे। जर्मनी, फ़ान्स और इङ्गलैण्ड के साम्यवादियों ने युद्ध के सम्बन्ध में अपनी-अपनी सरकारों का समर्थन किया। उस पर तुर्रा यह कि उनमें से प्रत्येक यही कहता था कि उसकी सरकार अपनी रक्षा के लिए युद्ध कर रही थी। प्रत्येक अपने को शान्ति का सब से बड़ा पुजारी कहता था और कहता था कि अटल शान्ति की स्थापना के लिए युद्ध अत्यावश्यक है।

परन्तु बोल्शेविक युद्ध के विरोधी थे। इनके नेता लेनिन और ज़िनोवीव ने युद्ध का खुल्लमखुल्ला विरोध किया और उन साम्यवादियों की भी कड़ी निन्दा की, जो युद्ध का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने प्रत्येक देश के मज़दूरों से अपने देश के पूँजीपतियों के विरुद्ध युद्ध करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक देशभक्त को चाहिए कि वह इस साम्राज्यवादी युद्ध में अपने देश की हार की इच्छा करे।

जब महायुद्ध हो रहा था, बोल्शेविक लोग निम्न-लिखित तीन बातों का प्रयत्न कर रहे थे :—(१) साम्राज्यवादी युद्ध को गृह-युद्ध में परिवर्तित करना, (२) साम्राज्यवादी युद्ध में अपने देश की सरकार की हार और (३) अन्तर्राष्ट्रीयता की स्थापना।

रूस की स्टेट ड्यूमा में बोल्शेविक प्रतिनिधियों ने युद्ध के विरुद्ध वोट दिए। इसके लिए पाँच बोल्शेविक प्रतिनिधियों को आजीवन साइबेरिया में देश-निकाला दिया गया। परन्तु बोल्शेविक बराबर ज़ारशाही के पतन का प्रयत्न करते रहे। मज़दूरों तथा सेना में उन्होंने युद्ध के विरुद्ध ज़ोरों का प्रचार किया और जनता को भी ज़ारशाही के विरुद्ध ख़ूब भड़काया। उनसे साम्राज्यवादी युद्ध में किसी प्रकार का सहयोग न देने की प्रार्थना की।

पेट्रोग्राड के मज़दूर फ़रवरी की क्रान्ति के नेता थे। युद्ध के शुरू से लेकर अन्त तक हड़तालों की धूम थी। मज़दूरों का आन्दोलन दिन प्रतिदिन भीषण रूप धारण कर रहा था। सन् १९१७ के प्रारम्भ में ही जनता में घोर असन्तोष फैल गया था। २२वीं जनवरी को पेट्रोग्राड में हड़तालियों की संख्या ३,००,००० थी। तमाम फ़ैक्टरियों में सभाएँ हुई थीं। मास्को में एक तिहाई मज़दूरों ने हड़ताल कर दी। उन्होंने दो प्रदर्शन किए, जिनमें हज़ारों मज़दूर शामिल हुए थे। खारकोव में भी हड़तालें हुईं। फ़ैक्टरियों के अन्दर ही मज़दूरों ने सभाएँ कीं। अनेक स्थानों पर मज़दूरों में क्रान्तिकारी पर्चे बाँटे गए। सरकार ने २५ जनवरी को ड्यूमा (Duma) की बैठक करने का निश्चय किया था, पर जनता के असन्तोष को देख पर बैठक करने की हिम्मत न पड़ी। परन्तु इसका असर उलटा पड़ा। क्योंकि जनता ने समझा कि बैठक इसलिए मुलतवी कर दी गई है कि सरकार जनता की बातें नहीं सुनना चाहती।

युद्ध-सहायक कमिटी (War Industrial Committee) में ११ मज़दूर मेम्बर थे। सरकार ने उनको गिरफ़्तार कर लिया और मज़दूरों से लोहा लेने की तैयारी करने लगी। सेना से मैशीनगनें लेकर पुलिस को दे दी गईं।

२७वीं फ़रवरी को ड्यूमा की बैठक हो रही थी। मेनशेविकों ने मज़दूरों से सभा-भवन तक एक जुलूस ले जाने को कहा। परन्तु बोल्शेविक इसके विरुद्ध थे। वे ड्यूमा को क्रान्ति से अलग रखना चाहते थे। पर मेनशेविक न माने, वे जुलूस ले ही गए। यद्यपि उसमें केवल ५०० ही मज़दूर शामिल थे। चौथी मार्च को सड़कों पर उत्पात मच गया। लोग रोटी माँग रहे थे। इस उत्पात में औरतें भी शामिल थीं। ६ठी मार्च को जनता ने रोटी की दूकानें लूट लीं। जगह-जगह पुलिस और जनता में मुठभेड़ें होने लगीं। फ़ैक्टरियों के मालिकों ने मज़दूरों को बरख़ास्त करना तथा फ़ैक्टरियाँ बन्द करना आरम्भ कर दिया। ८ मार्च महिला-दिवस था और यह क्रान्ति का पहला दिवस था। उस दिन ५० फ़ैक्टरियों में, जिनमें ९०,००० मज़दूर काम करते थे, हड़तालें थीं, फ़ैक्टरियों में काम करने वाली औरतों तथा अन्य मज़दूरों की स्त्रियों ने एक जुलूस निकाला। वे टाउन हॉल तक गईं और रोटियों का तक़ाज़ा किया। अनेक स्थानों पर मज़दूरों ने ट्रामों का चलना बन्द कर दिया। सड़कें पुलिस से भरी थीं। घुड़सवार पुलिस सड़क की पटरियों पर चल रही थी और भीड़ पर कोड़ों की वर्षा हो रही थी। ९वीं मार्च को पेट्रोग्राड में हड़तालियों की संख्या २,००,००० थी। सड़कों पर गोलियाँ चल रही थीं। जगह-जगह पर पुलिस और जनता में मुठभेड़ें हो जाती थीं। एक स्थान पर तो जनता ने पुलिस को खदेड़ दिया था। सरकारी सेना में भी असन्तोष फैल रहा था। सरकारी घुड़सवारों का एक हिस्सा जनता से सहानुभूति रखता था।

९वीं मार्च का प्रातःकाल था। एरिक्सन फ़ैक्टरी के मज़दूरों ने काम करने से इन्कार कर दिया। उन्होंने अपनी एक सभा की और जुलूस बना कर सड़कों पर निकल पड़े। उनका जुलूस लिटोनिया पुल की तरफ़ जा रहा था, परन्तु अभी थोड़ी ही दूर गया था कि घुड़सवारों (Cossacks) ने उसे रोक लिया। जिस स्थान पर जुलूस को रोका गया था, वह एक अत्यन्त तङ्ग गली थी। उस गली में इतनी अधिक भीड़ थी कि अगर जुलूस लौटना चाहता तो लौट न सकता था। उस पर तुर्रा यह कि चारों तरफ़ से नए-नए जुलूस आकर उस बड़े जुलूस में शामिल हो रहे थे। अगर घुड़सवारों

कवि के प्रति—

[डॉक्टर माताप्रसाद जी त्रिपाठी, 'महेश']

जल, थल, अनल, अनिल, कण-कण में,
नवजीवन सत्वर भर दे !
हृत्तन्त्री की स्वर-लहरी से,
विश्व-मञ्च झङ्कृत कर दे !
तेरी मधुमय मादक तान—
सुन फिर जागे हिन्दुस्तान।

❀

गायक के प्रति—

मधुर रागिनी गा वीणा पर,
कर दे पुनः प्रेम-सञ्चार !
तान-तान पर मोहित होकर,
बलि-बलि जावे सब संसार !!
तेरे मञ्जुल मङ्गल गान—
सुन फिर जागे हिन्दुस्तान।

* * *

ने जुलूस पर हमला किया तो भागने तक की जगह न थी।

घुड़सवारों के अफ़सर ने आज्ञा दी और घुड़सवार तलवारें निकाल कर निशस्त्र जुलूस की तरफ़ दौड़ पड़े। सब से आगे घुड़सवारों के अफ़सर थे। वे जुलूस को चीड़ते-फाड़ते आगे बढ़ रहे थे। पर यह क्या? घुड़सवारों के हाथों में नङ्गी तलवारें थीं, पर किसी ने भी जनता पर हाथ नहीं उठाया। वे अपने अफ़सरों के पीछे हँसते हुए जा रहे थे। तलवार चलाने की कौन कहे, वे किसी को डाटते तक भी न थे। घुड़सवारों के भाव देख कर जनता के आनन्द का ठिकाना न रहा। एक ही दफ़े नहीं, चार दफ़े अफ़सरों ने आज्ञा दी और स्वयं आगे बढ़े, पर घुड़सवार अपनी बात पर डटे रहे और जनता पर हाथ नहीं उठाया।

इसके बाद घुड़सवार पुनः जुलूस के आगे आकर खड़े हो गए और मित्रतापूर्वक जुलूस के लोगों से बातें करने लगे। जुलूस आगे बढ़ने लगा। अफ़सरों ने जुलूस को रोकने की आज्ञा दी, परन्तु घुड़सवार अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। जुलूस घुड़सवारों के बीच से होता हुआ आगे बढ़ गया।

१२ मार्च को पेट्रोग्राड की हालत एक ऐसे नगर की भाँति थी, जो चारों तरफ़ से दुश्मनों से घिरा हो। पेट्रोग्राड में कोई ऐसी जगह न थी, जहाँ गोलियों की आवाज़ न सुनाई देती हो या मैशीनगनें न दिखाई देती हों। न्यायालयों तथा पुलिस-स्टेशनों में आग लगी हुई थी। बैरकों में आग लगाई जा रही थी। सशस्त्र क्रान्तिकारी लॉरियों में घूम रहे थे। एक स्थान पर कुछ सरकारी अफ़सर तथा मोटर-साइकलिस्टस् घेरा डाले पड़े थे। जनता उन्हें घेरे खड़ी थी। कुछ काल तक दोनों तरफ़ से गोलियाँ चलीं। तत्पश्चात् अफ़सरों ने आत्म-समर्पण कर दिया। सारा शहर मानो समर-भूमि बना हुआ था।

एक स्थान पर पुराने सिपाहियों की दो कम्पनियाँ खड़ी थीं। उनका कमाण्डर कुछ अन्य अफ़सरों के साथ वहाँ आया और सिपाहियों को लक्ष्य कर कहना आरम्भ किया—"भाइयो, अपनी ख़ुश-क़िस्मती पर मैं आपको बधाई देता हूँ। सरकार का, जिससे सभी लोग घृणा करते थे, पतन हो गया। एक अस्थायी सरकार का निर्माण हो गया है। प्रिन्स लोव (Prince Loov), जिसकी इज़्ज़त ड्यूमा के सभी साथी करते हैं, इस सरकार का प्रधान है। अब केवल बाहरी शत्रु को नष्ट करना है। अस्थायी सरकार आपसे प्रार्थना करती है कि आप शान्ति से रहें, अपने बैरकों को वापस चले जाएँ और पहिले की तरह अपने अफ़सरों का कहना मानें।"

कमाण्डर के इस उपदेश से सिपाहियों में घबड़ाहट सी फैल गई। भीड़ में से एक व्यक्ति ने पूछा—"कमाण्डर, क्या मैं एक बात कह सकता हूँ?" कमाण्डर ने आज्ञा दे दी और उसने कहना शुरू किया—"कॉमरेड सिपाहियो, आपने अभी अपने कमाण्डर की सलाह सुनी है, कि आप लोग बैरकों में लौट जावें, अपने अफ़सरों के मातहती में रहें और शान्तिपूर्वक नवीन अस्थायी सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा करें—उस अस्थायी सरकार के, जिसके प्रधान लोव और राज़ीआङ्को ऐसे ज़मींदार हैं। कॉमरेडो, क्या पिछले तीन दिनों में मज़दूरों ने अपना ख़ून इसीलिए बहाया है कि एक ज़मींदार का स्थान दूसरा ज़मींदार ले ले? क्या इसी ध्येय के लिए हज़ारों ग़रीबों ने अपनी जानें दी हैं? नहीं, पेट्रोग्राड के मज़दूर उस समय तक फ़ैक्टरियों में वापस नहीं जावेंगे, जब तक ज़मींदारों का सदा के लिए अन्त करने का हमें अधिकार न मिल जावेगा। हम उसी समय शान्ति ग्रहण करेंगे, जब सरकार में मज़दूरों और किसानों का हाथ होगा। अफ़सरों से मुझे यह कहना है कि यदि आप वास्तव में जनता की भलाई चाहते हैं, तो हमारा साथ दीजिए। बोलिए, हाँ या नहीं? कॉमरेड सिपाहियो, तुम्हारे अफ़सर ख़ामोश हैं। इसके मानी यह है कि उनका कुछ और ही ध्येय है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अफ़सर गिरफ़्तार कर लिए जावें और उनकी जगह पर आप नए अफ़सर चुन लें।"

इस प्रस्ताव के समर्थन में ज़ोरों से तालियाँ बजीं और फ़ौरन कम्पनी के नए अफ़सर चुने गए। सिपाही सैनिक ढङ्ग से क्रान्तिकारी गाने गाते हुए अपने अफ़सरों को ले चले।

१०वीं मार्च को रूस की सोशल-डिमोक्रैटिक लेबर पार्टी (बोल्शेविकों) ने निम्न-लिखित आशय की अपील निकाली थी:—

"तमाम देश के ग़रीबों को एक हो जाना चाहिए। क्योंकि उनका जीवन असम्भव हो गया है। उनके पास न खाना है, न कपड़ा। सरहद पर रक्तपात, कष्ट और मौत का ताण्डव हो रहा है, एक के बाद दूसरी सेनाएँ युद्धक्षेत्र में भेजी जा रही हैं। जानवरों की तरह हमारे भाई, मनुष्यों के बूचड़ख़ाने में भेजे जा रहे हैं। इसलिए अब चुप रहना सम्भव नहीं है। भाइयों और लड़कों को बूचड़ख़ाने में चले जाने देना, ठण्ड और भूख से अपने को नष्ट होने देना कायरता होगी। आप अपने बचने की कोशिश व्यर्थ ही करते हैं। यदि जेल न मिलेगा तो बीमारी से या भूखों मरना होगा। अपना मुँह छिपाना आपको शोभा नहीं देता। देश पर आफ़त है। रोटी नहीं है, अकाल पड़ने वाला है। इससे भी बदतर हालत होने को है। घातक बीमारियों की पूरी सम्भावना है। जब हम रोटी माँगते हैं, तो हमें डण्डे मिलते हैं। यह सब किसका क़सूर है? ज़ार की सरकार तथा धनी लोग ही इसके उत्तरदायी हैं। वे घर और बाहर जनता को लूटते हैं। युद्ध से ज़मींदार तथा पूँजीपति लाभ उठा रहे हैं। उन्हें इतना लाभ होता है कि वे उसका अन्दाज़ा भी नहीं लगा सकते। वे युद्ध को सर्वदा के लिए जारी रखना चाहते हैं। आर्थिक लाभ उठाने के लिए, क़ुस्तुन्तुनिया, अरमिनिया तथा पोलैण्ड को जीतने के लिए वे जनता का बलिदान कर रहे हैं। उनके लोभ का कोई ठिकाना नहीं है। वे अपने आर्थिक लाभों का अन्त करने को राज़ी नहीं हैं। प्रतिक्रियावादी धनिकों को हाथ में लाने का यही अवसर है। लिबरल, प्रतिक्रियावादी, सरकार और ड्यूमा, सब मिल कर ख़ून के प्यासे हो रहे हैं। ज़ार का दरबार, साहूकार तथा पादड़ी लोग सोना इकट्ठा कर रहे हैं। एक सुस्त लुटेरों का दल जनता की हड्डियाँ चबा रहा है, उनका ख़ून पी रहा है। हम लोगों को भुगतना ही पड़ता है। हम लोग काम करते-करते मरे जाते हैं। खाइयों में हमको मरना पड़ता है। अब हम चुप नहीं रह सकते। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और बलगेरिया के मज़दूर सिर ऊँचा कर रहे हैं। वे लोग शान्ति और स्वतन्त्रता के लिए ख़ून के प्यासे धनियों से लड़ रहे हैं। अपने अत्याचारियों से लड़ कर हमें उन मज़दूरों की सहायता करनी चाहिए। अब खुल्लमखुल्ला युद्ध का समय आ गया है। हड़तालें, सभाएँ तथा प्रदर्शन संस्थाओं को कमज़ोर नहीं, बल्कि उन्हें मज़बूत करते हैं। कोई भी अवसर या दिन मत खोइए। हमेशा और प्रत्येक स्थान पर अपने क्रान्तिकारी नारों सहित जनता के साथ रहो। प्रत्येक व्यक्ति को लड़ाई का सन्देशा दीजिए। पूँजीपतियों के लाभ के लिए युद्ध-क्षेत्र में मरने से, भूख से या अधिक काम से मरने की अपेक्षा मज़दूरों के लिए मरना अच्छा है। जुदा-जुदा कामों से तमाम रूस में क्रान्ति फैल सकती है और रूस की यह क्रान्ति दूसरे देशों में क्रान्ति पैदा कर सकती है। घोर युद्ध हमारे सामने है, पर विजय हमारे साथ है। प्रत्येक पुरुष को क्रान्ति के लाल झण्डे के नीचे आ जाना चाहिए। बस, ज़ारशाही का अन्त हो। डिमोक्रैटिक रिपब्लिक चिरजीवी हो। आठ घण्टे का दिन चिरजीवी हो। बड़े-बड़े लोगों की सारी भूमि जनता के लिए हो। युद्ध का अन्त हो। तमाम संसार के मज़दूरों का भाईचारा चिरजीवी हो। साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय चिरजीवी हो।"

इस अपील का जनता पर ख़ूब प्रभाव पड़ा। ११वीं मार्च को सारी फ़ैक्टरियाँ बन्द हो गईं। शहर भर में मज़दूर ही मज़दूर दिखाई पड़ते थे। सरकारी अफ़सर रह-रह कर गोलियाँ चला रहे थे, यहाँ तक कि अन्त में मैशीनगनों का सहारा लेना पड़ा। पुलिस की शक्ति बढ़ाने के लिए फ़ौजी सिपाहियों को पुलिस की वर्दी पहनाई गई। परन्तु इससे सिपाहियों में घोर असन्तोष फैल गया और वे जनता की तरफ़ हो गए।

स्टेट ड्यूमा के प्रेज़िडेण्ट ने उसी दिन ज़ार को निम्न-लिखित तार दिया कि—"स्थिति गम्भीर है। राजधानी में अराजकता फैली हुई है। सरकार असहाय है, भोजन और रोशनी का प्रबन्ध पूर्णतया असङ्गठित है। जनता का असन्तोष बढ़ रहा है। सड़कों पर गोलियाँ चल रही हैं। किसी ऐसे पुरुष को नई सरकार बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जिसमें जनता का विश्वास हो। हिचकिचाइए नहीं, देरी करना अधिक ख़तरनाक होगा।"

दूसरे दिन राज़ीआङ्को ने ज़ार को एक दूसरा तार भेजा कि—"स्थिति ख़राब हो रही है, फ़ौरन प्रबन्ध होना चाहिए। कल तक समय बीत जायगा। देश और राजवंश के लिए निश्चय करने का यह अन्तिम अवसर है।"

परन्तु ज़ार ने उपर्युक्त तार पाकर अपने मन्त्री से कहा—"बौड़म राज़ीआङ्को ने अपनी दूसरी बेवक़ूफ़ी का प्रमाण भेजा है। मैं इसका उत्तर तक देने का कष्ट न उठाऊँगा।"

ख़ैर, अन्त में पेट्रोग्राड की सेना जनता से मिल गई। विद्रोही सिपाहियों तथा मज़दूरों ने मिल कर पेट्रोग्राड के मध्य में बसे हुए पिटर-पाल क़िला को अपने अधिकार में कर लिया। और वहाँ जितने राजनैतिक क़ैदी क़ैद थे, सबको छुड़ा दिया। सन् १९१७ की क्रान्ति सफल हो गई। ज़ारशाही का अन्त तो हो ही चुका था, केवल उसे दफ़नाना बाक़ी था।

* * *

फ़रियादे-बिस्मिल

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

देखिए साहब ने दुनिया भर को अपना कर लिया,
आपसे कुछ हो सका भी, आपने क्या कर लिया!
हसरते बाज़ारे दुनिया सब को लाई खींच कर,
हमने भी चल-फिर के कुछ मतलब का सौदा कर लिया!
दीन जाता है तो जाए, सेठ जी को ग़म नहीं,
मालोज़र अच्छी तरह दुनिया में पैदा कर लिया!
दरहक़ीक़त हमने 'बिस्मिल' में यह देखा ख़ास वस्फ़,
जिससे दो बातें हुईं, बस उसको अपना कर लिया!

* * *

मुनहरिफ़[2] रहते हैं मुझसे, दोस्त भी, ग़मख़्वार भी,
मेरे "फ़ेवर" में नहीं लिखता कोई अख़बार भी!
हज़रते 'बिस्मिल' ने देखा अब नया सामाने जङ्ग,
तोप के आगे तो रक्खी रह गई तलवार भी!

१—गुण, २—ख़िलाफ़,

कविता-कुञ्ज

मेरा मन

[कविवर श्री० रामचरित जी उपाध्याय]

रहता है स्वाधीन सदा ही पराधीनता से अनभिज्ञ,
स्वावलम्ब का सहयोगी बन, बन बैठा है रण का विज्ञ।
क्रूर जनों के वचन-जाल में फँस सकता है कभी नहीं,
भेद-भावना का भास्कर है नीतिज्ञों में है नीतिज्ञ॥
जो मुख से कह देता उसको कर दिखलाता मन मेरा।
तिनके से भी गिरिवर का गिरना सिखलाता मन मेरा॥

❀

यदपि निरङ्कुश है पर समयोचित कामों को करता है,
चाहे हो विकराल काल पर अरि से कभी न डरता है।
वज्रपात होने पर भी निज प्रण से डिगता कभी नहीं,
स्वत्व सुरक्षित रखने के हित सत्व दिखा कर मरता है॥
गुफा गहन में समर-सदन में अविचल रहता मन मेरा।
देश-वेश भाषा के कारण दुख-सुख सहता मन मेरा॥

❀

तोप, तीर; तलवार, तमञ्चे की, कुछ भी परवाह नहीं,
विषय-विषाक्त विलासी बन कर जीने की है चाह नहीं।
मनोदेश में विचरण करता रहता है बन कर सम्राट,
अपने सम्मुख अन्य किसी को कभी समझता शाह नहीं॥
न्याय-निरत हो अन्यायी को उत्तर देता मन मेरा।
स्वयं सरल हो कुटिल जनों से बदला लेता मन मेरा॥

❀

अबलाओं को प्रबला कहता उन्हें समझ कर अपनी शक्ति,
लेखा देख विश्व का, अपने भारत में रचता है भक्ति।
विपक्षियों को पक्षहीन पक्षी के सम लखता है नित्य,
विविध विघ्न-बाधाएँ आएँ आने देता नहीं विरक्ति॥
स्वयं न गिर कर गिरे हुए को ऊपर लाता मन मेरा।
जग कर स्वयं पड़े सोते को खींच जगाता मन मेरा॥

❀

पापी पेट पीठ हो जावे पर परवशता से है दूर,
चापलूस बन सुयश न लेना चाहे जलें भले ही क्रूर।
परिणति कुछ हो पर निशङ्क हो कहता है बातें दो टूक,
सत्य-सोमरस के सरूर में चूर सदा रहता भरपूर॥
प्रलय-पवन उनचास चलें पर कभी न रोता मन मेरा।
द्वादश दिनकर जगत जला दें धैर्य न खोता मन मेरा॥

❀

पर का पर लगने क्यों पावे अपने को कहता अपना,
हिन्दू-हिन्दी-हिन्द-मन्त्र का सीख रहा है नित जपना।
जैसे को तैसा बन जाता होता कभी हताश नहीं,
दुष्ट जनों से दब जाने का नहीं देखता है सपना॥
रहो एक हो, यही सभी को शिक्षा देता मन मेरा।
कर फैला कर नहीं स्वत्व की भिक्षा लेता मन मेरा॥

❀

अन्यायी अरि-करि-निकरों को चूहों के सम लखता है,
असहयोग की असि दोधारी सदा साथ में रखता है।
मुरने से मरना अच्छा है करता व्यक्त विचार यही,
पीयूषोपम रौद्र वीर-रस को रसना से चखता है॥
कायरोक्ति की युक्ति दिखाना नहीं जानता मन मेरा।
भव में सम्भव सभी कार्य हैं, यही मानता मन मेरा॥

❀

विहग-विलाप

[श्री० बालकृष्णराव 'दिनेश']

छोटा था पर सुखकर था वह तरुवर का मेरा आवास,
मिलता था उसमें ही मुझको जग के सभी सुखों का भास!
सदा प्रसन्न-चित्त रहता था, होता कभी न ज़रा उदास,
चिन्ता-रहित रहा करता था अपने सुहृदजनों के पास!!
अरुणोदय होते ही जग कर रवि का करता था स्वागत,
उसे जगाता सोया हो जो तरु के नीचे अभ्यागत!
चारे की तलाश में उड़ जाता जब होता सूर्योदय,
करके स्मरण गगन-विचरण को होता है सन्तप्त हृदय!!
उड़ कर अगणित नभ-मार्गों से चारे ले जाता था घर,
पाता स्वर्गिक सुख मैं उसको शिशुओं के मुँह में देकर!
दिनभर नभमें, थल पर, जलपर विचरण करता सहित प्रमोद,
हृदय नाच उठता था, नभ में आते थे जब प्रथम पयोद!!

× × ×

कैसा सुखमय वह जीवन था जब मैं रहता था स्वाधीन,
नहीं जानता था कैसे जग में होते हैं जीव मलीन!
बन्द किए जाने पर पिंजड़े में है कैसा परिवर्त्तन,
हाय लुट गया मेरे जीवन का सब से वह प्यारा धन!!
भूखों मर कर के भी रहना उस तरुवर की डालों पर,
वही मुझे प्यारा था जीवन, वही मुझे प्यारा था घर!
बन्दी बनने पर पाया है मैंने पिंजड़े का आराम,
नहीं 'दिनेश' ज़रा भी है कुछ मुझको ऐसे सुख का काम!!

* * *

परशुराम-बलराम राम के कामों को कहना अभिराम,
काम निकम्मा कभी न करता लेता सदा श्याम का नाम।
जग-जीवन के लिए स्वजीवन लिए हथेली पर फिरता,
घाम-छाँह को तुल्य समझता नहीं चाहता है धन-धाम॥
जन्मभूमि-जननी के पग की धूल बना है मन मेरा।
प्रतिकूलों के मनःकूल में शूल बना है मन मेरा॥

❀

मृतक-हृदय में वाक्य-यन्त्र से जीवन-ज्योति जगाता है,
क्रान्ति न करके शान्ति-शस्त्र से भय की भ्रान्ति भगाता है।
भू-मण्डल का दृश्य देखता बैठ अकेला कुटिया में,
पत्थर को पिघला देता पानी में आग लगाता है॥
दशेन्द्रियों के मध्य स्थित हो अजर-अमर है मन मेरा।
साहित्यिक-संसृति-सरसिज का भव्य भ्रमर है मन मेरा॥

❀

तुच्छ काम कर नहीं चाहता जग में करना नाम बड़ा,
नाम न हो पर सदा चाहता करना हितकर काम बड़ा।
शुनोवृत्ति से पेट पाल कर बनता-फिरता सिंह नहीं,
गुण-ग्राम के धाम बैठ कर करता है आराम बड़ा॥
प्रतिभा-प्रभा दिखा कर भू पर रवि बनता है मन मेरा।
पवि से पुष्ट लेखनी लेकर कवि बनता है मन मेरा॥

* * *

भारत-गान

[श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव]

चेत जाओ भारत-सन्तान,
कुछ जगते हो, कुछ सोते हो,
स्वयं व्यर्थ अवसर खोते हो,
रह जग में कुछ नहीं गया है
हाय तुम्हारा मान।
मनुष्यत्व से मत मुख मोड़ो,
बात बनाना अब तो छोड़ो,
क्या तुममें रह नहीं गया है
तनिक आत्म-सम्मान।
उठो शीघ्र कुछ कर दिखला दो,
उठो जगत को शीघ्र हिला दो,
फिर से ला दो भरतखण्ड में
अपनेपन का भान।
फिर स्वतन्त्र-भारत-जय बोलो,
ज्ञान-कोष सबके हित खोलो,
फिर नर-समता-गान सुना दो
शुभ आध्यात्मिक तान!

* * *

कामना

[श्री० छैलबिहारी जी दीक्षित "कण्टक"]

चाह नहीं है नाम-धाम-धन उच्च-पदवियाँ पाने की;
बस आमोद-प्रमोद-गोद में मस्ती से इठलाने की।
चाह नहीं है स्वर्ग-सदन में मन भर मौज मनाने की;
या फिर-फिर मानव-तन पाकर जीवन सफल बनाने की॥
विध्वंसी वंशी कर लेकर—
प्रलय-रागिनी गाता हूँ!
रोक न, अमिट-आग सुलगी है—
मिटने दे बलि जाता हूँ!!

❀

शीर्षकहीन

मिलन-वियोग-द्वार पर कलना छल में गति निश्छल की;
कुशल माँगती मीठी-मस्ती पागल की पल-पल की।
झलकी एक बूँद आँसू में झाँकी उस हलचल की;
सुख-दुख की फुलझड़ी ले खुली खिड़की अन्तस्तल की॥
कड़ियाँ कटीं, हटीं टुकड़े हो—
हाथों की हथकड़ियाँ!
रे बन्दी! आ गईं अचानक—
आज मुक्ति की घड़ियाँ!!

❀

बस, हाँ ....?

ढले न यों बोतल की बोतल बूँद-बूँद गिरने दे;
लिए लालसा को मस्ती में पागल हो फिरने दे!
उस बाँकी-झाँकी की झलकें इन पलकों पर झूमें;
पुलकित प्राण सराह आह भर मृदु-पीड़ा को चूमें॥
दीवाना सर्वस्व लुटा दे—
कर रूप का मसौदा!
हृदयहीन से हो न कभी पर—
प्रिये, प्रेम का सौदा!!

* * *

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



इन अभागे सिरों की दो कहानियाँ हैं। जन-साधारण का कथन है कि ये बर्मा-विद्रोही अङ्गरेज़ सैनिकों के द्वारा एक मुठभेड़ में मारे गए थे और मरणोपरान्त उनकी लाशों से उनके सिर काट कर सड़कों पर प्रदर्शित किए गए थे। सरकार का वक्तव्य है, कि एक विवेकशून्य अधिकारी के द्वारा पहचान के निमित्त ये सिर लाश से काट कर नगर में भेजे गए थे! सचाई चाहे जो कुछ भी हो, पर यह बात सत्य है कि मध्यकालीन ऐतिहासिक बर्बरता का यह रोमाञ्चकारी दृश्य देख, सहस्रों आत्माएँ काँप उठी थीं, सहस्रों आँखें गीली हो गई थीं और हज़ारों हृदय मूक-घृणा एवं विवश-प्रतिकार के भावों से नाच उठे थे !!!



विगत २६वीं जून को होने वाली बम्बई की महिलाओं की एक विराट सभा का दृश्य। महिलाओं की इस सभा का आयोजन महात्मा गाँधी का भाषण सुनने के लिए किया गया था। चित्र में बाईं ओर महात्मा जी के भाषण देने के समय की ली गई तस्वीर है। दाहिनी ओर का चित्र उस समय का है, जब सभा-मण्डप में पहुँच कर महात्मा जी महिला-श्रोताओं के नमस्कार और स्वागत के उत्तर में अभिवादन कर रहे थे।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



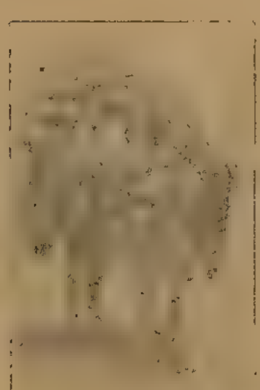
मरुस्थल की सुन्दरियों का एक नमूना—इतस्ततः भ्रमण करने वाली शाविया नाम की एक पहाड़ी जाति और उनसे बन्दी की हुई नीग्रो-जाति की स्त्रियों से उत्पन्न होने के कारण ग्राउलेडनेल जाति की सन्तति रूपवान होती है। बरबर जाति के चाँदी के आभूषण पहिने हुए इस अत्यन्त रूपवती स्त्री का सौन्दर्य प्रशंसनीय है।



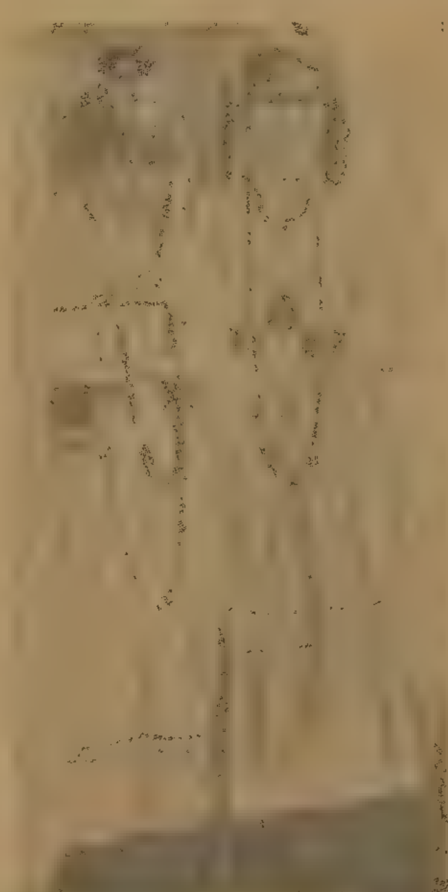
केबाइल जाति की एक अलङ्कार-युक्ता स्त्री



शोकाकुला—यह सुन्दरी बिस्करा में एक दीवाल के पास अपने अति परिश्रम से अर्जित सुवर्ण तथा रजत के भूषण से शरीर को आभूषित कर अपने कटाक्षों से पथिकों के चित्ताकर्षक में तत्पर खड़ी रहती है, यहाँ तक कि थक जाती है। अरब के प्रेम-सङ्गीत में निपुण वह कई प्रकार के बाजे बजा सकती है। नृत्य में अन्य जाति की बालिकाओं की अपेक्षा अधिक चपल होती है और उसका सिगरेट तथा कॉफ़ी बनाने का चातुर्य प्रसिद्ध है। परन्तु उसके समस्त गुण और सारा रूप-यौवन किराए के लिए ही होता है।



मरुस्थल की एक सुन्दरी अपने जङ्गली आभूषण धारण किए हुए ऊँट की झूलती हुई काठी में बैठ, दरी के परदे चारों ओर लटका कर परदे की प्रथा को चरितार्थ कर रही है। कहना न होगा कि यह परदा बिना प्रयास उठाया जा सकता है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है।



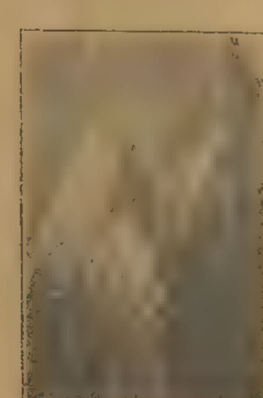
साइरेन जाति की नर्तकियाँ। बिस्करा शहर के दक्षिण में ज़िबन ओसिस में इनका जन्म हुआ है। ये नृत्यादि विलास-व्यापार द्वारा धन कमा कर स्वदेश लौट जाती हैं। वहाँ इनका विवाह अपनी जाति में सम्मान-पूर्वक होता है, क्योंकि द्रव्य की इनको कमी नहीं होती।



इसकी ढपली इसे धन एकत्र करने के काम आती है और इसी की सहायता से यह बिस्करा के मद्य-गृह में नाचती है, जहाँ यह स्वयं प्रेक्षकों के आकर्षण की वस्तु है।



यह नीग्रो-तरुणी अलजीर्स में आधुनिक पहिनाव की रीतियों को किञ्चित् भी महत्व नहीं देती। वक्षस्थल पर पड़े हुए तावीज़ उसकी मनोहरता के रक्षणार्थ हैं।



अपने पति, माता-पिता और अन्तःपुर की महिलाओं के अतिरिक्त शासक-जाति की अरबी-सुन्दरी सहसा किसी को दृष्टिगोचर नहीं होती।

[विस्तृत परिचय के लिए अन्यत्र प्रकाशित अलजीरिया-सम्बन्धी लेख देखिए]

यदि अवसर दिया जाय तो स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकतीं ?



स्यालकोट (पञ्जाब) की डॉक्टरा (कुमारी) दमयन्ती देवी, बी० ए०, जो विशेष अध्ययन के लिए आज-कल इङ्गलैण्ड गई हुई हैं।



गुजरात प्रान्तीय इण्डियन एसोसियेशन की अवैतनिक मन्त्रिणी—श्रीमती विद्या बहिन रमणभाई नीलकण्ठ, बी० ए०।



अखिल भारतवर्षीय महिला-सङ्घ की महाराष्ट्रीय सदस्या—श्रीमती नलिनी आर० चिटनवीस।



बम्बई की सुप्रसिद्ध गुजराती डॉक्टरा—श्रीमती कुमुद-गौरी मेहता, एल० एम०; एम० आर० सी० पी०, जिन्होंने लन्दन तथा एडिनबरा विश्वविद्यालयों से शिशु-पालन-सम्बन्धी विशेषता की विशेष डिग्रियाँ प्राप्त की हैं।

कलकत्ता के श्रीरामपुर कॉलेज के विश्राम-प्राप्त प्रिन्सिपल रेवरण्ड जॉर्ज हॉवेल्स की धर्मपत्नी—मिसेज़ हॉवेल्स—जो बराबर अपने पति की प्राइवेट सेक्रेटरी की हैसियत से कार्य करती रही हैं।





सर्व-प्रथम गुजराती महिला-एडवोकेट—कुमारी तारामती पटेल, बी० ए०, एल्-एल्० बी०।



वेल्लोर (उत्तरीय अरकाट) के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सदस्या—श्रीमती एन० कुन्ती अम्मल।



इङ्गलैण्ड के सुप्रसिद्ध होटेल—रूबेन की बाल सँवारने वाली (Hair Dresser) मैडम विनफ़्रेड।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



मि॰ जॉर्ज अर्लीकैटी दक्षिण भारत के उन घूँसेबाज़ खेलाड़ियों (Boxer) के चैम्पियन (सर्व-श्रेष्ठ खेलाड़ी) हैं, जिनकी तौल ११६ पौण्ड तक है। हाल ही में आपका आदर्श विवाह मङ्गलोर की मिस बी॰ पैलन से हुआ है। इस विवाह की रुचिकर विशेषता यह है कि विवाह के अवसर पर वर-वधू दोनों ही हाथ से काती और बुनी हुई शुद्ध खादी की पोशाक में थे। कर्नाटक प्रान्त में यह अपने ढङ्ग का सर्व-प्रथम ईसाई-विवाह हुआ है।



श्रीमती एस॰ एस॰ लक्ष्मीबाई राजवाडे, एल॰ एम॰ एस॰ (बम्बई), एम॰ आर॰ सी॰ एस॰ (इङ्गलैण्ड) एल॰ एम॰ (रोटण्डा डबलिन)—आप ग्वालियर रियासत के राव-राजा जनरल राजवाडे ओ॰ बी॰ ई॰ की विदुषी धर्मपत्नी हैं। गवर्नमेण्ट ने आपको इण्डियन हिस्टॉरिकल रिकार्ड कमीशन की सदस्या नियुक्त किया है।



भारतीय रियासतों की पीड़ित प्रजावर्ग के स्वत्वों के निमित्त अनवरत उद्योग करने वाले प्रमुख कार्य-कर्ताओं का एक सामूहिक चित्र। बैठे हुए बाँईं ओर से—
श्री॰ मणिशङ्कर त्रिवेदी, डॉक्टर सुमन्त महता, श्री॰ अमृतलाल ठक्कर, श्रीयुत रामानन्द चटर्जी (सभापति), प्रोफ़ेसर अभयङ्कर,
श्री॰ अमृतलाल सेठी, श्री॰ बी॰ बी॰ त्रिवेदी और श्री॰ पी॰ एल॰ चुद्गर।



सच यह कहते हैं, कि हँसने की जगह दुनिया नहीं, चश्मे इबरत है चमन में फ़ूल मुरझाने के बाद !
कौन होता है दिले अफ़सुर्दा का पुरसाने हाल, फ़ूल की ख़ुशबू भी चल देती है मुरझाने के बाद !!

ख़ुत्फ़ की भी ख़ूब सूझी, उनको तड़पाने के बाद,
पूछने आए हैं मुझको, दम निकल जाने के बाद !
ऐ सबा[१] तूने बलाएँ लीं, अगर शाने[२] के बाद,
फिर उलझ जाएँगी ज़ुल्फ़ें उनको सुलझाने के बाद !
हम उसे देखा किए, जब तक हमें ग़फ़लत रही,
पड़ गया आँखों पे परदा, होश आ जाने के बाद !
इम्तिहाँ सोज़े[३] मुहब्बत का हुआ करता है यों,
तुमने देखा जल गई है शम्आ[४] परवाने के बाद !
इज़तिराबे[५] शौक़ में, क़ाबू से बाहर है ज़बाँ,
इल्तिजा[६] उनकी भी होगी दिलको समझानेके बाद!
शैख़ साहब सारी दुनिया चूमती आकर क़दम,
खींचना था हाथ तुमको, पाँव फैलाने के बाद !
तेरे दम से थी बहारे गुल की सारी आबो-ताब,
बाग़ जङ्गल बन गया तेरे चले आने के बाद !
मैं हक़ीक़त[७] आशना हूँ हस्तिये मौहूम[८] का,
देखता हूँ ग़ौर से फूलों को मुरझाने के बाद !
भूल कर आई अजल[९] हम मरने वालों में न थे,
कुञ्जे तुरबत[१०] जा बसाया हमने काशाने[११] के बाद !
हो गई दिल को तसल्ली, आ गया दिल को क़रार,
कान में कुछ कह दिया है उसने शरमाने के बाद !
चश्मे[१२] साक़ी ने भरी महफ़िल को बेख़ुद[१३] कर दिया,
कौन कहता, और देना एक पैमाने के बाद !
राह में बैठा हूँ मैं, तुम सङ्गे-[१४] रह समझो मुझे,
आदमी बन जाऊँगा, कुछ ठोकरें खाने के बाद !
तुम परेशाँ क्यों हो इतने, तुम हो क्यों इतने उदास,
मैं तो कहता हूँ कि जी उट्ठूँगा मर जाने के बाद !
हाय क्या-क्या लोग गुज़रे हैं नज़र से क्या कहूँ,
याद आता है मुझे काबा भी मैख़ाने[१५] के बाद !
हमने यह माना हसीं जब भी कहेंगे तुमको लोग,
शाने माशूक़ी कहाँ दिल से उतर जाने के बाद !
हज़रते "बेख़ुद" के पीने के यही दो वक़्त हैं,
या कभी खाने से पहले, या कभी खाने के बाद !

—"बेख़ुद" देहलवी

१—हवा, २—कङ्घी, ३—प्रेम की आशा, ४—दीपक, ५—बेचैनी, ६—प्रार्थना, ७—असलियत जान जाना, ८—नाश होने वाला शरीर, ९—मौत, १०—क़ब्र का कोना, ११—घर, १२—शराब पिलाने वाले की आँख, १३—बेहोश, १४—रास्ते के पत्थर, १५—शराब-ख़ाना,

क्या हिना[१६] खूँ[१७] रेज़ निकली, हाथ पिस जाने के बाद,
बन गई तलवार उनके हाथ में आने के बाद !
नींद का क्या ज़िक्र हमदम दिल कहीं आने के बाद,
ख़्वाब हो जाता है सोना, आँख लड़ जाने के बाद !
ख़ूने नाहक़ लेके रहता है एवज़ जल्लाद से,
शम्अ भी रुख़सत हुई, जल-बुझ के परवाने के बाद।
हम न कहते थे कि साक़ी प्यास बुझने की नहीं,
आ गई नौबत ख़ुमो[१८] मीना की, पैमाने के बाद !
नातवाँ हूँ कर न बेख़ुद जलवए जानाँ[१९] मुझे,
आप में आना है मुश्किल, आप से जाने के बाद।
शम्आ माशूक़ों को सिखलाती है तर्ज़े आशिक़ी,
जल के परवाने से पहले बुझके परवाने के बाद।

चल गया रिन्दों[२०] में दौरे जाम कह दो चर्ख़[२१] से,
अब तेरी गर्दिश की क्या हाजत है पैमाने के बाद ?
आशना होकर बुतों के, हो गए हक़[२२] आश्ना,
हमने काबे की बिना डाली है बुतख़ाने के बाद।
जान पर खेले तो शुहरत हो मुहब्बत में नसीब,
उड़ चला है, नाम परवानों, का जल जाने के बाद।
ख़ूगरे[२३] ज़ौक़े असीरी[२४] पाएँगे ऐसा कहाँ,
रोएँगे तौक़ो सलासिल[२५] तेरे दीवाने के बाद।

अब न वह गुलचीं[२६] का खटका, अब न वह ख़ौफ़े ख़िज़ाँ
हो गई आज़ाद बुलबुल, दाम में आने के बाद !
मैकदे की कैफ़ियत साक़ी न भूलेगी कभी,
रक़्स[२७] करना हाय वह मस्तों का पैमाने के बाद।
शम्अ महफ़िल का हुआ वह रङ्ग उनके सामने,
फूल की होती है सूरत, जैसे मुरझाने के बाद।
सच यह कहते हैं कि हँसने की जगह दुनिया नहीं,
चश्मे[२८] इबरत है चमन में फूल मुरझाने के बाद
फ़िक्र काफ़ी हो, तो निकले मानिए रङ्गीं "जलील"
लाल उगलती है ज़बाँ ख़ूने जिगर खाने के बाद।

—"जलील" हैदराबादी

१६—मेहँदी, १७—ख़ून बरसाने वाली, १८—घड़ा, १९—प्रेमिका की ज्योति, २०—शराबी, २१—आकाश, २२—ईश्वर को जान जाना, २३—आदी, २४—क़ैद होने का मज़ा, २५—ज़ञ्जीर, २६—फूल चुनने वाला, २७—नाचना, २८—शिक्षा ग्रहण करने वाली आँख,

कहते हैं दिल थाम कर वह, मेरे मर जाने के बाद,
होगा क्या दीवाना कोई, ऐसे दीवाने के बाद !
आतशे[२९] ग़म से वह जल कर मिल गया जब ख़ाक में,
शम्अ रोती रह गई, महफ़िल में परवाने के बाद।
बेकसी यह कह के रोती है हमारी क़ब्र पर,
पूछने वाला नहीं, अब कोई मर जाने के बाद !
हज़रते ज़ाहिद तुम्हें जल्दी है नाहक़ इस क़दर,
सैर हम काबे की भी, देखेंगे बुतख़ाने के बाद।
यह अयादत[३०] का तरीक़ा ही जुदा दुनिया से है,
देखने आए वह मुझको, मेरे मर जाने के बाद।
हज़रते नासेह, यूँ ही बकते हैं, बकने दीजिए,
दिल यह समझाता है मुझको उनके समझाने के बाद
बैठ रहना थक के, ऐ जोशे जुनूँ अच्छा नहीं,
दूसरा वीराना देखें, एक वीराने के बाद।
जब यह देखा, प्यास इससे मेरी बुझ सकती नहीं,
दे दिया साक़ी ने मुझको, ख़ुम भी पैमाने के बाद।
होते होते हो गया, रुख़सत निगाहों का हेजाब,
खुल गया मुझसे कोई, कुछ देर शर्माने के बाद।
हज़रते नासेह से, कोई बात बन आती नहीं,
दिल को भी समझाते हैं, वह मुझको समझानेके बाद
देख लेना यह वफ़ाएँ, याद आएँगी तुम्हें,
क़द्र मेरी होगी तुमको, मेरे मर जाने के बाद।
कौन होता है दिले अफ़सुर्दा[३१] का पुरसाने[३२] हाल,
फूल की ख़ुशबू भी, चल देती है मुरझाने के बाद !
हम तेरी बख़शिश[३३] के क़ायल होंगे ऐ पीरे मुग़ाँ[३४],
दूसरा पैमाना भी दे, एक पैमाने के बाद।
क़ैस[३५] के मरने पे मुझको मिल गई जागीरे दश्त[३६],
देखिए अब कौन पाए, मेरे मर जाने के बाद !
यह अदा भी मेरे क़ातिल की क़यामत ढा गई,
देखना मुड़-मुड़ के वह 'बिस्मिल' को तड़पाने के बाद।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

* * *

२९—प्रेम की आग, ३०—बीमार को देखने आना, ३१—मुरझाया हुआ, ३२—पूछने वाला, ३३—दान, ३४—शराब की दूकान का मालिक, ३५—मजनूँ का असली नाम है, ३६—जङ्गल।



राजपूताने में दास-प्रथा

[एक भूतपूर्व उच्च कर्मचारी]

समस्त सभ्य संसार से दास-प्रथा उठ गई, यहाँ तक कि नैपाल जैसे अवनत राष्ट्र से भी उसको विदा मिल गई। परन्तु राजपूताने के राज-परिवार और जागीरदार-परिवारों में वह अब तक जारी है। क्षत्रिय नरेश जैसे अनेक पुरातन रूढ़ियों की रक्षा कर रहे हैं, वैसे ही इस प्रथा को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। दो-तीन रियासतों के सिवाय अन्य रियासतों में दास-प्रथा के पक्ष में कोई क़ानून नहीं है, परन्तु परम्परागत दास-वृत्ति के कारण दास लोग इतने दबे हुए हैं कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने का उनको कभी साहस ही नहीं होता। अभी तक राजपूताने की किसी रियासत में किसी दास ने दासता छोड़ने का न प्रयत्न किया है और न उसके स्वामी को उसके विरुद्ध कोई कार्रवाही करने का मौक़ा मिला है। यदि कोई ऐसा मामला आवे तो पता चले कि बीकानेर और जयपुर की हाईकोर्टों से इस सम्बन्ध में क्या फ़ैसला होता है। कुछ रियासतों में तो क़ानून है कि दास अपनी दासता नहीं छोड़ सकता। यह क़ानून-कलङ्क कोटा जैसी उन्नत रियासत में भी चालू है। हमको एक पत्र से मालूम हुआ है कि आज से दस वर्ष पूर्व यह क़ानून कम से कम लिखित-रूप में तो नहीं था। परन्तु जब आपजी ओङ्कारनाथ सिंह जी कोटा के मन्त्री बने, तो आपने इस क़ानून को लिखित-रूप में जारी करके सुयश प्राप्त किया। इस समय कोटा राज्य में क़ानून है कि कोई दास अपने स्वामी को नहीं छोड़ सकता, यदि वह चुपके से छोड़ भागे, तो कोई उसको नौकर नहीं रख सकता और न रियासत में उसको कोई नौकरी मिल सकती है। क़ानून में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि दास अपनी वृत्ति छोड़ कर दूकान करने या अन्यत्र नौकरी करने लग जावे, तो भी उस पर कोई अपराध लगाया जा सकता है या नहीं? लेखक यह भी निश्चय रूप से नहीं कह सकता कि यदि कोई दास स्टेशन की सीमा के अन्दर जावे, अपने स्वामी की आज्ञा मानना छोड़ दे और गाड़ी में बैठ कर प्रस्थान करने लगे, तो उसका स्वामी उसको रोक सकता है या नहीं?

राजपूताने में दासों की एक जाति होती है, जिसको 'पासवान' या 'दरोगा' कहते हैं। घृणा प्रकट करने के लिए इन लोगों को 'गोला' भी कहा जाता है। जोधपुर, उदयपुर और जयपुर में ये लोग बहुत मिलते हैं। परन्तु ऐसी कोई रियासत नहीं है, जहाँ इनका अभाव हो। राज-परिवारों में तो दास-दासियों की संख्या का कहना ही क्या, परन्तु ठिकानों में भी इनकी कमी नहीं होती। यहाँ तक कि जो राजपूत थोड़ा भी सम्पन्न होता है, वह भी एक-दो दास-दासी अवश्य रखता है। मनुष्य-गणना में इन लोगों की ठीक संख्या जानने का सरकार ने कभी प्रयत्न नहीं किया, वरना पता लगता कि सम्पूर्ण राजपूताने में इनकी कितनी तादाद है। अभी निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि दास लोग किस नसल के हैं। लेखक ने इस विषय में डॉक्टर शर्मा और महामहोपाध्याय पं० गौरीशङ्कर ओझा को विनीत-पत्र लिखे, परन्तु दोनों ही विद्वानों ने उत्तर देने की कृपा नहीं की। सम्भव है, हमारा अनुमान ठीक न निकले, परन्तु 'दरोगा' जाति की भाषा, रीति-रिवाज, धर्म, खान-पान और अन्य संस्कारों से यह पता चलता है कि ये लोग साँकर क्षत्रिय हैं। दरोगाओं की खोपड़ी और शरीर की रचना भी राजपूतों से मिलती-जुलती है। राजपूतों में उपपत्नियाँ और ख़वासें रखने की पुरातन प्रथा तो है ही, और अन्तःपुर की दासियों के साथ व्यभिचार करने से इनको कोई रोकने वाला भी नहीं है। इसलिए ऐसा ज्ञान पड़ता है कि जब वर्तमान राजपूतों ने इस देश पर अधिकार जमाया तो परास्त लोगों की और अन्य ग़रीब लोगों की स्त्रियों को पकड़-पकड़ कर अपनी दासियाँ बना लिया। इन स्त्रियों से जो सन्तानें हुईं, उनसे दासता करवाई जाने लगी और इस प्रकार दरोगा या पासवानों की जाति बनी। इस समय सैकड़ों ऐसी दासियाँ हैं, जिनका नरेशों तथा जागीरदारों से गुप्त सम्बन्ध है। ऐसे व्यवहार से जो सन्तानें होती हैं, वे अभी पासवान ही कहलाती हैं। यदि कोई जागीरदार या नरेश प्रत्यक्ष में किसी स्त्री को ख़वास बना लेता है, तब तो उसकी सन्तानें ख़वासियों सन्तानें कहलाती हैं और उनका पद शुद्ध राजपूतों से नीचा तथा पासवानों से ऊँचा माना जाता है। परन्तु गुप्त व्यभिचार से जो राजपूत सन्तानें उत्पन्न करते हैं, वे जन्म से ही दास बन जाती हैं। ख़वासीये लोग भी दो-तीन पीढ़ियों के बाद पासवान माने जाने लगते हैं।

पासवानों की स्त्रियाँ अन्तःपुर में दासता करती हैं, और पासवान लोग मर्दाने में ऐसा कोई काम नहीं होता, जिसको ये लोग न करें। यहाँ तक कि पाख़ाना और पेशाब भी इनसे उठवाया जाता है। सारांश यह है कि व्यक्तिगत सेवा सब पासवान ही करते हैं। इस नौकरी के लिए इनको प्रायः केवल रोटी और कपड़ा ही दिया जाता है। कभी-कभी एक-दो रुपया बख़्शीस के नाम से भी इनको मिल जाता है। कुछ रियासतों में इनको अब कुछ रुपए भी मिलने लगे हैं, परन्तु अधिकांश राज्यों में केवल अन्न और वस्त्र ही मिलता है, पासवानों की स्त्रियों को कहीं भी रुपए नहीं दिए जाते, वे पूर्णरूप से दासियाँ ही हैं। पासवानों के पास कपड़े, बर्तन, रुपया, पैसा, जो कुछ भी होता है, वह सब उनके स्वामी की सम्पत्ति माना जाता है। कहीं ऐसा क़ानून तो नहीं है, लेकिन व्यवहार सर्वत्र ऐसा ही है। जब कोई पासवान निःसन्तान मर जाता है, तो उसकी सम्पत्ति का स्वामी उसका मालिक बनता है। पासवानों के बच्चे भी उनके मालिकों की जायदाद माने जाते हैं। उनको वे अपनी लड़कियों के दहेज में बर्तन और पशुओं की भाँति दे सकते हैं। इनको यह अधिकार नहीं है कि वे नए मालिक के पास जाने से इन्कार कर दें। लड़कियों के साथ जो दासियाँ दहेज में दी जाती हैं, उनकी, लड़की के ससुराल में, नाम-नाम की शादियाँ कर दी जाती हैं। वास्तव में अन्तःपुर में रहने वाली दासियाँ विवाहित हों या अविवाहित, दोनों समान हैं। विवाहित कहलाने वाली स्त्रियों को अपने नामधारी पतियों के पास रहने को वर्ष भर में दो-चार दिन भी बड़ी कठिनता से मिलते हैं।

अन्तःपुरों में जो ख़राबियाँ होती हैं, उसका मूल कारण दास-प्रथा है। पुरानी शान के जागीरदार तो यह समझते हैं कि दास और दासियों की संख्या से उनकी प्रतिष्ठा है। जब महाराणी साहिब राजप्रासाद से बाहर कहीं पधारें, तो उनके बन्द और 'एअरटाइट' यान के पीछे सौ-दो-सौ युवती दासियों का होना आवश्यक समझा जाता है। इसी प्रकार जब ठकुराणी भी कहीं जावें तो उनके रथ के साथ भी १०-५ दासियों का पैदल दौड़ना लाज़मी है। इसी शान की रक्षा के लिए विवाह-समय दहेज में दास और दासियाँ दी जाती हैं। इन दासियों को दावड़ी, बडारण, वायजवाल, बाई आदि कहा जाता है। इनको रात-दिन चौबीस घण्टे अन्तःपुर में बन्द रहना पड़ता है। लड़की का पिता जिन दासियों को दहेज में देता है, उनका विवाह लड़के के यहाँ दासों के साथ कर दिया जाता है, परन्तु यह केवल नाम-मात्र की कार्रवाई है। इस प्रकार के पति-पत्नी न आपस में प्रायः मिल सकते हैं, न साथ रह सकते हैं, न इच्छानुकूल खा-पहन सकते हैं और अगर कोई बच्चा हो जाय तो न उसको अपनी इच्छानुकूल खिला-पिला सकते हैं और न लिखा-पढ़ा सकते हैं। अनेक युवती स्त्रियों को इस प्रकार बन्द रखना अनाचार पैदा किए बिना नहीं रह सकता। इनके लिए अन्तःपुर एक प्रकार का निरवधि कारागार है और वह भी ऐसा, जो इनकी कामवृत्ति और विलास-कामना को निरन्तर उत्तेजित रखता है। ठाकुर और ठकुराणियों के भोग-विलास में दासियाँ आवश्यक उपकरण और साधन हैं। उनकी विलास-केलियाँ, मद्यपान, गायन और नाना प्रकार की भोग-विधियों को ये युवतियाँ रात-दिन देखती ही नहीं, बल्कि स्वयं अपने हाथों से जुटाती हैं। इस प्रकार की उत्तेजक परिस्थिति के कारण दासियों का मन कभी शान्त नहीं रहता। उनका जीवन यौवन-प्रलोभ और विवशता के बीच चूर हो जाता है। एक ओर उत्तेजना और दूसरी ओर विवशता तथा दमन, इस भयङ्कर स्थिति का केवल सहृदय पाठक ही अनुभव कर सकते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि जागीरदार की या नरेश की कन्या की अवस्था तो होती है कम और उसके साथ दहेज में जाने वाली दास-पुत्रियाँ होती हैं युवतियाँ। ऐसी अवस्था में इन बेचारियों को अपने नाम-मात्र के विवाह के लिए भी अवसर नहीं मिलता। अपने स्वामी की कन्या का विवाह होता है, तब तक इनका बुढ़ापा आने वाला होता है। दहेज में जाने के बाद लड़की के ससुराल में इनको चाहे जैसे पासवानों के सुपुर्द कर दिया जाता है। ठिकाणा धाणेराव में लेखक ने एक ऐसा पास-

वान देखा, जिसकी अवस्था लगभग १६ वर्ष की थी और उसकी नामधारी स्त्री की आयु प्रत्यक्ष में ३५ वर्ष की। इन सब कुरीतियों का अन्तःपुर के जीवन पर बड़ा कुप्रभाव पड़ता है। अशान्त यौवन का उन्माद, पागलपन का मौन प्रलाप, और दबी हुई कामाग्नि का ताप, अन्तःपुर के वायु-मण्डल को काम-वासनामय बना देता है। रात-दिन ठकुराणियों में और दासियों में भोग-विलास की चर्चा रहती है। युवती दासियाँ अपनी आग को शान्त करने के साधनों की तलाश में रहती हैं। किसी के गुप्त सम्बन्ध का पता लग जाने पर ठाकुर और ठकुराणी इनको अत्यन्त नृशंस दण्ड देते हैं। इनको पीटना, घसीटना, धूप में खड़ी रखना, रोटी-पानी न देना, पिसवाना, छत के कड़े से लटकाना आदि साधारण दण्ड-प्रकार हैं। ये असहाय स्त्रियाँ न किसी से पुकार कर सकती हैं और न किसी में इनकी पुकार सुनने का सामर्थ्य है। इनके यदि बच्चे हुए तो वे अपनी माताओं को पिटती हुई देख कर सिसकियाँ भरने लगते हैं और अपने निर्बल हाथों से अपनी माँ की रस्सी खोलने का प्रयत्न करने लगते हैं। इन बच्चों की विकलता, रुदन और करुण अवस्था को देख कर ठाकुर साहिब और ठकुराणियों को बड़ी प्रसन्नता होती है। पाप और अत्याचार की आवृत्तियों से जिनका हृदय कठोर हो जाता है, उन पर करुण दृश्य का कुछ प्रभाव नहीं पड़ सकता। ठाकुर लोग समझने लग गए हैं कि दास-दासियों पर इस प्रकार अत्याचार करना उनका जन्म-सिद्ध अधिकार है। नरेश और जागीरदारों के बालक इस निर्दय वायु-मण्डल में पलने के कारण स्वयं कठोर प्रकृति के बन जाते हैं। जन्म से ही वे लोग ईर्ष्या, द्वेष, नैराश्य, विलास, पाप, षड्यन्त्र और अनाचार का दृश्य देखते हैं। जीवन की सुन्दरता, उच्चता और पवित्रता का कभी उनको दर्शन भी नहीं होता। ज्ञान-चर्चा और पुण्य-प्रशंसा उनके कानों तक कभी पहुँचने भी नहीं पाती। सत्सङ्ग का उनको अवसर नहीं मिलता। शिष्टता की उनको आवश्यकता नहीं होती। रात-दिन उनको शराब के प्याले, मांस-पिण्ड, दासियों का पारस्परिक द्वेष और कलह, उनके प्रति नृशंस व्यवहार और अमानुषिक अत्याचार देखने को मिलता है। अन्तःपुर के इस कलुषित वायु-मण्डल में पले हुए बच्चे क्या मनुष्य बन सकते हैं? दया-दाक्षिण्य, उदारता और क्षमाशीलता वे कहाँ से सीख सकते हैं? लड़के बड़े होने के बाद मेयो-कॉलेज में दो-चार वर्ष पढ़ कर बैठना, उठना, कपड़े पहनना और थोड़ी अङ्गरेज़ी गिट-पिट करना सीख लेते हैं। परन्तु उनके बचपन के संस्कार उनके हृदय से नहीं निकलते। लड़कियों को इतना भी पॉलिश प्राप्त नहीं होता। वे दासियों को ठोकने-पीटने और उनसे अपरिश्रान्त परिश्रम करवाने में ही शान समझती हैं। राजपूतों की लड़कियों में कोई भूले-भटके ही सभ्यता और मनुष्यता आ घुसे तो दूसरी बात है, वरना उनके अन्तःपुर में तो केवल राक्षसी बनने के ही साधन होते हैं।

दास-दासियों के बच्चों की दशा अत्यन्त दयनीय होती है। बेचारों के बाप होते हुए भी ये माँ-बाप के लालन-पालन से वञ्चित रहते हैं। बाहर बाप को काम से अवकाश नहीं मिलता और भीतर उनकी माताएँ दासता से छुट्टी नहीं पातीं। यहाँ तक कि इन बच्चों को कभी-कभी तो माताएँ दूध भी अच्छी तरह नहीं पिला सकतीं। माता और पिता के सुख से वञ्चित रहने के कारण इन बच्चों को माँ-बाप के साथ विशेष स्नेह भी नहीं होता। जब ये बीमार होते हैं, तो न माँ-बाप इनका इलाज करवा सकते हैं और न पथ्य-पानी दे सकते हैं। यदि ठाकुर और ठकुराणी को भूल से दया आ गई, तो कुछ प्रबन्ध हो जाता है, वरना प्रकृति ही इनकी चिकित्सा करती है। तीन वर्ष के होते ही इनसे काम लिया जाना शुरू हो जाता है। विवश माताएँ करुण नेत्रों से देखती रहती हैं और उनके प्यारे बच्चों के नन्हें-नन्हें हाथों से वीर-शिरोमणि ठाकुर और वीर-पत्नी ठकुराणी घण्टों तक पङ्खा खिंचवाया करते हैं। पाठकों को शायद अत्युक्ति जान पड़े, लेकिन लेखक ने जयपुर और जोधपुर के कई ठिकानों में ३ और ५ वर्ष के बीच दास-बालकों को दो-तीन घण्टे लगातार खड़े रह कर पङ्खा खींचते हुए और थक कर बैठ जाने पर पिटते देखा है। इनके माँ-बाप को इतना अधिकार नहीं कि इनको काम करने से रोक सकें और अपनी कमाई से इनका पालन-पोषण कर सकें। ठाकुर साहिब का यह सिद्धान्त है कि यदि दास-बच्चे रोटी खाते हैं, तो उनको काम भी करना चाहिए। माँ-बाप जो काम करते हैं, उसके लिए उनको रोटी मिलती है और बच्चे जो खाना खाते हैं, उसके लिए उनको अलग काम करना चाहिए। अभी तक किसी पासवान ने इस प्रथा का खुल्लमखुल्ला विरोध करके मामले को किसी न्यायालय तक नहीं पहुँचाया है। हमारी धारणा है कि किसी भी रियासत की अदालत यह फ़ैसला नहीं देगी कि दास का बच्चा ठाकुर के यहाँ से ही खाता है, इसलिए वह उसका दास है। जो बच्चे इस प्रकार घास और जङ्गली पौधों की भाँति बड़े होते हों और जिनको जन्म से ही अपने रोटी के टुकड़ों के लिए दासता करनी पड़ती हो, उनकी शिक्षा की तो कल्पना करना ही व्यर्थ है। दासता की बेड़ियों में जकड़े हुए हज़ारों बच्चों को इस प्रकार जीवन की सुन्दरता से और उन्नति के मार्ग से वञ्चित रक्खा जाता है। यदि इनको अनुकूल अवसर मिले तो क्या यह असम्भव है कि ये लोग देश के लिए उपयोगी नागरिक बन सकें और इनमें कितने ही जीवन-साफल्य प्राप्त कर सकें? परन्तु बेचारे जन्म से ही अपनी माताओं पर और स्वयं अपने ऊपर अनेक भीषण अत्याचारों को देखते-देखते इतने दब्बू और त्रस्त-प्रकृति बन जाते हैं कि पशुओं की भाँति अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं।

अन्तःपुर की दासियों पर नरेशों और ठाकुरों का अनुरक्त होना "रावलों" की साधारण घटनाएँ हैं। प्रायः यह होता है कि नववधू के साथ दहेज में आई हुई सुन्दर युवतियों पर युवा ठाकुर मुग्ध हो जाता है। इस प्रकार के सम्बन्ध का आदि-प्रकरण बड़ा सङ्कट-सङ्कुल होता है। जब ठकुराणी को यह पता लगता है, तो वह दासी को ठोंकती-पीटती है और ठाकुर साहिब ठकुराणी को कोप-दृष्टि से देखने लगते हैं। दासियों की भी पार्टियाँ बन जाती हैं। कुछ ठकुराणी का साथ देती हैं और कुछ नव-प्रेमियों का। अन्त में विजय ठाकुर साहिब की होती है और ठकुराणी अपने भाग्य की रेखा को अटल मान कर धैर्य धारण करने लगती हैं। ठाकुर साहिब की प्रेम-पात्रा दासी वास्तव में ठकुराणी बन जाती है और अन्तःपुर में उसी की चलने लगती है। सब कुछ होते हुए भी जानने में तो दासी, दासी ही बनी रहती है, परन्तु जब नरेश या ठाकुर अपने गुप्त और पतित प्रेम की घोषणा कर देता है, तो वह 'ख़वास' या 'पातर' कहलाने लगती है। 'ख़वास' बनाई जाने पर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। यदि ऐसी स्त्रियाँ पहिले से कुमारी हों, तब तो कोई बात ही नहीं। परन्तु यदि नाम-मात्र को विवाहिता हुईं, तो भी ठाकुर साहिब की इच्छापूर्ति में कोई बाधा उपस्थित नहीं हो सकती। ज्योंही ठाकुर साहिब की दृष्टि में कुछ रस दीखा, त्योंही वह स्त्री स्वयं अपने पति से मिलना छोड़ देती है और वह बुलावे भी तो वह जाती नहीं। जब उसको मालूम हो जाता है कि उसकी स्त्री पर ठाकुर साहिब की दया-दृष्टि हो गई, तो वह स्वयं उसको बुलाने का साहस नहीं करता और ख़वास बना ली जाने पर तो वह ज़िक्र तक करने से डरने लगता है। हमारा ख़्याल है कि ऐसा आदमी यदि ठाकुर के ऊपर ताज़ीरात हिन्द के अनुसार मुक़दमा दायर करे, तो दो-चार रियासतों के सिवाय शेष सब जगह की अदालतें उसको ख़ारिज नहीं करेंगी।

जिन अत्याचारों का ऊपर की पंक्तियों में वर्णन है, वे प्रत्येक ठिकाणे में या राजप्रासाद में नहीं होते। कई जगह दास और दासियाँ अत्यन्त सुख में हैं। डिगी ठिकाणे के एक पासवान को लेखक ने सलाह दी कि वह अपनी लड़की को ज़नाने में से किसी प्रकार भगा कर अजमेर पहुँचा दे, तो वह दासता से छूट सकती है और किसी योग्य लड़के के साथ उसका विवाह किया जा सकता है। हमने उससे यह भी कहा कि यदि वह और उसकी स्त्री भी ठिकाणे की कोई चीज़ अपने साथ न लेकर भाग आवें तो उनको भी ठाकुर डिगी वापस नहीं बुला सकते। उस वृद्ध पासवान ने जो उत्तर दिया, वह हमको अब तक अक्षरशः याद है। उसने कहा—"मेरी कई पीढ़ियाँ यहाँ गुज़र गईं। हमको काल (दुर्भिक्ष) की परवाह नहीं और सुकाल की परवाह नहीं। अन्न और कपड़े की कोई कमी नहीं। ठाकुर साहिब मुझे दादा कहते हैं और मेरी स्त्री को धा कहते हैं। पीटना तो क्या, कभी मुझ पर या मेरी स्त्री और लड़की पर नाराज़ भी नहीं होते। एक बार मैं घोड़े पर बैठ कर आ रहा था, तो उसकी टाँग टूट गई और घोड़ा मर गया। छः-सात सौ रुपए का बछेड़ा था। मैं डर के मारे दो दिन तक ठाकुर साहिब से मिला तक नहीं। फिर उन्होंने ख़ुद ही बुलाया और कहा—दादा, तेरे लगी तो नहीं? ऐसे मेरे मालिक हैं और फिर कहते हैं 'दादा'। मैं उनको छोड़ कर कहाँ जाऊँ? मेरी लड़की बेचारी जवान है और उसकी शादी होनी चाहिए, पर इसकी चिन्ता मेरे धणी को भी होगी।" वह आदमी फुलेरा से सवाई माधोपुर तक हमारे साथ था। हमने दासता की बुराइयों को समझाने में निरन्तर उद्योग किया और वह समझ भी गया। परन्तु अपने मालिक के व्यवहार, अहसान और स्वभाव पर वह इतना मुग्ध था कि उसको अपनी दासता, दासता ही नहीं मालूम होती थी। बार-बार वह यही कहता था कि "लाल जी सा" मुझे दादा कहते हैं। क्षत्रिय-परिवारों में यह शिष्टता है कि बच्चे अपनी माँ के साथ दहेज में आने वाले दास को मामा और दासी को मौसी कह कर पुकारते हैं। पासवानों को दादा, काका और उनकी स्त्रियों को धा, जीजी, दादी आदि कहते भी हमने बड़े-बड़े ठिकाणों के कुमारों को सुना है। सीतामऊ के सुशिक्षित और योग्य महाराज-कुमार एक पासवान को बाबा कहते हैं। सुना है कि कोटा महाराज-कुमार भी दो बुड्ढों को मामा कहते हैं।

इस प्रकार के ममत्व और सद्व्यवहार के कारण दासता की कठोरता तथा भयङ्करता सह्य हो जाती है और कई रियासतों के तथा ठिकाणों के दास-दासी प्रसन्न हैं। पाठकों को यह भी न समझ लेना चाहिए कि राजपूताने में वैसी दासता है, जैसी किसी समय अमेरिका तथा रोम-राज्य में थी। वास्तव में राजपूताने की दास-प्रथा एक विचित्र संस्था है। वह न पूर्णरूप से दासता है, न नौकरी है। पुरुषों के विषय में वह अधिकतर नौकरी है और स्त्रियों के सम्बन्ध में अधिकतर दासता है। फिर भी इतना तो निर्विवाद सत्य है कि पासवान सैकड़ों वर्षों से दासता करते आए हैं, इनका जीवन अन्धकार में कटता है, उन्नति का पथ इनके वास्ते बन्द है, शिक्षा का माधुर्य इनको चखने तक को नहीं मिलता, इनका सुख और दुख इनके मालिक की प्रकृति पर निर्भर है, और इनका सम्पूर्ण जीवन नैराश्यमय होता है। दास-प्रथा के कारण अन्तःपुर में अना-

(शेष मैटर २१वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए)

जेलर

[श्री० वंशीधर जी मिश्र, एम० ए०, एल्-एल्० बी०]

संसार में अधिकतर देशों में और प्राचीन काल से लोगों का विश्वास जेल में क़ैदियों के साथ पशुता का व्यवहार करने पर जमा हुआ है। साधारणतया लोग समझते हैं कि अपराधी को अपराध की पुनरावृत्ति से दूर रखने का सब से अच्छा ढङ्ग पाशविकता का व्यवहार है। लोगों के इस विश्वास को दूर करना सहज नहीं है। पशुबल से पृथ्वी पर कहीं भी, किसी का, कभी भी सुधार नहीं हुआ है। जेलें अनेक देशों में अति प्राचीन काल से स्थापित हैं और उनमें अपराधियों के साथ नृशंस व्यवहार किए गए, पर अपराधियों की संख्या घटने के स्थान पर नित्य-प्रति बढ़ती गई है। कुछ लोग भावुकतावश दया का व्यवहार किए जाने का समर्थन करते हैं, पर इसके आगे बढ़ने से वे भी इन्कार करते हैं। पर अब, जब कि दण्ड-नीति का उद्देश्य समाज-रक्षा और अपराधी की नैतिक उन्नति करना है, तो उनके साथ जेल के भीतर किए जाने वाले व्यवहारों में क्रान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। किसी भी मनुष्य का चरित्र-गठन, स्वावलम्बन और उत्तरदायित्व के द्वारा ही किया जा सकता है। क़ैदी के सम्बन्ध में भी यही बात सत्य है। परन्तु लोगों को यह तुरन्त हृदयङ्गम करा देना सुगम नहीं है। इस लेख में इसी बात के स्पष्टीकरण का उद्योग किया जायगा। परन्तु इससे पहले क़ैदियों के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातें नीचे लिखी जाती हैं, जो जेलों के विस्तृत अनुभव के बाद निश्चित की गई हैं :—

(१) बन्दी मनुष्य हैं और अधिक बातों में हम लोगों के समान ही।

(२) वे बलपूर्वक वश्य या आज्ञाकारी बनाए जा सकते हैं, पर उनका सुधार इस प्रकार नहीं किया जा सकता। बल से वश में लाने पर समय-समय पर के विद्रोह अवश्यम्भावी और अनिवार्य हैं।

(३) वे अनुग्रह और अच्छे व्यवहार की रियायत के रूप में घूस द्वारा भी नहीं सुधारे जा सकते।

(४) बन्दीगण भावुकता पसन्द नहीं करते।

(५) वे न्याय पसन्द करते हैं, जब उनके साथ किया जाता है।

(६) उनमें से अधिक लोगों में मानसिक न्यूनता (Mental Defect) नहीं होती ; अनेक काफ़ी चतुर होते हैं।

(७) यदि हम जेलख़ानों से समाज-रक्षा में सहायता चाहते हैं, तो इन बातों पर हमें ध्यान देना होगा, अन्यथा हमारे जेलख़ाने अपराधों के महाविद्यालय ही रहेंगे।

जेलख़ानों में क्रूर और दया के व्यवहार काम में लाए जा चुके हैं, पर इनसे उद्देश्य-सिद्धि में तनिक भी सहायता नहीं मिली है। इसलिए अब हमें जेलख़ानों का सङ्गठन इस प्रकार करना होगा, जिसमें क़ैदी की सच्ची मानसिक अवस्था का भी विचार रहे। जेलख़ानों के सङ्गठन और सुधार की वास्तविक भित्ति अपराध और दण्ड के भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों की जाँच पर होनी आवश्यक है। देखना यह है कि क़ैदी किस प्रकार के व्यवहार से अपने रोग से मुक्ति पा जायगा और समाज का शत्रु न होकर मित्र बनेगा। हमारी वर्तमान कारागार प्रथा असफल सिद्ध हुई है। इधर कुछ सुधार अवश्य हुए हैं, पर वे अधूरे ही नहीं, वरन् कुछ नहीं के बराबर हैं।

पहले साधारण अपराधों के लिए प्राण-दण्ड मिलता था और अब बहुत थोड़े अपराधों के लिए मिलता है। परन्तु वास्तव में अब प्राण-दण्ड उठा देने का समय आ गया है।

कठोरता बालकों या मनुष्यों पर शासन करने का पथ नहीं है। कठोरता द्वारा किसी बालक या मनुष्य का सुधार होते नहीं देखा गया है। इसी से स्कूलों से बेत की सज़ा उठा दी गई है।

जेलख़ानों का अस्तित्व समाज-रक्षा के लिए ही है। इसलिए इस सम्बन्ध में जेल-अधिकारियों का उत्तरदायित्व महान होता है। परन्तु खेद है कि जेल-अधिकारियों की नियुक्ति के समय इस बात का तनिक भी ध्यान नहीं रक्खा जाता। वास्तव में उचित तो यह है कि जेल-अधिकारियों के निर्वाचन में अधिक नहीं तो उतनी सतर्कता से काम तो अवश्य लेना चाहिए, जितनी सतर्कता कि कॉलेज के अध्यापकों के निर्वाचन में रक्खी जाती है। इस सम्बन्ध में अधिक कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी विज्ञ मनुष्य इससे असम्मत न होगा।

यह पुराना सिद्धान्त कि जेलख़ानों के कार्य प्रतिहिंसा, सभय निवृत्ति और सुधार हैं, बिल्कुल ग़लत है।

बदला लेने की प्रवृत्ति घृणास्पद ही नहीं, वरन् प्रत्यक्ष रूप से घृणा और दुष्ट भाव उत्पन्न करने वाली है। यदि बदला लिया जाय तो साथ ही यह आवश्यक है कि वह ठीक नपा-तुला हो, जैसे—आँख के बदले आँख निकाल लेना और दाँत के बदले दाँत तोड़ देना। परन्तु एक क्षण सोचने के बाद ही यह समझ में आ जायगा कि अब यह सम्भव नहीं है। अपराधी अपराध करने के लिए स्वयं कितना उत्तरदायी है, यह निर्णय करना अत्यन्त कठिन है। उसके अपराध के कारणों में उसके पैतृक प्रभाव, बाल्यावस्था में उसके चारों ओर की परिस्थिति और वे कारण भी शामिल हैं, जिन पर अपराधी का कोई अधिकार नहीं होता। यदि इनका पृथक-पृथक निश्चय किया जा सके, तभी सज़ा नपी-तुली होगी। यदि अपराध को देखते हुए दण्ड कम मिला, तो इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दण्ड कम मिलने से अपराधी को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। वह सोचेगा कि जितना दण्ड मिलना उसे उचित था, उससे कम उसे मिला, इसलिए वह लाभ में ही रहा। और यदि दण्ड अधिक दिया जाता है तो भी बुरा है। उचित से अधिक दण्ड पाने पर उसमें कटु और प्रतिहिंसक भाव उदय होंगे और इससे अपराध करने के लिए वह प्रोत्साहन पावेगा। इस प्रकार दोनों हालतों में हमारा उद्देश्य सफल न होगा और उसके परिणाम-स्वरूप समाज को हानि उठानी होगी।

प्रत्यक्ष सुधार की भित्ति पर किए जाने वाले क़ैदियों के साथ व्यवहार से भी हमें सफलता नहीं मिल सकती है। अपराधी या साधु, कोई भी दूसरे के कहने से अपने चरित्र या स्वभाव को बदलने पर उद्यत नहीं होता और बलात् सुधार करने का प्रयत्न तो अवश्यमेव असफल होता है, क्योंकि सुधार मनुष्य के अन्दर से होता है। फिर क्या हमारे सब कार्य ऐसे होते हैं, जिनका अनुकरण करने को हम दूसरों से कह सकते हैं? दूसरों से सुधरने को कहने का हमें क्या अधिकार है, जब हममें स्वयं अनेक दुर्गुण विद्यमान हैं? क्या हमारे पुलिस कर्मचारियों में, न्यायकर्ताओं में सभी ईमानदार ही हैं? पुराना अपराधी भली-भाँति जानता है कि उसकी पाप की कमाई में पुलिस-अफ़सरों का भाग रहता है।

कारागारों का मुख्य उद्देश्य निवृत्तिकारक है। समाज को भूतकाल की चिन्ता नहीं होती, पर भविष्य की चिन्ता से वह व्यग्र रहता है। जो अपराध हो गया वह हो गया। भविष्य में कोई किसी प्रकार का कुकृत्य न करे, यही समाज चाहता है। किया हुआ कुकृत्य एक व्यक्ति के लिए कुछ महत्व रखता है, पर सुसङ्गठित समाज के लिए वह कुछ भी महत्व नहीं रखता। अपराधी के साथ चाहे जैसा व्यवहार किया जाय, उसके द्वारा किए हुए अपराध की घटना में कोई परिवर्तन करना सम्भव नहीं होता। केवल इस बात का ध्यान रहता है कि अपराधी भविष्य में स्वयं अपने कुकृत्य की पुनरावृत्ति न करे और दूसरे भी कुकृत्य से दूर रहें। अपराधी को जेल भेजने का उद्देश्य यही हो सकता है। जेल जाने पर अपराधी व्यक्ति अपनी प्रिय स्वतन्त्रता को खो बैठता है और साथ ही समाज में उसकी अपकीर्ति होती है। उसके बाद बुद्धिमानी इसी बात में है कि उसके साथ कारागार में ऐसा व्यवहार किया जाय कि जिससे वह फिर वैसा कृत्य न करे और साधु-जीवन व्यतीत करना सीखे। इस प्रकार वह स्वयं कुकृत्यों से दूर रहेगा और दूसरों को दूर रहने के लिए प्रभावित कर सकेगा।

योग्य कारागार-प्रथा चोरी (अपराध) बीमा का सर्वोत्तम प्रकार है।

यदि कारागार का उद्देश्य ऊपर लिखा हुआ मान लिया जाय, तो दण्ड की अवधि का अनिश्चित होना उचित है। यदि कोई डॉक्टर रोगी को अस्पताल में एक निश्चित समय के लिए ही रक्खे और उस समय को पहले ही नियत कर देवे तो वह डॉक्टर पागल समझा जावेगा। यही बात हमारी वर्तमान जेल-प्रथा पर लागू होती है। बहुधा यह देखा गया है कि एक भयङ्कर पुराना अपराधी अनेक बार अपराध करके भी एक अपराध के लिए साधारण दण्ड पाता है और दूसरा अपराधी पहिली बार जुर्म करने पर भी उससे कठोर दण्ड का भागी होता है। सच बात तो यह है कि यदि अदालतों में दिए हुए दण्डों को अपराधियों के चरित्र और उनके कुकृत्यों के अनुसार देखा जाय, तो उनमें अन्तर देख कर चकित होना होगा।

किसी को जेल भेजने का उद्देश्य समाज-हित रखने पर कुछ लोगों को आजन्म कारागार में रखना होगा, अधिक लोगों को बहुत थोड़े समय के लिए जेल में वास करना होगा और कुछ को तो तुरन्त छोड़ देना होगा—जो फिर अपराध न करेंगे।

परन्तु प्रश्न यह है कि यह निवृत्तिकारक प्रभाव अधिक से अधिक किस प्रकार डाला जा सकता है? इसके लिए कठोरता के पुरातन पथ को छोड़ना होगा। अपराधी के जेल जाने पर उसकी स्वतन्त्रता का अपहरण और दण्डित होने पर समाज में अपकीर्ति ही सब से बड़े दण्ड उसके लिए हैं। ऊँची-ऊँची दीवारों के भीतर मनुष्य के बन्द हो जाने पर वहाँ उसके साथ बर्ती हुई कठोरता दण्ड नहीं, यातना है। हमारा इशारा केवल बेत लगाने,

भूखा रखने तथा अन्य शारीरिक अत्याचारों की ओर ही नहीं है, किन्तु उन बातों के प्रति भी है, जिनसे क़ैदी के हृदय से समाज के प्रति आदर दूर हो जाता है, जैसे भयङ्कर एकरूपता (Monotony), छोटी-छोटी कोठरियों में घण्टों अकेले बन्द रहना, जूँ और खटमलों का बाहुल्य, निःशब्दता की रीति, समस्त स्वाभाविक अन्तःस्फूर्ति का दमन, नित्यप्रति के अस्वाभाविक पाप का नैकट्य, बात-बात में और क्षण-क्षण पर बुरी से बुरी गाली सुनना और मार-पीट होना, ज़मींदारों के अत्याचार, जेलर तथा अन्य कर्मचारियों की उपेक्षा, शिकायतों का न सुना जाना, नितान्त असहाय होने का भाव, कष्टों और दुखों का बना रहना आदि। जेल में कुछ अपराधियों का पागल हो जाना आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि इतने थोड़े लोग ही पागल होते हैं।

जेल से बाहर होने पर ६६ प्रतिशत लोगों के भाव समाज के प्रति अति कटु हो जाते हैं। उनको समाज, पुलिस, न्याय-सभा आदि से तीव्र घृणा होती है। प्रसिद्ध विद्वान बैकन (Bacon) ने लिखा है—"प्लेग के बाद जेल सब से बुरी छूत की बीमारी है, जहाँ क़ैदी अधिक समय तक कठोरता और निर्दयता से रक्खे जाते हैं।" यह वाक्य ३०० वर्ष पूर्व लिखा गया है। उस समय जितनी इसमें सचाई थी, आज भी उतनी ही विद्यमान है। भय से मनुष्य कुछ समय के लिए चुप किया जा सकता है, पर उसका हृदय परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यदि कठोरता से सफलता मिल सकती, तो आज पृथ्वी पर कारागार कौतुकागार होते।

सर्वसाधारण एक बार भी दण्डित हुए मनुष्य को नौकर रखने में इतस्ततः करते हैं। इसीलिए न, कि उस मनुष्य पर उनका विश्वास नहीं जमता है। साथ ही जेल में प्राप्त उसकी शिक्षा पर भी विश्वास नहीं होता है। लोग समझते हैं कि जेल जाने से मनुष्य यथार्थ में अपराधी हो जाता है, जो सत्य है।

अनेक देशों में जेलों के भीतर किए जाने वाले व्यवहारों की प्रगति पाशविकता से भावुकता की ओर हुई है। जहाँ क़ैदी को बिल्कुल स्वतन्त्रता नहीं मिलती थी, वहाँ अब आवश्यकता से अधिक स्वतन्त्रता उनको प्राप्त है। वार्डेन्स (जेलर) पहिले तो किसी क़ैदी का विश्वास नहीं करते, बाद को सभी क़ैदियों पर विश्वास रखने लगे हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जेलर न विश्वास किए जाने वाले क़ैदियों पर ही अधिकतर विश्वास रखने लगते हैं। जब जेल में क़ैदी के साथ उनका चाल-चलन अच्छा कह कर अच्छा बर्ताव करना प्रारम्भ होता है, तो क़ैदी अत्यन्त दाम्भिक, प्रतारक, चालाक और झूठा होना सीखना आरम्भ करते हैं। धोखा देना ही उनका धर्म हो जाता है। क़ैदी का स्वार्थ इसी में होता है कि वह धोखा देकर जेलर की आँखों में धूल झोंक कर अच्छा चाल-चलन वाला प्रसिद्ध हो जाय। इस प्रकार इस प्रथा से अयोग्य ही लाभ उठाते हैं। सीधे-सादे, सच्चे क़ैदी लाभान्वित होने से वञ्चित रह जाते हैं। एक क़ैदी दूसरे क़ैदी का विश्वास नहीं करता है, क्योंकि उसे चुग़ली खाए जाने का भय सदैव बना रहता है। अतः भावुकता को एकदम त्यागना होगा।

कठोरता के व्यवहार के दण्ड की धमकी क़ैदी पर रहती है और इस प्रथा में रियायतों का लोभ और स्वार्थ। जेल-कर्मचारी क़ैदी के साथ रियायतें करते हैं और उससे उनका प्रत्युपकार चाहते हैं। क़ैदी को अच्छी कोठरी रहने को मिलती है, कपड़े अधिक दिए जाते हैं, खाना अच्छा प्राप्त होता है, कभी-कभी बाहर घूमने की आज्ञा भी मिल जाती है, घर वालों और दोस्तों से मुलाक़ातें अधिक हो जाती हैं और बदले में उससे अपने को अच्छा क़ैदी सिद्ध करने की आशा की जाती है। पर यह बात भुला दी जाती है कि कभी क़ैदी जेल के बाहर होगा और वहाँ बाहर उसको यह सुविधाएँ, रियायतें प्राप्त न होंगी; वहाँ उसको अच्छे आचरण के लिए न तो कोई पुरस्कार देगा और न बुरे आचरण के लिए कोई दण्ड देने वाला होगा। इसलिए जब तक क़ैदी स्वयं अपना आचरण सुधारना नहीं सीखता, तब तक समाज उससे निर्भय नहीं हो सकता। अच्छे नागरिक इस प्रकार के प्रलोभन देकर नहीं बनाए जाते।

इसलिए जेल को शिक्षास्थल बनाना होगा। जब क़ैदी न लालच देने से और न धमकाने से सुधारा जा सकता है, तो यह निस्सन्देह है कि उसके सुधार का एक ही मार्ग है—शिक्षा। क़ैदी को ऐसी शिक्षा देनी होगी, जिससे वह 'अच्छा क़ैदी' न बन कर 'अच्छा नागरिक' बनना सीखे। वह उस शिक्षा से स्वतन्त्र जीवन बिताने के योग्य हो सके, यह शिक्षा का उद्देश्य होगा। यदि क़ैदी जेल में ही आजन्म बन्द रहते तो समाज को इस बात की चिन्ता न होती कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। यह सत्य है कि अन्याय अथवा अत्याचार करने वाले के आचरण पर उसके अन्याय अथवा अत्याचार का बुरा प्रभाव पड़ता है, पर उससे समाज को कोई ख़तरा नहीं है। क़ैदी के सम्बन्ध में सब से अधिक ध्यान देने वाली बात जेल से उसका छुटकारा है। जेल से बाहर होते ही उसको स्वतन्त्र जीवन बिताना होगा और जिससे उसका वह जीवन उत्तम प्रकार से व्यतीत हो सके, ऐसी शिक्षा का प्रबन्ध उसके लिए जेल में करना होगा। सच बात तो यह है कि जब तक जेल शिक्षालयों में परिवर्तित नहीं किए जाते हैं, तब तक जेलों में उचित सुधार होना सम्भव नहीं है। जेल उसी समय शान्त, सुव्यवस्थित, नियमित और सदाचारपूर्ण होंगे और उनमें यथार्थ जीवन आवेगा, और साथ ही उनमें से सभी बुद्धिमान, कार्यशील, चरित्रवान और ईमानदार नागरिक बाहर होंगे।

शिक्षालय से तात्पर्य पढ़ना-लिखना सिखाना या पढ़े-लिखे को और अधिक पढ़ना-लिखना बताना या कोई हुनर, कारीगरी सिखाना मात्र नहीं है। यद्यपि ये बातें भी आवश्यक हैं, किन्तु सच्चा जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देना, समाज या जाति में स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करने के योग्य बना देता है।

क़ैदियों को ईमानदारी से श्रम करने की शिक्षा देना नितान्त आवश्यक है। जेलों में प्रचलित प्रथा श्रम-शिक्षा का निकृष्ट प्रकार है और उससे और क्रीत दासों के श्रम में कोई अन्तर नहीं है। जेलों में जब क़ैदी से काम लिया जाता है, तो उसकी योग्यता का कुछ भी ख़्याल नहीं किया जाता और दण्ड का भय दिखा कर पूरा कराया जाता है। भारतीय जेल इस सम्बन्ध में बहुत दोषपूर्ण हैं। क़ैदियों से चक्की पीसने या रस्सी बँटने से अधिक उपयोगी काम लिया जा सकता है। क़ैदियों को उनकी मेहनत के बदले में कुछ नहीं दिया जाता, इससे उनका शिक्षण सम्बन्धी मूल्य कुछ भी नहीं रहता है।

अनेक जेलों में वे काम लिए जाते हैं, जो क़ैदी बाहर कभी नहीं करते। ३० सेर गेहूँ खड़े-खड़े चक्की पर पीसना और न पीस पाने पर डण्डे खाना—इस प्रकार की 'मशक़्क़त' कभी भी चोर को ईमानदार कारीगर नहीं बना सकती। हममें से प्रत्येक मनुष्य को इस मशक़्क़त और डिसिप्लिन के बाद चोरी करना अधिक रुचिकर प्रतीत होगा और समाज के विरुद्ध युद्ध करने को शेष जीवन भर वह उतारू रहेगा, और ऐसा ही होता भी है।

जेल में मशक़्क़त की भित्ति व्यवसाय-सम्बन्धी श्रम होना उचित है। क़ैदी को उसके श्रम का पुरस्कार मिलना चाहिए और उस पुरस्कार में से जो राष्ट्र उसके भोजन, वस्त्र आदि पर व्यय करता है, वह काट लेना चाहिए। इस प्रकार उसके पुरस्कार का शेषांश उसके परिवार की सहायता में व्यय किया जाय या क़ैदी के नाम जमा होता रहे। पुरस्कार के धन पर क़ैदी का पूर्ण अधिकार हो और जब वह जेल से छूटे, तो वह धन उसको दे दिया जाय। उस समय तक कोई क़ैदी जेल से बाहर न होने पावे, जब तक कि वह जेल में इतना धन न बचा ले जो उसके छूटने पर उसके भोजन-वस्त्रादि के लिए, उस समय तक के लिए पर्याप्त न हो, जब तक कि उसके रोज़ी का प्रबन्ध न हो जाय।

जेल में श्रम की प्रथा स्वाभाविक और सुस्थ हो तथा जो आर्थिक और नैतिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल न हो, तो जेलख़ाने स्वावलम्बी हो जायँगे। राष्ट्र को फिर उन पर लाखों रुपए प्रति वर्ष ख़र्च न करने पड़ेंगे। आजकल क़ैदियों पर लाखों रुपयों के ख़र्च करने के बाद परिणाम यह होता है कि क़ैदी को ईमानदारी से धनोपार्जन से घृणा हो जाती है।

संयम (डिसिप्लिन) को अच्छा रखने के लिए यह आवश्यक है कि भय या प्रलोभन से काम न लिया जाय। जो डिसिप्लिन भय या प्रलोभन के द्वारा स्थापित किया जाता है, वह केवल दिखावटी होता है। मनुष्य जब काम करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो वह इच्छापूर्वक या निपुणता से उस काम को नहीं करता।

जेलख़ानों में शिक्षण नागरिकता के आधार पर होना चाहिए। जेल में पौर-शास्त्र (Civics) सम्बन्धी शिक्षा का प्रबन्ध होना आवश्यक है, पर साथ ही नागरिकता सम्बन्धी वास्तविक शिक्षा का भी प्रबन्ध किया जाय। तैरना सीखने के लिए तैरना प्रारम्भ करना होगा, केवल तैरने के नियम या तैरना सिखाने वाली पुस्तकें पढ़ कर कोई तैराक होने का दावा नहीं कर सकता है। यही बात नागरिकता (Citizenship) सम्बन्धी शिक्षण पर लागू होती है। अच्छा नागरिक होने के लिए समाज या जाति के प्रति अपना कर्तव्य पालन करना, अन्य नागरिकों को अपने कर्त्तव्य-पालन के लिए उत्साहित करना, दूसरों के अधिकारों को न दबा कर अपने अधिकारों की माँग करना, भूलों से लाभ उठाना, धोखा खाने पर निरुत्साहित न होकर विश्वास करते रहना आदि बातों का जानना मनुष्य के लिए आवश्यक है। पर इनका यथार्थ ज्ञान बर्तने से ही प्राप्त होता है। सौभाग्य से इनका बर्तना जेल में असम्भव नहीं है।

ऊपर जिन सिद्धान्तों का वर्णन हुआ है, वे केवल सिद्धान्त ही नहीं हैं, किन्तु व्यवहार की कसौटी पर कसे जा चुके हैं। जेलों का लोकसत्तात्मक होना सम्भव ही नहीं है, बल्कि ऐसे जेल आज भी विद्यमान हैं। इन जेलों ने अस्थायी अच्छे आचरण और स्थायी सुधार के सम्बन्ध में क़ैदियों में अभूतपूर्व काम कर दिखाया है। अमेरिका के इन जेलों का वर्णन फिर कभी किया जायगा।

*

राजपूताने में दास-प्रथा

(२८वें पृष्ठ का शेषांश)

चार और व्यभिचार होता है, कुँवर और कुमारियों पर बुरे संस्कार जमते हैं और कई ठिकाणे तो दासियों के कारण स्वाहा हो जाते हैं।

हम आशा करते हैं कि विचारशील नरेश और जागीरदार इस प्रथा की भयङ्करता का अनुभव करेंगे और शीघ्र ही इसको उठा देंगे। पर्दा-प्रथा के कारण दासियों का होना किसी हद तक आवश्यक तो है, परन्तु दासता को हटाने में दास और स्वामी दोनों का हित है। दोनों अमानुषिकता और पशुता से मुक्त होंगे। हम चाहते हैं कि नवयुवक लोग भी अपना कर्तव्य समझ कर पासवानों की सहायता करें और उनको दासता की जञ्जीरों से मुक्त करें।

* * *

पञ्जाब-पुलिस की बेईमानियों के कुछ ताज़े नमूने !

'फ़रार' देवियों को बदनाम करने की कुत्सित चेष्टा !!

लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों के मनोरञ्जक 'तख़ल्लुस' अथवा उपनाम !

सबसे अच्छी गवाही देने वाले मुख़बिर को ५,०००) रु० तथा एक तमग़ा देने का प्रलोभन !!

आज ता० २४ जून को स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के पेश होने पर सफ़ाई के वकील, मि० श्यामलाल की जिरह के उत्तर में मुख़बिर मदनगोपाल ने कहा कि मैजिस्ट्रेट ने मेरा बयान लिखने के बाद मुझे पढ़ कर सुनाया नहीं था। मैजिस्ट्रेट के सामने मैंने किसी चीज़ की शनाख़्त भी नहीं की थी। पुलिस ने इन्द्रपाल और दो दूसरे नवयुवकों को दिखला कर मुझसे उनकी शनाख़्त करने के लिए कहा था। मिरज़ा असाउल्ला ने दो नवयुवकों को दिखला कर मुझसे कहा कि ये ही वे व्यक्ति हैं, जिन्होंने तुम्हें पालनपुर भेजने का प्रबन्ध किया था, इनकी शनाख़्त कर दो। मिरज़ा ने मुझसे उनके नाम केवल कृष्ण और देवराज बतलाए थे। उन नवयुवकों के दिखलाए जाने के समय मैं एक चिक की आड़ में था। मैं उन्हें देख सकता था, परन्तु वे मुझे नहीं देख सकते थे। यह घटना मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के कुछ दिन पहले की है। मैंने उन लोगों को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मैंने उनकी शनाख़्त नहीं की। जब मैं चन्द्रशेखर आज़ाद और शिव के साथ पहले-पहल लाहौर गया था, तब पुरानी अनारकली में इन्द्रपाल के मकान में ठहरा था।

इसके बाद मुख़बिर को अदालत में एक कोट दिखलाया गया, जिसे उसने चन्द्रशेखर आज़ाद का बतलाया।

मुख़बिर ने कहा कि लाहौर फ़ोर्ट में मुझे मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान की अङ्गरेज़ी नक़ल दी गई थी। मैं उर्दू नहीं जानता। बयान की नक़ल मेरे पास एक महीने तक रही, जिसे मैं कण्ठस्थ करने के लिए बाध्य किया गया। वह नक़ल मेरे ट्रङ्क में थी, परन्तु न्यायालय की हिरासत में रक्खे जाने के समय पुलिस उसे निकाल ले गई।

प्रीवी कौन्सिल में अपील

मि० श्यामलाल की जिरह के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि लाहौर फ़ोर्ट में मुझसे कहा गया कि इन्द्रपाल ने अपने बयान में कुछ परिवर्तन कर दिए हैं, जिसके लिए उसे उपयुक्त दण्ड दिया जायगा। लाहौर फ़ोर्ट से न्यायालय विभाग की हिरासत में लाए जाने के दिन जब मैं अदालत में लाया गया, तो पुलिस अफ़सरों ने मुझसे कहा कि डरने की बात नहीं है। हम लोग हाईकोर्ट की आज्ञा के विरुद्ध प्रीवी-कौन्सिल में अपील करने जा रहे हैं। उन पुलिस अफ़सरों में सरदार प्रतापसिंह डी० एस० पी०, और सरदार खड्गसिंह सी० आई० डी० के इन्स्पेक्टर थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग मुख़बिरों का तबादला लाहौर फ़ोर्ट में फिर से करा देंगे। इसके बाद हम लोग सेण्ट्रल जेल पहुँचाए गए, जहाँ हम लोगों के पहरे पर वही पुलिस के आदमी तैनात किए गए, जोकि लाहौर फ़ोर्ट में थे। सेण्ट्रल जेल में जब-तब सी० आई० डी० के अफ़सर भी हम लोगों से मिला करते थे।

प्रश्न—क्या ख़ैरातीराम ने तुमसे यह नहीं कहा था कि उससे पुलिस के अफ़सरों ने कहा कि तुम लाहौर फ़ोर्ट से सेण्ट्रल जेल में बदल जाने के विरुद्ध हाईकोर्ट में दरख़्वास्त दो?

उत्तर—निस्सन्देह ख़ैरातीराम ने मुझसे कहा था कि पुलिस इस सम्बन्ध में मेरी ओर से एक अर्ज़ी पेश कर चुकी है।

एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि ख़ैरातीराम के साथ जेल में विशेषतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। मैंने पुलिस से इस बात की कभी कोई शिकायत नहीं की कि जेल में मेरी जान ख़तरे में है। इस समय भी मुझे इस बात का कोई डर नहीं है।

मुख़बिरों के लिए इनाम

आगे जिरह करने पर मुख़बिर ने कहा कि पुलिस-गार्ड के अफ़सरों ने मुझे धमकाया नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा था कि इससे पहले वाले षड्यन्त्र केस में जिन मुख़बिरों ने पुलिस के कहे मुताबिक़ बयान दिए थे, उन्हें हज़ारों रुपए इनाम में मिले थे, परन्तु जिन लोगों ने अपने बयान बदल दिए थे, उन्हें दण्ड दिया गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि जयगोपाल को एक तमग़ा और ६ हज़ार रुपए इनाम में मिले थे। इसी प्रकार फनी घोष, ललितकुमार और मनमोहन बैनर्जी को दो-दो हज़ार रुपए और आत्म-रक्षा के लिए एक-एक तमञ्चे दिए गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि गवर्नमेण्ट ने सब से अच्छी गवाही देने वाले मुख़बिरों को ५,०००) रुपए और एक-एक तमग़ा देने का निश्चय किया है। उन्होंने मुझसे यह भी बतलाया कि मुख़बिर ब्रह्मदत्त और रामसरन दास पर, जिन्होंने पहले लाहौर षड्यन्त्र केस में अपने बयान बदल दिए थे; मामला चलाया गया और बहुत बुरी तरह से दण्डित किए गए थे। इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि सी० आई० डी० के सब-इन्स्पेक्टर सरदार खड्गसिंह सेण्ट्रल जेल में मुख़बिरों से मिलने आया करते थे, उनके लिए मिठाइयाँ और फल लाया करते थे तथा और भी अनेक प्रकार से उन्हें सुविधाएँ पहुँचाते थे।

बोर्स्टल जेल

बोर्स्टल जेल के सम्बन्ध में प्रश्न किए जाने पर मुख़बिर ने कहा कि जेल में दो फाटक हैं। सी० आई० डी० के डी० एस० पी०, ख़ाँ साहब सय्यद अहमदशाह मुझसे मिलने के लिए फ़िरोज़पुर रोड की तरफ़ जो फाटक है, उससे होकर आया करते थे। फाटक के बग़ल वाले ऑफ़िस में वे मुझसे मिलते थे। बाबू दौलतअली शाह इस ऑफ़िस के इनचार्ज थे। पहले-पहल मुझसे मिलने के लिए सय्यद अहमदशाह साढ़े नौ बजे रात को आए थे। मैंने दिल्ली षड्यन्त्र केस के मुख़बिर कैलाशपति के अपूर्व बयान की नक़ल देखी थी। उस बयान की नक़ल में ४८ पृष्ठ थे, जिनमें सब में मुहर लगी हुई थी।

इतना कहने के बाद मुख़बिर ने अदालत के सामने कैलाशपति के बयान के कुछ अंश अपनी याद से उद्धृत करके सुनाए।

आगे जिरह करने पर मुख़बिर ने कहा कि जब इन्स्पेक्टर प्रतापसिंह अदालत के कमरे के बाहर मेरे सूट-केस की ताली माँग रहे थे, उस समय दो पुलिस कॉन्स्टेबिल मौजूद थे, जिनमें एक सआदत ख़ाँ नाम का कॉन्स्टेबिल इस समय अदालत में उपस्थित है। बयान का पहला पृष्ठ माँगते समय भी वे दोनों कॉन्स्टेबिल मौजूद थे।

"मैंने शिकायत नहीं की"

मुख़बिर ने कहा कि दल के सदस्य दल के अन्दर की भिन्न-भिन्न शाखाओं की सम्पूर्ण कार्रवाइयों से परस्पर परिचित नहीं रहते। जब केशवचन्द्र ने मुझसे अपने पते से पत्र मँगाने के लिए कहा था, उस समय मैं दल के प्रति केवल सहानुभूति रखता था।

कान्तप्रसाद ने मुझे "हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी" का पर्चा दिखलाया था। पर्चा दिखलाने में उसका उद्देश्य मुझे दल के नियमों से परिचित कराना था। मुझे यह नहीं मालूम कि भावलपुर रोड वाला बङ्गला किराए पर कब लिया गया था। मेरे वहाँ पहुँचने के पहले ही उसमें दल के लोग मौजूद थे। मैंने उस व्यक्ति का चित्र देखा है, जिसको हम लोग भावलपुर रोड वाले बङ्गले पर धनी के नाम से पुकारते थे। वह चित्र मैंने सरकार की ओर से प्रकाशित एक घोषणा-पत्र में देखा था; जिसमें उसका नाम धन्वन्तरि दिया गया था।

प्र०—मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देते समय जब पुलिस के अफ़सर अपनी तरफ़ से उस बयान में बातें जोड़ते जाते थे, तब तुमने इस बात की शिकायत मैजिस्ट्रेट से क्यों नहीं की?

उत्तर—मैंने मैजिस्ट्रेट से शिकायत नहीं की, क्योंकि मैजिस्ट्रेट और पुलिस अफ़सरों में उस समय परस्पर जो बातें हो रही थीं, उससे मालूम होता था कि वे एक-दूसरे के मित्र हैं।

पुलिस अफ़सर के नोट

इसके बाद मुख़बिर के सामने वह काग़ज़ पेश किया गया, जिसे अदालत ने अपना क्लर्क भेज कर जेल से मँगवाया था। मुख़बिर ने कहा कि यह काग़ज़ मैजिस्ट्रेट के सामने जो मैंने बयान दिया था, उसकी नक़ल का प्रथम पृष्ठ है। बोर्स्टल जेल में मैंने ज़मीन खोद कर उसे निकाला था, जिसे अदालत के क्लर्क ने यहाँ आकर पेश किया था।

एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि इस काग़ज़ पर पेन्सिल से जो तारीख़ें लिखी हुई हैं, उनके लेखक ख़ाँ साहब सय्यद अहमदशाह डी० एस० पी० हैं। उन्होंने काग़ज़ पर ये तारीख़ें मेरी मौजूदगी में लिखी थीं। डी० एस० पी० ने मुझसे इन तारीख़ों को कण्ठस्थ कर लेने के लिए कहा था।

इस पर सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने ट्रिब्यूनल से डी० एस० पी० को अदालत में बुलवाने और उनकी लिखावट ले लेने के लिए प्रार्थना की।

अदालत ने मि० श्यामलाल की प्रार्थना स्वीकार कर ली।

इसके बाद अदालत जलपान के लिए स्थगित हो गई।

पुलिस अफ़सर का बयान

जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर सी० आई० डी० के डी० एस० पी० ख़ाँ साहब सय्यद अहमदशाह, जिन्होंने इस केस की जाँच की थी, अदालत के सामने गवाह की हैसियत से पेश किए गए। सफ़ाई के वकील ने आपको मुख़बिर के बयान का प्रथम पृष्ठ दिखलाया। उसे देख कर ख़ाँ साहब सय्यद अहमदशाह ने स्वीकार कर लिया कि काग़ज़ के हाशिया में पेन्सिल से जो तारीख़ें लिखी हुई हैं, वे मेरी ही लिखी हुई हैं।

बयान में परिवर्तन

इसके बाद मुख़बिर मदनगोपाल गवाह के कठघरे में फिर पेश किया गया।

मि० अमोलकराम की जिरह के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि उस दिन बोर्स्टल जेल के काग़ज़ लाने के लिए मेरे साथ अदालत का जो क्लर्क भेजा गया था, वह जेल के फाटक पर ही रोक लिया गया था। केवल मैं सीधे जेल के अन्दर पहुँचाया गया था। इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए कसूर ले जाते समय ख़ाँ साहब मिरज़ा अताउल्लाशाह मेरे साथ थे। केस ९ दिसम्बर को प्रारम्भ होने वाला था, इसलिए पुलिस ने लाहौर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आने की रास्ता नहीं देखी। पुलिस के सामने बयान देते समय पुलिस मेरे बयान में अपनी तरफ़ से कुछ बातें जोड़ती जाती थी। बयान के बाद भी उसमें परिवर्तन किए गए थे। बयान के कुछ पृष्ठ हटा कर उनके स्थान पर महीन लिखावट के नए पृष्ठ रख दिए गए थे। मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देते समय अगर पुलिस बराबर उपस्थित न होती, तो मैंने सच्चा बयान दिया होता। अप्रैल, सन् १९३१ में कुछ शनाख़्त सम्बन्धी कार्रवाइयों के लिए मैं लाहौर से दिल्ली भेजा गया था। जब मैं मैजिस्ट्रेट को भिन्न-भिन्न जगहें बतला रहा था, तब ख़ाँ साहब मिरज़ा अताउल्ला ख़ाँ और कुछ कॉन्स्टेबिल मेरे साथ थे। आगे जिरह करने पर मुख़बिर ने कहा कि मुझे यह नहीं मालूम कि दल के लोगों ने भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़ा कर किस स्थान में ले जाने का निश्चय किया था। भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़ाने के सम्बन्ध में अजमेर में कान्तप्रसाद के पूछने पर मैंने उन्हें दल के नियमों की याद दिलाई थी। दल का यह नियम है कि दल के रहस्यों को कोई सदस्य दूसरे सदस्य से न बतलाए। मैंने इस नियम का पालन अपनी गिरफ़्तारी के समय तक किया था। कान्तप्रसाद से गांडोदिया स्टोर्स की डकैती के सम्बन्ध में कुछ पूछना मेरी ग़लती थी।

दल के रहस्य

मि० अमरनाथ मेहता की जिरह के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि केशवचन्द्र गुप्त से एक महीने तक राजनीतिक विषयों की बातचीत होते रहने के बाद मैं क्रान्तिकारी दल का सदस्य बनाया गया था। एक महीने के बीच में मैंने केशवचन्द्र गुप्त या चन्द्रशेखर आज़ाद से दल के सदस्य होने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, न मैंने दल के नियमों के सम्बन्ध में ही कभी उनसे पूछा। केशवचन्द्र गुप्त ने दल के नियमों को मुझे ज़बानी बतलाया था। कान्तप्रसाद ने भी दल के कुछ नियम बतलाए थे, जो मुझे याद नहीं हैं। यह बात ठीक है कि दल के नियमानुसार दल के रहस्य केवल उन्हीं लोगों को बतलाए जाते थे, जो किसी कार्य-विशेष में भाग लेते थे। कान्तप्रसाद द्वारा बतलाए हुए नियम दल के केन्द्र-कमिटी सम्बन्धी नियम थे, जिन्हें प्रत्येक सदस्य को जानने की आवश्यकता नहीं थी। व्यावहारिक कार्य करने वाले सदस्यों का परिचय केवल उन्हीं सदस्यों को दिया जाता था, जिन्हें उनके साथ मिल कर कोई कार्य-विशेष करना होता था। आवश्यकता पड़ने पर दल की दूसरी शाखाओं के सदस्यों से भी परिचय हो जाया करता था। मेरा और भगवतीचरण का परिचय दल के सदस्यों के नाते हुआ था। भगवतीचरण मेरे साथ अजमेर में रहने के लिए आने वाला था।

प्रश्न—क्या यह बात ठीक है कि जो लोग मौजूदा शासन-प्रणाली के विरुद्ध हैं, वे सहानुभूति रखने वाली शाखा के सदस्य समझे जाते हैं?

उत्तर—हाँ, यह बात ठीक है!

प्रश्न—क्या यह बात ठीक है कि जब कोई क्रान्तिकारी किसी सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति के पास आर्थिक सहायता के लिए जाता है, तब वह राष्ट्रीय कार्य के नाते सहायता माँगता है, दल के नाम पर नहीं?

उत्तर—हाँ, परन्तु सहानुभूति रखने वालों को क्रान्तिकारी दल के नियम मालूम रहते हैं। वे उनकी सहायता माँगने की बात समझते हैं।

इस सम्बन्ध में आगे जिरह करने पर मुख़बिर ने कहा कि जब कोई क्रान्तिकारी सहानुभूति रखने वालों से कोई आर्थिक सहायता माँगता था, तो वह उनसे अपने को क्रान्तिकारी नहीं बतलाता था, बल्कि वह उनसे कहता था कि मातृ-भूमि के स्वतन्त्रता-सम्बन्धी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता है। इस प्रकार के सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति दल की किसी शाखा के सदस्य नहीं थे। सहानुभूति रखने वाले दो प्रकार के हुआ करते थे। एक वे जो दल के सदस्य थे, दूसरे वे जो सदस्य नहीं थे। दल के व्यावहारिक कार्य करने वाली शाखा के सदस्यों को शरण देना ऐसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों का कार्य था, जोकि दल के सदस्य भी हुआ करते थे। मुख़बिर ने कहा कि राष्ट्रीय आन्दोलन का मतलब मैं देश को स्वतन्त्र करने वाला आन्दोलन समझता हूँ, चाहे वह आन्दोलन हिंसामय या अहिंसामय हो। मैंने कहा था कि दल का उद्देश्य ऐसे अफ़सरों की हत्या करना भी है, जोकि राष्ट्रीय आन्दोलन में 'बाधाएँ' डालते हैं। 'बाधाओं' से मेरा मतलब अफ़सरों की ग़ैर-क़ानूनी कार्रवाइयों से है।

ज़िले का सङ्गठनकर्त्ता

ज़िले के सङ्गठनकर्त्ता को अपने ज़िले भर के सदस्यों की जानकारी रहती है। शस्त्र और कारतूस वग़ैरह ज़िले के सङ्गठन-कर्त्ता के अधिकार में रहते हैं। केन्द्र-कमिटी की इजाज़त से वह शस्त्र और कारतूस वग़ैरह सदस्यों को वितरित करता है। ज़िले से बाहर जाते समय सदस्यों को ज़िले के सङ्गठन-कर्त्ता से आज्ञा लेनी पड़ती थी। व्यावहारिक कार्य करने वाले सदस्यों की भर्ती, ज़िले के सङ्गठन-कर्त्ता की सिफ़ारिश पर केन्द्र-कमिटी किया करती थी। नए भर्ती किए जाने वाले सदस्यों से ज़िले के सङ्गठन-कर्त्ता का परिचय सीनियर सदस्य के नाते कराया जाता था। परन्तु बाद में, सदस्यों की सचाई की परीक्षा हो चुकने के बाद उन्हें ज़िले के सङ्गठन-कर्त्ता का वास्तविक पद बतला दिया जाता था। कैलाशपति ने मुझे वे नियम बतलाए थे, जिनसे नए भर्ती किए जाने वाले सदस्यों की सच्चाई की परीक्षा ली जाया करती थी। सब से प्रथम उनके सदाचार की परीक्षा की जाती थी। पता लगाया जाता था कि वे शराबी, जुआरी आदि तो नहीं हैं।

इसके बाद अदालत स्थगित हो गई।

आज ता० २९ जून की बैठक में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने सफ़ाई की ओर से ता० २२ जून को पेश की गई उस अर्ज़ी पर बहस हुई, जिसमें बोर्स्टल जेल के असिस्टेण्ट जेलर बाबू दौलतअली शाह को मुख़बिरों पर देख-रेख रखने के कार्य से अलग कर देने और मुख़बिरों को बोर्स्टल जेल से सेण्ट्रल जेल में भेज देने के लिए प्रार्थना की गई थी।

सरकारी वकील का बयान

सरकारी वकील रायबहादुर पं० ज्वालाप्रसाद ने अभियुक्तों की ओर से अर्ज़ी में कही हुई बातों के उत्तर में एक विवरणात्मक लिखित वक्तव्य अदालत के सामने पेश किया। सबूत की ओर से आपने कहा कि मुख़बिर इस समय जेल-अधिकारियों की हिरासत में और पुलिस के दबाव से बाहर हैं। इसके अतिरिक्त मुख़बिर मदनगोपाल का बयान अभी जारी ही है, ऐसी हालत में पुलिस के विरुद्ध जो कुछ उसने कहा है, उसे ठीक मान लेना न्यायतः ख़तरनाक है। बाबू दौलतअली शाह और सी० आई० डी० अफ़सरों के विरुद्ध जो अभियोग लगाए गए हैं, वे ग़लत हैं। सबूत के गवाहों के प्रति अनावश्यक सेवा-भाव दिखलाने का पुलिस पर जो दोषारोपण किया गया है वह भी ग़लत है। सी० आई० डी० के आदमी गवाहों को बुलानें आदि का कार्य अदालत के हुक्म के अनुसार करते रहे हैं।

अभियुक्तों की ओर से बहस

मि० श्यामलाल ने अभियुक्तों की ओर से बहस करते हुए कहा कि हमारा कहना यह है कि मुख़बिर अब भी पुलिस के दबाव में हैं। हम चाहते हैं कि इसके रोकने का कोई प्रबन्ध किया जाय। एक सरकारी गवाह ने सबूत-पक्ष के विरुद्ध कुछ गम्भीर दोषारोपण किए हैं।

आपने कहा कि मेरा कहना यह नहीं है कि मुख़बिर ने अपने बयान में अब तक जो कुछ कहा है, वह प्रमाणित मान लिया जाय। मेरा कहना है कि जो कुछ मुख़बिर ने कहा है, उस पर ट्रिब्यूनल का ध्यान आकर्षित होना चाहिए और उसे ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए, जिससे पुलिस के आदमी मुख़बिरों पर किसी प्रकार का दबाव न डाल सकें और उन्हें बयान न सिखा सकें। पुलिस वालों ने अदालत के हाते के अन्दर मुख़बिर से तालियों का गुच्छा और बयान का प्रथम पृष्ठ माँगा था। अदालत को न्याय की रक्षा करनी चाहिए। चीफ़ जस्टिस ने इस सम्बन्ध में अपने फ़ैसले में कहा था कि मुख़बिरों को पुलिस के दबाव से दूर रखना चाहिए, जिससे कि वे स्वतन्त्रतापूर्वक अपने बयान दे सकें। परन्तु हाईकोर्ट की इन आज्ञाओं का सी० आई० डी० के अफ़सरों ने उल्लङ्घन किया है। सी० आई० डी० विभाग के ख़ाँ साहब सय्यद अहमदशाह डी० एस० पी० मुख़बिर से मिले थे, इस बात का सबूत-पक्ष ने खण्डन नहीं किया है। अगर यह बात ग़लत थी तो मुख़बिर से तालियों के ले लेने का प्रयत्न क्यों किया गया था और उसके सूट-केस का ताला क्यों तोड़ दिया गया था? सरकार अपने कर्मचारियों के कार्यों के लिए उत्तरदायी है। अभियुक्त तो जेल-विभाग, सी० आई० डी० विभाग और गवर्नमेण्ट को एक ही वस्तु समझते हैं। जब तक इस सम्बन्ध में अदालत स्वयं सन्तुष्ट न हो जाय, तब तक मुख़बिरों की गवाही बन्द रहनी चाहिए। अगर अदालत मुख़बिर मदनगोपाल के कथन को बिल्कुल निरर्थक न समझ कर उसे सारयुक्त समझती है, तो उसे कोई ऐसा प्रबन्ध कर देना चाहिए, जिससे कि मुख़बिर पुलिस द्वारा किसी प्रकार दबाए न जा सकें।

सफ़ाई के वकील मि० अमोलकराम कपूर ने अपनी बहस में उन परिस्थितियों का ज़िक्र किया, जिनमें मुख़बिरों की हिरासत के सम्बन्ध में हाईकोर्ट से प्रार्थना की गई थी। उस समय अभियुक्तों की ओर से हाईकोर्ट में हलफ़नामे पेश करने पड़े थे। अगर फिर कहीं हाईकोर्ट जाना पड़ा तो उनका पक्ष पहले की अपेक्षा अधिक सुदृढ़

हो जायगा। एक सरकारी गवाह शपथपूर्वक कह चुका है कि न्यायालय विभाग की हिरासत की हालत में उसे केवल उसके बयान की नक़ल नहीं दी गई, बल्कि कैलाशपति के बयान की भी नक़ल दी गई थी। मुख़बिर ने जो दोषारोपण किए हैं, वे अत्यन्त गम्भीर हैं और उनके प्रमाण के लिए काग़ज़ी सबूत भी मौजूद है। डी० एस० पी० ने यह बात स्वयं ही स्वीकार की है कि बयान के प्रथम पृष्ठ पर पेन्सिल से लिखी हुई तारीख़ें उन्हीं के हाथ की लिखी हुई हैं। ट्रिब्यूनल को चाहिए कि इस सम्बन्ध में जाँच करे और जाँच के वक्त तक मुख़बिरों की गवाही स्थगित रक्खे। न्याय की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि ट्रिब्यूनल इस सम्बन्ध में तुरन्त कोई ज़ोरदार कार्रवाई करे।

सरकारी वकील का उत्तर

सरकारी वकील रायबहादुर पण्डित ज्वालाप्रसाद ने सफ़ाई-पक्ष की बहस का उत्तर देते हुए कहा कि जेल मैनुअल के नियमों के अनुसार जाँच करने का अधिकार केवल जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को है। व्यक्तिगत मुझे ट्रिब्यूनल द्वारा जाँच होने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु क़ानूनन् अदालत को इस मामले में कोई अधिकार नहीं है।

ट्रिब्यूनल ने अपना निर्णय स्थगित रक्खा।

इसके बाद मुख़बिर मदनगोपाल की जिरह प्रारम्भ हुई।

सफ़ाई के वकील मि० अमरनाथ मेहता के प्रश्न के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि जहाँ तक सम्भव होता था, विवाहित व्यक्ति दल के सदस्य नहीं बनाए जाते थे। नया भर्ती होने वाला व्यक्ति दल का साधारण सदस्य समझा जाता था। इसकी सचाई की परीक्षा हो लेने के बाद वह व्यावहारिक कार्य करने वाली शाखा का सदस्य बना लिया जाता था। राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को ग़ैर-क़ानूनी दण्ड देने वाले अफ़सरों की हत्या का निश्चय इसलिए किया गया था कि गवर्नमेण्ट ग़ैर-क़ानूनी कार्य करने के लिए उन्हें दण्डित नहीं करती थी, बल्कि उसके लिए वह उन्हें उत्साहित किया करती थी। नौजवान भारत सभाएँ और सेवा-समितियाँ क्रान्तिकारी दल की शाखाएँ नहीं हैं।

प्रश्न—पुलिस ने तुम्हारे बयान में जो बातें अपनी तरफ़ से जोड़ी थीं, क्या वे तुम्हें याद हैं ?

उत्तर—हाँ, याद है। पुलिस ने निम्न-लिखित बातें मेरे बयान में जोड़ी थीं :—

(१) दीदी, भाभी और धनी (धन्वन्तरि) उपस्थित थे, जब बम भरे जा रहे थे। दीदी और भाभी ख़ाली बम देती जाती थीं। राज चारपाई पर लेटा हुआ था।

(२) भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़ाने के लिए जाते समय दीदी, भाभी, धनी और आसफ़ को तमन्चे दे दिए गए थे।

(३) प्रान दीदी के साथ हँसी-मज़ाक़ कर रहा था। (यह बात क्रान्तिकारियों को बदनाम करने के लिए जोड़ी गई थी।)

(४) प्रान भाभी के साथ हँसी-मज़ाक़ कर रहा था और भावलपुर रोड वाले बङ्गले पर बम-घटना होने का कारण यह था कि उनके हँसी-मज़ाक़ के बीच में भाभी से कहीं बम छू गया।

(५) भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़ाने के लिए जाते समय प्रान ने "बड़े भैया" (चन्द्रशेखर आज़ाद) से कहा कि शिव एक लड़की से प्रेम करने लग गया है। इस पर आज़ाद ने कहा कि शिव का चरित्र भी प्रान की तरह भ्रष्ट हो गया है।

इस समय मुझे उपरोक्त बातें ही याद हैं। मेरे बयान में इन बातों को जोड़ कर पुलिस क्रान्तिकारी दल को बदनाम करना और जनता की दृष्टि में उसे गिरा देना चाहती थी।

इसके बाद अदालत के एक प्रश्न के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि जो कुछ मैंने ट्रिब्यूनल के सामने कहा है, वह सच कहा है।

बयान समाप्त हो जाने के बाद मुख़बिर ने ट्रिब्यूनल के सदस्यों से प्रार्थना की कि मुझे अदालत में सप्ताह में एक बार हाज़िर होने की इजाज़त दे दी जाय, क्योंकि मुझे डर है कि इस प्रकार के बयान देने के बाद सम्भव है, मुझे दण्ड दिए जायँ। यदि अदालत में सप्ताह में एक बार मैं आ सकूँगा तो किसी प्रकार की शिकायत होने पर मैं उसे अदालत के सामने पेश कर सकूँगा।

आज ता० २६ जून को लाहौर हाईकोर्ट में दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्त श्री० सुखदेवराज की, जिनका मामला स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अलग से हो रहा है, उस अर्ज़ी पर विचार हुआ जिसमें उन्होंने जेल में अन्य अभियुक्तों से अलग रक्खे जाने का विरोध किया था और कहा था कि या तो मुझे अन्य अभियुक्तों के साथ रहने की आज्ञा दी जाय या ज़मानत पर छोड़ दिया जाय।

अभियुक्त की ओर से बहस करने के लिए मि० सुमेरचन्द, मि० श्यामलाल, मि० अमोलकराम कपूर थे। सरकार की ओर से सरकारी वकील रायसाहब पण्डित ज्वालाप्रसाद थे। अदालत का कमरा दर्शकों और वकीलों से भरा हुआ था। सी० आई० डी० विभाग के डी० आई० जी० पुलिस भी अदालत में उपस्थित थे।

मि० सुमेरचन्द ने अभियुक्त की ओर से बहस करते हुए कहा कि सुखदेवराज दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस का अभियुक्त है, जिसका विचार एक स्पेशल ट्रिब्यूनल में हो रहा है। वह पहले से ही षड्यन्त्रकारी घोषित हो चुका था और उसकी गिरफ़्तारी दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस प्रारम्भ होने के पाँच महीने बाद हुई थी। इसलिए सरकार ने उसके मामले को अन्य अभियुक्तों से अलग चलाने की आज्ञा दी थी। फिर भी उसके विरुद्ध अभियोग वे ही थे, जोकि अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध थे और इस समय उसका विचार भी उसी ट्रिब्यूनल में हो रहा है, जिसमें अन्य अभियुक्तों का हो रहा है। पुलिस की हिरासत से हटा कर वह न्यायालय विभाग की हिरासत में किया गया था। अदालत ने अपनी दूसरी जून की आज्ञा द्वारा सिफ़ारिश की थी कि अभियुक्त दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अन्य अभियुक्तों के साथ एक ही बैरक में रक्खा जाय। ४ जून को अदालत की आज्ञा का पालन हुआ, परन्तु ६ जून को वह फिर वहाँ से हटा कर एकान्त कोठरी में कर दिया गया, जहाँ किसी व्यक्ति को उससे मिलने की इजाज़त नहीं थी।

मि० सुमेरचन्द ने कहा कि इस प्रकार बिल्कुल अलग रखने से अभियुक्त के स्वास्थ्य और उसकी सफ़ाई की तैयारी में बाधा पहुँचेगी। हम लोगों ने जेल-अधिकारियों से एक पत्र द्वारा सुखदेवराज के अलग हटाए जाने का कारण पूछा था, परन्तु बहुत दिनों तक उनका कोई उत्तर नहीं आया। इसके बाद हम लोगों ने स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने इस सम्बन्ध में अर्ज़ी दी, परन्तु वह ख़ारिज हो गई। वहाँ से ख़ारिज होने के बाद अब इस हाईकोर्ट के सामने अर्ज़ी पेश की। हाईकोर्ट में अर्ज़ी पेश होने के बाद जेल के अधिकारियों ने ट्रिब्यूनल के पास अपना उत्तर भेजा। उत्तर अभियुक्त के वकीलों के पास न भेज कर ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट के पास भेजा गया। उसमें लिखा था कि गवर्नमेण्ट सुखदेवराज के अन्य अभियुक्तों से अलग रक्खे जाने का कोई कारण नहीं बतलाना चाहती। अभियुक्त के वकील ने "प्रिज़न एक्ट" की २७ और २८ वीं दफ़ाओं का हवाला देते हुए कहा कि व्यवस्थापक सभा ने जो व्यवस्था दी है, उसके अनुसार केवल दण्डित अभियुक्त अकेले बन्द किए जा सकते हैं, विचाराधीन अभियुक्त नहीं। क़ानून में कहीं नहीं कहा गया कि विचाराधीन अभियुक्त अलग एकान्त में बन्द किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में हाईकोर्ट की जो आज्ञाएँ निकल चुकी हैं, उनमें भी कहा गया है कि विचाराधीन अभियुक्तों के साथ उतनी ही सख़्ती की जानी चाहिए, जितनी उन्हें हिरासत में रखने के लिए नितान्त आवश्यक है। विचाराधीन अभियुक्त अदालत के अधिकार में रहते हैं, जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट को उन्हें हिरासत में रखने का अधिकार अदालत से ही प्राप्त होता है। सरकार की कार्यकारिणी को विचाराधीन अभियुक्तों के सम्बन्ध में दस्तन्दाज़ी करने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत से दण्ड न पाए हुए क़ैदियों पर पूर्ण अधिकार केवल अदालत को है।

जेल-अधिकारियों के नाम अदालत ने जो पत्र लिखा था, उसके सम्बन्ध में अभियुक्त के वकील ने कहा कि स्पेशल ट्रिब्यूनल जेल-अधिकारियों के पास केवल अपनी सिफ़ारिशें भेज रही थी। परन्तु जब अभियुक्त अन्य अभियुक्तों से अलग हटाया जा रहा था, तब उससे कहा गया कि तुम एक ऐसी अधिकार-शक्ति की आज्ञानुसार अलग लिए जा रहे हो, जोकि अदालतों से ऊपर है। सफ़ाई के वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि क्या बीसवीं शताब्दी में अदालतों की स्थिति इस दर्जे पर पहुँच गई है कि अदालतें सरकार के कार्यकारिणी विभाग से नम्र-निवेदन किया करें, उनके यहाँ अर्ज़ियाँ भेजा करें, परन्तु वे यह तक न बतलाएँ कि किसकी आज्ञानुसार और किस कारण से वह कार्य हुआ। सरकारी वकील रायबहादुर पं० ज्वालाप्रसाद ने अर्ज़ी का विरोध करते हुए कहा कि जो व्यक्ति जेल भेजा जाता है, उसे जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट अपने जेल में ले लेने के लिए बाध्य है, वह इन्कार नहीं कर सकता। परन्तु जेल के अन्दर प्रवेश करते ही वह व्यक्ति जेल के तमाम नियमों और प्रतिबन्धों के अधीन हो जाता है।

इस पर जस्टिस भिडे ने कहा—परन्तु उसके साथ विचाराधीन क़ैदी-सा व्यवहार होना चाहिए। अदालत को यह अधिकार है कि वह उस पर अनावश्यक सख़्तियाँ न होने दे।

सरकारी वकील ने कहा कि यह ठीक है। सुखदेवराज के साथ बी० क्लास के क़ैदी का सा व्यवहार किया जाता है, साधारण क़ैदी का नहीं।

इसके साथ ही सरकारी वकील ने कहा कि कुछ विशेष कारणों से अभियुक्त सुखदेवराज अन्य अभियुक्तों से अलग रक्खा गया है, जो कि मैं अदालत को बताने के लिए तैयार हूँ, परन्तु सर्वसाधारण को नहीं बतलाए जा सकते। इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि जेल में वह प्रचार का कार्य न कर सके।

आज ता० २६ जून की बैठक में स्पेशल ट्रिब्यूनल ने दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के २६ अभियुक्तों की ओर से दी हुई उस अर्ज़ी का फ़ैसला सुनाया, जिसमें अभियुक्तों ने असिस्टेण्ट जेलर को हटा देने और मुख़बिरों के हिरासत में रखने के सम्बन्ध में हाईकोर्ट ने जो हुक्म जारी किए थे, उनके पूर्णतया पालन किए जाने का अनुरोध किया था।

ट्रिब्यूनल का फ़ैसला इस प्रकार है :—

"मुख़बिर मदनगोपाल ने अपनी गवाही के सिलसिले में कहा है कि इस अदालत में गवाही प्रारम्भ होने के एक दिन पहले सी० आई० डी० पुलिस के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट सय्यद अहमदशाह ने असिस्टेण्ट जेलर

बाबू दौलतअली शाह की साजिश से, जोकि मुख़बिरों पर देख-रेख करने के लिए तैनात हैं, रात के समय जेल के अन्दर अनुचित ढङ्ग से प्रवेश किया और मुख़बिर मदनगोपाल को बयान की नक़लें देकर उन्हें कण्ठस्थ कर लेने के लिए कहा। सफ़ाई के वकील का कहना है कि हाईकोर्ट ने हुक्म दिया था कि सी० आई० डी० के अफ़सर मुख़बिरों से मिलने न पाएँ, परन्तु डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट सय्यद अहमदशाह की कार्रवाई से मालूम होता है कि उस हुक्म का पालन नहीं किया जा रहा है। इस प्रश्न पर विचार करने के बाद हमें मालूम हुआ है कि सरकार द्वारा हाईकोर्ट के हुक्मों के पालन न होने और दो व्यक्तियों द्वारा स्वयं सरकार के नियमों के उल्लङ्घन होने में बहुत अन्तर है। जो हो, हमारे सामने यह बात स्पष्ट हो गई है कि मुख़बिरों के हिरासत में रखने के सम्बन्ध में ऐसा प्रबन्ध नहीं किया जा सका, जिससे क़ानून का या किसी व्यक्ति द्वारा अपने कर्त्तव्य का उल्लङ्घन करना असम्भव हो जाय।

अगर यह मान भी लिया जाय कि मुख़बिर मदनगोपाल ने अपने बयान में जो कुछ कहा है, वह ठीक है, फिर भी उससे यह नहीं प्रकट होता कि सरकार की ओर से मुख़बिरों के लिए जो प्रबन्ध किया गया है, उसमें सी० आई० डी० के अफ़सरों के लिए मुख़बिरों से मिलने की व्यवस्था बनी रहने दी गई है। मुख़बिरों के लिए जैसा प्रबन्ध किया गया है, उसमें सी० आई० डी० का अफ़सर, बिना स्वयं अपने कर्तव्य का उल्लङ्घन किए और जेल के किसी अफ़सर से न्याय-विरुद्ध साजिश किए किसी मुख़बिर से मिल ही नहीं सकता। हाईकोर्ट के हुक्मों का पालन कराने के लिए इससे बढ़ कर और क्या गारण्टी हो सकती है कि जो व्यक्ति उन हुक्मों के उल्लङ्घन करने की चेष्टा करेगा, वह दण्डित किया जायगा?

सफ़ाई के वकील का कहना है कि वे किसी जेल-अधिकारी या पुलीस के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट को दण्ड नहीं दिलाना चाहते, वे केवल कुछ ऐसा प्रबन्ध चाहते हैं, जिससे मुख़बिरों से सी० आई० डी० के आदमियों का मिलना असम्भव हो जाय। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, हमें नहीं मालूम कि ऐसा कोई प्रबन्ध किया जा सकता है। अर्ज़ी में कहा गया है कि मुख़बिरों को सेण्ट्रल जेल में भेज दिया जाय। परन्तु यह उपाय हमें जँचता नहीं, क्योंकि इस बात की क्या गारण्टी है कि जैसे बोर्स्टल जेल में असिस्टेण्ट जेलर ने अपने कर्तव्य का उल्लङ्घन किया है, वैसे ही सेण्ट्रल जेल का अफ़सर अपने कर्तव्य का उल्लङ्घन न करेगा?

अर्ज़ी में यह भी कहा गया है कि बोर्स्टल जेल के असिस्टेण्ट जेलर अपने पद से हटा दिए जायँ। हम लोगों के लिए ऐसी कोई बात करना असम्भव है, जब तक कि हम लोगों को इस बात का निश्चय न हो जाय कि दौलतअली शाह ने कोई अपराध किया है।

सफ़ाई के वकील ने कहा है कि हम लोग इस मामले की जाँच करें, परन्तु हमारा ख़्याल है कि इस सम्बन्ध में आपत्ति की जा सकती है। एक तो यह कि केस के बीच में ही मुख़बिर की गवाही के किसी अंश पर ही फ़ैसला दे देना सबूत या सफ़ाई-पक्ष के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त हम लोगों का यह स्पष्ट मत है कि हमारी अदालत इस बात के लिए नहीं है कि वह ऐसी बातों की जाँच करे। यह मान लेने पर भी कि मुख़बिर मदनगोपाल ने जो कुछ कहा है वह सच है, दौलतअली शाह और सय्यद अहमदशाह के कार्य, सम्भवतः "प्रिज़न एक्ट" की ४२वीं दफ़ा के अनुसार या किसी और क़ानून के अनुसार अपराध कहे जा सकते हैं। इन अपराधों की जाँच करना लाहौर ज़िले के किसी फ़र्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की अदालत का कार्य है। वे अपराध ऐसे नहीं मालूम होते जिनकी जाँच यह अदालत कर सकती हो। इस कथन में कि प्रबन्ध ऐसे हैं, जिनमें मुख़बिरों से सी० आई० डी० के अफ़सरों के मिल सकने की व्यवस्था है और इस कथन में कि किसी सी० आई० डी० के अफ़सर ने क़ानून का उल्लङ्घन करके किसी मुख़बिर से मिलने का उपाय कर लिया, अन्तर है। सम्भवतः पहले कथन के सम्बन्ध में जाँच करना हमारे लिए उचित है। परन्तु हमें उस अदालत के अधिकार अपहरण करने का कोई हक़ नहीं है, जिसे कि इस सम्बन्ध में जाँच करने का अधिकार है।

इसलिए इस सम्बन्ध में हम लाहौर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ध्यान आकर्षित करना उचित समझते हैं। अगर वे उचित समझें तो अर्ज़ी में लिखी बातों की जाँच कर सकते हैं।

सी० आई० डी० के अफ़सर

अर्ज़ी में यह भी प्रार्थना की गई है कि अदालत में मुख़बिरों से सी० आई० डी० के अफ़सर न मिलने पाएँ। इस सम्बन्ध में हम अपना ज़बानी हुक्म पहले ही निकाल चुके हैं। अब एक लिखित हुक्म निकाल कर हम फिर से उस बात का समर्थन करते हैं। अब से गवाहों के कमरे में कोई भी पुलिस अफ़सर बिना अदालत की आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा। केवल वे ही पुलिस अफ़सर उस कमरे में जा सकेंगे, जिन्हें स्वयं गवाही देनी है, परन्तु जिन्होंने केस की जाँच में कोई भाग नहीं लिया है; या वे पुलिस अफ़सर जा सकेंगे, जिन्हें अदालत में मुख़बिरों की देख-रेख रखने का कार्य दिया गया है।

आख़ीर में हम यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मुख़बिर मदनगोपाल की गवाही के किसी भी अंश पर हम अपना कोई भी निर्णय नहीं दे रहे हैं।"

(क्रमशः)

* * *

देहली षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

उन्नीस दिन के बाद आज ता० २४ जून को ११ बजे गवर्नमेण्ट सेक्रेटेरियट भवन के दक्षिणी हिस्से में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने दिल्ली षड्यन्त्र केस फिर पेश हुआ।

सरकारी वकील मि० ज़फ़रुल्ला ख़ाँ थे। सफ़ाई की तरफ़ केवल एस० एन० बोस थे, जोकि अभियुक्त कपूरचन्द की पैरवी कर रहे हैं।

षड्यन्त्र केस की कार्रवाई प्रारम्भ करने के पहले ट्रिब्यूनल ने अभियुक्तों से पूछा कि तुम लोगों ने अपनी पैरवी के लिए वकीलों का क्या प्रबन्ध किया है? अभियुक्तों की ओर से श्री० विद्याभूषण ने कहा कि हम लोग सरकारी ख़र्च से मि० आसफ़अली, मि० बैनर्जी और मि० बलजीतसिंह को नियुक्त करना चाहते हैं। श्री० वात्सायन ने कहा कि फ़रीदुल हक़ अन्सारी भी सरकारी ख़र्च से नियुक्त हुए थे।

अदालत ने सफ़ाई की तरफ़ से सरकारी ख़र्च पर पैरवी करने के लिए मि० आसफ़अली, मि० बलजीतसिंह और मि० बैनर्जी की नियुक्ति का हुक्म जारी कर दिया।

इसके बाद मुख़बिर कैलाशपति गवाह के कठघरे में लाया गया। परन्तु अभियुक्तों ने सफ़ाई के वकीलों की अनुपस्थिति में कार्रवाई प्रारम्भ करने का विरोध किया। इस पर अदालत ने टेलीफ़ोन द्वारा सफ़ाई के वकीलों को जलपान के बाद अदालत में हाज़िर होने की ख़बर भेज दी।

आज ता० २६ जून को स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने दिल्ली षड्यन्त्र केस के नौ अभियुक्त अनुपस्थित थे। विद्याभूषण और वात्सायन बीमार थे, इसलिए ट्रिब्यूनल ने अन्य अभियुक्तों को नहीं बुलवाया। उपरोक्त दोनों अभियुक्तों की ओर से पैरवी करने के लिए कोई वकील नहीं था, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी, केवल पाँच अभियुक्त रुद्रदत्त, बाबूराम गुप्त, हरद्वारीलाल गुप्त, हरकेश और ख़्यालीराम गुप्त अदालत में बुलाए गए थे। उनसे पूछा गया कि क्या सफ़ाई के वकील उनकी पैरवी करना मन्ज़ूर कर चुके हैं।

ट्रिब्यूनल के जज ११ बज कर २० मिनट पर पहुँचे। प्रारम्भ में ही प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि मुझे खेद है कि अभियुक्त वात्सायन और विद्याभूषण बुख़ार से पीड़ित हैं, इस कारण से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती।

इसके बाद प्रेज़िडेण्ट ने मि० आसफ़अली, मि० बलजीतसिंह और मि० बैनर्जी से पूछा कि क्या आप लोग पैरवी के लिए अपनी नियुक्ति मन्ज़ूर करते हैं? मि० आसफ़अली ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि सफ़ाई कमिटी अभियुक्तों की सहायता और व्यय की कमी की पूर्ति के लिए तैयार हो गई। हम लोग राज़ी हैं और मि० फ़रीदुल हक़ अन्सारी भी हम लोगों के साथ सफ़ाई कमिटी की ओर से पैरवी करेंगे।

इसके बाद मि० आसफ़अली ने अदालत में उपस्थित पाँच अभियुक्तों की ओर से ज़मानत की दरख़्वास्त पेश की। प्रेज़िडेण्ट ने ज़मानत की दरख़्वास्त पर बहस करने के लिए ता० ६ जुलाई नियत की। ज़मानत की दरख़्वास्तें पाँच अभियुक्तों की ओर से सम्मिलित और अलग-अलग दोनों प्रकार से पेश की गईं। दरख़्वास्त इस प्रकार है:—

(१) अभियुक्त जब से गिरफ़्तार हुए, तब से जेल में बन्द हैं।

(२) अब तक केवल एक गवाह की गवाही पूरी हुई है, दूसरे की जारी है, जिसमें सम्भवतः कई सप्ताह लग जायँगे।

(३) इस केस में केवल सबूत की ओर से ४५८ गवाह पेश होने वाले हैं, जिनमें से कुछ की गवाहियों में उतना ही समय लगने की आशा है, जितना कि प्रथम मुख़बिर की गवाही में लग चुका है। सबूत-पक्ष की कार्रवाइयों के जल्दी समाप्त होने की कोई आशा नहीं है।

(४) अभियुक्त जिस प्रकार से जेलों में रक्खे गए हैं, उससे सफ़ाई की तैयारी में बहुत अधिक बाधा पड़ी है।

(५) अब तक सबूत की ओर से जितनी गवाही हो चुकी है और अभियुक्तों के विरुद्ध गवाही का जितना सारांश प्राप्त हो चुका है, उन्हें देखने के बाद यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि अभियुक्तों के विरुद्ध अब तक इस षड्यन्त्र के सम्बन्ध में किसी प्रकार के प्रत्यक्ष कार्य करने या उसमें सहायता देने तक की कोई बात नहीं कही गई है।

इसीलिए प्रार्थना है कि अभियुक्त ज़मानत पर छोड़ दिए जायँ।

मुख़बिर को अलग रखने की माँग

ज़मानत की दरख़्वास्त दे चुकने के बाद मि० आसफ़अली ने मुख़बिर कैलाशपति को आज मुख़बिरों से अलग रखने के सम्बन्ध में एक अर्ज़ी पेश की। अर्ज़ी में कहा गया था कि मुख़बिर कैलाशपति की गवाही क़रीब-क़रीब समाप्ति पर है, इसलिए अभियुक्तों की प्रार्थना है कि या तो यह मुख़बिर अन्य मुख़बिरों से तब तक के लिए अलग रक्खा जाय, जब तक कि अन्य मुख़बिरों की गवाही और जिरह न समाप्त हो जाय या पहले सब मुख़बिरों की केवल गवाही हो जाय और जिरह बाद के लिए स्थगित रक्खी जाय। अभियुक्तों को इस बात का बहुत डर है कि यदि उपरोक्त दो बातों में से कोई एक बात न की गई, तो उनकी सफ़ाई में बड़ी बाधा पहुँचेगी और अभियुक्तों को दोषारोपण के पहले सबूत के गवाहों से जिरह करने का जो अधिकार प्राप्त है, वह बिल्कुल निरर्थक हो जायगा।

मि० आसफ़अली ने उपरोक्त अर्ज़ी पेश करते हुए अदालत से कहा कि अब जेल में मुख़बिरों को अलग-अलग रखने के लिए काफ़ी जगह मौजूद है। वास्तव में एक मुख़बिर तो क़रीब एक महीना हुआ जब से बिल्कुल अलग रक्खा जा रहा है।

सरकारी वकील चौधरी ज़फ़रुल्ला ख़ाँ ने कहा कि इस विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम।

मि० आसफ़अली ने कहा कि इस विषय में कोर्ट इन्स्पेक्टर सरदार भागसिंह तो ज़रूर ही जानते होंगे।

सरदार भागसिंह ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता।

परन्तु मि० आसफ़अली ने कोर्ट इन्स्पेक्टर को यह कह कर लाजवाब कर दिया कि "क्या आप जो कुछ कह रहे हैं, उसको हलफ़ के साथ लिख कर अदालत के सामने पेश करने के लिए तैयार हैं?"

इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया।

अदालत ने अर्ज़ी पर बहस करने के लिए तारीख़ ३० जून नियत की।

इसके बाद मि० आसफ़अली ने ट्रिब्यूनल के सदस्यों से प्रार्थना की कि आप लोग इसी समय चल कर देख लें कि उसमें मुख़बिर कैलाशपति को अलग रखने के लिए जगह है या नहीं।

ट्रिब्यूनल के एक सदस्य ख़ाँ बहादुर अमीरअली ने विनोद में कहा कि मैं समझता हूँ कि मुख़बिरों के अलग-अलग रखने की बात किसी संसर्गिक रोग के कारण नहीं कही जा रही है। (इस पर हँसी हुई)

मि० आसफ़अली ने विनोद में ही कहा—जी हाँ, परन्तु असावधानी या अधिकारियों की कर्तव्य-विमुखता से अत्यन्त गम्भीर संसर्गिक रोग उत्पन्न हो सकता है। (इस पर फिर हँसी हुई।)

मि० आसफ़अली ने अदालत के सामने एक और अर्ज़ी भी पेश की। उसमें कहा गया था कि या तो अदालत स्वयं जेल जाकर जेल के १६ नम्बर के उस रजिस्टर का निरीक्षण करे, जिसमें मई महीने में आए हुए जेल के दर्शकों के नाम दर्ज हैं या अदालत मुझे रजिस्टर को जेल से लाने के लिए वारण्ट दे। आपने अदालत से कहा कि वह रजिस्टर अभियुक्त-पक्ष के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण वस्तु है और उसके लिए अदालत को तुरन्त उचित कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि देर हो जाने से उसमें कुछ गड़बड़ हो जाने की सम्भावना है। आपने कहा कि सी० आई० डी० के आदमी मुख़बिरों के वार्ड में हर समय स्वतन्त्रतापूर्वक आते-जाते रहे हैं। मेरी समझ में यह बात अत्यन्त विचारणीय है।

प्रेज़िडेण्ट ने मि० आसफ़अली से पूछा कि आपको डर किस बात का है?

मि० आसफ़अली—जो लोग ऐसी-ऐसी बातें कर सकते हैं, वे क्या नहीं कर सकते? वे चाहें तो रजिस्टर को नष्ट कर सकते हैं।

प्रेज़िडेण्ट—आपके कथन अस्पष्ट हैं।

मि० आसफ़अली—नहीं, मेरे कथन स्पष्ट और आधारयुक्त हैं।

इस पर ट्रिब्यूनल के एक सदस्य रायबहादुर कुँवरसेन ने कहा कि वह रजिस्टर नष्ट नहीं किया जा सकता।

मि० बलजीतसिंह—इस केस में सब कुछ किया जा सकता है। अभी-अभी एक आदमी सबूत की ओर से जेल भेजा गया है। मुझे भय है कि सबूत-पक्ष की ओर से यह आदमी रजिस्टर के सम्बन्ध में अर्ज़ी पेश किए जाने के बाद ही भेजा गया है।

इस पर वाक्युद्ध प्रारम्भ हो गया और दोनों ओर के वकील उत्तेजित हो गए।

सरकारी वकील चौधरी ज़फ़रुल्ला ख़ाँ ने कहा—मेरे विरुद्ध जो निराधार दोषारोपण किए गए हैं, उनका मैं ज़ोरों के साथ विरोध करता हूँ। मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता, सबूत-पक्ष को सभ्य व्यवहार पाने का उतना ही अधिकार है जितना कि सफ़ाई-पक्ष स्वयं अपने लिए चाहता है।

मि० बलजीतसिंह—मेरा कथन सरकारी वकील के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सबूत-पक्ष के इन्स्पेक्टर के विरुद्ध है, जिसने कि आदमी भेजा है। परन्तु जो कुछ मैं कह चुका हूँ उस पर दृढ़ हूँ। सबूत-पक्ष ने, सफ़ाई की ओर से जेल के रजिस्टर के सम्बन्ध में अर्ज़ी पेश किए जाने के बाद सम्भवतः जेल की तरफ़ आदमी भेजा है।

प्रेज़िडेण्ट—मेरा ख़्याल है कि आपकी टीका अनुचित है।

मि० बलजीतसिंह ने अपने कथन को वापस लेने से इन्कार कर दिया।

(शेष मैटर ३७वें पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए।)



अलजीरिया

[श्री० गोपाल गङ्गाधर भावे, बी० ए०]

अलजीरिया का पुराना नाम बारबरी था। यह देश अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को, ट्यूनिस इत्यादि उत्तरीय देशों के बीच में बसा है, और भूमध्य-सागर के अफ्रीकी किनारे पर सहारा रेगिस्तान के दक्षिण ओर छः सौ मील की लम्बाई तक फैला है। यह देश फ्रान्स के अधीन प्रान्तों में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है, और क्षेत्रफल में फ्रान्स से छठांश अधिक है। उपजाऊ होने के कारण इस देश पर सदा विदेशियों के आक्रमण होते रहे हैं। वर्त्तमान समय में यहाँ पर अरब, मूर, तुर्क, यहूदी, नीग्रो इत्यादि भिन्न-भिन्न जातियाँ निवास करती हैं।

इस देश का इतिहास बहुत पुराना है, और ग्रीस तथा रोम के पौराणिक इतिहास से इसका सम्बन्ध पर्याप्त रहा है। तीन सहस्र वर्ष पूर्व जब हरक्यूलीस ने भिन्न-भिन्न पूर्वीय देशों की सेनाओं को स्पेन में खदेड़ कर तितर-बितर कर दिया, तब वे सैनिक अफ्रीका में आकर वहाँ के आदि निवासियों से मिल गए, और उन्होंने अपने को 'न्यूमीडिया' नाम की जाति में सङ्गठित कर लिया। रोम और कार्थेज में युद्ध हुआ, उसमें कार्थेज को सहायता देने के अपराध में रोम ने यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाया; किन्तु कुछ काल के उपरान्त न्यूमीडिया के राजा ने रोम के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ किया, जो बहुत काल तक चलता रहा। अन्त में रोम के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक शासक जुलियस सीज़र ने इसे रोम का एक प्रान्त बना लिया।

ईसा की पाँचवीं शताब्दी से आठवीं शताब्दी तक स्पेन की 'वेण्डल' नामक जाति का यहाँ पर आधिपत्य रहा। इन्होंने यहाँ की पुरातन सभ्यता को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला, इसलिए देश को बहुत हानि उठानी पड़ी। तत्पश्चात् अरब की रेगिस्तानी जातियों ने यहाँ अपना आधिपत्य जमाया और कई शताब्दियों तक इस देश में विप्लव और अराजकता का राज्य रहा।

कुछ शताब्दियों के उपरान्त स्पेन और तुर्कों में इस देश पर अधिकार जमाने के लिए कलह उत्पन्न हुआ, जिसमें तुर्कों की विजय हुई और अलजीरिया तुर्कों के अधिष्ठित प्रान्तों में गिना जाने लगा।

स्पेन के सुप्रसिद्ध शासक पाँचवें चार्ल्स ने यहाँ पर अपना अधिकार जमाना चाहा, किन्तु चार्ल्स के अनेक प्रयत्न करने पर भी अलजीर्स का शहर अजेय रहा।

तदुपरान्त यह देश सामुद्रिक डाकुओं का निवास-स्थान होने के कारण अनेक प्रकार से पीड़ित किया जाने लगा। अन्त में सन् १८३० ई० में फ्रान्स ने इस पर अपना अधिकार किया; किन्तु यहाँ के अरबी निवासी बड़े कट्टर थे, वे बड़ी कठिनाई से वश में हो सके। सन् १८८२ ई० के उपरान्त यह देश पूर्णतया फ्रान्स के अधीन हो गया और विगत यूरोपीय महायुद्ध में फ्रान्स को इस प्रान्त से अच्छी सहायता मिली।

अलजीर्स यहाँ का मुख्य शहर है। यहाँ के शहरों और बन्दरगाहों में पाश्चात्य सभ्यता का विशेष प्रभाव पड़ा है, और नए यात्री को यहाँ पर यूरोपीय आचार-व्यवहार देख कर कहना पड़ता है कि अलजीर्स अफ्रीका नहीं, किन्तु नया फ्रान्स है। परन्तु यदि आप शहर की किसी सङ्कीर्ण गली में प्रवेश कीजिए, तो आपको भ्रम होने लगेगा कि हम किसी जादू के द्वारा एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भेजे गए हैं। यहाँ पर आपको पूर्वीय सभ्यता का जाल बिछा दिखाई देगा।

यहाँ के बाज़ारों में एक विचित्रता है। आपको यहाँ आधुनिक बड़े-बड़े व्यापारियों की दूकानों के समान कोई भी दूकान न मिलेगी। बाज़ार में छोटी-छोटी झोपड़ियाँ और सर्वत्र गूढ़ता तथा अगम्यता का साम्राज्य फैला है। जब यहाँ तुर्कों का राज्य था, उस समय किसी भी व्यापारी को अपनी समृद्धि के चिह्न प्रकट करना उसके लिए अत्यन्त अनिष्टकारी और अमङ्गलप्रद था। आज भी लोगों में धन-सम्पत्ति और समृद्धि छिपाने का पुराना संस्कार पड़ा हुआ है। किसी भी अँधेरी गुफा में बड़े से बड़ा व्यापार चल सकता है। यहाँ के दूकानदारों को आप गुफा में रहने वाली जाति कह सकते हैं। दर्ज़ी की दूकान में कोई ऐसा स्थान नहीं मिलेगा, जहाँ खड़े होकर ग्राहक कपड़ा पहिन कर देखें कि ठीक है अथवा कुछ न्यूनाधिक। उसे बीच सड़क में खड़ा रहना पड़ता है और दूकानदार वहीं पर उसे कपड़ा पहिना देता है। बीच-बीच में "वाह, क्या ही ठीक है" "कैसा सुन्दर दिखाई देता है" इत्यादि अनेक वाक्य वह कहता रहेगा, और ज़रा इधर-उधर खींच-खाँच करके आपसे कहलवा लेगा कि कपड़ा ठीक सिला है। अड़ोसी-पड़ोसी सब तमाशा देखने खड़े हो जायँगे और उनकी भी अनेक सूचनाएँ कान पर प्रतिध्वनित होती रहेंगी। इस प्रकार जब तक यह सौदा पूर्ण नहीं हो जाता, सड़क पर का आवागमन बन्द रहता है। 'जल्दी काम शैतान का' इस कहावत को वे पूर्ण रूप से चरितार्थ करते हैं।

नाई, दाँत साफ़ करने वाले तथा पत्र-लेखन का व्यापार करने वाले रास्ते के फ़र्श पर बैठ कर अपना-अपना धन्धा किया करते हैं। बहुत सी गुफाओं के द्वार पर बैठ कर कारीगर अपने पूर्वजों से प्राप्त किए हुए धन्धे, जैसे तुकबन्दी करना, जूतों की मरम्मत करना, बर्तन जोड़ना, बाजों को दुरुस्ती इत्यादि किया करते हैं। मसालों की महक, इत्र की सुगन्धि, पकाए जाने वाले भोजन की ख़ुशबू तथा कूड़े-करकट के ढेर से फैलने वाली दुर्गन्धि इत्यादि से वातावरण सदा भरा रहता है। पूर्व के समस्त देश बहुधा इसी प्रकार के देखने में आते हैं। अलजीर्स के एक छोटे से बाज़ार के एक कोने में अरब अब भी कहानियाँ सुना कर पैसे कमाते हैं। इस प्रकार कहानियाँ सुनाने की प्रथा बहुत पुरानी है, और 'सहस्र रजनी' इत्यादि पुस्तकों में हम उसका वर्णन पढ़ते हैं।

अलजीरिया में कॉफ़ी-भवन बहुत पाए जाते हैं, किन्तु इनमें सामान कुछ भी नहीं होता। एक ख़ाली कमरे में कुछ बेञ्चें पड़ी रहती हैं और कोने में एक चूल्हा रक्खा रहता है। यहाँ आने वाले बेञ्चों पर, भूमि पर अथवा चटाइयों पर पल्थी मार कर बैठते हैं। इनमें से कुछ ताश, शतरञ्ज इत्यादि खेल खेलते हैं और कुछ छोटे-छोटे गिलासों से कॉफ़ी पीते हैं।

मूर लोगों के घर किसी प्रकार से अलंकृत नहीं होते। उनकी दीवारें ख़ाली, ढालदार तथा देखने में लटकती हुई सी होती हैं। उनके घरों में खिड़कियाँ नहीं होतीं, केवल कुछ झँझरीदार झरोखे होते हैं। उनके द्वारों की उपमा किसी दुर्ग के सिंहद्वार अथवा किसी कारागृह के फाटक से दी जा सकती है। घरों के पिछवाड़े ही केवल हम लोग देख पाते हैं। इनके अन्तर्भाग अवश्य सजे हुए, रँगे हुए तथा प्रेक्षणीय होते हैं।

परदे की प्रथा अलजीरिया में बहुत प्रचलित है। यहाँ घरों की छतों पर ही केवल स्त्रियाँ स्वच्छ वायु सेवन कर सकती हैं। परन्तु यहाँ के घर पहाड़ियों के ढाल पर बने हैं, और छतों पर से दूर के समुद्र और उन पर चलने वाले जहाज़ तथा नौकाओं के अतिरिक्त स्त्रियाँ कुछ भी नहीं देख सकतीं। छतें एक-दूसरी से मिली हुई हैं, और स्त्रियों को अपनी सहेलियों से मिलने के लिए इन्हीं पर से जाने की आज्ञा है। परन्तु इसका अनिष्ट उपयोग प्रेमियों द्वारा होता है, जो किसी वृद्धा कुटनी की सहायता से स्त्री-वेष में अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए इन्हीं छतों द्वारा विचरण करते हैं।

यहाँ की मस्जिदों में ईसाइयों के जाने की रोक नहीं है, परन्तु उनको जूता बाहर ही उतारना पड़ता है। फ्रान्स यहाँ की भिन्न-भिन्न जातियों को पाश्चात्य सभ्यता में रँगने का प्रयत्न ज़ोरों से कर रहा है; परन्तु उसे कहाँ तक सफलता हुई, यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता। यहाँ के आदि निवासियों के विश्वास, आचार-व्यवहार सभी यूरोप से नितान्त भिन्न हैं।

* * *

(२६वें पृष्ठ का शेषांश)

प्रेज़िडेण्ट ने मि० आसफ़अली से कहा कि अदालत वारण्ट नहीं दे सकती, परन्तु रजिस्टर मँगवा सकती है। मैं इस बात को पहले से ही नहीं मान सकता कि जेल-अधिकारी रजिस्टर में कोई गड़बड़ कर देंगे।

मि० आसफ़अली—मुझे इस बात का बहुत डर है कि कहीं यह रजिस्टर नष्ट न कर दिया जाय।

इस पर ख़ाँ बहादुर अमीरअली ने मि० आसफ़अली से पूछा कि अगर ट्रिब्यूनल रजिस्टर को मँगवा ले तो क्या आपका उद्देश्य सिद्ध हो सकता है?

मि० आसफ़अली ने कहा—जी हाँ, अगर अदालत रजिस्टर को मँगा कर अपने क़ब्ज़े में रख ले, तो मेरा उद्देश्य सिद्ध हो जायगा। लेकिन अगर जेल के अधिकारियों ने रजिस्टर आज न दिया या उसे नष्ट कर दिया तब क्या होगा?

प्रेज़िडेण्ट—तब जो करना होगा, सोचा जायगा। परन्तु इस समय तो हमें इस तरह की कोई भी बात होने की आशङ्का नहीं मालूम होती। हम जेल से रजिस्टर लाने के लिए अदालत से एक क्लर्क भेज देंगे।

मि० आसफ़अली ने ट्रिब्यूनल से क्लर्क के साथ एक वकील भी भेज देने की प्रार्थना की। परन्तु प्रेज़िडेण्ट ने यह प्रार्थना अस्वीकार कर दी।

मि० आसफ़अली ने कहा—मेरी प्रार्थना है कि अदालत अभी ही रजिस्टर मँगा कर अपने क़ब्ज़े में रख ले।

प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि ऐसा ही किया जायगा।

इसके बाद अदालत स्थगित हो गई।

(क्रमशः)

* * *



[हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष]

भारत के नए बड़े लाट बहादुर, श्रीजगद्गुरु की तरह बुद्धि को परिमार्जित करने के लिए बक्कनफ़बक्कन बूटी छानते हैं या नहीं, यह तो मालूम नहीं, परन्तु इसमें सन्देह नहीं, कि बेचारे आदमी बड़े सीधे-सादे और सोलहो आने भारत के बड़े लाट होने के योग्य हैं। इसलिए ऐसा 'वाह्याभ्यन्तर' विशुद्ध बड़ा लाट भेजने के लिए श्रीमती ब्रिटानिया को हिज़ होलीनेस का बहुत-बहुत धन्यवाद पहुँचे।

❀

गत २७ जून को शिमला शैल की एक भोज-सभा में लेह्य, पेय, चव्य, चूष्य पदार्थों के भूरि-भोजन के पश्चात् जो वक्तृता लाट साहब ने दी है, वह माशा अल्लाह, स्वादिष्ट ही नहीं, उपादेय भी है। इसलिए आए दिन की बेकारी और अन्नाभाव के कारण जिन लोगों ने इस संसार से 'हिजरत' कर ली है, हमारी राय है कि तिला-ञ्जलि के साथ एक-एक प्रति इस वक्तृता की भी उनके पास भेज दी जाए, ताकि परलोक में उनकी आत्माओं को काफ़ी शान्ति प्राप्त हो सके।

❀

घबराइए नहीं, यहाँ से पिण्डा, पानी, आटा, दाल, चावल, पलङ्ग—यहाँ तक कि जूता तक—स्वर्ग भेजा जा सकता है तो बड़े लाट साहब की स्पीच की एक प्रति भेज देना कौन सी बड़ी बात है? वक्तृता की एक प्रति श्राद्धान्न के साथ पुरोहित जी को खिला दीजिए या उसे घोकर उन्हें पिला दीजिए। बस, वह बिला सारबक़ी की ख़बर की तरह स्वर्ग-धाम पहुँच जाएगी और 'नारद न्यूज़ एजेन्सी' की मार्फ़त वहाँ के अख़बारों में छप जाएगी तथा उसे पढ़ कर जठर-ज्वाला से तड़फड़ाती हुई सारी आत्माएँ बात की बात में शान्त हो जायँगी।

❀

और, जो लोग रेलवे-विभाग और सरकारी दफ़्तरों से बरतरफ़ करके, आराम करने के लिए घर भेज दिए गए हैं, उनके लिए तो इस वक्तृता को साक्षात् सोहन-हलवा या नाशपाती का मुरब्बा ही समझिए। पढ़ते-पढ़ते डकार पर डकार आने लगेगी और फिर जब तक जीते रहेंगे, तब तक न उन्हें भूख सताएगी और न प्यास। हाँ बरसात का मौसिम है और अजीर्ण हो जाने की काफ़ी सम्भावना है। तो एक काम कीजिए। ऐसे लोगों को कुछ दिनों के लिए बाराबङ्की भेज दीजिए। क्योंकि वहाँ श्रीमती नौकरशाही ने चिकित्सा का काफ़ी इन्तज़ाम कर रक्खा है।

❀

अमाँ, अर्थ-नैतिक दुरवस्था के लिए इतनी हाय-तोबा मचाने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि बक़ौल बड़े लाट बहादुर, (१) प्रधान मन्त्री महोदय ने पार्लामेण्ट में आश्वासन प्रदान किया है कि भारत के अर्थ-नैतिक व्यापार में ब्रिटिश सरकार का कर्तृत्व अक्षुण्ण रहेगा और (२) अमेरिका के राष्ट्रपति मि० हूवर एक साल तक अपने रुपए का तक़ाज़ा न करेंगे। फलतः भारत-सरकार को प्रायः दो करोड़ रुपए की अदायगी से साल भर के लिए छुट्टी मिल जाएगी। बस, सारा झगड़ा तय! तिजोरी की चाभी सम्हाल लीजिए!

❀

क्योंकि इन दोनों अत्यावश्यक कार्यों के सम्पन्न होते ही सारे भारत में धन-धान्य का 'साइक्लोन' आ जायगा, बेकार सा-कार और भुक्खड़, शायद, निराकार हो जायँगे। ग़ल्ले का भाव आसमान पर चढ़ जाएगा और बघेलू खेतिहर मलमली किनारे की धोती बाँधे, सप्तम स्वर में—"झँखइ बारी धनिया, बैरिनि भइली मोरि जवनिया" अलापते हुए अपने खेत की मेंड़ पर टहलते नज़र आवेंगे और उनकी 'बघेलाइन' जलपान के लिए कटोरा भर महुआ की लपसी लिए पीपल के पेड़ तले खड़ी दिखाई देंगी।

❀

भारत का सारा अर्थ-नीतिक कर्तृत्व श्रीमती ब्रिटिश सरकार के हाथ में रहेगा, जैसे, यजमानों से दक्षिणा वसूल करके लाते हैं श्रीजगद्गुरु और उसे अपनी 'झँपोली' में बन्द करके रखती हैं, श्रीमती गुरुआनी जी! फिर बूटी के लिए तो क्या, गोल मिर्च के लिए भी एक पैसा माँगिए तो मिलने का नहीं; फलतः जिस तरह बूढ़े हिज़ होलीनेस अपने गृह-साम्राज्य के अर्थ-नैतिक झमेलों से अलग रहते हैं, उसी तरह बूढ़े भारत बाबा भी अलग रहेंगे।

❀

और, अगर ईमानहू पूछिए तो, कमबख़्त बुद्धी होती भी नहीं इस झञ्झट में पड़ने के क़ाबिल। कहीं दूध वाले के हिसाब में भूल हो गई और दो पैसे उसके पल्ले अधिक जा पड़े तो दाढ़ी की ख़ैर नहीं! भला यह भगवद्भजन करके परलोक सुधारने का समय है या पाँच और तीन आठ तथा तीन सवाया पौने चार रटने का? और, फिर यह काला आदमी—चिर-दरिद्र भारत क्या जाने रुपए-पैसे सँभालने का हाल? इसलिए भारत के अर्थ-नैतिक व्यापार से भारत का अलग रहना ही समी-चीन और श्रेयस्कर है। समझ गए न?

❀

इसके अलावा जनाबे वाला, भारत-सरकार के आर्थिक व्यापार के सर पर अगर ब्रिटिश सरकार के वरद पाणि का साया रहेगा तो माशा अल्लाह, इङ्गलैण्ड के बाज़ार में भारत-सरकार की साख जमी रहेगी और साढ़े छः सैकड़ा सूद का नाम सुनते ही वहाँ के महाजन तोड़े पर तोड़े लाकर सामने रख देंगे। फिर तो बाबा चर्वाक् के मतानुसार 'यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणम् कृत्वा घृतं पीवेत!"

❀

श्रीमान लाट साहब की सरलता, साधुता, सहृदयता और शान्तिप्रियता का फ़तवा तो अपने राम जी महाराज आरम्भ में ही दे चुके हैं। फलतः इस पृष्ठपेषण की आवश्यकता नहीं कि लाट साहब क्षणिक समझौता नहीं, वरन् चिर-शान्ति के पक्षपाती हैं। मगर इन कॉङ्ग्रेस वालों ने न तो श्रीकामताप्रसाद गुरु का व्याकरण पढ़ा है और न राय श्यामसुन्दरदास साहब के बृहद कोष का ही दर्शन किया है। इसलिए वे गाँधी-इर्विन समझौते की व्याख्या करने में भयङ्कर भूलें कर रहे हैं, यह दुख की बात है।

❀

फलतः हमारे बड़े लाट बहादुर की राय है कि गाँधी-इर्विन समझौते को क्षणिक समझौता न कह कर 'चिर-शान्ति' कहना चाहिए। क्योंकि भारत के औपनिवेशिक स्वराज प्राप्त करने में अब बहुत थोड़ी सी कसर रह गई है। इसीलिए महात्मा गाँधी, लाट साहब स्वयं और उनकी सरकार की छोटी सहयोगिनियाँ दिलोजान से शान्ति की स्थापना में लग गई हैं। जहाँ शान्ति का मर्म सीधी तौर से लोगों की समझ में नहीं आता, वहाँ वह लाठी द्वारा उनकी खोपड़ी में ठूँस दिया जाता है। शान्ति की स्थापना के लिए कहीं-कहीं कॉङ्ग्रेस वालों के मुँहों पर १४४ 'लीवर' का मज़बूत ताला भी लगा दिया गया है! कहीं १०७ धारा की धूम है और कहीं गुप्त सर्क्यूलरों की!!

❀

श्रीमती संयुक्त प्रान्त की परम साध्वी सरकार महो-दया तो शान्ति की स्थापना के लिए बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही हैं। श्रीजगद्गुरु की धारणा है कि यदि बाबा औलिया पीर की कृपा से उनकी यह शान्ति विधायिनी मति-गति कुछ दिन यों ही क़ायम रह गई, तो इस देश के किसान एक साथ ही चिर-शान्ति लाभ कर लेंगे; न पिण्डे की आवश्यकता पड़ेगी, न पानी की और न बछिया की पूँछ पकड़ने की।

❀

संयुक्त प्रान्त के आगरा, मथुरा, बाराबङ्की, इलाहा-बाद, गोंडा, बहराइच, रायबरेली, उन्नाव, सुलतानपुर और गोरखपुर आदि ज़िलों में तो ज़मींदारों, ताल्लु-क़ेदारों और सखो नौकरशाही के बरक़न्दाज़ों ने शान्ति की दुन्दुभी पीट दी है। किसानों को सदा के लिए शान्त कर देने के लिए उनके बैल और अनाज लेकर सुरक्षित रख दिए जाते हैं। कारण यह है, कि जब तक सांसारिक वस्तुओं की स्पृहा बनी रहेगी, तब तक शान्ति नहीं प्राप्त होगी। इसीलिए ये वस्तुएँ लेकर वे सब से पहले निस्पृह बनाए जा रहे हैं। भई, शान्ति के लिए कुछ त्याग का अभ्यास तो होना ही चाहिए।

❀

उन्नाव ज़िले के पिपरी गाँव की कुछ स्त्रियाँ 'सतीत्व-व्याधि' के कारण अशान्त थीं, इसलिए वहाँ के ज़मींदार

महोदय ने अपने अनुचरों और परम पतिव्रता श्रीमती पुलिस के सहोदरों द्वारा उन्हें इस अशान्तिकारिणी उपाधि से विमुक्त करा दिया। एक स्त्री की व्याधि अत्यन्त दुस्साध्य हो गई थी, इसलिए चार सज्जनों ने बारी-बारी से उसे पवित्र करके निश्चिन्त कर दिया ! कहीं एक किसान के 'बीजघण्ट' में पत्थर बाँध दिया गया था, ताकि उसे कभी 'हाइड्रोसील' न अशान्त कर सके।

❀

कहाँ तक गिनाएँ भाई ! यह तो जानते ही हो कि अपने राम हिसाबी आदमी नहीं हैं। इसलिए दुख है, इन पुण्यपूत कथाओं का विस्तृत वर्णन इनके द्वारा सम्भव नहीं। संक्षेप में यही समझ लीजिए कि उपर्युक्त ज़िलों में शान्ति की स्थापना के लिए लाठी, घूँसा, जूता, मुक्का, लूट-खसोट, छीना-झपटी आदि साधारण अस्त्रों से लेकर सतीत्वापहरण आदि ब्रह्मास्त्रों और रौद्रास्त्रों तक से भी काम लिया जा रहा है। क्योंकि 'शान्ति कोई दाल-भात का कौर' थोड़े ही है !

❀

मगर अफ़सोस है कि, शायद भूरि-भोजन के पश्चात् स्वाभाविक आलस्यवश श्रीमान बड़े लाट बहादुर ने अपने सुललित और सारगर्भित भाषण में शान्ति के इन साधु प्रयत्नों का ज़िक्र नहीं किया है। इसलिए आपके राजनीतिक आश्वासन का प्रथम पर्वाध्याय अधूरा ही रह गया है। साथ ही जिन लोगों ने शान्ति की स्थापना के लिए सतीत्वापहरण जैसा देवोचित कार्य कर डाला है, उनकी प्रशंसा में दो-चार शब्द कह कर अपनी वाणी को पवित्र कर लेना भी लाट साहब के लिए उचित था। ख़ैर, अगले किसी भाषण में इस भूल का सुधार हो जाना चाहिए।

❀

सीमा प्रान्त की शान्ति-प्रचेष्टा की चर्चा तो ख़ैर, पुरानी हो जाने के कारण आपको 'टेस्टलेस' मालूम होगी, इसलिए कुछ ताज़ी और चटपटी घटनाओं का ही स्वाद लीजिए। मथुरा के नौहझील नामक स्थान में कुछ लोग एक सार्वजनिक सभा करके अशान्ति की सृष्टि कर रहे थे, परन्तु पुलिस ठीक समय पर पहुँच गई और लाठियों की शान्ति वर्षा से सैकड़ों खोपड़ियों को शीतल कर दिया। बीहपुर (भागलपुर) के एक स्वयं-सेवक महोदय को पुलिस अकारण ही थाने में ले गई और ऐसी ख़ासी मरम्मत कर दी कि हज़रत अस्पताल की चारपाई पर शान्ति से मज़े ले रहे हैं !

❀

कहते हैं, इन बीहपुरी स्वयंसेवक महोदय ने किसी मामले में पुलिस के विरुद्ध गवाही दी थी, इसीलिए बेचारी पुलिस को मजबूर होकर उनके दिमाग़ की थोड़ी सी मरम्मत कर देनी पड़ी। ताकि भविष्य में वे या उनके कोई दूसरे साथी ऐसी गुस्ताख़ी करके शान्ति के मार्ग के रोड़े न बन सकें !

❀

ख़ैर जनाब, देश की अर्थ-नैतिक व्यवस्था ली-ब्रिता-निया करें या सखी नौकरशाही और बूढ़े भारत बाबा औपनिवेशिक स्वराज्य के मज़े लूटें या चिर-शान्ति ग्रहण करें। देश के बेकार नवयुवकों ने तो अपने लिए शान्ति का मार्ग ढूँढ़ लिया है। 'योनि-भ्रष्टी' (युनिवर्सिटी ?) यज्ञशाला में पैतृक सम्पत्ति, बल-वीर्य और पौरुष स्वाहा कर लेने के बाद बेचारे चुपचाप त्रयताप-हारिणी भगवती 'रस्सी' की शरण में चले जाते और चिर-शान्ति ग्रहण कर लेते हैं। यदि अल्लाहताला के फ़ज़ल से यह 'रस्सी-प्रेम' कुछ दिन यों ही रह गया तो लाट साहब को शान्ति के लिए ज़रा भी चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी।

❀

इधर कई दिनों से श्रीजगद्गुरु को प्रायः नित्य ही ऐसे शुभ-सम्वाद सुनने को मिलते हैं कि कहीं किसी एम० ए० ने छुरे की शरण ली तो किसी बी० ए० ने फन्दे को गले से लगाया। 'गाँधी-इर्विन' समझौते से पहले जिन्हें 'सी' क्लास में 'करमा माई' की खिचड़ी नसीब हो जाती थी, उन्हें भी आजकल केवल बरसात की ठण्डी हवा का ही भरोसा है। फलतः ऐसे मौक़े पर भगवान यमराज ने मृत्यु का सिंहद्वार उन्मुक्त करके बेकारी की जटिल समस्या को ही नहीं हल किया है, वरन् सखी नौकरशाही को भी निश्चिन्त कर दिया है। फलतः इस ख़ुशी में उन्हें एक दिन 'बॉलडान्स' का आयोजन करना चाहिए।

❀

कौन सा ऐसा शिक्षित परिवार है,

जिसमें चाँद न जाता हो ?

'चाँद'-जैसे निर्भीक पत्र की ग्राहकता स्वीकार करना—जिसने अपने जीवन में प्रथम प्रभात से ही क्रान्ति की उपासना में अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया है—निश्चय ही सद्विचारों को आमन्त्रित करना है। यदि आप अब तक इसके ग्राहक नहीं हैं, तो तुरन्त ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए ; यदि आप ग्राहक हैं तो अपने इष्ट-मित्रों को ऐसा करने की सलाह दीजिए। 'चाँद' का वार्षिक चन्दा केवल ६॥) रु० है अर्थात् आठ आने फ़ी कॉपी—ऐसी हालत में कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो केवल एक पैसे रोज़ में वह ज्ञान उपार्जन करने से इन्कार करे—जो हज़ारों रुपए व्यय करने में भी आजकल के स्कूल और कॉलेजों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता ? जुलाई, १९३१ की विषय-सूची इस प्रकार है :—

जुलाई, १९३१ की विषय-सूची

इसके अतिरिक्त ४ तिरङ्गे तथा रङ्गीन चित्र (आर्ट पेपर पर) अनेक चुटीले कार्टून तथा ऐसे चित्रादि पाठकों को मिलेंगे, जो और किसी पत्र-पत्रिका में मिल ही नहीं सकते।

'चाँद' का सम्पादकीय मण्डल

१-पं० भुवनेश्वरनाथ जी मिश्र, एम० ए०
२-पं० नन्दकिशोर जी तिवारी, बी० ए०
३-मुन्शी नवजादिक लाल जी श्रीवास्तव
४-श्री० त्रिवेणीप्रसाद जी, बी० ए० (जेल में)
५-पं० देवीदत्त जी मिश्र, बी० ए०, एल्-एल्० बी०
६-कविवर 'बिस्मिल' इलाहाबादी (उर्दू-कविता-विभाग)
७-कविवर आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव (हिन्दी-क०-वि०)
८-श्री० रामरखसिंह सहगल

हृदय पर हाथ रख कर बतलाइए, समस्त भारत में ऐसा सुसम्पादित और सुसञ्चालित पत्र दूसरा कौन है ?

☛ [illegible] 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

Printed, Published and Edited by Bhuvneshwar Nath Misra, M. A., vice Tribeni Prasad B. A., in Jail,
At The Fine Art Printing Cottage, 28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad.

सम्पादक :—
श्री० त्रिवेणीप्रसाद (जेल में)

'भविष्य' का चन्दा

वार्षिक चन्दा ... १२) रु०
छः माही चन्दा ... ६॥) रु०
तिमाही चन्दा ... ३॥) रु०
एक प्रति का मूल्य चार आने
Annas Four Per Copy

भविष्य

स्थानापन्न सम्पादक—
श्री० भुवनेश्वरनाथ मिश्र

एक प्रार्थना

वार्षिक चन्दे अथवा फ़ी कापी के मूल्य में कुछ भी नुक़्ताचीनी करने में पहिले मित्रों को 'भविष्य' में प्रकाशित अलभ्य सामग्री और उसके प्राप्त करने के असाधारण व्यय पर भी दृष्टिपात करना चाहिए।

वर्ष १, खण्ड ४ — इलाहाबाद—बृहस्पतिवार : १६ जुलाई, १९३१ — सं० ६, पूर्ण सं० ४२





वर्ष १, खण्ड ४ — इलाहाबाद—वृहस्पतिवार ; १६ जुलाई, १९३१ — संख्या ६, पूर्ण संख्या ४२

रायबरेली के किसानों पर गोलियाँ चलीं :: २ मरे ९ घायल !!

लाहौर के नए षड्यन्त्र केस में अभी ६०० सर्कारी गवाह पेश होंगे ?

देहली षड्यन्त्र केस में डॉक्टर किचलू प्रधान वकील नियुक्त हो गए

काश्मीर जेल पर धावा :: कानपुर में दिन-दहाड़े लूट :: तलाशियों में बन्दूकें और रिवॉल्वर बरामद

—मैमनसिंह का ११ वीं जुलाई का समाचार है कि १० वीं जुलाई को डॉ० विपिनबिहारी सेन तथा यङ्गमेन्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी बाबू गोपालचन्द्र नियोगी और बाबू दक्षिणरञ्जन मित्र के मकानों की तलाशियाँ ली गईं। कहा जाता है, कि कोई सन्देहजनक वस्तु पुलिस को नहीं मिली।

—बम्बई १२ जुलाई—डॉ० अन्सारी और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कार्यकारिणी की साम्प्रदायिक समस्या सम्बन्धी नई युक्ति के सम्बन्ध में प्रेस-प्रतिनिधि को अपना वक्तव्य देते हुए कहा है कि यह युक्ति सीमा-प्रान्त और बलूचिस्तान को भारत के अन्य प्रान्तों के समान शासन-प्रणाली प्रदान करने, सिन्ध के एक अलग प्रान्त बनाए जाने तथा प्रत्येक सम्प्रदाय को उसकी जन-संख्या के अनुसार मताधिकार देने के पक्ष में है। इस युक्ति में मुसलमानों की माँगों का सार आ गया है। इस युक्ति से पृथक निर्वाचन का दोष दूर हो जाता है और इससे मुसलमानों की दरिद्रता और अशिक्षा से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ भी दूर हो जायँगी। अब मुसलमानों के सामने दो रास्ते हैं—एक तो देशहित और जातिहित का और दूसरा पृथक निर्वाचन का ; वे दोनों में से कोई एक को चुन लें !

—पेशावर का १२वीं जुलाई का समाचार है कि वहाँ २४ लालकुर्ती वालों पर मामला चल रहा है। इनमें अज्जाखेल नामक गाँव के कुछ ओहदेदार भी शामिल हैं।

कहा जाता है कि एक पुलिस कॉन्स्टेबिल ने रात के समय एक सन्दिग्ध व्यक्ति को गिरफ़्तार किया और उसके पास से एक पिस्तौल, कुछ गोलियाँ तथा एक छुरा बरामद हुआ बतलाया जाता है। जब उक्त गाँव के लालकुर्ती वालों ने यह बात सुनी, तो उन लोगों ने उस व्यक्ति को छुड़ाने की कोशिश की। किन्तु कॉन्स्टेबिल के इन्कार करने पर वे दूसरे दिन इन्स्पेक्टर के पास पहुँचे और इन्स्पेक्टर के उस व्यक्ति को छोड़ने से इन्कार करने पर उन लोगों ने, कहा जाता है, उसे बलात् छुड़ा लिया। किन्तु पीछे वे सभी गिरफ़्तार कर लिए गए !

—पटने का १३वीं जुलाई का समाचार है कि दीनापुर में शेख़ वलीमुहम्मद नामक एक व्यक्ति के दो मकानों की तलाशी ली गई। इनमें से एक मकान में भगतसिंह नामक एक व्यक्ति तथा दूसरे में दुर्गा मिस्त्री तथा मुहम्मद यूसुफ़ नामक व्यक्ति रहते थे। भगतसिंह का सम्बन्ध हाल की बम-दुर्घटना से बतलाया जाता है। उसके पास से कुछ चिट्ठियाँ भी बरामद की गई हैं। दुर्गा मिस्त्री की दूकान से एक पँचनला रिवॉल्वर बरामद किया गया है। तलाशी के समय दुर्गा मिस्त्री के अनुपस्थित रहने के कारण यूसुफ़ गिरफ़्तार किया गया। किन्तु बाद को ज़मानत पर छोड़ दिया गया। मामले की जाँच हो रही है।

—श्रीनगर (काश्मीर) का १३वीं जुलाई का समाचार है कि आज मुसलमानों के एक दल ने श्रीनगर जेल पर धावा किया, जिससे पुलिस को बाध्य होकर गोली चलानी पड़ी, जिसके फल-स्वरूप ९ व्यक्ति मारे गए और अनेक घायल हुए।

—शिमले के १४वीं जुलाई के समाचारों से विदित होता है कि रायबरेली के डिप्टी कमिश्नर ने एसोसिएटेड प्रेस को इस आशय का एक तार भेजा है कि, एक रेवेन्यू अफ़सर मुस्तफ़ाबाद पुलिस सर्किल में जब जायदाद कुर्क करा रहा था, उसी समय किसी ने एक भारी मुँगरा उसके सिर पर दे मारा, जिसके फल-स्वरूप वह अफ़सर ज़मीन पर गिर पड़ा। जब पुलिस का दल उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, तो कहा जाता है, लोगों ने उस पर भी आक्रमण किया, जिससे पुलिस को फ़ायर करना पड़ा। इस प्रकार पुलिस की गोलियों से ३ व्यक्ति घायल हुए, जिनमें से दो की मृत्यु हो गई है। डिप्टी कमिश्नर ने स्वयं घटनास्थल पर जाकर जाँच की है। परिस्थिति अब शान्त बताई जाती है।

—लाहौर का १४वीं जुलाई का समाचार है कि आज ट्रिब्यूनल के सामने अभियुक्त भगतराम एक स्ट्रेचर पर पेश किए गए। ट्रिब्यूनल ने उन्हें अदालत में न लाने की आज्ञा दे दी है।

यह षड्यन्त्र केस ६ महीने से चल रहा है, किन्तु अब तक केवल १२९ गवाहों के बयान लिए जा सके हैं। अभी सरकार की ओर से ही केवल ६०० गवाहों का बयान होना बाक़ी है।

कहा जाता है कि एक मुसलमान साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने की चेष्टा करने के अपराध में गिरफ़्तार किया गया था, और जेल में ही उसका मामला चल रहा था। मुसलमानों के एक दल ने उसे छुड़ाने की नीयत से जेल पर धावा किया, जिससे पुलिस को बाध्य होकर गोली चलानी पड़ी। कहा जाता है कि जेल के टेलीफ़ोन का तार भी काट डाला गया था, जिससे आक्रमण की बात अधिकारियों के पास शीघ्र न पहुँच सके।

—नई दिल्ली का १४ वीं जुलाई का समाचार है कि आज डॉ० किचलू ने, जो श्री० आसफ़अली के हट जाने के कारण सफ़ाई-पक्ष के प्रधान वकील नियुक्त किए गए हैं, ट्रिब्यूनल से प्रार्थना की कि उन्हें इस मामले का अध्ययन करने के लिए समय दिया जाय। उन्होंने ट्रिब्यूनल से यह भी प्रार्थना की कि, हज़ारीलाल, जो दिल्ली षड्यन्त्र केस का एक फ़रार अभियुक्त बतलाया जाता है और जो पटने की बम-दुर्घटना के सम्बन्ध में गिरफ़्तार है, मामला चलाए जाने के लिए पटने से दिल्ली लाया जाय, और उसके आने तक मामला स्थगित रहे। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि यदि सरकार, हज़ारीलाल पर, पटना की बम-दुर्घटना के सम्बन्ध में एक पृथक अभियोग उपस्थित करना चाहती है, तब भी उसका मामला यहाँ से हटा लेने के लिए, उसे यहाँ लाया जाय। जब तक ऐसा न किया जायगा, तब तक इस मामले की कार्रवाही अनुचित होगी।

सरकारी वकील के प्रार्थना करने पर आज कैलाशपति का बाक़ी बयान पढ़ा गया, जिसका विस्तृत विवरण 'भविष्य' के आगामी अङ्क में पाठकों को सदा की भाँति मिलेगा।

—कानपूर का १४ वीं जुलाई का समाचार है कि करमशेर ख़ाँ नामक एक कोर्ट-प्यून, जब वह लगभग ६०० रुपए लेकर इम्पीरियल बैङ्क जा रहा था, उसी समय दो हथियारबन्द व्यक्तियों ने उस पर हमला किया, और रुपए लेकर चम्पत हो गए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

—पटने का १४वीं जुलाई का समाचार है कि पुलिस ने दीनापुर के मुहम्मद इस्माइल नामक एक व्यक्ति के घर की तलाशी ली और दो बन्दूकें तथा कुछ गोलियाँ बरामद कीं। कहा जाता है कि उसके पास कोई लाइसेन्स नहीं था। वह ज़मानत पर छोड़ दिया गया है।

—सीतापुर का १४ वीं जुलाई का समाचार है कि श्री० सीताराम नामक एक स्वयंसेवक को स्थानीय ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट ने १ सप्ताह की सज़ा दी है।



—इधर कुछ दिनों से बाराबङ्की गिरफ़्तारियों का केन्द्र हो रहा है। विशेषकर वहाँ के किसान ही गिरफ़्तार किए जा रहे हैं। लखनऊ की ६ठी जुलाई के समाचारों से विदित होता है कि भारतीय दण्ड-विधान की १०७वीं धारा के अनुसार गत सप्ताह में वहाँ फिर अनेक गिरफ़्तारियाँ हुई हैं।

बाराबङ्की की यह भी ख़बर है कि स्थानीय जेल में कुछ राजनैतिक क़ैदियों ने अनशन कर दिया है।

—गत ७वीं जुलाई को कलकत्ता हाईकोर्ट में एक विचित्र घटना हो गई। कहा जाता है कि एक मनुष्य, जो यूरोपियन ढङ्ग के पोशाक पहने था, लोगों की आँख बचा कर जस्टिस पियर्सन की बग़ल में जा बैठा। कहा जाता है कि उस समय जस्टिस पियर्सन चीफ़ जस्टिस के साथ फाँसी की एक अपील पर विचार कर रहे थे। एक अपरिचित व्यक्ति को इस प्रकार अनधिकार चेष्टा करते देख कर उन्होंने उसे रोका। पीछे अन्य लोगों ने वहाँ पहुँच कर उस व्यक्ति को बलात् वहाँ से हटाया। वह व्यक्ति पागल बतलाया जाता है।

—गया का ८वीं जुलाई का समाचार है, कि मोहल्ला पक्की-क़लाली में शराब की दूकानों पर धरना देते समय ६ स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए गए। बाद में वे दो-दो सौ रुपए की ज़मानत पर छोड़ दिए गए।

वहाँ के दूकानदारों ने विदेशी वस्त्रों के लिए नया ऑर्डर न देने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए उनकी दुकानों पर से पिकेटिङ्ग हटा ली गई है।

—ज्वालापुर का ८वीं जुलाई का समाचार है, कि स्थानीय महाविद्यालय के श्री० मनपाल वर्मा, जो महाविद्यालय डेपूटेशन के साथ होशियारपुर (पञ्जाब) गए हुए थे, भारतीय दण्ड-विधान की धारा ३०२ (ख़ून) के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं।

—कलकत्ते का ८वीं जुलाई का समाचार है, कि आज स्थानीय कॉरपोरेशन में श्री० दिनेश गुप्त की फाँसी के सम्बन्ध में एक शोक-प्रस्ताव पेश किया गया। कॉरपोरेशन के यूरोपियन सदस्य अनुपस्थित थे। यहूदी कौन्सिलर भी प्रस्ताव पढ़े जाते समय उठ कर बाहर चले गए। प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पास हो गया। कॉरपोरेशन का कार्य उस दिन बन्द रहा।

—अयोध्या का ८वीं जुलाई का समाचार है कि आज सवेरे श्री० रामगोपाल शरद, श्री० रामावतार, श्री० भट्टाचार्य और श्री० प्यारेलाल ३६२ धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए।

—दिल्ली का ८वीं जुलाई का समाचार है कि दिल्ली षड्यन्त्र केस का प्रधान मुख़बिर कैलाशपति ६ठी जुलाई को कानपूर लाया गया था। वह फिर दिल्ली भेज दिया गया है। कहा जाता है कि लगभग १ मास से कानपूर में एक नया षड्यन्त्र केस चलाने की तैयारी की जा रही है, और कैलाशपति इसी सम्बन्ध में वहाँ लाया गया था।

—पटने का ८वीं जुलाई का समाचार है कि गुरुप्रसाद चौधरी नामक एक व्यक्ति विद्रोहात्मक पर्चे बाँटने के अभियोग में १०८वीं धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिया गया है।

ख़ुफ़िया विभाग के इन्सपेक्टर का कहना है कि यह व्यक्ति अभियुक्त हज़ारीलाल को छुड़ाने के फ़िराक़ में था और स्वयं उसका सम्बन्ध भी उस बम-दुर्घटना के षड्यन्त्र से था। यह भी कहा गया है कि गुरुप्रसाद आधी रात के बाद इन्सपेक्टर के मकान के समीप पकड़ा गया था और उसने इन्सपेक्टर को धमकी भी दी थी।

कहा जाता है कि गुरुप्रसाद ने अपना एक वक्तव्य दिया था, जिसमें उसने बम दुर्घटना के षड्यन्त्र से अपना सम्बन्ध और हज़ारीलाल को छुड़ाने का प्रयत्न करने की बात को स्वीकार किया है। किन्तु कहा जाता है, कि फिर पीछे उसने कहा कि मैंने कोई वक्तव्य नहीं दिया है।

ज़िला मैजिस्ट्रेट ने उसे ज़मानत पर छोड़ने से अस्वीकार कर दिया है।

सीमा-प्रान्त के गाँधी को नदी में डुबाने का षड्यन्त्र

हाल ही में पेशावर में ??? नदी में ख़ुदाई ख़िदमतगारों की एक किश्ती डूब गई थी, जिससे कई लोगों की जानें गई थीं। अब पता चला है कि वास्तव में वह किश्ती कुछ षड्यन्त्रकारियों द्वारा डुबाई गई थी और यह भी कहा जाता है, कि उस षड्यन्त्र का उद्देश्य था, ख़ाँ अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ को डुबाना!! किन्तु सौभाग्यवश ख़ाँ साहब उस किश्ती पर सवार न थे। यह रहस्य खुल जाने से चारों ओर सनसनी फैली हुई है। षड्यन्त्रकारियों के सम्बन्ध में अभी कुछ पता नहीं चला है।

चीन और जापान ?

पेकिङ्ग ९वीं जुलाई—कोरिया की ख़बरों से पता चलता है कि कोरियन लोगों के एक दल ने सीयूल नामक स्थान में चीनी कौन्सुलेट पर आक्रमण किया और लगभग २०० चीनियों को घायल किया। कौन्सल जेनरल भाग कर गवर्नर जेनरल के महल में चले गए हैं।

जापान और चीन में एक तो योंही मनमुटाव हो रहा है, इस घटना से बात और भी बढ़ जाने की आशङ्का की जाती है।

—मथुरा का ९वीं जुलाई का समाचार है, कि अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के सदस्य तथा स्थानीय ज़िला कॉङ्ग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हकीम बृजलाल दण्ड-विधान की १०७वीं धारा के अनुसार आज गिरफ़्तार कर लिए गए।

इस ज़िले में दमन-चक्र ज़ोरों से जारी है। जनरल सेक्रेटरी भी उक्त धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं।

—लाहौर का ९वीं जुलाई का समाचार है कि सरदार गोपालसिंह क़ौमी १२४-ए धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। आप हाल ही में अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के सदस्य चुने गए थे।

—कानपूर का एक समाचार है कि बिल्हौर तहसील के प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता श्री० कृष्णप्रसाद अग्नि जी, राजद्रोहात्मक भाषण देने के अभियोग में १०८वीं धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं।

—लाहौर का ९वीं जुलाई का समाचार है कि नवजवान भारत-सभा के अध्यक्ष श्री० जगदीशरतन जैन १०८वीं धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं।

—लाहौर का ९वीं जुलाई का समाचार है कि नवजवान भारत-सभा के एक प्रमुख कार्यकर्त्ता श्री० रणचकोरा १२४-ए धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं।

—लाहौर का १०वीं जुलाई का समाचार है कि पञ्जाब सरकार ने (१) १४वीं जून का उर्दू साप्ताहिक 'मज़दूर किसान' (२) 'Hanged at last' ("आख़िर लटका ही दिए गए") नामक एक चित्र (३) 'हरिकिशन की फाँसी' नामक एक उर्दू पैम्फ़लेट और "मन मोह लिया लँगोटी वाला हँस-हँस के" नामक एक उर्दू पैम्फ़लेट ज़ब्त कर लिए जाने की सूचना निकाली है!

—पटने की १०वीं जुलाई की ख़बरों से पता चलता है कि पुलीस ने हाल ही में वहाँ होने वाली बम-दुर्घटना के सम्बन्ध में अपनी जाँच समाप्त कर दी है। सम्भव है, इस महीने के आख़िरी सप्ताह तक मामला शुरू हो जाय।

कहा जाता है कि पुलीस को इस बात का पता लगा है कि इस बम-दुर्घटना का कङ्कर बाग़ के हत्याकाण्ड से भी सम्बन्ध है। पाठकों को याद होगा कि कङ्कर बाग़ में एक युवक गोली से मार डाला गया था। अब तक उस युवक की मृत्यु एक रहस्य ही थी।

—लाहौर का ११वीं जुलाई का समाचार है कि 'ज़मींदार' पत्र के सम्पादक, मुद्रक और प्रकाशक चौधरी अब्दुल हक़ विदेश सम्बन्धी ऑर्डिनेन्स (Foreign ordinance) के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। कहा जाता है कि आपने अपने पत्र में अफ़ग़ानिस्तान सम्बन्धी कुछ लेख फिर प्रकाशित किए थे।

—शिमला की ११वीं जुलाई की ख़बरों से पता चलता है कि फ़ेडरल स्ट्रक्चर कमिटी तथा गोलमेज़ परिषद के लिए अतिरिक्त-सदस्यों की नामावली के सम्बन्ध में वायसरॉय मन्त्रि-मण्डल से बातचीत कर रहे हैं। ऐसी आशा की जाती है कि वॉयसरॉय और महात्मा जी की बातचीत के बाद अतिरिक्त-सदस्यों के नाम प्रकाशित कर दिए जायँगे।

—पूना का ११वीं जुलाई का समाचार है, कि २री बैटेलियन और ९वीं महरट्टा लाईट इन्फ़ैण्टरी के अतिरिक्त, जिन्हें १४वीं जुलाई तक बर्मा के लिए रवाना हो जाने की आज्ञा दे दी गई है, १८वीं म्यूल ट्रॉन्सपोर्ट कम्पनी को भी १४वीं जुलाई को भेजे जाने की आज्ञा दे दी गई है।

—पेशावर का ११वीं जुलाई का समाचार है कि स्थानीय ज़िला मैजिस्ट्रेट ने ग्राण्ड ट्रङ्क रोड के उत्तर और दक्षिण ४ मील तक, दो महीने के लिए १४४वीं धारा जारी कर दी है, जिसमें न सभाएँ की जा सकें, और न जुलूस निकाले जा सकें।

—मद्रास ११वीं जुलाई। नागापट्टम का एक समाचार है कि स्थानीय पुलीस ने चित्रों की दो मुख्य दूकानों की तलाशियाँ लीं और कुछ चित्रों को आपत्तिजनक बता कर अपने साथ उठा ले गई।

बर्मा समाचार

६वीं जुलाई का एक समाचार है कि हेनज़ादा में २५ डकैतों पर हमला किया गया, जिनमें से ३ मारे गए। वहाँ कुछ हथियारबन्द डकैतों ने ४ डाके डाले हैं।

—रङ्गून १० जुलाई—शान रियासतों की ख़बरों से पता चलता है कि लॉकशॉक के सिपाहियों का एक दल, ७वीं जुलाई को बिला रोक-टोक के हपाकवाँ में पहुँचा और उसने विद्रोहियों के कैम्प और उनके क़िले को जला डाला।

प्रोम से ४ डकैतियों की ख़बरें आई हैं। कहा जाता है, कि डकैतों ने गाँव वालों को बुरी तरह घायल किया। घायलों में से एक की मृत्यु हो गई है। कहा जाता है १०००) रुपए का माल लूट कर डाकू चम्पत हो गए।

थारावड्डी और बेसीन में भी डकैतियाँ होने की ख़बरें आई हैं।

—रङ्गून ११ जुलाई—सरकार ने अतिरिक्त-पुलीस नियुक्त किए जाने के सम्बन्ध में आज्ञा दे दी है। यह अतिरिक्त-पुलीस प्रोम के पादाङ्ग और पॉकाङ्ग नामक स्थानों में तथा उन ज़िलों में, जहाँ की परिस्थिति अभी तक अशान्त है, रक्खी जायगी।

हेनज़ादा के ज़िला मैजिस्टेट ने १४४वीं धारा के अनुसार आज्ञा जारी की है, जिसके अनुसार रात में ४ से अधिक मनुष्यों के एकत्रित होने की मनाही की गई है।

म्यानॉङ्ग और हेनज़ादा सब-डिविज़नों में यह आज्ञा जारी की गई है कि वहाँ के लोग सूर्यास्त के बाद बिना रोशनी के घर से बाहर न निकलें। यह आज्ञा इस वर्ष के अन्त तक के लिए लागू है।

कहा जाता है कि ६वीं जुलाई को थारावड्डी के उत्तर-पूर्व एक गाँव में ४ डाकू घुस पड़े, और उन्होंने लोगों से रुपए और खाने-पीने की सामग्री आदि देने को कहा। कहा जाता है कि गाँव वालों ने उन पर हमला किया। दो डाकू मारे गए और दो भाग गए।

थायेटमेयो में ५० डाकुओं ने, जिनके पास ४० देशी बन्दूक़ें थे, छठी जुलाई को ४ गाँवों पर धावा किया और वे कुछ रुपए लूट कर ले गए।

प्रोम में ३६ मनुष्यों ने गत दो दिनों के भीतर आत्म-समर्पण किया है।

शान-रियासतों की ख़बरों से मालूम होता है कि वहाँ करीब ४० विद्रोही अपनी सेना के साथ घेर लिए गए हैं। ६० अन्य विद्रोहियों को भी, जो छिपे हुए हैं, वश में लाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

कहा जाता है कि प्रोम के एक घने जङ्गल में पुलीस को विद्रोहियों के दो झोपड़े मिले। एक झोपड़े में तो कुछ कम्बल और खाने के कुछ पदार्थ रक्खे थे, और दूसरे में एक मनुष्य हथियार लिए बैठा था। यह मनुष्य मार डाला गया।

—रङ्गून के १३वीं जुलाई के समाचारों से पता चलता है कि अनेक स्थानों में लूट और हत्या अभी जारी है। कहा जाता है कि प्रोम में अब तक १०१६ विद्रोहियों ने आत्म-समर्पण किया है।

१४वीं जुलाई की एक ख़बर है कि पुलिस एसिस्टेण्ट कमाण्डेण्ट कैप्टेन एल० बी० हार्ट विद्रोहियों द्वारा घायल किए गए हैं। घटना का पूरा ब्योरा अभी नहीं मिला है। शान रियासतों में कुछ विद्रोहियों के गिरफ़्तार किए जाने की ख़बर मिली है।

शान रियासतों के सम्बन्ध में ताज़ी ख़बर यह है, कि मिलिटरी विद्रोहियों को ढूँढ़ने में लगी हुई है। विद्रोहियों के कुछ घायल आदमी तथा उनके कुछ बन्दूक़ पाए गए हैं, किन्तु विद्रोहियों के किसी बड़े दल से अभी मुठभेड़ नहीं हुई।

१३वीं जुलाई को रात्रि के समय इन्सीन की पुलिस के एसिस्टेण्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट ने, प्रोम से २८ मील की दूरी पर एक मोटर लॉरी में जाते हुए १५ हथियारबन्द डकैतों को रोका। ४ डकैत मारे गए और ३ पकड़ लिया गया। कुछ हथियार भी पुलिस के हाथ लगे।

—बम्बई का ६वीं जुलाई का समाचार है, कि बर्मा के एकतावादी नेता श्री० मॉङ्ग म्यी ने सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट के पास निम्न-लिखित तार भेजा है :—

"अखिल बर्मा-सङ्घ-समिति की ओर से, शिमला में वॉयसरॉय से बातचीत करते हुए बर्मीज़ एसोसिएशन की जनरल कौन्सिल के रेवेरेण्ड यू० उत्तामा और यू० चित ह्लैङ्ग ने बर्मा के सम्बन्ध की अलग कॉन्फ़्रेन्स किए जाने का घोर विरोध किया है। बर्मा के प्रश्न पर विचार करने के लिए भारतीय गोलमेज़ परिषद की एक कमिटी नियुक्त की जानी चाहिए। इस कमिटी में एकतावादी सदस्यों की काफ़ी संख्या होनी चाहिए। अलग कॉन्फ़्रेन्स किए जाने का अर्थ यह है कि उन लोगों का—जो चाहते हैं कि बर्मा भारत से अलग हो जाय, और जो बहुत ही अल्प-संख्यक हैं—बोलबाला रहे। एकतावादी जनता उनके निर्णय को नहीं मानेगी।

इसलिए हमारा यह विचार है कि बर्मा के हित के लिए गोलमेज़ परिषद में १२ और सीटें बढ़ा दी जायँ। फ़ेडरल स्ट्रक्चर कमिटी में भी कम से कम २ एकतावादी सदस्यों को सीटें दी जायँ।

—पटने के ११ वीं जुलाई के समाचारों से विदित होता है कि वहाँ की बम-दुर्घटना के सम्बन्ध में अभी जाँच-पड़ताल की जा रही है। बाबू लक्ष्मीनारायण सिंह के यहाँ जो बही मिली थी, वह इस सन्देह पर कि शायद उसमें गुप्त लेखन-शैली में कुछ लिखा हुआ हो, जाँच के लिए कलकत्ता भेजी गई है।

ख़ुफ़िया विभाग के अफ़सरों का सन्देह है कि इस बम दुर्घटना का कङ्कड़-बाग़ हत्याकाण्ड से सम्बन्ध है। उनका यह भी अनुमान है कि सारे उत्तरी भारत में एक राजनैतिक षड्यन्त्र किया गया है और उसकी एक शाखा पटने में भी है, जिसका कि कङ्कड़ बाग़ का मृत युवक एक सदस्य था। उस युवक के पास कुछ पत्र भी पाए गए थे, जिनमें से कुछ के अन्त में 'सहस्र बार चुम्बन' ये शब्द लिखे थे। इससे यह अनुमान किया जाता है कि वह युवक अपने पथ से भ्रष्ट होना चाहता था, और इसीलिए वह मार डाला गया। श्री० चौबे और श्री० हज़ारीलाल के विरुद्ध चार्ज-शीट अभी नहीं तैयार किया गया है। अभियुक्त २१वीं जुलाई को सिटी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जायँगे।

—मुन्शीगञ्ज (ढाका) का ११वीं जुलाई का समाचार है, कि ज्योतिभूषण नामक एक विद्यार्थी को, पुलिस ने आर्म्स एक्ट की १९-ए धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिया है। कहा जाता है कि उसके पास २७ गोलियाँ पाई गई थीं। वह ५००) की ज़मानत पर छोड़ दिया गया है।

—शिमला का ११वीं जुलाई का समाचार है, कि स्थानीय पुलिस ने शिमला कॉङ्ग्रेस कमिटी के अध्यक्ष डॉ० एन० एल० वर्मा के मकान की तलाशी ली। कहा जाता है कि यह तलाशी 'चाँद' कार्यालय द्वारा मुद्रित 'भगतसिंह' नामक पुस्तक के सम्बन्ध में ली गई थी, किन्तु पुस्तक नहीं मिली।

—ससराम (शाहाबाद) का १०वीं जुलाई का समाचार है कि ज़िले के प्रसिद्ध कॉङ्ग्रेस कार्यकर्त्ता तथा हिन्दू-विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थी श्री० सरदार बुधन राय को, जिन पर कई मास से पिकेटिङ्ग के सम्बन्ध में मुक़दमा चल रहा था, तीन मास की कड़ी क़ैद की सज़ा सुनाई गई। श्री० बुधन राय हाल ही में चौदह मास की सज़ा काट कर पटना कैम्प जेल से छूटे थे।

—कानपूर का १३वीं जुलाई का समाचार है, कि दङ्गे के समय पुलिस अफ़सरों के व्यवहार के विरुद्ध जो शिकायतें की गई थीं, उनकी जाँच के लिए सरकार ने जो कमिटी नियुक्त की है, वह Circuit House में अपना कार्य करेगी, और उसकी कार्यवाही अत्यन्त गुप्त रहेगी। सर्वसाधारण या प्रेस-प्रतिनिधि किसी को भी वहाँ जाने की आज्ञा नहीं दी जायगी। इस प्रकार की गुप्त कार्यवाही के सम्बन्ध में सर्वसाधारण में बड़ा असन्तोष फैल रहा है।

—मथुरा का १३वीं जुलाई का समाचार है, कि आज श्री० भूपेन्द्रनाथ सान्याल का मामला, जो १२४-ए धारा के अनुसार अभियुक्त हैं, जेल ही में ज़िला मैजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ। अदालत ने श्री० सुभाषचन्द्र बोस, सरदार किशनसिंह और कुँवर आनन्दसिंह के पास, अभियुक्त की ओर से गवाही देने के लिए, समन भेजा है।

—पेशावर का १३वीं जुलाई का समाचार है कि स्थानीय ज़िला मैजिस्ट्रेट ने मरदान तहसील के ३ दूकान-दारों को गत १४वीं जनवरी को उनके बारामदा में एक बम पाए जाने के अपराध में ७ से ९ वर्ष तक की कड़ी क़ैद की सज़ा दी है।

—सीतापुर का १४वीं जुलाई का समाचार है कि यहाँ ११वीं और १२वीं जुलाई को श्री० जगन्नाथप्रसाद अग्रवाल के सभापतित्व में किसानों की दो सभाएँ हुईं। सभापति ने अपने भाषण में किसानों की कारुणिक दशा और अधिकारियों की दमन-नीति का वर्णन किया। श्री० मोहनलाल सक्सेना और श्रीमती बख़्शी के भी भाषण हुए।

* * *

(चौथे पृष्ठ का शेषांश)

जायगा और राष्ट्र का साम्प्रदायिक वातावरण ठीक हो जायगा।

इसके उपरान्त कॉङ्ग्रेस की कार्यकारिणी-समिति ने स्पृश्य-निवारण के कार्य को करने के लिए, जो गत सत्याग्रह-संग्राम के समय एक प्रकार से बन्द सा हो गया था, सेठ जमनालाल बजाज को यह कार्य सौंपा कि वे इस कार्य को अपने हाथों में लें और आवश्यक योजना तैयार करें।

कराची कॉङ्ग्रेस में भारत से राष्ट्रीय ऋण (Public debt) के सम्बन्ध में जो एक सब कमिटी नियुक्त हुई थी उसने अथक परिश्रम के अनन्तर अपनी रिपोर्ट पेश की और कॉङ्ग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने उसे स्वीकार करते हुए उस कमिटी के सदस्यों को धन्यवाद दिया। १२वीं जुलाई के सात बजे सायङ्काल समिति की बैठक समाप्त हुई। सभी नेता अपने-अपने स्थान के लिए रवाना हुए तथा महात्मा गाँधी सूरत के लिए। कॉङ्ग्रेस की कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक ४थी और ५वीं अगस्त को बम्बई में होना निश्चित हुआ है।

* * *

कॉङ्ग्रेस कार्य-कारिणी समिति की ऐतिहासिक बैठक

पाठकों को पता होगा कि इस बार कॉङ्ग्रेस कार्य-कारिणी समिति की एक अत्यन्त महत्व-पूर्ण बैठक में, जो बम्बई में एक सप्ताह तक होती रही और गत १२वीं जुलाई की रात बजे सन्ध्या को समाप्त हुई, सरकार द्वारा गाँधी-इर्विन समझौते भङ्ग होने की शिकायतें कई प्रान्तों से आई थीं। बङ्गाल, पञ्जाब, केरल, बिहार, संयुक्त-प्रान्त आदि सभी स्थानों के समझौते के स्पष्टतः भङ्ग होने की शिकायतें सप्रमाण आई थीं और इसी पर महात्मा गाँधी ने 'नवजीवन' में "समझौते की कड़ियाँ टूक-टूक हो रही हैं" शीर्षक सम्पादकीय लेख लिखा था। महात्मा जी ने वॉयसरॉय के पास उन शिकायतों का ज़िक्र करते हुए एक आवेदन पत्र भेजा था और एक पञ्चायत (Board of Arbitration) का कार्य कर समझौते की स्थिति के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल के लिए प्रार्थना की थी। यह विश्वस्त सूत्र से पता चला है कि गृह-सचिव (Home Secretary) मि० ईमरसन को महात्मा जी के पास उक्त पत्र का उत्तर लिखते हुए पञ्चायत क़ायम करने में सरकार की असमर्थता प्रकट की है। उस पत्र में महात्मा गाँधी के गोलमेज़ में सम्मिलित होने की अपने निश्चय की भी सूचना दी थी, जिसके उत्तर में वॉयसरॉय ने महात्मा जी के इस निश्चय पर हर्ष प्रकट करते हुए उन्हें विश्वास दिलाया है कि वॉयसरॉय महात्मा जी को आवश्यकता पड़ने पर हर प्रकार से सहायता करने के लिए तैयार हैं। इस उत्तर के पाने के बाद महात्मा जी ने तार द्वारा वॉयसरॉय को कई प्रान्तीय एवं स्थानीय सरकार द्वारा सन्धि-भङ्ग की शिकायत और उसके सम्बन्ध में अपनी निजी कठिनाइयों की सूचना भेजी। केन्द्रीय सरकार ने बम्बई सरकार के द्वारा महात्मा गाँधी को १२वीं जुलाई की रात में व्यक्तिगत रूप में राजकीय पत्र भेजा। जिसके सम्बन्ध में कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य एकमत हैं और समिति इस सम्वाद से सन्तुष्ट हैं! अब महात्मा जी का लन्दन गोलमेज़ में जाना निश्चित है। वे अभी वॉयसरॉय से व्यक्तिगत रूप में कई आवश्यकीय नियमों पर बातें करने के लिए शिमले के लिए रवाना हो चुके हैं। लन्दन जाने का समय अगस्त के पहले सप्ताह में है। और उसके पूर्व ४ और ५ अगस्त को बम्बई में अखिल भारतवर्षीय कॉङ्ग्रेस कमिटी की बैठक होना निश्चित हुआ है। तथा ता० ६वीं अगस्त को कार्यकारिणी की अखिल भारत-वर्षीय कॉङ्ग्रेस कमिटी की बैठक होगी।

कॉङ्ग्रेस कार्यकारिणी समिति की इस बैठक को हमने अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक इस हेतु कहा है कि इस बार देश के तीन अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कमिटी ने अनुसन्धान कर अपनी निश्चित एवं सारगर्भित राय दी! कमिटी ने समयानुकूल एवं परम आवश्यकीय विषय स्वयंसेवकों के सङ्गठन पर विशेष ध्यान देते हुए "हिन्दुस्थानी सेवादल" की सेवाओं पर हर्ष प्रकट करते हुए उसे कॉङ्ग्रेस का एक अङ्ग स्वीकार किया और नवयुवक-शिरोमणि पण्डित जवाहरलाल जी को उसका सेना-नायक (Commandere-in-Chief) तथा श्री० हार्डिकर को उसका (Organising Officer) नियुक्त करते हुए एक सब कमिटी क़ायम कर दी गई। "हिन्दुस्तानी सेवादल" के नियम उपनियम तैयार कर कॉङ्ग्रेस कार्यकारिणी समिति के सामने संशोधन सुधार आदि के लिए पेश करेगी।

भिन्न-भिन्न प्रान्तों से आई हुई समझौते के भङ्ग की शिकायतों के सम्बन्ध में कार्यकारिणी की ओर से महात्मा जी ने वॉयसरॉय से लिखा-पढ़ी की और वॉयसरॉय से सन्तोषप्रद उत्तर पाकर १४वीं जुलाई को शिमले में उनसे मिल कर उसके सम्बन्ध में सविस्तार बातें करने का निश्चय कर लिया है। बाद का समाचार है कि महात्मा जी शिमले पहुँच चुके हैं।

अभी-अभी शिमले में राष्ट्रवादी मुसलमानों और सङ्कीर्ण सम्प्रदायवादी मुसलमानों में जो समझौते की चेष्टा की गई थी और उसके भङ्ग हो जाने के कारण देश के राष्ट्रीय वातावरण में एक प्रकार का क्षोभ, एवं अशान्ति फैल रही थी, अभी कॉङ्ग्रेस कार्यकारिणी समिति ने इसके लिए भरपूर चेष्टा की और राष्ट्रीय मुसलमान के साथ ही साथ मौलाना शौकतअली साहब को भी आमन्त्रित किया गया। बड़ी देर तक बहसें होती रहीं और अन्त में एक सब कमिटी नियुक्त कर दी गई जो इसके सम्बन्ध में परामर्श पेश करे।

प्रतिनिधित्व का आधार

(३) [क] भारत के भावी-शासन-विधान में संयुक्त निर्वाचन के आधार पर ही प्रतिनिधित्व की स्थापना होगी।

[ख] सिन्ध के हिन्दुओं, आसाम के मुसलमानों, पञ्जाब और सरहद के सिक्खों या अन्य किसी प्रान्त के हिन्दू या मुसलमानों के लिए जहाँ वे २५ प्रतिशत से भी कम हैं, जन-संख्या के आधार पर ही केन्द्रीय एवं प्रान्तीय कौन्सिलों में स्थान सुरक्षित रहेंगे और उससे अधिक स्थान के लिए भी प्रतिद्वन्द्व का अधिकार रहेगा।

नौकरियाँ

(४) नौकरियों के लिए एक ऐसा पब्लिक सर्विस कमीशन रहेगा जो किसी भी ख़ास पार्टी का न हो। उसके ज़िम्मे यह भी काम रहेगा कि जन-सेवा के लिए आवश्यक गुण और योग्यता की जाँच कर तथा सभी जाति के व्यक्तियों को साधारणतः जन-सेवा का अवसर प्रदान करते हुए नियुक्ति किया करे।



फूल या काँटा ?

कॉङ्ग्रेस की कार्य-कारिणी समिति ने निम्न लिखित स्कीम विचारार्थ पेश की है और आशा की है कि इस पर समझौता हो जायगा। स्कीम इस प्रकार है :—

(१) [क] मौलिक अधिकारों के विधान में सभी जातियों को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि, शिक्षा, धार्मिक आचार-विचार, धार्मिक आचरण और जायदाद पर पूरा अधिकार रहेगा।

[ख] विधान में इसके लिए पूरा प्रबन्ध रहेगा कि व्यक्तिगत आधार और नियमों के लिए विशिष्ट ध्यान दिया जाय।

[ग] अल्प-संख्या वालों के राजनीतिक तथा अन्य सभी प्रकार के हक़ों की रक्षा का भार और दायित्व हमारे सङ्घ शासन (Federal Government) पर होगा।

मताधिकार

(२) सभी बालिग़ पुरुष और स्त्री को मताधिकार होगा।

मन्त्रि-मण्डल

(५) मन्त्रि-मण्डल में अल्प संख्यकों के अधिकार को स्वभावतः परिपाटी के अनुसार स्वीकार किया जायगा।

(६) उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त तथा बलुचिस्तान को भी उसी प्रकार का शासन-विधान होगा जैसे दूसरे प्रान्तों में है।

(७) यदि सिन्ध के निवासी अलग होने का ख़र्च सँभाल सकें तो सिन्ध को अलग कर दिया जाय।

(८) देश का भावी शासन सङ्घ-शासन होगा।

इस स्कीम से, आशा की जाती है कि राष्ट्रीय मुसलमानों और सम्प्रदायवादियों में समझौता हो

(शेष मैटर तीसरे पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए)

'सरदार भगतसिंह' का मामला

ज़िला मैजिस्ट्रेट के सामने श्री० सान्याल का शानदार वक्तव्य

११वीं जुलाई का स्थानीय समाचार है कि आज उस मामले के सम्बन्ध में गवाहियाँ ली गईं, जिसमें श्री० यतीन्द्रनाथ सान्याल और श्री० त्रिवेणीप्रसाद सम्पादक 'चाँद' और 'भविष्य' पर 'सरदार भगतसिंह' नामक पुस्तक के प्रकाशन के सम्बन्ध में १२४-ए धारा के अनुसार राजद्रोह का अभियोग लगाया गया है।

अभियुक्तों की ओर से, युक्त प्रान्तीय धारा-सभा तथा सर्वेण्ट्स ऑफ़ इण्डिया सोसायटी के भूतपूर्व सदस्य पं० वेङ्कटेशनारायण तिवारी, तथा एसेम्बली के भूतपूर्व सदस्य पं० कृष्णकान्त मालवीय से, जो सफ़ाई-पक्ष की ओर से गवाही देने आए थे, जिरह की गई।

अभियुक्तों की ओर के बैरिस्टर श्री० अखिलनाथ सान्याल के जिरह करने पर पं० वेङ्कटेशनारायण तिवारी ने कहा कि हाल ही में अभियुक्त सान्याल ने मुझे 'सरदार भगतसिंह' की एक प्रति दी थी, उसे मैंने पढ़ा था। इसका अनुवाद भी मैंने पढ़ा था, जो 'भविष्य' में निकला करता था।

अभियुक्तों के वकील—क्या आप इस पुस्तक में ऐसा कोई वाक्य-समूह पाते हैं, जिससे सरकार के प्रति घृणा फैलना सम्भव हो?

श्री० तिवारी जी ने कहा कि पुस्तक के पढ़ने पर ऐसा कोई भाव नहीं उत्पन्न होता है।

इसके बाद सफ़ाई-पक्ष के वकील ने गवाह का ध्यान पुस्तक के उस वाक्य-समूह की ओर आकर्षित किया, जिसमें कहा गया था—जेलों में राजनैतिक क़ैदी अन्य क़ैदियों से अलग रक्खे जाते हैं। वकील ने गवाह से पूछा कि, क्या वह अपने इस विचार का कारण बतला सकते हैं कि वह वाक्य-समूह सरकार के प्रति घृणा-भाव नहीं फैला सकता है?

गवाह ने कहा—उस वाक्य-समूह में जो कुछ भी कहा गया है, वह ७०,००० राजनैतिक क़ैदियों का अनुभव है, जो भद्र-अवज्ञा आन्दोलन के समय जेल भेजे गए थे, और इसी प्रकार के वक्तव्य भी प्रकाशित किए गए हैं। स्वयं मेरा भी ऐसा ही अनुभव है।

श्री० तिवारी जी ने आगे कहा कि जब पं० जवाहरलाल नेहरू जेल में थे, उस समय मैं उनसे मिलने गया था। उस समय जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने कहा कि पं० जवाहरलाल नेहरू अपने बैरक से बाहर नहीं जा सकते हैं। वे वहाँ अकेले रक्खे गए हैं, और बैरक के बाहर घूमने का उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। जब मैं स्वयं सज़ा पाकर जेल गया, तो पं० जवाहरलाल नेहरू से मुझे मालूम हुआ कि कुँवर महाराजसिंह (कमिश्नर) की आज्ञा से शाम और सुबह को उन्हें टहलने के लिए बाहर निकलने की आज्ञा दी गई है। जब पण्डित जी घूमने के लिए बाहर निकलते थे, तो उस समय अन्य सभी क़ैदी अपने सेलों में बन्द रहते थे, और जब तक पण्डित जी लौट कर बैरक में वापस नहीं आ जाते थे, तब तक अन्य क़ैदी सेलों से नहीं निकाले जाते थे।

मैजिस्ट्रेट ने पं० जवाहरलाल नेहरू सम्बन्धी बातों को अनुचित समझा और इसलिए उसे नोट नहीं किया।

इसके बाद सफ़ाई-पक्ष के वकील ने गवाह का ध्यान पुस्तक के उस वाक्य-समूह की ओर आकर्षित किया, जिसमें सरदार भगतसिंह को कोर्ट-रूम में मारने के सम्बन्ध का विवरण दिया गया था, और पूछा कि उक्त वाक्य-समूह सरकार के प्रति असन्तोष उत्पन्न करता है या नहीं?

श्री० तिवारी जी ने कहा कि इससे कुछ विशेष अफ़सरों को छोड़ कर, जो इस कार्य में शरीक थे, सरकार के प्रति असन्तोष का कोई भाव नहीं उत्पन्न होता है।

आगे सवाल करने पर गवाह ने कहा कि उक्त पुस्तक ऐसी भाषा और शैली में लिखी गई थी, जिससे सरकार के विरुद्ध कोई भाव नहीं उठता है। उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में उसकी भाषा बेजान है और लिखने का ढङ्ग भी भद्दा सा है।

सरकारी वकील के जिरह करने पर श्री० तिवारी जी ने कहा कि साधारण स्थिति के मनुष्य की हैसियत से, १२४-ए धारा में आने वाले 'hatred,' 'contempt' और 'disaffection' शब्दों में मैं कोई अन्तर नहीं समझता। उन्होंने आगे यह स्वीकार किया कि 'discontent' और 'disaffection' में कोई अन्तर नहीं है।

सफ़ाई-पक्ष के वकील—क्या आप 'revolution' और 'revolutionary' शब्दों का अर्थ जानते हैं?

गवाह—हाँ!

वकील—किसी क्रान्ति में भाग लेने वाला मनुष्य क्या सरकार के विरुद्ध असन्तोष का भाव रखता है?

गवाह—यह कुछ आवश्यक नहीं है। वह सरकार के विरुद्ध असन्तोष का भाव रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता है।

वकील—सरकार के प्रति असन्तोष को छोड़ कर ऐसा और कौन भाव है, जिससे प्रेरित होकर मनुष्य क्रान्ति कर सकता है?

गवाह—उदाहरण-स्वरूप कोई व्यक्ति, सरकार के प्रति असन्तोष के भाव से नहीं, बल्कि सुधार-मात्र से प्रेरित होकर क्रान्ति कर सकता है।

इसके बाद सरकारी वकील ने गवाह का ध्यान निम्न-लिखित वाक्य-समूह की ओर आकर्षित किया :—

"Henceforth his life was part of a story of the revolutionary movement in India and it now behoves us to give some account of this revolutionary organisation to which Bhagat Singh dedicated his heart and soul."

अर्थात्—"अब से इनका जीवन भारतीय क्रान्ति की कहानी का एक भाग बन गया, और हमें अब उस क्रान्तिकारी सङ्गठन का कुछ विवरण देना उचित है, जिसके लिए सरदार भगतसिंह ने अपना हृदय और अपनी आत्मा समर्पित कर दी थी।"

सरकारी वकील—क्या यह सत्य नहीं है कि पुस्तक का रचयिता सरदार भगतसिंह की प्रशंसा करता है, और उन्हें उदाहरण-स्वरूप अपने पाठकों के सम्मुख इस उद्देश्य से रखना चाहता है कि वे उनका अनुसरण करें।

गवाह—नहीं, ऐसा कोई भाव ज़ाहिर नहीं होता है।

इसके बाद अदालत ने गवाह से जिरह की। अदालत के यह पूछने पर कि समूची किताब को पढ़ कर क्या भाव उत्पन्न होता है, गवाह ने कहा—पुस्तक पढ़ते समय ऐसा कोई भाव मेरे हृदय में नहीं उत्पन्न हुआ, जिससे मालूम हो कि पाठकों के हृदय में इस पुस्तक से सरकार के विरुद्ध कोई भाव उत्पन्न होगा। बल्कि मेरे हृदय में यह भाव उत्पन्न हुआ कि इस पुस्तक से सरकार के प्रति साधारण जनता के हृदय में न तो कोई बुरा ही भाव उत्पन्न होगा और न अच्छा ही।

अदालत—इस पुस्तक को पढ़ कर लोग भगतसिंह को अच्छा समझेंगे या बुरा?

गवाह—भगतसिंह के सम्बन्ध में ऐसी बहुत सी बातें हैं, जिनका प्रभाव पाठकों पर पड़ सकता है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि भगतसिंह सम्बन्धी सारी बातों की लोग प्रशंसा करेंगे।

आगे पूछे जाने पर गवाह ने कहा—इस पुस्तक को पढ़ कर लोग भगतसिंह को, उनके कार्य करने का मार्ग दूसरा होते हुए भी, अच्छा समझेंगे।

अदालत—क्या इस पुस्तक में सरदार भगतसिंह के विरुद्ध कुछ लिखा गया है?

गवाह—जहाँ तक मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है, न तो भगतसिंह के पक्ष में ही कोई बात लिखी गई है और न उनके विरुद्ध ही कोई बात लिखी गई है।

अदालत—यदि पाठक भगतसिंह को अच्छा व्यक्ति समझें, तो क्या उनके मन में यह ख़याल भी उत्पन्न होगा कि उन्हें सरदार भगतसिंह के समान बनना चाहिए?

गवाह—यह कुछ आवश्यक नहीं है। जनता पर पुस्तक का साधारण प्रभाव इस ढङ्ग का नहीं पड़ता है कि सरदार भगतसिंह का अनुकरण करने का भाव उनके हृदय में उत्पन्न हो।

आगे पूछे जाने पर गवाह ने कहा—पुस्तक का प्रभाव न तो भगतसिंह के मार्ग के पक्ष में ही पड़ सकता है और न उसके विपक्ष ही में।

पं० कृष्णकान्त मालवीय

अभियुक्तों की ओर के वकील के पूछने पर पं० कृष्णकान्त मालवीय ने कहा कि पढ़े गए वाक्य-समूहों में ऐसी कोई बात नहीं है, जिससे सरकार के प्रति असन्तोष का भाव फैले।

एक दूसरे वाक्य-समूह को सुना कर वकील ने गवाह से पूछा—पुस्तक का रचयिता भगतसिंह को आतङ्कवादी के रूप में दिखलाना चाहता है या साम्यवादी के रूप में?

गवाह—साम्यवादी के रूप में।

आगे पूछे जाने पर गवाह ने कहा कि इस पुस्तक का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता है, क्योंकि लोगों ने इसके पहले भी समाचार-पत्रों में इन सब बातों को पढ़ लिया है।

जिरह किए जाने पर पं० मालवीय ने कहा—यह पुस्तक इतनी नम्र भाषा में लिखी गई है कि पाठकों के हृदय पर सरकार के विरुद्ध कोई भाव नहीं उत्पन्न हो सकता है।

सरकारी वकील—क्या आप जानते हैं कि भगतसिंह और सरकार एक-दूसरे के विरोधी थे ?

गवाह—हाँ !

वकील—पुस्तक पढ़ कर, आप किनके साथ सहानुभूति करते हैं ?

गवाह—जो कष्ट सहन करता है, स्वभावतः वही सहानुभूति के योग्य होता है। भगतसिंह ने दुख सहा था, इसलिए उन्हीं की ओर सहानुभूति भी उत्पन्न होती है।

दरख़्वास्त

सफ़ाई-पक्ष के वकील ने अभियुक्त श्री० सान्याल की ओर से एक दरख़्वास्त पेश की, जिसमें कहा गया था कि सरकारी वकील या तो यह स्वीकार करें कि पुस्तक में प्रकाशित वक्तव्य सच है, या सफ़ाई-पक्ष को यह साबित करने की आज्ञा दी जाय।

सरकारी वकील ने कहा कि यह मामला राजद्रोह का है, मानहानि का नहीं; इसलिए उन वक्तव्यों की सत्यता प्रमाणित करना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त दण्ड-विधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके अनुसार मुझसे उन वक्तव्यों की सत्यता के सम्बन्ध में पूछा जा सके। इसलिए मैं न तो उन्हें असत्य ही कह सकता हूँ और न सत्य ही। किन्तु चूँकि सफ़ाई-पक्ष वाले उसे सत्य प्रमाणित करना चाहते हैं, तो यदि अदालत यह स्वीकार कर ले कि वे वक्तव्य सत्य हैं, तो मुझे कोई आपत्ति न होगी।

श्री० सान्याल ने आज अपना वक्तव्य पेश किया। आगामी शनिवार को बहस होगी।

श्री० सान्याल का वक्तव्य

श्री० यतीन्द्रनाथ सान्याल ने ज़िला मैजिस्ट्रेट की अदालत में अपना निम्न-लिखित वक्तव्य पेश किया :—

"मुझ पर सरदार भगतसिंह की जीवनी लिखने और प्रकाशित करने के कारण, भारतीय दण्ड-विधान की १२४-ए धारा के अनुसार राजद्रोह का अभियोग लगाया गया है। पुस्तक के सम्बन्ध में सरकार की ओर से कहा गया है कि मैंने उक्त पुस्तक में, सरदार भगतसिंह तथा अन्य त्रासवादियों के कार्यों की प्रशंसा की है, तथा एसेम्बली-बम-केस में दिए गए सरदार भगतसिंह के वक्तव्य को बिना उसका प्रतिवाद किए, प्रकाशित किया है। किसी साधारण परिस्थिति में कोई भी राष्ट्रीय कार्यकर्ता इस धारा के अनुसार—जिसे महात्मा गाँधी ने 'भारतीय दण्ड-विधान की धाराओं की रानी' कह कर सम्मानित किया है—अभियुक्त होने में गर्व का अनुभव करता। जब कोई जाति उन्नति की ओर अग्रसर होती है, तब वह उस अवस्था से, जब कि उसको अपने शासन में कोई हाथ नहीं है, उस अवस्था को पहुँचना चाहती है, जब देश की सरकार और वहाँ की जाति में कोई अन्तर नहीं रह जाता। तब प्रत्येक देशभक्त शासन में परिवर्तन उपस्थित करने की चेष्टा करेगा और यही चेष्टा राजद्रोह समझी जाती है। मैंने दो कारणों से अपने को निर्दोष कहा है ; पहला कारण तो यह है कि राजद्रोह फैलाने के उद्देश्य से मैंने यह किताब नहीं लिखी और दूसरा कारण यह है कि मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि किताब में कोई विद्रोहात्मक बात नहीं है।

"सब से पहले मैं उन परिस्थितियों का वर्णन करूँगा, जिनसे प्रभावित होकर मैंने यह पुस्तिका लिखी है। मैं क़रीब डेढ़ वर्ष तक सरदार भगतसिंह के साथ रहा हूँ। मेरे साथ उनका जितना ही अधिक सम्पर्क होता गया, मेरे हृदय में उनके प्रति उतनी ही श्रद्धा उत्पन्न होती गई। जब मैं जेल से बाहर आया, मैंने देखा—जैसी कि मुझे आशा थी कि सरदार भगतसिंह की प्रशंसा करने वाले एक-दो नहीं, हज़ारों-लाखों की संख्या में हैं। किन्तु जब मैंने उनकी प्रशंसा करने वालों में से कुछ लोगों से पूछताछ की, तो पता लगा कि बहुत कम लोगों को सरदार भगतसिंह के सम्बन्ध में सच्चा ज्ञान है। साधारण जनता तो सिर्फ़ यही जानती थी कि सरदार भगतसिंह का, साँण्डर्स हत्याकाण्ड और एसेम्बली बम-काण्ड, इन दो घटनाओं से ही सम्बन्ध है। किन्तु मैं जानता था कि सरदार भगतसिंह न तो त्रासवादी थे और न अराजकतावादी। अतएव अपने स्वर्गीय मित्र के प्रति कर्त्तव्य-पालन के उद्देश्य से मैंने उनका सच्चा और ऐतिहासिक चित्र चित्रित करने का विचार किया। इसमें मैं यह दिखाना चाहता था कि वे एक साम्यवादी और अन्तर्राष्ट्रीयतावादी थे और जनता उन्हें ग़लत समझे हुई थी। मुझे अपने इस प्रयत्न में सफलता मिली, जैसा कि 'पीपुल' की उक्त पुस्तक की आलोचना से स्पष्ट होता है, जिसकी एक प्रति अदालत के सामने पेश की गई है। यदि यह पुस्तक विद्रोहात्मक होती या इस प्रकार के कोई उद्देश्य से लिखी जाती, तो 'हिन्दुस्तान टाइम्स' जैसा प्रसिद्ध पत्र उसके सम्बन्ध में यह न लिखता कि मैंने इस पुस्तक को प्रकाशित कर सार्वजनिक सेवा की है। ('हिन्दुस्तान टाइम्स' की वह प्रति भी पेश की गई है।)

"पुस्तक के विषय के सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि मैंने फिर उस पुस्तक को पढ़ा है, और मैं सत्यतापूर्वक कह सकता हूँ कि उसकी भाषा जनता के द्वारा कही गई या लिखी गई उक्तियों से कहीं अधिक नम्र और संयम है। जब मैं यह देखता हूँ कि स्वयं महात्मा गाँधी जी ने सरदार भगतसिंह की फाँसी को 'पाशविक शक्ति का प्रदर्शन' ठहराया था, सरदार पटेल ने सरदार भगतसिंह के मामले की कार्यवाही को अन्यायपूर्ण ठहराया था और जब मुझे कॉङ्ग्रेस के प्रस्ताव तथा नेताओं के वे भाषण स्मरण होते हैं, जो सरदार भगतसिंह-दिवस के अवसर पर दिए गए थे, तो मैं वास्तव में यह विश्वास करने लगता हूँ कि विनम्र और संयत होने के कारण ही मैं सरदार भगतसिंह की जीवनी को वास्तविक रङ्ग में नहीं रँग सका।

"फिर इस अभियोग को देखते हुए मुझे आश्चर्य होता है कि इस नम्रता और संयत-भाव का फल भी कितना विचित्र हुआ है ! मैं यह अनुमान करने के लिए विवश किया जा रहा हूँ कि मुझ पर इसलिए मामला नहीं चलाया जा रहा है कि मैंने कुछ ऐसे वाक्य अपनी पुस्तक में लिखे हैं, जिन्हें खींच-तान कर विद्रोहात्मक बतलाया जा रहा है, बल्कि इसलिए कि यह पुस्तक सरदार भगतसिंह की जीवनी है।

"मैं नहीं समझता कि उन वाक्यों के सम्बन्ध में, जिन्हें विद्रोहात्मक बताया जाता है, मुझे अपनी सफ़ाई देने की आवश्यकता है। उनके सम्बन्ध में मैं सब से पहली बात यही कहना चाहता हूँ कि वे सभी बातें, जो विद्रोहात्मक बतलाई जाती हैं—पूर्णतया सत्य हैं। दूसरी बात यह है, कि उन बातों का वर्णन विद्रोह फैलाने की नीयत से नहीं किया गया है, किन्तु उनका वर्णन इसलिए किया गया है, कि वे बातें, सरदार भगतसिंह की जीवनी को पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक थीं। उनके बिना पुस्तक में अपूर्णता रह जाती।

"अन्त में मैं, एसेम्बली बम-केस में दिए गए सरदार भगतसिंह के वक्तव्य के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि सरदार भगतसिंह की जीवनी-सम्बन्धी कोई भी पुस्तक उनके पूरे वक्तव्य के बिना अपूर्ण रह जाती। इस वक्तव्य से सरदार भगतसिंह का आन्तरिक भाव प्रकट होता है, और इससे उनके कई कार्यों पर प्रकाश पड़ता है। यह कहना कि 'यह वक्तव्य राजद्रोह फैलाने के लिए ही प्रकाशित किया गया है' ग़लत है, क्योंकि यह वक्तव्य अब पुराना हो चुका है, और कोई नया उत्साह उत्पन्न करने की शक्ति अब इसमें नहीं रह गई है। यह वक्तव्य भारत के अनेक पत्रों में छप चुका है, जिनमें 'पायनियर' और 'सिविल एण्ड मिलिटरी गज़ेट' जैसे सरकार के हिमायती पत्र भी हैं। इसका अनुवाद भी देशी भाषाओं के अनेक पत्रों में छप चुका है। इसलिए, इतने दिनों के बाद इसे प्रकाशित करने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

"इस अभियोग के सम्बन्ध में कि मैंने सरदार भगतसिंह तथा अन्य त्रासवादियों के कार्यों को उचित ठहराया है; मैं ज़ोर देकर कहता हूँ कि मैंने इस प्रकार का कोई प्रयत्न अपनी पुस्तक में नहीं किया है। मैंने न तो उनके कार्यों की प्रशंसा की है और न निन्दा। क्योंकि मेरा यह विचार है कि ऐतिहासिक घटनाओं पर फ़ैसला करना, एक इतिहासकार के क्षेत्र के बाहर की बात है। केवल घटनाओं और सच्ची बातों का चित्रण करके ही मैं सन्तुष्ट हुआ हूँ। स्थान-स्थान पर मैंने कुछ विशेष घटनाओं के मानस-शास्त्र सम्बन्धी कारण तथा घटनाओं के कारण और उनका नतीजा दिखाने की चेष्टा की है।

* * *

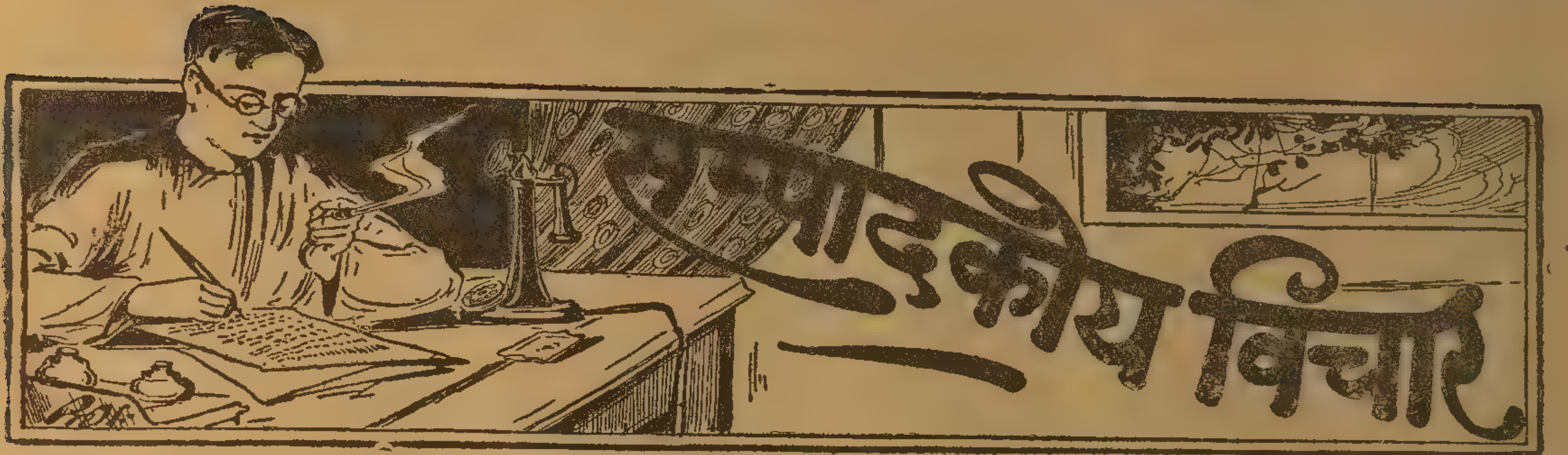
आगामी युद्ध के लिए तैयार रहो !

गत १वीं जुलाई को बिहार-रत्न, देश-पूज्य बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने बोरसद में भाषण देते हुए बड़े ही प्रभावशाली शब्दों में कहा था—"यदि यह क्षणिक सन्धि स्थायी शान्ति में परिवर्तित नहीं हो जाती, तो इसमें कॉङ्ग्रेस का कोई क़सूर नहीं होगा, कारण कि कॉङ्ग्रेस सन्धि की शर्तों को मन, वचन और कर्म से अक्षरशः पालन करने की कोशिश करती आ रही है। शान्तिपूर्ण वातावरण लाने के लिए कॉङ्ग्रेस सन्धि की सभी शर्तों को पूर्णतः पालन कर रही है और करती रहेगी। कॉङ्ग्रेस के आदमियों को सिर फुड़वाने या जेल जाने का कोई ख़ास शौक़ नहीं है, परन्तु जब इन कष्टों और ग़ुलामी में एक को चुनने की बारी आती है तो उनके सामने दूसरा कुछ उपाय रह नहीं जाता, इसके सिवा कि वे हँसते-हँसते कष्टों का आलिङ्गन करें।

"यदि सरकार हमें युद्ध ही के लिए बाध्य करे तो हमें उसके लिए भी पूर्णतः तैयार रहना चाहिए। आने वाला युद्ध तो पिछले युद्ध से कहीं अधिक भयानक होगा !"

चम्पारन में महात्मा गाँधी जी की सेवाओं की चर्चा करते हुए राजेन्द्र बाबू ने कहा—महात्मा जी के कार्यों से उस समय तो कुछ प्रत्यक्ष लाभ दिख न पड़ा, परन्तु कुछ ही साल में निलहे गोरों को चम्पारन छोड़ ही देना पड़ा। उसी प्रकार स्वराज्य का युद्ध अभी हमें प्रत्यक्षतः सफलतापूर्ण न मालूम हो, परन्तु शीघ्र हा भावी युद्ध से स्वराज्य की शुभ-स्थापना होगी।

* * *



भविष्य

१६ जुलाई, सन् १९३१

भावी युद्ध और हमारी तैयारी

गुलामी का नशा बड़ा विचित्र होता है। इसकी बेहोशी में हम पतन के उस भयानक गह्वर में गिर पड़ते हैं, जहाँ हमारा सर्वस्व सदा के लिए मिट जाता है, सूर्य की किरणें मयस्सर नहीं होतीं, प्रकाश की ओर देखने पर आँखें तिलमिला उठती हैं, सिर में चक्कर आने लगता है। ऊपर की ओर देखते नहीं बनता। धीरे-धीरे हम उस निविड़ अन्धकार को बर्दाश्त करते-करते उसी के आदी हो जाते हैं, उसी में हिल-मिल जाते हैं, बाहर की उजियाली दुनिया से नाता तोड़ लेते हैं, कड़ियाँ जकड़ जाती हैं, हृदय पर काई जम जाती है और आँखें पथरा जाती हैं। राष्ट्र का उज्ज्वल इतिहास अपनी दारुण 'इति' पर आकर ठिठक जाता है!

नैराश्य के उस घने अन्धकार में भी आशा का एक तन्तु पकड़ कर जो ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, पर्दा फाड़ कर आगे बढ़ने में सचेष्ट होते हैं, कड़ियों को छिन्न-भिन्न कर मुक्ति का सन्देश सुनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनका भी पथ इतना दुरूह, कण्टकाकीर्ण, सङ्कटापन्न एवं भयावह है, कि क़दम-क़दम पर मृत्यु के साथ खेलना पड़ता है, भीषण कष्ट एवं कठिनाइयों का मुक़ाबला पल-पल पर करना पड़ता है; अब फिसले तब फिसले; परन्तु फिर भी प्रभु के नाम पर आज़ादी का भूखा साधक अपने क्षीण प्रकाश और अखण्ड आत्म-विश्वास के साथ आगे बढ़ जाता है; सफलता का सेहरा उसके सिर पर बँधता है और सारा राष्ट्र उसके पीछे हो लेता है। उस समय देश की सोई हुई शक्तियाँ जग जाती हैं, उसकी मिटती हुई संस्कृति, मृत-प्राय स्वातन्त्र्य-पिपासा, कुचला हुआ आत्म-सम्मान फिर एक बार लहलहा उठता है।

देश में आज गत दस वर्षों से कितनी ही उथल-पुथल मची और अपना प्रभाव देश की राष्ट्रीयता पर छोड़ कर विलीन हो गई। गत असहयोग आन्दोलन में देश ने नवीन प्राण से अनुप्राणित होकर एक हुङ्कार छोड़ी थी। और उस हुङ्कार से राज्य-सिंहासन के पाए हिल उठे थे। परन्तु असहयोग आन्दोलन से भी बढ़ कर पिछले सत्याग्रह संग्राम में देश ने जो जौहर दिखलाए, वह तो अब एक विचित्र जादू सा मालूम होता है। राष्ट्र की आत्मा को जगा कर उसके अन्तःतन्तुओं में एक नवीन जीवन, एक नवीन शक्ति का स्रोत भरा गया। महात्मा गाँधी की वह ऐतिहासिक डण्डी-यात्रा राष्ट्र की स्वतन्त्रता के पथ में, सम्मिलित सामूहिक यात्रा थी। उधर महात्मा जी डण्डी की ओर अपनी सत्याग्रही सेना लेकर बढ़ रहे थे, इधर सारा देश उनके युद्ध-प्रवचनों, उनके मूक सङ्केत पर स्वतन्त्रता के पथ में बेतहाशा बढ़ता चला जाता था। कौन ऐसा सच्चा भारतीय उस समय होगा, जिसका हृदय इस सत्य और अहिंसा के युद्ध में सम्मिलित होने के लिए मचल नहीं पड़ा हो? उस समय देश की राष्ट्रीय पिपासा जगी और ख़ूब ही जगी। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक बस एक ही ध्वनि निकलती थी, "No more, no more under this thraldom" अर्थात्—"बहुत हुआ, यह ग़ुलामी अब न सही जायगी।"

संसार आश्चर्य-चकित हृदय से हमारी ओर निहार रहा था। राष्ट्र की अन्तरात्मा विक्षुब्ध होकर जाग उठी थी। देश की स्त्रियों और अबोध बच्चों ने सत्याग्रह संग्राम में अपने को झोंक दिया; अपनी जान की उन्हें तनिक भी परवाह न थी। ऐसा मालूम हो रहा था, मानो बम्बई से अङ्गरेज़ी राज्य अब उठा, तब उठा। गुजरात के किसान अपने 'देवता' के पीछे दीवाने बने हुए थे; वे उसके सङ्केत पर जीवन और मृत्यु के साथ खेल रहे थे; हिजरत और क्षुधा-पीड़ा में आत्म-विस्मृत, बेसुध किसान अपनी ही आँखों अपना सर्वस्व स्वाहा होते देख रहे थे और ज़बान भी हिलाना गुनाह समझते थे! लाठी और गोलियों की वर्षा एक साधारण सी घटना हो गई थी! सरहद के वे बाँकुरे पठान, जो ज़रा सा किसी के आँख दिखाने पर ज़िन्दा ही निगल जायँ, अहिंसा का कवच पहने चुपचाप सभी ज़ुल्म हँसते-हँसते सह रहे थे। बीहपुर अपनी रणभेरी अलग फूँक रहा था। सिन्ध से आसाम तक, कन्याकुमारी से हिमालय तक, सारा देश अपने एक मात्र सरदार महात्मा गाँधी के सङ्केत पर जा रहा था। तात्पर्य यह कि गत सत्याग्रह संग्राम में हमने दिखा दिया है कि हमारी शक्ति का अन्दाज़ा हमारे शत्रु लगा नहीं सकते और यदि हम सामूहिक रूप से पूर्ण अहिंसा के साथ जग खड़े हों, तो ब्रिटेन की कौन कहे, सारा संसार मिल कर भी हमारा मुक़ाबला नहीं कर सकता। युद्ध के लिए हमारे पास जो ब्रह्मास्त्र है, उसकी प्रतिक्रिया संसार में कोई शक्ति कर ही नहीं सकती! अहिंसा और सत्य के मुक़ाबले में उनका सारा अस्त्र, गोले-तोप, बन्दूक़, मैशीनगन आदि निरर्थक सिद्ध हो चुके हैं। हमें तो वार भी नहीं करने हैं; हमें तो चुपचाप उनके किए गए वारों को हँसते-हँसते सहना है; इधर हम पिटते हैं, उधर उनके साम्राज्य की नींव हिल रही है!

उस वीरतापूर्ण अभिनय का भला या बुरा जो कुछ हो, असामयिक पटाक्षेप हुआ। युद्ध बन्द हुआ, दोनों ओर की सेनाओं ने अपने-अपने अस्त्र कुछ काल के लिए रख दिए। शाही माफ़ी की शोहरत हुई; पर पहाड़ खोदने पर चुहिया निकली, इतनी भयङ्कर एक मर्मान्तक प्रसव-वेदना पर समझौता का एक सतवाँसा लड़का पैदा हुआ, वह भी बहुत दुबला-पतला, रोगी पिलपिलाहा। इसके जन्म के साथ ही यम का भी आगमन हो गया है और राहु तथा शनिश्चर का भयङ्कर प्रकोप बना हुआ है। बेचारा अब गया तब गया; दम घुट रहे हैं, आख़िरी साँसें ले रहा है। हमारी सरकार और हम, दोनों ही समझौते की शर्तों को कौन किस हद तक मानते हैं, इसे दुनियाँ देख रही है। विगत सप्ताह के 'भविष्य' में इस विषय पर हमने काफ़ी प्रकाश डालने का प्रयत्न किया था। इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि सरकार इस समझौते की ज़रा सा भी क़द्र नहीं कर रही है—हमें विशेष दिक़्क़त नहीं उठानी पड़ेगी, आँख खोल कर जहाँ देख लीजिए वहीं सरकार की ओर से समझौते का जनाज़ा दिखाई पड़ेगा। इस स्थिति में भी काँग्रेस-पक्ष की स्थिति महात्मा जी ने स्पष्ट कर दिया है—

"We must continue to fulfil our part of the agreement. If it must break, let it break in spite of the Congress efforts to the contrary. The greater our patience, which is another name for suffering, the greater will be our strength."

अर्थात्—"समझौते में हमें अपने अंश को पूरा करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए और यदि वह भङ्ग भी हो जाय तो इसलिए भङ्ग न हो कि हमने अपने भाग की पूर्ति नहीं की है। जितना ही अधिक हमारा धैर्य होगा—वह धैर्य, जिसका दूसरा नाम कष्ट है,—उतनी ही अधिक शक्ति हममें प्रस्फुटित होगी।"

परन्तु काँग्रेस के अधिकांश ज़िम्मेदार व्यक्ति सरकार की स्वेच्छाचारिता से अब ऊब-से गए हैं और बङ्गाल तथा पञ्जाब के नेताओं ने तो महात्मा जी से यहाँ तक पूछा भी है कि हम कितनी देर तक और ठहरें तथा इन दारुण अत्याचारों को सहते रहें? इसके उत्तर में महात्मा जी ने उपरोक्त शब्दों का हवाला देते हुए काँग्रेस की कार्यकारिणी समिति के निर्णय तक ठहरने की राय दी थी। महात्मा जी तथा देश के सभी अग्रगण्य नेता आज कलेजे पर पत्थर रख कर सरकार के व्यवहारों की ओर दृष्टि न डालते हुए इस बात के लिए सिरतोड़ परिश्रम कर रहे हैं, कि हमारी ओर से सन्धि की शर्तों के पालन में रत्ती भर भी कोर-कसर न की जाय और हम अन्तिम समय तक उसका पालन करें; परन्तु यदि निर्दिष्ट का सङ्केत यही है कि समझौता भङ्ग ही हो जाय, तो वह सरकार की ओर से और उसके व्यवहार के कारण ही हो। हमारी ओर से इसके पालन करने में ज़रा सा भी ढीलापन न किया जाय। काँग्रेस इस विषय में बड़ी सतर्कता एवं चुस्ती से काम ले रही है। अभी गत ९वीं जुलाई को कॉमन्स-सभा में भाषण देते हुए मि० वेजवुड बेन ने भारत-सरकार को गाँधी-इर्विन समझौते का अक्षरशः मनसा, वाचा, कर्मणा पालन करने का उपदेश देते हुए महात्मा गाँधी की शान्ति-स्थापना के सतत् प्रयत्न की भूरि-भूरि प्रशंसा में कहा था—

"× × × The British India and the Provincial Governments had, all as the first article of their policy that the undertakings given by Lord Irwin should be fulfilled in letter and spirit. × × × it had been Mr. Gāndhi's policy also. Whatever charges might be made against

Mr. Gandhi, nobody ever charged him with breach of faith. × × × Mr. Gandhi had laboured for the fulfilment of his undertaking and today Mr. Gandhi represented in India a great force for peace."

अर्थात्—"× × × भारत की केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों की नीति का प्रथम और महत्वपूर्ण अंश यह रहा है कि वे लॉर्ड इर्विन द्वारा की गई प्रतिज्ञाओं का अक्षरशः और भाव-रूप में पालन करें। मि० गाँधी की भी यही नीति रही है। मि० गाँधी पर चाहे जो कुछ अभियोग लगाया जाय, पर किसी ने उन पर आज तक विश्वासघात का दोषारोपण नहीं किया। × × × मि० गाँधी ने अपने दिए हुए वचनों के पालन के लिए परिश्रम किया है और आज मि० गाँधी भारत में शान्ति की एक प्रवर्तक शक्ति के द्योतक हैं।"

जिस समय हम ये पंक्तियाँ लिख रहे हैं, बम्बई में कॉङ्ग्रेस-कार्यकारिणी-समिति देश के इस अत्यन्त गम्भीर एवं महत्वपूर्ण समस्या पर विचार करती होगी, कि कॉङ्ग्रेस सरकार की वर्त्तमान कलुषित एवं स्वेच्छाचारिता-पूर्ण नीति तथा दायित्वहीन व्यवहार को दृष्टि में रखते हुए आगामी गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में भाग ले सकेगी अथवा नहीं। पिछली बार भी जब कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो महात्मा जी ने समिति के सदस्यों से इस बात पर बहुत ज़ोर डाला था कि देश की वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए राउण्ड टेबुल कॉन्फ्रेन्स में सम्मिलित होना सर्वथा युक्ति-हीन, अर्थ-हीन एवं निष्प्रयोजक सिद्ध होगा; परन्तु महात्मा जी के इतने ज़ोर देने पर भी समिति के सदस्यों ने उन्हें गोलमेज़ सभा में सम्मिलित होने के लिए बाध्य किया था और महात्मा जी ने भी अपने स्वाभाविक "जनसत्तात्मक सिद्धान्त" के कारण उस आज्ञा के सामने सिर झुका दिया। पर सच बात तो यह है कि आज भी गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में जाने के नाम से ही महात्मा जी के पैर काँपने लगते हैं। उनकी अन्तःर्ध्वनि उन्हें वहाँ जाने देने के लिए अभिप्रेरित नहीं करती। वे देख रहे हैं कि गोलमेज़ से ख़ाली हाथ लौटना है। घर के झगड़े अलग मुँह बाए खड़े हैं। मुसलमान संयुक्त निर्वाचन और पृथक् निर्वाचन को अपने जीवन-मृत्यु का सवाल बना रहे हैं। देशी रजवाड़े कुछ और ही स्वप्न देख रहे हैं, और सब से बड़ी बात तो यह है कि "म्याऊँ" अलग लाल-लाल आँखें कर गुर्रा रही है—जो सामने आवे उसे वह चट निगल जाने के लिए उधार खाए बैठी है!

गोलमेज़ का काल्पनिक सौन्दर्य! उसके विरुद्ध हमें अभी कुछ कहना नहीं है। परमात्मा करे गोलमेज़ सफल हो और हमारे देश की मुरादें पूरी हो जायँ तथा ब्रिटेन और भारत में परस्पर सुन्दर एवं सद्भावपूर्ण समानता का व्यवहार प्रारम्भ हो जाय। हम युद्ध मोल लेना नहीं चाहते। हम शान्ति के उपासक हैं और उस शान्ति की उपलब्धि के लिए जो कुछ मूल्य चुकाना होगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं। परन्तु एक बात के सम्बन्ध में हमें अभी से सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। हमें प्रलोभनों के संसार में अपने एवं अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व को विस्मरण नहीं करना होगा। हम यह बात हृदय में धारण कर लें कि गोलमेज़ में कुछ होने जाने वाला नहीं है; उससे भारतीय असन्तोष एवं क्षोभ को शान्ति नहीं मिल सकती। हमारा घाव इतना गहरा है कि लन्दन की गोलमेज़ उसकी मरहम-पट्टी के लिए सर्वथा असमर्थ है—अयोग्य है। ब्रिटेन हमारे दर्द को समझ नहीं सकता। वहाँ तो अभी तक संरक्षणों का ही बाज़ार गर्म है और अभी तक भारत को चूसने का ही स्वप्न देखा जा रहा है। ब्रिटेन इस सुख-स्वप्न को मिटने देना नहीं चाहता, जिसमें भारत रूपी सोने की चिड़िया उसके घर को सम्पदा से भरपूर करती रहे। हमारी भयानक दरिद्रता उसे मर्माहत नहीं करती। साम्राज्यवाद के स्थायित्व की उन्मत्त उत्कण्ठा में उसे यह सोचने का न तो अवसर ही है और न चिन्ता ही!

हाँ, तो हम स्वराज्य की छाया के प्रलोभन से प्रेरित होकर गोलमेज़ में सम्मिलित न हों, वहाँ से कुछ लाने के लोभ को हमें इस समय सम्वरण करना चाहिए। हाँ, केवल एक बात के लिए ही हम गोलमेज़ में अपने प्रतिनिधि भेजें और वह भारतीय वस्तु-स्थिति का सच्चा और नग्न चित्र संसार के सामने रखने के लिए। इससे अधिक की आशा करना या उस मृगतृष्णा के पीछे परेशान होना हमारी राजनीतिक अदूरदर्शिता का परिचायक होगा। हमें गोलमेज़ की सारी सफलता केवल इतने में ही समझना चाहिए कि हमने भारतीय वस्तु-स्थिति को संसार के सामने नग्न रूप में रख दिया है और अपने दिए हुए वचनों को सचाई के साथ पालन किया है तथा भीषण से भीषण उत्तेजनाओं में भी कभी ब्रिटेन से विश्वासघात नहीं किया। कॉन्फ्रेन्स में हमारी स्थिति क्या होगी, इस बात को तो कराँची कॉङ्ग्रेस ने स्पष्ट कर ही दिया है, उससे अधिक स्पष्ट हमारी कोई भी नीति नहीं हो सकती। हमारा कल्याण इसी में है कि हम अक्षरशः उसके अनुकूल ही चलें।

गोलमेज़ में हमारी माँगें, जैसा कि कराची कॉङ्ग्रेस ने देश के सामने रक्खा है—पूरी नहीं होंगी, यह निर्विवाद है। ब्रिटेन जीते जी भारत के शासन-सूत्र को अपने हाथ से जाने न देगा, जब तक हम इस देश में उसका शासन पूर्ण अहिंसात्मक रूप से सर्वथा असम्भव न कर दें। वह हमारे देश की वस्तुस्थिति की भयानकता और गम्भीरता का अनुभव करते हुए भी अभी हमें मायाचक्र में डाले रखना चाहता है। उसे अभी भी अपने पशु-बल का बड़ा भरोसा है। अभी भी वह सुधारों (Reforms) के फेर में हमें डाल कर हमारे देश पर अपना स्थायी प्रभुत्व जमाना चाहता है। पर देश का पददलित आत्म-सम्मान आज अपने सत्य, सुन्दर एवं शिव के रूप में जाग उठा है; आज हमारे रग-रग में, नस-नस में, हमारी आत्मा और हृदय में एक दैवी स्फूर्ति का आकस्मिक आविर्भाव हो गया है। भारत ने बुद्ध और महावीर, शङ्कर और रामानुज, कबीर और रामतीर्थ; विवेकानन्द आदि जगद्गुरुओं के बाद गाँधी को विश्वगुरु के रूप में पैदा किया है। पतित भारत फिर विश्व-वरेण्य होने जा रहा है। विज्ञान, पूँजीवाद, स्वार्थ-लिप्सा, हिंसा और विनाश की काली और भयावनी रजनी के एक ओर से सत्य, दाक्षिण्य, विश्व-प्रेम, अहिंसा का सुमङ्गल प्रभात झाँकता हुआ दीख पड़ रहा है। प्रभात के चरण प्रतिष्ठित होने ही वाले हैं, जब कि इस रजनी का अभिनय समाप्त हो जायगा। गाँधी विश्व में अहिंसा, सत्य, आत्म-बल और त्याग का झण्डा फहराने जा रहा है और वह समय अब दूर नहीं है, जब कि सारा संसार उसके झण्डे के नीचे सिर टेक देगा। उस समय पाशविकता के भग्नावशेष पर आत्म-बल का दुर्ग खड़ा होगा और इस प्रकार भारत का स्वराज्य विश्व में राम-राज्य उपस्थित कर देगा।

यह हमारा सुख-स्वप्न नहीं है; यह एक कठोर एवं ध्रुव-सत्य है; काल-चक्र की अनियन्त्रित गति की घटनाएँ बार-बार हमें यही सन्देश दे रही हैं; आयर्लैण्ड जगा, देखते ही देखते रूस का नक़शा बदल गया, अफ़ीमची चीनी जगे...... भारत का इतिहास भी अपना एक नया अध्याय प्रारम्भ करने में संलग्न है। आवश्यकता है एक बार इस गुलामी की ढहती हुई दीवाल में ज़ोर से धक्का लगा देने की। राष्ट्र आज नवयुवक-भारत को बलिदान और आत्म-समर्पण के लिए आवाहन कर रहा है; परन्तु इस आवाहन में हमारी सब से बड़ी साधना अहिंसा होगी और इस बलिदान की सब से बड़ी ज्वाला हमारी पवित्रता एवं आन्तरिक सच्चाई होगी। कहने की आवश्यकता नहीं, कि हमारी स्वतन्त्रता का प्रश्न गोलमेज़ में कभी हल नहीं हो सकेगा। इसे बार-बार दुहराने की ज़रूरत नहीं, कि हमारी और हमारे शासकों की निर्णायक बुद्धि में बहुत बड़ा अन्तर है, उनकी देन और हमारी माँग का कभी संयोग नहीं हो सकता। इस विषय में हमारा उनका समझौता कठिन ही नहीं, वरन् सर्वथा असम्भव है। भारतवासियों के स्वराज्य जैसी चीज़ की कल्पना हमारे शासक स्वप्न में भी नहीं कर सकते। स्वराज्य, जिसे हम अपना जन्म-सिद्ध अधिकार मानते हैं, हमारे ही किए मिल सकता है। किसी भी देश को स्वराज्य देने पर नहीं मिला है; जिस देश ने स्वराज्य प्राप्त किया है, वह अपनी शक्ति से। यदि स्वराज्य हमारा अभीष्ट है तो उसके लिए उद्योग करना होगा। बात की बात में बहस-मुबाहिसों से यदि स्वराज्य मिलने को होता तो आज तक कोई भी देश गुलाम न रहता। शासक तब तक इस देश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, जब तक कि हम प्रत्येक उचित और अहिंसात्मक उपाय से उनके शासन-चक्र का चलना ही सर्वथा असम्भव न कर दें।

परन्तु इस वृहद् कार्य के लिए हमें पुनः एक बार विराट यज्ञ का आयोजन करना है। स्वतन्त्रता की देवी का आवाहन करने के लिए हमें शुद्ध अहिंसा और सत्य के आधार पर पुनः सत्याग्रह संग्राम छेड़ना होगा। देश का यह दुर्भाग्य है कि इस समय अधिकांश कॉङ्ग्रेस कमिटियाँ निर्वाचन के कीचड़ में फँसी हुई हैं। प्रायः चारों ओर कार्यकर्ताओं में वैमनस्य फैल रहा है और हम आज परस्पर एक दूसरे की आलोचना करने में ही अपने राजनीतिक जीवन की सार्थकता सिद्ध कर रहे हैं। नाम और यश के भुक्खड़ कुछ व्यक्ति पिछले युद्ध के समय हमारे दल में घुस आए थे। उनका एकमात्र धर्म आदि से अन्त तक हुल्लड़ मचाना हो गया है। हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि प्रत्येक कॉङ्ग्रेस-कमिटी में कुछ ऐसे भी ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं, जो देश की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त और देश के यश को अपना यश समझते हैं! देश के साथ उन्होंने तादात्म्य स्थापित कर लिया है, देश ही के लिए उनका खाना-पीना, उठना-बैठना, सोना-जागना होता है। सौभाग्य से देश में ऐसे निस्पृह कार्यकर्ताओं की भी कमी नहीं है। इस पारस्परिक मनोमालिन्य एवं विरोध के समय भी उन्होंने देश की तुला को ठीक रक्खा है। उनसे हमारी विनीत प्रार्थना है कि वे निर्वाचन और यश-लिप्सा के कीचड़ में फँसे हुए व्यक्तियों की परवाह किए बिना आगे बढ़ें, वे इन झगड़ों से ऊपर उठें। यह विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं, कि उनके साथ और पीछे चलने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है। गाँवों में बहुत काम पड़ा हुआ है। किसान स्वराज्य का अर्थ नहीं समझते। उन्हें समझाने का हमें अवकाश ही नहीं मिला। यह तो केवल महात्मा गाँधी की जादू की छड़ी का ही प्रभाव था कि बिना कुछ समझे-बूझे ही किसानों ने अवर्णनीय त्याग किया एवं अपार दुःख सहे। इसलिए राष्ट्र को आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम देहातों में स्थायी रूप से बैठ कर ग़रीब किसानों को स्वराज्य का महत्व बतलाएँ। शहर में क्या रक्खा है? शहर के लोग प्रदर्शन-प्रिय होते हैं, अतएव शहर में ऐसे कुछ शहरी नेताओं को छोड़ दिया जाय जो गाँवों में जाने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त एवं अयोग्य हैं। कॉङ्ग्रेस के अन्य कार्यकर्ता टिड्डियों के दल

की भाँति गाँव-गाँव में फैल जायँ। किसानों की कष्ट-कहानी ध्यान देकर सुनी जाय और उसे दूर करने के लिए भरपूर चेष्टा की जाय। इस समय देश के किसानों की दशा बड़ी दयनीय हो रही है। उनके पास नमक-तेल तक के लिए पैसा नहीं; लड़कों की पढ़ाई-लिखाई की बात तो दूर रही। इस समय कॉङ्ग्रेस किसानों के इस विकट प्रश्न पर ख़ास तौर से ध्यान दे; अपनी सारी शक्ति इसी में लगा दे। देश की ८९ प्रतिशत से भी अधिक आबादी किसानों की है। हमें आज उनकी कष्ट-कथा सुननी होगी। उन्हें ताल्लुक़ेदारों और ज़मींदारों के पाशविक अत्याचारों से बचाना होगा, उनके साथ रह कर उन पर पड़ती हुई लाठियों और हन्टरों को अपने शरीर पर रोक कर, किसानों के सुख-दुःख में साथी होकर, हमें उनको समझाना होगा कि भावी शासन-विधान में किसानों के हितों पर विशेष रूप से ध्यान रक्खा जायगा। किसानों के वे मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) जिन्हें कराची कॉङ्ग्रेस ने स्वीकार किए हैं, जनता को आज समझाने की अत्यन्त अधिक आवश्यकता है। साथ ही किसानों में आत्म-सम्मान, देश-गौरव के भाव हमें जगाना होगा और आने वाले युद्ध के लिए उन्हें ख़ूब तैयार करना होगा। गाँव-गाँव में बारडोली के किसानों के अनुपम त्याग और अकथनीय कष्टों तथा अखण्ड तत्परता एवं दृढ़ प्रतिज्ञा की कहानियाँ सुनानी होंगी। आज किसानों की शक्ति तितर-बितर हो गई है; देश के अन्नदाता होते हुए भी वे महा कङ्गाल, दरिद्र, अपङ्ग और निरीह हो रहे हैं! यदि किसान जग जायँ तो वे किसी भी राष्ट्र का, किसी भी पराई शक्ति का, सामना बड़ी तत्परता एवं कुशलता के साथ कर सकते हैं। फिर इन ज़मींदारों और पूँजीपतियों की शक्ति ही कितनी है जो उन पर अत्याचार करें? अस्तु—

देश में रचनात्मक कार्य करते हुए, किसानों और मज़दूरों में जीवन का सञ्चार करते हुए, हमें अपनी लड़ाई के असली रुख़ की ओर बहुत सतर्क रहना होगा। हमें अपनी सेना के सङ्गठन की आवश्यकता को भूलना नहीं चाहिए। युद्ध में विजय का सारा दारोमदार हमारे सिपाहियों पर ही है। पिछली बार हमने देखा, हमारे आन्दोलन के पवित्र एवं सात्विक आह्वान पर, हमारी रणभेरी बजते ही किस प्रकार स्वयंसेवकों का ताँता बँध गया था। हमने वह दृश्य भी बड़ी उत्सुकता एवं चाव-भरी दृष्टि से देखा है, जब युवक-दल माता-पिता के लाख रोते-चिल्लाते रहने पर, उनके लाख प्रयत्न करने पर भी, युद्ध का शङ्ख-घोष सुन, अपने को रोक नहीं सकता था। एक विचित्र उन्माद सा आ गया था। रण में न जाने की बात सुहाती ही नहीं थी। देश में एक विचित्र उन्माद छा गया था। गाँधी ने एक अजीब जादू फूँका था। छः-छः वर्ष के अबोध बच्चे बड़े शौक़ एवं लगन के साथ जेल में जाते देखे गए हैं। राष्ट्र के अभूत-पूर्व जागरण के वह दृश्य देखे गए हैं जो देखने की ही वस्तु थी। स्वर्ग के देवता भी ऐसे सात्विक युद्ध में इस अपूर्व त्याग को देख सिहर रहे थे, आशीष-प्रसून बरसा रहे थे। हमारी देवियों ने, जिन्हें हम ने अपनी नासमझी से 'अबला' नाम दे रक्खा है, गत युद्ध में जिस वीरता एवं सहिष्णुता का परिचय दिया है, उसे स्मरण कर आज भी नसों में बिजली दौड़ जाती है। स्त्रियों की इस तपस्या की गाथा आने वाली सन्तान बड़े गौरव एवं अभिमान के साथ गाएगी। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे युद्ध का असली रुख़ यही है; हमें इन्हीं स्वयंसेवकों, देशसेविकाओं और वानर-सेनाओं के साथ अपने विरोधियों से मोर्चा लेना है। हमारे युद्ध के प्राण हमारे ये दीवाने स्वयंसेवक ही हैं!

इन स्वयंसेवकों, वानर-सेनाओं और देश-सेविकाओं का सङ्गठन फिर नए सिरे से हो, उनकी शिक्षा-दीक्षा का पूरा प्रबन्ध किया जाय और उनके विनयन (Discipline) पर पूरी चौकसी रक्खी जाय। पिछले युद्ध में तो हमारे बिना किसी प्रयत्न के ही, हमारी विशेष चेष्टा के बिना ही, देश के इन योद्धाओं में अपूर्व सङ्गठन का भाव आ गया था तथा उनमें एक विचित्र लगन एवं कल्पनातीत उमङ्ग की लहर आ गई थी। उनकी उस लगन और उमङ्ग को हमने अपनी दलबन्दी और यश-लिप्सा की विनाशकारी भूख में विशृङ्खलित कर दिया है, हमें फिर एक बार सजग हो जाना होगा और अपनी निजी दुर्बलताओं से ऊपर उठ कर देश की इस अत्यन्त बलवान, परन्तु बिखरी हुई शक्ति का सङ्गठन करना होगा, जिससे हम पहले की अपेक्षा अधिक वीरता तथा कौशल के साथ शत्रुओं से मोर्चा ले सकें। भावी युद्ध के लिए हमारी तैयारी का यह सब से मुख्य, सब से महत्वपूर्ण अङ्ग है, इसे भूल कर, इसकी अवहेलना कर हम अपने राष्ट्रीय अस्तित्व की अवहेलना करेंगे—इसे हमें विस्मरण न करना चाहिए।

अन्त में हमें अपने उन भाइयों की सेवा में दो शब्द निवेदन करना है, जिनका विश्वास अहिंसा में नहीं है। यह हमारा एक दायित्वपूर्ण धर्म है कि हम प्रत्येक भारतवासी का ध्यान उस मार्ग की ओर आकर्षित करें, जो हमारी समझ से, अधिक से अधिक कल्याणकारी है। साथ ही साथ हमारा यह भी कर्तव्य है कि जो बातें देश-हित की अवरोधक हैं, उनमें व्यक्तित्व का ज़रा सा भी ख़्याल न रखते हुए, बिना सङ्कोच उस पद्धति की कड़ी से कड़ी आलोचना करें। अहिंसा के द्वारा आज हम अपनी एवं राष्ट्र की अन्तरात्मा में कितनी असीम नैतिक-शक्ति की सृष्टि कर सकते हैं तथा संसार की सहानुभूति कितने अधिक अंश में हम अपनी ओर खींच सकते हैं और इसके साथ ही हम अपने शत्रुओं के हृदय में कितना बड़ा आतङ्क ला सकते हैं, यह बात आज बतलाने की नहीं है। विगत सत्याग्रह आन्दोलन में हमने अपनी आँखों से अहिंसा की अमर एवं सर्वव्यापी विजय देखी है। यह विषय सन्देह-ग्रस्त या विवादास्पद नहीं रह गई कि हमें केवल अहिंसा मार्ग के द्वारा ही स्वराज्य की प्राप्ति होगी! फिर भी हमारे देश में कितने ऐसे उभड़े दिल और दिमाग़ के नौजवान हैं, जो देश की इस पराधीनता को सभी उचित या अनुचित उपायों के द्वारा यहाँ से उखाड़ फेंकने पर उतारू हो गए हैं। इनका विश्वास है कि इस देश में ख़ुराफ़ात की ख़ास वजह चन्द सरकारी अफ़सर हैं, जिनकी हत्या से देश की छाती पर होने वाला पराधीनता का यह भयङ्कर ताण्डव सदा के लिए शान्त हो जायगा। वे ज़रा जल्दबाज़ी में हैं और उनके उतावलेपन से देश की बड़ी क्षति हो रही है। उनकी हत्याओं और बमबाज़ियों का बुरा असर देश पर पड़े बिना नहीं रह सकता। नौजवानों का हृदय और उनकी आत्मा विशक्त होती जा रही है। हम उनके त्याग की भावना की, उनके अल्हड़, लापरवाह, भोले हृदय की—अगाध देश-भक्ति की अभ्यर्थना करते हुए भी, उनकी पद्धति से, उनकी कार्य-शैली से मूलतः मतभेद रखते हैं। हमें उन पर दया आए बिना नहीं रह सकती। हम जानते हैं हमारी ये बातें उन्हें ज़रा भी सुहाती न होंगी; हमारी इन पंक्तियों को वे दम्भ, पाखण्ड एवं मिथ्या देश-भक्ति से भरी समझ कर उपहास की दृष्टि से देखेंगे; हम यह भी जानते हैं कि हमारे इस अप्रासङ्गिक उपदेश का उन पर कुछ भी असर न होगा; फिर भी हमारी अन्तरात्मा देश के सुखद-कल्याण का जो उचित मार्ग समझती है, और जिसकी हमने पूरी तरह विगत सत्याग्रह आन्दोलन में परीक्षा भी कर ली है, उसे तो हम अन्त समय तक डङ्के की चोट कहते रहना, अपना पवित्र कर्तव्य समझेंगे। अस्तु—

सच बात तो यह है, कि इन हत्याओं से देश की बड़ी हानि हो रही है। देश-प्रेम के दीवाने, अल्हड़ नौजवान अपनी जान पर खेल कर देश भर की सहानुभूति को अपनी ओर खींच लेते हैं सही, पर ऐसा करने पर देश की जाग्रत शक्ति को अपनी ओर नहीं खींच सकते। उनका रास्ता ख़तरे से भरा और हमेशा घाटा देने वाला है—इस बात से स्वयं वे भी इन्कार नहीं कर सकते। भारतवर्ष की संस्कृति ही हिंसा से मूलतः भिन्न है, हिंसा का पौदा यहाँ पनप नहीं सकता। इन अनमोल हीरों को खोते हुए हमारे हृदय को बड़ी ठेस लगती है! यदि उन बुझते हुए प्यारे प्राणों की अगाध देश-भक्ति को आज हम अहिंसा पथ में प्रेरित कर सकें, यदि हम उनके देश-प्रेम की कभी न बुझने वाली ज्वाला को लेकर अहिंसापूर्ण ग्राम-सङ्गठन के रचनात्मक कार्य में लग जायँ, तो देश की नौका शीघ्र ही किनारे लग जाय। उनमें एक-एक ऐसे प्रतिभाशाली जीव हैं जो एक-एक ज़िले और प्रान्त के सङ्गठन का सूत्र अपने हाथों में बड़ी ख़ूबी के साथ ले सकते हैं.........परन्तु देश का दुर्भाग्य!

यदि उन्हें अपनी कार्य-पद्धति छोड़ कर हमारे अहिंसात्मक संग्राम में आने की गुञ्जाइश नहीं है तो वे भले ही न आवें, पर इस समय ज़रा अपने विष-बुझे बाणों को रोक लें। देश में एक बार एक छोर से दूसरे छोर तक अहिंसा का पवित्र वायुमण्डल उपस्थित होने दें तथा उसे अपनी व्यर्थ की पटाख़ेबाज़ियों से दूषित न कर डालें।

आज देश भावी अहिंसात्मक क्रान्ति की अन्तर्ध्वनि का स्पष्ट अनुभव कर रहा है। उसे अहिंसा में पूर्ण अविचल विश्वास हो गया है। देश के अग्रगण्य नेता हमारे सोए हुए आत्म-सम्मान को जगा कर उसमें नव-जीवन का सञ्चार कर रहे हैं। नव-जीवन के इस सुन्दर ऊषाकाल को हिंसा की रक्त लालिमा दूषित कर देगी और यदि हिंसा क्रान्ति के उद्दाम-जागरण में सत्याग्रह का युद्ध एवं राष्ट्र की स्वतन्त्रता का प्रवाह सदा के लिए नष्ट हो गया, तो भावी इतिहासकार इस बात का सङ्केत किए बिना नहीं रह सकते कि देश-प्रेम की ज्वाला से जलते हुए, कुछ उन्मत्त नवयुवकों ने अपने प्राणों के उत्सर्ग और निस्पृह आत्म-समर्पण के द्वारा ही देश की पराधीनता को सदा के लिए अमर किया था!!

* * *

भीषण एवं करुण!!

गाँधी-इर्विन समझौते की आड़ में प्रान्तीय सरकारों के उपहासजनक अभिनय के भीषण एवं करुण समाचार आ रहे हैं! "भविष्य" के गताङ्क में हमने सर मैलकम हेली की संयुक्त प्रान्तीय सरकार के कुछ कारनामों की चर्चा की थी। उसी प्रसङ्ग में हमने रायबरेली के ख़ैरख़्वाह हिन्दुस्तानी डिप्टी कमिश्नर के द्वारा ज़मींदारों के पास भेजे गए दो लज्जाजनक 'गोपनीय' पत्रों की भी चर्चा की थी। यद्यपि प्रान्तीय सरकार की आज्ञा से डिप्टी कमिश्नर के वे 'गोपनीय' सरक्यूलर वापस ले लिए गए हैं; फिर भी दशा सुधरती नज़र नहीं आती। रायबरेली ज़िले से ही लगभग सात सौ गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं! निर्दोष कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारियों से ही यदि देश की सारी उलझनें सुलझ जातीं, तो भी कोई बात न थी; पर यहाँ तो देश का कोना-कोना दमन की भीषण आग से जल उठा है! गत ९वीं जुलाई के "यङ्ग-इण्डिया" में महात्मा जी ने "क्या यह टूक-टूक होकर ढह रहा है" (Is It Crumbling ?) शीर्षक एक

बड़ा ही मर्मस्पर्शी सम्पादकीय लिखा है। उस लेख में संयुक्त प्रान्त के सुलतानपुर और मथुरा ज़िले के किसानों पर ज़मींदारों और पुलीस तथा अधिकारियों के द्वारा किए गए अत्याचारों की लोमहर्षक कहानी का हृदय-विदारक वर्णन किया गया है। इन स्थानों के अतिरिक्त पञ्जाब और बङ्गाल प्रान्तों की कष्ट-कहानियों का भी उल्लेख महात्मा जी ने अपने उसी लेख में किया है। साथ ही महात्मा जी ने लिखा है—"इस सप्ताह के लिए यह पर्याप्त है। मुझे देश के अन्य भाग अथवा प्रान्तों की ओर भी शिकायतें हैं; जिनकी चर्चा मैं आगामी अङ्क में करूँगा।"

कहना नहीं होगा कि प्रान्तीय सरकारों की इस दोमुँही चाल ने देश और विशेषकर कॉङ्ग्रेस को, एक उलझन में डाल दिया है। दमन और युद्ध बुरा नहीं है; और विशेषकर उस समय जब कि उसकी सृष्टि स्वतन्त्रता के पथ में होती है। प्रत्युत उस अवस्था में वह कल्याणप्रद है। देश को स्वतन्त्र करने के पवित्र-प्रयत्न में युद्ध गौरव एवं मर्यादा की; तथा दमन हित, कल्याण, साधना और स्वागत की वस्तु है। परन्तु इसके साथ ही समझौते के कारण, जबकि एक दल निश्चेष्ट एवं निर्विकार भाव से चुपचाप शान्त पड़ा है, दूसरी ओर से समझौते की आड़ में आक्रमण होना आक्रमणकारी दल के लिए लज्जास्पद है। आज देश की ठीक यही अवस्था है। महात्मा गाँधी आज देश की बागडोर बहुत दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। देश की मचलने वाली आत्माओं को सहस्रों पुकार को, देश के नवयुवक-हृदयों के भीषण असन्तोष को वे एक ओर शान्त और नियन्त्रित करने में दत्तचित्त हैं और दूसरी ओर ताल्लुक़ेदार अथवा उनके आदमी देश के अभागे किसानों को मार-पीट कर कर वसूलने में लगे हुए हैं। गर्भिणी कृषक-स्त्रियों को निर्दयता के साथ पीटा जा रहा है। बाप के रुपए बेटे से और पति के रुपए पत्नियों के गहनों से वसूल किए जा रहे हैं!! अभागी कृषक-ललनाओं के सतीत्व नष्ट करने के भी रोमाञ्चकारी समाचार आए हैं। गाँधी-इर्विन समझौते के इस सन्धि-स्थल पर आज भी लाठियों द्वारा सभाएँ बन्द की जा रही हैं। किसानों को अपने घरों से राष्ट्रीय झण्डा हटाने को कहा जा रहा है और जब वे यह अपमानजनक काम करने से अस्वीकार कर देते हैं तो उन्हें हवालात में बन्द कर दिया जाता है! देश के कार्यकर्ताओं की खुले-आम गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। जिन-जिन स्थानों में सङ्गठन एवं पिकेटिङ्ग का कार्य हो रहा है, वहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता जेलों में बन्द कर दिए जा रहे हैं; और तारीफ़ तो यह, कि दमन एवं अत्याचारों की इन करुण कहानियों के रचनात्मक कार्यों में जहाँ एक ओर प्रान्तीय सरकारें लगी हुई हैं, वहाँ दूसरी ओर लॉर्ड विलिङ्गडन अपने व्याख्यानों में चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं—"हम क्षणिक समझौता नहीं, वरन् स्थायी सन्धि चाहते हैं।" इस स्थायी सन्धि का रूप और आकार क्या है, यह तो भगवान ही जानें; पर हम यही कहेंगे कि यदि ब्रिटेन और भारत के अस्थायी समझौते का अर्थ लाठी-प्रहार और जेल-प्रवास है तो इस क्रम से स्थायी सन्धि का अर्थ अत्यन्त भयावह होगा और सम्राट के प्रतिनिधि लॉर्ड विलिङ्गडन की सरकार को उस स्थायी-सन्धि का रूप निर्माण करने के लिए कुमारी अन्तरीप से लेकर हिमालय तक और आसाम से लेकर सिन्ध तक तोप और गोलियों की वर्षा करनी होगी! कम से कम वर्तमान का यह भीषण एवं करुण दृश्य भविष्य की भीषणता और अधिक करुण घटनाओं का सङ्केत कर रहा है!

परन्तु इसका परिणाम क्या होगा? सारा देश आज त्राहि-त्राहि पुकार रहा है। सारे देश की कॉङ्ग्रेस कमिटियाँ महात्मा जी से निष्क्रिय प्रतिरोध (Passive Resistence) की आज्ञा माँग रही हैं। गाँधी जी सहमे हुए हैं; वे आज्ञा देने में सङ्कोच कर रहे हैं। उनका कहना है—धैर्य धारण करो, सहन करो! सहनशीलता का ही दूसरा नाम कष्ट है। जितना अधिक हम कष्ट सहेंगे, उतनी ही अधिक हमारी शक्ति बढ़ेगी। इस शक्ति को बढ़ाने के निमित्त ही राजनीतिक यथार्थवाद (Political Realism) में महात्मा जी आध्यात्मिक आदर्शवाद (Spiritual Idealism) का सम्मिश्रण करना चाहते हैं। "यदि निर्देश के सङ्केत को यही स्वीकार है कि समझौता भङ्ग हो तो होने दो, परन्तु कॉङ्ग्रेस की सारी शक्ति समझौता भङ्ग के विपरीत प्रयत्न में लग जाय!" यह महात्मा गाँधी की अमृत-वाणी है। इस वाणी में बुद्ध और शङ्कर; महावीर और रामानुज को जन्म देने वाले राष्ट्र का सामूहिक आदर्शवाद छिपा है—वह आदर्शवाद, जिसके सम्मुख संसार के बड़े से बड़े साम्राज्य का स्वेच्छाचार काँप उठता है और उसकी कूटनीति हिल उठती है! हम चाहते हैं, हमारा देश महात्मा जी की इस अमृत-वाणी से यथेष्ट लाभ उठाए। समझौता भङ्ग यदि होना ही है तो भले हो, पर हमारा सारा प्रयत्न उसे स्थापित करने में ही लगना चाहिए। वास्तव में देश का गौरव इसी बात में है कि सरकार की ओर से अधिक से अधिक दमन और उत्तेजना मिलने पर भी सन्धि-काल तक हम उसका उत्तर सन्तोष एवं धैर्य के द्वारा दें—उस सहनशीलता के द्वारा जिसका दूसरा नाम कष्ट है। इसके बाद अर्थात् सन्धिकाल की समाप्ति पर कौन कह सकता है, भावी सत्याग्रह के सर्व-व्यापी प्रवाह में ब्रिटिश सत्ता भारत में स्थायी रह सकेगी?

* *

न्याय का आदर्श

भारतीय उच्च न्यायालयों (High Courts) के इतिहास में कदाचित् यह दूसरा अवसर है, जबकि राजनीतिक मामलों में पञ्जाब हाईकोर्ट के जस्टिस भिडे एवं जस्टिस टैप नामक दो आदर्श जजों ने पूर्ण निर्भीकता एवं विशुद्ध न्याय के द्वारा अपना निर्णय दिया है। "भविष्य" के पाठकों को स्मरण होगा कि नए लाहौर षड्यन्त्र के अभियुक्त श्री० सुखदेवराज को स्पेशल ट्रिब्यूनल (Special Tribunal) की आज्ञा से गत दूसरी जून को षड्यन्त्र के अन्य अभियुक्तों के साथ जेल-हवालात में रक्खा गया; परन्तु चार ही दिन बाद, अर्थात् छठी जून को पञ्जाब-सरकार की आज्ञा से श्री० सुखदेवराज अन्य अभियुक्तों से पृथक कर फाँसी वाले सेल (Condemned Cell) में इस प्रकार रक्खे गए कि अन्य अभियुक्तों से उनकी मुलाक़ात असम्भव कर दी गई। इस पर श्री० सुखदेवराज की ओर से ट्रिब्यूनल को इस आशय की दरख़्वास्त दी गई कि ट्रिब्यूनल इस बात का पता लगाए कि उसकी आज्ञा के विरुद्ध प्रान्तीय सरकार के व्यवहार का क्या कारण है। साथ ही ट्रिब्यूनल से इस बात की भी प्रार्थना की गई कि यदि ट्रिब्यूनल की दृष्टि में प्रान्तीय सरकार के इस कार्य का भरपूर एवं समुचित कारण दीख न पड़े तो वह प्रान्तीय सरकार को आदेश दे कि उस (ट्रिब्यूनल) की आज्ञा के अनुसार कारंवाई की जाय; परन्तु ट्रिब्यूनल को इतना साहस कहाँ था कि वह प्रान्तीय सरकार के विरुद्ध जाय? उसने तत्क्षण श्री० सुखदेवराज की दरख़्वास्त को, इसलिए अस्वीकार कर दिया कि यह उसकी अधिकार-सीमा से बाहर की बात है। ट्रिब्यूनल के इस निर्णय पर श्री० सुखदेवराज के वकील श्री० श्यामलाल ने हाईकोर्ट में इस आशय की दरख़्वास्त दी कि श्री० सुखदेवराज या तो तनहाई से हटा कर षड्यन्त्र के अन्य अभियुक्तों के साथ रक्खे जायँ अथवा ज़मानत पर मुक्त कर दिए जाएँ। इस दरख़्वास्त के निर्णय का भार जस्टिस भिडे और जस्टिस टैप को दिया गया। उक्त दोनों विद्वान जजों ने ट्रिब्यूनल के कमिश्नरों का निर्णय ग़लत बतलाया और ट्रिब्यूनल के पास इस आदेश के साथ मुक़दमा लौटा दिया, कि वह अपनी आज्ञा के विरुद्ध प्रान्तीय सरकार के आचरण के कारण का पता लगा कर अपना निर्णय करे।

कहना नहीं होगा कि हाईकोर्ट के उक्त दो विद्वान जजों का निर्भीक निर्णय केवल न्याय का आदर्श ही स्थापित नहीं करता, वरन् यह एक ऐसा निर्णय है जो भविष्य के राजनीतिक मुक़दमों के सम्बन्ध में एक सम्मानित एवं अधिकारपूर्ण क़ानूनी प्रमाण उपस्थित करेगा। और चूँकि इस निर्णय का सौभाग्य पञ्जाब हाईकोर्ट को प्राप्त है, इसलिए हम उसे बधाई देना अपना कर्त्तव्य समझते हैं। जस्टिस भिडे और टैप के निर्णय का महत्व केवल न्यायालयों की अधिकार-सीमा निर्धारित करने में ही नहीं है, वह इस बात का भी पूर्णतः स्पष्टीकरण करता है कि यदि किसी अभियुक्त के साथ अधिकारियों के द्वारा क़ानून के निर्देशानुसार आचरण नहीं किया जाता, तो अदालत को इस बात का पूरा अधिकार है कि वह इस मामले में दरयाफ़्त करे तथा अभियुक्तों के क़ानूनी-संरक्षण के लिए अधिकारियों को आवश्यक आज्ञा दे। ट्रिब्यूनल की भूल एवं कर्त्तव्य पालन की असमर्थता बतलाते हुए जस्टिस भिडे के निम्न-लिखित शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण हैं :—

"The main question involved in this case is that of the jurisdiction of the courts to enquire into a complaint of this character made by an undertrial prisoner in connection with his treatment in jail. In my opinion, the learned Commissioners were not right in dropping the matter, as they did without any enquiry and refusing to consider the question of bail at the same time."

अर्थात्—"इस मामले में मुख्य प्रश्न यह है कि यदि किसी अभियुक्त क़ैदी के साथ जेल में उचित व्यवहार न हो और यदि वह अदालत से इस शिकायत के सम्बन्ध में दरियाफ़्त करने की प्रार्थना करे तो अदालत को इस सम्बन्ध में दरियाफ़्त करने की अधिकार-सीमा कहाँ तक है। मेरे विचार में ट्रिब्यूनल के विद्वान कमिश्नरों ने इस मामले को इस प्रकार स्थगित कर भूल की; कारण उन्होंने न तो इस मामले के सम्बन्ध में जाँच ही की और न अभियुक्त की ज़मानत के प्रश्न पर ही विचार करना स्वीकार किया।"

जस्टिस भिडे के ये शब्द उन अभागे राजनीतिक अभियुक्तों की उस करुण-दशा पर प्रकाश डालते हैं; जिनके साथ एक ओर अधिकारियों के द्वारा अत्याचार किया जाता है और दूसरी ओर अदालत उन पर किए जाने वाले उन दारुण अत्याचारों को दूर करना तो दूर रहा, सुनना भी स्वीकार नहीं करती। इस दशा में उन अभागे अभियुक्तों की दशा इतनी असहाय हो जाती है, कि उन्हें उचित क़ानूनी संरक्षण भी नहीं दिया जाता। उनकी इसी असहायावस्था की चर्चा करते हुए विद्वान जस्टिस भिडे ने अपने उसी सारगर्भित निर्णय में ये महत्वपूर्ण शब्द कहे हैं :—

"They did once enquire whether the grounds on which their recommendation was over-ruled could be disclosed, but

that was only for the information of the defence and not for their own satisfaction. Eventually, they held that they had no jurisdiction to go any further and they also refused to grant bail. If the view taken by the Commissioners, be correct, it would mean that an undertrial prisoner in the position of a petitioner can get no redress from courts, and is practically without any remedy. But I don't think the court is in such a helpless position."

अर्थात्—"उन्होंने (ट्रिब्यूनल के कमिश्नरों ने) अवश्य ही एक बार यह बात दरियाफ़्त की थी कि उनकी आज्ञा न पालन करने का कारण बतलाया जा सकता है, अथवा नहीं। परन्तु इस बात को उन्होंने अपने सन्तोष के लिए नहीं, वरन् अभियुक्त को बताने के लिए ही पूछा था। अन्त में उन्होंने यह राय क़ायम रक्खी कि इस मामले में और आगे बढ़ना उनकी अधिकार-सीमा के बाहर की बात है और साथ ही उन्होंने ज़मानत भी अस्वीकार कर दी। कमिश्नरों ने इस मामले में जिस दृष्टिकोण से निर्णय किया है, यदि वह ठीक हो तो इसका अर्थ यह है कि प्रार्थी के रूप में कोई अभियुक्त क़ैदी अदालत के द्वारा अपने पर किए गए अन्यायों को दूर नहीं करा सकता। और उसकी सहायता के लिए वास्तव में कोई भी उपाय नहीं है। जो कुछ भी हो, मेरा विचार यह नहीं है कि इस मामले में अदालत इतनी असहाय अवस्था में है।"

कहना नहीं होगा कि राजनीतिक मामलों में अधिकारियों द्वारा क़ानून की सीमा उल्लङ्घन करना एक साधारण सी बात है। सच बात तो यह है, कि इन राजनीतिक अभियुक्तों के विरुद्ध सरकार के प्रतिकार की भावनाएँ इतनी प्रबल और तीव्र होती हैं कि उसे साधारण क़ानून की मर्यादा लाँघने में तनिक भी सङ्कोच नहीं होता। श्री० सुखदेवराज का दृष्टान्त इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है। ट्रिब्यूनल की सिफ़ारिश पर भी जेल-अधिकारियों के द्वारा श्री० सुखदेवराज के साधारण क़ानूनी अधिकारों को कुचला जाना इस बात का अत्यन्त करुण एवं घृणास्पद प्रमाण है कि पञ्जाब-सरकार किस भयानक रूप में क़ानून की सीमा लाँघ कर प्रतिकार की अपनी दानवी इच्छा पूरी करना चाहती है। क़ानून की दृष्टि से पञ्जाब-सरकार श्री० सुखदेवराज के साथ कोई भी ऐसा आचरण नहीं कर सकती जो जेल-नियमों का अपवाद प्रमाणित हो और वह भी विशेषकर उस अवस्था में जब कि;

(१) श्री० सुखदेवराज के अपराध प्रमाणित नहीं हुए तथा वे अभी एक अभियुक्त की हैसियत से जेल की हवालात में हैं।

(२) जबकि उनके अभियोग में स्वयं पञ्जाब-सरकार एक फ़रीक़ है।

परन्तु क़ानून की चिन्ता कौन करता है? स्वेच्छाचार की शासन-प्रणाली अबाध गति से अपने दैनिक व्यापार में संलग्न है। वहाँ न्याय एवं न्यायालय की बात कोई नहीं सुनता।

फिर भी हम सुखदेवराज के सम्बन्ध में ट्रिब्यूनल के निर्णय एवं पञ्जाब सरकार के रुख़ की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता के साथ कर रहे हैं।

* * *

आत्म-समर्पण

उस दिन, विगत सोमवार ता० ६ठीं जुलाई के प्रातःकाल कलकत्ते की विशाल ऐतिहासिक नगरी ने जीवन और मृत्यु के अद्भुत सङ्गम पर सारी मानवी-उत्कण्ठाओं के आत्म-समर्पण का विचित्र अभिनय देखा था! भिन्न-भिन्न पक्ष के इतिहासकार उस अभिनय का भिन्न-भिन्न रूप देकर संसार में होने वाले घटना-चक्र के लिए अपना दैनिक कार्यक्रम पूरा करेंगे। कोई कहेगा—दिनेश हत्यारा था, आततायी था, सिम्पसन की उसने निर्दयतापूर्ण हत्या की थी और इसके दण्ड-स्वरूप उसे ६ठीं जुलाई सन् १९३१ को अलीपुर सेन्ट्रल जेल में फाँसी दे दी गई। दूसरा कहेगा—वह वीर था, देशभक्त था, मातृभूमि का शहीद था, मातृभूमि के लिए जीवित रहा और मरा। तीसरा कहेगा—हिंसा के दूषित एवं अहितकर पथ का पथिक होते हुए भी उसकी देश-भक्ति स्तुत्य और उसकी वीरता प्रशंसनीय थी! हम क्या कहेंगे, हम स्वयं नहीं जानते; पर जो कुछ भी कहेंगे, वह इतिहास की बात न होगी। इतिहास निराकार के असीम को साकार की सीमा के रूप में प्रकट करने की चेष्टा करता है—यही उसकी भूल है। दिनेश गुप्त ने अपने सीमित साकार-रूप को निस्पृह एवं निर्विकार भाव से भगवान की अनन्त निराकार ज्योति में मिला दी—यहीं उनके ओजमय व्यक्तित्व की सारी महत्ता और गौरव है!

इस स्थान पर हम श्री० दिनेश गुप्त के ग़लत अथवा सही रास्ते की आलोचना करना नहीं चाहते और न हम उनका किसी प्रकार छिद्रान्वेषण ही करना चाहते हैं; कारण, जीवन की भूलें और संसार के विकार केवल इस संसार में ही रह जाते हैं। मृत्यु, मनुष्य को जीवन की इन साधारण घटनाओं—भूल, राग, ईर्षा, द्वेष, वैर, शत्रुता आदि—से ऊँचा, बहुत ऊँचा उठा देती है! मृत्यु, मनुष्य को पृथ्वी के इस दूषित वातावरण से ऊँचा कर भगवान के उज्ज्वल आलोक में छोड़ देती है—वह मृत्यु जिसका दूसरा नाम आत्म-समर्पण है। इसी कारण हम श्री० दिनेश गुप्त के ग़लत रास्ते की चर्चा इस प्रसङ्ग में लाना नहीं चाहते। यदि उन्होंने क़ानून को अपने हाथों में लिया तो क़ानून ने इसका प्रतिकार उनके जीवन से किया; यदि उन्होंने जन-साधारण के नैतिक नियमों के विरुद्ध हिंसा की तो उस "नैतिक नियम" ने भी इसका बदला उनके सर से लिया। प्रतिशोध एवं प्रतिकार के इस प्रज्वलित अग्नि-शिखा में श्री० दिनेश गुप्त की सारी कायिक एवं ऐहिक दुर्बलताएँ भस्म हो गईं और संसार के लिए उनके शुद्ध-आत्म-समर्पण की रोती और हँसती हुई कहानी शेष रह गई है; रोती, इसलिए कि आत्म-समर्पण के उस दुःखान्त अभिनय का स्मरण कर मनुष्य की कोमल भावनाएँ अनायास ही रो उठती हैं; रोती, इसलिए कि मृत्यु के एक दिन पहले जब माँ ने बेटे की और बेटे ने माँ की अन्तिम झाँकी की थी......और जब वात्सल्य स्नेह से आकुल होकर माँ ने पगली-माताओं की भाँति दिनेश को चूमना आरम्भ किया, तथा माता के भीरु-स्नेह से कातर होकर "माँ...माँ...माँ...कहते हुए बेटे ने माँ को छाती से लगा लिया............और जब दोनों एक-दूसरे के गले में लगे हुए बेसुध तथा आत्म-विस्मृत थे............उस समय अधिकारियों ने यह कह कर कि 'मुलाक़ात की अवधि समाप्त हो गई'—दोनों को एक-दूसरे से सदा के लिए पृथक कर दिया! और हँसती हुई, इसलिए कि दिनेश के मानवी-रूप में निर्वाण-पथ के उस स्थित-प्रज्ञ एवं जीवन-मुक्त पथिक के काँपते हुए होठों पर अन्त समय तक 'वन्देमातरम्' और मुस्कराहट थी!

फाँसी की 'सेल' चाहे जितनी भी साफ़-सुथरी क्यों न हो, पर उसका वातावरण मृत्यु के अन्धकार से सदा आच्छन्न रहता है। वहाँ सूर्य की ज्योतिर्मय रश्मियाँ भी मृत्यु की तिमिर-राशि से आच्छादित रहती हैं। उसमें जाते ही मनुष्य अपना बाह्य एवं आन्तरिक ज्ञान खो देता है! महीनों उस में रह कर भी दिनेश की चेतना-शक्ति वैसी ही थी; इतना ही नहीं, उन्होंने वहाँ जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा और अनुभव किया था और इस अनुभव में उन्होंने भगवान के महाशङ्ख की आह्वान-ध्वनि सुन कर अपनी मणिदीदी को लिखा था—

> शुधु जानि—जे,
> शुनेछे काने
> ताँहार आह्वान गीत, छुटेछे से निर्भीक पराने
> सङ्कट आवर्त्त माझे, दियेछे से विश्व विसर्जन
> निर्यातन लयेछे से वक्षपाति;
> मृत्युर गर्जन शुनेछे से सङ्गीतेर मत।

फाँसी पड़ी, जेल के भीतर ही हिन्दू-धर्म की रीति से मृत्यु-संस्कार कराया गया, सारे दिन कलकत्ते में हड़ताल रही......ये सब बातें इतिहासकारों के लिए हैं। हम तो उस रहस्यमय आत्म-समर्पण में जीवन के एक मधुर-सङ्गीत की कल्पना करते हैं—वह मधुर सङ्गीत जो दूर से आती हुई मृत्यु की छाया से लिपटा था। उस मधुर-सङ्गीत में मृत्यु-गर्जन की भयानकता भगवान की आह्वान-ध्वनि के सौन्दर्य में परिणत हो गई थी!

मृत्यु आई और चली गई। दिनेश का सांसारिक अवशेष निराकार की छाया में परिणत हो गया! वह आज भी वैसा ही है, कल भी वैसा ही रहेगा—कवियों के लिए रहस्य के रूप में, इतिहासकारों के लिए घटना के रूप में!!!

* * *

पण्डित जगतराम

हाल में ही पञ्जाब प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी ने इस आशय का प्रस्ताव पास किया है कि सरकार पं० जगतराम को शीघ्र ही छोड़ देने की आज्ञा दे दे। पं० जगतराम पुराने लाहौर षड्यन्त्र के एक अभियुक्त हैं और सहयोगी "यङ्ग-इण्डिया" के एक ऐसे सम्वाददाता के कथनानुसार—जो गत सत्याग्रह आन्दोलन में उनके साथ स्पेशल जेल गुजरात (पञ्जाब) में तीन महीनों तक साथी-क़ैदी थे—आपके विरुद्ध वास्तविक हिंसा का कोई भी अपराध प्रमाणित नहीं हुआ। उपरोक्त षड्यन्त्र के मुक़दमे में पं० जगतराम जी को आजीवन क़ैद का दण्ड मिला और गत १९ वर्षों से आप जेल में अपनी हड्डियाँ सुखा रहे हैं। जेल के नियम के अनुसार पण्डित जी को पाँच वर्ष पहले ही मुक्त हो जाना चाहिए था। कारण १४ वर्ष सज़ा काट लेने पर आजीवन क़ैदी इस बात के अधिकारी हो जाते हैं कि उनकी बाक़ी सज़ा माफ़ कर दी जाय। परन्तु पण्डित जी अभी तक मुक्त नहीं हो सके। यहाँ एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि १४ वर्ष की सज़ा काटने के बाद पण्डित जी का मामला पञ्जाब-सरकार के सम्मुख उचित आज्ञा के लिए रक्खा गया; परन्तु पञ्जाब-सरकार ने उस समय यह उत्तर दिया कि पाँच वर्ष बाद इस मामले पर विचार किया जायगा। पाँच वर्ष पूरा हो जाने पर जब सन् १९३० ई० में पुनः उनकी रिहाई का प्रश्न पञ्जाब-सरकार के सम्मुख उपस्थित किया गया तो पुनः वही आज्ञा मिली कि पाँच वर्ष बाद उनके मामले पर विचार किया जायगा।

इस सम्बन्ध में यह बात स्मरण रखने योग्य है कि पं० जगतराम के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक बन्दियों के पास भी भिन्न-भिन्न प्रान्तीय सरकारों के द्वारा यही अथवा इसी प्रकार की ही आज्ञाएँ दी गई हैं। साथ ही इस प्रसङ्ग में यह बात भी भूली नहीं जा सकती कि पं० जगतराम जैसे अभागे राजनीतिक बन्दियों की संख्या इस देश में कम नहीं है, जिन्होंने अपनी काफ़ी सज़ाएँ काट ली हैं, और जो इतने कष्टों के बाद अपना स्वास्थ्य नष्ट कर अब जेलों के जीवित मुर्दों के नाम से ही पुकारे जा सकते हैं। जब हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करते हैं तो हमारे हृदय में इस बात से स्वाभाविक चोट लगती है कि जनता ने पं० जगतराम तथा उनकी भाँति अन्य अभागे देश-भक्त एवं आजीवन-बन्दियों के छुड़ाने के लिए कोई भी उचित प्रयत्न नहीं किया। जिस देश की सेवा के पुरस्कार में पं० जगतराम तथा उनके जैसे न जाने कितने आजीवन-क़ैदी वर्षों से जेल की कठिनाइयों में अपने रक्त, मांस और जीवनों की आहुतियाँ चढ़ा रहे हों, वह देश उनके कष्टों के प्रति बहिरा हो तथा उनकी मुक्ति के लिए प्रत्येक उचित एवं शान्त उपाय का प्रयोग न करे, यह बात सारे राष्ट्र के लिए कलङ्क एवं लज्जा की है। पं० जगतराम जिन राजनीतिक अभियोगों के लिए आजीवन-क़ैद की सज़ा काट रहे हैं ; उनसे हम भले ही सहमत न हों, और हैं भी नहीं; परन्तु हम उनकी देश-सेवा के भावों और उन भावों के कारण उनमें इतने विशाल-त्याग का अभिवादन करते हैं। हम हिंसा के उपासक नहीं, अहिंसा के कल्याणप्रद पथ में हमारा अन्ध-विश्वास है; फिर भी हम पं० जगतराम की देश-भक्ति और आदर्श-त्याग के क़ायल हैं और हमारी सम्मति में जनता का यह कर्तव्य है कि पं० जगतराम तथा उनकी भाँति अन्य अभागे राजनीतिक बन्दियों की मुक्ति के लिए प्रत्येक शिष्ट, शान्त उचित एवं अहिंसात्मक उपाय से देश-व्यापी आन्दोलन करें।

इस स्थान पर पञ्जाब-सरकार से भी हम दो आवश्यक बातें कहना अपना कर्तव्य समझते हैं। वह यह कि जेल-नियम की दृष्टि से पं० जगतराम की तत्क्षण मुक्ति केवल उचित ही नहीं, वरन् वाञ्छनीय है ; और विशेषकर उस अवस्था में, जबकि उनका आचरण जेल-नियमों के विरुद्ध नहीं रहा है। पण्डित जी का स्वास्थ्य आवश्यकता से भी अधिक ख़राब हो गया है। उनके फ़ेफड़ों में शिकायत है ; उनकी पाचन-शक्ति इतनी नष्ट हो गई है कि अब उसकी सुधार की आशा न रही। वे प्रायः बीमार रहा करते हैं। परन्तु इन सारे कष्टों पर भी उनका स्वभाव इतना मधुर एवं उनका जीवन इतना पवित्र है कि जेल के अन्य अधिकारियों के अतिरिक्त पञ्जाब प्रान्त के जेलों के इन्स्पेक्टर जनरल कर्नल बार्कर भी उनसे सदा सन्तुष्ट रहते हैं ; और यदि उनकी मुक्ति कर्नल बार्कर के व्यक्तिगत अधिकार की बात होती तो कदाचित वे कभी मुक्त हो गए होते।

इधर कुछ दिन हुए पण्डित जी के छोटे भाई और माता का देहान्त हो गया था। हाल में ही उनके पिता भी पुत्र की निराशा में इस संसार से चल बसे। अब उनके सम्बन्धियों में केवल उनकी अनाथिनी पत्नी ही शेष रह गई हैं। इस दशा में कम से कम मनुष्यता का आदेश भी यही है कि पञ्जाब-सरकार पं० जगतराम जी को शीघ्रातिशीघ्र छोड़ दे। और यदि पञ्जाब-सरकार मनुष्यता के इस करुण-आह्वान से द्रवित नहीं होती तो उसका यह पवित्र दायित्व है कि वह सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस सम्बन्ध में उचित प्रकाश डाले।

* * *

भारत में अल्स्टर का स्वप्न

मि० फ़िलिप प्राउडेन एक सीविलियन अङ्गरेज़ और संयुक्त प्रान्त में कहीं ज़िला-जज हैं। आपने लन्डन के 'सण्डे ग्रेफ़िक' नामक अख़बार में एक पत्र छपवा कर, भारत में अङ्गरेज़ी राज्य को महाप्रलय तक क़ायम रखने के लिए निहायत अच्छी युक्ति बताई है। भारत की वर्तमान राजनीतिक अवस्था तथा उसके भविष्य शासन-तन्त्र के सम्बन्ध में ब्रिटिश सीविलियनों की मनोवृत्ति का परिचय प्रदान करते हुए मि० प्राउडेन ने इस बात की आशङ्का प्रकट की है कि शायद अब यह सोने के अण्डे देने वाली चिड़िया अङ्गरेज़ों के हाथ में न रहेगी।

आपकी राय है कि हिन्दुओं पर बिलकुल विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि इनमें अधिकांश राष्ट्रीयतावादी हैं और वे अङ्गरेज़ों को फूटी आँखों भी देखना नहीं चाहते। इसलिए इस समय एकमात्र उपाय है, भारत को हिन्दू और मुस्लिम, दो भागों में विभक्त कर देना। जिस तरह आयर्लैण्ड में 'अल्स्टर' की सृष्टि करके उसका कुछ अंश अपने हाथों में रख लिया गया है, उसी तरह भारत में भी शीघ्र ही एक 'मुस्लिम-भारत' की नींव डाल देनी चाहिए। बस यही एक तरीक़ा है, जिससे भारत अङ्गरेज़ों के हाथों में रह सकता है।

इसके साथ ही 'मुस्लिम-भारत' के निर्माण का तरीक़ा भी मि० प्राउडेन ने बतला दिया है। आपकी राय है कि चूँकि कराची मुस्लिम-प्रधान स्थान है, इसलिए धीरे-धीरे बम्बई की जगह कराची को भारत का प्रधान बन्दरगाह बना देना चाहिए। क्योंकि कराची को केन्द्र बना लेने पर समस्त सिन्ध, पञ्जाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त और बलूचिस्तान मुस्लिम भारत के रूप में परिणत हो जाएगा। इसका सुन्दर और सहज परिणाम यह होगा कि ईराक़, ईरान, अरब और सीरिया आदि मुस्लिम देशों से, यहाँ के मुसलमानों का घनिष्ट सम्बन्ध हो जाएगा, और वे मज़बूत हो जायँगे तथा इसके साथ ही। हिन्दू-भारत दुर्बल हो जायगा और इस दशा में इन दो भागों में विभक्त भारत का नियन्त्रण अङ्गरेज़ों के लिए निहायत आसान हो जाएगा।

ख़ैर, मि० प्राउडेन का यह सुख-स्वप्न कभी वास्तव में परिणत होगा या नहीं, इस पर विचार करने की आवश्यता नहीं। परन्तु आपके पत्र से इस बात का पता अवश्य चल सकता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी और उनके अनुचर-वृन्द हिन्दू-मुस्लिम भेदभाव की सृष्टि के लिए क्यों इतने व्यग्र हैं। इसके साथ ही हमें इस पत्र द्वारा, मि० जिन्ना की चौदह शर्तों और सर मुहम्मद इक़बाल के मुस्लिम भारत-सम्बन्धी स्वप्न की मूल भित्ति का भी पता लग जाता है। साथ ही यह समझना भी कुछ कठिन नहीं रह जाता कि मौ० शौकतअली, सर शफ़ी और सर फ़ज़्ले हुसेन आदि क्यों पृथक निर्वाचन के लिए एड़ी-चोटी का पसीना एक कर रहे हैं।

उपरोक्त बातों के लिए हमें मि० प्राउडेन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, साथ ही आपकी बातों से भारत के राष्ट्रीयतावादी मुसलमानों को तो सावधान होना ही चाहिए, कॉङ्ग्रेस को भी हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रश्न पर ख़ूब गम्भीरता से विचार करना चाहिए। क्योंकि अगर आगामी राउण्डटेबुल कॉन्फ़्रेन्स में अखिल भारत की समवेत माँग पेश करने के लोभ में पड़, कॉन्फ़्रेन्स में साम्प्रदायिकता को प्रश्रय देकर शौकतपन्थियों के साथ किसी प्रकार का समझौता किया तो परिणाम अच्छा न होगा और मि० प्राउडेन का दिवास्वप्न एक दिन निश्चय ही सत्य में परिणत हो जायगा।

* * *

अहिंसा ही अन्तर्राष्ट्रीय अस्त्र होगी !

फ़ादर एलविन् तथा सेण्ट ऐण्ड्रयूज़ ऐसे महात्माओं में से हैं, जो भारत की कल्याण-कामना में ही अहर्निशि लगे रहते हैं, जिनके जीवन का प्रत्येक पल भारत की दरिद्रता और ग़ुलामी दूर करने तथा उसे स्वतन्त्र राष्ट्र बनाने में बीतता है। अभी-अभी जब महात्मा जी बोरसद में भ्रमण कर रहे थे, उस समय उनके साथ फ़ादर एलविन्, प० जवाहरलाल नेहरू और ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ भी थे। 'दोहद' में गत १ली जुलाई को भाषण देते हुए फ़ादर एलविन् ने अत्यन्त ओजपूर्ण शब्दों में कहा:—

"सन् १९१९ में मैं साम्राज्यवादी था। जब मैंने अमृतसर-हत्याकाण्ड के विषय में सुना तो मैंने उसका समर्थन किया। परन्तु इसके अनन्तर ऑक्सफ़र्ड में महात्मा गाँधी की पुस्तकों की प्रेरणा से मेरे भीतर एक विचित्र परिवर्तन और उथल-पुथल मचा। मेरी यह धारणा हो गई कि उस युद्ध और पाशविक शक्ति का प्रतिकार केवल 'प्रेम' ही है।

"मैं भारत के लिए इसलिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरा यह निश्चय है कि भारतवर्ष को इस ब्रिटिश साम्राज्य के बन्धन से मुक्त हो जाना चाहिए। उससे दोनों देशों का कल्याण होगा। भारतवर्ष स्वतन्त्र होकर एक विशाल राष्ट्र बन जाएगा। अमेरिका के किसी दार्शनिक ने कहा है कि ब्रिटेन वाले भारत को अपना ग़ुलाम बना कर सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। जितनी सचाई के साथ मैं अपनी स्वतन्त्रता का इच्छुक हूँ, उतनी ही सचाई से मैं भारतवर्ष की स्वतन्त्रता का पुजारी हूँ।

"मैं महात्मा गाँधी को ब्रिटिश साम्राज्य का शत्रु नहीं समझता, परन्तु उसका त्राता समझ कर उनकी पूजा करता हूँ। उन्होंने यह दिखला दिया है कि सच्चा धर्म मन्दिरों में नहीं है, वरन् संसार की सेवा में है। यदि कोई धर्म अपने अनुयायियों को किसी दूसरे देश को अपने अधीन रखने की शिक्षा देता है तो वह धर्म कदापि कहला नहीं सकता। धर्म का दूसरा नाम प्रेम है, प्रेम से बढ़ कर शक्तिशाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। आज यूरोप वाले ऐसी-ऐसी मैशीनों के आविष्कार में फँसे हुए हैं, जो एक ही क्षण में शहर का शहर तथा समूह के समूह आदमियों को धूल में मिला दे। इस महान आपत्ति से बचने का एक ही रास्ता है और वह है राजनीति में धर्म और प्रेम का प्रवेश। अपने झगड़ों को तय करने के लिए महात्मा जी ने हमें यह एक अन्तर्राष्ट्रीय अस्त्र प्रदान किया है।

"चर्ख़ा को पुनरुज्जीवित कर महात्मा जी ने संसार का बड़ा कल्याण किया है! चर्ख़ा ही ऐसी चीज़ है, जिससे भारतवर्ष के करोड़ों कङ्गाल और दरिद्रों की रोटी का प्रश्न हल होगा! सरदार वल्लभभाई पटेल ने मुझसे एक बार कहा था, कि चर्ख़ा के प्रवेश करते ही घर में ताड़ी और शराब की बोतलें घुसने नहीं पातीं! ठीक जैसे ईसाइयों को क्रॉस का अर्थ त्याग और सेवा है, उसी प्रकार चर्ख़ा भी सेवा और त्याग का द्योतक है। यह धनी और ग़रीब तथा एक जाति को दूसरी जाति से मिला देता है। गाँधी जी दरिद्रों और किसानों के लिए स्वराज्य चाहते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने जितनी सेवा भारतवर्ष की पिछले १५० साल में की है, उससे कहीं अधिक गाँधी जी ने केवल १० वर्षों में की है।"

* * *



क्षमा

[श्री० कन्हैयालाल जी टण्डन]

पास पहुँच कर जयरामसिंह ने सलाम करते हुए कहा—गुड ईवनिङ्ग सर !

"गुड ईवनिङ्ग ठाकुर ।"—कॉलेज के प्रिन्सिपल साहब ने बेत की कुर्सी पर उसको बैठने के लिए इशारा करते हुए कहा—"तुम्हारी याद ही कर रहा था कि तुम समय पर आ गए ।"

प्रिन्सिपल साहब टेनिस खेल कर सुस्ता रहे थे। उनके एक हाथ में रैकेट था और दूसरे में फूल थे। उनकी मेम भी पास ही बैठी थीं।

प्रिन्सिपल साहब ने बातचीत शुरू करने के लिए जयरामसिंह की तरफ़ देखा। वह अभी तक खड़ा ही था।

"बैठ जाओ ठाकुर, तुम्हारे अनुभव सुन कर मैं बहुत प्रसन्न हूँगा ।"—प्रिन्सिपल ने बुज़ुर्गाना लहजे में कहा।

मेम साहिबा जो पास ही बैठी थीं, उन्होंने पूछा—यदि मेरी उपस्थिति से आप लोगों की बातों में विघ्न पड़ने की सम्भावना हो तो मैं चली जाऊँ।

"नहीं मैडम"—जयराम ने जवाब दिया—"आपके बैठे रहने से मेरा भला ही है ।"

मेम ने अपने पति की ओर दृष्टि फेरी। साहब ने सिगरेट निकालते हुए कहा—"बैठो रहो प्रिये, ठाकुर बड़ी उपयोगी बातें बताएगा ।" सिगरेट जला कर साहब ने जयराम को सङ्केत किया।

जयरामसिंह ने अपने कॉलेज छोड़ने के समय के मनोभाव, उसके बाद के कार्य, गिरफ़्तारी और सज़ा इत्यादि का सारा हाल संक्षेप में सुना दिया।

"ओ, आई सी, तुम भी ऑर्डिनेन्स के अनुसार बन्दी बनाए गए थे ?"—साहब ने अचरज भरे स्वर में कहा—"मैंने तो सुना था कि तुम नमक बनाते थे ।"

मेम साहिबा न जानें क्या सोच रही थीं, उन्होंने टोंक कर पूछा—तो तुम लोगों ने सफ़ाई नहीं पेश की ?

"नहीं मैडम"—जयराम ने पहिले मेम को उत्तर दिया—"हम लोग बिल्कुल चुप रहे। हमसे कुछ पूछा भी नहीं गया। मैजिस्ट्रेट साहब के सामने हम भेड़ों की तरह कोई २० मिनट तक खड़े रहे। बस, फ़ैसला हो गया !"

"तुमको किसी ने पहिचाना था ? कितनी गवाहियाँ हुई थीं ?"—मेम ने वकील की तरह पूछा।

"अपराध तो प्रकट ही था। इसलिए कचहरी के आचार-व्यवहार में समय नष्ट न करके मैजिस्ट्रेट ने ठीक ही किया ।"—साहब ने सिगरेट में अन्तिम दम लगा कर उसे फेंकते-फेंकते कहा—"तुमको किस दर्जे में रक्खा गया था ?"

"हमें सी क्लास मिला था। हममें से किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं की ।"—जयराम ने ज़रा सिर को ऊँचा करके कहा।

धीरे-धीरे अँधेरा हो चला था। नीलाकाश में एक-दो तारे भी निकल आए थे, इसलिए जयराम को प्रिन्सिपल साहब की पेशानी की सिकुड़न नहीं दिखाई पड़ी। वह धड़ल्ले के साथ नमक-आन्दोलन के समय के पुलीस के अत्याचारों का वर्णन कर गया और साथ ही लाठी-राज्य की निन्दा भी की।

मेम साहिबा बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रही थीं। उसके चुप हो जाने पर उन्होंने पूछा—"तुमको जेल में तो बड़ी तकलीफ़ हुई होगी। वहाँ क्या खाने को मिलता था ?" मेम के स्वर में समवेदना साफ़ झलक रही थी।

जयराम ने किञ्चित उत्साहित होकर मुस्कराते हुए कहा—"ज्वार-बाजरे की रेत मिली कच्ची-जली रोटियाँ, इमली और नमक का अधपका रसा और वनस्पति के साग। कभी-कभी काली दाल और लाल मिर्च भी मिल जाती थी।" इसके बाद उसने खटमल, मच्छर, जुएँ और गन्दगी आदि जेल के साथियों का भी ज़िक्र कर दिया। पानी की कमी का उल्लेख करना भी न भूला। परन्तु मेम की इच्छा पूरी न हुई। उन्होंने बड़ा दुःख प्रकट किया और पूरी कहानी सुनाने के लिए जयराम को किसी दूसरे दिन का निमन्त्रण देकर वह बँगले में चली गईं।

प्रिन्सिपल साहब अपना क्रोध बड़ी सफ़ाई से छुपा लेते थे और भीतर ही भीतर कुढ़ कर रह जाते थे। उन्होंने जयराम की बातों पर अपना कोई मन्तव्य नहीं प्रकट किया। इसलिए जयराम की भोली समझ ने समय को अपने अनुकूल समझा और उसने प्रिन्सिपल साहब से नम्रतापूर्वक प्रार्थना की—"मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे फिर कॉलेज में प्रवेश करने की स्वीकृति दे देंगे। क्योंकि अब समझौता हो गया है और आन्दोलन भी रुक गया है। मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करने की बड़ी अभिलाषा है, और मैं अपना समय भी नहीं खोया चाहता हूँ। मैं विज्ञान-विभाग का छात्र हूँ, बिना कॉलेज में आए और प्रयोग किए मैं कुछ भी नहीं सीख सकता। इसलिए कृपा करके मुझे आज्ञा दे दीजिए।"

"देखो ठाकुर, मुझे बड़ा दुःख होता है कि तुम्हारे जैसे होशियार और मेहनती विद्यार्थी को मुझे निराश करना पड़ रहा है। डाईरेक्टर ऑफ़ एजूकेशन का यह सरक्यूलर निकल गया है कि भद्र-अवज्ञा आन्दोलन में भाग लेने वाले किसी भी छात्र को कॉलेज में पुनः प्रविष्ट न होने दिया जाय।"—प्रिन्सिपल साहब ने बड़ी गम्भीरता से कहा।

"महाशय, मैं आपसे न्याय पाने की आशा रखता हूँ। इसीसे मैं आपके पास आया हूँ। मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है। देश-प्रेम प्रत्येक युवक में होना स्वाभाविक है और यदि कोई उच्च भाव से प्रेरित होकर कोई ग़लती भी कर दे, तो भद्र मनुष्य उसे क्षमा कर देते हैं। फिर आपतो पादरी (रेवरेंड) हैं, आपका तो इस देश के युवकों को उच्चतम शिक्षा देना प्रधान उद्देश्य है।"—जयराम ने साहब के चेहरे की तरफ़ देख कर अन्तिम वाक्य आवेगपूर्ण स्वर में कहा।

"मेरे पास तुम शनिवार को दो बजे आना ।"—यह कह कर साहब उठ कर खड़े हो गए।

जयरामसिंह भी उठ कर "वेरी वेल सर, गुडबाई सर" कह कर चला आया।

२

जिस कॉलेज में ठाकुर जयरामसिंह पढ़ता था, वह ईसाई मिशनरियों का स्थापित किया हुआ था। रेवरेण्ड बुल उसके प्रिन्सिपल थे। उनकी पत्नी श्रीमती बुल थीं तो अङ्गरेज़ माता-पिता की सन्तान, परन्तु उनका जन्म अमेरिका में हुआ था और उन्होंने शिक्षा भी वहीं पाई थी, इसलिए वह स्वतन्त्र विचार की थीं और उसी मिशन के एक गर्ल्स स्कूल में प्रधानाध्यापिका थीं। रेवरेण्ड बुल भारत में ईसाई-धर्म का प्रचार करने आए थे और भारतवासियों को ईसाई बनाने में सब उपायों का अवलम्बन करते थे, परन्तु मेम का मत भिन्न था। कोई ईसाई-मत ग्रहण करे या न करे, वह सबका समान रूप से उपकार करना चाहती थीं। मिशन का उद्देश्य उनकी समझ में जन-सेवा था।

शुक्रवार की साँझ को चाय पीकर मेम साहिबा अपने कमरे में पहुँची ही थीं कि अर्दली ने एक काग़ज़ का पुर्ज़ा लाकर उन्हें दिया। उस पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था—ठाकुर जयरामसिंह।

मेम तुरन्त उठ कर बाहर आईं और जयराम को देख कर प्रसन्नता से बोलीं—"भीतर चले आओ मिस्टर ठाकुर, तुम बड़े उपयुक्त समय पर आए। मेरा मन ऊब रहा था और मैं जी बहलाने के लिए एक उपन्यास ढूँढ़ने को थी। तुम्हारे आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई।" मेम ने मीठी और कोमल वाणी से उसका स्वागत किया।

जयराम और मेम एक मेज़ पर आमने-सामने दो कुर्सियों पर बैठ कर बातें करने लगे। मेम बड़ी उत्सुकता से पिकेटिङ्ग, करबन्दी, नमक-आन्दोलन, धरासना की चढ़ाई और शोलापुर तथा पेशावर की घटनाएँ सुनती रहीं। जेल इत्यादि विषयों पर प्रश्न पर प्रश्न करती जाती थीं। जयराम भी बड़े धैर्य और उत्साह से उन्हें उत्तर देता और समझाता जाता था।

"तुम्हारी बातों और समाचार-पत्रों के लेखों में बड़ा अन्तर है। परन्तु तो भी तुम्हारी बातें मुझे सच्ची जान पड़ती हैं। तुम्हारे चेहरे पर निष्पक्षता का भाव है।"—मेम ने अन्त में कहा।

"थैङ्क यू वेरीमच मैडम, मैंने आपसे कोई बात घटा-बढ़ा कर नहीं कही है।............आप कौन सा अख़बार पढ़ती हैं ?"—जयराम ने शङ्का दूर करने की इच्छा से पूछा।

"'पायोनियर' और 'टाइम्स ऑफ़ इण्डिया।' कभी-कभी 'स्टेट्समैन' भी पढ़ लिया करती हूँ।"—मेम ने कहा।

"मैडम, इन पत्रों के सम्पादकों को भारतीय स्वतन्त्रता से तनिक भी सहानुभूति नहीं है, इसीलिए वे........"

जयराम को टोंक कर मेम साहिबा बोल उठीं—"हाँ, हाँ, यह बात स्पष्ट ही है। मैं इसे ख़ूब समझती हूँ। मिस

स्लेड से तुम कभी मिले हो ?"—मेम ने उत्सुकता से पूछा।

"नहीं मैडम, उस देवी के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे नहीं प्राप्त हुआ है।"—जयराम ने सम्मानसूचक स्वर में उत्तर दिया।

"मुझे बड़ी डाह होती है, मिस स्लेड ने ख़ूब प्रतिष्ठा पाई है। कदाचित् मैं भी........"

मेम ने अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि रेवरेण्ड बुल ने दरवाज़े पर आकर कहा—प्रिये, यदि तुम्हें फ़ुर्सत हो तो ज़रा चल कर प्यानो बजाओ। मिस्टर स्नील और मिस्टर क्रेक रीडिङ्ग रूम में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

मेम ने जयराम को बिदा कर दिया। साहब ने मेम से, दूसरे कमरे में जाते-जाते कहा—प्यारी, ऐसे मनुष्यों से ज़्यादा बातें मत किया करो। ये लोग दूसरे के विचारों को विषाक्त बनाने में बड़े चतुर होते हैं।

मेम का ध्यान दूसरी तरफ़ था। उन्होंने सुन कर भी साहब का मतलब नहीं समझा। वह तेज़ी से रीडिङ्ग रूम में चली गईं।

परन्तु आज मेसर्स क्रेक और स्नील जल्दी चले गए। क्योंकि मेम कुछ चिन्तित दिखाई पड़ती थीं। प्यानो बज रहा था, पर उसके स्वर में उतनी सरसता नहीं थी। मेम और साहब मित्रों को बँगले के फाटक तक पहुँचाने गए। लौटते समय मेम ने कहा—प्यारे, ठाकुर बड़ा सहृदय युवक है।

"उसका जादू तुम पर चल गया न ? प्रिये, वह एक विद्रोही है; कॉलेज में वह पुनः प्रवेश करना चाहता है।"—साहब ने चौकन्ना होकर कहा।

"अरे, तुम विद्रोही का क्या अर्थ करते हो ?"—मेम ने सहम कर पूछा।

"वह जेल काट चुका है; वह न्याय और क़ानून का विरोध करता है।"—साहब ने समझाया।

"यदि ऐसा था तो तुमने उसे उस दिन क्यों बुलाया था ?"—मेम ने उत्तेजित स्वर में पूछा।

"तुम बड़ी भोली हो, मेरी प्यारी, तुम्हें मालूम नहीं कि विष शक्कर में मिला कर दिया जाता है। मैं उसे कॉलेज में पुनः प्रविष्ट नहीं होने दूँगा।"—साहब ने दृढ़ शब्दों में कहा।

"तो तुम उस बेचारे को विष देना चाहते हो ?"—मेम का चेहरा लाल पड़ गया।

"हाँ, क्योंकि उसने सरकार के विरुद्ध आन्दोलन में भाग लिया, क्रान्ति मचाई, क़ानून तोड़ा, अदालत की अवहेलना की—वह विद्रोही है।"—साहब ने बड़ी नर्मी से उत्तर दिया।

मेम ने भी नरम होकर कहा—पर हम लोग तो मिश्नरी हैं, हमें राजनीति से क्या मतलब ?

"तुम बड़ी नासमझ हो प्रिये, तुम अपना अङ्गरेज़ होने का कर्त्तव्य भूल रही हो। यह ब्रिटेन का शत्रु है। भारत से हमारा साम्राज्य मिटाया चाहता है। इसने बाईबिल की शिक्षा में अड़ङ्गा लगाया, कॉलेज में पिकेटिङ्ग करवाया और हमारे व्यापार को मिटाया है। तुम्हारे भाई डिक् को कपड़े के व्यापार में क्या कम घाटा हुआ है ? और"—प्रिन्सिपल साहब ने अपने स्वर को ज़रा और धीमा कर दिया—"हम लोग इन्हें ईसाई बनाने में इतना रुपया ख़र्च करते हैं, तो केवल इसलिए कि ये भारत में हमारे साम्राज्य की नींव जमाए रक्खेंगे। और, यह पाजी अगर विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेगा, तो क्रान्ति-दल में मिल कर बहुत-कुछ अनर्थ कर डालेगा।"

मेम ज़्यादा न सुन सकीं। वह बिना कुछ कहे ही जल्दी-जल्दी अपने कमरे में चली गईं और बेचारे साहब भी कुछ खिन्न होकर अपने रीडिङ्ग रूप में जा बैठे।

कमरे के किवाड़ लगा कर मेम ने एक पीतल के क्रूस के आगे घुटने टेक दिए। उनकी आँखों में आँसू थे। वह गद्गद स्वर से कुछ प्रार्थना करने लगीं।

३

मेम अपने स्कूल में लड़कियों से बातचीत कर रही थीं और बीच-बीच में हँसती जाती थीं। आज शनिवार होने के कारण डेढ़ ही बजे छुट्टी हो गई थी। पर स्कूल की मोटर ख़राब हो जाने के कारण दूर रहने वाली लड़कियाँ अपने घर नहीं जा सकी थीं। ये सभी लड़कियाँ ऊँची कक्षाओं की थीं। वे मेम की स्वतन्त्र अमेरिकन वाणी से कभी-कभी लजा जाती थीं।

एक तेरह वर्षीया बालिका का विवाह हाल ही में हुआ था। उसने स्कूल छोड़ दिया था और अपनी सहपाठिनियों, सखियों और अध्यापिकाओं से अन्तिम बार भेंट करने आई थी। मेम उससे पूछती थीं—तुम्हारा पति कैसा है ? सुन्दर तो अवश्य होगा। वह पढ़ता क्या है ? उसकी आयु कितनी है ? क्या वह तुम्हें पसन्द है ? इत्यादि।

बेचारी बालिका गर्दन नीची किए सिकुड़ी जाती थी। किसी तरफ़ देखने का साहस नहीं कर सकती थी। उससे किसी ने ऐसे विकट प्रश्न नहीं किए थे, बेचारी क्या जवाब देती ?

मेघ

[श्री० गायत्री देवी 'विन्दु']

नहीं मेघ ! तुम-सा उपकारी अखिल विश्व में कोई अन्य,
धन्य तुम्हारा स्वार्थ-त्याग है, धन्य तुम्हारा जीवन धन्य !
निज जीवन देकर करते हो तुम औरों को जीवन-दान,
सह कर कष्ट किया करते हो अन्य जनों का तुम उत्थान !
सदा मिटा कर तुम अपने को करते औरों का दुख दूर,
नीर-सुधा बरसा कर करते मत्त-दिवाकर का मद चूर !
खो अपना अस्तित्व बुझाते, प्यासी बसुन्धरा की प्यास,
'विन्दु' जगत में तुम्हीं धन्य जो परहित करते अपना नाश !

मेम ने अपनी कलाई पर बँधी घड़ी को देखा, दो बज कर चार या पाँच मिनट हुए थे। वह बोलीं—"मुझे तीन बजे एक जगह जाना है।" यह कह कर वह चली गईं।

गर्ल्स-स्कूल से ५० गज़ की दूरी पर कॉलेज का फाटक था और उसके सामने सड़क के उस पार मेम के बङ्गले का फाटक था। फाटक के पास ही माली क्यारियों की मट्टी खोद रहा था। उससे मालूम हुआ कि साहब अभी बङ्गले में नहीं आए हैं। कॉलेज की भी छुट्टी डेढ़ ही बजे हो चुकी थी। विद्यार्थी और अध्यापक सब अपने-अपने घर चले गए थे। परन्तु साहब क्यों रह गए ? मेम को ज़रा चिन्ता सी हुई।

मेम अपने पति के कमरे के दरवाज़े पर पहुँचीं। अर्दली ने उठ कर सलाम किया और कहा—"साहब का हुक्म है कि कोई भीतर न आने पावे।" मेम ने आगे बढ़ कर किवाड़ों पर हाथ मारा, शीशों में से झाँका, पर कुछ दिखाई नहीं पड़ा; क्योंकि चिक पड़ी थी और सब खिड़कियाँ बन्द थीं।

किवाड़ों पर थपकी सुन कर साहब चिक और किवाड़ों के बीच आकर खड़े हुए। मेम को देख कर उन्होंने चटख़नी खोल दी। मेम भीतर चली गईं।

मेम को कमरे के अन्दर जाते समय बड़ा डर लगा और भीतर जाकर वहाँ का हाल देखा तो चेहरा एकदम फ़क पड़ गया। मुँह से आवाज़ न निकली और धम् से एक कुरसी पर बैठ गईं। जब मेम का चक्कर दूर हुआ तो उन्होंने साहब की तरफ़ देखा। साहब का चेहरा भी सूखा हुआ था।

"क्या बात हुई; वह मर तो नहीं गया ?"—मेम ने डरते-डरते पूछा।

जयराम फ़र्श पर पड़ा था। उसकी पसलियों के पास कोट पर साहब के बूट का निशान था और उसके मुँह से ख़ून बहा हुआ था।

"नहीं, वह बेहोश है। मैंने डॉक्टर जेक्सन को बुलाया है।"—साहब ने भर्राई हुई आवाज़ में जवाब दिया।

"यह ऐसा कैसे हुआ ?"—मेम ने धीमी, परन्तु उत्सुकतापूर्ण वाणी से पूछा—"तुमने यह क्या अनर्थ कर डाला ?"

"क्या बताऊँ ?"—साहब ने नीची गर्दन किए हुए कहा—"मैं इसे समझाता था कि ईसाई-धर्म ग्रहण कर ले, तो मैं फिर इसे कॉलेज में भरती कर लूँ और छात्र-वृत्ति भी दिला दूँ। इस पर यह नाराज़ हो गया और बोला—'मैं अच्छी तरह जान गया हूँ कि अङ्गरेज़ कैसे स्वार्थी होते हैं। क्या तुम समझते हो कि मैं छात्रवृत्ति के प्रलोभन में पड़ कर अपने पवित्र धर्म का परित्याग कर दूँगा ? क्या तुमने इसीलिए मुझे शनिवार को बुलाया था ?' इस पर मुझे क्रोध आ गया।" साहब हाँफने लगे—"पहिले तो मैंने उसके एक घूँसा लगाया, फिर एक लात जमाया, फिर दूसरा लात जमाया। वह ज़मीन पर गिर गया। मैं समझा, मक्कारी करता है।"

"क्रोध में आदमी की बुद्धि मारी जाती है।"—मेम ने भर्त्सनापूर्वक कहा।

साहब के होठ काँपने लगे। परन्तु अब उनमें किसी पर ग़ुस्सा करने की शक्ति नहीं रह गई थी।

"फिर क्या किया ?"—मेम ने पूछा।

"फिर...फिर...फिर अचानक टेबिल-फ़ैन उसकी छाती पर गिर गया। तब से वह बेहोश पड़ा है।"—साहब की आँखों में पश्चात्ताप नाच रहा था।

मेम—उफ़ ! उफ़ ! हाय-हाय !! तुमने अनर्थ कर डाला।

थोड़ी देर बाद डॉक्टर जेक्सन आए, और उनके उपचार से जयराम को होश आ गया।

उसे एक स्ट्रेचर पर डाल कर वे दोनों बङ्गले में ले गए। कॉलेज के सेक्रेटरी ने रास्ते में पूछा तो साहब ने कह दिया कि उसे दौरा आ गया।

दवाई पीने से उसके शरीर में कुछ उत्तेजना आ गई।

मेम ने जयराम के पास कोच पर बैठ कर उससे पूछा—तुम साहब के ऊपर मामला चलाओगे ? मैं गवाही दूँगी।

"नहीं मैडम"—उसने कहा—"मैं ग़लत रास्ते पर था, ठोकरों ने मुझे सीधा रास्ता बतलाया है।"

"क्या रास्ता बतलाया है ?"—मैडम ने घबड़ा कर पूछा। साहब सिरहाने खड़े थे। उनका मुँह सूख गया।

"आप घबड़ाइए नहीं, मेरे मन में बदला लेने का भाव नहीं है। मैं इस घटना की चर्चा भी किसी से न करूँगा।"—जयराम ने धीमे स्वर में रुक-रुक कर कहा।

"परन्तु तुम्हारी हालत बिगड़ रही है; तुम्हें चोट लग गई है। इसके बारे में अपने मित्रों और सम्बन्धियों से क्या कहोगे ?"—मेम ने समवेदना दिखाते हुए पूछा।

"कुछ कह दूँगा।"—जयराम ने रुक-रुक कर कहा।

"यह कह देना कि दौरा आ गया था।"—प्रिन्सिपल साहब बोल उठे।

यह सुन कर जयराम ने हँस दिया। परन्तु मेम का

चेहरा तमतमा उठा। उसने घृणा-भरी दृष्टि से पति की ओर देख कर कहा—चुप रहो, कायर ! क्या तुम्हें शरम नहीं आती !

४

रेवरेण्ड बुल की निष्ठुरता का उनकी पत्नी के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। जयराम को उसके घर पहुँचा कर वे बङ्गले पर लौट आईं और अपने कमरे का दरवाज़ा बन्द करके आरामकुर्सी पर लेट गईं। साहब ने कई बार पुकारा, कई बार दरवाज़ा थपथपाया और कई बार "मे आई कम इन डार्लिङ्ग" कह कर अन्दर आने की अनुमति चाही। परन्तु मेम ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वे रात भर उसी तरह लेटी हुई चिन्ता-सागर की तरङ्गों में डूबती-उतराती रहीं।

सवेरे उठीं तो उनका चेहरा मुर्झाया हुआ था। घोर मानसिक उथल-पुथल के स्पष्ट चिह्न चेहरे पर प्रकट हो रहे थे। खानसामा चाय लेकर आया, परन्तु उन्होंने इन्कार कर दिया। साहब ने कुछ बोलने की चेष्टा की, परन्तु व्यर्थ ! वे फ़ौरन् कपड़े बदल कर बाहर चली गईं और फिर बङ्गले पर वापस न आईं।

हाल में सुनने में आया है कि उन्होंने रेवरेण्ड बुल को तलाक़ देने के साथ ही ईसाई-धर्म का भी परित्याग कर दिया है और शुद्ध होकर हिन्दू बन गई हैं। दीन-दरिद्र भारतवासियों की सेवा उनका जीवन-व्रत है। वे बहुधा गैरिक वसन पहने और हाथ में एक कमण्डलु लिए छोटे-छोटे गाँवों में भ्रमण किया करती हैं। अशिक्षित ग्रामवासियों को शिक्षा देना, उन्हें सफ़ाई सिखलाना और बीमारी में उनकी दवा-दारू तथा सेवा-शुश्रूषा करना उनका प्रधान धर्म है। इसके सिवा वे अछूतोद्धार सम्बन्धी कामों में भी भाग लेती हैं। खद्दर-प्रचार और देशवासियों को महात्मा गाँधी के अहिंसात्मक आन्दोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना भी उनका काम है।

ठाकुर जयरामसिंह छाया की भाँति उनके साथ रहते हैं। उन्होंने आगे पढ़ कर डिग्री प्राप्त करने का विचार बिल्कुल छोड़ दिया है। इन लोगों ने देश के किसानों को शिक्षित बनाने की एक 'स्कीम' भी तैयार की है। गाँवों के नवयुवकों और नवयुवतियों पर इन लोगों का बड़ा प्रभाव है। गाँव-गाँव में इनके किसान-सेवक-दल तैयार हैं।

मनसिला एक छोटा-सा गाँव है। यहाँ के सभी अधिवासी किसान अथच अपढ़ तथा गँवार हैं। कई वर्षों के लगातार अवर्षण के कारण गाँव में अकाल पड़ गया है। लोग दाने-दाने को तरस रहे हैं। तिस पर से, कुछ दिन हुए, हैज़ा भी बुरी तरह फैल गया है। मानो अकाल-पीड़ित ग्रामीणों को भूख की ज्वाला से बचाने के लिए विधाता ने उन्हें इस धराधाम से उठा लेना ही उचित समझा है !

मनसिला-वासियों की विषम विपत्ति का समाचार पाकर मैडम बुल तथा जयरामसिंह कतिपय स्वयंसेवकों के साथ वहाँ पहुँच गए हैं। पीड़ितों की चिकित्सा और सेवा-शुश्रूषा का समुचित प्रबन्ध हो गया है। मैडम स्वयं घर-घर घूम कर आतुरों की सेवा कर रही हैं। स्वयंसेवक-दल भी उनकी आज्ञा के अनुसार दिन-रात रोगियों की तीमारदारी में लगा है।

इधर रेवरेण्ड बुल भी दलबल सहित गाँव वालों को पवित्र ईसाई-धर्म ग्रहण कराने के लिए पहुँच गए हैं। उन्होंने इस अवसर को ग़नीमत समझा है। क्योंकि उनका विश्वास है कि क्षुधा-पीड़ित और रोग-ग्रस्त ग्रामीण चिकित्सा और खाद्य पदार्थों के लोभ में पड़ कर बड़ी आसानी से प्रभु ईसा मसीह की शरण में आ जाएँगे।

इनके दल ने गाँव से कुछ दूर एक स्वास्थ्यकर स्थान पर अपना छोटा सा ख़ीमा खड़ा कर दिया है। बावर्ची, खानसामाँ, चूल्हा, पलङ्ग, बिस्तरा, खाद्य-सामग्री, सोडा-वाटर और शराब की बोतलें आदि किसी चीज़ की कमी नहीं। 'मत्ती रचित सुसमाचार' की हज़ारों प्रतियाँ गाँवों में वितरण कर दी गई हैं। ईसाई-धर्म की महत्ता समझाने के लिए व्याख्यानों का भी प्रबन्ध है।

रेवरेण्ड महोदय ख़ीमे के बाहर आरामकुर्सी पर लेटे सिगार पी रहे हैं। मैडम बुल और उनके स्वयंसेवकों के आने की ख़बर भी उन्हें लग चुकी है। इसलिए प्यारी पत्नी की स्मृति एक बार ताज़ी हो आई है। इसीसे वे इस समय विशेष चिन्ता-ग्रस्त मालूम पड़ते हैं।

एकाएक साहब उठे और छड़ी लेकर टहलते हुए उस स्थान की ओर चल पड़े, जहाँ मैडम बुल अपने स्वयंसेवकों के साथ एक किसान की झोपड़ी में ठहरी हुई थीं। साहब कम्पित हृदय से झोपड़ी के पास जाकर खड़े हो गए।

"कौन हैं आप, क्या चाहते हैं ?"—एक स्वयंसेवक ने विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया।

"मैं आपकी देवी जी का दर्शन करना चाहता हूँ।"—साहब ने उत्तर दिया।

"अच्छा !"—कह कर स्वयंसेवक ने झोपड़ी के अन्दर जाकर मैडम को एक अजनबी साहब के आने की ख़बर दी।

मैडम बाहर निकल आईं और सहसा पति को खड़ा देख कर क्षण भर के लिए स्तम्भित सी रह गईं। इतने में साहब ने टोपी उतार कर उनका अभिवादन किया और अत्यन्त कातर स्वर से बोले—प्रिये, क्या मुझे क्षमा कर सकती हो ? मैं अपने पूर्व-कृत पाप का प्रायश्चित्त करने को तैयार हूँ और सारा जीवन तुम्हारे साथ रह कर ग़रीबों की सेवा में बिताना चाहता हूँ।

मैडम की आँखें भर आईं। उन्होंने भर्राई हुई आवाज़ में कहा—परम पिता तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगे।

* * *

स्मृति

[श्री० विद्यावती सुशरान]

बाल्यकाल की मधुर-स्मृतियाँ,
किसको नहीं रुलाती हैं ?
धूल भरे तन को क्रीड़ाएँ,
याद न किसको आती हैं ?

❀

माता का वह प्यारा चुम्बन,
भाई-बहिनों का वह प्यार !
किसे नहीं भाता वह जीवन,
था जिसमें सब सुख का सार ?

❀

बाल्यकाल का मधुर मचलना,
उस पर माँ का करना प्यार !
बनी हुई रहती थी सबको,
गोदी का सुखकर शृङ्गार !!

❀

प्रभुवर ! दे दो पुनः मुझे तुम,
मेरा वह प्रिय शैशव-काल !
मुझको नहीं चाहिए, ले लो,
यह विकारयुत यौवन-काल !!

रजत-रज

[संग्रहकर्ता—श्री० लक्ष्मीनारायण जी अग्रवाल]

तीर के छूटने के पूर्व धनुष उससे धीरे से कहता है—"तुम्हारी स्वतन्त्रता मेरी भी स्वतन्त्रता है।"

❀

सच्चा सिपाही न जय में उन्मत्त होता है, न पराजय में साहस खोता है। पराजय में उसकी विजय होती है। वह जीत में तो लड़ाइयाँ जीतता है और हार में अपनी दुर्बलताओं को।

❀

सरिता भयभीत होकर बड़े वेग से अपने प्रियतम उदधि की ओर भागती है।

❀

अन्धकार स्वयं प्रतीत हो जाता है। उसे दीपक लेकर ढूँढ़ने की आवश्यकता नहीं होती।

❀

विनय मनुष्य को ऊपर उठाता है। गर्व मनुष्य को नीचे गिराता है।

❀

माँ-पृथिवी पर भास्कर का अत्याचार सुनते ही मेघ आ पहुँचे। उन्होंने कहा—"माँ, तू ही हमारी जन्म-दात्री है। तेरे उद्धार में यदि हमें प्राण भी विसर्जन करने पड़ें तो कोई चिन्ता नहीं।" बर्बर सूर्य को अबला पृथ्वी पर अपने द्वारा किए हुए अत्याचारों पर पश्चात्ताप हुआ। उसने अपना मुँह छिपा लिया।

❀

लुटेरों का धन्धा धनिकों की लूट का प्रतिबिम्ब है।

❀

रजनी ने दिनपति से कहा—चन्द्रमा द्वारा तुम अपना प्रेम-पत्र मेरे पास भेजते हो। मैं घास पर आँसुओं में अपना उत्तर छोड़ जाती हूँ।

❀

प्रकृति स्वतन्त्र है, क्योंकि वह नियमबद्ध है।

❀

बालक के मुख पर उसका भविष्य अङ्कित है। वृद्ध के मुख पर उसका अतीत खँचित है।

❀

मनुष्य निर्दयी होते हैं, परन्तु मानव-हृदय दयावान।

❀

अमावस्या की तामसी रात्रि के भय से चन्द्रमा आकाश में पदार्पण नहीं करता।

❀

मनुष्य के मुख-मुकुर में उसकी चित्तवृत्तियाँ झलकती हैं।

❀

सूर्य-रश्मि द्वारा नष्ट लता मेघों के अनुग्रह से नव-जीवन पा जाती है। वह झूम-झूम कर अपनी प्रसन्नता प्रकट करने लगती है। सूर्य रश्मि पुनः लता पर अपनी दृष्टि फेंकती है और उससे कहती है—आओ पुरानी बातें भूल कर हम तुम दोनों मित्रता कर लें।

लता सूर्य-रश्मि की स्वार्थपरता पर मुस्कराती है और साथ ही उसे अपना आतिथ्य प्रदान करती है।

❀

गुरु को होनहार शिष्य से अधिक स्नेह होता है।

❀



अमेरिका और ब्रिटेन की शतरञ्जी चालें

[श्री० मङ्गलदेव जी शर्मा]

क्या निकट भविष्य में फिर कोई भीषण युद्ध होने वाला है? यह प्रश्न राजनीति-शतरञ्ज के खिलाड़ियों और इन खेलों को ज़रा नज़दीक से देखने वालों को चकरा रहा है। ये तमाशाई—अन्तर्राष्ट्रीय चालबाज़ी के विचारक लोग—जैसे-जैसे इन गुत्थियों को समझने-सोचने का प्रयत्न करते हैं, वैसे ही वैसे उन्हें इन राजनीतिक खेलों की भीषणता स्पष्ट नज़र पड़ती जा रही है। संसार के दोनों गोलार्द्धों में गत महायुद्ध के उपरान्त उत्पन्न हुई परिस्थितियों ने मनुष्य-जाति के अन्दर जो अशान्ति उत्पन्न कर दी है, उसके अनेक कारण हैं; पर इस अशान्ति के सृजन और उसे स्थायी बनाने में संसार के साम्राज्यवादी राष्ट्रों का विशेष हाथ है। आज इन्हीं के पापों से संसार घोर बेकारी, मन्दी और धनाभाव से त्रस्त हो रहा है।

ये साम्राज्यवादी राष्ट्र ही हैं, जो अपनी साम्राज्य-लोलुपता और लूट-खसोट की वृत्ति के कारण परस्पर वह प्रतिस्पर्द्धा और चढ़ा-ऊपरी उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका व्यापक प्रभाव ही भूमण्डल के अन्य देशों के कष्ट का कारण हो रहा है। वास्तव में इन साम्राज्यवादी राष्ट्रों को आज वह शक्ति प्राप्त है कि अगर ये चाहें तो संसार के किसी भी छोटे-मोटे राष्ट्र को बना-बिगाड़ डालें; और यह एक प्रकट सत्य है कि, इन लोलुप देशों की चालबाज़ियों ने अपने राजनीतिक खेलों में अन्य देशों को ठीक उसी तरह इस्तेमाल किया है, जिस प्रकार बड़े-बड़े शातिर मुहरों को किया करते हैं? गत महायुद्ध से पूर्व और उसके समय में यह खेल ख़ूब खेले गए। और दुख की बात तो यह है कि आज, जब कि संसार की पिछली दो दशाब्दियों ने कई विचित्र पट-परिवर्तन देखे हैं, अनहोनी होनी की शकल में देखी है, मनुष्य जाति के सामाजिक ढाँचे में भीषण परिवर्तन हुआ है—राजनीतिक, सामूहिक, धार्मिक, नैतिक, सभी दिशाओं में दुनिया का रङ्ग बदल गया है—तब भी ये देश अपनी शतरञ्जबाज़ी से बाज़ नहीं आ रहे हैं, इनकी कटा-छनी, तना-तनी, चढ़ा-ऊपरी, पैंतरेबाज़ी, प्रतिस्पर्द्धा, कूट-राजनीति ज्यों की त्यों अपना काम कर रही हैं। इसका परिणाम क्या होगा, इसे दिखाना इस लेख का उद्देश्य नहीं है।

संसार में आज अमेरिका और ब्रिटेन दो महान राष्ट्र हैं। इनके बल-वैभव का भला क्या कहना! 'सभ्यता' की पराकाष्ठा को पहुँच चुके हैं। पराकाष्ठा की उन्नति इन्हें प्राप्त हुई है। परन्तु ये ही दो देश हैं, जिनमें एक दूसरे को मात कर देने के लिए ऐसी गहरी और भीतरी चालें चली जा रही हैं, जो उन लोगों को तो दिखाई भी नहीं पड़ सकतीं, जो राजनीतिक प्रपञ्चों को सोचने-समझने में अपने दिमाग़ को नहीं लगाते। परन्तु यह एक तथ्य है कि यह राजनीतिक गुत्थियाँ एक दिन बहुत बुरा रङ्ग लाएँगी। अभी गत महायुद्ध को डेढ़ दशाब्द (Decade) भी नहीं बीता कि राजनीतिक क्षितिज में फिर ख़ूनी बादल उठते नज़र आ रहे हैं। अगर यही अवस्था आगामी दस वर्ष तक और रही तो फिर इन बादलों के घहराने-घुमड़ने और बरस पड़ने में कोई सन्देह नहीं है। वे आसार पड़ रहे हैं, जो चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि अबकी बार का युद्ध अमेरिका और ब्रिटेन के दर्मियान होगा, और होगा ऐसा घमासान जो ईश्वर न करे, संसार को कहीं का कहीं फेंक देगा।

यह तनातनी क्यों पैदा हुई और क्यों बढ़ रही है, आइए इसके कारणों पर विचार करें। ब्रिटेन आज संसार का सबसे बलशाली साम्राज्य माना जाता है, परन्तु अमेरिका की आज वह बढ़ती हुई कला है, जो ब्रिटेन की कला को फीकी करती चली जा रही है। यद्यपि ब्रिटेन आज संसार के चौथाई भाग को अपने ख़ूँख़ार पञ्जों में जकड़े हुए है, उसका औपनिवेशिक साम्राज्य अत्यन्त विशाल और विस्तृत है, परन्तु अमेरिका धन के सम्बन्ध में आज अखिल-विश्व का कुबेर बना हुआ है। उसके मुक़ाबले में ब्रिटेन की अवस्था एक दिवालिए व्यापारी जैसी है। और भी कई कारण हैं, जिनका वर्णन आगे आ रहा है, परन्तु अमेरिका की दिन-दिन उन्नत होती हुई धन-सम्पन्नता भी इस तनातनी का मुख्य कारण है। अहम्मन्य ब्रिटेन सीधी आँखों भला इसे कैसे सहता है?

जर्मनी से लोहा लेने का क्या कारण था? उसकी यही बढ़ती हुई धन-राशि। उस पर पड़ी हुई लक्ष्मी की कृपा-दृष्टि ही ब्रिटेन की बौखलाहट और जर्मनी के नाश का कारण हुई। गत महायुद्ध सन् १९१४ ई० के मध्य में छिड़ा था, परन्तु उसके आसार भी पहले से ही दिखाई पड़ने लग गए थे। जिस प्रकार आजकल अमेरिका के साथ ब्रिटेन निरस्त्रीकरण के नाम पर उसे झाँसा-पट्टी देने का आयोजन कर रहा है, उसी प्रकार जर्मनी से भी उसने सन् १९०९ से ही खेल खेलना शुरू कर दिया था। सन् १९११ में तो जर्मनी और इङ्गलैण्ड के बीच करारी लिखा-पढ़ी चली थी; जहाज़ी-बन्धनों और जल-सेना के उपकरणों को सीमित करने के लिए चिट्ठी-पत्री के बाद मि० हॉल्डेन को अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि-दल सब बातें तय करने के लिए बर्लिन भेजा गया था, परन्तु उसका परिणाम जो कुछ हुआ, उसे सन् १९१४-१८ के पाँच साल 'तख़्त-अज़्-बाम' कह रहे हैं।

ब्रिटेन के जर्मनी से लड़ाई होने के अपने कारणों को स्पष्ट करने के लिए और अमेरिका के बढ़ते हुए वैभव का दिग्दर्शन कराने के विचार से, नीचे एक कोष्ठक दिया जाता है, जिसके आँकड़ों से हमारा कथन स्पष्ट समझ में आ जायगा :—

ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका का निर्यात

	सन् १९१३		सन् १९२७	
	निर्यात-राशि मिलियन डॉलरों में	विश्व-व्यापार का औसत	निर्यात-राशि मिलियन डॉलरों में	विश्व-व्यापार का औसत
ब्रिटेन	२,५५६	१३.९	३,५४७	११.३
अमेरिका [संयुक्त-राष्ट्र]	२,४४८	१३.३	४,७५८	१५.६
जर्मनी	२,४०३	१३.१	२,४२८	८.०

एक ही महाद्वीप के अन्दर ब्रिटेन जर्मनी को अपनी बराबरी की सफ़ में आते देख बरदाश्त न कर सका, उसने हथकण्डा खेला और जर्मनी को नीचा दिखा दिया। जिस जर्मनी के हाथों में सन् १९१३ में दुनिया की तिजारत का १३.१ फ़ीसदी हिस्सा था, सन् १९२७ ई० में उसके हाथ में वह केवल ८ फ़ीसदी रह गया। ब्रिटेन के मन की हो गई। परन्तु अमेरिका, जो सन् १९१३ में ब्रिटेन से कहीं पीछे था, सन् १९२७ में कहीं का कहीं आ पहुँचा और आज तो उसके हाथ में संसार के व्यापार का १५ सैकड़े से भी अधिक हिस्सा है और बाहर भी उसका माल बहुत जा रहा है। उधर ब्रिटेन जो सन् १९१३ में १३.९ का मालिक था, सन् १९२७ में उसके हाथ में ११.३ ही फ़ीसदी संसार का व्यापार रह गया, और आज तो—सन् १९२७ से ३० के अन्त तक—चीन, भारत और मिसर के आन्दोलनों के कारण एवं अन्य व्यापारिक पतन की वजह से—उसका व्यापार दिन-दिन दिवाले की ओर खिसक रहा है।

अमेरिका की चढ़ती कला

गत महायुद्ध के उपरान्त से अमेरिका अधिकाधिक उन्नतिगामी होता जा रहा है। दुनिया की नज़रों में वह अब संसार के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में आने लगा है। लड़ाई से पूर्व राजनीतिक जगत में उसकी इतनी पूछ न थी। वह अपनी सीमा का धनी था। संयुक्त-राष्ट्र के राजनीतिज्ञों की दृष्टि उस समय समस्त अमेरिका को एक सूत्र में बाँधने तक सीमित थी। उस समय वह स्वयं यूरोप का ऋणी राष्ट्र था। उस समय इस देश से विशेषतः अन्न और कच्चा माल विदेशों को जाया करता था। परन्तु आज का अमेरिका चन्द बरसों में ही आधी शताब्दी के उन्नति-पथ का अतिक्रमण करके संसार का आर्थिक और धन-सम्बन्धी अधिपति बन गया है। यह सच है कि ब्रिटेन का औपनिवेशिक आधिपत्य विशाल है और यह भी सत्य है कि ब्रिटिश साम्राज्य तलवार का साम्राज्य है; उसकी ख़ूँख़ार तलवार के तले सूर्य अस्त नहीं होता। साथ ही उसकी कूटनीतिक धूर्तताओं का जाल भी समस्त विश्व पर बिछा हुआ है। परन्तु अमेरिका, जिसके पास न तो इतने देश और उपनिवेश ही हैं, और न जो चालबाज़ियों में ही पारङ्गत है, जहाँ एक ओर अधिकतर आर्थिक बल का स्वामी है, वहाँ दूसरी ओर संसार में अधिकतम सैनिक और नाविक बल का भी धनी है। हाँ, वह अब ब्रिटेन के मुक़ाबले में पर-पुर्ज़े झाड़ कर अपनी आर्थिक प्रधानता को शक्ति-शालीनता के साँचे में ढालने में उसी तरह लग पड़ा है, जिस तरह युद्ध से पूर्व जर्मनी लगा हुआ था। वह अपनी नौ-सेना को ब्रिटेन के समान ही सङ्गठित करने में लगा है। आर्थिक जाल

तो वह संसार पर बिछा ही चुका है ; प्रायः सभी देश, ब्रिटेन तक, उसके क़र्ज़दार हैं। संसार की बागडोर का वह स्वामी है। सोने और काग़ज़ी सिक्के का बाज़ार उसके हाथ में है, जिधर चाहे उधर को दुनिया की मण्डी की नकेल घुमा दे।

ब्रिटिश उपनिवेशों में प्रभाव

साथ ही संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका ब्रिटिश उपनिवेशों में भी अपना प्रभाव जमाता जा रहा है। लड़ाई के बाद से ब्रिटेन के उपनिवेशों में उसने अपने दूतावास क़ायम कर दिए हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश साम्राज्य के अङ्ग हैं, परन्तु लड़ाई के परिणाम ने उनकी आँखें खोल दी हैं। वे पिछले महायुद्ध में अपनी छीछालेदर देख चुके हैं, कनाडा तो सन् १९२३ के बाद से एकदम फिरण्ट सा हो गया है। यही हाल दक्षिण अफ्रिका का है। यहाँ तक कि ब्रिटेन के इन दो प्रमुख उपनिवेशों ने अपने-अपने झण्डे भी क़ायम कर लिए हैं। राजनीतिक जगत के सामने यह बातें खुले-आम आ चुकी हैं।

यहाँ यह बात भी याद रखने की है कि अमेरिका और ब्रिटेन का समुद्री-स्वतन्त्रता का झगड़ा पुराना है—उस समय का, जबकि अमेरिका संसार का एक प्रमुख राष्ट्र न था। जे० टी० जेरल्ड नामक एक अमेरिकन ने न्यूयार्क के 'करेण्ट हिस्ट्री' नामक पत्र की १९२९ की फ़रवरी की संख्या में समुद्री-स्वतन्त्रता पर अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा था :—

"यानी जिस दिन से अमेरिकनों ने एक राष्ट्र की भाँति होश सँभाला है, उसी दिन से समुद्री-स्वतन्त्रता-सम्बन्धी ग्रेट-ब्रिटेन से हमारी चख-चख चली आ रही है।"

झगड़ा प्रशान्त महासागर के आधिपत्य का है। आजकल उस पर यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय आधिपत्य कहा जा सकता है, परन्तु ब्रिटेन उसके अधिकांश का स्वामी बनने का दावा करता है! अमेरिका अब इसे गवारा नहीं कर सकता, इसीलिए कतिपय राजनीति-शास्त्रियों का मत है कि अब की बार का घमासान प्रशान्त महासागर की छाती पर होगा, जिसमें उसके आस-पास के देशों के नष्ट हो जाने की सम्भावना है। कुछ भी हो, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया अमेरिकन प्रभाव के क़ायल हैं और यह तय है कि यदि अमेरिका और इङ्गलैण्ड में ठनी तो ये दोनों ब्रिटिश उपनिवेश अपने नामधारी 'आक़ा-ए-नामदार' ब्रिटेन का साथ न देंगे, भले ही निरपेक्ष रह जावें। क्योंकि प्रशान्त महासागर के समीपवर्ती इन देशों को पहले अपनी गुदड़ी को देख लेना पड़ेगा। कई ऑस्ट्रेलियन प्रधान नेता तो ऐसा कह भी चुके हैं। आयर्लैण्ड ग्रेट-ब्रिटेन का अङ्ग होने पर भी आज ब्रिटेन से विलग, विद्वेषी बना बैठा है और उस देश के दक्षिण भाग में अमेरिका अपने प्रभाव को बहुत पूर्व ही पुष्ट कर चुका है।

न सिर्फ़ ब्रिटिश साम्राज्यान्तर्गत, बल्कि यूरोप पर भी अमेरिका अपना सिक्का बैठाता चला जा रहा है। आधुनिक जर्मनी पर उसका बड़ा प्रभाव है। जर्मनी के प्रधान कारख़ानों को रुपए की मदद देकर अमेरिका ने उसे अपनी मुट्ठी में कर लिया है। जर्मन अङ्क-शास्त्री (Statistician) डॉ० कुकज़िन्स्की के मतानुसार सन् १९२८ में ५०-से ६० करोड़ डॉलर तक की विदेशियों की सम्पत्ति जर्मनी में लगी हुई थी, और इस मूलधन में लगभग चौथाई अमेरिका का था। अब तो यह धन-राशि और भी बढ़ गई होगी। इसका प्रभाव यहाँ तक हुआ है कि गत सन् १९२८ के सितम्बर में जेनेवा में राष्ट्र-सङ्घ का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें जर्मन चान्सलर म्यूलर ने धड़ाके के साथ कहा था—"जर्मनी हरगिज़ अमेरिका के संयुक्त-राष्ट्र के ख़िलाफ़ किसी के साथ मिल कर लड़ने को उद्यत न होगा।"

मुसोलिनी की इटली भी अमेरिका से प्रभावान्वित है। इसके कारख़ानों में भी अमेरिका का धन लगा हुआ है। जो इटली पिछले महायुद्ध में ब्रिटेन का मित्र-राष्ट्र था, जिसने इङ्गलैण्ड के पक्ष में अपनी तलवार निकाली थी, आज जब देखता है कि इङ्गलैण्ड और फ़्रान्स गुटबन्दी करके दूसरों को छकाना चाहते हैं, तो उसका 'तेवीरी' (Tevere) नामक प्रभावशाली पत्र कहता है कि:—"इटली की वैदेशिक नीति ब्रिटेन और फ़्रान्स की अपेक्षा जर्मनी, रूस और टर्की की ओर झुक सकती है।" इटली और जर्मनी ब्रिटेन से वर्सेलीज़-सन्धि के समय से ही छके बैठे हैं। अपनी साम्राज्य-परिधि बढ़ाने के लिए योंही इनके पास उपनिवेश नहीं हैं, फिर उपर्युक्त सन्धि ने तो उस पर और भी बन्धन लगा दिए हैं। कुछ राजनीतिज्ञ कहते हैं कि अमेरिका तो यूरोप के विरुद्ध उठ रहा है, लेकिन यह ग़लत है, क्योंकि यूरोप के देश तो अपनी-अपनी खिचड़ी पकाने में लगे हैं, कोई किसी का साथी नहीं। अमेरिका की असली कशमकश तो इङ्गलैण्ड के ख़िलाफ़ है।

व्यापारिक तनातनी

संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन के विद्वेष का एक कारण अमेरिका का बढ़ता हुआ व्यापार भी है। सन् १९१४ से अमेरिका इस दौड़ में भी ब्रिटेन से आगे आ रहा है। पहले ब्रिटेन का माल बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों को जाया करता था, परन्तु अब अमेरिका का निर्यात बहुत बढ़ा-चढ़ा है। सन् १९२७ ई० में जहाँ अमेरिका ने डेढ़ अरब डॉलर का माल बाहर भेजा, वहाँ ब्रिटेन का कुल ६९ करोड़ डॉलर का ही माल बाहर गया। प्रति वर्ष संयुक्त-राष्ट्र अपनी मण्डियों से भी ब्रिटिश माल को निकाल रहा है। ब्रिटेन का कच्चा और तैयार माल अब पहली मात्रा में अमेरिकन बाज़ारों में नहीं खप पाता, क्योंकि स्वदेशी माल के मुक़ाबले वह सस्ता और अच्छा नहीं होता। दक्षिण अमेरिका, जहाँ अङ्गरेज़ों का प्रभाव है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत तथा यूरोप के अन्य देशों में ब्रिटेन के मुक़ाबले में अमेरिकन औसत बढ़ोतरी पर है। ब्रिटिश साम्राज्य के भू-भागों में अमेरिका ने पूँजी लगाना भी आरम्भ कर दिया है। दक्षिण अमेरिका में, जहाँ के कारबार में अङ्गरेज़ों का रुपया अधिक लगा रहता था, वहाँ की कोठियों में अब अमेरिकन महाजनों और बैङ्कों की पूँजी फैली हुई नज़र आ रही है। आयर्लैण्ड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कुछ-कुछ भारत का भी यही हाल है। सर ऑकलेण्ड गेडीज़ नामक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ ने, जो अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत रह चुके हैं, एक सभा में, जिसके लॉर्ड बालफोर प्रधान थे और तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान-मन्त्री मि० बॉल्डविन भी उपस्थित थे, दुःख के साथ कहा था कि, ब्रिटेन के सूत्र-सञ्चालक प्रशान्त महासागर का दायित्व देकर हम लोगों को वहाँ भेज देते हैं, परन्तु हम जानते हैं, जिन कठिनाइयों का सामना हमें वहाँ करना पड़ता है। हमारा कोई उपनिवेश जब लन्दन को अपनी प्रशान्त महासागर-सम्बन्धी कठिनाई के बारे में लिखता है, तो वहाँ से सहानुभूति का उत्तर तक नहीं दिया जाता; परन्तु जब वे अमेरिकन राष्ट्र को लिखते हैं, तो वह हाथ पसार कर उनका स्वागत करता है। यही कारण है कि प्रशान्त महासागर के समीपवर्ती ब्रिटिश उपनिवेशों में अमेरिकन प्रभाव जड़ जमाता जा रहा है। अमेरिकन व्यापारियों के हौसले यहाँ तक बढ़े हुए हैं कि अमेरिकन रेलरोड सिक्योरिटी ऑनर्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन मि० जे० शेटफ़र्ड ने सन् १९२९ में कहा था—"मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जबकि आगामी चन्द सालों में ही इतिहास का सब से भयङ्कर आर्थिक युद्ध होने जा रहा है।"

और प्रश्न महज़ निर्यात की घटा-बढ़ी का ही नहीं है, अमेरिका तो बाहर जाने वाले माल क्या, अन्य अनेक धन्धों में भी ब्रिटेन को छका देना चाहता है। तेल और रबर के व्यापार की कुञ्जी अमेरिका ने अपनी जेब में डाल रक्खी है। सिनेमा की कारीगरी में वह आज सब देशों से आगे है। कच्चे माल की पैदावार, उद्योग-धन्धे, अफ़ीम, रूई, गेहूँ यहाँ तक कि साहित्य, कला और विज्ञान में भी वह ब्रिटेन के सर पर होकर निकल जाना चाहता है। उसकी रूई की पैदावार और उसके निर्यात का मुक़ाबला करने के लिए तो ब्रिटेन वालों ने 'एम्पायर कॉटन ग्रोइङ्ग एसोसिएशन' नाम की एक कम्पनी बनाई है, जिसमें गवर्नमेण्ट की ख़ास मदद है। जहाज़ी कारख़ाने अमेरिका में बहुत तरक़्क़ी कर रहे हैं। ब्रिटेन इस दस्तकारी में उसका मुक़ाबला नहीं कर सकता, इसलिए इस पर खीझ कर 'लन्दन टाइम्स' ने सन् १९२८ में लिखा था कि "यानी समस्त अमेरिका ने अपने साधन ब्रिटिश व्यापारियों के धन्धों को चौपट करने में लगा दिए हैं।"

ब्रिटेन की पैंतरेबाज़ियाँ

गत महायुद्ध के बाद से ब्रिटेन और अमेरिका को कुट्टा-छुत्ती शुरू है। यद्यपि लन्दन और न्यूयार्क की बैङ्कों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-धन्धे की अनेक दिशाओं में सहयोग कर लिया है, और कुछ देश इसे देख कर 'ऐङ्ग्लो अमेरिकन सम्पत्ति' और 'ऐङ्ग्लो-सेक्सन पूँजीवाद' से सशङ्कित हो उठे हैं, परन्तु इस 'जन्नत की हक़ीक़त' की क़लई अब समस्त संसार पर खुल गई है। 'मुँह में राम बग़ल में छुरी' वाली दुतरफ़ा नीति का भण्डाफोड़ उभय पक्ष के राजनीतिज्ञों के समय-समय के भाषणों और पत्रों के लेखों द्वारा हो ही जाता है। अमेरिकन कर्नल-हाउस ने १९१९ के जुलाई मास में राष्ट्रपति विल्सन को लिखा था कि—"इङ्गलैण्ड में आने के साथ ही मुझे तो संयुक्त-राष्ट्र के प्रति विद्वेष-भाव दिखाई पड़ रहा है। ××× दोनों देशों के सम्बन्ध ठीक उसी तरह के होते जा रहे हैं, जैसे कि लड़ाई से पेशतर इङ्गलैण्ड और जर्मनी के थे।" १९२० में, जब महायुद्ध के बाद लूटे हुए देशों का बटवारा हुआ तो इङ्गलैण्ड, ईराक़ (मेसोपोटामिया) के मोसल प्रान्त के तेल के कुओं पर दाँत गड़ा कर बैठ गया, उसका दूसरा साथी भेड़िया फ़्रान्स भी कुओं की तरफ़ लपका, लेकिन उसे धता बता दी गई। अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट्स भी चूँकि इन 'पाँच सवारों' या 'पाँच पञ्चों' में से एक था, उसकी लार भी लूट के मिट्टी के तेल पर टपक पड़ी। १९२० में इस प्रश्न तथा सेनरीमो के सवाल को लेकर स्व० लॉर्ड क़र्ज़न और अमेरिकन मन्त्री कालबी में ख़ूब लिखा-पढ़ी चली। जब दाल गलते न देखी, अमेरिका ने हाथ-पैर समेट लिए और ब्रिटेन ने सन् १९२१ में ४५ हज़ार टन की निकासी के तेल के कुओं पर अपनी बपौती की छाप लगा दी। बेचारा टर्की टापता और कराहता ही रह गया। अमेरिका ने जब देखा कि लूट का माल तो हमारे दोस्त लोग ख़ासकर ब्रिटिश ही पी गए, तो वह ख़ून का सा घूँट पीकर बैठ गया, और अपनी चहुँमुखी उन्नति में लग पड़ा।

इधर ब्रिटेन के घाघ लोगों की, अमेरिका की तरक़्क़ी और संसार भर में सुरसा की भाँति पसर बैठने की कोशिश देख, नींद हराम थी। इन्हीं दिनों, सन् १९२१ के जाड़े में, ब्रिटेन में व्यापारिक पतन आरम्भ हुआ, जो आज और भी भीषण रूप धारण कर गया है। तब सोचा गया कि अमेरिका के साथ कोई समझौता करके

उसके फैलते हुए हाथों को बाँध दिया जाय। सन् १९२१-२२ में वाशिङ्गटन में एक कॉन्फ्रेन्स इस अभिप्राय से की गई। अमेरिका को चूँकि सन्तुष्ट करना था, इसलिए ब्रिटेन ने उसे अपने से बढ़ कर सम्पत्तिशाली और निर्माणक शक्ति स्वीकार कर लिया, और इसलिए बिना युद्ध के ही अमेरिका को ब्रिटेन के मुक़ाबले में बराबर की जल-सेना का सिद्धान्त स्वीकार कर लेना पड़ा। इससे पूर्व वह जापान से एक समझौते में, अपने को बड़ी शक्ति स्वीकार करा चुका था, और इसलिए समुद्री अधिकार भी अधिक मात्रा में मनवा लिए थे। लेकिन वाशिङ्गटन-सम्मेलन में ब्रिटेन के दाँवों ने अमेरिका के इस महत्व का अपहरण कर लिया, जापान के समझौते से भी उसे हाथ धो लेने पड़े। अमेरिका मित्र भी बना लिया गया और सन्धि की जकड़बन्दी से उसके हाथ-पैर भी बाँध दिए गए !! परन्तु संसार के ग़रीब और कमज़ोर देशों का रक्त-शोषण करने वाले यह लुटेरे राष्ट्र, मज़े की बात तो यह है कि इतने बड़े मूर्ख हैं कि आपस में भी चकमेबाज़ी और भेड़ियों की सी चालाकी चले बिना नहीं रहते। अमेरिका सम्मेलन में तो चार काले अक्षर लिख बैठा, परन्तु वह उनकी क़ीमत जानता था—और जानते सब कुछ ब्रिटेन के धोखेबाज़ राजनीतिज्ञ भी थे—वह अपनी ताक़त बढ़ाता चला गया। सन् १९२३ ई० में अमेरिका ने अपने क़र्ज़ों का तक़ाज़ा किया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान-मन्त्री बॉल्डविन साहब इस सम्बन्ध में अमेरिका गए, और लौटने पर कहने लगे कि "अमेरिकन लोग अपने को बड़ा उदार समझते हैं, परन्तु हम लोगों का ऐसा ख़्याल नहीं है।" ब्रिटेन इस वक़्त अमेरिका से इसलिए मैत्री बनाए रखना चाहता था कि उसे अपने दूसरे 'दोस्त' फ़्रान्स से खटका था कि वह कहीं जर्मनी के लूटे हुए रूर प्रान्त पर क़ब्ज़ा न कर ले। इसलिए अमेरिका की मदद प्राप्त करने की ग़रज़ से सन् १९२४ में यूरोप के सम्बन्ध में एक साम्पत्तिक साझीदार की हैसियत से तसफ़िया हुआ। लेकिन इस साझे की जड़ ही बेईमानी पर आधारित थी। अतएव वह चन्द दिन में ख़त्म हो गया। १९२५ में अफ़ीम-सम्मेलन हुआ, जिसमें अमेरिकन और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों में कहा-सुनी हो गई। फल-स्वरूप प्रतिनिधि सम्मेलन से चले आए। इसके बाद सन् १९२६ ई० में, जो हाटन रिपोर्ट यूरोप के सम्बन्ध में निकली, उसने तो अमेरिकन-ब्रिटेन वैमनस्य का पर्दा ही उठा दिया। और १९२७ के नौसेना-सम्मेलन के भङ्ग होने के साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन की खुल्लमखुल्ला दुश्मनी हो गई। इन दो महाराष्ट्रों के झगड़े की जड़ इसी सम्मेलन से जमती है। अब तो साफ़ तौर पर एक-दूसरे को अङ्गुश्तनुमा किया जाने लगा। सन् १९२८ के क्षणिक सन्धि-दिवस के भाषण में अमेरिकन राष्ट्रपति कूलिज ने ऐसी ही बातें कहीं, और उनके थोड़े दिन बाद ब्रिटिश सेनापति फ़ील्ड मार्शल सर् विलियम रॉबर्टसन ने दिसम्बर में राष्ट्र-सङ्घ यूनियन के 'शान्ति-सम्मेलन' में कहा:—

"अमेरिका में आजकल जो कुछ हो रहा है, उससे साफ़ प्रकट होता है कि, वह साम्राज्यवादिता के चक्कर में पड़ कर अपनी जल-सेना को बढ़ा रहा है। अमेरिका के अफ़सर लोग अपने भाषणों में शस्त्र और सेना के सम्बन्ध में ठीक वैसे ही दावे पेश किया करते हैं, जैसे सन् १९१४ के महायुद्ध से पूर्व जर्मनी द्वारा हमको अक्सर सुनने को मिलते थे।"

फ़्रान्स से गुटबन्दी

सन् १९२१ की वाशिङ्गटन वाली कॉन्फ्रेन्स से १९२७ के आरम्भ तक ब्रिटेन अमेरिका के सामने 'सरे तसलीम ख़म' किए रहा, एक प्रकार से उसने अमेरिका को अपने से उच्चतर राष्ट्र मान लिया। इसका कारण था। सन् १९२१ के शीतकाल से ब्रिटेन में जो व्यापारिक सन्नाटा व्याप्त हुआ—वह अब भी और बढ़ी हुई शक्ल में ज्यों का त्यों है, भारत इसका बहुत बड़ा कारण है—वह बराबर जारी था, ब्रिटेन की यह अवस्था हो गई थी कि अमेरिका धड़ाधड़ उसकी हुण्डियाँ ख़रीद रहा था; उसे यह खटका हो चला था कि अमेरिका कहीं उसके मुख्य उद्योग-धन्धों को भी न हथिया बैठे। जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी के सम्बन्ध में उठा हुआ इङ्गलैण्ड-अमेरिका का झगड़ा इस तथ्य का साक्षी है। आर्थिक पतन दिवाला खिसकने की कोटि को पहुँच गया था। और इस सबका कारण था अमेरिका। अमेरिका को उसने इन्हीं सात वर्षों में कई बार चरके देने चाहे, लेकिन वह कौन कम है, ब्रिटेन के हत्थे न चढ़ा। तब ब्रिटेन साहब को अपने प्रतिद्वन्द्वी के मुक़ाबले के लिए किसी सहयोगी की आवश्यकता हुई।

१९२१ से २६ तक ब्रिटेन को बुरी तरह दिन काटने पड़े। १९२६ में ब्रिटेन में ज़बरदस्त सार्वजनिक हड़ताल हुई, लाखों मज़दूरों ने अपने-अपने काम छोड़ दिए, परन्तु यह स्ट्राइक जल्द ठण्डा पड़ गया। ब्रिटेन के सूत्र-सञ्चालकों की यह बहुत भारी विजय थी। वे अब सान्त्वना की साँस लेने लगे। अब तो उन्हें बल आ गया। इन्हीं दिनों, सन् १९२७ के आरम्भ में चीन में गृह-युद्ध आरम्भ हो गया। आत्म-रक्षा के नाम पर ब्रिटेन ने वहाँ पलटनें भेजनी आरम्भ कर दीं, आर्कस पर चढ़ाई कर दी, रूस से सन्धि तोड़ ली और फ़्रान्स के साथ नया समझौता कर लिया। यह समझौता केवल अमेरिका के भय से उसे झुकाने को किया गया। यह समझौता एक रहस्य है। चीन के झगड़े में ब्रिटेन के चढ़ दौड़ने से ऐङ्ग्लो अमेरिकन विद्वेष और भी बढ़ गया। वहाँ पहले से ही इन दोनों की तनातनी चली आ रही है।

ब्रिटेन और फ़्रान्स का यह समझौता हुआ जेनेवा कॉन्फ्रेन्स में। यह जल-सेना-सम्मेलन सन् १९२७ ई० के ग्रीष्मकाल में हुआ। सम्मेलन से फ़्रेञ्च प्रेज़िडेण्ट डूमर्ग और परराष्ट्र-सचिव मोशिए ब्रियान्द इस सम्बन्ध में मई मास में लन्दन गए। ब्रिटेन, जोकि अमेरिका से कुढ़ा बैठा था, उसने इस सम्मेलन के अधिवेशन में सवाल उठा दिया कि अमेरिका को लड़ाकू जहाज़ रखने का वह अधिकार प्राप्त न रहे, जो सन् २१ के वाशिङ्गटन वाले सम्मेलन में उसके लिए स्वीकार किया गया था। इस प्रश्न को लेकर कई दिन तक चख़-चख़ रही, परन्तु ब्रिटेन के प्रतिनिधि अपनी बात पर अड़ गए। यहाँ ब्रिटेन का खुल्लमखुल्ला प्रदर्शन हुआ। परिणाम-स्वरूप सम्मेलन भङ्ग हो गया। परन्तु ब्रिटेन ने इस अवसर को 'ख़ाली-अज़-इल्लत' न जाने दिया। वह अब तक फ़्रान्स को कभी ठण्डे हाथों और कभी ज़रा गर्म दिमाग़ से साधे हुए था, फ़्रान्स उसकी इन कार्रवाइयों को ताड़ रहा था। ब्रिटेन ने यह मौक़ा ग़नीमत समझा और फ़्रान्स के साथ जेनेवा में एक नई सन्धि कर ली। साथ ही जापान के साथ हुई वाशिङ्गटन वाली सन्धि को दुहरा लिया गया। रह गया इटली, सो उससे इन दिनों वह अच्छा रब्त-ज़ब्त बनाए हुए था। इस दिन से ब्रिटेन और फ़्रान्स एक होकर काम करने लगे। जर्मनी, सोवियट रूस और अमेरिका आदि पहेलियों को इन दोनों ने इकट्ठे बैठ कर सोचा और हल करना आरम्भ किया।

इस समझौतेबाज़ी ने दुनिया के सामने एक नई राजनीतिक गुत्थी फेंक दी है। इस समझौते के बाद ही लन्दन के 'नेशन' ने लिखा कि अमेरिका ब्रिटेन का नया दुश्मन पैदा हो गया। फ़्रान्स भी अब तो ब्रिटेन के सुर में बोलने लगा। फ़्रेञ्च जलसेना-सचिव मोशिए लेग्स ने जुलाई, १९२८ की एक स्पीच में कहा कि—

"ब्रिटेन दुनिया भर में सब से अधिक जल-सेना रख सकने का हर हालत में मुस्तहक़ है। उसके मुक़ाबले कोई देश जल-सेना नहीं रख सकता। वह अमेरिका के लड़ाकू-बेड़े से भी अधिक जल-सेना रख सकता है।"

शतरञ्ज की यह चालें यहीं ख़त्म नहीं होतीं। फ़्रान्स और जापान से समझौता कर लेने के बाद बराबर कहा जाता रहा है कि समझौता ख़त्म हो चुका है। लेकिन इस कथन के साथ ही साथ ब्रिटेन और फ़्रान्स के पत्रों और राजनीतिज्ञों के लेखों और भाषणों से एङ्ग्लो-अमेरिकन विद्वेष पूर्णतया भाषित होता रहा है। स्थानाभाव से हम यहाँ उन उद्धरणों को नहीं दे रहे हैं। राजनीतिक चालबाज़ियों की इस समस्त शृङ्खला पर विचार करने से पता चलेगा कि दुनिया इस समय दो भागों में विभाजित दिखाई दे रही है और उनसे विद्वेष की बू आ रही है। एक पार्श्व में ब्रिटेन, फ़्रान्स और जापान अपने लवाज़िमे (आश्रित राष्ट्रों आदि) के साथ खड़े हैं, दूसरे पार्श्व में अमेरिका का संयुक्त-राष्ट्र अपने सरञ्जाम के साथ खड़ा है। लेकिन अभी यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका का साथ कौन-कौन देश देंगे। संयुक्त-राष्ट्र के समक्ष एक कठिनाई यह भी है कि अमेरिका दो महाद्वीपों में विभाजित है, और दक्षिणी अमेरिका उसकी अधीनता को सोलहो आने स्वीकार नहीं करता। इसके अतिरिक्त वहाँ ब्रिटेन का प्रभाव भी है। संसार के इन प्रसिद्ध 'पाँच मित्रों' में रह गया इटली, सो वह भी अमेरिका की भाँति ब्रिटेन, फ़्रान्स और जापान के गँठजोड़े से मन ही मन कुढ़ रहा है।

अमेरिका के हथकण्डे

पूछा जा सकता है कि जब इस तरह एक भावी भीषण संग्राम की आग सुलग रही है, तो राष्ट्र-सङ्घ किस मर्ज़ की दवा है? और किस मर्ज़ की दवा है अमेरिका का कैलाग-पैक्ट? इस सम्बन्ध में इतना हर समय स्मरण रखना चाहिए कि इन दोनों में से कोई संस्था युद्ध का विरोध नहीं करती। कुछ शर्तों के साथ यह दोनों लड़ाई को न्याय्य ठहराते हैं। कैलाग-पैक्ट कहता है कि आत्मरक्षार्थ कोई भी राष्ट्र युद्ध ठान सकता है, लेकिन सवाल यह है कि आज तक कितने युद्ध अन्तर्राष्ट्रीय हित अथवा आत्मरक्षार्थ लड़े गए हैं? सन् १९१४ वाले युद्ध में भी तो ब्रिटेन ने अन्तर्राष्ट्रीय हित के नाम पर जर्मनी से पुरानी दुश्मनी चुकाई थी। और लीग ऑफ़ नेशन्स के १०वें और १६वें नियमों में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को सीमित संख्या में सेना का व्यवहार करने का उल्लेख है।

असल बात तो यह है कि जैसे 'साँपनाथ वैसे नागनाथ।' सबने अपने-अपने पारसापन के दिखावे के लिए कूट-नीति के पर्दे साधारण जन-समाज की आँखों के सामने टाँग रक्खे हैं। अमेरिका ने जब देखा कि लीग ऑफ़ नेशन्स तो ब्रिटेन, फ़्रान्स और जापान की चौपाल है, तो उसने भी अपने वैदेशिक मन्त्री से कैलाग-पैक्ट का संस्कार करा डाला और ठीक लीग की भाँति ही संसार में उसका प्रचार किया। अन्य राष्ट्रों को उसका सदस्य बनाया। यद्यपि ब्रिटेन और फ़्रान्स पैक्ट से सख़्त जलते हैं, फिर भी संसार के कितने ही देश उसके सदस्य हैं।

आजकल यह सवाल ज़ोरों पर उठ रहा है कि समुद्री सीमाओं और उनकी स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में एक कॉन्फ्रेन्स करके, स्थायी नियम बना दिए जायँ, ताकि हमेशा का झगड़ा चुक जाय। लेकिन इस झगड़े को चुकावे कौन? मान लीजिए कि आज यह प्रस्ताव हो कि कोई देश जल-सेना न रक्खे और न किसी को

(शेष मैटर १९वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए)

कसक

[श्री० 'माधव']

गोधूली का अञ्चल ओढ़े रजनी धीरे-धीरे वसुन्धरा के आँगन में आ रही थी। किरण अपने घरौंदों को मिटा कर लौट रही थी। उसके धूल-भरे बालों के साथ पवन खेल रहा था। भोली किरण—अल्हड़ किरण को यह पता नहीं था कि इन घरौंदों के मिटते हुए वैभव के लिए भी किसी के दिल में कभी तूफ़ान उठेगा।

किरण और रूप शैशव की सुकुमार गोद में आमोद की अठखेलियाँ करते। दिन बीतते देर नहीं लगती। एक दिन ढोरों को हाँकती हुई किरण घर आ रही थी और रूप गेंद लेकर बाहर जा रहा था। किरण ने ममत्व एवं अधिकार भरे शब्दों में रूप से पूछा—"क्यों, अब घरौंदा का खेल खेलने नहीं आते ?" रूप अपने साथियों में व्यस्त था......! किरण कुछ समझ न सकी !

× × ×

खेल के दिन ख़तम हुए। जीवन की लवङ्ग-लता पर सपनों ने डेरा डाला। किरण ने सुहाग की साड़ी पहनी। शैशव धीरे-धीरे स्मृति बनने लगा ! रूप दूर देश में पुस्तकों की फेरी किया करता ! घर-द्वार सब कुछ भूल सा गया। किरण अपनी ससुराल में रानी बन कर रहने लगी। रूप किरण की और किरण रूप की याद धीरे-धीरे भूलने लगे। काल का चक्र बड़ा विचित्र—बड़ा भयङ्कर होता है।

× × ×

सावन का महीना था; सन्ध्या का समय। रिमझिम-रिमझिम बूँदें बरस रही थीं। पगडण्डी पर कोई बड़े सुरीले स्वर में गाता जा रहा था—

"गुइयाँ प्रीति के भरम काहू से बतइयो ना,
गुइयाँ........."

बूँदें दूब की हरी मख़मली पत्तियों पर गिर-गिर कर बिखर जाती थीं। किरण खिड़की से सावन की शोभा देख रही थी। बहुत दिनों की कड़ी लू के अनन्तर आज पानी का बरसना उसे बहुत सुहावना मालूम हो रहा था। वह हृदय में एक अत्यन्त मधुर स्पर्श का अनुभव कर रही थी। बटोही अपनी धुन में मस्त गाता जा रहा था,—

"गुइयाँ प्रीति के भरम काहू से बतइयो ना,
गुइयाँ........."

आज किरण चिन्ता-सागर की तरङ्गों की चपेट में पड़ी हुई, एक विक्षिप्त की भाँति अपने अतीत की स्मृतियों के उधेड़-बुन में थी ! आज उसे रूप याद आ रहा था और उसके साथ उन अल्हड़ दिनों के घरौंदों की मीठी-मीठी स्मृतियाँ व्याकुल कर रही थीं।

× × ×

देश में भयङ्कर विप्लव मचा। रूप क्रान्तिकारी और ज़ब्त पुस्तकें बेचने के अभियोग में गिरफ़्तार कर लिया गया और उसे "शासन-तन्त्र उलटने" का अपराध लगा कर ढाई साल के एकान्त कठिन कारावास की सज़ा मिली ! रूप ने कोई सफ़ाई पेश न की।

रात को जब 'सेल' के बाहर का फाटक बन्द हो जाता और सन्तरी अपनी बन्दूकें सँभाल कर पहरा देने लगता, उस समय रूप करुणा-विगलित स्वरों में मस्त होकर गाने लगता :—

प्रीतम बसै पहाड़ पर मैं यमुना के तीर,
अब तो मिलना कठिन है पाँवन पड़ी जँजीर।

वह 'सेल' के किवाड़ के छेद से बाहर झाँक कर कभी-कभी देखता कि चाँद पृथ्वी पर अमृत बरसा रहा है। कभी-कभी वह आनन्दातिरेक में प्रेम-विभोर हो, गा-गाकर नाचने लगता :—

बीनी झीनी झीनी चदरिया.........

ढाई साल के एकान्त-वास ने रूप के जीवन में एक विचित्र परिवर्तन ला दिया। वह अर्द्ध विक्षिप्त सा कुछ का कुछ बक जाता और कुछ का कुछ गा उठता ! लोग उसे पागल समझने लगे और वह चिथड़ों से शरीर ढाँके जहाँ जी में आता, घूमा करता। जहाँ जो कुछ मिल जाता, खा लेता और जहाँ कहीं सो जाता ! बाल बढ़े हुए, शरीर धूलि-धूसरित और आँखें धँसी हुईं—पहले का रूप आज कुरूप और पागल भिखारी बन कर मारा-मारा फिरता !

× × ×

गङ्गा दशहरा का मेला था ! गङ्गा-तट पर बड़ी भीड़ थी। रूप योंही घूमता-फिरता वहाँ पहुँच गया था। लोग उसे देखते और देख कर आगे बढ़ जाते। कोई उधर ध्यान भी नहीं देता !

किरण अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा-कौतुक करती गङ्गा-स्नान कर लौट रही थी। रास्ते में रूप के कङ्गाल-वेश की ओर उसकी निगाह पड़ी। रूप ने किरण को और किरण ने रूप को आज कई वर्षों के बाद देखा। रूप ने किरण को तुरन्त पहचान लिया, परन्तु किरण को भ्रम हो रहा था। वह सोचने लगी, इसे कहीं देखा है। रूप ? नहीं ! भला यह 'रूप' कैसे हो सकता है ? वह आगे बढ़ गई। रूप उस राह में बड़ी देर तक देखता रहा। धीरे-धीरे किरण रूप की आँखों से ओझल हो गई ! रूप की प्यासी और व्याकुल आँखें थक कर लौट आईं।

× × ×

ज्योत्स्ना वसुन्धरा को अमृत से नहला रही थी। रात की दोपहरी थी। दिशाएँ शान्त और श्रान्त निस्तब्ध ! हवा ठण्ढी-ठण्ढी बह रही थी ! गङ्गा की लहरें तट से आँख-मिचौनी खेल रही थीं। रूप विचार-मग्न हो, अपने पैरों को जल में लटकाए, बैठे-बैठे कुछ गुनगुना रहा था। उसकी आँखें भरी हुईं और आवाज़ भर्राई हुई थी।

× × ×

इधर किरण का हृदय भ्रम के भार से दबा जा रहा था। उसे अपने छलकते हुए धार के भार को सँभालना कठिन हो रहा था। वह उन्मना सी घर की ओर जा रही थी। रह-रह कर उस भिखारी की याद आ जाती। मन में संशय होता, क्यों, वह रूप ही है ? नहीं, नहीं,.........!

किरण घर पहुँची। सन्ध्या ने सुनहली साड़ी पहन ली थी; प्रकृति गम्भीर थी। पक्षी अपने-अपने 'घर' लौट रहे थे। किरण के भ्रम का ज्वार उसे बहाए जा रहा था। चेहरे पर पसीने की बूँदें आ गई थीं, बाल खुले हुए अस्त-व्यस्त। हृदय में कोलाहल मचा हुआ था, दाहिनी आँख फड़क रही थी। वह ख़ाली पाँव लौटी। तारे गङ्गा के अञ्चल में अपना रूप निहार कर मुस्करा रहे थे। लहरें अपनी अकथ करुण-कहानी तट को सुनाने में व्यस्त थीं।

किरण ने तट की ओर थोड़ी दूर से देखा, कोई व्यक्ति जल में पाँव लटकाए बैठा हुआ है। वह मन ही मन कुछ गुनगुना रहा है। किरण को यह निश्चय हो गया कि हो न हो, यह रूप ही है। उसे अपनी साधना पर बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। उसने सोचा, आज सौ जन्म के पुण्य का वरदान रूप के चरणों में गिर कर—क्षमा-याचना कर—पा लूँगी। उसका हृदय उल्लास से भर रहा था, आँखें स्नेहार्द्र हो आई थीं।

अचानक गङ्गा जी में उधर एक 'छप' सी आवाज़ हुई.........! किरण के देखते-देखते वह भिखारी—उसका रूप, गङ्गा की शीतल-शान्त गोद में लीन हो गया !

* * *

अमेरिका और ब्रिटेन की शतरञ्जी चालें

(१८वें पृष्ठ का शेषांश)

समुद्री सीमाधिकार हो; फिर भी यह साम्राज्यवादी देश तो यह कह कर लड़ने का मौक़ा निकाल लेंगे कि व्यक्तिगत रूप से देशों के समुद्री-अधिकार क़ायम कर दिए जायँ, और समुद्रों को स्वतन्त्र कर दिया जाय। अवसर पड़ने पर वे अपने तिजारती जहाज़ों को लड़ाकू जहाज़ बना डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा प्रस्ताव कोई क्यों करने लगा ? प्रत्येक राष्ट्र जल-सेना और उसके अधिकार में विश्वास करता है, और इसके लिए कुछ नियम भी रखता है। लेकिन इन नियमों का मूल्य क्या, जबकि इनका पालन कराने वाली कोई केन्द्रीय अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति नहीं है। ब्रिटेन वाले लीग ऑफ़ नेशन्स की ढाल की आड़ में अपने सैन्य-बल को उत्तेजना देना चाहते हैं। मि० ब्रेल्सफ़र्ड जैसे स्वतन्त्र विचारक भी लीग की आड़ की दुहाई देते हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका के पिट्ठू कैलाग-पैक्ट के पर्दे में 'व्यक्तिगत' और 'सामूहिक' युद्ध के भेद की बात पेश कर देते हैं ? और उनके लिए 'सामूहिक' युद्ध वही होगा, जो पैक्ट के नियमों के ख़िलाफ़ जायगा। लीग और पैक्ट क्या—इनसे बहुत पूर्व बना हुआ मुनरो-सिद्धान्त (Monro Doctrine) आज इन घाघों की जेबों में पड़ा सड़ रहा है।

हमारा तात्पर्य संसार में भीतर ही भीतर सुलगने वाली विध्वंसकारी अग्नि से त्रसित और पराजित देशों को, विशेषकर अपने यहाँ के जन-साधारण को, आगाह करना है। दरअसल संसार-शान्ति का उपाय न तो लीग के हाथ में है और न अमेरिका के कैलाग-पैक्ट के। यह काग़ज़ी समझौते तब तक बिल्कुल बेकार हैं, जब तक इन साम्राज्यवादी राष्ट्रों का ध्वंस नहीं हो जाता। ये स्वार्थी तो रोज़ इसी तरह भूखे भेड़ियों की तरह लड़ते रहेंगे, और संसार को बरबाद करते रहेंगे। एक संसार-व्यापी सामूहिक सामाजिक क्रान्ति ही जगत में शान्ति और व्यवस्था की स्थापना कर सकती है।

* * *

कविता-कुञ्ज

[सम्पादक—कविवर आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव]

भारत के प्रति—

[श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव]

जग के अन्य सभी देशों में,
　　था अज्ञान-तिमिर-विस्तार,
तब तुम चमके ज्ञान-तरणि बन
　　किया जगत में प्रभा-प्रसार !
अन्ध
　　क्यों उसको सहते हो तुम,
कैसे थे प्राचीन काल में
　　अब क्यों यों रहते हो तुम ?

❀

　　बाहुओं से था कम्पित
　　किसी समय सारा संसार,
पद-पद पर कम्पित होते अब,
　　हैं विदेश-शासन का भार !
जगते-जगते नहीं जागते,
　　बोलो क्या कहते हो तुम ?
कैसे थे प्राचीन काल में
　　अब क्यों यों रहते हो तुम ?

❀

दानवीर थे तुम देते थे
　　सब जग को स्वतन्त्रता, मान
अब 'समझौता' कर कहते हो,
　　"हमको करो स्वराज्य प्रदान,"
घोर पतन है, कहो तनिक
　　किस धारा में बहते हो तुम ?
कैसे थे प्राचीन काल में
　　अब क्यों यों रहते हो तुम ?

*　　*

भारतीयता

[श्री० 'मगन']

हम 'हिन्दू' हों या 'मुस्लिम'
　　'पारसी', सिक्ख, ईसाई ;
भारत-माता के प्यारे ;
　　हम सब हैं भाई-भाई !

❀

हम पहले 'हिन्दुस्तानी'
　　हैं, फिर निज-धर्म-सनेही ।
एक ही रक्त से सबकी
　　यह निर्मित है नर-देही ।

❀

है जनक सभी का 'ईश्वर';
　　सब की माँ भारत-माता !
हों भारतीयता-प्रेमी ;
　　हम भारत-भाग्य-विधाता !

*　　*　　*

कामना

[श्री० "पलक" आज़मगढ़ी]

सच्चे बनें सभी जन, सादा सभी चलन हो ।
　सीने में कुछ न कीना, दिल में न कुछ जलन हो ॥
खद्दर को ख़ूब पहनें, नफ़रत न कुछ हमें हो ;
　हरदम रहे यह ख़्वाहिश, मरने पे भी कफ़न हो ॥
उफ़ भी कहें न मुँह से, झेलें मुसीबतों को,
　परवा न हो किसी की, बस देश की लगन हो ॥
हिम्मत नहीं है जिनमें, हिम्मत उन्हें दिलाएँ,
　बेख़ौफ़ हो वे जावें, प्यारा उन्हें वतन हो ॥
भूलें न भाइयों को, बिछुड़ों को खोज लाएँ,
　उनको गले लगाएँ अपना यही चलन हो ॥
हिन्दू लड़ें न मुस्लिम, आपस में मेल रक्खें ;
　कोशिश करें वे ऐसी बरबाद क्यों वतन हो ॥
एका-सदफ़¹ का मोती सब के सरों पे चमके,
　घर-घर में 'लाल' होवें, आबाद यह वतन हो ॥
हो जौहरे जवाहिर याँ हर जवाँ के अन्दर,
　बच्चों को लव लगे यह आज़ाद निज वतन हो ॥
श्री मालवी की माला हो हाथ में हमारे,
　मोहन का मन्त्र जप लें, 'इस मुल्क में अमन हो ।'
हर चीज़ पर लिखा हो, 'भारत में यह बनी है',
　मुहताज हो न हरगिज़ ख़ुशहाल यह वतन हो ।
दुख दूर हों हमारे, हम सब स्वराज्य पावें,
　जेलों की यातना को, करना न अब सहन हो ।
जीएँ जहाँ में जब तक, इस मुल्क के लिए हों,
　मरने पे भी इसी की हमको लगी लगन हो !

१—सीप

*　　*　　*

शङ्खनाद

[श्री० 'नटवर']

आलस्य, फूट, भय, हट विकार !
　ओ उष्ण-रक्त ! बह प्रखर धार ;
आँखें, रग, भुज निज पथ निहार ;
　वाणी ! भर ले तू शङ्खनाद ॥
कँप उठे धरातल बार-बार ;
　दिग्गज भागें चिङ्घार, हार ;
हिमवान, विन्ध्य उगलें अँगार ;
　निधि, नदी, सरोवर बहे आग ॥
अन्याय, दासता, अनाचार,
　पर-पीड़ा, डाका, लूट-मार,
सब जल-भुन कर हो छार-छार;
　कुन्दन बन चमके जय-सुहाग ॥
फिर शान्ति-सृष्टि का हो सँवार ;
　गूँजे नभ में नित प्रेम-राग ॥
ओ विजयी के उन्माद जाग
　पापिनी पराजय हार, भाग !!

*　　*　　*

उज्ज्वल-भविष्य

[श्री० 'नलिनी']

मिट जावेगा पराधीनता-तम,
　होगा स्वातन्त्र्य प्रभात !
सुखद स्वतन्त्र समीर बहेगी,
　जिससे होगा प्रमुदित गात !
स्वतन्त्रता की मञ्जु उषा का,
　होवेगा कमनीय प्रकाश !
भारत का सौभाग्य-सूर्य लख,
　सब में शुचि स्वर्गीय विकाश !
होगा—सब प्रमुदित होवेंगे,
　मिट जावेगा सब सन्ताप !
लज्जित होंगे सुरगण भी,
　लख भारत का ऐश्वर्य प्रताप !
स्वतन्त्रता की मञ्जु सुरभि से,
　सुरभित हो जावेगा देश !
भारत का स्वतन्त्र वैभव लख,
　हर्षित होगा हृदय-प्रदेश !
सुखद न्याय होगा—होवेगा
　दारुण कष्टों का अवसान !
गाएगी स्वतन्त्र शब्दों में
　भारत-कोकिल भारत-गान !
हो जावेगा शान्ति देवि का
　सुन्दर सुखद सरस साम्राज्य !
विविध भाँति के निशि-दिन होंगे
　प्रकृति सजेगी सुन्दर साज !
भारत की जय से गूँजेगी
　वसुधा, गूँजेगा आकाश !
मुखरित कर देगा गगनाङ्गण
　तीस कोटि का विजयी हास !
चहुँ दिशि सुषमा छा जावेगी
　बन जाएगी भू स्वर्ग-सदन !
बिखराएगा मञ्जु छटा फिर
　भारत बन कर नन्दन-वन !

*　　*　　*

हृदय की हूक

[श्री० "व्यथित"]

दिनोंदिन होती जाती प्रबल,
　देश पर मर मिटने की चाह !
हृदय में धधक रही ज्वाला,
　नहीं जिसकी है कोई थाह !!
देश पर प्राणाहुति देकर,
　कभी हूँगा स्वतन्त्र मैं आह !
बिना स्वातन्त्र्य न मिट सकती,
　"व्यथित" अन्तर्तम उर की दाह !!

*　　*　　*

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

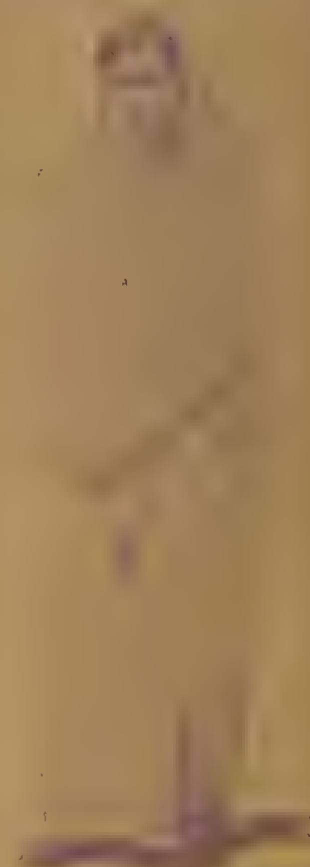


कुमारी बचुबेन लोटवाला—आप सर्व-प्रथम महिला-रत्न हैं, जिन्होंने बम्बई से निकलने वाले 'हिन्दुस्तान' नामक दैनिक पत्र का बड़ी योग्यता-पूर्वक सम्पादन किया था। माननीय मिस्टर वी० जे० पटेल के साथ आप यूरोप भ्रमण भी कर चुकी हैं। श्री० आर० बी० लोटवाला की आप कन्या-रत्न हैं।



कुर्ग प्रान्त की सर्व-प्रथम महिला—श्रीमती के० एस० थिमय्या—जिन्हें 'क़ैसरे हिन्द' नामक पदक प्रदान किया गया है।

श्रीमती शीलावती—आप रियासत हैदराबाद के श्रीमान राजा दीनदयाल मुसौवरजङ्ग के सुपौत्र बाबू हुकुमचन्द की धर्मपत्नी हैं। स्त्रियों में शिक्षा-प्रचार के लिए आप बड़े उत्साह से कार्य कर रही हैं।





रेलवे स्टेशन से बाहर आ कर महात्मा गाँधी मनी-भवन जा रहे हैं। मनी-भवन आजकल महात्मा जी के बम्बई में ठहरने का स्थान है। महात्मा जी के साथ अन्य कॉङ्ग्रेस-नेताओं के अतिरिक्त सरदार पटेल और श्री० जयरामदास दौलतराम भी हैं।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

[विस्तृत परिचय के लिए अन्यत्र प्रकाशित



मुशनगर का एक फ़क़ीर—यह मुश का मुल्ला उन तुर्कों में से एक है, जिन्होंने कुर्दों को इस बात के लिए भड़काया था कि वे आरमीनियन्स का वध करें। इसके भीख माँगने के तूँबे पर सुन्दर नक़्क़ाशी का काम हुआ है। यह लोग बड़े शान से भीख माँगते हैं।



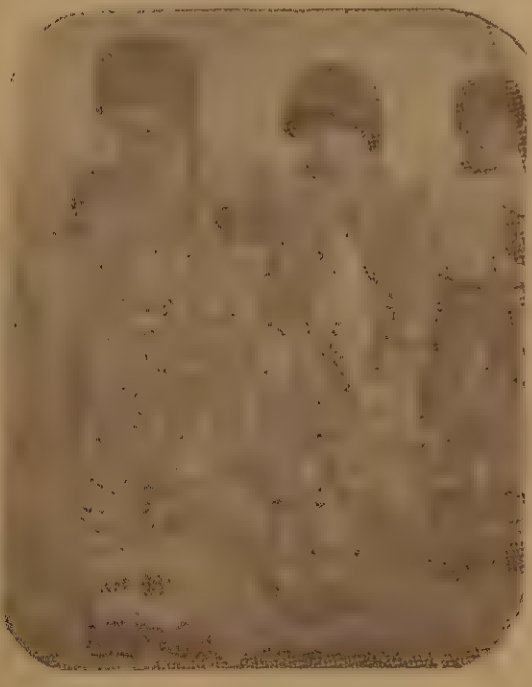
पहाड़ी आरमीनियन स्त्रियाँ—ये स्त्रियाँ कुर्दिस्तान में रहती हैं और विशेष रूपवती नहीं होतीं। यह चित्र उस समय लिया गया था, जब कि कुर्दों ने आरमीनियन्स का वध करके सारी बालिकाओं तथा स्त्रियों को, जो अत्यन्त सुन्दरी थीं, अपने अन्तःपुर में दासी बना कर रख लिया था। जो बच रही थीं, उन्हें अमेरिका की मिश्नरियों ने रक्षणार्थ अपनी शरण में ले लिया था!



निर्धन आरमीनियन बालक—यह छोटा आरमीनियन बालक 'वान' नगर में कड़ाके के जाड़े में अपने पैरों को उष्णता पहुँचाने के लिए खाद की ढेर पर खड़ा है।



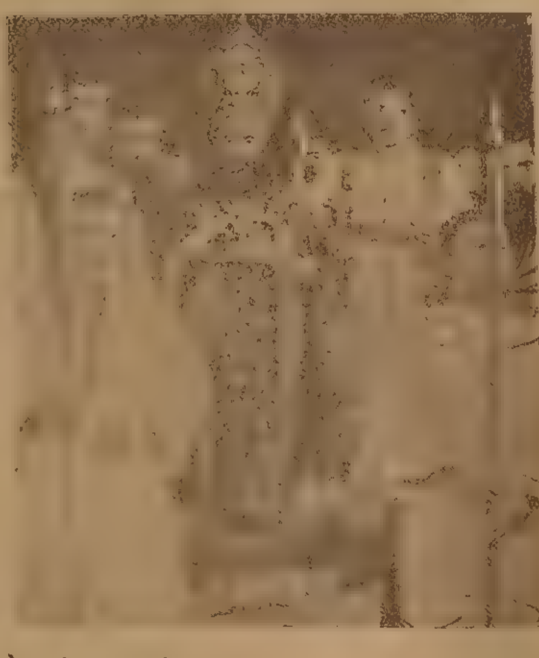
मेजर केरी—यह घुड़सवार आधुनिक आरमीनिया के सुविख्यात नेता मेजर केरी हैं, जिनका विगत महायुद्ध में देहान्त हो गया।



आर्टेमिड के तीन बाल-संरक्षक—ये छोटे बालक आर्टेमिड से वान नगर तक पैदल चल कर आए थे। ये सच्ची बन्दूक़ें माँगते थे, किन्तु सहायता देने वाले मिश्नरियों ने इन्हें केवल खाना और दो-चार कपड़े देकर टाल दिया। इन बच्चों के इस प्रकार क्रुद्ध होने तथा कष्ट सहन करने का कारण यह था कि इनमें से बहुतों के माँ-बाप मार डाले गए थे अथवा उन्होंने स्वतः आत्म-हत्या कर ली थी।



एक आरमीनियन परिवार—सहस्रों वर्ष से आरमीनिया का परिवार पितामह के कड़े शासन के अधीन रहा है। पितामह केवल आज्ञा देता है और सबको उसका पालन करना पड़ता है। उसकी अनुपस्थिति में ही ज्येष्ठ पुत्र कुछ कर सकता है। जो लड़की परिवार में विवाह करके लाई जाती है, उसे घर में दास-तुल्य होकर रहना पड़ता है।



ज़ैतून के आरमीनियन्स का बिशप, जो स्वधर्म की वेदी पर बलिदान हो गया, भूमध्यसागर के लेसर-आरमीनिया (Lesser Armenia) के प्राचीन राज्य का यह प्रतिनिधि था। इसके दश सहस्र अनुयायियों ने कई शताब्दियों तक तुर्कों का विरोध किया और ज़ैतून में सन १८७९ ई० में एक तुर्की सेना का सामना किया, जो इसको घेरे हुई थी। बीच में चोग़ा पहने खड़ा हुआ ही सुप्रसिद्ध बिशप है।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

'आरमीनिया' शीर्षक लेख देखिए]



सब से प्राचीन जातीय क्रिश्चियन चर्च का 'अभागी' नेता—यह आरमीनियन धर्मगुरु अपने देशवासियों के समान तुर्कों और बॉल्शेविकों के बीच में दब रहा है। इसकी जाति के लोग इसे धर्म तथा राजनैतिक बातों में अपना नेता समझते हैं।



आरमीनिया की बाल-पत्नी—इस भय से, कि कहीं उसे तुर्कों के अन्तःपुर में न रहना पड़े, इस आरमीनिया की बालिका का विवाह १४ वर्ष की ही अवस्था में कर दिया गया था और फिर इसे प्रोटेस्टेण्ट मिश्नरी-स्कूल में विद्याभ्यास के लिए भेजा गया। यह अपने शरीर पर जातीय आभूषण धारण किए हुए है।



गार्हस्थ्य जीवन का दृश्य—आरमीनिया के शिशु-सञ्चोपन में यही प्राचीन ढङ्ग का पालना काम आता है। बेल-बूटे कढ़े हुए कपड़े अवश्य ही इस गर्विता माता के बनाए हुए हैं, क्योंकि आरमीनिया की स्त्रियाँ बेल-बूटे काढ़ने में विख्यात हैं। बालक उत्पन्न होना माता के मान को बढ़ा देता है; क्योंकि जाति की शक्ति पुरुषों की संख्या पर निर्भर है, ऐसा इनका विश्वास है।



कुर्दिस्तान का डाकू राजा—यह सच्चा कुर्द है, जो एक छोटी सी पहाड़ी ज़मींदारी का अधिपति है। इसके पास लड़ने के लिए बहुत से मनुष्य हैं। जैसा तबीयत में आए वैसा शासन करना—चाहे जितना लूटना-पाटना, और डाकूपने का रोज़गार करना, यह इसके काम हैं। इसने आरमीनियन्स से ही बहुत भूमि छीन ली है, तथापि पर्शियन, तुर्क, मैसोपोटामिया के लोगों के कमज़ोर होते ही उन पर आक्रमण करने को यह सदा तैयार रहता है।

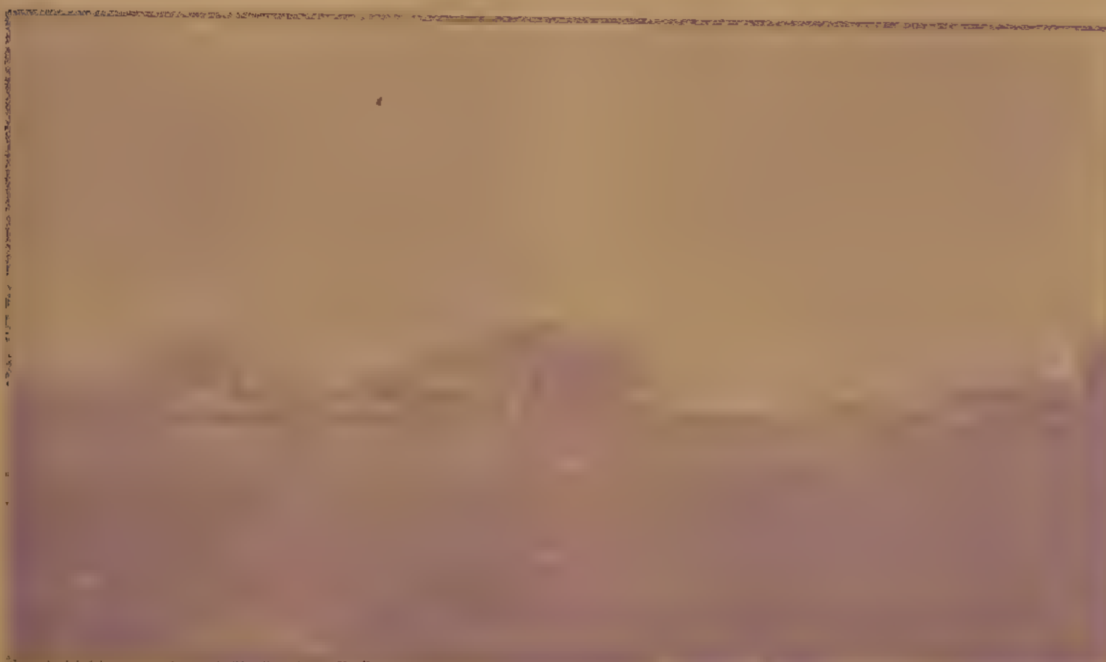


आरमीनिया के फल बेचने वाले—जो बिट्लिस नगर से निकाल दिए गए थे। ये बेचारे फल बेच कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, लेकिन शत्रुओं के भय से किसी ओर की सड़क पर बीस मिनिट से अधिक नहीं ठहरते। कुर्दों का भय इन्हें मारे डालता है।



पिशाच-पूजिका—यह अरारट पर्वत पर रहने वाली पिशाचों की पूजा करने वाली यज़ेदीज़ जाति की स्त्री है, जो ईश्वर तथा शैतान दोनों को मानती है और जल, सूर्य, सर्प, मयूर इत्यादि की भी पूजा करती है। इन लोगों में लिखना-पढ़ना सीखने की सख़्त मनाही है। ये महिलाएँ अपनी बहुत सी बातों में—अन्ध-विश्वासों में भारतीय महिलाओं से साम्य रखती हैं।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



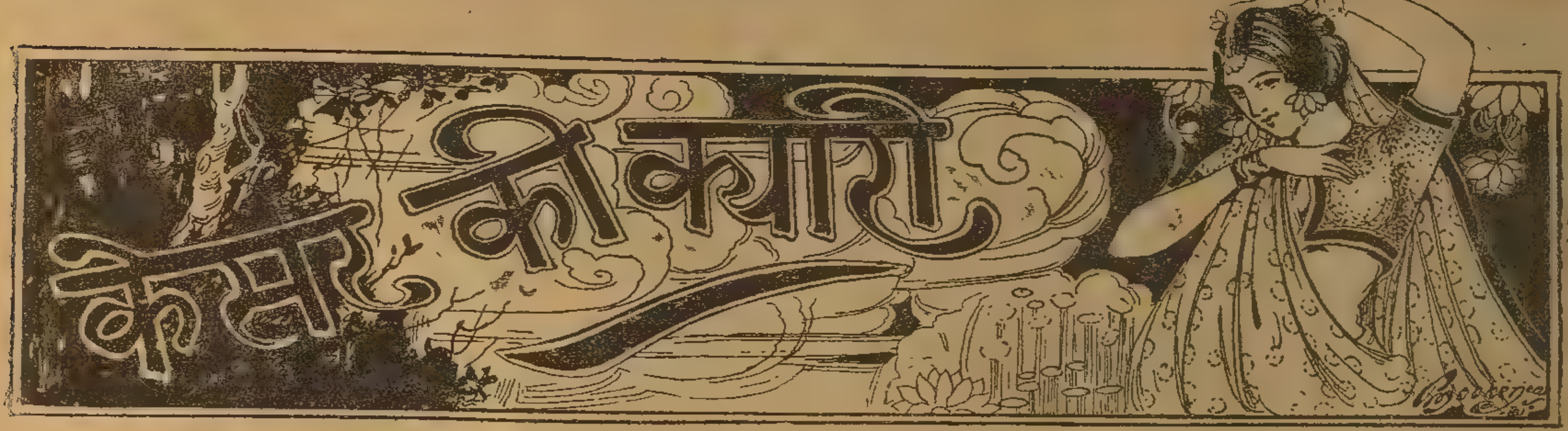
नैरोबी (दक्षिण अफ़्रिका) का सुप्रसिद्ध आर्य-समाज-मन्दिर, जिसके अधीन आर्य-समाज की अनेक शाखाएँ प्रचार-कार्य कर रही हैं।



बम्बई के महिला-ऐक्य-समिति (Women's Unity Club) की कुछ प्रमुख सदस्याएँ। इस सभा का एकमात्र उद्देश्य ज़ात-पाँत के भेद-भाव को हटा कर भिन्न जाति की महिलाओं में एकता का प्रचार करना है। श्रीमती [illegible] (बीच में खड़ी हुई) इस क्लब की अन्यतम कार्यकर्त्री हैं और यह संस्था आप ही के प्रयत्नों का प्रत्यक्ष फल है।



लन्दन की महिलाएँ आजकल फ़ौजी कार्य बड़े मनोयोग से सीख रही हैं। इस चित्र में पाठक देखेंगे कि महिलाएँ बन्दूक़ तथा राइफ़ल द्वारा निशाना लगाना सीख रही हैं। इनको फ़ौजी शिक्षा देने के लिए कई सुयोग्य फ़ौजी अफ़सरों की नियुक्ति हुई है। इस चित्र में पाठक एक शिक्षक महाशय को भी देखेंगे, जो महिलाओं को निशानेबाज़ी की शिक्षा दे रहे हैं।



ज़िन्दगी का लुत्फ़ अगर है कुछ तो मैख़ान में है, मै नहीं सागर में अमरित मेरे पैमाने में है।
इस सबब से दुहरा-दुहरा लुत्फ़ मैख़ाने में है, आपकी अँगड़ाइयों का अक्स पैमान में है।

दौरे पैहम[1] कह रहे हैं ईद मैख़ाने[2] में है,
चलती-फिरती चीज़, चलते-फिरते पैमाने में है।
बादए[3] सर जोश का आलम यह मैख़ाने में है,
मेरे, तेरे, इसके, उसके, सब के पैमाने में है।
ज़िन्दगी का लुत्फ़ अगर कुछ है तो मैख़ाने में है,
मै नहीं सागर[4] में, अमरित मेरे पैमाने में है।
अल्ला अल्ला क्या निशाते[5] तब्अ मैख़ाने में है,
दिल में पैमाना है, मेरी जान पैमाने में है।
क़ाबिले तारीफ़ यह तक़सीम मैख़ाने में है,
जितनी जिसको प्यास, उतनी उसके पैमाने में है।
फिर फ़रेबे फ़स्ले गुल[6] देने लगी मुझको शराब,
कल थी यह मीना[7] में, लेकिन आज पैमाने में है।
दे के रङ्गा रङ्ग ज़ौक़ो शौक़ को, हम क्या कहें,
मुख़तलिफ़[8] अक़साम[9] की मै[10] एक पैमाने में है
हम अगर ताख़ीर[11] से पहुँचे तो क्या तेरा क़सूर,
दे दे ऐ साक़ी यही तलछट जो पैमाने में है!
बेशो[12] कम पर बहस रिन्दों[13] को न करनी चाहिए,
एक ही शै है जो ख़ुम[14] में और पैमाने में है।
क्यों न रक्खें पीने वाले हरदम इसकी एहतियात,
जानते हैं, वह हमारी जान पैमाने में है।
हलक़ तर करने को भी साक़ी न दे शायद शराब,
क्यों कहें यह घूँट दो घूँट अपने पैमाने में है?
था कभी दिल को ख़याले शीशओ जामो[15] सुबू,[16]
मैकदा[17] का मैकदा अब मेरे पैमाने में है।
जिस क़दर साक़ी पिलाए उस क़दर पी लूँ शराब
क्या बड़े से ख़ुम में क्या छोटे से पैमाने में है।
अब्र[18] में बिजली जो चमकी तो उन्हें लुत्फ़ आ गया,
रिन्द समझे आतिशे सय्याल[19] पैमाने में है।
क्यों न हम बेख़ुद हों चश्मे[20] लुत्फ़े साक़ी देख कर,
वह है इसमें कैफ़[21] जो लबरेज़ पैमाने में है।
उम्र पीने से अगर अब है तो कमबख़्ती मेरी,
अब भी है आस्माँ पर मै भी पैमाने में है।

१—बराबर, २—शराबख़ाना, ३—शराब, ४—प्याला, ५—आनन्द, ६—वसन्त ऋतु, ७—शीशा, ८—तरह-तरह, ९—कई क़िस्म के, १०—शराब, ११—देर, १२—ज़्यादा, १३—शराबी, १४—मटका, १५—प्याला, १६—घड़ा, १७—शराबख़ाना, १८—बादल, १९—तेज़ शराब, २०—कृपादृष्टि, २१—मज़ा,

मै कहाँ शब्नम[22] कहाँ यह और शै वह और चीज़,
गुल के सागर में नहीं जो मेरे पैमाने में है।
ले लिया साक़ी से हमने देखने को रह गया,
सिर्फ़ पैमाना ही है या मै भी पैमाने में है?
किस लिए आलम को देखें दिल हम अपना देख कर,
मैकदे भर का निचोड़ इस एक पैमाने में है।
हाय यह ठण्ढी हवा यह अब्र यह रुत यह बहार,
कर चुका हूँ तोबा, नीयत फिर भी पैमाने में है।
बादए उल्फ़त से ख़ाली, कब हमारा दिल रहा,
यह बड़ी अनमोल शै अनमोल पैमाने में है।
देखिए क्या हाथ आए हम बढ़ाएँ अपने हाथ,
मै भी पैमाने में है, तोबा भी पैमाने में है।
कोई अब जाए कहाँ, साक़ी की महफ़िल छोड़ कर,
दीनो दुनिया का मज़ा जो कुछ है पैमाने में है।
"नूह" को देखा तो उनका मोजिज़ा[23] भी देख ला,
एक-एक तूफ़ान बन्द एक-एक पैमाने में है।
—"नूह" नारवी

अब न कहने में किसी के है, न समझाने में है,
यह असर दीवानगी का तेरे दीवाने में है।
पीने वालों का अजब अन्दाज़ मैख़ाने में है,
है नज़र साक़ी पर उनकी, रूह पैमाने में है।
जिस क़दर है ढूँढ़ने वाले को तेरी आरज़ू,
इस क़दर परदा भी तुझको सामने आने में है।
होश कर कुछ होश ऐ मस्ते शराबे ज़िन्दगी,
कोई क़तरा ज़हर का भी तेरे पैमाने में है।
दफ़्न होकर भी वही बाक़ी रहीं बेताबियाँ,[24]
हम समझते थे सुकूने[25] क़ल्ब मर जाने में है।
जानता हूँ मैं न देखूँगा न पाऊँगा उसे,
फिर भी रस्मन[26] कह रहा हूँ दिल के काशाने[27] में है।
लोग सुनने के लिए आते हैं, उसकी गुफ़्तगू,
झक वह मजनूँ में नहीं, जो तेरे दीवाने में है।
जिनको हँसना है वह हँस लें जिनको रोना हो वह रोएँ,
और थोड़ी देर बाक़ी मेरे मर जाने में है।
यह कहीं आता नहीं, जाता नहीं, रहता नहीं,
देखिए 'शातिर' को तो हिर-फिर के बुतख़ाने में है।
—"शातिर" इलाहाबादी

२२—ओस, २३—अद्भुत काम, २४—बेचैनी, २५—दिल को आराम, २६—रिवाज के तौर पर, २७—मन्दिर,

इस सबब से दुहरा-दुहरा लुत्फ़ मैख़ाने में है,
आपकी अँगड़ाइयों का अक्स पैमाने में है।
भीड़ रिन्दों की बहुत कुछ आज मैख़ाने में है,
कितनी शीशे में है साक़ी, कितनी पैमाने में है?
क्या बताऊँ, क्या कहूँ, क्या रङ्ग मैख़ाने में है,
दोनों आलम का समाँ एक मेरे पैमाने में है।
देर ऐ साक़ी न कर, क्या देर पैमाने में है,
बस हमीं हम हैं यहाँ, अब कौन मैख़ाने में है।
जलवए दिलकश[28] नज़र आए तो उसको देख ले,
अब भी इतना होश बाक़ी तेरे दीवाने में है।
चार-छः तिनकों ने कैसा नाम रौशन कर दिया,
बर्क़[29] मेहमाँ इनके दम से मेरे काशाने[30] में है।
जो लगाए मुँह से, होश उसको न आए उम्र भर,
किसके पैमाने में यह बात, अपने पैमाने में है।
छुट नहीं सकता कोई ज़िन्दाने-उल्फ़त[31] का असीर,
रूह मजनूँ की अभी तक क़ैद वीराने में है!
शम्आ[32] जलकर क्यों नहीं लेती ख़ुद इसका इम्तेहाँ,
उसके दम से क़ूअते परवाज़[33] परवाने में है।
पीने वाला क्यों न हो मस्ते शराबे बेख़ुदी,[34]
अक्स उन आँखों की गर्दिश का भी पैमाने में है।
रूए रौशन से हटाते हैं वह ज़ुल्फ़ें बार-बार,
चाँदनी छिटकी हुई मेरे सियहख़ाने[35] में है।
इनक़िलाबे[36] दह्र[37] का ग़म मुझको ऐ साक़ी नहीं,
गर्दिशे हफ़्त[38] आस्माँ एक तेरे पैमाने में है।
इसने दौरे हुस्न देखा था सरे बज़्मे[39] अज़ल,
है वही मस्ती जो अब तक तेरे मस्ताने में है।
यह रहे मद्दे नज़र[40] ऐ बादाख़्वारे[41] ज़िन्दगी,
नेस्ती[42] का दौर भी हस्ती[43] के पैमाने में है।
वह नहीं पीते तो रिन्द, इसको पिलाते हैं शराब,
हज़रते ज़ाहिद[44] की एक तस्वीर मैख़ाने में है।
ज़ाहिरी असबाब से इसको तआल्लुक़ कुछ नहीं,
हक़परस्ती[45] के लिए "बिस्मिल" भी बुतख़ाने में है।
—"बिस्मिल" इलाहाबादी

* * *

२८—दिल खींचने वाला, २९—बिजली, ३०—घर, ३१—प्रेम का क़ैदख़ाना, ३२—दीपक, ३३—उड़ने की ताक़त, ३४—होश में न रहना, ३५—अँधेरा घर, ३६—परिवर्तन, ३७—संसार, ३८—सात, ३९—आदि, ४०—ध्यान न रहे, ४१—शराबी, ४२—नाश, ४३—जीवन, ४४—परहेज़गार, ४५—ईश्वर को पूजना।

मणिमाला

अत्यन्त मनोरञ्जक, शिक्षा और विनोद से भरी हुई कहानियों का अनोखा संग्रह है। प्रत्येक कहानी में सामाजिक कुरीतियों का भण्डा-भोड़ बहुत अच्छे ढङ्ग से किया गया है। उन कुरीतियों से उत्पन्न होने वाले भयङ्कर अनर्थों की भी भरपूर चर्चा की गई है। एक बार अवश्य पढ़िए। मूल्य लागत-मात्र केवल ३)

मनोरञ्जक कहानियाँ

इस पुस्तक में १७ छोटी-छोटी, शिक्षाप्रद, रोचक और सुन्दर हवाई कहानियाँ संग्रह की गई हैं। कहानियों को पढ़ते ही आप आनन्द से मस्त हो जायँगे और सारी चिन्ताएँ दूर हो जायँगी। बालक-बालिकाओं के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। केवल एक कहानी उनको सुनाइए—ख़ुशी के मारे उछलने लगेंगे, और पुस्तक को पढ़े बिना कदापि न मानेंगे। मनोरञ्जन के साथ ही प्रत्येक कहानियों में शिक्षा की भी सामग्री है। शीघ्रता कीजिए, केवल थोड़ी कॉपियाँ और शेष हैं। सजिल्द पुस्तक का मूल्य १॥); स्थायी ग्राहकों से १=)

लालबुझक्कड़

जगत्प्रसिद्ध नाटककार 'मोलियर' की सर्वोत्कृष्ट रचना का यह हिन्दी अनुवाद है। नाटक आदि से अन्त तक हास्यरस से भरा हुआ है। शिक्षा और विनोद की अपूर्व सामग्री है। मनोरञ्जन के साथ ही साथ सामाजिक कुरीतियों का भी दिग्दर्शन कराया गया है। सचित्र और सजिल्द पुस्तक का मूल्य २)

समाज की चिनगारियाँ

एक अनन्त अतीत-काल से समाज के मूल में अन्ध-विश्वास, अविश्रान्त अत्याचार और कुप्रथाएँ भीषण अग्नि-ज्वालाएँ प्रज्वलित कर रही हैं और उनमें यह अभागा देश अपनी सदभिलाषाओं, अपनी सत्कामनाओं, अपनी शक्तियों, अपने धर्म और अपनी सभ्यता की आहुतियाँ दे रहा है। 'समाज की चिनगारियाँ' आपके समक्ष उसी दुर्दान्त दृश्य का एक धुँधला चित्र उपस्थित करने का प्रयास करती है। परन्तु यह धुँधला चित्र भी ऐसा दुखदायी है कि देख कर आपके नेत्र आठ-आठ आँसू बहाए बिना न रहेंगे।

पुस्तक बिल्कुल मौलिक है और उसका एक-एक शब्द सत्य को साक्षी करके लिखा गया है। भाषा इसकी ऐसी सरल, बामुहाविरा, सुललित तथा करुणा की रागिनी से परिपूर्ण है कि पढ़ते ही बनती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुस्तक की छपाई-सफ़ाई नेत्र-रञ्जक एवं समस्त कपड़े की जिल्द दर्शनीय हुई है; सजीव प्रोटेक्टिङ्ग कवर ने तो उसकी सुन्दरता में चार चाँद लगा दिए हैं। फिर भी मूल्य केवल प्रचार-दृष्टि से लागत मात्र ३) रक्खा गया है। स्थायी ग्राहकों से २।) रु०

जननी-जीवन

पुस्तक की उपयोगिता नाम ही से प्रकट है। इसके सुयोग्य लेखक ने यह पुस्तक लिख कर महिला-जाति के साथ जो उपकार किया है, वह भारतीय महिलाएँ सदा स्मरण रक्खेंगी। घर-गृहस्थी से सम्बन्ध रखने वाली प्रायः प्रत्येक बातों का वर्णन पति-पत्नी के सम्वाद-रूप में किया गया है। लेखक की इस दूरदर्शिता से पुस्तक इतनी रोचक हो गई है कि इसे एक बार उठा कर छोड़ने की इच्छा नहीं होती। पुस्तक पढ़ने से "गागर में सागर" वाली लोकोक्ति का परिचय मिलता है।

इस छोटी सी पुस्तक में कुल २० अध्याय हैं; जिनके कुछ शीर्षक ये हैं—

(१) अच्छी माता (२) आलस्य और विलासिता (३) परिश्रम (४) प्रसूतिका स्त्री का भोजन (५) आमोद-प्रमोद (६) माता और धाय (७) बच्चों को दूध पिलाना (८) दूध छुड़ाना (९) गर्भवती या भावी माता (१०) दूध के विषय में माता की सावधानी (११) मल-मूत्र के विषय में माता की जानकारी, आदि-आदि महत्वपूर्ण विषयों का सुन्दर वर्णन किया गया है। इस पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक गृहस्थ के घर में होनी चाहिए। मूल्य केवल १।)

ग्रह का फेर

यह बङ्गला के एक प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद है। लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह में असावधानी करने से जो भयङ्कर परिणाम होता है, उसका इसमें अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है। इसके अतिरिक्त यह बात भी इसमें अङ्कित की गई है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस प्रकार ठुकराई जाती हैं और उन्हें किस प्रकार ईसाई अपने चङ्गुल में फँसाते हैं। पुस्तक पढ़ने से पाठकों को जो आनन्द आता है, वह अकथनीय है। मूल्य केवल ॥।) आने! स्थायी ग्राहकों से ॥-)

छप रही है! छप रही है!!

मधुवन

हिन्दी-संसार 'कुमार' महोदय के नाम से पूर्ण परिचित है। इस छोटी सी पुस्तक में कुमार जी की वे कविताएँ संग्रहीत हैं, जिन पर हिन्दी-संसार को गर्व हो सकता है। आप यदि कल्पना का वास्तविक सौन्दर्य अनुभव करना चाहते हैं—यदि भावों की सुकुमार छवि और रचना का सङ्गीतमय प्रवाह देखना चाहते हैं, तो इस मधुवन में अवश्य विहार कीजिए। कुमार जी ने अभी तक सैकड़ों कविताएँ लिखी हैं, पर इस मधुवन में उनकी केवल २६ चुनी हुई रचनाओं ही का समावेश है, जो उनकी उत्कृष्ट काव्य-कला का परिचय देती हैं।

हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि हिन्दी-कविता में यह पुस्तक एक आदर की वस्तु है। पुस्तक बहुत ही सुन्दर दो रङ्गों में छप रही है।

मनमोदक

यह पुस्तक बालक-बालिकाओं के लिए सुन्दर खिलौना है। जैसा पुस्तक का नाम है, वैसा ही इसमें गुण भी है। इसमें लगभग ४५ मनोरञ्जक कहानियाँ और एक से एक बढ़ कर ४० हास्यप्रद चुटकुले हैं। एक बार हाथ में आने पर बच्चे इसे कभी नहीं भूल सकते। इस पुस्तक को बालकों को सुनाने से 'आम के आम गुठलियों के दाम' वाली कहावत चरितार्थ होती है। मनोरञ्जन के साथ ही ज्ञान-वृद्धि की भी भरपूर सामग्री है। एक बार अवश्य पढ़िए। सजिल्द पुस्तक का मूल्य ॥।), स्थायी ग्राहकों से ॥-)

☞ व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

भारत को अन्तर्राष्ट्रीयता का रोग

[श्री० नरसिंहराम जी शुक्ल]

गत यूरोपीय महायुद्ध ही एक प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीयता का उत्पादक माना जाता है। जब यूरोप की सारी शक्तियाँ आपस में लड़-लड़ कर शिथिल पड़ गईं, तब उन्हें भिन्न-भिन्न राष्ट्रों में प्रेम करने की सूझी। इस सूझ को हम अधिक महत्व की दृष्टि से नहीं देख सकते। उनकी यह सूझ उस आशाहृस और आरामतलब वृद्ध की सूझ के समान है, जो अपने चौथेपन में ईश्वर-भजन की आकांक्षा करता है। जब तक उसकी इन्द्रियाँ विषय-भोग के आनन्द का रसास्वादन कर सकीं; तब तक उसने तनिक भी ध्यान ईश्वर-पूजा की ओर नहीं लगाया। अब ज्योंही उसे यह मालूम हुआ कि वह इस संसार में अल्प समय का अतिथि है, तो वह दिन-रात 'राम-राम' जपने का ढोंग करता है। क्या यह सचमुच ढोंग नहीं है? इसी तरह हम यूरोप की चौथेपन में आई हुई शक्तियों द्वारा 'अन्तर्राष्ट्रीयता' का माया-जाल रचना भी ढोंग ही समझते हैं। परन्तु इस माया-जाल में भारतवर्ष बुरी तरह से फँस चुका है। उसे यह नहीं मालूम होता है कि इससे उसकी वास्तविक प्रतिष्ठा होती है या उसे निरा उल्लू फँसाया जाता है। जिन दिनों यूरोप की शक्तियाँ बल, धन, जन से परिपूरित थीं, उन दिनों उन्होंने 'कालों' पर जो भयङ्कर अत्याचार किए हैं, क्या वे भूल गए हैं? आज दिन भी वे अपनी बची-खुची ही शक्ति के बल से कालों पर कितना अत्याचार कर रही हैं।

आज दिन प्रायः सभी पाश्चात्य राष्ट्र 'अन्तर्राष्ट्रीयता' की आवाज़ को ऊँचा कर रहे हैं। पर वे उस ओर अग्रसर होने के लिए क्या करते हैं, इसे यदि आप देखें तो आपको उनका रहस्य समझ में आवे। स्वतन्त्रता देवी के प्रेमी, संसार के ग़ुलाम देशों को आज़ादी दिलाने का ढोंग रचने वाले अमेरिका के प्रान्तों में उसी बीसवीं शताब्दी की सभ्यता के युग में बेचारे हब्शियों पर कितना अत्याचार किया जाता है। हम आए दिन समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं कि बेचारे हब्शियों को मिट्टी का तेल डाल कर जला देते हैं!!! कभी उन्हें गरम-गरम लोहों के छड़ों से पीटते हैं। लाल-लाल जलते लोहे के छड़ लेकर स्त्रियों और पुरुषों की इन्द्रियों में घुसेड़ते हैं। अमानुषिकता का ऐसा भीषण ताण्डव बहुत दिन पहले का नहीं; वरन् सन् १९३० का है। उसी अमेरिका के एक प्रान्त में गत अमेरिका-यात्रा के समय संसार-प्रसिद्ध कविवर रवीन्द्र का जो अपमान हुआ था, वह सब को मालूम है। उसी अमेरिका के एक छोटे से समाचार पर—अमेरिका के अमुक सज्जन भारत के हितों के लिए एक प्रतिनिधि-मण्डल बना कर इङ्गलैण्ड जाना चाहते हैं—हम आनन्द और उल्लास के मारे उछलने लगते हैं। परन्तु अमेरिका की सहानुभूति को कोरी सहानुभूति ही समझना चाहिए। उसमें तनिक भी तत्व नहीं है। उनका व्यवहार अवश्य ही रँगे श्रृगाल की तरह हो रहा है। अभी जून के आरम्भिक सप्ताह का समाचार है कि अमेरिका के एक विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ के एक प्रोफ़ेसर को इस कारण निकाल दिया है कि उसने गत सत्याग्रह-आन्दोलन के समय बम्बई में भारतीय छात्रों के सामने एक ऐसा भाषण दिया था, जिसमें उन्हें सत्याग्रह-संग्राम में भाग लेने को उत्तेजित किया गया था। यह समाचार अन्तर्राष्ट्रीयता की माया-मरीचिका पर लुभायमान होने वालों को ठण्डे दिल से पढ़ना चाहिए। अमेरिका के एक विश्वविद्यालय के अधिकारियों की ऐसी धारणा!! फिर तो वहाँ की साधारण जनता की क्या भावनाएँ होंगी। उनकी इस धारणा के हम दो कारण समझते हैं। प्रथम कारण तो यह कि अमेरिकावासी पहले ब्रिटेन के हितू हैं तब औरों के; और दूसरे यह कि जब उनके यहाँ के एक शिक्षित समाज की यह दशा है तो उनकी 'अन्तर्राष्ट्रीयता' कोरी ढोंग है। ब्रिटिश सरकार ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पास उक्त भाषण की नक़ल और अपनी शिकायत भेजी होंगी। उसीसे उक्त प्रोफ़ेसर महोदय को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। जो कुछ हो, उस समाचार ने अमेरिका के भारत-प्रेम का सच्चा रहस्य बताया है। अमेरिका के अधिकार में पूर्वी द्वीप-समूह में स्थित फ़िलीपाइन्स द्वीप-समूह अभी तक ग़ुलामी की अवस्था में ही पड़ा है। उसे ही आज़ादी क्यों नहीं दी जाती? मिस मेयो कौन है? अमेरिका की रहने वाली। आप कहेंगे कि यदि एक अमेरिकावासी कुछ बुरा काम करे तो सारे अमेरिकावासी बुरे नहीं कहे जा सकते। दूसरी बात यह आप कह सकते हैं कि अमेरिकावासियों का उक्त पुस्तक के निकलवाने में क्या उद्देश्य हो सकता है? भारत से अमेरिका का क्या सम्बन्ध है? मिस मेयो तो अङ्गरेज़ी राज्य की दूतिनी थी! इन दोनों प्रश्नों का मैं आपको उत्तर देता हूँ। प्रथम बात यह है कि हाँडी के चावल में केवल एक चावल परखा जाता है। मिस मेयो की करतूत ने हमें सचेत कर दिया है। फिर इसके अनन्तर दूसरी बात भी है। आप यह साफ़-साफ़ नहीं कह सकते कि इसमें अमेरिकावासियों का कुछ भी हाथ न था। आपके पास उसके लिए काफ़ी प्रमाण नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं कि अमेरिका में मिस मेयो की 'मदर इण्डिया' कहीं-कहीं जलाई गई थी। मेरा जहाँ तक अनुमान है, यह आन्दोलन अमेरिका स्थित भारतीयों का उठाया हुआ था और यदि अमेरिकावासियों का आन्दोलन था तो हम उसे हिम्मत के साथ 'घड़ियाल का आँसू' कह सकते हैं। इसका प्रमाण भी है। 'मदर इण्डिया' के बहुत पहिले उसी 'मिस' ने (भयङ्कर टापू) Isles of fear नाम की एक पुस्तक उस समय लिखी जब कि फ़िलीपाइन्स वाले अपना रक्त बहा कर आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। क्या इस पुस्तक को भी किसी ब्रिटिश राजदूत ने लिखवाया था? अवश्य ही उक्त पुस्तक अमेरिका के साम्राज्यवादियों द्वारा लिखवाई गई होगी। ऐसी पुस्तकें अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अपना विशेष महत्व रखती हैं? यही नहीं, वे किसी देश-विशेष के निवासियों की—जिसके एक निवासी द्वारा लिखी गई होती हैं; मनोगत भावों को प्रकट करती हैं। इस नियम में कुछ अपवाद भी हो सकता है। जैसे डॉक्टर सण्डरलैण्ड आदि! परन्तु वे नक़ारख़ाने में तूती की आवाज़ की तरह हैं। वे वहाँ की राजनीतिक मण्डली में कोई प्रभावशाली अस्तित्व नहीं रखते। यदि लोकमत पर उनका प्रभाव ही होता अथवा अमेरिका भारत का सच्चा हितसाधक होता तो ब्रिटिश-साम्राज्यवादियों से लड़ कर 'मदर इण्डिया' को ज़ब्त कराता तथा 'इण्डिया-इन-बान्डेज' को ज़ब्त होने से बचाता, परन्तु ये दोनों बातें बिल्कुल उल्टी हुईं। उधर न तो 'इण्डिया-इन-बान्डेज' की ज़ब्ती रोकी गई और न 'मदर इण्डिया' ज़ब्त हुई। ज़ब्त होना तो दूर रहा, 'देवताओं के ग़ुलाम' नाम की उसकी दूसरी पुस्तक भी निकल गई! क्या अमेरिकावासी, जो भारत के इतने शुभचिन्तक हैं कि प्रतिनिधि-मण्डल लेकर विलायत जा रहे हैं, एक नाचीज़ औरत को ऐसी बेजा हरकतें करने से नहीं रोक सकते? एक ओर तो जब हम ऐसे समाचार पाते हैं कि मिस मेयो अपनी दूसरी पुस्तक लिख रही है और दूसरी ओर प्रतिनिधि-मण्डल की बात सुनते हैं तो हँसी आती है। आज यदि अमेरिकावासी हमारे साथ सच्ची सहानुभूति रखते हैं तो उन्हें चाहिए कि मिस मेयो को बेजा हरकत करने से रोकें। दूसरे हमारे ही समान 'काले' हब्शियों के ऊपर अत्याचार करना छोड़ दें। यह अन्तर्राष्ट्रीयता के नाम पर चली गई दुरङ्गी चाल अधिक दिन तक स्थायी नहीं रह सकती।

हाँ, एक बात तो कही ही नहीं गई कि भारत-प्रेमी अमेरिका के संयुक्त राज्य में भारतवासियों को रङ्ग-भेद के कारण जो असह्यनीय दुख भोगना पड़ता है, उसे भी अमेरिकावासी अपने भारत के प्रेम के परिचय-स्वरूप निवारण कर सकते हैं। भारतीयों के ऊपर जो वहाँ जाने में अनेक बाधाएँ डाली जाती हैं, उसे भी दूर कर सकते हैं! फिर उसे अभी तक क्यों नहीं दूर किया गया?

आजकल भारत और जर्मनी में तथा भारत और रूस में कुछ प्रेम-भाव उत्पन्न हो रहा है। हमें इस बात का विचार करना होगा कि आया उनका यह प्रेम भारत को दुखी देख कर उत्पन्न हुआ अथवा यह ब्रिटिश राज्य से मनोमालिन्य के कारण हुआ है। आप इस प्रश्न के पहिले पहलू पर विचार करें।

भारतवर्ष अङ्गरेज़ों के हाथ में आज प्रायः डेढ़ सौ बरसों से है। उसका भारत पर अत्याचार कुछ नया नहीं है। उनके अत्याचारों की कहानी जर्मनी और रूस वाले अधिक दिन से जानते हैं। परन्तु उनका यह प्रेम यूरोपीय महासमर के बाद से ही इतना प्रगाढ़ित क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर कुछ कठिन नहीं है। इतिहास-वेत्ता इसे अच्छी तरह जानते हैं कि आज जर्मनी और रूस के प्रेम में कहाँ तक स्वार्थ है और कहाँ तक परमार्थ। कुछ ही दिन पहिले की बात है कि वे ही जर्मनीवासी भारतीयों को पकड़ कर नुमाइशगाहों में उन्हें एक कौतूहलपूर्ण वस्तुओं में रखते थे। एक बार लगभग दस-बारह दरिद्र भारतवासी इसी तरह जर्मनी के एक प्रदर्शिनी में भेजे गए थे। आज भारत के साथ जो उनका प्रेम है, उस प्रेम का कारण उनका व्यापारिक स्वार्थ है और दूसरा ब्रिटिश-राज्य से उनका मनोमालिन्य है, न कि भारत की दुखित अवस्था।

ऊपर जो कुछ मैंने लिखा है, उससे मेरा यह मतलब नहीं है कि भारत अन्य राष्ट्रों से प्रेम न करे। प्रेम अवश्य करे, परन्तु अन्धा होकर नहीं—आँखें खोल कर, हित-अनहित पहचान कर। इस समय अन्तर्राष्ट्रीयता के प्रेमी भारतवासी सज्जनों के विचार से अमेरिका, जर्मनी और रूस विशेषतया हमारे स्वाधीनता-संग्राम से सहानुभूति रखते हैं? परन्तु उनकी सहानुभूति से हमारा लाभ क्या हुआ है? आप कहेंगे कि इन सहानुभूतियों के कारण ब्रिटिश सरकार पर प्रभाव पड़ेगा और वह हमें झट स्वराज्य दे देगी। परन्तु कहीं आप इस विश्वास में न रहें। यह निरी मृगतृष्णा है। अभी कुछ ही दिनों की बात है कि भारत के राजनीतिक लोग इङ्गलैण्ड में भारत के विषय में 'प्रोपेगैण्डा' करने को

विशेष महत्व देते थे, परन्तु थोड़े ही दिन में उन्हें इस रहस्य का उद्घाटन हो गया। स्वर्गीय लोकमान्य तिलक, दादाभाई नौरोजी और गोखले प्रभृति सज्जन इङ्गलैण्ड में प्रचार करने को विशेष महत्व देते थे, परन्तु अब यह निर्विवाद सिद्ध हो गया है कि इनसे कुछ होने वाला नहीं है। इसी तरह यह अन्तर्राष्ट्रीयता की भी आशा विफल हो सकती है!

वे पाश्चात्य देश निवासी आज़ाद हैं, धन-धान्य से पूर्ण हैं, सुख और आनन्द की उन्हें कोई कमी नहीं है। कहीं नङ्गा प्रथा की स्थापना होती है, कहीं सुन्दर नाच-गृह बनाए जाते हैं। यह उनके लिए मन-बहलाव की सामग्रियाँ हैं। इसी तरह उनकी अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना भी है। यह तो उनके लिए मन-बहलाव की एक सामग्री है। कुछ लोगों ने उसे मन-बहलाव का साधन समझ रखा है। सभी राष्ट्र दिखाऊ रूप की निःशस्त्रीकरण के पक्ष में हैं, परन्तु सभी भीतर-भीतर हवाई जहाज़ और जल-जहाज़ बनवा रहे हैं। सभी सेना बढ़ा रहे हैं। यह परस्पर अविश्वास का ही फल है। फिर ऐसे अविश्वासी राष्ट्रों से भारत को आशा करना व्यर्थ है। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। दूसरों के आसरे रहना कायरता है! यह सोचना कि अमेरिका हमारी सहायता करेगा, रूस हमारी ओर से लड़ेगा, जर्मनी सहानुभूति दिखाएगा, केवल अपनी अज्ञानता प्रदर्शित करना है। सभी 'सफ़ेद' जातियों में यह भावना रहती है कि वे कालों से उच्च हैं। फिर बालू की भीत उठाना कहाँ तक ठीक है? परन्तु हमारे कुछ भारतवासी नेता अन्तर्राष्ट्रीयता के प्रेम में इतने पागल से रहते हैं कि कहा नहीं जा सकता। इन नेताओं में मज़दूर-दल के नेता सर्व-प्रधान हैं। वे लाल झण्डा लगाते हैं, कॉङ्ग्रेस को साम्राज्यवादी व पूँजीपतियों की संस्था कहते हैं, उसके झण्डे को हटा कर विश्व-प्रियता स्थापित करने के हेतु लाल झण्डा लगाते हैं, खद्दर और स्वदेशी-आन्दोलन को सङ्कीर्ण राष्ट्रीयता का द्योतक समझते हैं। वे संसार के सभी मज़दूरों को अपना भाई समझते हैं। यहाँ मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या संसार के अन्य देशों के मज़दूर भी आपको अपना भाई समझते हैं? यदि नहीं, तो आप क्यों कुत्तों से हो रहे हैं? वे तो आपसे घृणा करते हैं। और आप 'कुक्करोपादेय पिण्ड' की आशा में बैठे हैं। जिस देश में अन्तर्संम्प्रदाय, अन्तर्जातीय प्रेम तक अभी उत्पन्न नहीं हो सका है, उस देश के निवासी अन्तर्राष्ट्रीय प्रेम की डींग मारें तो संसार की दृष्टि में वे क्या बुद्धिमान समझे जायँगे? पहिले अपने घर में दिया जलाइए, फिर बाहर जलाइएगा। अन्तर्राष्ट्रीयता भारतवासियों के लिए बड़ी दूर की बातें हैं। अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर अपनी शक्ति लगाना, अपनी शक्ति क्षीण करना है। अभी तक तो हमने अपने को सङ्गठित किया नहीं, फिर हम अन्य राष्ट्रों का सङ्गठन कैसे कर सकते हैं? हाँ, यह हो सकता है कि भारत स्वाधीन होने पर अन्तर्राष्ट्रीयता के इस ढोंग को सच्चा रूप देने में सहायक हो सके। परन्तु इस समय तो उसकी दशा 'कहा निचोड़े नग्न जन, नहान सरोवर कौन' की हो रही है। जो लोग भारत के ऊपर अन्तर्राष्ट्रीयता का बोझ लादना चाहते हैं वे यह अच्छी तरह समझ लें कि वे भारत के सच्चे हितचिन्तक नहीं हैं। पहिले घर की भीतर से मोरचाबन्दी कर लेना, अधिक बुद्धिमानी होगी। फिर तो भारत संसार में अपनी ही शक्ति से अन्तर्राष्ट्रीयता की ध्वजा फहरा सकता है। भारतवासियों को अपनी शक्ति को इधर बिखेरना न चाहिए, बल्कि सञ्चित करके पहिले अन्तर्जातीय प्रेम की स्थापना कर, अपने को ग़ुलामी से मुक्त करना चाहिए।

कुछ लोग कहेंगे कि 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का आदर्श भारतवर्ष का बहुत पुराना आदर्श है, परन्तु उन्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि 'बिनु भय होहिं न प्रीति'। भारत जिस समय स्वाधीन था उस समय के लिए यह उक्ति ठीक थी, परन्तु आज ग़ुलामी के दिन में यह नीति ठीक नहीं है। भारत को ख़ूब सोच-समझ कर चलना होगा। शताब्दियों की ग़ुलामी के बाद आज फिर उसमें आज़ादी का राग उत्पन्न हुआ है। पर अभी वह शैशवावस्था में ही है; सम्भव है कि अन्य राष्ट्र उसके इस मनोमुग्धकारी शैशव रूप से मोहित होकर उसे हथियाने के लिए यह माया-जाल रच रहे हों। 'जानि न जाहिं निशाचर माया।'

अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग दोनों कारणों के ऊपर मनन करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि अभी भारत को अन्तर्राष्ट्रीयता के प्रेम से दूर ही रहना चाहिए। हम यह भी देख चुके हैं कि जिस-जिसके ऊपर हमने विश्वास किया है उस-उसने अन्त समय में धोखा दिया है। मुसलमानी राज्य तथा अङ्गरेज़ी राज्य दोनों के इतिहास हमारी इस भूल के साक्षी हैं। फिर इन सब अनुभवों के होते हुए भी यदि हम भूल करें तो उसका उत्तरदायित्व किसके सिर पर होगा! भविष्य किसे मूर्ख बनावेगा? शहाबुद्दीन ग़ोरी की बार-बार प्राण-रक्षा कर पृथ्वीराज ने कहाँ तक अच्छा किया, इतिहास इसका साक्षी है। गत सन् १८५७ के युद्ध में दुश्मनों की रक्षा कर भारत ने कहाँ तक अच्छा किया। इतिहास इसका भी साक्षी है। फिर ऐसी विश्व-मैत्री की हमें क्या आवश्यकता है जो हमारी जड़ में गरम जल डाल कर हमें सुखाने का प्रयत्न करती हो? ऐसी विश्व-मैत्री, ऐसा विश्वप्रेम, ऐसी अन्तर्राष्ट्रीयता से भारत को कोसों दूर रहना चाहिए। यह भयङ्कर बीमारी है। यह काल-रोग है!

* * *

पण्डित जगतराम हरियानवी

[श्री० अभयङ्कर वर्मा, एम० ए०, एल्-एल्० बी०]

गत सप्ताह के 'भविष्य' में पाठकों ने लाहौर के विख्यात समाचार-पत्र 'मिलाप' के आधार पर छपी हुई, श्री० कृष्णगोपाल जी की वह चिट्ठी पढ़ी होगी, जिसके द्वारा उन्होंने सर्व-साधारण का ध्यान आजन्म क़ैदी पण्डित जगतराम जी हरियानवी की ओर आकर्षित किया है। पाठकों को यह भी मालूम हो गया होगा कि पण्डित जी को गत १९१४ के लाहौर षड्यन्त्र केस नामक एक राजनीतिक मामले में आपको आजन्म क़ैद की सज़ा दी गई थी, और आजन्म की मीयाद चौदह वर्ष मानी जाती है, परन्तु अभी तक न जाने क्यों सरकार उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। हमें 'मिलाप' द्वारा यह जानने का अवसर मिला है कि पण्डित जी का जेल-जीवन अत्यन्त पवित्र, शान्तिमय और शिष्टतापूर्ण है। आपकी चाल-चलन और जेल के



१७ वर्ष जेल में रहने के बाद
पं० जगतराम जी !

नियमों की पाबन्दी में आज तक जेल के अधिकारियों को किसी प्रकार की शिकायत का मौक़ा नहीं मिला है। फलतः जेल का 'डिसिप्लिन' (विनियम) का पूर्णतया पालन करने वाले बन्दियों के साथ जो रियायतें की जाती हैं, वे भी पण्डित जी को प्राप्त हैं और तदनुसार आप चौदह वर्ष से भी पहले ही मुक्त हो जाने के अधिकारी हैं। इसके सिवा पण्डित जी की अवस्था अब प्रायः चालीस वर्ष की हो चुकी है, फलतः उनमें अब न तो वे युवावस्था की उमङ्गें हैं और न जोश कि वे जेल से निकलते ही, ब्रिटिश राज्य को उलट देने के लिए कोई नया षड्यन्त्र आरम्भ कर देंगे। ऐसी दशा में, न्याय, क़ानून और मनुष्यत्व—किसी दृष्टि से भी पण्डित जी को जेलख़ाने में बन्द रखना उचित नहीं है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि सरकार ने दो बार पण्डित जी को छोड़ देने की अनुमति दी, परन्तु अधिकारियों ने छोड़ देने की जगह उनकी क़ैद की मीयाद बढ़ाने के लिए सरकार से सिफ़ारिश की और मीयाद बढ़वा ली। पण्डित जी की धर्मपत्नी इस समय असहाय और अभिभावकहीन अवस्था में पड़ी हैं। आपके कनिष्ठ सहोदर और माता की मृत्यु के बाद, अभी हाल में ही आपके वृद्ध पिता का भी देहान्त हो गया है, फलतः अब कोई दूसरा व्यक्ति पण्डित जी की धर्मपत्नी की देख-रेख करने वाला नहीं है। ऐसी दशा में भी सरकार ने न जाने क्यों कानों में तेल डाल रक्खा है, यह समझ में नहीं आता ? कहते हैं, पण्डित जी से यह कहा जा रहा था कि अगर वे जेल से छूटने पर राजनीति में भाग न लेने की प्रतिज्ञा करें तो छोड़ दिए जा सकते हैं। परन्तु क्या कोई आत्माभिमानी मनुष्य इस तरह की अनुचित और ग़ैर-क़ानूनी प्रतिज्ञा कर सकता है ? हमें यह लिखते हुए प्रसन्नता होती है, कि स्वाभिमानी पण्डित जगतराम ने भी ऐसी प्रतिज्ञा न की और उस पर्चे को घृणापूर्वक फेंक दिया, जिस पर इस तरह की बेहूदी प्रतिज्ञा करने की बात लिखी थी।

यों तो और भी बहुत से भारत-माता के लाल ऐसे हैं, जो अकारण ही या किसी अज्ञात कारण से जेलों में सड़ाए जा रहे हैं या कहीं नज़रबन्द करके रक्खे गए हैं। सरकार ने अपने इस घोर अन्याय पर पर्दा डालने के लिए मनमाना क़ानून भी पास कर लिया है या आवश्यकता पड़ने पर किसी ऑर्डिनेन्स की शरण ले लेती है। परन्तु पण्डित जगतराम जी हरियानवी जैसे मनुष्य, जो अदालती फ़ैसले के अनुसार अपना पूरा बन्दी-काल बिता चुके हैं, किस क़ानून या ऑर्डिनेन्स के अनुसार नहीं छोड़े जाते, यह सरकार ही जानती है।

ख़ैर, पञ्जाब के अख़बारों ने पण्डित जगतराम तथा अन्यान्य क़ैदियों के लिए, जो मीयाद पूरी हो जाने पर भी छोड़े नहीं जा रहे हैं, या जो बिना कारण बताए ही पकड़ कर जेलों में बन्द कर दिए गए हैं, ज़ोर-शोर से आन्दोलन आरम्भ कर दिया है। देखें, इस आन्दोलन के परिणाम-स्वरूप सरकार के कानों पर जूँ रेंगती है या नहीं। हम तो यहाँ पण्डित जगतराम जी का थोड़ा-सा परिचय देकर 'भविष्य' के पाठकों को दिखाना चाहते हैं कि पञ्जाब की सरकार पण्डित जी जैसे एक साधु पुरुष को अकारण यातना देकर कितना घोर अन्याय कर रही है। अस्तु।

जीवन-परिचय

हरियाना, ज़िला होशियारपुर के नशमापक नामक क़स्बे को पण्डित जगतराम का जन्म-स्थान होने का गौरव प्राप्त है। पण्डित जी ने आरम्भ से ही एक अलबेला स्वभाव पाया था। सदैव निर्द्वन्द और प्रसन्न रहना आपके स्वभाव की विशेषता है। इण्ट्रेन्स की परीक्षा पास करने पर जगतराम लाहौर के सुप्रसिद्ध दयानन्द ऐङ्ग्लो-वैदिक कॉलेज में भर्ती हुए। परन्तु परीक्षा देने से पहले ही आपको अमेरिका जाने की धुन सवार हो गई। आपका उद्देश्य उच्चकोटि की शिक्षा प्राप्त करने की था। परन्तु अमेरिका जाने पर आप दूसरे ही पथ के पथिक हो गए। वहाँ सुप्रसिद्ध देशभक्त लाला हरदयाल से आपकी भेंट हो गई। दोनों के दिलों में देशभक्ति की आग मौजूद थी। एक की धधक उठी थी और दूसरे की उपयुक्त ईंधन की अपेक्षा में थी। दोनों मिलते ही एक-दूसरे को पहचान गए। धीरे-धीरे घनिष्टता बढ़ी। मातृभूमि को बन्धन-मुक्त करने की चर्चा चली। लाला जी ने एक गीत गाया। सुनते हैं, वह गीत बड़ा ही मधुर, बड़ा ही हृदयग्राही और बड़ा ही भावपूर्ण है। देशभक्ति के भाव उसमें मानो कूट-कूट कर भरे हैं। इसलिए प्रत्येक भारतीय-हृदय वह विचित्र सङ्गीत सुन कर तड़प उठता है। फिर पण्डित जगतराम के पहलू में तो दिल था और दिल में दर्द भरा था। उस गीत की स्वर-लहरी से उनके हृत्तन्त्री के तार झङ्कृत हो उठे। भारत की अवस्था का चित्र आँखों के सामने खिंच गया। उन्होंने उसी मातृभूमि की सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और उसे कार्य में परिणत करने के लिए 'श्रीगणेश' स्वरूप एक अख़बार निकालने लगे। अमेरिका-प्रवासी भारतीय भाइयों को मातृभूमि की दयनीय दशा का दिग्दर्शन कराना ही इस पत्र का उद्देश्य था। जगतराम की कुशल लेखनी ने उसका एक से एक बढ़ कर वास्तविक चित्र खींचना आरम्भ कर दिया। इस कार्य में उन्होंने काफ़ी सफलता भी प्राप्त की।

परन्तु कुछ दिन के बाद ही उनके विचार बदल गए। सुदूर अमेरिका में बैठ कर भारत की सेवा उन्हें समीचीन नहीं प्रतीत हुई। उन्होंने भारत में रह कर भारत की सेवा करने का निश्चय किया और एक दिन साश्रु नेत्रों से अपने अमेरिका-प्रवासी देश-बन्धुओं से विदा लेकर भारत के लिए चल पड़े।

उन दिनों भारत की स्वतन्त्रता की लहर इतने ज़ोरों पर न थी। 'स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है' यह कहना भी भयानक राजनीतिक अपराध समझा जाता था। भारत की दयनीय दशा का शब्द-चित्र अङ्कित करना भी राजद्रोह था। देश के विद्वान लीडर सरकारी नौकरियाँ प्राप्त करने के लिए लेक्चर दिया करते थे, यही उनके राजनीतिक आन्दोलन का परम



पं० जगतराम जी के पिता
स्वर्गीय पं० दत्तोराम जी

लक्ष्य था। ऐसे समय पण्डित जगतराम ने देश-भक्ति की दीप-शिखा पर पतङ्गों की भाँति निछावर हो जाने वाले कतिपय नवयुवकों के साथ, अपनी निर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार देश-सेवा-सम्बन्धी कार्य आरम्भ कर दिया। उनकी वह प्रणाली कैसी थी—अच्छी या बुरी, इन बातों पर बहस करना हमारा अभीष्ट नहीं है, और न यहाँ उसके वर्णन की कोई आवश्यकता ही है।

गिरफ़्तारी और दण्ड

सन् १९१४ में पुलिस ने लाहौर षड्यन्त्र केस नाम का एक मामला पञ्जाब के कई नवयुवकों पर चलाया था। इन्हीं में पण्डित जगतराम भी थे। एक दिन वह किसी कार्यवश पेशावर जा रहे थे और रावलपिण्डी में गिरफ़्तार कर लिए गए। लाहौर में आप पर भयङ्कर षड्यन्त्र और हत्या आदि का अभियोग लगा कर मामला चलाया गया। अदालत ने आपको फाँसी की सज़ा दी। आपने हँसते-हँसते फाँसी की सज़ा सुनी।

इस समय एक बड़ी ही कारुणिक घटना हुई। पण्डित जी के पिता और उनकी धर्मपत्नी ने यह दुखद सम्वाद सुना, तो मूर्च्छित होकर गिर पड़े। पिता के

नयनों का तारा छिन रहा था; पत्नी का सर्वस्व लुट रहा था—उसका संसार सूना हो रहा था। दोनों व्याकुल होकर पण्डित जगतराम से अन्तिम भेंट करने आए। परन्तु पण्डित जी निर्द्वन्द्व थे—प्रसन्न थे। जेल की कोठरी में कभी वहदत के तराने गाते और कभी देशभक्ति के नशे में झूमने लगते। पिता और पत्नी को देख कर हँस कर उन्होंने उनका स्वागत किया और बोले—पिता जी, क्या आप मुझसे प्रसन्न हैं?

पिता ने आँखों में आँसू भर कर उत्तर दिया—"बेटा, कल तुम फाँसी के तख़्ते पर लटकने जाते हो, मेरी आशाओं पर वज्र-प्रहार होने वाला है, मेरा सर्वस्व लुट रहा है और तुम मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो?"

पण्डित जगतराम ने उसी तरह प्रसन्नतापूर्वक कहा—"क्या आपने इतिहास के पन्नों में गुरु गोविन्द-सिंह के लालों के आत्मोत्सर्ग की कहानी नहीं पढ़ी है? क्या उन मासूम बच्चों के दीवार में चुने जाने की हृदय-विदारक घटना की याद करके आपके मुँह से बेतहाशा 'वाह! वाह!' नहीं निकल जाता है? फिर आज आप रो क्यों रहे हैं? यह वही नाटक तो है, जो आपके ही घर खेला जा रहा है। इस पर तो आपको और भी ख़ुश होना चाहिए। मैं अपनी जवानी मातृ-भूमि के चरणों पर अर्पण करने जा रहा हूँ। क्या यह आपके लिए प्रसन्नता की बात नहीं है?"

व्यथित हृदय वृद्ध पिता इन बातों का क्या उत्तर देते? वे मौन भाव से पुत्र के मुँह की ओर ताकते रह गए!

अपील

वृद्ध पिता के अत्यन्त आग्रह करने पर पण्डित जी ने अपनी दण्डाज्ञा के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील करने की अनुमति दे दी। फलतः अपील हुई और फाँसी की सज़ा बदल कर कालेपानी के रूप में परिणत कर दी गई।

बन्दी-जीवन

पण्डित जगतराम जी का बन्दी-जीवन एक दर्द-नाक दास्तान है। इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने मित्रों को बहुत से पत्र लिखे थे, जिनका संग्रह सुनते हैं, होशियारपुर की कॉङ्ग्रेस कमिटी शीघ्र ही प्रकाशित करने वाली है। यहाँ हम पण्डित जी के जेल-जीवन के सम्बन्ध में कुछ संक्षिप्त बातें ता० २६ जून के "मिलाप" में छपे हुए श्री० अविनाशचन्द्र जी बाली के एक लेख के आधार पर दे रहे हैं। इससे मालूम होगा कि पण्डित जगतराम में साधुता, त्याग और परोपकार की मात्रा कितनी है।

सज़ा होते ही आप पर तथा आपके परिवार वालों पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हज़ारों रुपए की जायदाद ज़ब्त कर ली गई। परिवार वालों को कहीं खड़े होने की जगह न थी। उधर स्वयं पण्डित जी का स्वास्थ्य तबाह होता था। आपको हमेशा अपच की शिकायत रहने लगी। इसके बाद तो आप ऐसे बीमार पड़े कि सरकारी अनुमति के अनुसार डॉ० अन्सारी, डॉ० ख़ानचन्द देव और डॉ० गोपीचन्द को आपकी चिकित्सा के लिए गुजरात के जेलख़ाने में जाना पड़ा।

रोग से छुटकारा पाने पर अधिकारियों की कृपा-दृष्टि आप पर हुई और कई वर्षों पर लगातार जेल की अँधेरी कोठरी या 'ठण्डे गारद' में बन्द रक्खे गए। यहाँ तक कि छः वर्षों तक आपको चिराग़ की रोशनी भी नसीब नहीं हुई। सात वर्षों तक आपने पैरों में जूता नहीं पहना, जिससे बिवाइयाँ फट गईं, इससे आपको बड़ा कष्ट होता था। ऐसे-ऐसे और भी नाना प्रकार के कष्टों का सामना आपको करना पड़ा। परन्तु आश्चर्य है कि इन मुसीबतों का आपकी मानसिक अवस्था पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। मानो यह जेल-यात्रा आपकी तपस्या थी और ज्यों-ज्यों वह बढ़ती गई, त्यों-त्यों आपका तपोबल भी बढ़ता गया। रात के अन्धकार में आप कोयले या कीलों से अपने विचार कोठरी की दीवालों पर लिखते और सवेरे उठ कर इन्हें अपनी कॉपी पर दर्ज कर लेते।

अन्यान्य बन्दियों पर प्रभाव

पण्डित जगतराम के महान व्यक्तित्व में एक विचित्र आकर्षण है! इसलिए जिस किसी जेलख़ाने में आप भेजे जाते हैं, वहाँ के सभी क़ैदी आपके चेले बन जाते हैं। आपके व्यक्तित्व के प्रभाव से तथा उपदेशों से क़ैदियों के धार्मिक जीवन में विशेष परिवर्तन हो जाता है। आप उनके चरित्र को सुधारने का सदैव यत्न किया करते हैं। उन्हें सत्य और सच्चरित्रता का महत्व समझाया करते हैं। जो क़ैदी बीमार हो जाता है, उसकी आप बड़ी लगन से सेवा करते हैं। आपके इस व्यवहार से जेल के अधिकारी भी आपसे सदैव प्रसन्न रहते हैं।

गीता-प्रेम

पण्डित जगतराम जी श्रीमद्भगवद्गीता के परम प्रेमी हैं। आपने जेल में ही संस्कृत, गुरुमुखी और हिन्दी भाषा का अभ्यास किया है। आप इन भाषाओं में सुन्दर गद्य और पद्य लिख लेते हैं। गीता का आप नित्य पाठ करते हैं और उसके उपदेशों को प्रयोग में लाया करते हैं। गीता को आप अपना इष्ट-देवता समझते हैं। श्री० अविनाशचन्द्र जी बाली ने लिखा है कि गुजरात जेल में ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ, डॉ० अन्सारी साहब, मौ० मुफ़्ती किफ़ायत उल्लाह साहब, डॉक्टर ख़ान चन्ददेव, डॉ० गोपीचन्द जी और चौधरी कृष्णगोपाल आदि विद्वान आपका गीतोपदेश सुन कर मुग्ध हो जाते थे। ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ साहब तो आपके गीता की व्याख्या पर इतने मुग्ध थे कि प्रतिदिन एक घण्टे आपसे गीता की व्याख्या सुना करते थे।

धार्मिक विचार

पण्डित जगतराम जी यद्यपि डी० ए० वी० कॉलेज के छात्र रह चुके हैं और स्वामी दयानन्द सरस्वती के उपदेशों का आपके मानस-पट पर यथेष्ट प्रभाव है, परन्तु आपके धार्मिक विचार विवेकानन्द और स्वामी रामतीर्थ की तरह उदार और प्रशस्त हैं। आप मानव-मात्र के प्रेमी हैं और प्रत्येक मनुष्य को अपने सगे भाई की तरह देखते हैं। आपका मानस पवित्र और द्वेष-रहित है।

परन्तु आश्चर्य की बात है कि ऐसे साधु पुरुष को सरकार सर्वथा अन्यायपूर्वक जेल में सड़ा रही है।

* *

पं० जगतराम के उद्गार

[एक देशभक्त के शब्दों में]

उफ़! बाग़े आरज़ू की बहारें उजड़ गईं,
अब बेक़रारियाँ मेरी हद से गुज़र गईं!
उफ़! लौहे-दिल[1] पे नक़्शे-तमन्ना[2] नहीं रहा,
अब मेरे दिल को ज़ब्त का यारा नहीं रहा!
जी चाहता है जामए हस्ती[3] को फाड़ दूँ,
नालों से पाँव पोर फ़लक[4] के उखाड़ दूँ!
रह-रह के एक हूक सी उठती है दिल में आज,
आतशकदा[5] सा है मेरे दिल में छिपा हुआ!
रह-रह के याद आते हैं अपने पिता मुझे,
शायद कि दे गए हैं, वह अपनी चिता मुझे!
अश्कों[6] का मेरी आँखों से दरिया निकल गया,
महसूस यह हुआ कि कलेजा निकल गया!

एक अधूरी कविता

[पण्डित जगतराम 'ख़ाकी']

गर मैं कहूँ तो क्या कहूँ, क़ुदरत के खेल की।
हैरत[7] से तकती है मुझे दीवार जेल की।
हम ज़िन्दगी से तङ्ग हैं तिस पर भी आशना।
कहते हैं, और देखिएगा धार तेल की?
जकड़े गए हैं, किस तरह हम ग़म में क्या कहें,
बल खाके हम पे चढ़ गया, मानिन्द बेल की।
'ख़ाकी' को रिहाई तू दोनों जहाँ से दे,
आ ऐ अजल[8] तू फाँद के दीवार जेल की!!

* * *

१—हृदय-पट, २—आकांक्षा के चिह्न, ३—अस्तित्व का अँगरखा, ४—आकाश, ५—अग्नि-कुण्ड, ६—आँसुओं, ७—आश्चर्य, ८—मृत्यु।

प्राप्ति-स्वीकार

श्री० वैद्यनाथ आयुर्वेद-भवन, पोस्ट बॉक्स नम्बर ६७३१, कलकत्ता से हमें निम्न-लिखित दवाएँ तथा तेलादि मिले हैं, धन्यवाद, कामिनी-विलास तेल मूल्य फ़ी शीशी ॥), वैद्यनाथ का बालामृत ॥), प्रायदा ॥=) दाद का मलहम ।), बाल सफ़ाचट ।), सत गुण तेल ।) अग्नि मुख चूर्णम् ।), असली नमक सुलेमानी ।) पाउडर गोरे और ख़ूबसूरत होने का ।), अर्क़ पुदीना सब्ज़ ॥), पीपरमेण्ट का तेल ।), असली अर्क़ कपूर ।), नेत्रामृत सुरमा ॥), मिठाई खार ।),

इनके अतिरिक्त निम्न-लिखित औषधियाँ तथा तेल आदि भी मिले हैं, जिन पर कोई मूल्य नहीं दिया गया है; न जाने ऐसा किस मसलहत से किया गया है:—हिमनी कल्याण तेल, आमला केश तेल, दन्त-मञ्जन, अमरधारा, सौंफ़ का तेल, क्लोरोडाइन, टिञ्चर आयोडीन, अजवायन का तेल, असल चन्दन का तेल, वैद्यनाथ पेन-बाम।

—सं० 'भविष्य'

* * *



अजी सम्पादक जी महाराज,

जय राम जी की !

कानपुर में चेहल्लुम हो गया। कुछ लोगों की धारणा है कि सकुशल बीत गया। परन्तु अपने राम ऐसा सोचने की भूल कदापि नहीं कर सकते। जहाँ ताज़ियों पर पिकेटिङ्ग हुई हो, जहाँ ४०-५० मुसलमान भाई पिकेटिङ्ग करने के कारण जेल में बन्द कर दिए गए हों, वहाँ के लिए यह कहना कि सकुशल बीत गया—सकुशलता का मज़ाक़ उड़ाना है। हाँ, यदि हिन्दू भाई अपनी खोपड़ी को सही-सलामत पाने के कारण ऐसा कहते हैं, तब तो यह बात सोलहो आने ठीक है। कहावत है कि, 'आप मरे तो जग मरा, आप जिए तो जग जिया।' परन्तु ज़रा मुसलमान भाइयों के दिल से तो कोई पूछे और विशेषतः सुन्नियों के दिल से अवश्य पूछे। उधर मुहर्रम अधूरा हुआ, चालीस दिन तक मुर्दों को घर में रक्खा। चेहल्लुम पर भी मुर्दों को दफ़नाने न पाए, अब भगवान जाने उन्हें कब तक सैंतना पड़े। जब तक ताज़िए दफ़न न हो जायँ, तब तक कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। स्त्रियाँ रङ्गीन कपड़े नहीं पहन सकतीं। यह अनन्त काल का स्यापा किसी क़दर अखरने वाला तो अवश्य हो सकता है। वे लोग मज़े में रहे, जिन्होंने अशरे से लेकर चेहल्लुम तक के स्यापे का आनन्द उठा कर समझ लिया कि इसमें कुछ विशेष लुत्फ़ नहीं है, व्यर्थ की ज़िद है। इस ज़िद में अपनी ही हानि है। इन लोगों ने तो पिकेटिङ्ग तथा विरोध होते हुए भी अपने ताज़िए दफ़ना ही दिए। अब इन लोगों के लिए वे मुसलमान, जिन्होंने अपने ताज़िए नहीं दफ़नाए, यह कहते हैं कि ये लोग जी-हुज़ूर श्रेणी के हैं। अतएव इन्होंने अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए ताज़िए दफ़ना दिए। ताज़ियों के दफ़नाए जाने से अधिकारियों को क्या प्रसन्नता हुई होगी, यह भगवान जानें। अपने राम तो करबला गए नहीं—सम्भव है, वहाँ रेवड़ियाँ बँटी हों और अधिकारियों की जेबें रेवड़ियों से भर गई हों। यदि हिन्दुओं का मामला होता तो यह अनुमान लगाया जा सकता था कि तेरहीं के भोज में कलेक्टर, सुपरिण्टेण्डेण्ट इत्यादि को भी निमन्त्रित करने की बात होगी, परन्तु ताज़ियों के सम्बन्ध में तो ऐसा अनुमान लगाया नहीं जा सकता—फिर इसमें अधिकारियों के प्रसन्न होने की कौनसी बात है, यह मुसलमान भाई ही बता सकते हैं। हाँ, अधिक से अधिक उनके प्रसन्न होने की बात यह हो सकती है कि उस दिन उनका यथेष्ट मनोरञ्जन हुआ। ख़ूब इधर से उधर घूमे, दिन भर चहल-पहल रही, कुछ लोगों को जेल भेजने का सौभाग्य मिला और अन्त में यह वाहवाही मिली कि—'भई वाह! ख़ूब इन्तज़ाम किया! ऐसा इन्तज़ाम किया कि न हत्याएँ हुईं, न घर लूटे गए, न कहीं आग लगाई गई।' ग़रज़ कुछ भी तो न हो पाया। अफ़सोस! जिन लोगों ने अपने ताज़िए दफ़न नहीं किए उन लोगों के पास ताज़िए दफ़न न करने का बड़ा प्रबल कारण है। और वह कारण यह है कि गाँधी-सेवा-समिति का साइनबोर्ड नहीं हटाया गया। बहुधा "मारूँ घुटना फूटे आँख" वाला कारण भी बड़ा बलवान और हृष्ट-पुष्ट हो जाता है। मुहर्रम में दो दिन अलमों का जुलूस नहीं निकला, उसका कारण भी यही कमबख़्त साइनबोर्ड था और ताज़ियों को न दफ़नाने का कारण था उन जुलूसों का नामखाते लिखा जाना। साइनबोर्ड नहीं उतारा गया, इसलिए जुलूस नहीं निकला और जुलूस नहीं निकला इसलिए ताज़िए दफ़न नहीं किए गए। अब मुसलमान भाइयों ने इस त्रैराशिक को गणित के नियमानुसार काट-पीट कर संक्षिप्त कर डाला। अतएव अब जुलूस का प्रश्न उड़ गया और रह गया केवल यह कि साइनबोर्ड नहीं उतारा गया, इसलिए ताज़िए दफ़न नहीं किए गए। कितना सुन्दर हिसाब-किताब रहा। सुन्दर क्यों न रहे, कोई मामूली दिमाग़ का लगाया हुआ हिसाब थोड़ा ही है। यह हिसाब बैरिस्टरों, ग्रेज्युएटों, म्यूनिसिपिल कमिश्नरों के "मस्तिष्क-सम्मेलन" से उत्पन्न हुआ है। आगे चल कर सम्भव है, इसमें और उन्नति की जाय और इसका रूप यह बन जाय—ईद क्यों नहीं मनाई गई? इसलिए कि साइनबोर्ड नहीं उतारा गया। रोज़े क्यों नहीं रक्खे गए? इसलिए कि साइनबोर्ड नहीं उतारा गया। बकरीद पर क़ुर्बानी क्यों नहीं की गई? इसलिए कि साइनबोर्ड नहीं उतारा गया। कानपुर के मुसलमान इस वर्ष हज करने नहीं जायँगे। क्यों? इसलिए कि साइनबोर्ड नहीं उतारा गया। मौलाना शौकतअली कानपुर कदापि न आएँगे। क्यों? इसलिए कि साइनबोर्ड नहीं उतारा गया। मुसलमान भाई ज़िद के पक्के हैं। साइनबोर्ड के पीछे हाथ धोकर पड़ेंगे, तो कभी न कभी उतर ही जायगा। अपने राम तो मुसलमान भाइयों की एक अदा पर जी-जान से क़ुर्बान हो जाने का इरादा कर रहे हैं। वह अदा थी "पिकेटिङ्ग!" मुसलमान भाई भी पिकेटिङ्ग करने लगे। हिजड़ों के घर बेटा तो हुआ। यह क्या कम ख़ुशी की बात है? अपने राम को इस बात का रञ्ज शायद ही चैन से बैठने दे कि अपने राम ने मुसलमान भाइयों की पिकेटिङ्ग नहीं देखी। एक तरह से अच्छा भी हुआ। यदि कहीं उनकी इस अदा पर आसक्त हो जाते तो कहीं के न रहते। परन्तु एक बात यह बहुत बुरी हुई कि सिर मुँड़ाते ही ओले पड़े। पहली ही बार धरे गए और जेल की हवा खानी पड़ी। इस सम्बन्ध में अपने राम को एक चुटकुला याद आ गया। एक जुलाहे के लड़के को मौलवी साहब घर पर पढ़ाते थे। एक दिन मौलवी साहब ने लड़के को पीटा। लड़का क्रोधित होकर घर के भीतर से चाक़ू ले आया और मौलवी साहब की नाक काटने दौड़ा। मौलवी साहब भयभीत होकर एक कोठरी में घुस गए और भीतर से द्वार बन्द कर लिया। इतने में लड़के के पिता को पता लगा। वह कोठरी के द्वार पर आकर मौलवी साहब से बोला—"मौलवी जी, हमारे ख़ान्दान में आज तक किसी ने हथियार नहीं उठाया। आज हमारे होनहार ने हथियार उठाया है, तो उसका वार ख़ाली मत जाने दीजिए। दरवाज़ा खोल कर चुपचाप नाक कटवा लीजिए, नहीं तो लड़के का हौसला पस्त हो जायगा।" इस कहावत के अनुसार यदि अपने राम वहाँ पर उपस्थित होते तो जो मुसलमान भाई अपने ताज़िए दफ़न करने के लिए ले गए थे, उनसे निवेदन करते कि—भाइयो, ताज़िए चाहे दफ़न हों या न हों, परन्तु आप पिकेटिङ्ग करने वालों का उत्साह भङ्ग न कीजिए। ज़रा हिम्मत तो खुलने दीजिए। क्यों सम्पादक जी, आपकी क्या राय है? ऐसा होना चाहिए या नहीं? उन बेचारों का उत्साह भङ्ग हो गया, इससे क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं! वैसे अपने राम को यह पूर्ण विश्वास है कि मुसलमानों का मामला था इससे पिकेटिङ्ग की गई। यदि कहीं हिन्दू-मुसलमानों का मामला होता तो पिकेटिङ्ग के स्थान पर "पिटोइङ्ग" हो जाती। उस समय मुसलमान भाइयों को पिकेटिङ्ग का ध्यान भी न आता। और आनन्द यह है कि साइनबोर्ड को मुसलमान भाई केवल इसलिए उतरवाना चाहते हैं कि उस पर गाँधी जी का नाम है। गाँधी जी के सामने तो क्या, उनके नाम के सामने भी मुसलमानों के झण्डे नहीं झुक सकते। परन्तु आवश्यकता पड़ने पर उन्हीं गाँधी जी के सिद्धान्तों का आश्रय लिया जाता है। ठीक है—मीठा-मीठा हप, कड़ुवा-कड़ुवा थू। जहाँ अपने मतलब की बात हो, जहाँ अपना स्वार्थ पूरा होता हो वहाँ गाँधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलना ही ठीक है; परन्तु वैसे गाँधी जी के नाम से नफ़रत। कितना अच्छा सिद्धान्त है। कुछ भी हो परन्तु इससे यह पता तो चल गया कि आवश्यकता पड़ने पर मुसलमान भाइयों को भी गाँधी जी का अनुकरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता। लक्षण तो शुभ हैं!

अब सुना जाता है कि जो ताज़िए सड़कों और चौराहों पर विराजमान हैं, उनके हटाने के लिए अधिकारियों की ओर से मुसलमानों को नोटिस दिया जायगा। अफ़वाह है कि यदि अधिकारी लोग ज़बरदस्ती से ताज़िए हटवाएँगे तो मुसलमान लोग सत्याग्रह करेंगे और अहिंसात्मक सत्याग्रह करेंगे। यह और भी प्रसन्नता की बात है। पिकेटिङ्ग तो मुसलमान भाइयों को आ गया, अब अहिंसात्मक सत्याग्रह का सबक़ और सीख लें, तो बस फिर क्या है—हिन्दुस्तान का बेड़ा पार लग जाय! परन्तु यह सबक़ हिन्दुओं के मुक़ाबिले में भी मुसलमान भाई याद रक्खेंगे, इसमें अपने राम को सन्देह है। अधिकारियों के मुक़ाबले में तो अहिंसात्मक सत्याग्रह के अतिरिक्त और हो ही क्या सकता है? बन्दूक़ों तथा सङ्गीनों का मुक़ाबला कौन कर सकता है? हाँ, यदि समय पड़ने पर निहत्थे हिन्दुओं के मुक़ाबले में भी यही अहिंसा का भाव रहे, तब पता चले कि मुसलमान भाइयों ने अपना सबक़ ठीक तरह से याद किया है या नहीं।

भवदीय,

—विजयानन्द (दुबे जी)

* * *

लाहौर षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

लाहौर ३ जुलाई। दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्त श्री० सुखदेवराज ने, अन्य अभियुक्तों से अलग एकान्त कोठरी में रक्खे जाने के सम्बन्ध में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने जो अर्ज़ी दी थी, उसका फ़ैसला अभियुक्त के विरुद्ध हुआ था। इस पर अभियुक्त की ओर से फ़ैसले के विरुद्ध लाहौर हाईकोर्ट में दरख़्वास्त पेश की गई थी। लाहौर हाईकोर्ट ने उस पर अपना फ़ैसला देते हुए कहा है कि "इस मामले में मुख्य विचारणीय बात यह है कि विचाराधीन क़ैदी के साथ जेल में होने वाले व्यवहारों की शिकायत की जाँच करना अदालत के अधिकार की बात है या नहीं। अभियुक्त की प्रार्थना पर ट्रिब्यूनल ने जेल-अधिकारियों के पास सूचना भेज कर, अभियुक्त को दूसरे अभियुक्तों के साथ एक ही बैरक में रखने की सिफ़ारिश कर दी थी। ट्रिब्यूनल ने इस सम्बन्ध में अपनी सम्मति प्रकट करते हुए जेल-अधिकारियों के पास यह भी सूचना भेज दी थी कि अभियुक्त की प्रार्थना उचित है और ट्रिब्यूनल को, उस प्रार्थना के स्वीकार कर लिए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु ट्रिब्यूनल ने सिफ़ारिश कर देने के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में और कोई कार्रवाई नहीं की। सिफ़ारिश के अनुसार कार्य न होने पर एक बार उसने, सफ़ाई-पक्ष के कहने पर जेल-अधिकारियों से उसका कारण पूछा था। इस विषय में ट्रिब्यूनल ने अपनी तरफ़ से स्वयं अपने सन्तोष के लिए कुछ नहीं पूछा। ट्रिब्यूनल ने अपने फ़ैसले में कहा है कि इसके आगे कोई कार्रवाई करना हमारे अधिकार-परिधि के बाहर है। उसने अभियुक्त की ज़मानत भी नामञ्ज़ूर कर दी है। ट्रिब्यूनल का फ़ैसला यदि ठीक मान लिया जाय तो इसका अर्थ यह होगा कि अदालत विचाराधीन क़ैदी की शिकायत दूर करने का कोई उपाय नहीं कर सकती। परन्तु हम नहीं समझते कि अदालत की स्थिति ऐसी निरुपाय है। हमारी समझ से अभियुक्त ने अपनी अर्ज़ी में जो बातें कही थीं, उनका अभियुक्त की ज़मानत से सम्बन्ध था और इसलिए कम से कम इतना पता लगा लेना आवश्यक था कि अर्ज़ी में लिखी बातें कहाँ तक ठीक हैं, जेल-अधिकारियों ने जो कार्रवाई की है, वह क़ानून के अनुसार है या उसके विरुद्ध है और उस कार्रवाई के करने में कोई बाहरी प्रभाव तो नहीं रहा।

"यदि पता लगाने पर मालूम होता कि अभियुक्त की कही बातें ठीक हैं और जेल-अधिकारियों द्वारा की हुई कार्रवाई ग़ैर-क़ानूनी है, तो उस हालत में ट्रिब्यूनल को कम से कम अभियुक्त की ज़मानत के प्रश्न पर तो विचार करना ही चाहिए था, चाहे दूसरे किसी उपाय से अभियुक्त की शिकायत दूर करना ट्रिब्यूनल की सामर्थ्य के बाहर होता।

"जो हो, हमारी समझ से ट्रिब्यूनल का यह कहना ठीक नहीं है कि इस मामले में अदालत को कोई अधिकार ही नहीं है। सन् १९०० के प्रिज़न ऐक्ट की तीसरी दफ़ा के अनुसार जेल का अफ़सर उन सब व्यक्तियों को जेल में दाख़िल करने और रखने के लिए बाध्य है, जिन्हें किसी अदालत ने नियमानुसार हिरासत में रखने के लिए भेजा हो। इसका तात्पर्य यह कि जब अदालत किसी व्यक्ति को विचाराधीन क़ैदी की हालत में रखने के लिए जेल भेजे तो जेल का अफ़सर प्रिज़न ऐक्ट के अनुसार उसे विचाराधीन क़ैदी मानने और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने के लिए बाध्य है। इस पर यदि कोई क़ैदी अदालत से शिकायत करता है कि मेरे साथ उपरोक्त नियम के अनुसार व्यवहार नहीं किया जाता और नियम-विरुद्ध दण्ड दिया जाता है, तो क्या यह कहा जायगा कि अदालत को इस मामले में जाँच करने या यह जानने का कि क़ैदी के साथ अदालत के वारण्ट के अनुसार व्यवहार होता है या नहीं, अधिकार नहीं है? मेरी समझ से अवश्य ही अदालत को यह जानने का अधिकार है कि क़ैदी के साथ अदालत के वारण्ट के अनुसार व्यवहार होता है या नहीं। विद्वान चीफ़ जस्टिस सर अब्दुल क़ादिर के एक फ़ैसले से भी उपरोक्त बात की पुष्टि होती है। आपके सामने जो मामला पेश था, उसमें कहा गया था कि जेल में मुख़बिर, अदालत की आज्ञा के विरुद्ध, पुलिस की हिरासत में रक्खे गए हैं। पहले तो सरकारी वकील ने इस सम्बन्ध में कोई सूचना देने से इन्कार कर दिया, परन्तु बाद में यह बात मान ली गई कि अदालत को, यह जानने के लिए कि उसकी आज्ञाओं का पालन होता है या नहीं, सम्पूर्ण बातों के पूछने का अधिकार है। मैं नहीं समझता कि इस सम्बन्ध में मातहत अदालतों की स्थिति भिन्न कैसे हो सकती है। आख़ीर में सरकारी वकील को इस मामले में स्वीकार करना ही पड़ा कि अदालत को यह जानने का अधिकार है कि विचाराधीन क़ैदी के साथ जेल में क़ानून के अनुसार व्यवहार किया जाता है या नहीं। अभियुक्त की अर्ज़ी के विरोध में सरकारी वकील ने सिर्फ़ इतना ही कहा कि इस सम्बन्ध में जो जाँच हो वह सार्वजनिक न हो। उन्होंने कहा कि यद्यपि सरकार उन कारणों को बतलाने के लिए तैयार है, जिनसे बाध्य होकर उसने अभियुक्त को अलग रखने का आदेश दिया था, फिर भी सार्वजनिक हित के विचार से उन बातों को प्रकट करना ठीक न होगा। जो हो, मामले की मुख्य बात से इन बातों का कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसे मामले में सार्वजनिक जाँच पर ज़ोर देने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी अदालत ऐसी जाँच पर ज़ोर नहीं दे सकती, जिससे सार्वजनिक हित में बाधा पहुँचने की सम्भावना हो।

कोर्ट को जाँच के बाद कार्रवाई करने का अधिकार है

"इस मामले में दूसरी विचारणीय बात यह है कि जाँच के बाद अदालत कौन सी कार्रवाई कर सकती है? निस्सन्देह जेल के अन्दर बन्द क़ैदी जेल-क़ानून के अधीन हैं। जेल-क़ानून के अनुसार क़ैदियों के साथ व्यवहार होने पर अदालत को जेल-अधिकारियों के कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। परन्तु यह मालूम होने पर कि उनका कार्य जेल-नियमों के विरुद्ध है, अदालत को उस सम्बन्ध में उचित कार्रवाई करने का अधिकार है। निस्सन्देह जेल-सम्बन्धी नियमों के विषय में अदालत और जेल-अधिकारी दोनों ही बाध्य हैं, परन्तु मेरी राय में, जेल-नियमों को बिना भङ्ग किए यदि अदालत न्याय की रक्षा के लिए कुछ आवश्यक हुक्म जारी करे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। जेल मैनुअल के नियमों को देखने से भी मालूम होता है कि अदालत को इस प्रकार के हुक्म जारी करने का अधिकार है। उदाहरणार्थ पञ्जाब जेल मैनुअल के ८११वें पैराग्राफ़ में लिखा है कि अगर मैजिस्ट्रेट का हुक्म हो तो क़ैदी अपने साथ के अन्य क़ैदियों से अलग रक्खा जा सकता है। सरकारी वकील ने इस सम्बन्ध में कहा है कि यह अपवाद है, परन्तु हम इस कथन से सहमत नहीं हैं। और भी ऐसे मामले हैं, जिनमें न्याय की रक्षा के लिए अदालत को अपना हुक्म जारी करने का अधिकार है। उदाहरणार्थ क़ानूनी सलाहकारों से क़ैदियों के मिलने के सम्बन्ध में आई० एल० आर० ५० बम्बई, पृ० ७४१ में नज़ीर दर्ज है। यद्यपि उपरोक्त उदाहरण पुलीस की हिरासत में रहने वाले क़ैदियों पर लागू होता है, फिर भी कोई कारण नहीं है कि वही सिद्धान्त जेल में बन्द विचाराधीन क़ैदियों पर क्यों न लागू हों। निस्सन्देह अदालत अपना हुक्म जारी करते समय जेल-नियमों का ख़्याल रक्खेगी ही।

"विचाराधीन क़ैदी अदालत के अधिकार में रहते हैं, यह बात हाईकोर्ट ने न्याय-विभाग की हिरासत के सम्बन्ध में जो नियम बनाए हैं उनसे भी प्रकट होती है। न्याय-विभाग की हिरासत में जेल के उन स्थानों की भी गणना है, जहाँ विचाराधीन क़ैदी रक्खे जाते हैं। यद्यपि जेल के अन्दर न्याय-विभाग की हिरासत का प्रबन्ध जेल-अधिकारी ही करते हैं, फिर भी सेशन जजों को उसके निरीक्षण का अधिकार रहता है। इस सम्बन्ध में जेल-अधिकारियों को सेशन जजों के पास कुछ मासिक विवरण भी भेजना पड़ता है।

"निस्सन्देह अदालत जेल-शासन के मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहती है। जेल-अधिकारियों की कार्रवाई बिलकुल ग़ैर-क़ानूनी और अनुचित होने पर ही वह न्याय की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करेगी। इस वक़्त जो मामला मौजूद है, उसमें हम यह तो नहीं मानते कि अभियुक्त को अन्य अभियुक्तों के साथ एक ही बैरक में रहने का अधिकार है, परन्तु यह बात माननी पड़ेगी कि अभियुक्त जिस ढङ्ग से एकान्त कोठरी में रक्खा जा रहा है, वह प्रिज़न एक्ट के अनुसार दण्ड है, यद्यपि उसने जेल का कोई नियम नहीं भङ्ग किया। पञ्जाब जेल मैनुअल के नियमानुसार विचाराधीन क़ैदी के साथ केवल उतना ही हस्तक्षेप होना चाहिए, जितना कि जेल के नियम और अनुशासन की रक्षा के लिए आवश्यक हो। इस दृष्टि से इस मामले पर विचार करने से मालूम होता है कि अभियुक्त की शिकायतों की जाँच होना ज़रूरी है। इसलिए हम अभियुक्त की अर्ज़ी मञ्ज़ूर करते हैं। स्पेशल ट्रिब्यूनल इस मामले की जाँच करेगा और उसके बाद फ़ैसला किया जायगा।"

ता० ४ जुलाई को मि० सुमेरचन्द एडवोकेट ने हाईकोर्ट के सामने दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों की ओर से ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा ४३९ और ५६१-ए के अनुसार निम्न-लिखित अर्ज़ी पेश की :—

(१) अभियुक्तों के विरुद्ध स्पेशल ट्रिब्यूनल में भिन्न-भिन्न अपराधों के लिए मामला चल रहा है।

(२) इस केस में ६ मुख़बिर हैं।

(३) मामला चलते समय पहले मुख़बिर पुलीस की हिरासत में थे, बाद में १८ एप्रिल के हाईकोर्ट के हुक्म के अनुसार वे न्यायालय विभाग की हिरासत में कर दिए गए।

(४) न्यायालय विभाग की हिरासत में रक्खे जाने के बाद अभियुक्तों ने इस हाईकोर्ट के सामने एक अर्ज़ी पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि मुख़बिरों पर सेण्ट्रल जेल में पहरा देने वाले पुलीस के आदमी हैं और पुलीस के अफ़सर मुख़बिरों से मिला करते हैं।

(५) जिस समय उपरोक्त अर्ज़ी पर हाईकोर्ट में विचार हो रहा था, उस समय सरकारी वकील ने हाईकोर्ट के सामने एक वक्तव्य पेश किया था, जिसमें हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया गया था, कि मुख़बिरों के

लिए स्थायी प्रबन्ध कर दिया जायगा, पुलीस का पहरा हटा लिया जायगा और पुलीस के अफ़सर न तो मुख़बिरों से मिल सकेंगे, न उन पर किसी प्रकार का दबाव डाल सकेंगे।

(६) सबूत-पक्ष के इस प्रकार विश्वास दिलाने पर हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस सर शादीलाल और सर अब्दुल कादिर ने अभियुक्तों की अर्ज़ी २३ मई सन् १९३१ को ख़ारिज कर दी। उस सम्बन्ध में आप लोगों ने जो विचार प्रकट किए थे, वे इस प्रकार हैं :—

"ऐसी हालत में अब इस बात का भय नहीं रहा कि केस के जाँच करने वाले अफ़सर मुख़बिरों पर किसी प्रकार का दबाव डाल सकेंगे। अभियुक्तों को अब इस सम्बन्ध में तब तक किसी प्रकार की शिकायत करने का मौक़ा नहीं है, जब तक कि वे यह न प्रमाणित कर दें कि अफ़सरों को मुख़बिरों से मिलने और उन पर दबाव डालने के अवसर मिलते हैं।"

(७) हाईकोर्ट के उपरोक्त हुक्म के निकलने के बाद मुख़बिर मदनगोपाल की गवाही प्रारम्भ हुई। उसने अपनी गवाही में कहा है कि सी० आई० डी० के अफ़सर असिस्टेण्ट जेलर दौलतअली शाह की सहायता से अब भी मुझसे मिलते और लिखित बयान को कण्ठस्थ करने के लिए कहते हैं। मुख़बिर मदनगोपाल ने अपनी गवाही के समर्थन में अदालत के सामने एक काग़ज़ भी पेश किया था। इससे ज़ाहिर होता है कि मुख़बिर अब भी पुलिस के दबाव से बाहर नहीं हैं और सरकारी वकील ने हाईकोर्ट को जो विश्वास दिलाया था, उसका पालन नहीं किया जा रहा है!

(८) अभियुक्तों ने ता० २२ मार्च, सन् १९३१ को ट्रिब्यूनल से शिकायत की कि मुख़बिरों से सी० आई० डी० के अफ़सर और असिस्टेण्ट जेलर मिलते और उन पर दबाव डालते हैं और हाईकोर्ट के हुक्मों का पालन नहीं किया जा रहा है। परन्तु ट्रिब्यूनल ने २९ जून सन् १९३१ को अभियुक्तों की अर्ज़ी यह कह कर ख़ारिज कर दी कि यह अदालत इस मामले में जाँच नहीं कर सकती और न उसे रोकने का कोई उपाय ही कर सकती है।

ट्रिब्यूनल को क्या करना चाहिए था ?

(९) छोटी अदालत का यह कहना, कि वह मुख़बिरों से सी० आई० डी० के अफ़सरों का मिलना नहीं रोक सकती, ग़लत है। छोटी अदालत का यह देखना फ़र्ज़ है कि हाईकोर्ट के हुक्मों का शब्दों और भावों, दोनों प्रकार से पालन होता है या नहीं। शिकायतों की ओर केवल लाहौर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ध्यान आकर्षित कर देने और उनसे यह कह देने से कि यदि वे उचित समझें तो शिकायतों की जाँच करें, कोई लाभ नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक वे इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई करने का विचार करेंगे, तब तक मुख़बिरों की गवाही समाप्त हो जायगी। ट्रिब्यूनल को मुख़बिरों के लिए प्रबन्ध में कुछ ऐसा परिवर्तन करने का हुक्म देना चाहिए था, जिससे निष्पक्ष न्याय की रक्षा होती। ट्रिब्यूनल को मुख़बिरों की गवाही तब तक के लिए स्थगित कर देना चाहिए था, जब तक कि मुख़बिर पुलीस के दबाव से बिलकुल स्वतन्त्र न हो जाते।

(१०) जो हो, इस हाईकोर्ट को १८ अप्रैल सन् १९३१ के हुक्म के पालन कराने के लिए आवश्यक हुक्मों के निकालने, अदालत की कार्रवाई का दुरुपयोग रोकने और न्याय की रक्षा करने का पूरा हक़ है।

(११) बाबू दौलतअली शाह मुख़बिरों की देख-रेख रखने के कार्य से हटा दिए जायँ और मुख़बिर बोर्स्टल जेल से हटा कर सेन्ट्रल जेल में कर दिए जायँ।

(१२) प्रार्थना है कि हाईकोर्ट के १८ अप्रैल की आज्ञा का पालन कराया जाय, जिससे सी० आई० डी० के अफ़सर मुख़बिरों से मिलने और उन पर दबाव डालने का अवसर न पा सकें। बाबू दौलतअली शाह मुख़बिरों पर देख-रेख रखने के कार्य से हटा दिए जायँ। मुख़बिर बोर्स्टल जेल से हटा कर सेन्ट्रल जेल में कर दिए जायँ। इसके अतिरिक्त निष्पक्ष न्याय के लिए हाईकोर्ट जो अन्य उपाय उचित समझे, उनका प्रबन्ध करे। जब तक यह प्रबन्ध न हो जाय, तब तक मुख़बिरों की गवाही स्थगित रक्खी जाय।

लाहौर ८ जुलाई। ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट मि० ब्लैकर के छुट्टी ले लेने के कारण दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस की सुनवाई १० रोज़ के लिए स्थगित हो गई थी। आज तारीख़ ८ जुलाई को सुनवाई होने वाली थी।

अदालत में सफ़ाई के वकील और कुछ सबूत के गवाह उपस्थित थे। ट्रिब्यूनल के एक सदस्य रायबहादुर गङ्गाराम सोनी ने अदालत में उपस्थित लोगों को सूचना देते हुए बतलाया कि झेलम नदी में बाढ़ आ जाने के कारण श्रीनगर और रावलपिण्डी के बीच के कोहला और दूसरे पुल बह गए हैं, जिससे मि० ब्लैकर लाहौर नहीं पहुँच सके। इसलिए अदालत शनिवार तक के लिए स्थगित हो गई।

आज तारीख़ ८ जुलाई को लाहौर हाईकोर्ट ने दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों की ओर से ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा ४३९ और ५६१-ए के अनुसार दी हुई उस अर्ज़ी पर विचार किया, जिसमें हाईकोर्ट से प्रार्थना की गई थी कि मुख़बिरों के हिरासत में रखने के सम्बन्ध में हाईकोर्ट ने जो पहले हुक्म जारी किया था, उसका पालन कराया जाय और सी० आई० डी० अफ़सरों को मुख़बिरों से मिलने और उन पर किसी प्रकार के दबाव डालने का मौक़ा न दिया जाय। अर्ज़ी में यह भी प्रार्थना की गई थी कि बाबू दौलतअली शाह मुख़बिरों पर देख-रेख रखने के कार्य से हटा दिए जायँ। और मुख़बिर बोर्स्टल जेल से सेन्ट्रल जेल में कर दिए जायँ। इसके अतिरिक्त और जो उपाय हाईकोर्ट निष्पक्ष न्याय के लिए आवश्यक समझे, कर सकती है। यह भी कहा गया था कि जब, तक मुख़बिरों के सम्बन्ध में उचित प्रबन्ध न हो जाय, तब तक मुख़बिरों की गवाही स्थगित रक्खी जाय।

अभियुक्तों की ओर से बहस करने के लिए मि० सुमेरचन्द और मि० श्यामलाल उपस्थित थे।

मि० सुमेरचन्द ने कहा कि इस केस में ६ मुख़बिर हैं। चार महीने तक वे पुलीस की हिरासत में रहे। बाद में अभियुक्तों की ओर से यह शिकायत होने पर कि पुलीस मुख़बिरों पर बेजा दबाव डालती है, हाईकोर्ट ने उन्हें पुलीस की हिरासत से हटा कर न्यायालय विभाग की हिरासत में कर देने का हुक्म जारी कर दिया। यह इस मामले का प्रथम अध्याय था। हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक़ मुख़बिर पुलीस की हिरासत से हटा कर न्यायालय विभाग की हिरासत में कर दिए गए। परन्तु पुलीस का पहरा ज्यों का त्यों बना रहा। हाईकोर्ट से इसकी शिकायत की गई, जिसके परिणाम-स्वरूप गवर्नमेण्ट ने पुलीस का पहरा हटा लेना स्वीकार कर लिया। यह इस मामले का द्वितीय अध्याय था। इसका तीसरा अध्याय इस वक़्त हाईकोर्ट के सामने उपस्थित है। बोर्स्टल जेल के असिस्टेन्ट जेलर बाबू दौलतअली शाह, जिन्हें मुख़बिरों की देख-रेख रखने का कार्य दिया गया था, पुलीस से मिले हुए हैं। वे सी० आई० डी० पुलिस के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेण्ट सैयद अहमद शाह को जेल के पीछे के रास्ते से ले जाकर मुख़बिरों से मिलाया करते थे। यह अर्ज़ी अभियुक्तों ने ऐसी कार्रवाइयों के रोकने के लिए पेश की है।

मुख़बिर के बयान

मि० सुमेरचन्द ने मुख़बिर मदनगोपाल के बयान का वह अंश अदालत के सामने पढ़ कर सुनाया, जिसमें उसने कहा था कि डी० एस० पी० सैयद अहमदशाह बोर्स्टल जेल में मेरी कोठरी में आए, मुझे दिल्ली षड्यन्त्र केस के मुख़बिर कैलाशपति के बयान की अङ्गरेज़ी नक़ल दी और उसकी उन बातों को कण्ठस्थ कर लेने के लिए कहा, जोकि दिल्ली और लाहौर षड्यन्त्रों से मिलती-जुलती हों। उन्होंने मुख़बिर से कहा कि बयान में परस्पर विरोधी बातें न होनी चाहिए।

जस्टिस टैप—मुख़बिर को काग़ज़ देख कर अपनी याद-दाश्त ताज़ी करने का अधिकार है। इसमें हर्ज ही क्या है?

वकील—हर्ज कोई नहीं है। परन्तु क़ानूनन् वह अदालत में ही याददाश्त ताज़ी कर सकता है।

जस्टिस भिडे—अदालत में जाने के पहले भी वह अपनी याददाश्त ताज़ी कर सकता है। सम्भव है, डी० एस० पी० इजाज़त लेकर जेल के अन्दर गया हो। उसमें दोष ही क्या है?

वकील—क़ानूनन् डी० एस० पी० जेल के अन्दर मुख़बिर के पास नहीं जा सकता। सबूत-पक्ष का तो कहना है कि डी० एस० पी० के जेल में जाने और मुख़बिर से मिलने आदि की बातें ग़लत हैं।

जस्टिस भिडे—क्या सबूत-पक्ष का कहना है कि डी० एस० पी० वहाँ गया ही नहीं?

वकील—जी हाँ।

जस्टिस टैप—मुख़बिर ने डी० एस० पी० के हाथ का लिखा एक काग़ज़ भी पेश किया है।

वकील—जी हाँ।

जस्टिस भिडे—यह अर्ज़ी लेकर हाईकोर्ट में आने की आपको ज़रूरत ही क्या है, जब इस तरह का बयान मिसिल में दर्ज है? यह तो सबूत-पक्ष को साबित करना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं हुई।

जस्टिस टैप—इस वक़्त मिसिल में एक ऐसी बात दर्ज है, जिसका सबूत की ओर से विरोध नहीं हुआ। यह तुम्हारे पक्ष के लाभ की बात है। आप अर्ज़ी पेश करके अपने विरोधी को उस बात के काटने का अवसर क्यों देते हैं? गवाही के ऊपर छाए हुए बादल को आप स्वयं ही क्यों हटाना चाहते हैं?

वकील—हम इस मुख़बिर के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं चाहते। हम केवल दूसरे मुख़बिरों के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक प्रबन्ध चाहते हैं।

जजों ने यह कह कर अर्ज़ी ख़ारिज कर दी कि इस सम्बन्ध में हाईकोर्ट की तरफ़ से आवश्यक हिदायतें दी जा चुकी हैं। इस प्रश्न पर फिर से विचार करने का कोई कारण नहीं है।

(क्रमशः)

* * *

दिल्ली षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

आज ता० २९ जून को स्पेशल ट्रिब्यूनल में मुख़बिर कैलाशपति पर दर्शकों की गैलरी से एक व्यक्ति ने दो जूते फेंके। मुख़बिर बच गया, परन्तु इस घटना से इम्पीरियल सेक्रेटेरियट भवन में सनसनी छा गई। जूतों के फेंकने के साथ ही साथ उस व्यक्ति ने "मुख़बिर का नाश हो", "गाँधी का नाश हो", "राष्ट्रीय झण्डा ऊँचा हो" आदि के नारे लगाए। जूते फेंकने वाला व्यक्ति गिरफ़्तार करके पुलिस के कमरे में पहुँचा दिया गया।

अभियुक्त विद्याभूषण और वात्सायन, जोकि बीमार हो जाने के कारण पहले की दो पेशियों में हाज़िर नहीं हो सके थे, आज की कार्रवाई में उपस्थित थे।

साढ़े दस बजे मुख़बिर की जिरह प्रारम्भ हुई। मुख़बिर ने कहा कि अभियुक्त वात्सायन दिल्ली आने पर बम-फ़ैक्टरी में ठहरा करता था। गाडोदिया स्टोर की लूट में मुझे जो रुपए दिए गए थे, वे करेन्सी नोट के रूप में दिए गए थे। मैंने सौ रुपए वाले नोटों को तीन-चार बार हरद्वारीलाल के हिस्सेदार चन्द्रभान के मार्फ़त भुनाया था। मदनगोपाल ने जो बन्दूक़ मुझे दी थी, उसे मैंने सितम्बर महीने में अन्य वस्तुओं के साथ कपूरचन्द के यहाँ भेज दी थी।

इसके बाद मुख़बिर ने क्रान्तिकारियों के दल में पुकारे जाने वाले नाम बताए।

श्री० चन्द्रशेखर—"आज़ाद", "महाशय जी", "पण्डित जी", "गुप्त", "रामनरायन गुप्त" और "भाई साहब।"
श्री० भगवतीचरण—"हरीश" और "अर्जुन।"
श्री० यशपाल—"जगदीश" "सोहनसिंह" और "प्रान।"
श्री० विद्याभूषण—"रमेश।"
श्री० वैशम्पायन—"शिव" और "बच्चन।"
श्री० सत्गुरुदयाल अवस्थी—"कपूर।"
श्री० वीरभद्र तिवारी—"भैया।"
श्री० धन्वन्तरि—"प्रेम" और "धनी।"
श्री० सम्पूर्नसिंह टण्डन—"आसफ़।"
श्री० सुखदेवराज—"शिराज।"
श्री० एम० पी० अवस्थी—"ख़म्भार।"
श्री० सदाशिवराव—"सखाराम।"
श्री० भगवानदास—"कैलाश।"
श्री० शङ्करराव—"डबल रोटी।"
श्री० डी० बी० तैलङ्ग—"मुण्ड।"
श्री० सदाशिवराव गजानन्द पोद्दार—"पी।"
श्री० विश्वेश्वरनाथ—"लेफ़्टिनेण्ट।"
श्री० प्रोफ़ेसर निगम—"साहिब।"
श्री० ख़ुशीराम—"जगदीश।"
श्री० भवानीसिंह—"रणवीरसिंह", "सिंह" और "बागर।"
श्री० भवानीसहाय—"रामप्रसाद।"
श्री० हज़ारीलाल—"श्रीकृष्ण", "तारा", "पाण्डे" और "रामूँ।"
श्री० भागीरथ—"चञ्चल।"
श्री० कपूरचन्द—"हरीराम।"
श्री० गिरिवरसिंह—"गङ्गाराम।"
श्री० विमलप्रसाद—"जैन", "शङ्कर" और "बालम।"
श्री० हरकेश—"मास्टर।"
श्री० छैलबिहारी—"सूरज" और "मास्टर।"
श्री० रामलाल—"भूत।"
श्री० विशम्भरदयाल—"भगवती" और "भाई साहब।"
श्री० बाबूराम गुप्त—"बाबू।"
श्री० ख़्यालीराम गुप्त—"चतुर्भुज" और "गुप्त।"
श्री० मदनगोपाल—"केवल" और "मुन्शी।"
श्री० केशवचन्द्र—"भूतनाथ।"
श्री० रुद्रदत्त—"कैलाश।"
श्री० रामचन्द्र बापट—"कपिल।"
श्री० लेखराम—"जाट।"
श्रीमती दुर्गादेवी—"भाभी।"
श्री० रामचन्द्र शर्मा—"शर्मा।"
श्रीमती प्रकाशो—"सरला।"

प्रश्न—दल में तुम्हारा क्या नाम था?

मुख़बिर—"राजबली प्रसाद," "रघुनाथ प्रसाद," "सीतल," "कालीचरन" और "दयाकृष्ण।"

प्रश्न—दल के और कौन सदस्य थे?

मुख़बिर—"दीदो," "साइन्टिस्ट" (वैज्ञानिक), हरद्वारीलाल और कुछ अन्य व्यक्ति।

इसके बाद मुख़बिर ने एक-एक करके अभियुक्तों की ओर सङ्केत करते हुए उनके नाम बतलाए।

अभियुक्त पर जूते फेंके गए

इसके बाद मुख़बिर के सामने अनेकों पुस्तकें, रजिस्टर और काग़ज़-पत्र शनाख़्त करने के लिए पेश किए गए। ज्योंही मुख़बिर का ध्यान "हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन" के छपे नियमों की ओर गया, त्योंही बलवन्तसिंह नाम के एक नवयुवक कॉलेज के विद्यार्थी ने दर्शकों की गैलरी से मुख़बिर की ओर एक-एक करके दो जूते फेंक कर मारे। एक जूता मुख़बिर के दाहिनी ओर जाकर गिरा और दूसरा कठघरे की दाहिनी ओर लग कर ज़मीन पर गिर पड़ा। सारजण्ट वैलक ने जूतों को उठा लिया और एक सिक्ख सब-इन्स्पेक्टर ने अभियुक्त को गिरफ़्तार कर लिया, जिसने "मुख़बिर का नाश हो" "गाँधी का नाश हो" और "राष्ट्रीय झण्डा ऊँचा हो" के नारे लगाए।

अभियुक्त को सारजण्ट वैलक ने ले जाकर पुलिस के कमरे में बन्द कर दिया। अदालत की कार्रवाई जारी रही। अभियुक्त जलपान के समय ट्रिब्यूनल के सामने पेश किया जायगा।

अदालत में पेश काग़ज़ों में 'गोरकी' का अनुवादित उपन्यास 'मदर', हिन्दी पुस्तकों का सूचीपत्र और पिक-रिक तथा बारूद आदि बनाने के नुस्ख़े मौजूद थे।

अभियुक्त विद्याभूषण ने इस बात का तीव्र विरोध किया कि काग़ज़ों का परिचय कोर्ट-इन्स्पेक्टर दे रहा है। उनका परिचय मुख़बिर को स्वयं देना चाहिए।

उन काग़ज़ों में मुख़बिर का लिखा एक मसविदा भी मौजूद था। मुख़बिर ने कहा कि इसे मैंने अपनी गिरफ़्तारी के कुछ दिन पहले लिखा था। उस मसविदा में मैंने क्रान्तिकारी दल के सामने पेश करने के लिए अपना बयान लिखा था। मैंने दल से इस्तीफ़ा दे देने का निश्चय कर लिया था।

आज अदालत में सबूत-पक्ष ने दर्जनों काग़ज़-पत्र मुख़बिर द्वारा शनाख़्त कराने के लिए उपस्थित किए। उनमें से अधिकतर मुख़बिर की तलाशी के वक़्त प्राप्त हुए थे। उन काग़ज़ों में "अखिल भारतीय सोशलिस्ट कॉङ्ग्रेस" के विधान का एक मसविदा भी था। मुख़बिर दल से इस्तीफ़ा देने के बाद उपरोक्त संस्था का सङ्गठन करना चाहता था। "क्रान्ति और भारतीय क्रान्तिकारी" शीर्षक लेख की तथा गन-कॉटन के छपे हुए नुस्ख़े की नक़ल की मुख़बिर ने शनाख़्त की। मुख़बिर ने कहा कि इस नुस्ख़े को "साइन्टिस्ट" ("वैज्ञानिक") ने जॉन रीड की केमिस्ट्री से नक़ल किया था। नुस्ख़े की नक़ल के अतिरिक्त अदालत के सामने बहुत सी विज्ञान, इतिहास, राजनीति और क्रान्ति सम्बन्धी पुस्तकें मौजूद थीं।

जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर मि० आसफ़अली ने अदालत का ध्यान अभियुक्त हरकेश को उस अर्ज़ी की ओर आकर्षित किया, जिसमें अभियुक्त को गिरफ़्तारी के समय पुलिस द्वारा क़ब्ज़े में कर ली गई वस्तुओं के लौटा देने की प्रार्थना की गई थी। ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेन्ट ने इस सम्बन्ध में हुक्म जारी करने का वचन दिया। इसके बाद मि० आसफ़अली ने अदालत से यह प्रार्थना की कि जेल से आए हुए उस रजिस्टर के देखने की हम लोगों को आज्ञा दे दी जाय, जिसके लिए कुछ दिन पहले सफ़ाई की ओर से अर्ज़ी पेश की जा चुकी है। अदालत ने यह प्रार्थना भी मन्ज़ूर कर ली।

हाईकोर्ट की नज़ीर

इसके बाद मि० आसफ़अली ने अदालत का ध्यान हाईकोर्ट की उस नज़ीर की ओर आकर्षित किया, जिसमें कहा गया था कि सेशन कोर्ट में पेश होने वाले सब काग़ज़ातों को खुली अदालत में सब अभियुक्तों के सामने पूरी तरह से पढ़ कर सुना देना चाहिए। आपने कहा कि ऐसी हालत में, जबकि सबूत-पक्ष उन काग़ज़ातों के अन्दर लिखी बातों को सफ़ाई के विरुद्ध अपना आधार बना रहा हो, पढ़ कर सुना देना और भी आवश्यक हो जाता है। यदि सबूत-पक्ष काग़ज़ातों में लिखी बातों का वैसा प्रयोग न करने वाला हो तब बात दूसरी है। इस पर ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेन्ट ने कहा कि जब अभियुक्तों को अदालत में पेश काग़ज़ातों की नक़लें मिल ही जाती हैं, तब उन्हें अदालत में पढ़ कर सुनाने से क्या लाभ?

कोर्ट-इन्स्पेक्टर सरदार भागसिंह ने कहा कि ये बातें इस अदालत में नहीं लागू होतीं।

मि० आसफ़अली ने सरदार भागसिंह द्वारा उत्तर दिए जाने का घोर विरोध किया। आपने कहा कि यह बात पेशी की मर्यादा के ख़िलाफ़ है। कोर्ट-इन्स्पेक्टर ने उत्तर देकर सरकारी वकील के अधिकार पर हस्तक्षेप किया है।

सरकारी वकील ने उठ कर उत्तर देते हुए मि० आसफ़अली से कहा कि सब काग़ज़ातों के पढ़ कर सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं हो सकता। अदालत ने मि० आसफ़अली की बात को नामञ्ज़ूर कर दिया।

क्रान्तिकारी पुस्तकें

पुस्तकों में निम्न-लिखित पुस्तकें पेश की गई थीं। "दि रोमैन्स ऑफ़ आयरिश हीरोज़" (आयर्लैण्ड के वीरों की कथा), "दि फ़िलॉसफ़ी एण्ड फ़्रेञ्च रिवॉल्यूशन" (दर्शन और फ़ान्स की राज्यक्रान्ति), "इण्डियाज़ वार ऑफ़ इण्डिपेण्डेन्स" (भारत का स्वाधीनता संग्राम), "रशियन रिवॉल्यूशन" (रूस की राज्यक्रान्ति), "कम्यूनिज़्म" (साम्यवाद), "अप्टन सिन्क्लेयर्स लाइफ़" (अप्टन सिन्क्लेयर का जीवन-चरित्र) इत्यादि।

एक काग़ज़ ऐसा था, जिसमें भगवतीचरण की रचित एक पञ्जाबी कविता लिखी थी। महात्मा गाँधी के नाम मुख़बिर ने जो पत्र लिखा था, उसकी उसने शनाख़्त की।

अभियुक्तों ने कोर्ट-इन्स्पेक्टर के प्रश्नों के न सुन सकने की अदालत से शिकायत की।

विद्याभूषण ने प्रेज़िडेन्ट को सम्बोधित करते हुए कहा—"मि० प्रेज़िडेन्ट, क्या यह मुक़द्दमा हम लोगों के लिए हो रहा है? हम लोगों को न तो कोर्ट-इन्स्पेक्टर की बात सुनाई पड़ती है, न मुख़बिर की।"

इस पर प्रेज़िडेन्ट ने मुख़बिर से ज़ोर से बोलने के लिए कहा।

इसके बाद अदालत स्थगित हो गई।

कल मुख़बिर पर जूते फेंकने की घटना के कारण आज ता० ३० की स्पेशल ट्रिब्यूनल की बैठक में दर्शकों की गैलरी में पहले से ही विशेष प्रबन्ध कर लिया गया था। गैलरी की कुर्सियाँ ५ फ़ीट पीछे हटा दी गई थीं और दर्शकों के बीच में सी० आई० डी० और तीन पुलिस के आदमी बैठा दिए गए थे। दर्शकों के बैठने के स्थान भी कम कर दिए गए थे। कुछ लोगों को एक घण्टा बाहर खड़े रहने के बाद प्रवेश-पत्र मिले।

मि० आसफ़अली ने मुख़बिर कैलाशपति के अन्य मुख़बिरों से अलग रक्खे जाने के सम्बन्ध में जो अर्ज़ी दी थी, उसके समर्थन में कहा कि मुख़बिर कैलाशपति अन्य मुख़बिरों से अलग रक्खा जाय; जिससे वह जिरह में पूछे हुए प्रश्नों पर आपस में बातचीत न कर सके और अपनी गवाही की कमी की पूर्ति दूसरे मुख़बिरों द्वारा न करा सके। आपने कहा कि जेल में स्थान बहुत काफ़ी है, मुख़बिर एक दूसरे से अलग रक्खे जा सकते हैं। एक मुख़बिर सिविल वार्ड में एक महीने से अलग ही रक्खा जा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि मुख़बिर तीन जगह अलग-अलग रक्खे जायँ।

रायबहादुर कुँवरसेन—क्या आप मुख़बिरों को कम से कम तीन दलों में विभाजित कराना चाहते हैं?

मि० आसफ़अली—जी हाँ, कम से कम तीन दलों में विभाजित कराना चाहता हूँ। यदि यह सम्भव न हो तो दूसरा उपाय यह है कि पहले सब मुख़बिरों की गवाहियाँ एक-एक के बाद लगातार हो जायँ, इसके बाद जिरह प्रारम्भ हो। अदालत को इस ढङ्ग से कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार है। मुझे आशा है कि सरकारी वकील मेरी इस प्रार्थना का विरोध न करेंगे, क्योंकि इसमें उन्हें कोई असुविधा न होगी।

सरकारी वकील ने मि० आसफ़अली का उत्तर देते हुए कहा कि पहली दफ़ा जब इस सम्बन्ध में अर्ज़ी पेश हुई थी, तब सबूत-पक्ष सफ़ाई-पक्ष की बात मानने के लिए तैयार था, यदि उसे केवल मुख़बिरों की सुरक्षा का निश्चय हो जाता। सबूत-पक्ष का अब भी वही विचार है। सबूत-पक्ष को अपने मामले की मज़बूती पर विश्वास है, वह सफ़ाई-पक्ष के किसी न्यायोचित अधिकार का अपहरण नहीं करना चाहता। मुख़बिरों के अलग-अलग रखने के सम्बन्ध में विचारणीय बात जगह की नहीं है। मुख्य प्रश्न मुख़बिरों की सुरक्षा का है। यह बात ठीक है कि मुख़बिर रामलाल अन्य मुख़बिरों से अलग सिविल वार्ड में रक्खा गया है। परन्तु उसके सम्बन्ध में जेल-अधिकारियों को किसी प्रकार के ख़तरे की आशङ्का नहीं थी। मुख़बिर रामलाल स्वयं उस स्थान में अपने को सुरक्षित नहीं समझता और उसे किसी अधिक सुरक्षित स्थान में हटाने का विचार हो रहा है। अन्त में आपने कहा कि जेल के मौजूदा प्रबन्ध और स्थान को देखते हुए मुख़बिरों का अलग-अलग करके रक्खा जाना सम्भव नहीं है।

मि० आसफ़अली द्वारा बताए दूसरे उपाय के सम्बन्ध में सरकारी वकील ने कहा कि इस केस में ऐसी कोई असाधारण बात नहीं है, जिससे क़ानून की प्रचलित पद्धति में परिवर्तन किया जाय। साधारणतया नियम यह है कि गवाही के बाद ही जिरह भी हो जाती है। कोई कारण नहीं है कि जिरह तब तक के लिए स्थगित रक्खी जाय, जब तक कि सब मुख़बिरों की गवाही न समाप्त हो जाय। मुख़बिर की लगातार गवाही लेना मेरे लिए असुविधाजनक होगा। इसके बाद आपने कहा कि सफ़ाई-पक्ष की सुविधा से मेरा कोई सरोकार नहीं है। परन्तु सफ़ाई-पक्ष को अपनी सुविधा का ख़्याल रखने का पूरा अधिकार है।

विचित्र तर्क

मि० आसफ़अली ने सरकारी वकील की बातों का उत्तर देते हुए कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मैं सरकारी वकील को उनके तर्कों के लिए बधाई दूँ या उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करूँ। सरकारी वकील ने आज एक विचित्र ही तर्क उपस्थित किया है। मुख़बिर रामलाल से सरकार नाराज़ हो गई है, इसलिए जेल के अधिकारी उसे कहीं भी रखने में उसकी जान का ख़तरा नहीं समझते। मि० आसफ़अली ने कहा कि सफ़ाई-पक्ष सभी मुख़बिरों की सुरक्षा चाहता है। सरकारी वकील ने कहा—कि मुझे सफ़ाई-पक्ष की सुविधा से कोई मतलब नहीं है, परन्तु "मैं न्याय के नाम पर ट्रिब्यूनल से प्रार्थना करता हूँ कि वह अभियुक्तों की सुविधा पर ध्यान दे।" सरकार को सुविधा की कमी नहीं है। उसके हाथ में अपरिमित ख़ज़ाना, अगणित क़ानूनी सलाहकार, असंख्य कर्मचारी और शासन के सब विभाग ही हैं। सुविधा की ज़रूरत तो इन अभियुक्तों को है, जिनके पास किसी प्रकार के साधन नहीं हैं। वास्तव में इस षड्यन्त्र केस का एकमात्र आधार मुख़बिरों की गवाही है। कोई भी स्वतन्त्र गवाह उनका समर्थक नहीं है, ऐसी हालत में ट्रिब्यूनल का यह फ़र्ज़ है कि वह ऐसा प्रबन्ध करे, जिससे जिरह के समय मुख़बिर एक-दूसरे से मिल न सकें। किसी भी गवाह पर किसी प्रकार का बाहरी दबाव न पड़ना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि अब मुख़बिरों को एक साथ मिल कर क़िस्से गढ़ने का अवसर न मिलना चाहिए। "ईश्वर के लिए, जिरह के समय मुख़बिरों को अलग-अलग रख कर एक सुअवसर अभियुक्त-पक्ष को भी देने की कृपा कीजिए।" यूरोपियन वार्ड के बग़ल वाले तीन कार्यालयों में मुख़बिरों के रहने के लिए यथेष्ट स्थान है। वह स्थान सुरक्षित भी है। आपने कहा कि एक बार सफ़ाई-पक्ष को भी मामले की यथार्थता प्रकट करने का अवसर मिलना चाहिए।

मुख़बिरों की लगातार गवाही होने और जिरह स्थगित रहने के सम्बन्ध में मि० आसफ़अली ने "इवीडेन्स ऐक्ट" की दफ़ा १३९ का हवाला देते हुए कहा कि अदालत को इस विषय में अपने विचार के अनुकूल कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। आपने कहा कि यदि अनेक साधारण मामलों तक में गवाहों की जिरह स्थगित रक्खी जा सकती है, तो इस मामले में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? बहस सुन लेने के बाद अर्ज़ी पर फ़ैसला सुनाने के लिए अदालत ने बुधवार का दिन नियत किया।

इसके बाद षड्यन्त्र सम्बन्धी वस्तुओं की शनाख़्त करने की कार्रवाई प्रारम्भ हुई। मुख़बिर कैलाशपति प्रत्येक वस्तु की शनाख़्त करता गया और अदालत उसे दर्ज करती गई। इस कार्रवाई के बीच में अभियुक्तों ने कई बार शिकायत की कि कोर्ट-इन्स्पेक्टर द्वारा मुख़बिर से पूछे गए प्रश्न धीमे स्वर में होने के कारण सुन नहीं पड़ते। सरकारी वकील ने कहा कि अभियुक्त आपस में बातें करते हैं, इस कारण वे सुन नहीं पाते।

प्रोफ़ेसर निगम ने सरकारी वकील के कथन का घोर विरोध किया।

मि० आसफ़अली ने कहा कि काग़ज़ातों के मिसिल में दर्ज किए जाने के पहले, उनका मामले से कहाँ तक सम्बन्ध है, यह समझा देना आवश्यक है। अदालत ने मि० आसफ़अली की बात मान ली।

इसके बाद सबूत-पक्ष द्वारा उस पत्र के पेश करने पर, जोकि अभियुक्त हरद्वारीलाल ने अपने क़ानूनी सलाहकार को लिखा था, दोनों पक्षों में उत्तेजनापूर्ण बहस छिड़ गई।

सफ़ाई के वकील मि० एस० एन० बोस ने इस पत्र के पेश किए जाने का विरोध किया। 'इवीडेन्स ऐक्ट' की १२६वीं दफ़ा का हवाला देते हुए आपने कहा कि अभियुक्त द्वारा क़ानूनी सलाहकार को दी गई सलाहें प्रकट नहीं की जा सकतीं।

कोर्ट-इन्स्पेक्टर—यह पत्र अभियुक्त की सहधर्मिणी से प्राप्त हुआ है, जबकि वह जेल में अपने पति से मिलने के लिए गई थी। अभियुक्त ने जेल-नियमों के विरुद्ध यह पत्र उसको दिया था।

अभियुक्त विद्याभूषण—हरगिज़ नहीं, यह बिल्कुल झूठ है।

मि० आसफ़अली ने कहा—क़ानूनन् स्त्री और पति के बीच की लिखा-पढ़ी गुप्त रक्खी जा सकती है। यह पत्र अनुचित ढङ्ग से प्राप्त किया गया है।

इस प्रश्न पर मि० आसफ़अली और सरकारी वकील में बहुत उत्तेजनापूर्ण बहस छिड़ गई, जिसमें दोनों ओर से "अनुचित ढकसाइट", "अशिष्ट आक्षेप", "अन्यायपूर्ण कथन" आदि कठोर शब्द प्रयोग किए गए। मि० आसफ़अली ने आख़ीर में कहा कि हम अत्यन्त विपरीत परिस्थितियों में अपना कर्त्तव्य पालन कर रहे हैं, सबूत-पक्ष को हमारे प्रति कुछ कम अन्याय-युक्त होना चाहिए।

इस प्रश्न पर लगभग आध घण्टे तक बहस होती रही। अदालत ने सफ़ाई-पक्ष की बात नहीं मानी और पत्र को पेश करने की आज्ञा दे दी।

इसके बाद कुछ और काग़ज़ों के पेश करने के बाद अदालत स्थगित हो गई।

आज ता० १ जुलाई को दिल्ली षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेन्ट ने अभियुक्त-पक्ष की ओर से पेश की गई उस अर्ज़ी पर फ़ैसला सुनाया, जिसमें मुख़बिर कैलाशपति को अन्य मुख़बिरों से अलग रक्खे जाने के लिए कहा गया था। प्रेज़िडेन्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि यदि मुख़बिर कैलाशपति अन्य मुख़बिरों से अलग रक्खा जा सकता, तो सफ़ाई-पक्ष के कथनानुसार अच्छा ही होता। परन्तु मैं सरकारी वकील के इस कथन से सहमत हूँ कि डिस्ट्रिक्ट जेल में न तो इसके लिए यथेष्ट स्थान है, न मुख़बिरों की सुरक्षा का व्यक्तिगत प्रबन्ध ही हो सकता है।

इस सम्बन्ध में सफ़ाई-पक्ष ने जो दूसरी बात पेश की है, वह यह है कि पहले सब मुख़बिरों की गवाही हो जाय, इसके बाद उनकी जिरह प्रारम्भ हो। परिस्थितियों को देखते हुए, ट्रिब्यूनल का विचार है कि क़ानून की जो पद्धति हिन्दुस्तान भर की अदालतों में प्रचलित है, उसको बदलना उचित न होगा। इसलिए अर्ज़ी ख़ारिज की जाती है।

इसके बाद षड्यन्त्र सम्बन्धी वस्तुओं की मुख़बिर कैलाशपति ने शनाख़्त की।

इसके बाद अदालत बृहस्पतिवार तक के लिए स्थगित हो गई।

ता० २ जुलाई को स्पेशल ट्रिब्यूनल की बैठक में दिन का अधिक हिस्सा षड्यन्त्र सम्बन्धी वस्तुओं की शनाख़्त में लग गया। मुख़बिर कैलाशपति ने आज अपना बयान समाप्त कर दिया। शनाख़्त के लिए जो वस्तुएँ पेश की गई थीं, उनमें से बहुत सी वस्तुएँ क़ुतुबवालाँ बम-फ़ैक्टरी और भिन्न-भिन्न अभियुक्तों के मकानों से मिली थीं। जिनमें लिटीमस पेपर, तौलने के बटखरे, ट्यूब,

पिकरिक एसिड, धोने के बर्तन, फ़ाइल, जूते, कम्बल, कपड़े, मोटर साइकिल के हिस्से और स्टूल आदि थे।

एक प्रश्न के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि स्टूल मैंने या ख़्यालीराम या विमलप्रसाद जैन ने ख़रीदे थे। (इस पर हँसी हुई)

किसी अभियुक्त ने कहा—या सरदार जी (कोर्ट इन्स्पेक्टर) भी क्यों नहीं जोड़ देते ?

उपस्थित वस्तुओं में पिकरिक एसिड बनाने के लिए शीशे के गिलास भी थे।

इन वस्तुओं के सम्बन्ध में यह प्रश्न करने पर कि उन्हें कौन ख़रीद कर फ़ैक्टरी में लाया था, मुख़बिर कैलाशपति ने कहा कि, "जहाँ तक मेरा ख़्याल है, शायद इन्होंने या उन्होंने ख़रीदा होगा।" इस पर मि० आसफ़अली ने कहा कि यह कोई गवाही नहीं है, यह तो अनुमान मात्र है। मुख़बिर इस विषय में अनिश्चित है। अदालत के सामने शनाख़्त के लिए पेश की गई वस्तुओं में गन्धक, दस बोतल सलफ़्यूरिक एसिड (जिनको शायद मुख़बिर कैलाशपति ने बाबूराम की दूकान से ख़रीदा था।), गनकॉटन, फ़नेल, पिक्रोक्लोरिन गैस, शीशे के पाँच गिलास, डेग्सिटी बोतल, रबर ट्यूब, भोजन बनाने के बर्तन, प्रोफ़ेसर निगम की एक फ़ाउण्टेन पेन और हवाई पिस्तौलों को साफ़ करने वाली एक ब्रश थी। अभियुक्तों का कठघरा हँसी से गूँज उठा, जब अदालत के सामने एक फटी-पुरानी रज़ाई, जिससे बहुत बदबू आ रही थी, शनाख़्त के लिए पेश की गई। मुख़बिर ने कहा कि रज़ाई मेरी है, मैंने इसे विशम्भरदयाल को दिया था। इसके बाद मुख़बिर ने पं० चन्द्रशेखर आज़ाद के कोट और निकर की शनाख़्त की, जिन्हें आज़ाद मुख़बिर के पास छोड़ गया था। इसके बाद मुख़बिर ने उस बी० एस० ए० मोटर साइकिल के पहियों, टायरों, एञ्जिनों और दूसरे पुर्ज़ों की शनाख़्त की, जिसका अभियुक्तों ने दिसम्बर सन् १९२९ में वॉयसरॉय की ट्रेन उड़ाने की स्कीम सोचने के अवसर पर उपयोग किया था।

मोटरकार

गाडोदिया स्टोर की डकैती में जिस मोटरकार पर बैठ कर अभियुक्त स्टोर लूटने गए थे, वह भी शनाख़्त के लिए पेश की गई। मुख़बिर ने कहा कि 'शेवरले' कार थी। इसके अतिरिक्त और उस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं जानता। कार की रोशनी के रङ्ग के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता।

ता० ३ जुलाई को दिल्ली षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने सबूत की ओर से शनाख़्त के लिए मुख़बिर कैलाशपति का वह बयान पेश किया गया, जो कि उसने मामले के प्रारम्भ में फ़र्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट मि० ईसर के सामने दिया था। सफ़ाई के वकील मि० आसफ़अली ने उपरोक्त बयान के पेश किए जाने का विरोध किया। आपने कहा कि यह बयान मुख़बिर कैलाशपति का नहीं मालूम होता। सफ़ाई के वकील मि० एस० एन० बोस ने कहा कि यह बयान अपराध करने के समय या उसके आस-पास किसी समय नहीं दिया गया था, इसलिए वह पेश नहीं किया जा सकता। अपराध का कार्य सन् १९२५ में प्रारम्भ हुआ था और बयान सन् १९३१ में दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त यह बयान केस की जाँच करने वाले किसी अफ़सर के सामने नहीं दिया था। आपने कहा कि इस बयान का इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस अदालत के सामने दिए गए बयान का न तो यह पूरी तरह से समर्थन ही करता है, न उसका विरोध ही करता है। वास्तव में वह बयान सैकड़ों विरोधी बातों से भरा हुआ है। आपने कहा कि इस अदालत के सामने दिए गए बयान के समर्थन में ही कोई बात पेश की जा सकती है।

प्रेज़िडेण्ट—बयान हिस्सों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वह पूरा का पूरा ही पेश किया जायगा।

मि० आसफ़अली की बहस

मि० आसफ़अली ने कहा कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा १६४ के अनुसार कोई भी बयान, दफ़ा १५७ के अनुसार पेश किए जाने लायक़ होते हुए भी, तब तक नहीं पेश किया जा सकता, जब तक कि दफ़ा १६४ के सम्पूर्ण नियमों का पालन न किया गया हो। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उपरोक्त बयान के दर्ज होते समय उस सम्बन्ध के सम्पूर्ण आवश्यक नियमों का पालन किया गया था।

ट्रिब्यूनल के एक सदस्य रायबहादुर कुँवरसेन ने कहा—क्योंकि इसकी गवाही देने के लिए मैजिस्ट्रेट अभी नहीं आए हैं।

मि० आसफ़अली ने अपनी बहस के सिलसिले में कहा कि दफ़ा १५७ के अनुसार अदालत में दिए गए बयान के केवल समर्थन में कोई बात पेश की जा सकती है। जब तक अदालत के सामने इस बात का सबूत न दे दिया जाय कि बयान दर्ज करने के जो नियम हैं, उन सबका उपरोक्त बयान के दर्ज करने में पालन किया गया है और जब तक इस बात का भी सबूत न दे दिया जाय कि बयान मुख़बिर ने अपने आप बिना किसी बाहरी दबाव के दिया था, तब तक सबूत की ओर से पेश किया जाने वाला मुख़बिर का यह बयान काग़ज़ का एक टुकड़ा मात्र है।

सरकारी वकील का उत्तर

सरकारी वकील ने मि० आसफ़अली के उत्तर में कहा कि दफ़ा १६४ के अनुसार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बयान दर्ज करने का अख़्तियार है। आपने हाईकोर्ट की एक नज़ीर पेश करते हुए कहा कि किसी प्रश्न के समर्थन में ऐसा बयान तक पेश किया जा सकता है, जोकि पहले के किसी मामले में दिया गया हो। आपने कहा कि बयान विभाजित करके नहीं पेश किया जा सकता, वह पूरा का पूरा ही पेश किया जा सकता है। परन्तु सबूत की ओर से इस बात का विश्वास दिलाया जाता है कि वह अपने पक्ष-समर्थन के लिए केवल उन्हीं बातों का ज़िक्र करेगा, जिनका अदालत में दिए गए बयान से समर्थन होता होगा।

अधिकार का प्रश्न

मि० बोस ने सरकारी वकील के तर्क का उत्तर देते हुए कहा कि इस केस की जाँच फ़र्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट मियाँ जगदीशसिंह कर रहे थे, इसलिए मि० ईसर को इस सम्बन्ध में कारंवाई करने का अधिकार नहीं था। झण्डेवालाँ बम-फ़ैक्टरी फ़र्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट मियाँ जगदीशसिंह के हल्क़े में है। आपने ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा १६४ के सन् १९२३ वाले संशोधन का हवाला देते हुए कहा कि अदालत में मामले के प्रारम्भ होने के पहले जो बयान दफ़ा १६२ के अनुसार दर्ज किए जाते हैं, वे अदालत में मामले के चलते समय नहीं पेश किए जा सकते।

पहले दिल्ली षड्यन्त्र केस में मुख़बिर दीनानाथ के बयान का और इसी प्रकार दिल्ली के बनिया की हत्या के केस में, सबूत-पक्ष ने मुख़बिर के बयानों का ज़िक्र तक नहीं किया। इसलिए अदालत को इस बयान के पेश करने की इजाज़त न देनी चाहिए।

मि० आसफ़अली ने कहा कि जब तक उस समय के सिटी मैजिस्ट्रेट और आजकल के एडीशनल मैजिस्ट्रेट मि० ईसर अदालत के सामने पेश नहीं किए जाते तब तक सबूत-पक्ष यह बात नहीं साबित कर सकता कि मुख़बिर कैलाशपति का बयान क़ानून के अनुसार दर्ज किया गया था।

मि० आसफ़अली ने कहा कि बयान मुख़बिर कैलाशपति का नहीं है। बयान की अङ्गरेज़ी भाषा से ज़ाहिर होता है कि वह मुख़बिर कैलाशपति का बयान नहीं है। ट्रिब्यूनल बयान के अक्षरों को देख कर स्वयं ही निर्णय कर सकता है कि मुख़बिर कैलाशपति ऐसी भाषा में बयान दे सकता है या नहीं।

सम्पूर्ण बयान क़ानूनी कठिनाइयों से भरा पड़ा है। अगर सफ़ाई-पक्ष के विरोध करने पर भी सबूत-पक्ष उसे पेश करना ही चाहे तो वह कर सकता है।

सरकारी वकील ने मि० बोस की बात का उत्तर देते हुए कहा कि अधिकार का प्रश्न ही नहीं है। कोई भी उपयुक्त मैजिस्ट्रेट मामले की जाँच कर सकता था।

अदालत ने इस प्रश्न पर निर्णय देने के लिए ता० ८ जुलाई नियत की है।

इसके बाद कोर्ट इन्स्पेक्टर ने भिन्न-भिन्न पुस्तकों, काग़ज़ों और अन्य वस्तुओं के पेश करने का कारण बतलाया। यह पूछने पर कि गोरकी-लिखित 'मदर' का हिन्दी अनुवाद क्यों पेश किया गया है, आपने बतलाया कि 'मदर' एक प्रसिद्ध रूसी लेखक की क्रान्तिकारी पुस्तक है।

इसके बाद मि० आसफ़अली ने अदालत से कुछ काग़ज़ातों की फ़ोटो देने की प्रार्थना की। अदालत ने प्रार्थना पर विचार करने के लिए उन काग़ज़ातों की फ़िहरिस्त देने के लिए कहा। मि० आसफ़अली ने अदालत से मुख़बिर कैलाशपति की गवाही की नक़ल जल्द से जल्द देने के लिए भी प्रार्थना की। प्रेज़िडेण्ट ने नक़ल जल्दी ही देने का वचन दिया। आपने कहा कि प्रेस इस विषय में सावधानी से कार्य नहीं कर रहा है।

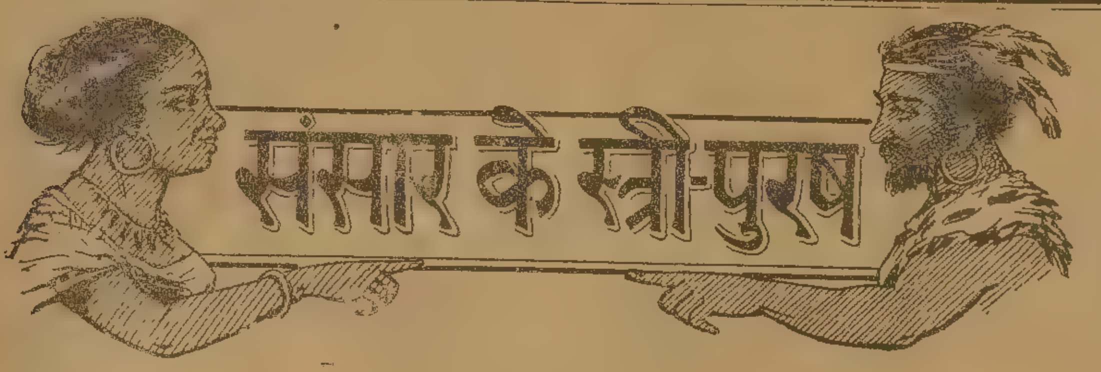
जलपान के बाद मुख़बिर कैलाशपति के बयान में जो कुछ बातें छूट गई थीं, उनके सम्बन्ध में मुख़बिर से प्रश्न करके उनकी पूर्ति कर दी गई।

आज की कारंवाई में लाहौर षड्यन्त्र केस के सफ़ाई के वकील लाला श्यामलाल एडवोकेट भी उपस्थित थे। आप अभियुक्त धन्वन्तरि से मिले।

इसके बाद अदालत ८ जुलाई तक के लिए स्थगित हो गई।

(क्रमशः)

* * *



आरमीनिया

[श्री० गोपाल गङ्गाधर भावे, बी० ए०]

आरमीनिया एशिया-माइनर का एक प्रान्त है, जिसमें रूसी आरमीनिया तथा तुर्की आरमीनिया ये दो भाग सम्मिलित हैं। रूस के राज्य-विप्लव के समय तक आरमीनिया में कॉकेशिया का दक्षिणी भाग तथा छः तुर्की प्रान्त सम्मिलित थे। राज्य-विप्लव के अनन्तर जॉर्जिया तथा अज़रबैजन ये दो प्रान्त स्वतन्त्र हो गए और शेष रूसी आरमीनिया में प्रजातन्त्र की घोषणा कर दी गई। सेव्रेस (Sevres) की सन्धि के द्वारा इस आरमीनिया के प्रजातन्त्र राज्य की स्थापना की गई और इसकी चतुःसीमा अमेरिका के प्रेज़िडेण्ट विल्सन ने निर्धारित की।

इसमें रूसी आरमीनिया का प्रजातन्त्र राज्य, जिसका क्षेत्रफल लगभग ८० हज़ार वर्गमील है, तथा वान, (Van), अरज़ेरम (Erzerum), बिटलिस (Bitlis) और ट्रेबिज़ोण्ड (Trebizond) की विलायतें सम्मिलित हैं। तुर्की आरमीनिया के रक्षण तथा शिक्षण का भार राष्ट्र-सङ्घ अथवा मित्र-पक्ष के किसी देश के न उठाने के कारण उस पर तुर्कों तथा रूस का पूर्ण अधिकार है।

रूसी आरमीनिया की जन-संख्या सन् १९१७ में २२ लाख थी तथा तुर्की आरमीनिया की जन-संख्या सन् १९१४ में ३८ लाख थी।

आरमीनिया के पूर्व तथा पश्चिम में कोई स्वाभाविक सीमा न होने से यह देश यूरोप से एशिया में आने-जाने का उत्तम मार्ग रहा है। इस मार्ग से एलेक्ज़ेण्डर, फ़ारस की सेनाएँ तथा तूरानियों के जत्थे प्रस्थान कर चुके हैं। रोम तथा पार्थिया के साम्राज्य दोनों को इस पर सत्ता जमाने की लालसा थी, किन्तु आरमीनिया ने युद्ध के मैदान में अपनी स्वतन्त्रता फिर से प्राप्त करने के हेतु, दोनों के साथ विश्वासघात किया। इस प्रकार उसे दोनों का द्वेष-भाजन बनना पड़ा।

आरमीनियन्स देश के आदि-निवासी नहीं हैं। ईसा के ११०० वर्ष पूर्व इसके पूर्वीय भाग में एक युद्ध-प्रिय तथा सभ्य जाति रहती थी। इस विप्नी जाति का उल्लेख एसीरिया के इतिहास में पाया जाता है। बड़ी-बड़ी दीवारें, कोट, नहरें, पुल, सड़कें इत्यादि इस जाति के अनेक स्मारक-चिन्ह पाए जाते हैं। 'वान' झील के आस-पास विचित्र लिपि में लिखे हुए लेख भी पाए जाते हैं। ईसा के ६०० वर्ष पूर्व इस सभ्यता का अन्त हुआ और देश में पश्चिम की ओर से आरमीनियन्स का पदार्पण हुआ। ये असभ्य तथा अनपढ़ थे। एक सहस्र वर्ष पश्चात् इन्होंने लिखना सीखा। आरमीनियन्स इण्डो-यूरोपियन वंश के कहे जा सकते थे। साइरस ने इनको अधीन कर प्राचीन देशवासियों के साथ शान्ति-पूर्वक रहने को इन्हें बाध्य किया। ईसा के ४०० वर्ष पूर्व तक दोनों जातियों में परस्पर विवाहादि सर्व प्रकार के सम्बन्ध होते थे।

इतिहास उठा कर देखने से पता चलता है कि आरमीनियन्स सदा अपने पड़ोसियों की अधीनता में रहे हैं। यहाँ की जातियाँ कभी एक नहीं हुईं; अतएव परदेशियों का इन्हें विभक्त करके शासन करने का उपाय सदा सफल होता रहा है। उनमें स्वतन्त्र राष्ट्र के आवश्यक गुणों का अभाव रहा है। एक-दूसरे पर विश्वास करना, समझौता करने को उद्यत रहना, दूर-दर्शी, स्वदेश-प्रेम तथा साम्प्रदायिक विद्वेषों का बलिदान इत्यादि स्वतन्त्र राष्ट्र के आवश्यक गुणों का उनमें जन्म से भारी अभाव रहा है।

आरमीनिया का प्लेटो समुद्र से ४,००० से ६,००० फ़ीट तक ऊँचा है, जिसके ऊपर कई पर्वत-श्रेणियाँ विद्यमान हैं। रूसी आरमीनिया में अरारट का विशाल पर्वत है, जिसकी ऊँचाई १७,०५५ फ़ीट है। अतः आरमीनियन्स पहाड़ी कहे जा सकते हैं। यहाँ के नैसर्गिक तथा पहाड़ी दृश्य बड़े ही रमणीक हैं। तथापि आरमीनिया को वृक्ष-विहीन देश की उपाधि देनी पड़ती है। यूफ़ेटीज़ तथा टाइग्राज़ नदियों की सहायक नदियों का उद्गम पहाड़ों में ही है। 'वान' झील १,३०० वर्गमील की है और समुद्र से ५,००० फ़ीट की ऊँचाई पर है। इसी प्रकार कई अन्य सुन्दर झीलें भी इस देश में पाई जाती हैं।

आरमीनियन्स परिश्रमी, बलवान तथा उत्साही होते हैं। पुरुष बहुधा लम्बे तथा काले होते हैं। वे मित-भाषी होते हैं, और जो कुछ कहते हैं, वह विचारपूर्वक कहते हैं। स्त्रियाँ अधिकतर सुन्दर, स्वास्थ्ययुक्त तथा कुशल माताएँ होती हैं।

आरमीनिया कृषि-प्रधान देश है, और यहाँ के निवासियों का अधिकांश भाग कृषक है। आरमीनिया की भूमि उपजाऊ है; और यदि वह क़ायदे से जोती जाय तथा उसमें पानी का सन्तोषप्रद प्रबन्ध किया जाय तो यहाँ सब चीज़ें अधिकता से उत्पन्न हो सकती हैं। यदि भूमि बिना जोते बोए पड़ी रहने दी जाय तो सूर्य के प्रखर ताप से वह रेगिस्तान के समान ऊसर हो जाती है। आरमीनिया के कृषक बड़े परिश्रमी होते हैं। ऊसर दिखाई देने वाली भूमि में भी वह ऐसी-ऐसी वस्तुएँ पैदा कर लेते हैं, जिनके उत्पन्न करने के लिए बड़ी उपजाऊ भूमि तथा कई कठिन साधनों की आवश्यकता है। उनके खेती करने के विधि-विधान प्राचीन ढङ्ग के हैं। कृषक के पास पाश्चात्य यन्त्रों का उपयोग करने के लिए न तो पर्याप्त धन है और न विदेशीय आक्रमणों से रक्षा करने के साधन। घरों में ही तैयार होने वाले हाथियारों से वे अपना काम निकालते हैं। खेत में बैलों अथवा भैंसों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उपयोग किया जाता है। अनाज काटना तथा दाना-भूसा विभक्त करना इत्यादि सब काम उसी प्रकार किए जाते हैं, जिस प्रकार कि हमारे अकर्मण्य देश में!

यहाँ के अधिकांश किसान पढ़े-लिखे होते हैं। आरमीनियन्स शिक्षा को बहुत महत्व देते रहे हैं। जो लोग धनी तथा श्रीमान होते थे, वे अपने पुत्रों को पैरी तथा पैट्रोग्रेड के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा देने को भेजते थे। इनमें से कुछ ऑक्सफ़र्ड तथा लन्दन के विश्व-विद्यालयों में पूर्वीय भाषाओं के शिक्षक भी नियुक्त हो गए हैं।

आरमीनियन्स का एक अपना भी विश्वविद्यालय है। गाँवों में पाठशालाएँ हैं, जो दान दिए हुए धन से चलती हैं। यहीं पर किसानों को प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती है। भावी सन्तान को शिक्षित बनाने के उद्देश्य से कतिपय देशभक्त पुरुष गाँवों में अध्यापन-कार्य करते हुए अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, यह सब अच्छे चिह्न हैं।

आरमीनियन्स, जैसा कि सबको विदित है, ईसाई हैं। सच पूछिए तो यही जाति सेण्ट ग्रीगॉरी के प्रयत्न से सर्व-प्रथम ईसाई बनाई गई थी।

अन्य ईसाई-देशों से बहुत दिनों तक सम्बन्ध टूट जाने के कारण इनके प्रार्थना करने की विधि तथा अन्य व्यवहारों में बहुत अन्तर हो गया है। बहुत से मठों में पशुओं का बलिदान होता है, और लोहे के बर्तनों में मांस को पका कर ग़रीबों को बाँट दिया जाता है।

विवाह के दिनों में मठों और मन्दिरों के अन्दर बड़ी धूम मची रहती है। इस अवसर पर लोग ख़ूब ख़ुशियाँ मनाते हैं; उत्तम-उत्तम वस्त्र पहनते हैं तथा बहुत प्रसन्न-चित्त रहते हैं। वे अड़ोस-पड़ोस के गाँवों से आकर सायङ्काल में होने वाले नृत्य के लिए जमा होते हैं।

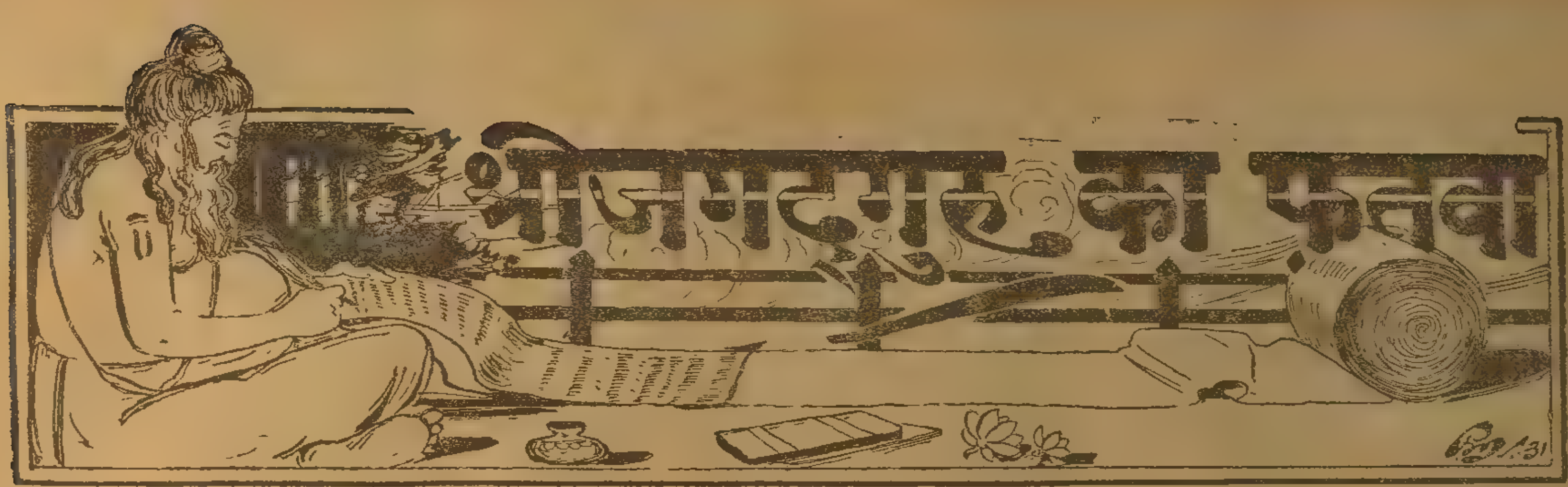
यदि आपको कभी ऐसे अवसर पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हो तो दूर से आपको बाँसुरी की मधुर तान तथा ढोल का तीव्र शब्द सुनाई देगा। इसके बाद जैसे ही सन्ध्या होती है, वैसे ही तीन बालिकाओं को एक विचित्र प्रकार का नृत्य करते हुए आप देखेंगे। किञ्चित काल के पश्चात् वे बालिकाएँ अदृश्य हो जायँगी और उनके स्थान पर श्वेत वस्त्र पहने हुए एक बालक आकर भीड़ को अपने नृत्य से मोहित करेगा। थोड़ी ही देर में वह भी ग़ायब हो जायगा और सारे पुरुष हाथ में हाथ डाल कर पाँच-पाँच, छः-छः के जत्थे बना कर नाचने लग जायँगे। इस प्रकार के नृत्यों को आरमीनिया के किसान बहुत पसन्द करते हैं।

शहरों में और अधिकतर रूसी आरमीनिया में लोगों के मनोरञ्जन के साधन इनसे भिन्न हैं। तिफ़्लिस में, जो जॉर्जिया की राजधानी है और जिसमें बहुत से आरमीनियन्स रहते हैं, अनेक नाटक-गृह तथा नृत्य-भवन हैं, किन्तु यहाँ रूसी नाटक और रूसी गायन को ही प्रधानता दी जाती है। पढ़े-लिखे आरमीनियन्स को सङ्गीत का बड़ा शौक़ होता है। वह अवश्य ही कम से कम एक पियानो अपने घर में रखता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के लोगों को छापेख़ानों से विशेष प्रेम है। छोटे-छोटे गाँवों में भी बहुधा छापे-ख़ाने मिलेंगे, और जहाँ भी कहीं आरमीनियन्स जाकर बसते हैं, वहाँ शीघ्र ही कोई पत्र निकलने लगता है। सुल्तान अब्दुल हमीद के शासन-काल में छपाई के कार्य में बड़ी बाधाएँ उपस्थित की गई थीं, तथापि सन् १८५६ ई० में वान नगर में कई छापेख़ाने खोले गए।

दस्तकारी तथा कारीगरी में आरमीनियन्स की ख्याति बहुत फैली हुई है। वे दरी आदि बड़ी कुशलता तथा कारीगरी से बुनते हैं। बहुधा टर्किश नाम से प्रसिद्ध सारी दरियाँ वहीं की बनी होती हैं, जिन्हें क़ुस्तुन्तुनिया के व्यापारी पाश्चात्य देशों में बेचते हैं। तुर्की आरमीनिया के एक मठ में, बीच के बड़े भारी कमरे में, एक पुरानी दरी बिछी है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह ४०० वर्ष से अधिक पुरानी है।

* * *



[हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष]

श्रीजगद्गुरु ने जब से लॉर्ड विलिङ्गडन महोदय की वह पुरानी ताड़ी-सी स्वादिष्ट स्पीच पढ़ी है, तब से स्पीचें पढ़ने का ऐसा चसका लगा है कि दिन-रात होंठ चाटा करते हैं और कभी-कभी इस धुन में भगवती भङ्ग-भवानी की आराधना तक की भी सुधि नहीं रहती।

❀

ख़ैर बड़े लाट के बाद बड़े साहब अर्थात् भारत के सिकत्तर श्रीमान् बेन साहब ने भी एक वैसे ही श्रुति-मधुर स्पीच दे डालने की कृपा की है और 'माशा अल्लाह' हमारे बड़े लाट बहादुर की तरह आप भी आपादमस्तक शान्ति-प्रेमी मालूम पड़ते हैं। फलतः प्रावृट काल के इन घनघटाच्छन्न के दिनों में बेचारी अशान्ति का ख़ुदा ही हाफ़िज़ है! हमें तो डर है कि इन शान्ति के अनन्य उपासकों के भय से बेचारी कुमारी स्नेहलता की भाँति किरॉसिन तेल डाल कर आत्म-हत्या न कर ले।

❀

और नहीं क्या जनाब, एक ओर महामहिम श्रीमान् बड़े लाट शान्ति-शान्ति चिल्ला रहे हैं और दूसरी ओर श्रीमान बड़े सिकत्तर साहब, शहनाई वाले के असिस्टेण्ट की तरह 'सुर' भर रहे हैं। ऐसी हालत में दईमारी अशान्ति ने क्या कुछ कौवे का मांस थोड़े ही खा लिया है जो जीती रह सकेगी? बात यह है कि बक़ौल सिकत्तर साहब, गाँधी-इर्विन समझौते के पालन पर ही बी ब्रितानिया का मान और सम्भ्रम निर्भर है। इसी से ये दोनों महानुभाव शान्ति की स्थापना के लिए दिलोजान से कोशिश कर रहे हैं। और, इसका सब से सीधा और सरल उपाय है, अपनी शान्ति-प्रियता और नेकनीयती की अपने ही श्रीमुख से प्रशंसा करना।

❀

ऐसी दशा में अगर दो-चार प्रादेशिक सरकारें और उनकी प्यारी पुलिस समझौते के विरुद्ध भी कोई कार्य कर बैठती हैं, तो उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि बक़ौल शख़्से—"यह सरापा शोख़िए दस्ते-हिना थी, मैं न था!" बेचारियों की जन्म-जन्मान्तर की पड़ी हुई आदत क्या आप चाहते हैं कि एक ही दिन में छूट जाएगी! अभ्यास होते-होते होगा, या या कोई दाल-भात का कौर?

❀

फलतः गत ९ जुलाई के 'हिन्दी नवजीवन' में महात्मा गाँधी ने सुल्तानपुर, मथुरा, अमृतसर, अम्बाला, लुधियाना, रोहतक, कोण्टाई (बङ्गाल), रत्नागिरी, अहमदाबाद आदि स्थानों के अधिकारियों की समझौता-विरुद्ध कार्रवाइयों का जो विस्तृत विवरण प्रदान किया है, वह कोई ऐसी घटनाएँ नहीं हैं, जिनसे अशान्ति को सम्भावना हो, आख़िर, बेचारी पुलिस के लिए कुछ काम तो चाहिए, अन्यथा अगर उसके स्वभाव में मोरचा लग जायगा तो क्या उसे छुड़ाने के लिए आपके घर से तेल आएगा या हिज़ होलीनेस की कुल्हिया तोड़ी जायगी?

❀

इसीलिए जनाब, कहीं सभाएँ करने वालों की खोपड़ियाँ लाठियों द्वारा रँग दी जाती हैं, कहीं राष्ट्रीय झण्डे का अपमान किया जाता है, कहीं १४४ जारी है और कहीं किसानों पर मुक़दमे चलाए जाते हैं? इसके सिवा ये सब महज़ मामूली बातें हैं। इतने बड़े गाँधी-इर्विन समझौते का भला इन नगण्य घटनाओं द्वारा क्या बिगड़ सकता है? "कबहुँ कि काँजी सीकरनि क्षीर-सिन्धु बिनसाई?"

❀

इसके अलावा, बक़ौल लाट साहब और श्रीमान सिकत्तर साहब, महात्मा गाँधी तो शान्ति की चेष्टा करते ही हैं, इसलिए लाट साहब और सिकत्तर साहब भी वही करें, इसके कुछ मानी नहीं होते। आप ही बताइए, अगर सारा ख़ान्दान का ख़ान्दान एक ही काम करने लग जाए तो गृहस्थी कैसे चले? इसीलिए लाट साहब की तरह सिकत्तर साहब ने शान्ति और समझौते की दुहाई देकर महात्मा गाँधी की थोड़ी सी तारीफ़ कर दी है। अब इतने पर भी शान्ति और समझौते का मर्म आपकी समझ में नहीं आता तो मेहरबानी करके किसी चतुर नाई को अपनी अक़्ल का नाख़ून लेने को कहिए।

❀

भई, असल बात तो यह है, कि श्रीमान् लाट साहब की तरह ही हमारे सिकत्तर साहब का हृदय भी शिशु-सुलभ सरल विश्वास से ओत-प्रोत मालूम होता है। इसीसे आप समझते हैं कि जिस तरह महात्मा गाँधी, गाँधी-इर्विन समझौते का अक्षरशः पालन कर और करा रहे हैं, उसी तरह भारतवर्ष की नौकरशाही महोदया भी कर और करा रही होंगी। इसलिए अपने राम की राय है कि अगर ऋतु बाधा न दे तो आइए किसी ज्योतिषी से शुभ-मुहूर्त पूछ कर श्रीमान सिकत्तर साहब की सरलता पर निछावर हो जाएँ! क्यों, क्या राय है?

❀

ख़ैर, सिकत्तर साहब की तरह ही एक और भोले-भाले भारत-हितैषी का नाम भी श्रीजगद्गुरु के स्मृति-शिखर पर चढ़ बैठा है। फलतः कृतज्ञता का तक़ाज़ा है कि लगे हाथ उनकी भी थोड़ी सी प्रशंसा कर दी जाय। क्योंकि इधर वर्षों से आप भारत के हित के लिए बेतरह व्याकुल रहते हैं और समय-समय पर इसे उन्नति के सातवें आसमान पर पहुँचा देने का स्तुत्य प्रयत्न भी किया करते हैं। इसलिए अपने राम तो एक दिन आपका 'टोस्ट' अवश्य ही पान करेंगे; चाहे धर्म जाय या रहे!

❀

अच्छा तो अब ज़रा मनोयोगपूर्वक इन भारत-बन्धु महोदय का परिचय सुन लीजिए। आपका प्रातःस्मरणीय शुभ नाम सर ह्यूबर्टकर है। आप विख्यात विलायती वणिक हैं और कलकत्ता के ब्रिटिश वणिक-समाज की ओर से गत गोलमेज़ में प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं तथा इस साल के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। लेहाज़ा भारत की भलाई करना आपका मौरूसी हक़ है। क्योंकि एक तो आप गोरे हैं और दूसरे कृपा करके भारत में व्यवसाय करते हैं। बस बहरहाल आपके इन्हीं दो सद्गुणों पर सन्तोष कर लीजिए और आगे की कथा सुनिए।

❀

विलायत की किसी सभा में आपने एक सुन्दर और सारगर्भित सन्दर्भ पाठ करके इस बात के लिए अत्यन्त विक्षोभ प्रकट किया है कि आगामी गोलटेबिल कॉन्फ्रेन्स में राष्ट्रीयतावादी प्रतिनिधियों की अधिक भरमार हो जायगी और भारत के सच्चे हितैषी—राजे-महाराजे तथा सप्रू-पन्थी दल वाले टापते ही रह जाएँगे! फलतः सर ह्यूबर्ट का प्यारा भारत दुरवस्था की सीमा पर पहुँच जाएगा। क्योंकि ये राष्ट्रीय दल वाले स्वार्थपरता की साक्षात् मूर्तियाँ हैं। स्वतन्त्रता का सारा मज़ा अकेले ही हड़प जाना चाहते हैं। औरों को झाड़न-झूड़न भी न प्रदान करेंगे।

❀

इसलिए सर ह्यूबर्ट की राय है, कि भारत के भावी शासन-विधान में भारत-प्रवासी गोरे बनियों और अन्यान्य गोरों का विशेष हाथ रहना चाहिए। क्योंकि इन्होंने भारत की भलाई के लिए अपना ख़ून और पसीना एक कर दिया है। इस देश को उन्नत, सभ्य और समृद्धिशाली बनाने के लिए इन्होंने अपनी जानें लड़ा दी हैं। करोड़ों की पूँजी लगा कर भारत में अपने व्यापार का विस्तार किया है। अगर ये उदार हृदय परोपकारी गोरे बनिए न होते न जाने बुढ़ऊ बाबा (भारत) इस धरा-धाम पर होते या वैतरणी के उस पार चले गए होते।

❀

इतना ही नहीं, ह्यूबर्ट महोदय ने भारत को चिर-समृद्धिशाली और धन-धान्यपूर्ण बनाए रखने की ओर भी बहुत सी नायाब तदबीरें बतलाई हैं। आपकी राय में शासन-व्यवस्था चाहे जैसी हो, परन्तु आधिपत्य सिविलियनों का ही रहना चाहिए। क्योंकि राज-शासन की जैसी क्षमता इनमें होती है, वैसी आदमी तो क्या, विधाता के बाप में भी नहीं हो सकती। और ये काले! राम-राम! इनके हाथ में अगर शासन-सूत्र चला जावे तो सही साँझ विधाता की सृष्टि का सत्यानाश हो जाए। इसलिए क़ानून और श्रृङ्खला की रक्षा का भार भारतीय मन्त्रियों को सौंपना कदापि युक्तिसङ्गत न होगा।

❀

और सुनिए, पुलिस की व्यवस्था स्वयं गोरे गवर्नर के हाथों में होनी चाहिए और देहि पद-पल्लव मुदारम् दल की एक सर्वोपरि विराजमान शासन-परिषद होनी चाहिए। बस, इतने से ही सारा काम बन जाएगा। फिर भारतवाले ज्यों-ज्यों लायक़ फ़ायक़ होते जाएँगे, त्यों-त्यों उन्हें थोड़ा-थोड़ा अधिकार दिया जाया करेगा। क्योंकि अगर सारा अधिकार उन्हें एक साथ ही मिल जाएगा, तो अफ़ग़ानिस्तान के भूतपूर्व अमीर बच्चए-सक़ा की तरह ये भी ख़ूबसूरत औरतों को पकड़-पकड़ कर अपनी बीबियाँ बनाना आरम्भ कर देंगे।

❀

जल्दी मँगा लीजिए ! **नहीं तो पछताना पड़ेगा !!**

मानिक-मन्दिर

यह वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसकी सालों से पाठक प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसी सुन्दर पुस्तक की प्रस्तावना लिख कर प्रेमचन्द जी ने इसे अमरत्व प्रदान कर दिया है। श्री० प्रेमचन्द जी अपनी प्रस्तावना में लिखते हैं :—

"उपन्यास का सब से बड़ा गुण उसकी मनोरञ्जकता है। इस लिहाज़ से श्री० मदारीलाल जी गुप्त को अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। पुस्तक की रचना-शैली सुन्दर है। पात्रों के मुख से वही बातें निकलती हैं, जो यथा-अवसर निकलनी चाहिए, न कम न ज़्यादा। उपन्यास में वर्णनात्मक भाग जितना ही कम और वार्त्ताभाग जितना ही अधिक होगा, उतनी ही कथा रोचक और ग्राह्य होगी। 'मानिक-मन्दिर' में इस बात का काफ़ी लिहाज़ रक्खा गया है। वर्णनात्मक भाग जितना है, उसकी भाषा भी इतनी भावपूर्ण है कि पढ़ने में आनन्द आता है। कहीं-कहीं तो आपके भाव बहुत गहरे हो गए हैं और दिल पर चोट करते हैं। चरित्रों में, मेरे विचार में, सोना का चित्रण बहुत ही स्वाभाविक हुआ है और देवी का सर्वाङ्ग सुन्दर। सोना अगर पतिता के मनोभावों का चित्र है, तो देवी सती के भावों की मूर्ति। पुरुषों में ओङ्कार का चरित्र बड़ा सुन्दर और सजीव है। विषय-वासना के भक्त कैसे चञ्चल, अस्थिर-चित्त और कितने मधुर-भाषी होते हैं, ओङ्कार इसका जीता-जागता, उदाहरण है। उसे अपनी पत्नी से प्रेम है, सोना से प्रेम है, कुमारी से प्रेम है और चन्दा से प्रेम है ; जिस वक्त जिसे सामने देखता है, उसी के मोह में फँस जाता है। ओङ्कार ही पुस्तक की जान है। कथा में कई सीन बहुत मर्मस्पर्शी हुए हैं। सोना के मिट्टी हो जाने का और ओङ्कार के सोना के कमरे में आने का वर्णन बड़े ही सनसनी पैदा करने वाले हैं, इत्यादि।" सजिल्द पुस्तक का मूल्य २॥) रु०; नवीन संशोधित संस्करण अभी-अभी प्रकाशित हुआ है !!

रहस्यमयी

समाज-सेवा, देशभक्ति तथा एक देशोपकारी संस्था की आड़ में यदि अत्यन्त भयङ्कर तथा वीभत्स घटनाओं का नग्न चित्र देखना हो अथवा 'महाशय जी' व 'देवी जी' नामधारी नर-पिशाचों के आन्तरिक पापों का भण्डाफोड़ देखना हो, तो इस पुस्तक को उठा लीजिए। कुछ ही पन्ने पढ़ कर आप आश्चर्य की मूर्ति बन जायँगे, आपके रोम-रोम काँपने लगेंगे। जो स्त्री कि बाह्य जगत् में अत्यन्त पूज्य, अनिन्द्य सुन्दरी, विदुषी, सुशीला तथा समाज-सेविका है, वह वास्तव में व्यभिचारिणी, कलङ्किनी, पापिनी, हत्यारिणी तथा एक वेश्या से भी घृणित है। समाज में प्रतिष्ठित रहते हुए वह भीतर ही भीतर इन पापों की पूर्ति के लिए कैसे-कैसे रहस्य रचती है—इसका अत्यन्त रोमाञ्चकारी वर्णन इसमें किया गया है।

सुखवती देवी नाम्नी एक अत्यन्त सुन्दरी तथा विदुषी महिला किस प्रकार अपने पति का गला घोंट कर, एक प्रेस तथा मासिक पत्र की सञ्चालिका बन जाती है, समाज-सेवा की आड़ में किस प्रकार देवी जी ने अनेक धनिक पुरुषों को अपने जाल में फंसा कर रुपया ऐंठा तथा ब्रह्मचर्य के पवित्र नाम पर किस प्रकार दर्जनों होनहार नवयुवकों का सर्वनाश किया और एक नवयुवक के प्राण लेकर ही अपने प्राण त्यागे ; इतना नाटक खेलते हुए भी किस प्रकार देवी जी समाज में पूज्य बनी रहीं—इसका सारा रहस्य जादू की क़लम से लिखा गया है। पुस्तक के एक-एक शब्द में रहस्य भरा हुआ है। मूल्य १॥) रु० !

विवाह और प्रेम

समाज की जिन अनुचित और अश्लील धारणाओं के कारण स्त्री और पुरुष का दाम्पत्य जीवन असुख और असन्तोषपूर्ण बन जाता है, एवं जिन मानसिक भावनाओं के द्वारा युवक और युवती का सुख-स्वाच्छन्द्यपूर्ण जीवन घृणा, अवहेलना, द्वेष और कलह का रूप धारण कर लेता है, इस पुस्तक में उनकी आलोचना की गई है।

लेखक ने देशीय और विदेशीय समाजों की उन समस्त बातों का, जो इस जीवन में बाधक और साधक हो सकती हैं, चित्रण किया है ! इसके साथ ही युवकों तथा पुरुषों के उन व्यवहारों एवं आचरणों की तीखी आलोचना की है, जिनसे विवाह की उपयोगिता, पवित्रता और मधुरता मारी जाती है ! लेखक के भावों में जो विवाह युवक और युवती के, पुरुष और स्त्री के प्रेम-जीवन की रक्षा नहीं कर सकते, वे विवाह, विवाह नहीं होते, प्रत्युत उनके पूर्व-जन्मों के दुष्कर्मों के प्रायश्चित्त होते हैं, जिनको वे कष्ट, घृणा और अवहेलना के साथ व्यतीत करते हैं !!

पुस्तक में स्त्री और पुरुष के जीवन की अनेक इस प्रकार की विवाद-ग्रस्त बातों का निर्णय किया गया है, जिनका कहीं पता नहीं लगता। पुस्तक में स्वतन्त्र देशों के उन प्रसिद्ध विद्वानों और लेखकों के विचारों के उद्धरण दिए गए हैं, जिन्होंने स्त्री-पुरुष के जीवन को सुख-सौभाग्य का जीवन बनाने के लिए प्रयत्न किया है और जिनके प्रभावशाली विचारों ने शिथिल और स्वतन्त्र जातियों के स्त्री-पुरुषों में स्फूर्ति उत्पन्न कर दी है ! सचित्र पुस्तक का मूल्य २) रु० मात्र !

केवल विवाहित स्त्री-पुरुष ही इस पुस्तक को मँगावें !

☞ व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

कौन सा ऐसा शिक्षित परिवार है,

जिसमें 'चाँद' न जाता हो ?

'चाँद'-जैसे निर्भीक पत्र की ग्राहकता स्वीकार करना--जिसने अपने जीवन में प्रथम प्रभात से ही क्रान्ति की उपासना में अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया है—निश्चय ही सद्विचारों को आमन्त्रित करना है। यदि आप अब तक इसके ग्राहक नहीं हैं, तो तुरन्त ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए ; यदि आप ग्राहक हैं तो अपने इष्ट-मित्रों को ऐसा करने की सलाह दीजिए। 'चाँद' का वार्षिक चन्दा केवल ६।।) रु० है अर्थात् आठ आने फ़ी कॉपी—ऐसी हालत में कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो केवल एक पैसे रोज़ में वह ज्ञान उपार्जन करने से इन्कार करे—जो हज़ारों रुपए व्यय करने में भी आजकल के स्कूल और कॉलेजों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता ? जुलाई, १९३१ की विषय-सूची इस प्रकार है :—

जुलाई, १९३१ की विषय-सूची

लेख	लेखक
१—जीर्ण गृह (कविता)	प्रोफ़ेसर रामकुमार जी वर्मा, एम० ए०
२—भावी शासन-विधान में स्त्रियों का स्थान	सम्पादक
३—बीसवाँ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ...	सम्पादक
४—कनवजियों का ब्याह (कविता)	श्री० देवशङ्कर जी त्रिवेदी
५—पराजय (कहानी)	श्री० विश्वम्भरनाथ जी शर्मा, कौशिक
६—वर्तमान मुस्लिम-जगत	"एक डॉक्टर ऑफ़ लिट्रेचर"
७—वीर-नख-शिख (कविता)	राजकवि श्री० "अम्बिकेश"
८—साम्यवाद की बाढ़	डॉक्टर मथुरालाल जी शर्मा, एम० ए० डी-लिट
९—विनाश के पथ पर (कविता)	श्री० कैलाशपति त्रिपाठी
१०—वेश्या का हृदय (कहानी)	डॉक्टर धनीराम जी 'प्रेम' (लन्दन)
११—मुरझाया फूल (कविता)	श्रीमती गायत्री देवी "विन्दु"
१२—परदे की समस्या	श्री० वृन्दावनदास जी बज़ाज
१३—मारवाड़ी महिलाओं का वेष-भूषा	श्री० गोपीकृष्ण जी मोहता, बी० कॉम०
१४—हमारी सन्तान	श्री० मोहनलाल जी बड़जात्या
१५—हमदर्दी	साहित्याचार्य 'मग'
१६—आधुनिक शिक्षा पर दृष्टिपात	श्री० श्यामनारायण जी वैजल
१७—आर्थिक उथल-पुथल का समाज पर प्रभाव	श्री० रामनिरीक्षण सिंह जी
१८—तू-तू मैं-मैं (कविता)	कविवर श्री० रामचरित जी उपाध्याय
१९—अनासक्त	श्री० ऋषभचरण जी जैन
२०—स्वर्गीय बाबू कृष्णबलदेव वर्मा	श्री० बालदत्त जी पाण्डेय
२१—नारी-जीवन (कविता)	कविवर आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव
२२—उपन्यास-कला और प्रेमचन्द के उपन्यास	श्री० केशरीकिशोर शरण जी, बी० ए० (ऑनर्स), साहित्य-भूषण, विशारद
२३—दिल की आग उर्फ़ दिल-जले की आह	"पागल"
२४—स्वर्गीय देशबन्धु चितरञ्जन दास	सम्पादक
२५—कवि-सम्राट का प्रसाद ...	"
२६—उन्नतिशील मैसूर ...	"
२७—नरक के अड्डे और पाप का व्यापार	"
२८—दुबे जी की चिट्ठी	श्री० विजयानन्द दुबे जी
२९—चुम्बन के प्रति (कविता)	श्री० बालकृष्ण राव
३०—स्वास्थ्य और सौन्दर्य	श्री० रतनलाल जी मालवीय
३१—फूल (कविता)	श्रीमती गायत्रीदेवी "बिन्दु"
३२—केसर की क्यारी (कविता)	सम्पादक 'बिस्मिल'
३३—गृह-विज्ञान	श्री० मोहनलाल जी मेहरा, वैद्य
३४—सङ्गीत-सौरभ	सम्पादक तथा स्वरकार श्री० किरणकुमार मुखोपाध्याय (नीलूबाबू); शब्दकार अज्ञात
३५—जगतगुरु का फ़तवा	हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द विरूपाक्ष

इसके अतिरिक्त ४ तिरङ्गे तथा रङ्गीन चित्र (आर्ट पेपर पर) अनेक चुटीले कार्टून तथा ऐसे चित्रादि पाठकों को मिलेंगे, जो और किसी पत्र-पत्रिका में मिल ही नहीं सकते।

'चाँद' का सम्पादकीय मण्डल

१-पं० भुवनेश्वरनाथ जी मिश्र, एम० ए०
२-पं० नन्दकिशोर जी तिवारी, बी० ए०
३-मुन्शी नवजादिक लाल जी श्रीवास्तव
४-श्री० त्रिवेणीप्रसाद जी, बी० ए० (जेल में)
५-पं० देवीदत्त जी मिश्र, बी० ए०, एल्-एल्० बी०
६-कविवर 'बिस्मिल' इलाहाबादी (उर्दू-कविता-विभाग)
७-कविवर आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव (हिन्दी-क०-वि०)
८-श्री० रामरखसिंह सहगल

हृदय पर हाथ रख कर बतलाइए, समस्त भारत में ऐसा सुसम्पादित और सुसञ्चालित पत्र दूसरा कौन है ?

व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

Printed, Published and Edited by [illegible]
At The Fine Art Printing Cottage, 28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad.

Our London Office :
11, Aldwych, W. C. 2

THE BHAVISHYA

Our American Office :

सम्पादक :—
श्री० त्रिवेणीप्रसाद, बी० ए०
(जेल में)

स्थानापन्न सम्पादक :—
श्री० भुवनेश्वरनाथ मिश्र,

इलाहाबाद—बृहस्पतिवार, २३ जुलाई, १९३१

संख्या ७, पूर्ण सं० ४३



कौन सा ऐसा शिक्षित परिवार है,

जिसमें चाँद न जाता हो ?

'चाँद'-जैसे निर्भीक पत्र की ग्राहकता स्वीकार करना—जिसने अपने जीवन में प्रथम प्रभात से ही क्रान्ति की उपासना में अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया है—निश्चय ही सद्विचारों को आमन्त्रित करना है। यदि आप अब तक इसके ग्राहक नहीं हैं, तो तुरन्त ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए ; यदि आप ग्राहक हैं तो अपने इष्ट-मित्रों को ऐसा करने की सलाह दीजिए। 'चाँद' का वार्षिक चन्दा केवल ६।।) रु० है अर्थात् आठ आने फ़ी कॉपी—ऐसी हालत में कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो केवल एक पैसे रोज़ में वह ज्ञान उपार्जन करने से इन्कार करे—जो हज़ारों रुपए व्यय करने में भी आजकल के स्कूल और कॉलेजों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता ? जुलाई, १९३१ की विषय-सूची इस प्रकार है :—

जुलाई, १९३१ की विषय-सूची

लेख	लेखक
१—जीर्ण गृह (कविता)	प्रोफ़ेसर रामकुमार जी वर्मा, एम० ए०
२—भावी शासन-विधान में स्त्रियों का स्थान	सम्पादक
३—बीसवाँ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ...	सम्पादक
४—कनवजियों का ब्याह (कविता)	श्री० देवशङ्कर जी त्रिवेदी
५—पराजय (कहानी)	श्री० विश्वम्भरनाथ जी शर्मा, कौशिक
६—वर्तमान मुस्लिम-जगत	"एक डॉक्टर ऑफ़ लिट्रेचर"
७—वीर-नख-शिख (कविता)	राजकवि श्री० "अम्बिकेश"
८—साम्यवाद की बाढ़	डॉक्टर मथुरालाल जी शर्मा, एम० ए० डी-लिट
९—विनाश के पथ पर (कविता)	श्री० कैलाशपति त्रिपाठी
१०—वेश्या का हृदय (कहानी)	डॉक्टर धनीराम जी 'प्रेम' (लन्दन)
११—मुरझाया फूल (कविता)	श्रीमती गायत्री देवी "विन्दु"
१२—परदे की समस्या	श्री० वृन्दावनदास जी बज़ाज
१३—मारवाड़ी महिलाओं का वेष-भूषा	श्री० गोपीकृष्ण जी मोहता, बी० कॉम०
१४—हमारी सन्तान	श्री० मोहनलाल जी बड़जात्या
१५—हमदर्दी	साहित्याचार्य 'मग'
१६—आधुनिक शिक्षा पर दृष्टिपात	श्री० श्यामनारायण जी वैजल
१७—आर्थिक उथल-पुथल का समाज पर प्रभाव	श्री० रामनिरीक्षण सिंह जी
१८—तू-तू मैं-मैं (कविता)	कविवर श्री० रामचरित जी उपाध्याय
१९—अनासक्त	श्री० ऋषभचरण जी जैन
२०—स्वर्गीय बाबू कृष्णबलदेव वर्मा	श्री० बालदत्त जी पाण्डेय
२१—नारी-जीवन (कविता)	कविवर आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव
२२—उपन्यास-कला और प्रेमचन्द के उपन्यास	श्री० केशरीकिशोर शरण जी, बी० ए० (ऑनर्स), साहित्य-भूषण, विशारद
२३—दिल की आग उर्फ़ दिल-जले की आह	"पागल"
२४—स्वर्गीय देशबन्धु चितरञ्जन दास	सम्पादक
२५—कवि-सम्राट का प्रमाद ...	"
२६—उन्नतिशील मैसूर ...	"
२७—नरक के अड्डे और पाप का व्यापार	"
२८—दुबे जी की चिट्ठी	श्री० विजयानन्द दुबे जी
२९—चुम्बन के प्रति (कविता)	श्री० बालकृष्ण राव
३०—स्वास्थ्य और सौन्दर्य	श्री० रतनलाल जी मालवीय
३१—फूल (कविता)	श्रीमती गायत्रीदेवी "बिन्दु"
३२—केसर की क्यारी (कविता)	सम्पादक 'बिस्मिल'
३३—गृह-विज्ञान	श्री० मोहनलाल जी मेहरा, वैद्य
३४—सङ्गीत-सौरभ	सम्पादक तथा स्वरकार श्री० किरणकुमार मुखोपाध्याय (नीलूबाबू); शब्दकार अज्ञात
३५—जगतगुरु का फ़तवा	हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द विरूपाक्ष

इसके अतिरिक्त ४ तिरङ्गे तथा रङ्गीन चित्र (आर्ट पेपर पर) अनेक चुटीले कार्टून तथा ऐसे चित्रादि पाठकों को मिलेंगे, जो और किसी पत्र-पत्रिका में मिल ही नहीं सकते।

'चाँद' का सम्पादकीय मण्डल

१—पं० भुवनेश्वरनाथ जी मिश्र, एम० ए०
२—पं० नन्दकिशोर जी तिवारी, बी० ए०
३—मुन्शी नवजादिक लाल जी श्रीवास्तव
४—श्री० त्रिवेणीप्रसाद जी, बी० ए० (जेल में)
५—पं० देवीदत्त जी मिश्र, बी० ए०, एल्-एल्० बी०
६—कविवर 'बिस्मिल' इलाहाबादी (उर्दू-कविता-विभाग)
७—कविवर आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव (हिन्दी-क०-वि०)
८—श्री० रामरखसिंह सहगल

हृदय पर हाथ रख कर बतलाइए, समस्त भारत में ऐसा सुसम्पादित और सुसञ्चालित पत्र दूसरा कौन है ?

☞ व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

स्थानापन्न-सम्पादक, मुद्रक और प्रकाशक—श्री० शङ्करदयाल श्रीवास्तव, एम० ए०

इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और दूरदर्शी पाठक-पाठिकाओं से आशा की जाती है कि यथाशक्ति 'भविष्य' तथा 'चाँद' और विद्याविनोद-ग्रन्थमाला का प्रचार कर, वे संस्था को और भी अधिक सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !!

भविष्य

पाठकों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, वे एकमात्र भारतीय परिवारों एवं व्यक्तिगत मङ्गल-कामना को दृष्टि में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !!

वर्ष १, खण्ड ४ | इलाहाबाद—बृहस्पतिवार ; २३ जुलाई, १९३१ | संख्या ७, पूर्ण संख्या ४२

'भविष्य' और 'चाँद' के दूसरे सम्पादक भी गिरफ़्तार हो गए !

श्री० सान्याल को २ वर्ष तथा त्रिवेणीप्रसाद को ६ मास का कठिन-दण्ड !!

श्री० भुवनेश्वरनाथ मिश्र, एम० ए० भी अदालत में हथकड़ी पहना कर लाए गए !

महात्मा गाँधी को सहगल जी का तार और महात्मा जी का विवशतापूर्ण उत्तर !

स्थानीय कलक्टर की बेजा धमकियाँ :: संस्था पर फिर पुलीस का धावा :: २५ जून का 'भविष्य' ज़ब्त !!

"सरदार भगतसिंह" नामक अङ्गरेज़ी की पुस्तक छापने के अपराध में स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अदालत में भारतीय दण्ड-विधान की धारा १२४-अ के अनुसार जो अभियोग चल रहा था ; गत २०वीं जुलाई को उसका फ़ैसला सुना दिया गया। पुस्तक के लेखक तथा प्रकाशक श्री० जितेन्द्रनाथ सान्याल को २ वर्ष का कठिन कारावास दण्ड प्रदान किया गया और 'भविष्य' तथा 'चाँद' के सम्पादक, श्री० त्रिवेणीप्रसाद, बी० ए० को उनके "भोलेपन" का ख़्याल करते हुए केवल १,०००) रु० का जुर्माना अथवा ६ मास के कठिन कारावास का दण्ड मात्र उचित समझा गया। श्री० त्रिवेणीप्रसाद जी ने जुर्माना न देकर जेल जाना ही उचित समझा।

फ़ैसला सुनाने के समय अन्य अनेक दर्शकों के अतिरिक्त श्री० जितेन्द्रनाथ सान्याल की नव-विवाहिता धर्मपत्नी, उनकी भावज (श्री० शचीन्द्रनाथ सान्याल की धर्मपत्नी, जो काकोरी केस के सम्बन्ध में स्थानीय नैनी जेल में आजीवन कारावास-दण्ड भोग रहे हैं) तथा अन्य स्त्रियाँ भी उपस्थित थीं, जिन्होंने वहाँ दोनों "अभियुक्तों" को फ़ैसला सुनाते ही फूलों के हार पहनाए और बड़ा हर्ष प्रगट किया। प्रेस-रिपोर्टरों ने आपके फ़ोटो भी लिए थे, दोनों अभियुक्तों को स्थानीय डिस्ट्रिक्ट जेल में बी० क्लास में रक्खा गया है।

२२वीं जुलाई के दोपहर का समाचार है कि जिस बँगले में श्री० त्रिवेणीप्रसाद जी रहते थे, पुलिस ने धावा किया। पूछने पर मालूम हुआ कि वे जुर्माने में श्री० त्रिवेणीप्रसाद जी का सामान क़ुर्क़ करने आए थे, किन्तु उन्हें एक लुटिया के सिवा वहाँ और कुछ नहीं मिला। पुलिस उनके घर का पता लगा रही है।

❀ ❀ ❀

१७वीं जुलाई की शाम को संस्था पर पुलिस ने धावा किया। प्रेस तथा कार्यालय की तलाशियाँ हुईं और २५ जून के 'भविष्य' की २९ कापियों को पुलिस ज़ब्त कह कर उठा ले गई। साथ ही भारतीय दण्ड-विधान की १२४-अ धारा (राजविद्रोह) के अभियोग में 'चाँद' तथा 'भविष्य' के दूसरे सम्पादक श्री० भुवनेश्वरनाथ जी मिश्र, एम० ए० "माधव" की गिरफ़्तारी का वारण्ट भी सहगल जी को दिखाया गया। मिश्र जी ने अपनी गिरफ़्तारी का समाचार बड़ी प्रसन्नता से सुना। नाश्ता करने के बाद उन्हें पुलिस अफ़सरों के हवाले कर दिया गया। 'चाँद' तथा 'भविष्य' कार्यालय एवं प्रेस के सारे कर्मचारियों ने एकत्र होकर मिश्र जी को उनकी गिरफ़्तारी पर बधाइयाँ दीं और उन पर पुष्पों की वर्षा की गई—उन्हें हार पहनाए गए।



'चाँद' और 'भविष्य' के दूसरे सम्पादक—श्री० भुवनेश्वरनाथ जी मिश्र 'माधव' एम० ए०, जो १७वीं जुलाई की सन्ध्या को भारतीय दण्ड-विधान की १२४-ए धारा के अनुसार गिरफ़्तार किए गए और जिन्हें २० जुलाई को हथकड़ी पहना कर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अदालत में लाया गया।

पुलीस अफ़सरों से पूछने पर मालूम हुआ कि उन्हें जेल ले जाने के लिए एक टाँगा-मात्र लाया गया है ; इसलिए पुलीस अफ़सरों की रज़ामन्दी से सहगल जी स्वयं पुलीस अफ़सरों सहित मिश्र जी को अपनी मोटर पर डिस्ट्रिक्ट जेल तक पहुँचा आए। दूसरी मोटर पर सहगल जी के घर की महिलाएँ भी जेल तक गई थीं। मिश्र जी को साधारण क़ैदियों की भाँति जेल में रक्खा गया और पहली पेशी २०वीं जुलाई को निश्चित हुई।

२०वीं जुलाई को दो बजे मिश्र जी हथकड़ी पहना कर जेल से लाए गए। श्री० जितेन्द्रनाथ सान्याल तथा श्री० त्रिवेणीप्रसाद का फ़ैसला सुना कर मिश्र जी का मामला शुरू किया गया। सर्व-प्रथम गवाही सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलीस की हुई। सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलीस ने शपथ लेकर गवाही देने से इन्कार तथा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उसका समर्थन किया। इसके बाद उन पुलीस वालों की गवाहियाँ हुईं, जिन्होंने तलाशी ली थी तथा उन्हें गिरफ़्तार किया था।

मिश्र जी की ओर से उनके एडवोकेट श्री० जे० सी० मुकर्जी ने उन्हें ज़मानत पर छोड़ देने की दरख़्वास्त दी, जो तुरन्त नामञ्ज़ूर कर दी गई! डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से भविष्य में मिश्र जी को हथकड़ी न पहनाए जाने की प्रार्थना की गई, जो यह कह कर अस्वीकार कर दी गई, कि यदि वे भाग गए तो क्या होगा ?

इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से इस मुक़द्दमे की अगली तारीख़ २-३ सप्ताह बाद नियत करने की प्रार्थना की गई, वह भी अस्वीकार कर दी गई। अगली पेशी आगामी सोमवार (२७ जुलाई) को होना निश्चय किया गया।

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ज़मानत न देने के निर्णय के विरुद्ध सेशन्स जज के सामने २१ तारीख़ को दरख़्वास्त दी गई ; जिसकी पेशी आगामी शनिवार को होने की आज्ञा प्रदान की गई। उनसे मिश्र जी के दूसरे एडवोकेट श्री० डी० सान्याल ने बहुत कुछ अनुनय-विनय की, उनसे कहा गया कि चूँकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अगली पेशी सोमवार को निश्चित की है और शनिवार को प्रार्थना-पत्र पर विचार करने से मिश्र जी तब तक जेल में ही रहेंगे और उन्हें अपनी बचत का प्रबन्ध करने के लिए बिलकुल समय नहीं मिलेगा ; पर सारे अनुनय-विनय का कोई भी फल नहीं हुआ। २०वीं जुलाई से मिश्र जी को 'उच्च-श्रेणी के विचाराधीन क़ैदियों की श्रेणी' में रक्खा गया है।

वर्तमान परिस्थिति के अनुसार आगामी शनिवार को सेशन्स जज की अदालत में ज़मानत की दरख़्वास्त पड़

विचार होने की सम्भावना है और सोमवार को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अदालत में मामला पुनः पेश किया जायगा।

❀ ❀ ❀

इन आए दिन की तलाशियों एवं गिरफ़्तारियों से खीज कर 'चाँद' तथा 'भविष्य' के अध्यक्ष श्री० सहगल जी ने महात्मा गाँधी की सेवा में १८वीं जुलाई को शिमले के पते से निम्नलिखित आशय का तार भेजा था और इस तार की नक़ल पं० जवाहरलाल नेहरू के पास भी भेजी गई थी :—

'चाँद' तथा 'भविष्य' के दूसरे सम्पादक—पं० भुवनेश्वरनाथ मिश्र, एम० ए० भी दफ़ा १२४-ए के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए। पता चला है, कि यह गिरफ़्तारी "गाँधी-इर्विन समझौते का श्राद्ध" शीर्षक अग्रलेख के सम्बन्ध की गई है। मैं आपको हृदय की समस्त सच्चाई से विश्वास दिलाता हूँ, कि यह लेख आपके लेख की अपेक्षा बिल्कुल कड़ा नहीं है। वह समय आ गया है, जब कि केवल अमानुषिक अत्याचारों पर प्रकाश डालने के कारण ही हम लोगों पर इतनी सख़्ती की जा रही है—निष्पक्ष सम्पादन-कार्य असम्भव कर दिया गया है। मुझे तो युद्ध की अपेक्षा इस समझौते के युग में कहीं अधिक हानि उठानी पड़ी है! 'भविष्य' और 'चाँद' ने कॉङ्ग्रेस की नीति का प्रतिपादन करने के कारण केवल एक मास के भीतर दो उच्च-कोटि के शिक्षित सम्पादकों की क़ुर्बानियाँ की हैं। पिछले दो वर्षों के भीतर मुझे क़रीब ५०,००० रुपयों की आर्थिक हानि उठानी पड़ी है। इस हानि ने मुझे एक बार ही विचलित कर दिया है और अब मुझ में हानि उठाने की शक्ति नहीं रह गई है। जिन सम्पादकों को गिरफ़्तार किया जाता है उनके साथ साधारण क़ैदियों की भाँति व्यवहार किया जाता है। वे अदालत में हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़ कर लाए जाते हैं। कृपया इन मामलों में हस्तक्षेप कीजिए और मुझे मेरा कर्तव्य बतलाइए!

सहगल जी के इस तार के उत्तर में २० जुलाई को महात्मा गाँधी ने उन्हें जो उत्तर देने की कृपा की है, उसका आशय इस प्रकार है :—

मुझे खेद है इस समय इस मामले में हस्तक्षेप करना सम्भव नहीं है। इस प्रकार के मामलों के विरुद्ध आपको प्रान्तीय आन्दोलन करना (महात्मा जी ने Should agitate locally लिखा है) चाहिए।

* *

२२वीं जुलाई की दोपहर को सहगल जी 'चाँद' तथा 'भविष्य' के नए मुद्रक, प्रकाशक और सम्पादक—श्री० शङ्करदयाल जी श्रीवास्तव, एम० ए० को अपने साथ लेकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अदालत में डिक्लेरेशन देने के अभिप्रायः से गए। उन्हें मालूम हुआ कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब इस समय अपने ख़्वाबगाह ("पलङ्ग-कमरे में हैं" वहाँ गया था) में हैं और आज अदालत में तशरीफ़ नहीं लावेंगे; इसलिए सहगल जी ख़ाँ साहब रहमानबख़्श क़ादरी के इजलास में गए ताकि वहीं डिक्लेरेशन दाख़िल कर दिया जाय; (श्री० भुवनेश्वरनाथ जी मिश्र के डिक्लेरेशन देने के समय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दौरे पर था और उनकी जगह पर आप ही ने डिक्लेरेशन लिया था) किन्तु उन्होंने उसे लेने से इन्कार कर दिया। बहुत कुछ पूछने पर आपने बतलाया, कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की ख़ास हिदायत है कि आपका डिक्लेरेशन हमेशा उन्हीं के सामने पेश किया जाय। कलक्टर के चीफ़-रीडर की सलाह से और लाचार होकर सहगल जी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कोठी पर गए, उन्हें अकेले भीतर बुलाया गया और साधारण शिष्टाचार के पहिले ही उनसे पूछा गया, कि आपके 'चाँद' प्रेस का मालिक वास्तव में कौन है? सहगल जी ने उन्हें बतलाया कि प्रेस का मालिक मैं हूँ!!

प्र०—जब आप मालिक हैं तो डिक्लेरेशन अपने ही नाम से क्यों नहीं देते?

उ०—आपको यह प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है; मेरी ओर से नियुक्त किया हुआ कोई भी व्यक्ति डिक्लेरेशन दे सकता है।

प्र०—यह आपकी चाल है कि स्वयं तो विष वमन करें और दूसरों को व्यर्थ में जेल भेजते रहें।

उ०—मैं आपके इन शब्दों का विरोध करता हूँ और भविष्य में मैं आप से इस प्रकार की बातें सुनने को तय्यार नहीं हूँ, आपका कर्तव्य है कि जो डिक्लेरेशन आपके सामने उपस्थित किया जा रहा है, आप उसे स्वीकार करें।



बाईं ओर से—(१) "सरदार भगतसिंह" के लेखक श्री० जितेन्द्रनाथ सान्याल—जिन्हें २ वर्ष का कठिन कारावास-दण्ड प्रदान किया गया है (२) 'चाँद' और 'भविष्य' के सम्पादक श्री० त्रिवेणीप्रसाद जी, बी० ए०—जिन्हें १,०००) रु० जुर्माना अथवा ६ मास का कठिन कारावास-दण्ड दिया गया है।

प्र०—मैं भविष्य में ऐसा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ, आपको भी जेल की हवा खानी पड़े!

उ०—यदि आप में ऐसा करने की क्षमता है तो अवश्य कीजिए। आपके पास पुलिस है, आपके अधीन फ़ौज और बड़ी-बड़ी सुदृढ़ जेलें हैं; आप जो भी करेंगे—इस अभागे देश में जन्म ग्रहण करने के कारण सब कुछ मुझे मन मसोस कर स्वीकार करना ही पड़ेगा!

प्र०—और मैं अवश्य ऐसा करूँगा, यदि आगे से 'भविष्य' में कोई राजविद्रोहात्मक लेख प्रकाशित हुआ तो स्मरण रखिए, आप बच नहीं सकते!

उ०—मैं बचने का प्रयत्न भी नहीं करूँगा।

प्र०—अच्छा, उस अभागे 'डिक्लेरेन्ट' को बुलवाइए जो जेल की हवा खाने को इतना अधिक उत्सुक है!

सहगल जी ने चपरासी को आवाज़ देकर श्रीवास्तव जी को बुलाने की आज्ञा दी। उनके आने पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उनसे कहा, कि देखिए सहगल साहब ने अपने को प्रेस का स्वामी बतलाया है और कहा है कि "I possess a Press" [इस पर सहगल जी ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का विरोध करते हुए उनसे कहा कि मैंने आपके पूछने पर अपने को केवल प्रेस का मालिक (Proprietor) मात्र बतलाया है; पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सहगल जी से थोड़ी देर चुप रहने को कहा] श्रीवास्तव महोदय से आपने कहा कि मैंने सहगल साहब का बयान दर्ज कर लिया है, कि वे प्रेस के वास्तविक स्वामी हैं और आपको केवल आड़ के लिए यहाँ ले आए हैं: इसलिए आप ख़ूब सोच-समझ लीजिए; क़ानून के अनुसार झूठा डिक्लेरेशन देने के अपराध में मैं आपको २ वर्ष का कठिन कारावास दण्ड और २,०००) रु० जुर्माने तक की सज़ा दे सकता हूँ। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने हिन्दुस्तानी में कहा "आप देश-सेवा करें, मुल्क की ख़िदमत करें, एडिटर हों, पब्लिशर हों, पर why submit a false Declaration that you are the Keeper of the Press?

सारांश यह कि अपनी ओर से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने श्रीवास्तव महोदय को अधिक से अधिक भड़काने का प्रयत्न किया, पर कोई फल नहीं हुआ। डिक्लेरेशन दाख़िल कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने क्रोध के आवेश में उन पर कुछ लिखा भी है और गिरफ़्तार करने की धमकी भी दी है। इसका फल जो भी होगा वह 'भविष्य' के आगामी अङ्क में पाठकों के सामने उपस्थित कर दिया जायगा।

* * *

उच्छृङ्खलता के इस शासन काल में उन पत्रकारों की दशा कितनी दयनीय है—जो ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन करने के पक्षपाती हैं—इसका अन्दाज़ा पाठकगण उपर्युक्त पंक्तियों से लगा सकते हैं। इस विषय में हम 'भविष्य' के आगामी अङ्क में विस्तृत रूप से लिखने की चेष्टा करेंगे।

—सं० 'भविष्य']

श्री० सुखदेवराज की विजय

लाहौर का २० जुलाई का समाचार है कि दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल ने श्री० सुखदेवराज के जेल में अलग एकान्त कोठरी में रक्खे जाने के प्रश्न पर अपना फ़ैसला सुना दिया। ट्रिब्यूनल ने अलग एकान्त कोठरी में रक्खे जाने को ग़ैर क़ानूनी बतलाते हुए हुक्म दिया है, कि अभियुक्त सुखदेवराज एकान्त कोठरी से हटा दिया जाय और उसे दूसरे क़ैदियों के साथ रहने की आज्ञा दे दी जाय।

ट्रिब्यूनल ने जेल अधिकारियों से कहा है, कि इस हुक्म के अनुसार जो कार्रवाई हो, उसकी रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर इस ट्रिब्यूनल के सामने जेल के अधिकारी पेश करें।

—ढाका का १९ जुलाई का समाचार है कि सुतरापुर पुलिस ने ढाका ज़िले के चुरहन गाँव के निवासी अरविन्द दत्त को नारायनगञ्ज की सशस्त्र डकैती के सम्बन्ध में गिरफ़्तार कर लिया है। कहा जाता है कि नारायनगञ्ज की पुलीस ने इस सम्बन्ध में नारायनगञ्ज में कई मकानों की तलाशियाँ भी की हैं।

❀ ❀ ❀



—बागेरहाट (बङ्गाल) का ११वीं जुलाई का समाचार है कि, विदेशी कपड़े के स्थानीय व्यापारियों के पास इस आशय के छपे हुए पर्चे भेजे गए थे कि यदि वे विदेशी कपड़े बेचना बन्द न करेंगे तो उनके साथ बलप्रयोग किया जायगा। इस पर्चे से स्थानीय व्यापारियों में सनसनी सी फैल गई है और शान्ति-रक्षा के लिए अतिरिक्त पुलीस का एक दल बाज़ार में तैनात कर दिया गया है।

—बहराइच के समाचारों से विदित होता है कि वहाँ के किसान धड़ाधड़ गिरफ़्तार किए जा रहे हैं। दण्ड-विधान की भिन्न-भिन्न धाराओं के अनुसार अब तक ११३ व्यक्ति गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। इन गिरफ़्तार व्यक्तियों में फ़ी सैकड़े ७५ ऐसे व्यक्ति हैं, जो या तो कॉङ्ग्रेस के कार्यकर्त्ता हैं या कॉङ्ग्रेस के साथ सहानुभूति रखते हैं।

यहाँ के किसान लगान चुकाने में पूर्णतया असमर्थ हैं। यदि वे अपना सब अनाज बेंच भी डालें तो भी शायद पूरा लगान न चुका सकेंगे।

कहा जाता है कि कुछ लोगों के विरुद्ध, जो २०६वीं धारा के अनुसार गिरफ़्तार किए गए हैं, अभी तक अभियोग उपस्थित नहीं किया गया है। ये मामले केवल पुलीस की रिपोर्टों के आधार पर चलाए जा रहे हैं, और बिना विशेष कार्यवाही के दण्ड दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों के मामले जेल ही में चल रहे हैं और अभियुक्तों के सम्बन्धियों तक को भी अदालत में आने नहीं दिया जाता है।

—फ़रीदपुर का १३वीं जुलाई का समाचार है, कि आज धारीसार षड्यन्त्र का मामला, जिसमें ६ विद्यार्थियों पर दण्ड-विधान की ३६१ और ४०२ धाराओं के अनुसार तथा विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी धाराओं के अनुसार अभियोग उपस्थित किया गया है, आज स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुआ। सभी अभियुक्त अभी २० वर्ष से नीचे की अवस्था के हैं। ये २२वीं दिसम्बर को धारीसार में गिरफ़्तार किए गए थे। कहा जाता है कि गिरफ़्तारी के समय इन लोगों के पास पटाख़े और नाईट्रिक एसिड आदि कुछ वस्तुएँ मिली थीं। ७ महीने पुलीस के हिरासत में रक्खे जाने के बाद ये अदालत में पेश किए गए हैं। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष ने उन लोगों से प्रथम श्रेणी के विचाराधीन क़ैदी की भाँति व्यवहार किए जाने का आदेश दिया है।

—बम्बई के १२वीं जुलाई के समाचारों से विदित होता है कि बारडोली और बलोद के अधिकारियों ने लगान वसूल करने के लिए दमन-नीति से काम लेना शुरू कर दिया है। किसानों के अपनी शिकायतों को महात्मा जी के सामने पेश करने पर, महात्मा जी ने कलक्टर को इस बात की सूचना दी। कहा जाता है, सूरत के कलक्टर ने इस बात की जाँच करने का आश्वासन दिया है।

—लाहौर का १२वीं जुलाई का समाचार, कि आज 'पीपुल' के सम्पादक लाला फ़ीरोज़चन्द का मामला अदालत में पेश हुआ। अभियुक्त ने निम्नलिखित व्यक्तियों को गवाही देने के लिए अदालत की ओर से सम्मन जारी किए जाने की दरख़्वास्त दी, जो नामञ्जूर कर दी गई :—एच० ई० एम० बी० अज़ीमी, कौन्सल जेनरल फ़ार परसिया—शिमला; परसिया कौन्सल जेनरल बम्बई; श्री० जी० के० नॉरिमन; श्री० बी० जी० हार्निमेन; मि० एस० ए० ब्रेलवी; पञ्जाब-सरकार के चीफ़ सेक्रेटरी मि० सी० सी० गर्बेट; मि० करमचन्द; मि० कालीनाथ रॉय; मि० प्यारेमोहन; मि० जी० एस० राघवन और मि० के० पी० कबादी।

मैजिस्ट्रेट ने कहा कि जिस प्रेस में पत्र छपा है, केवल उसके प्रूफ़रीडरों की गवाही ली जायगी।

—नेत्रकोना का १४ वीं जुलाई का समाचार है कि कल स्थानीय कॉङ्ग्रेस कमिटी की तलाशी ली गई और कुछ काग़ज़-पत्र बरामद किए गए। कहा जाता है कि यह तलाशी मैमनसिंह भैरव बाज़ार रेलवे डकैती के सम्बन्ध में हुई थी। अभी तक कोई गिरफ़्तार नहीं किया गया

मुख़बिर का ख़ून !

लाहौर का १६वीं जुलाई का समाचार है कि सरदार कृपालसिंह नामक एक व्यक्ति, जिसने १६१४-१५ के षड्यन्त्र केस में पुलिस के भेदिए का काम किया था, खानेवाल तहसील के एक गाँव में मार डाला गया है! हत्यारों की संख्या ४-५ के लगभग बतलाई जाती है, सभी हत्यारे लापता हैं।

—बन्नू का १२वीं जुलाई का समाचार है कि स्थानीय ज़िला मैजिस्ट्रेट ने १४४वीं धारा के अनुसार निम्नलिखित आज्ञा जारी की है।

"मुझे यह मालूम हुआ है कि बन्नू ज़िले के वज़ीर कोहाट ज़िले की कॉङ्ग्रेस कमिटी द्वारा सङ्गठित सभाओं से जा सकते हैं, और चूँकि ऐसी सभाओं से सार्वजनिक शान्ति भङ्ग होती है, क्योंकि गत वर्ष एक ऐसी ही सभा में दङ्गा हो गया था, जिससे एक आदमी की जान ली गई थी, मैं इस आज्ञा के द्वारा बन्नू ज़िले के वज़ीरों की कोहाट की सीमा में होने वाली कॉङ्ग्रेस की किसी भी सभा में, जिसमें ५ से अधिक मनुष्य उपस्थित हों, जाने के लिए निषेध करता हूँ।"

बन्नू ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी ने कहा है कि यह आज्ञा नाजायज़ है, क्योंकि इसका सम्बन्ध कोहाट ज़िले से है और बन्नू ज़िले के एक अफ़सर द्वारा जारी की गई है। सेक्रेटरी ने इस आज्ञा की एक प्रति कॉङ्ग्रेस की कार्यकारिणी समिति के पास सलाह के लिए भेजा है।

—रङ्गून के १२वीं जुलाई के समाचारों से पता चलता है, कि बर्मा में अभी डकैतियाँ जारी हैं, कहा जाता है कि गत दो दिनों में वहाँ ११ डकैतियाँ की गईं, और दो व्यक्तियों की हत्याएँ भी की गई हैं।

बेसीन में कुछ सशस्त्र डाकू एक आबकारी के अफ़सर के घर में घुस गए और उसकी जायदाद लूट कर चलते बने। थाएटमेयो में दो डाके डाले गए और डकैत एक लड़की को बन्धक के तौर पर उठा कर ले गए। पेगू से भी एक व्यक्ति की हत्या की ख़बर आई है। इस सम्बन्ध में दो व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए हैं। थारावड्डी में भी एक डाका डाला गया है और एक हत्या भी की गई है।

प्रोम से १६ और मनुष्यों के आत्म समर्पण करने की ख़बर आई है।

कहा जाता है कि १३वीं जुलाई को पुलीस के ज़िला-सुपरिण्टेण्डेण्ट ने थाएटमेयो के दक्षिण-पश्चिम हॉन और वायुट नामक गाँवों को घेर लिया और ६ व्यक्तियों को, जिनमें हॉन ग्राम के मुखिया और उनके पुत्र भी हैं गिरफ़्तार कर लिया। इन लोगों पर पुलीस के भूतपूर्व ज़िला-सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० स्मिथ को घायल करने का सन्देह किया जाता है।

—रङ्गून के १६वीं जुलाई के समाचारों से विदित होता है कि शान रियासतों में ६२ मनुष्य गिरफ़्तार किए गए हैं। वहाँ अब पूर्ण शान्ति बतलाई जाती है। विद्रोहियों का नेता अपने कुछ अनुयायियों के साथ भाग निकला है और पुलीस उनका पीछा कर रही है।

लूट और हत्याएँ अभी जारी हैं। इस लूट और हत्या के शिकार विशेष कर गाँवों के मुखिए ही होते हैं।

प्रोम से तीन डकैतियाँ होने की ख़बर मिली है। कहा जाता है कि गाँव का मुखिया अपनी स्त्री समेत मार डाला गया है।

—कलकत्ते का १२वीं जुलाई का समाचार है कि, 'हिन्दू पञ्च' प्रेस द्वारा मुद्रित और प्रकाशित 'प्रसिद्ध शहीद' नामक एक पर्चे को, जिसमें श्री० दिनेश गुप्त, श्री० विनय बोस और श्री० सुधीर गुप्त के चित्र थे, विद्रोहात्मक बतला कर ज़ब्त कर लिया गया है।

—पेशावर का १२वीं जुलाई का समाचार है कि स्थानीय लालकुर्त्ती दल के नेता स्वयंसेवकों की भर्त्ती कर रहे हैं। हाल ही में वहाँ १४४वीं धारा जारी कर दी गई है जिसके अनुसार ग्राण्डट्रङ्क रोड के समीप सभाएँ करने और जुलूस निकालने की मनाही कर दी गई है। इस कारण इनका कार्यक्षेत्र बहुत सङ्कुचित हो गया है।

—लुधियाना का १२वीं जुलाई का समाचार है कि स्थानीय नौजवान भारत सभा ने, मास्टर जामिल नामक एक सदस्य का नाम इसलिए काट दिया है, कि उसने एक साम्प्रदायिक परिषद में भाग लिया था।

—पेशावर का २४ वीं जुलाई का समाचार है कि अफ़ग़ानिस्तान के सम्राट नादिरशाह ने अपनी पहली पार्लियामेण्ट में भाषण देते हुए कहा है कि मैंने अफ़ग़ानिस्तान के भूतपूर्व सम्राट अमानुल्ला को सहायता देने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। यह बात मुझे दक्षिणी प्रान्तों में आने पर मालूम हुई थी, क्योंकि वहाँ के लोगों में यह अफ़वाह ज़ोरों से फैली हुई थी, किन्तु मैंने यह साफ़ ज़ाहिर कर दिया था, कि मैं किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता था, बल्कि जनता की अनुमति से राज्य-शासन की बागडोर हाथ में लेकर, इस गृह-कलह का अन्त करना चाहता था।

उन्होंने बचा सका के विरुद्ध, ब्रिटिश सरकार को कुछ राजनीतिक सुविधाएँ देकर उनके बदले सहायता लेने की बात का भी खण्डन किया।

उनके भाषण से यह भी पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार से १,७५,००० पौण्ड का बिना ब्याज का ऋण तथा १०,००० राइफ़लें और ५० लाख गोलियाँ ऋण स्वरूप ली गई हैं। फ़्रेञ्च सरकार से १८ हज़ार राइफ़लें तथा एक करोड़ ८० लाख गोलियाँ उधार ली गई हैं। जर्मनी से भी ५ हज़ार राइफ़लें और ५० लाख गोलियाँ उधार ली गई हैं। इन सबों के अतिरिक्त ५ हज़ार राइफ़लें और ५ करोड़ गोलियाँ ब्रिटिश सरकार से नक़द दाम देकर ख़रीदी गई हैं। अन्य सरकारों से भी युद्ध-सम्बन्धी अनेक सामान नक़दी ख़रीदे गए हैं !!

भारत के प्रसिद्ध कम्यूनिस्ट श्री० एम० एन० रॉय गिरफ़्तार

भारत के प्रसिद्ध कम्यूनिस्ट श्री० एम० एन० राय, जोकि मास्को इन्टर नेशनल के सदस्य रह चुके हैं, जिनके विरुद्ध भारत की अनेक अदालतों में षड्यन्त्र और राजद्रोह के अभियोग लग चुके हैं और जो जर्मनी से अभी थोड़े ही दिन हुए लौटे थे, परसों २१ जुलाई को सवेरे ५ बजे गिरफ़्तार कर लिए गए।

पुलीस को श्री० एम० एन० राय के जर्मनी से भारत वापस आने की ख़बर पहले ही लग चुकी थी, परन्तु उसको यह पता नहीं था कि आप कहाँ हैं। कलकत्ता, दिल्ली, लाहौर और दूसरे प्रमुख नगरों की पुलीस कई दिन से आपकी तलाश में थी। बम्बई की स्पेशल ब्राञ्च कई दिन ख़ुफ़िया कार्रवाई करने के बाद इस बात का पता लगा सकी कि श्री० एम० एन० राय बिली स्ट्रीट, बाईकुला में मि० ए० जी० पण्डित के घर पर, जोकि स्थानीय म्युनिसिपल कौन्सिलर मि० वाई० जे० पण्डित के भाई हैं, ठहरे हुए हैं।

पता लगते ही पुलीस कमिश्नर मि० जी० एस० विल्सन, डिप्टी कमिश्नर मि० पेटीगरा बहुत से इन्स्पेक्टरों और स्पेशल ब्राञ्च के अफ़सरों के साथ अत्यन्त गुप्त रीति से गिरफ़्तारी का प्रबन्ध करने लगे। लाहौर, दिल्ली और कलकत्ता की पुलीस, यह जानते हुए भी कि श्री० एम० एन० राय इन नगरों में आए हुए हैं, गिरफ़्तार करने में असफल हुई थी। बम्बई पुलीस के अधिकारियों ने पाँच बजे सवेरे ही श्री० राय के निवास स्थान को चारों ओर से घेर लिया था। मि० पेटीगरा ने दरवाज़ा खटखटाया। नौकर ने दरवाज़ा खोलते ही पुलीस को देखकर दरवाज़ा बन्द कर देना चाहा, परन्तु पुलीस का दल रिवॉल्वर लिए ज़बरदस्ती अन्दर घुस गया। पुलिस ने देखा बग़ल के एक कमरे में श्री० एम० एन० राय सो रहे थे। श्री० राय गिरफ़्तार कर लिए गए। आप से कुछ प्रश्न किए गए, परन्तु आपने उत्तर देने और अपना नाम बतलाने से इन्कार कर दिया। तलाशी में बहुत से काग़ज़ात मिले जोकि ज़ब्त कर लिए गए। इसके बाद आप पुलीस हेडक्वार्टर में भेज दिए गए।

श्री० एम० एन० राय एक सुन्दर डील डौल के व्यक्ति हैं। आप दफ़ा १२१-ए के अनुसार बादशाह के विरुद्ध युद्ध करने के अपराध में गिरफ़्तार किए गए हैं।

आपके साथ ही आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कॉङ्ग्रेस के स्थानीय सेक्रेटरी मि० ए० ए० शेख़, डॉ० शेठी, मज़दूर-नेता मि० सुन्दर कवाडी जोकि पिछले साल जुलाई महीने में जर्मनी से भारत आए थे और मि० चार्ल्स मैकरेनहर भी गिरफ़्तार हुए हैं।

पुलीस ने लेबर कॉलेज के प्रिन्सिपल डॉ० जी० जी० चिटनिस, टोयोपोडर मिल के एकाउन्टैन्ट मि० यू० आर० पुटली, जोकि लैमिङ्गटन रोड गोली-काण्ड में भी गिरफ़्तार कर लिए गए थे और बाद में छोड़ दिए गए थे, बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे यूनियन के मि० जे० एन० शेठी और टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी के मि० एन० एस० शेठी और अब्दुल करीम सराफ़ अली को भी गिरफ़्तार कर लिया है।

राय की कम्यूनिस्ट भारत बनाने की स्कीम

दिसम्बर सन् १९२९ में श्री० एम० एन० राय मास्को की कम्यूनिस्ट इन्टर नेशनल से, दल की नीति से भ्रष्ट हो जाने के कारण निकाल दिए गए थे।

अगस्त सन् १९२८ में भारतीय समाचार-पत्रों में आपकी भारत को कम्यूनिस्ट बनाने की स्कीम प्रकाशित हुई थी। आपने उस स्कीम में कहा था कि भारतीय युद्ध का परिणाम यह अवश्य ही होगा कि पूँजीवाद और साम्राज्यवाद नष्ट हो जायँगे और उनके स्थान साम्यवाद की व्यवस्था होगी। आपने उस स्कीम द्वारा मज़दूरों, किसानों, पढ़े-लिखे बेकारों और शहर के निवासियों में असन्तोष उत्पन्न करने का विचार किया था। इसके लिए आपने गुप्त संस्थाओं के स्थापित करने की सलाह दी थी। आपने अपनी स्कीम में भूमि को राष्ट्र की सम्पत्ति बना देने, ज़मींदारी प्रथा तथा देशी रियासतों को हटा देने, किसानों का क़र्ज़ रद्द कर देने, मज़दूरी का समय प्रति दिन ८ घण्टा कर देने और सबको हथियार रखने का अधिकार दे देने की बात भी कही थी।



२०वीं जुलाई को कचहरी की हवालात में बैठे हुए दफ़ा १२४-ए के तीन शिकार
(कटघरे में) श्री० भुवनेश्वरनाथ मिश्र, एम० ए० (बाईं ओर से बैठे हुए) श्री० त्रिवेणीप्रसाद, बी० ए० तथा श्री० जितेन्द्रनाथ सान्याल।

श्री० राय मास्को इन्टर नेशनल की तरफ़ से भारत में साम्यवाद के प्रचार और सङ्गठन के लिए नियुक्त किए गए थे।

मेरठ षड्यन्त्र केस में आपका नाम कई बार आ चुका है। मैजिस्ट्रेट ने किसी सम्बन्ध में श्री० एम० एन० राय के विषय में कहा था कि आपने कई एक पुस्तकें भी लिखी थीं, जोकि ज़ब्त हैं। आपने मास्को की कम्यूनिस्ट इन्टर नेशनल की अनेक सभाओं में भी भाग लिया है। श्री० एम० एन० राय सन् १९२४ के कानपुर कम्यूनिस्ट षड्यन्त्र केस के फ़रार अभियुक्त रहे हैं। वे अक्सर मास्को जाया करते हैं। सन् १९२८ में मास्को की कम्यूनिस्ट इन्टर नेशनल की विश्व-कॉङ्ग्रेस में भी वे गए थे। वहाँ किसी विषय में झगड़ा हो जाने के कारण अपने कार्य से हटा दिए गए थे।

श्री० एम० एन० राय चीफ़ प्रेसिडेन्सी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए। पुलीस ने ४ अगस्त तक के लिए मोहलत माँगी है। श्री० राय के अतिरिक्त और सब गिरफ़्तार व्यक्ति पाँच-पाँच सौ रुपए की ज़मानत पर छोड़ दिए गए हैं।

* * *

कानपुर की विचित्र पहेली

ता० १८ जुलाई का समाचार है कि वीरभद्र तिवारी पर नारियल बाज़ार की एक गली के मोड़ पर दो बजे दोपहर को किसी ने गोली का वार कर दिया। आक्रमणकारियों ने तीन गोलियाँ चलाईं, परन्तु वीरभद्र तिवारी एक मकान के ज़ीने में छिप जाने के कारण बच गए। आक्रमणकारी भी भाग गए। एक गोली पास ही खड़ी एक गाय के पैर में लगी, दूसरी उस ज़ीने में लगी जहाँ वह छिप गए थे, तीसरी एक दीवार में लगी। पुलिस तुरन्त ही घटनास्थल पर पहुँच गई और डी० ए० वी० कॉलेज के लॉ के विद्यार्थी श्री० अश्विनीकुमार मिश्र को, जो कि ज़मीन पर के ख़ून के दाग़ देख रहे थे, रोक लिया। गोली चलने पर वीरभद्र तिवारी ने श्री० अश्विनीकुमार मिश्र के घर में छिप कर और अन्दर से दरवाज़ा बन्द करके अपनी जान बचाई थी। कहा जाता है कि अश्विनीकुमार मिश्र ने वीरभद्र तिवारी से मकान के बाहर निकल जाने के लिए कहा था।

पुलिस ने इस सम्बन्ध में एक बुड्ढे 'ज्योतिषी' को भी गिरफ़्तार किया था जो कि बाद में छोड़ दिए गए।

कानपुर की जनता के लिए वीरभद्र तिवारी एक विचित्र पहेली हो रहे हैं। वीरभद्र तिवारी थोड़े ही समय पहले कॉङ्ग्रेस के उत्साही कार्यकर्ता थे। सविनय अवज्ञा आन्दोलन में आप जेल भी गए थे। काकोरी षड्यन्त्र में आप भी गिरफ़्तार हुए थे, परन्तु बाद में छोड़ दिए गए। दिल्ली षड्यन्त्र केस में मुख़बिर कैलाशपति ने जो बयान दिया है उसमें भी वीरभद्र तिवारी का नाम कई जगह आया है। मुख़बिर ने बयान किया है कि वीरभद्र तिवारी यू० पी० क्रान्तिकारी दल के प्रान्तीय सङ्गठन-कर्ता और केन्द्रीय कमेटी के सदस्य थे। मुख़बिर ने अपने बयान में यह भी कहा है कि गाडोदिया स्टोर की डकैती में उन्हें सब से अधिक हिस्सा दिया गया था। लोगों ने आप पर षड्यन्त्रकारी होने और साथ ही पुलीस से मिले रहने का सन्देह करके आपको दल से निकाल दिया था। आप दिल्ली षड्यन्त्र में गिरफ़्तार नहीं किए गए, इसलिए मालूम होता है कि आपके साथियों का सन्देह और भी अधिक बढ़ गया है और वे उनके विरुद्ध हो गए हैं। थोड़े समय से स्थानीय यूथलीग ने भी आपका नाम सदस्यों से हटा दिया है। इस रहस्यमय गोली-काण्ड की जाँच हो रही है।

कानपुर का २१ जुलाई का समाचार है कि स्थानीय बेकारी सभा के मन्त्री श्री० रमेशचन्द्र मेहता पर शाम के वक़्त मेस्टन रोड पर किसी ने गोली चला दी। जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए हैं। कहा जाता है कि आक्रमणकारी राजाराम ज़ालिम है, जो कि मेस्टन रोड में वीरभद्र तिवारी के साथ रहता है जिन पर शनिवार के दिन रिवॉल्वर का आक्रमण हुआ था।

कहा जाता है कि गोली चलाने के समय ज़ालिम साइकिल पर था। श्री० मेहता और श्री० मुनीश्वर प्रसाद अवस्थी किसी सभा से वापस आ रहे थे। ज़ालिम ने गोलियों के चार वार किए, जिनमें से एक मेहता के पीठ में लगी।

आक्रमणकारी के पीछे दौड़ने पर उसने एक गोली और चलाई। इसके बाद साइकिल से नीचे गिर कर वह वीरभद्र तिवारी के मकान में घुस गया। मकान के पास बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। ज़ालिम के सशस्त्र होने के कारण घर के अन्दर जाकर उसे पकड़ने का प्रयत्न नहीं किया गया। बाद में जब कुछ पुलीस अफ़सरों ने, जिनमें मि० नाटवावर भी थे, दो ग़ैर सरकारी आदमियों के साथ मकान की तलाशी ली, तो आक्रमणकारी नहीं मिला। मि० मेहता अस्पताल पहुँचाए गए। एक्सरे द्वारा परीक्षा हुई। हालत ख़तरनाक होने के कारण उनका मरणासन्न बयान ले लिया गया है।

"मरीज़ का टेम्परेचर अभी उतना ही है"

महात्मा जी क्या वास्तव में विलायत जायँगे ?

शिमला का तारीख २१ जुलाई का समाचार है कि महात्मा गाँधी और वॉयसरॉय की निष्फल बातचीत होते-होते भोजन का समय तक आ गया।

वॉयसरॉय के भवन से बाहर निकलने पर और एसोसिएटेड प्रेस के विशेष सम्वाददाता के पूछने पर महात्मा गाँधी ने कहा—"बातचीत असमाप्त रही, परन्तु अब अधिक बातचीत के लिए मैं यहाँ ठहरूँगा नहीं। कल मैं बारडोली के लिए रवाना हो जाऊँगा और वहाँ से बोरसद जाऊँगा।"

प्रतिनिधि के यह पूछने पर कि क्या अभी और बातचीत होगी, महात्मा गाँधी ने कहा कि सम्भवतः पत्र-व्यवहार द्वारा बातचीत हो और उसी से शायद बाद में अधिक प्रकाश दीख पड़े। महात्मा गाँधी के शब्दों में इस समय परिस्थिति ज्यों की त्यों है, रोगी का टेम्परेचर अभी उतना ही है।

इङ्गलैण्ड जाने के विषय में पूछने पर महात्मा गाँधी ने कहा कि यह विषय अब भी सन्दिग्ध है। जब तक जहाज़ पर नहीं बैठ जाता, तब तक कोई निश्चय नहीं है।

महात्मा गाँधी ने सन्ध्या का भोजन और अपनी प्रार्थना वॉयसरॉय के भवन में ही की।

राजनीतिक केन्द्रों में जो चर्चा है, उससे मालूम होता है, संयुक्त-प्रान्त की आर्थिक अवस्था की जाँच के सम्बन्ध में सरकारी अफ़सरों से सलाह करने के लिए काफ़ी समय की ज़रूरत पड़ेगी।

हंसराज (उर्फ़ वायलैंस) की तलाश !

दो संन्यासी गिरफ्तार :: हंसराज जापान पहुँच गए !

जापान सरकार ने उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेण्ट को सौंपने से इन्कार कर दिया

हंसराज 'रा सूदा' की पार्टी के मंत्री बना दिए गए !

अमृतसर का १७वीं जुलाई का समाचार है कि पुलीस ने दो संन्यासियों को षड्यन्त्रकारी होने के सन्देह में गिरफ़्तार कर लिया था। इन गिरफ़्तारियों का विवरण बहुत मनोरञ्जक है। एक पुलीस के आदमी ने कोतवाली में जाकर ख़बर दी कि मैंने संन्यासी के रूप में (बेतार के तार के विशेषज्ञ) षड्यन्त्रकारी हंसराज को दुर्गियाना मन्दिर के पास देखा है। उसके साथ एक और षड्यन्त्रकारी संन्यासी के रूप में है। यह ख़बर पाकर सी० आई० डी० के अफ़सर तुरन्त उस स्थान पर पहुँच गए। उन्होंने देखा कि दो संन्यासी उस स्थान से जा रहे हैं। इस पर पुलीस के आदमी ने कहा कि वे पुलीस को देख कर भाग रहे हैं। थोड़ी दूर तक पुलीस के आदमी संन्यासियों के पीछे-पीछे चले, बाद में उन्हें गिरफ़्तार करके शहर की कोतवाली में भेज दिया गया। हंसराज की फ़ोटो से संन्यासियों की सूरतें मिलाई गईं, परन्तु वे कोई दूसरे ही निकले !

प्रश्न करने पर एक संन्यासी ने पुलीस-अफ़सर से कहा कि मेरे साथ अमृतसर सात और संन्यासी आए हैं, जोकि दुर्गियाना मन्दिर में ठहरे हुए हैं। इस बात की जाँच करने के लिए संन्यासियों के साथ एक पुलीस का आदमी कर दिया गया। संन्यासियों का कथन सच निकलने पर वह छोड़ दिया गया।

दूसरे संन्यासी ने पुलीस से कहा कि मैं लाहौर ज़िले में ब्रक्टोहा पुलीस-चौकी के पास के गाँव का रहने वाला हूँ। उस पर षड्यन्त्रकारी होने का सन्देह किया गया। संन्यासी के गाँव एक पुलीस का आदमी भेजा गया। उसने जाकर वहाँ पुलीस से पता लगाया कि उस व्यक्ति की किसी मामले में ज़रूरत तो नहीं है। उसने आकर बतलाया कि इस व्यक्ति की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार वह संन्यासी भी छोड़ दिया गया।

बाद के समाचारों से पता चलता है कि लाहौर षड्यन्त्र केस के फ़रार कहे जाने वाले अभियुक्त श्री० हंसराज उर्फ़ "वायर्लेस" सकुशल जापान पहुँच गए हैं। यह भी पता चला है कि श्री० हंसराज भारत के सुप्रसिद्ध विप्लवकारी नेता श्री० रासबिहारी बोस (रासूदा) के साथ टोकियो में रहने लगे हैं। कहा जाता है कि भारत-सरकार ने जापान-गवर्नमेण्ट से श्री० हंसराज को दे देने की प्रार्थना की थी, जो जापान सरकार ने अस्वीकार कर दी है। यह भी पता चला है कि श्री० रासबिहारी बोस ने श्री० हंसराज को अपनी सुप्रसिद्ध 'इण्डियन नेशनल पार्टी' का मन्त्री नियुक्त किया है। अभी तक सरकार की ओर से इस समाचार का खण्डन नहीं किया गया है।

* * *

पापी पेट के कारण—

जापान कहाँ है ? धोखेबाज़ी की हद !!

इलाहाबाद का १८ जुलाई का समाचार है कि एक कपड़े की दूकान पर कुछ देहाती कपड़ा ख़रीद रहे थे। दूकानदार ने देहातियों को विदेशी वस्त्र दिखलाया। देहातियों के यह पूछने पर कि वस्त्र स्वदेशी है या नहीं, दूकानदार ने कहा कि यह जापानी है। देहातियों ने कहा कि जापान भी तो विदेश है, परन्तु दूकानदार ने तुरन्त उत्तर दिया कि जापान विदेश नहीं है। बल्कि हिन्दुस्तान के एक स्टेशन का नाम है, जोकि कानपुर और टूँडला के बीच में है !!

घोड़े की बग़ावत

पुलीस और फ़रार अभियुक्तों के बीच गोलियों की वर्षा

पुलीस के घोड़े पर 'फ़रार' व्यक्ति ग़ायब हो गया !

लाहौर का १६ जुलाई का समाचार है कि लायलपुर ज़िले में ६४ चक के गाँव के पास पुलीस-दल और कुछ फ़रार अभियुक्तों के बीच गोली चल गई।

फ़रार अभियुक्त एक खेत में छिपे बैठे थे। पुलीस के आदमियों ने उन्हें पहचान कर उनसे उसी स्थान पर बैठे रहने के लिए चिल्ला कर कहा। आवाज़ सुन कर सब भाग निकले। परन्तु एक के पैर में गोली लग गई, इसलिए वह रह गया। इसने भी गोली का जवाब रिवॉल्वर की गोलियों की वर्षा से दिया। जिससे कुछ पुलीस अफ़सर घायल हो गए। एक गोली घोड़े को भी लगी। उसने सवार (पुलीस अफ़सर) को नीचे गिरा दिया और घायल होकर फ़रार की ओर गया। फ़रार अभियुक्त उसी घोड़े पर बैठ कर ग़ायब हो गया।

यह घोड़े की बग़ावत नहीं तो और क्या है ?

बोनस माँगने पर गोलियाँ मिलीं !!

५ अभागे मरे :: १०० घायल !!

बैंगलोर का १६ जुलाई का समाचार है कि बिन्नी मिल के मज़दूरों पर पुलीस ने गोली चला दी। मज़दूर मिल के हाते में एकत्र होकर शान्तिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे थे। वे न तो अपना काम करने के लिए राज़ी होते थे और न मिल का हाता छोड़ने के लिए ही। इस पर पहले पुलीस ने मज़दूरों पर लाठी-चार्ज किया। इसके बाद गोली चला दी। मज़दूरों ने मिल-मालिकों से बोनस की माँग पेश की थी। मिल-मालिकों ने व्यापारिक शिथिलता के कारण उनकी माँग नामञ्ज़ूर कर दी थी।

'टाइम्स ऑफ़ इण्डिया' के अनुसार पुलीस की गोली से ५ व्यक्ति मरे और १०० घायल हुए हैं। सरकारी वक्तव्य के अनुसार गोली चलाना आवश्यक था। २,००० मज़दूरों ने मिल के ऑफ़िस को घेर लिया था और वे चारों तरफ़ बेहिसाब पत्थर फेंक रहे थे। मिल के अफ़सरों और पुलीस की रक्षा के लिए गोली चलाना आवश्यक था। घायलों में एक सब-इन्स्पेक्टर और तीन कॉन्स्टेबिल भी हैं, जो कि अस्पताल पहुँचाए गए हैं। परिस्थिति क़ाबू में बतलाई जाती है।

* * *

दफ़ा १४४ के अद्भुत करश्मे

[आठवें पृष्ठ का शेषांश

"मुझे मालूम हुआ है कि बम्बई प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी एस्प्लेनेड मैदान में हिन्दुस्तानी फ़ौजों की छावनी के निकट अपने वालण्टियरों तथा अन्य मनुष्यों को क़वायद-कसरत और समूह बाँध कर चलना सिखलाती है। मुझे मालूम हुआ है कि कॉङ्ग्रेस-वालण्टियरों तथा अन्य मनुष्यों की क़वायद-कसरत और उनके समूह बाँध कर चलने का जो ढङ्ग है, उससे उत्तेजना और शान्ति भङ्ग होने की आशङ्का पैदा होती है। इसलिए सार्वजनिक शान्ति भङ्ग या दङ्गा-फ़साद को रोकने के लिए मैं आज से दो महीने के लिए क़वायद-कसरत और समूहों में चलने का कार्य बन्द करना आवश्यक समझता हूँ।"

हमें आशा है कि अब इस दफ़ा में ऐसे संशोधन कर दिए जायँगे, जिससे ऐसे बेढङ्गे हुक्म न निकल सकें।

* * *

भारत के सरकारी क़र्ज़ की जाँच

कराची कॉङ्ग्रेस ने भारत के सरकारी ऋण की जाँच करने के लिए जो 'सेलेक्ट कमिटी' नियुक्त की थी, उसने अपनी रिपोर्ट कॉङ्ग्रेस के सामने पेश कर दी है।

रिपोर्ट तीन मुख्य भागों में विभाजित है। पहले भाग में ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा सन् १८५८ तक लिए गए क़र्ज़ पर विचार किया गया है, दूसरे भाग में कम्पनी से ब्रिटिश पार्लामेण्ट के हाथों में शासन-भार चले जाने पर जो क़र्ज़ लिया गया है, उस पर विचार किया गया है। इस भाग के दो हिस्से हैं, एक में ऐसे क़र्ज़ का विवरण है, जिसकी बचत में किसी प्रकार का धन शेष नहीं है, दूसरे में ऐसे क़र्ज़ का विवरण है, जोकि किसी न किसी प्रकार के साम्पत्तिक रूप में मौजूद है। तीसरे भाग में कमिटी ने भारत के सरकारी ऋण पर अपनी सम्मतियाँ पेश की हैं।

कमिटी का कहना है कि जब से ब्रिटिश शासन क़ायम हुआ, तब से आज तक भारत के नाम पर लिया गया कोई भी ऋण भारतवासियों की सम्मति से नहीं लिया गया। इसलिए इस समय ऐसे ऋणों के अनौचित्य के विषय में विचार कर लेना आवश्यक है। कमिटी ने यह भी कहा है कि भारत का 'सरकारी ऋण' 'राष्ट्रीय ऋण' नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके लेने वाले ब्रिटिश राष्ट्र के प्रतिनिधि रहे हैं। भारत में लोकसत्तात्मक शासन-विधान का नाम-मात्र भी नहीं रहा है। फिर भी कमिटी का मत है कि जो क़र्ज़ न्याय से और भारत के हित के लिए लिए गए हैं, उन्हें भारत को स्वीकार कर लेना चाहिए।

ईस्ट इण्डिया के शासन-समय में

ईस्ट इण्डिया कम्पनी दो शताब्दियों के अन्दर किस प्रकार एक व्यापारिक संस्था से बदल कर शासक संस्था बन गई, इसका कमिटी ने एक संक्षिप्त इतिहास बतलाया है। चूँकि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारिक और शासन-सम्बन्धी हिसाब-किताब एक-दूसरे से मिले हुए और बहुत गड़बड़ हैं, इसलिए कमिटी अपनी जाँच की कार्रवाई के लिए ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा ग़दर के पहले ३० एप्रिल सन् १८५७ तक लिए गए क़र्ज़ की तादाद वही मान लेती है, जो तादाद सर जॉर्ज बैलफ़ोर ने सन् १८८१ में पार्लामेण्ट के सामने इस सम्बन्ध में हिसाब पेश करते हुए अपने प्रस्ताव में बतलाया था। कम्पनी के उस क़र्ज़ की तादाद का साधारण ब्योरा इस प्रकार है :—

बाहरी युद्धों के लिए कम्पनी द्वारा लिए गए क़र्ज़ :—

प्रथम अफ़ग़ान-युद्ध ...	१५० लाख पौण्ड
दो बर्मा-युद्ध	१४० लाख पौण्ड
चीन, फ़ारस, नेपाल आदि की चढ़ाइयों के लिए लिया गया क़र्ज़	६० लाख पौण्ड
ईस्ट इण्डिया कम्पनी के मूलधन आदि पर दिया गया ब्याज, (सन् १८३३ से लेकर सन् १८५७ तक)..	१५० लाख पौण्ड
	५०० लाख पौण्ड

कम्पनी के बाहरी युद्ध

बाहरी युद्धों के व्यय भारत पर लादना कहाँ तक उचित है, इस सम्बन्ध में सर जॉर्ज विनगेट के निम्नलिखित विचार महत्व के हैं :—

"साम्राज्य से बाहर के देशों के साथ जो हमारे युद्ध हुए हैं, उनमें से अधिकांश एशियाई युद्ध भारत-सरकार की फ़ौज और उसके धन के द्वारा हुए हैं। यद्यपि इनमें से कुछ युद्धों का उद्देश्य केवल ब्रिटेन का हित-साधन था और बाक़ी युद्धों का भी भारत के हित से बहुत कम सम्बन्ध था। ये युद्ध उस समय की पार्लामेण्ट के ब्रिटिश मन्त्रियों के आदेशानुसार भारत-सरकार द्वारा छेड़े गए थे। उन युद्धों के परिणामों की सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी ब्रिटिश राष्ट्र पर है। इन युद्धों में अफ़ग़ान-युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था, जिसके विषय में यह बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है, कि वह युद्ध ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने बिना 'कोर्ट ऑफ़ डाइरेक्टर्स' से सलाह लिए और उनकी राय के विरुद्ध छेड़ दिया था। वास्तव में वह युद्ध केवल ब्रिटिश युद्ध था। परन्तु यह होते हुए भी ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल ने उसका सम्पूर्ण व्यय भारत पर लाद दिया। यद्यपि कोर्ट ऑफ़ डाइरेक्टर्स और ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने एक स्वर से कहा था, कि इस युद्ध का सम्पूर्ण व्यय भारत पर न लादा जाय। इस अन्याय से भारत के क़र्ज़ में १०० लाख पौण्ड की वृद्धि कर दी गई। फ़ारस से ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल ने जिस नीति से युद्ध छेड़ा था, उससे भारत का कोई भी सम्बन्ध न था, फिर भी उस युद्ध में भारतीय फ़ौजों और भारतीय साधनों से काम लिया गया और बाद में व्यय का केवल आधा ब्रिटेन के ज़िम्मे रक्खा गया। हमारे सभी एशियाई युद्ध भारत के जन और धन से चलाए गए हैं, फिर भी ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है, जिसमें भारत को उसकी ऐसी सहायता का उचित पुरस्कार दिया गया हो। हमारी भारतीय नीति कितनी पक्षपातपूर्ण और स्वार्थपूर्ण है, इसका यह अकाट्य प्रमाण है।"

जॉन ब्राइट ने इसके समर्थन में हाउस ऑफ़ कॉमन्स में कहा था :—

"पिछले साल मैंने अफ़ग़ान-युद्ध के अपरिमित व्यय का ज़िक्र किया था। मैंने कहा था कि इस व्यय का भार इङ्गलैण्ड के कर-दाताओं पर पड़ना चाहिए, क्योंकि यह युद्ध अङ्गरेज़ी मन्त्रि-मण्डल ने ब्रिटेन के हित की दृष्टि से छेड़ा था।"

कमिटी की राय है कि २५० लाख पौण्ड का व्यय ब्रिटेन अपने ऊपर ले।

कम्पनी के मूल-धन की पूर्ति

ईस्ट-इण्डिया कम्पनी का ६० लाख पौण्ड का स्टॉक सन् १८७४ में १२० लाख पौण्ड देकर पूरा किया गया। १० फ़ी सदी सूद दिया गया। कुल मिला कर ३७० लाख पौण्ड दिया गया, जिसका ब्योरा इस प्रकार है :—

ब्याज	१८३३—१८५७ ...	१,५१,२०,०००
"	१८५८—१८७४ ...	१,००,८०,०००
ल स्टॉक	... ...	१,२०,००,०००
		३,७२,००,००० पौण्ड

कमिटी का कहना है कि भारत के ख़ज़ाने से कम्पनी को इतना धन देने से भारत का किसी प्रकार का हित नहीं हुआ। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत का व्यापार और अपना अधिकार ब्रिटिश पार्लामेण्ट के हाथों में बेच दिया, परन्तु इसका मूल्य भारत को चुकाना पड़ा। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के मालिकों और ब्रिटिश पार्लामेण्ट के बीच जो सौदा हुआ था, उसके परिणाम-स्वरूप भारत को यह मूल्य देना पड़ा। इस सौदे में भारतवासियों का किसी प्रकार का हाथ नहीं था, न उसमें उनके किसी हित का विचार किया गया। न्याय और नेकनीयती की दृष्टि से ऐसा कोई भी प्रबन्ध भारतवासियों पर लागू नहीं समझा जा सकता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ब्रिटिश गवर्नमेण्ट और कम्पनी के बीच जो समझौता हुआ था, उससे भारत को किसी प्रकार का भी लाभ नहीं पहुँचा, न तो भारत को कम्पनी का कोई धन ही मिला, जोकि उसने ब्रिटिश गवर्नमेण्ट को दे दिया, न किसी प्रकार का शासन-सम्बन्धी अधिकार ही मिला और न देश की नौकरियों या देश की सम्पत्ति में ही कोई उचित हिस्सा मिला। कम्पनी के शासन में भारतवासी उपरोक्त सभी अधिकारों से वञ्चित रक्खे गए। परन्तु ब्रिटिश गवर्नमेण्ट को ईस्ट-इण्डिया कम्पनी से अत्यधिक लाभ पहुँचा।

ग़दर का ख़र्च

सन् १८५७ के ग़दर में ४०० लाख पौण्ड ख़र्च हुए थे। कमिटी का कहना है कि ग़दर ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के कुप्रबन्ध और बुरे शासन के कारण हुआ था, जोकि कम्पनी की तरफ़ से कार्य कर रही थी, इसलिए ग़दर में लगा ख़र्च ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के ज़िम्मे पड़ना चाहिए। इस बात के समर्थन में भारत-मन्त्री के ८ अगस्त सन् १८७२ के पत्र का एक अंश उद्धृत किया जा सकता है।

"१८५७ का ग़दर विशाल और असाधारण था। ब्रिटिश भारत के इतिहास में इस अनोखी घटना के अवसर पर ब्रिटेन की साम्राज्य सरकार पूर्व में साम्राज्य-रक्षा के लिए उन प्रयत्नों को करने के लिए बाध्य थी, जोकि कभी-कभी साम्राज्य-शासकों को साम्राज्य-सम्बन्धी कर्तव्यों के निर्वाह के लिए करने ही पड़ते हैं। जो हो, यह बात याद रखनी चाहिए कि यदि इसी प्रकार का युद्ध साम्राज्य के किसी अन्य उपनिवेश में करना आवश्यक हो जाता, तो युद्ध तो किया ही जाता, साथ ही उस युद्ध का व्यय भी, सम्पूर्ण नहीं तो अधिकांश, साम्राज्य सरकार को सहन करना होता। परन्तु भारतीय ग़दर के सम्बन्ध में ग़दर के व्यय का कोई भी भार साम्राज्य सरकार पर नहीं पड़ा। उसका सम्पूर्ण देनदार भारतीय कर-दाता बना दिया गया है।"

कमिटी ने उपरोक्त कथन के उदाहरण-स्वरूप बोर-युद्ध का उल्लेख किया है। उस युद्ध में ब्रिटेन ने युद्ध का केवल व्यय ही नहीं स्वीकार किया, बल्कि युद्ध द्वारा नष्ट स्थानों के पुनर्निर्माण के लिए बोर लोगों को ३० लाख पौण्ड सहायतार्थ दिया।

इस प्रकार कम्पनी के समय में भारतवासियों पर १,१२० पौण्ड का क़र्ज़ लादा गया, जिसका ब्योरा इस प्रकार है :—

प्रथम अफ़ग़ान-युद्ध का ख़र्च	...१,५०,००,०००
दो बर्मा-युद्धों का ख़र्च	...१,४०,००,०००
चीन, फ़ारस आदि देशों पर चढ़ाई का ख़र्च ...	... ६०,००,०००
कम्पनी के मूल धन आदि की पूर्ति में ख़र्च ...	...३,७२,००,०००
ग़दर का ख़र्च ...	...४,००,००,०००
	११,२२,००,००० पौण्ड

भारत को यह दावा पेश करने का हक़ है कि उसके ऊपर लादा गया उपरोक्त ऋण का बोझ अनुचित है।

ब्रिटिश शासन-समय में भारत

सन् १८५८ से भारत-सरकार द्वारा जो क़र्ज़ लिए गए हैं, वे दो हिस्सों में विभाजित किए जा सकते हैं।

पहले हिस्से में ऐसे क़र्ज़ों की गिनती है, जोकि 'अनुत्पादक' हैं, अर्थात् उनसे किसी प्रकार की स्थायी सम्पत्ति नहीं क़ायम हुई। इनमें 'बाहरी युद्धों' के ख़र्च, अन्य प्रकार के विभिन्न ख़र्च, अकाल-सहायता का ख़र्च, विनिमय दर के परिवर्तन से होने वाले नुक़सानों आदि का ख़र्च शामिल है।

बाहरी युद्ध

एबीसीनिया की चढ़ाई, दूसरे अफ़ग़ान-युद्ध, बर्मा-युद्ध ईजिप्ट और सीमा-प्रान्त के फ़ौजी प्रबन्धों में जो ३७ करोड़ पौण्ड से ऊपर ख़र्च हुआ था, वह भारत के ऊपर लादना अनुचित है, क्योंकि उपरोक्त सम्पूर्ण कार्रवाइयाँ साम्राज्य-हित अर्थात् ब्रिटेन के हित के उद्देश्य से की गई थीं, भारत का उनसे कोई सम्बन्ध न था। इस बात के समर्थन में कमिटी ने लॉर्ड सैलिसबरी, लॉर्ड नार्थब्रुक, भारत-मन्त्री सर चार्ल्स ट्रेवीलियन, लॉर्ड लिटन, मि० फ्राकेट, मि० ग्लैडस्टन, मि० गोखले, सर डी० ई० वाचा और अन्य व्यक्तियों के कथनों के उदाहरण पेश किए हैं।

यूरोपीय युद्ध के सम्बन्ध में दो प्रकार के दावे पेश किए गए हैं—(१) युद्ध में भारत-सरकार ने ब्रिटेन को जो रुपया दान-स्वरूप दिया है वह और (२) युद्ध के व्यय का हिस्सा लौटा दिया जाय। पहले दावे के अनुसार ब्रिटेन को १८९ करोड़ लौटा देना चाहिए। यह दावा दो कारणों से पेश किया जाता है :—

(१) जिस क़ानून द्वारा भारत-सरकार की रचना हुई है, उसके अनुसार भारत-सरकार को इस बात का कोई हक़ नहीं है कि वह भारत के ख़ज़ाने से ब्रिटेन को किसी प्रकार का दान दे सके। यूरोपीय युद्ध में जो धन दान में उसने ब्रिटेन को दिया है, वह ग़ैर-क़ानूनी है, इसलिए उसे लौटा देना चाहिए।

(२) उतना धन दान-रूप में देना भारतवासियों की आर्थिक स्थिति के बाहर है। दूसरे भारत ने युद्ध में मनुष्यों और युद्ध-सामग्रियों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के किसी भी उपनिवेश से कहीं अधिक सहायता पहुँचाई है।

दूसरा दावा, जोकि युद्ध के व्यय के हिस्से के लिए है, १७१ करोड़ का है। इसका हिसाब सन् १९१४-१५ के फ़ौजी ख़र्च के माध्यम के अनुसार लगाया गया है। १९१५-१६ से लेकर सन् १९२०-२१ तक उपरोक्त सन् १९१४-१५ के माध्यम से जो ऊपर ख़र्च हुआ है, उस पर भारत का हक़ है।

इस प्रकार बाहरी युद्धों के सम्बन्ध में भारत का दावा ३९७ करोड़ के ऊपर है।

विभिन्न ख़र्च

इण्डिया ऑफ़िस, अदन, फ़ारस और चीन के दूतों का ख़र्च, धार्मिक ख़र्च आदि साम्राज्य सम्बन्धी ख़र्च हैं। इनमें २०० लाख पौण्ड ख़र्च होते हैं। उनका भार भारत पर नहीं, बल्कि साम्राज्य-सरकार पर पड़ना चाहिए। इस दावे के समर्थन में कमिटी ने मेजर जनरल कॉलेन, मि० स्टेफ़िन जैकब सी० एस० आई०, वेल्बी कमीशन आदि के कथनों को उद्धृत किया है।

बर्मा

सन् १८८६ से बर्मा के बजट में जो कमी पड़ती रही है, उसके हिसाब में १९ करोड़ और उसका ब्याज और रेलवे-विभाग के घण्टे का २२ करोड़ और भारत की रक्षा में जो ख़र्च होता है, उसमें १ करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से सन् १८८६ से अब तक का ४१ करोड़ भारत को मिलना चाहिए। कमिटी के एक सदस्य की राय है कि बर्मा-बजट की कमी के सम्बन्ध में तभी दावा पेश करना चाहिए, जब बर्मा भारत से पृथक हो।

अकाल की सहायता में ख़र्च

अकाल की सहायता में जो ख़र्च हुआ, उसका बोझ भारत को स्वीकार कर लेना चाहिए, चाहे इस विषय में कितना ही अपव्यय क्यों न हुआ हो।

विनिमय दर के परिवर्तन से हानि

कमिटी का कहना है कि गवर्नमेण्ट की करेन्सी और विनिमय नीति से इस देश के व्यापार और देश की चाँदी की सम्पत्ति में जैसी हानि हुई है, उसका अन्दाज़ा नहीं लगाया जा सकता। फिर भी इस सम्बन्ध में कमिटी भारत को कोई दावा पेश करने की सलाह नहीं देती। इस हानि के द्वारा भारत ने शासकों के साम्पत्तिक विषयों के ज्ञान की अयोग्यता और उनके कुप्रबन्ध का मूल्य चुकाया है।

रिवर्स कौन्सिल

कमेटी ने शासकों की इस कार्रवाई को अत्यन्त खेदजनक बतलाया है। इस नीति से भारत को ३५ करोड़ की हानि हुई है। ब्रिटेन को भारत के इस दावे को भी पूर्ण करना चाहिए।

रेल

रेलवे-निर्माण में गवर्नमेण्ट ने कम्पनियों के डूबे हुए मूल-धन पर ब्याज देने की गारण्टी करके अत्यधिक अपव्यय किया है। इस प्रकार गारण्टी देकर जो रेल बनी हैं, उनमें प्रति मील के हिसाब से सरकार-द्वारा बनी रेलों की तुलना में दूना व्यय हुआ है। कमिटी ने इस अपव्यय की कड़ी आलोचना की है।

अधिकांश रेलवे लाइनें सैनिक विचार से बनाई गई हैं। ये रेलवे लाइनें अभी थोड़े ही समय से अपना ख़र्च अपने आप चलाने के योग्य हो सकी हैं। रेलवे लाइनों पर अधिकांश में 'रेलवे की उन्नति' के नाम पर जो व्यय हुआ है, वह फ़ौजी ख़र्च में शामिल करने योग्य है। जो हो, कमिटी की सिफ़ारिश है कि ब्रिटेन को उन रेलवे लाइनों के बनाने का ख़र्च भारत को दे देना चाहिए, जोकि उसने केवल सैनिक विचार से बनाई हैं। ऐसी रेलवे लाइनों में कमिटी ने पश्चिमोत्तर सीमावाली रेलवे लाइन और अदन की रेलवे लाइन की गणना की है, जिनमें ३३ करोड़ ख़र्च हुआ है।

सरकार ने कम्पनियों से ऐसी परिस्थिति में रेलवे लाइनें ख़रीदीं, कि जनता पर व्यय का बोझ बढ़ गया। कम्पनियों को ठेके की शर्त के अनुसार प्रचलित बाज़ार-दर के हिसाब से ही मूल्य पाने का हक़ था। गारण्टी-नीति से ब्याज देने के कारण कम्पनियों के स्टॉक और हिस्सों के मूल्य उस समय बहुत अधिक बढ़ गए, जब सरकार उन रेलवे लाइनों को ख़रीदने लगी। इस प्रकार कम्पनियों को उनके मूल-धन या आमदनी के हिसाब से जितना मिलना चाहिए था, उससे कहीं अधिक मूल्य मिल गया। इस प्रकार से भारतवासियों पर ५० करोड़ का बोझ लादा जाना अनुचित है।

इसी सिलसिले में कमिटी ने कहा है, कि रेलवे कम्पनियों के साथ जो शर्तें हुई थीं, उनमें हिसाब के लिए विनिमय की एक निश्चित दर नियत हो गई थी। इस निश्चित दर की शर्त से भारत को अपरिमित हानि सहनी पड़ी है। हानि का ठीक-ठीक अन्दाज़ा लगाना मुश्किल है। रेलवे-सम्बन्धी क़र्ज़ को स्वीकार करने के पहले भारत को उस क़र्ज़ से उपरोक्त हानि को अलग कर देने का हक़ है।

कमिटी ने 'उत्पादक' अर्थात् ऐसे क़र्ज़ों के लिए, जिनका धन किसी न किसी प्रकार की सम्पत्ति के रूप में अब भी मौजूद है, कोई भी दावा पेश करने की सलाह नहीं दी। यद्यपि कमिटी ने दिल्ली में नई राजधानी बनाने के अपव्यय की कड़ी आलोचना की है और बम्बई के बैक-बे के पुनर्निर्माण की निन्दा की है।

सब मिला कर भारत का दावा इस प्रकार है :—

कम्पनी के शासन में	करोड़
बाहरी युद्ध	३५
मूल-धन और ब्याज	३७
ग़दर का ख़र्च	४०
	११२
ब्रिटिश शासन में	
बाहरी युद्ध	३७
यूरोपीय युद्ध "दान"	१८९
" ख़र्च	१७१
	३९७
विभिन्न ख़र्च	२०
बर्मा के सम्बन्ध का ख़र्च	८२
रिवर्स कौन्सिल बिल से हानि	३५
रेलवे	८३
कुल रु०	७२९ करोड़

(विनिमय दर २) सन् १९०० तक और १।) सन् १९०० से अब तक)

कमिटी की सिफ़ारिशें

भारत का वर्तमान क़र्ज़ १,१०० करोड़ के ऊपर है। भारत को क़र्ज़े में करके ब्रिटेन ने जो आर्थिक और राजनीतिक लाभ उठाए हैं, और भारतीय उद्योग-धन्धों और कौशल को जो उसने दबाया है, उनको देखते हुए कमिटी की सिफ़ारिश है कि ब्रिटेन इस क़र्ज़ के मामले में भारत के साथ वैसा ही व्यवहार करे, जैसा कि उसने आयर्लैण्ड के साथ उसको स्वाधीनता देते हुए उसके क़र्ज़ को माफ़ करके किया था। यदि भारत में राष्ट्रीय और स्वराज्य शासन का नवयुग प्रारम्भ होने वाला है, तो न्याय के प्रत्येक सिद्धान्त के अनुसार यह आवश्यक है कि वह तमाम प्रकार के बोझों से बिल्कुल स्वतन्त्र कर दिया जाय। बिना इसके किसी प्रकार की उन्नति होना असम्भव है। हिन्दुस्तान इन बोझों के लिए किसी प्रकार का कर देने में असमर्थ है। इसलिए भारत की उन्नति के लिए जो उपाय सम्भव हैं, वे यही हैं कि राष्ट्र की आमदनी राष्ट्र के कार्यों में ख़र्च हो, सिविल और फ़ौजी शासन के ख़र्च देश की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाए जायँ और कम किए जायँ और भारत को उन क़र्ज़ों से स्वतन्त्र कर दिया जाय, जोकि उसके लाभ के लिए नहीं हैं।

रिपोर्ट से कमिटी के सब सदस्य सहमत हैं। मि० जे० सी० कुमारप्पा ने अपने दो नोट उसके साथ संयुक्त किए हैं।

पहले नोट में कहा गया है कि वार्षिक फ़ौजी ख़र्च के उस हिस्से के लिए भारत को दावा पेश करने का हक़ है, जो हिस्सा भारत-रक्षा के लिए नहीं, बल्कि साम्राज्य-हित की दृष्टि से फ़ौज पर ख़र्च किया जाता है। भारत-रक्षा की आवश्यकता के बाहर जो ख़र्च होता है, उसे ब्रिटेन को देना चाहिए। हिसाब लगा कर आपने अपने नोट में बतलाया है कि इस विषय के कुल २,१२८ करोड़ के ख़र्च में से ब्रिटेन को क़रीब ५४० करोड़ लौटाना चाहिए।

दूसरे नोट में भारत को ब्रिटेन से जितना पाने का हक़ है, उसका ब्याज देने को कहा गया है। रिपोर्ट में जहाँ-जहाँ जितना भारत को पाने का दावा पेश किया गया है, उन सबके साथ ब्याज देने की भी सिफ़ारिश इस नोट में की गई है। इसका हिसाब ९२६ करोड़ है।

यदि मि० कुमारप्पा के ये दोनों दावे मान लिए जायँ, तो वे दोनों अकेले सम्पूर्ण क़र्ज़ को अदा कर देने के लिए काफ़ी हैं।

मि० शाह ने अपने विवरणात्मक लेख में, जोकि रिपोर्ट के साथ संयुक्त है, भारतीय क़र्ज़ के कुछ पहलुओं पर क़ानून और साधारण नीति की दृष्टि से विचार किया है।

दफ़ा १४४ के अद्भुत करश्मे

राजनीतिक आन्दोलन को रोकने के लिए दफ़ा १४४ का प्रयोग किस-किस प्रकार से किया गया है, इसका प्रारम्भ से लेकर अब तक का सविस्तार वर्णन "बॉम्बे लॉ जर्नल" में प्रकाशित हुआ है।

ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा १४४ में "ख़तरे की आशङ्का या किसी प्रकार के उत्पात के अत्यन्त आवश्यक मौक़े के लिए" अस्थायी हुक्म निकालने की व्यवस्था की गई है। परन्तु इस देश के मैजिस्ट्रेटों ने इस क़ानून का जैसा बुरी तरह से दुरुपयोग किया है, वैसा शायद किसी भी सभ्य देश के न्याय-विभाग में न हुआ होगा।

—सं० 'भविष्य'

इस दफ़ा की प्रथम उपधारा इस प्रकार है :—

"यदि किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट, सब-डिविज़नल मैजिस्ट्रेट या थर्ड क्लास के अतिरिक्त दूसरे किसी मैजिस्ट्रेट को, जिसको इस दफ़ा के मुताबिक़ कार्य करने के लिए प्रान्तीय गवर्नमेण्ट, चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से अधिकार मिल चुका हो, समझ पड़े कि किसी बात को तुरन्त रोकना या उसका तुरन्त उपाय करना आवश्यक है और उसके लिए इस दफ़ा के अनुसार यथेष्ट कारण उपस्थित हैं, तो ऐसी दशा में उपरोक्त किसी भी मैजिस्ट्रेट को अधिकार है कि वह, एक लिखित आज्ञा निकाल कर, जिसमें कि उस मामले की, जिसके लिए आज्ञा निकाली जा रही है, मुख्य-मुख्य बातें दर्ज हों, किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक दे, या किसी व्यक्ति को उसके क़ब्ज़े या उसके प्रबन्ध की किसी जायदाद के सम्बन्ध में ऐसी हिदायतें कर दे, जो कि किसी प्रकार की बाधा, उत्पात, जान, माल, स्वास्थ्य और दूसरी किसी तरह की हानि, शान्ति-भङ्ग या दङ्गा-फ़साद रोकने के लिए आवश्यक है।"

इस दफ़ा का प्रयोग मैजिस्ट्रेटों ने किस प्रकार से किया है, इसके कुछ मनोरञ्जक उदाहरण नीचे दिए जाते हैं :—

"बन्देमातरम्" पर १४४

सन् १९०६ में पूर्वीय बारीसाल कॉन्फ़्रेन्स हो रही थी। डिस्ट्रिक्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट ऑफ़ पुलीस, मि० केम्प पण्डाल में घुस आए और कॉन्फ़्रेन्स के मञ्च के पास जाकर सभापति से कहा कि या तो कॉन्फ़्रेन्स भङ्ग कर दीजिए या इस बात की गारण्टी दीजिए कि कॉन्फ़्रेन्स समाप्त होने पर उपस्थित प्रतिनिधिगण यहाँ से जाते समय सड़कों पर "बन्देमातरम्" के नारे न लगाएँगे। सभापति ने उपस्थित प्रतिनिधियों से इस विषय में परामर्श करके, गारण्टी देने से इन्कार कर दिया। इस पर मि० केम्प ने ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा १४४ के अनुसार कॉन्फ़्रेन्स भङ्ग करने का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का हुक्म पढ़ कर सुना दिया।

चम्पारन में १४४

दूसरी घटना, जब कि दफ़ा १४४ का दुरुपयोग किया गया था, सन् १९१० की है जब कि महात्मा गाँधी चम्पारन ज़िले के रैयतों पर होने वाले नील की खेती करने वालों के दुर्व्यवहारों की जाँच करने के लिए मुज़फ़्फ़रपुर गए थे। पहले आप नील की खेती करने वालों के एसोसिएशन के मन्त्री तथा डिवीज़न के कमिश्नर से मिले, इसके बाद चम्पारन के लिए रवाना हुए। चम्पारन पहुँचने पर आप पर दफ़ा १४४ लगा दी गई। इस सम्बन्ध में चम्पारन के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जो आपको नोटिस दी थी वह इस प्रकार है :—

"डिवीज़न के कमिश्नर ने मेरे पास जो पत्र भेजा है और जिसकी नक़ल इसी नोटिस के साथ संयुक्त उससे मुझे मालूम हुआ है कि इस ज़िले के किसी भी भाग में आपकी उपस्थिति से सार्वजनिक शान्ति के भङ्ग होने की आशङ्का है और सम्भव है कि भयानक उपद्रव उठ खड़ा हो और मनुष्यों की जानों का नुक़सान हो। तुरन्त कार्रवाई करने की आवश्यकता समझ कर मैं इस नोटिस द्वारा आपको इस ज़िले में न ठहरने और सब से पहली ट्रेन से ज़िले को छोड़ देने का हुक्म देता हूँ।"

यह नोटिस केवल डिवीज़न के कमिश्नर के कहने से जारी कर दी गई थी।

डिवीज़न के कमिश्नर का मैजिस्ट्रेट के नाम लिखा हुआ पत्र, जिसमें १३ अप्रैल सन् १९१७ की तारीख़ पड़ी हुई है, इस प्रकार है :—

"मि० गाँधी यहाँ आए हुए हैं। उनका कहना है कि आप जनता के लगातार आग्रह करने पर उन हिन्दुस्तानियों की हालत की जाँच करने के लिए आए हैं जो कि नील की खेती में काम करते हैं। वे इस सम्बन्ध में स्थानीय सरकारी अधिकारियों की सहायता चाहते । आज सुबह वे मुझसे मिलने के लिए आए थे। मैंने उनसे समझा दिया कि नील की खेती करने वालों और रैयतों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में सरकार का ध्यान बहुत पहले से है। चम्पारन के विषय में तो उसका इस समय विशेष ध्यान है। परन्तु इन मामलों में किसी दूसरे अजनबी शख़्स का पड़ना कहाँ तक ठीक होगा, इसमें मुझे सन्देह है। मैंने उन्हें चम्पारन के उत्पातों की मूल बातें बतला दीं। मैंने उनसे जनता द्वारा जाँच के लिए जो लगातार अनुरोध हुए हैं, उनका प्रमाण-पत्र दिखलाने के लिए कहा। मैंने कहा कि शायद जाँच की आज्ञा देने के सम्बन्ध में मुझे गवर्नमेण्ट से पूछना होगा। मुझे आशा है कि मि० गाँधी चम्पारन जाने के पहले एक बार फिर मुझसे इस विषय में बातचीत कर लेंगे। लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि उनका चम्पारन जाने का उद्देश्य, उतना वहाँ की असली हालत जानने का नहीं है जितना कि आन्दोलन करने का है। सम्भव है कि वे मुझसे इस विषय में कुछ बातचीत किए बिना ही चम्पारन चले जायँ। मेरा ख़्याल है कि आपके ज़िले में उनके जाने से सार्वजनिक शान्ति में विघ्न पड़ने की सम्भावना है। इसलिए इस पत्र के द्वारा आपसे प्रार्थना है कि आप उनके वहाँ पहुँचते ही दफ़ा १४४ का प्रयोग करके उन्हें तुरन्त ज़िला छोड़ देने का हुक्म जारी कर दें।"

गाँधी टोपी पर १४४

मद्रास में एक मैजिस्ट्रेट ने दफ़ा १४४ का हुक्म निकाल कर सम्पूर्ण जनता को गाँधी टोपियाँ पहनना ग़ैर-क़ानूनी ठहरा दिया था। इस हुक्म की रक्षा के लिए जनता पर अनेकों बार आक्रमण हुए थे और जेल-यातनाएँ तक दी गई थीं। बाद में हाईकोर्ट के कहने से हुक्म वापस ले लिया गया।

राष्ट्रीय झण्डे पर १४४

एक दूसरे मैजिस्ट्रेट ने इस दफ़ा के अनुसार हुक्म निकाल दिया कि लोग अपने-अपने मकानों में राष्ट्रीय झण्डे न फहराएँ। बाद में यह हुक्म भी हाईकोर्ट के कहने से वापस ले लिया गया।

पिकेटिङ्ग और जुलूसों पर १४४

खद्दर-प्रचार के उद्देश्य से शान्तिमय जुलूसों पर ज़ाब्ता फ़ौजदारी की १४४ दफ़ा लगाई जा चुकी है।

व्याख्यान पर १४४

सन् १९२१ और १९२२ में मौलवी मोहम्मद शफ़ी १४४ दफ़ा के अनुसार हाजीपुर की एक सभा में व्याख्यान देने से रोक दिए गए। इसी प्रकार मि० अनुग्रह नारायणसिंह, जो कि बाद में भारत की राज्य-परिषद् के सदस्य हो गए थे, दुमका में भाषण करने से रोक दिए गए। उस समय सब डिविज़नल अफ़सर के पास बिना नाम की अनेक १४४ दफ़ा की नोटिसें छपी हुई मौजूद थीं। दुमका में किसी भी ऐसे व्यक्ति के आते ही, जिसे अधिकारी नापसन्द करते थे, उन्हीं तैयार नोटिसों में से एक नोटिस निकाल दी जाती थी। उसमें सिर्फ़ नाम भरने की ज़रूरत पड़ती थी। किसी से जगह छोड़ देने के लिए और किसी से कोई भाषण न देने के लिए कह दिया जाता था।

गाने पर १४४

मुज़फ़्फ़रपुर के सब डिविज़नल में सीतामढ़ी नाम का एक स्थान है, वहाँ एक प्रचलित हिन्दी गाना दफ़ा १४४ लगा कर रोक दिया गया। नोटिस में कहा गया था कि—"इस गाने का ढङ्ग ऐसा है कि जनता में ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के विरुद्ध घृणा और द्वेष उत्तेजित होता है। वह गाना स्वयं ज़ब्त न था, परन्तु गाने के ढङ्ग पर १४४ लगा दी गई। इसी दफ़ा के अनुसार सीतामढ़ी में एक दूसरी नोटिस निकाली गई, जिसमें सभा करने का निषेध किया गया था। नोटिस में लिखा था कि सभा होने से ज़मीन के गन्दे तथा अस्वास्थ्यकर हो जाने की सम्भावना है। मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले में हुरदी नाम की एक जगह है जहाँ हर साल मेला होता है और सैकड़ों मवेशी बिकने के लिए आते हैं। उस मेला को देखने के लिए दो-तीन यूरोपियन गए हुए थे। किसी ने 'महात्मा गाँधी की जय' की ध्वनि की। परिणाम यह हुआ कि दफ़ा १४४ की नोटिस निकाल दी गई। मेले में लाठी लेकर चलना और मेले के आसपास कुछ हद तक सभा करना जुर्म क़रार दे दिया गया।

विद्यार्थियों पर १४४

सन् १९२१ में स्वर्गीय सी० आर० दास मैमनसिंह जाने से रोक दिए गए, क्योंकि उस समय वहाँ कोई स्कूल-परीक्षा हो रही थी। अधिकारियों ने समझा कि उनके वहाँ जाने से कुछ विद्यार्थी परीक्षा से बाहर हो जायँगे।

अभी थोड़े समय की बात है, बम्बई के कॉङ्ग्रेस वालों पर दफ़ा १४४ का नोटिस जारी किया गया था। उसके शब्द इस प्रकार हैं :—

(शेष मैटर ५वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए)



भविष्य

२३ जुलाई, सन् १९३१

हमारा राष्ट्रीय ऋण

लगभग दो सौ वर्ष पहले, जबकि भारत का ब्रिटेन से कोई सम्बन्ध न था, यह अभागा देश संसार का सब से सम्पन्न देश था और आज लगभग १५० वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद भारत संसार का सब से दरिद्र देश है ! इस दरिद्रता का ताण्डव यहाँ तक पहुँच गया है कि आज पेट की ज्वाला से विदग्ध हो, तथा अपने बच्चों की क्षुधा-पीड़ा का असह्य कष्ट न देख सकने के कारण, माताएँ अपने छोटे-छोटे, कोमल बच्चों के साथ कुएँ में कूदते हुए देखी गई हैं। इस अभागे देश में ऐसे दृष्टान्तों की भी कमी नहीं है, जिनमें अपने प्राण-प्रिय पुत्रों को भूखे मरते हुए देख, उन्हें उस भयानक मृत्यु से बचाने के निमित्त प्रेमातिरेक में पिताओं ने पहले उनकी हत्या कर पीछे अपनी हत्या कर ली है ! बेकारी से ऊब कर आत्म-हत्या कर लेना तो एक मामूली सी बात और इस देश की एक अत्यन्त साधारण सी घटना है। यदि भारत के पिछले दस वर्षों के समाचार-पत्रों की ही फ़ाइलें उलटी जायँ तो हमारे इस कथन की पुष्टि के लिए पर्याप्त सामग्री मिल जायगी। अभी 'भविष्य' के गत ९वीं जुलाई वाले अङ्क में ही इस देश की भयानक दरिद्रता के सम्बन्ध में हमने एक महीने के भीतर होने वाली आत्म-हत्याओं की चर्चा करते हुए लिखा था :—

"एक ओर पेट की ज्वाला से उनकी जीवन-शक्ति का ह्रास होता जा रहा है, दूसरी ओर अपने वर्तमान कष्टों को सहन न कर सकने के कारण वे अपने जीवन के विरुद्ध विद्रोह करने लगे हैं। उन अभागों को मृत्यु की शीतल गोद में सब से अधिक विश्राम और शान्ति मिलती है। पेट की ज्वाला से विवश होकर आत्म-हत्या करने वाले ऐसे लोगों के समाचार चारों ओर से आ रहे हैं। कुछ दिन हुए लाहौर के एक सिक्ख रेलवे गार्ड ने इसलिए आत्म-हत्या कर ली कि रेलवे नौकरियों की काट-छाँट में उस बेचारे की भी नौकरी छूट गई। दो महीने पूर्व ही उस अभागे का विवाह हुआ था। अभी कुछ ही दिन हुए, डूँगरवाली (बम्बई) में रहने वाले किसी शेख़ ग़ुलाम हुसैन की आत्म-हत्या की भी ख़बर आई थी। अब बम्बई के अनन्तराव नामक तथा बङ्गाल के सुशीलकुमार दत्त नामक व्यक्तियों की आत्म-हत्याओं के समाचार आए हैं। कहते हैं, अनन्तराव एक साल से बेकार था और कोई रोज़गार न मिलने के कारण परेशान हो गया था। सुशीलकुमार की आत्म-हत्या के सम्बन्ध में पुलीस की जाँच से यह मालूम हुआ कि वह एक सौदागर के यहाँ बहुत थोड़े वेतन पर नौकर था तथा उसका भाई बिल्कुल बेकार था और भरपूर प्रयत्न करने पर भी उसे कहीं नौकरी न मिल सकी। इस दारुण परिस्थिति में अपने परिवार वालों का कष्ट उससे न देखा गया और उसने नाइट्रिक एसिड खाकर आत्म-हत्या कर ली।"

देश की बेकारी और भीषण दरिद्रता के कारण विवश होकर की जाने वाली इन उपरोक्त आत्म-हत्याओं की चर्चा आज एक साधारण सी घटना के रूप में देश के सामने उपस्थित है। अभी उसी दिन गत २री जुलाई को कलकत्ता हाईकोर्ट में देश की दरिद्रता के दुखान्त-परिणामों से सम्बन्ध रखने वाला एक अत्यन्त मर्मस्पर्शी और रोमाञ्चकारी मुक़दमा पेश किया गया था; जिसमें अवलनाथ बनर्जी नामक एक अभागे पुरुष पर हत्या और भयानक चोट पहुँचाने का अभियोग लगाया गया था।

श्री० जस्टिस लॉर्ट-विलियम्स के इजलास में, जहाँ अभागे अवलनाथ बनर्जी का मुक़दमा था, अभियुक्त की पत्नी ने अपने बयान में कहा कि गत १२वीं फ़रवरी, सन् १९३१ को अभियुक्त ने कालीचरण नामक अपने एक मात्र पुत्र की छाती में कटार घुसेड़ कर मार डाला। कालीचरण की अवस्था बीस वर्ष की थी और वह कलकत्ता विश्वविद्यालय की बी० ए० श्रेणी का छात्र था। पत्नी के कथनानुसार पुत्र की हत्या कर अभियुक्त ने पत्नी पर आक्रमण किया और उसका गला काटते हुए कहने लगा—कालीचरण को मैंने मार डाला है; और तुम्हारी हत्या कर मैं स्वयं अपनी भी हत्या कर लूँगा, जिससे हम तीनों ही एक साथ इस संसार से विदा हों।

एक ओर देश की दरिद्रता का जहाँ यह नग्न-चित्र है, वहाँ दूसरी ओर हमारे शासक यह कहते हुए नहीं थकते कि प्रतिदिन भारत अन्न-धन में समृद्धिशाली हो रहा है तथा ब्रिटिश राज्य भारत को उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर ले जा रहा है। इस उन्नति (?) का प्रत्यक्ष प्रमाण (!) यह है कि इस दरिद्रतावस्था में भी ब्रिटेन का भारत पर ११ अरब रुपयों का भयानक सार्वजनिक ऋण है। भारत-जैसे दरिद्र देश पर ब्रिटेन का यह सार्वजनिक ऋण केवल कौतूहल का ही कारण हो, यह बात नहीं, इस ऋण की आर्थिक एवं राजनीतिक विवेचना तथा उस विवेचना का इतिहास जितना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मनोरञ्जक भी। गत कराची कॉङ्ग्रेस ने इस 'सार्वजनिक ऋण' की जाँच करने के लिए एक कमिटी नियुक्त की थी। उस कमिटी के अधीन यह कार्य सौंपा गया था कि वह यह बात बतलाए कि उक्त सार्वजनिक ऋण का कितना भाग भारत दे तथा कितना भाग स्वयं ब्रिटेन के सिर रहे। कमिटी के सदस्य डॉक्टर जे० सी० कुमारप्पा, प्रोफ़ेसर के० टी० शाह, श्री० बालूभाई जे० देसाई और श्री० डी० एन० बहादुरजी थे। कहना नहीं होगा कि उपरोक्त विद्वानों की जाँच-रिपोर्ट, जिसका संक्षिप्त वर्णन हम अन्यत्र प्रकाशित कर रहे हैं, अत्यन्त विद्वत्तापूर्ण एवं सारगर्भित है।

इस स्थान पर यह कहना अनुचित न होगा कि कॉङ्ग्रेस ने अपने गया वाले अधिवेशन में सर्वप्रथम इस सार्वजनिक ऋण का प्रश्न उठाया था। तब से अब तक अर्थात् पिछले आठ-नौ वर्षों में कॉङ्ग्रेस ने कई बार अपनी नीति स्पष्ट की, कि हम भारतीय ऋण को एकदम अस्वीकार नहीं करते, परन्तु इसका सारा उत्तरदायित्व हम भारत के भावी सरकार पर डालने के पक्ष में भी नहीं हैं। कॉङ्ग्रेस का कहना है कि किसी स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा भारत पर क़र्ज़ का जो भाग डाला जायगा, वह उसी रक़म को चुकता करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगा। शेष रक़म के लिए उसकी कोई भी ज़िम्मेवारी न होगी।

कॉङ्ग्रेस के द्वारा इस नीति की स्पष्ट घोषणा के बाद यह बात अत्यन्त आवश्यक थी कि वह अपनी एक ऐसी जाँच-कमिटी नियुक्त करे, जो पूर्ण अनुसन्धान एवं अध्ययन के बाद इस निर्णय पर पहुँचे कि उपरोक्त ११ अरब रुपयों के भारतीय सार्वजनिक ऋण में कितनी रक़म भारतवासियों के हित के लिए तथा कितनी रक़म ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार एवं उसे दृढ़ करने के निमित्त ख़र्च की गई है। और इस स्थान पर यह कहना आवश्यक जान पड़ता है कि कमिटी ने इस अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या पर जिस विद्वत्ता के साथ प्रकाश डाला है, उसे ब्रिटेन के अधिक से अधिक भारत-विरोधी राजनीतिज्ञ भी अस्वीकार नहीं कर सकते। कमिटी का कहना है कि हम भारत के उस सार्वजनिक ऋण को देने से अस्वीकार नहीं करते, वरन् हम उस ऋण को देने के लिए तैयार हैं, जिसे सर जॉर्ज विङ्गेट जैसे विद्वान अङ्गरेज़ राजनीतिज्ञ ने भी कहा था—"× × × has really been incurred by the government of this country (England)." अर्थात्—"वास्तव में इङ्गलैण्ड की सरकार के द्वारा लिया गया है।" सर विङ्गेट ने अपने उसी वक्तव्य में यह भी कहा था कि न्याय एवं सचाई इस बात के लिए इङ्गलैण्ड को विवश करती है कि वह साम्राज्य के निमित्त लिए गए क़र्ज़ को स्वयं चुकता करे। साथ ही ब्रिटिश जनता को सावधान करते हुए सर विङ्गेट ने यह भी कहा था कि आज ब्रिटिश जनता इस समस्या से अपनी दृष्टि भले ही फेर ले; परन्तु एक ऐसा दिन आएगा, जब कि इस रुपए का हिसाब लिया जायगा। सर विङ्गेट की बात सत्य ही निकली; कारण आज वह दिन आ गया है, जबकि कॉङ्ग्रेस इस बात को संसार के सम्मुख स्पष्टतया घोषित करने वाली है कि भारत ब्रिटेन को सार्वजनिक ऋण के नाम पर वह घृणित रक़म नहीं देगा, जो उसने (ब्रिटेन ने) भारत को ग़ुलाम बनाने के लिए ख़र्च किया था। संसार के इतिहास में न्याय एवं सत्य के नाम पर किसी विजित राष्ट्र ने विजेता राष्ट्र को अपने पर विजय प्राप्त करने तथा अपने को ग़ुलाम बनाने का व्यय नहीं दिया। भारत भी ऐसा नहीं कर सकता। उसका ऐसा करना केवल न्याय एवं सत्य के ही विरुद्ध नहीं होगा, वरन् वह स्वतन्त्रता के पवित्र सिद्धान्तों का घातक भी होगा। अस्तु—

जिसे आज ब्रिटेन भारत के सार्वजनिक ऋण के नाम से पुकारता है और जिसके सूद की एक बहुत बड़ी रक़म से प्रति वर्ष ब्रिटेन की थैली भरी जाती है, उसका एक

बहुत बड़ा भाग भारत को पराधीन बनाने के लिए व्यय किया गया था ! कहना नहीं होगा कि इस सार्वजनिक ऋण का सूत्रपात ही हमारी पराधीनता से हुआ। सन् १८५७ ई० के भारतीय स्वतन्त्रता के युद्ध—जो सिपाही-विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है—के बाद से अर्थात् सन् १८५८ ई० में जब महारानी विक्टोरिया की सरकार ने भारत का शासन ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के हाथ से अपने हाथ में लिया, उस समय सूद सहित कम्पनी का मूल-धन, कम्पनी के द्वारा साम्राज्य-विस्तार के निमित्त ख़र्च किया गया तथा कम्पनी का सारा क़र्ज़ चुका देने का भार साम्राज्ञी की सरकार ने अपने ऊपर लिया ; परन्तु यह भार ब्रिटिश कोष से नहीं, वरन् भारतीय कर से चुकता किए जाने का निश्चय किया गया। इस प्रकार ईस्ट-इण्डिया कम्पनी से लेकर आज तक भारत में ब्रिटिश अधिकार का इतिहास ब्रिटिश सरकार की उस आर्थिक प्रचुरता एवं उन्नति का इतिहास है, जिसका उद्गम-स्थान भारतीय-कर है। सन् १८५७ ई० के पहले ईस्ट-इण्डिया का सारा क़र्ज़ तथा उसके मूल-धन का ब्याज ही केवल ५१ करोड़ रुपया है। कम्पनी ने यह क़र्ज़ अफ़ग़ानिस्तान और बर्मा-युद्ध तथा चीन, फ़ारस और नेपाल में सेना भेजने के व्यय के निमित्त लिया था। इस व्यय का ब्योरा इस प्रकार है :—

(१) प्रथम अफ़ग़ान-युद्ध के लिए...	१५०	लाख पाउण्ड
(२) बर्मा की दो लड़ाइयों के लिए	१४०	,, ,,
(३) चीन, फ़ारस, नेपाल आदि स्थानों में सेना भेजने के लिए	६०	,, ,,
(४) ईस्ट-इण्डियाकम्पनी के मूल-धन का सन् १८३३—५७ ई० तक का ब्याज	१५०	,, ,,
कुल जोड़	५१०	लाख पाउण्ड

इस स्थान पर प्रश्न यह उपस्थित होता है कि विदेशों की लड़ाइयों के लिए तथा विदेशों में सेना भेजने का ख़र्च भारत क्योंकर दे ? विशेषकर उस अवस्था में, जबकि इन युद्धों से तथा विदेशों में सेना भेजने से भारत का कोई हित नहीं सधा था; बल्कि इन युद्धों से तो एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ था एवं उसकी नींव दृढ़ हुई थी। उक्त अफ़ग़ान-युद्ध की चर्चा करते हुए हाउस ऑफ़ कॉमन्स में श्रीयुत जॉन ब्राइट ने कहा था :—

"× × × the real burden ought to be thrown on the taxation of the people of England, because it was recommended by the British cabinet for objects supposed to be English."

अर्थात्—"× × × इस युद्ध का असल भार ब्रिटिश जनता के कर से वसूल किया जाना चाहिए, कारण इस युद्ध की सिफ़ारिश ब्रिटिश मन्त्री-मण्डल के द्वारा उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुई, जो इङ्गलैण्ड के हित के लिए समझा जाता है।" इतना ही नहीं, कम्पनी के उपरोक्त विदेशी युद्धों का सारा ऋण भारत पर डालने के अनुचित कार्य पर आलोचना करते हुए, सर जॉर्ज विङ्गेट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'Our Financial Relations with India' में लिखा है :—

"Most of our Asiatic Wars with countries beyond the limits of our Empire have been carried on by means of the military and monetary resources of the Government of India though the objects of these wars were in some instances, purely British, and in others but remotely connected with the interests of India. They were undertaken by the Government of India in obedience to instruction received by the British Ministers of the time acting through the Presidents of the Board of Control; and for all consequences they were involved the British Nation is clearly responsible. The Afghan War was one of the most notable of these and it is now well understood that this war was undertaken by the British Government without consulting the Court of Directors and in opposition to their views. It was, in fact, a purely British war, but notwithstanding this and in defiance of a solemn expression of unanimous opinion on the part of the Court of Directors, and of a resolution of the Court of Proprietors of the East India Company that the whole cost of war should not be thrown upon the Indian finances, the ministry required this to be done. By this injustice, ten millions were added to the debt of India. The late Persian War was proclaimed by the British Ministry in pursuance of a policy with which India had no real concern. But the war not the less, was carried on by the troops and resources of India, and one half only of the total cost was subsequently settled to be borne by the revenues of this country. India, in fact, has been required to furnish men and means for carrying on all our Asiatic Wars and has never, in any instance, been paid a full equivalent for the assistance thus rendered which furnishes irrefragable proof of the one-sided and selfish character of our Indian Policy."

तात्पर्य यह है कि हमारे अधिकांश एशियाई युद्ध, जो साम्राज्य की सीमा से बाहर हुए, भारत-सरकार की सेना और धन से किए गए, यद्यपि इन युद्धों का उद्देश्य ब्रिटेन का हित-साधन था और कुछ अंशों में परोक्ष-रूप से भारत का थोड़ा हित सम्भव था। ये युद्ध भारत-सरकार ने ब्रिटिश मन्त्री-मण्डल की आज्ञा से किए, इस कारण इनके परिणाम के लिए ब्रिटिश राष्ट्र ही ज़िम्मेदार है। इन युद्धों में अफ़ग़ान-युद्ध सब से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके सम्बन्ध में यह बात अच्छी तरह से मालूम हो गई है कि यह युद्ध ब्रिटिश सरकार ने कम्पनी के कोर्ट-ऑफ़-डाइरेक्टर्स से बिना राय लिए और उसके मत के विरुद्ध आरम्भ किया था। वास्तव में यह युद्ध ब्रिटिश युद्ध था, फिर भी मन्त्री-मण्डल ने इसका सारा ख़र्च भारत-सरकार से लिया ; यद्यपि कम्पनी के कोर्ट-ऑफ़-डाइरेक्टर्स ने सर्व-सम्मति से इसका विरोध किया था और कोर्ट-आफ़-प्रोप्राइटर्स ने यह प्रस्ताव पास किया था कि युद्ध का सारा ख़र्च भारत पर न लादा जाय। इस अन्याय से भारत के ऋण में सौ लाख पाउण्ड की वृद्धि हुई। फ़ारस का युद्ध ब्रिटिश मन्त्री-मण्डल ने उस नीति के अनुसार छेड़ा था, जिससे भारत का कोई सम्बन्ध न था; पर युद्ध भारत की सेना और धन के द्वारा किया गया और बाद में ब्रिटिश सरकार ने इसमें से केवल आधा ख़र्च दिया। हमारे सभी एशियाई युद्धों के लिए भारत को सेना और धन देना पड़ा है और इस प्रकार की दी गई सहायता के लिए भारत को कभी पूरा मुआवज़ा नहीं दिया गया है। यह इस बात का दृढ़ प्रमाण है कि हमारी भारतीय नीति एकपक्षीय और स्वार्थपूर्ण है।

कम्पनी के इन युद्धों के अतिरिक्त दूसरा प्रश्न कम्पनी के मूल-धन की चुकती का है। ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के साठ लाख पाउण्ड का मूल स्टॉक सन् १८७४ ई० में १२० लाख पाउण्ड देकर चुकता किया गया। इस पर १०½ प्रति सैकड़े ब्याज भी लिया जाता था ! तात्पर्य यह है कि कम्पनी के मूल-धन में ३६० लाख पाउण्ड इस प्रकार दिए गए :—

कम्पनी के मूल-धन का ...	१२०	लाख पाउण्ड
सन् १८३३-५७ तक का सूद ...	१२०	,, ,,
सन् १८५७-७४ तक का सूद ...	१२०	,,

सन् १८५७ ई० के 'सिपाही-विद्रोह' में ४०० लाख पाउण्ड ख़र्च हुआ। यह ख़र्च भी भारत के सिर पर ही मढ़ा गया। कमिटी के सदस्यों का कहना है कि इस ख़र्च की आवश्यकता शासकों के कुप्रबन्ध और कुशासन के द्वारा पड़ी। इस समय ईस्ट इण्डिया कम्पनी ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन कर रही थी, इसलिए इस विद्रोह के सम्बन्ध में किया गया व्यय निश्चय ही ब्रिटिश सरकार के सिर पर मढ़ा जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में स्वयं एक भारत-मन्त्री की राय का उल्लेख करना अनुचित न होगा। सन् १८७८ ई० के ८वीं अगस्त को भारत-मन्त्री ने अपने एक पत्र में लिखा था :—

"In regard to the Indian Mutiny, no part of the cost of suppressing it was allowed to fall on the Imperial Exchequer the whole of it was or now being defrayed by the Indian tax-payers."

तात्पर्य यह कि भारतीय विद्रोह दबाने का व्यय साम्राज्य के ख़ज़ाने को नहीं देना पड़ा, वरन् वह सारा व्यय भारतीय कर-दाताओं ने उठाया अथवा आज उठा रहे हैं। तात्पर्य यह कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा भारत-सरकार के शासन-काल में निम्न-लिखित मद में इस प्रकार व्यय किया गया :—

कम्पनी के शासन-काल में—

बाहरी युद्ध (प्रथम अफ़ग़ान-युद्ध, दो बर्मा-युद्ध, चीन, फ़ारस, नैपाल में सेना भेजने के लिए) ...	३५ करोड़ रुपए
कम्पनी का मूल-धन और ब्याज	३७ करोड़ रुपए
सन् १८५७ ई० के ग़दर के सम्बन्ध में	४० करोड़ रुपए

भारत-सरकार के शासन-काल में—

बाहरी युद्ध (द्वितीय अफ़ग़ान-युद्ध, तीसरा बर्मा-युद्ध, अबीसीनिया, सुडान, मिश्र आदि के धावे में) ...	३७ करोड़ रुपए
यूरोपीय महायुद्ध की भेंट ...	१८६ ,, ,,
महायुद्ध के सम्बन्ध में अतिरिक्त फ़ौजी ख़र्च	१७१ ,, ,,
भिन्न-भिन्न	२० करोड़ रुपए
बर्मा के सम्बन्ध में ...	८२ ,, ,,
रिवर्स कौन्सिलर (विनिमय सम्बन्धी)	३५ ,, ,,
रेलवे	८३ ,, ,,
कुल जोड़	७२६ करोड़ रुपए

कहना नहीं होगा कि उपरोक्त मदों में ख़र्च की गई इस धन-राशि का सारा लाभ ब्रिटेन को ही था। इसमें भारत का कोई भी हित सम्मिलित न था। इस दशा में भारत पर उपरोक्त क़र्ज़ लादना भारत की दरिद्र जनता के साथ अन्याय करना है। इस स्थान पर विस्तार-भय से हम प्रत्येक मद के व्यय के सम्बन्ध में आलोचना नहीं कर सकते ; फिर भी इतना अवश्य कहेंगे, कि गत

यूरोपीय युद्ध के व्यय के लिए भारत के नाम पर १८९ करोड़ की भेंट लेना ब्रिटेन का भारत के साथ अत्यन्त घृणित, दायित्वहीन एवं ग़ैर-क़ानूनी आचरण है। भारत-सरकार को कोई भी क़ानूनी अधिकार न था कि वह गत यूरोपीय समर में भारत की दरिद्र प्रजा की ओर से ब्रिटेन को उसका साम्राज्य अनन्त काल तक दृढ़ करने के लिए इतनी बड़ी रक़म दे दे। अन्य उपनिवेशों के द्वारा ब्रिटेन को दी गई भेंट की दृष्टि से देखने से भी भारत पर अनुपात से अधिक बोझ लादा गया था। यहाँ यह बात पूर्णतः स्मरण रखने योग्य है कि अन्य उपनिवेशों के द्वारा ब्रिटेन को दी जाने वाली भेंट के कारण भी भारत पर इस बात की न तो कोई नैतिक और न कोई क़ानूनी ही ज़िम्मेदारी आती है कि वह ब्रिटेन को युद्ध-ख़र्च के लिए कुछ भेंट करे, कारण; भारत अन्य उपनिवेशों की भाँति उत्तरदाई शासन का अधिकारी नहीं है। अतएव कोई भी निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय इस बात से अस्वीकार नहीं कर सकता कि भारत पर लादा गया सारा क़र्ज़ एक ऐसे शासन का है, जिसमें भारत-सन्तानों का कोई अधिकार न था तथा जिसका उद्देश्य भारत की पराधीनता पर ब्रिटेन को उत्तरोत्तर अधिक बलशाली एवं सम्पन्न बनाना था।

अन्त में हम काँङ्ग्रेस जाँच-कमिटी के विद्वान सदस्यों को उनके इस अतुल परिश्रम पर धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकते। उनका कहना है कि १,१०० करोड़ रुपए के सार्वजनिक ऋण में भारत किसी भी अवस्था में ब्रिटेन का ७२९ करोड़ रुपयों का देनदार नहीं है। हम इस बात में काँङ्ग्रेस जाँच-कमिटी के सदस्यों से थोड़ा मतभेद रखते हैं। भारतीय सेना पर सन् १८५७ ई० से आज तक २१ अरब, २८ करोड़ रुपए का ख़र्च हुआ है। इसमें ५ अरब, ४० करोड़ रुपए बिलकुल ही ब्रिटिश हित के लिए ख़र्च किया गया है। इसके अतिरिक्त क़र्ज़ की रक़मों पर जो आज तक साढ़े दस अरब रुपए ब्याज में दिए गए हैं, उनमें ५ अरब, ३६ करोड़ रुपया उस रक़म का ब्याज है, जो इङ्गलैण्ड को देना चाहिए। इस दशा में भारत ब्रिटेन का नहीं, वरन् ब्रिटेन ही भारत का क़र्ज़दार है!

* * *

काश्मीर

इधर कुछ दिनों से काश्मीर का वायुमण्डल भी साम्प्रदायिक घृणा और द्वेष से गर्म है। प्रत्यक्ष रूप में साम्प्रदायिक मनोमालिन्य का सूत्रपात जम्मू में लाभाराम नामक एक हिन्दू हेड कॉन्स्टेबल और फ़ज़लदाद नामक एक कॉन्स्टेबल के पारस्परिक मनोमालिन्य के रूप में हुआ था। कहते हैं कि फ़ज़लदाद जब क़ुरान-शरीफ़ पढ़ रहा था, तब लाभाराम से उसकी कुछ बातें हो गईं। इन साधारण व्यक्तिगत बातों का वृहद रूप देकर साम्प्रदायिक दुर्भाव उत्पन्न करना प्रारम्भ कर दिया गया। परिणाम-स्वरूप मस्जिदों में सभाएँ होने लगीं और "काफ़िरों" के विरुद्ध आग उगली जाने लगी। जब महाराज काश्मीर को इस बात की सूचना मिली, उन्होंने गत ८वीं जून को राज्य के राजनीतिक मन्त्री (Political Minister) को जम्मू भेजा, जिन्होंने जम्मू के अन्जुमन से चुने गए दो मुसलमान-प्रतिनिधियों के साथ इस मामले की जाँच की। जिस प्रकार जाँच की गई, उससे उक्त दोनों मुसलमान सज्जन सन्तुष्ट थे। जाँच के द्वारा लाभाराम और फ़ज़लदाद दोनों ही दोषी ठहराए गए। लाभाराम का दोष यह था कि उसने आपे से बाहर होकर ऐसा आचरण किया जो उसकी भाँति तीस वर्ष की नौकरी करने वाले अफ़सर के अनुपयुक्त था। इस दोष के लिए उसे त्याग-पत्र देने को विवश किया गया। फ़ज़लदाद का दोष यह था कि उसने जान-बूझ कर घटना का इस प्रकार झूठा वर्णन किया, जिससे साम्प्रदायिक अशान्ति हो गई और इस बात की आशङ्का हो गई कि कहीं साम्प्रदायिक दङ्गे न हो जायँ। इस दोष के लिए वह नौकरी से अलग कर दिया गया।

कहते हैं कि राज्य की ओर से इस न्यायोचित निर्णय पर भी हमारे उन कठमुल्लाओं और शौकत-पन्थियों को सन्तोष न हुआ, जो किसी बाहरी प्रलोभनों के कारण अरसे से काश्मीर राज्य में साम्प्रदायिक मनोमालिन्य पैदा करने में व्यस्त थे। घटना-चक्र के रूप में इधर एक नई बात उत्पन्न हुई। वह यह कि अब्दुल क़ादिर नामक एक गुण्डा मस्जिदों में हिन्दुओं के विरुद्ध आग उगलने लगा। राज्य के अधिकारियों ने, इस बात का पूरा निश्चय कर, कि अब्दुल क़ादिर को इस प्रकार स्वतन्त्र रहने देना राज्य-क़ानून और शान्ति के लिए भयप्रद होगा, उसे जातिगत वैमनस्य फैलाने के अपराध में गिरफ़्तार कर, उचित न्याय के लिए जेल में रक्खा। इधर मुसलमानों ने बहुत बड़ी गुप्त तैयारी के साथ अब्दुल क़ादिर को छुड़ाने के लिए गत १३ वीं जुलाई को काश्मीर जेल पर आक्रमण किया। जेल से महाराजा साहब के महल तथा पुलीस लाइन के टेलीफ़ोन का तार बलवाइयों ने पहले से ही काट दिया था। कहते हैं कि इस प्रकार सात हज़ार मुसलमानों की भीड़ ने श्रीनगर जेल पर अचानक आक्रमण किया और जेल की दीवारें तोड़ दीं तथा मकान को बहुत नुक़सान पहुँचाया। जाँच के बाद यह मालूम हुआ है कि पाँच क़ैदी हथकड़ी पहने हुए ही जेल से भाग गए। जेल के अधिकारियों को, जिनकी संख्या बहुत ही न्यून थी, विवश होकर गोलियाँ चलानी पड़ीं। फल-स्वरूप दस आदमी मरे और कुछ अधिक घायल हुए। इसके बाद मुसलमानों ने शहर में बहुत उपद्रव किया। सैकड़ों हिन्दू घायल किए गए और दुकानें लूटी तथा जलाई गईं। उस समय तो अवस्था और भी भीषण हो गई, जब कि दङ्गे के बाद मुसलमान लोग दस मृतक मनुष्यों की लाशें एक मस्जिद में ले गए; जहाँ सैकड़ों मुसलमान जमा हो गए थे। वहाँ बड़े ही उत्तेजक भाषण दिए गए। ठीक इसी अवसर पर पाँच सौ सैनिक मैशीनगन के साथ पहुँच गए, अन्यथा अवस्था बहुत ही भीषण हो जाती। इस सम्बन्ध में सबसे मनोरञ्जक बात यह है कि अब्दुल क़ादिर पहले पेशावर के एक अङ्गरेज़ सैनिक अफ़सर का बावर्ची मात्र था!!

कहना नहीं होगा कि काश्मीर के महाराज हरीसिंह ने इस अवसर पर प्रत्येक आवश्यक एवं उचित व्यवस्था की। गत १४वीं जुलाई से जाँच-कमीशन आरम्भ हो गया है। कमीशन के सदस्य हाईकोर्ट के प्रधान विचारपति, दो अन्य विचारपति एवं एक ग़ैर-सरकारी हिन्दू और एक ग़ैर-सरकारी मुसलमान हैं। इधर नई ख़बर यह है कि गत १६वीं जुलाई को सेना और बलवाइयों में फिर मुठभेड़ हो गई। बलवाइयों ने सेना की बन्दूक़ें छीनने की चेष्टा की। इस पर विवश होकर सेना ने गोली चलाई, जिससे एक बलवाई मरा और दो घायल हुए।

तात्पर्य यह कि काश्मीर से साम्प्रदायिक दङ्गे के जो भीषण और उत्तेजक समाचार आ रहे हैं, उनकी जड़ हाल में ही उत्पन्न हुई हो, सो बात नहीं है। जब पहले-पहल समाचार-पत्रों में लाभाराम और फ़ज़लदाद की ख़बरें प्रकाशित हुईं तथा उसके बाद ही मुसलमानों के द्वारा एक ब्राह्मण-बालिका की हत्या का समाचार मिला, उसी समय हमारे हृदय में इस बात का विश्वास हो गया था कि इस छोटी घटना की आड़ में कोई दूसरा हाथ और तीसरी शक्ति काम कर रही है। हमारा यह विश्वास निराधार नहीं है। कारण काश्मीर-नरेश की नीति सदा से पक्षपातहीन रही है। उनमें कुछ भी अन्य दोष भले ही हों, पर कोई व्यक्ति उन पर इस बात के लिए दोषारोपण नहीं कर सकता कि उनकी शासन-नीति में किसी प्रकार का साम्प्रदायिक भेद-भाव रहा है। उन्होंने अपनी इस नीति की कई बार और विशेषकर हाल में ही स्पष्ट घोषणा भी कर दी है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि मृतक गुण्डे बलवाइयों की क़ब्रों के लिए सरकार की ओर से ज़मीनें ख़रीदी गई हैं; यद्यपि महाराजा हरीसिंह का यह कार्य पूर्णतः उचित नहीं कहा जा सकता। कारण राज्य-कोष सार्वजनिक कार्यों के लिए ही है, न कि किसी जाति अथवा सम्प्रदाय-विशेष की विशेष आवश्यकताओं के लिए। अस्तु—

महाराजा हरीसिंह की ही यह निष्पक्ष नीति रही हो, सो बात नहीं। महारानी साहिबा ने भी हाल में ही मृतक गुण्डों के परिवार के लिए अपने पास से तीन हज़ार रुपए चन्दे में दिया है। ये घटनाएँ चाहे बहुत साधारण ही क्यों न हों, पर वास्तव में प्रजावर्ग के प्रति काश्मीर के राज्य-परिवार की शुभकामना, न्याय एवं सहानुभूति की द्योतक हैं। इस परिस्थिति में इस बात से अनायास ही सन्देह होने लगता है कि क्या काश्मीर राज्य के इस "मुल्लापन" वातावरण की आड़ में कोई तीसरी शक्ति काम कर रही है? इस बात की पुष्टि के प्रमाण में कहा जाता है कि इधर दो-एक वर्ष से शौकत-पन्थियों को काश्मीर भ्रमण करने का बहुत शौक़ हो गया था, और जब शौकत-पन्थियों को इस प्रकार घूमने का शौक़ होता है तो यह बात भी छिपी नहीं है कि अल्ला-मियाँ अपने फ़ज़ल और करम से फ़िरिश्तों के ज़रिए उन्हें रुपए भिजवा ही देता है।

किन्तु यदि बात शौकत-पन्थियों तक ही सीमित रहती, तो कोई विशेष चिन्ता का कारण न था। परन्तु काश्मीर के इस साम्प्रदायिक दङ्गे पर टिप्पणी करते हुए बम्बई के अर्द्ध-सरकारी सहयोगी "टाइम्स-ऑफ़-इण्डिया" के निम्नलिखित वाक्य पढ़ कर सहज ही यह सन्देह होने लगता है कि क्या काश्मीर-राज्य ख़तरे में है? सहयोगी "टाइम्स-ऑफ़-इण्डिया" की यह आलोचना हमारे सन्देह को पुष्ट करने में सहायक होती है:—

"But it is evident that an affair of this kind can not be isolated, no matter how anxious H. H. the Maharaja may be that no outsider should meddle in the affairs of his State. The Government of India, for example can not regard such a state of affairs with equanimity. When one remembers the serious view that Lord Reading's Government took not, of a communal outbreak, but of a mere threat of fracas in Udaipur, one can well realize the difficulties raised by such a situation as that which has developed in Kashmir."

अर्थात्—"यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की बातें उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखी जा सकतीं, चाहे हिज़ हाईनेस काश्मीर इस बात के लिए जितना भी चिन्तित क्यों न हों कि उनके राजकीय मामलों में किसी बाहरी के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं। दृष्टान्त-स्वरूप भारत सरकार इस मामले को सम-भाव से नहीं देख सकती। जब कोई यह बात स्मरण करता है कि लॉर्ड रीडिङ्ग की सरकार ने उदयपुर के वास्तविक दङ्गे नहीं, वरन् दङ्गे की धमकी तक को कितने गम्भीर रूप में देखा था, उस समय काश्मीर में उत्पन्न परिस्थिति की कठिनाइयाँ भली-भाँति स्पष्ट हो जाती हैं!"

हमें सहयोगी "टाइम्स-ऑफ़-इण्डिया" की इस दूषित मनोवृत्ति तथा भारत-सरकार को इस प्रकार की दूषित सलाह देने पर आश्चर्य नहीं है। परन्तु साथ ही न्याय की दृष्टि से भारत-सरकार काश्मीर राज्य के मामले में केवल इसीलिए हस्तक्षेप नहीं कर सकती कि वहाँ एक बहुत बड़ा साम्प्रदायिक दङ्गा हो गया है। यदि भारत-सरकार काश्मीर राज्य के इस मामले में हस्तक्षेप भी करना चाहे तो उसे पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ब्रिटिश-भारत में होने वाले साम्प्रदायिक दङ्गे श्रीनगर के साम्प्रदायिक दङ्गों से कहीं अधिक भयानक होते हैं। उदाहरण के लिए हाल में ही होने वाले कानपुर के दङ्गों का ही प्रमाण उपस्थित किया जा सकता है। हथियारबन्द पुलीस और सेना की नाक पर हत्याएँ हो रही थीं, घर जलाए जाते थे, मन्दिर और मस्जिदें तोड़ी जाती थीं और पुलीस तथा सेना चुपचाप तमाशा देखती रहती थी। कानपुर के अतिरिक्त बम्बई, कलकत्ता, कोहाट, बन्नू, आगरा, मुलतान आदि के भीषण दङ्गों का प्रमाण सहज ही दिया जा सकता है। तात्पर्य यह कि यदि साम्प्रदायिक दङ्गा होना ही शासन की अयोग्यता का प्रमाण है तो इस दृष्टि से भारत सरकार का शासन-प्रबन्ध काश्मीर राज्य के शासन-प्रबन्ध से कहीं अधिक बुरा है और सहयोगी 'टाइम्स ऑफ़ इण्डिया' को काश्मीर के शासन-प्रबन्ध से अधिक चिन्ता भारत-सरकार के शासन-प्रबन्ध के लिए होनी चाहिए। विशेष कर इस अवस्था में, जब कि यह एक खुला रहस्य है कि इधर अरसे से काश्मीर राज्य के बाहर की शक्तियाँ राज्य के भीतर साम्प्रदायिक भेद-भाव फैलाने में पूर्णतः प्रयत्नशील थीं।

हम इस स्थान पर काश्मीर नरेश की शासन-योग्यता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। हम साथ ही इस विषय में भारत-सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि वह स्थिति पर पूर्ण विवेक के साथ विचार करे और 'टाइम्स-ऑफ़-इण्डिया' की दूषित राय को काम में न लाए।

❀ ❀ ❀

शाही कमीशन की रिपोर्ट

सन् १९२९ के जुलाई मास में भारत-सम्राट की ओर से मि० जे० एच० ह्विटले की अध्यक्षता में एक कमीशन क़ायम किया गया था, जिसके सदस्य श्री० श्रीनिवास शास्त्री, सर इब्राहिम रहमतुल्ला, श्री० घनश्यामदास बिड़ला, दीवान चमनलाल, मि० एन० एम० जोशी आदि प्रमुख बारह व्यक्ति थे, जिनके चित्र तथा विस्तृत नामावली पाठकों को अन्यत्र मिलेगी। इस कमीशन में दो महिलाएँ भी सम्मिलित थीं। इन सदस्यों के अर्थ-शास्त्र के व्यावहारिक ज्ञान का देश क़ायल है। उन्हीं के शब्दों में कमीशन का कर्तव्य था—

"To enquire into and report on the existing conditions of labour and industrial undertakings and plantations in British India on the health, efficiency and standard of living of the workers and on the relations between employers and employed and to make recommendations."

अर्थात्—"ब्रिटिश भारत के उद्योग-धन्धों और चाय के खेत में काम करने वाले मज़दूरों की वर्तमान हालत, उनका स्वास्थ्य, कार्य-कुशलता और रहन-सहन तथा मज़दूरों और मालिक का पारस्परिक व्यवहार आदि विषयों की जाँच करके रिपोर्ट देना और आवश्यकीय सुधार की योजना पेश करना था।" कमीशन ने भारत भर में भ्रमण कर, जगह-जगह आम सभाएँ कर, सैकड़ों गवाहियाँ ले, और कई बार कारख़ानों एवं चाय के खेतों का निरीक्षण कर पिछली २री जुलाई को ५८० पृष्ठों की एक बड़ी गम्भीर रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में हिन्दुस्तान के कल-कारख़ानों तथा चाय के खेत के मज़दूरों के सम्बन्ध में उनकी जीवन-प्रणाली (Standard of life) आदि भिन्न-भिन्न विषयों पर काफ़ी प्रकाश डाला गया है। कमीशन के भ्रमण, जाँच आदि में केवल (!) साढ़े दस लाख रुपए का ख़र्च हुआ है।

कमीशन की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उससे मज़दूरों की वास्तविक दशा का सन्तोषजनक परिज्ञान नहीं होता। कमिटी ने जो सिफ़ारिशें पेश की हैं वे बहुत मामूली, सारहीन और अधूरी हैं। मज़दूरों की जीवन-प्रणाली का ही प्रश्न सब से महत्वपूर्ण है, परन्तु इस सम्बन्ध में कमीशन ने किस प्रकार सरसरी नज़र दौड़ाई है—यह देख कर आश्चर्य होता है। इस सम्बन्ध में, हमें खेद है, रिपोर्ट में कोई विस्तृत तालिका नहीं दी गई है। केवल बम्बई, अहमदाबाद और शोलापुर के सूती मिलों और कारख़ानों का हवाला देते हुए कमीशन की रिपोर्ट है कि "The striking feature of the budget (expenditure) of these people is the large proportion extended on the primary necessities of life." अर्थात्—"इन मज़दूरों के ख़र्च की सब से आश्चर्यजनक बात यह है कि जीवन की प्रारम्भिक आवश्यकताओं में ही इनकी कमाई का अधिक अंश लग जाता है। प्रमाण-स्वरूप कमीशन ने यह दिखलाया है कि इन मज़दूरों की आय का ८९ प्रतिशत भोजन, ईंधन, रोशनी, वस्त्र और घर के किराए में ख़र्च हो जाता है। यह तो केवल शोलापुर की हालत है, बम्बई और अहमदाबाद की दशा तो और भी गिरी हुई है। इन भयानक दरिद्रता का वर्णन करते हुए कमीशन के शब्दों में हम यही कहते हैं—"These facts are best left to speak for themselves and it is unnecessary to emphasize the general poverty they disclose." अर्थात्—ये बातें स्वयं वास्तुस्थिति पर प्रकाश डालेंगी, इस कारण उन (मज़दूरों) की ग़रीबी पर ज़ोर डालना अनावश्यक है। ये मज़दूर अपनी कुल आय का ९ प्रतिशत शराब आदि में ख़र्च कर देते हैं। ९७फ़ी सदी मज़दूरों का एक ही कमरे के घर में और उस एक कमरे में भी छः-छः से नौ-नौ तक मज़दूरों का रहना कितना भयावह तथा नारकीय है, इसका अन्दाज़ा लगाना कठिन है। न तो उनके भोजन-वस्त्र का प्रबन्ध है और न रोशनी का। सूखी रोटी और सूखे साग तक का भी प्रबन्ध नहीं है, ज़रा सा खुला स्थान, जहाँ रोशनी आती हो, उन्हें नहीं मिलता। संसार में इस अन्याय और अपमान का भी कभी अन्त होगा? अस्तु—

कमीशन ने जो ख़ास रियायतें देने के लिए सिफ़ारिश की है, उनमें प्रमुख बात यह है कि जवान मज़दूरों से दिन भर में दस घण्टे और सप्ताह में ५४ घण्टे; तथा १२ से १५ साल तक के बच्चों से रोज़ ५ घण्टे काम लिया जाय। यहाँ पर जान लेना आवश्यक है कि कमीशन के दो प्रभावशाली सदस्य श्री० दीवान चमनलाल और श्री० एन० एम० जोशी ने युवकों के लिए केवल ४८ घण्टे सप्ताह के हिसाब से काम लेने की राय दी थी, परन्तु कमीशन ने इस राय को स्वीकृत नहीं किया! यूरोप के खानों में काम करने वाले मज़दूरों का ७½ घण्टे का दिन होता है, परन्तु भारतवर्ष में १० घण्टे दिन की मज़दूरी होती है!

वर्तमान समय के कल और कारख़ानों में यह भी प्रथा है कि माँ-बाप अपने बच्चों को अपने महाजन के हाथ सौंप देते हैं और मालिक उनके माँ-बाप को दिए गए क़र्ज़ की वसूली में उन गिरवी रक्खे हुए बच्चों से मनमाना काम लेते हैं। कमीशन ने इस प्रथा को अत्यन्त भयानक बतलाते हुए इसे शीघ्र हटाने की सिफ़ारिश सरकार से की है। मज़दूरों के स्वास्थ्य एवं निवास-स्थान आदि का निरीक्षण करने के लिए एक "बोर्ड ऑफ़ हेल्थ" (स्वास्थ्य-निरीक्षक समिति) क़ायम करने की भी अनुमति दी गई है।

रेलवे कर्मचारियों के सुधार-रूप में "Trade Union" (मज़दूर-सङ्घ) के सङ्गठित करने और उसमें हर प्रकार की सहायता की राय देते हुए कमीशन ने यह निश्चय किया है कि ये मज़दूर-सङ्घ ही मज़दूरों और मालिकों के बीच, समय आने पर समझौता का प्रबन्ध करेंगे। इसके साथ-साथ "Industrial Councils" (औद्योगिक सभाएँ) मज़दूरों की हर प्रकार की सहायता के लिए रहें। मज़दूर स्त्रियों के खानों में काम करने के सम्बन्ध में कमीशन ने घोर विरोध किया है और सरकार से सिफ़ारिश की है कि यह प्रथा शीघ्र ही बन्द कर दी जाय।

कमीशन ने और भी कई महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें पेश की हैं और यद्यपि इससे मज़दूरों की दारुण एवं अत्यन्त दयनीय दशा में पूर्णतः परिवर्तन नहीं होता, फिर भी यदि भारत-सरकार इसके अनुसार काम करे, तो मज़दूरों का बहुत बड़ा कल्याण हो। देखना यह है कि इन सुधारों को सरकार किस अंश तक कार्य-रूप में परिणत करती है!

पुदुकोट्टा में भीषण दङ्गा !!

जेल पर धावा :: क़ैदी मुक्त कर दिए गए!

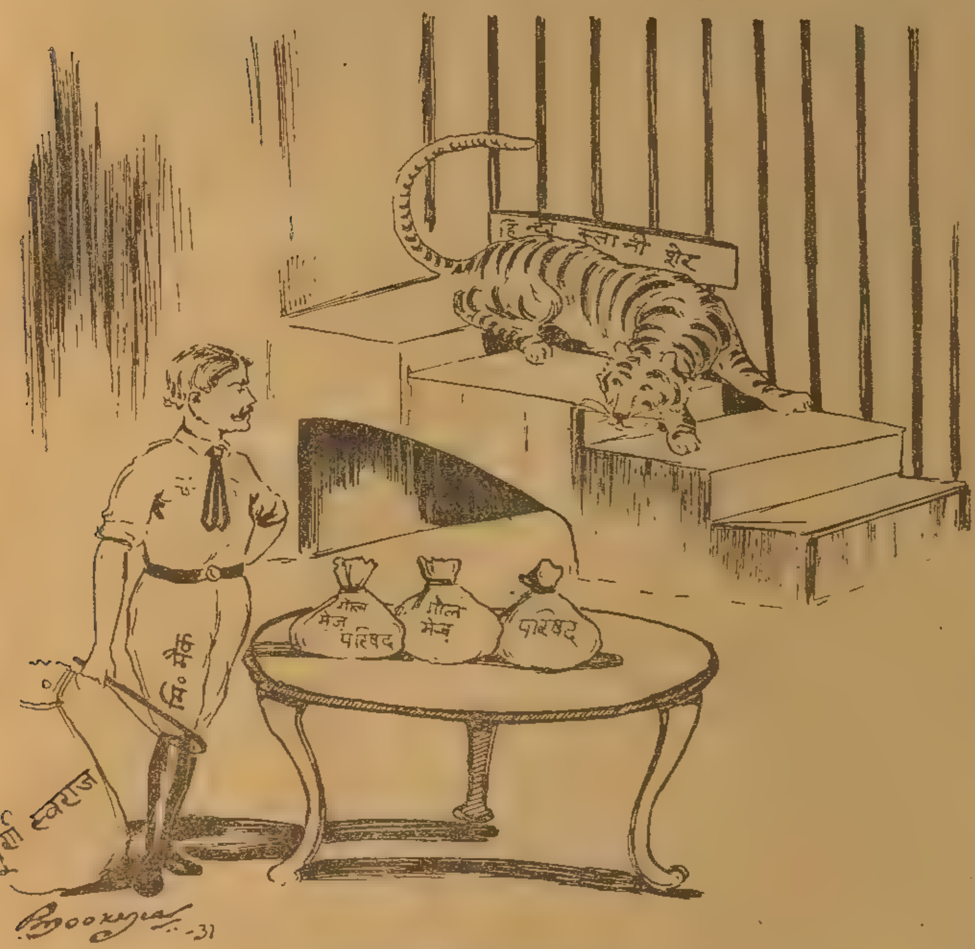
बम्बई के १६वीं जुलाई के समाचारों से विदित होता है कि पुदुकोट्टा रियासत में भीषण दङ्गे हो गए हैं।

इस रियासत के राजा साहब अभी नाबालिग़ हैं, और एक शासन-समिति राज्य-कार्य देखती है। कहा जाता है कि हाल ही में म्युनिसिपल टैक्स बढ़ा देने का विचार किया जा रहा था। जनता की ओर से इस विचार के विरुद्ध एक प्रार्थना-पत्र शासन-समिति के अध्यक्ष के पास भेजा गया, जिसे नामञ्ज़ूर कर दिया गया। कहा जाता है कि इस अस्वीकृति से लोगों में बहुत असन्तोष फैल गया और शासन-समिति के अध्यक्ष के बँगले के सामने अध्यक्ष को मारने के उद्देश से एक भारी भीड़ इकट्ठी हो गई, और लोग ऑफ़िसों पर आक्रमण करने लगे। कहा जाता है कि पुलीस ने फ़ायर किया, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। किन्तु भीड़ ने पुलीस और मिलिटरी को क़ाबू में कर लिया। फिर उन लोगों ने अध्यक्ष के बँगले को लूटा, अदालत के काग़ज़ात तथा बार लाइब्रेरी में आग लगा दी, जेल के दरवाज़े को तोड़ कर जेलर को घायल किया और सभी क़ैदियों को मुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि उन लोगों ने पुलीस कमिश्नर को भी घायल किया है और सरकारी अफ़सरों को चलने-फिरने में भी बाधा पहुँचाया। ६ बजे सुबह से १ बजे दोपहर तक दङ्गाई बिना किसी विघ्न-बाधा के उपद्रव मचाते रहे। इसके बाद भी परिस्थिति क़ाबू में न आ सकी।

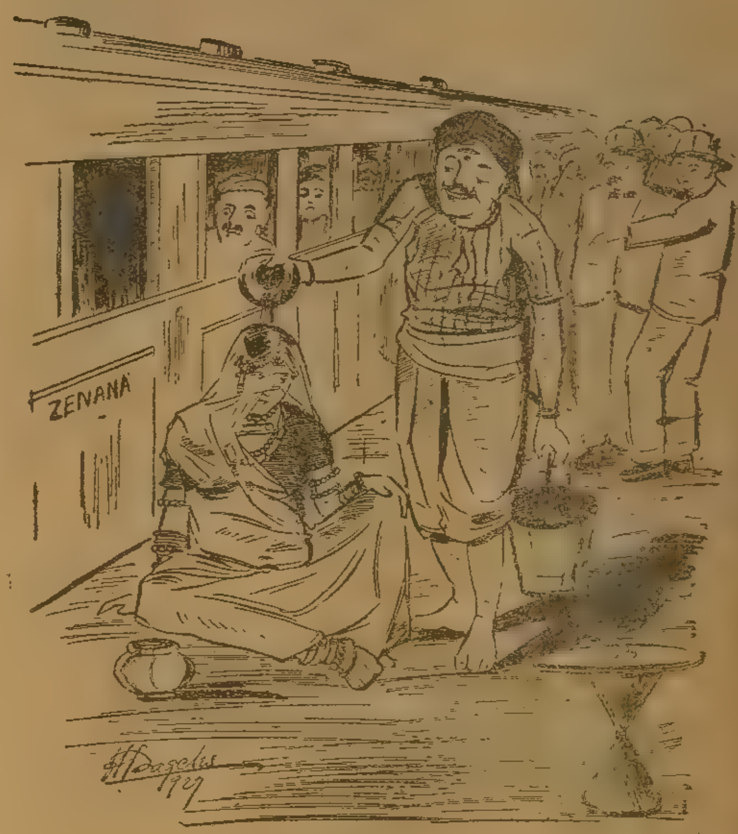
बाद के समाचारों से पता चलता है कि परिस्थिति को क़ाबू में लाने के लिए एक पञ्जाबी सेना भेजी गई है और परिस्थिति भी कुछ शान्त हो चली है। बाद के समाचारों से पता चलता है कि जनता की माँगें अक्षरशः स्वीकार कर ली गई हैं।

❀ ❀ ❀

'भविष्य' की व्यङ्ग-चित्रावली का एक पृष्ठ



गोलमेज़ का सर्कस



प्लेटफ़ॉर्म पर स्नान

सेठ जो—महाराज ! जल्दी करो, गाड़ी ने सीटी दे दी...
अङ्गरेज़ दर्शक—कैसा गधा आदमी है—क्या यही इन लोगों का पर्दा है ?



गेंद खेलने वाला देखो, गेंद उठाने वाला देख !
एक जाति के ये दोनों थे, इसको भी लो मन में लेख !!



जो ईसाई बन जाता है, उस अछूत का देखो रङ्ग !
जो हिन्दू है उसके जूता सीने का भी देखो ढङ्ग !!



प्राणों का मूल्य

[श्री० शिवनाथ मिश्र शर्मा]

दरिद्र के जीवन में केवल दुख ही नहीं, कुछ सुख का भी अंश होता है। वह दुख में भी सुख का अनुभव किया करता है। रूखे-सूखे भोजन में ही उसे राजप्रासाद के व्यञ्जनों का स्वाद मिलता है। टूटी-फूटी झोंपड़ी ही उसके लिए राजमहल है। सन्तोष का सम्बल उसे सदा प्रसन्न रखता है।

काली दरिद्र था। समस्त सुख की लालसाएँ उसके लिए निर्मूल थीं। उसका जीवन कष्टकर नहीं तो नीरस अवश्य था। परन्तु प्रसन्नता उसकी चिर-सहचरी थी।

सघन-वन की छटा निराली थी। हरे-भरे निकुञ्जों में पक्षी गा रहे थे। भाँति-भाँति के फूलों के मधुर सुवास से भौंरे मस्त हो रहे थे। थोड़ी दूर पर एक पतली धार वाली कल-निनादिनी भी किलकारियाँ भरती चली जा रही थी। उसके पास ही नाना प्रकार के घनीभूत छाया वाले वृक्षों से घिरी एक छोटी सी पर्ण-कुटी थी। यही था, दरिद्र काली का राजमहल। दिन भर का थका-माँदा काली रूखा-सूखा खाने पर यहीं पैर फैला कर सो जाता था।

काली कभी वन-फल संग्रह करता, कभी लकड़ी तोड़ कर बेच लाता और कभी कुछ मेहनत-मजूरी करने चला जाता और कभी नदी के किनारे बैठ कर कुछ गुन-गुनाया करता।

उसके जीवन का सहारा—आँखों की पुतली—थी उसकी एकमात्र कन्या विभा। उसे देख कर वह प्रसन्न हो जाता और थोड़ी देर के लिए उसकी दरिद्रता इस अस्थायी सुख के आवरण में छिप जाती।

विभा को वह प्यार-भरे शब्दों में 'बिटिया' कह कर पुकारा करता। शायद उसके सन्तप्त हृदय को इन तीन अक्षरों से कुछ शान्ति मिलती। वह कभी-कभी विभा के साथ बैठ कर घण्टों गोटी खेला करता। वह उस समय अपने को भूल जाता। विभा उसके दरिद्र हृदय की सम्पदा थी—प्राणों की प्यारी थी।

विभा नन्दन कानन की कुसुम-कलिका थी। उसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग सुन्दर और सुडौल थे। भँवर-पंक्ति की भाँति उसके केश थे और पङ्कज सी आँखें। स्वर्ण सा प्रोज्ज्वल उसका ललाट था और कीर सी नाक। मधुर मुस्कुराहट तो उसके होठों में लगी ही रहती थी।

काली अपनी दरिद्रता की सम्पदा, प्यारी कन्या को उसी निर्जन वन में छोड़ कर दिन भर फेरी लगाता। विभा कुटी के द्वार पर बैठी अनिमेष नयनों से पिता की राह ताका करती। सन्ध्या को काली भाँति-भाँति के अन्नों की छोटी सी पोटली बाँधे आता। विभा हर्षोन्मत्त होकर दौड़ पड़ती। काली के शरीर में प्रसन्नता दौड़ जाती। उसका रोम-रोम पुलकित हो उठता। वाह रे वात्सल्य स्नेह, तू धन्य है। तू संसार को जितना मधुर बना देता है, उतना कोई शक्ति नहीं बना सकती।

× × ×

यौवन किसी की अपेक्षा नहीं करता। धनी, दरिद्र, दुखी और सुखी, सभी को वह एक ही दृष्टि से देखता है। वह जलधारा की भाँति सब जगह बरस जाता है—उर्वर में और ऊसर में, खेत में और नदी में। वह कार्ल-मार्क्स और लेनिन से भी बढ़ कर साम्यवादी है।

क्यों तुले रहते हैं सब मेरी बुराई के लिए?

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

रङ्ग यह उनका है, तरज़े बेवफ़ाई के लिए,
माँगते हैं ख़ूने-दिल, दस्ते-हिनाई[1] के लिए !
तीर जब उनका चला, उनकी कमाँ को छोड़ कर,
दिल मेरा पहलू से निकला, पेशवाई[2] के लिए,
आप ही कह दीजिए, कह दीजिए, कह दीजिए !
दिल कुदूरत[3] के लिए है या सफ़ाई के लिए ?
ख़ल्क़[4] में पैदा हुए, आफ़ाक़[5] में ज़ाहिर हुए
हम वफ़ा के वास्ते, तुम बेवफ़ाई के लिए !
और तो सब छुट गए सय्याद असीराने[6] क़फ़स,
हुक्म क्यों देता नहीं, मेरी रिहाई के लिए !
इसका गाहक है ज़माना, इसका ख़्वाहाँ[7] है जहाँ,
दिल खिलौना बन गया सारी ख़ुदाई के लिए।
मैं तो ऐ 'बिस्मिल' किसी को भी बुरा कहता नहीं
क्यों तुले रहते हैं सब मेरी बुराई के लिए ??

१—मेहँदी लगा हुआ हाथ, २—स्वागत, ३—मैल, ४—दुनिया, ५—संसार, ६—क़ैदी, ७—चाह करने वाला।

* * *

समय जाते देर नहीं लगती। देखते-देखते विभा की कमनीय वाटिका में भी वसन्त का प्रादुर्भाव हुआ। यौवन आया और सज-धज कर आया। प्रकृति ने समय की मदमाती पिचकारी में सौन्दर्य का रङ्ग भर कर विभा के गुलाब सदृश कपोल पर बेधड़क मारा। उन्माद की होली जली! वह पूर्ण युवती हुई। लड़कपन की चपलता का स्थान गम्भीरता ने छीन लिया।

आकाश में चन्द्रदेव चमके और सघन वन में विभा का यौवन। वसन्त का नव-रस फैला। पपीहा ने पी-पी की धुन लगाई और वृक्षों की डालियों पर बैठ कर कोयल ने कू-कू रव से वनस्थली को विकम्पित और मुखरित कर दिया। हाय री जवानी! तू पगली है, उन्मादिनी है।

काली ने इस परिवर्तन को लक्ष्य किया। कुछ चिन्तित हुआ। विभा का भावी वियोग और प्राणोपम कन्या को किसी सुपात्र के हाथों में सौंपने की चिन्ता ने काली को व्याकुल कर दिया। आज उसे संसार दुख-मय, वियोगमय और व्यथामय प्रतीत हुआ। आज ही उसने पहले-पहल दरिद्रता का अनुभव किया—आज ही उसने अपने को सम्बलहीन, अधम और भिखारी समझा। उसे बार-बार यही चिन्ता होने लगी कि दरिद्र की कन्या को कौन ग्रहण करेगा!

× × ×

ग्रीष्म की कड़ी एवं लम्बी दुपहरिया थी। सविता की उत्तप्त किरण-माला भयङ्कर दावानल की सृष्टि कर रही थी। धरित्री विरही की भाँति जल रही थी। नदी का हृदय-स्रोत सूख गया था। पक्षी पानी बिना व्याकुल थे।

विभा अपनी कुटी के द्वार पर बैठी प्रतिक्षाकुल नयनों से पिता के आने की बाट जोह रही थी। आज-कल काली सवेरे ही बाहर निकल जाता और दोपहर को चला आता था। उसके आने का समय हो गया था। सहसा एक आखेट-विलासी युवक जलता-झुलसता विभा के सामने आकर खड़ा हो गया। वह सहमी-सकुची। युवक व्याकुलता से बोला—देवि! थोड़ा जल! बड़ी प्यास लगी है!

विभा ने दौड़ कर मुट्ठी भर भूने हुए चने तथा एक लोटा जल लाकर युवक के सामने रख दिया।

युवक ने कहा—केवल जल। भूखा नहीं, केवल प्यासा हूँ।

विभा बोली—खाली पानी पीना ठीक नहीं। इसे खा लीजिए। खाली पानी नुक़सान कर सकता है।

युवक इस तुच्छ आग्रह को टाल न सका। चने खाकर एक ही साँस में सारा जल पी गया। वह प्यासा था—व्याकुल था। उसने तृप्त दृष्टि से एक बार विभा की ओर देखा। उसकी चितवन में कृतज्ञता थी और व्याकुलता भी।

युवक को शान्ति न मिली। उस थोड़े से जल में मादकता थी—प्रेम का एक अजीब आकर्षण था। वह उन्मत्त हो उठा। उसका हृदय विभा की तरफ़ खिंचने सा लगा।

संसार में स्त्री और ऐश्वर्य वासना के दो प्रमुख मार्ग हैं। परन्तु प्रथम से द्वितीय में अन्तर है। स्त्री की एक सरल-चितवन पर मनुष्य अपने आपको समर्पण कर देता है। उसकी एक मधुर मुस्कान पर त्रैलोक के वैभव को लुटा देता है। स्त्री में बड़ी मादकता है, बड़ी आकर्षण है।

युवक मोहित हुआ। वह अपने हृदय को धरोहर रूप में वहीं रख कर चलता बना। विभा अवाक् सी खड़ी अपलक नयनों से उसे देखती रह गई।

अहा! कितना सुन्दर, कितना सुडौल, कितना सुश्रीवान उसका शरीर था। अङ्ग-अङ्ग से वीर-रस

टपका पड़ता था। विभा के हृदय में उथल-पुथल सा मच गया।

नित्य-प्रति विभा अपनी कुटी के द्वार पर बैठ कर आशा-भरी दृष्टि से किसी की राह देखा करती। युवक कभी न कभी आता और पास की नदी के तट पर बैठ कर दोनों प्रेमालाप किया करते। दोनों की बातें कभी समाप्त न होतीं। दोनों के हृदय में एक-दूसरे को देख कर आनन्द-मन्दाकिनी बह चलती। सघन वन में बासन्ती बयार झूम-झूम कर नाचने लगती, सामने के वृक्षों से कोयल "कू-कू" कर उठती, कमलिनी हँस देती, मोर नाच उठते, विभा मुस्कुरा देती और युवक इस मधुर मुस्कान पर हज़ार जान से निछावर हो जाता।

काली से कोई बात छिपी न रही। विभा ने कुछ बताया तो नहीं, परन्तु कुछ छिपाया भी नहीं। काली को भी रोक-टोक की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। परन्तु वह कभी प्रसन्न होता और कभी दुखी हो जाता, क्योंकि विभा एक दरिद्र की कन्या थी और वह किसी बड़े आदमी का पुत्र। काली को यह विषमता कुछ खलती। प्यारी 'बिटिया' की भविष्य की चिन्ता उसे कुछ विचलित कर देती। परन्तु अब उपाय ही क्या था?

× × ×

शरद की पूर्णिमा थी। चन्द्र-मण्डल से निःसृत होकर चन्द्रिका समस्त धरातल पर सुधा-धारा की भाँति फैल गई। प्रकृति मूक थी, चतुर्दिक सन्नाटा था। एक छोटे, पर सुसज्जित कमरे में बैठा हुआ युवक किसी गहन चिन्ता में निमग्न था। सहसा एक करुण-क्रन्दन ध्वनि उसे सुन पड़ी। चिन्ता भङ्ग हुई। उसने बाहर झाँक कर देखा, सामने के पथ से दो गुण्डाण्डोल मनुष्य एक अति दीन-हीन व्यक्ति को मारते-पीटते तथा घसीटते लिए जा रहे हैं। उसके हृदय में दया का सञ्चार हुआ। उसने पास जाकर पूछा तो मालूम हुआ कि बेगार न देने के कारण शासक के पास लिए जा रहे हैं। युवक का हृदय व्यथा से व्याकुल हो उठा। क्रोध और उदासी ने एक साथ ही उसे विचलित कर दिया।

ओफ़! इतना अत्याचार! इतना अन्याय! क्या शासक का यही धर्म, यही कर्तव्य है? ऐसे शासन की छत्रछाया में एक क्षण भी जीवन धारण करना पाप है—अधर्म है। इस निरङ्कुश शासन को बदलने की चेष्टा ही प्राणी मात्र का कर्तव्य है। पर पहले एक बार सचेत कर देना उचित है। शायद वह मान जाय।

युवक ने शासक से अनुनय-विनय करके उसे रास्ते पर लाने का विचार किया। किन्तु अत्याचारी के हृदय पर चेतावनी का प्रभाव नहीं पड़ता, जब तक उस पर कुछ दबाव न पड़े। युवक की आशा विफल हुई। शान्ति के बदले वह अशान्ति की दारुण यातना लेकर लौटा।

× × ×

युवक ने शासन-तन्त्र को बदल डालने का विचार किया। गाँवों में घूम-घूम कर लोगों में जागृति का सञ्चार किया। कर्तव्य-पथ दर्शाया, मनुष्यत्व का तत्व जनता को बताया। सारा देश, जो निर्जीव-सा पड़ा था, युवक के कठिन परिश्रम से सजीव हुआ। जन-समाज में नव उत्साह फैला। नवीन परिवर्तन हुआ। सङ्गठन की मधुर वंशी बजी। विद्वेष-भाव मिटा। धनी-ग़रीब, छूत-अछूत एक रङ्ग में रँगे गए। गाँव-गाँव में सभाएँ हुईं। पञ्चायतें क़ायम हुईं। सेवा-दल स्थापित हुआ। नव-युवक-गण धड़ाधड़ नाम लिखाने लगे। ग्राम-ग्राम में आश्रम बने। सारे देश में अन्यायी एवं क्रूर शासन के विरुद्ध अविराम गति से कार्य होने लगे। सारी प्रजा-मण्डली ने युवक के शब्दों पर अपने आपको समर्पण कर दिया। वह सबका नायक बना।

शासक घबराया, देश की ऐसी परिस्थिति उसे असह्य हो उठी। युवक उसकी आँखों की किरकिरी हो गया। वह अवसर ढूँढ़ने लगा।

धारो एक छोटा सा गाँव था। वहाँ के अधिवासी अधिकांश में अछूत थे। युवक ने यहीं अपना आश्रम या केन्द्र बनाया। युवक आश्रम में कम्बल बिछाए पड़ा था। उसके हृदय में चिन्ता की भीषण ज्वाला धधक रही थी। वह सोच रहा था, किस प्रकार यह देश शान्तिमय होगा? कैसे यह शासन बदला जाएगा? कब धनी, ग़रीब, छूत-अछूत और छोटे-बड़े शान्तिमय नागरिक जीवन का अनुभव करेंगे?

रात गम्भीर हो आई। चन्द्रमा खिलखिलाया। अन्तरिक्ष पर तारे चमके। पर युवक की चिन्ता दूर न हुई। सहसा धरो-पकड़ो की कठोर ध्वनि सुन पड़ी। वह बाहर आया। सशस्त्र सेना आश्रम घेरे खड़ी थी। युवक पकड़ा गया। वह बन्दी हुआ। लोगों में अधीरता छा गई।

× × ×

सवेरा हुआ! लज्जावती तारिकाएँ लम्बे घूँघट से अपना सुन्दर मुख छिपाने लगीं। कमल श्रीसम्पन्न हुए। सौन्दर्यवती कुमुदिनी विरह-व्यथा से मुरझाने लगी। पक्षियों ने आनन्द-गान गाया।

एक-एक कर जन-समूह न्यायालय में एकत्रित होने लगा। आज युवक का विचार-दिवस था। दस बजते-बजते सारा न्यायालय ठसाठस भर गया। युवक बन्दी-वेश में लाया गया। तुमुल जय-ध्वनि से विचारालय थर्रा उठा। उसके मुख पर शान्ति थी, देश-सेवा की प्रोज्ज्वल ज्योति थी।

निर्णायक ने निर्णय सुनाया—युवक राजद्रोही है, क्रान्तिकारी और षड्यन्त्रकारी है। इसने क़ानून द्वारा प्रतिष्ठित शासन-तन्त्र को उलट देने की चेष्टा की है। इसलिए इसे सरे-मैदान गोली मार दी जाय।

न्यायाधीश का यह अद्भुत आदेश सुन कर लोगों में सन्नाटा छा गया। यह न्याय है? लोगों का हृदय काँप गया! परन्तु चारों ओर शान्ति थी।

इसके बाद अदालत बरख़ास्त हुई। जनता रोती-बिलखती अपने घर चली गई और युवक कारागार में भेज दिया गया।

× × ×

न्यायाधीश के आदेशानुसार आज युवक को गोली मार दी जाने वाली थी। नगर के बाहर एक विस्तृत मैदान में यह भीषण अभिनय होने वाला था। दर्शकों की अपार भीड़ थी। जल्लादों ने एक ऊँचे टीले पर लाकर युवक को खड़ा कर दिया। उसके हाथों में हथ-कड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ और मुँह पर मुस्कराहट थी।

जल्लादों ने उसे दो खम्भों के बीच लाकर खड़ा किया और उसके शरीर को मज़बूत रस्सी द्वारा दोनों खम्भों में अच्छी तरह बाँध दिया।

जल्लाद थोड़ी दूर पर जाकर खड़ा हो गया। वह एक बार युवक की ओर देख कर कर्कश स्वर में बोला—अपराधी, सचेत हो जा!

युवक ने हँस कर कहा—मैं ख़ूब सचेत हूँ; तू अपना काम कर।

इसके बाद जल्लाद का हाथ उठा। गोली दग़ी। जनता चीख़ उठी। परन्तु यह क्या? युवक के चरणों के पास यह स्त्री कौन-सी लोट रही है। नर-नारी, युवा-युवती और वृद्ध-बालक सभी आश्चर्य-चकित दृष्टि से यह अद्भुत दृश्य देखने लगे। युवक स्थिर भाव से खड़ा था। वह दर्द-भरी आवाज़ से बोला—आह विभा! तुम!

जल्लाद ने दूसरी गोली दाग़ी और वह युवक के सीने को छेदती हुई, उस पार निकल गई!

इसी समय लोगों ने देखा, एक पागल भिखारी दौड़ता हुआ—'हाय विभा, मेरी बिटिया' कहता हुआ आया और युवती के निर्जीव शरीर पर गिर पड़ा! उसके अभ्यन्तर से एक दर्दनाक आह निकली और वह भी वहीं सदा के लिए शान्त हो गया।

जन-समूह में से एक आदमी बोल उठा—अरे, यह तो वही काली है, जो लकड़ा नदी के किनारे, धारो के वन में झोंपड़ी डाल कर रहा करता था।

* * *

तूफ़ाने-ज़राफ़त

[महाकवि "अकबर" इलाहाबादी]

ग़ैर की हसरत निकलने दीजिए,
ख़ैर मेरे दिल को जलने दीजिए!
"पार्क" में क्या जाऊँ, है वक़्ते नमाज़,
बाबू साहब को टहलने दीजिए!

× × ×

शौक़ है पुन का, न ताक़त पाप की,
सब हैं बस बढ़ती मनाते आपकी!
हो चुके "हुगली" के "लेक्चर", अब हमें,
फ़िक्र है गङ्गा किनारे जाप की!
कुत्र[1] जो कुछ है मुहीत[2] एक इश्क़ है,
धूम है उनकी कमर की नाप की!
शेख़ जी क़ाने[3] के घर में लो जनम,
वरना अब मिटती है हस्ती आपकी!

१—किसी चीज़ का किनारा, २—घेरा करने वाला, ३—सन्तोषी,

* * *

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

सोज़े[4] ग़म से काम चलने दीजिए,
जल रहा हूँ, मुझको जलने दीजिए!
हज़रते "बिस्मिल" हमारी हल्क़ पर,
चलती है तलवार, चलने दीजिए!

× × ×

पुन से नफ़रत, और हसरत पाप की,
ख़ैर "पब्लिक" क्या मनाए आप की!
जाऊँ क्या गङ्गा का साहिल[5] छोड़ कर,
लह पैदा हो गई है जाप की!
अब के लड़के कुछ समझते ही नहीं,
आबरू जाती रही माँ-बाप की!
हज़रते "बिस्मिल" हुए मशहूरे ख़ल्क़[6],
हर ग़ज़ल "नोटिस" थी गोया आपकी!

४—दुख का जलन, ५—किनारा, ६—संसार।

* * *



स्वीट्ज़रलैण्ड का स्वाधीनता-संग्राम

[मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव]

मध्य यूरोप में स्वीट्ज़रलैण्ड नाम का एक छोटा सा किन्तु विख्यात देश है। यहाँ की घड़ियाँ सारे संसार में विख्यात हैं। इसके सिवा यहाँ रेशम और ग़ल्ले की पैदावार भी अच्छी होती है। इस लेहाज़ से स्वीट्ज़रलैण्ड को कृषि-प्रधान देश भी कह सकते हैं। इस देश का क्षेत्रफल १५,६६० वर्गमील और जन-संख्या ३८,८०,३२० है। इस देश के निवासियों को स्वीस कहते हैं। ये बड़े परिश्रमी, बुद्धिमान और उन्नतिशील होते हैं! स्वीट्ज़रलैण्ड में पहाड़ और जङ्गल बहुत हैं।

परन्तु आज से बहुत दिन पहले स्वीट्ज़रलैण्ड नाम का कोई एक देश न था और न वर्तमान स्वीस जाति ही थी। जिस समय का ज़िक्र हम कर रहे हैं, उस समय अल्पस् पर्वत के आस-पास बहुत से छोटे-छोटे राज्य थे, जिनमें कुछ फ़्रान्सीसियों के, कुछ ऑस्ट्रियनों के, कुछ रोमनों के और कुछ अन्यान्य तत्कालीन बलवान राष्ट्रों के अधिकार में थे। प्रत्येक राज्य की अलग-अलग जाति, अलग-अलग रीति-रिवाज और स्वतन्त्र भाषा थी।

कुछ दिनों के बाद ही इन छोटे-छोटे शक्तिहीन राज्यों में स्वतन्त्रता की आकांक्षा बलवती हो उठी और वे एक-एक करके स्वतन्त्र हो गए। फलतः इन्हीं छोटे-छोटे राज्यों की समष्टि का वर्तमान नाम स्वीट्ज़रलैण्ड है, इन्हीं स्वाधीनता-प्रिय लोगों को लेकर वर्तमान स्वीस जाति बनी है और इन्हीं की स्वाधीनता का इतिहास स्वीट्ज़रलैण्ड का इतिहास है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि उस समय संसार इतना उन्नत न था। विज्ञान का तो कोई नाम भी नहीं जानता था। उस समय न तो कहीं कोई सामरिक महाविद्यालय था और न शस्त्रास्त्र तैयार करने वाली वर्तमान युग की तरह बड़ी-बड़ी फ़ैक्टरियाँ और मेशिनें थीं। इसलिए स्वीट्ज़रलैण्ड के तत्कालीन स्वतन्त्रता-प्रिय विद्रोही नेता भी युद्ध-कला-विहीन, खेतिहर और मज़दूर थे। इनके पास तोप, बन्दूक़, गोला-गोली और रणपोत तथा हवाई जहाज़ आदि कुछ भी न था। परन्तु उनमें स्वतन्त्रता प्राप्त करने की अदम्य लालसा की कमी न थी और उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि साधारण लोग भी अपनी सम्मिलित शक्ति द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते हैं।

सब से पहले स्वीट्ज़रलैण्ड के यूरी, स्कुइज़ और आल्टर वेलवेन प्रदेशों में स्वतन्त्रता प्राप्त करने की चेष्टा प्रारम्भ हुई। ये तीनों प्रदेश उस समय ऑस्ट्रियनों के अधिकार में थे। गेस्लर और लैण्डेनवर्ग नाम के दो ऑस्ट्रियन इन प्रदेशों के शासनकर्ता या भाग्य-विधाता थे। इनके शब्दकोष में राज्य-शासन का अर्थ प्रजा को चूसना और उस पर तरह-तरह के अत्याचार करना था। प्रजा इनके अत्याचारों से घबरा उठी थी और उनसे किसी तरह परित्राण पा जाने की तदबीर सोचने लगी।

बाल्डेन प्रदेश का ऑरनोल्ड एक तेजस्वी किसान युवक था। वह बहुधा अत्यन्त उत्तेजित भाव से अधिकारियों के अत्याचारों की चर्चा किया करता था। वह विदेशी शासकों का प्रबल विरोधी था और चाहता था कि किसी उपाय से इन्हें इस देश से निकाल दिया जावे तो बड़ा अच्छा हो। इन्हें क्या अधिकार है, हमारे ऊपर शासन करने का? ये कौन होते हैं, जो हमारे प्रभु बने बैठे हैं?

एक दिन ऑरनोल्ड अपना खेत जोत रहा था। उसके दोनों बैल बड़े सुन्दर, बलिष्ठ और मूल्यवान थे। उसे अपने बैलों से बड़ा प्रेम था। इसलिए वह उनकी सेवा भी ख़ूब करता था। फलतः हल खींचने के समय जब उसके दोनों बैल गर्दन उठाए और झूमते हुए आगे बढ़ते थे, तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती थी।

एक दिन ऑरनोल्ड अपने खेत जोत रहा था। इतने में लैण्डेनवर्ग के कुछ आदमी वहाँ आ पहुँचे और कहने लगे—ऑरनोल्ड, तुम्हारे बैल तो बड़े अच्छे हैं।

ऑरनोल्ड ने उत्तर दिया—हाँ, हैं तो!

"तो तुमने, एक मामूली किसान होकर, इतने मूल्यवान बैल क्यों रक्खे हैं? इन्हें हमारे प्रभु लैण्डनवर्ग के लिए छोड़ दो।"

ऑरनोल्ड ने भृकुटी चढ़ा कर उत्तर दिया—मैं अपने बैल लैण्डनवर्ग को क्यों दे दूँ?

"देना ही होगा। तुम इतने अच्छे बैल नहीं रख सकते।"

ऑरनोल्ड ने उत्तेजित होकर कहा—मैं कदापि अपने बैल किसी को न दूँगा।

बात बढ़ गई। लैण्डनवर्ग के आदमियों ने बलपूर्वक बैल छीन लेना चाहा। हाथापाई की नौबत आ गई। युवक ऑरनोल्ड अत्यन्त उत्तेजित हो उठा। उसने लाठी उठा ली और लैण्डनवर्ग के आदमियों को मार भगाया। इसकी ख़बर लैण्डनवर्ग को मिली तो वह अत्यन्त क्रुद्ध हो उठा। एक साधारण किसान की यह स्पर्द्धा कि मेरे आदमियों को मार दे! उसने अपने अन्यान्य अनुचरों को बुला कर आज्ञा दी कि अभी, फ़ौरन जाकर ऑरनोल्ड को पकड़ लाओ। उसने बड़ी भारी गुस्ताख़ी की है। मैं उसे कड़ा दण्ड देना चाहता हूँ।

ऑरनोल्ड उस समय भी अपने खेत में ही था। परन्तु वह जानता था कि लैण्डनवर्ग चुपचाप नहीं रहेगा। ख़ैर, देखा जायगा, यह सोच कर ऑरनोल्ड निश्चिन्ततापूर्वक खेत जोतने लगा। इतने में लैण्डनवर्ग के बहुत से आदमी उसे पकड़ने के लिए आ पहुँचे। परन्तु ऑरनोल्ड को पकड़ लेना कोई हँसी-खेल न था। उसने लाठी उठाई और उसे घुमाता हुआ, एक ओर निकल गया। लैण्डनवर्ग के अनुचरों में से किसी का साहस न हुआ जो उसे पकड़ ले। ऑरनोल्ड साफ़ निकल गया।

लैण्डनवर्ग के अनुचरों ने पुत्र के बदले उसके वृद्ध पिता को गिरफ़्तार किया। नृशंस लैण्डनवर्ग ने बेचारे वृद्ध की दोनों आँखें निकलवा लीं और उसकी सारी सम्पत्ति छीन कर उसे रास्ते का भिखारी बना दिया!

ऑरनोल्ड को यह ख़बर मिली तो वह क्रोध से पागल सा हो उठा। परन्तु परिस्थिति उसके अनुकूल न थी। इसलिए उसने स्वाधीनता-संग्राम का आयोजन करने का विचार किया, और देश के नवयुवकों को संग्रहीत कर सदा के लिए इस बला को टाल देने की तैयारी में लग गया।

यूरी और सित प्रदेशों का शासक गेस्लर था और प्रजा पर अत्याचार करने में यह लैण्डनवर्ग से भी दो क़दम आगे बढ़ा हुआ था। सित प्रदेश के स्टेफ़चर नाम के एक किसान ने एक छोटा सा, परन्तु सुन्दर मकान बनवाया। गेस्लर को यह बात बहुत बुरी मालूम हुई। एक साधारण किसान—झोंपड़ियों का रहने वाला ऐसे सुन्दर मकान में रहेगा? उसने स्टेफ़चर को बुला कर डाँटा और आज्ञा दी कि अभी मकान ख़ाली करके चला जाए, नहीं तो बलपूर्वक निकाल दिया जाएगा।

गेस्लर का यह बेहूदा आदेश सुन कर स्टेफ़चर का ख़ून उबल उठा। परन्तु वह बुद्धिमान आदमी था। उसने वृथा वाद-विवाद में न पड़ कर कहा—हुज़ूर की जैसी इच्छा! मैं अवश्य ही वह मकान ख़ाली कर दूँगा। परन्तु मेहरबानी करके कुछ दिन की मोहलत दे दी जाए, ताकि घर का आवश्यक सामान रखने और बाल-बच्चों के रहने के लिए कहीं कोई झोंपड़ी तैयार कर लूँ।

गेस्लर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। स्टेफ़चर घर आया और देश के इस महान कण्टक को उखाड़ फेंकने की तदबीर सोचने लगा।

यूरी प्रदेश का वाल्टर फ़ॉर्स्ट स्टेफ़चर का परम मित्र था। वह बड़ा साहसी और वीर पुरुष था। स्टेफ़चर ने उससे मिल कर सारा क़िस्सा सुनाया और पूछा कि क्या करना चाहिए? संयोगवश ऑरनोल्ड भी उस समय वहीं था। उसने कहा, इन नृशंसों के अत्याचार से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि इन्हें इस देश से निकाल बाहर किया जाए या इसी प्रयत्न में प्राण विसर्जन कर दिया जाए। क्योंकि ग़ुलाम बन कर जीने की अपेक्षा मर जाना बेहतर है।

अत्याचारियों को देश से निकाल बाहर करने की सलाह पक्की हो गई। ऑरनोल्ड ने तो सङ्गठन का कार्य आरम्भ कर ही दिया था। उसके अन्य साथियों ने भी उसकी सहायता करने की प्रतिज्ञा कर ली। इसी समय स्वर्ण में सुगन्ध की तरह विलियम टेल नाम का एक अत्यन्त उत्साही और देशभक्त युवक भी इन लोगों में आ मिला। विलियम टेल स्टेफ़चर का दामाद था। उन दिनों उसकी वीरता और सत्साहस की चारों ओर धाक थी। टेल एक नामी तीरन्दाज़ और सुयोग्य नाविक भी था। उसे लोग अपने फ़न का उस्ताद समझते थे। उसके तीर कभी लक्ष्य-भ्रष्ट नहीं होते थे। वह बड़ी दूर से निशाना लगा सकता था और भादों की बढ़ी हुई नदी में, ठीक तूफ़ान के समय भी एक छोटी सी डोंगी लेकर उतर पड़ता था। इस हुनर में उसे कमाल हासिल था।

टेल के आ जाने से इन लोगों का उत्साह और भी बढ़ गया। सबने तलवार उठा कर शपथ की कि देश की स्वाधीनता के लिए जीवन उत्सर्ग कर देंगे। जब तक शरीर में ख़ून की एक बूँद भी बाक़ी रहेगी, तब तक स्वातन्त्र्य-संग्राम जारी रहेगा। हमारी यह प्रतिज्ञा अटल है। हम अपने देश के साथ कदापि विश्वासघातकता नहीं करेंगे।

इसके बाद बड़े उत्साह और बड़ी तत्परता से कार्यारम्भ हुआ। इसी समय एक और मज़ेदार घटना हो गई। एक दिन टेल अपने छोटे बच्चे को लेकर अपनी ससुराल की ओर जा रहा था। तीरों का तरकश और धनुष वह सदा अपने पास रखता था। रास्ते में एक ऑस्ट्रियन सेना मिल गई। टेल रास्ता छोड़ कर बग़ल में खड़ा हो गया। इतने में एक सिपाही उसके पास आया और कहने लगा—तुमने ऑस्ट्रिया-सम्राट के प्रतिनिधि गेस्लर की टोपी का अभिवादन नहीं किया? टेल के शरीर में मानो आग सी लग गई। उसने कहा—मैं किसी की टोपी और कुर्त्ते का अभिवादन नहीं कर सकता। मेरा मस्तक इस तरह जहाँ-तहाँ नहीं झुका करता।

सैनिक-वेष में गेस्लर भी पास ही खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए आगे बढ़ कर कहा—टेल, मैंने तुम्हारी तीरन्दाज़ी की बड़ी तारीफ़ सुनी है, परन्तु कभी देखी नहीं। आज ज़रा अपना कौशल दिखाओ तो सही। मैं तुम्हारे लड़के के सिर पर एक सेब रख देता हूँ, तुम दूर खड़े होकर अपने तीर द्वारा उसे दो टुकड़े कर दो। क्यों, तैयार हो?

टेल ने कहा—नहीं, बच्चे के जीवन को सङ्कटापन्न करके मैं तुम्हें अपनी तीरन्दाज़ी नहीं दिखा सकता।

"तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ।"

"टेल मरने के लिए सदैव प्रस्तुत रहता है। तुम्हारी जो इच्छा हो, कर सकते हो।"

गेस्लर ने कहा—अच्छी बात है, परन्तु मैं पहले तुम्हारे लड़के को मार कर तब तुम्हें मारूँगा।

बेचारा टेल यह सुन कर स्तम्भित हो गया। कुछ सोच कर उसने कहा—अच्छा, मैं अपनी तीरन्दाज़ी दिखाने के लिए तैयार हूँ।

नर-पिशाच गेस्लर ने लड़के को एक पेड़ से बाँध दिया! इसके बाद उसके सिर पर एक छोटा सा सेब रक्खा गया। टेल उसके निर्दिष्ट किए हुए स्थान पर जाकर खड़ा हो गया। एक बार उसने सतीष्ण नेत्रों से अपने बच्चे की ओर देखा। फिर तरकश से दो तीक्ष्ण तीर निकाले और उन्हें भी अच्छी तरह देख लिया। इसके बाद उसने धनुष पर तीर रक्खा और निशाना ठीक करके उसे छोड़ दिया। सेब दो टुकड़े होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। परन्तु बच्चे को ज़रा रेव भी न लगी। गेस्लर टेल की हस्तलाघवता देख कर आश्चर्य में पड़ गया। वह इसी बहाने सलाम न करने का उसे दण्ड देना चाहता था, परन्तु उसकी मनोकामना पूरी न हुई। उसने टेल की निशानेबाज़ी की प्रशंसा करते हुए पूछा—परन्तु तुमने दो तीर क्यों निकाले थे?

टेल ने उत्तर दिया—इसलिए कि अगर निशाना चूक जाता और मेरे लड़के को चोट लग जाती तो इस दूसरे तीर द्वारा तुम्हारे निष्ठुर हृदय को छेद डालता।

टेल का यह निर्भीकतापूर्ण उत्तर सुन कर गेस्लर क्रोध से आग-बबूला हो गया। उसने सिपाहियों को आज्ञा दी, पकड़ लो इस कमबख़्त गुस्ताख़ को। टेल पकड़ लिया गया।

परन्तु टेल को पकड़ कर बन्दी बना लेना हँसी-खेल न था। क्योंकि वह जनता का प्रिय-पात्र था। उसके आदेश पर प्राण विसर्जन करने वालों की संख्या काफ़ी थी। इसलिए गेस्लर ने उसे किसी दूसरे द्वीप में ले जाकर रखने का विचार किया। उसके सैनिकों का जहाज़ तैयार था। उसने टेल को उसी पर चढ़ाया और दल-बल सहित वहाँ से चल दिया।

'उरी' नाम की एक विशाल झील को पार करते ही भयानक तूफ़ान आरम्भ हो गया। जहाज़ हवा के थपेड़े खा-खाकर बारम्बार करवट बदलने की तैयारी करने लगा। ऑस्ट्रियन नाविक घबरा उठे। गेस्लर के चेहरे पर हवाइयाँ उठने लगीं। टेल ने इस सुयोग से लाभ उठाने का विचार किया। उसने कहा कि अगर मुझे छोड़ दो तो मैं जहाज़ की रक्षा कर सकता हूँ। गेस्लर जानता था कि टेल एक होशियार नाविक है। इसलिए वह उसकी बातों में आ गया और उसे मुक्त कर देने की आज्ञा दे दी।

परन्तु मुक्त होते ही टेल पानी में कूद पड़ा और बड़े परिश्रम से तैरता हुआ किनारे पहुँचा। उसे विश्वास था कि नाव डूब जाने पर अगर प्राण बच गया तो गेस्लर भी इसी रास्ते से आएगा। इसलिए वह एक झाड़ी में छिप कर उसकी राह देखने लगा। टेल का अनुमान ठीक निकला। थोड़ी देर के बाद ही अपने कई साथियों के साथ गेस्लर भी बच गया और उसी रास्ते से होकर जाने लगा। उस समय वह क्रोध के मारे पागल सा हो रहा था। और साथियों से कह रहा था कि राजधानी पहुँचने पर सब से पहले बदमाश टेल की ख़बर लूँगा। इसी समय एक तीर सनसनाता हुआ आकर गेस्लर की छाती में लगा और वह वहीं गिर पड़ा। उसके साथी उसे छोड़ कर भाग गए।

गेस्लर की मृत्यु का समाचार सुन कर यूरी और सित प्रदेशों के अधिवासियों ने बड़ी ख़ुशी मनाई। सबने आकर टेल को बधाई दी। आज उनका बड़ा भारी कण्टक दूर हो गया था। टेल को भी अपनी सफलता के लिए प्रसन्नता थी। वह बहुत दिनों से इस शुभ अवसर की तलाश में था। उसने अपने प्रशंसकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा—भाइयो, अभी हमारा केवल एक कण्टक दूर हुआ है। अभी वाल्डेन प्रदेश का ऑस्ट्रियन शासक लैण्डनवर्ग जीवित है। इसलिए हमें निश्चिन्त नहीं हो जाना चाहिए।

ख़ैर, लैण्डनवर्ग के लिए किसी को विशेष चिन्ता नहीं करनी पड़ी और जिस तरह टेल ने अकेले ही गेस्लर का काम तमाम कर दिया था, उसी तरह एक दिन अपूर्व कौशल द्वारा ऑरनोल्ड ने लैण्डनवर्ग को भी अपने देश से भगा दिया।

नए वर्ष का शुभ अवसर था। लैण्डनवर्ग गिरजा में जाने की तैयारी कर रहा था। पार्श्ववर्त्ती उत्सव-आनन्द में निमग्न थे। इतने में द्वारपाल ने आकर ख़बर दी कि नए वर्ष के उपलक्ष में श्रीमान को भेंट देने और दर्शन करने के लिए प्रजा-मण्डली द्वार पर खड़ी है। लैण्डनवर्ग ने खिड़की से झाँक कर देखा, बहुत से आदमी मक्खन, अण्डे, पनीर, धान, गेहूँ और माँस लिए हुए दरवाज़े पर खड़े हैं। उसने पार्श्ववर्त्तियों और द्वार-रक्षकों से कहा—"इन्हें समादर-पूर्वक अन्दर ले जाकर बैठाओ। मैं गिरजा से लौट कर इनका उपहार ग्रहण करूँगा।" यह कह कर लैण्डनवर्ग गिरजा चला गया और नागरिक दल उपहार-सामग्री लेकर क़िले के अन्दर गया।

वास्तव में ये सभी ऑरनोल्ड-दल के उत्साही और देशभक्त नवयुवक थे। किसी प्रकार क़िले में घुस जाना ही इनका उद्देश्य था। बस, क़िले के अन्दर पहुँचते ही इन्होंने मक्खन और माँस की टोकरियाँ दूर फेंकीं और तलवार निकाल कर दुर्ग-रक्षकों की ख़बर लेने लगे। थोड़ी देर के बाद ही क़िला इनके अधिकार में आ गया। लैण्डनवर्ग के सारे सिपाही तलवार के घाट उतार दिए गए। इसलिए उपायान्तर न देख कर वह भी जान बचा कर भाग गया और गेस्लर की तरह यह दूसरा कण्टक भी दूर हो गया।

परन्तु लैण्डनवर्ग कोई साधारण आदमी न था। ऑस्ट्रिया आकर वह तुरन्त ही वाल्डेन पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगा। उसने ऑस्ट्रियन सम्राट की सहायता से बीस हज़ार सैनिक इकट्ठे किए और बड़े समारोह से वाल्डेन पर चढ़ाई कर दी।

इधर टेल, ऑरनोल्ड और स्टेफ़चर आदि भी तैयार थे। उन्हें पहले से ही मालूम था कि लैण्डनवर्ग फिर आएगा। इसीलिए उसके भागते ही उन्होंने भी तैयारी आरम्भ कर दी। परन्तु उनकी सैन्य संख्या तेरह सौ से आगे नहीं पहुँच सकी। इसलिए इन्होंने कौशल से काम लेने का विचार किया और कुछ आगे बढ़ कर एक पहाड़ी के पास मोरचाबन्दी करके खड़े हो गए। इसी पहाड़ी के रास्ते लैण्डनवर्ग की सेना के आने की सम्भावना थी। एक ओर उच्च पर्वत-शिखर और दूसरी ओर गहरी झील थी। इसी सङ्कीर्ण पथ से सेना को आगे बढ़ना था। फलतः ज्योंही लैण्डनवर्ग की सेना घाटी के सङ्कीर्ण पथ से एक-एक करके बढ़ी, स्वीस वीरों ने उन पर हमला कर दिया। हज़ारों सैनिक काम आए और बाक़ी प्राण लेकर भाग खड़े हुए। लैण्डनवर्ग अपना सा मुँह लेकर ऑस्ट्रिया लौट गए और उसी दिन स्वीट्ज़रलैण्ड में स्वाधीनता की नींव पड़ी।

इस असाधारण विजय का ऐसा विचित्र प्रभाव पड़ा कि बाक़ी प्रदेश, जो आज तक पराधीनता की विषम ज़ञ्जीर में आबद्ध थे, वे भी सगबगा उठे। स्वीट्ज़रलैण्ड के सारे प्रदेशों में स्वाधीनता की एक लहर सी फैल गई। देश का बच्चा-बच्चा स्वाधीन होने के लिए तड़फड़ा उठा। जगह-जगह विदेशी शासकों के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ हो गए। देखते ही देखते सित, यूरी और वाल्डेन की तरह और भी कई प्रदेश स्वतन्त्र होकर राष्ट्र-सङ्घ में आ मिले। इसका परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में राष्ट्र-सङ्घ महान बलशाली हो उठा। यहाँ तक कि अन्त में पचीस प्रदेशों का एक राष्ट्र-सङ्घ बन गया।

इसके लिए स्वीस वीरों ने रक्त बहाने में ज़रा भी कोताही न की। कई लड़ाइयाँ उन्हें लड़नी पड़ी थीं। इन छोटे-छोटे प्रदेशों का स्वाधीनता-देवी की बलिवेदी पर आत्मोत्सर्ग करने की कहानी बड़ी ही मनोरञ्जक और हृदयग्राही है। इन युद्धों का इतिहास पढ़ने से मालूम होता है कि स्वीसों ने किस कष्ट से अपनी मातृ-भूमि को शृङ्खल-मुक्त किया था।

स्वीट्ज़रलैण्ड का बर्न प्रदेश फ़्रान्स वालों के अधिकार में था। फ़्रान्सीसी शासक उसे अपनी बपौती समझे बैठा था और प्रजा पर मनमाने अत्याचार कर उसे तबाह कर रहा था। उस समय रुदोलफ़ नाम का एक वीर पुरुष था। उसने प्रतिज्ञा की कि जिस तरह होगा, देश को विदेशियों के शृङ्खल से मुक्त करूँगा। उसने बड़ी चेष्टा से स्वाधीनता-प्रेमी बर्नवासियों का छोटा सा दल गठित किया और एक दिन एकाएक स्वाधीनता की घोषणा कर दी। यह सुनते ही फ़्रान्सीसियों ने घोर दमन आरम्भ कर दिया। ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने भी इस शुभ-कार्य में उनका हाथ बटाया। बर्न के मुट्ठी भर स्वदेश-प्रेमियों पर एक साथ ही तीन बलवान राष्ट्रों ने चढ़ाई की, परन्तु वीरवर रुदोलफ़ इससे हतोत्साह नहीं हुए। उन्होंने उनकी चढ़ाई के पहले ही अपनी चढ़ाई कर दी। परन्तु अन्त में उन्हें हार जाना पड़ा। शत्रुओं ने सारे बर्न प्रान्त की भूमि को रक्त-रञ्जित कर दिया। छः सौ वीर स्वदेश-सेवक बन्दी हुए और बहुत से मार डाले गए!

[अगले अङ्क में समाप्त]

* * *

एशिया की जागृति

[इस लेख के सुयोग्य लेखक श्री० वासुदेव बी० मेहता हैं। आपने इस लेख में एशियाई राष्ट्रों के सङ्गठन का क्रम-विकास दिखलाया है। एशियाई सङ्गठन के लिए आज तक कौन-कौन से प्रयत्न हुए हैं और इस वक़्त हो रहे हैं, इनका आपने एशियाई कॉन्फ्रेन्सों, पारस्परिक सन्धियों और अनेक प्रकार की संस्थाओं का हवाला देते हुए बहुत ही सुन्दर और रोचक वर्णन किया है। रूस और एशिया के वर्तमान सम्बन्ध पर भी आपने अच्छा प्रकाश डाला है। एशियाई सङ्गठन की प्रगति की जानकारी के लिए यह लेख सहयोगी "बॉम्बे क्रॉनिकल" से उद्धृत किया जाता है।

—सं० "भविष्य"]

जैसा यूरोप को अपनी यूरोपीय एकता का ज्ञान है, वैसा एशिया को अपनी एकता का ज्ञान पहले कभी नहीं था। एशियाई राष्ट्र अपने-अपने निजी ढङ्ग से जीवन बसर करते थे; अपनी-अपनी राष्ट्रीय सभ्यताओं और संस्कृतियों के लिए गौरव अनुभव करते थे, परन्तु वे एक-दूसरे को जानते बहुत कम थे। फिर भी ईसा की सातवीं शताब्दी से पन्द्रहवीं शताब्दी के बीच वे अपने व्यक्तित्व के दायरे से बाहर होने लगे थे और एक प्रकार की सामूहिक एकता का अनुभव करने लगे थे। मुहम्मद के धर्म ने सार्वभौमिक भावना की उत्पत्ति की। प्रसिद्ध मूर-यात्री इब्न बतूता अपने आपको काकेशस्, फ़ारस और भारत में वैसा ही घरेलू अनुभव करता था, जैसा कि स्वयं अपनी मातृभूमि मोरक्को में। उस समय हिन्दू और बौद्ध राष्ट्रों में भी एक प्रकार की एकता का भाव निर्मित हो रहा था। जापान इस दल के प्रमुख राष्ट्रों में जापान, चीन और भारत की गणना करता था और इन राष्ट्रों का सामूहिक नाम 'सैन गोकू' रक्खा था।

एशिया में जिस तरह पाश्चात्य एकता का भाव नहीं था, उसी प्रकार एशियाइयों में यूरोपियनों की तरह युद्धों के सम्बन्ध में एशियाईपन का भी भाव नहीं था। यूनान वाले ट्रोजन-विजय को एशिया पर यूरोप की विजय समझते थे। एलेक्ज़ेण्डर यूरोप से पूर्व-विजय की अभिलाषा लेकर एशिया की तरफ़ चला था। परन्तु डेरियस या जरसीज़ के मन में यूनान देश पर हमला करते हुए यह बात कभी नहीं उत्पन्न हुई कि वे यूरोप पर हमला कर रहे हैं। फ़ारस वालों ने रोम वालों को युद्ध-क्षेत्र में बार-बार परास्त किया, परन्तु किसी बार भी उनके मन में यह ख़्याल नहीं पैदा हुआ कि वे रोम वालों को परास्त करने में यूरोप वालों को परास्त कर रहे हैं, और न स्पेन वालों तथा यूरोप के पूर्वीय राष्ट्रों को परास्त करते समय अरबों या तुर्कों के ही मन में कभी यह भाव पैदा हुआ कि वे यूरोप पर विजय प्राप्त करने वाले एशियाई विजेता हैं। वे संसार को पूर्व और पश्चिम, दो भागों में विभाजित नहीं समझते थे, बल्कि उसे मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम भागों में विभाजित समझते थे। उनके लिए इङ्गेरियनों, हिन्दुओं, पारसियों या यूनानियों को हराना एक ही बात थी। उनके लिए वे केवल ग़ैर-मुस्लिम थे, यूरोपीय या एशियाई नहीं।

यूरोप के पुनरुज्जीवन-युग के बाद पश्चिम और पूर्व के सम्पर्क से पूर्वीय राष्ट्रों में एशियाईपन का भाव उत्पन्न हुआ था। पुर्तगाल वालों को छोड़ कर, पूर्व पर विजय पाने वाले पश्चिमीय विजेताओं ने इस विषय पर धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं विचार किया, वे इस विषय पर सभ्यता, भेद और रङ्ग-भेद की दृष्टि से विचार किया करते थे। उनकी दृष्टि में, जो गौराङ्ग न था और जिसके विचार यूरोपीय सभ्यता के ढङ्ग के न थे, वह उनसे नीच था और उसके साथ उनका व्यवहार भी वैसा ही रहा करता था। परन्तु इस व्यवहार का अनुभव प्रत्येक एशियाई राष्ट्र अलग-अलग करता था। इस विषय में कोई किसी से सहानुभूति नहीं दिखलाता था। पश्चिम के लेखक एशिया को सदैव एक भूखण्ड मानते आए हैं। परन्तु एशिया को एक भूखण्ड मानने वाला सब से पहला एशियाई व्यक्ति, जहाँ तक मुझे मालूम है, प्रसिद्ध जापानी लेखक और कलाविद काकुज़ो ओकाकुरा था। उसकी पुस्तक "पूर्व के आदर्श" में, जोकि इस सदी के प्रारम्भ में प्रकाशित हुई थी, इस प्रकार लिखा हुआ है:—

"एशिया एक है। हिमालय पर्वत एशिया की दो महान सभ्यताओं को अलग करके उन्हें अधिक स्पष्ट करके दिखलाने में सहायक है। एक ओर कनफ़्यूसियस की कम्यूनिज़्म वाली चीनी सभ्यता है और दूसरी ओर वेदों की व्यक्तिवाद वाली भारतीय सभ्यता है। उच्च हिमालय पर्वत एशिया की विश्व-भावना या उसके विश्व-प्रेम की व्यापकता में तनिक भी हस्तक्षेप नहीं करता। विश्व-भावना और विश्व-प्रेम प्रत्येक एशियाई जाति का परम्परा से प्राप्त मौलिक गुण है। इसी गुण ने एशिया को संसार के सभी महान धर्मों के उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान की है। इसी गुण के कारण एशिया वालों और भूमध्य-सागर तथा बाल्टिक सागर के समुद्री-जीवन व्यतीत करने वालों में भेद है। वे लोग साधनों की खोज में निमग्न रहते हैं, परन्तु जीवन के लक्ष्य की खोज नहीं करते। एशियाई जातियाँ परस्पर एक विशाल जाल में गुँथी हुई हैं। अरबों के शौर्य, फ़ारस वालों की कविता, चीन की नीतिमत्ता और भारतवासियों की विचारशीलता, सबसे एक ही प्रकार की एशियाई शान्ति की ध्वनि निकलती है। एशियाइयों की जीवन-प्रणाली मूल में समान है, भौगोलिक भेदों के कारण चाहे भिन्न-भिन्न एशियाई राष्ट्र की जीवन-प्रणाली में उसके स्वरूप का भेद भले ही हो। परन्तु उनके अनेक स्वरूपों में कोई मज़बूत विभाजक रेखा न दिखलाई पड़ेगी।"

श्री० ओकाकुरा की पुस्तक का उपरोक्त अंश एशिया भर में प्रचलित हो गया है। एशियाई राष्ट्रों के सङ्गठन के विकास में उपरोक्त विचारों का यथेष्ट प्रभाव पड़ा है।

रूस और जापान का युद्ध

श्री० ओकाकुरा की पुस्तक प्रकाशित होने के तीन साल बाद रूस और जापान का युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में जापान की विजय पर सम्पूर्ण एशियाई राष्ट्रों ने हर्ष मनाया था। उन्होंने उस विजय को पश्चिम पर पूर्व की विजय समझी थी। इस प्रकार उस युद्ध से एशियाई सङ्गठन का भाव उत्पन्न हो गया। उस युद्ध के समाप्त होते ही एशियाई राष्ट्र-नायक जापान की ही तरह अपने-अपने देशों को भी आधुनिक साधनों से सम्पन्न कर देने की आवश्यकता अनुभव करने लगे। उन्होंने देखा कि पश्चिमीय राष्ट्रों से सम्मानपूर्ण व्यवहार पाने का यह एक आवश्यक उपाय है। परिणाम-स्वरूप फ़ारस, टर्की और चीन में वैध प्रकार की शासन-प्रणाली प्रचलित करने के लिए क्रान्तियाँ हुईं।

जापान अपने आपको एशिया का नेता समझने लगा। उसने भिन्न-भिन्न प्रकार के मङ्गोलियन जाति के लोगों को एक सूत्र में सङ्गठित करने के लिए एक भाषा सम्बन्धी समाज की रचना की। इसी प्रकार उसने हिन्दुस्तान और जापान के लोगों में मैत्री भाव बढ़ाने के लिए एक "इण्डो जापानीज़ एसोसिएशन" (भारत-जापान सभा) तथा समस्त एशियाई राष्ट्रों में पारस्परिक सम्बन्ध का भाव पैदा करने के लिए "एशियाटिक एसोसिएशन" नाम की संस्थाओं को जन्म दिया।

"एशिया एशियाइयों के लिए है," इस सिद्धान्त के प्रचार करने के लिए उसने भिन्न-भिन्न एशियाई देशों में अध्यापक और पत्रकार भेजे। उसके विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले चीनी, हिन्दुस्तानी, श्यामी तथा अन्य पूर्वदेशीय विद्यार्थियों को भी इसी आदर्श की शिक्षा दी जाती थी। एशियाई सङ्गठन के आन्दोलन का यह प्रारम्भिक अध्याय था।

द्वितीय अध्याय

प्रथम अध्याय यूरोपीय महायुद्ध प्रारम्भ होने के समय समाप्त हो जाता है। उस युद्ध के समय, एशियाई राष्ट्र अपने पारस्परिक सम्बन्ध की बात भूलते हुए नज़र आने लगे, क्योंकि अरब और हिन्दुस्तान वाले ब्रिटेन के साथ होकर तुर्कों के विरुद्ध लड़े। परन्तु युद्ध समाप्त हो जाते ही एशियाई सङ्गठन के आन्दोलन का द्वितीय अध्याय प्रारम्भ हो गया। जापानियों ने वर्सेल-सन्धि कॉन्फ्रेन्स में प्रत्येक जाति की बराबरी का एक प्रस्ताव उपस्थित किया था, परन्तु वह पास नहीं हुआ। यूनान वालों से धमकाए जाने पर टर्की ने अपनी

क्षत्राणी

[कुमारी प्रभातेश्वरी देवी]

इन लाड़िली लटों से होगा अब लपटों का आविर्भाव ;
और मदिर इस मुस्काहट से प्रगटेंगे मिटने के भाव !
आँखों में मत प्यार तलाशो ये बरसावेंगी अङ्गार ;
आज उँगलियाँ गूँथेंगी अलबेले मृत्यु-कुसुम के हार !

चली आज सुलझाने मैं जीवन की विकट पहेली !
मेरे इस उत्सर्ग-मार्ग की होगी कौन सहेली ?

* * *

स्वाधीनता की रक्षा के लिए यूनान वालों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जिसके प्रति समस्त एशियाई राष्ट्रों ने सहानुभूति प्रकट की। सन् १९२१ की ऐङ्ग्लो अफ़ग़ान सन्धि के अनुसार अफ़ग़ानिस्तान को जो स्वाधीनता प्राप्त हुई, उसके प्रति सुएज़ नहर के पूर्व के समस्त देशों ने ख़ुशी मनाई। इसी प्रकार फ़ारस का नेतृत्व रिज़ा ख़ाँ सरीखे सुदृढ़ व्यक्ति के हाथों में चले जाने पर भी एशियाइयों में उत्साह प्रकट हुआ था। स्वतन्त्र होने के लिए मिश्र और मोरक्को के अब्दुल करीम के युद्धों, भारत के असहयोग-आन्दोलन और दक्षिण अफ़्रिका की जातीय बराबरी के अधिकार प्राप्त करने की लड़ाई की ओर समस्त एशिया-निवासियों का ध्यान लगा हुआ था।

सन्धियाँ

धीरे-धीरे पूर्वीय देशों में परस्पर सन्धियाँ भी होने लगीं। सन् १९२१ में टर्की और अफ़ग़ानिस्तान की सन्धि हुई, जिसमें अन्य शर्तों के साथ एशियाई राष्ट्रों की स्वाधीनता के लिए लड़ने की भी शर्त स्वीकृत हुई थी। बाद में टर्की और फ़ारस, टर्की और एमान, फ़ारस और अफ़ग़ानिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और चीन के बीच भी सन्धियाँ हुईं। सन् १९२६ में अङ्गोरा में टर्की के वैदेशिक मन्त्री, अफ़ग़ानिस्तान के राजदूत, फ़ारस के वैदेशिक मन्त्री और वाशिङ्गटन में रहने वाले चीनी राजदूत की एक सभा हुई। उस सभा में पूर्वीय देशों के राष्ट्र-सङ्घ बनाने की बात पर विचार हुआ। जापान और टर्की में पहले-पहल एक-दूसरे के राजदूत रहने लगे। जापान ने मिश्र और फ़ारस से राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित किए। सन् १९२६ में जापान-सरकार ने टर्की के कुस्तुन्तुनिया में एक व्यापारिक प्रदर्शिनी की और टर्की सरकार से, अनाटोलिया में जापान उपनिवेश क़ायम करने के सम्बन्ध में बातचीत की। जापान-सरकार ने शान्टुङ्ग ख़ाली करने के बाद जापानी पार्लामेण्ट में चीन में कला-कौशल सिखलाने के स्कूल क़ायम करने का एक प्रस्ताव पास किया। साथ ही जापान के प्रोफ़ेसरों को चीन में और चीन के प्रोफ़ेसरों को जापान में भेजने की प्रथा भी शुरू की गई। जापान ने श्याम में एक डेपूटेशन भेज कर उससे व्यापारिक सन्धि कर ली।

एशियाई राष्ट्रों का सङ्घ

पेकिङ्ग में एशियाई राष्ट्रों का सङ्घ क़ायम हो चुका है। अब तक उसके दो एशियाई अधिवेशन हो चुके हैं। पहला अधिवेशन सन् १९२६ में नागासाकी में और दूसरा उसके बाद शङ्घाई में हुआ था। इन अधिवेशनों में इस्लाम, बौद्ध तथा भारत देश के प्रतिनिधि भेजे गए थे। इस्लामी देशों तथा बौद्ध धर्मों के भी अधिवेशन हो चुके हैं। एशियाई मज़दूर कॉन्फ़्रेन्स शीघ्र ही होने वाली है। इस प्रकार पूर्वीय देशों की जातियाँ, उनके मज़दूर और उनके धर्म एक-दूसरे से निकट होते जा रहे हैं।

एशियाई सङ्गठन का आन्दोलन केवल राजनीतिक और आर्थिक आदर्शों से प्रेरित होकर नहीं चलाया गया, वरन् संस्कृतियों के आदर्शों से भी प्रेरित होकर चलाया गया है। पश्चिमीय सभ्यता की तड़क-भड़क और उसकी नवीन विधि ने पूर्वीय देश वालों को ऐसा चकाचौंध कर दिया कि वे अपनी-अपनी सभ्यताओं को क़रीब-क़रीब हर मामले में घृणा की दृष्टि से देखने लगे। उन्होंने पश्चिमीय विज्ञान और औद्योगिक उपायों की नक़ल तो की ही, साथ ही पश्चिमीय चाल-चलन, रीति-नीति, कला, साहित्य और दर्शन की भी नक़ल की। अब रवीन्द्रनाथ ठाकुर सरीखे बहुत से प्रसिद्ध पूर्वीय देश वालों ने पश्चिमीय सभ्यता की टीका करने के साथ-साथ अपनी पूर्वीय सभ्यताओं के महत्वों को दिखलाना प्रारम्भ कर दिया है। इन लोगों का विचार है कि पश्चिम वालों के हस्तक्षेप से अपनी रक्षा करने के लिए पूर्व को, पश्चिमीय विज्ञान और आधुनिक औद्योगिक उपायों को तो ग्रहण कर लेना चाहिए, परन्तु पश्चिमी चाल-चलन, रीति-नीति, कला या दर्शन का अनुकरण न करना चाहिए।

धार्मिक बन्धन

एशियाइयों के धार्मिक बन्धन, जो कि कुछ हद तक पहले एक-दूसरे के सङ्गठन में बाधक थे, अब ढीले होते जा रहे हैं। टर्की ने ख़लीफ़ा और शेख़-उल-इसलाम के पद को हटा कर और क़ुरान के क़ानून की जगह प्रचलित सिविल क़ानून जारी करके मुस्लिम-संसार को यह बात दिखला दी है कि धर्म के बाह्य स्वरूपों और चिह्नों का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार एशिया के सभी धर्म अपने मूल आधारों को व्यापक बनाते जा रहे हैं। बीस साल पहले किसी मुसलमान का हिन्दू-मन्दिर में प्रवेश करना असम्भव था। परन्तु इधर पिछले दस वर्षों में हिन्दुओं ने उन्हें ऐसा करने के लिए अक्सर निमन्त्रित किया है। मिश्र में काप्ट और मुसलमान राष्ट्रीय कार्यों के लिए परस्पर मिल गए हैं।

....के प्रति—

[श्री० सत्यव्रत जी शर्मा 'सुजन']

टपक पड़ें जब अन्तरिक्ष से,
मुरझा कर मृदु तारक-फूल !
हो तुषार सी रवि-किरणें,
जाएँ जब तिमिर-जाल में भूल !!
रुके विश्व-गति अनियन्त्रित हो,
जल का सूझे ओर न छोर !
पागल सी चल पड़े झूमती,
मुँह बाए जब प्रलय-हिलोर !!

❀

धीरे से तब आ प्रियतम !
तुम मेरी बाँह पकड़ लेना !
खेकर नाथ ! तनिक सी मेरी,
नैया पार लगा देना !!

* * *

फ़ारस में ईसाई, यहूदी, पारसी और बहाई लोगों के साथ पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सहिष्णुता का बर्ताव किया जाता है।

दो प्रभाव

एशियाई सङ्गठन के आन्दोलन को बढ़ाने में दो प्रकार के प्रभावों ने सहायता की है। बोल्शेविक रूस और भारतीय कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर। बोल्शेविक रूस के नेता रूस को वास्तव में एक एशियाई देश समझते हैं। उनका विचार है कि रूस के बादशाह पिटर दि ग्रेट ने रूस पर यूरोपीय सभ्यता का बोझ लाद कर बड़ी भारी ग़लती की थी। अत्यन्त दूरदर्शी बोल्शेविक नेता लेनिन ने सन् १९१९ में मास्को में वैदेशिक मामलों के लिए कमसरियट का एक एशियाई-विभाग क़ायम किया था। उसी साल मध्य एशिया के इस्लामी देशों के सङ्गठन के उद्देश्य से ताशकन्द में तुर्की कम्यूनिस्टों की संरक्षता में एक कॉन्फ़्रेन्स हुई थी। उसके अगले वर्ष उसी उद्देश्य से एक दूसरी कॉन्फ़्रेन्स समरकन्द में की गई, जिसमें इस्लामी जगत के सब भागों से प्रतिनिधि आए थे। इस कॉन्फ़्रेन्स ने पूर्वीय देशों को स्वतन्त्र करने वाले एक यूनियन अर्थात् सङ्घ की रचना की। यह यूनियन तब से बराबर पूर्वीय देशों में यूरोपियन विरोधी आन्दोलनों की सहायता करता रहा है। उसी साल बाकू में प्रसिद्ध एशियाई कॉन्फ़्रेन्स हुई, जिसमें ३७ देशों के दो हज़ार प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस कॉन्फ़्रेन्स ने कार्य और प्रचार के लिए एक सोविएट अर्थात कौन्सिल की स्थापना की। इस कौन्सिल के प्रचार-विभाग की ओर से "दि पीपुल ऑफ़ दि ईस्ट" नाम का एक समाचार-पत्र निकलता है, जिसमें एशियाई सङ्गठन के पक्ष में और यूरोपियनों के विपक्ष में लेख निकलते हैं। सन् १९१९ में एक फ़ौजी स्कूल और उसके अगले साल ताशकन्द में केन्द्रीय एशियाई विश्वविद्यालय खोला गया, जहाँ रूस के प्रोफ़ेसर एशियाई भाषाओं में एशियाई सङ्गठन पर भाषण देते हैं। रूस, साइबेरिया में ओमस्क स्थान के निकट एक नई राजधानी बनाने के विचार में है, जिससे रूस को पूर्वीय देशों के कार्य करने में सुविधा हो।

बोलशेविज़्म और एशिया

यद्यपि जब तब एशियाई राष्ट्रों में साधारण झगड़े हो जाते हैं, परन्तु यह बात माननी पड़ेगी कि एशियाई राष्ट्र बोलशेविक रूस को पसन्द करते हैं। वे बोलशेविक रूस को उसके बोलशेवी आदर्शों के कारण नहीं पसन्द करते, बल्कि इसलिए पसन्द करते हैं कि वह उनके साथ समानता का व्यवहार करता है और उन्हें स्वतन्त्र होने में या आधुनिक प्रकार का राष्ट्र बनने में उनकी सहायता करता है। उसने टर्की को यूनान के विरुद्ध लड़ने में धन और शस्त्रों से सहायता दी थी। उसने चीन और फ़ारस में, विदेशियों के लिए जो कुछ अतिरिक्त अधिकार संरक्षित हैं, उनका त्याग कर दिया है और चीन, जापान, अफ़ग़ानिस्तान और फ़ारस के साथ मैत्री और व्यापार की सन्धि जोड़ ली है। रूस के अनेक कला-विशारद एशिया के भिन्न-भिन्न मुल्कों में नियुक्त किए गए हैं। सनयातसेन चीन, जापान और रूस की मैत्री देखने के लिए बड़े उत्सुक थे। एशिया के निवासी रवीन्द्रनाथ ठाकुर को केवल भारत का ही कवि नहीं, वरन् समस्त एशिया का कवि मानते हैं। यही कारण है कि जापान, चीन, टर्की और श्याम देश की सरकारें आपको अपने-अपने देशों में सरकारी मेहमान की हैसियत से आमन्त्रित कर चुकी हैं। बोलपुर का आपका विश्वभारती विश्वविद्यालय समस्त एशियाई विद्यार्थियों का मिलन-स्थल बन गया है। हैदराबाद के निज़ाम ने इस्लाम धर्म की शिक्षा के लिए विश्वभारती में एक अध्यापक रखने का व्यय स्वीकार किया है और मिश्र देश के बादशाह ने इस संस्था को एक बहुत ही सुन्दर पुस्तकालय समर्पित किया है। आजकल एशियाई राष्ट्र एक दूसरे की संस्कृति का अध्ययन पहले से कहीं ज़्यादा करते हैं। तीस वर्ष पहले ऐसा तुर्क, जो चीनी-कला या साहित्य के विषय में कुछ जानता हो; ऐसा भारतीय, जिसने कनफ़्यूसियस या मेनसियस के विषय में कुछ पढ़ा हो; ऐसा जापानी, जो फ़ारसी या अरबी कविता से परिचित हो, मिलना मुश्किल था। परन्तु आज पूर्वीय देशों में ऐसे बहुत से लोग मिल सकते हैं। भिन्न-भिन्न एशियाई सभ्यताओं का एक-दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ा है, आज इस विषय में चारों ओर अनुसन्धान हो रहे हैं। चीनी सभ्यता का फ़ारस और भारत पर क्या असर पड़ा है, भारतीय सभ्यता का अरब और जापान की सभ्यताओं पर क्या असर पड़ा है और अरब की सभ्यता का चीनी सभ्यता पर क्या असर पड़ा है, अब इन विषयों की चर्चा प्रायः हुआ करती है।

* * *

कविता-कुञ्ज

[सम्पादक—कविवर आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव]

कृपाण

[श्री० रामसहाय जी पाण्डेय 'चन्द्र']

म्यान से निकल कर प्रलय मचाती घोर,
काँपती धरा है झँप जाता आसमान है।
नृत्य करती है मृत्यु बन समराङ्गण में,
क्षण में बहाती रक्त-सरिता महान है।
कड़क बिना ही ताड़ता-सी है तड़क जाती,
आती नहीं तो भी इसे रञ्चक थकान है।
कन्दुक-से फेंकती उछाल बैरियों के मुण्ड,
ऐरे वीर! तेरी यह विकट कृपान है।
शङ्कर के भाल में गुलाल भक्त ने है मला,
लाल बाल-'चन्द्र' का इसी से होता भान है।
प्रकृति प्रिया ने याकि ऊषा की अरुणिमा से,
माँग है सँवारी दिव्य वही द्युतिमान है।
किंवा धूम्रकेतु युद्ध-वेश से सुसज्जित है,
तन पर गैरिक वसन परिधान है।
शोणित से सनी तनी भृकुटी है काली की कि,
किसी शूरमा की रक्त-रञ्जित कृपान है।

❀ ❀ ❀

"भविष्य"

[श्री० मधुसूदनप्रसाद जी मिश्र 'मधुर']

अरे जीवन के काले पृष्ठ!
नील नभ-से अनन्त, अज्ञात!
खोल काली पुतली को आज
हमें पढ़ना है मन की बात!

❀

किन्तु, यह क्षुद्र हमारी आँख
उसे पढ़ने में है असमर्थ।
नहीं कुछ खुलता छिपा रहस्य,
बीत जाता यह जीवन व्यर्थ।

❀

अरे ओ नील-जलधि गम्भीर!
तुम्हारी पाई किसने थाह?
भरे हैं तुममें रत्न अनेक,
और भीषण बाड़व का दाह।

❀

अरे छलिया! ओ मोहन कृष्ण!
छेर आशा की सुमधुर तान,
गोपियों * से करवा दी आज,
निराशा के वन में प्रस्थान।

❀

अरे ओ कवि के अस्फुट भाव!
चितेरे के धुँधले-से चित्र!
बता दो, लघु जीवन में व्यस्त
तुम्हें मैं देखूँगा क्या मित्र?

* मानव-बुद्धि से तात्पर्य है।

❀ ❀ ❀

खोज

[श्री० श्यामनारायण जी पाण्डेय, 'श्याम' साहित्य-रत्न]

मानस के बीच कुछ भी न चलता है पता,
झलक दिखा के कब आते चले जाते हैं!
अपनी दिखाते छवि शशि की कला में हमें,
फिर क्यों दिखा के छवि आप छिप जाते हैं!!
"श्याम" लौ लगा के हम रात-दिन पूजा करें,
हाय! हाय! तो भी हमें आप भरमाते हैं!
देखिए, किसी को दुख दे जो कलपाते सदा,
भूतल के बीच कभी वे न कल पाते हैं!!

❀ ❀ ❀

आह्वान

[श्री० श्रीनिधि जी द्विवेदी]

अहे! द्रुतगति जीवन की कहाँ?
हो रहा पल-पल कल्प समान।
द्रवित हो आओ, आओ देवि!
तुम्हारा करता हूँ आह्वान!!
निराशाकुल हूँ आश्रयहीन,
दुखित, निष्फल-प्रयत्न हर बार।
नहीं प्रिय लगता है अब प्राण!
खिन्न सूना सा यह संसार॥
भिखारी बन के आया आज,
हाथ फैला कर तेरे द्वार!
मुझे दो भिक्षा आश्रय-रत्न,
निवेदन कर मेरा स्वीकार!!
सुनाऊँ क्या बदले में गीत?
यही रोदन है मेरे पास।
सुनाऊँ रो-रोकर क्या तुम्हें,
करुण या अकरुण वह इतिहास॥
करोगी क्या तुम सुन कर आह,
एक पागल का व्यर्थ प्रलाप?
अरस, अति अस्फुट, अर्थविहीन,
समझता जिसको अपने आप॥
सुनाने से होगा सन्ताप,
जलेगी उर में ज्वाल अपार।
न कर पाऊँगा जिसको शान्त,
आँसुओं की करके बौछार॥
तरल तरणी सी होकर करो—
क्षुद्र जीवन-सरिता के पार!
नहीं है जहाँ छद्म-अवसाद,
निराशा का यह प्रबल-प्रसार॥
वहीं खोऊँगा सारी श्रान्ति,
वहीं पाऊँगा सुख विश्राम।
बैठ गाऊँगा सुन्दर गीत,
मधुर ले-लेकर उनका नाम॥

❀ ❀ ❀

भारत-गान

[श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव]

मातृभूमि तेरी बलिहारी,
तू है हमें स्वर्ग से प्यारी!
सब देशों को राह दिखा कर,
उनको विद्या सकल सिखा कर,
किए परिष्कृत जग-नर-नारी,
मातृभूमि तेरी बलिहारी!
तुझमें जग से बढ़ कर बल था,
नहीं तनिक भी तुझमें छल था,
रही सदा जग मन-मल-हारी,
मातृभूमि तेरी बलिहारी!
आत्म-शक्ति फिर से धारण कर,
अपनी सब विपत्ति-वारण कर,
हो स्वतन्त्र, हो जग-हितकारी,
मातृभूमि तेरी बलिहारी!
अपना दया-दान दिखला कर,
पावनता-प्रमान दिखला कर,
बन जग की आँखों की तारी,
मातृभूमि तेरी बलिहारी!

❀ ❀ ❀

याचना

[कुमारी गायत्री देवी 'बिन्दु']

जगत-पिता जग जीवन बल दो,
हम न मृत्यु से कभी डरें!
रण में सदा रहें हम आगे,
पैर न पाछे कभी धरें!!
सदा विपद में शान्त-चित्त हो,
दुःख-द्वन्द में धैर्य धरें!
प्राणदान देकर भी हम सब,
जननी का दुख दूर करें!!
शिथिल नाड़ियों में फिर अपने,
पूर्व रक्त सञ्चार करें!
विपद-ग्रस्त इस जन्म-भूमि का,
सब मिल कर उद्धार करें!!
हँसते-हँसते हम सब कारा—
गृह को भी प्रस्थान करें!
निज स्वदेश-हित जीवन का भी,
हम अपने बलिदान करें!!
हम सबको हरि विविध सुमन का
गुँथा एक ही हार करें!!
हम भारत-माता के चरणों,
में अर्पित वह हार करें!
मङ्गलमय भगवान एकता—
का हममें सञ्चार करें!
होकर तब स्वर एक सभी,
भारत का जय-जयकार करें!!

❀ ❀ ❀

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

शाही मज़दूर-कमीशन के सदस्य



माननीय श्री० वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री



माननीय मि० जे० एच० ह्विटले (सभापति)



सर इब्राहीम रहमतुल्ला (नाईट) के० सी० एस० आई०; सी० आई० ई०



मि० ए० टिर्डा (संयुक्त मन्त्री)



श्री० कबीरुद्दीन अहमद, एम० एल० ए०



लेफ़्टिनेण्ट-कर्नल ए० जे० एच० रसल; सी० बी० ई०; आई० एम० एस० (चिकित्सा-सम्बन्धी सलाहकार)



श्री० घनश्यामदास जी बिड़ला, एम० एल० ए० (प्रधान, भारतीय उद्योग तथा व्यापार-सङ्घ)



श्रीमती होमाय एफ़० जे० कड़ाका (कराची की नामज़द सदस्या)



श्री० एन० एम० जोशी; एम० एल० ए० (भारतीय मज़दूर-सङ्घ के सुप्रसिद्ध नेता)

‘भविष्य’ की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

शाही मज़दूर-कमीशन के सदस्य



श्री० एस० लाल ; आई० सी० एस०; (संयुक्त मन्त्री)



मिस बी० एम० ले पोयर पावर (इङ्गलैण्ड के व्यापार बोर्ड की डिपुटी चीफ़ इन्स्पेक्ट्रेस)



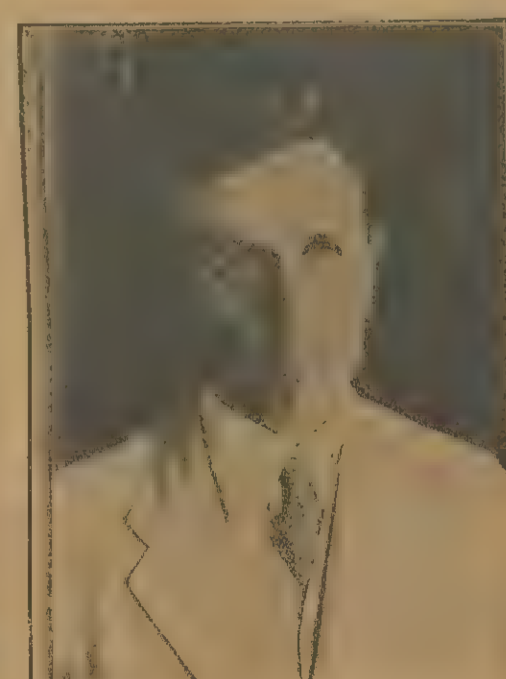
दीवान चम्मनलाल, एम० एल० ए० (भारतीय मज़दूर-सङ्घ के सुप्रसिद्ध नेता और भारतीय मज़दूर काँङ्ग्रेस के प्रधान)



सर ऐलेक्ज़ेण्डर मरे (नाईट) सी० बी० ई०



मि० जॉन क्लिफ़ (इङ्गलैण्ड की रेलवे और ट्रान्सपोर्ट वर्कर यूनियन के एसिस्टेण्ट जनरल सेक्रेटरी)



मि० ए० जी० क्लो; सी० आई० ई० आई० सी० एस०



श्रीमती माई हरदेवी बाई (कराची की नामज़द सदस्या)

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

मारवाड़ की सैर



मारवाड़ का लोहाना बनिया [गाँवों से माल लाने वाले]



मारवाड़ की गाय, जो बहुत प्रसिद्ध हैं



मारवाड़ी वैश्य का पहिनाव



पुराने ज़िरह-बख़्तर पहने हुआ योद्धा



कछवाहा वंश का एक राजपूत



मारवाड़ का नाजर (हिन्दू-नपुंसक)
[ये प्रायः रईसों के यहाँ रानियों की सेवा में रहते हैं]



मारवाड़ का एक देशी-मुसलमान



मारवाड़ की मेर जाति का एक पुरुष
[जिनके नाम से अजमेर का ज़िला मेरवाड़ा प्रसिद्ध हुआ]

यदि अवसर दिया जाय तो स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकतीं?



"अमृतधारा" के आविष्कारक पं० ठाकुरदत्त जी शर्मा (लाहौर) की धर्मपत्नी—श्रीमती पुष्पदेवी—जो सामाजिक सुधार-कार्य में विशेष भाग लेती हैं।



संयुक्त प्रान्तीय अग्रवाल वैश्यों की आदर्श महिला-रत्न—स्वर्गीया श्रीमती गायत्रीदेवी जी—जिन्होंने अपने समाज में सब से पहिले पर्दे की नाशकारी कुप्रथा के मस्तक पर पद-प्रहार किया था।



अनेक अंग्रेज़ी पुस्तकों की लेखिका तथा बम्बई के सुप्रसिद्ध एलेक्जेन्ड्रा हाईस्कूल की प्रिन्सिपल—कुमारी जी० आई० बहादुरजी, एम० ए०

[illegible]

इन्दौर राज्य के बालिका-विद्यालयों की निरीक्षिका (Inspectress of Girls' School)—कुमारी एम० आई० रोज़ामिवर, बी० ए०; एल० टी०।





[illegible]

लन्दन की सुप्रसिद्ध सार्वजनिक कार्यकर्त्री कुमारी [illegible]—जिन्होंने संसार में स्त्रियों के लिए मताधिकार प्राप्त करने की चेष्टा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है।



[illegible]

[illegible] के सुप्रसिद्ध [illegible] के नेता सर [illegible] की [illegible] श्रीमती विमला [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] के लिए [illegible] था। [illegible] ६० वर्ष की [illegible] में संलग्न हैं।





[विगत सप्ताह स्थानीय रेलवे इन्स्टीट्यूट की ओर से उर्दू कवियों का एक वृहत मशायरा (कवि-सम्मेलन) हुआ था, जिसमें इस स्तम्भ के सम्पादक कविवर 'बिस्मिल' भी गए थे। आपकी सरस एवं मधुर कविताओं की वहाँ बड़ी प्रशंसा हुई। आपने 'भविष्य' के पाठकों के मनोरञ्जनार्थ जो संग्रह हमारे पास प्रकाशनार्थ भेजा है, वह वास्तव में बड़ा ही मनोरञ्जक है। आशा है 'भविष्य' के उर्दू-कविता-प्रेमी पाठक इसे पसन्द करेंगे।

—सं० 'भविष्य']

कभी वह इस तरफ़ आए, कभी हम उस तरफ़ पहुँचे, बढ़ीं वक़्तन फ़वक़्तन, इस तरह पेंगें मुहब्बत की।
मुहब्बत का असर दिल पर न हो, यह हो नहीं सकता, किसी दिन आपको भी आरज़ू होगी मुहब्बत की॥

किसी के सामने हालाते अहले[1] दर्द कहता हूँ,
नई सूरत निकाली मैंने इज़हारे[2] मुहब्बत की।
—"बक़ा" इलाहाबादी

न हूरों की तमन्ना[3] है, न ख़्वाहिश बाग़े जन्नत की,
तुम्हारा घर हो, तुम हो, मैं हूँ, बातें हों मुहब्बत की।
फ़लक[4] का नाम क्यों लें, किसलिए तक़दीर को रोएँ,
यह नादानी हमारी है जो ज़ालिम से मुहब्बत की।
न वह आता है मेरे घर, न बुलवाता है अपने घर,
मिटाई जा रही हैं इस तरह रस्में मुहब्बत की।
—"शाकिर" बरेलवी

वह जब आए अयादत[5] को मरीज़े शामे फ़ुर्क़त[6] की,
इशारों ही इशारों में हुई बातें मुहब्बत की।
दिखाऊँ मैं भी ऐसे में रवानी कुछ तबीयत की,
वह उट्ठीं पेचोख़म[7] खाती हुई लहरें मुहब्बत की।
अधूरी रह गई तस्वीर खिंच कर जोशे वहशत की,
हुईं यों ख़त्म मीयादें असीराने[8] मुहब्बत की।
यह सन्नाटा हवा का, यह थपेड़ा मौजे तूफ़ाँ का,
नहीं मालूम अब जाए किधर कश्ती मुहब्बत की।
—"अज़ीज़" सलोनी

हर आँसू तर्जुमानी[9] कर गया जज़्बाते[10] उलफ़त की,
निगाहे शौक़ ने तशरीह[11] 'असरारे'[12] मुहब्बत की।
सज़ा दीजे अगर कोई सज़ा है, जुर्में उलफ़त की,
मैं कहता हूँ कि हाँ मैंने मुहब्बत की, मुहब्बत की।
—"अञ्जुम" साहब

मुझे फिर आ रही है याद लज़्ज़त दर्दे उलफ़त की,
बिना फिर डालता हूँ आज तजदीदे[13] मुहब्बत की।
बजा है तूने बेशक नासहे[14] मुशफ़िक़ नसीहत की,
मगर जब चैन भी दे बेकली दर्दे मुहब्बत की।
जहाने हुस्न का एक-एक ज़र्रा इनका दुश्मन है,
यह क़द्र अब रह गई अल्लाह, दुनियाए मुहब्बत की!

जो फ़ुरसत हो तो आ जाओ, मरीज़े ग़म की बालींपर[15],
जो दिल चाहे तो सुन लो दास्ताँ दर्दे मुहब्बत की।
ख़ुदा के वास्ते गर्दिश न दो इन शोख़[16] नज़रों को,
कि बुनियादें हिली जाती हैं दुनियाए मुहब्बत की।
—"रयाज़" ग्वालियारी

१—दुखी, २—प्रकट करना, ३—इच्छा, ४—आकाश, ५—देख-भाल करना, ६—बिरह की रात, ७—बल खा कर, ८—क़ैदी, ९—बयान करना, १०—प्रेम के भाव, ११—भावार्थ, १२—भेद, १३—नए सिरे से, १४—कृपा-निधान, नसीहत करने वाले, १५—सिरहाना, १६—चञ्चल,

उठाए ग़म हज़ारों सख़्तियाँ झेलीं क़यामत की,
बड़ी मुश्किल से दुनिया हाथ आई है मुहब्बत की!
—"शातिर" इलाहाबादी

मआज़[17] अल्लाह, मरना और वह भी नौजवानी का,
मेरा मातम करेगी हश्र[18] तक दुनिया मुहब्बत की।
सुना है तूर[19] पर फिर दावते-[20] जलवानुमाई है,
नज़र आती नहीं अब ख़ैर दुनियाए मुहब्बत की।
मेरी तशहीरे[21] मय्यत[22] भी निराली शान रखती है,
लिए फिरती है अपनी गोद में मौजें मुहब्बत की।
—"तौबा" सय्यद सरावानी

ख़ुशी की भी जहाँ, रञ्जो अलम को ख़ास निस्बत भी,
वह दुनिया ही नहीं है, एक मजबूरे मुहब्बत की।
फ़ुगाने आहो फ़रियादो बुका पर मुनहसिर क्या है,
ख़मोशी में भी हो जाती है रुसवाई मुहब्बत की!

[नाख़ुदाए सख़ुन हज़रत "नूह" नारवी]

यह तजरुबा ग़लत है, कि महफ़ूज़[1] रेल है,
सैलाबे[2] ग़म का जोश है, अश्कों[3] का खेल है।
तूफ़ान के असर से बचा कौन सा मुक़ाम,
ऐ "नूह" रेलवे में भी "तूफ़ान मेल" है।

१—हिफ़ाज़त से, २—बाढ़, ३—आँसू।

न निकले कुछ न तो जज़्बाते[23] गिरिया से तो क्या हासिल
छुपाए से कहीं छुप जायगी सूरत मुहब्बत की!
मेरी बरबादियों पर भी मुबारकबाद ही देना,
क़सम है देखने वाले तुझे पासे[24] मुहब्बत की।
—"हादी" मछलीशहरी

वह क्या इस क़ालिबे[25] हस्ती में कोई रूह फूँकेगा,
कि ख़ुद नब्ज़ें छुटी जाती हैं बीमारे मुहब्बत की।
अदाए शोख़ में पिनहाँ[26] है शरहे रमूज़े[27] बेताबी,
फ़रोग़े[28] हुस्न में तफ़सीर[29] है नूरे मुहब्बत की।

१७—हे ईश्वर, १८—प्रलय, १९—पहाड़ का नाम है, २०—ज्योति दिखाना, २१—शुहरत, २२—जनाज़ा, २३—रोते को रोकना, २४—ध्यान, २५—बदन, २६—छुपा हुआ, २७—भेद, २८—सौन्दर्य, २९—बयान करना,

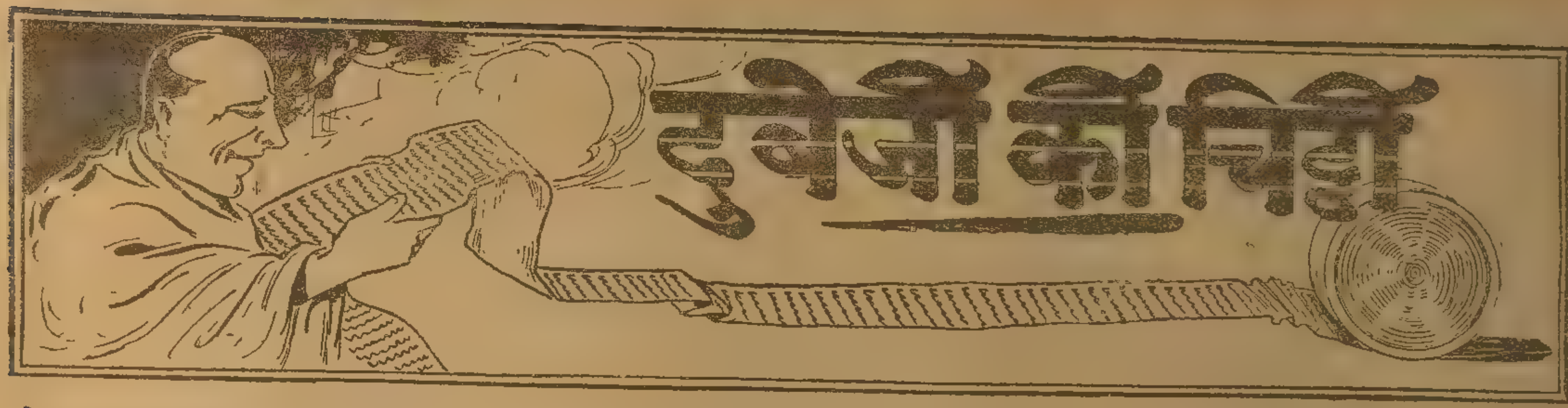
तेरे नग़मे[30] को लै ऐ मुत्‌रिबे[31] आफ़त नवा[32] क्या है,
यह मौजे बर्क़[33] है या एक चमक दर्दे मुहब्बत की,
—"असग़र" गोंडवी

शबेग़म आह करता फ़र्त़े[34] ग़म से मैं तो क्या करता,
यह मेरी राय में तौहीन है दर्दे मुहब्बत की।
सजूदे[35] शौक़ से मेरा सरे तस्लीम क्यों उट्ठे,
तुम्हारा सङ्गेदर[36] भी एक कसौटी है मुहब्बत की।
हवाए शौक़ ने दिल को जला कर ख़ाक कर डाला,
मुब्दल[37] हो गई शोले से चिङ्गारी मुहब्बत की।
कहीं रस्ते में क़ासिद पढ़ न ले ख़त खोल कर मेरा,
लिफ़ाफ़े पर लगा दूँ मुह्‌र मैं दाग़े मुहब्बत की।
ज़माने में हज़ारों नाम किसको याद रहते हैं,
बना लें आप एक फ़ेहरिस्त अरबाबे[38] मुहब्बत की,
कभी वह इस तरफ़ आए, कभी हम उस तरफ़ पहुँचे
बढ़ीं वक़्तन[39] फ़वक़्तन इस तरह पेंगें मुहब्बत की।
दिखाए शोबदे[40] क्या-क्या उमीदो यास ने हमको,
इधर उजड़ी उधर फिर बस गई दुनिया मुहब्बत की।
किताबत[41] में मिला कर लोग इन हरफ़ों को लिखते हैं,
हक़ीक़त खुल गई लफ़्ज़े मुहब्बत से मुहब्बत की।
ख़ुदा जाने बचे या ग़र्क़ हो बेड़ा उमीदों का,
मिली है नाख़ुदाई[42] "नूह" को बहरे[43] मुहब्बत की।
—"नूह" नारवी

हमीं कुछ जानते हैं क़द्र अपने दाग़े[44] फ़ुर्क़त की,
यह सरमाया है उलफ़त का, यह पूँजी है मुहब्बत की।
कोई समझा न यह अब तक मुहब्बत किसको कहते हैं,
हुईं शरहें हज़ारों रङ्ग से लफ़्ज़े मुहब्बत की।
किसी का नाम ले-लेकर ज़माने से गुज़र जाता,
समझते हैं इसी को हद हम आज़ारे[45] मुहब्बत की।
मुहब्बत का बयाँ सुन-सुन के वह क्या-क्या बिगड़ते हैं,
मगर दुनिया को फिर भी उनसे सूझी है मुहब्बत की।
मुहब्बत का असर दिल पर न हो यह हो नहीं सकता,
किसी दिन आपको भी आरज़ू होगी मुहब्बत की।
—"बिस्मिल" इलाहाबादी

३०—राग, ३१—गायक, ३२—आफ़त से भरा हुआ, ३३—बिजली, ३४—बहुत, ३५—उपासना करना, ३६—चौखट, ३७—बदल जाना, ३८—प्रेमीगण, ३९—समय-समय पर, ४०—जादू, ४१—लिखावट, ४२—पार लगाने वाला, ४३—समुन्दर, ४४—वियोग, ४५—दुःख।

* * *



अजी सम्पादक जी महाराज,

जय राम जी की !

क्या गाँधी-इर्विन समझौता टूट जायगा ? हालाँकि कुछ लोगों का ख़्याल तो यह है कि वह टूट चुका है, या तोड़ा जा रहा है। परन्तु अपने राम इतनी जल्दी तोड़-फोड़ हो जाने के ज़रा कम क़ायल रहते हैं। हालाँकि यह बात भी पक्की है कि बनाने में चाहे बरसों लग जायँ ; परन्तु तोड़ने में कुछ देर नहीं लगती। कमाने में मुद्दतें गुज़र जाती हैं, लेकिन ख़र्च करने में समय नहीं लगता। यह सब बहुत पुराने बँधे-टँके उसूल हैं। कुछ लोगों का ख़्याल है कि यदि इर्विन महोदय वॉयसरॉय होते, तो यह समझौता कदापि न टूटता। वलायत में इर्विन महोदय की जो क़द्र हुई, वह सब जानते हैं। इधर हिन्दुस्तान में नौकरशाही ने उनकी उतनी ही क़द्र की, जितनी कि "उतरा शहना मर्दक नाम" की कहावत के अनुसार की जा सकती थी। इससे अधिक बेचारी नौकरशाही और कर ही क्या सकती थी। समझौता तोड़ने के सम्बन्ध में कुछ लोग नौकरशाही को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। अपने राम की समझ में यह बात ज़रा कम आती है। नौकरशाही समझौता तोड़ ही नहीं सकती। यदि तोड़ सकती होती तो जनाब, अब तक कभी का तोड़ डालती। असल में बात यह है कि यह समझने वालों की समझ का फ़ितूर है ! आख़िर यह कैसे समझा गया कि समझौता तोड़ने की कोशिश की जा रही है। नौकरशाही षड्यन्त्र केसों की सृष्टि कर रही है, किसानों पर दमन कर रही है, कॉङ्ग्रेस वालों को दिक़ कर रही है, शान्तमय धरना देने वालों को गिरफ़्तार कर रही है—बस इतनी ही बातें हैं ना ? सो जनाब, यह कोई ऐसी बातें नहीं हैं, जिनसे यह समझा जाय, कि नौकरशाही समझौता तोड़ने की चेष्टा में है। अरे भई, कोई अपना प्रबन्ध न करे, इन्तज़ाम न करे, इसमें समझौता तोड़ने की कौन सी बात है ? षड्यन्त्र तो हो ही रहे हैं और होते ही रहते हैं। यदि न हों तो सी० आई० डी० विभाग किस मरज़ की दवा है। आख़िर इस विभाग वाले यह भी तो समझते हैं कि उनका हराम की तनख़्वाह लेना परमात्मा को दुखेगा। इसलिए वह अपना कर्त्तव्य पालन करते हैं। दूसरे यदि कौन्सिलों में प्रश्न उठा दिए गए कि सी० आई० डी० विभाग ने कौन सा तीर मारा, तो क्या उत्तर दिया जायगा ? अतएव यह आवश्यक है कि कुछ न कुछ होता रहे। साथ ही यह बात भी है कि अन्य देशों को भी पता चलता रहेगा कि हिन्दुस्तान में अङ्गरेज़ों पर कैसे-कैसे अत्याचार हो रहे हैं ! बेचारों के लिए नित्य बम तैयार होते हैं। लोग उनके ख़ून के प्यासे घूमा करते हैं, परन्तु पीने को नसीब नहीं होता। ब्रिटिश सरकार को उलटने के लिए जब नवयुवक तक पिस्तौल बाँधे घूमते हैं, तो जवान, अर्द्ध-वयस्क और बुड्ढे तो भगवान जाने क्या करते होंगे। वे जो कुछ करते हैं, यदि उसका पता लग जाय तो अन्धेर ही हो जाय। यह तो कहिए कि सी० आई० डी० विभाग ही ऐसा है, जो थोड़ी-बहुती बातों का पता अपनी तबीयत से लगा लेता है ! और यह ब्रिटिश सरकार का भाग्य है कि सी० आई० डी० पकड़ती एक को है और दस अपने आप जेल में घुसे चले आते हैं। इनाम-इकराम के लालच में कमबख़्त ख़ुद ही मुख़बिर बन जाते हैं और बदनाम करते हैं पुलिस को ! हालाँकि इन मुख़बिरों के कारण पुलिस को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ले दिया कि जिसकी सूरत भी कभी पुलिस ने नहीं देखी, नाम भी नहीं सुना। अब मुख़बिर साहब तो टका भर की ज़बान हिला कर अलग हो गए। उधर पुलिस को उसकी तलाश करने की चिन्ता सवार हुई। इन सब बातों के देखते हुए यह कहना एक बड़ी साधारण सी हिमाक़त है कि सरकार दमन कर रही है।

अब किसानों पर अत्याचार करने की बात पर विचार करना चाहिए। किसानों पर सरकार नहीं, वरन् ज़मींदार अत्याचार कर रहे हैं। सरकार का इसमें कोई अपराध नहीं है। हाँ, ज़मींदार जब किसानों के अत्याचार से पीड़ित होकर सरकार से सहायता माँगते हैं, तब मजबूरन सरकार को सहायता देनी पड़ती है। यदि वह ऐसा न करे तो अपने कर्तव्य से गिर जाय। ज़मींदारों ही की बदौलत उसे मालगुज़ारी मिलती है। अतएव यदि वह ज़मींदारों के साथ ऐसे अवसर पर दग़ा करे तो विश्वासघातक कहलाएगी। दूसरे यदि ज़मींदार को लगान न मिलेगा तो सरकार को मालगुज़ारी कहाँ से मिलेगी ? इसलिए ज़मींदारों की सहायता करना आवश्यक है। भले आदमियों का यह काम नहीं है कि जिससे अपने को लाभ होता हो उसको समय पड़ने पर सहायता न दें। यह माना कि इससे किसानों को कष्ट पहुँचता है, परन्तु इससे क्या हुआ ? किसान तो सदैव ही कष्ट भोगते रहते हैं। उन्हें तो कष्ट भोगने और भूखों मरने की आदत हो गई है। ख़राबी तो बेचारे ज़मींदारों की है, जो हमेशा तर-माल उड़ाते रहे हैं। वे कष्ट कदापि नहीं भोग सकते, और सरकार के होते हुए वे कष्ट भोगें, यह भी तो सरकार के लिए डूब मरने की बात है। इसलिए इन सब बातों पर ग़ौर करते हुए सरकार पर यह दोषारोपण करना भी अनुचित है कि वह किसानों पर दमन कर रही है। कुछ लोग इस बात से असन्तुष्ट हैं कि किसानों के लगान में यथेष्ट छूट नहीं की गई। सो यह तो अपनी-अपनी समाई की बात है। आख़िर सरकार का भी कुछ ख़र्च है या नहीं ? या वह हवा ही फाँक कर रहती है। कहने और करने में बड़ा फ़र्क़ होता है। यदि दोषारोपण करने वाले सरकार की स्थिति में होते तो उन्हें पता चलता। नुक़्ताचीनी करना तो बड़ा आसान है। यह कहा जा सकता है कि सरकार फ़ौजी ख़र्च घटा कर, बड़े-बड़े अफ़सरों की तनख़्वाहों में कमी करके अपनी कमी को पूरा कर सकती है। सो जनाब, यह काम भी बड़ा कठिन है। अफ़सर लोग अपना देश, घर-द्वार छोड़ कर सात समुद्र पार आते हैं, तो इसी लालच से कि लम्बी तनख़्वाह मिलेगी। अन्यथा मक्खन-रोटी तो वलायत में भी मिल सकती है। यदि उनकी तनख़्वाह कम की जाय और वह नाराज़ होकर चल दें, तो यहाँ का इन्तज़ाम कौन करे ? हिन्दुस्तानियों को इतना माद्दा अभी ईसा मसीह ने अता नहीं फ़र्माया है कि वह अच्छा इन्तज़ाम कर सकें। फ़ौजी ख़र्च को घटाया जाय तो भारतवर्ष में ग़दर फैल जाय ! जब इतनी फ़ौज मौजूद है, तब तो रात-दिन लूट-मार, डाकाज़नी, साम्प्रदायिक झगड़े होते ही हैं—यदि इसमें भी कमी कर दी जाय तो हिन्दुस्तान ग़ारत हो जाय। ये बातें सर्व-साधारण नहीं समझ सकते। जो शासन करते हैं, वे ही समझ सकते हैं !

अब कॉङ्ग्रेसवादियों पर दमन करने की बात को लीजिए। सो यह तो कोई नई बात नहीं है। कॉङ्ग्रेस वाले हैं भी बड़े उधमी ! सब जगह अपनी टाँग अड़ाते हैं। इन्होंने तो मानो ख़ुदाई फ़ौजदारी का ठेका ही ले लिया है। यह अन्धेर तो देखिए, कि ज़रा भी भय नहीं खाते। किसानों से कहते फिरते हैं कि लगान न दो और मशहूर यह करते हैं कि किसानों को लगान देने के लिए कह रहे हैं। महात्मा जी को छोड़ कर अन्य सब कॉङ्ग्रेसमैन समझौता तोड़ने की भरसक चेष्टा कर रहे हैं। लोगों से कहते हैं, युद्ध के लिए तैयार रहो। यह भी कोई भलमनसी की बातें हैं। उन्हें कहना चाहिए कि, "भाइयो, अब कभी युद्ध का नाम मत लेना, चाहे स्वराज्य मिले या न मिले।" समझौते के अर्थ ही यह हैं। बताइए, विदेशी कपड़े पर फिर धरना आरम्भ कर दिया है। यह नाक में दम कर देने वाली बात है या नहीं ? उधर लङ्काशायर वाले अलग परेशान कर रहे हैं कि बॉयकॉट हटवाओ, इधर कॉङ्ग्रेस वाले समझौता होने पर भी धरना दे रहे हैं। ऐसी दशा में भारत-सरकार बेचारी क्या करे—ज़हर खा ले ? कॉङ्ग्रेस वालों की आँखों में तो ज़रा भी शील नहीं रहा। सरकार ने उनके साथ क्या-क्या नेकियाँ की हैं। जेल से छोड़ दिया, मुक़दमे उठा लिए, परन्तु फिर भी इनका मिज़ाज नहीं मिलता। बड़े अफ़सोस की बात है। अभी हाल में एक दारोग़ा साहब की शिकायत छपी थी कि वह लोगों को मुफ़्त शराब तथा ताड़ी पिलाने का प्रलोभन दिखाते हैं। अब देखिए, इसमें भी लोग ऐब समझते हैं। पूछिए, कोई वस्तु मुफ़्त में बाँटना अच्छा है या बुरा ? उस दारोग़ा बेचारे की भलमनसाहत को तो देखते नहीं, कि उसने कितने उपकार का काम करना विचारा था। शराब और ताड़ी पीना इसीलिए तो बुरा माना जाता है कि उसमें पैसा व्यर्थ तथा आवश्यकता से अधिक ख़र्च हो जाता है। परन्तु यदि ये वस्तुएँ मुफ़्त मिलती हैं तो फिर पीने में क्या हर्ज है ? मुफ़्त की शराब क़ाज़ी तक के लिए हलाल मानी गई है। अपने राम का तो यह कथन है कि यदि मुफ़्त मिले तो सङ्खिया भी खा लेना चाहिए—यह तो भला शराब और ताड़ी है। परन्तु कहें किससे ? अन्धे के आगे रोवे अपने दीदे खोवे। जिस वस्तु के लिए मज़दूर लोग अपनी गाढ़ी कमाई का अधिकांश ख़र्च कर डालते हैं, वह मुफ़्त मिले तब भी उसमें दोष समझा जाय ! बलिहारी है इस बुद्धि की। इसी बुद्धि पर हिन्दुस्तानी स्वराज्य माँगते ?

सम्पादक जी, अब आप समझे कि सरकार पर समझौता तोड़ने का जो दोषारोपण किया जा रहा है, वह सरासर ग़लत है। यह सरकार की फूटी क़िस्मत का दोष है कि वह जो कुछ करती है, लोग उसके उलटे ही अर्थ लगाते हैं। जब दिन बुरे आते हैं तब ऐसा ही होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आजकल सरकार के दिन बहुत ही बुरे हैं।

भवदीय,

—विजयानन्द (दुबे जी)

क्या जर्मनी में क्रान्ति होने वाली है ?

[श्री० ए० जी० गार्डनर]

[श्री० ए० जी० गार्डनर ने यह लेख अमेरिका द्वारा युद्ध-ऋण स्थगित किए जाने की घोषणा निकलने के पहले लिखा था ।

—सं० 'भविष्य']

अगर कहीं जर्मनी का पतन हुआ तो उसके साथ ही यूरोप और संसार का भी पतन होगा। प्रत्येक समझदार आदमी को जर्मनी के निकट-पतन की आशङ्का है।

अगर कोई बाहरी सहायता न मिली तो दूसरे जाड़े तक वह इस टक्कर से नहीं बच सकता, जोकि सम्पूर्ण यूरोप को बिल्कुल जड़ से हिला देगा।

आश्चर्य तो उसके अब तक बचे रहने का है, क्योंकि लगभग १३ वर्ष से जैसे असभ्य अर्थ-दण्डों द्वारा उसे दण्डित किया जा रहा है, वैसे अर्थ-दण्ड आज तक कभी किसी भी पराजित देश पर न क़ायम किए गए होंगे।

नेपोलियन के युद्धों के बाद और फ़्रान्स-जर्मन युद्ध के बाद जर्मनी जैसी आश्चर्यजनक उदारता और नम्रता के साथ फ़्रान्स के साथ पेश आया था, उसकी तुलना करने से जर्मनी पर पिछले युद्ध के बाद लादे गए अर्थ-दण्डों की असभ्यता और कठोरता का पता लगता है।

उपरोक्त दोनों अवसरों पर फ़्रान्स के साथ उदारता दिखलाने में जर्मनी का उद्देश्य फ़्रान्स के प्रति सहानुभूति प्रकट करना नहीं, बल्कि यूरोप का पुनर्निर्माण करना था।

यह उद्देश्य जर्मनी के साथ व्यवहार करने में जान-बूझ कर भुला दिया गया है। निःशस्त्र करके वह सङ्गीनों के घेरे में बन्दी बना दिया गया है !!

उसके उपनिवेश, उसकी खानें और उसका धन छीन लेने के बाद युद्ध के व्यय का सम्पूर्ण बोझ उस पर डाल दिया गया है। उसके अपराध चाहे जो हों, परन्तु उसके साथ होने वाले व्यवहार केवल अनुचित ही नहीं, वरन् अत्यन्त उद्धत हैं। जो कुछ उससे आशा की जाती है, वह पूर्ण नहीं हो सकती। उसे पूर्ण करने का प्रयत्न करना जर्मनी को और सम्पूर्ण संसार के व्यापारिक और आर्थिक सङ्गठन को नष्ट कर देना है। परन्तु फ़्रान्स के उद्धत नेतृत्व में हम लगातार तेरह वर्षों से जर्मनी का रक्त-शोषण कर रहे हैं और जर्मनी से वह कार्य कराने का प्रयत्न कर रहे हैं, जोकि असम्भव है !

आज जर्मनी की दशा दस वर्ष पहले से कहीं अधिक बुरी है। वस्तुओं की क़ीमत घट जाने के कारण उसे अब तक जितना युद्ध का हर्जाना देना पड़ता था, उससे तीस फ़ी सदी अधिक देना पड़ रहा है। 'यङ्ग-स्कीम' के अनुसार जितना हर्जाना जर्मनी से वसूल किया जाता रहा है, वह जर्मनी के देने की सामर्थ्य से अधिक से अधिक रहा है।

यङ्ग-स्कीम के अनुसार वह हर्जाना देने के कार्य से पुश्त-दर-पुश्त छुट्टी नहीं पा सकेगा। हर्जाना देते रहने का कार्य उसे भविष्य में उस समय तक करना पड़ेगा, जबकि यूरोपीय युद्ध उतनी ही पुरानी घटना हो जायगी, जितनी कि आज फ़्रान्स-जर्मन युद्ध की घटना हो गई है। जबकि यूरोपीय युद्ध में भाग लेने वाला प्रत्येक पुरुष अपनी क़ब्र में होगा।

क्या आज तक और भी कभी किसी ने किसी राष्ट्र पर ऐसे उद्धत व्यवहार का प्रयोग किया होगा ?

क्रान्ति के समीप

अब परिस्थिति हद तक पहुँच चुकी है। दिवालियापन और बेइज़्ज़ती से ऊबा हुआ यह देश क्रान्ति के किनारे पर पहुँच गया है। निस्सन्देह ब्रुनिङ्ग और कर्टिस, दो सज्जनों का सम्मिलन जर्मन-प्रजातन्त्र की अन्तिम खाई है। इसके असफल होते ही अव्यवस्था का राज्य फैल जायगा !

इस समय जर्मनी दो बड़े दलों में विभाजित हो रहा है। एक तरफ़ नाज़ीज़ और दूसरी तरफ़ कम्यूनिस्ट अपनी-अपनी क़वायदें कर रहे हैं। प्रत्येक सप्ताह कहीं न कहीं इन दो विद्रोही दलों में मुठभेड़ हो ही जाती है। इन मुठभेड़ों का अन्तिम परिणाम जर्मनी के प्रजातन्त्र का पतन होगा !!

मान लीजिए, अन्त में कम्यूनिस्ट दल विजयी हुआ, तो हम लोगों और यूरोप पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? कम्यूनिस्टों की विजय से सोवियट की प्रणाली मॉस्को से बर्लिन पहुँच जायगी। विस्चुला से लेकर राइन नदी तक उसका साम्राज्य हो जायगा और मध्य यूरोप में उसकी सत्ता अबाधित हो जायगी।

यूरोप अग्नि-ज्वाला में भड़क उठेगा !

परन्तु क्या फ़्रान्स यही चाहता है ? हम लोग यही चाहते हैं ? अमेरिका और इटली यही चाहते हैं ? निस्सन्देह कोई यह नहीं चाहता। फिर भी मित्र-राष्ट्रों की सम्पूर्ण नीति लगातार अपनी कठोर गति से उसी ओर चली जा रही है। अब इस नीति का परिणाम सामने दिखलाई पड़ रहा है।

परन्तु मान लीजिए, कम्यूनिस्टों की विजय न होकर अन्त में नाज़ियों की विजय हुई और जर्मनी मुसोलिनी के ढङ्ग के एक प्रबल राष्ट्रीय डिक्टेटर के क़ब्ज़े में हो गया, क्या वह हालत फ़्रान्स या यूरोप के लिए किसी तरह विशेष हितकर प्रमाणित होगी ?

नाज़ीज़ दल विजयी होने पर वर्सेल-सन्धि की अवज्ञा करेगा और जर्मनी के अपमान करने वाले शत्रुओं के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करेगा। युद्ध का हर्जाना न रह जायगा। फ़्रान्स रूर की सीमा पर लौट जायगा, सम्पूर्ण मध्य यूरोप एक अग्नि की ज्वाला में दिखलाई पड़ेगा और अन्तर्राष्ट्रीय सङ्घ इस दृश्य को निरुपाय दर्शक की भाँति देखा करेगा।

जर्मनी की यदि ख़तरे से रक्षा नहीं की जाती, तो उसके सामने उपरोक्त उपायों के ग्रहण करने की अपेक्षा और कोई मार्ग ही नहीं रह जाता। वह अपने आप इस ख़तरे से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। वह उस परिस्थिति से आगे निकल गया है। उसकी रक्षा वे ही कर सकते हैं जिन्होंने, जर्मनी के लोगों को प्रजातन्त्र से ऊब कर निराशा और विप्लव के मार्गों के ग्रहण करने के लिए विवश किया है।

वर्सेल-सन्धि की ग़लती

आज साधारणतया सभी समझदार आदमी इस बात से सहमत हैं कि वर्सेल-सन्धि एक भयानक ग़लती थी। इस सन्धि के हानिकारक परिणाम जर्मनी तक परिमित नहीं रहे, उनसे सम्पूर्ण संसार विशृङ्खल हो गया है।

मानव-जाति के ऊपर युद्ध-ऋण और हर्जाने एक भयानक पाप की तरह लटक रहे हैं। संसार के व्यापार पर आघात पहुँचाने वाले कारणों में उनका मुख्य स्थान है। जब तक युद्ध-ऋण और हर्जानों का भार हलका नहीं किया जाता, तब तक यूरोप में शान्ति नहीं हो सकती।

यही मौक़ा है कि हम अपने इस ख़याल को हटा दें कि चालीस वर्ष बाद भी जर्मनी एक ग़ुलाम देश बना हुआ हर्जाना दिया करेगा और हम लोग अमेरिका को प्रति वर्ष ३३० लाख रुपया दिया करेंगे !!!

❀

स्वर्गीय श्री० दिनेशचन्द्र गुप्त

[श्री० अभयङ्कर वर्मा, एम० ए०, एल्-एल्० बी०]

बीस वर्ष का बङ्गाली बालक—श्री० दिनेशचन्द्र गुप्त—गत ८ जुलाई सन् १९३१ को हँसते-हँसते फाँसी पर चढ़ गया। जिस तरह कुतूहलप्रिय बालक कोई नया खिलौना देखते ही, उसे ग्रहण करने के लिए व्यग्रता से हाथ बढ़ा देता है, उसी तरह इस कुतूहली बालक ने भी बड़ी व्यग्रता के साथ मृत्यु का आलिङ्गन करने के लिए हाथ बढ़ा दिया था। असीम रहस्यपूर्ण मृत्यु का रहस्य जानने के लिए मानो वह व्याकुल हो रहा था। माता, पिता, बहिन और स्नेहमयी भौजाइयों को उसने बारम्बार यही कह कर आश्वासन प्रदान किया था कि मृत्यु कोई भयङ्कर व्यापार नहीं है। उसका नाम उसने 'मरणमाला' रक्खा था।

उसकी उमर अभी कुल बीस बरस की थी। उसने इस रहस्यमय संसार में अभी प्रवेश मात्र किया था। उसे अच्छी तरह देखने, समझने और अनुभव करने का अवसर उसे नहीं मिला। क़ानून उसके प्रतिकूल था, इसलिए सारे देश की प्रार्थना भी व्यर्थ हो गई।

दिनेश विप्लववादी था। उसने सरकार के एक अङ्गरेज़ अफ़सर की हत्या कर डाली थी या हत्या करने में सहायता दी थी। हमें उसके कार्य से कोई सहानुभूति नहीं। परन्तु उसकी प्राण-भिक्षा के लिए समस्त बङ्गाल ने ही नहीं, वरन् सारे भारतवर्ष ने सरकार से प्रार्थना की थी। परन्तु यह हज़ार-हज़ार कण्ठों से निकली हुई, प्रार्थना भी सरकार ने नहीं सुनी। देश के जन-मत की उसने ज़रा भी परवाह न की। गाँधी-इर्विन समझौते के बाद लोगों को विश्वास हो गया था, कि सरकार की मनोवृत्ति में कुछ परिवर्तन हुआ है। कलकत्ता हाईकोर्ट के विद्वान विचारपति जस्टिस बकलैण्ड ने भी कुछ ऐसी ही बातें कह कर लोगों के विश्वास को दृढ़ बना दिया था। परन्तु सरकार ने इन बातों पर कुछ ध्यान नहीं दिया। यही नहीं, उसने अपने विशेष अधिकार द्वारा श्रीमान सम्राट की सेवा में भेजी हुई प्रार्थना को भी रोक लिया। पराधीन जाति और असहाय माता-पिता की अश्रु-सिक्त प्रार्थना अरण्य-रुदन में परिणत हो गई! हरि इच्छा बलीयसी!!

परिचय

ढाका ज़िले में 'यशोलङ्ग' नाम का एक छोटा-सा, किन्तु विख्यात गाँव है। इस गाँव में ज़्यादातर ब्राह्मण, थोड़े से वैद्य और कायस्थ तथा अन्यान्य छोटी जातियों के लोग रहते हैं।

आज से बीस वर्ष पहले, इसी यशोलङ्ग ग्राम के श्रीयुत सतीशचन्द्र गुप्त के यहाँ दिनेश का जन्म हुआ था। दिनेश श्री० सतीशचन्द्र का तृतीय पुत्र था। श्री० सतीशचन्द्र मेदिनीपुर ज़िले के ख्वालापुर में पोस्टमास्टर हैं।

दिनेश के बाल्य-जीवन में कोई विशेषता न थी। वह बङ्गाल के साधारण बालकों की तरह मेधावी, चपल और खेलाड़ी था। परन्तु पढ़ने-लिखने में उसकी बड़ी रुचि थी। इस सम्बन्ध में ग्राम-पाठशाला के 'गुरु महाशय' से लेकर कॉलेज के प्रोफ़ेसर साहब तक को कभी किसी प्रकार की शिकायत का मौक़ा नहीं मिला था।

ढाका के ही किसी हाईस्कूल से मेट्रिकुलेशन की परीक्षा पास करके वह, आज से प्रायः पाँच वर्ष पूर्व कॉलेज में भर्ती हुआ तथा गत असहयोग आन्दोलन के समय, जब कि वह बी० ए० की परीक्षा पास करने की तैयारी में था, कॉलेज छोड़ कर देश-सेवा सम्बन्धी कामों में लग गया। दिनेश के बड़े भाई श्री० ज्योतिषचन्द्र गुप्त मेदिनीपुर की दीवानी के वकील और दूसरे बड़े भाई श्री० पृथ्वीशचन्द्र डिबरूगढ़ ज़िले के मरियानी नामक स्थान में डॉक्टर हैं। मृत्यु के समय दिनेश की उमर बीस साल से कुछ अधिक थी।

अपराध

गत ८ दिसम्बर को बङ्गाल के जेलख़ानों के इन्स्पेक्टर लेफ़्टिनेण्ट कर्नल एन० एस० सिम्पसन, कलकत्ते के 'राइटर्स बिल्डिङ्ग' में मार डाले गए। घटना का विवरण, जो उस समय अख़बारों में छपा था, वह इस प्रकार है:—



बङ्गाल के जेलख़ानों के इन्स्पेक्टर लेफ़्टिनेण्ट स्वर्गीय कर्नल एन० एस० सिम्पसन

दिन के प्रायः साढ़े बारह बजे, जबकि कर्नल अपने ऑफ़िस में बैठे हुए फ़ाइलों की जाँच कर रहे थे, उसी समय तीन बङ्गाली युवक वहाँ गए और उन्होंने चपरासी से कहा कि हम साहब से मिलना चाहते हैं। चपरासी ने उत्तर दिया, साहब इस समय काम में व्यस्त हैं, वे नहीं मिल सकते। आप लोग एक पर्चे पर अपना नाम, पता और उद्देश्य लिख कर दीजिए, तो मैं साहब के पास पहुँचा दूँ। इस पर युवकों ने चपरासी को धक्का देकर एक ओर ढकेल दिया और कमरे में घुस गए। तीनों युवकों को अकस्मात कमरे में प्रवेश करते देख कर कर्नल कुछ पीछे हट गए। युवकों ने एक साथ ही उन पर पिस्तौल का वार किया। कर्नल वहीं गिर गए। तीनों युवक फिर कमरे से बाहर निकले और गोलियाँ छोड़ते हुए बरामदे की राह से पासपोर्ट ऑफ़िस में पहुँचे, जो उसी मकान के एक कमरे में है। वहाँ उन्होंने फिर अपने पिस्तौलों में गोलियाँ भरीं। और एक अमेरिकन पादड़ी पर वार किया। परन्तु वह बच गया। इसके बाद वे जुडिशियल सेक्रेटरी के ऑफ़िस में घुसे और उन पर भी वार किया। गोली उनकी जाँघ में लगी। परन्तु वे बच गए।

इन युवकों में एक दिनेश, दूसरा श्री० विनयकृष्ण बोस और तीसरा श्री० सुधीरकुमार गुप्त था। अन्त में इन तीनों युवकों ने आत्म-हत्या कर लेने की चेष्टा की। परन्तु इस सम्बन्ध में सफलता केवल सुधीरकुमार बोस को ही मिली। बाक़ी दो घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुँचाए गए। अन्त में कुछ दिनों के बाद विनयकृष्ण का भी देहान्त हो गया।

ये दोनों युवक भी ढाका ज़िले के और श्री० दिनेश के गाँव के पास के ही रहने वाले थे। इस हत्याकाण्ड के समय ये तीनों अङ्गरेज़ी पोशाक में थे। उस समय अख़बारों में भी ख़बर छपी थी कि विनयकृष्ण ने ही बङ्गाल के इन्स्पेक्टर जनरल मि० एफ़० जे० लोमेन की हत्या की थी।

विचार और फाँसी की आज्ञा

अन्त में, घाव अच्छे हो जाने पर एक स्पेशल ट्रिब्यूनल अदालत के सामने श्री० दिनेश के मामले का विचार आरम्भ हुआ। श्री० दिनेश ने अपने को निर्दोष बताया था और अपने बयान में कहा था कि मैं कौतूहल-वश राइटर्स बिल्डिङ्ग में घुस गया था। मुझे मालूम भी न था, कि यहाँ क्या है। मैं इस शहर में केवल दो-तीन बार आया हूँ। इसलिए मुझे मालूम भी न था, कि इसमें कौन सा ऑफ़िस है। जब मैं ऊपर गया तो मुझे किसी चीज़ का धड़ाका सुनाई दिया। इस आवाज़ से डर कर मैं भागा तो किसी यूरोपियन ने मुझे गोली मार दी। मेरे पास कोई सूट-केस न था और न मेरा कोई साथी ही था। मेरे पास केवल दस रुपए थे और अपने पिता के पास भागलपुर जाना चाहता था।

परन्तु गत २ फ़रवरी को स्पेशल ट्रिब्यूनल ने श्री० दिनेश को फाँसी की सज़ा सुना दी।

इसके बाद हाईकोर्ट तथा प्रिवी कौन्सिल में अपीलें हुईं, परन्तु सब स्थानों से फ़ैसला बहाल रहा। कलकत्ता हाईकोर्ट के सहृदय न्यायाधीश जस्टिस बकलैण्ड ने उसकी कच्ची उमर का ख़याल करके दया करने की सिफ़ारिश की थी। परन्तु कोई परिणाम नहीं हुआ। गाँधी-इर्विन समझौते से आशान्वित होकर बङ्गाल की जनता तथा अख़बारों ने भी सरकार से दया की प्रार्थना की थी, परन्तु सारा प्रयास अरण्य-रुदन में परिणत हो गया।

अन्त में उसकी अभागिनी माता की ओर से श्रीमान सम्राट महोदय की सेवा में भी एक प्रार्थना-पत्र भेजा गया, परन्तु सरकार ने उसे अपने विशेष अधिकार द्वारा रोक लिया। इस विषय में श्री० दिनेश के वकील ने बड़ी लिखा-पढ़ी की; बङ्गाल-सरकार के जुडिशियल सेक्रेटरी से मिले भी, परन्तु कोई नतीजा नहीं निकला!

दिनेश की दृढ़ता

यद्यपि श्री० दिनेशचन्द्र ने ट्रिब्यूनल के सामने अपने को निर्दोष बताया था और अपने बचाव की चेष्टा की थी, परन्तु फाँसी की आज्ञा का उसके शरीर और मन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। मृत्यु से डरने को वह कायरता समझता था। फाँसी की कठोर आज्ञा सुनने के बाद से, जैसा कि उसके निम्न-लिखित पत्रों से प्रतीत होता है, उसकी आत्मा सदैव अध्यात्म-जगत में ही विचरण करती थी। वह बड़ी दृढ़ता से अपने परिजनों को सान्त्वना दिया करता था। इस दरमियान में उसने अपनी माता, बहिन और भौजाइयों को कई पत्र लिखे थे, जिनमें से कुछ नीचे दिए जाते हैं। उसने

अन्तिम पत्र अपनी स्नेहमयी जननी और बड़ी बहिन को लिखा था, जिसका अविकल अनुवाद पाठकों ने गत १ जुलाई के 'भविष्य' में पढ़ा होगा फलतः उन्हें पुनः यहाँ देने की आवश्यकता नहीं। बाक़ी कई पत्र उसने समय-समय पर अपनी भौजाइयों को लिखे थे, उनका अनुवाद नीचे दिया जाता है :—

अलीपुर सेण्ट्रल जेल
२१-३-३१

श्रीचरणेषु !

भाभी, कल तुम्हारी चिट्ठी मिली। आज माँ और भैया आए थे। भैया से मालूम हुआ, हमारी फाँसी की आज्ञा बहाल रक्खी गई है।

भाभी, मैं अब तुम लोगों से सदा के लिए विदाई चाहता हूँ। यह मैं जानता हूँ, विदाई देते समय तुम लोगों का हृदय विदीर्ण हो जायगा, किन्तु क्या करूँ विदाई तो लेनी ही होगी।

आज बहुत सी पुरानी बातें मुझे याद हो आई हैं। जिस दिन मैंने तुम्हें अपनी भाभी के रूप में पाया था, उस दिन से लेकर आज तक की सारी बातें मेरी आँखों के सामने नाच रही हैं। मैंने दस वर्ष की उम्र से लेकर बीस वर्ष तक तुम्हें अनेक यन्त्रणाएँ दी हैं; वह सभी तुमने स्नेह का अत्याचार समझ, हँसते हुए सह लिया है; तुम कभी मेरे प्रति विरक्त न हुईं, कभी तुम रुष्ट न हुईं। यह तुम अच्छी तरह जानती हो कि बीमार पड़ने पर तुम्हारे ही हाथ की बनी हुई बार्ली, और तुम्हारे ही हाथ का रींधा हुआ भोजन मुझे अच्छा लगता था। मुझे ही क्यों, हम सबों को तुमने अपने आन्तरिक प्रेम से जीत लिया था। यदि मेरे पास रुपए होते, तो मैं कौन-कौन सी चीज़ें तुम्हें उपहार देता, उसकी अद्भुत कल्पना मैं अब भी किया करता हूँ। ख़ैर, छोड़ो इन सब बातों को; भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि जन्म-जन्मान्तर तक तुम्हारे ही समान भाभी मुझे मिले।

तुमने मुझसे पूछा है कि ऐसा कौन उपाय है, जिससे मन को शान्ति मिल सके। मैं इस सम्बन्ध में क्या कहूँ? लेकिन हाँ, मेरे मन में यह बात उठती है, कि हम लोग मृत्यु से बहुत अधिक डरते हैं, इसीलिए मृत्यु के सामने हमें पराजित होना पड़ता है। यदि हम इस भय को जीत सकें तो मृत्यु हमें बहुत तुच्छ दिखाई पड़ेगी। मृत्यु का भय न कर, हमें उसे प्रशान्त चित्त से वरण करना होगा। और हम तो हिन्दू हैं, मृत्यु का भय करने से धर्म की पहली ही सीढ़ी पर हम नहीं चढ़ सकते। हम जानते हैं कि हमारी मृत्यु नहीं होती। यह नश्वर शरीर ही नष्ट होता है, आत्मा का नाश नहीं होता। वही आत्मा ही तो हम हैं और वही आत्मा भगवान भी हैं। मनुष्य जिस समय अपने आपको पहचान लेता है, उसी समय वह कह सकता कि है "मैं ही वह हूँ" आग मुझे जला नहीं सकती, जल मुझे गला नहीं सकता, वायु मुझे सुखा नहीं सकती, मैं अजर हूँ, अमर हूँ और अव्यय हूँ। गीता में कहा है—न तो शस्त्र इसे काट सकता है, न आग इसे जला सकती है, न जल इसे भिगो सकता है और न हवा इसे सुखा सकती है! यह आत्मा अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, नित्य और सर्वव्यापी है।

तुम कहोगी—"यह सब बातें तो मैं भी जानती हूँ, किन्तु इससे मन को तो शान्ति नहीं मिलती।" मन को शान्ति देने के लिए एकमात्र उपाय है, भगवान को आत्म-समर्पण। शान्ति प्राप्त करने के लिए इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। हम कितना भी जप-तप क्यों न करें, कितना भी तिलक-चन्दन क्यों न करें, किन्तु इससे क्या, हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो सकती है? जो भगवान का भक्त है, उसके लिए मृत्यु एक शब्द मात्र है। उनके साथ प्रेम किया था बङ्गाल के निमाई ने, प्रेमावतार ईसा मसीह ने और हमारे ही देश के उन बच्चों ने, जिन्होंने हँसते हुए, मृत्यु का आलिङ्गन किया था।

मन के आवेग में आज मैंने बहुत सी बात लिख डाली हैं। यह जान कर कि तुम लोगों के कष्ट का कारण मैं हूँ, मुझे भी अपने मन में कुछ कम व्यथा नहीं हुई है। तुम लोग मुझे क्षमा करना।

मेरा साथी इस समय अच्छी तरह से है। अब दुख-सुख नहीं है। मैं भी अच्छी तरह हूँ। मेरा प्रेम जानना। इति।

—तुम्हारा स्नेह-भाजन देवर

* * *

अलीपुर सेण्ट्रल जेल
१८ जून, १९३१

भाभी,

तुम्हारी लम्बी चिट्ठी मिली। बिना समय आए किसी के जीवन का अन्त नहीं हो सकता। भगवान ने जिसके हाथ में जो कार्य सौंपा है, उसके समाप्त होने पर ही वे उसे अपने पास बुला लेते हैं। कार्य समाप्त होने के पहले वे किसी को नहीं बुलाते।

तुम्हें याद होगा, मैं तुम्हारे बालों को पकड़ कर पुतली नचाया करता था। पुतली आकर गाती थी—"ऐ सुन्दर बालों वाली मुझे क्यों बुलाती हो?" जिस पुतली का पार्ट समाप्त हो जाता था, उसे फिर स्टेज पर नहीं आना पड़ता था। भगवान भी हम लोगों को उसी पुतली की तरह नचाया करते हैं, हम प्रत्येक संसारवासी संसार के रङ्ग-मञ्च पर अपना-अपना पार्ट कर रहे हैं। अभिनय समाप्त हो जाने पर हमारा प्रयोजन भी शेष हो जाता है। तब भगवान हमें रङ्ग-मञ्च से हटा ले जाते हैं। इसमें दुख की क्या बात है?

संसार के किसी धर्म के मानने से आत्मा की अविनश्वरता भी माननी पड़ती है। अर्थात् शरीर की मृत्यु हो जाने से आत्मा की मृत्यु नहीं हो जाती, यह बात स्वीकार करनी पड़ती है। हम हिन्दू हैं और हिन्दू धर्म में इस सम्बन्ध में क्या कहा गया है, यह कुछ-कुछ जानते हैं। मुसलमान धर्म में भी कहा गया है कि मनुष्य जिस समय मरता है उस समय ख़ुदा के फ़रिश्ते उसकी रूह क़ब्ज़ करने के लिए आते हैं और मनुष्य की आत्मा को पुकार कर कहते हैं—"ऐ रूह, निकल इस क़ालिब से और चल ख़ुदा की जन्नत में।" अर्थात् तुम देह छोड़ कर भगवान के पास चलो। इससे यह मालूम होता है कि मुसलमान धर्म वाले भी यह विश्वास रखते हैं कि मनुष्य की मृत्यु हो जाने से ही उसका सब कुछ नष्ट नहीं हो जाता। ईसाई धर्म कहता है—" Very quickly there will be an end of thee here; consider what will become of thee in the next world." अर्थात्—"तुम्हारे यहाँ के दिन तो शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं, अब परलोक की चिन्ता करो, कि वहाँ तुम्हारा क्या होगा।" इससे मालूम होता है कि ईसाई धर्म वाले भी यह विश्वास रखते हैं कि देह की मृत्यु हो जाने पर भी आत्मा नहीं मरती। अब इन तीन धर्मों में से किसी एक धर्म पर भी विश्वास करने से, यह मानना पड़ेगा कि हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। हम अमर हैं। हमें मारने की शक्ति किसी में भी नहीं है।

हम भारतवासी बड़े धर्म-प्रवीण होते हैं न। धर्म का नाम ही सुन कर भक्ति के मारे हमारे पण्डितों की शिखा खड़ी हो जाती है। किन्तु तब हमें मृत्यु से इतना भय क्यों है? क्या वास्तव में हमारे देश में धर्म है? जिस देश में दस वर्ष की अबोध बालिका धर्म के नाम पर एक पचास वर्ष के बूढ़े के साथ ब्याही जाती है, वहाँ धर्म कहाँ? उस देश में तो धर्म के मुख में आग लगी हुई है। जिस देश में मनुष्य को स्पर्श करने से मनुष्य का धर्म नष्ट हो जाता है, वहाँ धर्म को गङ्गा में बहा कर निश्चिन्त हो जाना चाहिए। मनुष्य का विवेक ही सब से बड़ा धर्म है। उसी विवेक की उपेक्षा कर हम धर्म के नाम पर, अधर्म के स्रोत में अपना शरीर डुबो रहे हैं। केवल एक तुच्छ गौ के लिए या, ढोल की आवाज़ सुन कर हम भाई-भाई आपस में लड़ पड़ते हैं। इससे क्या भगवान हमें बैकुण्ठ में स्थान देंगे या ख़ुदा अपने बिहिश्त में हमें स्थान देने के लिए तैयार होंगे?

जिस देश को मैं सदा के लिए छोड़ रहा हूँ, जिसकी धूलि का प्रत्येक कण हमारे लिए पवित्र है, उसके सम्बन्ध में ये सब बातें मैंने बड़े कष्ट से कही हैं।

हम लोग अच्छी तरह हैं। मेरा प्रेम और प्रणाम ग्रहण करना।

—तुम्हारा स्नेह-भाजन देवर

* * *

मणिदीदी,

वचन देकर भी मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता। कहा था, रविवार को आपकी चिट्ठी का उत्तर दूँगा, परन्तु दो दिन बीत गए। किन्तु इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। नया वर्ष आरम्भ हुआ है। सन् १३३७ (बङ्गला सन्) ने अपने को १३३८ में लय कर दिया है। नए के सामने पुराने ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। पेड़ों के पुराने पत्तों ने झड़ कर नव-किसलयों के लिए स्थान ख़ाली कर दिया है। प्रकृति का यही नियम है, भगवान की चिर नवीन सत्य मूर्ति निरन्तर इसी रूप में प्रकट हुआ करती है। परन्तु हमारे देश में, हम लोगों का क़ायदा-क़ानून इस विधि-विधान से ठीक उलटा है। यहाँ के बूढ़ों ने, समाज और राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने को अटल-अचल बना लिया है। गद्दी तो ये छोड़ेंगे ही नहीं साथ ही समय-असमय पर आँखें दिखाएँगे और चिल्ला कर कहेंगे कि बूढ़े होकर आँख, कान और आत्म-सम्मान की हत्या किए बिना कोई किसी काम करने के

उथल-पुथल

[श्री० 'मगन']

जिसको पढ़ कर भय, अनीति;
दुर्गुण, दुर्मति हों सत्यानाश !
साहस, शौर्य, अहिंसा उपजे,
हो ऐसा साहित्य-प्रकाश !!

हो समाज में, समता का—
पालन, कुरीतियों का संहार !
धर्म सर्व पाखण्ड-शून्य हों;
राजनीति हो परम उदार !!

इस प्रकार साहित्य, धर्म अरु,
हो समाज में उथल-पुथल !
राजनीति-पथ अति प्रशस्त हो,
हो जावे ऐसी हलचल !!

* * *

योग्य नहीं होता। हमारे देश के नवयुवक भी साँप के सिर पर धूल पड़ जाने की तरह ये बातें सुन कर अपना बल और बुद्धि सभी खो डालते हैं। वे यह कभी नहीं विचार करते कि युवकों और बूढ़ों का पथ तथा मत सदैव विभिन्न हुआ करता है। दोनों में मत्यैक स्थापित करने के लिए या तो नौजवानों को वृद्ध होना पड़ेगा या वृद्धों को नौजवान। मेरा प्रेम स्वीकार कीजिएगा।

❀

माँ-बेटे की अन्तिम भेंट

फाँसी से एक दिन पहले दिनेश के माता-पिता उससे मिलने के लिए जेल में गए थे। इस मिलन का दृश्य बड़ा ही हृदयग्राही और कारुणिक था। दिनेश ने बड़ी भक्ति से माता और पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनकी चरण-धूलि लेकर सिर और आँखों में लगाया। स्नेहमयी जननी उसके लिए आम और मिठाई ले गई थी। दिनेश ने प्रेम से पलथी मार कर आम और मिठाइयाँ खाईं। यह दृश्य बड़ा ही मनोरम था। इसके बाद वह उठ कर खड़ा हुआ और माँ की गोद में लोटने लगा। इसके बाद एक अबोध शिशु की तरह उसने बार-बार माता का मुँह चूमना आरम्भ कर दिया और माता साश्रु नयनों से उसके शरीर और मस्तक पर हाथ फेर रही थीं। इसके बाद उसने अन्तिम बार माता को 'माँ' शब्द से सम्बोधित करने की साध पूरी की। माँ पुत्र को गोद में लेकर प्यार कर रही थी, पुत्र 'माँ-माँ' चिल्ला रहा था, इतने में निष्ठुर राज-विधान ने याद दिलाया—समय हो गया!

चलने के समय दिनेश के पिता ने पुत्र से पूछा था, क्या तुम्हें कुछ कहना है? दिनेश ने उत्तर दिया—मैं बड़ी प्रसन्नता से अपने सृष्टि-कर्त्ता के पास जा रहा हूँ। मेरी एकमात्र आकांक्षा थी कि मरने से पहले मातृ-भूमि को स्वतन्त्र देख लेता। परन्तु वह पूरी नहीं हुई।

पिता ने फिर कहा—क्या तुम्हें मालूम है कि यह हम लोगों का अन्तिम मिलन है?

दिनेश ने उत्तर दिया—मैं जानता हूँ।

इसके बाद उसने माता से क्षमा-प्रार्थना करते हुए कहा—मैंने तुम्हें बड़ा कष्ट दिया, इसके लिए मुझे क्षमा करना और मेरे लिए शोक न करना।

माता ने कहा—मैं यह दुख सह न सकूँगी।

इस पर दिनेश ने पिता की ओर देख कर कहा—दादा, माँ को मेक्सिम गोर्की का जीवन-चरित पढ़ कर सुनावें तो यह समझ सकेंगी कि पुत्र-वियोग का दुख किस प्रकार बरदाश्त किया जाता है।

इसके बाद माता-पिता सदा के लिए पुत्र से विदा हो गए। यह विदा का दृश्य भी एक अपूर्व दृश्य था। इसका वर्णन करना लोहे की लेखनी का काम नहीं, सहृदय पाठक स्वयं उसकी कल्पना कर सकते हैं।

फाँसी

गत ८ जुलाई को सवेरे चार बजे अलीपुर के सेन्ट्रल जेल में श्री० दिनेश को फाँसी दे दी गई थी। फाँसी की तिथि और समय आदि जानने की उसके भाई ने बड़ी चेष्टा की थी। परन्तु अधिकारियों ने साफ़ जवाब दे दिया कि हमें मालूम नहीं।

फाँसी की रस्सी गले में डाल लेने पर उसने कहा था—माँ, अगर मैं तुम्हारे कष्ट का कारण हुआ होऊँ, तो मुझे क्षमा करना।

फाँसी के बाद जेल के अन्दर ही उसकी अन्त्येष्टि-क्रिया भी सम्पन्न हुई थी। चिता का धुआँ देख कर लोगों ने अनुमान कर लिया था कि फाँसी हो गई।

श्री० दिनेश और श्री० रामकृष्ण नाम के एक ऐसे ही अपराधी के मुक़दमे की पैरवी के लिए बङ्गालियों ने 'दिनेश-रामकृष्ण रक्षा-समिति' नाम की एक संस्था की स्थापना की थी। उसके सेक्रेटरी श्री० दुर्गापद दास गुप्त ने इस फाँसी के सम्बन्ध में जो विज्ञप्ति अख़बारों में छपवाई थी, वह इस प्रकार थी—

मङ्गलवार को सवेरे चार बजे दिनेश को फाँसी दे दी गई। उस समय वह गाढ़ निद्रा में सो रहा था। इसी समय जेलर ने उसे जगा कर कहा—"तुम्हारे जीवन-नाटक की यवनिका के गिरने का समय हो गया है।" दिनेश ने बड़ी प्रसन्नता से यह समाचार सुना और झटपट नित्य-कर्म तथा स्नान आदि से निवृत्त हो तथा कपड़े पहन कर जेलर से कहा कि मैं तैयार हूँ। अलीपुर के मैजिस्ट्रेट, जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट, जेलर, तीन डिप्टी-मैजिस्ट्रेट और कई गोरे वार्डर फाँसी के समय मौजूद थे। फाँसी-मञ्च की ओर अग्रसर होते हुए दिनेश ने कहा था—"देश-माता की बलि-वेदी पर आत्मोत्सर्ग करने का सुयोग पाकर मैं अपने को धन्य समझता हूँ।"

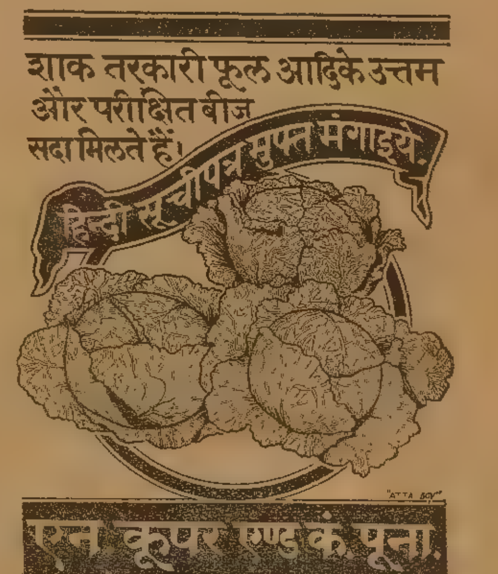
फाँसी के पूर्व अन्तिम क्षण तक दिनेश बहुत ही प्रसन्न था। बड़े उत्साह से अग्रसर होकर फाँसी का फन्दा उसने स्वयं अपने गले में डाल लिया था।

जिस समय उसे फाँसी दी गई थी, उस समय सेण्ट्रल जेल के आसपास के तमाम रास्तों पर पुलीस का कड़ा पहरा बिठाया गया था। गाड़ियाँ तथा मोटरों का चलना भी बन्द कर दिया गया था। इसके अलावा, उस दिन सारे शहर में पुलीस का विशेष पहरा और पुलीस-लॉरियों का 'पेट्रोल' (गश्त) जारी था। शव-संस्कार के अन्त तक जेल के सभी क़ैदी अपने-अपने निवास-स्थानों में बन्द रक्खे गए थे।

अन्त्येष्टि

श्री० दिनेश की अन्त्येष्टि हिन्दू रीत्यनुसार कलकत्ते के नीमतल्ला घाट श्मशान के पुरोहित द्वारा कराई गई थी। अधिकारियों ने कृपा करके भाई श्री० यतीश गुप्त को चिता के पास तक जाने दिया था। परन्तु उनसे यह शर्त करा ली गई थी कि—(१) मैजिस्ट्रेट के साथ जाना होगा और मैजिस्ट्रेट के साथ ही चला आना होगा, (२) संस्कार-व्यापार में वे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे और न आवेश में आकर कुछ करने पाएँगे। (३) चिता-भस्म नहीं ले जा सकेंगे। श्री० यतीश गुप्त ने प्रार्थना की थी कि जेल से सटी हुई काली गङ्गा में मुट्ठी भर भस्म डालने की अनुमति दे दी जाए, परन्तु यह प्रार्थना भी स्वीकृत नहीं हुई। अन्त में मैजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि चिता-भस्म उनके सामने ही गङ्गा में बहा दी जाएगी। इसके बाद ज़िला मैजिस्ट्रेट के साथ ही श्री० यतीश गुप्त जेल से बाहर आ गए।

❀



दिल्ली षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

आज ता० ८ जुलाई को स्पेशल ट्रिब्यूनल की बैठक में दिल्ली षड्यन्त्र केस के अभियुक्त अनुपस्थित थे। अभियुक्त पोद्दार बीमार थे। उनकी तरफ़ से पैरवी करने वाला कोई वकील भी नहीं था, इसलिए अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण कार्रवाई स्थगित रक्खी गई। ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट ने जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट को पत्र लिखा कि यदि मि० पोद्दार अपनी अनुपस्थिति के लिए कोई वकील नियुक्त कर दें, तो अदालत की कार्रवाई जारी रह सकती है।

मि० आसफ़अली का वक्तव्य

सफ़ाई के वकील मि० आसफ़अली ने आज ट्रिब्यूनल के जजों के सामने अपना निम्न-लिखित वक्तव्य दिया :—

"अदालत और अभियुक्तों के प्रति जो मेरा फ़र्ज़ है, उसके अनुसार मुझे आज यह बतला देना आवश्यक है कि २५ जून को दिल्ली षड्यन्त्र केस की सुनवाई फिर से प्रारम्भ होने के समय जब मेरी नियुक्ति हुई थी, तब मेरे और अभियुक्तों के बीच यह बात तय हो गई थी, कि सफ़ाई के लिए किसी दूसरे सीनियर वकील के मिल जाने पर मैं इस केस से अलग हो जाऊँगा। मुझे इस बात का हर्ष है कि अभियुक्तों ने एक दूसरा सीनियर वकील तय कर लिया है, जिससे मैं इस भार से अलग होता हूँ। मुझे आशा है कि मेरे पद पर आगे से कार्य करने वाले सफ़ाई के वकील को मामले का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान किया जायगा।

"अपना वक्तव्य समाप्त करने के पहले मैं अदालत की शिष्टता, धीरता और उसकी न्याय-भावना की प्रशंसा करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। मैं अपने विरुद्ध पक्ष के विद्वान मित्र को धन्यवाद देना भी अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। मैं अपने पक्ष के सहयोगियों को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मेरे प्रति सदैव सौहार्द का भाव रक्खा है। सफ़ाई तथा रिलीफ़ कमिटी ने जिस सहृदयता के साथ सहयोग किया है, उसकी प्रशंसा करना इस स्थान पर अनुपयुक्त न होगा। आख़ीर में मैं अभियुक्तों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझ पर पूर्ण विश्वास प्रदर्शित किया है।"

सेवाओं की प्रशंसा

दिल्ली षड्यन्त्र केस की सफ़ाई और रिलीफ़ कमिटी ने पत्रों में निम्न-लिखित वक्तव्य प्रकाशित कराया है :—

"बैरिस्टर मि० आसफ़अली ने सफ़ाई के सीनियर वकील के पद से अलग हो जाने का जो निश्चय किया है, उस पर कमिटी अत्यन्त खेद प्रकट करती है। ऐसे समय, जब कि सफ़ाई-पक्ष को उनकी सेवाओं की अत्यन्त आवश्यकता थी, सफ़ाई से उनका अलग हो जाना अत्यन्त हानिकारक हुआ है। कमिटी उनकी मूल्यवान सेवाओं के लिए अपनी हार्दिक प्रशंसा का भाव प्रकट करती है।

"कमिटी को खेद है कि मि० फ़रीदुल हक़ अन्सारी को भी वैसा ही निर्णय करना पड़ा है। उनकी सेवाओं के लिए कमिटी प्रशंसा करती है।"

आज ता० ९ जुलाई को दिल्ली षड्यन्त्र केस की पेशी शनिवार तक के लिए फिर स्थगित हो गई। अदालत में उपस्थित अभियुक्तों से स्पेशल ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट ने पूछा कि तुम लोगों के क़ानूनी सलाहकार इस केस से अलग हो गए हैं, उनके स्थान पर सफ़ाई के लिए क्या प्रबन्ध हुआ है?

अभियुक्तों की ओर से श्री० वात्सायन ने कहा कि कुछ वकीलों से बातचीत हो रही है, आशा है कि सोमवार तक हम लोग अदालत को अपना निश्चय बतला देंगे। प्रेज़िडेण्ट ने अभियुक्तों से कहा कि अपना निर्णय शनिवार तक बतला दो, जिससे उसी दिन वकीलों को सूचना दे दी जाय और सोमवार से बाक़ायदा कार्रवाई प्रारम्भ हो जाय। प्रेज़िडेण्ट ने अभियुक्तों से यह भी कहा कि यदि पैरवी कराने वाले अभियुक्तों की संख्या पहले से कम हो गई, तो अदालत उसी के अनुसार वकीलों की संख्या और उनके मेहनताने में भी कमी कर देगी।

एक दिन पहले की कार्रवाई

दिल्ली षड्यन्त्र केस में सफ़ाई के सीनियर वकील के कार्य से अलग होते समय सरकारी वकील मि० ज़फ़रउल्ला ने मि० आसफ़अली की प्रशंसा की। आपने कहा कि मैं अपनी तरफ़ से और अपने सहयोगियों की तरफ़ से बोल रहा हूँ। मुझे इस बात का खेद है कि मि० आसफ़अली सरीखे योग्य और न्यायप्रिय व्यक्ति के द्वारा सबूत-पक्ष का विरोध न होगा। सबूत-पक्ष मि० आसफ़अली के सौहार्द-भाव की प्रशंसा करता है।

इसके बाद एक-एक करके यह कहते हुए कि पेशे की मर्यादा के अनुसार सीनियर वकील के साथ जूनियर वकीलों का भी अलग हो जाना आवश्यक है, जिससे कि नया सीनियर वकील अपनी इच्छा के अनुसार नए जूनियर वकील रख सके, मि० फ़रीदुलहक़ अन्सारी मि० बैनर्जी, मि० बलजीतसिंह अदालत के बाहर हो गए।

प्रेज़िडेण्ट और ट्रिब्यूनल के अन्य सदस्यों ने मि० आसफ़अली और दूसरे वकीलों से हाथ मिलाया।

आशा की जाती है कि मि० आसफ़अली की जगह सफ़ाई के सीनियर वकील के पद पर डॉ० किचलू कार्य करेंगे।

ता० ७ जुलाई को दिल्ली षड्यन्त्र केस की सफ़ाई-कमिटी की एक सभा हुई, जिसमें कमिटी तोड़ देने का निश्चय किया गया; क्योंकि अभियुक्तों ने अपनी सफ़ाई की कमिटी स्वयं ही बना ली है। सफ़ाई कमिटी की सभा में यह भी निश्चय हुआ कि कमिटी के पास जो धन है, वह अभियुक्तों के अधिकार में कर दिया जाए और सदस्य व्यक्तिगत हैसियत से ज़रूरत पड़ने पर पूर्ण सहायता देते रहें।

यह भी निश्चय हुआ कि चन्दे की रसीद-बुकें वापस ले ली जाएँ और अब तक का हिसाब प्रकाशित कर दिया जाय।

ता० ११ जुलाई को स्पेशल ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट मि० एल० सी० ह्वाइट, आई० सी० एस० ने दिल्ली षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों से कहा कि मामले की कार्रवाई अब अधिक दिनों के लिए स्थगित नहीं की जा सकती, सोमवार ता० १३ जुलाई से सुनवाई प्रारम्भ हो जायगी।

आज अभियुक्त अदालत में ११ बज कर १० मिनट पर पहुँचे थे। अदालत का कार्य ११ बज कर २५ मिनट पर प्रारम्भ हुआ। अभियुक्त पोद्दार, जोकि बीमार रह चुके थे, वे भी आज उपस्थित थे।

सरकारी वकील और सबूत-पक्ष के सब लोग उपस्थित थे, परन्तु अभियुक्तों की तरफ़ से केवल अभियुक्त कपूरचन्द के वकील एस० एन० बोस उपस्थित थे।

प्रारम्भ में प्रेज़िडेण्ट ने अभियुक्तों से पूछा कि आप लोगों ने अपने सफ़ाई के वकीलों के सम्बन्ध में क्या निश्चय किया है?

मि० वात्सायन ने उत्तर दिया—"इस सम्बन्ध में बृहस्पतिवार के दिन जो कुछ हम लोग कह चुके हैं, उससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहते।" यानी सोमवार तक अभियुक्त इस विषय में अपना कोई निश्चय बतला सकेंगे।

इस पर प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि सोमवार से कार्रवाई प्रारम्भ हो जायगी, इससे अधिक हम स्थगित नहीं कर सकते।

आज ता० १३ जुलाई को ११ बज कर २५ मिनट पर स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने दिल्ली षड्यन्त्र का मामला पेश हुआ।

प्रारम्भ में ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट ने अभियुक्तों से पूछा कि आप लोगों ने अपने वकीलों के सम्बन्ध में क्या निश्चय किया है? अभियुक्त वात्सायन ने उत्तर दिया कि हम लोगों ने अमृतसर के बैरिस्टर डॉ० सैफ़ुद्दीन किचलू को अपना सीनियर वकील चुना है। वे अपने जूनियर स्वयम् नियुक्त कर लेंगे।

प्रेज़िडेण्ट—डॉ० किचलू किस अभियुक्त की तरफ़ से पैरवी करेंगे?

वात्सायन—यह डॉ० किचलू ही बता सकेंगे?

प्रेज़िडेण्ट—वकील नियुक्त होने के पहले हमें यह मालूम हो जाना आवश्यक है कि वे किनकी तरफ़ से पैरवी करेंगे।

वात्सायन—पहले की तरह अभियुक्त ख्यालीराम गुप्त, बाबूराम गुप्त, मास्टर हरकेश, रुद्रदत्त, हरद्वारीलाल गुप्त की तरफ़ से पैरवी होगी।

प्रेज़िडेण्ट—दूसरे अभियुक्त पैरवी नहीं कराना चाहते?

वात्सायन—डॉ० किचलू के नियुक्त हो जाने के बाद सम्भव है एक या दो और अभियुक्त अपनी पैरवी कराना चाहें।

प्रेज़िडेण्ट—तो इसका तात्पर्य यह कि आप लोगों की स्थिति वही है, जो मि० आसफ़अली के समय थी।

वात्सायन—हाँ।

सफ़ाई-पक्ष का विरोध नहीं माना गया

इसके बाद प्रेज़िडेण्ट ने, मुख़बिर कैलाशपति के उस बयान के सम्बन्ध में, जोकि उसने मैजिस्ट्रेट मि० ईसर की अदालत में दिया था और जिसके ट्रिब्यूनल में पेश किए जाने में सफ़ाई-पक्ष के वकील मि० आसफ़अली और मि० बोस ने विरोध किया था, अपना हुक्म सुनाया।

ट्रिब्यूनल ने सफ़ाई के वकीलों की बात नहीं मानी और कहा कि मि० ईसर मुख़बिर कैलाशपति के बयान दर्ज करने के लिए क़ानूनन् उपयुक्त व्यक्ति थे। मि० ईसर ने मुख़बिर कैलाशपति को क्षमा भी प्रदान किया था।

इसके बाद ट्रिब्यूनल ने मुख़बिर कैलाशपति को बयान का समर्थन करने के लिए गवाह के कठघरे में पेश करने के लिए कहा।

इस पर अभियुक्त वात्सायन ने अदालत से प्रार्थना की कि जब तक अभियुक्तों के वकील नियुक्त होने की बात बिल्कुल निश्चित न हो जाय, तब तक के लिए अदालत की कार्रवाई स्थगित रक्खी जाय।

प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि इस विषय में जलपान के समय फ़ैसला दिया जायगा। तब तक वकील की अनुपस्थिति से अभियुक्तों का कोई नुक़सान न होगा, क्योंकि मुख़बिर कैलाशपति का केवल बयान पढ़ कर उसे सुनाया जायगा।

इसके बाद बयान का पढ़ना प्रारम्भ हुआ। बयान में फ़ुल्सकेप आकार के २८७ छपे हुए पृष्ठ थे। सम्भवतः वह कल के पहले न समाप्त होगा।

अभियुक्त हरकेश ने अदालत से कहा कि मैं अङ्गरेज़ी नहीं समझता, बयान हिन्दी में पढ़ कर सुनाया जाय।

प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि मूल बयान अङ्गरेज़ी में है, इसलिए वह अङ्गरेज़ी में ही पढ़ा जायगा, परन्तु उर्दू में अनुवाद कर दिया जायगा।

आज की कारंवाई का दिन बयान के पढ़ने में ही लग गया। कल भी पढ़ा जायगा।

डॉ० किचलू नियुक्त हो गए

चार बजे के बाद प्रेज़िडेण्ट ने घोषित किया, कि ट्रिब्यूनल ने अभियुक्त-पक्ष की तरफ़ से पैरवी करने के लिए डॉ० किचलू और उनके साथ दो जूनियर वकीलों के नियुक्त किए जाने का निश्चय किया है। उन्हें १२८) रु० प्रतिदिन मेहनताना मिला करेगा।

कल जलपान के बाद मुख़बिर कैलाशपति की जिरह प्रारम्भ होने की आशा है।

ता० १४ जुलाई को स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने दिल्ली षड्यन्त्र केस में सफ़ाई-पक्ष की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पेश हुआ। अभियुक्तों के वकील डॉ० किचलू और मि० एस० एन० बोस ने कहा कि जब तक इस षड्यन्त्र का फ़रार अभियुक्त हज़ारीलाल, जोकि पटना में गिरफ़्तार हुआ है, इस अदालत में न पेश किया जाय, तब तक क़ानूनन् अदालत की कारंवाई नहीं चल सकती। इस प्रश्न पर बहस के लिए कल की तारीख़ निश्चित हुई है।

प्रारम्भ में डॉ० किचलू ने ट्रिब्यूनल के सामने अपना एक वक्तव्य दिया। सीनियर वकील नियुक्त करने के लिए ट्रिब्यूनल को धन्यवाद देते हुए आपने कहा कि मैं अदालत के अन्दर अच्छे वायुमण्डल बनाए रखने और अदालत के गौरव की रक्षा करने में पूर्ण सहयोग दूँगा। मुझे विश्वास है कि मेरे मवक्किल भी, जोकि शिक्षित और अच्छी हैसियत के आदमी हैं, मेरा सहयोग करेंगे। इसके बाद आपने अदालत से, जिरह प्रारम्भ करने के पहले, कुछ समय देने की प्रार्थना की। आपने कहा कि मुझे इस केस का अध्ययन और साथ ही अमृतसर के क़ई ख़ून के मामलों का प्रबन्ध भी करना है।

मेहनताना के विषय में आपने कहा कि मैं इस सम्बन्ध में अपना घोर विरोध प्रकट करना चाहता हूँ। मैं अपने लिए रुपया नहीं चाहता। परन्तु मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि सरकार को इस मामले में उचित और न्यायशील होना चाहिए था। सफ़ाई और सबूत के वकीलों में किसी प्रकार का पक्षपातपूर्ण भेद न करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह या तो सबूत और सफ़ाई के वकीलों को बराबर-बराबर फ़ीस दे या बिलकुल न दे और अभियुक्तों से अपनी सफ़ाई का प्रबन्ध अपने आप कर लेने के लिए कह दे।

मि० एस० एन० बोस की उस अर्ज़ी के सम्बन्ध में, जोकि आपने फ़रार अभियुक्त हज़ारीलाल के अदालत में पेश किए जाने के लिए दी है, डॉ० किचलू ने कहा कि मि० बोस ने उस अर्ज़ी में जो कुछ कहा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। मि० एस० एन० बोस की अर्ज़ी इस प्रकार है:—

(१) इस षड्यन्त्र केस में बहुत से ऐसे अभियुक्तों पर भी मामला चल रहा है, जोकि फ़रार कहे जाते हैं, और जिनमें एक हज़ारीलाल भी हैं।

(२) हज़ारीलाल पटना में गिरफ़्तार हो गए हैं और ऐसा विश्वास किया जाता है कि बाँकीपुर जेल में बन्द हैं।

(३) दफ़ा ५१२ के अनुसार अब हज़ारीलाल के विरुद्ध उनकी अनुपस्थिति में कोई कारंवाई होना अनुचित है।

इसलिए प्रार्थना की जाती है कि अदालत या तो सबूत-पक्ष को हज़ारीलाल के इस अदालत में पेश करने का हुक्म दे या पटना के मैजिस्ट्रेट के पास अपना वारण्ट भेज दे कि अभियुक्त हज़ारीलाल इस अदालत में पेश किया जाय। तब तक के लिए अदालत की कारंवाई स्थगित रक्खी जाय।

दूसरी अर्ज़ी

मि० एस० एन० बोस ने एक दूसरी अर्ज़ी भी पेश की। अर्ज़ी इस प्रकार है:—

(१) इस षड्यन्त्र केस में सबूत की ओर से बहुत से काग़ज़ और किताबें पेश की गई हैं, जिन्हें अदालत ने मुख़बिर कैलाशपति के बयान के अनुसार मिसिल में दर्ज कर लिया है।

(२) इनमें से कोई भी काग़ज़ या उसका कोई भी हिस्सा पढ़ कर सुनाया नहीं गया। इवीडेन्स ऐक्ट की दफ़ा ३१ में और लाहौर हाईकोर्ट के नियमों में इस तरह के काग़ज़ों के पढ़ कर सुनाने का नियम है।

(३) बिना इन काग़ज़ों या उन काग़ज़ों के मुख्य अंशों को पढ़ कर सुनाए सफ़ाई-पक्ष के लिए यह जानना असम्भव है कि सबूत-पक्ष किस आधार पर अपने पक्ष का समर्थन करना चाहता है। बिना पढ़ कर सुनाए काग़ज़ों को प्रमाणित समझ कर मिसिल में दर्ज करते जाना ग़ैर-क़ानूनी और हाईकोर्ट के नियमों के विरुद्ध है।

सफ़ाई-पक्ष के लिए मुख़बिर कैलाशपति की जिरह के पहले यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि सबूत-पक्ष ने पेश किए गए काग़ज़ों के किन अंशों को अपने पक्ष का आधार बनाया है।

इसलिए अदालत से प्रार्थना है कि वह सबूत-पक्ष को काग़ज़ों के उन अंशों को क़ानून के अनुसार पढ़ कर सुनाने का हुक्म दे, जिनको सबूत-पक्ष ने अपने पक्ष का आधार बनाया है।

हज़ारीलाल के सम्बन्ध में अर्ज़ी पेश करते हुए मि० बोस ने अदालत से कहा कि हज़ारीलाल बाँकीपुर जेल में है। अदालत पटना के मैजिस्ट्रेट के पास हज़ारीलाल को दिल्ली भेज देने के लिए एक तार भेज सकती है। दफ़ा ५१२ के अनुसार उसके विरुद्ध अब कोई कारंवाई नहीं हो सकती।

प्रेज़िडेण्ट—दफ़ा ५१२ के अनुसार होने वाली कारंवाइयाँ समाप्त हो चुकी हैं।

मि० बोस—फ़रार अभियुक्त के गिरफ़्तार होने तक दफ़ा ५१२ के अनुसार होने वाली कारंवाइयाँ समाप्त नहीं होतीं। आपने कहा कि इस विषय में क़ानून बिलकुल स्पष्ट है। ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा ३५३ के अनुसार गवाहों के बयान होने के समय अभियुक्तों की उपस्थिति आवश्यक है। अभियुक्तों की अनुपस्थिति से कारंवाई ग़ैर-क़ानूनी हो जाती है।

इस पर ट्रिब्यूनल के एक सदस्य ख़ाँ बहादुर अमीर-अली ने कहा—क्या हज़ारीलाल के विषय में आपने अख़बारों से जानकारी हासिल की है?

मि० बोस—अख़बारों और व्यक्तियों, दोनों से।

रायबहादुर कुँवर सेन—क्या हज़ारीलाल की अनुपस्थिति में कारंवाई ग़ैर-क़ानूनी हो जायगी?

मि० बोस—हाँ।

चौधरी ज़फ़रुल्ला—बिल्कुल नहीं।

रायबहादुर कुँवर सेन—मान लीजिए हज़ारीलाल पर से मामला उठा लिया गया।

मि० बोस—तब परिस्थिति दूसरी हो जायगी।

आपने कहा कि हज़ारीलाल की अनुपस्थिति में अदालत की कारंवाई उसी क्षण से ग़ैर-क़ानूनी हो जाती है, जिस क्षण ट्रिब्यूनल के सामने मैंने यह सूचना दी कि हज़ारीलाल अदालत में पेश किया जा सकता है।

सरकारी वकील—कारंवाई ग़ैर-क़ानूनी हो जाने का ख़तरा स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ।

इस पर ट्रिब्यूनल ने मुख़बिर की जिरह स्थगित कर दी, जोकि जलपान के बाद प्रारम्भ होने वाली थी। मुख़बिर का बयान, जोकि पढ़ा जा रहा था, आज समाप्त हो गया।

कल मि० बोस की अर्ज़ी पर बहस होगी।

(क्रमशः)

* * *

चाह

[श्री० अनन्तप्रसाद जी वर्मा, विद्यार्थी]

नहीं चाह है रही हमें अब,
मणि-मुक्तावलि के पाने की,
या रत्नों की विपुल खानि—
तक के अधिकारी बन जाने की।

❀

नहीं खोजते हम ईश्वर को,
घूम-घूम करके वन-वन में,
नहीं चाहते कभी देखना
स्वर्गिक सुख को हम जीवन में।

❀

सारी सुख की चाहें हमारी,
देवि! चढ़ चुकीं बलि-वेदी पर,
क्षुधा, तृषा, मन की चञ्चलता,
पा सकती अधिकार न हम पर।

❀

हमें चाह है केवल तुझको
हे स्वतन्त्रते पा जाने की,
तेरे कोमल कर-स्पर्श से,
पावन तन-मन हो पाने की!

❀

मन ही मन में आज तुम्हारी,
बैठ प्रतीक्षा हम करते हैं,
सोच तुम्हारा देवि! आगमन,
हम सुख-सागर को तरते हैं।

❀

लाहौर षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

लगभग १५ रोज़ स्थगित रहने के बाद तारीख़ ११ जुलाई को, स्पेशल ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट मि० एच० ए० सी० ल्लैकर के श्रीनगर से लौहार आ जाने पर, जोकि झेलम नदी में बाढ़ आ जाने के कारण रुक गए थे, दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस की सुनवाई फिर से प्रारम्भ हुई।

आज अभियुक्त एक वर्दी में केसरी रङ्ग के साफ़े बाँधे, भूरी रङ्ग की कमीज़ें और नीले रङ्ग के निकर पहने अदालत में उपस्थित हुए।

कार्रवाई प्रारम्भ होने पर सब से पहले सबूत की ओर से फ़िरोज़पुर शस्त्रागार के केप्टेन मिलर की गवाही हुई। कैप्टेन मिलर ने अपनी गवाही में कहा कि अमृतसर रेलवे स्टेशन की सराय में मैंने एक बम की परीक्षा की थी। मैंने उसे छुआ नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि छूने से कहीं भड़क न उठे।

इसके बाद अमृतसर के सरयाली पुलीस-चौकी के सब-इन्स्पेक्टर ज़ुलफ़िक़ारअली शाह की गवाही हुई। ज़ुलफ़िक़ारअली शाह जून सन् १९३० में सिविल लाइन्स के हल्क़े में थे। आपने अपनी गवाही में कहा कि १९ जून सन् १९३० को सवेरे साढ़े ६ बजे सराय रनजोधसिंह के मुन्शी अब्दुल हकीम ने पुलीस-चौकी में आकर कहा कि सराय के दूसरे नम्बर के कमरे में एक बम फटने की घटना हुई है। उसने कहा कि रात में एक नवयुवक ने उस कमरे को किराए पर लिया था। बम फटने के बाद कमरे को धुएँ से भरा हुआ देख कर वह नवयुवक सराय से चला गया। घटना की रिपोर्ट लिख लेने के बाद मैं सराय गया, वहाँ कमरे से धुआँ निकल रहा था। ताला खोल कर अन्दर देखने से मालूम हुआ कि दीवार पर नुक़सान पहुँचा है। इस बात से मैंने अनुमान किया कि कोई बम की घटना हुई है। मैंने कमरे की आलमारी में एक काली सन्दूक़ में एक और बम रक्खा हुआ देखा था। मैंने देखा कि काली सन्दूक़ के नीचे कुछ काग़ज़ भी रक्खे हुए हैं। मैंने किसी व्यक्ति को उसे छूने नहीं दिया। इसके बाद मि० नील तथा दूसरे अफ़सरों ने आकर घटनास्थल और बम का निरीक्षण किया। मैंने ज़मीन पर बिखरी हुई कीलों को एकत्र करके उनकी एक लिस्ट तैयार कर ली। इसके बाद गवाह ने अदालत में पेश एक कमीज़ और एक काली सन्दूक़ की शनाख़्त की।

सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि सराय के रजिस्टर को मैंने घटना के कुछ दिन बाद क़ब्ज़े में किया था। एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि रजिस्टर में जहाँ तक लिखा जा चुका था, उसके आख़ीर में मेरे दस्तख़त नहीं हैं।

इसके बाद रनजोधसिंह-सराय के मैनेजर अब्दुल हकीम क़ुरेशी की गवाई हुई। आपने कहा कि रजिस्टर में सराय में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम लिख लिया जाता है। १८ जून को सराय में एक नवयुवक आया था, उसका नाम रजिस्टर में लिख लिया गया था। मैं उस नवयुवक को पहले से नहीं जानता था। वह २ नम्बर के कमरे में ठहरा था। वह सूर्यास्त के समय अकेले आया था। उसके आने के कुछ मिनटों बाद एक सिक्ख भी आया था, जोकि उसके कमरे में चला गया। वह सिक्ख रात में नहीं रहा, क़रीब पौन घण्टा के बाद वह चला गया था।

इसके बाद गवाह ने कहा कि दूसरे दिन सवेरे क़रीब ६ बजे २ नम्बर के कमरे में एक बम फटा। मैंने कमरे के अन्दर से बहुत अधिक धुआँ निकलते हुए देखा। इसके बाद मैंने इस मामले की पुलीस में रिपोर्ट कर दी।

गवाह की जिरह के बाद सुनवाई स्थगित हो गई।

आज स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अभियुक्त सुखदेवराज की भी पेशी हुई थी।

सुखदेवराज के अलग एकान्त कोठरी में रक्खे जाने के सम्बन्ध में हाईकोर्ट में जो अर्ज़ी पेश की गई थी, उसके फ़ैसले के अनुसार ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट ने सरकार के नाम एक नोटिस निकालने की सूचना दी।

अभियुक्त के वकील लाला श्यामलाल एडवोकेट ने अदालत से नोटिस के जवाब के लिए शीघ्र तारीख़ रखने की प्रार्थना की। आपने कहा कि अभियुक्त को एकान्त कोठरी में रखते एक महीना से अधिक का समय हो गया है।

इसके बाद अदालत ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सेन्ट्रल जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट के द्वारा सरकार को नोटिस दी कि अभियुक्त सुखदेवराज ने एकान्त कोठरी में रक्खे जाने के सम्बन्ध में जो शिकायत की है, वह ठीक है या नहीं और उसका इस प्रकार रक्खा जाना क़ानून से उचित है या नहीं। इस बात का उत्तर देने के लिए अदालत ने १८ तारीख़ नियत की है।

ता० १२ जुलाई को लाहौर षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अमृतसर सराय की बम-घटना के सम्बन्ध में गवाही जारी रही।

सफ़ाई के वकील मि० अमोलकराम कपूर ने अमृतसर रेलवे स्टेशन के क़ुली फ़ज़ल मुहम्मद से बहुत देर तक जिरह की। गवाह ने कहा कि जब रेलवे स्टेशन से सराय की तरफ़ मैं दो नवयुवकों का सामान लिए हुए जा रहा था, तब रास्ते में मुझे केवल एक सिक्ख मिला था। मैं नहीं जानता कि पुलीस ने अपने बयान में दो सिक्ख क्यों बतलाए हैं। मैं उसी ट्रेन से आया था, जिस ट्रेन से सराय के मुन्शी लाहौर फ़ोर्ट में उन नवयुवकों की शनाख़्त करने के लिए आए थे। इसके पहले मैं मुन्शी को नहीं जानता था। मुझे याद है कि शनाख़्त की कार्रवाई के समय मुझे बुलाने के लिए पुलीस का एक आदमी गया था। मैंने रेल का ख़र्च अपनी जेब से दिया था, परन्तु बाद में शनाख़्त की कार्रवाई हो जाने के बाद पुलीस ने मुझे रेल का ख़र्च दे दिया। शनाख़्त के समय मैंने मैजिस्ट्रेट से कहा था, कि इन्हीं लोगों का सामान मैंने स्टेशन से सराय तक पहुँचाया था।

अमृतसर रेलवे स्टेशन के एक दूसरे क़ुली, चनन-दीन ने कहा कि मैंने फ़ज़ल मुहम्मद को दो नवयुवकों के साथ उनका सामान ले जाते हुए देखा था।

जब गवाह से उन दो नवयुवकों की शनाख़्त करने के लिए कहा गया, तो उसने अभियुक्तों के कठघरे में ग़लत व्यक्तियों को बतलाया, जोकि अभियुक्त जय-प्रकाश और हरनामसिंह थे।

अदालत ने गवाह से पूछा कि क्या तुम्हें इस बात का निश्चय है कि फ़ज़ल मुहम्मद के साथ तुमने इन्हीं दो नवयुवकों को देखा था?

मि० श्यामलाल ने इस प्रश्न के पूछने का विरोध किया और कहा कि यह बिल्कुल झूठा गवाह है।

अदालत ने मि० श्यामलाल की बात नहीं मानी।

गवाह ने कहा कि समय बहुत अधिक हो गया है, इसलिए मुझे निश्चय नहीं है।

इसके बाद मि० श्यामलाल और मि० अमोलक-राम ने गवाह से जिरह की।

सम्बन्धियों से मिलने का प्रश्न

मि० श्यामलाल ने कहा कि अभियुक्तों ने अदालत से प्रार्थना की थी कि गुजरानवाला से आए हुए सबूत के गवाहों की गवाही होने के पहले उन्हें उनके रिश्तेदारों से मिलने की इजाज़त दे दी जाय। अभियुक्त अपने रिश्तेदारों से मिल कर अपने शनाख़्त के सम्बन्ध में कुछ सलाह करना चाहते थे। अदालत से मेरी प्रार्थना है कि गुजरानवाला के गवाहों की गवाही तब तक के लिए स्थगित रक्खी जाय, जब तक कि अभियुक्त अपने रिश्तेदारों से न मिल लें।

अदालत ने अभियुक्तों की प्रार्थना मान ली और अभियुक्तों से उनके रिश्तेदारों के मिलने के लिए कल की तारीख़ नियत की। तब तक गुजरानवाला के गवाहों की गवाही स्थगित रक्खी जायगी।

सरकारी वकील रायबहादुर पं० ज्वालाप्रसाद ने कहा कि मुझे अदालत की आज्ञा में कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु मेरी प्रार्थना है कि गुजरानवाला के गवाहों में से एक गवाह की गवाही हो जाने के लिए आज्ञा दे दी जाय। वह गवाह विशेष महत्वपूर्ण नहीं है और उससे अभियुक्तों की शनाख़्त की कार्रवाई से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अदालत ने सरकारी वकील की बात नहीं मानी और अपने पहले के निश्चय पर दृढ़ रही।

मुख़बिरों की गवाही

इसके बाद सफ़ाई के वकील ने मुख़बिर सरनदास और शिवराम की गवाही तुरत ही प्रारम्भ कर देने के लिए अदालत के सामने एक अर्ज़ी पेश की। अर्ज़ी इस प्रकार थी :—

(१) सी० आई० डी० पुलीस के आदमी मुख़बिरों पर बेजा दबाव डालने के लिए जैसी-जैसी धमकियाँ और यातनाएँ दे रहे थे, उसके सम्बन्ध में इस अदालत के सामने एक अर्ज़ी पेश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि मुख़बिरों की गवाही तब तक के लिए स्थगित रक्खी जाय, जब तक कि हाईकोर्ट से इन ज़्यादतियों के रोकने का कोई उपाय न कर दिया जाय। उस अर्ज़ी के अनुसार इस अदालत ने ८ जुलाई तक के लिए मुख़बिरों की गवाही स्थगित कर दी थी।

(२) हाईकोर्ट ने अभियुक्तों की अर्ज़ी पर ८ जुलाई, सन् १९३१ को अपना फ़ैसला सुना दिया था।

(३) सबूत-पक्ष अन्य गवाहों की गवाहियाँ ले रहा है, परन्तु मुख़बिरों की गवाही जान-बूझ कर रोके हुए है।

(४) अभियुक्तों को इस बात का भय है कि पुलीस इस बीच में मुख़बिरों पर पहले की ही तरह बेजा दबाव डालने का प्रयत्न कर रही है। बेगुनाह व्यक्तियों के विरुद्ध मुख़बिरों के विचार-स्वातन्त्र्य में बिल्कुल अनुचित और ग़ैर-क़ानूनी दबाव डाल कर न्याय के मार्ग में बाधा उपस्थित की जा रही है।

(५) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बोर्स्टल जेल के असिस्टेण्ट जेलर और एक दूसरे पुलिस-अफ़सर के विरुद्ध, जिसने असिस्टेण्ट जेलर की साजिश से जेल में मुख़बिर मदनगोपाल से ग़ैर-क़ानूनी ढङ्ग से भेंट की थी और जिनके विरुद्ध अदालत ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से प्रिज़न

पुलट के अनुसार क़ानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा था, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की।

(६) अभियुक्तों में से रावलपिण्डी वाले अभियुक्त बहुत अधिक समय से हिरासत में हैं। उन्हें जहाँ तक हो, जल्दी यह मालूम हो जाना आवश्यक है कि सबूत-पक्ष ने उनके विरुद्ध क्या दोषारोपण किए हैं।

(७) इस अर्ज़ी में लिखी उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तों की प्रार्थना है कि अदालत उन मुख़बिरों के पेश करने और उनकी गवाही प्रारम्भ कर देने का शीघ्र हुक्म जारी कर दे, जिनकी गवाही अभी नहीं हुई।

अर्ज़ी पर बहस सुन लेने के बाद अदालत ने अर्ज़ी ख़ारिज कर दी।

जेल में मुलाक़ात और सरकारी गवाह

अभियुक्तों की ओर से ट्रिब्यूनल के सामने एक और अर्ज़ी पेश की गई, जिसमें कहा गया था कि पहले अभियुक्त अपने सम्बन्धियों से जेल के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट के ऑफ़िस में किसी जेल-अधिकारी की उपस्थिति में मिला करते थे, परन्तु कल सरदार अमरीकसिंह और सरदार गुलाबसिंह से कहा गया कि वे अपने सम्बन्धियों से सीख़चों के अन्दर से मिल सकते हैं। सीख़चों के अन्दर से मिलने की यह जगह जेल के सामने की मुख्य सड़क से साफ़ दिखलाई पड़ती है। मिलने के लिए यह जगह बिल्कुल अनुचित और असुविधाजनक थी। अभियुक्तों के सम्बन्धियों को, जिनमें स्त्री-पुरुष और बच्चे सभी थे, इस गर्मी के ऋतु में धूप में बाहर खड़े रहना पड़ा। इस प्रकार की मुलाक़ातों का उद्देश्य सबूत के गवाहों को अभियुक्तों को पहचानने का मौक़ा देना था।

अभियुक्तों को लाहौर फ़ोर्ट में जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर उपरोक्त बातों की शङ्का की गई है।

सरदार अमरीकसिंह और सरदार गुलाबसिंह ने सीख़चों के अन्दर से जेल के फाटक पर डॉ० एस० पी०, सरदार प्रतापसिंह और कोर्ट-इन्स्पेक्टर मि० केदारनाथ को गुजरानवाला के दो सबूत के गवाहों के साथ खड़े हुए देखा था। इन्हीं गवाहों ने उपरोक्त दोनों अभियुक्तों की लाहौर के क़िले में शनाख़्त की थी। यह सब देख कर अभियुक्तों को सी० आई० डी० के आदमियों की चाल की आशङ्का हो गई, इसलिए उन्होंने इन परिस्थितियों में अपने सम्बन्धियों से मिलना इन्कार कर दिया। अभियुक्तों की प्रार्थना है कि अदालत अभियुक्तों को जेल के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट के दफ़्तर में हफ़्ते में दो बार अपने सम्बन्धियों से मिलने की इजाज़त दे।

अदालत ने यह अर्ज़ी मन्ज़ूर कर ली और जेल-अधिकारियों को डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट के ऑफ़िस में मुलाक़ात का प्रबन्ध करने के लिए हिदायत दी।

इसके बाद अदालत स्थगित हो गई।

ता० १६ जुलाई को दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में और सबूत के गवाहों की गवाही हुई।

गुजरानवाला के ताँगा हाँकने वाले ने अपनी गवाही में कहा कि जून सन् १९३० में मैंने ब्रह्म-अखाड़ा में बम-घटना का समाचार सुना था। बम-घटना के दूसरे दिन पुलीस ने बुला कर मुझसे पूछा कि क्या तुम अपने ताँगे में दो सिक्खों को स्टेशन से लेकर ब्रह्म अखाड़ा गए थे? मैंने कह दिया—हाँ, मैं अपने ताँगे में लेकर गया था।

इसके बाद गवाह से थोड़ी देर के लिए अदालत के बाहर चले जाने के लिए कहा गया। इधर अदालत में कुछ सिक्ख नवयुवक अभियुक्तों की सी पोशाक पहना कर अभियुक्तों के साथ खड़े कर दिए गए। फिर गवाह को बाहर से बुला कर अदालत ने उससे उन दो सिक्ख नवयुवकों की शनाख़्त करने के लिए कहा, जिनको वह स्टेशन से ताँगे पर ब्रह्म-अखाड़ा ले गया था। गवाह शनाख़्त नहीं कर सका। उसने कहा कि वे नवयुवक इन अभियुक्तों में नहीं हैं। इसी गवाह ने मैजिस्ट्रेट की अदालत में उनकी शनाख़्त की थी।

जिरह करने पर गवाह ने कहा कि हाँ, यह बात ठीक है, कि मेरा नाम पुलीस में बदमाशों के रजिस्टर में लिखा है।

इसके बाद ट्रिब्यूनल के एक सदस्य मि० सलीम के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैं इन अभियुक्तों की शनाख़्त इसलिए नहीं कर सका, कि वे सिक्खों में मिला दिए गए हैं और उनकी पोशाकें एक सी हैं। क़िले में शनाख़्त करते समय अभियुक्त एक तरह की पोशाक में नहीं थे और जो बाहरी व्यक्ति उनके साथ मिला दिए गए थे, उनमें अधिकांश सिक्ख नहीं थे। गवाह ने कहा कि वे कई दलों में करके खड़े किए गए थे, वे यहाँ की तरह एक लाइन में नहीं खड़े किए गए थे।

पुजारी का बयान

ब्रह्म-अखाड़ा के पुजारी मोहकमचन्द ने कहा कि १६ जून सन् १९३० को ब्रह्म-अखाड़ा के ६ नम्बर के कमरे में एक बम फटा था। कमरा खोलने पर वह धुआँ से भरा हुआ पाया गया और अन्दर से गन्धक की बू आ रही थी। मैं इस घटना की रिपोर्ट करने के लिए ब्रह्म-अखाड़ा ट्रस्ट के संयुक्त मन्त्री के पास गया। वहाँ से लौटने पर मैंने देखा कि बहुत से पुलीस अफ़सर मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर भी घटना-स्थल पर मौजूद थे। मैंने सुना कि मेरे जाने के बाद उसी कमरे में एक और बम फटा था, जिससे एक पुलीस अफ़सर घायल हो गया। वह पुलीस अफ़सर मेरे सामने अस्पताल पहुँचाया गया। गवाह ने कहा कि इस कमरे में दो सिक्ख नवयुवक ठहरे थे। वे १७ जून, सन् १९३० को आए थे।

इसके बाद गवाह ने कहा कि मैंने लाहौर फ़ोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने इन दो सिक्ख नवयुवकों की शनाख़्त की थी। पुलीस ने इन नवयुवकों को शनाख़्त की कार्रवाई के तीन दिन पहले मुझे लाहौर में पुलीस की हिरासत में दिखला दिया था। सब-इन्स्पेक्टर ने इन नवयुवकों को दिखलाते हुए मुझसे कहा था कि अच्छी तरह देख लो, शनाख़्त करनी होगी।

सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि यह गवाह सबूत-पक्ष के विरुद्ध हो गया है, इसलिए इससे जिरह करने की आज्ञा दी जाय।

सफ़ाई के वकील मि० अमोलकराम ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि किसी गवाह के सबूत-पक्ष के विरुद्ध कुछ कह देने से ही वह गवाह सबूत-पक्ष के विरुद्ध नहीं हो जाता। परन्तु अदालत ने सरकारी वकील को जिरह करने की आज्ञा दे दी।

सरकारी वकील की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि लाहौर फ़ोर्ट में शनाख़्त की कार्रवाई प्रारम्भ होने के पहले मुझे एक पुलीस अफ़सर लाहौर ले आया था। उसी ने मेरे टिकट का मूल्य दिया था और मेरे भोजन का प्रबन्ध किया था। जिस पुलीस चौकी में यह अफ़सर मुझे ले गया था और अभियुक्तों को दिखलाया था, उसके सामने एक कुआँ है। मैं अदालत को वह जगह बतला सकता हूँ।

गवाह को मिठाइयाँ और फल दिए गए

गवाह ने कहा कि पुलीस से बहुत डरने के कारण मैंने उस पुलीस अफ़सर के साथ गुजरानवाला से लाहौर आने में इन्कार नहीं किया। गुजरानवाला से लाहौर आते समय तीन और गवाह मेरे साथ थे, जिनमें एक ताँगा हाँकने वाला मेहरदीन, लक्ष्मीदास और ब्रह्म-अखाड़ा के मैनेजर थे। साथ में एक कॉन्स्टेबिल भी था। हम लोग एक कमरे में बैठा दिए गए थे, वहीं अभियुक्त लाकर दिखलाए गए। इसके बाद हम लोगों को वापस जाने का टिकट-ख़र्च दे दिया गया। तीसरे दिन हम लोग अभियुक्तों की शनाख़्त करने के लिए फिर बुलाए गए। जिस पुलीस अफ़सर ने हम लोगों को अभियुक्तों को दिखलाया था, वही रेलवे स्टेशन पर हम लोगों को लेने के लिए मौजूद था। उसके साथ एक मैजिस्ट्रेट भी थे।

प्रश्न—तुमने यह बात मैजिस्ट्रेट से क्यों नहीं बतलाई?

उ०—मैजिस्ट्रेट ने मुझसे कुछ पूछा नहीं, इससे मैंने उनसे कुछ नहीं कहा।

प्र०—क्या आज तुम अदालत में इस बात को प्रकट करने के इरादे से आए थे?

उ०—नहीं, अगर मुझसे यह बात न पूछी जाती तो मैंने इसको प्रकट न किया होता।

मि० सलीम—सरकारी वकील के किस प्रश्न के उत्तर में तुम्हें इन बातों को प्रकट करना पड़ा?

गवाह—सरकारी वकील ने प्रश्न किया कि मैजिस्ट्रेट के सामने अभियुक्तों की शनाख़्त करते समय तुम्हें यह निश्चय था कि तुम अभियुक्तों की ठीक शनाख़्त कर रहे हो? इसके उत्तर में मैंने कहा कि अभियुक्त मुझे पहले से दिखला दिए गए थे। मैंने थाने में अभियुक्तों को केवल पाँच मिनट तक देखा था।

इसके बाद सरकारी वकील ने गवाह से उन अभियुक्तों की शनाख़्त करने के लिए कहा, जोकि उसे पुलीस चौकी में दिखलाए गए थे। गवाह कठघरे के पास गया और चारों तरफ़ देख कर कहा कि मैं अभियुक्तों की शनाख़्त नहीं कर सकता।

इस पर अदालत ने सरदार अमरीकसिंह और सरदार गुलाबसिंह को खड़े होने के लिए कहा और गवाह से उनकी ओर सङ्केत करते हुए पूछा कि ये वही व्यक्ति हैं या नहीं, जिनको पुलीस ने तुम्हें दिखलाया था? गवाह ने कहा, हाँ ये वही व्यक्ति हैं। सरदार अमरीकसिंह की ओर इशारा करते हुए गवाह ने कहा कि सम्भवतः मैंने इसी व्यक्ति को ब्रह्म-अखाड़ा से १६ जून को सवेरे निकलते हुए देखा था।

मि० सलीम के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैं नहीं कह सकता कि अदालत में सरदार अमरीकसिंह और सरदार गुलाबसिंह की शनाख़्त मैं क्यों नहीं कर सका। गवाह ने कहा कि लाहौर फ़ोर्ट में शनाख़्त की कार्रवाई के समय अभियुक्तों की पोशाकें भिन्न प्रकार की थीं, इस समय उनकी पोशाकें एक सी हैं।

इसके बाद अदालत स्थगित हो गई।

(क्रमशः)

* * *



[हिज़ होलीनेस श्रीवृकोदरानन्द विरूपाक्ष]

गाँधी-इर्विन समझौते के बाद का, कल्याणवरेषु 'भविष्य' और परम कल्याणीया श्रीमती पुलिस का तीसरा प्रेमालाप, गत शुक्रवार को दिन-दहाड़े सम्पन्न हुआ। श्री० भुवनेश्वर प्रसाद जी मिश्र, एम० ए० की बाँकी अदा पर तो श्रीमती मानो पहले से ही मुग्ध थीं। बस एकाएक आईं और ले उड़ीं, जैसे इन्द्र-सभा वाले इन्द्र के अखाड़े की लाल परी ले उड़ी थी, हज़रत गुलफ़ाम को चारपाई समेत !

❀

बात यह है कि लाट साहब से लेकर सिकत्तर साहब तक, सभी गाँधी-इर्विन समझौते को सफल बनाने में लगे हैं, तो हमारी कल्याणीया जी क्यों अपना जौहर दिखाने से बाज़ आएँ ? यह ही तो मौक़ा है, ये 'जवानी की रातें और उमङ्गों के दिन' क्या इस जहानेफ़ानी में सदा बने रहेंगे ? यही सोच कर श्रीमती जी ताबड़तोड़ दो हाथ खेल कर दिल का अरमान पूरा कर रही हैं। माशा अल्लाह, इनकी दूरन्देशी पर हिज़ होलीनेस दिलोजान से फ़िदा हो रहे हैं !

❀

और इनकी राय है कि आगामी गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में, ब्रिटिश व्यवसायियों के 'सेलफ़गार्ड' की तरह श्रीमती पुलिस को भी ताक़यामत खुल कर खेलने का 'चार्टर' मिल जाना चाहिए। साथ ही 'भविष्य' के अभिभावक श्री० सहगल जी से हिज़ होलीनेस का साग्रह अनुरोध है कि जाति-पाँति और तिलक-दहेज़ का ख़्याल छोड़ कर, एक दिन शुभ मुहूर्त्त में श्रीमती जी के साथ अपने श्रीमान ('भविष्य') का गँठ-बन्धन करा दें। माशा अल्लाह, यह जोड़ी गङ्गा और मदार की जोड़ी से कम दिलचस्प न होगी।

❀

यह ठीक है कि ऐसा करने से यह आए दिन की 'मासिक चहल-पहल' ज़रा फीकी पड़ जाएगी। परन्तु दिल पर हाथ रख कर ज़रा यह भी तो सोचने की बात है कि आख़िर यह 'कोर्टशिप' कब तक चलता रहेगा ? यह ताक-झाँक, यह सतर्कता, यह यार की गलियों की हेरा-फेरी और बक़ौल हज़रत 'नूह' नारवी, यह 'प्रेम की पेंगें' कब तक जारी रहेंगी ?

❀

इसके सिवा जनाब आली, ऐसी सुशीला और गुणवती 'बहू' पाने का प्रलोभन भी तो कुछ कम नहीं। माशा अल्लाह आँगन की रौनक़ बढ़ जाय और छमछम की श्रुति-मधुर ध्वनि से सारा कोना-कोना गूँज उठे। इसलिए अपने राम को तो अगर ऐसा सुयोग प्राप्त हो तो, क़सम ख़ुदा की, शारदा-क़ानून तोड़ कर अपने छोटे लल्ला की तीन शादियाँ कर डालें।

❀

यमराज-सहोदर दादा सर माइकेल ओडायर को कोई कैसे भूल सकता है ? एक साथ ही टोकरी भर कालों को शयन-सदन भेज कर जो अटल कीर्ति और अलौकिक सुयश आपने प्राप्त किया था, वह ब्रिटेन-वंश में शायद ही किसी को प्राप्त हुआ हो ! मासूम और शीरख़्वार बच्चे तक भी आप की कृपा-वारि की वर्षा से वञ्चित नहीं हुए थे। इसीलिए आज भी आप अपने उस पुराने पुण्य-कार्य का स्मरण कर पुलकित हो उठते हैं और समय-समय पर उसी नाते बूढ़े भारत को याद कर लिया करते हैं। प्रेम की आग वास्तव में बहुत दिनों तक सुलगा करती है।

❀

आपकी राय है कि भारत के भावी शासन-विधान में ब्रिटेन के हितों की रक्षा की जाए और भारतीय शासन की बागडोर सदैव ब्रिटिश पार्लामेण्ट के हाथों में रहे। बस, यही सम्मति श्री० १,००८ हिज़ होलीनेस की भी है। जब 'भुँईफोड़' शासनकर्त्री श्रीमती पार्लामेण्ट मौजूद ही हैं तो कोई आवश्यकता नहीं कि यह कार्य किसी ग़ैर को सौंपा जाए।

❀

फिर ये काले-कलूटे भारतवासी कौन होते हैं, इस देश के ! आपको मालूम नहीं जनाब, जिस तरह अङ्गरेज़ इङ्गलिस्तान से यहाँ आए थे, उसी तरह ये काले भी मङ्गोलिया से यहाँ आए थे—अन्ततः चचा हण्टर की तो यही राय है। तो फिर आप ही 'ईमान और धरम' से बताइए कि इन्हें इस देश में रहने का क्या हक़ है और ये क्यों स्वराज्य या स्वतन्त्रता के लिए चिल्ल-पों मचा रहे हैं ?

❀

बस, यही वजह श्रीजगद्गुरु जी का यह फ़तवा है कि कालों की जान और माल का 'सोल प्रोप्राइटरशिप' दादा सर माईकेल ओडायर को दे दिया जाए, या वे कृपा करके जैसी कुछ सलाह दें, उसीके अनुसार कार्य किया जाए। क्योंकि उन्होंने भारत का केवल नमक ही नहीं खाया है, वरन् भारतवासियों का ख़ून भी बहवाया है। इसलिए इनके भाग्य का फ़ैसला करने का जैसा कुछ हक़ आपको हासिल है, वैसा किसी के बाप को भी हासिल नहीं।

❀

बनारसी 'आज' को सूचना मिली है कि सरकार ने बनारस ज़िले के परगनापतियों को 'प्रेम-प्रचार' का कार्य सौंपा है। आज्ञा मिली है कि दो महीने तक सब काम छोड़ कर ज़मींदारों और किसानों में समझौता करावें। बैठे-ठाले परगनापतियों के लिए यह 'दूती'-कार्य बुरा नहीं ! और आशा है कि वे इसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। क्योंकि कवियों के कथनानुसार बरसात में प्रेम में 'फचफचाहट' भी ख़ूब आ जाती है।

❀

अच्छा आइए, ज़रा मुँह मीठा करने की बातें सोचें। मान लीजिए कि नरकटिया एक छोटा सा गाँव है। वहाँ आज प्रेम-प्रचार के उद्देश्य से परगनापति अर्थात् श्रीमान डिप्टी साहब आने वाले हैं। तहसीलदार साहब ने क़ानूनगो साहब के पास पहले ही ख़बर भेज दी है और क़ानूनगो साहब ने पटवारियों को हिदायत कर दी है। कहीं से दूध के मटके चले आ रहे हैं और कहीं से दही की हाँडियाँ; कोई असबाब लाने के लिए पकड़ा जा रहा है और कोई घोड़े को घास लाने के लिए !

❀

चश्मे बद्दूर, हमारे डिप्टी साहब श्रीजगद्गुरु की तरह कोई फ़क़्-फ़क़ीर या निहङ्ग लाइले थोड़े ही हैं कि कुबड़ी-सोंटा उठाया और चल पड़े। हाकिम-परगना ठहरे, दूती का काम करने जा रहे हैं तो क्या हुआ, डिपटियाई ठाट थोड़े ही छोड़ देंगे फलतः दूध, दही, तरकारी, अचार तो चाहिए ही और इसे देंगे वही किसान साहब, क्योंकि ये चीज़ें उन्हीं के घर पैदा होती हैं और फिर प्रेम का मज़ा भी तो वही लूटेंगे।

❀

फलतः बनारस ज़िले के किसानों का सावन मज़े में कटेगा। घर बैठे डिप्टी साहब का दर्शन और परिणाम-स्वरूप अपने आश्रयदाता और भाग्य-विधाता श्रीमान ज़मींदार महोदय के साथ अटूट प्रेम-बन्धन की सम्भावना ! यह दोनों हाथों एक साथ ही लड्डू प्राप्त करने की कल्पना ने श्रीजगद्गुरु को ऐसा परेशान कर दिया है कि हज़रत किसान बनने के लिए कमर कस कर तैयार हो गए हैं।

❀

गत सप्ताह कलकत्ते के अबलाश्रम में ख़ासी चहल-पहल रही। आश्रमवासी सबलों ने एक दिन कई अबलाओं को ठोंक-पीट कर दुरुस्त कर डाला। बात यह है कि एक तो बरसात का मौसिम ही कुछ बलवर्द्धन के लिए मौज़ूँ होता है, दूसरे यह ख़्याल पैदा हुआ कि कहीं अबलाओं के साथ-साथ रहते-रहते सबलता हवा खाने न चली जाए, इसीलिए महज़ अभ्यास बनाए रखने की ग़रज़ से कुछ अबलाएँ पीट-पाट दी गईं। ख़ैर, यह तो होना ही चाहिए, क्योंकि पौरुष-प्रदर्शन की खुजली मिटाने के लिए कुछ सामान तो चाहिए ही।

❀

यह तो हुए अबला-आश्रम में औरतों के पीटे जाने के दो प्रधान और समीचीन कारण। अब ज़रा दो गौण कारणों पर भी ध्यान दीजिए। कलकत्ते के अख़बारों का कहना है कि कई स्त्रियों को अधिकारियों ने पञ्जाबी ख़रीदारों के हाथ फ़रोख़्त करने का विचार किया था, परन्तु उन दईमारियों को बिकना पसन्द न था और एक दिन एक लड़की ने कोई भजन भी गा दिया। बस, जनाब दो और दो-चार कारण जब एकत्र हो गए तो मार-पीट को कौन माई का लाल रोक सकता है ?

❀

फिर तो वीरों की भुजाएँ फड़क उठीं और उन्होंने उठाया लट्ठ तथा चढ़ गए कोठे पर। अबलाएँ घसीट कर नीचे लाई गईं और फिर भरपेट पीटी गईं। यहाँ तक कि कइयों के शरीर फूट गए और कइयों की छाती (!!!) में भी चोट लगी। आजकल वे कारमाइकेल

कॉलेज अस्पताल में पड़ी हैं। लोग-बाग और अख़बार वाले टें-टें कर रहे हैं, परन्तु अबला-आश्रम के मन्त्री जी चुप! बेचारे कोई दादुर या झिल्ली थोड़े ही हैं जो बरसात में बोलें। ज़रा समय आने दीजिए, फिर तो ऐसा बोलेंगे कि 'बुलबुले हज़ार-दास्तान' भी दाँतों अँगुली दबा कर रह जाएगा।

❀

ख़ैर, श्रीजगद्गुरु को न तो अबला-आश्रम के उन अभागिनियों की चिन्ता है और न मन्त्री महाशय के मौनावलम्बन की। इन्हें तो चिन्ता में डाल दिया है, 'भारत-मित्र' ने, जो नाहक़ इस चहले में कूदने के लिए लँगोटा कस रहा है। हालाँकि उसके लिए शिलाङ्ग (आसाम) की मारवाड़ी ठाकुरबाड़ी के पुजारी श्रीहनुमान जी ने, मन्दिर के अन्दर ही एक सात वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार कर के काफ़ी पवित्र मसाला तैयार कर दिया है। इसलिए श्रीजगद्गुरु की विनम्र प्रार्थना है कि पहले गोबर पानी मल कर उक्त मन्दिर के देवता जी को शुद्ध कीजिए, फिर भण्डा फोड़िएगा, क्योंकि घर में दिया जला कर तब मस्जिद की तरफ़ क़दम रखा फ़रमाना उचित है।

❀

मगर असल बात तो यह है कि इन अबला-आश्रमों का भण्डाफोड़ करने का जितना हक़ 'भारत मित्र' को हासिल है, उतना न तो 'स्वतन्त्र' को हासिल हो सकता है और न 'विश्वमित्र' को। क्योंकि यह अबला-आश्रम, यह विधवाओं की सनातनधर्म-रक्षिणी महती सेना और उनका अपने कुल और धर्म को पवित्र करके अबला-आश्रमों में आना और मार खाना, बिक कर पञ्जाब जाना, या मङ्गलामुखी दल की वृद्धि करना अथवा किसी 'अल्लाहो अकबर' वाले के साथ होकर गोवंश-ध्वंसकों की वृद्धि करना आदि जितने भी पुण्यपूत कार्य हैं, उनका सारा श्रेय श्रीमान चिरञ्जीव 'भारत-मित्र' को है! इसलिए फोड़ो भैया! अच्छी तरह से अबला-आश्रम का भण्डा फोड़ डालो। बल्कि अगर इस तरह न फूटे तो मूँड़ दे मारो! समझे?

❀

वल्लाह, वही कहावत हुई कि 'सूप हँसे तो हँसे चलनी भी हँसे, जिसके बहत्तर छेद!' वह भण्डा फोड़ेंगे जिनकी फूट कर टुकड़े-टुकड़े हो गई है और ऐसी, कि न गोंद से जुड़े और न गुड़-चूने से! अरे भाई साहब, पूना के उस सनातनधर्मी जी की भी कुछ ख़बर है, जिन्होंने उस दिन एक ख़रीदार को चार लड़कियाँ दिखाईं और उनके दाम एक हज़ार से लेकर पचीस हज़ार तक बताया! और क्या? जैसा माल, वैसा दाम! ठोक लीजिए, बजा लीजिए, चीज़ पसन्द आए तो दाम देकर ले जाइए!!

❀

ख़ैर साहब, ख़रीदार ने एक सब से कम दाम की लड़की पसन्द की और ८४०) रु० में उसे ख़रीद लिया। पुरोहित जी के सामने बिक्री का "कैशमेमो" बन गया। गौरी, गणेश और अग्नि आदि पञ्चदेवों की उस पर गवाही भी हो गई। इसके सिवा वयोवृद्ध अरुन्धती देवी भी सुदूर आकाश में बैठी-बैठी यह दृश्य देख रही थीं। परन्तु इतने पर भी ख़बर छपी है कि दूल्हा जी लड़की भगाने के इलज़ाम में गिरफ़्तार हैं, और उन्हीं पूर्व प्रशंसित गवाहों के सामने लड़की का इससे पहले एक बार और विवाह भी हो चुका है!!

❀

सर विक्टर सेसून बम्बई के एक बड़े पुतलीघर के मालिक हैं और बहुत दिनों से कपड़े बना-बना कर इस देश के नग्न-अधिवासियों का लज्जा-निवारण किया करते हैं। परन्तु हमें यह जान कर दुख हुआ कि आप नाराज़ होकर इस देश से चले जाने का विचार कर रहे हैं। क्योंकि आपको आशङ्का है कि 'नेटिव लोग' साहब लोग को इस देश में व्यवसाय वणिज्य 'नहीं करने देगा'।

❀

इसलिए श्रीजगद्गुरु की राय है कि साहब को मनाया जाय और सारे भारतवासी समस्वर से प्रार्थना करें कि रूठिए नहीं प्रभो, डटे रहिए इस बूढ़े भारत की छाती पर और कपड़े बना-बना कर इनकी नग्नता दूर करते रहिए, अन्यथा यह आजन्म असभ्य ही रह जाएगा।' देखो तो, कमबख़्त सुन्दर मुलायम कपड़े छोड़ कर खुरखुरी खादी पहनने लगा। भई, बात तो यह है कि इसकी तक़दीर ही ख़राब है।

❀

सुनते हैं कलकत्ते की टेढ़ी टोपी और तिरछी माँग वाले बाबुओं की 'त्रिवेणी' (अर्थात् रामबागान, सोनागाछी और चितपुर रोड) पर शनीचर महाराज की दृष्टि पड़ गई है। कुछ लोग वहाँ के वेश्यालयों को ग़ैर-क़ानूनी क़रार देने का प्रस्ताव कौन्सिल में पेश करने वाले हैं। फलतः बेचारे बाबुओं के पितृलोक में इस साल भीषण क़हतसाली की सम्भावना है!

❀

अरे यार, ज़रा सोचने की बात है कि अगर वेश्यालय ग़ैर-क़ानूनी क़रार दे दिए गए तो बेचारे धनवानों की पैतृक सम्पत्ति में दीमक लग जाएँगे। क्योंकि वही तो एक पुण्यपूत स्थान हैं, जहाँ नवयुवक अपने पूर्वजों के पसीने की कमाई के पैसे सार्थक किया करते हैं। दिन भर के बाद रात को थोड़ी देर के लिए छूम् छनन्न् और "अकेली मति जइहो राधा जमुना तीर!" के मज़े मिल जाते थे। इसलिए अपने राम तो शरीर की सारी शक्ति लगा कर इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं।

❀

आशा ही नहीं, विश्वास है कि हमारा प्रिय सहयोगी 'भारत-मित्र' भी इस पवित्र कार्य में हमारी सहायता करेगा। क्योंकि यह पवित्र-वृत्ति सनातन काल से चली आती है। बेचारे ठाकुर जी भी मङ्गलामुखियों के मुख से 'भजन' सुन कर बहुत प्रसन्न होते हैं। देवराज इन्द्र का तो कहना ही क्या है। हज़रत पुराने 'अखाड़िया' हैं। आजकल—सावन में वहाँ कहीं मेनका का मलार होता होगा और कहीं उर्वशी का बारहमासा! तिलोत्तमा, जी 'रँगि दे गुलाबी रँग साड़ी रँगरेजवा' अलापती होंगी।

❀

बेचारे ब्रह्मा जी तो बूढ़े हो गए हैं, इसलिए जवानी के दिनों को याद करके मन मसोस कर रह जाते होंगे। भगवान शङ्कर को अपनी पार्वती और गङ्गा से ही फ़ुर्सत नहीं! हाँ, गोलोक-धामवासी भगवान श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द पूरे रसिया हैं। माशा अल्लाह, अच्छी तबीयत पाई है। सङ्गीत से ख़ूब शौक है! उनके ऐशो-इशरत की झलक, इस धरा-धाम पर, बस थोड़ी सी नवाब वाजिदअली शाह में पाइएगा। सोलह हज़ार गोपियों के साथ कबड्डी खेला करते हैं!!

❀

ग़र्ज़ कि मङ्गलामुखियाँ केवल सनातन काल और वैदिक युग की ही नहीं, वरन् देवानुमोदित भी हैं। इसलिए उनके विरुद्ध कोई क़ानून बनाना मानो सनातन-धर्म की गर्दन पर छुरी चलाना है। इसके सिवा कलकत्ते के डॉक्टरों और वैद्यों को भी इस प्रस्ताव से बड़ी हानि होगी। 'धातुपुष्ट' की गोलियों द्वारा बूढ़ों को भी जवानी का मज़ा चखाने वाले बेचारे कमर थाम कर बैठ जावेंगे। फलतः अब आपको सन्देह न होना चाहिए कि 'भारत-मित्र' हमारा साथ न देगा।

❀

'भारत-मित्र' के मूँड़ फोड़ने के लिए एक और मसाला भी शीघ्र ही तैयार होने वाला है। क्योंकि अख़बारों में ख़बर छपी है कि पण्डित मदनमोहन मालवीय 'मुलतान' (जहाज़) पर चढ़ कर लण्डन जाने वाले हैं। फलतः दरभङ्गा-नरेश की आधी डुबाई हुई सनातन-धर्म की लुटिया के अबकी सम्पूर्ण रूप से डूब जाने की पूरी सम्भावना है। इसलिए द्विज होलीनेस का परामर्श है कि 'भारत-मित्र' हुगली में जाल डाल कर मछली पकड़ना आरम्भ कर दे, ताकि अभ्यास बना रहेगा तो समय पर काम आएगा।

❀

इसके सिवा इस 'लुटिया' के उद्धार का एक और उपाय अपने राम की खोपड़ी में चहलक़दमी कर रहा है। ज़रा ग़ौर से सुनिए। निज़ाम के जालना नामक क़स्बे में कोई श्री० देवीलाल जी मकड़ रहते हैं। और वे अपनी नव-विवाहिता पत्नी को पढ़ाना चाहते हैं, परन्तु मकड़ जी का यह काम चूँकि सनातन-धर्म के विरुद्ध है, इसलिए घर वालों ने धमकी दी है कि अगर ऐसा करोगे तो हम लोग एक साथ ही ज़हर खा लेंगे या सिर फोड़ कर प्राण देंगे।

❀

बस, उचित है कि 'भारत-मित्र' सम्पादक की अध्यक्षता में सनातनियों का एक डेपुटेशन मालवीय जी की सेवा में पहुँचे और एक हाथ में लुटिया तथा दूसरे में लोढ़ा लेकर उनके दरवाज़े पर बैठ जाय और कह दे कि अगर पश्चिम ओर मुख करोगे तो या तो ज़हर खा लेंगे या लोढ़े पर मूँड़ दे मारेंगे। आशा है, इस उपाय से सहज ही सफलता मिल जाएगी और बेचारा सनातन-धर्म अकाल मृत्यु से बच जाएगा।

❀

बड़ी भारी चिन्ता दूर हुई! भारत-सरकार के पूछने पर भारत के सिकत्तर साहब ने बताया है कि जिन गौराङ्ग अफ़सरों की नियुक्ति सीधे विलायत से होती है, उनका वेतन नहीं घटाया जायगा। ठीक है, क्यों घटाया जाय। वेतन ही के लिए बेचारे इतनी दूर से आते हैं, या यहाँ उनकी कोई रिश्तेदारी है? इसके सिवा फिर ये देशी कर्मचारी किस मर्ज़ की दवा हैं? आख़िर देश तो इन्हीं का है, इसलिए वेतन किसी दूसरे का क्यों घटाया जाय?

❀

फिर ये चान्द्रायण करना और रोज़ा रखना भी जानते हैं, फ़ाक़ाकशी की इन्हें पुश्तैनी आदत है। अर्द्धाशन तो ये जन्म-जन्मान्तर से करते चले आ रहे हैं, इसलिए मुनासिब तो यह है कि जब तक देश के किसानों की दशा शोषण के उपयुक्त न हो जाय, तब तक किसी भी काले कर्मचारी को वेतन न दिया जाय। परन्तु हमारी सरकार चूँकि दयालुता और सहृदयता की सगी बहिन हैं, इसलिए इनका कुछ वेतन घटा कर ही सन्तोष कर लेना चाहती हैं!

❀

आख़िरश, लॉर्ड इञ्चकेप महोदय को भी बोलना ही पड़ा। आपकी आज्ञा है कि भारतवासियों को औपनिवेशिक स्वराज हरगिज़ न दिया जाय और न पार्लामेण्ट की छत्र-छाया इनके सिर से अलग हो! हाँ साहब, यह भी कोई बात है? क्या करेंगे ये कमबख़्त औपनिवेशिक स्वराज्य लेकर! और फिर पार्लामेण्ट का वह बृहद्विशाल छत्र ही क्या काम आएगा, जो इनकी रक्षा से वञ्चित रह गया?

❀

"बी" कैटलॉग दाम ।)
"सी" कैटलॉग दाम ।)



सोने-चाँदी के .फैन्सी .जेवर के लिए

सोनी मोहनलाल जेठाभाई

३२ अरमनी स्ट्रीट, टेलीफ़ोन नं० ३१४३, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता



पोस्टेज भेज कर मँगाइये !



३॥≋) में ६ घड़ियाँ मुफ़्त

१ जोड़ी जूता भी इनाम

हमारा ओटो सुगन्धराज आपकी .खूबसूरती और तन्दुरुस्ती को दुगुना कर देगा। इसकी मस्त .खुशबू तबीयत को .खुश और दिमाग़ को तर कर देगी। क़ीमत ६ शीशी की सिर्फ़ ३॥≋)। इकट्ठी ६ शीशी मँगाने से १ जोड़ी मज़बूत जूता—२ अदद .खूबसूरत टाय रिस्टवाच, २ अदद फ़ैशनेबुल टाय पॉकेट-वाच और १ अदद असली 'बी' टाइमपीस घड़ी इनाम मिलेगी, जिसकी गारण्टी ५ साल है। डाक-महसूल आदि अलग लगेगा। घड़ी की गारण्टी पार्सल के साथ भेजी जाती है। ऑर्डर के साथ जूते का नाप लिखो।

फ्रेण्ड्स ऑफ़ इण्डिया २६७/१ अपर चितपुर रोड, कलकत्ता

मणिमाला

[ले० श्री० विश्वम्भरनाथ जी शर्मा, कौशिक]

अत्यन्त मनोरञ्जक, शिक्षा और विनोद से भरी हुई कहानियों का अनोखा संग्रह। प्रत्येक कहानी में सामाजिक कुरीतियों का भण्डाफोड़ बहुत अच्छे ढङ्ग से किया गया है। इन कुरीतियों से उत्पन्न होने वाले भयङ्कर अनर्थों की भी भरपूर चर्चा की गई है। एक बार अवश्य पढ़िए। मूल्य केवल ३)

व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद

रजिस्टर्ड

शान्ति धारा

महात्मा का प्रसाद नीचे लिखे रोगों में रामबाण है, जैसे हैज़ा, प्लेग, दस्त, उलटी, पेचिश, फ़सली बुख़ार, मलेरिया, निमोनिया, फोड़ा-फुन्सी, हड्डी के जोड़ों का दर्द, कान व पेट का दर्द, दमा, खाँसी, सर्दी, बिच्छू, साँप और-और ज़हरीले डङ्कों का काटना, कुछ दिन नियमानुसार लेप करने से श्वेत-कुष्ठ जड़ से मिट जाता है। हर एक घर में सदा रखने की चीज़ है। मूल्य छोटी शीशी ॥), बड़ी १), एक बार ६ शीशी मँगाने से डाक-ख़र्च माफ़।

शान्तिधारा औषधालय,
८२ कोलूटोला स्ट्रीट, कलकत्ता

गृहस्थों का सच्चा मित्र

३० वर्ष से प्रचलित, रजिस्टर्ड



बालक, वृद्ध, जवान, स्त्री, पुरुषों के शिर से लेकर पैर तक के सब रोगों की अचूक रामबाण दवा। हमेशा पास रखिए, वक्त पर लाखों का काम देगी। सूची मय कलेण्डर मुफ़्त मँगा कर देखो।

क़ीमत ॥) तीन शीशी २) डा० म० अलग।

पता—चन्द्रसेन जैन वैद्य, इटावा

रजिस्टर्ड

भारतीय कैमरा



हमारा स्वदेशी कैमरा बड़ी आसानी से प्लेट पर चाहे जिस चीज़ की साफ़ और सुन्दर टिकाऊ तस्वीर खींचता है। बढ़िया फ़ोटो न खिंचे तो दाम वापिस। एक प्लेट, काग़ज़, मसाला और हिन्दी में तरकीब साथ है। २।×३। इञ्च साइज़ की तस्वीर खींचने वाले कैमरा का मूल्य ३) डा० म० ॥)ः ६॥×४॥ इञ्च साइज़ की तस्वीर खींचने वाले कैमरा का मूल्य ७) डा० म० १।≈)

पता—दीन ब्रादर्स, नं० ६, अलीगढ़

डॉ० डब्लू० सी० राय, एल० एम० एस० की

पागलपन की दवा

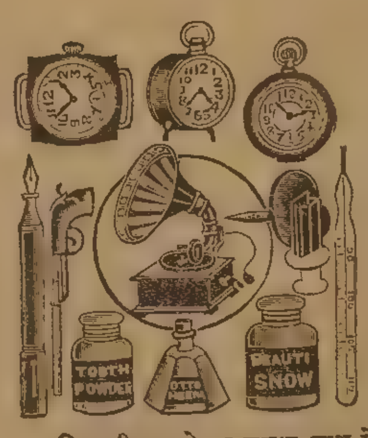
५० वर्ष से स्थापित

मूर्च्छा, मृगी, अनिद्रा, न्यूरस्थेनिया के लिए भी मुफ़ीद है। इस दवा के विषय में विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि :—"मैं डॉ० डब्लू० सी० राय की स्पेसिफ़िक फ़ॉर इन्सेनिटी (पागलपन की दवा) से तथा उसके गुणों से बहुत दिनों से परिचित हूँ।" स्वर्गीय जस्टिस सर रमेशचन्द्र मित्र की राय है—"इस दवा से आरोग्य होने वाले दो आदमियों को मैं ख़ुद जानता हूँ।" दवा का दाम ५) प्रति शीशी।

पता—एस० सी० राय एण्ड कं०,
'१६७/३ कार्नवालिस स्ट्रीट,
या (३६ धर्मतल्ला स्ट्रीट) कलकत्ता !
तार का पता—"Dauphin" कलकत्ता

३॥≋) में १२ डिब्बी दाद की दवा ख़रीदने से

३ घड़ियाँ और अन्य बेशक़ीमती चीज़ें इनाम में मुफ़्त भेजी जायँगी।



मशहूर दाद की दवा—नया या पुराना दाद कैसाहू क्यों न हो, हमारी यह दवा सिर्फ़ दो बार के लगाने से २४ घण्टे के अन्दर शर्तिया आराम करती है। १ दर्जन डिब्बी ३॥≋) में ख़रीदने से इनाम में—एक रेलवे टाइम इन्फ़ैण्ट डमी पॉकेट घड़ी, एक असली जर्मन "बी" टाइमपीस जिसकी गारण्टी ५ साल है, एक नए डिज़ाइन की ख़ूबसूरत हाथ घड़ी, एक फ़ौण्टेन पेन, एक पॉकेट चर्ख़ा (तकली), एक पिस्तौल, एक शीशी सुगन्धित ओटो, एक शीशी ब्यूटी स्नो, और एक शीशी दाँत-मञ्जन मुफ़्त २ दर्जन डिब्बी ७।≈) में इकट्ठा लेने से एक नए चालान का जर्मनी ग्रामोफ़ोन इनाम में दिया जाएगा। इस ग्रामोफ़ोन का मशीन तथा हार्न (भोंपा) देखने में यद्यपि छोटा है, पर गाना २५०) के ग्रामोफ़ोन के मुक़ाबले करता है। एक हार्न (भोंपा) १ रेकार्ड, १ साउण्ड बक्स, सूइयाँ आदि सभी बजाने का समान साथ में मुफ़्त भेजा जाता है। डाक-ख़र्च अलग। खुचरा दवा ।≈) प्रति डिब्बी होगी। हिन्दी का रेकार्ड १२) दर्जन; अलग से भी लेने से मिलता है।

पता—ग्रेट इण्डियन स्टोर्स, डिपार्ट १३, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता



पढ़ कर गुप्त विद्या द्वारा जो चाहोगे बन जाओगे जिस की इच्छा करोगे मिल जायेगी मुफ़्त मंगवाओ पता साफ़ लिखो।

गुप्त विद्या प्रचारक आश्रम, लाहौर

उस्तरे को बिदा करो

हमारे लोमनाशक से जन्म भर बाल पैदा नहीं होते। मूल्य १) तीन लेने से डाक-ख़र्च माफ़।

शर्मा एण्ड को०, नं० १, पो० कनखल (यू० पी०)

क्या आपकी गृहलक्ष्मी कमज़ोर है ?

यदि वह प्रदर रोग से पीड़ित हैं तो हमारे यहाँ से 'प्रदरान्तक बटी' जिसके सेवन से दोनों प्रकार के प्रदर निश्चय दूर होते हैं, मँगा कर शीघ्र सेवन कराइए, मूल्य २॥) रु० डाक-व्यय ५ आने। दवा मिलने का पता—

पं० श्रीनिवास वैद्य शास्त्री, अलीगढ़

शीघ्रता कीजिए ! नहीं तो पछताना पड़ेगा !!



व्यङ्ग-चित्रावली

यह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले हैं। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा ; मनुष्यता की याद आने लगेगी ; और सामाजिक क्रान्ति की भावना प्रबल वेग से हृदय में उमड़ने लगेगी। प्रत्येक सामाजिक कुरीतियों का चित्रों द्वारा नग्न प्रदर्शन किया गया है। बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, छुआछूत, परदा-प्रथा, पण्डे-पुरोहितों तथा साधु-महन्तों के भयङ्कर कारनामे, अन्ध-विश्वास, पाखण्ड तथा आचरण सम्बन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीतियों का सजीव चित्र देखना हो तो इस चित्रावली को अवश्य मँगाइए। एकरङ्गे, दुरङ्गे, तथा तिरङ्गे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर पद्यमय पंक्तियों में उनका भाव तथा परिचय अङ्कित किया गया है। आज तक ऐसी चित्रावली कहीं से प्रकाशित नहीं हुई। मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से ३)

स्मृति-कुञ्ज

नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुखान्त कहानी है। हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय का उद्भव, उसका विकाश और उसकी अविरत आराधना की अनन्त तथा अविच्छिन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुखों की आहुति कर सकता है—ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक और चित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, सुख-दुख, साधन-उत्सर्ग, एवं उच्चतम आराधना का सात्विक चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर दीख पड़ने लगता है। मूल्य केवल ३) ; स्थायी ग्राहकों से २।)

मूर्खराज

यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी एक बार हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी चिन्ता काफ़ूर हो जायगी। दुनिया के झञ्झटों से जब कभी आपका जी ऊब जाय, इस पुस्तक को उठा कर पढ़िए, मुँह की मुर्दनी दूर हो जायगी, हास्य की अनोखी छटा छा जायगी। पुस्तक को पूरी किए बिना आप कभी न छोड़ेंगे—यह हमारा दावा है। इसमें किशनसिंह नामक एक महामूर्ख व्यक्ति की मूर्खतापूर्ण बातों का संग्रह है। भाषा अत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है। मूल्य केवल २)

अपराधी

सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय के "रिज़रेक्शन" विक्टर ह्यूगो के "लॉ मिज़रेबुल" इबसन के "डॉल्स हाउस" गोस्ट और ब्रियो का "डैमेज़्ड गुड्स" या "मेटरनिटी" के आनन्द का अनुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास की उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर सर्वथा अवलम्बित होती है। उपन्यास नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !!

सच्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, उसकी पारलौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुदृष्टि, सरला का पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, ये सब ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की धारा बह निकलती है। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है। मूल्य केवल लागत मात्र २॥), स्थायी ग्राहकों से १॥।=)

व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

Registered No. A—2085

At The Fine Art Printing Cottage, 28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad.

सम्पादक :—
श्री० [illegible], बी० ए०
(जेल में)

सम्पादक :—
श्री० शङ्करदयाल श्रीवास्तव, एम० ए०

सम्पादक :—
श्री० भुवनेश्वरनाथ मिश्र, एम० ए०
(जेल में)

भविष्य

[illegible]

हिन्दी-कविता सम्पादक —
कविवर आनन्दीप्रसाद श्रीवास्तव

'भविष्य' का चन्दा

[illegible]

वर्ष २, खण्ड ४

इलाहाबाद—बृहस्पतिवार : ३० जुलाई, १९३१

संख्या ८, पूर्ण संख्या [illegible]



[illegible]

इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और दूरदर्शी पाठक-पाठिकाओं से आशा की जाती है कि यथाशक्ति 'भविष्य' तथा 'चाँद' और विद्याविनोद-ग्रन्थमाला का प्रचार कर, व संस्था को और भी अधिक सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !!

भविष्य

पाठकों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन विभाग द्वारा जो भी पुस्तक प्रकाशित होती हैं, वे एकमात्र भारतीय परिवारों एवं व्यक्तिगत मङ्गल-कामना को दृष्टि में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !!

वर्ष १, खण्ड ४ || इलाहाबाद—बृहस्पतिवार ; ३० जुलाई, १९३१ || संख्या ८, पूर्ण संख्या ४३

नोआखाली की ज़नता पर गोलियों और लाठियों की वर्षा

क्या करबन्दी का आन्दोलन शीघ्र ही प्रारम्भ होगा ?

पहली अगस्त को 'लोकमान्य तिलक दिवस' मनाइए !

भारतीय चीते को बिल्ली का गोश्त :: महात्मा गाँधी का अल्टीमेटम !

—सूरत का २९ जुलाई का समाचार है कि महात्मा गाँधी ने स्थानीय कलक्टर के पास जो पत्र भेजा है, वह एक अल्टिमेटम (Altimatum) के रूप में है। तार द्वारा महात्मा जी ने उस पत्र की सूचना वायसरॉय के पास भेजी है। यह मालूम हुआ है कि वायसरॉय ने अपने उत्तर में महात्मा जी को लिखा है कि इतनी जल्दी भयानक परिस्थिति न उपस्थित कीजिए। यह भी समझा जाता है कि भारत सरकार ने बम्बई सरकार से इस विषय में कुछ पूछ-ताछ की है।

महात्मा गाँधी आज बारडोली से नहीं लौटे। कल उनके वापिस आने की आशा है, लेकिन फिर वे बोरसद की ओर रवाना हो जायँगे।

—अखिल भारतीय विद्यार्थी सङ्घ के जेनरल सेक्रेटरी श्रीयुत तीर्थ जी समानी, समस्त भारत के विविध विद्यार्थी सङ्घों के नाम यह अपील प्रकाशित करते हैं कि लोकमान्य तिलक की मृत्यु-तिथि पहली अगस्त को पड़ती है। इस अवसर पर विद्यार्थी-सङ्घों से प्रार्थना की जाती है कि वे उस दिन जनता तक स्वराज्य का सन्देशा पहुँचावें और व्याख्यान द्वारा तिलक जी के जीवन के राजनीतिक महत्व को समझावें। साथ ही साथ जनता को यह भी बतलावें कि देश के राजनीतिक क्षेत्र में स्वदेशी और स्वभाषा का क्या महत्व है।

—२७ जुलाई का स्थानीय समाचार है कि कल आनन्द-भवन में संयुक्त प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी की कौन्सिल की एक बैठक बन्द कमरे में की गई। मीटिङ्ग में मुख्यतः किसानों की परिस्थिति पर वाद-विवाद हुआ। कुछ लोग, जिन्हें कि कौन्सिल की कार्यवाही का कुछ पता है, यह कहते हैं कि वाद-विवाद की प्रगति से ऐसा सूचित हुआ कि कदाचित् कौन्सिल इस निश्चय पर पहुँचे कि आर्थिक सङ्कट के कारण महात्मा गाँधी जी को करबन्दी का आन्दोलन प्रारम्भ करने की सलाह दी जाय और इस आन्दोलन के लिए संयुक्त प्रान्त को ही केन्द्र चुना जाय।

—पेशावर का २८वीं जुलाई का समाचार है कि श्रीयुत देवीदास गाँधी कल रात को वहाँ पहुँच गए और ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ के भाई डॉक्टर ख़ान के साथ छावनी में ठहरे हैं। आपने कुमारी ख़ुरशीदबहन, ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ एवं डॉक्टर ख़ान के साथ मोटर में बैठ कर शहर का गश्त लगाया। जनता ने आपका अपूर्व स्वागत किया। पेशावर के पास के कई गाँवों में घूम कर श्री० देवीदास गाँधी जी मोटर द्वारा उस्मञ्ज़ाई गए, जहाँ उनका धूमधाम से स्वागत हुआ।

—लन्दन का २७वीं जुलाई का समाचार है कि मिस्टर गारलिक की प्राण हत्या के समाचार से लन्दन में सनसनी फैल गई है। कारण कि एक सप्ताह के अन्दर भारत में अङ्गरेज़ों पर ऐसे चार घातक आक्रमण हो चुके हैं।



स्वर्गीय लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलक

'डेली मेल' पत्र अपने एक अग्रलेख में कहता है कि बिल्ली के गोश्त द्वारा भारतीय चीते को शान्त करने के प्रयत्न करने की नीति ने उस जानवर को और भी अधिक हिंसक बना दिया है

—नोआखाली का २७वीं जुलाई का समाचार है कि चौमुहानी के पास बाढ़ आ जाने के कारण ज़िला मैजिस्ट्रेट ने लाख के बाँध को काटने का हुक्म जारी किया। लोगों ने प्रार्थना की कि दो दिनों तक बाँध न काटा जाय। मैजिस्ट्रेट ने जब उनकी यह बात न मानी तो लोग सत्याग्रह करने के उद्देश्य से बाँध पर लेट गए। पुलिस ने गोली और लाठी चलाई, जिससे २० आदमी घायल हुए, जिनमें तीन व्यक्ति बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं। लोगों के घायल होने के पश्चात् पुलिस ने स्वयं बाँध काट दिया।

—गत शनिवार २५वीं जुलाई को 'चाँद' और 'भविष्य' के दूसरे सम्पादक श्री० पं० भुवनेश्वरनाथ जी मिश्र, एम० ए० की ज़मानत का मामला इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट सेशन्स जज श्री० तेजनारायण मुल्ला की अदालत में पेश हुआ। सरकारी वकील ने मिश्र जी की ज़मानत का विरोध नहीं किया, पर साथ ही अदालत से इस बात की प्रार्थना की कि अभियुक्त ज़मानत की अवधि मे राजविद्रोहात्मक लेख न लिखें। अदालत ने मिश्र जी को एक-एक हज़ार रुपया की दो पृथक ज़मानतों तथा एक हज़ार रुपए के मुचलके पर छोड़ देने की आज्ञा दे दी। साथ ही अदालत की ओर से मिश्र जी को इस बात की सूचना दी गई कि ज़मानत की अवधि में यदि वे राजविद्रोहात्मक लेख लिखेंगे, तो फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिए जायँगे। मिश्र जी उसी दिन सन्ध्या समय जेल से ज़मानत पर रिहा कर दिए गए।

दो दिन बाद गत २७वीं जुलाई को मिश्र जी का मामला ज़िला मैजिस्ट्रेट मि० मूडी के इजलास में पेश हुआ। मि० मूडी ने मिश्र जी को गत २१वीं जून के 'भविष्य' के दो प्रकाशित लेखों को राजविद्रोहात्मक बतलाया और उन्हें सूचना दी कि उक्त दोनों लेखों के कारण उन पर दफ़ा १२४-ए का अभियोग लगाया गया है। जिन लेखों पर मिश्र जी के ऊपर दफ़ा १२४-ए का अभियोग लगाया गया है, वे शृङ्खलाबद्ध ये हैं :—

(१) "महात्मा जी के अहिंसात्मक आन्दोलन से क्या भारत को आज़ादी मिलेगी ?"

(२) "गाँधी-इर्विन समझौते का श्राद्ध।"

मि० मूडी के द्वारा मिश्र जी से पूछे जाने पर—क्या आप अपना दोष स्वीकार करते हैं, मिश्र जी ने नकारात्मक उत्तर दिया। इसके बाद आगामी सोमवार तीसरी अगस्त गवाहों की सूची देने की तिथि निश्चित की गई।



—सिराजगञ्ज का १५ जुलाई का समाचार है, कि कुछ क़ैदियों ने स्थानीय जेल के वार्डर पर हमला कर दिया और सन्तरी की एक बन्दूक़ ग़ायब कर दी थी, जो बाद में मिल गई। इस घटना का कारण अज्ञात है, परन्तु कहा जाता है कि क़ैदियों की माँग थी कि जेल के फाटक बन्द न किए जायँ। यह माँग स्वीकार नहीं की गई। परिस्थिति क़ाबू में बतलाई जाती है।

—पेशावर का १६वीं जुलाई का समाचार है, कि स्थानीय सिटी मैजिस्ट्रेट ने सीमा प्रान्तीय नौजवान भारत-सभा के १६ सदस्यों को; श्री० हरिकृष्ण के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए १४४वीं धारा की अवहेलना कर एक जुलूस निकालने के अपराध में; १४५वीं धारा के अनुसार सज़ाएँ दी हैं। ८ सदस्यों को २-२ साल की कड़ी क़ैद और ८ को ६-६ माह की सादी क़ैद की सज़ा दी गई है।

—बम्बई का १६वीं जुलाई का समाचार है, कि स्थानीय फ़िल्म सेन्सर-बोर्ड ने एक फ़िल्म को, जिसमें राष्ट्रीय-झण्डे के अभिवादनोत्सव का दृश्य अङ्कित था, दिखलाने से रोक दिया है। स्थानीय कॉङ्ग्रेस सभापति के० ए० नॉरीमैन महोदय ने, महात्मा गाँधी जी की सलाह अनुसार उक्त सेन्सर बोर्ड से पत्र लिख कर यह दरियाफ़्त किया है कि क्या वह फ़िल्म सचमुच रोक ली गई है। यदि उत्तर सन्तोषजनक न होगा और फ़िल्म का दिखाना रुका रहेगा, तो विश्वस्त सूत्र से मालूम हुआ है कि स्थानीय कॉङ्ग्रेस कमिटी उस फ़िल्म पर से सेन्सर की रोक हटाने के लिए उचित कार्यवाही करेगी। अभी तक कमिटी की ओर से इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य नहीं प्रकाशित हुआ है।

—रङ्गून के १७वीं जुलाई के समाचारों से पता चलता है कि थेटमेयो में अभी विद्रोहियों का उपद्रव जारी है। कहा जाता है कि वहाँ एक ख़ून और १८ डकैतियाँ हुई हैं। डकैत गाँव वालों को, धन लेकर छोड़ने की शर्त पर पकड़ कर ले जाते हैं। ये व्यक्ति धन देने पर पीछे छोड़ दिए जाते हैं। वेलीन में डकैतों ने लगभग १४००) रुपए की जायदाद लूट ली। हेनूज़ादा से भी डकैतियाँ होने की ख़बरें आई हैं।

इन्थापड्डी में भी कुछ हथियारबन्द बर्मियों ने डाके डाले हैं। कहा जाता है कि क्याङ्क के एक पुङ्गी की जायदाद लूट ली गई है।

—नई दिल्ली का १७वीं जुलाई का समाचार है कि पुलीस ने श्री० किशनलाल आज़ाद नामक एक व्यक्ति को दण्ड-विधान की ११७वीं धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिया है। कहा जाता है कि अभियुक्त दिल्ली के आसपास के गाँवों में लगानबन्दी के लिए भाषण देता था। वह ५००) की ज़मानत पर छोड़ दिया गया है।

—चटगाँव का १८ जुलाई का समाचार है कि श्री धाम् नाम का एक मोटर-ड्राइवर एक मोटर-बस पर कुछ हवाई सैनिकों को कहीं ले जा रहा था कि एक चाय की दूकान के पास उसे एक गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया और अस्पताल पहुँचाया गया। दूसरे दिन वह मर गया। घटना का विशेष विवरण अभी तक नहीं मालूम हो सका है।

—बाराबङ्की के किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। बहुत से गाँवों में दफ़ा १०७ के अनुसार गिरफ़्तारियाँ जारी हैं। कुछ ज़मानत पर भी छूटे हैं, किसानों पर मार-पीट भी जारी है। अदालत की कार्रवाई करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है।

—पूना का १८ जुलाई का समाचार है कि मराठा लाइट इन्फ़ैन्ट्री को तुरन्त बर्मा के लिए रवाना हो जाने का हुक्म मिला है। जो प्रबन्ध किया गया है, उससे मालूम होता है कि यह सेना एक स्पेशल ट्रेन-द्वारा रवाना की जायगी; और भी फ़ौज भेजे जाने की ख़बर है।

—पेशावर का २० जुलाई का समाचार है, कि पेशावर के सिटी मैजिस्ट्रेट कैप्टेन अब्दुल रहीम ख़ाँ ने ६ लालकुर्तीवालों को तीन-तीन साल की सख़्त क़ैद की सज़ा दी है। उनमें से एक नवयुवक तीन साल के लिए रिफ़ॉर्मेटरी स्कूल में भेजा जायगा। ६ व्यक्ति छोड़ दिए गए।

—पेशावर का २० जुलाई का समाचार है कि ४ एप्रिल को बबरा गाँव में चरसड्डा के एसिस्टेन्ट-कमिश्नर, कैप्टेन बार्न्स के विषय में जो राजद्रोहात्मक नाटक खेला गया था, उसमें १२ व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए हैं। नाटक खेलने के परिणाम-स्वरूप दूसरे ही दिन धर्मान्ध हबीब नूर नामक एक व्यक्ति ने (जिसे २४ घण्टे के भीतरी ही फाँसी पर लटका दिया गया था) मि० बार्न्स की हत्या का दूसरा प्रयत्न किया था। पहला प्रयत्न १७ फ़रवरी को किया गया था।

सफ़ाई में अभियुक्तों ने कहा है कि हम लोगों ने नाटक में कोई भाग नहीं लिया और वहाँ उपस्थित तक नहीं थे; साथ ही अभियुक्तों ने यह भी कहा कि नाटक राजद्रोहात्मक नहीं है और उससे हत्या के लिए उत्तेजना नहीं मिलती।

—दिल्ली का २० जुलाई का समाचार है कि दिल्ली षड्यन्त्र केस में अभियुक्त-पक्ष के सीनियर वकील डॉ० किचलू ने श्री० बलजीतसिंह और रघुबीरसिंह को अपने साथ जूनियर वकील नियुक्त किया है।

—खण्डवा (मध्य प्रान्त) का २३ जुलाई का समाचार है कि रायपुर जेल के राजनीतिक क़ैदियों ने अनशन व्रत ले लिया है। 'कर्मवीर' के सम्पादक पण्डित माखनलाल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक सभा की गई।

—लाहौर का २३वीं जुलाई का समाचार है कि सिक्ख राजनीतिक मण्डली का एक प्रसिद्ध व्यक्ति, कामा गाटा मारू वाले हरदत्तसिंह अकाली पटियाला राज्य के मनसा गाँव में मार डाले गए हैं। पुलिस ने श्रीमती किशनी, उसके दो सहोदर भाइयों तथा एक चचेरे भाई को गिरफ़्तार कर लिया है। श्रीमती किशनी हरदत्तसिंह के भाई की विधवा स्त्री हैं, जिनके साथ कुछ वर्ष पूर्व, हरदत्तसिंह ने अपना विवाह कर लिया था।

—कानपुर का २४ जुलाई का समाचार है कि सहयोगी 'प्रताप' के सम्पादक और प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के सदस्य श्री० बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' दोपहर के समय राजविद्रोह (दफ़ा १२४-ए) के अभियोग में गिरफ़्तार कर लिए गए। इस गिरफ़्तारी के कारण कॉङ्ग्रेस वालों में बड़ा असन्तोष फैल गया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने आपको ज़मानत पर छोड़ने से इन्कार कर दिया था; किन्तु सेशन्स जज ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कहा जाता है कि पेशी के समय सशस्त्र पुलीस का पहरा था।

—लखनऊ का २४ जुलाई का समाचार है कि बुधवार के दिन ८ बजे रात्रि को, स्थानीय पुलीस ने असिस्टैण्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट मिस्टर उड के नेतृत्व में कालाकाँकर कोठी पर धावा मारा। कोठी के चारों ओर पुलिस का पहरा बिठा कर आधी रात तक तलाशी होती रही। कालाकाँकर के राजा साहब के भाई श्री० कुँवर ब्रजेशसिंह जी, श्रीमती गासलर नाम की एक यूरोपियन महिला एवं श्री० माताप्रसाद गिरफ़्तार कर लिए गए। उक्त महिला कुँवर साहब की एक मित्र हैं, जो थोड़े दिन हुए भारत में आकर उन्हीं के यहाँ ठहरी थीं, पुलिस बहुत सा काग़ज़ात उठा ले गई है, जिसमें बोरसद से लिखा हुआ महात्मा गाँधी जी का एक पत्र भी है। कहते हैं कि बम्बई में श्री० एम० एन० राय की जो गिरफ़्तारी हुई है उसी बारे में यह तलाशी हुई। बाद को तीनों व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिए गए।

—शिमला का २५वीं जुलाई का समाचार है कि कल सन्ध्या समय जो पञ्जाब के देशी-राज्य प्रजा-सम्मेलन की बैठक हुई थी, उसके सम्बन्ध में लाला दुनीचन्द, श्री० मणिलाल कोठारी, डॉक्टर एन० एल्० वर्मा, सरदार भगवानदास, सैयद तालिब हुसेन तथा श्री० अमृतलाल ठक्कर, जिन्होंने उस सभा में प्रमुख भाग लिया था, डिप्टी कमिश्नर ने १४४ दफ़ा लगाई है।

कल शाम की सभा डिप्टी कमिश्नर की आज्ञा से भङ्ग कर दी गई थी। आधी रात को नगर कॉङ्ग्रेस कमिटी की ओर से विरोध सभा हुई। श्रीयुत सरदार शार्दूलसिंह, जो ताज़ीरात हिन्दी की २५३ धारा के अनुसार गिरफ़्तार हुए थे, जमानत पर छोड़े गए हैं। पञ्जाब का देशी राज्य-प्रजा सम्मेलन ग़ैर-क़ानूनी ठहराया गया है।

—लाहौर का २६वीं जुलाई का समाचार है कि खण्डा बाज़ार रामगली कॉङ्ग्रेस कमिटी पर प्रातःकाल पुलीस ने धावा किया और जनकराज तथा तीन स्वयंसेवकों को गिरफ़्तार कर लिया। जनकराज कॉङ्ग्रेस के भूतपूर्व मन्त्री रह चुके हैं। कहा जाता है कि पुलीस के द्वारा अमृतसर के एक नवयुवक से एक पिस्तौल बरामद किया गया था। ये गिरफ़्तारियाँ उसी सम्बन्ध में हुई हैं।

—कलकत्ते का २७ जुलाई का समाचार है कि अलीपुर के स्पेशल ट्रिब्यूनल द्वारा षड्यन्त्र के अभियोग में अभियुक्त ठहराए गए व्यक्तियों में से तीन को कलकत्ता हाईकोर्ट ने छोड़ दिया। इन तीनों में एक को १५ वर्ष के लिए तथा अन्य को १२ वर्ष के लिए कालापानी का दण्ड दिया गया था। इन तीनों के अतिरिक्त अन्य अभियुक्तों की सज़ा घटा दी गई। एक को १२ वर्ष के कालापानी की सज़ा घटा कर २ वर्ष के लिए सख़्त क़ैद की सज़ा दी गई। एक दूसरे को १० वर्ष के कालेपानी के दण्ड के बदले में ५ वर्ष के लिए सख़्त कारावास दण्ड मिला। डॉक्टर नारायन राय, डॉक्टर भूपेन बोस एवं श्री० सुरेन्द्रदत्त, पर लगे हुए अभियोग को बहाल रक्खा गया; किन्तु प्रथम दो व्यक्तियों की सज़ा २० वर्ष से घटा कर १५ वर्ष एवं तीसरे को १२ वर्ष के बदले १२ वर्ष के लिए कालेपानी का दण्ड मिला।

महाराष्ट्र नवयुवक प्रतिहिंसा की भावना से उन्मत्त हो गया !

बम्बई के स्थानापन्न गवर्नर पर भीषण हमला !!

"मैं शोलापूर का बदला लेना चाहता था। दुर्भाग्य से वह (गवर्नर) बच गया। यह केवल एक चेतावनी है। महाराष्ट्र के युवको जागो, मेरा अनुसरण करो और शोलापूर का बदला लो।"

पूना का २२ वीं जुलाई का समाचार है कि स्थानीय फ़र्गुसन कॉलेज लाइब्रेरी के वाचनालय में प्रवेश करते ही, बम्बई के स्थानापन्न गवर्नर सर अर्नेस्ट हॉट्सन पर कॉलेज के एक विद्यार्थी ने अपनी पिस्तौल से एक-एक करके दो गोलियाँ चलाईं। पहली गोली गवर्नर के बाएँ अङ्ग में हृदय से कुछ ऊपर लगी, किन्तु वह पॉकेट-बुक के धातु के बने हुए बटन पर लग कर विफल हो गई। दूसरी गोली अलग निकल गई। उसके पश्चात् गवर्नर ने लाकर आक्रमणकारी को अपने क़ाबू में कर लिया। उसका पिस्तौल छीन लिया गया और जेब में एक दूसरा भरा हुआ पिस्तौल भी मिला।

गवर्नर पर आक्रमण करने वाले विद्यार्थी को, जिसका नाम वासुदेव बलवन्त गोगटे था, छावनी मैजिस्ट्रेट एस० बी० वैद्य के सामने २३ जुलाई को उपस्थित किया गया। ख़ुफ़िया-विभाग के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट ख़ान-बहादुर ऋोतवाला के, जिसने अभियुक्त को लाकर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, मुहलत माँगने पर सात दिन की मुहलत स्वीकृत की गई, ताकि घटना की उचित जाँच की जा सके। अदालत में वासुदेव बलवन्त गोगटे बिल्कुल शान्त-चित्त था और जब उसके दो जोड़े डम्बल और एक जोड़े चेस्ट-एक्सपैण्डर (व्यायाम सम्बन्धी चीज़ें) लाकर उपस्थित किए, तब गोगटे ने मुस्कराते हुए मैजिस्ट्रेट से कहा कि मैं फ़र्गुसन कॉलेज की व्यायाम-शाला का सेक्रेटरी हूँ।

गोगटे मीरज का रहने वाला है। फ़र्गुसन कॉलेज में प्रविष्ट होकर विज्ञान (Science) का उसने अपना वैकल्पिक विषय चुना था। पुलीस को उसके पास से दो पिस्तौलें मिलीं और कटार की भाँति, लोहे का एक नुकीला हथियार भी बरामद हुआ, कहा जाता है कि उसने इन पिस्तौलों को हैदराबाद में ख़रीदा था, जहाँ पर कि उसका एक भाई डॉक्टरी करता है।

२२ जुलाई की रात्रि में पुलीस के सामने जो उसका बयान लिया गया था, उसमें उसने कहा है कि मैंने जो कुछ किया है, वह स्थानापन्न गवर्नर के पद पर सर अर्नेस्ट हॉट्सन की नियुक्ति का विरोधसूचक कार्य है। इस पद की नियुक्ति में एक भारतीय के बदले सर हॉट्सन साहब को पसन्द किया गया है। उसने यह भी कहा है, कि गत वर्ष शोलापुर में जो मार्शल-लॉ जारी किया गया था, उसीके विरोध में यह आक्रमण-कार्य किया गया है।

कहा जाता है, कि जिस समय गोगटे विद्यालय के पुस्तकालय से बाहर ले जाया जा रहा था, उस समय विद्यार्थियों को सम्बोधित करके उसने कहा कि "मैं शोलापुर का बदला लेना चाहता था। दुर्भाग्य से वह बच गया ! यह केवल एक चेतावनी है। महाराष्ट्र के युवको, जागो, मेरा अनुसरण करो और शोलापुर का बदला लो।"

पुलीस के आने के पहले विद्यार्थियों के एक दल ने भी गवर्नर के विरुद्ध प्रदर्शन करना प्रारम्भ किया। जब उनको (गवर्नर को) माला पहिनाई गई, अहाते से तिरस्कारपूर्ण हँसी की आवाज़ हुई। जब वे कॉलेज से जा रहे थे, कुछ विद्यार्थियों ने शायद कहा—"हॉट्सन तुम इसी योग्य हो।"

चलती हुई गाड़ी में छुरियों से एक फ़ौजी अफ़सर मार डाला गया !

भुसावल का २३वीं जुलाई का समाचार है कि दो सैनिक ऑफ़िसर फ़र्स्ट क्लास में बैठ कर बम्बई से पूना के सिगनल स्कूल तक रेल की यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक आठवीं पञ्जाब रेजिमेण्ट का लेफ़्टेनेण्ट बी० आर० हेक्स्ट था और दूसरा २८वें फ़ील्ड ब्रिगेड, रॉयल आर्टिलरी का लेफ़्टेनेण्ट ई० एम० शेहिन था। उन दोनों ऑफ़िसरों के साथ उसी कम्पार्टमेण्ट में एक कुत्ता भी था। एक ऊपर और एक नीचे के 'बर्थ' में विश्राम कर रहे थे। बम्बई से लगभग २५० मील की दूरी पर डोंगरगाँव और मायखवा के बीच कुत्ते के भूँकने पर वे दोनों जग कर उठ बैठे। आक्रमणकारी रास्ते में एक स्टेशन पर उसी गाड़ी में घुस गए थे। आक्रमण-कारी ऑफ़िसरों के जगते ही अपनी कटारों को लेकर उन पर टूट पड़े और कटार भोंक कर दोनों को घायल कर दिया। घायल ऑफ़िसरों ने झटपट ख़तरे की ज़ञ्जीर खींच ली, किन्तु गाड़ी के रुकते ही आक्रमण-कारी कूद कर पास के जङ्गल में घुस गए। पुलीस उनकी खोज कर रही है।

लेफ़्टेनेण्ट हेक्स्ट को इतनी गहरी चोट लगी थी कि घावों पर मरहम-पट्टी होने पर भी ३ बजे दिन को उनका देहान्त हो गया। दूसरे ऑफ़िसर लेफ़्टेनेण्ट ई० एम० शेहिन की हालत बहुत ख़तरनाक नहीं है। कुत्ता भी आक्रमणकारियों द्वारा मार डाला गया।

अलीपुर के सेशन्स जज गोली से मार डाले गए

कलकत्ता का २७ जुलाई का समाचार है, कि आज लगभग २ बजे दिन को अदालत में मिस्टर आर० आर० गारलिक, जोकि चौबीस परगने के डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन्स जज थे, गोली से मार दिए गए। आक्रमणकारी, जोकि तुरन्त इस घटना के पश्चात् पुलीस द्वारा मार दिया गया, यह कहा जाता है कि यह व्यक्ति वही श्री० विमलदास गुप्त है, जोकि मिदनापुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० जेम्स पेढी की हत्या के मामले में अब तक फ़रार रहा है।

*　　*　　*

कॉङ्ग्रेस तथा गोलमेज़-परिषद

प्रेस-प्रतिनिधि से नेहरू जी ने क्या कहा ?

पं० जवाहरलाल नेहरू अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कमला नेहरू-जी सहित २४ जुलाई को प्रातःकाल शिमला से वापस आए। उसी दिन लगभग १० बजे, जब पण्डित जी प्रयाग नगर कॉङ्ग्रेस कमिटी के दफ़्तर में पहुँचे, एक प्रेस-प्रतिनिधि ने आपसे कई प्रश्न किए। यह पूछने पर कि क्या गोलमेज़ परिषद में, कॉङ्ग्रेस के सम्मिलित होने की कुछ सम्भावना है। पण्डित जी ने उत्तर दिया कि अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ और हम यह नहीं कह सकते कि कॉङ्ग्रेस के प्रतिनिधि गोलमेज़ परिषद में सम्मिलित होने के लिए जायँगे अथवा नहीं। यह कहना कि मैं (इस सम्बन्ध में) आशावादी हूँ, ठीक नहीं है। साथ ही साथ यह कहना भी उतना ही ग़लत होगा कि समझौते के प्रबन्ध (Arrangement) का अब कोई संयोग नहीं रहा ! संयुक्त प्रान्त, बारदोली तथा अन्यत्र की वर्तमान अवस्था अत्यन्त असन्तोषप्रद है। यदि यह अवस्था ठीक से सुधर जायगी तो महात्मा गाँधी के लन्दन जाने की अधिक सम्भावना होगी।

यह प्रश्न किए जाने पर कि क्या कोई काल निर्धारित है कि इतने दिनों तक अवस्था में सुधार होने की प्रतीक्षा की जाय और तब यह निश्चय किया जाय कि महात्मा जी लन्दन जायँगे कि नहीं; पण्डित जी ने अपने उत्तर में कहा कि जिस दिन उक्त परिषद के लिए (भारत से) प्रतिनिधि-गण जहाज़ पर बैठ कर लन्दन को रवाना होंगे, उसके दो-तीन दिन पूर्व भी यदि महात्मा जी परिस्थिति को सुधरते हुए पाएँगे तो लन्दन जाने के लिए शायद निश्चय कर लें।

प्रेस-प्रतिनिधि ने फिर प्रश्न किया कि कतिपय पत्र-पत्रिकाओं में जो यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि देहली के समझौते की शर्तों के सम्बन्ध में कॉङ्ग्रेस ने एक जाँच या पञ्चायती बोर्ड के लिए जो माँग उपस्थित की थी, उसे सरकार ने खुले शब्दों में अस्वीकार कर दी है, क्या यह ठीक है ? पण्डित जी ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि इस सम्बन्ध में पत्रों में जो वक्तव्य प्रकाशित हुए हैं, वे यथार्थ नहीं हैं, किन्तु इस विषय में मैं अभी अधिक नहीं कहना चाहता। उन्होंने यह भी कहा कि शिमला की बातचीत में केवल जाँच बोर्ड की माँग के विषय का ही अधिक महत्त्व नहीं था और भी कई मामलों पर वाद-विवाद हुआ था।

इसके पश्चात् संयुक्त प्रान्त के गवर्नर सर मैलकम हेली ने, व्यवस्थापिका सभा में, किसानों की परिस्थिति के विषय में जो वक्तृता दी थी, उसके विषय में प्रेस-प्रतिनिधि ने पण्डित जी के व्यक्तिगत विचारों को जानने की इच्छा प्रकट की। पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर में कहा कि संयुक्त प्रान्त के किसानों की परिस्थिति के सम्बन्ध में सर मैलकम हेली ने बड़ी होशियारी एवं योग्यता के साथ सरकार के पक्ष का समर्थन किया है। शिमला में मैंने उस वक्तृता का सारांश ही देखा था; किन्तु यहाँ वापिस आने पर मैंने सारे व्याख्यान को पढ़ डाला है। उनके व्याख्यान के सम्बन्ध में अभी मैं अधिक नहीं कहना चाहता। जनता की अवस्था को समझने के लिए किसी बड़े तर्क की आवश्यकता नहीं है और कोई भी व्यक्ति हमारे गाँवों में होकर दौड़ते हुए निकले, दुखित कृषकों के चेहरे से ही सब बातें ज्ञात कर सकता है, वह यह भी जान सकता है कि किस प्रकार सरकार तथा ज़मींदार के एजेण्टों ने उनके साथ व्यवहार किया है। हम यह कहते रहे हैं कि सरकार के कर्मचारियों की ओर से देहली समझौते की शर्तों का निरन्तर उल्लङ्घन किया गया है और वही हम आज भी कहते हैं। सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि ख़ास-ख़ास ज़िलों में केवल थोड़े से व्यक्ति जेल भेजे गए हैं, किन्तु उन्हीं ज़िलों में बहुत मनुष्यों के विरुद्ध मुक़दमा चलाया गया है। एक ज़िले में तो मेरा विश्वास है कि लगभग ७५० नोटिसें जारी की गई हैं। इस प्रकार की आफ़त की तलवार देहातों की समस्त जनता के सर के ऊपर लटक रही है।

❀　　❀　　❀

गाँधी-इर्विन समझौते का श्राद्ध ?

गवर्नमेण्ट की ओर से गाँधी-इर्विन समझौते का पालन कहाँ तक हुआ है, इस सम्बन्ध की विस्तृत चर्चा करते हुए संयुक्त-प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी ने अपनी जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसी के आधार पर सहयोगी 'प्रताप' ने इस प्रान्त के विभिन्न स्थानों पर होने वाले अत्याचारों का एक विवरण प्रकाशित किया है, जो इस प्रकार है :—

१ बस्ती—गाँधी टोपी वालों का बेरहमी से पीटा जाना; मौज़ा ढोकम के खद्दरप्रेमी ठाकुर चन्द्रपालसिंह की बन्दूक़ का लाइसेन्स ज़ब्त; स्वयंसेवकों पर मार-पीट; त्रिवेणीप्रसाद नामक कॉङ्ग्रेस-कार्यकर्त्ता की बेइज़्ज़ती; उनके घर में पुलीस ने घुस कर पीटा।

२ गोंडा—मौज़े बरौली में कॉङ्ग्रेस-कार्यकर्त्ता को पीटा; पुलीस ने घरों में घुस-घुस कर औरतों को गालियाँ दीं। कहा—"बुलाओ अब साले गाँधी को; लो कॉङ्ग्रेस-काम का मज़ा चखो" बलरामपुर रियासत की चरदा हरिहरपुर तहसीलों में ठेकेदारों के पाशविक अत्याचार; बीरपुर में अत्याचार; बरईपुर और सेमरी में स्त्रियों की बेइज़्ज़ती; उनके भगों में डण्डे घुसेड़े गए; डिप्टी कमिश्नर मिस्टर बनर्जी ने फ़रियादी किसानों को बेतों से पीटा; डी० सी० के आदमियों ने किसानों को लाठियों से, उन्हीं के सामने मारा।

३ फ़र्रुख़ाबाद—ख़ानपुर नामक गाँव में १५-१६ कॉन्स्टेबिलों ने स्त्रियों को बेइज़्ज़त किया; बच्चों को पीटा; गालियाँ दीं; राजाराम अग्निहोत्री पिटे; खिरवा राज में बेदख़ली; मार-पीट आदि की धूम; पुलीस-कप्तान ने सिपाहियों को लेकर अमोलर के पं० गिरधारीलाल के मकान पर छापा मारा; मार-पीट की; कई मकानों से झण्डे उतारे; लाहपुर में भी लोगों को कॉङ्ग्रेस का साथ देने की वजह से पीटा; पुलीस कहती थी 'लो स्वराज !' अमोलर में नालिशें बेदख़ली।

४ इटावा—नगला ढकउवा का गोली-काण्ड—३ मरे, कई घायल, डोरवा स्कूल से पुलीस ने झण्डा उतारा; फ़फूँद के थानेदार ने रामप्रसाद तथा हुब्बलाल का बिला वजह, कॉङ्ग्रेस में होने के कारण पीटा; भरथना और विधनू में ज़मींदारों के ज़ुल्म।

५ कानपुर—सभी तहसीलों में पुलीस और ज़मींदारों के ज़ुल्म; दो सौ से ऊपर के गाँवों में कॉङ्ग्रेस-कार्य-कर्त्ताओं द्वारा आर्थिक जाँच की गई; किसानों की हालत बहुत ख़राब; छूट नाकाफ़ी; नरवल में १४४ दफ़ा का दुरुपयोग; अकबरपुर, बिल्हौर आदि तहसीलों में गिरफ़्तारियाँ; डेरापुर तहसील के कोरँडवा तथा खाले गाँव नामक ग्रामों में ज़मींदार के आदमियों की ज़्यादतियाँ; मौज़ा औंधा, औरियान, रामलीपुर में पटवारी का ज़ुल्म; सपई, वीरसिंहपुर आदि के ज़मींदारों के ज़ुल्म; घाटमपुर में धाँधली।

६ हरदोई—लगानवसूली के सिलसिले में मार-पीट; स्त्रियों पर हाथ छोड़े गए; बड़ागाँव, पिलसनी, सँडीला आदि के किसानों पर सख़्ती; किसानों को धूप में खड़ा करना, मारना, मेहतरों से जूते लगवाना; लगान की रसीदें न देना; सन्डीला और हथोरा ग्राम में धाँधली; गाय-बैल घर का सामान कुर्क़ कर लेना, बेहँदरकलाँ स्थान में कृषकों पर ज़ुल्म, कर्मचारियों के अनाचार की शिकायतें।

७ बाराबङ्की—बेगार, ज़बरन लगानवसूली; धनकुटो, चकगदरिया, पुरवा गाँवों में किसानों की मरम्मत; रामसनेही घाट के ज़मींदार का बुरा व्यवहार; सदौली के जुहार बीबी के मेले में पुलीसमैन द्वारा कॉङ्ग्रेस स्वयंसेवकों पर मार; ३०० के क़रीब गिरफ़्तारियाँ; १४४ धारा का अँधाधुन्ध प्रयोग; किसानों पर भयङ्कर ज़ुल्म और ज़्यादतियाँ।

८ झाँसी—तालबेहट स्थान में पुलीस थानेदार की धाँधली; कोरी-चमारों से बेगार; आपत्ति करने पर लात-जूते का इनाम; चोरी की तहक़ीक़ात में गाँव वालों को ज़लील करना; एक मुखिया फाँसी लगा कर मर गया।

९ बहराइच—नानपारा के मौज़ा अगहिया और परसा में अत्याचार; घर जलाए गए; आदमियों के सख़्त चोट, घरों के अन्दर औरतें पीटी गईं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ५ घर जलाए जाने के बाद सूचना दी गई; ज़िले भर में सख़्ती; ब्राह्मणों के जनेऊ में जूते बँधवाए गए; भङ्गियों द्वारा मार-पीट; छूट में मनमानी; कुर्क़ी, दावा, डिगरी, मार-पीट का ज़ोर, घरों के ताले तुड़वाए गए; बहुबन्द सवारों द्वारा १५ किसान घायल।

१० सीतापुर—बिसवाँ तहसील में ज़मींदारों की ज़्यादतियाँ; बेदख़ली की धमकी; मार-पीट; मुर्ग़ा बनाना इत्यादि; बेलवाँ बहादुरपुर के ज़मींदार के शान्तिमय धरने पर आपत्ति; पुलीस द्वारा गाड़ीवानों पर सख़्ती; मौज़ा मथुरा में भीषण ज़ुल्म; औरतों का अपमान।

११ फ़तेहपुर—ज़िले भर में किसानों पर सख़्ती, मार-पीट, मुक़दमेबाज़ी, खलिहानों से अनाज ले जाना; धाता में धरना देने वालों को ज़मींदारों ने पिटवाया; पासी से उन पर थुकवाया भी। खागा में बेदख़लियाँ और कुर्क़ियाँ।

१२ एटा—तहसील अलीगञ्ज के लोहारीखेड़ा तथा सनौड़ में मार-पीट, सरदार ख़ाँ नामक किसान के मार के कारण मुँह से ख़ून गिरने लगा; बरानी मौज़े के ज़मींदार दलजीतसिंह ने आगरे के कॉङ्ग्रेस-सेवक श्री० मुन्शीलाल गोस्वामी को जूते, घूँसे, लात और डण्डों से पिटवाया; ज़िला भर में सख़्ती।

१३ मैनपुरी—जसराना के किसानों की दुर्दशा, कुर्क़ी और बेदख़ली की धूम, खेरिया गाँव में पुलीस के जघन्य तथा निन्दनीय अनाचार।

१४ खीरी—नाकाफ़ी छूट; ½ और ¼ छूट में भी पटवारियों की शरारत; ज़मींदारों के अत्याचार; मार, बेदख़ली, कुर्क़ी आदि; नज़राना तथा अन्य टैक्सों की वसूली; नारायणदास महन्त के ज़िलेदार के अत्याचार; राजाखुटार के किसानों में त्राहि-त्राहि; कार्यकर्त्ताओं को १०९ और ११० की धमकी।

१५ उन्नाव—उतमानपुर के ताल्लुक़ेदार ने अज्ञद-प्रसाद तथा एक और स्वयंसेवक को पिटवाया; ज़िले भर में हाहाकार; पिपरी में एक स्त्री पर चार-चार आदमी उतरे; बूढ़ी औरत नङ्गी की गई; बच्चे पीटे गए; कृषकों पर बेतहाशा मार।

१६ प्रतापगढ़—झक्वारा के ज़मींदार की बेगार के सम्बन्ध में सख़्ती; अमूमन ज़िले भर में किसानों के साथ दुर्व्यवहार; अधिकारियों की उदासीनता। परियाँवन के नवाब की भयङ्कर सख़्ती।

१७ गोरखपुर—बँधे हुए दर से चार-पाँच गुना अधिक लगान; भूसा, बेगार, लठैतों द्वारा मार-पीट; किसानों को पेड़ पर चढ़ा कर ढकेलना; धूप में खड़ा रखना; पाँच-पाँच मिनट पर जूते लगवाना; रस्सी से बाँध कर उल्टा टँगवाना; किसानों के मुँह से ख़ून न निकले, तब तक न छोड़ना; धूप में लिटा कर छाती पर पत्थर रखना; गाँव जलाए गए, कई आदमी मौत के शिकार; स्त्रियों का अपमान; तहसील महाराजगञ्ज में हल, मवेशी, बर्तन कुर्क़ हुए, काश्तकारों से ज़मींदारों की ज़मीनें जुतवाना; मज़दूरी की जगह दस-बीस गालियाँ; पड़रौना, सदर महाराजगञ्ज आदि तहसीलों में कॉङ्ग्रेस वालों को डाके-चोरी में पकड़ना; पञ्चायतें तोड़ने की कोशिश; बेलाहरैया रियासत के किसानों पर सख़्ती; घोड़े पर टैक्स; गाड़ी पर ≈)॥ टैक्स; ३७ लाख की मालगुज़ारी में ३७ हज़ार की छूट; ७ जून को रजवाड़ा गाँव में पुलीस गई, घर में घुस कर औरतों-लड़कियों को तङ्ग किया, किसानों ने शिकायत की, ज़मींदार के सिपाहियों ने मार-पीट की, गोलियाँ चलीं, एक कॉङ्ग्रेस स्वयं-सेवक मारा गया, महाराजगञ्ज तहसील के खेतराड़ी गाँव के ७ टोलों को ज़मींदारों ने लूटा, बर्तन, नक़द, गहना, ग़ल्ला, कपड़ा, सुई-डोरा, सब ले गए, लूट के दिन स्टेशन, डाक-घर, थाना आदि स्थानों पर पहरा रहा, बृजमनगञ्ज के लेहराराज में बाँस-भूसे के सम्बन्ध में ज़्यादतियाँ, बेलाहरैया में लोकई कहार पर भयानक ज़ुल्म, २,५०० किसानों ने ज़िलाधीश से फ़रियाद की, कोई सुनवाई नहीं, पटवारियों के अनाचार।

१८ रायबरेली—ऊँचाहार में मौज़ा कँगरावाँ के ज़मींदार ने किसानों को पिटवाया, कहा—'बुलाओ अपने बाप गाँधी को।' एक किसान की कमर टूटी और हाथ भी टूटा, रियासतों में नज़राना और लगानवसूली में ज़्यादतियाँ, सशस्त्र पुलीस का दौरा, गौरा की सभा में १४४ का प्रयोग; ज़िले भर में हाहाकार; २००-२५० सौ रुपए की चीज़ें ३०-४० रुपए में नीलाम, दौलतपुर में गोलियाँ चलीं, दो आदमी मारे गए, एक घायल हुआ।

१९ बुलन्दशहर—माफ़ी पर्याप्त नहीं, किसानों में असन्तोष, अधिकारियों की उदासीनता।

२० सुलतानपुर—कॉङ्ग्रेस-कार्यकर्त्ताओं पर १४४, अमेठी तहसील के ६० व्यक्ति और मुसाफ़िरख़ाना तहसील के १२० व्यक्ति १०७ दफ़ा में गिरफ़्तार; शहर में १४४, "महात्मा गाँधी की जय" बोलने पर ८ किसानों पर १४४ दफ़ा तोड़ने का मुक़दमा; कॉङ्ग्रेस कार्य दबाने का प्रयत्न; मार-पीट, गाली-गलौज बदस्तूर।

२१ अलीगढ़—ज़िला कॉङ्ग्रेस-कमिटी के दफ़्तर में रोज़ाना सैकड़ों शिकायतें ज़ुल्मों की आती हैं; किसानों की बुरी हालत; अधिकारियों की धाँधली; ज़मींदारों की मनमानी।

२२ इलाहाबाद—फूलपुर के ज़मींदार का अनाचार; तहसील चाइल में खोखा बाबू के कारिन्दे की ज़्यादतियाँ; सोराँव तहसील में किसानों पर ज़मींदारों की मार-पीट; मकानों पर धावा करना, मारना, सामान उठा लेना तो मामूली बात; स्त्रियों पर मार; अधिकारियों द्वारा उत्तेजना दी जाती रही; ज़मींदारों की हिम्मतें बढ़ीं; भयङ्कर दुष्परिणाम; ज़मींदारों का क़त्ल।

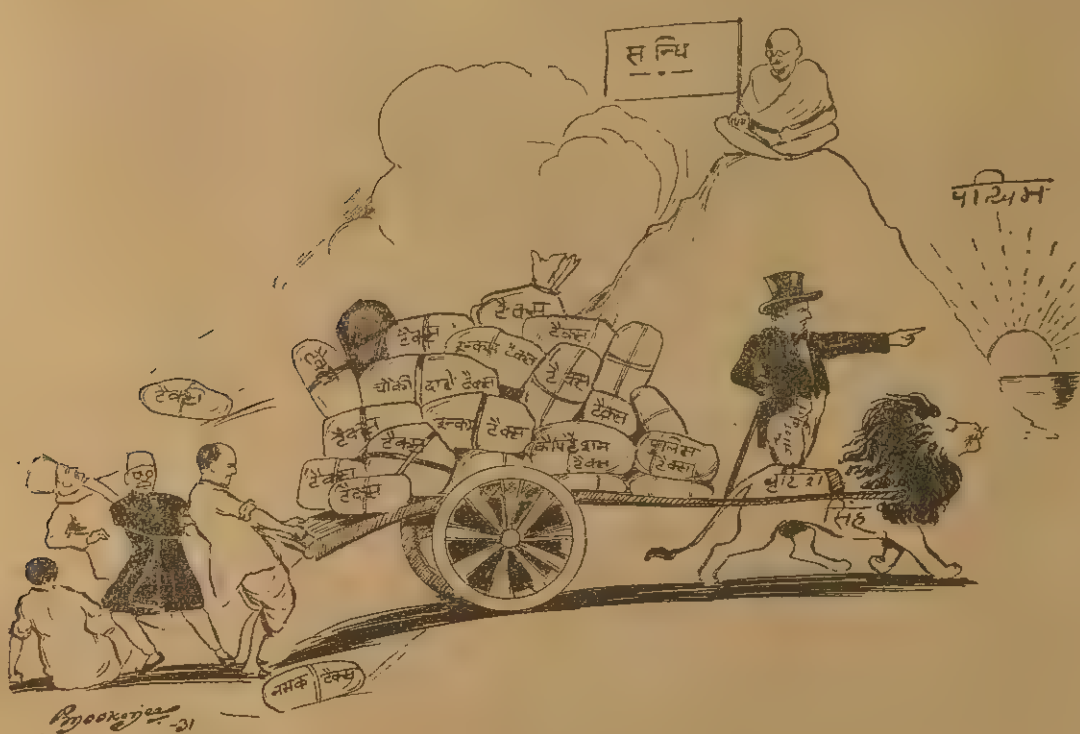
(शेष मैटर ७वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए)

‘भविष्य’ की व्यङ्ग-चित्रावली का एक पृष्ठ





कुछ विशेष महत्वपूर्ण एवं चुटीले कार्टूनों के लिए ‘भविष्य’ के आगामी अङ्क की प्रतीक्षा कीजिए !



“सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बनजारा !”

"मेरे मुँह के साथ पाख़ाना बाँध दिया गया जिससे मैं बेहोश हो गया"

"मुझे आठ रोज़ तक खाने-पीने के लिए कुछ न दिया गया"

"पुलिस ने मुझे इतना पीटा कि ख़ून आने लग गया और साँस लेना कठिन हो गया"

लाहौर की अदालत में पं० शिवदत्त त्रिपाठी का लिखित बयान

पण्डित शिवदत्त त्रिपाठी पर लाहौर के मैजिस्ट्रेट मि० मलिक सुलेमान की अदालत में आज प्रायः आठ महीने से एक राजनीतिक मामला चल रहा है और बेचारे लाहौर के लोकल जेल में क़ैद हैं। इस बीच में इन्होंने दो बार अनशन भी किया है और जेल के कई प्रकार के कष्ट सहे हैं। आप पर दफ़ा ५०६ के अनुसार बज़ाज़ों को धमकाने, दफ़ा १७ (ब) के अनुसार ग़ैर-क़ानूनी भीड़ इकट्ठी करने का इलज़ाम लगाया गया है। इन्हीं दो 'गुरुतर' अपराधों के लिए बेचारे आठ महीने से घुल रहे है। सफ़ाई की गवाही के बाद अदालत में अपना एक लिखित बयान भी पेश किया है। पाठकों के मनोविनोदार्थ उसका सार नीचे दिया जाता है :—

"मैं अहिंसा में विश्वास रखने वाला एक सत्याग्रही सिपाही हूँ। सन् १९१४-१५ से मैं कॉङ्ग्रेस की सेवा कर रहा हूँ और कॉङ्ग्रेस के शान्तिमय सिद्धान्त का पूर्ण समर्थक हूँ।

"कलकत्ता, लाहौर, बनारस और अमृतसर आदि स्थानों में कॉङ्ग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों के अवसरों पर स्वयंसेवक रह चुका हूँ और जहाँ तक मुझे याद है, कॉङ्ग्रेस को छोड़ कर दूसरी तरफ़ जाने का कोई ख़्याल भी कभी मेरे दिल में पैदा नहीं हुआ है। यदि मेरे विचार हिंसात्मक होते तो मैं इस तरह खुल्लमखुल्ला जलियाँवाला बाग़ में बैठ कर, पुलीस के कहने के अनुसार, एक खुला षड्यन्त्र करने का ख़्याल कभी भी नहीं कर सकता था। क्योंकि देखने में आ रहा है कि बेवक़ूफ़ से बेवक़ूफ़ आदमी भी इस तरह अपने को गिरफ़्तार कराने के लिए कभी भी तैयार नहीं हो सकता। जलियाँवाला बाग़ में बराबर पुलीस का पहरा रहता है, हज़ारों आदमी वहाँ बराबर आया-जाया करते हैं। वहाँ भागने और छिपने का भी कोई स्थान नहीं है। ऐसी अवस्था में क्या अक़्ल स्वीकार कर सकती है कि वहाँ बैठ कर गुप्त षड्यन्त्र सम्बन्धी कोई काम होता होगा? फिर पुलीस को हमारी तलाशी लेने पर भी कुछ नहीं मिला है। परन्तु इतने पर भी पुलीस ने मुझे गिरफ़्तार कर लिया, मुझ पर मुक़दमा चलाया और मुझे नाना प्रकार की यातनाएँ दीं।

"अमृतसर के सत्याग्रह आन्दोलन में मैंने आरम्भ से ही भाग लिया था। इस दरमियान में लगातार जलियाँवाला बाग़ में ही रहा। पुराने कार्यकर्ता गिरफ़्तार हो गए थे और मेरी ज़िम्मेदारी बढ़ गई थी। पुलीस के आदमी जो बाग़ में आते थे, मैं उनकी राह में हमेशा रुकावट साबित होता था।

"एक दिन सब-इन्स्पेक्टर अहमद नवाज़ अपने चन्द साथियों को लेकर बाग़ में आए। उन्होंने पहले तो मेरी तलाशी ली, परन्तु कोई चीज़ उन्हें क़ाबिल एतराज़ न मिली। इसके बाद वे मुझे गिरफ़्तार करके कोतवाली ले गए और डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट के सिपुर्द कर दिया।

सी० आई० डी० का व्यवहार

"मुझे देखते ही उन्होंने आज्ञा दी कि इसे ऊपर ले जाकर सीधा करो। सी० आई० डी० वालों ने मुझे ऊपर ले जाकर सीधा खड़ा कर दिया। मेरी बाहों को ऊपर उठा कर मेरी टाँगें फैला दीं। इस समय मेरे पाँव एक-दूसरे से पौने चार फ़ीट के फ़ासले पर रक्खे गए थे। इतने में थानी शोभासिंह इन्स्पेक्टर ने मेरे हाथ से गीता की पोथी छीन ली। इसके बाद मुझ पर जूतों, डण्डों और मुक्कों की वर्षा आरम्भ कर दी गई और इतनी मार पड़ी कि मुझे ग़श आ गया। मैं गिर पड़ा! इसके बाद मुझे उठा कर नीचे ले गए और सी० आई० डी० वालों ने मेरे साथ जो बर्ताव किया, वह बर्दाश्त करने योग्य न था। इस मार-पीट के कारण मेरी पसलियाँ दर्द करने लगीं, जिनसे ख़ून आने लगा। साँस लेना कठिन हो गया। इसके अलावा मुझे आठ रोज़ तक कुछ खाने-पीने को न दिया गया। मेरे मुँह से पाख़ाना बाँध दिया गया, जो ढाई घण्टे तक बँधा रहा। बदबू से मेरा दम घुटने लगा और मैं बेहोश हो गया। मुझसे बार-बार कहा जाता था कि सारा भेद बता दो। परन्तु मैं कुछ नहीं जानता था, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। आख़िर तङ्ग आकर मुझे शहर से बाहर एक जङ्गल में ले गए, और मुझसे कहा कि तुम कहो कि यहाँ पटाख़ा चलाया था। मैंने कहा—"क्यों ऐसा कहूँ?" तो मुझ पर तड़ातड़ मार पड़ने लगी। इसके बाद मुझे फिर कोतवाली ले आए। अभी मुझे अच्छी तरह होश भी नहीं आया था कि मुझसे चन्द काग़ज़ात पर हस्ताक्षर करा लिए गए। इन काग़ज़ों में कुछ तो सादे थे और कुछ पर उर्दू में कुछ लिखा था। मैं उर्दू नहीं जानता। जब मैंने पूछा कि इन पर क्या लिखा है तो फिर मुझ पर मार पड़ने लगी। एक पतला सा आदमी था, दरियाफ़्त करने पर मालूम हुआ कि वह भी कोई इन्स्पेक्टर है। परन्तु अदालत में गवाही देने के समय मालूम हुआ कि आप सय्यद बुड्ढे शाह ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं।

"वादी-पक्ष के गवाहों ने अधिकतर मेरे विरुद्ध दो बातें कही हैं। (१) यह, कि मैंने क्रान्तिकारी पर्चे फेंकवाए, जिनमें कहा जाता है, बज़ाज़ों को धमकियाँ दी गई थीं। (२) मैं बड़े-बड़े पटाख़े या छोटे-छोटे बम बनाया करता था।

"चूँकि कृपाराम और चमन को पुलिस ने मुझसे पहले गिरफ़्तार कर लिया था और मुझ पर और कोई मुक़दमा नहीं बन सका, तो इश्तहारों का क़िस्सा ही मेरे विरुद्ध रच डाला गया। इन दोनों लड़कों को मैं बिलकुल नहीं जानता, मैं इनसे पहले कभी नहीं मिला। पुलीस ने भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं उपस्थित किया है, जिससे यह मालूम हो कि इनसे मेरा कोई सम्बन्ध था।

"दूसरा अपराध मुझ पर पटाख़े या बम बनाने का है, जिसके द्वारा मैं बज़ाज़ों को विलायती कपड़ा बेचने से बाज़ आने के लिए धमकी देना चाहता था। पुलीस की ओर से कहा गया है कि रमा मार्केट पर चढ़ कर पटाख़े फेंके गए थे। यह घटना शाम के पाँच बजे की बताई जाती है। रमा मार्केट एक व्यापारिक केन्द्र है। रात के बारह बजे तक वहाँ कारबार की धूमधाम लगी रहती है। दूकानों के ऊपर मकान हैं। इसके बारे में कोई गवाही भी नहीं है कि किसने जाकर मुझे देखा। ये बातें हैं, जो कि पुलीस की रची हुई कहानी को मिथ्या प्रमाणित करती हैं।

"मेरी तलाशी भी पुलीस ने विचित्र ढङ्ग से ली है। मेरे घर की तलाशी से पहले मेरे बन्द सन्दूक़ कोतवाली में लाकर तोड़ डाले गए। इसके बाद मेरे घर की तलाशी हुई। परन्तु वहाँ पर सिवाय हवनकुण्ड के और कुछ भी नहीं मिला। सन्दूक़ मेरी अनुपस्थिति में खोले गए थे और उनमें कॉङ्ग्रेस के बिल्ले तथा राष्ट्रीय झण्डे आदि थे।

"पुलीस ने पहले ३९२ दफ़ा के अनुसार मुझे गिरफ़्तार किया था, जो पुलीस की डायरी से साबित होगा। परन्तु एक महीने में भी जब पुलीस कोई प्रमाण न पा सकी तो उसने मुझे दूसरे मुक़दमे में फँसाने की कोशिश की और अन्त में हार कर मेरा चालान दफ़ा १७ (ब) और दफ़ा ५०६ में किया।

"अन्त में मेरा निवेदन है कि मैं निरपराध हूँ। मेरे साथ जो दुर्व्यवहार हुए हैं, उनके चिन्ह मेरे शरीर पर मौजूद हैं। जेल में आने पर मैं सख़्त तकलीफ़ में रहा। रात को सोता-सोता चिल्ला उठता हूँ। जेल के कर्मचारी इस बात को जानते हैं।"

* * *

बम्बई के मिल में हड़ताल

बम्बई का २३ जुलाई का समाचार है कि सिम्प्लेक्स मिल के ७०० जुलाहों ने २२ जुलाई के प्रातःकाल, अपनी मज़दूरी बढ़वाने की माँग उपस्थित करते हुए, अपने औज़ारों को रख दिया। गिरनी कामगर सङ्घ के स्वयंसेवक कर्मचारियों को मिल के अन्दर प्रवेश करने से रोकने के लिए दरवाज़ों पर पिकेटिङ्ग कर रहे हैं। प्रबन्ध-समिति की ओर से २३ जुलाई को प्रातःकाल उन जुलाहों को एक नोटिस दी गई, जिसका आशय यह था, कि कुछ कपड़ों में, प्रति पाउण्ड पीछे एक पाई उन्हें और दिया जावेगा। यद्यपि यह बात कर्मचारियों को अच्छी लगी, किन्तु उन्होंने अभी कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है।

* * *

औरतों के पेशाब के मुक़ाम में डण्डे घुसेड़े गए !!!

एक स्त्री पर चार-चार आदमी चढ़े !

युक्त-प्रान्त में दानवता का नङ्गा नाच !!

ऐ ! नर-राक्षसो !! तुम्हारा नाश कब होगा ???

श्री० "सन्तप्त हृदय" महोदय सहयोगी 'प्रताप' में लिखते हैं :—

युक्त-प्रान्त में सरकारी आदमियों और ज़मींदारों का नङ्गा दमन किसान-पुरुष-स्त्रियों पर बहुत दिनों से हो रहा है। युक्त-प्रान्त की कॉङ्ग्रेस कमिटी ने इन वीभत्स घटनाओं की जाँच के लिए कुछ कमिटियाँ मुक़र्रर की थीं। उनकी रिपोर्टें युक्त प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी की कार्य्यकारिणी कौन्सिल के सामने बनारस में गत १८ जुलाई, १९३१ के दिन पेश हुईं। रिपोर्टों में गोरखपुर, रायबरेली, उन्नाव, बस्ती, बाराबङ्की, सुल-तानपुर, प्रतापगढ़, मथुरा, गोंडा और बहराइच ज़िलों की दानवताओं का सविस्तार विवरण है। इनके अलावा, ग़ाज़ीपुर, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, बुलन्दशहर, फ़ैज़ा-बाद आदि ज़िलों से भी जो समाचार आए हैं, वे अत्यन्त भयङ्कर और रोमाञ्चकारी हैं। पिछले दो-ढाई महीनों से यू० पी० की नौकरशाही और इस प्रान्त के ज़मींदारों ने किसानों पर ऐसे-ऐसे ज़ुल्म ढाए हैं, जिनका कुछ ठिकाना नहीं। गोंडा और उन्नाव ज़िलों में तो पूरी नादिरशाही के दृश्य देखने को मिले। गोरखपुर और बस्ती में गाँव के गाँव लूट लिए गए। घर जला दिए गए। किसानों को लात, घूँसे, डण्डे, थप्पड़, जूते, बेत आदि का प्रसाद दिया गया। पंडित वैङ्कटेश-नारायण तिवारी और बाबू मोहनलाल सक्सेना गोंडा ज़िले की बलरामपुर रियासत के किसान-स्त्री-पुरुषों पर किए गए अनाचारों की जाँच के लिए नियुक्त हुए थे। तिवारी जी की रिपोर्ट में स्त्रियों के ऊपर किए गए अत्याचारों का बड़ा भीषण वर्णन है। गोंडा की तहसील गिधरहियाँ (रियासत बलरामपुर) में एक मौज़ा बरईपुर है। उस मौज़े में औरतों पर जो भीषण-रोमाञ्चकारी अनाचार हुए हैं, वे वर्णनातीत हैं। एक औरत का बयान है कि एक दिन गाँव में तहसील के आदमी आए और औरतों से बोले कि पोत अदा करो। औरतों ने कह दिया कि जब हमारे घर वाले आवेंगे, तब पोत अदा कर देंगे। इस पर घरों में आदमी घुस गए। औरतों की बेइज़्ज़ती की और पेशाब के मुक़ाम पर डण्डा घुसेड़ दिया। चार-पाँच रोज़ तक औरतों का पाख़ाना पेशाब तक बन्द रहा। तहसील के आदमी कहते थे कि हम लोगों के पास हुक्म-नामा है, हम रोज़ाना औरतों को इसी तरह परेशान करेंगे। एक अट्ठारह वर्ष की गर्भवती युवती को तहसील के आदमी पकड़ लाए। उन्होंने उसे नङ्गी किया और उसकी फ़रज में भी डण्डा घुसेड़ दिया। उस बेचारी असहाय, निरवलम्ब, दीन-हीन युवती के दिल पर इस बेइज़्ज़ती की वजह से इतनी चोट लगी कि दूसरे ही रोज़ उसके बच्चा हो गया। ऐसी-ऐसी हरमज़दगियाँ इस जगह की गई हैं कि उनके स्मरण-मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी तरह मौज़ा सेमरी में भी औरतों के ऊपर ज़ुल्म और ज़्यादतियाँ हुईं। अत्याचार-पीड़ितों की यह आर्त पुकार गोंडा के ज़िलाधीश तक न पहुँची हो; सो बात नहीं है। लेकिन उन्होंने इस वीभत्सता के करने वाले नर-पिशाचों को किसी प्रकार का दण्ड दिया हो या उसकी जाँच ही की हो, इसका पता हमें आज तक नहीं लगा। पिपरी नामक गाँव उन्नाव ज़िले की पुरवा नामक तहसील में है। वहाँ के ज़मींदारों ने सरकारी आदमियों की सहायता से, गत ३० मई १९३१ के दिन जाकर गाँव घेर लिया और लोगों के घरों में घुस-घुस कर स्त्रियों तथा बच्चों तक को बुरी तरह पीटा और पिटवाया। इस गाँव के पास दण्डनापुर की एक ७० वर्ष की बुढ़िया ने अपने बयान में कहा है—"मैं अन्धी हूँ। मुझे अन्धी हुए दो बरस हुए हैं। एक दिन कोई महीने भर पहिले (स्मरण रहे कि इस औरत का यह बयान ता० ३ जुलाई १९३१ के दिन लिया गया था।) मैं अपने दरवाज़े से हट कर बैठी थी कि मेरे दरवाज़े पर कुछ आदमी आए। उनकी आवाज़ से मैंने पहचाना कि उनमें शिवसुन्दर और सुकुल हैं। शिवसुन्दर ने मुझे गालियाँ दीं और कहा कि बता तेरा ख़सम कहाँ है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम! तब उसने वह लाठी, जिसे मैं टेक-टेक कर चला करती थी, उठा ली और मेरी पीठ पर मारी। फिर मुझे लात मारी। मैं लुढ़क गई। तब शिवसुन्दर ने कहा—"तू अपनी फ़रजान खोल।" मैंने दोनों हाथ अपने आगे ढँक कर कहा 'महाराज, इस बुढ़ौती में मैं अपनी काया नहीं दिखलाऊँगी।' तब भी शिवसुन्दर कहता रहा 'बुरचोदी अपनी फ़लान खोल।' मैं जब न मानी, तब उसने लकड़ी से धोती खींच ली, जिससे मेरी धोती फट गई और मैं नङ्गी हो गई, इसके बाद उसने पूछा "क्या मेंढी हाथी से लड़ेगी?" तब मैंने कहा "राजा, हम तुम्हारा दिया खाते हैं। मेंढी हाथी से कैसे लड़ेगी?" इस पर वह फिर मुझ पर टूट पड़ा और बोला "बुरचोदी तू फिर बोली? अपने आदमियों से कह देना कि अगर वे फिर अदालत में गए तो काट कर फेंक दिए जायँगे।" इसी गाँव की अँगनू चमार की स्त्री सुखदेइया पर बलात्कार किया गया। वह स्त्री पकड़ कर दण्डनापुर से सदासुख खेड़ा लाई गई और वहाँ पर इस औरत का कहना है कि उसके साथ ज़मींदार के चार आदमियों ने ज़बर्दस्ती बुरा काम किया। पिपरी में जो मारपीट हुई, उसका दोष डिप्टी-कलक्टर श्री० चन्द्रमोहन नाथ के सर मढ़ा जा सकता है। वे ज़मींदारों के साथ पिपरी गए थे। हथियारबन्द सिपाही भी उनके साथ थे। पिपरी तथा आस-पास के खेड़ों के किसान पिपरी लाए गए और ज़मींदारों के डेरे पर, जहाँ डिप्टी साहब ठहरे हुए थे, किसानों पर मार पड़ी। यह ताज्जुब की बात है कि डिप्टी साहब के कान पर जूँ तक न रेंगी। निःसन्देह अँगनू की स्त्री सुखदेइया पर जो अत्याचार हुआ, उसका पता डिप्टी-साहब को न था। लेकिन एक गाँव में हाकिम के रहते लोगों को स्त्री पर बलात्कार करने की हिम्मत पड़े, यह भी एक अजीबो-ग़रीब बात है। युक्त प्रान्त की इन बर्बरताओं के कारण ही प्रान्त भर में घोर असन्तोष फैल रहा है।

बिहार प्रान्त के मुसलमानों की विज्ञप्ति

पटना का २५वीं जुलाई का समाचार है, कि बिहार-उड़ीसा प्रान्त के ७२८ मुसलमानों ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की है, जिसमें देहली कॉन्फ्रेन्स वाले मुसल-मानों की साम्प्रदायिक नीति की घोर निन्दा की गई है और लखनऊ कॉन्फ्रेन्स की नीति का पूर्ण समर्थन किया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है, कि भारतवर्ष एक नवीन राजनैतिक प्रासाद के द्वार पर खड़ा है, जिसकी नींव राष्ट्रीयता के सुदृढ़ चट्टान पर पड़ी है। साम्प्रदायिक विभिन्नताएँ वेगवती गति से देश-व्यापक देशभक्ति में विलीन होती जा रही हैं.........भारतीय जनता की सत्ता को स्वीकार करना ही भावी परिवर्तनों का आधार-भूत सिद्धान्त है।

विज्ञप्ति के अन्त में कहा गया है कि राष्ट्रीय मुस्लिम दल एवं कॉङ्ग्रेस की कार्यकारिणी समिति के मध्य में, साम्प्रदायिक प्रश्न के सम्बन्ध में अभी तुरत एक सम-झौता हुआ है। दो-एक बातों के अतिरिक्त कॉङ्ग्रेस ने कट्टर साम्प्रदायिक मुसलमानों की माँग को भी स्वीकार कर लिया है। उक्त प्रश्न का यही सब से उत्तम समझौता है और हम अपने धर्मानुयायियों से अपील करते हैं कि इस समझौते को मान लें।

* * *

गाँधी-इर्विन समझौते का श्राद्ध

(चौथे पृष्ठ का शेषांश)

२३ फ़ैज़ाबाद—सिपाही किसानों को मारते-पीटते तथा तङ्ग करते हैं; अधिकारी ख़्याल नहीं करते; किसान परेशान हैं; दमन की चक्की में पिसे जा रहे हैं।

२४ जौनपुर—इस्तीफ़कारों के लिए रुपए में तीन आना छूट; ज़मींदार लोग पूरा लगान वसूल कर रहे हैं; किसानों पर आफ़त के बादल।

२५ ग़ाज़ीपुर—छूट बहुत कम हुई है; पटवारी और ज़मींदार छूट का हिस्सा हड़पे जा रहे हैं; किसान परेशान हैं; ऊँचे अफ़सर सुनवाई नहीं करते।

२६ जालौन—शिकमी और मौरूसी काश्तकारों को एक पैसे की भी छूट नहीं मिली; किसान परेशान हैं; छूट काफ़ी नहीं।

२७ गढ़वाल—ब्यूरोखाल पट्टी में नौकरशाही के गुर्गों ने सार्वजनिक सभा में विघ्न डाला; अमन-सभा वालों ने वहाँ पिकेटिङ्ग की; बेगार सावली पट्टी में गाँव के ठेकेदार ने दो आदमियों को जूतों से पीटा; इसलिए कि उन्होंने कॉङ्ग्रेस वालों के स्वागत में ढोल बजाया था; गढ़वाल में माफ़ी बिल्कुल नहीं हुई; उल्टे ।-) फ़ी रुपया बढ़ा कर लगान वसूल हो रहा है; क्या यही न्याय है?

२८ आगरा—कुर्क़ी और बेदख़ली की भरमार; कई गाँवों में माफ़ी का नाम नहीं; पुलीस अत्याचार कर रही है; अमन-सभा के मेम्बरों को माफ़ी ज़्यादा दी गई; पुलीस और डिप्टी-कलक्टर गाँव वालों को कॉङ्ग्रेस-मैनों के ख़िलाफ़ भड़काते हैं; कहते हैं, इन्हें जाति से निकाल दो; गढ़ीसहजा में गोलियाँ चलीं; ४ किसान मरे; कई घायल हुए।

* * *



भविष्य

३० जुलाई, सन् १९३१

शान्ति-निर्माण के पथ में—

विगत मङ्गलवार को बङ्गाल व्यवस्थापक सभा में मौलवी जलालुद्दीन हाशिमी के प्रश्न का उत्तर देते हुए बङ्गाल-सरकार के होम मेम्बर ने कहा कि बक्सा और हिजली कैम्पों में तथा अन्य जेलों में कुल ४१६ आदमी नज़रबन्द हैं। कुमार शान्ति-शेखरेश्वर राय ने जानना चाहा कि—(क) बङ्गाल क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट ऐक्ट के अनुसार सन् १९३० में गिरफ़्तार किए गए ऐसे नज़रबन्दों की कितनी संख्या है, जिन पर कोई भी मुक़दमा नहीं चलाया गया? (ख) इन नज़रबन्दों में कितने ऐसे हैं जिन पर उनकी गिरफ़्तारी से पहले हिंसा का अभियोग लगाया जा चुका है? (ग) इन नज़रबन्दों में कितने ऐसे हैं, जिन पर सरकार के द्वारा मुक़दमा चलाए जाने पर भी कोई अभियोग प्रमाणित नहीं हुआ?

कहना नहीं होगा कि होम-मेम्बर ने श्री० कुमार शान्ति शेखरेश्वर राय के इन प्रश्नों को टालते हुए इस आशय की असमर्थता प्रकट की कि नज़रबन्दों के काग़ज़ात की विस्तृत परीक्षा किए बिना इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता, तथा वर्तमान स्टाफ़ यह अनावश्यक विस्तृत कार्य करने में असमर्थ है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि यदि बङ्गाल-सरकार उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर दे सकती, तो बङ्गाल क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट ऐक्ट की आड़ में बङ्गाल-सरकार की रहस्यमय नीति के कई मनोरञ्जक पहलुओं पर समुचित प्रकाश पड़ता। परन्तु बङ्गाल-सरकार इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर क्योंकर दे? बङ्गाल क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट ऐक्ट सारे प्रान्त के नागरिक अधिकारों का भले ही घातक हो, इस काले क़ानून के द्वारा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और मानवीय अधिकारों की नृशंस हत्या भले ही की जाती हो, पर यह ऑर्डिनेन्स देश की 'शान्ति और क़ानून' की रक्षा (!) के निमित्त बनाया गया है। इतना ही नहीं, इसका निर्माण हमारे उन भाग्य-विधायकों के द्वारा हुआ है, जो इस देश की रक्षा और उन्नति के उत्तरदायी हैं!

बङ्गाल प्रान्त के इस नृशंस क़ानून की आड़ में मानव-हृदय के रोदन करने वाले भावों का कौन सा मार्मिक रूप छिपा है, इसका व्यक्त करना सहज नहीं। बङ्गाल-सरकार एवं भारत-सरकार भले ही उक्त क़ानून के रोमाञ्चकारी एवं हृदय हिला देने वाले परिणामों से अनभिज्ञ रहे अथवा अनभिज्ञता प्रकट करने का बहाना करे; परन्तु सचाई यह है कि एक छोर से दूसरे छोर तक सारा बङ्गाल आज त्रस्त है। अभागे बङ्गाल का वायु-मण्डल आज माताओं और बहिनों, पत्नियों और पुत्रों, वृद्ध पिताओं और... की मर्मस्पर्शी आहों से काँप उठा है! और इन अभागे सम्बन्धियों की प्रतीक्षा करने वाली पथराई आँखें बक्सा और हिजली कैम्पों की ओर लगी हुई हैं—उन बक्सा और हिजली कैम्पों की ओर, जहाँ २०वीं शताब्दी के ब्रिटिश शासन में सैकड़ों ऐसे यौवन घुल-घुल कर नष्ट हो रहे हैं, जिन पर कोई प्रत्यक्ष अभियोग नहीं और जिनकी स्वतन्त्रता एवं नागरिक अधिकारों का हरण एक काले-क़ानून के द्वारा किया गया है! इन अभागे नज़रबन्दों की कैसी दुर्गति है, इस बात की चर्चा विस्तार-भय से हम इस स्थान पर नहीं कर सकते। परन्तु फिर भी पाठकों की जानकारी के लिए कुछ स्फुट प्रसङ्गों का उल्लेख करना आवश्यक जान पड़ता है। निम्नलिखित दो दृष्टान्तों से इन नज़रबन्दों की करुण स्थिति का आंशिक परिचय मिल जायगा:—

(१) श्रीयुत भूपेन्द्रकिशोर रक्षित राय, एम० ए० बक्सा क़िला में एक नज़रबन्द हैं। जब वे स्वतन्त्र थे, उनकी मासिक आय दो सौ रुपए थी। उनका परिवार बहुत बड़ा है और उस पर क़र्ज़ भी है। श्रीयुत राय ही अपने परिवार के एकमात्र सहारा थे। आप पर आश्रित एक वृहद् परिवार को बङ्गाल-सरकार ने केवल ७५ रुपए प्रति मास देने की स्वीकृति दी है। श्रीयुत राय महोदय के परिवार की स्थिति इतनी दयनीय है कि क्षुधा-पीड़ा निवारण के लिए उनके घरवालों क, तृक गृह के सायबान की कराकटें (Corrugated sheds) बेंचनी पड़ीं। श्री० राय के पिता ने सरकार से इस बात की प्रार्थना की थी कि परिवार के व्यय के निमित्त वह प्रति मास ७५ रुपए से बढ़ा कर १०० रुपए का प्रबन्ध कर दे; परन्तु उनकी प्रार्थना अस्वीकृत कर दी गई।

(२) श्रीयुत तारकेश्वर सेन गुप्त हिजली कैम्प में एक नज़रबन्द हैं। उनकी दृष्टि-शक्ति इतनी ख़राब हो गई है कि रात के समय वे एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा सकते। उनका वज़न ९ पाउण्ड घट गया है। हिजली कैम्प में दवा की उचित व्यवस्था न होने के कारण उन्होंने इस बात की दरख़्वास्त दी थी कि मुझे कलकत्ते भेज दिया जाय, जिससे मेडिकल कॉलेज में मेरी आँखों का इलाज हो सके, पर अधिकारियों ने श्री० सेन गुप्त की इस प्रार्थना को अस्वीकृत कर दिया।

इस प्रकार की घटनाओं के अनेक उदाहरण हैं, जिन्हें विस्तार-भय से हम इस स्थान पर देने से असमर्थ हैं। फिर भी यह बात निस्सङ्कोच कही जा सकती है कि बक्सा और हिजली कैम्पों की दशा पूर्णतः असन्तोषपूर्ण और आपत्तिजनक है। इन कैम्पों में नज़रबन्दों की केवल स्वतन्त्रता ही नष्ट की जाती हो, सो बात नहीं। इन लोगों के ख़र्च के लिए जो थोड़े रुपए मिलते हैं, उसी में से इन्हें समाचार-पत्रों का ख़र्च देना पड़ता है, फिर भी इन अभागों को कोई राष्ट्रीय पत्र नहीं दिया जाता। सम्बन्धियों से मुलाक़ात करने में भी इनके साथ बहुत कड़ाई की जाती है। अधिकारी मुलाक़ात की दरख़्वास्त मञ्ज़ूर करने में लगभग एक महीना समय ले लेते हैं। यदि नज़रबन्दों के अत्यन्त निकट और प्रिय सम्बन्धी भी बीमार हों, तो भी उनसे मिलने के लिए इन्हें कदाचित ही कभी छुट्टी दी जाती है। अधिकारीवर्ग इस बात का कोई महत्व नहीं देते कि क़ानून की दृष्टि में ये नज़रबन्द किसी भाँति भी अपराधी नहीं हैं। इन अभागों में किसी भी व्यक्ति पर अभियोग नहीं लगाया गया; परन्तु इनके साथ प्रायः साधारण क़ैदियों का व्यवहार किया जाता है। यद्यपि यह सत्य है कि इनमें कई व्यक्तियों के परिवार के व्यय के लिए कुछ रुपए सरकार देती है; परन्तु एक तो वह रक़म बहुत ही थोड़ी होती है; दूसरे इनमें से अधिकांश ऐसे हैं, जो अपने परिवार वालों के एकमात्र आधार थे। इनके असहाय परिवार वालों की ओर से सरकार की सेवा में सहायता के निमित्त प्रार्थना पर प्रार्थना की जाती है, पर इसका प्रभाव सरकार पर कुछ भी नहीं पड़ता। और जब किसी अवस्था में सरकार सहायता भी देती है, तो वह अत्यन्त कृत्रिम एवं नगण्य। उदाहरण के लिए एक परिवार, जिसमें दस सदस्य हों, यदि उसे १५ रुपए प्रति मास सरकार के द्वारा दिए जाएँ तो सरकार का यह दान दरिद्रता एवं भूख का उपहास करने के रूप में ही देखा जा सकता है! अस्तु—

सन् १९२४ ई० में, जबकि पहले-पहल बङ्गाल-सरकार ने इस विशेष क़ानून की घोषणा की थी, उस समय सारे देश की जनता ने एक स्वर से इस अन्यायी एवं नागरिक स्वत्वों के घातक क़ानून का विरोध किया था; परन्तु सरकार ने इस बात की तनिक भी परवाह न की। बङ्गाल-सरकार ने क़ानून को घोषित करते हुए इस आशय का वक्तव्य प्रकाशित किया था कि राष्ट्र की रक्षा करना सरकार का प्रथम कर्तव्य है। बङ्गाल-सरकार के इस अनन्त-सत्य का हम दूने उत्साह और चौगुनी शक्ति से समर्थन करते हैं, पर साथ ही एक और भी सत्य है, और वह सत्य इस सत्य से कम महान और महत्वपूर्ण नहीं। वह यह कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और नागरिक स्वत्वों की रक्षा करना भी प्रत्येक सरकार का अद्वितीय कर्तव्य है और जो सरकार अपने इस पवित्र कर्तव्य के दायित्व का उचित पालन नहीं कर सकती, वह किसी भी दशा में शासन करने योग्य नहीं है।

सम्राट के भारतीय साम्राज्य का दृढ़ शासन नियमित रूप से चल रहा है। फ़ोर्ट विलियम का यूनियन जैक आज भी ब्रिटेश साम्राज्य के अद्वितीय वैभव एवं ऐश्वर्य का द्योतक है। सारा इङ्गलैण्ड आज भी अपनी सचाई और न्याय पर गर्व करता है,......यह सब कुछ है, ...पर बक्सा और हिजली की सर्द आहें एक धुँधले बादल के रूप में भारत के राजनीतिक आकाश में उठ रही हैं! इसका परिणाम क्या होगा, हम नहीं जानते; जानना चाहते भी नहीं! इस पर भी—जनता के असन्तोष को दूर किए बिना ही—लॉर्ड विलिङ्गडन अस्थायी समझौता नहीं, वरन् स्थायी-शान्ति चाहते हैं!!!

× × ×

केवल बङ्गाल की ही यह दशा हो, यह बात नहीं।

अभागा संयुक्त-प्रान्त भी सरकार के महत्वपूर्ण समझौते से काँप उठा है। सरकार की ओर से कहा जाता है कि उक्त समझौते को विफल करने की चेष्टा कॉङ्ग्रेस एवं स्वयंसेवकों द्वारा हो की जा रही है। क्या सरकार नहीं जानती कि इस प्रान्त में शोचनीय आर्थिक परिस्थिति में पड़े हुए निर्दोष कृषकों के वक्षस्थल पर, दमन-नीति किस भीषणता के साथ नृत्य कर रही है। गाँवों में निस्सहाय कृषकों पर कितना घृणित—कितना जघन्य अत्याचार हो रहा है। इस बात की जाँच करने के लिए कॉङ्ग्रेस की ओर से प्रबन्ध किया गया है। भिन्न-भिन्न स्थानों से अत्याचार की जो कथाएँ, जो ब्योरे आए हैं, वे वस्तुतः रोमाञ्चकारी हैं। उन हृदय-विदारक अत्याचारों का संक्षिप्त वर्णन, सहयोगी 'प्रताप' में उल्लिखित—'भविष्य' में अन्यत्र उद्धृत—है। उस कॉङ्ग्रेस-रिपोर्ट के अनुसार इस प्रान्त में सतीत्व नष्ट किया जा रहा है......औरतों को बलपूर्वक नङ्गा किया जाता है..... एक-एक महिला के साथ चार-चार आदमी बलात्कार करते हैं !!! उनके गुप्त अङ्ग में डण्डे घुसेड़े जाते हैं और फिर भी संयुक्त-प्रान्त के गवर्नर सर मैल्कम हेली का कहना है कि गाँधी-इर्विन समझौते का सत्यतः पालन करना सरकार की मर्यादा का प्रश्न है !

विस्तार-भय से इस स्थान पर हम अन्य प्रान्तों की चर्चा नहीं कर सकते; करना चाहते भी नहीं। सर्वत्र एक ही आँधी, एक ही तूफ़ान है। इस सम्बन्ध में हम सरकार के विरुद्ध कोई शिकायत अथवा उसकी कड़ी आलोचना करना अनावश्यक समझते हैं; परन्तु साथ ही हम भारत-सरकार और देश की प्रान्तीय सरकारों से बहुत नम्रता के साथ कहेंगे, कि यदि सरकार जनता के नागरिक अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की पूर्णरूप से रक्षा नहीं करेगी—जघन्य-कृत्य करने वाले नीच-प्रकृति आततायियों को उचित दण्ड नहीं देगी, कृषकों की भीषण क्षुधा-ज्वाला को शान्त नहीं करेगी, तो अपने अधिकार को पहचानने वाली जागृत जनता चुप मार कर कब तक बैठी रहेगी ?

* * *

बङ्गाल प्रान्तीय हिन्दू-कॉन्फ्रेन्स

राष्ट्र की सामूहिक उन्नति की कामना करने वाली जातियाँ सङ्कीर्ण साम्प्रदायिकता से ऊपर उठ कर मानव-धर्म एवं विश्व-बन्धुत्व की उदार चेष्टा में किस प्रकार संलग्न हो जाती हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी हाल में होने वाली बङ्गाल प्रान्तीय हिन्दू-परिषद् का अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिवेशन है। बर्दवान में होने वाली बङ्गाल प्रान्तीय हिन्दू-कॉन्फ्रेन्स के अध्यक्ष-पद से महाराज श्रीशचन्द्र नन्दी ने जो अत्यन्त उदारतापूर्ण वक्तृता दी है, वह मनन करने योग्य है। उसमें हिन्दू-धर्म की सहज-स्वाभाविक उदारता, लोक-कल्याण की कामना, एवं मानव-धर्म की सुन्दर विवेचना अत्यन्त प्रभावशाली एवं हृदयग्राही शब्दों में की गई है।

हिन्दू-धर्म का प्रधान अंश सहिष्णुता, उदारता तथा अपर धर्मों के लिए आदर का भाव रखना है, इसे महाराजा साहब ने बड़ी उत्तमता से प्रकट करते हुए कहा,—"The whole creation is a manifestation of divinity." अर्थात्—सारा संसार परमात्मा की लीला है। यह एक अमर सत्य है। कारण, सभी धर्म केवल एक ही सत्य की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, सभी धर्मों का मूल-रहस्य एक ही है। वे अपने धर्म के असली तत्व को भूल जाते हैं, जो विवेकशून्यता एवं धर्मान्धता के दारुण अभिनय में हृदय की सात्विक-वृत्तियाँ खोकर शैतान के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं और दूसरे धर्म पर अनुचित आक्षेप एवं दोषारोपण किया करते हैं।

हिन्दू-धर्म साम्प्रदायिकता की सङ्कीर्ण सीमा में नहीं आ सकता, वह मानव-धर्म एवं विश्व-कल्याण की मधुर कामना के आधार पर अवलम्बित है। इसकी विवेचना करते हुए सभापति ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में कहा,—

"There is no room for narrowness in Hinduism, the stifling customs and meaningless traditions which have enchained us to-day are not the injunctions of Hindu religion, but they are the aftermath of temporary social make-shifts which had their origin in special circumstances or new environments."

तात्पर्य यह कि हिन्दू-धर्म में सङ्कीर्णता का कोई स्थान नहीं है; आज जिन दयनीय रूढ़ियों और सारहीन प्रथाओं में हम जकड़ गए हैं, वे हिन्दू-धर्म से प्रतिपादित नहीं हैं, अपितु विशेष अवस्था या वातावरण से उत्पन्न तत्कालीन सामाजिक संस्कारों का प्रतिफल है। इस प्रकार हमारे धर्म में आई हुई कुरीतियों एवं कुसंस्कारों का किस प्रकार आविर्भाव हुआ और आज हम किस प्रकार उसमें जकड़ गए हैं कि कोशिश करके भी बन्धनों को छिन्न-भिन्न नहीं कर सकते—इसका विवरण बड़े ही करुण शब्दों में करते हुए महाराजा साहब ने "अछूत" कहाने वाली जातियों के उद्धार की सरल एवं स्पष्ट राह बतलाया। विधवाएँ और अछूत हिन्दू-धर्म के कलङ्क हैं और इस कलङ्क को बिना मिटाए हमारे धर्म का सच्चा रूप झलक नहीं सकता !

अन्त में अध्यक्ष महोदय ने हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न के सम्बन्ध में अत्यन्त सुलझी हुई सम्मति बड़े ही स्पष्ट शब्दों में दी। आज हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न अखिल राष्ट्रीय प्रश्न हो गया है और इससे बढ़ कर इस समय कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। हिन्दुओं और मुसलमानों, दोनों में कुछ ऐसे बिगड़े-दिल के गुण्डे हैं, जिनके जीवन का प्रधान उद्देश्य आपस में दोनों जातियों को लड़ा देना है और जिन्हें धर्म एवं दीन के नाम पर दङ्गा-फ़साद खड़ा कर तमाशा देखने में ही आनन्द मिलता है। ऐसे ही मुट्ठी भर व्यक्तियों की कुचेष्टाओं का यह भीषण परिणाम है कि आए-दिन देश में कई जगह निर्दोष हिन्दू और मुसलमान पुरुषों, स्त्रियों एवं बच्चों की अनमोल जानें चली गईं ! विवेकशील एवं राष्ट्र-हित की कामना रखने वाले हिन्दू-मुसलमान इन झगड़ों में क़तई नहीं हैं, परन्तु फिर भी उसका दारुण परिणाम उन्हें भोगना पड़ता है। इस सम्बन्ध में महाराजा साहब के शब्दों में हम यही कहना चाहते हैं कि "When Islam will realise itself in a new consciousness of nationalism; which is already in the making, we will again witness the re-union of the two great communities," अर्थात्—"जब इस्लाम राष्ट्रीयता की नवीन जागृति में अपने अस्तित्व का अनुभव करेगा, जिसका श्रीगणेश हो चुका है, हम दोनों जातियों के सम्मिलन का दृश्य पुनः देखेंगे।"

इन सुलझे हुए विचारों को इतनी स्पष्ट एवं सुन्दर भाषा में रख कर हिन्दू-धर्म के सार्वभौमिक महत्व एवं अपार उदारता तथा सहिष्णुता का इस प्रकार दिग्दर्शन कराने के लिए हम महाराजा साहब को अनेक साधुवाद देते हैं। भारतवर्ष न केवल हिन्दुओं का ही है, न मुसलमानों का ही; वह सारे भारतीयों का है और इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए आज हमें एक पवित्र वातावरण उपस्थित करने, एवं पुनीत वायु-मण्डल तैयार करने की एकान्त आवश्यकता है; जिसमें साम्प्रदायिकता की सङ्कीर्णता से ऊपर उठ कर राष्ट्र की हित-कामना के उद्योग में हम लग जायँ। वह युग बीत गया, जब साम्प्रदायिकता की तूती बोलती थी, जब उदारता, सहिष्णुता; प्रेम एवं आदर जैसी कोई वस्तु रह ही नहीं गई थी। अब विवेक, अपर-धर्मों एवं जातियों का एक दूसरे के प्रति पारस्परिक आदर और प्रेम का समय है और कालचक्र की अनियन्त्रित गति हमें बार-बार इस बात का रहस्यपूर्ण सङ्केत दे रही है कि साम्प्रदायिकता का विनाश निश्चय एवं निकट है तथा वह समय बहुत दूर नहीं, जब केवल विशुद्ध राष्ट्रवाद का ही बोल-बाला रहेगा, जिसकी छाया में हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, पारसी, ईसाई पारस्परिक स्नेह, आदर एवं भाईचारे का व्यवहार रक्खेंगे। तथास्तु।

* * *

सर विक्टर सैसून

समाचार-पत्रों के पढ़ने से ज्ञात होता है कि सर विक्टर सैसून भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं से अप्रसन्न होकर यह देश छोड़ रहे हैं। सर विक्टर इस देश के धन चूसने वाले एक बहुत सम्पन्न अङ्ग्रेज़ व्यापारी हैं। बम्बई में आपका रुई का करोड़ों रुपए का कारबार है। सहयोगी "इवनिङ्ग-न्यूज़ ऑफ़ इण्डिया" के अनुसार आप भारत छोड़ कर चीन को अपने व्यापार का प्रमुख केन्द्र बनाना चाहते हैं; कारण स्वराज-काल में भारत की स्थिति, आन्तरिक अशान्ति और अस्थिरता से भयावह हो जायगी। सर विक्टर का कहना है कि जहाँ भारत में विदेशियों के प्रति घृणा के भाव हैं, वहाँ चीन (नानकिङ्ग) सरकार विदेशियों के सहयोग के लिए बहुत चिन्तित है। आप यह भी कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद आप भारत में पुनः लौटेंगे और आपकी कल्पना के अनुसार यदि भारत की स्थिति भयावह न होगी, तो पुनः इस देश को व्यापार का प्रधान केन्द्र बनाएँगे।

जिस देश की सस्ती वस्तु और सस्ती मज़दूरी का उचित-अनुचित लाभ उठा कर सर विक्टर ने करोड़ों रुपए का उपार्जन किया है, उस देश के प्रति उनकी कृतघ्नता का यह भाव देख कर हमें दया आती है। सर विक्टर जैसे कृतघ्न प्राणियों का यह देश त्याग देना, एक शुभ लक्षण का परिचायक है और हम इसके लिए बहुत प्रसन्न हैं; परन्तु उनकी बेहूदी बातों से हम सहमत नहीं हैं। सर विक्टर का ख़याल है कि यद्यपि विगत १५ वर्षों से चीन में राजनीतिक अस्थिरता और अशान्ति है, फिर भी वहाँ की स्थिति अब पूर्णतः शान्त हो रही है। हम उनके इस विचार से असहमत हैं। और चीन के आधुनिक इतिहास का कोई भी विद्यार्थी का इस सम्बन्ध में हमसे मतभेद नहीं रख सकता। भारत में चाहे कितनी ही राजनीतिक अशान्ति क्यों न हो, फिर भी वह चीन से हर प्रकार अच्छा है। आज चीन का राजनीतिक वायु-मण्डल बॉलशेविक आतङ्क से भरा हुआ है। ख़ास कैण्टन में चाङ्ग्काई-शेक अपने अधीन चालीस सहस्र सेना के साथ 'लाल विद्रोहियों' को नगर से बाहर निकालने में व्यस्त हैं। उनका कहना है कि इस धावे पर केवल चीन की राष्ट्रीय सरकार की रक्षा ही नहीं, वरन् अखिल चीन राष्ट्र का अस्तित्व निर्भर करता है। इस अवस्था में भी सर विक्टर को चीन से नया प्रेम हो गया है और हम उनके इस प्रेम और भारत के प्रति उनकी इस आन्तरिक विरक्ति के लिए प्रसन्न हैं।

सर विक्टर के कथनानुसार चीन-सरकार सर विक्टर तथा उनकी भाँति बड़े-बड़े व्यापारियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। यह बात सत्य है; परन्तु इससे भी एक बड़ा सत्य है, और वह यह है कि चीन-सरकार सर विक्टर तथा उनकी भाँति बड़े-बड़े पूँजीपतियों को अपने राष्ट्रीय हितों के लिए, राष्ट्रीय क़ानून की शर्तों के भीतर ही रखने को तैयार है। इसका अर्थ यह है कि चीन सर विक्टर के लिए भारत की भाँति लूट-खसोट की जगह न होगी। कारण चीन की राष्ट्रीय सरकार

का अपने नए शासन-विधान के पाँचवें अध्याय में जनता की जीविका के सम्बन्ध यह क़ानून स्मरणीय है:—

The Government shall inaugurate the system . . . , , . . . of settlement of disputes between Capital and Labour.''

अर्थात्—"सरकार पूँजीपति और मज़दूर के सङ्घर्ष का निर्णय करने की प्रथा अभिषिक्त करेगी।"

आगे चल कर उस विधान में यह भी है :—

''In order to improve the condition of work and better their economic well-being citizens of the republic may according to Law form themselves into occupational organisations.''

अर्थात्—"मज़दूरों की अवस्था सुधारने और उनकी आर्थिक उन्नति करने के लिए क़ानून के मुताबिक़ नागरिक अपना व्यावसायिक सङ्गठन कर सकेंगे।" इस दशा में, चीन के अशान्त राजनीतिक वातावरण में यदि 'लाल-विद्रोहियों' का भय न भी हो, तौभी यह बात निश्चय है कि चीन-सरकार के अधीन भिन्न-भिन्न व्यावसायिक सङ्घ रहेंगे। इन सङ्घों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने तथा सर विक्टर की भाँति के पूँजीपतियों और मज़दूरों के झगड़े का निर्णय करने में पूरा हाथ होगा। स्वयं चीन-सरकार इन सङ्घों की प्रत्येक उचित सहायता के लिए तत्पर रहेगी। इस स्थिति में सर विक्टर के लिए चीन भारत से अधिक गर्म देश होगा और वहाँ भारत की भाँति न तो उन्हें सस्ते और ग़ुलाम मज़दूर ही मिल सकेंगे और न युद्ध और क्रान्ति के उस वातावरण में उनके जान-माल की रक्षा का ही भरपूर निश्चय हो सकेगा।

* * *

रेलवे-हड़ताल की समस्या

"भविष्य" के पाठकों को स्मरण होगा कि कुछ दिन हुए अखिल भारतीय रेल-सङ्घ और अखिल भारतीय रेलवे-बोर्ड के बीच में रेलवे-नौकरियों की काट-छाँट के मामले में बहुत बड़ा मतभेद हो गया था। इस मतभेद के कारण रेलवे-सङ्घ ने अखिल भारतीय रेलवे-हड़ताल की आयोजना करने की घोषणा अपने शिमले वाले विशेष अधिवेशन में की थी। इस सम्बन्ध में यह बात भी स्मरणीय है कि हड़ताल-सम्बन्धी अपनी इस घोषणा के पहले ही सङ्घ ने सरकार से इस बात की प्रार्थना की थी कि "ट्रेड-डिस्प्युट्स-ऐक्ट" (Trade Disputes Act) के अनुसार सरकार बोर्ड तथा सङ्घ के सम्मिलित प्रतिनिधियों की एक ऐसी कमिटी नियुक्त करे, जो उपरोक्त मतभेद के सम्बन्ध में जाँच कर अपना निर्णय करे; पर सरकार ने सङ्घ की यह बात उपेक्षा के साथ अस्वीकार कर दी थी। परन्तु ज्योंही सङ्घ ने अपने शिमले वाले विशेष अधिवेशन में अखिल भारतीय रेलवे-हड़ताल की घोषणा की, त्योंही अखिल भारतीय रेलवे-बोर्ड ने अपना पैंतरा बदल दिया और सङ्घ से इस बात का निर्णय करने पर तैयार हो गया कि आगामी काट-छाँट के प्रश्न पर वह सङ्घ के साथ विचार करेगा; परन्तु सङ्घ को इस बात से सन्तोष न हुआ और उसका असन्तुष्ट रहना बिल्कुल स्वाभाविक ही था; कारण सङ्घ की राय लिए बिना ही बोर्ड ने अपने स्वेच्छाचार से कुछ महीने ही पहले पूरी काट-छाँट कर ली थी। और सङ्घ के प्रस्तावानुसार वह इस काट-छाँट पर पुनः विचार करने के लिए तैयार न था। अस्तु—

हाल में आए समाचार से ज्ञात होता है कि सरकार ने भी अपना रुख़ इधर बदल दिया है। एसोसिएटेड प्रेस के कथनानुसार सङ्घ के प्रधान को इस बात की सरकारी सूचना मिली है कि सरकार सङ्घ और बोर्ड की काट-छाँट वाले प्रश्न के मतभेद पर एक जाँच-कमिटी नियुक्त करने को तैयार है। कुछ दिन हुए हमने "भविष्य" के इन्हीं सम्पादकीय स्तम्भों में इस गम्भीर स्थिति का दिग्दर्शन कराते हुए सरकार को इस बात की राय दी थी कि वह सङ्घ की उचित माँग को शीघ्रता-पूर्वक स्वीकार कर ले। हमने उसी स्थान में सरकार की उस समय वाली रुख़ पर निन्दा भी प्रकट की थी।

हमें यह जान कर थोड़ा सन्तोष हुआ है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में हमारी राय को आंशिक रूप में माना है। सरकार के निर्णय का पूरा ब्योरा हमारे पास नहीं है; पर जो कुछ भी समाचार एसोसिएटेड प्रेस से हमें प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर हम यही कहेंगे कि सरकार ने उस मुख्य प्रश्न की अभी भी उपेक्षा की है, जो बोर्ड की पिछली काट-छाँट से सम्बन्ध रखता है। हमारा कहना है कि सङ्घ अखिल भारतीय रेलवे-कर्मचारियों का प्रतिनिधि है और उसे इस बात का प्रत्येक न्यायोचित अधिकार है कि वह बोर्ड की काट-छाँट वाली समस्या पर पूर्ण रूप से विचार करे, और विशेषकर उस अवस्था में, जबकि बोर्ड ने सङ्घ के लाख विरोधों की उपेक्षा करते हुए वह काट-छाँट की थी। अस्तु—

जिस समय ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हैं, बम्बई में सङ्घ का एक विशेष बैठक सरकार के इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठी होगी। हम जानते हैं कि सरकार का यह निर्णय अपूर्ण है और उसने इसमें बोर्ड की पिछली काट-छाँट के उस महत्वपूर्ण अंश को समझौते की बात में सम्मिलित नहीं किया है, जिसमें रेलवे-कर्मचारियों के सहस्रों परिवारों की रोटी की समस्या छिपी हुई है। हम यह भी जानते हैं कि रेलवे-हड़ताल से सरकार और जनता दोनों की ही हानि होगी; यद्यपि सरकार की हानि बहुत अंशों में और जनता की कुछ अंशों में। हम यह भी जानते हैं कि सङ्घ का यह पवित्र कर्तव्य है कि वह यथाशक्ति अखिल भारतीय रेलवे-हड़ताल को रोकने का प्रयत्न करे। परन्तु सङ्घ के इस कर्तव्य से भी एक बड़ा और अधिक पवित्र कर्तव्य है, और वह यह कि सङ्घ का सर्व-प्रथम दायित्व उन सहस्रों परिवारों और लाखों व्यक्तियों की रोटी का प्रश्न सुलझा देना है, जो बोर्ड के अन्यायपूर्ण निर्णय से आज बेकार बैठे हुए हैं। सङ्घ के सम्मुख आज एक ऐसे निर्णय का प्रश्न उपस्थित है, जो केवल पहेली के रूप में है। उस पहेली को, सरकार यदि चाहे तो अधिक सुविधा और अधिक सचाई के साथ सुलझा सकती है।

* * *

सीमा प्रान्त विषय-समिति की रिपोर्ट

उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त विषय-समिति (The North Western Frontier Subjects Committee) ने सीमा प्रान्त सम्बन्धी आवश्यक प्रश्नों पर पूर्ण मनन करने के बाद सफलतापूर्वक अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी है। प्रसन्नता की बात यह है कि समिति के सदस्यों में अधिक मतभेद नहीं हुआ। रायबहादुर ठाकुरदत्त के अतिरिक्त समिति के अन्य सदस्यों ने बहुमत से एक ही प्रकार की व्यवस्था का समर्थन किया है। समिति के सम्मुख मुख्य विचारणीय बात यह थी कि केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकार के मध्य में सीमा प्रान्त के अन्तर्गत किस प्रकार विषय-विभाजन (Classification of Subjects) किया जाय और इस वर्गीकरण के आधार पर यह निश्चय करना था कि कितना व्यय प्रान्तीय मदों में किया जाय और कितना केन्द्रीय मदों में।

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि विषय-समिति ने अपनी सिफ़ारिशों से सीमा प्रान्त के निवासियों की लालसा को तृप्त करने का पूर्ण प्रयत्न किया है। किन्तु सीमा प्रान्त का वह राष्ट्रीय, उन्नतिशील दल, जो कि भारत के अन्य प्रान्तों की भाँति अपने प्रान्त में भी पूर्ण सुधारों का उपभोग करने के लिए लालायित रहा है, इतने से सन्तुष्ट नहीं हो सकेगा। कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफ़ारिश की है कि केन्द्रीय सरकार से प्रान्तीय सरकार को प्रति वर्ष एक ख़ासी रक़म—कम से कम ११७ लाख सहायता के रूप में दी जाया करे। किन्तु केन्द्रीय शासन से इस प्रकार की आर्थिक सहायता लेने का अर्थ यह है कि प्रान्तीय सरकार की शासन-व्यवस्था में केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करने का अवसर अधिक मिला करेगा। यदि सीमा-प्रान्त की नवीन प्रस्तावित शासन-व्यवस्था को सुचारु रूप से सञ्चालित करने के लिए, उसके वाणिज्य-व्यवसाय की सम्यक् उन्नति के लिए, शिक्षा का पूर्ण प्रबन्ध एवं अन्य लोकोपकारी संस्थाओं को स्थापित करने के लिए आवश्यक व्यय अपने ही प्रान्त से न प्राप्त हो सके, तथा केन्द्रीय सरकार से ऋण लेने की आवश्यकता पड़े, तो ऐसी अवस्था में सीमा प्रान्त में अन्य प्रान्तों की भाँति पूर्ण सुधार की आयोजना कैसे सफल हो सकती है?

एक दूसरी बात यह है कि सीमा प्रान्त की स्थिति-विशेष, हमारे सम्मुख एक नवीन प्रश्न उपस्थित करती है। स्थल-मार्ग से इस देश में आने के लिए सीमा प्रान्त भारतवर्ष का सबसे प्रमुख दर्वाज़ा है, इस कारण वहाँ के शासन-यन्त्र में कोई विशेष व्यवस्था भी आवश्यक रूप से की जायगी। बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करने के लिए उस प्रान्त में एक सशस्त्र, सुसङ्गठित सेना की उपस्थिति आवश्यक है। इस विशेष व्यय का भार सीमा प्रान्त के कोष पर लादना भी युक्तिसङ्गत नहीं प्रतीत होता। इस प्रकार सीमा प्रान्त की स्थिति को ध्यान में रख कर यह युक्ति-सङ्गत प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार के द्वारा सीमा प्रान्त की आर्थिक सहायता की जाय। जब आर्थिक सहायता की जाएगी तो यह भी सिद्धान्ततः अनिवार्य है कि सीमा प्रान्त की शासन-व्यवस्था पर केन्द्रीय शासन का कुछ अधिक हाथ रहे।

सीमा प्रान्त में अभी तक प्रतिनिधि-संस्थाओं की आयोजना नहीं हुई थी। केवल म्युनिसिपल बोर्ड की शासन-व्यवस्था के अन्तर्गत नागरिकों को कुछ समय से मताधिकार प्राप्त है। अभी तक सीमा प्रान्त के शासक-वर्ग लोकमत के आधार पर नहीं, वरन् केवल अपने निरङ्कुश इच्छानुसार शासन-कार्य चलाते थे। इस अवस्था को देखते हुए हम यह निःसङ्कोच भाव से कह सकते हैं कि नई सुधार-योजना के अनुसार सीमा प्रान्त का शासन लोकमत के आधार पर अवलम्बित हो, शीघ्र ही राष्ट्र के उन्नति-पथ पर अग्रसर होगा। कमिटी ने सिफ़ारिश की है कि क़ानून एवं शान्ति-रक्षा (Law and Order) का विभाग प्रान्तीय सरकार के अधिकार में रक्खा जाय। रायबहादुर ठाकुरदत्त ने अपने मतभेद-सूचक वक्तव्य में इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया है और अपना स्वतन्त्र मत प्रकट किया है कि उपरोक्त विषय केन्द्रीय सरकार के अधीन में रक्खा जाय। दत्त महाशय का कथन कदाचित् इस आशङ्का के आधार पर अवलम्बित है कि यदि क़ानून एवं शान्ति-रक्षा का विषय प्रान्तीय सरकार के अधिकार में रक्खा जायगा, तो प्रान्त में अशान्ति एवं अराजकता मच जाने की सम्भावना बनी रहेगी। कमिटी ने बहुमत से जो सिफ़ारिश की है, वह इस आशा से कि विगत गोलमेज़-

परिषद् के अवसर पर प्रान्तीय शासन के सङ्गठन की जो व्यवस्था प्रकाशित की गई है, उसके अनुसार प्रान्त का गवर्नर प्रान्तीय मन्त्रि-मण्डल का अध्यक्ष होगा और इस कारण वह ऐसा प्रबन्ध कर सकेगा कि प्रान्त में शान्ति बनी रहे। कमिटी ने इस विषय में जो कुछ कहा है, ठीक है, किन्तु हमें तो विश्वास है कि ज्यों-ज्यों सीमाप्रान्त-निवासी प्रतिनिधि शासन के अन्तर्गत राष्ट्रीयता के भावों से अधिक जाग्रत होते जायँगे, और अपने प्रान्त की आय से अपने शासन व्यय को चलाने में समर्थ होते जायँगे, त्यों-त्यों पारस्परिक वैमनस्य-जनित अशान्ति तथा अराजकता की सम्भावना तो कम होती ही जायगी, साथ ही साथ सीमा प्रान्त की जनता क़ानून एवं शान्ति-रक्षा के विभाग का भी 'हस्तान्तरित विषय' (Transfered Subject) के रूप में प्रबन्ध करने की क्षमता प्राप्त कर लेगी। यदि सीमा प्रान्त में देशभक्त अब्दुल ग़फ़्फ़ार की भाँति आदर्श व्यक्ति उत्पन्न हो गया है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हिन्दुओं एवं पठानों के मध्य साम्प्रदायिक वैमनस्य अब अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकेगा, और निकट भविष्य में वह समय उपस्थित होगा, जबकि हिन्दू एवं पठानों के प्रतिनिधि ही क़ानून एवं शान्ति-रक्षा का प्रबन्ध भी अपने हाथों में कर लेंगे।

*　　*　　*

धर्मान्धता की जड़ में—

उदारता एवं सहिष्णुता ही किसी धर्म की सजीवता का मुख्य लक्षण है। धर्म के असली रूप को न समझ कर उसके मिथ्यापूर्ण विवरण के आधार पर स्वार्थ-सिद्धि में लगी हुई जाति अपना अस्तित्व शीघ्र अपने ही हाथों मिटा देती है। धर्म का सूक्ष्म एवं तात्विक अर्थ है, मनुष्यता का परमात्मा में लय होने का क्रम-विकास। धार्मिक रहस्य की मूल-आभ्यन्तरिक ज्योति आत्मा को परमात्मा में, जिसका निखिल प्रकाश चराचर ब्रह्माण्ड में व्याप्त है—मिला देती है। पिण्ड एवं ब्रह्माण्ड की एक-रूपता का प्रतिपादन कर मानव-जीवन को उस चरम सीमा पर पहुँचा देना; जहाँ सारी सृष्टि ईश्वरमय, सत् चित् आनन्दमय, उसी 'एक' की शील-शक्ति सौन्दर्यमय प्रतीत होने लगती है—धर्म का वास्तविक महत्व है। यह अनुभूति हमें उदारता की उस उच्च मनोभूमि में पहुँचा देती है, जहाँ सारे प्राणी एक ही परमात्मा की सन्तान, सारे धर्म उसी 'एक' की मधुर एवं रहस्यमय लीलाओं की अभिव्यक्ति और सारे कर्म उसी की प्रेरणा एवं सङ्केत के फल हैं। वहाँ दुई का भेद मिट जाता है, एक में अनेक एवं अनेक में एक का लय हो जाता है। यह तो हुई धर्म के चरम आदर्श की व्याख्या; परन्तु सभी धर्मों के स्थूल तत्वों एवं रूढ़ियों पर भी यदि हम गहराई के साथ विवेचन करें और उनकी गुत्थियों को समझने का यत्न करें तो हम इसी निर्णय पर पहुँचेंगे कि सारे धर्म एक ही सत्य की भिन्न-भिन्न अभिव्यक्ति हैं; मूलतः वे भिन्न नहीं हैं, केवल उनका बाह्य स्थूल-रूप ही भिन्नता का द्योतक होता है, अन्यथा वे तथ्यतः एक ही हैं। धर्म की इन बाह्य रूपों की बनती और मिटती लहरों की तह में एक ही भाव, एक ही रस चिरन्तन काल से प्रवाहित हो रहा है—जिसकी एक घूँट पीने से हमारी सङ्कीर्णता नष्ट हो जाती है और हम अपने ही धर्म के समान, अपने ही ऋषि-महर्षियों के समान दूसरे धर्म के प्रवर्त्तकों की प्रतिष्ठा करने लगते हैं। धर्म के इस एक-मूलक तथ्य को न समझ कर उसके स्थूल आवरणों एवं बाह्य-आकार की भ्रामक मृगतृष्णा में पड़ कर हम ऐसी भूलें कर बैठते हैं, उन्माद में अन्धे होकर हम अपनी कृतियों से धर्म के दिव्य मस्तक पर कलङ्क का टीका लगा देते हैं, जिसे मिटाना कठिन ही नहीं, वरन् असम्भव है।

पाठकों को गत ७वीं मई वाली कलकत्ता के कॉलेज स्ट्रीट की हत्याकाण्ड वाली घटना स्मरण होगी, जिसमें दो धर्मान्ध मुसलमानों ने श्री० भोलानाथ सेन तथा उनके दो सहायक कर्मचारियों की हत्या उनकी पुस्तक की दूकान में घुस कर की थी! श्री० भोलानाथ कलकत्ता के एक सुप्रसिद्ध पुस्तक-प्रकाशक एवं प्रणेता थे। उन्होंने हाल ही में इतिहास का एक अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ लिखा था, जिसमें सारी उपलब्ध सामग्रियों से पूरा लाभ उठाने के लिए बड़े ही अन्वेषण एवं गवेषणापूर्ण विषयों पर आवश्यक चित्रों का भी उस पुस्तक में संग्रह किया था। दुर्भाग्यवश (!) उन चित्रों में हज़रत मुहम्मद का भी चित्र था! शायद इस्लाम धर्म में रसूल का चित्र प्रकाशित करना गुनाह समझा जाता है, जैसा कि कलकत्ते के मदरसा के प्रिन्सिपल ख़ाँ बहादुर शमसुल-उलेमा हिदायत हुसैन की इस मुक़दमे में गवाही से प्रकट होता है। बस श्री० भोलानाथ का अपराध यही था कि अपने इतिहास के ग्रन्थ में उन्होंने ख़लीफ़ा का चित्र प्रकाशित किया और इसी के परिणाम में उन्हें अपने दो सहकारियों के साथ दो गुण्डों के द्वारा मृत्यु का आलिङ्गन करना पड़ा! अब्दुल्ला ख़ाँ और अमीर अहमद दोनों हत्यारे लाहौर के थे, जिनकी आयु क्रमशः २२ और २५ वर्ष की है! हम इस प्रकार की हत्याओं की जिन शब्दों में निन्दा करें और ऐसे विषयों पर जितनी भी घृणा प्रकट की जाय, थोड़ी ही है। हमें इन गुण्डों की दुर्बुद्धि पर दया आती है, परन्तु साथ ही साथ हमें उन बद-मिज़ाज मुसलमानों के प्रति भी घृणा एवं क्रोध होता है, जिन्होंने मुक़द्दमे की शुरू से आख़िर तक जी-जान से पैरवी की और इन हत्यारों को निरपराधी प्रमाणित करने के लिए एड़ी-चोटी तक का पसीना एक कर दिया। इतना ही नहीं, फाँसी की सज़ा सुन लेने पर जब उपरोक्त अभियुक्त लॉरी पर जेल में जा रहे थे, तब मुसलमानों की भीड़ने "अल्लाहो अकबर" के गगन-भेदी नारे से इनकी कृतियों का समर्थन किया। यदि "अल्लाहो अकबर" का नारा ऐसे ही समयों के लिए है; यदि ऐसे नृशंस एवं रोमाञ्चकारी हत्यारों को प्रोत्साहन देना ही मुसलमानों ने अपना कर्तव्य बना लिया है, तो इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं कि मुसलमान अपने धर्म की क़ब्र आप ही खोद रहे हैं।

वह इस्लाम, जो ऐसे कृत्यों को धर्मानुमोदित बतलाता है, वह धर्म जो इन पाशविक, क्रूर हत्याओं के समर्थन के लिए क़ुरान एवं हदीस की आयतों का उद्धरण कर सकता है, वह किसी भी अवस्था में स्थायी नहीं रह सकता। उसका सर्वनाश निकट एवं अवश्यम्भावी है।

दोनों हत्यारों को फाँसी की सज़ा सुनाते समय जस्टिस विलियम्स के ये शब्द स्मरण रखने योग्य हैं—

"If indeed as we are told, it is a fault to depict animate subjects, then it is one which is committed by hundreds and thousands of people in India and over the world every day. It is a fault which is committed by Moslems as well as by members of other faiths and all those who are committing it in the eyes of persons who presumably committed the crime are equally guilty of an offence against the Moslem religion and are equally liable at any time for summary vengeance being inflicted upon them."

अर्थात्—"यदि वस्तुतः जैसा कि कहा गया है, जीवित-प्राणियों का चित्र उतारना अपराध है, तो यह एक ऐसा अपराध है, जिसे भारतवर्ष और सारे संसार में सैकड़ों-हज़ारों मनुष्य नित्य कर रहे हैं। यह एक ऐसा अपराध है, जिसे मुसलमान तथा अन्य धर्मावलम्बी कर रहे हैं और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वे हत्यारों की दृष्टि में इस्लाम धर्म के विरुद्ध उसी प्रकार अपराधी हैं और किसी भी समय भीषण प्रतिकार के भागी हैं।" हम जज महोदय के प्रत्येक शब्द और उनके अत्यन्त उदार भावों का हृदय से अभिवादन करते हैं। साथ ही हम ऐसी हत्याओं की आड़ में एक सुसङ्गठित षड्यन्त्रकारी दल का हाथ देखते हैं, और हमारा यह विश्वास उस समय और भी दृढ़ हो जाता है जबकि हम यह देखते हैं कि इन घृणित काण्डों को धर्म-सङ्गत एवं न्यायानुमोदित प्रमाणित करने की चेष्टाएँ ज़िम्मेदार व्यक्तियों द्वारा की जा रही हैं। स्वामी श्रद्धानन्द और महाशय राजपाल की हत्याओं से ग़ाज़ी बनने का सुगम नुस्ख़ा का ज़माना लद गया। समय का प्रवाह इस बात का आह्वान करता है कि मुस्लिम-जाति अपनी वास्तविक एवं अपने धर्म के असली रूप को समझे, और उदारता तथा सहिष्णुता का पथ अनुसरण करे। अन्यथा जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, ऐसे घृणित कार्यों से मुस्लिम समाज और इस्लाम की केवल हानि ही नहीं होगी, वरन् वह अकाल में ही रसातल में पहुँच जायगा।

हम आशा करते हैं, देश के सम्भ्रान्त मुसलमान हमारी इस महत्वपूर्ण बात पर ठण्डे दिमाग़ से विचार करेंगे।

*　　*　　*

"दिया तले अँधेरा"

इधर भारत की स्वतन्त्रता के संग्राम की ओर सारे संसार की दृष्टि लगी है। सारे संसार के राष्ट्र भारत के इस अद्भुत सत्याग्रह संग्राम को केवल कौतूहल और एक नूतन राजनीतिक आविष्कार की ही दृष्टि से नहीं देखते, वरन् उनकी पूर्ण सहानुभूति भारत की ओर है। यहाँ तक कि स्वयं इङ्गलैण्ड में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो भारतीय आकांक्षाओं से पूर्ण सहानुभूति रखते हैं। विगत सत्याग्रह संग्राम के आरम्भ से भारत के प्रति सहानुभूति की जो ख़बरें आ रही हैं, उनके आधार पर यही कहा जा सकता है कि अमेरिका वालों के हृदय में इस अभागे देश के प्रति बहुत ही अधिक सहानुभूति है। परन्तु कहावत प्रसिद्ध है कि काबुल में गदहे भी होते हैं। अमेरिका के ओहियो स्टेट-यूनिवर्सिटी की एक घटना ने इस कहावत को भली-भाँति चरितार्थ कर दिया है। घटना इस प्रकार है। मि० हरबर्ट ए० मिलर उक्त यूनिवर्सिटी के समाज-दर्शन विभाग के प्रधान थे। विगत सत्याग्रह संग्राम में आप भारत में आए थे तथा बम्बई में सत्याग्रह के सम्बन्ध में एक सार्वजनिक भाषण में अपना विचार प्रकट किया था। इस सिलसिले में आपने कहा था—

The success of this movement would be the greatest contribution India would ever make to human affairs."

अर्थात्—"इस आन्दोलन की सफलता के रूप में भारत मानव-समाज को सब से बड़ा उपहार समर्पित करेगा।"

न्यूयार्क-स्थित लन्दन के 'डेली-मेल' के सम्वाददाता के अनुसार ओहियो-स्टेट-यूनिवर्सिटी की संरक्षक समिति तथा प्रधान ने प्रोफ़ेसर हरबर्ट ए० मिलर को उनके उपरोक्त शब्दों के लिए पदच्युत कर दिया है। उक्त यूनिवर्सिटी के प्रधान और संरक्षक समिति ने अपने इस अत्यन्त घृणित निर्णय के सम्बन्ध में सर्व-सम्मति से यह विचार प्रकट किया है—

"Here was an American professor, an employee of a University of state whose nation was at peace with Great Britain helping to incite Hindus to civil disobedience."

अर्थात्—"एक अमेरिकन प्रोफ़ेसर, जोकि अमेरिकन राष्ट्र के एक विश्व-विद्यालय का नौकर था, तथा जिसका राष्ट्र ग्रेट-ब्रिटेन के साथ सन्धि के बन्धन में बँधा हुआ था, हिन्दुओं को सत्याग्रह करने के लिए उत्तेजित कर रहा था।"

हमें श्री० हरबर्ट ए० मिलर साहब की इस नई आपत्ति के लिए उनके साथ पूरी सहानुभूति है और विशेषकर इस अवस्था में, जबकि सत्य और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए उन्हें यह नई बला सिर पर लेनी पड़ी। सृष्टि के प्रारम्भ से ही उन लोगों का पथ कठिनाइयों से ख़ाली नहीं है, जिनके जीवन की सर्वोत्कृष्ट लालसा एवं जिनकी लालसाओं की प्रेरक शक्ति का मूल आधार सत्य एवं न्याय की प्रतिष्ठा करनी है। इस स्थिति में हमें प्रोफ़ेसर हरबर्ट ए० मिलर की इस नई विपत्ति के लिए आश्चर्य नहीं है; हमें तो आश्चर्य केवल इस बात पर है कि अमेरिका जैसे स्वतन्त्र देश में भी स्पष्टता का इतना कटु पुरस्कार मिल सकता है !

* * *

ऑस्ट्रेलिया का आदर्श

विगत विदेशी-मेल सप्ताह के अङ्गरेज़ी पत्रों में सिडनी द्वारा प्राप्त एक मनोरञ्जक समाचार प्रकाशित हुआ है। समाचार का आशय यह है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मन्त्री की एक सभा में यह बात निश्चित की गई है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी का वेतन ५०० पाउण्ड प्रति मास से अधिक न मिले। इन सरकारी कर्मचारियों में गवर्नर और मिनिस्टर भी सम्मिलित हैं।

ऑस्ट्रेलिया की जनता के इस निर्णय का प्रोत्साहन चाहे कराची कॉङ्ग्रेस के पाँच सौ रुपए वाले प्रस्ताव से मिला हो अथवा यह उनके मस्तिष्क की निजी उपज हो। यह बात बहुत आसानी से कही जा सकती है कि ऑस्ट्रेलिया का आदर्श भारत-सरकार के लिए आज भी अनुकरणीय है। ऑस्ट्रेलिया के साधारण जीवन के लिए भारत के साधारण जीवन से बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के ५०० पाउण्ड का महत्व भारत के ५०० सौ रुपए से कुछ ही अधिक है। इस दशा में कोई भी निष्पक्ष आदमी यह कहे बिना नहीं रह सकता कि भारत-सरकार के द्वारा दिए गए उच्च कर्मचारियों के वेतनों में बहुत हद तक सुधार करने की आवश्यकता है। आज भारत के केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के व्यय में काट-छाँट करने की बड़ी-बड़ी तैयारियाँ हो रही हैं। इस काट-छाँट वाले सरकारी अभिनय में बेचारे छोटे कर्मचारियों और क्लर्कों की नौकरियाँ छुड़ाई जायँगी तथा वायुयान एवं 'बेतार का तार' विभाग का रचनात्मक कार्य स्थगित किया जायगा। यदि काट-छाँट की इस पद्धति को बन्द कर भारत-सरकार ऑस्ट्रेलिया का पथ अनुसरण करे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि काट-छाँट की आवश्यकता ही न उपस्थित हो। दो बड़े-बड़े अधिकारियों के वेतन में समुचित कमी करने पर ही सैकड़ों क्लर्कों की नौकरियाँ सुरक्षित हो जाती हैं और इस प्रकार दो परिवारों की तनिक असुविधा से सैकड़ों परिवार निराश्रय होने तथा भूखों मरने से बचाए जा सकते हैं। इस प्रकार यदि सभी उच्च कर्मचारियों के वेतन में यथोचित कमी की जाय तो आज भारत सरकार हज़ारों परिवारों को निराश्रय होने से बचा सकती है। परन्तु क्या भारत-सरकार हमारी इस राय अथवा ऑस्ट्रेलिया के आदर्श के अनुसार कार्य करेगी ?

हम जानते हैं, उसका ऐसा न करना ही स्वाभाविक है। ऑस्ट्रेलिया और भारत, दोनों ही ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश हैं, फिर भी दोनों देशों की शासन-प्रणाली में आकाश-पाताल का अन्तर है। ऑस्ट्रेलिया स्वशासित देश है। वहाँ उत्तरदायी शासन-प्रणाली है। वहाँ प्रजा के प्रतिनिधि प्रजा के हित के लिए राज्य करते हैं। परन्तु भारत पराधीन है। यहाँ नाममात्र के लिए तो प्रतिनिधि-शासन है, पर यहाँ की शासन-प्रणाली अधिकारी-वर्ग (Executive) के हाथ में है। यहाँ के शासक विदेशी हैं, जो इस देश का शासन ब्रिटेन के हित के लिए करते हैं। इस स्थिति में यदि भारत-सरकार ऑस्ट्रेलिया के आदर्श का अनुसरण न करे तो आश्चर्य की कोई बात नहीं।

❀ ❀ ❀

महात्मा गाँधी का साम्यवाद

श्री० सुब्रह्मण्यम्, एम० ए० सहयोगी 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में लिखते हैं :—

"महात्मा जी को एक साम्यवादी की पोशाक में देखने में एक विचित्र आनन्द आता है। गाँधी जी को हमने महात्मा रूप में देखा, राजनीतिज्ञ के रूप में देखा, परन्तु अभी-अभी हमने उन्हें एक साम्यवादी के रूप में देखा है। वास्तव में महात्मा जी ने साम्यवाद की कार्य-प्रणाली में एक नवीन पथ का आविष्कार किया है, परन्तु यह नया पथ सर्वांशतः साम्यवाद के सिद्धान्तों और आदर्शों से सम्बद्ध और उपयुक्त है। केवल सरकारी नौकरों का ही नहीं, वरन् व्यापारियों, पूँजीपतियों तथा अन्य व्यक्तियों की आय की एक सीमा बाँध देना परिवर्तनशील मस्तिष्क की उपज नहीं है; अपितु महात्मा गाँधी के तर्क-सङ्गत, युक्ति-युक्त निष्कर्ष का परिणाम है। दरिद्रनारायण की असह्य-यातना को दूर करने का महात्मा जी के पास एक ही अस्त्र था और वह है, कम से कम आमदनी को एक सीमा बाँध देना।

वास्तव में वर्तमान सामाजिक वैषम्य का कारण केवल एक है और वह यह कि मुट्ठी भर पूँजीपतियों के हाथ में सारा धन जमा हो गया है तथा शेष असंख्य पुरुष पतन, दरिद्रता एवम् विरक्ति में पड़े घुल रहे हैं। गाँधी जी इस विषमता की जड़ काटने के लिए अहर्निशि प्रयत्नशील हैं। वे (बर्नर्डशा के शब्दों में) यह नहीं चाहते कि राष्ट्रीय कुटुम्ब के एक व्यक्ति को फटा जूता भी न हो, सर्दी और ओले से बचने के लिए शरीर पर एक वस्त्र भी न हो और दूसरे व्यक्ति को पचासों जोड़े जूते और दर्जनों रूमाल हों। वे यह कभी नहीं पसन्द करते कि कुछ ही व्यक्ति सारे वैभव एवं सम्पत्ति के अधिकारी होकर गुलछर्रे उड़ावें और अधिकांश व्यक्ति पेट की ज्वाला में व्यग्र रहें।

सब से मुख्य विषय, जिस पर महात्मा गाँधी का ध्यान पूर्णतः आकृष्ट है, वह है, क्या ऐशो-आराम की चीज़ों को उत्पन्न करना समाज के टिकाव के लिए आवश्यक है ? अधिकांश व्यक्ति समझते हैं कि ऐशो-आराम की चीज़ों का उत्पादन अत्यन्त आवश्यक है और बहुत से साम्यवादी भी इसी विचार के हैं। विशुद्ध साम्यवादी का निश्चित मत यह है कि समाज के सभी व्यक्तियों की आमदनी में समानता लाई जाय, परन्तु साथ ही साथ वे राष्ट्र की सम्पत्ति को यथेष्ट रूप में वृद्धि लाना चाहते हैं। गाँधी जी की मनोवृत्ति ऐसी नहीं है, उनका आदर्श है विचारों की सादगी, वचन की सादगी, कर्म की सादगी और इस हेतु वह कभी भी यह नहीं पसन्द कर सकते कि किसी व्यक्ति की आमदनी इतनी अधिक हो कि जीवन के साधारण सुख-विलास में ख़र्च कर चुकने पर भी उसके पास काफ़ी बचत हो। हमें यह समझ रखना चाहिए कि गाँधी जी ने पाँच सौ रुपए की आत्यन्तिक सीमा को अभी निकट भविष्य के ही लिए उपकरण रक्खा है, इस हेतु कि धनी व्यक्तियों के पास जो फ़िज़ूल रुपया है, वह ग़रीबों और दरिद्रों के पास चला जाय। शायद महात्मा जी की इच्छा यह कभी भी नहीं है कि हरेक व्यक्ति की व्यक्तिगत आमदनी सदा के लिए ५००) माहवारी ही रहे। यह सोचना सर्वथा बुद्धि-सङ्गत होगा कि आय की वास्तविक सीमा पाँच सौ रुपए से कम माहवारी की होगी, जिसमें केवल मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को सुख एवं सुविधा से पूरी कर सके, बस ! यदि कोई व्यक्ति इस परिमित आय से अधिक पाता है, तो समझा जायगा कि वह सामाजिक डकैत है और समाज का धन हड़प रहा है। संक्षेप में महात्मा जी के साम्यवाद का यही सारांश है। उनके साम्यवादी संसार में किसी भी वस्तु का उत्पादन अत्यधिक परिमाण में नहीं होगा, सुख-विलास का आस्वादन नहीं करना होगा, कल-कारख़ानों की रौरव-गूँज से परे शान्तिमय, सरल एवं पवित्र जीवन व्यतीत किया जायगा।

यदि महात्मा जी के कार्यों की हम इस प्रकार व्याख्या करें तो हमारे बहुत से शंक-शकूक दूर हो जायँ, उनके सम्बन्ध में हमारी बहुत सी धारणाएँ बदल जायँ। समालोचकों का कहना है कि महात्मा जी की आय-सीमा की यह प्रणाली अव्यवहार्य है, अवाञ्छनीय है। उनका कहना है कि यदि हम महात्मा जी के निर्दिष्ट पथ और प्रस्तावों का अनुसरण करें, तो हमारे उद्योग-धन्धों को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, व्यापार चौपट हो जायगा और पहले ही अधोमुखी भारत सदा के लिए पतन एवं विनाश के गड्ढे में गिर जाएगा। परन्तु ये समालोचक भूल जाते हैं कि इनके दृष्टिकोण और महात्मा जी के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा अन्तर है। महात्मा जी को इस बात की क़तई चिन्ता नहीं है कि हमारे कल-कारख़ानों का सामूहिक सङ्गठन सत्यानाश हो जाय, क्योंकि महात्मा जी का विश्वास है कि इनसे भारत का कभी कल्याण नहीं हो सकता ! वर्तमान व्यवसाय-प्रणाली महात्मा गाँधी के विचार से बहुत सी बुराइयों की जड़ है, उदाहरणतः दरिद्रों का रक्त-शोषण, लालच भरी प्रतिस्पर्द्धा और वह भी केवल सम्पदा और शक्ति-सञ्चय के लिए ! महात्मा जी का विचार है कि भारतवर्ष तथा संसार का इसमें सबसे अधिक कल्याण है कि वर्तमान व्यवसाय की आलीशान इमारत धूल में मिला दी जाय और उसकी जगह व्यवसाय की प्राचीन प्रणाली स्थापित की जाय। सारांशतः महात्मा जी का स्वप्न यह है कि समाज की व्यवस्था ऐसी होगी, जिसमें जीवन की स्थिति सरल एवं सुलझी हुई होगी, हमारी आवश्यकताएँ थोड़ी होंगी और इस कारण हमारी आय अथवा हमारी सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध में समाज के व्यक्तियों में पारस्परिक वैमनस्य एवं झगड़ा न हुआ करेगा। ऐसा ही महात्मा जी के साम्यवाद-संसार के विषय में ख़्याल है, और यदि ऐसी ही बात है तो क्या हम लोग दावे के साथ यह नहीं कह सकते कि साम्यवादियों में महात्मा गाँधी सब से अधिक समझदार पुरुष हैं ?



ग्रेजुएट

[श्री० राधाकृष्ण जी]

इसी वर्ष निरञ्जन ने बी० ए० पास किया था। युनिवर्सिटी भर में वही सब से फ़र्स्ट रहा। विश्वविद्यालय की इन्हीं दो अक्षरों की डिग्री की नींव पर उसने कल्पना की अनेक ईमारतें खड़ी की थीं। परन्तु दो महीने के भीतर ही उसके सारे मन्सूबे मिट्टी में मिल गए। स्वप्नों का राज्य ध्वंस हो गया।

बी० ए० का 'रिज़ल्ट' निकलते ही निरञ्जन पटना चला आया। आशा थी, यहाँ कोई नौकरी मिल जायगी। परन्तु दो महीने बीत गए, और नौकरी तो क्या, उसकी छाया तक न मिली। निरञ्जन हताश हो गया। एक दिन एक सज्जन ने कुछ आशा दिलाई। बोले—शायद सेक्रेटेरियट ऑफ़िस में कोई नौकरी लग जाय; आप प्रार्थना-पत्र दे दें, मैं कोशिश करूँगा।

निरञ्जन को आशा हुई। उसके मलिन मुख-मण्डल को मुस्कराहट ने चूम लिया। बोला—मैं प्रार्थना-पत्र दे दूँगा, आप कृपा रक्खेंगे।

उन्होंने आश्वासन दिया। निरञ्जन ने नौकरी के लिए दरख़्वास्त दे दी।

आज उसी नौकरी के लिए साहब ने उम्मीदवारों को बुलाया था। निरञ्जन भी गया। साहब के पास जाते हुए, उसका हृदय धड़क रहा था। उसकी दशा उस बालक की सी थी, जो बिना पाठ याद किए स्कूल जा रहा हो। साहब ने उसकी भद्दी पोशाक देखते ही मुँह सिकोड़ लिया। निरञ्जन हताश सा होगया।

साहब ने पूछा—आपका नाम ?

"निरञ्जनप्रसाद सिंह।"

उसके पोशाक की ओर तीव्र दृष्टि से देखते हुए साहब ने पूछा—क्या आप देहात में रहते हैं ?

"जी हाँ।"

"कहीं नौकरी की थी ?"

"जी नहीं।"

साहब ने निराशा से सिर हिलाया। निरञ्जन का जी धड़कने लगा।

साहब ने फिर पूछा—आप यदि भारत-सम्राट से मिलने जाएँ तो उन्हें क्या-क्या कह कर और कैसे सम्बोधन करेंगे ?

यह कैसा विचित्र प्रश्न है ? निरञ्जन ने बी० ए० तक की सारी किताबें चाट डालीं, मगर यह तो कहीं नहीं पढ़ा। उसकी समझ में न आया कि क्या उत्तर दें। इस सम्बन्ध में कहीं कुछ पढ़ा नहीं था। अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर देने पर यदि ग़लत निकल गया तो बड़ी भद्द होगी। साहब भी क्या समझेगा। निरञ्जन की बुद्धि चकरा गई। उसने कोई उत्तर नहीं दिया और सिर नीचा किए हुए इतने दिनों की शिक्षा पर कुढ़ता रहा।

कोई उत्तर न पाने पर साहब ने फिर पूछा—आप शार्ट-हैण्ड जानते हैं ?

निरञ्जन ने सिर हिला कर बताया—नहीं।

"टाईप राइटिङ्ग जानते हैं ?"

"जी नहीं।"—कह कर निरञ्जन ने सिर नीचा कर लिया।

"अच्छा, आप जाइए;" साहब ने कहा—"मैं आपकी दरख़्वास्त देखूँगा और चपरासी शाम तक आपको ख़बर दे देगा।"

निरञ्जन साहब के कमरे से बाहर आया। वह मन ही मन समझ चुका था कि नौकरी मुझे नहीं मिलेगी। किन्तु आशा बुरी बला है। वह अन्त तक मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती। निरञ्जन ने सोचा, शायद दूसरे लोग भी साहब को पसन्द न आवें। कौन ठिकाना, शायद मुझे ही नौकरी मिल जाय। साहब सोच ले, यही कुछ दिन रहने पर टाईप राइटिङ्ग वग़ैरह जान लेगा। इसलिए निरञ्जन ऑफ़िस ही में ठहर गया। धड़कते हुए हृदय से बार-बार हेड-क्लर्क की ओर देखता था कि कब नियुक्ति-पत्र आता है। अन्त में साँझ हुई, नियुक्ति-पत्र भी आ गया। नौकरी किसी दूसरे को मिली थी। निरञ्जन का जी बैठ गया। आँखों में आँसू छलछला आए। दुखित चित्त से वह सेक्रेटेरियट से निकल कर बाहर जाने लगा। राह में उसी नौकरी के दो और उम्मीदवार आपस में बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, नौकरी हेड-क्लर्क के साले को हुई है। साहब से कह-सुन कर उसने अपने साले को रखवा लिया है। आजकल योग्यता सिफ़ारिशों के आगे ठुकरा दी जाती है। देखो, वही जो जा रहा है, इस वर्ष बी० ए० में युनिवर्सिटी भर में फ़र्स्ट हुआ था। मगर उसे भी नौकरी नहीं मिली।

दूसरे ने कहा—बेचारा बड़ा दुखित जान पड़ता है। मालूम होता है, नौकरी न मिलने से बड़ा क्षोभ हुआ है।

२

निरञ्जन ने अपने किराए के घर में आकर देखा, वहाँ उसके नाम एक पत्र पड़ा हुआ है। पत्र उसकी माता का था। उसमें लिखा था, बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला, जी दुखित है, शीघ्र पत्र भेजना। रुपए-पैसे के बिना मैं बड़े कष्ट में हूँ। यदि तुम्हारी नौकरी कहीं लग गई हो तो लिखना।

पत्र पढ़ कर निरञ्जन की प्रबल इच्छा हुई कि वह चिल्ला कर रो उठे। किन्तु रो न सका। छाती पर मानो सैकड़ों मन का पत्थर रक्खा हुआ था। आह मेरी स्नेहमयी माँ ! क्या इसी दिन के लिए तूने इतना कष्ट सह कर मुझे पढ़ाया था ? हाय ! मेरा सारा पढ़ना निष्फल गया ! मुझे एक क्लर्की तक नहीं मिली। आज उसे वह दिन याद आ रहा था, जब वह एक नन्हा सा बालक था। मिडिल पास करके जब उसने माता के चरण छुए तब उसने कहा था—"बेटा तू पढ़ कर दारोग़ा हो जा !" निरञ्जन ने उत्तर दिया—"नहीं माँ, मैं पढ़ कर डिप्टी मैजिस्ट्रेट होऊँगा। उस समय तुम्हारे सब दुख भाग जाएँगे। तुम्हारे लिए गहने बनवा दूँगा।" माँ हँस पड़ी थीं—"दुर पागल, मैं बेवा भला गहने लेकर क्या करूँगी। गहने अपनी बहू के लिए बनवाना। मुझे तो भरपेट खाने को दे देना, यही बहुत है।"

परन्तु डिप्टीगीरी को कौन कहे, निरञ्जन को एक साधारण क्लर्की भी नहीं मिली। उफ़ ! जब माँ सुनेगी कि मुझे कोई नौकरी नहीं मिली और न मिलने की कोई आशा है, तो उसे कितना दुख होगा। हाय, उसके सारे दिन दुख ही में बीते ! सुख सपने में भी नहीं मिला। मैं कमाने लायक़ हुआ, मगर क़िस्मत का खोटा निकला।

निरञ्जन की आँखों से आँसू टपकने लगे। दृष्टि आकाश की ओर उठ गई। निराश व्यक्ति के अन्तिम अवलम्ब भगवान हैं।

इसी समय बाहर से आवाज़ आई—निरञ्जन बाबू !

पुकारने वाला एक विद्यार्थी था। साइन्स कॉलेज में एम० एस-सी० पढ़ता था। वह बड़े अच्छे स्वभाव का आदमी था। सर्वदा प्रसन्न रहता था। नाम था—प्रभात। निरञ्जन प्रतिदिन इसके साथ टहलने जाया करता था।

प्रभात का कण्ठ-स्वर सुन कर निरञ्जन ने जल्दी से आँखें पोंछ डालीं। प्रभात ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा—माफ़ करना भाई, आज मेरे आने में देर हो गई। तुम मेरी राह देख रहे थे ?

"हाँ, मगर मैं आज टहलने नहीं जाऊँगा।"

प्रभात ने पूछा—क्यों, क्या कुछ तबियत ख़राब है ?

"नहीं, आज जाने की इच्छा नहीं हो रही है; तबियत कुछ उदास सी है।"

प्रभात ने हँस कर कहा—परन्तु यह संसार उदास रहने के लिए नहीं है। यह संसार आनन्द उठाने के लिए है।

निरञ्जन ने मन ही मन कहा—"हाँ, तुम क्यों न कहोगे कि संसार ख़ुशियाँ मनाने के लिए है। लखपती हो, बाप वकील हैं, उनकी कमाई पर गुलछर्रे उड़ाते हो। यदि ज़माने की ठोकरें खाते, तो मालूम होता कि संसार क्या है। हमारी परिस्थिति में रहते तो जानते कि संसार ख़ुशी मनाने की जगह है या रोने की।" अन्त में उसने कहा—"परन्तु मुझे आज क्षमा करो। मैं आज कहीं नहीं जा सकूँगा।"

प्रभात निराश होकर लौटने लगा। निरञ्जन ने सोचा, परन्तु मैं यहाँ बैठा-बैठा करूँगा क्या। टहलने से ज़रा जी बहल जायगा। उसने पुकारा—"प्रभात !"

"हाँ" कहता हुआ प्रभात लौट आया। निरञ्जन के न जाने से वह हताश हो चुका था। परन्तु जब निरञ्जन ने पुकारा तो ख़ुशी-ख़ुशी लौट पड़ा और बोला—चलो आज सिनेमा देख आवें। बड़ा अच्छा फ़िल्म आया है, पञ्जाब-मेल।

निरञ्जन ने कहा—अच्छा, ठहरो। टिकट के लिए पैसे ले लूँ।

"अरे यार, लगे तुम भी तकल्लुफ़ करने। पैसे

मेरे पास हैं।" यह कह कर प्रभात ने निरञ्जन का हाथ थाम लिया।

निरञ्जन उनके साथ चल पड़ा। राह में प्रभात ने कहना आरम्भ किया—जब हमारी आँखों के लेन्स पर प्रकाश टकराता है और हमारे मस्तिष्क के अणुओं में कम्पन होता है, तब हम प्रकाश को देख सकते हैं। किन्तु अब सवाल पैदा होता है कि वे प्रकाश की तरङ्गें कैसी हैं? वे दो प्रकार से हमारी आँखों के लेन्स पर टकरा सकती हैं। एक तो समुद्र की लहरों की तरह और दूसरे परमाणु के छर्रों की तरह। परन्तु यथार्थ में वे प्रकाश समुद्र की लहरों की तरह ही आँखों पर तरङ्गित होते हैं। इत्यादि।

किन्तु निरञ्जन उसकी बातों को उसी प्रकार सुन रहा था, जिस प्रकार अर्धनिद्रित मनुष्य ढोल की आवाज़ सुनता है। वह मन ही मन प्रभात के इस बकवादी स्वभाव पर झल्ला रहा था। जी में आता था, कि डपट कर कह दे कि चुप रहो, क्या बक-बक लगा रक्खा है। किन्तु कुछ कह न सका। उसका हृदय कल्पना के उस लोक में विचरण कर रहा था, जहाँ निराशा की प्रचण्ड ज्वालाएँ धधक रही थीं। दाहक ताप से कातर होकर उसके कोमल प्राण, बालू पर पड़ी मछली की भाँति छटपटा रहे थे। माँ को कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा, वह क्या खाती होगी। यदि मैं किसी हलवाहे का भी लड़का होता तो मुझे ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। माँ आशा लगाए मनिआॅर्डर की राह देखती होगी और यहाँ नौकरी का कोई ठिकाना ही नहीं। आह! मैं कितना बड़ा अभागा हूँ कि उपार्जन करके बूढ़ी माँ की भी परवरिश नहीं कर सकता, धिक्कार है, मुझ पर, मेरी शिक्षा पर!!

३

दूसरे दिन निरञ्जन का चित्त अशान्त रहा। वह बार-बार सोचता था, अब मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? रात भर उसे नींद नहीं आई। सारा समय बेचैनी में ही बीता। सवेरे जी में आया, चलूँ ज़रा शहर की ओर घूम आऊँ, शायद तबीयत बहल जाए।

जहाँ वह रहता था वहाँ से इक्के वालों का अड्डा समीप था। निरञ्जन उसी ओर आ निकला। इक्के वालों को देख कर वह सोचने लगा, यदि मैं इक्केवान होता तो भी अच्छा था। दिन भर घोड़ा दौड़ाता और रात को हक़ की कमाई खाकर सुख की नींद सोता।

निरञ्जन को देखते ही इक्केवाले हल्ला करने लगे—"कहाँ जाइएगा?" "हमारे इक्के पर चलिए!" "क्या 'टेसन' जाइएगा!" "आइए बैठिए, एक ही आना दे दीजिएगा!" उन लोगों का हल्ला सुन कर निरञ्जन घबरा गया। बोला—"मैं कहीं नहीं जाऊँगा।"

मगर इक्केवालों ने इतने पर भी पिण्ड नहीं छोड़ा। तीर्थ के पण्डों की तरह उन्होंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। बेचारा निरञ्जन वहाँ से अपनी जान छुड़ा कर भागा। उसकी समझ ही में नहीं आ रहा था कि किधर जा रहा हूँ। वह दौड़ कर गङ्गा-घाट की ओर जा निकला। घाट पर भीड़ नहीं थी। कुछ लोग नहा रहे थे और कोई कपड़े धो रहा था, दो-तीन विद्यार्थी सीढ़ियों पर बैठे हुए राजनीतिक विषयों पर बहस कर रहे थे। छोटे-छोटे लड़के पानी में हाथ-पैर पटकते हुए तैरना सीख रहे थे। स्टीमर शीघ्र ही खुलने वाला था। घण्टा बज रहा था। परन्तु निरञ्जन का इस दृश्य से कुछ भी मनोरञ्जन नहीं हुआ। वह मानो स्वप्न देख रहा था। चलचित्र की भाँति सामने का दृश्य उसकी आँखों के आगे आ रहा था। किन्तु उसमें तनिक भी मनोहरता या उल्लास न था। वह चुपचाप एक सीढ़ी पर बैठ कर गङ्गा के उस पार की ओर देखने लगा।

सहसा घाट पर हल्ला हुआ, सोनबीघा की रानी साहिबा स्नान करने आ रही हैं, सब लोग यहाँ से हट जायँ। लोग हट गए, किन्तु निरञ्जन चुपचाप अपने स्थान पर बैठा रहा। इतने में राजा साहब के एक सिपाही ने आकर कहा—तुम किस लिए बैठे हो, जाते क्यों नहीं?

निरञ्जन ने कठोर स्वर में पूछा—क्यों जाऊँ?

सिपाही ने कहा—रानी साहिबा यहाँ स्नान करने आ रही हैं, तुम चले जाओ।

निरञ्जन ने उत्तर दिया—जैसे संसार की अन्य स्त्रियाँ हैं, वैसी ही तो तुम्हारी रानी साहिबा भी हैं। जब कोई दूसरी स्त्री स्नान करने आती है, तब लोग क्यों नहीं हटाए जाते? क्या रानी साहिबा के तीन पैर हैं या चार आँखें? आख़िर वह भी तो मनुष्य ही हैं, फिर मैं क्यों हटूँ?

सिपाही ने उपेक्षा दिखलाते हुए कहा—माँगने को भीख और पूछने को गाँव की जमा! आए हैं, रानी जी का मुक़ाबला करने। मानो इन्हीं का घाट है। नहीं हटेंगे, दिल्लगी है। जाते हो कि नहीं?

इसके बाद सिपाही ने धक्के देकर निरञ्जन को हटा दिया। निरञ्जन का क्रोध हवा हो चुका था। वह सोचने लगा, मैं इसी लायक़ हूँ। यदि मैं ग़रीब न होता, मेरे कपड़े साफ़ होते, तो यह आकर मेरी ख़ुशामद करता। विनयपूर्वक मुझसे हट जाने को कहता। मगर मैं हीन हूँ, इसलिए दस रुपए के सिपाही भी मुझे धक्के देते हैं।

घाट से बाहर आकर उसने सड़क पर देखा, राजा साहब हँसते हुए अपने एक मित्र से बातें कर रहे हैं और मोटर के पर्दे के अन्दर से रानी साहिबा सड़क पर आने-जाने वाले लोगों की ओर झाँक रही हैं। मन ही मन निरञ्जन कहने लगा, एक ये भी आदमी हैं और एक मैं भी हूँ। किन्तु हम लोगों में कितना अन्तर है? ये मोहन-भोग खाते हैं और मैं इनके चपरासी के धक्के खाता हूँ। ये मोटरों पर चलते हैं और मेरे पैरों में जूते भी नहीं। ये गद्देदार पलङ्ग पर सोते होंगे और मुझे ज़मीन पर भी बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। परन्तु क्या ये मुझसे योग्य हैं? मैट्रिक तक की लियाक़त होगी। मगर फिर भी कौन्सिल में जाकर कुर्सी पर डट जाते होंगे। क्यों? इसलिए कि सारा संसार धन का ग़ुलाम है। धन के आगे विद्वत्ता या योग्यता की कोई पूछ नहीं। धन होने से मनुष्य में योग्यता भी आ जाती है। परन्तु क्या सृष्टिकर्ता की यही इच्छा है कि कोई मलाई खाए और कोई ग़म! संसार के प्राणी-मात्र बराबर हैं। फिर कोई क्यों हुकूमत चलाए और दूसरा बिना सींग-पूँछ हिलाए उसकी आज्ञा का पालन किया करे? परन्तु आज दुनिया में धनिकों का बोल-बाला है। उन्हीं की चाँदी है। ग़रीब लाख कुछ कहे, उसकी सुनता कौन है। यदि मेरा वश चलता तो......

"बेहूदा कहीं का, हटता है कि नहीं?" सहसा यह आवाज़ कानों में पड़ी। निरञ्जन की विचार-धारा रुक गई; वह चौंक पड़ा। सिर उठा कर देखा तो एक लॉरी वाला उस पर बेतरह बिगड़ रहा है। वह लॉरी से कुचल कर मरना ही चाहता था। घबरा कर किनारे की ओर भागा। लॉरी वाले ने फिर डपट कर कहा—"उल्लू कहीं के! सूझता नहीं, आँखें चरने गई हैं क्या? बीच सड़क पर चलता है? बाबा की सड़क है? अभी कुचल कर मर गए होते तब?"

गाली सुन कर निरञ्जन तिलमिला उठा। क्रोध से आँखें लाल हो गईं। रोषपूर्वक बोला—"मर जाता तो क्या होता, तू गाली देने वाला कौन होता है? बदमाश! कमीने!" वह ग़ुर्राता हुआ घूँसा तान कर लॉरी वाले पर झपटा, इतने में एक राही ने निरञ्जन का हाथ पकड़ कर कहा—"यह तुम्हारी भलाई के लिए कहता है और तुम उसे मारना चाहते हो! अपना रास्ता लो। बेचारे का भला मनाओ, जो तुम्हें होशियार कर दिया, नहीं तो अब तक कुचल गए होते।"

निरञ्जन अपने क्रोध से आप ही जलने लगा। लॉरी सनसनाती हुई आगे निकल गई।

निरञ्जन आगे बढ़ा। सोचने लगा, अभी मर गया होता तो अच्छा ही था। ग़रीबों की ज़िन्दगी ही क्या! यदि कोई अमीर मरता तो लोग शोक मनाते, अख़बारों में शोक-सूचक टिप्पणियाँ निकलतीं, तस्वीरें छपतीं। मैं मरता तो कौन पूछने वाला था? कोई जानता भी नहीं। मर ही जाना अच्छा था। माँ को भी एक प्रकार से सन्तोष हो जाता। मेरे जीवन से मृत्यु ही अच्छी है।

इसी समय पटना कॉलेज और साइन्स कॉलेज की इमारतें दिखलाई पड़ीं। उन्हें देखते ही निरञ्जन झल्ला उठा—बेकार हैं, ये स्कूल और कॉलेज। इनमे पढ़ने से केवल अमूल्य जीवन नष्ट होता है। मैं भी तो इसी कॉलेज का बी० ए० हूँ। मगर किस काम का। एक साधारण सी नौकरी भी नहीं मिलती।

निरञ्जन का दिमाग़ खलबलाने लगा। आँखें जलने लगीं। जी चाहता था, फूट-फूट कर रोए, किन्तु आँखों में आँसू नहीं थे। वह विक्षिप्त सा हो गया था। पैर सीधे नहीं पड़ते थे। शराबी की तरह डगमगाता हुआ चलने लगा। चलने की ताक़त भी घट गई थी। आगे बढ़ना उसके लिए कठिन हो रहा था। इतने में एक पुस्तकालय का साइनबोर्ड दिखलाई पड़ा। निरञ्जन बिना कुछ सोचे-विचारे भीतर घुस पड़ा। उसने एक बार चारों ओर देखा। बिजली का पङ्खा चल रहा था। टेबुल पर पत्र-पत्रिकाएँ रक्खी थीं। पाँच-छः आदमी चुपचाप सिर झुकाए समाचार-पत्र पढ़ने में तल्लीन थे। सामने के एक कमरे से दो मनुष्यों के बातचीत की अस्पष्ट ध्वनि कानों में आ रही थी। निरञ्जन चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गया और एक मासिक पत्रिका उठा कर पढ़ने लगा।

इतने में निरञ्जन के कन्धे पर किसी ने हाथ रक्खा। निरञ्जन ने आश्चर्य से सिर घुमा कर देखा, प्रभात खड़ा मुस्करा रहा है।

प्रभात बाबू ने हँस कर कहा—आज मैंने तुम्हें चारों ओर ढूँढ़ा, परन्तु जब कहीं पता न चला तो यहाँ चला आया। मेरा सौभाग्य था कि तुमसे भेंट हो गई। नहीं तो आज मेरा खाना हज़म नहीं होता।

निरञ्जन ने हँसने की चेष्टा करते हुए कहा—तुम्हारे जैसे गप्पी भी दुनिया में बिरले ही होंगे।

प्रभात ने पूछा—अभी ठहरोगे या चलोगे?

निरञ्जन ने उठते हुए कहा—चलो।

दोनों चले। राह में निरञ्जन उतना अन्यमनस्क नहीं था। प्रभात की बातें सुनता जा रहा था। प्रभात उसे समझा रहा था—संसार में दो प्रकार की वस्तुएँ पाई जाती हैं; पहला पदार्थ और दूसरी शक्ति। जिसमें भारीपन हो अर्थात् जिसका वज़न जाना जा सके और जिसमें आकर्षण शक्ति हो, उसे पदार्थ कहते हैं। इस पदार्थ के तीन भेद हैं—ठोस, तरल और गैस...

निरञ्जन ने बीच ही में छेड़ कर कहा—तुम्हें दुनिया में विज्ञान के सिवा कोई और विषय नहीं मिलता!

प्रभात हँस पड़ा और बोला—अच्छा सुनो.........!

उन्होंने एक दूसरी ही गप्प छेड़ी।

४

उपरोक्त घटना को दो दिन बीत गए। प्रातःकाल का समय था। निरञ्जन बैठा हुआ मुँह धो रहा था। माँ के लिए उसके प्राण छटपटा रहे थे। जी चाहता था, घर चला जाय। फिर सोचता था, वहाँ जाकर करूँगा क्या? शहर में तो नौकरी की कुछ आशा भी है।

मगर वहाँ देहात में कौन सा काम रक्खा है। इसी समय बेनीमाधव दिखाई पड़ा। निरञ्जन जिस घर में रहता था, वह इसी का था। बेनीमाधव के और भी कई घर थे और भाड़े से ही इनका काम चलता था। निरञ्जन को देख कर बोले—कहिए बाबू साहब, आप आजकल कहाँ काम करते हैं?

निरञ्जन ने सिर हिला कर कहा—कहीं नहीं।

"और सेक्रेटेरियट ऑफ़िस में?"

निरञ्जन ने संक्षेप में कहा—वहाँ नौकरी नहीं लगी।

"आप तो बी० ए० पास हैं न?"—बेनीमाधव ने इस प्रकार आश्चर्य से पूछा, मानो ग्रेजुएट को किसी प्रकार की तकलीफ़ होती ही नहीं।

"हाँ।"

"तब आपको नौकरी क्यों नहीं मिलती? बी० ए० पास तो डिप्टी भी हो सकते हैं।"

"सब कुछ हो सकते हैं।" निरञ्जन ने कहा—"मगर वही हो सकते हैं, जिनके यहाँ लाखों की जायदाद पहले ही से पड़ी हो। बड़े-बड़े ऑफ़िसरों के यहाँ पहुँच हो, चारों ओर से सिफ़ारिशें पहुँचाई जायँ और ऑफ़िसरों पर दबाव डाला जाय, तब डिप्टीगीरी मिलती है। ऐसे तो बी० ए० पास करने के बाद सभी एक बार डिप्टो मैजिस्ट्रेटी और सब-रजिस्ट्रारी के लिए अपनी क़िस्मत आज़मा लेते हैं। जब यह नहीं मिलती तो दूसरी ओर लपकते हैं।"

बेनीमाधव ने पूछा—तब आप भी वकालत क्यों नहीं पढ़ते?

निरञ्जन ने उत्तर दिया—वकालत पढ़ने ही से क्या होगा? देखता तो हूँ कि वकील लोग रोज़ कचहरी के दरवाज़े पर अपना सिर पटक आते हैं। एक पैसे की भी आमदनी नहीं। इस वकालत से तो मज़दूरी करना कहीं अच्छा है। इधर साइन्स वाले लड़कों को भी जब कहीं कुछ नौकरी नहीं मिलती तो डॉक्टरी पढ़ते हैं। लेकिन अब डॉक्टरी में भी गुञ्जाइश नहीं। क्योंकि डॉक्टर भी गली-गली मारे-मारे फिरते हैं, कोई नहीं पूछता।

बेनीमाधव—तब आप कोई व्यापार क्यों नहीं करते?

निरञ्जन—उसके लिए रुपया चाहिए, बिना रुपयों के व्यापार कैसे होगा?

बेनीमाधव—तो फिर आप खेती कीजिए, नौकरी से तो वही अच्छा है।

एक लम्बी साँस लेकर निरञ्जन ने कहा—बी० ए० पास कर लेने पर शरीर खेती के लायक़ नहीं रह जाता?

बेनीमाधव ने पूछा—तब क्या रुपया कमाने का कोई और उपाय नहीं है?

निरञ्जन—आप ही बतलाइए।

बेनीमाधव—समाचार-पत्रों में लेख लिखा कीजिए।

निरञ्जन ने हँस कर कहा—"लेख क्या लिखूँ और यदि लिखूँ भी तो कैसे? बी० ए० पास कर लेने पर भी मुझमें इतनी लियाक़त नहीं, जो अङ्गरेज़ी में सफलतापूर्वक लेख लिखूँ। रही मातृ-भाषा हिन्दी; सो हिन्दी की पढ़ाई जितनी बी० ए० तक होती है, वह किसी से छिपा नहीं है। हिन्दी का ज्ञान भी हम लोगों को जितना होना चाहिए, उतना नहीं होता। सभी चीज़ों में कच्चे रह जाते हैं। न इधर के होते हैं और न उधर के।

बेनीमाधव ने सिर हिलाते हुए कहा—सचमुच कलियुग में पेट चलाना बड़ा कठिन है।

बेनीमाधव के कहने और सिर हिलाने के ढङ्ग से ऐसा विदित होता था कि मानो वे सत्ययुग भी देख चुके हैं। उसका हिलता हुआ सिर देख कर निरञ्जन को हँसी आ गई। पूछा—क्या और भी कोई धन कमाने का उपाय नहीं बतलाइएगा?

बेनीमाधव ने कहा—क्या कहूँ बाबू साहब, गाँधी जी ने बिना पूँजी का रोज़गार चर्ख़ा बड़ा बढ़िया निकाला है।

सहसा निरञ्जन ने सोचा, यदि मैं भी चर्ख़ा चलाऊँ तो कैसा हो? यह तो कोई बुरा काम नहीं। मैं सफलतापूर्वक चर्ख़ा कात सकता हूँ। माना कि पैसे कम मिलेंगे, किन्तु खाने भर को तो आ जायगा। किसी का ग़ुलाम तो नहीं रहूँगा। काम से जो समय निकलेगा उसे गाँव वालों को शिक्षित बनाने में लगा दूँगा। एक रात्रि-पाठशाला भी खोल दूँगा। पैसे तो बहुत कम मिलेंगे, किन्तु मेरी ज़ात से सैकड़ों गाँव वालों का उपकार होगा।

निरञ्जन ने यही निश्चय कर लिया। किन्तु घर लौटने के लिए भी तो रुपए चाहिए। रुपए निरञ्जन के पास न थे, अब उसे दूसरी ही चिन्ता सताने लगी।

५

एकाएक निरञ्जन को याद आया, प्रभात से घर जाने के लिए दो-तीन रुपए उधार ले लूँ। बेचारा बड़ा अच्छा आदमी है, दे देगा। किन्तु यदि उसने कह दिया कि हाथ ख़ाली है, पास में रुपए नहीं हैं, तब? मेरे लिए तो यह डूब मरने की बात होगी। इसी समय प्रभात ने कमरे में प्रवेश किया। आज वह कुछ उदास मालूम होता था। निरञ्जन ने कहा—तुम्हारी बड़ी लम्बी उम्र होगी, अभी तुम्हारी ही याद कर रहा था।

प्रभात ने बैठते हुए पूछा—किस लिए मेरी याद कर रहे थे?

निरञ्जन झेंप गया, बोला—योंही याद कर रहा था।

प्रभात बाबू बोले—आजकल तुम बहुत उदास रहते हो, क्या बात है?

कुछ चौंक कर मानो लापरवाही दिखलाते हुए निरञ्जन ने कहा—कहाँ, नहीं तो, मैं किस लिए उदास रहूँगा। हाँ, उस दिन की तो बात अधूरी रह गई थी। बतलाइए, पदार्थ और शक्ति के कितने भेद हैं। 'ईथर' को आप पदार्थ में लेंगे या शक्ति में? 'ईथर' का अनुभव तो यन्त्रों से भी नहीं होता। वैज्ञानिक उसे केवल तर्क से मानते हैं।

प्रभात ने कहा—मैं यह नहीं पूछता। मैं तुमसे यही पूछने के लिए आया हूँ कि तुम उदास क्यों रहते हो?

"यदि मैं नहीं बतलाऊँ तो?"

प्रभात ने कहा—बतलाना ही होगा। मैं बिना सुने जाऊँगा ही नहीं। सत्याग्रह करके बैठ जाऊँगा।

इतना सहृदय मनुष्य अभी तक निरञ्जन ने नहीं देखा था। घोर गप्पी होकर यह कितना विशाल हृदय रखता है। इसके हृदय में मेरे लिए दर्द है, मेरे दुख से यह दुखित है। निरञ्जन की आँखों में आँसू आ गए। आर्द्र-कण्ठ से उसने कहा—तुम सुन कर क्या करोगे प्रभात, मैं अभागा हूँ, इसीलिए दुखित रहता हूँ।

प्रभात बाबू ने कहा—मुझे इतने से सन्तोष नहीं हुआ। क्या बात है, किस कारण तुम दुखित रहते हो, मुझे पूरी कहानी सुनाओ।

हम दुख में तनिक भी सहानुभूति पाने से हृदय की सारी बातें कह देते हैं। निरञ्जन कहने लगा—मुझे याद नहीं कि कब मेरे पिता जी मर गए। माता ने ही मेरा पालन-पोषण किया। वह मुझे जी-जान से चाहती हैं। स्वयं भूखी रह जाती थीं, किन्तु मुझे अवश्य खिलाती थीं। वह आप फटे-चिथड़े पहनती थीं, किन्तु मेरे लिए नए कपड़े सिला देती थीं। गाँव से दो कोस पर स्कूल था। मैं प्रतिदिन पैदल वहीं पढ़ने जाने लगा। मिडिल में मुझे छात्रवृत्ति मिली। पढ़ने की लालसा बढ़ी, माँ की भी इच्छा थी। मैं और आगे पढ़ने लगा। मैट्रिक पास कर पटना कॉलेज में आया। यहाँ ट्यूशन करता था और पढ़ता था। मगर जब पढ़ कर कमाने का दिन आया, तब सारी आशाओं पर पानी फिर गया। अब मुझे एक छोटी सी नौकरी भी नहीं मिलती। मैं यहाँ बैठा हुआ अपनी क़िस्मत को रो रहा हूँ और घर पर माँ बैठी हुई आशाएँ लगा रही हैं। किसी का जीवन बिना शिक्षा के नष्ट होता है और मेरा जीवन शिक्षा पाकर नष्ट हो गया!

निरञ्जन एक बच्चे की तरह बिलख-बिलख कर रोने लगा। प्रभात बाबू की आँखों में भी आँसू उमड़ रहे थे। कुछ देर बाद उसने शान्त होकर कहा—तुमने आज तक मुझसे ये बातें क्यों नहीं बताईं। मैं पिता जी से कह कर कहीं तुम्हें कोई नौकरी अवश्य दिलवा देता। ख़ैर, अभी भी कोई चिन्ता की बात नहीं है। मैं तुम्हें दूकान करने के लिए पाँच सौ रुपया देने के लिए तैयार हूँ।

निरञ्जन ने सिर उठा कर कहा—नहीं, मैं तुमसे रुपए नहीं लूँगा। मैं रुपयों की अपेक्षा तुम्हारी मित्रता का मूल्य अधिक समझता हूँ। मैं स्वावलम्बी बनना चाहता हूँ। यदि तुम मुझे सहायता देना चाहते हो, तो मुझे घर जाने के लिए केवल तीन रुपए उधार दे दो। मैं घर जाकर चर्ख़ा चलाऊँगा और किसानों की सेवा करूँगा। मैं अपनी माँ की ज़िन्दगी भर उसे नहीं छोड़ूँगा और न अब अपनी जन्मभूमि का त्याग करूँगा।

प्रभात ने घर से लाकर एक सौ रुपए का नोट और दस रुपए नक़द निरञ्जन की जेब में डाल दिए। निरञ्जन कहता रह गया कि ये तो बहुत हैं, मुझे केवल तीन ही रुपए चाहिए। इन तीन रुपयों को भी मैं तुमसे उधार समझ कर ले रहा हूँ, शीघ्र लौटाने की चेष्टा करूँगा।

परन्तु प्रभात ने न माना। निरञ्जन को लाचार होकर लेना ही पड़ा।

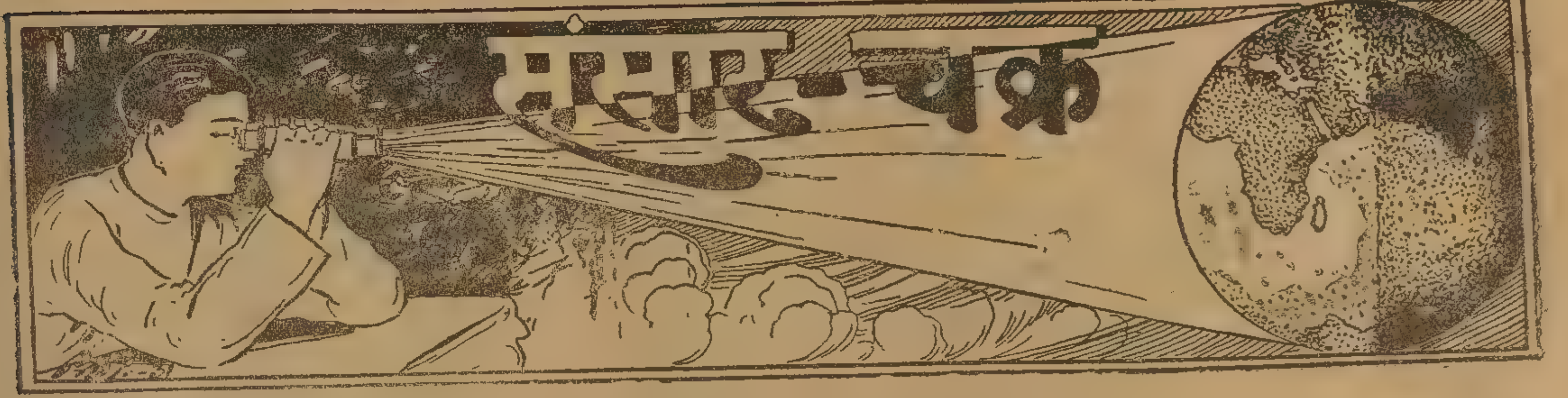
वह उसी दिन घर के लिए रवाना हो गया।

६

निरञ्जन जब अपने गाँव में पहुँचा, तो वह उसे नया सा मालूम हो रहा था। एक-एक वस्तु में अद्भुत आकर्षण था। वह धीरे-धीरे देखता जा रहा था। जिस बरगद के वृक्ष पर वह सावन में हिंडोला लगा कर झूला करता था, और उसके खोड़रों से मैना के बच्चे पकड़ कर ले जाया करता था, उस बरगद के नीचे वह बड़ी देर तक खड़ा रहा। मानो सैकड़ों वर्ष पर वह यहाँ आया है। वह घर पहुँचा। उसका छोटा सा घर मानो उसे गोद में लेने के लिए बुला रहा था। निरञ्जन घर में घुस गया। पुकारा—माँ!

उसे आशा थी कि उत्तर में माँ की चिरपरिचित आवाज़ सुनाई देगी। 'बेटा निरञ्जन!' कहती हुई माँ दौड़ी आकर उसे हृदय से लगा लेगी। किन्तु माँ नहीं आई! केवल निरञ्जन की आवाज़ घर में गूँजती हुई विलीन हो गई। निरञ्जन ने सोचा, माँ कहीं पड़ोस में गई होगी। मगर घर का किवाड़ खुला था। निरञ्जन भीतर चला गया। माँ सोई हुई थी। निरञ्जन ने चादर खींच लिया। सोचा, इस समय घबरा कर माँ उठेगी तो मुझे देख कर कितना चकित होगी। किन्तु यह क्या, माँ हिली भी नहीं। चादर खींचने पर माँ के शरीर पर बैठी हुई सैकड़ों मक्खियाँ भनभना कर कमरे में उड़ने

(शेष मैटर १८वें पृष्ठ के दूसरे कॉलम के नीचे देखिए)



स्वीट्ज़रलैण्ड का स्वाधीनता-संग्राम

[मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव]

(गताङ्क से आगे)

परन्तु रुदोलफ़ कुछ मोम के पुतले न थे। वह जानते थे कि जो हारता है वही जीतता भी है। इस हार में ही मानो उन्हें विजय की कमनीय मूर्त्ति दिखाई पड़ने लगी। उन्होंने फिर तैयारी शुरू की। अब की स्वीस राष्ट्र-सङ्घ ने भी उनकी मदद की। लपेन नामक स्थान में युद्ध छिड़ गया। रुदोलफ़ ने बड़ी वीरता के साथ मुट्ठी भर वीरों को लेकर शत्रुओं की विशाल सेना का सामना किया। इस बार विजय-लक्ष्मी इन्हें ही प्राप्त हुई। शत्रु-दल मैदान छोड़ कर खिसक गया। छः सौ देश-भक्त, जो पहली चढ़ाई में बन्दी हुए थे, वे भी मुक्त हो गए।

अब शत्रुओं ने 'खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे' वाली कहावत चरितार्थ की और लुटेरों की तरह कभी-कभी एकाएक आकर आक्रमण करने लगे। इधर रुदोलफ़ ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देना आरम्भ किया। इन्होंने भी मौक़ा देख कर आक्रमण के बदले आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया। फलतः अन्त में शत्रुओं ने आक्रमण करने का इरादा एकदम छोड़ दिया और बर्न को छोड़ कर चले गए। बर्न भी राष्ट्र-सङ्घ का एक सदस्य बन गया।

ज़ुरिच प्रदेश विदेशी शासकों के अधिकार में न था। परन्तु वहाँ के शासक अत्यन्त विलासी, अत्याचारी और महास्वार्थपर थे। ये अपनी विलास-वासना की वृद्धि के लिए बड़ी बेरहमी से प्रजा का रक्त-शोषण किया करते थे। इस प्रदेश की सरकार अपने आय-व्यय का हिसाब भी प्रजा को देना उचित नहीं समझती थी।

जब अन्यान्य पड़ोसी प्रदेश स्वतन्त्र होने लगे तो ज़ुरिच की भी आँखें खुलीं। ब्रन नाम के एक वीर ने प्रजा की ओर से विद्रोह की घोषणा कर दी। शासन-कर्ताओं को दुम दबा कर विदेशियों की शरण में चला जाना पड़ा। ऑस्ट्रिया और फ़ान्स ने उनकी मदद भी की। उन्होंने अपने पुराने राज्य पर कई बार आक्रमण भी किया। परन्तु ब्रन वीर होने के साथ ही बुद्धिमान भी थे। उन्होंने इन तुच्छ आक्रमणों को बात की बात में उड़ा दिया। बार-बार विफल-मनोरथ होने के कारण शत्रुओं ने चढ़ाई भी बन्द कर दी। ज़ुरिच राष्ट्र-सङ्घ में सम्मिलित हो गया।

संयुक्त-राष्ट्र-सङ्घ की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ चली। दर्जनों स्वाधीन प्रदेश उसमें आकर सम्मिलित हो गए। इतने में ऑस्ट्रियनों ने एक बार फिर चढ़ाई कर दी। अन्न की फ़सल कटने के दिन थे। किसान अपने खेत काटने में व्यस्त थे। इसी समय हज़ारों ऑस्ट्रियन सैनिकों ने आकर एक गाँव पर चढ़ाई कर दी। सैनिकों के हाथों में लम्बे-लम्बे भाले थे और बेचारे किसानों के हाथों में खेत काटने का हँसिया! फलतः कितने ही किसानों को जान से हाथ धो लेना पड़ा।

इस घटना की ख़बर ग्रामवासियों को मिली। विङ्केलरीड नाम के एक वीर किसान युवक ने उन्हें शत्रुओं को मार भगाने के लिए ललकारा। विङ्केलरीड किसान होने पर भी देश-भक्ति और स्वतन्त्रता का मर्म समझते थे। वे अपने किसान भाइयों को लेकर फ़ौरन शत्रुओं की ओर दौड़ पड़े। परन्तु वहाँ तो कुछ और ही समाँ थी। हज़ारों बर्छाधारी सैनिक व्यूह रचे संग्राम के लिए खड़े थे। उनके सामने जाना मानो आग में कूदना था। विङ्केलरीड ने सोचा, अगर किसी तरह शत्रुओं के दल में घुस जाया जा सके तो कुछ सफलता मिले। परन्तु इस व्यूह के अन्दर घुसना कोई आसान काम न था। क्योंकि बर्छाधारिणी सैनिक श्रेणी एक में एक सटी हुई खड़ी थी। अन्त में विङ्केलरीड ने जान पर खेल कर देश की स्वतन्त्रता की रक्षा का विचार किया और अपने योद्धाओं को ललकारते हुए लवा-दल पर बाज़ की तरह टूट पड़े। सैकड़ों बर्छे उनकी देह छेदने के लिए हिल उठे, परन्तु वीरवर विङ्केलरीड ने उधर भ्रूक्षेप भी न किया। वे साहसपूर्वक आगे बढ़े और दोनों बाहुपाश में जितने बर्छे समा सके, उन्हें एक साथ ही पकड़ लिया। इससे शत्रुओं की श्रेणी थोड़ी सी विशृङ्खल हो गई और विङ्केलरीड के वीरों को उनके अन्दर घुस जाने का अवसर मिल गया। फिर क्या था, ग्रामवासियों ने बात की बात में सारी सेना को मार भगाया। यह युद्ध सेम्पेक नाम की एक झील के किनारे हुआ था। वीरवर विङ्केलरीड के पवित्र रक्त से झील के किनारे की वसुन्धरा पवित्र हो गई।

सेम्पेक-संग्राम में परास्त हो जाने पर कुछ दिनों तक ऑस्ट्रियन चुपचाप रहे। परन्तु बार-बार की हार से भीतर ही भीतर बौखला उठे थे। इसलिए कुछ दिनों के बाद उन्होंने निकेल नामक प्रदेश पर फिर चढ़ाई कर दी।

जाड़ों के दिन थे। पहाड़ी प्रदेश बरफ़ से ढँका हुआ था। निकेलवासियों को बाहरी मदद की कोई आशा नहीं थी। क्योंकि भीषण बरफ़-वर्षा को अतिक्रम करके किसी का आना असम्भव था। उसमें मेटिस-अम-बुल नाम का एक स्वीस वीर अग्रसर हुआ। उसने अपने देशवासियों को बुला कर कहा—भाइयो, यह हताश होने या शोच-विचार में पड़े रहने का समय नहीं है। हमारा अगर कोई मददगार नहीं है तो कोई चिन्ता नहीं। हमें स्वयं आगे बढ़ कर अपनी मातृभूमि की स्वतन्त्रता की रक्षा करनी चाहिए। अगर कुछ नहीं बन पड़ता तो चलो, पहाड़ों की कन्दराओं में चलें; क्योंकि शत्रुओं की वश्यता स्वीकार करने की अपेक्षा बर्फ़ में गल जाना अच्छा है।

यही तय हुआ। सारे प्रदेश के निवासी अपने बाल-बच्चों को लेकर पहाड़ में चले गए। और बुल उनकी रक्षा करने लगे। शत्रु-सेना नीचे थी और बुल पहाड़ पर। इनके पास कोई हथियार भी न था। इसलिए सलाह हुई कि ऊपर से शत्रु-सेना पर उपल वृष्टि की जाए। फलतः शत्रुदल जब-जब पर्वत पर चढ़ने की चेष्टा करता था, तभी उस पर ऊपर से पत्थरों की भीषण वर्षा आरम्भ हो जाती थी और ऑस्ट्रियन सेना भाग खड़ी होती थी। इसी प्रकार ग्यारह हमले हुए और प्रत्येक बार वीरवर बुल ने शत्रुओं को मार भगाया। अन्त में ऑस्ट्रियनों ने हमला करना ही छोड़ दिया।

एमेन्जेल प्रदेश के भाग्य-विधाता एबट् नाम के एक पादड़ी महोदय थे। ये स्वयं तो सेण्टगैल नाम के पवित्र स्थान में निवास करते थे और उनके अनुचर एमेंजेल का शासन किया करते थे। इन कर्मचारियों का काम येन-केन प्रकारेण प्रजा का रक्त चूसना और उसका कुछ अंश पादड़ी महोदय को देकर बाक़ी स्वयं हड़प जाना था। इन भाड़े के टट्टुओं के अत्याचारों के मारे एमेंजेल घबरा उठा। आख़िर अत्याचार की भी तो एक सीमा होती है! कोई कहाँ तक बरदाश्त करता। प्रदेशवासियों ने स्वतन्त्र होने का विचार किया और एक दिन सङ्गठित होकर एक स्वर से विद्रोह की घोषणा कर दी। बेचारे पादड़ी साहब का आसन डोल गया और वे ख़ुद अपने दल-बल को लेकर विद्रोह-दमन करने के लिए चल पड़े।

एमेंजेल वाले भी स्वागत के लिए तैयार थे और कुछ आगे बढ़ कर एक पहाड़ी स्थान में छिप कर पादड़ी साहब के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगे। परन्तु पादड़ी को इस बात की ख़बर न थी। वे अपनी सेना के साथ विद्रोह-दमन करने के लिए तरह-तरह के मन्सूबे बाँधते हुए अग्रसर हो रहे थे। फलतः ज्योंही इनका दल पहाड़ी के निकट पहुँचा त्योंही हज़ारों विद्रोहियों ने उस पर हमला कर दिया। समस्त सैनिक इस अचानक मार से घबरा उठे और कुछ वहीं सदा के लिए सो गए और बाक़ी प्राण लेकर भाग खड़े हुए।

अन्त में पादड़ी ने ऑस्ट्रिया की शरण ली और शीघ्र ही एक महती सेना लेकर एमेंजेल पर दूसरा हमला कर दिया। एमेंजेलवासियों ने भी निश्चय कर लिया था, कि या तो स्वतन्त्र ही होकर रहेंगे या समर-भूमि में प्राण विसर्जन कर वीरगति प्राप्त करेंगे। एमेंजेल का प्रत्येक युवक मातृभूमि को बन्धन-मुक्त करने के लिए पागल हो उठा था। सारा काम-काज बन्द हो गया। छोटे-बड़े सभी हथियार लेकर मैदान में आ डटे। यहाँ तक कि स्त्रियाँ भी पीछे न रहीं। उन्होंने भी मर्दाने लिबास में हथियार लेकर अपने भाइयों, पतियों और पुत्रों का साथ दिया।

एमेंजेल का यह युद्ध अत्यन्त महत्वपूर्ण था। इस युद्ध में एमेंजेल के अधिवासियों ने जो वीरता दिखाई थी, उसका वर्णन पढ़ कर चकित हो जाना पड़ता है। युद्ध मानो इनके लिए एक मनोरञ्जन था। बच्चा-बच्चा लड़ने के लिए व्याकुल हो रहा था।

इस युद्ध में ऑस्ट्रिया वाले बुरी तरह परास्त हुए। ऑस्ट्रियन-वाहिनी के कलेजे के ख़ून से सारा पहाड़ी पथ रँग गया। शत्रुओं को पराजित कर एमेंजेल ने अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा कर ली और इतिहास में विजयी की पदवी प्राप्त की।

वास्तव में स्वीट्ज़रलैण्ड के प्रदेशों की स्वतन्त्रता ऑस्ट्रिया की आँखों के लिए शूल हो रही थी। वह मानो एक क्षण के लिए भी उन्हें स्वतन्त्र नहीं देखना

चाहता था। इसलिए अवसर पाते ही उन्हें कुचलने के लिए चढ़ दौड़ता था। इसके साथ ही जो प्रदेश उसके कठोर चङ्गुल में फँस गए थे, उन्हें तो वह एकदम चूस कर निःशेष कर डालना चाहता था। एमेञ्जेल-संग्राम के बाद स्कहाम और रिनोयल नाम के दो प्रदेश ऑस्ट्रिया के अधीन थें। ये दोनों ही पर्वतीय प्रदेश हैं। यहाँ के अधिवासी बड़े निरीह, सीधे-सादे और घोर परिश्रमी थे। खेती-बारी द्वारा ये अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। अचानक एक दिन आकर ऑस्ट्रिया वालों ने इन पर अधिकार जमा लिया था। परन्तु उस समय इन्होंने चूँ तक नहीं किया। इसका नतीजा यह हुआ कि ऑस्ट्रियन शासकों ने इनकी निरीहता से लाभ उठाना आरम्भ किया और ऐसे-ऐसे भीषण अत्याचार किए, जिनका वर्णन करते हृदय काँप जाता है। इतने में पड़ोसी प्रदेशों में स्वतन्त्रता की दुन्दुभी बज उठी। स्कहाम और रिनोयल के निवासी भी स्वतन्त्र होने के लिए उत्सुक हो उठे। परन्तु उनमें न तो सङ्गठन था और न कोई सङ्गठन करने वाला।

चैलदर इस प्रदेश का एक होनहार किसान युवक था। पड़ोसी प्रदेशों के वीरों की गाथाएँ सुन-सुन कर वह कभी-कभी अत्यन्त उत्साहित हो उठता था और अपनी मातृ-भूमि को स्वतन्त्र करने के मन्सूबे बाँधा करता था।

एक दिन उसने अपने कई नवयुवक साथियों के सामने अपना मनोभाव प्रकट किया। इन लोगों ने अपना एक छोटा सा दल बनाया और इधर-उधर घूम कर लोगों को उत्तेजित करने लगे। अधिकारियों को भी यह बात मालूम हो गई और वे चैलदर को तङ्ग करने की तदबीर सोचने लगे। परन्तु चैलदर अपना काम बड़ी होशियारी से करता था। वह शीघ्र पञ्जे में फँसने वाला न था। इसलिए ऑस्ट्रियन अधिकारी ने उसे किसी और ही उपाय से तङ्ग करने का विचार किया।

चैलदर के खेतों की फ़सल तैयार हो गई थी। दो-एक रोज़ में कटने वाली थी। इसी समय ऑस्ट्रियन अधिकारी ने कुछ जङ्गली घोड़े उसके खेतों में छोड़ दिए। चैलदर उत्तेजित हो उठा। उसने तीक्ष्ण हथियार लेकर कई घोड़ों को काट डाला और कईयों को क्षत-विक्षत करके भगा दिया। उसने अपनी रक्षा तो कर ली, परन्तु थोड़ी देर के बाद ही गिरफ़्तार कर लिया गया। ऑस्ट्रियन अधिकारी ने लोहे की ज़ञ्जीरों द्वारा उसके हाथ और पैर बँधवा कर उसे अनिर्दिष्ट काल के लिए क़ैदख़ाने में भेजवा दिया।

अन्त में बहुत दिनों के बाद चैलदर के मित्रों ने दण्ड-स्वरूप बहुत से रुपए देकर चैलदर को मुक्त कराया। चैलदर घर आया, परन्तु इस अत्याचार को भूल न सका।

इधर ऑस्ट्रियन अधिकारी भी निश्चिन्त न था। उसे खटका था कि चैलदर अवसर पाते ही बदला लेगा। इसलिए उसने फिर चैलदर के साथ छेड़ख़ानी शुरू कर दी। एक दिन वह चैलदर के घर आया। उस समय वहाँ खाना पक रहा था। नीच अधिकारी ने उसकी डेगची में थूक दिया और कहने लगा, इसे तुम्हें खाना होगा। चैलदर भला इस नीचता को कैसे बरदाश्त कर लेता? क्रोध में आकर उसने अधिकारी की गर्दन पकड़ ली और कहा, मैं तो यह नापाक खाना नहीं खाऊँगा, परन्तु तुम्हें खिला कर ही छोड़ूँगा। यह कह कर उसने अधिकारी महाशय का सिर पकड़ कर डेगची में घुसेड़ दिया। डेगची का खाना गरम तो था ही, अधिकारी का सिर भी उसी के साथ पक कर रह गया और वे वहीं मानो सदा के लिए तृप्त हो गए।

अधिकारी की हत्या का जो भीषण परिणाम होना चाहिए था, वही हुआ। ऑस्ट्रिया की सेना भूखे व्याघ्र की तरह स्कहाम और रिनोयल पर टूट पड़ी। भीषण मार-काट शुरू हो गई। परन्तु अन्त में विजय-लक्ष्मी विद्रोहियों को प्राप्त हुई। कई आक्रमणों के मुक़ाबिले के बाद वे सदा के लिए स्वतन्त्र हो गए।

अब स्वीट्ज़रलैण्ड के बहुत थोड़े से प्रदेश परतन्त्र रह गए थे। इन्हीं में इञ्जेदीन भी था।

इञ्जेदीन में कैमोगास्क नाम का एक वीर युवक रहता था। इसे अपनी मातृभूमि की पराधीनता बहुत अखर रही थी। परन्तु कोई उपाय नहीं नज़र आता था। कैमोगास्क दिन-रात इसी चिन्ता में रहने लगा। वह कभी सेना संग्रह करके विद्रोह की घोषणा कर देने की कल्पना करता और कभी अपने देशवासियों में जागृति के भाव पैदा करने की सोचता। इसी उधेड़-बुन में बहुत दिन बीत गए। परन्तु कोई उपाय कैमोगास्क को नहीं सूझ पड़ा। अन्त में उसने अपने देशवासियों को उनकी वास्तविक अवस्था का ज्ञान कराने का निश्चय किया। उसने

करो बरबाद, हम बरबाद होंगे !

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

अगर हम मायले[१] फ़रियाद होंगे,
तो सातों आस्माँ बरबाद होंगे !
उन्हें तुम जान कर भूले हुए हो,
तुम्हें अपने सितम[२] क्यों याद होंगे !
हमारी याद आएगी, किसी को,
अनोखे जब सितम ईजाद[३] होंगे !
मिटाए जाव तुम तुरबत[४] हमारी,
करो बरबाद, हम बरबाद होंगे !
यह क्या मालूम था हम फ़स्ले गुल[५] में,
चमन से दूर ऐ सय्याद[६] होंगे !
ख़बर क्या थी, कि अपने दिल के अजज़ा[७],
हवाए शौक़ में बरबाद होंगे !
यह कहते हैं असीराने[७] मुहब्बत,
जो मर जाएँगे तो, आज़ाद होंगे !
मिलाए ख़ाक में, कोई मिलाए,
यही होगा कि हम बरबाद होंगे !
कोई करता है उस कूचे में आहें,
ज़नाबे "बिस्मिल" नाशाद[८] होंगे !

१—ध्यान, २—ज़ुल्म, ३—नई चीज़ पैदा करना, ४—क़बर, ५—बहार का ज़माना, ६—घातक, ७—क़ैदी, ८—दुखी।

अपने प्रदेश के कोने-कोने में जाकर लोगों को पराधीनता और स्वाधीनता का भेद समझाया। उसकी वाणी में ईश्वर ने विचित्र-शक्ति दी थी। वह जिस महामन्त्र का प्रचार करने चला था, उसका असर लोगों पर ख़ूब हुआ। समस्त प्रान्त के युवक भावी स्वतन्त्रता के युद्ध में उसका साथ देने को तैयार हो गए।

विदेशी शासकों को इस बात की ख़बर लगी तो वे कैमोगास्क को फँसाने की तदबीर सोचने लगे। परन्तु कैमोगास्क भी होशियार आदमी था और बड़ी चतुरता से अपना काम करता जाता था।

परन्तु अन्त में जब अधिकारियों को कैमोगास्क को फँसाने के लिए कोई वैध उपाय नज़र न आया, तो उन्होंने नीचता का आश्रय लिया और इस जघन्य उपाय ने राजसत्ता की नींव को ऐसा हिला दिया कि वह सदा के लिए तहस-नहस हो गई।

कैमोगास्क की कन्या थेरेसा अपूर्व सुन्दरी थी। मानो विधाता ने स्वयं अपने हाथों से उसका निर्माण किया था। वह सौन्दर्य की देवी थी। उसके सौन्दर्य की चर्चा उस प्रान्त के निवासियों के लिए एक प्रधान विषय था।

एक दिन इञ्जेदीन के शासक के कानों में भी थेरेसा के रूप-लावण्य की चर्चा पड़ी। उसने अपना एक दूत भेज कर कैमोगास्क को कहला भेजा कि वह फ़ौरन थेरेसा को भेज दे। मैं उसे अपने रङ्गमहल में रखना चाहता हूँ। शासनकर्ता का यह अपमानजनक प्रस्ताव सुन कर कैमोगास्क के शरीर में आग सी लग गई। परन्तु उसने बुद्धिमत्तापूर्वक अपनी उत्तेजना को मुस्कुराहट के परदे में छिपा लिया और दूत से कहा कि कल मैं स्वयं थेरेसा को लेकर शासनकर्ता महोदय की सेवा में हाज़िर होऊँगा। इस अकिञ्चन पर उनकी बड़ी अनुकम्पा है, जो वे इसे अपने सम्बन्ध-सूत्र में आबद्ध करना चाहते हैं। मेरी कन्या का सौभाग्य है कि उसे स्वयं इस देश के शासनकर्ता महोदय अपने चरणों की दासी बनाएँगे।

शासनकर्ता महोदय ने यह सन्देशा सुना तो बेचारे फड़क उठे। इन्तज़ार की घड़ियाँ बड़ी लम्बी होती हैं। शासनकर्ता के लिए वह दिन पहाड़ सा और रात एक युग सी प्रतीत हुई। सवेरा होते ही वे सज-धज कर अपने दरबार में आ विराजे और बड़ी उत्सुकता से थेरेसा के आगमन की बाट देखने लगे।

कैमोगास्क भी निश्चिन्त न था। वह इस अवसर से पूरा लाभ उठाना चाहता था। उसने अपने साथियों को तैयार रहने की ख़बर भेज दी और कैसे क्या करना होगा, यह भी बता दिया।

दूसरे दिन यथासमय वह कन्या को लेकर राज-दरबार में पहुँचा। राजा ने उठ कर बड़े तपाक से उसका स्वागत किया। कुछ इधर-उधर की बातें हुईं। इसके बाद उन्होंने थेरेसा को अपने निकट बुलाया और साधारण शिष्टाचार तथा सभ्यता को बालाए-ताक़ रख कर पिता के सामने ही उसका मुँह चूमने के लिए उसकी ओर अपना मुँह बढ़ाया। कैमोगास्क भी शायद इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। राजा साहब के झुकते ही उसने एक तीक्ष्ण धार की कटार उनके कलेजे में घुसेड़ दी और एक सङ्केत द्वारा अपने साथियों को भी सचेत कर दिया। देखते-देखते हज़ारों हरबे हथियारों से लैस नवयुवक दरबार में घुस आए और जिसे जहाँ पाया, उसे वहीं धराशायी बनाया। राज-दरबार की भूमि रक्त-रञ्जित हो उठी। बेचारे शासन-कर्ता के लिए 'ब्याह से पहले ही पहले मौत के दिन आ गए !'

कैमोगास्क की उपस्थित बुद्धि और असीम साहस के कारण इञ्जेदीन स्वतन्त्र हो गया, और विदेशियों ने फिर कभी उसकी ओर आँख उठाने की चेष्टा न की।

स्वीट्ज़रलैण्ड का अन्यतम प्रदेश टाइरल, पहले ऑस्ट्रिया का ही एक पहाड़ी प्रदेश था। आज से दो सौ वर्ष पहले फ़्रान्स का विजयी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट की आज्ञा से टाइरल जर्मनों के अधिकार में चला गया। इससे टाइरलवासियों को बड़ा क्षोभ हुआ और वे तभी से स्वतन्त्र होने के उद्योग में लग गए। उन्होंने निश्चय किया कि अगर संसार में जीना है, तो स्वतन्त्र रह कर ही जियेंगे, अन्यथा मृत्यु का आलिङ्गन करेंगे। इन लोगों ने स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए गुप्त षड्यन्त्रों का आश्रय लिया।

धीरे-धीरे वे शक्तिशाली हो उठे। और विद्रोह का सामान भी इकट्ठा कर लिया। फलतः सन् १८०९ में उन्होंने खुल्लमखुल्ला युद्ध की घोषणा कर दी। वीर-श्रेष्ठ एण्ड्रियास होफ़र इनका नेता हुआ। होफ़र एक छोटी सी सराय का मालिक था। परन्तु उसकी धमनियों में स्वतन्त्रता का रक्त प्रवाहित हो रहा था। वह तेजस्वी युवक था, वीर और असाधारण रण-कुशल योद्धा था। इसके साथ ही चरित्रबल और देश-

भक्ति उसमें ख़ूब भरी हुई थी। वह अपनी प्यारी मातृभूमि को एक क्षण के लिए भी पराधीन देखना नहीं चाहता था, इसलिए स्वाधीनता-युद्ध को धर्म-युद्ध समझ कर वह बड़े उत्साह से उसमें कूद पड़ा। उसके अग्रसर होते ही सारे देश में मानो नवजीवन का सञ्चार हो गया। हज़ारों उत्साही नवयुवक उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़े।

इस उत्साह और लगन के सामने किसकी मजाल थी, जो ठहर सकता? जर्मन-सेना को मुँह की खानी पड़ी। पहली ही लड़ाई में विद्रोही देशभक्तों ने बहुत से जर्मन सैनिकों को मार गिराया और बहुत से बन्दी हुए। टाईरलवासी विजय-गर्व से प्रफुल्लित हो उठे।

इसके बाद दूसरी लड़ाई शुरू हुई। परन्तु अब की बार भी जर्मनों को नीचा देखना पड़ा। वे आरम्भ में ही भाग खड़े हुए और फिर अग्रसर होने का साहस तक नहीं किया।

कुछ दिनों के बाद तीसरी लड़ाई आरम्भ हुई। और इस बार भी जर्मनी को हारना पड़ा। परन्तु ऑस्ट्रिया का तत्कालीन सम्राट एक बुद्धू आदमी था। उसने जर्मनी के पास सन्धि का पैग़ाम भेजा और टाईरल प्रदेश सदा के लिए जर्मनों को सौंप देने के लिए राज़ी हो गया। यही नहीं, उसने एण्ड्रियाल होफ़र आदि को आत्म-समर्पण करने की आज्ञा प्रदान की। बेचारे देशभक्त हक्के-बक्के से रह गए। उनके सारे प्रयत्नों पर पानी फिर गया! बहुतों ने हताश होकर आत्म-समर्पण भी कर दिया।

परन्तु होफ़र को विधाता ने किसी और ही धातु से गढ़ा था। पराधीनता के विरुद्ध युद्ध करते रहना ही उसके जीवन का उद्देश्य था। उसने स्पष्ट कह दिया कि मैंने अपराध क्या किया है, जिसके लिए आत्म-समर्पण करूँ? मैं जान बचाने के लिए शत्रु के सामने हाथ नहीं जोड़ सकता। कह दो जर्मनों से कि अगर उन्होंने अपनी माता का दूध पिया है तो आकर पकड़ ले जायँ होफ़र को।

इसके बाद उसने पर्वत की कन्दराओं में आश्रय लिया और समय-समय पर शत्रुओं पर आक्रमण कर, उन्हें सुख की नींद सोने से वञ्चित करने लगा? जर्मनों ने उसे पकड़ने की बड़ी चेष्टा की, परन्तु वह हाथ न आया।

अन्त में एक टाइरलवासी देशद्रोही ने कुछ रुपयों के लोभ में पड़ कर वीरवर होफ़र को पकड़वा दिया। जर्मन-सेना की एक टुकड़ी ने अचानक घेर कर उसे क़ैद कर लिया। उसके ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार हुए, कायरों ने उसे अपमानित करने में भी कोई कोर-कसर न रक्खी, परन्तु वह एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुआ। ग्लानता और उदासी से उससे कोई वास्ता न था। उसने जर्मनों से स्पष्ट कह दिया कि इस शरीर की अगर बोटी-बोटी काट डालोगे तो भी होफ़र का मस्तक नहीं झुकेगा। यह वीर का मस्तक है; टूट सकता है, परन्तु झुक नहीं सकता।

अन्त में मायट्रयर के सामरिक न्यायालय में एक विचार-प्रहसन आरम्भ हुआ। वीरवर होफ़र पर क़ानून द्वारा प्रतिष्ठित शासन-तन्त्र के विरुद्ध षड्यन्त्र, युद्ध, विद्रोह और नर-हत्या आदि करने तथा कराने का अपराध लगाया गया। गम्भीर गवेषणा के बाद न्यायाधीशों ने टाइरल के वीर देशभक्त एण्ड्रियाल होफ़र को गोली मार देने की आज्ञा प्रदान की।

होफ़र को गोली मार देने का जो वर्णन इतिहासकारों ने लिखा है, वह बड़ा ही हृदयग्राही और अनुपम है। न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट समय पर होफ़र वधभूमि में लाया गया। उसके हाथों में मज़बूत हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ और होठों पर मुस्कराहट खेल रही थी। घातक उसकी आँखों पर पट्टी बाँधने गया। होफ़र ने उसे बाधा देकर कहा, हट बेवक़ूफ़, यह क्या करने आया है? क्या मैं कोई कादर हूँ, जो मृत्यु से डरूँगा? यह तो मेरी देश-सेवा का पुरस्कार है, इसे मैं खुली आँखों और खुली छाती से हँसते-हँसते स्वीकार करूँगा।

होफ़र ठीक उसी तरह मरा था। मृत्यु का आलिङ्गन उसने प्रेमिका की तरह किया था। इसी से तो वह शत्रु की गोली खाकर भी मरा नहीं, जीता है—स्वाधीनता-जगत के सुउच्च सिंहासन पर अमर बन कर बैठा है।

* * *

ग्रेजुएट

(१५वें पृष्ठ का शेषांश)

लगीं। चादर के हटाते ही निरञ्जन ने देखा, उसकी माँ मर चुकी है।

एकाएक निरञ्जन के सिर पर वज्रपात सा हो गया। वह चिल्ला कर ज़मीन पर बैठ गया। उसका सिर घूमने लगा, आँखें आँसू के बदले आग उगलने लगीं, मस्तिष्क विकृत हो गया। वह माँ की ओर देखता हुआ पागलों की तरह बड़े विनय से कहने लगा—नहीं माँ, तुम मरी नहीं हो। बहाना साधे पड़ी हो। शीघ्र रुपए नहीं भेज सका, उसके लिए इतना क्रोध न करो। माँ, तुमने मुझे भीख माँग कर पाला है, मैं भी भीख माँग कर तुम्हें खिलाऊँगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। अच्छा, अब मैं नौकरी ही करूँगा। जाकर साहब के पैरों पर अपना सिर पटक दूँगा। वह भी मनुष्य ही है। उसके भी हृदय है। वह ज़रूर मेरी ग़रीबी पर तरस खाएगा। माँ, उठो। देखो, मैं निरञ्जन हूँ, पटने से आ रहा हूँ, थक गया हूँ। अब कितना क्रोध करोगी।

निरञ्जन आवेश में आकर कमरे में घूमने लगा। उसकी आँखें लाल हो रही थीं। मुँह विकृत हो गया था। उसे देखते डर मालूम होता था। वह चिल्ला उठा—मैं संसार का नाश कर दूँगा, संसार के सारे सुखों का नाश कर दूँगा। संसार में बहुत अनाचार फैल गया है। अब इसका नाश होगा। हट जाओ, मैं रुद्र हूँ।

वह माँ की लाश के समीप आया। उसकी माता मानो सो रही थी। चेहरे पर मृत्यु के लक्षण नहीं थे। हाँ, शरीर सूख गया था, पेट पीठ से चिपक गया था। निरञ्जन ने कहा—ज़रूर मेरी माँ भूख से मर गई है !!

वह झुक गया। माँ के ललाट को चूमा, पैरों को चूमा, फिर उसकी छाती से लिपट कर रोने लगा। एकाएक वह उठा और लाश को उठा कर दौड़ता हुआ घर के बाहर हो गया।

गाँव वालों ने आश्चर्य से देखा, निरञ्जन अपनी माँ की लाश उठाए गाँव के बाहर की ओर दौड़ा जा रहा है। हल्ला हुआ। लोग पीछे-पीछे दौड़े और थक कर वापस आ गए। अब भी गाँव का एक युवक रामदीन निरञ्जन के पीछे-पीछे लगा ही जा रहा था। निरञ्जन दौड़ता हुआ कहता जाता था—इस लाश को यूनिवर्सिटी के चान्सलर के पैरों पर पटक कर पूछूँगा कि इस मृत्यु का उत्तरदायी कौन है?

इसी समय निरञ्जन को एक पत्थर से ठोकर लग गई। सँभल न सका। लाश को लिए हुए पत्थर पर गिर पड़ा। सिर फट कर दो टुकड़े हो गए। आँख, कान, नाक और मुँह से रक्त की धारा बहने लगी। उसके होठ हिले, मगर बोल न सका। छटपटा कर वहीं शान्त हो गया!

निरञ्जन के मर जाने के थोड़ी देर बाद ही रामदीन ने गाँव वालों को निरञ्जन की मृत्यु का दुखद सम्वाद सुनाया। किन्तु शायद यह कहना भूल गया था कि मरती बेर निरञ्जन की जेब में सौ रुपए के नोट थे, जो इस समय मेरी अण्टी में मुस्करा रहे हैं।

* * *

रजत-रज

[सङ्कलनकर्ता—धनञ्जय भट्ट "सरल"]

"रजनी-पति, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो?"

"दिन-पति की, जिनका अभिनन्दन करना है और जिन्हें निज स्थान देना है।"

*

कलिका प्रस्फुटित होकर पुकारती है—"हे प्रिय संसार, तुम मुरझा मत जाना।"

❀

फूल चुनने के लिए ठहरो मत, आगे बढ़े चलो, तुम्हारे मार्ग में निरन्तर पुष्प खिलते रहेंगे।

❀

परमात्मा! मुझे वह आँख दे, जो संसार के सकल पदार्थों को प्रेम की दृष्टि से देखे!

❀

जो उपकार जताने का इच्छुक है वह द्वार खटखटाता है। जिसे प्रेम है उसके लिए द्वार खुले हैं।

❀

माता! मेरे अहङ्कार को नाश कर। मैं ब्राह्मण हूँ और दूसरा चण्डाल है। मेरे इस भेद-ज्ञान को दूर कर क्योंकि वे भी तो तेरे ही प्रतिबिम्ब हैं, तुम्हारा ही तो भिन्न-भिन्न रूपों में आविर्भाव हुआ है।

❀

आज ही तुम अपने पापों का प्रायश्चित्त कर लो, क्योंकि कल तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है।

❀

देश के दीवानों के लिए मृत्यु का भय कहाँ?

❀

यदि तुम सर्वांश सत्य नहीं बोलना चाहते हो, तो तुम स्पष्टवादी सरलतापूर्वक हो सकते हो।

❀

हे सौन्दर्य, तू अपने को प्रेम के अन्दर ढूँढ़, अपने दर्पण की मिथ्या प्रशंसा में नहीं।

❀

इस संसार में एक ही शिक्षा लेने की आवश्यकता है; और वह प्रेम की शिक्षा है।

❀

यदि संसार तेरे अनुकूल हो तो घमण्ड न कर और यदि प्रतिकूल हो तो अधीर न हो।

❀

जहाँ विश्वास है, वहाँ प्रेम है। जहाँ प्रेम है, वहाँ शान्ति है। जहाँ शान्ति है, वहाँ ईश्वर है। जहाँ ईश्वर है, वहाँ कोई इच्छा नहीं।

❀

इतिहास स्मरण-शक्ति के लिए नहीं, परन्तु कल्पना और नीति के लिए है।

❀

प्रेम मनुष्य की निर्बलता भी है और हथियार भी।

*

हिन्दुस्तानी सेवा-दल के लिए एक भारी सुअवसर

एक केन्द्रीय ट्रेनिङ्ग कॉलेज की स्थापना तथा समस्त भारत से रङ्गरूट भर्ती करने की आवश्यकता पर विचार

[लेखक—'एक कॉङ्ग्रेसमैन']

अखिल भारतवर्षीय कॉङ्ग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने हिन्दुस्तानी सेवा-दल को, जोकि इधर कई वर्षों से कॉङ्ग्रेस के एक सहायक दल की भाँति कार्य कर रहा था, आधिकारिक स्वीकृति देकर बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस दल की स्थापना डॉक्टर एन० एस० हार्डिकर ने की थी। जिन्होंने इसे अपने जीवन-काल में ही, एक छोटी संस्था से उन्नत होकर अखिल भारतीय संस्था के रूप में देख लेने का अवसर प्राप्त किया है।

अब वह समय आ गया है कि कॉङ्ग्रेस के समस्त स्वयंसेवक एक केन्द्रीय अधिकार में लाए जायँ। सत्याग्रह आन्दोलन के प्रारम्भ होने से पहिले, बम्बई में कई स्वयंसेवक-दल थे और वे सभी अपने-अपने नायकों के नेतृत्व में पृथक्-पृथक्, स्वतन्त्र रूप से, अपना-अपना कार्य करते थे। होमरूल के दिनों में भी, जब कि जनता का जोश काफ़ी ज़ोर पर था, लीग (Home Rule League) का काम था कि बड़ी-बड़ी सभाओं, जुलूसों एवं प्रदर्शनों को अपनी अधीनता में रक्खे। आन्दोलन के शिथिल होने पर प्रायः बहुत से स्वयंसेवक-दल या तो अन्तर्धान ही हो गए अथवा उन्होंने एक सङ्कुचित क्षेत्र में अपने कार्य को जारी रक्खा। किन्तु निस्सन्देह वे मार्ग-दर्शक थे और उन्होंने कॉङ्ग्रेस के निमित्त सेवा-कार्य करने के लिए लोगों को ख़ूब उत्साहित किया। विगत सत्याग्रह आन्दोलन के राष्ट्रीय युद्ध में कॉङ्ग्रेस के स्वयंसेवकों ने ही सब से अधिक युद्ध का प्रहार सहन किया था और वह भी बिल्कुल अहिंसात्मक रीति से। वस्तुतः इस युद्ध में ऐसा एक भी उदाहरण न मिलेगा, जिसमें कि कॉङ्ग्रेस के किसी स्वयंसेवक ने अपने अहिंसा के सिद्धान्त को उत्तेजना दिलाने पर भी भङ्ग किया हो।

वीरोचित कार्य

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के प्रारम्भ होने के साथ ही साथ देश में कॉङ्ग्रेस स्वयंसेवकों को और भी अधिक उपयोगी कार्यों के लिए नियुक्त करना पड़ा। वे ही इस आन्दोलन के प्राण थे और उन्होंने ही जनता को अपने संयम तथा उदाहरण के द्वारा युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया था। कॉङ्ग्रेस की पुकार सुनते ही सर्वत्र स्वयंसेवक उछल कर आगे की ओर बढ़े और देश के लिए अपने हिस्से से अधिक कार्य कर दिखलाया। उनमें से अधिकांश ऐसे थे, जिन्हें संयम तथा क़वायद इत्यादि की कोई शिक्षा पहिले कभी नहीं मिली थी, किन्तु वे अवसर उपस्थित होने पर वीरों की भाँति उठ खड़े हुए और देश ने उनसे जितनी आशा की थी, उससे कहीं अधिक उन्होंने करके दिखा दिया। विदेशी वस्त्रों की दूकानों पर धरना देने तथा अन्य विविध भाँति से कॉङ्ग्रेस की सेवा करने में स्वयंसेवक-दल की तरह, कहीं भी, किसी दूसरे दल ने वीरता का प्रदर्शन नहीं किया। अपने कार्य-विशेष के लिए उन्होंने जिन नियमों का अवलम्बन किया था, वे एक साधारण स्वयंसेवक-दल के नियमों से बिल्कुल विभिन्न थे। प्रायः अधिकांश स्वयंसेवक सफलतापूर्वक अपने मार्ग पर डटे रहे। कुछ स्वयंसेवकों ने तो अपने प्राणों की आहुति भी दे डाली। लाठी के घाव सहना, शरीर के अङ्गों का भङ्ग होना तथा अपमानित होना, ये सब तो उनके लिए साधारण बातें थीं।

बाबू गेनू जी का उदाहरण बम्बई के नागरिकों के मानस-पटल पर अभी तक अङ्कित है। वे कॉङ्ग्रेस के एक विनयशील कार्यकर्त्ता थे और बिना अधिक शिक्षा पाए ही जनता के बीच से सत्याग्रह-संग्राम में कूद पड़े थे। किन्तु जब आवश्यकता आ पड़ी, तब उन्होंने अपने प्राणों को उत्सर्ग करने में तनिक भी हिचकिचाहट न की। यह कोई एक अकेला उदाहरण नहीं है। बम्बई में महात्मा गाँधी जी द्वारा बतलाए हुए आदर्श से उत्साहित होकर बहुत से लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक सविनय अवज्ञा आन्दोलन में अपूर्णनीय शारीरिक क्षति सहन की है। गाँधी जी ने बता रक्खा था कि देश की स्वतन्त्रता के लिए क्लेश सहना आवश्यक है और इसी कारण लोगों ने सब कुछ सहन किया।

स्वागत योग्य निर्णय

देहली के समझौते पर हस्ताक्षर होने के साथ इनमें से अधिकांश वीर स्वयंसेवक अपने-अपने व्यक्तिगत जीवन में संलग्न हो गए। कार्यकारिणी-समिति का प्रस्ताव हिन्दुस्तानी सेवा-दल को सीधे अपने अधिकार में लाने की चेष्टा करता है। सेवा-दल कार्यकारिणी समिति के अतिरिक्त और किसी के सामने उत्तरदायी न रहेगा। यह निर्णय उचित समय पर किया गया है, क्योंकि कॉङ्ग्रेस जैसी संस्था को, जिसका प्रभाव देश भर में फैला हुआ है, उचित है कि अपने अधिकार में ऐसे व्यक्तियों का एक दल सङ्गठित कर रक्खे, जिन्हें शिक्षा मिली हो और जो प्रत्येक परिस्थिति में रह कर, कष्ट सहन कर, अपने कर्त्तव्य को पूरा करने में अभ्यस्त हों। कार्यकारिणी समिति के पास, जिसका यह कर्तव्य है कि कॉङ्ग्रेस की आज्ञा को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करे, चुने हुए ऐसे व्यक्तियों का एक दल उपस्थित रहना चाहिए, जोकि आवश्यकता पड़ने पर कॉङ्ग्रेस की आज्ञा का पालन करने के लिए देश के किसी भी भाग में भेजे जा सकें। कॉङ्ग्रेस राष्ट्र की इच्छा को कार्यरूप में परिणत करने के लिए एक यन्त्र है और देश में सब से बड़ी तथा सब से अधिक शक्तिशालिनी राजनैतिक संस्था है। कॉङ्ग्रेस भारत के बड़े-बड़े विद्वानों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसके अधिकार में शिक्षा-प्राप्त स्वयंसेवकों का एक दल अवश्य रहना चाहिए। यह दल भावी राष्ट्रीय सेना का प्राथमिक स्वरूप होगा और जब भारत स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेगा, तब ये संयमी शिक्षित लोग विस्तृत क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य करेंगे।

उद्देश्य और क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता

यदि कार्यकारिणी समिति सेवा-दल को और भी अधिक लोकप्रिय बनाना चाहती है, तो उसे आवश्यक है कि उसके उद्देश्य-क्षेत्र को और अधिक विस्तार प्रदान करे। यदि सेवादल-ऑफ़िसर को शिक्षा देने का कार्य अपने हाथ में ले, तो उसे चाहिए कि भारत के प्रत्येक भाग से वर्णगत अथवा जाति का भेद किए बिना लोगों को अपने दल में सम्मिलित करे। वस्तुतः राष्ट्रीय संस्था बनने के लिए यह उचित है कि सेवा-दल भौगोलिक बन्धनों से अपने को न जकड़े, वरन् वह राष्ट्र-व्यापी सङ्गठन हो और इसके ऑफ़िसर भारत के प्रत्येक प्रान्त से लिए जायँ। प्रस्ताव स्पष्टतया कहता है कि—"कर्नाटक या ऐसे अन्य स्थानों में, जो समय-समय पर निश्चित किए जायँगे, यह (सेवा-दल) रङ्गरूटों को भर्ती करेगा और उन्हें ट्रेनिङ्ग देगा।" और यदि हम सचमुच पुरुषों की एक राष्ट्रीय संस्था का सङ्गठन करना चाहते हैं, तो ऑफ़िसरों को ट्रेण्ड करने का स्कूल केन्द्र में स्थित होना चाहिए, जहाँ पर कि देश की सेवा के लिए एक निर्धारित योग्यता के 'रङ्गरूट' पूर्ण रूप से शिक्षित बनाए जायँ, सब जातियों के लोग उसमें सम्मिलित किए जायँ और उनके प्रवेश में किसी प्रकार की बाधा न हो, सिवाय इसके कि वे देश एवं कॉङ्ग्रेस के भक्त अवश्य हों। यदि कॉङ्ग्रेस राष्ट्रीय संस्था है, तो सेवा-दल को भी अपने दृष्टिकोण, रचना एवं सङ्गठन में राष्ट्रीय होना चाहिए !

शारीरिक शिक्षा

उक्त दल देश के लिए राष्ट्रीय सेना की आवश्यकता की अपील जनता से करे। राष्ट्रीय सेना के सैनिक निःशस्त्र, अहिंसात्मक बुद्धि वाले हों, किन्तु समस्त भारत में देश-सेवा करने के लिए अपना सब कुछ निछावर करके भी तैयार रहें। यद्यपि निस्सन्देह यह आवश्यक है कि इस कार्य के लिए हमारे पास ट्रेण्ड (शिक्षित) अफ़सरों का एक दल हो, किन्तु सेवा-दल अपनी सारी शक्ति को उसी ओर न लगावे। यदि यह अपनी संस्था का उपयोग जनता की शारीरिक गठन की उन्नति के लिए कर सके, तो भारत के लिए यह बहुत बड़ा कार्य होगा। इस समय यद्यपि बहुत से नगरों में अखाड़े बने हुए हैं, किन्तु इस कार्य के लिए कोई सङ्गठित उद्योग नहीं किया जा रहा है। किन्तु जब तक हम भारत की शारीरिक अवस्था को उन्नत बनाने का सङ्गठित उद्योग नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी जन-संख्या को स्थायी रूप से पङ्गु बनाए रहेंगे। कई कारणों से, जिन पर जनता का कुछ वश नहीं है, हमारी शारीरिक अवस्था अत्यन्त हीन दशा को प्राप्त हो गई है। जलवायु के कारणों से तथा जनता की दरिद्रता की वजह से भारतीयों का शारीरिक गठन बहुत शिथिल है। इसलिए सेवा-दल को चाहिए कि इस सम्बन्ध में, इसकी उन्नति के लिए दिल लगा कर प्रयत्न करे। व्यायाम-शालाएँ खोल कर वह जनता को अधिक लाभ पहुँचा सकता है। जब तक हमारे देशवासी शारीरिक दृष्टि से सबल न बनेंगे और ख़ूब सङ्गठित, और संयमित न हो जायँगे, तब तक यह हम लोगों के लिए सर्वथा सम्भव न होगा कि अपने देश को लाभ पहुँचा सकें, अथवा राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए मनुष्यों का एक भारी दल तैयार करें। आक्रमण से अपनी रक्षा करने के लिए भारतवर्ष को विदेशी सैनिकों पर निर्भर न रहना चाहिए। भारत अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। भारतीय सैनिक इतने अधिक वीर होते हैं, जितने कि और कोई हो सकते हैं और संसार के युद्ध-कला-प्रवीण पुरुषों में से कई भारतीय भी हैं।

एक विद्यालय की आवश्यकता

हिन्दुस्तानी सेवा-दल का यह उद्देश्य होना चाहिए कि उन सब जातियों में से रङ्गरूटों को भर्ती करे, जो कि देश की सहायता करने को तैयार हैं। राष्ट्रीय सेवा के लिए मनुष्यों के एक दल का सङ्गठन करे। अभी भर्ती

(शेष मैटर २०वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

कविता-कुञ्ज

विनयाकांक्षा

[श्री० "मुकुल"]

माटी का नन्हा-सा दीपक
जभी बनाते स्नेहागार !
कर प्रदीप्त अनुराग-वार्ता,
दूर हटाते तम का भार।
उनके मन-मन्दिर में स्वामी,
थोड़ा स्नेह-भाव भर दो !
हो जावे धुँधला प्रकाश हो,
लख पावें वे अनुचर को।

मधुकण

[श्री० सोहनलाल जी द्विवेदी, बी० ए०]

इतनी ममता और मोह
बरसाती तेरी आँखें,
भीग गई हैं मधु से मेरे
मन-मधुकर की पाँखें।

× × ×

तूने हेरा, चमक उठी—
बिजली, मैंने दृग फेरा,
हृदय-देश में मधुर वेदना
ने आ डाला डेरा।

हिन्दुस्तानी सेवा-दल के लिए एक भारी सुअवसर

(१९वें पृष्ठ का शेषांश)

का कार्य केवल कर्नाटक प्रान्त में ही सीमाबद्ध है। किन्तु भर्ती करने वालों को बाहर भी दूर-दूर तक जाकर सुयोग्य लोगों को भर्ती करना चाहिए। आजकल जब कॉङ्ग्रेस की सेवा के लिए लोग केन्द्र-स्थान से बाहर भेजे जाते हैं, तो उन्हें केवल थोड़ा सा भोजन-व्यय दिया जाता है। वस्तुतः ऐसे लोगों का मिलना कठिन है, जो कि इस परिस्थिति में हों कि सेवा-दल के कार्य के लिए ही अपना समय लगा दें। किन्तु निस्सन्देह कॉङ्ग्रेस, जिसने कि एक बार चन्दे द्वारा लाखों रुपए एकत्रित कर लिए थे, अब भी वैसा कर सकती है और किसी केन्द्रीय स्थान में एक विद्यालय की आयोजना कर सकती है। कॉङ्ग्रेस को चाहिए कि देश भर में मनुष्य तथा द्रव्य के लिए जनता से अपील करे, जिससे कि देश की सेवा के लिए एक सङ्गठित दल तैयार हो जाय, जोकि आवश्यकता पड़ने पर अपने जीवन का भी बलिदान कर सके। यदि अपील की जायगी, तो धन तथा जन दोनों मिलेंगे। यदि देश को भविष्य में होने वाले युद्धों के लिए अपने को तैयार रखना है, चाहे वे युद्ध अहिंसात्मक ही हों, तो उसे इस कार्य के लिए तैयार होना पड़ेगा। इस कार्य को करने का समय आ गया है, किन्तु इस कार्य में हमें जातीयता एवं प्रान्तीयता का पक्षपाती न बनना चाहिए।

* * *

उद्बोधन

[कविवर श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव]

भारत धरना धीर !
थे पूर्वज सब धीर तुम्हारे,
थे पूर्वज सब वीर तुम्हारे,
तुम भी बनना वीर !
आने दो विपत्ति पग-पग पर,
पैर न धरना पीछे मग पर,
होना नहीं अधीर !
बन्धन के कच्चे धागे हैं,
फूल बहुत सुन्दर आगे हैं,
पथ में कण्टक-भीर !
जिसकी तुमको चाह बड़ी है,
लिए वही जयमाल खड़ी है,
सह लो कुछ दिन पीर !
इस प्रकार इस समय चलो तुम,
जिससे पीछे कर न मलो तुम,
पड़े लक्ष्य पर तीर !
तुम सब मन-वाञ्छित पाओगे,
शीघ्र स्वतन्त्र कहे जाओगे,
बन जाओ बस वीर !
तृण का बना हुआ पञ्जर है,
तुमको चोंच चलाना भर है,
उड़ जाओगे कीर !

अन्तर्नाद

[श्री० उत्तमचन्द श्रीवास्तव]

चलो सखे उस निविड़ प्रान्त में,
जहाँ नहीं माया का लेश !
जहाँ नहीं उपहास प्रेम का,
जहाँ नहीं दुख का अवशेष !!
जहाँ प्रकृति की अनुपम शोभा,
करती नवजीवन सञ्चार !
जहाँ सभी निर्द्वन्द्व विचरते,
बहती पावन मधुर बयार !!
जहाँ शान्ति की मधुर कल्पना,
भर देती मृतकों में प्राण !
उसी सौख्यमय नीरव-जग में,
छेड़ें चल कर अपनी तान !!

आकांक्षा

[श्री० शशाङ्क]

बिखर उठेगी इस उपवन में,उनके मुख की लाली।
होकर मुदित तुरन्त उठूँगी,सजा हृदय की थाली॥
हँस कर गले डाल मैं दूँगी, माला एक निराली।
नाच उठूँगी बन उन्मादिनि,पागल औ' मतवाली॥
झटपट दौड़ हृदय से उनको,मुखड़ा चूम लगाऊँगी।
हृदय-कुञ्ज में श्याम सलोने को,जब हँसता पाऊँगी॥

सत्याग्रह-गान

[श्री० चतुर्भुज जी माहेश्वरी 'चतुर']

सत्याग्रह है शस्त्र हमारा।
सब शस्त्रों से है यह न्यारा॥
जीवन-ज्योति जगाने वाला,
प्रेम-आग सुलगाने वाला,
रिपु-दल को दहलाने वाला,
तीस-कोटि हृदयों का प्यारा।
सत्याग्रह है शस्त्र हमारा॥ १॥
इसी शस्त्र को लेकर निर्भय,
विजयी होंगे हम यह निश्चय,
विश्व कहेगा भारत की जय,
फिर चमकेगा हिन्द-सितारा।
सत्याग्रह है शस्त्र हमारा॥ २॥
जिनमें है पानी वे आवें,
भारत के हित प्राण गँवावें,
भारत को आज़ाद बनावें—
देकर अपना तन-मन सारा।
सत्याग्रह है शस्त्र हमारा॥ ३॥

काल-चक्र

[श्री० हरिवल्लभ पाण्डेय 'वल्लभ']

जो थे खिले कल पुष्प जिनमें थी अपूर्व भरी छटा।
जिनकी अपूर्व सुगन्धि से था यूथ भ्रमरों का डटा॥
वे आज अपनी वह अनोखी छवि न हैं दिखला रहे।
है काल सब को मारता यह बात हैं सिखला रहे॥
जो चन्द्र कल पा पूर्णिमा की रात्रि को था हँस रहा।
कर के सुधा की वृष्टि जो सब को सुखी था कर रहा॥
उसका पता नभ में कहीं भी आज है लगता नहीं।
है काल के हा ! गाल से कोई नहीं बचता कहीं॥
धन-धान्य से जो पूर्ण हैं दुख को नहीं जो जानते।
जिनको सभी सुख प्राप्त हैं सब कुछ हमीं जो मानते॥
वे किस दशा को प्राप्त होंगे कल न कोई जानता।
पर काल के हा ! गाल में वे भी पड़ेंगे मानता॥
जो थे पड़े अज्ञान में जिनको न कुछ भी ज्ञान था।
जो नर रहे पर हा! जिन्हें नर हैं न इसका ध्यान था।
वे आज हैं क्या कर रहे सारा जगत यह जानता।
पर काल के हा ! गाल में वे भी पड़ेंगे मानता॥
सारे जगत का पथ-प्रदर्शक हिन्द था सब जानते।
पशु से किया नर दूसरों को हैं सभी यह मानते॥
पर क्या हुई उसकी दशा पड़ काल के हा ! गाल में।
है आज वह सब विधि फँसा परतन्त्रता के जाल में॥
हे हिन्द के वीरो ! उठो "वल्लभ" यही कहता सुनो।
चुपचाप क्या हा ! बैठ जाना शोभता तुमको गुनो।
कारज करो हे भाइयो ! मत मौन होकर अब रहो।
चुप बैठ कर उन्नति किया है कब कहाँ किसने कहो!!

* * *

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



[illegible]



[illegible]



[illegible]



मारवाड़ का टोकरी बनाने वाला (गाँछा) सपरिवार



जोधपुर (राजपूताना) की बाक्सघर फ़ौज का एक दृश्य

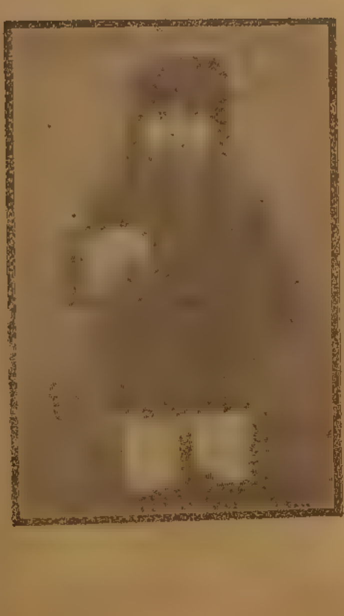
मानवोद्यान के कुछ विकसित पुष्प















'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



श्री० अलखनारायण वर्मा—आप नवादा (गया) के प्रमुख राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता हैं और दो बार जेल हो आए हैं। आपका परिवार अब तक राजभक्ति के। लिए विख्यात था। आपके पितामह रायसाहब एवं ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट थे।



दिल्लीके एक सुप्रसिद्ध व्यापारी तथा एक स्वदेशी गाडोदिया स्टोर के सञ्चालक, विधवा-विवाह के प्रचारक और समाज-सुधार के लिए सदा प्रयत्न करने वाले—श्रीयुत एल्० एन० गाडोदिया



श्री० ओश्मप्रकाश तिवारी—आप आगरा के उत्साही कार्यकर्त्ता हैं। विदेशी वस्तु बहिष्कार के सम्बन्ध में आपने ख़ूब काम किया है, और जेल भी हो आए हैं।



रेड-क्रॉस के नर्स का पार्ट करते हुए, अमेरिका की सुप्रसिद्ध सिनेमा-अभिनेत्री—कुमारी मेरी बार्ड—जिनके सम्मानार्थ अमेरिकन गवर्नमेण्ट ने २ करोड़ डाक के टिकटों पर आपका यही चित्र छाप कर आपको अलौकिक प्रोत्साहन प्रदान किया है।



श्री० बालकृष्ण जी मोहता (सपरिवार)

कलकत्ते के सर्व-प्रथम मारवाड़ी वीर, जिन्होंने पर्दा-प्रथा को तोड़ा और अब भी उसी प्रयत्न में लगे हैं। आप अपनी धर्म-पत्नी सहित जिस मनोयोग से सामाजिक सुधार का कार्य कर रहे हैं, वह सर्वथा स्तुत्य है।

यदि अवसर दिया जाय तो स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकतीं ?



बिहार प्रान्त की सुप्रसिद्ध रमणी-रत्न—श्रीमती नैनादेवी, बी० ए०—जिन्हें बिहार-सरकार ने छात्रवृत्ति देकर विशेष अध्ययन के लिए विलायत भेजा था।



प्रयाग के वर्तमान कमिश्नर, श्री० वी० एन० मेहता; आई० सी० एस० की धर्मपत्नी—श्रीमती ईरावती मेहता—आप अपनी आदर्श सामाजिक सेवाओं के उपलक्ष में 'क़ैसरे-हिन्द' का सम्माननीय पदक भी प्राप्त कर चुकी हैं।



ट्रावङ्कोर की छोटी राजकुमारी की शिक्षिका—कुमारी डी० एच० वट्स, बी० ए०

रेड्डी समाज की सर्व-प्रथम महिला सदस्या—श्रीमती के० रामसुब्बामा—जो कडापा (मद्रास) म्युनिसिपल कौन्सिल की प्रतिनिधि चुनी गई हैं।





भड़ौच ज़िला स्कूल-बोर्ड की गुजराती सदस्या—श्रीमती माणिक गौरी छोटेलाल गाँधी।



कृष्णा (मद्रास) के ज़िला शिक्षा-समिति की सदस्या—श्रीमती ए० जी० सरस्वती नागभूषणम्।

जोधपुर की लेडी डॉक्टर—कुमारी पार्वती देवी गहलोत, एल० एस० एम० एफ़०—समस्त राजपूताने में इस योग्यता को प्राप्त करने वाली आप सर्व-प्रथम महिला-रत्न हैं।





तुम्हारी .खुशख़रामी सैकड़ों फ़ितने उठाती है, क़यामत कह दिया मैंने तो इसमें क्या क़यामत की ?
क़यामत हो गई दुनिया, क़यामत बन गई दुनिया, मुझे दुनिया में रह कर याद जब आई क़यामत की !

हक़ीक़त

निगाहों ने उठा दीं जब नक़ाबें[1] हुस्ने फ़ितरत[2] की,
चमक उट्ठीं शुआएँ[3] हर तरफ़ मेरी हक़ीक़त की।
—"हाफ़िज़" ग़ाज़ीपुरी

अगर उश्शाक़[4] चाहें आपको बुत से .खुदा कर दें,
कि है इश्क़े मजाज़ी आख़िरी सीढ़ी हक़ीक़त की।
—"तोबा" सय्यदसरावानी

यह हस्ती[5] .खुद कमाले नेस्ती का एक नमूना है,
मजाज़ अपना भी गोया एक सूरत है हक़ीक़त की।
—"हादी" मछलीशहरी

अँधेरी रात के रोशन सितारे ख़िज़्रे.[6] मंज़िल हैं,
हक़ीक़त में इन्हीं से,राह मिलती है हक़ीक़त की।
—"बिस्मिल" इलाहाबादी

उलफ़त

बदलवाने को करवट दर्द दिल तक जब नहीं उठता,
ख़बर ले कौन उठ कर रात भर बीमारे उलफ़त की।
—"नज़ीर" इलाहाबादी

कहो ऐ हज़रते दिल क्या तुम्हारी राय होती है,
मुझे सब लोग देते हैं सलाहें तर्क[7] उलफ़त की।
वह उनका देखना मेरी तरफ़ फिर मुस्कुरा देना,
अजब पुरलुत्फ़ थीं कैफ़ीयतें आग़ाज़े[8] उलफ़त की।
—"तोबा" सय्यदसरावानी

वह दुनिया ही नहीं है एक मजबूरे मुहब्बत की,
दुआएँ क्यों न दे ख़ाकिस्तरे[9] दिल सोज़े[10] उलफ़त की।
—"हादी" मछलीशहरी

क़फ़स[11] में रहके भी भूले न अपना आशियाँ[12] अब तक,
चमन वालो,इसीसे होगई तसदीक़[13] उलफ़त की।
—"बिस्मिल" इलाहाबादी

क़ुदरत

मुहब्बत ज़िन्दगी है इसको बीमारी कहा किसने,
इसीके दम से सारी गर्मियाँ[14] हैं बज़्मे[15] .कुदरत की।
—"असग़र" गोंडवी

.खुदाई और भी क्या-क्या सितम ढाती .खुदा जाने,
अगर होतीं न इतनी बन्दिशें क़ानूने .कुदरत की।
—"नूह" नारवी

ज़मीं के ज़र्रे-ज़र्रे में, चमन के पत्ते-पत्ते में,
नज़र आती है अरबाबे[16] नज़र को शान .कुदरत की।
—"बिस्मिल" इलाहाबादी

१—परदा, २—ईश्वरी ज्योति, ३—किरण, ४—प्रेमियों, ५—उत्पात, ६—पैग़म्बर का नाम है, जो भूले-भटकों को रास्ता बताते हैं, ७—प्रेम को छोड़ना, ८—आदि, ९—राख, १०—प्रेम की आग, ११—पिंजड़ा, १२—घोंसला, १३—पहिचान, १४—चहल पहल, १५—संसार, १६—नज़र वाले।

क़यामत

तुम्हारी .खुश[17] .ख़रामी सैकड़ों फ़ितने उठाती है,
क़यामत कह दिया इसको,तो मैंने क्या क़यामत की।
जो दर तक भी न आया था कभी ऐ दावरे महशर[18]
क़यामत में बुला कर उसको तूने क्या क़यामत की।
—"नूह" नारवी

उठा रक्खा है उसने अपने जलवे को क़यामत पर,
क़यामत है वह जलवा उसको क्या हाजत
क़यामत की।
यह बन कर बर्क़े[19] बाराँ देखिए क्या-क्या ग़ज़ब ढाए
.खुमे[20] गरदूँ[21] से मौज़े[22] मै उठी है किस क़यामत की।
नक़ाबे रुख़ उलटकर आज क्यों गर्मे-तबस्सुम[23] हो,
शुआएँ मुझ पे क्यों पड़ती हैं .खुरशीदे[24] क़यामत की।
तबीयत .खुदबख़ुद आमादए वहशत है ऐ'असग़र'
हवाए फ़स्ले-गुल[25] ने और भी उस पर क़यामत की!
—"असग़र" गोंडवी

मैं उस रङ्गे अदा को ढूँढ़ता फिरता हूँ महशर में,
तड़प भर दी थी जिसने क़ल्बे मुज़्तर[26] में—
क़यामत की।
—"कैफ़ी" चिड़ियाकोठी

निकल आ चाँद के परदे में छिप कर बैठने वाले,
कि तेरे देखने वालों की नज़रें हैं क़यामत की।
—"तोबा" सय्यदसरावानी

यह दो जुमलों में है रूदादे[27] ग़म बीमारे फ़ुर्क़त की,
कि जो दिन है मुसीबत का,जो शब है वह क़यामत की!
वह कहते हैं कि हम तुझसे क़यामत तक न बोलेंगे,
मुआज़[28] अल्लाह!रंजिश और वह भी इस क़यामत की!
—"रेयाज़" ग्वालियरी

बिलाख़िर आप ही जाँ देके तकमीले[29] मुहब्बत को,
सहर[30] तक राह देखी मैंने आसारे क़यामत की!
—"अन्जुम" अकबराबादी

बसर होती है इस सूरत से बीमारे मुहब्बत की,
अगर दिन हैं मुसीबत के तो रातें हैं क़यामत की!
—"अज़ीज़" सलोनवी

सफ़ेदी आ गई बालों में कब तक नींद गफ़लत की,
मुसाफ़िर सर पे तेरे सुबह आ पहुँची क़यामत की!
—"नज़ीर" इलाहाबादी

१७—अदा के साथ चलना, १८—परमात्मा, १९—बरसने वाली बिजली, २०—मटका, २१—आकाश, २२—शराब, २३—हँसना, २४—आफ़ताब, २५—बहार, २६—बेचैन बदन, २७—दुख का हाल, २८—हे ईश्वर, २९—ख़त्म हो जाना, ३०—सुबह।

न कर शिकवा जफ़ाओं का दिले नाफ़हम[31] दुनिया में,
क़यामत ही में होनी चाहिए बातें क़यामत की।
—"शातिर" इलाहाबादी

.खुदा के सामने दिल ने अगर कोई शिकायत की,
क़यामत में करेंगे हमसे वह बातें क़यामत की।
बुरा हो इस मुहब्बत का यह पहले मैं न समझा था,
शबे ग़म दूसरी तस्वीर है गोया क़यामत की।
—"ज़ाहिद" इलाहाबादी

वह कहते हैं .खुदा से मेरा शिकवा क्यों नहीं करते,
क़यामत में भी उनको दिल्लगी सूझी क़यामत की।
—"शाकिर" बरेलवी

जिसे रूदादे ग़म कहते हैं अरबाबे मुहब्बत की,
वही तो दूसरे लफ़्ज़ों में सूरत है क़यामत की।

मुसीबत और फिर मेरी मुसीबत शामे[32] .फ़ुर्क़त की,
यह है वह शाम जिसमें है झलक सुबहे क़यामत की।

.खुदा से दाद.ख़्वाहों[33] ने अगर मिल कर शिकायत की,
क़यामत में बदल जाएगी दुनिया ही क़यामत की।
किसी को दे के दिल मैं चैन से बैठूँ तो क्या बैठूँ,
नज़र में हर घड़ी तस्वीर फिरती है क़यामत की।
क़यामत हो गई दुनिया,क़यामत बन गई दुनिया,
मुझे दुनिया में रहकर याद जब आई क़यामत की।
क़यामत में कहेगी दास्ताने दर्दे दिल दुनिया,
अगर यह सच है तो क्या होगी वह दुनिया क़यामत की।

अज़ल[34] है नाम जिसका मज़हरे[35] आग़ाज़[36] दुनिया है,
अबद[37] कहते हैं जिसको ख़ास सूरत है क़यामत की।
नहीं मालूम अहले-हश्र[38] का अब हश्र क्या होगा,
क़यामत में भी तुम चलने लगे चालें क़यामत की!
नज़र में रह के भी अब तक न तू मुझको नज़र आया,
अरे ऐ छिपने वाले, यह अदा है किस क़यामत की!
इधर उश्शाक़ का मजमा उधर जमघट हसीनों का,
क़यामत पर भी आई हैं बलाएँ किस क़यामत की।
नज़र आता है आलम हुस्न का एक-एक ज़र्रे में,
.खुदा ने बिजलियाँ मिट्टी में भर दीं किस
क़यामत की।

यहाँ तो रहते-रहते एक मुद्दत हो गई हमको,
चलें दुनिया से चल कर सैर अब देखें क़यामत की।
क़यामत तक पढ़ेगी,दिल से ज़ौक़ो शौक़ की दुनिया,
ग़ज़ल दुनिया में लिक्खी तुमने ऐ "बिस्मिल"
क़यामत की,
—"बिस्मिल" इलाहाबादी

३१—नासमझ, ३२—विरह की शाम, ३३—इन्साफ़ चाहने वाले, ३४—आदि, ३५—ज्योति, ३६—आदि, ३७—अंत, ३८—क़यामत वाले।

‘धर्म और भगवान मृत्यु-शय्या पर’

[श्री० कुमार सुरेशसिंह जी, कालाकाँकर]

कई महीने हुए ‘भविष्य’ में ‘धर्म और भगवान मृत्यु-शय्या पर’ शीर्षक एक लेख निकला था, उसके सुयोग्य लेखक ने ईश्वर के प्रति रूस वालों के विचारों का विश्लेषण करते हुए, यह निष्कर्ष निकाला था कि भारत में भी शीघ्र ही वह समय आने वाला है, जब कि विज्ञान के प्रकाश में और शिक्षा के प्रभात में ईश्वर को इन्हीं विचारों का शिकार होना पड़ेगा। सर्व शक्तिमान का प्रत्यक्ष विरोध इससे पूर्व भाई श्री० जङ्गबहादुरसिंह ने ‘सुधा’ में “धिक् धर्म धिक् भगवान्” शीर्षक लेख लिख कर किया था। तत्पश्चात् ईश्वर की अनावश्यकता तथा धर्म के कारण संसार में फैले हुए अनाचारों पर प्रकाश डालने का यही अवसर था।

इसी लेख के खण्डन में प्रिन्सिपल श्री० वासुदेवकृष्ण ताटके, एम० ए० महोदय का एक लम्बा लेख “माधुरी” की गत वैशाख (मई) की संख्या में प्रकाशित हुआ है, जिसमें आपने भगवान के नष्टप्राय साम्राज्य की रक्षा का ठीका अपने ऊपर लेकर, अपने धाराप्रवाह लेख में लचर दलीलों के साथ-साथ उक्त लेखक पर व्यक्तिगत आक्षेप भी करना आरम्भ कर दिया है। भाषा के तिलस्म में लेखक महोदय ने कुछ लिखने की कोशिश की है, पर आत्म-विक्षोभ और द्वेषयुक्त प्रत्युत्तर के भाव से पूर्ण होने के कारण उसमें नीरसता की ही भरमार हो गई है और वास्तविक समालोचना की कहीं छाया भी नहीं है। लेखक महोदय ने ईश्वर के ख़िलाफ़ लेख देखा और क्षुब्ध हो उठे। इसलिए कुछ उत्तर देना उनके लिए लाज़िमी सा हो गया। तर्कपूर्ण उत्तर हो या नहीं, उन्हें तो विश्वास था कि अभी भारत में ईश्वर के विरोधियों की संख्या न्यून ही है, अतः वे जो कुछ भी ऊल-जुलूल लिख डालेंगे, ईश्वर के हिमायती उसे आदर की दृष्टि से देखेंगे। इसी विचार से प्रेरित होकर आपने ईश्वरवाद के छिद्रों के रफ़ू करने का भार अपने ऊपर लिया है।

प्रायः ऐसे समालोचक जब यह देखते हैं कि तर्कपूर्ण उत्तर देना सम्भव नहीं है, तो वे अपनी इस कमज़ोरी को छिपाने के लिए लच्छेदार भाषा का आश्रय लेते हैं। और भाषा के रङ्गीन जाल में बेसिर-पैर की बातें लिख कर अपने भावों की ही हत्या कर डालते हैं। परन्तु हमको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ हम इसलिए नहीं बैठे हैं कि उनकी शैली का रसास्वादन करें, हम यह विचार नहीं करना चाहते कि उनकी भाषा कितनी परिमार्जित और सलीस है ; वरन् हम तो यह देखना चाहते हैं कि उन्होंने जिस लेख का खण्डन किया है, वास्तव में उसका उन्होंने तर्कपूर्ण उत्तर दिया है अथवा अपनी भाषा का चमत्कार दिखाने के लिए कोरे काग़ज़ रँगे हैं। यदि उनके लेखों में तर्क का अभाव है, तो ऐसे लेखों द्वारा पत्रिका का कलेवर बढ़ाने की अपेक्षा उन्हें सादर लौटा देना ही अधिक उपयुक्त होता।

श्री० ताटके जी कहीं तो ईश्वर को पहले ही से मान कर उसके लाभों की सूची गिनाने लगते हैं, कहीं धर्म पर विश्वास न करने वाले को पशु कहने लगते हैं और कहीं नेताओं की प्रशंसा करते-करते कहते हैं कि, जहाँ ऐसे नेता हैं वहाँ यदि कोई धर्म नहीं मानता तो वह उल्लू है। अतः श्री० ताटके जी की ऐसी दलीलों में यद्यपि कोई तथ्य नहीं है, तथापि हमें उन पर एक सरसरी नज़र तो डालनी ही होगी। श्री० ताटके जी कहते हैं:—

“......जिस देश में वह (मनुष्य) रहता है, उसकी प्रकृति वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति तथा वायु-मण्डल पर निर्भर रहती है, अतः यह एक सिद्धान्त है कि जिस प्रकार मनुष्य की, उसी प्रकार किसी राष्ट्र की प्राकृतिक मनस्थिति उसके भौतिक वायु-मण्डल से ही निश्चित होती है।”

इसका निष्कर्ष श्री० ताटके महोदय यह निकालते हैं कि रूस से भगवान भले ही भाग गए हों, पर भारत से, इस ऋषियों की भूमि से वे कदापि नहीं हट सकते। पर श्री० ताटके जी यह नहीं ख़्याल करते कि जलवायु और भौगोलिक तथा प्राकृतिक आदि बाह्य परिस्थितियों (External Conditions) का असर ऐसा नहीं हो सकता कि रूस वालों को मीठी वस्तु से कड़ुआ ज़ायक़ा मिलने लगे। बाह्य परिस्थिति का असर केवल इस प्रकार का हो सकता है कि गर्म देश वाले सूती कपड़े पहनेंगे और ठण्डे देश वाले ऊनी। गर्म देश वाले अपने घरों में बिजली के पङ्खे लगाएँगे और ठण्डे देश वाले बिजली की अँगीठी। समुद्र-तट के निवासी जल-सेना सङ्गठित करेंगे और देश के अन्दर रहने वाले स्थल-सेना। कहीं, एक देश में, परिस्थिति के अनुसार, लोग मैशीनें बनाएँगे और कहीं कृषि करेंगे, पर सभी मनुष्य खाना खाएँगे, सभी सोएँगे, सभी कष्ट का अनुभव करेंगे, और सुख से सुख का। बुद्धिमानी की बात को सभी बुद्धिमानी की बात कहेंगे, और ऊटपटाँग की बात को ऊटपटाँग।

भौगोलिक स्थिति, भेदादि द्वारा यह सम्भव नहीं कि एक स्थान के वैज्ञानिक अन्वेषण में एक प्रकार का और दूसरे स्थान के उसी अन्वेषण में दूसरे प्रकार का भेद हो। स्यात् श्री० ताटके महोदय कल को कहने लगें कि भारत में दो और दो पाँच होने चाहिए, क्योंकि रूस में दो और दो चार होते हैं। मुझे भय है कि कहीं श्री० ताटके महाशय यह न कह बैठें कि भारतवासियों को गेहूँ त्याग देना चाहिए, क्योंकि रूस वाले भी इसे खाते हैं। श्री० ताटके महोदय को यह ख़्याल रखना चाहिए कि विज्ञान के क्षेत्र में धार्मिक लोक-कथा तथा उसके द्वारा उत्पन्न हुई भिन्नता की गुञ्जायश नहीं है।

आगे चल कर श्री० ताटके जी लिखते हैं—“परन्तु भारतीय होने के कारण मैं इतना तो अवश्य कह सकता हूँ कि यहाँ का अपढ़ से अपढ़ तथा नीच से नीच श्रेणी का भारतीय भी धर्म-वेदान्त के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों के बराबर ज्ञान रख सकता है।” इस विषय में तर्क करना बेकार है। श्री० ताटके महाशय के इन विचारों के लिए अङ्गरेज़ी का एक शब्द Chauvinism सब से उपयुक्त होगा।

आगे फिर आप लिखते हैं—“यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि धर्म का उच्चाटन तभी हो सकता है, जब मनुष्य के मनुष्य-भाव का उच्चाटन हो जाय। यह धर्म का भाव ही पशु और मनुष्य की विभिन्नता का सूचक है।” उच्चाटन का सिद्धान्त तो उनका गढ़ा हुआ सिद्धान्त है, इसी प्रकार अपने अनुकूल अर्थ देने वाला सिद्धान्त सभी गढ़ सकते हैं। लोग यह भी कह सकते हैं कि यह एक सिद्धान्त है कि जब तक मनुष्य के धर्म का उच्चाटन न हो जावे, तब तक उसमें पशुता का उच्चाटन नहीं होता और वह मनुष्य न कहला कर पशु कहलाता है। पर ऐसी कहावतों से तो यहाँ काम नहीं चलेगा। यहाँ तो सभी बातों का तर्कपूर्ण उत्तर देना होगा। मैं बड़ी नम्रता के साथ श्री० ताटके जी को बताना चाहता हूँ कि वास्तव में पशु और मनुष्य के भेद का स्वरूप वैसा नहीं है, जैसा वे बतलाते हैं। वरन् मनुष्य और पशु में यह अन्तर है कि पशु प्राकृतिक शक्तियों (Forces) के अधीन रहता है और मनुष्य प्राकृतिक शक्तियों को अपने अधीन कर लेता है।

फिर आगे श्री० ताटके महाशय शिवि और हरिश्चन्द्र आदि पौराणिक व्यक्तियों की धर्म-प्रियता का ज़िक्र करते हैं और उनकी तुलना वर्तमान नेताओं से करते हैं। आप शायद यह नहीं जानते कि ये क़िस्से (Legendry) हैं। और इसी क्रम में महाशय जी भाटों (Court Bards) के समान नेताओं की प्रशंसा के पुल बाँधते-बाँधते गाली-गलौज पर उतर आते हैं और लेखक को निशाचर पक्षी (Bird of night) आदि बनाने लगते हैं। आप फ़र्माते हैं—“पुराण-कालीन भारत के इतिहासोज्ज्वल समय के, केवल कपोत की प्राण-रक्षा के लिए अपना शरीर दान देने वाले शिवि, तथा सत्य की रक्षा में सर्वस्व बलिदान करने वाले हरिश्चन्द्र की तरह आज भी इस रत्नगर्भा भूमि पर त्यागशील, दीनबन्धु, देशबन्धु, सर्वस्व त्याग करने वाला तपस्वी नेहरू-परिवार, मालवीय जी आदि अनेक धर्मात्मा तेजस्वी सूर्य के समान आलोकित हैं। उनके प्रकाश के सम्मुख यदि अन्धकार-प्रिय रात्रिचारी पक्षी के समान किसी मनुष्य को धर्म का प्रकाश न दिखाई दे, तो यह उसी का दुर्भाग्य है।” पूज्य मालवीय जी की बात मैं नहीं कहता, हाँ नेहरू-परिवार के आनन्द-भवन में शिवि और दधीच के क़िस्से सुनाने पर श्री० ताटके महोदय को वहाँ के लोग क्या समझेंगे, इसका पाठक स्वयं अनुमान करें ! निशाचर पक्षी का उत्तर भारवाहक पशु से दिया जा सकता है, पर सबको अभी श्री० ताटके जी की तरह गाली बकने की योग्यता नहीं मिली है। कौन जाने यह अभाग्य है अथवा सौभाग्य।

यदि ईश्वर पर विश्वास करने का यही तरीक़ा है, कि अन्ध-विश्वास के वातावरण में ईश्वर को मन की चेतना मान कर उस पर ख़ामख़ाह बिना तर्क किए विश्वास कर लिया जाय, तो उसका कोई चारा ही नहीं है। पर यदि ‘मज़हब में अक़्ल को दख़ल नहीं’ वाले सिद्धान्त को ठुकरा कर ईश्वर को तर्क की कसौटी पर कसने में कोई हानि न समझो जावे, तभी इस प्रश्न पर प्रकाश डाला जा सकता है। यदि तर्क का सत्यतापूर्वक आश्रय लिया जावे, तो भगवान महाशय के निराकार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, भक्तवत्सल आदि-आदि नामों की पोल खुल जावे। और तब भगवान न तो गदा, पद्म, शङ्ख, चक्र लेकर घूमने पावें और न निराकार रूप में सृष्टि में व्याप्त रहने पावें। यहाँ उस पर विचार करने के लिए हमें आदि-काल से चलना होगा।

जब मनुष्य पशुओं की अवस्था में थे और जब वे वाक्शक्ति और बुद्धि से रहित थे, तो उन्हें ईश्वर का भूत नहीं सताता था। तब वे पशुओं के समान प्रकृति के

उपादानों के अधीन रह कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें अपनी उदरपूर्ति के अतिरिक्त कोई चिन्ता न थी। उस समय उनमें दैवी-शक्ति का कभी आभास भी नहीं हुआ था। प्रकृति के प्रत्येक कार्य का उन पर स्वाभाविक असर पड़ता था। प्रकृति के जिस कार्य से वे भयभीत होते थे, उससे दूर रहते थे और जो कार्य उनके अनुकूल होते थे, उनके वे सन्निकट रहते थे। ऐसा ही क्रम चलता रहा। तत्पश्चात् वाक्शक्ति प्राप्त होने पर और मस्तिष्क का विकास होने पर, वे उन वस्तुओं के विषय में भी सोचने लगे, जिन पर अभी तक उनका ध्यान न जाता था। भाषा के प्रादुर्भाव के कारण, विचार-परिवर्तन से उनके मस्तिष्क को अधिक वस्तुओं पर विचार करना पड़ता था और इस प्रकार धीरे-धीरे ऐसा समय आ गया कि उनको ऐसी वस्तुओं के बारे में भी जिज्ञासा हुई, जो उनकी बुद्धि से परे थीं। वर्षा, तूफ़ान, विद्युत् आदि-आदि सैकड़ों चमत्कारी वस्तुओं के अन्वेषण के भाव उनके मस्तिष्क में भर गए। इस जिज्ञासा की छाया में ही उनका जीवन-काल व्यतीत होने लगा।

इस काल में मनुष्य अपने छोटे-छोटे परिवार बना कर जीवन व्यतीत करता था। जिस प्रकार आजकल गोरिला जन्तु अपना छोटा सा परिवार लेकर और स्वयं उसका मुखिया बन कर जीवन व्यतीत करता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने परिवार का मुखिया बन कर उस छोटे से परिवार का नियन्त्रण करता था। ये मुखिए प्रायः क्रोधी और डाही प्रकृति के हुआ करते थे। इन्हें एक दिन अपने अधिकार खो देने का सदैव डर लगा रहता था। लड़कों की वृद्धि के साथ-साथ इनमें भय की वृद्धि भी होती जाती थी और अन्त में जब वे देखते थे कि उनके पुत्रों का जीवन अब उनके लिए भयावह हो रहा है और शीघ्र ही वे नियन्त्रण के बाहर होने वाले हैं, तो वह भयप्रद बालकों को मार डालते थे। जो बालक भाग कर अपना जीवन बचाने में सम[illegible] हो जाते थे, वे उसी परिवार से कुछ बहिनों को लेकर, अथवा किसी दूसरे परिवार से कुछ स्त्रियाँ लेकर दूर चले जाते थे और अपना स्वतन्त्र परिवार निर्मित कर लेते थे। इसी प्रकार क्रम चलता रहता था। माताएँ बेचारी निस्सहाय होकर अपने पुत्रों का नाश देखती थीं, क्योंकि मुखिया पिता के क्रोध का सामना करना उनकी शक्ति के बाहर था।

धीरे-धीरे कुछ काल बीतने पर मनुष्यों में वाक्य-शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। एक दूसरे के भाव-परिवर्तन में सरलता हो गई। माताएँ एक ओर तो उद्दण्ड बालकों को पिता के दुर्व्यवहार करने पर उन्हें सान्त्वना देती थीं और दूसरी ओर उनको पिता के अधीन रहने का उपदेश देती थीं। प्रस्तर-काल के अन्तिम भाग में ऐसी दशा होने भी लगी।

स्वप्नों के कारण इस वातावरण में एक अद्भुत बात होने लगी। इस काल में और इस काल के पहले भी मनुष्य स्वप्न को स्वप्न नहीं समझता था। वह उसे जीवन का ही एक धुँधला अंश समझता था। भयप्रद पिता अथवा मुखिया, मृत्यु के पश्चात् भी लड़कों को स्वप्न में दिखाई पड़ता था, कारण बालकों को पिता का सदा भय तथा ध्यान रहने से उनके मस्तिष्क में पिता का ही चित्र रहता था और जो निद्रावस्था में स्वप्न का रूप धारण कर प्रकट होता था। पुत्रगण स्वप्न के वास्तविक कारण न जानने से यही समझने लगे कि इस संसार के अतिरिक्त कोई दूसरा संसार भी है, जहाँ मनुष्य मृत्यु के पश्चात् समय व्यतीत करता है और इस प्रकार धीरे-धीरे परलोकवासी भयङ्कर पिता उद्दण्ड प्रकृति का देवता माना जाने लगा और दयाशील माताएँ दयावती देवियाँ।

इस काल तक मनुष्य की सभी विषयों में यथेष्ट उन्नति हो चुकी थी और वाक्य-शक्ति के प्रादुर्भाव से तथा विचार-विनिमय के कारण उन्नति बड़े वेग से हो रही थी। भाषा भी धीरे-धीरे परिपक्व होने लगी थी। प्रत्येक वस्तु के अनुभव के कारण उनके बुद्धि का विकास होने लगा था। ऐसे ही समय में तरह-तरह के अध-कचरे प्रारम्भिक स्वप्नादि द्वारा पैदा हुए विचारों की नींव पर भाँति-भाँति की ग़लत गणना, ग़लतफ़हमी, ग़लत निष्कर्ष, तथा भाँति-भाँति के अपरिपक्व विचारों द्वारा धर्म की उत्पत्ति हुई। इस भाँति संसार में प्रारम्भिक (Primitive) धर्म और प्रारम्भिक ईश्वर की शुरूआत हुई। और इसके प्रतिकूल ठीक गणना तथा ठीक निष्कर्षादि द्वारा कृषि, वैद्यक, रसायन इत्यादि वास्तविक विज्ञानों की उत्पत्ति हुई।

समाज की उन्नति सदा से सच्चे विज्ञान की बदौलत होती आई है और धर्म और ईश्वर के 'अविज्ञान' को सामाजिक दशा के परिवर्तन के अनुसार अपना रङ्ग बदलना पड़ा है। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म और ईश्वर का विज्ञान अकर्मरूप (Negative) वस्तु है। उसमें अकृत्रिम (Genuine) विज्ञान की तरह (Positive) गुण नहीं है।

इस प्रकार धर्म का प्रारम्भ होने पर उसका विकास होने लगा और वह सम्भ्रम की छाया की भाँति समाज को ग्रसने लगा। परन्तु वास्तविकता की कमी के कारण उसका विकास स्वतन्त्र रूप से नहीं हो सका। पृथ्वी के मानवीय विधानों के अनुसार स्वर्ग के भी विधानों का परिवर्तन होने लगा। और पृथ्वी का समाज स्वर्गीय समाज का पथ-प्रदर्शक बन गया। असभ्य समाज के प्रारम्भिक देवता उस समाज की छोटी-छोटी जातियों (Tribes) के नायकों के दैवी प्रतिनिधि हैं। इसी प्रकार इन्द्र, कुबेर, वरुण आदि भारतीय सम्राटों के अनियन्त्रित शासन-प्रणाली के पदाधिकारियों के छायानुवाद हैं। इसके बाद जब प्रजातन्त्र शासन का अवतार हुआ और शासन-सत्ता का अनुभव अपरोक्ष (Indirect) तरीक़े से होने लगा तो ईश्वर भी धीरे-धीरे निराकार रूप धारण करने लगे और धर्म भी प्रजातन्त्र शासन की पुष्टि करने के लिए रूपान्तरित होने लगा। अकृत्रिम विज्ञान, जिसकी उन्नति द्वारा समाज की इतनी उन्नति हो चुकी थी कि वह प्रजातन्त्र अवस्था को पहुँच सका था, भद्दे शरीर वाले ऊटपटाँग ईश्वर का मज़ाक़ उड़ाने लगा, विज्ञान की उन्नति देख करके ईश्वर महाशय की जान निकल गई और शरीर से पृथक होकर उनकी आत्मा भूत हो गई। ईश्वर एक अदृश्य शक्ति हो गया, परन्तु विज्ञान ने ईश्वर को केवल भूत ही बना कर नहीं छोड़ दिया, वह तो भगवान् महाशय को अक़्ल के मैदान से निर्वासित करने पर तुला था। प्रजातन्त्रादि शासन के विकाश तथा सम्वर्धन, उपचय और प्रचय के साथ-साथ ईश्वर के भूत का भी रूपान्तर होने लगा, उसकी सारी शक्ति धीरे-धीरे ग़ायब होने लगी और वह एक शक्तिहीन नाम-मात्र का "कुछ" रह गया।

मानव-विकास एवं विज्ञानादि की खोजों ने तो भगवान् के जन्म-दिवस तक का पता लगा लिया है, और अब ईश्वर महोदय को मृत्यु का भी समय आ रहा है; जिसका आदि है उसका अन्त अवश्य होगा। ऐसी अवस्था में "धर्म और भगवान मृत्यु-शय्या पर" शीर्षक जैसे लेखों पर क्रोध दिखलाना कुछ बुद्धिमानी का काम नहीं। श्री० ताटके महोदय के लेख के विषय में क्या कहा जाय? उनकी समझ में तो ऐसे लेख मरणासन्न भगवान के बचाने की औषधियाँ हैं, पर रोग, राज-रोग है, असाध्य है।

* * *

श्री० पटेल की सिंह-गर्जना

"समस्त भारत सामूहिक रूप में ब्रिटेन का मुक़ाबला करे"

एसेम्बली के भूतपूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीयता के परम हिमायती और भारतीय लोकमत को विदेश में बड़ी सुन्दरता से उपस्थित करने वाले वृद्ध तपस्वी श्री० विट्ठलभाई पटेल ने, जिनकी नीति-कुशलता का लोहा ब्रिटिश-सिंह ही नहीं, वरन् सारा संसार ख़ूब मानता है, जो अत्यन्त भावपूर्ण, सारगर्भित एवं ओजमय भाषण लन्दन के भारतीय राष्ट्र-परिषद् (Indian National Conference) के अध्यक्ष की हैसियत से दिया था, उसका अविकल अनुवाद हम यहाँ अपने पाठकों की जानकारी के लिए देते हैं :—

"पिछले साल की घटनाएँ हमारे दिमाग़ में इतनी ताज़ी हैं, कि उनका विशेष वर्णन करना मैं यहाँ उचित नहीं समझता। भारतवर्ष में स्वतन्त्रता का युद्ध जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, सत्य और अहिंसा ही उसके अस्त्र थे। हमने अपने सभी कार्यों में पूर्णतः अहिंसक बने रहने की प्रतिज्ञा की थी। किसी अङ्गरेज़ का जीवन वहाँ भी उतना ही सुरक्षित था, जितना ब्रिटेन में है। अपने ही कष्टों और त्याग से हमने भारतवर्ष को मुक्त करने की ठान ली थी। संसार के किसी भी राष्ट्र के लिए स्वतन्त्रता के युद्ध की यह परिपाटी सर्वथा नवीन, सर्वथा अव्यवहृत थी ; फलतः सारे संसार का ध्यान हमारे आन्दोलन की ओर आकृष्ट हो गया। साम्यवादी सरकार ने न्यायतः, स्वेच्छया एक व्यक्ति विशेष के हाथ, जो घटना-स्थल पर मौजूद था, अर्थात् लॉर्ड इर्विन के हाथ शासन का सूत्र सौंप दिया था और लॉर्ड इर्विन ने भी, अपनी इच्छा से ही, फ़ौज और पुलीस के हाथ शासन-सूत्र सौंप रक्खा था। हमारे देश के प्रत्येक भाग के लाखों स्त्री-पुरुषों ने कई अन्याय-पूर्ण क़ानून को खुले तौर पर न माना और उसका फल भोगने के लिए भी तैयार बैठे थे। लॉर्ड इर्विन की सरकार परिस्थिति को सँभालने में असमर्थ हो गई। सत्तर-पचहत्तर हज़ार सत्याग्रही गिरफ़्तार कर, जेलों में ठूँस दिए गए। जेलों का भी दिवाला निकल गया और बहुत से सत्याग्रही जो क़ानून तोड़ रहे थे, गिरफ़्तार नहीं किए गए। साथ ही पुलीस की शक्ति भी तितर-बितर हो गई। इसके बाद लाठी और गोलियों का ज़माना आया। पुलीस और फ़ौज के द्वारा निरस्त्र, अहिंसावादी, सौम्य सत्याग्रही पुरुष, स्त्री और बच्चे, जो युद्ध में निर्भीकता-पूर्वक भाग ले रहे थे, देश के एक छोर से दूसरे छोर तक बुरी तरह बिना समझे-बूझे पीटे गए। वह दृश्य ईश्वर के ही देखने योग्य था !

"मूक और निर्दोष जनता पर इस अमानुषिक अत्याचार ने उन लोगों की सहानुभूति को भी आन्दोलन की ओर आकर्षित कर लिया जो चुपचाप किनाराकशी किए बैठे हुए थे। जैसे ही जैसे दिन बीतते गए, लोग अधिकाधिक संख्या में इस युद्ध में जुटने लगे। साधारण क़ानूनों से शासन करना रोक कर वायसरॉय ने अपने निजी अधिकार और दायित्व पर तथा कथित लेजिस्लेटिव एसेम्बली को विस्मरण कर, एक दर्जन ऑर्डिनेन्स से भारतवर्ष का शासन-सञ्चालन प्रारम्भ किया !

"कॉङ्ग्रेस, यूथ-लीग और दूसरी इसी प्रकार की संस्थाएँ, जिन्होंने देश की मुक्ति के लिए अहिंसा का व्रत ले रक्खा था, ग़ैर-क़ानूनी घोषित कर दी गईं। कई जगहों पर मार्शल-लॉ जारी किया गया।

"केवल पेशावर में ही मैशीनगनों से सैकड़ों पुरुष मार डाले गए, कई घायल हुए।

"आज से पूर्व कभी भी भारतवर्ष में अङ्गरेज़ों के शासन-काल में इतना दमन न हुआ। वह सब भी एक 'ईसाई वायसरॉय' (Christian Viceroy) की पूरी जानकारी और स्वीकृति से, एक साम्यवादी सरकार की छत्रछाया में !

"ज्यों-ज्यों दमन बढ़ता गया, आन्दोलन भी लहकता गया। लॉर्ड इर्विन का यह विचार था कि जब तक सत्याग्रह संग्राम रोक न लिया जाय, वह कॉङ्ग्रेस के नेताओं को मुक्त नहीं करेंगे और न महात्मा गाँधी से सन्धि-चर्चा ही करेंगे। वह एक 'बाग़ी' से बातें करना पसन्द नहीं करते थे। सत्याग्रह युद्ध के साथ ही साथ, कॉङ्ग्रेस के बिना अथक-परिश्रम के ही जनता ने ब्रिटिश माल का बहिष्कार प्रारम्भ कर दिया। बहिष्कार का आन्दोलन किसी सिलसिले से नहीं चलाया जा सका और इसका कोई स्थायी प्रबन्ध या वैज्ञानिक विवेचन होने के बिना ही यह चलता रहा, किन्तु फिर भी इस आन्दोलन का बड़ा भरपूर असर हुआ। हक्का-बक्का होकर लॉर्ड इर्विन ने हिज़-मैजेस्टी के गवर्नमेण्ट से परामर्श कर, महात्मा गाँधी तथा कुछ अन्य नेताओं को बिना शर्त छोड़ दिया, जिसमें वे एक साथ बैठ कर सन्धि की शर्तों के विषय में राय-मशविरा कर सकें। उसीका परिणाम गाँधी-इर्विन समझौता है।

"आन्दोलन को मिटाने के लिए अपनी सारी हरकतों को काम में लाकर लॉर्ड इर्विन जब थक गए, जब उनके सहस्र दमन का एक भी बस न चला, तो आज वे अपने देशवासियों को सिखला रहे हैं कि जागृत भारत को कोई भी शक्ति दबा नहीं सकती ! महात्मा गाँधी, जो अभी-अभी तक अहिंसक असहयोगी थे, आज प्रबल सहयोगी हो गए हैं; वे घूम-घूम कर लोगों से कहते फिरते हैं कि वे सरकार के बाक़ी लगान चुका दें, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार न करें, इत्यादि।

"यह चमत्कार एक जादू मालूम पड़ रहा है, इसका सारा श्रेय लॉर्ड इर्विन को है, जिन्होंने अपने इस अद्भुत कार्य से लॉर्ड हालिफ़ॉक्स के शब्दों में अपने 'देश और नरेश' की ख़ूब सेवा की है। कॉङ्ग्रेस ने गाँधी-इर्विन समझौते को पूर्णतः स्वीकार कर लिया है। यह भी एक जादू-भरा चमत्कार ही मालूम पड़ रहा है, जिसे कार्यतः परिणत करना भारतवर्ष में महात्मा गाँधी के सिवा किसी की शक्ति से बाहर था।

"यहाँ मैं भारतवर्ष के उस छोटे दल की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता जिसका पूर्ण विश्वास अहिंसा में नहीं है, परन्तु जिसने महात्मा जी की अपील पर पिछले साल, जब तक आन्दोलन रहा, अहिंसा की पूरी आज़माइश के लिए अपने क्रान्तिकारी कृत्यों को रोके रहा।

"लाहौर की सन् १९२९ की कॉङ्ग्रेस ने कॉङ्ग्रेस के सिद्धान्त को पूर्णतः बदल दिया है; उस समय से पूर्व कॉङ्ग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना था, परन्तु उस समय से पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। इसका अर्थ हुआ ब्रिटिश सरकार से सारे सम्बन्धों का विच्छेद कर लेना ! गाँधी-इर्विन समझौते के बाद से प्रमुख कॉङ्ग्रेस-मैनों ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि स्वेच्छा से राष्ट्रों के ब्रिटिश कॉमन-वेल्थ में ब्रिटेन के साथ सहयोग करना पूर्ण-स्वराज्य की प्रतिज्ञा से च्युत होना है; पूर्ण स्वराज्य के साथ उसका मेल नहीं खाता ! कराची की कॉङ्ग्रेस ने यह निश्चय कर लिया कि पूर्ण-स्वराज्य का ध्येय ही हमारा निश्चित ध्येय होगा। लाहौर कॉङ्ग्रेस की बैठक के पूर्व की सारी घटनाओं और इतिहास को ध्यान में रखते हुए पूर्ण-स्वराज्य का जो अर्थ अब लगाया जाता है, उससे सर्वांशतः सहमत होना कठिन है, परन्तु कॉङ्ग्रेस में दोनों विचार के व्यक्ति हैं।

"मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि यदि आज गणना की जाय, तो हमारे देश के अधिकांश व्यक्ति ब्रिटिश सरकार से सम्बन्ध-विच्छेद के ही लिए राय देंगे और इसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय मसलों को हल करने में सरकार ने काफ़ी विलम्ब किया है और राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचल डालने के लिए सरकार ने किसी प्रकार कोर-कसर न की !

"फिर भी कराची-कॉङ्ग्रेस ने औपनिवेशिक-स्वराज्य को पूर्ण-स्वराज्य के लिए एक क्रम-विकास समझा है, क्योंकि इसने अपने प्रतिनिधियों को गोलमेज़ में सम्मिलित होने की राय दे दी है। अतएव, यदि महात्मा जी गोलमेज़ में सम्मिलित हुए और यहाँ से औपनिवेशिक स्वराज्य लेकर लौटे, तो भारतवर्ष की जनता से उस विधान को मनवा लेने में उन्हें कम कठिनाई नहीं पड़ेगी। यदि महात्मा जी के ज़ोर डालने पर कहीं कॉङ्ग्रेस ने उनकी बातें स्वीकार कर लीं, तो उनकी जादूभरी करामात का यह दूसरा नमूना होगा। फिर भी पूर्ण-स्वराज्य एवं औपनिवेशिक स्वराज्य के प्रश्न पर सङ्घर्ष चलता ही रहेगा।

"मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जब सरकार से पूर्णतः सम्बन्ध-विच्छेद का प्रश्न उठेगा, इङ्गलैण्ड के लिए यह अच्छा होगा कि वह स्वतन्त्र भारत के साथ समानता के व्यवहार पर राज़ी हो जाय, इसकी अपेक्षा कि वह उसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का एक पूर्ण, स्वतन्त्र और समान-भागी बना ले। बहुतों का यही विचार है और इसकी अच्छाई-बुराई पर विवेचन करने का समय यह नहीं है।

"जब से मैं इस देश में आया हूँ, मैं देखता हूँ कि आप में से कुछ साम्यवाद, कुछ अन्तर्राष्ट्रीयवाद, फ़ैसिज़्म आदि क्या-क्या बातें सोचते और करते हैं ; आप लोगों में कोई सम्प्रदायवाद (Communalism) के विषय में अपने को परेशान नहीं करता होगा। आप लोगों में से बहुतों का विश्वास है कि केवल साम्यवाद से ही भारत परतन्त्रता से मुक्त होगा। आपकी बातें शायद सही हों, परन्तु मेरा निश्चित मत इस विषय पर यही है कि इस समय जब हम युद्ध के बीचोबीच हैं, ऐसे विषयों को लाकर अपनी समस्या को और भी कठिन नहीं बना लेना चाहिए।

"भारतवर्ष को इस समय आवश्यकता है एक ऐसे विधान (Constitution) की, जो हमें इन विषयों पर विचार करने का पूरा अधिकार दे, और सभी अन्य शासन-विधान से अच्छी-अच्छी बातें निकाल कर, चाहे उसकी उत्पत्ति कैसे ही क्यों न हुई हो, हम अपने विधान की रचना कर सकें। पहले भारत विदेशी ग़ुलामी से मुक्त हो ले, तब हम इन विषयों के गुण-दोष पर विवेचन कर सकेंगे। उस अन्त पर पहुँचने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि ख़ूब राष्ट्रीयता का प्रचार किया जाय तथा उसका भाव ख़ूब भरा जाय। राष्ट्रवाद से ही देश का कल्याण होगा।

"जो हमारी राष्ट्रीय समस्या है, जो हमारा राष्ट्रीय-प्रश्न है, उसमें हम गड़बड़ी उपस्थित कर दें। हम वस्तु-स्थिति को उलझन में न डाल दें। हम सभी पहले मिल कर इस विदेशी सल्तनत को उठाने में भिड़ जायँ। अङ्गरेज़ों की लाठी-वर्षा, गोलियाँ और मैशीनगन, तात्पर्य

यह कि अङ्गरेज़ों के द्वारा किया गया दमन जाति-पाँति, उमर, पुरुष, स्त्री, धर्म, पूँजी, श्रम, किसान, मालिक आदि में कोई अन्तर नहीं जानता। भारत के सम्बन्ध में जब कोई प्रश्न छिड़ जाता है, तो इङ्गलैण्ड के तीनों दल एक राय हो जाते हैं, हम उनसे यह पाठ सीखें। हम एकमत, एक ध्येय होकर जुट जायँ और दुश्मन का मुक़ाबला करें।

"मैं जानता हूँ कि जिस राष्ट्रीयता का मैं उपदेश कर रहा हूँ, वह एक सङ्कीर्ण राष्ट्रीयता है। मैं इसे क़तई पसन्द नहीं करता। मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ, जब हमारी राष्ट्रीय भावना किसी भी स्वतन्त्र देश के किसी भी नागरिक से भिन्न न होगी, चाहे वह किसी भी देश का क्यों न हो। मैं चाहता हूँ कि सभी स्वतन्त्र राष्ट्रों का एक सच्चा सङ्घ हो, जिसमें बड़े और छोटे सभी स्वतन्त्र राष्ट्र सम्मिलित होकर; परस्पर शान्तिपूर्वक और सम्पूर्ण मानव-जाति के कल्याण की कामना से प्रेरित होकर कर्त्तव्य में रत रहें। जहाँ तक मैं समझता हूँ, भारतीय राष्ट्रीयता का यही लक्ष्य है, परन्तु इस अपूर्णतामय संसार में, विशेषतः उस दशा में, जिसमें हम इस समय हैं, हम उस महान, अत्युच्च, उदार आदर्श को कार्य-रूप में परिणत नहीं कर सकते, जब तक हम पूर्णतः स्वतन्त्र न हो जायँ, और इसी हेतु आत्यन्तिक राष्ट्रीयता, जिसका समर्थन मैं इतने ज़ोर से कर रहा हूँ, हमारी वर्त्तमान परिस्थिति में अत्यन्त आवश्यक है।

"अब मैं आप लोगों को वस्तुस्थिति की सच्ची जानकारी के लिए उसका सच्चा विवरण आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। गाँधी-इर्विन समझौता एक तयशुदा बात है। मैं जानता हूँ, आप में से अधिकांश उसे पसन्द नहीं करते। मैं भी इसे बहुत चाव-भरी दृष्टि से नहीं देखता। परन्तु हमारी राष्ट्रीय महासभा ने उसे पूर्णतः स्वीकार कर लिया है और देश को गोलमेज़ में राय-मशविरों से आज़ाद करने की अन्तिम चेष्टा करने का निश्चय कर लिया है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि हिंसा या अहिंसा जिस प्रकार हो, जब दो राष्ट्र आपस में युद्ध के लिए जुटते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब दोनों ओर की सेनाएँ अपना हथियार रख देती हैं और एक गोलमेज़ में अपने सवालों को सुलझाने लगते हैं। उन्हें यह भासने लगता है कि बहस से तथा राय-सलाह देने-लेने से ही स्थायी शान्ति हो जायगी।

"प्रश्न केवल यही उठता है कि क्या वह स्थिति आ गई है? क्या वह घड़ी आ पहुँची है जब दोनों राष्ट्र राय-सलाह के लिए बैठें? मेरी व्यक्तिगत राय, जैसा आप सभी जानते हैं, यह है कि यह समझौता अस्थायी और क्षणिक है, परन्तु हमारी भारतीय पार्लामेण्ट ने इसके विरुद्ध फ़ैसला दिया है। उसने सन्धि को स्वीकार कर, राष्ट्र को उसे अक्षरशः पालन करने की आज्ञा दे दी है। कॉङ्ग्रेस की राय में हम लोगों ने पिछले वर्ष युद्ध के समय अपने कष्टों और त्याग से अपने देश को स्वतन्त्र करने की अपनी उत्कट अभिलाषा और दृढ़ व्रत तथा अखण्ड प्रतिज्ञा का पूरा-पूरा परिचय दे दिया है; हमने आज़ादी की क़ीमत चुकाई है और आवश्यकता पड़ने पर और भी क़ीमत चुकाने के लिए हम तैयार हैं—यह बात हम पूरी तरह शत्रुओं पर प्रकट कर चुके हैं। पिछले साल देश ने जो आत्म-विश्वास और शक्ति प्राप्त किया है, उसे सन्धि के पूर्व या पीछे की कोई भी बात मिटा नहीं सकती। हमारे आदमियों का आध्यात्मिक बल, आचरण-बल का सङ्गठन अत्यन्त दृढ़ है; उन्हें विजय में पूर्ण विश्वास है, एक क्षण के शङ्ख-घोष पर वे फिर युद्ध में भिड़ जाने के लिए कमर कसे तैयार हैं।

"अतएव मेरी आपसे विनय है, आप अधीर न हों। कहीं ऐसा न कहा जाय कि सन्धि को हमने पूर्णतः पालन नहीं किया। महात्मा गाँधी देश में भ्रमण कर, स्थान-स्थान पर भाषण दे रहे हैं कि लोग समझौते के शर्तों की तनिक भी अवहेलना न करें। मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि देश महात्मा जी का इस विषय में पूर्णतः साथ देगा।

"दूसरी पार्टी के लोगों ने सन्धि को कहाँ तक निभाया है, यह भी देखना है। गाँधी-इर्विन समझौते के बाद तुरत ही ठीक कराची कॉङ्ग्रेस के अवसर पर सरकार ने सरदार भगतसिंह और उनके साथियों को फाँसी पर लटका कर परिस्थिति को विक्षुब्ध कर दिया है। कुछ प्रान्तीय सरकारें और व्यक्तिगत रूप में कितने ही सरकारी अफ़सरों ने सन्धि की शर्तों को अलग ताक़ पर रख दिया है और वे उनसे किसी प्रकार अपने को आबद्ध नहीं समझते। बहुत से राजनीतिक क़ैदी अभी तक छोड़े नहीं गए। बङ्गाल के नज़रबन्द और दूसरे



भारतीय धारा-सभा के भूतपूर्व प्रेज़िडेण्ट श्री० विट्ठलभाई पटेल

विचाराधीन क़ैदी अभी तक वहीं हैं, जहाँ वे सन्धि के पूर्व थे।

"सचमुच में ऐसी हरकतों से शान्ति को ठीक-ठीक पालन करने में बड़ी बाधाएँ पहुँचती हैं। यहाँ इङ्गलैण्ड में भी सन्धि की शर्तों को किसी ख़ास ढङ्ग से मरोड़ कर सफलतापूर्वक समझाने की कोशिशें की जा रही हैं।

"इन सब बातों के होते हुए भी मैं अपने देशवासियों से, जो भारतवर्ष में या उससे बाहर हैं, यह कहूँगा कि मूलतः वे सन्धि की शर्तों को यथाशक्ति पालन करने और दूसरों से भी पालन कराने की भरपूर चेष्टा करें और यदि इस पर भी समझौता भङ्ग हो जाय, तो इसका मुख्य कारण यह होगा कि स्वतः इसमें कई दोष और त्रुटियाँ हैं। उसका यह भी कारण होगा कि दूसरी पार्टी के लोग हमारी शक्ति का पूरा पता अभी पा नहीं सके हैं, वे हमारी कार्य-क्षमता और कर्त्तव्य-परायणता, हमारी प्रतिज्ञा और व्रत से पूरी तरह परिचित नहीं हैं अथवा हमारी शक्तियों का लोहा मानते हुए भी वे इसी में अपनी भलाई और स्वार्थपूर्ति समझते हैं कि जब तक चल सके, भारत का ख़ून चूसता रहा जाय और इसी हेतु हमसे समानता का व्यवहार करने के लिए वे तैयार नहीं हैं।

"राउण्ड टेबिल कॉन्फ़्रेन्स की प्लेनरी-सेशन ने अपनी आख़िरी बैठक में अपनी सभी सब-कमिटियों की रिपोर्टें दर्ज कर ली थीं और यह निश्चयपूर्वक घोषित कर दिया गया कि कॉन्फ़्रेन्स में कोई आख़िरी बात तय नहीं हो सकेगी और प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह अपने प्रकट किए हुए विचारों में आवश्यकतानुसार हेर-फेर करने के लिए स्वतन्त्र है।

"गाँधी-इर्विन समझौते का आधार-स्तम्भ है "भारत के हित में संरक्षणों" का होना। कराची कॉङ्ग्रेस ने अपने प्रतिनिधियों को यह अनुरोधपूर्ण आज्ञा दी है कि वे भारत के आन्तरिक और बाह्य सभी विषयों में पूर्ण अधिकार माँगें; उन्हें (प्रतिनिधियों को) इस बात में आज़ादी हासिल है कि भारतवर्ष के कल्याण की दृष्टि से जिन सुधारों को परम आवश्यक समझें, उनके लिए माँग पेश करें। अतएव इस विषय में कॉङ्ग्रेस की स्पष्ट स्थिति यह है कि प्रत्येक संरक्षण, रुकावटों की क़ैद (Reservation), ज़िम्मेवारी (Guarantee) या कॉङ्ग्रेस के शब्दों में किसी तरतीब या सुधारों (Adjustment) पर कॉन्फ़्रेन्स में एक निर्णय पर पहुँचने के लिए वाद-विवाद होगा; और दोनों दल खुले दिल से एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश और चिन्ता रखते हुए इस विषय पर गवेषणापूर्वक विचार करेंगे कि अमुक संरक्षण भारत के हित का साधक है या बाधक और साथ ही दोनों दल परस्पर इस बात को एक-दूसरे को समझे-समझाएगा। इसी नुक़्तए-निगाह से कॉङ्ग्रेस ने गाँधी-इर्विन समझौते को स्वीकार कर लिया है।

"यहाँ के कई प्रभावशाली पत्र तथा कुछ ख़ास श्रेणी के व्यक्ति इस देश में समझौते के विरुद्ध ज़हरीला प्रचार-कार्य बड़े ज़ोरों से कर रहे हैं। अपरिवर्त्तनवादी दक़ियानूसी दल के कुछ ख़ास और प्रमुख व्यक्ति यह चाहते हैं और इस बात का बार-बार उद्योग करते हैं कि कॉङ्ग्रेस को भला बुरा कह कर उसे पहले ही किसी ख़ास संरक्षण में जकड़ दिया जाय—चाहे वह भारत के लिए हितकर हो या नहीं। ये बातें इसका द्योतक हैं कि "हिज़ मैजेस्टी" की सरकार भी ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न कर रही है, जिसमें कॉङ्ग्रेस का गोलमेज़ में भाग

लेना असम्भव हो जाय। भारत-मन्त्री ने उस दिन एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था—'संरक्षणों में न्यूनता न की जायगी!' और इङ्गलैण्ड के प्रधान-मन्त्री ने उस दिन अभी-अभी कहा था कि भारत के हित का जब विषय आता है, तब संरक्षणों की कोई बात ही नहीं रह जाती।

"यदि 'हिज़ मैजेस्टी' के सरकार की यही मनोवृत्ति है तो गाँधी-इर्विन समझौता एक काग़ज़ के टुकड़े के सिवा कुछ नहीं रह जाता और इस सबका सारा दोष कॉङ्ग्रेस पर नहीं जाता, वरन् ब्रिटेन पर। कॉङ्ग्रेस ने खुले दिमाग़ से कॉन्फ्रेन्स में सम्मिलित होने का निश्चय कर लिया है, और हर एक पहलू के गुण-दोष पर राय-परामर्श देने तथा एक निश्चित निर्णय पर पहुँचने को तय कर चुकी है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जितने विषयों पर बहस होगी उसके लिए महात्मा गाँधी के पास एक ही कसौटी है और वह यह है कि अमुक बात भारत के लिए हितकर है या नहीं। एक बार, दो बार, आख़िर बार वे इसी कसौटी पर सभी प्रश्नों को कसेंगे।

"मुझे भय है, जब ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के 'संरक्षणों में न्यूनता न की जायगी' और 'भारतीयों के हित के विषय में हमें कोई प्रतिबन्ध नहीं मिलता' आदि वचनों से तो यही प्रतीत होता है कि ब्रिटेन समझौते के बारे में सञ्जीदगी से काम नहीं ले रहा है, कॉन्फ्रेन्स के सामने जो सब से बड़ी कठिनाई उपस्थित होगी वह यह है कि गाँधी-इर्विन समझौते में यह बात मानी हुई है कि राउण्डटेबिल में बैठ कर आपस के बहस-मुबाहिसों से अनेक विवाद-ग्रस्त विषयों का निबटारा हो जायगा; परन्तु जब यह विषय छिड़ जायगा कि अमुक संरक्षण भारत के हित के लिए है वा नहीं और उसमें दोनों दल के व्यक्ति कोई ख़ास निश्चय पर न आ सकेंगे, तो उस समय उनकी कैसी स्थिति हो जायगी, यह सोचने का विषय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं। भारतीय और ब्रिटेन के दृष्टि-कोण में इतना अधिक अन्तर है कि पिछली ही बार कॉन्फ्रेन्स की बैठक में मतभेद की सम्भावना मालूम हो गई होगी और ऐसी परिस्थिति का मुक़ाबला करने के लिए कोई न कोई उपचार हो गया होगा।

"भारतवर्ष में यह आम ख़्याल है कि भारतीय और ब्रिटिश प्रतिनिधियों में इस विषय पर मतभेद हो जाने पर, कि अमुक संरक्षण भारत के हित का है वा विरोध का, भारतीय प्रतिनिधियों की ही बातें मानी जायँगी; परन्तु दुर्भाग्यवश गाँधी-इर्विन समझौते से हमें यह हक़ प्राप्त नहीं है। मेरे विचार से समझौते में यह सब से मर्मान्तक अभाव है और यदि ब्रिटेन ने भारतीय प्रतिनिधियों की बातें संरक्षण के सम्बन्ध में न मानी तो कॉन्फ्रेन्स के भङ्ग हो जाने की अत्यधिक सम्भावना है।

"मैंने यह भी देखा है कि समझौते के बाद से महात्मा गाँधी और कॉङ्ग्रेस के प्रभाव को नगण्य समझाने की बड़ी कोशिशें हो रही हैं, इसके लिए बड़े ज़ोरों का आन्दोलन यहाँ चलाया जा रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि बहुत से ज़िम्मेदार व्यक्ति यह शक करने लगे हैं कि क्या वास्तव में कॉङ्ग्रेस या महात्मा गाँधी का उतना अधिक प्रभाव जनता पर रह गया है जितना कि आन्दोलन की पराकाष्ठा गाँधी-इर्विन समझौते के समय था। ऐसे वायु-मण्डल में महात्मा गाँधी के आदेश पर कॉङ्ग्रेस ने सत्याग्रह आन्दोलन बन्द कर और विशेषतः राजनीतिक अस्त्र के रूप में ब्रिटिश माल का बहिष्कार कर जो अत्यन्त भयावह पथ अख़्तियार किया है उसका वास्तविक मूल्य इस देश (इङ्गलैण्ड) में ठीक-ठीक नहीं आँका जा सकता।

"मुझे निराशावादी कह कर लोगों ने मेरी आलोचनाएँ की हैं। लोगों का कहना है कि मेरे भाषणों से सन्धि की वृद्धि की अपेक्षा भङ्ग कराने का ही अधिक प्रोत्साहन मिलता है; जिसकी इस विषम परिस्थिति में आवश्यकता नहीं। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लोगों के ख़्याल ग़लत हैं। मेरा विचार है कि कॉन्फ्रेन्स में सम्मिलित होने वाली दोनों पार्टी वस्तु-स्थिति का सच्चा परिचय प्राप्त कर सकें; वे यह जानें कि उनके सामने कितना गम्भीर विषय विचारणीय है और कॉन्फ्रेन्स के भङ्ग हो जाने पर कैसी भयावह एवं विकट परिस्थिति उपस्थित होगी। ब्रिटेन को यह जान लेना चाहिए कि भारतीय जनता विक्षुब्ध हो उठी है और स्वतन्त्रता के लिए कोई भी त्याग करने के लिए तैयार है। जब तक भारतवर्ष स्वतन्त्र न हो जाय, परिस्थिति विकट और भयानक बनी ही रहेगी। अब भारतवर्ष को ब्रिटेन दमन और शक्ति से दबा नहीं सकता। भारतवर्ष कोई भी ऐसा विधान स्वीकार नहीं कर सकता, जिसमें उसे सभी अन्य स्वतन्त्र राष्ट्रों के साथ समानता का अधिकार नहीं दिया जाता। उसकी माँग साफ़-साफ़ और ज़ोरदार है। स्थिति को सँभालने का बस एक ही रास्ता है और वह है शासन-सूत्र का पूर्णतः भारतवासियों के हाथों सौंप देना। कोई भी ऐसा प्रयत्न, जो उसकी ऐसी सफलता का अवरोधक है, जो संरक्षण के बहुरूपिए रँग में उपस्थित होता है उसे इस संक्रान्ति-काल से भारतवर्ष बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या ब्रिटिश इन सब प्रश्नों को हल करने के लिए तैयार है? मुझे भय है, वह क़तई तैयार नहीं है। वह अभी क्रम-विकास, संरक्षण, विश्वास दिलाना, वचन देना आदि की बातें सोचता है। भारतवर्ष बिना किसी भी संरक्षण या बन्धन के पूर्ण स्वतन्त्रता की बातें सोचता है। ऐसी परिस्थिति में मैं अनुभव कर रहा हूँ कि वह समय अभी नहीं आया जब आख़िरी समझौता हो। आपस में दोनों राष्ट्रों के बीच में इतनी भारी खाई है कि धुँधले तथा निरर्थक फ़ारमूलों (विधियों) से वह खाई भरी नहीं जा सकती। हाँ, वह समय अवश्य ही आवेगा जब दोनों देश परस्पर पूर्णतः समानता के भाव से प्रेरित होकर मिलेंगे, जब एक स्वतन्त्र देश दूसरे स्वतन्त्र देश से राय-सलाह करेगा और सन्धि की शर्तों को तय करेगा। परन्तु वह समय अभी आया नहीं है।

"उस दिन मेरे एक मित्र के पूछने पर कि आगामी कॉन्फ्रेन्स में सन्धि के कैसे लक्षण हैं, मैंने उत्तर दिया था, यदि दोनों देश के प्रतिनिधि यह जानते हुए कि समझौते के भङ्ग हो जाने से कैसी भयानक परिस्थिति उत्पन्न हो जायगी, कॉन्फ्रेन्स में सम्मिलित हों, तो कहीं जाकर कुछ समझौते की आशा की जा सकती है। मैं जानता हूँ, महात्मा गाँधी किसी समझौते पर पहुँचने का निश्चय कर यहाँ आवेंगे। वे 'शान्ति' चाहते हैं। वे फलतः शान्ति के उपासक हैं। वे कभी नहीं चाहेंगे कि बेकार ही उनके देशवासी त्याग और कष्ट में डालें, जब वे उसे हल कर सकते हैं। वे किसी भी व्यक्ति से अधिक इस बात का अनुभव करते हैं कि कॉन्फ्रेन्स के भङ्ग होने का अर्थ है सत्याग्रह आन्दोलन का पुनः ज़ोर-शोर से शुरू होना और फलतः भारतवर्ष के लाखों व्यक्तियों का पहले से भी अधिक कष्ट सहना, त्याग करना और दुख झेलना। वे यह भी जानते हैं कि इस बार सरकार उन पर और भी अधिक हिंसक एवं जङ्गली पशु की भाँति टूटेगी।

"यदि ब्रिटेन इस बात को महसूस करता है कि संग्राम के पुनरुज्जीवन से ब्रिटिश माल तथा संस्थाओं के बहिष्कार का आन्दोलन पहले की भी अपेक्षा अधिक ज़ोरदार एवं प्रभावशाली होगा, पहले की अपेक्षा अधिक सिलसिले से चलेगा और उसका अर्थ ब्रिटिश व्यापार का सदा के लिए भारतवर्ष में चौपट हो जाना होगा; यदि इङ्गलैण्ड ने यह अनुभव किया है कि समझौता भङ्ग होने पर ब्रिटेन को भारत के शासन का भार इतना भयानक हो जायगा कि उसकी रीढ़ टूट जाएगी; यदि ब्रिटेन यह जानता है कि दमन और शक्ति से केवल आन्दोलन को उत्तेजना ही मिलेगी तथा परिस्थिति की भयानकता बढ़ती ही जायगी; तो दोनों पार्टी ख़ास समझौते पर पहुँचने के लिए सारे प्रयत्नों से बाज़ नहीं आवेंगी। महात्मा गाँधी कॉङ्ग्रेस की आज्ञा के साथ डटे रहेंगे। ब्रिटेन संरक्षणों इत्यादि के ढङ्ग में सोचना बन्द करे और कराची कॉङ्ग्रेस के प्रस्ताव को सर्वांशतः मान ले।

"मेरा व्यक्तिगत विचार है कि अभी तक ब्रिटेन ने, समझौते के भङ्ग हो जाने पर कैसी विकट एवं गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न होगी, इसे सोचा तक नहीं है और वह नहीं जानता कि गाँधी जी को ख़ाली हाथ निराश लौटाने के परिणाम में उसे क्या भोगना पड़ेगा; इसी हेतु मैं अच्छे फल के विषय में आशापूर्ण नहीं हूँ।"

❀ ❀ ❀

भूख की ज्वाला

निम्न-लिखित विद्वत्तापूर्ण लेख बम्बई के अङ्गरेज़ी सहयोगी "बॉम्बे क्रॉनिकल" के साप्ताहिक संस्करण में प्रकाशित हुआ है। इस लेख के विद्वान लेखक "एक-कॉङ्ग्रेसमैन" ने इसमें यह दिखलाने का सफल-प्रयत्न किया है कि बर्मा के वर्तमान उपद्रव की जड़ में बर्मी-किसानों के पेट की ज्वाला और उस ज्वाला को शान्त करने के लिए बर्मा के वर्तमान गवर्नर सर चार्ल्स इन्स के लौह-शासन की दमनपूर्ण नीति है। लेखक का कहना है कि बर्मा-विप्लव शान्त करने के लिए सर्व-प्रथम और सबसे अधिक आवश्यक उपाय सर चार्ल्स इन्स को वहाँ से हटाना ही है। तत्पश्चात् बर्मी-किसानों के साथ शान्ति की बातें सफल हो सकेंगी।

बर्मा-विद्रोह को प्रारम्भ हुए ६ महीने हो चुके, परन्तु गवर्नमेण्ट द्वारा पूर्ण बल-प्रयोग होने पर भी, वह अभी जारी ही है। सर चार्ल्स इन्स ने बर्मा का शासन अत्यन्त कठोरता के साथ किया है। सर चार्ल्स इन्स अपनी राजनीतिज्ञता के किसी गुण के लिए कभी नहीं प्रसिद्ध रहे, उन्होंने 'कठोर शासक' होने का ही यथेष्ट यश प्राप्त किया है। बड़ी व्यवस्थापिका सभा में जब भारतीय जहाजों के सम्बन्ध में कुछ संरक्षणों की माँग पेश की गई थी, उस समय आपने उसके विरोध में जो भाषण दिए थे, वे आज भी लोगों को याद हैं।

विद्रोह के प्रारम्भ से ही भारत-सरकार बर्मा के अधीश्वर की सेवा में अधिकाधिक शक्ति समर्पित करती जा रही है। लॉर्ड इर्विन ने अपने आख़िरी कार्य के द्वारा बर्मा के गवर्नर को, बर्मा की प्रमुख सार्वजनिक संस्थाओं को ग़ैर-क़ानूनी घोषित करने का अधिकार प्रदान किया था। परन्तु इस प्रकार के अनेक दमनात्मक उपायों के होते रहने पर भी बर्मा का असन्तोष शान्त नहीं हुआ। वर्षा-ऋतु प्रारम्भ हो गई है, परन्तु यह भी बर्मियों को अपनी कार्रवाइयों को स्थगित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकी।

विद्रोह के कारण

बर्मा व्यवस्थापिका सभा के एक प्रमुख सदस्य ने बर्मा के गवर्नर के पास एक पत्र भेज कर बर्मा-विद्रोह के कारणों पर प्रकाश डाला है। एक कारण आपने यह बतलाया है कि गवर्नमेण्ट जनता से बिल्कुल अलग रहती है। गवर्नमेण्ट ने जनता के नेताओं से, जोकि देश की वास्तविक परिस्थितियों को जानते हैं, कभी परामर्श नहीं किया। भारत की तरह बर्मा के भी अधिकारियों ने अपने आपको जनता और लोकमत से बिल्कुल अलग ही रक्खा है। परिणाम यह हुआ है कि उन्हें नहीं मालूम कि इस अभागे देश में इस समय कहाँ क्या हो रहा है। बल-प्रयोग से परिस्थिति सुधरी नहीं। यदि गवर्नमेण्ट जनता से सम्बन्ध बनाए रखती, तो उसे इस समय मालूम हो गया होता कि "कुछ ज़िलों में उपद्रव का कारण आर्थिक सङ्कट और वह दमन है, जोकि लोग तीन साल पहले कैपीटेशन टैक्स की वसूली के समय अनुभव कर चुके हैं।"

बर्मा की सरकार इस प्रान्त की गिरती हुई आर्थिक दशा से अपरिचित नहीं रही। जिन परिस्थितियों से यह विद्रोह उठ खड़ा हुआ है, उनकी वह अवहेलना नहीं कर सकती। इस समय आर्थिक सङ्कट एक विश्वव्यापी समस्या है। पश्चिम के अत्यन्त धनी से धनी देश भी इस परिस्थिति का अनुभव कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, जोकि कृषि और उद्योग-धन्धे दोनों का ही देश है, वह भी मौजूदा आर्थिक सङ्कट से अपने आपको बचा नहीं सका। यद्यपि उसके बैङ्क सोने से भरे पड़े हैं। भारत और बर्मा, जोकि केवल कृषि-प्रधान देश हैं, अगर सब से बुरी प्रकार का आर्थिक सङ्कट अनुभव करें, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

घोर निराशा

"बर्मा इस समय एक अत्यन्त भयानक सङ्कट का सामना कर रहा है। धान का भाव बहुत अधिक गिर जाने के कारण साधारण जनता की दशा अत्यन्त ख़राब हो गई है। पिछले तीन वर्षों में कैपीटेशन टैक्स के वसूल करने में जैसे-जैसे अत्याचार किए गए हैं, उनसे लोग जीवन से बिल्कुल निराश हो गए हैं।"

उपरोक्त कथन से बर्मियों की आर्थिक परि-



इन अभागे सिरों की दो कहानियाँ हैं। जन-साधारण का कथन है कि ये बर्मी-विद्रोही अङ्गरेज़ सैनिकों के द्वारा एक मुठभेड़ में मारे गए थे और मरणोपरान्त उनकी लाशों से उनके सिर काट कर सड़कों पर प्रदर्शित किए गए थे। सरकार का वक्तव्य है, कि एक विवेकशून्य अधिकारी के द्वारा पहचान के निमित्त ये सिर लाशों से काट कर नगर में भेजे गए थे! सचाई चाहे जो कुछ भी हो, पर यह बात सत्य है कि मध्यकालीन ऐतिहासिक बर्बरता का यह रोमाञ्चकारी दृश्य देख, सहस्रों आत्माएँ काँप उठी थीं, सहस्रों आँखें गीली हो गई थीं और हज़ारों हृदय मूक-घृणा एवं विवश-प्रतिकार के भावों से नाच उठे थे!!!

स्थिति का पता चल जाता है। सर चार्ल्स और उनकी गवर्नमेंट ने जनता से अपने आपको अलग कर रक्खा है। इसीलिए विद्रोह को दबाने के लिए कड़े से कड़े उपायों का आश्रय लिया जा रहा है। परन्तु पिछले ६ महीने की घटनाएँ वहाँ के किसानों पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकीं। वे अब भी शस्त्र लिए हुए हैं। निकट-भविष्य में कोई समझौता होने की आशा भी नहीं दीख पड़ती। बर्मी नेताओं और गवर्नर की जो कॉन्फ्रेन्स हुई थी, उससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। यह बात याद रखनी चाहिए कि इस विद्रोह के सम्बन्ध में विचार करने के लिए सरकार ने अपनी तरफ़ से कुछ नहीं किया, बर्मी नेताओं ने अपनी तरफ़ से इसका प्रस्ताव किया था। पहले तो सर चार्ल्स इन्स ने नेताओं की बात सुनी ही नहीं, परन्तु बाद में परिस्थितियों से विवश हो, कॉन्फ्रेन्स करने पर राज़ी हो गए।

असन्तोषजनक माफ़ी की शर्तें

सरकार ने विद्रोहियों को माफ़ी देने की घोषणा निकाली है, परन्तु इससे परिस्थिति में बहुत कम असर पड़ा है। नेताओं ने यह बात गवर्नर से मिलने के वक्त पहले ही कह दी थी, परन्तु सर चार्ल्स इन्स ने परिस्थिति पर विचार करने का वचन देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया। अब विद्रोहियों की माफ़ी की एक घोषणा और निकली है, जिसमें विद्रोह के नेताओं के अतिरिक्त सभी विद्रोहियों को माफ़ी देने की बात कही गई है। शर्त यह है कि वे अपने गाँवों में लौट जायँ और सरकारी अफ़सरों की सहायता करें। क्या इस प्रकार की बँधी हुई माफ़ियों से कार्य सिद्ध होने की आशा की जा सकती है? इसके लिए उदार भावना की आवश्यकता है। परन्तु विद्रोही माफ़ी की आवश्यकता इतनी नहीं समझते, जितनी कि सरकारी नीति के परिवर्तन की। असाधारण आर्थिक सङ्कट के कारण कैपिटेशन टैक्स ने बर्मियों की अवस्था में भारी आघात पहुँचाया है। परन्तु गवर्नमेण्ट की माँग में इससे कोई भी अन्तर नहीं पड़ा, क्योंकि शासन के ख़र्च ज्यों के त्यों बने हुए हैं। क्या भारत से पृथक कर देने पर बर्मियों की दशा सुधर जायगी? बर्मी लोग समझते हैं कि बिना स्वाधीनता के बर्मियों की दशा नहीं सुधर सकती।

पृथक्करण का प्रश्न

बर्मी नेताओं का एक डेपुटेशन वायसरॉय से मिल कर इस बात पर ज़ोर देना चाहता है कि बर्मा भारत से पृथक न किया जाय। इस सम्बन्ध में कॉङ्ग्रेस की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट और सीधी-सादी है। कॉङ्ग्रेस बर्मियों का अर्थ-शोषण करना नहीं चाहती। अगर बर्मा पृथक होना चाहे तो वह पृथक हो सकता है, अगर वह भारत से मिला रहना चाहता है तो वह बराबरी के पद पर उससे मिला रह सकता है। परन्तु बर्मा का अर्थ-शोषण भारतीय या विदेशी कोई भी नहीं कर सकेंगे। बर्मा के पृथक्करण का प्रश्न अभी निश्चित नहीं हुआ, यद्यपि गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स ने इस सम्बन्ध में अपनी कुछ परिमिति स्वीकृति दे दी है। सर चार्ल्स इन्स के भेजे हुए बर्मी प्रतिनिधियों ने इस शर्त पर बर्मा-पृथक्करण की बात स्वीकार कर ली थी कि बर्मा को औपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जायगा। बर्मा इससे कम में कभी नहीं सन्तुष्ट हो सकता। भारत से पृथक होते ही बर्मा पर विदेशी पूँजीपति आर्थिक शोषण के लिए टूट पड़ेंगे, क्योंकि बर्मा का वैभव अपरिमित और उसके शोषण के लिए केवल मूल-धन की आवश्यकता है। विदेशी मूल-धन का अर्थ बर्मा की ग़ुलामी है। इसलिए बर्मियों का विदेशियों से सशङ्क होना स्वाभाविक ही है। बर्मा में बड़े-बड़े सघन जङ्गल और बड़ी-बड़ी खानें हैं। आजकल तेल का महत्व बहुत बढ़ा हुआ है, क्योंकि संसार की राजनीति तेल पर निर्भर है। ब्रिटेन अधिक से अधिक तेल अपने क़ब्ज़े में कर लेना चाहता है। यह मूल्यवान वस्तु इस समय संसार में अमेरिका और इङ्गलैण्ड दो देशों में बँटी हुई है।

इस बात में अब कोई सन्देह नहीं कि कम से कम बर्मा में पृथक्करणवादियों की पूरी तौर से हार हो गई है। बर्मी चाहे भारतीय अर्थ-शोषकों को नापसन्द करते हों, परन्तु वे यूरोपियन अर्थ-शोषकों को उनसे कहीं ज़्यादा नापसन्द करते हैं। यह असम्भव है कि बर्मा भारत से लोगों की इच्छा के विरुद्ध अलग कर दिया जाय। अब तक एक भी प्रमुख बर्मी ने इस देश से बर्मा के पृथक किए जाने का समर्थन नहीं किया।

नीति-परिवर्तन की आवश्यकता

विद्रोह शान्त करने का जो केवल एक उपाय बाक़ी है, वह है प्रेमपूर्ण पारस्परिक समझौता। बर्मी नेता, सरकार और विद्रोहियों के बीच में मध्यस्थता का कार्य करने के लिए पहले ही अपनी सेवा प्रस्तुत कर चुके हैं। अपनी जानों को जोखिम में डाल कर वे उनसे उनके जङ्गली क़िलों में जाकर मिलने और उन्हें अपने मत में परवर्तित करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। अगर गवर्नमेण्ट हृदय से समझौता चाहती है, तो उसे विद्रोह दबाने के लिए दूसरे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। बल-प्रयोग विफल हुआ है। अब केवल सन्तोष देने का उपाय बाक़ी रह गया है। इसके लिए सब से पहले गवर्नमेण्ट को टैक्स वसूल करने के मौजूदा ढङ्ग बिल्कुल बदल देने होंगे। बर्मियों से उतना ही कर माँगा जाय, जितना कि वे दे सकते हों। उनसे उतना वसूल करने का प्रयत्न न किया जाय, जितना कि गवर्नमेण्ट अपने ख़र्चीले शासन के लिए चाहती है। संसार भर में सब से अधिक व्यय करने वाला शासन, संसार भर में सब से अधिक ग़रीब के बल पर नहीं चल सकता। बर्मी भारतीयों की अपेक्षा किसी प्रकार विशेष धनी नहीं हैं। बर्मा और भारत दोनों जगह, करों के सम्बन्ध में भारी परिवर्तन होने की आवश्यकता है।

सर चार्ल्स इन्स हटाए जायँ

असाधारण आर्थिक सङ्कट के मारे हुए लोग कर देने के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते, जब कि उनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। नए उपायों के साथ ही साथ नए आदमियों की भी आवश्यकता पड़ेगी। सब से पहले सर चार्ल्स इन्स को, जोकि बर्मा में एक अत्यन्त असफल शासक प्रमाणित हुए हैं, हट जाना होगा और उनके स्थान पर कोई अधिक सहानुभूतिपूर्ण मनुष्य भेजना होगा। बर्मा को पृथक करने की उनकी स्कीम असफल प्रमाणित हुई है। अब उनके द्वारा नियुक्त गोलमेज़ के प्रतिनिधि भी उनके इशारों पर नहीं चलेंगे। इस देश और बर्मा, दोनों ही स्थानों के भूमिकरों में पूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है। उसे परिवर्तित करके ऐसा बना देने की आवश्यकता है, जिससे किसान अपना भरण-पोषण भी कर सकें। आजकल तो अच्छी से अच्छी फ़सल होने पर भी उसके पास भोजन तक के लिए मुश्किल से बचता है। इसके लिए इस देश और बर्मा-शासन की प्राचीन पद्धतियों को छोड़ना और उनके स्थान पर कम ख़र्च वाली शासन-पद्धतियों को स्थापित करना होगा। सर चार्ल्स इन्स को अपनी जगह ग़रीबों से सहानुभूति रखने वाले किसी दूसरे मनुष्य के लिए ख़ाली करनी होगी। उस जगह के लिए सर जेम्स क्रेरार भी, जिनका नाम बर्मा की गवर्नरी के लिए लिया जा रहा है, उपयुक्त न होंगे, क्योंकि शिमला में वे असफल प्रमाणित हुए हैं, बर्मा में उनकी सफलता की कोई आशा नहीं है।

* * *

दिल्ली षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

ता० १६ जुलाई को दिल्ली षड्यन्त्र-केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अभियुक्त-पक्ष के वकील मि० एस० एन० बोस ने उस अर्ज़ी पर लम्बी बहस की, जिसमें कहा गया था कि आगे कार्रवाई प्रारम्भ करने के पहले इस षड्यन्त्र का फ़रार अभियुक्त हज़ारीलाल, जोकि पटना में गिरफ़्तार हो गया है, इस अदालत के सामने पेश किया जाय। आपने कहा कि दिल्ली के चीफ़-कमिश्नर ने जब दिल्ली षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों के लिए सम्मिलित विचार का हुक्म निकाला था, उस समय ९ अभियुक्त फ़रार थे, जिनमें एक हज़ारीलाल भी था। अब हज़ारीलाल गिरफ़्तार हो गया है और गवर्नमेण्ट की क़ानूनी हिरासत में है, इसलिए आगे कार्रवाई प्रारम्भ होने के पहले उसका इस अदालत के सामने पेश किया जाना आवश्यक है। मि० बोस ने कहा कि जब तक वह चालान बदल न दिया जाय, जिसमें लिखा हुआ है कि इस षड्यन्त्र केस में हज़ारीलाल की ज़रूरत है, तब तक अभियुक्तों के संयुक्त विचार के लिए हज़ारीलाल की उपस्थिति आवश्यक है। आपने यह भी कहा है कि यदि इस षड्यन्त्र केस में हज़ारीलाल को शामिल करना है, तो क़ानूनन् गवाही दर्ज होने की कार्रवाई उसकी उपस्थिति में ही होनी चाहिए। ऐसा न होने से उसे अपनी ग़ैर-मौजूदगी की कार्रवाई फिर से प्रारम्भ कराने का अधिकार होगा।

सरकारी वकील का उत्तर

सरकारी वकील मि० जफ़रुल्ला ख़ाँ ने अभियुक्त-पक्ष के वकील मि० एस० एन० बोस की बहस का उत्तर देते हुए कहा कि हज़ारीलाल गिरफ़्तार हो गया है और वह गवर्नमेण्ट की क़ानूनी हिरासत में है, यह मैं मानता हूँ। परन्तु मेरा कहना यह है कि इस केस में हज़ारीलाल का शामिल किया जाना बिल्कुल अनावश्यक है। आपने अभियुक्तों के संयुक्त विचार के सिद्धान्त का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि अभियुक्तों के संयुक्त विचार का नियम केवल अदालती कार्रवाई की सहूलियत के लिए रक्खा गया है। अगर सबूत-पक्ष चाहे तो प्रत्येक अभियुक्त का विचार अलग-अलग करने के लिए कह सकता है। इसलिए किसी एक फ़रार अभियुक्त या कई फ़रार अभियुक्तों के पकड़ जाने से मौजूदा मामले की कार्रवाई में कोई बाधा नहीं पहुँचती। सबूत-पक्ष चाहे तो हज़ारीलाल का विचार बिल्कुल अलग से किया जा सकता है। सरकारी वकील ने कहा कि इस समय हज़ारीलाल पटना में न्याय-विभाग की हिरासत में है। यह ट्रिब्यूनल या हाईकोर्ट हज़ारीलाल की मौजूदगी के लिए ज़ोर नहीं दे सकता। पटना के अधिकारियों से इस सम्बन्ध में केवल प्रार्थना की जा सकती है। वे अपनी सुविधानुसार चाहें तो हज़ारीलाल को यहाँ भेजने की अनुमति दे सकते हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में जाँच करने से ही ठीक-ठीक बात मालूम हो सकती है।

ख़ाँ बहादुर अमीरुद्दीन जज—तो क्या आप हज़ारीलाल का विचार इस षड्यन्त्र केस से अलग करने के लिए कहते हैं?

सरकारी वकील—हाँ, हम उसके विरुद्ध मामला ज़रूर चलाना चाहते हैं, परन्तु इन अभियुक्तों के साथ विचार होने के पक्ष में हम नहीं हैं, न हम मामले के फिर से प्रारम्भ होने के ही पक्ष में हैं।

अभियुक्त-पक्ष के सीनियर वकील डॉ० किचलू ने कहा कि हज़ारीलाल की उपस्थिति इस केस में क़ानूनन् ज़रूरी है।

मि० बोस ने सरकारी पक्ष के वकील का उत्तर देते हुए कहा कि हज़ारीलाल की गणना अब फ़रार अभियुक्तों में नहीं है, वह अब इस षड्यन्त्र केस का अभियुक्त है। इसलिए इस षड्यन्त्र केस की कार्रवाई आगे चलाने के लिए उसका इस अदालत के सामने पेश किया जाना आवश्यक है।

दोनों तरफ़ की बहस सुन लेने के बाद ट्रिब्यूनल ने अपना निर्णय देते हुए कहा कि हज़ारीलाल के लिए अदालत की कार्रवाई रोक रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसकी उपस्थिति की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रिब्यूनल ने इस सम्बन्ध में एक लिखित आज्ञा निकाल देने का हुक्म दिया।

इसके बाद, मि० बोस की तबियत कुछ अन्यमनस्क हो जाने के कारण, अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई और मुख़बिर कैलाशपति की जिरह न प्रारम्भ हो सकी।

एक रोज़ पहले की ख़बर है कि जेल में दिल्ली षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों की बैरकों की, जेल के अधिकारियों ने एक घण्टे तक तलाशी ली। कोई सन्देहजनक वस्तु नहीं पाई गई। तलाशी का कारण नहीं मालूम हुआ।

ता० १८ जुलाई को दिल्ली षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने सबूत-पक्ष की ओर से अभियुक्त धन्वन्तरि की गिरफ़्तारी और एक कॉन्स्टेबिल पर गोली चलाने के सम्बन्ध में गवाही हुई। अभियुक्त-पक्ष के वकील डॉ० किचलू और मि० बोस की अनुपस्थिति के कारण मुख़बिर कैलाशपति की जिरह नहीं प्रारम्भ हो सकी। डॉ० किचलू अपने पेशे के कार्य से कहीं बाहर चले जाने के कारण और मि० बोस अस्वस्थता के कारण नहीं उपस्थित हो सके। सबूत की ओर से आठ गवाहों की गवाहियाँ हुईं।

पहला गवाह दिल्ली पुलीस का मोहम्मद अफ़ज़ल शाह, हेड कॉन्स्टेबिल था। उसने अपनी गवाही में कहा कि १ नवम्बर सन् १९३० को मेरी ड्यूटी कचेहरी में थी। जब मैं अपनी ड्यूटी से घण्टा-घर के पास से होता हुआ फ़तेहपुरी की तरफ़ लौट रहा था, तब मैंने अपने पीछे एक आदमी को, जोकि अभियुक्त धन्वन्तरि था, फ़तेहपुरी की तरफ़ दौड़ते हुए देखा। इसके साथ ही मैंने सीटी की आवाज़ भी सुनी थी। सीटी की आवाज़ सुनने के कारण मैंने उसको पकड़ने का प्रयत्न किया, परन्तु वह निकल गया। क़रीब दस गज़ आगे निकल जाने पर उसने मेरी तरफ़ पिस्तौल चलाई, जिससे एक गोली मेरे लगी। गोली लगने पर क़रीब १२ मिनट तक मैं बेहोश पड़ा रहा। होश आने पर मैं फिर उस व्यक्ति के पीछे दौड़ा। उसने फिर गोली चलाई, परन्तु वह मुझे लगी नहीं। इसके बाद मैंने उसे पकड़ लिया। इसी बीच कुछ और कॉन्स्टेबिल पहुँच गए और उसे गिरफ़्तार करके कोतवाली ले गए। उस वक़्त मैं फिर बेहोश हो गया। मैंने कोतवाली में पुलीस इन्स्पेक्टर के सामने उपरोक्त घटना की रिपोर्ट लिखा दी। अदालत के सामने उस रिपोर्ट के देखने पर गवाह ने कहा कि यह वही रिपोर्ट है।

प्र०—घटना के समय क्या वक़्त था?

उ०—पाँच बजे शाम का वक़्त था।

इसके बाद गवाह ने अभियुक्त धन्वन्तरि की शनाख़्त की। गवाह ने उस पिस्तौल की भी शनाख़्त की, जिससे उसने गोली चलाई थी।

इसके बाद गवाह ने कहा कि मैं सिविल अस्पताल पहुँचाया गया। अस्पताल में मैं उन्नीस दिन तक था।

दूसरा गवाह अब्दुल मजीद कॉन्स्टेबिल था, जिसकी कोतवाली में स्पेशल ड्यूटी थी। उसने अपनी गवाही में कहा कि पहली नवम्बर को, जब मैं चाँदनी चौक में था, तब 'पकड़ो, पकड़ो' की आवाज़ सुनी और अभियुक्त धन्वन्तरि को पिस्तौल चलाते हुए और एक कॉन्स्टेबिल को उसके पीछे दौड़ते हुए देखा। इसके बाद मैंने क़रीब दस गज़ के फ़ासले से देखा कि मोहम्मद अफ़ज़ल कॉन्स्टेबिल अभियुक्त को बेक़ाबू कर रहा है। सहायता के लिए मेरे पहुँचने के पहले कई एक पुलीस कॉन्स्टेबिल वहाँ पहुँच गए, जिन्होंने धन्वन्तरि को पकड़ लिया। मैंने धन्वन्तरि के सर पर एक लाठी मारी और उसके हाथ का रिवॉल्वर छीन लिया। मैं अभियुक्त से क़रीब चार क़दम के फ़ासले पर खड़ा था, इतने में मेरे पास चार-पाँच सिक्ख पहुँच गए और मुझसे रिवॉल्वर लेने का प्रयत्न करने लगे, परन्तु एक लाठी का वार करते ही वे सब भाग गए।

इसके बाद पुलीस अभियुक्त को गिरफ़्तार करके कोतवाली की तरफ़ रवाना हुई। घण्टा-घर के पास अब्दुलवहीद इन्स्पेक्टर और दूसरे लोग मिले।

इसके बाद गवाह ने उस पिस्तौल की शनाख़्त की, जिसको उसने धन्वन्तरि से छीना था। उसने अभियुक्त धन्वन्तरि की भी शनाख़्त की।

गवाह ने कहा कि मोहम्मद अफ़ज़लशाह गोली लगने के कारण बेहोश हो गए थे और ताँगा पर कोतवाली लाए गए थे।

इस बीच में अभियुक्त वात्सायन ने अदालत से प्रार्थना की कि गवाह ने जैसा वाक्य कहा है, वैसा ही लिखा जाय।

इसके बाद तीसरा गवाह हेड-कॉन्स्टेबिल मोहम्मद हैदर पेश किया गया। उसने अपनी गवाही में कहा कि १ नवम्बर सन् १९३० को मेरी ड्यूटी कोतवाली में थी। उस दिन पाँच बजे शाम को मैं अपने निजी कार्य से बिलीमारन स्ट्रीट गया था। नील का कटरा के सामने मैंने दो आदमियों को दौड़ते हुए देखा और पुलीस की सीटी सुनी। मैंने धन्वन्तरि के पीछे मोहम्मद अफ़ज़ल और एक दूसरे कॉन्स्टेबिल को भी दौड़ते देखा। मैंने धन्वन्तरि को मोहम्मद अफ़ज़ल पर गोली चलाते हुए देखा। धन्वन्तरि के साथ एक और व्यक्ति था, जो इस दौड़ में ग़ायब हो गया। धन्वन्तरि ने दो बार गोली चलाई थी, परन्तु मोहम्मद अफ़ज़ल को पहली ही गोली लगी थी। इसके बाद उसने आक्रमणकारी को पकड़ लिया। गवाह ने कहा कि कॉन्स्टेबिल अब्दुल मजीद ने धन्वन्तरि को एक लाठी मारी और उसके हाथ का पिस्तौल छीन लिया।

पिस्तौल की शनाख़्त करने के लिए कहने पर गवाह ने पहले कहा कि वह पिस्तौल इससे कुछ बड़ा था, परन्तु बाद में उसने कहा कि यह वही पिस्तौल है, जो धन्वन्तरि के पास था, क्योंकि पिस्तौल की मूठ का ट्रेड मार्क मैं पहचानता हूँ। पकड़े जाने के समय धन्वन्तरि ने मेरी उँगली और मेरे बाँह पर आक्रमण किया था।

डॉक्टर की गवाही

इसके बाद डॉ० मोहम्मद फ़ज़ल की गवाही हुई, जिनकी दूकान फ़तेहपुरी में है। आपने अपनी गवाही में कहा कि पुलीस द्वारा धन्वन्तरि के पकड़े जाने की घटना मैंने स्वयं देखी थी। पहले के गवाहों का समर्थन करते हुए आपने घटना का पूरा विवरण बतलाया। परन्तु आप अभियुक्त की शनाख़्त नहीं कर सके, क्योंकि घटना के समय दूकान से अभियुक्त का चेहरा ठीक तरह से नहीं देख सके थे।

इसके बाद कपड़े के एक दूकानदार अब्दुल वहीद ने अपनी गवाही में कहा कि क़रीब नौ महीने हुए, मैंने उस कॉन्स्टेबिल को अस्पताल में देखा था, जिसको धन्वन्तरि की गोली लगी थी। गवाह ने अदालत के सामने उस कारतूस की शनाख़्त की, जोकि अस्पताल में ऑपरेशन करने पर कॉन्स्टेबिल के शरीर से निकला था। इसके बाद गवाह ने मोहम्मद अफ़ज़ल शाह कॉन्स्टेबिल और एक पुलीस-अफ़सर की शनाख़्त की।

सीसगञ्ज गुरुद्वारा के एक सिक्ख ज्वालासिंह ने अपनी गवाही में कहा कि क़रीब आठ महीने हुए, मैं कोतवाली में बुलाया गया था। मेरे सामने एक क़ैदी के कपड़े उतारे गए थे। गवाह ने कहा कि समय अधिक बीत जाने के कारण मैं उस क़ैदी का नाम बतलाने या उसकी शनाख़्त करने या उसके विषय में विशेष ब्योरा बतलाने में असमर्थ हूँ। इस पर गवाह को वे काग़ज़ दिखलाए गए, जिन पर उसके हस्ताक्षर थे। गवाह ने कहा कि हस्ताक्षर मेरे ही हैं। ये हस्ताक्षर कोतवाली में मुझसे कराए गए थे। मुझे याद नहीं है कि वे काग़ज़, जिन पर कोतवाली में मेरे हस्ताक्षर लिए गए थे, मुझे पढ़ कर सुनाए गए थे या नहीं।

इसके बाद असिस्टेण्ट सब-इन्स्पेक्टर मोहम्मद-अली ने अपनी गवाही में कहा कि १ नवम्बर को दोपहर के वक़्त मेरी ड्यूटी कोतवाली में थी। क़रीब ३ या ४ बजे ख़बर मिली कि डॉ० हरीराम की दूकान के पास पिस्तौल से गोली चली और अपराधी गिरफ़्तार कर लिया गया है। यह ख़बर टेलीफ़ोन से मिली थी। इसके थोड़ी ही देर में इन्स्पेक्टर अब्दुल वहीद और दूसरे पुलीस अफ़सर घटनास्थल की ओर रवाना हुए। घण्टा-घर के पास पहुँचने पर कुछ पुलीस के आदमी मिले, जोकि अभियुक्त धन्वन्तरि को कोतवाली ला रहे थे।

हम लोग कोतवाली वापस आए। अब्दुल मजीद कॉन्स्टेबिल ने पिस्तौल अब्दुल वहीद को दे दिया। मैंने इन्स्पेक्टर अब्दुल वहीद के कथनानुसार इस घटना में पाई हुई चीज़ों की एक लिस्ट तैयार की। गवाह ने अदालत के सामने उस लिस्ट और पिस्तौल की शनाख़्त की।

मैं कॉन्स्टेबिल मोहम्मद अफ़ज़ल शाह को, जोकि घायल था, अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके एक छोटी सी कारतूस निकाली। मैंने कारतूस को और कॉन्स्टेबिल के कपड़ों को क़ब्ज़े में कर लिया और कोतवाली ले आया। गवाह ने अदालत के सामने उन चीज़ों की शनाख़्त की।

इसके बाद अदालत स्थगित हो गई।

आज ता० २० जुलाई को दिल्ली षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने मुख़बिर कैलाशपति की जिरह प्रारम्भ हुई।

अभियुक्त-पक्ष के वकील मि० बोस की जिरह के उत्तर में मुख़बिर कैलाशपति ने कहा कि मैं ता० २८ अक्टूबर को ८ बजे रात के समय गिरफ़्तार हुआ था। मुझे उस सड़क का नाम मालूम नहीं, जहाँ मैं गिरफ़्तार हुआ था।

प्र०—गिरफ़्तारी के स्थान से तुम्हारा घर कितनी दूर है?

उ०—गिरफ़्तारी के स्थान से मेरा घर क़रीब एक फ़र्लाङ्ग की दूरी पर है। मुझे चार व्यक्तियों ने गिरफ़्तार किया था, परन्तु मैं उनके नाम नहीं जानता। जिस स्थान पर मैं गिरफ़्तार हुआ था, वह एक सड़क के नज़दीक है, जहाँ बहुत से आदमी आया-जाया करते हैं।

प्र०—क्या जिन व्यक्तियों ने तुम्हें गिरफ़्तार किया था, वे वर्दी में थे?

उ०—नहीं। वे साधारण पोशाक में थे। आस-पास बहुत से कॉन्स्टेबिल छिपे हुए खड़े थे। मुख़बिर ने कहा कि कुछ फ़ासले पर मैंने सी० आई० डी० के इन्स्पेक्टर सरदार करमसिंह को भी खड़े हुए देखा था। मैं यह नहीं कह सकता कि उस समय कितने कॉन्स्टेबिल वर्दी में थे। मैंने दो-तीन को देखा था, इससे अधिक के विषय में नहीं जानता। गिरफ़्तारी के बाद मैं अपने मकान पर लाया गया। शान्ति का नाम पुकारने पर मकान का दरवाज़ा खुला। शान्ति हरद्वारीलाल की भतीजी थी। मकान खुलने पर मेरे साथ राम, सरदार करमसिंह और कुछ पुलीस के आदमी मकान के अन्दर गए। वे लोग सीधे मकान के ऊपर के खण्ड में गए और मेरे कमरे की तलाशी ली।

प्र०—कौन ऊपर गया?

उ०—वे सब लोग, जो मेरे साथ आए थे।

प्र०—ऊपर जाकर उन्होंने क्या किया?

उ०—पहले-पहल उन्होंने मेरी तलाशी ली। तलाशी में एक पिस्तौल और कुछ काग़ज़ मिले थे।

प्र०—क्या तलाशी में पाई हुई चीज़ों की कोई लिस्ट तैयार की गई थी?

उ०—नहीं। उन्होंने सब चीज़ें चारपाई पर रख दी थीं। मेरी तलाशी लेने के पहले दो व्यक्ति और बुला लिए गए थे। उनमें से एक दीनबन्धु गुप्त था, जिसे मैं जानता था, क्योंकि वह उसी गली में रहता था। सरदार करमसिंह की मातहती में पुलीस ने २ बजे रात तक मेरे कमरे की तलाशी ली। तलाशी मेरे कमरे के अन्दर नहीं हुई थी। कमरे की चीज़ें बाहर करके तब उनकी तलाशी ली जाती थी। मेरे कमरे की तलाशी के बाद पुलीस ने उसके बग़ल वाले कमरे की तलाशी ली, जिसमें हरद्वारीलाल की चीज़ें रहा करती थीं। इसके बाद मकान के नीचे हिस्से की तलाशी हुई। हरद्वारीलाल के कमरे की तलाशी के समय पुलीस मुझे वहाँ नहीं ले गई। हरद्वारीलाल के कमरे की चीज़ों में पुलीस को कोई सन्देह की चीज़ नहीं मिली। हरद्वारीलाल के कोट की जेब में कुछ काग़ज़ मिले थे। हरद्वारीलाल की स्त्री और शान्ति और उनके कुटुम्ब के दूसरे व्यक्ति घर की तलाशी के समय उपस्थित थे।

प्र०—पूरे मकान की तलाशी कब समाप्त हुई थी?

उ०—रात को क़रीब तीन बजे के समय। तलाशी के बाद हरद्वारीलाल और किशोरीलाल भी गिरफ़्तार कर लिए गए। वहाँ से हम लोग हाउज़ क़ाज़ी पुलीस-चौकी में पहुँचाए गए।

पुलीस-चौकी में मेरी फिर तलाशी हुई और इसके बाद बन्द कर दिया गया। मैं वहाँ सात बजे सवेरे तक रहा था। इस बीच में मुझसे कोई अफ़सर मिलने नहीं आया था। सवेरे सात बजे सरदार करमसिंह आए थे; जोकि कुछ पुलीस के आदमियों के साथ मुझे सिविल लाइन की चौकी में ले गए। मुझे वहाँ मोटर पर ले गए थे। हरद्वारीलाल और किशोरीलाल मेरे साथ नहीं गए थे।

प्र०—सिविल लाइन पुलीस-चौकी में सब से पहला अफ़सर आपसे कौन मिला था?

उ०—ख़ान अब्दुल समद। इसके बाद मीर मुमताज हुसैन इन्स्पेक्टर मिले थे।

अफ़सरों ने मुझसे मेरा परिचय पूछा था और मेरे साथ राजनीतिक प्रश्नों पर विवाद किया था। उन दोनों अफ़सरों के अतिरिक्त और दूसरा कोई भी अफ़सर उस दिन मुझसे नहीं मिला।

प्र०—क्या तुम जानते हो कि मुसम्मात चन्द्रावती कब गिरफ़्तार हुई थीं?

उ०—सम्भवतः उसी रात को, जब मैं गिरफ़्तार हुआ था?

प्र०—आपको चन्द्रावती की गिरफ़्तारी की बात कैसे मालूम हुई थी?

उ०—चन्द्रावती ने मुझसे स्वयं कहा था।

इस पर अदालत ने अभियुक्त-पक्ष के वकील मि० बोस से कहा कि चन्द्रावती और कैलाशपति के बीच में गिरफ़्तारी की बातचीत का इस केस से कौन सा सम्बन्ध है?

अदालत ने मुख़बिर से पूछा—कितने दिनों के बाद तुम्हें चन्द्रावती की गिरफ़्तारी की बात मालूम हुई थी?

कैलाशपति—उसकी गिरफ़्तारी के दो हफ़्ते के बाद, जब वह मुझे दिखलाई पड़ी और उसने अपनी गिरफ़्तारी के विषय में मुझसे कहा।

मि० बोस—३० अक्टूबर को जो अफ़सर तुमसे मिलने आए थे, वे कौन थे?

उ०—ख़ान अब्दुल समद ख़ाँ और मीर मुमताज-हुसैन। वे मेरे पास ११ बजे दोपहर को आए थे और शाम तक रहे थे। बातचीत में उन्होंने मेरा पहले का पूरा परिचय पूछा था। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने ३० अक्टूबर से अपना बयान देना प्रारम्भ किया था।

प्र०—क्या किसी अफ़सर ने तुमसे बयान देने के लिए कहा था?

उ०—हाँ। उन्होंने पूछा था कि क्या तुम अपना बयान दोगे। मैंने कहा हाँ, दूँगा।

मुख़बिर ने कहा कि बयान देने के पहले स्पेशल सी० आई० डी० के अफ़सर मि० पील मुझसे मिले थे।

प्र०—मि० पील तुम्हारे पास क्यों आए थे?

उ०—२९ अक्टूबर को मैंने मि० अब्दुल समद ख़ाँ से पूछा था, कि क्या आप उत्तरदायी अफ़सर हैं? इस पर उन्होंने कहा था कि हम लोग पुलीस के स्पेशल सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० पील की मातहती में कार्य कर रहे हैं। मैंने मि० पील से मिलने की इच्छा प्रकट की। मेरा उनसे मिलने का उद्देश्य जिज्ञासु अफ़सरों के कष्टों से बचना था। जब पहले-पहल मि० पील मुझसे मिले थे, तब मेरा नाम पूछा था। मुझे नहीं मालूम और उन्होंने मुझसे क्या पूछा था।

मुख़बिर ने कहा कि मेरा बयान एक महीने तक लिखा गया था। बयान लिखे जाने के समय मैं सिविल लाइन की पुलीस-चौकी में था। जब-तब कुछ मकानों को दिखलाने और उनकी शनाख़्त करने के लिए वे मुझे बाहर ले जाया करते थे। प्रायः मियाँ जगदीशसिंह मेरे साथ जाया करते थे। बयान प्रारम्भ हो जाने के आठ या दस दिन बाद मि० पील भी एक बार मेरे साथ गए थे।

प्र०—क्या बयान लिखे जाने के समय कोई मैजिस्ट्रेट तुमसे मिला था?

उ०—हाँ, मि० ईसर मोहलत देने के लिए मुझसे मिले थे।

प्र०—क्या बयान लिखे जाने के समय में कभी तुम कचेहरी पहुँचाए गए थे?

उ०—नहीं।

मुख़बिर ने कहा कि दिसम्बर महीने के अन्त में मि० पील ने मुझसे पूछा कि क्या मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दोगे। मैंने स्वीकार कर लिया।

माफ़ी का प्रस्ताव

यह प्रश्न करने पर कि माफ़ी का प्रस्ताव कब रक्खा गया था, मुख़बिर कैलाशपति ने कहा कि माफ़ी का प्रस्ताव मि० ईसर ने सिविल लाइन की पुलीस-चौकी में मेरे सामने रक्खा था। जहाँ तक मुझे याद है, मेरा बयान मैजिस्ट्रेट के सामने उसी दिन से दर्ज होना प्रारम्भ हो गया था, जिस दिन सिविल लाइन की पुलीस-चौकी में मुझे माफ़ी दी गई थी।

मुख़बिर ने कहा कि माफ़ी का प्रस्ताव सिवा मि० ईसर के और दूसरा कोई भी अफ़सर मेरे सामने लेकर

नहीं आया था। मि० ईसर ने मुझे माफ़ी दी थी। माफ़ी मिल जाने के कुछ दिन बाद मैं सिविल लाइन की पुलीस-चौकी से हटा कर मुग़ल फ़ोर्ट की हिरासत में कर दिया गया था। मैजिस्ट्रेट के सामने दिया जाने वाला मेरा बयान फ़ोर्ट में बराबर दर्ज होता जाता था। पन्द्रह दिन के अन्तर में मुसम्मात चन्द्रावती से दो बार मेरी मुलाक़ात हुई थी। दोनों बार लगभग पन्द्रह-पन्द्रह मिनट की मुलाक़ात हुई थी। परन्तु मुझे यह याद नहीं है कि क्या बातचीत हुई थी। वे एक या दो बार और मिली थीं।

प्र०—क्या तुमने उनसे यह नहीं पूछा कि वे तुमसे क्यों मिलने आई थीं ?

उ०—नहीं। वे साधारणतया जैसे और लोग मिलने आते हैं वैसे ही आई थीं।

मुख़बिर ने कहा कि गिरिवरसिंह और डी० वी० तैलङ्ग, जोकि सम्भवतः मुख़बिर हो गए थे, मेरे ही साथ फ़ोर्ट में रक्खे गए थे।

प्र०—क्या गिरिवरसिंह और तैलङ्ग अपने बयानों के विषय में तुमसे बातचीत किया करते थे ?

उ०—नहीं। मैंने अपना कोई भी बयान किसी से नहीं प्रकट किया।

यह प्रश्न करने पर कि चन्द्रावती पहले-पहल कब मिली थीं, मुख़बिर कैलाशपति ने कहा कि फ़ोर्ट में रहने के समय वे चार या पाँच बार मुझसे मिलने के लिए आई थीं। फ़ोर्ट में आने के क़रीब एक महीना बाद वे मुझसे मिली थीं।

परस्पर बातचीत के सम्बन्ध में प्रश्न करने पर मुख़बिर ने फिर कहा कि मुझे याद नहीं है कि मुझसे और चन्द्रावती से क्या बातचीत हुई थी।

इसके बाद मैजिस्ट्रेट के सामने दिए जाने वाले बयान के सम्बन्ध में मुख़बिर ने कहा कि सिविल लाइन की पुलीस-चौकी में कुछ लिखने का सामान मुझे मिला था। मुझे अपने बयानों के लिए कभी कोई नोट नहीं बनाना पड़ा।

प्र०—फ़ोर्ट में तुम लोगों का पहरेदार कौन था ?

उ०—क्या आपका तात्पर्य नामों से है ?

प्र०—कौन अफ़सर था ?

उ०—मैं पुलीस के पहरे में था, परन्तु मैं किसी का नाम नहीं जानता।

प्र०—क्या जब मि० ईसर तुम्हारा बयान दर्ज करते थे, उस समय कुछ पुलीस के अफ़सर भी मौजूद रहा करते थे ?

उ०—हाँ! सरदार भागसिंह और ख़ान अब्दुल समद ख़ाँ रहा करते थे। सरदार भागसिंह भी प्रश्न किया करते थे। मैंने अपना बयान अङ्गरेज़ी में दिया था।

जेल में हटाए गए

मुख़बिर ने कहा कि २५ एप्रिल को मैं जेल में भेजा गया था। वहाँ उस वार्ड में रक्खा गया था, जिसे सम्भवतः यूरोपियन वार्ड कहते हैं। पाँच या छः मुख़बिर उसी वार्ड में रक्खे गए थे। जेल में क़रीब दस या बारह पहरेदार हैं, परन्तु पुलीस का कोई आदमी नहीं है।

प्र०—क्या २५ एप्रिल से कोई पुलीस का अफ़सर तुमसे मिला है ?

उ०—कोई नहीं, सिवा उन लोगों के, जोकि यहाँ लाने के लिए आते हैं।

प्र०—जेल में कोई और दूसरा व्यक्ति कभी तुमसे मिलने आया था ?

उ०—हाँ। एक बार मेरे पिता मुझसे मिलने के लिए आए थे। परन्तु चन्द्रावती मुझसे क़रीब ५ बार मिलने आई थीं। मेरा भाई भी मुझसे दो या तीन बार मिलने के लिए आया था।

मुख़बिरों से कोई बातचीत नहीं

दूसरे मुख़बिरों से बातचीत के सम्बन्ध में प्रश्न करने पर मुख़बिर कैलाशपति ने कहा, कि यद्यपि हम लोगों का भोजन एक ही जगह पकाया जाता है, फिर भी हम लोग अपने-अपने कमरों में अलग-अलग खाते हैं। एक साथ बैठने या बातचीत करने का कोई मौक़ा ही नहीं पड़ता। इस वक़्त जेल में चार मुख़बिर हैं। मुख़बिर रामलाल कहीं दूसरी जगह हटा दिया गया है, क्योंकि उसका एक मुख़बिर से झगड़ा था।

मुख़बिर ने कहा कि मैं अदालत में मोटरकार पर या पुलिस-लॉरी में लाया जाता हूँ। साथ में मि० सिनट की अधीनता में दस या बारह पुलीस के आदमी रहते हैं।

प्र०—क्या यहाँ अदालत में जल-पान के समय कोई पुलीस अफ़सर तुमसे मिलता है ?

उ०—मेरे पहरेदारों के अतिरिक्त और कोई नहीं मुझसे मिलता।

मुख़बिर ने कहा कि जेल में आने के समय से मैं अदालत में लाए जाने के अतिरिक्त और कभी कहीं बाहर नहीं निकाला जाता।

इसके बाद मुख़बिर से उसके परिचय के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न किए गए, जिनके उत्तर में उसने वही उत्तर दिए, जोकि उसने ट्रिब्यूनल के सामने अपने बयान में दिए थे। उसने सन् १९२३ से अपनी कहानी प्रारम्भ की, जब कि इलाहाबाद में विद्यार्थी की हैसियत से उसका शैलनाथ चक्रवर्ती से परिचय हुआ था। मुख़बिर कैलाशपति और शैलनाथ दोनों इलाहाबाद में स्काउट और विद्यार्थी थे। मुख़बिर ने कहा कि मैं सातवें दर्जे से स्काउट था। इलाहाबाद में स्कूल-विद्यार्थी की हालत में ही मुझे क्रान्तिकारी साहित्य प्राप्त होने लगा था। जहाँ तक मुझे मालूम है, उस समय तक क्रान्तिकारी दल की ओर से इलाहाबाद में कोई कार्य नहीं हुआ था। मैं यह भी नहीं जानता कि इस समय इलाहाबाद में इसका प्रचार किया जा रहा था या नहीं। मैं दल की किसी सभा में भी नहीं बुलाया गया।

प्र०—तुमने अपने बयान में कहा है कि षड्यन्त्रकारी सङ्गठन अखिल भारतीय कर दिया गया है। उस समय के किसी ऐसे षड्यन्त्रकारी का नाम तुम जानते हो, जो इलाहाबाद के बाहर का हो ?

उ०—नहीं। निस्सन्देह अब मैं बहुत लोगों को जानता हूँ।

मुख़बिर के कानपुर जाने के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न करने पर मुख़बिर ने कहा कि विजयकुमार सिनहा से मेरा परिचय रहा है। विजयकुमार सिनहा ने आर्थिक प्रबन्ध करके मुझे षड्यन्त्रकारी कार्यों के लिए उन्नाव भेजा था।

मि० बोस ने षड्यन्त्रकारी संस्था के सम्बन्ध में कुछ और प्रश्न किए।

इसके बाद अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

(क्रमशः)

* * *

लाहौर षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

ता० १७ जुलाई को दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने सबूत के गवाहों की गवाही जारी रही।

सरकारी वकील रायबहादुर पं० ज्वालाप्रसाद ने गुजराँवाला के श्री० मोहकमचन्द से जिरह जारी रक्खी। गवाह ने कहा कि ब्रह्म-अखाड़ा ट्रस्ट में २६ सदस्य हैं। लाला जगन्नाथ मोंगा, जोकि सविनय अवज्ञा आन्दोलन में गिरफ़्तार हुए थे, ट्रस्ट के सदस्यों में से हैं। गवाह ने कहा कि जेल से उनके छूटने पर मैं उनके घर पर उनको बधाई देने के लिए नहीं गया। मुझे नहीं मालूम कि लाला बिहारीलाल १६ जून के पहले गिरफ़्तार हुए थे या बाद में, और न मुझे यही मालूम कि वे इस षड्यन्त्र केस में गिरफ़्तार हुए थे या नहीं।

प्रश्न—क्या यह बात सच है कि इस केस में तुमने लाला जगन्नाथ और लाला बिहारीलाल के दबाव के कारण सबूत-पक्ष के विरुद्ध गवाही दी है?

उत्तर—नहीं, यह बात सच नहीं है।

इसके बाद सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि दो नवयुवक सिक्ख ब्रह्म-अखाड़ा में साढ़े आठ बजे रात को आए थे। अगर पुलीस ने अभियुक्तों को न दिखलाया होता, तो मैं शनाख़्त न कर सकता। गवाह ने कहा कि मैं उस पुलीस अफ़सर की शनाख़्त कर सकता हूँ, जिसने अभियुक्तों को दिखलाया था।

इस पर सी० आई० डी० के सब-इन्स्पेक्टर सरदार खड्गसिंह अदालत में लाए गए। उनको देखते ही गवाह ने कहा कि ये वही पुलीस अफ़सर हैं, जिन्होंने अभियुक्तों को दिखलाया था। इन्होंने मेरा बयान भी लिखा था। गवाह ने कहा कि मैं नहीं कह सकता कि बम-घटना के दिन ब्रह्म-अखाड़ा में कितने आदमी थे। मैं कभी कॉङ्ग्रेस की सभाओं में नहीं शामिल हुआ, क्योंकि एक तो कॉङ्ग्रेस की सभाओं में कॉङ्ग्रेस वालों पर पुलीस आक्रमण करती है, दूसरे मैं गवर्नमेंट की राजभक्त प्रजा हूँ।

इसके बाद सबूत के दूसरे गवाह, पथरवाली गाँव के ज्ञानसिंह की गवाही हुई। गवाह ने कहा कि १७ जून सन् १९३० को मैं गुजराँवाला एक मुक़दमे के सम्बन्ध में गया था, जोकि डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज की अदालत में चल रहा था। मैं ब्रह्म-अखाड़ा में ठहरा था। १६ जून को सवेरे मैं बाज़ार गया था, तब मैंने ब्रह्म-अखाड़ा की बम-घटना की बात सुनी थी। घटना के बाद अखाड़ा जाते समय पुलीस ने मुझे बाहर रोक लिया था। इसके बाद मैं अपने गाँव वापस चला गया। जाँच के समय गुजराँवाला की पुलीस ने मुझे नहीं बुलाया। तीन महीने के बाद मैं लाहौर फ़ोर्ट में अभियुक्तों की शनाख़्त के लिए बुलाया गया था। मैंने शनाख़्त की कारवाई के समय दो सिक्खों की शनाख़्त की थी, जिन्हें मैंने ब्रह्म-अखाड़ा में देखा था।

इस बीच में अभियुक्त अमरीकसिंह और गुलाबसिंह कुछ बाहरी सिक्खों के साथ मिला दिए गए। उन्हें पोशाक भी अभियुक्तों को सी पहना दी गई और एक लाइन में खड़े कर दिए गए। गवाह ने कुछ हिचकिचाहट के बाद दोनों अभियुक्तों की शनाख़्त कर दी।

मि० सलीम के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैंने दोनों अभियुक्तों को १७ जून को एक साथ देखा था। मैं और मेरा भाई और ये दो अभियुक्त छत पर सोए थे। ता० १६ जून को सवेरे बम-घटना की ख़बर सुनने के बाद जब मैं ब्रह्म-अखाड़ा गया था, तब अमरीकसिंह वहाँ मौजूद थे। मैंने घटना के विषय में किसी से कोई बात नहीं पूछी। जब शनाख़्त के लिए मैं लाहौर-फ़ोर्ट में बुलाया गया था, उस समय मुझे उन व्यक्तियों का कोई ख़्याल नहीं था, जिनकी शनाख़्त करनी थी। अभियुक्तों को देखने पर मुझे ख़्याल हो आया कि मैंने इन्हें ब्रह्म-अखाड़ा में देखा था।

इसके बाद अदालत स्थगित हो गई।

आज ता० १७ जुलाई को स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अभियुक्त सुखदेवराज के जेल में अलग एकान्त कोठरी में रक्खे जाने के प्रश्न पर जो बहस हो रही थी, वह जारी रही।

सरकारी वकील के बहस प्रारम्भ करने के पहले मि० श्यामलाल ने अदालत का ध्यान ए० क्लास के क़ैदियों के सम्बन्ध में रूल नं० १ की ओर आकर्षित किया। आपने कहा कि ए० क्लास के क़ैदी आपस में अलग नहीं किए जाते। अभियुक्त सुखदेवराज की हैसियत वाले विचाराधीन व्यक्तियों को ए० क्लास की सुविधाएँ पाने का अधिकार है। इसलिए अभियुक्त सुखदेवराज बी० क्लास के विचाराधीन क़ैदियों से अलग नहीं रक्खा जा सकता। ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट ने सरकारी वकील का ध्यान, प्रिज़न ऐक्ट की दफ़ा ४६ में एकान्त कोठरी के विषय में दी गई परिभाषा की ओर आकर्षित किया।

सरकारी वकील ने कहा कि इस सम्बन्ध में कल मैंने जेल के नियमों का जो हवाला दिया था, वही आज भी दे सकता हूँ। इसके समर्थन में इसके अतिरिक्त मेरे पास और कुछ नहीं है।

प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि क्या आप उन कारणों को बतलाना चाहते हैं, जिनसे अभियुक्त सुखदेवराज अलग रक्खा गया है?

सरकारी वकील ने कहा कि उन कारणों को मैं मि० श्यामलाल की उपस्थिति में ट्रिब्यूनल के सदस्यों के सामने प्रकट कर सकता हूँ, परन्तु अभियुक्तों की उपस्थिति में नहीं प्रकट कर सकता।

मि० श्यामलाल ने कहा कि सरकारी वकील द्वारा प्रकट किए हुए कारणों को मैं सर्वसाधारण पर तो न प्रकट करूँगा, परन्तु अभियुक्तों से मैं नहीं छिपा सकता; क्योंकि सम्भव है अभियुक्त उन बातों के विरोध में कुछ कहना चाहें।

प्रेज़िडेण्ट ने सरकारी वकील से कहा कि यद्यपि ट्रिब्यूनल को हाईकोर्ट की आज्ञानुसार आरम्भिक कारवाई गुप्त रखने का अधिकार है, फिर भी अभियुक्तों की अनुपस्थिति में मैं वह नहीं कर सकता।

इसके बाद इस बात पर बहस हुई कि सुखदेवराज को क़ैदियों के साथ किस हद तक रहने का अधिकार है।

ट्रिब्यूनल के सदस्यों ने अपनी राय देते हुए कहा कि सुखदेवराज को इस षड्यन्त्र के दो या तीन क़ैदियों के साथ रहने की इजाज़त दी जाय।

मि० श्यामलाल ने कहा कि सुखदेवराज को क़ैदियों के साथ रहने का जितना क़ानूनी हक़ है, उसमें मैं किसी प्रकार का भी प्रतिबन्ध नहीं स्वीकार कर सकता। अभियुक्त सुखदेवराज के लिए उनकी श्रेणी के अभियुक्तों को जो सुविधाएँ प्राप्त हैं, उनमें कमी नहीं की जा सकती।

रायबहादुर पं० ज्वालाप्रसाद ने अपनी राय देते हुए कहा कि सुखदेवराज को दयानतराय से मिलने की इजाज़त दे दी जाय। परन्तु ट्रिब्यूनल के सदस्यों ने सरकारी वकील का ध्यान जेल-मैनुअल की दफ़ा ४७६ की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि दयानतराय नाबालिग़ है, इसलिए सुखदेवराज उसके साथ नहीं रह सकता।

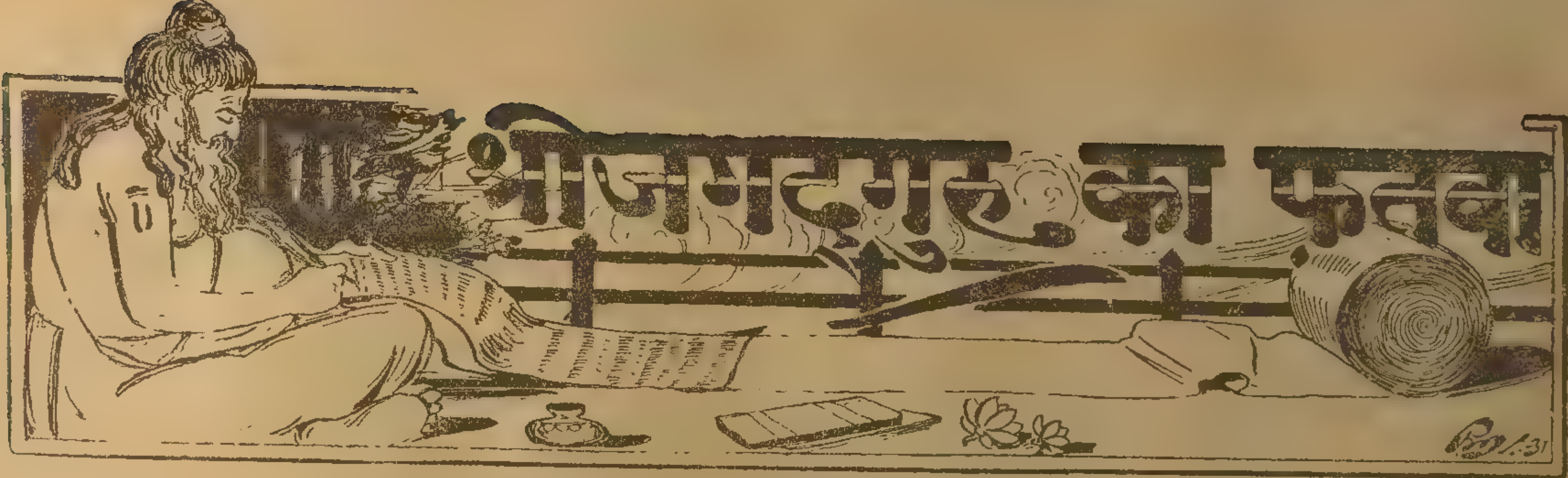
सरकारी वकील ने गवर्नमेण्ट और जेल के अधिकारियों से सलाह करने के लिए ट्रिब्यूनल से कुछ समय देने के लिए प्रार्थना की।

ट्रिब्यूनल के सदस्यों ने सरकारी वकील पं० ज्वालाप्रसाद से कहा कि जेल-अधिकारियों से सलाह करके बिलकुल निश्चित बात बतलाइए कि सुखदेवराज के लिए क़ैदियों के साथ रहने का क्या प्रबन्ध हो सकता है।

इसके बाद अदालत स्थगित हो गई।

(क्रमशः)

* * *



[हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष]

शासन-काल तो, बाबा शाह मदार की कृपा से एक से एक बढ़ कर देखने को मिले, मगर भाँग-बूटी की जैसी सुव्यवस्था नवाबुलमुल्क सर मलकम हेली दाम एक़बालहू के शासन-काल में है, वैसी शायद राम-राज्य में भी नहीं होगी। ठिलिया भर अकेले छान जाइए, कोई पूछने वाला नहीं। दम के धुएँ से कोंपकी काली हो जाए, परवाह नहीं। इसलिए श्रीजगद्गुरु की दस्तदुआ है, कि या पाक परवरदिगार, हमारे हुज़ूर पुरनूर का यह जाहोजलाल ताक़यामत क़ायमो-बरक़रार रहे!

❃

ख़ुदा झूठ न बुलवाए, तो ख़ासकर इस प्रान्त के हिन्दी पत्र-सम्पादकों की तो आजकल पौ-बारह है। एके बाद दीगरे चुन-चुन कर रोटी-दाल की चिन्ता से विमुक्त कर दिए जा रहे हैं! हमारी दृढ़ धारणा है कि यदि हुज़ूर फ़ैज़गंजूर का यह सम्पादकों के प्रति प्रेम-पीयूष-प्रवाह यों ही जारी रहा, तो गेहूँ की अरज़ानी शीघ्र ही दूर हो जायगी और सम्पादक लोग भी 'बी क्लास' में बीबी-गिलास के लुत्फ़ का अनुभव करेंगे।

❃

देखिए न, हज़रात टूटे पड़े जा रहे हैं। 'भविष्य' के सम्पादक श्रीयुत त्रिवेणीप्रसाद जी, बी० ए० के 'बी० क्लास' के दरवाज़े तक पहुँचते न पहुँचते, श्री० भुवनेश्वरनाथ जी, एम० ए० बोरिया-बिस्तर समेट कर तैयार हो गए! उधर गाँधी-लाट समझौते पर लँगोटी तक उत्सर्ग कर देने वाले सहयोगी 'आज' के सम्पादक श्री० पराड़कर जी की विधुर जिह्वा लपलपा उठी तो भला 'प्रताप' के सिर 'नवीन' श्री० बालकृष्ण जी शर्मा भला कैसे पीछे रह सकते थे? उन्होंने भी, अगर ख़ुदा ने चाहा तो, इस साल का चौमासा सख़्त नौकरशाही की चहारदीवारी परिवेष्टित सेनीटोरियम में ही व्यतीत करने का विचार किया है।

❃

अब रह गए अन्यान्य छुटभैए और बघभैये, सो ये भी औलिया पीर की मज़ार पर मन्नतें मान रहे होंगे। क्योंकि इन ठाले के दिनों में बेफ़िक्र की चुपड़ी चपातियों के साथ दो प्रकार की तरकारियों का सुयोग भला कौन मरदूद छोड़ सकता है? क़सम ख़ुदा की, अगर लाट-साहब सावन की रिमझिम के साथ "अइलैं सावन के महिनवाँ गोरी गोदाइ ले गोदना" का प्रबन्ध कर दें तो हिज़ होलीनेस की बूटिया भी वहीं छना करे।

❃

मगर मुश्किल तो यह है, कि इलाहाबाद के 'बटोरक' (Collector?) महाशय की दशा "सीय चकित चित रामहिं चाहा" की सी हो रही है। उन्हें न श्री० त्रिवेणी जी की सौम्य मूर्त्ति से तृप्ति है, न श्री० भुवनेश्वर जी की कमनीय कान्ति से आसूदगी! बेचारे की दशा ठीक उस वियोग-विधुरा बिरहिनी की सी हो रही है, जो मौसिमे-बहार में सरे गुलज़ार आहे सर्द खींच कर कह रही थी—

क्या जानें बहार आई कि ख़िज़ाँ
यह बाग़ है या वीराना है!

'वह' गुल ही नहीं तो कुछ भी नहीं,
दिल जिसके लिए दीवाना है!!

❃

बस, बेचारे श्री० सहगल जी पर दिलोजान से क़ुर्बान हैं! एकदम 'प्रीति पुरातन लखै न कोई' वाला व्यापार है। वह घुटा-घुटाया चिकना चेहरा मानों अहर्निशि आँखों के सामने नाच रहा है। लेहाज़ा होंगे श्री० त्रिवेणीप्रसाद बड़े शान्त, शिष्ट तथा सौम्य और श्री० भुवनेश्वरनाथ जी सकल गुण-निधान! मगर यहाँ तो यह हाल है कि :—

महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण-धाम,
जाहि-जाहि सों मन रमै, ताहि-ताहि सों काम!

❃

कमबख़्त हुस्न-परस्ती का हाल ही यह है। जिसकी आँखों में जो जँच गया, सो जँच गया! बेचारी ज़ुलेख़ा बुढ़िया हो गई यूसुफ़ के फ़िराक़ में! पार्वती को बूढ़े भङ्गड़ बाबा के सामने न देवराज इन्द्र जँचे और न परम रूपमय विष्णु! सीता जी राम को देखते ही लट्टू हो गईं और दमयन्ती नल के लिए मर मिटीं। इसी तरह गत सप्ताह के 'प्रेमालाप' से प्रतीत होता है, कि इलाहाबाद के पूर्वोक्त 'बटोरक जी' भी श्री० सहगल जी के लिए बुरी तरह बेचैन हैं। देखें, परमात्मा कब आप को संयोग-सुख प्रदान करते हैं?

❃

ऐसी हालत में श्रीमती नौकरशाही के सेनीटोरियम में श्रीजगद्गुरु की बूटिया भला कैसे छन सकती है? इस कास के फूल सी सफ़ेद दाढ़ी और सुइस के पेट सी बेडौल तोंद को भला कौन पूछेगा, उन चिकने-चुपड़े चेहरों के सामने, बक़ौल शख़्से :—

ऊँचे-ऊँचे मुजरिमों की पूछ होगी हश्र में,
कौन पूछेगा मुझे, मैं किन गुनहगारों में हूँ!

❃

इस अलौकिक स्नेहशीलता के अलावा श्रीमान 'बटोरक जी' में एक और अलौकिक और अपूर्व सद्गुण का पता पाकर हम मुग्ध हो गए हैं। अर्थात् साम, दाम और दण्ड के अलावा आप भेद-नीति के भी प्रकाण्ड पण्डित मालूम पड़ते हैं। क्योंकि 'भविष्य' के वर्तमान स्थानापन्न सम्पादक श्री० शङ्करदयालु जी श्रीवास्तव, एम० ए० को भड़काने में उस दिन आपने त्रेतायुग की मन्थरा को भी मात कर दिया था। बस, कसर थी तो एक कूबड़ की!

❃

अस्तु, सम्पादकों के बाद इस प्रान्त में अगर कोई तक़दीर का साँड़ है, तो किसान और उनकी किसानिनें! मालूम होता है, इनके पूर्वजन्म का पुण्य अपनी सोलहो कलाओं से चमक उठा है। यदि मन और वाणी के साथ ही अपने नश्वर जीवन को सफल बना डालने की इच्छा है तो श्रद्धा-भक्तिपूर्वक 'श्रीगणेशायनमः' का उच्चारण करके 'भविष्य' का सातवाँ पन्ना पढ़ जाइए। फिर तो आपको स्वयं मालूम हो जायगा, कि आप सशरीर स्वर्ग में पहुँच गए हैं!

❃

बात यह है कि सर मलकम हेली की सरकार, जैसा कि आपने कौन्सिलोद्घाटन के मङ्गलाचरण वाली स्पीच में फ़रमाया है, ऐसी हृदयहीन नहीं है, जो किसानों की कठिनाइयों को न समझती हो! इसीलिए इस प्रान्त के केवल एक दर्जन के क़रीब ज़िलों में यत्र-तत्र ज़मींदारों को मालगुज़ारी वसूल कराने में पुलीस की मदद दी गई है और शायद सरकारी पुलीस की मौजूदगी में ही अन्यान्य देवोपम सदनुष्ठानों के साथ किसानों की स्त्रियों के साथ दुराचार ही नहीं, उनके गुप्ताङ्गों में लाठी तक का प्रयोग किया गया है!

❃

यह सर्वोचित और सज्जनानुमोदित कार्य श्रीमती सरकार के 'हृदयहीन' न होने के कारण हुए हैं और अगर कहीं सरकार हृदयहीन होती तो माशा अल्लाह, प्रान्त का कोना-कोना इस महायज्ञानुष्ठान से उद्भासित हो उठता, किसान-कुल बिना बछिया की पूँछ थामे ही वैतरणी पार कर गया होता और श्रीमान शमनदेव अपनी राजधानी की रौनक़ देख कर फूले न समाते होते!

❃

अमाँ, हो गया होगा, कहीं कुछ! इतने बड़े प्रान्त में अगर दस-बीस जगह किसानों की मरम्मत कर दी गई या उनकी स्त्रियों की बेइज़्ज़ती कर दी गई अथवा किसी मनचले आदमी ने उनके साथ थोड़ी सी छेड़ख़ानी कर दी, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? मालगुज़ारी वसूल करने के लिए तो यह सब किया ही जाता है। फिर, बक़ौल लाट साहब, ज़मींदारों की दशा भी तो अच्छी नहीं है। फलतः इन कर्मों से निश्चय ही उनकी दशा कुछ सुधर जायगी; और नहीं तो बेचारों के पुरखे तो अवश्य ही तर गए होंगे। इसे क्या आप कोई कम लाभ समझते हैं?

❃

हमारे लाट साहब कुछ रमल तो पढ़े नहीं हैं, कि प्रान्त भर के गाँव-गाँव की ख़बर रखते हों। कहाँ नैनीताल और कहाँ रायबरेली तथा कानपुर! फिर लाट साहब को और भी तो बहुत से काम हैं। बेचारे किसी के घर जलने और किसी के सतीत्व नष्ट होने का हिसाब-किताब कहाँ तक रख सकते हैं? ऐसी हालत में इन छोटी-मोटी बातों के लिए उनके आराम में ख़लल डालना, कम से कम हम तो नहीं उचित समझते!

❃

अब रहा समझौता, सो वह कोई मोम का पुतला या कच्चा घड़ा थोड़े ही है, जो इन ज़रा-ज़रा सी बातों से टूट जायगा। समझौते में यह कब कहा गया था, कि देश भर के ज़मींदार, पुलीस-कर्मचारी तथा अन्यान्य सरकारी अफ़सर वैष्णव हो जाएँगे, अथवा मक्का जाकर हज कर आएँगे? फिर बात-बात में समझौते की दुहाई देकर सरकार और श्रीमान लाट साहब को कोसना, कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है!!

❃

जल्दी मँगा लीजिए ! नहीं तो पछताना पड़ेगा !!

मानिक-मन्दिर

यह वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसकी सालों से पाठक प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसी सुन्दर पुस्तक की प्रस्तावना लिख कर प्रेमचन्द जी ने इसे अमरत्व प्रदान कर दिया है। श्री० प्रेमचन्द जी अपनी प्रस्तावना में लिखते हैं :—

"उपन्यास का सब से बड़ा गुण उसकी मनोरञ्जकता है। इस लिहाज़ से श्री० मदारीलाल जी गुप्त को अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। पुस्तक की रचना-शैली सुन्दर है। पात्रों के मुख से वही बातें निकलती हैं, जो यथा-अवसर निकलनी चाहिए, न कम न ज़्यादा। उपन्यास में वर्णनात्मक भाग जितना ही कम और वार्त्ताभाग जितना ही अधिक होगा, उतनी ही कथा रोचक और ग्राह्य होगी। 'मानिक-मन्दिर' में इस बात का काफ़ी लिहाज़ रक्खा गया है। वर्णनात्मक भाग जितना है, उसकी भाषा भी इतनी भावपूर्ण है कि पढ़ने में आनन्द आता है। कहीं-कहीं तो आपके भाव बहुत गहरे हो गए हैं और दिल पर चोट करते हैं। चरित्रों में, मेरे विचार में, सोना का चित्रण बहुत ही स्वाभाविक हुआ है और देवी का सर्वाङ्ग सुन्दर। सोना अगर पतिता के मनोभावों का चित्र है, तो देवी सती के भावों की मूर्ति। पुरुषों में ओङ्कार का चरित्र बड़ा सुन्दर और सजीव है। विषय-वासना के भक्त कैसे चञ्चल, अस्थिर-चित्त और कितने मधुर-भाषी होते हैं, ओङ्कार इसका जीता-जागता, उदाहरण है। उसे अपनी पत्नी से प्रेम है, सोना से प्रेम है, कुमारी से प्रेम है और चन्दा से प्रेम है ; जिस वक्त जिसे सामने देखता है, उसी के मोह में फँस जाता है। ओङ्कार ही पुस्तक की जान है। कथा में कई सीन बहुत मर्मस्पर्शी हुए हैं। सोना के मिट्टी हो जाने का और ओङ्कार के सोना के कमरे में आने का वर्णन बड़े ही सनसनी पैदा करने वाले हैं, इत्यादि।" सजिल्द पुस्तक का मूल्य २॥) रु०; नवीन संशोधित संस्करण अभी-अभी प्रकाशित हुआ है !!

रहस्यमयी

समाज-सेवा, देशभक्ति तथा एक देशोपकारी संस्था की आड़ में यदि अत्यन्त भयङ्कर तथा वीभत्स घटनाओं का नग्न चित्र देखना हो अथवा 'महाशय जी' व 'देवी जी' नामधारी नर-पिशाचों के आन्तरिक पापों का भण्डाफोड़ देखना हो, तो इस पुस्तक को उठा लीजिए। कुछ ही पन्ने पढ़ कर आप आश्चर्य की मूर्ति बन जायँगे, आपके रोम-रोम काँपने लगेंगे। जो स्त्री कि वाह्य जगत् में अत्यन्त पूज्य, अनिन्द्य सुन्दरी, विदुषी, सुशीला तथा समाज-सेविका है, वह वास्तव में व्यभिचारिणी, कलङ्किनी, पापिनी, हत्यारिणी तथा एक वेश्या से भी घृणित है। समाज में प्रतिष्ठित रहते हुए वह भीतर ही भीतर इन पापों की पूर्ति के लिए कैसे-कैसे रहस्य रचती है— इसका अत्यन्त रोमाञ्चकारी वर्णन इसमें किया गया है।

सुखवती देवी नाम्नी एक अत्यन्त सुन्दरी तथा विदुषी महिला किस प्रकार अपने पति का गला घोंट कर, एक प्रेस तथा मासिक पत्र की सञ्चालिका बन जाती है, समाज-सेवा की आड़ में किस प्रकार देवी जी ने अनेक धनिक पुरुषों को अपने जाल में फँसा कर रुपया ऐंठा तथा ब्रह्मचर्य के पवित्र नाम पर किस प्रकार दर्जनों होनहार नवयुवकों का सर्वनाश किया और एक नवयुवक के प्राण लेकर ही अपने प्राण त्यागे ; इतना नाटक खेलते हुए भी किस प्रकार देवी जी समाज में पूज्य बनी रहीं—इसका सारा रहस्य जादू की क़लम से लिखा गया है। पुस्तक के एक-एक शब्द में रहस्य भरा हुआ है। मूल्य १॥) रु० !

विवाह और प्रेम

समाज की जिन अनुचित और अश्लील धारणाओं के कारण स्त्री और पुरुष का दाम्पत्य जीवन असुख और असन्तोषपूर्ण बन जाता है, एवं जिन मानसिक भावनाओं के द्वारा युवक और युवती का सुख-स्वाच्छन्नपूर्ण जीवन घृणा, अवहेलना, द्वेष और कलह का रूप धारण कर लेता है, इस पुस्तक में उनकी आलोचना की गई है।

लेखक ने देशीय और विदेशीय समाजों की उन समस्त बातों का, जो इस जीवन में बाधक और साधक हो सकती हैं, चित्रण किया है ! इसके साथ ही युवकों तथा पुरुषों के उन व्यवहारों एवं आचरणों की तीखी आलोचना की है, जिनसे विवाह की उपयोगिता, पवित्रता और मधुरता मारी जाती है ! लेखक के भावों में जो विवाह युवक और युवती के, पुरुष और स्त्री के प्रेम-जीवन की रक्षा नहीं कर सकते, वे विवाह, विवाह नहीं होते, प्रत्युत उनके पूर्व-जन्मों के दुष्कर्मों के प्रायश्चित्त होते हैं, जिनको वे कष्ट, घृणा और अवहेलना के साथ व्यतीत करते हैं !!

पुस्तक में स्त्री और पुरुष के जीवन की अनेक इस प्रकार की विवाद-ग्रस्त बातों का निर्णय किया गया है, जिनका कहीं पता नहीं लगता। पुस्तक में स्वतन्त्र देशों के उन प्रसिद्ध विद्वानों और लेखकों के विचारों के उद्धरण दिए गए हैं, जिन्होंने स्त्री-पुरुष के जीवन को सुख-सौभाग्य का जीवन बनाने के लिए प्रयत्न किया है और जिनके प्रभावशाली विचारों ने शिथिल और स्वतन्त्र जातियों के स्त्री-पुरुषों में स्फूर्ति उत्पन्न कर दी है ! सचित्र पुस्तक का मूल्य २) रु० मात्र !

केवल विवाहित स्त्री-पुरुष ही इस पुस्तक को मँगावें !

व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

The Bhavishya Registered No. A—2085

आदर्श चित्रावली

THE IDEAL PICTURE ALBUM

से ३) रु०

Printed, Published and Edited by Shanker Dayal Srivastava, M. A.,
At The Fine Art Printing Cottage, 28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad.

Editors in Jail : (1) Sjt. Tribeni Prasad, B. A. ; (2) Sjt. Bhuvneshwar Nath Misra, M. A.

सम्पादक :—
श्री० त्रिवेणीप्रसाद, बी० ए०
(जेल में)

सम्पादक :—
श्री० भुवनेश्वरनाथ मिश्र, एम० ए०
(जेल में)

Telephone No.
205

Telegrams :
'Bhavishya'

भविष्य

'भविष्य' का चन्दा

वार्षिक चन्दा .. १२) रु०
छः माही चन्दा .. ६॥) रु०
तिमाही चन्दा .. ३॥) रु०
एक प्रति का मूल्य चार आने
Annas Four Per Copy

एक प्रार्थना

वार्षिक चन्दे अथवा फ़ी कॉपी के मूल्य में कुछ भी नुक़ताचीनी करने में पहिले मित्रों को 'भविष्य', में प्रकाशित अलभ्य सामग्री और उसके प्राप्त करने के असाधारण व्यय पर भी दृष्टिपात करना चाहिए।

वर्ष १, खण्ड ४ इलाहाबाद—बृहस्पतिवार ; ६ अगस्त, १६३१ सं० ६, पूर्ण सं० ४५

चटगाँव के अभागे विप्लवकारी और उनका अन्त













कौन-सा ऐसा शिक्षित परिवार है,

जिसमें  न जाता हो ?

'चाँद'-जैसे निर्भीक पत्र की ग्राहकता स्वीकार करना--जिसने अपने जीवन के प्रथम प्रभात से ही क्रान्ति की उपासना में अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया है—निश्चय ही सद्विचारों को आमन्त्रित करना है। यदि आप अब तक इसके ग्राहक नहीं हैं, तो तुरन्त ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए ; और यदि आप ग्राहक हैं तो अपने इष्ट-मित्रों को ऐसा करने की सलाह दीजिए। 'चाँद' का वार्षिक चन्दा केवल ६॥) रु० है अर्थात् आठ आने फ़ी कॉपी—ऐसी हालत में कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो केवल एक पैसे रोज़ में वह ज्ञान उपार्जन करने से इन्कार करे—जो हज़ारों रुपए व्यय करने पर भी आजकल के स्कूल और कॉलेजों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता ?

अगस्त, १९३१ की विषय-सूची

इसके अतिरिक्त ? तिरङ्गे तथा रङ्गीन चित्र (आर्ट पेपर पर), अनेक चुटीले कार्टून तथा ऐसे चित्रादि पाठकों को मिलेंगे, जो और किसी पत्र-पत्रिका में मिल ही नहीं सकते।

'चाँद' का सम्पादकीय मण्डल

१—श्री० त्रिवेणीप्रसाद जी, बी० ए० (जेल में)
२—पं० भुवनेश्वरनाथ जी मिश्र, एम० ए० (जेल में)
३—श्री० शङ्करदयाल जी श्रीवास्तव, एम० ए०
४—पं० नन्दकिशोर जी तिवारी, बी० ए०
५—मुन्शी नवजादिक लाल जी श्रीवास्तव
६—पं० देवीदत्त जी मिश्र, बी० ए०, एल्-एल्० बी०
७—कविवर 'बिस्मिल' इलाहाबादी (उर्दू-कविता-विभाग)
८—कविवर आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव (हिन्दी-क०-वि०)
९—प्रोफ़ेसर रामकुमार वर्मा, 'कुमार' एम० ए० (हि०-क०-वि०)
१०—श्री० रामरखसिंह सहगल

हृदय पर हाथ रख कर बतलाइए, समस्त भारत में ऐसा सुसम्पादित और सुसञ्चालित पत्र दूसरा कौन है ?

Our London Office.
11, Aldwych, W. C. 2

Our American Office :
50, Church St. New York

इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और दूरदर्शी पाठक-पाठिकाओं से आशा की जाती है कि यथाशक्ति 'भविष्य' तथा 'चाँद' और विद्याविनोद-ग्रन्थमाला का प्रचार कर, व संस्था को और भी अधिक सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !!

भविष्य

पाठकों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन विभाग द्वारा जो भी पुस्तक प्रकाशित होती है, वे एकमात्र भारतीय परिवारों एवं व्यक्तिगत मङ्गल-कामना को दृष्टि में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !!

वर्ष १, खण्ड ४ || इलाहाबाद—बृहस्पतिवार ; ६ अगस्त, १९३१ || संख्या ६, पूर्ण संख्या ४५

श्रीयुत रामकृष्ण विश्वास भी फाँसी पर लटका दिए गए!

दूसरा 'बर्मा ऑर्डिनेन्स' कहा जाय या मार्शल लॉ ?

सीमा प्रान्त का कार्यक्रम क्या होगा ? चर्खा कातना और खद्दर बिनना !

'भविष्य'-सम्पादक वाले मामले में सफ़ाई के गवाहों को बुलाने की अर्ज़ी नामञ्ज़ूर कर दी गई !

—बर्मा 'विद्रोह' को दमन करने के अभिप्राय से भारत के वायसरॉय और गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिङ्गडन ने 'बर्मा ऑर्डिनेन्स' के नाम से जो नया ऑर्डिनेन्स पास किया है उसे यदि 'मार्शल लॉ' के नाम से पुकारा जाय तो अनुचित न होगा। इसकी धाराएँ इतनी विस्तृत और शक्ति इतनी अपरिमित है कि स्थानाभाव के कारण इस अङ्क में उसकी विस्तृत चर्चा करना सम्भव नहीं है। 'भविष्य' के आगामी अङ्क में इस विषय पर भरपूर प्रकाश डाला जायगा।

—कलकत्ता का ४ अगस्त का समाचार है कि श्री० रामकृष्ण विश्वास को, जिन पर गवर्नमेण्ट रेलवे पुलीस-इन्सपेक्टर तारिणीकुमार मुकर्जी की हत्या का अभियोग लगाया गया था और जिसको १४ जनवरी को स्पेशल ट्रिब्यूनल ने फाँसी का दण्ड दिया था, रात को एक बजे फाँसी दे दी गई। कलकत्ता में इस फाँसी के कारण हड़ताल रही।

—नई दिल्ली ४ अगस्त का समाचार है कि श्री० देवीदास गाँधी, ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ और दो अन्य सीमाप्रान्त के नेताओं के साथ बम्बई के लिए रवाना हो गए। श्री० देवीदास गाँधी ने एक प्रेस-प्रतिनिधि से कहा कि मैंने सीमाप्रान्त की बातों का बहुत नज़दीक से अध्ययन किया है। मैं अपनी जाँच का अनुभव कॉङ्ग्रेस कार्यकारिणी कमिटी के सामने उपस्थित करूँगा।

ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ ने कहा कि मैं अपने सहयोगियों के साथ कॉङ्ग्रेस कार्यकारिणी कमिटी की बैठक में शामिल होने के लिए आ रहा हूँ। मुझे आशा है कि चीफ़ कमिश्नर से जो मेरी बातचीत हुई है उसके परिणाम स्वरूप सीमाप्रान्त की परिस्थिति सुधर जायगी। आपने मुस्कराते हुए कहा कि उस हालत में हम लोग सूत कातने और खद्दर बुनने के कार्य में तन मन से लग जायँगे। हम लोग स्वयंसेवकों की वर्दी वग़ैरह के लिए खद्दर का काफ़ी प्रयोग कर रहे हैं, परन्तु मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूँ कि प्रत्येक प्रान्त खद्दर के मामले में स्वावलम्बी हो जाय। हमारे प्रान्त के लोग बड़े ग़रीब हैं। जो कुछ मैंने भारत के अन्य भागों में देखा है उससे मुझे निश्चय है कि खद्दर मेरे प्रान्त वालों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। हमारे घरों में बहुत से चर्ख़े पड़े हुए हैं। हम उन्हें जल्दी से जल्दी कार्य में लगा देना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि इसके लिए हमारे प्रान्त वालों को पूर्ण उत्साह से कार्य करना पड़ेगा। जब महात्मा गाँधी लन्दन में शासन-विधान की बातें तय करेंगे उस समय हम लोगों का यही कार्य-क्रम रहेगा।

—'भविष्य' के सम्पादक, मुद्रक और प्रकाशक पण्डित भुवनेश्वरनाथ जी मिश्र, एम० ए० ने, जिन पर २९ जून के अङ्क में प्रकाशित दो लेखों पर राजद्रोह का मामला चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० आर० एफ़० मूडी के सामने सफ़ाई के लिए निम्न-लिखित गवाहों की नामावली पेश की :—

महात्मा गाँधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पण्डित जवाहरलाल नेहरू, लाला दुनीचन्द (अम्बाला), पं० वेङ्कटेशनारायण तिवारी (इलाहाबाद), बाबू राजेन्द्रप्रसाद (पटना), ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ (पेशावर), पं० बालकृष्ण शर्मा, सम्पादक 'प्रताप' (कानपुर), पं० सुन्दरलाल (इलाहाबाद), श्री० पृथ्वीपाल सिंह (लखनऊ), श्री० मज़ूरअली सोख़्ता (इलाहाबाद) और श्री० विशम्भरदयाल, प्रेज़िडेण्ट कॉङ्ग्रेस कमिटी, उन्नाव।

मि० जे० सी० मुकर्जी ने उपरोक्त गवाहों के पेश किए जाने के सम्बन्ध में बहस करते हुए कहा कि लेखों में समझौते के विरुद्ध सरकार की जिन कार्रवाइयों का वर्णन है उनकी सचाई का प्रमाण देने के लिए इन गवाहों का पेश किया जाना ज़रूरी है। लेखों में लिखित घटनाओं की सचाई, राजद्रोह अभियोग की सफ़ाई न होने पर भी अदालत के लिए अपराध और दण्ड के विषय में विचार करने के समय सहायक हो सकती है।

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहा कि इन गवाहों को घटनाओं के सम्बन्ध में व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, वे अपनी गवाहियों में दूसरों के द्वारा कही हुई बातें ही शायद कह सकेंगे।

अन्त में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इनमें से किसी भी व्यक्ति को बुलाना स्वीकार नहीं किया और दरख़्वास्त रद कर दी गई। ४थी तारीख़ को सरकारी गवाह की हैसियत से सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलीस की जिरह करने की आज्ञा दी गई।

४थी अगस्त को सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलीस से मिश्र जी के सुयोग्य वकील श्री० मुकर्जी ने २ बजे दोपहर को जिरह आरम्भ की, किन्तु लगभग सभी सवालों को अप्रासङ्गिक क़रार दिया गया। बहस आगामी सोमवार को होगी, जब कि सम्भवतः मिश्र जी अपना लिखित बयान भी पेश करेंगे।

महात्मा गाँधी की बम्बई के गवर्नर से भेंट

गनेशखण्ड का ता० ४थी अगस्त का समाचार है कि महात्मा गाँधी बम्बई से आज सवेरे यहाँ पहुँचे। सम्भवतः भीड़ से बचने के उद्देश्य से पूना स्टेशन पर न उतर कर आप किरकी स्टेशन पर उतरे और वहाँ से मोटर द्वारा यरवदा में लेडी थैकरे के बङ्गले पर गए। साढ़े नौ बजे महात्मा जी गनेशखण्ड के गवर्नमेण्ट हाउस में पहुँचे। कैप्टेन सी० आर० बैटिसकाम्ब, ए० डी० सी० ने आपको गवर्नर के पास पहुँचाया। महात्मा जी के आने के पहले ही मि० आर० डी० बेल, चीफ़ सेक्रेटरी; मि० जी० एफ़० एस० कॉलिन्स, होम सेक्रेटरी और मि० जी० एच० बैरेट गुजरात के कमिश्नर गवर्नर के पास पहले से ही उपस्थित थे।

महात्मा जी और बम्बई के गवर्नर के बीच सवा चार घण्टे तक बातचीत हुई। महात्मा जी पौने दो बजे गवर्नर के हाउस से बाहर निकले।

प्रेस-प्रतिनिधि के लन्दन गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स में जाने के सम्बन्ध में पूछने पर आपने कहा कि मैंने अभी तक निश्चय नहीं किया।

यह पूछने पर कि परिस्थिति आशाजनक है या नहीं, आपने मुस्कराते हुए कहा कि मैं कह नहीं सकता।

बम्बई का ४थी अगस्त का समाचार है कि महात्मा गाँधी पूना जाने के पहले मि० जिन्ना से उनके मकान पर मिले और साम्प्रदायिक प्रश्न पर बातचीत की।

फाँसी की सज़ा पाँच वर्ष के लिए बन्द

नैपाल-सरकार के शिमला-स्थित राजदूत ने समाचार-पत्रों में वक्तव्य प्रकाशित करवाया है, कि महाराज भीम शमशेरजङ्ग बहादुर राना ने नैपाल में पाँच वर्ष के लिए फाँसी का दण्ड उठा दिया है। फ़ौजी क़ानून के अन्दर आने वाले अभियोग और राजद्रोह सम्बन्धी अभियोग अपवाद रहेंगे।

❀ ❀ ❀



लाल पर्चे में क्या आदेश था ?

कलकत्ता २६ जुलाई। ढाका और नारायणगञ्ज में कल रात को कई परचे बाँटे गए, जिनमें दिनेशचन्द्र गुप्त की फाँसी की सज़ा की निन्दा और जनता से इस बात का बदला लेने की अपील की गई है। आज प्रातःकाल एक युवक ने इसी तरह के परचे यहाँ लाए। उन्हें बाँटते समय वह गिरफ़्तार कर लिया गया। मालूम हुआ है कि इसी सम्बन्ध में दो और युवक गिरफ़्तार किए गए हैं।

—मैमनसिङ्ह का समाचार है कि गत २६वीं जुलाई को प्रातःकाल श्री० कोहीनूर घोष तथा श्री० सचीशचन्द्र चौधरी बङ्गाल क्रिमिनल लॉ में गिरफ़्तार कर लिए गए। कई जगह तलाशियाँ भी हुईं।

रतनपुर का बम-काण्ड

अहमदाबाद २६ जुलाई। रतनपुर बम-काण्ड के मामले में इकबाली गवाह ने बतलाया कि विदेशी कपड़ों की दूकानों पर पिकेटिङ्ग करते हुए मैं स्वयंसेवकों का कप्तान था। सार्जण्ट ग्रीन की हत्या करने के लिए मैं बम तैयार कर रहा था, पर बम फट गया और मैं सख़्त घायल हुआ। पुलिस डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट के मकान पर भी बम फेंकने का मैंने इरादा किया था, क्योंकि दोनों बड़े उत्साह से असहयोग आन्दोलन दबाने में लगे हुए थे।

—गत २६वीं, ३०वीं और ३१वीं जुलाई को बिहार राष्ट्रीय महिला-परिषद् का अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिवेशन श्रीमती कमला नेहरू के अस्वस्थता के कारण अनुपस्थित होने से श्रीमती रामस्वरूप देवी की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। परिषद् में प्रान्त की अधिकांश सम्भ्रान्त महिलाएँ उपस्थित थीं। पर्दा-प्रथा का घोर विरोध किया गया। श्री० राजेन्द्रप्रसाद, बा० जगतनारायण लाल के भी भाषण हुए।

कॉङ्ग्रेस स्वयंसेवक पर आक्रमण

पटना का ३०वीं जुलाई का समाचार है कि मुँगेर ज़िले के एक कॉङ्ग्रेस स्वयंसेवक पर, जब कि वह गाजा बेचने वाले एक मुसलमान की दूकान पर पिकेटिङ्ग कर रहा था, लाठी का एक आक्रमण हुआ, जिससे उसके बाएँ हाथ की हड्डी टूट गई। उसकी हालत ख़राब है।

बङ्गाल के ४७ सत्याग्रही क़ैदी अभी तक जेल में सड़ रहे हैं

३० जुलाई को बङ्गाल की व्यवस्थापिका सभा में प्रश्नोत्तर होने के समय, गृह-विभाग के सदस्य (Home member) ने एक वक्तव्य उपस्थित किया, जिससे सूचित होता था कि विगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय के ४७ अभियुक्त अभी तक जेल में हैं। उन पर किसी प्रकार की पारिभाषिक हिंसा व बल प्रयोग करने का अभियोग नहीं लगा हुआ है और न वे किसी को हिंसा करने अथवा बल प्रयोग करने के लिए उत्तेजित करने के ही अभियोगी हैं। गृह-सदस्य ने सभा को विश्वास दिलाया कि जेल से मुक्त कर देने की सिफ़ारिश की शर्तों के अनुसार प्रत्येक के मामले पर अलग-अलग विचार किया गया था।

ताड़ी का नीलाम

मद्रास ३० जुलाई। ताड़ी की दूकानों की नीलामी, जो आज के लिए विज्ञापनों द्वारा निश्चित थी, स्थगित कर दी गई है। बोली बोलने के लिए कोई नहीं हाज़िर हुआ। कॉङ्ग्रेस कमिटी ने श्री० सत्यमूर्ति तथा अन्य नायकों के नेतृत्व में पिकेटिङ्ग का कार्य सङ्गठित किया था। पिकेटिङ्ग दोपहर के पश्चात देर तक होती रही। शान्ति-रक्षा करने के लिए पुलीस उपस्थित थी।

—रङ्गपुर का ३१वीं जुलाई का समाचार है, कि विश्वनाथ लाहिड़ी, जो बी० एस्-सी० के विद्यार्थी तथा वहीं के एक प्रतिष्ठित वकील के पुत्र थे, बङ्गाल ऑर्डिनेन्स में गिरफ़्तार कर लिए गए।

—कलकत्ता का ३१वीं जुलाई का समाचार है, कि भयङ्कर बाढ़ के कारण मैमनसिंह, सिराजगञ्ज, गवालन्दो, पूरन बाज़ार आदि स्थानों के लोग बड़ी बुरी स्थिति में हैं। जूट की फ़सल एकदम नष्ट हो गई है। हज़ारों घर और मवेशी बह गए। रेल की लाइन भी टूट गई है।

—बम्बई का ३१वीं जुलाई का समाचार है, कि ताड़ी और शराब की कुल २१७ दूकानों में केवल ८० दूकानों की नीलामी हो सकी। यह केवल पिकेटिङ्ग का प्रभाव है।

—अमृतसर का समाचार है कि गत ३१वीं जुलाई को ज़ब्तशुदा पुस्तक "शहीदान-ए-वतन" के लिए शहर में सात-आठ स्थानों में तलाशियाँ हुईं। नौजवान भारत-सभा के कार्यालय की भी तलाशी ली गई, परन्तु कुछ भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली।

—अमृतसर का ३१वीं जुलाई का समाचार है, कि सूफ़ी ग़ुलाम मुहम्मद को, जिनके पास एक पिस्तौल पाई गई थी, 'आर्म्स ऐक्ट' की १९वीं धारा के अनुसार दो वर्ष की कड़ी क़ैद की सज़ा दी गई है। आप 'सी' क्लास में रक्खे गए हैं।

—बम्बई का ३१वीं जुलाई का समाचार है कि मि० जिन्ना ने, जो अभी उसी दिन विलायत से लौटे हैं, प्रेस-प्रतिनिधि से बातें करते हुए कहा कि यदि आगामी गोलमेज़ में हिन्दू-मुसलमान अपनी सम्मिलित माँग पेश करें तथा अपना एक मत प्रकट कर सकें, तो कुछ सफलता की आशा की जा सकती है, अन्यथा व्यर्थ है।

—कानपुर का ३१वीं जुलाई का समाचार है कि श्री० गोपीनाथसिंह गिरफ़्तार हो गए। आप और श्री० प्रकाशनारायण सक्सेना कलक्टर मि० हबटसन के सामने पेश किए गए। अभियुक्त ज़मानत पर हैं। ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा ११२ के अनुसार एक नोटिस जारी की गई है। ३ अगस्त तक के लिए मामला स्थगित रक्खा गया।

—रङ्गपुर के सेशन्स जज की कचहरी में स्थानीय पुलीस सुपरिण्टेण्डेण्ट, पुलीस इन्स्पेक्टर, और पुलीस सब-इन्स्पेक्टर पर सच्ची घटना को दबा कर झूठी गवाहियाँ पेश करने के अपराध में मुक़द्दमा चल रहा है।

—कलकत्ते का समाचार है कि श्री० प्रभात बनर्जी द्वारा लिखित 'मुक्ति-पथे' की खोज में पुलीस ने 'प्रवासी'-प्रेस की तलाशी ली और वहाँ से उसकी दो कॉपियाँ उठा ले गई।

हिन्दू-महासभा का अधिवेशन

नई दिल्ली का ३१वीं जुलाई का समाचार है कि अखिल भारतवर्षीय हिन्दू-महासभा का अधिवेशन अकोला में ८ और ९ अगस्त को श्री० सी० विजयराघवाचारियर की अध्यक्षता में होगा। इस अधिवेशन में गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स के कार्यक्रम और सिकन्दराबाद, काश्मीर स्टेट और जूनागढ़ स्टेट की घटनाओं से उत्पन्न परिस्थिति पर, जहाँ "आक्रमणकारी मुसलमान रहे हैं," विचार किया जायगा।

३१वीं जुलाई को बम्बई में ताड़ी की दूकानों एवं ठेकों के ख़रीदने के लिए प्रार्थना-पत्र देने का अन्तिम दिन था; किन्तु अभी तक १२७ में से कुल ३९ ताड़ी की दूकानें पारसियों के एक सङ्घ द्वारा ख़रीदी गई हैं। ९० ताड़ी के ठेकों में से अभी तक कुल ४५ बेचे गए हैं। शेष दूकानें व ठेके नहीं लिए गए, इसलिए कल से बिक्री बन्द हो गई। चिह्न ऐसे दिखाई देते हैं कि अब उन्हें 'भविष्य' में भी कोई नहीं ख़रीदेगा। स्थानीय कॉङ्ग्रेस कमिटी का कहना है कि हम लोगों ने शराब की दूकानों पर पिछले डेढ़ महीने से जो ज़ोरदार पिकेटिङ्ग कर रक्खा था, यह उसी का प्रत्यक्ष परिणाम है!

भटवरिया का विद्रोह

५२ मनुष्यों पर मुक़द्दमा चलेगा

इलाहाबाद ३१ जुलाई। विगत ७ जून को भटवरिया गाँव में किसानों ने जो विद्रोह किया था और जिसमें किसानों के दल का एक आदमी, जव्वादहुसेन नामक ज़मींदार और उनके ६ साथी मारे गए हैं, उसके सम्बन्ध में ५२ मनुष्यों के ऊपर अभियोग लगाया गया है। आज तक उस सम्बन्ध में कुल ८५ मनुष्य गिरफ़्तार किए गए थे। उक्त ५२ मनुष्यों के अतिरिक्त ३३ क़ैदियों को छोड़ देने का हुक्म आ गया है। २० मनुष्य ऐसे हैं, जिन पर अभियोग लगाया गया है, किन्तु वे अभी लापता हैं। सब अभियोगी हिन्दू हैं।

पुलीस ने अपने अभियोग-पत्र में उन अपराधी ठहराए गए लोगों पर दफ़ा ३०२ (प्राणहत्या करना), १४७ (विद्रोह करना), ३९६ (डकैती में हत्या) लगाया है। पुलिस के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट श्री० मुहम्मद ख़ाँ ने मञ्झनपुर के सब-डिविज़नल मैजिस्ट्रेट श्री० भगवानसहाय के सम्मुख अपना अभियोग-पत्र उपस्थित कर दिया है। सब-डिविज़नल मैजिस्ट्रेट ने मामले को ज़िला-मैजिस्ट्रेट के पास भेज दिया है।

—बम्बई का १ली अगस्त का समाचार है कि चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट की आज्ञा से प्रसिद्ध षड्यन्त्रकारी श्री० एम० एन० राय पुलिस के कड़े पहरे में बम्बई से कानपुर लाए गए, जहाँ उनका मुक़द्दमा देखा जायगा।

—गत १ली अगस्त को देश के भिन्न-भिन्न स्थानों से स्व० लोकमान्य तिलक की जयन्ती मनाने के समाचार आए हैं।

—लन्दन का १ली अगस्त का समाचार है कि वियेना में श्री० विट्ठलभाई पटेल के पेट में सफलतापूर्वक नश्तर विश्व-विख्यात डॉक्टर प्रोफ़ेसर हान्स लॉरेन्स द्वारा दिया गया। श्री० पटेल की अवस्था सन्तोषजनक बताई जाती है। गोलमेज़ के समय आपने अपने उपस्थित होने की सम्भावना बतलाई है।

पटने में दूसरा बम-काण्ड

पटना का १ली अगस्त का समाचार है कि पटना शहर में चौक की पुलीस-चौकी में सन्ध्या समय बम फटने की घटना हो गई। कहा जाता है कि एक २४ वर्ष का नवयुवक रामबाबू, धर्मशाला गलाघाट में दामोदरप्रसाद नाम के एक व्यक्ति के घर में, हाथ में एक बम लिए हुए था। वह अचानक फट गया। रामबाबू सख़्त घायल हुआ और अस्पताल पहुँचाया गया। पुलीस ने इस सम्बन्ध में ६ व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया है, जिनमें दामोदरप्रसाद खत्री के लड़के महेन्द्रप्रसाद, एक लॉरी-ड्राइवर महराज महतो और लहिरी कम्पनी के एक कम्पाउण्डर हैं। पुलीस जाँच कर रही है। बम के कुछ टुकड़े, गन्धक लगी हुई कुछ चीज़ें, एक नारियल और कुछ धातु के टुकड़े उस कमरे में पाए गए, जहाँ उपरोक्त घटना हुई थी।

बाद की ख़बर है कि जिस कमरे में बम फटा था, वह बहुत बुरी तरह से नष्ट हो गया था। छत की ईंटें और दरवाज़े टूट कर नीचे गिर गए थे। घायल व्यक्ति रामबाबू का बाँया हाथ जेनरल अस्पताल में काट डाला गया है और टूटी हुई दाहिनी टिहुनी और पैर का ऑपरेशन किया गया। उसकी हालत पहले से कुछ अच्छी कही जाती है।

मैजिस्ट्रेट ने अस्पताल में उसका बयान लिया था। कहा जाता है कि रामबाबू अपने मित्र महेन्द्रप्रसाद के घर आया था। वहाँ वह मकान के कमरे के सामने एक बम हाथ में लेकर देख रहा था। वह अचानक बड़ी आवाज़ के साथ फट गया।

महराज महतो को भी कुछ चोट आई है। रामबाबू शहर के ग़ल्ले के एक व्यापारी हरिहरलाल का लड़का है। कहा जाता है कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन में उसने प्रमुख भाग लिया था। बाद के समाचारों से पता चलता है कि इस सम्बन्ध में अब तक ६ गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं।

सीमा-प्रान्त में क्या हो रहा है ?

पेशावर का १ली अगस्त का समाचार है कि ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ नथियागली में चीफ़ कमिश्नर से मिल कर वापस आ गए हैं।

श्री० देवीदास गाँधी आज कोहाट और बन्नू से वापस आगए। बन्नू में आपने वहाँ के कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं से बन्नू के डिप्टी कमिश्नर की दमन-नीति और पिकेटिङ्ग के विषय में सलाह की।

कोहाट जाने के पहले श्री० देवीदास गाँधी ने एक प्रेस-प्रतिनिधि से कहा था कि सीमा-प्रान्त के विषय में जो कुछ मैंने अख़बारों में पढ़ा था, उसकी अपेक्षा मैंने जो कुछ प्रत्यक्ष देखा है, उससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ और सीमा-प्रान्त की बातों को पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह समझने में समर्थ हुआ हूँ।

आप पेशावर, चारसड्डा, नौशेरा और मरदन तहसीलों के गाँवों में लालकुर्ती वाले ग्रामीणों से मिल चुके हैं। उनसे बातचीत करके, उनके साथ रह कर आपने उनके सम्बन्ध में निकट-अनुभव प्राप्त करने का प्रयत्न किया है।

अहमदाबाद के मज़दूरों की माँग

अहमदाबाद का १ली अगस्त का समाचार है कि मज़दूरों के पत्र "मज़ूर-सन्देश" ने मिल-मालिकों के सामने लेबर कमीशन की सिफ़ारिश के अनुसार मज़दूरी के घण्टे १० से ६ कर देने का प्रस्ताव उपस्थित किया है। मज़दूर-दल शीघ्र ही नियमानुसार मिल-मालिकों के एसोसिएशन के सामने अपना प्रस्ताव पेश करने वाला है।

—ढाका का १ली अगस्त का समाचार है कि दिन-दहाड़े तीन या चार नवयुवक म्युनिसिपैलिटी में डाका डाल कर ६,८०० रुपए लूट ले गए। वे चपरासियों को पिस्तौलों से धमकी देकर बाईसिकिल से भागे जा रहे थे कि कई व्यक्तियों ने पीछा किया, परन्तु वे पकड़े न जा सके!

राजभक्ति का पुरस्कार

इलाहाबाद का १ली अगस्त का समाचार है कि सी० आई० डी० पुलीस के स्थानापन्न डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट ठाकुर विशेश्वरसिंह को—जोकि एल्फ़्रेड पार्क में पुलीस और स्वर्गीय चन्द्रशेखर 'आज़ाद' के बीच गोली चलने की घटना में घायल हो गए थे, मेडिकल बोर्ड-द्वारा कार्य के अयोग्य कह दिए जाने के कारण, समय से पहले ही अवकाश ग्रहण करना पड़ा है। कहा जाता है कि ठाकुर विशेश्वरसिंह स्वर्गीय चन्द्रशेखर 'आज़ाद' पर पिस्तौल चलाने के समय श्री० चन्द्रशेखर 'आज़ाद' की गोली से स्वयं ही घायल हो गए थे। उनकी जबड़े की हड्डी टूट गई थी। अस्पताल से अच्छे हो जाने पर उन्होंने दो महीने की छुट्टी ली थी। छुट्टी के बाद मेडिकल-बोर्ड ने उन्हें कार्य करने के अयोग्य ठहराया है।

आपको २० वर्ष की नौकरी के हिसाब से पेन्शन मिलेगी और 'घायल' होने का भत्ता और बादशाह के पुलीस तमग़े का भत्ता भी मिलेगा।

सी० आई० डी० विभाग के मित्रों ने आपको रात के समय एक भोज दिया और एक सुन्दर 'ट्रे' पात्र प्रदान किया।

ठाकुर विशेश्वरसिंह २० वर्ष पुलीस में नौकरी कर चुके हैं। कहा जाता है कि सी० आई० डी० विभाग के राजनीतिक क्षेत्र में आपने अखिल भारतीय महत्व के अनेक कार्य किए हैं।

सरहद की गिरफ़्तारी

फ़रार नौजवान-प्रेज़िडेण्ट श्री० रामकिशन

पेशावर का पहली अगस्त का समाचार है कि पञ्जाब नौजवान भारत सभा के फ़रार प्रेज़िडेण्ट, जिनकी गिरफ़्तारी के लिए सरकार ने २००) रु० इनाम की घोषणा की थी, सरहद पर गिरफ़्तार हो गए हैं। कहा जाता है कि हिन्दुस्तान से भाग जाने के बाद आप अफ़ग़ानिस्तान के पूर्वीय प्रान्त में एक मुसलमान की तरह रहते थे।

एक पठान विद्यार्थी की पोशाक में जैसे कि पेशावर की मसजिदों में दूर-दूर गाँवों से धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते हैं, और एक सच्चे मुसलमान की तरह लम्बी काली दाढ़ी पहने हुए लबक़दर में, जब आप हिन्दुस्तानी सरहद पार कर रहे थे, तब एक सी० आई० डी० के आदमी का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हुआ।

आपकी तलाशी ली गई। तलाशी में अङ्गरेज़ी और जर्मन भाषा में लिखे हुए कुछ काग़ज़ मिले, जिनमें यूरोप में कार्य करने वाले दो भारतीय क्रान्तिकारियों के नाम थे। एक पत्र में कुछ हिन्दुओं के नाम लिखे थे। इस बात से आपके मुसलमान होने में सन्देह उत्पन्न हुआ।

दबाव डालने पर रामकिशन ने अपना सच्चा परिचय दे दिया। रामकिशन के पास जो एक पत्र मिला है उससे मालूम होता है कि आप मीठासिंह हैं, जो कि पराचीनार देश के निवासी कहे जाते हैं और जो यूरोपीय युद्ध में फ़्रान्स में लड़े थे। परन्तु बाद में लड़ाई से भाग कर तुर्कों में मिल गए थे। सुलह के बाद आप बरलिन पहुँच गए, जहाँ आप एक जर्मन स्त्री से विवाह करके वहीं रह गए। जर्मनी में मीठासिंह कुछ क्रान्तिकारियों के साथ हो गए और बहुत समय तक कम्यूनिस्ट प्रचार का कार्य करते रहे। आप अमृतसर के एक कम्यूनिस्ट पत्र में लेख भी लिखा करते थे। मीठासिंह हवाई जहाज़ द्वारा काबुल आए थे।

—लन्दन का २री अगस्त का समाचार है कि नाव चलाने की बाज़ी में सम्राट जॉर्ज को १० पौण्ड इनाम मिला है! उन्होंने प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया था।

भगतसिंह के उदाहरण को दुहराने का निश्चय

सैनिक अफ़सरों पर आक्रमण करने वालों का सनसनीपूर्ण बयान !!

भुसावल का ता० २ अगस्त का समाचार है कि लेफ़्टिनेण्ट हेक्स्ट और शीहन, दो सैनिक अफ़सरों पर चलती गाड़ी में आक्रमण करने का जिन दो व्यक्तियों पर अभियोग लगाया गया है, उन्होंने पुलीस के सामने अपने बयानों में कहा कि हम सरदार भगतसिंह और उनके कार्यों के सम्बन्ध में अध्ययन करते रहे हैं। हम लोगों ने भगतसिंह के उदाहरण को दुहराने का निश्चय किया था, जिसके लिए रिवॉल्वर और बमों की आवश्यकता थी। २१ जुलाई की रात को हम लोगों ने खण्डवा में लेफ़्टिनेण्ट हेक्स्ट को सामान और बन्दूक़ वग़ैरः के साथ देखा। हम लोगों ने यह सोच कर कि वह कम्पार्टमेण्ट में अकेला है, उसे लूटने और चीज़ों को बेच कर हथियार ख़रीदने का निश्चय किया। हम लोगों का इरादा लेफ़्टिनेण्ट हेक्स्ट को मारने का नहीं था। चाक़ू केवल रक्षा के विचार से ले गए थे। लेफ़्टिनेण्ट शीहन की मौजूदगी से हम लोगों को आश्चर्य हुआ। हम लोगों ने पकड़ जाने से बचने के लिए उन दोनों पर आक्रमण किया था।

—बम्बई का ३री अगस्त का समाचार है कि महात्मा जी गुजरात की स्थिति के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए गवर्नर से मिलने जा रहे हैं। इस बातचीत के बाद वे विलायत जाने के सम्बन्ध में अपना अन्तिम निर्णय करेंगे।

—काशी का ३री अगस्त का समाचार है कि पुलीस ने स्वामी सत्यानन्द के कमरे की तलाशी ली। वहाँ हवाई पिस्तौल और बीस शीशे की गोलियाँ मिलीं पुलीस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया, परन्तु बाद में छोड़ दिया।

—बनारस का गत ३री अगस्त का समाचार है कि हिन्दू-विश्वविद्यालय के अध्यापक तथा विद्यार्थी जब पं० मदनमोहन मालवीय जी को गोलमेज़ के लिए विदा कर रहे थे, तब पण्डित जी ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में कहा कि देश-सेवा ही सर्वोत्तम धर्म है और देश के युवकों को अहिंसामय देश-सेवा में प्रवृत्त हो जाना चाहिए।

—अकोला का ३री अगस्त का समाचार है कि पं० मालवीय तथा डॉ० मुञ्जे ने महात्मा गाँधी तथा सरदार पटेल को इस आशय का तार भेजा है कि हिन्दू-महासभा के अधिवेशन तक अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी की बैठक रोक ली जाय।

—शाहाबाद (बिहार) ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के मन्त्री श्री० गुप्तेश्वर पाण्डेय सूचित करते हैं कि ज़िले के राष्ट्रीय जीवन में पुनरुत्थान लाने के लिए वे कॉङ्ग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री० चन्द्रशेखरसिंह के साथ ज़िले का दौरा कर रहे हैं और स्थान-स्थान पर हिन्दुस्तानी सेवा-दल के शिक्षण का प्रबन्ध कर रहे हैं। कई स्थानों में स्वयंसेवक-शिक्षण-शिविर खुल गए हैं और ज़िले के राजनीतिक-क्षेत्र में फिर नवजीवन आ रहा है।

कॉङ्ग्रेस कार्यकारिणी कमिटी की बैठक

बम्बई का ४थी अगस्त का समाचार है कि कॉङ्ग्रेस कार्यकारिणी कमिटी की बैठक ३ बजे दोपहर को मनी-भवन में प्रारम्भ हुई, जिसमें निम्न-लिखित सज्जन उपस्थित थे :—सरदार वल्लभभाई पटेल (सभापति) पं० जवाहरलाल नेहरू, डॉ० अन्सारी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, सरदार शार्दूलसिंह, श्री० के० एफ़० नैरीमन, और डॉ० सय्यद महमूद। बैठक साढ़े ६ बजे शाम को समाप्त हुई। एक प्रस्ताव द्वारा लन्दन की कॉङ्ग्रेस शाखा का सम्बन्ध कॉङ्ग्रेस से अलग कर दिया गया। इसके साथ ही एक प्रस्ताव कॉङ्ग्रेस संस्थाओं के चुनाव के सम्बन्ध में पास हुआ। प्रस्ताव में प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटियों से अपने प्रान्तीय नियमों में ऐसा संशोधन करने के लिए कहा गया है, जिससे जहाँ तक सम्भव हो एक स्थान से एक ही सदस्य भेजा जा सके। हर हालत में चुनाव के एक केन्द्र से तालुक़ा, ज़िला और प्रान्तीय कमिटियों में ५ से अधिक सदस्य न भेजे जा सकें। प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटियों से कहा गया है कि वे ३० सितम्बर तक कॉङ्ग्रेस कार्यकारिणी कमिटी के पास इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्टें भेज दें। चुनाव के नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता, कॉङ्ग्रेस सङ्गठन के बढ़ने और अधिक सदस्यों के चुनने में कठिनाइयों के उपस्थित होने के कारण उत्पन्न हुई है।

इसके बाद कार्रवाई कल के लिए स्थगित हो गई।

कानपुर में अतिरिक्त पुलीस

गवर्नर-इन-कौन्सिल ने १८६१ के पुलीस-एक्ट के १५वें सेक्शन के छठवें उप-सेक्शन द्वारा प्राप्त अधिकार के आधार पर यह हुक्म जारी किया है कि उक्त विभाग की ओर से ३० मार्च, १९३१ ई० को घोषणा-पत्र जारी किया गया था और जिसका आशय यह था कि कानपुर नगर में पुलीस की संख्या में अभिवृद्धि की जाय, वह अभी ३० जुलाई, १९३१ ई० से तीन मास तक लागू होगा।

कानपुर के गाँवों में अतिरिक्त पुलीस

१८६१ के पुलीस-एक्ट के १५वें उप-सेक्शन के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार के आधार पर गवर्नर-इन-कौन्सिल ने यह हुक्म जारी किया है कि कानपुर ज़िले के निम्न-लिखित गाँवों में वहाँ के निवासियों के व्यवहार के कारण यह आवश्यक समझा जाता है कि वहाँ अतिरिक्त पुलीस की नियुक्ति की जाय :—

(१) गवरहा—बिठूर पुलीस के हल्क़े में।
(२) नैला—ककवन पुलीस के हल्क़े में।
(३) अनै—ककवन पुलीस के हल्क़े में।

यह घोषणा-पत्र अतिरिक्त पुलीस की नियुक्त के दिन से चार मास तक लागू होगा।

बहरायच में किसानों पर नई विपत्ति !

ज़िला बहरायच के अन्तर्गत नानपारा परगना में स्थित निम्न-लिखित २९ गाँवों के किसानों द्वारा अपने ज़मींदारों का बक़ाया पोत देना अस्वीकार किए जाने पर गवर्नर ने १८६६ के अवध रेण्ट-ऐक्ट के १२-अ सेक्शन के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के अनुसार यह घोषणा निकाली है कि उक्त बक़ाया पोत बक़ाया माल-गुज़ारी के रूप में वसूल किया जाय :—

अलिंगा कलन, चन्देला, लालपुर, ठेकादारी समेत शिवपुर, धनोली ख़ुर्द, रघुनाथपुर, नकवा, बरदहा, ललूही, पथरा ख़ुर्द, पथरा कलाँ, सेमरिया, मानिकपुर, भगवानपुर बिलासपुर, पकरा देवरिया, मसदनगर घस्थनवा, शङ्करपुर, वादमपुर, मुसलमपुर, जहिया समेत इतहा, असवा मोहम्मदपुर, सचवापुर गोकुलपुर, किशुनपुर मिया, नकाही, काला कलाँ, खैरा धन्कल, चाकर, मुनीमपुर कलाँ, मतेरा कलाँ, कुरसहा, थनवा।

लिबरल फ़ेडरेशन का १३वाँ अधिवेशन

श्री० चिन्तामणि द्वारा राजनीतिक घटनाओं का सिंहावलोकन

भारत के राष्ट्रीय उदार-दल-सङ्घ के बम्बई में होने वाले तेरहवें अधिवेशन के सभापति श्री० चिन्तामणि ने अपने भाषण के प्रारम्भ में उन प्रसिद्ध देशभक्तों की चर्चा की जिनका स्वर्गवास हो गया है—पं० मोतीलाल जी नेहरू, मौलाना मुहम्मदअली, महमूदाबाद के महाराजा, रावबहादुर के० जी० डामले, सर शङ्करराव चितनविस, श्री० के० टी० पॉल तथा श्री० इयर्डली नॉरटन।

अपनी तथा सम्मेलन की ओर से, पूना-स्थित फ़र्गुसन कॉलेज में सर अर्नेस्ट हॉट्सन के प्रति सम्मान-पूर्वक सहानुभूति प्रकट करते हुए, उन्हें इसलिए बधाई दी कि वे सुस्थिर-चित्त से काम लेकर उस ख़तरे से बच गए। इसके अनन्तर सभापति ने पूर्व-घटित राज-नीतिक घटनाओं पर सिंहावलोकन किया और कहा कि "जिस प्रकार साम्यवादी रूस ज़ारशाही रूस का बालक है, उसी प्रकार क्रान्तिकारी भारत केवल विदेशी अनियन्त्रित शासन का परिणाम-स्वरूप होगा।"



श्री० सी० वाई० चिन्तामणि

सङ्घ शासन-विधान उप-समिति (Federal Structure Sub-Committee) के लिए नवीन नामनीति करने की नीति का घोर विरोध इस आधार पर किया कि ऐसा करना श्री० रामज़े मैकडॉनेल्ड द्वारा गत वर्ष निर्धारित एवं अनुसरित नियम के सर्वथा प्रतिकूल होगा। गोलमेज़ परिषद् के कार्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने यह स्वीकार किया कि सङ्घ-शासन-योजना में पूर्ण सहयोग करने के लिए देशी नरेशों ने जो घोषणाएँ की हैं, उनसे उक्त परिषद् का समस्त वायु-मण्डल सहसा परिवर्तित हो गया। आपने कहा कि सङ्घ-योजना को सफल बनाने के लिए, अपनी उत्कट लालसा की पूर्ति के लिए, मैं पूर्ण-प्रयत्न करूँगा, किन्तु साथ ही यह भी कहा कि—"सङ्घ-शासन-योजना चाहे सफल हो अथवा विफल, हम उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन अवश्य प्राप्त करेंगे, प्रान्तीय शासन की अपेक्षा केन्द्रीय शासन में कम उत्तरदायित्व नहीं स्वीकार करेंगे और हम इतना अवश्य-मेव अविलम्ब ही लेकर छोड़ेंगे।"

इसके पश्चात और अन्य साधारण प्रारम्भिक प्रश्नों की चर्चा करते हुए, गोलमेज़ी परिषद् द्वारा प्रस्तावित विधानायोजना की परीक्षा करने के लिए उसका विश्लेषण करना प्रारम्भ किया। उत्तरदायी केन्द्रीय कार्यकारिणी के सम्बन्ध में आपने कहा कि सङ्घ-शासन विधान की उप-समिति (Federal Structure Sub-Committee) द्वारा अनुमोदित सिफ़ारिशें, राष्ट्रीय माँग से अधिक पीछे हैं। ब्रिटिश सरकार की चरम सत्ता वाले प्रश्न (Paramountcy) के सम्बन्ध में जिसकी ओर देशी नरेशों के चित्त अधिक आकर्षित रहता है, श्री० चिन्ता-मणि जी ने कहा कि देशी नरेश, जो कि अपने अनि-यन्त्रित अधिकार (Right of Absolutism) पर अधिक ज़ोर देते हैं, अनुचित करते हैं। उनकी सम्मति में महत्वपूर्ण रक्षा (Defence) के विषय पर सङ्घ एवं रक्षा उप-समितियों (Federal & Defence Sub-Committee) के वाद-विवाद का जो कुछ परिणाम हुआ, वह निराशोत्पादक है और यह सूचित करता है कि उक्त प्रश्न की अनिवार्य आवश्यकता पर समुचित रूप से ध्यान नहीं दिया गया। इस विषय की विस्तृत चर्चा 'भविष्य' के आगामी अङ्क में की जायगी।

* * *

पबना में भीषण अकाल !

पबना के वकील श्री० गिरीशचन्द्र सान्याल 'आनन्द-बाज़ार पत्रिका' में लिखते हैं कि पबना ज़िले में, जिसमें कुल १४ लाख आदमी रहते हैं, अकाल ने विकराल रूप धारण कर लिया है। ३० हज़ार के लगभग मनुष्य बरा-बर भूखे रह रहे हैं। कुखाद्य खा-खाकर लोग मर रहे हैं। कुछ बेचारे भूख की भीषण ज्वाला न सह सकने के कारण आत्म-हत्या तक कर बैठते हैं। चारों ओर भूखों का आर्तनाद हो रहा है। चैत्र मास से तमाम ज़िले में न मालूम कितने नर-नारी आधा पेट भोजन खाकर रहने लगे। कई मास व्यतीत हो गए, अभी तक इस दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। यदि ठीक समय पर कोई उचित व्यवस्था न हुई, तो ईश्वर जाने कितने आदमी भूख के शिकार हो जायँगे। पबना ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी ने एक सहायता-समिति स्थापित की है। देश के परोप-कारी धनी लोगों को ऐसी अवस्था में अवश्य सहायता करनी चाहिए। श्री० प्रफुल्लचन्द्र राय, सभापति पबना ज़िला रिलीफ़ कमिटी के नाम से सहायता भेजनी चाहिए।

—बारदोली का समाचार है, कि तलातिस और सरकिल इन्स्पेक्टर्स की ज़्यादती के समाचार यहाँ बराबर आ रहे हैं। बक़ाया मालगुज़ारी को वसूल करने पर तुले हुए हैं। असामान्य अपराध उनके विरुद्ध में लगाए जा रहे हैं और अकाट्य प्रमाण उपस्थित किए जा रहे हैं। आश्चर्य की बात नहीं, कि बारदोली के प्रश्न का यदि ठीक समझौता न किया गया, तो कॉङ्ग्रेस गोल-मेज़-परिषद् को सहयोग न देगी। १६ जुलाई से माल-गुज़ारी वसूल करने के लिए गाँवों पर धावे मारे गए हैं। समाचार मिला है कि जब किसी गाँव पर धावा होता है, तो लोगों को गाँव के बाहर नहीं निकलने दिया जाता, पशुओं को गाँव के बाहर ले जाने की अनुमति नहीं मिलती और किसानों को खेत में अपना प्रतिदिन का कार्य करने के लिए इजाज़त नहीं मिलती। रेयम, मोतीफ़रोद, तिम्बेरवा, सङ्करी, राजपुर, लम्भावगोच, खोज तथा पारदी आदि गाँवों में भी भाँति-भाँति के अत्याचार किए जा रहे हैं।

'भविष्य' की व्यङ्ग-चित्रावली का एक पृष्ठ



मि० चर्चिल—(लॉर्ड इर्विन से) माई लॉर्ड, इस 'अर्द्ध-नग्न फ़क़ीर' का इतना सम्मान मैं कदापि सहन नहीं कर सकता !

लॉर्ड इर्विन—(आँख मार कर) you seem to be most tactless Mr. Churchill.



हमारे अन्नदाता का बोझ !



अजी सम्पादक जी महाराज,

जय राम जी की !

कल रात में अपने राम ने एक बड़ा विचित्र स्वप्न देखा। विजया की झोंक में शाम ही से पड़के सो गए। पहले तो कुछ ऊट-पटाँग स्वप्न देखा, तत्पश्चात् क्या देखते हैं कि एक पहाड़ी स्थान में चले आ रहे हैं। अब अपने राम चक्कर में पड़े कि कहाँ से कहाँ आ गए। न टिकिट लिया, न रेल पर सवार हुए, फिर यहाँ कैसे आ गए। फिर समतल भूमि होती तो भी ग़नीमत थी, पहाड़ पर कैसे चढ़ आए। यह तो अपने राम के स्वभाव के विरुद्ध बात हुई। क्योंकि अपने राम पहाड़ को दूर ही से देख कर उसका आनन्द उठा लेते हैं, पास कभी नहीं फटकते। हरिद्वार गए तो लोगों ने कहा, उस पहाड़ी पर देवी जी हैं—अपने राम ने नीचे ही से हाथ जोड़ लिए। लोगों ने ऊपर जाने के लिए आग्रह किया, परन्तु अपने राम ने साफ़ इन्कार कर दिया। कहा—देवी जी यदि अपने राम को दर्शन देना चाहें, तो नीचे आने का कष्ट करें—अपने राम तो ऊपर जाने से रहे। लोगों ने कहा—"देवी जी को क्या ग़रज़, जो नीचे आवें।" अपने राम ने उत्तर दिया—"तो फ़िलहाल अपने राम को भी ऊपर जाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है।" इसी प्रकार अजमेर में दो-एक पहाड़ियों को दिखा कर लोगों ने कहा—इस पर तारागढ़ का क़िला है, इस पर हनुमान जी का मन्दिर है, यह नाग पहाड़ है, इस पर एक पानी के कुण्ड में हज़ारों साँप रहते हैं—देखने योग्य चीज़ है। परन्तु अपने राम टस से मस नहीं हुए। अपने राम को कुछ तारागढ़ का क़िला तो फ़तह करना ही न था, हनुमान जी के मन्दिर अपने शहर ही में गली-गली हैं। रहा नाग पहाड़, सो जनाब, यहाँ बिच्छू का मन्त्र तक नहीं आता, नाग पहाड़ पर आकर जान ख़तरे में कौन डालता है। एक साँप को देख कर ही रूह फ़ना हो जाती है—हज़ारों साँप देख कर तो बिना साँप काटे ही ज़हर चढ़ जाता। इसी अजमेर के अन्नसागर में साँपों को पानी में तैरते देख कर सागर की सूरत से नफ़रत हो गई—अन्यथा पहले तो इच्छा हुई थी कि स्नान कर डालें। अन्नसागर की श्वेत सुन्दर सीढ़ियों पर साँप के बच्चों को बिलबिलाते हुए देख कर इच्छा हुई थी कि कमिश्नर को लिख भेजें कि यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी सख़्त नालायक़ है, जो इस प्रकार साँपों को बिना इजाज़त घूमने-फिरने देती है। ओहो! सम्पादक जी, क्षमा कीजिएगा। मैं कहाँ से कहाँ बहक गया। हाँ, तो अपने राम को जब पहाड़ की चढ़ाई से इतनी सख़्त नफ़रत है, तो फिर इस शैल पर कैसे आ गए। परन्तु करते क्या, मजबूरी थी—अब तो आ ही गए। ख़ैर, जब आ ही गए हैं तो कुछ सैर-सपाटा तो कर ही लेना चाहिए। यह सोच कर आगे बढ़े। आकाश और पाताल में बने हुए सुन्दर मकानों को देखते-देखते एक बहुत बड़े और अत्यन्त सुन्दर भवन के सामने पहुँच गए। इस मकान पर "गार्ड" का पहरा था। उन्होंने देखते ही ललकारा कि इधर कहाँ जाते हो? मैंने उत्तर दिया—"भाई, मैं अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आया हूँ। मेरा वश चलता तो मैं यहाँ आना तो क्या, इधर मुँह करके भी न बैठता। ख़ैर, जब आ ही गया हूँ, तो कृपा करके यह तो बता दो कि यह भवन किसका है?" उनमें से एक ने उत्तर दिया—"क्या तुम इतना भी नहीं जानते?" मैंने कहा—"मैं इतना क्या, बहुत कुछ नहीं जानता। अभी तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ।" उसने जवाब दिया—"यह वायसरॉय का महल है।" अररर! इतना सुनना था कि अपने राम तुरन्त समझ गए कि दुर्भाग्य शिमला शैल पर खींच लाया। नाम बहुत दिनों से सुनते थे, पर आज बदक़िस्मती से देख भी लिया। ख़ैर, चलो वायसरॉय महोदय से मिलते चलो। यहाँ का आना तो सुफल हो जाय! यह सोच कर गार्ड से कहा—"हिज़ एक्सिलेन्सी को सूचना दो कि दुबे जी महाराज आपसे मिलना चाहते हैं।"

गार्ड ने कहा—अपने नाम का कार्ड दो।

मैंने उत्तर दिया—तुम बड़े अहमक़ आदमी हो, जब मैंने तुमसे कह दिया कि मैं अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आया हूँ, तो फिर कार्ड और लिफ़ाफ़े की बात क्यों करते हो? अपनी इच्छा से आता तो कार्ड, लिफ़ाफ़े, स्टाम्प, गोंददानी इत्यादि सब ले आता। फ़िलहाल तो बिल्कुल निहत्था आया हूँ।

ख़ैर जनाब, थोड़ी देर तक तू तू-मैं मैं होती रही और गाली-गलौज तथा जूता-लात पर नौबत आने ही वाली थी कि हिज़ एक्सिलेन्सी ख़ुद बाहर निकल आए। मैंने बड़े अदब से झुक कर सलाम किया। हिज़ एक्सिलेन्सी ने पूछा—"क्या चाहते हो?" मैंने उत्तर दिया—"श्रीमान् से दो-दो बातें करना चाहता हूँ।"

फिर प्रश्न किया गया—कहाँ से आए हो?

मैंने उत्तर दिया—"मैं स्वयम् तो आया नहीं हूँ, और न मुझे यह पता है कि मैं कैसे यहाँ आ गया। परन्तु फिर भी श्रीमान से वार्त्तालाप करने की बड़ी लालसा है।" हिज़ एक्सिलेन्सी थोड़ी देर तक मेरी सूरत देखते रहे, तत्पश्चात् उन्होंने एक गार्ड से कुछ इशारा किया। उस गार्ड ने आगे बढ़ कर मेरी जामा-तलाशी ली। मैं समझ गया कि हिज़ एक्सिलेन्सी को सन्देह है कि कहीं मैं कोई पिस्तौल या बम तो नहीं लाया हूँ। मैंने तुरन्त कहा—"श्रीमान किसी बात की चिन्ता न करें, पिस्तौल की सूरत मैंने दूर से दो-एक बार देखी है—हाथ से छुआ हो तो क़सम ले लीजिए और बम का नाम अख़बारों में पढ़ा है। मुझे यह भी पता नहीं कि वाक़ई बम कोई चीज़ होती भी है या लोगों ने योंही नाम मशहूर कर दिया। पिस्तौल-बन्दूक़ की तो बात ही क्या, मैं अपने पास पेन्सिल बनाने के लिए चाक़ू तक तो रखता नहीं; क्योंकि जब से फ़ाउण्टेनपेन ख़रीदा तब से पेन्सिल का काम ही नहीं पड़ता। इस प्रकार मैं अपने पास कोई हथियार नहीं रखता, ख़ाली ज़ुबानी जमा-ख़र्च रखता हूँ।" यह सुन कर हिज़ एक्सिलेन्सी मुस्कराए और मुझे अन्दर बुला ले गए। एक आलीशान कमरे के अन्दर ले जाकर एक मख़मली इज़ी-चेयर पर बिठाया और स्वयं सामने बैठ कर बोले—"कहो, क्या कहना चाहते हो?" मैंने उत्तर दिया—"मैं कहना तो कुछ भी नहीं चाहता, केवल कुछ पूछना चाहता हूँ।" हिज़ एक्सिलेन्सी बोले—"हाँ-हाँ, मेरा मतलब यही है कि तुम्हें जो कुछ पूछना हो पूछो।"

मैंने पूछा—पहले यह बताइए कि आप हिन्दुस्तान में आकर प्रसन्न तो हैं। क्योंकि आजकल हिन्दुस्तान की जो दशा है, उसे देखते हुए बहुत कम वायसरॉय ऐसे निकलेंगे, जो यहाँ आकर प्रसन्न रहें।

हिज़ एक्सिलेन्सी ने कुछ क्षणों तक विचार कर कहा—यह तो बड़ा टेढ़ा प्रश्न है। मैं स्वयम् नहीं जानता क मैं यहाँ आकर प्रसन्न हूँ या नहीं। हाँ, मैं यह कह सकता हूँ कि मेरे मातहत मुझे प्रसन्न रखने की पूरी चेष्टा करते रहते हैं।

मैंने कहा—सो तो अवश्य करते रहते होंगे। क्योंकि आपको प्रसन्न रक्खे बिना वे अपनी इच्छानुसार कभी कोई काम नहीं कर सकते। अच्छा, अब यह बताइए कि राउण्डटेबुल कॉन्फ़्रेन्स होगी ही, मानेगी नहीं?

हिज़ एक्सिलेन्सी ने उत्तर दिया—अवश्य होगी, न होने के क्या मानी?

"मानी और अर्थ पूछने की मेरी मजाल नहीं, मैं तो केवल बात पूछता हूँ। अच्छा अब यह बताइए कि राउण्डटेबुल कॉन्फ़्रेन्स में कुछ मिलेगा भी या नहीं?"

"इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता। यह तो हिन्दुस्तान की तक़दीर है। हिन्दुस्तान की तक़दीर में होगा तो मिल जायगा।"

"बेशक! बेशक! तक़दीर का तो सारा खेल ही है। जैसे श्रीमान् को तक़दीर से हिन्दुस्तान की वायसराई मिल गई, वैसे ही सम्भव है, हिन्दुस्तान को क़िस्मत से कुछ मिल जाय! क्यों, यही बात है न?"

"हाँ, ऐसी ही बात हो सकती है।"

"अच्छा, अब यह बताइए कि यदि राउण्डटेबुल कॉन्फ़्रेन्स फ़ेल हो गई तो क्या होगा?"

"फ़ेल कैसे होगी? फ़ेल कभी नहीं होगी।"

"हाँ, यह अपने राम को पूर्ण विश्वास है कि आपके मारे कभी न फ़ेल होने पाएगी, परन्तु फिर भी एहतियातन पूछे ले रहा हूँ।"

"हिन्दुस्तान की तक़दीर ख़राब होगी, तो अवश्य फ़ेल हो जायगी।"

"मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि श्रीमान शनैः-शनैः भाग्यवादी होते जा रहे हैं। मान लीजिए कि अगर फ़ेल हो गई तो फिर क्या होगा?"

"जो ख़ुदा को मन्ज़ूर होगा, वह होगा।"

"ख़ुदा को तो जो मन्ज़ूर होगा वह होता रहेगा—फ़िलहाल आपको क्या मन्ज़ूर होगा?"

"जिसमें हिन्दुस्तान की भलाई होगी, हमको वही मन्ज़ूर होगा।"

"बेशक क़ायदे से ऐसा होना ही चाहिए, परन्तु आप अपनी व्यक्तिगत बात छोड़ कर ब्रिटिश सरकार की बात कहिए।"

"ब्रिटिश सरकार की बात ब्रिटिश सरकार जाने। पराए दिल का हाल हम क्या बता सकते हैं?"

"साम्प्रदायिक प्रश्न कब हल होगा?"

"जब ख़ुदा की मर्ज़ी होगी।"

"श्रीमान तो पूरे वली-अल्लाह की सी बातें करते हैं—यह बहुत ही बड़ी भारी ख़ुशी की बात है। परन्तु फ़िलहाल तो मैं आपकी मर्ज़ी की बात जानना चाहता हूँ कि आपकी मर्ज़ी क्या है। साम्प्रदायिक झगड़ों को आप मुहब्बत की निगाह से देखते हैं या नफ़रत की?"

"नफ़रत की!"

"इनको बन्द करने के लिए आप कुछ प्रयत्न करते हैं या नहीं?"

(शेष मैटर ७वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

कलेक्टर बनाम 'भविष्य'

स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की सर्वथा अनुचित हरकतें !!

'भविष्य' का डिक्लेरेशन अस्वीकार करने की धमकियाँ :: क्या प्रान्तीय सरकार इस ओर ध्यान देगी ?

'भविष्य' के दूसरे सम्पादक पं० भुवनेश्वरनाथ जी मिश्र, एम० ए० के भी गिरफ़्तार कर लिए जाने पर; २२ वीं जुलाई की दोपहर को 'भविष्य' के स्थानापन्न सम्पादक, मुद्रक, प्रकाशक और फ़ाइन आर्ट प्रिन्टिङ्ग कॉटेज के 'कीपर' की हैसियत से श्री० शङ्करदयाल जी श्रीवास्तव, एम० ए०; डिक्लेरेशन देने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कोठी पर गए थे और उनके साथ संस्था के अध्यक्ष और सञ्चालक श्री० सहगल जी भी उनकी शनाख़्त करने के अभिप्रायः से गए थे। उस दिन जिस भद्दे और अनुचित ढङ्ग से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उनसे बातें की थीं, उसका विस्तृत विवरण पाठक २३ जुलाई के 'भविष्य' में पढ़ चुके होंगे। पाठकों ने उसमें यह भी पढ़ा होगा कि किस प्रकार सहगल जी तथा श्रीवास्तव महोदय को गिरफ़्तार करने की धमकियाँ दी गई थीं और किस प्रकार श्रीवास्तव जी को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने भड़काने का प्रयत्न किया था। फल वही हुआ, जिसकी सम्भावना थी। श्रीवास्तव जी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का रौद्र-रूप देख कर एक बार ही घबरा गए; उन्हें स्वप्न में भी इस बात की आशा न थी, कि किसी प्रतिष्ठित पत्र के सम्पादक, मुद्रक अथवा प्रकाशक को इस हद तक ज़लील किया जा सकता है; अतएव उन्होंने इस झञ्झट में व्यर्थ ही पड़ना उचित नहीं समझा और अपने पद को त्याग दिया। उनके पद-त्याग करने पर स्थानीय मातृ मन्दिर की स्थानापन्न सुपरिन्टेण्डेण्ट श्रीमती लक्ष्मीदेवी ने यह सारा भार ग्रहण करने का निश्चय कर लिया। वे पं० नन्दकिशोर तिवारी के साथ ४थी जुलाई को २ बजे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अदालत में गईं; जबकि 'भविष्य' के दूसरे सम्पादक पं० भुवनेश्वरनाथ मिश्र वाला 'राजविद्रोह' का मामला चल रहा था। केस समाप्त होने पर श्रीमती लक्ष्मीदेवी ने डिक्लेरेशन पेश किए। उनसे पूछा गया, कि यह प्रेस किस का है ?

उ०—मेरे भाई का।

प्र०—आपके भाई का नाम क्या है ?

उ०—मि० आर० सहगल।

प्र०—क्या आप इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी के कार्य को निबाह सकेंगी ?

उ०—जी हाँ, इसीलिए तो आई हूँ।

प्र०—पर चूँकि आपके कथनानुसार प्रेस मि० सहगल का है, इसलिए मैं आपका डिक्लेरेशन मञ्ज़ूर नहीं कर सकता।

इस पर पं० नन्दकिशोर तिवारी ने कहा कि मैं एक-दो नहीं, सैकड़ों उदाहरण उपस्थित कर सकता हूँ कि प्रेस के स्वामी ही इस उत्तरदायित्व को ग्रहण नहीं करते। 'लीडर' प्रेस पं० कृष्णाराम मेहता का नहीं × × × बात पूरी भी होने न पाई थी, कि मैजिस्ट्रेट साहब ने उनसे कहा कि आप वकील नहीं हैं, फिर बहस व्यर्थ है। जैसा मैं कह चुका हूँ, मैं इस डिक्लेरेशन को मञ्ज़ूर नहीं कर सकता। पहिले डिक्लेरेण्ट कहाँ हैं ? तिवारी जी ने कहा कि मि० श्रीवास्तव ने इस्तीफ़ा दे दिया है, इस पर कलेक्टर साहब ने मन्द-मन्द मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या आप अभियुक्त पं० भुवनेश्वर मिश्र के भाई हैं ?

उ०—जी हाँ, वह मेरा छोटा भाई है।

प्र०—मि० सहगल ख़ुद डिक्लेरेशन दाख़िल क्यों नहीं करते ?

उ०—मैं इस बात का कोई उत्तर नहीं दे सकता।

प्र०—मैंने तो मि० श्रीवास्तव का डिक्लेरेशन भी मञ्ज़ूर नहीं किया था, क्योंकि वे भी प्रेस के स्वामी नहीं थे।

उ०—पर क़ानून के आदेशानुसार डिक्लेरेशन आपको दिया जा चुका है।

प्र०—पर इससे क्या होता है ? मैंने उसे मञ्ज़ूर नहीं किया था और यदि उसी डिक्लेरेशन पर आज तक प्रेस चलता रहा है तो यह सर्वथा ग़ैर-क़ानूनी है।

उ०—यदि आप इस बार डिक्लेरेशन नामञ्ज़ूर करते हैं तो क्या मुझे इस बात को लिख कर आप देने की कृपा करेंगे ?

प्र०—नहीं।

उ०—तो ऐसी हालत में यह डिक्लेरेशन ही लौटा देने की कृपा करें।

प्र०—यह भी नहीं हो सकता।

इसके बाद तिवारी जी का कहना है, कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने २-३ बार डिक्लेरेशनों पर कुछ लिखा फिर उसे काट दिया, अन्त में क्या हुआ, उन्हें पता नहीं। उनकी अन्तिम बात समाप्त भी न होने पाई थी कि पेशकार साहब ने कहा कि "झगड़ा मत करो, यहाँ से चले जाओ !"

यह समाचार क़रीब ४ बजे शाम को सहगल जी को मिला। बार-बार के इस अपमान से दुखित होकर उसी समय अर्थात् ४थी अगस्त की शाम को श्री० सहगल जी ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नाम एक पत्र लिखा है। जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा आज तक समय-समय पर होने वाले अनुचित कार्यों का उल्लेख करते हुए, सहगल जी ने उन सारी घटनाओं का संक्षेप में उल्लेख किया है, जिसका सार ऊपर दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पूछा है कि आप यह बतलाने की कृपा करें; कि आख़िर वह कौन सा क़ानून है, जिसके अनुसार आप डिक्लेरेशन अस्वीकार कर सकते हैं ? सहगल जी का कहना है कि "जहाँ तक मुझे क़ानून का ज्ञान है, उसके बल पर मैं तो यही जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपने को किसी प्रेस अथवा पत्र का मुद्रक और प्रकाशक घोषित कर सकता है। जब कि प्रेस-ऐक्ट की यह धारा, जिसके अनुसार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को डिक्लेरेशन नामञ्ज़ूर करने का अधिकार था, कभी का रद्द हो चुका है ; मेरा ख़याल है कि जब तक वह धारा क़ानूनन् जायज़ नहीं है और जब तक कोई विशेष ऑर्डिनेन्स पास नहीं किया जाता तब तक कोई भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी भी डिक्लेरेशन को नामञ्ज़ूर नहीं कर सकता। यदि मैं भूल करता हूँ तो मुझे आप मेरी भूल बतलाने की कृपा करें।"

सहगल जी ने पत्र के अन्त में यह भी लिखा है कि "आप द्वारा मुझ पर होने वाले दुर्व्यवहारों की अब हद हो चुकी है, मैं अब अधिक सहन नहीं कर सकता, अतएव मैं स्पष्ट रूप से आपकी मनोवृत्ति जानना चाहता हूँ, कि आख़िर भविष्य में आप मुझसे तथा मेरी संस्था से कैसा व्यवहार करना चाहते हैं ?"

इस पत्र की नक़ल इलाहाबाद के कमिश्नर महोदय के पास भेजी गई है और सहगल जी ने कमिश्नर साहब को लिखा है कि मैं उस डिक्लेरेशन पर विश्वास करके कार्य रहा हूँ, जो क़ानून के अनुसार श्रीमती लक्ष्मीदेवी द्वारा एक क़ानूनी अदालत में दाख़िल हो चुका है।

इस पत्र के उत्तर में कमिश्नर महोदय ने श्री० सहगल जी को ६ या ७ तारीख़ को भेंट करने के लिए बुलाया है। ये पंक्तियाँ छपने तक सहगल जी के पास डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कोई उत्तर नहीं आया है। इस बीच में जो भी विशेष घटना होगी, उसकी चर्चा 'भविष्य' के आगामी अङ्क में की जायगी।

❀ ❀ ❀

दुबे जी की चिट्ठी

(६वें पृष्ठ का शेषांश)

"हम बहुत प्रयत्न करते हैं, परन्तु हिन्दुस्तान इतना जाहिल मुल्क है कि उस पर किसी बात का असर नहीं होता।"

"वाक़ई बड़ा जाहिल मुल्क है, यह बात आप एक दफ़ा फिर कहिए। अपनी ख़ुशी से नहीं, तो मेरी ख़ातिर से कह दीजिएगा।"

"हम एक बात को एक ही दफ़ा कहते हैं, दोबारा नहीं।"

"वाक़ई एक ही दफ़ा कहने से आपकी बात का पूरा असर हो जाता है—दोबारा कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।"

"और कुछ पूछना चाहते हो ?"

"पूछना तो बहुत कुछ चाहता था, परन्तु आप ऐसे माक़ूल जवाब देते हैं कि अब कुछ पूछने का साहस नहीं पड़ता।"

"अच्छा तो सलाम !"

यह कह कर वायसरॉय महोदय ने मुझे विदा किया। बाहर आकर मैंने जो सोचा कि वायसरॉय की मुलाक़ात से मुझकी मामलात में मेरी कुछ ज्ञान-वृद्धि हुई, तो मुझे पता लगा कि जैसा कोरा मैं पहले था, वैसा ही अब भी हूँ। इतना मालूम होते ही मेरे हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ कि वायसरॉय में यही एक बात ऐसी है, जो उन्हें वायसरॉय बनाती है। मेरे सब प्रश्नों के उत्तर भी दे दिए, परन्तु मेरी ज्ञान-वृद्धि ख़ाक भी न हुई। धन्य है, ऐसे न होते तो कनाडा से यहाँ क्यों.... .।

अकस्मात् आँख खुल गई, देखा कि शिमला-शैल के बजाय अपने मकान की छत पर लेटा हुआ हूँ। थोड़ी देर के लिए अफ़सोस हुआ, परन्तु फिर यह सोच कर सन्तोष हुआ कि अपना शिमला तो यही है।

भवदीय,
—विजयानन्द (दुबे जी)

* * *

पञ्जाब के देशी-राज्य प्रजा-सम्मेलन पर शनि की दृष्टि

नौकरशाही के गुर्गों की धाँगाधींगी :: कार्यकर्ताओं को अपमानित करने की कुत्सित चेष्टा

शिमला २६ जुलाई। पञ्जाब के देशी-राज्य-प्रजा-सम्मेलन की स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष लाला दुनीचन्द ने, विगत शुक्रवार की घटना के सम्बन्ध में, प्रेस-प्रतिनिधि से अपना वक्तव्य देते हुए कहा है कि मैंने और सम्मेलन के सभापति श्री० अमृतलाल ठक्कर ने—जैसा कि हम दोनों के भाषण से प्रमाणित होगा—यह निश्चय किया था कि सम्मेलन का कार्य-सञ्चालन बड़ी शान्ति एवं उत्तरदायित्व के साथ पूरा करेंगे। हम दोनों ने यह भी निश्चय किया था कि भारत के देशी-राज्यों की प्रजा को समुचित एवं विधानात्मक रूप से कार्य करने के लिए पथ-प्रदर्शन करें।

चूँकि हम लोगों के पास इस आशय का समाचार पहुँच चुका था कि सम्मेलन के कार्य में विघ्न उपस्थित होने की सम्भावना है, मुझसे कहा गया कि मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एवं पुलीस सुपरिण्टेण्डेण्ट के पास पत्र लिख भेजूँ, जिससे उन्हें हम लोगों के पास आए हुए समाचार की सूचना मिल जाय। मैं नीचे अपने पत्र की प्रतिलिपि उद्धृत करता हूँ :—

फ़रग्रोव
शिमला, जुलाई २४

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शिमला की सेवा में,

महाशय !

मैं आपसे यह बतलाना चाहता हूँ कि रियासती प्रजा-मण्डल-सम्मेलन की पहिली बैठक, गञ्ज में शामियाना के नीचे आज २ बजे से प्रारम्भ होगी। सर्वेण्ट ऑफ़ इण्डिया सोसायटी के सदस्य श्री० अमृतलाल ठक्कर सम्मेलन के सभापति हैं और मैं स्वागतकारिणी समिति का अध्यक्ष हूँ।

इस बात पर विश्वास करने के लिए मेरे पास कारण मौजूद हैं कि सभा में विघ्न उत्पन्न करने के लिए उन दलों ने कुछ आदमी मँगवाए तथा तैनात करवाए हैं, जिनका इसमें कुछ स्वार्थ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ तक हम लोगों से सम्बन्ध है, हम लोग निश्चय कर चुके हैं कि (सभा की) कार्यवाही शान्ति के साथ उत्तरदायी रीति से पूरी करेंगे और किसी आदमी को शिकायत करने का कोई मौक़ा न देंगे। इन परिस्थितियों के कारण यह आवश्यक हो गया है कि जो समाचार हमारे पास पहुँचा है, उसकी ख़बर आपको दें।

आपका,
(हस्ताक्षर) दुनीचन्द

मैं पण्डाल में उस समय पहुँचा, जबकि पुलीस सरदार शार्दूलसिंह कवीश्वर को गिरफ़्तार करके लेकर चली गई थी। श्री० मणिलाल कोठारी दो यूरोपियन ऑफ़िसरों के साथ, उनके द्वारा उपस्थित किए गए दृश्य एवं स्थिति के विरुद्ध में दलीलें पेश कर रहे थे। मुझे पीछे मालूम हुआ कि वे दोनों ऑफ़िसर डिप्टी-कमिश्नर और पुलीस-सुपरिण्टेण्डेण्ट थे। मैंने ऑफ़िसरों से कहा कि बिना किसी उचित कारण के सरदार शार्दूलसिंह कवीश्वर जैसे पद के व्यक्ति को गिरफ़्तार करके आप लोगों ने अपने सिर भारी ज़िम्मेदारी ले ली है। ऑफ़िसरों में से एक ने उत्तर दिया कि इसकी मुझे परवाह नहीं है।

इन ऑफ़िसरों तथा अन्य अधिकारियों को यह अच्छी तरह से मालूम था, कि पण्डाल में प्रवेश करने के लिए केवल टिकटधारी प्रतिनिधियों एवं दर्शकों को आज्ञा थी। एक बड़ी भीड़ ने चाहा कि बलपूर्वक सम्मेलन के पण्डाल में प्रवेश करें। मैं और श्री० मणिलाल कोठारी दोनों ने यह सुना कि दोनों ऑफ़िसर लोगों से यह कह कर अन्दर जाने के लिए कह रहे थे कि यह तो एक सार्वजनिक सभा है।

सम्मेलन की बैठक करने के लिए हम लोग उत्सुक थे ही, इस लिए तीन बजे, जबकि पण्डाल के भीतर का वायु-मण्डल साधारणतः पूर्णरूप से शान्तिमय हो गया था, सभा की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई। पुलीस सुपरिण्टेण्डेण्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तथा अन्य कई अधिकारी वहाँ उपस्थित थे।

सरदार शार्दूलसिंह कवीश्वर की निन्दनीय गिरफ़्तारी की संक्षिप्त चर्चा करने तथा स्वयंसेवकों और प्रतिनिधियों को, उत्तेजना के समय अहिंसा का भाव बनाए रखने के लिए बधाई दे लेने के पश्चात्, मैंने अपने भाषण के आवश्यक अंशों को अङ्गरेज़ी और मातृ-भाषा दोनों में पढ़ कर सुनाया।

जब मैं अपने स्थान पर बैठ गया, तो गड़बड़ मचाने की ओर प्रवृत्त एक सिक्ख ने कुछ कहना चाहा। मैंने यह कह कर उसे चुप कर दिया कि कार्यक्रम के अनुसार आज केवल दोनों सभापतियों के भाषणों को पढ़ कर सुनाना था। इसके पश्चात् संक्षिप्त व्याख्यानों में श्री० अमृतलाल को (सभापति के आसन पर) निर्वाचित करने के लिए विधिपूर्वक प्रस्ताव किया गया, तथा उसका समर्थन-अनुमोदन हुआ। उन्होंने स्वयं अपने भाषण में से कुछ अंश पढ़ कर अङ्गरेज़ी में सुनाए और फिर डॉक्टर परशुराम शर्मा से सम्पूर्ण भाषण को देशी भाषा में पढ़ कर सुनाने के लिए कहा।

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने आपत्ति की

जब डॉक्टर परशुराम शर्मा भाषण का तीन-चौथाई पढ़ कर सुना चुके, तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एकाएक उठ कर कहा कि इसमें, भाषण में, देशी नरेशों के सम्बन्ध में आपत्तिजनक बातें हैं, जिससे शान्ति भङ्ग होने का भय है, और सम्मेलन को भङ्ग कर देने का हुक्म दिया। उनसे कहा गया कि आप अपने हुक्म को लिख कर और उसमें क़ानून को उद्धृत करके दीजिए, किन्तु उन्होंने कुछ न माना। यद्यपि बाद को उसने क्रिमिनल पिनल कोड की १२७वीं एवं १२८वीं धाराओं का उल्लेख किया।

सम्मेलन शान्तिपूर्वक भङ्ग हो गया

मैं किसी प्रतिवाद-भय के बिना यह कह सकता हूँ कि सम्मेलन की कार्यवाही बिल्कुल शान्तिपूर्वक हो रही थी और शान्ति भङ्ग होने की तनिक भी आशङ्का नहीं थी। जहाँ तक श्री० ठक्कर जी के भाषण से सम्बन्ध है, वह इस प्रश्न को सुलझाने के लिए एक विद्वत्तापूर्ण एवं बहुमूल्य योग था कि आया विदेशी राज्यों का नई प्रस्तावित योजना के अनुसार सङ्घ-व्यवस्था में सम्मिलित होना जनता के लिए लाभकर होगा अथवा नहीं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिस समय उठ कर एकाएक खड़े हुए थे, उस समय के पहिले भाषण का एक शब्द वा एक पंक्ति भी ऐसी नहीं पढ़ी गई थी जिसे कोई आपत्तिजनक कह सके। मुझे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है कि सम्मेलन को भङ्ग कर देने की तनिक भी आवश्यकता नहीं थी।

श्री० मणिलाल कोठारी का वक्तव्य

सवेरे समाचार मिला था कि सम्मेलन के विरुद्ध कोई कुटिल नीति अपना काम कर रही है और भङ्ग करने के लिए वहाँ पर कुछ कलहप्रिय लोगों के उपस्थित होने की सम्भावना थी। दोपहर के पश्चात् २ बजे जब मैं डॉक्टर परशुराम के साथ पण्डाल में पहुँचा, तब मैंने लाठी से सुसज्जित २५ कॉन्स्टेबिल्स के एक दल तथा पुलीस ऑफ़िसरों को देखा। मैंने कुछ लोगों को बलपूर्वक पण्डाल में घुसने का यत्न करते हुए देखा है। मैंने स्वयंसेवकों की सहायता से भीड़ को शान्त करने की कोशिश की। पुलीस के ऑफ़िसर, जो कि वहाँ पर उपस्थित थे, शान्ति-रक्षा के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं किया।

उसके पश्चात् डिप्टी कमिश्नर को मैंने सारी स्थिति समझा दी, किन्तु उन्होंने कहा कि यह एक सार्वजनिक सभा है, इस कारण उन लोगों को, जोकि सभा में सम्मिलित होना चाहते हैं, मना नहीं किया जा सकता। मैंने उनकी इस धारणा का घोर विरोध किया और बतलाया कि यह देशी-राज्य-प्रजा-सम्मेलन की बैठक है, जिसमें सम्मिलित होने की आज्ञा केवल प्रतिनिधियों एवं उन लोगों को थी, जिनको कि स्वागतकारिणी-समिति की ओर से टिकट दिए गए थे। इसके पहिले एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहा था कि जिन लोगों के पास टिकट नहीं हैं, उन्हें पण्डाल में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है और टिकट देने न देने का अधिकार केवल स्वागत-समिति को ही है। डिप्टी कमिश्नर ने इससे सर्वथा विपरीत दृष्टि-कोण से काम लिया और शान्ति-रक्षा-कार्य में सहायता देने के बदले, जैसा कि उनसे आशा की जाती थी, उन्होंने लोगों को स्पष्ट तौर से ढकेल कर पण्डाल में कर दिया और इससे भी ख़राब बात यह हुई कि एक स्वयंसेवक की भुजा में छड़ी का प्रहार किया। हम लोग यह देख कर हताश हो गए और मैंने इस व्यवहार के लिए घोर आपत्ति प्रकट की।

सरदार शार्दूलसिंह गिरफ़्तार

इतने ही में सरदार शार्दूलसिंह जी घटनास्थल पर आ पहुँचे। मैंने मिस्टर क्राप से कहा कि एक ज़िम्मेदार ऑफ़िसर होकर आपको यह नहीं उचित था कि क़ानून को अपने हाथ में ले लें। उन्होंने उत्तर में कहा—"मैं इस सब मूर्खता की बात को नहीं सुनना चाहता।" इस पर सरदार शार्दूलसिंह ने मि० क्राप से कहा कि तो फिर आप इस प्रकार नशे में सार्वजनिक सभा में न पधारे होते। मि० क्राप क्रोधपूर्वक बोले—"तुम झूठे हो" सरदार जी ने प्रत्यपवाद किया, जिसके फल-स्वरूप सुपरिण्टेण्डेण्ट ने सरदार जी के कोट को पकड़ लिया, निष्ठुरता के साथ उनके शरीर पर हाथ लगाया और उनको कॉन्स्टेबिलों के सिपुर्द कर दिया। कॉन्स्टेबिलों ने उनको (सरदार जी को) ऊपर उठा लिया और एक रिक्शा में फेंक दिया, फिर उन्हें पुलीस स्टेशन पर ले गए।

लाला दुनीचन्द ने मि० क्राप को उनके व्यवहार की ग़लती उन्हें बतलाया और उनके कार्य के परिणामों की चेतावनी दी।

जब स्वागत-समिति के अध्यक्ष के भाषण के पश्चात् और जबकि सभापति के भाषण का हिन्दी अनुवाद डॉक्टर परशुराम पढ़ कर सुना रहे थे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सभा को ग़ैर-क़ानूनी होने की घोषणा कर दी और सभा को तितर-बितर कर दिया। लिखित आज्ञा-पत्र के माँगे जाने पर उन्होंने अस्वीकार कर दिया। सच्चे सत्याग्रहियों की भाँति हम सब लोग तितर-बितर हो गए।

❀ ❀ ❀



भविष्य

९ अगस्त, सन् १९३१

प्रज्वलन—

हिंसा और प्रतिकार ; आक्रमण और प्रतिशोध की सारी मर्मस्पर्शी दारुणता में इस अभागे देश की उलझी हुई राजनीति आज जाग उठी है। इस राजनीतिक जागरण में सारा देश आज भय, क्रोध, घृणा, अपमान, प्रतिकार एवं हिंसा से प्रज्वलित हो उठा है। राष्ट्र के इस सामूहिक प्रज्वलन में भावी इतिहास के किस भीषण एवं अन्धकारमय अध्याय का निर्माण होगा ; यह तो भविष्य के गर्भ में है, पर हम इतना अवश्य कहेंगे कि परिस्थितियों की भीषणता में भारत और ब्रिटेन की ही नहीं, वरन् सारे संसार की शान्ति नष्ट हो जायगी ; आज भारत की समस्या केवल ब्रिटेन और उसके साम्राज्य की ही समस्या नहीं, वरन् सारे संसार के राष्ट्रों की समस्या है; भारत की शान्ति और स्वतन्त्रता का प्रश्न आज ब्रिटेन और उसके साम्राज्य की ही शान्ति और स्वतन्त्रता का प्रश्न नहीं, वरन् विश्व के सारे राष्ट्रों की शान्ति और स्वतन्त्रता का प्रश्न है। संसार की राजनीति में एक ऐसा प्रवाह भी आता है, जबकि छोटे से छोटे राष्ट्र के असन्तोष एवं अपमान का एक क्षुद्र स्फुलिङ्ग-कण भी विश्व के असन्तोष एवं अशान्ति को प्रज्वलित कर देता है। यदि इस ऐतिहासिक सिद्धान्त में तनिक भी सच्चाई है, तो वह अवसर आज आ गया है। आज वह अवसर आ गया है, जब कि भारत के रूप में संसार की आबादी का लगभग $\frac{1}{5}$ भाग राष्ट्र की विवश-पराधीनता से काँप उठा है। इस दासता को समूल नष्ट कर डालना ही भारत और ब्रिटेन दोनों का कर्तव्य है। इसी में भारत और ब्रिटेन दोनों का ही कल्याण है।

परन्तु देश के दुर्भाग्य से घटनाओं के सङ्केत इस महत्वपूर्ण समस्या को हल करने की ओर प्रवृत्त नहीं दीख पड़ते। गाँधी-इर्विन समझौते के बाद हमने समझा था, देश की राजनीति में विकास का एक नया अध्याय प्रारम्भ होगा ; परन्तु हमारी यह आशा स्वप्नवत् सिद्ध हुई। सच बात तो यह है कि समझौते की अवधि हमारे लिए युद्ध की अवधि से अधिक दारुण प्रमाणित हुई। सन् १९३० ई० की तीसरी मार्च से लेकर सन् १९३१ की तीसरी मार्च तक, अर्थात् हमारे युद्ध के पूरे एक वर्ष और एक दिन की अवधि, राष्ट्र के लिए समझौते के बाद की अवधि से अपेक्षाकृत अधिक शान्त रही। हमारे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि उस समय राष्ट्र को कम कष्ट झेलना पड़ा एवं उस समय आज की अपेक्षा देश पर कम दमन रहा। हमारा तो अभिप्राय केवल इतना ही है कि यदि उस समय हमें कष्ट रहा तो वह युद्ध का कष्ट था, यदि उस समय अशान्ति रही तो वह युद्ध की अशान्ति थी और यदि उस समय सारे देश की छाती पर दमन का दौर-दौरा रहा तो वह युद्ध-सम्बन्धी दमन था। इस कारण उस समय के कष्ट, दमन और अशान्ति की हमें चिन्ता न थी। युद्ध में एक नैसर्गिक गुण है; वह यह कि इसकी अशान्ति में एक विशेष शान्ति और इसके कष्टों में एक विशेष प्रसन्नता होती है। यह बात सन्धि के समय अप्राप्य है। इसी कारण विगत सत्याग्रह-संग्राम के जेलों, लाठियों और गोलियों पर भी हमारे हौसले बढ़ते ही रहे और राष्ट्र ने सामूहिक रूप से इन पैशाचिक अत्याचारों का आवाहन किया था। परन्तु आज की दशा भिन्न है। आज गाँधी-इर्विन समझौते की आड़ में हम पर भीषण अत्याचार किए जा रहे हैं, आज जब हमने अपना शस्त्र त्याग दिया है ; सरकार हम पर अधिक से अधिक दमन करने से तनिक भी नहीं हिचकती। गत फ़रवरी के अन्त और मार्च के प्रारम्भ में, जब कि दिल्ली में महात्मा गाँधी और लॉर्ड इर्विन परस्पर सन्धि की चर्चा कर रहे थे, हमारे स्थानीय अङ्गरेज़ी सहयोगी 'लीडर' के विशेष सम्वाददाता ने लिखा था—"और जब आधी रात के सन्नाटे में सारा संसार सो रहा था, उस समय भगवान से डरनेवाली दो महान् आत्माएँ अमर-शान्ति की प्रतिष्ठा करने के प्रयत्न में लगी हुई थीं......।" गाँधी-इर्विन समझौते के रूप में उस 'अमर शान्ति का प्रयत्न' सफल हुआ। पर उस समझौते का कितना भयावह परिणाम हुआ ? समझौते के बाद देश की स्थिति समझौते के पहले वाली स्थिति से कहीं अधिक ख़राब हो गई है। इस समय हमारी ओर से सत्याग्रह-संग्राम नहीं है, पर सरकार की ओर से गिरफ़्तारियाँ अभी तक बन्द न हुईं; हमारी ओर से करबन्दी का आन्दोलन नहीं है, पर दफ़ा १०७ और १०८ का दौर-दौरा आज तक है, हमारे प्रमुख कार्यकर्ता एक-एक करके गिरफ़्तार किए जा रहे हैं और प्रतिदिन कॉङ्ग्रेस का सङ्गठन तोड़ने की चेष्टा की जा रही है। तात्पर्य यह कि आज की घटनाएँ युद्ध-काल की भाँति वृहद्-रूप में भले ही न हों, पर आज भी वे सारी बातें हो रही हैं, जो पहले थीं। इतना ही नहीं, आज हमारी महिलाओं का सतीत्व भी सङ्कट में है। पुलीस के अफ़सर पुलीस के गुर्गों के साथ संयुक्त प्रान्त के गाँवों में घूम कर कर-वसूली के काम में ज़मींदारों और उनके आदमियों की सहायता कर रहे हैं। इस सहायता का रूप कितना भीषण होता है, इस बात की चर्चा हम "भविष्य" में समय-समय पर करते आ रहे हैं। उस दिन संयुक्त प्रान्त की स्थिति पूछे जाने पर प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रधान मन्त्री श्री० श्रीप्रकाश जी ने कहा कि "स्थिति के सम्बन्ध में कॉङ्ग्रेस कौन्सिल का भाव बहुत ही गम्भीर और सशङ्क रहा है। वह भावी सङ्कटों के लिए तैयार है। गवर्नर का जो भाषण उस दिन प्रान्तीय कौन्सिल में पढ़ा गया था और जिसमें उन्होंने कॉङ्ग्रेस पर भीषण आक्रमण किया है, उससे स्थिति और भी जटिल हो गई है। × × × मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे दफ़्तर में काफ़ी मसाला है, जिसके आधार पर हम सरकारी कर्मचारियों और ज़मींदारों की ज़्यादतियों को साबित कर सकते हैं और अपने ऊपर लादे हुए अभियोगों का सामना कर सकते हैं। × × × मैं यह नहीं कहता कि कभी किसी कॉङ्ग्रेस स्वयंसेवक ने स्थिति की भीषणता को देख, दुख और क्रोध के आवेश में कुछ ऐसी बातें नहीं कह दी हैं, जो अनुपयुक्त और असामयिक थीं, पर साधारण प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि हमारी आत्मा शुद्ध है।" अस्तु—

देश की इस विचित्र राजनीतिक उलझन में भी कॉङ्ग्रेस समझौते को मनसा, वाचा, कर्मणा पूरा करने के प्रयत्न में लगी हुई है और यह स्वीकार करते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि कॉङ्ग्रेस को इस शुभ प्रयत्न में पूर्ण सफलता भी मिल रही है। पर देश की सब से बुरी और भयानक राजनीतिक उलझन की जड़ भी आज सरकार और कॉङ्ग्रेस की यह वर्तमान स्थिति ही है। यदि कॉङ्ग्रेस ने सरकार के दमन का उत्तर पूर्ण अहिंसात्मक सत्याग्रह से दे दिया होता, यदि प्रान्तीय सरकारों की विषैली और उत्तेजक नीति पर कॉङ्ग्रेस ने स्पष्ट शब्दों में सत्याग्रह संग्राम की घोषणा कर दी होती, तो कदाचित स्थिति इतना अधिक गम्भीर न होती और जनता में इतना अधिक असन्तोष उत्पन्न न होता। यह असन्तोष ही हमारी इस विकट परिस्थिति का कारण है ; इस असन्तोष के कारण ही आज हमारे देश के भोले-भाले नवयुवक हत्या के अनुचित एवं निष्ठुर मार्ग का अवलम्बन कर रहे हैं।

हमें भय है, हमारे अर्थ का अनर्थ न कर दिया जाय। हमारा आशय कॉङ्ग्रेस अथवा देश को इस समय अहिंसात्मक युद्ध की ओर उत्तेजित करना नहीं है; यद्यपि हमारा विश्वास है कि भारत जैसे पराधीन देश के लिए यह सदैव ही आवश्यक एवं उपयोगी है। हमारा आशय यह भी नहीं है कि समझौते-काल के भीतर और गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स की समाप्ति के पहले हम देश को सत्याग्रह-संग्राम छेड़ने की राय दें; यद्यपि हमारा निश्चित विश्वास है कि उक्त गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स के बाद देश के लिए इस पथ का अनुसरण करना आवश्यक एवं अनिवार्य है। हम तो इस स्थान पर सीधे-सादे शब्दों में घटना-चक्र का उल्लेख करना चाहते हैं। इस स्थान में अलीपुर के स्वर्गीय डिस्ट्रिक्ट सेशन्स जज मि० गार्लिक और ट्रेन में सफ़र करने वाले अङ्गरेज़ सैनिक अफ़सरों की निर्मम हत्या एवं बम्बई के भूतपूर्व बदनाम होम-मेम्बर तथा वर्तमान स्थानापन्न गवर्नर सर हॉटसन पर किए गए आक्रमण का विरोधपूर्ण शब्दों में उल्लेख करना चाहते हैं, और साथ ही हम इन अनुचित आक्रमणों और हत्याओं की जड़ में और देश के इस भीषण प्रज्वलन में भारत-सरकार के लौह-शासन का ही हाथ पाते हैं।

कहना नहीं होगा कि इन राजनीतिक हत्याओं से देश का कल्याण कभी सम्भव नहीं है। ऐसी हत्याएँ हमारे उद्देश्य को हमसे दूर—अधिक दूर फेंक देती हैं। हमारे देश का वर्तमान वायुमण्डल और परिस्थिति

हिंसा-मार्ग के अनुकूल नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारे देश के नवयुवक इस पथ में अपने अमूल्य जीवनों की आहुतियाँ न चढ़ाएँ। हाल की ही दुर्घटनाओं का ज़ोरदार शब्दों में विरोध करते हुए महात्मा गाँधी ने इस बात की चर्चा की है कि ऐसी हत्याओं और आक्रमणों से स्वराज्य नहीं मिल सकता। इसी प्रसङ्ग में महात्मा जी ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि "Bhagat Singh worship has done and is doing incalculable mischief to the country."

अर्थात्—"भगतसिंह की पूजा ने देश का अवर्णनीय अपकार किया है और आज भी कर रहा है।" महात्मा जी के इस वाक्य से पूर्णतः सहमत होते हुए कि हिंसा-मार्ग से देश का अपकार होगा एवं स्वराज्य अधिक दूर चला जायगा, हम उनके भगतसिंह वाले प्रसङ्ग का घोर विरोध करते हैं। समय अथवा असमय, मौक़े तथा बेमौक़े अभागे भगतसिंह को अपमानजनक शब्दों में स्मरण करना कहाँ तक उचित है, यह बात स्वयं महात्मा जी समझ सकते हैं; पर हम इस स्थान पर इतना अवश्य कहेंगे कि महात्मा जी की ये कटु-आलोचनाएँ सरकार की जाग्रत दमन नीति को और भी उग्र तथा उत्तेजित करेंगी और स्वयं महात्मा जी के द्वारा उत्तेजना और प्रोत्साहन पाकर सरकार जो रङ्ग लाएगी, उसकी कल्पना मात्र से हम काँप उठते हैं! मिसेज़ कर्टिस के हत्याकाण्ड के बदनाम सज्जनसिंह की प्रशंसा में 'पञ्जाब सेण्ट्रल सिक्ख लीग' के द्वारा पास किए प्रस्ताव के प्रसङ्ग में गत एप्रिल मास में भी महात्मा जी ने भगतसिंह और उनके साथियों को अपमानजनक शब्दों में स्मरण करते हुए कराची कॉङ्ग्रेस के उस प्रस्ताव पर खेद प्रकट किया था, जिसमें कॉङ्ग्रेस ने सर्व-सम्मति से इन अभागों की अटूट देश-भक्ति एवं असीम साहस तथा वीरता की प्रशंसा की थी। महात्मा जी की वह बात भी अप्रासङ्गिक और अनुचित थी और देश ने उस समय भी महात्मा जी की इस बात का विरोध किया था। आज लगभग तीन महीने बाद महात्मा जी ने पुनः राजनीति का वह दुखद अध्याय खोला है और हमें महात्मा जी के इस आचरण पर अत्यन्त अधिक दुख है।

इस प्रसङ्ग में हमारा अभिप्राय भगतसिंह के पथ का समर्थन करना नहीं है। हम ऊपर कह चुके हैं कि हिंसा-मार्ग को हम अनुचित एवं देश के कल्याण के लिए अहितकर समझते हैं। फिर भी भगतसिंह के दैवी गुणों को हम विस्मरण नहीं कर सकते। पाप एवं भूलों का अस्तित्व शरीर से है, आत्मा से नहीं। शरीर भूलें करता है, पाप करता है; आत्मा उन भूलों और पापों से सर्वथा निर्दोष रहती है। भगतसिंह ने भूलें की होंगी, उन्होंने सॉण्डर्स की हत्या की होगी (यद्यपि उन पर लगाए हुए अभियोगों को प्रामाणिक रूप से सिद्ध नहीं किया गया); पर इन भूलों का सम्बन्ध उनके शरीर से रहा होगा—उस शरीर से, जिसने हँसते-हँसते फाँसी की रस्सियों को गले में आप ही आप लगाने की उत्कण्ठा प्रकट की थी। भगतसिंह ने भूलें की होंगी, परन्तु उन भूलों का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सम्बन्ध उनके शरीर से रहा होगा—उस शरीर से, जिसने मृत्यु के रहस्यमय प्रान्त में अपना आत्म-समर्पण कर दिया है। इस स्थिति में हम उन भूलों के लिए भगतसिंह की स्वर्गगत आत्मा को अपमानजनक एवं अनुचित शब्दों में स्मरण नहीं कर सकते। यदि आज देश भगतसिंह की पूजा करता है तो उनकी भूलों के लिए नहीं, वरन् उनके उस अटूट देश-प्रेम के लिए, जो गाँधी जी से अधिक नहीं, तो कम भी न था। यदि कराची कॉङ्ग्रेस ने भगतसिंह की स्वर्गगत आत्मा को सन्तुष्ट करने के विचार से उनकी असीम देशभक्ति की प्रशंसा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था तो यह भगतसिंह के निर्विकार व्यक्तित्व एवं स्थितप्रज्ञ आत्मा की प्रतिष्ठा करने के निमित्त ही—उनके उस निर्विकार व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा करने के निमित्त; जिसने हिंसा और अहिंसा के सङ्घर्षमय पथ से ऊँचा उठ कर आत्मा के आलोक में जीवन और मृत्यु को एक ही रङ्ग, एक ही रूप-रेखा में देखा था। अभागे भगत का वह व्यक्तित्व देश के सामने आज भी वैसा ही है, कल भी वैसा ही रहेगा; दस-बीस, सौ-दो सौ वर्षों तक........ इतिहास के जीवन-काल तक वैसा ही रहेगा। भगतसिंह राष्ट्र के लिए आज भी जीवित है—अपने भूलने वाले मानवी शरीर के रूप में नहीं, अपने उस शरीर के रूप में नहीं, जो भूलों, पापों और न जाने कितनी मानुषिक दुर्बलताओं का घर है। भगतसिंह का जीवन आज निर्विकार देशभक्ति एवं पवित्र आत्म-समर्पण के रूप में एक उज्ज्वल आलोक से राष्ट्र के सम्मुख आलोकित है। भगतसिंह की स्मृति आज किसी को हिंसा-पथ की ओर प्रेरित नहीं करती; वह मनुष्य के हृदय में तपस्या की शुद्ध प्रेरणा का उद्बोधन करती है। इस कारण भगतसिंह का व्यक्तित्व ऐतिहासिक निर्विकारता के उन इने-गिने दृष्टान्तों में है, जो राष्ट्र के लिए गौरव एवं मर्यादा की वस्तु है। इसी कारण भगतसिंह की पूजा राष्ट्र की पूजा है। इसी कारण भगतसिंह की पूजा उस अपार देशभक्ति, अनन्त त्याग और निस्पृह आत्म-समर्पण की पूजा है, जो केवल भारत के लिए ही नहीं, वरन् संसार के प्रत्येक राष्ट्र के लिए गौरव की बात है। कॉङ्ग्रेस और महात्मा गाँधी का व्यक्तित्व उस राष्ट्रीय पूजा की तह तक नहीं पहुँच सकता। भगतसिंह आज राष्ट्र के सम्मुख हिंसा के दूषणों के रूप में नहीं, वरन् देश-प्रेम की शुद्ध-प्रतिमूर्ति के रूप में उपस्थित है। उस प्रतिमूर्ति की पूजा राष्ट्र का गौरव बढ़ाएगी और उसकी उपेक्षा इसे सदा के लिए रसातल में पहुँचा देगी।

× × ×

हमें दुख है, हम महात्मा जी के विरुद्ध आज यह कटु-सत्य कहने को विवश हो रहे हैं। हमें महात्मा जी में आस्था और भक्ति है। हम महात्मा जी के अहिंसात्मक कार्यक्रम को देश के लिए कल्याण का साधन समझते हैं। हमारा अहिंसा में विश्वास है और हम हिंसा को राष्ट्र के लिए अहित की बात समझते हैं। फिर भी हम महात्मा जी के उन शब्दों का विरोध करना अपना पवित्र दायित्व समझते हैं, जो हमारी दृष्टि में राष्ट्र के गौरव एवं मर्यादा के विरुद्ध हैं। किसी भी हत्या में हत्याकारी के अनुचित कार्यों का घोर विरोध करने से ही हमारा राष्ट्रीय अभिप्राय हल हो जाता है। साथ ही देश की प्रत्येक राजनीतिक हत्या में भगतसिंह की अप्रासङ्गिक एवं अनुचित चर्चा करना राष्ट्र की कोमल राजनीतिक भावनाओं का अपमान करना है।

इस प्रसङ्ग में एक बात का उल्लेख किए बिना हम नहीं रह सकते। यदि इस अभागे देश में नील और हडसन, लॉरेन्स और क्लाइव जैसे गुण्डे अङ्गरेज़ों की प्रति-मूर्तियाँ क़ायम रह सकती हैं; यदि इस देश में क्लाइव और हेस्टिंग्स की भाँति बदमाश और हत्यारों की स्मृतियों को सदा जाग्रत करने के लिए नगर बसाए जा सकते हैं, और सड़कें बनाई जा सकती हैं, यदि लाहौर के माल रोड से स्पर्श करता हुआ लॉरेन्स जैसे गुण्डे की अपमानजनक प्रतिमूर्ति में—'क्या तुम क़लम से शासित होना चाहते हो या तलवार से'—इन अपमानजनक शब्दों का उल्लेख रहना कोई जुर्म नहीं है, तो निश्चय ही भगतसिंह की मूर्ति को पूजा करने में भी कोई पाप नहीं है—वह भगतसिंह, जो लॉरेन्स, हडसन, नील और क्लाइव की भाँति हत्यारे न थे!

× × ×

तात्पर्य यह कि देश का वायु-मण्डल आज एक भीषण राजनीतिक असन्तोष से प्रज्वलित हो उठा है और ये राजनीतिक हत्याएँ इस भयानक असन्तोष के संक्षिप्त सङ्केत हैं। हम जहाँ एक ओर इन हत्याओं का विरोध करते हैं, वहाँ दूसरी ओर सरकार से इस बात की अपील करते हैं कि अपने दमन के क्रूर हाथों को रोके। यदि घटना-चक्र का सूक्ष्म-निरीक्षण किया जाय तो यह बात निश्चय रूप से कही जा सकती है कि इन दयनीय हत्याओं का प्रमुख कारण ब्रिटिश शासन के द्वारा उत्पन्न असन्तोष ही है। जिस देश में दरिद्रता के कारण प्रायः नित्य ही हत्याओं के समाचार आते हैं; जिस देश में अर्थाभाव से लगान का कुछ अंश न दे सकने के कारण खुलेआम महिलाओं का सतीत्व नष्ट किया जा रहा है तथा उनके गुप्त अङ्ग में डण्डे घुसेड़े जा रहे हैं; जिस देश के एक बङ्गाल प्रान्त में, बङ्गाल सरकार के होम-मेम्बर के कथनानुसार पेट की ज्वाला के कारण केवल छः महीने में अर्थात् गत पहली जनवरी से ३०वीं जून तक १ हज़ार, ४ सौ, ४६ डकैतियाँ हुई हैं; जिस अभागे देश में भूख की ज्वाला से बचने का सब से शान्तिमय उपाय आत्म-हत्या के रूप में ही रह गया है; यदि उस अभागे देश के कुछ भोले-भाले नवयुवक अपने अज्ञान में अपने अमूल्य जीवनों को हथेली पर रख कर राजनीतिक हत्या करने की चेष्टा करने लगें; तो यह दुख एवं करुणा का विषय होते हुए भी आश्चर्य का विषय नहीं है। सरकार के दमन और हिंसा-मार्ग से उन्मत्त भारतीय नवयुवकों के द्वारा की गई हत्या की दारुण कहानियों से भारत का राजनीतिक वायु-मण्डल आज प्रज्वलित हो उठा है। इङ्गलैण्ड के चर्चिल सदृश राजनीतिज्ञों का विष-वमन इस प्रज्वलन को और भी तीव्र कर रहा है। सरकार का दमन एवं सरकार के प्रतिकार की भावनाएँ इन हत्याओं को रोक नहीं सकतीं। इनकी जड़ में जन-साधारण का असन्तोष छिपा हुआ है। जिस प्रकार यह असन्तोष दमन के द्वारा दबाया नहीं जा सकता, उसी भाँति देश की छाती पर होने वाली इन निष्ठुर हत्याओं के अभि-नय से हम अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर सकते। वर्तमान वातावरण में हिंसा-पथ का अनुसरण देश की स्वतन्त्रता को प्रति क्षण दूर करता जा रहा है। इस कारण भगतसिंह की पूजा करते हुए भी हम उनके पथ का अनुसरण नहीं कर सकते। देश के इस प्रज्वलित असन्तोष को शान्त करने के लिए हम सरकार और जनता, दोनों को ही, अहिंसात्मक पथ का अनुसरण करने को कहेंगे। दोनों को ही पारस्परिक प्रतिकार की भावना को समूल नष्ट करना होगा। इसीमें भारत और ब्रिटेन दोनों का ही कल्याण है!

* * *

संयुक्त प्रान्तीय जेल

हाल में ही संयुक्त प्रान्तीय सरकार के जुडिशियल विभाग ने सन् १९३० ई० के जेल-शासन की रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में साधारणतः सभी जेल-कर्मचारियों की और विशेषतया कुछ विशेष अधिकारियों की प्रशंसा की गई है। साथ ही उन जेलों और उनके अधिकारियों की भी प्रशंसा विशेष रूप से की गई है, जिन जेलों के द्वारा पर्याप्त आर्थिक लाभ हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार गत वर्ष १०,८६३ सत्याग्रही बन्दी थे। रिपोर्ट में शासन-व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए जेलों के हस्पताल विभाग और पानी की सुविधा के सम्बन्ध में इस बात की चर्चा की गई है कि सरकार ने इस मद में अधिक व्यय किया है। सारांश यह कि गत वर्ष के जेल-शासन के लिए गवर्नर-इन-कौन्सिल ने सभी जेल-कर्मचारियों और सब से अधिक संयुक्त प्रान्तीय जेलों के इन्स्पेक्टर जेनरल लेफ़्टिनेण्ट-

कर्नल सी० ई० पामर को उनके सफल शासन के लिए बधाइयाँ दी हैं।

परन्तु इस सफल-शासन का रहस्य क्या है, यह गवर्नर-इन-कौन्सिल अथवा स्वयं भगवान जानें। हम तो यह जानते हैं कि पिछले वर्ष जेल की व्यवस्था इतनी ख़राब, इतनी गन्दी, इतनी पाशविक एवं इतनी घृणित थी कि उससे कहीं अच्छी नरक की काल्पनिक व्यवस्था होती है। यद्यपि सचाई यह है कि सत्याग्रही क़ैदियों के प्रवेश से बहुत से जेलों के कर्मचारी साधारण क़ैदियों के साथ अन्य पिछले वर्षों की भाँति पैशाचिक अत्याचार नहीं करते थे अथवा कर पाते थे। हमारा तो यह अनुभव है कि भारत के ब्रिटिश शासन में यदि कोई भी वस्तु सब से ख़राब, सब से भयानक, सब से नगण्य एवं सब से अधिक नारकीय है, तो वह जेल-विभाग ही। भारतीय जेलों की व्यवस्था केवल ब्रिटेन के लिए ही नहीं; वरन् सारे सभ्य संसार के लिए लज्जा और क्षोभ का विषय है। इन भयानक जेलों में मनुष्य के रूप में लाखों ऐसे अभागे प्राणी हैं, जिनकी आहें प्रति क्षण भगवान के अदृश्य जगत में पहुँचती हैं। उन्हें इतना अधिक ग़ैर-क़ानूनी कष्ट दिया जाता है कि कुछ दिनों के अभ्यास ही से इन अभागों की ज्ञान-शक्ति प्रायः कुण्ठित हो जाती है। सब से अधिक भयानक बात तो भारतीय जेलों का वातावरण है। इस वातावरण में सुधार केवल एक स्वप्न-संसार की बात है। भारतीय जेलों के वायु-मण्डल में प्रति सहस्र कदाचित् ही एक अराजनीतिक क़ैदी हो, जिसका नैतिक पतन न हुआ हो। कर्मचारियों द्वारा इन जेलों की ऐसी परिस्थितियाँ बना दी जाती हैं, जिससे उन अभागों को विवश होकर नैतिक दृष्टि से और भी अधिक गिर जाना पड़ता है। किसी भी आजीवन क़ैदी से आप पूछें, वह जेल के कष्टों का आदि से अन्त तक का ब्योरा आपको सुना देगा। वह ब्योरा इतना मर्मस्पर्शी और रोमाञ्चकारी होता है, जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते! अस्तु—

गत वर्ष जेल का शासन अन्य वर्षों की अपेक्षा अच्छा होते हुए भी अत्यन्त ही घृणित एवं असन्तोषजनक रूप से हुआ है। इसका कारण यह था कि सत्याग्रही क़ैदी पढ़े-लिखे थे; अधिकांश वे जेल के कर्मचारियों से अधिक सभ्य, अधिक पढ़े-लिखे मनुष्य थे और इस कारण उनके साथ उस धाँधली और अत्याचार के साथ व्यवहार नहीं किया जा सकता था, जिस प्रकार पिछले वर्षों में अन्य साधारण अनपढ़ क़ैदियों के साथ होता था। तोभी अधिकांश सत्याग्रही क़ैदियों को वे सारी क़ानूनी सुविधाएँ नहीं मिली थीं, जिनका जेल-मैनुअल में उल्लेख है। जेलों में प्रति सहस्र ९९९ वार्डर और अधिकांश उच्च कर्मचारी ऐसे मिलेंगे, जो केवल घूस ही नहीं लेते, वरन् दूसरे की चीज़ चोरी के द्वारा प्राप्त करने में भी तनिक नहीं हिचकते। गत वर्ष फ़ैज़ाबाद, मिर्ज़ापुर तथा अन्य जेलों के शासन में ऐसी घटनाएँ सैकड़ों दृष्टान्तों के साथ उपस्थित की जा सकती हैं। सब से बुरी और भयानक बात तो यह है कि यदि कोई क़ैदी इस सम्बन्ध में क़ानूनी कार्रवाई करना चाहे, तो वह जेल-जीवन की परिस्थितियों में नहीं कर सकता। इस स्थान पर कुछ दृष्टान्तों से जेल की इन कठिनाइयों पर विशेष रूप से प्रकाश पड़ेगा।

मिर्ज़ापुर जेल में श्रीयुत म० ए क्लास के क़ैदी थे। जेल-मैनुअल के अनुसार वे बाहर से अपने लिए फल आदि मँगा सकते थे। इसलिए उनके मित्र तथा सम्बन्धी उन्हें प्रायः प्रत्येक सप्ताह फल आदि तथा अन्य वैसी आवश्यक वस्तु पहुँचा देते थे, जो जेल-मैनुअल के अनुसार क़ानूनी हैं। परन्तु श्रीयुत म० को कठिनाई से आधी चीज़ें मिलती थीं। जो चीज़ें नहीं मिलती थीं, वे जेलर, नायब जेलर और अङ्गरेज़ी बाबू के घर पहुँच जाती थीं। यदि वे सज्जन, जो श्रीयुत म० के लिए सामान लाते थे, जेलर साहब से उन सामानों के लिए रसीद माँगते थे, तो उन्हें रसीद नहीं मिलती थी। यदि वे उन चीज़ों की सूची श्रीयुत म० के पास भेजते थे तो वह सूची तो जेलर साहब अवश्य ले लेते, पर श्रीयुत म० को छः महीने की जेल-अवधि में कोई ऐसी सूची न मिली।

श्रीयुत न० मिर्ज़ापुर जेल में लगभग दो महीनों तक बी क्लास के क़ैदी थे। उनके मित्रों ने जेलर के द्वारा उन्हें बाहर से साबुन की सोलह बट्टियाँ भेजीं। साबुन के साथ ही सर में लगाने के लिए तेल भी भेजा गया था। जेलर साहब की भूल से साबुन तथा तेल आदि की सूची उसी काग़ज़ में चली आई, जिसमें साबुन रक्खा गया था। सूची में साबुन की सोलह बट्टियों की चर्चा थी; पर श्रीयुत न० को १२ बट्टियाँ और आधा तेल मिला। जेलर से इस बात की जाँच करने पर उन्होंने मुस्कराते हुए कहा—देखिए ऑफ़िस में भिन्न-भिन्न तरह के छोटे कर्मचारी आते हैं, किसी ने ले लिया होगा—माफ़ कीजिए।

फ़ैज़ाबाद जेल में श्रीयुत ब० बी क्लास एक क़ैदी थे। श्रीयुत ब० के मित्रों ने उनके लिए किताबें भेजीं। उन पुस्तकों को जेल के सहायक जेलरों ने अपने पास रख लिया। श्रीयुत ब० के वे मित्र जब लगभग एक महीना बाद श्रीयुत ब० से जेल में मिलने आए, तो उन्होंने उन पुस्तकों की चर्चा की। श्रीयुत ब० ने उन पुस्तकों के सम्बन्ध में उस समय के जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट सरदार बहादुर गण्डासिंह से चर्चा करते हुए कहा कि एक महीने से मेरी किताबें आई हैं और हमें अभी तक इस बात की सूचना भी नहीं दी गई। सरदार बहादुर ने श्रीयुत ब० को इस सम्बन्ध में जाँच करने का वचन दिया। दूसरे दिन श्रीयुत ब० को बुला कर सरदार बहादुर ने कहा—"पण्डित जी, यह बात ठीक है कि आपकी किताबें आई थीं, पर वे अधिकारियों के द्वारा भूल गईं। आप यदि कहें तो मैं मित्रता के रूप में आपको उन पुस्तकों की क़ीमत दे दूँ, अन्यथा आप कोई क़ानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। यदि आप क़ानूनी कार्रवाई करेंगे तो मैं यही कहूँगा कि आपको किताबें मिल गईं और आप इस बात का कोई प्रमाण भी नहीं पेश कर सकते कि आपको किताबें नहीं मिलीं।" इस प्रकार बीसों दृष्टान्त इस बात के हैं कि जेल-अधिकारियों के द्वारा किताबें बाहर भेजी गईं और वे उचित व्यक्ति को न मिलीं।

इस प्रकार इस स्थान पर जेल-जीवन की असंख्य कठिनाइयों की चर्चा हम विस्तार-भय से नहीं कर सकते। गत वर्ष संयुक्त प्रान्तीय जेलों का शासन साधारण रूप से और वर्तमान भारतीय जेलों का शासन विशेषरूप से असन्तोषजनक था। हम सुविधानुसार जेल-विभाग की त्रुटियों पर 'भविष्य' के किसी आगामी अङ्क में पूर्ण रूप से प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे।

❁ ❁ ❁

मुस्लिम-मनोवृत्ति

हाल की हत्याओं को बुरा बतलाते हुए मुस्लिम सम्प्रदाय के ग्यारह प्रसिद्ध नेताओं ने अपना एक वक्तव्य प्रकाशित किया है। उक्त वक्तव्य में अहिंसावादियों पर इस सम्बन्ध में कायरतापूर्ण आक्रमण किया गया है कि उन्होंने हत्याओं का विरोध करने में उदासीनता दिखलाई है। जिन ग्यारह सज्जनों ने उक्त वक्तव्य पर अपने हस्ताक्षर किए हैं, उनमें कपूरथला के दीवान अब्दुल हामिद, मलिक फ़िरोज़ ख़ाँ नून, सर ज़ुल्फ़िक़ार अली ख़ाँ और कैप्टेन सिकन्दर हयात ख़ाँ के नाम भी सम्मिलित हैं।

हम मुस्लिम सम्प्रदाय के उक्त नेताओं को हिंसा-पथ का विरोध करने के लिए साधुवाद देते हैं। वास्तव में देश के प्रत्येक विचारशील मनुष्य का यह पवित्र कर्तव्य है कि वह इस प्रकार की हत्याओं का विरोध करे। हत्या, हत्या ही है, चाहे उसे प्रेरित करने का आदर्श कितना भी ऊँचा क्यों न हो। परन्तु साथ ही इस स्थान पर हम इस बात की चर्चा किए बिना नहीं रह सकते कि हत्या के विरुद्ध उक्त मुस्लिम नेताओं की यह धारणा बहुत दिनों के बाद उत्पन्न हुई है। हम नहीं जानते, उक्त वक्तव्य के प्रकाशन से उक्त मुस्लिम नेताओं का अभिप्राय, कॉङ्ग्रेस अथवा हिन्दुओं को कोस कर अपने पार्वतीय प्रभुओं को प्रसन्न करने की लालसा है अथवा स्वाभाविक मानुषिक सद्भावना। यदि वक्तव्य के प्रकाशन का कारण-रूप प्रथम बात है—जिसके विरुद्ध सोचने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण अथवा साधन नहीं है—तब तो हमें कुछ भी कहना नहीं है; कारण हम इस बात को जानते हैं कि पैसा और प्रतिष्ठा के लिए मनुष्य सब कुछ कर सकता है और इस स्थिति में उक्त मुस्लिम नेताओं का समय-असमय अहिंसावादियों को कोसना मनुष्य-स्वभाव की साधारण दुर्बलता है। यद्यपि उनकी बात बिल्कुल ग़लत है, कारण प्रायः सभी कॉङ्ग्रेस नेताओं ने और स्वयं महात्मा जी ने इन हत्याओं का घोर विरोध किया है। परन्तु यदि उक्त वक्तव्य प्रकाशित करने का कारण मानवी सद्भावना है, तो हम अक्षरशः वक्तव्य के उस अंश का समर्थन करते हैं, जिसका उद्देश्य हिंसा का विरोध करना है। हाँ, इस स्थान पर भी हमारे हृदय में उक्त मुस्लिम नेताओं की नियत के विरुद्ध शङ्का करने का एक प्रधान कारण रह जाता है। वह यह कि स्वामी श्रद्धानन्द की नृशंस हत्या के विरुद्ध तथा उस दुर्घटना की पुनरावृत्ति रोकने के निमित्त इन नेताओं ने कुछ भी नहीं किया था। अमर-शहीद स्वामी श्रद्धानन्द के बाद एक दूसरे हत्यारे की दूषित छुरी से शहीद राजपाल जी की हत्या हुई; परन्तु इस हत्या के विरुद्ध भी उक्त नेताओं ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। इतना ही नहीं, गत ७वीं मई को कलकत्ता के कॉलेज स्ट्रीट में अब्दुल्ला ख़ाँ और अमीर अहमद नामक दो मुसलमान गुण्डों ने प्रसिद्ध पुस्तक-विक्रेता श्री० भोलानाथ सेन एवं उनके दो सहकारियों की दिन-दहाड़े हत्या की थी; परन्तु उक्त नेताओं ने इन साम्प्रदायिक हत्याओं के विरुद्ध कोई वक्तव्य प्रकाशित करना उचित नहीं समझा। यहाँ तक कि अधिकांश मुस्लिम जनता ने इस प्रकार के गुण्डे हत्यारों को सदा ग़ाज़ी की उपाधियों से विभूषित किया है, परन्तु मुस्लिम सम्प्रदाय के किसी भी नेता ने मुस्लिम जनता की इस दूषित मनोवृत्ति के विरुद्ध वक्तव्य प्रकाशित करना उचित नहीं समझा। इस स्थिति में उक्त ग्यारह नेताओं का सम्मिलित वक्तव्य हमारे हृदय में उनके विरुद्ध स्वाभाविक सन्देह उत्पन्न कर देता है; यद्यपि हम उनकी हत्या-विरोधिनी नीति का हृदय से समर्थन करते हैं। हमारी दृष्टि में हत्या सदा हत्या ही है, चाहे वह मित्र के द्वारा की जाय अथवा शत्रु के द्वारा! पाप मित्र पर किया जाय अथवा शत्रु पर, मित्र के द्वारा किया जाय अथवा शत्रु के द्वारा; वह प्रत्येक अवस्था में पाप ही है और इसलिए त्याज्य है। हत्या पाप का एक दूसरा रूप है।

* * *

इलाहाबाद के ज़िला-मैजिस्ट्रेट

"भविष्य" के विगत अङ्क में हमने "सहगल-मूडी" सम्वाद में इस बात की चर्चा की थी कि स्थानीय ज़िला-मैजिस्ट्रेट ने "चाँद" और "भविष्य" के अध्यक्ष श्री० सहगल जी को किस प्रकार जेल की हवा खिलाने की धमकियाँ दी थीं। उसी चर्चा में हमने इस बात का भी उल्लेख किया था कि मि० मूडी ने सहगल जी को सावधान करते हुए यह भी कहा था कि यदि आगे से "भविष्य" में कोई राज-विद्रोहात्मक लेख प्रकाशित हुआ तो स्मरण रखिए, आप बच नहीं सकते।

हमें मि० मूडी के इस अनुचित व्यवहार के लिए दुख भले ही हो; आश्चर्य नहीं है। कारण, हम जानते हैं कि इस अभागे देश के शासन की बागडोर उन लोगों के हाथ में है, जो हमारे नहीं हैं और जिनके हृदय में हमारे व्यक्तित्व के लिए कोई इज़्ज़त नहीं है। इस अभागे देश का प्रत्यक्ष शासन ज़िला मैजिस्ट्रेटों के द्वारा होता है। वे प्रायः सिविलियन होते हैं, उन्हें शासन करने की बाक़ायदे शिक्षा दी जाती है। मि० मूडी को भी यह शिक्षा प्राप्त है। इतना ही नहीं, मि० मूडी एक पुराने मैजिस्ट्रेट हैं। आपको सरकार के द्वारा कई सम्माननीय उपाधियाँ भी मिली हैं। इतने अनुभव के बाद भी आपका ऐसा लज्जाजनक बर्त्ताव संयुक्त-प्रान्तीय सरकार के लिए कलङ्क की बात है। हम नहीं जानते, मि० मूडी की अशिष्टता की तह में उनकी सिविलियन शिक्षा का प्रभाव है, अथवा उनके चारों ओर के वातावरण का। वातावरण से हमारा अभिप्राय यह है कि हमारे सिविलियनों को प्रायः अपने ख़ानसामे, नौकरों और मातहत वालों के साथ अथवा "जी-हुज़ूर" की रट लगाने वाले ज़मींदारों के साथ ही मिलने का अवसर प्राप्त होता है। इस कारण इन लोगों के लिए दूसरे की मर्यादा का ख़्याल न करना, यह बात स्वाभाविक सी हो जाती है। सिविलियनों के रूप में जनता के ये नौकर इस बात की कल्पना तक नहीं कर सकते, कि इस देश के अन्य लोगों के पास भी मर्यादा नामक कोई वस्तु होती है। अस्तु—

मि० मूडी का यह अशिष्ट बर्त्ताव चाहे उनकी दोषपूर्ण शिक्षा का अथवा उनके वातावरण का परिणाम हो, हमें इससे कोई भी बहस नहीं। हमारा तो कहना केवल इतना ही है कि मि० मूडी जैसे ग़ैर-ज़िम्मेदार अफ़सर ही शासन के कलङ्क के कारण होते हैं। हम संयुक्त प्रान्तीय सरकार का ध्यान मि० मूडी के इस अशिष्ट व्यवहार की ओर आकर्षित करते हैं और इस बात पर प्रकाश डालना अपना उचित कर्त्तव्य समझते हैं कि वह इलाहाबाद जैसे महत्वपूर्ण ज़िले और नगर में, जोकि संयुक्त प्रान्त की राजधानी है, किसी शिष्ट और अच्छे अधिकारी की नियुक्ति करे।

❀ ❀ ❀

सर मैलकम की नीति

इधर संयुक्त प्रान्तीय सरकार ने अपने दमन के भीषण सङ्घर्ष में भी प्रान्त के किसानों की दारुण परिस्थिति को कुछ-कुछ समझने का प्रयत्न किया है। समाचार-पत्रों के अनुसार सर मैलकम की सरकार किसानों की दशा जाँच करने के निमित्त एक कमिटी नियुक्त करना चाहती है; पर साथ ही उसकी शर्त यह है कि कॉङ्ग्रेस जाँच की अवधि तक ज़मींदारों और किसानों के पारस्परिक सम्बन्ध में किसी प्रकार हस्तक्षेप न करे। इधर कॉङ्ग्रेस का कहना है कि जाँच की अवधि तक साधारण स्थिति लाने और किसानों के हृदय में सन्तोष उत्पन्न करने के लिए सरकार और ज़मींदार लगान-वसूली का कार्य स्थगित कर दें; कारण यदि दमन की वर्त्तमान प्रगति इसी प्रकार अटूट रही, तो उस जाँच-कमिटी से कोई भी लाभ न होगा।

हम कॉङ्ग्रेस के इस विचार से पूर्णतया सहमत हैं। हाल में सर मैलकम हेली का जो भाषण संयुक्त प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा में पढ़ा गया, उसमें इस बात की चर्चा है कि किसानों का ज़मींदारों के साथ एवं किसान और ज़मींदार, दोनों का सरकार के साथ अब एक नूतन तथा स्थायी सम्बन्ध जोड़ा जाना चाहिए। उसी भाषण में इस बात की ओर भी लक्ष्य किया गया है कि संयुक्त प्रान्त की वर्तमान कर-व्यवस्था अधिक और असमान है। स्वयं सर मैलकम हेली के भाषण का यह अंश इस बात का साक्षी है कि जब तक जाँच-कमिटी अपना काम समाप्त नहीं कर लेती, तब तक किसानों की लगान-वसूली का कार्य स्थगित होना चाहिए।

सर मैलकम संयुक्त-प्रान्त के अभागे किसानों की दयनीय अवस्था से भले ही परिचित न हों, पर हम उनका ध्यान उन अभागों की दारुण परिस्थिति पर आकर्षित करते हैं। पुलीस की सहायता से ज़मींदारों के अमलों द्वारा आज इन अभागों की जो दुर्दशा हो रही है, उसका प्रायश्चित्त सरकार किसी भाँति भी नहीं कर सकती। सच बात तो यह है कि किसानों पर, किसी भी जाँच-कमिटी का प्रभाव एवं उसका उचित लाभ तब तक नहीं हो सकता, जब तक इन पर किए गए अत्याचारों के दारुण अभिनय समाप्त नहीं किए जा सकते। हम आशा करते हैं, सर मैलकम हमारी इन बातों का महत्व समझेंगे और यह उचित अवसर हाथ से नहीं जाने देंगे।

❀ ❀ ❀

देश-द्रोह

कलकत्ते के अर्ध सरकारी सहयोगी "स्टेट्समैन" के अनुसार हाल में बम्बई के मुसलमानों ने निश्चय किया है कि वे विलायती कपड़े मँगा कर बेचेंगे। साथ ही दिल्ली के मुसलमानों ने निश्चय किया है कि कॉङ्ग्रेस का प्रचार रोकने के लिए वे खद्दर की दूकानों पर पिकेटिङ्ग करेंगे। इन दोनों नगरों के मुसलमानों के इस देशद्रोह-पूर्ण निश्चय के बाद, ख़बर है, बङ्गलोर के मुसलमानों ने अपने हलके के व्यवसायियों से विनयपूर्वक प्रार्थना की है कि वे विदेशी वस्त्र तथा अन्यान्य विदेशी वस्तुओं का ही व्यापार करें। इसके अतिरिक्त भारत के समस्त मुसलमानों से इस बात की प्रार्थना की गई है कि वे खद्दर तथा अन्यान्य स्वदेशी चीज़ें छोड़ कर विदेशी चीज़ें ही अपने व्यवहार में लाएँ। इतना ही नहीं, बङ्गलोर के मुसलमानों की एक सभा ने प्रस्ताव पास किया है कि चूँकि भारत में सब जगह मादक द्रव्यों की आमदनी बहुत कम हो गई है, इसलिए यह सभा विदेशी शराब पीने के अभिमत का समर्थन करती है। सभा की यह भी राय है कि चूँकि सरकार की आमदनी घट गई है, इसलिए उसे चाहिए कि गाँधी-इर्विन समझौते के अनुसार नमक बनाने की जो सुविधा दी गई है, वह न दी जाय।

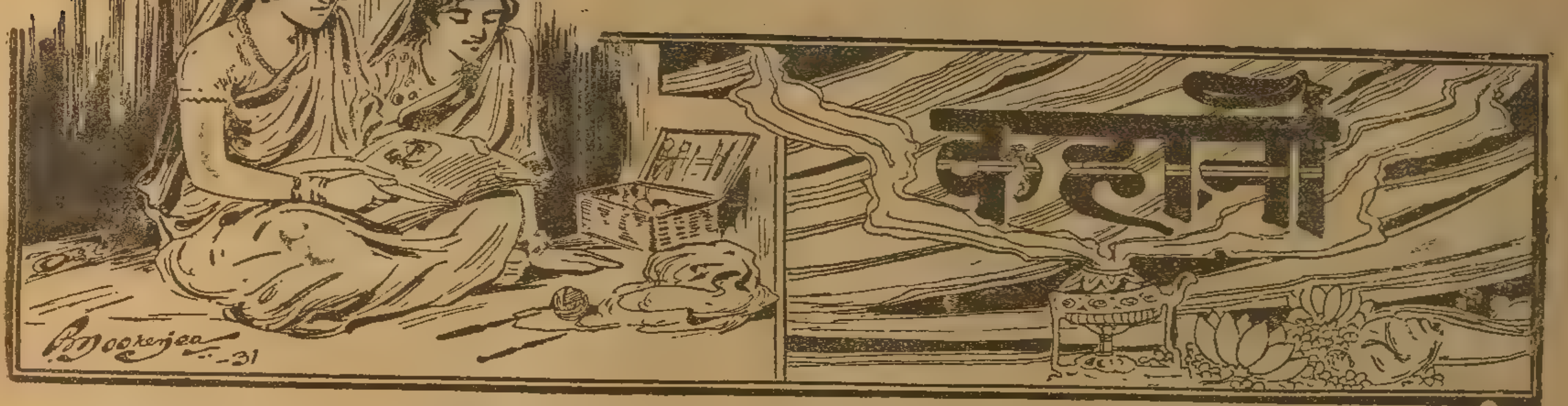
दिल्ली का समाचार है कि वहाँ की मुस्लिम संस्थाओं ने निश्चय किया है कि अगर कॉङ्ग्रेस की ओर से मुसलमानों की दूकानों पर पिकेटिङ्ग किया जायगा, तो मुसलमान खद्दर की दूकानों पर पिकेटिङ्ग करेंगे।

यह एक ग़ुलाम राष्ट्र की देशद्रोही जनता के आन्तरिक उद्‌गारों का ज्वलन्त दृष्टान्त है। कहना नहीं होगा कि आज इस अभागे देश में मीरजाफ़रों की कमी नहीं है। परन्तु आज के मीरजाफ़रों और इतिहास के कुप्रसिद्ध मीरजाफ़रों में आकाश-पाताल का अन्तर है। अपने स्वामी सिराजुद्दौला और अपने देश को धोखा देने वाला मीरजाफ़र कम से कम सशक्त और पराक्रमी था। उसमें इतनी क्षमता थी कि वह देश के शासन का भाग्य-चक्र बदल दे और उसने बदला भी। परन्तु आज की मीरजाफ़र-मण्डली केवल दीन, हीन, दरिद्र, कङ्गाल, दुखी, कायर, डरपोक, दब्बू, ख़ुशामदी और केवल हेंकड़ी भरने वाले मीरजाफ़रों की विवश-टोलियाँ हैं और हमारे हृदय में उनके देश-द्रोह से अधिक उनकी दरिद्रता, उनकी असहायता, उनके अज्ञान और उनकी पथ-भ्रष्टता के लिए दुख, क्षोभ, ग्लानि एवं करुणा है! अपने पार्वतीय प्रभुओं को प्रसन्न करने के लिए तथा किसी भाँति अपना उल्लू सीधा करने के विचार से, हमारे ये शौकत-पन्थी मुसलमान बातों के द्वारा अपने दिल के वलवले भले ही निकाल लें, परन्तु सचाई यह है कि राष्ट्र की स्वतन्त्रता की प्रज्वलित भावनाएँ देश-द्रोहियों की लाखों कुचेष्टाओं से नहीं दब सकतीं—वे भावनाएँ, जो समय और परिस्थिति, सभी को अपने में विलीन कर लेती हैं। यहाँ हिन्दू और मुसलमानों का प्रश्न नहीं है, कारण कॉङ्ग्रेस में हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, सभी सम्प्रदाय और धर्म के लोग सम्मिलित हैं। यहाँ तो शुद्ध स्वतन्त्रता और दासता का प्रश्न है। कॉङ्ग्रेस का विरोध करना हिन्दुओं का विरोध करना नहीं है; यह तो देश की जाग्रत राष्ट्रीय भावनाओं को दबाने की विवश-कुचेष्टा है। कॉङ्ग्रेस का विरोध करना स्वतन्त्रता के दैवी भावों को अपमानित एवं तिरस्कृत करने का असफल-कुप्रयत्न है। और यदि थोड़ी देर के लिए यह बात भी मान ली जाय कि शौकत-पन्थी मुसलमानों की ये बेहूदी बातें हिन्दू-जाति की उत्थान-प्रगति के विरोध में कही गई हैं अथवा कही जा रही हैं, तो इससे भी कोई परिणाम नहीं हल होता। जो हिन्दू-जाति वैभवशाली ब्रिटिश साम्राज्य के शासन को चैलेञ्ज दे सकती है; क्या उसके लिए देश के कुछ नपुंसक मीरजाफ़रों की विरोधी शक्तियों से लड़ना कठिन एवं दुसाध्य है?

दूसरा प्रश्न खद्दर का है। खद्दर के आधुनिक इतिहास का यदि पूरा ब्योरा पढ़ा जाय; स्वदेशी वस्त्रों की तह में यदि कोई भली-भाँति जानकारी प्राप्त कर ले, तो वह पूर्ण अधिकार के साथ इस बात को कह सकता है कि खद्दर एवं स्वदेशी वस्त्रों में हिन्दुओं से अधिक मुसलमान जुलाहों को लाभ है। और इस स्थिति में मुसलमानों का यह दुखद-निश्चय हिन्दुओं से अधिक मुसलमानों का ही अहित करेगा। दूसरा प्रश्न विलायती शराब पीने का है। यदि शौकत-पन्थी मुसलमान विलायती शराब, अथवा अफ़ीम, अथवा चरस, अथवा पाख़ाना ही क्यों न खायँ; इससे उनका ही हित-अहित होगा। इसका कुपरिणाम देश और हिन्दुओं पर नहीं पड़ेगा।

सच बात तो यह है कि कॉङ्ग्रेस की दब्बू नीति ने शौकत-पन्थी मुसलमानों के दुस्साहस को और भी अधिक बढ़ा दिया है और वे भारत की राजनीति में आवश्यकता से अधिक अपना महत्व देने लगे हैं। कॉङ्ग्रेस को मुसलमानों की इस देश-द्रोही नीति और कुचेष्टाओं से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।

❀ ❀ ❀



इञ्जीनियर की स्त्री

[श्री० रूपनारायण जी पाण्डेय]

चौदहवीं शताब्दी के मध्य में 'डान एनरिक' ने 'तोलेदो' नगर पर घेरा डाला था। किन्तु राजा के अत्यन्त अनुगत और आज्ञानुवर्ती नगरवासियों ने बड़े ही साहस और तत्परता के साथ शत्रु के इस हमले को रोका।

अक्सर ऐसा होता था कि तोलेदो नगर के निवासी लोग 'सान-मार्टिन' का विशाल पुल पार कर 'सिगराल' की भूमि में जाकर शत्रु की छावनी पर टूट पड़ते थे, जिससे घेरा डालने वाली शत्रु-सेना को बड़ी हानि उठानी पड़ती थी।

डान एनरिक ने ऐसे हमलों को रोकने के लिए वह पुल नष्ट कर देने का निश्चय कर लिया।

सिगराल के ऊपर शत्रु-सेना की छावनी पड़ी थी। इस सुन्दर मैदान के चारों ओर फलों के बड़े-बड़े बाग़, निकुञ्ज और गर्मियों में विश्राम करने के स्थान थे। इस स्थान की शोभा और सौन्दर्य की इतनी ख्याति थी कि तिर्सो आदि अनेक स्पेनिश कवियों ने अपनी कविताओं में इसका वर्णन और प्रशंसा की है।

एक दिन रात के समय डान एनरिक के सिपाही बाग़ों के बड़े-बड़े पेड़ काट कर उसी पुल के ऊपर जमा करने लगे। सवेरे देखा गया कि पुल के ऊपर बड़े ज़ोरों की आग जल रही है। आग धीरे-धीरे बढ़ती ही गई। उसकी रोशनी में एनरिक की छावनी, टेगस नदी, राजा डान राड्रिगो का महल और अरब-फ़्लैग-टावर उद्भासित हो उठे। निपुण कारीगरों के हाथों सुन्दर काम जिनमें बनाया गया था, वे पुल के भारी-भारी खम्भे घोर शब्द के साथ टूट कर गिरने लगे। ज्ञान पड़ता था, इस बर्बरता के हाथों सताई गई कला-देवी आर्तनाद कर रही है।

इस भीषण शब्द से जाग कर और दूर के उक्त भयङ्कर दृश्य देख कर तोलेदो-वासी दौड़ पड़े और इस सुन्दर पुल की इमारत को एकदम नष्ट होने से बचाने की प्राणपण से चेष्टा करने लगे, किन्तु उनकी सारी चेष्टा निष्फल हुई। बड़े ज़ोर का धड़ाका सुनाई पड़ा, उस शब्द से टेगस नदी की खाड़ी, नाला और पहाड़ी, उपत्यका भूमि प्रतिध्वनित हो उठी। सबने समझ लिया कि वह विशाल और सुन्दर पुल अब नहीं है!

हाय-हाय! सबने जाकर देखा, यही बात थी!

जिस समय बाल-सूर्य की आभा पड़ने से साम्प्रदायिक नगर के गुम्बद सुनहले रङ्ग से अनुरञ्जित हो उठे, उस समय तोलेदो नगर की कुमारियाँ, जो नदी के स्वच्छ मोती जैसे पानी को भर ले जाने के लिए नित्य की भाँति नदी के किनारे आई थीं, ख़ाली कलसियाँ सिर पर रख कर उदास चित्त से लौट गईं। नदी का स्वच्छ जल गँदला हो रहा था। क्योंकि उस समय भी कलकल शब्द करती हुई नदी की लहरें उस पुल के धुआँ देते हुए भग्नावशेष टुकड़ों को बहाए लिए आ रही थीं।

लोगों का क्रोध एकदम बढ़ चला। क्योंकि मनोरम सिगराल-भूमि में जाने का यही एकमात्र मार्ग था। दल-बल एक करके तोलेदो-निवासियों ने उस टूटे पुल से ही एक बार अन्तिम चेष्टा की—छावनी पर भयानक आक्रमण किया। रणभूमि में रक्त की नदी बह गई—शत्रु की सेना भाग खड़ी हुई।

२

सान-मार्टिन के उस विशाल पुल को नष्ट हुए अनेक वर्ष बीत गए, राजा और राज्य के प्रधान पादड़ी आदि ने मिल कर उसी स्थान पर, उसी तरह का एक मज़बूत पुल बनवाने की बहुत-कुछ चेष्टा की, परन्तु प्रसिद्ध-प्रसिद्ध इञ्जीनियरों की प्रतिभा और अध्यवसाय सब निष्फल हुआ—वे पुल तैयार न कर सके।

नदी का प्रवाह इतना तेज़, इतना प्रबल था कि पुल के बड़े-बड़े खम्भे और दर पूरे भी न होने पाए कि मिस्त्रियों के मचान (पाड़) और पुल का ढाँचा टूट-फूट कर न जाने कहाँ बह गया।

डान पेद्रो और तोलेदो के प्रधान पादड़ी ने स्पेन के सभी नगरों में दूत भेज कर, सान-मार्टिन का नया पुल बनाने के लिए, क्या ईसाई और क्या मूर जाति के, सभी जाति के इञ्जीनियरों को बुलवाया, किन्तु कुछ भी फल नहीं हुआ। पुल बनाने में जो बाधा-विघ्न थे, उन्हें दूर करना सभी की शक्ति के बाहर की बात सिद्ध हुई।

अन्त को एक दिन एक मर्द और एक औरत ने—जो यहाँ के लोगों के लिए सम्पूर्ण रूप से अपरिचित थे—कम्ब्रोन फाटक से तोलेदो नगर में प्रवेश किया। उन्होंने बड़ी सावधानी से ख़ूब मन लगा कर उस टूटे हुए पुल को देखा और फिर उसी जगह डेरा डालने का निश्चय किया।

उसके बाद वह पुरुष प्रधान पादड़ी के पास गया। उस समय वह पूज्यपाद प्रधान पादड़ी, परामर्श-सभा के अन्य पादड़ी, देश के गण्य-मान्य विद्वान लोग और प्रसिद्ध नाइट लोग एकान्त में बैठे हुए उसी पुल के पुनर्निर्माण के बारे में परामर्श कर रहे थे। प्रधान पादड़ी धर्मनिष्ठ और ज्ञानी पुरुष थे, इसलिए सब लोग उन पर हार्दिक भक्ति और श्रद्धा रखते थे।

जब एक नौकर ने आकर प्रधान पादड़ी को यह ख़बर दी कि दूर से आया हुआ एक इञ्जीनियर उनके श्रीचरणों के दर्शन किया चाहता है; तो प्रधान पादड़ी को बड़ा आनन्द हुआ। उन्होंने उसी समय उक्त इञ्जीनियर को बुला भेजा और आदर के साथ उसकी अभ्यर्थना की। प्रणाम करके कुर्सी पर बैठ कर अपरिचित आदमी कहने लगा—धर्मावतार, मेरा नाम आप नहीं जानते। जुआन-द-आरेवालो है। इञ्जीनियरी मेरा पेशा है।

प्र० पा०—सान-मार्टिन के पुल को फिर से बनाने के लिए निपुण इञ्जीनियरों को मैंने बुलाया था। क्या उसी के अनुसार तुम यहाँ आए हो?

इञ्जी०—जी हाँ।

प्र० पा०—पुल के फिर बनाने में जो बाधा है, उसे क्या तुम जानते हो?

इञ्जी०—मैं ख़ूब जानता हूँ। लेकिन मैं सब बाधा दूर करके पुल तैयार कर दूँगा।

प्र० पा०—इञ्जीनियरी तुमने कहाँ सीखी थी?

इञ्जी०—सलामाँका में।

प्र० पा०—क्या अपनी निपुणता का कोई प्रमाण दिखा सकते हो? तुम्हारे हाथ की बनी कोई इमारत है?

इञ्जी०—जी, इमारत तो कोई नहीं है, धर्मावतार!"

प्रधान पादड़ी ने कुछ अधैर्य और अविश्वास का भाव प्रकट किया। इञ्जीनियर ने इस पर भी ध्यान दिया।

वह कहने लगा—जवानी में मैं एक सैनिक था। किन्तु स्वास्थ्य ख़राब हो जाने के कारण उस काम को छोड़ कर मैं अपनी जन्म-भूमि कास्टिल में लौट आया, वहाँ मैंने इञ्जीनियरी पढ़ी और उसका काम व्यावहारिक रूप से करके सीखा।

प्रधान पादड़ी ने उत्तर दिया—मगर दुख की बात है कि तुम अपनी कारीगरी और होशियारी का कोई प्रमाण नहीं दिखा सकते।

इञ्जी० ने कहा—कुछ इमारतें ज़रूर मैंने तैयार की हैं, लेकिन प्रशंसा औरही लोगों को प्राप्त हुई; क्योंकि वे प्रधान इञ्जीनियर थे। जो प्रशंसा इस दास को मिलनी चाहिए थी, वह ग़रीबी के कारण नहीं मिल सकी।

प्र० पा०—तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई।

इञ्जी०—मैं ग़रीब और मामूली आदमी हूँ। मुझे कोई जानता न था। मुट्ठी भर अन्न और रहने के लिए साधारण स्थान पाने को ही मैं अपना परम सौभाग्य समझता था। यश या प्रशंसा कभी मैंने नहीं चाही।

प्र० पा०—बड़े दुख की बात है, ऐसा कोई प्रमाण तुम नहीं दे सकते, जिससे मैं तुम्हारी निपुणता पर विश्वास कर सकूँ।

इञ्जी० ने कहा—धर्मावतार, मैं एक ऐसी शर्त रख सकता हूँ, जिससे आपको अवश्य सन्तोष होगा।

प्र० पा०—क्या शर्त?

इञ्जी०—अपने प्राणों की शर्त!

प्र० पा०—कैसे?

इञ्जी०—जिस समय बीच के दर की भरत निकाल डाली जायगी, उस समय मैं जाकर उस डाट के ऊपर, बीच के पत्थर पर खड़ा होऊँगा। अगर पुल टूट जायगा या बह जायगा तो उसके साथ ही मेरे भी प्राण चले जायँगे।

प्र० पा०—अच्छा, मैंने वह शर्त मञ्जूर कर ली!

इञ्जी० ने कहा—धर्मावतार, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैं यह काम अवश्य पूरा करूँगा।

प्रधान पादड़ी ने इञ्जीनियर से हाथ मिलाया। इञ्जीनियर आशा और हर्ष के साथ वहाँ से विदा हुआ। उसकी स्त्री उत्कण्ठा के साथ पति के आने की राह देख रही थी। दुख और दारिद्र्य के अत्याचार सहने पर भी वह तब तक जवान और सुन्दरी बनी हुई थी।

इञ्जीनियर ने आते ही पत्नी को गले से लगा कर कहा—कैथरीन! मेरी कैथरीन! तोलेदो शहर में यह पुल आरेवालो के नाम और कीर्ति को चिरस्मरणीय बनावेगा।

३

कुछ दिनों बाद नए पुल का काम शुरू हुआ। पुल चारों ओर लोहे के ढाँचे और पाड़ की लकड़ियों से ढँका हुआ होने पर भी उसके बीच का खिलान ऊपर खड़ा होकर सबकी दृष्टि को अपनी ओर खींचने लगा। यह नया पुल पहले के पुल के ध्वंसावशेष पर ही मज़बूती के साथ बनाया जा रहा था।

प्रधान पादड़ी, डान पेद्रो और तोलेदो के निवासी प्रसन्न होकर इञ्जीनियर के ऊपर प्रशंसा और उपहारों की वर्षा करने लगे। नदी का दुर्जय वेग रहने पर भी इञ्जीनियर के कौशल ने उसे व्यर्थ कर दिया था—बीच का दर खम्भों पर खड़ा कर दिया गया था। इञ्जीनियर बड़े ही साहस और कौशल के साथ इस इतनी बड़ी इमारत को पूरा कर लाया था।

तोलेदो नगर-निवासियों के विश्वास के अनुसार उस नगर के रक्षाकर्ता स्वर्गीय सिद्ध साधु पुरुष के जन्मोत्सव का पर्व आ गया था। आरेवालो ने इसी समय प्रधान पादड़ी महाशय को विनीत भाव से सूचना दी कि अब सब काम पूरा हो गया। जिस ढाँचे पर सारी इमारत का बोझा है, वह हटा लिया जाय, डाटों के नीचे की भरत निकाल दी जाय। प्रधान पादड़ी और पुरवासियों के हर्ष का ठिकाना न रहा। किन्तु उस ढाँचे को, उन पाड़ों को, जिन पर पुल टिका था, हटाने में भारी विपत्ति की आशङ्का भी थी। अगर कहीं पुल टूट गया तो! लेकिन इञ्जीनियर खुद बीच के दर में, पत्थर पर खड़े होने को तैयार था, उसने अपने प्राणों की बाज़ी लगा रक्खी थी, इसीसे सब लोगों को सम्पूर्ण रूप से उसकी सफलता पर विश्वास था।

दूसरे ही दिन नए पुल के उद्घाटन का उत्सव होगा। इसी की घोषणा करने के लिए तोलेदो नगर के सभी गिर्जों में आनन्द-सूचक घण्टे अभी से बजने लगे थे। तोलेदो नगर के लोग टेगस नदी के ऊँचे किनारे पर से आनन्द के साथ मनोरम सिगराल-भूखण्ड को देख रहे थे। जो स्थान इधर इतने वर्षों से निर्जन और निस्तब्ध था, वह फिर कल जीवन की चञ्चलता से पूर्ण होगा।

रात होने ही वाली थी। उद्घाटन के अनुष्ठान के लिए सब कुछ तैयार है या नहीं, कोई कमी तो नहीं रह गई, यह देखने के लिए इञ्जीनियर बीच के दर पर चढ़ा। अपने मन में किसी गीत को गुनगुनाते हुए वह पुल के सब काम और उद्योग-आयोजन को देखने लगा। सहसा एक जगह वह ठहर गया और एक सन्देह और चिन्ता की काली छाया उसके मुख-मण्डल पर छा गई। एक बात उसे याद आ गई और उसके याद आते ही उसके शरीर का सारा रक्त जैसे क्षण भर में सूख गया। पुल पर से उतर कर वह चटपट अपने डेरे पर चला गया।

दरवाज़े पर खड़ी हुई उसकी स्त्री ने हँसते हुए उसकी अभ्यर्थना की—दो-एक हर्षसूचक बातें कह कर उसका अभिनन्दन किया। किन्तु स्वामी के चेहरे पर एक तरह की घबराहट देख कर वह एकदम सन्नाटे में आ गई। डर कर वह कह उठी—एं! यह क्या! तुम्हारी तबियत क्या कुछ ख़राब है?

हृदय के आवेग को दबाने की चेष्टा करके इञ्जीनियर ने कहा—नहीं प्रिये!

स्त्री ने कहा—मुझसे न छिपाओ। तुम्हारा चेहरा देखने ही से मुझे मालूम पड़ रहा है, तुम्हें कुछ कष्ट है।

इञ्जीनियर ने कहा—वह कुछ नहीं है। शाम के वक्त काफ़ी ठण्डक पड़ रही है और फिर मेहनत भी आज कुछ अधिक करनी पड़ी है।

स्त्री—अच्छा तो आओ, ज़रा आग ताप लो; हाथ-पैर सेंक लो। तब तक मैं भोजन की तैयारी करती हूँ। कुछ खा-पीकर आराम करोगे तो तबियत ठीक हो जायगी।

आरेवालो मन के कष्ट से आप ही आप धीरे से कह उठे—आराम! आराम कहाँ?

उस समय उनकी स्त्री भोजन की तैयारी में लगी हुई थी। उसने अँगीठी में कुछ लकड़ियाँ डाल कर आग को तेज़ किया और वहीं खाने का टेबुल लाकर रक्खा।

इञ्जीनियर ने मन के कष्ट को दबाने की ख़ूब कोशिश की, लेकिन उसकी सब चेष्टा बेकार हुई। स्त्री को वह धोखा न दे सका।

स्त्री ने कहा—हमारा जब से विवाह हुआ है, तब से यह पहला ही मौक़ा है कि तुम अपने कष्ट को मुझसे छिपा रहे हो। मैं क्या अब तुम्हारे प्रेम और विश्वास के योग्य नहीं हूँ?

इञ्जीनियर कह उठा—कैथरीन, ईश्वर की सौगन्ध है, मेरे प्रेम पर सन्देह प्रकट करके मेरे कष्ट को और न बढ़ाओ।

स्त्री ने तीव्र वेदना से भरे स्वर में उत्तर दिया—जहाँ विश्वास नहीं, वहाँ सच्चा प्रेम रह ही नहीं सकता।

इञ्जीनियर ने कहा—तुम्हारे भले के लिए ही एक बात मैं तुमसे छिपा रहा हूँ।

स्त्री ने कहा—निश्चय ही वह किसी कष्ट की बात है। मैं जान पाऊँ तो अवश्य ही उस कष्ट को कुछ कम कर सकूँगी।

इञ्जीनियर ने कहा—कष्ट को कम करोगी? यह असम्भव है!

स्त्री ने कहा—मेरे प्रेम के लिए कुछ भी असम्भव नहीं।

इञ्जीनियर ने कहा—अच्छी बात है, तो सुनो। कल मेरी जान और मान दोनों ही चले जायँगे। पुल टूट कर नदी में गिर पड़ेगा। मैं प्रतिज्ञा के अनुसार बीच के पत्थर पर खड़ा होऊँगा और इतना आशा करके जो इमारत मैंने खड़ी की थी, उस इमारत के साथ मैं भी ज़िन्दा नहीं रहूँगा।

कैथरीन मन के कष्ट को दबा कर प्रेम के आवेग में स्वामी से लिपट गई और कह उठी—ना, ना, यह कभी न होगा।

इञ्जीनियर ने कहा—प्रिये, जिस समय यह दृढ़ विश्वास हो चुका था कि मेरी विजय हुई, उसी समय एकाएक मुझे अपनी एक ऐसी हिसाब की भूल देख पड़ी, जिसका फल यह होगा कि कल पुल से उसका ढाँचा हटाते ही वह टूट कर गिर जायगा और उसके साथ ही मेरे भी प्राण जायँगे।

स्त्री ने कहा—नहीं प्रियतम, मैं कहती हूँ कि पुल चाहे टूट कर गिर जाय, लेकिन तुम कभी नहीं गिरोगे। मैं प्रधान पादड़ी के पैरों पर गिर कर प्रार्थना करूँगी कि वह तुमको उस शर्त से रिहाई दें।

इञ्जीनियर ने कहा—तुम्हारी यह प्रार्थना कभी मञ्ज़ूर न होगी। और अगर प्रधान पादड़ी उसे मञ्ज़ूर भी कर लें, तो मैं कभी मान खोकर प्राण नहीं रक्खूँगा।

कैथरीन ने फिर कहा—मैं कहती हूँ प्रियतम, तुम्हारे मान और प्राण दोनों की रक्षा होगी।

४

आधी रात थी। इञ्जीनियर मानसिक चिन्ता और घबराहट से अब तक जाग कर अभी-अभी सोया था। उस ज्वालामयी निद्रा में भी वह उत्कट दुःस्वप्न ही देख रहा था।

उसकी स्त्री कुछ देर तक निद्रा का बहाना किए पड़ी रही। वह उत्कण्ठित भाव से स्वामी को देख रही थी। जब उसने अपने स्वामी को गहरी नींद में डूबा हुआ देखा, तब वह धीरे-धीरे उठी और साँस रोके हुए, दबे-पैरों रसोई बनाने की कोठरी में घुस गई। धीरे से खिड़की खोल कर वह बाहर की ओर ध्यान देकर देखने लगी।

अँधेरी रात थी। उस पर बादल भी घिरे थे। बीच-बीच में बिजली के चमकने से आकाश प्रकाशित हो उठता था। प्रबल वेग से बहती हुई टेगस नदी का गर्जन और पुल के ढाँचे तथा पाड़ों के बीच से चलती हुई हवा का सायँ-सायँ शब्द केवल सुनाई देता था—किसी मनुष्य या पशु का कण्ठ-स्वर कहीं नहीं सुन पड़ता था।

कैथरीन ने चुपके से खिड़की बन्द कर दी। अँगीठी से एक अधजली, धुआँ देती हुई लकड़ी लेकर चुपचाप वह घर के बाहर निकली। उसका कलेजा उस समय धड़क रहा था।

कहाँ जा रही है वह? चन्द्रहीन रात्रि में, घोर अन्धकार से परिपूर्ण मार्ग को प्रकाशित करने के लिए ही क्या वह मशाल की तरह इस जलती हुई लकड़ी को लिए जा रही है? या उसका और कुछ मतलब है? रास्ता सचमुच बड़ा ऊबड़-खाबड़ था? ज़मीन में कहीं गढ़ा था तो कहीं पत्थर की रोड़ियों के ढेर और कहीं बड़ी-बड़ी शिलाएँ पड़ी हुई थीं। तो भी वह स्त्री उस लकड़ी की रोशनी को अपने वस्त्र की आड़ में छिपाए चुपचाप चली जा रही थी।

अन्त को वह पुल के पास आकर पहुँच गई। उस समय भी हवा का सायँ-सायँ शब्द हो रहा था और पुल के बड़े-बड़े खम्भों में नदी-प्रवाह टकरा कर घोर शब्द कर रहा था।

कैथरीन पुल के पोस्ते के पास आई। एक बार आप ही आप उसके शरीर में नीचे से ऊपर तक कम्पन की लहर दौड़ गई। गरजती हुई अतल जल-राशि के किनारे खड़े होने के कारण ही क्या उसका शरीर काँप उठा? अथवा अब तक वह दया के काम ही करती आ रही थी, किन्तु इस समय उसे विध्वंस का मशाल जलाना पड़ा, इसलिए वह काँप उठी? या उसी घड़ी बड़े ज़ोर से बिजली कड़क गई, जिससे सारा आकाश प्रतिध्वनि से गूँज उठा, अतएव भय के मारे वह काँप गई?

उसने इधर-उधर हवा में हिला कर उस अधजली सुलगती हुई लकड़ी को फिर जलाया और सूखी लकड़ियों की बँधी हुई बोझ की पाड़ में उसे रख दिया। दम भर में वह पाड़ जल उठी। वायु के वेग से अग्नि देखते ही देखते आसमान को छूने लगी। धीरे-धीरे उस आग ने सारे पुल को ढक लिया।

तब वह स्त्री उस जगह से चटपट चल खड़ी हुई। प्रज्वलित अग्नि की रोशनी और बिजली के प्रकाश में वह सीधा अपने घर आकर पहुँच गई। जैसे चुपचाप वह घर से गई थी, वैसे ही चुपचाप घर में आकर उसने किवाड़े बन्द कर लिए।

उसका स्वामी उस समय भी गहरी नींद में पड़ा था, स्त्री के जाने-आने का हाल उसे नहीं मालूम हुआ। कैथरीन फिर पड़ रही, जैसे कहीं गई ही नहीं थी।

थोड़ी ही देर बाद शहर के भीतर लोगों की दौड़-धूप और शोर-गुल सुनाई पड़ने लगा। आग लगने की ख़बर देने और सबको सावधान करने के लिए सभी गिर्जों में विपत्तिसूचक घण्टे का शब्द होने लगा। उसके बाद एक बार घोर वज्रपात का सा धड़ाम से शब्द

(शेष मैटर १८वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए)



रूस की तीसरी राज्यक्रान्ति

[श्री० प्रभुदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसर्च स्कॉलर]

रूस की तीसरी भीषण राज्यक्रान्ति सन् १९१७ में हुई थी। २१वीं जुलाई को अस्थायी सरकार ने प्रिन्स लोव (Lov) का स्तीफ़ा स्वीकार कर लिया। केरेन्स्की को नवीन सरकार निर्माण करने का कार्य सौंपा गया। इस तीसरी अस्थायी सरकार की सूचना जनता को ७वीं अगस्त को दी गई। केरेन्स्की इस सरकार का प्रेज़िडेण्ट तथा युद्ध-मन्त्री नियुक्त हुआ।

"द्वितीय रूसी-क्रान्ति का इतिहास" नामक प्रसिद्ध पुस्तक में मिलिअकोव ने इस तीसरी अस्थायी सरकार की आलोचना करते हुए लिखा है कि साम्यवादियों का नाम-मात्र का बहुमत होते हुए भी, इस कैबिनट में धनियों के लोकतन्त्र के मानने वालों का अधिक ज़ोर था। इस कैबिनट की यही एक विशेषता थी और इसीसे तीसरी क्रान्ति का सूत्रपात भी हुआ।

जुलाई का महीना क्रान्ति को कुचलने में व्यय किया गया। बोलशेविक पार्टी को बदनाम करने में कोई बात उठा न रक्खी गई। लेनिन को जर्मनी का जासूस बताया गया। बोलशेविक नेता गिरफ़्तार कर लिए गए। बोलशेविक प्रेसों को नष्ट कर दिया गया। सेना को बोलशेविकों की बातें पढ़ने की मनाही कर दी गई। फलतः बोलशेविकों ने भी ग़ैर-क़ानूनी उपायों से काम लेना शुरू कर दिया। लेनिन और ज़िनोवीव को सरकार पकड़ना चाहती थी। इतने में एक दिन वे ग़ायब हो गए। उन्होंने अपने बाल कटा डाले। मज़दूरों का भेष धारण कर लिया और सरकारी अफ़सरों की आँखों में धूल झोंकते हुए फ़िनलैण्ड जा पहुँचे और वहाँ छिप कर अपना काम करने लगे।

बोलशेविक-पार्टी की छठीं कॉङ्ग्रेस की बैठक २६वीं जुलाई से तीसरी अगस्त तक हुई। परन्तु लेनिन इस कॉङ्ग्रेस में उपस्थित न हो सका था, क्योंकि वह छिपा हुआ था। इस कॉङ्ग्रेस में १८७ प्रतिनिधि उपस्थित थे, जिन्हें वोट देने का पूरा अधिकार था। इनके अलावा १०७ ऐसे प्रतिनिधि थे, जो केवल सलाह दे सकते थे। बोलशेविकों ने अपनी इस कॉङ्ग्रेस में क्रान्ति के विरोधियों को दबाने तथा क्रान्ति को सुदृढ़ करने के प्रस्ताव पास किए।

२१वीं जुलाई को अस्थायी सरकार ने जनता के नाम एक अपील निकाली। इस अपील का उद्देश्य था, क्रान्तिकारियों से लोहा लेने के लिए जनता को तैयार करना। यह अपील बहुत लम्बी-चौड़ी थी। सब से पहली बात जो इस अपील में कही गई थी, वह यह थी कि अगस्त में मित्रराष्ट्रों की एक कॉन्फ़्रेन्स बुलाई जाय। इस कॉन्फ़्रेन्स का काम होगा, मित्रराष्ट्रों की वैदेशिक-नीति को निश्चित करना और रूसी-क्रान्ति के सिद्धान्तों को कार्यान्वित करना। इस अपील द्वारा अस्थायी सरकार ने वादा किया था कि विधान-विधायक-सभा (Constituent Assembly) का चुनाव नियत समय पर—यानी १७वीं सितम्बर को होगा। सरकार ने म्युनिसिपैलिटियों को जारी करने का भी वादा किया था। राष्ट्रीय आर्थिक कौन्सिल तथा केन्द्रीय आर्थिक कमिटी आर्थिक समस्याओं को हल करेंगी तथा मज़दूरों की रक्षा करेंगी। भूमि के प्रश्न के सम्बन्ध में एक बिल तैयार करके विधान-विधायक सभा में पेश किया जावेगा। अपील के अन्त में सरकार ने जनता से प्रार्थना की थी, कि वह उसकी सहायता करने में कोई बात उठा न रक्खे।

क्रान्ति के विरोधियों का केन्द्र-स्थान मास्को की जन-सेवक-सभा (Conference of the Public men of Moscow) थी। इस संस्था के नेता थे, राडज़िआङ्को ऐसे करोड़पती। देश के चुने-चुने प्रतिक्रियावादी यहाँ जमा थे। इन लोगों ने अपना सङ्गठन दृढ़ करके क्रान्तिवादियों पर धावा करना चाहा और इसी ध्येय को प्राप्त करने के लिए मास्को स्टेट कॉन्फ़्रेन्स बुलाई गई। परन्तु केरेन्स्की से काम निकलता न दिखाई पड़ता था। उसके दिन अब बीत चुके थे, पर उसकी जगह की पूर्ति का प्रश्न अब ज़रा टेढ़ा था। इसके लिए जनरल कार्नीलोव (General Kornilov) का नाम लिया जा रहा था और मास्को कॉन्फ़्रेन्स उसे डिक्टेटर बनाने वाली थी।

इस समय क्रान्तिवादियों का दल एक बार पुनः कमज़ोर हो गया था। यद्यपि सोवियट संस्थाएँ जीवित थीं और उनकी केन्द्रीय कार्यकारिणी भी मौजूद थी, पर उनमें पारस्परिक विद्रोह फैला था, इसलिए वे निकम्मी हो रही थीं। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए एक कॉन्फ़्रेन्स भी बुलाई, परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला।

मज़दूर-दल बड़ी सावधानी से इस परिस्थिति का अध्ययन कर रहा था तथा अपनी तैयारी भी कर रहा था।

मास्को स्टेट कॉन्फ़्रेन्स के लिए २५ वीं अगस्त नियत हुई। इस कॉन्फ़्रेन्स में क्रान्ति के विरोधियों का बहुमत था। यह इसीसे से साबित होता है कि सोवियट की केन्द्रीय समिति के प्रत्येक आदमी पीछे स्टेट ड्यूमा के, जिसका अब कहीं नाम-निशान भी न था, तीन आदमी थे। क्रान्ति-विरोधी संस्थाओं के आदमियों की धूम थी। कार्नीलोव तथा कलेडिन ऐसे प्रतिक्रियावादियों का इस कॉन्फ़्रेन्स में ज़ोरों से स्वागत किया गया। यह देख कर मास्को स्टेट कॉन्फ़्रेन्स के विरोध में मास्को के मज़दूरों ने हड़ताल कर दी। ४१ व्यापारिक सङ्घों ने बहुमत से हड़ताल करने का निश्चय किया। चार लाख मज़दूर इसमें शामिल थे। एक तरफ़ तो ड्यूमा के प्रेज़िडेण्ट राडज़िआङ्को के पास स्टॉक एक्सचेञ्ज कमिटियों (Stock Exchange Committees) आदि की तरफ़ से बधाई के तार आ रहे थे और दूसरी तरफ़ उसी के पास चारों तरफ़ से मज़दूरों के जुलूस तथा हड़तालों की ख़बरें आ रही थीं। धनी लोग चिल्ला रहे थे—"सैनिक डिक्टेटरशिप चिरञ्जीव हो।" मज़दूर कह रहे थे—"क्रान्ति के विरोधियों का अन्त हो।"

क्रान्ति के विरोधी दो उपायों से काम लेना चाहते थे। उनका पहला उपाय था, स्टेट कॉन्फ़्रेन्स में पार्लियामेण्टरी तरीक़ा। कार्नीलोव के आधिपत्य में सैनिक डिक्टेटरशिप उनका दूसरा उपाय था। क्रान्ति का दमन करने के लिए क़ज़्ज़ाक़ घुड़सवारों की रेज़िमेण्ट बुलाई गई। क्रान्ति का नाम सदा के लिए मिटा देने के लिए कई षड्यन्त्र रचे जाने लगे।

कार्नीलोव ने बोलशेविकों को कुचलने की एक नई चाल सोची। बोलशेविक सेना को उसने युद्ध-क्षेत्र के उस भाग में भेजना शुरू किया, जहाँ जर्मनी-सेना बहुत ज़बरदस्त पड़ती थी। यदि सेना आज्ञा मानने से इन्कार करती, तो उसे प्राणदण्ड दिया जाता। यदि वह वहाँ लड़ती तो अवश्य ही जर्मनी की गोलियों से मारी जाती। बोलशेविक सेना ने गोलियों से भुनना पसन्द किया, पर बदनामी लेना पसन्द नहीं किया। पर कार्नीलोव ने उन्हें बदनाम करने में कुछ उठा न रक्खा। उन पर आज्ञा न मानने का, अपने स्थान से हट जाने का तथा इसी प्रकार के और भी अनेक दोषारोपण किए गए। बोलशेविक सेना के विरुद्ध, उसे बदनाम करने के लिए, देश भर में जान-बूझ कर झूठी बातें फैलाई गईं। धनिकों के पत्रों ने बोलशेविक सेना को कायर और ग़ैरज़िम्मेदार आदि विशेषणों से सम्बोधित किया। यही नहीं, तमाम यूरोप में सेना को पूरी तरह से बदनाम किया गया।

प्रतिक्रियावादियों ने युद्ध-क्षेत्र में तथा देश भर के प्रधान-प्रधान शहरों तथा ज़िलों में सैनिक-केन्द्रों की स्थापना की। वे गृह-युद्ध की तैयारी करने लगे, परन्तु उन्होंने संसार भर में प्रचार यह किया कि रूस के मज़दूर गृह-युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, उनके पत्र प्रत्येक दिन यही लिखा करते थे कि कल से बोलशेविक लोग गृह-युद्ध छेड़ने वाले हैं।

क्रान्ति के विरोधियों के षड्यन्त्र के तीन मुख्य दल थे। सब से पहला दल केरेन्स्की का था, दूसरा कार्नीलोव का तथा तीसरा अन्तिम दल उन लोगों का था, जो ज़ारशाही शासन चाहते थे। इस गुट्ट में ज़ार निकोलस के समय के कुछ मुसाहब आदि शामिल थे। अस्तु।

कार्नीलोव की सेना ने पेट्रोग्राड की तरफ़ बढ़ना शुरू किया। सरकार जर्मनी से सन्धि करने को उत्सुक थी, ताकि सेना युद्ध-क्षेत्र से छुट्टी पा जावे और मज़दूरों को कुचलने में लग जावे।

देश भर में बिजली दौड़ गई। मज़दूरों का ख़ून उबलने लगा। उन्होंने हथियार संग्रह करके अपने को सशस्त्र बनाना आरम्भ किया। देखते-देखते पेट्रोग्राड में उनकी एक लाल सेना (Red Guard) खड़ी हो गई। बोलशेविकों ने भी उनके नाम निम्न-लिखित अपील निकाली—"लड़िए, जब तक ख़ून का एक बूँद भी बाक़ी रहे! लड़िए, केरेन्स्की के लिए नहीं, बल्कि क्रान्ति के लिए।" मज़दूरों की प्रत्येक संस्था में मानो आग ही लग गई। सोवियटों ने भी युद्ध की तैयारी आरम्भ कर दी। सब स्थानों पर, बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक में क्रान्तिकारी संस्थाओं की स्थापनाएँ

की गईं। पेट्रोग्राड और मास्को में पुनः पुराने दृश्य दिखाई देने लगे।

जनरल कार्नीलोव के अरमान दिल ही में रह गए। उसकी सेना, जो पेट्रोग्राड पर चढ़ाई करने जा रही थी, भगा दी गई। जनरल कलेदिन दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रहा था और पेट्रोग्राड में अन्न की पहुँच रोक देना चाहता था, परन्तु वह भी असफल हो रहा। प्रतिक्रियावादियों की सारी योजनाएँ ख़ाक में मिल गईं। उन्होंने अपने को अत्यन्त अधिक शक्तिशाली समझ रक्खा था तथा क्रान्तिकारियों को शक्तिहीन समझते थे। परन्तु अन्त में उनकी आँखों का परदा हट गया। कार्नीलोव की बेवक़ूफ़ी ने मज़दूरों, किसानों तथा सैनिकों को और भी उत्साहित कर दिया।

मॉनशेविक पार्टी का अस्तित्व तो राजनैतिक क्षेत्र से पहले ही मिट चुका था। सामाजिक क्रान्तिवादियों (Social Revolutionaries) में भी बेढब फूट पड़ गई। फलतः सरकार को एक साथ ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

इसी समय डिमोक्रैटिक कॉन्फ़्रेन्स की बैठक हुई। यह कॉन्फ़्रेन्स भी 'मास्को स्टेट कॉन्फ़्रेन्स' की भाँति केवल दिखावा थी। सोवियटों को इस कॉन्फ़्रेन्स में तीसरी जगह दी गई। इस कॉन्फ़्रेन्स की कार्यवाही से बोलशेविक इतने असन्तुष्ट हो गए कि वे अपने नेता ट्रॉट्स्की (Trotsky) के साथ कॉन्फ़्रेन्स से उठ कर चले गए। उस कॉन्फ़्रेन्स में बोलशेविकों की तरफ़ से जो विज्ञप्ति पढ़ी गई थी, उसमें उन्होंने देश के सामने निम्नलिखित बातें रक्खी थीं :—

(१) भूमि किसी की निजी सम्पत्ति न रह सकेगी। सारी भूमि किसान-कमिटियों (Peasant Committees) को दे दी जावेगी, जब तक कि विधान-विधायक सभा कोई निर्णय न करे। (२) पैदावार (Production) तथा बटवारे (Distribution) पर, राष्ट्रीय पैमाने पर मज़दूरों का अधिकार होगा। (३) तमाम गुप्त सन्धियाँ रद्द कर दी जावेंगी; और (४) रूस में जितनी जातियाँ रहती हैं, उन सबको स्वतन्त्रता दी जावे। फ़िनलैण्ड और उक्रेन को दबाने के लिए जो-जो उपाय काम में लाए जा रहे हैं, वे सब त्याग दिए जायँ।

उपर्युक्त बातों के अलावा बोलशेविकों ने निम्नलिखित कई बातें और भी पेश की थीं, जिन्हें वे फ़ौरन कार्यान्वित कराना चाहते थे :—

(१) मज़दूरों तथा उनके सङ्गठनों के विरुद्ध जो-जो क़ानून बनाए गए हैं, वे सब फ़ौरन हटा लिए जावें। युद्ध-क्षेत्र में मौत की सज़ा न दी जाए। सेना में जितने लोकतन्त्रीय सङ्गठन हैं, उन्हें आन्दोलन करने की पूरी स्वतन्त्रता रहे। सेना में जितने क्रान्ति के विरोधी हैं, वे सब अलग कर दिए जावें। (२) कमिश्नर तथा अन्य दूसरे अफ़सर निर्वाचन द्वारा नियुक्त किए जावें। (३) मज़दूरों की एक सेना बनाई जावे। (४) स्टेट ड्यूमा तथा स्टेट कौन्सिल तोड़ दी जावे और विधान-विधायिनी सभा शीघ्र बुलाई जावे। (५) सब नागरिकों को बराबर अधिकार हों। किसी भी पुरुष को कोई विशेष अधिकार न हो। और (६) मज़दूरों को आठ घण्टे से अधिक काम न करना पड़े।

इसके सिवा बोलशेविकों ने एक जाँच-कमीशन की भी माँग पेश की तथा जितने क्रान्तिकारी क़ैद थे, उन्हें छोड़ देने को कहा। और उन पर जो मुक़दमे चल रहे थे, उन्हें खुली अदालतों में चलाने को कहा।

अक्टूबर का महीना आरम्भ होते-होते रूस की हालत बदतर हो गई। ज़मींदारों ने अपनी भूमि किसानों के हाथ बेचना शुरू कर दिया। किसानों ने ज़मींदारों से ज़बरदस्ती भूमि छीनना शुरू कर दिया। धनिकों के मकान आदि जला दिए गए। किसानों का धैर्य जाता रहा। वे विधान-विधायिनी सभा तक ठहर न सकते थे। शहरों की सड़कों पर सैनिक लोग अपना जुलूस निकालने लगे। प्रत्येक जुलूस में बहुत से झण्डे होते थे, जिन पर लिखा होता था—"गाँवों में मज़दूर नहीं हैं"; "हमारी भूमि जोती नहीं जाती;" "गाँवों में हमारे बाल-बच्चे भूखों मर रहे हैं।"

मज़दूरों में भी हड़ताल-आन्दोलन फैलने लगा। कई स्थानों में कई हफ़्तों तक हड़तालें जारी रहीं। रेलवे के मज़दूर भी आम हड़ताल करने को तुले हुए थे। पूँजीपतियों ने फ़ैक्टरियाँ बन्द कर दीं। दूकानदारों ने अपनी दुकानें बन्द कर दीं। उन्होंने सोचा, यदि हम कुछ दिनों तक काम बन्द कर देंगे, तो मज़दूर खायँगे क्या ?

१६वीं मार्च को, अस्थायी सरकार ने एक घोषणा निकाल कर किसानों को उस समय तक ठहरने की सलाह दी थी, जब तक कि विधान-विधायिनी सभा भूमि के प्रश्न को हल न कर दे। एक भूमि-कमिटी बनाई गई, जिसका काम था, विधान-विधायिनी सभा में पेश करने के लिए प्रस्ताव तैयार करना।

परन्तु किसान इससे सन्तुष्ट न हुए। फलतः देश भर में किसान-विद्रोह शुरू हो गया। जगह-जगह लूट-मार होने लगी। असमन्स्क ज़िले में प्रिन्स व्याज़ेन्स्की (Prince Vyazensky) नाम के एक रईस की एक मिल तथा कई बगीचे थे। पाँच हज़ार किसानों ने धावा बोल कर उसे तहस-नहस कर दिया और प्रिन्स को गिरफ़्तार कर लिया। अन्त में उसे ग्राज़ी नामक स्थान पर ले गए, जहाँ सैनिकों ने उसे बड़ी बेरहमी से मार डाला। जहाँ देखिए वहीं बेचारे ज़मींदारों की जायदादें बेरहमी से लूटी जा रही थीं। किसानों ने शासन-कार्य को असम्भव कर दिया। फलतः सरकार भी कमर कस कर किसानों से मोर्चा लेने लगी। किसान-आन्दोलन को कुचलने के लिए विशेष कमिटियाँ बनाई गईं। गिरफ़्तारियों की धूम मच गई। अस्तु।

२४वीं अक्टूबर की रात्रि को अस्थायी सरकार ने पेट्रोग्राड में काम करना शुरू कर दिया। 'ऑफ़िसर्स ट्रेनिङ्ग कोर' (Officers' Training Corps) के सब मेम्बर लड़ाई के लिए तैयार हो गए। उसी रात को 'अरोरा' नामक क्रूज़र जहाज़ को, जिसके मल्लाह बोलशेविकों से सहानुभूति रखते थे, समुद्र पर चले जाने को आज्ञा मिली। न्याय-मन्त्री मलयटोविच ने अपने अफ़सरों को आदेश दिया कि वे मज़दूरों और सैनिकों के सोवियट की सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी (Military Revolutionary Committee) के कामों की छान-बीन करें। सरकार ने बहुत से अख़बारों का प्रकाशन बन्द कर दिया। एक अख़बार के छापेख़ाने को चारों तरफ़ से घेर लिया गया और अधिकारी को सरकारी आज्ञा-पत्र दिखाया गया कि जितने पत्र छप चुके हैं, वे सब सरकार को सौंप दिए जावें और भविष्य में कोई भी पत्र न छापा जावे। छापेख़ाने के अधिकारी ने उत्तर दिया कि वह किसी की भी आज्ञा मानने को तैयार नहीं है, जब तक कि उस पर सोवियट की सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी की सही न हो। यह सुन कर सरकारी आदमियों ने सारा प्रेस नष्ट-भ्रष्ट कर डाला।

होम सेक्रेटरी ने तमाम सूबे की सरकारों को आज्ञा भेजी कि यदि लोग शासन अपने हाथ में लेने का प्रयत्न करें, तो उनके प्रयत्न निष्फल कर दिए जावें। सरकारी भवनों, स्टेशनों तथा पुलों पर सरकारी सेना खड़ी कर दी गई। मुख्य-मुख्य चौराहों पर खड़ी सेना मोटरकारों पर अपना अधिकार कर रही थी। परन्तु क्रान्तिकारी कमिटी ने पत्रों के ज़ब्ती के बारे में सरकारी आज्ञा मानने से इन्कार कर दिया। क्रान्तिकारी सेना छापेख़ानों तथा उनके सम्पादकीय विभागों की रक्षा करने लगी। सड़कों पर ज़ब्तशुदा पत्रों की कॉपियाँ बेची जाने लगीं। शाम को तमाम सड़कों पर सभाएँ हुईं। इन सभाओं में सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी के समर्थन में प्रस्ताव पास किए गए!

मोटर साइकलों की एक सेना सरकार के 'शीत-महल' (Winter Palace) की रक्षा कर रही थी। परन्तु अविश्वास के कारण वह वहाँ से हटा ली गई। इसी सेना की एक बटेलियन को अस्थायी सरकार ने युद्ध-क्षेत्र से बुलाया था। परन्तु वह परेडलस्क्या नामक स्टेशन पर आकर रुक गई और उसने तार देकर पेट्रोग्राड सोवियट से पूछा कि वह क्यों बुलाई गई है ? सोवियट ने तार भेज कर उसका स्वागत किया और उससे जहाँ थी, वहीं रहने को कहा और उसके प्रतिनिधियों को पेट्रोग्राड बुला भेजा। उत्तरीय युद्ध-क्षेत्र से सेना की एक टोली को अस्थायी सरकार ने बुला भेजा, पर उसने आने से इन्कार कर दिया। इसी तरह कई सेनाएँ भी बाग़ी हो गईं।

२५वीं अक्टूबर की रात से सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी ने अपना काम आरम्भ कर दिया। रात को शीत-महल पर धावा करने का निश्चय किया गया। पर यह काम दूसरे दिन सुबह ६ या ७ बजे के पहिले न हो सका। उसी दिन रात के, सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी की सेना ने निकोलस तथा बालटिक स्टेशनों पर, कई मोटर के कारख़ानों पर तथा अनेक पुलों पर अधिकार कर लिया। उपरोक्त 'अरोरा' क्रूज़र भी निकोलस पुल के पास आकर ठहर गया। बाग़ी सेना की एक टुकड़ी ने बड़ी आसानी से स्टेट बैङ्क पर भी अधिकार कर लिया। वारसा का विशाल रेलवे स्टेशन भी बाग़ियों के अधिकार में आ गया। अन्त में सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी ने रूस के नागरिकों के नाम एक घोषणा-पत्र निकाला, जिसका आशय इस प्रकार था :—

यह हाल है तो वतन का रहेगा हाल बुरा !

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

यह हाल देख के होता है, दिल का हाल बुरा,
मेरी तरफ़ से तुम्हारा है क्यों ख़्याल बुरा ?
मज़ा तो जब है, रहें मिल के हिन्दुओ मुस्लिम,
यह एक-एक से आपस में है मलाल[1] बुरा !
करो वह काम भलाई वतन की हो जिससे,
कोई न कह सके तुमको यह है ख़्याल बुरा !
कोई हज़ार कहे, इसका मैं नहीं क़ायल,
तेरा जवाब है अच्छा, मेरा सवाल बुरा !
हम अपने दिल की तमन्ना[2] भी कह नहीं सकते,
यह जानते हैं कि उनका तो है ख़्याल बुरा !
न होंगे एक, तो आज़ाद हो चुके "बिस्मिल"
यह हाल है तो वतन का रहेगा हाल बुरा !

१—रञ्ज, २—इच्छा

❀ ❀ ❀

"अस्थायी सरकार का अन्त हो चुका है। शासन की बागडोर सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी के हाथों में आ गई है। जिन बातों के लिए जनता लड़ रही थी—लोकतन्त्रीय शासन, भूमि पर ज़मींदारों के अधिकारों का अन्त, पैदावार पर मज़दूरों का अधिकार तथा सोवियट सरकार की स्थापना—ये सब बातें निश्चित हैं। मज़दूरों, सैनिकों तथा किसानों की क्रान्ति चिरञ्जीवी हो।"

अन्त में क्रान्तिकारी सेना ने विख्यात मेरियन भवन (Marian Palace) पर भी अधिकार कर लिया और पेट्रोग्राड सोवियट की एक विशेष बैठक हुई। इस सभा का सभापति स्वयं ट्रॉट्स्की था। अपने व्याख्यान के सिलसिले में उसने कहा:—

"सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी के नाम पर मैं यह घोषणा करता हूँ कि अस्थायी सरकार का अन्त हो चुका। कुछ मन्त्री गिरफ़्तार हो चुके हैं, और बाक़ी कुछ ही दिनों या घण्टों में गिरफ़्तार हो जावेंगे। इतिहास में मुझे कोई ऐसी दूसरी क्रान्ति नहीं दिखाई पड़ती, जिसमें इतने अधिक लोगों ने भाग लिया हो और साथ ही, जिसमें इतना कम ख़ून बहा हो। स्टेशनों, डाक-घरों और तार-घरों, पेट्रोग्राड टेलीफ़ोन एक्सचेञ्ज तथा स्टेट बैङ्क पर हमारा अधिकार हो चुका है। अभी तक शीत-भवन पर क़ब्ज़ा नहीं हुआ है, पर इसके क़िस्मत का फ़ैसला भी चन्द मिनटों में ही हो जावेगा। अब हमें एक ऐसी सरकार की स्थापना करना है, जिसका एक-मात्र लक्ष्य होगा, मज़दूरों, सैनिकों तथा किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।"

ट्रॉट्स्की के बाद लेनिन खड़ा हुआ। बहुत दिनों के पश्चात् लेनिन का यह पहिला भाषण था। जब वह खड़ा हुआ, तब तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूँज उठा। उसने कहा:—

"कॉमरेडों, मज़दूरों तथा किसानों की इस क्रान्ति का सब से बड़ा फल यह है कि अब हमें सोवियट सरकार मिल जावेगी। रूस के इतिहास में एक नवीन अध्याय का श्रीगणेश होगा। इस क्रान्ति का अन्तिम परिणाम होगा, साम्यवाद की विजय। बस, युद्ध का शीघ्र ही अन्त होना चाहिए। परन्तु इस युद्ध का अन्त करने के लिए हमें पूँजीवाद से युद्ध करना होगा। इस लड़ाई में संसार का प्रत्येक मज़दूर हमारी सहायता करेगा। इटली, इङ्गलैण्ड और जर्मनी में अशान्ति साफ़ दिखाई पड़ रही है। ग़रीबों का विश्वास-पात्र बनने के लिए यह अत्यावश्यक है कि तमाम गुप्त सन्धियाँ प्रकाशित कर दी जाएँ।"

इसी समय शहर भर में यह अफ़वाह ज़ोरों से फैल गई कि केरेन्स्की की मातहती में सरकारी सेना पेट्रोग्राड पर हमला करने आ रही है। परन्तु इस अफ़वाह में कोई सत्यता न थी।

जो सरकारी सेना शीत-महल की रक्षा कर रही थी, उसके पास भोजन-सामग्री न थी। रोटियों से भरी हुई एक मोटर-लॉरी उन्हें खाना पहुँचाने जा रही थी, पर क्रान्तिकारी सेना ने उसे रास्ते में ही रोक लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि सेना की कई टोलियाँ क्रान्तिकारियों से आ मिलीं। उसी दिन शाम को अस्थायी सरकार को सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी की ओर से अल्टीमेटम दिया गया कि अस्थायी सरकार हथियार रख दे और अपनी सेना को निशस्त्र कर दे। यदि वह न मानेगी तो शीत-महल पर गोलाबारी की जावेगी। सरकार को अल्टीमेटम पर विचार करने के लिए २० मिनट का समय दिया गया। जब २० मिनट समाप्त हो गए तो १० मिनट और दिए गए और इन १० मिनटों के समाप्त होते ही लाल-सेना ने 'हेडक्वार्टर्स' में प्रवेश करके उस पर क़ब्ज़ा कर लिया। शीत-महल बाक़ी था।

रात के नौ बजे तक अस्थायी सरकार की तरफ़ से अल्टीमेटम का कोई उत्तर न आया तो पिटर-पॉल क़िले से तथा अरोरा क्रूज़र से हवाई गोलियाँ दाग़ी गईं। शीत-महल के चारों तरफ़ जो सेना खड़ी थी, उसने मैशीन-गनों तथा राइफ़लों से भवन पर गोलियाँ चलाना प्रारम्भ कर दिया। एक घण्टे तक दोनों तरफ़ से गोलियाँ चलती रहीं। अन्त में जो सरकारी सेना भवन की रक्षा कर रही थी, उसने भवन छोड़ना शुरू कर दिया। औरतों की बटैलियन, जो भवन की रक्षा कर रही थी, गोलियों की बौछार के सामने न ठहर सकी और उसने हथियार रख दिए। तत्पश्चात् कुछ देर के लिए गोलाबारी बन्द कर दी गई।

रात के ग्यारह बजे भवन पर पुनः धावा किया गया। मैशीनगनों तथा पिटर-पॉल क़िले की तोपों ने गोले बरसाना शुरू किया। गोलाबारी बन्द होने पर क्रान्तिकारी सेना भवन के अन्दर घुस गई और सरकारी सेना से हथियार छीन लिए। थोड़ी देर में तमाम भवन पर क्रान्तिकारी सेना का अधिकार हो गया। अस्थायी सरकार गिरफ़्तार कर ली गई।

जब सोवियट कॉङ्ग्रेस की बैठक पुनः बैठी तो लोगों को बताया गया कि शीत-भवन पर अधिकार हो गया है। अस्थायी सरकार गिरफ़्तार कर ली गई है। कॉङ्ग्रेस ने मज़दूरों, सैनिकों तथा किसानों के नाम एक घोषणा निकाली। इसमें कहा गया था कि अस्थायी सरकार गिरफ़्तार कर ली गई है और शासन की बागडोर कॉङ्ग्रेस के हाथों में आ गई है। घोषणा में यह भी कहा गया था कि सूबों की सोवियटें अपने-अपने सूबों का शासन अपने हाथों में ले लें। घोषणा के अन्त में सोवियट शासन का प्रोग्राम भी निश्चित किया गया था।

यह तो पेट्रोग्राड का हाल था, अब ज़रा मास्को का हाल भी सुन लीजिए। मास्को वाली मज़दूरों और सैनिकों की सोवियट में बोलशेविकों की बातें ख़ूब सुनी जाती थीं। क्योंकि उसमें सैनिकों की अपेक्षा मज़दूर ही अधिक थे। सैनिकों की अपनी निजी सोवियट भी थी, जिसमें क्रान्ति के विरोधियों का बहुमत था।

'सोशल डिमोक्रैट' नामक साम्यवादी पत्र ने पेट्रोग्राड का हाल छापा। अपने अग्रलेख में पत्र ने पेट्रोग्राड के सैनिकों और मज़दूरों की प्रशंसा करते हुए मास्को के मज़दूरों और सैनिकों से उनका अनुकरण करने की सलाह दी। २५ अक्टूबर को मज़दूरों और सैनिकों की सोवियटों ने मिल कर एक सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी की स्थापना की। ३९४ प्रतिनिधि इस स्थापना के पक्ष में और १०६ प्रतिनिधि ख़िलाफ़ थे।

२७वीं अक्टूबर को 'इसवेस्टिया' (Isvestia) पत्र में सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी की निम्नलिखित अपील प्रकाशित हुई:—

"पेट्रोग्राड के क्रान्तिकारी सैनिकों और मज़दूरों ने पेट्रोग्राड के सैनिकों और मज़दूरों की सोवियट की मातहती में क्रान्ति के साथ दग़ा करने वाली अस्थायी सरकार से लड़ाई छेड़ दी है। मास्को के सैनिकों और मज़दूरों का यह कर्तव्य है कि वे पेट्रोग्राड से कॉमरेडों की इस लड़ाई में सहायता करें। इस लड़ाई को चलाने के लिए मास्को के सैनिकों और मज़दूरों की सोवियट ने एक सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी की स्थापना की है और इस कमिटी ने काम भी शुरू कर दिया है। सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी निम्न-लिखित आज्ञाएँ देती है:—

(१) तमाम मास्को गारीसन युद्ध की तैयारी करे। प्रत्येक कम्पनी को सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी की पहिली आज्ञा पाते ही काम पर जाने को तैयार रहना चाहिए। (२) सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी की आज्ञा के अलावा कोई भी आज्ञा, जब तक कि उस पर सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी की सही न हो, न मानी जावे।

इसके बाद मास्को गारीसन के तमाम कम्पनियों के प्रतिनिधियों की एक कॉन्फ़्रेन्स बुलाई गई। इस कॉन्फ़्रेन्स ने सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी की सहायता करने का निश्चय किया। इस प्रस्ताव के पक्ष में ११६ वोट थे और विरोध में केवल १८। मास्को व्यापार-सङ्घों की केन्द्रीय ब्यूरो, रेलवे-मेन की अखिल रूसी-सङ्घ की केन्द्रीय कार्यकारिणी तथा सामाजिक क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रीयों ने कमिटी में अपने-अपने प्रतिनिधि भेजे। सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी कुछ विशेष काम न कर सकती थी, क्योंकि इसमें मेनशेविक भी शामिल थे। कर्नल रयाबज़ेव ने कमिटी को झट से एक अल्टीमेटम दे दिया कि कमिटी तोड़ दी जावे। क्रेमलिन से बोलशेविक गार्ड हटा लिए जावें और आरसनेल से लिए हुए शस्त्र लौटाल दिए जावें।

अल्टीमेटम के उत्तर में कमिटी ने किसानों की सोवियट से और स्टेट ड्यूमा आदि से नए प्रतिनिधियों के लेने का प्रस्ताव किया। पर सामाजिक क्रान्तिकारियों ने—जिन्होंने अपनी एक अलग कमिटी बना ली थी—उस समय तक बातचीत करने से एकदम इन्कार कर दिया, जब तक कि अल्टीमेटम का सीधा-सादा उत्तर न मिल जावे।

क्रान्ति के विरोधियों का कमिटी से बातचीत करने से इन्कार करने का हाल दूसरे दिन मेनशेविक-पत्र में छपा। इसी पत्र में मेनशेविकों की अपील भी छपी। ख़ून-ख़राबी का सारा दोष बोलशेविकों के मत्थे मढ़ा गया। उसी पत्र में मेनशेविकों ने यह भी घोषणा की, कि उन्होंने सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी से सम्बन्ध तोड़ दिया है। मेनशेविकों के अलग हो जाने से क्रान्तिकारी कमिटी का कार्य सरल हो गया। कमिटी विरोधियों से बातचीत करने में लगी थी। मास्को लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था।

रयाबज़ेव ने चुपचाप शहर के बीच में जङ्करों (Junkers) और कोज़कों (Kossacks) को इकट्ठा कर लिया। बहुत शीघ्र कोज़कों ने काम करने से इन्कार कर दिया और अलेक्ज़ण्डेव स्कूल के आँगन में बन्द कर दिए गए। सफ़ेद गार्ड, जिसमें अधिकतर हाई-स्कूल के लड़के थे और ब्लैक हण्ड्रेड (Black Hundred) के अफ़सर भी जङ्करों के साथ हो गए। केवल एक जङ्कर स्कूल ने लड़ने से इन्कार किया।

यद्यपि क्रेमलिन बोलशेविक सैनिकों के हाथों में था, किन्तु सैनिकों को विश्वास दिलाया गया कि सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी ने अब लड़ाई से हाथ खींच लिया है। सैनिक धोखे में आ गए और बिना एक भी गोली चलाए उन्होंने हार मान ली। क्रान्तिकारी कमिटी और ज़िलों के बीच का सम्बन्ध तोड़ दिया गया। ज़िलों को लड़ाई का सारा बोझ उठाना पड़ा, यद्यपि वे एक-दूसरे से अलग थे और न उन्हें पता ही लगता था कि नगर के बीच में क्या हो रहा है।

पहिले तो क्रान्तिकारी कमिटी कमज़ोर पड़ती थी। मज़दूरों और सैनिकों में अधिक उत्साह न दिखाई पड़ता था। एक समय तो हालत यहाँ तक ख़राब हो गई थी कि क्रान्तिकारी कमिटी रियायतें तथा सन्धि तक करने को तैयार थी। पर हालत धीरे-धीरे सुधरने लगी। फ़ैक्टरियों तथा कारख़ानों में आग फैलने लगी। मज़दूरों में जीवन-सञ्चार होने लगा। जङ्कर नगर के केन्द्र में खदेड़ दिए गए और विजय के चिन्ह दिखाई पड़ने लगे।

२६वीं अक्टूबर की शाम को २४ घण्टे के लिए लड़ाई बन्द कर दी गई। एक तटस्थ स्थान तय किया गया, जहाँ दूसरे दिन प्रातःकाल सब ठीक-ठाक करने को एक कमीशन आने को था। क्रान्ति के विरोधियों ने सोचा कि उन्हें अपनी शक्ति बढ़ाने का समय मिल जाएगा। वे दक्षिण से कोज़क सेना के आने की उम्मीद कर रहे थे।

कुछ घण्टों बाद क्रान्ति के विरोधियों की सहायता करने के लिए एक सेना आई। इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ गई और उन्होंने निकेटस्की फाटकों पर धावा कर दिया। लड़ाई पुनः शुरू हो गई। सैनिकों और मज़दूरों को चारों तरफ़ से सहायता मिलने लगी। क्रान्ति के विरोधी हारने लगे।

बहुत ही शीघ्र जङ्करों को क्रेमलिन की शरण लेनी पड़ी। उन्होंने चारों तरफ़ गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया। मास्को का तमाम तोपख़ाना क्रान्तिकारी कमिटी के अधिकार में था। पर वह शहर को व्यर्थ ही नष्ट करना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अभी तक उसका प्रयोग न किया था। पर अब जब जीवन-मरण का प्रश्न उसके सामने आ गया, तो उसने तोपख़ाने से काम लेने का निश्चय किया और क्रेमलिन की इमारतों पर गोलाबारी शुरू कर दी। क्रान्ति के विरोधियों को अपनी हार छिपाने को अच्छा-सा मौक़ा मिल गया। उन्होंने क्रान्तिकारी कमिटी से पूछा कि वह किन शर्तों पर लड़ाई बन्द करेगी। उन्होंने कहा कि वे अपनी आँखों से ऐतिहासिक इमारतों और धार्मिक स्थानों पर गोलाबारी नहीं देख सकते। और वे चाहते हैं कि शान्तिमय नागरिकों का क़त्लेआम बन्द हो जावे।

सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी ने उनकी बात मान ली। शर्तें तय हो गईं। और रात के नौ बजे क्रान्तिकारी कमिटी की तरफ़ से सेनाओं के नाम निम्न-लिखित आज्ञा-पत्र भेजा गया :—

"क्रान्तिकारी सेनाएँ विजयी हो गईं। जङ्कर और सफ़ेद गार्ड अपने हथियार रख रहे हैं। धनिकों की शक्तियाँ तितर-बितर कर दी गई हैं। और वे हमारी शर्तों पर घुटने टेक रहे हैं। तमाम शक्ति सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी के हाथों में है। मास्को के मज़दूरों और सैनिकों ने बहुत हानि उठा कर मास्को में विजय पाई है। मज़दूरों, सैनिकों तथा किसानों की नवीन विजित शक्ति की रक्षा के लिए प्रत्येक पुरुष को आगे आना चाहिए। शत्रु ने घुटने टेक दिए हैं। सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी तमाम लड़ाई बन्द करने की आज्ञा देती है। लड़ाई बन्द होने के बाद सोवियट की सेनाएँ अपनी-अपनी जगहों पर बनी रहें, जब तक कि जङ्करों और सफ़ेद गार्डों के शस्त्र हम लोगों को न दे दिए जावें। सेनाएँ उस समय तक न तोड़ी जावें, जब तक कि सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी की तरफ़ से नवीन आज्ञाएँ न मिलें।"

इस सन्धि की ख़बर से मज़दूर-फ़िर्क़ों को सन्तोष नहीं हुआ। वे इस सन्धि से नाराज़ थे। चौथी नवम्बर के 'सोशल डिमोक्रैट' पत्र में नीचे लिखा लाल गार्डों का विरोध छपा—

"जङ्करों को स्वतन्त्र जाने देने से सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी ने उन्हें जनता के विरुद्ध दुबारा खड़े होने का अवसर दिया है। हम लोगों की यह माँग है कि तमाम पकड़े गए जङ्कर आदि एक क्रान्तिकारी अदालत के हवाले कर दिए जायँ।"

उनकी उपयुक्त माँग में बहुत-कुछ सचाई भी थी। क्योंकि जङ्कर लोग जब हथियार रख कर मास्को से जा रहे थे, वे कहते गए थे कि "डान पर हम लोग एक महीने के अन्दर मिलेंगे।"

नेता लोग सैनिकों को शान्त करने में कोई कसर बाक़ी न रख रहे थे। जङ्कर और अफ़सर डान पर इकट्ठा हुए। उन्होंने लाल सेना, सैनिकों तथा मज़दूरों पर, जो-जो उनके हाथों में पड़े—आमतौर से ज़ोरों से गोलियाँ चलाईं। ऐसी विजय का सारा श्रेय सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी ही को था। क्रान्तिकारी कमिटी के होते हुए भी विजय मिलने का सब से बड़ा कारण था मज़दूर-फ़िर्क़ों के नेताओं की सच्ची लगन।

सन् १९१७ की ७वीं नवम्बर को बोलशेविकों के प्रधान पत्र 'प्रवदा' में लेनिन का एक लेख छपा था। लेख क्या था, क्रान्तिकारियों के नाम लड़ाई का न्योता था। लड़ाई किस ढङ्ग से लड़ी जावे, इस प्रश्न पर लेनिन ने अपने विचार प्रकट किए थे।

दिल को है रोना हमारा, हमको रोना दिल का है!

[नाख़ुदाय सख़ुन हज़रत "नूह" नारवी]

हर तरफ़ एक शोर बरपा, क़ातिलो बिस्मिल का है,
दिल्लगी का है करिश्मा[1], खेल सारा दिल का है,
क्या दिखाऊँ क्या बताऊँ, क्या सुनाऊँ क्या कहूँ,
तेरे दिल पर है अयाँ[2], जो हाल मेरे दिल का है!
हम लुटे उससे मुहब्बत में, वह हम से लुट गया,
दिल को है रोना हमारा, हमको रोना दिल का है,
उसका पैकाँ[3] इस तरह, पहलू से निकला टूट कर,
हमने यह जाना, कि यह टुकड़ा हमारे दिल का है!
ख़ुद बताया मैंने, उस तीरे निगाहे नाज़ को,
यह कलेजे की जगह है, यह ठिकाना दिल का है!
जीते जी तर्के-मुहब्बत[4] हम करें तो क्या करें,
मौत है दिल की, यह मर जाना हमारे दिल का है!
जान बच सकती नहीं, आराम मिल सकता नहीं,
दिल ही में रहता है वह, दुश्मन जो मेरे दिल का है!
आरज़ू दिल से निकल जाती थी पहले यूँ भी था,
अब तो मैं हूँ, और मातम[5] आरज़ूए दिल का है!
कब मिली दोनों को, आज़ारे[6] मुहब्बत से नजात[7],
निस्फ़ हिस्सा है जिगर का, निस्फ़ हिस्सा दिल का है!
"नूह" जिसके इश्क़ में, यह हाल दिल का हो गया,
यह न पूछा, उसने भी क्या हाल तेरे दिल का है!

१—इशारा, २—प्रगट, ३—तीर या बर्छी की भाल, ४—प्रेम-त्याग, ५—रोना, ६—दुख, ७—छुटकारा, ८—आशा।

❀ ❀ ❀

तीसरी क्रान्ति सफल हुई। देश के शासन की बागडोर सोवियट के हाथों में आ गई। बीसवीं सदी के प्रथम बीस वर्षों ने रूस की एकदम काया-पलट कर दी। तीन क्रान्तियों ने रूस में ज़मीन-आसमान का अन्तर कर दिया। सन् १९०५ में रूस में प्रथम क्रान्ति हुई। वैसे तो यह क्रान्ति असफल रही, पर इस क्रान्ति ने रूस को रास्ता दिखला दिया और बता दिया कि क्रान्ति की तैयारी किस ढङ्ग से करनी चाहिए। सन् १९०५ की क्रान्ति को लेनिन ने बहुत महत्वपूर्ण बतलाया है। उसकी राय में यह क्रान्ति आने वाली क्रान्ति की तैयारी मात्र थी।

सन् १९१७ की क्रान्ति ने ज़ारशाही का तख़्ता पलट दिया। जिस ज़ार के सामने जाते हुए लोगों के पाँव काँपने लगते थे, वह सिंहासन से उतार दिया गया। ज़ारशाही का सदा के लिए अन्त हो गया। यद्यपि देश में कुछ लोग अब भी ऐसे थे, जो ज़ारशाही की मृत्यु पर आँसू बहा रहे थे, पर उनकी संख्या उँगलियों पर गिनी जा सकती थी। अधिकतर लोग इस ज़ारशाही के पतन से अत्यन्त प्रसन्न थे और उसे बहुत नीची क़ब्र में गाड़ना चाहते थे, जहाँ से वह फिर न निकल सके। ज़ारशाही के अन्त होने पर अस्थायी सरकार की स्थापना हुई, परन्तु अस्थायी सरकार भी जनता को सन्तुष्ट न रख सकी। क्योंकि इसका शासन कुछ ख़ास लोगों का शासन था। जनता स्वयं अपना शासन चाहती थी। इसलिए जनता ने पहले तो अस्थायी सरकार का समर्थन किया, पर धीरे-धीरे उसकी आँखें खुलने लगीं। वह सचेत हुई। लेनिन ने उन्हें एक फटकार बतलाई और उनसे अस्थायी सरकार का खुल्लमखुल्ला ज़ोरों से विरोध करने को कहा। फलतः एक और क्रान्ति हुई। यह तीसरी क्रान्ति अन्तिम थी। इस क्रान्ति ने अस्थायी सरकार का अन्त कर दिया और शासन की बागडोर सोवियट को सौंप दी। शासन की लगाम तो सोवियट के हाथों में आ गई, पर अभी सोवियट को अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए, सोवियट सरकार की स्थापना करनी थी।

* * *

इञ्जीनियर की स्त्री

(१४वें पृष्ठ का शेषांश)

हुआ। ऐसा भयानक शब्द शायद ही किसी ने कभी सुना हो।

इञ्जीनियर की आँख खुल गई। वह आतङ्क से काँप कर उठ बैठा। कैथरीन उसके पास पड़ी सो रही थी। इस गोलमाल का कारण जानने के लिए इञ्जीनियर जल्दी से उठ कर बाहर गया। पुल आग से जल कर नष्ट हो गया, यह देख कर मन ही मन वह ख़ुश हुआ।

प्रधान पादड़ी और नगर-निवासियों ने निश्चय किया कि पुल के ऊपर बिजली गिरने से ही यह आग लगी है; जिसने पुल को नष्ट कर दिया। सर्वसाधारण को इससे बड़ा दुख हुआ। ख़ासकर इञ्जीनियर से सबने हार्दिक सहानुभूति दिखलाई। जब कि यश की डाली उसके सामने आने को थी, उसी समय दैव ने इस तरह उसे निराश कर दिया। इञ्जीनियर ने भी सोचा, यह भगवान का ही काम है कि इस तरह अग्निकाण्ड करके उन्होंने उसकी रक्षा की।

ख़ैर, उसका विजय-गौरव एक वर्ष के लिए और पीछे हट गया। दूसरे ही साल उसी सान-इल्डिफ़न-सोर पर्व के दिन दूसरा पुल फिर बन कर तैयार हो गया। प्रधान पादड़ी ने पुल खोलने की रस्म बड़ी धूमधाम से पूरी की। नगरवासी फिर आनन्द के साथ टेगस नदी पार होकर सिगराल-भूखण्ड में जाने-आने लगे। उस दिन प्रधान पादड़ी ने एक बहुत बड़ा भोज दिया। उनके दाहनी ओर इञ्जीनियर और उसकी स्त्री बैठी थी। एक बहुत बड़ी प्रशंसा से भरी वक्तृता पादड़ी ने दी। जनता ने इञ्जीनियर की जयध्वनि से आकाश-मण्डल को गुँजा दिया।

तब से पाँच सौ वर्ष बीत गए; किन्तु अभी तक प्रबल वेगवाली टेगस नदी उस पुल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। इञ्जीनियर के दुबारा के हिसाब में कोई भूल न थी*।

* स्पेनिश लेखक Autonis de Trueba की एक कहानी का अनुवाद।

* * *

चटगाँव की परिस्थिति

सरकार के प्रबन्ध और षड्यन्त्रकारियों की कार्रवाइयाँ

चटगाँव बर्मा से बहुत निकट है। बर्मा में जो सरकारी दमन हो रहा है उससे वह बचा नहीं। सम्पूर्ण चटगाँव ज़िले में फ़ौजी क़ानून का जारी है। जब से चटगाँव के सरकारी शस्त्रागार पर धावा हुआ तब से आज तक, परिस्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ा। प्रत्येक दिन कोई न कोई घटना हो जाती है। कभी पहाड़ियों और जङ्गलों में षड्यन्त्रकारियों की खोज में फ़ौजी धावे होते हैं, कभी गोलियाँ बरसती हैं, कभी शहर और देहातों में मकानों की तलाशियाँ होती हैं, कभी बम और पिस्तौल पाए जाते हैं, कभी रेल के ख़ाली डब्बों में कारतूस के बण्डल मिलते हैं, कभी देहातों में बड़े-बड़े थर्मामीटर और सल्फ़्यूरिक एसिड की बोतलें मिलती हैं, कभी बाज़ारों और घरों की तलाशी लेते समय बम, कारतूस, बम बनाने के मसाले और बिजली के तार मिलते हैं, कभी षड्यन्त्रकारियों की ओर से सरकारी अदालत और अफ़सरों के डैनामाईट द्वारा उड़ा देने के प्रयत्न होते हैं और ज़मीन में गड़े हुए बिजली के तारों से लिपटे हुए डैनामाईट के अनेकों कनस्तर मिलते हैं, कभी गिरफ़्तारियाँ होती हैं, कभी सरकारी अफ़सरों पर अज्ञात दलों के आक्रमण हो जाते हैं, कभी चारों ओर १४४ दफ़ा लगा दी जाती है और कभी १६ वर्ष की आयु से लेकर २६ वर्ष की आयु वाले नवयुवकों को शाम को साढ़े सात बजे के बाद मकानों से बाहर न निकलने की घोषणा की जाती है। तात्पर्य यह, कि चटगाँव की परिस्थिति अत्यन्त असाधारण और आश्चर्यजनक है। सरकार अपनी तरफ़ से कोई बात उठा नहीं रखती, परन्तु षड्यन्त्रकारियों की कार्रवाइयाँ जारी हैं।

कुछ दिन की बात है। रेलवे पुलीस ने तीन युवकों को सन्देह में गिरफ़्तार कर लिया। उनके कपड़ों की तलाशी ली जाने लगी। इतने में ही दूर से किसी ने तलाशी लेने वाले पुलीस के आदमियों पर गोली चलाई! पुलीस हट गई और तीनों युवक ग़ायब हो गए !!

सरकार ग़ैर-क़ानूनी कार्रवाई करने तक से नहीं हिचकती। चन्द्रनगर फ़्रान्स के राज्य में है। मि० टेगार्ट ने ग़ैर-क़ानूनी ढङ्ग से वहाँ जाकर तीन अभियुक्तों को आधी रात के समय गिरफ़्तार कर लिया। इस ग़ैर-क़ानूनी कार्रवाई पर न तो फ़्रेञ्च सरकार ने कार्रवाई की, न ब्रिटिश सरकार ने। फिर भी सरकार केवल १९ युवकों को अब तक पकड़ सकी है। इनका विचार एक विशेष अदालत में हो रहा है, जिनके विचारकों में एक रायबहादुर, एक ख़ानबहादुर और एक मि० जे० यङ्ग नामक सिविलियन हैं। सम्भवतः आगामी सप्ताह तक अभियुक्तों का फ़ैसला हो जायगा।

इस मामले में पुलीस ने श्री० अनन्तसिंह को विद्रोह का नेता और श्री० लोकनाथ बॉल और श्रीगणेश को उनका प्रधान सहायक बतलाया है। श्री० अनन्तसिंह ने अपनी गिरफ़्तारी की सूचना कलकत्ते की पुलीस को पहले से ही दे दी थी। नियत तारीख़ के दिन आप पुलीस-अफ़सर स्वर्गीय मि० लोमैन के सामने उपस्थित हो गए और वहीं गिरफ़्तार कर लिए गए।

पुलीस के पास २० आदमियों के और नाम मौजूद हैं, परन्तु वह उन्हें गिरफ़्तार करने में अब तक असमर्थ रही है।

विशेष पुलीस

विशेष पुलीस का ख़र्च केवल हिन्दुओं से वसूल किया जाता है। विद्रोहियों को गिरफ़्तार कराने वाले अधिकतर मुसलमान ही रहे हैं। इस कारण से सभी मुसलमान विशेष पुलीस के अतिरिक्त व्यय से बरी कर दिए गए हैं। सरकार की इस कुटिल चाल से हिन्दू-मुसलमानों का विद्वेष और मनोमालिन्य दिनोंदिन बढ़ रहा है।

यह सब होते हुए भी सरकार पर आतङ्क छाया हुआ है। सरकारी आदमियों को शान्ति से सोना भी मुश्किल है। अदालतों में जाने के पहले अभियुक्तों की नङ्गे करके तलाशी हुआ करती थी, परन्तु विरोध करने पर वह नियम हटा लिया गया है। फिर भी कुछ न कुछ प्रतिबन्ध उन पर भी लगाए जाते हैं। अभियुक्त अदालत में लोहे के एक पिंजड़े में बन्द करके लाए जाते हैं। जजों की रक्षा के लिए बड़ा कड़ा पहरा रहता है। अदालत में आते समय और अदालत से जाते समय उनकी बन्द मोटर के आगे और पीछे एक-एक खुली लॉरी, जिसमें २० सशस्त्र गोरखे सिपाही रहते हैं, चला करती है। आने-जाने के रास्ते भी अक्सर बदलते रहते हैं।

आतङ्क की हद

अभियुक्तों के अदालत से रवाना होने के एक घण्टे पहले जेल की तरफ़ जाने वाली सड़क पर दोनों तरफ़ सशस्त्र फ़ौजी सैनिक खड़े कर दिए जाते हैं। इतने पर भी जेल के अन्दर पिस्तौल और कारतूस गड़े हुए मिल ही जाते हैं !!

❀ ❀ ❀

वचनामृत

[संग्रहकर्ता—श्री० युगलबन्धु]

यदि मनुष्य सीखना चाहे, तो उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ न कुछ शिक्षा दे सकती है।

—डिकेन्स

❀

संसार ही महापुरुषों को ढूँढ़ता है—न कि महापुरुष संसार को।

—कालिदास

❀

जब किसी जाति पर कोई सख़्ती आती है, तब उस सख़्ती के बाद शीघ्र ही नरमी आ जाती है।

—अज्ञात

❀

उदार हृदय वाला पुरुष जब तक जीता रहता है, तब तक आनन्द से ही रहता है—और सङ्कीर्ण हृदय वाला आयु-पर्यन्त दुखी ही रहता है।

—क़ैस-बिन-इब-ख़तीम

❀

सृष्टि नष्ट हो जायगी, फलतः न कोई सर्वदा दुखी रहेगा न सुखी।

—अज्ञात

❀

रण-शूर वह है जो युद्ध-स्थल की कठिनाइयों के समय भी दृढ़ हृदय वाला हो, आपदाओं से दुखी न हो और सत्याग्रह में मैदान न छोड़े

—यज़ीद-बिन-हुबसुल सक़ी

❀

सच्चे मित्र की ओर से यदि एक भूल हो जाती है, तो उसके गुण सहस्रों सिफ़ारिशें लेकर आते हैं।

—एक कवि

❀

तू बादशाह की मुस्कराहट से घमण्डी न हो जा; क्योंकि बिजली के चमकने के साथ ही बादल गरजा करता है।

—इब्नदाहन

❀

यदि कोई मनुष्य विद्वत्ता में बढ़ा-चढ़ा हो तो उसके दुबले-पतले होने से उसे कुछ हानि नहीं पहुँचती।

—एक कवि

❀

यदि मैं अपने भाइयों से कहूँ तो निस्सन्देह मैं उस मनुष्य के समान हूँ, जो कि मृग-तृष्णा में पड़ कर अपनी मशक का पानी गिरा दे।

—उदैल-बिन-इल-फ़रख़

❀

प्रेम के मार्ग में जिसने दुख भोगा है, वही उसको पहचानता है।

—अबू अब्दुल्ला बग़दादी

❀

किसी जाति या राष्ट्र के निर्माण-कार्य में जितनी सहायता पुरुष कर सकते हैं, स्त्रियाँ उनकी अपेक्षा किसी तरह कम नहीं कर सकतीं।

—बर्नरलैण्ड

❀

माँगना एक लज्जास्पद कार्य है, अपने उद्योग से कोई वस्तु प्राप्त करना ही सच्चे मनुष्य का कर्तव्य है।

—महात्मा गाँधी

❀

किसी के गुणों की प्रशंसा करने में अपना समय व्यर्थ नष्ट न करो, बल्कि उसके गुणों को अपनाने का यत्न करो।

—मार्क्स

❀ ❀ ❀

कविता-कुञ्ज

निवेदन

[श्री० श्यामनारायण जी पाण्डेय, साहित्य-रत्न]

कितने अविकार मनों में,
मधु सराबोर नयनों में,
तुझको ढूँढ़ा सुमनों में,
सुन्दर सुकुमार घनों में।
मुसकान भरे अधरों में,
शशि से शीतल प्रहरों में,
तुझको मैं ढूँढ़ रहा था,
मलयानिल की लहरों में।
कुछ तप करने पर आया—
तो सपनों में मँडराया।
छिप कर मानस-मन्दिर में,
कितना मुझको भरमाया।
खुल कर मेरी आँखों ने—
जो अन्तस्तल पर देखा,
तो केवल झलक रही थी,
झिलमिल-झिलमिल पद-रेखा।
यह तेरा आ जाना तो—
पैरों से ठुकराना है;
मेरी आशा-मदिरा को,
चुपके से ढुलकाना है।
इस छोटे से जीवन में,
पीड़ा का भर जाना है;
मेरी मानस-वीणा के,
तारों का बिखराना है।
आकर उर के आसन पर,
कब मृदु मुसकान करेगा?
बस कर मेरी आँखों में,
कब मधुमय गान करेगा?
मेरी सूनी कुटिया में,
आकर चुपचाप समा जा;
आ जा मानस पर आ जा,
मेरे मानस के राजा।

* * *

अरुणोदय

[श्रीमती गायत्री देवी 'विन्दु']

भेद कर पूरब का आकाश,
दिवाकर ने कर विमल प्रकाश।
किया है अन्धकार का नाश,
बँधाई है कमलों की आश।

❀

शीघ्र भारत का भाग्याकाश,
मुदित होगा या रवि का हास।
जगत में किसी न किसी समय,
सभी का होता भाग्योदय।

* * *

मधुप

["श्रीपति"]

आह! जिन कलिकाओं पर भृङ्ग!
झूमते— लेकर ललित हिलोर,
भरा इनमें विष-सा अभिशाप!
न बन उन्मादी प्रेम-विभोर!!

❀

आज, जिस शतदल पर हो मुग्ध,
लूटते हो मधुकर! मकरन्द।
बिछा उस पर है माया-जाल,
स्वयं फँसते क्यों हो मतिमन्द?

❀

भले ही गाओ अलि! मृदु गान,
पा सकोगे न प्रणय-उपहार।
कण्टकों में बिंध कर सहर्ष,
यहाँ जतलाना जी-भर प्यार!

❀

किन्तु क्या, सह कर उर पर शूल—
निबाहोगे नेही की नीति?
यहाँ तजना पड़ता चुपचाप—
मोह प्राणों का, जग की प्रीति!!

❀

यहाँ निःश्वासों का कर अन्त,
ज्वाल में जलना है दिन-रात;
हृदय पर सहना है साहर्ष,
नित्य निष्ठुरता के आघात!

❀

न लाना अधरों पर भी हास,
मना है भरना मीठी आह;
भुलाना है जीवन का मोल,
यहाँ ऐसा ही कुछ निर्वाह!

❀

अरे, सुन कर भी, अप्रिय बात—
अनसुनी करना यही विधान!
ठान कर तजनी पड़ती ठान,
जान कर भी बनना अनजान!!

❀

यहाँ रजनी में दृग के तार,
गूँथते हैं तारावलि-माल!
दिवस में तिमिरावृत संसार—
आँसुओं में तिरता बेहाल!!

❀

अहो मधुलोलुप! सरस-रसज्ञ!
यहाँ नीरस हैं सारे साज!
आ रहा है, अब दुःखद ग्रीष्म!
बिदा लेने को है ऋतुराज!!

* * *

गुलाब

[श्री० मधुसूदनप्रसाद जी मिश्र, 'मधुर']

अहे उपवन के नवल कुमार!
मृदुलता सुषमा के आगार!
सरल शिशु का-सा तेरा हास—
विश्व का रत्न, हृदय का हार।
सुन्दरी ऊषा आकर प्रात—
नयन जब धो जाती ले नीर,
निकल पड़ते हो, तब सुकुमार!
हटा कर हरित मृदुल निज चीर।
देखते हो जब आँखें खोल;
क्षितिज पर हँसता अरुण-प्रकाश,
अहा, मुँह पर लाकर अनुराग,
प्रकट करते हो हृदय-हुलास।
नाचती है मधुकर की पाँति,
सुनाती कोयल मीठी तान।
झूम कर, पुलकित होकर मित्र!
उन्हें देते हो सौरभ-दान।
पास की सखियों के सँग मौन,
अहा, यह कैसा मधु आलाप?
कभी झुक कर लेते हो चूम,
कभी भग आते हो चुपचाप।
किन्तु है यह तेरा आमोद,
विश्व में क्षण भर को छविमान!
अभी होना है तुमको शेष
किसी निष्ठुर कर से बलिदान!

* * *

माँ के प्रति—

[श्री० 'नलिनी']

क्यों ढुलक रहीं माँ दृग से
तव अश्रु-बिन्दु की लड़ियाँ?
क्यों मलिन मुख-कमल तेरा?
क्यों बिखरीं अलकावलियाँ?
किस क्रूर हृदय ने तेरे
डालीं कठोर यह कड़ियाँ!
टूटीं न आह! क्यों उस पर
नभ की विशाल फुलझड़ियाँ?

× × ×

अपमान निरख माँ! तेरा
मम अन्तर-ज्वाला जलती!
तेरे ऊपर मर-मिटने को—
इच्छा आज मचलती!!
दो आत्म-शक्ति हे जननी!
उपहार विजय का लाऊँ!
अनुराग-भाव से तेरे—
चरणों में देवि! चढ़ाऊँ!!

* * *

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



बेल्जियम के प्रधान-सचिव (Minister-President) मोशिए जेस्पर—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जिनका अन्यतम स्थान है।



ज़ेकोस्लोवेकिया के सर्वे-सर्वा—प्रेज़िडेण्ट मेसारिक (President Masaryk)



स्वीट्ज़रलैण्ड के सर्वे-सर्वा—प्रेज़िडेण्ट चार्ल्स बेनज़िगर (President Benziger)



श्री० अलीमहम्मद माड़ीबलूच—आप सिन्ध सत्याग्रह-समिति के प्रमुख सदस्य हैं। आपने गत सत्याग्रह के समय एक मुस्लिम सत्याग्रह-दल भी बनाया था।



कुमारी जयन्ती देवी—यह ९ वर्ष की बालिका कुआगली (काशी) के एक खत्री की लड़की है। इसने निपुणतापूर्वक तैरने के लिए दो चाँदी के और एक सोने का तमग़ा प्राप्त किया है। यह बहती गङ्गा में कई तरह से तैर सकती है।



पं० राजाराम जी शुक्ल—आप छिन्दवाड़ा (मध्य-प्रदेश) के प्रमुख सत्याग्रही हैं। साल भर तक जेल में रह चुके हैं।



तैलिङ्ग-नायडू के सर्व-प्रथम भारतीय पादरी—रेवरेण्ड आर० पीटर



डॉक्टर (कुमारी) सुमतिबाई कुर्लेकर; एल० सी० पी० एस०—जो पूना के सैसून हस्पताल की हाउस-सर्जन तथा मैटर्निटी-रजिस्ट्रार नियुक्त हुई हैं।



पोलैण्ड के प्रधान-सचिव (Minister-President) मोशिए ऑबर्स्ट प्रिस्टर (M. Oberst Prystor)

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



रूस का एक प्राचीन गिर्जाघर—जो समय की प्रगति के कारण अपने प्रभुत्व को अक्षुण्ण न रख सका ! आजकल इसमें रूसी-मज़दूरों के क्लब का हेड-क्वार्टर बनाया गया है।



कुमारी रामकँवर देवी गहलोत—आप मारवाड़ की १५ लाख स्त्रियों में पहली कन्या हैं, जिन्होंने मैट्रिक्युलेशन की परीक्षा सफलतापूर्वक पास की है।



श्री० इन्द्रमणिलाल गुप्त और कॉमरेड भगवानदास गुप्त—ये दोनों युवक मुज़फ़्फ़रपुर के उत्साही कार्यकर्ता हैं और दो-दो बार जेल भोग चुके हैं। यह चित्र दूसरी बार की गिरफ़्तारी के समय का है।



नम्बर ३१, बेलसाइज़ पार्क रोड, लन्दन में अवस्थित सुप्रसिद्ध "आर्य-भवन"—जिसे भारतीय आगन्तुकों की सुविधा के लिए श्री० रामगोपाल जी मोहता तथा श्री० घनश्यामदास जी बिड़ला ने बनवाया है। महात्मा गांधी यदि विलायत गए तो सम्भवतः यहीं ठहरेंगे।

यदि अवसर दिया जाय तो स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकतीं?



कोचीन स्टेट की ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट और सुप्रसिद्ध सुधार-प्रिय रमणी-रत्न—श्रीमती बालकृष्ण मैनन



मद्रास की ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट—श्रीमती पटवर्द्धन, बी० ए०



चिदम्बरम् (मद्रास) म्युनिसिपल कौन्सिल की सदस्या—श्रीमती अमृतथम्मल—इस पद को सुशोभित करने वाली आप सर्व-प्रथम आदि-द्राविड़ महिला-रत्न हैं!

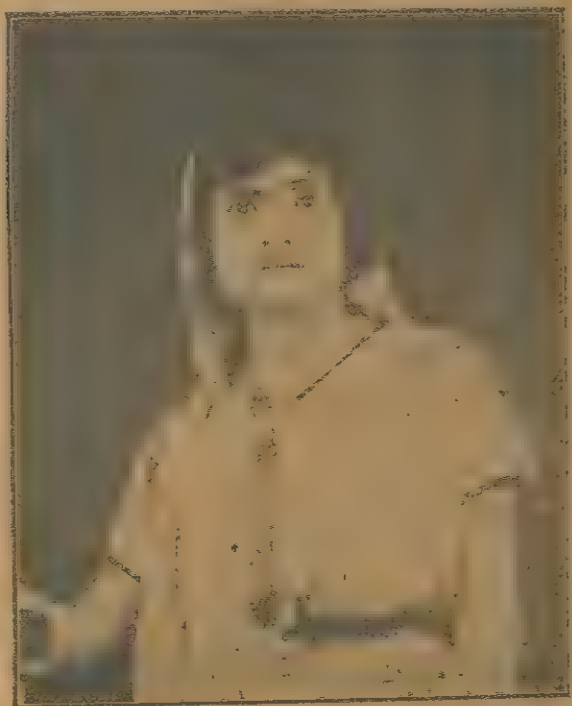


बम्बई की १९ वर्षीय बालिका—कुमारी सिल्विया सेल्डन—सङ्गीत में आपकी अलौकिक प्रतिभा पर मुग्ध होकर लन्दन के ट्रिनिटी कॉलेज ने आपको उच्च अध्ययन के लिए विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की है।

२१ वर्षों तक ट्रावङ्कोर के स्कूलों के निरीक्षिका के पद को सुशोभित करने वाली—कुमारी ई० सी० कॉरापिट, एम० ए०; एल० टी०—आपने गत वर्ष पेन्शन ले ली है।



बुलसार (सूरत) म्युनिसिपैलिटी की सदस्या—पारसी महिला-रत्न—कुमारी तेहमीना डी० मुन्शी।





मद्रास प्रान्त की सर्व-प्रथम महिला-बैरिस्टर—श्रीमती सीता देवदास, बी० ए० (कैम्ब्रिज) बार-एट-लॉ

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



[illegible] वेनीमाधव त्रिवेदी—आप यवतमाल (मध्य-प्रदेश) ज़िले के [illegible] हैं। आपकी उम्र अभी कुल २६ वर्ष की है। आपने अब तक ४६ शेर मारे हैं। इसके अलावा ,फ़ुटबॉल और क्रिकेट आदि के भी आप अच्छे खिलाड़ी [illegible]



[illegible] सीतलवाद की पुत्रवधू हैं और हाल में ही आपने बी० ए० की [illegible]





[illegible] इस वर्ष [illegible] पुरस्कार दिया गया है।



[illegible]



ज़ेकोस्लोवेकियन आर्मी के एक कर्नल की २८ वर्षीय सुपुत्री—मिस मेरियाना वी० पोलक—जिन्होंने, कहा जाता है, गिवराइल प्रिन्सिप नामक एक [illegible] सेरियन को ऑस्ट्रिया के आर्च ड्यूक फ़्रेडरीनेयड की हत्या करते अपनी आँखों से देखा था, जिसके परिणाम-स्वरूप विगत १६१४ का महायुद्ध हुआ था।



यह मैंने कब कहा न मेरा दम निकालिए, इसको निकालिए मेरी हसरत निकाल के।
मशहूर और होगा ज़माने में नामे इश्क़, दो-चार मिल गए जो हमारे ख़्याल के।

मतलब समझ में आप न मेरे सवाल के,
क़ासिद से पूछते हैं वह मानी विसाल[1] के!
रख दे हज़ार कोई कलेजा निकाल के,
लाएँ ख़्याल में वह नहीं इस ख़्याल के!
आशिक़ जो थे हम उस मिज़ए[2] बे मिसाल[3] के,
दिल में चुभोए, पाँव से काँटे निकाल के!
वह और अहदे[4]वस्ल, फिर उसका यक़ीं चेखुश[5],
दुनिया में लोग कम हैं हमारे ख़्याल के!
बदनामियों का ख़ौफ़ है, रुस्वाइयों का डर,
वह लेंगे दिल मेरा कोई पहलू निकाल के!
रञ्जिश कभी, अताब[6] कभी, झिड़कियाँ कभी,
पुतले बने हुए हैं वह गर्दे[7] मलाल के।
सुन कर सवाले वस्ल वह लाखों सुनाएँगे,
हम क्यों बुरे हों इसको ज़बाँ से निकाल के।
मैं यों तुम्हारी बज़्म[8] से उठ कर न जाऊँगा,
निकलूँगा लेकिन अपने उदू[9] को निकाल के।
ज़ाहिद[10] को अपने ज़ोहद[11] पे क्या-क्या ग़ुरूर था,
जन्नत में हम गए, उसे दोज़ख़ में डाल के।
यह मैंने कब कहा न मेरा दम निकालिए,
इसको निकालिए मेरी हसरत निकाल के।
नज़रों के लड़ते ही मेरी तक़दीर लड़ गई,
दिल उसके दिल में डाल दिया आँख डाल के।
क्यों मैंने उनको देख लिया इस कसूर पर,
अब चैन लेंगे वह मेरी आँखें निकाल के।
ऐ "नूह" और दो उन्हें पहलू में तुम जगह,
सीने से ले गए वह कलेजा निकाल के।

—"नूह" नारवी

निकले न हौसले दिले आशुफ़्ता[12] हाल के,
पहलू से कोई चल दिया बातों में टाल के।
अब तो है बात-बात पर उनकी नहीं नहीं,
दो-दो जवाब देते हैं एक-एक सवाल के।
हरदम जमाले[13]यार है आँखों के सामने,
क़ुर्बान क्यों न जाएँ हम अपने ख़्याल के।
मैं फिर कहूँगा क़िस्सए ग़म, क़िस्सए फ़िराक़[14],
सरकार पहले बैठें कलेजा सँभाल के।
तेरे सबब से रञ्ज सहे, ज़िल्लतें सहीं,
पहलू से फेंक दूँ दिले-मुज़्तर[15] निकाल के!
वह कह रहे हैं तुझको मुहब्बत नहीं रही,
क्योंकर उन्हें दिखाऊँ कलेजा निकाल के!!
होते हैं भोले भाले हसीं सख़्त बेवफ़ा,
दिल देना "शाकिर" अपना उन्हें देख-भाल के।

—"शाकिर" बरेलवी

१—मिलन, २—भौं, ३—लाजवाब, ४—मिलने का वादा, ५—क्या ख़ूब, ६—ग़ुस्सा, ७—रञ्ज, ८—समाँ, ९—दुश्मन, १०—परहेज़गार, ११—परहेज़गारी, १२—परेशान, १३—सौन्दर्य, १४—विरह, १५—बेक़रार,

टुकड़े पड़े हैं आईने दिल के जा-बजा[16],
चलिएगा रहगुज़र[17] पे ज़रा देख-भाल के।
अब मर्गे[18] नागहाँ[19] की दुआ माँगता हूँ मैं,
मिट जाएँगे इसीसे पते मेरे हाल के।

—"अज़ीज़" लखनवी

बैठा है कोई गेसुओं[20] के बल निकाल के,
अक्स[21] आईने में आप ज़रा देख-भाल के।
बेदर्द तुझको बात का जब भी यक़ीं न हो,
हम रख दें सामने जो कलेजा निकाल के।
ऐ मौसिमे बहार जो कुछ होश आ गया,
चुन लेंगे फूल पाँव से काँटे निकाल के।
मेंहदी लगाए बैठे हैं कुछ इस अदा से वह,
मुट्ठी में इनकी दे-दे कोई दिल निकाल के।

—"रेयाज़" ख़ैराबादी

केसर की क्यारी

(पहिला हिस्सा)

'भविष्य' के विगत खण्डों में केसर की क्यारी शीर्षक के अन्तर्गत जितनी कविताएँ प्रकाशित हुई हैं, पाठकों के अनुरोध के कारण उनका एक सुन्दर संग्रह इसी नाम से शीघ्र ही प्रकाशित होगा और बहुत सी

नई कविताएँ भी

जोड़ दी जावेंगी। इस पुस्तक का सम्पादन कविवर 'बिस्मिल' दूसरी बार करेंगे, इसीसे पुस्तक की उत्तमता का अन्दाज़ा लगाया जा सकता है। छपाई-सफ़ाई दर्शनीय होगी, पुस्तक सजिल्द प्रकाशित की जायगी। मूल्य लगभग २) रु० होंगे। शीघ्र ही अपना ऑर्डर रिजिस्टर करा लीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा।

—व्यवस्थापक 'भविष्य'

हलक़े[22] नहीं हैं ज़ुल्फ़ के हलक़े हैं जाल के,
हाँ ऐ निगाह शौक़ ज़रा देख-भाल के।
पहुँचे हैं ता कमर जो तेरे गेसुए रसा[23],
मानी यह हैं कमर भी बराबर है बाल के।
शाने दिमाग़ इश्क़ के जलने से यह बढ़ी,
रखता है होश भी क़दम अपने सँभाल के।

—"अकबर" इलाहाबादी

१६—जगह-जगह, १७—रास्ता, १८—मौत, १९—अचानक, २०—बाल, २१—परछाईं, २२—घेरा, २३—पहुँचने वाले,

दिल दे रहा हूँ पहलू से उनको निकाल के,
यह शर्त है कि रक्खें इसे वह सँभाल के।
अब आ गया है वक़्त मेरे चल-चलाव का,
अब क्या करोगे तुम मेरी हसरत निकाल के।
तेरे सिवा जहान में साथी नहीं कोई,
ऐ दिल कहाँ चला मुझे आफ़त में डाल के!
इक बेवफ़ा से है निगाहे[24] लुत्फ़ की उमीद,
ढूँढ़े मिलेंगे लोग न मेरे ख़्याल के।
"ज़ाहिद" से रिन्द[25] कहते हैं पीने में क्या गुरेज़[26],
झगड़े में तुम पड़ो न हरामो हलाल के।

—"ज़ाहिद" इलाहाबादी

पछता रहे हैं हम तो ज़बाँ से निकाल के,
मतलब समझ न जाएँ कहीं वह सवाल के।
डर है कहीं न दामने दिल चाक-चाक हो,
बैठा हूँ अपने सर को गरेबाँ में डाल के।
मेरी नज़र में हैं वह नशेबो[27] फ़राज़े इश्क़,
रखता हूँ हर क़दम पे क़दम देख-भाल के।
ख़ाके-लहद[28] से मेरी कुदूरत[29] है इस क़दर,
पढ़ते हैं फ़ातहा भी वह दामन सँभाल के।
क्या-क्या सितम उठाए हैं दिल ने शबे[30] फ़िराक़,
दुख के, अलम के, रञ्ज के, ग़म के मलाल के।
उलफ़त से बाज़ आएँ मुहब्बत से बाज़ आएँ,
"ग़ाफ़िल" नहीं हैं मर्द हम ऐसे ख़्याल के।

—"ग़ाफ़िल" इलाहाबादी

झगड़े न पेश आए जवाबो सवाल के,
टलते हुए वह मुझको फ़क़त देख-भाल के।
वह मुझसे कह रहे हैं कि इसको जगह न दो,
निकलेगा मेरा तीर, कलेजा निकाल के।
बर्क़े[31] जमाले यार ने ख़ामोश कर दिया,
सीखो अभी कलीम[32] सलीक़े सवाल के।
दरमाने[33] दर्दे दिल से है परहेज़ इस क़दर,
क्या कीजिएगा आप हमें देख-भाल के।
मशहूर और होगा ज़माने में नामे इश्क़,
दो-चार मिल गए जो हमारे ख़्याल के।
इस आइने में नक़्श है तस्वीरे हुस्नो इश्क़,
दिल लीजिएगा आप ज़रा देख-भाल के।
काजल की कोठरी है यह दुनिया ख़बर नहीं,
बैठें कहीं जो आप तो दामन सँभाल के।
"बिस्मिल" जहाँ में कौन हमें जानता नहीं,
फ़रज़न्द[34] हम हैं "मुन्शी विशेशरदयाल[35]" के।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

२४—कृपा-दृष्टि, २५—शराबी, २६—दूर भागना। २७—उतार-चढ़ाव, २८—क़ब्र, २९—मैल, ३०—विरह की रात, ३१—बिजली, ३२—हज़रत मूसा, जो पैग़म्बर थे, उनका असली नाम है, ३३—दवा, ३४—पुत्र, ३५ मेरे पूज्य पिता का नाम है।

* * *

कार्ल मार्क्स और साम्यवाद

[डॉक्टर आनन्दीदीन जी तिवारी, एम० बी० एच०]

मानव-विचार के इतिहास में कार्ल मार्क्स एक युगप्रवर्तक महापुरुष हो गए हैं। उन्होंने संसार की विचार-धारा और जीवन-पद्धति को एक नवीन दिशा की ओर फेर दिया है, जो आदिकाल से प्रचलित जीवन-धारा और रीति-नीति के पूर्णतया विपरीत है। इसी नवीन दर्शन को साम्यवाद कहते हैं और कार्ल मार्क्स इसके प्रतिष्ठाता हैं।

एक समय था, जब कि साम्यवाद के सिद्धान्त को समस्त संसार एक भ्रम-मात्र समझता था। इस पर संसार के विद्वानों में परस्पर ख़ूब द्वन्द्व भी हो चुके हैं। किन्तु आज इसके प्रवर्तक मार्क्स के अपूर्व मस्तिष्क, विचार-शक्ति तथा सर्वसाधारण की कल्याण-कामना को समस्त जगत् श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि महात्मा मार्क्स की नीति का अवलम्बन करके ही रूस ने अपने यहाँ बोलशेविज़्म की स्थापना की है। बोलशेविक-उत्थान के तीन मूल कारण थे—(१) ज़ार के अत्याचार, (२) कार्ल मार्क्स के विचारों का रूस में प्रचार, और (३) लेनिन का व्यक्तित्व तथा उसकी कार्यशक्ति।

कार्ल मार्क्स ने संसार के चिर-प्रचलित बहुत से आदर्शों को चूर-चूर करके उनके स्थान पर सम्पूर्ण विपरीत आदर्श स्थापित किए हैं। उनका मत है कि मानव-समाज ने सृष्टि के आदि-काल से ही अपनी अज्ञानता के कारण अपने को दो प्रतिद्वन्द्वी दलों में विभक्त कर लिया है। एक दल को वह 'Capitalistic' अर्थात् धनिक समुदाय कहते हैं, जिसके अधिकार में संसार की सारी सम्पत्ति और द्रव्य है, और दूसरा है Proletariate अर्थात् श्रमिक दल, जिसके पास किसी प्रकार की सम्पत्ति नहीं है। यह केवल अपने श्रम पर ही अपनी जीविका-निर्वाह करता है। मार्क्स ने दिखाया है कि संसार अतीत काल से ही इन दो प्रतिद्वन्द्वी भागों में विभक्त है। इसी को उन्होंने Class-Society (विभक्त समाज) कहा है, और इसी को एक सूत्र में आबद्ध रखने के लिए जो विवर्तन चल रहा है, उसको Class Struggle अर्थात् श्रेणी-युद्ध कहते हैं।

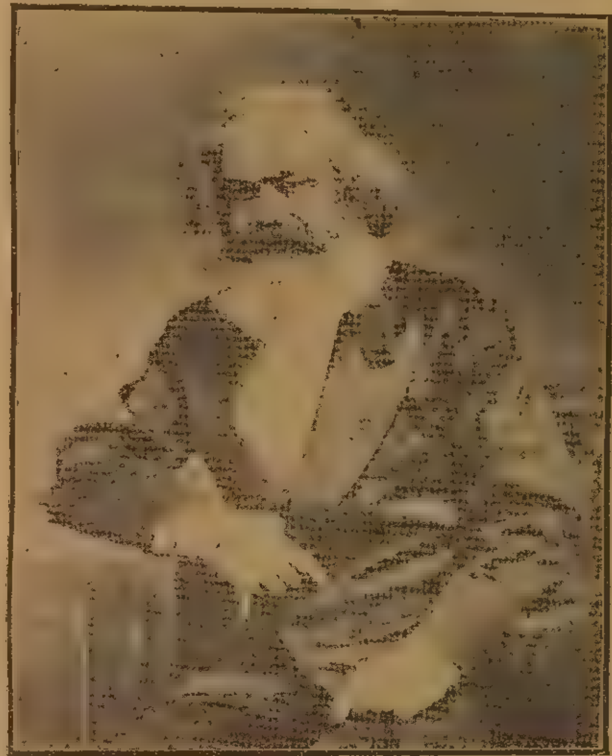
मार्क्स के विषय में कुछ कहने के पूर्व एक नवीन बात को जान लेना आवश्यक है, उसको Dialectic Method (अन्वेषण प्रणाली) कहते हैं। इसके जन्मदाता कार्ल मार्क्स नहीं, बल्कि जन्मदाता प्रसिद्ध जर्मन आदर्शवादी दार्शनिक हेगेल (Hegel) हैं। इसलिए कार्ल मार्क्स के विचारों को समझने से पूर्व, थोड़ा सा हेगेल के विचारों को समझना अत्यन्त आवश्यक है।

सामाजिक विवर्तन की धारणा मार्क्स ने हेगेल से प्राप्त की है। हेगेल का मत है कि विवर्तन की क्रमिक गति का ही दूसरा नाम प्रकृति और इतिहास है। उसका मत है कि इस विवर्तन की क्रिया Idea (भाव) अथवा परमात्मा द्वारा प्रचालित होती है। परन्तु मार्क्स इस बात को नहीं मानता। उसका कथन है कि संसार के यावतीय विवर्तन का मूल कारण Economic Force अर्थात् अर्थनीतिक शक्ति है। समाज के समस्त परिवर्तन Economic Force द्वारा ही होते हैं। मार्क्स का यह मत "Materialistic Conception of History" के नाम से विख्यात है। समाज का प्रत्येक स्तर स्वयं विनाश के कारण की सृष्टि करता है, और फिर प्रत्येक विनाश के पश्चात् एक नवीन और श्रेष्ठ स्तर की सृष्टि होती है। सृष्टि बराबर विरोध के कारण ही होती है। पृथ्वी यदि चिरकाल से अग्नि और भाप का एक पिण्ड होती और कोई शीतल पदार्थ उसके विपरीत रूप में न अवस्थित होता, तो इस संसार में जीव का रहना असम्भव हो जाता। 'स्टेट' अर्थात् राज्य यदि चिरकाल से ही स्वेच्छाचारिणी होता, और उसका विरोधी कोई दल न होता तो उस राज्य में जीवन एक प्रकार से भयानक हो जाता और संसार में किसी तरह का बुद्धि-उत्कर्ष न होता। फलतः संसार की जितनी उन्नति हुई है, वह केवल विरोधी भावों के सङ्घर्ष का ही फल है। हर एक शक्ति अथवा पदार्थ की एक विरुद्ध शक्ति है, जैसे जीवन के विपक्ष मरण, शीत के विरुद्ध उष्ण, आलोक के विरुद्ध अन्धकार, आनन्द के विरुद्ध व्यथा, सम्पद के विरुद्ध दारिद्रय, धनिक के विरुद्ध श्रमिक और भाववाद (Idealism) के विरुद्ध जड़वाद (Materialism) इत्यादि। हेगेल का मत है कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु के भीतर यह विरुद्ध शक्ति होती है। इसी विरुद्ध शक्ति के सदैव प्रकाश और सङ्घर्ष से वे वस्तुएँ क्रमशः नष्ट हो जाती हैं, किन्तु इसी विनाश की प्रक्रिया से ही जगत के बृहत्तर अस्तित्व की सम्भावना होती है। मार्क्स के सिद्धान्त को समझने के पूर्व हेगेल के इस सिद्धान्त को समझना नितान्त प्रयोजनीय है। इसी को 'Theory of Negation' कहते हैं।

इसी सिद्धान्त के अनुसार समाज के दो विरोधी दलों में सदा सङ्घर्ष होता रहता है, और इस सङ्घर्ष के फलस्वरूप बहुत सी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। किन्तु इसके कारण सृष्टि भी सम्भव हो गई है। इसी विनाश में उसके विपक्ष सृष्टि-शक्ति भी रहती है। इसी को 'Theory of Negation of Negation' कहते हैं।

इस बात को अच्छी तरह समझाने के लिए एक अण्डे का उदाहरण देना आवश्यक है। अण्डे के भीतर असंख्य जीवाणु रहते हैं। ये जीवाणु क्रमशः अण्डे के भीतर की सब चीज़ों को खाकर समाप्त कर देते हैं। यह तो विनाश है, पर वास्तव में वह विनाश नहीं है; क्योंकि समय पाकर इसी प्रकार सब जीवाणु एक प्राणी रूप में परिणत हो जाते हैं। विनाश या नत्व का कार्य जब समाप्त हो जाता है, तो एक मुर्ग़ी का बच्चा अण्डे को तोड़ कर बाहर निकल आता है। इसी प्रक्रिया को हेगेल 'Theory of Negation of Negaiton' कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ "Capital" में हेगेल के "Dialectic" पद्धति से सहायता ली है।

श्रमिक और धनिक दो परस्पर विरोधिनी शक्तियाँ हैं और इन्हीं दोनों के मेल से सम्पूर्ण वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं। संसार में व्यक्तिगत सम्पत्ति के कारण ही श्रमिकों और धनिकों की सृष्टि हुई है। धनिक जिस प्रकार अपना अस्तित्व बनाए रखना उचित समझते हैं, उनके विरोधी श्रमिक भी उसी प्रकार अपने अस्तित्व की रक्षा उचित समझते हैं। पक्षान्तर में श्रमिक जिस प्रकार श्रमिक होने के कारण अपना अस्तित्व ध्वंस करने के लिए बाध्य हैं, ठीक उसी प्रकार व्यक्तिगत सम्पत्ति के मालिक का भी ध्वंस अनिवार्य है। क्योंकि इसी व्यक्तिगत सम्पत्ति के कारण ही तो वे लोग श्रमिक हो गए हैं। यह है विरोधी शक्ति के नत्व की दिशा। धनिक विरुद्ध शक्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं और श्रमिक चाहते हैं उसका नाश। किसी राष्ट्रीय या आर्थिक आन्दोलन की ओर दृष्टि डालने से मालूम होगा कि व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकारी विनाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं, किन्तु वे उसको समझने में असमर्थ हैं। व्यक्तिगत सम्पत्ति के मध्य में जो ध्वंस की क्रिया चल रही है, वह उसके मालिकों की अनिच्छा से ही चल रही है। श्रमिक दल की सृष्टि किए बिना मालिक होना असम्भव है। एक दल को वञ्चित करके मालिक होना अपने विरुद्ध एक विनाशक शक्ति की सृष्टि करना है। थोड़े शब्दों में मार्क्स के विचारों की यही भित्ति है।



साम्यवाद के जन्मदाता स्वर्गीय कार्ल मार्क्स

कार्ल मार्क्स का जन्म सन् १८१८ में हुआ था। कार्ल के पिता यहूदी वंश के एक प्रतिष्ठित वकील थे। कार्ल की माता भी हॉलैण्डवासिनी एक यहूदी रमणी थीं।

सन् १८२४ में कार्ल के पिता सपरिवार ईसाई होकर प्रुशिया के एक अत्यन्त अनुरक्त प्रजा हो गए। कार्ल के पिता ऐसे जर्मन-भक्त हो गए कि उन्होंने एक बार कार्ल से नेपोलियन के पतन तथा जर्मनों के उत्थान पर एक कविता लिखने के लिए कहा था। कार्ल ने यह कविता तो न लिखी, किन्तु उसी दिन से यहूदी जाति के प्रति उसके मन में बड़ी घृणा उत्पन्न हो गई।

कार्ल ने बचपन में अपने ग्राम के स्कूल ही में प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की थी। इस स्कूल में अध्ययन करते समय उसका परिचय एक उच्च पदस्थ जर्मन विद्वान के साथ हो गया। कार्ल हमेशा उसके निवास-स्थान पर जाया करता था। वास्तव में इसी जर्मन कर्मचारी पर कार्ल की शिक्षा का अधिकतर उत्तरदायित्व है;

क्योंकि कार्ल अपने पिता की भाँति उसकी भक्ति करता था। इसके पश्चात् उसने उसी की विदुषी कन्या का पाणिग्रहण भी किया।

प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् कार्ल उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बेन के विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए और इसके बाद सन् १८३६ में, उन्होंने बर्लिन-विश्वविद्यालय में नाम लिखाया।

बर्लिन में भी कार्ल ने दर्शन, इतिहास और साहित्य का अध्ययन किया। हम में से बहुत लोग यह नहीं जानते कि कार्ल अपने जीवन के आरम्भ में एक साहित्यिक और सुकवि थे। इस समय उन्होंने दर्शन-शास्त्र की आलोचना में अपना दिल और दिमाग़ पूर्णरूप से लगा दिया था। उनकी रातें दर्शन-शास्त्र की आलोचना, आत्म-सन्देह और न्याय-विचार में कटती थीं। इस तीक्ष्ण बुद्धिशाली युवक को जगत के मूल कारण का पता लगाने की बड़ी अभिलाषा थी और इसी मनन-शक्ति के कारण उसने प्रचलित अर्थ-नीति को आदि से अन्त तक अध्ययन करके साम्यवाद के मन्त्र का प्रचार किया।

इस समय उसके मन की क्या अवस्था थी, इस सम्बन्ध में उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा था, जिसका सारांश इस प्रकार है :—

"जीवन में ऐसा समय आता है, जबकि यह ज्ञान पड़ता है कि एक युग गुज़र रहा है और दूसरे का आरम्भ हो रहा है। जीवन के इस सन्धि-क्षण में मनुष्य का मन काव्यमय हो उठता है। क्योंकि प्रत्येक सन्धि के समय जो परिवर्तन होता है, वह मानो अतीत की समाधि पर एक नवीन स्तम्भ की रचना है। मैं समझता हूँ कि यह नवीन जीवन मेरे मन और शरीर से काव्य, दर्शन, विज्ञान और वास्तविक जीवन का स्रोत निकाल रहा है।"

इस पत्र से मालूम होता है कि इस समय कार्ल कविता और दर्शन के अध्ययन में व्यस्त था।

इसी समय उसके जीवन पर विख्यात जर्मन दार्शनिक हेगेल की छाप पड़ी। क्योंकि इसके पश्चात् उसने जितने लेख लिखे हैं, सब पर हेगेल के विचारों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। हेगेल ने जिस शैली से दर्शन-शास्त्र लिखा है, कार्ल मार्क्स ने भी अपनी विख्यात पुस्तक 'कैपिटल' (Capital) में उसी का अनुसरण किया है।

सन् १८३८ में कार्ल के पिता का देहान्त हो गया, इसलिए उन्हें जीविका-निर्वाहार्थ नौकरी की खोज करनी पड़ी। उन्होंने विश्वविद्यालय में अध्यापक-पद प्राप्त करने की भरसक चेष्टा की ; परन्तु उनका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। इसी समय दर्शन-शास्त्र पर एक निबन्ध लिखने के कारण उन्हें दर्शनाचार्य (Doctor of Philosophy) की उपाधि मिली। किन्तु किसी विश्वविद्यालय में नौकरी न मिली, क्योंकि जिन लोगों के विचार स्वाधीन और नवीनता-प्रयासी होते हैं, विश्वविद्यालयों जैसी संस्थाओं में उनके लिए स्थान प्राप्त करना दुष्कर होता है।

अध्यापक का कार्य न मिलने पर कार्ल ने हेगेल के प्रचलित मतवाद के खण्डन में लेख लिखना आरम्भ कर दिया। इस समय कार्ल के विचारों का समर्थन करने वाला एक दल बन गया था।

सन् १८४२ में इस दल ने 'Rheinische Zeitung' नामक एक पत्र निकाला। कार्ल ने इसमें लेख लिखना आरम्भ किया और कुछ समय के पश्चात् इस पत्र के सम्पादक हो गए। इसी पत्र का सम्पादन करते समय उनका विचार दर्शन और साहित्य की ओर से हट कर राजनीति और अर्थशास्त्र की ओर झुक गया। इसी समय जर्मन और फ़्रान्सीसी साम्यवादियों की एक सम्मिलित सभा हुई। मार्क्स का भी दिल राजनीति और अर्थशास्त्र की ओर अग्रसर हो गया। इस नवीन विषय के अध्ययन के लिए उसने सम्पादकी भी त्याग दी। यहीं से मार्क्स के नवीन जीवन का आरम्भ हुआ और इसी जीवन का फल 'साम्यवाद' या 'कम्यूनिज़्म' है, जिसने आज समस्त संसार की विचार-धारा को परिवर्तित कर दिया है।

सन् १८४३ में उसने एक पत्र में लिखा था—"यह जो शोषण-नीति और वाणिज्य-प्रथा मनुष्यत्व का दोहन कर रही है, इसके सङ्कलन के विरुद्ध क्षोभ के कारण एक दिन समाज के अन्तस्तल से इसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा होगी। प्रचलित सामाजिक तथा अर्थनीतिक व्यवस्था इसका न प्रतिरोध ही कर सकती है और न इसके उपशम का ही सामर्थ्य उसमें है।"

उपर्युक्त पत्र में मार्क्स की नीति का बीज छिपा हुआ था। इस समय, सन् १८४३ में, मार्क्स अपनी धर्मपत्नी को लेकर पेरिस चले गए और वहाँ जाकर 'Franco-German Year Book' के सम्पादक नियुक्त हुए। इसी सम्पादन-कार्य के समय उनका परिचय उनके जीवन के सर्वश्रेष्ठ मित्र एञ्जेलस के साथ हुआ। बहुत से लोगों का विचार है कि यदि मार्क्स का परिचय एञ्जेलस के साथ न होता, तो संसार में मार्क्स की इतनी ख्याति भी न होती। मार्क्स के देहान्त के पश्चात् एञ्जेलस ने ही उनकी पुस्तक "Capital" के प्रकाशन और सम्पादन का भार अपने ऊपर लिया। इसके कुछ वर्ष बाद ही कवि और दार्शनिक मार्क्स संसार के समस्त राजनीतिज्ञ और अर्थनीतिज्ञ के रूप में प्रकट हुए। इसी जगह और एक विख्यात राजनैतिक साम्यवादी का उल्लेख करना आवश्यक है। क्योंकि उसने भी मार्क्स की भाँति संसार में एक नवीन राजनीतिक विचार के प्रचार और प्रतिष्ठा की चेष्टा की है। उसका नाम प्रौढन (Proudhon) है। सर्व-प्रथम उसी ने यह प्रचार किया है कि Property is robbery अर्थात् व्यक्तिगत सम्पत्ति डकैती है। इसकी पुस्तक 'What is property' (सम्पत्ति क्या है ?) मनन करने योग्य है। फ़्रान्स के विप्लव ने मार्क्स के विप्लवकारी विचारों पर गहरा प्रभाव डाला। उसी समय इङ्गलैण्ड, जर्मनी और फ़्रान्स में साम्यवादी साहित्य का ख़ूब प्रचार होने लगा। सन् १८४२ में इङ्गलैण्ड में सब से पहली एक वृहत हड़ताल हुई। इस समय विज्ञान की उन्नति के कारण चारों ओर रेल, तार और कल-कारख़ाने बढ़ रहे थे और ठीक उनके पद-चिह्न का अनुसरण कर रहे थे, मानव-समाज के दुख और दारिद्र्य। चारों ओर अशान्ति ही दृष्टिगोचर होती थी।

इसी समय मार्क्स ने कारख़ानों के मज़दूरों के साथ रह कर उनकी दशा का अवलोकन आरम्भ किया और फल-स्वरूप श्रमजीवी-सङ्घ का जन्म हुआ। यूरोप के प्रत्येक बड़े शहर में श्रमजीवी-सङ्घ स्थापित होने लगे। सब से पहले सन् १८४७ में लन्दन में कम्यूनिस्ट कॉङ्ग्रेस हुई। उसी कॉङ्ग्रेस में मार्क्स और एञ्जेलस ने एक कार्य-प्रणाली का वर्णन किया। वही विख्यात Communist Manifesto है। इसी कार्य-प्रणाली के प्रथमांश में, सामाजिक विवर्तन के कारण समाज के अन्याय, श्रेणी-विभाग की कथा, धनिक और श्रमिक के अधिकार पर विचार प्रकट किए गए हैं। द्वितीय भाग में साम्प्रदायिक सङ्घर्ष और श्रमजीवी विप्लव का वर्णन है। तृतीय अंश में कम्यूनिस्ट विप्लव की घोषणा और चतुर्थ भाग में अन्य साम्यवादी मतों का खण्डन है।

सन् १८४८ में जर्मनी में विद्रोह आरम्भ हो गया। इस समय मार्क्स बेलजियम से निर्वासित होकर पेरिस आए और फिर यहाँ से प्रचार-कार्य सम्पन्न करने के लिए जर्मनी लौट गए। इस समय फिर एञ्जेलस और मार्क्स ने अपना पुराना पत्र 'Rheinische Zeitung' निकालना आरम्भ किया। इस पत्र को चलाने के लिए मार्क्स ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। परन्तु सरकार की वक्र-दृष्टि के कारण पत्र निकालना असम्भव हो गया। मार्क्स अपनी समस्त जायदाद बेंच कर तथा पत्र-सम्बन्धी पावना चुका कर पेरिस चले आए। फिर फ़्रान्स-सरकार द्वारा निर्वासित किए जाने पर उन्होंने लन्दन में शरण ली और उनका अन्तिम जीवन लन्दन ही में व्यतीत हुआ। लन्दन में उनका जीवन बड़े कष्ट से बीता। ग़रीबी ने उनको आ दबोचा। इस ग़रीबी में मार्क्स का प्रधान अवलम्बन उनकी स्त्री थी। इस समय मार्क्स की ग़रीबी इतनी बढ़ गई थी कि सचमुच उन्हें लिखने के वास्ते काग़ज़ ख़रीदने के लिए अपना अन्तिम कोट रेहन रखना पड़ा था। इस दीन दशा में उनकी आदर्श धर्मपत्नी, जो एक जजाधीश की कन्या थी, कहा करती थी कि मार्क्स से विवाह करके वह अत्यन्त सुखी है। निर्वासन, निर्यातन, सब में यह रमणी मार्क्स के निकट रह कर नित्य उनको नवजीवन की अनुप्रेरणा से उद्बुद्ध करती थी। उसके मुख पर सदा एक स्निग्ध-गम्भीर सौन्दर्य क्रीड़ा करता था। मार्क्स के शत्रु और मित्र सब अन्तःकरण से इस रमणी की प्रशंसा करते थे। इस रमणी का अतुलनीय प्रेम मार्क्स को जीवन प्रदान करता था। लेनिन को भी सङ्कटमय जीवन में एक स्त्री के प्रेम ने ही अपूर्व सहनशक्ति प्रदान की थी। मार्क्स अपने लेख पहले अपनी स्त्री को सुना कर उसका अभिमत प्राप्त कर लेते थे।

इस लन्दन-निवास के समय दारुण दारिद्र्य में ही मार्क्स ने "Capital" का प्रथम भाग लिखा था। हम जिस तरह गीता से प्रेम करते हैं, कम्यूनिस्ट उसी तरह "Capital" से श्रद्धा रखते हैं। जीवन के अन्तिम समय में, रूसी कृषकों की दशा जानने के लिए उन्होंने रूसी भाषा सीखी थी। जीवन के शेष समय तक सत्य के प्रेम ने सदा उनको जाग्रत रक्खा। अन्त में सन् १८८३ के मार्च में मार्क्स लन्दन में ही परलोकगामी हुए।

बीसवीं शताब्दी में संसार के जिस रसायनशाला में इस मत की परीक्षा हो रही है, वह रसायनशाला है रूस।

*

ऐनिटा

[श्री० रमेशप्रसाद जी, बी० एस्-सी०]

देशभक्त व्यक्ति सभी जगह, सभी समय पूज्य होते हैं। देशभक्तों में उन मनुष्यों का स्थान सर्वोच्च है, जो देश-उद्धारकर्त्ता होते हैं। इटली के महामना गैरिबाल्डी को कौन नहीं जानता? इनकी देशभक्ति तथा स्वदेश-प्रेम विश्व-व्यापी हो गया है। मनस्विनी ऐनिटा इन्हीं महापुरुष की सहधर्मिणी थीं। उन्नीसवीं शताब्दी की यूरोपीय महिलाओं की मुकुट-मणि होने के कारण इनका चरित्र पठनीय, मननीय तथा अनुकरणीय है। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये अपने समय की आदर्श स्त्री थीं। ऐसी सती स्त्री यूरोपीय देशों में बिरली ही मिलती हैं। कहा है—"सती छाया की नाईं पति का अनुगमन करती है।" यह सनातन-सत्य इस रमणी के जीवन-ग्रन्थ के प्रत्येक पृष्ठ की प्रत्येक पंक्ति में दृष्टिगोचर होता है। विवाह के बाद मृत्यु-पर्यन्त यह वीर-रमणी, घर या बाहर, कानन या उद्यान में, समर-भूमि या गृहाङ्गण में, जल या स्थल में, पैदल या घोड़े की पीठ पर, पहाड़ पर या नदी में, दिन या रात में, स्वस्थ या अस्वस्थावस्था में, फूल या मृत्यु-शय्या पर छाया की नाईं सदा अपने पति के साथ रही। अनन्त-रूपिणी महाशक्ति ने कातरा इटली की उद्धार-कामना से गैरिबाल्डी के सहायतार्थ मानो अपनी शक्ति के अंश से ऐनिटा की सृष्टि की थी। ऐनिटा के अदम्य साहस, अतुलनीय उत्साह तथा अपरिमित धैर्य को देख कर यह बात अक्षरशः सत्य जान पड़ती है।

दैव ने गैरिबाल्डी को ऐनिटा के लिए और ऐनिटा को गैरिबाल्डी के लिए रचा था। उन्होंने इन दोनों को मिलाया था। उनका मिलन-वृत्तान्त बड़ा रोचक है। एक बार गैरिबाल्डी 'राम्रो पार्डो' नामक जहाज़ पर चढ़ कर ब्रेज़िल के जङ्गी बेड़े पर आक्रमण करने जा रहे थे। हठात् प्रबल आँधी के आ जाने के कारण उनका जहाज़ डूबने लगा। उस जहाज़ में तीस आदमी थे; जिनमें सोलह समुद्र-गर्भ में चिर-विश्राम लेने के लिए प्रवेश कर गए। बाक़ी मनुष्य किसी प्रकार इस विपत्ति के हाथ से अपने को छुड़ा कर पुनः इस संसार में अपनी जीवन-लीला का खेल दिखलाने के लिए रङ्गमञ्च पर आए। यदि इस समय गैरिबाल्डी डूब गए होते, तो यह जीवनी लिखने की नौबत ही न आती। किन्तु ऐसे भीषण विपत्ति-काल में भी उन्होंने अपने होश-हवास दुरुस्त रक्खे और एक मील तैरने के बाद तट पर पहुँचे। तैरते समय उन्होंने लकड़ी के कई तख़्ते देखे और उन्हें उन मनुष्यों के पास ठेल कर पहुँचा दिया, जो उनके पीछे तैरते आ रहे थे। इस प्रकार अपनी तथा अपने सहचरों की जल-समाधि से रक्षा कर गैरिबाल्डी सेण्ट कैथेराइन नामक प्रदेश में जा पहुँचे। इस प्रदेश के मनुष्य उनकी दुरवस्था देख कर उनकी मदद करने लगे। एक मनुष्य ने गैरिबाल्डी के सम्मानार्थ उन्हें एक तेज़ घोड़ा दिया। गैरिबाल्डी घोड़े पर चढ़ कर निकट ही बार्रा (Barra) नामक स्थान को गए। वहाँ उन्होंने एक निर्जन घर देखा। एक पतली सी धारा उस मकान के पास ही से बह रही थी। उस कुटी के चारों ओर पहाड़ और एक ओर निकट ही एक छोटा सा जङ्गल था। गृह-स्वामी ने गैरिबाल्डी को देख कर अपने तुच्छ गृह में पदार्पण करने का उनसे अनुरोध किया। गृह-स्वामी की स्त्री दो परम रूप-लावण्यवती और अलौकिक गुणशालिनी युवती कन्याओं को छोड़ कर मरी थी। इन दोनों में छोटी सर्वांश में श्रेष्ठ थी। उसका वीणा-विनिन्दित स्वर, पूर्ण यौवन-प्राप्त शरीर, उज्ज्वल तारों से नेत्र, कमनीय देह-कान्ति और कोमल प्रकृति देखने से जान पड़ता था कि मानो कोई देव-कन्या शाप-भ्रष्टा होकर धरातल पर अवतीर्ण हुई है। मानो विधाता ने गैरिबाल्डी का उत्साह बढ़ाने के लिए सर्वगुण-सम्पन्न इस रमणी-रत्न को उनके लिए भेजा था। कमनीय कान्ति और कोमल प्रकृति के साथ दुर्दमनीय तेज और असाधारण वीरत्व का अपूर्व सम्मिश्रण बहुत कम ही देखा जाता है। कुटी-निवासिनी वीर-सुन्दरी ऐनिटा का गैरिबाल्डी के साथ वैसा ही मिलन था।

चार आँखों के मिलते ही एक-दूसरे ने परस्पर को अपने-अपने हृदय में स्थान दे दिया। कैसा विचित्र मिलन था? कहाँ का रहने वाला गैरिबाल्डी और कहाँ की रहने वाली ऐनिटा!! कहाँ गैरिबाल्डी को इसके कुछ ही दिन पहले अपने प्राणों के लाले पड़े थे, और कहाँ यह सुखद मिलन!! जब ईश्वर ने दोनों को एक-दूसरे के लिए बनाया था, तब उनका किसी न किसी प्रकार मिलन होना अनिवार्य था। जिस गान्धर्व प्रथानुसार अर्जुन और सुभद्रा का, श्रीकृष्ण और रुक्मिणी का तथा दुष्यन्त और शकुन्तला का विवाह हुआ था, उसी प्रथानुसार गैरिबाल्डी ने ऐनिटा का पाणिग्रहण किया। इस विवाह के विषय में स्वयं गैरिबाल्डी ने एक बार कहा था—"इस विवाह में ईश्वर साक्षी तथा पुरोहित थे, चन्द्रमा ने अग्नि तथा शिला ने वेदी का स्थान ग्रहण किया था। इस छोटे स्रोत के तीर पर शुभ परिणय-कार्य समापन हुआ।" जिस प्रकार वह नदी अनन्तकाल-वाहिनी है, उसी प्रकार इस दम्पत्ति का यशःस्रोत चिरकाल स्थायी है। प्रातःसूर्य की जिस रश्मि-माला में यह वीर-दम्पति नव-परिणय-पाश में आबद्ध हुए थे; उसी प्रातः-सूर्य की रश्मि जैसा उनका प्रेम दिन-दिन बढ़ता गया।

वृद्ध-पिता की यही दो कन्याएँ अवलम्ब थीं। इस कारण विवाह के बाद गैरिबाल्डी अपनी नवोढ़ा पत्नी को रणभूमि में ले जाने के लिए इच्छुक नहीं थे। किन्तु सहधर्मिणी का अत्यधिक आग्रह देख कर वे उसे रण-क्षेत्र में ले जाने के लिए बाध्य हुए। विवाह के बाद मधु-चन्द्र (Honey-moon) शेष होते न होते गैरिबाल्डी को सेनापति कैनिभरो की सेना में सम्मिलित होने की आज्ञा मिली। यहीं से ऐनिटा और गैरिबाल्डी का हर-गौरी मिलन आरम्भ हुआ। नेपिल्स का भावी डिक्टेटर और उसकी सहधर्मिणी दो ब्रेज़ेलियन घोड़े पर चढ़ कर आनन्दपूर्वक सेनापति के शिविर की ओर चले। एक पथ-प्रदर्शक भी घोड़े पर चढ़ कर उनके साथ हो लिया। एक सप्ताह बाद यह नव-दम्पति मेरिटभिरियो सेना में जा मिले।

ऐनिटा ने अपनी अद्भुत पति-परायणता द्वारा शीघ्र ही इस बात का परिचय दिया कि वह गैरिबाल्डी जैसे योद्धा की सहधर्मिणी होने योग्य है। उनके वहाँ पहुँचने के थोड़ी देर बाद गैरिबाल्डी को ब्रेज़ेलियन जहाज़ी बेड़े पर आक्रमण करने के लिए समुद्र-यात्रा करने की आज्ञा हुई। ऐनिटा भी उनके साथ-साथ चली। अनुनय-विनय उन्हें रोक न सके। नव-दम्पति एक छोटी सी लड़ाकू नाव पर चढ़ कर आगे बढ़े। विवाह के बाद एक महीना बीतते न बीतते ऐनिटा ने वीर-रमणी की प्रतिष्ठा पाई। जिस नाव में ये बैठे हुए थे, वह शत्रु-पक्ष की नावों की ओर अनुकूल वायु पाकर प्रबल वेग से जाने लगी और उनकी एक नाव से टकरा गई। शत्रुओं ने तोप से गोला दागना आरम्भ कर दिया। गैरिबाल्डी ने ऐनिटा से 'केबिन' के भीतर जाने का अनुरोध किया, इस पर ऐनिटा ने उत्तर दिया—"जाती हूँ, किन्तु भीरु पुरुषों को 'केबिन' से बाहर निकालने के लिए जाती हूँ, न कि अपने बचाव के लिए।" ऐनिटा ने जो कहा वही किया। 'केबिन' से वह दो भीरु नाविकों को, जो डर के मारे छिपे हुए थे, पकड़ लाईं और उन्हें युद्ध करने के लिए उत्तेजित करने लगीं। शत्रु-सेना से अविराम भीषण अग्नि-वर्षा हो रही थी। दोनों नावें इतनी पास-पास आ गईं कि दोनों पक्ष के योद्धाओं ने अपने हाथों में तलवार सँभाली और लड़ने लगे। डैक पर मृत-शरीरों का ढेर लग गया। ऐनिटा यह लोमहर्षक दृश्य देख कर ज़रा भी विचलित नहीं हुईं। वह योद्धाओं से बन्दूक़ें ले-लेकर गोली भरने और उस अग्नि-कुण्ड में अविचलित रह कर सबको उत्तेजित करने लगीं। पाँच घण्टे के युद्ध के बाद गैरिबाल्डी के बेड़े ने शत्रु-बेड़े पर जय पाई। गैरिबाल्डी के पास जितने अस्त्र-शस्त्र थे, उनसे कहीं अधिक शत्रुओं के पास थे, तथापि गैरिबाल्डी के असाधारण रण-चातुर्य तथा उनकी पत्नी की अलौकिक उत्तेजना से विजय-लक्ष्मी उन्हीं के हाथ रही। यह कहना टेढ़ी खीर है कि विजय प्राप्त करने में अधिक हाथ गैरिबाल्डी का था या ऐनिटा का। गैरिबाल्डी तथा उनके सैनिक लड़े अवश्य, किन्तु उन्हें उत्साहित करना, उनकी हिम्मत बढ़ाना और कापुरुषों को भी लड़ाई के लिए उत्तेजित करना एक स्त्री-रत्न ही का काम था।

ईश्वर ने ऐनिटा में अलौकिक माधुर्य और सुन्दरता के साथ ही असाधारण वीरता और साहसिकता को कूट-कूट कर भर दिया था। यदि गैरिबाल्डी के साथ उनका विवाह न होता, तो उनके ये गुण प्रस्फुटित न होते। इस विजय के बाद सेण्ट कैथेराइन प्रदेश के अन्तर्गत इमारू नामक सरोवर की छाती पर ऐनिटा को अपने अद्भुत वीरत्व और साहस का दूसरी बार परिचय देने का अवसर मिला। यह सरोवर राओग्रैण्डो से बहुत दूर नहीं है। वहीं शत्रुओं के बेड़े से सामना हुआ। शिला-वृष्टि की नाईं गोला-वृष्टि होने लगी। ऐनिटा अपने स्वामी के साथ सामने का स्थान ग्रहण कर लड़ने लगीं। देखने से जान पड़ता था कि स्वयं रणचण्डी लड़ाई के मैदान में लड़ रही हों। शत्रुओं की तोपें अनवरत आग उगल रही थीं, उनका सामना करना गैरिबाल्डी तथा उनकी स्त्री ही का काम था। उनके जहाज़ पर पाँच और सैनिक थे, किन्तु वे बहुत पहले इस धरा-धाम को छोड़ कर वीर-गति पा चुके थे। इधर जहाज़ भी डूबने का उपक्रम करने लगा। अब गैरिबाल्डी को जहाज़ से सामरिक द्रव्य-सामग्री को किनारे पहुँचाने की चिन्ता पड़ी। उनकी अपनी जान भी दोनों प्रकार जोखिम में थी। यदि अपना बचाव करना बन्द कर दें, तो शत्रु अनायास ही उन्हें मार डालें; यदि जहाज़ डूब जाय, तो उनकी तथा उनकी पत्नी की बिना मौत की मृत्यु हो। इसलिए सामरिक द्रव्यों को किनारे पहुँचाने का भार उन्होंने ऐनिटा को दिया। इस काम को करने के लिए ऐनिटा को डोंगी में चढ़ कर कई बार जहाज़ से किनारे और किनारे से जहाज़ तक आना-जाना पड़ा। इस समय शत्रु भी उन्हें लक्ष्य कर गोली दागने लगे, किन्तु जिस

प्रकार ऐनिटा ने अपनी रक्षा की, वह सर्वथा प्रशंसनीय है। उस अग्नि-वर्षा के समय गैरिबाल्डी-पत्नी धीर और स्थिर रहीं। धन्य ऐनिटा! धन्य तुम्हारा साहस! और धन्य तुम्हारी पति-भक्ति!

इस सरोवर-युद्ध के कुछ दिन उपरान्त गैरिबाल्डी ने सेनापति कैनिभरो की सेना के साथ शत्रुओं के विरुद्ध यात्रा की। इस यात्रा में ऐनिटा भी घोड़े पर चढ़ कर अपने स्वामी के पास-पास चलीं। रास्ते की कठिनाई, भूख, प्यास, थकावट और अन्य सामरिक कष्टों को वह सहर्ष सहने लगीं। वह प्रत्येक युद्ध-क्षेत्र में स्वामी के पास रहतीं और यथासाध्य सैनिकों की दावा-दारू किया करती थीं। निरन्तर युद्ध-क्षेत्र में रह कर आहत सैनिकों की चिकित्सा करते वह चीर-फाड़ के कार्य में इतनी दक्ष हो गईं कि बड़ी-बड़ी गोली भी वह सैनिकों के शरीर से अनायास निकाल लेती थीं। अस्त्र-चिकित्सा के अतिरिक्त उन्होंने धातृ-कार्य में भी पारदर्शिता लाभ कर ली थी। उनकी शुश्रूषा से सभी आहत सैनिक सन्तुष्ट रहते थे, इसलिए गैरिबाल्डी की सेना के साथ प्रायः कोई भी सर्जन या नर्स नहीं रहती थी। इससे जाना जा सकता है कि ऐनिटा ही इन दोनों दायित्वपूर्ण कार्यों को किस ख़ूबी के साथ निबाहती थीं। मूर्तिमती, रण-विषयिणी प्रतिभा के समान वह रण-क्षेत्र के प्रत्येक अभाव को मोचन करती फिरती थीं। जो भीरु कापुरुष रण-स्थल को छोड़कर भागने की चेष्टा करता था, उसे वह तिरस्कार-पूर्ण वाक्यों से लज्जित कर, पुनः उसको अपने स्थान पर भेजती थीं। जिसकी बन्दूक़ की बारूद ख़तम हो जाती थी, उसकी बन्दूक़ में बारूद और गोली भर दिया करती थीं; जो अस्त्र-रहित हो जाता था, उसे अस्त्र ला देती थीं; जिनके घोड़े मारे जाते थे, उनके लिए नए घोड़े का प्रबन्ध करना ऐनिटा ही का काम था। रण-क्षेत्र में वह स्वयं दश-भुजा सी आविर्भूत होकर गैरिबाल्डी के सभी अभावों को दूर करती थीं। ऐनिटा घावों पर बहुत ही अच्छी पट्टी बाँध सकती थीं। किसी सैनिक का हाथ या पैर कट गया है, शरीर से रक्त निकल रहा है, कोई रक्त को बन्द नहीं कर सकता। ऐसे समय ऐनिटा आती थीं और इस प्रकार पट्टी बाँध देती थीं कि कटे हुए स्थान से रक्त का निकलना बन्द हो जाता था। इसी पट्टी के प्रभाव से आहत सैनिक शीघ्र ही अच्छा हो जाता था। ऐनिटा की दृष्टि चारों ओर रहती थी। उनका एक दृष्टान्त दिया जाता है। एक दिन सेण्टाभिटोरिया रणक्षेत्र में वह किसी आहत सैनिक की मरहम-पट्टी कर रही थीं। उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ अश्वारोही मेण्टि-भिरियो सैनिक मैदान छोड़ कर भागे जा रहे हैं। वह तुरन्त घोड़े पर सवार होकर उनके सामने गईं। सैनिकों को धिक्कारते हुए उन्होंने उन्हें रण में लौट जाने के लिए उत्साहित किया। वे भी लज्जित होकर लौट आए और इस प्रकार लड़ने लगे कि कुछ देर के लिए ऐसा जान पड़ा मानो विजय-लक्ष्मी गैरिबाल्डी-सेना की करतल-शायिनी होगी। इसी समय साम्राज्य-तान्त्रिक सेना से एक गोली आकर ऐनिटा की टोपी को छेदती हुई निकल गई। ऐनिटा बाल-बाल बच गईं, किन्तु दूसरी गोली से उनका घोड़ा मर गया और अन्त में वह बन्दिनी हुईं।

सूर्य के डूब जाने पर शत्रुओं ने ऐनिटा को एक कोठरी में बन्द कर दिया। ऐनिटा की तीक्ष्ण दृष्टि सहसा कोठरी के एक कोने में पड़ी। उन्होंने देखा कि उस कोने में किसी ब्रेज़ेलियन सैनिक की पोशाक टँगी हुई है। प्रत्युत्पन्नमति रमणी ने भागने का तुरन्त रास्ता ढूँढ निकाला। वह उस पोशाक को पहन कर और ब्रेज़े-लियन सैनिक बन कर, प्रहरी की आँखों में धूल डाल, असन्दिग्ध भाव से भाग निकलीं। सन्ध्या के बाद रात अँधेरे में ढँक गई थी, उस पर मेघ का काला आवरण पड़ा हुआ था, इसलिए वह प्रहरी-श्रेणी को पार कर गईं, किन्तु न किसी ने उन्हें पहचाना और न छेड़-छाड़ ही की। किसी के मन में लेशमात्र भी सन्देह नहीं हुआ। विशेषतः इस समय रात होने के कारण और बिजली के बार-बार चमकने के कारण सभी प्रहरी कुछ आलस्यपूर्ण और असावधान हो गए थे। उसी समय दैवात् हवा भी तेज़ बहने लगी और सभो पानी आने की सम्भावना में इधर-उधर भाग कर लुक-छिप रहे। इस समय कौन कहाँ गया, इसका उन्हें ध्यान भी नहीं रहा। सभी अपनी-अपनी रक्षा करने में बेसुध हो रहे थे। गैरिबाल्डी को प्रकृति ने इस प्रकार सहायता देकर उनकी बहुत बार रक्षा की थी। आज उनकी वीर पतिगतप्राणा भार्या के रक्षणार्थ भी सहसा उसने ऐसी भीषण मूर्ति धारण कर, उसे शत्रुओं के हाथ से मुक्त किया। वीर-रमणी ऐनिटा शत्रु-बन्धन से मुक्त हो निर्भीक चित्त से विद्युत, वज्रपात, झटिका और जल-धारा के बीच पति की खोज में निकलीं। ब्रेज़ेलियन शिविर के अन्तर्गत कारागार से जब ऐनिटा निकलीं, उस समय केवल आठ बजे थे। वहाँ से लेजेस साठ मील था। वहाँ गए बिना स्वामी का पता पाना मुश्किल था। इसलिए उस भीषण रात में भी वह उस स्थान के लिए रवाना हुईं। रास्ता बड़ा ही बीहड़ तथा भयानक था, किन्तु ऐनिटा ने अकेले इस दुर्गम पथ से यात्रा की। रात का अन्धकार उसे शत्रुओं की दृष्टि से रक्षा करने लगा। आकाश में न चन्द्रमा था और न तारों का क्षीण प्रकाश ही ऐनिटा को रास्ता दिखलाने में सामर्थ्यवान् था। किन्तु थोड़ी-थोड़ी देर पर बिजली के चमकने से आकाश मेघाच्छन्न रहने पर भी ऐनिटा का पथ साफ़-साफ़ दिखाई देता था। आकाश में प्रति मुहूर्त वज्र-निनाद सा शब्द सुनाई पड़ता था और प्रचण्ड आँधी का बहना बन्द होने वाला नहीं था, तोभी गिरि प्रक्षिप्त-सागर-गामिनी, वेगवती स्रोतस्विनी-सी पतिक्रीडाभिमुखिनी ऐनिटा की गति किसी प्रकार न रुकी। ऐनिटा घोड़े पर चढ़ कर धीर और निर्भीक भाव से इन सब बाधाओं को अतिक्रमण करती हुई पति की खोज में जाने लगीं। जो भयानक अरण्य एस्पिन्यानो पहाड़ को घेरे हुए है, जहाँ मनुष्य का आवास बहुत कम है, जो विषधर साँपों से भरा है, उसके एक तरफ़ से ऐनिटा जाने लगीं। ऐनिटा के लिए यह अच्छा ही था कि उनका पथ वन के एक किनारे से था, अन्यथा वह वन के रास्ते में उलझ कर मारी-मारी फिरतीं और उनका उससे निकलना एक प्रकार असम्भव हो जाता।

इस प्रकार बिना भोजन के कई घण्टे चलने के बाद उन्होंने वन को अतिक्रम किया। प्रातःकाल ऐनिटा ने देखा कि चार ब्रेज़ेलियन अश्वारोही सैनिक पीछे-पीछे आ रहे हैं। यह देख कर वह एक स्थान में छिप रहीं। शायद उन्होंने उन्हें न देख सकने के कारण उनके पास तक आकर घोड़े को लौटा दिया और तीव्र गति से लौट गए। उनके चले जाने के बाद ऐनिटा कैनोआस (Canoas) नदी के तीर पर जा उपस्थित हुईं। वर्षा का समय था; उस समय नदी गम्भीर, द्रुतगामिनी तथा जलपूर्ण थी। उनका सुशिक्षित घोड़ा उन्हें पीठ पर चढ़ाए पानी में कूद पड़ा और अपने तैरने के कौशल द्वारा आरोही के साथ नदी के दूसरे पार सकुशल पहुँच गया। अश्वारोहिनी ऐनिटा ने घोड़े को चरने के लिए छोड़ कर पहाड़ी श्रेणियों तथा बहुत सी छोटी-छोटी पहाड़ी नदियों को पार कर एक गिरि गुहा-स्थित कुटी में प्रवेश किया। आश्रमवासी ने आदर के साथ उनका स्वागत किया। वहाँ उन्होंने कई दिनों के बाद पहले-पहल भोजन किया। भोजनो-परान्त विश्राम की कोई आवश्यकता न देख, ऐनिटा पुनः घोड़े पर सवार हुईं और लेजेस पहुँच कर स्वामी का दर्शन पाया। इतने ही समय में दोनों पर इतनी विपत्तियाँ आईं और गईं कि इस जीवन में उनके परस्पर मिलन की कोई आशा न थी। ये आठ दिन उनके लिए आठ युग के समान थे। इस प्रकार की निराशा तथा आशङ्का के बीच जब वे अकस्मात् एक-दूसरे के सम्मुख हुए, तब उनका हृदय आशातीत आनन्द से परिप्लावित हो गया। उस समय का भाव वर्णनातीत है।

पुनर्मिलन के बाद ऐनिटा गैरिबाल्डी के साथ लेजेन्स-सेण्ट से साइमन को गईं। बीमार पड़ जाने के कारण उस स्थान पर ऐनिटा को कुछ दिनों के लिए रुक जाना पड़ा, और इधर युद्ध के कारण गैरिबाल्डी को अकेले ही युद्ध-क्षेत्र में जाना पड़ा। इसी समय सन् १८४० ई० में ऐनिटा ने १६वीं सितम्बर को अपने ज्येष्ठ पुत्र मिनोती को जन्म दिया। प्रसव के बहुत थोड़े ही दिन बाद ऐनिटा सेण्ट साइमन छोड़ कर अपने नवजात शिशु के साथ दूसरे स्थान को जाने के लिए बाध्य हुईं, क्योंकि सेण्ट साइमनियों के साथ मेण्टिभिरियो का विरोध था। इसलिए ऐनिटा और उनके शिशु के प्रति सेण्ट साइमनियों का स्वतः विरोध-भाव जग उठा। ऐसी अवस्था में वहाँ रहना निरापद न समझ, ऐनिटा ने बारह दिन के बच्चे को लेकर वहाँ से प्रस्थान किया। वीर-रमणी ने घोड़े पर बैठ कर अपने सामने ज़ीन पर बच्चे को सुला दिया। दाहिने हाथ से बच्चे को और बाएँ से घोड़े की बाग पकड़ कर वह आश्रय-स्थान को चलीं!

ब्रेज़िल की आँधी प्रसिद्ध है। ऐनिटा के प्रस्थान करने के दूसरे ही दिन उन्हें एक विकट आँधी से सामना करना पड़ा। उस भीषण आँधी से पृथ्वी पर प्रलय सा दृश्य उपस्थित हो गया। उधर हवा की तेज़ी और इधर मूसलाधार वृष्टि। दोनों में शायद बाज़ी लगी थी कि कौन किसको हरा सकता है। ऐनिटा रक्षा का कोई उपाय न देख, घोड़े से उतर पड़ीं और पास के एक निविड़ अरण्य में आश्रय लेने के लिए चली गईं। वहीं एक पेड़ से घोड़े को बाँध कर और अपने कोमल शिशु को छाती से लगा कर एक बड़े वृक्ष के नीचे खड़ी हुईं। पेड़ की पत्तियों ने यथासाध्य उन दोनों की रक्षा की। इसके बाद जब आँधी और वृष्टि रुक गई, तब वह पूर्ववत् घोड़े पर शिशु को सुला कर आगे बढ़ीं। किन्तु पानी के कारण रास्ते में पैर फिसलता था। घोड़ा बड़ी सावधानी से एक-एक पग बढ़ाता था। इस पर भी थोड़ी दूर जाते न जाते उसका पैर फिसल गया और वह अश्वारोहिनी और उनकी गोद के बालक के साथ गिर पड़ा। इससे नवकुमार के सिर में चोट आई और एक स्थान पर वह फट भी गया। किन्तु ऐनिटा को अपने प्राण के लाले पड़े हुए थे, इसलिए उस समय उन्होंने इसे लक्ष्य भी नहीं किया। वहाँ विश्राम या आश्रय का कोई स्थान न पाकर, ऐनिटा घोड़े की पीठ पर पुनः चढ़ीं और अपने नवकुमार को इस सावधानी से अपनी गोद में रक्खा कि पुनः घोड़े के गिर जाने पर उसे किसी प्रकार की चोट न पहुँचे। प्रभुपरायण घोड़ा आरोहियों को लेकर फिर चला। कुछ दूर जाने पर ऐनिटा ने मेण्टिभिरियो सैनिकों का एक दल देखा और यह सोच कर कि उनके साथ गैरिबाल्डी अवश्य होंगे, उन्होंने घोड़ा रोका। यह सैन्य सेण्ट साइमन की ओर से आ रहा था और गैरिबाल्डी की धर्मपत्नी को सेण्ट साइमन से लाने के लिए वहाँ ससैन्य जा रहे थे। थोड़ी ही देर में सागर और सरिता का मिलन हुआ। दोनों के हृदय ने उल्लसित होकर एक-दूसरे को गुप्त रूप से आलिङ्गन किया। गैरिबाल्डी ऐनिटा की गोद में नवजात शिशु को देख कर आनन्द के मारे फूले अङ्ग न समाए। यह जान कर कि उस शिशु की अभावनीय रूप से रक्षा हुई है, उनके आनन्द और विस्मय की सीमा न रही।

किन्तु ऐनिटा का जन्म दुख भोगने के लिए हुआ था। उनके कष्टों का अन्त यहीं नहीं हुआ। मेण्टि-भिरियो सेना ब्रेज़ेलियन सेना से टैरिफ़ा (Tarifa)

में पराजित होकर सेण्ट साइमन से मेण्टिभिरियो की ओर भागीं। उस सेना में गैरिबाल्डी सहायक सेनापति के पद पर अभिषिक्त थे, इसलिए उसे छोड़ कर पीछे लौटने का उन्हें अधिकार नहीं था। इसलिए गैरिबाल्डो को अपने नवजात शिशु तथा स्त्री के साथ सेना के पीछे-पीछे भागना पड़ा। पानी भी ज़ोरों से गिर रहा था; इस पर पहाड़ों तथा वनों से होकर उनका रास्ता गया था। इसी समय ऐनिटा को अपने बच्चों को ले, सैनिकों के साथ ही घोड़े की पीठ पर बैठ कर चलना पड़ा। उस घने जङ्गल में कभी सूर्य-किरण प्रवेश नहीं कर सकती थी। उस 'दास आण्टास' (Das Antas) जङ्गल के घने अन्धकार को भेद कर वह पराजित सैन्य भागने लगी। हिंसक जन्तुओं के विकट शब्द से उस वन की निस्तब्धता बीच-बीच में भङ्ग होने लगी। जो नदियाँ पहाड़ों की चोटियों से निकल, जङ्गल को भेद कर समुद्र की ओर धावित होती थीं, वे वर्षा का पानी पाकर इस प्रकार जलपूर्ण और वेगवती हो गईं कि उन्हें पार करना कभी-कभी दुःसाध्य हो जाता था। इस कारण मेण्टिभिरियो सैनिकों को दो तीव्रगामी स्रोतों के बीच दो-एक दिन रुक जाना पड़ा। इसका फल बड़ा ही दर्दनाक हुआ। शत्रुओं की गोली तथा तलवारों से गैरिबाल्डी की सेना की जिस परिमाण में प्राण-हानि हुई थी, उससे कहीं अधिक इस वन-यात्रा में अनाहार के कारण हुई। अनाहार, अनिद्रा और विश्राम के अभाव के कारण इतने मनुष्यों की मृत्यु हुई कि जब सेना वन के बाहर निकली, तो देखा गया कि उसके साथ के प्रायः सभी स्त्री और बच्चे विनष्ट हो गए हैं।

उस समय गैरिबाल्डी के पुत्र मिनोती की उम्र केवल एक महीने की थी। किसी को स्वप्न में भी विश्वास नहीं था कि वह इतनी कष्टकर यात्रा को निरापद तय कर सकेगा। किन्तु गैरिबाल्डी दैव-बल से बलवान थे। उसी दैव-बल की सहायता से आज उनकी प्राणाधिका ऐनिटा इतने कष्ट तथा कठिनाई सह कर भी किसी प्रकार निरापद थीं। स्नेहमयी साहसिनी ऐनिटा इस दुर्गम पथ में प्रायः सर्वत्र नवकुमार को गोदी में लेकर कभी घोड़े पर और कभी पैदल चली थीं। केवल जब वेगवती और विशाल नदियों को पार करना पड़ा था, तभी उन्होंने अपने पुत्र को पति के हाथ में समर्पण किया था। गैरिबाल्डी मिनोती को रूमाल में बाँध कर और गले से झुला कर पानी में तैरते थे; और कभी-कभी उसके मुँह पर फूँक मार कर उसकी विलयोन्मुखी जीवन-शक्ति को सञ्जीवित करते थे। उन पहाड़ी नदियों में बर्फ़ के गलने से ठण्ढा पानी रहता था, जिसे छूने ही से रक्त जम जाता है। इसलिए गैरिबाल्डी को डर लगा रहता था कि कहीं उस शीतल पानी से उनके पुत्र का रक्तस्रोत रुद्ध न हो जाय। इसीलिए वे उसे सब प्रकार से गरम रखने के उपाय किया करते थे। घोड़ों के मर जाने से इस दुर्गम रास्ते से चलना और भी कठिन हो गया। जिन रास्तों से होकर गुज़रते समय घोड़ों की मृत्यु हुई थी, उन्हीं पथों के कष्टों को मनुष्य किस प्रकार सह सकते थे, यह एक विचारणीय बात है। इसलिए गैरिबाल्डी ने ऐनिटा और अपने पुत्र को पथ-प्रदर्शक के साथ सेना के आगे भेज दिया, क्योंकि सबके साथ जाने से कुछ विलम्ब होने की सम्भावना थी और उसी बीच सब घोड़े भी मर जाते तो कोई आश्चर्य नहीं था। ऐनिटा उस पथ-प्रदर्शक के साथ निरापद जङ्गल से बाहर निकल आईं और देवदारु के बने हुए एक सैन्यावास में आश्रय लिया। सैन्यावास में लकड़ी जल रही थी। उस आग में सेंक कर उसने जाड़े से मृतप्राय शिशु की प्राण-रक्षा की। सौभाग्य की बात है कि वहाँ फ़लालेन भी मिल गया। उसी फ़लालेन में ऐनिटा ने मिनोती को लपेट रक्खा। प्राकृतिक गरमी के अभाव के कारण मिनोती का सर्वाङ्ग ठण्ढा पड़ गया था; ऐनिटा को उसके जीवन की कुछ भी आशा नहीं थी। उसने फ़लालेन तथा अग्नि की सहायता से मिनोती के शरीर को क्रमशः गरम किया और उसकी प्राण-रक्षा हुई। उनके आतिथ्य समेरिटनों ने उन्हें काफ़ी कपड़ा और भोजन-सामग्री भी दी और गैरिबाल्डी के आने तक उनकी नाना प्रकार से सेवा-शुश्रूषा की। इधर सभी घोड़ों के मर जाने के कारण गैरिबाल्डी को पथ का बाक़ी हिस्सा पैदल चलना पड़ा। इसलिए उनको वहाँ पहुँचने में बहुत देर लग गई।

इस घटना के कुछ दिन बाद ऐनिटा को स्वामी के साथ पुनः समर-क्षेत्र में अवतीर्ण होना पड़ा। अत्याचारी रोज़स, बिइएन्स एयारेस (Buenos Ayres) को क्रूरतापूर्वक नर-रक्त के सरोवर में डुबा कर मेण्टि-भिरियो को भी उसी सरोवर में डुबाने के लिए उनकी ओर चलने लगा। गैरिबाल्डी अपनी स्त्री के साथ रण-क्षेत्र में अवतीर्ण हो, उस दुर्दान्त नरपति का गतिरोध करने लगे। गैरिबाल्डी की सेना के सामने उसकी एक न चली। इसके थोड़े ही दिन बाद ऐनिटा पति के साथ—पति की जन्मभूमि, प्राकृतिक सौन्दर्य का विकास-स्थान, वीरत्व की खान, इतिहास का उत्पत्ति-स्थान—पवित्र इटली को गईं।

सन् १८४७ ई० की २४वीं जून को उनके जहाज़ ने गैरिबाल्डी के जन्मस्थान नाइस नगर से कुछ ही दूर पर लङ्गर डाला। यद्यपि इस समय भी गैरिबाल्डी के विरुद्ध फाँसी की दण्डाज्ञा थी, तथापि वे किनारे उतरने के पश्चात् क़ैद नहीं हुए। उनके ज़मीन पर पैर रखते ही सारी इटली में जैसे एकाएक विद्युत सञ्चारित हो गई। चारों ओर महोत्सव होने लगा। इटली का प्रत्येक नगर दीपमालाओं से सुसज्जित किया गया। चारों ओर से वीरों का दल आ-आकर उनसे मिलने लगा।

गैरिबाल्डी प्रियतमा ऐनिटा और अपनी पुत्र-सन्तान को नाइस नगर में अपनी माता के पास रख, स्वयं जातीय सेना को लेकर प्रिन्स एलबर्ट के शिविर की ओर धावित हुए। प्रिन्स एलबर्ट उस समय ऑस्ट्रिया के विरुद्ध खड्गहस्त थे, किन्तु वे गैरिबाल्डी को मेज़िनी समझते थे। मेज़िनी राजतन्त्र के विरोधी और साधारण-तन्त्र के विशेष पक्षपाती थे। इसलिए उसे सेना-विभाग में कोई उच्च पद देने से अनिच्छुक थे। गैरिबाल्डी ने इससे दुखी होकर तारीख़ १२ अगस्त को चार्ल्स एलबर्ट के विरुद्ध प्रचार किया कि वे स्वजाति-द्रोही और स्वदेश-शत्रु हैं, इसलिए स्वजाति-प्रेमी और स्वदेश-हितैषी लोगों को उनकी आज्ञा न माननी चाहिए। इस घोषणा को प्रचार कर, वे ससैन्य रोम की ओर चले। मेज़िनी के दल ने इसी समय पोप को खदेड़ कर वहाँ साधारण तान्त्रिक राज्य स्थापित किया था। उन्होंने गैरिबाल्डी को रोम के साधारण-तन्त्र का उच्चतम सभ्य और सेनापति के पद को ग्रहण करने के लिए निमन्त्रित किया। गैरिबाल्डी ने उनके निमन्त्रण से प्रसन्न हो, सेना-सहित रोम की यात्रा की। उन्होंने १८४६ ई० की ६वीं फ़रवरी को मैसिराटा प्रदेश के प्रतिनिधि-स्वरूप रोम की महासभा के उच्चतम सभ्य का आसन ग्रहण किया। उस समय बोज़ेल्ली रोम के साधारण-तन्त्र के प्रधान सेनापति थे। महासभा ने गैरिबाल्डी को उनके अधीन सेनापत्य ग्रहण करने के लिए अनुरोध किया, और गैरिबाल्डी ने उस अनुरोध को मान लिया।

इसी समय फ़्रान्स के राजा तृतीय नेपोलियन ने रोम की महासभा को नष्ट करने के लिए ओदिनो (Oudinot) को रोम भेजा। ओदिनो ने साठ हज़ार सैनिकों के साथ तीसरी जून की रात में सहसा रोम पर आक्रमण किया। उन्होंने रोमवासियों को ख़बर दी थी कि वे ४थी जून को रोम पर चढ़ाई करेंगे। इसलिए उस रात में रोमवासी गाढ़ी निद्रा में सो रहे थे। इस कारण ओदिनो ने आसानी से रात ही रात रोम का कुछ अंश दख़ल कर लिया। सन्तरियों ने 'इटली की जय' बोल कर सेना-सागर का गतिरोध करने की चेष्टा की थी, किन्तु उस भीषण सागर-तरङ्ग के प्रतिघात से मुहूर्त में ही यम-सदन को भेज दिए गए। चारों ओर घण्टा बजने लगा और मुहूर्त में ही सारा रोम नगर जग गया तथा आबाल-वृद्ध-वनिता रोम-रक्षार्थ आक्रमण-स्थान की ओर धावित हुए। सभी आकुलित मनुष्यों के नेत्र इस समय गैरिबाल्डी की ओर थे। सब ने रोम-रक्षा का भार गैरिबाल्डी के हाथ में दे दिया।

तीसरी जून से २८वीं जून तक यह समराग्नि प्रज्वलित रही। गैरिबाल्डी की अलौकिक वीरता से सारे रोमवासी अनुप्राणित हो गए। प्रबल स्रोतस्विनी जिस प्रकार समुद्र में जाकर गिरती है और कुछ देर के लिए उसे आकुलित कर देती है, उसी प्रकार रोम की सेना प्रबलतर फ़्रान्सीसी सेना-सागर को कुछ देर के लिए उत्थापित कर उसके प्रतिघात वेग को बड़े साहस और वीरता के साथ रोकने लगी।

उस भीषण समय में—२७वीं जून की रात्रि में—गैरिबाल्डी ने कुछ सैनिकों को नैश भोजन के लिए आवाहन किया। निरन्तर गोलों के आघात से उनका आवास-गृह विक्षोभित हो रहा था, इसलिए उसे छोड़ कर वे बाहर होने के लिए बाध्य हुए। घर के बाहर आकर वे आँगन में टेबिल पर आहार करने के लिए बैठे। इसी समय सहसा एक जलता हुआ गोला उनके सामने आकर गिरा। इससे सभी डर कर भाग चले। फ़्रेची नामक महासभा के एक सभ्य भी भागने के लिए उद्यत हुए, किन्तु गैरिबाल्डी उसे पकड़ कर खेल करने लगे। इसी समय वह गोला सहसा फट कर उन लोगों को धूमावृत्त कर दिया। उसी समय वीरता की प्रतिमूर्त्ति पूर्णगर्भा ऐनिटा विद्युत की नाईं सहसा गैरिबाल्डी के सामने आविर्भूत हुईं। गैरिबाल्डी और उनके अतिथि अभेद्य फ़्रान्सीसी सेना-व्यूह को भेद कर ऐनिटा को वहाँ आते देख विस्मित तथा स्तम्भित हो गए।

गैरिबाल्डी जिस समय चार्ल्स एलबर्ट से हार कर जेनेवा में बीमार पड़े हुए थे, उसी समय उनकी बिना अनुमति के ऐनिटा आकर उनको पार्श्ववर्त्तिनी हुईं। गैरिबाल्डी ने उन्हें नाइस नगर में माता के पास लौट जाने को कहा, किन्तु उन्हें बीमारी की हालत में छोड़ कर लौट जाने को वह राज़ी नहीं हुईं। गैरिबाल्डी ने इसके बाद उन्हें अलग होने के लिए कभी नहीं कहा, इसलिए वह सदा अपने स्वामी के पास ही रहीं। रोम-अवरोध के प्रथम काल में ऐनिटा को पूर्णगर्भिणी समझ कर गैरिबाल्डी उन्हें रोम के निकट ही रियेटी नगर में रख आए थे; किन्तु गैरिबाल्डी की विपदाशङ्का के कारण वह वहाँ बहुत देर तक नहीं रह सकीं। इसलिए अरिज़ेनी नामक एक मनुष्य को साथ ले, अभेद्य फ़्रान्सीसी सैन्य-व्यूह को भेद कर गोला-वृष्टि को वीरतापूर्वक लाँघती हुई, वह अपने पति से जा मिलीं। फ़्रान्सीसी सैन्य मन्त्र-मुग्ध की नाईं उनकी ओर देखता रहा; मना करने का किसी को साहस नहीं हुआ। उस समय के बाद ऐनिटा के जीवन के अन्त तक गैरिबाल्डी ने उनको कभी अपना साथ छोड़ कर जाने को नहीं कहा।

गैरिबाल्डी ने अलौकिक वीरता के साथ प्रायः एक महीना लड़ने के बाद, जब देखा कि रोम-रक्षा का कोई उपाय नहीं है, तब वे पाँच हज़ार चुने हुए सैनिकों को लेकर रोम के बाहर निकले। दूसरी जुलाई को वह वीर-दल वेनिस नगर की ओर चला। गैरिबाल्डी ने ऐनिटा को प्रसव-काल तक रोम में रहने के लिए कहा, किन्तु पतिप्राणा सती ने पति को अकेले उस विपत्ति-सागर में जाने नहीं दिया। वह पुरुष-वेश में अश्व-पृष्ठ पर

चढ़ कर जीवन के आख़िरी समय तक पति के साथ रहीं। सीता जी जिस प्रकार रामचन्द्र के साथ वन गई थीं; दमयन्ती जिस प्रकार नल के साथ वन-गामिनी हुई थीं; सावित्री जिस प्रकार सत्यवान के साथ यम-सदन को जाने के लिए उद्यत हुई थीं, उसी प्रकार पूर्ण-गर्भिणी ऐनिटा आज गैरिबाल्डी के साथ मृत्यु-मुख में जाने के लिए उद्यत हुईं।

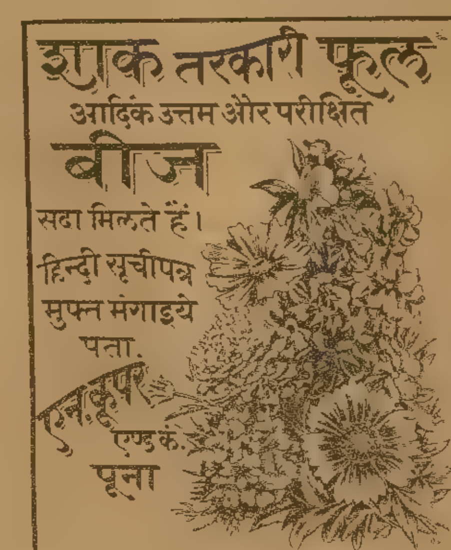
गैरिबाल्डी की आज्ञा से वही पाँच हज़ार सेना वेनिस की ओर चली। किन्तु ऑस्ट्रिया, न्यूपलिटी और फ़्रान्सीसी सेना ने आकर तीन ओर से उन्हें रोक लिया। इससे वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे उस शत्रु-सैन्य-व्यूह को भेद कर टानी नामक स्थान की ओर चले। उनकी सेना बिना किसी हीले-हवाले के यहाँ तक उनकी अनुगामिनी हुई थी, किन्तु ११वीं जुलाई को जब उन्होंने उस नगर को छोड़ कर वेनिस जाने की आज्ञा दी, उस समय सेना में बहुत बड़ा विप्लव उठ खड़ा हुआ। शत्रु-सेना द्वारा निरन्तर अनुसृत, वस्त्राभाव से, जाड़े के कष्ट से, अन्नाभाव के कारण जठराग्नि द्वारा जर्जरित हो, बराबर तेज़ी से चलने के कारण, अत्यधिक थक जाने के कारण, उनकी सेना हताश हो पड़ी थी। इसलिए उनमें बहुत से अपनी सेना को छोड़ कर भाग गए। पाँच हज़ार में केवल छः सौ मनुष्य बच रहे। उस सेना को लेकर उन्होंने आरोज़ो नगर में आश्रय पाने की चेष्टा की, किन्तु वहाँ प्रवेश नहीं कर सके। अन्त में उन्होंने सानमैरिनो साधारण-तन्त्र के पास जा आश्रय-भिक्षा चाही, किन्तु वह पुरोहिताधिष्ठित, दारिद्र्य-क्लिष्ट और दुरवस्थापन्न प्रजातन्त्र ऑस्ट्रिया के आधिपत्य से मुक्त न था। इसलिए वह साधारण-तन्त्र उन्हें तब तक आश्रय देने के लिए राज़ी नहीं हुआ, जब तक वे अस्त्र-परित्याग कर शरणापन्न न हों। गैरिबाल्डी तथा उनके सैनिक इस प्रकार अपमानजनक आत्म-समर्पण में राज़ी नहीं हुए। गैरिबाल्डी ने केवल साठ सहचरों को रख कर बाक़ी लोगों को सामरिक नियम से मुक्त कर दिया। वे अपनी-अपनी आत्म-रक्षा के लिए चारों ओर पागलों की नाईं फिरने लगे। गैरिबाल्डी ने उन साठ सहचरों को साथ ले एड्रियाटिक उपसागर के किनारे सिसेनाटिको बन्दर में आकर कुछ छोटी-छोटी नावों को हस्तगत किया और उन्हीं पर चढ़ कर वेनिस की यात्रा की।

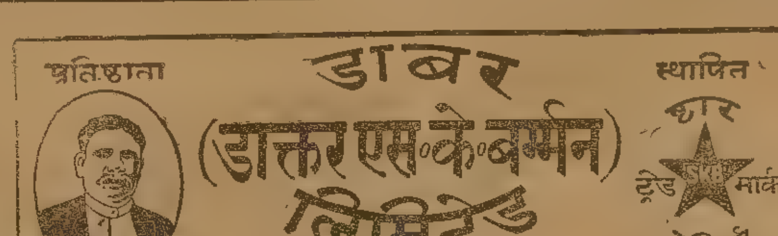
अनुकूल वायु पाकर नावें तीर-गति से वेनिस की ओर चलने लगीं। कुछ समय तक सौभाग्य देवी यात्रियों पर विशेष प्रकार से प्रसन्न थीं, किन्तु उनकी वह प्रसन्नता चिरस्थायी नहीं थी, वेनिस से बाईस मील पर जब ये नावें पहुँचीं, तब मिसोली नामक बन्दर में अवस्थित ऑस्ट्रियन जहाज़ी बेड़े को वे दृष्टिगोचर हुईं। उन्हें देखते ही जहाज़ी बेड़े ने आकर उन नावों में नौ को पकड़ लिया। बाक़ी छः भाग कर तीर तक पहुँच गईं। इन छः में से एक में गैरिबाल्डी, ऐनिटा, यूगोवेसी, सिसेरो और डेचिया तथा उसके दो पुत्र थे। किनारे पर पहुँचते ही यात्रीगण अनुसरणकारी ऑस्ट्रियन तथा बलोनिज़ लोगों के हाथ से रक्षा पाने के लिए चारों ओर भागने लगे। हतभाग्य सिसेरो, डेचिया और उसके दोनों पुत्र तथा यूगोवेसी घातकों के हाथ में पड़ गए और अन्त में उन्हीं को गोली से प्राण-त्याग करना पड़ा। इधर गैरिबाल्डी तथा ऐनिटा रामोना की ओर भागे। वहाँ उनके बहुत से बन्धु-बान्धव उन्हें आश्रय दे सकते थे, किन्तु ऐनिटा पहले ही से पीड़ित हो गई थीं; अब उनकी पीड़ा दिन-दिन बढ़ती ही जाती थी। अत्युग्र शीतातप सहन के कारण उनका शरीर क्षीण हो गया था। देखने से जान पड़ता था कि उनकी मृत्यु निकट है। तब गैरिबाल्डी कोई उपाय न देख कर रामोना के निकट के एक ग्राम मैथिडयाली में एक कृषक के खलिहान में उन्हें ले गए।

कृषक का नाम राभिगाजीया था। उसने अपने भाइयों के साथ इनका यथोचित सत्कार किया। सान एलबर्टो नामक नगर के प्रसिद्ध डॉक्टर नाननिनी हठात् किसी कारणवश वहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने ऐनिटा की नाड़ी देख कर कहा—इन्हें भयानक ग्रीष्म-ज्वर हुआ है। बड़े यत्न से लोगों ने ऐनिटा को एक कोठरी में ले जाकर बहुत मुलायम शय्या पर सुलाया। प्यास से उनका कण्ठ सूख गया था। प्यास बुझाने के लिए उन्हें एक ग्लास पानी पिलाया गया। गैरिबाल्डी अपनी प्राण-पुतली ऐनिटा के सिर को गोद में रख कर पानी पिला रहे थे। दो-चार घूँट पानी पीने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। पति-क्रोड़ में पूर्णगर्भा सती की मृत-देह अपूर्व स्वर्गीय शोभा पाने लगी। ऐनिटा की चिर-दिनों की साध आज मिटी। पति के सम्मुख प्राण त्याग करेंगी, पति की मृत्यु के बाद उन्हें जीवित न रहना पड़े—यही उनकी एकमात्र अभिलाषा थी। इसीलिए वह रणक्षेत्र में या किसी भयावह स्थान में पति को अकेले नहीं छोड़ सकती थीं। उनकी यह इच्छा पूरी हुई। सन् १७४६ ई० की ४थी अगस्त को सन्ध्या-समय प्रायः बीस शोकाकुल व्यक्तियों के सामने पति-गोद में आदर्श नारी ऐनिटा ने मानव-लीला संवरण की। शोकार्त्त गैरिबाल्डी उच्च-स्वर से रोने लगे, किन्तु उनके भाग्य में स्त्री के लिए रोना भी नहीं लिखा था। अनुसरणकारी ऑस्ट्रियनों के डर से उन्हें अपनी सहधर्मिणी की मृत-देह की अन्तिम क्रिया करने का भार उस कृषक के ऊपर छोड़ कर भागना पड़ा। वह कृषक ऑस्ट्रियनों के डर से प्रकाश्य भाव से ऐनिटा के शरीर को समाधि-निहित नहीं कर सका। उसने डरते-डरते एक खेत में ऐनिटा के शरीर को चिर-विश्राम के लिए गाड़ दिया। गैरिबाल्डी जब ऑस्ट्रियनों को इटली से निकाल कर डिक्टेटर के पद पर अभिषिक्त हुए, तब उस सामान्य समाधि के ऊपर एक बहुत बड़ा स्मृति-चिन्ह निर्माण कराया। उस समय से यह स्थान एक पवित्र तीर्थ हो गया है।

ऐनिटा की जीवनी से क्या भारतीय रमणियाँ कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगी?

* * *





लाहौर षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

ता० १८ जुलाई को जलपान के बाद स्पेशल ट्रिब्यूनल के बैठने पर अभियुक्त सुखदेवराज का मामला प्रारम्भ हुआ। अभियुक्त सुखदेवराज शालामार बाग़ में गोली चलने की घटना के बाद ३ मई को गिरफ़्तार हुआ था। सरकारी वकील रायबहादुर पं० ज्वालाप्रसाद ने कहा कि अभियुक्त सुखदेवराज उस षड्यन्त्र का सदस्य है, जिसका उद्देश्य सरकारी अफ़सरों में आतङ्क फैलाने के लिए अपराध करना, और क़ानून द्वारा स्थापित गवर्नमेण्ट को उखाड़ फेंकने के लिए अस्त्र-शस्त्र और धन एकत्र करना था।

सरकारी वकील ने कहा कि मैं गवाहियों द्वारा यह प्रमाणित करूँगा कि अभियुक्त सुखदेवराज एक षड्यन्त्रकारी है और मुख्य षड्यन्त्र से उसका सम्बन्ध है। वह समय-समय पर षड्यन्त्रकारी दल के कार्यों में भाग लिया करता था। १९ नवम्बर, सन् १९२९ को मुख़बिर इन्द्रपाल ने जो बयान दिया था, उसमें उसने कहा था कि वायसरॉय की ट्रेन घटना के सम्बन्ध में यशपाल का एक सन्देश लेकर मैं लायलपुर हंसराज के पास गया था। उस समय सुखदेवराज हंसराज के पास बैठा हुआ था। इन्द्रपाल को सन्देह हुआ था कि सुखदेवराज सी० आई० डी० का आदमी है।

लायलपुर से इन्द्रपाल लाहौर आया था और बाग़बानपुरा में ठहरा था। उसने देखा कि सुखदेवराज भी उसी ट्रेन से आया था। इसके बाद इन्द्रपाल, भगवतीचरण और सुखदेवराज से यूनिवर्सिटी के मैदान में मिला। वहाँ उसे मालूम हुआ कि सुखदेवराज भी दल का एक सदस्य है। इन्द्रपाल से शिव ने कहा था कि रावी नदी के किनारे बम की परीक्षा करने में भगवतीचरण की मृत्यु हो गई थी और सुखदेवराज घायल हो गया था। मुख़बिर मदनगोपाल के बयान के अनुसार सुखदेवराज भावलपुर रोड के मकान पर घायल लाया गया था। जब दीदी, चन्द्रशेखर आज़ाद, आसफ़, यशपाल और धन्वन्तरि उस मकान में जेल से भगतसिंह को छुड़ाने के विषय में विचार कर रहे थे, तब सुखदेवराज भावलपुर रोड के मकान पर ही था और उसके ज़ख़्मों की दवा हो रही थी। भावलपुर रोड का मकान सरदार भगतसिंह और श्री० बटुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़ाने के लिए किराए पर लिया गया था। उन लोगों का उपाय कार्य में परिणत नहीं किया जा सका। परिस्थितियों को अनुकूल न देख कर वे बोर्स्टल जेल के फाटक से लौट गए थे।

आख़ीर में रायबहादुर पं० ज्वालाप्रसाद ने कहा कि सुखदेवराज के विरुद्ध षड्यन्त्र का अभियोग सिद्ध करने के लिए सबूत-पक्ष की ओर से ४७ गवाह पेश किए जायँगे।

फ़रार अभियुक्त गिरफ़्तार

इस बीच में सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने अदालत से कहा कि मुझे एक विश्वस्त-सूत्र से मालूम हुआ है कि इस केस का फ़रार अभियुक्त छैलबिहारी दास, जिसका दूसरा नाम सूरज है, पटना में बम-घटना के सम्बन्ध में हज़ारीबाग़ के साथ, जोकि दिल्ली षड्यन्त्र केस का फ़रार अभियुक्त है, गिरफ़्तार हो गया है और वह शीघ्र ही लाहौर लाया जायगा।

सरकारी वकील ने कहा कि इस सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं मालूम।

सुखदेवराज ने कहा कि इस विषय में सी० आई० डी० के आदमी अच्छी तरह जानते होंगे।

सरकारी वकील ने कहा कि अगर ऐसी बात है, तो सुखदेवराज का अन्य अभियुक्तों के साथ रक्खे जाने का प्रश्न हल हो जायगा और मुख़बिर इन्द्रपाल की गवाही स्थगित रखनी पड़ेगी।

ता० २० जुलाई को स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने क़रीब १२ बजे दोपहर को अभियुक्त सुखदेवराज का मामला पेश हुआ। ट्रिब्यूनल ने अभियुक्त सुखदेवराज के जेल में एकान्त कोठरी में रक्खे जाने के सम्बन्ध में अपना फ़ैसला सुनाया। फ़ैसले में कहा गया है कि अभियुक्त सुखदेवराज का अलग कोठरी में रक्खा जाना ग़ैर-क़ानूनी है, अब आगे से वह अलग कोठरी में न रक्खा जाय और दूसरे क़ैदियों के साथ रहने की उसे आज्ञा मिल जानी चाहिए। फ़ैसले में जेल के अधिकारियों से हिदायत की गई है कि वे अदालत के इस हुक्म के अनुसार कार्रवाई करके एक हफ़्ते के अन्दर अदालत के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करें।

पूरा फ़ैसला इस प्रकार है :—

सुखदेवराज सरकार बनाम कुन्दनलाल और दूसरे अभियुक्तों के विरुद्ध चलने वाले षड्यन्त्र केस का फ़रार अभियुक्त था। परन्तु २ जून, सन् १९३१ तक हमारे सामने हाज़िर न होने के कारण हमने उसका विचार अलग से करने का हुक्म निकाला था। सफ़ाई के सम्बन्ध में इस षड्यन्त्र केस के अन्य अभियुक्तों से सलाह करने की आवश्यकता के कारण अभियुक्त सुखदेवराज ने इस अदालत से प्रार्थना की थी कि उसे अन्य अभियुक्तों के साथ रहने की आज्ञा दे दी जाय। इस सम्बन्ध में हमारा विचार था कि हम जेल-अधिकारियों को कोई आज्ञा नहीं दे सकते, परन्तु अभियुक्त की प्रार्थना न्यायोचित समझ कर हमने जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट को सूचना दे दी कि हमें अभियुक्त की प्रार्थना में कोई आपत्ति नहीं है और हम उसे उचित समझते हैं। इस सिफ़ारिश को जेल के अधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया।

१५ जून को अभियुक्त सुखदेवराज ने एक अर्ज़ी पेश की, जिसमें कहा गया था कि या तो अभियुक्त को जेल के अन्य क़ैदियों के साथ रहने की आज्ञा दी जाय या वह ज़मानत पर छोड़ दिया जाय। इस अर्ज़ी में यह नहीं कहा गया था कि अभियुक्त का अलग कोठरी में रक्खा जाना ग़ैर-क़ानूनी है ; बल्कि उसमें इतना ही कहा गया था कि वह उसके स्वास्थ्य और मामले की सफ़ाई पेश करने के लिए हानिकारक है।

सी० आई० डी० और अभियुक्त का पारस्परिक बर्ताव

उपरोक्त अर्ज़ी पर विचार करने के बाद हम लोग इस निर्णय पर पहुँचे थे कि विचाराधीन क़ैदी के सम्बन्ध में अदालत को, उसके हिरासत में रक्खे जाने और आवश्यकता पड़ने पर पेश किए जाने के अतिरिक्त और कोई भी अधिकार नहीं है। हमारी राय थी कि क़ैदियों के क़ानून-विरुद्ध रखने के सम्बन्ध में या तो "हैबियस कॉरपस" के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है या क़ानून-विरुद्ध हिरासत में रखने के लिए ताज़ीरात हिन्द के अनुसार मामला चलाया जा सकता है या दीवानी की अदालत में ग़ैर-क़ानूनी हिरासत को रोक देने की प्रार्थना की जा सकती है। हम उन अदालतों के अधिकारों पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, जिनको इन मामलों में विचार करने का अधिकार था। इसलिए हमने एक संक्षिप्त आज्ञा निकाल कर कह दिया कि हमें इस विषय में विचार करने का कोई अधिकार नहीं है।

ज़मानत के सम्बन्ध में अभियुक्त सुखदेवराज को देखने से हमें मालूम हुआ कि वह केवल स्वस्थ और प्रसन्न ही नहीं था, बल्कि वह अपने पहरेदारों और सी० आई० डी० के अफ़सरों से भी प्रसन्न था। हमने उसे अदालत के अन्दर उनके साथ बातचीत और विनोद करते हुए देखा था। हमारी राय में अभियुक्त के अलग रक्खे जाने का, उस समय तक उसके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इसलिए हम लोगों ने फ़ैसला किया था कि ज़मानत पर छोड़ने के लिए यथेष्ट कारण नहीं हैं।

हमारा फ़ैसला स्वीकार नहीं किया गया और उसके विरुद्ध हाईकोर्ट में अर्ज़ी पेश की गई। हाईकोर्ट ने निर्णय किया कि हम ग़ैर-क़ानूनी हिरासत के सम्बन्ध में हस्तक्षेप कर सकते थे और हस्तक्षेप करना चाहिए भी था। इस निर्णय के अनुसार हाईकोर्ट ने इस ट्रिब्यूनल को जाँच करने और उस पर अपना निर्णय देने के लिए कहा।

गुप्त जाँच की आवश्यकता नहीं

अभियुक्त की अर्ज़ी पर फिर से विचार करने के समय अभियुक्त-पक्ष के वकील मि० श्यामलाल ने कहा कि अब इस ट्रिब्यूनल के सामने इस प्रश्न पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है कि अभियुक्त सुखदेवराज की हिरासत एकान्त कोठरी में रक्खे जाने के दण्ड के बराबर है या नहीं, क्योंकि इस बात को हाईकोर्ट में सरकारी-पक्ष स्वीकार कर चुका है। मि० श्यामलाल ने यह भी कहा था कि ट्रिब्यूनल अभियुक्त सुखदेवराज को दूसरे अभियुक्तों के साथ रहने की आज्ञा देने के लिए बाध्य है, क्योंकि ट्रिब्यूनल इस बात को पहले ही स्वीकार कर चुका है। सबूत-पक्ष ने कहा था कि सुखदेवराज के अन्य अभियुक्तों से अलग रक्खे जाने के लिए अनेक कारण मौजूद हैं, जिनको कि गुप्त रूप से बतलाया जा सकता है। हम उपरोक्त तीनों ही बातों को स्वीकार नहीं कर सकते। पहली बात के सम्बन्ध में हाईकोर्ट का यह निर्णय नहीं है कि अभियुक्त सुखदेवराज एकान्त कोठरी में रक्खा जाता है। हाईकोर्ट ने केवल यह कहा था कि ऐसा कहा गया है कि अभियुक्त सुखदेवराज एकान्त कोठरी में रक्खा जाता है। वस्तु-स्थिति दूसरी होने पर ट्रिब्यूनल वकील के कथन को मानने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी बात के विषय में ट्रिब्यूनल ने जो कुछ कहा था, वह निर्णय के रूप में नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने केवल इतना ही कहा था कि इस ट्रिब्यूनल की राय में अभियुक्त की प्रार्थना न्याय-सङ्गत है। हम लोगों ने इस प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार नहीं किया था कि वह मञ्ज़ूर किए जाने के लायक़ है या नहीं। जो प्रबन्ध सोचा गया है, उसके अनुसार अभियुक्त सुखदेवराज को अन्य अभियुक्तों से सलाह करने का यथेष्ट अवसर मिलता रहेगा। तीसरी बात के सम्बन्ध में यद्यपि जस्टिस भिडे ने कहा था कि ट्रिब्यूनल गुप्त रूप से जाँच कर सकता है, परन्तु इसका अर्थ हम यह नहीं समझते कि हम इस मामले की जाँच अभियुक्त और उसके वकील की अनुपस्थिति में करें। इसलिए हमने अभियुक्त और उसके वकील की अनुपस्थिति में सरकारी वकील की तरफ़ से, अभियुक्त सुखदेवराज के अन्य अभियुक्तों से अलग रक्खे जाने के सम्बन्ध में पेश किए जाने वाले कारणों पर विचार करने

से इन्कार कर दिया है। सरकारी-पक्ष अब तक अभियुक्त और अभियुक्त के वकील की उपस्थिति के विषय में राज़ी नहीं हुआ। जो हो, अगर अभियुक्त की हिरासत वास्तव में ग़ैर-क़ानूनी है, तो सरकार को शासन-नीति की दृष्टि से उचित होते हुए भी, वह ग़ैर-क़ानूनी है।

अभियुक्त की हिरासत

अभियुक्त सुखदेवराज की हिरासत की हालत का ठीक-ठीक पता लगाने के लिए हम लोगों ने अभियुक्त और उसके वकील की उपस्थिति में उसकी कोठरी को जाँच की। उस जाँच के आधार पर हमारा विचार है कि अभियुक्त को हिरासत में कोई विशेष कष्ट नहीं है। कभी-कभी अभियुक्त ऊब सकता है, परन्तु हमारे ख़्याल से एकान्त से अभियुक्त में मानसिक अव्यवस्था का कोई ख़तरा नहीं है। कोठरी आराम देने लायक़ है, जिसके साथ एक छोटा सा खुला हुआ आँगन है, जिसमें एक दरवाज़ा बना हुआ है, परन्तु दरवाज़े नहीं लगे। कोठरी के बाहर जेल के मैदान में एक वृक्ष के नीचे उसे बैठने की इजाज़त है, जहाँ से वह सामने जेल-जीवन का सम्पूर्ण दृश्य देख सकता है। उसे कोठरी के बाहर कुछ निश्चित गज़ों के बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। उसको देख-रेख रखने के लिए एक वार्डर है और दो क़ैदी अफ़सर हैं, जिनके साथ बातचीत करने की उसे पूरी इजाज़त है। सप्ताह में एक बार वह २० मिनट के लिए अपने सम्बन्धियों या मित्रों से मिल सकता है और सप्ताह में एक बार वह दो घण्टे के लिए अन्य अभियुक्तों के साथ रह सकता है। इन बातों को अभियुक्त ने हमारे सामने स्वीकार किया है।

क़ानून की दृष्टि से ग़ैर-क़ानूनी

परन्तु यद्यपि सम्भव है कि अभियुक्त को कोई कष्ट न हो और उसे अन्य अभियुक्तों से सलाह करने का काफ़ी अवसर भी मिल जाता है, फिर भी सम्पूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए हम अनिच्छापूर्वक यह निर्णय करने के लिए विवश हैं कि हिरासत का ढङ्ग क़ानून की दृष्टि से ग़ैर-क़ानूनी है।

हाईकोर्ट के सामने पेश की गई अर्ज़ी और हाईकोर्ट के फ़ैसले में कहा गया था कि अभियुक्त की हिरासत एकान्त कोठरी के दण्ड के बराबर है। वास्तव में सन् १६२५ में प्रिज़न ऐक्ट की दफ़ा ४६ (II) के रद्द हो जाने से जेल के दण्ड में एकान्त कोठरी का दण्ड अब नहीं है। फिर भी दण्ड के रूप में ताज़ीरात हिन्द में उसका अस्तित्व मौजूद है। उसकी परिभाषा एक रद्द की हुई धारा में इस प्रकार दी हुई है—"एकान्त कोठरी की हिरासत ऐसी हिरासत है, जिसमें क़ैदी दूसरे किसी क़ैदी के देखने और उससे बातचीत करने से वञ्चित कर दिया जाता है।" इस परिभाषा के अनुसार यह बात स्पष्ट है कि अभियुक्त सुखदेवराज की हिरासत एकान्त कोठरी के दण्ड के बराबर नहीं है।

विचाराधीन क़ैदी

इस प्रश्न पर एक दूसरे दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है। यद्यपि विचाराधीन क़ैदियों के सम्बन्ध में जेल के नियम हमें बहुत अस्पष्ट मालूम होते हैं। फिर भी जेल के अन्य नियमों को देखने से पता लगता है कि यद्यपि भिन्न-भिन्न श्रेणी के क़ैदियों के लिए अलग-अलग रखने का प्रबन्ध है, फिर भी एक ही श्रेणी के क़ैदी एक साथ रह सकते हैं। सरकार ने सन् १८६४ के प्रिज़न ऐक्ट की दफ़ा ६० के अनुसार क़ैदियों और विचाराधीन क़ैदियों के साथ होने वाले व्यवहारों के विषय में जो नियम बनाए हैं, उनसे यह प्रश्न हल हो जाता है। दफ़ा ११ में कहा गया है कि अच्छी श्रेणी के विचाराधीन क़ैदियों के साथ ए और बी श्रेणी के क़ैदियों सा व्यवहार होना चाहिए। दफ़ा ५ में कहा गया है कि अच्छी श्रेणी के विचाराधीन क़ैदियों को रहने के लिए सी श्रेणी के क़ैदियों से अच्छी जगह मिलनी चाहिए। इसका यही अर्थ हो सकता है कि उन्हें ए और बी श्रेणी के क़ैदियों की तरह जगह मिले। ए श्रेणी के क़ैदियों के विषय में जगह के सम्बन्ध में कहने के साथ ही यह साफ़-साफ़ लिखा है कि उनकी क़ैद किसी प्रकार से भी अलग हिरासत की क़ैद की तरह न होनी चाहिए। दफ़ा चार के नियम १ में यही हिदायत नहीं दी गई, परन्तु इसका कारण हमारी राय से यह है कि उसी बात के दुहराने की ज़रूरत नहीं समझी गई। बी श्रेणी के क़ैदियों के विषय में भी उपरोक्त नियम का व्यवहार किया जा सकता है। एकान्त हिरासत को, प्रिज़न ऐक्ट की दफ़ा ४६ में जो परिभाषा दी गई है, वह इस प्रकार है—"यह एक ऐसी हिरासत है, जिसमें क़ैदी दूसरे क़ैदियों के सम्पर्क से वञ्चित कर दिया जाता है, परन्तु उनकी नज़रों से वञ्चित नहीं किया जाता और भोजन के समय एक या अधिक दूसरे क़ैदियों के साथ बैठ कर भोजन करने की इजाज़त रहती है।"

"एकान्त हिरासत"

ऊपर ए श्रेणी के क़ैदियों के रहने की जगह और क़ैद के विषय में जो शब्द कहे गए हैं, वे बिल्कुल स्पष्ट हैं। यह बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है कि ए श्रेणी के क़ैदियों के रहने की जगह और क़ैद ऐसी न होनी चाहिए, जो किसी प्रकार से भी एकान्त हिरासत की तरह हो। अगर इस सम्बन्ध में उपरोक्त नियम बिल्कुल स्पष्ट न होता, तो अभियुक्त सुखदेवराज के सम्बन्ध में कहा जाता कि यद्यपि उसे सम्बन्धियों और अपने मित्रों से मिलने की सुविधा है, फिर भी वह एकान्त हिरासत में है; क्योंकि एकान्त हिरासत की परिभाषा में सम्बन्धियों और मित्रों का ज़िक्र नहीं है, बल्कि क़ैदियों का ज़िक्र है। और विरुद्ध पक्ष की ओर से यह कहा जा सकता था, जैसा कि कहा भी गया है कि अभियुक्त के साथ दो क़ैदी-पहरेदार हैं, जोकि निस्सन्देह क़ैदी हैं; इसलिए दफ़ा ४६ की परिभाषा के अनुसार अभियुक्त की हिरासत एकान्त हिरासत नहीं है। इसके विरुद्ध कहा जा सकता है कि ऐक्ट की दफ़ा २७ के अनुसार विचाराधीन क़ैदी के साथ क़ैदियों का रखना ग़ैर-क़ानूनी है।

परन्तु इस सम्बन्ध में परिभाषा स्पष्ट होने के कारण उपरोक्त प्रकार के किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है। हमारे सामने यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अभियुक्त सुखदेवराज की मौजूदा हिरासत एकान्त हिरासत की तरह है। साप्ताहिक मुलाक़ात की सुविधा होने से उस हिरासत में कोई अन्तर नहीं पड़ता। उसका अर्थ तो केवल यह है कि उस दिन के लिए वह एकान्त हिरासत में नहीं रहता। हम इस बात को नहीं मानते कि दो क़ैदी पहरेदारों की मौजूदगी से, जोकि अभियुक्त के साथ बराबरी के दर्जे से नहीं रह सकते, बल्कि केवल अधिकार-भाव से रहते हैं, अभियुक्त की एकान्त हिरासत में कोई परिवर्तन हो जाता है। यह ठीक है कि अदालत के सामने अभियुक्त सुखदेवराज के रोज़ पेश किए जाने के कारण उसकी एकान्त हिरासत में और दण्ड में मिली हुई एकान्त हिरासत में कुछ अन्तर पड़ जाता है, परन्तु यह बहुत सम्भव है कि अनेक कारणों से अदालत की कार्रवाई कई-कई दिनों के लिए स्थगित होती रहे, उस हालत में तो निश्चय ही अभियुक्त को एकान्त हिरासत ही रहा करेगी। हमारा ख़्याल है कि हिरासत के विषय में निर्णय करने के लिए जेल के अन्दर की परिस्थितियों का विचार करना चाहिए। अभियुक्त के जेल से बाहर लाए जाने की बाहरी परिस्थितियों का विचार नहीं करना चाहिए।

इसलिए अभियुक्त सुखदेवराज की हिरासत को एकान्त हिरासत समझ कर हम फ़ैसला देते हैं कि वह नियमों के विरुद्ध है और इसलिए ग़ैर-क़ानूनी है। इस फ़ैसले के अनुसार हम जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट को आदेश देते हैं कि वह हिरासत बदल कर ऐसी कर दी जाय, जो ग़ैर-क़ानूनी न हो और दूसरे क़ैदियों के साथ अभियुक्त को रहने की आज्ञा दे दी जाय। हमारे आदेशों के अनुसार जो कार्य किया जाय, उसकी रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर इस अदालत के सामने पेश की जाय।

ज़मानत का प्रश्न

ज़मानत के प्रश्न पर हाईकोर्ट ने कहा है कि "ट्रिब्यूनल अगर अभियुक्त की शिकायतों के दूर करने में दूसरे किसी उपाय से असमर्थ हो, तो ज़मानत के प्रश्न पर विचार कर सकता है।" इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी असमर्थता के कारण ज़मानत स्वीकार कर लें। हम उसका अर्थ यह समझते हैं कि अगर हिरासत ग़ैर-क़ानूनी हो और अभियुक्त के स्वास्थ्य और मामले की सफ़ाई के प्रबन्ध के लिए हानिकारक हो, तो हम उसे ज़मानत पर छोड़ सकते हैं। हम इस विषय में ऊपर काफ़ी कह चुके हैं कि अभियुक्त की हिरासत यद्यपि ग़ैर-क़ानूनी है, फिर भी वह अभियुक्त के स्वास्थ्य या मामले की सफ़ाई के प्रबन्ध के लिए हानिकारक नहीं है। इसलिए हम ज़मानत नामञ्ज़ूर करते हैं।

इसके बाद सबूत-पक्ष की ओर से गवाही देने के लिए मुख़बिर इन्द्रपाल पेश किया गया।

सुखदेवराज ने ट्रिब्यूनल से कहा कि मेरे मामले की कार्रवाई तब तक न प्रारम्भ होनी चाहिए, जब तक कि मेरी ग़ैर-क़ानूनी हिरासत न रोक दी जाय।

अदालत ने अभियुक्त सुखदेवराज की इस बात को स्वीकार नहीं किया और मुख़बिर इन्द्रपाल की गवाही प्रारम्भ करने की आज्ञा दे दी।

अदालत की शपथ लेने के पहले इन्द्रपाल ने अदालत से कहा कि मेरे साथ जेल में मनुष्य की तरह व्यवहार नहीं हो रहा। मैं एक कोठरी के अन्दर बन्द कर दिया गया हूँ और इस गर्मी की ऋतु में मुझे वहीं सोना पड़ता है। मुझे किसी से मुलाक़ात करने की आज्ञा नहीं दी जाती। सम्बन्धियों द्वारा दी गई आराम की वस्तुएँ मुझे नहीं दी जातीं। इन कष्टों का मेरे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा है। इस समय गवाही देने के लिए मेरी मानसिक परिस्थिति ठीक नहीं है। अगर गवाही देने में कोई ग़लती हो जाय तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ।

अदालत ने इन्द्रपाल से इन शिकायतों को अर्ज़ी में लिख कर पेश करने के लिए कहा और उसे बतलाया कि हाईकोर्ट के एक नए फ़ैसले के अनुसार अदालत को अभियुक्त के साथ उचित व्यवहार के लिए आज्ञा देने का अधिकार है।

इसके बाद इन्द्रपाल की गवाही प्रारम्भ होने वाली ही थी कि अभियुक्त सुखदेवराज के वकील मि० श्यामलाल ने गवाही प्रारम्भ होने का विरोध किया। आपने कहा कि इस बात में अभियुक्त का भी हित है कि मुख़बिर गवाही के समय ग़ैर-क़ानूनी हिरासत में न हो। मालूम होता है कि मुख़बिर इन्द्रपाल और अन्य अभियुक्तों के बीच पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। यह धारणा हो गई है, चाहे वह ग़लत हो या ठीक, कि उन अभियुक्तों के साथ कठोर व्यवहार किया जाता है, जो सरकारी बातों का पूर्ण समर्थन नहीं करते। यह कठोर व्यवहार जेल-अधिकारियों द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार किया जाता है। अदालत को चाहिए कि वह इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार को रोक दे और जेल-अधिकारियों को आज्ञा दे कि इन्द्रपाल के साथ दण्ड पाए हुए क़ैदी का सा व्यवहार न करें।

अदालत ने इन्द्रपाल से अपनी शिकायतों को लिख

कर पेश करने के लिए कहा। इन्द्रपाल ने अपनी शिकायतों को लिख कर पेश किया।

इस पर अदालत ने कार्रवाई स्थगित कर दी और अभियुक्त और इन्द्रपाल से कहा कि जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट से रिपोर्ट मँगाई जायगी। रिपोर्ट आ जाने पर उचित आज्ञा जारी की जायगी।

२१ जुलाई को स्पेशल ट्रिब्यूनल ने मुख़बिर इन्द्रपाल की उस अर्ज़ी पर अपना हुक्म सुनाया, जोकि उसने जेल की शिकायतों के सम्बन्ध में कल ट्रिब्यूनल के सामने पेश की थी। मुख़बिर ने अर्ज़ी में कहा था कि उसे उसके सम्बन्धियों से मिलने नहीं दिया जाता, वह एक ही कोठरी में दिन-रात रक्खा जाता है और सम्बन्धियों द्वारा भेजी हुई चीज़ें उसे नहीं दी जातीं।

ट्रिब्यूनल ने सेण्ट्रल जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट को आज्ञा दी कि मुख़बिर इन्द्रपाल के साथ विचाराधीन क़ैदियों सा व्यवहार किया जाय, दूसरे क़ैदियों के साथ रहने दिया जाय, उसके सम्बन्धियों से उसे मिलने दिया जाय, एकान्त हिरासत से हटा दिया जाय, सोने के लिए चारपाई दी जाय, और वे सभी सुविधाएँ दी जायँ, जो कि विचाराधीन क़ैदियों को दी जाती हैं।

अदालत ने इन्द्रपाल से कहा कि जेल के व्यवहार में परिवर्तन न होने पर वह दूसरी अर्ज़ी पेश कर सकता है। अदालत इस बात का प्रबन्ध करेगी कि उसके साथ उचित व्यवहार हो।

इसके बाद उससे गवाही देने के लिए कहा गया, परन्तु उसने कहा कि मेरा मस्तिष्क ठीक नहीं है। उसने कहा कि जेल की कोठरी की कठोर भूमि पर सोने के कारण मैंने कई रातें बिना सोए हुए बिताई हैं। इस वक़्त पङ्खे के नीचे बैठे होने के कारण मुझे नींद आ रही है और मैं ऐसी हालत में नहीं हूँ कि बयान दे सकूँ।

इस पर रायबहादुर गङ्गाराम सोनी ने कहा कि उसकी बातचीत ऐसी है, जैसी कि किसी होश-हवास आदमी की होती है।

मि० ब्लैकर ने कहा कि मुख़बिर अपर दलीलें पेश कर रहा है। आपने मुख़बिर को सावधान करते हुए कहा कि अगर वह आज गवाही न देने का हठ करेगा, तो उसके साथ क़ानूनी कार्रवाही की जायगी।

इन्द्रपाल ने उत्तर में कहा कि मैं गवाही देने से इन्कार नहीं करता, परन्तु मौजूदा मानसिक स्थिति में अगर मुझसे कोई ग़लती हो जायगी, तो उसके लिए मैं ज़िम्मेदार न रहूँगा।

इसके बाद मुख़बिर इन्द्रपाल ने षड्यन्त्र का क़िस्सा कहना प्रारम्भ कर दिया।

मुख़बिर इन्द्रपाल का बयान

उसने यशपाल से अपने परिचय होने की बात बतलाई और कहा कि यशपाल षड्यन्त्रकारी विचारों का था और उसने मुझे हिंसात्मक सिद्धान्त की ओर परिवर्तित किया था।

इसके बाद मुख़बिर ने लाहौर में अक्टूबर सन् १९२८ में साइमन कमीशन के आगमन और लाला लाजपतराय के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस सङ्गठित किए जाने का हाल बतलाया। उसने कहा कि रेलवे स्टेशन के पास जुलूस के लोग प्रदर्शन करने के लिए रुक गए थे, इस पर पुलीस ने उन पर लाठियों का आक्रमण किया। मैंने देखा कि एक यूरोपियन पुलीस-अफ़सर ने लाला लाजपतराय पर लाठियों की वर्षा की। इस घटना के क़रीब एक महीना बाद लाला जी की मृत्यु हो गई। लोगों को विश्वास था कि पुलीस की लाठियों के प्रहार से लाला जी की मृत्यु हुई। लाला लाजपतराय की मृत्यु के ठीक एक साल बाद, १७ दिसम्बर, सन् १९२९ को, मुझे मालूम हुआ कि जिस पुलीस-अफ़सर ने लाला जी पर लाठियों की वर्षा की थी, वह मार डाला गया। मैं उस समय 'भीष्म' में नक़लकार की हैसियत से कार्य कर रहा था। मैं उपरोक्त घटना सुन कर बहुत प्रसन्न हुआ।

८ एप्रिल, सन् १९२९ को मैंने एसेम्बली बम-घटना और उसके सम्बन्ध में भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ़्तारी का समाचार पढ़ा। इसके बाद मुझे यशपाल मिले, जिन्होंने मुझसे बतलाया कि भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त इस कार्य के लिए षड्यन्त्रकारी दल की ओर से नियुक्त किए गए थे। यशपाल ने कहा था कि वे अदालत के सामने हिन्दुस्तान के लाखों आदमियों के भूखों मरने की दयनीय दशा के सम्बन्ध में एक सनसनीदार बयान देंगे। उसी समय यशपाल ने मुझे दल का सदस्य बनाया था। यशपाल ने मुझे दल के सिद्धान्त बतला दिए थे।

साधू के वेष में

इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि मैं २९ अगस्त, सन् १९२९ में दिल्ली बुलाया गया। वहाँ वायसरॉय की स्पेशल ट्रेन उड़ाने के सम्बन्ध में मुझसे दिल्ली से ६ मील दूर पियाऊ के स्थान पर साधू के वेष में मौजूद रहने के लिए कहा गया। परन्तु हंसराज "वायर्लेस" के न पहुँचने के कारण और मोटर साइकिल से गिर जाने से यशपाल के चोट लग जाने के कारण वायसरॉय की ट्रेन उड़ाने का कार्य स्थगित कर देना पड़ा था। वायसरॉय की ट्रेन उड़ाने का दूसरा प्रयत्न इसलिए स्थगित करना पड़ा कि वायसरॉय इङ्गलैण्ड से लौट कर आए थे और एक महत्वपूर्ण वक्तव्य देने वाले थे। पियाऊ में क़रीब सवा दो महीने रहने के बाद मैं यशपाल के यहाँ से हंसराज के पास ख़बर ले जाने के लिए लायलपुर गया। सुखदेवराज ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। हंसराज ने मकान के बाहर आकर उससे बातचीत की। इसके बाद मैंने हंसराज को ख़बर दी और रेलवे-स्टेशन चला आया। लायलपुर से लाहौर तक मैंने और सुखदेवराज ने एक ही ट्रेन से सफ़र किया था।

इसके बाद मैंने सुखदेवराज को भगवतीचरण के मकान पर देखा था। दल के सब सदस्य सुखदेवराज को सिराजुद्दौला कहा करते थे। उसका कार्य दल के सदस्यों के लिए साइकिल का प्रबन्ध करना था।

मई महीने के बीच में मैं अमोलचन्द और हंसराज "वायर्लेस" के साथ लायलपुर से २३ बम लाया था।

सदस्यों पर सङ्कट

२८ मई को मुझे ख़बर मिली कि भगवतीचरण बम की परीक्षा करने में घायल हो गए। मैं और शिव रावी के किनारे घटनास्थल पर पहुँचे और देखा कि उनकी दशा आशङ्काजनक है।

इसके बाद मुख़बिर ने, जेल से भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त के छुड़ाने के लिए जो प्रबन्ध सोचा गया था, उसका हाल बतलाया। मुख़बिर ने कहा कि भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त को बोर्स्टल जेल से अदालत ले जाने के लिए जो जेल की लॉरी तैनात की गई थी, उसके बोर्स्टल जेल में आने की सूचना देने के कार्य पर मैं नियुक्त किया गया था। जेल की लॉरी को बोर्स्टल जेल की ओर जाते हुए देख कर मैंने दल को जाकर सूचना दे दी।

यशपाल से मुझे २ जून को ६ बजे सवेरे मालूम हुआ कि भावलपुर रोड के मकान में बम फटने की घटना हो गई थी, इसलिए दल के सदस्य ख़तरे में हैं। मैंने यशपाल और चन्द्रशेखर आज़ाद को, जिनका नाम प्रकट नहीं किया गया था, अपने पास रख लिया था। उनको लोग "बड़ा दादा" कहते थे।

इसके बाद मुख़बिर ने २३ दिसम्बर, सन् १९३० की वायसरॉय की ट्रेन उड़ाने की घटना का वर्णन किया।

इसके बाद अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

(क्रमशः)

* * *

दिल्ली षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

(३६वें पृष्ठ का शेषांश)

उ०—नहीं।

प्र०—उस दिन दोपहर को जब भगतसिंह और महावीर मोज़ैङ्ग हाउस से गए थे, तब उनके हाथ में कोई हथियार था या नहीं?

उ०—सम्भवतः भगतसिंह के थैले में एक पिस्तौल था। पञ्जाब नेशनल बैङ्क लूटने की विवरणात्मक स्कीम पूछने पर मुख़बिर ने कहा कि दल के जो सदस्य मोज़ैङ्ग हाउस में एकत्र हुए थे, उनसे बैङ्क के नज़दीक तीन बजे दोपहर को मिलने के लिए कहा गया था। सब से पहले मोज़ैङ्ग हाउस से भगतसिंह और महावीर रवाना हुए थे। उनके बाद सुखदेव रवाना हुए, उसके बाद मैं किशोरीलाल के साथ बैङ्क पहुँचा। बैङ्क के हाते के अन्दर घास के मैदान में हम सब लोग प्रतीक्षा करने लगे।

मुख़बिर ने कहा कि मैं पञ्जाब नेशनल बैङ्क लूटने के सम्बन्ध में २० दिन तक लाहौर में ठहरा रहा। कुछ दिन तक मुझे ग्वालमण्डी के एक मकान में रहना पड़ा था।

प्र०—तुमने अपने बयान में कहा है कि तुम पञ्जाब से, जहाँ कि दल ने तुम्हें भेजा था, यू० पी० लौट आना चाहते थे।

उ०—मैं यू० पी० लौट आना चाहता था, क्योंकि पञ्जाब षड्यन्त्रकारी दल के सदस्यों के व्यवहार से मैं ऊब गया था। उनके विचार सङ्कुचित और प्रान्तीय थे। मेरा कोई ख़याल नहीं करता था। मैं उनके व्यवहारों से बिलकुल ऊब गया था।

मुख़बिर ने कहा कि दल का मेरे प्रति जो व्यवहार रहा है उसका मैं कोई उदाहरण नहीं दे सकता। मैं उसे अनुभव कर सकता हूँ, परन्तु व्यक्त नहीं कर सकता। पञ्जाब षड्यन्त्रकारी दल के सदस्यों में प्रान्तीयता का भाव बहुत है।

प्र०—क्या तुम कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हो जिससे उनकी प्रान्तीयता मालूम होती हो?

उ०—पञ्जाब में रहने के समय मैंने देखा कि दल के उन सदस्यों के साथ जो कि पञ्जाब के रहने वाले थे सब प्रकार से विशेषतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। जाड़े में उनके पहनने के लिए अच्छे-अच्छे कोट रहा करते थे और मुझे जाड़े से सिकुड़ना पड़ता था।

प्र०—तुम्हारे पञ्जाब में रहने के समय पञ्जाब षड्यन्त्रकारी दल ने पञ्जाब नेशनल बैङ्क लूटने के अतिरिक्त और भी कोई कार्य करने का विचार किया था?

उ०—मुझे नहीं मालूम।

इसके बाद अदालत की कार्रवाई जलपान के लिए स्थगित हो गई।

(क्रमशः)

* * *

दिल्ली षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

ता० २१ जुलाई को दिल्ली षड्यन्त्र केस में मि० एस० एन० बोस के मुख़बिर कैलाशपति से आगे जिरह प्रारम्भ करने के पहले ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट ने अभियुक्तों से ता० १७ जुलाई के दिन अदालत के स्थगित होने के समय की घटना बतलाने के लिए कहा। अभियुक्तों ने उस घटना की शिकायत ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट से उसी दिन कर दी थी।

अभियुक्त विद्याभूषण ने कहा कि ता० १७ जुलाई को अदालत की कार्रवाई स्थगित हो जाने के बाद मैंने अदालत के मोहर्रिर को शनाख़्त के लिए लाए गए पिस्तौल को अदालत के कमरे के बाहर ले जाकर गवाहों को दिखलाते हुए देखा था। यह वही पिस्तौल था, जिसकी शनाख़्त पुलीस के गवाहों ने की थी और कहा था कि वह अभियुक्त धन्वन्तरि के पास से मिला था।

अभियुक्त विद्याभूषण ने कहा कि उस समय अदालत के कमरे में सरकारी वकील मि० ज़फ़रुल्ला ख़ाँ मौजूद थे और हम लोगों ने उनसे शिकायत की थी।

इस पर ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट ने मि० ज़फ़रुल्ला, सरदार मागसिंह और अदालत के मोहर्रिर के बयान दर्ज किए, जिनके विरुद्ध शिकायत की गई थी। मि० ज़फ़रुल्ला ख़ाँ ने स्वीकार किया कि अभियुक्तों ने मुझसे शिकायत ज़रूर की थी और मैंने घटना के विषय में पूछा था। सरदार मागसिंह और मोहर्रिर ने ऐसी घटना घटित होने की बात साफ़ इन्कार कर दी।

असम्भव नहीं

ट्रिब्यूनल ने इस सम्बन्ध में अपना हुक्म सुनाते हुए कहा कि परिस्थितियाँ ज़रूर ऐसी थीं, जिनमें यह असम्भव नहीं था कि मोहर्रिर ने गवाहों को पिस्तौल दिखलाई हो और कोर्ट-इन्स्पेक्टर सरदार मागसिंह या किसी दूसरे व्यक्ति को यह बात मालूम न हुई हो। परन्तु इस तरह की कोई बात, जिसकी शिकायत की गई है, अत्यन्त अनुचित है और आगे ऐसा कार्य न होना चाहिए।

याद नहीं

इसके बाद मुख़बिर कैलाशपति से जिरह प्रारम्भ हुई।

मि० बोस ने मुख़बिर के उस बयान को पढ़ कर सुनाया, जोकि उसने ५ नवम्बर को पुलीस के सामने दिया था और जिसमें मुख़बिर के कानपुर पहुँचने और विजय को रुपए देने की बातें कही गई थीं। मुख़बिर ने कहा कि जहाँ तक मुझे याद है, मैंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया था।

दुबारा प्रश्न करने पर मुख़बिर कैलाशपति ने वही उत्तर दिया और कहा कि मैंने छोटे बयान दिए थे। मुझे याद नहीं, जो कुछ मैंने कहा था।

इसके बाद मुख़बिर से लाहौर और अमृतसर जाने के विषय में कई प्रश्न किए गए।

प्र०—कानपुर से लाहौर तक का रेल का किराया तुमको किसने दिया था?

उ०—मैंने स्वयं दिया था। क़रीब आठ रुपए किराए में दिए थे। मैं लाहौर में जून सन् १९२८ से सितम्बर तक रहा था।

आगे प्रश्न करने पर मुख़बिर ने कहा कि लाहौर में मैंने एडवर्ड होस्टेल में एक कमरा किराए पर ले लिया था और भगत होटल में रहा करता था। मैं अपना व्यय माहवारी अदा किया करता था।

प्र०—क्या भगत होटल में कोई हिसाब का रजिस्टर रहता था?

उ०—हाँ, उनके पास एक विवरण-पत्र था, जिसमें मैं उनके यहाँ भोजन करने के दिन अपना निशान बना देता था। कभी-कभी होटल के कर्मचारी मेरी तरफ़ से स्वयं मेरा नाम लिख लेते थे।

महीने के आख़ीर में होटल के लोग मुझे हिसाब बतला दिया करते थे और मैं उसके अनुसार उन्हें जो कुछ होता था, दे देता था।

प्र०—तुम्हें कोई रसीद मिलती थी?

उ०—नहीं।

प्र०—लाहौर में तुम क्या किया करते थे?

उ०—मैं अनारकली में शॉर्टहैण्ड और टाइप-राइटिङ्ग सीखा करता था। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने सितम्बर के महीने में शॉर्टहैण्ड सीखना बन्द कर दिया था।

प्र०—कितनी फ़ीस दिया करते थे?

उ०—जहाँ तक मुझे याद है, मैं २ या ३ रुपया प्रति घण्टा फ़ीस दिया करता था।

प्र०—क्या तुम बतला सकते हो कि महीने में कितने घण्टे शॉर्टहैण्ड और टाइप-राइटिङ्ग सीखते थे?

उ०—मुझे याद नहीं है।

प्र०—क्या तुम्हें यह भी नहीं याद कि जुलाई में तुमने कितनी फ़ीस दी थी?

उ०—मुझे याद नहीं है।

प्र०—क्या तुम अन्दाज़ से बतला सकते हो कि सब मिला कर तुमने कितनी फ़ीस दी होगी?

उ०—जुलाई और सितम्बर तक के बीच में मैंने दस या पन्द्रह रुपए दिए होंगे। मैं किसी निश्चित समय पर शॉर्टहैण्ड और टाइप-राइटिङ्ग सीखने नहीं जाया करता था। जब मेरी इच्छा होती थी, तब चला जाया करता था।

लाहौर के षड्यन्त्रकारी

प्र०—क्या तुम्हें लाहौर के षड्यन्त्रकारी दल के सदस्यों के नामों का पता था?

उ०—हाँ, मैं भगतसिंह, सुखदेव और यशपाल को जानता था।

प्र०—क्या तुम्हारे लाहौर में रहने के समय दल की कोई सभा हुई थी?

उ०—मुझे नहीं मालूम।

प्र०—क्या तुम्हें मालूम है कि उन दिनों सुखदेव कहाँ रहा करते थे?

उ०—मैं नहीं जानता।

प्र०—क्या तुम जानते हो कि भगतसिंह कहाँ रहा करते थे?

उ०—मैं नहीं जानता।

रसीदें

मुख़बिर ने कहा कि शॉर्टहैण्ड और टाइप-राइटिङ्ग सीखने के लिए मैं जो फ़ीस दिया करता था, उसकी रसीद ले लिया करता था, परन्तु मुझे यह याद नहीं है कि लाहौर में रहने के समय सब मिला कर मेरा कितना ख़र्च हुआ था।

अमृतसर में

अमृतसर जाने के सम्बन्ध में मुख़बिर ने कहा कि मैं वहाँ षड्यन्त्रकारी दल के कार्य से ठहरा था। मेरे लिए वहाँ एक कमरा किराए पर पहले से ही ले लिया गया था। मैं अमृतसर में अक्टूबर सन् १९२८ से फ़रवरी सन् १९२९ तक रहा।

अमृतसर में मेरा होटल का ख़र्च दस रुपए से सोलह रुपए तक महीना हुआ करता था। मैंने अमृतसर में रहने के समय सब मिला कर ५० या ६० रुपया होटल का ख़र्च दिया था, परन्तु कोई रसीद नहीं ली।

प्र०—क्या तुम बराबर होटल में ही भोजन किया करते थे?

उ०—हाँ।

प्र०—अमृतसर में तुम कोई विशेष कार्य कर रहे थे?

उ०—नहीं, मैं वहाँ कोई विशेष कार्य नहीं कर रहा था।

प्र०—क्या अमृतसर में तुमसे षड्यन्त्रकारी दल के किसी सदस्य से परिचय हुआ था?

उ०—नहीं।

इसके बाद मुख़बिर ने अपनी गवाही के सिलसिले में कहा कि मैं पहले-पहल अक्टूबर सन् १९२८ में अमृतसर गया था। वहाँ पर मेरा साथी शिव वर्मा था जो कि उस समय लेख और संक्षिप्त जीवन-चरित्रों के लिखने में व्यस्त था।

मोज़ैङ्ग हाउस

क्या तुम बतला सकते हो कि लाहौर में जहाँ तुम मोज़ैङ्ग हाउस में ठहरे थे और जहाँ दल के लोग पञ्जाब नेशनल बैङ्क लूटने का विचार कर रहे थे, वहाँ से बैङ्क कितनी दूर पर है?

उ०—क़रीब चार या पाँच फ़र्लाङ्ग।

मुख़बिर ने कहा कि मैं उस मोटरकार का नम्बर नहीं जानता जो कि पञ्जाब नेशनल बैङ्क लूटने के लिए नियत की गई थी। बैङ्क लूटने के लिए दल के सदस्यों को, मोज़ैङ्ग हाउस में रक्खे हुए पिस्तौल और रिवॉल्वर वितरित कर दिए गए थे।

प्र०—वे रिवॉल्वर कितने कारतूस वाले थे और कहाँ के बने हुए थे?

उ०—मैं नहीं जानता।

सदस्यों में हथियार वितरित करने के पहले भगतसिंह और आज़ाद ने मोज़ैङ्ग हाउस में उन्हें साफ़ किया था। मैंने भी कुछ हथियारों को ब्रुश और तेल से साफ़ किया था, परन्तु मैं उस तेल का नाम नहीं जानता।

प्र०—हथियार किन लोगों को दिए गए थे?

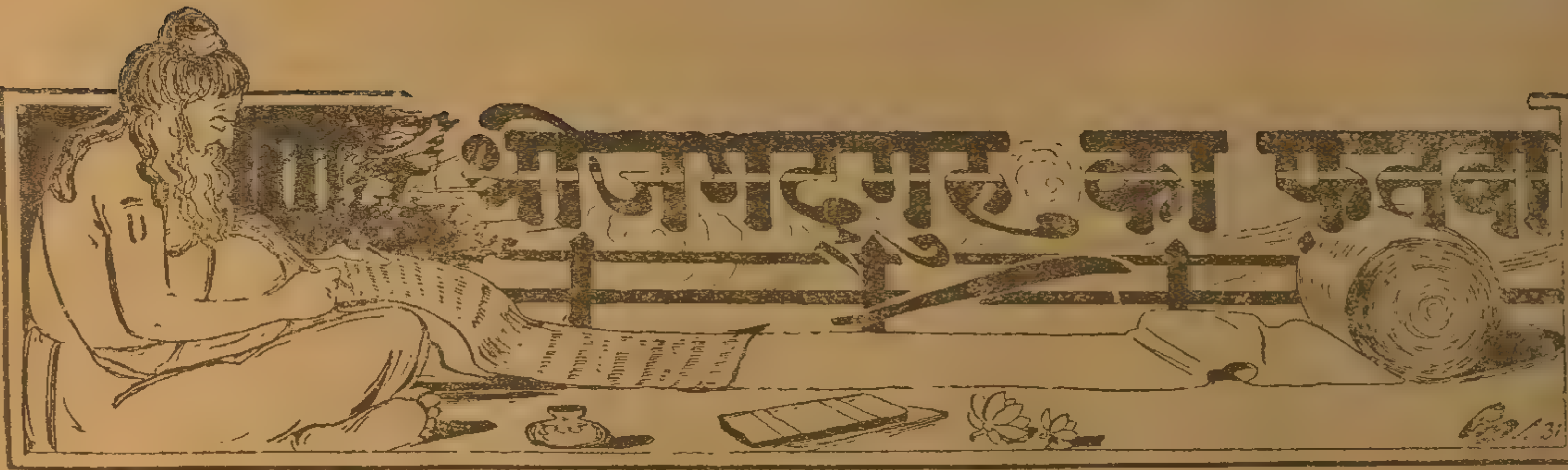
उ०—मुझे याद नहीं है। मुझे एक पाँच कारतूस वाला रिवॉल्वर मिला था। मैं यह नहीं जानता कि वह कहाँ का बना था।

प्र०—पञ्जाब नेशनल बैङ्क लूटने का निश्चय कर लेने के बाद दूसरे दिन मोज़ैङ्ग हाउस में तुम सब लोग किस वक़्त एकत्र हुए थे?

उ०—क़रीब ८ बजे सवेरे। बैङ्क लूटने का विचार स्थगित कर देने के कारण हथियार सदस्यों को बाँटे नहीं गए थे। मैंने लूटने का विचार स्थगित कर देने का कारण नहीं पूछा। आज़ाद ने मुझसे रुक जाने के लिए कहा, इसलिए मैं मोज़ैङ्ग हाउस में रुक गया। हम लोगों से कहा गया कि बैङ्क लूटने के लिए दिन का निश्चय कल किया जायगा। इसके अनुसार दूसरे दिन ८ बजे सवेरे दल के सदस्य मोज़ैङ्ग हाउस में फिर एकत्र हुए और निश्चय हुआ कि ३ बजे दोपहर को बैङ्क लूटा जायगा। उस दिन लगभग सभी सदस्य मोज़ैङ्ग हाउस में रहे।

प्र०—क्या पहले कभी तुम पञ्जाब नेशनल बैङ्क गए थे?

(शेष मैटर ३५वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए)



[हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष]

महात्मा गाँधी चाहे कुछ भी कहें, परन्तु अपने राम तो भाशों की भरी गङ्गा में खड़े होकर यह कहने को तैयार हैं कि खद्दर से इस देश को अभूतपूर्व और अश्रुतपूर्व क्षति पहुँची है। हाथ कङ्गन को आरसी क्या? प्रमाण लीजिए :—

❀

ठाकुर जी सात पुश्त से विलायती 'सिल्क' का घूँघरदार जामा और ताश-बादले का उपरना व्यवहार किया करते थे। परन्तु लोगों ने उन्हें खद्दर पहना कर उनकी सारी शौक़ीनी पर पानी फेर दिया। अब सारी पीठ 'अम्हौरी' से भर गई है और दिन-रात खुजाते-खुजाते अँगुलियों के नाख़ून घिस गए हैं। बेचारे घबरा उठे हैं, खद्दर से।

❀

यही हाल ठकुराइन जी का है। वह भी ऊब गई हैं, खद्दर की साड़ी से। एक तो दिन-रात परदे में रहना और तिस पर से खद्दर की चोली और धोती! जाड़ों में तो ख़ैर, कोई चिन्ता न थी। मगर यह बरसात की उमस तो नाक़ाबिल बरदाश्त हो रही है। हमें तो डर है कि कहीं यह दशा रही तो वह बैकुण्ठ धाम छोड़ कर, अपने पिता के घर 'क्षीर-सिन्धु में' चली जाएँगी और बेचारे ठाकुर जी को भरपेट रोटी-दाल के भी लाले पड़ जाएँगे।

❀

अहा, देश के बेचारे बाबुओं और बाबुनियों का तो हाल ही न पूछिए। हाय रे, मन्चेस्टर की मलमल, क़सम ख़ुदा की, याद आ जाती है तो कलेजे पर साँप लोट जाता है! पार्क में हवाख़ोरी को निकलिए तो साढ़े तीन गधे का बोझ शरीर पर! वे बेचारियाँ जो 'बारन के भारन तें' झुकी जाती थीं, दईमारे खद्दर के 'भारन तें' दबी जाती हैं! भई, अपने राम को तो उनकी दुर्दशा देख कर बड़ी दया आती है!

❀

बाबुओं के चुननदार 'फुरहरे' का सारा लुत्फ़ ही हवा हो गया, इस कम्बख़्त खद्दर के कारण! अब न कहीं नाख़ूनी किनारे के दर्शन होते हैं और न मख़मली पाड़ के! चुनी हुई आस्तीन के कुर्ते की कहानी अतीत इतिहास की सामग्री हो गई है! तनज़ेब की याद तनज़ेब और नयन-सुख का स्मरण नयन-नीर का कारण बन रहा है! 'आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना!'

❀

परन्तु जनाब, सब से अधिक नुक़सान हुआ है, खद्दर के कारण, इस देश के मुसलमान जुलाहों का। क्योंकि इसके कारण उनका बिहिश्त के फाटक पर पहुँचा हुआ पुराना रोज़गार फिर से लौट कर उनके झोंपड़े के द्वार पर चला आया है और रोटी-दाल का संस्थान हो जाने के कारण शीघ्रातिशीघ्र बिहिश्त पहुँच कर मए अतहर के बाद हूरो-ग़िलमों के साथ आनन्द-विहार की आशा पर एकदम पानी फिर गया है।

❀

इसलिए सर आग़ा ख़ाँ और मौ० शौकतअली आदि ने लङ्काशायर की सहायता से भारत में विलायती कपड़ा बेचने के लिए शीघ्र ही एक बड़ी कम्पनी स्थापित करने का विचार किया है। बस, इधर कम्पनी खुलेगी और उधर अल्लाह मियाँ, मुसलमानों के लिए बिहिश्त का दरवाज़ा खोल देंगे। फिर तो हमारे मदारू चाचा भी ख़ाँ बहादुर शेख़ मदार बख़्श हो जाएँगे और क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बग़ल में जा बिराजेंगे।

❀

चलिए, बड़ी भारी चिन्ता दूर हुई! इन मौलानाओं की कृपा से खुरखुरी खादी से देश का पिण्ड छूटा। बस, जहाँ यह कम्पनी खुली नहीं कि लोगों ने विलायती कपड़े पहनना आरम्भ किया! और अङ्गरेज़ी राज्य की तो बात ही न पूछिए। हमेशा के लिए अटल-अचल हो जाएगा। साथ ही साथ सर महम्मद इक़बाल वाला भारत में मुस्लिम राज्य का स्वप्न भी सार्थक हो जाएगा।

❀

बड़ा मज़ा रहेगा जनाब, देश में अङ्गरेज़ व्यवसाय-वाणिज्य करेंगे, और मौ० शौकतअली का दल राज-पाट सँभाल लेगा। फिर काफ़िर लोग भी कम लाभ में न रहेंगे। ये भी इच्छा करते ही सुन्नत करा कर बिहिश्त में बङ्गले बनवा लेंगे। काशी-धरम के कुएँ पर श्री जगद्गुरु की त्रिप्रिया छुना करेंगी। माशा अल्लाह, उस भावी युग की याद आते ही मुँह में पानी भर आता है। शौकतपन्थी मुल्लाओं को इस सूझ के लिए उनकी पीठ ठोंक देने को जी चाहता है।

❀

मगर इस आयोजन में एक बात की कमी रही जाती है। और वह यह है कि अगर शौकतपन्थी दल लगे हाथ अपनी नाकें भी कटा लें तो बड़ा काम हो। क्योंकि दूसरे के अमङ्गल के लिए अपनी नाक कटाना परम्परागत बुद्धिमानी है। इसके सिवा जब काफ़िरों के चेहरों पर नाक मौजूद है, तो दीनदारों को तो नाक रखनी ही न चाहिए। वरना, फिर काफ़िर और ख़ुदापरस्त में अन्तर ही क्या रह जाएगा?

❀

हमें तो ईर्ष्या होती है, मुसलमानों और लङ्काशायर वालों के सौभाग्य पर, जिनके ऐसे बुद्धिमान, देशभक्त, ईमानदार और त्यागी हिमायती मौजूद हैं। फलतः हमें इस ईमानदारी के व्यवसाय के चल निकलने में ज़रा भी सन्देह नहीं है। क्योंकि भारत के अन्न-जल से पल कर जो लोग उसकी भलाई के लिए लङ्काशायर के कपड़े यहाँ बिकवाना चाहते हैं, वे अवश्य ही एक दिन लङ्काशायर को भी बिहिश्त के मज़े चखाएँगे, इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं।

❀

बाली (हवड़ा) जूट-मिल के एक गोरे मैनेजर साहब ने मिल में काम करने वाली एक काली रमणी का सतीत्व नष्ट कर दिया था, बस इसी ज़रा सी बात पर हवड़ा के न्याय-निष्ठुर डिप्टी मैजिस्ट्रेट बहादुर ने बेचारे गोरे साहब पर १२०) जुर्माना कर दिया है! भई, सचमुच कर्तव्य बड़ा ही निठुर होता है, इसीलिए बेचारे डिप्टी साहब को ऐसे अमानुषिक दण्ड का आश्रय लेना पड़ा है। अन्यथा बेचारे हैं, बड़े ही सहृदय और उदार।

❀

और, आपकी इस अलौकिक उदारता और सहृदयता का प्रमाण यह है कि अर्थ-दण्ड के उपर्युक्त १२०) में से २०) एकमुश्त उस काली रमणी को मिल जाएँगे। वाह! इसे कहते हैं, सख़ावत और दरियादिली! अफ़सोस, राजा हरिश्चन्द्र इस समय तुम न हुए, वरना हवड़ा के इन कृष्णकाय डिप्टी महोदय की उदारता और सख़ावत देख कर निहाल हो जाते!

❀

इसके सिवा, अपनी एक सजातीया (अवश्य ही भारतवासी होने के नाते) रमणी के सतीत्व मूल्य आँकने में डिप्टी साहब ने जिस बहुदर्शिता और गम्भीर ज्ञान का परिचय दिया है, उसे देख कर तो सतीत्व-शास्त्र के बड़े-बड़े जौहरी भी दाँतों तले अँगुली दबा कर रह जाएँगे और हुस्ने-कमाल की तारीफ़ हज़ार मुख से भी करके न अघाएँगे।

❀

हमारी राय है कि आगामी पहली जनौरी को पूर्व-प्रशंसित डिप्टी साहब को "जस्टिस ऑफ़ दी पीस" की पदवी तो दी ही जाए, साथ ही अर्थ-दण्ड के १२०) में से २०) उस काली स्त्री को देने के बाद जो १००) बच गए हैं, वे डिप्टी साहब को बतौर इनाम दे दिए जाएँ। क्योंकि श्रीमती नौकरशाही के इस धर्मानुमोदित न्याय की सार्थकता जैसी डिप्टी साहब के द्वारा हो सकती है, वैसी और किसी तरह भी सम्भव नहीं है।

❀

स्थानीय	
वार्षिक चन्दा	... १२)
छःमाही चन्दा	... ६॥)
तिमाही चन्दा	... ३॥)
एक मास का	... १॥)

भविष्य

का

दैनिक संस्करण

अतिरिक्त स्थानों के लिए	
वार्षिक चन्दा	... १६)
छःमाही चन्दा	... ८)
तिमाही चन्दा	... ४॥)
एक मास का	... २)

मूल्य केवल)॥ पैसा — मूल्य केवल)॥ पैसा

पाठकों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि शीघ्र ही—सम्भवतः अगस्त के मध्य तक इस संस्था ने 'भविष्य' का दैनिक संस्करण भी प्रकाशित करने का निश्चय कर लिया है और इसे सब प्रकार से सफल बनाने की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं।

पाठकों को शायद बतलाना न होगा, कि इस संस्था पर होने वाले आए-दिन के अत्याचारों ने हमें एक बार ही विक्षुब्ध कर दिया है। केवल हमीं पर नहीं, हमारे इस अभागे प्रान्त पर आज जैसा भीषण दमन और अत्याचार हो रहा है, उसने समस्त भारत का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है; किन्तु इतना होते हुए भी इस प्रान्त की राजधानी से कोई भी ऐसे दैनिक का प्रकाशित न होना, जो निर्भीकतापूर्वक अत्याचार-पीड़ितों का करुण-क्रन्दन जनता के सामने उपस्थित कर सके, वास्तव में बड़े लज्जा की बात थी और केवल इसी उद्देश्य को सामने रख कर एक बार हम अपने साधनों की परीक्षा करने पर तुल गए हैं—परिणाम चाहे जो भी हो।

कुछ विशेषताएँ

(१) सर्वसाधारण की पहुँच से बाहर न हो, इसलिए दैनिक संस्करण का मूल्य केवल दो पैसे रखने का निश्चय किया गया है, पत्र में क्राऊन साइज़ (साप्ताहिक 'भविष्य' के साइज़ का दूना) के चार पृष्ठ छोटे टाइपों में होंगे, जिसका अर्थ यह है कि अन्य सभी दो पैसे वाले दैनिकों की अपेक्षा इसमें दूना मैटर रहेगा। यदि विज्ञापनों का यथेष्ट प्रबन्ध हो गया तो शीघ्र ही ६ पृष्ठ कर दिए जायँगे।

(२) 'भविष्य' के दैनिक संस्करण के लिए ऐसोसिएटेड तथा फ़्री प्रेस आदि सभी सम्वाद-एजन्सियों के विशेष तार भी मँगाए जायँगे, जिसका अर्थ यह होगा, कि पाठक 'भविष्य' में अङ्गरेज़ी के किसी भी फ़र्स्ट क्लास डेली की भाँति सारे ताज़े समाचार पावेंगे।

(३) 'भविष्य' में नित्य तो नहीं, पर प्रायः सामयिक चित्र तथा कार्टून आदि भी पाठकों को मिलेंगे।

(४) 'भविष्य' में पाठकों को उर्दू तथा हिन्दी कविताएँ भी मिलेंगी; सारांश यह कि जो कुछ भी सम्भव होगा—कोई बात उठा न रक्खी जायगी।

(५) 'भविष्य' २४ पाउण्ड के चिकने काग़ज़ पर छपा करेगा और प्रत्येक प्रातःकाल ५ बजे नियमित रूप से प्रकाशित होगा।

(६) 'भविष्य' का साप्ताहिक संस्करण जैसा आजकल प्रकाशित हो रहा है, वैसे ही होता रहेगा; किन्तु दैनिक संस्करण प्रकाशित होने के बाद साप्ताहिक संस्करण वृहस्पतिवार को प्रकाशित न होकर, सोमवार को प्रकाशित हुआ करेगा।

'भविष्य' का सम्पादकीय बो[illegible]

१—श्री० त्रिवेणीप्रसाद, बी० ए० (जेल में)
२—श्री० भुवनेश्वरनाथ मिश्र, एम० ए० (जेल में)
३—श्रीमती लक्ष्मी देवी,
४—श्री० नन्दकिशोर तिवारी, बी० ए०
५—मुन्शी नवजादिकलाल श्रीवास्तव
६—श्री० देवीदत्त मिश्र, बी० ए०, एल्-एल्० बी०
७—श्री० सत्यभक्त जी
८—पं० रामकिशोर मालवीय
९—कविवर आनन्दीप्रसाद श्रीवास्तव, (हिं०-क०-विभाग)
१०—कविवर 'बिस्मिल' इलाहाबादी (उर्दू-क०-वि०)
११—प्रो० रामकुमार वर्मा, एम० ए० (हिन्दी-क०-वि०)
१२—श्री० रामरखसिंह सहगल

(१) व्यापारियों को 'भविष्य' में विज्ञापन देकर अपने व्यापार में लाभ उठाना चाहिए, रेट मँगा कर देखिए।

(२) प्रत्येक शहर, क़स्बे, तहसील और गाँव में ईमानदार एजण्टों की आवश्यकता है। नियमावली मँगा कर देखिए।

[illegible] एजण्टों को [illegible] करनी चाहिए

मैनेजर 'भविष्य' (दैनिक) चन्द्रलोक—इलाहाबाद

Printed, Published and Edited by [illegible] Lakshmi Devi, [illegible] and Sri [illegible] Nath Misra, M. A., both in jail, at The Fine Art Printing Cottage, 28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad

सम्पादक :—
[illegible] [illegible]ेणीप्रसाद, बी० ए०
([illegible])

स्थानापन्न सम्पादिका :—
[illegible]

सम्पादक :—
[illegible]
(जेल में)

[illegible]

'Bhavishya'

भविष्य

'[illegible]' का चन्दा
वार्षिक चन्दा ... १२) रु०
[illegible]
तिमाही चन्दा ... ३॥) रु०
[illegible]
[illegible]

एक प्रार्थना

[illegible] में पहिले मित्रों को 'भविष्य' में प्रका- [illegible]

[illegible]

[illegible]—[illegible] [illegible]

[illegible]



[illegible]

इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और दूरदर्शी पाठक-पाठिकाओं से आशा की जाती है कि यथाशक्ति 'भविष्य' तथा 'चाँद' और विद्याविनोद-ग्रन्थमाला का प्रचार कर, वे संस्था को और भी अधिक सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !!

भविष्य

पाठकों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, वे एकमात्र भारतीय परिवारों एवं व्यक्तिगत मङ्गल-कामना को दृष्टि में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !!

वर्ष १, खण्ड ४ | इलाहाबाद—बृहस्पतिवार ; १३ अगस्त, १९३१ | संख्या १०, पूर्ण संख्या ४६

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सहगल जी पर मुक़दमा चला दिया!

समस्त भारत में ऐसा विचित्र केस आज तक नहीं चला था !!

यू० पी० गवर्नमेण्ट के होम मेम्बर तथा चीफ़ सेक्रेटरी को सहगल जी का तार

बम्बई-गवर्नर का असन्तोषजनक उत्तर :: क्या महात्मा जी गोलमेज़ में शरीक होंगे ?

—प्रयाग के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० आर० एफ़० मूडी ने 'चाँद' और 'भविष्य' के सञ्चालक श्री० सहगल जी के विरुद्ध एक विचित्र मुक़दमा चला कर प्रेसों के स्वामियों के सामने एक नई समस्या उपस्थित कर दी है। भारतीय प्रेसों के इतिहास में यह नवीन और अजीब घटना है और इससे पहिले कदाचित इस तरह का कोई मुक़दमा किसी प्रेस के स्वामी के विरुद्ध नहीं चला है।

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कहना है कि—"जो वाक़यात मेरी जानकारी में आए हैं, उनसे मालूम होता है कि फ़ाइन आर्ट प्रिण्टिङ्ग कॉटेज के स्वामी आर० सहगल एक प्रेस के स्वामी हैं, जो सन् १८६७ के एक्ट २५ की धारा ४ के अन्दर आता है।

"अभी हाल ही में दो अन्य व्यक्तियों ने अपने को प्रेस का 'कीपर' घोषित किया था, और कल इस बात का प्रयत्न किया गया था, कि एक महिला, जिन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उनके क़ब्ज़े में प्रेस है, प्रेस की कीपर का डिक्लेरेशन दें।"

इसलिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने यह समझा है कि मि० आर० सहगल फ़ाइन आर्ट प्रिण्टिङ्ग कॉटेज के कीपर बिना १८६७ के एक्ट २५ की धारा ४ के अनुसार डिक्लेरेशन दिए हुए रहे हैं और इस प्रकार उक्त एक्ट की धारा १२ के अनुसार जुर्म किया है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने मामले को सब-डिविज़नल मैजिस्ट्रेट ख़ाँ साहब रहमानबख़्श क़ादरी के पास फ़ैसले के लिए भेजा है।

जो सम्मन श्री० सहगल जी के पास आया है, उसके अनुसार मामले की पहली पेशी १७ अगस्त को निश्चित हुई है।

श्रीमती लक्ष्मी देवी ने एक पत्र 'लीडर' में प्रकाशनार्थ भेजा है और उसकी नक़ल स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भेजी है। इस पत्र में इस बात का घोर विरोध किया गया है कि उन्होंने कभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से यह नहीं कहा कि प्रेस-एक्ट के अनुसार प्रेस उनके क़ब्ज़े में नहीं है। इस प्रकार का उन्होंने कोई बयान भी नहीं दिया था, जिसकी चर्चा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अपने 'ऑर्डर' में की है। श्रीमती लक्ष्मी देवी ने अपने पत्र के अन्त में लिखा है कि "वास्तविक परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए, जबकि मैं स्वयं प्रेस की 'कीपर' की हैसियत से डिक्लेरेशन देने गई थी, ऐसी निराधार कल्पना करना बिल्कुल बेहूदा है।"

—इधर कुछ दिनों से श्री० सहगल जी तथा इस संस्था पर स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की असाधारण कृपा (!) रही है, समय-समय पर पाठकों ने उनका समाचार और विवरण पढ़ा ही होगा ! इन्हीं सब बातों से दुखी होकर १२ अगस्त को श्री० सहगल जी ने यू० पी० गवर्नमेण्ट के चीफ़ सेक्रेटरी तथा होम मेम्बर को तार भेज कर कहा है कि अब परिस्थिति सर्वथा असह्य हो गई है। मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध प्रबल प्रमाण लेकर आपसे मिलना चाहता हूँ। कृपया साक्षात के लिए कोई समय नियत करें" रात के १२ बजे तक इस तार का कोई उत्तर हमें नहीं मिला है।

—सतना का १० अगस्त का समाचार है कि रीवाँ के महाराजा ने श्री० प्रतापसिंह, राजमानसिंह, तिवारी आदि समस्त राजनैतिक क़ैदियों को बिना शर्त छोड़ देने की आज्ञा दे दी है।

—११ अगस्त की ख़बर है कि सौनद (गुजरात) के गवर्नमेण्ट स्कूल के हाते में रविवार को प्रातःकाल बम फटा। सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ। इसकी सूचना पुलीस को तुरन्त दी गई। पुलीस बड़ी सरगर्मी से जाँच कर रही है।

—काश्मीर के घरेलू प्रश्न को लेकर कुछ स्वार्थी मुस्लिम नेता राज्य के ख़िलाफ़ तूफ़ान मचा रहे हैं। शिमले में 'अखिल भारतीय काश्मीर कमेटी' नामक एक संस्था काश्मीर राज्य के ख़िलाफ़ देश-व्यापी आन्दोलन करने के लिए बनाई गई है और उसने देशवासियों से अपील की है कि आगामी शुक्रवार को समस्त देश में काश्मीर-दिवस मनाया जाय, जिसमें जुलूस निकलें, सभाएँ हों। ख़बर है कि काश्मीर दरबार और भारत-सरकार में कुछ लिखा-पढ़ी हो रही है।

—कानपुर में राजाराम ज़ालिम नामक एक युवक ने ११ अगस्त को आत्म-हत्या कर ली। कहते हैं कि इसी युवक ने अभी हाल में कानपुर में रमेशचन्द्र दत्त नामक कॉङ्ग्रेस-कार्यकर्ता की हत्या की थी।

—चटगाँव के एक मकान में तलाशी लेकर पुलीस ने १ भरा हुआ रिवॉल्वर, कुछ कारतूस और बम बरामद किया है। ५ युवक भी गिरफ़्तार किए गए थे, मगर बाद में वे छोड़ दिए गए।

—लखनऊ की ख़बर है कि सरकार अगले वर्ष में विनिमय की दर १८ पेन्स में परिवर्तन कर देगी। यह सुराग़ पाकर बड़े-बड़े यूरोपियन सरकारी नौकर अपना-अपना प्रॉविडेण्ट फ़ण्ड निकाल रहे हैं और उन्हें इसकी सुविधा भी दी जा रही है।

—पञ्जाब के गवर्नर पर गोली चलने के मामले के मुख़बिर चामनदाराम के जिरह में यह बयान दिया है कि इस काण्ड के पहिले मेरा विश्वास षड्यन्त्र आन्दोलन से था, परन्तु काण्ड के बाद ही मेरा यह विचार बदल गया और महात्मा गाँधी के विचारों से प्रभावित होकर मैंने षड्यन्त्र दल से सम्बन्ध विच्छेद कर दिया।

—महात्मा जी गोलमेज़ में सम्मिलित होने के लिए लन्दन जायँगे या नहीं, यह अभी तक निश्चित रूप से तय नहीं हुआ है। बम्बई के गवर्नर के जिस जवाब पर महात्मा जी का जाना निर्भर था, वह जवाब ११ अगस्त को एक विशेष सन्देशवाहक द्वारा आ गया। जवाब सन्तोषजनक नहीं है, इसलिए महात्मा जी ने वर्किंग कमेटी की सलाह से यह निश्चय किया है कि उनका लन्दन जाना मुश्किल है। महात्मा जी ने अपना यह निश्चय वाइसरॉय के पास भेज दिया है और अब वाइसरॉय के उत्तर का इन्तज़ार किया जा रहा है। वर्किंग कमेटी के सदस्य भी वाइसरॉय के उत्तर की प्रतीक्षा में अभी बम्बई में ही ठहरे हुए हैं। मालवीय जी से एक पत्र-प्रतिनिधि ने यह प्रश्न किया कि महात्मा जी भी आपके साथ जायँगे या नहीं, इस पर मालवीय जी ने उत्तर दिया कि—"यह प्रश्न बड़ा दुखदाई है।"

—इङ्गलैण्ड के नरम दल वाले समाचार पत्र महात्मा जी को यह सलाह दे रहे हैं कि महात्मा जी को लन्दन चले आना चाहिए और वहीं साम्प्रदायिक प्रश्नों को तय करना चाहिए। 'मैनचेस्टर गार्जियन' ने यह फ़र्माया है कि यदि दोनों जाति के नेता आपस में फ़ैसला न कर सकेंगे, तो ब्रिटिश सरकार इस मामले का फ़ैसला कर देगी।

—हिन्दू महासभा के प्रेसिडेण्ट श्री० विजय राघवाचार्य ने वाइसरॉय के पास तार भेज कर इस बात का तीव्र विरोध किया है कि गोलमेज़ में हिन्दू महासभा के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में नहीं बुलाए गए हैं और विधान-कमेटी, सीमा प्रान्त-कमेटी और सिन्ध-कमेटी में हिन्दुओं के मतों के व्यक्त करने की बिलकुल सुविधा नहीं दी गई है।



महात्मा जी रो पड़े

बम्बई में गत ३ अगस्त को राष्ट्रीय दल के मुसलमानों की जिना-हॉल में एक सभा हो रही थी। यह सुन कर शौकत-दल के मुसलमान बड़ी संख्या में वहाँ पहुँच गए और गड़बड़ मचा कर राष्ट्रीय मुस्लिम नेताओं पर हमला कर दिया। 'बॉम्बे-क्रॉनिकल' पत्र के सम्पादक श्री० ब्रेलवी और श्री० बागला को हलकी और सीमा-प्रान्त के श्री० हकीम अब्दुल जलील को गहरी चोटें आई हैं। इसी दुर्घटना का ज़िक्र करते हुए महात्मा जी बम्बई की अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी की बैठक में रो पड़े। आपने कहा कि कितने दुख की बात है कि एक भाई दूसरे पर हाथ उठाता है और हममें आपस ही में कितनी शत्रुता बढ़ गई है।

—मथुरा ज़िले के कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ता श्री० डोरीलाल को गत ३ अगस्त को एक साल तक के लिए नेकचलनी की ज़मानत देने या एक साल की सज़ा भुगतने का दण्ड दिया गया। श्री० डोरीलाल ने जेल जाना स्वीकार किया और वह जेल भेज दिए गए। गाँधी-इर्विन समझौते के बाद मथुरा ज़िले में अब तक ३६ व्यक्तियों को सज़ाएँ दी जा चुकी हैं और अभी कुछ गिरफ़्तार कार्यकर्ताओं के मुक़दमे फ़ैसल होने को बाक़ी हैं।

काशी-नरेश का स्वर्गवास

बड़े खेद का विषय है कि गत ४ अगस्त को काशी-नरेश महाराज सर प्रभुनारायण सिंह का ७६ वर्ष की अवस्था में स्वर्गवास हो गया। केवल दो दिनों की बीमारी में आपकी इहलीला समाप्त हो गई। मृत्यु के समय तक आपके होश-हवास दुरुस्त थे और आपकी ताक़त भी नहीं घटी थी। आपका जन्म १८५५ ईस्वी में हुआ और सन् १८८९ में आपको राज्याधिकार प्राप्त हुआ। बाद में सन् १९११ में आप 'स्वतन्त्र' नरेश कर दिए गए। स्वर्गीय महाराज बड़े विद्वान, विद्याप्रेमी, मृदु-भाषी, उदारमना थे और आपके शासन-काल में राज्य की बड़ी उन्नति हुई थी। आपके इन्हीं गुणों के कारण काशी की जनता भी आप पर बड़ी भक्ति रखती थी और आपको अपना राजा मानती थी। आपकी मृत्यु के शोक में बनारस की अनेक सार्वजनिक संस्थाएँ और दीवानी तथा फ़ौजदारी अदालतें बन्द थीं।

—'आज' पत्र के सम्पादक पर बर्मा-सम्बन्धी एक लेख के कारण जो १२४-अ के अनुसार मुक़दमा चल रहा था, उसमें उनको १,०००) रु० जुर्माना या जुर्माना न देने पर ६ मास की सज़ा का दण्ड दिया गया है।

—महात्मा जी का 'नवजीवन' प्रेस, जो सरकार द्वारा ज़ब्त कर लिया गया था, अब ५ अगस्त की ख़बर है कि लौटा दिया गया है। सरकार ने गाँधी-इर्विन समझौते के बाद ही मैशीनों को लौटाने की आज्ञा दे दी थी, मगर प्रेस के मैनेजर का यह कहना था कि मैशीनें जिस जगह से ले जाई गई हैं, वहीं पहुँचाई जायँ। बाद में सरकार ने ऐसा ही हुक्म दिया और अब मैशीनें बम्बई से अहमदाबाद लाई जाकर 'नवजीवन' प्रेस में रख दी गई हैं।

—सीतापुर ज़िले के महमूदाबाद और बिलाईहारा रियासत के किसानों के साथ बड़ी सख़्ती की जा रही है। ५० किसानों का दफ़ा १०७ के अनुसार चालान किया गया है, और उनसे ज़मानतें माँगी गई हैं।

बङ्गाल में भीषण बाढ़

बङ्गाल के ब्रह्मपुत्र और जमना नदी में अत्यधिक पानी आने के कारण भयङ्कर बाढ़ आ गई है। सिराजगञ्ज, राजबाड़ी, ढाका मानिकगञ्ज आदि शहर जलमग्न हो गए हैं। फ़सलें नष्ट हो गई हैं और कितने ही जानवर बह गए हैं। लोग पेड़ों और मकान की छतों पर शरण लेकर प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। जूट और धान की फ़सल बिल्कुल नष्ट हो गई है और भारी अकाल की आशङ्का है। सहायता के लिए लोग पीड़ित स्थानों में पहुँच गए हैं। बङ्गाल प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी ने सर पी० सी० राय, सर नीलरतन सरकार, सर हरिशङ्कर पाल, डॉ० विधानचन्द्र राय, श्री० सुभाषचन्द्र बोस, बा० रामानन्द चटर्जी आदि की बाढ़-सहायक कमिटी बना दी है और पीड़ितों की सहायता के लिए देश वासियों के नाम एक अपील निकाली है।

—५वीं अगस्त का समाचार है कि बनारस यूथ-लीग के भूतपूर्व मन्त्री श्री० परमानन्द त्रिवेदी गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। पुलीस कुछ काग़ज़ात भी ले गई है।

—गढ़वाल कॉङ्ग्रेस स्वयंसेवक-दल के अधिनायक श्री० रामप्रसाद नौटियाल को भी एक साल की सज़ा दी गई है और वह इसलिए कि उन्होंने एक साल के लिए नेकचलनी की ज़मानत देने से इन्कार किया था। इस हुक्म के ख़िलाफ़ अपील होने जा रही है।

—पाठकों को स्मरण होगा कि कानपुर में इधर कई डाके पड़े हैं। अभी गत ६ अगस्त को फुटकर कपड़े के बाज़ार में काहू कोठी पर सन्ध्या समय साढ़े पाँच बजे फिर एक डाका पड़ा। दो महीने पहले यहीं पर, इसी प्रकार एक और डाका पड़ चुका है। श्री० चन्द्रिका-प्रसाद रामसरूप की दूकान का बिल वसूल करने वाला सूरजप्रसाद नामक एक चपरासी १,०९५) रु० वसूल कर जा रहा था। इसी बीच में कुछ नवयुवकों ने पिस्तौल लिए हुए चपरासी पर हमला किया। इस पर सुन्दर-सिंह और दीनदयाल नामक दो व्यक्ति डाकुओं पर दौड़ पड़े। डाकुओं में से एक ने इन दोनों व्यक्तियों पर पिस्तौल चलाए, जिससे दोनों बुरी तरह घायल हुए, मगर पिस्तौल चलाने वाला व्यक्ति पकड़ लिया गया। युवक डाकू के पास एक साइकिल भी थी, जिसे और साथ ही रुपयों की थैली को गिरफ़्तार होने के बाद उसने फेंक दिया। शक्ल से डाकू शिक्षित और युवक मालूम होते थे। गिरफ़्तार युवक पुलीस के हवाले कर दिया गया है। इस घटना से आसपास के बाज़ार में बड़ी सनसनी फैल गई और दूकानें बन्द हो गईं। पुलीस तफ़तीश कर रही है। कहा जाता है कि अभियुक्त ने तीन फ़ायर किए थे और बड़ी मुश्किलों से वह गिरफ़्तार किया जा सका था।

—ख़बर है कि युक्त प्रान्तीय सरकार के अर्थ-सदस्य सर जॉर्ज लैम्बर्ट छुट्टी की अवधि समाप्त होने पर आसाम के गवर्नर नियुक्त किए जायँगे। परन्तु इस ख़बर की सरकारी तौर पर पुष्टि नहीं हुई है।

—सिकन्दराबाद (पञ्जाब) में जो हिन्दू-मुस्लिम दङ्गा हो गया था, उसमें ८७ व्यक्तियों पर मुक़दमा चलाया गया है और मुक़दमे की कार्यवाही ७ अगस्त से शुरू हो गई है। ८७ व्यक्तियों में ८१ मुसलमान और ६ हिन्दू हैं।

पञ्जाब देशी राज्य-प्रजा-सम्मेलन बनाम डिप्टी कमिश्नर

डिप्टी कमिश्नर ने मुँह की खाई: छुट्टी लेकर जाना पड़ा

विगत सप्ताह में शिमले में पञ्जाब देशी राज्य-प्रजा-सम्मेलन के अवसर पर वहाँ के डिप्टी कमिश्नर कर्नल क्राप ने जो धींगाधींगी कर प्रमुख सिख-नेता सरदार शार्दूलसिंह को घोर अपमान के साथ गिरफ़्तार किया था, उसका विस्तृत समाचार 'भविष्य' के पिछले अङ्क में हमने दिया था। उस धींगाधींगी के लिए मि० क्राप की काफ़ी पूजा हो गई और उन्हें एकदम साल भर की छुट्टी लेकर रुख़सत होना पड़ा। गिरफ़्तारी के बाद ज़मानत पर छूटने पर सरदार शार्दूलसिंह जी कर्नल क्राप पर मुक़दमा चलाने की तैयारी कर रहे थे और दूसरी ओर सरदार साहब पर भी मुक़दमा चलने वाला था। परन्तु अब ख़बर आई है और सरकारी सूचना निकाल कर उसकी पुष्टि भी की गई है कि कर्नल क्राप को १२ महीने की छुट्टी दे दी गई है। यह भी ख़बर है कि सरदार साहब पर जो मुक़दमा चलने वाला था, वह भी उठा लिया जायगा।

चटगाँव शस्त्रागार के हमले का मामला

१६ अभियुक्तों की ओर से कोई वकील ही नहीं

चटगाँव के हथियारख़ाने पर हमला होने के सम्बन्ध में अनेक अभियुक्तों पर जो मुक़दमा चल रहा है, उनमें १६ अभियुक्तों की ओर से लड़ने वाला कोई वकील ही नहीं रह गया है। अभियुक्तों के मेहनताना देने में असमर्थ होने के कारण उनकी ओर के प्रधान वकील ने वकालत करने से इन्कार कर दिया है। इस पर अन्य छोटे वकीलों ने भी यह कह कर पैरवी करना छोड़ दिया है कि जब प्रधान वकील ही नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकेंगे।

—आन्ध्र प्रान्त मद्रास से अलग कर दिया जाय, इस बात पर ज़ोर देने के लिए कुछ प्रमुख आन्ध्र-निवासियों का एक डेपुटेशन गत ६ अगस्त को बम्बई में महात्मा जी से मिला था।

—कानपुर के 'प्रताप' पत्र के सम्पादक श्री० बालकृष्ण शर्मा पर राजद्रोह का जो अभियोग लगाया गया था, उसका मुक़दमा चल रहा है। अगली पेशी २४ अगस्त को होगी।

—प्रयाग में ४ आदमियों को हत्या करने के कारण सिक्का-केस वाले अब्दुल अज़ीज़ को गत ७ अगस्त को मलाका जेल में, ख़बर है, फाँसी दे दी गई।

—मुलतान के निकट चिनाब नदी के किनारे सिक्खों और मुसलमानों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक सिक्ख मरा और दो ज़ख़्मी हुए।

—गत ६ अगस्त को सीमा-प्रान्त में क़ादाम से तीन मील की दूरी पर साँगो गाँव के पास क़ाज़ी नामक प्रसिद्ध डाकू के दल पर गाँव वालों ने हमला किया। २ आदमियों को मार डाला और तीन पिस्तौल, २ राइफ़लें, १ दो-नली बन्दूक़ तथा नक़द माल छीन लिया। इसी रास्ते से श्री० देवदास गाँधी की मोटर कुछ ही मिनट पहिले गुज़री थी।

मुसलमानों के धर्म-गुरुओं का निश्चय

संयुक्त निर्वाचन ही रहना चाहिए

भारतीय मुसलमानों के धर्म-गुरुओं की मण्डली जमायत-उल-उलेमा की कार्यकारिणी कमिटी की बैठक ५ और ६ अगस्त को सहारनपुर में हुई और देश की तथा मुसलमानों की समस्याओं पर उसने अपने विचार प्रकट किए। हिन्दू-मुस्लिम प्रश्नों में सब से महत्वपूर्ण मसले निर्वाचन के सम्बन्ध में जमायत ने अत्यन्त उचित और देशभक्तिपूर्ण निश्चय किया है और वह यह कि निर्वाचन संयुक्त ही होना चाहिए। अन्य प्रश्नों के सम्बन्ध में उसने निश्चय किए हैं कि धर्म, शिक्षा, उपासना के स्थान, भाषा, लिपि आदि बातों में तथा इस्लाम के व्यक्तिगत क़ानून में सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार न रहेगा। अल्पसंख्यक जातियों के राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की सुनवाई के लिए एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जाय, जिसमें सभी जातियों के निर्णायक होंगे और कोर्ट के निर्णय की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। सीमा-प्रान्त को अन्य प्रान्तों की भाँति शासन-अधिकार दिया जाय और सिन्ध प्रान्त बम्बई से अलग कर दिया जाय।

काश्मीर में मुसलमानों का उपद्रव

पाठकों को ज्ञात होगा कि काश्मीर राज्य में मुसलमानों की आबादी ६० फ़ी सदी है। अभी तक वहाँ की मुस्लिम प्रजा काश्मीर-नरेश महाराज सर हरीसिंह के शासन से बड़ी प्रसन्न थी और उसे मुसलमानी राज्य से भी अधिक हिन्दू-राज्य में आराम था। परन्तु जब से ब्रिटिश भारत के कुछ सम्प्रदायवादी मौलानाओं के चरण वहाँ पड़े हैं, वहाँ मुसलमानों में साम्प्रदायिकता का रोग फैल गया है। इधर कुछ दिनों से वहाँ के कुछ मुसलमान साम्प्रदायिक वैमनस्य को बढ़ाने वाली वक्तृताएँ दे रहे थे। इस रोग को बढ़ते देख, उसे रोकने के लिए राज्य की ओर से प्रयत्न होने लगा और एक मुसलमान इस अपराध में गिरफ़्तार भी किया गया। उसका गिरफ़्तार करना था कि काश्मीर के मुसलमान भड़क उठे और हज़ारों की संख्या में जेल पहुँच, कर उसे छुड़ाने के लिए जेल पर हमला कर दिया। तार काट डाले, पहरेदारों के घर जला दिए। राज्य की ओर से भीड़ के न हटने पर चेतावनी देने के बाद गोली चलाई गई, जिसमें ६ आदमी मरे और बहुत से ज़ख़्मी हुए। २२६ आदमी गिरफ़्तार भी किए गए, मगर बाद में सुबूत न मिलने के कारण २१७ छोड़ दिए गए। जेल से हटाए जाने के बाद मुसलमानों ने श्रीनगर शहर में हिन्दुओं पर हमला करना, दूकानें लूटना, आग लगाना शुरू कर दिया। शहर ही नहीं, देहातों में भी हिन्दुओं पर बहुत ज़ुल्म किए गए और वे ज़बर्दस्ती मुसलमान बनाए गए।

झगड़े के बाद महाराज ने उपद्रव की जाँच के लिए प्रतिष्ठित मुसलमानों और हिन्दुओं की एक जाँच-कमिटी बैठा दी है और पूरे न्याय के साथ राज्य की ओर से कार्यवाही हो रही है। इस प्रकार की निष्पक्षतापूर्ण कार्यवाही करने के बाद भी ब्रिटिश भारत के मुसलमान काश्मीर-नरेश के ख़िलाफ़ द्वेषपूर्ण आन्दोलन कर रहे हैं और स्थान-स्थान पर सभाएँ कर महाराज के ख़िलाफ़ ज़हर उगल रहे हैं। साथ ही महाराज को अधिक से अधिक नुक़सान पहुँचाने के लिए चालें चली जा रही हैं। मुसलमानों के इस कार्य में अध-गोरे और विलायती अख़बार ख़ूब मदद पहुँचा रहे हैं।

—भारत-सरकार के लॉ-मेम्बर के पद का भार सर सी० पी० रामस्वामी अय्यर ने गत ८ अगस्त को ग्रहण कर लिया।

'भविष्य'-सम्पादक का मामला

११वीं अगस्त को स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अदालत में उस मामले की पेशी हुई, जिसमें 'चाँद' तथा 'भविष्य' के भूतपूर्व सम्पादक श्री० पं० भुवनेश्वरनाथ मिश्र, एम० ए० पर 'राजविद्रोह' का अभियोग चल रहा है। आज इस मामले की बहस होने वाली थी, किन्तु मिश्र जी ने अपनी ओर से एक लिखित बयान पेश किया, जिसके फल-स्वरूप इस मामले की आगामी पेशी २१वीं अगस्त को निश्चित हुई है। मिश्र जी का कहना है कि अपना यह बयान उन्होंने बिहार के सुप्रसिद्ध नेता बाबू राजेन्द्रप्रसाद जी के आदेशानुसार दिया है। अगली पेशी के बाद हम इस सम्बन्ध में विस्तृत रूप से लिखने की चेष्टा करेंगे।

वालण्टियरों पर गुण्डों के ज़ुल्म

२४ घण्टे तक भोजन नहीं करने दिया

अलीगढ़ ज़िले में छर्रा नामक स्थान पर कॉङ्ग्रेस-वालण्टियरों के साथ गुण्डों ने बड़ा ज़ुल्म किया। अलीगढ़ ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के मन्त्री श्री० तोताराम राठी का कहना है कि वालण्टियरों के चूल्हों को घेर कर गुण्डे खड़े रहे और उन्हें २४ घण्टे तक भोजन नहीं करने दिया। मदन नामक ११ वर्षीय बालक को, जो बाल-भारत-सभा का मन्त्री है, मीटिङ्ग में बोलते हुए एक गुण्डे ने धक्का देकर चौकी पर गिरा दिया।

इन ज़ुल्मों के विरुद्ध अलीगढ़ में सार्वजनिक सभा भी हुई।

जेल में वकील पर हमला

अफ़सरों पर वकील साहब का १५ हज़ार का दावा

सिवनी (मध्य-प्रान्त) में प्रसिद्ध वकील और कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ता पं० रविशङ्कर शुक्ल ने सिवनी के डिप्टी कमिश्नर मि० सी० के० सीमैन और जबलपुर के इक्स्ट्रा असिस्टेण्ट कमिश्नर मि० आर० एन० पण्डरकर पर १२ हज़ार रुपए के हर्जाने का दावा किया है। कहते हैं कि सत्याग्रह आन्दोलन के समय पं० रविशङ्कर सिवनी-जेल में जिस समय सज़ा भुगत रहे थे, उस वक़्त उक्त अफ़सरों ने अँगूठे का निशान लगवाने के लिए उन पर ११ चपरासियों की मदद से आक्रमण किया था।

—कलकत्ते में माखनलाल चक्रवर्ती नामक एक युवक मुसलमान हो गया। उसने पुलीस की अदालत में यह दरख़्वास्त दी है कि मैं अपनी राज़ी से इस्लाम-धर्म ग्रहण कर रहा हूँ।

—सिन्ध प्रान्तीय हिन्दू-सभा की ओर से तीन सदस्यों का एक डेपुटेशन इङ्गलैण्ड भेजा जा रहा है। डेपुटेशन वहाँ जाकर इस बात का आन्दोलन करेगा कि सिन्ध बम्बई से अलग न किया जाय।

१० अफ़सर मारे गए और ४०० ज़ख़्मी

४५४ व्यक्ति बङ्गाल ऑर्डिनेन्स के शिकार!

बङ्गाल पुलीस की पिछले वर्ष सन् १९३० की शासन-रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। उसमें बतलाया गया है कि इस साल भर में १० पुलीस अफ़सरों की हत्या की गई और ४०० ज़ख़्मी किए गए; ६ व्यक्तियों पर गोलियाँ चलाई गईं और २ पर बम फेंके गए। बङ्गाल ऑर्डिनेन्स कितनों पर लागू हुआ है, इस सम्बन्ध में यह बतलाया गया है कि ४५४ आदमी इस ऑर्डिनेन्स के अनुसार गिरफ़्तार किए गए हैं।

—लाहौर का ७वीं अगस्त का समाचार है कि रावलपिण्डी के एडिशनल ज़िला मैजिस्ट्रेट ने आल इण्डिया नौजवान भारत-सभा के मन्त्री श्री० रामचन्द्र को राजद्रोहात्मक व्याख्यान देने के अभियोग में २ साल की सख़्त सज़ा और २००) जुर्माने का दण्ड दिया है।

अकोला में हिन्दू-महासभा का अधिवेशन

प्रेज़ीडेण्ट के जुलूस पर मुसलमानों का हमला

हिन्दू-महासभा का तेरहवाँ अधिवेशन ८, ९ और १० अगस्त को अकोला में श्री० सी० विजयराघवाचार्य की अध्यक्षता में धूमधाम से हुआ। ७ अगस्त को शहर में प्रेज़िडेण्ट का जुलूस बड़ी शान से निकला। जुलूस जब कच्ची मस्जिद के पास पहुँचा, तो मस्जिद के अन्दर से कुछ मुसलमानों ने निकल कर बाजा बन्द कर देने को कहा। मगर जब बाजा बन्द नहीं हुआ, तो जुलूस पर पत्थर फेंके गए। प्रेज़ीडेण्ट तो बच गए, परन्तु कुछ अन्य लोगों को और दो वालण्टियरों को हलकी चोटें आईं। इसी बीच में पुलीस आ गई और उसने मुसलमानों को मस्जिद के अन्दर करके जुलूस को आगे बढ़ाया और जुलूस महासभा के स्वागताध्यक्ष रावबहादुर महाजनी के निवास-स्थान पर जाकर समाप्त हुआ।

८ अगस्त को अधिवेशन आरम्भ हुआ। देश के सभी प्रान्तों से ८०० प्रतिनिधिगण पधारे थे। प्रमुख सज्जनों में मालवीय जी, डॉ० मुञ्जे, नैपाल के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री के सुपुत्र प्रिन्स हेम शमशेरजङ्ग बहादुर, राजा लक्ष्मणराव भोंसले, श्री० सावरकर, पं० बजरङ्गदत्त शर्मा, श्री० शितोले, बम्बई के बाबा साहब सावरकर, डॉ० हार्डीकर, श्री० जगतनारायण लाल, रत्नागिरि के डॉ० भिण्डे, मैसोर के स्वामी भूसूरकर, महाराज पं० गौरीशङ्कर मिश्र आदि थे। ईश-प्रार्थना के बाद स्वागताध्यक्ष का भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने देश की और हिन्दुओं की समस्याओं पर उत्कृष्ट विचार प्रकट किए। स्वागताध्यक्ष के बाद प्रेज़ीडेण्ट की सारगर्भित और विद्वत्तापूर्ण वक्तृता हुई। प्रेज़ीडेण्ट के व्याख्यान के बाद महाराज नैपाल, महाराज काश्मीर, श्री० केलकर, राजा सर रामपाल सिंह, श्री० रामानन्द चटर्जी, महात्मा नारायण स्वामी, सेठ जुगलकिशोर बिड़ला आदि के सहानुभूति के सन्देश पढ़े गए।

रविवार के महासभा के अधिवेशन में ३२ प्रस्ताव पास हुए, जिनमें मुख्य ये हैं:—

कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमेटी द्वारा किए गए साम्प्रदायिक हल को अस्वीकार किया गया, गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में हिन्दुओं के काफ़ी प्रतिनिधि न रखने का विरोध किया गया, काश्मीर के सम्बन्ध में मुसलमानों द्वारा किए जाने वाले आन्दोलन की निन्दा की गई, जूनागढ़ रियासत में हिन्दुओं की हत्या पर रोष प्रकट किया गया, कानपुर के दङ्गे और अधिकारियों की नीति पर दुख प्रकट किया गया, हिन्दुओं से हिन्दू-महासभा का क्रियात्मक कार्यक्रम पूरा करने को कहा गया और बैरिस्टर सावरकर को छोड़ देने के लिए सरकार से कहा गया।

अन्त में नए वर्ष के लिए कार्यकारिणी कमेटी का चुनाव हुआ, जिसमें डॉ० मुञ्जे कार्यकारी प्रेसीडेण्ट और बाबू जगतनारायणलाल प्रधान मन्त्री चुने गए।

—झाँसी का ७वीं अगस्त का समाचार है कि कॉङ्ग्रेस कमिटी के उप-सभापति पं० रामेश्वरप्रसाद १०८ धारा के अनुसार किसान कॉन्फ्रेन्स में व्याख्यान देने के अभियोग में पकड़ लिए गए। ज़मानत पर छुटे हैं। मामला पेशी में है।

—लाहौर का ७वीं अगस्त का समाचार है कि श्री० सुखदेवराज का अच्छे क़ैदियों के साथ रहने के लिए दिया हुआ प्रार्थना-पत्र नामञ्ज़ूर हो गया। वे अब तृतीय श्रेणी के तीन अपराधियों के साथ हैं। न्यायाधीश ने बतलाया है कि श्री० सुखदेवराज के साथ जो व्यवहार किया जाता है, वह न्यायानुकूल है और जेल के नियमों के विरुद्ध भी नहीं है।

युक्त-प्रान्त के किसान

सरकारी जाँच-कमिटी नियुक्त हो गई

युक्त-प्रान्त में किसानों द्वारा लगान वसूल होने के प्रश्न की जाँच करने के लिए प्रान्तीय कौन्सिल के २२ जुलाई के प्रस्ताव के अनुसार सरकार की ओर से सरकारी और ग़ैर-सरकारी सदस्यों की एक कमिटी नियुक्त कर दी गई है। कमिटी में ये लोग रक्खे गए हैं:—

मि० कीन, आई० सी० एस० (अध्यक्ष); रायसाहब लाला आनन्दस्वरूप, ठा० बलवन्तसिंह गहलोत, मि० ब्रजनन्दनलाल बैरिस्टर, राजा जगन्नाथबख़्श सिंह, मौ० मोहम्मदअली, शेख़ मोहम्मद हबीबुल्ला, हाफ़िज़ मोहम्मद इब्राहीम, नवाब मोहम्मद जमशेदअली ख़ाँ, ख़ाँ बहादुर मौलवी मोहम्मद ओबइदुर-रहमान ख़ाँ, राय राजेश्वरीप्रसाद, रायसाहब बाबू रामचरण, ठा० रामपालसिंह, मि० के० एन० नाक्स और मि० जी० एम० हारपर (मन्त्री)।

—बम्बई में एक पारसी की विदेशी शराब की दूकान पर गत १० अगस्त को स्वयंसेविकाएँ धरना दे रही थीं। दूकान पर थोड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिससे दूकानदार बहुत नाराज़ हुआ। कुछ लोग एकत्र हो गए, साथ ही पारसी भी अधिक संख्या में जमा हुए। वितण्डावाद होने पर आपस में झगड़ा हो गया, जिसमें ४ आदमी ज़ख़्मी हुए। इसी झगड़े में दोनों स्वयंसेविकाओं को भी चोट आई है।

गवर्नर पर हमले का मामला

पूना में सब-डिविज़नल मैजिस्ट्रेट के इजलास में बम्बई के स्थानापन्न गवर्नर पर किए गए हमले का मामला गत ८ अगस्त को पेश हुआ। अस्त्र-आईन की धारा ३०७ का अभियोग अभियुक्त पर लगाया गया। कॉलेज के प्रिन्सिपल महाजनी ने बयान दिया कि कॉलेज की ओर से निमन्त्रण-पत्र गवर्नर और उनकी श्रीमती के पास फ़रगुसन कॉलेज के निरीक्षण के लिए भेजा गया था। गवर्नर के शरीर-रक्षक कप्तान पीटो ने कहा कि मैंने पहिले फ़ायर के बाद गवर्नर के पीछे दो मनुष्यों को देखा, जिससे मैं अभियुक्त को पहिचान न सका। कुछ क्षण के बाद पुनः फ़ायर किया गया और मैंने गवर्नर को आगे कूदते हुए देखा। मैंने झट अभियुक्त के गले के सामने तलवार कर उसे फ़ायर करने से रोका। बाद में अभियुक्त की जाँच की गई, उसके पास गवर्नर की तस्वीर और एक दूसरी भरी हुई पिस्तौल थी। मामला दूसरे दिन के लिए स्थगित हुआ। दूसरे दिन पाँच और गवाहों का बयान लिया गया। मि० आर० एस० पारके सहायक लाइब्रेरियन ने अपनी गवाही में सारी घटना आद्योपान्त कह सुनाई। कॉलेज के रेक्टर प्रोफ़ेसर एन० जी० दामले ने कहा कि मैं तलाशी के समय पञ्च था। उन्होंने अभियुक्त के घर से निकाली गई चीज़ों की शनाख़्त की। उनमें मुसोलिनी की किताब फ़ैसिज़्म, लाला लाजपतराय की पुस्तकें, पिस्तौल की २८ गोलियाँ, रिक्त कारतूस, भगतसिंह, दत्त और राजगुरु की तस्वीरें मिली थीं। इसके बाद मुक़दमा दूसरे दिन के लिए स्थगित हुआ।

बर्मा की कथा

बर्मा का ९वीं अगस्त का समाचार है कि १ली अगस्त तक बर्मा की स्थिति नहीं सुधरी थी। प्रोम, थारावड्डी तथा इनसीन ज़िलों में क्रमशः १५००, १५० और दो आदमियों ने आत्म-समर्पण किया है। पाँगी वालों में यद्यपि कि असफलता है, किन्तु उनकी संख्या बढ़ती जाती है। कभी-कभी हिन्दुस्तानी तथा चीन वालों पर आक्रमण हो जाया करता है। १६३ क़ैदी मुक्त कर दिए गए हैं, किन्तु अभी ९७४ आदमी जेलों के भीतर हैं।

हिंसात्मक क्रान्ति की लहर

शाहदरा बम-केस

—शाहदरा का ९वीं अगस्त का समाचार है कि श्री० डी० आर० बुधवार ने शाहदरा बम-केस के अभियुक्त श्री० हंसराज और श्री० सरदार हीरासिंह के विरुद्ध अभियोग लगा दिया है। कुछ सबूत के गवाहों के जिरह के बाद १७ अगस्त के लिए मामला स्थगित हुआ।

प्रयाग के पोस्ट-ऑफ़िस पर बम

प्रयाग में गत १० अगस्त को प्रातःकाल हिम-कल्याण पोस्ट-ऑफ़िस पर किसी आदमी ने बम फेंका। बम से दरवाज़ा उखड़ गया, पानी का नल फट भी गया और एक लड़का, जो बरामदे में सो रहा था, ज़ख़्मी हुआ। लड़का अस्पताल पहुँचाया गया और उसकी दशा चिन्ताजनक नहीं है।

बम क्यों चलाया गया, इसका पता नहीं लगा। कहते हैं कि पोस्ट ऑफ़िस लूटने का इरादा नहीं समझा जा सकता, क्योंकि छोटे पोस्ट ऑफ़िस में रुपए नहीं रक्खे जाते। कुछ पुलीस अफ़सरों का ख़याल है कि कदाचित किसी षड्यन्त्रकारी ने यह बम, यह जतलाने के लिए फेंका हो कि इलाहाबाद में भी षड्यन्त्रकारी लोग हैं। सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलीस और शहर कोतवाल घटनास्थल पर पहुँचे थे और कोतवाली के इन-चार्ज ठा० बहादुरसिंह तफ़तीश कर रहे हैं। ख़बर है कि यदि पुलीस को यह शक हुआ कि यह किसी षड्यन्त्रकारी का काम है, तो यह मामला सी० आई० डी० के हाथों में सौंपा जायगा।

—पटना का ७वीं अगस्त का समाचार है कि बम फटने के कारण घायल होने वाले रामबाबू की मृत्यु हो गई। डॉक्टरी परीक्षा के बाद लाश घर वालों को दे दी गई। और उसका दाह-संस्कार कर दिया गया।

पटना बम-केस

पटना का ७वीं अगस्त का समाचार है कि मि० आर० जगमोहन की अदालत में पटना बम-केस के अभियुक्त श्री० सूरजनाथ चौबे की जाँच पुनः आरम्भ हुई। सब-इन्स्पेक्टर मि० सालिग्राम ने कहा कि अभियुक्त को मैंने गिरफ़्तार पाया। मैं घटनास्थल पर उपस्थित न था। मैंने कुछ चीज़ों और दो बम की, जो अभियुक्त के पास मिले थे, सूची बनाई। डॉ० एम० के० मित्र की सफ़ाई हुई और उन्होंने बयान किया कि मैंने बम की परीक्षा की है, जिसमें विस्फोटक पदार्थ—गन्धक, शीशे आदि शामिल थे। उन्होंने यह भी कहा कि बम ज़ोर से कठोर स्थान पर ही फेंकने से फट सकता था। श्रीयुत हज़ारीलाल की उपस्थिति में, जो आजकल बीमार हैं, ये सारी कार्यवाही हुई।

खीरी-षड्यन्त्र का मामला

३ अभियुक्त छोड़ दिए गए : ६ को सज़ा

खीरी बम षड्यन्त्र के मामले का फ़ैसला गत ५ अगस्त को सुना दिया गया। ९ अभियुक्तों में से साधूराम, रामस्वरूप और चिरौंजी छोड़ दिए गए और शेष सबों को विस्फोटक ऐक्ट की धारा ४ और ५ के अनुसार सज़ाएँ दे दी गईं। जगदम्बाप्रसाद और बलभद्रसिंह को ६ और ३ वर्ष की, दाताराम और प्रयागदत्त को ४ और २ वर्ष की और श्रीधर तथा श्रीराम को २ और १ साल की कड़ी क़ैद की सज़ाएँ दी गई हैं।

—सूरी का ७वीं अगस्त का समाचार है कि अघोरचन्द्र डॉक्टर का ८ फ़ायर वाला पिस्तौल १० गोलियों के साथ उनके घर से चोरी हो गया है।

हथियारों के पार्सल मिले

चटगाँव का ७वीं अगस्त का समाचार है कि स्थानीय स्टेशन पर थानेदार ने एक पार्सल बरामद किया है, जिसमें ५ कारतूस कुछ बारूद तथा सन्देहजनक पत्र था।

चटगाँव में रिवॉल्वर और कारतूस बरामद

चटगाँव का १०वीं अगस्त का समाचार है कि पुलीस को तलाशी करते समय एक रिवॉल्वर और एक बम मिला है। इस सम्बन्ध में ५ आदमी गिरफ़्तार करके थाने पर पहुँचाए गए, परन्तु कुछ देर के बाद मुक्त कर दिए गए।

—पटना का ७वीं अगस्त का समाचार है कि श्री० [illegible] बाबू बोस, जो काँकरबाग़ हत्या के अभियोग में पकड़े गए थे, पुनः पकड़े गए हैं और अपनी नेकचलनी के लिए धारा ११० के अनुसार बन्धक-पत्र लिखने के लिए सिटी मैजिस्ट्रेट के सामने लाए गए। श्री० रामचन्द्र जी, जो इस शहर के बम के अभियोग में पकड़े गए थे, कपड़े की दूकान के अतिरिक्त पुलीस ने कई जगह तलाशी ली।

लाहौर षड्यन्त्र के मामले के विचाराधीन अभियुक्तों ने ६ अगस्त से जेल-दुर्व्यवहार के कारण अनशन आरम्भ कर दिया है। श्री० सुखदेवराज भी हड़ताल करने वालों में सम्मिलित हैं।

❀ ❀ ❀

फाँसी का दृश्य देखने वाले में किन गुणों की आवश्यकता है ?

(१२वें पृष्ठ का शेषांश)

इस पत्र के उत्तर में श्री० सहगल जी ने डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट को लिखा है कि मुझे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को विश्वास दिलाने में कोई एतराज़ नहीं है, यदि आप यह बतलाने की कृपा करें कि फाँसी का दृश्य देखने वाले के लिए किन-किन ख़ूबियों की ज़रूरत है और उसमें क्या-क्या गुण होने चाहिएँ ? सहगल जी के पत्र की नक़ल यह है:—

7th August, 1931

Dear Sir,

Your letter of the 6th inst. cancellng the permission to see the hanging this morning and asking me to satisfy the District Magistrate if I am a suitable person to whom you can be advised to give permission.

Before I move the District Magistrate in the matter I shal feel obliged if you could kindly indicate the qualifications which a person should possess before he can be permitted to see a person hanged.

An early reply is requested.

Very truly yours,

(Sd.) R. SAIGAL

यह पत्र यहाँ से छठी अगस्त को भेजा गया था; किन्तु आज तक इसका कोई उत्तर नहीं मिला है।

क्या यह घटना स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कलुषित एवं निन्दनीय मनोवृत्ति की परिचायक नहीं है, आज यह संस्था तथा सहगल जी जिसके शिकार हो रहे हैं !

❀ ❀

कॉङ्ग्रेस बनाम हिंसावाद

बम्बई के नौजवानों में असन्तोष की भीषण ज्वाला!

खुले-आम "महात्मा गाँधी तथा गोलमेज़ का नाश हो" के नारे लगाए गए!

[बम्बई में इस सप्ताह अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी की महत्वपूर्ण बैठकें हुई थीं और उसमें देश की वर्तमान स्थिति और गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में कॉङ्ग्रेस की ओर से प्रतिनिधि-स्वरूप महात्मा जी के इङ्गलैण्ड जाने के प्रश्न पर विचार हुआ था। इसी दौरान में कमिटी ने पिछले दिनों बम्बई के स्थानापन्न गवर्नर पर किए गए हत्याकारी आक्रमण और अलीपुर के जज मि० गार्लिक की हत्या का ज़िक्र करते हुए हिंसा की निन्दा का एक प्रस्ताव पास किया है। उक्त प्रस्ताव, उसमें उपस्थित किए गए अनेक संशोधन और उसके सम्बन्ध में जो बहस हुई है, उसे अपने पाठकों की जानकारी के लिए हम यहाँ विस्तार के साथ प्रकाशित कर रहे हैं।

—सं० 'भविष्य']

प्रस्ताव की नक़ल

प्रस्ताव को स्वयं महात्मा जी ने पेश किया था और वह इस प्रकार है :—

"अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी बम्बई के स्थानापन्न गवर्नर सर अर्नेस्ट हटसन पर किए गए हत्याकारी आक्रमण तथा बङ्गाल के मि० गार्लिक की की गई हत्या पर खेद प्रकट करती है।

"सभी राजनीतिक हत्याओं की निन्दा करते हुए अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी बम्बई के स्थानापन्न गवर्नर सर अर्नेस्ट हटसन पर किए गए हत्याकारी आक्रमण को अधिक निन्दनीय समझती है, क्योंकि यह कार्य उस कॉलेज के एक विद्यार्थी का था, जिसने कि स्थानापन्न गवर्नर को सम्मानित अतिथि के रूप में आमन्त्रित किया था।

"अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी उन लोगों को सचेत करती है, जो गुप्त या प्रकट रूप से ऐसी हत्याओं का समर्थन करते हैं या उत्तेजित करते हैं, कि वे देश की उन्नति में बाधा पहुँचाते हैं।

"अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी, कॉङ्ग्रेस की सभी संस्थाओं को आदेश करती है कि वे समस्त सार्वजनिक हिंसा के कार्यों के विरुद्ध, चाहे उनके लिए उत्तेजना भी दी जाय, विशेष रूप से प्रचार करें।

"इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी समस्त राष्ट्रीय समाचार-पत्रों से अपील करती है कि वे इस सम्बन्ध में अपना समस्त प्रभाव डालें।"

महात्मा जी की वक्तृता

उपर्युक्त प्रस्ताव को पेश करते हुए महात्मा जी ने बड़ी लम्बी और बड़ी ज़बरदस्त वक्तृता दी। कहते हैं कि इतनी लम्बी वक्तृता महात्मा जी ने पिछले कई वर्षों से नहीं दी थी। उन्होंने अहिंसा में अपना अटल विश्वास और भी दृढ़ किया और हिंसात्मक कार्यों की निन्दा करते हुए उन्हें स्वराज्य प्राप्त होने में बाधक बतलाया। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव में मैंने जो अपने भाव प्रकट किए हैं, उनसे कहीं अधिक भाव मेरे हृदय में भरे हुए हैं।......यह प्रस्ताव हमें अपने आप, अङ्गरेज़ों अथवा संसार को धोखा देने के लिए नहीं लाया गया है, वरन् वह लाया इसलिए गया है कि हम यह घोषित कर दें कि कॉङ्ग्रेस का ध्येय क्या है। कॉङ्ग्रेस अहिंसात्मक और शान्तिपूर्ण उपायों से पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना चाहती है। हमने शान्ति, सत्यता और न्यायोचित मार्ग का अवलम्बन निश्चित किया है, और जब तक हम उस मार्ग में विश्वास करते हैं तथा संसार को भी जब तक यह विश्वास है कि हमारा वही मार्ग है, उस समय तक हम इसके लिए बाध्य हैं कि हम मनसा, वाचा और कर्मणा से उस पर दृढ़ रहें। साथ ही हमारा यह भी धर्म हो जाता है कि जो लोग हिंसा पर आरूढ़ हों, उन्हें हम रोकें और उन पर विजय प्राप्त करें। सन् १९२० में जब कॉङ्ग्रेस ने अहिंसा को अपना ध्येय स्वीकार किया था, उस समय यह दलील पेश की गई थी कि ग़ैर-कॉङ्ग्रेसी लोग जो कुछ करते हैं, उसकी चिन्ता कॉङ्ग्रेसवादी क्यों करें? साथ ही यह भी कहा गया था कि कॉङ्ग्रेस जब अपने मार्ग पर जाती है, तो दूसरों को, जो वे चाहते हैं, क्यों न करने दिया जाय? इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया था कि यदि कॉङ्ग्रेस अहिंसा का अनुसरण विरोधियों द्वारा होने वाली हिंसा के मुक़ाबले में भी करना चाहती है, तो कॉङ्ग्रेस को दूसरों को भी ऐसी ही सलाह देने का कोई अधिकार नहीं है। जिस समय से यह वाद-विवाद चला है, उसी वक़्त से अब तक मेरा उत्तर यही रहा है कि कॉङ्ग्रेस भारत की प्रतिनिधि होने और भारत की ओर से बोलने का दावा करती है, और हमारी लड़ाई प्रत्येक भारतीय—चाहे वह हिन्दू, मुसलमान, पारसी या ईसाई कोई भी हो—की भलाई के लिए लड़ी जाती है। हम उनके ऊपर अपने प्रभुत्व का और उनकी ओर से बोलने का दावा करते हैं और हमारी लड़ाई केवल कॉङ्ग्रेसवादियों के ही लिए नहीं है। यदि स्थिति यही होती, तो हमारा कार्य और भी सरल हो जाता। पिछले वर्ष जब हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, तो समस्त देश का सहारा हमें प्राप्त था। जिन लोगों ने स्वातन्त्र्य संग्राम में भाग लिया था, वे सभी कॉङ्ग्रेसवादी नहीं थे।......सरकार ने भी कॉङ्ग्रेस की शक्ति को स्वीकार किया है, इसलिए नहीं कि कॉङ्ग्रेसवादी हज़ारों की संख्या में थे, बल्कि इसलिए कि उसने कॉङ्ग्रेस की शक्ति का अन्दाज़ा लगा लिया था, क्योंकि वह जानती थी कि जनता कॉङ्ग्रेस के साथ है।......जो लोग हिंसा करते हैं, याद रखिए, वे भी हमारे भाई हैं और हमारा यह धर्म है कि हम उन्हें हिंसा करने से रोकें। जब हम उनके प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं, तो जो कुछ वे करते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी भी हमें स्वीकार करनी चाहिए। सन् १९२१ में मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि हम ग़ैर-कॉङ्ग्रेसियों के कार्यों के लिए भी उत्तरदायी रहेंगे। और आप जानते हैं कि एक या दो बार मैंने इसी कारण से अपना कार्य स्थगित भी कर दिया था। मेरा कहना है



कशमकश

कि इस प्रकार कार्यों को स्थगित कर देने से हमारे आन्दोलन को नुक़सान नहीं पहुँचा, वरन् उससे हमें लाभ ही हुआ है।...पिछले अवसरों पर हमने जब हिंसा की निन्दा की, हमने नौजवानों के त्याग के भाव की प्रशंसा भी की, परन्तु मुझे भय है कि हमने उस पर अत्यधिक ज़ोर दिया। कराची में जब हमने भगतसिंह और उनके साथियों के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया था, उस समय हम सीमा के पास तक पहुँच गए थे। उस समय जब मैंने वह प्रस्ताव पेश किया था, मैंने उन्हें फाँसी से बचाने का भरसक प्रयत्न किया था और यही कारण था कि हमने उस प्रस्ताव को इस विश्वास में पास किया था कि उससे युवक-समुदाय पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। परन्तु मैं अपने प्रयत्न में असफल रहा। मुझे युवकों की बढ़ी हुई शक्ति का पता नहीं है, पर उसका दुरुपयोग हो रहा है और मैं यह स्वीकार करता हूँ कि जो सफलता मैं चाहता था वह नहीं मिली। इसके विपरीत मामला बुरी तरह ख़राब हो गया और उसके लिए मुझे बहुत खेद है।......मैं इतना ही कहता हूँ कि मैं ऐसी भयङ्कर ग़लती कभी नहीं करूँगा। यदि मैं ऐसा करूँ, तो मैं काँङ्ग्रेस के प्रति सच्चा नहीं रहूँगा। कुछ लोगों के लिए अहिंसा नीति भले ही हो, परन्तु मेरे लिए तो वह धर्म है। मैं गोलमेज़ को उतना महत्व नहीं देता, जितना दिल्ली के गाँधी-इर्विन समझौते के पालन को। उससे हमें लाभ ही हुआ है और मैं अब भी नहीं समझता कि उसे स्वीकार करना भूल थी। आप उसे चाहे रद्दी के टोकरे की वस्तु समझें, परन्तु मुझे ऐसी बातों से सन्तोष नहीं होगा। यह भी एतराज़ किया गया है कि नौजवानों के कार्यों को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर कहा जाता है, मगर सरकार के कृत्यों की अवहेलना कर दी जाती है। मेरा कहना यह है कि काँङ्ग्रेस का यह काम नहीं है कि वह सरकार के कामों पर ध्यान दे, क्योंकि उसे तो शासन-प्रणाली ही को बदलना है।"

संशोधन

महात्मा जी के भाषण के बाद इस प्रस्ताव में अनेक सज्जनों ने अपने-अपने संशोधन पेश किए।

श्री० जे० एम० सेनगुप्त ने इस आशय का संशोधन पेश किया, जिसमें कुछ सरकारी अफ़सरों पर किए गए हिंसात्मक आक्रमणों पर खेद प्रकट करने के साथ-साथ कुछ लोगों द्वारा किए जाने वाले इस आरोप की निन्दा की गई थी कि इन आक्रमणों से काँङ्ग्रेस का सम्बन्ध है। साथ ही संशोधन में यह भी कहा गया था कि यदि सरकार ने राजनीतिक क़ैदियों को छोड़ कर, राजनीतिक मुक़दमे उठा कर, ऑर्डिनेन्सों को वापस लेकर, ग़ैर-क़ानूनी नज़रबन्दियों को रोक कर और दमन-नीति को बिलकुल बन्द कर समझौते से फ़ायदा उठाया होता, तो देश सुलह के बाद के हमलों से बच जाता। अन्त में संशोधन में हिंसा द्वारा हिंसा को दबाने की सरकारी नीति की निन्दा की गई थी—जिससे इस प्रकार हिंसा प्रतिहिंसा हुई और गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स की सफलता के लिए विरोधी वातावरण उत्पन्न हुआ।

आन्ध्र के श्री० सर्वेश्वर शास्त्री ने संशोधन उपस्थित किया कि प्रस्ताव में का दूसरा और तीसरा वाक्य निकाल दिया जाय और चौथे वाक्य में से 'हिंसा' के पहिले वाला 'सार्वजनिक' शब्द निकाल दिया जाय। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि वह उद्देश्य की प्रशंसा बिना किए हुए हिंसा के कार्य की निन्दा करने के विरोधी हैं। उन्होंने इस बात पर भी एतराज़ किया कि काँङ्ग्रेस दूसरे दलों के कार्यों में क्यों हस्तक्षेप करती है, और यह राय प्रकट की कि काँङ्ग्रेस ने जैसे नरम दल को कार्य की स्वतन्त्रता दे दी है, वैसे ही दूसरे दलों को भी स्वतन्त्र कर दे।

दिल्ली के श्री० देशबन्धु गुप्त ने तीसरा संशोधन इसी प्रकार पेश किया। उन्होंने कहा कि मूल प्रस्ताव में यह वाक्य और जोड़ दिया जाय—"अखिल भारतीय काँङ्ग्रेस कमिटी यह विश्वास प्रकट करती है कि सरकार भी इस सम्बन्ध में अपना उत्तरदायित्व महसूस करेगी और इस प्रकार की उत्तेजनाएँ रोकने का शीघ्र ही प्रयत्न करेगी, जिनकी वजह से नौजवान लोग राजनीतिक हत्याएँ करने के लिए गुमराह हो जाते हैं।"

आन्ध्र के श्री० साम्बमूर्ति ने समस्त प्रस्ताव को ही नापसन्द किया और उसकी जगह पर नीचे लिखा प्रस्ताव पेश किया—"अखिल भारतीय काँङ्ग्रेस कमिटी समस्त काँङ्ग्रेस संस्थाओं को आदेश करती है कि वे जनता की ओर से और साथ ही सरकार की ओर से होने वाले हिंसात्मक कार्यों के ख़िलाफ़, चाहे वे उत्तेजित किए जाने पर ही किए जायँ, आन्दोलन करें।"

मि० साम्बमूर्ति ने कहा कि सब प्रकार का बल-प्रयोग हिंसा नहीं है। उन्होंने कहा कि उसी प्रकार का बल-प्रयोग हिंसा है, जो अनुचित और अन्यायपूर्ण हो। उन्होंने उपस्थित लोगों से यह भी अनुरोध किया कि वे सरकार द्वारा होने वाली हिंसा के सामने सर न झुका दें, बल्कि सब प्रकार की हिंसा के विरुद्ध आन्दोलन करें।

इसी आशय के तीन या चार संशोधन और थे। पेश किए गए सभी संशोधनों में इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि मूल प्रस्ताव में सरकार द्वारा होने वाले दमन का ज़िक्र किया जाय और यह माँग पेश की जाय कि सरकार अपनी दमन-नीति शीघ्र ही छोड़ दे, जिसकी वजह से कि युवक हिंसा की ओर उत्तेजित होते हैं।

इन संशोधनों के उपस्थित किए जाने के बाद डॉ० पट्टाभि सीतारामैया और पं० जवाहरलाल नेहरू ने मूल प्रस्ताव का समर्थन किया। मालवीय जी ने भी अपनी वक्तृता में महात्मा जी द्वारा उपस्थित किए गए मूल प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए ज़ोरदार अपील की।

अन्त में संशोधनों पर वोट लिए गए और वे एक-एक करके सब रद्द हो गए और महात्मा जी द्वारा पेश किया गया असली प्रस्ताव भारी बहुमत से पास होगया।

नौजवानों द्वारा प्रदर्शन

जिस वक़्त अखिल भारतीय काँङ्ग्रेस कमिटी की बैठक हो रही थी, उस वक़्त नौजवान भारत-सभा के प्रायः २०० सदस्यों का दल लाल पर्चे और भड़कीले वाक्य लिखे हुए झण्डे लेकर कमिटी के पास पहुँचा और "गाँधी जी का नाश हो" "गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स का नाश हो" आदि नारे लगाते हुए उसने काँङ्ग्रेस के विरुद्ध प्रदर्शन किया।

* * *

हिन्दुस्तानी सेवादल कॉन्फ्रेन्स

दल का समस्त अधिकार काँङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी को दे दिया गया !

हिन्दुस्तानी सेवा-दल (राष्ट्रीय स्वयंसेवकों की संस्था) की कॉन्फ्रेन्स गत ६ अगस्त को बम्बई में महात्मा जी की अध्यक्षता में हुई। महात्मा जी ने दल के स्वयंसेवकों द्वारा की हुई महान देश-सेवा का ज़िक्र किया और खुले शब्दों में दल की प्रशंसा की। महात्मा जी ने कहा कि काँङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी चाहती है कि देश में काँङ्ग्रेस-कार्यों की सुविधा के लिए दल का समस्त अधिकार वर्किङ्ग कमिटी को दे दिया जाय।

अन्त में इसी आशय का प्रस्ताव पास हुआ और यह निश्चय हुआ कि देश भर की समस्त सेवा-दल की स्वयंसेवक-संस्थाओं का अधिकार वर्किङ्ग कमिटी को दे दिया जाय और इस कार्य के लिए डॉ० हार्डीकर, श्री० साम्बमूर्ति आदि की एक कमिटी भी बनाई गई।

महात्मा जी का स्वागत

महात्मा जी यदि लन्दन गए, तो उनका वहाँ, भारतीयों की ही ओर से नहीं, अङ्गरेज़ों की ओर से ज़ोरदार स्वागत होगा। वहाँ के लोग, ख़ासकर वे मैनचेस्टर और लङ्काशायर के निवासी, जिनके बनाए कपड़े के ख़िलाफ़ महात्मा जी ज़बरदस्त आन्दोलन कर रहे हैं—इस बात के लिए लालायित हैं कि महात्मा जी यहाँ आवें और हमें उनके दर्शन का, उनके स्वागत का, उनकी सुश्रूषा का और उनकी अमृत-वाणी के श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। लन्दन में शिशु-रक्षा और जन-सेवा का कार्य करने वाली मिस कुमारी लेस्टर के निवास-स्थान पर महात्मा जी ने लन्दन जाने पर ठहरने का निश्चय किया है, उन्होंने सहयोगी 'हिन्दू' के पास यह सन्देश लिख भेजा है कि जब से लोगों ने वहाँ यह सुना है कि महात्मा जी मेरे मकान में ठहरेंगे, तब से मेरे पास पत्रों का ताँता बँध गया है। मित्र और अजनबी सभी मुझे लिख रहे हैं, महात्मा जी के स्वागत और आराम के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत हो, बतलाइए। ग़रीब और अमीर सभी ने लिखा है कि दूध, फल या जिस प्रकार के खाद्य पदार्थ ज़रूरी हों, हम समर्पित करेंगे। लङ्काशायर तक के लोग, जो महात्मा जी की बॉयकॉट-नीति के कारण नष्टप्राय हो गए हैं, लिख रहे हैं कि वे महात्मा जी के और उनके दरिद्र-नारायण की पूजा के कितने भक्त हैं और उनके दर्शनों के लिए कितने उत्सुक हैं। उन लोगों ने यह भी लिखा है कि पूर्वीय राष्ट्र का महान प्रतिनिधि लन्दन आकर ग़रीबों और पीड़ितों के बीच में निवास करेगा। अन्त में मिस लेस्टर ने यह भी लिखा है कि सरकार जो चाहे करे या कहे, किन्तु मैं यह जानती हूँ कि इङ्गलैण्ड की जनता या कम से कम ग़रीब लोग, जो अधिकांश संख्या में हैं, वे भारतीयों के राष्ट्रीय भावों और सिद्धान्तों से सहानुभूति रखते हैं।

गोलमेज़ में कब कौन जा रहा है ?

रूढ़िपन्थियों के लिए विशेष प्रबन्ध !!

महात्मा गाँधी ने अभी तक लन्दन-यात्रा के लिए पास नहीं लिया है, पी० ऐण्ड ओ० कम्पनी से जाँच करने पर पता लगा है कि कम्पनी ने महात्मा गाँधी के लिए विशेष प्रबन्ध, जैसे दूध के लिए बकरी आदि का किया है, यह समाचार निराधार है। महाराजा बीकानेर के प्रार्थना करने पर पुराने विचार वाले हिन्दुओं के लिए मुलतान जहाज़ पर विशेष प्रबन्ध किया गया है। सम्भव है कि महामना मालवीय जी के लिए भी यही प्रबन्ध हो। सम्भव है कि निम्न-लिखित प्रतिनिधि 'मुलतान' से १५ अगस्त को विलायत जायँगे। महाराजा बीकानेर, महाराजा रीवाँ, नवाब भूपाल, सर अकबर हैदरी, सर तेजबहादुर सप्रू, सर मुहम्मद शफ़ी, बेगम शाहनवाज़, सर मनूभाई मेहता, सर मिर्ज़ा इस्माइल, डॉ० मुञ्जे, सर प्रभाशङ्कर पट्टनी, दीवान बहादुर रामस्वामी अय्यर, मि० ए० रङ्गास्वामी अयङ्गर, श्री० के० श्रीनिवास, पं० मदनमोहन मालवीय, सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, सर ए० पी० पैट्रो, मि० एम० एन० जोशी, दी चीफ़ ऑफ़ साँगली, सर मेनेकजी दादाभाई, डॉ० शफ़ात अहमद ख़ाँ, मेसर्स सुब्बारायन, मौ० शौकतअली, मि० सी० वाई० चिन्तामणि, और श्रीमती सरोजिनी नायडू।

—राष्ट्रीय दल के मुसलमानों की संख्या और उनका ज़ोर बराबर बढ़ रहा है। गत ४ अगस्त को कानपुर में भी मुस्लिम राष्ट्रीय दल की स्थापना हुई है, जिसमें अध्यक्ष हाफ़िज़ मोहम्मद हाशिम और मन्त्री श्री० मोईनुद्दीन मोहम्मद सिद्दीक़ी तथा सय्यद मोहम्मद सिद्दीक़ चुने गए हैं।

❀ ❀ ❀

गोलमेज़ के प्रतिनिधियों की सूची

गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में 'माइनॉरिटी कमिटी' के सदस्यों के नाम की सरकारी घोषणा कर दी गई है। पहली गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में इस कमिटी में ३७ सदस्य थे, जिनमें मौलाना मुहम्मदअली और के० टी० पाल की मृत्यु हो गई थी। उक्त दोनों सज्जनों के स्थान पर क्रमशः मौलाना शौकतअली और डॉक्टर एस० के० दत्त नियुक्त किए गए हैं। इनके अतिरिक्त ७ सज्जन और भी बढ़ा दिए गए हैं। इस प्रकार कमिटी की संख्या अब ४४ हो गई है। अस्तु, सब से दयनीय बात यह है कि सारी कमिटी में केवल एक ही राष्ट्रीय मुस्लिम प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। यद्यपि हमें इस बात का हर्ष है कि सर अली इमाम जैसे योग्य एवं सम्भ्रान्त राष्ट्रीय मुसलमान को सरकार ने कमिटी की सदस्यता के लिए नियुक्त किया है, तथापि श्रीयुत अन्सारी तथा अन्य राष्ट्रीय मुस्लिम नेताओं का अभाव अत्यन्त दुख की बात है और यह हमारी सरकार की आन्तरिक नीति का परिचायक के सदस्यों की नामावली इस प्रकार है :—

—सं० 'भविष्य']

ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री ने आगामी गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में शामिल होने के लिए निम्न-लिखित सदस्यों की नामावली प्रकाशित की है। उनसे अक्टूबर महीने के आख़ीर में लन्दन पहुँच जाने की आशा की गई है।

ब्रिटिश प्रतिनिधि

मि० जे० आर० रैमज़े मैकडॉनल्ड, प्रधान मन्त्री; लॉर्ड सैङ्की; लॉर्ड चान्सलर; मि० वेजवुड बेन, भारत-मन्त्री; मि० आॅर्थर हेण्डरसन, परराष्ट्र मन्त्री; मि० जे० एच० टॉमस, उपनिवेश मन्त्री; अर्ल पील; सर सैमुएल होर, एम० पी०; मारक्वेस ऑफ़ ज़ेटलैण्ड; मि० ओलीवर स्टैनली, एम० पी०; मारक्वेस ऑफ़ रेडिङ्ग; मारक्वेस ऑफ़ लोथियन; मि० रॉबर्ट हैमिल्टन, एम० पी०; मि० आइज़क फूट, एम० पी०।

इनके अतिरिक्त पार्लामेण्ट के अन्य मन्त्री कॉन्फ्रेन्स या कमिटियों के अधिवेशनों में उनके विषयों पर विचार होते समय निमन्त्रित किए जायँगे।

देशी राज्यों के प्रतिनिधि

महाराज अलवर; महाराज बड़ौदा; नवाब भूपाल; महाराज बीकानेर; महाराज राना धौलपुर; महाराज काश्मीर; महाराज नवानगर; महाराज पटियाला; महाराज रीवाँ; साँगली के चीफ़; राजा कोरिया; राजा सरीला; सर प्रभाशङ्कर पट्टनी; सर मनुभाई मेहता; सरदार साहबज़ादा सुल्तान अहमद ख़ाँ; नवाब सर मुहम्मद अकबर हैदरी; सर मिर्ज़ा इस्माइल; दीवान बहादुर टी० राघवीयह पन्तलूगारू; कर्नल के० एन० हक्सर।

ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि

हिज़ हाईनेस आग़ा ख़ाँ; नवाब सर साहबज़ादा अब्दुल क़यूम ख़ाँ; सर सी० पी० रामस्वामी अय्यर; सर सय्यद अली इमाम; डॉ० भीमराव रामजी अम्बेदकर; श्री० यू० बा० पे०; श्री० चन्द्रधर बरुअह; मि० जे० एन० बासू; मि० ई० सी० बेन्थल; सर शाहनवाज़ ख़ाँ; ग़ुलाम मुर्तज़ा ख़ाँ भट्टू; रायबहादुर कुँवर विश्वेश्वर दयाल सेठ; सर ह्यूबर्टकर; मि० सी० वाई० चिन्तामणि; सर मानकजी दादाभाई; महाराजाधिराज कामेश्वरसिंह दरभङ्गा; मि० शफ़ी दाऊदी; डॉ० एस० के० दत्त; मि० ओ० डी० ग्लैनविल; मि० फ़ज़लुलहक़; मि० एम० के० गाँधी; मि० एम० एम० ओन घाइन; मि० ए० एच० ग़ज़नवी; सर ग़ुलाम हुसेन हिदायतुल्ला; लेफ़्टिनेण्ट कर्नल सर हेनरी गिडनी; सर पद्मजी गिनवाला; मि० वी० वी० गिरि; ख़ाँ बहादुर हाफ़िज़ हिदायतहुसेन; सर मुहम्मद इक़बाल; मि० रङ्गस्वामी आयङ्गर; मि० बी० वी० जाधव; मि० एम० आर० जयकर; सर कावसजी जहाँगीर (जूनियर); मि० एम० ए० जिन्ना; मि० टी० एफ़० गैविन जोन्स; मि० एन० एम० जोशी; पण्डित मदनमोहन मालवीय; नवाब साहबज़ादा सर सय्यद मुहम्मद मेहर शाह; सर प्रोवाशचन्द्र मित्र; मि० एच० पी० मोदी; डॉ० बी० एस० मुञ्जे; दीवान बहादुर ए० रामस्वामी मुदालियर; कैप्टेन नवाब सर मुहम्मद अहमद सय्यद ख़ाँ; नवाब छतारी; सर मुहम्मद शफ़ी; श्रीमती सरोजिनी नायडू; दीवान बहादुर राजा नरेन्द्रनाथ; डॉ० नरेन्द्रनाथ लॉ; सय्यद मुहम्मद पादशाह; रायबहादुर ए० टी० पन्नीर सेलवम; राजा श्री० श्री० श्रीकृष्णचन्द्र गजपति नारायण देव; राजा परलाकीमेडी; रावबहादुर सर अन्नेपु परसुरामदास पैट्रो; दीवान बहादुर एम० रामचन्द्र राव; सरदार सम्पूरनसिंह; सर तेजबहादुर सप्रू; श्री० वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री; सर चिमनलाल सीतलवाद; सर फ़िरोज़ सेठना; डॉ० शफ़ात अहमद ख़ाँ; श्रीमती शाहनवाज़; मौलाना शौकतअली; कैप्टेन राजा शेर मोहम्मद ख़ाँ घोमेली; मि० बी० शिवराव; रावबहादुर आर० श्रीनिवासन; श्रीमती सुब्बारायन; सर सय्यद सुल्तान अहमद; मि० श्रीपद बलवन्त ताम्बे; यू० औङ्ग थिन; सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास; सरदार साहब सरदार उज्जलसिंह; मि० सी० ई० वुड; मि० ज़फ़रुल्ला ख़ाँ।

इनमें से जो प्रतिनिधि इङ्गलैण्ड में हैं, उनके पास प्रधान मन्त्री निमन्त्रण-पत्र भेज रहे हैं और जो प्रतिनिधि हिन्दुस्तान में हैं, उनके पास प्रधान मन्त्री की ओर से वॉयसरॉय निमन्त्रण-पत्र भेज रहे हैं।

अल्प-संख्यक कमिटी के सदस्य

प्रधान मन्त्री ने गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स की अल्प-संख्यक कमिटी की सभाओं में शामिल होने के लिए निम्न-लिखित सदस्यों की नामावली प्रकाशित की है। उनसे २६ सितम्बर तक लन्दन पहुँच जाने की आशा की गई है, जिससे अक्टूबर में कार्य प्रारम्भ हो जाय।

मि० रैमज़े मैकडॉनल्ड, सभापति; सर डबल्यू० ए० जोविट, अर्ल पील; मेजर ओलीवर स्टैनली; मारक्वेस ऑफ़ रेडिङ्ग; मि० आइज़क फूट; हिज़ हाइनेस आग़ा ख़ाँ; सर सय्यद अली इमाम (नई नियुक्ति); डॉ० बी० आर० अम्बेदकर; मि० ई० सी० बेन्थल (नई नियुक्ति); सर ह्यूबर्टकर; नवाब छतारी; मि० सी० वाई० चिन्तामणि; डॉ० एस० के० दत्त (नई नियुक्ति); मि० फ़ज़लुल हक़; मि० एम० के० गाँधी (नई नियुक्ति); मि० ए० एच० ग़ज़नवी; लेफ़्टिनेण्ट कर्नल सर हेनरी गिडनी; ख़ाँ बहादुर हाफ़िज़ हिदायत हुसैन; सर मुहम्मद इक़बाल (नई नियुक्ति); मि० एन० एम० जोशी; पण्डित मदनमोहन मालवीय (नई नियुक्ति); सर प्रोवाशचन्द्र मित्र; डॉ० बी० एस० मुञ्जे; श्रीमती सरोजिनी नायडू (नई नियुक्ति); राजा नरेन्द्रनाथ; रावबहादुर पन्नीर सेलवम; सर ए० पी० पैट्रो (नई नियुक्ति); दीवान बहादुर एम० रामचन्द्र राव; मि० बी० शिवराव; सर चिमनलाल सीतलवाद; सर फ़िरोज़ सेठना; डॉ० शफ़ात अहमद ख़ाँ; सर मुहम्मद शफ़ी; मौलवी मोहम्मद शफ़ी दाऊदी (नई नियुक्ति); बेगम शाहनेवाज़; मौलाना शौकतअली (नई नियुक्ति); सरदार सम्पूरनसिंह; रावबहादुर श्रीनिवासन; श्री० श्रीनिवास शास्त्री; श्रीमती सुब्बारायन; सर सुल्तान अहमद; सरदार साहब उज्जलसिंह और मि० ज़फ़रुल्ला ख़ाँ।

इङ्गलैण्ड में प्रधान मन्त्री द्वारा और भारत में वॉयसरॉय द्वारा निमन्त्रण-पत्र भेजे जा रहे हैं।

इस बार १०२ सज्जन कॉन्फ्रेन्स के लिए बुलाए गए हैं। पहिले की अपेक्षा १६ व्यक्ति और नए शामिल किए गए हैं। भारतीय प्रमुख नेताओं में महात्मा जी, मालवीय जी और श्रीमती सरोजिनी नायडू के नाम भी निमन्त्रण आया है। महात्मा जी जायँगे या नहीं, यह अभी तक उन्होंने निश्चय नहीं किया है। उनका कहना है कि दिल्ली के (गाँधी-इर्विन) समझौते का पूर्ण रूप से पालन होने का वचन मिले बिना और विशेष-कर देश के किसानों पर लगान की वसूली के सम्बन्ध में जो ज़ुल्म हो रहे हैं, उनके निवारण का वादा कराए बिना मैं नहीं जा सकता। गुजरात के किसानों के कष्टों के सम्बन्ध में बम्बई के गवर्नर से महात्मा जी मुलाक़ात करने के बाद अभी लिखा-पढ़ी कर रहे हैं और उन्होंने कह दिया है कि मेरा लन्दन जाना बम्बई के गवर्नर के जवाब पर निर्भर है। युक्त-प्रान्त के किसानों के कष्टों के सम्बन्ध में सर मैलकम हेली ने अपना मन्तव्य पं० जवाहरलाल नेहरू के पास भेज दिया है। इस प्रकार एक ओर से तो जवाब मिल गया है, अब बम्बई के गवर्नर का उत्तर बाक़ी है, और इन्हीं उत्तरों के प्राप्त होने पर महात्मा जी अपने जाने के सम्बन्ध में आख़िरी तौर पर निश्चय करेंगे।

अब रहा मालवीय जी का, सो उनका जाना तो पूर्ण रूप से निश्चित है। उनकी सारी तैयारी भी हो गई है। उनके साथ में 'सनातनधर्म की रक्षा' के लिए एक मालवीय रसोइया, कई हण्डे गङ्गाजल आदि जा रहे हैं। उनके सब से छोटे पुत्र पं० गोविन्द मालवीय उनके सेक्रेटरी के रूप में जा रहे हैं। श्रीमती सरोजिनी नायडू भी तैयार हैं, किन्तु उनका जाना महात्मा जी पर निर्भर है, यदि महात्मा जी जायँगे तो श्रीमती नायडू भी जायँगी, अन्यथा कदाचित नहीं। डॉक्टर अन्सारी के सम्बन्ध में पहिले ख़बर थी कि वे नवाब भूपाल के साथ लन्दन जायँगे, मगर बाद में इस ख़बर का खण्डन कर दिया गया है और महात्मा जी ने ख़ुद कहा है कि डॉ० अन्सारी का देश में रहना आवश्यक है।

कॉङ्ग्रेस कार्यकारिणी कमिटी की बैठकें

किसानों की दशा पर विचार :: राष्ट्रीय झण्डे का रङ्ग बदल दिया गया

[दूसरे दिन की बैठक]

अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस की कार्यकारिणी कमिटी की जो बैठकें इस सप्ताह बम्बई में हुई हैं, उनकी पहिले दिन की कार्यवाही का समाचार 'भविष्य' के पिछले अङ्क में दिया जा चुका है। दूसरे दिन की बैठक ५ अगस्त को ८ बजे प्रातःकाल प्रारम्भ हुई। इस दिन देश की परिस्थिति और कॉङ्ग्रेस के गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में सम्मिलित होने के प्रश्न पर विचार हुआ। गुजरात और युक्त-प्रान्त के किसानों की दशा पर विशेष रूप से विचार किया गया। गुजरात के सम्बन्ध में यह कहा गया कि इस सम्बन्ध में महात्मा जी और बम्बई के गवर्नर में जो बातें हुई हैं, उनसे गुजरात के किसानों की दिक़्क़तें साफ़ हो गई हैं और महात्मा जी गवर्नर की बातों से सन्तुष्ट हैं। युक्त-प्रान्त के किसानों की दशा के बारे में पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपने अनुभव पेश किए और किसानों के सारे कष्टों का ज़िक्र करते हुए बतलाया कि वहाँ की परिस्थिति में अभी कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। मालवीय जी ने भी किसानों की स्थिति के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किए और श्री० पुरुषोत्तमदास टण्डन तथा श्री० शेरवानी ने, जो युक्त-प्रान्त के किसानों की हालत बतलाने के लिए ख़ास तौर से बुलाए गए थे, अपने अनुभव बतलाए। किसानों की कष्ट-कथाएँ सुनने के बाद प्रत्येक सदस्य से अनुरोध किया गया कि वे कॉङ्ग्रेस के गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में भाग लेने के सम्बन्ध में अपने-अपने विचार प्रकट करें और शाम के लिए बैठक स्थगित कर दी गई।

राष्ट्रीय झण्डे का प्रश्न

शाम को बैठक के फिर आरम्भ होने पर राष्ट्रीय झण्डे का प्रश्न उपस्थित हुआ। पाठकों को स्मरण होगा कि राष्ट्रीय झण्डे के सवाल पर विचार करने और रिपोर्ट देने के लिए एक झण्डा-कमिटी नियुक्त की गई थी। उस कमिटी ने अपनी यह राय दी है कि झण्डा बजाय तिरङ्गे के एक रङ्ग का रहे और उसका रङ्ग केसरिया रक्खा जाय, परन्तु कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी ने झण्डा-कमिटी की यह राय पसन्द नहीं की और इस ख़्याल से कि झण्डे के वर्तमान रूप में कम से कम परिवर्तन हो सके, उसके तीन रङ्गों में केवल एक रङ्ग बदल दिया है। लाल रङ्ग के बजाय केसरिया रङ्ग बदलने का निश्चय किया है और हरा और सफ़ेद रङ्ग ज्यों का त्यों रहेगा। सब से ऊपर केसरिया रङ्ग रहेगा, बीच में सफ़ेद और हरा सब से नीचे। झण्डे के बीचो-बीच में काले रङ्ग का चरख़ा बना रहेगा। झण्डे के रङ्ग साम्प्रदायिक सिद्धान्त पर नहीं रक्खे गए हैं, बल्कि वे मानवीय विशेषताओं के द्योतक समझे जायँगे। केसरिया रङ्ग निर्भीकता और त्याग का परिचायक होगा, सफ़ेद रङ्ग शान्ति और सत्य का द्योतक होगा, हरा रङ्ग श्रद्धा और वीरता का निदर्शक होगा और चर्ख़ा जनता की आशा का प्रतिबिम्ब होगा।

राजनीतिक हत्याओं पर चेतावनी

राजनीतिक हत्याओं के सम्बन्ध में वर्किङ्ग कमिटी ने इस आशय का प्रस्ताव अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी की स्वीकृति के लिए पास किया है कि अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी बम्बई के स्थानापन्न गवर्नर पर जो हत्याकारी आक्रमण किया गया है और बङ्गाल में मि० गार्लिक की हत्या की गई है, उस पर खेद प्रकट करती है और सभी राजनीतिक हत्याओं की निन्दा करते हुए गवर्नर पर किए गए आक्रमण को अधिक निन्दनीय समझती है, क्योंकि वह कॉलेज में अतिथि-रूप में आए थे। अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी ऐसे सभी लोगों को सचेत कर देना चाहती है, जो गुप्त रूप से या खुल्लमखुल्ला ऐसी हत्याओं का समर्थन करते हैं अथवा उन्हें उत्तेजन देते हैं। अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी देश की समस्त कॉङ्ग्रेस-संस्थाओं से कहती है कि वे सार्वजनिक हिंसा के सभी कृत्यों के ख़िलाफ़, चाहे वह उत्तेजित किए पर ही की गई हो, आन्दोलन करें। साथ ही राष्ट्रीय समाचार-पत्रों से भी अपील है कि वे भी इस सम्बन्ध में इसी प्रकार जनता पर अपना असर डालें।

वर्किङ्ग कमिटी की बैठक ७ अगस्त को फिर हुई। साम्प्रदायिक प्रश्न पर विचार हुआ और उसमें जमीयत-उल-उलेमा की कार्यकारिणी समिति के मुसलमानों के धार्मिक सिद्धान्तों की रक्षा और पञ्जाब तथा बङ्गाल में अल्पमत समुदाय के लिए पदों के संरक्षण के प्रश्नों पर विचार किया। इस प्रश्न का फ़ैसला शनिवार के लिए स्थगित रक्खा गया। अनन्तर सरदार भगतसिंह आदि की लाशें किस प्रकार जलाई गईं, इसकी जाँच करने के लिए कॉङ्ग्रेस की ओर से जो कमिटी नियुक्त की गई थी, उसकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त न होने पर वर्किङ्ग-कमिटी ने खेद प्रकट किया और इस बात पर अफ़सोस ज़ाहिर किया कि जिन लोगों ने लाशों के बुरी तरह से जलाए जाने के अभियोग लगाए थे, उन लोगों ने कमिटी के सामने उपस्थित होकर गवाहियाँ नहीं दीं, इसलिए कमिटी ने यह विचार प्रकट किया कि वह समझती है कि वह अभियोग सिद्ध नहीं किया जा सका।

अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी की कार्यवाही

अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी का अधिवेशन ६ अगस्त को बम्बई के महावीर जैन विद्यालय में राष्ट्रपति सरदार पटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ। १८० सदस्य उपस्थित थे। दर्शकों से हॉल ठसाठस भरा था। मञ्च पर वर्किङ्ग कमिटी के सदस्यों के अतिरिक्त मालवीय जी, श्री० अब्बास तैयब जी, डॉ० पट्टाभि सीतारामैया, श्री० टी० प्रकाशम, श्री० साम्बमूर्ति, श्री० सत्यमूर्ति, श्री० अभ्यङ्कर तथा कुछ अन्य प्रतिष्ठित लोग बैठे थे।

लन्दन शाखा-कॉङ्ग्रेस कमिटी का सम्बन्ध-विच्छेद

कमिटी के पिछले अधिवेशन की कार्यवाहियों के स्वीकृत होने के बाद पं० जवाहरलाल नेहरू ने लन्दन की कॉङ्ग्रेस शाखा को कॉङ्ग्रेस-सिद्धान्तों के विरुद्ध आचरण करने के कारण कॉङ्ग्रेस से अलग करने का वर्किङ्ग कमिटी का प्रस्ताव उपस्थित किया। श्री० सत्यमूर्ति के विरोध करने पर निश्चय हुआ कि इस प्रस्ताव पर शनिवार के दिन विचार किया जाय।

१ निर्वाचन-क्षेत्र से १ सदस्य

इसके बाद वर्किङ्ग कमिटी द्वारा भेजा हुआ यह प्रस्ताव कुछ बहस के बाद पास हुआ कि प्रान्तीय, ज़िला और ग्राम्य कॉङ्ग्रेस कमिटियों से कहा जाय कि वे ऐसा नियम बनावें कि १ निर्वाचन-क्षेत्र से १ ही सदस्य चुना जाय। इसके बाद हिंसात्मक आक्रमणों की निन्दा करने का प्रस्ताव पास हुआ, जिसका विस्तृत वर्णन इसी अङ्क में अन्यत्र प्रकाशित है।

राष्ट्रीय झण्डे में परिवर्तन

अनन्तर राष्ट्रीय झण्डे के रङ्ग में परिवर्तन करने का वर्किङ्ग कमिटी द्वारा स्वीकृत यह प्रस्ताव पास हुआ कि राष्ट्रीय झण्डे के रङ्गों में चूँकि साम्प्रदायिक महत्व दे दिया गया है, इसलिए उसके लाल रङ्ग को बदल कर केसरिया रङ्ग कर दिया जाय। यह प्रस्ताव भी पास हो गया। कुछ संशोधन इसमें उपस्थित किए गए थे, किन्तु वे सब रद्द कर दिए गए।

मूल अधिकार

स्वराज्य-शासन में नागरिकों और श्रमजीवियों को क्या अधिकार प्राप्त होंगे, इसकी व्याख्या करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया गया। दिन-भर इसी प्रस्ताव पर बहस होती रही और बाद में बहस दूसरे दिन के लिए स्थगित की गई। शुक्रवार के दिन भी तमाम दिन इसी प्रस्ताव पर बहस रही और तीसरे दिन, यानी शनिवार को वह पास हुआ।

तीसरे दिन की बैठक में मूल अधिकार वाले प्रस्ताव के पास होने के बाद लन्दन शाखा कॉङ्ग्रेस कमिटी से सम्बन्ध-विच्छेद करने का प्रस्ताव भी गरमागरम बहस के बाद पास हो गया।

३० अगस्त को झण्डा-दिवस

अन्त में कमिटी ने यह निश्चय किया कि नए राष्ट्रीय झण्डे को व्यापक बनाने के लिए समस्त देश में ३० अगस्त को झण्डा-दिवस मनाया जाय और सर्वत्र नया राष्ट्रीय झण्डा फहराया जाय।

इस प्रकार तीन दिनों की बैठक के बाद अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी का अधिवेशन समाप्त हुआ।

सीमा-प्रान्त के झगड़े का निवारण

वर्किङ्ग कमिटी की फिर बैठक

अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी की बैठक गत रविवार को फिर बम्बई में राष्ट्रपति सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुई। वर्किङ्ग कमिटी की बैठक अभी इसलिए हो रही है और उसके सदस्य रुके हुए हैं कि बम्बई के गवर्नर के पास से महात्मा जी के पत्र के आए हुए जवाब पर विचार करना है। रविवार की बैठक में सीमा-प्रान्त के कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं और कॉङ्ग्रेस कमेटी, अफ़ग़ान जिरगा, ख़ुदाई ख़िदमतगार आदि राष्ट्रीय संस्थाओं के झगड़े का निवारण कर दिया गया, साथ ही अखिल भारतीय जमीयत-उल-उलेमा के हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न सम्बन्धी प्रस्ताव पर भी विचार हुआ। सीमा-प्रान्त के सम्बन्ध में यह निश्चय हुआ कि सीमा प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी का नाम या तो यही या सीमा प्रान्तीय जिरगा रक्खा जाय और दोनों संस्थाएँ मिला कर एक कर दी जायँ और ख़ुदाई ख़िदमतगार कॉङ्ग्रेस के वालण्टियर माने जायँ और कॉङ्ग्रेस का नया राष्ट्रीय झण्डा उनका झण्डा रहे।

❀ ❀ ❀

रक्षक या भक्षक ?

कॉन्स्टेबिल को डाका डालने पर सज़ा !

कलकत्ता पुलीस का बरकतअली नामक एक कॉन्स्टेबिल डाकुओं के एक दल के साथ डाका डालते हुए पकड़ा गया। हवड़ा के अतिरिक्त सेशन्स जज ने अन्य डाकुओं के साथ उसको भी ३ साल की कड़ी क़ैद की सज़ा दी है।

❀ ❀ ❀



भविष्य

१३ अगस्त, सन् १९३१

विद्यार्थियों का कलङ्क

किसी भी राष्ट्र के उत्थान और पतन, सृष्टि और विनाश में नवयुवकों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जापान, रूस, इटली एवं आयर्लैण्ड की स्वतन्त्रता के इतिहास इस बात के साक्षी हैं कि जब आज़ादी के जङ्ग के लिए पुकार हुई है, देश के युवक आगे बढ़े हैं और अपना सर्वस्व देश की बलि-वेदी पर चढ़ा कर उसकी गुलामी की बेड़ियों को छिन्न-भिन्न कर दिया है। उस समय जब देश का अन्तःकरण एक बार विक्षुब्ध होकर त्याग एवं समर्पण का आवाहन करता है, संसार का सारा आकर्षण, भावी-जीवन की सारी मृग-तृष्णा, यौवन का सारा प्यार, देश की पनपती हुई आत्माओं को विचलित नहीं कर सकता! उस अन्तर्नाद के सम्मुख सृष्टि का सारा विकास एक क्षण के लिए रुक जाता है, जीवन की सारी लालसाओं को होम कर प्राणों की बाज़ी पर आज़ादी का सौदा करने के लिए युवक-हृदय व्याकुल हो उठता है। उस समय, उस समय जब रण-भेरी बजती है, जब युद्ध के महाशङ्ख का भीषण एवं भैरव आवाहन होता है, उस समय जीवन और मृत्यु, प्रलय और शान्ति, कर्म एवं वैराग्य से ऊपर उठ कर मतवाला यौवन आत्म-समर्पण के विराट अनुष्ठान में संलग्न हो जाता है। कष्टों और कठिनाइयों को रौंदता हुआ स्वतन्त्रता का भूखा साधक अपने कण्टकाकीर्ण पथ में अनवरत चला जाता है!

बहुत दिनों ! के बाद हमारे इस अभागे देश ने पिछले साल युद्ध का दृश्य देखा था। चिरकाल के बाद उसे खुल कर खेलने के दिन आए थे। कितने वर्षों के बाद बूढ़ी हड्डियों में जवानी का जोश जागा था। पता नहीं, कितने दिनों के बाद हमने फिर लक्ष्मीबाई और मैनादेवी के दुर्गा-रूप का भैरव-अभिनय देश की स्वतन्त्रता के रङ्गमञ्च पर देखा है। स्त्रियों ने आँचल बाँधे, चूड़ियाँ सँभालीं और रङ्ग-प्राङ्गण में कूद पड़ीं। बूढ़ों ने टेकने की लाठियों में झण्डे लगाए और सत्याग्रह के शङ्ख-नाद पर मचल पड़े। बच्चों ने खेल छोड़ कर जेल की यातनाओं का सहर्ष आलिङ्गन किया,......परन्तु............!!

परन्तु देश का एक ऐसा भी कायर अकर्मण्य एवं पतित दल था, जिसके कानों पर जूँ तक नहीं रेंगी। देश की छाती पर कलङ्क एवं कालिमा की स्याही पोतने वाले कुछ कपूत ऐसे भी थे, जिन्होंने रण-भेरी सुन कर अपने कान बन्द कर लिए; कुछ ऐसे भी युवक नामधारी नपुंसक थे, जिनके लिए मानो देश में कुछ हो ही नहीं रहा था, और जब उनकी निर्लज्ज आँखों के सामने असहाय, निरीह, निर्दोष नागरिकों पर, जिनमें असंख्य बच्चे और स्त्रियाँ थीं; जब लाठियों और गोलियों की वर्षा हो रही थी, जब देश के आत्म-सम्मान को रौंद कर हमारी स्वतन्त्रता के विरोधी हमें सब प्रकार से नीचा दिखाने की धुन में थे, उस समय देश में एक ऐसा भी समाज था, जो सरकारी नौकरियों का स्वप्न देख रहा था; जिसे अपनी माँ-बहिनों की इज़्ज़त से बढ़ कर चन्द चाँदी के टुकड़ों का महत्व कहीं अधिक प्रतीत होता था, जिसके सामने देश के बनने-बिगड़ने का प्रश्न उतना गम्भीर नहीं था, जितना अपने निजी स्वार्थपूर्ण वासना एवं पतन में सने हुए जीवन की भावी मृग-तृष्णाओं का! एक ओर देश युद्ध में संलग्न होकर जीवन और मृत्यु के प्रश्न के निर्णय में व्यस्त था, दूसरी ओर कायर कपूत—माँ के दूध की लाज अपने विरोधियों के चरणों में समर्पित कर रहे थे! उधर माँ-बहिनों की इज़्ज़त ख़तरे में थी, इधर शेक्सपियर, शेली और बायरन की चर्चा छिड़ी हुई थी; उधर देश की स्वतन्त्रता का इतिहास अपनी 'इति' पर पहुँचने के लिए हिलोरें ले रहा था, इधर डिप्टीगिरी का प्रार्थना-पत्र तैयार किया जा रहा था; उधर विदेशी वस्त्रों की पिकेटिङ्ग पर हमारे कई लाड़ले सिपाहियों के सिर पर लाठियाँ बरस रही थीं, इधर 'बड़े साहब' से मिलने के लिए ख़ास विलायत के बने हुए कपड़े का सूट तैयार कराया जा रहा था! वह पतित समाज, कहते दुख होता है, हमारा विद्यार्थी-समाज ही था!!

विद्यार्थी-समाज का यह कलङ्क कभी भी नहीं मिट सकता। उसने अपने मुख पर यह कलङ्क आप ही पोत लिया है। देश-द्रोह के इस महापाप का कोई प्रायश्चित्त नहीं। महायुद्ध के समय जब इङ्गलैण्ड जर्मनी से पूरी तरह पार नहीं पा सकता था, इङ्गलैण्ड के स्कूल-कॉलेज बन्द कर दिए गए थे और विद्यार्थी तथा अध्यापक युद्ध में जुट पड़े थे। उन सभी देशों में, जहाँ स्वतन्त्रता मिली है, जापान, आयर्लैण्ड, इटली आदि सभी जगह, देश के शिक्षित नवयुवक आगे बढ़ते हैं और ऐसे अवसरों पर युद्ध की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं; परन्तु इसके ठीक विपरीत जब भारतवर्ष में युद्ध का शङ्खनाद हुआ हमारे पढ़े-लिखे नौजवान कायरता की चादर ओढ़े अपने बन्द कमरों में अपने भावी जीवन की आशा के सुनहले स्वप्न देख रहे थे। हम क्या यह पूछ सकते हैं, कि उस शिक्षा से देश को क्या लाभ हुआ जो जवानों की धमनियों में नपुंसकता लाकर उन्हें सदा के लिए निर्वीर्य और तेजहीन कर मनुष्यत्व से पतित, महापतित कर शैतान के हाथों की कठपुतली बना छोड़ती है? क्या ऐसे ही नपुंसक युवकों की इस दयनीय शिक्षा का दारुण परिणाम देख कर हम सहज ही इस निर्णय पर नहीं पहुँच सकते, कि हमारे विरोधियों के उस विष-वृक्ष में फल आने लगे हैं, जिसे हमारी स्वतन्त्रता के निश्चित विरोधियों ने अपना शासन दृढ़ एवं पराजित भारत की नवीन पीढ़ी के मस्तिष्क को विषाक्त तथा पतित बनाने के लिए आज से सौ वर्ष पूर्व बोया था और जिसकी अभिव्यक्ति लॉर्ड मेकॉले ने सन् १८३५ के अपने लिखित बयान में दिया है :—

"We must do our best to form a class, who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, words and intellect."

अर्थात्—"हमें भारत में इस तरह की एक श्रेणी पैदा कर देने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए जो कि हमारे और उन करोड़ों भारतवासियों के बीच, जिन पर हम शासन करते हैं, समझाने-बुझाने का काम करें; ये लोग ऐसे होने चाहिएँ जो कि केवल रक्त और रङ्ग की दृष्टि से हिन्दोस्तानी हों, किन्तु जो अपनी रुचि, भाषा, भावों और विचारों की दृष्टि से अङ्गरेज़ हों।"

सर चार्ल्स ट्रेवेलियन ने अङ्गरेज़ी शिक्षा का उद्देश्य बताते हुए कहा था :—

"..... Now my belief is that the ultimate result of the policy of improving and educating India will be, to postpone the separation for a long—indefinite period."

अर्थात् "× × × मुझे विश्वास है कि भारतवासियों को शिक्षा देने का अन्तिम परिणाम यह होगा कि भारत तथा इङ्गलिस्तान का पृथक हो सकना दीर्घ तथा अनिश्चित काल के लिए टल जायगा।"

ठीक ऐसे ही विचार बेण्टिङ्क के भी हैं। भारतवर्ष में वर्त्तमान अङ्गरेज़ी शिक्षा के प्रचार का एकमात्र उद्देश्य यह था, कि भारत के ऊपर इङ्गलैण्ड के राजनीतिक प्रभुत्व को अनन्त काल तक क़ायम रक्खा जाय! आज तक अङ्गरेज़ी शिक्षा पाए हुए भारतवासियों के जीवन—उनके रहन-सहन और चरित्र से स्पष्ट है कि लॉर्ड मेकॉले और सर चार्ल्स ट्रेवेलियन की नीति कितनी दूरदर्शिता-पूर्ण थी; और जो देश लगभग डेढ़ सौ वर्ष पूर्व तक संसार के शिक्षित देशों की अग्रतम श्रेणी में गिना जाता था, वह डेढ़ सौ वर्ष के विदेशी शासन के बाद अब 'सभ्य' कहाने वाले देशों में सब से अधिक पिछड़ गया है! हम देखते हैं, हमारे दुश्मनों की मुरादें पूरी हुईं, उनके मन-सूबे फले और आज हम देखते हैं कि इस दूषित शिक्षा के अत्यन्त दयनीय प्रभाव से हमारे युवक बच नहीं सके और जब देश ने स्वतन्त्रता की पुकार की थी, जब आगे बढ़ कर अपने को होम कर देने का शुभ अवसर आया था, जब अपनी निजी लालसाओं एवं आकांक्षाओं को देश के नाम पर क़ुर्बान करना था; जब आत्म-समर्पण एवं सर्वस्व-त्याग की सुन्दर अनमोल घड़ियाँ युद्ध के रूप में विजय का सन्देश सुनाने आई थीं, हमारे अभागे देश के पढ़े-लिखे युवक कान में तेल डाल कर सो रहे थे और जब जगे भी तो केवल 'सरकारी-नौकरी' के सुनहले स्वप्न में फिर डूब जाने के लिए!! देश की छाती पर पतन का ऐसा भयङ्कर ताण्डव? देश के शिक्षित नवयुवकों की ऐसी अकर्मण्यता!!

सत्याग्रह-संग्राम में विद्यार्थियों को न आते देख, उन पर दया तो अवश्य आती थी, परन्तु वर्तमान शिक्षा-

प्रणाली की विष भरी नीति का अनुमान कर आश्चर्य नहीं होता था ! इन पंक्तियों के लेखक को भारतवर्ष की सब से बड़ी युनिवर्सिटी में अपने जीवन का सब से सुन्दर और अधिक समय बिताने का मौक़ा मिला है। हमने 'राष्ट्रीय' विश्वविद्यालय नाम से सम्बोधित की जाने वाली भारतवर्ष की सब से बड़ी शिक्षा-संस्था काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए विद्यार्थियों की दिन-चर्या को बहुत नज़दीक से अध्ययन किया है ! हम जानते हैं, देश के अधिकांश व्यक्ति जानते हैं, वहाँ राष्ट्रीय भावनाओं के विकास का अनुकूल वातावरण है, वहाँ प्रकृति का बहुत ही सुन्दर एवं अभिराम दृश्य है, वहाँ देश की जागृति की एक-एक धड़कन बड़ी सूक्ष्मता से सुनी जा सकती है; वहाँ के सुन्दर वायु-मण्डल में आचार्य ध्रुव एवं, महर्षि मालवीय जैसे तपस्वी विख्यात हैं। फिर भी वहाँ के विद्यार्थियों की दिनचर्या वैसी ही Machine-made है, जैसी अन्यत्र। समय का अधिकांश अपने शरीर के श्रृङ्गार पर नष्ट किया जाता है। रात-दिन फ़ैशन की नई-नई तरकीबें सोची जाती हैं। जीवन और विचारों में मौलिकता का सर्वथा अभाव हो जाता है; आचरण की सभ्यता पर ध्यान देने की आवश्यकता ही महसूस नहीं की जाती, नैतिक पतन अपनी पराकाष्ठा पर आकर वहीं ठहर जाता है, सरकारी नौकरियों के सुख-स्वप्न में रात-दिन कटती है......फिर ऐसी शिक्षा का यह कुत्सित परिणाम, जो हम देख रहे हैं, अवश्यभावी है। वर्तमान शिक्षा हमारे आचरण, हमारे चरित्र-बल, नैतिक दृढ़ता, आदर्श एवं सभ्यता की जड़ को काट रही है। हम जानते हैं, किस प्रकार आज-कल के कॉलेज के अधिकांश विद्यार्थी 'कवि' बन जाते हैं, किस प्रकार अपने पापपूर्ण वासनाओं एवं कुत्सित, कलुषित, कलङ्कपूर्ण कुचेष्टाओं को सुन्दर शब्दों में सजा कर 'अनन्त की ओर' की तानें भरने लगते हैं। होस्टलों के बन्द कमरों के रङ्ग-रहस्य के पापपूर्ण अभिनय से भी हम परिचित हैं। हम जानते हैं विद्यार्थी-समाज में ८० प्रतिशत व्यक्ति अनैसर्गिक प्रेम एवं अनैसर्गिक सम्बन्ध में घुल रहा है ! प्रेम के नाम पर किस प्रकार वासना और व्यभिचार का भयङ्कर ताण्डव होस्टलों के इन 'अन्तःपुर' में हो रहा है; किस प्रकार इस पाप के दारुण अभिनय में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों लिप्त हैं, किस प्रकार 'सुन्दर' बनने और कहलाने की भयङ्कर चेष्टा में विद्यार्थी अपने दरिद्र किसान माता-पिता की गाढ़ी-कमाई स्वाहा करते हैं; अपने कङ्गाल माता-पिता की रूखी रोटी और रूखा साग भूल कर अपने 'वेज़लीन' और 'स्नो' में अपना धन बहा रहे हैं, किस प्रकार बाह्य सौन्दर्य के विकास के लिए अन्तस्थल का पुण्य लुटाया जाता है, आकर्षण के जादू पर पाप का सौदा होता है—यह सब हम भली-भाँति जानते हैं। फिर ऐसे 'नरक के कीड़ों' में आत्म-सम्मान, आत्म-गौरव, देश-प्रेम का न होना हमारे लिए कोई आश्चर्य-जनक नहीं। भगवान का बहिष्कार तो बड़ी सुगमता से हो ही जाता है, फिर उस उलझन में व्यर्थ क्यों फँसा जाय ? वर्तमान विद्यार्थी-समाज में अधिकांश व्यक्ति यह विश्वास करते हैं कि ईश्वर मनुष्य की सृष्टि है, मनुष्य ईश्वर की सृष्टि नहीं। देश-भक्ति के लिए समय ही कहाँ है ? कमरे में जाकर देखिए तो विदेशी रमणियों के नङ्गे चित्र बड़ी सजावट के साथ, लगे हुए हैं। पुस्तकें भी वही सुहाती हैं, जिनमें वीभत्स श्रृङ्गार का विशद वर्णन हो। पत्र-पत्रिकाओं में अध्ययन या देखना जो कुछ समझिए स्त्रियों के चित्रों तक का ही है। गम्भीर लेखों को देख कर पसीना आ जाता है। रामायण और गीता उनके लिए 'गड़ेरियों का गीत' है !

यह है हमारे देश के भावी भाग्य-विधायक शिक्षित विद्यार्थी-समाज का जीवित चित्र। इन कायर, नपुंसकों को संग्राम में न कूदते देख आपको इन पर दया अवश्य आ सकती है, पर आश्चर्य क्यों हो ? इनका नैतिक आचरण भ्रष्ट हो गया है, इनकी साधना मिट चुकी है, इनका गौरवपूर्ण इतिहास अतीत के गर्भ में विलीन हो गया.........और यह अत्युक्ति नहीं होगी, यदि हम कहें कि हमारी ग़ुलामी को क़ायम रखने वाले ये अभागे देश के कलङ्क, पृथ्वी के भार (So-called) शिक्षित युवक ही हैं। इनका पुरुषत्व लोप हो गया है, आत्माभिमान जैसी कोई चीज़ नहीं है—देश-गौरव से परिचित ही नहीं, स्वतन्त्रता की कल्पना स्वप्न में भी नहीं कर सकते। फिर ऐसे समाज को युद्ध में न आते देख हमें आश्चर्य क्यों हो ?

आज देश के आँगन में युद्ध की भेरी नहीं बजती, यह ठीक है, आज शङ्ख-घोष सुनने में नहीं आ रहा है, फिर भी युद्ध-काल से भी बढ़ कर हमारे कन्धों पर महत्वपूर्ण दायित्व का भार आ गया है—वह है देश के दरिद्र-नारायण का सङ्गठन, वह दरिद्र-नारायण हमें किसानों, अशिक्षितों, कङ्गालों, भिखमङ्गों के रूप में देश के एक छोर से दूसरे छोर तक दृष्टि-गोचर हो रहे हैं। उनकी रोटी-साग का प्रबन्ध करना है। वे स्वतः निराश्रित, गत-प्राण, निस्साधन और निरीह हैं। उनकी अन्तर्ज्योति नष्ट हो गई है, उनका आत्म-प्रकाश धूमिल हो गया है; वे चाहते हुए उठने में अशक्त हैं। आवश्यकता है उन्हें उठाने की। उनके जगते ही राष्ट्र की सदियों से सोई आत्मा जग जायगी, देश जग उठेगा, माता के हृदय में सोए हुए उल्लास जग पड़ेंगे और वही होगा राष्ट्र के नवजीवन का विशुभ्र अरुणोदय !!

इस पुनीत अनुष्ठान के लिए माता कातर दृष्टि से हम नवयुवकों की ओर देख रही है। हम कितने ही पतित क्यों न हो गए हों, माँ की दृष्टि अभी तक हम पर है, अब भी अपने अभ्युदय के उन्नायकों के रूप में वह अपने जवान बेटों की ओर देख रही है। हमें चर्ख़ों और खादी का सन्देश देश के कोने-कोने में फैला देना है, व्यावहारिक रूप में, क्रियात्मक रूप में। वही दरिद्र-नारायण का प्रश्न हल कर सकेगा।

विद्यार्थियों का कॉलेज-स्कूल में तो समय पुस्तकों से चिपटे रहने में बीतता ही है, अवकाश के समय का भी ख़ून वे बहुत बुरी तरह करते हैं। देश में कुछ ऐसे नवयुवक संन्यासियों, नौजवान फ़क़ीरों की ज़रूरत है जो देश के कल्याण में अपना कल्याण मिला दें, देश की उन्नति में अपनी उन्नति, देश के उत्थान में अपना उत्थान समझें। कुछ ऐसे मतवाले नौजवान हों जो देश के भाग्य ही के प्रश्न को अपने जीवन-मृत्यु का प्रश्न बना लें और देश की ग़ुलामी की कड़ियाँ तोड़ने में ही अपने जीवन की सार्थकता समझें—उसी में अपने को मिटाने के लिए आगे बढ़ें, अपने को होम कर दें। आज़ादी का सौदा बड़ा मँहगा होता है, प्राणों की बाज़ी पर इसके लिए चेष्टा करनी होती है—क्या हम आशा कर सकते हैं, कि ये ग़ुलामी और व्यभिचार को प्रश्रय देने वाली वर्तमान यूनिवर्सिटियों के नरक-कुण्ड से ऐसे कुछ युवक-रत्न निकलेंगे जो युवक विद्यार्थी-समाज के इस अत्यन्त महत्वपूर्ण दायित्व को अनुभव करते हुए देश के कल्याण के लिए आगे बढ़ेंगे और गत युद्ध-काल में लगे हुए विद्यार्थियों के कलङ्क की टीका को मिटाने की कोशिश करेंगे ? देखना है विद्यार्थी-समाज अपने दायित्व को कहाँ तक समझता है ?

* * *

फाँसी की सज़ा

पाठकों को यह जान कर अत्यन्त हर्ष होगा कि नेपाल के महाराजाधिराज भीम शेरजङ्ग बहादुर राणा ने अपने राज्य में पाँच वर्ष के लिए फाँसी की सज़ा स्थगित कर दी है और विश्वास दिलाया है, कि ऐसा करने से यदि अपराधों की संख्या में कमी हुई और राज्य का नैतिक आचरण पहले की अपेक्षा पवित्र एवं उन्नत हुआ तो नेपाल राज्य से प्राण-दण्ड की व्यवस्था सदा के लिए उठा दी जायगी। महाराजा साहब ने इस सम्बन्ध में सैनिक-क़ानून और राज्य-द्रोह के अपराधों के लिए प्राण-दण्ड को अपवाद रूप में रक्खा है। महाराजा साहब की इस आज्ञा का हम हृदय से अभिवादन करते हैं और आशा करते हैं कि दूसरे-दूसरे राष्ट्र भी इस दूरदर्शिता एवं विवेकशीलता का अनुकरण करेंगे। अस्तु—

यहाँ पाठकों की जानकारी के लिए हम यह भी बतला देना चाहते हैं कि एक बार श्री० गयाप्रसादसिंह ने हमारी केन्द्रीय धारा-सभा में फाँसी की सज़ा उठा देने के लिए एक बिल पेश किया था जिसे सरकार ने अव्यावहारिक कह कर सारतः अस्वीकार कर दिया था। कुछ दिन हुए ब्रिटिश पार्लामेण्ट ने एक विशिष्ट समिति नियुक्त कर प्राण-दण्ड के सम्बन्ध में जनता की राय जाननी चाही थी और उस कमिटी ने यह परामर्श दिया था कि परीक्षा-रूप में फाँसी की सज़ा पाँच वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाय और यह विश्वास दिलाया था कि इसका परिणाम बहुत ही सन्तोषजनक होगा, परन्तु पार्लामेण्ट ने उसे भी अस्वीकार कर दिया !

प्राण-दण्ड की व्यवस्था के विरुद्ध जितना कहा जाय, थोड़ा ही है। किसी भी दण्ड का नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक महत्व उस व्यक्ति के सुधार में है। प्रतिकार एवं स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर किसी भी अपराध का जो कुछ भी दण्ड निर्धारित किया जाता है, उसका परिणाम दारुण, भयावह एवं असन्तोषजनक होता है। प्राण-दण्ड की प्रथा कितनी अमानुषिक, लज्जास्पद और किसी भी सभ्य सरकार के लिए निन्दनीय है, इसकी कल्पना करना कठिन ही नहीं, वरन् एकान्ततः असम्भव है। प्राण-दण्ड के गर्भ में प्रतिकार की भावना अपने अत्यन्त विकराल रूप में सम्मिलित रहती है। उसमें प्रतिहिंसा, सत्यानाश एवं दयनीय दमन का भयङ्कर ज्वालामुखी छिपा हुआ रहता है। प्राण-दण्ड में अपराधी के नैतिक एवं आचरण-सम्बन्धी सुधार का भाव रञ्च मात्र भी नहीं है—इसे कोई भी विवेकशील व्यक्ति अस्वीकार नहीं कर सकता।

मानव-जीवन का मूल्य वही आँक सकता है, जिसने इसकी सृष्टि की है। विधाता की इस सुन्दर सृष्टि की एक अनमोल जान को, जिसे संसार की सारी शक्ति एवं पराक्रम निर्माण नहीं कर सकते, केवल इसलिए कि वह स्थान, समय एवं परिस्थितियों से बाध्य होकर हमारी स्थूल दृष्टि में एक महाभयङ्कर अपराध कर बैठा है, फाँसी की डोरी में झुला देना कितना करुण, कितना पैशाचिक एवं कितना बर्बरतापूर्ण है, इसे सहज ही सभी समझ सकते हैं। सभ्य कहलाने वाली कोई भी सरकार कम से कम न्याय एवं प्रजा-हितैषिता के नाम पर इस नारकीय अभिनय को एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती ! इसका परिणाम भी जो कुछ होता है, इस प्रथा से जो सुधार (!) हो रहा है वह भी प्रत्यक्ष ही है ! भगतसिंह, राजगुरु, हरिकिशन एवं दिनेश को फाँसी पर लटका कर यह 'न्याय और क़ानून' से प्रतिष्ठित ब्रिटिश सरकार अपने राज्य की नींव अपने ही

हाथों किस प्रकार खोद रही है, उसे समझना कठिन नहीं है।

सभ्यता एवं न्याय की बात कौन कहे, केवल मनुष्यता के नाम पर भी ऐसे दारुण दण्ड-विधान का हम समर्थन नहीं कर सकते। जो मनुष्य-जीवन की सृष्टि नहीं कर सकता, उसे उस जीवन को नष्ट कर देने का कोई भी अधिकार नहीं, जो शक्ति प्राण-दान नहीं कर सकती वह उस प्राण का अपहरण भी नहीं कर सकती, उसे यह अधिकार प्राप्त ही नहीं कि किसी भी अपराध का प्रतिकार प्राण-दण्ड से कर सके।

इस दशा में हम नेपाल-सरकार और नेपाल महाराज के इस प्रशंसनीय कार्य का अभिवादन करते हुए भारत-सरकार का ध्यान नेपाल महाराज के इस आदर्श कार्य की ओर आकर्षित करते हैं। साथ ही हमें इस बात से लज्जा है कि हमारा पड़ोसी नेपाल इस मानवी-आदर्श में हमसे इतना आगे बढ़ गया; क्या हमारी इस परवशता का एकमात्र कारण हमारी ग़ुलामी ही नहीं है?

■ ■ ■

बर्मा ऑर्डिनेन्स

बर्मा ऑर्डिनेन्स लॉर्ड विलिङ्डन का पहला ऑर्डिनेन्स है। नाम में तो वह मॉर्शल लॉ नहीं है; परन्तु प्रयोग में वह उससे कम भयानक और कम आतङ्कजनक प्रमाणित होने वाला भी नहीं है। अब तक जितने असाधारण अधिकारों द्वारा बर्मा का शासन किया जा रहा था वे यथेष्ट नहीं समझे गए। फ़ौजों द्वारा सम्पूर्ण बर्मा-प्रदेश ढक दिया गया, अनेकों को असाधारण अदालतों द्वारा फाँसी की सज़ाएँ दे दी गईं और सहज ही भावुक बर्मियों के सामने सरकार की ओर से आतङ्कजनक प्रदर्शन किए गए; परन्तु विद्रोह शान्त न हो सका। एक ओर असङ्गठित, साधनहीन, जङ्गलों में छिपे-छिपे फिरने वाले विद्रोही हैं दूसरी ओर सम्पूर्ण आधुनिक साधनों से सम्पन्न ब्रिटिश सरकार की साम्राज्य शक्ति है! ऐसी बेजोड़ की शक्तियों का मुक़ाबला इतने समय तक बराबर जारी रहना, वास्तव में बड़े आश्चर्य की बात है। यदि इस देश की नौकरशाही को अपनी शक्ति का अनुचित अभिमान न होता तो सम्भवतः इतने समय तक दमन के ज़बर्दस्त उपायों के प्रयोग कर लेने के बाद वह एक बार गम्भीरतापूर्वक उन कारणों पर अवश्य विचार करती, जोकि बर्मा विद्रोह को इतने प्रबल दमन के सामने भी क़ायम किए हुए हैं। यह न करके उसने दमन के उसी उपाय को अधिक प्रबल कर देने का विचार किया है जो कि अब तक असफल प्रमाणित हुआ है। बर्मा-विद्रोह देश की ग़रीबी और विदेशियों के लगातार अर्थ-शोषण का एक स्वाभाविक क्रम-विकास है। इसे ऑर्डिनेन्सों और फ़ौजी क़ानूनों द्वारा रोकने का प्रयत्न करना निरर्थक है। परन्तु हृदयहीन नौकरशाही के पुर्ज़ों को प्राचीन परम्परा से अलग होकर सोचने की शक्ति ही कहाँ है?

लॉर्ड विलिङ्डन ने बर्मा के लिए जिस ऑर्डिनेन्स की घोषणा की है और उसके अनुसार सरकारी अफ़सरों को जो अधिकार दिए गए हैं, उन्हें देखने के बाद यह प्रश्न उठता है कि बर्मा में नौकरशाही क्या नहीं कर सकती?

बर्मा-ऑर्डिनेन्स में 'विद्रोही' की परिभाषा ऐसी व्यापक है कि कोई भी व्यक्ति विद्रोही क़रार दिया जा सकता है। ताज़ीरात हिन्द की दफ़ा १२१,१२१-ए,१२२ या १२३ के अनुसार अपराध करने वाले तो विद्रोही समझे ही जायँगे; परन्तु साथ ही वे लोग भी विद्रोही समझे जायँगे, जिनके विरुद्ध सरकार की फ़ौज या पुलीस अमन और क़ानून की रक्षा के लिए कोई कार्रवाई कर रही है! सरकारी आदमियों को, बिना वारण्ट के गिरफ़्तारी करने और उद्दण्ड व्यक्तियों को क़ाबू में करने का अधिकार रहेगा। गिरफ़्तारी करने के समय सरकारी आदमी जो उपाय आवश्यक समझें, प्रयोग कर सकते हैं। यह सन्देह हो जाने पर, कि किसी व्यक्ति ने विद्रोह की किसी प्रकार से सहायता पहुँचाई है या सहायता पहुँचाने की इच्छा की है, उसे लिखित आज्ञा द्वारा उसके रहने के स्थान से हटा देने और किसी विशेष स्थान में रहने के लिए बाध्य करने का अधिकार रहेगा! किसी की ज़मीन, उसके मकान या किसी सड़क को ज़ब्त कर लेने और फ़ौजी उपयोग में लाने का सरकार को अधिकार रहेगा। किसी भी बिल्डिङ्ग, वृक्ष या झाड़ी को गिरा देने और उसके स्थान पर फ़ौजी अड्डों के क़ायम करने का अधिकार रहेगा। किसी की—जिस सम्पत्ति को भी सरकार चाहे, लिखित आज्ञा द्वारा अपने क़ब्ज़े में कर सकती है। अर्ज़ी देने पर मैजिस्ट्रेट जो उचित समझे, उसका हर्जाना दे सकता है। मैजिस्ट्रेट जो हर्जाना निश्चय करेगा उसकी कहीं कोई अपील न हो सकेगी।

तार, डाकख़ाना आदि की कोई भी ख़बर बीच में रोक ली जा सकती है। समाचार-पत्र बिना सरकार को दिखलाए विद्रोह के सम्बन्ध में ऐसी कोई भी बात न छापेंगे, जिससे सरकार की प्रजा में परस्पर विद्वेष बढ़ने की सम्भावना हो। इसके लिए सरकार पत्रों से २ हज़ार रुपए तक की ज़मानत ले सकती है।

किसी भी सरकारी नौकर को उसके भड़काने वाले व्यक्ति को एक साल तक की सज़ा दी जा सकती है। इसी प्रकार विद्रोहियों को शरण देना या किसी भी प्रकार से ग़लत ख़बरें फैलाना दण्डनीय माना गया है।

सारांश यह कि इस ऑर्डिनेन्स के अनुसार बर्मा में सरकार जो चाहे वह कर सकती है। अपराधी होने के लिए केवल सन्देह मात्र यथेष्ट है। विद्रोहियों की सहायता की हो या न की हो, केवल सहायता की इच्छा मात्र दण्डनीय है। कोई भी व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कोई सैनिक या पुलीस का व्यक्ति हो, विद्रोही क़रार दिया जा सकता है। कोई भी वस्तु ज़मीन, जायदाद एक लिखित आज्ञा मात्र से ज़ब्त की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को कोई स्थान छोड़ देने और किसी स्थान-विशेष में रहने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सरकार चाहे तो किसी भी व्यक्ति के मकान की कोई भी चीज़ ले सकती है। अर्ज़ी देने पर मैजिस्ट्रेट जितना हर्जाना उचित समझेगा, दे देगा। उसकी कोई अपील न हो सकेगी!!

इतने पर भी लॉर्ड विलिङ्डन साहब ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वैध राजनीतिक कार्यों पर कोई बाधा नहीं डाली जायगी। जहाँ कोई विधि ही नहीं, वहाँ वैध क्या हो सकता है? जहाँ सरकार जो चाहती है वही विधि है, वहाँ इस बात का निश्चय करना ही कठिन है कि कौन सा कार्य वैध राजनीतिक कार्य है। लॉर्ड विलिङ्डन साहब ने यह भी कहा है कि सरकार की ओर से सहायता देने वाले कार्य जारी रहेंगे।

वास्तव में यह ग़रीबी का उपहास है। एक ओर तो सरकारी आश्वासन के कारण बेचारे विद्रोही आत्म-समर्पण कर रहे हैं दूसरी ओर ऑर्डिनेन्स निकाले जाते हैं। इसका रहस्य नहीं मालूम पड़ता कि क्या है। क्या सरकार बर्मा को फ़ौजी अड्डा बनाना चाहती है?

❀ ❀ ❀

बङ्गाल के पुलीस विभाग की रिपोर्ट

सन् १९३० की बङ्गाल पुलीस शासन की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसमें सन् १९२२ और सन् १९३० के अपराधों की तुलना करके यह दिखलाने का प्रयत्न किया गया है कि राष्ट्रीय आन्दोलन के बाद जैसे सन् १९२२ में अपराधों की संख्या पहले की अपेक्षा अधिक हो गई थी, उसी प्रकार सन् १९३० के राष्ट्रीय आन्दोलन में अपराधों की संख्या अधिक हो गई थी!

'पायोनियर' के कथनानुसार रिपोर्ट में कहा गया है, कि सन् १९३० में उपद्रवों की संख्या ७९५ से १,६०८ हो गई, हत्याओं की संख्या ५०० से ६०१, डकैती की संख्या ६९३ से १,१०३ और लूट की ३८६ से ५२३ हो गई थी। गवर्नर-इन-कौन्सिल ने रिपोर्ट में अपनी राय देते हुए कहा है कि इन संख्याओं की अधिकता का मुख्य कारण सविनय अवज्ञा आन्दोलन रहा है! आर्थिक परिस्थिति का भी कुछ प्रभाव पड़ा है; परन्तु सविनय अवज्ञा के सिद्धान्तों का साल भर तक का लगातार प्रचार इसका मुख्य कारण रहा है। आपका कहना है कि बङ्गाल में अशान्त राजनीतिक परिस्थितियों के साथ ही साथ देखा गया है कि हिंसात्मक और डकैतियों के अपराधों की संख्या अनिवार्य रूप से बढ़ जाया करती है! अपने इस अनुमान के समर्थन में आपने सन् १९२२ के अपराधों की संख्याओं का ज़िक्र किया है। आपके कथनानुसार उस सन् में डकैती, लूट और उपद्रव की संख्याओं में पहले की अपेक्षा ५५,३४ और ३६ फ़ी सदी के हिसाब से अधिकता हो गई थी।

अपराधों की संख्या में अधिकता का मुख्य कारण सरकार ने अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय आन्दोलन बतलाया है! वास्तव में इन अपराधों की संख्या में अधिकता का मुख्य कारण वर्तमान शासन-प्रणाली ही है। राष्ट्रीय आन्दोलन के अवसरों पर अपराधों की संख्याओं में अधिकता हो जाने का कारण यह मालूम होता है कि पुलीस उस समय जितनी शक्ति शान्त जुलूसों को रोकने, उन्हें एक सड़क से न जाने देकर किसी दूसरी सड़क से जाने देने के लिए बाध्य करने और सभाओं को लाठियों द्वारा भङ्ग करने आदि के छोटे-छोटे कार्यों में व्यय करती है, उतनी उस समय चोरी, डकैती आदि कार्यों के रोकने में नहीं व्यय करती। राष्ट्रीय आन्दोलन के समय नौकरशाही अपनी झूठी शान की रक्षा में ही व्यस्त रहती है। चोरी और डकैतियों से प्रजा की रक्षा करने की अपेक्षा उस समय दिन-रात लॉरियों में दूर-दूर से राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को बन्द करके शहरों में बराबर भेजना अधिक उचित समझा जाता है।

उस समय बड़े-बड़े बदनाम बदमाश उतने ख़तरनाक नहीं समझे जाते, जितने कि शान्ति के साथ कार्य करने वाले समाज के उत्तरदायी नागरिक समझे जाते हैं। राष्ट्रीय आन्दोलन के अवसरों पर अपराधों की ओर से ऐसी बेपरवाही होने पर यदि अपराधों की संख्या बढ़ जाय तो आश्चर्य की बात नहीं है। यदि इन अपराधों की अधिकता का सम्बन्ध राष्ट्रीय आन्दोलन से होता तो इतने बड़े देश में उपद्रवों, चोरियों, डकैतियों आदि की संख्याएँ केवल कुछ सैकड़े के हिसाब से न बढ़तीं, बल्कि इतनी अधिक बढ़ती कि जिनकी संख्या का अनुमान लगाना भी कठिन था। राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रभाव सदैव ही अपराधों के कम करने में ही प्रकट हुआ है।

सार्वजनिक हित-रक्षा के लिए प्रजा के प्रति उत्तरदायी न होने के कारण पुलीस आन्दोलन के बाद प्रजा के प्रति प्रतिहिंसा का व्यवहार प्रारम्भ कर देती है। कहीं कोई सार्वजनिक अशान्ति, चोरी, डकैती या लूट

होने पर वह अपने कर्तव्य-पालन में उतना उत्साहित नहीं होती, जितना कि उसे होना चाहिए।

आन्दोलन के बाद सार्वजनिक उपद्रव आदि के अवसरों पर सरकार से सहायता की प्रार्थना करने पर सरकारी कर्मचारियों की ओर से बराबर यही ध्वनि उठती है कि 'कॉङ्ग्रेस' और 'गाँधी' से सहायता माँगो, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या नौकरशाही की ऐसी मनोवृत्ति के समय यदि चोरी-डकैती सार्वजनिक उपद्रव आदि अपराधों की संख्या अधिक हो जाय, तो कोई आश्चर्य की बात है?

अपराधों की संख्या की अधिकता के विषय में एक बात और भी विचारणीय है। आन्दोलन के समय अनेक स्थानों में शान्तिमय पिकेटिङ्ग करने वालों पर पिकेटिङ्ग का अपराध न लगा कर डकैती आदि के अपराध लगाए गए हैं। ऐसी परिस्थिति में भी अपराधों की संख्या में अधिकता के लिए उत्तरदायी सरकार ही है, राष्ट्रीय आन्दोलन नहीं।

❀ ❀ ❀

काश्मीर और मुसलमान

काश्मीर की एक साधारण घटना को बढ़ा कर साम्प्रदायिक मुसलमानों ने उसे एक देश-व्यापी समस्या का स्वरूप प्रदान कर दिया है। ऐसी अनेक सभाएँ हो चुकी हैं, जिनमें काश्मीर की परिस्थिति पर विचार किए बिना ही काश्मीर के शासन के विरुद्ध निराधार दोषारोपण किए गए हैं। काश्मीर के कुछ उच्छृङ्खल मुसलमानों ने किस प्रकार क़ानून को अपने हाथ में लेकर एक साधारण अपराध के मामले में विचाराधीन मुसलमान को जेल से छुड़ाने के लिए हज़ारों की संख्या में जेल पर धावा किया, और जगह-जगह उपद्रव किया, इसका बिल्कुल भी विचार न करके, केवल इस ख़्याल से, कि काश्मीर हिन्दू रियासत है और प्रजा अधिकांश में मुसलमान है, साम्प्रदायिक मुसलमानों ने एक स्वर से उसकी निन्दा करना प्रारम्भ कर दिया है। इलाहाबाद में मुस्लिम कॉन्फ़्रेन्स और जमायतउल-उलेमा के अधिवेशनों में इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास किए गए हैं, वे वास्तव में बड़ी नीच मनोवृत्ति के परिचायक हैं। मुस्लिम कॉन्फ़्रेन्स ने एक प्रस्ताव द्वारा काश्मीर-निवासी मुसलमानों के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए एक अखिल भारतवर्षीय कमिटी स्थापित की है। जमायत-उल-उलेमा के प्रस्ताव में कहा गया है कि ब्रिटिश गवर्नमेण्ट काश्मीर के महाराज से काश्मीर की मुसलमान प्रजा को पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता देने और १३ जून को मुसलमानों की हत्या करने के ज़िम्मेदार समझे जाने वाले अफ़सरों को दण्ड देने और उपद्रव के सम्बन्ध में गिरफ़्तार हुए सब मुसलमान अभियुक्तों को छोड़ देने के लिए कहे। इसके साथ ही जमायत-उल-उलेमा ने १४ अगस्त को उपर्युक्त प्रदर्शन करने के लिए "काश्मीर-दिवस" मनाने का भी निश्चय किया है। उपरोक्त प्रस्ताव, वर्तमान परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए कितना घातक सिद्ध हो सकता है, इसकी कल्पना सहज ही में की जा सकती है।

काश्मीर-नरेश ने मुसलमानों के किन अधिकारों को छीन लिया है या उनके किन अधिकारों पर हस्तक्षेप किया है जिनकी रक्षा के लिए अखिल भारत-वर्षीय काश्मीर कमिटी बनाने की आवश्यकता पड़ी है? काश्मीर राज्य ने मुसलमानों की किस धार्मिक स्वतन्त्रता का अपहरण किया है, जिसके लिए जमायत-उल-उलेमा ने ब्रिटिश सरकार से मुसलमानों की पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए प्रार्थना की है? उपद्रव के सम्बन्ध में गिरफ़्तार हुए मुसलमानों को छोड़ देने के लिए काश्मीर-नरेश से न कह कर ब्रिटिश सरकार से कहना बिल्कुल अविचारपूर्ण है। राज्य के आन्तरिक मामलों में जिनमें विचाराधीन अभियुक्तों पर राज्य की ओर से न्यायालय में विचार हो रहा है ब्रिटिश सरकार सब मुसलमानों को छोड़ देने के लिए काश्मीर राज्य को बाध्य करना उचित नहीं समझ सकती।

काश्मीर शासक के विषय में आवश्यकता से अधिक उत्साह प्रकट किया जाना और एक निराधार और अनुचित पक्ष को लेकर देश-व्यापी आन्दोलन खड़ा कर देना काश्मीर राज्य के विरुद्ध एक रहस्यमय षड्यन्त्र का सन्देह उत्पन्न करता है। इस षड्यन्त्र में उन सभी लोगों का सहयोग हो सकता है जो इस देश को मुस्लिम भारत और हिन्दू भारत में विभाजित कर देना चाहते हैं या जो लोग रियासतों में भी साम्प्रदायिकता फैला देना चाहते हैं, हम देख रहे हैं, दिनोंदिन काश्मीर का प्रश्न भी ठीक अफ़ग़ानिस्तान तथा बर्मा के समान गम्भीर हुआ जा रहा है।

* * *

फाँसी का दृश्य देखने वाले में किन गुणों की आवश्यकता है??

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की निन्दनीय मनोवृत्ति

"सहगल जी अवाञ्छनीय व्यक्ति हैं"

जब से भारत में अङ्गरेज़ी राज्य क़ायम हुआ है, तब से आज तक असंख्य व्यक्ति फाँसी पर लटकाए जा चुके हैं; किन्तु बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फाँसी का दृश्य देखा होगा। कहा जाता है कि इस देश में मनुष्य को फाँसी पर लटकाने का तरीक़ा बड़ा कष्टपूर्ण तथा अमानुषिक है। यह भी कहा जाता है कि कभी-कभी २० से ४० मिनिट तक मनुष्य के प्राण नहीं निकलते और भीतर ही भीतर उसका दम घुटा करता है। आज कल फाँसी पर लटकाए जाने की प्रथा यह है कि अभियुक्त के हाथ-पैर बाँध दिए जाते हैं और मुँह पर एक टोप पहना दिया जाता है। गले में छल्लेदार रेशम की डोरी एक ख़ास तरह के फन्दे के साथ डाल दी जाती है और जब जल्लाद तख़्ता खींचता है तो अभियुक्त एक बड़े झटके से नीचे बने हुए एक विशेष प्रकार के कुएँ में झूल जाता है और झटके से उसके रीढ़ की हड्डी (Back-bone) टूट जाती है, जिससे वह तुरन्त बेहोश हो जाता है। बहुतों के प्राण तुरन्त ही निकल जाते हैं; किन्तु प्रायः ऐसा भी देखा गया है कि २० से ४० मिनिट तक अभागा व्यक्ति जीता पाया गया है और इसी कारण से फाँसी की क्रिया समाप्त हो जाने पर 'लाश' पूरे १ घण्टे तक उस कुएँ में लटकी रहती है तब डॉक्टर उसकी परीक्षा करता है........। इत्यादि,

इन्हीं सब बातों की वास्तविकता जानने के लिए 'चाँद' तथा 'भविष्य' के अध्यक्ष श्री० सहगल जी ने १ली अगस्त को स्थानीय डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट को एक पत्र लिखा था जिसका आशय यह था, कि "एक तुच्छ पत्रकार होने के कारण मैं फाँसी का दृश्य देखने को उत्सुक हूँ, आपकी बड़ी कृपा होगी, यदि मुझे तथा मेरे एक सहयोगी श्री० नन्दकिशोर तिवारी को किसी भी फाँसी के दृश्य को देखने का अवसर प्रदान करें।" पत्र की नक़ल यह है :—

1st August, 1931

Dear Sir,

As an humble journalist I have always been curious to see how a man is hanged. I shall therefore feel extremely obliged to you if you be so good as to allow me and one of my colleagues Mr. N. K. Tewari to see any execution you think convenient and let me know the date and time.

Thanking you very much in advance.

Very truly yours,
(Sd.) R. SAIGAL

No. 2078/VII, Dated 3-8-31.

Sanctioned for next execution on Friday, at 5-30 A.M.

(Sd.) R. CLIFFORD
Lt.-Col. I. M. S.

इसी पत्र के नीचे डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने यह लिख कर कि "आज्ञा दे दी गई। आगामी फाँसी शुक्रवार को ५॥ होगी" पत्र सहगल जी को लौटा दिया। यह घटना ३री अगस्त की है। किन्तु बृहस्पतिवार की सन्ध्या को क़रीब चार बजे शाम को डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट लेफ़्टेनेण्ट-कर्नल आर० क्लिफ़र्ड ने (जिन्होंने 'आज्ञा' दे दी थी) टेलीफ़ोन पर कार्यालय के प्रधान मैनेजर से कहा कि "आप कृपया मि० आर० सहगल से कह दें कि मैंने फाँसी का दृश्य देखने के लिए जो स्वीकृति उन्हें दी थी, वह मैं वापस लेता हूँ, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की दृष्टि में वे सर्वथा अवाञ्छनीय (Most Undesirable) व्यक्ति हैं। मुझे इसका खेद है।" यह सन्देशा मुश्किल से सहगल जी के पास पहुँच पाया था कि एक चपरासी रसीद लेकर एक ख़त भी दे गया, पत्र डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट का था और उसका आशय लगभग वही था जो फ़ोन द्वारा कहा गया था, पत्र में इतना और भी जोड़ दिया गया था "कि मैं पुनः आपके आने की स्वीकृति दे सकता हूँ, यदि आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इस बात का विश्वास दिला सकें कि आप इस प्रकार की स्वीकृति दिए जाने के उपयुक्त पात्र हैं" पत्र का अविकल स्वरूप यह है :—

Civil Surgeon's Office, Allahabad

6th August, 1931

Sir,

I regret that I must withdraw the permission given to you to attend the execution of a condemned prisoner at the District Jail, tomorrow 7th August as I am advised that it is undesirable to permit you to do so.

I am willing to give you this permission if you can satisfy the District Magistrate that you are a suitable person to whom I can be advised to give permission.

I am,
Yours truly.
(Sd.) R. CLIFFORD

(शेष मैटर चौथे पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए)



लाल कुरता

[श्रीमती तेजरानी पाठक, बी० ए०]



"माँ! मुझे भी एक लाल कुरता बनवा दो। अब तो होली आ गई, सब लोग नए-नए कपड़े बनवा रहे हैं।"

"बेटा! यहाँ कपड़ा अच्छा नहीं मिलता, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कुरता ज़रूर बनवा देती।"

"वाह! ऐसे अच्छे-अच्छे कपड़े मिलते हैं, मेरे लिए कहीं कपड़ा ही नहीं मिलता! देखो, श्यामू का कुरता कैसा बढ़िया है।"

"तो जल्दी काहे की है मेरे बेटे! मैं तेरा कुरता सब से अच्छा बनवा दूँगी। कपड़ा तो आवे सब से अच्छा। तब तक धीरज रख।"

"माँ! मैं अब नहीं मानूँगा। तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूँगा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुरता बनवा दो।"

कहते-कहते मदन ने हठ पकड़ ली। सुलोचना अब अपने को और न रोक सकी। एक लम्बी साँस उसके मुँह से निकल पड़ी और साथ ही साथ आँखों से दो बूँद आँसू भी निकल कर उसके गालों पर बह आए। उसने जल्दी से अपनी आँखें पोंछीं और फिर बच्चे को बहलाती हुई बोली—बेटा! आज तो अब शाम हो गई। अभी जाकर खेलो। कल ज़रूर तुम्हारे लिए कुरता ला दूँगी।

बालक का मुँह प्रसन्नता से खिल गया और वह ख़ुशी-ख़ुशी उछलता हुआ खेलने के लिए झोंपड़ी से बाहर हो गया। उसकी प्रसन्नता देख कर सुलोचना अपने उमड़ते हुए भावों को न दबा सकी और झोंपड़ी के एक कोने में बैठ कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद, जब जी कुछ शान्त हुआ, तब वह उठी और बाहर से कुछ लकड़ियाँ बीन कर चूल्हा जलाने लगी। फिर उसने अपनी हँड़िया झाड़ी। बड़ी मुश्किल से मुट्ठी भर चावल मिला। सुलोचना ने और कोई उपाय न देख, उतना ही चावल बना लिया। परन्तु ख़ाली चावल, बिना दाल आदि के, मदन कैसे खाएगा, यह सोच कर उसने उनमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया।

चावल बना कर वह मदन की प्रतीक्षा करने लगी। उसके चेहरे पर मनोवेदना के स्पष्ट चिह्न दिखाई दे रहे थे, वह मन ही मन अपने दुर्दिनों के लिए रो रही थी।

इतने में मदन आ गया। आज उसका मन बाहर खेलने में नहीं लगा। माँ ने बड़े प्यार से नमकीन चावल उसे खिलाया और सोने के लिए फूस ठीक करने लगी। मदन ने माँ को सोने की तैयारी करते देख कर कहा—माँ! मैं तुम्हारे पास बैठूँगा। आज मुझे नींद नहीं आ रही है। तुम भी खा लो, फिर दोनों एक साथ ही सोएँगे।

माँ ने करुणा-भरी दृष्टि अपने भोले के बच्चे मुँह पर डाली और उसे बहलाने के लिए बोली—बेटा! मैं आज नहीं खाऊँगी। मुझे भूख नहीं है।

माँ का उत्तर सुन कर मदन को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला—माँ! तुमने सुबह भी तो कुछ नहीं खाया था। क्या तुमको कभी भूख नहीं लगा करती? मुझे तो ख़ूब लगती है।

माँ की आँखें डबडबा आईं। हृदय ने बच्चे को उत्तर दिया, तुम क्या जानो बेटा! ग़रीबों की भूख ऐसी ही होती है। जिस दिन उनके पास कुछ खाने को नहीं होता, उस दिन उन्हें भूख नहीं लगती!

अपने हृदय के उत्तर को अन्दर ही दाब कर माँ बोली—"मैं बड़ी हूँ, तू छोटा है, इसीसे मुझे भूख नहीं लगती और तुझे लगा करती है।" बच्चे ने घबड़ा कर माँ से कहा—"तो तुम भी छोटी क्यों नहीं हो जातीं? मैं तो माँ कभी बड़ा नहीं होऊँगा, नहीं तो मुझे भी भूख नहीं लगा करेगी और तुम्हारी तरह बिना खाए रहना पड़ेगा।"

सात साल के इस भोले बच्चे के शब्दों में न मालूम भविष्य की कैसी झङ्कार थी, जिसे सुन कर सुलोचना का मातृ-हृदय अन्दर ही अन्दर काँप गया!

२

प्रातःकाल का समय था। सूर्य भगवान को जल्दी-जल्दी सारे संसार को सुनहले रङ्ग में रँगते देख, सुलोचना भी शीघ्रता से उठी। पास ही मदन सो रहा था। उसने बड़े प्यार से उसकी ओर देखा। अचानक उसे मदन की कल वाली ज़िद याद आ गई। सुलोचना जल्दी से शय्या त्याग कर उठी और नित्य-कर्म से निवृत्त होकर बच्चे को जगाया। उसका हाथ-मुँह धो दिया और एक लोटा में पानी तथा वही कल वाला बासी भात उसके पास रख दिया। मदन खाने लगा और सुलोचना मज़दूरी करने चली गई। यही उसका नित्य-नियम था।

आज उसे बड़ी प्रसन्नता थी। क्योंकि उसके मालिक इतवार के दिन सबको मज़दूरी दिया करते थे और आज इतवार का दिन था। सुलोचना ने निश्चय कर लिया था कि आज दाम मिलने पर सब से पहले मदन के लिए एक लाल कुरता मोल लेगी। परन्तु साथ ही उसे इस बात की भी चिन्ता हुई कि सप्ताह भर के लिए खाने को कहाँ से आएगा।

कल दिन भर सुलोचना ने कुछ नहीं खाया था, अतएव आज उसे चलने में कमज़ोरी मालूम हो रही थी। परन्तु इस विचार ने कि मदन लाल कुरता पाकर कितना प्रसन्न होगा, उसने सारी कमज़ोरी भुला दी।

किन्तु आज काम करने में सुलोचना का जी बिल्कुल नहीं लगा। दिन मानो समाप्त होना ही भूल गया था। सुलोचना बार-बार ऊपर आसमान की तरफ़ देखती, उसकी आँखें जैसे सूर्यदेव से प्रार्थना कर रही थीं कि वे आज अपनी यात्रा जल्दी समाप्त कर दें। मानो व्याकुल दुःखिनी की प्रार्थना सूर्यदेव ने सुन ली और वे शीघ्र ही अस्ताचल की ओर चल दिए। अपने मालिक को हिसाब बाँटने के लिए बैठते देख कर सुलोचना की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। किसी प्रकार धीरज रख कर वह अपना हिसाब पाने की प्रतीक्षा करने लगी। हिसाब बाँटते-बाँटते मालिक ने आवाज़ दी—'सुलोचना!' अपना नाम सुन कर वह उत्सुकतापूर्वक मालिक की ओर देखने लगी। मालिक ने अपनी बही देखते हुए कहा—तुम साढ़े चार आने रोज़ पर हो। तुम्हारी कुल मज़दूरी हुई, दो पैसे कम दो रुपए। क्यों?

सुलोचना घबड़ा गई। बड़ी दीनता से बीच ही में बोल पड़ी—मालिक! इस बार पूरे दो रुपए दे दीजिए। अगली बार चाहे ये दो पैसे काट लीजिएगा। कल होली है.....!

सुलोचना ने मन ही मन हिसाब लगाया—"दस या बारह आने में एक अच्छा सा कुरता मिल जायगा। बाक़ी में किसी प्रकार सप्ताह भर का काम चला लूँगी।" इतने में मालिक की आवाज़ सुन कर सुलोचना की विचार-धारा टूट गई। मालिक कुछ तेज़ स्वर में कह रहे थे—"बीच में मत बोला करो। हिसाब में गड़बड़ी करना मुझे पसन्द नहीं। हर एक को यदि दो पैसे और चार पैसे दे दिया करूँ, तो मैं कहाँ तक याद रख सकूँगा?"

सुलोचना ने हाथ जोड़ कर कहा—मालिक! यदि आप भूल जाएँगे तो मैं आपको याद दिला दूँगी।

मालिक ने डाँट कर कहा—फिर बीच में बोली? तुम लोगों का ऐसा ही ईमान होता तो क्या बात थी। अब से अगर बीच में बोली, तो फिर जुर्माना कर दूँगा।

सुलोचना चुप रह गई। मालिक फिर बोले—एक दिन तुम घण्टा भर देर करके आई थी और एक दिन आधा घण्टा। ऐसा ही इस हाज़िरी-बही में कई बार लिखा है। कुल मिला कर तुम आधा दिन ग़ैर-हाज़िर रही। तुम्हारी इस ग़ैर-हाज़िरी के नौ पैसे कटेंगे। समझ गई?

सुलोचना पर मानो वज्र गिर पड़ा। वह गिड़-गिड़ाने लगी—मालिक, ऐसा मत करो। मैं बेमौत मर जाऊँगी। इस बार माफ़ कर दो; फिर कभी देर नहीं होगी।

मालिक ने फिर डाँटा। सुलोचना हाथ जोड़ कर बोली—मालिक! हमारे पास घड़ी नहीं है, जो हम बिल्कुल ठीक वक़्त पर आवें। एक ही बच्चा है, उसे बहलाने में कभी थोड़ी-बहुत देर हो गई होगी। अब की आप......!

मालिक ने गरजते हुए कहा—चुप रहो। शोर मत करो। मुझे बहुत परेशान करोगी, तो कुछ नहीं दूँगा। जाओ मेरे ऊपर दावा करो। अगर जीतो तो वे नौ पैसे ले लेना। बस, मैं तुम्हें एक पाई भी नहीं दूँगा।

सुलोचना ने एक दीर्घ-निश्वास लेकर बड़ी कातरता से ऊपर आसमान की ओर देखा। मानो भगवान से प्रार्थना कर रही हो—तुम कैसे न्यायी हो, जो इतना अन्याय चुपचाप सह रहे हो। ग़रीब को ही पीसना क्या तुम्हारा भी न्याय है ?

कुरता ज़रूर ख़रीदना है—न होगा कुछ दिन भूखों ही काट दूँगी। यह सोच कर सुलोचना ने एक रुपया सवा तेरह आने ही ले लिए और चुपचाप बाज़ार की ओर चल दी। उसके पैर एक मैशीन के समान अपने आप ही आगे की ओर बढ़ रहे थे। पर हृदय अन्दर ही अन्दर रो रहा था......।

३

अहा! लाल कुरता पाकर मेरा मदन कितना प्रसन्न होगा? सुलोचना एक कपड़े वाले की दूकान के सामने खड़ी होकर मदन के लिए कुरता ढूँढ रही थी। एक कुरता उसे पसन्द आया। उसे दृढ़ विश्वास हो गया कि मदन भी इस कुरते को बहुत पसन्द करेगा। भावों में वह इतनी भर गई कि दूकानदार से पूछे बिना ही पास में टँगे हुए एक लाल कुरते को देखने के लिए उसने उतार लिया। कुरता अभी वह उतार ही रही थी कि दूकानदार चिल्ला पड़ा—चोर! चोर !!

सुलोचना घबड़ा गई। उसने दूकानदार को कुरता देते हुए कहा—"मैं चोर नहीं हूँ। इस कुरते को ख़रीदूँगी, इसी से ज़रा देख रही थी!" दूकानदार ने उसकी बात पर बिना कुछ ध्यान दिए ही उसे पकड़ लिया। चारों ओर शोर मच गया। लोग इकट्ठा होकर तमाशा देखने लगे। सुलोचना ने अपनी बात फिर दोहराई और कहा—"इस कुरते के दाम बताओ। मैं अगर बिना दाम दिए यह कुरता लूँ तो कहना। मैं.........!"

सुलोचना की बात भी पूरी नहीं हो पाई कि वहाँ एक क़हक़हा मच गया। दूकानदार बोला—सूरत देखने से मालूम होता है, जैसे न मालूम कितने दिनों से खाना तक नहीं मिला और ख़रीदने चली है, यह डेढ़ रुपया वाला रेशमी कुरता! ज़रूर यह पक्की चोर है। मालूम होता है, दूकान में से कुछ दाम भी इसने नज़र बचा कर चुरा लिए हैं। यह फटे-हाल और यह कुरता! इसे ज़रूर पकड़वाना पड़ेगा।

सुलोचना दूकानदार के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने का जितना ही प्रयत्न करती, दूकानदार उसे उतनी ही दृढ़ता से पकड़ता जाता। गड़बड़ी सुन कर एक सिपाही, जो पास ही चौराहे पर अपनी ड्यूटी पर था, वहाँ आ पहुँचा। लोगों के लिए मनोरञ्जन की सामग्री हो गई।

सुलोचना की तलाशी ली गई। उसके पास निकले वही एक रुपए और सवा तेरह आने। चोरी का माल कह कर सिपाही ने उसे अपने पास रख लिया। अन्त में कोई उपाय न देख कर, सुलोचना ने अपने मालिक का नाम बताया, जहाँ से उसे दाम मिले थे। इस पर सिपाही बोला—बातें फिर बनाना, पहले थाने में तो चल।

सुलोचना की बातों पर कुछ ध्यान न देकर सिपाही उसे घसीटता हुआ थाने की ओर चल दिया। अपने बचाव का कोई उपाय न देख, सुलोचना ने एक आह खींची और चुपचाप थाने की ओर चल दी। वहाँ थानेदार ने उसके वे पैसे रख लिए और उसे पीटपाट कर तथा गालियाँ देकर छोड़ दिया। एक तो थकी हुई, दिन भर की भूखी, हार्दिक वेदना, और ऊपर से थानेदार की मार!... अभागिनी सुलोचना बेहोश होकर गिर पड़ी और कब तक पड़ी रही, उसे कुछ मालूम नहीं।

रात्रि की ठण्डी हवा पाकर सुलोचना को होश आया। दिन की सारी कथा सिनेमा के सीन के समान उसके मन के आगे नाच गई। मदन मुझे लौटते न देख कर घबड़ा रहा होगा। यह सोचते ही सुलोचना के मन में इच्छा हुई कि शीघ्र ही घर जाए। परन्तु इस इच्छा के उठते ही उसे मदन की लाल कुरते वाली हठ याद आ गई। उसने सोचा, आज के ही दिन उसे कुरता देने को मैंने कहा था। मुझे देर होती देख उसे पूर्ण आशा होगी कि आज कुरता अवश्य मिलेगा। परन्तु आह! कुरता न पाकर वह कैसा निराश होगा? पर अब तो पास के दाम भी छिन गए। कुरता किस प्रकार ख़रीदूँ? बिना कुरता लिए मदन के पास मैं जाऊँ किस प्रकार? आज कुरता न पाकर वह कितना दुखी होगा? मदन का उदास मुँह उसके सामने घूम गया। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ हो, पर वह कुरता लेकर ही मदन के पास जाएगी। यह सोचते-सोचते उसे एक उपाय सूझा। चोरी तो मुझे लग ही गई। चाहे कुछ पाप करो या न करो, इस संसार में ग़रीब होना ही बड़ा भारी पाप है। जब कलङ्क मुझे लग गया है, तब फिर उस बच्चे की इच्छा ही क्यों न पूरी करूँ? दूकानें अभी खुली होंगी। मैं उस कुरते को अवश्य चुराऊँगी।

सुलोचना उठी, परन्तु उसके पैर डगमगाने लगे और उसके सिर में चक्कर आने लगा। वह लाचार होकर फिर वहीं बैठ गई। किन्तु चुपचाप बैठने से उसे शान्ति नहीं मिली। थोड़ी देर बाद वह फिर उठी। अपने बच्चे को प्रसन्न देखने के लिए माँ की आत्मा अपना कष्ट भूल गई। वह धीरे-धीरे बाज़ार की ओर चली।

दूर से उसने देखा, वह दूकान अब तक खुली हुई थी। कोई अमीर ग्राहक वहाँ बैठा कपड़े देख रहा था। उसके चारों ओर कपड़ों का ढेर लग गया था, परन्तु उसे कोई पसन्द ही नहीं आता था। दूकानदार एक के बाद दूसरा कपड़ा निकाल कर दिखाने में लगा था। कपड़ों के उस ढेर में सुलोचना ने देखा कि वही लाल कुरता भी था। उस कुरते को देखते ही सुलोचना का हृदय धड़कने लगा। अचानक उसने देखा कि वह कुरता ढेर में से खसक कर नीचे सड़क पर गिर गया है। यह देखते ही वह प्रसन्न हो गई और चुपचाप आगे बढ़ी। दूकानदार दूसरा कपड़ा निकालने के लिए दूकान के अन्दर गया। सुलोचना ने अवसर पाकर चुपचाप वह कुरता नीचे से उठा लिया और धोती के नीचे छिपा कर जल्दी-जल्दी चल दी। वह बार-बार पीछे की ओर देखती जाती। उसे भय था कि चोरी करते किसी ने देख न लिया हो। किन्तु ईश्वर की लीला भी बड़ी विचित्र होती है। जब चोरी नहीं की थी, तब सुलोचना पकड़ी गई थी, किन्तु अब जबकि उसने चोरी की, तब किसी का ध्यान भी उसकी ओर नहीं गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि किसी ने उसे नहीं देखा। उसने कुरते को अच्छी तरह छिपा लिया। अपना परिश्रम सफल होते देख, उसे बहुत प्रसन्नता हुई। वह जल्दी-जल्दी अपने पुत्र के पास जाने लगी। परन्तु अपना घर पास देख कर भी वह अन्दर नहीं जा पाई। घर के पास पहुँची ही थी कि थकान और प्रसन्नता के कारण उसके सिर में चक्कर आ गया और वह वहीं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी।

४

प्रातःकाल का सुन्दर समय है। सब लोग निद्रा-देवी की सुखमयी गोद त्याग कर सांसारिक झञ्झटों में फिर फँस गए हैं, और सब से अधिक झञ्झट में फँस गए हैं, गाँव के ग़रीब, जो बेगार में पकड़े जा रहे हैं। क्योंकि डिप्टी साहब आज ही गाँव में आने वाले हैं। कर्मचारी लोग स्वागत की तैयारी करने में लगे हैं। गाँव के मज़दूर अपने कामों पर नहीं जा पाए। सब बेगार में पकड़े गए हैं। फिर भी समय कम है, आदमी भी कम हैं। परन्तु काम बहुत ज़्यादा है। घास छील कर साफ़ करना, ईंटों के ढेर को सामने से हटाना, डेरा लगाना, रसद इकट्ठा करना—न मालूम कितना काम है! गाँव भर में हलचल मची हुई है।

मदन कल रात को बहुत देर तक अपनी माँ के आने की प्रतीक्षा करता रहा और प्रतीक्षा करता ही करता भूखा सो गया था। सुबह जागने पर भी माँ को अपने पास न देख कर वह उसे ढूँढने के लिए जल्दी घर से बाहर निकला और बाहर आते ही माँ को बेहोश पड़ी देख कर वह 'माँ-माँ' कहता हुआ उसके पास दौड़ कर गया। उसे सोती समझ कर वह बोला—माँ! उठो। तुम यहाँ सो रही हो और मैं मारे भूख के रात भर तड़पता रहा। चलो, खाने को दो।

उसने माँ को हिलाया-डुलाया। पर जब वह इस पर भी न बोली, तब वह घबड़ा गया और अपने पड़ोसी को बुलाने के लिए दौड़ा। इतने में मज़दूरों को बेगार के लिए ढूँढता हुआ तहसील का एक चपरासी उधर आ निकला और मदन को देखते ही बेगार के लिए पकड़ कर ले चला। मदन की अनुनय-विनय पर उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया।

मदन ईंटें उठाने में लगाया गया। कल सुबह उसने वही थोड़ा सा बासी भात खाया था। इसके बाद अब तक उसे कुछ खाने को नहीं मिला था। कुछ ईंटें उठा कर वह हाँफने लगा और काम करने से इन्कार कर दिया। इस पर कर्मचारियों ने उसे बहुत डराया-धमकाया, परन्तु तब भी जब वह काम करने को राज़ी नहीं हुआ तो एक चपरासी ने उसके दो-तीन बेंत मारे। मार खाकर बेचारा बालक तड़फड़ा गया और फिर रोते-रोते ईंटें उठाने लगा। मदन ने एक ईंट हटाई। ईंटें बहुत दिनों से वहाँ पड़ी थीं, उनके नीचे कितने ही जानवर हो गए थे। एक साँप ने चुपके से मदन के हाथ में काट लिया। उसकी वेदना से मदन तड़फड़ा गया और ईंट वहीं फेंक कर चिल्लाने लगा—"मुझे किसी ने काट लिया! हाय! किसी ने काट लिया!" दो-तीन मज़दूर, जो पास ही काम कर रहे थे, उसका चिल्लाना सुन कर वहाँ आ गए और ईंटें हटा कर ढूँढने लगे कि किस जानवर ने काटा है। परन्तु कर्मचारी काम में नुक़सान होना न सह सके। वे भी वहाँ पर आ गए। मदन का सिर चकराने लगा था। उसे साँप का विष चढ़ रहा था। वह सिर थाम कर एक जगह बैठ गया और बिलख-बिलख कर रोने लगा। परन्तु सारे फ़साद की जड़ मदन को समझ कर एक कर्मचारी बोला—"मैं सब जानता हूँ। यह छोकड़ा है तो ज़रा सा, मगर बड़ा भारी बदमाश है। अभी-अभी यह ईंटें ढोने से इन्कार कर रहा था और अब इसने दूसरा ढोंग रचा है। यहाँ ईंटों में बैठा ही कौन है, जो इसे काटे। देखो, मैं अभी इसे ठीक किए देता हूँ।" यह कह कर कर्मचारी ने अपना चाबुक सीधा किया। इतने में सुलोचना दौड़ी।

सुलोचना को अब होश हुआ, तब वह सीधी घर के अन्दर गई, पर वहाँ मदन को न पाकर घबड़ा गई। पास के लोगों से जब उसने बेगार का हाल सुना और यह भी सुना कि मदन भी वहीं गया है, तो वह जल्दी-जल्दी वहाँ गई। मदन को दूर से देखते ही वह प्रसन्न हो गई। इतने में उसने देखा कि कर्मचारी ने उसके प्यारे मदन को एक कोड़ा मारा, जिसकी चोट खाते ही मदन ज़मीन पर गिर पड़ा। सुलोचना मदन को बचाने के लिए दौड़ी। कर्मचारी ने दूसरी बार चाबुक चलाया,

(शेष मैटर १७वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए)



रूस की अस्थायी सरकार

[श्री० प्रभुदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसर्च स्कॉलर]

स्टेट ड्यूमा के लिडियों ने अपनी बैठक १२ मार्च से आरम्भ की। एडज़िआन्को से उन्हें पता मिला कि स्टेट ड्यूमा और स्टेट कौन्सिल की बैठकें रोक दी गई थीं। उन लोगों ने एक पास के मकान में जाकर अपनी एक कॉन्फ़्रेन्स की। इस कॉन्फ़्रेन्स का उद्घाटन किया था, स्वयं एडज़िआन्को ने। उसने लोगों से कुछ न कुछ तय कर डालने को कहा। एडज़िआन्को के पश्चात् नेक्रासाव ने बोलना आरम्भ किया। उसने कहा—"इस समय रूस में कोई भी सरकार नहीं है। अतएव एक सरकार का निर्माण करना अत्यावश्यक है। मैं समझता हूँ कि एक ऐसे आदमी को यह काम सौंप देना चाहिए जिस पर सब का विश्वास हो।" इसके लिए उसने जनरल मनिकोवस्की का नाम पेश किया। शेवस्की नाम के वक्ता ने कहा—"हिचकिचाहट की आवश्यकता नहीं है। जनता आसरा देख रही है। ज़िले के न्यायालय पर जनता का अधिकार है। फ़ौरन काम करना चाहिए।" एक कमिटी बनाई जाने का उसने प्रस्ताव किया। इस कमिटी का काम होगा, जनता तथा सेना में निरन्तर सम्बन्ध बनाए रखना। एक महाशय ने प्रस्ताव किया कि ड्यूमा की कौन्सिल ऑफ़ दि एल्डर्स (Council of the Elders) को सारे अधिकार सौंप दिए जावें। केरेन्स्की ने यह अधिकार चाहा कि वह जाकर जनता से कह दे कि ड्यूमा जनता के साथ है और सब तरह से उनकी सहायता करेगी। कुछ लोगों ने चाहा कि ड्यूमा ही विधान-विधायक सभा घोषित कर दी जावे। प्रतिक्रियावादियों ने इसका घोर विरोध किया। अन्त में कॉन्फ़्रेन्स ने निश्चय किया कि (१) स्टेट ड्यूमा के मेम्बर पेट्रोग्राड से बाहर न जावें, (२) कौन्सिल ऑफ़ एल्डर्स एक अस्थायी कमिटी का निर्माण करे और स्टेट ड्यूमा का भविष्य निश्चित करे। कौन्सिल ऑफ़ एल्डर्स ने एक अस्थायी कमिटी का निर्माण किया, जिसमें निम्न-लिखित मेम्बर थे—एडज़िआन्को, शलगिन, ल्वोव, शिदलोस्की, काएलोव, कोनोवालोव, केरेन्स्की, शेवस्की, मिलिकोव, नेक्रासाव तथा चीट्ज़े।

इधर यह सब हो रहा था और उधर क्रान्तिकारियों को सफलता पर सफलता मिल रही थी। विद्रोही सिपाहियों तथा मज़दूरों ने जेल पर धावा बोल कर तमाम साम्यवादी क़ैदियों को जेल से बाहर कर दिया। जो क़ैदी छुड़ा दिए गए थे, उनमें केन्द्रीय युद्ध सहायक कमिटी का मज़दूर-दल भी था। इन लोगों ने मज़दूरों के सोवियट की अस्थायी कार्यकारिणी कमिटी का निर्माण किया। इस कमिटी का मुख्य कार्य था, पेट्रोग्राड सोवियट को बुलाना। कमिटी ने एक अपील निकाल कर पेट्रोग्राड के मज़दूरों से उसी दिन शाम के सात बजे टारिड-भवन में इकट्ठा होने को कहा। कमिटी ने विद्रोहियों को भोजन पहुँचाने का कार्य भी अपने हाथ में लिया। इसी कार्य के लिए एक अस्थायी भोजन-कमीशन नियुक्त किया गया। यही नहीं, विद्रोहियों की रक्षा के लिए उसी टारिड-भवन में मिलिटरी हेड-क्वार्टर्स स्थापित किए गए, ताकि ज़ार के सैनिकों से विद्रोहियों की रक्षा की जा सके।

टारिड-भवन में ठीक नौ बजे मज़दूरों के सोवियट की बैठक आरम्भ हुई। विद्रोही सेना तथा विद्रोही मज़दूरों का एक में सङ्गठन करने को सब ने निश्चय किया। इस सङ्गठन का नाम रक्खा गया, सोवियट ऑफ़ वरकर्स एण्ड सोलजर्स डिपुटीज़ (Soviet of workers and soldiers deputies) उसी बैठक में यह भी घोषणा की गई कि क्रान्स्टट (Kranstadt) भी विद्रोह में शामिल हो गया है। एक भोजन कमीशन का चुनाव किया गया। उसे उचित अधिकार दिए गए। और उसने फ़ौरन अपना कार्य आरम्भ कर दिया। इस कमीशन का चेयरमैन ग्रोमन था।

अब नगर की रक्षा का प्रश्न उठा। किसी ने प्रस्ताव किया कि प्रत्येक फ़ैक्टरी में एक-एक सेना (Militia) का सङ्गठन किया जावे। नगर की रक्षा के लिए जनता के नाम सोवियट की तरफ़ से एक अपील की गई।

अर्थ-कमीशन (Finance Commission) की सिफ़ारिश पर सोवियट ने निम्न-लिखित बातें तय कीं :—

(१) रूस के तमाम आर्थिक साधन पुरानी सरकार से छीन लिए जावें। स्टेट बैङ्क, आर्थिक भवन, टकसाल तथा बैङ्क नोटों के छापेख़ानों पर विद्रोही सिपाहियों का अधिकार हो।

(२) उपरोक्त निश्चय को कार्यान्वित करने के लिए ड्यूमा की अस्थायी कमिटी को आदेश दिया जावे।

(३) जब तक अस्थायी सरकार के नवीन अर्थ-सचिव का चुनाव न हो जावे तब तक ज़ब्तशुदा धन तत्कालीन अफ़सरों के हाथों में रहे। पर उनकी निगरानी विद्रोही सिपाही करते रहें।

(४) मज़दूरों तथा सैनिकों की सोवियट तथा स्टेट ड्यूमा की अस्थायी कमिटी मिल कर अर्थ-कमिटी का चुनाव करें।

(५) सोवियट का तमाम रेवेन्यू अर्थ-कमीशन को दे दिया जाया करे।

१२वीं मार्च की शाम को ड्यूमा की कार्यकारिणी कमिटी ने पेट्रोग्राड की सेना के नाम दो अपीलें तथा एक आज्ञा-पत्र जारी किया। उसी दिन ज़ार का एक मन्त्री गिरफ़्तार कर लिया गया। शाम के ६ बजे मन्त्रियों की कौन्सिल ने एक तार भेज कर ज़ार से कैबिनट को भङ्ग करने की आज्ञा माँगी और कैबिनट को निर्माण करने के लिए एक ऐसे आदमी को चुनने की प्रार्थना की, जिस पर सबका विश्वास हो। ज़ार ने उत्तर दिया—"वर्तमान हालत में कैबिनट के निर्माण में मैं कोई भी परिवर्तन करने को तैयार नहीं हूँ।"

१२वीं मार्च को मास्को के मज़दूरों ने हड़ताल कर दी। उसी दिन रात को अस्थायी क्रान्तिकारी कमिटी का चुनाव किया गया। पेट्रोग्राड में ज़ार के तमाम मन्त्री एक-एक करके गिरफ़्तार कर लिए गए।

१४वीं मार्च को ड्यूमा की अस्थायी कमिटी नवीन सरकार के निर्माण पर विचार कर रही थी। कमिटी ने तय किया कि ज़ार निकोलस अपने पुत्र के लिए सिंहासन छोड़ दे। ज़ार का भाई माइकेल रिजेण्ट (Regent) का काम करे। ज़ार को अपनी बात पर राज़ी करने के लिए कमिटी ने उसके पास एक डेपूटेशन भेजा। उसी दिन शाम को ज़ार ने तार भेज कर यह सूचना दी कि एडज़िआन्को के प्रधान मन्त्रित्व में वह नवीन कैबिनट बनाने देने को तैयार है।

१५वीं मार्च रूस के इतिहास में विशेष महत्व रखती है। यह वही तारीख़ है, जिस दिन ज़ार ने ज़ार निकोलाई रोमनोव ने अपना सिंहासन छोड़ा था। पर उसने अपना सिंहासन पुत्र के लिए न छोड़ कर भाई के लिए छोड़ा था। ज़ार ने सिंहासन छोड़ते हुए लिखा था :—

"बाहरी शत्रु से युद्ध करने के दिनों में—वह बाहिरी शत्रु जो पिछले तीन वर्षों से हमारे प्यारे देश को कुचलने में लगा है—ईश्वर ने रूस को अग्नि-परीक्षा पर चढ़ा दिया है। भीतरी अशान्ति ने युद्ध का जारी रखना मुहाल कर दिया है। रूस की क़िस्मत, हमारी बहादुर सेना की इज़्ज़त, राष्ट्र की सलामती तथा अपने प्यारे देश के भविष्य का यह तकाज़ा है कि युद्ध जारी रक्खा जावे, जब तक कि विजय न मिल जावे।

"हमारा निर्दयी शत्रु अपनी आख़िरी शक्ति इकट्ठा कर रहा है और वह घड़ी दूर नहीं है, जब हमारी बहादुर सेना शत्रु की शक्ति को दबाने में कामयाब होगी। रूस के जीवन के इस कठिन समय में हम इसे अपना महान कर्तव्य समझते हैं कि युद्ध में उद्योग करने के लिए जनता का कार्य सरल कर दिया जाए। स्टेट ड्यूमा की सम्मति से रूस का सिंहासन छोड़ देना हम उचित समझते हैं।

"चूँकि हम अपने प्यारे पुत्र से अलग नहीं होना चाहते, अतएव हम अपना सिंहासन अपने प्यारे भाई ग्रैण्ड ड्यूक माइकेल एलेक्ज़ण्ड्रोविच को देते हैं और उसे सिंहासन पाने पर आशीर्वाद देते हैं।

"हम अपने भाई से सिफ़ारिश करते हैं कि वह देश का शासन देश के लेजिस्लेटिव संस्थाओं के प्रतिनिधियों की पूरी रज़ामन्दी से करे और प्यारे देश के नाम पर इस बात की प्रतिज्ञा करे।

"देश के सपूतों से हमारा यह अनुरोध है कि देश की इस सङ्कट की घड़ी में वे ज़ार के आगे सर झुका कर अपने कर्तव्य का पालन करें और जनता के प्रतिनिधियों के सहयोग से रूस को विजय तथा उन्नति के मार्ग में ले जाने में उसकी सहायता करें। ईश्वर रूस की सहायता करे।

—निकोलाई"

उसी दिन अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। केरेन्स्की (Kerensky) भी इसमें शरीक था। १६वीं मार्च को अस्थायी सरकार ने एक घोषणा निकाल कर अपनी नीति की व्याख्या की। उस घोषणा के अनुसार अस्थायी सरकार की कैबिनेट ने निम्न-लिखित सिद्धान्त अपने सामने रक्खे थे :—

(१) जिन लोगों को राजनीतिक तथा धार्मिक जुर्मों में सज़ाएँ दी गई हैं वे सब छोड़ दिए जावेंगे।

(२) जनता को बोलने, प्रेस को सङ्घ बनाने तथा सभा और हड़ताल करने की पूरी स्वतन्त्रता रहेगी।

(३) जाति, धर्म तथा राष्ट्रीयता की सब अयोग्यताएँ मिटा दी जावेंगी।

(४) विधान-विधायिनी सभा बुलाने की फ़ौरन तैयारी की जावेगी। इस सभा के सदस्य-निर्वाचन में प्रजा को सार्वजनिक मताधिकार होगा तथा इसके वोट गुप्त तौर से पड़ेंगे यही सभा शासन-विधान तैयार करेगी।

(५) पुलीस के स्थान पर मिलिशिया (Militia) रहेगी। इसके तमाम अफ़सर निर्वाचित होंगे। यह मिलिशिया स्वाधीन म्युनिसिपैलिटियों के अधीन रहेगी।

(६) म्यूनिसिपैलिटियों के चुनावों में सभी वोट दे सकेंगे तथा वोट गुप्त होंगे।

(७) जिन सेनाओं ने क्रान्ति में भाग लिया था वे पेट्रोग्राड में रक्खी जावेंगी। और उनके हथियार नहीं छीने जावेंगे।

(८) सिपाहियों को एक नागरिक के सारे अधिकार दिए जावेंगे। पर जब वे काम पर होंगे, उन्हें सारे सैनिक नियम मानने होंगे।

उपर्युक्त घोषणा द्वारा अस्थायी सरकार ने यह भी वादा किया कि सुधारों को जारी करने में युद्ध के कारण कुछ भी देरी न होगी।

मज़दूरों तथा सिपाहियों के सोवियट की कार्यकारिणी कमिटी ने भी एक घोषणा निकाली जो इस प्रकार था :—

"कॉमरेडो और नागरिको,

नवीन सरकार की तरफ़ से, जिसमें देश के मॉडरेट शामिल हैं, आज एक घोषणा निकली है, जिसमें उन तमाम सुधारों का हवाला दिया गया है, जो नवीन सरकार पुरानी सरकार से युद्ध करते समय या युद्ध के पश्चात् करना चाहती है। राजनीतिक क़ैदियों का छोड़ा जाना, विधान-विधायिका सभा की तैयारी करना, नागरिक स्वतन्त्रताएँ देना तथा जातीय क़ानूनी अयोग्यताओं को मिटाना आदि सुधारों का तमाम लोकतन्त्रीय जनता स्वागत करेगी। जब तक नवीन सरकार उन सुधारों को कार्यान्वित करने का यत्न करती रहेगी तथा जब तक पुरानी सरकार से घोर युद्ध करती रहेगी तब तक जनता को इसका समर्थन करना चाहिए।"

उसी दिन रूस की सोशल डिमोक्रैटिक लेबर पार्टी (बोलशेविक) की केन्द्रीय कमिटी ने भी एक घोषणा निकाली। इस घोषणा द्वारा बोलशेविकों ने जनता से अपील की कि यदि किसी भी रूप में ज़ारशाही ढङ्ग की सरकार स्थापित करने का प्रयत्न किया जावे तो वे उसका घोर विरोध करें।

एक स्थान पर रेलवे के मज़दूरों की एक सभा हो रही थी। उस सभा में गुट्शकोव (Gutshkov) नाम के एक व्यक्ति ने नवीन ज़ार माइकेल के पक्ष में व्याख्यान देना चाहा। अभी वह ज़ार के पक्ष में दो-चार शब्द भी न कहने पाया था कि जनता क्रुद्ध हो उठी और वह बलपूर्वक सभा से निकाल दिया गया, कुछ लोग उसे गिरफ़्तार करने तथा मारने पर तुल गए। बड़ी मुश्किल से वह अपने को बचा सका।

उसी दिन ज़ार के महल में एक सभा हुई। उस सभा में नवीन अस्थायी सरकार के सभी मेम्बर शामिल थे और शामिल थे ड्यूमा के मुख्य-मुख्य सदस्य। नवीन ज़ार के भविष्य के प्रश्न पर विचार हो रहा था। प्रश्न यह था कि नवीन ज़ार माइकेल सिंहासन पर बैठा रहे या सिंहासन छोड़ दे? दो मेम्बरों को छोड़ कर बाक़ी सब सदस्य चाहते थे कि ज़ार सिंहासन छोड़ दे। स्वयं माइकेल भी सिंहासन छोड़ने के पक्ष में था, क्योंकि वह समझता था कि राजतन्त्र के दिन बीत चुके हैं। अन्त में माइकेल ने सिंहासन छोड़ दिया। उस समय जनता के नाम जो घोषणा-पत्र उसने निकाला था, उसमें लिखा था :—

"अपने भाई की इच्छा से, जिसने अद्वितीय युद्ध तथा जनता में घोर असन्तोष के समय मुझे ज़ार का सिंहासन दिया था, मेरे कन्धों पर एक भारी बोझ आ पड़ा है। मैं जनता के इस विचार से सहमत हूँ कि देश की भलाई का प्रश्न सब से पहले आना चाहिए और मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि जब तक समस्त देश की इच्छा न होगी, मैं शासन की बागडोर अपने हाथ में न लूँगा। रूसी साम्राज्य के विधान पर तथा देश की भावी सरकार के प्रश्न पर विचार करना जनता का ही काम है। जनता इस प्रश्न पर सार्वजनिक मताधिकार (Universal Suffrage) द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की विधान-विधायिनी सभा (Constituent Assembly) में विचार करे।"

अपने उपरोक्त पत्र के अन्त में ज़ार माइकेल ने जनता से प्रार्थना की थी कि जब तक विधान-विधायिनी सभा की बैठक न हो जाय, तब तक जनता ड्यूमा द्वारा स्थापित नवीन अस्थायी सरकार को ही अपनी सरकार माने।

मज़दूरों की अनेक सभाओं में अस्थायी सरकार पर कड़ी निगरानी रखने के प्रस्ताव पास हुए।

अस्थायी सरकार की नींव अभी दृढ़ भी न होने पाई थी कि तीसरी अप्रैल आ पहुँची। उस दिन पेट्रोग्राड स्टेशन में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा थी। मज़दूरों का एक बहुत बड़ा जमघट गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। कई वर्ष पहिले रूस के एक 'लाल' को रूस छोड़ना पड़ा था और वह स्वीटज़रलैण्ड में रहता था। आज वह कई वर्षों बाद, अपनी जन्मभूमि को लौट रहा था। उसके आने की ख़बर लोगों को मिल गई थी। सब लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि वह सकुशल पहुँच जावे। वह महापुरुष था—रूस का भाग्य-विधाता लेनिन। यथा-समय ट्रेन आई। लेनिन ट्रेन से उतरा। जन-समूह द्वारा उसका ज़ोरों से स्वागत किया गया। सभी पुराने साथी उससे मिले। जब लेनिन सब से मिल चुका तो उसने एक व्याख्यान दिया। पाठकों को स्मरण होगा मज़दूरों तथा सिपाहियों की सोवियट की कार्यकारिणी ने एक घोषणा निकाल कर अस्थायी सरकार का समर्थन किया था, लेनिन ने उन लोगों को इस कार्य के लिए बड़ी फटकार बताई और अस्थायी सरकार का खुल्लमखुल्ला विरोध करने को कहा।

युद्ध के प्रश्न पर अस्थायी सरकार तथा बोलशेविकों में मतभेद पैदा हो गया, सरकार युद्ध को जारी रखना चाहती थी, पर बोलशेविक युद्ध का अन्त करना चाहते थे। बोलशेविक दल सरकार की नीति से इतना असन्तुष्ट था कि उस दल की केन्द्रीय कमिटी ने निम्न-लिखित प्रस्ताव पास किया :—

"अस्थायी सरकार के नोट ने पेट्रोग्राड टाउन कॉन्फ़्रेन्स की निम्न-लिखित राय को सही साबित कर दिया है :—

(१) अस्थायी सरकार पूर्णतया एक साम्राज्यवादी सरकार है। फ़्रान्स, इङ्गलैण्ड तथा रूस के पूँजीवाद से इसके हाथ-पाँव एकदम बँधे हैं।

(२) इस सरकार द्वारा दिए गए तथा दिए जाने वाले कोई भी वादे सच नहीं हो सकते!

(३) अस्थायी सरकार के मेम्बरों के व्यक्तिगत विचार चाहे जो हों, यह सरकार जीती हुई भूमि कभी भी नहीं लौटाएगी। इत्यादि।

इसलिए इन बातों से बचने का केवल एक ही उपाय है कि देश का तमाम शासनाधिकार सोवियट के हाथों में आ जावे और वही देश पर शासन करे।

११वीं अप्रैल को मेरिना नामक भवन के सामने सैनिकों का एक झुण्ड खड़ा था। "मिलियुकोव को दूर करो", "मिलियुकोव का अन्त हो", "अस्थायी सरकार का अन्त हो" आदि उनकी माँगें थीं। सैनिक लोग वहाँ से हटने को तैयार न थे। उन्होंने अपनी एक सभा की, जिसमें अपनी माँगें पेश कीं। उस दिन जनता ने भी अनेक प्रदर्शन किए। दूसरी तरफ़ दूसरे ढङ्ग के प्रदर्शन हो रहे थे। जिसमें "अस्थायी सरकार में विश्वास", "लेनिन का अन्त हो" आदि नारे लगाए जा रहे थे। एक स्थान पर दोनों प्रदर्शनों में मुठभेड़ हो गई। दोनों दलों में ख़ूब मार-पीट हो गई। सरकारी पक्ष का दल कमज़ोर साबित हुआ और उनका जुलूस तितर-बितर हो गया। दूसरे दिन भी पेट्रोग्राड में दिन भर सभा-जुलूस आदि की धूम मची रही।

अस्थायी सरकार के विरोधी दल ने अपना प्रदर्शन दोपहर से आरम्भ किया। अनेक स्थानों पर दोनों दलों में सङ्घर्ष हुए। गोलियाँ चलीं, लोग घायल हुए तथा मारे गए। रात के आठ बजे १५,००० मज़दूरों का एक जुलूस निकला। पर वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि एक मकान से उन पर गोलियाँ चलाई गईं। जनता ने भी गोलियों का जवाब गोलियों से दिया। बहुत से मनुष्य मरे तथा घायल हुए। पेट्रोग्राड डिफ़ेन्स एरिया (Patrograd Defence Area) के कमा-

ख़ुद बख़ुद समझेंगे जब उनको समझ आ जायगी !

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

यह वह डायन है, न छोड़ेगी हमें खा जायगी,
आने वाले, मौत अपने वक़्त पर आ जायगी !
लीडरों ने मल के पौडर, रङ्ग पैदा कर दिया,
हम समझते थे उदासी क़ौम पर छा जायगी !
कौड़ी-कौड़ी के लिए मुहताज हो जाएँगे सब,
घर की दौलत, रोज़ की 'टी-पारटी' खा जायगी !
हम उन्हें समझाएँ क्यों समझाने की हाजत[1] नहीं,
ख़ुद बख़ुद समझेंगे जब उनको समझ आ जायगी !
बेख़बर साहब थे, कब यह राज़[2] उन्हें मालूम था,
मेम साहब की अदा 'बिस्मिल' को भी तड़पाएगी !

१—आवश्यकता, २—भेद ।

❀ ❀ ❀

यहर-इन-चीफ़ ने सड़क पर दो मैशीनगनें घुमाने का हुक्म दिया। परन्तु उसके अधीनस्थ अफ़सरों तथा सिपाहियों ने उसकी आज्ञा मानने से इन्कार कर दिया।

मास्को में भी अस्थायी सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे थे। क्रान्ति-गान गाते गाते हुए मज़दूरों के झुण्ड के झुण्ड फ़ैक्टरियों से चल पड़े। नगर के मध्य में आकर उन्होंने अपनी सभाएँ कीं जिसमें उन्होंने अस्थायी सरकार से लोहा लेने का निश्चय किया।

इस बढ़ते हुए विरोध को देख कर अस्थायी सरकार सहम गई। उसने साम्यवादियों से मिल कर शासन करना चाहा। १३वीं मई को गुट्शकोव (Gutshkov) ने युद्ध-मन्त्री के पद से स्तीफ़ा दे दिया। मिलियकोव भी अपने पद से अलग हो गया। केरेन्स्की युद्ध मन्त्री बनाया गया। पाँच स्थानों पर साम्यवादी मन्त्री रक्खे गए। इस सरकार की कैबिनट में साम्यवादियों का अल्प मत था।

अप्रैल के महीने में अखिल रूसी बोलशेविक कॉन्फ़्रेन्स हुई। इस कॉन्फ़्रेन्स ने बोलशेविक पार्टी को सुसङ्गठित कर दिया। कॉन्फ़्रेन्स में लेनिन की तूती बोलती थी यद्यपि कमनेव (Kamnev) आदि दो-एक ऐसे भी मनुष्य थे, जो लेनिन का विरोध कर रहे थे। परन्तु इसका कोई फल नहीं हुआ। इस कॉन्फ़्रेन्स ने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए। पहिले प्रस्ताव द्वारा युद्ध की निन्दा की गई तथा उसे पूँजीपतियों का युद्ध क़रार दिया गया। दूसरे प्रस्ताव द्वारा अस्थायी सरकार की निन्दा की गई तथा उसकी नीयत पर हमला किया गया। किसान तथा भूमि के सम्बन्ध में एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया। लेनिन के चौथी अप्रैल वाले प्रसिद्ध सिद्धान्त पूरी तरह मान लिए गए और तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय कॉङ्ग्रेस की स्थापना की तैयारी की गई। इस कॉन्फ़्रेन्स द्वारा लेनिन के सिद्धान्तों पर बोलशेविक पार्टी में एका हो गया।

१६वीं जून को मज़दूरों तथा सैनिकों के सोवियट की पहली कॉङ्ग्रेस की बैठक हुई। इस कॉङ्ग्रेस में १०६० डेलीगेट शामिल हुए थे। इनमें से ८२२ डेलीगेटों को वोट देने का अधिकार था। सामाजिक क्रान्तिवादी (Social Revolutionaries), मेनशेविक (Menshevik), बोलशेविक (Bolshevik), अन्तर्राष्ट्रीय (Internationalists) तथा स्वतन्त्र साम्यवादी (Independent Socialists) पार्टियों के मेम्बर इस कॉङ्ग्रेस में शामिल थे। मज़दूरों तथा सैनिकों ने रविवार का दिन प्रदर्शन के लिए निश्चित किया। इस प्रदर्शन के लिए बोलशेविकों ने जो नारे निश्चित किए थे, उनमें से कुछ ये हैं—"चौथी स्टेट ड्यूमा तथा स्टेट कौन्सिल का अन्त हो!" "दस पूँजीपति मन्त्रियों का नाश हो!" "जनता की सेना तथा मज़दूर चिरञ्जीवी हों!"

इस भावी प्रदर्शन से कॉङ्ग्रेस इतनी भयभीत हो उठी कि उसने प्रदर्शन को रोकने का निश्चय किया। बोलशेविकों की केन्द्रीय कमिटी ने कॉङ्ग्रेस के निश्चय को मान लिया और प्रदर्शन बन्द कर दिया। पर मज़दूरों और सैनिकों को रोक रखना कठिन था। तमाम फ़ैक्टरियों में सभाएँ की गईं। इन सभाओं में जो कॉङ्ग्रेस के लोग बोले थे, वे 'विश्वासघाती' आदि नाम से सम्बोधित किए गए थे।

अब कॉङ्ग्रेस की तरफ़ से पेट्रोग्राड में प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में ५ लाख जनता शामिल थी। कॉङ्ग्रेस की बैठक ७ जुलाई तक होती रही। लेनिन ने इस कॉङ्ग्रेस के सामने एक कठिन प्रश्न उपस्थित कर दिया था। वह यह था कि या तो सोवियट तोड़ दी जावे या देश का सम्पूर्ण शासन-भार सोवियट के अधिकार में लाया जावे। कॉङ्ग्रेस में मेनशेविक तथा सामाजिक क्रान्तिवादियों का बहुमत था। ये पार्टियाँ नरम विचार की थीं। अतएव कॉङ्ग्रेस की नीति भी नरम थी। कॉङ्ग्रेस धनिकों से समझौता करना चाहती थी और चाहती थी युद्ध का जारी रखना, बोलशेविकों तथा मज़दूरों की बातों से कॉङ्ग्रेस दूर रहना चाहती थी। इस कॉङ्ग्रेस की सब से महत्वपूर्ण बात लेनिन का भाषण था। लेनिन ने अपने भाषण में देश का शासनाधिकार अपने हाथ में लेने को सोवियट को आह्वान किया।

पैट्रोग्राड फ़ैक्टरी कमिटी की पहिली कॉन्फ़्रेन्स १२ जून को प्रसिद्ध टारिड-भवन में हुई। पैट्रोग्राड के मज़दूरों के स्वातन्त्र्य-संग्राम के इतिहास में इस कॉन्फ़्रेन्स का विशेष स्थान है। इस कॉन्फ़्रेन्स में ५६८ डेलीगेट शामिल थे, जिनमें से तीन चौथाई बोलशेविक थे और यही कॉन्फ़्रेन्स की विशेषता थी। नाविक, फ़ैक्टरियों तथा उनके सङ्घों में मेनशेविकों तथा सामाजिक क्रान्तिवादियों का बहुमत था। हाँ, आर्टलरी फ़ैक्टरी कमिटियों तथा उनके सङ्घों में बोलशेविकों का बहुमत था।

मैं यह समझ रहा हूँ कि लीडर ज़रूर हूँ

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

उनकी नज़र में, ख़ुश तरो[1] बेहतर ज़रूर हूँ,
सरकार चाहते हैं, कि मैं 'सर' ज़रूर हूँ!
"पब्लिक" न माने मुझको तो मेरा क़ुसूर क्या,
मैं यह समझ रहा हूँ कि "लीडर" ज़रूर हूँ!
उनकी निगाह में मेरी तौक़ीर[2] कुछ नहीं,
मैं ख़ल्क़[3] की निगाह में बेहतर ज़रूर हूँ!
एक-एक को इस ख़्याल ने अहमक़ बना दिया,
बढ़ कर नहीं, तो उनके बराबर ज़रूर हूँ!
अहले[4] चमन निगाह करें इनक़ेलाब[5] पर,
जिस रङ्ग में भी मैं हूँ गुले[6] तर ज़रूर हूँ!
"बिस्मिल" यह कह रहा है मेरी शायरी का रङ्ग,
"अकबर" नहीं, तो पैरवे[7] "अकबर"[8] ज़रूर हूँ!

१—अच्छा, २—आदर, ३—संसार, ४—बाग़वाले ५—क्रान्ति, ६—फूल, ७—पथ पर चलने वाला, ८—"अकबर" साहब इलाहाबादी से मतलब है।

जुलाई के महीने में जनता शासन अपने हाथ में लेने को पागल हो उठी। वह किसी की भी बात सुनने को तैयार न थी।

तीसरी जुलाई को एक कॉन्फ़्रेन्स हो रही थी। एकाएक मैशीनगन-रेजीमेण्ट के दो डेलीगेट वहाँ आ पहुँचे। वे बहुत उत्तेजित थे तथा लोहा लेने को तैयार बैठे थे। कॉन्फ़्रेन्स के प्रेज़िडेण्ट ने बड़ी मुश्किल से उन्हें शान्त किया। पर जनता को अब शान्त रखना नेताओं के क़ाबू के बाहर की बात थी। शाम को सैनिकों तथा मज़दूरों ने अपना जुलूस निकाला। जुलूस के आगे बड़े-बड़े झण्डे थे, जिनमें लिखा था—"तमाम अधिकार सोवियट को।"

टारिड-भवन में मज़दूरों ने एक सभा की। आन्दोलन का सञ्चालन करने के लिए १५ मेम्बरों की एक अस्थायी कमिटी का चुनाव किया गया। पैट्रोग्राड कमिटी तथा केन्द्रीय कमिटी ने चौथी जुलाई को प्रदर्शन करना निश्चित किया। इस प्रदर्शन में ५,००,००० मनुष्य शामिल थे। शहर में तरह-तरह की अफ़वाहें उड़ रही थीं। कोई कहता था कि मन्त्री गिरफ़्तार कर लिए जावेंगे, कोई कहता था कि सरकारी भवन लूट लिया जाएगा। जब जुलूस जा रहा था, उस पर एक स्थान पर गोली चलाई गई। जनता में यह भी ज़ोरों से ख़बर उड़ाई गई कि लेनिन जर्मनी का जासूस है। पाँचवीं जुलाई की रात को मेनशेविकों तथा सामाजिक क्रान्तिवादियों ने डिक्टेटरशिप की घोषणा करने का निश्चय किया, और निश्चय किया सैनिकों तथा मज़दूरों से हथियार छीनने का। अनेक स्थानों पर ख़ून-ख़राबियाँ हुईं। बोलशेविक नेता गिरफ़्तार कर लिए गए। 'प्रवदा' (Pravda) पत्र बन्द कर दिया गया तथा उसका सम्पादकीय विभाग नष्ट कर दिया गया। सरकार बोलशेविक पार्टी पर, जर्मनी से मिल कर रूस के साथ विश्वासघात करने का दोष लगा रही थी। युद्ध को जारी रखने के लिए सरकार ने क़र्ज़ लेना चाहा। बोलशेविकों ने जनता से सरकार को क़र्ज़ न देने की अपील की। इस समय रूस में दो दल हो गए। एक दल वह था, जो तत्कालीन सरकार का समर्थन कर रहा था और सरकार से बड़ी-बड़ी आशाएँ करता था। इस दल में मेनशेविक तथा सामाजिक क्रान्तिवादी भी शामिल थे। दूसरा दल वह था, जो सरकार का घोर विरोधी था तथा उस सरकार को नष्ट कर सोवियट-सरकार की स्थापना करना चाहता था। इस दल में बोलशेविकों का विशेष हाथ था।

इसके बाद रूस की विख्यात तीसरी क्रान्ति हुई, जिसका उल्लेख हम इसके पहले वाले लेख में कर चुके हैं।

❀ ❀ ❀

लाल कुरता

(१४वें पृष्ठ का शेषांश)

परन्तु इस बार चाबुक मदन के ऊपर न पड़ कर सुलोचना की पीठ पर पड़ा। क्योंकि अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने अपने शरीर से उसे ढक लिया था। कर्मचारी ने अब तीसरी बार चाबुक उठाया, मदन और उसकी माँ दोनों के लिए। गाँव वाले इतना अत्याचार न सह सके। उन्होंने कर्मचारी को धक्का देकर अलग कर दिया और उससे चाबुक छीन लिया। इतने में जो लोग ईंटें हटा कर ढूँढ़ रहे थे कि मदन को किसने काटा, वे चिल्ला पड़े—साँप! साँप!! सब लोगों को विश्वास हो गया कि मदन को साँप ने ही काटा है। चारों ओर शोर मच गया, लोग झाड़ने-फूँकने वालों को ढूँढ़ने लगे। सुलोचना ने घबड़ा कर आवाज़ दी—"बेटा!"

मदन ने आँखें थोड़ी सी खोल कर अपनी माँ की ओर देखा, फिर उन्हें बन्द कर ली। सुलोचना पागलों के समान बिलखती हुई बोली—बेटा! आज होली है, ले अपना लाल कुरता पहन।

मदन ने फिर आँखें खोलीं—सुलोचना ने कुरता निकाल कर उसकी ओर बढ़ाया। कुरता देख कर बच्चे के मुँह पर हल्की मुस्कराहट छा गई। उसने कुरता लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाना चाहा, किन्तु हाथ नहीं उठा। सुलोचना चीत्कार कर रो पड़ी और रोते-रोते उसने वही लाल कुरता अपने बच्चे के ऊपर डाल दिया। फिर बोली—बेटा! बेटा! मुझे छोड़ कर कहाँ जा रहे हो? ग़ुस्सा मत हो, रूठो मत, अपना लाल कुरता पहनो।

किन्तु लाल कुरता पहनने के लिए वहाँ मदन कहाँ था! कुरते के लिए अपनी लालसा मन की मन में ही रख कर वह सदा के लिए अनन्त धाम को चला गया था। जब लाल कुरता आया तब मदन नहीं था। सुलोचना चीख़ मार कर अचेत हो गई और अपने एकमात्र पुत्र के शव पर गिर पड़ी!

झाड़ने-फूँकने वाले आए, किन्तु अब क्या था! जब कुछ हो सकता था, तब वहाँ चाबुक की लीला हो रही थी। कर्मचारी अब सब भूल कर सिटपिटा रहे थे और बग़लें झाँक रहे थे। किन्तु सब से अधिक ध्यान आकर्षित कर रहे थे, अमीरों का अन्याय दिखाने वाले वहाँ पड़े हुए दो शव, एक के गालों पर आँसुओं के ताज़े चिन्ह और दूसरे पर पड़ा हुआ वही लाल कुरता!!*

* लेखिका की "अञ्जलि" शीर्षक पुस्तक की एक कहानी, जो शीघ्र ही इस संस्था द्वारा प्रकाशित होने वाली है—स० 'भविष्य'

❀ ❀ ❀

हिन्दू और मुसलमान

[श्री० हरनारायण जी शर्मा, 'किङ्कर']

आज देश में हिन्दू और मुसलमानों के परस्पर सम्बन्ध की जो अवस्था है, उसे देख कर यह कल्पना करना भी कठिन है कि अब से दो शताब्दी पूर्व इनमें परस्पर अच्छा व्यवहार रहा होगा। हिन्दू-मुस्लिम-वैमनस्य ने ज़ोर पकड़ कर देश को जो अवर्णनीय क्षति पहुँचाई है, उसे कौन समझदार मुसलमान या हिन्दू नहीं समझ सकता? ये दोनों पक्ष अपने सम्बन्ध को ऐसे भूल गए हैं, मानो ईश्वर ने इन्हें एक-दूसरे से विरोध करने ही को पैदा किया है, और इनका एक-दूसरे से काम ही न पड़ेगा। कुछ मुसलमान अब क्या से क्या हो गए हैं—यह देख कर आश्चर्य होता है। वे अपनी अदूरदर्शी बुद्धि से शायद यह सिद्ध कर रहे हैं, कि उनका अब उन बातों को अपनाना कर्त्तव्य नहीं रह गया, जो वे या उनके पुरखे दो शताब्दी पूर्व अपना चुके थे। प्रत्येक निष्पक्ष व्यक्ति यह मानने को तैयार होगा कि हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य एकतर्फ़ा नहीं है। जितना अपराध या जितनी भूल मुसलमानों की है, उनसे अधिक नहीं तो उनके बराबर ही भूल हिन्दुओं की भी अवश्य है। हिन्दू, मुसलमानों के प्रति किए गए अपने अपराधों अथवा कुविचारों का मूल कारण उन्हें बता सकते हैं, पर वे यह बता कर ही आत्म-द्रोह के अपराध से मुक्त नहीं हो सकते। सभी हिन्दू और सभी मुसलमान, कभी आपसी झगड़ों से अपना मन हटा कर, यह सोचने का कष्ट नहीं उठाते कि यदि आज भारतवर्ष के सम्मुख यह पारस्परिक विद्रोहाग्नि प्रज्वलित न हुई होती, तो वह उन्नति के किस उच्चतम शिखर पर पहुँच गया होता! इन दोनों प्रबल शक्तियों के सामने संसार की कौन सी सत्ता ठहर सकती थी? यह बात सहज ही समझ में आ सकती है!

हिन्दू और मुसलमान १,००० वर्षों से साथ-साथ भारतवर्ष में रह रहे हैं, परन्तु अभी तक वे एक-दूसरे को समझ नहीं सके। न हिन्दुओं को मुसलमानों के धर्म-तत्वों को सोचने का अवकाश है; न मुसलमानों को हिन्दू-सिद्धान्तों पर विचार करने की आवश्यकता। यदि हिन्दू, मुसलमानों को दुनिया भर के ऐबों का ख़ज़ाना समझते हैं, तो मुसलमान भी हिन्दुओं को निरे बुद्धू और असभ्यता की खान समझते हैं। दोनों एक-दूसरे को रहस्यमय समझ कर एक-दूसरे की छाया से बचते हैं। दोनों पक्षों के कुछ लोग इन भेद-भावों के प्रचार-कार्य में अग्रगण्य हैं। वे बेसिर-पैर की बातें बना कर आपस में सिर-फुटौवल करा देने में ही अपने नेतृत्व की सफलता और कर्त्तव्यपरायणता मान बैठते हैं।

हिन्दू समझते हैं, मुसलमानों में न दया है, न धर्म; न सदाचार है और न संयम। परन्तु यदि निष्पक्षता से विचार किया जाय, तो हम कहेंगे कि किसी भी धर्म ने न्याय को इतनी महत्ता नहीं दी, जितनी इस्लाम ने। यह मान लिया कि मुसलमानों ने बड़े-बड़े अन्याय और अधर्म किए हैं; पर हम पूछते हैं कि क्या अहिंसावादी हिन्दुओं ने, अहिंसा को ताक़ में रख कर, धर्म के नाम पर ख़ून की नदियाँ नहीं बहा दी हैं? व्यक्तिगत कुरीतियाँ और बुराइयों की बात दूसरी है और धर्माचार्य या धर्म-संस्थापकों के सिद्धान्तों की दूसरी। हज़रत मुहम्मद ने, धर्म-प्रचारकों को देश-देशान्तरों में भेजते हुए कहा था—"जब तुमसे कोई पूछे कि स्वर्ग की कुञ्जी क्या है? तो कहना कि वह है ईश्वर की भक्ति और सत्कार्य।" यह बात स्वयम्सिद्ध है कि "विनाश काले विपरीत बुद्धिः"। अधःपतित होने पर सभी जातियों के आदर्श भ्रष्ट हो जाते हैं; इसमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई किसी की क़ैद नहीं है। आज हम मुसलमानों को तअस्सुब से भरा हुआ देखते हैं; परन्तु जिन दिनों इस्लाम का झण्डा तुर्किस्तान से लेकर स्पेन तक के सभी देशों पर फहराता था, मुसलमान बादशाहों की धार्मिक उदारता संसार के इतिहास में अद्वितीय थी। पहले ईसाई-धर्म में पादरियों के सिवा किसी और को इञ्जील पढ़ने की स्वतन्त्रता न थी; हिन्दू-समाज ने भी शूद्रों को रचना करके तथा उनके अधिकारों को अपहरण करके अपने माथे पर एक भारी कलङ्क का टीका लगाया था, किन्तु इस्लाम ने क़ुरान पढ़ने की स्वतन्त्रता से किसी को वञ्चित नहीं रक्खा। इस्लाम ने नीचों के साथ जितनी उदारता दिखलाई है, उसे देखते हुए उनके प्रति किए गए अन्य समाजों के व्यवहार घृणास्पद और पाशविक प्रतीत होते हैं। किस समाज में स्त्रियों का जायदाद पर इतना अधिकार है, जितना मुस्लिम-समाज में? इस्लाम में प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक और मानसिक उन्नति निःसङ्कोच कर सकता है। हज़रत मुहम्मद का यह सिद्धान्त स्वर्णाक्षरों में अङ्कित करने योग्य है—"ईश्वर की समस्त सृष्टि उसका परिवार है, और वही प्राणी ईश्वर का भक्त है, जो ख़ुदा के बन्दों के साथ नेकी करता है।"

इस्लाम के नियामक ने भ्रातृ-भाव का महत्व अन्य जातियों से अधिक समझा है, यह इससे स्पष्ट विदित होता है। इस्लामी धर्म और सभ्यता को संसार में जो भी सफलता मिली है, वह इसी भ्रातृ-भाव के कारण। हम तो कह सकते हैं कि जनता को आकर्षित करने की जितनी शक्ति इस्लाम में है, उतनी शायद ही किसी समाज या संस्था में हो। यदि इस्लाम की सङ्गठन-शक्ति के साथ हिन्दू जनता समझौता करके, स्वतन्त्रता-पथ की पथिक हो, तो कौन शक्ति ऐसी है, जो उनकी स्वतन्त्रता में बाधक होकर, उनकी गति को रोकने का सामर्थ्य कर सकती है? हिन्दू और मुसलमान दोनों, यद्यपि एक ही पथ के पथिक हैं, तथापि वे एक-दूसरे को अपना साथी नहीं समझ रहे हैं, और न एक-दूसरे की सहयोगिता की आवश्यकता ही समझते हैं। इस बखेड़े में किसी का भी कुछ सुधार नहीं हो सकता। यही कारण है कि उन्नति की इच्छा रखने पर भी दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ सका है। दोनों में अब भी सैकड़ों बुराइयाँ हैं। इस स्थिति में न उनमें ही अणुमात्र सुधार हो सकता है, न लक्ष्य-स्थान ही निर्दिष्ट हो सकता है। जिस वेग से हिन्दू-मुस्लिम-विरोध बढ़ रहा है, उस वेग से कम से कम हिन्दुओं का तो आन्तरिक सङ्गठन नहीं हो रहा है। दिनोदिन इसमें शिथिलता और उसमें स्फूर्ति के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कुछ मुसलमान शायद अब इस बात को मानने को तैयार न होंगे कि हिन्दुओं और मुसलमानों, दोनों पक्षों के पारस्परिक सम्बन्ध और सहयोग की आवश्यकता सदा थी और आज भी है। वह चाहे न मानें, परन्तु इतिहास के पृष्ठों में वह सम्बन्ध, वह ऐक्य सदा के लिए अङ्कित हो गया है। जब तक भारत और भारत का इतिहास है, हिन्दू और मुसलमानों का चिर-सम्बन्ध मिट नहीं सकता। वर्तमान शाकतपन्थी मुसलमान-समाज चाहे अपने को हिन्दू-समाज से कितना ही पृथक समझता हो, किन्तु इतिहास पृथक नहीं होने देगा। मुसलमान, चाहे हिन्दुओं को केवल पत्थरों के पूजने वाले, गर्दन में धागे डालने वाले, माथा रँगने वाले और ढीली धोती पहनने वाले ही समझते हों; किन्तु उन्होंने नहीं तो मध्यकाल में भारत में आए हुए अनेक मलकाना मुसलमानों ने हिन्दू-सभ्यता से बहुत सी बातें ग्रहण की थीं। राजकीय महत्वाकांक्षा तथा वीरता के भावों से प्रेरित होकर भले ही उन्होंने भारत को भली-भाँति पददलित किया हो, परन्तु भारत में बस कर भारतीय भावों तथा रीतियों को ग्रहण करने में उन्होंने तनिक भी सङ्कोच नहीं किया।

राणा संग्रामसिंह की मृत्यु के पश्चात् जब मेवाड़ की शक्ति क्षीण हो गई, तो मालवा के राजा सुल्तान बहादुर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। जिस चित्तौड़ को पाँच सदियों तक निरन्तर प्रयत्न करते रहने पर भी कोई विदेशी शक्ति अधीन नहीं कर सकी थी, उसी चित्तौड़ की, सुल्तान बहादुर की प्रबल शक्ति के सामने, ३२ हज़ार राजपूत योद्धाओं के बलि चढ़ाने, और १३ हज़ार राजपूत स्त्रियों के जुहार-व्रत द्वारा ध्वंस हो जाने पर भी, रक्षा न हो सकी। सुल्तान बहादुर ने उस पर अधिकार प्राप्त कर लिया। किन्तु बहुत समय तक वह इस वीर-भूमि को अपवित्र न कर सका। चित्तौड़ के राणा उदयसिंह की माता और राणा संग्रामसिंह (साँगा) की पत्नी रानी कर्णावती ने मुग़ल सम्राट वीरवर हुमायूँ के पास 'राखी' भेजी। कैसी विचित्र घटना है। एक आक्रान्ता हिन्दू-स्त्री मुसलमान को भाई के नाते रक्षार्थ, राखी भेजती है। बङ्गाल की लड़ाई में व्यस्त होते हुए भी, हुमायूँ, अपनी बहिन के सन्देश की उपेक्षा न कर सका, और प्राणपण से चित्तौड़ की रक्षा की। वह (हुमायूँ) भारतीय त्योहार व रिवाजों के महत्व को समझता था; उसे हिन्दू-संस्कृति से घृणा न थी। इसीलिए राखी मिलते ही उसने कहा—वे जो कहेंगी, मैं करने को तैयार हूँ। अगर वे रणथम्भोर का क़िला भी माँगें, तो मैं निःसङ्कोच दे दूँगा

केवल एक हुमायूँ ने ही नहीं, प्रसिद्ध मुग़ल सम्राट अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ और यहाँ तक कि औरङ्गज़ेब ने भी इस राखी के पवित्र सम्बन्ध से अपने को कृतकृत्य समझा था। औरङ्गज़ेब के पास मेवाड़ की महारानी ने राखी भेजी थी, तब भी औरङ्गज़ेब ने राखी के महत्व को समझ कर अपने कर्त्तव्य का पालन किया था। यह और भी ध्यान रखने योग्य बात है कि औरङ्गज़ेब के समय में उदयपुर और मेवाड़ का ही एक राज्य था, जो मुग़ल साम्राज्य के अधीन नहीं हुआ था। आधुनिक मुसलमानों के व्यवहार को दृष्टि में रखते हुए, ऐसी कौन हिन्दू स्त्री है, जो किसी मुसलमान के पास राखी भेजने का साहस कर सके?

और भी सुनिए, विधाता के कठिन विधान के अनुसार, जब मेवाड़ की स्वाधीनता मुग़ल साम्राज्य के हाथों बिक गई थी, उस समय भी जहाँगीर अथवा उनके पुत्र ख़ुर्रम ने कभी भी मेवाड़ के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया, जैसा विजित जाति के साथ जीतने वाला करता है। सुल्तान ख़ुर्रम राणा कर्ण को सगे भाई के समान मानते थे। कितना उच्च आदर्श है। इन दोनों जातियों के बीच इतनी घनिष्टता का व्यवहार कैसे हुआ? अब क्यों नहीं होता? इसका उत्तर हम सङ्कुचित हृदय रखने वाले क्या दे सकते हैं? जिस जाति

को उनके पुरुषाओं ने मुक्त-कण्ठ से श्रेष्ठ कह कर पुकारा था, आज उसी जाति को, अभिमानोन्मत्त मुसलमान, असभ्य और निकृष्ट कह कर, उसे तअस्सुब से देख रहे हैं। कैसा विचित्र परिवर्तन है!

जिन मुसलमान इतिहास-लेखकों ने हिन्दू राजाओं को "मुग़ल साम्राज्य का स्तम्भ" और "अलङ्कार स्वरूप" लिखा है, आज उन्हीं की सन्तान हिन्दुओं को अपना शत्रु समझ रही है। हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे के उपकारों को आज बुरी तरह भूल रहे हैं। इसी कारण विद्वेष के विचार पुष्ट होते जा रहे हैं। इतिहास के पन्नों को उलट कर देखने से प्रतीत होगा कि हिन्दू और मुसलमानों को सदा से एक सूत्र में बँधने की आवश्यकता रही है। और दोनों एक-दूसरे के आभारी रहे हैं। यदि हिन्दू राजाओं ने मुग़ल बादशाहों के प्रसाद से एक समय महान शक्ति प्राप्त की थी, तो हिन्दू राजाओं ने भी मुग़ल साम्राज्य को चिरस्थायी बनाने के उद्योग में कसर नहीं रक्खी थी, और अपने परिवार तथा मातृ-भूमि के साथ बदला स्वीकार करके भी, मुग़ल साम्राज्य के रक्षार्थ अपने को बलिदान कर दिया था। प्रत्येक इतिहासवेत्ता को यह मानना पड़ेगा कि यदि अकबर के पृष्ठ-पोषक मानसिंह और यशवन्तसिंह जैसे महान वीर न होते, तो कदाचित वह इतना ऐश्वर्यशाली न हो सकता। हिन्दू आज मुसलमानों में सभ्यता और विद्वत्ता की कमी बताते हैं। मुसलमान आज हिन्दुओं को अत्यन्त निर्बल और निरुत्साही कहते हैं। बस, यही विचार ऐसे हैं, जो चिर-विघ्नकारी विद्रोह की जड़ को दृढ़ करते जाते हैं। यह मानी हुई बात है कि जब तक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने समान नहीं मान लेता, तब तक उन दोनों की मित्रता चिरस्थायी नहीं हो सकती। इसी को दृष्टिगत रखते हुए, यह कह देने में हानि नहीं है कि वास्तव में दोनों पक्ष भूल में हैं। न सारे मुसलमान ही मुस्टण्डे हो सकते हैं, और न सारे हिन्दू ही निर्बल। न समस्त हिन्दू ही वीर्यवान हो सकते हैं, और न तमाम मुसलमान ही कायर। न समस्त हिन्दू ही विद्वान होने का दावा कर सकते हैं और न सारे मुसलमान ही। एक-दूसरे को नीचा समझने का परिणाम सिवा आपसी लड़ाई के किसी भी प्रकार सार्थक और कुछ नहीं हो सकता है।

बल को ही लीजिए। यदि औरङ्गज़ेब, नादिरशाह, अकबर, शहाबुद्दीन जैसे मुसलमान सम्राटों ने हिन्दुओं की प्रबल सत्ता को मिटाने में सफलता प्राप्त की है, तो पृथ्वीराज, महाराणा प्रताप और वीर-केशरी शिवाजी आदि ने भी उन्हें चैन से नहीं सोने दिया। यदि मुसलमान सम्राटों को भारत को बार-बार पददलित और ध्वंस कर देने का गर्व हो सकता है, तो भारतीय हिन्दुओं को केवल एक छोटे से मेवाड़ के आत्माभिमान पर गुमान करने का अधिकार है। मुसलमान बादशाहों के बार-बार के आक्रमणों से खोखला हो जाने पर भी भारत उसी गर्व के साथ मस्तक ऊँचा करके संसार के राष्ट्रों के सामने खड़ा रहा। महान सत्ताधारी मुग़ल साम्राज्य के भरसक नष्ट कर देने के उद्योग करने पर भी भारत का छोटा सा राज्य मेवाड़ भारत में उसी अभिमान से सिर उठाए हुए खड़ा रहा। यदि हिन्दू राजाओं ने मुग़ल सम्राटों से प्रभावान्वित होकर, उनकी अधीनता स्वीकार की है, तो दिल्लीश्वर के प्रधान सामन्त ख़ानख़ाना, प्रताप की महिमा पर मोहित होकर कहते हैं—"इस जगत में समस्त वस्तुएँ अनित्य हैं, राज्य और धन समस्त ही लोप हो जायँगे, परन्तु एक महापुरुष की असीम कीर्त्ति सदा ही अमर रहेगी। प्रताप ने अपने राज्य, धन इत्यादि समस्त पदार्थों को छोड़ा, परन्तु कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया।"

हिन्दुओं ने भी सम्राट अकबर को "दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा" कह कर सम्मानित किया, और 'जगद्-गुरु' की उपाधि से विभूषित कर, अपनी गुण-ग्राहकता का परिचय दिया। अकबर ने भी हिन्दुओं के महत्व को समझ कर उनके प्रति जो व्यवहार किए हैं, वे आदर्श हैं और वर्तमान मुसलमान समाज के लिए अनुकरणीय हैं। आज हिन्दू और मुसलमान गाय की क़ुरबानी पर झगड़ते हैं। इस प्रश्न को वे अभी तक हल नहीं कर सके। किन्तु हिन्दुओं के श्रद्धालु और उदारचेता सम्राट अकबर कई सौ वर्ष पहिले ही उसका निर्णय कर चुके थे। यह सबको मालूम है। क्या यह निर्णय आजकल के मुसलमानों को मान्य नहीं है? अकबर अपने समय के हिन्दू सभासदों, पण्डितों और वीरों का जितना सम्मान करते थे, उसके लिए कौन सहृदय हिन्दू उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाश नहीं करेगा? हम साहस के साथ कह सकते हैं कि यदि कुछ सुयोग्य हिन्दुओं के कारण सम्राट अकबर का गौरव बढ़ा था, तो उन हिन्दुओं के भी यशस्वी होने का स्पष्ट कारण भी सम्राट अकबर थे। मुसलमानों को तअस्सुब से देखने वाले हिन्दू, सोचें और बतावें कि अकबर की सभा के नवरत्नों में हिन्दू अधिक थे या मुसलमान? आज जो हिन्दू, मुसलमानों के प्रति अश्रद्धा और अविश्वास करते हैं; उन्हें 'महामाया' द्वारा अमरसिंह राठौड़ की पुत्री 'तारा' की रक्षा वाली घटना को स्मरण करना चाहिए और जो मुसलमान, हिन्दुओं पर दुराचार का दोषारोपण करते हैं, उन्हें दुर्गादास और राजसिंह का मुसलमान सम्राज्ञियों के प्रति किया हुआ व्यवहार इतिहास में टटोल कर देखना चाहिए।

हिन्दू और मुसलमान केवल मनोभावों से ही नहीं, भाषा, वेश-भूषा और रीति-रिवाज आदि प्रायः सभी विषयों में ईर्षा और वैमनस्य की मात्रा को क़ायम रखना चाहते हैं। हिन्दू, उर्दू को मुसलमानों की भाषा और सलवार इत्यादि को मुसलमानों की पोशाक समझ कर उनसे घृणा करते हैं। इसी तरह मुसलमान धोती को हिन्दुओं की पोशाक तथा हिन्दी को उनकी भाषा मान कर उनसे बुरी तरह चिढ़ते हैं। वास्तव में ये बातें देश और प्रान्त के अनुकूल उचित और प्रचलित हुआ करती हैं। सभी हिन्दू धोती नहीं पहिनते, न सभी हिन्दू हिन्दी ही जानते हैं। पञ्जाब के हिन्दू अधिकतर सलवार पहनते और उर्दू पढ़ते हैं। उनको हिन्दू घृणा की दृष्टि से क्यों नहीं देखते? इसी तरह मुसलमानों का भी धोती आदि से घृणा करना निरी मूर्खता ही कही जा सकती है। प्रायः देखने में आता है कि शिक्षित और अप-टू-डेट मुसलमान सज्जन हैट, पैण्ट, बूट आदि का व्यवहार करते हैं, लेकिन धोती, पगड़ी, अचकन को त्याज्य समझते हैं। इसी प्रकार अनेक प्रकृति के पदार्थों को मुख्य रूप से ये हिन्दुओं के लिए, और ये मुसलमानों के लिए बताने लगते हैं। ऐसी दो भारतीय जातियाँ, जो कुछ भारतीय वस्तुओं के कारण परस्पर मनोमालिन्य या अश्रद्धा के भाव रखती हैं, कभी एक भारतीय सङ्गठन की सहायक नहीं हो सकतीं।

जब हम प्राचीन हिन्दी के मुसलमान कवियों की भावुकता पर दृष्टि डालते हैं, तो उसके सामने हम वर्तमान मुस्लिम मनोवृत्ति को अत्यन्त शोचनीय दशा में पाते हैं। आजकल मुसलमान, हिन्दू देवी-देवताओं के प्रति कैसे भाव रखते हैं, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है। हिन्दू भी दिनोंदिन मुसलमानों के व्यवहारों का प्रतिकार करने में जिस शीघ्रता से काम ले रहे हैं, प्रकट ही है। शुद्धि-सभा और तबलीग़ की भगदौड़ ने राष्ट्रीय सङ्गठन-कार्य को जो ठेस पहुँचाई है, वह भी छिपा नहीं है। यदि यही स्थिति रही तो अनर्थकारी समय अधिक दूर नहीं है। जो मुसलमान और हिन्दू उक्त वैमनस्य-कारी भावों के पोषक हैं, उन्हें नव्वाब अब्दुर्रहीम ख़ानख़ाना का यह श्लोक कदाचित बुरा न प्रतीत होगा:—

अहिल्या पाषाणः प्रकृति पशुरासीत् कपिचमूः।
गुहःश्चाण्डालोऽपि तृतिय पुपनीतं निजपदम्॥
अहं चित्ते नाश्मा पशुरपि तवार्चादि करणे,
क्रियाभिश्चाण्डालो रघुवर नमाम्युद्धरसि किम्।

सम्भव है, जैसे पक्षपाती हिन्दू अपने पक्ष के विरुद्ध बातों को अपने मान्य ग्रन्थों में भी पाकर किसी विधर्मी द्वारा जोड़ी हुई बता देते हैं, वैसे ही तअस्सुब का चश्मा चढ़ाए हुए मुसलमान भी इसको मानने में आपत्ति करें? किन्तु उन्हीं के पूर्वज अनेक कवि-हृदय मुसलमानों ने अपनी निष्पक्ष और प्रेमपूर्ण सहृदयता से हिन्दुओं के हिन्दी-साहित्य को अपना कर अपनी कीर्ति को अमर बना लिया है—

उदाहरणार्थ रसखान को ही लीजिए। देखिए, उनकी क्या प्रार्थना है:—

मानुस हौं तो वही रसखान
बसौं ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन।
जो पशु हौं तो कहा बस मेरो
चरौं नित नन्द की धेनु मँझारन॥
पाहन हौं तो वही गिरि को
जो धरयो कर छत्र पुरन्दर कारन।
जो खग हौं तो बसेरो करौं
मिलि कालिन्दि-कूल कदम्ब की डारन॥

खोज करने से पता लगेगा कि बहुत से मुसलमानों ने हिन्दू देवी-देवताओं की उपासना की है। मुसलमान देवताओं के हिन्दू-भक्तों के उदाहरण व्यर्थ से हैं, क्योंकि असंख्य हिन्दू अब तक मुसलमान देवताओं को उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजते हैं। इस क्रान्ति और जागृति के युग में भी ऐसे हिन्दुओं की कमी नहीं है जिन पर वर्तमान हिन्दू सुधारकों और नेताओं से भी ज़्यादा मुसलमान देवताओं का प्रभाव है। हिन्दुओं में, आज भी मुसलमान और उनके देवताओं के प्रति प्रेम रखने वाले पर्याप्त संख्या में दीख पड़ते हैं। लेकिन मुसलमानों में हिन्दू देवताओं के भक्त नहीं या नहीं के बराबर हैं।

राष्ट्रीय नेताओं के वर्षों के प्रयत्न के पश्चात् भी वास्तव में इस विषय में विशेष सफलता नहीं मिल सकी है। इसका कारण यही है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को समझने का प्रयत्न ही नहीं करता। एक पक्ष दूसरे की महत्ता ही नहीं समझता। प्रत्येक पक्ष अपने अभिमान में आकर यह समझने लगता है कि दूसरा पक्ष अनावश्यक और भार के समान है। परन्तु वास्तव में बात यह है कि हरेक के लिए दूसरा बड़ा ज़रूरी है। पुरानों की बातों को जाने दीजिए, सदियों के समय को भी भूल जाइए, तोभी हम कहने का दावा करते हैं कि यदि आज हिन्दू और मुसलमान अपना पारस्परिक सम्बन्ध बिल्कुल तोड़ लें, तो अपने पैरों पर इनमें से कोई भी अधिक समय तक खड़ा न रह सकेगा। हिन्दू और मुसलमान दोनों वीर-प्रसू भारतमाता के लाड़ले लाल हैं, सदियों उसी की गोद में पले हैं। दोनों ही भारतीय कहे जाते हैं। किसी भी दूसरे देश में वह हिन्दू या मुसलमान के नाम से प्रसिद्ध, निन्दनीय अथवा वन्दनीय नहीं होते। हर एक दूसरे देश की दृष्टि में भारत-निवासियों की जाति है—भारतीय। बस इसी नाते उन्हें अपने कर्तव्य-पालन का पाठ मिल कर पढ़ना चाहिए।

* * *

कविता-कुञ्ज

माया

[श्री० श्यामापति जी पाण्डेय 'श्याम']

सौन्दर्य, प्रेम-जल-निधि में,
जो पड़ी तुम्हारी छाया।
हा! वही आज सूने की,
हो गई हमारी माया॥

❀

पीड़ा का सुख हो जाना,
ज्योत्स्ना का जलन बढ़ाना।
आँखों का शोक-निलय से,
आकर मोती बरसाना॥

❀

शीतल समीर के झोंकों—
का विकल व्यथा का देना।
फिर तप्त-भूमि पर सुख से,
मस्ती की करवट लेना॥

❀

पलकों का झपकी लेना,
कुछ दबे चरण से जाना।
मानस-निकुञ्ज में तेरा,
उन्माद रङ्ग बरसाना॥

❀

रजनी का दिवस बनाना,
सन्ध्या प्रभात का होना।
हँसना विषाद के लय में,
सुखमयी घड़ी का रोना॥

❀

सान्त्वना के लिए तेरा—
सीने पर कर का लाना।
सुख की स्मृतियों के आगे,
दुख का सपना हो जाना॥

❀

उन मतवाली आँखों में,
बेहोश सुप्त सी छाया।
दुर्लभ दुलार का सौदा,
जो किया, बनी आ माया॥

* * *

विधवा का अनुरोध

[श्री० मिज़ाजीलाल 'मिज़ाजी']

काट लीजै रसना या कीजै स्वादहीन प्रभो,
सी दीजै मुखड़ा कि हँस-बोल न निकल जाय।
कीजै हिय पवि जैसा, लोह-सा शरीर कीजै,
निकसे न आह चाहे जैसी कड़ी चोट खाय॥
दीजै 'मार' मार, कीजै हाथ-पैर दस गुने,
थके नाहिं रात-दिन, काम करें धाय-धाय।
हा! हा! भगवान, कीजै एते कर काम याते,
विधवा बिचारी निज जीवन बिताय जाय॥

* * *

महाराणा प्रतापसिंह

[श्रीयुत 'किङ्कर']

हे हिन्दू-कुल-सूर्य! विश्व में तेरी अमर कहानी,
तेरे अमित ओज साहस की है बस अमिट निशानी।
प्रिय प्रताप! तेरा सिंहासन था कितना अभिमानी,
ठानी थी यह बात किसी ने होकर पानी-पानी।

❀

हे भारत-गौरव! स्वतन्त्रता के निर्भीक पुजारी!
तेरी बलि पर बलिवेदी भी बार-बार बलिहारी।
बुझती सी जाती है अब आज़ादी की चिनगारी,
सूख चली जिसको शोणित से सींचा था वह क्यारी।

❀

कौन रखेगा आज दीन भारत के मुख की लाली,
किसकी चाल यहाँ तेरी सी गरबीली मतवाली।
आती हैं फिर वही घटाएँ दुख की काली-काली,
बन फ़क़ीर जिनको तूने थी अहो, किसी विधि टाली।

❀

रुकती नहीं आज भारत की अश्रु-प्रवाहित धारा,
दुर्विपाक ने बुरे समय में बुरी तरह से मारा।
रोता है चित्तौड़ बिचारा भी चित तोड़ तुम्हारा,
'हा! ले गया प्रताप प्रतापी अरे! प्रताप हमारा।'

❀

अनाचार अन्याय दमन उत्पीडन दुःख घना था,
निज गौरव को भूल क्षत्रि-कुल मुग़ल-ग़ुलाम बना था।
क्लीब हुआ था, कायरता-पङ्किल में देश सना था,
रत्नाकरा मातृभू ने तब तुम्हें प्रताप! जना था।

❀

कुछ अजीब जादू था तेरे भाव-भरे भाषण में,
इन्द्र-कुलिश की कर्कशता थी तेरे पावन प्रण में।
मुक्त-कण्ठ से गाते थे गुणगण अरि समराङ्गण में,
था जीवन, अमरत्व निहित तेरे रणवीर! मरण में।

❀

एक ओर अकबर अदम्य साहसी सूर प्रतिघाती,
कुटिल नृशंस नरेश निरङ्कुश निर्दय कुमति कुजाती।
इधर किन्तु थोड़ी सी सेना देश-प्रेम मदमाती।
सच्ची धुन धीरता तुम्हारी, धन्य तुम्हारी छाती।

❀

बाधाओं का विकट व्यूह था तेरे लिए खिलौना,
थी फूलों की सेज कण्टकाकीर्ण कठोर बिछौना।
चाहे मिले न रोटी सुख से, हो न चैन से सोना,
था न अभीष्ट कभी आजीवन पराधीन पर होना।

❀

नर-पुङ्गव! जिज्ञासु जगत को जीवन-पाठ पढ़ाया,
आज़ादी का मोल एक तूने समझा समझाया।
स्वाभिमान की रक्षा में अपना सर्वस्व नसाया,
किन्तु किसी सत्ता के सम्मुख झुका न शीश झुकाया।

❀

इतिहासों के पन्नों में अब गाथा है, युग बीता,
पर न हो सका हाय आज तक तेरा वह मनचीता!
हार चुके हम उसे जिसे जीवन में तूने जीता,
जागे विश्व श्रवण कर तेरी फिर पावन गुण गीता।

* * *

मयङ्क

[श्री० सोहनलाल जी द्विवेदी]

यामिनी लतिका ललित के दल हटा,
क्या कुसुम कोई धवल विकसित हुआ?
दिग्वधूटी मुख विलोकन के लिए,
या मुकुर कोई धवल निर्मित हुआ?

❀

क्या गगन-सर की मनोहर लहर में,
यह अनोखा हो कमल है सोहता?
या किसी कुल-कामिनी का कान्तिमय,
वर-वदन है विश्व का मन मोहता?

❀

नभ नहीं यह क्षीर-सागर है बना,
और यह विधु कुण्डलित सित शेष है?
या जलधि के मथन से निकला हुआ,
अमृत का यह कलश शुभ्र-विशेष है?

❀

रँग रहा है चाँदनी से विश्व को,
क्या रजक कोई निपुण है यह नया?
या इसी के व्याज ताण्डव नृत्य का,
पिण्डमय हर हास्य वर देखा गया?

* * *

कामना

[श्री० उत्तमचन्द्र जी श्रीवास्तव]

अभिलाषा है नहीं स्वर्ग के,
वैभव को मैं पा जाऊँ।
चाह नहीं है ज्ञानी बन कर,
नाम कमाऊँ, सुख पाऊँ॥
नहीं लालसा सूर्य-चन्द्र बन,
निज गौरव पर इठलाऊँ।
चाह नहीं है मोक्ष-दायिनी,
शान्ति जगत में मैं पाऊँ॥
मेरी है बस यही कामना
कर्मवीर मैं कहलाऊँ।
ऊँच-नीच का भाव छोड़ कर
ममता निज मन में लाऊँ।
दीन-दुखी जन के दुःखों को,
दूर करूँ, अति हर्षाऊँ।
अन्त समय में देश-धर्म की,
वेदी पर बलि हो जाऊँ॥

* * *

'गरल-माधुरी'

['शशाङ्क']

रोक-रोक ले वंशी वाले, अपनी मादक तानें।
थाम-थाम ले युगलाङ्गुलियाँ, तनिक ठहर दीवाने॥
रूठ रही है ये मदमाती, किसको आह! रुलाने।
उगल रही है गरल-माधुरी, कुञ्ज लगे लहराने॥
प्रलय-गान ये रोक ले, जाता तन-मन सब जला।
सप्त-स्वरों से खींच ले, अपनी अँगुली-चञ्चला॥

* * *

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



चर्ख़ा-रूपी तोप से लङ्काशायर का मुक़ाबला करने वाला भारत का 'अर्द्ध-नग्न फ़क़ीर'



'स्थायी शान्ति' की उपासना करने वाले भारत के वर्त-मान भाग्य-विधाता—लॉर्ड विलिङ्गडन



बाल-भारत-सभा के उत्साही सङ्गठन-कर्ता—१० वर्षीय बालक, मास्टर रौशनलाल से बातें करते हुए शिमला-सिटी कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रधान—डॉक्टर नन्दलाल वर्मा। बीच में दफ़ा १०८ के अनुसार १ वर्ष का दण्ड पाने वाले श्री० शिवदत्त जी।



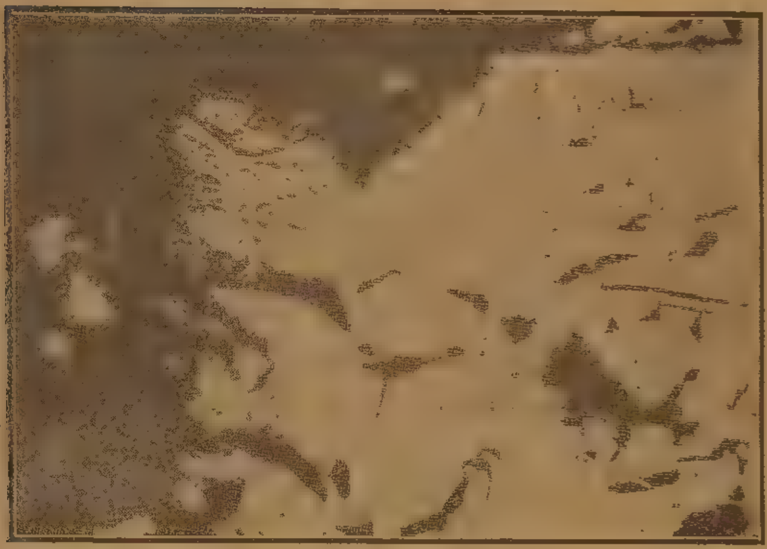
महिला कॉङ्ग्रेस कमिटी (शिमला) की प्रधाना—कुमारी सत्यवती खोसला



२४ मार्च की रात को ११ बजे लाहौर सब-जेल में स्वर्गीय 'सरदार भगतसिंह' के वियोग में नारे लगाने के अपराध में कहा जाता है, आपको जूतों से पीटा गया और 'डण्डे-बेड़ी' की सज़ा दी गई थी।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

चटगाँव के अभागे विप्लवकारी और उनका अन्त



इस चित्र में ग़ौर से देखने पर पाठक ३ नवयुवकों के मृतक शरीर अथवा विक्षत अङ्ग इधर-उधर पड़े देखेंगे। ये तीनों ही नवयुवक १८ वीं एप्रिल को जलालाबाद में फ़ौज तथा पुलिस से लड़ते हुए मारे गए थे। इनके नामों का पता नहीं चला है।



२६वीं एप्रिल को जलालाबाद पहाड़ी पर पुलिस से लड़ते हुए मरने वाले नवयुवक—(१) श्री० जतीनदास गुप्ता (१८ वर्ष), (२) श्री० मधुसूदन दत्त (१७ वर्ष) और (३) श्री० पुलिनविकाश घोष (१६ वर्ष)



१४ वर्षीय नवयुवक स्वर्गीय अमरेन्द्र नन्दी, जिन्होंने आत्म-रक्षा का कोई साधन न देख कर स्वयं आत्म-हत्या कर ली थी।



'कलारपोल' में पुलिस से लड़ते हुए मरने वाला एक विप्लवकारी, जिसके नाम का पता नहीं चला है।



२६वीं एप्रिल को जलालाबाद पहाड़ी पर फ़ौज और पुलिस से लड़ते हुए मरने वाले १७ वर्षीय विप्लवकारी—श्री० नरेश रॉय (नम्बर २)



२६वीं एप्रिल, १६३० को जलालाबाद पहाड़ी पर पुलिस तथा फ़ौज से लड़ते हुए मरने वाले तीन नौजवान विप्लवकारी, जिनके नाम का पता नहीं चल सका है।



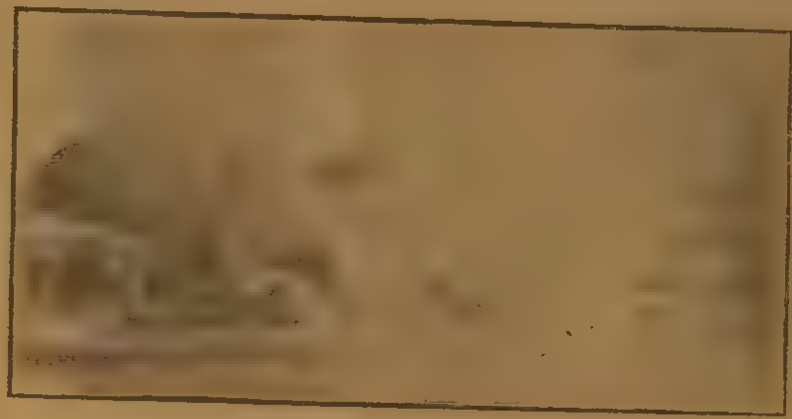
२६वीं एप्रिल को जलालाबाद पहाड़ी पर पुलिस तथा फ़ौज से लड़ते हुए मरने वाले तीन विप्लवकारी नवयुवक—(१) श्री० नरेश रॉय (२१ वर्ष), (२) श्री० त्रिपुरा सेन (१५ वर्ष), (३) श्री० बिधेन भट्टाचार्या (२१ वर्ष)

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

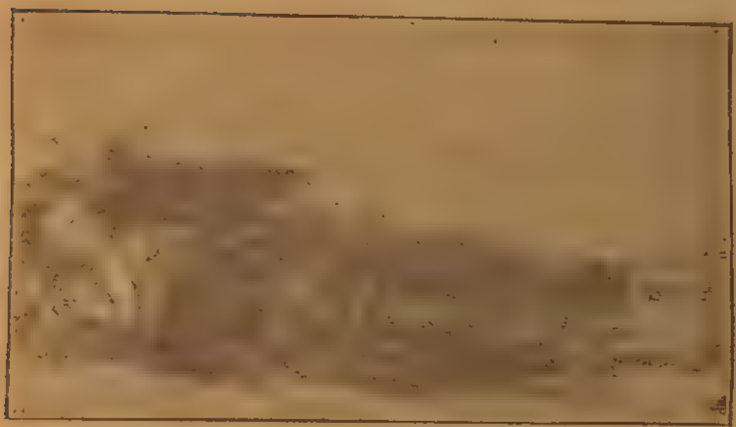
चटगाँव के अभागे विप्लवकारी और उनका अन्त



२० वर्षीय नवयुवक स्वर्गीय माखम घोषाल, जो चन्दननगर में पुलिस की गोलियों के शिकार हुए थे।



स्वर्गीय नवयुवक श्री० विकाश दस्तीदार, जिन्होंने कहा जाता है, अपने जीवन-रक्षा का कोई साधन न देख कर स्वयं आत्म-हत्या कर ली थी।



१६ वर्षीय युवक स्वर्गीय अमरेन्द्र नन्दी, जो फ़ौज से लड़ते हुए मारे गए।



श्री० माखम घोषाल (नम्बर २), जो चन्दननगर में पुलिस से लड़ते हुए मारे गए।



बाँईं ओर से—स्वर्गीय हरिगोपाल बॉल (१४ वर्ष) और श्री० मोती कम्मू गोके (१७ वर्ष), जो १८वीं एप्रिल को जलालाबाद में फ़ौज से लड़ते हुए मारे गए।



स्वर्गीय (१) देबू गुप्ता (१७ वर्ष), (२) श्री० मनोरञ्जन सेन (१६ वर्ष), (३) श्री० रजत सेन (१८ वर्ष) और (४) स्वदेश रॉय (१८ वर्ष) ये चारों ही नवयुवक ६ठी मई, १९३० को 'कलारपोल' में फ़ौज से लड़ते हुए मारे गए।

यदि अवसर दिया जाय तो स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकतीं ?



कोचीन के सुप्रसिद्ध वकील श्री० ई० नवायणकर की कन्या-रत्न—श्रीमती कल्याणी कुट्टी श्रम्मल, बी० ए०। श्रापको प्रतिभाशाली छात्रा होने के कारण श्रनेक पदक तथा पारितोषिक मिलते रहे हैं।



कन्जीवरम (मद्रास) गर्ल्स स्कूल की प्रधान श्रध्यापिका—श्रीमती श्रम्माकुटी श्रम्मल, बी० ए०, एल्० टी०



रानी कॉलेज (मैसोर) की सर्व-प्रथम ग्रेजुएट महिला—श्रीमती एन० लक्ष्मी श्रम्मा, बी० ए०। श्रापको भी विश्वविद्यालय से कई स्वर्णपदक तथा पारितोषिक मिल चुका है।



पाश्चात्य महिलाएँ प्रतिदिन पुरुषों के कार्य-क्षेत्र पर सफलतापूर्वक श्राक्रमण करती जा रही हैं। विलायत की श्रनेक महिलाश्रों ने श्राग बुझाने के कार्य में भी विशेषता प्राप्त की है। पाठक इस चित्र में श्राग बुझाने का कार्य करने वाली महिलाश्रों को ड्रिल करते हुए देखेंगे, जो वे श्रभ्यास के लिए नियमित रूप से नित्य करती हैं। इन महिलाश्रों के पीछे पाठक श्राग बुझाने वाली मोटर को भी खड़े देखेंगे। मोटर भी महिलाएँ ही हाँकती हैं। श्रपने निर्धारित कार्य में पुरुषों को पास तक फटकने देना वे श्रपना श्रपमान समझती हैं।



दे चुके हम तो उन्हें सर भी, जिगर भी, दिल भी, देखना यह है कि वह अब हमें क्या देते हैं !
कोई हसरत और कोई हौसला बाक़ी नहीं, मिट गया अब दिल, तो दिल का वलवला बाक़ी नहीं ?

दिल को लेकर, वह ग़मे होश रुबा[1] देते हैं,
क्या सितम करते हैं, क्या लेते हैं, क्या देते हैं।
हर घड़ी वह हमें आज़ार[2] नया देते हैं,
भूलते भी हैं, तो हम याद दिला देते हैं।
इश्क़ो उलफ़त की वहाँ ख़ाक भी तौक़ीर[3] नहीं,
ख़ाक में चाहने वालों को मिला देते हैं।
क्यों न हो और ज़ियादह मुझे पहले से ग़शी,
अपने दामन से वह झुक-झुक के हवा देते हैं।
हाय हम, हाय यह दिल, हाय यह मजबूरिए दिल,
कोसता भी है जो कोई तो दुआ देते हैं।
दे चुके हम तो उन्हें, सर भी, जिगर भी, दिल भी,
देखना यह है कि वह अब हमें क्या देते हैं ?
"नूह" बाज़ आएँ वफ़ा से कभी हम क्या मुम्किन,
मरने वाले उन्हें, जीने की दुआ देते हैं।

—"नूह" नारवी

जब वह भरपूर कोई वार लगा देते हैं,
सब लबे ज़ख़्म से, हँस-हँस के सदा देते हैं।
जब वह दीदार कभी अपना दिखा देते हैं,
मिस्ले[4] मूसा मुझे बेहोश बना देते हैं।
जब तसव्वुर[5] में कभी आते हैं ख़ूबाने[6] जहाँ,
ख़ानए दिल को परीख़ाना बना देते हैं !
एक हम, रो के रुला देते हैं, जो आलम को,
एक वह हँस के जो रोतों को हँसा देते हैं।
उनकी रफ़्तार[7] में एजाज़[8] मसीहाई है,
कुश्तए[9] नाज़ को ठोकर से जिला देते हैं।
किस तरह दिल को हसीनों से बचाए कोई,
बातों-बातों में यह फ़ौरन ही उड़ा देते हैं।
सख़्त बे रह्म हैं यह सर्व से क़ामत[10] वाले,
अपने आशिक़ को सूली पे चढ़ा देते हैं।
बाल बेका ही न हो उनका कभी ऐ "शाकिर",
"नूह" साहब को यह हम दिल से दुआ देते हैं।

—"शाकिर" बरेलवी

बाँध कर ज़ुल्फ़ में, उलफ़त का सिला देते हैं,
दिल लगाने की यह बुत ख़ूब सज़ा देते हैं।

१—होश ले जाने वाला, २—दुख, ३—आदर, ४—मनसूर की तरह (मनसूर, जिसे सूली दी गई थी) ५—ध्यान, ६—सुन्दरी, ७—चाल, ८—हज़रत मसीह के मोजज़े का असर, जिससे मुर्दे जी उठते थे, ९—आदर पर मरने वाले, १०—क़द।

जब सुलगती है तेरे हिज्र[11] की आतिश[12] जानाँ,
दीदए[13] तर उसे अश्कों[14] से बुझा देते हैं।
काँप जाती है, ज़मीं आह जो मैं करता हूँ,
नालए दिल मेरे गरदूँ[15] को हिला देते हैं।
हमने दिल, जान, जिगर, हुस्न की ख़ैरात किया,
देखिए इसके एवज़ वह हमें क्या देते हैं।
खो गया दिल तेरे कूचे में हमारा अफ़सोस,
तेरी गलियों में भटकते हैं सदा[16] देते हैं।
एक दीदार की हसरत तो निकल जाती है,
और अरमान सभी दिल से भुला देते हैं।
उनसे कहना तेरी फ़ुरक़त[17] में हैं मुज़तर[18] "अफ़ज़ल",
तुझको पैग़ाम यह हम बादे सबा देते हैं।

—"अफ़ज़ल" मेरठी

पहले दिल ले चुके, अब मुझको दग़ा देते हैं,
क्या सितम है, कि वह क्या लेते हैं क्या देते हैं।
चाहते हैं कि कोई दिन भी यह ज़िन्दा न रहे,
देख कर वह मुझे मरने की दुआ देते हैं।
हो गया अब तो मेरा होश में आना मुश्किल,
अपने दामन से वह ख़ुद मुझको हवा देते हैं !
अपनी महफ़िल में यह करते हैं वह इज़्ज़त मेरी,
मैं जहाँ बैठता हूँ, मुझको उठा देते हैं।
निगहे शौक़ में बिजली सी चमक जाती है,
चिलमन अपनी जो उठा कर वह गिरा देते हैं।
क्या करे क्या न करे उनका मरीज़े उलफ़त,
न कभी ज़हर, न वह उसको दुआ देते हैं।
वह उठाने नहीं पाते उधर अपनी तलवार,
हम इधर पहले ही गर्दन को झुका देते हैं।
देखना यह है अभी इश्क़ में ऐ हज़रते दिल,
जुर्मे उलफ़त की, वह क्या तुमको सिला देते हैं।
हम वह जाँबाज़[19] हैं जो मौत से डरते ही नहीं,
हुक्म दो मर के अभी तुमको दिखा देते हैं।
लोग देखें तो मुहब्बत में यह इन्साफ़ उनका,
कोई तक़सीर[20] करे मुझको सज़ा देते हैं,
फ़ायदा "नूह" की सोहबत से हुआ यह 'बिस्मिल'
हम भी तूफ़ान ज़माने में उठा देते हैं।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

११—विरह, १२—प्रेम की आग, १३—आँसू भरी हुई आँख, १४—आँसू, १५—आकाश, १६—आवाज़, १७—विरह, १८—बेचैन, १९—जान पर खेलने वाले २०—क़ुसूर,

इब्तदाए[21] इश्क़ का वह हौसला बाक़ी नहीं,
अब सिवा मरने के, कोई वलवला बाक़ी नहीं।
आप अब आए कि जब अब तर है तज़्मे[22] कायनात
आमदो[23] रफ़्ते नफ़स[24] का सिलसिला बाक़ी नहीं।
मर गया बीमारे उलफ़त, उनसे इतना कहके बस,
जाइए अब आपसे कोई गिला बाक़ी नहीं।
जब तुम्हीं ने हमसे बातें कीं तवक़्क़ा[25] के ख़िलाफ़,
अब ज़माने में किसी से भी गिला बाक़ी नहीं।
हाथ आ पहुँचा गरेबाँ तक बमुश्किल ही सही,
नातवानी[26] अब तो कोई मरहला[27] बाक़ी नहीं।
हुस्न के दरबार में कोई हुआ है मोजिज़ह[28],
हज़रते नासेह[29] का अब वह मश्ग़ला बाक़ी नहीं।
उनकी महफ़िल में यह देखो शोख़िए तब्अ[30] "अज़ीज़"
बैठे हैं यूँ जैसे कोई हौसला बाक़ी नहीं।

—"अज़ीज़" लखनवी

कोई हसरत, और कोई हौसला बाक़ी नहीं,
मिट गया अब दिल, तो दिल का वलवला बाक़ी नहीं।
आगए तुम मेरी मय्यत[31] पर बहुत अच्छा हुआ,
अब मुझे शिकवा नहीं, कोई गिला बाक़ी नहीं।
कूचा गर्दी[32] हो चुकी, सैहरा नवुर्दी[33] हो चुकी,
ऐ जुनूँ अब और कोई मरहला बाक़ी नहीं।
जितनी थी मुझको शिकायत मिट गई जाती रही,
वह गले आकर मिले कोई गिला बाक़ी नहीं।
चाक दामन हो गया, टुकड़े गरेबाँ हो गया,
अब जुनूँ[34] के वास्ते कुछ मशग़ला बाक़ी नहीं।
वह मेरी बालीं[35] पर आ जाएँ उन्हें मैं देख लूँ,
मरते दम अब और कोई हौसला बाक़ी नहीं।
सो रहा हूँ जान देकर क़ब्र में राहत[36] के साथ,
अब तो कोई ज़िन्दगी का मरहला बाक़ी नहीं।
जिस क़द्र अहबाब[37] थे वह रफ़्ता-रफ़्ता उठ गए,
दिल बहलने का कहीं अब मशग़ला बाक़ी नहीं।
हज़रते "बिस्मिल" जो सच पूछो तो मरने के सिवा,
अब हमारे दिल में कोई हौसला बाक़ी नहीं।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

२१—शुरू, २२—संसार की देख-भाल, २३—आना-जाना, २४—साँस, २५—आशा, २६—कमज़ोरी, २७—मन्ज़िल, २८—अजूबा, २९—नसीहत करने वाला, ३०—चञ्चल तबीयत, ३१—जनाज़ा, ३२—गली-गली फिरना, ३३—जङ्गल-जङ्गल फिरना, ३४—दीवानगी, ३५—सिराहना, ३६—आराम, ३७—मित्र।

कविवर रवीन्द्र ने रूस में क्या देखा?

[जब पं० जवाहरलाल नेहरू ने रूस से वापस आने पर रूस के वर्तमान शासन-विधान एवं उसकी नवीन शिक्षा-प्रणाली की प्रशंसा करते हुए अपने विभिन्न व्याख्यानों में उसे एक आदर्श राष्ट्र बतलाया था, तब उनके विरोधियों ने उनकी खिल्ली उड़ाई थी और उनके अनुभवों को निस्सार तक कहने की धृष्टता की थी; किन्तु हाल ही में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर भी भ्रमणार्थ रूस गए थे। वयोवृद्ध विश्वकवि ने मॉस्को से २० सितम्बर, १९३० को एक पत्र लिखा था, जिसे पाठकों के मनोरञ्जनार्थ सहयोगी "विशाल-भारत" से यहाँ उद्धृत किया जाता है। क्या इसे भी भारत के एङ्गलो इण्डियन पत्र पागल का प्रलाप कहने की धृष्टता करेंगे ?

—सं० 'भविष्य']

आख़िर रूस में आया। जो देखता हूँ, आश्चर्य होता है। अन्य किसी देश से इसकी तुलना नहीं हो सकती। बिल्कुल जड़ से प्रभेद है। आदि से अन्त तक सभी आदमियों को इन लोगों ने समान रूप से जगा दिया है।

हमेशा से देखा गया है कि मनुष्य की सभ्यता में अप्रसिद्ध लोगों का एक ऐसा दल होता है, जिनकी संख्या तो अधिक होती है, फिर भी वे ही वाहन होते हैं; उन्हें मनुष्य बनने का अवकाश नहीं, देश की सम्पत्ति के उच्छिष्ट से वे प्रतिपालित होते हैं। वे सब से कम खाकर, सब से कम पहर कर, सब से कम सीख कर अन्य सबों की परिचर्या या ग़ुलामी करते हैं; सब से अधिक उन्हीं का परिश्रम होता है, सब से अधिक उन्हीं का असम्मान होता है। बात-बात पर वे भूखों मरते हैं, ऊपर वालों की लातें खाते हैं,—जीवन-यात्रा के लिए जितनी भी सुविधाएँ और मौक़े हैं, उन सब से वे वञ्चित रहते हैं। वे सभ्यता की दीवट हैं, सिर पर दिया लिए खड़े रहते हैं,—ऊपर वालों को सबको उजेला मिलता है, और उन बेचारों के ऊपर से तेल ढलकता रहता है।

मैंने इनके बारे में बहुत दिनों से बहुत सोचा है, मालूम हुआ कि इसका कोई उपाय नहीं। जब एक समूह नीचे न रहेगा, तो दूसरा समूह ऊपर रह ही नहीं सकता, और ऊपर रहने की आवश्यकता है ही। ऊपर न रहा जाय, तो बिल्कुल नज़दीक की सीमा के बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता; मनुष्यत्व सिर्फ़ जीविका-निर्वाह करने के लिए नहीं है। एकान्त जीविका को अतिक्रम करके आगे बढ़े, तभी उसकी सभ्यता है। सभ्यता की उत्कृष्ट फ़सल तो अवकाश के खेत में पैदा होती है। मनुष्य की सभ्यता में एक जगह अवकाश की रक्षा करने की ज़रूरत तो है ही। इसीलिए सोचा करता था कि जो मनुष्य सिर्फ़ अवस्था के कारण ही नहीं, बल्कि शरीर और मन की गति के कारण नीचे रह कर काम करने को मजबूर हैं और उसी काम के योग्य हैं, जहाँ तक सम्भव हो, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुख और सुविधा के लिए उद्योग करना चाहिए।

मुश्किल तो यह है कि दया के वश कोई स्थायी चीज़ नहीं बनाई जा सकती; बाहर से उपकार करना चाहें, तो पद-पद पर उसमें विकार उत्पन्न होते रहते हैं। समान बन सकें, तभी सत्य सहायता मिल सकती है। कुछ भी हो, मैं अच्छी तरह कुछ सोच नहीं सका हूँ—फिर भी इस बात को मान लेने में कि अधिकांश मनुष्यों को नीचे रख कर उन्हें अमानुष बनाए रख कर ही सभ्यता ऊँची रह सकती है, हमारा मन धिक्कारों से भर जाता है।

ज़रा सोचो तो सही, भूखे भारत के अन्न से इङ्गलैण्ड परिपुष्ट हुआ है। इङ्गलैण्ड के अधिकांश लोगों के मन का भाव यह है कि इङ्गलैण्ड का चिरकाल पोषण करना ही भारत की सार्थकता है; इङ्गलैण्ड बड़ा होकर मानव-समाज में बड़ा काम कर रहा है, और इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए हमेशा के लिए एक जाति को दासता में बाँध रखने में कोई बुराई नहीं; यह जाति अगर कम खाती है, कम पहनती है, तो उससे क्या बनता-बिगड़ता है; फिर भी कृपा करके उनकी अवस्था की कुछ उन्नति करना चाहिए, यह बात उनके मन में बैठ गई है। परन्तु एक सौ वर्ष हो चुके, न तो शिक्षा ही मिली, न स्वास्थ्य ही मिला और न सम्पद ही देखी।

प्रत्येक समाज अपने अन्दर इसी एक ही बात का अनुभव करता है। मनुष्य जिस मनुष्य का सम्मान नहीं कर सकता, उस मनुष्य का मनुष्य उपकार करने में असमर्थ है। और कहीं नहीं तो, जब अपने स्वार्थ पर आकर ठेस लगती है, तभी मार-काट शुरू हो जाती है। रूस में एकदम जड़ से लेकर इस समस्या को हल करने की कोशिश की जा रही है। उसका अन्तिम परिणाम क्या होगा, इस बात पर विचार करने का समय नहीं आया, मगर फ़िलहाल जो कुछ आँखों के सामने से गुज़र रहा है, उसे देख कर आश्चर्य होता है। हमारी सम्पूर्ण समस्याओं का सब से बड़ा रास्ता है शिक्षा। अभी तक समाज के अधिकांश लोग शिक्षा की पूर्ण सुविधा से वञ्चित हैं—और भारतवर्ष तो प्रायः पूर्णतः ही वञ्चित है।

यहाँ—रूस में—वही शिक्षा ऐसे आश्चर्यजनक उद्यम के साथ समाज में सर्वत्र व्याप्त होती जा रही है कि जिसे देख कर दङ्ग रह जाना पड़ता है। शिक्षा की तौल सिर्फ़ संख्या से नहीं हो सकती, वह तो अपनी सम्पूर्णता से—अपनी प्रबलता से ही तौली जा सकती है। कोई भी आदमी निस्सहाय और बेकार न रहने पावे, इसके लिए कैसा विराट आयोजन और कैसा विशाल उद्यम हो रहा है। केवल सफ़ेद रूस के लिए ही नहीं—मध्य-एशिया की अर्ध-सभ्य जातियों में भी ये बाढ़ की तरह शिक्षा-विस्तार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिससे साइन्स की अन्तिम फ़सल तक उन्हें मिले, इसके लिए इतने प्रयत्न हो रहे हैं, जिनका अन्त नहीं। यहाँ थिएटर के अभिनयों में बड़ी ज़बर्दस्त भीड़ होती है, मगर देखने वाले कौन हैं—किसान और मजूर। कहीं भी इनका अपमान नहीं। इसी अरसे में इनकी दो-एक संस्थाएँ भी देखीं, और सर्वत्र ही मैंने इनके हृदय का जागरण और आत्म-सम्मान का आनन्द पाया। हमारे देश के सर्वसाधारण की तो बात ही छोड़ दो, इङ्गलैण्ड के मजूर-समाज के साथ तुलना करने से ज़मीन-आसमान का फ़र्क़ नज़र आता है। हम श्रीनिकेतन में जो काम करना चाहते हैं, ये लोग देश भर में अच्छी तरह उस काम को पूरा कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता अगर यहाँ आकर कुछ सीख जा सकते, तो बड़ा भारी उपकार होता। रोज़मर्रा मैं हिन्दुस्तान के साथ यहाँ की तुलना करता हूँ और सोचता हूँ कि क्या हुआ और क्या हो सकता था। मेरे अमेरिकन साथी डॉक्टर हैरी टिम्बर्स यहाँ के स्वास्थ्य-व्यवस्था की चर्चा करते हैं—उनकी कार्य-पद्धति देखने से आँखें खुल जाती हैं। और कहाँ पड़ा है रोग-सन्तप्त, भूखा, अभागा, निरुपाय भारतवर्ष! कुछ वर्ष पहले भारत की अवस्था के साथ यहाँ की साधारण जनता की दशा में बिल्कुल समानता थी—इस छोटे से समय में बड़ी तेज़ी के साथ उसमें कैसा परिवर्तन हुआ है। हम अभी तक जड़ता के कीचड़ में ही डूबे हुए हैं।

इसमें कोई ग़लती ही न हो, यह बात मैं नहीं कहता—गहरी ग़लती है। और वह किसी दिन इन्हें बड़े सङ्कट में डाल देगी। संक्षेप में वह ग़लती यह है कि शिक्षा-पद्धति को इन्होंने एक साँचा सा बना डाला है, पर साँचे में ढला मनुष्यत्व कभी स्थायी नहीं हो सकता—सजीव हृदय-तत्त्व के साथ यदि विद्या-तत्त्व का मेल न हो, तो या तो किसी दिन साँचा ही टूट जायगा या मनुष्य का हृदय ही मर कर मुर्दा बन जायगा या मैशीन का पुर्ज़ा बना रहेगा।

यहाँ के विद्यार्थियों में विभाग बना कर, हर विभाग पर पृथक्-पृथक् कार्य सौंपे जाते हैं, छात्रावास की व्यवस्था वे ख़ुद ही करते हैं—किसी विभाग पर स्वास्थ्य-सम्बन्धी भार है, तो किसी पर भोजनादि का—कर्तृत्व सब उन्हीं के हाथों में है, सिर्फ़ एक परिदर्शक रहता है। शान्ति-निकेतन में मैंने शुरू से ही इस नियम को चलाने की कोशिश की है, पर वहाँ सिर्फ़ नियमावली ही बन कर रह गई, कुछ काम नहीं हुआ। उसका मुख्य कारण यह है कि हमने स्वभावतः ही पाठ-विभाग का लक्ष्य बनाया परीक्षा पास करना, और सबको उपलक्ष्य मात्र समझा; यानी हो तो अच्छा, न हो तो कोई हर्ज नहीं—हमारा आलसी मन ज़बरदस्त ज़िम्मेदारी के बाहर काम बढ़ाना नहीं चाहता। इसके सिवा बचपन से ही हम किताबें रटने के आदी हो गए हैं। नियमावली बनाने से कोई लाभ नहीं—नियामकों के लिए जो आन्तरिक विषय नहीं, वह उपेक्षित बिना हुए रह ही नहीं सकता। गाँवों की सेवा और शिक्षा-पद्धति के विषय में मैंने जो-जो बातें अब तक सोची हैं, यहाँ उसके अलावा और कुछ नहीं है, है केवल शक्ति, है केवल उद्यम और कार्यकर्ताओं की व्यवस्था-बुद्धि। मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि बहुत-कुछ शारीरिक बल पर ही निर्भर है—मलेरिया से जर्जरित, अपरिपुष्ट शरीर को लेकर पूरी तेज़ी से काम करना असम्भव है। यहाँ इस जाड़े के देश में लोगों की हड्डी मज़बूत होने से ही काम इतनी आसानी से आगे बढ़ रहा है। सिर गिन कर हमारे देश के कार्यकर्ताओं की संख्या का निर्णय करना ठीक नहीं—उनमें से प्रत्येक को एक-एक आदमी समझना भूल है।

❀ ❀ ❀



[पं० रतनलाल जी मालवीय, बी० ए०, एल्-एल्० बी०]

आँखों का सौन्दर्य

स्त्रियों के सौन्दर्य का आँखों से घनिष्ठ सम्बन्ध है। सारा श्रृङ्गार-शास्त्र आँखों की महिमा से भरा पड़ा है। कवियों ने आँखों की प्रशंसा में उपमाओं का दिवाला निकाल दिया है और अन्त में थक कर उन्हें अपनी क़लम थाम लेनी पड़ी है। केवल शिक्षित ही नहीं, बल्कि अशिक्षित स्त्रियाँ भी अपनी आँखों के सौन्दर्य की रक्षा के लिए तरह-तरह के मरहमों, लोशनों और कज्जल, सुरमा आदि का उपयोग किया करती हैं। परन्तु अधिकांश स्त्रियों को इन उपचारों से प्रायः हताश होना पड़ता है। इसके लिए उपचारों को दोष नहीं दिया जा सकता। वे अपना प्रभाव उस समय अवश्य दिखाते हैं, जब आँखें बाहरी कारणों से, जैसे ऋतु-परिवर्तन, अपूर्ण निद्रा, धूप लग जाने अथवा आँखों से अधिक परिश्रम लेने आदि से, मलिन और निर्बल हो जाती हैं। परन्तु जब शारीरिक निर्बलता, तेज प्रकाश में पढ़ने या बहुत छोटे टाइप की पुस्तकें पढ़ने और दाँतों की गन्दगी के कारण आँखें निर्बल हो जाती हैं, तब इन वाह्य उपचारों का अधिक लाभप्रद और स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता।

एक पेन्सिल या कोई अन्य नुकीली वस्तु लेकर उसे आँखों से थोड़ी दूरी पर पकड़िए। फिर उस पर दृष्टि जमाइए और इसी अवस्था में १५ तक गिनिए।





फिर दृष्टि को शीघ्रता-पूर्वक पेन्सिल पर से हटा कर बहुत दूर के किसी चिन्हित पदार्थ पर जमाइए और इस अवस्था में १५ तक गिनिए। इस प्रकार प्रतिदिन १० बार करने से आँखों की ज्योति बढ़ेगी!

चश्मे का उपयोग

आँखों के जितने रोगी आँख के विशेषज्ञों के पास आते हैं, उनमें से अधिकांश वे ही लोग रहते हैं, जिनकी आँखें अधिक परिश्रम द्वारा निर्बल हो गई हैं। इसका मुख्य कारण शरीर के स्नायुओं की निर्बलता है, और डॉक्टरों के हाथ में इसका उपचार केवल चश्मे का उपयोग है। उनका मत है कि चश्मा आँखों को आराम पहुँचाता है, जिससे आँखों की साधारण शक्ति वापस आ जाती है। यह सच है कि चश्मे के उपयोग से आँखों का परिश्रम कम हो जाता है, इससे आँखों को आराम मिल जाता है और वे साधारण काम के योग्य बनी रहती हैं। परन्तु चश्मे का आँख के अभ्यन्तर रोगों से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता और न वे आँखों को उनसे मुक्त ही कर सकते हैं। उन रोगों का वास्तविक सम्बन्ध आँखों के स्नायुओं से है और उनसे छुटकारा पाने के लिए स्नायुओं को स्वस्थ रखना आवश्यक है। बहुत से लोग सिर की असह्य पीड़ा से कराहते रहते हैं, परन्तु उन्हें उसके कारण का पता नहीं लगता। इस पीड़ा का प्रधान कारण आँखों के स्नायुओं से सम्बन्ध रखता है। यों तो सिर में अनेक कारणों से पीड़ा उत्पन्न होती है, परन्तु उसका प्रधान कारण प्रायः आँखों से अधिक परिश्रम लेना ही है। ऐसे रोगों का सब से अच्छा उपाय है आँखों के स्नायुओं को स्वस्थ और शक्तिपूर्ण रखना।

पहले जब कोई पुरुष या स्त्री चश्मे का उपयोग करती है, तो आँख धीरे-धीरे स्वयं चश्मे के उपयुक्त बन जाती है और फिर वह चश्मे के बिना कोई कार्य नहीं कर सकती। चश्मे के इस प्रकार निरन्तर उपयोग से अधिकांश लोगों की आँखें और भी अधिक निर्बल हो जाती हैं, क्योंकि चश्मे से आँखों के वास्तविक रोग या निर्बलता का निवारण नहीं हो पाता। इसका परिणाम यह होता है कि वे अधिक शक्ति वाले चश्मे का उपयोग करने के लिए विवश हो जाते हैं। आँखों के इस प्रकार चश्मे पर निर्भर हो जाने से आँखें अधिकाधिक निर्बल होती जाती हैं। इस निर्बलता को रोकने के लिए अधिक शक्ति वाले चश्मों का बहिष्कार करना ही सब से अच्छा उपाय है। परन्तु केवल चश्मे के बहिष्कार से आँखों के दोष दूर न होंगे। उसके साथ ही कुछ प्राकृतिक नियमों के अवलम्बन की और व्यायाम की भी आवश्यकता पड़ेगी।

आँखों का व्यायाम

आँखों में भी स्नायुएँ और मांस-पेशियाँ उसी प्रकार होती हैं, जिस प्रकार शरीर के अन्य अङ्गों में। अतः आँखों को स्वस्थ और बलिष्ठ रखने के लिए व्यायाम की उसी प्रकार आवश्यकता है, जिस प्रकार अन्य अङ्गों को स्वस्थ और बलिष्ठ रखने के लिए। आँखों को चश्मे के उपयोग की अपेक्षा समुचित व्यायाम, उचित उपयोग और आराम के द्वारा अधिक नीरोग और स्वस्थ रक्खा जा सकता है। परन्तु केवल व्यायाम से भी आँखें पूर्ण रूप से स्वस्थ और नीरोग नहीं होने पातीं। इसका प्रधान कारण शारीरिक अस्वस्थता और स्नायुओं की निर्बलता है। जितने आदमी नेत्र-रोगों से पीड़ित रहते हैं, उनमें से नब्बे प्रतिशत ऐसे हैं, जिनके शरीर, गैसों की उत्पत्ति के कारण, विषैले हो गए हैं। ऐसे लोगों की आँखों पर उपचार का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। चश्मे का उपयोग करके वे आँखों से अपना काम भले ही निकालते रहें, परन्तु उन्हें स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। नीरोग और जोतिपूर्ण आँखें तो उन्हें उस समय प्राप्त होंगी, जब वे उपयुक्त व्यायाम और अन्य प्राकृतिक उपायों द्वारा अपने शरीर को विषैले द्रव्यों से मुक्त कर लेंगे। किसी विद्वान ने कहा है कि आँखें 'आत्मा की खिड़कियाँ' हैं। परन्तु वे केवल 'आत्मा की खिड़कियाँ' ही नहीं हैं, मनुष्य के 'शारीरिक सङ्गठन का दर्पण' भी हैं। जब शरीर विषैले द्रव्यों से युक्त रहता है और उसकी जीवनी-शक्ति कम हो जाती है, तब आँखें मलिन, आभा-रहित और निस्तेज हो जाती हैं। इसके विपरीत, सुन्दर स्वास्थ्य प्राप्त होने पर आँखें भी अपना रङ्ग-रूप बदल देती हैं। इसलिए जो स्त्री-पुरुष अपने नेत्रों को चमकीला, तेजपूर्ण और स्वस्थ रखने के इच्छुक हों, उन्हें अपने सारे शरीर को स्वस्थ रखने का सदैव प्रयत्न करना चाहिए।

एक अमेरिकन महिला के अनुभव

नीचे हम एक अमेरिकन महिला के नेत्र-सम्बन्धी अनुभव और उसके व्यायाम देते हैं, जिनके सहारे उसने चश्मे से अपना पिण्ड छुड़ा कर अपनी आँखों को चमकीली और तेजपूर्ण बनाया था।

"प्रत्येक स्त्री की हार्दिक आकांक्षा स्वस्थ और सुन्दर बनने की रहती है और इसी के लिए वह तरह-तरह के वस्त्राभूषण, तेल, इत्र, क्रीम, पाउडर आदि का उपयोग करती हैं। यदि मेरे हृदय में भी यही उमङ्ग हिलोरें मारती थी, तो यह कुछ अप्राकृतिक न था। परन्तु ईश्वर ने मुझे सुन्दर बनने के सब साधन न दिए थे। मैं युवती अवश्य थी, परन्तु लड़कपन से ही अस्वस्थ रहा करती थी। अजीर्ण मेरा प्रधान रोग था, जिसके कारण मेरा समस्त शारीरिक सङ्गठन जर्जरित हो गया था। मेरी आँखें इसके प्रभाव से बच न सकीं। कई वर्षों तक लगातार चश्मे के उपयोग के अनन्तर भी मैं उनकी निर्बलता से अपना पिण्ड न छुड़ा सकी। आँख के बहुत से डॉक्टरों के पास मैं उपाय पूछने गई, परन्तु किसी ने अधिक शक्ति के चश्मे के सिवा अन्य कोई उपाय न बतलाया। सौभाग्य से एक दिन मेरी भेंट एक सुप्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक से हो गई और उसने मुझे आँखों

के सम्बन्ध में बहुत से प्राकृतिक व्यायाम और अन्य उपाय बतलाए, जिनका मैं नित्यप्रति अभ्यास करने लगी।

सब से पहिला व्यायाम हथेलियों से आँखों को बन्द करना और खोलना था। इसकी पद्धति बिल्कुल सरल है। अपनी अँगुलियाँ एक-दूसरे से चिपका कर मैं हथेली की एक कटोरी सी बना लेती थी और फिर दोनों हथेलियों को आँखों पर इस तरह रख लेती थी कि अन्दर प्रकाश न पहुँचने पावे। इसी अन्धकार में मैं अपने मन में ३० तक संख्या गिनती थी और फिर हथेलियाँ हटा लेती थी। कुछ ही दिनों के बाद आँखों पर इस व्यायाम के आश्चर्यजनक प्रभाव का आभास मिलने लगा। यह व्यायाम मैं दिन में तीन बार करती थी।

आँखों का एक दूसरा उत्तम व्यायाम, जो मैं प्रतिदिन किया करती थी, आँखों की दृष्टि को किसी नुकीली वस्तु पर जमाना था। इस व्यायाम के लिए मैं प्रायः सीसे की पेन्सिल का उपयोग करती थी। उसे हाथ की पूरी लम्बाई पर पकड़ कर उसकी नोक पर कुछ देर तक अपनी दृष्टि जमाए रहती थी; फिर उस पर से दृष्टि हटा कर जितनी दूर का पदार्थ दृष्टिगोचर होता था, उसे देखती थी। इसी प्रकार मैं कई बार दृष्टि-परिवर्तन किया करती थी।

इन दो व्यायामों के साथ ही मैं सिर को कड़ा कर आँखों के तारों को चित्र में बतलाई हुई रीति से ऊपर आकाश की ओर, नीचे पृथ्वी की ओर, दोनों कोणों पर और फिर चारों ओर फेरती थी। मैं इन व्यायामों की हर एक क्रिया थोड़े समय ठहर-ठहर कर करती थी। इस व्यायाम को करते समय सब से अधिक आवश्यकता उसकी प्रत्येक क्रिया में बल लगाने की पड़ती थी। मैं यह व्यायाम प्रतिदिन कई बार दुहराती थी। इसके लिए न तो किसी निश्चित समय की आवश्यकता पड़ती है और न स्थान की।

आँखों के इन विशेष व्यायामों के साथ मैं अजीर्ण दूर करने के लिए नियमित रूप से पेट का व्यायाम भी किया करती थी। मेरे प्राकृतिक चिकित्सक ने अजीर्ण के दूर करने के जो व्यायाम बतलाए थे, उनमें मुझे कभी लेटी हुई स्थिति से, एड़ियाँ ज़मीन से छुआए बिना तथा बिना किसी सहारे के, उठ कर पैर के अँगूठे छूने पड़ते थे, कभी शरीर को चारों ओर मोड़ना पड़ता था और कभी बछड़ों की नाईं पैर फटकारने पड़ते थे। ये सभी व्यायाम ऐसे थे जिनमें पेट के पट्ठों पर बहुत अधिक ज़ोर पड़ता था। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि इस उपचार से, थोड़े ही दिनों में मेरी आँखें ज्योतिर्मय और चमकीली हो गईं। आँखों पर व्यायाम के इस आश्चर्यजनक प्रभाव में बहुत कम लोगों को विश्वास होगा।

नेत्रों की मालिश

एक बार मुझे मालूम हुआ कि न्यूयार्क में पेरिस से एक सौन्दर्य-विशारदा आई है। मुझे उसे देखने का बहुत कौतूहल हुआ। मैं आँखों के सौन्दर्य का उपचार जानने के लिए बहुत उत्सुक थी और इसलिए मैंने उससे आँखों का उपचार करवाया। उसने मेरी आँखों में कोई क्रीम लगा कर कहा—"अब मैं तुम्हें नेत्र-स्नान कराऊँगी।"

"नेत्र-स्नान !"—मैंने आश्चर्य से कहा।

"हाँ"—उसने कहा—"ज़रा सोचो, तुम्हारी आँखों में दिन भर मोटरों का धुँआ और वायु के वेग से उड़े हुए धूलि के कण प्रवेश करते रहते हैं; उन पर उष्ण और शीत का भी प्रभाव पड़ता रहता है, इससे वे मलिन और तेजहीन हो जाती हैं।"

इसके बाद उसने मेरी किसी अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना ही मेरी आँखों की मालिश प्रारम्भ कर दी। वह उस क्रिया को जिस रीति से करती थी, मैं उसका पूर्ण ध्यान रखती थी। पहले उसने अँगुलियों से मेरी आँखों की दोनों पलकों को दबाया और उसके बाद बारी-बारी से थपकियाँ दे-देकर नाक से लेकर माथे में बालों की रेखा तक दबाया। फिर उसने अपने दोनों हाथों को ललाट के बीच में रक्खे और धीरे-धीरे अँगूठे और तर्जनी को मिला कर ललाट के बीच से दोनों कनपटियों तक मांसपेशियों को चुटकी से दाबना प्रारम्भ कर दिया। थोड़ी देर तक यह क्रिया करने के उपरान्त वह अपने अँगूठे को मेरे दोनों पलकों पर फिराती रही। अब उसने नाक के पास पलक के नीचे की स्नायु दबाना प्रारम्भ किया। और थोड़ी देर ठहर कर पलकों को ऊपर उठाया। इसके बाद मालिश समाप्त हो गई और मेरी आँखों पर किसी सुगन्धित बूटी की दो गर्म पोटलियाँ रख दी गईं।

ये पोटलियाँ थोड़ी देर आँखों पर रक्खी रहीं। फिर शीघ्र ही आँखों पर से ये उठा ली गईं और अबकी बार बर्फ़ की नाईं ठण्डी अँगुलियों से उसने आँखों पर मालिश प्रारम्भ कर दी। बाद में मेरी पलकों के नीचे बर्फ़ से भीगी हुई रुई की छोटी-छोटी गद्दियाँ रख दी गईं और एक पट्टी से आँखें बाँध मुझे अँधेरे में अकेली छोड़ कर वह चली गई। थोड़ी देर में जब पट्टी खोली गई तब मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। नेत्र-स्नान, मालिश और विश्राम से आँखों में नया प्रकाश आ गया था। आँखें पहले की अपेक्षा मुझे बड़ी मालूम होने लगी थीं; तारे और भी अधिक चमकने लगे थे और आँखों से तेज, ओज और जीवनी-शक्ति टपकने लगी थी। ऐसा स्वास्थ्यप्रद अनुभव मेरे जीवन में पहले मुझे कभी नहीं हुआ था।



सिर को सीधा रखिए। फिर आँखों को बलपूर्वक ऊपर उठाइए। थोड़ी देर इसी अवस्था में ठहरिए। फिर दृष्टि को जहाँ तक हो सके नीची कीजिए। थोड़ी देर बाईं ठहरिए। फिर ओर दूर तक देखिए। थोड़ी देर योंही ठहरिए। फिर दाईं ओर दूर तक देखिए। एक क्षण योंही ठहरने के बाद पुतलियों को चारों ओर घुमाइए।

ऊपर नेत्र-स्नान का जो ज़िक्र आया है, उसके अनुसार भारतीय स्त्री-पुरुषों को त्रिफला—हर्रें, बहेरा और आँवले—के पानी से नेत्र-स्नान करना सदैव लाभदायक है। मुझे विश्वास है, ऊपर जिन उपचारों का उल्लेख हुआ है उनसे प्रत्येक स्त्री-पुरुष अपनी आँखों को स्वस्थ और सुन्दर बनाए रख सकता है।

* * *

दिल्ली षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर अभियुक्त पक्ष के वकील के जिरह करने पर मुख़बिर कैलाशपति ने कहा कि पञ्जाब षड्यन्त्रकारी दल का रुख़ मेरे प्रति बहुत अनियन्त्रित ढङ्ग का था। वे लोग मुझसे अपनी स्कीमों के विवरण नहीं बतलाया करते थे।

यह प्रश्न करने पर कि लाहौर में रहने के समय क्या मुख़बिर को अपने माता-पिता के सम्बन्ध में कोई ख़बर मिली थी, मुख़बिर ने कहा कि मोज़ङ्ग हाउस में रहने के समय मुझे विजयकुमार सिनहा के द्वारा अपने पिता की ख़बर मिली थी। "लीडर" पत्र से भी मुझे मालूम हुआ था कि उनके विरुद्ध पोस्ट ऑफ़िस का रुपया लेकर भाग जाने के कारण गिरफ़्तारी का वारण्ट निकला था।

प्र०—क्या तुम्हें याद है कि लाहौर से दिल्ली लौटने पर तुम्हारे पास कितना रुपया था?

उ०—मुझे नहीं मालूम। मैं इसके पहले दिल्ली नहीं आया था।

इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि दिल्ली पहुँचने पर पूर्व निश्चय के अनुसार हार्डिञ्ज लायब्रेरी के पास मुझे विजयकुमार सिनहा मिले। मैंने सिनहा से कहा कि मैं दल का कार्य पञ्जाब की अपेक्षा यू० पी० में करना चाहता हूँ। इस पर सिनहा ने मुझसे दिल्ली में कुछ समय तक रुकने के लिए कहा।

इसके अतिरिक्त और मुझे याद नहीं है कि सिनहा से क्या बातें हुई थीं। जयदेव भी वहाँ आए थे। सिनहा ने उनसे मेरा परिचय कराया और उनसे मेरे लिए जमनाघाट में कहीं रहने का प्रबन्ध कर देने के लिए कहा। मैं जयदेव के साथ चला गया। इसके बाद दिल्ली में विजयकुमार सिनहा मुझसे नहीं मिले। मैंने उनके निवास-स्थान का पता पूछने का प्रयत्न नहीं किया।

प्र०—क्या तुम्हें मालूम है कि उस समय विजयकुमार सिनहा दिल्ली में कहाँ रहते थे?

उ०—मुझे नहीं मालूम।

इस पर मि० बोस ने मुख़बिर के बयान का वह अंश पढ़ कर सुनाया, जिसमें विजयकुमार सिनहा से मिलने का ज़िक्र किया गया था। मुख़बिर ने कहा कि मुझे याद नहीं है कि बयान का जो अंश मुझे पढ़ कर सुनाया गया है, वह मेरे बयान में था या नहीं।

इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि मैं दिल्ली में काशीराम और जयदेव के साथ जमनाघाट में ठहरा था। और पास के एक होटल में भोजन किया करता था। मैं उस समय दिल्ली में रहने के समय कोई विशेष कार्य नहीं किया करता था।

प्र०—जमनाघाट के मकान पर जयदेव कितने दिन ठहरे थे?

उ०—मार्च सन् १९२९ तक ठहरे थे। जयदेव और शिव वर्मा ने शहर में एक मकान किराए पर ले लिया था। जयदेव जमनाघाट के मकान से वहाँ रहने के लिए चले गए थे। इसके बाद हम लोग प्रायः मिला करते थे। मैं दिल्ली में मार्च सन् १९२९ तक ठहरा था।

इसके बाद मुख़बिर से दिल्ली में उसके साथियों और कार्यों के सम्बन्ध में प्रश्न किए गए।

प्रोफ़ेसर निगम से मिलने पर क्रान्तिकारी दल की स्कीम पर बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि दल का पहला उद्देश्य आतङ्क फैलाना है।

इसके बाद अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

मुख़बिर कैलाशपति के दिल्ली में रहने के सम्बन्ध में मि० बोस ने जिरह जारी रक्खी।

मि० बोस के प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख़बिर कैलाशपति ने कहा कि फ़रवरी और मार्च सन् १९२९ में दिल्ली में रहने का मेरा ख़र्च काशीराम ने दिया था।

प्र०—क्या तुम बतला सकते हो कि जयदेव से तुम कहाँ मिले थे?

उ०—मैं जयदेव से जमनाघाट में काशीराम के कमरे में मिला था।

प्र०—मिलने पर क्या बातचीत हुई?

उ०—मुझे याद नहीं है। जयदेव ने मुझसे आते ही कहा कि दिल्ली से तुम आज ही चले जाओ। उन्होंने मुझे कुछ रुपए भी दिए।

प्र०—तुमसे और कौन सी चीज़ें ले जाने के लिए कहा था?

उ०—उन्होंने मुझसे अपनी सब चीज़ें बिस्तर वग़ैरह ले जाने के लिए कहा, जोकि मैं दिल्ली लाया था।

प्र०—तुमने अपने बयान में कहा है कि दिल्ली में फ़रवरी और मार्च में रहने के समय तुम प्रायः भवानीसिंह से मिला करते थे।

उ०—हाँ, मैं उनसे आठ या दस दफ़ा मिला था। वे पहाड़ी धीरज में रामजस स्कूल बोर्डिङ्ग हाउस के नज़दीक आनन्द-पर्वत में ठहरा करते थे।

मुख़बिर ने कहा कि भवानीसहाय ने मुझसे भवानीसिंह से मिलने के लिए कहा था। मैं भवानीसिंह से षड्यन्त्रकारी कार्यों के विषय में बातचीत किया करता था। यह पूछने पर कि षड्यन्त्रकारी कार्यों के विषय में बातचीत कैसे प्रारम्भ हुई, मुख़बिर ने कहा कि दल में सम्मिलित होने के समय से ही मैं हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का प्रतिनिधि था।

प्र०—उस समय तुम दल में किस ओहदे पर थे?

उ०—मैं एक साधारण सदस्य था।

मुख़बिर ने कहा कि मैं विजयकुमार सिनहा से दिल्ली में दल के किसी कार्य के सम्बन्ध में आदेश लेकर नहीं आया था। मैं दिल्ली में भी अक्सर शिव वर्मा से मिला करता था। वह काशीराम के पास आया करता था और रात में वहीं रह जाता था।

प्र०—दिल्ली में आने पर तुम पहले-पहल शिव वर्मा से कब मिले थे?

उ०—लाहौर से दिल्ली आने के दस-बारह दिन बाद। वह उस मौक़े पर एक दिन के लिए ठहरा था। मेरी उससे कोई विशेष बातचीत नहीं हुई।

प्र०—दूसरी बार शिव वर्मा दिल्ली कब आया था?

उ०—मुझे याद नहीं है।

प्र०—शिव वर्मा के दूसरी बार दिल्ली आने पर तुमसे उनसे कितनी बार बातचीत हुई थी?

उ०—मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि वह काशीराम के कमरे में दो दिन तक मेरे साथ ठहरा था। हम लोगों ने दल के कार्यों के सम्बन्ध में अक्सर बातें की थीं। इसके बाद मुख़बिर ने शिव वर्मा के तीसरी बार दिल्ली आने की बात बतलाई और कहा कि उनके चौथी बार आने के विषय में मुझे नहीं मालूम।

प्र०—दिल्ली में तुम गोपालकृष्ण पौराणिक से पहले कब मिले थे?

उ०—जहाँ तक मुझे याद है, मैं दिल्ली पहुँचने के दस या पन्द्रह दिन बाद उनसे मिला था। पौराणिक ग्वालियर के कुछ विद्यार्थियों के साथ लछमनदास की धर्मशाला में ठहरे थे।

इसके बाद मुख़बिर से पौराणिक के साथ जो बातें हुई थीं और जिनके परिणाम-स्वरूप वह ग्वालियर स्टेट में भटनावर में स्कूल का हेड मास्टर नियुक्त हो गया था, उनके सम्बन्ध में प्रश्न किए गए। उसने भटनावर में हेड मास्टर के पद पर ढाई महीने कार्य किया था।

प्र०—पौराणिक से तुम कितनी बार मिले थे?

उ०—मुझे याद नहीं है। हम लोग प्रतिदिन दो-तीन बार मिला करते थे, क्योंकि वह नज़दीक ही रहता था। साधारणतया मेरे साथ काशीराम भी रहा करता था। जहाँ तक मैं जानता हूँ, काशीराम पौराणिक के दिल्ली आने के पहले से ही उसे जानता था। काशीराम ने पौराणिक से मेरा परिचय दयाकृष्ण श्रीवास्तव, बी०ए० के नाम से कराया था।

प्र०—पौराणिक से ग्रेजुएट की हैसियत से परिचय देने में क्या कोई उद्देश्य था?

उ०—मैं समझता हूँ, कोई उद्देश्य नहीं था।

मुख़बिर ने कहा कि पौराणिक से जब मेरा परिचय हुआ था, तब मैंने उसे राष्ट्रीय विचारों का व्यक्ति समझा था।

प्र०—राष्ट्रीय विचारों के व्यक्ति से तुम्हारा क्या तात्पर्य है?

उ०—राष्ट्रीय विचारों के व्यक्ति से मेरा तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो अपने देश के लिए जान देने को तैयार हो।

प्र०—क्या क्रान्तिकारी व्यक्ति की भी यही परिभाषा है?

उ०—हाँ, जो अपने देश के लिए जान देने को तैयार हो वह 'क्रान्तिकारी' है।

प्र०—क्या तुमने पौराणिक से इस विषय में बातचीत की थी कि देश को कैसे स्वतन्त्र करना चाहिए?

उ०—मैंने इस विषय पर उसके विचार सुन लिए थे, परन्तु अपने विचारों की ओर कोई विशेष सङ्केत नहीं किया था। वह अपने विचारों में गाँधी जी का अनुयायी था।

प्र०—जब काशीराम ने तुमसे १७ मार्च को दिल्ली से चले जाने के लिए कहा था, तब तुम गोपालकृष्ण पौराणिक से मिले थे?

उ०—हाँ, उन्होंने मुझे भटनावर में स्कूल की हेड-मास्टरी के लिए एक पत्र दिया था। भटनावर स्कूल की हेड मास्टरी के विषय में मैंने पौराणिक से बातचीत की थी। मेरा उद्देश्य वहाँ जाकर यह देखना था कि षड्यन्त्रकारी कार्यों के लिए वहाँ कोई क्षेत्र है या नहीं। पौराणिक ने मुझे जो पत्र दिया था, उसमें पता "नारायनदास शिवपुरी बाज़ार" लिखा हुआ था। पौराणिक से पत्र मिल जाने के बाद मैंने उस पत्र के विषय में काशीराम से ज़िक्र किया था। मैंने ग्वालियर जाने का अपना निश्चय जयदेव को भी बता दिया था।

प्र०—क्या तुम्हें पहले से ही कोई ख़याल था कि ग्वालियर में षड्यन्त्रकारी विचार के लोग रहते हैं?

उ०—वहाँ जाकर मैं यही तो पता लगाना चाहता था। ग्वालियर पहुँचने पर मैं एक धर्मशाला में ठहरा था और अपना नाम दयाकृष्ण श्रीवास्तव बतलाया था। दूसरे दिन मैं शिवपुरी के लिए रवाना हो गया, जो कि ग्वालियर से ६० या ७० मील दूर है। शिवपुरी से मैं भटनावर गया, जोकि शिवपुरी से २७ या २८ मील दूर है। भटनावर पहुँचने पर मैं स्कूल में ठहरा था। वहाँ स्कूल के कुछ लड़कों को बुलवाया। इसके बाद मैं स्कूल गया और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने उसी दिन हेड-मास्टर पद के अधिकार को ग्रहण कर लिया था।

मैं भटनावर में क़रीब ढाई महीने रहा था, इसके बाद षड्यन्त्रकारी कार्यों के लिए उपयुक्त क्षेत्र न पाकर मैंने स्कूल को छोड़ दिया।

प्र०—क्या भटनावर में तुमने किसी से षड्यन्त्रकारी कार्यों के सम्बन्ध में कोई बातचीत की थी?

उ०—नहीं। मैंने वहाँ किसी से भी इस विषय में कोई बातचीत नहीं की।

प्र०—तुमने स्कूल कैसे छोड़ा?

उ०—मैंने अपने पिता की बीमारी का बहाना किया। पौराणिक उस समय भटनावर में थे, मैंने उनसे भी ऐसा ही बतलाया। इसके बाद मुख़बिर ने भटनावर में रहने के सम्बन्ध में कुछ अन्य प्रश्नों के भी उत्तर दिए।

प्र०—भटनावर में रहने के समय क्या दिल्ली में तुम्हारा किसी से पत्र-व्यवहार था?

उ०—नहीं, मैंने किसी को भी पत्र नहीं लिखा।

मुख़बिर ने कहा कि स्कूल छोड़ कर मैं दिल्ली चला आया। इसके बाद एक व्यक्ति से मिलने के लिए मैं फिर ग्वालियर गया। मेरे साथ काशीराम भी गया था, जिसको मैंने झाँसी एक व्यक्ति को लाने के लिए भेज दिया। उस व्यक्ति का पता शिव वर्मा मुझे दे गए थे। मैं ग्वालियर चला गया, क्योंकि उस समय मैं फ़रार था और ग्वालियर को झाँसी की अपेक्षा अधिक सुरक्षित समझता था।

प्र०—क्या तुम्हारे कहने का तात्पर्य यह है कि षड्यन्त्रकारी दल के सदस्यों के लिए झाँसी जाना ख़तरनाक था?

उ०—हाँ, फ़रार षड्यन्त्रकारियों के लिए ख़तरनाक था। झाँसी में पुलीस की कार्रवाई बहुत अधिक चल रही थी और लाहौर षड्यन्त्र के सम्बन्ध में गिरफ़्तारियाँ भी हो रही थीं।

प्र०—झाँसी में पुलीस की कार्रवाइयों का पता तुम्हें कब मिला?

उ०—दिल्ली में रहने के समय मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा था। अन्य स्थानों के अतिरिक्त दिल्ली और कानपुर में भी पुलीस षड्यन्त्रों के सम्बन्ध में बहुत प्रयत्नशील थी। लोगों के साथ ख़ुफ़िया लगी रहती थी और तलाशियाँ और गिरफ़्तारियाँ हो रही थीं।

दिल्ली में सी० आई० डी० के आदमी रेलों की देख-रेख किया करते थे।

प्र०—क्या सी० आई० डी० के आदमी सादी पोशाक में रहते थे?

उ०—हाँ, मैंने दिल्ली स्टेशन में उन्हें सादी पोशाक में देखा था।

प्र०—तो मेरा ख़्याल है कि तुम सी० आई० डी० के आदमियों को जानते हो।

उ०—उनके पहनावे और विचित्र ढङ्ग से उनकी पहचान की जा सकती है। वे साधारणतया सलवार और कुल्लादार साफ़ा बाँधते हैं?

प्र०—लेकिन ऐसी ही क्या एक साधारण पञ्जाबी की पोशाक नहीं होती?

उ०—हाँ, परन्तु मैं सी० आई० डी० के आदमियों को उनकी चाल से पहचान सकता हूँ।

प्र०—उनकी किस विशेषता को देख कर तुम सी० आई० डी० के आदमियों को पहचान सकते हो?

उ०—लोगों की तरफ़ उनके देखने के विचित्र ढङ्ग से और उनका पता लगाने के लिए उनके साथ चलने के ढङ्ग से मैं उनकी पहचान कर सकता हूँ। मि० बोस के दूसरे प्रश्न के पूछने पर मुख़बिर ने कहा कि काशीराम जब झाँसी गया था, तब मुझे काशीराम की गिरफ़्तारी का डर नहीं था। सी० आई० डी० के आदमी ग्वालियर में भी प्रयत्नशील थे।

इसके बाद अदालत जलपान के लिए स्थगित हो गई।

जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर मुख़बिर कैलाशपति ने कहा कि मैं ग्वालियर में ६ सितम्बर, सन् १९२९ तक ठहरा था। वहाँ रहने के समय अगस्त महीने में दल की एक सभा मि० ख़ैरात नबी और मि० हार्टन के मारने के लिए, जोकि मेरठ षड्यन्त्र केस में सबूत की ओर से कार्य कर रहे थे, हुई थी। कार्यक्रम निश्चय किया गया था कि भगवानदास और एक अन्य व्यक्ति मि० ख़ैरात नबी और मि० हार्टन पर अदालत से निकलते ही बम फेंकें।

इसके बाद मुख़बिर ने ग्वालियर में पोद्दार के साथ रहने के सम्बन्ध में कुछ बातें बतलाईं। ग्वालियर में एक "फ़ैक्टरी" थी, वहाँ मैं पिकरिक एसिड और बम बनाया करता था।

प्र०—ग्वालियर से लौट आने पर क्या ग्वालियर में दल के किसी सदस्य से तुम्हारा पत्र-व्यवहार था?

उ०—नहीं।

प्र०—न तुमने दल के किसी कार्य के सम्बन्ध में पोद्दार का नाम ही सुना?

उ०—मैंने कभी नहीं सुना कि पोद्दार ने किसी लूट के कार्य में भाग लिया था। ग्वालियर से चले आने के कुछ समय बाद मुझे मालूम हुआ था कि पोद्दार ने दल को छोड़ दिया। मैंने तैलङ्ग के विषय में भी कभी नहीं सुना कि उसने दल के किसी लूट के कार्य में भाग लिया था।

प्र०—ग्वालियर से चले आने पर क्या ग्वालियर में कोई दल था?

उ०—ग्वालियर से मेरे चले आने पर ग्वालियर का दल असङ्गठित हो गया था और बाद में सदस्यों की संख्या भी धीरे-धीरे कम हो गई थी।

प्र०—क्या तुम बतला सकते हो कि ग्वालियर की फ़ैक्टरी में तुमने कितनी पिकरिक एसिड बनाई थी?

उ०—क़रीब एक पाउण्ड।

प्र०—और पारे का सत कितना बनाया था?

उ०—क़रीब एक या दो ग्राम।

इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि मुझे याद नहीं है कि मैंने २१ नवम्बर, सन् १९३० को पुलीस के सामने अपने बयान में कहा था कि ग्वालियर की फ़ैक्टरी में एक टीन का बम बनाकर मैं, भगवानदास और वैशम्पायन जब परीक्षा करने के लिए ले गए थे और वह सफल प्रमाणित हुआ था, तब सदाशिव भी साथ थे।

मि० बोस ने मुख़बिर के पुलीस के सामने दिए हुए बयान और ट्रिब्यूनल के सामने दिए हुए बयान में तैलङ्ग के नाम के सम्बन्ध में इसी प्रकार की एक और भी अन्तर की बात अदालत के सामने दिखलाई। सरकारी वकील ने कहा कि तैलङ्ग के नाम के सम्बन्ध में मुख़बिर के बयानों में कोई अन्तर नहीं है।

इस प्रश्न के क़ानूनी महत्व पर विचार करने के बाद अदालत ने कहा कि मुख़बिर को अपने बयानों के अन्तर को स्पष्ट करने का अधिकार है।

इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि जब मैं दूसरी दफ़ा ग्वालियर गया था, तब मैं हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के दस या बारह सदस्यों के नामों से परिचित था, जिनमें छः या सात ग्वालियर में थे।

प्र०—दूसरे चार या पाँच कौन थे?

उ०—झाँसी के शङ्करराव, काशीराम, एम० पी० अवस्थी और कुन्दनलाल, इसके अतिरिक्त और मुझे याद नहीं है।

इसके बाद अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

ता० २३ जुलाई को दिल्ली षड्यन्त्र केस में मुख़बिर कैलाशपति से मि० बोस की जिरह जारी रही। आज की जिरह में मुख़बिर कैलाशपति ने दिल्ली में सन् १९२९ में षड्यन्त्रकारी दल के सङ्गठन और सदस्यों के भर्ती किए जाने का वर्णन किया।

मि० बोस के यह प्रश्न करने पर कि सन् १९२९ में ग्वालियर में रहने के समय मुख़बिर को षड्यन्त्रकारी दल से सहानुभूति रखने वाले किसी व्यक्ति का नाम मालूम था, मुख़बिर कैलाशपति ने कहा कि मैंने कानपुर के गणेशशङ्कर विद्यार्थी का नाम सुना था।

मैं सितम्बर सन् १९२९ में ग्वालियर से दिल्ली रुपए एकत्र करने के उद्देश्य से लौट आया था। काशीराम और विमलप्रसाद जैन के द्वारा रुपए एकत्र करने का विचार था। इस बार मैं विमलप्रसाद जैन के पास ठहरा था।

प्र०—तुमसे और विमल से क्या बातचीत हुई थी?

उ०—मैं ठीक नहीं कह सकता कि मुझसे और विमल से क्या बातचीत हुई थी।

प्र०—तुमसे और काशीराम से क्या बातचीत हुई थी?

उ०—मैंने काशीराम और विमलप्रसाद जैन दोनों से कहा था कि षड्यन्त्रकारी कार्यों के लिए धन एकत्र करना चाहिए। मैंने उनसे दल से किसी सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति से धन लाने के लिए कहा था।

प्र०—तो क्या तुम ग्वालियर वापस चले गए?

उ०—हाँ।

प्र०—वैशम्पायन ग्वालियर में क्या किया करता था?

उ०—कोई कार्य नहीं करता था। आज़ाद उसका ख़र्च चलाया करता था।

मि० बोस के यह प्रश्न करने पर कि सितम्बर सन् १९२९ में ग्वालियर से दिल्ली चले आने पर ग्वालियर में षड्यन्त्रकारी कार्य-क्रम जारी रहा या नहीं, मुख़बिर कैलाशपति ने कहा कि उस समय दल के सामने कोई विशेष कार्य-क्रम नहीं था, क्योंकि ग्वालियर में वह असङ्गठित हालत में था। मुख़बिर ने कहा कि सितम्बर महीने में दिल्ली वापस आने पर मैंने दिल्ली के दल को केन्द्रीय कौन्सिल के ढङ्ग पर सङ्गठित करना प्रारम्भ कर दिया था। विचार किया गया था कि वह कार्यकर्ताओं को आदेश दिया करेगी।

प्र०—क्या तुम बतला सकते हो कि उस बार ग्वालियर से दिल्ली आने के समय वहाँ से कौन-कौन सी चीज़ें लाए थे?

उ०—मैं अपना सामान, एक बम और एम० पी० अवस्थी का सामान लाया था। मैं विमलप्रसाद जैन के घर पर ठहरा था, जोकि खरी बावली में है।

इसके बाद मुख़बिर ने विमल के घर का कुछ विवरण बतलाया। उसने कहा कि विमल के रिश्तेदार अक्सर आकर विमल के यहाँ ठहरा करते थे। मैं विमलप्रसाद के घर पर दो या तीन दिन तक ठहरा था, उसके बाद मैं शहर में दूसरी जगह चला गया। मैं विमल के यहाँ अक्सर आया करता था। विमल के साथ तीन दिन रहने के समय मैंने उससे दल के कार्यक्रम के विषय में बहुत सी बातें की थीं। यद्यपि उन दिनों कॉलेज बन्द थे, फिर भी भवानीसिंह शहर में एक मकान में रहा करते थे। उस समय भागीरथ भी दिल्ली में ही था और साधारणतया अकेले रहा करता था।

प्र०—सितम्बर महीने में दिल्ली में तुम भवानीसिंह के साथ कितने दिन रहे थे?

उ०—दूसरे तीसरे मैं हमेशा उसके पास जाया करता था और उसके मकान में ठहरा करता था।

प्र०—सितम्बर महीने में तुम्हारा ख़र्च किसने चलाया था?

उ०—मुझे भवानीसिंह और भवानीसहाय रुपए दिया करते थे। उस महीने में मेरा ख़र्च क़रीब बीस रुपए हुआ था। मैंने दल के लिए इलाहाबाद से कुछ किताबें मँगाई थीं, जिनका रुपया भवानीसिंह ने दिया था। किताबें भवानीसिंह के नाम वी० पी० से आई थीं।

प्र०—तुम किताबों के नाम जानते हो ?

उ०—उन किताबों में जो मुख्य किताबें मुझे याद हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं—"रूस की राज्य-क्रान्ति", "बन्दी जीवन", और "क्रान्ति राजकुमार"। इलाहाबाद में रहने के समय इनमें से कुछ किताबें मैंने पढ़ी थीं। मुझे याद नहीं है कि इन किताबों को पहले मैंने दिल्ली में देखा था या नहीं।

प्र०—मेरा ख़्याल है कि उस समय दल के पास धन नहीं था ?

उ०—हाँ, नहीं था।

प्र०—जो बम तुम ग्वालियर से लाए थे, वह तुमने विमलप्रसाद जैन को कब और कहाँ दिखलाया था ?

उ०—बम मेरे सूटकेस में था, जोकि मैंने विमल के घर पर रख दिया था। मैंने विमल को बम उसी के घर पर दिखलाया था।

प्र०—उस समय तुमने कोई हिसाब लगाया था कि उस तरह के और कितने बमों के बनाने की ज़रूरत है ?

उ०—नहीं, यह बात तो धन पर निर्भर थी।

प्र०—क्या इस विषय में तुमने विमल से कोई बातचीत की थी ?

उ०—हाँ, बम बनाने में प्रति बम के हिसाब से कितना रुपया लगेगा, इस विषय में मैंने विमल से बातचीत की थी।

मुख़बिर ने कहा कि विमल ने बिजली का कार्य करने वाले एक मिस्त्री से बम बनाने के सम्बन्ध में पूछा था, परन्तु यह बातचीत मेरी उपस्थिति में नहीं हुई थी। सम्भवतः यह बात सितम्बर सन् १९२९ की है।

मुख़बिर ने कहा कि विमलप्रसाद जैन, भागीरथ और भवानीसिंह के अतिरिक्त मैं सितम्बर महीने में दिल्ली में भवानीसहाय से भी मिला करता था। भवानीसहाय रिवाड़ी में रहा करता था, परन्तु दिल्ली में भवानीसिंह के यहाँ ठहरा करता था। मैंने भवानीसहाय से कोई विशेष बातचीत नहीं की थी। और जहाँ तक मुझे मालूम है, दिल्ली आने में उसका कोई ख़ास उद्देश्य नहीं था।

सदस्यों की भर्ती

इन दिनों मैंने भवानीसहाय को षड्यन्त्रकारी दल की नियमावली दिखलाई थी और उसे सदस्य भर्ती किया था। इसी प्रकार से मैंने विमलप्रसाद जैन, भागीरथ, हज़ारीलाल और भवानीसिंह को षड्यन्त्रकारी दल के सदस्यों में भर्ती किया था।

प्र०—क्या उन्हें भर्ती करने के पहले तुमने दल के किसी उत्तरदायी सदस्य से इजाज़त ले ली थी ?

उ०—मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं स्वयं ही सङ्गठनकर्ता था।

प्र०—क्या केन्द्रीय कौन्सिल की इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं थी ?

उ०—उस वक़्त उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था।

प्र०—उस समय दल का सब से पुराना सदस्य कौन था ?

उ०—जहाँ तक मुझे मालूम है, आज़ाद दल का सब से पुराना सदस्य था।

प्र०—उस समय निगम कहाँ थे ?

उ०—वह कलकत्ता में थे और सितम्बर के आख़ीर में दिल्ली आए थे। विमल ने जमनाघाट के पास मुझसे उनका परिचय कराया था। कुछ बातचीत के बाद निगम भी दल के सदस्य होने के लिए तैयार हो गए।

प्र०—क्या सितम्बर महीने में दल में इतने सदस्यों के भर्ती किए जाने के सम्बन्ध में तुमने कहीं कोई रिपोर्ट भेजी थी ?

उ०—नहीं।

प्र०—तुम रजिस्टर रखते थे या भर्ती होने के फ़ॉर्म ?

उ०—नहीं, हम कोई रजिस्टर या भर्ती होने का फ़ॉर्म नहीं रखते थे। अगर किसी सदस्य को दिल्ली के बाहर दल के किसी सदस्य से मिलने की ज़रूरत होती थी, तो उसके लिए उसका विश्वास-पत्र या तो मेरा परिचय-पत्र हुआ करता था या कोई "इशारे का शब्द" हुआ करता था। दिल्ली में इशारे का शब्द! प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि दिल्ली में सदस्य एक-दूसरे से परिचित थे और उसके प्रयोग करने की कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी।

प्र०—क्या दिल्ली से बाहर गए हुए सदस्यों के सम्बन्ध में इशारे के शब्द प्रयोग किए जाते थे ?

उ०—हाँ।

प्र०—इशारे के शब्द कैसे प्रयोग किए जाते थे ?

उ०—अगर मुझे दल के किसी सदस्य को दिल्ली के बाहर किसी सदस्य के पास भेजना पड़ता था, तो मेरे द्वारा भेजा हुआ सदस्य दिल्ली के बाहर के सदस्य से उसी इशारे के शब्द का प्रयोग करता था, जो मेरे और दिल्ली के बाहर के सदस्य के बीच पहले से ही नियत हो जाता था। उदाहरण के लिए मेरे और आज़ाद के बीच में "दया" इशारे का शब्द नियत हुआ था। इसलिए अगर मुझे किसी सदस्य को आज़ाद के पास भेजना पड़ता था, तो वह सदस्य से "दया" शब्द द्वारा अपना परिचय दिया करता था। दल के मुख्य-मुख्य सदस्यों के बीच ऐसे इशारे के शब्द नियत हो गए थे।

इसके बाद मुख़बिर ने दिल्ली की अन्य कारंवाइयों और अभियुक्त निगम के सम्बन्ध की बातें बतलाईं। मुख़बिर ने कहा कि मैं अभियुक्त निगम के साथ एक स्थानीय कॉलेज-होस्टल में क़रीब तीन महीने तक रहा था। मैंने होस्टल के कॉमन रूम में कभी भोजन नहीं किया। मैं हमेशा होस्टल में निगम के साथ उनके कमरे में भोजन किया करता था। निगम न्यू हिन्दू होस्टल का सुपरिण्टेण्डेण्ट था। मुख़बिर ने कहा कि मैं वहाँ रहने के समय होस्टल के विद्यार्थियों से दूर ही रहा करता था।

प्र०—उस होस्टल में कोई क्लब या एसोसिएशन था ?

उ०—जहाँ तक मुझे मालूम है, कोई नहीं था।

प्र०—क्या तुम बतला सकते हो कि मि० निगम होस्टल में लोकप्रिय थे या नहीं ?

उ०—पहले लोकप्रिय थे, परन्तु जब उन्होंने सिगरेट न पीने का नियम जारी किया, तो होस्टल में हड़ताल हो गई और लोकप्रियता घट गई।

प्र०—नवम्बर महीने में दिल्ली में दल की क्या हालत थी ?

उ०—जैसी अक्टूबर में थी।

प्र०—क्या तुमने धन एकत्र करने का प्रयत्न किया था ?

उ०—नवम्बर महीने में मैं दल की सभा में शामिल होने के लिए कानपुर गया था। वहाँ धन एकत्र करने का निश्चय हुआ था। मुझसे धन एकत्र करने के लिए कोई उपयुक्त स्थान का पता लगाने के लिए कहा गया था।

इसके बाद अदालत जलपान के लिए स्थगित हो गई।

(क्रमशः)

❀ ❀ ❀

लाहौर षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

ता० २२ जुलाई को सुखदेवराज के विरुद्ध मुख़बिर इन्द्रपाल की गवाही समाप्त होने पर ट्रिब्यूनल ने अभियुक्त के वकील मि० श्यामलाल से मुख़बिर से जिरह करने के लिए कहा।

इसी बीच में अभियुक्त सुखदेवराज ने अदालत के सामने एक अर्ज़ी पेश की, जिसमें कहा गया था कि मैं दिल्ली षड्यन्त्र केस के अभियुक्त धन्वन्तरि, वैशम्पायन, जिनका दूसरा नाम शिव है और विद्याभूषण से बिना मिले मुख़बिर से जिरह नहीं करना चाहता। दो मुख़बिरों ने अपने बयानों में कहा है कि उपरोक्त अभियुक्तों ने उन मुख़बिरों से किसी विषय में बयान दिए हैं। मैं इन अभियुक्तों से मिल कर यह जानना चाहता हूँ कि उन्होंने मुख़बिरों से कोई बात कही थी या नहीं।

इस अर्ज़ी पर दोनों तरफ़ के वकीलों की बहस सुन लेने के बाद ट्रिब्यूनल ने कहा कि मैं हाईकोर्ट से सिफ़ारिश करूँगा कि वह अभियुक्त सुखदेवराज के दिल्ली षड्यन्त्र के उपरोक्त अभियुक्तों से मिलने का प्रबन्ध कर दे।

ट्रिब्यूनल ने हाईकोर्ट को इस सम्बन्ध में एक आवश्यक पत्र लिखा। सुखदेवराज और दिल्ली षड्यन्त्र के अभियुक्तों से मिलने के समय तक मुख़बिर इन्द्रपाल की गवाही स्थगित कर दी गई।

इसके बाद अदालत ने सरकारी वकील से मुख़बिर मदनगोपाल को पेश करने के लिए कहा। सरकारी वकील ने कहा कि मैं मुख़बिर मदनगोपाल को इन्द्रपाल की जिरह के बाद पेश करूँगा।

इसके बाद अदालत ने सरकारी वकील से दूसरे गवाहों को पेश करने के लिए कहा।

सुखदेवराज ने कहा कि जो गवाह दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में पेश हुए हैं, वही मेरे विरुद्ध भी पेश किए जायँगे। इसलिए उनकी जिरह तब तक न होनी चाहिए जब तक कि मैं दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों से मिल न लूँ।

अदालत ने जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट को अभियुक्त सुखदेवराज को अन्य अभियुक्तों से मिलने की इजाज़त देने के लिए लिखा।

मुख़बिर इन्द्रपाल के गवाही देने के पहले ट्रिब्यूनल ने उससे कहा कि उसे प्रति सप्ताह अदालत में लाने का और अदालत में अपने मित्रों और सम्बन्धियों से मिलने का प्रबन्ध रहेगा। उसी समय वह अदालत के सामने अपनी शिकायतें भी पेश कर सकता है। इसके बाद उससे कुछ चीज़ों और काग़ज़ों की शनाख़्त करने के लिए कहा गया, जोकि भावलपुर रोड के बँगले पर पाए गए थे। उसने एक धोती की शनाख़्त करके कहा कि यह मेरी है।

सुखदेवराज ने कहा कि यह धोती इसकी नहीं हो सकती, क्योंकि वह औरत की धोती है।

मुख़बिर इन्द्रपाल ने कहा कि हंसराज "वायर्लेस" ने मुझसे कहा था कि अभियुक्त अमरीकसिंह मीठा-बाज़ार की बम-घटना के समय वह सूट-केस ले गया था, जिसमें बम बनाने का सामान और हंसराज की डायरी थी। उन्होंने मुझसे यह भी कहा था कि सुखदेवराज से मालूम हुआ है कि दल ने २०,००० रुपए एकत्र करके सुखदेवराज को प्रयोग सीखने के लिए विदेश भेजने का निश्चय किया है।

मि० सलीम के प्रश्न करने पर मुख़बिर ने कहा कि मैंने पुलीस के अत्याचारों से बचने के लिए माफ़ी स्वीकार कर ली थी।

ता० २२ जुलाई को मि० देवराज साहनी एडवोकेट ने स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के मुख़बिर इन्द्रपाल की ओर से ज़मानत पर छोड़ने के लिए एक अर्ज़ी पेश की। अर्ज़ी इस प्रकार थी:—

"(१) मुख़बिर इन्द्रपाल एक कोठरी में रक्खा गया है और उसे दूसरे विचाराधीन क़ैदियों के साथ रहने की इजाज़त नहीं दी जाती। यद्यपि वह एक अच्छी श्रेणी का क़ैदी है, फिर भी उसे इस गर्मी की ऋतु में अपनी छोटी कोठरी के अन्दर ही सोना पड़ता है। वह एक ऐसी कोठरी में रक्खा गया है, जिसमें जेल-नियमों के भङ्ग करने वाले अपराधी क़ैदी रक्खे जाते हैं। दिन के समय भी उसे अपनी कोठरी के हाते के बाहर जाने की आज्ञा नहीं दी जाती। जेल में उसे अपने सम्बन्धियों या क़ानूनी सलाहकारों से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। बड़ी मुश्किल के बाद अदालत के सामने अर्ज़ी पेश करने पर मुख़बिर को अपने क़ानूनी सलाहकार से मिलने की इजाज़त मिली, जिसे कि जेल के अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिया था। विचाराधीन क़ैदी होने के कारण उसे अपना भोजन जेल के बाहर से मँगाने का अधिकार है। उसके सम्बन्धी उसके लिए किताबें और दूसरी आराम की चीज़ें भेजने के लिए तैयार हैं, परन्तु जेल के अधिकारी उन्हें ऐसा करने की आज्ञा नहीं देते।

(२) जेल के अधिकारियों का यह कार्य ग़ैरक़ानूनी है और अदालत को इन मामलों में, जैसा कि हाईकोर्ट ने सरकार बनाम सुखदेवराज के मामले में निर्णय किया है, हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

(३) मुख़बिर इन्द्रपाल से कहा जाता है कि तुम्हारे साथ यह सब व्यवहार गवर्नमेण्ट के आदेशों के अनुसार किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेण्ट का ख़याल है कि मुख़बिर ने सबूत-पक्ष का समर्थन पूर्णतया सन्तोषजनक रीति से नहीं किया। मुख़बिर को यह भी मालूम हुआ है कि उसके और अन्य मुख़बिरों के बीच में पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। दूसरे मुख़बिरों को लोगों से मिलने और खुले में सोने के लिए पूरी सुविधा दी जाती है। वास्तव में उन्हें जीवन की सभी आवश्यक सुविधाएँ दी जाती हैं।

(४) इस ग़ैरक़ानूनी हिरासत से मुख़बिर के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है। उसके मस्तिष्क पर भी उसका प्रभाव पड़ा है।

(५) इसलिए मुख़बिर की प्रार्थना है कि अदालत उसकी गवाही लेने के लिए अधिकारियों को आज्ञा दे कि मुख़बिर ग़ैर-क़ानूनी हिरासत से हटा दिया जाय और उसके साथ विचाराधीन क़ैदियों का सा व्यवहार हो। निम्न-लिखित सुविधाओं के लिए उसकी विशेष प्रार्थना है:—

(१) खुले में सोने की इजाज़त दी जाय।

(२) दूसरे विचाराधीन क़ैदियों के साथ रहने की इजाज़त दी जाय।

(३) दूसरे विचाराधीन क़ैदियों की तरह उसे अपने सम्बन्धियों और क़ानूनी सलाहकारों से मिलने की इजाज़त दी जाय।

(४) प्रिज़न ऐक्ट के अनुसार उसके सम्बन्धियों को किताबें और दूसरी आराम की चीज़ों के भेजने की इजाज़त मिले।

(५) पहले की तरह उसे एक चारपाई दी जाय। जेल-अधिकारियों ने उसकी चारपाई हटा दी है, इसलिए उसे ज़मीन पर ही सोना पड़ता है। अब तक वह अपनी कोठरी में तीन बिच्छुओं को मार चुका है।

(६) मुख़बिर की प्रार्थना है कि वह ज़मानत पर छोड़ दिया जाय। अब तक किसी अदालत ने उसकी ज़मानत की दरख़्वास्त नामञ्ज़ूर नहीं की, इसलिए अब तक किसी अदालत ने ज़ाब्ता फ़ौजदारी की ३३७ दफ़ा के अनुसार मुख़बिर को ज़मानत पर छोड़ने के विषय में विचार नहीं किया।"

ट्रिब्यूनल ने जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट से इस विषय में रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

ता० २४ जुलाई को दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में अभियुक्त सुखदेवराज के कहने से मि० श्यामलाल ने उन सबूत के गवाहों से जिरह नहीं की, जिनकी गवाही स्पेशल ट्रिब्यूनल ने आज दर्ज की थी। अभियुक्त सुखदेवराज का कहना था कि सेण्ट्रल जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने, अन्य अभियुक्तों से मिलने देने और ग़ैर-क़ानूनी हिरासत के हटा लेने के सम्बन्ध में, स्पेशल ट्रिब्यूनल ने जो आज्ञा दी थी, उसका पालन नहीं किया।

ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट मि० क्लैकर ने मि० श्यामलाल से कहा कि जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने अदालत के पास सूचना भेजी है कि हम अदालत के हुक्मों का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि वे हुक्म पुलीस के इन्स्पेक्टर जेनरल की आज्ञाओं के विरुद्ध हैं।

अभियुक्त सुखदेवराज की ग़ैर-क़ानूनी हिरासत के सम्बन्ध में स्पेशल ट्रिब्यूनल ने जो फ़ैसला सुनाया था, उसका प्रान्तीय सरकार ने पालन नहीं किया। इसके विरोध में अभियुक्त सुखदेवराज ने कल सबूत के गवाहों से जिरह करने से इन्कार कर दिया था। ता० २५ जुलाई को स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने उसने निम्न-लिखित अर्ज़ी पेश की:—

"कल मैंने अपने वकील लाला श्यामलाल को सबूत के गवाहों से जिरह न करने की सलाह दी थी, जिसके निम्न-लिखित कारण थे:—

"(१) लाहौर सेण्ट्रल जेल में ग़ैर-क़ानूनी हिरासत में होने के कारण मैं अपने केस की तैयारी नहीं कर सकता।

"(२) यद्यपि अदालत ने न्याय की दृष्टि से मुझे अन्य अभियुक्तों से मिलने की इजाज़त दे दी थी, फिर भी लाहौर सेण्ट्रल जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने अदालत के हुक्मों को पालन करने से इन्कार कर दिया।

"(३) मैंने अदालत से तब तक के लिए अपनी कार्रवाई स्थगित कर देने के लिए कहा, जब तक कि मेरी शिकायतें न दूर हो जायँ और सफ़ाई के लिए मुझे उचित सुविधाएँ न दे दी जायँ, परन्तु अदालत ने ऐसा करने में अपनी असमर्थता प्रकट की और कार्रवाई प्रारम्भ कर दी।

"कल अदालत से जेल लौटने पर जेल के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट ने मुझसे मिल कर कहा कि मेरी कोठरी के दरवाज़े के पास सुबह से शाम तक तीन सी श्रेणी के विचाराधीन क़ैदी मेरे साथ रहने के लिए बैठे रहा करेंगे। रात के वक़्त वे क़ैदी विचाराधीन क़ैदियों के वार्ड में अपनी बैरकों में चले जाया करेंगे।

"इधर कुछ हफ़्तों से सरकार का जैसा हठपूर्ण रुख़ रहा है, उसे देख कर मेरे सामने यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि मेरे साथ न्याय नहीं किया जायगा। सरकार ने अदालत के फ़ैसलों की अवज्ञा करने में कोई सङ्कोच नहीं किया। जब उसने मामला अधिक गम्भीर देखा, तो उसने अदालत के हुक्मों का अर्थ पक्षपात-

पूर्ण भाव से करना प्रारम्भ कर दिया। श्रीमान, मेरे साथ पर्दे के आड़ में जैसा खेल खेला जा रहा है, वह गन्दा है। मेरा किसी से द्वेष नहीं है, न मैं किसी के प्रति असम्मान प्रकट करना चाहता हूँ, चाहे वह मेरा कैसा ही कट्टर दुश्मन क्यों न हो। परन्तु कुछ कारणों से मुझे यह विश्वास हो गया है कि पञ्जाब-सरकार मेरे मामले से दिलचस्पी रखती है और वह दिलचस्पी बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। मेरे सामने जो बातें मौजूद हैं, उनको देखते हुए मैं अपने विश्वास को बदल नहीं सकता। मैंने अपनी आँखों से उस पत्र को पढ़ा है, जोकि गवर्नमेण्ट के गृह-विभाग से इन्सपेक्टर जेनरल ऑफ़ प्रिज़न्स के पास भेजा गया है और जिसमें मेरी हिरासत के सम्बन्ध में पूरे विवरण के साथ आदेश दिए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार कार्रवाई होने से अदालत के हाथ में कुछ नहीं रह जाता।

मैं न्याय चाहता हूँ

"आपने जो निर्णय किया है कि मेरी हिरासत ग़ैर-क़ानूनी है, वह बिल्कुल उचित है। हाईकोर्ट ने क़ैदियों की शिकायतों की जाँच करने और उन्हें दूर करने के प्रबन्ध करने के लिए आप लोगों को अधिकार दिया है, इसलिए न्याय की आशा से आपके सामने मैं अपना मामला पेश कर रहा हूँ। मैं दया नहीं चाहता, श्रीमान, मैं फिर से दुहराता हूँ कि मैं न्याय चाहता हूँ। अगर अदालत न्याय करने में असमर्थ है, अगर अदालत के हुक्म पालन करने के लिए नहीं हैं, तो कोई कारण नहीं है कि मैं अपनी सफ़ाई में समय और धन को नष्ट करूँ। मुझे खेद है कि अदालत ने अपने हुक्मों की अवज्ञा देख कर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस बात से मेरे मन में अत्यन्त गम्भीर आशङ्काएँ हुई हैं। मैं यह अनुभव करने के लिए विवश हूँ कि न्याय नहीं हो रहा है।

"मेरी ग़ैर-क़ानूनी हिरासत ६ जून सन् १९३१ से प्रारम्भ हुई थी। अब क़रीब दो महीने के हो रहे हैं। जो कुछ मैंने कष्ट सहन किए हैं, उनको कहना मेरा काम नहीं है। मैं एक सिपाही हूँ, मेरा कर्तव्य कहना नहीं, बल्कि मार दिया जाना है। सिपाही का सम्मान देश की सेवा में अपने जीवन के समर्पण कर देने की दृढ़ता में है। मैं साधारण भारतीयों में से ही एक हूँ, जोकि कष्ट सहन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। सौभाग्यवश हम लोग कष्ट सहन करते-करते इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि उनकी शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है।

कष्ट के साथ अपमान

"ऐसे समय, जबकि मैं अपनी शिकायतों के दूर होने की आशा कर रहा था, जेल-अधिकारियों ने कष्ट के साथ अपमान जोड़ दिया। मैं अच्छी श्रेणी का क़ैदी हूँ और मैं अपने साथ के लिए अच्छी श्रेणी के क़ैदी चाहता हूँ, जैसा कि क़ानून का मतलब है। परन्तु सरकार ने क़ानून की पूर्ति बहुत ही विचित्र तरीक़े से करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने क़ानून का ऐसा मतलब लगाया है कि क़ानून बनाने वाले अपनी क़ब्रों में हिल उठेंगे।

"मैं अदालत से प्रार्थना करता हूँ कि वह गवर्नमेण्ट के ग़ैर-क़ानूनीपन को रोके।"

अर्ज़ी पढ़ लेने के बाद ट्रिब्यूनल ने जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट से अदालत के हुक्मों के पालन किए जाने का विवरण पेश करने के लिए कहा।

इसके बाद सबूत-पक्ष की ओर से एक मैजिस्ट्रेट, एक भङ्गी, एक दूध वाले और एक भिश्ती की गवाही हुई।

(क्रमशः)

* * *

अवध के किसान

[श्री० राधामोहन गोकुल जी]

अवध में किसानों की दशा बहुत ही बुरी है। वे अधिकांश छोटे-छोटे ज़मींदार, जो नाम-मात्र के ज़मींदार हैं अपनी थोड़ी सी ज़मीन को आप ही जोतते-बोते हैं, किसान ही हैं। इनको दूसरे ज़मींदारों के पैरों तले पिसना नहीं पड़ता, बाक़ी इनकी दशा भी बहुत गिरी हुई है। बड़े ज़मींदारों और ताल्लुक़ेदारों में सौ में दो को छोड़ कर, सब बड़े बेदर्द और किसानों के रक्त-शोषक हैं। किसान प्रायः सब के सब साहूकार और ज़मींदार दोनों के क़र्ज़दार बने रहते हैं।

किसान साहूकारों के ऋण-भार से अधिकतर इसीलिए दबे रहते हैं कि उन्हें ज़मींदारों की अनुचित माँगों के लिए भी क़र्ज़ लेना पड़ता है। बीज, हल, बैल के लिए जो क़र्ज़ लेना पड़ता है, उसे यह लोग ज़मींदारों की लूट-खसोट के मारे चुका नहीं सकते। यदि इन पर ज़मींदारों का अत्याचार न हो तो इन्हें बीज और खाने के लिए अन्न की कमी न रहे।

कोई भी ज़मींदार अपने असामियों से लगान लेकर उसे रसीद नहीं देता। जब कभी ज़मींदार किसी असामी के ऊपर नाराज़ होता है, तो उसे बक़ाया लगान के नालिश की धमकी देता है और बहुधा तीन-तीन वर्ष के बक़ाया की नालिश ठोंक कर उसे पीस डालता है। रसीद न होने के सबब अदालत में किसान की एक भी नहीं चलती।

अवध में ताल्लुक़ेदारी-प्रथा होने के कारण किसानों को दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा अधिक ऋणग्रस्त रहना और कष्ट उठाना पड़ता है। यहाँ मैंने देखा है कि ज़मींदार लोग सरकारी काग़ज़ों में जो लगान नियत है, उससे कई गुना ज़्यादा लगान लेते हैं। एक किसान सत्रह रुपयों की जगह बावन रुपए और दूसरा आठ रुपयों की जगह छियालीस रुपए लगान अदा करता पाया गया। कोई पूछने वाला नहीं है कि ऐसा ज़मींदार लोग क्यों करते हैं, उन्हें क्या अधिकार है। इसी अनुचित लगान की माँग को पूरा न करने पर किसानों को पीटा जाता है, मुर्ग़ा बनाया जाता है और नाना प्रकार की यातनाएँ दी जाती हैं, जैसे मध्य कालीन यूरोप में ज़मींदार किसानों के साथ और गिर्जे के अधिष्ठाता पादरी धर्म-विरुद्ध आचरण करने वालों के साथ करते थे।

पटवारी, क़ानूनगो, मिरदहा, शाहना आदि का नज़राना भी लगान की भाँति अत्यन्त कड़ाई के साथ किसानों से वसूल किया जाता है। इन सरकारी नौकरों को इस तरह नज़राना आदि देते रहने पर भी, सरकारी नौकर हमेशा मालदार ज़मींदारों का ही दम भरते हैं।

कहा जाता है कि किसान बिना रसीद के रुपए क्यों देते हैं? सरकारी नौकरों और हाकिमों को रिशवत क्यों देते हैं? अदालतों में फ़रियाद क्यों नहीं करते? इसका उत्तर स्पष्ट है कि अधिक लगान की अदायगी, रसीद का न लेना और रिशवत का देना लट्ठ के डर से होता है। कोई राज़ी से लुटना पसन्द नहीं करता। किसान धन और शरीर से दुर्बल हो गए हैं, बहुत दिनों की भूख और ग़ुलामी ने इनमें स्वाभिमान बाक़ी नहीं रहने दिया है। अदालतों की बात भी इनके वश के बाहर है। भारत में न्याय बहुत महँगा है। यहाँ भी धनवानों की ही मारी मुर्ग़ी हलाल होती है। कई-कई कोस पैदल चल कर आना, अदालत के दरवाज़े सारे दिन कभी-कभी दो दिन भूखे-प्यासे पड़े रहना और पैदल ही लौट कर घर जाना आसान बात नहीं है। इस पर भी ख़ाली जेब। स्टाम्प, वकील, मुहर्रिर और सरकारी अमलों को सन्तुष्ट करने में सर्वथा असमर्थ रहता है।

यह लोग यातना सहते-सहते डरपोक हो गए हैं, पढ़े-लिखे भी नहीं होते। जब कोई इन पर अत्याचार करे तो इन्हें मैजिस्ट्रेट के सामने पहुँचने के लिए कम से कम ५) रुपए चाहिए। स्टाम्प आठ आना, लिखाई आठ आना, वकील दो रुपया, पेशकार आदि एक रुपया, काग़ज़, खाना-पीना एक रुपया। फिर बारम्बार तारीख़ पड़ती है, गवाहों को लाना पड़ता है, अनेकों दरख़ास्तें देनी होती हैं, हर बार पाँच-सात रुपए ख़र्च होते हैं। इसलिए अदालत की बाज़ी भी मालदार साहूकार या ज़मींदार ही जीतता है।

मैंने अपनी आँखों से सैकड़ों ग़रीब किसानों को ख़ून से तर, सारे शरीर में हल्दी लगाए, बदन की एक-दो हड्डी टूटी हुई, सभा में फ़रियाद करते देखा है। आए दिन ख़बर आती है कि ज़मींदार, क़ानूनगो और डिप्टी कलेक्टर किसानों को मालगुज़ारी या लगान के लिए पिटवाते हैं, लेकिन बेचारी कॉङ्ग्रेस क्या कर या कह सकती है, सिवा इसके कि यह सब शान्ति से सहन करो।

किसानों ने बूते के बाहर पहले से ही क़र्ज़ ले रक्खा है, पास में पैसा तो क्या, अन्न का दाना और फटे कपड़े भी इनके पास नहीं, यह कहाँ से सोने-चाँदी के सिक्के निकाल दें। जो यह दस-पाँच रुपयों के ज़ेवर, जो सौभाग्य-चिन्ह की भाँति इनकी स्त्रियों के बदन पर हैं, उन्हें यह गिरवी रखने जाते हैं; तो महाजन तीन आने तोले से अधिक नहीं देता और दो पैसा रुपया महीना ब्याज लेता है, जो बेंच डालें तो रुपए में चार आने वसूल होते हैं। क्योंकि चाँदी का भाव सीमातीत गिर गया है और अधिक गिरने की सम्भावना है।

इस दशा में किसानों का अब कोई साथी और सहायक नहीं रहा। यह रात-दिन कल्पित ईश्वर और भाग्य के भरोसे अपना जीवन अतिवाहित करते हैं।

* * *

"बी" केटलॉग दाम ।)
"सी" केटलॉग दाम ।)



सोने-चाँदी के फ़ैन्सी ज़ेवर के लिए

सोनी मोहनलाल जेठाभाई

३२ आरमनी स्ट्रीट, टेलीफ़ोन नं० ३१४३, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता



पोस्टेज भेज कर मँगाइए !

६॥) रु० में तीन घड़ियाँ (गारण्टी साथ में)



१॥।=) पा०वा०गा०२ वर्ष	७॥) जे० अठ०गा० ८ वर्ष
१।) बी टाइमपीस,, २ ,,	१०॥) रि० गो० ली० ६ ,,
२।) बर्मा ,, ,, ४ ,,	२७) ,, रोल्डगोल्ड ८ ,,
३॥) एलार्म,, ,, ५ ,,	२५) ,, ,, बी० १० ,,
३।॥) रि० निकल,, ५ ,,	५०) ,, सोना१८ के१० ,,
४॥) ,, सुनहरी,, ५ ,,	१५) पा० क्रो० ,, १० ,,
६॥) ,, चाँदी ,, ६ ,,	१२॥) ठीक समय व
१०॥) दीवार घड़ी १० ,,	मस्ताना बाजा बजाती

नं० १+२+५ एक साथ मँगाने से ६॥) डा० ख़० अलग।

पता—रॉयल स्वीज़ वाच कम्पनी,
पी० बी० १२,२१२ कलकत्ता। मुरादाबाद (यू० पी०)

गृहस्थों का सच्चा मित्र

३० वर्ष से प्रचलित, रजिस्टर्ड

चन्द्रामृत

बालक, वृद्ध, जवान, स्त्री, पुरुषों के शिर से लेकर पैर तक के सब रोगों की अचूक रामबाण दवा। हमेशा पास रखिए, वक्त पर लाखों का काम देगी। सूची मय कलेण्डर मुफ़्त मँगा कर देखो।

क़ीमत ।॥) तीन शीशी २) डा० म० अलग।

पता—चन्द्रसेन जैन वैद्य, इटावा

मनोहर पिल्स चन्द्रप्रभा

ताक़त का ख़ज़ाना है, जो खोई हुई ताक़त को वापस लाकर, धातु को गाढ़ा करके स्वप्न-दोष, क्षीणता, अधिक विलासिता से उत्पन्न हुई रग व पट्ठों की कमज़ोरी को रफ़ा करके हर क़िस्म का प्रमेह, सुज़ाक, बवासीर, नवासीर, भगन्दर व औरतों के मासिक धर्म की ख़राबी के लिए अकसीर है। क़ीमत बड़ी शीशी ५) छोटी २॥)

बवासीर

ख़ूनी हो या बादी, बिला ऑपरेशन २४ घण्टे में तकलीफ़ को रफ़ा करके सिर्फ़ १ शीशी से ही आराम, क़ीमत बड़ी शीशी ५) ख़ुर्द २॥)

वै० भू० पं० मनोहरलाल मिश्र
आयुर्वेदिक मेडिकल हाल
चौक मैदानख़ाँ हैदराबाद, दक्षिण

चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं रही!



आप "निरमोलिन" से अपने रेशमी, ऊनी आदि सब प्रकार के रङ्गीन और मुलायम कपड़े आसानी से धो सकते हैं।

इसमें किसी प्रकार की हानिकारक वस्तु नहीं मिली हुई है !

हर जगह मिल सकती है।

कलकत्ता सोप-वर्क्स,

(हिन्दुस्तान में सब से बड़ी सोप-फ़ैक्टरी)

बालीगञ्ज, कलकत्ता

डॉ० डब्लू० सी० राय, एल० एम० एस० की

पागलपन की दवा

५० वर्ष से स्थापित

मूर्च्छा, मृगी, अनिद्रा, न्यूरस्थेनिया के लिए भी मुफ़ीद है। इस दवा के विषय में विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि :—"मैं डॉ० डब्लू० सी० राय की स्पेसिफ़िक फ़ॉर इन्सेनिटी (पागलपन की दवा) से तथा उसके गुणों से बहुत दिनों से परिचित हूँ।" स्वर्गीय जस्टिस सर रमेशचन्द्र मित्र की राय है—"इस दवा से आरोग्य होने वाले दो आदमियों को मैं ख़ुद जानता हूँ।" दवा का दाम ५) प्रति शीशी।

पता—एस० सी० राय एण्ड कं०,
१६७/३ कार्नवालिस स्ट्रीट,
या (३६ धर्मतल्ला स्ट्रीट) कलकत्ता !
तार का पता—"Dauphin" कलकत्ता

अग्रवाल वर चाहिए

बीसा अग्रवाल के उच्च घराने की विवाह योग्य शिक्षित कन्याओं के लिए, जोकि यू० पी० की निवासी हैं, ऐसे वरों की दरकार है, जो १८ से २१ साल तक के स्वस्थ, सदाचारी, शिक्षित और कम से कम ५००) मासिक बँधी हुई आमदनी रखने वाले और आदर्श सुधारक हों। लेने-देने का ठहराव, फ़ज़ूल-ख़र्च व कुरीतियाँ कुछ न होंगी, किन्तु विवाह बहुत सादापन से आडम्बर-रहित होगा, जन्म-पत्री नहीं मिलाई जायगी, कोई भाई मन्तव्य-विरुद्ध लिखा-पढ़ी न करें। व्यापारी लाइन विशेष वाञ्छनीय है।

अग्रवाल समिति,
D. बलदेव बिलडिङ्ग झाँसी, JHANSI

बरसात में इन औषधों की परमावश्यकता है!

तत्काल गुण दिखाने वाली ४० वर्ष की परीक्षित दवाइयाँ

शरीर में तत्काल बल बढ़ाने वाला, क़ब्ज़, बदहज़मी, कमज़ोरी, खाँसी और नींद न आना दूर करता है। बुढ़ापे के कारण होने वाले सभी कष्टों से बचाता है। पीने में मीठा व स्वादिष्ट है। क़ीमत तीन पाव की बड़ी बोतल ३), डाक-ख़र्च १॥।); छोटी बोतल १) रु०, डाक-ख़र्च १=)

बच्चों को बलवान, सुन्दर और सुखी बनाने के लिए सुख-सञ्चारक कम्पनी, मथुरा का मीठा **"बालसुधा"** उन्हें पिलाइए ! क़ीमत ॥।) आना, डा० ख़० ॥-)

सब दवा बेचने वालों के पास मिलती हैं। धोखे से नक़ली दवा न ख़रीदिए !

पता—सुख-सञ्चारक कम्पनी, मथुरा



अजी सम्पादक जी महाराज,

जय राम जी की !

ग़ज़ब हुआ, अन्धेर हुआ—गाँधी जी का वलायत जाना निश्चित हो गया ? हालाँकि अभी भी कुछ लोगों को सन्देह है कि कदाचित् कोई ऐसी बात पैदा हो जावे, जिससे कि महात्मा जी वलायत जाने की अपेक्षा हिन्दुस्तान ही में रहना अधिक अच्छा समझें। नौकरशाही ने ऐसी कोई बात पैदा करने की कोशिश अपनी तरफ़ से तो नहीं की, परन्तु भूल-चूक तो मनुष्य से हो ही जाती है। मनुष्य का कार्य नहीं, वरन् उसकी नीयत (Motive) असली चीज़ है। यदि नौकरशाही की नीयत यह नहीं थी कि कोई बात ऐसी पैदा हो जाय जिससे कि महात्मा जी वलायत न जायँ, तो उसके कार्यों पर ध्यान न देना चाहिए। नीयत साफ़ होते हुए वह सब कुछ कर सकती है, उसके तीन ख़ून भी माफ़ हैं—हालाँकि लोगों का कहना है कि उसने तीन से अधिक ख़ून कर डाले हैं ! मगर फिर भी क्या हुआ, नीयत तो साफ़ है। कुछ लोग नौकरशाही पर यह इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन गाँधी-इर्विन समझौते के दिनों में नौकरशाही ख़ूब खुल-खेली। और इस खुल-खेलने के अन्दर एक रहस्य था। वह रहस्य यह था कि नौकरशाही के खुल-खेलने पर यदि महात्मा जी तथा अन्य नेता लोग बिगड़ कर कोई ऊट-पटाँग काम कर बैठते, तो नौकरशाही झट उन पर समझौता तोड़ने का मुक़दमा चला देती। परन्तु यदि उन्होंने चुपचाप अथवा ज़बानी जमा-ख़र्च रखने वाले विरोध के साथ सब सहन कर लिया (जैसा कि किया गया है), तो नौकरशाही को अपने दिल के अरमान पूरे करने का अवसर मिल गया। भगवान जानें, यह बात कहाँ तक सच है ! अपने राम ने तो नौकरशाही के कोई अरमान पूरे होते देखे नहीं। अरे हाँ, झूठ बोलने में क्या फ़ायदा, कुछ इधर-उधर की ख़बरें सुनीं और अख़बारों में पढ़ीं। सो जनाब, सुनी हुई बात पर विश्वास करने की अपने राम की आदत फ़िलहाल बहुत ही कम हो गई है और अख़बारों में पढ़ी हुई बात पर उस समय तक विश्वास करने को जी नहीं चाहता, जब तक कि यह निश्चित नहीं हो जाता कि जो बातें अख़बारों में छपती हैं उनके लिए सरकार सम्पादकों पर मुक़दमा तो नहीं चलाएगी। आजकल अपने राम किसी अख़बार में नौकरशाही के विरुद्ध निकली हुई ख़बर पर, ख़बर छपने के छः मास पश्चात् विश्वास करते हैं। वह भी तब, जब कि छः मास तक उक्त अख़बार के सम्पादक को नौकरशाही की ओर से कोई निमन्त्रण नहीं मिलता। और सुनी हुई बात पर तो कभी विश्वास ही न करना चाहिए, चाहे वह आँखों के सामने ही क्यों न हो। आजकल अपने राम अहमदाबाद में विराजमान हैं। वहाँ की दशा यह है कि पहले वहाँ शराब की खपत उतनी ही थी, जितनी कि अन्य शहरों में थी—कोई ख़ास बात नहीं थी। परन्तु इधर पिकेटिङ्ग इत्यादि होने के पश्चात् से वहाँ गली-गली और दूकान-दूकान शराब बिकने लगी है। अहमदाबाद में होटल और 'टी-शाप' (चाय की दूकान) का इतना आधिक्य है, जितना कि चमारिन के सिर में जुवों का होता है। किसी बाज़ार या सड़क पर जाइए, दूकानों में अधिक संख्या इन्हीं की मिलेगी। अतएव आजकल इन दूकानों में चाय के बहाने धड़ाधड़ शराब बिकती है। देखने में चाय की केटली है, पर भरी है शराब ! वहाँ के निवासियों का और ऐसे निवासियों का, जिनकी बात पर अविश्वास करने को जी नहीं चाहता, कथन है कि आजकल वहाँ शराब की खपत पहले से तिगुनी बढ़ गई है। इसका कारण यह है कि पहले ख़ास-ख़ास लाइसेन्स-प्राप्त दूकानों पर शराब बिकती थी और नियमित समय के अन्दर बिकती थी; परन्तु आजकल न कोई समय है, न कोई स्थान। जब और जहाँ चाहिए, शराब ले लीजिए। यह भी कहा जाता है कि सुलभ होने के कारण अब स्त्रियाँ भी शराब पीने लगी हैं। सुलभ होने का अर्थ यह है कि पहले या तो पूरी अथवा आधी बोतल ख़रीदनी पड़ती थी या शराबख़ानों अथवा बड़े-बड़े होटलों में जाकर पीनी पड़ती थी। ये बातें बहुतों की क्षमता के बाहर थीं। बहुतेरे शराबख़ानों में जाना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते थे, बहुतेरे बड़े-बड़े होटलों में ख़र्च अधिक पड़ जाने के कारण नहीं जाते थे। बहुतेरे आधी तथा पूरी बोतल ख़रीदने की क्षमता नहीं रखते थे। इस प्रकार उपरोक्त कारणों में से किसी न किसी कारण से बहुत से आदमी शराब से बचे रहते थे। परन्तु अब न शराबख़ाने में जाकर बैठने की आवश्यकता है, न बड़े-बड़े होटलों के "हाई चार्जेज़" बरदाश्त करने की ज़रूरत है और न एक-दो पेग शराब के लिए पूरा पाइण्ट ख़रीदने की मजबूरी है। इसीलिए प्रतिदिन शराब का व्यवहार बढ़ रहा है। ये बातें सामने होते हुए भी सुनी-सुनाई हैं। क्योंकि अपने राम शराब तो क्या, कभी अफ़ीम तक नहीं पीते। अतएव इन पर विश्वास करने की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि विश्वास किया जाय तो यह प्रश्न उठता है कि शराब को इतना सुलभ बनाने की ज़िम्मेदारी किस पर है ? इसीलिए इस पर ग़ौर न करना ही अच्छा है। यदि किसी के अरमान पूरे होते हों तो होने दो—अपना भी राम मालिक है। अस्तु !

ऐसी परिस्थिति होते हुए भी महात्मा जी ने वलायत जाने का कच्चा-पक्का इरादा कर ही लिया। कुछ लोगों के लिए तो यह सङ्खिया खा लेने की बात है—बशर्ते कि हयादार हों। एक ओर तो यह दशा है, दूसरी ओर यह हालत है कि लोग वलायत की यात्रा में अपने साथ गङ्गा-जल तथा गाय ले जाने का इरादा कर रहे हैं। और क्या, यह ठाठ है ! ऐसा अवसर भला फिर कभी काहे को मिलेगा। गङ्गा-जल ले जाने की बात तो कुछ समझ में आती है। ज़िन्दगी का क्या भरोसा ? ईश्वर न करे, यदि इङ्गलैण्ड ही में परलोक का वारण्ट आ गया, तो गङ्गा-जल की बदौलत ख़ास स्वर्ग का टिकिट तो मिल जायगा। अथवा किसी अङ्गरेज़ को शुद्ध करने की आवश्यकता पड़ी तो वह गङ्गाजल के बल से तत्काल शुद्ध भी कर लिया जायगा। स्वयम् गङ्गा-जल का व्यवहार रखने से आत्मा शुद्ध रहेगी—गन्दे तथा अपवित्र विचार पास तक न फटकेंगे। परन्तु गाय साथ ले जाने की बात समझ में नहीं आती। कदाचित् जिस प्रकार गङ्गा-जल स्वर्ग का टिकिट दिला सकेगा, उसी प्रकार गाय वैतरणी नदी पार कर सकेगी ; क्योंकि वलायती गाय प्रथम तो यही नहीं जानती कि वैतरणी नदी है कहाँ—और यदि उसे बता भी दिया जाय तो वह भला किसी काले आदमी को वैतरणी के पार क्यों ले जायगी ? वह तो उलटा मँझधार में डुबो देने का प्रयत्न करेगी। इस बात के अतिरिक्त गाय ले जाने का कोई अन्य उपयोग तो समझ में आता नहीं। यह भी हो सकता है कि वलायती गाय का दूध पीने से धर्म नष्ट होने का भय हो। कोई न कोई बात है ज़रूर ! अपनी समझ में न आवे तो इससे यह नहीं समझना चाहिए कि कोई केवल सनक या बेवक़ूफ़ी से ऐसा कर रहा है। अफ़सोस है कि अपने राम पूछे ही नहीं गए, अन्यथा अपने राम अपने साथ एकाध बोरी भाँग, दो-चार बोरे बादाम, कुछ बोरे काली मिर्च, दो-चार पत्थर की सिल और दो-चार आदमी भाँग पीसने और छानने के लिए भी अवश्य ही ले जाते। जब अपनी गाँठ से कुछ ख़र्च नहीं होना है, तब दिल के अरमान पूरे कर लेने में क्या हर्ज है ? केवल इतना ही नहीं, यदि गुञ्जायश हो सकती तो आटा, दाल, चावल, मसाला, नमक इत्यादि सब चीज़ें यहीं से ले जाते। क्योंकि भारतीय अन्न खाने से भारत का स्नेह स्थिर रह सकता है। वलायत का अन्न खाकर वलायत के लाभ की बात सूझेगी—उसमें भारत का अहित होगा। सम्पादक जी, आप चाहे मानें या न मानें, परन्तु अपने राम का तो यह अटल विश्वास—कैसा अटल विश्वास—क़ुतबमीनार की तरह अटल विश्वास है कि विचारों पर अन्न-जल का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम भारत का अन्न-जल ग्रहण करते हैं, इसीलिए तो हमारे विचार भारतीय हैं। यदि हम इङ्गलैण्ड का अन्न-जल व्यवहार करने लगें, तो हमारे विचार अङ्गरेज़ी हो जाने में कभी कोई सन्देह नहीं रह सकता। पता नहीं, महात्मा जी भी कोई बकरी-वकरी ले जायँगे या नहीं। क़ायदे से तो उन्हें अवश्य ले जाना चाहिए। वलायती बकरी का क्या भरोसा, न जाने कैसा दूध दे। पहले एक ख़बर यह भी उड़ी थी कि यदि गोलमेज़ सभा असफल हुई तो नेता लोग हिन्दुस्तान लौटने नहीं दिए जायँगे—वहीं नज़रबन्द कर दिए जायँगे। पता नहीं, यह बात कहाँ तक ठीक हो सकती है। अपने राम को तो इस बात पर बहुत ही कम विश्वास हो सकता है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार इतनी बेवक़ूफ़ नहीं, जो नेताओं को वहाँ नज़रबन्द करे। क्योंकि ये लोग वहाँ सत्याग्रह, पिकेटिङ्ग, चर्ख़ा, खद्दर इत्यादि का प्रचार करने लगेंगे। अभी तो हिन्दुस्तान ही में इन बातों को रोकने में ब्रिटिश सरकार का नाक में दम है, फिर इङ्गलैण्ड में भी रोक-थाम करनी पड़ेगी। और यदि कहीं इङ्गलैण्ड की जनता में यह विष फैला तो बुरी ठहरेगी। वहाँ की जनता को क़ाबू में रखना ब्रिटिश सरकार के क़ाबू के बाहर की बात हो जायगी। जो कुछ भी हो, फ़िलहाल तो गोलमेज़ सभा के परिणाम की प्रतीक्षा है।

कुछ लोगों का यह ख़्याल भी है कि जब वहाँ के सब नेता लोग वलायत चले जायँगे, तो सम्भव है नौकरशाही बेनकेल का ऊँट बन कर और अधिक बलबलाने लगे। परन्तु अपने राम का ख़्याल है कि लॉर्ड विलिङ्गडन बड़े अनुभवी तथा समझदार आदमी हैं। वे इस ऊँट को क़ाबू में रखने का वैसा ही प्रयत्न करेंगे, जैसा कि उन्होंने अपने अब तक के अल्प शासन-काल में करके दिखाया है। यह बात दूसरी है कि वे उसमें सफल न हों। परन्तु असफलता कोई अपराध नहीं है। नेकनीयत आदमी भी असफल हो सकता है। ईश्वर उनकी नेकनीयती क़ायम रक्खे—चाहे हिन्दुस्तान को उनकी नेकनीयती

(शेष मैटर ३८वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)



[हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष]

"अन्तः शाक्ता बहिर्शैवा सभामध्ये च वैष्णवा, नाना रूप धरे कौला विचरन्ति महीतले !" माशा अल्लाह, हमारे मौ० हसरत मोहानी साहब इस पुरानी उक्ति के जीते-जागते नमूना हैं ! ऐसा रङ्ग बदलते हैं कि कमबख़्त गिरगिट भी दाँतों उँगली दबा कर रह जाए। आश्चर्य नहीं, पूर्व जन्म में आप रङ्गरेज़ रहे हों।

❀

कभी तो आप 'भूत के मुख से राम नाम' की तरह लोकमान्य का नाम लेते उनके सगे उत्तराधिकारी बनते और कभी मौ० शौकतअली के पट्ट शिष्य बन कर 'कुकड़ूँ-कूँ' की बाँग लगाने लगते हैं ! कभी राष्ट्रीयता के समर्थक बनते हैं और कभी साम्प्रदायिकता के हामी। इसलिए श्रीजगद्गुरु की राय है कि मौलाना साहब, अगर उचित समझें तो किसी चतुर ठठेरे से अपनी बुद्धि के पेंदे में कोई छोटा-मोटा 'गोढ़ा' लगवा लें, वरना एक रोज़ लुढ़क कर कहीं किसी गन्दी मोरी-ओरी में जा पड़ेगी तो बड़ी मुश्किल होगी।

❀

इसके साथ ही मौलाना साहब से निवेदन है कि अगर तबीयत न मानती हो तो एक दिन हिन्दुस्तान भर के हिन्दुओं का 'ख़तना' कर डालिए या सारे एशिया महादेश में मुस्लिम साम्राज्य की पताका फहरा दीजिए, हिज़ होलीनेस को कोई एतराज़ नहीं। परन्तु बराहे-नवाज़िश अपनी अनाप-शनापी जिह्वा से वह पवित्र नाम (महाराज तिलक का) न लिया कीजिए ! क्योंकि इससे हिन्दुओं को आज़ार पहुँचता है और 'मर्दुम आज़ारी' शरीअतन गुनाह है—कुफ्र है !

❀

यह बात बावन तोले पाव रत्ती ठीक है कि मौलाना बुद्धिमान आदमी हैं, 'जैसी बहै बयारि पीठ वैसी कर दीजै' के पक्षपाती हैं और जहाँ रस देखते हैं, वहीं चिपकने की इच्छा करते हैं। माशा अल्लाह, यह 'मक्षिका-वृत्ति' बुरी नहीं है। इससे और कुछ हो या न हो, पापी पेट भरता रहता है, यह हम डङ्के की चोट कह सकते हैं। मगर, 'निगाहे यार की बिजली इधर चमकी उधर चमकी' की तरह सिद्धान्त और ज़बान का 'हरजाईपन' अच्छा नहीं। क्योंकि इससे तो मियाँ 'न घर के ही रहेंगे और न घाट के ही।'

❀

कुछ रसशास्त्रज्ञों का कहना है कि देश में राष्ट्रीयतावादी मुसलमानों की यथेष्ट संख्या होने पर भी, आगामी गोलमेज़ परिषद् में लाट साहब ने उनके प्रतिनिधियों को यथेष्ट स्थान नहीं प्रदान किया। परन्तु शायद उन्हें मालूम नहीं कि ऐसा करने से बड़ी बी-के रूठ जाने की सवा सोलह आने सम्भावना थी। फलतः 'पाणिग्रहीता' का आदर तो होना ही चाहिए। इसलिए लाट साहब ने 'उनको' नाख़ुश न करके अच्छा ही किया है, वरना सारा सावन का मज़ा ही किरकिरा हो जाता।

❀

बहुत दिनों की बात है, आप तब बहुत छोटे रहे होंगे, हर होलीनेस को पधारे अभी केवल सवा सत्रह महीने ही हुए थे। एक दिन एक आफ़त की मारी ग़रीब बुढ़िया झोंपड़ी के दरवाज़े पर आ गई। इधर किसी ने अन्दर ख़बर दे दी कि एक औरत आई है। बस, यह सुनते ही श्रीमती जी के रोष का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया और श्रीजगद्गुरु के नाम गिरफ़्तारी का वारण्ट कट गया। बेचारे बरसरे इजलास हाज़िर हुए, तो हुक्म हुआ कि "उस औरत" को अभी निकाल दो।

❀

"अभी ? इस भादों की अँधेरी रात में ? ख़ैर, परन्तु वह तो नानी की उमर की बुढ़िया है।" बाप रे बाप ! आँखें भृकुटी की चहारदीवारी फाँद कर मस्तक पर जा पहुँचीं और हुक्मसानी सादिर हुआ—"नानी हो या परनानी। अगर वह यहाँ रहेगी तो मैं अभी—इसी वक़्—मायके चली जाऊँगी।" अब आप ही बताइए, कौन माई का लाल ऐसा है, जो ऐसे नादिरशाही हुक्म की तामील में आनाकानी कर सके ?

❀

फलतः इस सम्बन्ध में श्रीमान लाट साहब की डिफ़ीकल्टी' को हिज़ होलीनेस अच्छी तरह समझ रहे हैं। क्योंकि बेचारे भुक्तभोगी हैं ; अङ्गार-वर्षिणी आँखों की तीव्रता का इन्हें ख़ूब अनुभव है। इसलिए इन्हें आश्चर्य है कि मौ० दाऊदी के यह स्पष्ट-रूपेण लिख देने पर भी कि 'यदि सर अली इमाम और डॉ० अन्सारी आदि को बुलाया जायगा, तो मोटी बी और उनकी सहगामिनियाँ रूठ जायँगी' लाट साहब ने सर अली इमाम के पास निमन्त्रण भेज दिया। फलतः हम तो इसे लाट साहब का दुस्साहस ही कहेंगे।

❀

इसके सिवा, भाई साहब, भारत में ब्रिटिश राज-सत्ता की दोदुल्यमान नींव की रक्षिका भी तो ये 'पाणिग्रहीता' ही हैं ; इन्हीं के मङ्गलानुष्ठान की बदौलत तो यह कहने का मौक़ा मिलेगा कि भारतवासियों में परस्पर छत्तीस का सम्बन्ध है। इसलिए अगर अङ्गरेज़ी छत्रछाया समेट ली जाय तो सारे भारत में घोर अन्धकार फैल जायगा, लोग एक पर एक चढ़ बैठेंगे और 'अबला बिलोकहिं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम्' का व्यापार हो जायगा। इसलिए इन्हें प्रसन्न रखना अत्यावश्यक है।

❀

सिलहट के श्रीयुत सुधीरकुमार पाल को ख़बर लगी है कि वहाँ मुसलमान गुण्डों का एक ऐसा दल है, जो हिन्दू औरतों को बहका और फुसला कर उड़ा लिया करता है। पाल जी को पता लगा है कि ऐसी बहकाई और फुसलाई हुई तीस स्त्रियाँ इस इलाक़े में छिपाई गई हैं। फलतः सिलहट तथा उसके आसपास के हिन्दुओं को मुसलमान गुण्डों का कृतज्ञ होना चाहिए। क्योंकि बेचारों ने स्त्री जैसी भयङ्कर आफ़त से उन्हें बचा कर उनका बड़ा उपकार किया है।

❀

साथ ही अन्यान्य देश के हिन्दुओं को चाहिए कि एक सभा करके अपने सिलहटी भाइयों के पास बधाई का तार भेज दें। क्योंकि इस ख़बर से उनकी बहादुरी और स्त्री-रक्षा वाली मनोवृत्ति का गहरा पता मिलता है। वास्तव में वे धन्य हैं। बस, उन्हें चाहिए कि 'बीती ताहि बिसारी दे' के अनुसार फ़ौरन अपने लिए दूसरी बीबी तलाश कर लें। और क्या ? जो गई सो गई !

❀

बेचारे विलायती अख़बार वाले चिन्तित हैं कि भारत के लँगोटी बाबा नङ्गे पाँव विलायत चले आवेंगे, तो वहाँ की शालीनता कैसे जीती बचेगी ! बात सचमुच बड़े ख़तरे की है जनाब, क्योंकि कहीं बूढ़े बाबा के भारतीय घुटने देख कर वहाँ के गोरे और गोरियों के दिलों में उद्दीपन विभाव का सञ्चार होने लगा तो बड़ी आफ़त होगी।

❀

आप कहेंगे, वहाँ की बीबियाँ तो आजकल स्वयं सूक्ष्म वस्त्रावृता रहती हैं ; गले के नीचे का बहुत सा तुषार धवल भाग तथा टिटिहिरी सी टाँग का अधिकांश अनावृत ही रहता है। वहाँ की राम जानें, पर यहाँ की गोरियाँ, अधगोरियाँ और उबली गोरियाँ, तो आजकल प्रायः बिना मोज़ा पहने ही बाइसिकिल दौड़ाया करती हैं। वही हाल प्रायः 'हाफ़-पैन्ट' वालों का भी है।

❀

बात आपकी सवा सोलह आने ठीक है। परन्तु बक़ौल कविवर 'बिस्मिल' "वह गोरे हैं, हम काले हैं !' कहाँ एक कमनीय कलेवरा गोरी किशोरी की कमल-धवल टाँगें और कहाँ ७० वर्ष के बूढ़े भारतीय की काली टाँगें ! ऐसी टाँगें देख कर वहाँ के गोरे और गोरियों को मूर्च्छा न आ जाय, यही थोड़ा है। फिर सभ्यता, शिष्टता, शालीनता और श्लीलता की घातिनी टाँगें तो पुरुषों की होती हैं, न कि स्त्रियों की। फलतः इन टाँगों की आफ़त से इङ्गलैण्ड वालों को ख़ुदा ही बचाए !

❀

'मङ्गलम् भगवान विष्णु मङ्गलम् गरुड़ध्वजम्, मङ्गलम् पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरिः !' सुनते हैं, भारत के भूतपूर्व बड़े लाट लॉर्ड रीडिङ्ग ने ७१ वर्ष की उमर में ३७ वर्ष की बीबी का पाणिपीड़न किया है। बाबा शाह मदार यह जोड़ी सलामत रक्खें और शीघ्र ही मियाँ-बीबी को 'सोहर' सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त हो। साथ ही श्रीमती लेडी जी के लिए बूढ़े श्रीजगद्गुरु का शुभाशीर्वाद है कि "बना रहे अहिवात तुम्हारा, जब लौं टेम्स नदी की धारा !"

❀

दुबेजी की चिट्ठी

(३७वें पृष्ठ का शेषांश)

से कोई लाभ पहुँचे अथवा न पहुँचे। अपने राम का तो केवल यही आशीर्वाद है। और यह भी मानी हुई बात है, क्योंकि कई बार इसका अनुभव हो चुका है, कि अपने राम का आशीर्वाद बहुत कम ख़ाली जाता है। इसीलिए अपने राम बहुत कम और बहुत समझ-बूझ कर आशीर्वाद देते हैं। अधिकतर शाप ही देते हैं और कोसते ही हैं; क्योंकि शाप देने तथा कोसने का कोई प्रभाव पड़ता आज तक तो देखा नहीं गया—आगे की भगवान जानें। कम से कम इससे इतना लाभ तो है कि अपने राम से दूसरों का भला ही होता है—बुरा हो ही नहीं सकता। यह कुछ कम सन्तोष की बात नहीं है।

भवदीय,

—विजयानन्द (दुबे जी)

* * *

सब से बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह है कि इस 'प्रेम-मिलन' का प्रथम पवित्र पर्वाध्याय भारत में ही प्रारम्भ हुआ था। क्योंकि लाट साहब जिस समय यहाँ मौजूद थे, उस समय मिस चार्नेंड (वर्तमान लेडी रीडिङ्ग) उनकी गृह-कर्त्री थीं। फलतः भारत-शासन जैसे महान् दायित्वपूर्ण कार्य का भार सिर पर रहते हुए भी लाट साहब के हृदय में श्रीमती जी के प्रति प्रेम का सञ्चार हो गया और अन्त में परिपक्क होकर इस पराकाष्ठा को पहुँचा कि पाणिपीड़न के सिवा और कोई चारा ही नहीं रह गया।

❀

ख़ैर, ख़बर मिली है कि विवाह के पश्चात् नव-दम्पत्ति मधु-यामिनी यापनार्थ कलिकाल के स्वर्गधाम पेरिस चले गए हैं। ख़ुदा ताला लाट साहब की रँगीली जुदौती को और भी रँगीली बनाए। क्योंकि लाट साहब ने श्रीजगद्गुरु जैसे भारतीय बूढ़ों के विवाह के पक्ष में एक अकाट्य उदाहरण उपस्थित कर दिया है। क्योंकि जब लॉर्ड रीडिङ्ग जैसे ७१ साल का बूढ़ा सैंतीसा कुमारी का पाणिपीड़न कर सकता है तो इस देश के पैंतालीस और पचास वर्ष के बूढ़ों ने कौन सा पाप किया है, जो उनके विवाह का नाम सुनते ही लोग आसमान सर पर उठा लेते हैं?

❀

गत सन् १९३० में बङ्गाल की पुलीस ने जो निरस्वार्थ सेवा-परायणता का अलौकिक उदाहरण उपस्थित किया था, उस पर बङ्गाल के गवर्नर और उनकी परिषद आपाद मस्तक मुग्ध हैं। फलतः उसकी प्रशंसा करने में लाट साहब और उनकी परिषद ने राजपूताना के भाटों को भी मात कर दिया है। अफ़सोस यही है कि अल्लाह मियाँ ने इन्हें जिह्वा प्रदान करने में बड़ी कञ्जूसी की है। कहीं इन एक-एक मुखों में हज़ार-हज़ार जिह्वाएँ होतीं तो माशा अल्लाह आज सभी सार्थक हो जातीं!

❀

ख़ैर, आपको सुन कर सन्तोष होगा कि बङ्गाल में चोरी, डकैती, स्त्रियों का उड़ाया जाना और कलकत्ता जैसे जनाकीर्ण स्थान में दिन-दहाड़े चोरी आदि सदाचारों का कारण वहाँ की पुलीस की अकर्मण्यता नहीं, बल्कि कॉङ्ग्रेस की शरारत है। यही बुढ़िया ये सारे अनर्थ करा रही है। फलतः अगर आपका बैल खो जाए अथवा आपकी श्रीमती त्रिवेणी किनारे बुलाक़ खो आवें तो समझ लीजिए कि इसमें कॉङ्ग्रेस की शरारत है। समझ गए न?

❀

हाँ, यह बात दूसरी है कि 'चमार के मनाए डाँगर नहीं मरते' और न किसी मुक्खड़ के कोसने से श्रीजगद्गुरु की तोंद ही पिचक सकती है। इसलिए बङ्गाल के सपरिषद लाट के कोसने से कॉङ्ग्रेस का भी कुछ नहीं बिगड़ सकता है। मगर 'दिल को समझाने के लिए 'ग़ालिब' यह ख़याल अच्छा है!' कम से कम हृदय को सन्तोष तो हो जाता होगा। यही क्या कम है?

❀

उस दिन इलाहाबाद में एक अभागे को फाँसी दे दी गई। श्री० सहगल जी ने पत्र लिख कर यह कारुणिक दृश्य देखने की इच्छा प्रकट की। जेल के अधिकारियों ने स्वीकृति भी दे दी। परन्तु इलाहाबाद के 'सहगल-प्रेमी' मैजिस्ट्रेट बहादुर यह अनर्थ कैसे बरदाश्त कर सकते थे। उन्होंने यह आज्ञा दी कि श्री० सहगल जी 'अवाञ्छनीय' (Undesirable) अर्थात् न चाहने योग्य व्यक्ति हैं।

❀

यह लीजिए! एक ओर 'चाह' की यह हालत कि श्री० सहगल जी के बिना 'दिन नहिं चैन रात नहिं निंदिया' दामे-उल्फ़त की तैयारी में न हाथ थकते हैं न दिल और दिमाग़ और दूसरी ओर फाँसी देखने के समय The District Magistrate .... thinks most undesirable! वल्लाह! यह प्रेम की पहेली तो देखते हैं, मीर ख़ुसरू की पहेलियों से भी कठिन है।

❀

ख़ैर, श्री० सहगल जी ने 'जेलाधिप' महोदय को लिखा है कि मेहरबानी करके लिखिए कि फाँसी देखने के लिए किस योग्यता की ज़रूरत है? मगर श्री जगद्गुरु की राय है कि यहाँ योग्यता या अयोग्यता का प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि यह है बीसवीं सदी की सुधरी हुई विलायती प्रेम-प्रदर्शन की प्रणाली! अमाँ, कौन ऐसा निष्ठुर प्रेमी होगा जो अपने प्रिय को फाँसी जैसा अप्रिय दृश्य देखने को कह देगा?

❀

बङ्गाल के विप्लववादियों, सत्याग्रहियों और डाकुओं ने मिल कर ऐसी अराजकता फैला रक्खी है कि बेचारे 'स्टेट्समैन' की नींद और भूख एक साथ ही हराम हो जाने के साथ ही उदारता भी सिर पर सवार हो गई है। इसलिए उसने राय दी है कि फ़ौरन् बङ्गाल को प्रान्तिक स्वतन्त्रता दे दी जाए। इसलिए श्रीजगद्गुरु की राय है कि श्रीमती नौकरशाही जी अपने इन 'बचुआ' जी के दिमाग़ की दवा करावें, नहीं राजा हरिश्चन्द्र की तरह ये एक दिन सारा राज-पाट ख़ैरात कर देंगे।

❀

ख़ैर, 'स्टेट्समैन' ने बङ्गाल को प्रादेशिक स्वतन्त्रता देने के साथ ही बर्दवान के महाराजाधिराज बहादुर को बुला कर मन्त्री बना देने की भी सलाह दी है। माशा अल्लाह, हम इसकी तहेदिल से ताईद करते हैं। क्योंकि महाराजाधिराज बहादुर अपना राज-पाट 'कोर्ट ऑफ़ वार्ड्स' को सौंप कर बड़े मनोयोग के साथ विलायती बीबियों के साथ 'बॉलडान्स' की प्रेक्टिस कर रहे हैं। फलतः आपके बङ्गाल की वज़ारत की मसनद पर बैठते ही चारों ओर शान्ति की दुन्दुभी बज उठेगी। क्योंकि कौन अभागा ऐसा होगा जो नाच देखना छोड़ कर डकैती करने जाएगा?

❀

परन्तु एक हिन्दू को वज़ारत की गद्दी पर विराजमान देख कर सर ग़ज़नवी साहब अवश्य नाराज़ हो जायँगे। इसलिए मुनासिब है कि महाराजाधिराज बहादुर के साथ ही ढाका के नवाब बहादुर भी महामन्त्री बना दिए जाएँ। क्योंकि आपने भी अपना सारा नवाबी झञ्झट कोर्ट ऑफ़ वार्ड्स को सौंप दिया है। साथ ही आपने ढाका के 'दाढ़ी-चोटी सम्मेलन' के समय शान्ति स्थापित करने में जिस योग्यता का परिचय दिया था, वह तो ऐसा है कि मन्त्री क्या आप मन्त्री के बाप भी बना दिए जाएँ, तो कोई हानि नहीं! वल्लाह, मालूम होता है कि अल्लाह मियाँ ने स्टेट्समैन के दिमाग़ में मौलिकताओं का ढेर सा लगा दिया है!

❀

हमारे ख़ुराफ़ाती ख़लीफ़ा उर्फ़ मोटे मौलाना की राय है कि कॉङ्ग्रेस वाले किसी बात को सीधी तौर से सोचना नहीं जानते हैं। बस, यही राय अपने राम की भी है और इसकी ख़ास वजह यह है कि कॉङ्ग्रेस वाले वर्किंग के चमचमाते 'चप्पलों' से अपनी चाँद की मरम्मत नहीं कराते, इसीसे उनका दिमाग़ सदा टेढ़ा ही बना रहता है। फलतः वे किसी बात को सीधी तौर से सोचें तो कैसे सोचें? परन्तु मौलाना एक तो मुद्दत तक लुँडीख़ानों की सरदारी कर चुके हैं और दूसरे उपर्युक्त रीति से चाँद की मरम्मत भी कराते रहते हैं, इसलिए जो कुछ सोचते हैं वह तकुए की तरह सीधा होता है।

❀

कौन-सा [illegible] शिक्षित [illegible] है, जिसमें [illegible] न जाता हो ?

'चाँद'-जैसे निर्भीक पत्र की ग्राहकता स्वीकार करना—जिसने अपने जीवन के प्रथम प्रभात से ही क्रान्ति की उपासना में अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया है—निश्चय ही सद्विचारों को आमन्त्रित करना है। यदि आप अब तक इसके ग्राहक नहीं हैं, तो तुरन्त ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए ; और यदि आप ग्राहक हैं तो अपने इष्ट-मित्रों को ऐसा करने की सलाह दीजिए। 'चाँद' का वार्षिक चन्दा केवल ६॥) रु० है अर्थात् आठ आने फ़ी कॉपी—ऐसी हालत में कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो केवल एक पैसे रोज़ में वह ज्ञान उपार्जन करने से इन्कार करे—जो हज़ारों रुपए व्यय करने पर भी आजकल के स्कूल और कॉलेजों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता ?

[illegible]

लेख — लेखक

१—आदेश (कविता) [प्रोफ़ेसर रामकुमार जी वर्मा, एम० ए०]
२—हमारी धार्मिक समस्याएँ [सम्पादक]
३—जला-भुना (कहानी) [डॉ० धनीराम जी 'प्रेम' लन्दन]
४—वर्तमान मुस्लिम जगत [एक डॉक्टर ऑफ़ लिटरेचर]
५—अज्ञात (कविता) [श्री० हज़ारीलाल जी वर्मा, 'रञ्जन']
६—ईश्वरवाद की परीक्षा [श्री० रमाशङ्कर जी मिश्र, एम० ए०, बी० एल०]
७—अति (कहानी) [श्री० विश्वम्भरनाथ जी शर्मा कौशिक]
८—मेरा प्रेम (कविता) [श्री० लक्ष्मीनारायण जी अग्रवाल]
९—पुष्प (कविता) [श्री० लक्ष्मीनारायण जी अग्रवाल]
१०—नारी-जीवन (कविता) [श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव]
११—सी० आई० डी० विभाग में स्त्रियाँ [श्रीमती संयोगिता देवी मेहता]
१२—भारतवासियों का स्वास्थ्य [श्री० दीनानाथ जी व्यास, विशारद]
१३—चुम्बन [श्री० वंशीधर जी मिश्र, एम० ए०, एल्-एल्० बी०]
१४—पर्दा उठ कर ही रहेगा [महाराज-कुमारी ललिता देवी (बर्दवान)]
१५—आध्यात्मिक शिक्षा [श्री० ज्ञानमल्ल हंसराज जैन]
१६—अर्वाचीन भारतीय ग्रामीण-समाज [श्री० प्रकाशचन्द्र दत्त]
१७—दिल की आग उर्फ़ दिल-जले की आह...... ['पागल']
१८—तुमसे (कविता) [श्री० 'व्यथित हृदय']
१९—अभिशाप और लज्जा [सम्पादक]
२०—अन्धों की समस्या [सम्पादक]
२१—उपहासजनक अभिज्ञता [सम्पादक]
२२—एक अनुकरणीय बिल [सम्पादक]
२३—वेलफ़ेयर-ऑफ़-इण्डिया लीग [सम्पादक]
२४—जीवन का आदर्श और स्त्रियाँ [सम्पादक]
२५—साहित्य-संसार [आलोचक श्री० अवध उपाध्याय]
२६—उपन्यास-कला और श्री० प्रेमचन्द के उपन्यास [श्री० केशरी-किशोर शरण जी, बी० ए० (ऑनर्स), साहित्य-भूषण, विशारद]
२७—केसर की क्यारी (कविता) [हज़रत 'नूह', कवि० 'बिस्मिल']
२८—स्त्रियों के वोट देने और कौन्सिलों की सदस्या होने के अधिकार (सङ्कलित)
२९—स्त्रियों का व्यापक क्षेत्र (सङ्कलित)
३०—सङ्गीत-सौरभ [श्री० नीलू बाबू]
३१—दुबे जी की चिट्ठी [श्री० विजयानन्द 'दुबे जी']
३२—उपालम्भ (कविता) [श्री० 'सुकुमार']
३३—स्वास्थ्य और सौन्दर्य [श्री० रतनलाल जी मालवीय, बी० ए०, एल्-एल्० बी०]
३४—श्रीजगतगुरु का फ़तवा [हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द विरूपाक्ष]

इसके अतिरिक्त ३ तिरङ्गे तथा रङ्गीन चित्र (आर्ट पेपर पर), अनेक चुटीले कार्टून तथा ऐसे चित्रादि पाठकों को मिलेंगे, जो और किसी पत्र-पत्रिका में मिल ही नहीं सकते।

'चाँद' का सम्पादकीय मण्डल

१-श्री० त्रिवेणीप्रसाद जी, बी० ए० (जेल में)
२-पं० भुवनेश्वरनाथ जी मिश्र, एम० ए० (जेल में)
३-श्री० शङ्करदयाल जी श्रीवास्तव, एम० ए०
४-पं० नन्दकिशोर जी तिवारी, बी० ए०
५-मुन्शी नवजादिक लाल जी श्रीवास्तव
६-पं० देवीदत्त जी मिश्र, बी० ए०, एल्-एल्० बी०
७-कविवर 'बिस्मिल' इलाहाबादी (उर्दू-कविता-विभाग)
८-कविवर आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव (हिन्दी-क०-वि०)
९-प्रोफ़ेसर रामकुमार वर्मा, 'कुमार' एम० ए० (हि०-क०-वि०)
१०-श्री० रामरखसिंह सहगल

हृदय पर हाथ रख कर बतलाइए, समस्त भारत में ऐसा सुसम्पादित और सुसञ्चालित पत्र दूसरा कौन है ?

...ed, Published and Edited by Sreemati Lakshmi Devi, vice Sjt. Tribeni Prasad, B. A. and Sjt. Bhuvneshwar Nath ... M. A., both in jail, at The Fin...

Telephone No.
205

'भविष्य' का चन्दा

वार्षिक चन्दा ... १२) रु०
छः माही चन्दा ... ६॥) रु०
तिमाही चन्दा ... ३॥) रु०
एक प्रति का मूल्य चार आने
Annas Four Per Copy

भविष्य

Telegrams :
'Bhavishya'

एक प्रार्थना

वार्षिक चन्दे अथवा फ़्री कॉपी के मूल्य में कुछ भी नुक़्ताचीनी करने में पहिले मित्रों को 'भविष्य' में प्रकाशित अलभ्य सामग्री और उसके प्राप्त करने के असाधारण व्यय पर भी दृष्टिपात करना चाहिए।

वर्ष १, खण्ड ४ | इलाहाबाद—वृहस्पतिवार ; २० अगस्त, १६३१ | सं० ११ पूर्ण सं० ४५



कौन-सा ऐसा शिक्षित परिवार है,

जिसमें [illegible] न जाता हो ?

'चाँद'-जैसे निर्भीक पत्र की ग्राहकता स्वीकार करना--जिसने अपने जीवन के प्रथम प्रभात से ही क्रान्ति की उपासना में अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया है—निश्चय ही सद्विचारों को आमन्त्रित करना है। यदि आप अब तक इसके ग्राहक नहीं हैं, तो तुरन्त ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए ; और यदि आप ग्राहक हैं तो अपने इष्ट-मित्रों को ऐसा करने की सलाह दीजिए। 'चाँद' का वार्षिक चन्दा केवल ६॥) रु० है अर्थात् आठ आने फ़ी कॉपी—ऐसी हालत में कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो केवल एक पैसे रोज़ में वह ज्ञान उपार्जन करने से इन्कार करे—जो हज़ारों रुपए व्यय करने पर भी आजकल के स्कूल और कॉलेजों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता ?

[illegible]

लेख	लेखक
१—आदेश (कविता)	[प्रोफ़ेसर रामकुमार जी वर्मा, एम० ए०]
२—हमारी धार्मिक समस्याएँ	[सम्पादक]
३—जला-भुना (कहानी)	[डॉ० धनीराम जी 'प्रेम' लन्दन]
४—वर्तमान मुस्लिम जगत	[एक डॉक्टर ऑफ़ लिटरेचर]
५—अज्ञात (कविता)	[श्री० हज़ारीलाल जी वर्मा, 'रञ्जन']
६—ईश्वरवाद की परीक्षा	[श्री० रमाशङ्कर जी मिश्र, एम० ए०, बी० एल०]
७—अति (कहानी)	[श्री० विश्वम्भरनाथ जी शर्मा, कौशिक]
८—मेरा प्रेम (कविता)	[श्री० लक्ष्मीनारायण जी अग्रवाल]
९—पुष्प (कविता)	[श्री० लक्ष्मीनारायण जी अग्रवाल]
१०—नारी-जीवन (कविता)	[श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव]
११—सी० आई० डी० विभाग में स्त्रियाँ	[श्रीमती संयोगिता देवी मेहता]
१२—भारतवासियों का स्वास्थ्य	[श्री० दीनानाथ जी व्यास, विशारद]
१३—चुम्बन	[श्री० वंशीधर जी मिश्र, एम० ए०, एल्-एल्० बी०]
१४—पर्दा उठ कर ही रहेगा	[महाराज-कुमारी ललिता देवी (बर्दवान)]
१५—आध्यात्मिक शिक्षा	[श्री० ज्ञानमल्ल हंसराज जैन]
१६—अर्वाचीन भारतीय ग्रामीण-समाज	[श्री० प्रकाशचन्द्र दत्त]
१७—दिल की आग उर्फ़ दिल-जले की आह......	['पागल']
१८—तुमसे (कविता)	[श्री० 'व्यथित हृदय']
१९—अभिशाप और लज्जा	[सम्पादक]
२०—अन्धों की समस्या	[सम्पादक]
२१—उपहासजनक अभिज्ञता	[सम्पादक]
२२—एक अनुकरणीय बिल	[सम्पादक]
२३—वेलफ़ेयर-ऑफ़-इण्डिया लीग	[सम्पादक]
२४—जीवन का आदर्श और स्त्रियाँ	[सम्पादक]
२५—साहित्य-संसार	[आलोचक श्री० अवध उपाध्याय]
२६—उपन्यास-कला और श्री० प्रेमचन्द के उपन्यास	[श्री० केशरी-किशोर शरण जी, बी० ए० (ऑनर्स), साहित्य-भूषण, विशारद]
२७—केसर की क्यारी (कविता)	[हज़रत 'नूह', कवि० 'बिस्मिल']
२८—स्त्रियों के वोट देने और कौन्सिलों की सदस्या होने के अधिकार	(सङ्कलित)
२९—स्त्रियों का व्यापक क्षेत्र	(सङ्कलित)
३०—सङ्गीत-सौरभ	[श्री० नीलू बाबू]
३१—दुबे जी की चिट्ठी	[श्री० विजयानन्द 'दुबे जी']
३२—उपालम्भ (कविता)	[श्री० 'सुकुमार']
३३—स्वास्थ्य और सौन्दर्य	[श्री० रतनलाल जी मालवीय, बी० ए०, एल्-एल्० बी०]
३४—श्रीजगतगुरु का फ़तवा	[हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द विरूपाक्ष]

इसके अतिरिक्त ३ तिरङ्गे तथा रङ्गीन चित्र (आर्ट पेपर पर), अनेक चुटीले कार्टून तथा ऐसे चित्रादि पाठकों को मिलेंगे, जो और किसी पत्र-पत्रिका में मिल ही नहीं सकते।

[illegible]

१-श्री० त्रिवेणीप्रसाद जी, बी० ए० (जेल में)
२-पं० भुवनेश्वरनाथ जी मिश्र, एम० ए० (जेल में)
३-श्रीमती लक्ष्मीदेवी
४-पं० नन्दकिशोर जी तिवारी, बी० ए०
५-मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव
६-श्री० रामकिशोर जी मालवीय
७-श्री० राधामोहन गोकुल जी
८-श्री० सत्यभक्त
९-पं० देवीदत्त जी मिश्र, बी० ए०, एल्-एल्० बी०
१०—कविवर 'बिस्मिल' इलाहाबादी (उर्दू-कविता-विभाग)
११—कविवर आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव (हिन्दी-क०-वि०)
१२ प्रोफ़ेसर रामकुमार वर्मा, 'कुमार' एम० ए० (हि०-क०-वि०)

हृदय पर हाथ रख कर बतलाइए, समस्त भारत में ऐसा सुसम्पादित और सुसञ्चालित पत्र दूसरा कौन है ?

पाठकों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, वे एकमात्र भारतीय परिवारों एवं व्यक्तिगत मङ्गल-कामना को दृष्टि में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !!

भविष्य

इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और दूरदर्शी पाठक-पाठिकाओं से आशा की जाती है कि यथाशक्ति 'भविष्य' तथा 'चाँद' और विद्याविनोद-ग्रन्थमाला का प्रचार कर, व संस्था को और भी अधिक सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !!

वर्ष १, खण्ड ४ | इलाहाबाद—बृहस्पतिवार ; २० अगस्त, १९३१ | संख्या ११, पूर्ण संख्या ४७

"घड़ी में घर जले ढाई घड़ी भद्रा"

सहगल जी के नाम चौबे जी तथा होम मेम्बर का उत्तर !!

क्या श्री० सहगल जी भारत में नज़रबन्द नहीं हैं ?

"परम आज्ञाकारी सेवक" के अद्भुत करश्मे

"सपरिषद् गवर्नर ने उन्हें पास पोर्ट न देने का निश्चय कर लिया है"

'भविष्य' के गताङ्क में पाठकों ने पढ़ा होगा कि स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आए-दिन के दुर्व्यवहारों से खिन्न हो कर 'चाँद' तथा 'भविष्य' के अध्यक्ष श्री० सहगल जी ने यू० पी० गवर्नमेन्ट के चीफ़ सेक्रेटरी चौबे (कुँवर) जगदीशप्रसाद तथा होम मेम्बर को तार देकर उन से मिलने की प्रार्थना की थी। अपने तार में श्री० सहगल जी ने स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध काफ़ी प्रमाण (Definite proof) ले कर मिलने का विश्वास दिलाया था। किन्तु इन दोनों आला-अफ़सरों के उत्तर बड़े ही निराशाजनक हैं। दोनों ही पत्रों का आशय एक है और वह यह है कि, चूँकि 'भविष्य' सम्पादक के विरुद्ध अदालत में एक अभियोग चल रहा है, इसलिए जब तक उसका निर्णय न हो ले, वे साक्षात करने से असमर्थ हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि चौबे जी का उत्तर नम्रता से परे है और होम मेम्बर साहब का (जो यू० पी० के स्थानापन्न गवर्नर भी रह चुके हैं) बहुत शिष्ट और सभ्यतापूर्ण।

चौबे जी का पत्र

Government of the United Provinces

No. 909—S

Dated Naini Tal, August 13, 1931

MEMORANDUM

With reference to his telegram dated August 12, the undersigned regrets that he cannot see Mr. Saigal until the case against the editor of the "Bhavishya" has been finally decided.

(Sd.) JAGDISH PRASAD,
Chief Secretary to Government,
United Provinces.

R. SAIGAL SAHIB,
Proprietor of the "Chand" and
"Bhavishya", Allahabad.

होम मेम्बर का पत्र

Home Member, United Provinces

Naini Tal, August 16, 1931

Dear Mr. Saigal,

Thanks for your telegram. I am extremely sorry not to be able to discuss with you the matter mentioned in your telegram as it is still before a court of law. I shall be only too pleased to meet you if you come after the case has been dealt with by the court.

Yours Sincerely,
Sd. ÂHMAD SAID

R. SAIGAL, Esq.,
Proprietor of "Chand" and
"Bhavishya" Allahabad.

शायद पाठकों को बतलाना न होगा कि श्री० सहगल जी वर्तमान मुक़दमों के सम्बन्ध में एक शब्द भी इन सज्जनों से नहीं कहना चाहते थे ; उनका आशय केवल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर होने वाले दुर्व्यवहारों को सप्रमाण दिखलाना मात्र था। पाठक देखेंगे, वर्तमान शासन-प्रणाली के अनुसार अन्यायों का विरोध तक करना सम्भव नहीं रह गया है।

* * *

विगत १९ मार्च, १९३० को श्री० सहगल जी ने "भारत में अङ्गरेज़ी राज्य" वाले मामले की प्रीवी कौन्सिल में अपील दायर करने तथा जल-वायु परिवर्तनार्थ विलायत तथा यूरोप का भ्रमण करने के लिए पासपोर्ट के लिए एक आवेदन-पत्र प्रान्तीय गवर्नमेण्ट को दिया था; यद्यपि श्री० सहगल जी के इस प्रार्थना-पत्र की सिफ़ारिश स्थानीय सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस मि० पी० एच० मेजर्स ने की थी, फिर भी प्रान्तीय गवर्नमेण्ट ने उसे अस्वीकार कर दिया था। उस समय के स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सहगल जी को लिखा था कि :—

"सपरिषद् गवर्नर ने आपको पासपोर्ट न देने का निश्चय कर लिया है।"

पत्र की नक़ल इस प्रकार है :—

Collector's Bungalow
Allahabad
September 24, 1930.

To
Mr. R. Saigal
Proprietor of the CHAND.

Sir,

With reference to your application for a passport, I have the honour to say that the Governor in Council has decided not to grant you a passport.

I have the honour to be,
Sir
Your most obedient servant
Sd. H. BOMFORD, I. C. S.,
Distt. Magistrate,
Allahabad.

दूसरा कोई उपाय न देख कर उस समय सहगल जी को मन मसोस कर रह जाना पड़ा ; पर फिर गाँधी-इर्विन समझौता हो जाने से एक बार पुनः उन्होंने न्याय का दरवाज़ा खटखटाया और स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखा कि गत वर्ष मैंने पास पोर्ट के लिए एक आवेदन पत्र दिया था, जो दुर्भाग्य से प्रान्तीय गवर्नमेण्ट ने स्वीकार नहीं किया।

"इस समय चूँकि मेरा स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो गया है और चूँकि मेरे डॉक्टरों ने मुझे समुद्र यात्रा करने की सलाह दी है, इसलिए आपकी बड़ी कृपा होगी,



यदि आप कृपया यू० पी० गवर्नमेण्ट के चीफ़ सेक्रेटरी से पूछें कि क्या वे मेरी इस विनम्र प्रार्थना पर विचार करेंगे ?" पत्र की नक़ल इस प्रकार है :—

2nd June, 1931.

The Distt. Magistrate,
Allahabad.

Sir,

Last year I applied for a passport and my application was recommended by no less an officer than Mr. P. H. Measures the Superintendent of Police, Allahabad, but it was refused by the U. P. Government for reasons best known to them.

Now that I have greatly suffered in health and am advised to go overseas by my medical advisers for a change and rest, will you be so good as to enquire from the Chief Secretary to U. P. Government if he is willing to re-consider his decision.

Thanking you very much in advance.

Very truly yours.
Sd. R. Saigal

२री जून, १९३१ के इस पत्र का फिर भी वही टकसाली उत्तर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की ओर से मिला है जिसमें वे लिखते हैं :—

"गवर्नमेण्ट ऐसा कोई कारण नहीं देखती, जिससे वह अपने उस निर्णय पर पुनः विचार करना उचित समझे, जिसके अनुसार पहले आपको पासपोर्ट देने से इन्कार किया जा चुका है।"

पत्र की नक़ल इस प्रकार है :—

No. 2472, 15-8-31.
Allahabad Magistracy,
Dated August 15, 1931.

To
Mr. R. SAIGAL,
The "Chand" Office,
Allahabad.

Sir,

In reply to your letter of August the 7th, I have the honour to say that Government see no reason to revise their previous order refusing to grant you a passport.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
Sd. R. F. MUDIE, O.B.E., I.C.S.,
District Magistrate,
Allahabad.

क्या प्रान्तीय कौन्सिल का कोई सदस्य सपरिषद गवर्नर से इस विचित्र निर्णय का कारण पूछ कर हमें बतलाने की कृपा करेगा, कि आख़िर श्री० सहगल जी में वह कौन सा ऐसा दोष है जिसकी वजह से 'सपरिषद गवर्नर' ने उन्हें भारत में ही नज़रबन्द रक्खे रहना उचित समझा है ??

❀ ❀ ❀

—बर्मा में पुलीस वालों पर बलवाइयों की ओर से फिर आक्रमण होने लगे हैं। इरावदी नदी के किनारे के एक गाँव में पहरा देते हुए पुलीस वालों पर बलवाइयों ने हमला किया। एक घण्टे तक युद्ध होता रहा। अन्त में बलवाइयों का नेता और अनेक बलवाई मारे गए और बाक़ी भाग गए। भागने वाले बलवाई अपने ज़ख़्मी आदमियों को भी लेते गए। जिस मकान में पुलीस वाले रहते थे, उसमें आग लगा दी। यह बात १४ अगस्त की - दिन प्रातःकाल थामेरम्यो ज़िले की एक पहाड़ी पर फ़ौजियों ने बलवाइयों के अड्डे पर छापा मारा। वह पहले ही से ख़ाली पड़ा था। कामा नामक एक दूसरे स्थान पर छापा मार कर फ़ौजियों ने ६ बलवाइयों को गिरफ़्तार किया।

बर्मा-विद्रोह के नेता सायासान का मुक़दमा बड़े धूम से हो रहा है। अदालत में बड़ी भीड़ लगती है और वहाँ फ़िल्म कम्पनी वालों ने सान का चित्र लिया।

—कानपुर में षड्यन्त्रकारियों के कार्यों की निन्दा करने के लिए कानपुर कॉङ्ग्रेस कमिटी की ओर से एक सार्वजनिक सभा हुई थी। अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के आदेशानुसार हिन्सात्मक कार्यों के विरुद्ध बाक़ायदे आन्दोलन होगा।

—अफ़ग़ानिस्तान की सरकार ने ईशरसिंह नामक एक सिक्ख को अफ़ग़ानिस्तान से देश-निकाला दे दिया था। अकाली दल ने अमीर नादिरशाह के पास तार भेज कर इसका ज़ोरदार विरोध किया है।

—बम्बई प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी बड़े ज़ोर शोर से नए झण्डे के प्रदर्शन का प्रबन्ध कर रही है। इसका एक दृश्य सिनेमा फ़िल्म कम्पनी में भी दिखाया जायगा। कॉङ्ग्रेस वालों ने शहर वालों से आग्रह किया है कि वे ३० अगस्त रविवार को झण्डा अभिवादन और उत्सव में सम्मिलित हों।

—इलाहाबाद ज़िले के गाँवों में पिछले दो महीनों में किसानों से बहुत मालगुज़ारी वसूल की गई है। ख़ासकर कोर्ट ऑफ़ वार्ड रियासतों में, जिनमें अब तक सबसे कम वसूल हुई थी, सबसे ज़्यादा वसूल हो रही है। रबी की फ़सल की ७०,०४९ रु० की मालगुज़ारी में से १७,१४७ रु० वसूल हो चुके हैं। ज़मींदारों को भी मालगुज़ारी मिल रही है। चायल में ७५ फ़ीसदी, मञ्झनपुर में ५० फ़ीसदी, मेजा में ७५, फूलपुर में ५० और हँडिया में ६२ फ़ीसदी मालगुज़ारी वसूल हुई है।

—गत १४ अगस्त को देश के कुछ शहरों में मुसलमानों ने काश्मीर-दिवस मनाए। ख़ास श्रीनगर में काश्मीर-दिवस असफल रहा। बाहर के मुसलमानों ने बहुत ज़ोर मारा, किन्तु काश्मीरी मुसलमान उसमें सम्मिलित नहीं हुए। बहुत थोड़ी दूकानें मुस्लिम वालण्टियरों के बहुत सर मारने पर बन्द रहीं। इसके अलावा दिल्ली, लाहौर, शिमला, बम्बई आदि में भी यह दिन मनाया गया, परन्तु सर्वत्र फीका ही रहा। कानपुर में तो इस दिन हिन्दू-मुसलमानों में झगड़ा होते-होते बच गया। हिन्दू और मुसलमान मिल-मज़दूर बड़ी तादाद में एकत्र हुए। दोनों ओर से गाली-गलौज हुई। और बाद में पत्थर भी चले, किन्तु शीघ्र ही पुलीस के पहुँच जाने के कारण झगड़ा बढ़ने नहीं पाया। कुछ आदमी गिरफ़्तार भी किए गए हैं। महाराज-काश्मीर से मुसलमानों का जो डेपुटेशन मिलने वाला था, वह १५ अगस्त को मिला। डेपुटेशन वालों ने हिन्दू अधिकारियों की ही शिकायत की। महाराज ने ध्यान से सब बातें सुनीं और बाद में उत्तर देने को कहा।

—बर्मा में लूट-पाट और डाकेज़नी अब कुछ कम हो गई है। ख़बर है कि प्रायः ३ हज़ार बलवाइयों ने आत्म-समर्पण कर दिया है। बलवे का नेता सायासान १४ अगस्त को शान रियासत से एक बन्द गाड़ी में रख कर कड़े पहरे में रङ्गून लाया गया। वह थारावड्डी को भेजा गया और वहीं एक विशेष अदालत के सामने उसके मुक़दमे की कार्यवाही शुरू हो गई।

—वायसरॉय लॉर्ड विलिङ्गडन १७ अगस्त को कानपुर पहुँचे। उनकी ख़ूब आवभगत की गई और म्युनिसिपैलिटी की ओर से मानपत्र भी दिया गया।

—मद्रास प्रान्त के पुदुपेट नामक स्थान में हिन्दुओं के एक धार्मिक जुलूस के जाते समय मुसलमानों ने मस्जिद में से निकल कर हमला किया। पुलीस तुरन्त पहुँच गई और उसने बीच-बचाव कर दिया। १० आदमी गिरफ़्तार किए गए।

—आगरा नगर कॉङ्ग्रेस कमिटी, हिन्दुस्तानी सेवा कमिटी और हिन्दुस्तानी सेवा दल के दफ़्तरों की तलाशियाँ पुलीस ने १७ अगस्त को लीं। ये तलाशियाँ ज़ब्त साहित्य के सम्बन्ध में हुई थीं।

—डेराइस्माइल ख़ाँ से ३८ मील दूर पर कुलाची नामक एक गाँव में गत शनिवार को हिन्दू-मुस्लिम दङ्गा हो गया। १ हिन्दू और १ मुसलमान मरा और २ मुसलमान ज़ख़्मी हुए। एक धर्मशाला और ३ हिन्दू मकान भी जला डाले गए।

युक्त प्रान्तीय ट्रेड यूनियन कॉन्फ़्रेन्स

युक्त प्रान्तीय ट्रेड यूनियन (श्रमजीवी संस्था) कॉन्फ़्रेन्स का अधिवेशन १५ और १६ अगस्त को लखनऊ में कानपुर के श्री० हरिहरनाथ शास्त्री की अध्यक्षता में हुआ। कानपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, बरेली तथा अन्य स्थानों के प्रतिनिधि और लखनऊ रेलवे के श्रमजीवी सब मिला कर लगभग २,५०० मनुष्य उपस्थित थे। "क्रान्ति चिरजीवी हो" "राय चिरजीवी हों" "पूँजीपतियों और ज़मींदारों का नाश हो" ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो" आदि लिखे हुए लाल झण्डे मँगाए गए थे। स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष कालाकाँकर के कुँवर ब्रजेश सिंह के स्वागत-भाषण के बाद प्रेज़ीडेण्ट श्री० शास्त्री की वक्तृता हुई। दूसरे दिन की बैठक में लगभग एक दर्जन प्रस्ताव पास हुए, जिनमें रेलवे अधिकारियों की श्रमजीवियों को छाँटने की नीति की निन्दा की गई और रेलवे श्रमजीवियों से कहा गया कि वे ट्रेड यूनियन के झण्डे के नीचे आकर प्रत्यक्ष आन्दोलन के लिए तैयार हों। श्री० एम० एन० राय की गिरफ़्तारी का विरोध किया गया और कहा गया कि यह भारत के श्रमजीवी आन्दोलन पर प्रत्यक्ष कुठाराघात करना है, गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स की निन्दा की गई और आज़ादी का संग्राम जारी रखने को कहा गया, वर्ग-कलह के वास्तविक सिद्धान्त, श्रमजीवियों के हाथों में समस्त शक्ति देने, देशी राज्य और ज़मींदारी-प्रथा को नष्ट करने, किसानों

को शोषण-नीति से बचाने, ज़मीन, कानें, बैङ्क आदि का राष्ट्रीयकरण करके, अनुत्तरदायी सरकार द्वारा लिए गए क़र्ज़ की निन्दा करने, श्रमजीवियों का रहन-सहन उत्तम बनाने, देश के आर्थिक जीवन को किसानों और श्रमजीवियों के हाथों में करने आदि के प्रस्ताव पास हुए। अन्त में सभी श्रमजीवी सङ्घों को एकता के सूत्र में बँधने की अपील की गई।

—दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यकर्ता डॉ॰ रामकृष्ण को दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एक साल तक के लिए नेकचलनी की ज़मानत और मुचलका देने को कहा था। डॉक्टर महोदय ने ज़मानत-मुचलका देने से इनकार कर दिया और एक साल के लिए जेल गए। आप को सादी क़ैद दी गई है और बी-क्लास में रक्खा गया है।

—कानपुर में दफ़ा १४४ के अनुसार मीटिङ्ग करने की जो मनाही कर दी थी उस आज्ञा को वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उठा लिया है।

—पञ्जाब प्रान्तीय नौजवान भारत-सभा के प्रचार-मन्त्री श्री॰ मूलराज टण्डन १५ अगस्त को अमृतसर में दफ़ा १०८ के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए।

—बङ्गाल प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी का जो झगड़ा श्री॰ सुभासचन्द्र बोस और श्री॰ सेन गुप्त के दल में चल रहा था, उसका निर्णय करने के लिए कॉङ्ग्रेस की वर्किंङ्ग कमिटी की ओर से श्री॰ अणे नियुक्त किए गए थे। उसका निर्णय बम्बई में महात्मा जी के समक्ष हुआ और यह निश्चय हुआ कि बङ्गाल कॉङ्ग्रेस कमिटी का चुनाव वर्किंङ्ग कमिटी की देख रेख में हो। इस निश्चय को श्री॰ सेनगुप्त ने स्वीकार कर लिया है और श्री॰ बोस ने अपना निश्चय बाद में बतलाने को कहा है।

—कानपुर ज़िले के किसानों की मालगुज़ारी घटाने के लिए सरकारी और ग़ैर-सरकारी लोगों की ओर से सम्मिलित प्रयत्न हो रहा है। १३ अगस्त को कानपुर तहसील के ज़मींदारों की ओर से एक सभा कानपुर परगना के सब-डिवीज़न ऑफ़िसर की अध्यक्षता में हुई थी और उसमें इसी मन्तव्य के प्रस्ताव पास हुए।

पुलीस ने गोली चला दी

—बङ्गाल के कोलाबा ज़िले में अमवेली नामक गाँव में सरकारी एक्साइज़ इन्सपेक्टर शराब बनाने के सम्बन्ध में तलाशी ले रहा था। गाँव वालों ने इन्सपेक्टर पर हमला किया। आत्म-रक्षा में सरकारी आदमियों ने गोली चलाई जिसमें एक ग्रामीण मर गया और एक सरकारी आदमी ज़ख़्मी हुआ।

—लाहौर के साप्ताहिक 'किसान-मज़दूर' पत्र के सम्पादक श्री॰ सरदार एम॰ रतनसिंह १२४ धारा के अनुसार राजविद्रोहात्मक लेख के अभियोग में पकड़ लिए गए।

—लाहौर का समाचार है कि केन्द्रीय सिक्ख लीग ने नए राष्ट्रीय झण्डे का हृदय से स्वागत किया है और लीग के मन्त्री ने ३१ अगस्त को झण्डा फहराने के लिए सिक्खों को आमन्त्रित किया है।

—पेशावर में ग़ैर क़ानूनी मजलिस को उत्साहित करने के अपराध में स्थानीय सरकार द्वारा तीन लाल कुर्ते वाले पकड़े गए हैं और ख़ान अब्दुलग़फ़्फ़ार ख़ाँ पर २२५ और १४३ धारा के अनुसार मामला चलाया गया है।

—पूर्वीय और पश्चिमीय खानदेश की कॉङ्ग्रेस कमिटी ने महात्मा गाँधी की उनके जन्म दिन—२ अक्टूबर १९३१ को—सवा करोड़ गज़ हाथ से कता हुआ सूत भेंट करना निश्चित किया है और जनता तथा विद्यार्थियों को १५ सितम्बर तक इस महान कार्य में सहायता करने को आमन्त्रित किया है।

हिंसात्मक क्रान्ति की लहर

कानपुर में बम के खोल पकड़े गए

एक मोटर में ४ आदमी गिरफ़्तार

—कानपुर में गत १५ अगस्त को ८ बजे रात के समय असिस्टेण्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलीस ने एक मोटर आती रोक कर उसमें बैठे हुए चार आदमियों को गिरफ़्तार किया। इन ४ व्यक्तियों में श्री॰ मुनीश्वरप्रसाद अवस्थी, लखनऊ के गोपीकृष्ण अरोड़ा, कन्नौज स्कूल का एक विद्यार्थी राजकुमार (उर्फ़ छोटेलाल) और लखनऊ के आयूब अहमद हैं। मोटर में बम के खोल और उसी तरह की और चीज़ें गिरफ़्तार की गईं। अभी तक उस मामले में पता यह चला है कि मोटर लखनऊ से किराए पर की गई थी और उसमें लखनऊ का नम्बर पड़ा हुआ था। इस घटना का वाइसरॉय के कानपुर में आगमन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

सागर का बम-विस्फोट

सागर के गवर्नमेण्ट स्कूल में हाल में जो बम फटा था, पुलीस ने उस सम्बन्ध में कई मकानों की तलाशियाँ ली हैं। कुछ मकानों से पुस्तिकाएँ और दूसरे काग़ज़ात पुलीस ले गई है। गत ६ अगस्त को शिवरत्न नामक २० वर्षीय युवक, जो गत ६ अगस्त को पकड़ा गया था, उसके लिए ६ दिनों की और मुहलत पुलीस ने ली है। दूसरा विद्यार्थी भगवतीप्रसाद जो पकड़ा गया था, वह कोतवाली ले जाकर छोड़ दिया गया।

—बम्बई प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के मन्त्री श्री॰ आबिदअली, जो विदेशी कपड़े पर पिकेटिङ्ग करते हुए गोलियों से ज़ख़्मी किए गए थे, हालत सुधर गई है। महात्मा गाँधी, पं॰ जवाहरलाल नेहरू आदि सब नेता श्री॰ आबिदअली को देखने जाया करते हैं। देश सेविकाओं का एक जत्था अधिक संख्या में अब उक्त स्थान पर एकत्र होकर ज़ोरों से पिकेटिङ्ग कर रहा है।

—युक्त-प्रान्तीय सरकार ने इलाहाबाद के हाईकोर्ट को लिखा है कि १९२० ईस्वी में जब चीज़ें मँहगी मिलती थीं, तो सरकारी अफ़सरों का वेतन बढ़ा दिया गया था, अब चीज़ें बहुत सस्ती हो गई हैं; और इसके अतिरिक्त बजट में रुपए की विशेष कमी है, इसलिए हाईकोर्ट को सूचना दी जाती है कि वह अफ़सरों और नौकरों की तनख़्वाह कम कर दे।

—युक्त प्रान्तीय कौन्सिल के निश्चय के अनुसार किसानों की मालगुज़ारी की समस्या पर विचार करने के लिए तथा उसकी जाँच करने के लिए सरकार ने एक कमिटी बनाई है, जिसमें कॉङ्ग्रेस के प्रतिनिधित्व के लिए पं॰ गोविन्दवल्लभ पन्त को भी कमिटी का एक मेम्बर चुना। पन्त जी ने सरकार और कमिटी को धन्यवाद देते हुए कॉङ्ग्रेस की आज्ञा बिना कमिटी में न जाने की असमर्थता प्रकट की है।

—'लिबर्टी' का कहना है कि श्री॰ सुशीलकुमार घोष नामक युवक बहुत दिनों से कलकत्ते में नज़रबन्द थे। पिछले कुछ महीनों से उनके पेट में दर्द रहा करता है। मेडिकल कॉलेज के डॉ॰ रायचौधरी ने इसके लिए उनके पेट पर गर्म पानी का थैला रक्खा जाय, यह राय दी थी, परन्तु जेल के डॉक्टर ने यह नहीं करने दिया। अब श्री॰ घोष कलकत्ते से बक्सर जेल भेज दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त श्री॰ घोस की आश्रिता विधवा बहिन बहुत अर्से से अपने निर्वाह के लिए सरकार से सहायता माँग रही हैं, परन्तु पता नहीं कि सरकार ने उनकी प्रार्थना क्यों अस्वीकार कर दी।

दिल्ली में पिस्तौल पाई गई

दो गढ़वाली युवक गिरफ़्तार

दिल्ली का १५ अगस्त का समाचार है कि हौज़ क़ाज़ी के पास एक मकान में लालसिंह और चन्द्रसिंह नामक दो गढ़वाली युवकों को एक पिस्तौल सहित गिरफ़्तार किया है। ये लोग हाल ही में दिल्ली गए थे। पुलीस को मालूम हुआ कि उन लोगों के पास हथियार है, इस पर पुलीस उनके मकान पर पहुँची और कमरे में चटाई के नीचे छिपी हुई पिस्तौल पाई।

कानपुर में षड्यन्त्र का भय

बहुत सी गिरफ़्तारियाँ और तलाशियाँ

कानपुर में गत १३ अगस्त को ३ बजे तड़के से ही पुलीस ने कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मकानों की तलाशियाँ लीं और ७ आदमियों को गिरफ़्तार किया। पं॰ बालकृष्ण शर्मा, श्री॰ श्यामकिशोर कपूर, डॉ॰ श्रीनिवास गुप्त, श्री॰ कैलाशनाथ, पं॰ सद्गुरुदयाल अवस्थी, डॉ॰ प्रेमनारायण, पं॰ वीरनन्दन पाँडे, पं॰ श्रीनारायण तिवारी, श्रीमती शिवनारायण तिवारी, श्रीमती मासीभान, स्टील लेदर वर्क्स (चमड़े का कारख़ाना) आदि के मकानों की तलाशियाँ हुईं। कहीं कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली। इसके बाद काशीराम, ए॰ सी॰ दत्त, रमेशचन्द्र मेहता, बी॰ सी॰ बैनर्जी, हरनामसिंह, रामभरोसे और दुलारे महाराज गिरफ़्तार किए गए। एक ख़ाली कारतूस, १ लेड, २ या तीन करौलियाँ और एक बँगला पुस्तक दुलारे महाराज के मकान में पाई गईं।

मुरली नामक एक नाई भी घर में तलाशी के बाद गिरफ़्तार किया था, परन्तु वह बाद में छोड़ दिया गया। ख़बर है कि अभी और गिरफ़्तारियाँ और तलाशियाँ होंगी। इन घटनाओं से कानपुर में बड़ी सनसनी फैल गई है।

गिरफ़्तार किए गए लोगों में काशीराम के बारे में कहा जाता है कि वह दिल्ली षड्यन्त्र के मामले के फ़रार हैं और दुलारे महाराज भगवतीचरण के पिता हैं।

—पटना में बम फटने के सम्बन्ध में स्थानीय पुलीस ने तीन और घरों की तलाशी ली और श्री॰ श्याम कृष्ण, श्री॰ सरदार करनसिंह और स्थानीय कॉङ्ग्रेस के कार्यकर्ता श्री॰ सरदार सत्तूसिंह पञ्जाबी को गिरफ़्तार किया है। श्री॰ करनसिंह के घर में कुछ सन्देहात्मक काग़ज़ भी पाए गए। ज़िला मैजिस्ट्रेट ने दूसरे बम केस के अभियुक्त श्री॰ दामोदरप्रसाद, श्री॰ रामचन्द्र और श्री॰ राघो की ज़मानत मंज़ूर कर ली है।

—अमृतसर का समाचार है कि सरहली थाना के अन्तर्गत थारियाँ गाँव से एक कथित फ़रार अभियुक्त श्री॰ सन्तोषसिंह पुलीस द्वारा पकड़ लिए गए। पुलिस ने उसे ज्योंही पिस्तौल से मार कर पकड़ने की कोशिश की कि अभियुक्त ने कृपाण से पुलीस के हाथ में चोट पहुँचाई। अभियुक्त अस्पताल में है।

रिवॉल्वर और पिस्तौलें पकड़ी गईं

छपरा रेलवे स्टेशन पर गत १२ अगस्त को २ युवक गिरफ़्तार किए गए। पुलीस उनके पीछे पहिले ही से लगी हुई थी। तलाशी लेने पर उनके पास एक रिवॉल्वर, १ पिस्तौल, क्लोरोफ़ार्म की १ शीशी, कुछ बारूद और काग़ज़ात मिले। युवकों में एक २० साल का है और वीरेन्द्रसिंह अपना नाम बताता है। दोनों में से किसी ने ठीक-ठीक किसी बात का उत्तर नहीं दिया।

गोलमेज़ियों का पहला जत्था गया

भारत से गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स में जाने वालों का पहला जत्था गत १९ अगस्त को बम्बई से 'मुल्तान' नामक जहाज़ द्वारा रवाना हो गया। इस जत्थे में महाराज बीकानेर, सर तेजबहादुर सप्रू, मि० जयकर, सर मुहम्मद शफ़ी, डॉ० मुञ्जे, मौ० शौकतअली, महाराज रीवाँ, कर्नल हक्सर, सर मनु भाई मेहता, सर मिर्ज़ा इस्माइल, दीवान-बहादुर रामस्वामी मुदालियर, सर ए० पी० पेटरो, मि० ए० रङ्गस्वामी आयङ्गर, मि० एन० एम० जोशी, मि० बी० शिवराव, सर मैकेन्ज़ी, दादा भाई, श्रीमती सुब्बा-रायन, बेगम शाहनवाज़, साँगली के चीफ़, डॉ० अम्बेदकर, डॉ० शफ़ात अहमद ख़ाँ, मि० टी० एफ़ गैविन जोन्स, मि० ई० सी० बेन्थाल, सर अकबर हैदरी और रायबहादुर बी० टी० कृष्णमचारी।

इन जाने वालों में से अधिकांश ने कॉङ्ग्रेस के गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स का बॉयकॉट करने के फ़ैसले पर खेद प्रकट किया, किन्तु साथ ही यह आशा भी प्रकट की कि अब भी स्थिति सुधरने का समय है और महात्मा गाँधी दूसरे जहाज़ से लन्दन जा सकते हैं।

सर तेजबहादुर सप्रू ने कहा कि यह बड़े दुख की बात है कि जिस कॉन्फ़्रेन्स में ३० करोड़ से अधिक आदमियों के भाग्य का फ़ैसला हो रहा है, वहाँ महात्मा गाँधी नहीं जा रहे हैं। सर तेज बहादुर ने महात्मा जी और सरकार दोनों से अपील की है कि अब भी स्थिति सुधर जाय; क्योंकि इङ्गलैण्ड और भारत दोनों इस वक़्त यह बात की उम्मीद में हैं कि महात्मा जी और मालवीय जी दोनों गोलमेज़ में उपस्थित हों।

❀ ❀ ❀

दो आने के पीछे भीषण हिन्दू-मुस्लिम दङ्गा

५ मरे और ४०० दूकानें ख़ाक कर दी गईं

डेराइस्माइल ख़ाँ (सीमा प्रान्त) में गत १२ अगस्त को दो आने के पीछे भीषण हिन्दू-मुस्लिम दङ्गा हो गया। मुहम्मद नवाज़ ख़ाँ नामक एक मुसलमान श्यामदास हिन्दू नामक दूकानदार से दो आने के धागे और सुई ले गया। बाद में वह धागे को पुराने बता कर उसे बदलने के लिए आया। दूकानदार ने उसे बदलने से इन्कार किया। इसी पर बात बढ़ते-बढ़ते हाथा-पाई हो गई। दूकानदार की मदद को अन्य हिन्दू दूकानदार उतर आए और मुसलमान ख़रीदार की सहायता को मुसलमान भी एकत्र हो गए। फिर क्या था, मार-पीट हो गई और थोड़ी ही देर में उसने भयङ्कर दङ्गे का रूप धारण कर लिया। मुसलमानों ने बहुत ज़ुल्म किया। हिन्दुओं को पीटना और लूटना शुरू किया। पुलीस और फ़ौज ने पहुँच कर झगड़े को बन्द किया। दूसरे दिन प्रातःकाल फिर उपद्रव शुरू हुए, किन्तु फ़ौरन ही पुलीस वालों के पहुँचने से बढ़ने नहीं पाए। झगड़े में सब मिला कर प्रायः ३०० हिन्दू दूकानें और १०० मकान हिन्दुओं के जला डाले गए हैं। कुछ स्थानों की आग कई दिनों बाद बुझी। हिन्दू दूकानें और मकान लूटे भी बहुत गए। दङ्गे में कहा जाता है ५ आदमी मरे हैं, जिनमें ४ हिन्दू हैं और १ मुसलमान। १७ आदमी ज़ख़्मी भी हुए हैं, जिनमें ११ मुसलमान हैं और ६ हिन्दू।

बाद की ख़बर है कि दङ्गे के सम्बन्ध में पहली गिरफ़्तारियों के बाद १० या १२ मुसलमान और गिरफ़्तार किए गए हैं।

❀ ❀ ❀

मालिक बनाम 'कीपर'

प्रेस-एक्ट वाले विचित्र मुक़दमे की पेशी!

सम्मन की भूल स्वीकार करते हुए भी मामला मुल्तवी नहीं किया गया?

१७वीं अगस्त को 'भविष्य' तथा 'चाँद' के अध्यक्ष श्री० सहगल जी का वह मुक़दमा शाम को तीन बजे ख़ाँ साहब मौलवी रहमानबख़्श क़ादरी (मैजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल) के इजलास में पेश हुआ, जिसमें श्री० सहगल जी पर स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इस आशय का एक सर्वथा विचित्र मामला चला दिया है कि फ़ाइन आर्ट प्रिण्टिङ्ग कॉटेज ('भविष्य' तथा 'चाँद' का प्रेस) बिना डिक्लेरेशन दाख़िल किए ही चलाया जा रहा है। पाठकों ने 'भविष्य' के गताङ्क में इस सम्बन्ध में विस्तृत समाचार पढ़ा होगा, कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के विचारानुसार प्रेस का स्वामी (प्रोप्राईटर) ही प्रेस का 'कीपर' हो सकता है, दूसरा नहीं; अतएव यह मामला केवल सहगल जी तक ही सीमित नहीं है; बल्कि इस मामले के निर्णय का प्रभाव समस्त प्रेस-मालिकों पर पड़ेगा, इसलिए समस्त भारतीय प्रेसों में सनसनी फैल गई है; पर चूँकि मामला अभी विचाराधीन है; इसलिए इस पर कोई भी पत्र निष्पक्ष रूप से टिप्पणी करने में असमर्थ है। अस्तु—

मामला पेश होते ही सहगल जी ने अदालत को इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र दिया; कि चूँकि मेरे पास जो सम्मन भेजा गया है, उस पर 'प्रेस एक्ट' की १२वीं धारा के अनुसार अभियोग लगाया गया है; और चूँकि 'प्रेस एक्ट' एक ज़माना गुज़रा जब रद्द हो चुका है; इसलिए यह सम्मन कोर्ट को वापस ले लेना चाहिए। सहगल जी ने अदालत से यह भी कहा कि चूँकि अभी मुझे अभियोग का ठीक-ठीक पता नहीं चल सका, इसलिए मैं अभी तक क़ानूनी सलाह भी नहीं ले सका हूँ। इसलिए इस मामले की पेशी कम से कम १० दिन बाद निश्चित होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में श्री० सहगल जी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक विशेष फ़ैसले की नक़ल, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के २ जजों का निर्णय सहगल जी के सर्वथा पक्ष में था (A. L. J. XXVI), पेश किया। अदालत ने उस फ़ैसले को अक्षरशः स्वीकार करते हुए भी यह निर्णय किया कि यदि श्री० सहगल जी सम्मन लेने से इन्कार कर देते अथवा उसके अनुसार अदालत में न आए होते, तो उनके विरुद्ध क़ानूनन वारण्ट नहीं कट सकता था, पर चूँकि वे अदालत के सामने हाज़िर हो गए हैं, इसलिए कार्रवाई मुल्तवी नहीं की जा सकती। सहगल जी ने यह भी कहा कि बिना वकीलों की सलाह लिए हुए वे कोर्ट के प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकेंगे?

कोर्ट—आप चूँकि यहाँ आ गए हैं, इसलिए मामला मुल्तवी नहीं हो सकता। सम्मन की भूल एक साधारण सी भूल है।

सहगल—पर बिना क़ानूनी सलाह लिए हुए मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ही क्या दे सकूँगा; जब कि मुझे अपने पर लगाए गए इल्ज़ाम तक का पता नहीं है।

कोर्ट—इल्ज़ाम मैं आपको अभी बतलाए देता हूँ और प्रश्न कोई ऐसा न होगा, जिसका उत्तर आप न जानते हों।

सहगल—मैं देखता हूँ, मैंने कोर्ट में आकर काफ़ी से अधिक भलमनसाहत का परिचय दिया है (It is a little too good of me to have attended the Court) इस पर अदालत में हँसी हुई।

जब मैजिस्ट्रेट साहब ने केस मुल्तवी करने से इन्कार कर दिया और कार्रवाही शुरू कर दी, तब सहगल जी ने अदालत से कहा कि मैं इस मामले में आपको (ख़ाँ साहब को) भी अपने गवाह की हैसियत से पेश करना चाहता हूँ; इसलिए मुझे भय है, आप इस मामले की कार्रवाई नहीं कर सकते।

कोर्ट—पर मेरे सामने अभी तक कोई ऐसा हुक्म ऊपरी अदालत से नहीं आया है।

इस पर सहगल जी ने कोर्ट को काग़ज़, क़लम और टिकट दिखा कर कहा कि मैं अभी-अभी दरख़्वास्त पेश करने जा रहा हूँ; पर इस प्रार्थना की भी अवहेलना करते हुए मैजिस्ट्रेट साहब ने फ़र्माया कि दरख़्वास्त पेश करने पर भी आप "मेरे मुँह में ताला नहीं लगा सकते" कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

प्रश्न—Did you ever keep the Press without filing a Declaration under Section 4 of the Press and Registration of Books Act?

अर्थात्—क्या कभी आपने 'प्रेस एण्ड रिजिस्ट्रेशन ऑफ़ बुक्स' एक्ट की दफ़ा ४ के अनुसार बिना डिक्लेरेशन दाख़िल किए हुए प्रेस अपने क़ब्ज़े में रक्खा?

उ०—मैंने बिना डिक्लेरेशन दाख़िल किए हुए प्रेस अपने क़ब्ज़े में कभी नहीं रक्खा। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 'क़ब्ज़े में' (Kept) से मेरा अभिप्राय प्रेस के स्वामी की हैसियत से 'क़ब्ज़े में रखने' से है। मेरा स्पष्ट मतलब यह है कि मैं प्रेस का स्वामी हूँ और जिस प्रेस का मैं स्वामी हूँ, वह प्रेस जानकारी में बिना डिक्लेरेशन दिए कभी नहीं चलाया गया है।

इस पर कोर्ट की ओर से कहा गया है कि आप पर यह जुर्म लगाया गया है कि आपने उपरोक्त प्रेस को अपने क़ब्ज़े में बिना डिक्लेरेशन दाख़िल किए ही रक्खा। क्या आप अपना यह जुर्म स्वीकार करते हैं?

सहगल जी—नहीं, कदापि नहीं।

इसके बाद अगली पेशी २४ अगस्त को होने का निश्चय किया गया। उस रोज़ सरकारी गवाह पेश होंगे। कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी गवाह की हैसियत से आवेगा। अभी तक सरकारी गवाहों की सूची पेश नहीं हुई है। गवर्नमेण्ट की ओर से श्री० शिवनाथसिंह, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मामले की पैरवी कर रहे हैं और सहगल जी स्वयं यह मामला लड़ रहे हैं।

मुक़दमा समाप्त होने पर मैजिस्ट्रेट की आज्ञा से श्री० सहगल जी से २४वीं अगस्त को हाज़िर होने के लिए २००) रु० का मुचलका दस्तख़त कराया गया है।

* * *

पञ्जाब-गवर्नर गोलीकाण्ड का मुक़दमा

जज कुर्सी पर बैठे-बैठे बेहोश हो गए

पञ्जाब-गवर्नर-गोलीकाण्ड के मुक़दमे की सुनवाई हो रही है। १७ अगस्त को अदालत में एक विचित्र घटना हो गई। सेशन्स जज मि० गार्डन वाकर मुक़दमा सुनते-सुनते कुर्सी पर से गिर पड़े और बेहोश हो गए। १९ मिनट तक डॉक्टरी उपचार के बाद मि० वाकर बेहोशी की हालत में अपने बँगले पर पहुँचाए गए। बँगले पर जाकर उनको होश आया। डॉक्टर की राय है कि यह बेहोशी मानसिक चिन्ता के कारण हुई है। डॉक्टर ने उनको यह भी सलाह दी कि दूसरे दिन वह मुक़दमे की कार्यवाही स्थगित रक्खें।

क्या महात्मा जी के लन्दन जाने की कोई आशा नहीं ?

'मैंने गोलमेज़ में जाने का शक्ति-भर प्रयत्न किया, पर फिर भी नहीं जा सका, इसमें भी भारत का हित है।

"जब भारत में छोटे मामलों में भी न्याय नहीं होता, तो लन्दन में बड़े मसलों पर कैसे न्याय होगा ?"

—महात्मा गाँधी

"मैं नहीं समझता कि सरकार महात्मा जी के लन्दन जाने के मार्ग की बाधा दूर करेगी।"

—जवाहरलाल नेहरू

कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी ने और महात्मा जी ने भारत-सरकार और प्रान्तीय सरकारों के रुख़ को देखने के बाद यह निश्चय कर लिया है कि महात्मा जी गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में सम्मिलित होने के लिए लन्दन नहीं जायँगे। महात्मा जी ने अपना यह निश्चय वायसरॉय के पास भेज दिया है, साथ ही अपनी शर्तें भी भेज दी हैं, जिनके स्वीकृत होने पर महात्मा जी अभी भी लन्दन जा सकते हैं। वायसरॉय की कार्यकारिणी समिति महात्मा जी की शर्तों पर बड़ी सरगरमी से विचार कर रही है। यदि वायसरॉय ने शर्तों को मञ्ज़ूर कर लिया, तब तो महात्मा जी कोई विपरीत निश्चय कर सकते हैं, नहीं तो अभी महात्मा जी के लन्दन जाने की कोई आशा नहीं दिखाई देती।

घटनाओं का विस्तृत विवरण

'भविष्य' के गताङ्क में यह बतलाया गया था कि बम्बई के स्थानापन्न गवर्नर का उत्तर आ जाने पर कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी की सलाह से यह निश्चय किया गया था कि ऐसी स्थिति में महात्मा जी का गोलमेज़ में सम्मिलित होने के लिए लन्दन जाना व्यर्थ है और अपने इस निश्चय की सूचना महात्मा जी ने वायसरॉय के पास भेज दी है और वायसरॉय के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। वायसरॉय के पास से उत्तर आने पर कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी अपना अन्य निश्चय इस सम्बन्ध में करेगी। उसके बाद इस सप्ताह में वायसरॉय का उत्तर महात्मा जी को मिला और परिस्थिति में प्रभावशाली परिवर्तन हुए। वायसरॉय ने महात्मा जी को तार द्वारा जवाब दिया कि वह बम्बई के स्थानापन्न गवर्नर की ही बातों को ठीक समझते हैं।

बम्बई के गवर्नर और महात्मा जी के बीच झगड़े की जड़ यह है कि महात्मा जी के आदेश पर गुजरात के किसानों द्वारा १६ लाख रुपए मालगुज़ारी जमा कर देने पर भी सरकार की ओर से और अधिक लगान वसूल करने के लिए किसानों पर बहुत ज़ुल्म हो रहे हैं। गुजरात की भाँति युक्त-प्रान्त तथा अन्य सूबों में इसी प्रकार किसान मालगुज़ारी अदा करने के लिए अमानुषिक रूप से सताए जा रहे हैं। किसानों का इस प्रकार सताया जाना देख कर महात्मा जी ने बम्बई के स्थानापन्न गवर्नर सर अर्नेस्ट हॉटसन और युक्त-प्रान्त के गवर्नर सर मेलकम हेली से स्वयं मुलाक़ात की और किसानों पर होने वाले अत्याचारों को बन्द कराने के लिए कहा, परन्तु गवर्नरों के दरबारों में महात्मा जी की कोई सुनवाई न हुई। इस पर महात्मा जी ने बम्बई के स्थानापन्न गवर्नर से कहा कि दिल्ली के समझौते में यह तय हुआ था कि किसान अपनी शक्ति भर जो कुछ लगान अदा कर सकेंगे, कर देंगे, किन्तु उनके ऊपर कोई ज़ोर-ज़ुल्म नहीं किया जायगा। इसी समझौते के अनुसार मैंने तथा अन्य कॉङ्ग्रेस वालों ने किसानों से मालगुज़ारी वसूल कराने में सरकार की मदद की। परन्तु कॉङ्ग्रेस वालों की सहायता से यथाशक्ति किसानों के लगान अदा करने पर भी ज़्यादा से ज़्यादा लगान उनसे वसूल करने के लिए सरकार उन पर जो भीषण अत्याचार कर रही है, यह दिल्ली के समझौते का भङ्ग करना है। ऐसी दशा में जो रुपए अनुचित ढङ्ग से सरकार वसूल कर चुकी है, वह किसानों को लौटा दे और यह निर्णय करने के लिए कि समझौते का भङ्ग किसकी ओर से हुआ है और सरकार की ओर से जो अत्याचार हुए हैं वे कहाँ तक ठीक हैं, एक निष्पक्ष कमिटी नियुक्त की जाय। परन्तु बम्बई-गवर्नर ने महात्मा जी की इतनी सीधी और सरल माँग को भी स्वीकार नहीं किया और गवर्नर के इस निश्चय पर वायसरॉय लॉर्ड विलिङ्गडन ने भी अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी। यही इस झगड़े का संक्षिप्त और मोटा इतिहास है।

वायसरॉय का जवाब पाकर महात्मा जी ने उसे वर्किङ्ग कमिटी के सामने पेश किया। वर्किङ्ग कमिटी में सरदार पटेल, पं० जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्री० सेन गुप्त, डॉ० पट्टाभि सीतारामैया आदि सदस्यों के अतिरिक्त मालवीय जी आदि भी उपस्थित थे। वर्किङ्ग कमिटी ने यह निश्चय किया कि महात्मा जी में तथा भारत और प्रान्तीय सरकारों में जो पत्र-व्यवहार हुए हैं, उनको देखते हुए वर्किङ्ग कमिटी की राय में प्रान्तीय सरकारों द्वारा बहुत से मामलों में बार-बार समझौते का भङ्ग किया गया है और जबकि वर्किङ्ग कमिटी की स्वीकृति से महात्मा जी की यह माँग भी नहीं मञ्ज़ूर की गई है कि समझौते की शर्तों के तोड़े जाने की जाँच करने के लिए एक निष्पक्ष जाँच-कमिटी बैठाई जाय, इसलिए वर्किङ्ग कमिटी यह निश्चय करती है कि समझौते की शर्तों के अनुसार और राष्ट्रीय हित की दृष्टि से कॉङ्ग्रेस को अपना प्रतिनिधि गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में नहीं भेजना चाहिए। वर्किङ्ग कमिटी का यह निश्चय वायसरॉय के पास भेज दिया गया।

वायसरॉय की कौन्सिल की बैठक

कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी के इस निश्चय से अधिकारी-वर्ग में सनसनी फैल गई और वर्किङ्ग कमिटी के इस निश्चय पर विचार करने के लिए १४ अगस्त को शिमले में वायसरॉय की कार्यकारिणी समिति बैठी और उसमें वायसरॉय ने समिति के सदस्यों से परामर्श किया। इसी बैठक में सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर का तार पहुँचा, जिसमें लिखा था कि "अभी भी कॉङ्ग्रेस को गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में सम्मिलित करने की आशा है।" साथ ही तार में वे उपाय भी बतलाए गए थे, जिनके पूरे होने पर महात्मा जी को गोलमेज़ में सम्मिलित होने पर राज़ी किया जा सकता था। वायसरॉय की समिति की बैठक बहुत गुप्त रही, इसलिए यह मालूम न हो सका कि क्या निश्चय हुआ।

शान्ति-विधायकों का प्रयत्न

महात्मा जी और अधिकारियों में यह विग्रह होते देख प्रसिद्ध शान्ति-विधायक सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर दोनों पक्षों को राज़ी करने के लिए दौड़ पड़े। ये दोनों सज्जन बम्बई में महात्मा जी से मिले और एक घण्टे तक बातें करने के बाद वायसरॉय के पास एक लम्बा तार भेजा। तार की बातों को बहुत ही गुप्त रक्खा गया। महात्मा जी जयकर-सप्रू से बातें करने के बाद इस बात पर राज़ी हो गए कि अभी तक वह जो समझौते के भङ्ग पर विचार करने के लिए एक निष्पक्ष जाँच कमिटी नियुक्त कराना चाहते थे, उसके बजाय कोई भी निष्पक्ष सरकारी नौकर, जैसे कि किसी हाईकोर्ट का जज, जिस पर जनता का विश्वास हो, जाँच के लिए नियुक्त कर दिया जाय। इस बात के लिए महात्मा जी को राज़ी कर सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर ने इसकी सूचना तार द्वारा वायसरॉय के पास भेज दी और यह कह दिया कि यदि यह स्वीकार कर लिया जाय, तो महात्मा जी राज़ी हो सकते हैं।

वायसरॉय अपनी कौन्सिल की बैठक आरम्भ कर दौरे पर चले गए। कौन्सिल की बैठकें शिमले में बराबर हो रही हैं और उनमें इस समस्या पर विचार हो रहा है।

क्या सत्याग्रह शुरू होगा ?

वर्किङ्ग कमिटी के निश्चय के बाद समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों के प्रश्न करने पर महात्मा जी ने कहा कि मुझे इस बात से बहुत धक्का लगा है कि मैं लन्दन नहीं जा रहा हूँ। परन्तु ऐसा करना अनिवार्य हो गया। मेरी बहुत साधारण और छोटी सी यह माँग स्वीकार नहीं की गई कि मामला एक निष्पक्ष पञ्चायत के सुपुर्द कर दिया जाय। ऐसी स्थिति में कॉङ्ग्रेस का अपना प्रतिनिधि गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में भेजना बहुत अनुचित था।

पत्र-प्रतिनिधियों के यह पूछने पर कि आपका भावी कार्यक्रम क्या होगा, महात्मा जी ने कहा कि अभी मैं यह बतलाने में असमर्थ हूँ। यह बहुत-कुछ सरकार की कार्यवाही पर निर्भर है। जिस पहलू पर वह चलेगी, उसीके अनुसार कॉङ्ग्रेस को भी चलना पड़ेगा। यह पूछने पर कि क्या सत्याग्रह आन्दोलन शुरू होगा, महात्मा जी ने कहा कि—जहाँ तक मैं समझता हूँ कि फ़ौरन ही सत्याग्रह शुरू करने का इरादा नहीं है। कॉङ्ग्रेस जल्दी में कोई गम्भीर कार्यवाही नहीं करना चाहती। कॉङ्ग्रेस की ओर से इस बात का शक्ति-भर प्रयत्न होगा कि समझौते का सम्मान के साथ पालन किया जाय, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि सरकार स्थिति को बिल्कुल असह्य बना सकती है और उस दशा में निस्सन्देह कॉङ्ग्रेस को आत्म-रक्षा के उपाय करने पड़ेंगे।

महात्मा जी १४ अगस्त को अहमदाबाद के लिए बम्बई से रवाना हुए। रवाना होने से पहिले पत्र-प्रतिनिधियों ने महात्मा जी से प्रश्न किया कि अगर गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में आपकी ख़ास-ख़ास माँगें स्वीकृत न हुईं तो आप क्या दिल्ली के समझौते को नष्ट समझेंगे और आन्दोलन शुरू कर देंगे ? महात्मा जी ने

कहा कि अगर कॉङ्ग्रेस की माँगें स्वीकृत न हुईं, तो सत्याग्रह शुरू होना तो निश्चित है।

महात्मा जी १५ अगस्त को प्रातःकाल अहमदाबाद पहुँच गए। वहाँ पहुँचने पर आपने एसोसिएटेड प्रेस के प्रतिनिधि के प्रश्न करने पर कहा कि अहमदाबाद में मैं कॉङ्ग्रेस वर्किङ्ग-कमिटी की दूसरी बैठक होने तक रहूँगा। महात्मा जी के सेक्रेटरी श्री० महादेव देसाई ने तो यहाँ तक कहा कि महात्मा जी तब तक अहमदाबाद में रहेंगे, जब तक सरकार उन्हें गिरफ़्तार नहीं करती। यह प्रश्न करने पर कि बम्बई में जयकर-सप्रू से बातें करने के बाद परिस्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है, महात्मा जी ने कहा कि—"मैं नहीं समझता कि उनकी बातों से कोई अन्तर हुआ हो।"

न्याय की कोई आशा नहीं

महात्मा जी ने गोलमेज़ में जाने के सम्बन्ध में अपने पत्र 'नवजीवन' में एक लेख प्रकाशित किया है—"सब लोगों को यह विश्वास था कि मैं १५ अगस्त को लन्दन जाऊँगा। यहाँ और इङ्गलैण्ड में तथा दुनिया के और हिस्सों के लोग इसके लिए उत्सुक थे कि मैं लन्दन जाऊँ, परन्तु ईश्वर की जो इच्छा थी, वही हुआ। मुझे वायसरॉय के जवाब में ईश्वर का हाथ दिखाई देता है। मैं इतना ही पूरे निश्चय के साथ कह सकता हूँ कि मनुष्य जितना कुछ कर सकता है, मैंने मनसा, वाचा और कर्मणा सब प्रकार से प्रयत्न किया कि मैं गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स में सम्मिलित होऊँ। इस पर भी यदि मैं लन्दन नहीं जा सका, तो मुझे पूरा यक़ीन है कि इसमें भी भारत का हित ही है।



महात्मा गाँधी

"मैं ब्रिटिश राजनीतिज्ञों और भारतीय ऊँचे सिविलियनों को एक-सा ही समझता हूँ, और अगर यहाँ छोटे-छोटे मामलों में न्याय प्राप्त करने के लिए हमें अपनी समस्त शक्तियों को ख़र्च करना पड़ा है और फिर भी बाज़ वक़्त न्याय नहीं प्राप्त हुआ, तो इङ्गलैण्ड में बड़े-बड़े मामलों में न्याय प्राप्त करना असम्भव है। जो अनुभव यहाँ प्राप्त हुए हैं, वे पुकार-पुकार कर यह बतला रहे हैं कि इङ्गलैण्ड में क्या होगा। यदि यह दृष्टिकोण ठीक है, तो मेरे लिए कॉङ्ग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से लन्दन न जाना ही उचित है। परन्तु इससे जनता की ज़िम्मेदारी और बढ़ गई है, अब लोगों को और अधिक कार्य करना है।"

१५ अगस्त को अहमदाबाद की एक सभा में महात्मा जी ने वक्तृता देते हुए कहा है—"अब क्या होने जा रहा है, यह कुछ ही दिनों में मालूम हो जायगा। हमारा विश्वास है कि समझौता अभी क़ायम है। यदि सरकार यह घोषित करती है कि समझौता टूट गया, तो हम उसके लिए तैयार हैं। और अगर सरकार कहती है कि समझौता जारी है, तो हमें और सरकार दोनों को उसे पूरा करना है।"

अभी १८ अगस्त को भी महात्मा जी ने एक पत्र-प्रतिनिधि के सामने कुछ विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने कहा कि कॉङ्ग्रेस के ऊपर यह इलज़ाम लगाया गया है कि कॉङ्ग्रेस लड़ाई के लिए तैयारी कर रही है, विभिन्न कॉङ्ग्रेस कमिटियों को हिदायतें दे दी गई हैं कि वे सरकार के हुक्मों को न मानें, कैरा और सूरत ज़िले के किसानों से कहला दिया है कि जितना लगान वे दे सकते हों, उतना ही दें, उससे अधिक न दें; इलाहाबाद के कॉङ्ग्रेस सेक्रेटरी से कहा गया है कि वह युक्त-प्रान्त के किसानों को हिदायत दे दें कि सरकार और ज़मींदार की ओर से जो उपाय किए जायँ, सब में बाधा पहुँचावें। इस सम्बन्ध में महात्मा जी ने कहा है कि यह सब सफ़ेद झूठ है। इस तरह की हिदायतें किसी को भी नहीं दी गईं। यही नहीं, बल्कि समस्त देश-भर में यह हिदायतें भेजी गई हैं कि दिल्ली के समझौते को पूरे तौर से पालन किया जाय।

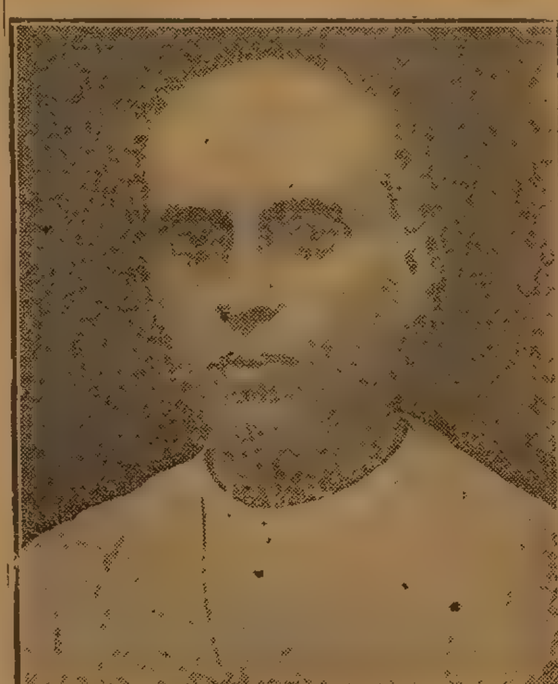
पं० जवाहरलाल नेहरू के विचार

पण्डित जवाहरलाल नेहरू बम्बई से लौट कर प्रयाग आ गए। आपने कॉङ्ग्रेस और सरकार के प्रतिनिधि से कहा है कि—मेरा ख़्याल है कि सरकार ऐसा प्रयत्न नहीं करेगी कि महात्मा जी लन्दन जा सकें। यह प्रश्न करने पर कि सरकार ने कैसे समझौते को तोड़ा, पं० जवाहरलाल जी ने कहा कि सरकार और महात्मा जी के बीच के जो पत्र-व्यवहार प्रकाशित हुए हैं,वे अधूरे हैं। ख़ास कर युक्त-प्रान्त के सम्बन्ध में केवल दो ही तार प्रकाशित हुए हैं और उनसे पूरी बातें मालूम भी नहीं होतीं। हम लोगों का विश्वास है कि युक्त-प्रान्त में सरकार ने समझौते की बहुत सी शर्तों को तोड़ा है। बम्बई में सबसे प्रमुख जो प्रश्न था, वह बारदोली का था। उसमें महात्मा जी को दिया हुआ वचन प्रत्यक्ष रूप से तोड़ा गया है। प्रश्न केवल बारदोली ही का न था, वरन् एक सिद्धान्त का था, जिससे सरकार के अन्दर की मनोवृत्ति साफ़ मालूम होती थी। मैं कह नहीं सकता कि निकट भविष्य में क्या होगा। कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी ने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। आगे क्या होगा, यह सरकार पर ही निर्भर है। अगर वह कॉङ्ग्रेस की बात मानने को तैयार है और हमारे मार्ग के रोड़ों को दूर करती है, तब तो निस्सन्देह वर्किङ्ग कमिटी अपने निश्चय पर पुनर्विचार करेगी और नहीं तो जब तक मार्ग के रोड़े दूर नहीं होते, इस निश्चय पर पुनर्विचार नहीं हो सकता। महात्मा जी की निष्पक्ष जाँच-कमिटी क़ायम करने की साधारण बात को सरकार ने स्वीकार नहीं किया। यदि सरकार ही एकमात्र निर्णायक है, तो दिल्ली के समझौते की ज़रूरत ही क्या? इस प्रश्न के उत्तर में कि कॉङ्ग्रेस के गोलमेज़ में सम्मिलित होने ही के लिए दिल्ली का समझौता हुआ था, और अब जब कि गोलमेज़ में न जाने का निश्चय हो गया है, तो क्या समझौता अब ख़त्म नहीं समझा जाना चाहिए, पं० जवाहरलाल जी ने कहा कि यदि हम यह कहें कि समझौता ख़त्म हो गया, तो हमें यह कहने का पूरा अधिकार है, किन्तु केवल द्वन्द्व को बचाने के लिए हम समझौते को क़ायम मान रहे हैं, बशर्ते कि दूसरे पक्ष के लोग भी यही विचार रखते हों। यह प्रश्न करने पर कि वर्किङ्ग कमिटी के मत से यह स्पष्ट है कि दूसरे पक्ष ने समझौते को तोड़ा है, पं० जवाहरलाल जी ने कहा कि—हाँ, यह बिल्कुल सच है, किन्तु हम लोग समझौते को एक और मौक़ा देना चाहते हैं। यह हो सकता है कि दूसरे पक्ष वाले अभी भी समझौते को तोड़ने को तैयार न हों और उसे स्थायी रखने के लिए शर्तों के तोड़े जाने के फल-स्वरूप हमारे कुछ कष्टों को कम करें।

अन्त में पं० जवाहरलाल जी ने कहा कि हम चाहते यह हैं कि दूसरे पक्ष वाले ही कहें कि वे समझौते को क़ायम रखना चाहते हैं या नहीं। अगर वे नहीं चाहते, तो यह स्पष्ट है कि हम भी नहीं चाहते। अगर वे क़ायम रखना चाहते हैं, तो हम भी उसे क़ायम रखने के लिए शक्ति भर प्रयत्न करने को तैयार हैं। हम तब तक युद्ध छेड़ना नहीं चाहते, जब तक हमारे पास दूसरे उपाय बचे रहेंगे। जब हमारे पास और कोई साधन नहीं रहेगा, तब हमें आवश्यकता पड़ने पर अपने अमोघ अस्त्र सत्याग्रह का आश्रय लेना ही पड़ेगा।

कॉङ्ग्रेस के निश्चय का समर्थन

कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग-कमिटी ने गोलमेज़ में भाग न लेने का जो निश्चय किया है, उसका देश में बड़े हर्ष के साथ स्वागत किया गया है। प्रायः सभी स्थानों के प्रमुख कॉङ्ग्रेसवादियों ने और कॉङ्ग्रेस-संस्थाओं ने वर्किङ्ग-कमिटी के निश्चय का समर्थन किया है। मध्य-प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी ने अपनी समस्त ज़िला कमिटियों और नेताओं को तार भेज दिया है कि आगे के लिए तैयार रहो। इसके अतिरिक्त दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयाग आदि में सार्वजनिक सभाओं द्वारा कॉङ्ग्रेस के इस निश्चय का स्वागत किया गया है।



भूतपूर्व राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल नेहरू

शिमले की आशा

शिमले का १८ अगस्त का समाचार है कि वायसरॉय की कौन्सिल प्रायः नित्य ही बैठती है और गोलमेज़ सम्बन्धी कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी के निश्चय पर विचार कर रही है। सर जेम्स क्रेरार वायसरॉय के पास कुछ परामर्श करने कलकत्ते गए हैं। वहाँ का वायुमण्डल आशाजनक प्रतीत होता है॥

और लोग भी न जायँगे

वर्किङ्ग कमिटी के इस निश्चय के कारण मालवीय जी और श्रीमती सरोजिनी नायडू ने भी गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स में न जाने का निश्चय कर लिया है। भारतीय व्यवसाय-सङ्घ के निश्चय के अनुसार सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास और सर प्रभाशङ्कर पट्टणी ने भी गोलमेज़ में न जाने का निश्चय कर लिया है।

❀ ❀ ❀

गाँधी-गवर्नमेण्ट पत्र-व्यवहार प्रकाशित हो गया

भारत-सरकार ने महात्मा गाँधी और सरकारी अफ़सरों के बीच अभी हाल में होने वाले पत्र-व्यवहार के समस्त पत्र प्रकाशित कर दिए। सब मिला कर १६ पत्र हैं। ये पत्र महात्मा जी, वायसरॉय, वायसरॉय के प्राइवेट सेक्रेटरी मि० इमर्सन, युक्त-प्रान्त के गवर्नर सर मैलकम हेली, बम्बई के स्थानापन्न गवर्नर सर अर्नेस्ट हॉटसन और सूरत के कलेक्टर के पास आए-गए थे।

समझौते का भङ्ग

महात्मा जी ने गत २४ जुलाई को सूरत के कलेक्टर के पास लिखा कि किसानों के साथ सख़्तियाँ कर जो मालगुज़ारी वसूल की गई है, वह मेरे साथ जो समझौता किया गया था कि किसानों के साथ कोई ज़्यादती नहीं की जायगी, सिवा उन मामलों में, जहाँ कॉङ्ग्रेस का कोई प्रभाव नहीं है, वह उसको तोड़ कर और ग़ैर-क़ानूनी तरीक़े से की गई है। इसी समझौते के कारण मैंने और दूसरे कॉङ्ग्रेस वालों ने मालगुज़ारी वसूल करने में सहायता दी थी। इसलिए, महात्मा जी का कहना है कि खुल्लमखुल्ला विश्वासघात किया गया है और इस प्रकार से वसूल किए हुए रुपए लौटाए जाने चाहिए और कुर्क़ियों की जो नोटिसें निकाली गई हैं, वे वापस की जानी चाहिए। जब तक यह नहीं होता या इसकी जाँच के लिए एक निष्पक्ष पञ्चायत नहीं नियुक्त की जाती, मैं समझता हूँ कि मैं अपने लोगों के हितों की रक्षा करने को स्वतन्त्र हूँ।

वसूली कॉङ्ग्रेस की सलाह पर निर्भर नहीं है

इस पत्र का जवाब बम्बई के गवर्नर ने महात्मा जी को दिया। उन्होंने १० अगस्त को महात्मा जी को लिखा कि कड़ी कारंवाइयाँ कई महीनों की विशेष सहन-शक्ति दिखाने के बाद की गई हैं। कड़ाई करने के बाद फ़ौरन ही मालगुज़ारी की वसूली होने से मालूम होता है कि बहुत से लोग अदा कर सकते थे, मगर उन्होंने अदा किया नहीं था। गवर्नर ने लिखा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सूरत के कलेक्टर की ओर से किसी प्रकार विश्वासघात किया गया है या समझौते को तोड़ा गया है। न तो सरकार ने और न कलेक्टर ही ने कभी इस बात को मञ्ज़ूर किया है कि मालगुज़ारी की वसूली कॉङ्ग्रेस की राय पर निर्भर रहेगी।

महात्मा जी का वायसरॉय को तार

इस पर महात्मा जी ने नीचे लिखा तार वायसरॉय के पास भेजा—"स्पष्ट शब्दों में गवर्नर के पत्र का मतलब यह है कि सरकार और फ़रियादी में जो झगड़ा उठे, उसमें सरकार ही अभियोग लगाने वाली और सरकार ही पञ्च होनी चाहिए। इस स्थिति को कॉङ्ग्रेस के लिए स्वीकार करना असम्भव है।" तार में महात्मा जी ने युक्त-प्रान्त की स्थिति के बारे में सर मैलकम हेली के तार का भी ज़िक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि—"इन सब बातों से मुझे पूरे तौर से मालूम होता है कि मुझे लन्दन नहीं ही जाना चाहिए।"

तात्विक मतभेद

वायसरॉय ने इस तार के जवाब में १३ अगस्त को महात्मा जी के पास तार भेज कर इस बात का विश्वास दिलाया कि समझौता सम्बन्धी सभी बातों में उनकी ख़ाती दिलचस्पी है और उन्होंने यह आशा ही नहीं, विश्वास प्रकट किया कि तफ़सील के झगड़े महात्मा जी को लन्दन की गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स में भारत की सेवा करने से न रोक सकेंगे। वायसरॉय ने तार में यह भी वादा किया कि वह समझौते की तोड़ी गई शर्तों की कथित सूची की भी जाँच करेंगे और समझौते के सिर्फ़ महत्वपूर्ण मामलों की ही कार्यवाही की जायगी।

महात्मा जी ने इसके जवाब में तार भेज दिया कि समझौते के सम्बन्ध में अपने-अपने दृष्टिकोण से तात्विक मतभेद है, इसलिए मेरा लन्दन जाना नहीं हो सकेगा।

पञ्चायत का कोई सवाल ही नहीं

महात्मा जी और वायसरॉय के प्राइवेट सेक्रेटरी मि० इमर्सन में जो पत्र-व्यवहार हुआ है, उसमें मामला पञ्चायत के हाथों में सौंपने की बात थी। महात्मा जी ने तजवीज़ किया था कि एक पञ्चायत-बोर्ड बनाया जाय, जिसमें एक नुमाइन्दा कॉङ्ग्रेस का रहे और एक सरकार का, और वह बोर्ड दोनों तरफ़ के अभियोगों की जाँच करे।

मि० इमर्सन ने जवाब दिया कि अगर कॉङ्ग्रेस की यह बात स्वीकार कर ली गई, तो शान्ति स्थापित रखने का कार्य पुलीस के हाथों से बदल जायगा, जिसका कि जाँच-बोर्ड के प्रति विधायक कर्तव्य है। उसके सदस्य किसी भिन्न निश्चय पर पहुँच सकते हैं।

महात्मा जी ने २१ जुलाई को लिखा था कि मैं पञ्चायत नियुक्त करने पर ज़ोर नहीं देता, किन्तु मेरा यह ज़रूर कहना है कि ऐसे अवसर उपस्थित हो सकते हैं, जबकि उसका नियुक्त करना ज़रूरी होगा।

मि० इमर्सन ने ३० जुलाई को जवाब दिया कि पञ्चायत नियुक्त करने का कोई सवाल ही नहीं उठ सकता।

सरकार करना क्या चाहती है ?

महात्मा जी ने वायसरॉय का यह अन्तिम तार पाने के बाद कि बम्बई के गवर्नर ने जो लिखा है, वही ठीक है, वायसरॉय के पास एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने वर्किङ्ग कमिटी के प्रस्ताव के आशय को समझाया और यह सूचना भी दी कि जहाँ तक कॉङ्ग्रेस का सम्बन्ध है, वह दिल्ली के समझौते का अक्षरशः पालन करेगी और अब आप यह बतलाइए कि सरकार इस मामले में क्या करना चाहती है ?

कॉङ्ग्रेस के निश्चय पर लोकमत

मालवीय जी का वक्तव्य

वायसरॉय के रूखे जवाब और कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी के इस निश्चय पर कि महात्मा जी गोलमेज़ में सम्मिलित होने के लिए नहीं जायँगे, देश और विदेश के राजनीतिज्ञों और समाचार-पत्रों ने अपने विचार प्रकट किए हैं।

मालवीय जी ने इस सम्बन्ध में एसोसिएटेड प्रेस के प्रतिनिधि के पूछने पर कहा कि दिल्ली के समझौते के पैरा १६ में कहा गया है कि जितनी भी जायदादें लगान की वसूली के सम्बन्ध में क़ुर्क़ की गई हैं या ज़ब्त हुई हैं, वे सब वापस कर दी जायँगी। फिर गुजरात के किसानों के हिजरत करने की वजह से उनकी फ़सलें सब नष्ट कर दी गई थीं, इसलिए किसानों को बक़ाया मालगुज़ारी अदा करने के लिए वक़्त मिलना चाहिए। इन बातों को देखते हुए बक़ाया थोड़ी रक़म वसूल करने के लिए किसानों पर ज़्यादती करना समझौते को साफ़-साफ़ तोड़ना है। इसके बाद मालवीय जी ने बतलाया कि पुलीस ने किस प्रकार गाँवों को घेर कर और किसानों पर ज़ुल्म करके उनसे लगान वसूल किया है। इसलिए इस तरह से वसूल की हुई रक़म फ़ौरन लौटा देनी चाहिए। इसके विपरीत सरकार कहती है कि किसान लगान अदा कर सकते हैं, किन्तु अदा करते नहीं। इसलिए इन बातों को देखते हुए जनता का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि इस मसले को एक निष्पक्ष जाँच-कमिटी द्वारा हल कराया जाय। आगे चल कर मालवीय जी ने कहा है कि बम्बई के गवर्नर के इतना कह देने से काम नहीं चलेगा कि अब किसानों पर ज़्यादतियाँ नहीं होंगी, क्योंकि यह तो सरकार का स्वयं ही कर्तव्य था कि वह इस जाँच करने की बात स्वीकार कर लेती, चाहे महात्मा जी लन्दन जाते या न जाते। अन्त में मालवीय जी ने यह कहा है कि कॉङ्ग्रेस, भारतीय व्यवसाय-सङ्घ और राष्ट्रीय मुस्लिम-दल के प्रतिनिधियों के अभाव में जो निश्चय गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स में होगा, वह जनता को स्वीकृत न होगा। इसका नतीजा यह होगा कि कई वर्षों तक कटुता, घृणा, दुर्भाव फैला रहेगा और जिन्हें दूर रखना हम सब लोगों का कर्तव्य है। इसलिए मुझे आशा है कि सरकार इस मामले पर फिर विचार करेगी और महात्मा गाँधी तथा कॉङ्ग्रेस के गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स में सम्मिलित होने के मार्ग के रोड़े हटा लेगी। ऐसी परिस्थिति में मैंने आज जाने का इरादा छोड़ दिया है, किन्तु मुझे आशा है कि सरकार ऐसे निश्चय पर आएगी, जिससे महात्मा गाँधी और मैं दोनों कॉन्फ़्रेन्स और उसकी उप-समितियों में सम्मिलित होने के लिए रवाना हो सकेंगे।

इसके अलावा देश तथा विदेशों के राजनीतिज्ञों और समाचार-पत्रों ने अपने-अपने दल के विश्वासों के अनुसार अपने विचार प्रकट किए हैं। भारत के राष्ट्रीय दल और कॉङ्ग्रेस से सहानुभूति रखने वाले समुदाय के लोगों ने कॉङ्ग्रेस के इस निश्चय के लिए सरकार को दोषी ठहराया है। कलकत्ते के 'लिबर्टी' 'एडवान्स' मदरास के 'हिन्दू' दिल्ली के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' लाहौर के 'ट्रिब्यून' आदि पत्रों ने यह विचार प्रकट किए हैं कि सरकार ने कॉङ्ग्रेस और महात्मा जी की बातों को मञ्ज़ूर न कर बड़ी भारी ग़लती की है और उसकी बुद्धि का दिवाला निकल गया है। नरम दल के राजनीतिज्ञों और अख़बारों ने सरकार और कॉङ्ग्रेस दोनों को दोषी ठहराया है, किन्तु अधिक दोष सरकार के ही ऊपर रक्खा है। इङ्गलैण्ड के पत्रों के साथ ही भारतीय अध-गोरे पत्रों ने कॉङ्ग्रेस और महात्मा जी को दोषी ठहराया है और कहा है कि छोटी-छोटी बातों के लिए बड़े हित की बातों के हित की हत्या की गई है।

❀ ❀ ❀



भविष्य

२० अगस्त, सन् १६३१

काश्मीर

विगत २३वीं जुलाई के 'भविष्य' में हमने काश्मीर राज्य की वर्तमान उलझनों की चर्चा करते हुए कहा था—'काश्मीर का वायुमण्डल साम्प्रदायिक घृणा और द्वेष से गर्म है।' इसी प्रसङ्ग में हमने यह भी कहा था कि हाल में होने वाली दयनीय साम्प्रदायिक घटनाओं की 'आड़ में कोई दूसरा हाथ और तीसरी शक्ति काम कर रही है।'

कहना नहीं होगा कि अखिल भारतीय मुस्लिम राज्य के स्वप्न देखने वाले सर जुल्फ़िक़ार अली ख़ाँ, सर मुहम्मद इक़बाल, ख़्वाजा हसन निज़ामी तथा 'मुस्लिम आउटलुक' के सम्पादक मि० नुरुलहक़ प्रभृति मुल्लापन्थी सज्जनों ने हाल में ही शिमले के 'फ़्रेयरविउ' नामक स्थान में काश्मीर-नरेश एवं काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किए हैं, वे उस दूषित मनोवृत्ति के परिचायक हैं, जिसका निर्माण काश्मीर के हिन्दू राजा और हिन्दू राज्य के विरुद्ध गुप्त षड्यन्त्रों के द्वारा हुआ है। इन षड्यन्त्रों में किन-किन शक्तियों का हाथ है, यह बात सप्रमाण कही नहीं जा सकती; परन्तु इतना अवश्य है कि एक ऐसे मुसलमान गुण्डे को छुड़ाने के लिए जो क़ानून की दृष्टि से राज्य की शान्ति के लिए ख़तरे की वस्तु था—काश्मीरी मुसलमानों का एक बहुत बड़ी और उत्तेजित भीड़ के द्वारा श्रीनगर जेल पर आक्रमण करना; क़ैदियों को छुड़ा कर भगाने की चेष्टा करना; राजमहल तथा पुलीस और सेना-विभाग से जेल के बीच का टेलीफ़ोन-सम्बन्ध नष्ट कर देना, और अनाथ हिन्दुओं तथा हिन्दू-स्त्रियों और बच्चों पर सङ्गठित रूप से कायरतापूर्ण एवं घातक आक्रमण करना..................ये घटनाएँ ऐसी हैं, जिन्हें हम सहज ही विस्मरण नहीं कर सकते। और विशेषकर इस स्थिति में, जबकि अब्दुल क़ादिर (यही उक्त गुण्डे का नाम है, जिसे छुड़ाने के लिए हज़ारों मुसलमान गुण्डों की भीड़ ने श्रीनगर जेल पर आक्रमण किया था।) एक अङ्गरेज़ सैनिक अफ़सर का भूतपूर्व ख़ानसामा था, ये सारी घटनाएँ हमें एक रहस्य के रूप में दीख पड़ती हैं और अनायास ही हमारे हृदय में इस बात पर सन्देह उत्पन्न होता है कि क्या काश्मीर के हिन्दू-राज्य के विरुद्ध मुल्लापन्थी मुसलमानों के षड्यन्त्र में किसी अन्य शक्ति का भी हाथ है? सचाई चाहे जो भी हो, पर इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि काश्मीर के सम्बन्ध में ऐङ्ग्लो-इण्डियन पत्रों में जो एक-पक्षीय भाव व्यक्त किए जा रहे हैं, उनके आधार पर हमारा सन्देह और भी दृढ़ हो जाता है। अस्तु—

काश्मीर की स्थिति क़ाबू में है और इसका सारा श्रेय काश्मीर के वर्तमान महाराज के योग्य शासन-प्रबन्ध पर है; परन्तु काश्मीर की आन्तरिक स्थिति क़ाबू में होने पर भी काश्मीर के बाहर कुछ स्वार्थी मुसलमान नेताओं ने भयङ्कर आन्दोलन मचा रक्खा है। साम्प्रदायिक भेदभाव और वैमनस्य उत्पन्न करने के लिए जितने भी साधन सम्भव हैं, काश्मीर का प्रश्न लेकर उपस्थित किए जा रहे हैं। काश्मीर के हिन्दू राज्य के विरुद्ध अर्ध-सरकारी ऐङ्ग्लो-इण्डियन पत्रों तथा मुल्लापन्थी अख़बारों और नेताओं के द्वारा जिस प्रकार दूषित ढङ्ग से प्रचार किया जा रहा है, उसे रोकना न केवल प्रत्येक विचारशील नागरिक का ही कर्तव्य है, वरन् जनता की शान्ति और क़ानून की रक्षा के लिए भारत-सरकार का यह पवित्र कर्तव्य है कि ऐसे दूषित आन्दोलनों को वह ब्रिटिश भारत में होने से रोके। एक ओर काश्मीर की अभागी हिन्दू-जनता पीटी गई; एक ओर अभागे काश्मीरी हिन्दू लुटे, उनके घर जलाए गए, उनकी सम्पत्ति लूटी गई, उनके हिसाब-किताब सम्बन्धी खाते जलाए गए, उनकी सती-साध्वी महिलाओं का सतीत्व नष्ट किया गया; एक ओर हिन्दुओं के शिखा-सूत्र बलपूर्वक नष्ट किए गए और उन्हें गुण्डों ने क़लमा पढ़ाया और दूसरी ओर काश्मीर के बाहर गुण्डे मुसलमानों की सभाएँ की जा रही हैं; देश भर में जगह-जगह 'काश्मीर-दिवस' मनाए जा रहे हैं, काश्मीर की मुसलमान जनता की काल्पनिक कष्ट-गाथाओं से आकाश-पाताल एक किया जा रहा है; काश्मीर के हिन्दू-नरेश और हिन्दू राज्य के विरुद्ध घृणा के अधिक से अधिक दूषित भाव भरे जा रहे हैं। आश्चर्य तो यह है कि इन भावों के प्रचार में हमारे अर्ध-सरकारी गोरे पत्रों का अधिक से अधिक हाथ है। और इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात में है कि ऐसी विकट परिस्थिति में भी भारत के भूतपूर्व वायसरॉय लॉर्ड रीडिङ्ग का प्रिन्सेज़ प्रोटेक्शन ऐक्ट (Princes Protection Act) का प्रयोग नहीं किया जाता। भारत-सरकार की इस मौन-तन्द्रा में क्या कोई भयानक राजनीतिक रहस्य छिपा हुआ है? यह बात प्रत्येक भारतीय राजनीतिज्ञ के लिए विचारणीय है! अस्तु—

काश्मीर का अस्तित्व आज ख़तरे में है। काश्मीर का प्रश्न आज अफ़ग़ानिस्तान एवं बर्मा के प्रश्न से किसी भाँति भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। काश्मीर भारत को एशिया की रूसी सीमा, अफ़ग़ानिस्तान और तिब्बत से पृथक करता है, इस कारण भारत-सरकार के लिए काश्मीर का राजनीतिक महत्व किसी भाँति भी सीमा-प्रान्त से कम नहीं है। गिलगिट का हवाई अड्डा ही हमारे इस कथन का यथेष्ट प्रमाण है। तात्पर्य यह कि राजनीतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से काश्मीर की वर्तमान परिस्थिति को हम इस प्रकार उलझी हुई और ख़तरे में देख नहीं सकते। जिस दिन भारत में पहले-पहल कम्पनी के शासन का सूत्रपात हुआ था, उसी दिन से अङ्गरेज़ों को भारत में रूस के आक्रमण की आशङ्का बनी रहती है। आज भी भारत में भारत-सरकार का सब से बड़ा भय रूसी आक्रमण ही है। महाराज रणजीतसिंह के समय से आज तक यह भय एक क्षण के लिए भी कम्पनी-सरकार तथा महारानी विक्टोरिया, सम्राट एडवर्ड तथा वर्तमान सम्राट पाँचवें जॉर्ज की सरकारों से पृथक नहीं हुआ है। इसी रूसी आक्रमण के कारण कम्पनी के शासकों की काश्मीर पर बहुत पहले से ही अर्थात् महाराज रणजीतसिंह के समय से ही दृष्टि थी। परन्तु महाराज रणजीतसिंह एक बड़े ही योग्य एवं पराक्रमी शासक थे और उनके समय की भारतीय अङ्गरेज़ी सरकार के लिए इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय न था कि वह महाराज रणजीतसिंह के साथ पूर्ण मैत्री का व्यवहार रक्खे? कारण महाराज रणजीतसिंह के अधीन काश्मीर एवं सीमा-प्रान्त था और वे अपने शौर्य एवं पराक्रम में अङ्गरेज़ों से किसी भाँति भी कम न थे। परन्तु महाराज रणजीतसिंह के जीवन-काल से ही कम्पनी के शासकों के दाँत सिक्ख राज्य पर लगे हुए थे। लॉर्ड एलेनब्रु ने रणजीतसिंह की मृत्यु के बाद पञ्जाब के भीतर विद्रोह खड़ा करने और अराजकता फैलाने का पूरा प्रयत्न किया। सिक्खों के साथ युद्ध करने की उसने तैयारी भी कर ली थी। इसी तैयारी की चर्चा करते हुए लॉर्ड एलेनब्रु ने १७ जून, सन् १८४४ को एक पत्र में अपने मित्र मेजर ऑउट्रम को लिखा था:—

"तुमने सुना होगा कि डाइरेक्टरों ने मुझे वापस बुला लेना उचित समझा है। मेरा उत्तराधिकारी मेरे तमाम विचारों को पूरा करेगा। वह मेरा अत्यन्त विश्वस्त मित्र है और पिछले तीस साल से समस्त सार्वजनिक प्रश्नों पर मैं उसके साथ पत्र-व्यवहार करता रहा हूँ।"

निस्सन्देह लॉर्ड एलेनब्रु के उत्तराधिकारी गवर्नर-जनरल हार्डिञ्ज ने उसके काम को ज्यों का त्यों जारी रक्खा। गवर्नर-जनरली का पद सँभालते ही उसने पञ्जाब की सरहद पर युद्ध की तैयारी और अधिक ज़ोरों के साथ शुरू कर दी। सतलज नदी के दाईं ओर उस समय महाराजा रणजीतसिंह के बालक पुत्र महाराजा दलीपसिंह का राज्य था, और बाईं ओर फ़ीरोज़पुर, लुधियाना, अम्बाला और मेरठ, चार जगह अङ्गरेज़ों की मुख्य छावनियाँ थीं। एलेनब्रु के जाते समय फ़ीरोज़पुर की छावनी में ४,५९६ सिपाही और १२ तोपें थीं; हार्डिञ्ज ने इसे बढ़ा कर १०,४७२ सिपाही और २४ तोपें कर दीं। लुधियाने की छावनी में ३,०३० सिपाही थे, जिन्हें हार्डिञ्ज ने बढ़ा कर ७,२३५ कर दिए। अम्बाले की छावनी में हार्डिञ्ज से पहले ४,११३ सिपाही और २४ तोपें थीं, जिन्हें हार्डिञ्ज ने बढ़ा कर १२,६७२ सिपाही और ३८ तोपें कर दीं। मेरठ की छावनी में ५,८७३ सिपाही और १८ तोपें थीं, जिनकी जगह हार्डिञ्ज ने ९,८४४ सिपाही और २५ तोपें कर दीं। इस प्रकार हार्डिञ्ज ने इन चार छावनियों के अन्दर १७,६१२ सिपाहियों और ६६ तोपों को बढ़ा कर ४०,५२३ सिपाही और ९४ तोपें कर दीं। विशेषकर लुधियाना और

फ़ीरोज़पुर की छावनियों को, जो दोनों सतलज के ऊपर थीं, उसने ख़ूब मज़बूत कर लिया। सितम्बर सन् १८४१ में उसने २६ बड़ी-बड़ी कश्तियाँ फ़ीरोज़पुर के निकट मँगा कर जमा कर लीं। लॉर्ड एलेनब्रु का विचार नवम्बर सन् १८४५ तक इस सब तैयारी को पूरा कर लेने का था। हार्डिञ्ज ने इस अवधि के भीतर ही सारी तैयारी पूरी कर ली। तात्पर्य यह कि इस तैयारी के बाद सिक्ख-दरबार के सरदारों को फोड़ा गया और अन्त में सैनिक तथा कूटनीति-सम्बन्धी तैयारियों के बाद प्रथम सिक्ख-युद्ध हुआ।

इस स्थान पर हमारा उद्देश्य सिक्ख-युद्ध का वर्णन करना नहीं है। हमारा अभिप्राय केवल इतना ही है कि सिक्ख-युद्ध की आड़ में कम्पनी की साम्राज्य-पिपासा उग्र रूप से जाग्रत थी और सिक्ख-युद्ध का प्रमुख उद्देश्य भारत में कम्पनी की सत्ता को अनन्त काल के लिए क़ायम रखना ही था। सारांश यह कि सन् १८४६ ई० की फ़रवरी में सुबराँव में सिक्खों की पराजय के बाद उसी सन् के ६ मार्च को लाहौर में सिक्खों और अङ्गरेज़ों की सन्धि हुई। सन्धि की शर्तों के अनुसार पञ्जाब का कुछ इलाक़ा लाहौर दरबार और बालक दलीपसिंह से छीन कर अङ्गरेज़ी राज्य में मिला लिया गया। साथ ही लाहौर दरबार को डेढ़ करोड़ रुपया क्षति-स्वरूप देना पड़ा। इतिहासकार के अनुसार लाहौर दरबार एक करोड़ रुपया न दे सका और उसके स्थान पर जम्मू के राजा गुलाबसिंह ने एक करोड़ रुपया देकर काश्मीर राज्य को अङ्गरेज़ों से लिया था। इस स्थान पर यह बात स्मरण रखने योग्य है कि कम्पनी के शासकों को गुलाबसिंह के हाथ काश्मीर बेचने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय न था, कारण सिक्ख-राज्य का प्रबन्ध करते हुए भी वे पञ्जाब पार काश्मीर का प्रबन्ध करने से सर्वथा असमर्थ थे। दूसरे गुलाबसिंह ने कम्पनी की सहायता के लिए लाहौर दरबार को धोखा दिया था और इस कारण उस समय कम्पनी के अधिकारियों को गुलाबसिंह के हाथ काश्मीर बेंच कर उसकी मित्रता बनाए रखना ही सब से अधिक उपयोगी बात थी। तात्पर्य यह कि ८९ वर्ष और कई महीने हो गए, जब कि कम्पनी के शासकों ने गुलाबसिंह के हाथ काश्मीर बेंचा था। गुलाबसिंह तथा उनके उत्तराधिकारियों ने तब से आज तक काश्मीर के ऐतिहासिक राज्य की उन्नति एवं अभिवृद्धि में यथाशक्ति धन-जन व्यय किया है। और इस अवस्था में, जब कि काश्मीर अपने शासकों के सिर-तोड़ परिश्रम के द्वारा पहले की अपेक्षा अधिक समृद्धि-शाली एवं उन्नत है; इसके भौगोलिक महत्व के कारण इस पर किसी प्रकार दाँत लगाना भारत-सरकार के लिए वर्तमान समय की कदाचित सब से बड़ी राजनीतिक भूल होगी। अस्तु—

यह तो हुई सरकार के सम्बन्ध में। हमें काश्मीरी और विशेषकर भारतीय मुसलमानों के उस दल से भी कुछ कहना है, जो आज काश्मीर की आड़ में सारे देश में साम्प्रदायिक मनोमालिन्य एवं वैर-विरोध को जन्म दे रहे हैं। कारण एक तो वे मुस्लिम-साम्राज्य के मिथ्या भ्रम में हैं और दूसरे उनके इस आन्दोलन से न तो मुस्लिम सम्प्रदाय का ही और न देश का ही कोई उपकार सधेगा। वे समझते हैं, काश्मीर में मुसलमानों की आबादी प्रति सैकड़े ९५ है। उनके हृदय में इस बात का ख़्याल है कि सीमा-प्रान्त और पञ्जाब में आबादी के हिसाब से मुसलमान सर्वेसर्वा हैं। उनका यह स्वप्न है कि सिन्ध, पृथक प्रान्त के रूप में मुस्लिम प्रान्त हो होकर रहेगा। इस प्रकार वे एक ओर भारत की पश्चिमोत्तर सीमा में एक सङ्गठित मुस्लिम साम्राज्य का काल्पनिक निर्माण करते हैं और दूसरी ओर उस काल्पनिक भारतीय मुस्लिम-साम्राज्य से लगे हुए अफ़ग़ानिस्तान, फ़ारस, टर्की आदि मुस्लिम राष्ट्रों की कल्पना के सुख में आत्म-विस्मृत हो जाते हैं। इस प्रकार वे भारत से लेकर यूरोप तक एक अटूट मुस्लिम-साम्राज्य का स्वप्न देखते हैं। हाँ, उनके इस सुख-स्वप्न में काश्मीर का हिन्दू-राज्य काँटे की भाँति चुभता है। वे इस बात को सह नहीं सकते कि ९५ प्रति सैकड़े मुसलमानों की आबादी वाला राज्य एक हिन्दू राज्य हो और विशेषकर उस भौगोलिक स्थिति में, जहाँ मुस्लिम संस्कृति मुस्लिम सभ्यता एवं मुस्लिम साम्राज्य का काल्पनिक दुर्ग निर्माण किया जा रहा है। भारतीय मुसलमानों के काश्मीर-विरोधी आन्दोलन में मनोवृत्ति के रूप से यही भाव काम कर रहा है और लाभ के रूप में उन्हें नक़द माल मिल रहा है। यह माल कहाँ से आता है, कौन देता है—ये सारी बातें रहस्य के रूप में हमारे सम्मुख हैं।

इस स्थान पर जब कि काश्मीर के साम्प्रदायिक प्रश्न को भारत के मुल्लापन्थी मुसलमानों के द्वारा विशेष महत्व दिया जा रहा है, उसकी कुछ ऐतिहासिक बातों पर प्रकाश डालना अनुचित न होगा। कारण इन बातों के द्वारा हम यह प्रमाणित करने की चेष्टा करेंगे कि काश्मीर के साथ हिन्दू-संस्कृति, हिन्दू-सभ्यता, हिन्दू-राज्य के वैभव एवं हिन्दू-धर्म की स्मृतियाँ छिपी हुई हैं। इस स्थिति में भारतीय हिन्दू किसी प्रकार भी काश्मीर के प्रश्न में तटस्थ नहीं रह सकते; वास्तव में काश्मीर के हिन्दू राज्य के जीवन और मृत्यु का प्रश्न अखिल हिन्दू-जाति के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। हम चाहते हैं, भारत-सरकार तथा भारतीय मुल्लापन्थी मुसलमान इस महत्वपूर्ण समस्या को गम्भीरता पर विचार करें।

काश्मीर किसी समय विशुद्ध हिन्दू-बस्ती थी, परन्तु वहाँ के मुसलमान शासकों ने तलवार के ज़ोर से वहाँ के शान्तिप्रिय हिन्दुओं को इस्लाम धर्म ग्रहण करने को विवश किया। काश्मीर के हिन्दू ज़बर्दस्ती मुसलमान बनाए गए थे अथवा अपनी इच्छा से, इस बात का एक बहुत ही सुन्दर उत्तर पन्द्रहवीं शताब्दि में ज़ैनुलआबदीन नामक काश्मीर के एक मुसलमान शासक के शासन-काल में मिला। ज़ैनुलआबदीन काश्मीर के अन्य मुसलमान शासकों की भाँति सङ्कीर्ण हृदय का न था, इसने आज्ञा दी थी कि जो मुसलमान चाहे पुनः हिन्दू हो सकता है। इस पर सारे मुसलमान हिन्दू हो गए; परन्तु ज़ैनुलआबदीन के बाद जो मुसलमान शासक आए, उन्होंने उन्हें पुनः बलपूर्वक मुसलमान बना दिया। यदि गुलाबसिंह चाहते तो उन सारे मुसलमानों को वे पुनः हिन्दू बना सकते थे, परन्तु अपनी मूर्खता के कारण न तो उन्होंने और न उनके उत्तराधिकारियों ने ही इस ओर कुछ ध्यान दिया। राजा गुलाबसिंह तथा उनके उत्तराधिकारियों ने अपने सामने केवल एक ही उद्देश्य रक्खा और वह यह कि काश्मीर किसी प्रकार समृद्धिशाली एवं उन्नत हो।

भारतीय मुल्लापन्थी मुसलमान महाराज हरीसिंह तथा काश्मीर के अन्य हिन्दू शासकों को उनकी हिन्दू-पक्षीय नीति के लिए कोसते नहीं थकते। उनका कहना है कि काश्मीर-नरेश वहाँ के मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं करते तथा काश्मीर के मुसलमानों की नागरिक एवं धार्मिक स्वतन्त्रता ख़तरे में है। परन्तु उनके इस विष-वमन के विपरीत यह बात सप्रमाण कही जा सकती है कि गुलाबसिंह से लेकर आज तक काश्मीर-नरेशों ने जिस नीति से काम लिया है, उसका परिणाम काश्मीरी हिन्दुओं के अहित पर भी काश्मीरी मुसलमानों का लाभ है। इन राजाओं ने कठिन पथों को सुगम बनाया, जहाँ-तहाँ नहरें जारी कीं। महाराजा रणधीरसिंह, महाराजा प्रतापसिंह और महाराजा हरीसिंह ने काश्मीरियों को शिक्षित बनाने की पूरी चेष्टा की। स्थान-स्थान पर स्कूल जारी किए गए, जिनमें मुसलमानों के लिए विशेष सुविधाएँ दी गईं। इस पर भी यदि काश्मीरी मुसलमान आज अशिक्षित हैं, तो इसका दोष राज्य पर नहीं, वरन् काश्मीर के तथा उसके बाहर के उन स्वार्थी मुल्लाओं और मौलवियों पर है, जिन्होंने अपनी स्वार्थ-परता से काश्मीर के भोले-भाले मुसलमानों के हृदयों में यह धारणा उत्पन्न कर दी कि जो पढ़ेगा, वह काफ़िर हो जायगा; विशेषतः अङ्गरेज़ी शिक्षा प्राप्त करते ही धर्म और ईमान का एकदम सत्यानाश हो जायगा। इन्हीं भ्रामक विचारों ने काश्मीरी मुसलमानों को विद्या के प्रकाश से वञ्चित रक्खा। काश्मीर के वर्तमान महाराज हरीसिंह ने मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए जम्मू और काश्मीर के हिन्दुओं के स्वत्वों की भी परवाह न की। इलाक़ा ओडी के स्वार्थी मुसलमानों के डेपुटेशन पर उन्होंने 'ज़मींदारा' वो 'साहूकारा' क़ानून पास कर दिया। इन क़ानूनों के द्वारा हिन्दुओं की केवल आर्थिक अवस्था ही ख़राब नहीं हुई, वरन् मुसलमानों का दुस्साहस इतना अधिक बढ़ गया जिससे आज काश्मीरी हिन्दुओं का जीवन और उनकी प्रतिष्ठा सङ्कटापन्न हो रही है। इन क़ानूनों का प्रभाव राज्यकोष पर भी पड़ने वाला है। इतना ही नहीं, मुसलमानों की प्रसन्नता के लिए शासन की बागडोर बहुत दिनों से एक मुस्लिम-परस्त मन्त्री के हाथ में सौंप दी गई है। आज मुसलमानों को वे विशेष वज़ीफ़े और विशेष सुविधाएँ मिलती हैं, जो हिन्दुओं को अप्राप्य हैं। इस पर भी भारत के मुल्लापन्थी मुसलमानों ने काश्मीर के हिन्दू राज्य के विरुद्ध घृणा और विद्रोह के आन्दोलन आरम्भ किए हैं।

भारतीय मुसलमान एक बड़े भ्रम में हैं। वे समझते हैं कि भारत की वर्तमान राजनीतिक उलझनें भारत की अङ्गरेज़ी सरकार को इस बात के लिए विवश करेंगी कि वह उनकी काश्मीर-सम्बन्धी शर्तें मान ले। सम्भव है, भारत-सरकार उनकी शर्तें स्वीकार करे और सम्भव है, न भी स्वीकार करे। हमें इस प्रश्न से कोई भी झगड़ा नहीं है। हमारे सामने तो काश्मीर की भाँति भोपाल और हैदराबाद की मुसलमानी रियासतों के भी प्रश्न हैं। भोपाल और हैदराबाद की रियासतें यद्यपि मुसलमानी हैं, तथापि इनमें ९० प्रति सैकड़े हिन्दुओं की आबादी है। इन मुसलमानी रियासतों में अभागे हिन्दुओं के साथ जो पैशाचिक व्यवहार होता है, वह केवल रोमाञ्चकारी ही नहीं, वरन् किसी भी सभ्य सरकार के लिए लज्जा और घृणा की बात है। निज़ाम हैदराबाद में किसी भी मन्दिर की मरम्मत नहीं हो सकती और न कोई मन्दिर बनाया ही जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि नई मन्दिरें तो बनेंगी ही नहीं, जो कुछ भी प्राचीन मन्दिरें हैं, वे अवसर पाकर ढह जायँगी और एक दिन ऐसा आवेगा, जब कि निज़ाम की हैदराबादी रियासत मन्दिर-शून्य हो जायगी। अभी हाल में ही भोपाल रियासत में यह सरकारी क़ानून जारी था कि कोई भी मुसलमान बना हिन्दू पुनः हिन्दू-धर्म ग्रहण नहीं कर सकता और यदि वह अभागा ऐसा करने का दुस्साहस करता, तो उसे क़ानून के द्वारा पैशाचिक दण्ड दिया जाता था। हैदराबाद में थोड़ी संख्या के मुसलमानों के कारण सारे हिन्दुओं को उर्दू शिक्षा अनिवार्य रूप से ग्रहण करनी पड़ती है। तात्पर्य यह कि आज हैदराबाद और भोपाल में हिन्दुओं की जो दयनीय स्थिति है, उससे कहीं अधिक सुखी और प्रसन्न काश्मीर के हिन्दू राज्य में काश्मीरी मुसलमान हैं। और यदि भारतीय मुल्लापन्थी मुसलमानों की भाँति आज भारतीय हिन्दू भोपाल और हैदराबाद की मुस्लिम रियासतों पर सत्याग्रह आरम्भ करें तथा उनके विरुद्ध आन्दोलन उठाएँ, तो उक्त रियासतों और भारतीय मुस्लिम-समाज की शान्ति कब तक स्थापित रह सकेगी?

हमारा अभिप्राय न तो किसी मुसलमानी रियासत के विरुद्ध आन्दोलन ही उठाना है और न हम चाहते हैं कि काश्मीर का प्रश्न भारत का साम्प्रदायिक प्रश्न ही हो। हम इस स्थान पर भारतीय हिन्दुओं के हृदयों में किसी प्रकार का साम्प्रदायिक जोश भी भरना नहीं चाहते; परन्तु हम भारतीय सरकार और भारत के मुल्लापन्थी मुसलमानों को काश्मीर के सम्बन्ध में पूर्णतः सावधान करना अपना सम्पादकीय दायित्व समझते हैं। राजा गुलाबसिंह के साथ कम्पनी का जो इक़रारनामा हुआ था, उसके अनुसार भारत-सरकार इस बात से बाध्य है कि वह काश्मीर की उसके बाहरी शत्रुओं से रक्षा करे। हमें यह कहते दुख होता है, परन्तु सत्य कहना भी हमारा अनिवार्य कर्तव्य है कि आज सर मुहम्मद इक़बाल, और सर जुल्फ़िकारअली ख़ाँ, ख़्वाजा हसन निज़ामी और मिर्ज़ा बशीर महमूद सरीखे भारतीय मुसलमान काश्मीर राज्य के भयानक शत्रु हैं और भारत-सरकार का यह अत्यन्त पवित्र नैतिक एवं राजनीतिक दायित्व है कि वह काश्मीर रियासत को इन नगण्य, परन्तु विषैले शत्रुओं से बचावे। हमें इस बात का हार्दिक दुख है कि शिमला शैल-शिखर पर—भारत-सरकार की नाक के नीचे ही उक्त मुसलमान सज्जनों की बेहूदगियाँ जारी हैं और भारत-सरकार इन बेहूदगियों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देती।

काश्मीर के विरुद्ध उक्त अभागे देशद्रोही मुसलमानों के इस आन्दोलन का चाहे जो कुछ भी परिणाम हो; काश्मीर राज्य के प्रति भारत-सरकार का यह मौनावलम्ब चाहे जिस राजनीतिक रहस्य का द्योतक हो; एक बात मृत्यु की भाँति निश्चय और जीवन की भाँति सत्य है; और वह यह कि काश्मीर का शासन-प्रबन्ध किसी भाँति भी हरीसिंह जी के हाथों से जा नहीं सकता। और यदि भाग्य के निष्ठुर विधान से यदि कुछ अनहोनी हुई भी तो न भारत-सरकार ही चैन की नींद से सो सकेगी और न भारतीय मुल्लापन्थी मुसलमान ही। काश्मीर—राजतरङ्गिणी का काश्मीर; संग्राम देव का काश्मीर—वह काश्मीर, जो प्रसिद्ध चीनी-यात्री ह्यूएनसङ्ग के अनुसार पञ्जाब, काबुल और गन्धार को भी अपने आधिपत्य और शासन में रखता था, हिन्दू संस्कृति की भग्न स्मृतियों का जाग्रत रूप है! ईसा के जन्म के ढाई सौ वर्ष पहले अशोक के शासन-काल में काश्मीर में बौद्ध-मिशन भेजा गया था। उस समय से लेकर ईसा की मृत्यु के एक-दो शताब्दी बाद तक काश्मीर बौद्ध-संस्कृति का केन्द्रस्थल भी रहा। उस बौद्धकालीन काश्मीर में हविष्क, युष्क और कनिष्क का नाम अमर है। तात्पर्य यह कि हविष्क से लेकर उदैन देव के शासन-काल (सन् १२६४ ई०) तक काश्मीर की पुण्य-भूमि हिन्दू सभ्यता और हिन्दू संस्कृति का केन्द्र-स्थान रही है। उस अमरनाथ वाले काश्मीर को भारत के २५ करोड़ हिन्दू जीवित रहते छोड़ नहीं सकते। यह बात भारत में आज की ब्रिटिश सत्ता की भाँति सत्य है !!!

वर्किङ्ग कमिटी का निर्णय

हाल में कॉङ्ग्रेस वर्किङ्ग कमिटी ने बम्बई में जो निर्णय किया है, उस पर गम्भीरता पूर्वक से विचार करते हुए कोई भी विचारशील व्यक्ति इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि देश की इस भीषण राजनीतिक परिस्थिति में वह निर्णय सर्वथा स्वाभाविक और अनिवार्य है। कहना नहीं होगा कि महात्मा गाँधी तथा कॉङ्ग्रेस वर्किङ्ग कमिटी को इस निर्णय से कम दुख नहीं है कि महात्मा जी कॉङ्ग्रेस के प्रतिनिधि-स्वरूप लण्डन नहीं जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में एक प्रेस-प्रतिनिधि को उत्तर देते हुए महात्मा जी ने कहा—

"I need hardly say that it has been a great blow to me that I am not to go to London."

अर्थात्—"मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस बात से मुझे बहुत ही चोट लगी है कि मैं लण्डन नहीं जा रहा हूँ।" महात्मा जी जो कुछ भी कहते हैं, समझ-बूझ और अनुभव कर; तथा जो कुछ पूर्ण रीति से अनुभव कर लेते हैं, उसे ही व्यक्त करते हैं। अनुभूत बात के अतिरिक्त वे व्यर्थ कुछ भी नहीं कहते; कहना जानते भी नहीं। इस स्थिति में यह बात स्पष्ट है कि महात्मा जी ने लण्डन जाने की भरपूर चेष्टा की। उस चेष्टा की चर्चा करते हुए महात्मा जी ने प्रेस-प्रतिनिधि से कहा—

"× × × But the decision not to go, became inevitable. I have hoped against hope that justice will be done on the eleventh hour. My request was in my opinion incredibly simple. If there was a contract between the Government and the Congress, and if there was a dispute as to the interpretation of the contract, or if there was a breach on either side, surely the rules governing all contracts must be applicable to this contract.

अर्थात्—"× × × लेकिन लण्डन जाने का निश्चय अनिवार्य हो गया। आशा के विरुद्ध भी मैंने आशा की थी कि अन्तिम समय में सरकार की ओर से न्याय होगा। मेरे विचार में मेरी प्रार्थना अविश्वसनीय रूप से सरल थी। यदि सरकार और कॉङ्ग्रेस में कोई समझौता था, और यदि उस समझौते की व्याख्या में कोई मतभेद था अथवा किसी भी पक्ष की ओर से उस समझौते को भङ्ग किया गया था, तो निश्चय ही इस दशा में इस समझौते में भी वे ही नियम लागू हो सकते थे, जो सभी समझौतों में लागू होते हैं।"

महात्मा जी की बातें स्पष्ट हैं। उन्होंने भारत के होम सेक्रेटरी मि० इमर्सन के पास इस आशय की प्रार्थना भेजी थी कि सरकार के द्वारा की गई ज़्यादतियों के सम्बन्ध में एक निष्पक्ष पञ्चायत के द्वारा जाँच की जाय। परन्तु मि० इमर्सन ने महात्मा जी की यह उचित प्रार्थना अस्वीकार कर दी। इसके अतिरिक्त महात्मा जी ने बम्बई के स्थानापन्न गवर्नर श्री० हॉटसन को बारडोली ताल्लुक़े में सरकार के द्वारा की गई ज़्यादतियों के सम्बन्ध में लिखा था और साथ ही इस बात की चर्चा की थी कि सरकार के अधिकारियों के द्वारा वहाँ के किसानों पर जो निन्दनीय अत्याचार हुए हैं, वे समझौते की शर्तों और भावों के विरोधी हैं। महात्मा जी ने उस पत्र में श्री० हॉटसन को यह भी लिखा था कि १६ लाख, २० हज़ार के अतिरिक्त जो कुछ भी रुपया वहाँ के किसानों से वसूल किया गया है, वह सरकार उन्हें लौटा दे। बम्बई के स्थानापन्न गवर्नर मि० हॉटसन ने महात्मा जी के पत्र का जो अनुचित एवं अशिष्ट उत्तर दिया था, वह 'भविष्य' के पाठकों को मालूम है।

कहना न होगा कि इन परिस्थितियों में महात्मा जी तथा कॉङ्ग्रेस के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय न रह गया था कि वे सरकार की इस अन्यायपूर्ण नीति का विरोध, अपनी लण्डन वाली यात्रा स्थगित करने के रूप में करें। महात्मा जी तथा कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी ने ऐसा किया भी।

सच बात तो यह है कि न तो हमारा राउण्ड टेबिल कॉन्फ्रेन्स में ही विश्वास है और न ब्रिटेन की सदाशयता में ही। हमारा तो पूर्ण विश्वास इस बात में है कि ब्रिटेन भारत को उतने अंशों में ही स्वतन्त्रता देगा, जितने अंशों में भारत लेने के लिए तैयार होगा। देश की स्वतन्त्रता भिक्षावृत्ति से नहीं मिलती। भिक्षा से कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र को स्वतन्त्रता नहीं देता। स्वतन्त्रता देवी के आवाहन के लिए अखिल राष्ट्र की तपस्या, उसके त्याग एवं उसके कष्ट सहने की शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए महात्मा जी का लण्डन जाना और न जाना, हमारे लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखता। यदि मनसा, वाचा, कर्मणा यत्न करने पर भी महात्मा जी लण्डन जाने में सफल न हो सके तो इसमें भी भारत का कुछ न कुछ कल्याण ही है। हमारी इसी धारणा को स्पष्ट करते हुए महात्मा जी ने हाल में ही सहयोगी 'नवजीवन' में इस आशय का वक्तव्य प्रकाशित किया है—

"सभी का विश्वास था कि मैं १५वीं अगस्त को लण्डन के लिए यात्रा करूँगा। यहाँ, इङ्गलैण्ड तथा संसार के अन्य भागों में बहुत से लोग इस बात के लिए चिन्तित होंगे कि मैं लण्डन जाऊँ; परन्तु भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि है। मैं वायसरॉय के उत्तर में भगवान का हाथ देखता हूँ। जो कुछ भी हो, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि राउण्ड टेबिल कॉन्फ्रेन्स में भाग लेने के लिए मनसा, वाचा, कर्मणा प्रत्येक मानुषिक प्रयत्न किया है। इस पर भी यदि मैं लण्डन जाने से असमर्थ हूँ, तो पूर्ण स्वतन्त्रता से इस बात में विश्वास करने लगा हूँ कि भारत का हित इसी में है।"

महात्मा गाँधी की इस अमृत-वाणी में हमारा सदा से विश्वास रहा है। गाँधी-इर्विन समझौते के बाद देश के लिए उस समझौते का पालन करना एक राष्ट्रीय मर्यादा का प्रश्न हो गया था और हमें यह प्रकट करते हुए अत्यन्त हर्ष होता है कि देश ने उस राष्ट्रीय मर्यादा के महत्वपूर्ण प्रश्न का यथेष्ट पालन भी किया। यदि किसी के द्वारा उस समझौते को भङ्ग किया गया तो वह सरकार के द्वारा ही और यदि महात्मा जी तथा कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी को कुछ ऐसा निर्णय करना पड़ा है, जिसके प्रतिकूल संसार की प्रतीक्षापूर्ण दृष्टि लगी हुई थी, तो इसका सारा दोष भारत और प्रान्तीय सरकारों पर ही है। अभी कुछ ही दिन हुए भारत-मन्त्री मि० वेजउड बेन ने हाउस-ऑफ़-कॉमन्स में गौरव के साथ घोषणा करते हुए कहा था—

"We have extended the area of good will. We have extended the area of co-operation. We are looking forward to the time when we shall have in this country representatives of all sections of Indian opinion who are also seeking for peace.

अर्थात्—"हम लोगों ने अपनी शुभ-कामना की सीमा को बढ़ाया है, हम लोगों ने अपने सहयोग की सीमा को भी बढ़ाया है। हम लोग उस समय की प्रतीक्षा में हैं, जबकि हम लोग इस देश में प्रत्येक भारतीय विचार के प्रतिनिधियों को यहाँ पाएँगे, जो हमारी तरह शान्ति के इच्छुक हैं।"

मि० वेजउड बेन की ये बातें अभी ब्रिटेन और भारत के राजनीतिक वायुमण्डल में आज भी प्रतिध्वनित होती हैं; परन्तु भारत तथा प्रान्तीय सरकारों ने इन बातों की अधिक से अधिक अवहेलना की—उन भारत और प्रान्तीय सरकारों ने, जिनके लिए मि० वेजउड बेन के शब्दों में 'गाँधी-इर्विन' समझौते का पूर्णतया पालन करना बड़ा से बड़ा कर्तव्य और अधिक से अधिक मर्यादा की बात है।" अस्तु—

परन्तु परिस्थितियाँ कुछ सुधरती दीख पड़ती हैं। इधर गत १७वीं अगस्त को वायसरॉय की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी। श्री० जयकर और सप्रू

महोदय पुनः महात्मा गाँधी और वायसरॉय के बीच में समझौता करने की चेष्टा कर रहे हैं। हम राजनीतिक समझौतों के विरोधी नहीं; फिर भी इस परिस्थिति में हम किसी भी समझौते को देश के हित के लिए हानिकर समझते हैं, जब तक कि वह समझौता उन सारी बातों को पूरा नहीं करता, जो महात्मा जी ने बम्बई के स्थानापन्न गवर्नर मि० हॉटसन और भारत के होम-सेक्रेटरी मि० इमर्सन को लिखा था। तात्पर्य यह कि महात्मा जी की माँग कम से कम थी और उसमें अधिक से अधिक औचित्य का भाग था। यदि उस माँग की लॉर्ड विलिङ्गडन तथा मि० हॉटसन की सरकारें अवहेलना करती हैं तो यह एक राष्ट्रीय अपमान है, जिसके रहते हुए महात्मा जी अथवा कॉङ्ग्रेस का राउण्ड टेबिल कॉन्फ्रेंस में भाग लेना, राष्ट्र की मर्यादा को देश और संसार की दृष्टि में गिरा देना होगा। हम जहाँ एक ओर कॉङ्ग्रेस वर्किङ्ग कमिटी तथा महात्मा जी के लन्दन न जाने के निर्णय की प्रशंसा करते हैं, वहाँ दूसरी ओर उनका ध्यान देश की इस महत्वपूर्ण राजनीतिक परिस्थिति की ओर आकर्षित करना अपना कर्तव्य समझते हैं।

* * *

मास्टर राजाराम, बी० ए०

भारत में अङ्गरेज़ी राज्य के इतिहास में सन् १९१९ एक स्मरणीय साल है। इसी साल भारतवासियों के बारम्बार विरोध करने पर भी अहम्मन्य अधिकारियों ने "रौलट-एक्ट" नाम का एक काला क़ानून पास किया था। इस काले क़ानून के विरोध में अमृतसर (पञ्जाब) की जनता ने प्रदर्शन किया था। परिणाम-स्वरूप अमृतसर में 'मार्शल लॉ' जारी कर दिया गया और कितने ही दोषी तथा निर्दोष व्यक्ति न्याय की निष्ठुर चक्की में पीस डाले गए!

इन्हीं अभागों में चकवाल, ज़िला गुजरात के निवासी, एक होनहार नवयुवक, मास्टर राजाराम, बी० ए० थे। ये तथा इनके छोटे भाई लाला दौलतराम ख़ून करने तथा आग लगाने के अभियोग में गिरफ़्तार किए गए। मार्शल लॉ की फ़ौजी अदालत से मास्टर राजाराम को फाँसी का तथा उनके छोटे भाई लाला दौलतराम को आजन्म कारावास का दण्ड मिला। इसके बाद श्रीमान सम्राट की घोषणा के अनुसार लाला दौलतराम तो छोड़ दिए गए, परन्तु मास्टर राजाराम की सज़ा बहाल रही! अन्त में पण्डित मदनमोहन मालवीय की चेष्टाओं से मास्टर राजाराम की सज़ा भी फाँसी से बदल कर आजीवन कालापानी के रूप में परिणत कर दी गई। इनके माता-पिता ने अपनी सारी सम्पत्ति इन्हें फाँसी से बचाने में पानी की तरह बहा दी। वे अपने प्यारे पुत्र को इङ्गलैण्ड भेज कर असिस्टेण्ट सर्जन की परीक्षा दिलवाना चाहते थे। परन्तु पुत्र इङ्गलैण्ड के बदले अण्डमन भेजा गया!

कुछ दिनों के बाद मास्टर साहब की नेकचलनी और सज्जनता से प्रसन्न होकर अण्डमन के अधिकारियों ने उन्हें स्वतन्त्र रूप से घूमने-फिरने की आज्ञा दे दी। वे अण्डमन-वासियों की दशा उन्नत करने के काम में लग गए। लड़कियों के लिए एक पाठशाला स्थापित कराई। वहाँ की श्मशान-भूमि को पक्का बनवाया, अण्डमन आर्य-समाज की बुनियाद डाली और ग़रीबों तथा विपद्ग्रस्तों की सहायता के लिए एक कोष स्थापित कराया। तात्पर्य यह कि अण्डमन-निवासियों की भलाई के लिए मास्टर राजाराम ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। यहाँ तक कि अनवरत घोर परिश्रम करने के कारण आपको बहुमूत्र की बीमारी हो गई और चिकित्सा के लिए आप पोर्ट ब्लेयर से लाकर लाहौर के सेण्ट्रल जेल में रक्खे गए। परन्तु यहाँ आने पर आपकी हालत सुधरने की जगह और भी ख़राब होती गई। सन् १९२९ में आपके रिश्तेदारों ने आपको छोड़ देने की प्रार्थना की। परन्तु सरकार ने कृपा नहीं की। गत २९ जून, १९३१ को उनकी वृद्धा माता, भाई तथा अन्य कई रिश्तेदार उनसे मिलने गए तो देखा कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ख़राब हो गया है, पक्षाघात के आक्रमण के कारण दाहिनी बाँह बिल्कुल बेकाम हो गई है। परन्तु फिर भी आप सी-क्लास में रक्खे गए हैं!

इधर उनकी वृद्धा जननी भी पुत्र की दशा देख कर मृतप्राय हो रही हैं। स्वास्थ्य गिर गया है। पुत्र को एक बार जेल से बाहर देखने के लिए लालायित हो रही हैं। परन्तु अफ़सोस है कि अधिकारी-वर्ग बेचारी वृद्धा की इस अन्तिम इच्छा को भी ठुकरा रहे हैं। मास्टर साहब को जेल में प्रायः १२ वर्ष बीत चुके हैं। उनकी चाल-चलन के बारे में भी जेल-अधिकारियों को कोई शिकायत नहीं है। अब उनकी शारीरिक और मानसिक अवस्था भी ऐसी नहीं रह गई है कि जेल से बाहर निकल कर कोई षड्यन्त्र आरम्भ कर देंगे। ऐसी दशा में अगर वे छोड़ दिए जावें तो हमारे ख़याल में सरकार की कोई क्षति नहीं होगी! क्योंकि जेल के नियमानुसार आजन्म क़ैद की मीयाद चौदह वर्ष में ही पूरी हो जाती है। जिसमें से मास्टर राजाराम बारह वर्ष बिता चुके हैं, बाक़ी दो वर्षों के लिए क्या सरकार उन पर थोड़ा सा अनुग्रह नहीं कर सकती?

❀ ❀ ❀

मि० जिन्ना की नई नीति

इधर हाल में ही मि० जिन्ना विलायत से भारत लौटे हैं। इस बीच में आपने लगभग आधे दर्जन भाषणों में यह बतलाने का कष्ट उठाया है कि "व्यक्तिगत रूप से मैं संरक्षणों के साथ संयुक्त निर्वाचन का पक्षपाती हूँ।" इन्हीं भाषणों में आपने राष्ट्रीय भावों का भी अभिनय दिखलाया है। आपने बार-बार कहा है कि जब इङ्गलैण्ड में इस देश के विरुद्ध अच्छे भाव नहीं हैं, तो ऐसे अवसरों पर हमें एक होकर शत्रुओं का सामना करना चाहिए। परन्तु इस एकता का उपाय बतलाते हुए आपने हिन्दुओं को इस बात की शिक्षा दी है कि वे उनकी चौदहों शर्तें मान कर मुसलमानों से मेल कर लें। सब से आश्चर्यजनक बात तो यह है कि मि० जिन्ना ने देश की स्वतन्त्रता के महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील करते हुए यह कहा है कि "संयुक्त निर्वाचन का मैं चाहे जितना भी अधिक पक्षपाती क्यों न होऊँ, पर मैं देश की स्वतन्त्रता का बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न उठा कर निर्वाचन के प्रश्न पर नहीं लड़ सकता।"

तात्पर्य यह कि मि० जिन्ना चाहते हैं कि यदि मुसलमानों का हिन्दुओं पर विश्वास नहीं है, तो हिन्दू और देश के बहुत संख्यक मुसलमान, जो संयुक्त निर्वाचन के पक्ष में हैं, देश के कुछ अल्पसंख्यक साम्प्रदायिक मुसलमानों के पृथक निर्वाचन वाली नीति का समर्थन कर लें। इसका आशय यह है कि साम्प्रदायिक जामा न पहन कर राष्ट्रीय जामे के भीतर साम्प्रदायिक हृदय छिपाते हुए, मि० जिन्ना देश को राष्ट्र की स्वतन्त्रता के नाम पर पृथक निर्वाचन समर्थन करने को कह रहे हैं। हमें मि० जिन्ना के इस भयानक पतन पर दुख है—उन मि० जिन्ना के भयानक पतन पर, जो कुछ वर्ष पहले देश में इसलिए प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखे जाते थे, क्योंकि इनके भीतर साम्प्रदायिकता का दूषण न था। मि० जिन्ना जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति, योग्य वक्ता और बुद्धिमान पुरुष की इस परिवर्तित मनोवृत्ति पर प्रत्येक विचारशील मनुष्य के हृदय में दुख होना स्वाभाविक है।

आगे चल कर मि० जिन्ना ने कहा है—सब से बड़ी कठिनाई संयुक्त अथवा पृथक निर्वाचन की नहीं, वरन् इस बात की है "कि क्या हिन्दू पञ्जाब और बङ्गाल में मुसलमानों को उनका उचित भाग देंगे?" ये बातें मि० जिन्ना की बदली हुई मनोवृत्ति की भाँति दूषित और बेहूदी हैं। यदि भारत का मुस्लिम सम्प्रदाय केवल पञ्जाब और बङ्गाल में अपनी अधिकांश आबादी के अनुसार अपना अधिकार ही चाहता है, तो यह अधिकार तो आज से लगभग तीन वर्ष पहले नेहरू-रिपोर्ट के द्वारा, ही मिल गया था—उस नेहरू-रिपोर्ट के द्वारा जिसका समर्थन स्वर्गीय राजा महमूदाबाद जैसे सम्भ्रान्त एवं प्रतिष्ठित मुसलमान ने किया था और जिसका विरोध स्वयं मि० जिन्ना ने किया था। क्या मि० जिन्ना अपने उस विरोध का स्पष्ट कारण जनता के सम्मुख प्रकट कर सकते हैं? इतना ही नहीं, हाल में कॉङ्ग्रेस ने साम्प्रदायिकता के सम्बन्ध में अपनी जो नीति स्पष्टतः घोषित की है, उसमें किसी भी स्थिति में और किसी भी प्रान्त में मुसलमान घाटे में नहीं रह सकते! सच बात तो यह है कि साम्प्रदायिक मुसलमान व्यवस्थापक सभाओं में अपना बहुमत नहीं चाहते; वे व्यवस्थापक सभाओं को 'जी-हुज़ूरों' और 'ख़ान बहादुरों' के लिए स्थायी अड्डा बनाना चाहते हैं। साम्प्रदायिक मुसलमानों की इसी मनोवृत्ति की चर्चा करते हुए हाल में मौलाना ज़फ़रअली ख़ाँ ने अपने सारगर्भित शब्दों में कहा था कि संयुक्त-निर्वाचन का समर्थन करने से मुसलमानों की केवल यही हानि होगी कि व्यवस्थापक सभाओं में 'ख़ान बहादुरों' का अभाव होगा। क्या राष्ट्रीयता का जामा पहन कर मि० जिन्ना वही करना चाहते हैं, जिसका डॉक्टर अन्सारी, मौलाना अब्दुलकलाम आज़ाद, डॉक्टर महमूद, श्री० शेरवानी, श्री० क़िदवई, मौलाना ज़फ़रअली ख़ाँ तथा मुफ़्ती किफ़ायतुल्ला जैसे सम्भ्रान्त मुसलमान घोर विरोध कर रहे हैं? पतन और देश-द्रोह का इससे दयनीय दृष्टान्त और कहाँ मिल सकता है?

❀ ❀ ❀

श्री० जगदीशचन्द्र की हत्या

'भविष्य' के पाठकों को स्मरण होगा कि गत तीसरी मई को लाहौर के शालामार बाग़ में लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्त श्री० सुखदेवराज की गिरफ़्तारी के समय अङ्गरेज़ पुलीस अफ़सरों की गोली से श्री० जगदीशचन्द्र की हत्या की गई थी। श्री० जगदीशचन्द्र की हत्या के बाद उनके दादा ने, जो एक अवसर-प्राप्त सरकारी उच्च कर्मचारी हैं, सरकार को इस बात का चैलेञ्ज दिया था कि श्री० जगदीशचन्द्र न तो क्रान्तिकारी ही थे और न उनका किसी क्रान्तिकारी दल से सम्बन्ध ही था। अब हाल में ही उनकी हत्या के सम्बन्ध में मैजिस्ट्रेट की जाँच प्रकाशित हुई है। मैजिस्ट्रेट की जाँच की निम्न-लिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं:—

(१) गवाही से यह निष्कर्ष निकलता है—जगदीशचन्द्र किसी भी अवस्था में फ़रार व्यक्ति न थे और न किसी फ़ौजदारी के मामले में उनकी उपस्थिति ही आवश्यक थी।

(२) इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उन्होंने किसी पुलीस अफ़सर पर गोली चलाई, इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता कि पुलीस ने आत्म रक्षा में उन पर गोली चलाई। मि० फ़्रेज़र और मि० रॉबिन्सन, ये दो पुलीस अफ़सर जिन्होंने, वास्तव

(शेष मैटर १२वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

षड्यन्त्र के क़ैदी श्री० भागराम मरणासन्न हो रहे हैं !

सहानुभूति में सुखदेवराज तथा अन्य साथियों का अनशन !

लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्त भागराम की दशा जेल में अत्यन्त ख़राब है। वह मूर्च्छा और लक़वा रोग से पीड़ित हैं। उनकी दशा के सम्बन्ध में सुखदेवराज ने स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने नीचे लिखी दरख़्वास्त पेश की है:—

"प्रायः २० दिन हुए, मैंने अदालत से यह अनुरोध किया था कि मुझे श्री० भागराम से मुलाक़ात करने की आज्ञा दी जाय। श्री० भागराम जेल-अस्पताल में मूर्च्छा और लक़वा रोग से पीड़ित पड़े हैं। अदालत ने जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट को हिदायत दी कि वह मुलाक़ात करा दी जाय, बशर्ते कि डॉक्टरी बिना पर कोई एतराज़ न हो। सु०रिण्टेण्डेण्ट ने, जो दुर्भाग्य से मेडिकल ऑफ़िसर भी हैं, स्वास्थ्य का कारण बता कर मुलाक़ात कराने से इन्कार कर दिया।

"सुपरिण्टेण्डेण्ट के इस जवाब को दृष्टि में रखते हुए यह बात बड़ी दिलचस्प है कि अस्पताल में दाख़िल होने के प्रथम सप्ताह में श्री० भागराम को यह इजाज़त मिल गई थी कि उनके साथी अभियुक्तों में से एक अभियुक्त उनके पास उनकी सेवा-शुश्रूषा के लिए रहे। परन्तु एक दिन सुपरिण्टेण्डेण्ट ने एकाएक यह समझा कि यह बात तो ठीक नहीं है। इससे और भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि सु०रिण्टेण्डेण्ट श्री० भागराम के किसी भी साथी अभियुक्त को उनके पास एक मिनट के लिए भी जाने नहीं देना चाहते, किन्तु यदि कोई क़ानूनी सलाहकार उनसे मिलना चाहे, तो सुपरिण्टेण्डेण्ट को कोई शिकायत नहीं है। रोज़ कितने ही आदमी भागराम के पास आते-जाते हैं, किन्तु इसमें कोई एतराज़ नहीं है, परन्तु उनसे सिर्फ़ वही व्यक्ति नहीं मिलने पाता, जिससे वह मिलना चाहते हैं। यह अधिकार और पद का बहुत भद्दा व ग़ैर-क़ानूनी दुरुपयोग है। श्री० भागराम के पास उनका कोई सम्बन्धी नहीं है, जो उनकी देख-भाल कर सके या उनके डॉक्टरी उपचार पर निगाह रख सके। यह डॉक्टरी पेशे के लिए बहुत कलङ्क की बात है। वह अपने धैर्य और सहन-शक्ति की सीमा से बाहर हो गए हैं और मालूम होता है कि मृत्यु से ही, जो उनके कष्टों के इस भीषण और दुःखपूर्ण अध्याय को समाप्त करेगी, वह अपनी तकलीफ़ों से नजात पाएँगे। मृत्यु-शय्या पर पड़े हुए मनुष्य के निराशापूर्ण निश्चय के साथ वह अपने कष्टों के भयावह इलाज की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पिछले पन्द्रह दिनों से उन्होंने अनशन करना शुरू कर दिया है। जेल के अधिकारियों ने उनके साथ अब तक जो कुछ किया है, उससे सन्तुष्ट न होकर उनके ऊपर फ़ौजदारी का एक मुक़दमा चला दिया है।

"श्री० भागराम की स्थिति के साथ सभी न्यायप्रेमी और समझदार व्यक्तियों की सहानुभूति होनी चाहिए। हम उनके साथी अभियुक्त लोग, उनकी इस दशा से अपनी आँखें नहीं बन्द कर सकते। इसलिए मैंने भी अनशन करना और मृत्यु-शय्या पर पड़े हुए अपने कॉमरेड (साथी) का साथ देना निश्चय कर लिया है। प्रमुख षड्यन्त्र केस के अधिकांश अभियुक्तों के भी यही विचार हैं, जो मेरे हैं और उन लोगों ने भी भोजन करना त्याग दिया है। यह पहला ही अवसर नहीं है, जब कि जेल में राजनीतिक क़ैदियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। सभी जगहों के राजनीतिक क़ैदियों की दशा दुखपूर्ण है, किन्तु जिस जेल में मेजर सोंधी सदृश सहानुभूति-शून्य सुपरिण्टेण्डेण्ट हों, वहाँ की दशा तो बदतर है।

"इसलिए यह प्रार्थना है कि अदालत को अभियुक्तों की ओर से इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि अभियुक्तों की शिकायतें फ़ौरन दूर की जायँ।"

लाहौर षड्यन्त्र के अभियुक्तों की सहानुभूति में दिल्ली षड्यन्त्र के अभियुक्त धन्वन्तरि, वैशम्पायन और बी० पी० जैन ने भी अनशन शुरू कर दिया है।

दिल्ली के सहयोगी 'हिन्दुस्तान-टाइम्स' के लाहौरी सम्वाददाता का कहना है कि श्री० भागराम को १६ दिनों के अनशन के बाद १३ अगस्त के दिन ज़बरदस्ती खाना खिलाया गया। उनकी दशा बहुत चिन्ताजनक है।

(११वें पृष्ठ का शेषांश)

में जगदीशचन्द्र पर गोली चलाई थी; इस बात को मानते हुए अपना गोली चलाना स्वीकार करते हैं कि जगदीशचन्द्र सशस्त्र थे।

(३) तीनों यूरोपियन पुलीस अफ़सर, जिन्होंने जगदीशचन्द्र का पीछा किया था और जिनमें वे दोनों अफ़सर भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने जगदीशचन्द्र पर गोली चलाई थी—इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्हें यह मालूम न था कि जगदीशचन्द्र के हाथ में कोई शस्त्र था।

(४) तीनों यूरोपियन अफ़सरों का, जिन्होंने जगदीशचन्द्र का पीछा किया था, यह बयान है कि बाद में ही उन्हें एक रिवॉल्वर दिखलाया गया था, जिसे जगदीशचन्द्र का बतलाया गया। भारतीय पुलीस अफ़सरों का, जिन्होंने पहले सुखदेवराज और जगदीशचन्द्र का सामना किया था, यह वक्तव्य है कि दोनों ने ही पहले रिवॉल्वर निकाला था; पर इस बात को कोई भी नहीं स्वीकार करता कि जगदीशचन्द्र ने वास्तव में किसी पुलीस के व्यक्ति पर गोली चलाई थी।

मैजिस्ट्रेट के इस वक्तव्य के बाद किसी प्रकार की विशेष टीका-टिप्पणी करना उचित नहीं जान पड़ता। परन्तु क्या पञ्जाब-सरकार और भारत-सरकार इस नृशंस हत्या का उत्तरदायित्व अपने सिर पर लेगी? ऐसे विशेष अवसरों पर हमें अपने अभागे देश की ग़ुलामी विशेष रूप से अखरती है। भारत ग़ुलाम है, इसलिए एक भारतीय 'प्राण' का सरकार की दृष्टि में कोई भी मूल्य नहीं—चाहे वह देश के लिए कितना ही अमूल्य क्यों न हो! यदि अभागे और निर्दोष जगदीशचन्द्र की नृशंस हत्याकाण्ड का दृष्टान्त इङ्गलैण्ड में उपस्थित किया गया होता तो इङ्गलैण्ड की सरकार का अस्तित्व ख़तरे में हो जाता। फिर भी हम भारत-सरकार और पञ्जाब-सरकार के कृतज्ञ (!) हैं—उस भारत और पञ्जाब-सरकार के, जिन्होंने श्री० जगदीशचन्द्र जैसे निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर उन्हें "अमर-शहीद" बना दिया है!!!

❀ ❀ ❀

मुसलमान गुण्डापन और हिंसात्मक दमन बन्द करें

देश के पठित मुस्लिम-समाज से राष्ट्रीय मुस्लिम नेताओं की अपील

डॉक्टर अन्सारी, मौ० अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर सय्यद महमूद, श्री० अ़लवी, श्री० शेरवानी०, श्री० अब्दुल मजीद ख़्वाजा, श्री० रफ़ीअहमद किदवई आदि राष्ट्रीय दल के मुस्लिम नेताओं ने देश के मुसलमानों के नाम एक अपील प्रकाशित कर इस बात पर खेद प्रकट किया है कि राष्ट्रीय भावों के मुसलमानों पर उनके विरोधी लोग हिंसात्मक हमले कर रहे हैं।

ये हिंसात्मक हमले और गुण्डापन जान-बूझ कर मुस्लिम जनता में भय उत्पन्न करने और उनको राष्ट्रीय कार्यों में शामिल होने से रोकने के लिए किया जा रहा है और यदि यह तरीक़ा जारी रहने दिया गया, तो न सिर्फ़ लोगों का जीवन ख़तरे में रहेगा और न शान्त तरीक़ों से देश की समस्याओं पर विचार हो सकेगा, बल्कि देश आपस की ही भाई-भाई की लड़ाई का रण-क्षेत्र बन जायगा। इसलिए अपने सहधर्मियों के सभी दल और समुदाय से मेरी अपील है कि उनका विचार चाहे जो हो, वे इन हिंसात्मक, भयकारी और ग़ैर-इस्लामी तरीक़ों को रोकने का प्रयत्न करें और इन बातों की ओर उदासीन न होकर उनकी पूरी-पूरी निन्दा करें और राष्ट्र के सामने जो ख़तरा उपस्थित है, उससे उसे बचाएँ।

अखिल भारतीय मुस्लिम राष्ट्रीय दल की वर्किंग कमिटी की एक बैठक गत ८ अगस्त को बम्बई में डॉ० अन्सारी के निवास-स्थान पर हुई थी। उसमें डॉक्टर अन्सारी, मौ० अब्दुल कलाम आज़ाद, मुफ़्ती किफ़ायतउल्ला, ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ, डॉ० आलम, डॉ० सय्यद महमूद, श्री० अब्दुल मजीद ख़्वाजा, श्री० शेरवानी, श्री० अ़लवी और श्री० रफ़ीअहमद किदवई उपस्थित थे। बैठक में यह निश्चित हुआ कि कमिटी की ओर से देश के विभिन्न भागों में डेपुटेशन भेजा जाय और वह सर्वत्र राष्ट्रीय दल के उद्देश्य लोगों को समझावे और जहाँ-जहाँ मुस्लिम राष्ट्रीय दल क़ायम नहीं हैं, वहाँ-वहाँ क़ायम किए जायँ। यह भी तय हुआ कि जिस तरह से युक्त-प्रान्त और बङ्गाल में राष्ट्रीय मुस्लिम प्रान्तीय कॉन्फ़्रेन्स हुई है, उसी तरह से पञ्जाब, बिहार, सीमा प्रान्त, सिन्ध, मध्यप्रान्त, मदरास आदि सभी प्रान्तों में प्रान्तीय कॉन्फ़्रेन्सें की जायँ। अन्त में कमिटी ने यह भी निश्चय किया कि बम्बई में शान्ति रखने के लिए बम्बई राष्ट्रीय मुस्लिम-दल की ओर से उसका निज का स्वयंसेवक-दल सङ्गठित किया जाय।

❀ ❀ ❀



पुरस्कार

[श्री० सूर्यपाल जी शर्मा]

रविवार का दिन था। मैं अपनी बैठक में बैठा हुआ कई मित्रों से बातें कर रहा था। बहस इस विषय पर हो रही थी की शेख़ गुलाम हुसैन की दूकान पर पिकेटिङ्ग किया जाय या नहीं। नगर के तमाम कपड़े के व्यापारियों ने कॉङ्ग्रेस के विदेशी वस्त्र-बहिष्कार के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परन्तु गुलाम हुसैन ने इन्कार ही नहीं कर दिया था, बल्कि कॉङ्ग्रेस कमिटी के सभापति की हैसियत से एक नोटिस मेरे नाम दे दिया था कि यदि मेरी दूकान पर धरना दिया गया, तो मैं ख़सारत का दावा कर दूँगा तथा स्वयंसेवकों के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी में कार्रवाई करूँगा। अस्तु—

कोई कहता था कि इस दूकान पर पिकेटिङ्ग न किया जाय, नहीं तो हिन्दू-मुस्लिम दङ्गा हो जायगा। दूसरा कहता था, होने दो। सत्य की विजय होगी। किसी ने कहा, यह नोटिस पुलीस के इशारे पर दिया गया है।

ठीक इसी समय स्वयंसेवकों ने आकर सूचना दी कि दो स्त्रियाँ आपसे मिलना चाहती हैं। मैंने कहा—आने दो।

धीरे-धीरे वे दोनों स्त्रियाँ कमरे के अन्दर चली आईं और नमस्ते करके सामने की ओर कुर्सियों पर बैठ गईं। उनमें एक की आयु लगभग ३५ साल रही होगी। रङ्ग गोरा, आँखें बड़ी-बड़ी, नाक कुछ उठी हुई और पेशानी पर कुछ सिकुड़नें थीं। ऐसा मालूम होता था कि बेचारी को कष्टों और परेशानियों ने असमय ही वृद्धा बना दिया है। दूसरी की आयु १८ साल से अधिक न होगी। रङ्ग साँवला, आँखें बदामी और चेहरे पर एक अद्भुत तेज झलक रहा था। परन्तु वह भी परेशान और दुखी मालूम पड़ती थी।

पहली स्त्री ने मेरी ओर देख कर कहा—क्या आपका ही शुभनाम दिनेशचन्द्र है?

मैंने तुरन्त जवाब दिया—"हाँ।" वह स्त्री और कुछ कहना ही चाहती थी कि फिर उसी स्वयंसेवक ने आकर सूचना दी कि कोतवाल साहब बाहर खड़े हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। मैं उसे कुछ उत्तर भी न दे सका था कि दोनों स्त्रियाँ तीर की तरह, बिना कुछ कहे-सुने, पास के कमरे में घुस गईं और धड़ाम से दरवाज़ा बन्द कर लिया। मैं भौचक्का सा रह गया और बड़ी मुश्किल से अपनी परेशानी को दबाता हुआ कोतवाल साहब से मिलने के लिए बाहर आया। कोतवाल से आवश्यक बातें करके वापस आया तो कमरा ख़ाली था, मेरे मित्र इधर-उधर चले गए थे और दूसरे कमरे के दरवाज़े उसी प्रकार बन्द थे। मैंने धीरे-धीरे दरवाज़ा खटखटाया और कहा—"अब आप लोग बाहर चली आइए। यहाँ मेरे सिवाय और कोई नहीं है।"

कमरे का दरवाज़ा खुल गया। अन्दर झाँकने पर देखा कि बड़ी स्त्री एक पलङ्ग पर बेहोश पड़ी है, दूसरी उसे पङ्खा झल रही है। मैंने परेशान होकर पूछा—इन्हें क्या हो गया है? डॉक्टर को बुलवाऊँ?

तुरन्त उत्तर मिला—नहीं, थोड़ा सा जल मँगा दीजिए।

मैंने स्वयं पानी ला दिया। बेहोश स्त्री को पानी छिड़कने से कुछ होश हो गया। थोड़ी देर बाद उसने आँखें खोल दीं।

आज सवेरे से मैं इस तरह कामों में लगा हुआ था कि भोजन भी न कर पाया था। इसलिए मेरी माता जी स्वयं मुझे बुलाने आ पहुँचीं और ठीक उसी समय आईं, जब कि मैं उस बेहोश स्त्री को होश में लाने का प्रयत्न कर रहा था। होश में आने के बाद माता जी उन दोनों को अपने साथ अन्दर लिवा कर ले गईं।

खाना खाते-खाते मैंने माता जी से उन दोनों के बारे में पूछा। उन्होंने कहा—अभी तक मैंने उनसे यह नहीं मालूम किया कि वे कौन हैं? पर हैं बड़ी दुखिनी, चलते-चलते बेचारियों के पैर सूज गए हैं। भोजन भी शायद आज कई दिनों के बाद मिला है। पहनने को दूसरी धोती भी नहीं थी। ऐसा मालूम होता है कि कई रातें जागते-जागते कटी हैं।

माता जी की आँखों में आँसू भर आए। मैं खाना खाकर उठा और माता जी से इनके आने का सब हाल कह दिया। परन्तु जिस प्रकार ये स्त्रियाँ कोतवाल साहब का नाम सुन कर अन्दर चली गई थीं, वह अंश माता जी पर प्रकट नहीं किया। न जाने क्यों यह बताने की इच्छा नहीं हुई।

२

अगले दिन मुझे ज़िला पोलिटिकल कॉन्फ़्रेन्स में शरीक होना था, ठीक समय से पहले ही स्टेशन पर पहुँच गया। प्लेट-फ़ॉर्म पर दो और मित्र मिल गए। उनसे बातें होने लगीं। इतने में एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई। हम लोगों का ध्यान उस ओर बट गया। अकस्मात किसी ने पीछे से मेरे कन्धे पर हाथ रक्खा। मैंने मुड़ कर देखा तो अपने एक पुराने मित्र बाबू नन्दलाल को मुस्कराते हुए पाया। नन्दलाल एक रियासत के सी० आई० डी० विभाग के एक उच्च अफ़सर हैं। बड़े मिलनसार आदमी हैं। कॉलेज में ये हमारे सहपाठी थे। मैंने हाथ मिलाते हुए कहा—कहो यार नन्दलाल, सब कुशल तो है? आज इधर कैसे?

"पहाड़ जा रहा हूँ।" उत्तर देते हुए उन्होंने कुली से अपना हैण्डबेग ५४ नं० की ट्रेन में रख आने को कहा। मुझे यह जान कर ख़ुशी हुई कि कई स्टेशनों तक हमारा और नन्दलाल का साथ रहेगा।

रास्ते में नन्दलाल कहने लगे—भाई, हमारा जीवन बड़ा दुखदायी है। न समय पर खाना न सोना।

मैंने हँसते हुए कहा—तुम्हारे भाई-बिरादरों ने तो यहाँ नाक में दम कर रक्खा है। रात-दिन गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। यह मुसीबत देशी राज्यों में कहाँ? ख़ैर, यह तो बताओ कि शीत-काल में पहाड़ पर कैसे कृपा की? क्या तुम्हारे महाराजा की शुभ-दृष्टि अब गढ़वाल और अलमोड़ा पर पड़ी है? शिमला, सोलन और कुल्लू की चिड़ियों से क्या मन भर गया?

"नहीं भाई, नहीं"—नन्दलाल ने मुस्कराते हुए कहा—"तुम्हें मज़ाक़ सूझता है, और यहाँ जान के लाले पड़ रहे हैं। महाराज के विरुद्ध एक भयानक षड्यन्त्र का पता चला है।"

मैंने कहा—हाँ, मैंने भी समाचार-पत्रों में पढ़ा था कि महाराज की मोटर पर बम फेंकने की व्यर्थ कोशिश की गई थी।

नन्दलाल ने कहा—हाँ, वही मामला है। कई गिरफ़्तारियाँ और तलाशियाँ हुई हैं। कुछ अभियुक्त फ़रार भी हैं।

"कितने मफ़रूर हैं?"

"सात मर्द और दो स्त्रियाँ।"

"क्या स्त्रियाँ भी ऐसे कार्यों में लिप्त हैं?"

"हाँ भाई; औरतों ने ही तो और भी परेशान कर रक्खा है। स्त्रियों की गिरफ़्तारी का इनाम पाँच-पाँच हज़ार है।"

"मित्र, तो ज़रा उन दोनों स्त्रियों की तारीफ़ तो करो।"

"तारीफ़ क्या, उनकी तस्वीर ही देख लो। ये तीन साल पहिले की तस्वीरें हैं।" यह कह कर नन्दलाल ने दो फ़ोटो निकाल कर मेरे सामने रख दिए। मैं ग़ौर से उन चित्रों की ओर देखने लगा। इन चित्रों को देख कर मेरे मन में अपूर्व भाव उठने लगे। बड़ी सुन्दर तस्वीरें थीं। फिर मुझे इनके अपराध का ख़्याल हो आया। मैंने सोचा—हे परमात्मा, क्या इसी अमृत के अन्दर विष है! सहसा मुझे उन दोनों स्त्रियों का ख़्याल हो आया, जो कल से मेरे यहाँ ठहरी हुई हैं। मुझे इन चित्रों में उनकी झलक सी मालूम हुई। मैंने नन्दलाल को दोनों चित्र वापस देते हुए पूछा—इनके नाम तो बताओ।

"छोटी का प्रेममोहिनी, बड़ी का विभावती।"

"तो क्या इन्हीं दोनों को तलाश करने पहाड़ पर जा रहे हो?"

"हाँ, हरद्वार में पता चला है कि इसी हुलिए की दो स्त्रियाँ आकर ठहरी थीं और गढ़वाल जाना चाहती थीं।"

"ख़ैर, तो वापसी कब तक होगी?"

"दो-चार रोज़ में, अधिक समय भी लग सकता है।"

"हमारे घर ज़रूर आना, माता जी तुम्हें याद किया करती हैं।"

"अवश्य आऊँगा।"

मेरा स्टेशन आ गया। 'वन्देमातरम' और 'महात्मा गाँधी की जय' होने लगी। प्लेट-फ़ॉर्म पर सैकड़ों स्वयंसेवक मौजूद थे। मैंने वन्दे कह कर नन्दलाल से विदा ली।

३

दो दिन बाद मैं घर लौटा। दरवाज़े के बाहर मेरी भतीजी प्रकाशो खेल रही थी। ताँगे से उतरते ही वह मुझसे लिपट गई और अपनी तुतली बोली में कहने लगी—चाचा जी, अम्माँ मुझे गङ्गा जी नहीं ले गईं। मेरी छोटी मौसी बड़ी अच्छी है, चलो मैं उसकी बनाई हुई गुड़िया दिखाती हूँ।

मैं मकान के अन्दर गया। प्रकाशो आगे चली गई थी। मैं अपनी बैठक में पहुँच कर कपड़े उतारने लगा। आज इस कमरे की कुछ और ही दशा थी। तमाम किताबें क़ायदे के साथ सजी हुई थीं। मेज़पोश तथा तकियों के गिलाफ़ बदल दिए गए थे। तस्वीरें कुछ नए प्रकार से लगी हुई थीं। मैं यह परिवर्तन देख कर चकित हो गया। अस्तु—

मैं इन स्त्रियों का विशेष हाल जानने और उन्हें नन्दलाल की बातें सुनाने के लिए उत्सुक हो रहा था, इसलिए झटपट नहा-धोकर तथा कुछ जल-पान करके माता जी के कमरे में पहुँचा और अभी पलङ्ग पर बैठा ही था कि प्रेममोहिनी आकर मेरे पैरों पर गिर पड़ी और ज़ार-ज़ार रोने लगी। मैंने उसे उठाना चाहा, पर उसने मेरे पैरों पर सिर रख दिया और कहने लगी—बाबू जी, हमारी रक्षा कीजिए।

मैंने कहा—उठो, मैं यथाशक्ति तुम्हारी सहायता करूँगा।

प्रेमो फिर भी न उठी। वह कहने लगी—सहायता नहीं; रक्षा। हम अनाथों और निरपराधियों की रक्षा!

"क्या वास्तव में तुम लोग निरपराधिनी हो?"

"हाँ।"

"इसका सबूत?"

"मैं दूँगी, अवश्य दूँगी। मनुष्य की दृष्टि में, उसके बनाए हुए क़ानून के अनुसार शायद मैं अपराधिनी हूँ, किन्तु परमात्मा की नज़रों में मैं निर्दोष हूँ।"

उसके इन शब्दों ने मेरे दिल पर बिजली का असर किया। मैंने उसके सिर पर हाथ रख दिया और कहा—यदि तुम निर्दोष हो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी जान पर खेल कर भी तुम्हारी रक्षा करूँगा।

प्रेमो उठ खड़ी हुई और मेरे सामने एक कुर्सी पर बैठ गई। मैंने जो कुछ नन्दलाल से सुना था, उसे बता दिया। उसने सुन कर एक ठण्ढी साँस ली और नीची नज़र करके अपनी कहानी कहनी शुरू कर दी। आह! उसकी दर्द-भरी दास्तान में कितना दर्द था, कितनी वेदना थी। उसने बतलाया कि महाराजा ने उसकी माता को किस प्रकार ज़बरदस्ती छीन कर अपने क़िले में पहुँचाया और किस प्रकार उसके पिता को पोलिटिकल महकमे के द्वारा पचीस हज़ार रुपए का प्रलोभन देकर उससे दस्तबरदार हो जाने को कहा। इन्कार करने पर उसके पिता कारागार में डाल दिए गए और उसकी सारी जायदाद ज़ब्त कर ली गई। उस समय वह केवल चार वर्ष की निर्बोध बालिका थी। वह किसी तरह अपनी मौसी के पास लाहौर चली गई और बारह साल तक वहीं रही। उसके पिता जी किसी प्रकार जेल से छूट कर लाहौर पहुँचे। उनकी दशा अति शोचनीय थी। जेल के कष्टों के कारण उनकी देह जर्जर हो चुकी थी। वे लाहौर आकर बीमार पड़ गए और जब जीने की कोई आशा नहीं रही, तो उन्होंने एक दिन प्रेमो और उसकी मौसी को अपने निकट बुलाया और पास बैठा कर कहा—देखो बेटी, अब तुम नादान नहीं रहीं। अपना अच्छा-बुरा सोच सकती हो। हाय, अगर तुम्हारे स्थान पर मेरा कोई पुत्र होता तो उससे मैं अपने हृदय की बात कह कर शान्ति से प्राण-त्याग कर सकता।

"मैंने कहा"—प्रेमो बोली—"पिता जी, आप मुझे अपने पुत्र के स्थान पर समझिए और निस्सङ्कोच आज्ञा दीजिए, मैं उसका पालन करूँगी।"

"तुम,"—पिता जी ने कहा—"हाँ बेटी, तुम अवश्य मेरा कार्य पूरा करोगी। तुम ज़रूर मेरे अपमान का बदला चुकाओगी।"

यह कह कर पिता जी ने अपने कपड़ों में से कुछ पत्र निकाल कर मेरे हाथ में दिए और कहा—बेटी, यह कुछ ज़रूरी काग़ज़ात तेरी माँ के घातक, नर-पिशाच और वज्र-हृदय महाराजा से सम्बन्ध रखते हैं। देखना, ये किसी प्रकार उस पापी के हाथों में न पड़ जावें, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उस पापी को धूल में मिलाना होगा और उससे बदला लेना होगा।

पिता जी यह कहते-कहते ख़ामोश हो गए। उनकी साँस ज़ोर-ज़ोर से चलने लगी और मुझसे पानी लाने के लिए इशारा किया। मैंने पानी पिता जी मुँह में डाल दिया। कुछ दम लेकर पिता जी ने फिर कहना शुरू किया—बेटी, यदि तुमने बिना बदला लिए अपनी शादी कर ली और अपने पिता की अन्तिम आज्ञा भुला दी, तो याद रखना, मुझे उस लोक में भी शान्ति नहीं मिलेगी।

पिता जी की जिह्वा रुक गई और रुक गया उनके हृदय का वेग। मैं और मेरी मौसी दोनों चिल्ला पड़ीं। मैं अपने पिता से लिपट गई। परन्तु हाय, उस समय मेरे पिता कहाँ थे। उनके तो प्राण-पखेरू प्रथम ही पयान कर चुके थे।

यह कहते-कहते प्रेमो की हिचकियाँ बँध गईं। मुझे भी उसकी कहानी सुन कर बड़ा दुख हुआ। जब कुछ रोने के बाद उसका जी हलका हुआ, तो उसने फिर कहना शुरू किया—"दिनेश बाबू, पिता के मरने और उनके काग़ज़ात हमारे क़ब्ज़े में आने की बात न जाने किस प्रकार उस पापी महाराजा के कानों तक पहुँच गई। पहिले तो उसने इसी आपके मित्र नन्दलाल के द्वारा हमें प्रलोभन देने शुरू किए, जिससे हम वे तमाम काग़ज़ात वापस कर दें। हमारे ऊपर तरह-तरह के दबाव डलवाए गए। मगर हम अङ्गरेज़ी राज में थीं। हमारे ऊपर कोई असर न पड़ा। महाराजा के बड़े-बड़े वसीलों का ख़्याल करके हम एक दूर ग्राम में जाकर रहने लगीं, परन्तु वहाँ भी मुसीबत ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। इधर महाराजा के घोर अत्याचार से तङ्ग आकर बहुत से नवयुवक उसके विरुद्ध हो गए और उन्होंने वायसरॉय को खुल्लमखुल्ला प्रार्थना-पत्र भेजने शुरू कर दिए। धीरे-धीरे समाचार-पत्रों में भी महाराज के अत्याचारों की चर्चा चलने लगी, जिसने एक आन्दोलन का रूप धारण कर लिया। राज्य की ओर से भी प्रत्येक उचित-अनुचित उपाय इसके दबाने का किया जाने लगा। कुछ लोग इस बारे में हमारे पास भी आए और हमसे भी सहयोग देने के लिया कहा। परन्तु हम अबलाएँ कर ही क्या सकती थीं। फिर भी हमारे कुछ काग़ज़-पत्रों की नक़ल उन लोगों ने हासिल कर लीं और उनमें से एक पत्र एक प्रसिद्ध समाचार-पत्र में छप गया, जिसने प्रचण्ड अग्नि में आहुति का काम किया। महाराजा अब हमारे ही पीछे पड़ गया। एक दिन देश के तमाम समाचार-पत्रों में यह ख़बर छप गई कि महाराजा की मोटर को बम से उड़ाने का प्रयत्न किया गया है। यह ख़बर पढ़ते ही हमारे पैरों तले की धरती निकल गई। एक दिन किसी कार्यवश हम लाहौर आई हुई थीं। रियासत की पुलीस ने सरकारी पुलीस के साथ हमारे मकान पर धावा मारा और तमाम चीज़ें उठा कर ले गई। भाग्य से पिता जी के काग़ज़ात हमारे साथ थे। उस दिन से हम अपनी जान बचाने के लिए मारी-मारी फिर रही हैं। न दिन को चैन है और न रात को नींद।"

यह कह कर प्रेमवती ने कुछ काग़ज़ात निकाल कर मेरे सामने रख दिए। उन्हें पढ़ कर मैंने उसकी आज्ञा से अपने पास रख लिया। अब मुझे निश्चय हो गया है कि प्रेमो और विभा निरपराध हैं। मैं उन दोनों के बचाने की प्रतिज्ञा तो प्रथम ही कर चुका था। अब मुझे इस बात की फ़िकर हुई कि किस प्रकार इनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाय।

४

सवेरे आठ बजे का समय था। मुझे डिस्ट्रिक्ट कॉङ्ग्रेस कमिटी की मीटिङ्ग में शरीक होना था। मैं टहलता हुआ स्टेशन पहुँचा। गाड़ी ८॥ बजे छूटती थी। थोड़ी देर के बाद गाड़ी आई। मैं उसमें बैठा हुआ 'हिन्दुस्तान टाइम्स' पढ़ रहा था। गाड़ी छूटने ही वाली थी, इतने ही में मेरे नौकर ने एक तार लाकर मेरे हाथ में दिया। इधर गाड़ी भी छूट गई। तार पढ़ कर मेरे तो होश उड़ गए। तार नन्दलाल ने दिया था,—" Reaching to-morrow noon," अर्थात् कल दोपहर को पहुँचूँगा। यदि एक सप्ताह पूर्व मुझे यह तार मिलता तो मुझे अपार आनन्द होता। पर प्रेमो और विभा की उपस्थिति में नन्दलाल का मेरे यहाँ आना मानो एक ऐसी आफ़त का आना था कि जो निरपराध अबलाओं को भस्म कर सकती थीं। मैंने सोचा कि नन्दलाल से सब हाल कह कर अपनी मित्रता के नाते इन अबलाओं को बचाने की प्रार्थना करूँगा। परन्तु मन ने कहा,—ख़बरदार! पुलिस वालों का विश्वास भूल कर भी न करना। ख़ैर, शाम को वापस आकर इन दोनों को अपने मकान से कहीं दूसरे स्थान पर हटा दूँगा।

नगर कॉङ्ग्रेस कमिटी ने गुलामहुसैन की कपड़े की दूकान पर पिकेटिङ्ग करने की घोषणा कर दी थी। अधिकारीवर्ग इस बढ़ती हुई लहर को दबाना चाहता था। सुनने में यह भी आया था कि पिकेटिङ्ग होने के दिन कुछ गिरफ़्तारियाँ भी होंगी।

गाड़ी स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। मैं उतर पड़ा और अपना टिकट देकर बाहर निकला ही था कि एक 'कार' धड़धड़ाती हुई आकर खड़ी हो गई। उसमें से चार सिपाही और दो थानेदार उतर पड़े। उन्होंने मुझे खड़ा देख कर फ़ौरन घेर लिया। उनमें से एक थानेदार मेरी ओर बढ़ा और एक पत्र निकाल कर मेरे हाथ में दिया। यह मेरी गिरफ़्तारी का वारण्ट था। मैंने इसे पढ़ा और थानेदार को वापस कर दिया। मुझे उसी कार में बैठाया गया और जेल भेज दिया गया।

मैं सोचने लगा कि अब क्या करूँ? आज ही इस कारागार से कैसे बाहर जाऊँ? रविवार का दिन है, ज़मानत भी नहीं हो सकती और ज़मानत पर छूटना भी तो कॉङ्ग्रेस के सिद्धान्त के विरुद्ध है! मैं सर थाम कर बैठ गया। अन्तरात्मा ने कहा—तुम्हें आज अवश्य छूट कर जाना चाहिए।

"क्यों?"

"अबलाओं की रक्षा करने के लिए, अपना प्रण पूरा करने के लिए।"

मुझे ऐसा मालूम हुआ, मानो प्रेमो अश्रुपूर्ण नेत्रों से मेरी ओर देख रही है। मेरे मन में एक अद्भुत प्रकार की वेदना होने लगी। उसी समय मुझे अपने एक मित्र की सुध आई। वे हमारे ज़िले के एक बड़े वकील, रायबहादुर और जेल के ग़ैर-सरकारी निरीक्षक थे। मैंने एक पहरेवाले सिपाही से कहा कि वह किसी प्रकार रायबहादुर को ख़बर कर दे कि मैं उनसे आज ही मिलना चाहता हूँ। पहरेवाला मुझसे भली प्रकार

परिचित था। उसने कहा—"दो बजे मेरा पहरा ख़तम होगा। मैं उन्हें ज़रूर ख़बर कर दूँगा।" मुझे कुछ आशा हुई। मैं लेट गया और अनेक प्रकार के विचारों में डूब गया।

तीन बजने का समय था, मेरी कोठरी का दरवाज़ा खुला और रायबहादुर जेलर के साथ अन्दर दाख़िल हुए। मैंने उनसे कहा—मैं आज ही ज़मानत पर छूटना चाहता हूँ, आप प्रबन्ध कर दीजिए।

"क्यों ?" रायबहादुर ने हँस कर कहा—"क्या इतनी ही देर में उकता गए। यह तो कॉङ्ग्रेस की आज्ञा के विरुद्ध है।"

"जो हो।" मैंने कहा—"मुझे आज ही छुड़ा दीजिए, हमेशा कृतज्ञ रहूँगा।"

"बड़ी कठिन बात है। आज रविवार है और मुझ-जैसे आदमियों के लिए एक राजद्रोही की ज़मानत करना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की नाख़ुशी मोल लेना है। मगर ख़ैर, कोशिश करता हूँ।"

यह कह कर रायबहादुर चले गए। थोड़ी देर बाद मेरी कोठरी का दरवाज़ा फिर खुला। जेलर ने मुझे बाहर आने को कहा। बाहर निकलने पर मुझसे कहा गया कि बड़े साहब मुझे बुला रहे हैं। मैं तुरन्त एक कर्मचारी के साथ कलक्टर साहब की कोठी पर पहुँचाया गया। साहब ने मुझे देखते ही कहा—मिस्टर शर्मा, मुझे रायबहादुर से मालूम हुआ है कि आप आज ही ज़मानत पर छूटना चाहते हैं।

"जी हाँ।"

"क्यों ?"

"मैं कारण नहीं बता सकता, मेरी आत्मा मुझे ऐसा करने को कह रही है।"

"आपका विचार मिस्टर रज़ा के इजलास में परसों होगा। वे तुम्हें ज़मानत पर छोड़ देंगे।"

"परन्तु आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की हैसियत से आज भी छोड़ सकते हैं।"

"नामुमकिन है।"

मैं ख़ामोश हो गया। कमरे में शान्ति छा गई। कलक्टर साहब ने फिर मेरी तरफ़ देख कर मुस्कराते हुए कहा—हाँ, एक तरह आप अभी छूट सकते हैं।

"किस प्रकार ?"

"यदि आप क्षमा-याचना कर लें और दो साल तक कॉङ्ग्रेस में कार्य न करने का वचन दें।"

मैं चुप था। साहब ने फिर कहा—मिस्टर शर्मा, कहिए, मेरी बात स्वीकार है ?

मैं ख़ामोश था।

मैंने सोचा—हाय ! जिन शब्दों के सुनने से भी मुझे घृणा थी; जिनका विचार मुझे स्वप्न में भी नहीं था; जिस कार्य की मैंने अपने व्याख्यानों में बड़े ज़ोरदार शब्दों में निन्दा की थी, वही प्रस्ताव आज मुझसे हो रहा है। मेरे सामने एक ओर कुआँ था और दूसरी ओर खाई थी; एक ओर एक निर्दोष अबला की रक्षा और दूसरी ओर एक पवित्र संस्था के प्रति कृतघ्नता !

मैं नीची गर्दन किए उपरोक्त बातें सोच रहा था। साहब और रायबहादुर की दृष्टि मेरी ओर जमी हुई थी। मेरे सामने फिर प्रेमो के अश्रुपूर्ण नेत्रों का प्रतिबिम्ब दिखाई दिया, और स्मरण हो आई अपनी प्रतिज्ञा। मुझे मालूम हुआ कि मैं विचारों की नदी में बह रहा हूँ। मैं कुर्सी पर तन कर बैठ गया, जैसे कोई नींद से उठा हो। मैंने अपने होंठ चबाते हुए कहा—मुझे मञ्ज़ूर है, सब कुछ मञ्ज़ूर है !

५

अगले दिन तमाम शहर में ख़बर फैल गई कि मैं माफ़ी माँग कर चला आया हूँ। सवेरे से ही मेरे मित्र मेरे मकान पर आने लगे और उसे बन्द पाकर वापस होने लगे। सवेरे आठ बजे का समय था, मुझे इस समय यह फ़िक्र थी कि प्रेमो और विभा को कहाँ पहुँचाया जाय। मुझे इस समय अपना कोई न दिखाई देता था। एक गाड़ी सवेरे ८॥ बजे देहरादून को जाती थी। मैंने तुरन्त गाड़ी मँगाई और प्रेमो तथा विभा को सवार करा कर स्टेशन को चल दिया। हमारा ताँगा कुछ दूर निकल गया था। हम लोग बाज़ार से बच कर एक दूसरी राह से जा रहे थे। उसी समय बहुत से नवयुवकों ने हमारे ताँगे को घेर लिया और उनमें से एक बोला—"दिनेश बाबू, धिक्कार है; आपसे ऐसी आशा न थी !" दूसरा बोला—"क्या कोई ख़िताब मिलने की उम्मीद है ?" फिर सब के सब चिल्ला पड़े—"क़ौमी ग़द्दार हाय-हाय !" "ख़ुशामदी टट्टू हाय-हाय !!" "टोडी बच्चा हाय-हाय !!!"

मैं ख़ामोश था। उस समय यदि कोई वस्तु मुझे सान्त्वना दे रही थी, तो वह थी, प्रेमो के अश्रु-पूरित नेत्र। विभा ने मेरी ओर देख कर कहा—दिनेश बाबू, हाय ! आपकी यह दशा हमारे ही कारण हुई। आपको भगवान इसका बदला देंगे।

हमारा ताँगा ठीक समय पर स्टेशन पहुँचा—हम लोग तुरन्त गाड़ी में बैठ कर देहरादून की ओर रवाना हो गए।

देहरादून के पास ही एक गाँव में मेरी मौसी का घर है। मैं दोनों औरतों के साथ वहीं रहने लगा। विचार इन्हें यहीं छोड़ कर घर लौट जाने का था। इतने में एक दिन एक आदमी मेरे घर से आया। वह कुछ अख़बार और पत्र आदि भी लाया था। उसमें एक पत्र नन्दलाल का भी था। उसने लिखा था :—

"कल दोपहर को मैं तुम्हारे मकान पर पहुँचा। माता जी से ज्ञात हुआ तुम कहीं बाहर चले गए हो। मेरा तार भी तुम्हारी मेज़ पर पड़ा था। पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ कि तुम इस प्रकार घर से चल दिए। परन्तु बाद में सब समाचार जानने पर मुझे तुम पर क्रोध भी हुआ और रहम भी। क्रोध इस कारण कि तुमने मेरी तमाम कोशिशें व्यर्थ कर दीं और रहम इस कारण कि तुमने उन चालाक स्त्रियों के फेर में पड़ कर अपनी शोहरत को धूल में मिला लिया। प्यारे मित्र, एक ऐसे षड्यन्त्र में लिप्त हैं कि जिससे किसी प्रकार नहीं बच सकतीं। यदि तुम्हारी तरह हमारे राज्य में इनकी कोई ऐसी सहायता करता, तो कभी का कुचल दिया गया होता। तुम मेरे बाल-सखा हो, मित्र हो, आत्मीय हो, मैं तुमसे एक अति गोपनीय अनुरोध करूँगा और वह यह कि यदि तुम उन औरतों को गिरफ़्तार करा दो, तो दस हज़ार रुपए तुमको मिलेंगे और यदि किसी प्रकार इनके क़ब्ज़े के तमाम पत्रादि हमें दे दो, तो तुम महाराजा साहब के ख़ास मुसाहिब बना दिए जाओगे और उपर्युक्त पुरस्कार के अतिरिक्त २००) माहवार वेतन तुम्हें सदा मिलता रहेगा, इत्यादि इत्यादि।"

पत्र पढ़ कर मैंने प्रेमो को दिया। प्रेमो उसे पढ़ कर उत्तेजित हो उठी और कहने लगी—यह पापी नराधम, यदि मेरे सामने होता तो मैं इसे समझती। दिनेश बाबू, आप जानते हैं कि यदि आप जेल से आकर हमारी रक्षा न करते और नन्दलाल हमारे सामने आ ही जाता तो हम क्या करतीं ?

प्रेमो का रूप उस समय साक्षात् दुर्गा का था। एक तेज उसके चेहरे पर चमक रहा था। उसने फ़ौरन अपनी साड़ी के अन्दर से एक रिवॉल्वर निकाल कर मेरे सामने रख दिया और ज़ोर से बोली—यह है, अबलाओं का अन्तिम शस्त्र।

विभा ने प्रेमो को शान्त करते हुए कहा—नहीं बेटी, अभी समय नहीं आया। वृक्ष को जड़ से ही काटना होगा। इसके बाद टहनियाँ स्वयम् ही सूख जाएँगी और पत्तियों का तो नाम ही मिट जायगा।

फिर मेरी ओर देख कर विभा बोली—हमें इस स्थान पर कुछ काल तक रहना पड़ेगा। शायद देश की वर्तमान क्रान्ति का फल देशी राज्यों की प्रजा के लिए भी हितकारी हो और निरङ्कुशता का अन्त कर दे।

"अवश्य ऐसा ही होगा।"—मैंने कहा—"जिस समय देवियाँ रण-चण्डी बन जाती हैं, उस समय शुम्भ-निशुम्भ से पापी, चण्ड-मुण्ड से पशु और रक्तबीज से दानव भी सामने नहीं ठहर सकते। मुझे आशा है कि माँ दुर्गा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगी।"

मैंने विषय बदलने के विचार से फिर कहा—"विभा-वती जी, प्रति सप्ताह मेरा विश्वस्त आदमी आप लोगों को देखने आया करेगा। आशा है कि आप निस्सङ्कोच अपनी आवश्यकताएँ मुझे लिखती रहेंगी।" विभा ने मुझे धन्यवाद दिया और कुछ देर के बाद वहाँ से उठ कर चली गई। उसके चले जाने पर मैंने प्रेमो से उसका रिवॉल्वर ले लिया और कहा—"क्यों प्रेमो, यह किसकी स्मृति है ?"

"पिता जी की।"

"और इसकी गोली किसकी जीवन-लीला समाप्त करना चाहती है ?"

"उसी नर-पिशाच नरेश की।"

"और फिर इसके बाद क्या यह किसी भाग्यशाली को पुरस्कार-स्वरूप मिल सकता है ?"

"किस भाग्यशाली को, मैं नहीं समझी।"

मैं ख़ामोश हो गया। प्रेमो मेरी ओर देख कर मुस्करा रही थी। न जाने क्यों मैंने प्रेमो के कोमल हाथ को अपने हाथ में ले लिया और यह शब्द आप ही आप मेरे मुख से निकल गए—"प्रेमो, मैंने तुम्हारी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की थी, आज मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा पालन करने की प्रतिज्ञा करता हूँ।"

मेरा गला भर आया, प्रेमो ने भी नेत्र बन्द से कर लिए और रिवॉल्वर मेरे चरणों में रख कर घुटनों के बल बैठ कर कहने लगी—"दिनेश बाबू, समय आने पर रिवॉल्वर ही क्या, मैं स्वयं पुरस्कार-स्वरूप आपकी दासी बनने में अपना सौभाग्य समझूँगी।"

यह शब्द मेरे लिए अमूल्य पुरस्कार थे।

❀ ❀ ❀



सोवियट शासन की प्रारम्भिक कठिनाइयाँ

[श्री० प्रभुदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०]

यद्यपि तीसरी रूसी क्रान्ति ने रूस के शासन की बागडोर सोवियट के हाथों में सौंप दी थी। पर देश में अब भी ऐसे लोग थे, जो सोवियट शासन को बिल्कुल पसन्द न करते थे। फलतः क्रान्ति के प्रारम्भ होते ही निकिटिन ने सोवियट को धमकी दी थी। उसने बोलशेविकों को लक्ष्य करते हुए कहा था कि "तुम्हारे पास काम करने योग्य शक्तियाँ नहीं हैं। यदि तुम शासन को अपने हाथों में लेने में सफल भी हो जाओ तो हम लोग तुम्हारे साथ मिल कर काम न करेंगे। तुम अकेले रहोगे।" उस समय यह केवल धमकी मात्र थी, परन्तु क्रान्ति के सफल होते ही यह काम में लाई जाने लगी।

खुल्लमखुल्ला सोवियट के मार्ग में रोड़े अटकाए जाने लगे। सब से पहिले रोड़ा अटकाया टेलीफ़ोन-विभाग में काम करने वालों ने। तार और डाक-विभागों में काम करने वालों का नम्बर दूसरा था। उसके बाद बैङ्कों और ऑफ़िसों के क्लर्कों ने भी उनका अनुकरण किया। पेट्रोग्राड की तार एजन्सी ने काम करने से इन्कार कर दिया। इसके बाद शिक्षकों के 'अखिल रूसी सङ्घ' की तरफ़ से शिक्षकों के नाम एक अपील निकाली गई और उसमें शिक्षकों से प्रार्थना की गई थी कि वे स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए खड़े हों; सोवियट सरकार का विरोध करें और उसकी आज्ञाएँ मानने से खुल्लमखुल्ला इन्कार कर दें। फलतः राष्ट्रीय स्कूलों के शिक्षकों ने हड़ताल कर दी। इसके बाद अनेक अस्पतालों की नर्सों ने भी हड़ताल कर दी।

पेट्रोग्राड में धातु की खानों में काम करने वालों की संख्या १,९५,००० थी, ४,७०० पुरुष तार-विभाग में काम करते थे, भिन्न-भिन्न ऑफ़िसों में काम करने वाले क्लर्कों की तादाद २०,००० थी, ६,००० मनुष्य डाकख़ानों में काम करते थे और बैङ्कों के क्लर्कों की संख्या १०,००० थी। ये सब मिल कर पेट्रोग्राड की कुल आबादी का पाँचवाँ हिस्सा होते थे। भला जिस शहर की कुल आबादी का पाँचवाँ हिस्सा सरकार से असहयोग कर रहा हो, उस सरकार की कठिनाइयों का क्या ठिकाना हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि आख़िर ये लोग सोवियट सरकार का विरोध क्यों कर रहे थे? क्या सोवियट शासन से उन्हें आर्थिक हानि की आशङ्का थी?

सन् १९१७ में मज़दूरों के अलावा और लोगों के वेतनों में बहुत बड़ी कमी हो गई थी। उनकी तनख़्वाहें पहिले से आधी हो गई थीं। पर मज़दूरों की तनख़्वाहों में इतनी कमी नहीं हुई थी। इसीलिए इससे पहले ही व्यापार और उद्योग-धन्धों में काम करने वाले केवल १२० रुबल के लिए हड़ताल करने को तैयार थे। डाक और तार-विभागों में काम करने वालों को भी बहुत ही कम वेतन मिलता था। शिक्षकों की स्थिति तो और भी ख़राब थी। वस्तुओं का मूल्य तो पाँच गुना से दस गुना तक बढ़ गया था, पर शिक्षकों का वेतन पहिले से केवल ढाई गुना ही बढ़ा था। किसी शिक्षक का वेतन ९५ रुबल से अधिक न था। इससे पहले की अस्थायी सरकार ने शिक्षकों का वेतन बढ़ा कर १०० रुबल कर देने का वादा किया था, पर यह वादा कभी पूरा नहीं हुआ। फलतः उन लोगों ने 'सास का गुस्सा पतोहू के मत्थे' वाली कहावत चरितार्थ की और सोवियट शासन से नाराज़ी दिखाने लगे।

सिविल सर्वेण्ट आदि जो बड़े-बड़े नौकर थे, उनकी लड़ाई सोवियट से बहुत पुरानी थी। वे जानते थे कि नए शासन में उनकी उतनी क़द्र न होगी। न तो उनके पुराने विशेष अधिकार रहेंगे और न वह दबदबा। वे लोग तो धनिकों के शासन में पले थे, इसलिए स्वप्न में भी यह ख़याल नहीं कर सकते थे, कि ग़रीब लोग भी देश का शासन कर सकेंगे। जो पढ़े-लिखे लोग थे और दिमाग़ से काम करते थे, वे भी जनता के शासन में विश्वास नहीं करते थे। उन्हें मतलब था अपना आर्थिक जीवन सुधारने से और चैन से रहने से। पेट्रोग्राड के सिविल सर्वेण्ट तो भला नौकरशाही के पुर्ज़े ही थे। वे भला सोवियट शासन को कैसे पसन्द कर सकते थे। रेलवे में काम करने वालों की भी वही मनोवृत्ति थी, जो डाक और तार में काम करने वालों की। 'रेलवेमैन' की अखिल रूसी कार्यकारिणी ने क्रान्ति का पहिले ही विरोध किया था। अक्टूबर की क्रान्ति ने युद्ध का अन्त करके बहुत से लोगों की रोज़ी छीन ली थी। क्योंकि युद्ध के समाप्त होते ही बहुत से लोग बेकार हो गए। इसलिए नए शासन का विरोध वे न करते तो कौन करता।

सोवियट के मार्ग में बाधाएँ खड़ी करने के लिए जिन लोगों ने हड़तालें कीं, उनको धनी लोगों ने धन से सहायता की। एक समय जो बैङ्कों के क्लर्कों ने हड़ताल की तो 'कडेट पार्टी' के एक प्रधान मेम्बर कटलर ने हड़तालियों को २,४०,००० रुबल दिए। दोबारा हड़ताल करने पर ४,८०,००० रुबल दिए गए। बड़े-बड़े फ़र्मों ने भी इन लोगों की पूरी मदद की। इस हड़ताल-कोष में 'प्रथम सोवियट कॉङ्ग्रेस' की अखिल रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी ने भी एक बड़ी रक़म दी थी। पेट्रोग्राड के हड़ताल-कोष में २० लाख रुबल थे। इसके सिवा हड़तालियों को फ़्रान्स से भी बड़ी सहायता मिली। इन सहायताओं का अन्दाज़ा इसी से लगा लीजिए कि हड़ताल करते समय मास्को स्टेट बैङ्क में काम करने वालों को अगले दो महीनों की तनख़्वाहें पेशगी दे दी गई थीं।

ख़ैर, इन हड़तालों से सोवियट शासन के विरोधियों को थोड़ी-बहुत सफलता तो मिली ही। परन्तु सोवियट शासन को ये असफल नहीं कर सके। देश में थोड़ी सी गड़बड़ी मची, शासन को कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। परन्तु उसकी जड़ मज़बूत थी। अस्तु—

सरकारी दफ़्तर में काम करने वालों ने हड़ताल करते समय एक 'हड़ताल कमिटी' बनाई और उसका नाम रक्खा "सङ्घों की सङ्घ" (Union of Unions) इस सङ्घ ने एक अपील निकाली, जिसमें लिखा कि पेट्रोग्राड के सरकारी ऑफ़िसों में काम करने वालों के सङ्घों का सङ्घ अपना यह कर्तव्य समझता है कि तमाम सरकारी ऑफ़िसों का काम बन्द कर देने के निश्चय की सूचना जनता को दे दी जावे। बोलशेविकों ने, नङ्गी तलवारों पर भरोसा करते हुए, अपने को सर्वेसर्वा घोषित कर दिया है। अब बोलशेविक राष्ट्रीय शासन के तमाम साधनों पर अपना अधिकार जमाने की बात सोच रहे हैं। अतएव हम लोग सब दलों और सङ्गठनों से जो स्टेट के शासन के सिद्धान्तों को बचाना चाहते हैं, ज़ोरों से अपील करते हैं कि वह एक सर्व-माननीय सरकार क़ायम करने की इस कठिन लड़ाई में हमारी सहायता करें।

और भी कई संस्थाओं ने इसी तरह की घोषणाएँ निकाल कर इस आन्दोलन को आश्रय दिया। सोवियट सरकार के पक्षपातियों ने भी घोषणाएँ निकालीं और शासन को सफल बनाने की जनता से प्रार्थना की। इन घोषणाओं का सार-मर्म इस प्रकार था:—

"धनी लोग मज़दूरों, सैनिकों और किसानों की नवीन सरकार का विरोध कर रहे हैं। उनके अनुयायी राष्ट्रीय और स्थानीय शासन के काम में बाधा डाल रहे हैं। वे बैङ्कों का काम बन्द करने को कह रहे हैं। रेल, डाक और तार का आना-जाना बन्द करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए हम उन्हें आगाह करते हैं कि वे आग से खेल रहे हैं। क्योंकि जो कठिनाइयाँ वे पैदा कर रहे हैं, उनका सब से अधिक कुफल उन्हीं को भोगना पड़ेगा। धनियों और उनके अनुयायियों से भोजन पाने का अधिकार छीन लिया जावेगा। प्रधान अपराधियों की जायदादें ज़ब्त कर ली जायँगी।

"युद्ध-क्षेत्र में अकाल पड़ रहा है। ऊँचे अधिकारी-गण रोड़े अटका रहे हैं। इन भूखों मरने वाले अपने भाइयों के प्रति क्रान्ति के विरोधी सिविल सर्वेण्ट बहुत बड़ा अधर्म कर रहे हैं। इसलिए सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी उनको अन्तिम चेतावनी देती है कि यदि वे अपनी अवज्ञा-नीति से बाज़ न आवेंगे तो उनके विरुद्ध वे कार्रवाइयाँ की जावेंगी; जो उतनी ही सख़्त होंगी, जितनी कि उनके अपराध हैं।"

पर हड़तालियों पर इन घोषणाओं का कुछ भी असर न पड़ा। उन्हें तो अपनी तनख़्वाहों से मतलब था और वह उन्हें मिल रही थी। उनके साथ कोई सख़्ती भी नहीं की जा रही थी। न तो गिरफ़्तारियाँ होती थीं और न गोलियाँ ही चलती थीं। अधिक से अधिक वे बरख़ास्त कर दिए जाते थे और पेन्शन पाने का अधिकार छीन लिया जाता था।

इसी समय कौन्सिल ऑफ़ पीपल्स कमीसरस ने एक सूचना निकाली कि तमाम कमीसरों और केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी के मेम्बरों का वेतन ४०० रुबल से अधिक नहीं हो सकता। ऊँची-ऊँची तनख़्वाहों का अन्त

हो गया और ज़िम्मेदार ऊँचे अफ़सरों का भी उतना ही वेतन निश्चित हुआ जितना कि एक मज़दूर का। परन्तु अस्थायी सरकार के पदाधिकारियों को लम्बी-लम्बी तनख़्वाहें मिलती थीं। ग्वोसडेव को २५,००० रुबल सालाना मिलते थे। केरेन्स्की ने सेनापति होते ही ६६,००० रुबल सालाना लेना प्रारम्भ कर दिया था। इसी तरह और ऊँचे राजकर्मचारी भी लम्बी-लम्बी तनख़्वाहें पाते थे।

एक व्याख्यान में लेनिन ने कहा—"कॉमरेडो और मज़दूरो, याद रक्खो कि देश का शासन तुम स्वयम् करते हो। यदि तुम सब मिल कर देश का शासन अपने हाथों में नहीं लेते तो कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। बस, सोवियट का साथ दो। उसकी सहायता करो। नीचे से काम करना तुम स्वयम् शुरू कर दो; किसी का आसरा न देखो।" उपर्युक्त घोषणा कर लेनिन की अपील का जनता पर ख़ूब असर पड़ा और जनता ने फ़ौरन काम करना शुरू कर दिया। अस्थायी सरकार के कई मन्त्री अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए थे। वे पुराने ढङ्ग से काम करते जा रहे थे। एक महीने तक बराबर अस्थायी सरकार के नाम पर अदालतें अपने निर्णय निकालती रहीं। परन्तु धीरे-धीरे सारी अवस्था बदल गई। 'सरकारी सिनेट' बन्द कर दिया। कौन्सिल ऑफ़ स्टेट तोड़ी गई।

निस्सन्देह पुरानी रूढ़ियों को तोड़ने में सोवियट धीरे-धीरे काम कर रहा था। पर विरोधियों की बाधा-नीति ने उसका काम सरल कर दिया था। शासन के आर्थिक भागों, जैसे, बैङ्कों, डाकघरों और कोआपरेटिव सुसायिटों आदि को सोवियट नष्ट नहीं करना चाहती थी। परन्तु उनकी बाधा-नीति के कारण उसे उन्हें नष्ट कर देना पड़ा। नए-नए लोगों को शासन-कार्य चलाना पड़ा। परन्तु इन लोगों को शासन का अनुभव तो था नहीं, अतएव पहिले कार्य-सञ्चालन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पर धीरे-धीरे अनुभव बढ़ता गया और कार्य-सञ्चालन भी सुगम होता गया।

रेलवेमेन-संघ की अखिल रूसी कार्यकारिणी ने सोवियट के मार्ग में सबसे अधिक रुकावटें पैदा कीं। उसने शुरू से ही सोवियट का ज़ोरों से विरोध किया। उसने घोषणा की कि—"देश में इस समय कोई सरकार नहीं है; सरकार बनने के लिए ज़ोरों से आन्दोलन अवश्य चल रहा है। 'कमीसर कौन्सिल' को (क्योंकि केवल एक पार्टी इसके साथ है) तमाम देश मान नहीं सकता और न उसकी सहायता ही कर सकता है। इसलिए एक ऐसी सरकार की स्थापना अत्यावश्यक है, जिस पर तमाम देश का विश्वास हो। रेलवे की केन्द्रीय कमिटी एक ऐसी ही सरकार की स्थापना में देश की भलाई समझती है, जिसमें सब दल के लोग—बोलशेविकों से लेकर राष्ट्रीय साम्यवादियों तक—भाग ले सकें।" इस संस्था ने बोलशेविकों को चुनौती भी दी कि "अगर पैट्रोग्राड और मास्को में युद्ध बन्द नहीं होता तो १२वीं नवम्बर को १२ बजे रात से ट्रान्सपोर्ट-हड़ताल शुरू हो जावेगी। अब जो लोग सशस्त्र युद्ध जारी रखते हैं, उन्हें रेलवे की यह केन्द्रीय कमिटी लोकतन्त्र का शत्रु और देश का विश्वासघाती घोषित करती है।"

इस संस्था के लोग चाहते थे कि उनकी धमकियों में आकर बोलशेविक लोग समझौता करने को तैयार हो जावें। परन्तु उन लोगों में स्वयं ही एकता न थी। रेलवे के बहुत से मज़दूर सोवियट का साथ दे रहे थे। कहीं-कहीं के रेलवे-मज़दूर सोवियट को सलाह दे रहे थे कि वह इन लोगों को गिरफ़्तार कर ले। रेलवे केन्द्रीय कमिटी ने साम्यवादियों से मिल कर एक मीटिङ्ग करनी चाही। उन्होंने बोलशेविकों से उस मीटिङ्ग में आने को कहा। बोलशेविक भी मीटिङ्ग में जाने को राज़ी हो गए, परन्तु वे चाहते थे कि हड़ताल टल जावे और बोलशेविकों को रेलवे पर अधिकार करने का समय मिल जावे। उनकी चाल काम कर गई। रेलवे केन्द्रीय कमिटी ने हड़ताल मुलतवी कर दी।

ख़ैर, रूस की संस्थाओं की एक सभा बुलाई गई। इस सभा में आठ पार्टियाँ और नौ सङ्गठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। वह सभा दस घण्टों तक बराबर होती रही। गरमागरम बहसें हुईं। विरोधियों ने बोलशेविकों को चुन-चुन कर गालियाँ दीं। अन्त में संयुक्त सरकार क़ायम करने का प्रस्ताव किया गया। पर कुछ लोगों ने कहा कि संयुक्त सरकार अवश्य बने, पर बोलशेविक उसमें न रक्खे जावें। ऐसे लोग चाहते थे कि बोलशेविकों को छोड़ कर बाक़ी सब पार्टियाँ मिल कर एक सरकार क़ायम करें। परन्तु दस घण्टे की बहस के बाद भी सभा कुछ निर्णय न कर सकी। हाँ, एक कमीशन अवश्य चुना गया और इसका काम था, सरकार क़ायम करने के बारे में ठीक-ठीक प्रस्ताव बनाना और गृह-युद्ध बन्द करने का रास्ता बतलाना। परन्तु कमीशन के कार्यों का कोई ठोस परिणाम न निकला। क्योंकि सरकार में बोलशेविकों के भाग लेने का प्रश्न हल न हो सका। तीन दिन की प्रारम्भिक शान्ति का प्रश्न भी हल न हो सका, क्योंकि बोलशेविक लोग इसका विरोध कर रहे थे।

दूसरे दिन प्रातःकाल सभा की बैठक में प्रारम्भिक शान्ति के प्रश्न पर ही विचार होता रहा। सोवियट के विरोधी शान्ति के लिए बहुत उत्सुक थे। वे समझते थे कि तीन दिनों के अन्दर ही केरेन्स्की अपनी सेना लेकर वहाँ आ पहुँचेगा और कालेडिन से समझौता कर लेगा। पर बोलशेविक लोग मानते ही न थे। वे तरह-तरह की माँगें पेश करने लगे और बहसों को ख़ूब बढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि समय टलता जावे। घण्टों घूम-फिर कर उसी बात पर बहसें होती रहीं। शाम को फिर बैठक हुई। इसी बीच में सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी ने गोट्ज़ (Gotz) और ऑक्सेनटी (Auksentie) की गिरफ़्तारी की आज्ञा निकाल दी थी। ये जङ्कर-विद्रोह के नेता थे। जब बोलशेविक बैठक में पहुँचे, तो उनका विरोध किया गया। यद्यपि एक ही दिन पहले मोच कमिटी ने सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी के कमीसरों की गिरफ़्तारी का हुक्म निकाला था और सब किसी ने मोच कमिटी की नीति का विरोध नहीं किया था।

एक मेम्बर ने ज़ोरों से कहा कि जब तक कि गोट्ज़ और ऑक्सेनटी की गिरफ़्तारी की आज्ञा रद्द न कर दी जावेगी, वह मीटिङ्ग में किसी प्रकार का भाग न लेगा। मेनशेविक-अन्तर्राष्ट्रीयों के प्रतिनिधि मारटोव ने भी उसका समर्थन किया। सभा के बहुमत ने विशेष अदालतों और भय-नीति के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया। फिर वही शान्ति का प्रश्न सामने आया। नवीन सरकार के बारे में अनेक योजनाएँ सामने रक्खी गईं।

तीसरे दिन रेलवेमेन अखिल रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें कहा गया था कि "साम्यवादी पार्टियों के बीच में एकमत अत्यावश्यक समझते हुए, अखिल रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी निम्न-लिखित आवश्यक शर्तें पेश करती है:—(१) सोवियट सरकार का प्रोग्राम मान लिया जावे; (२) क्रान्ति के विरोधियों के विरुद्ध लड़ाई जारी रक्खी जावे; तमाम शक्ति द्वितीय कॉङ्ग्रेस की अखिल रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी के हाथों में रहे और वह किसानों से मिल कर काम करे; (४) अखिल रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी के प्रति सरकार ज़िम्मेदार रहे; (५) जिन सङ्गठनों के प्रतिनिधि सोवियट में नहीं हैं, वे सब सङ्गठन केन्द्रीय कार्यकारिणी से अलग रक्खे जावें; (६) केन्द्रीय कार्यकारिणी में कुछ नए प्रतिनिधि बढ़ाए जावें। इनमें उन सोवियटों के प्रतिनिधि होंगे, जिनके प्रतिनिधि अभी तक नहीं हैं। व्यापारिक सङ्घ, डाक और तार-सङ्घ तथा सैनिक सङ्गठनों के भी प्रतिनिधि लिए जावें, पर यह सब प्रतिनिधि नए चुने जाने चाहिए। हाँ, तीन महीनों के अन्दर चुनाव हो गए हों तो दूसरी बात है।"

इसके बाद सामाजिक क्रान्तिकारियों की तरफ़ से एक अपील निकाली गई कि—"अपनी केन्द्रीय कार्यकारिणी की पिछली बैठक में बोलशेविकों ने एक प्रस्ताव पास किया है, जिसका आशय यह है कि सोवियट सरकार की स्थापना से ही साम्यवादी दलों में एकमत हो सकता है। अतः सामाजिक क्रान्तिकारी पार्टी की केन्द्रीय कमिटी समझौते की बातचीत बन्द करती है और समझौते की जो चर्चा चल रही है, उससे अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाती है।"

इस प्रकार समझौते का प्रयत्न निष्फल रहा। टेलीफ़ोन द्वारा प्रेज़िडेण्ट ने इसकी सूचना मास्को ब्यूरो को दे दी। उसने बोलशेविकों को इसके लिए दोषी ठहराया।

समझौते के लिए एक और भी प्रयत्न किया गया। एक बैठक और हुई। इस समय मेनशेविक अन्तर्राष्ट्रीयों ने सोवियट पर हमला किया। शान्ति के लिए ज़ोरों से अपील की गई। भय-नीति को त्यागने को कहा गया; और कहा गया धनी पत्रों पर से रुकावटें हटा ली जाएँ। पर बोलशेविक अपनी बातों पर अड़े रहे। वे रियायतें करने को तैयार न थे। उनका रुख़ इतना कड़ा था कि बातचीत जारी रखना भी कठिन हो रहा था। फलतः वह बैठक भी समाप्त हो गई। अन्त में केन्द्रीय कार्यकारिणी ने समझौते के प्रश्न पर एक दूसरा प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि "अखिल रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी समझती है कि मज़दूरों, सैनिकों और किसानों की सोवियट की प्रत्येक साम्यवादी पार्टी के प्रतिनिधि सरकार में हों। अतः केन्द्रीय कार्यकारिणी सरकार के बारे में तमाम साम्यवादी दलों से बातचीत करने का निश्चय करती है और समझौते के लिए निम्न-लिखित शर्तें रखती है:—

"सरकार केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी के प्रति उत्तरदायी है। केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी में अब १५० प्रतिनिधि होंगे। मज़दूरों और सैनिकों के सोवियटों के इन १५० प्रतिनिधियों के अलावा सूबे की और किसानों की सोवियटों के ७५ प्रतिनिधि बढ़ाए जावें। इन सबों के अलावा नीचे लिखे प्रतिनिधि और बढ़ाए जावें। स्थल-सेना और जल-सेना के ८०; अखिल रूसी व्यापारिक सङ्गठनों के ४०; विकज़ेल के १०; डाक और तार सङ्घ के ५ और ५० डेलीगेट पेट्रोग्राड टाउन कौन्सिल के साम्यवादी दल से, और सरकार की कम से कम आधी जगहें बोलशेविक पार्टी को दी जावें। रूस के तमाम मज़दूरों को सरकार बाक़ायदे सशस्त्र करे।"

केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लेनिन ने प्रस्ताव किया और ट्रॉटस्की ने समर्थन किया कि धनी-पत्रों पर की गई रुकावटें हटाई न जायँ। पत्रों की स्वतन्त्रता को क्रान्ति का विरोधी बताया गया और निजी छापेख़ानों को ज़ब्त करने का प्रस्ताव किया गया।

समझौते के प्रयत्न निष्फल हो रहे थे। पर लोग थके न थे। विकज़ेल ने फिर एक मीटिङ्ग बुलाई। बोलशेविक इस सभा में नहीं गए। इस सभा में समझौता और प्रेस के बारे में केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी के अन्तिम प्रस्ताव पर विचार किया गया। अन्तिम प्रस्ताव से समझौते का मार्ग सरल होता न दिखाई दिया।

निराश होकर उन लोगों ने समझौता करने के प्रयत्नों को बन्द करने का निश्चय किया।

विकज़ेल दल मास्को लौट आया। पेट्रोग्राड में केवल एक छोटा सा 'ब्यूरो' रह गया था, जो सोवियट की शक्ति को कम करने का निष्फल प्रयत्न कर रहा था। कमीसर कौन्सिल ने भी विकज़ेल पार्टी से सब सम्बन्ध तोड़ लिया।

परन्तु विकज़ेल दल भी हाथ धोकर सोवियट के पीछे पड़ा था। जनरल क्रासनव की सेना पेट्रोग्राड पर धावा कर रही थी। एक ट्रेन में ८०० लाल सेना जा रही थी। विण्डासर स्टेशन पर, रेल पर काम करने वालों ने ट्रेन आगे ले जाने से नाहीं कर दी। उन्होंने विकज़ेल के इशारे पर ही नाहीं की थी। बड़ी कोशिश की गई, पर वे तैयार ही न होते थे। ८ बजे सवेरे से लेकर तीन बजे शाम तक वह ट्रेन वहीं खड़ी रही। अन्त में सब से नीचे दर्जे के काम करने वालों ने ट्रेन आगे बढ़ाई। सेना ही नहीं, रेड-क्रॉस की ट्रेनें भी आगे जाने से रोक दी जाती थीं। एक साहब, जो रेड-क्रॉस ट्रेन के साथ जा रहे थे, आप बीती यों लिखते हैं :—

"मुझे याद है कि सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी की रेड-क्रॉस ट्रेन को, जिसके साथ मैं जा रहा था, २ अक्टूबर को पास के शरिटग स्टेशन पर पहुँचने में चार घण्टे लग गए थे और जब हम वहाँ पहुँचे तो स्टेशन-मास्टर ने कहा कि ट्रेन आगे नहीं जा सकती, क्योंकि बारह बजे रात से ही हड़ताल घोषित कर दी गई है। अन्त में लाल सेना की बन्दूक़ ने स्टेशन मास्टर को ट्रेन आगे भेजने को मजबूर किया। मैं स्टेशन पर ही रह गया। क्योंकि ३० डिब्बे की एक ट्रेन को पेट्रोग्राड भेजना था। यद्यपि रेलवे-ऑफ़िस के लोग मुझे जानते थे, पर उन्होंने ट्रेन भेजने की मेरी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। मैं स्टेशन के एक कारख़ाने में चला गया। जो लोग काम पर थे, उन्होंने औरों को भी इकट्ठा किया। तीस डिब्बे जोड़े गए। मरम्मत के लिए आया हुआ एक इञ्जिन जोड़ा गया। ट्रेन पेट्रोग्राड के लिए रवाना हुई। कारख़ाने में काम करने वाले ट्रेन के साथ चल रहे थे।"

जब मास्को में युद्ध शुरू हुआ, तब एक दिन मल्लाहों का बड़ा झुण्ड एक स्टेशन पर इकट्ठा हुआ। वे लोग मास्को जाना चाहते थे। विकज़ेल के प्रतिनिधियों ने उनसे कहा—"हम लोग आप लोगों को आगे नहीं भेज सकते। हम लोग तटस्थ हैं और हम लोग किसी भी पक्ष की सेना को आगे नहीं भेजते।" उसी समय कारख़ानों में काम करने वालों का एक झुण्ड स्टेशन पर आ पहुँचा और उस झुण्ड में से किसी ने चिल्ला कर कहा—"इधर आइए, आप लोग जहाँ जाना चाहते हों, हम लोग स्वयम् आपको ले चलेंगे।" विकज़ेल का प्रतिनिधि घबड़ा उठा। वह बेचारा कर ही क्या सकता था?

इन घटनाओं से विकज़ेल तथा रेलवे के अफ़सरों की मनोवृत्ति का पता चलता है। ख़ैर, इतनी ही थी कि रेलवे के छोटी श्रेणी के काम करने वाले सब के सब बोलशेविकों की तरफ़ थे।

६ दिसम्बर को पेट्रोग्राड के रेलवे-कर्मचारियों के ज़िला सोवियट का सङ्गठन किया गया। उसने नीचे लिखा मेनीफ़ेस्टो निकाला :—

"रेलवे-कर्मचारियों की अखिल रूसी सङ्घ, जिसे 'विकज़ेल' कहते हैं, पहिले ही से समझौता-नीति के पक्ष में थी। केरेन्स्की की सरकार की भी यही नीति थी। इस सङ्घ में वे लोग हैं, जो रेलवे के आम कर्मचारियों से बहुत दूर हैं। इसलिए यह सङ्घ रेलवे-कर्मचारियों का प्रतिनिधि नहीं है और न उनकी माँगों के लिए इसने कोई उद्योग ही किया है। सदा, और विशेषतः जब-जब मज़दूरों, ज़मींदारों और पूँजीपतियों में लड़ाई हुई है, यह मज़दूरों और किसानों के विरुद्ध लड़ा है। जब मज़दूर, सैनिक और किसान ज़मींदारों, पूँजीपतियों और उनके रक्षकों की ताक़त तोड़ने में कोई कसर उठा न रख रहे थे, तब विकज़ेल ने आम हड़ताल की घोषणा की थी। विकज़ेल का लक्ष्य सदा गोल रहा है। और इसने कभी कुछ नहीं किया और न इसने हमारी स्थिति को ही पहिले से अच्छा बनाया है। यह अब मन्त्रियों के स्थानों के लिए सौदा कर रही है, पर कॉमरेडो, ऐसे लोगों में हमारा अब क़तई विश्वास नहीं है। हम लोगों को विकज़ेल की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को आवश्यकता है, एक कॉङ्ग्रेस की, रेलवे-कर्मचारियों की अखिल रूसी एक कमिटी की। इस कॉङ्ग्रेस को बुलाने में विकज़ेल सदैव कठिनाइयाँ पैदा कर रही है......।"

मेनीफ़ेस्टो में यह भी कहा गया था कि कॉङ्ग्रेस २३वीं दिसम्बर को बुलाई जावे। सोवियट सरकार बराबर तीन महीने तक विकज़ेल से लड़ती रही। अन्त में ३१वीं दिसम्बर को कॉङ्ग्रेस की बैठक बुलाई गई। यह कॉङ्ग्रेस पूर्णतया बोलशेविकों के अधिकार में थी। पर इसकी बैठक ६ जनवरी के पहले शुरू न हो सकी। सब के सब बेकार मन्त्री उस कॉङ्ग्रेस में आए थे। विधान-विधायिका सभा का प्रश्न ज़ोरों से आगे लाया गया। कॉङ्ग्रेस में दो दल हो गए। दोनों दलों की शक्ति क़रीब-क़रीब बराबर थी। २१३ वोट विधान-विधायिका सभा के लिए थे और २६१ वोट थे सोवियट सरकार के लिए। इस स्थिति के पैदा हो जाने पर गरम दल कॉङ्ग्रेस से अलग हो गया। इस गरम दल में रेलवे के छोटे कर्मचारी अधिक थे। ये लोग सोवियट सरकार के पक्ष में थे। इन लोगों ने अलग रेलवे-कर्मचारियों की विशेष कॉङ्ग्रेस बुलाई। इसी विशेष कॉङ्ग्रेस ने 'विकज़ेडार' (रेलवे-कर्मचारियों की अखिल रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी) को चुना। इस कार्यकारिणी कमिटी में थे २४ बोलशेविक, १२ लेफ़्ट सामाजिक क्रान्तिकारी और तीन मेनशेविक अन्तर्राष्ट्रीय। यानी कुल मिला कर ३९ मेम्बर थे।

* * *

सच्चा साम्यवाद और स्वप्न

[श्री० 'प्रत्यक्षवादी']

विज्ञान-देश में, जहाँ कोई मानी हुई निश्चित नाप-तोल इस बात की नहीं कि जिससे यह जाना जा सके कि कौन बात बावन तोले पाव रत्ती ठीक है और कौन केवल कपोल-कल्पना मात्र, वहाँ मूर्ख से मूर्ख भी बिना सोचे-समझे अपना अन्तिम मत देने को तैयार खड़ा रहता है। परन्तु जब लोग यह देखने लगते हैं कि अमुक ने, ज्ञान या अन्वेषण ने कितनी उन्नति की; कहाँ तक आगे बढ़ा, तो फिर विचारते हैं कि क्या सचमुच इस अन्वेषण की इतनी तरक़्क़ी हो गई? क्या ऐसी बात का होना सम्भव है, जो अन्वेषक बतला रहा है, तब कोई आश्चर्य की बात नहीं रहती और लोग उसे सत्य मान लेते हैं।

मनुष्य-स्वभाव में अभिनव-निर्माण की आकांक्षा और निर्मित वस्तु के भेदों की जिज्ञासा मौलिक है। अनेक बार उसने चीज़ों को बनाया और फिर उसकी बुनियाद का पता लगाने के लिए उसे ढा दिया। ज्ञान की पिपासा ही मनुष्य को ज्ञानी बनाती है। ज्ञान की प्राप्ति में चाहे जितना समय लगे, कभी भी अतिकाल नहीं होता। परन्तु कसी अज्ञान के फैलने के बहुत बाद जो सच्चा ज्ञान उदय होता है, उसे उस अज्ञान के मिटाने में बड़ा श्रम और समय लगा कर भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

क्या अमुक बात सम्भव है? यह प्रश्न ही किसी प्रचलित बात में सन्देह का द्योतक है। जो लोग उस बात को, जिसमें सन्देह किया जाता है, अपना अमूल्य रत्न समझ कर सुरक्षित किए बैठे हैं, उनको यह सन्देह ज़रूर खटकेगा। वे कभी कान दबा कर नहीं बैठ सकते। सुतरां, प्रचलित बात में सन्देह करने वाले को चारों ओर के विरोधियों का स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नदी पार करने में कपड़ों के भीगने की जोखम तो है ही।

अगर कोई विद्वान आज स्त्रियों के अधिकारों की उदारतापूर्वक चर्चा करे, उन्हें भी विधवा-विवाह करने, पति को परित्याग करने और सब प्रकार पुरुषों के समकक्ष होकर रहने का नैसर्गिक अधिकार सिद्ध करे, तो आज भी अनेक अन्ध-विश्वासी भारतीय उसको दण्ड देने की चेष्टा किए बिना न रहेंगे। यदि आज हम कपोल-कल्पित ईश्वर और बेमूँड़-गोड़ के रचे धर्म के बहिष्कार की बात उठावें, तो कुछ विचारशीलों को छोड़ कर बाक़ी सारे ही पढ़े बे-पढ़े लट्ठ लेकर सिर तोड़ने को उद्यत मिलते हैं। अफ़ीमची अफ़ीम के दोषों को नहीं सुन सकता, अपनी हर प्रगति में अफ़ीम को सर्व दोषाहारी और विशुद्ध अमृत होने का ही स्वप्न देखा करता है। जो कहीं किसी राजा, राजकर्मचारी, ताल्लुक़ेदार, ज़मींदार, साहूकार और धर्मयाजक अर्थात् ईश्वर और धर्म के पुराने ठेकेदार से साम्यवाद की चर्चा करो तो जेल, देशनिकाला, फाँसी, मार-पीट, हुद्दा-तुद्दी, गाली-गलौज और समाज से बहिष्कृत होने का दण्ड सामने दिखलाई देता है।

यह लोग इतने दीदादिलेर और स्वार्थान्ध होते हैं कि प्रत्यक्ष और अनुभूत प्रयोगों को भी ठुकरा देते हैं, तर्क और युक्ति का स्थान तो दूसरा है। जिसको देखिए एक पोथी बग़ल में दाबे या सर में ठूँसे फिरता है और उसीके प्रमाण देता है, यह नहीं सोचता कि इस पोथी की हर बात की सत्यता के लिए ऐतिहासिक प्रमाण के तत्वों से जाँच करने की ज़रूरत है।

इस दशा में, प्रत्यक्षवादी जानता है, कि मेरी खैर नहीं, क्योंकि उसका पूर्व अनुभव उसे बतला रहा है कि जिस मार्ग पर तू चलता है, वह कण्टकाकीर्ण है। परन्तु उसका हृदय यही कहता है—जो तू जानता है, सच-सच कह दे। किसी से तुझे न घृणा है, न भय। फिर क्या—'सत्ये-नास्ति भयं कचित्'।

दो परस्पर नितान्त विरोधी पदार्थों में मेल स्थापित करने वालों को अवश्य ही दुखी होना होता है। सम्पत्ति-उपासक जगत् में साम्यवाद के सिद्धान्तों के तजुर्बे करने की चेष्टा भी कष्ट से खाली नहीं हो सकती। साम्यवाद की रीति पर सङ्गठित कुछ छोटे छोटे समुदायों में, जहाँ ऐसे तजुर्बे कुछ समय तक ठहरे या ठहरे हैं, वहाँ वे केवल इसी कारण ठहरे हैं कि वे समुदाय सारे संसार से अलग होकर अत्यन्त ही सादगी के साथ अपनी साम्पत्तिक पद्धति का अनुभव करते रहे हैं। यह वह समुन्नत सभ्यता नहीं है, जिसे मनुष्य जाति चाहता है। उसके लिए तो उस सभ्यता की जरूरत है, जिसमें सभी मनुष्यों की योग्यता और प्रकृति-प्रदत्त ज्ञान स्वतन्त्रता के साथ, बिना रोक-टोक विकसित हों और सभी सभ्यता से प्राप्त सारे लाभों को पूरी तरह भोग सकें। यह बात तभी हासिल हो सकती है, जब सभ्यता के साधन अधिकाधिक बहुगुणी होकर कला और विज्ञान की उच्चतम सीमा तक पहुँच जायँ। ऐसा नहीं हो सकता कि एक छोटा सा गरोह (समुदाय), जो सब से अलग होकर रहता हो, जिसकी शक्ति और साधन परिमित हो, वह चीज़ हासिल कर ले, जिसकी जरूरत है। चाहे वह गरोह कितनी भी खूबी के साथ क्यों न सङ्गठित हो। परिमित और अलग पड़ा रहने वाला हरेक बाहरी विदेशीय और विजातीय प्रभावों से प्रभावित और विचलित होता रहता है। इस गरोह पर समस्त मनुष्य-जाति में जितना अधिक सम्पर्क होगा, उतनी ही अधिक बाधाएँ उपस्थित होंगी। अङ्ग-अङ्गी सम्बन्ध मिट नहीं सकता। 'कुल' के असर से 'जुज़' बच नहीं सकता। दो बात में से एक बात ज़रूर होगी, चाहे जुज़ कुल में जा मिले, चाहे अलग रह कर सूख जाय; तीसरा कोई मार्ग ही नहीं रहता।

वैयक्तिक पूँजी-प्रधान जगत् में, धनिक-सञ्चालित समाज में मनुष्य धनिक-समाज के ही रास्ते पर चलते नजर आएँगे। जैसे किसी बड़ी मैशीन में एक छोटा सा पुर्ज़ा काम करता है, इसी तरह एक व्यक्ति भी सारे समाज में काम करता रहता है। मैशीन में एक नियमित रूप से सारे पहिए, छोटे-बड़े पुर्जे जैसे अपना-अपना नियत काम करते हैं, वही दशा हरेक मनुष्य की भी है। शेष समष्टि का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है, व्यक्ति का प्रभाव समष्टि पर पड़ता है। दोनों मिल कर पूर्णता पैदा करते हैं, दोनों मिल कर ही उस दशा को पैदा करते हैं, जिसमें वे हैं।

इसलिए जो कोई कोशिश करता है कि मैं अकेला सबके विरुद्ध काम करूँ और समझता है कि मैं अकेला एक ख़ास रास्ते पर चलने में कृतकार्य हो जाऊँगा, वह भूल करता है। जो समझता है कि मैं अकेला बलात् उस सामाजिक गढ़ को तोड़ डालूँगा, जिसमें हम सब बन्द हैं, वह ग़लती पर है। जो अपना स्वर्ग अलग अकेले बनाने जाता है, उसे ठोकर खाने के बाद मालूम होगा कि मैं कितना निर्बल और अयोग्य हूँ। इसलिए धनिक संसार में रहते हुए चाहे कोई एक व्यक्ति हो या कुछ लोगों का एक समुदाय हो, अगर चाहता है कि साम्यवाद स्थापित कर लूँ, वह केवल अनोखा स्वप्न देखता है। इस तरह पर साम्यवाद स्थापना की चेष्टा से कच्चापन प्रकट होता है। कच्चेपन के भाव से नासमझों में साम्यवाद के पवित्र विचारों और भावनाओं के लिए अविश्वास और अश्रद्धा पैदा होती है और जिन अधिकार-प्राप्तों, धनवानों के छोटे से समुदाय के विरुद्ध हमारा आन्दोलन होता है, वह सचेत होकर हमारे प्रतिकार के लिए कटिबद्ध हो जाता है। क्योंकि वह दल साम्यवाद से डरता है और अत्यन्त छोटा होते हुए बलशाली है।

साम्यवाद के अनुभूत वैज्ञानिक रास्ते पर चलने से ही कार्य-सिद्धि सम्भव है। आनन्द की बात है, आजकल निर्धन जनता सारे संसार में साम्यवाद को समझने लगी है। जितना जानकार जनता को परिस्थितियों ने बनाया और बनाती जा रही हैं, उतना ही साम्यवादियों के सुदृढ़ और पुष्ट तर्कों ने भी बनाया है। कटुवाद, उद्दण्डता और वितण्डा से कुछ हानि भी पहुँचती है। हम बातों को मधुर शब्दों में युक्तियुक्त बात सरलतापूर्वक ज्यादा जल्दी समझा सकते हैं। अभी ग़रीबों में बहुत लोग ऐसे हैं जो भाग्य और ईश्वर के फन्दे में अपने गले फँसाए बैठे हैं, और निकलना नहीं चाहते। जहाँ एक-एक श्रमजीवी, पुरुष हो या स्त्री, प्रत्येक घटना को आँख खोल कर देखने लगा है, वहाँ वह परलोक सम्बन्धी गपोड़े को बिल्कुल भूला नहीं। यद्यपि हमारा किसान, हमारा मज़दूर, हमारा कारीगर अच्छी तरह जानता है कि बनावट से कुछ नहीं हो सकता, बात की जड़ होनी चाहिए; जो काम होना ही है, उसे कर दिखाना चाहिए, वह एक प्रदेश या परिमित स्थान में नहीं, किन्तु सर्वत्र मात्र पृथ्वी पर, मनुष्य मात्र में। अलग रहने की ज़रूरत नहीं। फिर भी वह धर्म की वेदी पर अपना गला कटाता है, 'काशी करोत' लेता है, कोहसीना या यरोशलम में क़ुर्बानियाँ चढ़ाता है। यह एक अर्द्ध-निद्रित अवस्था है।

ज़रूरत है कि हम मधुर और युक्तियुक्त शब्दों में अपने ९५ प्रतिशत भूखों मरतों को समझाएँ कि सारी पुरानी या गई-मरी बातों को परे कर दें और जो बातें मरणोन्मुख या मृत-प्राय हैं, उन्हें इञ्जेक्शन देकर जल्दी हटावें। हमारा काम है कि हम विचार की स्वतन्त्रता के साथ जहाँ कहीं बुराई देखें, उसकी तीव्र, किन्तु युक्तियुक्त, हृदयग्राही, आलोचना करें। सब ओर से होने वाले आक्रमणों को, आलोचनाओं-प्रत्यालोचनाओं को चाव से पढ़ें। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आलोचकों, विरोधियों या प्रबल शत्रुओं को इस बात पर मजबूर कर दें कि बुराइयों के कारणों को तलाश करें। जब हमारे शत्रु और मित्र दोनों वास्तविक कारणों को जान लेंगे तो बुराइयों के हटाने की दवा स्वतः निकल पड़ेगी।

जैसे ठग लोग जिससे धन हरना चाहते हैं, उसे कुछ खिला-पिला कर पहले बेहोश कर देते हैं, वैसे ही हम ग़रीबों को भी धर्म का नशा पिला कर पहले से ही बेहोश किया हुआ है। हम नहीं देखते कि हमारी आँखों के सामने हमारे नन्हें-नन्हें बच्चे, अन्न को तरसते हैं, वस्त्र-विहीन जाड़े-गर्मी की कठिनाइयाँ झेलते फिरते हैं, विद्वान बन नहीं सकते, क्योंकि धन नहीं है। फिर भी हम यह देखते हैं कि देश के मनुष्यों के मुँह में टुकड़ा न पहुँचा कर तीर्थ-यात्रा करने, पुरोहितों और धर्मयाजकों को लुटाने से हमारे लिए स्वर्ग में हवेलियाँ तैयार होती हैं। ऐसे आँख वालों का बेड़ा पार जाना सम्भव नहीं। जिस जनता में सुनी बातों और पुस्तक की कहानियों में आँखों देखी बातों से हज़ार गुना ज्यादा विश्वास है, वह अपनी सच्ची मुक्ति को कैसे समझ सकती है?

अगर हम पुरोहिती छल को समझ लें तो राज-छल का समझना आसान है। पहले राज-छल को ही समझ लेने वाले पुरोहिती छल-ग्रस्त लोगों को फन्दे से निकलना कठिन प्रतीत होता है। क्योंकि राज-कोष से बराबर धन धर्म फैलाने वालों को मिलता रहता है। सारी ज़कात, दान-पुण्य, सारी सरकारी धार्मिक इमदाद राज और धनवानों की ओर से उन लोगों को मिलती रहती है, जो धर्म का नशा पिलाते रहते हैं। धर्म के नशे में हमारे भाई सब्ज़ बाग़ देखा करते हैं। इस भूल में हमारी बहिनें हमसे ज्यादा आगे बढ़ी हुई हैं। अगर हम इन्हें समझा सकें तो इनका अन्न वस्त्र का कष्ट बहुत जल्द मिट जाय और हमारा आगे का कर्तव्य स्वतः दिखलाई देने लगे।

❀ ❀ ❀

देखते ही देखते बदला तेरी महफ़िल का रङ्ग

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

क्या है किसके दिल में हसरत, क्या है किसके दिलका रङ्ग,
देखता हूँ दूर से, मैं भी तेरी महफ़िल का रङ्ग।
हमने यह माना, शहीदाने[1] वफ़ा चुप भी रहें,
हश्र[2] में कह देगा, ख़ूने दामने क़ातिल का रङ्ग।
ख़ून रो देता है, अक्सर ख़ूने हसरत देख कर,
पूछते क्या हो, तुम अपने ग़मज़दा[3] के दिल का रङ्ग।
आज सूरत और कुछ है, कल थी सूरत और कुछ,
देखते ही देखते, बदला तेरी महफ़िल का रङ्ग।
देखते हैं किसलिए, झुक झुक के सातों आसमाँ,
क्या बदलता है ज़मीने कूचए क़ातिल का रङ्ग?
एक सूरत, एक पहलू पर कभी रहता नहीं,
आज कुछ है, और कल कुछ है हमारे दिल का रङ्ग।
एक तो पढ़ना क़यामत, दूसरे कहना ग़ज़ब,
ग़ैर मुमकिन है कि उखड़े हज़रते "बिस्मिल" का रङ्ग।

१—मरने वाले, २—प्रलय, ३—दुखी।

कविता-कुञ्ज

भारत के प्रति—

[कविवर आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव]

जिन आत्मीयों का रख छोड़ा
तुमने दलित जाति है नाम,
जिन्हें तुच्छ कहते हो, जिनसे
सदा रहा करते हो वाम,
जिन्हें श्वान से भी कह नीचा
करते हो तुम स्पर्श नहीं,
बिना समुन्नत हुए उन्हीं के
होगा तव उत्कर्ष नहीं।
गले लगा लो उन्हीं अछूतों—
को तुम शीघ्र सहित सम्मान,
उनको भी आगे बढ़ने दो,
समता का पद करो प्रदान।

जिन्हें उच्च समझे हो, देंगे
जान न वे भारत के हेतु,
जिन्हें नीच समझे हो, आगे—
वही चलेंगे लेकर केतु।
इसीलिए हो सजग, उन्हीं का
सुखमय होने दो जीवन,
भेद-भावमय व्यवहारों से
पीड़ित करो न उनका मन।
गले लगा लो उन लोगों को
तुम बस शीघ्र सहित सम्मान,
उनको भी आगे बढ़ने दो,
समता का पद करो प्रदान!

जब करते हो अपने प्रियजन
पर ही तुम यों अत्याचार,
तब विरुद्ध अत्याचारों के
जो कहते हो, वह निस्सार।
शिक्षा दी है प्रभु ने तुमको
नहीं हटेगा दुख का भार,
जब तक छोड़ न दोगे करना—
अपने जन से दुर्व्यवहार।
गले लगा लो सभी अछूतों
को तुम शीघ्र सहित सम्मान,
उनको भी आगे बढ़ने दो
समता का पद करो प्रदान।

* * *

अमर

[श्री० चतुर्भुज जी माहेश्वरी]

पराधीन हो सुधा-पान करना दुनिया में दुख है।
स्वतन्त्रता-युत गरल-पान भी मेरे मत से सुख है॥
जीना-मरना दुनिया में तो नित्य लगा रहता है।
देश-हेतु जो मरे उसे ही अमर विश्व कहता है॥

* * *

भारतीयों के प्रति—

[श्री० अनन्तप्रसाद जी विद्यार्थी]

त्याग दिए तुमने सब अपने जन्म-जात अधिकार,
नहीं रक्त वीरों का तुममें करता अब सञ्चार,
आज हो रहे हो तुम केवल भरतखण्ड के भार,
ऐसे नरताहीन तुम्हारे जीवन को धिक्कार!

❀

अपना लिया स्वयं तुमने है पराधीनता-पाश,
नहीं आज भारत-माता को रही तुम्हारी आश,
जीवित अपने को कहते तुम देख श्वास-प्रश्वास,
दिन पर दिन होता ही जाता किन्तु तुम्हारा ह्रास।

❀

देश, धर्म की बलि-वेदी पर त्यागे जिनने प्राण,
गाता सारा विश्व आज तक जिनका गौरव-गान,
उन्हीं महापुरुषों की तुम हो भारतीय! सन्तान,
किन्तु सह रहे हो पद-पद पर तुम सारे अपमान।

❀

उठो, उठो! कैसे सपूत हो देखो आँखें खोल,
क्रान्ति-लहर ने किया कुशासन-आसन डावाँडोल,
बजता है समराङ्गण में यह सुन लो सैनिक-ढोल,
बढ़ो समर में निर्भय होकर भारत की जय बोल।

❀

लखो! स्वर्ग से वीर पूर्वज देते आशीर्वाद,
रणस्थल से सुनो आ रहा है किसका जयनाद,
खड़ी हुई वह वृद्धा सुन लो देती क्या सम्वाद—
'मर जाना या जीवित रहना हो करके आज़ाद।'

❀

पराधीनता के कष्टों से होते हो तुम त्रस्त,
हुआ जा रहा आज तुम्हारा भाग्य-दिवाकर अस्त,
उठो! भीरुता त्याग बनो अब निर्भय वीर प्रशस्त,
मातृभूमि-हित-हेतु झेल लो हँस कर क्लेश समस्त।

❀

भय के मारे बोल न सकते हो तुम सच्ची बात,
वृथा डींग हाँका करते हो पर निर्भय दिन-रात,
नहीं जानते क्या इस पथ में सहना है आघात,
पद-पद पर करना होवेगा अपना शोणित-पात।

❀

स्वतन्त्रता की वेदी पर हँस कर जो देते प्राण,
मातृभूमि का गाते रहते नित-प्रति गौरव-गान,
रखते हैं प्रति क्षण सचेत हो स्वाभिमान का ध्यान,
कर सकते हैं वीर वही निज पाशों का अवसान।

❀

तुम हो वही किन्तु तुममें है नहीं भाव प्राचीन,
दुखद-दीनता-घालक थे, पर स्वयं हुए हो दीन,
वृहत् क्लेश-सागर में रहते हो तुम जैसे मीन,
यम से भी डरना मत सीखो होना यदि स्वाधीन।

* * *

समर्पण

[डॉ० माताप्रसाद जी त्रिपाठी, 'महेश' साहित्याचार्य]

निज जीवन-डोर को दे तुमको,
विष-बीज जहान में बो चुके हैं।
अब कौन कहानी रही कुल-कानि की—
लाज-जहाज़ डुबो चुके हैं।
तन से, मन से, अपना के तुम्हें,
यश, मान 'महेश' जू खो चुके हैं।
तुम चाहो न चाहो ये जानो सही,
हम एक तिहारे ही हो चुके हैं।

❀ ❀ ❀

अन्वेषण

[श्री० कृष्णाहरिशेन्द्रे, बी० ए० 'कृष्ण']

व्यर्थ ही मैंने किया प्रयास।
न पाया तेरा क्षुद्र प्रकाश॥
तत्वज्ञों के दिग्दर्शन में,
तर्कवादियों के घर्षण में,
रसायनिक के आकर्षण में,
हुआ न तेरा भास।
व्यर्थ ही मैंने किया प्रयास॥

❀

सत्पुरुषों की अभिलाषा में,
दार्शनिकों की परिभाषा में,
उत्सुक प्रेमी की आशा में,
मिली न तव उच्छ्वास।
व्यर्थ ही मैंने किया प्रयास॥

❀

इतिहासज्ञों की घटना में,
शुद्धिवादि की सङ्घटना में,
चातक की स्वाती-रटना में,
पाया तव न विकास।
व्यर्थ ही मैंने किया प्रयास॥

❀

कवियों की कल्पना-शक्ति में,
भक्तजनों की उच्च भक्ति में,
विषयी की अन्धानुरक्ति में,
देखा तव न सुहास!
व्यर्थ ही मैंने किया प्रयास॥

❀

कर्मयोगियों के योगों में,
इन्द्रिय-लोलुप के भोगों में,
दुःख-ग्रसित जन के रोगों में,
तेरा मिला न वास।
व्यर्थ ही मैंने किया प्रयास॥

❀

खोजा तुझको सर्व-देश में,
लीलामय! सब काल-वेष में,
हन्त, न ढूँढ़ा हृद-प्रदेश में,
विहँस खड़ा था पास।
व्यर्थ अब तक हा! किया प्रयास॥

* * *

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



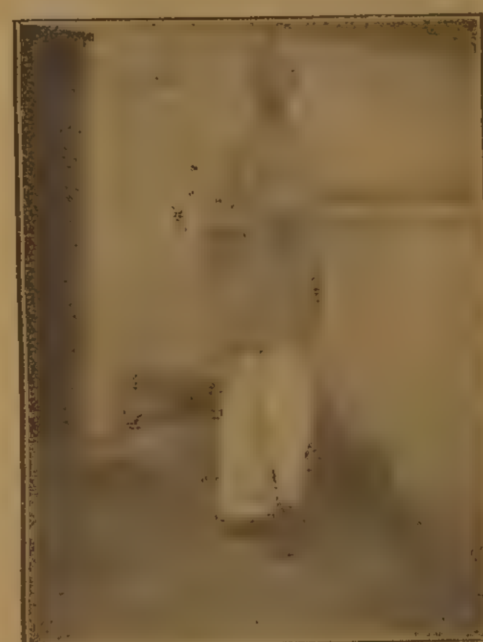
लन्दन की सुप्रसिद्ध समाज-सेविका—कुमारी म्युरियल लेस्टर—जो पिछले ३० वर्षों से मनुष्य-मात्र की सेवा कर रही हैं। महात्मा गाँधी यदि विलायत गए तो आप ही के मेहमान होंगे।



जबलपुर केण्टोन्मेण्ट के चार वीर बालक, जो विगत सत्याग्रह संग्राम में जेल गए और छावनी से निकाल दिए गए थे।



बम्बई की ताड़ी की दूकानों का धरना। इन धरना देने वालों ने बम्बई में शराब तथा ताड़ी की बिक्री हराम कर दी है। कोई शौक़ीन पीने वाला दीवार फाँद कर न चला जाए, इसलिए वालण्टियर दीवार पकड़े खड़े हैं।



श्री० परमेश्वरीलाल गुप्त, मन्त्री युवक-सङ्घ, आज़मगढ़। आप एक अमीर ख़ान्दान के एकलौते उत्तराधिकारी हैं। परन्तु सर्वस्व छोड़ कर देश-सेवा में लगे हैं।



बाली (डच ईस्ट इण्डीज़) का एक प्रसिद्ध शिव का मन्दिर, जो अपने नाना प्रकार के भगवानों की अपेक्षा अपनी बनावट और सौन्दर्य के लिए विशेष विख्यात है।



जो विचित्र चश्मा पाठक इस चित्र में देखेंगे, हाल ही में अमेरिका में इसका आविष्कार हुआ है। बग़ल में एक शीशा इस प्रकार लगाया गया है, जिससे पीछे की सारी चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं—पीछे घूम कर देखने की झञ्झट भी जाती रही!



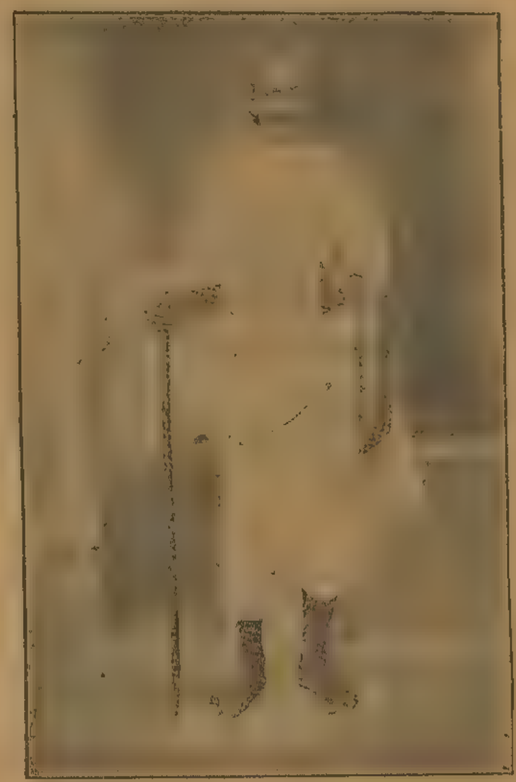
बाली द्वीप की वे अभागिनी देवदासियाँ, जिनका एक-मात्र धर्म मठाधीश अथवा पुजारियों के चरणों पर अपना सर्वस्व निछावर करना बतलाया जाता है और ४ वर्ष की आयु से ही इस शिक्षा (!) का श्रीगणेश होता है। यही देवदासियाँ नर्तकी का कार्य भी करती हैं। इस चित्र में पाठक इन्हें नाचने की पोशाक में देखेंगे !!

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

मारवाड़ का भीषण कलङ्क



साधुता का ढोंग रचने वाले मारवाड़ के रामानुज-सम्प्रदाय के साधु



भोग की चिता को दहकाने वाले मारवाड़ी जैनियों के 'जती'



मारवाड़ का एक कबीर-पन्थी साधु



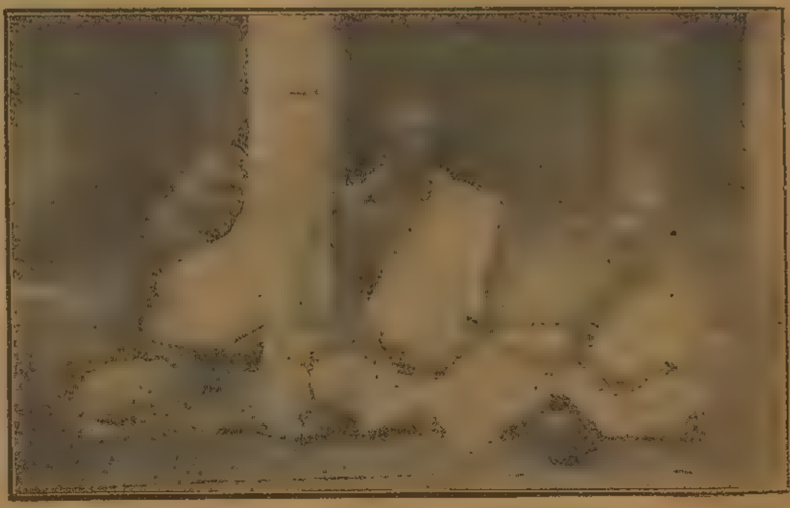
समाज में नाना प्रकार के अनाचार फैलाने वाले मारवाड़ के अलखधारी गोसाईं



पाखण्ड रच कर हिन्दुओं को मूँड़ने वाले मारवाड़ के साधुओं की एक मण्डली



मारवाड़ का रक्त शोषण करने वाले मारवाड़ी "भोजन-भट्ट"



मारवाड़ में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले तथा सदाचार सम्बन्धी दोषों को फैलाने वाले रामसनेही साधु

यदि अवसर दिया जाय तो स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकतीं ?



बम्बई की 'जस्टिस ऑफ़ दि पीस'—श्रीमती जनकबाई रोकड़े—आप सुप्रसिद्ध समाज-सेविका भी हैं।



डिण्डीगल (मद्रास) म्युनिसिपैलिटी की सदस्या—मिसेज़ ई० रॉबर्ट्स—आप मद्रास गवर्नमेण्ट की ओर से नामज़द की गई थीं।



कराची के "लेडीज़ कॉस्मोपोलिटन क्लब" की प्रधाना—श्रीमती रूपचन्द बिलाराम—आप सिन्ध के जुडिशल कमिश्नर श्री० रूपचन्द बिलाराम की धर्मपत्नी हैं।

☞ कुर्ग के भूतपूर्व एम० एल० सी० श्री० के० पी० चिनप्पा की १७ वर्षीय कन्या-रत्न—कुमारी चिनप्पा—जो गुरुकुल काङ्गड़ी में अध्ययन कर रही हैं! संङ्गीत-शास्त्र में दक्षता प्राप्त करना ही आपके जीवन का ध्येय है।





☜ धारवाद (कर्नाटक) के महिला विद्यालय की जन्मदात्री—स्वर्गीया श्रीमती लक्ष्मीदेवी कुम्भकोणम—आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सदस्या तथा सुप्रसिद्ध समाज-सुधारिका थीं—हिन्दी भाषा से आपको विशेष प्रेम था।



☜ मैसूर के महारानी कॉलेज की अधिष्ठात्री—श्रीमती के० डी० रुक्मिनी अम्मा, बी० ए०—मैसूर सरकार की ओर से आप उत्तराधिकार निर्णायक समिति (Hindu Law of Inheritance) की सदस्या नियुक्त की गई हैं।

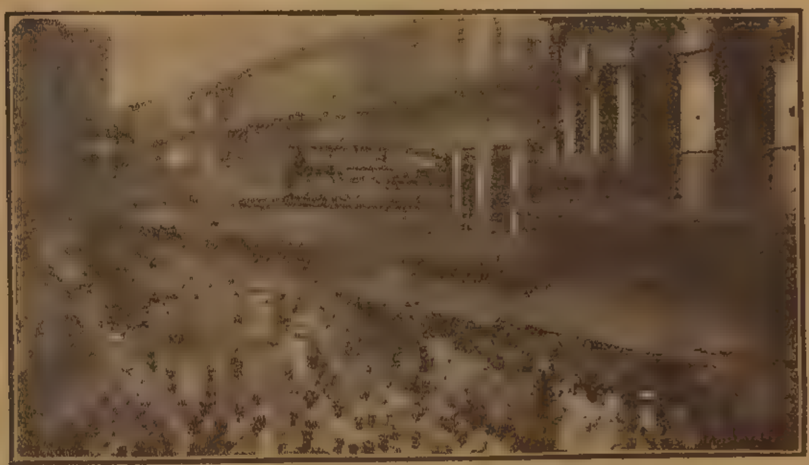
☞ कोट्टायम (मद्रास) की सुप्रसिद्ध गान-विद्या-विशारदा—श्रीमती टी० के० माधवी अम्मा—आपको सङ्गीत-पाण्डित्य के लिए अब तक कई पदक तथा पुरस्कार मिल चुके हैं। किन्तु अभी तक आप केवल अध्ययन मात्र कर रही हैं।



'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



जयपुर का नया राजमहल, जो अपनी सुन्दरता के लिए जगत्प्रसिद्ध है। महल के सामने पाठक सङ्गमरमर का तालाब भी देखेंगे, जो स्वयं ही अपनी उपमा है।



कानपुर की प्रसिद्ध गाँधी सेवा-समिति का साइनबोर्ड। इसमें नीचे के तार साफ़ दीख रहे हैं। इसी साइनबोर्ड को हटाने की ज़िद में मुसलमानों ने ताज़िए नहीं दफ़नाए।



बर्मा के भीषण उपद्रवों के कारण भागे हुए अभागे भारतीय, जो रङ्गून से विशेष जहाज़ों पर सवार होकर भागे हैं। पाठक इस चित्र में उन्हें मद्रास के बन्दर पर उतरते देखेंगे।



झील पर से जयपुर के राजमहल का सुहावना दृश्य



दैर को हम घटाएँ क्यों काबे को हम बढ़ाएँ क्यों, क्या है ख़ुदा का घर यही, क्या वह ख़ुदा का घर नहीं ?
मतलब है इबादत से मुझको, मतलब है परस्तिश से मुझको, जिस दरपे झुकाया सर मैंने, काबा था वही बुतख़ाना था।

ताब[1] नहीं, सुकूँ[2] नहीं, दिल नहीं, अब जिगर नहीं,
अपनी नज़र किधर उठे, कोई इधर-उधर नहीं।
रोज़ो[3] शब उठते-बैठते, है लबे यार पर 'नहीं',
कोई नहीं की हद नहीं, शाम नहीं, सहर[4] नहीं !
कौन यहाँ से चल दिया, रौनक़े बामो दर नहीं,
देख रहा हूँ घर को मैं, घर है मगर वह घर नहीं !
इतनी ख़बर तो है ज़रूर, ले गए दिल वह छीन कर,
क्या हुआ उसका फिर मआल[5], इसकी मुझे ख़बर नहीं।
क्यों वह इधर-उधर फिरें, क्यों यह हुदूद में रहे,
तेरी नज़र तो है नज़र, मेरी नज़र नज़र नहीं।
मुझसे बिगड़ कर अपने घर, जाइए ख़ैर जाइए,
आपने यह समझ लिया, आह में कुछ असर नहीं।
दैर[6] को हम घटाएँ क्यों, काबे को हम बढ़ाएँ क्यों,
क्या है ख़ुदा का घर यही, क्या वह ख़ुदा का घर नहीं।
परदे से बाहर आइए, रुख़[7] से नक़ाब उठाइए,
ताबे जमाल[8] लासके, इतनी मेरी नज़र नहीं।
मुझको ख़याले रोज़ो शब, ख़ाक रहे मज़ार में,
ऐसी जगह हूँ जिस जगह, शाम नहीं सहर नहीं।
तेग़[9] कहो, सनाँ[10] कहो, क़ह कहो, बला कहो,
अहले नज़र की राय में, उनकी नज़र नज़र नहीं।
डर गए अहले अञ्जुमन,[11] तीर जो आपका चला,
इसने कहा इधर नहीं, उसने कहा इधर नहीं।
वादए हश्र[12] कर चुके, आप ज़बान दे चुके,
अब तो है तै मुआमला, अब तो अगर मगर नहीं।
पूछते हैं वह हाले दिल, तूले[13] सख़ुन से फ़ायदा,
सौ की यह एक बात है, कह दूँ मुझे ख़बर नहीं !
उनमें कुछ और बात थी, इनमें कुछ और बात है,
हज़रते नूह[14] का गुमाँ, हज़रत "नूह" पर नहीं।

—"नूह" नारवी

तुमको यह है अगर यक़ीं, दिल में वह जलवागर[15] नहीं,
ढूँढ़ा करो तमाम उम्र, मिलने का उम्र भर नहीं।
आप न आप बेख़बर, क्या तुझे यह ख़बर नहीं,
साँस का एतबार क्या, शाम तो है सहर नहीं।
दैर हो काबा हो कि दिल, किसमें वह जलवागर नहीं,
देख सकूँ मगर उसे, इतनी मेरी नज़र नहीं।
किसने यह तुमसे कह दिया, तुमने यह किससे सुन लिया,
आह मेरी है बेअसर, आह में कुछ असर नहीं !

१—ताक़त, २—आराम, ३—रात-दिन, ४—सवेरा ५—नतीजा, ६—मन्दिर, ७—चेहरा, ८—ज्योति देखने की ताक़त, ९—तलवार, १०—भाला, ११—सभा वाले, १२—प्रयल, १३—बात बढ़ाना, १४—एक पैग़म्बर का नाम है, जिनके ज़माने में एक बड़ा तूफ़ान आया था, १५—व्यापक,

वह तो निगाह में खुपा, वह तो नज़र से गिर गया,
जिसपे तेरी निगाह है, जिसपे तेरी नज़र नहीं।
कुञ्जे[16] क़फ़स में अन्दलीब,[17] मुज़तरो[18] बेकसो ग़रीब,
कहने को बालो पर तो हैं, उड़ने को बालो पर नहीं !
दिल में बला का जोश है, सर लिए सरफ़रोश[19] है,
जीने का होश है कहाँ, मरने का उसको डर नहीं।
तोड़ रहा है आज दम, ग़म में कोइ मरीज़े ग़म,
फिर भी हैं आप बेख़बर, आपको कुछ ख़बर नहीं।
जान गए यह मर के हम, मुल्के[20] अदम था दो क़दम,
ख़त्म हो जल्द जो सफ़र, ऐसा कोई सफ़र नहीं।
अब कहाँ हसरतों की धूम दिल में वह शौक़ का हुजूम,[21]
उजड़ा हुआ मेरी तरह, और किसी का घर नहीं।
परदे में आप बैठ कर, रखते हैं हर तरफ़ नज़र,
और ज़बान पर यह है, शोख़ मेरी नज़र नहीं।
उफ़ यह मेरा नसीबे बद, जा के बनी कहाँ लहद[22],
सबकी है रहगुज़र[23] जहाँ आपकी रहगुज़र नहीं।
बात यह तुमने सच कही, 'बिस्मिल' बे-हुनर सही,
यह भी है एक बड़ा हुनर, उसमें कोई हुनर नहीं।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

एक स्मित झलक थी मसजिद की,
और एक तरफ़ बुतख़ाना था,
ईमान कशाकश[24] में था मेरा,
क्या करता मैं दीवाना था।
क्या जानें रङ्गे सहने चमन,
क्या जानें लुत्फ़े सैरे चमन,
जो बाग़े जहाँ में फूलों से,
सब्ज़े की तरह बेगाना[25] था।
जब चश्मे[26] हक़ीक़त से देखा,
आया वह नज़र हरसू मुझको,
पुरनूर[27] उसी के जलवे से,
काबा भी कभी बुतख़ाना था।
फिरता रहा हरसू हर जानिब,
मजनूँ की तरह मैं सहरा[28] में,
मालूम नहीं यह भी मुझको,
मैं कौन हूँ क्यों दीवाना था।
तुमने उसे शायद देखा हो,
ठहरे हो कभी शायद उसमें,
एक नूर बरसता था जिसमें,
वह दिल का मेरे काशाना[29] था।

१६—पिञ्जड़े का कोना, १७—बुलबुल, १८—बेचैन, १९—सर बेचने वाला, २०—परलोक, २१—भीड़, २२—क़बर, २३—रास्ता, २४—डावाँडोल, २५—अलग, २६—आँख, २७—ज्योतिमय, २८—जङ्गल, २९—घर,

दुनिया का तग़य्युर[30] सोच के मैं,
सिजदे के लिए झुक जाता हूँ,
जब याद यह मुझको आता है,
क़ाबा ही कभी बुतख़ाना था।
जिस बाग़ में कोई फूल खिला,
जिस बज़्म[31] में कोई शम्अ[32] जली,
मौजूद वहाँ भी बुलबुल थी,
हाज़िर भी वहाँ परवाना था।
दिल एक नहीं सुनता मेरी,
मैं लाख इसे समझाता हूँ,
अब हो गया यह दीवाना तेरा,
पहले यह कहाँ दीवाना था।
क्या हाल ख़िज़ाँ का तुमसे कहूँ,
क्या मोसिमे गुल[33] की बात करूँ,
लब पर कभी तोबा-तोबा थी,
हाथों में कभी पैमाना[34] था।
महफ़िल में दिखाया रङ्ग "ज़या",
क्या ख़ूब जमाए उलफ़त[35] ने,
जब शम्अ जली तो ख़ाकिस्तर[36],
एक-एक दिले परवाना था।

—"ज़या" देवानन्दपुरी

इतना भी न साक़ी होश रहा,
पीकर हमें क्या मैख़ाना[37] था,
गर्दिश में हमारी क़िस्मत थी,
चक्कर में तेरा पैमाना था।
महरूम[38] था सोज़े उलफ़त[39] से,
जल जाने से बेगाना था,
फ़ानूस के अन्दर शम्अ रही,
बाहर-बाहर परवाना था।
मैख़ाने से हम रुख़सत जो हुए,
तो और ही कुछ मैख़ाना था।
एक कोने में ख़ुम[40] रक्खा था,
एक गोशे में पैमाना था।
हूँ रङ्गे मुहब्बत से वाक़िफ़,
हूँ सोज़े मुहब्बत से वाक़िफ़,
गुलज़ार में बुलबुल मैं था कभी,
महफ़िल में कभी परवाना था।
ऐ अहले हरम[41] तुम क्या जानो,
हम जानते हैं हमसे पूछो,

३०—उलट-फेर, ३१—सभा, ३२—दीपक, ३३—बहार के दिन, ३४—प्याला, ३५—प्रेम की ज्योति, ३६—राख, ३७—शराबख़ाना, ३८—दूर, ३९—प्रेम की आग, ४०—मटका, ४१—क़ाबे वाले,

(शेष मैटर ३२वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

'चाँद' कार्यालय की अनमोल पुस्तकें

लम्बी दाढ़ी

दाढ़ी वालों को भी प्यारी है
बच्चों को भी !
बड़ी मासूम, बड़ी नेक—
है लम्बी दाढ़ी !!
अच्छी बातें भी बताती है,
हँसाती भी है !
लाख दो लाख में, बस एक—
है लम्बी दाढ़ी !!

ऊपर की चार पंक्तियों में ही पुस्तक का संक्षिप्त विवरण "गागर में सागर" की भाँति समा गया है। फिर पुस्तक कुछ नई नहीं है, अब तक इसके तीन संस्करण हो चुके हैं और ४,००० प्रतियाँ हाथोंहाथ बिक चुकी हैं। पुस्तक में तिरङ्गे प्रोटेक्टिङ्ग कवर के अलावा पूरे एक दर्जन ऐसे सुन्दर चित्र दिए गए हैं कि एक बार देखते ही हँसते-हँसते पढ़ने वालों के बत्तीसों दाँत मुँह के बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं। मूल्य केवल २॥); स्थायी ग्राहकों से १॥।=) मात्र !!

चुहल

पुस्तक क्या है, मनोरञ्जन के लिए अपूर्व सामग्री है। केवल एक चुटकुला पढ़ लीजिए, हँसते-हँसते पेट में बल पड़ जायँगे। काम की थकावट से जब कभी जी ऊब जाय, उस समय केवल पाँच मिनट के लिए इस पुस्तक को उठा लीजिए, सारी उदासीनता काफ़ूर हो जायगी। इसमें इसी प्रकार के उत्तमोत्तम, हास्य-रसपूर्ण चुटकुलों का संग्रह किया गया है। कोई चुटकुला ऐसा नहीं है जिसे पढ़ कर आपके दाँत बाहर न निकल आवें और आप खिलखिला कर हँस न पड़ें। बच्चे-बूढ़े, स्त्री-पुरुष—सभी के काम की चीज़ है। छपाई-सफ़ाई दर्शनीय। सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल लागत मात्र १); स्थायी ग्राहकों से ॥ᐟ) केवल थोड़ी सी प्रतियाँ और शेष हैं, शीघ्रता कीजिए, नहीं तो दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी।

निर्वासिता

निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से क्षीणकाय भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला उठेगा। अन्नपूर्णा का नैराश्यपूर्ण जीवन-वृत्तान्त पढ़ कर अधिकांश भारतीय महिलाएँ आँसू बहावेंगी। कौशल-किशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों की छातियाँ फूल उठेंगी। उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण-प्रधान है। निर्वासिता उपन्यास नहीं, हिन्दू-समाज के वक्षस्थल पर दहकती हुई चिता है, जिसके एक-एक स्फुलिङ्ग में जादू का असर है। इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घण्टों विचार करना होगा, भेड़-बकरियों के समान समझी जाने वाली करोड़ों अभागिनी स्त्रियों के प्रति करुणा का स्रोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का झण्डा बुलन्द करना होगा; यही इस उपन्यास का संक्षिप्त परिचय है। भाषा अत्यन्त सरल, छपाई-सफ़ाई दर्शनीय, सजिल्द पुस्तक का मूल्य ३) रु० ; स्थायी ग्राहकों से २।)

मालिका

यह वह मालिका नहीं, जिसके फूल मुरझा जायँगे; इसके फूलों की एक-एक पङ्खुरी में सौन्दर्य है, सौरभ है, मधु है, मदिरा है। आपकी आँखें तृप्त हो जायँगी। इस संग्रह की प्रत्येक कहानी करुण-रस की उमड़ती हुई धारा है।

इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता का महत्व, प्रेम की महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सौन्दर्य तथा वासना का नृत्य, मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, उसकी घृणा, क्रोध, द्वेष आदि भावनाओं का सजीव चित्रण! पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, मधुर तथा मुहावरेदार है। शीघ्रता कीजिए, अन्यथा दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी। सजिल्द, तिरङ्गे प्रोटेक्टिङ्ग कवर से सुशोभित; मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से ३)

सन्तान-शास्त्र

पुस्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक को इसकी एक प्रति अवश्य रखनी चाहिए। इसमें काम-विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों का वर्णन बहुत ही विस्तृत रूप से किया गया है। नाना प्रकार के इन्द्रिय-रोगों की व्याख्या तथा उनसे त्राण पाने के उपाय लिखे गए हैं। हज़ारों पति-पत्नी, जो कि सन्तान के लिए लालायित रहते थे तथा अपना सर्वस्व लुटा चुके थे, आज सन्तान-सुख भोग रहे हैं।

जो लोग झूठे कोकशास्त्रों से धोखा उठा चुके हैं, प्रस्तुत पुस्तक देख कर उनकी आँखें खुल जायँगी। काम-विज्ञान जैसे गहन विषय पर हिन्दी में यह पहिली पुस्तक है, जो इतनी छान-बीन के साथ लिखी गई है। भाषा अत्यन्त सरल एवं मुहावरेदार; सचित्र एवं सजिल्द तथा तिरङ्गे प्रोटेक्टिङ्ग कवर से मण्डित पुस्तक का मूल्य केवल ४); तीसरा संस्करण अभी-अभी तैयार हुआ है।

अनाथ पत्नी

इस पुस्तक में बिछुड़े हुए दो हृदयों—पति-पत्नी—के अन्तर्द्वन्द्व का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार इसके कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतूहल और विस्मय के भावों में ऐसे ओत-प्रोत हो जायँगे कि फिर क्या मजाल कि इसका अन्तिम पृष्ठ तक पढ़े बिना कहीं किसी पत्ते की खड़खड़ाहट तक सुन सकें !

अशिक्षित पिता की अदूरदर्शिता, पुत्र की मौन-व्यथा, प्रथम पत्नी की समाज-सेवा, उसकी निराश शर्तें, पति का प्रथम पत्नी के लिए तड़पना और द्वितीय पत्नी को आघात न पहुँचाते हुए उसे सन्तुष्ट रखने को सचेष्ट रहना, अन्त में घटनाओं के जाल में तीनों का एकत्रित होना और द्वितीय पत्नी के द्वारा, उसके अन्तकाल के समय, प्रथम पत्नी का प्रकट होना—ये सब दृश्य ऐसे मनमोहक हैं, मानो लेखक ने जादू की क़लम से लिखे हों !! शीघ्रता कीजिए, थोड़ी ही प्रतियाँ शेष हैं ! छपाई-सफ़ाई दर्शनीय; मूल्य केवल २) स्थायी ग्राहकों से १॥)

व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय,
चन्द्रलोक, इलाहाबाद

ताँतिया भील

[श्री० 'भैरव']

मध्य-प्रदेश के इतिहास-प्रसिद्ध डाकू ताँतिया या टाँटिया भील का वास्तविक नाम टण्ड्रा था। 'ताँतिया' शब्द इसी 'टण्ड्रा' का अपभ्रंश है और अपने जीवन-काल में भी वह इसी नाम से विख्यात था।

ताँतिया के डाकू होने की कथा बड़ी रोचक है। उसका जीवन-चरित्र देखने से पता लगता है कि एक ज़मींदार के अत्याचार के कारण उसे अपनी पैतृक जीविका छोड़ कर डाकू बनने के लिए बाध्य होना पड़ा था। वास्तव में यदि वह परिस्थिति से बाध्य होकर डकैती और चोरी जैसे गर्हित कर्म में लिप्त न होता तो कुछ और ही होता और आज उसकी ख्याति के भी कुछ और ही कारण होते; क्योंकि भील जाति में जन्म लेने पर भी ताँतिया में क्षत्रियों की सी वीरता, ब्राह्मणों की सी दयालुता और उदारता थी। वह केवल डाकू ही न था, वरन् ग़रीबों का मददगार, विपद-ग्रस्तों का सहारा, ब्राह्मणों का भक्त और गौवों का रक्षक था। अपनी वदान्यता, सौजन्यता और दानशीलता के लिए उसने अपने जीवन-काल में ही काफ़ी सुख्याति प्राप्त कर ली थी। ताँतिया वास्तव में कञ्जूसों, अत्याचारियों और व्यर्थ धन बटोर कर रखने वालों का शत्रु था, ग़रीबों का नहीं। इसीसे उसकी मृत्यु पर मध्य-प्रदेश के हज़ारों अधिवासियों ने शोक मनाया था, उसके लिए आँसू बहाया था और उसकी आत्मा की शान्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की थी।

ताँतिया का जन्म सन् १८४२ में हुआ था। इसका पिता भाऊसिंह भील निमाड़ ज़िले के विरदा नामक ग्राम का एक इज़्ज़तदार किसान था। उसकी खेती पास के पोखर नामक गाँव में होती थी। यही उसकी जीविका थी।

भाऊ का एकमात्र पुत्र ताँतिया लड़कपन से ही बड़ा निर्भीक, चपल, बलवान और दृढ़-निश्चयी था। इसकी माता का देहान्त पहले ही हो चुका था और पिता को अपने खेती-बारी के कामों से कम अवकाश मिलता था, इसलिए शासनहीन होने के कारण ताँतिया की प्रकृति कुछ अधिक स्वतन्त्र हो गई थी।

ताँतिया जब तीस वर्ष का हुआ तो एक दिन उसके पिता का भी देहान्त हो गया। उस साल समयानुसार वर्षा न होने के कारण फ़सल की दशा ख़राब थी। इसलिए भाऊ खेतों की मालगुज़ारी न चुका सका था। अनुभव-हीन ताँतिया भला पिता की मृत्यु के बाद ही उसे कैसे चुका सकता था। फलतः ज़मींदार शिव पटेल ने ताँतिया पर बक़ाया लगान की नालिश कर दी और अन्त में उसे उसकी पैतृक जायदाद से भी बेदख़ल करा दिया। ज़मींदार के इस निर्दय व्यवहार का ताँतिया के दिल पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। पहले तो वह इस घटना से अतीव दुखी हुआ। परन्तु अन्त में उसने निश्चय किया कि ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। वह 'भील' था, उसे क़ायदे-क़ानून का ज्ञान न था। वह तो केवल यह सीधी सी बात जानता था कि ज़मीन उसकी है, उसके पूर्व पुरुषों ने उसमें खाद-पानी देकर उसकी उर्वरता की वृद्धि की है। वही उसे बराबर से बोलते-बोते चले आए हैं। ज़मींदार का उस पर कोई हक़ नहीं, वह कैसे उसकी पैतृक जायदाद से उसे बेदख़ल कर सकता है? फलतः ताँतिया ने निश्चय कर लिया कि खेत नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाय। उसने स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर दी कि जो कोई हमारी ज़मीन के पास आएगा, उसकी ख़ैर नहीं।

पोखर-निवासी ताँतिया के स्वभाव से परिचित थे। जानते थे, यह अपनी धुन का पक्का है। अगर ज़बरदस्ती उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया जायगा तो अवश्य ही रक्तपात होगा। क्योंकि वह आसानी से उसे कदापि न छोड़ेगा। अतः उन्होंने षड्यन्त्र रच कर ताँतिया का बदमाशी के इलज़ाम में चालान करा दिया। अदालत ने उसे साल भर की कड़ी क़ैद की सज़ा दे दी। ताँतिया लहू के घूँट पीकर रह गया।

ज़मींदार के प्रभाव के कारण पोखर में ताँतिया का कोई सहायक न था; बल्कि सभी उससे शत्रुता करते थे। इसलिए जेल से लौटने पर वह पास के हीरापुर नामक गाँव में जाकर रहने लगा और मेहनत-मजूरी करके शान्तिपूर्ण जीवन बिताने लगा। परन्तु पोखर वालों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। ज़मींदार महोदय शायद उसका सर्वस्व अपहरण कर लेने पर भी सन्तुष्ट नहीं हुए थे। उसका शान्तिपूर्ण जीवन भी उनकी आँखों में खटकने लगा। इसलिए कुछ दिन के बाद उन्होंने उसे चोरी के अपराध के सन्देह में गिरफ़्तार करा दिया। परन्तु ताँतिया निर्दोष था। इसलिए उसकी आत्मा खलबला उठी। उसने पुलीस वालों से हाथापाई की, परन्तु कोई फल न हुआ। अदालत ने सबूत न पाने के कारण चोरी के इलज़ाम से तो उसे बरी कर दिया। परन्तु पुलीस के साथ हाथापाई करने के अपराध में तीन महीने की सज़ा दे दी।



ताँतिया भील

जेल से लौटने पर ताँतिया ने हीरापुर का रहना भी छोड़ दिया और वहाँ से उठ कर महाराज होल्कर के राज्य में जाकर रहने लगा। उसकी इच्छा शान्तिपूर्ण जीवन बिताने की थी। परन्तु पोखर वाले तो नमक-सत्तू बाँध कर उसके पीछे पड़ गए थे। उन्होंने फिर भी चैन से रहने न दिया। बेचारा फिर एक चोरी के झूठे इलज़ाम में फँसाया गया। सुभान नामक भील के घर चोरी हुई और उसका माल जालम नाम के एक पोखर-निवासी के घर से निकला। जालम ने अपने बयान में लिखवा दिया कि ताँतिया यह माल हमारे यहाँ रख गया है। ताँतिया सज़ायाफ़्ता तो था ही, सन्देह में पुलीस उसे पकड़ने चली। परन्तु अबकी वह सावधान था। उसे इस षड्यन्त्र का पता पहले ही लग चुका था, इसलिए उसने अपना यह निवास-स्थान भी परित्याग कर दिया और इधर-उधर छिपता हुआ पोखर वालों से बदला लेने की युक्ति सोचने लगा।

परन्तु यह काम उससे अकेले ही होने वाला न था। अतः बहुत सोच-विचार के बाद उसने अपना एक दल बनाने का निश्चय किया और एक दिन घूमता-फिरता निमाड़ ज़िले के खजूरी नामक गाँव में पहुँचा। वहाँ बिजानिया नाम का एक उसका सजातीय रहता था। उसकी सूरत राक्षस की तरह भयङ्कर थी। कोयले की तरह काला रङ्ग, ख़ूब लम्बा क़द, आँखें छोटी और सुर्ख़, छाती चौड़ी और भुजाएँ मज़बूत। वह डील-डौल में जैसा भयङ्कर था, वैसा ही उसका स्वभाव भी क्रूर था। हीरापुर की चोरी में सन्देहवश वह भी पकड़ा गया था, परन्तु उसके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिला। इसलिए वह छोड़ दिया गया था। ताँतिया उससे मिला। बिजानिया को भी एक ऐसे ही साथी की ज़रूरत थी। दोनों ने मिल कर एक छोटा सा, किन्तु मज़बूत दल बनाया। दोनों उस दल के सरदार बने और अपने अनुयायियों के कुटुम्बियों के भरण-पोषण का भार अपने ऊपर लिया। चोरी व डकैती इसके लिए उपयुक्त साधन समझा गया। ताँतिया अपने दल के साथ गाँव छोड़ कर निर्जन वनों और पहाड़ की कन्दराओं में रहने लगा। उद्देश्य था, केवल पोखर वालों से बदला लेना। परन्तु बिजानिया ने अभी खजूरी नहीं छोड़ा। वह वहीं अपने बाल-बच्चों के साथ रहता और आवश्यकता पड़ने पर ताँतिया से मिल कर परामर्श आदि कर लिया करता था। यह दल समय-समय पर पोखर वालों के घर चोरी करता और वहाँ के निवासी, जो जङ्गल के रास्ते आते-जाते दिखाई देते, उन्हें पकड़ कर क़ैद कर लिया करता था। साथ ही क़ैदी के घर सूचना दे दी जाती थी कि एक निर्दिष्ट रक़म देकर उसे छुड़ा ले जाओ, नहीं तो मार डाला जायगा। यह क्रम बहुत दिनों तक जारी रहा। पोखर वालों को अपने पाप का यथेष्ट प्रायश्चित्त करना पड़ा।

परन्तु पोखर वाले भी साधारण जीव न थे। उन्होंने ऐसा माया-जाल रचा कि एक दिन ताँतिया, बिजानिया और दोपिया—तीनों अपने आप आकर उसमें फँस गए। पोखर में सरदार नाम का एक बड़ा ही चालाक राजपूत रहता था। उसने इन डाकुओं के प्रति बड़ी सहानुभूति दिखाई। अपने गाँव वालों में पूर्वकृत अपराधों के लिए पश्चात्ताप किया और उन्हें समझाया कि आज से मिल-जुल कर रहें। तुम लोगों को जितनी ज़मीन की आवश्यकता हो, ले लो और आनन्द से खेती-बारी करके भले आदमी की तरह जीवन निर्वाह करो। ताँतिया और बिजानिया इस झाँसे में आ गए और दोपिया को लेकर सुलह की बातचीत करने के लिए पोखर आए। पुलीस पहले से ही आकर छिपी थी। तीनों तुरन्त ही पकड़ लिए गए। इन पर चोरी, डकैती और राहज़नी का इलज़ाम लगाया गया। पोखर के

मातबिर पटेलों ने इनके विरुद्ध गवाहियाँ दीं। तीनों को कठोर कारावास की सज़ा मिली और वे खण्डवा के जेलख़ाने में बन्द कर दिए गए।

अपने साथ विश्वासघात करने वाले तथा झूठी गवाही देकर उन्हें फँसाने वाले हीमन पटेल से ताँतिया ने खुली अदालत में कहा था—पटेल दा जी, मेरा नाम टण्ड्या है, मुझे अच्छी तरह पहचान लो, आज धोखा देकर तुमने हमें फँसा लिया है, परन्तु याद रखना, मेरा नाम टण्ड्या है।

खण्डवा की जेल में और भी कई भील क़ैदी थे। ताँतिया ने सबको वहाँ से निकल भागने की सलाह दी। एक दिन रात को दोपिया की मदद से उसने अपनी कोठरी की छत में एक सूराख़ किया और एक-एक करके सभी साथियों को बाहर निकाल लिया। छत से नीचे उतरने के लिए कम्बलों को बाँध कर 'कमन्द' बना ली गई थी। इसलिए सभी सम्पूर्ण निरापद रूप से निकल गए। अन्त में ताँतिया स्वयं जेल की बुर्ज़ी पर चढ़ा और बाहर की ओर कूदने से पहले जेल के अधिकारियों को ललकार कर कहा—देखो, टण्ड्या अपने साथियों को लेकर जाता है। जिसकी माँ ने सोंठ खाया हो, वह आकर पकड़ ले।

ताँतिया के इस सिंह-गर्जन से जेल का सारा आकाश-मण्डल गूँज उठा। अधिकारी चौंक पड़े और भागे हुए क़ैदियों को पकड़ने के वृथा प्रयास में इधर-उधर दौड़ पड़े। परन्तु कहीं पता न चला। सवेरा होते-होते यह दल खण्डवा से साठ मील दूर चला गया। परन्तु पुलीस वहीं आसपास के स्थानों में ताकती रही।

ताँतिया तथा उसके साथियों का पता लगाना पुलीस के लिए कोई आसान काम न था। क्योंकि उस प्रान्त में ताँतिया की धाक इतनी जम गई थी कि पुलीस वाले उसका नाम सुनते ही थर्रा उठते थे। किसी में इतना हौसला न था, जो उसे पकड़ने का साहस कर सकता। सारा प्रान्त उसकी दिलेरी की कथाएँ सुन चुका था। सभी उसे असाधारण शक्तिशाली और अद्भुतकर्मा समझते थे। तिस पर जब लोगों ने सुना कि वह जेलख़ाने की छत तोड़ कर अपने साथियों के साथ निकल गया है, तो उसकी धाक और भी जम गई।

वास्तव में ताँतिया डाकू था, परन्तु नीच न था। वह नामी चोर था, परन्तु दीन-दुखियों को नहीं सताता था। वह हत्यारा था, परन्तु निर्दयी न था। ताँतिया अवगुणों की खान था, परन्तु उसमें कितने ही अलौकिक गुण भी थे। वह ग़रीबों का, सहायक शरणागतों का रक्षक, अपने सेवकों का शुभचिन्तक और गौ-ब्राह्मणों का रक्षक था। उसने लोगों को लूटा, उनके घरों में चोरियाँ कीं, परन्तु इस लूट के धन से सैकड़ों असहायों और ग़रीबों का प्रतिपालन भी किया। वह अपने शत्रुओं का काल, अङ्गरेज़ों का घोर विरोधी, अत्याचारियों का यम, कञ्जूसों का धन सार्थक करने वाला और पुलीस का शासक था। जहाँ पुलीस वाले उसे पकड़ने का षड्यन्त्र रचते थे, जहाँ के लोग पुलीस के सहायक होते थे, वहाँ ताँतिया छापा मारता था। वह पुलीस को ललकार कर उस पर हमला करता था।

ख़ैर, खण्डवा के जेल से भागने पर ताँतिया ने पुनः अपने दल का सङ्गठन किया और उसे कई भागों में बाँट कर एक-एक सरदार के सुपुर्द किया। वह अपना कार्य-क्रम बड़ी बुद्धिमानी से पहले ही निर्धारित कर लेता था। एकदम एक स्थान पर आज डाका डालता था, तो दूसरा दूसरे दिन, वहाँ से कई मील दूर, दूसरे स्थान पर और तीसरा तीसरे स्थान पर। इस तरह लगातार डाके डाल कर वह पुलीस वालों को परेशान कर दिया करता था।

अपने शत्रुओं से बदला लेना तो मानो ताँतिया के जीवन का प्रधान उद्देश्य था। पोखर-निवासियों को वह एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सका था। अवसर पाकर वह एक दिन पोखर पहुँचा और सारे गाँव में आग लगा दी और उस हीमन पटेल को, जिसने झूठी गवाही देकर उसे जेल भेजवाया था, बुरी तरह पीट कर मार डाला। परन्तु उसके स्त्री तथा बच्चों को उसने कोई तकलीफ़ न दी।

इस तरह सन् १८७२ से १८८६ तक ताँतिया ने निमाड़ ज़िला तथा होलकर राज्य के गाँवों में प्रायः चार सौ डाके डाले। पुलीस उसे पकड़ने की तदबीर करती ही रह गई, परन्तु वह हाथ न आया। अङ्गरेज़ सरकार ने उसे पकड़ने की बड़ी-बड़ी तदबीरें कीं। कितने ही चालाक जासूस नियत किए। परन्तु ताँतिया ने सब को चकमा दिया। वह पुलीस के आदमियों को देखते ही पहचान जाता था और कभी प्रत्यक्ष तथा कभी वेष बदल कर उन्हें छकाया करता था। कितने ही पुलीस वालों की तो उसने नाकें काट लीं, कितने उसके द्वारा बुरी तरह लाञ्छित और अपमानित होकर आए। कितनों को ताँतिया को पकड़वा देने का प्रलोभन देकर जङ्गल-जङ्गल फिराया और अन्त में उल्लू बना कर छोड़ दिया। उसकी इन हरकतों के कारण पुलीस वालों पर उसकी ऐसी धाक जमी थी कि कोई उसके पीछे पड़ने का नाम ही न लेता था।

अन्त में होलकर तथा ब्रिटिश भारत की पुलीस ने ताँतिया को पकड़ने के लिए 'टण्ड्या-पुलीस' नाम से एक ख़ास पुलीस-दल नियुक्त किया और उसके सन्देह में कितने ही आदमियों को पकड़-पकड़ कर हैरान किया। वर्षों तक निमाड़ के आसपास के स्थानों में ताँतिया के कारण एक तहलक़ा सा मचा रहा। उसके भयानक कार्यों के कारण लोग त्राहि-त्राहि पुकारने लगे। सन् १८८० में ताँतिया का प्रधान सरदार और प्रिय सखा दोपिया पकड़ा गया। उस पर चोरी, डकैती और ख़ून का अपराध लगा कर आजन्म कालेपानी की सज़ा दी गई और वह कुछ दिनों के लिए जबलपुर के सेण्ट्रल जेल में रक्खा गया। इसके कुछ दिन बाद पुलीस ने ताँतिया के दूसरे सरदार बिजानिया को भी गिरफ़्तार कर लिया। इस समय पुलीस की ख़ुशी का कोई ठिकाना न था। इन दोनों प्रसिद्ध डाकुओं को पकड़ने वाले पुलीस कर्मचारी प्रचुर इनाम पाने की आशा में विभोर थे। इतने में एक दिन ख़बर आई कि दोपिया जेल से निकल कर नौ-दो ग्यारह हो गया। इस ख़बर ने पुलीस की सारी उमङ्गों पर पानी फेर दिया। टण्ड्या-पुलीस के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। जेल के अधिकारी भी दाँतों उँगली दाब कर रह गए और बिजानिया पर जेल में सख़्त पहरा बिठा दिया गया। बिजानिया भी ताँतिया से कम न था। उसे जिन लोगों ने देखा था, उनका कहना है कि वह नाटे क़द का, बलिष्ट और घोर कृष्ण वर्ण था। जब पुलीस का हथियारबन्द दल उसे गिरफ़्तार करने पहुँचा, तो उसने बड़ी दिलेरी से उसका सामना किया और तलवार की चोट से कई आदमियों को घायल किया। वह अकेले ही पुलीस के कई दर्जन आदमियों के साथ प्रायः दो घण्टे तक लड़ता रहा, उसका तलवार चलाना देख कर लोग दङ्ग रह गए। अन्त में पुलीस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया। उस समय वह थका हुआ था। पुलीस ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसने निकल जाने की चेष्टा की, परन्तु कृतकार्य न हुआ। अन्त में पुलीस ने उसे पकड़ कर लोहे की ज़ञ्जीरों से बाँधा। फिर वह एक गाड़ी पर लादा गया और गाड़ी भी लोहे की ज़ञ्जीरों से बाँधी गई। इसके बाद सशस्त्र पुलीस की ख़ास निगरानी में वह खण्डवा लाया गया। उसे देखने के लिए हज़ारों आदमी खण्डवा स्टेशन पर उपस्थित थे। उस समय बिजानिया पिञ्जरबद्ध सिंह की तरह दिखाई देता था। उसकी आँखों से मानो आग की चिनगारियाँ निकल रही थीं। उसकी लाल-लाल आँखें और भयानक चेहरा देख कर देखने वाले के मन में भय का सञ्चार हो जाता था।

बिजानिया को हीमन पटेल की हत्या करने के अपराध में फाँसी की सज़ा दी गई। इधर जिस रोज़ अदालत ने बिजानिया को फाँसी की आज्ञा सुनाई, उसी रोज़ ताँतिया ने चिचगाठी गाँव के एक महा कञ्जूस, किन्तु धनवान महाजन का सर्वस्व अपहरण कर लिया। मानो उसने सरकार और पुलीस को बता दिया कि बिजानिया के न रहने पर भी ताँतिया का बल कम नहीं हुआ है।

इस घटना के एक महीने बाद एक अद्भुत तरीक़े से बिजानिया को फाँसी दी गई। जिस गाँव में हीमन पटेल रहता था, उसी गाँव के पास एक पेड़ में वह टाँग दिया गया। हज़ारों देहाती उसका अन्त देखने के लिए आए थे। वहीं उसे फाँसी दी गई और लाश उसी पेड़ में लटकती छोड़ दी गई। उद्देश्य था भीलों को भयभीत करना। भील डर गए। साथ ही बिजानिया की मृत्यु से ताँतिया को भी बड़ा धक्का पहुँचा। और वह कुछ उत्साह-हीन भी हो गया। प्रायः दो महीने तक वह अपने प्रधान सहचर के लिए व्याकुल रहा। परन्तु जब उसे मालूम हुआ कि उसके इस शोक का असर उसके दल वालों पर भी पड़ रहा है, तो उसने उसे भूल जाने की चेष्टा की और दल वालों को उत्साहित करके फिर कार्यक्षेत्र में अवतीर्ण हुआ।

बिजानिया की मृत्यु के बाद उसने पहली चढ़ाई कोदवार नामक गाँव के एक पटेल पर की। यह पटेल ताँतिया का शत्रु था। इसने उसके विरुद्ध पुलीस को सूचनाएँ दी थीं। यह चढ़ाई उसीका बदला लेने के लिए थी। उस समय ताँतिया क्रोध में था। बिजानिया की मृत्यु के कारण उसकी अन्तरात्मा खलबला उठी थी। उसने लगातार कई डाके डाले और जिन लोगों ने बिजानिया के विरुद्ध गवाहियाँ दी थीं, उनमें अधिकांश से उसने तुरन्त ही बदला लिया।

१८८१ में उसके दोपिया और हीरा नाम के दो और सरदारों को भी पुलीस ने गिरफ़्तार कर लिया। और दोनों आजन्म के लिए कालेपानी भेज दिए गए। इनके मुक़दमे में जिन लोगों ने गवाहियाँ दी थीं, ताँतिया ने उनके घर जला दिए। इस मौक़े पर पुलीस और ताँतिया-दल में ख़ासी लड़ाई हुई। पुलीस ने गोली छोड़ी। ताँतिया भी पूरी तैयारी करके आया था। उसने भी जवाब में अग्निवर्षा आरम्भ कर दी। कुछ राजपूत भी पुलीस की मदद के लिए आ पहुँचे। इसलिए यह संग्राम और भी भयङ्कर हो गया। परन्तु अन्त में ताँतिया ही विजयी हुआ। राजपूतों का प्रधान सरदार मारा गया, इसलिए पुलीस तथा उसके सहायकों के पैर उखड़ गए और वे जान लेकर भाग गए। इसके बाद ताँतिया ने सारे गाँव में आग लगा दी।

इस घटना के कुछ दिन बाद ही उसने फिर कई डाके डाले। पुलीस उसे पकड़ने के लिए एक तरफ़ जाती थी, तो वह दूसरी तरफ़ जाकर लूट-मार मचा देता था। एक दफ़े एक नए पुलीस ऑफ़ीसर ताँतिया को गिरफ़्तार करने के लिए नियुक्त हुए। ताँतिया को इस बात का पता लग गया। वह स्वयं कुली के वेष में स्टेशन पहुँचा और उक्त पुलीस ऑफ़ीसर का सामान लेकर थाने चला। रास्ते में ताँतिया के सम्बन्ध में बहुत सी बातें हुईं। इसने वादा किया कि मैं उसे पकड़वा दूँगा। यह सुन कर ऑफ़ीसर महोदय की बाछें खिल गईं। वे उसकी बात पर विश्वास करके एक दिन उसके साथ चले। वह

उन्हें एक घनघोर वन में ले गया और वहाँ पहुँच कर बोला—"मैं ही ताँतिया हूँ। अगर साहस हो तो मुझे गिरफ़्तार करो।" बेचारे ऑफ़ीसर घबरा गए। उनकी सारी बुद्धिमत्ता पर पानी फिर गया और भय के मारे काँपने लगे। परन्तु ताँतिया ने उन्हें मारा-पीटा नहीं और अन्त में उन्हें उसी जङ्गल में छोड़ कर ग़ायब हो गया।

एक दिन ताँतिया नाई के वेष में थाने पर पहुँचा और थानेदार से कहने लगा कि मैं अभी ताँतिया की हजामत बना कर चला आ रहा हूँ। वह अमुक बन में है। अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं उसे अभी गिरफ़्तार करा दे सकता हूँ। यह सुन कर थानेदार साहब बड़े प्रसन्न हुए और ताँतिया को पकड़ने के लिए, साज-सामान से लैस होकर नाई के साथ चलने को तैयार हो गए। यह देख कर नाई वेषधारी ताँतिया ने कहा—"बाबू साहब, क्या आप में ताँतिया को पकड़ने की हिम्मत है? अगर है तो लीजिए पकड़िए, मैं ही ताँतिया हूँ।" यह कह कर उसने उस्तुरे से थानेदार की नाक काट ली और देखते-देखते हवा हो गया।

इस घटना से पुलीस वाले बड़े घबराए। अजीब जीवट का आदमी है! दिन-दहाड़े थाने में आकर थानेदार की नाक तराश ले गया। पुलीस बड़ी बेचैनी से उसे पकड़ने की तदवीर सोचने लगी। परन्तु कोई उपाय दृष्टि-गोचर न हुआ। इसके बाद वर्षों तक पुलीस उसके पीछे पड़ी रही और वह डाके डालता रहा। यहाँ तक कि साल भर के भीतर उसने सैकड़ों घरों को लूट लिया, परन्तु पुलीस का किया कुछ भी न हो सका। इसी दरमियान में उसने हज़ारों जगह चोरियाँ कीं और कितने ही पुलीस ऑफ़ीसरों को चकमा दिया। पुलीस ने उसे पकड़वा देने वाले के लिए प्रचुर इनाम की घोषणा की, परन्तु कौन ऐसा माई का लाल था जो ताँतिया जैसे दुर्द्धर्ष को पकड़ने या पकड़वाने की हिम्मत कर सकता? ताँतिया का काम निर्विघ्न रूप से चलता रहा। वह जिसे चाहता लूट लेता, जिसे चाहता मार डालता और जहाँ चाहता, चोरी करके निकल जाता। पुलीस परेशान थी। इस तरह साल भर समाप्त हो गया। जिस पटेल की करतूत से ताँतिया को डाकू बनने के लिए बाध्य होना पड़ा था, वह मर चुका था। परन्तु उसका पुत्र लालम पटेल जीवित था। सरदार पटेल और उसका लड़का मोहन, जिसने एक बार विश्वासघात करके ताँतिया को गिरफ़्तार कराया था, भी मर चुके थे। पोखर गाँव के उसके सभी शत्रु मर चुके थे। हीमन का लड़का गोविन्दा जीवित था। यद्यपि ताँतिया हीमन से अपनी शत्रुता का बदला ले चुका था, परन्तु फिर भी उसका क्रोध शान्त नहीं हुआ था। इसलिए एक दिन उसने फिर पोखर पर चढ़ाई कर दी और गोविन्दा का घर लूट कर उसे पथ का भिखारी बना दिया। इसके बाद पोखर के आसपास के विभिन्न गाँवों में भी कई डाके डाले। इस समय तक उसकी बड़ी-बड़ी डकैतियों की संख्या ४०० तक पहुँच गई थी। परन्तु इस समय ताँतिया की उमर प्रायः पैंतालीस वर्ष की हो गई थी। लगातार ग्यारह वर्षों तक घोर परिश्रम करने के कारण उसकी शक्ति भी क्षीण हो चली थी। इन ग्यारह वर्षों के अन्दर उसने हज़ारों घर तबाह कर डाले। अपने समस्त शत्रुओं को नेस्तो-नाबूद कर डाला। पुलीस तथा आसपास के ज़मींदारों को हैरान कर दिया। इसके सिवा उसके कई प्रधान सहचर भी पुलीस द्वारा गिरफ़्तार कर लिए गए थे, इसलिए अब उसके शरीर में वह पहले की सी अमानुषिक शक्ति नहीं रह गई थी। मानो अब वह थक गया था। इसलिए उसने सरकार से सुलह कर लेने की इच्छा प्रकट की। इसके लिए उसने बड़ी-बड़ी चेष्टाएँ भी कीं। कुछ लोगों की मध्यस्थता में वह किसी उच्च सरकारी कर्मचारी से बातचीत करना चाहता था। इसके लिए उसने रुपए भी ख़ूब ख़र्च किए। कितने लोगों से मित्रता की और उन्हें प्रचुर धन भी दिया। वह स्वयं सरकार के सामने हाज़िर होकर क्षमा-प्रार्थना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसे विश्वास न था कि एका-एक हाज़िर होकर क्षमा-याचना करने से सरकार उसे क्षमा कर देगी। इसीलिए वह किसी योग्य मददगार की तलाश में था। इसके लिए उसने छः महीने तक चेष्टा की। अन्त में गणपत नाम के एक ज़मींदार ने उसे विश्वास दिलाया कि मैं सरकार से अभय-दान दिलवा दूँगा। ताँतिया को पकड़ने के लिए जो पुलीस ऑफ़ीसर नियुक्त किया गया था, उसका नाम मेजर ईश्वरीप्रसाद था। गणपत की सलाह से निश्चय हुआ कि ताँतिया स्वयं आकर ईश्वरी-प्रसाद से मिले और माफ़ी की शर्तों पर बातचीत करे। ताँतिया वास्तव में सरल हृदय वीर था। वह चतुर था,



बन्दी-वेष में ताँतिया भील

परन्तु कपटी न था। गणपत पर उसका पूरा विश्वास था। वह उसकी मार्फ़त ईश्वरीप्रसाद से बातचीत करने के लिए राज़ी हो गया। तारीख़ मुक़र्रर हो गई। ईश्वरीप्रसाद सैकड़ों सशस्त्र सैनिकों के साथ ताँतिया से मिलने चले। उस समय ताँतिया एक अगम्य पर्वत की ऊँची चोटी पर था और मेजर पहाड़ की तली में। वहीं से बातचीत शुरू हुई। मेजर ने कहा कि मैं अपने अफ़सरों से बातचीत करके तुम्हारे लिए अभय-पत्र प्रा करूँगा और क महीने में गणपत के द्वारा इसकी ख़बर भेज दूँगा। उस समय तुम्हें आत्म-समर्पण कर देना पड़ेगा। ताँतिया इस बात पर राज़ी हो गया।

इस निश्चय के अनुसार, एक महीने बाद, सावन की पूर्णिमा को ताँतिया केवल छः भीलों के साथ गणपत के घर पर गया। उसने स्वप्न में भी इस बात की कल्पना न की थी कि उसका मित्र गणपत उसके साथ विश्वासघात करेगा या सरकार का एक उच्च कर्मचारी यों झूठ बोलेगा।

इधर मेजर ईश्वरीप्रसाद बहुत से हथियारबन्द सिपाहियों के साथ पहले से ही गणपत के मकान पर पहुँच गए थे और सिपाहियों को एक जगह छिपा कर यह हिदायत कर दी गई थी कि वे इशारा पाते ही अपने गुप्त स्थान से निकल कर ताँतिया को गिरफ़्तार कर लें। फलतः ताँतिया ने जब गणपत के मकान में प्रवेश किया तो मेजर साहब ने उठ कर बड़े तपाक से उसका स्वागत किया और समादरपूर्वक अपने पास बैठाया। इसके बाद मीठी-मीठी बातें करके उसे अपने प्रति अत्यधिक विश्वास दिलाया। इसी समय बातों ही बातों में गणपत ने ताँतिया की बन्दूक़ भी अपने हाथ में कर ली और फ़ौरन् छिपे हुए सिपाहियों को इशारा किया। एक शस्त्रहीन और थके हुए वीर पर दर्जनों सिपाही टूट पड़े। ताँतिया के साथियों ने सिपाहियों का मुक़ाबिला किया, परन्तु उन्हें तो केवल ताँतिया की चाह थी। इसलिए सिपाहियों ने इस आक्रमण की कोई चिन्ता न की। वे अपना सारा बल-बूता लगा कर ताँतिया को बाँधने में लगे और जब उन्हें इस बात का इतमीनान हो गया कि अब यह किसी तरह भाग नहीं सकता, तो उन्होंने उसके साथियों की ओर ध्यान दिया। परन्तु तब तक तो वे वहाँ से भाग चुके थे।

ताँतिया के हाथों और पैरों में मज़बूत हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहना दी गईं और एक-एक हथकड़ी दो पुलिस-मैनों को भी पहनाई गई। बाक़ी पुलीसमैन उसे चारों तरफ़ से घेर कर चले। इसके बाद जबल-पुर के डिप्टी कमिश्नर की अदालत में उस पर मामला चला और २६ सितम्बर, सन् १८८८ को उसे फाँसी की आज्ञा दे दी गई। जबलपुर के वकीलों तथा अन्यान्य लोगों ने सरकार से प्रार्थना की कि ताँतिया को फाँसी न दी जाय। परन्तु सरकार ने नामञ्जूर कर दिया और अन्त में उसे फाँसी दे दी गई।

ताँतिया डाकू था, चोर था, लुटेरा और हत्यारा था, परन्तु वह स्त्रियों का अपमान नहीं करता था। डाका डालने के समय उनसे गहने उतरवा लेता था, परन्तु उनका शरीर नहीं स्पर्श करता था। वह स्त्रियों को अपनी बहिनें समझता था, इसीलिए लोग उसे "ताँतिया मामा" कहते थे और जो कोई उसे इस मधुर सम्बोधन से सम्बोधित करता था, उसे वह अभय कर देता था। ताँतिया का नाम आज भी मध्य-प्रदेश में 'ताँतिया मामा' के नाम से मशहूर है। आज भी लोग उसकी वीरता की कहानियाँ बड़े चाव से सुनते और उस ज़मींदार को, जिसके दुर्व्यवहार से उसे डाकू होना पड़ा था, कोसते हैं।

❀ ❀ ❀

स्फुलिंग

[लेखक—अध्यापक ज़हूरबख़्श जी 'हिन्दी-कोविद']

'स्फुलिङ्ग' विद्याविनोद-ग्रन्थमाला की एक नवीन पुस्तक है। आप यह जानने के लिए उत्कण्ठित होंगे, कि इस नवीन वस्तु में है क्या? न पूछिए कि इसमें क्या है! इसमें उन अङ्गारों की ज्वाला है, जो एक अनन्त काल से समाज की छाती पर धधक रहे हैं, और जिनकी सर्व-संहारकारी शक्ति ने समाज के मन-प्राण निर्जीव-प्राय कर डाले हैं। 'स्फुलिङ्ग' में वे चित्र हैं, जिन्हें हम नित्य देखते हुए भी नहीं देखते और जो हमारे सामाजिक अत्याचारों का नग्न प्रदर्शन कराते हैं। 'स्फुलिङ्ग' देख कर समाज के अत्याचार आपके नेत्रों के सामने सिनेमा के फ़िल्म के समान घूमने लगेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 'स्फुलिङ्ग' के दृश्य देख कर आपकी आत्मा काँप उठेगी, और हृदय? वह तो एक-बारगी चीत्कार कर मूर्च्छित हो जायगा। 'स्फुलिङ्ग' वह वैतालिक रागिनी है, जो आपके सदियों के सोए हुए मन-प्राणों पर थपकियाँ देगी। 'स्फुलिङ्ग' में प्रकाश की वह चमक है, जो आपके नेत्रों में भरे हुए घनीभूत अन्धकार को एकदम विनष्ट कर देगी।

'स्फुलिङ्ग' में कुशल-लेखक ने समाज में नित्य घटने वाली घटनाएँ कुछ ऐसे अनोखे ढङ्ग से अङ्कित की हैं, कि वे सजीव हो उठी हैं। उन्हें पढ़ने से ऐसा बोध होता है, जैसे हमारे नेत्रों के सामने दीनों पर पाशविक अत्याचार हो रहा हो तथा हमारे कानों में उनकी करुण चीत्कार-ध्वनि गूँज रही हो। भाषा में ओज, माधुर्य और करुणा की त्रिवेणी लहरा रही है। हमारा अनुरोध है, कि यदि आपके हृदय में अपने समाज तथा देश के प्रति कुछ भी कल्याण-कामना शेष है, तो आज ही 'स्फुलिङ्ग' की एक प्रति ख़रीद लीजिए। शीघ्रता कीजिए, नहीं तो दूसरे संस्करण की राह देखनी पड़ेगी!

महात्मा ईसा

ईसाई-धर्म के प्रवर्तक महापुरुष ईसा का उज्ज्वल चरित्र स्वर्ग की विभूति है, विश्व का गौरव है और मानव-जाति का पथ-प्रदर्शक है। इस पुस्तक में उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएँ तथा उनके अमृतमय उपदेशों का वर्णन बहुत ही सुन्दरतापूर्वक किया गया है। पुस्तक का एक-एक शब्द विश्व-प्रेम, स्वार्थ-त्याग एवं बलिदान के भावों से ओत-प्रोत है। किस प्रकार महात्मा ईसा ने कठिन से कठिन आपत्तियों का मुक़ाबला धैर्य के साथ किया, नाना प्रकार की भयङ्कर यातनाओं को हँसते हुए झेला एवं बलिदान के समय भी अपने शत्रुओं के प्रति उन्होंने कैसा प्रेम प्रदर्शित किया—इसका पूरा वर्णन आपको इसमें मिलेगा। केवल एक बार के पढ़ने से आपकी आत्मा में दिव्य-ज्योति उत्पन्न हो जायगी।

दुर्भाग्यवश आज महापुरुष ईसा का चरित्र साम्प्रदायिकता के सङ्कीर्ण वायु-मण्डल में सीमित हो रहा है। वह जिस रूप में साधारण जनता के सामने चित्रित किया जाता है, वह अलौकिक तो है, परन्तु आकर्षक नहीं। प्रस्तुत पुस्तक में सुयोग्य लेखक ने इन भावनाओं से भी दूर, ईसा के विशुद्ध चरित्र को चित्रण करने का प्रयास किया है।

पुस्तक की भाषा अत्यन्त मधुर, मुहावरेदार एवं ओजस्विनी है। भाव अत्यन्त उच्च कोटि के, सुन्दर और मँजे हुए; शैली अभिनव, आलोचनात्मक और मनोहारिणी; विषय चरम, चित्रण प्रथम श्रेणी का है। मूल्य २॥); स्थायी ग्राहकों से १॥।=)

ग्रह का फेर

यह बङ्गला के एक प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद है। लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह में असावधानी करने से जो भयङ्कर परिणाम होता है, उसका इसमें अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है। इसके अतिरिक्त यह बात भी इसमें अङ्कित की गई है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस प्रकार ठुकराई जाती हैं और उन्हें किस प्रकार ईसाई लोग अपने चङ्गुल में फँसाते हैं। पुस्तक पढ़ने से पाठकों को जो आनन्द आता है, वह अकथनीय है, साथ ही अनुवाद भी ऐसा है कि मूल-लेखक के भाव कहीं विनष्ट नहीं होने पाए हैं। छपाई-सफ़ाई सब सुन्दर होते हुए भी पुस्तक का मूल्य केवल ॥) है।

मणिमाला

यह वह गल्प-गुच्छ है, जिसे हाथ में लेते ही आप आनन्द से गद्गद हो जायँगे! इसकी प्रत्येक कहानियाँ अमूल्य हैं। कहानियों में आप देखेंगे सामाजिक कुरीतियों का ताण्डव-नृत्य, बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, कन्या-विक्रय, दहेज, स्त्रियों का घरेलू कलह, वेश्या-गमन तथा पतिव्रत और पत्निव्रत आदि-आदि महत्वपूर्ण विषयों का मार्मिक तथा मनोरञ्जक वर्णन! प्रत्येक कुरीतियों का ऐसा नग्न-चित्र खींचा गया है तथा उनसे होने वाले अनर्थों का ऐसा हृदय-विदारक वर्णन किया गया है कि पढ़ते ही आपके रोंगटे खड़े हो जायँगे। इन विनाशक कुरीतियों ने आज हमें कितना पतित, कायर तथा अन्ध-भक्त बना दिया है कि इनके विरुद्ध सिर उठाने का हममें साहस ही नहीं रह गया है। अस्तु—प्रत्येक कहानी समाज की रङ्ग-भूमि है और उसमें उसका सारा मैल आपको जलता हुआ दिखाई देगा। कहीं-कहीं पर हास्य-रस का ऐसा प्रवाह मिलेगा कि पढ़ते ही आप लोट-पोट हो जायँगे। मूल्य केवल ३); स्थायी ग्राहकों से २)

व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

दिल्ली षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

ता० २३ जुलाई को दिल्ली षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने मि० एस० एन० बोस की जिरह के उत्तर में मुख़बिर कैलाशपति ने अभियुक्त निगम के साथ न्यू-हिन्दू होस्टल में तीन महीने तक रहने के समय की कुछ अन्य बातें बतलाईं। मुख़बिर ने कहा कि निगम के पास एक बार अमेरिकन मित्र आए थे, जोकि निगम के पास आठ-दस रोज़ तक ठहरे थे और इसके बाद कॉङ्ग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए चले गए थे। अमेरिकन मित्र के लिए भोजन के लिए कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया गया था। अमेरिकन मित्र के लिए वही भोजन बनता था, जोकि निगम के लिए बनता था।

मुख़बिर ने कहा कि निगम के साथ रहने के समय मैं साधारणतया होस्टल के बाहर चला जाया करता था और सवेरे १० बजे से ४ बजे तक कुदसिया बाग़ में किताबों के पढ़ने में समय व्यतीत किया करता था। मुझे याद नहीं है कि उस समय मैंने कौन सी किताबें पढ़ी थीं।

दिल्ली में रहने के समय भगवतीचरण और यशपाल नयाबाज़ार में एक मकान में रहा करते थे। मैं नयाबाज़ार के उस मकान में भगवतीचरण और यशपाल से मिलने के लिए दस या बारह दफ़ा गया था। उनसे मिलने में कोई विशेष अभिप्राय नहीं रहा करता था। मैं उनसे दल के फिर से सङ्गठन करने, पुराने सदस्यों के दल में मिलाने और प्रचार-कार्य प्रारम्भ करने के विषय में बातें किया करता था। उस समय वे लोग वायसरॉय की ट्रेन उड़ाने की स्कीम सोच रहे थे।

विद्यार्थियों, किसानों और मज़दूरों में प्रचार-कार्य करने का विचार किया गया था।

विद्यार्थियों में प्रचार-कार्य पहले से ही प्रारम्भ कर दिया गया था। मुख़बिर ने कहा कि धन के लिए क्रान्तिकारी कार्यों से सहानुभूति रखने वाले लोगों के पास जाने का विचार किया गया था। उनसे धन न मिलने पर कहीं लूट के द्वारा धन प्राप्त करने का विचार किया गया था।

दिल्ली में दल से सहानुभूति रखने वाले

दिल्ली में दल से सहानुभूति रखने वालों में मैंने लाला शङ्करलाल, पण्डित इन्द्र और मि० चमनलाल के नाम सुने थे।

प्र०—क्या इनमें से किसी के पास आप धन के लिए गए थे?

उ०—हाँ, मैं पण्डित इन्द्र और लाला शङ्करलाल के पास गया था। मैं एक बार लाला शङ्करलाल के पास उनके घर पर गया था, जोकि उस समय रायसीना में हनुमान रोड पर था। मैंने लाला शङ्करलाल से मिल कर एक घण्टे तक बातचीत की थी। इसके पहले मैं लाला शङ्करलाल से कभी नहीं मिला था।

प्र०—तुमने लाला शङ्करलाल से अपना क्या परिचय दिया था?

उ०—मैंने उनसे अपनी पहले की सब बातें बतला दीं और कहा कि मैं दिल्ली में एक षड्यन्त्रकारी दल का सङ्गठन करने जा रहा हूँ।

रायबहादुर कुँवर सेन—क्या मैं यह जान सकता हूँ कि लाला शङ्करलाल, जिनका ज़िक्र किया जा रहा है, जीवित हैं और दिल्ली के रहने वाले हैं?

मि० बोस—हाँ, वे जीवित हैं और एक अत्यन्त प्रमुख कॉङ्ग्रेसमैन और दिल्ली के रहने वाले हैं।

इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि मैंने लाला शङ्करलाल से कहा कि मैं हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की शाखा का सङ्गठन कर रहा हूँ।

प्र०—क्या वे जानते थे कि हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी क्या थी?

उ०—सम्भवतः वे जानते थे।

लाला शङ्करलाल ने मेरे विषय में कहा था कि भगवतीचरण से सम्बन्ध होने के कारण, जिसे मैं सी० आई० डी० का आदमी समझता हूँ, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। इसमें फँस जाने का डर है।

प्र०—क्या तुम्हारी समझ में भगवतीचरण दल का विश्वसनीय आदमी था?

उ०—हाँ, उसकी गिनती दल के नेताओं में थी। मैंने यह सब लाला शङ्करलाल से कह दिया था, परन्तु बिना किसी प्रकार के प्रत्यक्ष सबूत के उन्होंने विश्वास करने से इन्कार कर दिया।

प्र०—परन्तु भगवतीचरण की सचाई के प्रमाण में तुम लाला शङ्करलाल से कह सकते थे कि वे सब वायसरॉय की ट्रेन उड़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं?

उ०—नहीं, मैं यह रहस्य नहीं बतला सकता था।

पण्डित इन्द्र से भेंट

पण्डित इन्द्र से मिलने के विषय में मुख़बिर ने कहा कि मैं एक दिन सवेरे उनसे उनके घर पर मिलने गया था। पण्डित इन्द्र अपने कमरे में अकेले बैठे थे। मैंने उनसे क़रीब आधा घण्टा तक बातचीत की थी। जहाँ तक मुझे याद है, मैं लाला शङ्करलाल से मिलने के बाद पण्डित इन्द्र से मिला था। मैंने लाला शङ्करलाल से जो अपना परिचय दिया था, वही पण्डित इन्द्र से भी दिया था। मैंने उनसे भी अपना सम्पूर्ण विवरण बतलाया था। मैंने उनसे हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की एक शाखा स्थापित करने का निश्चय भी बतलाया था। पण्डित इन्द्र की बातचीत से मैंने अनुमान लगाया था कि वे यह जानते हैं कि हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी क्या है। पण्डित इन्द्र ने मुझे आर्थिक सहायता का वचन दिया था। उन्होंने कहा था कि जो कुछ धन मिल सकेगा, वह मैं तुम्हारे पास भेज दूँगा।

प्र०—चमनलाल से तुम कब मिले?

उ०—जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, मैं चमनलाल से नहीं मिला।

ख़ाँ बहादुर अमीरअली—यह चमनलाल कौन है? क्या 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के चमनलाल?

मुख़बिर—हाँ।

इसके बाद अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

ता० २४ जुलाई को दिल्ली षड्यन्त्र केस के अभियुक्त कपूरचन्द के वकील मि० एस० एन० बोस ने मुख़बिर कैलाशपति से जिरह जारी रक्खी। अभियुक्त हरकेश बीमार था, परन्तु ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा ५१४ के अनुसार उसकी अनुपस्थिति में भी अदालत की कार्रवाई जारी रही।

आज अभियुक्त-पक्ष के वकीलों के आने में देर हो जाने के कारण ११ बजे तक कार्रवाई प्रारम्भ नहीं हो सकी।

प्रारम्भ में सरदार बहादुर भागसिंह कोर्ट-इन्स्पेक्टर ने सबूत की ओर से कुछ काग़ज़ पेश किए।

मि० बोस ने अदालत का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि अदालत में पेश किए जाने वाले काग़ज़ों के महत्वपूर्ण अंशों को अभियुक्त के सामने पढ़ कर सुनाना आवश्यक है। अभियुक्त को उन्हें पढ़ा कर सुनने का अधिकार है। बिना पढ़ कर सुनाए वे प्रमाण के लिए नहीं पेश किए जा सकते। ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि क़ानून में यह बात अनिवार्य नहीं मानी गई।

इसके बाद मुख़बिर कैलाशपति से जिरह प्रारम्भ हुई। मुख़बिर ने कहा कि मैंने काशीराम को पण्डित इन्द्र के यहाँ रुपए लाने के लिए भेजा था। यह जनवरी सन् १९३० की बात है। काशीराम लौट आया और कहा कि पण्डित इन्द्र के पास रुपया नहीं है। अक्टूबर और नवम्बर सन् १९२९ में मुझे निगम से अक्सर रुपए मिला करते थे। मुझे याद नहीं है कि अक्टूबर महीने में मैंने उनसे कितना रुपया लिया था और न यही याद है कि किस कार्य के लिए लिया था। नवम्बर महीने में, कानपुर जाने के समय निगम से २५ रुपए मिले थे।

प्र०—तुम 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के मि० चमनलाल से मिलने क्यों नहीं गए?

उ०—क्योंकि मैं उन्हें काफ़ी तरह से जानता नहीं था।

प्र०—परन्तु यह तो तुम जानते ही थे कि वह दल से सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति है?

उ०—यह जानना काफ़ी नहीं था।

आगे प्रश्न करने पर मुख़बिर ने कहा कि हज़ारीलाल, जोकि पटना में अभी गिरफ़्तार हुआ है, जनवरी सन् १९३० तक बालकिशन के यहाँ ठहरा करता था। वह उनके यहाँ चार महीने तक ठहरा था। मैं उससे तीस या चालीस दफ़ा मिला हूँगा। मैं उससे अक्सर बाग़ों में मिला करता था। पहली दफ़ा जब मैं हज़ारीलाल से मिला था, तब मैंने उससे षड्यन्त्रकारी दल की भर्ती के सम्बन्ध में पूछा था। निगम अगस्त महीने में कलकत्ता गए थे। मैंने निगम से हज़ारीलाल के सम्बन्ध में पूछा था।

मैंने निगम को सितम्बर महीने में लिखा था, जिसका कलकत्ता से उत्तर मिला था। हज़ारीलाल ने मुझसे कहा था कि मैं एक षड्यन्त्रकारी दल की खोज में लाहौर जा रहा हूँ।

विद्याभूषण—क्या वह कहीं बाज़ार में पड़ा हुआ था?

इसके बाद आगे जिरह करने पर मुख़बिर ने कहा कि हज़ारीलाल को आशा थी कि वह लाहौर के षड्यन्त्रकारी दल का सदस्य सहज ही बन जायगा। वह दल की आज्ञानुसार कोई भी कार्य करने को तैयार था। मैंने उससे दिल्ली में ठहरने और दिल्ली के दल का सदस्य हो जाने के लिए कहा था। मुझे नहीं मालूम कि हज़ारीलाल अपने साथ कुछ धन लाया था। उसके मित्र उसका ख़र्च चलाते थे। हज़ारीलाल इन्ट्रेन्स परीक्षा में फ़ेल हो गया था। हज़ारीलाल के चार महीना दिल्ली में रहने के समय मेरी उससे कोई विशेष बातचीत नहीं हुई थी। हज़ारीलाल को यह नहीं मालूम था कि बिहार और उड़ीसा में कोई दल था या नहीं। उसने मुझसे कहा था कि बहुत वर्षों से मेरी मनोवृत्ति क्रान्ति की ओर है। मातृ-भारत की दीन दशा देख कर वह द्रवित हो गया था और उसने मातृ-भारत को स्वतन्त्र करने का निश्चय कर लिया था।

वह भारत की ग़रीबी से विशेषकर प्रभावित हुआ था।

प्र०—क्या इस विषय में उसने तुमसे कुछ कहा था?

उ०—उसने मुझसे कहा था कि इस बात के लिए वर्तमान शासन-प्रणाली ज़िम्मेदार है। परन्तु वह इस बात की अच्छी तरह से व्याख्या नहीं कर सका था।

प्र०—क्या तुम उसके इस कथन से सहमत हुए थे कि भारत की ग़रीबी के लिए गवर्नमेण्ट ज़िम्मेदार है?

चौधरी जफ़रुल्ला ख़ाँ ने इस प्रश्न पर आपत्ति की, परन्तु प्रेज़िडेण्ट ने उपरोक्त प्रश्न के पूछने की इजाज़त दे दी।

उ०—कर और मालगुज़ारी कहीं अधिक ज़्यादा है। वर्तमान शासन-प्रणाली लोगों के हित पर ध्यान नहीं देती।

प्र०—और कोई बात है?

उ०—उसमें सभी बातें शामिल हैं?

प्र०—क्या तुमने कर के विषय में अध्ययन किया है?

उ०—मैंने कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है।

प्र०—तुमने साधारणतया अध्ययन किया है?

उ०—नहीं, मैंने इन बातों को प्रत्यक्ष देखा है। मैंने देखा है कि औसतन ५५ फ़ी सदी कर है, जोकि दूसरी गवर्नमेण्टों की तुलना में बहुत ज़्यादा है।

प्र०—तुमने किन आँकड़ों के आधार पर उपरोक्त परिणाम निकाला है?

प्रेज़िडेण्ट—मि० बोस, यह तो बहुत दूर की बात है।

मि० बोस—श्रीमान, वह विषय के व्यावहारिक ज्ञान का दावा करता है, इसलिए उसकी परीक्षा आवश्यक है।

मुख़बिर ने कहा—मैंने मित्रों की बातचीतों से उपरोक्त परिणाम निकाला है।

मुख़बिर ने कहा कि गवर्नमेण्ट ने अनावश्यक कर लगा रक्खे हैं। खाने-पीने और दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं पर भी उसने कर लगा दिए हैं। बाहर से हिन्दुस्तान आने वाले गेहूँ पर भी कर लगा हुआ है।

प्र०—और किन वस्तुओं पर कर लगे हुए हैं?

उ०—मुझे नहीं मालूम।

प्र०—गेहूँ हिन्दुस्तान में कब से आने लगा और उस पर क्या कर लगाया जाता है?

उ०—मैं नहीं जानता। मैंने उस विषय का अध्ययन नहीं किया।

प्र०—भारत के लोगों के हित से तुम्हारा क्या अभिप्राय है?

उ०—लोगों के हित से मेरा तात्पर्य शिक्षा और धन-सम्बन्धी स्थिति से है। हम लोगों के लिए शिक्षा की सुविधाएँ नहीं हैं।

प्र०—"हम" से तुम्हारा क्या तात्पर्य है?

उ०—भारतीय। (इस पर हँसी हुई)

प्र०—कौन सी सुविधाएँ नहीं दी जातीं?

उ०—बहुत से गाँव बिना स्कूल के हैं और उच्च शिक्षा के लिए बहुत कम सुविधाएँ हैं।

मुख़बिर ने कहा कि लोगों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए गवर्नमेण्ट को गाँवों में बैङ्क और विस्तार के साथ सहयोग समितियाँ खोलनी चाहिए थीं।

प्र०—बैङ्कों से ग़रीबों का क्या लाभ हो सकता है?

उ०—वे कम सूद पर रुपया उधार दे सकती हैं।

प्र०—परन्तु बैङ्कों से रुपया लेने के लिए ज़मानत देने की ज़रूरत होती है, जोकि ग़रीब आदमी नहीं दे सकते?

उ०—हाँ!

मुख़बिर ने कहा कि मैं देश में सहयोग समितियों की उन्नति के विषय में कुछ नहीं जानता।

मेरे कर्तव्य

भगवतीचरण दिल्ली में नया बाज़ार में २२ दिसम्बर, सन् १९३० तक रहे थे। नवम्बर के प्रारम्भ में भगवतीचरण ने वायसरॉय की स्पेशल ट्रेन उड़ाने के सम्बन्ध में मुझसे ज़िक्र किया था। ट्रेन उड़ाने के उपायों के विषय में मुझसे बातचीत नहीं हुई थी। भगवतीचरण ने मुझसे कहा था कि हम लोगों को छोटे-छोटे अफ़सरों और छोटे-छोटे सी० आई० डी० अफ़सरों के मारने में अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिए। इस विचार से उपरोक्त निश्चय किया गया था। दल की कानपुर की सभा में वायसरॉय की स्पेशल उड़ाने की स्कीम पर विचार नहीं हुआ था। मैं यू० पी० का प्रान्तीय सङ्गठनकर्ता नियुक्त किया गया था।

प्र०—प्रान्तीय सङ्गठनकर्ता के क्या कर्तव्य थे?

उ०—प्रान्त की भिन्न-भिन्न शाखाओं के हित और उनकी उन्नति की देख-रेख रखना।

इसी बीच में विद्याभूषण ने कहा कि "और वक़्त पर मुख़बिर बन जाना।" (इस पर हँसी हुई)

प्र०—और क्या कर्तव्य थे?

उ०—और कार्यक्रमों को कार्य में परिणत करना। कार्यक्रम "सी० सी०" द्वारा नियत होते थे।

तिवारी का वर्णन

इसके बाद प्रश्न करने पर मुख़बिर ने कहा कि वीरभद्र तिवारी एक लम्बे डील-डौल का और साँवले रङ्ग का व्यक्ति था। मज़बूत शरीर है और चालीस इञ्च से अधिक चौड़ा सीना है। चेहरा कुछ लम्बा है।

प्र०—साँवले रङ्ग से तुम्हारा क्या मतलब है?

उ०—आप साँवले रङ्ग के कहे जा सकते हैं। (इस पर हँसी हुई)

प्र०—और तुम? (इस पर भी हँसी हुई)

उ०—मैं भी। (इस पर फिर हँसी हुई)

बीच में मि० बलजीतसिंह ने कहा कि इन दोनों व्यक्तियों का प्रदर्शन होना चाहिए।

आगे प्रश्नों के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि दल के सदस्यों को देश से बाहर भेजने का उद्देश्य विदेश में प्रचार-कार्य करना और फ़रार अभियुक्तों की रक्षा करना था। हम लोगों ने आज़ाद को सुरक्षा के लिए हिन्दुस्तान के बाहर भेजने का विचार किया था, परन्तु उनके बिना हम लोगों का काम नहीं चल सकता था। इसलिए दल की सभा में इस विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई। ब्रिटेन के विरोधी देशों से हम लोगों का विचार शस्त्र मँगाने का था।

प्र०—उदाहरण के लिए किन देशों से?

उ०—सीमा-प्रान्त की जातियों से और जर्मनी और रूस से।

विद्याभूषण—बस? (इस पर हँसी हुई)

मुख़बिर ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है कि दल का रूस, जर्मनी या सीमा-प्रान्त की जातियों से कोई सम्बन्ध था या नहीं।

आगे जिरह के प्रश्न के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि मैंने वायसरॉय की ट्रेन उड़ाने की बात आज़ाद से बतला दी थी। मुझे इस बात की सूचना दल की केन्द्रीय कौन्सिल को देने का मौक़ा नहीं मिला। फ़ौज का प्रधान अर्थात् हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का प्रधान सेनापति प्रत्येक कार्य के लिए केन्द्रीय कमिटी के प्रति ज़िम्मेदार रहता है, चाहे वह कार्य व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा ही क्यों न किया गया हो।

इसके बाद मि० बोस ने मुख़बिर का ३० अक्टूबर, सन् १९३० का बयान पढ़ कर सुनाया। और कहा कि उसने उस बयान में वैशम्पायन का नाम नहीं लिया था, उसके बहुत बाद के बयान में उसने वैशम्पायन का नाम जोड़ दिया था। मि० बोस ने यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया कि मुख़बिर की बातें परस्पर-विरोधी हैं।

सरकारी वकील ने कहा कि कहीं कोई परस्पर विरोधी बात नहीं है। दूसरा बयान अधिक स्पष्ट है। इसके समर्थन में आपने कुछ उदाहरण भी बतलाए।

इसके बाद मुख़बिर ने पुलीस के सामने दिया हुआ अपना वह बयान पढ़ कर सुनाया, जिसमें लिखा था कि "मैंने अपने आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट बतलाया और गोपालकृष्ण पौराणिक मुझे आदर्श विद्यालय के हेड-मास्टर के लिए भटनावर ले गए थे।"

मुख़बिर ने कहा कि पौराणिक के साथ भटनावर जाने की बात ग़लत है।

इसके बाद अदालत जलपान के लिए स्थगित हो गई।

जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर मुख़बिर ने कहा कि जिमनैशियम में दल की जो सभा हुई थी, उसमें चन्द्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि हम लोग दल का फिर से सङ्गठन करने के लिए एकत्र हुए हैं। पहला कार्य प्रान्तीय सङ्गठन-कर्ताओं की नियुक्ति का है।

केसर की क्यारी

(२५वें पृष्ठ का शेषांश)

काबा जिसे अब सब कहते हैं,
पहले तो यही बुतख़ाना था।
ख़न्दाँ[42] भी हज़ारों देख पड़े,
गिरियाँ[43] भी नज़र आए लाखों,
कूचा था हमारे दिलबर का,
या कोई अजायबख़ाना था।
क्या बज़्मे तरब[44] का हाल कहूँ,
बातें यह मुझे याद आती हैं,
जलने के लिए थी शम्आ वहाँ,
जल मरने को परवाना था।
दामन में जो चुन कर रखता था,
सब जेबो गरेबाँ के टुकड़े,
हुशियार वही दीवाना था,
दीवाना वह कब दीवाना था।
माना कि है रौशन बज़्मे[45] जहाँ,
ऐ शम्आ तेरी दिलसोज़ी[46] से,
क्यों हाथ में हर परवाने के,
जल मरने का परवाना था।
रिन्दों[47] का तो कोई ज़िक्र नहीं,
ज़ाहिद[48] भी बहक जाते साक़ी,
रफ़्तार तेरी मस्तानी थी,
अन्दाज़ तेरा मस्ताना था।
मतलब है इबादत[49] से मुझको,
मतलब है परस्तिश[50] से मुझको,
जिस दर पे झुकाया सर मैंने,
काबा था वही बुतख़ाना था।
वह शम्आ न थी, वह बज़्म न थी,
वह सुबह को अहले बज़्म न थे,
बस याद दिलाने की ख़ातिर,
अम्बारे[51] परे परवाना था।
कन्धे पे लिए सब अहले[52] जुनूँ,
"बिस्मिल" का जनाज़ा जाते थे,
था चाक क़फ़न इस वास्ते वह,
हर शख़्स कहे दीवाना था।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

४२—हसने वाले, ४३—रोने वाले, ४४—सभा का आनन्द, ४५—संसार, ४६—दिल जलाना, ४७—शराबी, ४८—परहेज़गार, ४९—वन्दना करना, ५०—पूजा करना, ५१—परों का ढेर, ५२—दीवाने।

* * *

जहाँ तक मुझे मालूम है, उस समय हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की शाखाएँ नहीं थीं, क्योंकि लाहौर षड्यन्त्र केस के बाद सङ्गठन नष्ट हो गया था। आज़ाद ने यू० पी० के प्रान्तीय सङ्गठनकर्ता के लिए तिवारी का नाम पेश किया था। दिल्ली के सङ्गठन-कर्ता के लिए मेरा नाम पेश किया गया था, क्योंकि दिल्ली के सम्बन्ध में मुझे जानकारी थी। दिल्ली के दल के दूसरे सदस्यों को मुझसे अधिक स्थानीय जानकारी थी।

प्र०—क्या अधिक स्थानीय जानकारी के कारण वे अधिक उपयुक्त प्रान्तीय सङ्गठन-कर्ता थे ?

उ०—केवल यही योग्यता यथेष्ट नहीं है।

प्र०—तो और कौन सी योग्यताएँ तुममें थीं ?

उ०—मुझे दल के अनुभव थे। मुख़बिर ने कहा कि सभा ढाई घण्टे तक होती रही थी। इसके बाद तिवारी ने जिमनैशियम के दरवाज़े बन्द कर दिए और हम लोग इधर-उधर चले गए।

मुख़बिर ने कहा कि दूसरे दिन मैंने आज़ाद से कुछ रुपए माँगे। मुझे पचास रुपए मिले और मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गया।

मुझे वे रुपए किताबों के लिए मिले थे। उसी महीने में पचीस रुपए मुझे निगम से मिले थे। आज़ाद ने जो ५० रुपए दिए थे, उनसे मैंने कुछ साम्यवाद-साहित्य की पुस्तकें ख़रीदी थीं।

तीन दिन बाद आज़ाद दिल्ली आए और हम लोग विमलप्रसाद जैन के घर पर मिले। वैशम्पायन भी मौजूद थे। कुछ मिनटों के बाद मैं आज़ाद को नया-बाज़ार में भगवतीचरण और यशपाल के घर पर ले गया। आज़ाद से उनका परिचय कराया गया। आधा घण्टा के बाद मैं वहाँ से लौट आया था, आज़ाद वहाँ तीन दिन तक रहे थे। कोई विशेष बातचीत नहीं हुई थी। दूसरे दिन मैं आज़ाद, भगवतीचरण और यशपाल से फिर मिला, लेकिन कोई विशेष बातचीत नहीं हुई। एक दफ़े वायसरॉय की स्पेशल ट्रेन उड़ाने की स्कीम के सम्बन्ध में बातचीत हुई थी। उस विषय में कोई विचार नहीं हुआ था। आज़ाद कानपुर जाने के पहले मुझसे नहीं मिले थे। भगवतीचरण ने मुझे आज़ाद के कानपुर जाने के विषय में बतलाया था।

आमदनी का श्रोत

मैं दिल्ली का प्रान्तीय सङ्गठनकर्ता था, परन्तु मैंने भगवतीचरण और यशपाल से यह नहीं पूछा कि वे वायसरॉय की ट्रेन उड़ाने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं। मैं उन्हें अपने जूनियर नहीं समझता था। वायसरॉय की ट्रेन उड़ाने की मुझ पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी। वे जानते थे कि मैं दल का अत्यन्त ज़िम्मेदार सदस्य हूँ।

प्र०—वे तुमको पूरा विवरण क्यों नहीं बतलाते थे ?

उ०—वे मुझे जितना आवश्यक था, उतना बतला देते थे।

मुख़बिर ने कहा कि वायसरॉय की ट्रेन-घटना के बाद मुझे यह मालूम हुआ था कि चार हज़ार रुपए अक्टूबर में ख़र्च हुए थे। मैंने उनसे पूछा था कि रुपए कहाँ से मिल रहे हैं ? उन्होंने मुझसे बतलाया कि सहानुभूति रखने वाले इस कार्य के लिए धन दे रहे हैं।

मि० बोस ने मुख़बिर के पहिले के दो बयानों का हवाला देते हुए कहा कि वे बयान और आज के बयान परस्पर विरोधी हैं।

इसके बाद सोमवार तक के लिए अदालत की कार्रवाही स्थगित हो गई।

ता० २७ जुलाई को दिल्ली षड्यन्त्र केस में मि० एस० एन० बोस ने मुख़बिर कैलाशपति से जिरह जारी रक्खी।

मि० बैनर्जी वकील ने, जोकि अभियुक्त निगम की तरफ़ से पैरवी करने के लिए हाज़िर हुए हैं, ट्रिब्यूनल से कहा कि मैं निगम की तरफ़ से पैरवी कर रहा हूँ, क्योंकि निगम मेरे अध्यापक रह चुके हैं और अब वे मेरे मित्र हैं। निगम ने गवर्नमेण्ट या सार्वजनिक ख़र्च से अपनी पैरवी कराने के लिए इन्कार कर दिया था, इसलिए मैं मित्र की हैसियत से उनकी पैरवी करने के लिए तैयार हो गया हूँ।

मुख़बिर कैलाशपति ने मि० एस० एन० बोस की जिरह के उत्तर में कहा कि यशपाल और भगवतीचरण आज़ाद से सलाह करने के पहले मुझसे मिले थे। मैंने उनसे यह नहीं पूछा कि वे कानपुर क्यों जा रहे हैं और चन्द्रशेखर आज़ाद से उन्होंने क्या सलाह की थी। कानपुर से लौटने पर उन्होंने मुझसे कहा था कि वायसरॉय की ट्रेन उड़ाने का कार्य २१ दिसम्बर को किया जायगा। इस विषय में उन्होंने मुझसे पूरा विवरण नहीं बतलाया था। निश्चय किया गया था कि वायसरॉय की ट्रेन उड़ाने के समय फ़रार अभियुक्त दिल्ली में न रहें। फ़रार होने के कारण मुझसे दिल्ली से बाहर चले जाने के लिए कहा गया था, परन्तु मैं नहीं गया। भगवतीचरण २३ दिसम्बर को शाम के वक़्त और यशपाल वायसरॉय की ट्रेन उड़ाने का कार्य करने के बाद दिल्ली से गए थे। मैं भगवतीचरण से २२ दिसम्बर को सभा में मिला था।

आज़ाद ने नेताओं से कहा था

२२ दिसम्बर को दल की सभा में आज़ाद ने कुदसिया बाग़ में मुझसे कहा था कि मैंने कॉङ्ग्रेस के नेताओं से वायसरॉय की ट्रेन उड़ाने की बात कह दी थी। दल के किसी सदस्य ने दल के बाहर के व्यक्तियों से इस बात के कहने का विरोध नहीं किया। आज़ाद ने कहा कि नेता इस कार्य के विरुद्ध हैं।

उसी सभा में भगवतीचरण ने कहा था कि देश में दमन के उत्तरदायी वायसरॉय ही हैं। मैं भी भगवतीचरण की इस बात से सहमत था कि वास्तव में दमन के उत्तरदायी वायसरॉय ही हैं, परन्तु मैंने ट्रेन उड़ाने के प्रस्ताव का विरोध किया था।

मुख़बिर ने कहा कि मैंने सभा में यह बात स्पष्ट कर दी थी कि हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की हालत ऐसी नहीं है कि वह आतङ्क फैलाने के कार्य प्रारम्भ कर सके, क्योंकि उसने हिन्दुस्तान में आतङ्क फैलाने की ज़िम्मेदारी नहीं ली। दूसरे दल की हालत इतनी असङ्गठित है कि वायसरॉय को ट्रेन उड़ाने का कार्य करने के बाद जो प्रबल दमन प्रारम्भ होगा, उसका दल मुक़ाबिला न कर सकेगा।

वीरभद्र तिवारी ने क़रीब-क़रीब भगवतीचरण की राय का समर्थन किया था, परन्तु वे भी इस कार्य के पक्ष में नहीं थे। सभा में मुझे मालूम हुआ था कि इस स्कीम के मुख्य सङ्गठनकर्ता यशपाल और भगवतीचरण थे। उनके सहायक कुछ और व्यक्ति भी थे। सभा में स्कीम पर कोई विशेष विचार नहीं हुआ था।

मैंने झूठा बयान दिया था

मुख़बिर ने कहा कि ३० अक्टूबर, सन् १९३० को पुलीस के सामने दिए गए बयान में जो मैंने एक "अज्ञात व्यक्ति" का ज़िक्र किया है, वह झूठ है। "मैंने वह झूठा बयान दिया था, क्योंकि मैं तिवारी का नाम छिपाने के लिए उत्सुक था।"

रायबहादुर कुँवर सेन—क्या तिवारी का जो तुमने वर्णन किया है, वह भी ग़लत है ?

उ०—वर्णन भी क़रीब-क़रीब ग़लत है।

ख़ाँ बहादुर अमीरअली—क्या तुमने तिवारी की शनाख़्त बचाने के लिए ऐसा कहा था ?

उ०—श्रीमान निस्सन्देह।

इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि मैं नहीं कह सकता कि यशपाल सभा समाप्त होने के पहिले ही क्यों चला गया था। उसको कोई ज़रूरी कार्य था, परन्तु उसने सभा के सामने उसके विषय में कुछ बतलाया नहीं। सभा के बाद मैं आज़ाद के साथ गया था। हम लोग दो घण्टे तक घूमते रहे।

मुख़बिर ने कहा कि २२ दिसम्बर सन् १९२९ तक मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता रहा। मुझे यह याद नहीं है कि उस समय मेरा क्या कार्यक्रम था। प्रान्तीय सङ्गठनकर्ता नियुक्त हो जाने पर भी मेरे पास कोई विशेष कार्यक्रम नहीं था। मैं दल के दिल्ली में रहने वाले सदस्यों से सलाह करने में व्यस्त था। निश्चय हुआ था कि प्रचार-कार्य प्रारम्भ किया जाय, परन्तु धन न होने के कारण हम लोग प्रचार-कार्य नहीं कर सके। काशीराम और निगम ने मेरे साथ सलाह करने में भाग लिया था। प्रचार से मेरा तात्पर्य विद्यार्थियों में क्रान्ति-कारी प्रचार से है।

एक सभा में हम लोगों ने धन प्राप्त करने का उपाय करने के लिए दल से सहानुभूति रखने वालों के पास जाकर रुपए लाने का निश्चय किया था। मुख़बिर ने कहा कि दल की कुछ सभाओं के विषय में मुझे बिल्कुल याद नहीं है। दिसम्बर में मेरे भोजन का प्रबन्ध निगम ने किया था। वायसरॉय की ट्रेन-घटना के तीन दिन बाद, २६ दिसम्बर को आज़ाद और बी० पी० जैन के साथ मैं पैदल नाजगढ़ा गया था। हम लोग लॉरी और रेल से नहीं गए, क्योंकि लॉरी और रेलों की कड़ी जाँच हो रही थी। हम लोग ग्राण्डट्रङ्क रोड से भी नहीं गए, पगडण्डी से गए। नाजगढ़ा में हम लोगों को पहले रामचन्द्र शर्मा मिले, जोकि इस समय फ़रार हैं। आधा घण्टा के बाद हम लोगों को रामचन्द्र के साझीदार ब्रह्मानन्द मिले। रामचन्द्र शर्मा ने ब्रह्मानन्द से कहा कि ये लोग मेरे मित्र हैं। नाजगढ़ा जाने के पहले रामचन्द्र शर्मा दल के सदस्य नहीं थे, बल्कि दल से सहानुभूति रखने वाले थे। तीन-चार दिनों के बाद हम लोगों ने निश्चय किया कि नाजगढ़ा दल का केन्द्र बनाया जाय। रामचन्द्र शर्मा के द्वारा एक बन्दूक़ ख़रीदी जाय और दल के सदस्यों को वहीं निशाने का अभ्यास कराया जाय। मैंने और आज़ाद ने वहाँ और कुछ नहीं किया, केवल आज़ाद का पिस्तौल से निशाने का अभ्यास किया था। हम लोग एक काग़ज़ पर निशाना लगाया करते थे। और नज़दीक ही नदी के ऊँचे किनारों पर गोली चलाने का अभ्यास करते थे। पहली जनवरी को हम लोग दिल्ली चले आए थे।

मि० बोस ने मुख़बिर से कहा कि ३० अक्टूबर को पुलीस के सामने दिए हुए बयान में तुमने कहा था कि वायसरॉय की ट्रेन-घटना के बाद आज़ाद कानपुर चले गए थे।

मुख़बिर ने कहा कि हाँ, मैंने ऐसा बयान दिया था, परन्तु वह बयान झूठा था। ऐसा बयान देने का कारण यह था कि मैं रामचन्द्र शर्मा के नाम को छिपाना चाहता था।

प्र०—क्या तुमने पुलीस के सामने अपने बयान में यह कहा था कि लाला शङ्करलाल से तुम पचास रुपए लाए थे ?

उ०—मुझे याद नहीं है कि मैंने ऐसा बयान दिया था।

इस पर मि० बोस ने पुलीस के सामने ३१ अक्टूबर को दिए हुए बयान का उपरोक्त अंश पढ़कर सुनाया।

मि० बास ने ट्रिब्यूनल से कहा कि तीन दिन पहले मुख़बिर अदालत के सामने अपने बयान में कह चुका

(शेष मैटर ३५वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

लाहौर षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

ता० २१ जुलाई को भागराम के बीमार हो जाने के कारण दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस की कार्रवाई फिर स्थगित कर दी गई। भागराम मेयो अस्पताल में भेज दिए गए थे।

अभियुक्त-पक्ष के वकील ने अभियुक्त से अस्पताल में भेंट की थी। आपने अदालत से कहा कि अभियुक्त को बीमारी की हालत में भी हथकड़ियाँ पहनाई गई हैं और हथकड़ियाँ चारपाई से बाँध दी गई हैं।

जेलों के इन्स्पेक्टर जेनरल ने स्पेशल ट्रिब्यूनल की आज्ञा होने पर भी अभियुक्त सुखदेवराज को दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अन्य अभियुक्तों से मिलने की इजाज़त नहीं दी थी। इस सम्बन्ध में स्पेशल ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट ने मि० श्यामलाल से कहा कि स्पेशल ट्रिब्यूनल के पत्र के उत्तर में जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने लिखा है कि जेलों के इन्स्पेक्टर जेनरल ने ट्रिब्यूनल की आज्ञाओं के अनुसार कार्य करना स्वीकार कर लिया है। सुखदेवराज को सप्ताह में चार बार दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों से मिलने की इजाज़त रहेगी। परन्तु सुखदेवराज के अन्य क़ैदियों के साथ रहने के विषय में जेल-अधिकारियों ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। अभियुक्त सुखदेवराज को सी क्लास के विचाराधीन क़ैदियों के साथ रहने की इजाज़त रहेगी।

अदालत ने मि० श्यामलाल से उपरोक्त विषय में अपना विरोध पेश करने के लिए कहा। उस पर ता० ३१ को बहस की जायगी।

अदालत में इन्द्रपाल

जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर मुख़बिर इन्द्रपाल पेश किया गया। अदालत ने उससे कहा कि जेल-अधिकारियों ने उसे उसके सम्बन्धियों से मिलने की इजाज़त देना और अन्य शिकायतों को दूर करना स्वीकार कर लिया है। उसकी सुरक्षा के विचार से केवल उसे बाहर सोने की इजाज़त न मिलेगी।

अदालत ने इन्द्रपाल से यह भी कहा कि वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को अदालत के सामने पेश किया जायगा, उस समय वह अपनी शिकायतें पेश कर सकता है।

मुख़बिर इन्द्रपाल ने कहा कि जो व्यक्ति मेरे साथ रहने के लिए भेजे गए हैं, वे निरक्षर हैं और उनमें से एक को नेत्र-रोग है।

इसके बाद अदालत ने अभियुक्त सुखदेवराज के मामले की सुनवाई प्रारम्भ की।

दिल्ली षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

(३३वें पृष्ठ का शेषांश)

है कि लाला शङ्करलाल ने उसे कुछ देने से इन्कार कर दिया था। मुख़बिर के बयान परस्पर विरोधी हैं।

आगे जिरह करने पर मुख़बिर ने कहा कि मैं दल से सहानुभूति रखने वालों में लाला शङ्करलाल, पण्डित इन्द्र और चमनलाल के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता।

इसके बाद अदालत जलपान के लिए स्थगित हो गई।

जलपान के बाद अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई, क्योंकि मालूम हुआ कि मुख़बिर जलपान के समय बीमार हो गया।

(क्रमशः)

❀ ❀ ❀

सबूत की गवाही

लाहौर के ख़ाँ साहब मोहम्मद ख़ाँ तहसीलदार ने कहा कि ९ सितम्बर, सन् १९३० को मैं लिब्बां पुलीस चौकी में बुलाया गया था। नन्दलाल नाम का एक व्यक्ति कुछ जगहें बतलाना चाहता था उसी सम्बन्ध में मेरी उपस्थिति की आवश्यकता थी, नन्दलाल मुझे और कुछ अन्य व्यक्तियों को बुड्ढा नदी के पुल के पास मिण्टो पार्क में ले गया और मुझसे कहा कि दो-एक रोज़ पहले मैंने वहाँ पानी में १४ बम फेंके थे।

मि० श्यामलाल ने ज़बानी गवाही पर आपत्ति करते हुए कहा कि मैजिस्ट्रेट उस विषय में ज़बानी गवाही नहीं दे सकता, जिस विषय को वह ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा १६४ के अनुसार लिख कर दर्ज कर सकता है।

अदालत ने मि० श्यामलाल की बात अस्वीकार कर दी।

इसके बाद गवाह ने अपनी गवाही के सिलसिले में कहा कि वे चौदह बम पानी से निकाले गए। उनमें से बारह एक प्रकार के थे। उनमें नीचे की तरफ़ एक छेद और एक पेंच कसा हुआ था। बाक़ी दो बमों में घोड़े बने हुए थे, वे बम पुलीस को दे दिए गए थे। उस समय वहाँ मि० रसेल और ख़ाँ साहब सय्यद अहमद-शाह डी० एस० पी० मौजूद थे।

अदालत के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैं द्वितीय श्रेणी का मैजिस्ट्रेट हूँ। अमृतसर में रहने के समय मैंने दफ़ा १६४ के अनुसार कार्य किया था, परन्तु लाहौर में तबादला हो जाने पर मुझे निश्चय नहीं था कि उस दफ़ा के अनुसार कार्य करने का मुझे अधिकार था या नहीं।

मि० श्यामलाल की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि जहाँ तक मुझे मालूम है, मुझे लाहौर ज़िले में ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा १६४ के अनुसार बयानों के दर्ज करने का अधिकार नहीं था। आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने मुझे सी० आई० डी० के साथ जाने के लिए नहीं कहा था। मैं वहाँ पुलीस के कहने से सरकारी नौकर की हैसियत से गया था। मैं वहाँ मैजिस्ट्रेट की हैसियत से नहीं गया था। नन्दलाल ने बुड्ढा नदी की ओर सब लोगों को ले जाने के समय थाने में पुलीस से उसका उद्देश्य नहीं बतलाया था। पानी कमर तक गहरा था जहाँ से बम निकाले गए थे। कुछ कॉन्स्टेबिल ताँगे पर नन्दलाल के साथ पुल पर पहुँच गए थे परन्तु कोई कॉन्स्टेबिल नन्दलाल के पहले वहाँ नहीं पहुँचा था।

दूसरे गवाह पञ्जाब युनिवर्सिटी लायब्रेरी के लायब्रेरियन मि० लाभूराम थे। आपने अपनी गवाही में विद्यार्थियों को पुस्तकें देने के नियम बतलाए। आपने कहा कि मैं सुखदेवराज को पहचानने में असमर्थ हूँ। इसके बाद गवाह ने सुखदेवराज नाम के एक व्यक्ति की अर्ज़ी पेश की जिस पर डी० ए० वी० कॉलेज के प्रिन्सिपल लाला साईंदास की सिफ़ारिश थी। सिफ़ारिश के अनुसार मैंने सुखदेवराज को लायब्रेरी का सदस्य नियुक्त कर लिया था। सुखदेवराज ने लायब्रेरी से २२ एप्रिल, सन् १९३० को दो किताबें पढ़ने के लिए ली थीं। मुझे इस बात की व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। इसके बाद गवाह ने किताबों की शनाख़्त की।

इसके बाद अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

ता० ३० जुलाई को दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने सबूत के अन्य गवाहों की गवाही दर्ज हुई।

सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल और अमोलकराम कपूर ने पी० डब्ल्यू० दीवानचन्द से जिरह की, जिन्होंने गुजरानवाला में बम फटने के विषय में गवाही दी थी।

जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैं एक ब्याह के लिए बर्तन और कपड़े ख़रीदने गुजरानवाला गया था। शाम को मैंने सुना कि पण्डित मदनमोहन मालवीय का एक व्याख्यान होगा। इसलिए मैंने उस रात को ठहर जाने का निश्चय कर लिया। मैं और दयालसिंह सभा में गए थे, लेकिन भीड़ बहुत अधिक होने के कारण हम लोग कुछ सुन नहीं सकते थे, इसलिए लौट आए।

गवाह ने कहा कि मैंने अभियुक्त अमरीकसिंह को उस कमरे के ज़ीने पर चढ़ते हुए नहीं देखा था जिसमें बम फटा था। मेरा बयान पुलीस चौकी में दर्ज किया गया था। वहाँ मैंने यह नहीं कहा था कि मैं उन दोनों सिक्खों की शनाख़्त कर सकता हूँ जिनको मैंने बम फटने के एक रात पहले मज़ अखाड़े में देखा था। मैंने केवल यह कहा था कि मैं उनमें से एक की शनाख़्त कर सकता हूँ। पुलीस के यह पूछने पर कि क्या मज़ अखाड़ा में मैंने किसी सन्दिग्ध व्यक्ति को देखा था, मैंने उत्तर में कहा था कि नहीं।

देवीदयाल का बयान

गुजरानवाला के फ़ोटोग्राफ़र पण्डित देवीदयाल ने कहा कि १९ जून, सन् १९३० को सवेरे क़रीब नौ बजे पुलीस ने मुझे मज़ अखाड़ा के घटनास्थल की फ़ोटो लेने के लिए बुलाया था। जहाँ बम फटा था।

इसके बाद अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर अभियुक्त सुखदेवराज का मामला पेश हुआ।

पञ्जाब यूनिवर्सिटी लायब्रेरी, लाहौर के मि० बाबूराम सूद ने कहा कि नं० ९९७८ के नाम मैंने दो किताबें "प्रिन्सिपिल्स ऑफ़ क्रिमिनालोजी" और "प्रेज़ेण्ट एण्ड अनप्रेज़ेण्ट" लायब्रेरी से दी थीं। गवाह ने कहा कि मैंने लायब्रेरी में अभियुक्त सुखदेवराज को देखा था, परन्तु यह नहीं कह सकता कि यह वही व्यक्ति है जिसने किताबें ली थीं।

एक मल्लाह की गवाही

मोहम्मदद्दीन नाम के मल्लाह ने अभियुक्त सुखदेवराज की शनाख़्त करते हुए कहा कि यह भी उन व्यक्तियों में थे जो कि डी० ए० वी० कॉलेज से रॉवी के किनारे नौका-विहार करने के लिए आया करते थे। क़रीब एक साल पहले अभियुक्त ने मेरी नाव का उपयोग किया था। इनके साथ दो व्यक्ति और थे। वे तीन साइकिलें मेरे पास छोड़ गए थे और नाव उस पार ले गए थे। परन्तु वे उस रात को लौटे नहीं। दूसरे दिन एक व्यक्ति ने, जिसने अपने आपको एक अभियुक्त का भाई बतलाया था, मुझसे साइकिलें माँगीं। उसने कहा कि सुखदेवराज एक पेड़ से गिर गए थे और अपने घर चले गए हैं। मैंने सब साइकिलें उसे लौटा दीं और उससे एक रसीद ले ली, मैंने उस रसीद को अपने झोंपड़े में रख लिया था। लेकिन बाद में झोंपड़ा बह गया था।

मि० श्यामलाल की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैंने अभियुक्त से पास लिया था, परन्तु बाद में वह झोंपड़े के साथ बह गया।

प्र०—क्या गर्मी की छुट्टी में तुम्हें नाव उपयोग के लिए देने का अधिकार था?

उ०—कॉलेज गर्मी की छुट्टी के लिए बन्द हो गया था या बन्द होने ही वाला था। मैंने उन्हें नाव दे दी थी, क्योंकि कॉलेज के अधिकारियों से नावों के न देने के लिए कोई हुक्म नहीं मिला था।

सी० आई० डी० कॉन्स्टेबिल की गवाही

सी० आई० डी० कॉन्स्टेबिल नासिरुद्दीन ने कहा कि १६ जुलाई, सन् १६३० को शिमला में सब प्रान्तों के गवर्नरों के एकत्र होने के कारण मैं धरमपुर रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया था। क़रीब आठ बजे सवेरे रेल-मोटर बर्मा-गवर्नर को लेकर पहुँची। जब वह सुरङ्ग से होकर आ रही थी, उस समय मैंने अभियुक्त को दो या तीन व्यक्तियों के साथ, जिनमें लाहौर के अमीरचन्द को मैं जानता था, सुरङ्ग के किनारे खड़े हुए देखा। बर्मा-गवर्नर को लेकर जब रेल-मोटर निकल गई तब सब अभियुक्त चले गए। मैं उनके साथ-साथ चला। पास के एक मकान में उन्होंने प्रवेश किया, जिस पर लिखा था "किराए के लिए ख़ाली है।" थोड़ी देर के बाद मैंने अमीरचन्द को बाहर निकलते हुए देखा, तो मुझे निश्चय हो गया कि वे वहीं रहते हैं। मैंने एक विशेष दूत को उच्च अफ़सरों के पास उनके वहाँ रहने के विषय में ख़बर देने के लिए भेजा। मैं छिपा हुआ रहा। अफ़सर क़रीब ५ बजे शाम को पहुँचे। मैंने उनसे कहा कि अभियुक्त यहाँ हैं, लेकिन तलाशी लेने पर मकान ख़ाली था।

मि० श्यामलाल ने अदालत से कहा कि सुखदेवराज गवाह से स्वयं जिरह करना चाहता है।

सरकारी वकील ने इसका विरोध किया, परन्तु अदालत ने अभियुक्त सुखदेवराज को जिरह करने की इजाज़त दे दी।

सुखदेवराज की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैंने अभियुक्त की जाँच गिरफ़्तारी के वारण्ट निकलने के क़रीब दो महीने पहले ही की थी। मैंने धरमपुरा में अभियुक्त की जाँच की थी क्योंकि वह सन्दिग्ध था।

अभियुक्त की अर्ज़ी

इसके बाद सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने अभियुक्त सुखदेवराज की ओर से निम्न-लिखित अर्ज़ी पेश की :—

"अत्यन्त आदर के साथ प्रार्थना है कि—

"(१) जेल-अधिकारियों ने अभियुक्त की ग़ैर-क़ानूनी हिरासत दूर करने और अभियुक्त को क़ैदियों के साथ रखने के मामले में जो उपाय ग्रहण किया है वह क़ानून की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता। वह उपाय केवल ग़ैर-क़ानूनी ही नहीं है बल्कि उपहास के योग्य और अत्यन्त अनुचित है। वास्तव में यह आश्चर्य की बात है कि सरकार के उत्तरदाई अफ़सर क़ानून को धोखा देने का प्रयत्न करें और एक विचाराधीन क़ैदी को इस प्रकार कष्ट दें। क़ानून की ऐसी स्पष्ट अवज्ञा किसी साधारण मुक़दमा लड़ने वाले के लिए तो शोभनीय हो ही नहीं सकती, शक्ति-सम्पन्न गवर्नमेण्ट के लिए कैसे शोभनीय हो सकती है जो कि देश में अमन और क़ानून की रक्षा का दावा करती है।

"(२) जेल-अधिकारी स्वभावतः अदालत के हुक्मों के पालन करने के लिए जो विचित्र उपाय ग्रहण किए गए हैं, उनकी सम्पूर्ण सूचना भी अदालत को नहीं देना चाहते।

"(३) सुपरिण्टेण्डेण्ट ने अभियुक्त के साथ रहने वाले क़ैदियों के सम्बन्ध में निम्न-लिखित आज्ञा निकाली है :—(१) वे बुड्ढे हों, (२) अपढ़ हों, (३) लाहौर ज़िले के न हों।

"अभियुक्त जो कि पञ्जाब युनिवर्सिटी का एक विशेष योग्यता प्राप्त ग्रेजुएट है। उपरोक्त योग्यता वाले क़ैदियों के साथ रह कर मुश्किल से साथ रहने का कोई सुख अनुभव कर सकता है।

"(४) अभियुक्त की प्रार्थना है कि जेल-अधिकारियों का उपाय निम्न-लिखित कारणों से ग़ैर-क़ानूनी और अनुचित है :—

"(क) क़ानून का अभिप्राय है कि सब विचाराधीन क़ैदी एक साथ रहें। वे परस्पर एक-दूसरे से अदालत के कहने से ही अलग किए जा सकते हैं।

"(ख) जेल इस ढङ्ग से बने हैं कि उनमें विचाराधीन क़ैदियों के लिए अलग ब्लाक रहता है।

"(ग) अभियुक्त को बिना किसी क़ानूनी औचित्य के दण्ड-कोठरी में रक्खा गया है। क़ानून के अनुसार अभियुक्त को विचाराधीन क़ैदियों के ब्लाक में ही रखना चाहिए। ग़ैर-क़ानूनी हिरासत कुछ क़ैदी साथ रहने के लिए भेज देने से नहीं दूर हो सकती; वह क़ैदी को दण्ड-कोठरी से उस स्थान में हटा देने से ही दूर हो सकती है जहाँ विचाराधीन क़ैदी रक्खे जाते हैं।

"(घ) प्रिज़न ऐक्ट की दफ़ा ६० में प्रान्तीय गवर्नमेण्ट ने जो नए नियम बनाए हैं उसमें पहले नियम कि दूसरी दफ़ा में, जिसको ट्रिब्यूनल ने अभियुक्त के सम्बन्ध में उपयुक्त समझ कर अपने २० जुलाई के हुक्म में उद्धृत किया है, स्पष्ट लिखा है, कि ए क्लास के क़ैदी, जहाँ जगह हो, दूसरे क़ैदियों से अलग रक्खे जायँ। नए नियमों के अनुसार अच्छी श्रेणी के क़ैदी ए क्लास के क़ैदी हैं और जैसा कि ट्रिब्यूनल ने अपने २० जुलाई के हुक्म में निर्णय किया है। क़ानून का अभिप्राय है कि क़ैदियों को अपनी-अपनी श्रेणी में एक साथ रहना चाहिए। नियमों के अनुसार अच्छी श्रेणी के क़ैदियों और साधारण श्रेणी के क़ैदियों का साथ नहीं हो सकता।

"(ङ) जेल-अधिकारियों ने जो उपाय ग्रहण किया है, वह असाधारण है और क़ानून के किसी नियम के अनुसार नहीं है।

"(च) यह उपाय केवल अभियुक्त पर ही प्रतिबन्ध नहीं लगाता बल्कि उन तीनों विचाराधीन क़ैदियों पर भी प्रतिबन्ध लगाता है जो कि अभियुक्त के साथ रहने के लिए भेजे जाते हैं। यह प्रतिबन्ध किसी क़ानून के अनुसार उचित नहीं है ये तीनों विचाराधीन क़ैदी जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट की आज्ञाओं को मानने से इन्कार कर सकते हैं। वे अदालत से इन प्रतिबन्धों को हटाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कठिनाई हल करने का यह कोई क़ानूनी उपाय नहीं है, बल्कि निरुपाय विचाराधीन क़ैदियों पर ग़ैर-क़ानूनी प्रतिबन्ध है, यह ग़ैर-क़ानूनी है और अमानुषिक भी है।

"(छ) क़ैदियों के साथ रहने का तात्पर्य इच्छानुकूल और स्वतन्त्रता के साथ रहने से है। साथ का तात्पर्य यह नहीं है कि किसी निश्चित समय पर उसका प्रबन्ध कर दिया जाय।

"(ज) जेल-अधिकारियों ने जिस प्रकार के साथ रहने का प्रबन्ध किया है, उसमें साथ भोजन करने तक का अवसर नहीं दिया। साथ भोजन करने के अधिकार से वे भी वञ्चित नहीं किए जाते जो अलग कोठरी में रक्खे जाते हैं।

"(झ) अभियुक्त और उसके साथ रहने वालों के बीच में कोई समता नहीं है। अभियुक्त उनके साथ रहने का सुख मुश्किल से अनुभव कर सकता है।

"क़ैदियों के साथ रहने की इस व्यवस्था में प्रतिहिंसा का भाव है, अभियुक्त को उसमें अधिक कष्ट अनुभव हुआ है। अभियुक्त को उससे छुटकारा मिलने में प्रसन्नता होगी।

"(ञ) अभियुक्त अच्छी श्रेणी के क़ैदियों के साथ बैडमिण्टन, वलीबाल आदि खेलों के खेलने से भी वञ्चित है।

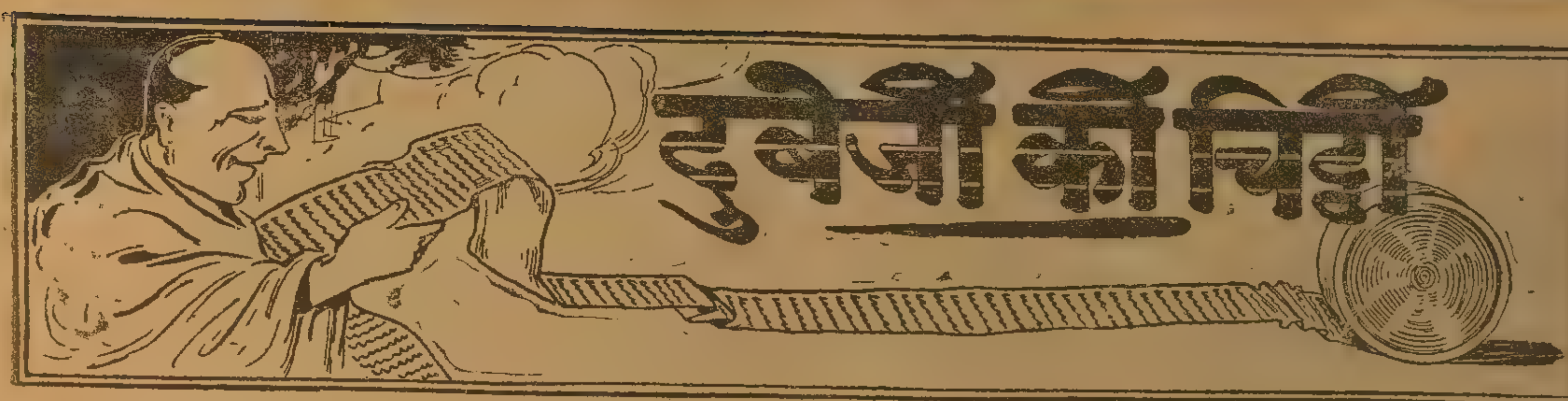
"(५) सुपरिण्टेण्डेण्ट ने ट्रिब्यूनल की २५ जुलाई की आज्ञा के अनुसार ट्रिब्यूनल को आवश्यक सूचना नहीं दी, उन्होंने अभियुक्त को सेण्ट्रल जेल के अच्छी श्रेणी के क़ैदियों के साथ न रखने का कोई कारण नहीं बतलाया। और उन्होंने अभियुक्त और उसके साथ रहने वाले क़ैदियों की कोई समता नहीं दिखलाई।

"(६) अभियुक्त बहुत समय से ग़ैर-क़ानूनी हिरासत में है। इसलिए प्रार्थना है कि जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट को आज्ञा दी जाय कि वे अभियुक्त को अच्छी श्रेणी के क़ैदियों के साथ रक्खें, उसकी ग़ैर-कानूनी हिरासत हटा दें और अभियुक्त पर लगाए गए अनुचित प्रतिबन्ध हटा दें। प्रार्थना है कि इसके अनुसार कार्य न होने पर अभियुक्त ज़मानत पर छोड़ दिया जाय और हाईकोर्ट से यह ट्रिब्यूनल सिफ़ारिश करे कि ग़ैर-क़ानूनी हिरासत के लिए जेल के उत्तरदाई अफ़सरों को अदालत के अपमान करने के अपराध में दण्ड दिया जाय। अदालत को किसी भी हालत में अब इस ग़ैर-क़ानूनी हिरासत को बढ़ाना न चाहिए।"

इसके बाद अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

(क्रमशः)

❀ ❀ ❀



अजी सम्पादक जी महाराज,

जय राम जी की !

नेपोलियन कहा करता था कि 'असम्भव' शब्द मूर्खों के कोष में होता है। इसी प्रकार यदि मि० अर्नेस्ट हाटसन भी कहें तो उनके मुख से बहुत ही शोभा दे। क्यों न हो, आख़िर उन्होंने गाँधी जी को रोक ही लिया। लोगों ने हालाँकि बड़े ज़ोर लगाए थे, परन्तु फिर भी महात्मा जी चले ही जा रहे थे—किसी के रोके नहीं रुक रहे थे। तब नौकरशाही ने आँखों में आँसू भर कर कहा—"जान पड़ता है ब्रिटिश जाति वीरों से ख़ाली हो गई।" यह सुन कर बड़े-बड़े महारथियों ने सिर झुका लिया। आख़िर मि० हाटसन से न रहा गया। उन्होंने कहा—"अभी बड़े-बड़े वीर मौजूद हैं, हालाँकि सूरत से वह वीर नहीं मालूम होते। मगर सूरत से होता क्या है ? बड़े-बड़े पाजी-सूरत शरीफ़ निकलते हैं और शरीफ़-सूरत पाजी प्रमाणित होते हैं। मैं इनमें से कौन हूँ, यह आप ही लोग जानें या मेरे काम बता देंगे। गाँधी जी जैसे आदमी को, जो पग-पग पर मचलते हैं, जो पहले से ही यह इरादा किए बैठे हैं कि जहाँ तक हो सकेगा, लन्दन नहीं जायँगे, रोक लेना क्या कठिन है ? वह तो एक फुलझड़ी में जहाज़ पर से भी उतर आ सकते हैं। कहिए तो यहीं से न जाने दूँ, कहिए अदन से वापस बुला लूँ, कहिए मार्सलेज़ से लौटा लूँ। और हुक्म हो तो यह कमाल दिखाऊँ कि लन्दन पहुँच कर भी गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स में भाग न लें। वाह वा ! वाह वा ! इस बीसवीं शताब्दी में भी ऐसा आदमी मौजूद है ! बिलकुल ग़लत ! यक़ीन नहीं आता ! ऐं ! क्या कहा ? यक़ीन नहीं आता ! तो फिर दिखाऊँ कमाल ? अच्छा जाओ मैं गाँधी जी को रोकने का जाम अर्थात् बीड़ा (यूरोपियनों में बीड़े की जगह जाम उठाया जाता है) उठाता हूँ। सो जनाब, ऐसा बढ़िया जाम उठाया कि महात्मा जी को रोक ही तो दिया। वाह रे, मेरे शेर ! जो काम किया तूने वह रुस्तम से न होगा। अब मि० हाटसन को जल्दी ही कोई ख़िताब मिल जाना चाहिए, वरना उनका उत्साह भङ्ग हो जायगा। अपने राम ने तो उन्हें "ब्रिटिश साम्राज्य उद्धारक" का ख़िताब दे ही डाला। इसमें सन्देह नहीं कि यदि गाँधी जी वलायत चले जाते तो ब्रिटिश साम्राज्य की नैया मँझधार में डूब जाती। मि० हाटसन की बदौलत अब वह मोटर बोट की तरह फ़र्राटे भरती हुई जल-विहार कर रही है।

वल्लाह कितने बढ़िया तर्क निकाले हैं। पहला तर्क तो यह है कि दिल्ली का समझौता नहीं टूटा। कैसे टूट सकता है ? टूटना कोई दिल्लगी तो है नहीं। नौकरशाही का कोई व्यक्ति समझौता तोड़ ही नहीं सकता। लॉर्ड इर्विन इतने बुद्धिमान आदमी थे कि समझौता तोड़ने की युक्ति किसी को बता ही नहीं गए। क्योंकि वह जानते थे कि यदि युक्ति बता दी जायगी तो लोग फ़ौरन से पेश्तर समझौते को तोड़-फोड़ कर रख देंगे। इसके अतिरिक्त भारत-सरकार के सिवा और कोई यह पता नहीं लगा सकता कि समझौता टूटा या नहीं। भारत-सरकार के पास ऐसे-ऐसे यन्त्र हैं कि केवल उन्हीं यन्त्रों से किसी वस्तु की टूट-फूट का पता लग सकता है। जो वस्तु वैसे देखने से टूटी दिखाई पड़ती है वह वस्तु यदि इन यन्त्रों से देखी जाय तो कदापि टूटी हुई न मिलेगी। और जो चीज़ वैसे अटूटी दिखाई पड़ती है वह इन यन्त्रों से टूटी हुई दिखाई देगी। यह सब विज्ञान की करामात है। हिन्दुस्तानी आदमी इन वैज्ञानिक बातों को नहीं समझ सकते। वे तो जो स्थूल दृष्टि से देखते हैं वही ठीक समझने लगते हैं। यही कारण है कि ये लोग जो करते हैं वह पूरा नहीं उतरता। यदि सूक्ष्म दृष्टि से वैज्ञानिक क्रियाओं से तथा वैज्ञानिक यन्त्रों के द्वारा काम करें तो फिर देखिए काम कैसा फ़िट बैठता है। देखा जनाब, केवल इस तर्क से महात्मा जी का वलायत जाना रुक गया। मगर कुछ लोग ऐसे भी निकले जिन्हें यह तर्क बिल्कुल ठीक जँचा। सर तेजबहादुर सप्रू, मि० जयकर, मौलाना शौकतअली उर्फ़ बड़े भैया, डॉ० मुञ्जे इत्यादि तो चले ही गए—माने नहीं। चले न जाते तो करते क्या ? गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स कोई छोड़ने की चीज़ है ? न जाने पूर्वजन्म के किन पुण्यों से यह अवसर नसीब हुआ, सो उसे ज़रा सी बात के लिए छोड़ दें ? महात्मा जी का हृदय तो ख़ुर्दबीन की ख़ासियत रखता है, उन्हें तो छोटी बात भी बहुत बड़ी दिखाई देती है। और इन लोगों को ईश्वर की दया से ऐसा हृदय प्राप्त हुआ है कि हाथी का सवार भुनगा दिखाई पड़ता है। महात्मा जी बात का बतङ्गड़ बना देते हैं, परन्तु ये लोग तो कम्बख़्त बतङ्गड़ को भी रसबत्तियों में बदल देते हैं। ऐसे आदमियों से भला कोई कैसे जीत सकता है ? कोई कुछ कहे, कोई कुछ करे, परन्तु कॉन्फ़्रेन्स नहीं छूटेगी। वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। क्या महात्मा जी न जायँगे तो स्वराज्य न मिलेगा ? शिव ! शिव ! स्वराज्य कम्बख़्त तो मिलने के लिए रस्सियाँ तुड़ा रहा है। केवल लोगों के वलायत पहुँचने की देर है। महात्मा जी तो ख़ामख़ाह चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाते हैं। मान लीजिए, यदि भारत-सरकार ने समझौता तोड़ा ही था तो इससे क्या हुआ ? संसार में कोई वस्तु नित्य नहीं है। जब यह संसार ही अनित्य है तो इसके पदार्थ नित्य कैसे हो सकते हैं ? समझौता तो कभी न कभी टूटता ही। अब टूटा तो क्या, तब टूटता तो क्या ! मतलब तो स्वराज्य मिलने से है, सो वह मिला धरा है। ये लोग आख़िर कुछ घास खोदने तो जा ही नहीं रहे हैं। घास ही खोदना होता तो इस बरसात के मौसम में हिन्दुस्तान में उसकी क्या कमी थी ? इससे एक लाभ और है और वह यह कि ब्रिटिश सरकार पर इससे प्रभाव पड़ेगा। जब वह देखेगी कि ये लोग ऐसे राजभक्त हैं कि अपने नेता महात्मा गाँधी के न आने पर भी दौड़े चले आए तो उसके हृदय में इन लोगों के प्रति इतना स्नेह तथा वात्सल्य उत्पन्न होगा कि वह तुरन्त कहेगी कि यह स्वराज्य बँधा खड़ा है इसे खोल ले जाओ। हमने तुम्हें तुम्हारी राजभक्ति पर प्रसन्न होकर यह स्वराज्य तुम्हें बख़्शीश दिया। लेकिन साथ में यह शर्त भी है कि महात्मा गाँधी और उनके चेले इसे हाथ न लगाने पावें। उस समय कदाचित मौलाना शौकतअली ख़म ठोंक कर खड़े हो जायँ और ललकार उठें कि महात्मा जी और उनके चेलों की क्या मजाल है जो स्वराज्य की तरफ़ आँख उठा कर भी देख सकें। ऐसा मन्त्र फूँक दूँ कि आपस ही में लड़ कर समाप्त हो जायँ। उस समय मौलाना की जो इज़्ज़त होगी उसका वर्णन करना उचित नहीं। और फ़िलहाल भी काफ़ी इज़्ज़त है। इसके पहले जो कॉन्फ़्रेन्स हुई थी उसमें भी जो इज़्ज़त थी वह सबको मालूम है। उसमें मौलाना ने बहुत कुछ तरक़्क़ी की। हिन्दुस्तान में वह तूफ़ान बर्पा किया कि सरकार को भी मानना पड़ा कि हाँ बड़े भैया भी कुछ काम के आदमी हैं।

इस प्रकार ये सब लोग मिल-जुल कर स्वराज्य को घसीट ही लावेंगे। बेचारे मालवीय जी भी पहुँच जाते तो अच्छा था। परन्तु वह तो गाँधी जी के मारे रह गए। अपने राम को उनके रह जाने का बड़ा अफ़सोस है। मालवीय जी इतने समझदार होकर महात्मा जी के चक्कर में आ गए। महात्मा जी तो पहले से ही नहीं-नहीं कर रहे थे। मालवीय जी को उनका साथ नहीं ढूँढ़ना चाहिए था। स्वराज्य मिलता या न मिलता, परन्तु एक बार शान से वलायत तो हो आते। वृद्धावस्था है; फिर कदाचित ऐसा अवसर मिले न मिले। अफ़सोस अपने राम के तो सारे अरमान ख़ाक में मिल गए। दयानिधान यदि चाहेंगे तो महात्मा जी की मति बदल देंगे। या फिर वायसरॉय महोदय के हृदय में दया का सञ्चार कर देंगे। ऐसा सुवर्ण-सुयोग हाथ से जा रहा है। परन्तु जब तक श्वासा तब तक आशा। अपने राम इतनी जल्दी निराश होने वाले जीव नहीं हैं। मालवीय जी के लिए अपने राम को बहुत कुछ आशा है। वह इतने सज्जन तथा धर्मनिष्ठ हैं कि भगवान उनकी टेर अवश्य सुनेंगे। उनकी टेर सुन जाने का श्रीगणेश तो हो चुका है। महात्मा जी ने स्वतन्त्र जाँच के लिए पञ्चायत का मसाला छोड़ कर हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति की बात कही है। यह क्या है ? यह मालवीय जी की टेर का प्रभाव है। वरना जनाब, महात्मा जी इतना लचने वाले आदमी नहीं थे। अब तो भारत-सरकार को महात्मा जी का प्रस्ताव मानना ही चाहिए। अगर नहीं मानेगी तो उसकी स्थिति बड़ी नाज़ुक हो जायगी। तब सारा दोष भारत-सरकार ही के मत्थे पर मढ़ा जायगा। उस समय यह पूर्णतया प्रमाणित हो जायगा कि भारत-सरकार ने जान-बूझ कर महात्मा जी का लन्दन जाना रोक दिया। वाह रे मालवीय जी, कैसा ज़बरदस्त ठण्डी साँस छोड़ी कि महात्मा जी का हृदय इतना अधिक पसीज गया। अब भी यदि लन्दन जाना नसीब न हो तो भाग्य का दोष है और क्या कहा जाय ! क्योंकि भाग्य के आगे बल, विद्या, पुरुषार्थ इत्यादि कुछ काम नहीं देते। जिस दिन महात्मा जी मालवीय जी के साथ लन्दन-यात्रा के लिए जहाज़ पर सवार हो जायँगे और जहाज़ बम्बई से चला जायगा, अपने राम उस दिन चुपके से घी के चिराग़ जलायँगे और सवा पाँच पैसे का प्रसाद बाँटेंगे। भगवान को यदि अपने राम की सिफ़ाई बदी होगी तो अवश्य ही कोई न कोई युक्ति निकालेंगे ही। मि० सप्रू तथा जयकर से भी अपने राम को बहुत बड़ी आशा है। जहाज़ से लेकर लन्दन तक वह कोई बात उठा न रक्खेंगे। क्योंकि पिछली बार तो जयकर महोदय महात्मा जी को लेने के लिए वलायत से हिन्दुस्तान आने वाले थे। इस बार साथ ले ही जा रहे थे कि यह अड़ङ्गा लगा। उनका जाना तो आवश्यक था, इसलिए बेचारे चले गए। क्योंकि महात्मा जी के न होने से कॉन्फ़्रेन्स नहीं रुकेगी, परन्तु यदि यह युगल-मूर्ति न पहुँचती तो कॉन्फ़्रेन्स कदापि न हो सकती।

सम्पादक जी, आप भी दुआ कीजिए कि महात्मा जी लन्दन पहुँच जायँ !

भवदीय,

—विजयानन्द (दुबे जी)

जादू की स्याही अथवा गुप्त पत्र-व्यवहार



यों तो वैज्ञानिक साहित्य आज दिन बहुत ही बढ़ा-चढ़ा है ; फिर भी गुप्त भाव व्यवहार का अभाव रह ही गया था, जिस कमी को कम्पनी ने बहुत ही रुपए ख़र्चा कर अमूल्य रत्न "जादू की स्याही" का आविष्कार किया है। जिससे लिखने पर आपके दुश्मन अक्षर किसी भी प्रकार देख नहीं सकते—जिसकी तरकीब ग्राहक को पारसल के साथ हो दी जाती है, इसकी विचित्रता को देख कर देखने वाले लहालोट हो जाते हैं। गुप्त पत्र-व्यवहार का इससे बढ़ कर दूसरा तरीक़ा नहीं है। इतनी बेशक़ीमती चीज़ का दाम सिर्फ़ ।) मात्र। १२ शीशी एक साथ लेने पर दाम ३) ; रु० जिसके साथ १ टेबल-घड़ी मुफ़्त इनाम दी जायगी; २४ शीशी का दाम ६) ; जिसके साथ १ पॉकेट घड़ी इनाम दी जायगी। ४८ शीशी का दाम १२) रु० ; जिसके साथ १ फ़ैन्सी हाथघड़ी इनाम दी जायगी। पैकिङ्ग पोस्टेज ।॥), १=), १॥)

नोट—२ दर्जन के ग्राहक एजेन्ट, ४ दर्जन के ग्राहक सोल एजेन्ट बनाए जायँगे।

पता—दी नेशन्स स्टोर (१८) पो० बक्स ६५३, कलकत्ता

मुश्क की

अत्यन्त आश्चर्यजनक ख़ुशबू



इस "मुश्क-सोप" का रङ्ग, इसकी सुगन्धि, पवित्रता और स्पर्श-मात्र अत्यन्त सुखदायक है।

नेशनल सोप एण्ड केमिकल वर्क्स लिमिटेड

फ़ैक्टरी :— १०८ प०, राजा दिनेन्द्र स्ट्रीट

ऑफ़िस :— ७, स्वैलो लेन, कलकत्ता



द्राक्षासव

पीने में मीठा, दिल-ख़ुश व मज़ेदार है। शरीर में ख़ून और मांस बढ़ाता है, सर्दी, खाँसी, बदहज़मी को मिटा कर भूख बढ़ाता है। शरीर में नई ताक़त और फ़ुर्ती पैदा करता है। बच्चा पैदा होने के बाद की व बुढ़ापे में होने वाली कमज़ोरी व बीमारी से बचा, बुढ़ापे को जवानी के रूप में पलट, चेहरा सुर्ख़, कान्तिमय बना देता है। बोतल २) रु० महसूल १॥=); छोटी बोतल १) महसूल ॥=)

पता—महाविश्व औषधालय, मुरादाबाद (यू० पी०)

सी० पी० १२२१२ सी कलकत्ता

असल रुद्राक्ष माला

-) आना का टिकट भेज कर १० दाना नमूना तथा रुद्राक्ष माहात्म्य मुफ़्त मँगा देखिए।

रामदास एण्ड को०

३ चोरबागान स्ट्रीट, कलकत्ता

मासिक "रत्नाकर" पत्र का नमूना मुफ़्त

सैकड़ों रोगों की एक दवा

रत्नामृत (रजिस्टर्ड)

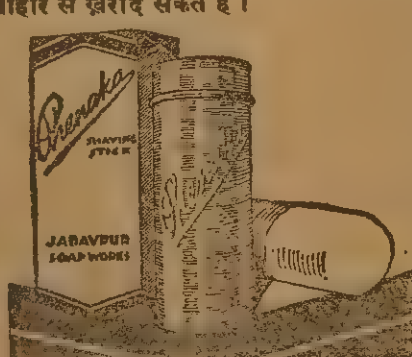
जुदे-जुदे अनुपानों से सम्पूर्ण रोग नष्ट होते हैं। हैज़ा, प्लेग, अजीर्ण, शूल आदि-आदि रोगों की अचूक दवा। क़ीमत ।॥) शीशी। डाक-ख़र्च अलग

पता—रत्नाकर-भवन, इटावा (यू० पी०)

"फेनका" बाल बनाने का साबुन



यह अत्यन्त सुगन्धित, निर्विकार, कृमिनाशक, पवित्र और स्निग्ध साबुन है। फेन में अधिकता और स्थायित्व है, जिससे बाल बनाने में सुविधा होती है। आप अपने यहाँ के किसी भी स्टेशनर से या हमारे एजेण्ट—मेसर्स नारायनदास और भगवानदीन, अनारकली, लाहौर से ख़रीद सकते हैं।



बनाने वाले :—

जादवपुर सोप-वर्क्स,

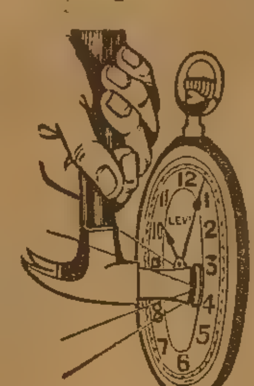
२९ स्ट्रैण्ड रोड, कलकत्ता

२०वीं सदी का आश्चर्य

यह एक लीवर जेबी घड़ी है और उसके साथ इक्स्ट्रा "जार प्रूफ़ मूवमेण्ट" और कभी न टूटने वाला शीशा भी है।

५ साल की गारण्टी

घड़ी कैसी है, इस बात की परीक्षा लेने के लिए इसको कहीं मज़बूत ज़मीन पर पटक दीजिए। अगर इसकी कोई मशीन या शीशा टूट जाय तो उसको वापस कर दीजिए।



पसन्द न होने पर दाम वापस

क़ीमत सिर्फ़ २।-) ; डाक-महसूल ६ आने अलग ; तीन घड़ी एक साथ लेने से डाक-महसूल माफ़ और ६ घड़ी एक साथ लेने से एक घड़ी मुफ़्त में मिलेगी। इस पते से पत्र-व्यवहार कीजिए :—

दि यङ्ग इण्डिया वाच कम्पनी

१/१ मछुआ बाज़ार स्ट्रीट, कलकत्ता

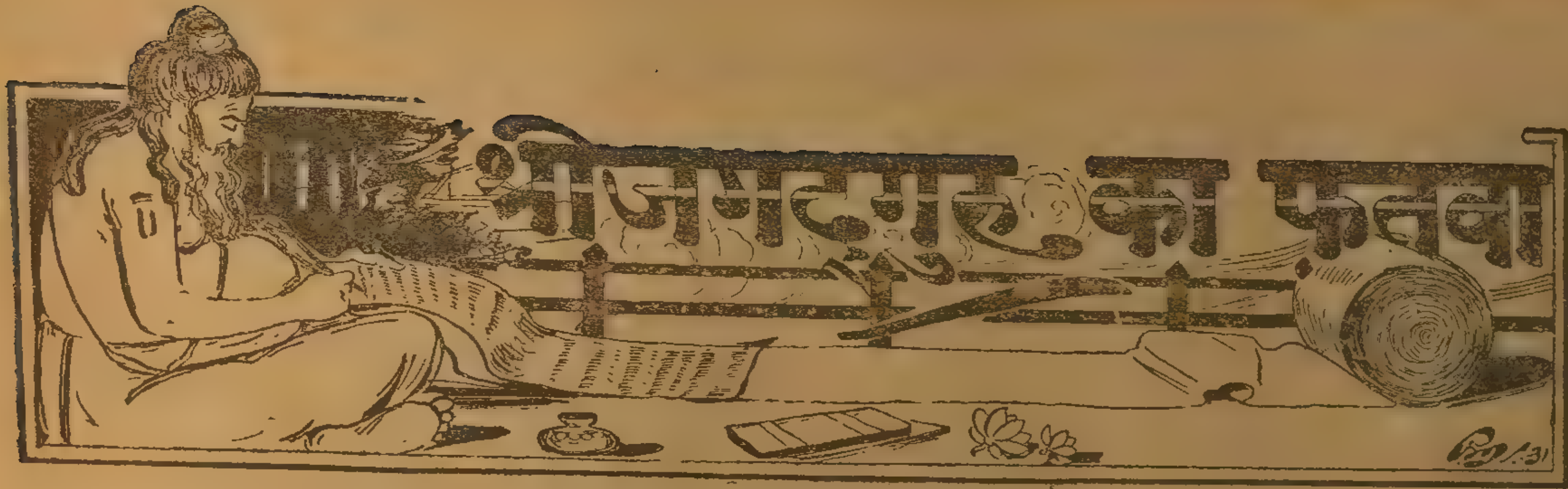


३॥≡) में ६ घड़ियाँ मुफ़्त

१ जोड़ी जूता भी इनाम

हमारा ओटो सुगन्धराज आपकी ख़ूबसूरती और तन्दुरुस्ती को दुगुना कर देगा। इसकी मस्त ख़ुशबू तबीयत को ख़ुश और दिमाग़ को तर कर देगी। क़ीमत ६ शीशी की सिर्फ़ ३॥≡)। इकट्ठी ६ शीशी मँगाने से १ जोड़ी मज़बूत जूता—२ अदद ख़ूबसूरत टाय रिस्टवाच, २ अदद फ़ैशनेबुल टाय पॉकेट वाच और १ अदद असली 'बी' टाइमपीस घड़ी इनाम मिलेगी, जिसकी गारण्टी ५ साल है। डाक-महसूल आदि अलग लगेगा। घड़ी की गारण्टी पार्सल के साथ भेजी जाती है। ऑर्डर के साथ जूते का नाप लिखो।

फ़्रेण्ड्स ऑफ़ इण्डिया २६७।१ अपर चितपुर रोड, कलकत्ता



[हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष]

महामना मालवीय जी ने देशोद्धार के फेर में पड़ कर ठीक प्रशान्त महासागर में बेचारे सनातनधर्म की लुटिया डुबो देने का पूर्ण आयोजन कर लिया था, परन्तु परम धर्मशीला श्रीमती नौकरशाही की असीम अनुकम्पा से बेचारा बाल-बाल बच गया! लेहाज़ा मालवीय जी को चाहिए कि श्रीमान बम्बई-गवर्नर के कल्याणार्थ त्रिवेणी-तट पर महामृत्युञ्जय का जप आरम्भ कर दें।

❀

यद्यपि मालवीय ने धर्म की रक्षा के लिए कई पीपे गङ्गा-जल और हाथ मटियाने के लिए टोकरी भर पवित्र मिट्टी का भी प्रबन्ध कर लिया था। परन्तु समुद्र की धर्मध्वंसिनी आबोहवा में यह 'ऊँट के मुँह में ज़ीरा' की तरह मामूली आयोजन भला कहाँ तक जराजीर्ण धर्म की रक्षा कर सकता। इसीलिए तो श्रीमती जी ने ऐन मौक़े पर ऐसी टाँग अड़ाई की अङ्गद के पैर को भी मात कर दिया। "न टरै पग मेरुहुँ ते गरु भो सो मनो महि सङ्ग विरञ्चि रचा!"

❀

बूढ़े लँगोटी बाबा ने बहुत कहा-सुना, प्रेमपत्रों की धूम मचा दी, तार पर तार खटखटाए, बड़े साहब से लेकर छोटे साहब तक का नियाज़ हासिल किया। परन्तु कहावत है कि 'तिरिया तेल हमीर हठ चढ़ै न दूजी बार!" हमारी श्रीमती जी कोई 'बाज़ारू' थोड़े ही हैं जो अनुनय-विनय से पिघल कर अपने पतिव्रत से विचलित हो जाएँ। उन्होंने तो बस, "छाँड़ि न सकै टेक जो टेकी!"

❀

भई, यह डेढ़ पसली वाला अर्द्धनग्न फ़क़ीर है भी तो ग़ज़ब का आदमी। कहीं लण्डन की जनता के सामने बेचारी के पतिव्रत की बख़िया उधेड़ना आरम्भ कर देता तो, आप ही शिव जी की पिण्डी छूकर बताइए, बेचारी की क्या दशा होती? जो लोग जानते हैं कि श्रीमती के रामराज्य में भारतवासी मूसलों ढोल बजाते हैं, वे क्या कहते?

❀

इसीलिए श्रीमती तथा उनके बाल-गोपालों की आन्तरिक इच्छा थी कि बूढ़े बाबा लण्डन न जाएँ; श्रीमती के स्नेहशील सहोदर कलकत्ता वाले मि० 'स्टेट्समैन' और उनके कुल-पुरोहित पादड़ी 'पायोनियर' भी यही चाहते थे, श्रीमती की नैहरवाली चर्चिल-चौकड़ी ने तो बूढ़े बाबा की नङ्गी टाँगों की कल्पना करके ही लज्जा से मुँह ढँक लिया था। बेचारी को चिन्ता थी, अपनी सभ्यता और शालीनता के अकाल मृत्यु की। फलतः हिज़ होलीनेस तो यही कहेंगे कि बम्बई के गवर्नर बहादुर ने 'कान्ह और कुल' दोनों को बाल-बाल बचा लिया!

❀

सब से अधिक प्रसन्नता की बात तो हुई श्रीजगद्गुरु के नगाड़ेश्वर बन्धु मौ० शौकतअली के लिए। अब चर्चिल-चौकड़ी का नमक आसानी से अदा हो जाएगा और माशा अल्लाह, भावी मुस्लिम राज्य की स्थापना का पथ भी प्रशस्त हो जाएगा। इसलिए बेचारे फूले नहीं समा रहे हैं और फ़रमा रहे हैं कि महात्मा गाँधी मैदान छोड़ कर भाग गए, इसलिए अब हम ख़ुद इङ्गलैण्ड से स्वराज लाएँगे। वल्लाह, ज़रूर लाइए। हम तो ख़ुद चिन्तित थे कि आख़िर एक मज़बूत 'लदुए' के बिना वह भारी-भरकम वस्तु आएगी कैसे?

❀

हमारे धीर मस्तिष्क मडरेट (Moderate) बन्धुओं की राय है कि किसानों से मालगुज़ारी वसूल करने के लिए अगर कहीं थोड़ा सा ज़ोरो-ज़ुल्म हो गया तो उसके लिए देश के वृहत्तम स्वार्थ को परित्याग करना महात्मा गाँधी के लिए उचित नहीं था। भई, बात तो बावन तोले पाव रत्ती ठीक है और यही बात श्रीमती नौकरशाही से भी कही जा सकती थी कि प्रेमालिङ्गन के लिए बाहु फैलाए हुए काँङ्ग्रेसी रसिकों को ज़रा सी बात के लिए नाराज़ करना उन्हें उचित न था। परन्तु अपने बुद्धि-विवेक को श्रीमती के चरणों पर निछावर कर देने वाले मडरेट भला, ऐसी रूखी बात कह कर क्या अपना पैतृक धर्म छोड़ दें?

❀

सुनते हैं, उस दिन 'भविष्य'-सम्पादक जी के इलाहाबाद में महोदरीय मुसलमानों की एक महती सभा हुई थी। 'अल्लाहो अकबर' के कर्ण-विदारी निनाद के अनन्तर मि० जिन्ना ने एक सुललित और सारगर्भित भाषण दे डाला था। उसकी कुछ अत्यावश्यक बातें उन्हीं की 'मादरी ज़बान' में मुलाहिज़ा हों। क्योंकि जिस समय श्रीजगद्गुरु ने ककहरा के बाद 'बारहखड़ी' घोखना आरम्भ किया था, उस समय इस देश में इस 'जिह्वा-मरोड़' भाषा का रिवाज न था। बदी० वजह मजबूरी है, और इस भङ्गड़ को तर्जुमा का अभ्यास भी नहीं है। लेहाज़ा माफ़ी का ख़्वास्तगार है।

❀

मि० जिन्ना-उवाच—"I am for settlement and peace between Hindus and Moslems. This is no time for argument and propaganda" और एक ही साँस में,—"I want then to concede my fourteen points. I appeal to the better sense of the Hindus and hope that the question will be settled and thus bring prosperity and happiness to the millions of people."

❀

माशा अल्लाह, जिन्ना साहब के इस वैष्णोचित तितिक्षा और सन्तोष को देख कर तो अपने राम पानी-पानी हो रहे हैं। बेचारे कुछ नहीं चाहते। बस, इच्छा है तो यही कि इस अभागे देश के हिन्दू और मुसलमान दूध और पानी की तरह मिल जाएँ और इसका एक मात्र उपाय यह है कि हिन्दू आँख मूँद कर आपकी चौदह शर्तें स्वीकार कर लें, जो बिल्कुल कुछ नहीं के बराबर हैं—रुपए में चार आने भी नहीं। इस रोज़गार में २५ सैकड़ा मुनाफ़े की भी गुञ्जाइश नहीं। ब्याज भी लिरेगा या नहीं, राम ही जानें।

❀

उदाहरण लीजिए, परन्तु सब शर्तों की व्याख्या की आशा, श्रीजगद्गुरु से और इस बुढ़ौती में, बईद अज़ अक़्लमन्दी है। ख़ैर, चौथी शर्त है कि केन्द्रीय व्यवस्थापिका-सभा में मुसलमानों की संख्या ३३ सैकड़ा हो। यह जिन्ना साहब की हिन्दुओं पर ख़ास मेहरबानी है। यह सुन्दर शर्त सोचने की तकलीफ़ आपने केवल हिन्दुओं की भलाई को मद्देनज़र रख कर ही की है। क्योंकि इसे स्वीकार कर लेने पर हिन्दुओं को साल में तीन बार दिल्ली और शिमला तक दौड़ने की ज़हमत न उठानी पड़ेगी और घर बैठे ही स्वराज का आनन्द मिल जाएगा। बस, हिन्दुओं को और चाहिए क्या?

❀

स्वर्गीय पण्डित लक्ष्मीशङ्कर मिश्र की गणित-कौमुदी तो आपने पढ़ी ही होगी, इसलिए स्लेट-पेन्सिल लेकर ज़रा हिसाब भी लगा लीजिए। मान लीजिए कि केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या ९९ है। इसमें से ३३ आँख मूँद कर जिन्ना साहब को सौंप दीजिए तो बाक़ी बच गए ६६, भारत-प्रवासी और भारत-जात गोरों के लिए इसका एक तृतीयांश अर्थात् २२ छोड़ दीजिए तो ४४ बचे। इसमें से ११ सिक्ख भाइयों के लिए अलग कर दीजिए तो ३३ आपके पास रहे और रह गए, बौद्ध, जैन, पारसी, Backward Class अर्थात् अन्त्यजादि और देशी राज्यों की प्रजा! बस, बाक़ी ३३ इन्हें बाँट दीजिए तो ब्रिटिश भारत के हिन्दुओं के लिए रह गया, ठेंगा! [?]

❀

बस, हमारी राय है कि कम से कम यह चौथी शर्त तो हिन्दू अवश्य ही स्वीकार कर लें। क्योंकि बिना त्याग के मुक्ति नहीं मिलती और मुक्ति प्राप्त करना हिन्दू-जीवन का प्रधान लक्ष्य है। मगर हिज़ होलीनेस तो नाराज़ हैं अपने 'गार्जियन्स' पर, कि कम्बख़्तों ने इन्हें, जिन्ना साहब की तरह विलायत भेज कर बैरिस्ट्री नहीं पास कराया!

❀

सिन्ध तो भई, जिन्ना साहब की मौरूसी जायदाद है। क्योंकि 'चाँद' में 'वर्तमान मुस्लिम जगत' का धारावाही इतिहास लिखने वाले "एक डॉक्टर ऑफ़ लिट्रेचर" ने साफ़ लिखा है कि महम्मद इब्न क़ासिम ने सिन्ध प्रदेश फ़तह किया था। फलतः मुहम्मदी क़ानून के अनुसार जिन्ना साहब का यह दावा जायज़ और दुरुस्त है। उसे तो वे चाहें तो मक्का या मदीने भेज सकते हैं। मजाल किसकी है जो चूँ करे?

❀

मुस्लिम सभ्यता, शिक्षा, भाषा और धर्म को तो उनका 'Due share in grant in aid' तो मिलना ही चाहिए। इस अतीव न्याय-सङ्गत दावे का भला कौन प्रतिवाद कर सकता है? इसीलिए तो स्वराज होने से पहले ही बङ्गाल के मुसलमानों ने हिन्दू-स्त्रियों के अप-

हरण तथा अन्यान्य स्थानों के मुसलमानों ने दाढ़ी-चोटी सम्मेलन द्वारा अपनी सभ्यता की रक्षा का आयोजन भी आरम्भ कर दिया है।

❀

भाषा (Language) की रक्षा का सवाल विशेष मज़ेदार है जनाब। क्योंकि अपनी भाषा की रक्षा के लिए प्रत्येक मुसलमान अपनी भाषा बोलेगा, अपनी भाषा में लिखेगा और अपनी ही भाषा में भाषण देगा। फलतः उनकी भाषा समझने के लिए, हिन्दुओं को भी 'श्रीगणेशायनमः' के साथ 'बिस्मिल्लाहिर्रमाने रहीम' का अभ्यास करना पड़ेगा या अपने साथ एक दुभाषिया रखना पड़ेगा। अन्यथा किसी मुसलमान ने पूछा कि 'इस्मे शरीफ़ ब-नामे पेदर मुमाबिस्त?' तो या तो आपको मुँह बाकर रह जाना पड़ेगा या सवाले दीगर जवाबे दीगर का उदाहरण बन कर "अन्धा गुरु बधिर है चेला, माँगे पानी लावे ढेला' को चरितार्थ करके नक्कू बनना पड़ेगा।

* * *

THE BHAVISHYA

Registered No. A—2085

स्थानीय (इलाहाबाद के लिए)	
वार्षिक चन्दा	... १२)
छःमाही चन्दा	... ६॥)
तिमाही चन्दा	... ३॥)
एक मास का	... १॥)

भविष्य
का
दैनिक संस्करण

'भविष्य' का

अतिरिक्त स्थानों के लिए (मुफ़स्सिल)	
वार्षिक चन्दा	... १६)
छःमाही चन्दा	... ८)
तिमाही चन्दा	... ४॥)
एक मास का	... २)

मूल्य केवल)॥ पैसा

वर्ष १, खण्ड ४ ‖ इलाहाबाद—बृहस्पतिवार; २० अगस्त, १९३१ ‖ सं० ११, पूर्ण सं० ४७

पाठकों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि शीघ्र ही—सम्भवतः अगस्त के मध्य तक इस संस्था ने 'भविष्य' का दैनिक संस्करण भी प्रकाशित करने का निश्चय कर लिया है और इसे सब प्रकार से सफल बनाने की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं।

पाठकों को शायद बतलाना न होगा, कि इस संस्था पर होने वाले आए दिन के अत्याचारों ने हमें एक बार ही विक्षुब्ध कर दिया है। केवल हमीं पर नहीं, हमारे इस अभागे प्रान्त पर आज जैसा भीषण दमन और अत्याचार हो रहा है, उसने समस्त भारत का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है; किन्तु इतना होते हुए भी इस प्रान्त की राजधानी से कोई भी ऐसे दैनिक का प्रकाशित न होना, जो निर्भीकतापूर्वक अत्याचार-पीड़ितों का करुण-क्रन्दन जनता के सामने उपस्थित कर सके, वास्तव में बड़े लज्जा की बात थी और केवल इसी उद्देश्य को सामने रख कर एक बार हम अपने साधनों की परीक्षा करने पर तुल गए हैं—परिणाम चाहे जो भी हो।

कुछ विशेषताएँ

(१) सर्वसाधारण की पहुँच से बाहर न हो, इसलिए दैनिक संस्करण का मूल्य केवल दो पैसे रखने का निश्चय किया गया है, पत्र में काऊन साइज़ (साप्ताहिक 'भविष्य' के साइज़ का दूना) के चार पृष्ठ छोटे टाइपों में होंगे, जिसका अर्थ यह है कि अन्य सभी दो पैसे वाले दैनिकों की अपेक्षा इसमें दूना मैटर रहेगा। यदि विज्ञापनों का यथेष्ट प्रबन्ध हो गया तो शीघ्र ही ६ पृष्ठ कर दिए जायँगे।

(२) 'भविष्य' के दैनिक संस्करण के लिए ऐसोसिएटेड तथा फ़्री प्रेस आदि सभी सम्वाद-एजन्सियों के विशेष तार भी मँगाए जायँगे, जिसका अर्थ यह होगा, कि पाठक 'भविष्य' में अङ्गरेज़ी के किसी भी फ़र्स्ट क्लास डेली की भाँति सारे ताज़े समाचार पावेंगे।

(३) 'भविष्य' में नित्य तो नहीं, पर प्रायः सामयिक चित्र तथा कार्टून आदि भी पाठकों को मिलेंगे।

(४) 'भविष्य' में पाठकों को उर्दू तथा हिन्दी कविताएँ भी मिलेंगी; सारांश यह कि जो कुछ भी सम्भव होगा—कोई बात उठा न रक्खी जायगी।

(५) 'भविष्य' २४ पाउण्ड के चिकने कागज़ पर छपा करेगा और प्रत्येक प्रातःकाल ५ बजे नियमित रूप से प्रकाशित होगा।

(६) 'भविष्य' का साप्ताहिक संस्करण जैसा आजकल प्रकाशित हो रहा है, वैसे ही होता रहेगा; किन्तु दैनिक संस्करण प्रकाशित होने के बाद साप्ताहिक संस्करण बृहस्पतिवार को प्रकाशित न होकर, सोमवार को प्रकाशित हुआ करेगा।

'भविष्य' का सम्पादकीय बोर्ड

(१) व्यापारियों को 'भविष्य' में विज्ञापन देकर अपने व्यापार में लाभ उठाना चाहिए, रेट मँगा कर देखिए।

(२) प्रत्येक शहर, क़स्बे, तहसील और गाँव में ईमानदार एजण्टों की आवश्यकता है। नियमावली मँगा कर देखिए।

मैनेजर 'भविष्य' (दैनिक) चन्द्रलोक—इलाहाबाद

...isra, M. A., (both in jail), at The Fine Art Printing Cottage, 28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahaba

Telephone No.
205

'भविष्य' का चन्दा

वार्षिक चन्दा ... १२) रु०
छः माही चन्दा ... ६॥) रु०
तिमाही चन्दा ... ३॥) रु०
एक प्रति का मूल्य चार आने
Annas Four Per Copy

भविष्य

Telegrams
'Bhavishya'

एक प्रार्थना

वार्षिक चन्दे अथवा फ़ी कॉपी के मूल्य में कुछ भी नुक़ताचीनी करने में पहिले मित्रों को 'भविष्य' में प्रकाशित अलभ्य सामग्री और उसके प्राप्त करने के असाधारण व्यय पर भी दृष्टिपात करना चाहिए।

वर्ष १, खण्ड ४

इलाहाबाद—बृहस्पतिवार : २७ अगस्त, १९३१

संख्या १२, पूर्ण सं० ४८



स्थानापन्न सम्पादिका :—श्रीमती लक्ष्मी देवी

पाठकों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन विभाग द्वारा जो जो पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, वे एकमात्र भारतीय परिवारों एवं व्यक्तिगत मङ्गल-कामना को दृष्टि में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !!

भविष्य

इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और दूरदर्शी पाठक-पाठिकाओं से आशा की जाती है कि यथाशक्ति 'भविष्य' तथा 'चाँद' और विद्याविनोद-ग्रन्थमाला का प्रचार कर, व संस्था को और भी अधिक सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !!

वर्ष १, खण्ड ४ | इलाहाबाद—वृहस्पतिवार ; २७ अगस्त, १९३१ | संख्या १२, पूर्ण संख्या ४८

इङ्गलैण्ड के पुराने मन्त्रिमण्डल का रहस्यपूर्ण पतन !

नागपुर में श्रीमती लक्ष्मी देवी के भाई के घर की तलाशी !!

षड्यन्त्र केस के जज के नाम "लाल चिट्ठी" :: बनारस थाने में बम !!

क्या महात्मा गाँधी वास्तव में गोलमेज़ परिषद् में भाग लेंगे ?

ब्रिटेन का नया मन्त्रि-मण्डल

इङ्गलैण्ड के बेकार श्रमजीवियों और सरकारी नौकरों के वेतन में कमी करने के प्रश्न के कारण मज़दूर-सरकार को इस्तीफ़ा दे देना पड़ा। अब वहाँ राष्ट्रीय सरकार स्थापित हुई है और मज़दूर दल, उदार दल तथा अनुदार दल, इन तीनों दलों के लोगों को मिला कर नया मन्त्रि-मण्डल बनाया गया है। नए मन्त्रि-मण्डल में ये लोग सम्मिलित किए गए हैं :—

प्रधान मन्त्री—मि० रैमज़े मेकडॉनल्ड
कौन्सिल के लॉर्ड प्रेज़िडेण्ट—मि० बाल्डविन
चान्सलर ऑफ़ एक्सचेकर—मि० स्नोडेन
गृह-मन्त्री—सर हर्बर्ट सैमुएल
लॉर्ड चान्सलर—लॉर्ड सैङ्की
वैदेशिक सचिव—लॉर्ड रीडिङ्ग
भारत-मन्त्री—सर सैमुएल होर
उपनिवेश-मन्त्री—मि० जे० एस० टॉमस
स्वास्थ्य-मन्त्री—मि० चैम्बरलेन
बोर्ड ऑफ़ ट्रेड—सर फ़िलिप कुलिफ़ लिस्टर

इस नए मन्त्रि-मण्डल के सम्बन्ध में इङ्गलैण्ड में कहा गया है कि इस मन्त्रि-मण्डल का भारतीय राजनीति और गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि गोलमेज़ का प्रश्न तो तीनों दलों के लोगों की स्वीकृति से तय हुआ था।

—पञ्जाब के गवर्नर पर गोली चलाने वाले मुक़द्दमे की सुनवाई करने वाले लाहौर के सेशन्स जज मि० गार्डेन वाकर को धमकी का एक पत्र मिला है। कहा जाता है कि यह पत्र किसी क्रान्तिकारी द्वारा लिखा गया है। कुछ लोगों को यह भी सन्देह है कि यह पत्र सफ़ाई की पैरवी को ख़राब करने के लिए किसी सी० आई० डी० वाले ने लिखा है।

—सीमाप्रान्त में सरकार ख़ूब खुल कर खेल रही है। बड़े ज़ोरों की गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। पेशावर में दफ़ा १४४ की घोषणा कर, दो महीने के लिए उसकी अवधि और बढ़ा दी गई है। ६ लालकुर्ती वाले स्वयंसेवकों को १४४ धारा तोड़ने के सम्बन्ध में एक और दो वर्ष की सज़ाएँ भी दी गई हैं। इसके अतिरिक्त बन्नू ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के सदस्य मौ० ग़ुलाम सरवर ख़ाँ और सूबा कॉङ्ग्रेस कमिटी के मन्त्री श्री० शोभाराम गिरफ़्तार किए गए हैं।

—गत मङ्गलवार की ख़बर है कि बनारस के दशाश्वमेध पुलीस नाके की सीढ़ी पर बम फटा। इससे एक सिपाही का पैर जल गया और उसके बेहोश होकर गिर पड़ने से कई जगह चोटें भी आईं। इस सम्बन्ध में (बिहार गुरुकुल के) प्रो० नारायण मूर्ति गिरफ़्तार किए गए हैं। मामले की पेशी ३१ अगस्त को रखी गई है।

"भविष्य" का साप्ताहिक संस्करण

चूँकि १ली सितम्बर से "भविष्य" का दैनिक संस्करण भी प्रकाशित होने लगेगा इसलिए पूर्व सूचना के अनुसार आगे से "भविष्य" का साप्ताहिक संस्करण वृहस्पतिवार को प्रकाशित न होकर प्रति सोमवार को प्रकाशित हुआ करेगा।

इस हिसाब से 'भविष्य' (साप्ताहिक संस्करण) का आगामी अङ्क वृहस्पतिवार को प्रकाशित न होकर, ७वीं सितम्बर (सोमवार) को प्रकाशित होगा। कृपया इसे स्मरण रक्खें।

—मैनेजर "भविष्य"

—पटना बम-केस के सम्बन्ध में श्री० सूरजनाथ चौबे पर जो मुक़द्दमा चल रहा है, उसकी पेशी सेशन्स जज ने बाँकीपुर जेल में ही की। अभियुक्त पर अस्त्र-आईन की दफ़ा १९ (ई) और (एफ़) और विस्फोटक क़ानून की दफ़ा ४ (बी) का अभियोग लगाया गया। अभियुक्त ने अपने को निर्दोष कहा। इसके बाद सरकारी गवाहों की गवाहियाँ हुईं।

—२४वीं अगस्त का समाचार है कि इटारसी (नागपुर) में 'चाँद' और 'भविष्य' की स्थानापन्न सम्पादिका श्रीमती लक्ष्मी देवी के भाई श्री० कन्हैयालाल के यहाँ ख़ुफ़िया पुलिस ने धावा किया और श्री० सहगल जी द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र—जिसका नम्बर १००४ और तारीख़ ३० जून, १९३० है—उठा ले गई। यह भी पता चला है कि वहाँ की पुलिस भी देवी जी का पीछा कर रही है।

—लखनऊ ई० आई० रेलवे श्रमजीवी सङ्घ के मन्त्री और "मज़दूर" पत्र के सम्पादक श्री० मुन्शीसिंह दफ़ा १२४ (अ) के अनुसार प्रतापगढ़ में गिरफ़्तार कर लिए गए।

—रायबरेली के कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ता पं० अर्जुनकुमार, बाबू चन्द्रिका प्रसाद, श्री० यतीन्द्रनाथ तिवारी, चौबे हज़ारी लाल, चौबे गौरीशङ्कर, चौबे बाल कृष्ण, पं० महादेवप्रसाद पहलवान आदि पर दफ़ा १०७ का जो मुक़द्दमा चल रहा था, उसका फ़ैसला सुना दिया गया और सब लोगों को एक-एक साल की सादी सज़ा दी गई।

—अलीगढ़ की खैर तहसील में ज़मींदार और सरकार दोनों ओर से कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं पर बड़ा दमन हो रहा है। पं० ज्वालाप्रसाद जिज्ञासु, ठा० मलखानसिंह, ठा० टोडरसिंह, श्री० तोताराम राठी, डॉ० शिवदयाल आदि १७ प्रतिष्ठित सज्जनों का चालान दफ़ा १०७ में किया गया है।

—युक्त प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी ने गत २४ अगस्त की बैठक में यह निश्चय किया है कि प्रान्त की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में कॉङ्ग्रेस के लोग म्युनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनावों में हिस्सा न लें।

—दिल्ली के एक बङ्गाली ज्योतिषवेत्ता ने भविष्यवाणी की है कि वर्तमान गाँधी-वाइसराय विवाद में कोई समझौता न होगा और बिना महात्मा गाँधी के गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स न होगी। सरकार के राज़ी करने पर ३ नवम्बर को महात्मा जी इटैलियन जहाज़ 'जेनोवा' द्वारा लन्दन जायँगे, तब कॉन्फ़्रेन्स होगी।

—ख़बर है कि भारत के वाइसरॉय लॉर्ड विलिङ्गडन किफ़ायत के ख़्याल से अपने सफ़र के लिए एक हवाई जहाज़ ख़रीदने वाले हैं।



श्री० एम० एन० रॉय का मुक़दमा

आँख में तकलीफ़ हो गई

प्रसिद्ध भारतीय साम्यवादी मि० एम० एन० रॉय के मुक़दमे की सफ़ाई का बड़े ज़ोरों से इन्तज़ाम हो रहा है। ख़बर है कि जर्मनी के एक भारी वकील आ रहे हैं और मद्रास के भूतपूर्व ऐडवोकेट-जनरल श्री० श्रीनिवास आयङ्गर भी आ रहे हैं। परन्तु बाद की ख़बर है कि आयङ्गर ने आने से इन्कार कर दिया है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कॉङ्ग्रेस के जनरल सेक्रेटरी श्री० मुकुन्दलाल भी श्री० रॉय से मुलाक़ात करने और सफ़ाई का इन्तज़ाम करने आएँगे। श्री० रॉय की ज़मानत के लिए दरख़्वास्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भेज दी गई है। श्री० रॉय स्वयं अपनी ज़मानत की दरख़्वास्त पर बहस करेंगे। उन्होंने अपने क़ानूनी सलाहकार को ७२ पेजों की लिखी हुई हिदायतें दी हैं तथा अभी और लिख रहे हैं। कालाकाँकर के कुँवर ब्रजेशसिंह ने श्री० रॉय के जेल में रक्खे जाने के सम्बन्ध में महात्मा जी को तार दिया है। श्री० रॉय की आँख में भी तकलीफ़ हो गई है। कैप्टन वैरियावा ने उनकी आँखों की परीक्षा की और अपने पास से नए चश्मे देने को कहा है।

कानपुर में नेताओं की फ़ज़ीहत

कानपुर में हिंसात्मक कार्यों की निन्दा करने के लिए उस दिन कॉङ्ग्रेस की ओर से एक मीटिङ्ग की गई थी। श्री० नारायणप्रसाद अरोड़ा उसके सभापति थे। श्री० गोपीनाथसिंह ने हिंसात्मक कार्यों की निन्दा का प्रस्ताव किया। प्रस्ताव के उपस्थित करते ही उपस्थित जनता ने 'शर्म-शर्म' के नारे लगाने शुरू किए। शोर मचाने वालों को शान्त करने के लिए पं० बालकृष्ण शर्मा और श्री० इक़बाल कृष्ण कपूर पहुँचे; किन्तु उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उलटे वे लोग पिटते-पिटते बचे। इसके बाद प्रायः पन्द्रह मिनट तक मीटिङ्ग में बहुत गड़बड़ मची रही। उस पर सभापति ने खड़े होकर कहा कि विपक्षी दल के लोगों को भी अपना मत प्रकट करने का अवसर दिया जायगा। इसी बीच में पं० श्रीनारायण तिवारी व्याख्यान-मञ्च पर चढ़ गए और वक्तृता देने लगे। उन्होंने कहा—"मैं कॉङ्ग्रेस की चुनौती को स्वीकार करता हूँ।" उन्होंने कहा कि—"मैं व्यक्तिगत आतङ्क के बजाय सामूहिक आतङ्क का पक्षपाती हूँ और सारे देश में क्रान्ति चाहता हूँ, क्योंकि स्वाधीनता प्राप्त करने का यही एक साधन है।" इन शब्दों के साथ उन्होंने प्रस्ताव का विरोध किया।

इसके बाद श्री० लोग प्रस्ताव के पक्ष में बोलने को खड़े हुए। उन पर भी 'शर्म', 'देशद्रोही', 'सरकारी भेदिया', 'सी० आई० डी०' आदि कहा गया। श्री० लोग के बोलने के बाद बहुत से लोग मीटिङ्ग से चले गए और कई लोगों के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के बाद प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया।

बर्मा-गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स

इङ्गलैण्ड की सरकार ने बर्मा का विधान और भारत और बर्मा का सम्बन्ध आदि झगड़ों के निर्णय के लिए भारतीय गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स की तरह बर्मा गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स नियुक्त की है। इस कॉन्फ़्रेन्स की बैठक आगामी नवम्बर मास में भारतीय गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स की विधान-कमिटी की बैठक के बाद ही होगी। बर्मा-गोलमेज़ का प्रमुख कार्य अलग किए गए बर्मा के विधान पर विचार करना होगा। जब इन कार्यवाहियों का फल मालूम हो जायगा तो सम्राट की सरकार द्वारा बर्मा को भारत से अलग करने सम्बन्धी प्रश्न पर अपनी तजवीज़ें पार्लामेण्ट के पास भेजने के पहले सभी दलों द्वारा सारी परिस्थिति पर विचार होगा। परन्तु बर्मा-निवासी इस कॉन्फ़्रेन्स के विरुद्ध हैं और उनका कहना है कि कॉन्फ़्रेन्स का अर्थ क्या यह है कि बर्मा का भारत से अलग किया जाना निश्चित है?

बर्मा की घरेलू स्थिति इस समय बड़ी विचित्र है। एक ओर डाके पड़ रहे हैं और दूसरी ओर बलवाई लोग आत्म-समर्पण कर रहे हैं। अब तक ३,९०० बलवाई आत्म-समर्पण कर चुके हैं।

भारत सरकार पर आर्थिक सङ्कट?

क़र्ज़ से लदी हुई और ख़र्च से चूर भारत-सरकार इस साल दिल्ली षड्यन्त्र केस की विशेष अदालत पर २,६४,०००) रु० ख़र्च करना चाहती है और गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स पर ७०,६२,०००) ये लम्बे ख़र्च एसेम्बली की फ़ाइनेन्स कमिटी के सामने उपस्थित किए जायँगे और वह आगामी ३, ४ और ५ सितम्बर को शिमले में बैठ कर उन पर विचार करेगी।

क्या तमाशा है! एक ओर भारत-सरकार आर्थिक सङ्कट का चीत्कार मचाती है और उसके नाम पर कम वेतन पाने वाले ग़रीब सरकारी नौकरों का पेट मारती है, और दूसरी ओर ग़रीब देशवासियों के रुपयों को इस प्रकार के कामों में लगाती है।

सं० भ०]

बर्मा-विद्रोह के कथित नेता साया-सन का मुक़दमा विशेष अदालत में भेज दिया गया है और उसकी सुनवाई शुरू हो गई है। साया-सन ने अपने को निर्दोष बताया है। ख़ुफ़िया-विभाग के एक ऑफ़िसर ने गवाही देते हुए साया-सन को पहचाना और कहा कि मैं इसको प्रायः पिछले ६ वर्ष से जानता हूँ।

—मिदनापुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की हत्या के सम्बन्ध में बिमलदास गुप्त, उर्फ़ माखन, उर्फ़ अक्षय-कुमार दास गुप्त की तलाश की जा रही है। बिमल के गिरफ़्तार कराने वाले को ३,००० रु० का इनाम देने की घोषणा सरकार की ओर से की गई है।

—कानपुर के निकट बिन्दकी रोड स्टेशन पर लाहौर डी० ए० वी० कॉलेज का विद्यार्थी रामरखामल गत २२ अगस्त की रात को चलती गाड़ी में पञ्जाब सी० आई० डी० द्वारा गिरफ़्तार किया गया। कहा जाता है कि उक्त विद्यार्थी लाहौर षड्यन्त्र केस के फ़रार यशपाल की हुलिया से मिलने के कारण गिरफ़्तार किया गया है जिसकी गिरफ़्तारी के लिए सरकार द्वारा ३,००० रु० के इनाम की घोषणा की गई है। विद्यार्थी ने अपना नाम रामरखामल, पिता का नाम जगतराम, और स्यालकोट ज़िले के शहज़ादा ग्राम का रहने वाला बतलाया है। उसने यह भी कहा है कि मैं कॉङ्ग्रेस का काम करता हूँ। कहते हैं कि यह विद्यार्थी यशपाल के धोखे में तीन बार गिरफ़्तार किया जा चुका है। रामरखामल इलाहाबाद से बिना टिकट के कानपुर जा रहा था। वह कानपुर सेण्ट्रल लॉक-अप में रखा गया है। इस सम्बन्ध में कानपुर के श्रमजीवी किसान सङ्घ की तलाशी ली गई और कुछ काग़ज़ात पुलीस ले गई।

—बनारस बम-केस की सुनवाई गत २१ अगस्त को सेशन्स जज की अदालत में आरम्भ हुई। इस मामले में सुविमल कुमार रॉय, मृणालिनी दासी और राधारानी पर विस्फोटक ऐक्ट की दफ़ा ४ और ५ और अस्त्र आईन की दफ़ा ६ के अनुसार मुक़दमा चल रहा है। अभियुक्तों ने अपने को निर्दोष बतलाया है।

सरकारी वकील ने कहा कि बनारस के हथिया फाटक के हाते में एक मकान की तलाशी ली और एक बक्स गिरफ़्तार किया, जिसमें विस्फोटक पदार्थ और रिवॉल्वर एवं कारतूसें थीं। जिस मकान से ये चीज़ें मिली थीं, उसमें सुविमल कुमार रॉय और मृणालिनी दासी रहती थी और बक्स राधारानी द्वारा रखा गया बताया गया है। उन्होंने कहा कि भागवत प्रसाद नामक एक गवाह पेश किया जायगा, जिससे राधारानी ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने बक्स मृणालिनी दासी को रखने के लिए दिया है और उसमें बम बनाने का सामान है।

—गत रविवार को प्रातः काल कानपुर में जनरल पोस्ट ऑफ़िस के पास बिजली के एक खम्भे में एक क्रान्तिकारी पर्चा चिपकाया हुआ पाया गया। पर्चे में लिखा गया था कि कानपुर में षड्यन्त्र दल का उद्घाटन किया गया है, जिसके पास २०२ बम हैं। साथ ही उसमें सरकार को यह चुनौती दी गई थी कि यदि असली षड्यन्त्रकारियों को गिरफ़्तार किया जाय, तो इनाम दिया जायगा। पर्चा हिन्दी में था और लेखक का नाम 'बद्री विशाल' लिखा था।

सी० आई० डी० के राय साहब शम्भूनाथ उस स्थान पर पहुँच गए और पर्चे को उखाड़ कर उन्होंने उपस्थित भीड़ को हटा दिया।

—गोरखपुर ज़िले में वहाँ की ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के मन्त्री द्वारा प्रेषित किसानों पर अमानुषिक ज़ुल्म होने और स्त्रियों की बेइज़्ज़ती किए जाने के जो समाचार कानपुर के 'प्रताप' में प्रकाशित हुए थे, उनकी प्रान्तीय सरकार ने जाँच कराई थी। सरकार का कहना है कि इन अभियोगों का कोई सबूत नहीं मिला, किसी पुलीस-थाने में इन ज़ुल्मों की कोई शिकायत नहीं की गई और न ज़िला-अधिकारियों के पास ही कोई शिकायत की गई है। केवल एक मामले के सिवा, जिसका मुक़दमा अदालत में चल रहा है, और किसी किसान को चोट नहीं पहुँचाई गई है।

—कानपुर में दफ़ा १०८ के अनुसार गनेशीलाल नामक एक स्वयंसेवक और हिन्दुस्तानी सेवा दल के गङ्गा-सहाय चौबे ये दो आदमी गिरफ़्तार किए गए हैं। कृष्णप्रसाद अग्नि नामक व्यक्ति पर दफ़ा १०८ का जो मुक़दमा चल रहा था, उसमें उनसे एक साल के लिए तीन-तीन सौ रुपए की ज़मानत और मुचलके माँगे गए मुचलका और ज़मानत न देने पर एक साल की सज़ा सुनाई गई।

महात्मा जी का लन्दन जाना बहुत कुछ सम्भव हो गया

शिमले में महात्मा जी और वाइसरॉय में खुले-दिल से बातें

दोनों ओर से आदान-प्रदान की नीति :: महात्मा जी ने अपनी शर्त्त नम्र कर दी

[हमारे शिमले के विशेष सम्वाददाता द्वारा]

[महात्मा जी के लन्दन जाने की फिर बहुत कुछ सम्भावना हो रही है। इस सप्ताह में महात्मा जी और वाइसरॉय में कुछ और पत्र-व्यवहार हुआ, जिसके फल स्वरूप शिमले में गाँधी-वाइसरॉय सम्मेलन फिर हो रहा है। सम्मेलन किस निश्चय को जन्म देगा, यह निश्चित रूप से कहना कठिन है, किन्तु जैसा कि हमारे शिमले के विशेष सम्वाददाता ने लिखा है, वाइसरॉय और महात्मा जी की आदान-प्रदान नीति और शिमले का वातावरण यही कह रहा है कि महात्मा जी का गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में सम्मिलित होने के लिए लन्दन जाना अधिक सम्भव दिखाई दे रहा है।]

प्रिय सम्पादक जी,

इधर शिमले में ज्वर का प्रकोप दिखाई देता है। मैं भी उसी के चङ्गुल में ग्रसित हो गया था और इसी वजह से आपको पत्र इन दिनों नहीं भेज सका। यूँ भी जैसा कि आप अवगत ही हैं, अवकाश कम रहता है और कभी कोई साधारण घटना के घटित होने पर ही मैं 'भविष्य' के स्तम्भों को नष्ट करता हूँ। परन्तु यह सप्ताह शिमले का बड़ा महत्वपूर्ण रहा, इसलिए सप्ताह के घटना क्रमों से 'भविष्य' के पाठकों को अवश्य अवगत करा देना चाहता हूँ।

सरकारी दौड़-धूप

महात्मा जी द्वारा प्रकाशित सरकार की अभियोगावलि से भी हमारे प्रभुओं में काफ़ी खलबली मच गई थी। कहने को तो कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि अभियोग सूची प्रकाशित होने से बड़े-बड़े अफ़सरान नाराज़ हो गए हैं और अब महात्मा जी का लन्दन जाना असम्भव हो गया है। पर ये बातें दिखाने भर को थीं। वास्तव में अधिकारीगण चिन्तित हो उठे और भारत सरकार के प्रधान सर जेम्स क्रेरर अभियोगावलि के प्रकाशित होने पर वाइसरॉय लार्ड विलिङ्डन के पास कलकत्ते दौड़े गए। और शिमले लौट कर वाइसरॉय की कौन्सिल में अभियोगावलि पर विचार कर, महात्मा जी को उसका उत्तर देने का वाइसरॉय पर उन्होंने ज़ोर डाला।

वाइसरॉय शिमले लौटे

वायसरॉय ने कलकत्ते का अपना कार्य-क्रम अधूरा छोड़ कर शिमले लौट पड़े। वाइसरॉय के शिमले के लिए प्रस्थान करने की ख़बर से ही यहाँ यह ख़बर ज़ोरों से उड़ी कि अब स्थिति कुछ सँभलती सी नज़र आती है और वाइसरॉय महात्मा जी की शर्त को स्वीकार कर, उनके लन्दन जाने के मार्ग की बाधाओं को दूर कर देंगे।

महात्मा जी का वाइसरॉय को तार

अभियोग-सूची क्यों प्रकाशित की

महात्मा जी ने भी यह समझ कर कि वाइसरॉय ने अपने पत्र में यह साफ़ लिख दिया है कि सरकार समझौते का पूर्ण पालन करना चाहती है, साथ ही यह देख कर कि वाइसरॉय की यह ज़बरदस्त कोशिश है कि गाँधी जी लन्दन ज़रूर जायँ, इस स्थिति से लाभ उठाना चाहा और उन्होंने वाइसरॉय को एक तार दिया। तार में उन्होंने लिखा कि नाना प्रकार की अफ़वाहें फैली हैं, लोग कहते हैं कि अभियोगावलि के प्रकाशित हो जाने से मेरा लन्दन जाने का मार्ग और अधिक रुक गया। सर तेज बहादुर सप्रू और मि० जयकर ने भी जहाज़ पर से मुझे लिख भेजा है कि आप अभियोग-सूची प्रकाशित करने का कारण बता दीजिए। इसलिए मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने क्यों अभियोगावलि प्रकाशित की। अभियोगावलि में बहुत से वे पत्र-व्यवहार थे, जो मेरे और सरकारी अधिकारियों के बीच हुए थे, इसलिए उनका प्रकाशित होना कोई अनुचित न था। फिर, जो कुछ मैंने प्रकाशित किया उसके लिए आपकी स्वीकृति ले ली थी। तीसरे उनको प्रकाशित किए मैं कॉङ्ग्रेस के पक्ष की बातों को पूरे तौर से संसार के सामने रख नहीं सकता था। ऐसी अवस्था में मैं नहीं समझता कि केवल इसी बात पर समझौते और लन्दन जाने का मार्ग कैसे बन्द हो गया।

इसलिए मैं आप से स्वयं मिल कर सब स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जाँच-कमिटी नियुक्त करने के सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि समझौते में यह बात सन्निहित है कि यदि सरकार और कॉङ्ग्रेस में कोई मतभेद खड़ा हो जाय, तो निष्पक्ष जाँच-कमिटी नियुक्त हो सकती है। मैं पहिले भी इसके लिए तैयार था और अब भी तैयार हूँ कि मैं जाँच-समिति की बात वापस ले सकता हूँ, यदि व्यक्तिगत बात चीत करके या किसी तरीक़े से कॉङ्ग्रेस उचित इतमीनान दिला दिया जाय। मैं छोटी-छोटी बातों या ग़लत-फ़हमियों पर समझौते का भङ्ग नहीं चाहता, इसलिए यदि आप आपस में बातें करना ज़रूरी समझते हों, तो मैं शिमले तक आ सकता हूँ।

महात्मा जी का यह तार वायसरॉय को कलकत्ते से शिमला आते हुए रास्ते ही में मिला।

वायसरॉय २२ अगस्त को दोपहर के वक्त शिमले आ गए। आते ही सबसे पहिले उन्होंने जो किया वह यही था कि उन्होंने अपने भवन में ही अपनी कार्य-कारिणी समिति के सदस्यों को बुलाया और उन लोगों से सारी स्थिति और महात्मा जी के उपरोक्त तार पर विचार किया। दोपहर से लेकर ७ बजे शाम तक बहुत गुप्त रूप से विचार होता रहा। मैंने बहुत चाहा कि क्या बातें हुईं, उनमें से कुछ भी मालूम हो जायँ, किन्तु कुछ ज्ञात न हो सका। हाँ, इतना ज़रूर मालूम हुआ कि वायसरॉय का महात्मा जी से बातचीत करना तय हो गया।

वायसरॉय की कार्य-समिति की बैठक के बाद से यह चर्चा ज़ोरों से यहाँ चल पड़ी कि अब स्थिति सुधर जायगी और महात्मा जी का लन्दन जाना बहुत कुछ सम्भव हो गया है। यहाँ यह भी सुनाई दिया कि महात्मा जी ने गोलमेज़ में अवश्य उपस्थित करने के सम्बन्ध में शिमला शैल के प्रभुओं और लन्दन के प्रभुओं का एक ही मत है, इसलिए महात्मा जी की यह बात ज़रूर स्वीकार कर ली जायगी कि कोई निष्पक्ष सरकारी अफ़सर ही, जैसे हाईकोर्ट के कोई जज ही से अभियोगों की जाँच कराई जाय। मुझे तो यहाँ तक मालूम हुआ है कि यदि पक्ष के लोग राज़ी हुए, तो बम्बई हाई-कोर्ट के जस्टिस ब्रूमफ़ील्ड जाँच करने के लिए नियुक्त किए जायँगे। जस्टिस ब्रूमफ़ील्ड वही सज्जन हैं, जिन्होंने बारडोली सत्याग्रह के बाद बारडोली के मामले की जाँच की थी, और सन् १९२२ में महात्मा जी को ६ वर्ष की सज़ा सुनाई थी।

वाइसरॉय का तार

अस्तु होगा क्या, यह तो भविष्य ही जाने, किन्तु कार्य-समिति की बैठक के बाद महात्मा जी के उपरोक्त तार के उत्तर में वाइसरॉय ने भी महात्मा जी के पास यह तार भेजा—"आपका २१ अगस्त का तार मिला। यदि आप समझते हैं कि और बातचीत करने से आप की आपत्तियाँ दूर हो जायँगी, तो मैं बड़ी प्रसन्नता से आपसे बातें करूँगा। आप यह बतला दीजिए कि आप कब शिमले आ रहे हैं।"

महात्मा जी ने यह उत्तर पाकर वाइसरॉय को फिर एक तार भेज कर लिख दिया कि मैं मङ्गलवार को शिमला पहुँच रहा हूँ।

महात्मा जी का शिमले में आगमन

महात्मा जी २५ अगस्त को ११ बजे दिन के समय सरदार पटेल, पं० जवाहरलाल नेहरू, डॉ० अन्सारी, सर प्रभाशङ्कर पट्टनी और ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ के साथ शिमले पधारे। यह लिखने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं, कि शिमला पधारने पर महात्मा जी का शाही स्वागत हुआ। शिमले ही नहीं, दूर-दूर से लोग आपके दर्शनों के लिए आए थे।

शिमला पधारने पर महात्मा जी ने वाइसरॉय से दूसरे दिन, यानी बुधवार को ११ बजे, मिलने का निश्चय किया। मङ्गलवार को आप मि० इमरसन से मिले। मि० इमरसन से आपने २ घण्टे तक समझौते के सम्बन्ध में बातचीत की।

गाँधी-इमरसन बातें होने के बाद वाइसरॉय की कार्य-समिति की बैठक हुई। वाइसरॉय भी उसमें मौजूद थे। मि० इमरसन ने अपनी बातचीत का हाल बतलाया।

महात्मा जी २९ अगस्त को लन्दन जायँगे

अभी महात्मा जी की बातचीत वाइसरॉय से होने को बाक़ी है, किन्तु मि० इमरसन की बातों के बाद से यहाँ यह चर्चा ज़ोरों से है कि महात्मा जी २९ अगस्त को लन्दन के लिए प्रस्थान कर देंगे। यदि २९ अगस्त को ही जाना है, तो उस दिन कुछ घण्टों के लिए आप अहमदाबाद जाएँगे और वहाँ से अपना सामान लेकर बम्बई पहुँच जाएँगे। यदि महात्मा जी गए, तो पं० मालवीय जी और श्रीमती सरोजिनी नायडू भी जाएँगी।

ये हैं यहाँ की बातें, किन्तु होगा क्या, यह तो भविष्य के गर्भ में है।

❀ ❀ ❀

मालिक बनाम "कीपर" वाले मामले की दूसरी पेशी

सहगल जी के लिए अपने अधीनस्थ मेजिस्ट्रेटों को विशेष हिदायत क्यों की गई ??

"यह सब से पहला डिक्लेरेशन है जिसे मैंने नामञ्ज़ूर किया है"

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अत्यन्त मनोरञ्जक गवाही

पाठकों ने 'भविष्य' के पिछले अङ्क में उस विचित्र अभियोग का समाचार पढ़ा होगा, जो स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रेस तथा रजिस्ट्रेशन ऑफ़ बुक्स एक्ट की १२वीं धारा के अनुसार 'भविष्य' तथा 'चाँद' के अध्यक्ष श्री० सहगल जी के विरुद्ध चलाया गया है। इस मामले की दूसरी पेशी २४वीं अगस्त को २ बजे दोपहर में हुई। इस मामले में स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० आर० एफ़० मूडी, ओ० बी० ई०, आई० सी० एस० सबसे पहिले गवाह थे जो 'सरकार' की ओर से पेश किए गए। आपने सरकारी गवाह की हैसियत से कहा कि मैं इलाहाबाद का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हूँ और मैं मि० सहगल को जानता हूँ। मि० सहगल मेरे पास श्री० शङ्करदयाल श्रीवास्तव का डिक्लेरेशन दिलाने के सिलसिले में आए थे। मि० सहगल २२ वीं जुलाई को क़रीब २ बजे मेरे बङ्गले पर आए थे। तब मैंने उनसे पूछा कि इस प्रेस का मालिक (रखने वाला ?) [उन्होंने Possessor शब्द का प्रयोग किया था] कौन है तो मि० सहगल ने कहा कि "मैं हूँ" लेकिन जब मि० शङ्करदयाल श्रीवास्तव मेरे पास अपने डिक्लेरेशन लेकर आए तो मैंने उन्हें स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। जब मि० सहगल चले गए तो मैंने उन सारी बातों को काग़ज़ पर नोट कर लिया जो उनसे हुई थीं और वह नोट अदालत में दाख़िल कर दिया गया है।

श्री० सहगल जी की ओर से श्री० जे० सी० मुकर्जी एडवोकेट, हाईकोर्ट के जिरह करने पर गवाह (डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट) ने कहा कि मैंने सन् १९१४ में इण्डियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी और सब से पहिले मेरी नियुक्ति झाँसी में हुई थी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की हैसियत से जब से मैं काम करने लगा हूँ तब से आज तक लगभग १० प्रेसों के डिक्लेरेशन मेरे सामने पेश किए गए हैं। यह सब से पहिला डिक्लेरेशन है जिसे मैंने नामञ्ज़ूर किया है। यह बात सच है कि मैंने अपने मातहत समस्त मैजिस्ट्रेटों के नाम इस आशय का एक हुक्म जारी कर दिया था कि कोई भी मैजिस्ट्रेट मि० सहगल के प्रेस अथवा पत्रों का डिक्लेरेशन स्वीकार न करे।

प्र०—आप जानते होंगे मि० सहगल के प्रेस के अलावा इलाहाबाद में अन्य भी बहुत से प्रेस हैं। तब वह कौन सा ऐसा कारण है कि आपने मि० सहगल के सम्बन्ध में ही ऐसी आज्ञा निकालना उचित समझा ?

उ०—क्योंकि त्रिवेणीप्रसाद नाम का एक व्यक्ति मेरे द्वारा दण्डित हो चुका था और जैसे ही उसे सज़ा हुई वैसे ही भुवनेश्वरनाथ मिश्र नामक दूसरे व्यक्ति ने डिक्लेरेशन दाख़िल कर दिया। ये दोनों व्यक्ति मेरे सामने मि० सहगल द्वारा पेश किए गए थे। ये दोनों ही नवयुवक एवं अनुभवहीन मालूम हुए, जिन्हें प्रेस चलाने की ज़िम्मेदारी और सञ्चालन का ज्ञान नहीं था। मुझे यह भी मालूम था कि यह प्रेस मि० सहगल का प्रेस था।

प्र०—तो क्या मैं यह समझूँ कि आप की यह आज्ञा भुवनेश्वरनाथ मिश्र के डिक्लेरेशन दाख़िल करने के बाद जारी की गई थी ?

उ०—जी हाँ।

प्र०—क्या आप बता सकते हैं कि सहगल जी के विरुद्ध आपने मैजिस्ट्रेटों को यह आज्ञा कब दी थी ?

उ०—१८ जुलाई के क़रीब यह हुक्म मैजिस्ट्रेटों के नाम जारी किया गया था।

प्र०—क्या आप बतला सकते हैं कि झूठा डिक्लेरेशन दाख़िल करने वालों को क्या सज़ा दी जाती है ?

उ०—मेरी पुस्तक के अनुसार २ वर्ष की सज़ा और ५,००० रुपया जुर्माना अथवा दोनों—एक की सज़ा दी जाती है।

प्र०—आपने कहा है कि मेरी पुस्तक के अनुसार... क्या आपकी कोई ख़ास पुस्तक है, या वही जो आज क़ानूनन प्रचलित है ?

उ०—मैं यह नहीं जानता, पर मेरी पुस्तक में तो यही लिखा है।

मि० मुकर्जी ने इस पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब को बतलाया कि सन् १९१४ में इस क़ानून में तरमीम किया गया था और अब केवल ६ मास की सादी क़ैद तथा २००) रु० जुर्माना अथवा दोनों—एक की सज़ा शेष रह गई है)

प्र०—क्या आपने कभी मि० सहगल से यह कहा था कि आप स्वयं तो आग लगाते हैं और व्यर्थ में दूसरों को फँसाते रहते हैं ? क्या आपने मि० सहगल से यह भी कहा था कि भविष्य में यदि उनके पत्रों में कोई राज-विद्रोहात्मक लेख प्रकाशित हुआ तो उन्हें भी जेल की हवा खानी होगी, चाहे क़ानूनन कोई भी ज़िम्मेदारी लिए हो ?

उ०—मैंने सम्भव है, शङ्करदयाल श्रीवास्तव से कहा हो कि मि० सहगल अपनी रक्षा करने के अभिप्राय से बेचारे सीधे-सादे लोगों को फँसाया करते हैं। मैंने शङ्करदयाल श्रीवास्तव को दण्ड वाला परिच्छेद पढ़ कर भी सुना दिया था।

प्र०—क्या हर एक डिक्लेरेशन के समय आप इस प्रकार की बारीकी से जाँच करते हैं अथवा ख़ास तौर से मि० सहगल वाले डिक्लेरेशन में ही आपने ऐसा किया है ?

उ०—नहीं; मैंने किसी दूसरे डिक्लेरेशन के सम्बन्ध में इस प्रकार की जाँच कभी नहीं की है। मि० सहगल के अतिरिक्त मैं किसी भी दूसरे प्रेस के स्वामी को नहीं जानता !

प्र०—आप मि० सहगल को कब से जानते हैं ?

उ०—मि० सहगल एक बार अप्रैल में किसी समय मेरे पास "चिट" (फिर बहुत कुछ पूछने पर मि० मूडी ने कहा कि 'चिट' से मेरा अभिप्राय सर्टिफ़िकेट' से है) लेकर आए थे, तभी से मैं उन्हें जानता हूँ।

प्र०—क्या मि० सहगल सर्टिफ़िकेट लेकर आपसे कोई नौकरी माँगने के अभिप्राय से गए थे ?

उ०—सो मैं नहीं कह सकता ! (I can't say that)

प्र०—आपकी नियुक्ति इस ज़िले में कब से हुई है ?

उ०—२१वीं मार्च से।

प्र०—क्या यह सत्य नहीं है कि आपने अपने २० मार्च के अन्त में मि० सहगल को चेतावनी देने के अभिप्राय से बुलाया था ?

उ०—मुझे याद नहीं है। (इस पर मि० सहगल की ओर से मि० मूडी द्वारा हस्ताक्षरित वह निमन्त्रण पत्र अदालत में पेश किया गया, जिसकी तारीख़ २० मार्च है)

प्र०—क्या मि० त्रिवेणीप्रसाद ने आप ही के सामने अपना डिक्लेरेशन पेश किया था ? क्या आपने उनसे पूछा था कि वे प्रेस के स्वामी हैं या नहीं ?

उ०—मुझे याद नहीं है। मैंने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं पूछा था कि वे प्रेस के स्वामी हैं या नहीं !

प्र०—क्या लक्ष्मी देवी नामक कोई महिला आपके सामने डिक्लेरेशन दाख़िल करने के अभिप्राय से उपस्थित हुई थीं ?

उ०—जी हाँ।

प्र०—क्या आपने उनके डिक्लेरेशन अस्वीकृत कर दिए थे ?

उ०—जी हाँ

प्र०—डिक्लेरेशन नामञ्ज़ूर करने के पहिले क्या आपने कभी इस बात का भी पता लगाया है कि आपको किसी डिक्लेरेशन के नामञ्ज़ूर करने का अधिकार है भी या नहीं ?

उ०—मैंने क़ानूनी पुस्तक पढ़ी है और मेरा ख़याल है कि मैं किसी भी डिक्लेरेशन को नामञ्ज़ूर कर सकता हूँ।

[शेष जिरह अगले अङ्क में पाठक देखेंगे। इसी प्रकार के लगभग १५० प्रश्नोत्तर हुए हैं जो बहुत ही मनोरञ्जक एवं शिक्षाप्रद हैं। हमें खेद है, स्थानाभाव के कारण इस अङ्क में पूरी कार्रवाई देना सम्भव नहीं है। मामले की अगली पेशी आगामी पहिली सितम्बर को होगी ! जिसमें ४-५ सरकारी गवाह भी पेश होंगे।]

❀ ❀ ❀

—टिनावली (मद्रास) के एक काँग्रेस वालण्टियर के बाद ही देखते हुए ग़ायब हो जाने और उसके सम्बन्ध में ईसाइयों के क़ब्रस्तान में एक लाश खोदी जाने की जो ख़बर प्रकाशित हुई थी, उसके बारे में यह पता चला है कि वह ग़ायब वालण्टियर गिरफ़्तार किया गया है और पुलीस की हिरासत में मौजूद है।

—कानपुर में गिरफ़्तार किया हुआ दिल्ली षड्यन्त्र केस का कथित फ़रार काशीराम अभी कानपुर में ही है। अभी उसकी शिनाख़्त नहीं की जा सकी है। यह भी ख़बर है कि कानपुर की काहू कोठी की हत्या के सम्बन्ध में गिरफ़्तार दीनदयाल ने ऐसा बयान दिया है जिससे महत्वपूर्ण षड्यन्त्र का पता चलता है।

—पं० जवाहरलाल नेहरू ने शिमले से तार दिया है कि समस्त काँग्रेस संस्थाओं को सूचित कर दिया जाय कि नए राष्ट्रीय झण्डे में यह परिवर्तन किया गया है कि चर्ख़ा बजाय बीच में बनाने के डण्डे के पास नीचे कोने पर बनाया जाय।

—कराची के 'हिन्दू-जाति' नामक पत्र के सम्पादक पं० विष्णु शर्मा एक कथित राजद्रोहात्मक लेख के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए हैं। पत्र-कार्यालय की तलाशी भी हुई थी।

"मैजिस्ट्रेट की अदालतें बेईमान हैं"

"सरकार ही मुसलमानों को हिन्दुओं से और हिन्दुओं को मुसलमानों से लड़ाती है"

"आप सरकार के ग्रामोफ़ोन हैं : आपसे न्याय की कोई आशा नहीं"

अदालत में सिक्ख-नेता सरदार खड़गसिंह की गर्जना

सुप्रसिद्ध सिक्ख-नेता सरदार खड़गसिंह अपने २३ अनुयायी सिक्खों के साथ दस्का (पञ्जाब) में सत्याग्रह करते हुए गत १७ अगस्त को गिरफ़्तार किए गए थे। सत्याग्रह का कारण यह है कि स्यालकोट ज़िले के दस्का स्थान में १३ दूकानों के सम्बन्ध में बहुत दिनों से हिन्दुओं और सिक्खों में झगड़ा चल रहा था। अदालतों में मामला चला और वहाँ से यही फ़ैसला हुआ कि दूकानें हिन्दुओं की हैं। सन् १९२९ में इसी सम्बन्ध में वहाँ के प्रमुख हिन्दू और सिक्ख नेताओं के मुचलके भी लिए गए थे। इसके बाद १९३० में सिक्खों ने इन दूकानों को तोड़ने का सत्याग्रह करना शुरू किया और उसमें ५०० सिक्ख गिरफ़्तार भी किए गए और जेल भेजे गए। अब सरदार खड़गसिंह ने फिर दूकानों को तोड़ने का सत्याग्रह शुरू किया और गिरफ़्तार किए गए।

गिरफ़्तारी के दूसरे दिन सरदार साहब तथा उनके २३ साथियों का मुक़दमा स्यालकोट के मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुआ और सब अभियुक्त नीचे लिखा पञ्जाबी गायन गाते हुए अदालत में दाख़िल हुए :—

"चुक ले फिरँगिए डेरा, तू खाँदा केक बतेरा।"

अर्थात्—"हे फिरङ्गी, अपना डेरा उठाओ, इतने दिनों तक ख़ूब केक (पाव-रोटी) खाई है।"

अदालत के सामने आने पर अभियुक्तों ने कोई सफ़ाई वग़ैरह नहीं पेश की और बयान देने से भी इन्कार किया।

मैजिस्ट्रेट को सम्बोधित करते हुए सरदार खड़गसिंह ने कहा—"आप सरकार के ग्रामोफ़ोन हैं। मुझे आपसे न्याय की कोई आशा नहीं है। आप अपने मालिकों के हुक्मों के मुताबिक़ ही मुक़दमे का फ़ैसला करेंगे। इसलिए मैं इस अदालत को स्वीकार नहीं करता।"

मैजिस्ट्रेट ने पूछा कि—'क्या यह सब आप मुझे व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं?"

सरदार खड़गसिंह ने कहा—"मैं आमतौर से सबके लिए कह रहा हूँ, मैजिस्ट्रेट की सारी अदालतें बेईमान हैं।"

मैजिस्ट्रेट ने कहा कि यह मामला राजनीतिक नहीं है, बल्कि सिक्खों और हिन्दुओं के झगड़े से उठ खड़ा हुआ है। इस पर सरदार खड़गसिंह गरज उठे—

"हिन्दुओं और सिक्खों में कोई झगड़ा नहीं है, सरकार ही इस झगड़े के लिए ज़िम्मेदार है। सरकार एक जाति को दूसरी जाति के विरुद्ध खड़ी कर देती है। मुसलमानों को हिन्दुओं के ख़िलाफ़, हिन्दुओं को सिक्खों के ख़िलाफ़ और इसी तरह से दूसरों को।"

इसके बाद ४ सरकारी गवाहों की गवाहियाँ हुईं और मैजिस्ट्रेट ने दो को छोड़ कर शेष अभियुक्तों पर जुर्म क़ायम किया और दूसरे दिन सब लोगों को २-२ हफ़्ते की सादी क़ैद की सज़ा दी। सरदार खड़गसिंह "बी" क्लास में रक्खे गए हैं और दूसरे सब लोग "सी" क्लास में।

सत्याग्रह स्थगित हो गया

सरदार खड़गसिंह के इस सत्याग्रह से अधिकांश सिक्ख असन्तुष्ट हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमिटी, शिरोमणि अकाली-दल और अनेक सिक्ख-नेताओं ने सरदार खड़गसिंह से अनुरोध किया कि वे अभी सत्याग्रह न करें, किन्तु उन्होंने इन संस्थाओं और नेताओं की राय की अवहेलना की। बाद में इन लोगों की गिरफ़्तारी पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमिटी के कहने पर सत्याग्रह समिति ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया है।

सिक्ख-नेता मास्टर तारासिंह ने भाई परमानन्द, राजा नरेन्द्रनाथ, डॉ० गोकुलचन्द नारङ्ग आदि हिन्दू नेताओं से अपील की है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप कर, झगड़े को मिटा दें, नहीं तो स्थिति गम्भीर हो जायगी। बाबा गुरदत्तसिंह जी ने मालवीय जी से भी हस्तक्षेप करने की अपील की है।

"कॉङ्ग्रेस वाले काली के उपासक हैं"

कलियुग में काली का राजत्व :: "भारत में ब्रिटिश अमलदारी पर सङ्कट"

"ऑबज़र्वर" का विचित्र मन्तव्य :: नीचता की पराकाष्ठा

फ़्री-प्रेस के लन्दन-स्थित सम्वाददाता ने एक बड़ी ही मज़ेदार ख़बर भेजी है। इस ख़बर से एङ्गलो-इण्डियनों की कुत्सित और कमीनी मनोवृत्ति का ख़ूब पता चलता है, साथ ही यह भी पता चल जाता है कि वे कॉङ्ग्रेस को बदनाम करने के लिए कैसी-कैसी कहानियों की रचना किया करते हैं। फ़्री-प्रेस का सम्वाददाता लिखता है :—

लन्दन, ७ अगस्त। 'ऑबज़र्वर' पत्र के कलकत्ते वाले सम्वाददाता ने गत पहली अगस्त को एक तार दिया था, जिसमें लिखा था कि गत सप्ताह भारत में रहने वाले अङ्गरेज़ जैसे उत्तेजित हुए थे, वैसी उत्तेजना सिपाही-विद्रोह के बाद कभी नहीं देखी गई थी। प्रसङ्गवश सम्वाददाता ने अपनी राय प्रकट करते हुए लिखा था कि जिन अधःपतितों का दल भारतीय कॉङ्ग्रेस का सञ्चालक और सूत्रधार है, उनमें अधिकांश ही रक्त-पिपासिनी काली देवी के उपासक हैं। उपद्रवी किसी को वध करने की सूचना देने से पहले इसी काली देवी से अनुग्रह की प्रार्थना कर लिया करते हैं। कॉङ्ग्रेसी नेताओं के छूटने के बाद से, यानी गत छः महीनों से कॉङ्ग्रेस का इस अभागे दल ने गवर्नमेण्ट, पुलीस, मुसलमानों तथा अन्यान्य विभिन्न धर्मावलम्बियों के विरुद्ध एक अभूतपूर्व आन्दोलन जारी कर रक्खा है। गत राउण्ड टेबिल कॉन्फ़्रेन्स में युक्त राष्ट्र सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद से अब कोई विश्वास ही नहीं करता कि 'हाउस ऑफ़ कॉमन्स' भारत पर अपना प्रभुत्व क़ायम रख सकेगा। घटनावली का प्रवाह इस तेज़ी से चल रहा है कि जो लोग संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठा द्वारा बहुत दिनों की पुरानी अराजकता का अवसान करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि समवेत भाव से कार्यक्षेत्र में उतर पड़ें। चिउँटी की चाल चलने वाली राउण्ड टेबिल कॉन्फ़्रेन्स का इन्तज़ार न करके, उससे पहले ही भारत में एक नवीन शासन-तन्त्र की प्रतिष्ठा हो जानी चाहिए।

कराची से आगरा और केप से काश्मीर तक पाँच मुस्लिम-प्रधान प्रदेश मौजूद हैं। बङ्गाल को भी जोड़ दिया जाए तो पूरे छः हो जाते हैं। फलतः मुसलमानों के लिए भय का कोई कारण नहीं है। क्योंकि सारे हिन्दोस्तान में उन्हीं की तूती बोलेगी। अधिकांश सेना मुसलमानों की होगी, सेनापति भी वहीं होंगे। इसलिए दक्षिण भारत के मुसलमानों के साथ समव्यवहार की व्यवस्था होनी चाहिए और मुसलमानों को चाहिए कि उदारनीतिक हिन्दुओं तथा अङ्गरेज़ों से मिल कर शीघ्र ही एक शक्तिशाली सरकार की प्रतिष्ठा करने में लग जाएँ।

कई विषयों का प्रतिकार अत्यावश्यक है। पहली और प्रधान बात यह है कि भारत का असहयोग आन्दोलन भारतवासियों की मानसिक अवनति का ही परिणाम है। कालीदेवी और कलियुग में विश्वास ही इस अवनति का कारण है। कलियुग में काली का ही राजत्व है। प्रलय और मृत्यु की देवी समझ कर काली की पूजा होती है। ब्रिटिश सरकार ने कभी इस पूजा को बन्द कराने का साहस नहीं किया है।

असहयोग एक प्रकार की मानसिक व्याधि है और यह संक्रामक व्याधि कुछ लोगों में अज्ञात रूप से ही फैल जाती है। गाँधी की बोली के पीछे बहुधा घृणा छिपी रहती है। अगर माण्टेग्यू-सुधार के ध्वंस की चेष्टा न हुई होती, तो भारत को अब तक औपनिवेशिक स्वराज मिल गया होता।

अभी भी राउण्ड टेबिल कॉन्फ़्रेन्स को विफल कर देने की चेष्टाएँ हो रही हैं। परन्तु वर्तमान ब्रिटिश सरकार उसे समझने में नितान्त अक्षम है। ब्रिटिश सरकार के गवर्नर, विचारक, कर्मचारी और सैनिक आततायियों द्वारा मारे जाते हैं, इसलिए गवर्नमेण्ट की सेना और उसके कर्मचारी उसे अश्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। विभिन्न सम्प्रदायों में भी आज वही भाव देखे जाते हैं।

❀ ❀ ❀

१६ पेन्स विनिमय की दर फिर होगी?

ख़बर है कि भारत-सरकार अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विनिमय की दर फिर १६ पेन्स करने जा रही है। इस सम्बन्ध में परामर्श करने के लिए बम्बई इम्पीरियल बैङ्क के गवर्नर सर आसबर्न स्मिथ शिमला बुलाए गए हैं।

महात्मा गाँधी का फ़र्दे-जुर्म

सरकार ने समझौते को कहाँ-कहाँ और कैसे तोड़ा ?

यू० पी० के किसानों और सीमा-प्रान्त के ख़ुदाई ख़िदमतगारों पर ज़ुल्मों का पहाड़ !

[देश के कुछ 'समझदार' लोगों ने महात्मा जी पर यह दोषारोपण किया है कि गुजरात की ज़रा-सी बात को लेकर महात्मा गाँधी ने गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में न जाने का निश्चय कर, देश के बड़े हितों का हनन किया है। परन्तु अब वे ज़रा आँखें खोल कर देखें कि महात्मा जी के गोलमेज़ में सम्मिलित न होने के लिए कौन उत्तरदायी है, महात्मा जी या सरकार ? सरकार ने स्वयं ही समझौते को कितनी बार और कहाँ-कहाँ तोड़ा है और अन्त में महात्मा जी का लन्दन जाना मुश्किल बना दिया है, इसे महात्मा जी ने देश ही नहीं, समस्त संसार के सामने स्पष्ट रख दिया है।

—सम्पादक 'भविष्य']

महात्मा गाँधी ने सरकार के विरुद्ध निम्न-लिखित फ़र्दे-जुर्म (अभियोग-पत्र) प्रकाशित किया है :—

१—मद्रास में शराब की दुकानों की पिकेटिङ्ग

(क) सरकार की ओर से १२ जुलाई को एक कम्यूनिक प्रकाशित किया गया, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को स्पष्ट तौर पर सूचना दी गई थी कि शराब की दुकानों की पिकेटिङ्ग में आबकारी नीलाम की पिकेटिङ्ग सम्मिलित नहीं है।

(ख) शराब की दुकानों के नीलाम की पिकेटिङ्ग करने के कारण तञ्जोर के वकीलों पर दफ़ा १४४ का प्रयोग किया गया।

(ग) तिरुकट्टूपल्ली में वालण्टियर २० दिन तक ६९ गज़ के फ़ासले पर खड़े होकर ताड़ी की दुकानों पर पिकेटिङ्ग करते रहे। पुलीस ने उसे रोक दिया और कहा कि सौ गज़ के फ़ासले पर खड़े होकर पिकेटिङ्ग की जाय। इस प्रकार पिकेटिङ्ग का कोई उपयोग ही न रहा, क्योंकि उतनी दूरी से दुकानें दिखलाई नहीं पड़तीं।

(घ) शान्तिपूर्ण ढङ्ग से पिकेटिङ्ग करने वालों पर झूठे इलज़ाम लगा कर मुक़दमे चलाए गए और इस कार्य में बलपूर्वक हस्तक्षेप किया गया।

(ङ) कोइलपट्टी में वालण्टियरों को मारा गया और उनका सामान छीन लिया गया। पिकेटरों को छाता या कपड़ा लेने की मनाही की गई और जनता को उन्हें पानी न देने की चेतावनी दी गई।

(च) बिहार में पिकेटरों की संख्या सीमित कर दी गई। बम्बई में शराब की दुकानों पर शान्तिपूर्ण ढङ्ग से पिकेटिङ्ग करने वालों पर मुक़दमे चलाए गए। शराब को ग़ैर-मन्ज़ूरशुदा स्थानों और समय पर बेचने की आज्ञा देकर शान्तिपूर्ण पिकेटिङ्ग को व्यर्थ कर दिया गया, जिसकी बहुत सी मिसालें अहमदाबाद, भरोंच और रत्नागिरी के ज़िलों में मिल सकती हैं।

बम्बई सरकार ने अपने ऐसे कामों का समर्थन एक पत्र में किया है, जोकि जले पर नमक डालने के समान है।

बङ्गाल में पिकेटरों के साथ जो मार-पीट की गई, उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। कलकत्ता के पास पालारहाट में शान्तिपूर्ण पिकेटरों को बहुत अधिक मारा गया।

२—विचाराधीन मुक़दमे

सूरत ज़िले में बहुत से मुक़दमे ऐसे चल रहे हैं, जिनमें लोगों ने स्वयमेव अपना दावा वापस ले लिया था, पर पुलीस सुपरिन्टेण्डेण्ट ने उनको फिर दावा करने को उभाड़ा है। यहाँ पर सिर्फ़ उन्हीं मुक़दमों से मतलब है, जिनको प्रान्तीय सरकार हाईकोर्ट में दाख़िल कर चुकी है। बिहार के हाईकोर्ट ने अपनी मर्ज़ी से ही वकीलों से जो वचन माँगे हैं, वे भी इस श्रेणी में माने जा सकते हैं।

३—जेलों में पड़े क़ैदी

विभिन्न प्रान्तों के नेताओं से अपनी प्रान्तीय सरकारों के साथ उन क़ैदियों के सम्बन्ध में बातचीत करने को कहा गया है, जो अभी तक छोड़े नहीं गए हैं। इस तरह के दो मामले एक श्री० एच० डी० राजा और दूसरा श्री० रतनजी दयाराम का बम्बई-सरकार के सामने ख़ास तौर पर पेश किए गए थे। उत्तर में बम्बई-सरकार ने राजा के व्याख्यानों की प्रतिलिपियाँ भेजी हैं, जो किसी दृष्टि से उपद्रव फैलाने वाली नहीं कही जा सकतीं। रतनजी दयाराम ने साझे की फ़सल को आग लगा कर जला दिया था, जिसे उपद्रव बतलाया गया है।

४—जुर्माना जो क्षणिक सन्धि के पहले वसूल नहीं किया गया

बलसर ज़िला सूरत में पाँच व्यक्तियों पर इसलिए जुर्माना किया गया था कि उन्होंने ज़मीन का उपयोग खेती के सिवाय दूसरे काम के लिए किया है (अर्थात् उन्होंने वहाँ पर आन्दोलन के समय कैम्प बनाए थे, जिनको सरकार ने नष्ट कर दिया) उनसे कहा गया है कि जब तक जुर्माना अदा न हो जायगा, तब तक उनको ज़मीन वापस नहीं दी जायगी।

५—अतिरिक्त पुलीस

चौटाला ज़िला हिसार में जो अतिरिक्त पुलीस नियत की गई थी, वह अभी तक नहीं हटाई गई। उसके लिए लोगों पर ८,०००) रुपया कर लगाया गया। नौशारा पानीम ज़िला अमृतसर से भी अभी अतिरिक्त पुलीस नहीं हटाई गई है।

६—ज़ब्तशुदा जायदाद

(क) क्षणिक सन्धि के बहुत समय पश्चात् खेड़ा में जिस नाव को नमक-विभाग के कर्मचारियों ने पकड़ लिया था और ग़लती से नीलाम कर दिया था, वह अभी तक वापस नहीं दी गई है और न उसके मालिक को हर्जाना दिया गया है। इसके बजाय नाव वाले से कहा गया है कि वह नीलाम द्वारा जो थोड़े से रुपए मिले हैं, उनको ले और ख़रीदार से ही बातें करे।

(ख) नवजीवन-प्रेस अभी तक नहीं लौटाया गया।

(ग) कितने ही लोगों की बन्दूक़ें और बन्दूक़ों के लायसेन्स, जो आन्दोलन में भाग लेने के कारण ज़ब्त कर लिए गए थे, लौटाए नहीं गए।

७—अचल सम्पत्ति का लौटाया जाना

(क) बिहार का आश्रम, जो नवें ऑर्डिनेन्स के मुताबिक़ ज़ब्त कर लिया गया था, अभी तक वापस नहीं किया गया।

(ख) कर्नाटक में वतन और इनाम की भूमि, सिवाय यह प्रतिज्ञा करने पर कि उनके स्वामी भविष्य में किसी आन्दोलन में भाग न लेंगे, वापस नहीं की गई।

८—बिकी हुई ज़मीन

सूरत ज़िले में ज़मीनों के कुछ ख़रीदार उनको फिर से असली मालिकों को लौटा देना चाहते थे, उनको पुलीस ने ऐसा करने से रोक दिया।

९—बम्बई प्रान्त में रिक्त नौकरियाँ

(क) जो पटेल और मुखिया पाँच वर्ष के लिए अथवा जब तक दूसरा हुक्म न मिले, तब तक के लिए नियत किए गए थे, वे स्थायी बना दिए गए हैं।

(ख) इनमें से कितने ही अनुपयुक्त सिद्ध हुए हैं।

(ग) जलालपुर और खेड़ा में कितने ही तलातियों (पटवारियों) को फिर से नौकरी नहीं दी गई। बारदोली में एक के सिवाय और सब तलाती फिर से बहाल कर दिए गए। उस एक तलाती ने सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया था।

(घ) दो डिप्टी कलक्टरों के विषय में ख़ुद लॉर्ड इर्विन और महात्मा गाँधी में यह समझौता हुआ था कि वे फिर से नौकरी पाने के लिए नहीं कहेंगे, वरन् वे पेन्शन के लिए अर्ज़ी देंगे। उनकी अर्ज़ी का कोई फल न हुआ।

(ङ) सबॉर्डीनेट मेडिकल डिपार्टमेण्ट के दो व्यक्तियों ने फिर से नौकरी पाने की दरख़्वास्तें दीं, पर सर्जन-जनरल ने बिना कुछ कारण दिखलाए उनको नामन्ज़ूर कर दिया। इनमें से एक डॉ० सिन्हा थे, जिन्होंने जेलख़ाने के क़ैदियों के सम्बन्ध में एक पत्र प्रकाशित कराया था और जिन्होंने क्षमा-प्रार्थना के लिए कहे जाने पर इन्कार कर दिया था और इसलिए उनको बर्ख़ास्त कर दिया गया। दूसरे डॉ० चन्दूलाल थे, जिन्होंने आन्दोलन के कारण अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया था।

(च) धोलका ज़िला अहमदाबाद के एक ७० वर्ष की आयु के स्कूल-मास्टर—जिनका नाम मोहनलाल मूलशङ्कर भट्ट है—की पेन्शन ज़ब्त कर ली गई।

(छ) रोहरी नहर के अस्थायी सुपरवाईज़र एस० वी० जोशी ने अप्रैल, १९३० में इस्तीफ़ा दे दिया था। वह मद्रास में सरकारी नौकरी के अयोग्य ठहराए गए हैं।

(ज) गण्टूर (मद्रास) के ऑनरेरी असिस्टेण्ट आपथेलमिक सर्जन डॉ० झेलापट्टो राव एम० बी० ने अपने पद से मई १९३० में इस्तीफ़ा दे दिया था। मई १९३१ में सर्जन-जनरल के पर्सनल असिस्टेन्ट ने उनसे फिर अपने काम पर आने को कहा और वे उसे करने लगे। परन्तु १० जून को अस्पताल के सुपरिन्टेण्डेण्ट ने उनसे सन् १९३० में सरकार के विरुद्ध आन्दोलन के लिए क्षमा-याचना करने को कहा। उन्होंने लिखित आज्ञा माँगी, जिस पर मामला ठण्डा पड़ गया। जून के अन्त में उनसे कहा गया कि सरकार उनको फिर काम पर रखना नहीं चाहती।

(झ) पञ्जाब में भाई पकहरसिंह गूजरवाल ज़िला लुधियाना का पेन्शनयाफ़्ता सिपाही नं० ६३९ ने गाँधी-दिवस के अवसर पर हड़ताल में भाग लिया था। उसकी पेन्शन ज़ब्त कर ली गई।

अप्राप्त नौकरियाँ

यू० पी० में श्री० सीतलप्रसाद तायल, एम० ए०, बी० एस्-सी० जो मेरठ के कैण्टोनमेण्ट ए० वी० स्कूल में शिक्षक थे, राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेने के कारण नौकरी से निकाल दिए गए थे। उन्होंने फिर से काम पाने के लिए दरख़्वास्त दी, पर कोई फल नहीं निकला, क्योंकि उस जगह पर एक व्यक्ति स्थायी तौर पर नियुक्त किया जा चुका था। पर ७ अप्रैल को उस व्यक्ति ने काम करने से इन्कार कर दिया और उसकी जगह २० मई से एक नए अस्थायी आदमी को बहाल कर दिया गया। उचित यह था कि जैसे ही उस स्थायी व्यक्ति ने इस्तीफ़ा दिया था, श्री० तायल को नियुक्त किया जाता।

श्री० काशीप्रसाद दीक्षित ने, जो इलाहाबाद के गवर्नमेण्ट प्रेस में क्लर्क थे, फिर से नौकरी पाने के लिए दरख़्वास्त दी। पर इसका कोई फल न हुआ और न उन्हें कोई कारण ही बतलाया गया।

विद्यार्थियों से प्रतिज्ञा

यद्यपि केवल शब्दों पर ध्यान देने से यह बात अस्थिक-सन्धि की शर्तों में नहीं आती, पर उसके आशय पर ध्यान देने से यह प्रकट होता था कि जिन लड़के-लड़कियों ने आन्दोलन में भाग लिया है, उनको बिना किसी शर्त के फिर दाख़िल कर लिया जायगा। पर देश के कितने ही भागों में तरह-तरह की प्रतिज्ञाएँ कराई जा रही हैं।

गौहाटी के आसाम कॉटन कॉलेज में उन विद्यार्थियों से, जिन्होंने कनिङ्घम सर्कुलर के अनुसार किसी प्रतिज्ञा-पत्र पर दस्तख़त न करके निजी तौर पर मैट्रीकुलेशन परीक्षा पास कर ली थी, और जिनको राजनीतिक आन्दोलन में अदालत से सज़ा मिली थी, ५०) रु० की ज़मानत माँगी गई। अहमदाबाद में ११ लड़के सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के कारण किसी भी सरकारी या सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूल में दाख़िल नहीं हो सकते।

अकोला ज़िला करवार में चार लड़के, जो निकाल दिए गए थे, अभी तक दाख़िल नहीं किए गए। उनका वज़ीफ़ा भी ज़ब्त कर लिया गया है।

अजमेर मेरवाड़ा में डी० ए० वी० स्कूल अजमेर के शिक्षक श्री० चन्द्रगुप्त; गवर्नमेण्ट स्कूल अजमेर के शिक्षक श्री० जुगनलाल; गवर्नमेण्ट कॉलेज के भूतपूर्व विद्यार्थी श्री० दामोदरदास, और कमर्शल स्कूल नज़ीराबाद के हेडमास्टर श्री० बनवारीलाल, एम० ए० समस्त गवर्नमेण्ट और सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों में नौकरी पाने से रोक दिए गए हैं। यह कार्यवाही उनके सरकार-विरोधी कार्यों के उपलक्ष में की गई है।

संयुक्त-प्रान्त और देहली में दाख़िल होने वाले विद्यार्थियों से भविष्य में किसी आन्दोलन में भाग न लेने का वचन माँगा जाता है। इसके साथ ही महात्मा गाँधी ने गाँवों के उन कर्मचारियों के विरुद्ध, जिनके हटाए जाने पर उन्होंने ज़ोर दिया था, रिश्वत और भ्रष्टता का आरोप किया है।

मालगुज़ारी के सम्बन्ध में सख़्तियाँ

सूरत की वर्तमान वर्ष की मालगुज़ारी के २० लाख रुपयों में से १९ लाख अदा किए जा चुके हैं। यह बतलाया गया है कि इस अदायगी का श्रेय कॉङ्ग्रेस-कार्यकर्ताओं को है। यह किसी से छिपा नहीं है कि जब उन्होंने मालगुज़ारी इकट्ठा करना आरम्भ किया था, तो किसानों से वर्तमान साल की और पिछली तमाम मालगुज़ारी चुकाने को कहा गया था। पर अधिकांश किसानों ने उत्तर दिया कि वे इस साल की भी मालगुज़ारी बड़ी कठिनाई से अदा कर सकते हैं।

सरकारी अधिकारियों ने बहुत-कुछ सोच-विचार और कुछ मामलों में साफ़ इन्कार के बाद, रक़म को ले लिया और वर्तमान साल के लिए रसीद दे दी। अब पिछली या जो असमर्थता प्रकट कर चुके हैं उनसे वर्तमान साल की मालगुज़ारी को माँगना कार्यकर्ताओं और जनता के साथ विश्वासघात करना है।

बाक़ी मालगुज़ारी के सम्बन्ध में यह बतलाया गया है कि यदि भाव गिर जाने के कारण सरकार से मञ्ज़ूर की गई रक़में छोड़ दी गई हैं, तो ग़ैर-मञ्ज़ूरशुदा रक़मों के लिए यह निर्णय और भी आवश्यक है, क्योंकि लोगों को सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के सिवाय भाव के गिरने और गाँवों को छोड़ कर चले जाने से भी बहुत अधिक हानि पहुँची है। उनकी हानि का अनुमान से हिसाब लगा कर अधिकारियों के सामने पेश किया जा चुका है। इतने पर भी कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन मामलों की फिर से जाँच करने की रज़ामन्दी ज़ाहिर की है, जिनके बारे में अधिकारियों को सन्देह हो। जिस बात से वे नाख़ुश हैं, वह लोगों को डराने के उपाय, जुर्माने और पुलिस द्वारा मकानों का घेरा जाना आदि है।

बोरसद और आनन्द में पिछली मालगुज़ारी के दो मामले अभी तक तय नहीं किए गए हैं। यदि कलक्टर और महात्मा गाँधी में जो समझौता हुआ था, उसका पालन किया जाता तो उनके सम्बन्ध में कुछ भी कठिनाई नहीं पड़ सकती थी।

कर्नाटक के सिरसी और सिद्दपुर नामक स्थानों के किसानों ने घोर कठिनाइयों में पड़ कर सहायता की प्रार्थना की थी। वहाँ करबन्दी का आन्दोलन हुआ था। अधिकारियों से मि० चिकोडी (बम्बई की लेजिस्लेटिव कौन्सिल के मेम्बर) द्वारा आवेदन किया गया। सहायता देना मञ्ज़ूर कर लिया गया और कुछ दी भी गई। पर अब कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं की मदद लेकर काम करने के बजाय डराने-धमकाने के ढङ्ग से काम लिया जा रहा है और लोगों के दैनिक व्यवहार की चीज़ें तथा लोटे-थाली तक छीने जा रहे हैं।

कॉङ्ग्रेस-कार्य

संयुक्त प्रान्त के कितने ही स्थानों में कॉङ्ग्रेस के कार्य में बाधा पहुँचाई जा रही है, शान्तिपूर्ण सभाओं को भङ्ग कर दिया जाता है; कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुक़द्दमे चलाए जाते हैं; और "जनता के साथ भयङ्करता-पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है।" अनेक उदाहरणों में से यहाँ पर सिर्फ़ थोड़े से दिए जाते हैं।

१—बल्कारी (मथुरा) में २६ मई, १९३१ के दिन पुलीस के सिपाहियों से भरी हुई तीन मोटर-लॉरियाँ पहुँचीं। उन्होंने तमाम कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं के मकान घेर लिए, औरतों को बेइज़्ज़त किया, राष्ट्रीय झण्डों को खींच कर फाड़ डाला और जला दिया। लड़कों को प्रभात फेरियों में भाग न लेने का हुक्म दिया गया। गाँव के १८ लोगों का दफ़ा १०७ में चालान कर दिया गया। चार व्यक्तियों पर डकैती का इल्ज़ाम लगाया गया और शिनाख़्त की परेड के बिना ही ज़मानत पर छोड़ने से इन्कार कर दिया गया। उनके विरुद्ध बिल्कुल काल्पनिक गवाहियाँ तैयार की जा रही हैं।

(२) नौझील (मथुरा) में २६ जून, १९३१ को एक शान्तिपूर्ण सभा ज़बर्दस्ती भङ्ग कर दी गई। जिन लोगों ने हटने से इन्कार किया, उनको खींच कर बाहर निकाला गया। लाठी पड़ने से श्री० छोटेलाल बेहोश हो गए और भी बहुत से कार्यकर्ताओं को मारा-पीटा गया।

(३) १० जुलाई, १९३१ को राया में रहमतुल्ला नामक कॉङ्ग्रेस वालण्टियर को पुलीस ने जूतों से पीटा और तरह-तरह की धमकियाँ देकर गाँव छोड़ कर जाने को कहा। मथुरा में ५३ कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं को जिनमें ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के तमाम पदाधिकारी सम्मिलित हैं, ज़मानत तलब किए जाने के मुक़द्दमे चलाए जा रहे हैं।

(४) ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी सुलतानपुर के तमाम मुख्य कार्यकर्ताओं पर दफ़ा १४४ के मुक़द्दमे चलाए गए हैं।

(५) करनाल ज़िले में झूठे बहानों पर अनेक लोग गिरफ़्तार किए गए हैं।

(६) बाराबङ्की में सब जगहों के लिए दफ़ा १४४ का एक आम हुक्मनामा निकाला गया। दफ़ा १४४ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के दस्तख़त किए हुए सादे हुक्मनामे पुलीस इन्स्पेक्टरों को दे दिए गए। वहाँ पर दफ़ा १०७ के तीन सौ मुक़द्दमे अदालत में चल रहे हैं। रायबरेली में भी इस तरह के १३५ मुक़द्दमे चल रहे हैं। यह दफ़ा गाँवों के तमाम पञ्चों, सरपञ्चों और कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं को फँसाने के लिए काम में लाई जा रही है। सम्मनों में साफ़तौर पर यह लिखा होता है कि मुक़द्दमा कॉङ्ग्रेस के लिए कार्य करने के लिए चलाया जा रहा है, और यदि अभियुक्त पूरी मालगुज़ारी अदा कर दे, ज़मींदार से क्षमा-प्रार्थना करे, राष्ट्रीय झण्डे को अपने घर या गाँव से हटा दे और कॉङ्ग्रेस वालण्टियरों की भर्ती बन्द कर दे तो मुक़द्दमा उठा लिया जायगा।

(७) ७ जून, १९३१ को डिप्टी कमिश्नर ने दरियाबाद (बाराबङ्की) में लोगों से कॉङ्ग्रेस को छोड़ देने और गाँधी टोपी न पहनने को कहा। उसने काश्तकारों को गाँधी टोपी या खद्दर न पहनने के लिए चेतावनी दी और लोगों से एक प्रतिज्ञा-पत्र पर दस्तख़त कराए कि उनका कॉङ्ग्रेस के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

(८) बुढ़ारी में २२ जून, १९३१ के दिन रामनगर थाने के सब-इन्स्पेक्टर ने राष्ट्रीय झण्डा खींच कर फाड़ डाला, कॉङ्ग्रेस के काग़ज़ात ले लिए, गाँव के तीन व्यक्तियों को गिरफ़्तार कर लिया और दूसरे लोगों को धमकाया कि वे कॉङ्ग्रेस से इस्तीफ़ा दे दें।

(९) बस्ती ज़िले में मैजिस्ट्रेट ने लोगों से खुल्लम-खुल्ला गाँधी टोपी न पहनने को कहा और एक कार्यकर्ता जिसने इस हुक्म के मानने से इन्कार किया, पीटा गया।

(१०) गोंडा ज़िले में जब कुँवर राघवेन्द्र प्रताप-सिंह, डिप्टी कमिश्नर से मिले तो उनको धमकी दी गई कि अगर वे कॉङ्ग्रेस का काम बन्द नहीं कर देंगे तो उन्हें तङ्ग किया जायगा। इस ज़िले में भी मुख्य कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दफ़ा १४४ का प्रयोग किया गया है।

(११) बहराइच ज़िले में चौकीदारों, ज़मींदारों और उनके नौकरों की शिकायतों के बहाने से कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार करके सज़ा दे दी गई।

यहाँ तक हमने सिर्फ़ सरकारी कर्मचारियों की करतूतों का ही वर्णन किया है। पर जो करतूतें प्रत्यक्ष में ज़मींदारों और ताल्लुक़ेदारों द्वारा की गई हैं, वे भी सरकारी अधिकारियों के, अगर कहने से नहीं तो उनकी मौन सम्मति द्वारा हुई हैं, क्योंकि वे उनकी तरफ़ कुछ भी ध्यान देना नहीं चाहते। इस सम्बन्ध में रायबरेली का सर्कुलर मशहूर है।

गवर्नमेण्ट की सहायता का आश्वासन पाकर ताल्लुक़ेदार फिर मालगुज़ारी वसूल करने के पुराने बर्बरतापूर्ण तरीक़े से काम लेने लगे हैं। इस सम्बन्ध में एक ताज़ा उदाहरण रायबरेली का है, जहाँ एक काश्तकार अस्पताल में लाया गया है। ताल्लुक़ेदार के कार्यकर्ताओं के आक्रमण के फल-स्वरूप उसकी एक आँख फूट गई है और नाक की हड्डी टूट गई है। एक गर्भवती स्त्री पर इतनी मार पड़ी कि बेहोश हो गई।

बहराइच

बहराइच ज़िले के नानपारा नामक स्थान में कई बार पुलीस और ज़मींदारों ने मिल कर कॉङ्ग्रेस वालण्टियरों और काश्तकारों को पीटा और मुख्य कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार कर लिया गया। ख़बर मिली है कि कितने ही वालण्टियरों के घर पुलीस ने आग लगा कर जला दिए। बाराबङ्की से मिली एक रिपोर्ट में लिखा है कि "जब से नया डिप्टी कमिश्नर आया है, हथियारबन्द पुलीस गाँवों का चक्कर लगा कर वहाँ के निवासियों को भयभीत कर रही है और रेवेन्यू तथा पुलीस के कर्मचारी किसान और कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं के कुचलने में ज़मींदारों की सहायता कर रहे हैं।" हमको रायबरेली और दूसरे ज़िलों से भी ऐसी ही रिपोर्टें मिली हैं। अवध में सरकार की सर्वत्र यही नीति है।

गोंडा

बलरामपुर, ज़िला गोंडा की, जो वैसे तो ताल्लुक़ेदार के अधीन है, पर आजकल कोर्ट ऑफ़ वार्ड्स के अधिकार में है, दो घटनाएँ नीचे दी जाती हैं:—

"ठेकेदारों के शिकायत करने पर मई के प्रथम सप्ताह में पुलीस और रियासत के कर्मचारियों ने बरईपुर गाँव को घेर लिया। उन्होंने गाँव वालों से फ़ौरन लगान अदा करने को कहा, लोगों ने दो दिन की मुहलत चाही। वे पीटे गए और २६ व्यक्ति ताज़ीरात हिन्द की दफ़ा ३२३, ३२५ और १४७ के मुताबिक़ गिरफ़्तार कर लिए गए। तीसरे दिन फिर रियासत के कर्मचारियों ने फिर २५० आदमियों के साथ गाँव को घेर लिया। औरतों को मारा-पीटा गया, नङ्गा कर दिया गया और बेइज़्ज़त किया गया।

"ये लोग अनाज को उठा ले गए और कौड़ियों के दाम बेच डाला। मुक़द्दमा अभी चल रहा है। रियासत के ज़िलेदार और उसके नौकरों के पीटने से एक आदमी मर गया। ज़िलेदार पकड़ा गया है।

"समारिया गाँव में ठेकेदार ने औरतों के साथ जघन्य व्यवहार किया। तीन दिन तक किसी को एक भी कुँए से पानी न भरने दिया गया, जब तक कि लगान का एक भाग अदा न कर दिया गया। ठेकेदार के आदमियों के प्रति बल-प्रयोग करने के अभियोग में १६ व्यक्तियों पर मामला चलाया गया। यहाँ भी औरतें नङ्गी कर दी गईं और उनके गुह्य स्थानों में लकड़ियाँ ठूँसी गईं।"

इलाहाबाद

रिपोर्ट से पता चलता है कि इलाहाबाद ज़िले में कितने ही ज़मींदारों ने बलपूर्वक पूरा लगान वसूल कर लिया है और काश्तकारों को माफ़ी नहीं दी है। इस ज़िले की तमाम तहसीलों में ज़मींदार आमतौर पर किसानों को मारते-पीटते हैं, बेतों और जूतों से मारते हैं, भालों और दूसरे हथियारों का उपयोग करते हैं और उनको हर तरह से तङ्ग और अपमानित करते हैं।

हमको गोरखपुर ज़िले से रिपोर्ट मिली है कि सरकार ज़मींदारों की ज़्यादतियों की तरफ़ ध्यान नहीं देती और ज़मींदार जो उनके मन में आता है, कर रहे हैं। बहुत सी घटनाओं में से एक उदाहरण यहाँ पर दिया जाता है। "सिसवा बाज़ार के ज़मींदार परमहंससिंह और नवलकिशोरसिंह ने ३१ अप्रैल को खेसराडी, गिद्धपल, रूपसाछपरा और अहरौली के गाँवों पर १५० बदमाशों के साथ हमला किया और राजबली, नब्बू लूनिया, भेमल और चौहर के माल-असबाब को लूट लिया।" गवर्नमेण्ट ने इस तरफ़ कुछ ख़याल नहीं किया। रजवाग गाँव में रामनारायण ज़मींदार ने पुलीस की सहायता से किसानों पर गोलियाँ चलाईं, जिससे एक आदमी मारा गया। सरकार इस सम्बन्ध में बिल्कुल चुप है।

किसानों को धूप में मुर्ग़ा बना कर खड़ा करने का रिवाज आमतौर पर है। इसी प्रकार जूतों से पीटा जाना भी मामूली बात है। सम्पत्ति (मवेशी वग़ैरह) पर बिना किसी अदालत के हुक्म के क़ब्ज़ा कर लेना भी साधारणतया देखने में आता है।

रायबरेली

रायबरेली में सैकड़ों मामलों में अमीन ने पुलीस की सहायता से किसानों पर ज़ुल्म किया है। किसानों में इस आशय के नोटिस बाँटे गए हैं कि अगर वे अमुक कॉङ्ग्रेसमैन से सम्बन्ध रक्खेंगे, तो उन पर मुक़द्दमा चलाया जायगा।

उन्नाव

श्री० विश्वम्भरदयाल त्रिपाठी ने सब-डिविज़नल मैजिस्ट्रेट के सामने पीपरी नामक गाँव के किसानों के अभियोगों को पेश किया है। अगर वे सच न होते तो उन पर मान-हानि का दावा हो सकता था। इन अभियोगों से पता चलता है, लोगों के समूह को लाठी और डण्डों से पीटा गया, मकानों के दरवाज़े और ताले तोड़ डाले गए, औरतों की बेइज़्ज़ती की गई, एक स्त्री का सतीत्व नष्ट किया गया, ज़ेवर लूटे गए। ये सब कार्य सब-डिविज़नल मैजिस्ट्रेट की छत्रछाया में गाँव के ज़मींदार द्वारा किए गए।

आगरा में सिर्फ़ उन किसानों को माफ़ी दी गई, जिन्होंने अपने को कॉङ्ग्रेस के विरुद्ध बतलाया। इसलिए सैकड़ों गाँवों को अभी तक सरकार से माफ़ी नहीं मिली है। सरकारी कर्मचारी स्पष्टतया कह देते हैं कि माफ़ी उन किसानों को नहीं मिलेगी, जो कॉङ्ग्रेस के साथ हैं।

इसी तरह की रिपोर्टें फ़ैज़ाबाद, खेरी, फ़तेहपुर, बदायूँ आदि के ज़िलों से मिली हैं। ये सब एक ही दर्दनाक क़िस्सा कहती हैं।

बङ्गाल, पञ्जाब और आसाम

कण्टाई में शान्तिपूर्वक विधायक कार्य करने वाले कार्यकर्ता गिरफ़्तार किए गए।

तरनतारन तक में एक शान्त जुलूस पर लाठियों से आक्रमण किया गया। अमृतसर ज़िले में सरवली थाने के सामने पुलीस इन्स्पेक्टर ने कॉङ्ग्रेस नेताओं को गालियाँ दीं और कॉङ्ग्रेस के एक डॉक्टर को बहुत मारा। तरनतारन में कितने ही कार्यकर्ता दफ़ा १०८ में गिरफ़्तार किए गए। लाला दुनीचन्द से अम्बाले के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अम्बाला कैण्टोन्मेण्ट में कोई राजनीतिक सभा नहीं हो सकती और न इस तरह की सभा किसी दूसरी कैण्टोन्मेण्ट में ही हो सकती है। लुधियाना में १६ मई को मुशायरे की एक शान्तिपूर्ण मीटिङ्ग सिटी मैजिस्ट्रेट के समक्ष निर्दयतापूर्वक भङ्ग कर दी गई। जब कि लोग वहाँ से जाने लग गए तो फ़ैज़ नामक व्यक्ति ने प्लेटफ़ॉर्म पर एक लोहे की कुर्सी फेंकी। डॉ० किशोरीलाल ने इसकी इत्तिला मैजिस्ट्रेट और पुलीस इन्स्पेक्टर को दी, जिसके बदले में फ़ैज़ ने उनको दो हण्टर मारे और एक लाठी सर पर पड़ी। मैजिस्ट्रेट ने उन दुर्वृत्तों को रोकने के बजाय डॉक्टर को ही बुरी-बुरी गालियाँ दीं। डॉक्टर के विरोध करने पर बिखरते हुए दर्शकों पर ज़ोर-शोर से लाठियाँ चलाई जाने लगीं। पचास लोग बुरी तरह से घायल हो गए, इस आक्रमण का कारण कटरा नौरियान के निवासियों में आतङ्क फैलाना था, जिससे वे स्वदेशी बाज़ार के खुलने का विरोध करने लगें।

१६ जून को जोरहाट (आसाम) में प्रभातफेरी के लड़कों को पुलीस सुपरिण्टेण्डेण्ट बार्टले के हुक्म से पीटा गया। डॉक्टर एच० के० दास से कहा गया कि कराची में कॉङ्ग्रेस के एक प्रस्ताव का अनुमोदन करने के कारण उनकी पेन्शन क्यों न ज़ब्त कर ली जाय।

सीमा-प्रान्त

ख़ुदाई ख़िदमतगारों पर ज़ुल्म

(१) मालकण्ड एजन्सी—मालकण्ड एजन्सी के तहसीलदार ने कुछ लोगों से, जो वहाँ की हवालात में बन्द थे, कहा कि अगर वे ख़ुदाई ख़िदमतगारों को मार सकें तो उनको छोड़ा जा सकता है। उनसे यह भी कहा गया कि अगर वे जितने ख़ुदाई ख़िदमतगारों को पकड़ सकें, पकड़ कर उनमें से हर एक से २००) रु० वसूल करें, तो भी उनको छोड़ दिया जायगा। चौथी जुलाई को सादखन में एक ख़ुदाई ख़िदमतगार को छुरी मारी गई और दूसरा रुस्तम नामक स्थान में जान से मार डाला गया, दोनों घटनाएँ सन्देहजनक हैं।

(२) दौलतपुर तहसील चारसद्दा में बालाग्राम के ज़ैलदार अब्दुल्लाजान ने सीमा-प्रान्त की पुलीस की सहायता से उन सब वालण्टियरों को इकट्ठा किया जिन्होंने लगान नहीं चुकाया था, और उनमें छः को एक बर्रों से भरे कमरे में बन्द कर दिया। उन पर बर्रों को छोड़ने के लिए कमरे में धुआँ कर दिया गया। जब उनको छोड़ा गया तो उनके चेहरे बर्रों के डङ्कों के मारे बुरी तरह सूजे हुए थे। उनसे अब्दुल्लाजान के लड़के ने चले जाने और अपनी स्त्रियों को बेच कर मालगुज़ारी अदा करने को कहा।

(३) घोरामलीक में २७ जून को अब्दुल्लाजान और उसके दल वालों ने उन ख़ुदाई ख़िदमतगारों को पकड़ लिया, जो अपना लगान अदा न कर सके थे। उनको पीठ के पीछे हाथ बाँध कर तेज़ धूप में बैठाया गया। जिस किसी ने मुँह से एक शब्द भी निकाला, उसे बन्दूक़ के कुन्दे से मारा गया, जिसके फल से एक बुड्ढा आदमी ख़त्म हो गया। यही हाल जामटो और बकायान में किया गया।

(४) शबक़दर में अलमीर और हमीद ख़ाँ ने, जिनको सरकार से जागीर मिली हुई है, दो ख़ुदाई ख़िदमतगारों को पकड़ लिया। वे उनको पोलिटिकल ऑफ़ीसर के पास ले गए और कॉङ्ग्रेस का काम बन्द करने को कहा। इन्कार करने पर उनको नङ्गा करके ख़ूब पीटा गया। उनमें से एक को रस्सी से बाँध कर तेज़ धूप में ज़मीन पर औंधा लिटा दिया गया और उसे अपमानित करने के लिए अँगुली और लकड़ी के टुकड़े उसके मल-स्थान में घुसेड़े गए। इस तरह का अपमान पठानों में मृत्यु से कुछ ही कम समझा जाता है।

(५) २१ जून, १९३१ को पुलीस का एक बड़ा दल मक़बूल ख़ाँ को गिरफ़्तार करने सरबन्द पहुँचा, जिस पर हरीसिंह के बेटे गुलसरन ने ज़बर्दस्ती रोक

(शेष मैटर १२वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए)



भविष्य

२७ अगस्त, सन् १९३१

हमारी मञ्ज़िलें !

आशा और निराशा; युद्ध और शान्ति; जीत और हार के बीच में आज देश का राजनीतिक पलड़ा चढ़ता और गिरता; गिरता और चढ़ता दीख रहा है। इस फिसलन का, इस अनियन्त्रण का, इस चढ़ाव और उतराव का क्या परिणाम होगा, इसका निर्णय न तो बम्बई के गवर्नर सर अर्नेस्ट हॉटसन की स्वेच्छाचारी नीति तथा उनकी मज़बूत, परन्तु कड़ी सरकार का दमन ही कर सकेगा और न लॉर्ड विलिङ्गडन और उनकी सरकार की कॉङ्ग्रेस-विरोधी नीति ही! इस बात का वास्तविक निर्णय तो कॉङ्ग्रेस और महात्मा गाँधी की राजनीतिक दृढ़ता, उनका भावी राजनीतिक कार्यक्रम तथा स्वतन्त्रता के युद्ध में उनकी सञ्चित नैतिक शक्ति ही कर सकेगी—उन महात्मा गाँधी की नैतिक शक्ति और भावी राजनीतिक दृढ़ता तथा कार्यक्रम, जिन की सचाई और शान्ति के उद्योग की चर्चा करते हुए उस दिन, गत ९वीं जुलाई को हाउस ऑफ़ कॉमन्स में भारत-मन्त्री श्री० वेजउडबेन जैसे ज़िम्मेदार व्यक्ति ने गौरव के साथ कहा था—

"Whatever charges have been made against Mr. Gandhi, I do not think any one has ever charged him with breach of faith × × × The accurate information at my disposal is that he is striving to fulfil the undertaking on his side and that today, he represents in India a great force standing for peace."

अर्थात्—"मि० गाँधी पर चाहे जो कुछ भी अभियोग लगाया गया हो, पर किसी ने उन पर आज तक विश्वासघात का दोषारोपण नहीं किया × × × मि० गाँधी ने अपनी प्रतिज्ञा पालन करने के लिए परिश्रम किया है और आज मि० गाँधी भारत में शान्ति की एक प्रवर्तक-शक्ति के द्योतक हैं।"

उसी ९वीं जुलाई के भाषण ने भारत तथा ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय आकांक्षाओं के विरोधी एक मज़बूत गौराङ्ग दल के हृदय में अशान्ति उत्पन्न कर दी थी, जब मि० वेजउडबेन ने कहा था—

"Mahatma Gandhi was striving to fulfil his undertaking."

अर्थात्—"महात्मा गाँधी अपनी प्रतिज्ञा के पालनार्थ घोर प्रयत्न कर रहे हैं।"

परन्तु मि० वेजउडबेन के इस ऐतिहासिक भाषण के तीन दिन बाद ही, अर्थात् गत १२वीं जुलाई को गोरे 'टाइम्स' के शिमला-स्थित सम्वाददाता ने तार दिया था कि महात्मा गाँधी ने दिल्ली-समझौते के भङ्ग की जाँच के निमित्त एक निष्पक्ष पञ्चायत की माँग पेश की है। कहना नहीं होगा कि महात्मा गाँधी की यह माँग पूर्णतः सरल, उचित और अधिकार-सीमा के भीतर की बात थी; परन्तु शिमला-स्थित हमारे भाग्य के विधाताओं ने इस माँग में कॉङ्ग्रेस की पूर्व-निश्चित धृष्टता (Calculated effrontery) समझी और इसमें कॉङ्ग्रेस के समानान्तर सरकार स्थापित करने के धृष्ट-प्रयत्न को देखा। भारत-सरकार के लिए इससे बढ़ कर परिस्थितियों का करुण मिथ्या-चित्रण और क्या हो सकता था?

इसके बाद स्वयं महात्मा गाँधी वॉयसरॉय लॉर्ड विलिङ्गडन से शिमला में मिले। गृह-मन्त्री मि० इमर्सन से भी महात्मा जी ने बातें कीं। महात्मा जी के इन सारे प्रयत्नों का प्रधान उद्देश्य प्रान्तीय सरकारों के द्वारा समझौता भङ्ग किए जाने के ज्वलन्त उदाहरणों पर समुचित प्रकाश डालना था। पर लॉर्ड विलिङ्गडन तथा उनकी सरकार ने प्रान्तीय सरकारों के दोष को स्वीकार न किया और उसके बाद महात्मा जी को उलटे पाँव लौट आना पड़ा। थोड़े दिनों में ही सरकार और कॉङ्ग्रेस में इतना गहरा मतभेद हो गया कि महात्मा जी और कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी को विवश होकर राउण्ड टेबिल कॉन्फ़्रेन्स में सम्मिलित न होने का निर्णय करना पड़ा। ये इतिहास की निष्पक्ष बातें हैं और इन बातों में केवल घटनाओं का सत्य वर्णन किया गया है। अस्तु। इस निर्णय के बाद महात्मा जी ने दिल्ली-समझौते के बाद कॉङ्ग्रेस पर किए गए सरकार द्वारा अत्याचारों तथा दिल्ली-समझौते के भङ्ग करने के प्रज्वलित दृष्टान्तों का संक्षिप्त विवरण प्रकाशित किया है। उस विवरण में सरकार के विरुद्ध निम्न दस बातों पर दृष्टान्तों के साथ प्रकाश डाला गया है:—

(१) शान्तिपूर्ण धरने में सरकार के द्वारा बाधा दिया जाना।

(२) धरना देने वाले सत्याग्रहियों पर आक्रमण।

(३) लाइसेन्स के विरुद्ध स्थानों में शराब की बिक्री करना।

(४) सत्याग्रही क़ैदियों का अब तक समझौते के अनुसार न छोड़ा जाना।

(५) जुर्माना वसूल करने में दृढ़ रहना।

(६) धरना देने वाले निर्दोष सत्याग्रहियों पर अभियोग लगाना।

(७) अतिरिक्त-पुलीस को न हटाना।

(८) ज़ब्त जायदाद को न लौटाना।

(९) ग्राम-कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति न करना।

(१०) अवाञ्छनीय पुरुषों को अधिकारी नियुक्त करना।

कहना नहीं होगा—कि सरकार के विरुद्ध गाँधी जी का उपरोक्त दोषारोपण, केवल एक ही प्रान्त अथवा स्थान से नहीं; वरन् बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रान्त, पञ्जाब, सीमा-प्रान्त तथा बङ्गाल के अनेकानेक स्थानों से सम्बन्ध रखता है। इन मुख्य बातों के अतिरिक्त भी महात्मा जी ने सरकार के द्वारा किए गए अत्याचारों का उल्लेख किया है, जिनमें अधिकारियों ने गाँधी टोपियाँ छीनीं, राष्ट्रीय झण्डे नष्ट किए, लाठियों के द्वारा सभाएँ भङ्ग कीं...... आदि-आदि। महात्मा जी के इस दोषारोपण पर लॉर्ड विलिङ्गडन ने कड़ा उत्तर दिया है तथा उस उत्तर में एक साँस से जिस प्रकार प्रान्तीय सरकारों की निर्दोषिता एवं कॉङ्ग्रेस की 'ज़्यादतियों' को प्रमाणित करने की चेष्टा की है, वह भी 'भविष्य' के पाठकों से छिपा नहीं है। तात्पर्य यह कि कॉङ्ग्रेस तथा सरकार के इस राजनीतिक अभिनय के बाद, अर्थात् पिछले पाँच-छः दिनों से भारतीय राजनीति का एक नया अध्याय प्रारम्भ हुआ है। वॉयसरॉय लॉर्ड विलिङ्गडन का अपना आगे का कार्यक्रम स्थगित कर कलकत्ते से शीघ्रातिशीघ्र शिमला शैल-शिखर पर लौटना; शिमला पहुँचते ही वॉयसरॉय की कार्यकारिणी का बैठना; स्थिति के स्पष्टीकरण के निमित्त महात्मा गाँधी का वॉयसरॉय से मिलने के लिए तार भेजना और पत्रों के समाचार के अनुसार वॉयसरॉय का तार-द्वारा महात्मा गाँधी से शिमला पहुँचने का समय तथा दिन पूछना—ये ऐसी बातें हैं, जिन्हें उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। और विशेषकर उस अवस्था में, जबकि एक ओर महात्मा गाँधी केवल लन्दन के राउण्ड टेबिल कॉन्फ़्रेन्स में सम्मिलित होने के लिए अपनी उचित और अधिकारपूर्ण शर्तों को तोड़-मरोड़ रहे हैं, और दूसरी ओर राजनीतिक अफ़वाहों के आधार पर लन्दन शिमले को इस बात के लिए विवश कर रहा है कि वह देश में ऐसी राजनीतिक स्थिति उत्पन्न कर दे, जिससे महात्मा गाँधी तथा कॉङ्ग्रेस का गोलमेज़ सम्मेलन में सम्मिलित होना सम्भव हो जाय। इन परिस्थितियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति आज आशा और निराशा के बीच में करवटें ले रही है! सम्भव है, इसका परिणाम यह हो कि कॉङ्ग्रेस गोलमेज़ में पुनः सम्मिलित होने का निर्णय करे। यह भी सम्भव है कि परिस्थितियाँ इस प्रकार की उत्पन्न हो जायँ, जिनके अनुसार कॉङ्ग्रेस को अपने पूर्व निर्णय पर ही रहना पड़े। परन्तु हम इन दोनों परिणामों को भारतीय राजनीति में केवल गौण स्थान ही देते हैं। महात्मा जी अपनी उचित माँगों को भले ही तोड़-मरोड़ दें, परन्तु उनका अथवा कॉङ्ग्रेस का गोलमेज़ में सम्मिलित होना देश की आकांक्षाओं की अन्तिम पूर्ति नहीं है। यदि गोलमेज़ से ही स्वराज्य प्राप्त हो सकता था, तो महात्मा जी तथा कॉङ्ग्रेस का यह कर्तव्य था कि दारुण से दारुण परिस्थितियों में भी गोलमेज़ में सम्मिलित हुआ जाय; परन्तु परिस्थिति ठीक प्रतिकूल है! इसे कॉङ्ग्रेस भी समझती है, स्वयं महात्मा जी भी समझते हैं। फिर भी हमें यह जानकर आश्चर्य होता है कि महात्मा जी केवल लन्दन जाने के लिए तथा गोलमेज़ में सम्मिलित होकर यह दिखलाने के लिए, कि कॉङ्ग्रेस दिल्ली-समझौते की

पूर्ति में सर्वथा सचेष्ट रही है, अपनी उचित माँगों को क्यों कम करना चाहते हैं। जब बम्बई के स्थानापन्न गवर्नर सर अर्नेस्ट हॉटसन ने महात्मा जी की इस माँग को कि बारडोली में १९ लाख, २० हज़ार के बाद जो रुपया सरकारी कर्मचारियों के द्वारा बलपूर्वक वसूल किया गया है, सरकार किसानों को वापस कर दे—अस्वीकार करते हुए यह कहा था कि सरकार के द्वारा कर-वसूली कॉङ्ग्रेस की इच्छा पर नहीं निर्भर थी; तथा जब भारत-सरकार के गृह-मन्त्री ने महात्मा गाँधी के निष्पक्ष पञ्चायत की माँग को अनुचित और अवैधपूर्ण बतलाते हुए अस्वीकार किया था; एवं जब कॉङ्ग्रेस और महात्मा गाँधी को सरकार के इस रुख़ पर विवश होकर गोलमेज़ में सम्मिलित होने के निर्णय के प्रतिकूल निर्णय करना पड़ा था; उस समय महात्मा गाँधी ने अपनी तथा कॉङ्ग्रेस की स्थिति स्पष्ट करते हुए यह दलील पेश की थी कि जब छोटे से छोटे मामलों में भारत में सरकार द्वारा न्याय नहीं किया जाता, तो लन्दन में बड़े प्रश्नों पर न्याय होने की सम्भावना किस भाँति की जा सकती है? अभी महात्मा जी की उस दलील और कॉङ्ग्रेस के उस निर्णय को पूरे दो सप्ताह भी नहीं हुए कि महात्मा जी ने बारडोली-समस्या को स्थगित कर देने तथा एक ऐसे हाईकोर्ट के जज के द्वारा कॉङ्ग्रेस के द्वारा लगाए गए अभियोगों की जाँच करने की बात कही है, जिस पर जनता और सरकार दोनों का ही विश्वास हो। बाद में तो महात्मा जी ने यहाँ तक कहा है, कि कम से कम यदि एक ऐसा व्यक्ति भी नियुक्त किया जाय, जो केवल कॉङ्ग्रेस पर लगाए गए अभियोगों की ही जाँच करे, तो भी हमें सन्तोष होगा!

इस स्थान पर और इस परिस्थिति में हम महात्मा जी से असहमत होना तथा उनके इस नए निर्णय का विरोध करना अपना पवित्र कर्तव्य समझते हैं। हमारे हृदय में महात्मा जी के लिए कम आदर नहीं है। हम महात्मा जी को संसार के एक महान पुरुष के रूप में देखते हैं। हमारे हृदय में महात्मा गाँधी के लिए भक्ति और श्रद्धा है; फिर भी हम महात्मा जी के उक्त निर्णय को देश के हित का विरोधी एवं नागरिक स्वत्वों के अपहरण के रूप में देखते हैं। इतना ही नहीं; हम महात्मा जी के इस निर्णय को दिल्ली के उस समझौते का विरोधी समझते हैं, जोकि महात्मा जी ने जनता के नाम पर लॉर्ड इर्विन से किया था। अभी कठिनाई से दस दिन हुए होंगे, जबकि महात्मा जी ने अपनी उचित माँग और सरकार के द्वारा उस माँग के अस्वीकृत कर दिए जाने पर, वर्किङ्ग कमिटी के निर्णय पर प्रकाश डालते हुए कहा था—

"× × × लेकिन लन्दन न जाने का निश्चय अनिवार्य हो गया। आशा के विरुद्ध मैंने आशा की थी कि अन्तिम समय में सरकार की ओर से न्याय होगा। मेरे विचार में मेरी प्रार्थना अविश्वसनीय रूप से सरल थी। यदि सरकार और कॉङ्ग्रेस में कोई समझौता था और यदि उस समझौते की व्याख्या में कोई मतभेद था, अथवा किसी भी पक्ष की ओर से उस समझौते को भङ्ग किया गया था, तो निश्चय ही इस दशा में, इस समझौते में वे ही नियम लागू हो सकते थे, जो सभी समझौतों में लागू होते हैं।"

यदि महात्मा जी की ये बातें कल सच्ची थीं—और हैं भी, इसमें हमें तनिक भी सन्देह नहीं है—तो महात्मा जी के उस 'अविश्वसनीय प्रार्थना' को हटा लेने तथा 'समझौते के लागू नियमों' को तोड़-मरोड़ करने की आज कौन सी नई आवश्यकता आ गई है? देश महात्मा जी से सहज ही यह प्रश्न पूछ सकता है कि यदि बारडोली के किसानों से सरकारी अधिकारियों के द्वारा बलपूर्वक वसूल की हुई लगान लौटाने की प्रार्थना जनता के नागरिक अधिकार तथा देश के प्रति महात्मा गाँधी के उत्तरदायित्व की एक महत्वपूर्ण और गम्भीर समस्या थी, तो आज उस समस्या में कौन सा अन्तर आ गया है? क्या बारडोली का प्रश्न स्थगित करके महात्मा गाँधी देश के नागरिक अधिकारों की उपेक्षा नहीं करेंगे; क्या बारडोली के अभागे किसानों पर किए गए अत्याचारों के द्वारा वसूल की गई लगान को लौटाने के प्रश्न को स्थगित कर महात्मा जी किसानों के प्रति अपने उत्तरदायित्व की अवहेलना नहीं करेंगे—उस पवित्र उत्तरदायित्व की, जिसकी रक्षा का भार लेकर महात्मा गाँधी ने गत ४वीं मार्च को लॉर्ड इर्विन के साथ दिल्ली में समझौता किया था? यदि कल महात्मा जी तथा कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी के द्वारा, सरकार के द्वारा किए गए अत्याचारों की जाँच करने के लिए एक निष्पक्ष पञ्चायत की नियुक्ति, एक 'सरल और उचित' माँग थी, तो आज उस माँग की सरलता और औचित्य में कौन सा अन्तर आ गया है? कहा जाता है, ग़लत-फ़हमियाँ एवं मिथ्या-मतभेद को दूर करने के लिए ही महात्मा जी ने वॉयसरॉय से मिलने के लिए तार दिया है! भगवान करे ग़लत-फ़हमियाँ दूर हों, मिथ्या-मतभेद का नाश हो और सरकार का दृष्टिकोण, औचित्य एवं दूरदर्शिता से पूर्ण हो; परन्तु फिर भी हम इस स्थान पर एक बात कहे बिना न रहेंगे। और वह यह कि सोते हुए को जगाना सहज है; परन्तु जो जागते हुए भी सो रहा है, उसे जगाना सम्भव नहीं। हमारा तात्पर्य यह है कि यदि ये मिथ्या-मतभेद सरकार के अज्ञान के कारण हुए होते तो महात्मा जी का वायसरॉय से मिलना उचित, उपयोगी तथा अनिवार्य था। परन्तु हम तो इस मिथ्या-मतभेद में सरकार के व्यक्तित्व और उसकी मर्यादा का मिथ्या रूप पाते हैं और इस स्थिति में महात्मा जी का अपनी माँग को कम कर लॉर्ड विलिङ्गडन से मिलने की चेष्टा में देश के दुर्भाग्य का सङ्केत पाते हैं!! हम इस स्थान पर किसी प्रकार भी देश को उसकी यथार्थ स्थिति से अपरिचित रखना नहीं चाहते। वह स्थिति स्पष्टतः यह है, कि यदि महात्मा गाँधी और लॉर्ड विलिङ्गडन की इस मुलाक़ात का परिणाम यह हुआ कि अपनी बदली हुई शर्तों पर ही महात्मा गाँधी गोलमेज़ में सम्मिलित होने के लिए विवश हुए, तो उस गोलमेज़ का परिणाम देश की आकांक्षाओं को कभी भी पूर्ण नहीं कर सकता!!! हमारी इसी धारणा को पुष्ट करते हुए उस दिन स्वयं महात्मा जी ने गत सप्ताह के सहयोगी 'नवजीवन' में इस आशय का वक्तव्य प्रकाशित किया था—

"सभी का विश्वास था कि मैं १५वीं अगस्त को लन्दन के लिए यात्रा करूँगा। × × × परन्तु भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। मैं वॉयसरॉय के उत्तर में भगवान का हाथ पाता हूँ। जो कुछ भी हो, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि राउण्ड टेबिल कॉन्फ्रेन्स के लिए मैंने मनसा, वाचा, कर्मणा; प्रत्येक मानुषिक प्रयत्न किया है। इस पर भी यदि मैं लन्दन जाने से असमर्थ हूँ तो मैं पूर्ण स्वतन्त्रता से इस बात में विश्वास करने लगा हूँ कि भारत का हित इसी में है।"

कहना नहीं होगा, कि हाल में महात्मा जी के द्वारा लन्दन जाने की उत्सुकता घोषित करने तथा उनकी बदली हुई नीति में 'भगवान की सर्वोपरि इच्छा' का कोई भी हाथ नहीं है। साथ ही हम यह भी निस्सङ्कोच कहे बिना नहीं रह सकते कि यदि कल महात्मा गाँधी के 'लन्दन जाने की असमर्थता में ही भारत का हित' था, तो आज वॉयसरॉय से मिलने तथा अपनी उचित माँग को तोड़मरोड़ करने में केवल भारत का अहित ही है! महात्मा गाँधी की पहली माँग केवल नागरिक अधिकारों की समुचित रक्षा की समस्या के ही रूप में न थी, वरन् उस माँग में देश की कुचली हुई आत्माओं और सन्तप्त-हृदयों की मर्यादा का अत्यन्त कोमल एवं महत्वपूर्ण प्रश्न छिपा था। उस प्रश्न की उपेक्षा कर लन्दन के राउण्ड टेबिल में किसी भाँति भी सम्मिलित होना महात्मा जी तथा कॉङ्ग्रेस के लिए सब से बड़ी राजनीतिक भूल होगी—वह भूल, जिसके लिए देश की सहस्रों-लाखों निर्दोष एवं पवित्र आत्माओं को अपनी असह्य यातनाओं के द्वारा प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। हम इस भूल की कल्पना कर काँप उठते हैं और इस बात को स्पष्टतः देख रहे हैं कि यदि उक्त प्रश्न की अवहेलना कर कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी ने अपना वर्तमान निर्णय बदला तो निकट-भविष्य में ही अर्थात् गोलमेज़ की बैठक समाप्त होते ही, उसे पुनः उसी स्थान पर जाना होगा, जहाँ वह गाँधी-इर्विन समझौते के पहले गत ४थी मार्च तक थी! इसलिए हम कॉङ्ग्रेस का ध्यान देश की इस उलझी हुई राजनीतिक समस्या पर आकर्षित कर, उसे इस बात से सावधान करना चाहते हैं, कि जब तक लॉर्ड विलिङ्गडन तथा उनकी सरकार अपनी वर्तमान मनोवृत्ति नहीं बदलती, तब तक उसे भी अपना निर्णय नहीं बदलना चाहिए; अन्यथा लन्दन में उसे न 'माया' ही मिल सकेगी और न 'हरि' के ही दर्शन हो सकेंगे और तब उसकी आँखों से प्रलोभनों का आवरण दूर होगा, वह अपनी असहायावस्था में अपनी भूल समझेगी। भारत एवं प्रान्तीय सरकारों की वर्तमान मनोवृत्ति के रहते हुए देश को गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स की तनिक भी आवश्यकता नहीं रह गई है। हमारे इस कथन का पर्याप्त प्रमाण इ"   से मिलता है कि जब महात्मा जी ने तथा कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी ने गोलमेज़ में न भाग लेने का निर्णय किया, उसके एक-दो दिन बाद ही सारे देश ने महात्मा जी के उक्त निर्णय का बड़े उत्साह, साहस और प्रसन्नता के साथ स्वागत किया था। सारी प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटियों ने भी वर्किङ्ग कमिटी के इस उचित एवं आवश्यक निर्णय का हृदय की सारी शक्ति और प्रसन्नता के साथ स्वागत किया है। देश की इस मनोवृत्ति का अर्थ यह है कि आए-दिन की दुर्घटनाओं को देखते हुए देश गोलमेज़ के प्रलोभन में अपनी शक्ति व्यर्थ नष्ट करना नहीं चाहता!

हम देश की इस मनोवृत्ति का सादर स्वागत करते हैं! साथ ही हमारा इस बात में दृढ़ विश्वास है कि भारत एवं प्रान्तीय सरकारों की वर्तमान मनोवृत्ति के रहते हुए हमारा उचित पथ गोलमेज़ से होकर गुज़रना नहीं है। इस समय—देश की उलझी हुई राजनीति की वर्तमान परिस्थितियों में हमारी मञ्ज़िलें लन्दन के सुन्दर एवं स्वर्गीय महलों से होकर नहीं, वरन् भारत के नरक-तुल्य जेलों और सरकार के भयानक से भयानक दमन की ओर हैं। हमारी मञ्ज़िलें आज पूर्ण अहिंसात्मक व्रत और सत्याग्रह युद्ध के आवाहन से गुज़रती हुई, निर्विकार एवं निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप से सरकार की वफ़ादार पुलीस और बहादुर सेना (!) की लाठियों और गोलियों के स्वागत करने में ही हैं! आज इस अभागे देश में वह स्थिति उत्पन्न हो गई है, जब कि पुलीस की लाठियाँ, सेना की गोलियाँ और जेल के वार्डरों की गालियाँ और अपमान-जनक शब्द हमें उतना अधिक दे सकते हैं, जितना हम लन्दन के राउण्ड टेबिल कॉन्फ्रेन्स से पाने की आशा नहीं कर सकते। तात्पर्य यह कि अहिंसा और सत्याग्रह हमें पुकार-पुकार कर त्याग एवं आहुतियों की आग जगाने का आवाहन कर रहा है। हमारी स्वतन्त्रता की समस्या आज देश के त्याग एवं आहुतियों में ही छिपी है!!

❀ ❀ ❀

शक्ति का दुरुपयोग

लॉर्ड विलिङ्गडन के बर्मा-ऑर्डिनेन्स का विरोध करते हुए हमने गत १३वीं अगस्त के 'भविष्य' में कहा था, 'नाम में तो वह मार्शल-लॉ नहीं है ; परन्तु प्रयोग में वह उससे कम भयानक और कम आतङ्कजनक प्रमाणित होने वाला भी नहीं है।' हमें उस समय इस बात की आशङ्का थी कि लॉर्ड विलिङ्गडन ने बर्मा-सरकार और बर्मा-सरकार के अधिकारियों को यह जो विशेष अधिकार सौंपा है, उसका दुरुपयोग हुए बिना नहीं रहेगा। बर्मी पत्रों के देखने से हमारी यह धारणा और भी दृढ़ हो गई है ; कारण हमें बर्मा-सरकार की उन अनुचित चेष्टाओं के दृष्टान्त मिल रहे हैं; जो किसी प्रकार ऑर्डिनेन्स के उचित उपयोग की श्रेणी में नहीं रक्खे जा सकते ; और जिन्हें यदि उक्त ऑर्डिनेन्स का ज्वलन्त दुरुपयोग कहा जाय तो अनुचित न होगा। जब से वायसरॉय लॉर्ड विलिङ्गडन महोदय ने उक्त ऑर्डिनेन्स पर अपनी स्वीकृति दी, तब से विगत १७वीं अगस्त तक रङ्गून-पुलीस ने चार स्थानों पर धावा किया। परन्तु पुलीस के इन धावों में एक भी धावा ऐसा नहीं है, जिन्हें हम यह कहें कि उक्त धावा सर चार्ल्स इन्स की सरकार ने हत्या, डकैती, आक्रमण तथा घर जलाने के सम्बन्ध में किया हो। रङ्गून-पुलीस ने बर्मा-व्यवस्थापिका सभा के सदस्य श्री० यू० सा० के मकान पर धावा किया। सहयोगी 'न्यू बर्मा' का कहना है कि पुलीस के इस धावा का उद्देश्य यह था कि पुलीस भारत-मन्त्री के पास श्री० यू० सा० के द्वारा लिखे गए एक छोटे पैम्फ़लेट को ज़ब्त करे। श्री० यू० सा० ने उस पैम्फ़लेट को अङ्गरेज़ी में प्रकाशित कराया था। इस दशा में सरकार के द्वारा यह नहीं कहा जा सकता कि इसे गाँवों में विद्रोहियों को बाँटा जाता। यहाँ पर यह कहना भी आवश्यक जान पड़ता है कि उक्त पैम्फ़लेट में विद्रोह-सीमा के स्थानों में पुलीस की ज़्यादतियों की चर्चा थी तथा साथ ही साथ जनता के दृष्टिकोण से वर्तमान बर्मा-विद्रोह के कारण तथा उसकी उत्पत्ति का इतिहास दिया गया था। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि ऑर्डिनेन्स की भूमिका में लॉर्ड विलिङ्गडन ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि इस ऑर्डिनेन्स के अनुसार अधिकारियों को जो अधिकार दिए जायँगे, वे वैध राजनीतिक कार्यों में बाधक नहीं होंगे। हमें श्री० यू० सा० के इस कार्य में कोई अवैध राजनीतिक-कार्य की गन्ध नहीं मालूम होती। व्यवस्थापिका सभा के एक ग़ैर-सरकारी सदस्य का यह प्रारम्भिक अधिकार है कि वह भारत-मन्त्री को जनता के विचार जानने में सहायक हो तथा वह भारत-मन्त्री को किसी भी राजनीतिक मामले में जनता के दृष्टिकोण का विवरण भेजें। इस स्थिति में हम श्री० सर चार्ल्स इन्स की सरकार के इस दायित्वहीन कार्य का विरोध करना अपना कर्तव्य समझते हैं। साथ ही हम भारत-मन्त्री से यह बात पूछना अपना कर्तव्य समझते हैं कि वे सर चार्ल्स की सरकार की इन ग़ैर-ज़िम्मेदारियों को कब तक सहते रहेंगे ? तथा अधिकारीगण कब तक उन्हें देश की सच्ची स्थिति जानने अथवा ग़ैर-सरकारी ज़िम्मेदार व्यक्तियों के दृष्टिकोण से परिचित होने में बाधा डालेंगे ?

❀ ❀ ❀

प्रयाग केन्द्रीय किसान-सङ्घ

प्रयाग केन्द्रीय किसान-सङ्घ के मन्त्री पं० मोहनलाल जी गौतम ने हमारे पास उक्त सङ्घ का उद्देश्य एवं कार्यक्रम प्रकाशनार्थ भेजा है। सङ्घ का उद्देश्य उन सब लोगों को, जिनकी मुख्य आमदनी खेती से है, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति के विचारों से सङ्गठित करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनके ऊपर की सामाजिक बाधाओं को दूर करना और उनके जीवन को सुखमय बनाना है। साथ ही सङ्घ का कार्यक्रम इस प्रकार है :—

१—मौजूदा लगान और मालगुज़ारी में इस क़दर कमी कराना, जिससे किसानों के पास गुज़ारे के लिए काफ़ी बचत रहे।

२—हर एक खेती करने वाले को उसके खेत पर मौरूसी अधिकार प्राप्त कराना।

३—इसकी कोशिश करना कि प्रत्येक खेती करने वाले को उस ज़मीन को, जिस पर वह खेती करता है, किश्तों में रुपया देकर ख़रीदने का अधिकार प्राप्त हो।

४—आबपाशी के टैक्स में कमी कराना।

५—सूद की दर में कमी कराना।

६—खेती करने वालों के लिए कम से कम इतनी आय का प्रबन्ध कराना, जिससे उनका गुज़र हो सके।

७—इसका यत्न करना कि प्रत्येक किसान को कम से कम इतनी ज़मीन मिले, जिसकी पैदावार से उसका गुज़र हो जाय।

८—नज़राना, बेगार आदि की प्रथा को बन्द कराना।

९—मकान, कुआँ आदि बनवाने तथा पेड़ लगाने इत्यादि का अधिकार प्राप्त कराना।

१०—यह प्रयत्न कराना कि हर एक गाँव में चरागाह के लिए ज़मीन छोड़ी जाय।

११—देहात में मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रबन्ध का प्रयत्न करना।

१२—गाँवों की माली हालत सुधारने के लिए सहायक धन्धों का प्रबन्ध करना।

१३—पञ्चायतें बनाना, जो आपस के झगड़े तय करें और किसानों की सङ्गठन-शक्ति बढ़ावें।

१४—समय-समय पर दूसरे ज़रूरी काम करना, जिसमें किसानों का हित हो।

उक्त सङ्घ की सदस्यता का नियम यह है कि प्रत्येक किसान अथवा वह व्यक्ति, जो ऊपर लिखे हुए उद्देश्य और कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कोई अमली काम करे, जिसकी अवस्था कम से कम १८ वर्ष की हो और जो एक आना वार्षिक चन्दा दे, वह इस सङ्घ का सदस्य बन सकता है।

हम प्रयाग केन्द्रीय किसान-सङ्घ के सञ्चालकों और उसके मन्त्री पं० मोहनलाल जी गौतम को इस उपयोगी एवं आवश्यक संस्था के स्थापित करने के लिए बधाई देते हैं। आज देश की सब से बड़ी राजनीतिक आवश्यकता इस बात की है कि भारत के प्रत्येक गाँव में किसान-सङ्घ स्थापित किया जाय। भारत की आबादी में ८० प्रति शत से अधिक संख्या किसानों की है—उन अभागे किसानों की, जिनमें अधिकांश को दोनों जून खाने के लिए एक मुट्ठी अन्न और अपनी लज्जा ढकने के लिए दो गज़ कपड़ों का अभाव है। भारतीय किसानों की आज जो भयानक दुर्दशा है, उससे कहीं अच्छी अवस्था फ़्रान्स की राज्य-क्रान्ति के पूर्व फ़्रान्सीसी किसानों की थी। इस अवस्था में भारतीय किसानों के सङ्गठन तथा उनके भिन्न-भिन्न कष्टों के दूर करने का शुभ-प्रयत्न केवल मनुष्यता की ईश्वरदत्त भावनाओं की उपासना ही नहीं, वरन् देश की सब से बड़ी और महत्वपूर्ण राजनीतिक आवश्यकता की पूर्ति का शुभ-प्रयत्न है। सच बात तो यह है कि स्वयं महात्मा गाँधी जी के सत्याग्रह आन्दोलन की सफलता के कारण और भारतीय स्वतन्त्रता के प्रमुख विधायक हमारे देश के अभागे किसान ही हैं। इन किसानों को पूर्णरूपेण शिक्षित और सङ्गठित करने तथा उनके वर्तमान भयानक कष्टों को दूर करने के शुभ-प्रयत्न से ही हम अपने देश का उद्धार कर सकेंगे।

हम जहाँ उक्त किसान-सङ्घ के सञ्चालकों को उनके इस शुभ-प्रयत्न के लिए बधाई देते हैं, वहाँ उनसे हमारा कहना यह भी है कि वे इस केन्द्रीय किसान-सङ्घ की शाखाएँ संयुक्त-प्रान्त के प्रत्येक ज़िले के प्रत्येक गाँव में स्थापित करें। इस प्रकार किसानों के जिस ठोस सङ्गठन का कार्य आरम्भ होगा, वह हमारे पराधीन देश की स्वतन्त्रता का प्रथम और अन्तिम कारण होगा। साथ ही हम जनता से इस बात की अपील करना चाहते हैं कि वह हर प्रकार से उक्त सङ्घ की सहायता करे।

❀ ❀ ❀

दूषित-प्रचार

पिछले कुछ दिनों से कलकत्ते के अर्ध-सरकारी पत्र "स्टेट्समैन" ने हिन्दुओं के विरुद्ध विष उगलना तथा मुसलमानों को उभाड़ना ही अपना कर्तव्य मान लिया है। 'स्टेट्समैन' का यह दूषित-प्रचार सार्वजनिक शान्ति और क़ानून की रक्षा के पथ में कितना भयानक है, यह कहने की आवश्यकता नहीं। सहयोगी अर्द्ध-विक्षिप्त की भाँति हिन्दुओं के विरुद्ध मुसलमानों के हृदय में घृणा उत्पन्न कर उन्हें हिन्दुओं से पृथक करना चाहता है। साथ ही उसका उद्देश्य यह है कि मुसलमान भारत के शासकवर्ग और व्यापारी श्रेणी के अङ्गरेज़ों से मिल कर हिन्दुओं के विरुद्ध सङ्गठन करें। इसी भेदनीति के प्रचार और सङ्गठन की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए हमारे अर्द्ध-सरकारी सहयोगी ने अपने ११ अगस्त के अग्रलेख में लिखा था—

"Moslems and British are being forced to organise themselves in self-defence, and that they will defend themselves cannot be doubted."

अर्थात्—"मुसलमान और अङ्गरेज़ आत्म-रक्षा के लिए अपने को सङ्गठित करने के लिए विवश किए जा रहे हैं और इसमें सन्देह नहीं कि वे अपनी रक्षा कर लेंगे।"

'स्टेट्समैन' का तात्पर्य यह है कि हिन्दू, मुसलमानों और अङ्गरेज़ों को सङ्गठित करने के लिए विवश कर रहे हैं। आगे चल कर दो दिन बाद अर्थात् १३ अगस्त के अग्र-लेख में 'स्टेट्समैन' लिखता है—

"India is not going to be governed by counting noses, but by strength and wisdom of strong men and wise men."

अर्थात्—"भारत नाकों की संख्या से नहीं, वरन् मज़बूत और बुद्धिमान पुरुषों की मज़बूती और बुद्धि के द्वारा शासित होगा।" कहना नहीं होगा कि 'नाकों की संख्या' का अभिप्राय हिन्दुओं के बहुमत से है। इस प्रकार मुसलमानों को हिन्दुओं के विरुद्ध करने की चेष्टा कर सहयोगी उन्हें हिन्दुओं के विरुद्ध उत्तेजित करने के लिए अपने उसी अग्र-लेख में आगे चल कर लिखता है—

"A community with a clear majority in the Punjab, Bengal, Sind, Baluchistan, the North West Frontier Province and Kashmir, cannot be subjected to oppression."

अर्थात्—"एक ऐसे सम्प्रदाय पर, जिसका बहुमत पञ्जाब, बङ्गाल, सिन्ध, बालूचिस्तान, पश्चिमोत्तर सीमा तथा काश्मीर में स्पष्ट रूप से है, किसी भी भाँति अत्याचार नहीं किया जा सकता।"

इस प्रकार हिन्दुओं के काल्पनिक अत्याचारों का चित्र खींच कर 'स्टेट्समैन' जिस भेद-नीति एवं साम्प्रदायिक विष का दूषित प्रचार कर रहा है, वह सम्पादन

कला की दृष्टि से ही घृणित कहा जाय, सो बात नहीं। 'स्टेट्समैन' का यह प्रयत्न मनुष्य की श्रेष्ठतम भावनाओं का घोर विरोधी है। कहना नहीं होगा कि सर मुहम्मद इक़बाल के मुस्लिम साम्राज्य की बात अब कवि की कल्पना के रूप में ही नहीं, वरन् व्यावहारिक रूप में सत्य करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है और 'स्टेट्समैन' की गन्दी भावनाएँ उस प्रयत्न में सचेष्ट हैं। उत्तरी भारत को मुस्लिम साम्राज्य क़ायम करने के स्वप्न देखने वाले हमारे भोले शौकतपन्थी मुसलमान चाहे 'स्टेट्समैन' अथवा उसकी नीति के अन्य एङ्गलो-इण्डियन अर्द्ध-सरकारी पत्रों की सामयिक नीति पर भले ही ख़ुशियाँ मनाएँ, पर उन्हें एक बात अपने हृदय में कभी भी विस्मरण नहीं करना चाहिए कि 'स्टेट्समैन' तथा उसके सरीखे पत्रों अथवा हमारे अङ्गरेज़ शासकों की कृपा उन पर उसी समय तक है जब तक उनके कार्यों से भारत की स्वतन्त्रता के आन्दोलन में बाधा पहुँचती है। उन्हें यह बात कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि जब तक भारत में ब्रिटेन का अस्तित्व क़ायम है, ब्रिटेन अपने भारतीय हित के लिए मुसलमानों को प्रलोभनों का टुकड़ा देते हुए नहीं थकेंगे; परन्तु जिस दिन स्वयं मुसलमानों का हित अङ्गरेज़ों के भारतीय हित से टकराएगा, उसी दिन मुसलमानों की यह आवभगत न तो हमारे भाग्य-विधाताओं की ही ओर से होगी और न उनकी पीठ पर 'स्टेट्समैन' तथा इसके सरीखे कोई एङ्गलो-इण्डियन पत्र ही रहेंगे। साम्प्रदायिक मुसलमानों पर हमारे शासकों का यह उभरता हुआ स्नेह आज इसलिए है कि वे उनके हाथ के कठपुतले हैं तथा उनके द्वारा भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का विरोध किया जा रहा है। अस्तु—

'स्टेट्समैन' का यह दूषित प्रयत्न सार्वजनिक शान्ति और क़ानून का विरोधी है, इस बात से कोई भी विचारशील व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता। इस पर भी सरकार उसके ऐसे उभाड़ने वाले घृणित लेखों पर दफ़ा १५३ का प्रयोग नहीं करती, यह बात भी कम कौतूहलपूर्ण नहीं। हमारा तो विश्वास है कि भारत की अशान्ति का सब से बड़ा कारण भारत में 'स्टेट्समैन' तथा उसकी नीति के पत्रों का घृणित प्रचार ही है—वह प्रचार, जिसके अन्तराल में हम वर्तमान शासन-प्रणाली का सच्चा स्वरूप देख सकते हैं।

❀ ❀ ❀

ब्रिटेन में शासकों का नया सङ्गठन

ब्रिटेन का शासन-यन्त्र अपने लचीलेपन के लिए संसार के शासन-यन्त्रों में प्रसिद्ध है। ब्रिटेन के राजनीति के विद्वानों ने उसके इस गुण की प्रशंसा में बड़े-बड़े ग्रन्थ लिख डाले हैं। इस सप्ताह में वहाँ जो राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, उनसे ब्रिटेन के शासन-यन्त्र के अद्भुत लचीलेपन का अच्छा उदाहरण मिला है। कुछ दिन पहले कोई नहीं जानता था कि ब्रिटेन के शासनारूढ़ मज़दूर-दल की गति में कोई परिवर्तन होने की आशङ्का है। यह ख़बर कम से कम भारतीय पत्रों में कुछ आश्चर्य के साथ प्रकाशित हुई कि ब्रिटेन के प्रधान-मन्त्री मि० मैकडॉनल्ड ने इस्तीफ़ा दे दिया। और एक नए मन्त्रि-मण्डल के सङ्गठन का विचार हो रहा है। साधारणतया शासन के कार्यों से एक दल के हट जाने पर दूसरा कोई दल उन कार्यों को ग्रहण कर लेता है। इस बार यह नहीं हुआ। इस बार ब्रिटेन के सभी दलों को मिला कर एक "राष्ट्रीय मन्त्रि-मण्डल" बनाने का विचार किया गया है। ब्रिटेन सरीखे देश के शासन-यन्त्र में इतना बड़ा परिवर्तन प्रकट होने के पहले बिल्कुल छिपा हुआ रहा।

यह एक रहस्यमय बात है। इसका सम्बन्ध ब्रिटेन के शासन-यन्त्र के लचीलेपन से ही नहीं मालूम होता, बल्कि साम्राज्य की किसी महत्वपूर्ण समस्या से मालूम होता है।

कहा जाता है कि इस आश्चर्यजनक परिवर्तन के मूल में ब्रिटेन की आर्थिक परिस्थिति है। मज़दूर-सरकार ने शासन-व्यय में कमी करने का प्रस्ताव किया था। उस प्रस्ताव में बेकारों के लिए व्यय किए जाने वाले धन में भी कमी करने का ज़िक्र किया गया था। लोग इसके विरोधी थे। मज़दूर मन्त्रि मण्डल में भी अनेक सदस्य इस प्रस्ताव के विरुद्ध थे। मज़दूर-सरकार प्रारम्भ से ही कमज़ोर आधार पर क़ायम रही है। उसका बल केवल अपने दल का बहुमत कभी नहीं रहा। उसे उदार दल की सहायता पर भी निर्भर रहना पड़ा है। इसके अतिरिक्त भारत तथा अन्य राष्ट्रीय मामलों में अक्सर ब्रिटेन में मज़दूर-दल की कड़ी समालोचना होती रही है। ऐसी परिस्थिति में मज़दूर-सरकार द्वारा शासन-व्यय में कमी करने के प्रस्ताव से विरोधियों के लिए मज़दूर-सरकार का प्रबल विरोध करने का अच्छा अवसर मिल गया। मन्त्रि-मण्डल को एकमत करने का प्रयत्न किया गया, परन्तु वहाँ भी मज़दूर-सरकार के प्रस्ताव के अनेक विरोधी थे। ऐसी परिस्थिति में मि० मैकडॉनल्ड पार्लामेण्ट की पद्धति के अनुसार इस्तीफ़ा देने के लिए विवश हुए। परन्तु मज़दूर-दल ने इस्तीफ़ा देते हुए भी देश की आर्थिक समस्या पर विचार करने और किसी न किसी प्रकार बजट की कमी को पूरा करने का उपाय निकालने के लिए अन्य प्रमुख दलों के नेताओं को निमन्त्रित किया। ब्रिटेन की आर्थिक समस्या अत्यन्त गम्भीर है। मि० स्नोडन ने बजट बनाते समय जिन बातों का अनुमान किया था वे ठीक नहीं निकलीं, इस कारण से आर्थिक समस्या और भी गम्भीर हो गई है। कहा जाता है कि इसी समस्या को सुलझाने के लिए ब्रिटेन के सब दलों ने मिल कर निश्चय किया है कि ब्रिटेन का मन्त्रि-मण्डल साधारण पद्धति के अनुसार किसी दल-विशेष का न हो, बल्कि सभी प्रमुख दलों के नेताओं का एक "राष्ट्रीय मन्त्रि-मण्डल" हो।

ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था ऐसी है जिसमें ऐसे "राष्ट्रीय मन्त्रि-मण्डल" अक्सर नहीं बना करते। ब्रिटेन में शासन का अधिकार दलों की प्रतियोगिता के आधार पर किसी दल विशेष के अधिकार में रहता है। लोकमत जिस दल के पक्ष में अधिक होता है, उसीको शासन का अधिकार रहता है। किसी विशेष राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय या साम्राज्य-सम्बन्धी समस्या के उत्पन्न होने पर ही ब्रिटेन में सब दलों का "राष्ट्रीय मन्त्रि-मण्डल" बनता है। यूरोपीय युद्ध के अवसर पर भी ऐसे मन्त्रि-मण्डल द्वारा शासन-कार्य होता था।

इस समय युद्ध तो नहीं है। ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है या नहीं, जिसके लिए राष्ट्रीय मन्त्रि-मण्डल बनाने की आवश्यकता पड़ती है, प्रकट नहीं है। प्रकट तो यही है कि ब्रिटेन की आर्थिक समस्या को हल करने के लिए राष्ट्रीय प्रयत्न की आवश्यकता के कारण "राष्ट्रीय मन्त्रि-मण्डल" बनाया गया है। इस समय आर्थिक समस्या बजट के ठीक करने की है। हमारा ख़्याल है कि यह विषय महत्वपूर्ण होते हुए भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि केवल इसी के लिए एक "राष्ट्रीय मन्त्रि-मण्डल" बनाने की आवश्यकता हो। सम्भव है कि साम्राज्य की आवश्यकताओं के कारण भी ब्रिटेन के एकमत होने और राष्ट्रीय मन्त्रि-मण्डल क़ायम करने की ज़रूरत अनुभव हुई है। भारत के लिए ब्रिटेन के इन परिवर्तनों का कोई विशेष महत्व नहीं है। भारतवासी तो यह भली-भाँति जानते हैं कि भारत के सम्बन्ध में ब्रिटेन के सभी दल वास्तव में एकमत रहते हैं। उनकी दृष्टि में मज़दूर, उदार और अनुदार दलों का शासनारूढ़ होना और उससे अलग हो जाना आवश्यकता के अनुसार नाटक के पात्रों के परिवर्तन से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। सभी पात्र नाटक के एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करते हैं।

ब्रिटेन किस कार्य द्वारा किस कार्य की सिद्धि किया करता है, यह हमेशा ही रहस्यमय पहेली रहा करती है। महात्मा गाँधी ने ब्रिटेन के इस राजनीतिक परिवर्तन के सम्बन्ध में ऐसोसिएटेड प्रेस के प्रतिनिधि के पूछने पर उस विषय में कोई मत प्रकट करने से इन्कार करते हुए जो कुछ कहा है, वह अत्यन्त विचारणीय और मनोरञ्जक है। आपने कहा कि "मेरी समझ के लिए यह बड़ी जटिल राजनीति है।"

❀ ❀ ❀

महात्मा गाँधी का फ़र्दे-जुर्म

(८वें पृष्ठ का शेषांश)

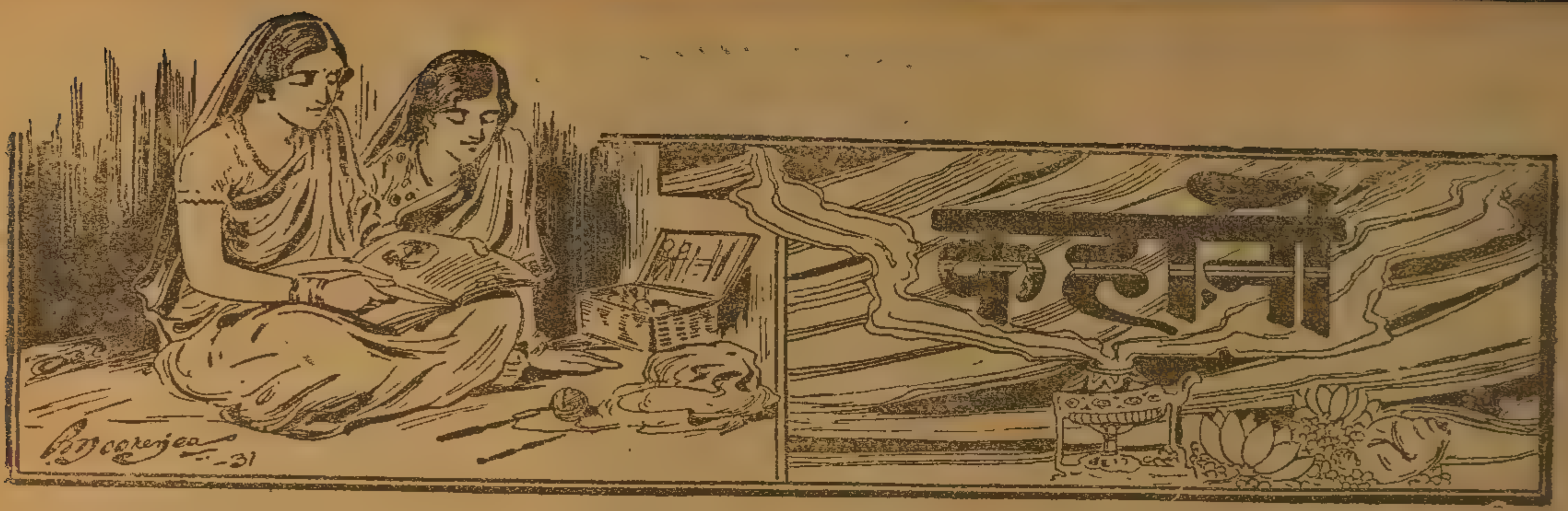
रखने और रुपया वसूल करने का झूठा दावा किया था। पुलीस किसी नम्बरदार के मौजूद न होने पर भी मक़बर ख़ाँ के मकान में बलपूर्वक घुस गई और उसे उथल-पुथल कर वहाँ से २००) रु० लेकर चली गई। उसी दिन शाम को फ़ैज़ुलरहमान नाम का ख़ुदाई ख़िदमतगार गिरफ़्तार करके सराय में ले आया गया। सराय के पास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई जो पूर्ण शान्त थी। लोगों ने तक़बीर का नारा लगाया, जिस पर पुलीस ने उन पर आक्रमण किया और बन्दूक़ के कुन्दों तथा सङ्गीनों आदि से मारा। २२ जून को मक़बर ख़ाँ ने पुलीस के हाथों स्वयम् आत्म-समर्पण कर दिया। उसी दिन सय्यद अशफ़ाक़ ख़ाँ और अरबाब अब्दुल ग़फ़ूर ख़ाँ ने डी० एस० पी० और थानेदार के सामने गुलसरन का बयान लिया। जिसमें उसने पुलीस द्वारा लगाए गए इल्ज़ामों से मक़बर ख़ाँ को निर्दोष बतलाया। २४ जून को ताज़ीरात हिन्द की दफ़ा १४३ और २२५ के अनुसार सय्यद अशफ़ाक़ ख़ाँ और अब्दुल ग़फ़ूर ख़ाँ को इस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया कि उन्होंने "किसी दूसरे व्यक्ति को क़सूर के लिए क़ानून के अनुसार पकड़े जाने में बाधा पहुँचाई है।" यह कार्रवाई उस हालत में की गई जबकि मक़बर ख़ाँ की गिरफ़्तारी में बाधा पहुँचाने की कोई बात नहीं की गई थी।

(६) कोहाट की कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रेज़िडेण्ट जब अपने वालण्टियरों के साथ हाँगू की तरफ़ दौरा कर रहे थे तो शिनवारी के पास 'लेवी' पुलीस ने उनको रोक कर गोली चलाई, पर निशाना ख़ाली गया। जब वे लौट रहे थे तो उन पर लाठियाँ पीटी गईं, पत्थर फेंके गए और बाद में लाठियों से आक्रमण भी किया गया।

ख़ान् अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ के पश्तो भाषा के मासिक-पत्र 'पख़्तो' की, जिसका उद्देश्य केवल सामाजिक सुधार करना है, मई मास की प्रतियाँ डाकख़ाने में रोक ली गईं और इसके लिए ख़ाँ साहब को कोई कारण भी नहीं बतलाया गया।

ख़लील और मोहमन्द के इलाक़ों और पेशावर की तहसील में सब तरह की सभाएँ और जुलूस दफ़ा १४४ के द्वारा रोक दिए गए हैं।

❀ ❀ ❀



सत्याग्रह

[श्री० हरिश्चन्द्र जी वर्मा, विशारद]

इसी शनिवार की बात है। तीसरे पहर के कोई दो बज चुके थे। मैं अपने दफ़्तर में बैठा अपने काम में तल्लीन था। आजकल कार्य की अधिकता के कारण एक तो वैसे ही अवकाश कम मिलता था, ऊपर से साहब ने एक फ़ाइल और भेज दी थी। उस समय मैं उसीके पूरा करने में व्यस्त था। सहसा द्वार की चिक हटा कर एक युवक ने कमरे में प्रवेश किया। वह सिर से पैर तक खादी से ही लदा था—सिर पर टोपी, शरीर पर कुर्ता और धोती तथा गले में लम्बा दोगज़ी अँगोछा। पैरों में जूते की जगह केवल एक चट्टी थी। मेज़ के समीप आकर उसने कहा—वन्दे!

वन्दे का उत्तर देते-देते मैंने उसकी ओर देखा। आकृति कुछ परिचित सी दीख पड़ी। स्वर भी पहले का सुना हुआ सा प्रतीत हुआ।

"इतनी जल्दी भूल गए क्या रमेश?"

तुरन्त ही मैं कुर्सी से उछल पड़ा—ओहो! ज्योति! तुम हो? अब पहचाना।

दोनों क्षण भर में एक-दूसरे से लिपट गए। ज्योति मेरा बाल्य-सखा तथा सहपाठी था। हम दोनों ने इन्ट्रेन्स साथ ही साथ पास किया था। स्कूल छोड़ने के उपरान्त वह तो अपने घर चला गया और मैं यहाँ आकर, इस दफ़्तर में नौकर हो गया। तदुपरान्त पता नहीं, उसका क्या हुआ? यहाँ आकर न तो मैंने ही उसे कोई पत्र लिखा और न उसी ने। ज्योति को कुर्सी पर बैठा कर मैंने पूछा—कहो भाई, इतने दिनों तक कहाँ रहे? यह चोला क्यों बदल दिया?

"मेरी कहानी तो बड़ी लम्बी है"—उसने कुछ मुस्कराते हुए कहा—"परन्तु मैं बहुत संक्षेप में तुम्हें सुनाए देता हूँ।"

मैंने फ़ाइल बन्द कर दी और ध्यान से उसकी कहानी सुनने लगा। उसने कहा—इन्ट्रेन्स पास करने के उपरान्त तुम तो यहाँ चले आए और ठिकाने से लग गए, परन्तु मुझे बहुत दिनों तक बेकारी के पापड़ बेलने पड़े। पिता जी की आर्थिक स्थिति तो पहले ही से अच्छी न थी, अतएव आगे पढ़ने का तो प्रश्न ही व्यर्थ था। लाचार नौकरी की खोज में दफ़्तरों और ऑफ़िसों की धूल छाननी आरम्भ कर दी। परन्तु पूरे तीन वर्ष प्रयत्न करने के उपरान्त भी कहीं दस रुपए की जगह न मिली। इसी बीच में दुर्भाग्यवश नगर में बड़े ज़ोर से प्लेग का प्रकोप हुआ। प्रति-दिन सैकड़ों मनुष्य मरने लगे। एक दिन पिता जी के भी गिल्टी निकल आई और अनेक प्रयत्न करने पर भी तीसरे ही दिन वे हमें निराश्रय छोड़ कर परलोक......!

मैंने बात काट कर पूछा—तुम्हारे पिता जी का स्वर्गवास हो गया?

ज्योति के मुख पर विषाद की कालिमा दौड़ गई। उसने कहा—हाँ, उन्हें मरे आज पाँच वर्ष हो गए!

मैंने समवेदना की दृष्टि से उसकी ओर देखा। क्षण भर रुक कर उसने फिर कहना आरम्भ किया—"पिता की मृत्यु के चौथे ही दिन बड़े भाई भी हमें अकेला छोड़, पिता जी के ही साथ हो लिए।" मैंने विस्फारित नेत्रों से उसकी ओर देखा।

उसने फिर कहा—"भाई की मृत्यु के उपरान्त तो हमारी दशा और भी गिर गई। सारे कुटुम्ब का भार अब मेरे ही ऊपर था। आमदनी की कोई राह न थी, खाने को कहीं एक दिन का भी ठिकाना न था। दो-दो दिन हमें निराहार रहना पड़ता था। इसी कष्ट तथा पति-पुत्र के शोक के कारण माता जी भी अधिक दिन तक जीवित न रह सकीं। छठे मास ही हमें उनसे भी हाथ धोना पड़ा। इसके उपरान्त भाभी तो अपने बच्चों सहित अपने पिता के यहाँ चली गईं और मैं अपने दुर्भाग्य के सहारे अकेला ही रह गया।

"इसी बीच में देश में राजनीतिक आन्दोलन आरम्भ हो गया। यह सोच कर कि कदाचित मेरे दुखित हृदय को इसी में शान्ति मिले, मैंने तुरन्त काँङ्ग्रेस कमिटी में नाम लिखा लिया। बस तब से मैं यही कार्य कर रहा हूँ। स्थान-स्थान पर घूम-घूम कर स्वदेशी का प्रचार करता हूँ और खद्दर बेच कर जो आय हो जाती है, उसी से अपनी जीविका चलाता हूँ। इस कार्य में मुझे बड़ी शान्ति मिली है। अब मुझे कोई भी कष्ट नहीं। मेरा विचार है कि इसी प्रकार देश-सेवा कर शान्ति-पूर्वक जीवन व्यतीत कर दूँगा। यही मेरी कहानी है।"

उसने सन्तोष की एक गहरी साँस ली।

२

मैं चुपचाप हाथ पर सिर रक्खे उसकी जीवनी पर विचार कर रहा था। ज्योति ने क्षण भर चुप रह कर मेरी ओर देखा और कहा—तुम्हारे यहाँ तो सब अच्छी तरह से हैं न?

"हाँ, सब अच्छी तरह से हैं। पिता जी आदि तो घर पर ही हैं। हम ही अकेले यहाँ हैं।"

"परन्तु तुम इतने दुखित और चिन्तित से क्यों हो?"

"मैं? मैं तो कहीं भी चिन्तित नहीं हूँ।"

ज्योति हँस पड़ा, बोला—यह तुम्हारी बचपन की टेव अभी तक नहीं बदली? अब भी तुम मुझसे छिप रहे हो?

मैंने कुछ भी उत्तर न दिया।

"क्या बात है भाई, बताओ न?"

"कुछ भी नहीं"—मैंने कहा—"तनिक सी बात है। मैंने इस आन्दोलन के आरम्भ होते ही यह प्रतिज्ञा की थी कि सदा स्वदेशी ही पहना करूँगा, परन्तु श्रीमती जी पर अब भी विदेशी का ही भूत सवार है। चार दिन से प्राण खा रही हैं कि साड़ी ला दो। मैंने कहा—'कहो तो स्वदेशी धोती ला दूँ।' इस पर बिगड़ उठीं, बोलीं—'स्वदेशी टाट सी कौन लादेगा, गधे का सा बोझ। मैं तो विलायती ही पहनूँगी।' बस यही झगड़ा है और इसी चिन्ता में हूँ कि क्या करूँ? मैं प्रतिज्ञा तोड़ना नहीं चाहता।"

"बस इतनी सी बात!"—ज्योति ने हँस कर कहा—"इसकी औषधि तो मेरे पास बड़ी अच्छी है। ऐसी पेटेण्ट कि कठिन से कठिन रोग में भी न चूके। तुम भूल के तो कहे हो ही नहीं?"

मैंने सिर हिला कर 'हाँ' कहा।

"बस तो मेरी औषधि काम में लाओ, शर्तिया लाभ करेगी।"

"अच्छा बताओ भी तो, क्या औषधि है?"

"सत्याग्रह।"—उसने मुस्करा कर कहा।

मैंने पूछा—कैसा?

"बस आज सन्ध्या को ही जाकर श्रीमती जी से कह दो कि जब तक तुम स्वदेशी पहनने की प्रतिज्ञा न करोगी, मैं भोजन न करूँगा। बस तुम्हारा काम बन जावेगा।"

मुझे इस पर विश्वास न आया। मैंने कहा—मेरी तो समझ में आता नहीं कि इतनी सी बात से कैसे कार्य सिद्ध हो जावेगा।

"कैसे सिद्ध हो जावेगा? सुनो, मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें भली प्रकार विश्वास हो जावेगा कि यह औषधि कितनी पेटेण्ट है।"

उसने कहना आरम्भ किया।

३

वह केवल तेरह वर्षीय बालिका थी। उसके पिता एक बड़े वकील थे। सैकड़ों रुपए महीने की उनकी आय थी। एक बड़ा मकान, एक बँगला, नौकर-चाकर, मोटर-गाड़ी—सब कुछ था। परन्तु दिन भर कचहरी करने के उपरान्त सन्ध्या को घर आते ही वे गिलास-बोतल ले वाटिका में जा बैठते। दो-चार मित्र-सम्बन्धी आ जुटते और प्याले पर प्याला चलने लगता। रात्रि के दस बजे तक उनका यही काम था, इसके कारण न उन्हें घर की चिन्ता थी, न बाहर की। उनके दोनों पुत्र प्रातःकाल पुस्तकें लेकर घर से चले जाते। दिन भर इधर-उधर सैर करते; आनन्द मनाते और सन्ध्या को घर आ जाते। न उन्हें पढ़ने की चिन्ता, न परीक्षा से काम! नौकर-चाकर घर के राजा थे, जो मन में आता करते, जो न आता न करते। वकील साहब कभी उनसे एक बात भी न कहते। वह यद्यपि बालिका थी, परन्तु इन सब बातों को ख़ूब समझती थी। उसने पुस्तकों में पढ़ा था कि शराब सारे अनर्थों का मूल है। जिस घर में वह आई, समझ लो सत्यानाशी आ गई। अतएव वह इसे रोकना चाहती थी, परन्तु नक़ारख़ाने में तूती की आवाज़ सुनता ही कौन है? किसी ने उसकी परवाह ही न की। राजनीतिक आन्दोलन आरम्भ होने पर जब शराब की दूकानों पर पिकेटिङ्ग होने लगी, तो उसने सोचा, चलो अच्छा है। अब इससे पीछा छूट जायगा। परन्तु उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, जब उसने देखा कि पिकेटिङ्ग होने पर भी वकील साहब के लिए शराब प्रति-दिन उसी प्रकार चली आ रही है।

बेचारी बालिका ने इसे रोकना चाहा। पिता से कहा, माता से प्रार्थना की। परन्तु कुछ फल न हुआ। अकस्मात् एक दिन उसे सत्याग्रह की सूझ पड़ी। उसी दिन सन्ध्या-समय पिता जी से कहा कि यदि आप शराब पीना न छोड़ेंगे, तो मैं भूखी प्राण त्याग दूँगी। वकील साहब हँसे। उन पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा; उन्होंने उसकी कोई चिन्ता न की। बालिका ने भोजन त्याग दिया। तीन दिन बीत गए; बालिका के मुख में अन्न का एक कण भी न गया। उसकी दशा बिगड़ने लगी, परन्तु उसने साहस न छोड़ा और अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रही।

अब वकील साहब घबराए। डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने कहा—उसे शीघ्र ही भोजन मिलना चाहिए, अन्यथा कल तक प्राण निकल जावेंगे।

बालिका की माता का हृदय दहल गया। उसने रो-रोकर घर सिर पर उठा लिया। परन्तु न तो बालिका अपने प्रण से हटी, न वकील साहब माने। सन्ध्या हो गई। वकील साहब कचहरी से लौटे तो पुत्री की दशा बहुत ही ख़राब थी। उसे चेत न था, नेत्र चढ़ गए थे, प्राण शरीर को छोड़ने के लिए झटके ले रहे थे। वकील साहब के होश उड़ गए। उन्हें स्वप्न में भी आशा न थी कि यह तनिक सी बालिका इतनी साधना कर सकती है। उन्हें अब विश्वास हो गया कि पुत्री से हाथ धोना पड़ा। वे अधिक न ठहर सके। पुत्री को हृदय से लगा कर विह्वल स्वर में उन्होंने कहा—चित्रा! चित्रा!! मैं तेरी सौगन्ध खाकर कहता हूँ, आज से शराब न पिऊँगा।

चित्रा अचेत थी। पिता की बातें उसके कानों में गूँज गईं। उसने नेत्र खोल कर पिता की ओर देखा—सचमुच?

"हाँ सचमुच।"

विजय की हल्की लालिमा चित्रा के कपोलों पर दौड़ गई। उसी दिन से वकील साहब ने शराब छोड़ दी।

कहानी समाप्त कर उसने पूछा—कहो कैसी तरकीब है?

"तरकीब तो अच्छी है, परन्तु है ज़रा कठिन...।"

कुछ उत्तर न देकर उसने सामने रक्खी पुस्तक उठा ली और उसके पृष्ठ लौटने आरम्भ कर दिए। कुछ क्षणों उपरान्त उसने पूछा—तो फिर करोगे इसका प्रयोग?

"सोच रहा हूँ।"—मैंने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया।

"अधिक सोच-विचार मत करो। बस आज ही इस पर प्रयोग करना आरम्भ कर दो। यदि सफल न हो जाओ तो कहना।"

"अच्छी बात है; कर देखूँगा।"—अन्त में मैंने कह दिया।

फिर और विषय छिड़ गया।

४

सन्ध्या को घर पहुँचते ही कुमुदिनी ने पूछा—लाए?

मैंने कुछ उत्तर न देकर उसकी ओर देखा। वह समझ गई। उसका मुख उतर गया, बोली—होली सिर पर आ गई। आठ दिन रह गए और अभी तक साड़ी ही न लाकर दी।

मैंने कहा—मैं विदेशी वस्त्र न ख़रीदूँगा। कितनी बार कह चुका हूँ। कहो तो स्वदेशी ला दूँ।

"स्वदेशी? स्वदेशी तो मैं कदापि न पहनूँगी।"—उसने ऐंठ कर कहा।

"तो मैं विवश हूँ; तुम्हारे लिए अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता।"

कुमुदिनी को कदाचित यह बात बुरी लगी। वह उठ कर चली गई। मैं भी समीप पड़े पत्र को उठा कर देखने लगा। भोजन का समय आने पर उसने कहा—चलिए, भोजन तैयार हो गया।

"मैं भोजन नहीं करूँगा।"

"क्यों?"—साश्चर्य उसने पूछा।

"मैंने प्रण किया है कि जब तक तुम स्वदेशी पहनने की प्रतिज्ञा न करोगी, मैं भोजन न करूँगा।"

"और यदि मैं यह प्रतिज्ञा न करूँ तो?"

"तो इसी प्रकार निराहार प्राण त्याग दूँगा।"—मैंने दृढ़तापूर्वक कहा।

प्राण-त्याग की बात सुन कर कुमुदिनी का हृदय काँप उठा। अति दीनतापूर्वक उसने कहा—राम-राम, ऐसा न कहो, चलो भोजन कर लो।

मैंने मन में सोचा, समय अकड़ने का है। इस समय तनिक सी भी नम्रता में कार्य बिगड़ जावेगा। अतः अकड़े हुए स्वर में मैंने कहा—जाओ, कह तो दिया कि भोजन नहीं करूँगा। क्यों व्यर्थ ही सिर खपा रही हो?

कुमुदिनी के मुख पर चिन्ता तथा विषाद के चिन्ह स्पष्ट हो गए। वह वहाँ से हट गई। उस रात उसने भी भोजन न किया। इसी प्रकार दूसरा दिन भी व्यतीत हो गया। कुमुदिनी दोनों समय मुझे भोजन के लिए बुलाने आई; अनुनय-विनय भी किया, परन्तु मैं किसी भी प्रकार से भोजन करने के लिए सहमत न हुआ। हार कर उसे भी भूखा ही रहना पड़ा। तीसरा दिन आया। आज मेरी दशा अच्छी न थी। भूख के कारण सारी रात नींद न आई थी। चारपाई पर करवटें बदल कर सारी रात काटी थी। आज निर्बलता भी कम न थी। पेट पीठ से जा लगा था। हाथ-पैर शिथिल पड़ गए थे। मैं अब अधिक चल-फिर भी न सकता था।

ठीक समय पर कुमुदिनी जलपान लेकर आई। आज उसकी भी दशा अच्छी न थी। मुख उतरा हुआ था। शरीर निर्जीव-सा हो रहा था। जलपान की तश्तरी की ओर देखते हुए मैंने कहा—ले जाओ इसे, कितनी बार कह चुका कि मैं कुछ न खाऊँगा।

"परन्तु आपके इस अन्न-त्याग से होगा क्या?"—दुखित नम्र-स्वर में उसने पूछा।

मैंने भी उसी तीव्र स्वर में उत्तर दिया—जो कुछ भी हो।

"अच्छा रहने दीजिए, साड़ी न लाइएगा। मैं अब उसके लिए नहीं कहती। अब भोजन तो कर लीजिए।"

कुमुदिनी ने यह शब्द बड़ी आशा से कहे थे। परन्तु उसकी यह आशा दुराशा-मात्र थी। मैं ऐसी कच्ची गोली न खेला था। मैंने उसी दृढ़ स्वर में उत्तर दिया—नहीं, जब तक तुम आजन्म स्वदेशी पहनने की प्रतिज्ञा न करोगी, मैं भोजन नहीं करूँगा, कदापि नहीं।

कुमुदिनी कुछ क्षण तक चुपचाप खड़ी कुछ सोचती रही। तदुपरान्त वह पृथ्वी पर बैठ गई। नेत्र उठा कर एक बार उसने मेरी ओर देखा। उसके भावों में अब बिल्कुल परिवर्तन हो गया था। रूखी मुस्कान के साथ दृढ़-स्वर में कहा—यदि आप 'सत्याग्रह' पर तुले हैं, तो मैं भी सत्याग्रह ही करूँगी। मरना तो है ही, फिर इस प्रकार क्यों मरूँ? मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक आप मेरे लिए सदा विदेशी वस्त्र ही लाने की प्रतिज्ञा न करेंगे, मैं भोजन न करूँगी। इसी स्थान पर प्राण त्याग दूँगी।

मैं सन्नाटे में आ गया। आश्चर्यपूर्वक मैंने उसकी ओर देखा। उसके नेत्रों में दृढ़ता की ज्योति चमक रही थी। मुझे इसकी स्वप्न में भी आशा न थी। यह तो उलटी आँतें गले पड़ी जा रही हैं, अब क्या करूँ? मैं चिन्ता में पड़ गया। बड़ी देर विचार करने के उपरान्त भी निश्चय न कर सका कि क्या करूँ? अन्त में सोचा—चलने दो सम्भव है, कल तक यह कुछ राह पर आ जावे।

५

सवेरा हो गया। पति-पत्नी दोनों ही सत्याग्रह पर डटे रहे। न तो कुमुदिनी ही अपनी प्रतिज्ञा से पग भर डिगी और न मैं ही। यह रात्रि भी बिना भोजन के व्यतीत हो गई। एक ओर चारपाई पर पड़ा मैं करवटें बदलता रहा, दूसरी ओर वह पृथ्वी पर पड़ी घड़ियाँ गिनती रही। राम-राम कर दिन निकला। प्रतिदिन की भाँति आज भी सूर्यदेव ने नभ-मण्डल के शुभ्र नील वर्ण आँचल को अपनी स्वर्णमयी किरणों से भर दिया। कदाचित विश्व की चिन्ताओं का उन पर कोई प्रभाव न पड़ता था।

कुमुदिनी की दशा आज और भी शोचनीय थी। वह पृथ्वी पर निश्चेष्ट पड़ी थी, उसके नेत्र बन्द थे। केवल कभी-कभी वह ऊपर की ओर देख लेती थी। इधर मेरी भी दशा कुछ ठीक न थी। भूख के कारण प्राण निकले से जा रहे थे। नेत्रों की पुतलियाँ तिलमिला रही थीं। मैं सरलतापूर्वक उठ भी न सकता था। परन्तु फिर भी सत्याग्रह तोड़ने का साहस न होता था। एक बार मन कहता, हटाओ भी इस झंझट को, किस मूर्खता में पड़े हो? व्यर्थ ही सत्याग्रह कर बैठे। यदि डाट कर कह देते कि चाहे जो हो, विदेशी वस्त्र लाकर न दूँगा, तो फिर किसका साहस था, जो उँगली उठाता। दूसरे ही क्षण आत्मा कहती, जो कुछ भी हुआ, अच्छा हुआ। ऐसी हठी स्त्रियों को सुमार्ग पर लाने के लिए उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। इसमें दबना हानिकारक होगा।

सन्ध्या हो चली, दोनों में से एक भी टस से मस न हुआ। कुमुदिनी की दशा बराबर गिरती जा रही थी। मैंने उसकी ओर देखा। उसे चेत बिल्कुल न था। श्वाँस बड़ी तीव्रता से चल रही थी। मेरे हृदय में एक विचार आया। कहीं यह मर गई तो? तुरन्त ही नेत्रों के सम्मुख एक दृश्य खिंच गया। कुमुदिनी का मृतक शरीर पृथ्वी पर पड़ा था। मैं उसके किनारे हो बैठा रो रहा था। माता-पिता भी घर से आ गए थे। माँ सिरहाने बैठी कह रही थीं—तेरे ही कारण यह सब हो गया रमेश! तुझको ऐसी मूर्खता सूझी ही क्यों? स्त्रियाँ तो स्वभावतः कोमलाङ्गी होती हैं, कहीं उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है!!

मेरा हृदय काँप उठा। मैंने जल्दी से अपने बन्द नेत्र खोल कर फिर कुमुदिनी की ओर देखा। उसकी श्वाँस और तेज़ी से चलने लगी थी। बड़ी कठिनता से उठ कर मैं कुमुदिनी के समीप आ बैठा और अपना हाथ उसके मस्तक पर फेरना आरम्भ कर दिया। उफ़्! उसका शरीर जल सा रहा था। ज्वर की मात्रा बड़ी तेज़ थी। मैंने मन में कहा—मैं यह क्या कर बैठा। वास्तव में मुझे उस समय अपनी मूर्खता पर हँसी आ रही थी और ज्योति पर क्रोध। यदि उस समय वह मिल जाता तो मैं उसे बिना मारे कदापि न छोड़ता, उसी के कारण हम आज इस दशा को पहुँच गए। परन्तु अब हो क्या सकता था?

अकस्मात् कुमुदिनी को चेत हो आया। उसने निराशा भरी दृष्टि से चारों ओर देखा, मेरी उसकी आँखें चार हो गईं। मैं अधिक न सह सका। शरीर में एक अद्भुत बल का सञ्चार हो आया। मैंने झपट कर कुमुदिनी को हृदय से लगा लिया। उस समय मेरे नेत्रों से झर-झर कर अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। कुमुदिनी की आँखें भी

(शेष मैटर १९वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)



चीन का स्वाधीनता-संग्राम

[मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव]

पूर्वीय एशिया में, पैसेफ़िक महासागर के तट पर, चीन नाम का वह महान राष्ट्र है, जिसकी सभ्यता और स्वतन्त्रता भारत की तरह ही पुरानी और अमर है। इस महान देश का क्षेत्र-फल १४,४९,९८० वर्ग मील और जन-संख्या ४३,६०,९९,००० है। चीन में अठारह बड़े-बड़े प्रान्त हैं। मन्चूरिया, केन्नरीन, कोरिन, हेवेङ्ग क्याङ्ग, मङ्गोलिया और तिब्बत उसके करद राज्य हैं। भारतवर्ष की तरह चीन भी कृषि-प्रधान देश है। चाय और रेशम की पैदावार यहाँ ख़ूब होती है। चीन अपनी विचित्र कारीगरी के लिए भी विश्व-विख्यात है। हमारे देश में तो 'हिकमते चीन' यह कहावत भी प्रचलित है। चीन में बहुत सी छोटी और बड़ी नदियाँ हैं, जिनके कारण उसका अधिकांश भू-भाग अत्यन्त उर्वर है। इसके सिवा कुछ भू-भाग पहाड़ी भी है। कुछ मुसलमानों और थोड़े से ईसाइयों को छोड़ कर, बाक़ी सभी चीनी बौद्ध मतावलम्बी हैं। परन्तु चीनियों की धार्मिक विभिन्नता हमारे देश की तरह राष्ट्रीयता की विघातिनी नहीं है। फलतः चीन एक अक्षुण राष्ट्र है। जिस तरह चीन का एक बौद्ध अधिवासी अपने को चीनी और चीन को अपनी मातृ-भूमि समझता है, उसी तरह एक मुसलमान और ईसाई भी अपने को चीन का अधिवासी और चीन को अपनी मातृ-भूमि समझता है। धार्मिक विभिन्नता के अतिरिक्त चीनियों में जातिगत पार्थक्य भी है। क्योंकि वहाँ चीनी, मुसलमान, मान्चू, मङ्गोल और तिब्बती, ये पाँच जातियाँ मौजूद हैं। वर्तमान प्रजातन्त्र में इन सभी जातियों को समान अधिकार प्राप्त हैं। सरकारी नौकरियाँ योग्यता के लिहाज़ से दी जाती हैं। चीन के प्रत्येक अधिवासी को समान रूप से मताधिकार प्राप्त है और जनता जिसे उचित समझती है, चाहे वह मुसलमान हो या बौद्ध अथवा ईसाई, अपना प्रतिनिधि चुन लेती है। वहाँ न तो अल्प-संख्यक का प्रश्न है और न बहु-संख्यक का। मज़हबी विचारों में प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र हैं और राजनीतिक मसले सारी जाति की राय से हल होते हैं।

आज से प्रायः दो हज़ार वर्ष पहले, जबकि चीन सम्पूर्ण स्वाधीन था, हूर्णों* के एक दल ने वहाँ आकर भयङ्कर उत्पात मचाना आरम्भ कर दिया। ये घोड़ों पर सवार होकर हज़ारों की संख्या में आँधी की तरह चीन में घुस आते और चीनी गाँवों को लूट-पाट कर चल दिया करते थे। इनके अमानुषिक उत्पातों के कारण चीनवासी घबरा उठे और बड़ी व्यग्रता से इनके आक्रमणों से अपने जानोमाल की रक्षा की तदबीर सोचने लगे। परन्तु इन बलवान डाकुओं को रोकना उनके लिए सम्भव नहीं था। क्योंकि उनके आक्रमण अचानक होते थे और गाँव वालों के सावधान होते न होते वे चल दिया करते थे। अन्त में चीन के तत्कालीन नरेश ने, अपने देश की शान्ति की रक्षा के लिए, हूर्णों के सरदार के पास अपना दूत भेज कर आपस में सुलह करने का प्रस्ताव उपस्थित किया। परन्तु सुलह तो दूर रही, हूर्णों ने बेचारे दूतों को ही बन्दी बना कर रख लिया। इसलिए उत्तर में लाचार होकर चीन राज ने कई हूर्णों को पकड़वा कर क़ैद कर लिया। फलतः हूर्णों के सरदार को इस बात की ख़बर मिली तो उसने चीनी दूतों को फ़ौरन छोड़ दिया। तब चीन राज ने भी उनके आदमियों को मुक्त कर दिया। साथ ही शान्ति-प्रिय चीन राज ने सूऊ नाम के अपने एक विश्वस्त दरबारी को हूर्णों के पास फिर भेज कर सन्धि कर लेने को कहा। परन्तु हूर्णों ने अस्वीकार कर दिया और सूऊ को भी क़ैद कर लिया।

सूऊ चूँकि चीन के एक प्रतिष्ठित सरदार थे, इसलिए हूर्णों ने उन्हें अपनी ओर मिला कर चीन को लूटना चाहा। उन्हें प्रलोभन दिया गया कि अगर हमारी बात मान लोगे तो हम लोग तुम्हें अपना सरदार बना लेंगे और सारा काम तुम्हारी ही आज्ञा से होगा। तुम शीघ्र ही बहुत बड़े धनवान हो जाओगे। परन्तु सूऊ ने यह घृणित प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, अपने ही देश को लूट कर मैं बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता और न तुम लोगों की तरह मैं डाकू या लुटेरा ही हूँ। देश की सेवा करता हुआ मैं सदा ग़रीब ही बना रहूँ, इसी को मैं अपने लिए परम सौभाग्य और गौरव की बात समझता हूँ।

हूर्णों ने यह उत्तर सुना तो सूऊ को एक कोठरी में बन्द कर दिया और उन पर नाना प्रकार के अमानुषिक अत्याचार करने लगे। परन्तु सूऊ अपने सिद्धान्त पर अटल रहे। उन्होंने साफ़-साफ़ कह दिया कि अगर मेरा प्राण ले लोगे तो भी मैं देश-द्रोहिता नहीं करूँगा। अन्त में जब किसी तरह सूऊ ने उनकी बात न मानी तो उन्होंने उन्हें चिरबन्दी बना लिया और चीन राज को ख़बर दे दी कि सूऊ मर गए।

अन्त में हूर्णों ने सूऊ को भेड़ें चराने का काम सौंपा। बेचारे सूऊ दिन भर भेड़ें चराते और अपने देश को इन हूण लुटेरों से बचाने की तदबीर सोचा करते। हूर्णों ने उनके चारों ओर कड़े पहरे का प्रबन्ध कर दिया था, इसलिए बेचारे किसी तरह भाग भी नहीं सकते थे। परन्तु यह अत्यन्त दुखदाई बन्दी-जीवन उनके लिए असह्य हो रहा था। वे भेड़ें चराते-चराते कभी-कभी रोने लगते और सोचते, काश, मैं पक्षी होता तो उड़ कर मातृ-भूमि की गोद में चला जाता। दुरवस्थाग्रस्त प्राणी कभी-कभी असम्भव उपायों द्वारा भी अपने परित्राण की कल्पनाएँ किया करता है। यहाँ तक कि कभी ऐसे ही असम्भव उपायों को काम में लाने का भी प्रयत्न कर बैठता है। कहावत है कि डूबता हुआ मनुष्य तिनके का सहारा पाकर भी अपने उद्धार की आशा करने लगता है। सूऊ ने ही एक ऐसे ही अभिनव उपाय का अवलम्बन किया। उन्होंने कई राजहंस पाले और उन्हें पत्र-वाहकता की शिक्षा प्रदान करने लगे। जब कुछ हंस तैयार हो गए तो उनके परों में एक पत्र बाँध कर सूऊ ने उन्हें अपनी मातृ-भूमि की ओर उड़ा दिया। उनका विश्वास था कि अगर एक भी हंस किसी तरह चीन में पहुँच गया तो उनकी चिट्ठी राजा के पास पहुँच सकती है और वे क़ैद से छुटकारा पा सकते हैं।

इस तरह सूऊ प्रति क्षण अपनी मुक्ति की आशा में रहने लगे। परन्तु वर्षों बीत गए चीन वालों ने उन्हें छुड़ाने की कोई तदबीर न की और न उनके भेजे हुए दूत ही वापस आए। वास्तव में सूऊ का कोई हंस राजा के पास तक पहुँचा ही नहीं। राजा तो जानते थे कि सूऊ मर गए।

इसी तरह और भी कई वर्ष बीत गए। एक दिन चीन-नरेश अपने कई दरबारियों के साथ शिकार खेलने निकले। एकाएक उनकी नज़र एक राजहंस पर पड़ी। वह किसी पेड़ की शीतल छाया में बैठा हुआ विश्राम कर रहा था। राजा ने उसे लक्ष्य करके एक तीर छोड़ा। हंस घायल होकर गिर पड़ा। जब राजा उसके पास

* यह एक प्राचीन मङ्गोल जाति थी जो पहले चीन की पूर्वी सीमा पर लूट-मार किया करती थी और अन्त में अत्यन्त प्रबल होकर एशिया और यूरोप के सभ्य देशों पर भी आक्रमण करने लगी थी।

—लेखक

सत्याग्रह

(१४वें पृष्ठ का शेषांश)

सुखी न थीं। आतुर स्वर में मैंने कहा—कुमुद ! मुझे क्षमा करो। मैं सर्वदा तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करता हूँ।

उसके नेत्र चमक उठे। मुस्कान की तीव्र लाली उसके अधरों पर अठखेलियाँ करने लगी। उसने कहा—सचमुच ! क्या सत्याग्रह तोड़ दोगे ?

मैंने कुछ उत्तर न दिया। मेरा मस्तक झुक गया। कुमुदिनी की हँसी कमरे में गूँज उठी। उसने अपने दोनों हाथ मेरे गले में डाल दिए और मेरी ओर देखते हुए कहा—नहीं, यह कदापि न होगा। मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा कभी न टूटने दूँगी। मैं आज से जीवन भर स्वदेशी ही पहनूँगी।

विस्मययुक्त होकर मैं बोल उठा—और तुम्हारी प्रतिज्ञा ?

"मेरी प्रतिज्ञा ? मैंने तो यह प्रतिज्ञा केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए की थी। मैं जानना चाहती थी कि पुरुष कहाँ तक अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रह सकते हैं ? आज मुझे विश्वास हो गया कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ अपने प्रण-पालन के लिए पुरुषों से कहीं अधिक त्याग कर सकती हैं।"

मैंने कुछ उत्तर न दिया। मेरा हृदय स्वयं अपनी हार स्वीकार कर रहा था। मेरे कन्धे के सहारे खड़े होते हुए उसने हँसते हुए कहा—अच्छा चलो, अब तो कुछ खाया-पिया जावे। 'सत्याग्रह' हो चुका।

कर्तव्य-विमूढ़ सा मैं उसके साथ हो लिया।

❀ ❀ ❀

पहुँचे तो उसके परों में बँधा हुआ एक पत्र देख कर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र उसे खोल कर पढ़ने का आदेश दिया। पत्र खोल कर पढ़ा गया तो लोगों के आश्चर्य का और भी ठिकाना न रहा। राजा फ़ौरन अपने राज-महल में वापस आए और राज-मन्त्री को बुला कर सारा हाल सुनाया। फलतः सूऊ को छुड़ाने के लिए तुरन्त ही कई चतुर सैनिक भेजे गए।

हूणों ने तुरन्त ही सूऊ को छोड़ दिया। स्वदेश-प्रेमिक सूऊ उन्नीस वर्ष के बाद डाकुओं की क़ैद से छुटकारा पाकर स्वदेश लौटे।

इस घटना के बाद से हूणों ने भी फिर चीन पर आक्रमण नहीं किया। क्योंकि उन्हें विश्वास था कि सूऊ उनका सारा भेद जान गया है और वह अवश्य ही राजसेना की सहायता से उनका दमन कर डालेगा। यह सोच कर उन्होंने सदा के लिए चीन की सीमा छोड़ दी।

इसके बाद बहुत दिनों तक चीन निश्चिन्त रहा। कभी किसी बाहरी शत्रु ने उस पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। हूण तो चीन की सीमा छोड़ कर उसी समय मध्य एशिया की ओर चले आए और अपना एक ज़बर्दस्त दल बना कर यूरोप के देशों को लूटना आरम्भ कर दिया।

इसी तरह और भी कई शताब्दियाँ बीत गईं। उस समय चीन के एक प्रान्त में जूनिङ्ग-फ़ू नाम का एक छोटा सा राज्य था। यह राज्य था तो छोटा, परन्तु यहाँ के निवासी बड़े वीर, साहसी और स्वाधीनता-प्रेमी थे। एकाएक एक दिन मोग़लों और शाङ्ग-जातीय नरेशों की नज़र चीन पर पड़ी और उन्होंने—अपनी सम्मिलित वृहद्वाहिनी लेकर चीन पर चढ़ाई कर दी। जूनिङ्ग-फ़ू प्रदेश का राजा अपनी सेना लेकर उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा। उसके थोड़े से योद्धाओं ने जान पर खेल कर शत्रुओं का सामना किया। परन्तु उनकी संख्या बहुत थोड़ी थी। इसलिए शत्रुओं की महती सेना के सामने वह बहुत देर तक नहीं ठहर सके। इसलिए वे मैदान छोड़ कर अपनी राजधानी में लौट आए और नगर का द्वार बन्द कर लिया। यह देख कर शत्रुओं ने भी नगर के चारों ओर घेरा डाल दिया।

महीनों बीत गए। जूनिङ्ग-फ़ू नरेश ने निश्चय कर लिया था कि जीवन रहते शत्रुओं के हाथों में आत्म-समर्पण नहीं करेंगे। इधर आक्रमणकारियों की यह धारणा थी कि खाद्य सामग्री समाप्त हो जाने पर झख मार कर हमारी शरण में आना पड़ेगा। इसी प्रकार और भी कुछ महीने बीत गए। धीरे-धीरे खाद्य सामग्री भी समाप्त हो गई। भूख की ज्वाला शान्त करने के लिए नगरवासियों ने गृहपालित जानवरों को मार-मार कर खाना आरम्भ कर दिया। अन्त में यहाँ तक नौबत पहुँची कि लोगों के खाने के लिए जानवर भी न रहे। खाद्याभाव के कारण जनता पागल हो उठी।

प्रजा की यह दुर्वस्था देख र राजा ने नगर का सिंहद्वार खोल देने की आज्ञा दे दी। परन्तु साथ ही यह भी निश्चय कर लिया कि जीते जी आत्म-समर्पण न करेंगे। फलतः उधर ज्योंही नगर का सिंहद्वार खोला गया त्योंही राजा की आज्ञानुसार राजमहल में आग लगा दी गई। राजपूताना की वीर-बालाओं की तरह जूनिङ्ग-फ़ू राज-परिवार में भी आत्म-सम्मान की रक्षा के लिए 'जौहर-व्रत' का अवलम्बन किया। जिस समय शत्रु-सेना ने राजधानी में प्रवेश किया उस समय राजमहल जल रहा था। शत्रु हताश होकर लौट गए। राजा के स्वतन्त्रता-प्रेम के प्रति उन्होंने सम्मान प्रकट किया और फिर कभी चीन पर हमला नहीं किया।

उपर्युक्त घटना के बाद फिर कई शताब्दियाँ बीत गईं। चीन बड़ी सतर्कता से अपनी स्वाधीनता की रक्षा करता रहा। इस बीच में बाहरी शत्रुओं के कई छोटे-मोटे आक्रमण भी हुए, परन्तु चीनी वीरों ने उन्हें बात की बात में मार भगाया। अन्त में उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ी मान्चुओं के राजत्वकाल में।

एक बार चीन के किसी राजा ने अपनी बाग़ी प्रजा के दमन के लिए मन्चूरिया वालों से सहायता की प्रार्थना की। उन्होंने आकर विद्रोह तो शान्त कर दिया, परन्तु साथ ही स्वयं चीन के राजसिंहासन पर अधिकार जमा लिया। मान्चू-नरेश बड़े उजड्ड और अत्याचारी थे। इनमें न तो राज्य-शासन की योग्यता थी और न राजनीति के दाव-पेंच समझने की। चीन-जैसे एक विशाल राज्य का आधिपत्य प्राप्त कर ये अपने को भूल गए और अपनी विलास-वासना की तृप्ति के लिए प्रजा पर नाना प्रकार के अत्याचार करने लगे।

इसी समय विदेशी वणिकों की नज़र चीन पर पड़ी और वे वहाँ जाकर अपने अड्डे जमाने लगे। चीन की प्रजा को अज्ञानान्धकार से निकाल कर स्वर्ग के आलोक में भेजने वाले पादरियों का दल भी यहाँ इसी मान्चू राजत्व-काल में ही पहुँचा था। मान्चुओं तथा विदेशी वणिकों के अत्याचारों से चीन की प्रजा घबरा उठी। परन्तु उसमें इतनी शक्ति कहाँ थी, जो इन दो बड़ी बलाओं का सामना कर सकती? अयोग्य शासक के कारण उसकी सारी गौरव-गरिमा, कला-कुशलता और बल-वैभव नष्ट हो चुका था। एशिया का महान राष्ट्र मान्चू-नरेशों की अयोग्यता और अपटुता के कारण संसार का एक पिछड़ा हुआ, असभ्य और असङ्गठित राष्ट्र के रूप में परिणत हो गया।

इस समय अङ्गरेज़ वणिकों का एक दल अफ़ीम लेकर चीन पहुँचा और उन्हें समझाना आरम्भ किया कि हम बड़ी दूर से यह काली-काली सञ्जीवनी बूटी तुम्हारे लिए लाए हैं। इसके सेवन से तुम लोगों का इहलोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएगा। बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके खाने से शरीर में अपूर्व बल और अलौकिक स्फूर्ति का सञ्चार होता है। पाचनशक्ति दिन दूनी और रात चौगुनी गति से बढ़ने लगती है। यह अलौकिक बूटी बूढ़ों को जवान और नवजवानों को पहलवान बना देती है।

इसके पहले बेचारे चीन वाले जानते भी न थे कि अफ़ीम किस चिड़िया का नाम है। गोरे वणिकों की लच्छेदार बातों के फेर में पड़ कर उन्होंने बड़े प्रेम से यह हलाहल पान करना आरम्भ कर दिया। भारतवर्ष में भारत-सरकार की देख-रेख में, ख़ूब धूमधाम से अफ़ीम की खेती होने लगी और मज़बूत पेटियों में भर-भर कर लाखों रुपए का माल चीन भेजा जाने लगा। चीन में इस ज़हर का रिवाज इतना बढ़ा कि लोग तम्बाकू की तरह अफ़ीम का सेवन करने लगे। यहाँ तक कि स्त्रियाँ और बच्चे तक भी इस सत्यानाशी व्यवसाय से नहीं बच सके!

अन्त में जब जाति सत्यानाश की सीमा पर पहुँची तो चीन के कुछ हितैषियों की आँखें खुलीं। सञ्जीवनी बूटी का मर्म उनकी समझ में आ गया। अच्छी तरह समझ गए कि ये स्वार्थी गोरे बनिए। हमारा सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने अफ़ीम के विरुद्ध घोर आन्दोलन आरम्भ किया। जो लोग इसकी पिनक में बेहोश थे, उन्हें सावधान किया। चारों तरफ़ रोक-थाम होने लगी। अङ्गरेज़ों से कहा कि अब वे कृपा करके इस देश में अफ़ीम न लाएँ। परन्तु स्वार्थान्ध अङ्गरेज़ भला कब इन बातों पर ध्यान देने लगे? उन्होंने चीनियों की प्रार्थना पर कर्णपात करना उचित न समझा; क्योंकि चीन में अफ़ीम बेचना तो उनका ईश्वरदत्त अधिकार था। वे भला अपने इस अधिकार को क्यों परित्याग करते? उन्होंने चीनियों के मना करने पर भी अफ़ीम की २०,२६१ पेटियाँ ले जाकर चीन के बन्दरगाह पर उतारा। यह देख कर चीनी आग-बबूला होगए और सारी पेटियाँ ज़ब्त कर लीं।

फिर तो चीन से इङ्गलैण्ड तक एक तहलका सा मच गया। ब्रिटिश सरकार ने निर्लज्जतापूर्वक चीन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। हज़ारों चीनी अफ़ीम न खाने के गुरुतर अपराध में मार डाले गए। अन्त में अङ्गरेज़ों को विजय प्राप्त हुई। चीन हार गया। यह देख कर फ़्रान्स, जर्मनी, जापान और रूस ने भी चीन पर चढ़ाई कर दी। लूट में चर्खा भला की कहावत चरितार्थ हुई। इन सभी वजेताओं ने मानो अफ़ीम का विरोध करने के दण्ड-स्वरूप चीन का थोड़ा-थोड़ा सा भू-भाग अपने-अपने अधिकार में कर लिया। किसी ने कोई बन्दरगाह हथियाया और किसी ने कोई प्रान्त। चीन के मान्चूवंशीय नरेश ने चीनी राष्ट्र की रक्षा की अपेक्षा अपने राजसिंहासन की रक्षा का ही अधिक ख़याल रक्खा। उसने इस युद्ध-काण्ड का सारा अपराध देशवासियों के मत्थे मढ़ कर उन पर तरह-तरह के अत्याचार करना आरम्भ कर दिए।

उस समय वर्तमान चीन के भाग्य-विधाता वीर-केशरी सनयात सेन लड़के थे! परन्तु उस छोटी उमर में भी वे अपने देशवासियों की दयनीय पराधीनता का अनुभव कर सकते थे। और देश को स्वाधीन करने के मनसूबे बाँधा करते थे। इसके बाद, भयानक दिनों में उन्होंने विद्या-शिक्षा की इच्छा से विदेशों की यात्रा की, अमेरिका और यूरोप की स्वाधीन आबोहवा ने उन्हें और भी बेचैन कर दिया। चीन के सिवा पृथिवी के सारे देशों को स्वाधीन देख कर उनकी यह बेचैनी और भी बढ़ गई। इधर मान्चुओं और विदेशियों का अत्याचार भी दिन दूनी और रात चौगुनी गति से बढ़ने लगा। यह देख कर सनयात सेन के मन में मुक्ति की वासना प्रबल हो उठी। उन्होंने अपने को देश-सेवा के लिए उत्सर्ग कर दिया।

विदेश से लौट कर सनयात सेन स्वाधीनता का आन्दोलन आरम्भ कर दिया। उनकी लेखनी और वाणी ने चीन के हज़ारों-लाखों नवयुवकों के दिलों में स्वाधीनता की आग धधका दी। मान्चू-राजसिंहासन डगमगाने लगा। राज्याधिकारियों ने सनयात सेन को पकड़ने का आयोजन किया। परन्तु वे न जाने कब ग़ायब होगए और गुप्त रूप से चीन की मिट्टी में विप्लव का बीज बोने लगे। अन्त में कई वर्षों के प्रयत्न के बाद उनकी साधना सफल हुई। सारे चीन में विप्लव की भीषण आग जल उठी और उसने मान्चू-राजवंश का समूल ध्वंस कर डाला। विदेशियों ने एक बार फिर टाँग अड़ाया, परन्तु विप्लव की भीषण गति को रोकना उनके लिए सम्भव नहीं था। चीन स्वतन्त्र हुआ। चीन में प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली की प्रतिष्ठा हुई। सनयात सेन ने अपने सहकर्मी और चीन के अन्यतम नेता युमान शिकाई को राष्ट्रपति का पद प्रदान किया। उनकी चिर-सञ्चित अभिलाषा पूरी हुई।

परन्तु युमान शिकाई लोभ में पड़ गया। उसने प्रजातन्त्र को ध्वंस कर के स्वेच्छाचार आरम्भ कर दिया। वास्तव में वह चाहता था, चीन का बादशाह बन बैठना। उसने कुछ अपने पिट्ठुओं को एकत्र कर के एक दल तैयार किया और सेना तथा अन्य विभागों पर अपना पूर्ण-प्रभुत्व जमा कर सनयात सेन के चिर-सञ्चित लालसा पर पानी फेर देने का आयोजन किया। इसलिए सनयात सेन को फिर नए सिरे से साधना आरम्भ करनी पड़ी। उन्होंने युमान शिकाई के विरुद्ध विद्रोह का प्रचार आरम्भ कर दिया। चीन दो भागों में विभक्त हो गया।

(शेष मैटर १७वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

साम्यवाद पर एक दृष्टि

[श्री० 'प्रत्यक्षवादी']

अराजकतावादी, जो सब प्रकार के शासन के विरोधी हैं, कहते हैं कि साम्यवादी अर्थात् कम्यूनिस्ट पथ-भ्रष्ट हैं, क्योंकि वे क्रमशीलता या प्रबन्ध के पक्षपाती हैं, और किसी प्रकार की शक्ति या अधिकारपरता तथा किसी प्रकार की राज्य-सत्ता का अर्थ है, अत्याचार और ज़बर्दस्ती। परन्तु साम्यवाद के सिद्धान्तों से स्पष्ट है कि उनका यह आक्षेप ठीक नहीं। क्योंकि कौटुम्बिक-पद्धति जीवन-यात्रा की वह पद्धति है, जिसमें न श्रमिक होते हैं, और न धनपात्र या पूँजीपति और न किसी तरह की सरकार ही होती है। अराजकतावाद और कुटुम्बवाद में यह अन्तर नहीं है कि उसमें राज्य-शासन नहीं होता और इसमें होता है, क्योंकि दोनों में ही राज्य-शासन नहीं होता। इनमें जो प्रधान अन्तर है, उसे हम निम्नलिखित पंक्तियों के द्वारा बताने का प्रयत्न करते हैं।

अराजकतावादी ख़्याल करते हैं कि अगर सारी पैदावार छोटे-छोटे मेहनत करने वाले कुटुम्बों में बाँट दी जायगी, तो उनका जीवन अधिक अच्छा और स्वतन्त्र होगा। मान लें कि दस आदमियों की एक गोष्ठी बनी और इसमें जो आदमी शामिल हुए, अपनी स्वतन्त्र इच्छा से हुए। अब ये दस अपनी ही ज़िम्मेवारी पर अपने ही स्वार्थ के लिए काम करना प्रारम्भ करते हैं। इसी तरह की और भी कुछ गोष्ठियाँ बनीं और समय पाकर एक-दूसरे के साथ उन चीज़ों के सम्बन्ध में समझौता करती हैं, जो एक गोष्ठी में नहीं होतीं, दूसरी में होती हैं।

अब इन छोटे-छोटे कुटुम्बों में ज़रूरत की सब चीज़ें पैदा की जाने लगीं। प्रत्येक मनुष्य को अधिकार है कि जब चाहे कुटुम्ब से अलग हो जाय और प्रत्येक कुटुम्ब को भी अधिकार है कि उन कुटुम्बों के सङ्घ से, जिसमें वह शामिल हुआ था, जब चाहे नाता तोड़ ले।

परन्तु यह बात देखने में सरल होने पर भी समयानुसार ठीक नहीं है। जो काम करने वाले कल से चलने वाले कारख़ानों के माल के पैदावार की रीति को समझते हैं, वे तुरन्त ही कह देंगे कि यह बात ठीक नहीं है।

भावी सामाजिक व्यवस्था का मतलब यह है कि काम करने वाला वर्ग दो बुराइयों से बचाया जाय। पहले मनुष्य पर मनुष्य की हुकूमत न हो, कोई किसी को सतावे नहीं; न कोई दूसरे से अनुचित लाभ उठाए, न लूट-खसोट करे, जैसा कि आजकल होता है। यह अभीष्ट तो पूँजीवाद के हटा देने से सिद्ध हो जाता है। परन्तु एक दूसरी समस्या भी है, और वह है प्रकृति की हुकूमत को हटाना, प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाना और सर्वोत्तम और बिल्कुल ठीक तरह पर माल की पैदावार का सङ्गठन करना। हमें आग, पानी, हवा आदि पर क़ाबू पाना होगा। विज्ञान के बल से हमें मनुष्य-जाति मात्र का उत्थान करना होगा। जिस तरह आजकल विज्ञान और कला के बल से माल पैदा किया जाता है, उसी तरह हमें नई व्यवस्था में भी करना होगा। बिना इसके काम नहीं चल सकता। बिना विज्ञान-बल के यह सम्भव नहीं कि मनुष्य बहुत थोड़ा समय तो अन्न पैदा करने, वस्त्र तैयार करने और घर-बार बनाने में लगावे और बाक़ी बहुत सा समय ज्ञान-वृद्धि में ख़र्च करे। विज्ञान और कला-कौशल का मनन करना, मनुष्य-जीवन को सुखी और सुन्दर बनाना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यों तो बहुत प्राचीन काल में भी हमारे पूर्व-पुरुष थोड़े-थोड़े आदमियों का ग़ोल बाँध कर रहते थे। परन्तु उनका जीवन पाशविक था, क्योंकि वे प्रकृति के दास थे। उन्होंने प्रकृति को अपना दास नहीं बनाया था। आज पूँजीवाद के काल में बहुत ज़्यादा तादाद में माल बनाने या पैदावार करने के साथ-साथ मनुष्य जाति ने प्रकृति पर अधिकार करना सीखा है, फिर भी ग़रीब, मज़दूर, काम करने वाले लोग अभी पशु के ही समान बने हैं, क्योंकि ये धनवानों के पञ्जे में फँसे हैं और इसका कारण है साम्पत्तिक विषमता। एक छोटा है और दूसरा बड़ा। क्योंकि एक के पास धन नहीं है और दूसरे के पास धन है। परन्तु चाहिए यह कि साम्पत्तिक समता के साथ-साथ विज्ञान-बल से, मैशीनों के ज़रिए से अधिक परिमाण में चीज़ों के बनाने और उपजाने का काम भी बना रहे। इससे बहुत से छोटे-छोटे और अयोग्य उद्यम अवश्य नष्ट हो जायँगे और सारे काम बड़े-बड़े कारख़ानों में केन्द्रित करने पड़ेंगे। परन्तु यह काम इस तरह पर न होने चाहिए कि सोहन को पता ही न हो कि मोहन क्या करता है। हम तो संयुक्त ढङ्ग से काम चाहते हैं। अगर यह ढङ्ग अधिक से अधिक स्थानों पर चले तो और भी अच्छा, क्योंकि अगर अन्त में सारी दुनिया एक श्रमिक-सङ्घ बन जायगी तो मनुष्य मात्र सुखी और स्वतन्त्र रह सकेंगे। बड़े-बड़े कारख़ाने काम के केन्द्र होंगे, तो थोड़ी मेहनत से बहुत सा सामान पैदा करने के बाद मनुष्यों को मानसिक उन्नति का ख़ूब अवसर मिलेगा। परन्तु अराजकतावाद की भावी सामाजिक व्यवस्था इसके विरुद्ध है। इससे तो विज्ञान-बल की वृद्धि के स्थान में उसका ह्रास ही होगा। इस प्रकार से बुख़ारिन ने अराजकतावाद के और भी अनेक दोष बतलाए हैं। पीटर क्रूपाटकिन ने भी अराजकतावाद पर 'Modern Science and Anarchism' नाम की छोटी सी पुस्तक में कई पहलू से विचार किया है। पाठकों को विशेषज्ञता के लिए क्रूपाटकिन, मीकाईल बेकुनिन और प्राउढन वग़ैरह के मन्तव्यों को विचारपूर्वक पढ़ना चाहिए और कम्यूनिस्टिक अनारकिज़्म, अनारकिस्टिक कम्यूनिज़्म और कम्यूनिज़्म विशुद्ध के सूक्ष्म भेदों को समझना चाहिए। इस लेख में हम औपपत्तिक गहनता में जाना नहीं चाहते और अपने मूल मन्तव्य की ओर ध्यान देते हैं।

ग़रीबों के प्राधान्य से साम्यवाद हो सकता है

कुटुम्बवाद की व्यवस्था कैसे क़ायम हो? इसके उत्तर में कम्यूनिस्ट या कुटुम्बवादी कहता है—'ग़रीबों की प्रधानता से।' प्रधानता का अर्थ है पूर्ण अधिकार, सार्वजनिक शासनाधिकार। इस तरह की सरकार साम्यवादियों की क्रान्ति से ही उत्पन्न और स्थापित हो सकती है। यही सरकार धनिक शासन और धनिक शक्ति को नष्ट करके उसके खण्डहरों पर नई इमारत बना सकेगी। इसमें सभी ग़रीबों, भूखे-मरतों और दीन-दुखियों की सहायता की दरकार होती है।

यही कारण है कि साम्यवादी श्रमिकों (Workers') का राज्य चाहता है। पहले यह सरकार अस्थायी रूप से काम चलाने के लिए बनाई जाती है। जब ग़रीबों का पक्ष बलवान होकर सम्पत्तिवाद को नष्ट कर देता है, तब सब बराबर के भाई-भाई बन कर सुख-शान्ति के साथ रहते हैं। उस समय न पुलीस की ज़रूरत होती है और न अदालत की।

लेकिन साम्यवाद का प्रचार आसानी से उसी देश में हो सकता है, जिसमें छोटी-छोटी कल्पित जातियों के विभाग न हों, ग़रीब लोग आपस में जन्म या कर्म के कारण एक-दूसरे को छोटा-बड़ा समझना छोड़ दें। स्त्री हो या पुरुष, विद्वान हो या अनपढ़—सबके नैसर्गिक अधिकार बराबर हैं। धर्म और नीति के नाम पर अथवा क़ानून या रीति-रिवाज के नाम पर एक को वही अधिकार हो जो दूसरे को नहीं है, तो साम्यवाद की नींव का डालना दुस्तर हो जाता है। संसार में सब से बड़ी दो ही जातियाँ हैं, एक ग़रीब और दूसरी अमीर। अब हमें इन दोनों को मिला कर एक करना है, साम्यवाद को स्थापित करना है, तो पहले हमें धर्म के भेद को और बनावटी जातियों के बन्धनों को तोड़ना पड़ेगा। इस पृथ्वी पर सबको एक समान रहने का हक़ है, सबको खाने-पहनने, रहने-सहने का सामान मिलना बहुत ज़रूरी है। किसी का कोई ऐसा जन्म-सिद्ध अधिकार नहीं है कि वह दूसरे को सतावे या ग़ुलाम बना कर रक्खे। अब ग़रीबों को सचेत और सतर्क होकर रहना चाहिए और अपने प्राकृत अधिकार के लिए हाथ-पैर हिलाने का दृढ़ विचार कर लेना उचित है। जहाँ कहीं ग़रीब, अछूत और स्त्रियाँ अपने अधिकारों के लिए आन्दोलन कर रही हैं, उन्हें उनके अधिकार तुरन्त दे देना ही कल्याणकारी है। जहाँ इन लोगों ने आन्दोलन प्रारम्भ नहीं किया है, वहाँ उनको स्वतः उनके अधिकार दे देना अधिकार-प्राप्त

चीन का स्वाधीनता-संग्राम

(१६वें पृष्ठ का शेषांश)

उत्तर चीन युमान का पक्षपाती बना और दक्षिण चीन सनयात सेन का।

भयङ्कर गृह-कलह आरम्भ हुआ। दोनों दलों में भीषण लड़ाइयाँ हुईं। हज़ारों चीनी आपस में लड़ कर मर गए। परन्तु सनयात सेन को विश्वास था कि एक न एक दिन उनके सिद्धान्तों की ही विजय होगी। इसलिए उन्होंने यह युद्ध जारी रक्खा। परन्तु दुःख की बात है कि वे अपने दल की अन्तिम विजय नहीं देख सके। जिस समय यह गृह-कलह जारी था, उसी समय वीर केशरी सनयात सेन का देहान्त होगया। राष्ट्रवादी हताश होगए। परन्तु उन्होंने लड़ाई नहीं बन्द की। अन्त में विजयलक्ष्मी भी उन्हीं को प्राप्त हुई। उत्तरी दल का सरदार च्यांग-सो-लिन मारा गया। दक्षिण के राष्ट्रीय दल ने चीन में स्वाधीनता की पताका फहरा दी।

इस समय चीनी राष्ट्र के कर्णधार चियांकाई सेन हैं। राष्ट्र का शासन-सूत्र अपने मज़बूत हाथों में लेते ही चियांकाई सेन की दृष्टि सबसे पहले विदेशी बन्धुओं पर पड़ी। इसलिए उन्होंने उन्हें सावधान कर दिया कि वे हमारे राष्ट्रीय कार्यों में हस्तक्षेप करने से बाज़ आवें। यही नहीं, उन्होंने उनके साथ स्वतन्त्र सन्धियाँ भी कीं और चीन के अभ्यन्तरीय मामलों में हस्तक्षेप करने से उन्हें बाज़ रखा।

यद्यपि चीन इस समय स्वतन्त्र है, परन्तु स्वर्गवासी सनयात सेन की धर्मपत्नी का कहना है कि जिस महान् आदर्श को लक्ष्य में रख कर स्वर्गीय सनयात सेन महोदय ने कार्यारम्भ किया था, उस आदर्श की प्रतीक्षा अभी चीन में नहीं हुई है। क्योंकि अभी भी वहाँ कुलीनों और धन वालों का ही बोल बाला है। उनका कहना है कि जिस दिन चीन के किसान और मज़दूर स्वयं शासन-सूत्र ग्रहण करेंगे, उसी रोज़ चीन वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त करेगा। यह देवी स्वयं आदर्श की प्रतिष्ठा में लगी हैं और क्रमशः सफलता की ओर अग्रसर हो रही है।

❀ ❀ ❀

लोगों का काम है। इस तरह पर धन-सत्ता और कुछ दिन चल सकती थी, परन्तु अब नहीं चल सकती, क्योंकि ग़रीबों के शरीर से रक्त का अन्तिम बूँद निकल चुका है। पृथ्वी पर धन-सत्तावादियों के बड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित हैं। यह एक दूसरे की मदद करके धन-सत्तावाद को वश चलते नाश न होने देंगे। किसी एक देश में साम्यवाद क़ायम हो जाने से संसार में शान्ति नहीं विराज सकती। इसके लिए सारे संसार के ग़रीबों को—क्या मज़दूर, क्या किसान, क्या सिपाही और प्यादे, सबको मिल कर कोशिश करने की ज़रूरत है।

अमेरिका और फ़्रान्स आदि की प्रजातन्त्र सरकारें, जो पार्लामेण्ट या राजसभा द्वारा चलती हैं, उनमें और मेहनतियों की प्रजासत्ता सरकार में क्या अन्तर है, यह बात जान रखने की है। मज़दूरों या श्रमजीवियों के प्रजातन्त्र सरकार में जो लोग मेहनत नहीं करते, पड़े-पड़े हरामख़ोरी करते हैं, दूसरों की कमाई से मौज उड़ाते हैं, उनको न प्रतिनिधियों के चुनाव में मत देने का अधिकार होगा और न उन्हें शासन में भाग लेने दिया जायगा। मेहनती लोगों का देश पर शासन होगा। राजसभा में केवल श्रमजीवी या मेहनत करने वालों को ही प्रतिनिधि चुना जायगा। इन प्रतिनिधियों का चुनाव उसी जगह होगा, जहाँ वह काम करते होंगे, जैसे मिल, कारख़ाने, आकर और छोटे-बड़े ग्राम, जिनमें किसानों का समूह बसता हो। धनवान, ज़मींदार, सराफ़, सट्टेबाज़, सौदागर, दूकानदार, सूदख़ोर, पुरोहित, पण्डे, पुजारी और धर्मयाजक न मत दे सकेंगे, न किसी काम पर रक्खे जायँगे।

धन वालों के पार्लामेण्टरी प्रजातन्त्र की जड़ कौन्सिल और एसेम्बली होती है।* लेकिन श्रमिक प्रजातन्त्र का प्रधान आधार श्रमजीवियों की पञ्चायत है। श्रमजीवियों की पञ्चायत और धनवानों की एसेम्बली या राज्य-परिषद् में एक ख़ास अन्तर है। श्रमिक पञ्चायत में केवल मेहनत करके खाने वाले ही शामिल होते हैं और धनवानों की राज्य-परिषद् में धनवान, ज़मींदार और धर्मयाजक भी शामिल हो सकते हैं और उनके आश्रित भी चुने जा सकते हैं। यह लोग अपना बल रुपए के ज़ोर से जमा लेते हैं और ग़रीबों का कोई हाथ शासन में नहीं रहने देते।

छापाख़ाना, अख़बार, मासिक पत्र, बड़े-बड़े वक्ता, सब अमीरों के धन के बल उन्हीं का पक्ष लेते हैं। बहुत से गुमाश्ते, एजेण्ट इनके इशारे पर काम करते हैं। कितनों को ओहदों की रिशवत देकर धनवान लोग अपनी तरफ़ मिला लेते हैं। बड़ी-बड़ी तनख़्वाहों की मिनिस्ट्री वग़ैरह के लोभ में आकर विद्वान लोग धनवान के और उनके द्वारा सञ्चालित शासन-तन्त्र के पक्ष में हो जाते हैं।

धन-सत्तावादिनी राज्य-परिषद् के चुनाव में कहा जाता है कि सबको मत देने का अधिकार है। परन्तु यह अधिकार ३,४ या ७ वर्ष के बाद एक दिन को ही देखने में आता है। ग़रीबों, मज़दूरों को झूठा लोभ देकर या बात बना कर धनवान लोग वोट (मत) ले लेते हैं और मनमानी करते रहते हैं। दूसरे चुनाव तक उनकी कुत्तों के बराबर भी क़द्र नहीं होती। इस तरह वाग्जाल से निर्धनों को धोखा दिया जाता है, ठगा जाता है और प्राकृत अधिकारों से वञ्चित रक्खा जाता है। फ़्रान्स, स्विटज़रलैण्ड और उत्तर अमेरिका संयुक्त राज्यों के प्रजातन्त्र हमारे सामने मौजूद हैं; हम आँखें खोल कर देख सकते हैं।

लेकिन श्रम-सत्तावादिनी सरकार में सब श्रम करने वाले ही होते हैं। किसान, मज़दूर, फ़ौज और पुलीस के सिपाही सब भाई-भाई की तरह मिल कर अपना प्रबन्ध करते हैं। इसमें कोई किसी को लूटने या कष्ट देने की चेष्टा नहीं करता, मिल कर कमाना या पैदा करना और खाना इनका ध्येय होता है। इसका प्रबन्ध बहुत ही सावधानी से और अलग सिद्धान्त पर होता है। श्रमिक सरकार जन-समूह से अलग धनवानों के आश्रित वेतन-भोगियों के गुट्ट पर निर्भर नहीं होती। श्रमिकों और किसानों की सहायता और समर्थन से श्रमिक सरकार और उसके अङ्ग काम करते हैं। मज़दूर-सभाओं (ट्रेड-यूनियन), कारख़ानों और फ़ैक्टरियों की समितियाँ (कमिटियाँ), मज़दूरों और किसानों की स्थानीय पञ्चायतें, सिपाहियों और जहाज़ियों आदि की सङ्गठित सभाएँ सब मिल कर केन्द्रीय श्रमिक सरकार का समर्थन और संरक्षण करती हैं। इस केन्द्रीय सरकार से हज़ारों-लाखों शाखाएँ निकल कर सर्वत्र फैल जाती हैं। पहले तो प्रान्तों और ज़िलों में पहुँचती हैं। उसके बाद क़स्बों और क़स्बों से छोटे-छोटे ग्रामों तक में श्रमिक प्रजातन्त्र की शाखाएँ अपना स्थान मज़बूत कर लेती हैं। किसानों, कारीगरों और कारख़ानों तक में हज़ारों मेहनतियों को एक सूत्र में बाँध कर श्रमिक प्रजातन्त्र काम करता है। जितनी भी संस्थाएँ श्रमिक प्रजातन्त्र की होती हैं, सबका सङ्गठन इसी नीति और रीति पर होता है। सार्वजनिक सम्पत्ति की प्रधान कौन्सिल को ही लीजिए। यह कौन्सिल ट्रेड-यूनियनों की केन्द्रिक कमिटी, कारख़ानों और दूसरे सङ्गठनों की कमिटी के प्रतिनिधियों से बनती है। ट्रेड-यूनियनों में कपड़ा, जूता वग़ैरह सभी चीज़ों को बनाने या पैदा करने वाली शाखाओं का मिला हुआ सङ्घ होता है। इनकी शाखाएँ हर क़स्बे में होती हैं। कारख़ानों और कारीगरों आदि के समूहों का सङ्गठन इनको अपनाए रहता है। हर कारख़ाने और कारीगरी के काम करने वालों की एक कमिटी होती है। इस कमिटी को कारख़ाने वाले ही चुनते हैं। यह छोटी-छोटी कमिटियाँ मिल कर प्रधान कौन्सिल को अपना प्रतिनिधि भेजती हैं। प्रधान कौन्सिल पैदावार के तरीक़े बतलाती और साम्पत्तिक कामों की सलाहें देती रहती है। इस तरह नीचे से ऊपर तक सर्वत्र मज़दूरों और किसानों का हाथ होता है। इनमें ग़रीब से ग़रीब और छोटे से छोटा आदमी भी एक समान सम्मिलित होता और काम करता है। यह बात धनवानों के शासन-प्रबन्ध में नहीं होती। इसलिए श्रमिक प्रजातन्त्र और धनसत्तावादी प्रजातन्त्र में बड़ा अन्तर होता है। सब से बड़ी बात, जो श्रमिक शासन में होती है वह यह है कि श्रमिकों की स्वतन्त्र पञ्चायतें देश का शासन करती हैं और बड़े-बड़े सङ्घों (यूनियनों) से लगातार लगाव बना रहता है और जनता का समूह सब समय देश के प्रबन्ध में भाग लेता रहता है। इस ढङ्ग से प्रत्येक सङ्गठित काम करने वाला अपना प्रभाव काम में ला सकता है। ऐसा नहीं होता कि महीने या दो महीनों में अपना प्रतिनिधि चुन कर ही लोग अलग हो जायँ।

पहले ट्रेड-यूनियनें माल की पैदावार का एक ढाँचा या तजवीज़ तैयार करती हैं, यह ढाँचे सार्वजनिक सम्पत्ति की कौन्सिल में पेश होकर विचार में आते हैं और जो वह काम में लाए जा सकने वाले प्रतीत होते हैं तो उन पर अमल किया जाता है और उनको क़ानून की हैसियत मिल जाती है। इस तरह हर एक छोटी कमिटी एक नया लाभदायक ढङ्ग खड़ा कर सकती है। धनवानों के शासन में साधारण जनता जितनी प्रबन्ध के काम से उदासीन रहे, उतना ही गवर्नमेण्ट (शासन-सरकार) को सुख प्रतीत होता है। धनिक सरकार यह नहीं चाहती कि उसके काम में प्रत्येक आदमी का हाथ हो, क्योंकि उसके स्वार्थ ग़रीबों के स्वार्थ से भिन्न होते हैं। धनिक सरकार का आधार साधारण जन-समूहों को छलना होता है। वह जनता को औंधा नींद में रखना चाहती है, बिलकुल जागने नहीं देती। जनता को

बिखरे मोती

[संग्रहकर्ता—श्री० हरिश्चन्द्र वर्मा, विशारद]

राष्ट्र को अपनी भावी उन्नति के लिए श्रेष्ठ माताओं से बढ़ कर और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं।

❀

न्याय तथा सन्धियों की रक्षा के अतिरिक्त, दो राष्ट्रों में अनन्त-ऐक्य-स्थापन के लिए और कोई साधन नहीं।

❀

सदाचार ही जीवन की ज्योति है; जिससे वह चमकता है और जिसके अभाव से वह अन्धकारमय हो जाता है।

❀

जिस कार्य के कर सकने में असमर्थ हो उसे करने का बीड़ा मत उठाओ, परन्तु अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने को सदा सावधान रहो।

❀

मनुष्य को दोनों समय पेट भरने की चिन्ता में ही निमग्न रहना शोभा नहीं देता।

❀

उन्नति-पथ उद्यान की भाँति साफ़-सीधी सड़क नहीं, काँटेदार झाड़ियों से भरा हुआ जङ्गली रास्ता है। यहाँ कठिनाइयाँ हैं, परीक्षा है, वियोग की दारुण यातना है। यहाँ वास्तविकता का ताण्डव-नृत्य है, कल्पना का सुखद स्वप्न नहीं।

❀

केवल अपने ही लिए मत जियो।

❀

असहयोग और कुछ नहीं, केवल सद्प्रवृत्तियों का सत्कार और कुप्रवृत्तियों का त्याग है।

❀

क्रान्ति समस्त दैवी कोपों से बढ़ कर दुर्भाग्य है।

❀

दासता की बेड़ी काटने के लिए सत्य व्रत से बढ़ कर दूसरा अस्त्र नहीं।

❀

शान्ति की अभिलाषा करने वाले को युद्ध की तैयारियाँ करनी चाहिए।

❀

कठिनाई ही परीक्षा की कसौटी है।

❀

असफलता नहीं, हीन उद्देश्य पाप है।

❀

किसान ही देश की आत्मा हैं और बच्चे ही देश के भविष्य, दोनों के शिक्षित होने में ही कल्याण है।

❀

धनिक शासन हर काम में हाथ नहीं लगाने देता, कुछ वर्षों के बाद एक बार उसका मत-चुनाव के समय ही लेता है और उसको उसी के मत (वोट) से धोखा देता रहता है।

❀ ❀ ❀

मिश्र के मुसलमानों और क़िब्तियों में समझौता

साम्प्रदायिक समस्या कैसे हल हुई

एक प्रमुख मिश्री सम्पादक का पत्र

[बम्बई के विख्यात राष्ट्रवादी मुसलमान नेता सेठ हाजी अब्दुल्ला हारूँ साहब ने मिश्र के 'अलबलाग़' नामक विख्यात पत्र के सम्पादक और मिश्र के राष्ट्रीय दल के नेता हज़रत अब्दुल क़ादिर बकहमज़ा को एक पत्र लिख कर हिन्दू-मुस्लिम समस्या को सुलझाने का उपाय पूछा था। इस पत्र का उत्तर जो 'अलबलाग़' के सम्पादक महोदय ने सेठ साहब को प्रदान किया है, उसका अनुवाद कलकत्ते के नवजात उर्दू दैनिक "हिन्दू" के आधार पर नीचे दिया जाता है।

—सम्पादक 'भविष्य']

श्रीमन्महाशय,

आपका पत्र मिला। आप लिखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता महात्मा गाँधी की ओर जब से अङ्गरेज़ सरकार ने मित्रता का हाथ बढ़ाया है, तब से हिन्दू-मुसलमानों में केवल छोटी-छोटी बातों पर विरोध उत्पन्न हो गया है। यह विरोध भी उसी तरह से दूर होना चाहिए, जिस तरह मिश्र में मुसलमानों और क़िब्तियों का विरोध दूर हुआ था। अतः आप मुझसे नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं :—

१—मिश्र में क़िब्तियों और मुसलमानों का झगड़ा कैसे मिटा?

२—क्या वे बातें, जिनके अनुसार क़िब्तियों और मुसलमानों का झगड़ा तय हुआ था, मिश्र के शासन-विधान में लिख दी गई हैं?

३—क्या राज्य-परिषद और म्यूनिसिपैलिटियों में मुसलमानों और क़िब्तियों के लिए जगहें नियत कर दी गई हैं?

इन प्रश्नों के उत्तर देने के पहले मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने ऐसे गम्भीर विषय की ओर ध्यान दिया और मेल की ओर आकृष्ट हुए। इससे अधिक और कौन सा पवित्र काम हो सकता है? हिन्दुस्तानी जाति के दोनों पक्ष हिन्दू और मुसलमानों में जितने मतभेद हैं, सब विदूरित कर दिए जायँ, जिससे दोनों अपनी प्यारी जन्म-भूमि की सेवा में एक शरीर बन कर लग जायँ और इस अभागिनी फूट का अन्त हो जाय, जो देश के विजातियों के शासन और अधिकार का कारण बनी हुई है। अगर अपने ही सदृश विचारशील हिन्दुओं की सहायता से आप दोनों पक्षों में एकता सम्पादन कर सके तो विश्वास कीजिए कि यह ऐक्य लोहे की दीवार साबित होगा। यह ऐसी दीवार होगी कि विदेशीय विजेताओं की सारी गढ़न्तों को आपके देश में फैलने से रोक देगी। आपकी यह एकता केवल हिन्दुस्तान के ही लिए लाभदायक न होगी, प्रत्युत इसका प्रभाव भारत की सीमा के बाहर भी पड़ेगा, यहाँ तक कि इससे सारा पूर्व और पश्चिम—सारा संसार—इनके बल से हिल जायगा।

अगर मिश्र का क़ब्ती-मुस्लिम ऐक्य भारत के हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के लिए कुछ भी लाभदायक सिद्ध हुआ, जैसा कि आप आशा करते हैं, तो मिश्री लोग अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझेंगे और इस बात का अभिमान करेंगे कि हिन्दुस्तानी भाइयों की मुक्ति में उनका भी हाथ एक सीमा तक काम करता रहा है।

अब मैं आपके प्रश्नों का क्रमशः उत्तर लिखता हूँ।

घटना यह है कि सन् १९१८ में जब अहमद सआद पाशा ज़ग़लूल ने हमारी जन्म-भूमि के आन्दोलन की बागडोर अपने हाथ में ली, तो उन्होंने अपने आन्दोलन की कृतकार्यता के लिए क़िब्तियों और मुसलमानों की एकता को सब से ज़्यादा ज़रूरी समझा। सुतरां उन्होंने मेल का निमन्त्रण देना प्रारम्भ किया और स्वतन्त्रता की माँग के लिए जो सभा उन्होंने 'वफ़्द' के नाम से खोली, उसमें बुद्धिमान क़िब्तियों को भी शामिल किया। वास्तव में मिश्री जाति की शिक्षा-दीक्षा दोनों सम्प्रदायों में एकता के लिए चेष्टा कर रही थी। जब क़िब्तियों और मुसलमानों की यह सम्मिलित सभा कार्यक्षेत्र में अवतीर्ण हुई, तो सारे ही मिश्रवासी इस अभिनव-युग के आरम्भ से बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि इसकी नींव उनके पथ-प्रदर्शक नेता ने डाली थी। इन्हें यह देख कर बड़ा सन्तोष हुआ कि मिश्र जाति के दो समुदाय, मुसलमान और क़ब्ती, मिल कर एक बन कर, प्यारी जन्म-भूमि के सामने खड़े हों; सब मिश्री हों, न कि क़ब्ती और मुसलमान।

स्वतन्त्रता के लिए विद्रोह

इसके बाद १९१९ में मिश्री जाति ने स्वतन्त्रता के लिए बग़ावत का झण्डा उठाया, तब अङ्गरेज़ों ने इसे बिल्कुल कुचल डालने की तैयारी की, किन्तु उनका सामना करने के लिए क़ब्ती और मुसलमान दोनों मिल कर मैदान में आ डटे। परिस्थिति ऐसी हो गई कि मुसलमानों के उलमा (विद्वान पण्डित) क़िब्तियों में उपदेश करने लगे और क़िब्तियों के पादरी मस्जिद के मिम्बरों पर व्याख्यान देने लगे। दोनों समुदायों के अग्रगण्य लोग कन्धे से कन्धा मिला कर मैदान में खड़े हुए और अङ्गरेज़ी बन्दूक़ों का लक्ष्य बनने लगे।

ब्रिटेन का जाल

यह परिस्थिति १९२२ तक रही, फलतः २८ फ़रवरी को ब्रिटिश शासन ने मिश्र की स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली, परन्तु इस स्वतन्त्रता की लिखत में उसने कुछ संरक्षण (सेफ़ गार्ड्स) रख दिए। इन संरक्षणों में से एक यह भी था कि ब्रिटेन अल्प-संख्यक समुदायों की रक्षा का ज़िम्मेदार होगा।

इस वक़्त सब समझ गए कि इस चाल से ब्रिटेन का अभिप्राय क़िब्तियों को अपने हाथ की कठपुतली बनाना और मुसलमानों के साथ सदा लड़ाते रहना है।

ज्योंही यह घोषणा प्रकाशित हुई, मुसलमान तो पीछे रहे, पहले क़िब्तियों ने ही इसका विरोध किया। यद्यपि इनकी संख्या अत्यन्त ही न्यून थी, फिर भी इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ब्रिटेन की यह घोषणा न केवल देश की स्वाधीनता के विरुद्ध है, बल्कि एक विदेशीय जाति का हमारे देश के भीतरी बातों में हस्तक्षेप भी है, सुतरां चाहे कुछ भी क्यों न हो, हम इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

मिश्र का शासन-विधान कैसे बना?

फिर मिश्र वालों की एक समिति ने मिश्र के शासन के लिए एक विधान बनाना आरम्भ किया। इस समिति के केचित सदस्य क़ब्ती थे। एक क़ब्ती सदस्य ने समिति में इस बात पर ज़ोर दिया कि क़िब्तियों के हक़ (अधिकार) नियत कर दिए जायँ और उनके लिए समिति में जगहें अलग रख दी जायँ और यह जगहें सदा क़िब्तियों के लिए सुरक्षित रहें। लेकिन जब यह प्रस्ताव जनता के सामने आया तो जनता ने सार्वजनिक रूप से इसका घोरतम विरोध किया। विरोधियों में क़ब्ती ही सब से आगे थे।

प्रस्तावक क़ब्ती महाशय की दलील यह थी कि अल्प-संख्यक क़िब्तियों के लिए अधिकारों का निश्चय कर देने से यह लाभ होगा कि बहु-संख्यक समुदाय को भी परितोष हो जायगा, क्योंकि दोनों को मालूम हो जायगा कि किसे कितना मिलना चाहिए। इस तरह होने से कोई किसी पर ज़्यादती न कर सकेगा, न कोई शत्रु कभी दोनों में अनबन करा सकेगा। परिणाम यह होगा कि दोनों में पारस्पर विश्वास और प्रेम बढ़ता चला जायगा।

जिन लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, उनका तर्क यह था कि धर्म की बुनियाद पर अधिकारों के बटवारे का फल यह होगा कि मिश्री एक जाति होते हुए भी अलग-अलग वर्गों में विभक्त हो जायँगे। अलग-अलग धर्म के होने से मिश्री जाति दो नहीं हो सकते, इसलिए अधिकारों का बटवारा प्रारम्भ में चाहे कुछ परितुष्टि का कारण सिद्ध हो, लेकिन आगे चल कर यह जातीयता के भाव को खोखला करके नष्ट किए बिना न रहेगा। इस बटवारे का अवश्यम्भावी फल यह होगा कि बहुमत सदा अपनी बहुमत्ता स्थिर रखने के लिए चेष्टावान बनी रहेगी और अल्प संख्या वाले सदा इससे भयभीत बने रहेंगे। इससे दिलों में डाह और शत्रुता समृद्ध होती रहेगी, धार्मिक कट्टरता उभरती रहेगी और मिश्री जातीयता का भाव क्षीण होता चला जायगा, यद्यपि उचित तो यह है कि प्रत्येक देश इस भाव को अपने में जाग्रत और उत्तेजित करे—उभारे! इन दोनों तर्कों को जब जनता के सामने रक्खा गया तो उसने पिछली बात को ही मान्य किया। क्योंकि मिश्री जाति की शिक्षा-दीक्षा ही ऐसी थी कि इसी भाव की ओर लोगों को आकृष्ट करती थी।

इस तरह पर जो शासन-विधान बना उसमें क़िब्तियों के लिए अलग-अलग अधिकार नहीं रक्खे गए। फिर सन् १९२३ में सरकारी रीति से इस सम्विधान की घोषणा की गई और उसमें भी अलग-अलग अधिकारों की ओर कोई इशारा नहीं किया गया।

परिणाम क्या हुआ?

अब प्रश्न उठ सकता है कि इसका परिणाम क्या हुआ?

इसका उत्तर मैं यह देता हूँ कि वर्षों से यह रीति प्रचलित हो गई थी कि मिश्री मन्त्रि-मण्डल में एक क़ब्ती मन्त्री रक्खा जाता था। लेकिन हमारे पथ-प्रदर्शक श्री० सआद ज़ग़लूल पाशा ने १९२४ में नवीन मिश्री शासन-सम्विधान के आधार पर अपना पहला मन्त्रि-मण्डल बनाया, तो उसमें उन्होंने एक की जगह दो

(शेष मैटर २७वें पृष्ठ के पहले और दूसरे कॉलम में देखिए)

कविता-कुञ्ज

सफल जीवन

[श्री० गङ्गाविष्णु पाण्डेय, विद्याभूषण, 'विष्णु']

जो किसी के दन्द-फन्द में न रहता है और,
उन्नति किसी की देख के न जाता जल है।
क़र्ज़ लेने की कभी ज़रूरत न होती जिसे—
और पेट की समस्या होती जाती हल है।
जिसका हृदय-पद्म नवनीत सा है मृदु,
दूसरों के दुख से जो हो जाता विकल है।
जीव-मात्र को जो देखता है आत्मा समान,
'विष्णु' उसी मानव का ज़ीवन सफल है।

❀

अच्छे कर्म में ही जो व्यतीत करता है काल,
व्यर्थ में न खोता जो कभी भी एक पल है।
पर-उपकार में जो रहता लगा है नित्य,
जिसका विचार दृढ़ ध्रुव सा अचल है।
रखता सदैव सत्य का ही व्यवहार जो है,
करता किसी से जो न भूल कर छल है।
जिसकी प्रशंसा सज्जनों की मण्डली में होती,
'विष्णु' उसी मानव का जीवन सफल है।

❀ ❀ ❀

अवसान

[श्री० रामगोपाल जी विजयवर्गीय]

मन्द-मन्द मनहर वह तेरी
लखि उल्लासमयी मुसकान।
किसका हृदय न मुग्ध हुआ था
चाह-भरी चितवन पहिचान।
मचल उठा किसका न मत्त मन,
दौड़े दृग सब तेरी ओर।
विकल हुए कर शीघ्र पकड़ने—
को चञ्चल तव अञ्चल छोर।
बँध कर तेरे प्रेम-पाश में,
ले-लेकर आए उपहार।
प्राण तलक भी किया निछावर,
जान तुझे जीवन-आधार।
किन्तु जिस समय तेरा जग ने,
होता हुआ लखा अवसान।
शेष रहा न किसी के दृग में,
लेश-मात्र भी तेरा मान।
पहिचाने सब परे हो गए,
जाने भी बन गए अजान।
पल्ला झाड़ पास वाले भी
एक-एक उठ चले निदान।
विदा हुआ वैभव सारा ही,
रहा न कुछ विकास का वास।
तेरे प्रश्नों के उत्तर में,
केवल रहा एक उपहास।

❀ ❀ ❀

याद

[श्री० जनार्दनप्रसाद झा 'द्विज', एम० ए०]

नयन-सीमा से हट कर दूर,
भूल जाना है प्रचलित प्रथा।
कौन किसकी सुनता ? दिन-रात
सुनाते सब अपनी ही व्यथा।
सदयता के नाते, फिर भी न
पाप है—एक बार कर याद—
पिला देना प्यासे को 'प्यार',
खिलाना भूखे को 'आह्लाद'।
बिसर जाने वाली 'वह साध'
मरी, सुधि रोती है चुपचाप।
थके जीवन की प्यासी चाह,
बढ़ाए ही जाती सन्ताप !
न जाने रह-रह कर क्यों आज
याद-सी आती कोई बात !
विगत सुख का भूला इतिहास
सुनाती क्यों यह सूनी रात ?

❀ ❀ ❀

सुन्दर

[श्री० कपिलदेव नारायणसिंह जी, 'सुहृद']

सुन्दर है कुसुमों के वन में
ऋतुपति का आना-जाना !
सुन्दर है फूलों के सम्मुख,
भौंरों का गुन-गुन गाना !!
सुन्दर है रजनी का तारों—
से भूषित मोहक शृङ्गार !
सुन्दर है व्याकुल मेघों का,
सूखे पर जल रिमझिम धार !!
सुन्दर है इस विश्व-मञ्च पर
परिणय विरह मिलन का,
किन्तु आह ! कितना सुन्दर है
पटाक्षेप जीवन का ?
सुन्दर है सूखी डालों पर
कोयल का रोना-गाना।
सुन्दर है सूने वन में कोमल—
कलियों का मुरझाना !!
सुन्दर प्रातः-चन्द्र और
सुन्दर सन्ध्या का रवि है।
सुन्दर अति सुन्दर विषाद से
भरा वियोगी कवि है !!
सुन्दर अहम्भाव धनियों का
तिरस्कार निर्धन का !
पर कितना सुन्दर घायल—
अरमान हमारे मन का !!

❀ ❀ ❀

आँसू

[श्री० कृष्णकुमार जी ज्ञानी]

हे आँसू ! क्यों ढुलक रहे हो
बन कर अविरल मोती !
देखो, कहीं जगा मत देना
शान्ति-मूर्ति है सोती !!
माना मैंने चढ़ा रहे हो
मुक्ता का उपहार !
आज पिन्हाने आए
बेसुध पीड़ा का हार !!
अगर बह कर मिल जाए शान्ति,
बहो पर गिरो न उनकी गोद।
कष्ट झेलो, पर कष्ट न दो,
कष्ट देने में कौन प्रमोद ?

❀ ❀ ❀

कलियाँ

[श्रीमती जनकिशोरी देवी 'नवीना']

मत तोड़ो इन नव-कलियों को,
इन्हें ज़रा खिल जाने दो।
मदन-मत्त मधुपों से इनको
एक बार मिल जाने दो ॥
निर्जन नीरव निविड़ निशा में
जी भर कर हँस लेने दो।
झूम-झूम कर मारुत को
सुखमय सौरभ-रस देने दो ॥
हरी-भरी पल्लव-शय्या पर—
सोती हैं, जग जाने दो।
पवन-गोद में चिटख़-चिटख़ कर,
प्रेम-गान तो गाने दो ॥

❀ ❀ ❀

सावधान !

[श्री० कालीप्रसाद जी 'विरही']

मुझ 'अबला' का दोष नहीं, यदि
जल, थल, मिल हों एकाकार !
बूँद-बूँद, सागर बन जावे,
डूब जाय ब्रह्माण्ड-अपार !!

❀

मैं दोषी हूँ नहीं, कहीं यदि—
झुलस उठे सारा संसार !
सूर्य जले, वसुधा कँप जावे,
या बरसावे नभ अङ्गार !!

❀

सावधान ! निकली पड़ती है,
मेरे इन नयनों की राह—
एक बूँद 'आँसू' की बरबस,
और हृदय से आकुल 'आह' !!

❀ ❀ ❀

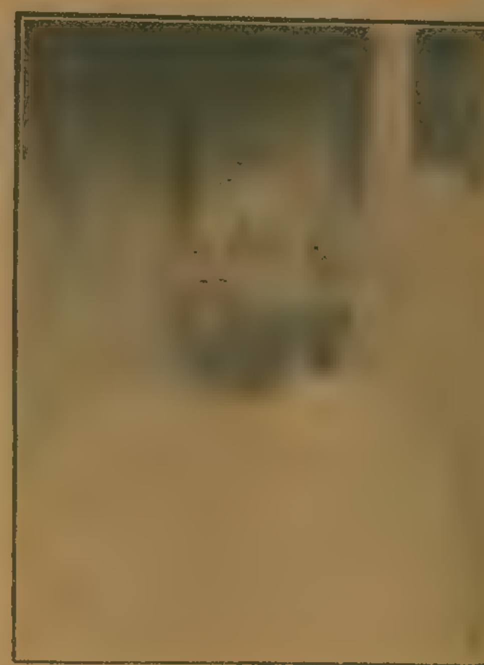
'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



श्री० बालकृष्ण माहेश्वरी—प्रधान मन्त्री श्रीगाँधी सेवा-समिति कानपुर। साइनबोर्ड के सम्बन्ध में आपने बड़ी मुस्तैदी से हिन्दू-अधिकारों की रक्षा की थी।



हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि—श्री० जगदम्बाप्रसाद मिश्र 'हितैषी', आप कानपुर के विख्यात राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं और अभी हाल में ही जेल से छूट कर आए हैं।



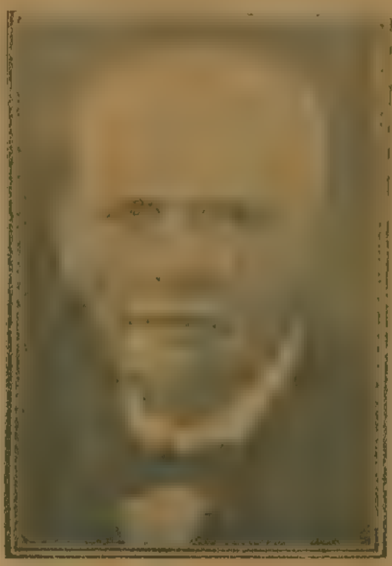
श्री० पण्डित रङ्गेश शर्मा—आप सारन (विहार) के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। साढ़े नौ मास जेल में रह कर छूटे हैं। गत सन् १९२१ के आन्दोलन में भी आपको एक साल की सज़ा दी गई थी और जुर्माने में पुलीस आपके घर का छप्पर तक उजड़वा ले गई थी!



संसार के सब से छोटे (३२ वर्षीय) पादड़ी—राईट रेवरेण्ड डब्लू बाऊटर, जो हाल ही में भारत-भ्रमण करके सान फ़्रान्सिस्को (अमेरिका) पहुँचे हैं। भारतीय ज़ात-पाँत के सम्बन्ध में पूछने पर आपने कहा कि "ज़ात-पाँत का वहाँ उतना ही भेदभाव है, जितना कि यूनाइटेड स्टेट्स में।"



'भविष्य' तथा 'चाँद' के प्रतिभाशाली चित्रकार—श्री० पी० मुकर्जी



६८ वर्ष की परिपक्व अवस्था में पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने वाले सर जहाँगीर कोठारी (बम्बई)—जो अभी तक दस बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर चुके हैं।



संसार का सब से वृद्ध व्यक्ति—श्री० हदशी अहमद (टर्की), जिसकी उम्र १३६ वर्ष की बतलाई जाती है। यह ज़ईफ़ अपने को जगत-प्रसिद्ध ज़ारा का प्रतिद्वन्दी बतलाता है।



बजाना रियासत के प्रजा-प्रिय ज़मींदार—राजा श्री० कमलखान जी—जिन्होंने हाल ही में अपने किसानों को २२,०००) रु० की माफ़ी की घोषणा की है और कर्मचारियों को १ मास का अधिक वेतन भी दिया है।



बर्लिन (जर्मनी) में अपने एक मित्र के यहाँ भारतीय धारा-सभा के भूतपूर्व प्रधान—श्री० विट्ठलभाई पटेल

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

मारवाड़ का दारुण चित्र



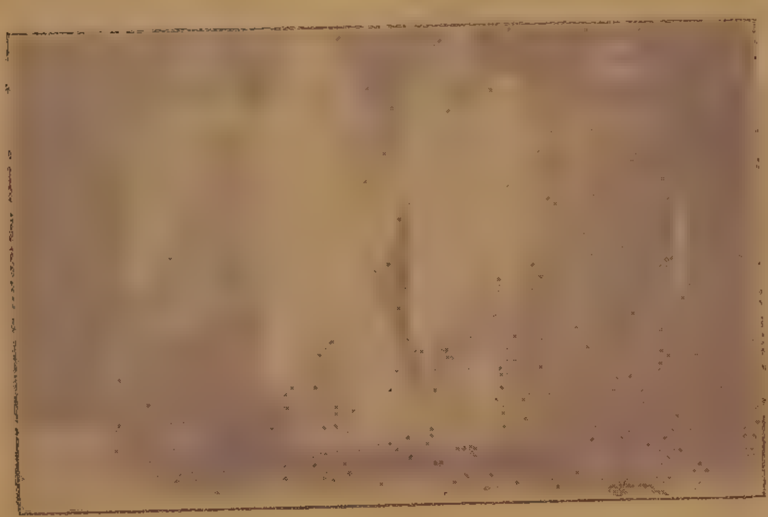
अभागिनी मारवाड़ी-महिला की पोशाक का एक नमूना



जयपुर, बीकानेर के तरफ़ की अभागे दरोगा (गोला) जाति की एक स्त्री, जिनका एकमात्र व्यवसाय जागीरदार ठाकुरों की ग़ुलामी ही है !



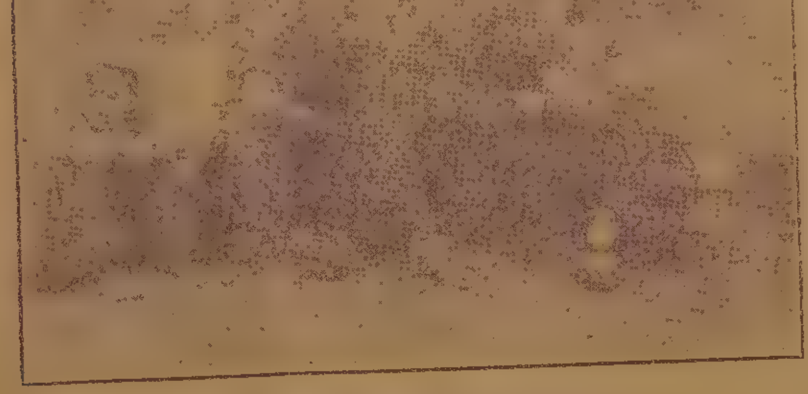
बीकानेर की स्वाभाविक पोशाक में एक मारवाड़िन युवती



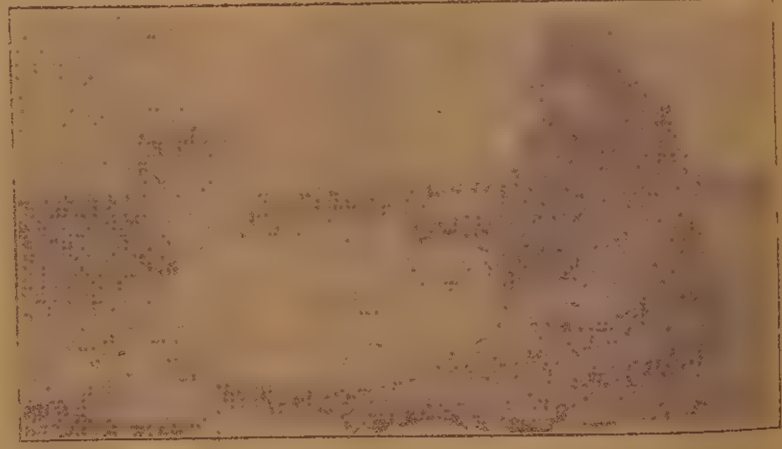
सामाजिक कुरीतियों का शिकार [मारवाड़ की अभागिनी वेश्याएँ]



अभागिनी विधवाओं का व्यवसाय



शहरी गृहस्थ-स्त्रियों का पहिनावा



आटा पीसते हुए मारवाड़ की एक अभागिनी विधवा

यदि अवसर दिया जाय तो स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकतीं ?



मद्रास में राष्ट्र-भाषा हिन्दी की प्रेमिका—कुमारी के० मलाथी—जिन्होंने हिन्दी की सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करना ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया है. आपको अब तक अपनी अलौकिक सफलता के लिए कई बार पुरस्कार भी मिल चुके हैं।



विज़गापट्टम के सैकेण्डरी और ट्रेनिङ्ग स्कूल की प्रधान अध्यापिका—कुमारी ई० डब्लू० ग्रे—जो गत वर्ष अपनी सर्वोच्च शिक्षा समाप्त करके इङ्गलैण्ड से लौटी हैं।



कोचीन हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार श्री० ए० वी० कृष्ण-अय्यर की कन्या-रत्न—कुमारी ए० के० रुक्मिनी—जिन्होंने सङ्गीत-शास्त्र का अध्ययन ही अपने जीवन का सर्वोच्च साधन मान लिया है।

काशी-विश्वविद्यालय के दर्शन-शास्त्र के प्रोफ़ेसर श्री० पी० बी० अधिकारी की कन्या-रत्न—कुमारी भक्ति अधिकारी। आप गत वर्ष बी० ए० की परीक्षा में सर्व-प्रथम उत्तीर्ण हुई थीं।





तिनेवली (मद्रास) की ज़िला शिक्षा-कौन्सिल की सदस्या—श्रीमती जयालक्ष्मी कुमार—आप स्त्री-शिक्षा के प्रचार के लिए बहुत उद्योग कर रही हैं।



निज़ाम-हैदराबाद के मेडिकल ऑफ़िसर डॉक्टर अशरफ़ुल हक़ की १६ वर्षीय पुत्री—मिस आर० बेगम—जो डॉक्टरी की सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विलायत गई हैं।

बड़ौदा म्युनिसिपैलिटी की मनोनीत सदस्या—श्रीमती दहिगौरी देवी—इस प्रतिष्ठित पद को सुशोभित करने वाली बड़ौदा-स्टेट की आप सर्व-प्रथम महिला-रत्न हैं।



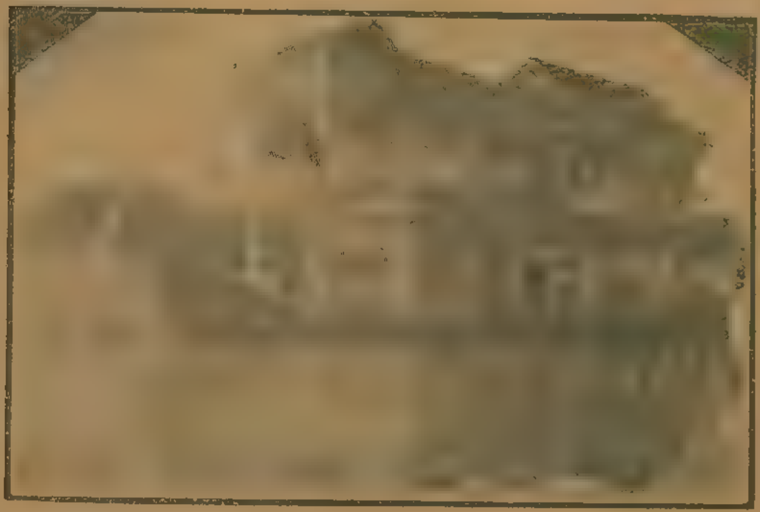
'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



काशी विश्व-विद्यालय के प्रोफ़ेसर चन्द्रभाल जौहरी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विशालाक्षी एम० ए०। यह अन्तर्जातीय संयोग अभी हाल में ही हुआ है। क्योंकि प्रोफ़ेसर जौहरी संयुक्त-प्रान्त निवासी और उनकी पत्नी मद्रासी हैं। पाठकों को स्मरण होगा, जौहरी जी पर काकोरी-षड्यन्त्र के सम्बन्ध में मामला भी चल चुका है।



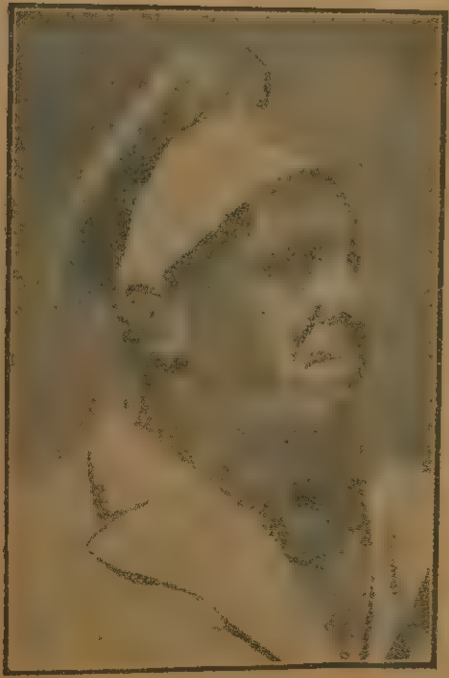
स्वर्गीय पं० मोतीलाल जी नेहरू के स्मारक का डिज़ाइन—जिसे लखनऊ कला-विद्यालय (Govt. School of Arts and Crafts) के कलाविद् श्री० सरीशचन्द्र चैटर्जी ने बनाया है।



चीन की शाही किश्ती; जो बड़े क़ीमती पत्थरों द्वारा बनाई गई है और जिसमें बैठ कर चीन के बादशाह सलामत प्रायः हवाख़ोरी तथा मनोविनोद के लिए निकलते हैं। इसकी सुन्दरता के कारण इसे लोग 'चीन की विचित्र करामात' कहते हैं।

मिसेज़ बख़्शी (लखनऊ)—यह चित्र उस समय का है, जब कि गत २१ जून को, सिर्सागञ्ज (मैनपुरी) के तृतीय ज़िला कॉन्फ़्रेन्स के अवसर पर आपने राष्ट्रीय झण्डे का अभिवादन-समारोह सम्पन्न किया था।





मि० ई० स्मिथ—जो न्यू साउथ वेल्स के स्टेट हस्पताल में ४,५०० लोगों का खाना नित्य तैयार किया करते हैं। कहा जाता है, पिछले ३० वर्षों में आपने १० लाख व्यक्तियों का खाना तैयार किया है। भारतीय महिलाओं को आपसे डाह करने का नैसर्गिक अधिकार है।



मैनपुरी ज़िले के प्रमुख कार्यकर्ता, (बाँईं ओर से) १—श्री० रतन गुप्त, २—ठाकुर भरतसिंह और ३—ठाकुर गयाप्रसाद सिंह—तीनों सज्जन निर्दिष्ट काल तक नौकरशाही के मेहमान भी रह चुके हैं।



फिर नए सर से हरे होने लगे ज़ख़्मे कुहन, आई फिर अटखेलियाँ करती हवा बरसात की।
इसने चल कर और मेरे दिल का छलनी कर दिया, तीर से कुछ कम नहीं ठण्ढी हवा बरसात की।

झूमती आती है मस्तानी घटा बरसात की,
साथ कैफ़ीयत[1] के चलती है हवा बरसात की।
बादबाँ[2] का काम करती है घटा बरसात की,
कश्तिए मै[3] से मुवाफ़िक़ है हवा बरसात की।
हसरते साक़ी में रोता हूँ जो मैं दिल खोल कर,
गरमियों में चलने लगती है हवा बरसात की।

—"आतिश" लखनवी

ज़ौक़े[4] मै नोंशी बढ़ाती है घटा बरसात की,
और ले उड़ती है मस्तों को हवा बरसात की।
शीरए अङ्गूर को करती है आबे[5] आतशीं,
आग पानी में लगाती है हवा बरसात की।
मैकदे में बोतलों के मुँह से उड़ जाते हैं काग,
होश मस्तों के उड़ाती है हवा बरसात की।
डाल कर झूला चमन में तुमने जब गाए मलार,
पेंग देने के लिए आई हवा बरसात की।

—"अमीर" लखनवी

देखना सूखी हुई शाख़ों में भी जान आ गई,
हक़ में पौधों के मसीहा है हवा बरसात की।
पार उतर जाएँगे बहरे ग़म से रिन्दे[6] बादानोश,
ले उड़ेगी कश्तिए मै को हवा बरसात की।
ख़ुद बख़ुद ताज़ा उमङ्गें जोश पर आने लगीं,
दिल को गरमाने लगी ठण्डी हवा बरसात की।
वह दुआएँ मै कशों की और वह लुत्फ़े इन्तिज़ार,
हाय किन नाज़ों से चलती है हवा बरसात की!
मैं यह समझा अब्र के रङ्गीन टुकड़े देख कर,
तख़्त परियों का उड़ा लाई हवा बरसात की।

—"चकबस्त" लखनवी

तीर से कुछ कम नहीं यह भी फ़िराक़े यार में,
मेरे दिल के पार होती है हवा बरसात की।
बादाख़्वारी का मज़ा जो कुछ है इसके दम से है,
हमसे जाएगी कहाँ उठ कर हवा बरसात की।
फिर नए सर से हरे होने लगे ज़ख़्मे कुहन[7],
आई फिर अटखेलियाँ करती हवा बरसात की!
दिल तड़प उट्ठा कभी देखा जो अब्र[8] उठते हुए,
गर्म इसको कर गई ठण्ढी हवा बरसात की।

—"नूह" नारवी

आस्माँ पर छाई है काली घटा बरसात की,
अल्लह-अल्लह कोई देखे यह अदा बरसात की।

—"ग़ाफ़िल" इलाहाबादी

१—मज़ा, २—नाव को सहारा देने वाले ३—शराब, ४—शराब पीने का आनन्द, ५—तेज़ शराब, ६—शराबी ७—पुराने, ८—बादल,

क्यों न दिल क़ुर्बान हो क्यों दिन न हो फिर लोट-पोट,
किस अदा के साथ चलती है हवा बरसात की।
देखते ही देखते क्या खिल गई दिल की कली,
मैं मसीहा इसको समझूँ या हवा बरसात की।
है यह बारिश की अलामत[9] मेह बरसेगा ज़रूर,
रुक गई है चलते-चलते अब हवा बरसात की।
दिल को ऐ 'शातिर' किसी पहलू नहीं दम भर क़रार,
कर गई बेचैन क्या चल कर हवा बरसात की।

—"शातिर" इलाहाबादी

९—निशानी,

कैसी इतराती हुई झूमती आती है घटा

[महाकवि "दाग़" देहलवी]

जब धुवाँधार, गरजती हुई आती है घटा,
तालए[1] ख़ुफ्ता को मैकश[2] के जगाती है घटा!
दिले महज़ूर[3] के नालों[4] से जो हो हम-आवाज़[5],
सीना फट जाय तेरा, क्या तेरी छाती है घटा!
तू तो एक क़तरा भी देती नहीं ऐ ज़ुल्फ़े[6] सियाह,
पानी भर-भर के ज़माने को पिलाती है घटा!
हिज्रे[7] महबूब में बेताब हूँ बिस्मिल[8] की तरह,
तारे बारिश यह नहीं तीर लगाती है घटा!
रात भर जागे हैं, अब आँख लगी है उनकी,
कह दो ख़ामोश हो, क्यों शोर मचाती है घटा!
वादा करते हैं वह जिस रोज़ यहाँ आने का,
क्या बरसती है, कि दरिया ही बहाती है घटा!
तेग़[9] की तरह चमक जाती है सर पर बिजली,
हिज्र[10] में मुझको बला बन के डराती है घटा!
जब उठाते हैं दमे बादा-कशी[11] वह साग़र[12],
कैसी इतराती हुई, झूमती आती है घटा!
नहीं सावन में मेरे पास वह महवश[13] ऐ 'दाग़',
मुझको तड़पाती है बिजली, तो रुलाती है घटा!

१—सोई हुई क़िस्मत, २—शराबी, ३—दुखी हृदय, ४—आहें, ५—बराबरी करना, ६—काले बाल, ७—प्रेमिका के विरह, ८—तड़पने वाला, ९—तलवार, १०—विरह, ११—शराब पीते समय, १२—प्याला, १३—चाँद सी सूरत वाला।

काली-काली प्यारी-प्यारी यह घटा बरसात की,
चुटकियाँ लेती है दिल में हर अदा बरसात की।

—"हुनर" गयावी

पीने वाले क्यों न हों सौ दिल से सौ जी से निसार,
दिल को तड़पाती है क्या-क्या हर अदा बरसात की

—"ज़ाहिद" इलाहाबादी

रङ्ग लाई देखिए क्या क्या-हवा बरसात की,
मस्त हैं अहले चमन[10] पीकर हवा बरसात की।
चल रही है किस अदा से दिल लुभाने के लिए,
हल्की-हल्की ठण्ढी-ठण्ढी यह हवा बरसात की।
हो गया ठण्ढा वह अब गर्मी की सरगर्मी का जोश,
कुछ दिनों को बँध गई है फिर हवा बरसात की।
आजकल जाते हैं यह छुप-छुप के मैख़ाने[11] में रोज़,
लग गई 'ज़ाहिद' को भी शायद हवा बरसात की।

—"ज़ाहिद" इलाहाबादी

ऐ मेरे सय्याद[12] उठने दे घटा बरसात की,
तीलियों को सब्ज़ कर देगी हवा बरसात की।
देखता हूँ मैं जिधर दुनिया उधर की सब्ज़ है,
रङ्ग लाई बाग़ में चल कर हवा बरसात की।
देखिए जिसको वही अब शाद[13] है दिल शाद है,
दूर ग़म से रखती है ठण्ढी हवा बरसात की।
मैं तो ऐ "ग़ाफ़िल" वतन से अपने कोसों दूर हूँ,
मुझको तड़पाती है ग़ुर्बत[14] में हवा बरसात की!

—"ग़ाफ़िल" इलाहाबादी

ऐ "हुनर" मुद्दत हुई मैं तो असीरे[15] दाम हूँ,
मेरी क़िस्मत में कहाँ ठण्ढी हवा बरसात की।

—"हुनर" गयावी

इसने चल कर और मेरे दिल को छलनी कर दिया,
तीर से कुछ कम नहीं ठण्ढी हवा बरसात की।
इसको थम-थम कर ज़रा अहले चमन चलने तो दो,
गुल खिलाएगी गुलिस्ताँ में हवा बरसात की।
हर तरफ़ हर सिम्त हरियाली नज़र आने लगी,
क्या असर जादू का रखती है हवा बरसात की।
क्या नसीमे[16] बाग़े-जन्नत की हो 'बिस्मिल' आरज़ू,
यह मेरा प्यारा वतन है, यह हवा बरसात की।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

रङ्ग में डूबे हुए हैं नौ उरूसाने[17] चमन,
पत्ते-पत्ते से टपकती है अदा बरसात की,

—"अमीर" लखनवी

यह तरश्शुह[18] यह हवा यह बर्क़[19] यह अब्रे सियाह,
लूटती है मेरे दिल को हर अदा बरसात की।

—"नूह" नारवी

हर शजर[20] में कोपलें फूटीं लगे शाख़ों में फूल,
सौ अदाओं की अदा है एक अदा बरसात की।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

१०—बाग़ वाले, ११—शराब का घर, १२—बहेलिया, १३—ख़ुश, १४—परदेश, १५—क़ैदी, १६—हवा, १७—नई दुलहन, १८—बूँदें पड़ना, १९—बिजली, २०—पौदे।

'चाँद' कार्यालय की अनमोल पुस्तकें

लम्बी दाढ़ी

दाढ़ी वालों को भी प्यारी है
बच्चों को भी !
बड़ी मासूम, बड़ी नेक—
है लम्बी दाढ़ी !!
अच्छी बातें भी बताती है,
हँसाती भी है !
लाख दो लाख में, बस एक—
है लम्बी दाढ़ी !!

ऊपर की चार पंक्तियों में ही पुस्तक का संक्षिप्त विवरण "गागर में सागर" की भाँति समा गया है। फिर पुस्तक कुछ नई नहीं है, अब तक इसके तीन संस्करण हो चुके हैं और ९,००० प्रतियाँ हाथोंहाथ बिक चुकी हैं। पुस्तक में तिरङ्गे प्रोटेक्टिङ्ग कवर के अलावा पूरे एक दर्जन ऐसे सुन्दर चित्र दिए गए हैं कि एक बार देखते ही हँसते-हँसते पढ़ने वालों के बत्तीसों दाँत मुँह के बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं। मूल्य केवल २॥); स्थायी ग्राहकों से १॥।=) मात्र !!

चुहल

पुस्तक क्या है, मनोरञ्जन के लिए अपूर्व सामग्री है। केवल एक चुटकुला पढ़ लीजिए, हँसते-हँसते पेट में बल पड़ जायँगे। काम की थकावट से जब कभी जी ऊब जाय, उस समय केवल पाँच मिनट के लिए इस पुस्तक को उठा लीजिए, सारी उदासीनता काफ़ूर हो जायगी। इसमें इसी प्रकार के उत्तमोत्तम, हास्य-रसपूर्ण चुटकुलों का संग्रह किया गया है। कोई चुटकुला ऐसा नहीं है जिसे पढ़ कर आपके दाँत बाहर न निकल आवें और आप खिलखिला कर हँस न पड़ें। बच्चे-बूढ़े, स्त्री-पुरुष—सभी के काम की चीज़ है। छपाई-सफ़ाई दर्शनीय। सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल लागत मात्र १); स्थायी ग्राहकों से ॥।) केवल थोड़ी सी प्रतियाँ और शेष हैं, शीघ्रता कीजिए, नहीं तो दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी।

निर्वासिता

निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से क्षीणकाय भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला उठेगा। अन्नपूर्णा का नैराश्यपूर्ण जीवन-वृत्तान्त पढ़ कर अधिकांश भारतीय महिलाएँ आँसू बहावेंगी। कौशल-किशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों की छातियाँ फूल उठेंगी। उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण-प्रधान है। निर्वासिता उपन्यास नहीं, हिन्दू-समाज के वक्षस्थल पर दहकती हुई चिता है, जिसके एक-एक स्फुलिङ्ग में जादू का असर है। इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घण्टों विचार करना होगा, भेड़-बकरियों के समान समझी जाने वाली करोड़ों अभागिनी स्त्रियों के प्रति करुणा का स्रोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का झण्डा बुलन्द करना होगा; यही इस उपन्यास का संक्षिप्त परिचय है। भाषा अत्यन्त सरल, छपाई-सफ़ाई दर्शनीय, सजिल्द पुस्तक का मूल्य ३) रु० ; स्थायी ग्राहकों से २।)

मालिका

यह वह मालिका नहीं, जिसके फूल मुरझा जायँगे; इसके फूलों की एक-एक पङ्खुरी में सौन्दर्य है, सौरभ है, मधु है, मदिरा है। आपकी आँखें तृप्त हो जायँगी। इस संग्रह की प्रत्येक कहानी करुण-रस की उमड़ती हुई धारा है।

इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता का महत्व, प्रेम की महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सौन्दर्य तथा वासना का नृत्य, मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, उसकी घृणा, क्रोध, द्वेष आदि भावनाओं का सजीव चित्रण ! पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, मधुर तथा मुहावरेदार है। शीघ्रता कीजिए, अन्यथा दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी। सजिल्द, तिरङ्गे प्रोटेक्टिङ्ग कवर से सुशोभित; मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से ३)

सन्तान-शास्त्र

पुस्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक को इसकी एक प्रति अवश्य रखनी चाहिए। इसमें काम-विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों का वर्णन बहुत ही विस्तृत रूप से किया गया है। नाना प्रकार के इन्द्रिय-रोगों की व्याख्या तथा उनसे त्राण पाने के उपाय लिखे गए हैं। हज़ारों पति-पत्नी, जो कि सन्तान के लिए लालायित रहते थे तथा अपना सर्वस्व लुटा चुके थे, आज सन्तान-सुख भोग रहे हैं।

जो लोग झूठे कोकशास्त्रों से धोखा उठा चुके हैं, प्रस्तुत पुस्तक देख कर उनकी आँखें खुल जायँगी। काम-विज्ञान जैसे गहन विषय पर हिन्दी में यह पहिली पुस्तक है, जो इतनी छान-बीन के साथ लिखी गई है। भाषा अत्यन्त सरल एवं मुहावरेदार; सचित्र एवं सजिल्द तथा तिरङ्गे प्रोटेक्टिङ्ग कवर से मण्डित पुस्तक का मूल्य केवल ४); तीसरा संस्करण अभी-अभी तैयार हुआ है।

अनाथ पत्नी

इस पुस्तक में बिछुड़े हुए दो हृदयों—पति पत्नी—के अन्तर्द्वन्द्व का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार इसके कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतूहल और विस्मय के भावों में ऐसे ओत-प्रोत हो जायँगे कि फिर क्या मजाल कि इसका अन्तिम पृष्ठ तक पढ़े बिना कहीं किसी पत्ते की खड़खड़ाहट तक सुन सकें !

अशिक्षित पिता की अदूरदर्शिता, पुत्र की मौन-व्यथा, प्रथम पत्नी की समाज-सेवा, उसकी निराश रातें, पति का प्रथम पत्नी के लिए तड़पना और द्वितीय पत्नी को आघात न पहुँचाते हुए उसे सन्तुष्ट रखने को सचेष्ट रहना, अन्त में घटनाओं के जाल में तीनों का एकत्रित होना और द्वितीय पत्नी के द्वारा, उसके अन्तकाल के समय, प्रथम पत्नी का प्रकट होना—ये सब दृश्य ऐसे मनमोहक हैं, मानो लेखक ने जादू की क़लम से लिखे हों !! शीघ्रता कीजिए, थोड़ी ही प्रतियाँ शेष हैं ! छपाई-सफ़ाई दर्शनीय; मूल्य केवल २) स्थायी ग्राहकों से १॥)

☞ व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय,
चन्द्रलोक, इलाहाबाद

मिश्र के मुसलमानों और क़िब्तियों में समझौता

(१९वें पृष्ठ का शेषांश)

क़िब्ती मन्त्री रक्खे, और मिश्र का सारा मन्त्रि-मण्डल दस मन्त्रियों का होता था, इसलिए मन्त्रि-मण्डल में क़िब्तियों की संख्या बीस प्रति सौ हो गई, यद्यपि उनकी जन-संख्या मिश्र में केवल ४ प्रति सौ से अधिक नहीं है।

फिर यह भी ध्यान में रखने की बात है कि केवल मन्त्रि-मण्डल में ही उनकी संख्या आबादी के देखते अधिक नहीं रक्खी गई, क्योंकि मन्त्रीगण तो नाम्नित होते हैं, प्रत्युत साधारण परिषद् (हाउस ऑफ़ कॉमन्स) और धनिक परिषद (हाउस ऑफ़ लार्ड्स) दोनों ही राज्य-परिषदों में उनकी संख्या बहुत बढ़ गई।

साधारण परिषद में ८ प्रति सौ और धनिक परिषद् में ९ प्रति सौ क़िब्ती सदस्य पहुँच गए। यह संख्या दूसरे ईसाइयों और यहूदियों से, जो दोनों परिषदों में चुन कर आए थे, अतिरिक्त थी। १९२४ से आज तक यही बात चली आती है।

अब मैं आपको यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सारे देश में क़िब्ती इस तरह पर फैले हुए हैं कि कहीं भी उनकी अधिकांशता नहीं है। सर्वत्र अधिकांशता मुसलमानों की ही है और मुसलमान ही क़िब्तियों को इतनी अधिक संख्या में चुन कर राज्य-परिषदों में भेजा करते हैं। यह बात केवल क़िब्तियों के ही साथ नहीं, बल्कि दूसरे ईसाइयों और यहूदियों के साथ भी है, जो गणना में क़िब्तियों से भी कम हैं।

१९२७ में हमारे वर्तमान नेता साहबुद्दौला मुस्तफ़ा निहास पाशा ने अपना पहला मन्त्रि-मण्डल बनाया और १९३० में दूसरा मण्डल बनाया। इन दोनों मन्त्रि-मण्डलों में दो-दो क़िब्ती मन्त्री मौजूद रहे, फ़िर पार्लामेण्ट का प्रधान भी एक क़िब्ती ही था।

सरकारी नौकरियाँ

नवीन विधान के पहले सरकारी नौकरियों में क़िब्ती ३० प्रति सौ के अनुपात से थे, यद्यपि यह गणना में, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ४ प्रति सौ से अधिक नहीं हैं। लेकिन जब नया विधान जारी हुआ, नौकरियों के मामले में अङ्गरेज़ों की कारस्तानियाँ कम हो गईं, तो मुसलमानों ने क़िब्तियों से लेखा नहीं लिया, सबको उनकी नौकरियों पर ज्यों का त्यों बना रक्खा, किसी के विचार में भी यह बात नहीं आई कि नौकरियों का बटवारा धर्म और सम्प्रदाय के आधार पर होना चाहिए। बल्कि सबने यही कहा कि नौकरी उसे मिलनी चाहिए, जो उस काम के लिए ज़्यादा योग्य हो। बाद में भी अङ्गरेज़ों ने अनेक बार इस बात की कोशिश की कि क़िब्तियों और मुसलमानों को लड़ा दें, लेकिन हर बार उन्हें अकृतकार्यता का मुँह देखना पड़ा।

उपर्युक्त वक्तव्य से आपको अपने प्रश्नों का उत्तर स्वतः मिल जायगा। फिर भी मैं थोड़े से शब्दों में बतला देना चाहता हूँ कि मिश्री मुसलमानों और क़िब्तियों के अधिकारों के बारे में कोई भी समझौता नहीं हुआ। समझौता होता भी कैसे,जब कि दोनों के पृथक-पृथक अधिकार ही नहीं माने गए। दोनों के पृथक अधिकार भी कैसे रक्खे जाते, जब उन्हें दो पृथक जाति ही नहीं माना। दोनों एक ही जाति के लोग हैं, धर्म अलबत्ते दोनों के अलग-अलग हैं।

फलतः न इनमें कोई समझौता हुआ, न म्यूनिसिपैलिटियों और पार्लामेण्ट में इनके लिए अलग-अलग जगहें (सीटें) नियत और सुरक्षित की गईं। इनमें पारस्परिक विश्वास और सहयोग का उत्साह काम कर रहा है और वह इस आधार पर कि वे सब के सब एक जाति की व्यक्तियाँ हैं और एक ही जन्म-भूमि के बच्चे हैं।

यह विश्वास और सहयोग अनुदिन बढ़ता ही जा रहा है। जो बात इन भावों को दिन-दिन उन्नत कर रही है, वह सम्मिलित कष्ट और कठिनाइयाँ हैं; जिन्हें दोनों समुदाय के लोग देश-सेवा के मार्ग में सन्तोष और शान्ति के साथ सहन करते हैं। पवित्र अभीष्ट के लिए कठिनाइयों का सहना ही सब से अधिक हृदयों को मिलाने वाला और मेल-जोल तथा एकता पैदा करने वाला होता है।

इतना लिखने के बाद मैं निर्णय आपके हाथ में छोड़ता हूँ। आप अपने देश के स्वभाव और सामाजिक परिस्थिति से पूरी जानकारी रखते हैं। सोच लें कि वहाँ हिन्दू-मुसलमान इस तरह पर एक हो सकते हैं या नहीं, जिस तरह मिश्र में क़िब्ती और मुसलमान एक हो गए हैं। मेरी प्रबल कामना है, मेरी जाति के हर व्यक्ति को बड़ी इच्छा है कि भारत में एकता पैदा हो जाय और आशा है कि समस्त भारतवासी एक जाति होकर अपनी स्वतन्त्रता लेने के लिए खड़े हो जायँगे।

सावधान

यह कदापि न समझना कि महात्मा गाँधी के नेतृत्व में जो उज्ज्वल कृतकार्यता आपके राष्ट्रीय आन्दोलन ने प्राप्त की है, वह आपके झगड़े का अन्तिम ध्येय है—कदापि नहीं। १९२४ से अब तक हमारे सीमातीत कटु-अनुभवों ने हमें अच्छी तरह सिखा दिया है कि अङ्गरेज़ी शासन किस तरह धोका दे सकता है मगर हथियार नहीं डालता। आपको उचित है, कि हमारे अनुभवों से शिक्षा ग्रहण करें। अङ्गरेज़ी शासन का सब से बड़ा अस्त्र है आपस में सदा फूट फैलाने की चेष्टा करते रहना। अतः आप इससे सावधान रहें। परमात्मा हमारे हिन्दुस्तानी भाइयों का सहायक और साथी हो और उन्हें कृतकार्य और विजय प्रदान करें।

❀ ❀ ❀

ग़रीबी और उसके कारण

[श्री० लक्ष्मणप्रसाद गुप्ता, एडवोकेट]



मारे कृषि-प्रधान भारत देश में देखा जाय तो पता लगेगा कि ८० प्रतिशत लोग गाँवों में रहते हैं। इनमें से प्रायः ६५ प्रतिशत ऐसे हैं जो खेती करते हैं; १० प्रतिशत मज़दूरी करते और बाक़ी ५ प्रतिशत ऐसे हैं जो ज़मींदारी, लेन-देन, दूकानदारी या नौकरियों से अपना निर्वाह करते हैं। शहर के २० प्रतिशत लोगों में से कम से कम आधे ऐसे हैं, जो हर प्रकार के आराम से रहते हैं। शेष आधे भी अपना गुज़र अच्छी तरह कर लेते हैं। कम से कम उन्हें अन्न और वस्त्र का दुख नहीं भोगना पड़ता। परन्तु गाँवों के ८० प्रतिशत लोगों में से ७५ प्रतिशत ऐसे हैं, जिन्हें भर पेट भोजन भी नहीं मिलता। सर्दी-गर्मी से बचने और शरीर ढाँकने को काफ़ी कपड़े मिलना तो दूर की बात है. उनके घर में बर्तन तक नहीं और न छाया में बैठने को काफ़ी मकान ही हैं! बात यह है कि वहाँ ग़रीबी का घोर अट्टहास हो रहा है। ऐसा क्यों है? यदि कारण जानने के लिए परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाय तो पता चलेगा कि ग़रीबी के बहुत से कारणों में से कुछ मुख्य कारण निम्न-लिखित हैं:—

(१) सामाजिक और व्यक्तिगत बुराईयाँ, (२) क़ुदरती मुसीबतें, (३) अनावश्यक टैक्स, (४) मैशीनें और (५) विदेशी व्यापार आदि कुछ ऐसी मुख्य बातें हैं, जिन्होंने भारतीय गाँवों की श्री को घुन लगा दिया है।

किसानों की मुख्य आय खेती है। इसी में से किसान लगान देता है, बोहरों का क़र्ज़ चुकाता है, और कपड़े ख़रीदता है। तात्पर्य यह है कि इसीसे वह अपनी सारी आवश्यकताएँ पूरी करता है। इसके स्पष्ट अर्थ यह हैं कि दूसरे लोग जो खेती न करके अन्य काम, जैसे—दर्ज़ीगीरी, बढ़ईगीरी, लुहारी, राजगीरी, वैद्यक, दूकानदारी और वकालत इत्यादि करते हैं, वे सभी किसानों की पैदा की हुई पैदावार से अपना निर्वाह करते हैं।

यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि किसी देश के किसानों को उससे अधिक ग़ल्ला इत्यादि पैदा नहीं करना चाहिए, जितना कि स्वयं उनको चाहिए। जहाँ तक हो सकता है, प्रत्येक देश अपने लिए खाने की वस्तुएँ अपने ही यहाँ पैदा करता है; यदि कोई, इङ्गलैण्ड की तरह नहीं पैदा करता तो वह सदैव ख़तरे में रहता है और लड़ाई के दिनों में तो उसे सदैव ही भूखों मर जाने का डर रहता है। इस प्रकार सभी बातों का मनन करने से हमें यही पता चलेगा कि यदि अधिक पैदावार की भी गई तो वह व्यर्थ जायगी, और एक-दो साल बाद सड़ जाया करेगी। अधिक ग़ल्ला पैदा करके दूसरे देशों में भेजने का सिद्धान्त सदा लागू नहीं रह सकता। क्योंकि कोई देश अपने खाद्य पदार्थों के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहना कभी स्वीकार न करेगा। दूसरी बात यह भी है कि जितना हम ज़मीन से पैदा करते हैं, उतना ही हमको किसी न किसी रूप में उसे वापस भी कर देना चाहिए। हम जो अन्न खाते हैं उससे कफ, थूक, पाखाना, पेशाब, हड्डी और मांस इत्यादि बनते हैं और वह मल के रूप में ज़मीन को वापस होते रहते हैं। यह तो अनुभव की बात है कि जिस ज़मीन को खाद अच्छी मिलती है, उसमें अच्छी पैदावार भी होती है और जिसमें खाद कम मिलती है उसमें पैदावार कम होती है। इसलिए यदि हम अपने देश का करोड़ों मन ग़ल्ला, तैल पदार्थ, हड्डी और मांस इत्यादि बाहर भेजते रहें, तो उनसे जो खाद

बनती है, वह हमें यहाँ न मिलेगी और पैदावर में उतनी ही कमी हो जायगी। तात्पर्य यह है कि खाद की कमी के कारण ज़मीन दिन पर दिन कमज़ोर होती जायगी और एक समय ऐसा आवेगा, जब वह बञ्जर हो जायगी।* कुछ लोग कृषि-सुधार के बड़े पक्षपाती हैं। परन्तु वे भूले हुए हैं। हम यह स्वीकार करते हैं कि नए वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा अच्छी खेती हो सकती है। परन्तु ये आविष्कार हमारी जड़ खोदेंगे, क्योंकि पृथ्वी के अन्दर ग़ल्ला पैदा करने वाली जो शक्ति है, उन्हें ये आविष्कार कुछ दिनों में निकाल कर उसे बञ्जर बना देंगे। ये आविष्कार खाद का काम नहीं दे सकते; ये तो ज़मीन के जो भीतरी तत्व , उसे जल्दी और अधिक अंश में निकालने के साधन मात्र हैं। जैसे एक ढीले पहिए पर पानी डालने से उसमें ताक़त आ जाती है और वह ठीक चलने लगता है, परन्तु फिर ख़ुश्क हो जाने पर पहिले से भी अधिक ढीला हो जाता है। उसी प्रकार इन वैज्ञानिक आविष्कारों से कुछ दिन तक तो पैदावार अच्छी हो सकेगी, परन्तु उतनी ही खाद न मिलने के कारण ज़मीन कमज़ोर पड़ती जायगी। दूसरा लाभ इन आविष्कारों से यह बताया जाता है कि थोड़े ही आदमी इनके द्वारा इतना पैदा कर सकते हैं कि देश के सभी आदमी उसे खा सकते हैं और बाक़ी दूसरे आदमी दूसरे प्रकार की आवश्यकताओं में पूरा करने में लग सकते हैं। परन्तु इस देश में खेती की उन्नति इस आशय से नहीं की जा रही है कि यहाँ का पैदा किया हुआ ग़ल्ला बाहर न जायगा और किसानों का समय बचा कर उनसे उनके दूसरे आराम की चीज़ें पैदा कराई जाएँगी। कभी-कभी हमारे भूले हुए भाई यह भी कह देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्यों बाहर ग़ल्ला भेजता है। यदि ऑस्ट्रेलिया भूल करे तो क्या यह उचित है कि हम भी भूल करें? दूसरी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में जितने आदमी रहते हैं, उनकी ज़रूरत से साठ गुनी अधिक ज़मीन वहाँ है। उन्हें अपनी ज़मीन के ग़रीब होने का भय नहीं है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि रासायनिक (Chemical) खाद द्वारा पैदावार बढ़ाई जा सकती है, परन्तु वे यह भूल जाते हैं कि यह मूल्यवान रासायनिक खाद सारे देश के लिए कहाँ से आवेगी। कुछ लोग कहते हैं कि अभी खानों की खाद से काम नहीं लिया गया। परन्तु वे यह नहीं बताते कि खानों से खाद निकाल कर उसके प्रयोग के साधन क्या हैं और कैसे वह सारे देश में फैला दी जा सकती है।

इन बातों के उल्लेख का मतलब यह है कि किसानों की खेती की पैदावर सीमित है, सीमित ही रहेगी; वह बढ़ाई नहीं जा सकती और यदि बढ़ाने का प्रयत्न किया जायगा तो उससे देश को कोई लाभ नहीं होगा, और यदि कुछ सार्थक भी हुआ तो थोड़े दिन के वास्ते। हाँ, यदि देश के लोगों के लिए देश में काफ़ी अन्न पैदा न होता हो तो अवश्य पैदावार बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए और अपने खाने की आवश्यकता की सीमा तक वह हमेशा सार्थक होगी। परन्तु भारत को अब और अधिक पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कुल देशों के लोग आवश्यकता से अधिक ग़ल्ला पैदा करने का प्रयत्न करें तो जो ग़ल्ला अधिक पैदा किया गया है वह सड़ेगा या दूसरे साल लोग कम पैदा करेंगे। फलतः अपने देश की आवश्यकता से अधिक ग़ल्ला पैदा करने वाली बात निरर्थक रही। क्योंकि अब क़हत वग़ैरह के अलावा कभी कोई भी देश दूसरे देश का ग़ल्ला नहीं चाहता।

अब विचारणीय यह है कि इस सीमित खेती की पैदावार को किस ढङ्ग से ख़र्च में लाया जावे, जिसमें बेचारे किसान भूखे न मरें।

पहिली बात जो लेखक के ध्यान में आती है और जो ग़रीबी के बहुत से कारणों में से एक कारण है, वह है सामाजिक और व्यक्तिगत फ़िज़ूलख़र्ची। कुछ लोग ऐसे हैं, जो सामर्थ्य से बाहर ख़र्च करने के लिए क़र्ज़ ले लेते हैं, और अपने आपको ग़रीबी के गढ़े में ढकेल देते हैं। कुछ लोग शराब पीने में, व्यभिचार करने में और शौक़ीनी में ही अपनी सारी आमदनी ख़र्च कर डालते हैं। कुछ लोग सामाजिक रीति-रिवाजों से ऐसे मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें ख़र्च करना ही पड़ता है। और यदि वे नहीं करते तो उस समाज में उनकी निन्दा होने लगती है। यदि कोई मनुष्य अपने माँ या बाप के मरने पर धूमधाम से श्राद्ध न करे, और बिरादरी वालों तथा ब्राह्मणों को भोजन न करावे तो उसे लोगों के ताने सहने पड़ते हैं। इसी प्रकार की हज़ारों सामाजिक और व्यक्तिगत फ़िज़ूलख़र्चियाँ होती हैं, जिनके कारण हज़ारों आदमी अपना धन खोकर ग़रीबी के दुख भोगते हैं, इन बुराइयों के सुधार से बहुत-कुछ ग़रीबी से बचाया जा सकता है।

कुछ मुसीबतें प्राकृतिक हैं। जैसे समय पर वर्षा का न होना, अधिक वर्षा होकर खेती का नष्ट हो जाना, खेती में कीड़ा लग जाना, टिड्डियों का आ जाना, पाला पड़ जाना, आग लग जाना और नदियों में बाढ़ आ जाना, इस प्रकार की आपत्तियाँ अधिकतर मनुष्यों के वश से बाहर हैं। परन्तु ख़ैरात द्वारा तथा पारस्परिक सहायता से यह मुसीबतें बहुत-कुछ कम हो सकती हैं। क़र्ज़ द्वारा भी इनका प्रतिकार हो सकता है। परन्तु क़र्ज़ एक स्वयं मुसीबत बन जाता है। क़र्ज़ देने वालों के विषय में लोगों के बड़े बुरे ख़्यालात होते हैं और जिन लोगों ने क़र्ज़ लिया है वे तो उसे बहुत ही बुरा कहते हैं। परन्तु यह काम कम सूद पर क़र्ज़ देने वाली समवाय समितियों की सृष्टि से हो सकता है।

ग़रीबी का तीसरा कारण अनावश्यक टैक्स है। किसी देश में सरकारी कर्मचारियों को इतनी ऊँची तनख़्वाहें नहीं दी जातीं, जितनी हिन्दुस्तान में। इङ्गलैण्ड के सब से बड़े कर्मचारी यानी प्रधान-मन्त्री को ६,०००) रु० मासिक ही मिलता है, परन्तु यहाँ वायसरॉय को २१,०००) रु० और गवर्नर को १०,०००) रु० माहवार मिलते हैं। यहाँ अङ्गरेज़ों को तो ऊँची तनख़्वाहें मिलती हैं, परन्तु भारतवासियों को भी कम नहीं मिलतीं। तनख़्वाहें मुक़र्रर करने का सिद्धान्त यह है कि जिस आदमी को नौकर रखना है, उसको उतनी ही तनख़्वाह दी जाए जितना कि उसकी सी योग्यता के आदमी स्वतन्त्र जीवन में पैदा करते हों। लेकिन यहाँ की सरकार ने जो तनख़्वाहें रक्खी हैं, वे इस सिद्धान्त से कहीं अधिक हैं।

फ़ौज में साठ-साठ करोड़ रुपए ख़र्च होते हैं। इसमें से लगभग तीस करोड़ रुपए पचास हज़ार गोरी फ़ौज पर ख़र्च होते हैं। और दूसरे तीस करोड़ बाक़ी २ लाख के लगभग हिन्दुस्तानी फ़ौज पर ख़र्च होते हैं। ये सब रुपए टैक्स द्वारा आते हैं, जिनका अधिकांश किसानों को देना पड़ता है।

ग़रीबी का चौथा कारण मैशीनें हैं। जिस काम को पहले हाथ से एक हज़ार आदमी करते थे, उसी काम को अब मैशीनें केवल १०० आदमियों की सहायता से कर डालती हैं। अर्थात् जिस मेहनत के लाभ को पहले एक हज़ार आदमी पाते थे, अब उसे केवल एक मैशीन का मालिक ले लेता है! आजकल लोग श्रमजीव आन्दोलन के बड़े पक्षपाती हो रहे हैं और बड़े उत्साह से श्रमजीवियों का साथ देते हैं, परन्तु हमारी राय में वे थोड़ी सी भूल करते हैं। क्योंकि यह श्रमजीवी आन्दोलन (Labour Movements) केवल उन्हीं आदमियों द्वारा सञ्चालित और उन्हीं के लाभ के लिए है, जो मिलों में काम करते हैं। परन्तु इन लोगों को तो मामूली मज़दूरों की अपेक्षा कहीं अधिक तनख़्वाहें मिल जाती हैं। यह ठीक है कि यह श्रमजीवी आन्दोलन मैशीन के मालिकों से, मिलों के मज़दूरों में धन बटवाने में सहायता देते हैं। परन्तु उन ग़रीब मज़दूरों को, जिनका रोज़गार ही इन मिलों ने मार दिया है, क्या मिलता है? श्रमजीवी-आन्दोलन की बड़ी-बड़ी कोशिशों का नतीजा यह होता है कि मिल का मालिक जो ९०० आदमियों के रोज़गार का नाश करके उसके सारे लाभ को स्वयं रख लेता था, उस लाभ का कुछ हिस्सा उन १०० मज़दूरों में बँटवा दिया जाता है। इससे अधिक यह आन्दोलन कुछ नहीं करता। होना यह चाहिए कि मिल का लाभ उन तमाम लोगों को मिलना चाहिए (यदि सब न हो तो कुछ) जिनका रोज़गार उस मिल ने छीन लिया है। यह इस प्रकार हो सकता है कि मिल के मालिकों के लाभ का एक विशेष भाग सरकार टैक्स के रूप में ले ले और ग़रीबों पर लदा हुआ टैक्स कम कर दे।

विदेशी व्यापार के कारण भी देश में बड़ी ग़रीबी फैल गई है। विदेशी व्यापार यदि इस अर्थ से किया जाय कि जो वस्तु दूसरे देशों में नहीं हैं वह यहाँ से पहुँचाई जावें और जो यहाँ

(शेष मैटर ३०वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए)

* इन्हीं उसूलों को ध्यान में रख कर अमेरिका वाले, यदि किसी साल में उनके यहाँ ग़ल्ला अधिक पैदा हो जाता है तो वे उसे अपने यहाँ ही बरबाद करा देते हैं और बाहर नहीं जाने देते। यह बात नहीं है, जैसा कि एक साहब ने किसी पहले लेख में बताया, कि अमेरिका के धनी लोग ग़रीबों को उसका लाभ नहीं मिलने देते हैं, इसीलिए उसे बरबाद करा देते हैं।

—लेखक

लाहौर षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

३१ जुलाई को दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अभियुक्त सुखदेवराज के मामले में सबूत-पक्ष की ओर के गवाहों की गवाही जारी रही।

सबूत के गवाह मि० दुर्गाप्रसाद ने, जो शिमला के पास धरमपुर के रहने वाले हैं, षड्यन्त्र केस के नौ अभियुक्तों के बीच में अभियुक्त सुखदेवराज की शनाख़्त की। गवाह ने कहा कि अभियुक्त ने पिछले साल धरमपुर में मेरा मकान किराए में लिया था। किराएनामे पर उसने अपना नाम कुन्दनलाल और पूरा पता लिखा था। अभियुक्त के साथ एक और व्यक्ति था, जिसने अपना नाम रतनचन्द्र बतलाया था। जब अभियुक्त ने किराए पर मकान लिया था, उस समय वह लँगड़ाता हुआ आया था। पूछने पर अभियुक्त ने मुझसे कहा कि मेरे पैर में मोच लग गई है।

गिरदावर क़ानूनगो की गवाही

लाहौर के गिरदावर क़ानूनगो सरदार करतारसिंह ने अपनी गवाही में कहा कि मेरे ससुर का एक मकान गवर्नमेण्ट प्रेस के पीछे है। उसी जगह मुसम्मात धानदेवी का भी एक मकान है। मुसम्मात धानदेवी का मकान इन्द्रपाल नाम का एक व्यक्ति किराए पर लिए हुए था, जिसको मैं जानता था।

इस पर मुख़बिर इन्द्रपाल दस अभियुक्तों के बीच में शनाख़्त के लिए खड़ा कर दिया गया। गवाह ने कहा कि इन अभियुक्तों में इन्द्रपाल नहीं है। लेकिन जब ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट ने इन्द्रपाल से खड़े हो जाने के लिए कहा, तब गवाह ने तुरन्त कहा कि "यह इन्द्रपाल है।" इसके बाद गवाह ने कहा कि इन्द्रपाल अपनी स्त्री और तीन भाइयों के साथ रहा करता था। कुछ समय के बाद अभियुक्त जहाँगीरी और कुन्दनलाल भी वहाँ आए और मकान के ऊपर हिस्से में रहने लगे। कुछ दूसरे व्यक्ति भी उन लोगों के पास आया करते थे, जिनको मैं देख सकता था। इस पर गवाह से अभियुक्तों की ओर देखने और यह बतलाने के लिए कहा गया कि इनमें से कौन व्यक्ति उस मकान में रहते थे या वहाँ आया करते थे। गवाह ने कृष्णगोपाल, कुन्दनलाल, भीमसेन, इन्द्रपाल, जयप्रकाश, हरनामसिंह और सुखदेवराज की ओर इशारा किया।

मि० सलीम के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि सुखदेवराज का नाम मुझे लाहौर फ़ोर्ट में शनाख़्त की परेड के बाद मालूम हुआ था।

जिरह के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैंने सुखदेवराज को इन्द्रपाल के मकान पर मई और जून सन् १९३० में ५ या ६ बार जाते हुए देखा था। गवाह के यह कहने पर कि मैंने सुखदेवराज के साथ एक और सज्जन को इन्द्रपाल के मकान में जाते हुए देखा था, अदालत में हँसी हुई।

मि० सलीम के एक प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि वह सज्जन अच्छे कपड़े पहने हुए थे। गवाह को यशपाल का फ़ोटो दिखलाया गया। फ़ोटो देख कर पहले गवाह ने कहा कि मैंने उस मकान में ऐसे आदमी को कभी नहीं देखा था, लेकिन फ़ोटो की ओर फिर देख कर उसने कहा कि मुझे याद आ गया कि यह यशपाल है, जोकि अपनी माँ को देखने के लिए उस मकान में आया करता था। गवाह ने कहा कि मैंने पुलीस को सुखदेवराज की हुलिया नहीं बतलाई थी। मुझे पुलीस ने सुखदेवराज का नाम बतलाया था और मुझसे सुखदेवराज की शनाख़्त करने के लिए कहा था, जोकि शालामार बाग़ में गिरफ़्तार किया गया था। दूसरे व्यक्तियों के नाम भी, जिनकी मैंने शनाख़्त की थी, पुलीस ने शनाख़्त के बाद मुझे बतलाए थे। गवाह ने कहा कि पुलीस ने मुझे सुखदेवराज की हुलिया नहीं बतलाई थी, परन्तु मैंने वे विज्ञापन देखे थे, जिनमें फ़रार अभियुक्तों की गिरफ़्तारी के लिए इनाम की घोषणा हुई थी। उन विज्ञापनों में फ़रार अभियुक्तों के चित्र भी प्रकाशित हुए थे। मैंने विज्ञापनों में सुखदेवराज का चित्र भी देखा था। परन्तु मैंने उस चित्र की शक्ल को सुखदेवराज की उस शक्ल से तुलना नहीं की थी जोकि मुझे याद थी।

इस गवाह की गवाही लगातार मनोरञ्जक रही। वह प्रश्नों का उत्तर तुरन्त हाँ कह कर दिया करता था, परन्तु बाद में अपना उत्तर बदल दिया करता था।

मि० सलीम और रायबहादुर गङ्गाराम सोनी ने गवाह से प्रश्न पर विचार करने के बाद उत्तर देने के लिए सावधान किया।

इसके बाद अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

ता० ३१ जुलाई को दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस की भी सुनवाई हुई। सबूत की ओर से केवल गुजरानवाला के दयालसिंह नाम के व्यक्ति की गवाही हुई थी। उसने अपनी गवाही में कहा कि मैंने १८ जून, सन् १९३० की रात को ब्रह्म-अखाड़ा में दो सिक्ख नवयुवकों को देखा था। गवाह अभियुक्त अमरीकसिंह और गुलाबसिंह की शनाख़्त नहीं कर सका, जोकि ११ बाहरी व्यक्तियों के साथ मिला दिए गए थे।

इसके बाद सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने गवाह से जिरह की।

इसके बाद अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

ता० १ अगस्त को दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में अभियुक्त सुखदेवराज की उस अर्ज़ी पर बहस हुई, जिसमें कहा गया था कि अभियुक्त सुखदेवराज के साथ रहने के लिए अच्छी श्रेणी के क़ैदियों का प्रबन्ध होना चाहिए।

मि० श्यामलाल ने बहस में कहा कि यद्यपि अदालत ने निर्णय किया था कि सुखदेवराज की ग़ैर-क़ानूनी हिरासत हटा देनी चाहिए, फिर भी जेल-अधिकारियों ने वैसा नहीं किया। उन्होंने अभियुक्त को केवल साधारण क़ैदियों के साथ रहने की इजाज़त दी और अदालत के सामने उन कारणों को बतलाने से इनकार कर दिया, जिनसे अभियुक्त को ट्रिब्यूनल की आज्ञानुसार उसी की श्रेणी के क़ैदियों के साथ रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकी।

मि० सलीम—आपका तात्पर्य यह है कि अभियुक्त की गिनती ए क्लास के क़ैदियों में होनी चाहिए और उसके अनुसार उसे अच्छी श्रेणी के क़ैदियों के साथ रहने की इजाज़त होनी चाहिए और उसके रहने का स्थान दूसरे क़ैदियों से अलग होना चाहिए?

मि० श्यामलाल—जी हाँ।

इसके बाद ट्रिब्यूनल के सदस्य १५ मिनट तक परस्पर सलाह करते रहे।

मि० सलीम ने सरकारी वकील से कहा—यदि आप यह नहीं बतलाते कि अभियुक्त सुखदेवराज से आपको क्या आशङ्का है, तो हम उपस्थित परिस्थितियों के अनुसार अपना निर्णय देने के लिए बाध्य हैं। हम आशङ्काओं के अनुमान नहीं लगा सकते।

सरकारी वकील पण्डित ज्वालाप्रसाद ने कहा—मैं उन कारणों को केवल मि० श्यामलाल की उपस्थिति में बतला सकता हूँ, परन्तु अभियुक्त सुखदेवराज की उपस्थिति में नहीं बतला सकता।

मि० सलीम—परन्तु मि० श्यामलाल उन्हें अभियुक्त सुखदेवराज से छिपा नहीं सकते।

मि० श्यामलाल—मेरा सम्पूर्ण अधिकार अभियुक्त सुखदेवराज की ओर से प्राप्त है।

सरकारी वकील पं० ज्वालाप्रसाद—ऐसी परिस्थिति में अदालत के सामने उन कारणों के प्रकट करने के पहले मुझे गवर्नमेण्ट से सलाह कर लेना ज़रूरी है। इसके लिए मैं समय चाहता हूँ।

अदालत ने सरकारी वकील को समय देना स्वीकार कर लिया और ता० ६ अगस्त तक के लिए बहस स्थगित कर दी। अभियुक्त सुखदेवराज की प्रार्थना पर मामले की कार्रवाई भी तब तक के लिए स्थगित कर दी।

ता० ३ अगस्त को दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस की कार्रवाई अभियुक्त भागराम के बीमार हो जाने के कारण, जिसकी दवा मेयो अस्पताल में हो रही है, स्थगित हो गई। अभियुक्त भागराम ने ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट के पास पत्र लिखा था कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी ओर से कोई पैरवी न करे। इसलिए अदालत की कार्रवाई स्थगित कर दी गई।

अभियुक्त सुखदेवराज का मामला भी नहीं पेश हो सका, क्योंकि सुखदेवराज अपनी सफ़ाई के सम्बन्ध में सलाह करने के लिए हाईकोर्ट की इजाज़त से दिल्ली में दिल्ली षड्यन्त्र केस के अभियुक्त धन्वन्तरि, विद्याभूषण और वैशम्पायन से मिलने के लिए गए थे।

ता० ४ अगस्त को दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में अभियुक्त भागराम की बीमारी के कारण अदालत की कार्रवाई फिर स्थगित हो गई।

भागराम ने स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने आज एक अर्ज़ी पेश की, जिसमें उसने कहा है कि मैं दो महीने से कठिन हिस्टीरिया रोग से पीड़ित हूँ। इसी बीच में मुझे लक़वा भी हो गया था, जिससे मेरा बायाँ अङ्ग बेकाम हो गया है। उस समय मैं मेयो अस्पताल में था। जेल-अधिकारियों द्वारा यह विश्वास दिलाए जाने पर कि मैं मेयो अस्पताल में स्थायी रूप से दवा करने के लिए लाया गया हूँ, मैंने अदालत में अपनी अनुपस्थिति के लिए अपनी पैरवी कराना स्वीकार कर लिया था। परन्तु बाद में मैंने देखा कि मैं केवल जाँच के लिए अस्पताल भेजा गया था, स्थायी रूप से दवा कराने के लिए नहीं। मैं पहली अगस्त को अस्पताल से जेल भेज दिया गया था।

मेयो अस्पताल में ठीक तरह से और सहानुभूति के साथ औषधि होने से मेरी हालत निश्चय रूप से सुधरती हुई दिखलाई पड़ने लगी थी। मेरा बायाँ हाथ हिलने लगा था, यद्यपि वह एक बार फिर बेकाम हो गया था। मुझे विश्वास है कि मैं अच्छा हो गया होता, अगर वही दवा कुछ समय तक जारी रहती। जेल की औषधि फिर प्रारम्भ होने पर कष्ट भी पूर्ण रूप से प्रारम्भ हो गया। इस समय मुझे बेहोशी के दौरे आ जाया करते हैं और मेरा बायाँ अङ्ग हरकत करने में असमर्थ है। बिना सहायकों के सहारे मैं पेशाब तक नहीं कर सकता।

"पानी के लिए मुझे चिल्लाना पड़ता है"

तीन पहरेदार, जो मेरी देख-रेख रखने के लिए तैनात किए गए हैं, सहानुभूति के साथ और ठीक तरह से कार्य नहीं करते। वे शुश्रूषा करना नहीं जानते, इसलिए पानी तक के लिए मुझे चिल्लाना पड़ता है, विशेषकर रात के समय, जबकि वे गहरी नींद में सो जाते हैं।

मैं अदालत को यह बतला देना चाहता हूँ कि मेरा विचार अदालत की कार्रवाई में किसी प्रकार की बाधा डालने का नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि इस विषय में जितनी जल्दी हो, उतना ही अच्छा है। मेरा विश्वास है कि मेरे लिए अच्छा ही है, अगर अदालत की कार्रवाई में जल्दी हो। परन्तु मैं यह कह देना चाहता हूँ कि जेल के अधिकारियों और सरकार की यह ज़बरदस्त कोशिश है कि मैं अपनी अनुपस्थिति में अपनी पैरवी वापस ले लूँ।

उपरोक्त परिस्थितियों से विवश होकर मैं अपनी अनुपस्थिति में दूसरे किसी को अपनी पैरवी का अधिकार नहीं दे रहा हूँ। मेरा ख़्याल है कि मैं अपने क़ानूनी सलाहकार को, शरीर और मन की ऐसी हालत में ठीक तरह से सलाह नहीं दे सकता। मैं अपने क़ानूनी सलाहकार को तब तक पैरवी करने का अधिकार नहीं देता, जब तक कि मैं मेयो अस्पताल में स्थायी रूप से औषधि कराने के लिए न भेज दिया जाऊँ, या जब तक मैं ठीक तरह से दवा कराने के लिए ज़मानत पर न छोड़ दिया जाऊँ।

अर्ज़ी पर बाद में किसी समय विचार होगा।

गम्भीर दोषारोपण

ट्रिब्यूनल के सामने दूसरी अर्ज़ी

जो अभियुक्त अदालत में हाज़िर हुए थे, उन्होंने एक दूसरी अर्ज़ी ट्रिब्यूनल के सामने पेश की, जिसमें कहा गया था कि सेण्ट्रल जेल के हाते के अन्दर अत्यन्त नियम-विरुद्ध और अमानुषिकता का व्यवहार किया जाता है। पञ्जाब सरकार ने सी० आई० डी० और जेल-अधिकारियों से मिल कर हम लोगों को अपनी उचित सफ़ाई से वञ्चित करने के लिए एक षड्यन्त्र बना लिया है। यह बात मुख़बिर मदनगोपाल और इन्द्रपाल ने जेल-अधिकारियों के विरुद्ध जो दोषारोपण किए थे और प्रमाण में जो काग़ज़ी सबूत पेश किए थे, उनसे स्पष्ट है। हम लोगों को यह स्वीकार करते हुए लज्जा मालूम होती है कि विदेशी गवर्नमेण्ट के ग़ैर-क़ानूनी कार्यों को कार्य रूप में परिणत करने के षड्यन्त्र में हिन्दुस्तानियों ने बहुत बड़ा भाग लिया है।

हम लोगों को जो भोजन दिया जाता है, वह ऐसा रहता है जो मनुष्य खा नहीं सकता, न हज़म कर सकता है। हम लोगों को धूल में मिला हुआ गेहूँ का आटा दिया जाता है। इधर कुछ दिनों के अन्दर हम लोग दो बार उसे लौटा चुके हैं। बड़ी मुश्किल से अच्छा आटा दिया गया। तरकारी बिल्कुल सड़ी हुई होती है।

हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हँसी में दिए जाते हैं। जेल-अधिकारियों ने इस बात पर हम लोगों का बाहर के लोगों से मिलना बन्द कर दिया कि एक अभियुक्त के पास एक काग़ज़ निकला, जोकि उसने जेल-अधिकारियों को देना अस्वीकार कर दिया। उस अभियुक्त ने सुपरिण्टेण्डेण्ट से कहा कि उस काग़ज़ में मामले की सफ़ाई के सम्बन्ध में कुछ सलाहें लिखी हैं। इसलिए मैं उसे जेल-अधिकारियों को नहीं दे सकता। इस पर भी अगर जेल-अधिकारी सन्तुष्ट नहीं थे, तो वे उसे दण्ड दे सकते थे। परन्तु एक की ग़लती के लिए सबको कष्ट दिया जाय, इसका कोई कारण नहीं है। परन्तु सुपरिण्टेण्डेण्ट ने इस उचित प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ग़ैर-क़ानूनी और मनमाना हुक्म निकाल दिया कि एक की ग़लती के लिए सबको कष्ट सहन करना होगा।

अदालत से हम लोगों की प्रार्थना है कि वह मामले की जाँच करे और जेल-अधिकारियों को, क़ानून के अनुसार सफ़ाई के लिए हम लोगों को पूर्ण सुविधा देने की आज्ञा दे।

इसके बाद ६ ता० तक के लिए अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

ता० ५ अगस्त को दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अभियुक्त सुखदेवराज के मामले में दो और सबूत के गवाहों की गवाही हुई।

लाहौर के फ़र्स्ट क्लास के मैजिस्ट्रेट सय्यद बशीर हैदर ने अपनी गवाही में कहा कि लाहौर फ़ोर्ट में अभियुक्त सुखदेवराज की शनाख़्त-परेड मैंने की थी। आपने कहा कि मेहरचन्द, देविया मेहतर, फ़ज़लदीन ताँगा हाँकने वाले, मोहनी भिश्ती, शेर मोहम्मद और लाभामल ने अभियुक्त सुखदेवराज की शनाख़्त की थी। इन लोगों ने कहा था कि अभियुक्त को हमने भावलपुर रोड के बँगले पर देखा था।

अभियुक्त सुखदेवराज की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैंने डिप्टी कमिश्नर की आज्ञा के अनुसार शनाख़्त परेड की थी। फ़ोर्ट पहुँचने पर पुलीस ने मुझसे कहा कि गवाह बारहदरी में हैं। मैंने वहाँ सय्यद अहमदशाह डी० एस० पी० को देखा था। मैंने सी० आई० डी० के दफ़्तर में शनाख़्त की परेड की थी। परन्तु परेड के समय वहाँ कोई पुलीस-अफ़सर नहीं था। मैंने वहाँ सब इन्स्पेक्टर खड्गसिंह को देखा था। परन्तु वे उस कमरे में उपस्थित नहीं थे, जिसमें परेड हुई थी। मैंने पुलीस अफ़सरों के गवाहों से बातचीत करने के सम्बन्ध में कोई रुकावट नहीं डाली थी, न मैंने उन लोगों के नाम और पते लिखे, जोकि अभियुक्त के साथ मिला दिए गए थे, क्योंकि मैंने उसे आवश्यक नहीं समझा। मुझे याद नहीं है कि अभियुक्त ने वैसा करने के लिए मुझसे कहा था या नहीं।

इसके बाद फ़ज़लदीन ताँगा हाँकने वाले की गवाही हुई, जिसने अभियुक्त सुखदेवराज की शनाख़्त की और कहा कि मैं अभियुक्त को भावलपुर रोड के मकान से तार के दफ़्तर ले गया था।

इसके बाद अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

(क्रमशः)

❀ ❀ ❀

ग़रीबी और उसके कारण

(२८वें पृष्ठ का शेषांश)

न हों, वह दूसरे देशों से, जहाँ वे होती हैं, लाई जावें तो कोई हानि नहीं। अर्थात् जब व्यापार बराबरी का होता है तो कोई हानि नहीं होती। परन्तु जब विदेशी व्यापार अपने देश के व्यापार का नाश करने वाला हो तो वह अत्यन्त हानिकारक होता है। एक कपड़े को ही लीजिए। यदि यहाँ की कपास यहीं ओटी जावे, यहीं धुनी जावे, यहीं काती जावे, यहीं बुनी जावे, और यहीं रँगी जावे तो यहाँ के लाखों आदमी ओटाई, धुनाई, बुनाई की मज़दूरी से गुज़र करें, परन्तु यदि वह कपास विदेशी ले जायँ और वहाँ से कपड़ा बना कर भेजें तो वह सब मज़दूरी जो ओटाई, धुनाई, कताई बुनाई वग़ैरह में यहाँ मज़दूरों को बँटती वह विदेश के लोगों में बँटी और उसका लाभ उनको पहुँचा। इसी प्रकार हर एक क़िस्म की चीज़, जो दूसरे देशों से तैयार होकर आती है, उसके बनाने की मज़दूरी और मुनाफ़ा दूसरे देश वालों के ही पास रहता है। देश के शत्रु यह दलील दिया करते हैं कि जो मेहनत करेगा वह लेगा। बाहर के लोग श्रम करते हैं और वह लेते हैं। सवाल यह होता है कि क्या यहाँ के लोग मेहनत नहीं करते थे और कपड़ा इत्यादि चीज़ें तैयार नहीं करते थे? यदि करते थे और करने को तैयार हैं तो उन्हीं से क्यों नहीं कराया जाता? उत्तर मिला है कि किसने रोका है। दूसरे देश के लोग सस्ती और अच्छी चीज़ें बनाते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों के बनाए हुए माल की खपत नहीं होती है और इसीलिए वह माल बनाना छोड़ देते हैं। लोगों का ऐसा ख़याल है कि यहाँ के लोगों को चीज़ बनाने में बड़ी बाधाएँ डाली जाती हैं, परन्तु हम इस विषय पर इस छोटे से लेख में कुछ नहीं लिखेंगे। हम यह मान लेते हैं कि बाधाएँ नहीं डाली जाती हैं और हम यह भी मान लेते हैं कि बाहर का माल सस्ता और अच्छा आने के कारण यहाँ के माल की खपत नहीं होती और इसी कारण यहाँ के लोग माल नहीं बनाते हैं। परन्तु क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि यहाँ के बनाने वालों की रक्षा के हेतु वह बाहर के माल को न आने दे। क्या जर्मनी के रङ्ग के ख़िलाफ़ आजकल इङ्गलैण्ड में ऐसा नहीं हो रहा है, क्या Imperial Preference की नीति के पीछे इङ्गलैण्ड नहीं पड़ा हुआ है?

अस्तु, अब समय आ गया है कि हम अपनी ग़रीबी के इन कारणों पर विचार करें और उनके प्रतिकार की तदबीर सोचें।

* * *

दिल्ली षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

ता० २८ जुलाई को दिल्ली षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के जजों के बैठते ही अभियुक्तों ने "बिमलदास चिरञ्जीवी हो" के नारे लगाए। अभियुक्तों के देर से आने के कारण अदालत की कार्रवाई बारह बजे के पहले नहीं प्रारम्भ हो सकी।

अभियुक्त निगम और वात्स्यायन अस्वस्थ हो जाने के कारण अदालत में उपस्थित होने में असमर्थ थे। उनकी अनुपस्थिति में भी ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा ५१४ के अनुसार अदालत की कार्रवाई होती रही।

सन्तरी घायल

विद्याभूषण ने ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट से कहा कि ड्यूटी पर तैनात एक सन्तरी के हाथ में उसकी बन्दूक़ से संयोगवश आज गोली लग गई है। हम लोगों को डर है कि इस तरह का अयोग्य व्यक्ति किसी दिन किसी रास्तागीर या किसी अभियुक्त को गोली न मार दे। ऐसे व्यक्ति को सड़क पर रखना जनता के लिए ख़तरनाक है। ऐसे व्यक्तियों की जगह योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए।

ख़ाँ बहादुर अमीरअली ने कहा कि इस मामले की जाँच हो रही है।

डॉ० किचलू ने चार पृष्ठों में छपी हुई एक लम्बी अर्ज़ी ट्रिब्यूनल के सामने पेश की। अर्ज़ी में कुछ षड्यन्त्र केसों की फ़ाइलों के मँगाने की प्रार्थना की गई है। अर्ज़ी में कहा गया है कि उन षड्यन्त्र केसों का हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध बतलाया गया है। सबूत की ओर से उन षड्यन्त्र केसों का हवाला भी दिया गया है। सबूत-पक्ष उन षड्यन्त्रों से इस षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों का सम्बन्ध भी प्रमाणित करना चाहता है। इसलिए निम्न-लिखित षड्यन्त्र केसों की फ़ाइलें मँगाना आवश्यक है :—

(१) लैमिङ्गटन रोड गोली-काण्ड केस, (२) पहला लाहौर षड्यन्त्र केस, (३) काकोरी षड्यन्त्र केस, (४) भुसावल बम केस, (५) एसेम्बली बम केस, (६) अहमदाबाद ट्रेन डकैती केस, (७) चटगाँव शस्त्रागार केस, (८) दूसरा लाहौर षड्यन्त्र केस।

अदालत ने अर्ज़ी पर बहस करने के लिए ता० ३१ जुलाई नियत की है। सरकारी वकील को उस दिन अर्ज़ी पर बहस करने के लिए नोटिस दी गई।

इसके बाद मि० एस० एन० बोस ने मुख़बिर कैलाशपति से जिरह प्रारम्भ की। मुख़बिर ने कहा कि मुझे यह याद नहीं है कि २६ नवम्बर को पुलीस के सामने दिए गए बयान में मैंने कहा था कि निगम से मेरा परिचय अगस्त सन् १९२९ में हुआ था। मि० बोस ने अदालत से कहा कि मुख़बिर ने एक दफ़ा यह भी कहा है कि मेरा निगम से फ़रवरी में परिचय हुआ था। आपने कहा कि ये परस्पर विरोधी बातें हैं।

आगे जिरह करने पर मुख़बिर ने कहा कि मैं अजमेर के श्री० अर्जुनलाल सेठी को बहुत समय से जानता हूँ। मैं यह जानता था कि सेठी ने पहले षड्यन्त्रकारी आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया था। यह बात मुझे शैलेन्द्रनाथ चक्रवर्ती से मालूम हुई थी। मुझे यह याद नहीं है कि श्री० अर्जुनलाल सेठी किस दल के सदस्य थे या वे दल का कौन सा कार्य करते थे। मैंने यह शैलेन्द्रनाथ चक्रवर्ती से नहीं पूछा था। इसके बाद श्री० अर्जुनलाल सेठी के सम्बन्ध में अन्य अनेक प्रश्नों के उत्तर में मुख़बिर ने कई बार यही उत्तर दिया कि "मुझे याद नहीं है।"

मुख़बिर ने कहा कि दिल्ली में श्री० अर्जुनलाल सेठी के सम्बन्ध में मुझे मालूम हुआ था कि श्री० अर्जुनलाल सेठी षड्यन्त्रकारी दल से सहानुभूति रखते हैं। मुझसे यह बात बिमलप्रसाद जैन ने बतलाई थी, क्योंकि वह श्री० अर्जुनलाल सेठी के संसर्ग में रह चुका था। बिमल ने मुझसे यह नहीं कहा था कि सेठी अच्छी स्थिति के व्यक्ति हैं, परन्तु मैं जानता था कि अर्जुनलाल धनी व्यक्ति नहीं हैं।

मुख़बिर ने कहा कि मैंने बिमल से श्री० अर्जुनलाल सेठी को मेरा सच्चा नाम कैलाशपति बतला देने के लिए कहा था, जिससे श्री० सेठी को मालूम हो जाय कि मैं अभियुक्त हूँ और मुझे रुपए की ज़रूरत है।

प्र०—उस समय तुम एक चोरी के मामले में फ़रार थे?

उ०—नहीं, मैं पहले लाहौर षड्यन्त्र केस में फ़रार घोषित किया गया था। बिमल ने मुझे लिखा था कि श्री० अर्जुनलाल से रुपए नहीं मिल सके। मुख़बिर ने कहा कि पहले-पहल मैं जनवरी सन् १९३० में अजमेर गया था। बिमलप्रसाद जैन मेरे साथ गए थे। वहाँ हम लोग मुख़बिर मदनगोपाल से मिले, जिनसे मैं पहले कभी नहीं मिला था। बिमलप्रसाद ने मुख़बिर मदनगोपाल से परिचय कराने में कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया था, न कोई विशेष बातचीत ही हुई। उस समय मैंने श्री० अर्जुनलाल सेठी को पहले-पहल देखा था। हम लोगों ने परस्पर नमस्कार किया। श्री० सेठी ने पूछा कि दल क्या कर रहा है। मैंने कहा कि दल धन न होने के कारण असङ्गठित हो गया है और कोई कार्य नहीं हो सकता। मुझे याद नहीं है कि और क्या बात हुई थी। सेठी ने मुझसे केशवचन्द्र को धन का प्रबन्ध करने के लिए भेजने के सम्बन्ध में कहा। परन्तु धन का प्रबन्ध नहीं हो सका। डेढ़ घण्टे के बाद हम लोग एक-दूसरे से अलग हुए। वहाँ से मैं मुख़बिर मदनगोपाल के घर गया। एक घण्टे के बाद मैं बालकृष्ण के घर पर केशवचन्द्र गुप्त से भी मिला था।

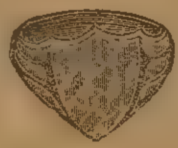
इसके बाद अदालत जलपान के लिए स्थगित हो गई।

जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर मि० बोस की जिरह के उत्तर में मुख़बिर कैलाशपति ने कहा कि दूसरी दफ़ा मैं अजमेर अकेला गया था और वहाँ मुख़बिर मदनगोपाल के साथ फ़रवरी के दूसरे सप्ताह तक रहा था। मैं अर्जुनलाल सेठी से दो या तीन बार मिला था। मैंने सेठी से रुपयों के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि अगर कुछ समय तक रुक सको तो मैं कुछ प्रबन्ध करूँगा। मैंने रुपयों के लिए उनसे दो या तीन बार कहा था, परन्तु उन्होंने मुझे कोई आशा नहीं दिलाई और न रुपया ही मिला।

(क्रमशः)

* * *

"बी" केटलॉग दाम ।)
"सी" केटलॉग दाम ।)



सोने-चाँदी के फ़ैन्सी ज़ेवर के लिए

सोनी मोहनलाल जेठाभाई

३२ आरमनी स्ट्रीट, टेलीफ़ोन नं० ३१४३, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता



पोस्टेज भेज कर मँगाइए !

६॥) रु० में तीन घड़ियाँ (गारण्टी साथ में)



१॥।=) पा०वा०गा०२ वर्ष	७॥) जे० अठ०गा० ८ वर्ष
१) बी टाइमपीस,, ▪ ,,	१०॥) रि० गो० ली० ६ ,,
२) बर्मा ,, ,, ४ ,,	२७) ,, रोल्डगोल्ड ८ ,,
३॥) एलार्म,, ,, ५ ,,	२५) ,, ,, ली० १० ,,
३॥।) रि० निकल,, ५ ,,	५०) ,, सोना१८ के१० ,,
४॥) ,, सुनहरी,, ५ ,,	१५) पा० क्रो० ,, १० ,,
६॥) ,, चाँदी ,, ६ ,,	१२॥) ठीक समय व
१०॥) दीवार घड़ी १० ,,	मस्ताना बाजा बजाती

नं० १+२+५ एक साथ मँगाने से ६॥) डा० ख़० अलग।

पता—रॉयल स्वीज़ वाच कम्पनी,
पी० बी० १२,२१२ कलकत्ता। मुरादाबाद (यू० पी०)

गृहस्थ का सच्चा मित्र

३० वर्ष से प्रचलित, रजिस्टर्ड



बालक, वृद्ध, जवान, स्त्री, पुरुषों के शिर से लेकर पैर तक के सब रोगों की अचूक रामबाण दवा। हमेशा पास रखिए, वक्त पर लाखों का काम देगी। सूची मय कलेण्डर मुफ़्त मँगा कर देखो।

क़ीमत ।॥) तीन शीशी २) डा० म० अलग।

पता—चन्द्रसेन जैन वैद्य, इटावा

मनोहर पिल्स चन्द्रप्रभा

ताक़त का ख़ज़ाना है, जो खोई हुई ताक़त को वापस लाकर, धातु को गाढ़ा करके स्वप्न-दोष, चीणता, अधिक विलासिता से उत्पन्न हुई रग व पट्ठों की कमज़ोरी को रफ़ा करके हर क़िस्म का प्रमेह, सूज़ाक, बवासीर, नवासीर, भगन्दर व औरतों के मासिक धर्म की ख़राबी के लिए अकसीर है। क़ीमत बड़ी शीशी ५) छोटी २॥)

बवासीर

ख़ूनी हो या बादी, बिला ऑपरेशन २४ घण्टे में तकलीफ़ को रफ़ा करके सिर्फ़ १ शीशी से ही आराम, क़ीमत बड़ी शीशी ५) ख़ुर्द २॥)

वै० भू० पं० मनोहरलाल मिश्र
आयुर्वेदिक मेडिकल हाल
चौक मैदानखाँ हैदराबाद, दक्षिण

चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं रही!



आप "निरमोलिन" से अपने रेशमी, ऊनी आदि सब प्रकार के रङ्गीन और मुलायम कपड़े आसानी से धो सकते हैं।

इसमें किसी प्रकार की हानिकारक वस्तु नहीं मिली हुई है!

हर जगह मिल सकती है।

कलकत्ता सोप-वर्क्स,
(हिन्दुस्तान में सब से बड़ी सोप-फ़ैक्टरी)
बालीगञ्ज, कलकत्ता

डॉ० डब्लू० सी० राय, एल० एम० एस० की

पागलपन की दवा

५० वर्ष से स्थापित

मूर्च्छा, मृगी, अनिद्रा, न्यूरस्थेनिया के लिए भी मुफ़ीद है। इस दवा के विषय में विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि :—"मैं डॉ० डब्लू० सी० राय की स्पेसिफ़िक फ़ॉर इन्सेनिटी (पागलपन की दवा) से तथा उसके गुणों से बहुत दिनों से परिचित हूँ।" स्वर्गीय जस्टिस सर रमेशचन्द्र मित्र की राय है—"इस दवा से आरोग्य होने वाले दो आदमियों को मैं ख़ुद जानता हूँ।" दवा का दाम ५) प्रति शीशी।

पता—एस० सी० राय एण्ड कं०,
१६७/३ कार्नवालिस स्ट्रीट,
या (३६ धर्मतल्ला स्ट्रीट) कलकत्ता !
तार का पता—"Dauphin" कलकत्ता

अग्रवाल वर चाहिए

बीसा अग्रवाल के उच्च घराने की विवाह योग्य शिक्षित कन्याओं के लिए, जोकि यू० पी० की निवासी हैं, ऐसे वरों की दरकार है, जो १८ से २१ साल तक के स्वस्थ, सदाचारी, शिक्षित और कम से कम ५००) मासिक बँधी हुई आमदनी रखने वाले और आदर्श सुधारक हों। लेने-देने का ठहराव, फ़ज़ूल-ख़र्च व कुरीतियाँ कुछ न होंगी, किन्तु विवाह बहुत सादापन से आडम्बर-रहित होगा, जन्म-पत्री नहीं मिलाई जायगी, कोई भाई मन्तव्य-विरुद्ध लिखा-पढ़ी न करें। व्यापारी वाहन विशेष वाञ्छनीय है।

अग्रवाल समिति,
D. बलदेव बिलडिङ्ग झाँसी, JHANSI

बरसात में इन औषधों की परमावश्यकता है !

तत्काल गुण दिखाने वाली ४० वर्ष की परीक्षित दवाइयाँ



शरीर में तत्काल बल बढ़ाने वाला, क़ब्ज़, बदहज़मी, कमज़ोरी, खाँसी और नींद न आना दूर करता है। बुढ़ापे के कारण होने वाले सभी कष्टों से बचाता है। पीने में मीठा व स्वादिष्ट है। क़ीमत तीन पाव की बड़ी बोतल २), डाक-ख़र्च १॥।) ; छोटी बोतल १) रु०, डाक-ख़र्च १=)



बच्चों को बलवान, सुन्दर और सुखी बनाने के लिए सुख-सञ्चारक कम्पनी, मथुरा का मीठा "बालसुधा" उन्हें पिलाइए ! क़ीमत ॥।) आना, डा० ख़० ॥-)

सब दवा बेचने वालों के पास मिलती हैं। धोखे से नक़ली दवा न ख़रीदिए !

पता—सुख-सञ्चारक कम्पनी, मथुरा

"सरदार भगतसिंह" का फ़ैसला

जिस "सरदार भगतसिंह" नामक पुस्तक के लिखने और छापने के अभियोग में श्री० जतीन्द्रनाथ सान्याल तथा 'भविष्य' के सम्पादक श्री० त्रिवेणीप्रसाद को क्रमशः २ वर्ष और ६ मास की सज़ाएँ दी गई थीं, और जिनकी अपील हाई-कोर्ट में १६ अगस्त को दायर कर दी गई है, उसके सम्बन्ध में इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० आर० एफ़० मुडी ने निम्न-लिखित फ़ैसला लिखा है।

—सम्पादक 'भविष्य'

जतीन्द्रनाथ सान्याल और त्रिवेणीप्रसाद पर "सरदार भगतसिंह : संक्षिप्त जीवन-चरित्र" नामक पुस्तक के लिए, जिसे जतीन्द्रनाथ सान्याल ने लिखा है और त्रिवेणीप्रसाद ने "फ़ाइन आर्ट प्रिन्टिङ्ग कॉटेज, इलाहाबाद" में मुद्रित किया है, इण्डियन पीनल कोड की दफ़ा १२४-ए के अनुसार राजद्रोह का अभियोग लगाया गया है। इसके पूर्व कि अभियोग और सरकारी तथा अभियुक्त-पक्ष की दलीलों पर विचार किया जाय, यह आवश्यक है कि पुस्तक का सारांश जान लिया जाय।

भगतसिंह, जिसका जीवन-चरित्र सान्याल ने लिखा है, वास्तव में लाहौर के असिस्टेण्ट पुलीस सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० सॉण्डर्स का हत्याकारी है और वह उन दो आदमियों में से एक है, जिन्होंने अप्रैल, १९२९ में लेजिस्लेटिव एसेम्बली में बम फेंका था। पुस्तक के आरम्भ में भगतसिंह के वंश का परिचय दिया गया है। कहा गया है कि उसके पूर्वजों ने महाराज रणजीतसिंह को "पश्चिम की तरफ़ उपद्रवी पठानों के विरुद्ध और पूर्व की तरफ़ ख़तरनाक अङ्गरेज़ों के विरुद्ध सहायता दी थी।" इसके पश्चात् भारत के उग्र राजनीतिक आन्दोलन के साथ भगतसिंह के कुटुम्ब का सम्बन्ध बतलाया गया है। उसके चचा अजीतसिंह के सम्बन्ध में लिखा है कि वे "लाला लाजपतराय को मातृ-भूमि की सेवा के राजनैतिक क्षेत्र में खींच लाए।" उनके लिए "बङ्ग-भङ्ग ईश्वरी देन के समान जान पड़ा" और वे "सन् १८१८ के तीसरे स्वेच्छाचार पूर्ण रेगुलेशन के अनुसार, जिससे बाद में सरकार को बहुत अधिक सहायता प्राप्त हुई है" बर्मा को निर्वासित कर दिए गए। इन्हीं दिनों भगतसिंह के पिता और एक दूसरे चचा राजद्रोह के लिए क़ैद किए गए। उसी "शुभ मुहूर्त में सरदार भगतसिंह का जन्म हुआ, जो अपने पिता के द्वितीय पुत्र थे।" लेखक प्रश्न करता है "क्या यह केवल एक संयोग था अथवा कोई दैवी घटना।"

आगे चल कर भगतसिंह की बाल्यावस्था का वर्णन किया गया है। चौदह वर्ष की उम्र में "मातृ-भूमि की सेवा के उत्साह के फल स्वरूप भगतसिंह का सम्बन्ध पञ्जाब की कुछ क्रान्तिकारी संस्थाओं से हो गया।" अपने पिता की गिरफ़्तारी, जिस पर "क्रान्तिकारियों को एक हज़ार रुपया सहायता देने का" अभियोग लगाया गया था; और "सन् १९१४ और १९१५ के लाहौर षड्यन्त्र केसों में सिक्खों के वीरतापूर्ण बलिदान" के प्रभाव से वह "बब्बर अकालियों के उग्र क्रान्तिकारी मार्ग की तरफ़ अग्रसर होता गया।" पुलीस की निगरानी के कारण भगतसिंह कानपुर को चला गया, जहाँ श्री० गणेश शङ्कर विद्यार्थी के साथ उसकी आजन्म मैत्री स्थापित हुई और वह "भारत के एक सुसङ्गठित क्रान्तिकारी दल का मुख्य अङ्ग बन गया।"

इसके पश्चात् भारतीय क्रान्तिकारी दल वालों की आरम्भिक चेष्टाओं का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार "आपस के विश्वासघात के कारण" "कुछ राजपूत और सिक्ख पल्टनों को उभाड़ कर भारत में सशस्त्र क्रान्ति मचाने की चेष्टा" असफल हो गई। सिङ्गापुर की ५वीं लाइट इन्फ़ैण्टरी के "भयङ्कर बलवे" और बाद में सन्दिग्ध रेजिमेण्टों को "फ़्रान्स के सब से कठिन रण-क्षेत्रों" में भेजे जाने का भी वर्णन किया है। "बारदोली की हार" के पश्चात् गुप्त क्रान्तिकारी आन्दोलन ज़ोरों से फैलने लगा और इलाहाबाद में "हिन्दुस्तान रिपब्लिकन ऐसोसिएशन' (भारतीय प्रजातन्त्रवादी समिति) की स्थापना हुई, जिसमें भगतसिंह भी सम्मिलित हुआ। इसके फल से काकोरी ट्रेन डकैती हुई। इस मुक़दमे के बाद भगतसिंह लाहौर वापस चला गया। इस समय तक वह "इतनी बौद्धिक उन्नति कर चुका था, जिससे उसे शेष जीवन भर सामग्री प्राप्त होती रही" और "उसने रूसी क्रान्तिकारियों के आदर्श पर एक "स्टडी सर्किल" (अध्ययन-समिति) की स्थापना की।" उसने "उपयुक्त साहित्य" का एक पुस्तकालय भी संग्रह किया जो "अभाग्यवश" पुलीस की निगरानी के कारण बर्बाद हो गया।

"काकोरी षड्यन्त्र केस में चार नवयुवकों को फाँसी और अनेकों को कड़ी सज़ाएँ मिलने से देश के भावुक नवयुवकों के हृदय में आग लग गई" और भगतसिंह फिर से यू० पी० और बिहार में क्रान्तिकारी दल का सङ्गठन करने लगा। वह लाहौर की रामलीला के जुलूस पर बम फेंकने के अभियोग में पकड़ा गया, जिससे उसका कार्य रुक गया। इस गिरफ़्तारी से उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि "क्रान्तिकारी षड्यन्त्र के सम्बन्ध में किसी भी समय पकड़ लिया जाना तो एक ऐसी बात थी, जिसका विचार स्वभवतः उसे रहता था" पर "दशहरा के समान मेले के दिन निर्दोष पुरुषों और स्त्रियों की हत्या करने के जघन्य अपराध का अभियोग लगाया जाना एक ऐसी बात थी, जिसका उसे स्वप्न में भी विचार न था।"

इस मुक़दमे से छूटने के बाद भगतसिंह देश में भ्रमण करके क्रान्तिकारियों का सङ्गठन करता रहा। एक महत्वपूर्ण मीटिङ्ग में, जो सितम्बर १९२८ में देहली के पुराने क़िले में हुई थी, पार्टी का नाम 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन ऐसोसिएशन' से बदल कर 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' रक्खा गया, और निश्चय किया गया कि पार्टी को दो भागों में बाँट दिया जाय; कार्यकर्तागण और सहानुभूति रखने वाले। कार्यकर्ताओं के विभाग का काम हथियार और गोली-बारूद इकट्ठा करना, आतङ्क फैलाने की योजनाओं को कार्य-रूप में परिणत करना, और दल के कार्य को आगे बढ़ाना था। इस विभाग का नाम 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी' रक्खा गया। सहानुभूति रखने वालों का काम फ़ण्ड इकट्ठा करना, प्रचार-कार्य करना और दूसरे विभाग के सदस्यों को आश्रय देना था। कार्यकर्ताओं के विभाग का मुखिया चन्द्रशेखर आज़ाद था जो "बड़ी वीरता के साथ पुलीस से लड़ता हुआ इलाहाबाद के अलफ़्रेड पार्क में मारा गया।" क्रान्तिकारी पुस्तकालय की दुबारा स्थापना की गई और भगतसिंह "सम्भवतः अध्ययन की विशालता और गम्भीरता की दृष्टि से किसी से कम न था।"

दिसम्बर, १९२८ में लाहौर में सॉण्डर्स की हत्या हुई। लेखक ने वर्णन किया है कि किस प्रकार भगतसिंह, शिवराम, राजगुरु और चन्द्रशेखर आज़ाद को लाला लाजपतराय की मृत्यु का बदला लेने का आदेश दिया गया "जिससे प्रथम तो सार्वजनिक आन्दोलन का उपद्रव की तरफ़ झुकाव हो और दूसरे संसार जान सके कि लाला जी के पीटने को हिन्दुस्तान ने चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर लिया।" इसके बाद मि० सॉण्डर्स की हत्या और उनके हत्याकारियों के बच निकलने का वर्णन किया गया है।

"सॉण्डर्स-हत्याकाण्ड की सफलता से पार्टी का प्रभाव फैलने लगा और विद्यार्थियों में इसके कारण बड़ी उत्तेजना उत्पन्न हो गई।" थोड़े ही दिनों में हत्याकारियों को चन्दा मिलने लगा। पर कलकत्ता कॉङ्ग्रेस के अवसर पर जब वे क्रान्तिकारी आन्दोलन के पुराने नेताओं से मिले तो उनको पता चला कि यद्यपि वे उनके सशस्त्र क्रान्ति मचाने के अन्तिम उद्देश्य से सहमत हैं, पर "पार्टी के प्रोग्राम में उपद्रवों के रक्खे जाने और रहस्य-गोपन की आवश्यकता" के सम्बन्ध में उन्होंने मतभेद प्रकट किया। बङ्गाल के क्रान्तिकारी दल वाले बम का उपयोग करना पसन्द नहीं करते थे, पर भगतसिंह ने उनमें से एक को बम बनाना सिखाने के लिए राज़ी किया। इसका फल अप्रैल, १९२९ का एसेम्बली बम-काण्ड हुआ। लेखक ने इसे "एक बड़ा सुरक्षित दृश्य" बतलाया है, जैसा "देहली के बादशाही शहर को फिर देख सकना कभी नसीब न होगा।" "बहादुर कौन्सिल मेम्बरों में से अधिकांश के भयभीत होने के हास्य-जनक दृश्य" का वर्णन करके लेखक लिखता है—"पर देखो, सरकारी मेम्बरों की तरफ़, मुख्य द्वार और महिलाओं की गैलरी के बीच में दो नवयुवक दिखलाई पड़ते हैं, वे ऐसे निर्भय और शान्त हैं मानो तन्मय होकर किसी भावी स्वप्न को देख रहे हों। वे दो ऐतिहासिक मूर्तियाँ हैं—सरदार भगतसिंह और श्री० बटुकेश्वर दत्त।" अपनी "पूर्व निश्चित योजना" के अनुसार इन दोनों क्रान्तिकारियों ने भागने की कोशिश नहीं की, वरन् उन्होंने "क्रान्ति चिरञ्जीव हो" "साम्राज्यवाद का नाश हो" के नारे लगाए, जो कि शीघ्र ही भारतवर्ष के नवयुवकों की पुकार बन गए।"

एसेम्बली बम-काण्ड को "केवल भगतसिंह के जीवन की ही नहीं, वरन् क्रान्तिकारी भारत के इतिहास की अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना" बतलाया गया है। क्रान्तिकारी दल अपने उद्देश्यों के सम्बन्ध में उत्तेजना-पूर्ण ढङ्ग से घोषणा करना चाहता था। चूँकि सॉण्डर्स हत्याकाण्ड के लिए कोई गिरफ़्तार नहीं किया गया था, इसलिए निश्चय किया गया कि कोई दर्शनीय उपद्रव किया जाय और उसके करने वाले अपने को पुलीस के हाथों में पकड़ा दें। आरम्भ में जिन लोगों से एसेम्बली

बम-काण्ड करने को कहा गया था, उनमें भगतसिंह शामिल न था। पर जब एक मित्र ने उससे ऐसा करने को कहा तो उसने एक पत्र द्वारा "जो प्रेम और भावुकता के भावों से परिपूर्ण था" स्वीकृति दे दी। "अभाग्यवश" यह पत्र अब पुलीस के क़ब्ज़े में है।

"एसेम्बली बम केस की कार्रवाई का क्रान्तिकारी दल के कार्य की वृद्धि करने के लिए पूर्णरूप से उपयोग किया गया" और अभियुक्तों ने वीरतापूर्वक अदालत के सामने बयान देकर अपना यह सन्देश दिया कि भारतवासियों को मज़दूर और किसान-दलों की स्थापना के लिए उद्योग करना चाहिए, जिससे जनता के लिए सच्चा स्वराज्य प्राप्त किया जा सके।" उन्होंने अपना यह "ऐतिहासिक बयान" सेशन कोर्ट के सामने दिया। लेखक के मतानुसार "नवयुवकों के ऊपर इस बयान का बिजली का सा असर पड़ा" और "अनेक समाचार-पत्र और सार्वजनिक कार्यकर्ता नवयुवकों के उद्देश्य की सराहना करने लगे।" नौजवान भारत-सभा ने प्रकाशन कार्य के लिए सङ्गठन किया, जिससे "हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के इन दोनों प्रतिनिधियों का नाम हो गया" और "उनका इरादा पूरी तरह से सफल हो गया।"

इसके पश्चात् लेखक ने पञ्जाब की जेलों में क्रान्तिकारियों के अनशन का वर्णन किया है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक क़ैदियों के साथ अधिक अच्छा बर्ताव कराना था और जेल के व्यवहार के उदाहरण स्वरूप बनारस षड्यन्त्र केस में सज़ा पाए ग्यारह अभियुक्तों में एक के पागल हो जाने और तीन के मर जाने का वर्णन दिया है। अनशन के समाप्त होने पर भगतसिंह और अन्य दो व्यक्ति "विचार करने लगे कि पार्टी के उद्देश्यों को किस तरह अधिक से अधिक सिद्ध किया जा सकता है" और "उन्होंने निश्चय किया कि लाहौर कॉन्सपिरेसी केस की कार्रवाई को इस तरह किया जाय, जिससे उनके आदर्शों, उद्देश्यों, लक्ष्य और कार्य-प्रणाली का ख़ूब प्रचार हो सके।" अतएव वे लोग नियमित रूप से अदालत में आते और कार्रवाई के शुरू में क्रान्तिकारी नारे लगाते। उनके आन्दोलन करने से मुक़दमे की कार्रवाई देखने को, जो कि लाहौर सेण्ट्रल जेल के भीतर होता था, कितने ही दर्शकों को आज्ञा दी गई। ये दर्शक "अदालत में जो कुछ सुनते थे उससे उत्साहित और उन्नत होते थे।" अभियुक्तों ने ऐसे किसी अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया, जिससे "उनकी चेष्टा के वीरत्व" और "उनकी कार्य-प्रणाली के विवरण" का प्रसार हो"। इसके बाद लेखक ने "आठ खूँख़ार पठानों" द्वारा भगतसिंह के पीटे जाने का वर्णन किया है, और बतलाया है कि किस प्रकार फिर भी भगतसिंह ने अपनी टेक न छोड़ी।

गवर्नमेण्ट ने "लाहौर कॉन्सपिरेसी केस से देश के नवयुवकों पर पड़ने वाले भीषण प्रभाव" को कम करने के लिए लाहौर कॉन्सपिरेसी केस ऑर्डिनेन्स बनाया। भगतसिंह ने इसे बहुत शुभ समझा, क्योंकि इससे "ब्रिटिश न्याय की पोल खुलती थी।"

इस अभियोग में सज़ा दिए जाने के बाद "लाहौर और हिन्दुस्तान के दूसरे बड़े शहरों के निवासियों, ख़ास कर नवयुवकों, औरतों और विद्यार्थियों का जोश उमड़ पड़ा" और एक प्रस्ताव जिसमें "भगतसिंह और दूसरों को उनके वीरतापूर्ण बलिदान के लिए बधाई दी गई थी, पास किया गया।" प्रिवी कौन्सिल में अपील करने का आयोजन किया गया जिससे "विदेशों में प्रचार-कार्य हो सके" और "सभ्य संसार को विदित हो जाय कि भारत के राजनैतिक क़ैदियों को कैसा अमानुषिक व्यवहार सहन करना पड़ता है।" "दूसरा उद्देश्य यह था कि इङ्गलैण्ड के शत्रुओं को पता लग जाय कि भारत में एक साम्यवादी क्रान्तिकारी दल मौजूद है।"

भगतसिंह की फाँसी के विरुद्ध आन्दोलन सन्धि हो जाने से रुक गया, "जो नवयुवकों की दृष्टि में सिवाय आत्म-समर्पण के कुछ न थी।" "कॉङ्ग्रेस के नेताओं ने एकाएक सार्वजनिक आन्दोलन को रोक दिया, गवर्नमेण्ट ने अवकाश पाकर साँस ली और तब शान्ति के साथ फाँसी की सज़ाएँ कार्य रूप में परिणित की गईं।" लेखक पूछता है "क्या अपने विरोधियों के ऊपर अन्तिम शानदार विजय पाने के लिए परमात्मा भी भगतसिंह की सहायता कर रहा था?" फाँसी के सम्बन्ध में पण्डित जवाहरलाल का उद्गार—"पर जो अब नहीं रहा है, उसके लिए अभिमान बना रहेगा और जब इङ्गलैण्ड हमसे बातें करेगा और समझौते के लिए कहेगा, तो हमारे बीच में भगतसिंह की लाश पड़ी होगी; जिससे कहीं हम उसे भूल न जायँ, कहीं हम उसे भूल न जायँ।"

अन्तिम अध्याय में, जिसका शीर्षक "संस्मरण और भावनाएँ" है, लेखक ने भगतसिंह के चरित्र और उद्देश्यों का वर्णन किया है। बतलाया गया है कि वह एक सुन्दर नवयुवक था, उसकी आवाज़ सुरीली थी, वह भावपूर्ण ढङ्ग से गा सकता था और उसका हृदय भावुकता और सहानुभूति से भरा हुआ था। तत्पश्चात् लेखक ने उसकी साहित्यिक रुचि और उसके नास्तिक मत स्वीकार करने का वर्णन किया है। बतलाया गया है कि वह साम्यवादी था और सिवाय थोड़े से समय के वह कभी आतङ्कवादी नहीं रहा, और "२३ मार्च के सन्ध्या-काल तक, जब कि भगतसिंह अपनी काल-कोठरी से अन्तिम

सहकारी सम्पादक की आवश्यकता

दैनिक "भविष्य" के लिए एक योग्य और परिश्रमी सहकारी सम्पादक की आवश्यकता है। जो लोग समाचार-पत्रों में काम कर चुके हों और जिन्हें अङ्गरेज़ी से अनुवाद करने का अच्छी तरह अभ्यास हो, वे ही लिखा-पढ़ी करें। वेतन योग्यतानुसार। रात्रि के समय भी काम करना पड़ेगा।

सञ्चालक 'भविष्य'
चन्द्रलोक, इलाहाबाद

शानदार यात्रा के लिए बाहर निकला, जीवन भर कभी एक क्षण के लिए भी किसी तरह का निराशापूर्ण विचार उसके मस्तिष्क में नहीं आया।" अन्त में लेखक ने 'पीपुल' से यह उद्धरण देकर पुस्तक समाप्त की है—"वर्तमान समय की घटनाओं में किसी ने सर्वसाधारण के ध्यान को इतना अधिक आकर्षित नहीं किया, जितना कि भगतसिंह के वीरतापूर्ण चरित्र ने। उसका अभी से एक उपाख्यान बन गया है और वह एक पौराणिक वीर की भाँति माना जाने लगा है। भारत के नवयुवकों का उस पर अभिमान करना उचित ही है। उसका अनुपम साहस, उसका उच्च आदर्श, उसका निर्भयतापूर्ण भाव प्रकाश-स्तम्भ की तरह कितनी ही भूली-भटकी आत्माओं को मार्ग दिखलाता रहेगा।......................................यद्यपि भगतसिंह मर गया, पर जब लोग 'क्रान्ति चिरञ्जीव हो' का नारा लगाते या सुनते हैं, तो दूसरा नारा 'भगतसिंह चिरञ्जीव हो' भी उसमें सदैव निहित रहता है।"

पुस्तक के अन्त में एक परिशिष्ट है, जिसमें एसेम्बली बम केस में सेशन जज की अदालत में दाख़िल किया गया भगतसिंह का बयान दिया गया है।

मैंने पुस्तक की चर्चा कुछ विस्तारपूर्वक की है, क्योंकि अभियोग उसके कुछ ख़ास वाक्यों के लिए नहीं चलाया गया है, वरन् इसलिए कि उस पूरी पुस्तक के पढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है। अभियोग में पुस्तक के कुछ पन्ने उदाहरण-रूप में निर्दिष्ट किए गए हैं, पर लेखक ने भारत में क़ानून द्वारा स्थापित ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के प्रति अप्रीति फैलाने की चेष्टा विशेष रूप से इस प्रकार की है—(१) भगतसिंह और दूसरे उपद्रवकारियों के कामों का औचित्य सिद्ध करने और उनके प्रति पाठकों में सहानुभूति उत्पन्न करने की चेष्टा करके और (२) भगतसिंह ने जो बयान देहली के सेशन कोर्ट में दाख़िल किया था उसे बिना किसी प्रकार की निन्दा और अप्रत्यक्ष प्रशंसा के साथ परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित करके।

पहले अभियोग के सम्बन्ध में मि० सॉण्डर्स की हत्या (पृष्ठ ३७) "संसार को यह जतलाने के लिए की गई कि लाला जी के पीटने को भारत ने चुपचाप नहीं सह लिया" और इसलिए जो पुलीस अफ़सर "लाला जी की मृत्यु के लिए उत्तरदायी थे" मार डाले गए। (पृष्ठ ३६) एसेम्बली बम-काण्ड वे 'ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ़्टी बिल के अन्यायपूर्ण नियमों के प्रति अपना विरोध" प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। समस्त पुस्तक में कहीं पर एक भी ऐसा वाक्य नहीं जिससे पाठक यह समझें कि लेखक भगतसिंह और उसके सहकारियों के काम करने के ढङ्ग की निन्दा करता है और मैं सिर्फ़ एक वाक्य में कुछ ऐसी बात पा सका हूँ कि उपद्रव द्वारा क्रान्ति की नीति विचारणीय है। सातवें पृष्ठ पर लेखक ने यह स्वीकार करने के पश्चात् कि बब्बर अकालियों के उपद्रवपूर्ण ढङ्गों को बहुत से लोग पसन्द नहीं करते, कहा है कि उनमें "कुछ लोग सचमुच बड़े उच्च चरित्र के थे।" यद्यपि यह सन्देहास्पद है कि इस अकेले वाक्य का आशय उपद्रवों की निन्दा करना है, पर यदि इसका आशय ऐसा हो भी तो वह समस्त किताब को देखते हुए बिल्कुल नष्ट हो जाता है। इसलिए मेरा विचार है कि जब कि पुस्तक में उपद्रवकारियों के अपने कार्यों के लिए पेश किए गए कारणों और उज्रों को पूरी तरह से बयान किया गया है। उसमें दरअसल कोई भी ऐसी बात नहीं, जिससे यह प्रकट हो कि समझदार लोग उनके कामों की निन्दा करते हैं।

तमाम किताब को एक बार पढ़ जाने से अथवा मैंने जो सारांश दिया है, उससे इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं रहता कि इसका नायक भगतसिंह है। यह दावा नहीं किया जा सकता कि यह उसके जीवन का पक्षपात-रहित और स्वतन्त्र वर्णन है, वरन् यह उसके उद्देश्यों और काम करने के ढङ्गों की प्रशंसा के समान है। इस बात का इशारा किया गया है कि उसका जन्म परमात्मा की ख़ास इच्छानुसार हुआ था; उसे कई जगह एक उत्साही विद्या-व्यसनी और सुसंस्कृत व्यक्ति बतलाया गया है, जिसका कोमल हृदय सद्भावों से भरा हुआ था। आतङ्कवादियों के कामों के लिए बराबर प्रशंसा के पुल बाँधे गए हैं, उनको जगह-जगह वीर और देशभक्त दर्शाया गया है, जबकि उनकी शत्रु गवर्नमेण्ट का नाम शायद ही कहीं बिना घृणा या निन्दा के लिया गया हो। सॉण्डर्स-हत्याकाण्ड को "सफलता" बतलाया गया है और भगतसिंह के लिए कहा गया है कि उसने अपनी मृत्यु द्वारा भी गवर्नमेण्ट पर एक विजय प्राप्त की, क्योंकि उससे उग्र विचार वालों का पक्ष मज़बूत बन गया। ऐसे उदाहरण और ज़्यादा देना निरर्थक है। इसमें किसी तरह का सन्देह नहीं कि तमाम किताब का कम से कम असर, ख़ास कर नौजवानों के अधूरे दिमाग़ पर, यही होगा कि वे भगतसिंह को श्लाघनीय दृष्टि से देखने लगेंगे और बहुत से उसके कार्यों की नक़ल भी करना चाहेंगे; और वे सरकार को घृणा करने लगेंगे, जिसने उसे मृत्यु-दण्ड दिया।

दूसरा क़सूर यह बतलाया गया है कि भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो बयान सेशन कोर्ट में दिया था, उसे छाप कर सान्याल ने गवर्नमेण्ट के प्रति अप्रीति फैलाने की चेष्टा की है। इस बयान को जो महत्व दिया गया है वह पुस्तक के ५१वें पृष्ठ पर स्पष्ट किया गया है। लेखक के मतानुसार भगतसिंह इसे इतना महत्वपूर्ण मानता था कि एसेम्बली बम-काण्ड का समस्त प्रदर्शन इसे उपयुक्त स्थान देने के लिए ही किया गया था। इसका प्रभाव बिजली के समान बतलाया गया है। भगतसिंह प्रचार-कार्य को जो महत्व देता था, उस पर पृष्ठ ९२ और ९३ में फिर से ज़ोर दिया गया है। इसलिए लेखक प्रचार की दृष्टि से इस बयान के मूल्य को भली-भाँति समझता है, और मुझे जान पड़ता है कि उसने इसको जो स्थान दिया है उसका आशय यही है कि वह उसमें निहित विचारों के लिए पाठकों से सिफ़ारिश करता है। यह सच है कि उसने यह सिफ़ारिश कहीं पर स्पष्ट तौर पर नहीं की है, पर भगतसिंह के लिए उस ढङ्ग से, जिसका वर्णन मैं ऊपर कर चुका हूँ, अपने पाठकों की सहानुभूति प्राप्त करने और यह बतलाने से कि भगतसिंह इस बयान का इतना अधिक महत्व समझता था कि इसे ऐसी परिस्थिति में प्रकट करने के लिए, जिससे इसका अधिक से अधिक प्रचार हो सके, वह लम्बी क़ैद की सज़ा भोगने को तैयार हो गया। सान्याल का आशय यही प्रकट होता है, कि वह चाहता था कि उसके पाठक इस बयान के पहले से ही अनुकूल हो जायँ और इसे पुस्तक का सब से महत्वपूर्ण अङ्ग समझें।

इसलिए इस परिशिष्ट पर विचार करना आवश्यकीय है। एसेम्बली बम-काण्ड के लिए कहा गया है कि वह "उस संस्था के प्रति एक क्रियात्मक विरोध था, जिसने अपने जन्म-समय से ही न केवल अपनी निरर्थकता ही स्पष्ट रूप से प्रकट की है, वरन् अपनी हानि पहुँचाने वाली प्रभावपूर्ण शक्ति को भी प्रकट कर दिया है...... और जो हद दर्जे के उत्तरदायित्व-शून्य और निरङ्कुश शासन का नमूना है।" (पृष्ठ ११६) "संक्षेप में ईमानदारी से खोज करने के बाद भी हम एक ऐसी संस्था का, जिसकी शान-शौकत हिन्दुस्तान के करोड़ों ग़रीबों के परिश्रमपूर्वक पैदा किए धन से बढ़ाई जाने पर भी जो एक कोरा तमाशा तथा दिखावटी ढोंग है, अस्तित्व क़ायम रखने का कोई उपयुक्त कारण नहीं पा सके हैं।" (पृष्ठ ११७) आगे चल कर वे यह भी कहते हैं कि "हिन्दुस्तान की परिश्रम करने वाली करोड़ों जनता एक ऐसी संस्था से किसी प्रकार की आशा नहीं कर सकती जो कि लूटने वाले मालदारों की घातक शक्ति और असहाय श्रमजीवियों की ग़ुलामी के लोभमय स्तम्भ के समतुल्य है।"

इस प्रकार की दशा का इलाज "काल्पनिक अहिंसावाद" द्वारा नहीं हो सकता है। "जब कि शक्ति का उपयोग आक्रमण के लिए किया जाता है तो वह उपद्रव है और इसलिए नैतिक दृष्टि से न्याय-विरुद्ध है। पर जब इसका उपयोग किसी न्याययुक्त प्रयोजन के लिए किया जाता है तो वह नैतिक दृष्टि से न्यायानुकूल होती है।" मानव-जीवन की महत्ता स्वीकार न करते हुए इस बयान के देने वालों ने कहा है कि उन्होंने अपने को जान-बूझ कर "साम्राज्यवादी लुटेरों" के सुपुर्द कर दिया है। इसके बाद उन्होंने बतलाया है कि क्रान्ति से उनका आशय क्या है। यह कम्यूनिस्ट ढङ्ग का लेख है, जिसका अन्त "क्रान्ति चिरञ्जीव हो" से होता है। इस प्रकार यह परिशिष्ट भारत-सरकार के शासन-अङ्गों और स्वयम् भारत-सरकार का ऐसे शब्दों में वर्णन करके जिनसे स्पष्टतया घृणा और अप्रीति उत्पन्न होती है, सशस्त्र क्रान्ति का समर्थन करता है, जिससे इस देश में कम्यूनिस्ट सरकार क़ायम की जा सके। यह वह बयान है जिसके महत्व पर पुस्तक में ख़ूब ज़ोर दिया गया है।

इसलिए इस किताब को लिखने से लेखक का उद्देश्य यही मालूम पड़ता है कि आतङ्कवादियों और उनकी कार्य-प्रणाली की प्रशंसा हो और इस देश के लोग अथवा उतने लोग जो इस पुस्तक को पढ़ें, उपद्रव द्वारा क्रान्ति करने को उत्तेजित हों। पर वह इससे इन्कार करता है और कहता है कि उसका उद्देश्य यह दिखलाना था कि यद्यपि एक समय भगतसिंह हिंसा का पक्षपाती था, पर अन्त में वह साम्यवादी बन गया। लेखक के कथनानुसार साम्यवाद से उसका आशय सामूहिक आन्दोलन से है, न कि अहिंसात्मक आन्दोलन से। इस कथन को सिद्ध करने के लिए अभियुक्त-पक्ष की तरफ़ से पृष्ठ २६ का निम्न-लिखित वाक्य पेश किया गया है—"काकोरी केस की फाँसियों ने उसे (भगतसिंह को) पक्का उपद्रववादी बना दिया था। पर भारतीय समस्याओं के सम्बन्ध में उसके गम्भीर अध्ययन ने, जिन्हें वह संसार की समस्याओं के समतुल्य ही मानता था, उसकी सम्मति को बदल दिया। नेशनल कॉलेज में अध्ययन करने से वह धीरे-धीरे साम्यवाद का अनुयायी बनता गया और रूस के शासन को अपने आदर्श के बहुत कुछ अनुकूल मानने लगा।"

इसका अर्थ यह हो सकता है कि पहले भगतसिंह का उद्देश्य केवल बदला लेना था, पर बाद में उसका उद्देश्य सोवियट सरकार क़ायम करना हो गया। २८वें पृष्ठ में लिखा है कि पुराना क़िला दिल्ली की मीटिङ्ग में भगतसिंह ने "अपने को एक साम्यवादी कार्यकर्ता के रूप में प्रकट किया" और "पुलीस के अफ़सरों और मुख़बिरों की हत्या की बात पीछे पड़ गई।" पर यह बात पूर्ण रूप से न त्यागी गई होगी, क्योंकि यह मीटिङ्ग सितम्बर, १९२८ में हुई थी और मि० सॉण्डर्स उसी वर्ष दिसम्बर में मारे गए। इसके सिवाय ४४ वें पृष्ठ में वर्णित बम और उपद्रवों के उपयोग के सम्बन्ध में भगतसिंह और बङ्गाल के क्रान्तिकारियों का मतभेद भी हमको याद है। फिर परिशिष्ट में (पृष्ठ १२९) कहा गया है कि क्रान्ति में "व्यक्तिगत बदले" का कोई स्थान नहीं है। इन वाक्यों के होते हुए यह विश्वास कर सकना असम्भव है कि लेखक का उद्देश्य इस पुस्तक के लिखने से यह था कि भगतसिंह ने आतङ्कवाद को त्याग दिया था। सम्भव है उसने समझ लिया हो कि हत्याओं को ही उद्देश्य मानना निरर्थक है, पर किताब के अन्तिम भाग के अधिकांश में क्रान्तिकारी विचारों के फैलाने के लिए हत्याओं का महत्व ही सिद्ध किया गया है।

अभियुक्त-पक्ष की तरफ़ से यह दलील भी पेश की गई है कि यह किताब अप्रीति उत्पन्न नहीं कर सकती; क्योंकि इसकी सब बातें पहले प्रकट हो चुकी हैं और इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। परन्तु इस बात को छोड़ते हुए भी कि इस सम्पूर्ण पुस्तक को राज-विद्रोहपूर्ण बतलाया गया है न कि इसके कुछ विशेष वाक्यों को; यह प्रश्न उठता है कि लेखक ने इसे क्यों लिखा और वह किस उपाय से इसकी एक हज़ार प्रतियों को छपा सका। इसका उत्तर मुझे यही जान पड़ता है कि इस मौक़े पर इस पुस्तक के प्रकाशित करने का उद्देश्य भगतसिंह की स्मृति को जीवित रखना था। मैं पं० जवाहरलाल नेहरू का उद्धरण भी पेश करना चाहता हूँ जो पुस्तक के ९९वें पृष्ठ पर दिया गया है, "कहीं हम भूल न जायँ, कहीं हम भूल न जायँ।"

यह दलील पेश की गई है कि पुस्तक में गवर्नमेण्ट के कार्य की किसी तरह की आलोचना नहीं की गई है। कितने ही अप्रत्यक्ष आक्षेपों के होते हुए भी यह ठीक है। पर दोष यह नहीं लगाया गया है कि पुस्तक गवर्नमेण्ट की आलोचना द्वारा अप्रीति उत्पन्न करती है, वरन् यह कि इसमें गवर्नमेण्ट के शत्रुओं की प्रशंसा करके ऐसा किया गया है।

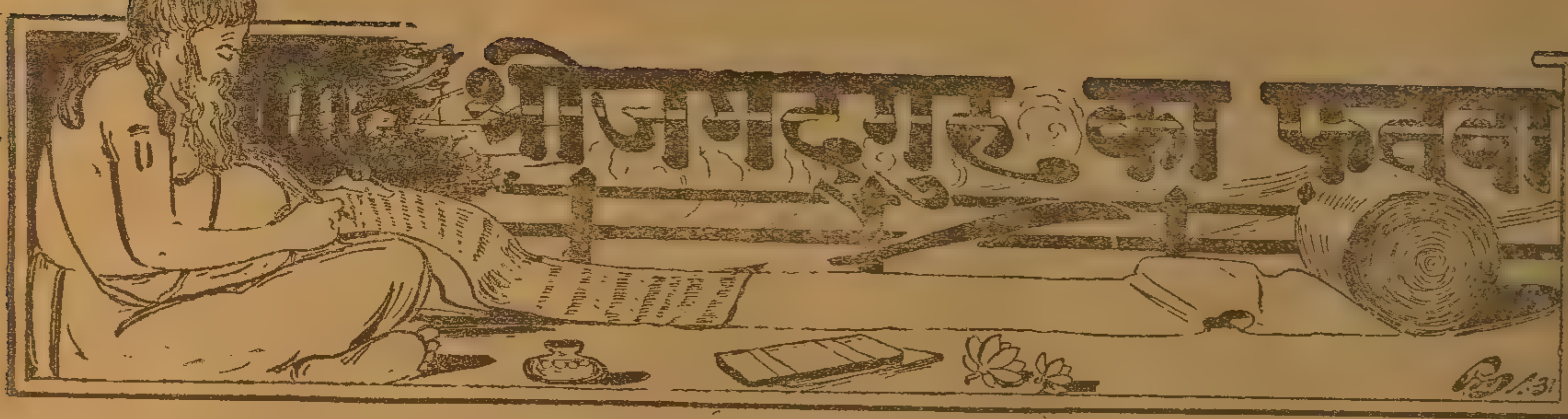
अभियुक्त-पक्ष ने केवल तीन गवाहों को बुलाया था जिनमें से दो पेश हुए। मैं दरअसल उनकी गवाही को कुछ भी महत्व प्रदान नहीं करता, उनके उत्तर ज़रा भी साफ़ न थे और उनका ढङ्ग विश्वास योग्य न था।

अन्त में मुझे यह कहने में किसी प्रकार की शङ्का नहीं है कि इस पुस्तक के लिखने से लेखक का उद्देश्य गवर्नमेण्ट के प्रति अप्रीति उत्पन्न करना और आतङ्कवादियों तथा क्रान्तिकारियों के लिए अपने पाठकों की सहानुभूति प्राप्त करना था। केवल इतना ही नहीं उसने सशस्त्र बलवे के विचार को फैलाने की भी कोशिश की है। इसलिए मेरा विचार है कि "सरदार भगतसिंह" का लेखक जतीन्द्रनाथ सान्याल और उसका प्रिण्टर त्रिवेणीप्रसाद ताज़ीरात हिन्द की दफ़ा १२४-ए के अनुसार दोषी हैं।

अब सज़ा का प्रश्न शेष रह जाता है। जतीन्द्रनाथ सान्याल नवयुवक है और उसकी नई उम्र से मुझे उसके साथ रियायत करने का ख़्याल हो सकता था। पर यह किताब केवल अप्रीति और घृणा ही उत्पन्न नहीं करती, वरन् यह भी बतलाती है कि जो लोग अपने देश को प्रेम करते हैं, उनके लिए उचित मार्ग, देश को आतङ्कवाद के प्रचार द्वारा पूरी तरह से तैयार करने के पश्चात् सशस्त्र क्रान्ति ही है। इसलिए इसका अर्थ बहुत बड़ी हानि पहुँचाना है, और इसे हत्या के लिए उत्तेजित करना कहा जा सकता है। इसलिए रियायत करना अनुचित होगा। इसमें निर्दोष व्यक्तियों की जान का सवाल है। इसलिए मैं जतीन्द्रनाथ सान्याल को दो वर्ष की कड़ी क़ैद का दण्ड देता हूँ।

त्रिवेणीप्रसाद का मामला भिन्न प्रकार का है। उसने फ़ाइन आर्ट प्रिण्टिङ्ग कॉटेज का चार्ज इसी वर्ष ९ अप्रैल से लिया था। यह किताब शायद उसकी पहली कृतियों में से है। वह मुझे कोई विशेष बुद्धिमान अथवा चरित्र-बल का व्यक्ति नहीं जान पड़ता और सम्भवतः वह उस ख़तरे को भी नहीं समझता था, जिसे वह ले रहा था। इसलिए मैं त्रिवेणीप्रसाद को एक हज़ार रुपया जुर्माना या उसे अदा न करने पर छः महीने की कड़ी क़ैद की सज़ा देता हूँ।

❀ ❀ ❀



[हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष]

गत १४ अगस्त को, बफ़ज़्लहू ख़ुदाताला, मुहर्रम की दसवीं तारीख़ का मज़ा मिल गया। वही जोशो-ख़रोश, वही "हाय हसन हम न हुए" के दिलख़राश नारे! कहीं यह 'काश्मीर-डे' का सिलसिला हमेशा के लिए जारी हो गया तो लखनऊ के बेचारे ग़रीब मर्सिया-ख़्वानों के लिए रोज़ी का एक नया ज़रिया निकल आएगा और साल में एक बार की जगह दो बार बेचारों की पूछ हो जाएगी।

❀

इसलिए श्रीजगद्गुरु की राय है कि आइन्दे से हमारे मुसलमान भाई हर साल १ अगस्त से लेकर १४ तक 'काश्मीर-दिवस' मनाया करें तो और भी अच्छा हो। तेल की पकौड़ी वालों के साथ ही पलङ्ग-तोड़ गोलियाँ बेचने वाले हकीम साहब को भी दो पैसे मिल जाया करें। साथ ही हर साल कुफ़्र का भी थोड़ा सा हिस्सा टूट जाया करे तो और भी अच्छा। क्योंकि मुस्लिम सल्तनत क़ायम करने के वक़्त जब एक साथ ही सिर से पैर तक कुफ़्र तोड़ना पड़ेगा तो थोड़ी सी तवालत होगी।

❀

ख़ैर, यह प्रसन्नता की बात है कि 'अखिल भारतीय काश्मीर कमिटी' की स्थापना हो गई है और काश्मीर के 'काफ़िर राजा' के ख़िलाफ़ जहाद का झण्डा बुलन्द करने की भी तैयारी हो गई है। शौकत-कम्पनी ने फ़तवा भी दे दिया है कि शीघ्र ही मुसलमानों का एक ज़बर्दस्त जत्था काश्मीर भेजा जाए। क्योंकि सिन्ध से बलूचिस्तान तक मुस्लिम सल्तनत क़ायम करने के लिए बीच से काश्मीर के अड़ङ्गे को निकाल फेंकना ही युक्तिसङ्गत है। इसलिए काश्मीर के इस झगड़े के सुवर्ण सुअवसर से लाभ उठाना ही बुद्धिमानी है। बस, "किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तो!"

❀

सुनते हैं, श्रीमती सरकार की पुरानी गुदड़ी में 'सामन्त राज-रक्षा क़ानून' नाम का एक अमोघास्त्र मौजूद है, परन्तु मजबूरी तो यह है कि दाढ़ीदार चेहरे पर उसका कुछ असर ही नहीं होता। इसके सिवा काँङ्ग्रेसी आन्दोलन की बाढ़ में बहती हुई नौकरशाही के लिए भी केवल दाढ़ी का ही सहारा रह गया है; बेचारी उसी को पकड़ कर किसी तरह किनारे लगने की चेष्टा में है। ऐसी दशा में सामन्त राज-रक्षा क़ानून का प्रयोग कहाँ तक समीचीन होगा, यह एक विचारणीय प्रश्न है। काश्मीर में कोई ग़ुलाम चाहिए, चाहे वह दाढ़ी वाला हो या चोटी वाला, सखी के लिए इतना ही बहुत है। क्योंकि बेचारी ने श्रीमान काश्मीर-नरेश की छट्ठी में नेवता थोड़े ही खाया है।

❀

महात्मा गाँधी ने समझौता तोड़ने के सम्बन्ध में मूलतः सात इल्ज़ाम हमारी सुशीला सखी अर्थात् सिवीलियन-जननी श्रीमती नौकरशाही पर लगाए हैं। फलतः समझौते के सात टुकड़े हो जाने के कारण श्रीमती के 'सती' होने का एक बार नए सिरे से परिचय पाकर श्रीजगद्गुरु परम पुलकित हो रहे हैं और सावन भर दोनों वक़्त श्रीमती के स्वास्थ्य का 'टोस्ट ड्रिङ्क' करने का पक्का इरादा कर लिया है।

❀

भई, असल बात तो यह है कि समझौता किया था लॉर्ड इरविन ने और आजकल ज़माना है, सिविलि-यन-कुल-कुमुद-कलाधर लॉर्ड विलिङ्गडन का और आप आजकल के सनातनियों की तरह रूढ़ियों के ग़ुलाम या लकीर के फ़क़ीर नहीं हैं कि 'बाबा वाक्यम् प्रमाणम्' मान कर आजन्म उसी का पालन करते रहें।

❀

और फिर समझौता होने के समय देश भर के सिविलियनों ने तुलसी-गङ्गाजल लेकर शपथ थोड़े ही खा ली थी, कि यह जो हो रहा है, वह पत्थर की लकीर है या इसे तोड़ना गुनाह है? इसके अतिरिक्त हमारी तो यह भी धारणा है कि किसी शनीचर की शाम को कपड़े बदल कर जब हमारी अलबेली सखी हवाख़ोरी को निकली होंगी तो ठोकर लग गई होगी और कमबख़्त टूट गया होगा। पुराना तो हो ही गया था; फलतः—

छुवत टूट 'कछु सखिहिं' न दोषू,
मुनि बिनु काज करिय कत रोषू।

❀

तोड़-फोड़ में हमारी सखी परम पटु हैं—बल्कि यों कहिए कि यही उनकी विशेषता है। स्वर्गीया महारानी विक्टोरिया के, सन् ५७ के बाद वाली घोषणा से लेकर आज तक की दर्जनों नहीं, बल्कि कोड़ियों शाही घोष-णाएँ और प्रतिज्ञाएँ, इनके सबूट श्रीचरणों की ठोकरें खाकर मुर्ग़ बिस्मिल सी तड़प रही हैं। फलतः अपने राम तो यही कहेंगे कि अगर सखी यह समझौता न तोड़तीं तो उनकी सारी कुल-परम्परागत विशेषता ही नष्ट हो जाती और अपनी हमजोलियों में मुँह दिखाने लायक़ भी न रह जातीं।

❀

बूढ़े लँगोटी-बाबा की यह अजीब माँग कि बारडोली वालों से, समझौते के विरुद्ध जबरन जो रुपए वसूल किए गए हैं, लौटा दिए जाएँ। वल्लाह, हमें तो हँसी आ रही है। अजी जनाब, यहाँ तो गृहस्थाश्रम के मज़े हैं! कभी अगर 'भूखी दछिणा' में से, भाँग-बूटी के लिए दो चार पैसे बचा कर झोले में रख लिए तो सवेरा होने से पहले ही ग़ायब और पूछने पर बरजस्ता यह जवाब कि "मैं क्या जानूँ? तुमने कहीं गिरा दिए होंगे।"

❀

अब आप ही बतलाइए, चल सकती है, कोई दलील, इस माक़ूल जवाब के बाद? फ़लतः जो 'गोलक' में चला गया, उसे लौटा लेने की चेष्टा, हमारी राय में तो बालू में से तेल निकालने की तरह व्यर्थ प्रयास है। जब सीधी-साधी गुरुआनी जी मुट्ठी में आया हुआ पैसा नहीं छोड़तीं तो परम सयानी श्रीमती नौकरशाही बारडोली के किसानों से जबरन वसूल की हुई माल-गुज़ारी लौटा देंगी, इस पर भला कौन बुद्धिमान विश्वास करेगा।

❀

भई, सारा खेल ही तो पैसे का है। एक मात्र पैसा ही तो उनका पति, पुत्र और पापा ठहरा। उसी के लिए तो बेचारी सात समुद्र और तेरह नदी पार करके, इस ग्रीष्म-प्रधान देश में आई हैं। फिर गृहस्थी भी लम्बी-चौड़ी ठहरी। आए-दिन के अर्थ-सङ्कट का हाल तो आप जानते होंगे कि चारों ओर घाटा ही घाटा है।

❀

ऊपर से ७ लाख ६२ हज़ार दूसरी गोलमेज़ को भेंट करने के लिए चाहिए। दिल्ली षड्यन्त्र के लिए (जिसके चलने की आशा इस वर्ष के अन्त तक की जाती है) जो ख़ास अदालत बैठी है, उसके ख़र्च के लिए २,६४,००० रुपए चाहिए और इसके सिवा कानपुर के भावी षड्यन्त्र केस में भी लाख दो लाख लगेंगे ही। एक पर एक ज़रूरी काम आए-दिन सिर पर आए ही रहते हैं। ऐसी दशा में बेचारी रूसी किसानों को न चूसें तो क्या कोंपर चूस कर रुपए निकालें?

❀

उधर गोरे बाल-गोपालों की हठ है कि देश के सभी काले लीडर पकड़ कर अन्ततः दस साल के लिए अवश्य ही समुद्र-पार भेज दिए जायँ, ताकि भारत में ब्रिटिश राज्य की धुरी शेषनाग के फण तक पहुँच जाय और रुस्तम के बाबा के हिलाए भी न हिले। रक्त-क्रान्ति के अपराधी चौबीस घण्टे के अन्दर ही मुक्ति के हिंडोले पर झुला दिए जायँ और राजनीतिक मुक़द्दमों के विचारार्थ एक ख़ास अदालत क़ायम की जाय और उसकी अपील विधाता के दरबार के सिवा और कहीं न हो सके।

❀

बताइए, जब बबुए मचल गए हैं तो उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर लाड़-दुलारे वंशधरों की ही इच्छा पूरी न हुई तो यह धन-दौलत, राजपाट और ऐश्वर्य किस मर्ज़ की दवा होगा? उन्हीं के लिए तो 'माँ बटोरे गोबर और पूत बख़्शें गुहरौल' वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। इसलिए वे जो कुछ कहेंगे, उसे अवश्य ही करना पड़ेगा और इसके लिए लम्बा-चौड़ा ख़र्च तो चाहिए ही।

❀

इसलिए हमारी तो राय है कि अपनी शान्ति-शीलता, उदारता और सहिष्णुता का परिचय प्रदान करने के लिए श्रीमती काँङ्ग्रेस एक बार फिर सखी नौकरशाही की तहसीलदारी आरम्भ कर दें, ताकि उपयुक्त पुण्यपूत कार्यों के लिए दो-चार करोड़ रुपए शीघ्र ही सखी के 'गोलक' में आ जाएँ। जब पुण्य फल का बटवारा होने लगेगा तो मुक्ति-मार्ग के लिए सँबल स्वरूप चौअन्नी भर श्रीमती काँङ्ग्रेस को भी मिल जाएगा।

❀

और अगर ऐसे नहीं मिलेगा, तो महात्मा गाँधी ने लाट साहब का घर तो देख ही लिया है। चप्पल पहन कर लाठी टेकते-टेकते पहुँच जाएँगे और चुटकी भर ले ही आवेंगे। भई, सच्ची बात तो यह है कि "दे ख़ुदा की राह पर" इस महामन्त्र में अजीब आकर्षण है। लाट तो क्या, अगर सच्चे साधक से काम पड़ जाए तो लोहे की 'लाठ' भी इस महामन्त्र से पसीज कर पानी हो सकती है।

❀

इधर लाट साहब के पसीजने की ख़बर पाते ही लण्डन की टोरी-मोरी गङ्गा-जमना की तरह मिल गई हैं। बाल्डविन बाबा 'शेर सीधा तैरता है वक्त रफ़्तम आब में' की अपनी पुरानी आदत छोड़ कर दादा मुग्धानल देव के ठीक नीचे आगए हैं। हमारे भूतपूर्व लॉर्ड कॉर्डिनेन्स शान्ति की सुमिरनी लेकर फ़ारेन सेक्रेटरी बने हैं। इस तरह जो है सो लण्डन की पार्लामेण्ट में एक नवीन त्रिवेणी की सृष्टि हुई है। इसलिए कि कहीं मुग्धानल देव पर भारत के अर्द्धनग्न फ़क़ीर का जादू न चल जाए।

❀

मगर सब से बढ़कर दूर की कौड़ी लाए हैं, लण्डनी 'आबज़र्वर' के कलकतिए सम्वाददाता जी। आपका कहना है कि कॉङ्ग्रेस के धारक और वाहक सभी रक्त-पिपासिनी काली देवी के उपासक हैं। इसलिए जब से वे छूटे हैं, तब से हिंसावादियों का उत्पात बहुत बढ़ गया है। यही राय 'स्टेट्समैन' आदि भारत के नमक-हलालों की भी है और श्री० जगद्गुरु की तो राय है कि बङ्गाल में जो भयानक बाढ़ आ गई है, वह भी कॉङ्ग्रेस वालों की ही कारस्तानी है।

❀ ❀ ❀

स्थानीय (इलाहाबाद के लिए)	
वार्षिक चन्दा	... १२)
छःमाही चन्दा	... ६॥)
तिमाही चन्दा	... ३॥)
एक मास का	... १॥)

भविष्य
का
दैनिक संस्करण

अतिरिक्त स्थानों के लिए (मुफ़स्सिल)	
वार्षिक चन्दा	... १६)
छःमाही चन्दा	... ८)
तिमाही चन्दा	... ४॥)
एक मास का	... २)

'भविष्य' का — मूल्य केवल)॥ पैसा

पहिली सितम्बर को पहिला अङ्क प्रकाशित हो जाएगा !!

पाठकों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि पहिली सितम्बर, १६३१ से इस संस्था ने 'भविष्य' का दैनिक संस्करण भी प्रकाशित करने का निश्चय कर लिया है और इसे सब प्रकार से सफल बनाने की तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं।

पाठकों को शायद बतलाना न होगा, कि इस संस्था पर होने वाले आए-दिन के अत्याचारों ने हमें एक बार ही विक्षुब्ध कर दिया है। केवल हमीं पर नहीं, हमारे इस अभागे प्रान्त पर आज जैसा भीषण दमन और अत्याचार हो रहा है, उसने समस्त भारत का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है; किन्तु इतना होते हुए भी इस प्रान्त की राजधानी से कोई भी ऐसे दैनिक का प्रकाशित न होना, जो निर्भीकतापूर्वक अत्याचार-पीड़ितों का करुण-क्रन्दन जनता के सामने उपस्थित कर सके, वास्तव में बड़े लज्जा की बात थी और केवल इसी उद्देश्य को सामने रख कर एक बार हम अपने साधनों की परीक्षा करने पर तुल गए हैं—परिणाम चाहे जो भी हो।

कुछ विशेषताएँ

(१) सर्वसाधारण की पहुँच से बाहर न हो, इसलिए दैनिक संस्करण का मूल्य केवल दो पैसे रखने का निश्चय किया गया है, पत्र में फ़ाऊन साइज़ (साप्ताहिक 'भविष्य' के साइज़ का दूना) के चार पृष्ठ छोटे टाइपों में होंगे, जिसका अर्थ यह है कि अन्य सभी दो पैसे वाले दैनिकों की अपेक्षा इसमें दूना मैटर रहेगा। यदि विज्ञापनों का यथेष्ट प्रबन्ध हो गया तो शीघ्र ही ६ पृष्ठ कर दिए जायँगे।

(२) 'भविष्य' के दैनिक संस्करण के लिए ऐसोसिएटेड तथा फ़्री प्रेस आदि सभी सम्वाद-एजन्सियों के विशेष तार भी मँगाए जायँगे, जिसका अर्थ यह होगा, कि पाठक 'भविष्य' में अङ्गरेज़ी के किसी भी फ़र्स्ट क्लास डेली की भाँति सारे ताज़े समाचार पावेंगे।

(३) 'भविष्य' में नित्य तो नहीं, पर प्रायः सामयिक चित्र तथा कार्टून आदि भी पाठकों को मिलेंगे।

(४) 'भविष्य' में पाठकों को उर्दू तथा हिन्दी कविताएँ भी मिलेंगी; सारांश यह कि जो कुछ भी सम्भव होगा—कोई बात उठा न रक्खी जायगी।

(५) 'भविष्य' २४ पाउण्ड के चिकने काग़ज़ पर छपा करेगा और प्रत्येक प्रातःकाल ५ बजे नियमित रूप से प्रकाशित होगा।

(६) 'भविष्य' का साप्ताहिक संस्करण जैसा आजकल प्रकाशित हो रहा है, वैसे ही होता रहेगा; किन्तु दैनिक संस्करण प्रकाशित होने के बाद साप्ताहिक संस्करण वृहस्पतिवार को प्रकाशित न होकर, सोमवार को प्रकाशित हुआ करेगा।

'भविष्य' का सम्पादकीय बोर्ड

१—श्री० त्रिवेणीप्रसाद, बी० ए० (जेल में)
२—श्री० भुवनेश्वरनाथ मिश्र, एम० ए० (जेल में)
३—श्रीमती लक्ष्मी देवी
४—श्री० नन्दकिशोर तिवारी, बी० ए०
५—मुन्शी नवजादिकलाल श्रीवास्तव
६—श्री० देवीदत्त मिश्र, बी० ए०, एल्-एल्० बी०
७—श्री० राधामोहन गोकुल जी
८—श्री० सत्यभक्त जी
९—पं० रामकिशोर मालवीय
१०—कविवर आनन्दीप्रसाद श्रीवास्तव (हिं०-कं०-विभाग)

(१) व्यापारियों को 'भविष्य' में विज्ञापन देकर अपने व्यापार में लाभ उठाना चाहिए, रेट मँगा कर देखिए।

(२) प्रत्येक शहर, क़स्बे, तहसील और गाँव में ईमानदार एजण्टों की आवश्यकता है। नियमावली मँगा कर देखिए।

विज्ञापनदाताओं तथा एजण्टों को शीघ्रता करनी चाहिए

मैनेजर 'भविष्य' (दैनिक) चन्द्रलोक—इलाहाबाद

Printed, Published and Edited by Shrimati Lakshmi Devi, vice Sjt. Triveni Prasad, B. A. and Sjt. [illegible] Misra, M. A., (both in jail), at The Fine Art Printing Cottage, 28, [illegible]

Telephone No.
205

भविष्य

Telegrams :
'Bhavishya'

'भविष्य' का चन्दा

वार्षिक चन्दा .. १२) रु०
छः माही चन्दा ... ६॥) रु०
तिमाही चन्दा ... ३॥) रु०
एक प्रति का मूल्य चार आने
Annas Four Per Copy

एक प्रार्थना

वार्षिक चन्दे अथवा फ़ी कॉपी के मूल्य में कुछ भी नुक़्ताचीनी करने से पहिले मित्रों को 'भविष्य' में प्रकाशित अलभ्य सामग्री और उसके प्राप्त करने के असाधारण व्यय पर भी दृष्टिपात करना चाहिए।

वर्ष १, खण्ड ४ | इलाहाबाद—सोमवार ; ७ सितम्बर, १९३१ | सं० १३ पूर्ण सं० ४८

अपने असली भेष में—भारत के 'एक मात्र प्रतिनिधि'





व्यङ्ग-चित्रावली

यह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले हैं। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा ; मनुष्यता की याद आने लगेगी ; और सामाजिक क्रान्ति की भावना प्रबल वेग से हृदय में उमड़ने लगेगी। प्रत्येक सामाजिक कुरीतियों का चित्रों द्वारा नग्न प्रदर्शन किया गया है। बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, छुआछूत, परदा-प्रथा, पण्डे-पुरोहितों तथा साधु-महन्तों के भयङ्कर कारनामे, अन्ध-विश्वास, पाखण्ड तथा आचरण सम्बन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीतियों का सजीव चित्र देखना हो तो इस चित्रावली को अवश्य मँगाइए। एकरङ्गे, दुरङ्गे, तथा तिरङ्गे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर पद्यमय पंक्तियों में उनका भाव तथा परिचय अङ्कित किया गया है। आज तक ऐसी चित्रावली कहीं से प्रकाशित नहीं हुई। मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से ३)

[illegible]

नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुखान्त कहानी है। हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय का उद्भव, उसका विकाश और उसकी अविरत आराधना की अनन्त तथा अविच्छिन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुखों की आहुति कर सकता है—ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक और चित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, सुख-दुख, साधन-उत्सर्ग, एवं उच्चतम आराधना का सात्विक चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर दीख पड़ने लगता है। मूल्य केवल ३) ; स्थायी ग्राहकों से २।)

मूर्खराज

यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी एक बार हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी चिन्ता काफ़ूर हो जायगी। दुनिया के झंझटों से जब कभी आपका जी ऊब जाय, इस पुस्तक को उठा कर पढ़िए, मुँह की मुर्दनी दूर हो जायगी, हास्य की अनोखी छटा छा जायगी। पुस्तक को पूरी किए बिना आप कभी न छोड़ेंगे—यह हमारा दावा है। इसमें किशनसिंह नामक एक महामूर्ख व्यक्ति की मूर्खतापूर्ण बातों का संग्रह है। भाषा अत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है। मूल्य केवल २)

अपराधी

सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय के "रिज़रेक्शन" विक्टर ह्यूगो के "लॉ मिज़रेबुल" इबसन के "डॉल्स हाउस" गोस्ट और ब्रियो का "डैमेज़्ड गुड्स" या "मेटरनिटी" के आनन्द का अनुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास की उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर सर्वथा अवलम्बित होती है। उपन्यास नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !!

सच्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, उसकी पारलौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुदृष्टि, सरला का पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, ये सब ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की धारा बह निकलती है। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है। मूल्य केवल लागत मात्र २॥), स्थायी ग्राहकों से १॥।=)

इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और दूरदर्शी पाठक-पाठिकाओं से आशा की जाती है कि यथाशक्ति 'भविष्य' तथा 'चाँद' और विद्याविनोद-ग्रन्थमाला का प्रचार कर, व संस्था को और भी अधिक सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !!

भविष्य

पाठकों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, वे एकमात्र भारतीय परिवारों एवं व्यक्तिगत मङ्गल-कामना को दृष्टि में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !!

वर्ष १, खण्ड ४ || इलाहाबाद—सोमवार ; ७ सितम्बर, १९३१ || संख्या १३, पूर्ण संख्या ४९

हिन्दुस्तान की श्रमजीवी संस्थाओं से अपील

श्री० एम० एन० रॉय और उनके कार्य

[भारतीय श्रमजीवी आन्दोलन के प्राण—श्री० एम० एन० रॉय पर आजकल कानपूर में जो सनसनीपूर्ण मामला चल रहा है, वह पाठकों से छिपा न होगा। इस मामले के अन्तिम निर्णय पर बहुत हद तक भारतीय श्रमजीवी आन्दोलन का भविष्य निर्भर है ! इसलिए इस मामले की समुचित पैरवी करना आवश्यक हो गया है। केवल इसी उद्देश्य से एक ज़बर्दस्त डिफ़ेन्स कमिटी का निर्माण किया गया, जिसके सदस्य भूतपूर्व राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल नेहरू, बङ्गाल के सुप्रसिद्ध नेता श्री० सुभाषचन्द्र बोस आदि कई गणयमान्य सज्जन हैं। इसी कमिटी की ओर से राजा कालाकाँकर के अनुज कुँवर ब्रजेशसिंह जी ने इस कमिटी के संयुक्त मन्त्री की हैसियत से निम्न-लिखित अपील हमारे पास प्रकाशनार्थ भेजी है। इस अपील से पाठकों को श्री० रॉय महोदय तथा उनके उद्देश्यों और कार्यों का भी पता चलेगा। —स० 'भविष्य']

सथियो,

साथी रॉय ने जो अथक परिश्रम मज़दूर-आन्दोलन में, न केवल हिन्दुस्तान के लिए, बल्कि संसार के दूसरे बीसों देशों के लिए किया है, उसके यहाँ विस्तार से लिखने की ज़रूरत नहीं। जिन लोगों का मज़दूर-आन्दोलन या अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर आन्दोलन से सम्पर्क रहा है, वह अच्छी तरह जानते हैं कि साथी मानवेन्द्रनाथ रॉय ने अनेक देशों के श्रमिक आन्दोलन में कितना परिश्रम किया है। इन्होंने मैक्सिको, फ़िलिप्पाइन्स, डच इण्डीज़, चीन, जापान, मञ्चूरिया, जर्मनी, फ़्रान्स, हॉलैण्ड, स्वीडन, स्पेन, अमेरिका और हिन्दुस्तान वग़ैरह स्थानों में श्रमजीवियों के आन्दोलन में काम किया है।

हिन्दुस्तान में श्रमजीवियों का झगड़ा इन्हीं के आन्दोलन का फल है। विदेश में बैठे हुए इन्होंने जिस तरह रास्ता बतलाया, उसी के अनुसार हिन्दुस्तान में मज़दूर आन्दोलन की काया-पलट हुई और क्रम-शीलता के ठीक रास्ते पर आन्दोलन चलने लगा। यद्यपि रॉय विदेश में बहुत सी गम्भीर राजनैतिक समस्याओं में फँसे रहते थे, फिर भी इन्होंने हिन्दुस्तान के श्रमजीवियों के मामले पर पूर्ण ध्यान रक्खा। इन्होंने हिन्दुस्तान के बारे में चार प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं। 'इण्डिया इन ट्रानसिशन', 'फ़्यूचर ऑफ़ इण्डियन पॉलिटिक्स' या 'आफ़्टरमाथ ऑफ़ नॉन-कोऑपरेशन' और 'वन इयर ऑफ़ नॉन-को-ऑपरेशन'। इनके अतिरिक्त इन्होंने कई साल तक 'दि मासेज़' और 'दि वान गार्ड' नाम के प्रसिद्ध पत्रों का सम्पादन किया। इनकी अन्तिम पुस्तक का नाम है 'रिवोल्यूशन ऐण्ड कौण्टर रिवोल्यूशन इन चाइना'। इस पुस्तक का प्रत्यक्ष सम्बन्ध यद्यपि हिन्दुस्तान के साथ नहीं है, पर पुस्तक बड़े मारके की है और औपनिवेशिक देशों की दशा का इससे पूरा ज्ञान होता है। यह पुस्तक हाल में जर्मन भाषा में प्रकाशित हुई है और जर्मनी की जनता ने, इसका बड़ा मान किया है। मूल पुस्तक अङ्गरेज़ी में लिखी गई थी, लेकिन अभी तक छपी नहीं।

रॉय हमेशा हिन्दुस्तान की राजनीति से सम्पर्क रखते रहे हैं और गया की काँग्रेस के बाद से ही



श्री० एम० एन० रॉय, जिन पर कानपूर की विशेष अदालत में राजविद्रोह का मामला चल रहा है।

राष्ट्रीय क्रान्ति के कार्यक्रम की वकालत करते आए हैं, जिसकी ज़रूरत अब हमें महसूस हो रही है। इनके बतलाए हुए कार्यक्रम को लगातार बढ़ती हुई दिलचस्पी के साथ देश की जुदा-जुदा कई संस्थाओं ने अङ्गीकार किया है। इस बात का एक बहुत प्रकट नमूना 'अखिल भारतवर्षीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस' है, जिसने कलकत्ता नेशनल काँग्रेस के अवसर पर इनके प्रोग्राम (कार्य-क्रम) को, जिसे वह कई वर्षों से पेश कर रहे थे, स्वीकार किया। कार्यक्रम यह है :—

१—सताई और लुटी हुई दीन जनता के हाथ में बिना किसी प्रतिबन्ध या शर्त के सारी शक्ति दे दी जाय।

२—देशी राज्यों को और मुफ़्तख़ोर ज़मींदारी तरीक़े को उठा दिया जाय।

३—किसानों को सब प्रकार की छीन-खसोट से छुटकारा मिले, जिससे उनकी पैदा की हुई चीज़ें अधिकतर उन्हीं के पास रहें।

४—धरती, जन-लाभ के काम, खानों की पैदावार और बैङ्कों का राष्ट्रीयकरण हो।

५—विदेशी सरकार के लिए हुए ऋणों से इन्कार किया जाय।

६—श्रमिकों के रहन-सहन का ऐसा ढङ्ग नियत हो, जिसमें फिर कमी न हो सके और उसीके अनुसार कम से कम मज़दूरी की दर नियत की जाय, काम करने के घण्टों की हद और मज़दूरों की तन्दुरुस्ती का विचार, साथ ही बेकारी, बीमारी और बुढ़ाई वग़ैरह के लिए बीमा का प्रबन्ध हो।

शोक समाचार

पाठकों को यह जान कर क्लेश होगा कि संस्था के प्रधान व्यवस्थापक (श्री० सहगल जी के छोटे भाई) की धर्मपत्नी का—जो पिछले एक महीने से बीमार थीं—५ सितम्बर के प्रातःकाल दो बजे स्वर्गवास हो गया। उनके शोक में 'चाँद' प्रेस तथा कार्यालय शनिवार को बन्द रहा। इस कारण साप्ताहिक 'भविष्य' सोमवार को न प्रकाशित होकर एक दिन देर से प्रकाशित हो रहा है।

७—किसान और मज़दूरों के ज़रिए देश के साम्पत्तिक जीवन का प्रबन्ध हो, जिससे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का फल थोड़े से भाग्यवान लोग ही हस्तगत न कर बैठें।

रॉय ने अपने कार्यक्रम में कहा था कि एक निर्वाचन का अधिकार रखने वाली महासभा बनानी चाहिए। उसमें यह भी बतलाया गया था कि शक्ति हस्तगत करने के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा तन्त्र खड़ा हो, जिसको क्रान्तिकारी प्रजातन्त्र के अधिकार प्राप्त हों। साम्राज्यवाद की धींगाधींगी का मुक़ाबला जन-समूह की सुसङ्गठित मर्ज़ी से होना चाहिए। सताई और लूटी जाने वाली जनता की चुनी हुई शासन महासभा को ही यह अधिकार है कि स्वतन्त्र राष्ट्रीय राज्य के प्राण-प्रद क़ानूनों को बनाए और चलाए।

अधिकार प्राप्त करने की लड़ाई की कार्यवाही के लिए पहले सारे देश में जुदा-जुदा सताई और लूटी जाने

(शेष मैटर ३२ पृष्ठ के ३२ कॉलम में देखिए)



सत्याग्रह कब आरम्भ किया जा सकता है ?

कॉङ्ग्रेस वालों को म० गाँधी का आदेश

म० गाँधी ने चार्ज शीट और उसके उत्तर के सम्बन्ध में "यङ्ग इण्डिया" में एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें वे कहते हैं:—"सरकार के साफ़ इन्कार करने से अगर कोई बात साबित होती है तो यही कि जाँच होना और भी ज़रूरी है। अभियुक्त व्यक्ति चाहे जितने ज़ोर से अपने ऊपर लगाए इल्ज़ामों से इन्कार करे, इससे वह मुक्त नहीं हो सकता। उसे अपनी निर्दोषिता जज के सामने साबित करनी पड़ती है। प्रान्तीय सरकारों के नकारात्मक उत्तर से कॉङ्ग्रेस वालों का सन्देह और भी दृढ़ हो गया है।" इसके बाद उन्होंने लिखा है कि सरकारी उत्तर का प्रत्युत्तर तैयार हो रहा है। और उसके प्रगट होने पर जनता को मालूम हो जायगा कि कॉङ्ग्रेस का दावा बहुत मज़बूत है। अगर प्रान्तीय सरकारें निर्दोष हैं, जैसा कि उनका दावा है, तो वे निष्पक्ष जाँच से पीछे क्यों हटती हैं? दूसरे समझौते में उन्होंने ऐसी जाँच से साफ़ इन्कार कर दिया है और कॉङ्ग्रेस ने भी इसे मान लिया है। पर साथ ही कॉङ्ग्रेस ने यह ज़ाहिर कर दिया है कि इस स्वीकृति का अर्थ यह नहीं कि अन्याय के सामने सर झुका दिया जाय। समझौते के हो जाने पर भी अगर कॉङ्ग्रेस समझेगी कि किसी अन्याय को सह लेना राष्ट्र के हित के विरुद्ध है तो आत्म-रक्षा के लिए उसका विरोध करने का उसे हक़ होगा। गाँधी जी की सम्मति में जाँच के सम्बन्ध में वाद-विवाद, समझौते और प्रार्थना-पत्रों का कोई फल न होने के बाद यही एक मात्र मार्ग बचा था। लेख के अन्त में उन्होंने कहा है—"तो भी मैं आशा करता हूँ कि आत्म-रक्षार्थ भी क़ानून भङ्ग करने की आवश्यकता न पड़ेगी। मैं जानता हूँ कि सरदार पटेल और वर्किङ्ग कमिटी इस प्रकार पुनः आन्दोलन आरम्भ करने की आज्ञा सहज में न देंगे। अपनी शक्ति पर उस समय तक सत्याग्रह को स्थगित रखना चाहिए, जब तक लन्दन कॉन्फ्रेन्स का फल न निकल जाए। पर जहाँ राष्ट्र के आत्म-सम्मान या कल्याण का प्रश्न हो, वहाँ इसे रोकने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। कॉङ्ग्रेस कमिटियों और व्यक्तियों को समझ लेना चाहिए कि वे अपनी तरफ़ से क़ानून भङ्ग आरम्भ नहीं कर सकते। इसके लिए वर्किङ्ग कमिटी या प्रेज़िडेण्ट की आज्ञा अत्यन्त आवश्यक है।"

म० गाँधी का समुद्र पर से सन्देश

जब म० गाँधी का जहाज़ 'एस० एस० राजपूताना' भारत की भूमि को छोड़ कर समुद्र के बीच में पहुँचा तो महात्मा जी ने रियूटर के प्रतिनिधि द्वारा नीचे लिखा सन्देश भेजा :—

"भारत-भूमि के किनारे से पृथक होते समय मैं अपने देशवासियों से अपनी ग़ैर-हाज़िरी में पूर्णतः अहिंसात्मक बने रहने की अपील करता हूँ। जनता को कॉङ्ग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम का पालन करते हुए शराब और विदेशी कपड़े का त्याग और अछूतपन को दूर करना चाहिए। गाँवों में चर्ख़े का प्रचार बढ़ाया जाय। समस्त सम्प्रदायों में एकता की वृद्धि की जाय। अङ्गरेज़ों और सरकारी अफ़सरों से भी मेरी अपील है कि अगर वे मानते हैं कि शासन-शक्ति अवश्य ही भारतवासियों के हाथों में दी जायगी तो उनको कॉङ्ग्रेस और कॉङ्ग्रेस-वालों पर विश्वास करना चाहिए।"

"स्वराज्य कोरा ढोंग है"

कानपुर का समाचार है कि कालाकाँकर के राजा ने वहाँ पहुँच कर श्री० एम० एन० राय से भेंट की और सफ़ाई के सम्बन्ध में बातें कीं। डिफ़ेन्स कमिटी ने महात्मा गाँधी के पास निम्न-लिखित तार भेजा है—

"तार और पत्र भेजे गए पर कोई जवाब नहीं मिला, अगर राय के समान व्यक्ति नहीं छोड़े जाते और उनको जेल में रहना पड़े तो राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स और स्वराज्य कोरा ढोंग है।"

गाँधी जी ने जहाज़ चलाया

ता० ३ सितम्बर का रियूटर का तार है कि 'राजपूताना' जहाज़ के कप्तान ने गाँधी जी को लँगोटी पहने हुए ही, जहाज़ की सैर कराई और जहाज़ चलाने को कहा। गाँधी जी ने पहिया घुमा कर जहाज़ चलाते हुए हँस कर कहा—"कहीं मैं जहाज़ को और सब लोगों को डुबा तो नहीं दूँगा।" इसके बाद कप्तान ने गाँधी जी को जहाज़ सम्बन्धी अनेक यन्त्र, इञ्जिन-घर और बेतार का तार विभाग दिखलाया। गाँधी जी लड़कों की तरह कौतूहल प्रकट करते रहे। कप्तान की मेहमान-नवाज़ी और शिष्टता से महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। इस दिन तक वे अकेले अपनी छोटी सी केबिन में पड़े रहते थे। केवल जहाज़ की एक बिल्ली उनकी सङ्गिनी थी, जिसे वे बकरी का दूध पिलाते हैं और जो उनके साथ बिस्तरे पर सोती है।

नवाब भूपाल, मालवीय जी और मिस स्लेड अब बिल्कुल अच्छी तरह हैं। यात्रा के पहले चार दिन बड़े ख़राब थे और गाँधी जी जैसे सहिष्णु ही उस समय समुद्र की बीमारी से बच सकते थे।

म० गाँधी का अदन में स्वागत

३ सितम्बर को गाँधी जी के अदन पहुँचने पर वहाँ के तमाम भारतवासियों ने धूम-धाम से आपका स्वागत किया। वे लोग उनको दावत भी देना चाहते थे, पर जहाज़ के बारह घण्टा लेट होने से उन्होंने एक अभिनन्दन पत्र देकर ही सन्तोष किया, जिसमें उनके नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया गया था तथा गाँधी जी की संसार के महान धर्म-प्रचारकों से तुलना की गई थी। जब प्रभात हुआ तो गाँधी जी, श्रीमती सरोजिनी नायडू और महादेव देसाई के साथ अदन की पथरीली ज़मीन पर उतरे, उस समय लोगों ने ख़ूब हर्ष-ध्वनि की।

लन्दन में गाँधी जी का प्रोग्राम

रियूटर के प्रतिनिधि के यह पूछने पर कि लन्दन में आपका प्रोग्राम क्या होगा, गाँधी जी ने कहा—"मैं ऐसी शासन-योजना के लिए उद्योग करूँगा, जिससे भारत सब तरह की ग़ुलामी और संरक्षकता से मुक्त हो जाय। मैं एक ऐसे भारत के लिए चेष्टा करूँगा, जिसमें ग़रीब से ग़रीब भी समझे कि यह हमारा देश है और इसके निर्माण में हमारा भी हाथ है। एक ऐसा भारत, जिसमें ऊँची-नीची जातियाँ न होंगी, जिसमें सब सम्प्रदाय वाले प्रेमपूर्वक रहेंगे और उस भारत में अछूतपन या नशाख़ोरी के दुर्गुण न होंगे। स्त्रियों को भी वही अधिकार होंगे जो पुरुषों को हैं। चूँकि संसार के सब देशों से हमारी सुलह होगी, इसलिए हम कल्पनातीत छोटी सेना रक्खेंगे। सब लोगों के स्वार्थों की, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी, रक्षा की जाएगी, बशर्ते कि वे भारत की ग़रीब जनता के विरुद्ध न हों। यही मेरे स्वप्न का भारत है, जिसके लिए मैं राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स में उद्योग करूँगा। चाहे मैं नाकामयाब होऊँ, पर मैं अपने ऊपर कॉङ्ग्रेस के विश्वास और अपने सिद्धान्तों की रक्षा करूँगा।"

"महात्मा जी सत्य और अहिंसा के अवतार हैं"

सीमा-प्रान्त के गाँधी की वक्तृता

सीमा-प्रान्त के गाँधी ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ ने शिमले में एक सार्वजनिक सभा में वक्तृता देते हुए सीमा प्रान्त में दिल्ली के समझौते का पालन न करने के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की और कहा कि सीमा-प्रान्त की सरकार ने महात्मा जी के सीमा-सम्बन्धी अभियोगों का जो उत्तर दिया है वह भ्रमोत्पादक है। उन्होंने कहा कि सरकार पर जो अभियोग लगाए गए हैं, उनके लिए मैं सरकार को चैलेञ्ज देता हूँ कि उन्हें वह असत्य सिद्ध करे।

आगे चल कर हिन्दू-मुस्लिम प्रश्नों के सम्बन्ध में आपने कहा कि मज़हब का मतलब साम्प्रदायिकता नहीं है। बाजे और मस्जिद के बारे में आपने कहा कि मस्जिद के सामने बाजा बजाना मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है और मुसलमानों से मेरा कहना है कि वे मस्जिद के सामने बाजा बजाने पर एतराज़ न करें। अपने लालकुर्ती वालण्टियरों के सम्बन्ध में ख़ान साहब ने कहा कि उनका ध्येय अहिंसा है और उनमें से प्रत्येक ने मनुष्य-जाति की सेवा करने का व्रत लिया है। अन्त में ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ ने महात्मा जी के प्रति बड़ी श्रद्धा और भक्ति प्रदर्शित की और कहा, वह तो सत्य और अहिंसा के साक्षात अवतार हैं।

पोर्तुगाल में भीषण बलवा

पोर्तुगाल में भीषण बलवा हो गया है। फ़ौज वालों ने और सिविलियनों ने बलवा शुरू किया। सरकारी हथियारख़ाने पर बलवाइयों ने बम बरसाए, जिससे ५० आदमी ज़ख़्मी हुए। ५०० बलवाई गिरफ़्तार करके बन्दरगाह में रक्खे गए हैं।

सड़कों पर हथियारबन्द गाड़ियाँ घूम रही हैं। जो हथियार लिए घूमता दिखाई देता है, मार दिया जाता है। लिस्बन में बलवा कुछ शान्त दिखाई देता है। उत्तरी प्रान्त ख़ाली हो गए हैं और ख़बरों पर सेन्सर बैठाया गया है।

चीन में भयङ्कर बाढ़ :: एक लाख आदमी डूब गए

चीन में बड़ी भयङ्कर और घातक बाढ़ आई है। हाल की ख़बर है कि शाम्रोपो और कियाम्रोचो के बीच के प्रदेश में एक लाख आदमी डूब गए और लाखों आदमियों के घर बह गए।

सिन्ध में भयानक भूकम्प ??

गत ३१ अगस्त को सिन्ध प्रान्त के विभिन्न भागों से भूकम्प होने के जो समाचार आए हैं उनसे मालूम होता है कि उसके धक्के बड़े ज़ोरों से लगे, पर प्राण-हानि अधिक नहीं हुई। कितनी ही इमारतों और अधूरे मकानों को बहुत हानि पहुँची। लरकाना, मेहरबानसी, ख़ैरपुर और टैण्डो आदम में बहुत अधिक मकान गिरे और लोगों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। पञ्जेर, घुघ्रा, पेमसी और नरी के रेलवे-स्टेशन ज़मीन फट जाने से उसके भीतर समा गए। सक्खर में कुछ लोग, जो सिन्ध नदी के किनारे घूम रहे थे, धक्के से पानी में गिर गए और डूब गए।

'पायोनियर' पर सहगल जी का दावा

'चाँद' और 'भविष्य' के अध्यक्ष श्री० सहगल जी पर इलाहाबाद के फ़र्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ख़ाँ साहब मौलवी रहमान बख़्श क़ादरी की अदालत में फ़ाइन आर्ट प्रिंटिङ्ग कॉटेज प्रेस के 'कीपर' के सम्बन्ध में जो मामला चल रहा है, उसकी कार्रवाई को प्रकाशित करते हुए स्थानीय अङ्गरेज़ी पत्र 'पायोनियर' ने श्री० सहगल जी को 'कीपर' लिखा है। 'कीपर' के झगड़े के सम्बन्ध में ही अदालत में मुक़दमा चल रहा है और अभी वह मामला विचाराधीन है। ऐसी दशा में 'पायोनियर' ने श्री० सहगल जी को 'कीपर' लिख कर मामले के फ़ैसले के पहिले ही ग़लत धारणा फैलाने का प्रयत्न किया है और अदालत की मान-हानि की है। इसलिए श्री० सहगल जी ने ३१ अगस्त को स्थानीय हाईकोर्ट में 'पायोनियर' के ऊपर दावा कर दिया था। फल-स्वरूप 'पायोनियर' के सम्पादक, मुद्रक और प्रकाशक के नाम २ री सितम्बर को नोटिस जारी हो गया है। मामले की पेशी ६ सितम्बर को होगी।

फ़रीदपुर में गिरफ़्तारियाँ

फ़रीदपुर में २६ अगस्त को कई मकानों की तलाशियाँ ली गईं और विस्फोटक पदार्थ एक्ट के अनुसार वृजलाल चक्रवर्ती और भूतपूर्व मन्त्री ज़िला-कॉङ्ग्रेस कमिटी गिरफ़्तार किए गए। गोविन्दपुर कॉङ्ग्रेस कार्यालय में बम मिलने के सम्बन्ध में राजबाड़ी में कई मकानों की तलाशियाँ ली गईं और दो आदमी गिरफ़्तार किए गए।

रिवॉल्वर और कारतूस पकड़े गए

लक्ष्मीपुर-काण्ड के सम्बन्ध में जलालपुर में दो मकानों की तलाशियाँ ली गईं। एक मकान में ९ कारतूस, पुलीस की टोपी और कुछ ज़ब्त किताबें पाई गईं और दूसरे मकान में एक छः नली का भरा हुआ रिवॉल्वर और बहुत से कारतूस पकड़े गए। नदाव राहा, मधाव राहा और उनका पुत्र ललित राहा हिरासत में ले लिए गए हैं।

बर्मा का विद्रोह

बर्मा के विद्रोह के सम्बन्ध में सरकार का कहना है कि स्थिति सुधर रही है। अब तक ४,६७१ बाग़ियों ने आत्म-समर्पण किया है। इस सप्ताह के अन्दर पुलीस और विद्रोहियों में कोई ख़ास झगड़ा नहीं हुआ। गत २७ अगस्त को हेनज़ादा में बाग़ियों ने पुलीस कैम्प पर हमला किया। दारोग़ा को गोली से मार डाला और उसकी बन्दूक़ उठा ले गए। विद्रोह के नेता सायासान को विशेष अदालत ने गत २८ अगस्त को फाँसी की सज़ा सुना दी।

लड़की सात मील तैरी

कलकत्ता की एक तैराकी प्रतियोगिता में २३ तैराकों में अनुपमशील नाम की एक ११ वर्ष की लड़की भी थी। २३ तैराकों में १८ तैराक ७ मील तैरे थे, उनमें वह लड़की भी थी।

भीषण रेलवे-दुर्घटना

जी० आई० पी० रेलवे के झाँसी डिवीज़न में बरखेरा और भोपाल के बीच एक भीषण रेलवे-दुर्घटना २७ अगस्त को हो गई। ९ आदमी मर गए और ७ घायल हुए। दुर्घटना का कारण अब तक ठीक नहीं मालूम हुआ है। ज़ख़्मी लोग झाँसी-अस्पताल में पहुँचाए गए।

—औरङ्गाबाद कॉङ्ग्रेस कमिटी के मन्त्री ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास तार भेजा है कि रफ़ीगञ्ज की पुलीस शान्तिमय पिकेटिङ्ग में हस्तक्षेप करती है, स्वयंसेवकों को धमकाती है, दूकानदारों को उनके हाथों कोई चीज़ न बेचने के लिए सावधान करती है और उनके पास जाने वाले व्यक्तियों के नाम नोट करती है। दूकानों पर पहुँचने पर प्रमुख कार्य-कर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया।

मालिक बनाम "कीपर" का मनोरञ्जक मामला

(चौथे पृष्ठ का शेषांश)

भी नहीं समझ सकते; जब तक उन्हें क़ानून का ज्ञान न हो। इस पर श्री० सहगल जी ने अदालत से कोई भी पुस्तक अथवा पत्र देने की प्रार्थना की। इसी बीच में सरकारी वकील ने 'लीडर' अख़बार का एक समाचार वाला पृष्ठ सहगल जी को दे दिया। गवाह ने उसे बहुत टूटी-फूटी भाषा में पढ़ा। सरकारी वकील ने पढ़ने के ढङ्ग की बड़ी प्रशंसा की, किन्तु सहगल जी के आपत्ति करने पर उन्हें चुप रहना पड़ा।

सहगल जी ने केवल पढ़ी हुई चार पंक्तियों का अर्थ किसी भी भाषा में करने को कहा। गवाह ने अन्त में स्वीकार किया कि उसने जो चार पंक्तियाँ पढ़ी हैं, उसका अर्थ ही वह नहीं समझ सका; इसलिए किसी भी भाषा में अनुवाद करना उसके लिए सम्भव नहीं है। इस पर अदालत में हँसी हुई।

दो-एक बार जब सरकारी वकील पं० अम्बिकाप्रसाद पाण्डेय का अनुचित ढङ्ग देख कर सहगल जी को कहना पड़ा कि "कृपया सदा आप अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा न करें; यह बात वकीलों की सभ्यता के सर्वथा प्रतिकूल है।"

अदालत के पूछने पर कि सहगल जी का आशय क्या है, श्री० सहगल जी ने बतलाया कि "डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सफ़ाई के गवाह की हैसियत से बुला कर दो घण्टे तक जो मुझसे जिरह की थी, उसका विवरण आपने पत्रों में पढ़ा ही होगा; इस मामले में भी पाण्डेय जी उसी हथ-कण्डे से काम ले रहे हैं, जो सर्वथा अनुचित है।"

इस पर पाण्डेय जी ने अदालत से अपनी मान-रक्षा की प्रार्थना की। श्री० सहगल जी ने उनसे कहा कि यहाँ तो आप अपनी मान-रक्षा करा लीजिए; लेकिन मैं शीघ्र ही आप पर इन बेजा हरकतों के लिए क़ानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूँ।

सरकारी वकील ने मामले के अन्त में दफ़ा ५४० के अनुसार श्रीमती लक्ष्मीदेवी तथा श्री० आनन्दीप्रसाद श्रीवास्तव को अदालती गवाह की हैसियत से तलब करने की प्रार्थना की। श्री० सहगल जी के विरोध करने पर भी दरख़्वास्त मञ्ज़ूर कर ली गई। किन्तु श्री० आनन्दीप्रसाद श्रीवास्तव को अदालत ने बुलाने से इन्कार कर दिया। केवल श्रीमती लक्ष्मीदेवी १४वीं सितम्बर को बुलाई जाएँगी।

७वीं सितम्बर को मामले की अगली पेशी निश्चित हुई है। उस दिन दो यूरोपियन लड़कियाँ, जो पहिले 'चाँद' कार्यालय में नौकर थीं, सरकारी गवाह की हैसियत से पेश होंगी और एक निकाला हुआ क्लर्क भी, जिसे धोखेबाज़ी के अपराध में जेल की सज़ा हुई थी और जो आजकल मलाका जेल की क़ैद में है।

* * *

—३१ अगस्त की आधी रात को कानपूर में गोरी सेना की छावनी में सिपाहियों और मेहतरों में दङ्गा हो गया, जिसमें एक मेहतर मारा गया और एक अङ्गरेज़ सिपाही घायल हुआ। पुलीस जाँच कर रही है।

हिन्दुस्तान की श्रमजीवी संस्थाओं से अपील

(१ले पृष्ठ का शेषांश)

वाली जातियों के सङ्गठनों से प्रतिनिधि लेकर समितियाँ बनानी चाहिए। इन समितियों में मेहनती, किसान, कारीगर, छोटे-छोटे दूकानदार, नौकरी करने वाले, पढ़े-लिखे ग़रीब शामिल किए जायँ। सताई और लूटी हुई जातियों के यह गिरोह उसी समय उत्पन्न होने चाहिए, जब कि वह अपनी उसी समय की ज़रूरत के लिए थोड़ी-थोड़ी माँगें पेश कर रहे हों। जब देश भर में ऐसी स्थानिक समितियों का जाल फैल जायगा तब यह राष्ट्रीय परिषद के लिए अपने प्रतिनिधि चुनेंगी। यह परिषद क्रान्तिकारी प्रजातन्त्र शासन के पूरे अधिकार वाली होगी (जैसे राजा होता है), यही एक मात्र रास्ता है, जिससे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त की जा सकती है।

मार्क्स के सिद्धान्त का ज्ञाता और राजनीति-विज्ञान का पण्डित होने के कारण रॉय ने भावी भारत का चित्र देख लिया और ठीक-ठीक ऐसा कार्यक्रम तैयार किया, जो बराबर हिन्दुस्तान की राजनीति पर अपना प्रभाव डालने लगा। एक लम्बा काला हिन्दुस्तानी, यूरोपीय देशों में फिरने वाला मार्क्स के जादू के बल से हिन्दुस्तान के कपाल की रेखाएँ पढ़ रहा था, और उस समय पढ़ रहा था, जब कि विशृङ्खलता, मन के वेग, मनोभावों का अभाव देश की राजनीति में सर्वत्र पाए जाते थे। अनेक वर्षों के अनुभव से साथी राय को ज्ञान हुआ कि दूर बैठे-बैठे मेरा परिश्रम हिन्दुस्तानियों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की क्रान्तिकारी जागृति लाने के लिए काफ़ी नहीं है। यह जानते ही सर पर आने वाले सारे भयों को भूल, बहुत बड़ी जोखिम उठा, उसने हिन्दुस्तान आने का निश्चय किया। यह समझने की बात है कि वह हिन्दुस्तान किस महा उद्योग से आकर पहुँचा होगा। जितनी घड़ी वह हिन्दुस्तान में रहे, उनको काम से क्षण भर फ़ुरसत और आराम नहीं मिला। निश्चय ही वह देश की व्यावहारिक राजनीति और ट्रेड-यूनियन के प्रश्नों में व्यस्त रहे होंगे। ट्रेड-यूनियन के आन्दोलन में एकता का प्रभाव और दूसरी सैकड़ों बातों पर रॉय की कोशिशों का ज़रूर असर पड़ा होगा।

रॉय २१ जुलाई को बम्बई में सात वर्ष पहिले के निकले हुए वारण्ट के आधार पर १९२४ के कानपूर बोलशेविक षड्यन्त्र के मामले में गिरफ़्तार किए गए और कानपूर मुक़दमे की जाँच के लिए लाए गए हैं। इनको कानपूर डि० जेल में रक्खा गया है और अब तक किसी न किसी कारण से इनका मुक़दमा स्थगित होता आ रहा है। साथियो! अब आपका क्रान्तिकारी कर्तव्य है कि आप अपने फँसे हुए साथी की जो सहायता हो सके करें, जिससे वह साम्राज्यवाद के दूषित आक्रमण से बच सके। साथियो! एम० एन० रॉय के लिए डिफ़ेन्स कमिटियाँ बनाइए और जहाँ तक सम्भव हो, धन एकत्र कीजिए और बड़ी-बड़ी सभाएँ करके रॉय की गिरफ़्तारी का प्रतिवाद कीजिए। हिन्दुस्तान के मज़दूरों के ज़ोर के साथ बीच में पड़ने से ही साथी रॉय को हम साम्राज्यवादिनी सरकार के पञ्जे से बचा सकते हैं।

* * *

मालिक बनाम "कीपर" का मनोरञ्जक मामला !

यूरोपियन लड़कियाँ गवाही में तलब की गईं !

"किराए के गवाह इकट्ठे करके हद दर्जे की नीचता का परिचय दिया गया है"

१ सितम्बर को दोपहर के २ बजे ख़ाँ साहब मौलवी रहमानबख़्श क़ादरी की अदालत में उस मामले की पेशी हुई, जिसमें 'चाँद' तथा 'भविष्य' के अध्यक्ष श्री० सहगल जी पर प्रेस तथा रिजिस्ट्रेशन ऑफ़ बुक्स एक्ट की १३वीं धारा के अनुसार स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० मूडी ने अभियोग चला दिया है।

गवर्नमेण्ट की ओर से चार गवाह आज पेश हुए। इनमें स्थानीय पेपर मर्चेण्ट मेसर्स विश्वम्भरनाथ निरञ्जनलाल के क्लर्क श्री० राय ने बतलाया कि उनके खाते में 'चाँद' प्रेस के मालिक की हैसियत से श्री० आर० सहगल का नाम दर्ज है, लेकिन आर्डरों तथा चेकों पर प्रायः मि० एन० सहगल का हस्ताक्षर होता है। ठीक यही जवाब मेसर्स मदनमोहन एण्ड सन्स के प्रतिनिधि ने भी दिया। तीसरा गवाह कलक्टरी का एक क्लर्क था, जिसने विभिन्न डिक्लेरेशनों की तसदीक़ की, जो समय-समय पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दाख़िल किए गए थे। चौथा गवाह 'चाँद' कार्यालय का एक क्लर्क था, जिसे पुलीस वालों ने ख़ास तौर से देहली से बुलाया था। उसने कहा कि मैंने इसलिए नौकरी छोड़ दी; क्योंकि मुझे प्रेस तथा पत्रों का डिक्लेरेशन दाख़िल करने के लिए सहगल जी ने बाध्य किया था। श्री० सहगल जी के एडवोकेट श्री० जे० सी० मुकर्जी के जिरह करने पर गवाह ने कहा कि इलाहाबाद में क़र्ज़ बढ़ जाने के कारण वह भागा नहीं था; किन्तु क़र्ज़ के सम्बन्ध को घरेलू तथा इज़्ज़त का प्रश्न बतला कर गवाह ने कोई ठीक उत्तर नहीं दिया।

श्री० सहगल जी के नाम श्री० छैलबिहारी लाल भटनागर (गवाह) द्वारा हस्ताक्षरित समय-समय पर आए हुए ३ पत्र अदालत में दाख़िल कर दिए गए हैं, जिन्हें गवाह ने अपना लिखा हुआ स्वीकार कर लिया है। इन पत्रों में गवाह ने सहगल जी को कई बेहूदा धमकियाँ लिख भेजी थीं और 'रहस्योद्घाटन' करने की बातें भी लिखी थीं। बार-बार पूछने पर भी गवाह एक भी 'रहस्य' नहीं बतला सका। ऐसे सारे प्रश्नों का उसने एक ही उत्तर दिया—"इतनी जल्दी में कुछ भी याद नहीं आता।"

सब से मज़ेदार सीन उस समय उपस्थित हुआ, जब कि गवाह द्वारा जुलाई १९३१ में भेजा हुआ वह पत्र पेश किया गया, जिसमें गवाह ने दोबारा नौकरी पाने की प्रार्थना की थी, और आजकल श्री० सहगल जी पर गवर्नमेण्ट द्वारा होने वाले अत्याचारों से सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए लिखा था कि "यदि आप मेरे नाम से प्रेस के 'कीपर' तथा पत्रों के प्रकाशक एवं मुद्रक का डिक्लेरेशन देना उचित समझें तो मैं आपकी सेवा करने को सदैव तैयार हूँ।"

अदालत से बाहर निकलते ही गवाह से एक हलवाई ने अपने रुपयों का तक़ाज़ा किया और कहा-सुनी हुई। हलवाई का कहना था कि जब गवाह 'चाँद' कार्यालय में काम करता था तो मुझसे मिठाइयाँ ख़रीद कर खाया करता था और जब मेरे ३०)-४०) रु० उस पर हो गए तो घर छोड़ कर रात ही में भाग गया। हलवाई ने अन्त में अदालत से रुपया दिलवा देने की प्रार्थना की। अदालत ने हलवाई से ख़फ़ीफ़ा में दावा करने की उसे सलाह दी है। हलवाई के यह कहने पर कि गवाह का पता मुझे आज तक नहीं चल पाया है, अदालत ने कल मिसिल देख कर पता बतला देने का वचन दिया है।

जब-जब सहगल जी का मुक़दमा चलता है, अदालत में ख़ुफ़िया पुलीस के कई दारोग़ा तथा सिपाही दिखाई देते हैं। आज सहगल जी ने स्वयं अदालत से इस असाधारण उपस्थिति की शिकायत करते हुए अदालत से प्रार्थना की कि इस प्रकार पुलीस वालों की उपस्थिति सर्वथा अनुचित है। पर अदालत ने यह कह कर कि "दर्शकों की भाँति यदि पुलीस वाले अदालत में आते हैं तो मैं क्या करूँ" इस शिकायत को टाल दिया।

कल की पेशी में २ यूरोपियन लड़कियाँ भी सरकारी गवाह की हैसियत से तलब की गई हैं, जो कुछ दिनों पहिले 'चाँद' कार्यालय में शार्टहैण्ड लेखिका तथा टाईपिस्ट का काम करती थीं।

आज की पेशी में सब से मज़ेदार बात यह देखने में आई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक वकील श्री० पाण्डेय, जिन्होंने श्री० सहगल जी को पं० भुवनेश्वरनाथ की ओर से गवाही में तलब करके भी उनसे जिरह की थी और जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अदालत में सहगल जी के विरुद्ध अनेक अनर्गल बातें कह डाली थीं, उन्हीं को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इस मामले में सरकार की ओर से विशेष ऑर्डर द्वारा नियुक्त करके अपनी क़द्रदानी का परिचय दिया है।

दूसरे दिन ता० २ सितम्बर को उपर्युक्त मुक़दमे की पेशी २ बजे नियत समय पर न होकर ३ बजे इसलिए हुई; क्योंकि कुछ कार्यवश ठीक २ बजे ख़ाँ साहब को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ा। उनके लौटने पर मामले की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

आज सब से पहले कैनिङ्गटन (सिविल लाइन) थाने के प्रधान दारोग़ा श्री० अब्दुल हादी सरकारी गवाह की हैसियत से पेश किए गए। आपने सरकारी वकील के पूछने पर बतलाया कि मि० सहगल 'चाँद' प्रेस के मालिक हैं। जिरह करने पर आपने बतलाया कि मैं सहगल साहब को मालिक इसलिए समझता हूँ, कि जब कभी मुझे तलाशी अथवा गिरफ़्तारी के लिए जाना पड़ा, मैंने उन्हीं से बातें कीं और मुझे हर प्रकार की सहूलियत दी गई। फिर जिरह करने पर गवाह ने बतलाया कि एक-दो बार ऐसा भी हुआ जब मि० आर० सहगल कोठी पर नहीं थे; उनके भाई से मुझे काम पड़ा। गवाह ने कहा तब भी मुझे ठीक वही सहूलियत मिल सकी, जो सहगल साहब (श्री० आर० सहगल) से मिलती थी। गवाह ने कहा कि मुझे ३-४ बार तलाशियों के सिलसिले में और तीन बार गिरफ़्तारियों के सिलसिले में 'चाँद' प्रेस जाना पड़ा था। गवाह ने कहा कि मैंने हमेशा वारण्ट मि० आर० सहगल के सामने पेश किए और मुलज़िम तुरन्त हाज़िर कर दिया गया। गवाह ने यह भी कहा कि उसे यह याद नहीं है कि वारण्ट पर 'कीपर' तथा मुद्रक तथा प्रकाशक आदि लिखा था। आमतौर से, गवाह ने कहा वारण्ट पर केवल भारतीय दण्ड-विधान की धारा का उल्लेख रहता है। गवाह ने यह भी कहा कि जब मार्च महीने में सहगल साहब स्वयं गिरफ़्तार हुए थे, तब भी ख़ुफ़िया पुलीस के अन्य दारोग़ाओं के साथ मुझे उनके घर जाना पड़ा था और मैं सहगल साहब को स्वयं नैनी जेल तक छोड़ने के लिए गया था। गवाह का ख़्याल है कि यह गिरफ़्तारी अन्य गिरफ़्तारियों की भाँति दफ़ा १२४ 'अलिफ़' के अनुसार हुई थी। 'कीपर' अथवा अख़बारों का प्रिन्टर तथा पब्लिशर कौन है, सो गवाह को याद नहीं था। इतना याद था कि 'चाँद' के उर्दू संस्करण के सम्पादक कोई वकील, शायद मुन्शी कन्हैयालाल थे, इत्यादि।

दूसरे सरकारी गवाह 'चाँद' के एक कहानी लेखक श्री० प्रफुल्लचन्द्र ओझा पेश किए गए, जिन्होंने पं० भुवनेश्वरनाथ मिश्र की ओर से भी गवाही दी थी। गवाह ने पहले कहा कि मैं जानता हूँ, श्री० सहगल जी ही संस्था के 'कर्ताधर्ता' हैं, और वे ही 'चाँद' (हिन्दी-संस्करण) के प्रधान सम्पादक भी हैं। 'भविष्य' के सम्बन्ध में मैं नहीं जानता। जिरह करने पर गवाह ने कहा कि "मैं 'चाँद' कार्यालय में तीन महीने तक नौकर रह चुका हूँ और मुझे ४०) रु० मासिक वेतन मिलते थे।" यह पूछने पर कि आपको यह कैसे मालूम हुआ कि सहगल जी ही संस्था के कर्ता-धर्ता और सम्पादक थे? गवाह ने बतलाया कि मैं इसलिए ऐसा कहता हूँ, क्योंकि उनका नाम सम्पादक की हैसियत से 'चाँद' पर छपता था। यह पूछने पर कि जिसका नाम पत्र पर छपता हो, क्या वही 'असली' सम्पादक नहीं होता? गवाह ने कहा कि "अवश्य वही सम्पादक है।" गवाह ने कभी सहगल जी को अग्रलेख अथवा सम्पादकीय नोट लिखते हुए इसलिए नहीं देखा; क्योंकि जब गवाह संस्था में मुलाज़िम था, उस समय ऑर्डिनेन्स जारी होने के कारण अग्रलेख तथा सम्पादकीय नोट छपते ही नहीं थे।

गवाह ने कहा था कि वह किसी स्कूल अथवा कॉलेज में नहीं पढ़ा है, लेकिन हिन्दी, संस्कृत तथा बङ्गला का अच्छा ज्ञाता है और अङ्गरेज़ी, मराठी और थोड़ी गुजराती भी जानता है। यह पूछने पर कि उसे सम्पादन-कला का ज्ञान कब से हुआ, गवाह ने बतलाया कि उसके घर ही में 'शारदा' नामक संस्कृत की पत्रिका निकलती थी। जिरह करने पर गवाह ने कहा कि जब वह पत्रिका निकलती थी, तब वह अबोध बालक था।

सहगल जी ने अदालत से प्रार्थना की कि वे अदालत के सामने गवाह की योग्यता कोई पुस्तक पढ़ा कर पेश करना चाहते हैं।

मैजिस्ट्रेट—ऐसा करने से आपका क्या अभिप्राय है?

सहगल जी—मेरा अभिप्राय यह साबित करना है कि द्वेषवश यह विचित्र मामला मुझ पर चलाया गया है और सरकार की ओर से मेरी संस्था के निकाले हुए निकम्मे किराए के गवाह इकट्ठे करके हद दर्जे की नीचता का परिचय दिया गया है।

इस पर अदालत ने गवाह की परीक्षा करने की आज्ञा दे दी।

श्री० सहगल जी ने गवाह से क़ानूनी पुस्तक का एक अध्याय अदालत को पढ़ कर सुनाने के लिए कहा। इस पर सरकारी-पक्ष के वकील ने आपत्ति की। उनका कहना था कि क़ानूनी पुस्तक अनेक पढ़े-लिखे व्यक्ति

(शेष मैटर तीसरे पृष्ठ के दूसरे कॉलम के नीचे देखिए)

पुलीस-अफ़सर के मुँह पर थप्पड़ जड़ दिया गया !!

देहली षड्यन्त्र की अदालत में तहलक़ा

ता० २६ अगस्त को दिल्ली षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने एक सनसनीदार घटना हो गई।

अदालत की कार्रवाई प्रारम्भ होने पर अभियुक्त-पक्ष की ओर से कहा गया कि फ़रार अभियुक्त भवानीसहाय, जोकि कल रात को दिल्ली में गिरफ़्तार हुआ है, अदालत के सामने पेश किया जाय। सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि भवानीसहाय सिविल लाइन्स में पुलीस की हिरासत में है। वह बीमार पड़ जाने के कारण अदालत में हाज़िर होने से असमर्थ है, इसलिए मोहलत मन्ज़ूर की जाय। डॉ० किचलू ने ज़ोर देकर कहा कि वह आज ही अदालत के सामने पेश किया जाय, क्योंकि इस विषय में क़ानून बिल्कुल स्पष्ट है। वह पुलीस की हिरासत में नहीं रोका जा सकता। सबूत पक्ष ने डॉ० किचलू की बात स्वीकार कर ली।

काशीराम की शिनाख़्त

इसके बाद अभियुक्त-पक्ष ने दिल्ली षड्यन्त्र केस के एक दूसरे फ़रार अभियुक्त काशीराम की शिनाख़्त के सम्बन्ध में कहा कि शिनाख़्त की कार्रवाई कानपूर में हुई है, जिसके लिए यहाँ से गवाह बिना अदालत की इजाज़त लिए या अभियुक्त-पक्ष के वकील को सूचना दिए हुए भेज दिए गए थे। ऐसी कार्रवाई पहले कभी नहीं हुई।

अदालत ने भवानीसहाय के तुरन्त पेश किए जाने का हुक्म दिया और तब तक के लिए अदालत की कार्रवाई स्थगित कर दी।

कोर्ट-इन्स्पेक्टर पर थप्पड़

अदालत की कार्रवाई स्थगित रहने के समय कोर्ट-इन्स्पेक्टर सरदार भागसिंह अभियुक्तों के कटघरे के पास उनसे बातचीत करने के लिए चले गए। बातचीत का रुख़ कुछ कठोर हो गया। सरदार भागसिंह ने हरद्वारीलाल से पूछा कि क्या भवानीसहाय आपके दोस्त हैं और आपके साथ रहते थे। इस पर अभियुक्त रुद्रदत्त ने सरदार से वहाँ से चले जाने और अपनी जगह पर बैठने और ऐसी बातचीत न करने के लिए कहा। सरदार जी ने रुद्रदत्त से कहा—"चुप रहो!" जिस पर रुद्रदत्त ने सरदार के मुँह पर दो थप्पड़ मारे और फिर सरदार के सर पर अपनी चप्पल फेंक कर मारी। सरदार वहाँ से चले गए और झगड़ा वहीं समाप्त हो गया।

❀ ❀ ❀

इसके बाद एक बज कर पन्द्रह मिनट पर अदालत के सामने भवानीसहाय लाए गए। अभियुक्त के हाथों में हथकड़ियाँ थीं और चेहरा ढका हुआ था। अदालत के अन्दर प्रवेश करते ही अभियुक्त ने "क्रान्ति चिरञ्जीवी हो", "भगतसिंह चिरञ्जीवी हो" के नारे लगाए। अभियुक्त उठ कर खड़े हो गए और उन्होंने भी नारे लगाए।

प्रेज़िडेण्ट अभियुक्तों की इस कार्रवाई से बहुत असन्तुष्ट हुए और हुक्म दिया कि "अभियुक्तों के अव्यवस्थित व्यवहार के कारण मामले की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित रहेगी और फ़ीस के सम्बन्ध में जो समझौता हुआ था, उसकी शर्तों के अनुसार अभियुक्त-पक्ष के वकीलों को आज की फ़ीस नहीं दी जायगी।"

अदालत के इस हुक्म से अभियुक्त के वकीलों को बड़ा आश्चर्य हुआ।

भवानीसहाय का बयान नहीं लिया गया। विद्याभूषण ने कहा कि १२८) रु० हम लोगों के नारों का मूल्य है।

❀ ❀ ❀

लाहौर षड्यन्त्र केस

दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने सबूत की ओर से राजाराम खोंचेवाले ने ग्वालमण्डी में बम फटने की घटना के सम्बन्ध में अपनी गवाही में कहा कि मैंने दो नवयुवकों को देखा था। उन्होंने मुझसे किराए के लिए कोई ख़ाली मकान बतलाने के लिए कहा था। मैंने सामने की एक बिल्डिङ्ग की ओर इशारा करके बतला दिया था कि वहाँ देखिए।

गवाह से उन दो नवयुवकों की शिनाख़्त करने के लिए कहा गया। वे अभियुक्त दयानसराय और जयप्रकाश थे। गवाह ठीक शिनाख़्त नहीं कर सका। उसने दो बाहरी आदमियों को बतलाया।

अदालत की कार्रवाई स्थगित होने के पहले सरकारी वकील रायबहादुर ज्वालाप्रसाद ने अदालत से अभियुक्त जयप्रकाश और ग़लत शनाख़्त किए हुए व्यक्ति की फ़ोटो लेने के लिए कहा। कारण पूछने पर सरकारी वकील ने कहा कि मैं उन दोनों व्यक्तियों की शक्लों में समता दिखलाना चाहता हूँ। अदालत ने अभियुक्त जयप्रकाश और दूसरे व्यक्ति को पास से देखने के बाद कहा कि उनमें कोई समता नहीं है और सरकारी वकील की प्रार्थना अस्वीकार कर दी।

❀ ❀ ❀

पुलीस वालों की काली करतूत

दिल्ली षड्यन्त्र के फ़रार अभियुक्त भवानीसहाय ने स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने बयान देते हुए अपने ऊपर किए गए सी० आई० डी० और पुलीस के अत्याचारों के सम्बन्ध में कहा कि गिरफ़्तारी के समय से ही मेरे साथ बल-प्रयोग किया गया है। यह कह कर अभियुक्त ने अदालत को अपने सर की चोट दिखलाई।

सी० आई० डी० के स्पेशल सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० पील, सी० आई० डी० इन्स्पेक्टर सरदार करमसिंह और हेड-कॉन्स्टेबिल अमीनचन्द ने मुझे तरह-तरह के प्रलोभन दिखलाए। परन्तु प्रलोभनों के जाल में फँसने से इन्कार करने पर सरदार करमसिंह और हेड-कॉन्स्टेबिल मेरे साथ बड़ी बुरी तरह से पेश आए।

मि० पील ने पीटा तो नहीं, परन्तु उन्होंने कहा कि अगर दूसरे षड्यन्त्रकारियों का पता बतला दोगे तो तुम्हें पूरा इनाम दिया जायगा। मुझसे कहा गया कि जैसे मुख़बिर हंसराज वोहरा विलायत भेज दिया गया और मुख़बिर कैलाशपति और चन्द्रावती को एक सौ पचास रुपया मासिक भत्ता मिलता है, वैसे ही तुम्हें भी पूरा इनाम दिया जायगा। परन्तु मैंने कुछ भी बतलाने से इन्कार कर दिया।

हिरासत में रात भर अत्याचारों और प्रलोभनों का सिलसिला जारी रहा। मेरी उँगलियों के बीच में पेन्सिल दबाई गई, अच्छी नौकरी का प्रलोभन दिया गया। परन्तु मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब अत्याचार असहनीय हो गया तब मैं रो पड़ा।

रात को ढाई बजे मैंने प्रार्थना की कि अब मुझे सो जाने दीजिए, मेरे पैरों में और पेट में दर्द हो रहा है, परन्तु मुझे सोने नहीं दिया। पीने के लिए पानी तक नहीं दिया गया। ज्योंही मैं सोता था, त्योंही पुलीस का पहरेदार जगा देता था।

सवेरे बहुत से आदमी मेरे कमरे के बाहर इधर-उधर घूम रहे थे। सरदार जी ने मेरी बैरक में आकर कहा कि सच बातें बतला देने पर छोड़ दिए जाओगे। अदालत में मेरा बड़ा प्रभाव है, अगर मैं चाहूँ तो जेल में तुम्हें ख़ूब पिटवा सकता हूँ। भवानीसहाय ने कहा कि शायद वे सरदार जी अदालत में बैठे हुए हैं। सरदार जी के चले जाने पर दो पुलीस के आदमियों ने बुलाना आरम्भ किया। परन्तु मैं नहीं बोला, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था, उन्होंने गालियाँ दीं। इसके बाद वे अपने प्रयत्न में असफल होकर चले गए।

मुझे बड़ी भूख मालूम हुई। मैंने अफ़सर को बुलवा कर उससे कुछ खाने के लिए और पानी के लिए कहा। परन्तु कुछ नहीं मिला।

अभियुक्त पक्ष के वकील जगा कर मुझे अदालत में लाए हैं।

भवानीसहाय की गिरफ़्तारी कैसे हुई ?

कहा जाता है कि अमीनचन्द नाम का एक व्यक्ति, जोकि किसी समय भवानीसहाय का सहपाठी रह चुका है, भवानीसहाय को हौज़ क़ाज़ी पुलीस चौकी से क़रीब तीस गज़ के फ़ासले पर जाते हुए देख कर उसे पकड़ने के लिए दौड़ा।

अमीनचन्द ने पुलीस को सहायता के लिए पुकारा और तब तक अपने रिवॉल्वर से अभियुक्त को घेरे रक्खा। दूसरी तरफ़ से कॉन्स्टेबिल आकर भवानीसहाय से भिड़ गए और गिरफ़्तार कर लिया। भवानीसहाय के पास कोई हथियार नहीं था। गिरफ़्तारी के समय रक्षाबन्धन के कारण यद्यपि रास्ते में भीड़ बहुत थी परन्तु लोगों ने किसी जेबकट की गिरफ़्तारी समझ कर ध्यान नहीं दिया।

यह भी कहा जाता है कि भवानीसहाय दिल्ली में हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की एक सभा में शामिल होने के लिए आया था। कहा जाता है कि हिन्दू कॉलेज के थर्ड-इयर क्लास के विद्यार्थी राजालाल को, जो कि भवानीसहाय का सहपाठी रह चुका है, दिल्ली में भवानीसहाय के आने की बात मालूम हो गई थी और उसने सी० आई० डी० को यह ख़बर दे दी थी।

सीताराम बाज़ार में जब कि भवानीसहाय साइकिल पर जा रहा था, एक सी० आई० डी० का कॉन्स्टेबिल उसके पीछे-पीछे चला। भवानीसहाय ने यह समझ कर कि मैं पहचान लिया गया हूँ, अपनी साइकिल छोड़ दी और एक ताँगे पर सवार होकर ताँगे वाले से ख़ूब ज़ोर से भगाने के लिए कहा परन्तु आगे चल कर राखी के त्योहार के कारण रास्ते में भीड़ अधिक होने से ताँगे वाले को हौज़ क़ाज़ी के पास रुक जाना पड़ा, इतने में ही सी० आई० डी० के आदमी ने दूसरे पुलीस के आदमियों की सहायता से भवानीसहाय को गिरफ़्तार कर लिया।

कहा जाता है कि दिल्ली में षड्यन्त्रकारी दल के बहुत से सदस्य मौजूद हैं, जिनकी खोज में सी० आई० डी० पुलीस फिर रही है। कुछ समय हुआ, पुलीस सन्तरियों को षड्यन्त्रकारियों के आक्रमण के डर से भरी हुई बन्दूकें रखने का हुक्म हुआ था और सौ कॉन्स्टेबिलों को अवसर पड़ने पर सशस्त्र क्रान्तिकारियों का मुक़ाबिला करने के लिए रिवॉल्वर दिए गए थे

"सत्याग्रह करने वाले बदमाश हैं"

कॉङ्ग्रेस के विरुद्ध सेना तैयार करने की योजना

सी० पी० के पेन्शनयाफ़्ता पोस्ट-मास्टर जनरल ने, जो आजकल बीमारी के कारण हस्पताल में अपने जीवन के दिन गिन रहे हैं, हाल ही में भारतीय किसानों के नाम एक विचित्र विज्ञप्ति प्रकाशित करके अपनी नमक-हरामी का परिचय दिया है, जिसे पाठकों के मनोरञ्जनार्थ हम सहयोगी 'कर्मवीर' से नीचे उद्धृत कर रहे हैं। सहयोगी 'कर्मवीर' तथा 'बॉम्बे क्रॉनिकल' ने इस विज्ञप्ति की बड़ी कड़ी आलोचनाएँ की हैं। सहयोगी 'कर्मवीर' का कहना है कि इसी प्रकार के ग़ैर-ज़िम्मेदार, किन्तु उच्च पदाधिकारी अङ्गरेज़ों की यह बेजा हरकतें ही भारत के हिंसात्मक क्रान्तिकारियों को प्रोत्साहित कर रही हैं। जिस अन्यायपूर्ण विज्ञप्ति की चर्चा ऊपर की गई है, वह इस प्रकार है :—

"काश्तकार भाइयो,

आप सब लोग जानते ही हैं कि पिछले कुछ वर्षों से बदमाश लोग जनता को क़ानून तोड़ने और मूर्खतापूर्ण काम करने का सबक़ सिखा रहे हैं, जिससे देश का, तथा उनकी सलाह मानने वाले मूर्ख लोगों का नुक़सान होता है। जिन मूर्खतापूर्ण कार्यों को करने की ये लोग सलाह देते हैं, उनमें से एक है—जङ्गल-सत्याग्रह। अभी कुछ दिन पूर्व मैं एलिचपुर से गुज़र रहा था। वहाँ मैंने सुना कि यह सत्याग्रह, जिसकी पहिले परीक्षा हो चुकी है और जिसने सैकड़ों अबोध लोगों को जेल भेजा, बरार में पुनः आरम्भ किया जाने वाला है। बरार हमारी सीमा पर है, अतएव यह भी सम्भव है कि सत्याग्रह की शिक्षा देने वाले ये बदमाश लोग, हमारे निकट के ज़िले अकोला और बुलढाना से हमारे ज़िले में आवें। हम लोगों को एक होकर इन बदमाशों को ठीक उसी प्रकार अपने ज़िले से भगाना चाहिए, जिस प्रकार हम अपने घरों और खेतों से पागल कुत्तों को भगाते हैं। आप ज्योंही मुझे इस बात की ख़बर देंगे कि ये बदमाश लोग हमारे किसी गाँव में आ गए हैं, त्योंही मैं आपकी सहायता के लिए आ जाऊँगा और आपका नेता बनूँगा। अपनी सामूहिक रक्षा के लिए, आप जैसे बहादुर आदमियों की मैं पल्टन बनाऊँगा और उसका नेतृत्व ग्रहण करूँगा। भाइयो, ये शब्द मेरे ही हैं, यह सरकारी हुक्म नहीं हैं। इन शब्दों के द्वारा मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसलिए शायद सरकार मुझसे नाराज़ हो जायगी, पर आत्म-रक्षा करना मैं अपना अधिकार समझता हूँ और साथ ही साथ, मैं यह भी चाहता हूँ कि आप भी इसे अपना अधिकार समझें। अगर हम आत्म-रक्षा बुद्धिमानी से करेंगे, तो इससे हम लोग सरकार और बादशाह बहादुर पञ्चम जॉर्ज के अधिकारों की रक्षा करेंगे।

आपसे मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ। सरकार ने देश भर में हमारी रक्षा के लिए पुलीस मुक़र्रर की है। हमें पुलीस से डरना नहीं चाहिए, हमें बदमाश लोगों को गिरफ़्तार करने और उन पर मुक़द्दमा चलाने में पुलीस को सहायता देना चाहिए। ये बदमाश लोग भोले-भाले लोगों को क़ानून तोड़ने की शिक्षा और पुलीस को सदा गालियाँ देते हैं, पर हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि यद्यपि पुलीस को बड़ी कठिन अवस्था में काम करना पड़ा है, तथापि इनका व्यवहार हिन्दुस्तान भर में, राजभक्तिपूर्ण और महान रहा है। अतएव पुलीस हमारी मित्र है और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए।

जिस प्रकार संसार के सभी स्थानों में लुच्चे रहते हैं, उसी प्रकार पुलीस में भी कई एक लुच्चे हो सकते हैं। अगर किसी प्रकार ये लुच्चे, आपसे पैसे ऐंठना चाहें या बिना दाम दिए रसद माँगें, तो आप मेरे पास आइए और मुझे सब बातें बतलाइए, मैं ख़ुद इस प्रबन्ध में पुलीस के साहब और खण्डवा के ज़िला साहब से मिल कर उस लुच्चे के विरुद्ध कार्यवाही करवाऊँगा और इस प्रकार मैं आपकी रक्षा करूँगा। इस काम के लिए आपको कुछ भी देना न पड़ेगा, क्योंकि न तो मैं वकील हूँ और न मैं किसी से कोई फ़ीस लेता हूँ।

मैं चाहता हूँ कि आप बहादुर बनें और सरकार द्वारा बनाए गए क़ानूनों के पालन करने में सदा तैयार रहें। अगर आप बहादुर नहीं हो सकते, तो आप जीने योग्य नहीं हैं। प्रत्येक मनुष्य आपको देख कर कहेगा कि आप डरी हुई भेड़-बकरियाँ हैं—मनुष्य नहीं।

भाइयो, अब घर जाइए; पर घर जाने के पूर्व मुझसे यह आमन्त्रण ले लीजिए कि आप थोमोगकानापुर गाँव के मेरे बँगले को अपना ही घर समझें, जहाँ आप दिन में आवें या रात में, चौबीसो घण्टा आपका स्वागत होगा।

मेरा इरादा है कि मैं आपके गाँवों में जाऊँ और उन जवानों के नाम लिखूँ, जो मेरी पल्टन में शामिल होने को तैयार हैं। इस पल्टन का नाम हम 'आत्म-रक्षिणी सेना' रक्खेंगे।

महात्मा जी लन्दन को रवाना हो गए

गत २९ अगस्त को पूरे ६ महीने के बाद बम्बई में राष्ट्रीयता और स्वतन्त्रता-प्रेम का सजीव रूप फिर दिखाई दिया था। दिल्ली के गाँधी-इर्विन समझौते के बाद आज़ादी का संग्राम स्थगित होने के कारण, बम्बई की राजनीतिक चहल-पहल कम हो गई थी। किन्तु उससे कहीं बढ़ कर नज़ारा गत २९ अगस्त को महात्मा जी के लन्दन प्रस्थान करते समय दिखाई दिया। महात्मा जी जहाज़ पर सवार होने के लिए उस दिन ८ बजे प्रातःकाल स्पेशल ट्रेन द्वारा बम्बई पहुँचे। भीड़ से बचने के लिए आप बम्बई से १० मील आगे ही बान्द्रा नामक स्टेशन पर उतर पड़े थे। किन्तु वहाँ भी आपके दर्शनों के लिए लालायित जनता का भारी समूह एकत्र था। बम्बई प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी की ओर से महात्मा जी के स्वागत का विशेष प्रबन्ध किया गया था। कमिटी के प्रेज़िडेण्ट श्री० नरीमैन अनेक प्रमुख सज्जनों सहित उपस्थित थे। स्पेशल ट्रेन के पहुँचते ही 'महात्मा गाँधी की जय' से स्टेशन कम्पायमान हो गया। जन-समूह महात्मा जी के डब्बे की ओर टूट पड़ा। कुछ सौभाग्यशाली लोग फ़ौरन कूद कर डब्बे में घुस गए। डब्बे में भी इतने लोग पहुँच गए कि प्लेटफ़ॉर्म पर खड़े हुए लाखों दर्शकों को खिड़की से झाँक कर भी महात्मा जी दर्शन न दे सके। जो लोग भीतर पहुँच पाए थे, उन्होंने खद्दर की मालाएँ महात्मा जी को पहनाईं। भीड़ को चीर कर बड़ी मुश्किलों से श्री० नरीमैन डब्बे की खिड़की तक पहुँच सके। विचार किया गया कि इस स्टेशन पर महात्मा जी का उतरना भीड़ की वजह से असम्भव है, इसलिए बिना सूचित किए हुए किसी स्टेशन पर चुपके से महात्मा जी उतरें और वहाँ से मोटर पर बैठा कर शहर ले जाए जायँ। इस निश्चय के बाद भी श्री० नरीमैन को प्लेटफ़ॉर्म पर से भीड़ को हटाने में, जिससे कि लोग गाड़ी से कुचल न जायँ, आध घण्टे से अधिक समय लग गया। बड़ी मुश्किलों से गाड़ी वहाँ से चल पाई।

इसके बाद दादर स्टेशन पर ९॥ बजे गाड़ी खड़ी हुई और वहाँ से चुपके से महात्मा जी मोटर द्वारा आज़ाद मैदान में पहुँचे। वहाँ सभा की तैयारी पहले ही से थी और लाखों की संख्या में जनता एकत्र थी। महात्मा जी ने एक मकान के बारज़े पर खड़े होकर वक्तृता दी। घोर वर्षा हो रही थी, किन्तु फिर भी लोग खड़े हुए महात्मा जी का व्याख्यान सुन रहे थे।

महात्मा जी की वक्तृता

अपनी वक्तृता में महात्मा जी ने कहा—मैंने सरकार के दूसरे समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। लोग कहेंगे कि इसको क्या हो गया है और इसने क्या कर डाला? परन्तु जनता ने मुझे गोलमेज़ के लिए एकमात्र प्रतिनिधि चुन कर मुझ में जो विश्वास प्रकट किया है, उसी के अनुसार मैं कॉङ्ग्रेस के आदेश का ही पालन करूँगा और किसी को धोखा नहीं दूँगा। न तो अङ्गरेज़ों को, न अन्य किसी को और न भारत की करोड़ों मूक जनता ही को। यदि मैं आपको धोखा दूँ, तो मुझे मार डालना भी हिंसा करना न होगा। मुझे न अङ्गरेज़ों से दुश्मनी है, न मुसलमानों से और न किसी दूसरे से।

समुद्र के किनारे

आज़ाद मैदान के बाद महात्मा जी समुद्र के किनारे जहाज़ पर सवार होने के लिए ले जाए गए। वहाँ जैसी विराट भीड़ लोगों की जमा थी और जितना उत्साह था, वैसा इससे पहिले बम्बई में कभी देखने में नहीं आया था। कहीं तिल रखने भर को जगह न थी। देश-सेविकाओं, स्वयंसेवकों और राष्ट्रीय झण्डों की शोभा निराली थी। रह-रह कर पानी बरस रहा था, किन्तु जनता निश्चल खड़ी थी। उस समय तो भीड़ और भी उमड़ पड़ी, जब महात्मा जी जहाज़ के पास श्री० नरीमैन, सेठ जमुनालाल बजाज और सरदार पटेल आदि द्वारा बनाए हुए घेरे में होते हुए पहुँचे। भीड़ की अधिकता के मारे लोगों की जानें सङ्कट में पड़ गईं। बड़ी मुश्किलों से महात्मा जी, मालवीय जी और श्रीमती सरोजिनी नायडू के साथ जहाज़ पर पहुँच सके। ५ मिनट आराम करने और पत्र-प्रतिनिधियों को सन्देश देने के बाद महात्मा जी, उपस्थित जनता के घनघोर चीत्कार मचाने पर, जहाज़ के ऊपर डेक पर आए और आध घण्टे तक खड़े रह कर जनता का हर्षाभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद जनता की कान के परदे फाड़ने वाली "महात्मा गाँधी की जय" ध्वनि के बीच महात्मा जी का 'राजपूताना' नामक जहाज़ भारत-भूमि की गोद से भारत के हृदय-सम्राट को लेकर प्रस्थान कर गया।

महात्मा जी का सन्देश

महात्मा जी प्रस्थान करते समय देशवासियों के नाम सन्देश देते हुए, यह कह गए हैं—यद्यपि मुझे आशा दिखाई नहीं देती, किन्तु मैं जन्म का आशावादी हूँ और निराशा में भी मैं आशा करता हूँ। मेरा ईश्वर में दृढ़ निश्चय है और मालूम होता है कि उसी ने लन्दन जाने का मेरा मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि ईश्वर मेरे द्वारा मानव-जाति की सेवा कराना चाहता है, क्योंकि भारत की सेवा में समस्त संसार के मनुष्यों की सेवा सम्मिलित है।

'बड़के-भय्या' के नाम उनके जाति-भाई की खुली चिट्ठी

कराची के एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय विचार के मुसलमान सज्जन ने मुसलमानों के "एकमात्र प्रतिनिधि" नामधारी मौलाना शौकतअली के नाम अङ्गरेज़ी में एक 'खुली चिट्ठी' लिख कर मौलाना साहब के निन्दनीय हथकण्डों का ख़ूब ही भण्डा-फोड़ किया है। उसी पत्र का हिन्दी-अनुवाद पाठकों के मनोरञ्जनार्थ नीचे दिया जाता है।

—स० 'भविष्य'

प्यारे दोस्त, मैं आपके कार्यों का उसी समय से ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहा हूँ जब कि कराची में आप पर राजद्रोह और अन्य जुर्मों के लिए अभियोग चलाया गया था। आजकल जब कि आपके कुछ सहधर्मी, मुसलमान भाइयों के हितसाधन के लिए आपके उत्साह की प्रशंसा कर रहे हैं, मैं आपके कुछ हाल के कामों की निन्दा किए बिना नहीं रह सकता। आप अपने छोटे भाई की तरह नाम और यश कमाना चाहते हैं, पर उनके सिद्धान्त और नीति निन्दा से परे थी, वे सदा निर्दोष शस्त्रों से लड़ते थे उन्होंने कभी पीछे से छुरी मारने की कोशिश नहीं की। पर आप इससे बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। आप मौक़े-बेमौक़े सदा महात्मा गाँधी के उज्ज्वल नाम पर धूल फेंकने की चेष्टा करते रहते हैं, जिनके पैरों की धूल को आप एक समय बहुत पवित्र मानते थे। इस कारण दिन-पर-दिन आपका पतन होता जाता है।

माँगा हुआ प्रकाश

ख़िलाफ़त आन्दोलन के ज़माने में महात्मा जी द्वारा प्रदान प्रकाश से आपने प्रसिद्धि पाई, पर आप ऐसे अहसान-फ़रामोश शख़्स हैं कि उन्हीं को गाली देते हुए कभी नहीं थकते। क्या आप समझते हैं कि ऐसा करने से महात्मा जी का समुज्ज्वल नाम नष्ट हो सकेगा और आप अपनी जाति और दूसरे लोगों की निगाह में इज़्ज़त पा सकेंगे? आपके साथी, जैसे फ़ज़ली-हुसैन, शफ़ी दाऊदी, नून और दूसरे लोग केवल राजनीतिक मामलों में अपना मतलब साधने के लिए आपको बेवक़ूफ़ बना कर फँसाते हैं और भीतर ही भीतर आपके पागलपन के प्रलापों पर हँसते हैं। वैसे आप समझदार आदमी हैं और अपनी अन्तरात्मा में ज़रूर ही समझते होंगे कि आपकी गालियों और आक्षेपों का महात्मा जी पर ज़रा भी असर नहीं पड़ता। वे न आपको जैसे का तैसा जवाब देते हैं, न बदला लेने की चेष्टा करते हैं, और यदि कभी आपका ज़िक्र करते हैं तो वह ऐसा होता है कि उसको आपकी बातों के साथ मिला कर देखने से आपकी बेइज़्ज़ती हिन्दुस्तानियों में ही नहीं, वरन् विदेश वालों में भी होती है। वे दुनिया के एक महापुरुष हैं और आप बड़ी-बड़ी बातों के बघारने और दैत्य के समान शरीर होने पर भी, उनके सामने बिल्कुल बौने हैं।

झूठे दोस्त

जिस तरह आपके झूठे दोस्त आपकी प्रशंसा करते हैं, उसी तरह नौकरशाही भी इस समय आपकी बात पूछ रही है। पर जैसे ही भारत का सर्वाङ्गपूर्ण शासन-मसौदा मेज़ पर रक्खा जायगा, आप दूर फेंक दिए जायँगे और आपकी वही हालत होगी "धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का"

महात्मा गाँधी ने अपने मधुर एवं उचित व्यवहार और सादगी के द्वारा लॉर्ड इर्विन के साथ समझौते में सफलता प्राप्त की। पर आप अपनी तमाम उम्र और पचास वर्ष अधिक के अनुभव से भी ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने उसी उपाय से आपको भी फिर शुद्ध करके अपने साथ मिला लेने की कोशिश की, पर आप पर असर न पड़ा। ख़िलाफ़त आन्दोलन के समय आप महात्मा जी को अपना गुरु कहते थे और उनके पैरों को चाटने को राज़ी थे। क्या यह इसलिए था कि महात्मा जी बड़ी तत्परता से उस कार्य में संलग्न हुए, जिसे आप कर रहे थे और उसमें सफलता प्राप्त की? अथवा इसलिए कि उन्होंने ख़िलाफ़त के लिए लाखों रुपए इकट्ठे कर दिए, जिसके मुख्य कर्त्ता-धर्त्ता आप ही थे? कुछ भी हो, आप महात्मा जी की इच्छा पर ही चलते थे। अब वह मौक़ा निकल गया और आप कुछ फ़ायदा न होने से उसके लिए उद्योग नहीं करते। इसके सिवाय सरकार ने आपकी पेन्शन और जागीर वापस कर दी है, इसलिए आप अपने देशवासियों को हमेशा के लिए ग़ुलामी में रखने को उसका साथ दे रहे हैं। आपकी माता की, जो पूर्णतया राष्ट्रवादिनी थीं, मृत्यु होने से आप पर कोई अङ्कुश नहीं रहा और आप कुमार्गगामी होकर घोर सम्प्रदायवादी बन गए। आपके भाई की मृत्यु के बाद आपका दिमाग़ और भी बिगड़ गया और अब आप बिना नकेल के ऊँट की तरह हो रहे हैं। आपके छोटे भाई ऐसी नीचता से दूर रहते थे। वे पहले अपने को हिन्दुस्तानी मानते थे और बाद में मुसलमान। लन्दन में पहली राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स में उन्होंने कहा था कि या तो मैं स्वाधीन होकर भारत वापस जाऊँगा या यहीं पर मेरी क़ब्र बनेगी।

आँसू पोंछना

अपने कुछ पिछलग्गुओं की सहायता से आप कॉन्फ्रेन्सों और मीटिङ्गों के सभापति बनते हैं, जिनमें थोड़े से दर्शक इकट्ठा हो जाते हैं। उनमें आप ऐसे प्रस्ताव पास करते हैं कि अगर आपकी माँगें पूरी न की जायँगी तो आप राउण्ड-टेबिल कॉन्फ्रेन्स को बर्बाद कर देंगे। पर आपके प्रस्ताव के पक्ष में आपके अधिकांश सहधर्मी भी नहीं हैं। राष्ट्रीय विचार वाले और उलेमा आपका समर्थन नहीं करते। आपके प्रस्ताव केवल आँसू पोंछने की तरह हैं, जो इस देश में और इङ्गलैण्ड में किसी को धोखा नहीं दे सकते। वरना क्या आप समझते हैं कि आप इतने बड़े आदमी हैं कि वायसरॉय आपसे भेंट करें और बीमार पड़ने पर आपकी चिकित्सा वायसरॉय-भवन में, लॉर्ड इर्विन के ख़ास डॉक्टर द्वारा, की जाय? अब गवर्नमेण्ट ने आपको दूसरी राउण्डटेबिल-कॉन्फ्रेन्स में निमन्त्रित करके आपकी शान और भी बढ़ा दी है, जिसकी कल्पना आपने कभी स्वप्न में भी न की होगी। क्या आप समझते हैं कि जब भारत के भाग्य का निबटारा स्थाई रूप से हो जायगा, तब भी गवर्नमेण्ट की आप पर ऐसी ही मिहरबानी रहेगी और फ़ज़ली हुसैन तथा नून आपको इसी प्रकार बड़ा बनाते रहेंगे? नहीं, हज़ार बार नहीं। इसलिए आप उस चश्मे को उतार कर फेंक दें, जिसने आपकी निगाह को धुँधली बना रक्खा है, और दिन के प्रकाश को देखें, पेश्तर इसके कि मौक़ा हाथ से निकल जाय। आपके भाई की आँखें खुली रहती थीं और उनकी दूर-दृष्टि थी, जिसकी आप में बहुत ही कमी है। यह मेरी आपके लिए बहुत ही नेक सलाह है।

महात्मा जी की जहाज़ पर की बातें

मालवीय जी, श्री० नायडू, मीराबेन आदि बीमार हो गए!

दैनिक 'भविष्य' का रियूटर का विशेष बेतार का तार है कि महात्मा जी का जहाज़ में पहला दिन बड़ी प्रसन्नता से बीता। आपने जहाज़ के यात्रियों से ख़ूब घुल-मिल कर बातें कीं और लड़कों के साथ ख़ूब खेले। जहाज़ के कप्तान ने महात्मा जी को जहाज़ के पुल पर टहलने के लिए बुलाया था। आपने कप्तान से मुस्कराते हुए कहा—"मैं पन्द्रह दिनों के लिए आपका क़ैदी हूँ।" कप्तान ने भी हँसते हुए जवाब दिया—"मैं आपसे बहुत सुन्दर व्यवहार करूँगा, किन्तु समुद्रीय मौसम के सम्बन्ध में मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकता।" कप्तान के इस उत्तर पर महात्मा जी खिलखिला कर हँस पड़े और बोले—"इसकी कोई चिन्ता नहीं, क़ैदी की अपेक्षा मैं नाविक अधिक अच्छा हूँ।"

महात्मा जी १० गैलन बकरी का दूध डॉ० मेहता द्वारा वैज्ञानिक रीति से शुद्ध करा कर ले जा रहे हैं। आपके पास सैकड़ों तार संसार के सभी हिस्सों से समुद्र की सकुशल यात्रा के लिए आए। उन तारों को पढ़ने के बाद महात्मा जी ने बहुत देर तक चर्ख़ा चलाया और उसके बाद डेक पर प्रार्थना की। आपकी प्रार्थना देख कर जहाज़ के यात्रियों को बड़ा कुतूहल हुआ और बहुत से यात्रियों ने प्रार्थना में भाग लिया।

मौलाना शौकतअली भी साथ होंगे

ख़बर है कि पोर्ट सईद से मौ० शौकत अली भी महात्मा जी के साथ ही लन्दन जायँगे। मौलाना के महात्मा जी के साथ यात्रा करने से लोगों को यह आशा हो रही है कि साम्प्रदायिक प्रश्नों के समझौते की जड़ यहीं से जम जायगी।

महात्मा जी रात भर डेक में खुली जगह में सोए, यद्यपि समुद्र में लहरें ज़ोरों से उठ रही थीं।

(दूसरा तार)

२० अगस्त को एक दूसरे तार द्वारा ख़बर मिली थी कि मालवीय जी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, नवाब भोपाल, कुमारी मीरा बेन और श्री० प्यारेलाल आदि समुद्री बीमारी से बीमार हो गए हैं, किन्तु महात्मा जी चतुर और अभ्यस्त नाविक की भाँति पूर्णतया स्वस्थ हैं। महात्मा जी नियमित रूप से बराबर भोजन कर रहे हैं और आराम से सो रहे हैं। आप खुले डेक पर सोते और प्रातःकाल ४ बजे उठते हैं। जहाज़ के कप्तान मि० जैक महात्मा जी का अच्छा आतिथ्य कर रहे हैं और उनका व्यवहार हर प्रकार से सौजन्यपूर्ण है।

सर प्रभाशङ्कर पट्टनी ने महात्मा जी से अनुरोध किया था कि आप फ़र्स्ट क्लास में चले आवें, किन्तु महात्मा जी ने इन्कार कर दिया।

महात्मा जी अपना समय लिखने-पढ़ने, सम्वाददाताओं के प्रश्नों का उत्तर देने और मित्रों से गप-शप करने में व्यतीत करते हैं। फ़ोटो लेने और आत्म-कथा पूछने वाले यात्रियों के आग्रह को आप मुस्कराते हुए प्रायः स्वीकार कर लेते हैं।

चटगाँव के पुलीस इन्स्पेक्टर की हत्या !

१६ वर्ष का हत्याकारी बालक और उसके ७ साथी गिरफ्तार !!

पुलीस इन्स्पेक्टर की हत्या का परिणाम :: मुसलमान गुण्डों का भीषण उत्पात :: हिन्दुओं की करोड़ों की सम्पत्ति लूट ली गई।

गत २६ अगस्त को चटगाँव के पुलीस इन्स्पेक्टर ख़ाँ बहादुर अहसानउल्ला को एक सोलह वर्ष के लड़के ने गोली से मार डाला। पुलीस इन्स्पेक्टर चटगाँव में फ़ुटबाल टीम के संरक्षक और फ़ुटबाल के खेल के बड़े प्रेमी थे। घटना के दिन आपकी फ़ुटबाल-टीम ने रेलवे कप जीता था। पुलीस इन्स्पेक्टर जीतने वाले को बधाई दे रहे थे। जैसे ही यह कार्य समाप्त हुआ, वैसे ही एक सोलह वर्षीय लड़के ने आगे बढ़ कर इन्स्पेक्टर की छाती में गोली मार दी और वे उसी समय मर गए।

एक दूसरे इन्स्पेक्टर ने, जो फ़ुटबाल के खिलाड़ी हैं, हत्याकारी को पकड़ने की चेष्टा की, परन्तु वह पकड़ा नहीं गया।

पीछे से ख़बर आई है कि हत्याकारी लड़का पकड़ा गया है। उसका नाम हरिपद भट्टाचार्य है और चटगाँव ज़िले नोवाखाली डिविज़न के आकालिया ग्राम का रहने वाला है। पुलीस ने नोवाखाली के सात और नवयुवकों को भी गिरफ़्तार किया है। इस हत्या के सम्बन्ध में और भी तलाशियाँ हो रही हैं।

ख़ाँ बहादुर अहसानउल्ला २३ वर्ष के पुराने पुलीस कर्मचारी थे। हिन्दू-मुसलमान दोनों भारतीयों से आपका सद्भाव था। इससे पहले चटगाँव में विद्रोहियों द्वारा जो हथियारख़ाना लूट लिया गया था, उस सम्बन्ध में मृत ख़ाँ बहादुर ने कई विद्रोहियों का पता लगा कर उन्हें गिरफ़्तार किया था, और हथियारख़ाने की घटना की जाँच का भार भी इन्हीं पर था। वायसरॉय, बङ्गाल के गवर्नर के सिवा अन्यान्य बहुत से हिन्दू और मुसलमानों ने आपकी शोकजनक मृत्यु के लिए खेद प्रगट किया है तथा आपके शोक सन्तप्त परिजनों के प्रति समवेदना प्रगट की है।

शव संस्कार और मुसलमान गुण्डों का भीषण उत्पात

गत १ सितम्बर की ख़बर है कि इस हत्याकाण्ड की ख़बर पाते ही चटगाँव के मुसलमानों का रक्त अत्यन्त उत्तेजित हो उठा और कई टोलियों में विभक्त होकर, नगरवासी हिन्दुओं के दिलों पर भय का सञ्चार करता हुआ, इधर-उधर घूमने लगा। मुसलमानों का यह बेढब रङ्ग देख कर हिन्दू बेतरह भयभीत हो गए और अपनी दूकानों तथा घरों के दरवाज़े बन्द कर लिए।

उधर सेटिलमेण्ट ग्राउण्ड नामक स्थान में शव-संस्कार की तैयारियाँ हो रही थीं। परलोकगत ख़ाँ बहादुर के प्रति सम्मान प्रदर्शन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आदि बहुत से राज-कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रायः हज़ारों देहाती मुसलमान वहाँ उपस्थित थे। अभी शवसंस्कार समाप्त भी नहीं हुआ था कि उत्तेजित मुसलमान जनता ने हिन्दुओं को लूटना, मारना और उनके घरों में आग लगाना आरम्भ कर दिया। देखते देखते दर्जनों बड़ी-बड़ी दूकानें लूट ली गईं। कई ऊँची अट्टालिकाओं में आग लगा दी गई। दूकानों के अन्दर से बड़ी-बड़ी लोहे की तिजोरियाँ रास्तों पर लाकर तोड़ी जाने लगीं। हज़ारों रुपए की मूल्यवान् चीज़ें इधर-उधर रास्तों पर फेंक दी गईं और लोग उन्हें स्वच्छन्दता-पूर्वक उठा-उठा कर ले जाने लगे। १० से ४ बजे तक नगर के सभी बड़े-बड़े हिन्दू दूकानदार लूट लिए गए। लाखों रुपए के सोने-चाँदी के गहने, बर्तन, कपड़े और रुपए-पैसे लुटेरे उठा ले गए। चावल के गोलों से हज़ारों बोरे नावों पर लाद-लाद कर अन्यत्र पहुँचा दिए गए। चटगाँव शहर के चन्दनपुर, चौकबाज़ार, पत्थरघाटा, चैतन्यगली, लालपाड़ा और रियाउद्दीन बाज़ार आदि मुहल्ले एकदम लूट लिए गए। लोगों का अनुमान है कि इस लूट में हिन्दुओं की प्रायः एक करोड़ रुपए की क्षति हुई है।

घायल हिन्दू

इस भीषण लूट के अलावा सैकड़ों हिन्दुओं को चोटें भी लगी हैं। बहुत से घायल हिन्दू अस्पतालों में पड़े हैं। कहते हैं, इस दङ्गे में हिन्दू सम्पूर्ण रूप से अहिंसात्मक रहे। कुछ युवकों ने केवल स्त्रियों और बच्चों की रक्षा की थी। हमें अभी एक भी मुसलमान के घायल होने की ख़बर नहीं मिली है।

अस्तु, प्रायः ३ बजे, रांगामाटी नामक स्थान से कमिश्नर साहब के पधारने पर पुलीस ने शान्ति की स्थापना की ओर मनोयोग किया। चार बजे शाम को सारे शहर में कर्फ़्यू ऑर्डर जारी कर दिया गया और पलटन के जवान भी इधर-उधर गश्त लगाने लगे।

इसके बाद की ख़बरों से मालूम हुआ है कि अब शान्ति है। परन्तु हिन्दू अत्यन्त भयभीत हो रहे हैं। सैकड़ों हिन्दू-परिवार अपने बाल-बच्चों को लेकर भाग गए हैं।

लोगों की धारणा

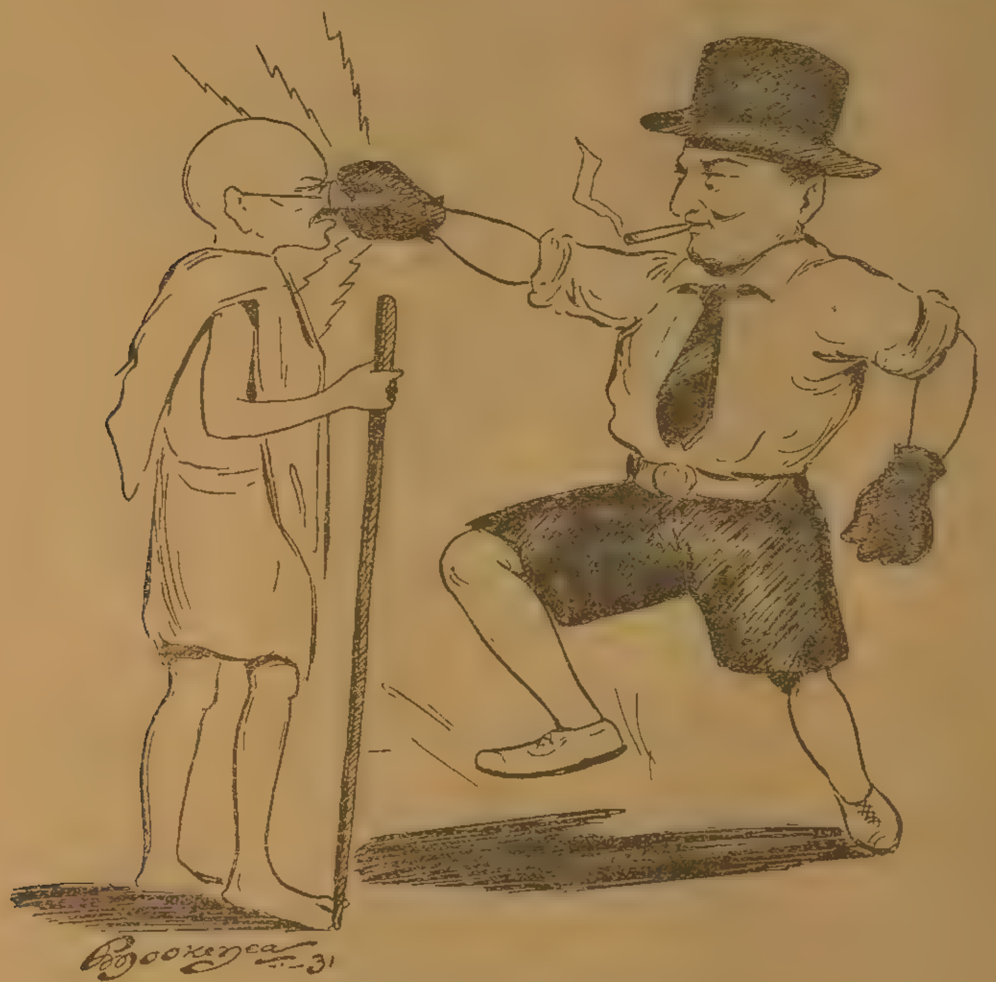
ख़बर मिली है कि अब चटगाँव में पूर्ण शान्ति है। परन्तु अभी तक गिरफ़्तारियों की कोई ख़बर नहीं है। लोगों की धारणा है कि अगर अधिकारी वर्ग समयोचित सतर्कता से काम लेता तो यह भीषण काण्ड न होने पाता।

जवाहरलाल जी लन्दन क्यों नहीं गए ?

"मुख्य कार्यकर्त्ता अपने मुक़ामों पर डटे रहें"

२ सितम्बर के 'यङ्ग इण्डिया' में महात्मा गाँधी का "अकेला, फिर भी अकेला नहीं" शीर्षक लेख छपा है, जिसमें कहा गया है—"रेनॉल्ड और दूसरे मित्रों की इच्छा थी कि मैं कम से कम जवाहरलाल जी को साथ लन्दन ले जाऊँ, क्योंकि वे निर्भय होते हुए भी नम्र हैं, किसी तरह की कमज़ोरी प्रगट करना जानते ही नहीं और कमज़ोरी का पता एक क्षण में लगा लेते हैं। वे कूटनीति से अलग रहने के कारण कूटनीति-पूर्ण बातों से घृणा करते हैं और एकदम मामले की मूल बात को सामने रख देते हैं। मैं उनसे बढ़ कर आदर्शवादी माना जाता हूँ, और उनका साथ में होना इस त्रुटि को मिटा देता। मैं जवाहरलाल जी का सम्मान करता हूँ और अन्य मित्रों की तरह मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि वे मेरे साथ जायँ और सन्देहजनक मामलों में मेरे लिए डिक्शनरी का काम दें। लोग चाहते थे कि दूसरे व्यक्ति भी मेरे साथ जायँ............और सभी प्रस्ताव सारयुक्त थे। ये सब बातें वर्किङ्ग कमिटी के सामने पेश हुई थीं और बड़ी देर तक ख़ूब बहस होने के बाद यह नतीजा निकला कि कॉङ्ग्रेस का प्रतिनिधि एक ही हो। मैं भी वर्किङ्ग कमिटी के सदस्यों की सम्मति से पूर्ण सहमत हूँ।" इसके पश्चात् महात्मा जी ने बतलाया कि किस प्रकार उनको कमज़ोरी जान पड़ी और किसी ने उनकी अन्तरात्मा में कहा कि शिमला-यात्रा का भार उनको अकेले नहीं उठाना चाहिए। इसलिए उन्होंने जवाहरलाल, अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ और डॉ० अन्सारी को बुलाया और कहा कि उनमें से हर एक का उनके साथ में रहना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। गाँधी जी फिर लिखते हैं कि ऐसी दशा में पाठकों का यह समझना ठीक है कि जवाहरलाल मेरे साथ लन्दन जाते तो अच्छा था। पर मेरे साथी अभी तक यही मानते हैं कि कॉङ्ग्रेस के एक ही प्रतिनिधि का होना उचित है और उनको लन्दन में प्रतिनिधि अथवा सलाहकार की हैसियत से रहने के बजाय भारत में अपने मुक़ामों पर ही डटे रहना चाहिए। उनका विचार है कि उनके भारत में रहने से कहीं अधिक लाभ होगा, बनिस्बत इसके कि वे लन्दन में वाद-विवाद कर सकें। अन्त में गाँधी जी कहते हैं कि मैं लन्दन अपनी कमज़ोरी को पूर्ण रूप से अनुभव करते हुए और केवल ईश्वर को अपना मार्ग प्रदर्शक बना कर जाना चाहता हूँ। मेरा ईश्वर किसी को अपने अधिकार में हस्तक्षेप करने की आज्ञा नहीं दे सकता। "इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उसके सामने अपनी कमज़ोरियाँ लेकर ख़ाली हाथ आत्मसमर्पण के भाव से खड़ा होना चाहिए। तब वह तुमको समस्त संसार के सम्मुख खड़े होने की शक्ति देगा और सब बाधाओं से रक्षा करेगा। जब मैं लन्दन की सम्भावनाओं पर विचार करता हूँ, जब मैं जानता हूँ कि अभी भारत का मामला ठीक नहीं है, जब मैं जानता हूँ कि दूसरे समझौते में न कोई शोभा है न सुखद-स्मृति, तो मेरे निराश हो जाने में कोई कमी नहीं रहती। क्षितिज अधिक से अधिक अन्धकारपूर्ण है। मेरे ख़ाली हाथ लौट आने की बहुत कुछ सम्भावना है। ऐसी दशा में कमज़ोरी का अनुभव हुआ करता है। पर यह विश्वास करके कि परमात्मा ने दूसरे समझौते द्वारा मेरे मार्ग को स्पष्ट कर दिया है, मैं आशा के साथ जा रहा हूँ और समझता हूँ कि इससे जो कुछ फल निकलेगा, वह राष्ट्र के लाभ का होगा, बशर्ते कि कॉङ्ग्रेस ने मुझे जो अधिकार दिया है उसके सम्बन्ध में मैं बेईमान न हो जाऊँ।"

'भविष्य' की व्यङ्ग-चित्रावली का एक पृष्ठ



मि० चर्चिल का स्वागत (जो दुर्भाग्य से सम्भव नहीं रहा)



इङ्गलैण्ड का चर्चिल-ग्रूप—निकालो, निकालो ! इस भारत के 'अर्द्ध-नग्न फ़क़ीर' को दूर करो !!
इङ्गलैण्ड की 'अर्द्ध-नग्न' स्त्रियाँ—स्वागत ! स्वागत !! आदर्श पुरुष ! यदि भूले-भटके आगए, तो अवश्य ही हम तुम्हारा स्वागत करेंगी !!!



भविष्य

७ सितम्बर, सन् १९३१

राजनीति की उलझनें

जिस दिन ये पंक्तियाँ प्रकाशित होंगी, महात्मा गाँधी भारत और ब्रिटेन के बीच का आधा से अधिक मार्ग तय कर चुके होंगे। महात्मा जी तथा कॉङ्ग्रेस-वर्किङ्ग-कमिटी के गोलमेज़ में सम्मिलित होने के अन्तिम निर्णय को, हम राजनीति की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझते; यद्यपि हम यह बात सहज ही विस्मरण नहीं कर सकते कि महात्मा जी का अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज़ में सम्मिलित होना, ऐतिहासिक दृष्टि से भारत और ब्रिटेन के लिए एक असाधारण घटना है। भारत के अङ्गरेज़ी शासन काल के इतिहास में यह प्रथम अवसर है, जब कि लण्डन की गोलमेज़ सभा में भारतीय शासन-विधान के निर्णय में अपना मत प्रकट करने के लिए ब्रिटिश सरकार के निमन्त्रण पर भारतीय जनता का सच्चा प्रतिनिधि सम्मिलित हो रहा हो। इस ऐतिहासिक घटना का विशेष महत्व इस बात में है कि भारत का वह सच्चा प्रतिनिधि कॉङ्ग्रेस का भी प्रतिनिधि है—उस कॉङ्ग्रेस का, जिसे विगत दस-ग्यारह वर्षों की राजनीतिक उथल-पुथल में भारत सरकार ने कई बार ग़ैर-क़ानूनी और क़ानूनी; क़ानूनी और ग़ैर-क़ानूनी क़रार दिया है!

गत सप्ताह के सम्पादकीय विचार में हमने गाँधी-विलिङ्गडन मिलन के राजनीतिक रहस्यों की कल्पना करते हुए इस बात का सङ्केत किया था कि इस मिलन के परिणाम-स्वरूप कॉङ्ग्रेस तथा महात्मा गाँधी अपना निर्णय बदलने को विवश हो सकते हैं। अधिक अंशों में हमने इस सम्भावना की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया था और जिस बात की ओर हमारा सङ्केत था, वह होकर ही रही। गाँधी जी लॉर्ड विलिङ्गडन से मिले। लॉर्ड विलिङ्गडन की सरकार भी झुकी और गाँधी जी तथा कॉङ्ग्रेस वर्किङ्ग-कमिटी भी अपनी माँग में पीछे हटी। तात्पर्य यह कि गाँधी-विलिङ्गडन मिलन को इतिहास की घटना के रूप में हम इसी प्रकार कह सकते हैं कि कॉङ्ग्रेस ने अपनी सारी पहली माँग हटा ली। लॉर्ड विलिङ्गडन ने यद्यपि बारडोली की जाँच का उत्तरदायित्व अपनी सरकार पर लिया और इस कार्य के लिए नासिक ज़िले के एक सिविलियन मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी की, तो भी यह बात ध्यान देने योग्य है कि महात्मा जी की दूसरी साधारण माँग भी—अर्थात् बारडोली के किसानों पर सरकारी अफ़सरों के द्वारा किए गए अत्याचारों की जाँच एक ऐसे ज़िम्मेदार सरकारी कर्मचारी द्वारा हो, जिस पर सरकार और जनता, दोनों का ही विश्वास हो और जो कम से कम हाईकोर्ट का जज हो—सरकार के द्वारा अस्वीकृत कर दी गई। महात्मा जी के द्वारा अन्य प्रान्तीय सरकारों के ऊपर किए गए दोषारोपणों की जाँच के सम्बन्ध में तो सरकार ने स्पष्टतः अपनी अस्वीकृति दे दी। तात्पर्य यह कि महात्मा जी का लण्डन जाने और गोलमेज़ में सम्मिलित होने का निर्णय उस अवसर में हुआ है, तथा महात्मा जी ने उस अवसर में लण्डन के लिए प्रस्थान किया है, जब कि भारत का राजनीतिक प्रवाह समुचित एवं सन्तोषजनक दिशा की ओर प्रवाहित होता नहीं दीख पड़ता। परन्तु यदि यह समस्या भारत तक ही सीमित रहती तो कोई बात न थी। ब्रिटेन का वर्तमान राजनीतिक प्रवाह जिस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, उस से पूर्णतः विरक्त रहते हुए भी, हम यह विस्मरण नहीं कर सकते कि नए मन्त्रि-मण्डल में अनुदार दल का विशेष हाथ है तथा भारत-मन्त्री के पद का दायित्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथ सौंपा गया है, जो केवल एक ग़ैर ज़िम्मेदार राजनीतिज्ञ ही नहीं, वरन् भारत-हित का घोर विरोधी और भारतीय आकांक्षाओं के प्रति अधिक से अधिक दायित्वहीन है। यद्यपि यह बात सत्य है कि भारतीय प्रश्न और भारत के स्वराज्य सम्बन्धी समस्याओं पर ब्रिटेन का प्रत्येक दल एक ही नीति से काम लेता है तथा ब्रिटेन की घरेलू राजनीति भारतीय राजनीति की समस्याओं में विशेष अन्तर नहीं डालती। फिर भी मि० वेजउड बेन का दायित्व सर सैमुएल होर के हाथों में सौंपा जाना तथा सर सैमुएल का वह तार, जिसमें उन्होंने भारत सरकार के अधिकारियों से सहानुभूति प्रदर्शित की है, राजनीति के उस मार्मिक एवं कटु अंश का द्योतक है, जिसका प्रतिकार न तो गोलमेज़ सम्मेलन ही कर सकेगा और न ब्रिटेन की पार्लामेण्ट ही कर सकेगी।

इस नए मन्त्रि-मण्डल का भारतीय राजनीति एवं गोलमेज़ सम्मेलन पर क्या प्रभाव होगा, इस सम्बन्ध में महात्मा जी से प्रश्न किए जाने पर उन्होंने उपेक्षा की दृष्टि से कहा था—यह मेरे लिए अत्यन्त ऊँची राजनीति है। निश्चय ही इस प्रकार का उत्तर देते समय महात्मा जी ने यह महान् सत्य अपने दृष्टिकोण के सम्मुख रक्खा था कि भारत का मन्त्रि-मण्डल चाहे अच्छे से अच्छे अथवा बुरे से बुरे लोगों के द्वारा ही क्यों न निर्मित हो, इसका प्रभाव भारतीय राजनीति पर नहीं पड़ सकता; कारण, जहाँ भारत के स्वराज का प्रश्न आता है, वहाँ ब्रिटेन के सभी दल और सभी प्रकृति के राजनीतिज्ञ एक ही नीति का अवलम्बन करते हैं। परन्तु यहाँ प्रश्न यह उठता है कि भारत के सम्बन्ध में ब्रिटेन की एक पक्षीय-नीति होने पर भी, कॉङ्ग्रेस ब्रिटेन की भिक्षा और सहायता पर निर्भर ही क्यों रहे? इसी प्रश्न की ओर परोक्ष रीति से सङ्केत करते हुए महात्मा जी ने गत २४वीं अगस्त के प्रातःकाल बम्बई के आज़ाद मैदान में एक अपार जन-समूह के सामने भाषण करते हुए कहा था—

'भारत में करोड़ों मनुष्य भूखों मर रहे हैं। मैं एक पङ्गु राष्ट्र का पङ्गु प्रतिनिधि हूँ। मेरे सहायक केवल भगवान हैं और मेरी दुर्बलता ही मेरी सफलता है। अहिंसा में विश्वास और आशा रखते हुए मैं लण्डन जा रहा हूँ।'

कहना नहीं होगा कि महात्मा जी के इस कथन में इस अभागे देश की असहायता का केवल मार्मिक रूप ही नहीं, वरन् गोलमेज़ की असफलता का पूर्व सङ्केत परोक्ष रूप में छिपा है। अन्यथा, यदि ब्रिटेन भारत की मनोनीत आकांक्षा पूरा कर सकता तो फिर भगवान पर भरोसा और अहिंसा की चेतावनियों की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? महात्मा जी की दुर्बलता ही में उनकी सफलता है, यह बात स्पष्टतः इस महान् सत्य का सङ्केत है कि पङ्गु भारत की मनोकामना, राजनीति के वृहत् प्रश्नों और उसकी टेढ़ी उलझनों में नहीं, वरन् भारत के सत्याग्रह और अहिंसात्मक संग्राम के द्वारा पूरी होगी। गोलमेज़ सम्मेलन की सफलताओं और असफलताओं से निर्विकार होकर महात्मा जी ने अपने उपरोक्त भाषण में कहा था—

'यदि मैं ख़ाली हाथ आऊँ, तो आप निराश न हों। यदि मैं लण्डन से सफल लौटूँ, तो आप हर्षोत्फुल्ल भी न हों। मुझे केवल कॉङ्ग्रेस की आज्ञा पालन करनी है और आप उस आज्ञा को पालन करने के लिए मुझे विवश करें। मेरे लण्डन से लौटने पर यदि आप समझें कि मैंने आप लोगों को धोखा दिया है तो आप मुझे कॉङ्ग्रेस से निकाल बाहर करें। यदि आप मुझे देश-द्रोही समझ कर मेरी हत्या भी कर डालें, तो मैं इसे हिंसा नहीं, वरन् अहिंसा ही समझूँगा।'

महात्मा जी का उपरोक्त कथन राजनीतिक सचाई और राष्ट्र के वेदान्तिक आदर्शवाद का अद्भुत मिश्रण है। इस कथन में उन्होंने देश की सारी राजनीतिक उलझनों का नग्न-रूप चित्रित कर, राष्ट्र को अनवरत-रूप से अपने भावी कार्यक्रम में संलग्न होने का सङ्केत किया है। गोलमेज़ की असफलता महात्मा जी को निराश नहीं करती; वे इस क्षणभङ्गुर असफलता के कारण राष्ट्र की महान् शक्ति को निराश करना नहीं चाहते। सच बात तो यह है कि यदि महात्मा गाँधी जैसे संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष का दृष्टिकोण गोलमेज़ की सफलता और असफलता से ऊँचा—बहुत ऊँचा, न होता, तो वे सत्याग्रह एवं असहयोग आन्दोलन के जन्मदाता ही क्योंकर होते? महात्मा जी देश के स्वातन्त्र्य संग्राम में गोलमेज़ का उतना ही महत्व देते हैं, जितना कोई पुरुष अपनी दैनिक दिनचर्या के एक साधारण अंश की पूर्त्ति करने में देता है। जो राष्ट्र गोलमेज़ के सहारे देश की स्वतन्त्रता प्राप्त करना चाहता है, वह उस स्वतन्त्रता का अधिकारी नहीं। इसी कारण महात्मा जी ने [illegible] का ध्यान गोलमेज़ की सफलता और असफलता के बीच में केन्द्रीभूत करना केवल अनुचित ही नहीं समझा, वरन् स्पष्ट शब्दों में इस बात का सङ्केत किया है कि देश की स्वतन्त्रता का प्रश्न देश की तैयारी, उसकी साधना, उसके त्याग एवं उसकी आहुतियों पर अवलम्बित है। वह

साधना और तैयारी, त्याग और आहुतियाँ राष्ट्र की दैनिक दिनचर्या में विशेष अवसरों और विशेष परिस्थितियों की बात नहीं होनी चाहिए। स्वतन्त्रता का आवाहन स्वयं एक महान् यज्ञ है। उस यज्ञ के देवता तो तभी प्रसन्न होंगे, जब राष्ट्र बिना देश, काल, परिस्थिति पर विचार किए भी त्याग, तपस्या और आहुति को अपना एक साधारण दैनिक कार्यक्रम बना लेगा। इसलिए महात्मा जी ने कहा है—'यदि मैं लन्दन से सफल लौटूँ तो आपको हर्षोत्फुल्ल होने की आवश्यकता नहीं।' कारण, जो राष्ट्र त्याग, तपस्या एवं आहुति को अपना दैनिक कार्यक्रम बना लेगा, वह इन बातों को केवल कर्त्तव्य के रूप में ही देखेगा और इनकी सफलता और असफलता से पूर्णतः निर्विकार रहेगा। महात्मा गाँधी अपनी भाँति सारे राष्ट्र को स्वातन्त्र्य-युद्ध की ओर पूर्ण रूप से प्रगतिशील करते हुए भी, उसके परिणामों से निर्विकार रखना चाहते हैं। तात्पर्य यह कि जिस ज्ञान के प्रकाश द्वारा भगवान कृष्ण ने युद्ध-क्षेत्र की तपोभूमि में केवल अर्जुन का मोह नष्ट कर, उन्हें निर्विकार किया था, उसी ज्ञान का प्रकाश महात्मा गाँधी सारे देश के सम्मुख रख कर देश में निष्काम कर्म एवं निर्विकार तपस्या के भाव भरना चाहते हैं। महात्मा जी देश की स्वतन्त्रता को किसी आकस्मिक वरदान के रूप में नहीं चाहते; वे उसे राष्ट्र की दैनिक आवश्यकता समझ, राष्ट्र के दैनिक बलिदान की एक साधारण परिणाम के रूप में देखना चाहते हैं; कारण, वरदान की वस्तु स्थायी नहीं रहती, जो वस्तु दूसरे की कृपा से प्राप्त होती है उसमें स्थायित्व नहीं रहता, परन्तु जो वस्तु नित्य-क्रिया के परिणाम स्वरूप आप ही आप प्राप्त होती है, स्थायी होती है। तात्पर्य यह कि देश की वर्त्तमान राजनीति हमें गोलमेज़ सम्मेलन की सफलता और असफलताओं पर निर्भर होने को प्रेरित नहीं करती। महात्मा जी भी गोलमेज़ सम्मेलन में राष्ट्र के चित्त की वृत्तियों को केन्द्रित करने की सलाह नहीं देते। गोलमेज़ सम्मेलन हमारी तपस्याओं का एक अत्यन्त क्षुद्र परिणाम है; उस पर राष्ट्र की आशा को निर्भर रखना उन तपस्याओं और आहुतियों की उपेक्षा करनी होगी, जिसके द्वारा हमने अपने राष्ट्र के उत्थान का मार्ग सोचा है। तात्पर्य यह कि देश की इस उलझी हुई राजनीति की दवा न तो गोलमेज़ सम्मेलन ही है और न हमारी भिक्षावृत्ति ही। देश की स्वतन्त्रता की एक मात्र औषधि अहिंसा मार्ग से गुज़रने वाली हमारी तपस्याएँ और आहुतियाँ हैं। आज इस बात की सब से बड़ी आवश्यकता है कि हम देश के प्रत्येक गाँव का सङ्गठन करें और उसमें कॉङ्ग्रेस के रचनात्मक कार्य का अधिक से अधिक प्रचार करें।

❁ ❁ ❁

भारत-मन्त्री का पद

मज़दूर सरकार की समाप्ति के बाद, आशा थी, भारत मन्त्री का पद मि० वेजवुड वेन के ही हाथों में रहेगा; परन्तु मज़दूर दल का साथ देने के लिए मि० वेजवुड वेन को यह पद त्याग देना पड़ा और उनके स्थान में इस दायित्वपूर्ण पद का भार सर सैमुएल होर के हाथों में पड़ा। भारतीय राजनीति में ब्रिटेन के मन्त्रि-मण्डल अथवा भारत-मन्त्री के इस पद-परिवर्तन का कोई विशेष प्रभाव भले ही न पड़े—और पड़ेगा भी नहीं—परन्तु संसार सर सैमुएल होर के इस दायित्वपूर्ण भार और आगामी गोलमेज़ सम्मेलन के अधिवेशन को शङ्कापूर्ण दृष्टि से देखे बिना नहीं रह सकता। सर सैमुएल, ब्रिटेन के उन सङ्कीर्ण-हृदय और अनुदार अङ्गरेज़ों में हैं, जिनका विचार है कि भारतीय मामलों में ब्रिटिश पार्लामेण्ट ही सब कुछ रहे तथा जब तक अङ्गरेज़ अफ़सर भारतवर्ष में वर्त्तमान हैं, उनका कार्य शासन करने का ही है, न कि वैध-शासन वाली भारत-सरकार की कार्यवाही में कठपुतली बने रहने का।

कहना नहीं होगा कि ऐसे विचार के पुरुष के हाथ में भारत मन्त्री का महान् उत्तरदायी पद का भार देना, उस गोलमेज़ सम्मेलन की काल्पनिक सफलताओं को उपहासास्पद बनाना है, जिसके सम्बन्ध में चर्चा करते हुए प्रधान मन्त्री मि० रैमज़े मैकडॉनेल्ड ने घोषणा की थी कि भारतीय वैध-शासन पद्धति के विकास काल के क़ानूनी संरक्षणों के निर्माण में सम्राट की सरकार इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देगी कि वे क़ानून-संरक्षण भारत के औपनिवेशिक शासन की प्राप्ति के मार्ग में किसी भाँति बाधक न हों। परन्तु प्रधान मन्त्री की इस घोषणा के कुछ महीने बाद ही, अथवा यों कहिए कि अभी कठिनाई से दो महीने हुए होंगे, जब कि सर सैमुएल ने उन्हीं क़ानूनी-संरक्षणों की चर्चा करते हुए कहा था—कि भारत के लिए वे ही संरक्षण वास्तविक और उचित संरक्षण होंगे। जो सदा अपरिवर्त्तित रहें और जिन्हें ब्रिटिश पार्लामेण्ट भारत के हित के ही लिए नहीं, वरन् ब्रिटेन के हित के लिए व्यवहार रूप में लाने का अधिकारी हो। इतना ही नहीं, भारत-मन्त्री का पद ग्रहण करते ही सर सैमुएल ने भारतीय नौकरशाही के अधिकारियों को इस बात का विश्वास दिलाया है कि कर्त्तव्य-पालन में वे उनका साथ देंगे तथा वे भारतीय समस्याओं को एक यथार्थवादी की भावनाओं में देखने का प्रयत्न करेंगे। परन्तु सर सैमुएल—वह सर सैमुएल जो भारत पर अनन्त काल तक ब्रिटिश शासन का छाप देखना चाहते हैं—क्या कभी भी यथार्थवादी के दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति की समस्याओं का अवलोकन कर सकेंगे? यथार्थवादी का दृष्टिकोण प्रत्येक प्रकार की घृणा, द्वेष ईर्षा से दूर रहता है, वह वस्तुस्थिति का सूक्ष्म और अचूक अवलोकन करता है। क्या सर सैमुएल इस प्रकार के यथार्थवादियों में हैं? भारतीय राजनीति को यथार्थवादी दृष्टिकोण से निरीक्षण करने के लिए सब से बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि निरीक्षण पक्षपात हीन हो; उसके लिए अपना-पराया एक हो। ब्रिटिश साम्राज्य को अनन्त काल तक पृथ्वी में संसार के अन्य राष्ट्रों की पराधीनता के मूल्य पर स्थापित करने का स्वप्न देखने वाले सर सैमुएल काश सचमुच ही एक यथार्थवादी निरीक्षक हो सकते!!

* * *

अखिल भारतीय रेलवे फ़ेडरेशन

'भविष्य' के पाठकों को स्मरण होगा कि अखिल भारतीय रेलवे फ़ेडरेशन ने यह निश्चय किया था कि यदि सरकार फ़ेडरेशन तथा रेलवे बोर्ड के पारस्परिक-मतभेद और झगड़े में हस्तक्षेप नहीं करती तथा फ़ेडरेशन के साथ न्याय नहीं किया जाता, तो वह अखिल भारतीय रेलवे हड़ताल कराने के लिए विवश होगा। सरकार ने उसके इस निश्चय पर अपना रुख़ बदला और साथ ही साथ एक 'कोर्ट-ऑफ़-इन्क्वारी' बैठाई। हाल में ही फ़ेडरेशन की एक विशेष बैठक बम्बई में इस बात के निर्णय के लिए हुई थी कि सरकार की इस परिवर्त्तित मनोवृत्ति में फ़ेडरेशन कहाँ तक सहयोग दे। अन्त में यह निश्चय हुआ है कि फ़ेडरेशन 'कोर्ट-ऑफ़-इन्क्वारी' में कुछ विशेष अधिकारों और शर्तों के साथ अपना प्रतिनिधि भेजे। हमें फ़ेडरेशन के इस निर्णय पर विशेष प्रसन्नता है। पर साथ ही साथ हम सरकार का ध्यान फ़ेडरेशन की उचित माँग की ओर आकर्षित करना अपना पवित्र कर्त्तव्य समझते हैं। सरकार ने गत ६ वीं अगस्त वाली अपनी सूचना में अखिल भारतीय रेलवे फ़ेडरेशन की हड़ताल की धमकियों की चर्चा करते हुए लिखा था:—

It is a matter for regret, that the Federation, without waiting to see what action the Government would take and without even giving the Government an opportunity of arriving at any decision, should have decided to recommend a general strike on all railways.

अर्थात्—'यह दुख की बात है कि फ़ेडरेशन ने, बिना इस बात की प्रतीक्षा किए हुए कि सरकार इस मामले में कौन उपाय काम में लाएगी, अथवा सरकार को किसी निर्णय पर पहुँचने का अवसर दिए बिना ही, अखिल भारतीय रेलवे हड़ताल का निर्णय कर लिया।

कहना नहीं होगा कि सरकार ने अपनी उपरोक्त घोषणा में जिस अवसर के न मिलने के कारण फ़ेडरेशन के निर्णय की इस प्रकार आलोचना की थी, वह अवसर फ़ेडरेशन ने सरकार को दे दिया है। साथ ही हमारा विश्वास है कि यदि सरकार स्थिति की गम्भीरता पर विचार करते हुए फ़ेडरेशन की उचित माँग स्वीकार कर ले तो अब भी स्थिति सुधारी जा सकती है। फ़ेडरेशन की माँग यह है कि रेलवे बोर्ड ने अपनी स्वेच्छाचारी नीति से जिन तीस सहस्र कर्मचारियों को निकाला है, उन्हें पुनः भर्ती कर लिया जाय। फ़ेडरेशन की इस उचित माँग के भीतर वर्त्तमान मन्दी और देश की भीषण दरिद्रता का उपहासजनक अभिनय छिपा है। इस परिस्थिति में तीस हज़ार परिवार का निराश्रय एवं असहाय हो जाना, सार्वजनिक शान्ति किसी प्रकार क़ायम नहीं रह सकती। पेट की ज्वाला के कारण तीस हज़ार परिवार का हाहाकार न तो सरकार के लिए ही सन्तोष एवं कल्याण का विषय है और न जनता के लिए ही। इस कारण सरकार के लिए यह एक ईश्वरप्रदत्त अवसर है कि वह फ़ेडरेशन की इस उचित एवं न्यायपूर्ण माँग को स्वीकार कर, यश का भागी बने। सरकार की उस स्वीकृति का एक बहुत लाभदायक एवं महत्वपूर्ण परिणाम यह होगा कि सरकार और जनता, दोनों ही इस देशव्यापी रेलवे हड़ताल के दुखद अनुभवों से वञ्चित रहेगी। देशव्यापी रेलवे हड़ताल से सरकार और जनता, दोनों को ही अपार कष्टों का सामना करना पड़ेगा, उन अपार कष्टों का, जिनका प्रतिकार कुछ भी नहीं हो सकता। हम हड़तालों को जनता अथवा सरकार की शान्ति के लिए सुविधाजनक नहीं समझते; पर जब एक ओर न्याय का आदर्श प्रतिष्ठित करना है और दूसरी ओर हज़ारों परिवारों को पेट की ज्वाला से तड़पते देखने का दुखद कर्त्तव्य है, तो ऐसे अवसरों पर हम फ़ेडरेशन के निर्णय का विरोध करना भी उचित नहीं समझते। इस स्थान पर केवल एक ही प्रश्न है और वह यह कि ऐसी समस्या उपस्थित ही क्यों हो, कि इस देशव्यापी हड़ताल की नौबत आवे। सरकार देश पर तथा अपने ऊपर आने वाली विपत्ति के इस बादल को सँभाल सकती है। अब भी उसके लिए पर्याप्त अवसर है।

❁ ❁ ❁

परिवर्त्तित मनोवृत्ति

हाल में ही काश्मीर के दस प्रतिष्ठित मुसलमानों का एक डेपुटेशन काश्मीर महाराज सर हरीसिंह की सेवा में उपस्थित हुआ था। डेपुटेशन ने महाराज की न्यायप्रियता एवं निष्पक्ष-नीति में अपना विश्वास प्रकट किया और साथ ही महाराज को अपनी वफ़ादारी और सहयोग का विश्वास दिलाया। तात्पर्य यह कि जिस प्रकार ब्रिटिश-भारत के कुछ मुल्लापन्थी मुसलमान काश्मीर महाराज के विरुद्ध 'हिन्दू पक्षीय नीति' का दोषारोपण कर, काश्मीर के हिन्दू राज्य के विरुद्ध घृणा के भाव फैलाने का आन्दोलन कर रहे हैं, उससे ठीक विपरीत काश्मीरी मुसलमानों के उक्त डेपुटेशन ने सर हरीसिंह की पक्षपातहीन नीति की प्रशंसा की है और महाराज में अपना विश्वास प्रकट किया है। फिर भी डेपुटेशन का कहना है कि काश्मीर की वर्त्तमान अशान्ति की जड़ में ग़ैर-मुस्लिम सम्प्रदाय का मुस्लिम-धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करना तथा सरकारी कर्मचारियों के द्वारा मुसलमानों के प्रति बुरा व्यवहार ही है। हम डेपुटेशन के उपरोक्त कथन में विश्वास नहीं करते। कारण, हमारा दृढ़ विश्वास है कि काश्मीर की वर्त्तमान अशान्ति में बाहरी शक्तियों का कुटिल प्रयत्न है। अस्तु—

डेपुटेशन के उत्तर में महाराज ने जो कुछ कहा है, वह उनकी भाँति योग्य एवं कुशल शासक के लिए ही उपयुक्त है। महाराज सर हरीसिंह ने कहा कि जब कभी मुसलमानों की ओर से उनके धार्मिक भावों को चोट पहुँचाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत हुई है, उसी समय उस मामले की उचित जाँच कर क़ानूनी कार्रवाई की गई। महाराजा ने अपने शासन-काल की थोड़ी अवधि की चर्चा करते हुए डेपुटेशन का ध्यान किसान-सहायक रेगुलेशन, तस्फ़िया बक़ाया, सहयोग समितियों का स्थापन, अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा तथा मुसलमान विद्यार्थियों को दिए जाने वाले विशेष वज़ीफ़ों की ओर आकर्षित किया है। साथ ही महाराज सर हरीसिंह ने डेपुटेशन के उत्तर में बेगार प्रथा रोकने तथा रियासत में अस्पतालों की वृद्धि की भी चर्चा की है। काश्मीर रियासत के शासन-सुधार की ये तथा इस प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण बातें, काश्मीर के सार्वजनिक-जीवन की उन्नति में उपेक्षणीय स्थान नहीं रखतीं। इन बातों से यह प्रमाणित होता है, कि महाराज सर हरीसिंह के हृदय में अपनी मुस्लिम-प्रजा के लिए उतना ही स्नेह है, जितना कि अपना हिन्दू-प्रजा के लिए। और जब महाराज अपनी मुस्लिम प्रजा के लिए अपने हृदय में स्नेह तथा शुभ-भावना रखते हैं, तथा जब उन्होंने अपनी मुस्लिम-प्रजा की उन्नति के लिए इतना घोर परिश्रम किया है, तो यह कभी भी सम्भव नहीं कि वे मुसलमानों के प्रति अपने अधिकारियों के दुर्व्यवहारों को सह सकें।

सच बात तो यह है कि काश्मीरी मुसलमानों को ब्रिटिश भारत के मुल्लापन्थी मुसलमानों की भ्रामक एवं दूषित शिक्षा में पड़ कर अपने पैर में आप ही कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहिए। ब्रिटिश भारत के कुछ स्वार्थी एवं देश-द्रोही मुसलमान, किसी विशेष उद्देश्य को सम्मुख रख कर देश में साम्प्रदायिकता की आग जलाने का दूषित प्रयत्न कर रहे हैं। काश्मीरी मुसलमानों को उनके इस विषैले प्रयत्न से सर्वथा सावधान रहना चाहिए। इस स्थान पर एक बात हम भारत-सरकार से कहे बिना नहीं रह सकते। वह यह कि ब्रिटिश भारत में साम्प्रदायिकता का विषैला वातावरण उपस्थित करने वालों को शीघ्र से शीघ्र क़ानूनी दण्ड देने का प्रबन्ध करे। साम्प्रदायिकता के विषैले वायुमण्डल से न तो किसी सम्प्रदाय-विशेष का और न भारत-सरकार का ही कल्याण हो सकेगा। इस वायुमण्डल में 'क़ानून और शान्ति' ख़तरे में हो जायगी। साथ ही हम भारत के प्रत्येक विचारशील मुसलमान का ध्यान काश्मीरी मुसलमानों की परिवर्तित मनोवृत्ति की ओर आकर्षित करते हैं और इस बात की अपील करते हैं कि वे उन शौकत पन्थियों के दूषित प्रचार से भोले-भाले मुसलमानों को बचाने का प्रयत्न करें। इसी में देश और धर्म दोनों का कल्याण है।

❀ ❀ ❀

राष्ट्रीय असन्तोष का कारण

हाल में ही 'स्टेथर' नामक एक अङ्गरेज़ी पत्र के सम्वाददाता से बर्लिन में भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन की चर्चा करते हुए श्री० विट्ठलभाई पटेल ने कहा था—

"भारत को न आवश्यकता थी और न उसे आज भी आवश्यकता है कि सोवियट रूस उसे क्रान्ति की शिक्षा दे। भूख, दुख, दरिद्रता, दमन और इनसे होने वाले लोगों के कष्ट — ये ही भारतीय आन्दोलन को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं; न कि बॉल्शेविज़्म—जैसा कि लोगों का विश्वास है।"

भारतीय एसेम्बली के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री० विट्ठलभाई पटेल के इन शब्दों में ऐतिहासिक सचाई है और उस सचाई के ज्वलन्त प्रमाण समाचार-पत्रों की वे फ़ाइलें हैं, जिनमें भूख और बेकारी के कारण की जाने वाली आत्म-हत्याओं की असंख्य दारुण कहानियाँ छिपी हैं। इस अभागे देश की भयानक दरिद्रता का वास्तविक रूप देश के गाँव हैं। आज भारत में करोड़ों ऐसे मनुष्य रहते हैं, जिन्हें तीन जून पर भी बड़ी कठिनाई से एक मुट्ठी अन्न नसीब होता है। मनुष्यों के शरीर धारण करने वाले इन असहाय मनुष्य-पशुओं की दारुण-दरिद्रता उन्हें भयानक से भी भयानक कार्य करने को विवश कर सकती है। सच बात तो यह है कि जिस देश में भूख की ज्वाला न सह सकने के कारण मनुष्य आत्म-हत्या की शरण में परम शान्ति प्राप्त करने के एकमात्र उपाय का अवलम्बन करते हैं, उन्हें क्रान्ति का पाठ पढ़ाने के निमित्त न तो किसी बाह्य देश और न किसी बाह्य प्रचारक की ही आवश्यकता है। उस देश में तो परोक्ष-रूपेण स्वयमेव ही क्रान्ति की ज्वाला जलती रहती है, जो थोड़ा ही आधार पाते ही ज्वालामुखी के एक भयानक प्रज्वलन का दारुण स्वरूप उपस्थित कर सकती है।

दूसरा प्रश्न सरकारी दमन से सम्बन्ध रखता है। जिन लोगों ने गत सत्याग्रह आन्दोलन में अहिंसात्मक सत्याग्रहियों के सिरों और पीठों पर पड़ने वाली लाठियों तथा उनकी छाती में लगने वाली गोलियों का दृश्य देखा है, जिन लोगों ने देश की प्रतिष्ठित महिलाओं को पुलीस की लाठियों के द्वारा घायल तथा अपमानित होते देखा है, जिन्हें यह बात स्मरण है कि जेलों में हमारी सुहागिन बहिनों की चूड़ियाँ बलपूर्वक तोड़ी गईं; जिन लोगों को वह दृश्य स्मरण है कि एक गलास पानी के निमित्त भारत-कोकिला सरोजिनी देवी को तीन घण्टे धूप में रहना पड़ा, तथा जिन लोगों ने लगभग एक लाख सत्याग्रही क़ैदियों के द्वारा नरक-तुल्य भारतीय जेलों के बसाने का दुःखान्त अभिनय देखा है, उन्हें श्रीमान विट्ठलभाई पटेल के उपरोक्त कथन की सच्चाई में अविश्वास एवं सन्देह नहीं हो सकता। सच बात तो यह है कि भारत की दरिद्रता और भारत-सरकार के द्वारा किए जाने वाले दमन की समस्याएँ ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को केवल भारत से ही नहीं, वरन् सम्पूर्ण एशिया-खण्ड से खोखली कर रही हैं। और इससे भी अधिक सत्य बात यह है कि दमन और दरिद्रता का यह नङ्गा नाच प्रति-पल भारत की उस सार्वजनिक क्रान्ति को प्रश्रय दे रहा है, जिसे निर्मूल करना ब्रिटेन की शक्ति के बाहर की बात है।

❀ ❀ ❀

स्वर्गीय पं० विष्णु दिगम्बर जी

'भविष्य' के पाठकों को यह जान कर हार्दिक दुख होगा कि हाल में ही सुप्रसिद्ध सङ्गीत-विद्या-विशारद पण्डित विष्णु दिगम्बर जी का स्वर्गवास हो गया। पण्डित जी सङ्गीत-विद्या के धुरन्धर आचार्य थे। इतना ही नहीं, आपने अपना सारा जीवन इस विद्या के प्रचार में अर्पित कर दिया था। कभी-कभी भगवान अपने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त अपने विशेष व्यक्तियों का आविर्भाव करता है और उनके जीवन-पथ में ऐसे कटु अनुभवों तथा दुखद स्मृतियों को उत्पन्न कर देता है, जिससे उनका जीवन-प्रवाह एक विशेष दिशा में प्रवाहित होकर, भगवान के किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति में लग जाता है। पण्डित विष्णु दिगम्बर जी से भी कदाचित भगवान को कुछ इसी प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति करानी थी। अपनी बाल्यावस्था एवं तरुण-काल में पण्डित विष्णु दिगम्बर जी ने देखा कि उस समय का सङ्गीत-सम्बन्धी वातावरण अत्यन्त दूषित था, सङ्गीत-विद्या उस समय ऐसे लोगों के हाथ में थी, जिन्हें समाज प्रतिष्ठा की दृष्टि से नहीं देखता था। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात का स्पष्ट अनुभव किया कि देश के धनी, मानी, प्रतिष्ठित व्यक्तियों की इस विद्या के प्रति अपार विरक्ति के कारण देश की छाती से इसका प्रति दिन लोप हो रहा है। उस समय से अपने जीवन के अन्तकाल तक पण्डित जी ने अपनी सारी शक्ति सङ्गीत-विद्या की आराधना और उसके प्रचार में लगा दी। जिस समय हम पण्डित जी के जीवन के इतिहास पर दृष्टि डालते हैं, हम इस बात का निर्णय नहीं कर सकते कि पण्डित जी सङ्गीत-शास्त्र के विशारद के रूप में अधिक ऊँचे थे अथवा प्रचारक के रूप में। पर इतना अवश्य है कि सङ्गीत की आराधना और उसके निष्काम प्रचार में उन्होंने आजीवन कौमार्य-व्रत धारण किया। बम्बई, लाहौर तथा इस प्रकार अन्य स्थानों में गान्धर्व महाविद्यालयों का जन्म देकर पण्डित जी ने देश का असीम उपकार किया है, इस बात से कोई भी प्राणी इन्कार नहीं कर सकता। आज पण्डित जी के लगभग दो सौ शिष्य मौजूद हैं, जिनका सङ्गीत-शास्त्र में अच्छा प्रवेश है। इन सज्जनों का भी काम सङ्गीत-विद्या का प्रचार करना ही है।

इधर कुछ दिनों से पण्डित जी का सङ्गीत-प्रवाह धार्मिक स्रोत में मिल गया था और कुछ वर्षों से पण्डित जी केवल राम नाम के जप में ही सारे राग-रागिनियों को व्यक्त करते थे। सङ्गीत-विद्या भगवान की प्राप्ति का सब से सुन्दर एवं कल्याणप्रद मार्ग है। इस अमर सिद्धान्त को पण्डित जी ने अपने व्यक्तित्व में प्रदर्शित किया था। भाग्य के चक्र से इधर कुछ दिनों से पण्डित जी पक्षाघात रोग से पीड़ित थे और यही उनकी अकाल-मृत्यु का कारण हुआ। मृत्यु के समय पण्डित जी की अवस्था कुल ५९ वर्ष की थी।

पण्डित जी के निधन से देश की साधारण रूप से और सङ्गीत-विद्या की विशेष रूप से जो क्षति हुई है, उसे भगवान की इच्छा और समय का प्रवाह ही पूरा कर सकता है। पण्डित जी आज इस नष्ट होने वाली काया की सीमा से बहुत दूर देवताओं के अमर लोक में हैं, परन्तु भारत उनकी सेवाओं को कभी भी विस्मरण नहीं कर सकता। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे पण्डित जी की स्वर्गगत आत्मा को मुक्त करें।

* * *



विसर्जन

[श्री० शिवनाथ जी मिश्र]

रामदीन सारे गाँव का कृपा-भाजन था। लोगों में उसके प्रति सहानुभूति थी। सभी उससे प्रेम, करते और उस पर कृपा-दृष्टि रक्खा करते थे। क्योंकि वह दरिद्र था और साथ ही सब का आज्ञाकारी भी। संसार में ऐसे मनुष्यों के प्रति दया-भाव रखना मनुष्य-मात्र के लिए साधारण सी बात है।

रामदीन ग़रीब था। संसार में सुखी कहलाने के लिए उसके पास कुछ भी न था। कठिन परिश्रम की कमाई ही उसके जीवन-निर्वाह का एकमात्र आधार थी। घर के दो-चार टूटे-फूटे बर्तन ही उसकी सारी सम्पत्ति थी। कठिन धूप एवं शीत बिताने को एक भग्नावशेष झोपड़ी थी। वह रोज़ कमाता और उसे रोज़ खा जाता था।

परन्तु दरिद्र होकर भी रामदीन सुखी था। उसे किसी प्रकार की मानसिक व्यथा न थी। न कोई झञ्झट था, न झमेला। दुख में हाथ बँटाने वाली एवं सुख में आनन्द देने वाली थी, उसकी पति-परायणा पत्नी—निर्मला और उसके हृदयाकाश को उद्भासित करने वाला था, एक पुत्र—रामू। ईश्वर उसका मालिक था और सन्तोष उसका सहचर।

निर्मला युवती और अद्वितीया सुन्दरी थी। प्रकृति ने मानो उसे अपने हाथों सँवारा था। उसके पास शृङ्गार की सामग्री न थी। किन्तु उसका नैसर्गिक कुञ्चित कुन्तल इधर-उधर उसके कोमल कपोलों पर बिखर कर उसकी देव-दुर्लभ शोभा को बढ़ाया करते थे। जब उसके सुगन्ध-विहीन, उलझे हुए केश श्याम घन की भाँति उसके मुखचन्द्र पर फैल जाते तो उसकी सौन्दर्य-माधुरी दर्शनीय हो जाती थी।

रामदीन को भगवान ने पौरुष दिया था। वह एक हृष्ट-पुष्ट जवान था। वह दिन भर सविता के प्रखर उत्ताप में मेहनत-मज़दूरी करता, लोगों के खेतों में हल जोतता, कुदाल चलाता और मिट्टी गोड़ देता। इससे जो कुछ मिल जाता था, उसी से उसकी छोटी गृहस्थी का काम, चल जाता था।

निर्मला भी अपनी सहज सुकुमारता का कुछ ख़्याल न कर, मेहनत-मज़दूरी द्वारा कुछ पैसे कमा लाती थी। वह कार्यदक्षा थी—साहसी थी। प्रातःकाल तारों की छाँह में शय्या त्यागती, तो फिर रात्रि के द्वितीय प्रहर व्यतीत होने पर ही उस पर पैर रखती। गाँव की स्त्रियाँ उससे बहुत प्रेम रखतीं। इसका कारण उसके स्वभाव की सरलता एवं सहिष्णुता थी।

बालक रामू दिन-भर पड़ोस के बच्चों के साथ खेला करता। अन्यान्य घरों की बहू-बेटियाँ एवं माताएँ उसे अत्यन्त प्यार करतीं। दरिद्र का लाड़ला समझ कर खिलाती-पिलातीं तथा निर्मला के भाग्य को सराहा करतीं। रामू के भरण-पोषण का भार उसके माता-पिता पर बहुत कम था।

जब रात्रि का प्रथम प्रहर व्यतीत हो जाता और चन्द्रमा सोलहो कला से नील नभ-मण्डल में उग आते, तो निर्मला रसोई बनाती और पति-पुत्र को खिला, आप भोजन करती। तदुपरान्त कुछ देर तक पति की सेवा कर, सो जाती।

इन्हीं सब बातों से रामदीन अपने को सुखी समझता। वह निर्मला को पाकर अपने भाग्य को सराहा करता, किन्तु विधाता ने दरिद्र पर भी दया न की। एक ही आघात में उसके अनन्त सुख एवं असीम आनन्द को छार—खार कर डाला। निर्मला का अनिन्द्य सौन्दर्य और जवानी ही उसका काल हो गई। मानो—'इस घर को आग लग गई घर के चिराग़ से।'

२

पूर्णचन्द्र की निर्मल ज्योत्स्ना से सारी धरित्री उद्भासित हो रही थी। वासन्ती बयार नव-प्रस्फुटित कलियों के मधु सुवास से मस्त होकर प्रवाहित हो रही थी। आम्र की नव-मञ्जरियों की मनमोहक सुगन्ध मानव-हृदय को पुलकित कर रही थी।

इसी समय निर्मला स्नान करके, सिर पर कलसी धरे, सरोवर से निकली। आज वह अकेली थी। देर हो जाने के कारण सहेलियों का साथ छुट गया था। अभी वह दो-चार पग भी बढ़ने न पाई थी कि अकस्मात गाँव का ज़मींदार कैलास उसके दृष्टि-पथ के समक्ष आकर खड़ा हो गया। वह सहम कर कुछ पीछे हट गई। किन्तु उसका सहज सौन्दर्य कैलास के नेत्र-पट पर नाच गया। दिल पर साँप लोट गया। वह प्यासी आँखों से निर्मला की सौन्दर्य-माधुरी को पी रहा था। ओह! सौन्दर्य में भी कितनी मादकता है। शराब के नशे से इसकी तुलना नहीं हो सकती।

कैलास ने प्रेमपूर्वक पूछा—सुन्दरी! तुम कौन हो? क्या इस रात में इतना कष्ट उठाना तुम्हें शोभा देता है?

"क्या करूँ, किसके भरोसे घर का काम छोड़ कर बैठ जाऊँ? मुझ दरिद्रा का कौन सहायक है?"

रामदीन की ग़रीबी सब पर प्रकट थी। कैलास ने चौंक कर पूछा—क्या तुम रामदीन की स्त्री हो?

"हाँ।"—सङ्कुचित स्वर में उत्तर मिला।

"सचमुच, परमात्मा भी कितने निष्ठुर हैं कि तुम-जैसी कोमल-कलेवरा को इतना कष्ट देते भी उन्हें दया नहीं आती?"

"नहीं, इसमें परमात्मा का क्या दोष है? यह तो अपने कर्मों का फल है। जो जैसा करता है, उसे वैसा फल मिलता है।"

"यह ठीक है, पर मुझे तो तुम्हारा दुख देख कर बड़ी दया आती है। भला तुम जैसी कोमलाङ्गी को दुख-ज्वाला में झुलसते देख कर किसे दुख न होगा? अच्छा, तुम्हें कोई आवश्यकता पड़े तो मुझे सूचित करना। मुझसे जहाँ तक बन पड़ेगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम्हें इस असहनीय कष्ट से छुड़ाने की चेष्टा करूँगा। मैं गाँव का ज़मींदार हूँ; मेरा धर्म है, दुखी प्रजा का दुख दूर करना।"

कैलास की दयालुता निर्मला को अपमानजनक प्रतीत हो रही थी। इस निर्जन स्थान में उससे बातें करते उसे सङ्कोच होने लगा। निर्मला ठहर न सकी और कैलास के हृदय में काँटे चुभो कर वह आँखों से ओझल हो गई। कैलास अभिभूत-सा देखता रहा।

३

कैलास युवा था—सुन्दर था। उसके हृदय में उमङ्गें और वासनाएँ थीं। वह अपनी सुन्दरता, धन और शक्ति से नारी-हृदय को अपनाना चाहता था। वह प्रेमी था, किन्तु उस प्रेम में वासना की दुर्गन्ध थी, वह सौन्दर्योपासक था, किन्तु प्रकृति में निष्ठुरता थी। स्त्रियों को वह केवल विलास की सामग्री समझता था। अपने क्षणिक सुख के लिए नव-कामिनियों का अमूल्य-रत्न अपहरण करने और उनके भविष्य-जीवन को कण्टकाकीर्ण करने में ही उसे सुख मिलता था।

कैलास निर्मला के सौन्दर्य-सरसी में प्रविष्ट होने के लिए उन्मत्त हो उठा। उसके हृदय में वासना ताण्डव-नृत्य करने लगी।

अब निर्मला के लिए घर से निकलना भी कठिन हो गया। उसके सुख के दिन भागते नज़र आए। भविष्य-जीवन घोर कष्टकर प्रतीत होने लगा। कैलास की दुरभि सन्धि उसे मालूम हो गई। वह हृदय की विषम वेदनाओं को हृदय-अभ्यन्तर में छिपाए, ज्यों-त्यों कर, समय काटने लगी। रामदीन को सब बातें मालूम थीं। परन्तु वह भोला-भाला ग़रीब इसका क्या प्रतिकार कर सकता था? उसने निर्मला को कहीं भी जाने से रोक दिया।

कैलास का हृदय दिन प्रति दिन निर्मला की ओर आकर्षित होने लगा। कभी न कभी वह रोज़ इस तरफ़ को आ निकलता और अपनी वक्र दृष्टि निर्मला पर चला जाता। कभी उसकी दूतियाँ आकर निर्मला को अनेक भुलावे देतीं और सब्ज़ बाग़ दिखला जातीं। कोई उसके सामने धन का ढेर लगा जाती? कोई उसे स्वर्णालङ्कारों से लाद जाती और कोई पटरानी बना कर नूरजहाँ की अतीत कहानी सुनाती। निर्मला इन बातों से खीझ उठती—बौखला जाती। परन्तु क्या करती? बेबस होकर सब कुछ सुन कर रह जाती थी।

एक दिन सन्ध्या को रामू घर आया तो उसके हाथों कुछ अङ्गूर तथा दो-चार कचकड़े के खिलौने थे। निर्मला ने आश्चर्य से पूछा—रामू, यह सब तुमने कहाँ पाया? किसी का उठा तो नहीं लाए?

"नहीं माँ, मैं चोरी से नहीं लाया; मालिक बाबू ने दिया है।"

"आह रामू, तुमने क्या किया? मेरे सर्वनाश का द्वार क्यों खोला? जा, अभी लौटा आ"—कुछ क्रोध-पूर्ण स्वर में निर्मला बोली।

रामू कुछ समझ न सका। उसने डरते-डरते कहा—माँ, तुम नाराज़ क्यों होती हो? मैंने अपने मन से नहीं लिया। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे हाथों में रख दिया। इसमें मेरा क्या दोष है?

"जो कुछ हो रामू, मैं कहती हूँ, जाकर लौटा आओ। क्या मेरी बात नहीं मानोगे ?"

"मानूँगा क्यों नहीं ? अभी जाकर दे आता हूँ।" मगर मैंने चोरी नहीं की है।"

रामू चला गया। निर्मला अनेक चिन्ताओं में डूब गई। उसका मुख म्लान हो गया। आँखों में आँसू छलक आए। वह रो पड़ी।

४

कई दिन बाद।

गर्मी की कठिन दुपहरिया थी। निर्मला अपने फटे-पुराने वस्त्रों को सी रही थी। गाँव की वृद्धा श्यामा भी आकर उसके पास बैठ गई।

श्यामा कैलास के चिरन्तन की प्रेमिका और वर्तमान की कुटनी थी। उसकी उम्र कुछ ढल चुकी थी। बाल पकने लगे थे। शरीर-चर्म भी कुछ-कुछ ढीले पड़ गए थे। किन्तु, उसके बदन के अवयव से जान पड़ता है कि किसी समय वह भी सौन्दर्य की पुतली रही होगी।

जब तक यौवन था, शरीर में कुछ भी शक्ति थी, कैलास की वासनाग्नि को प्रशमित करती रही। बाद इसके जब जवानी बीत गई और शरीर शिथिल पड़ गया तब गाँव की युवतियों को फँसा कर उसके पास पहुँचाना उसका एक मात्र कार्य रह गया। कितनी नव-यौवनाएँ उसके माया-जाल में फँस कर अपना सर्वस्व खो चुकी थीं। कितनी अपना सतीत्व-रत्न को गँवा कर पाप-सागर में पतित हो चुकी थीं। ब्राह्मण और क्षत्रिय से लेकर चाण्डाल तक—किसी भी जाति की युवती इसके फन्दे से न बच सकी। घर-घर में उसकी पैठ थी। कोई भी इसकी बातों को न टाल सकता था। कारण, कैलास गाँव का मालिक—ज़मींदार था और श्यामा उसकी कुटनी। इसलिए श्यामा का निरादर करके मालिक से कौन विरोध करे ? सारा गाँव कैलास के आतङ्क से थर्रा रहा था। पण्डित-प्रधान सभी उसके हाथ की कठपुतली हो रहे थे। सभी उसके इशारे पर नाच रहे थे। तब विरोध करता ही कौन ?

निर्मला भी श्यामा की चालों से अनभिज्ञ न थी। इसलिए आज एकाएक उसे उपस्थित देख कर वह सहम गई। उसका हृदय थर्रा उठा। उसने अपने मन के भावों को छिपा कर पूछा—आज इधर कैसे चल पड़ीं ? क्या कोई काम था ?

"नहीं, काम क्या होगा ! यों ही घूमते-फिरते चली आई। घर में जी न लगा, तो सोचा तुम्हारे पास चल कर ज़रा मन बहला आऊँ।"—श्यामा उदासीन भाव से बोली।

"आज इतना उदास क्यों हो रही हो ?"

"क्या कहूँ बेटी, तेरा गुलाब-सा कोमल मुख देख कर हृदय फटा जाता है। परमात्मा भी कैसा खेल खेला करता है ? क्या, यह सुकुमार हाथ इतना परिश्रम करने के लिए हैं ? आज यदि तुम राजरानी होतीं तो दूसरों पर हुकूमत करतीं। स्वर्ण-भूषणों से सुसज्जित हो, कैसी शोभा पातीं।"

"नहीं अम्माँ, भगवान की कृपा से मुझे किसी बात की कमी नहीं है। सुख से दिन कटते हैं। संसार में इज़्ज़त-आबरू से निभ जाए, यही बहुत है।

"हाँ, यह तो ठीक है। किन्तु बेटी ! सब इज़्ज़त-आबरू पैसे में है। पहले सुख है, इसके बाद इज़्ज़त-आबरू और धर्म-कर्म। चार दिन की ज़िन्दगी सुख करने के लिए बनी है, दुख सहने के लिए नहीं।"

"परन्तु जिसके भाग्य में सुख बदा ही नहीं, उसे उसकी आशा करना बौने का चाँद पकड़ने की लालसा रखने के समान है।"

"नहीं बेटी, यह तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तेरे एक इशारे पर सब कुछ हो सकता है। तुझे भगवान ने रूप दिया है, तुझे धन की कमी है।"—कहती हुई श्यामा ने उसके गले में एक बहुमूल्य हार डाल दिया।

हार हीरे-मोती का बना था। उसकी चमक से निर्मला की आँखें चौंधिया गईं। वह बड़े आश्चर्य से बोली—यह कहाँ से लाईं ?

"लाऊँगी कहाँ से। मालिक बाबू ने तुम्हारे लिए उपहार भेजा है। बेचारे तुम्हारी एक चितवन के लिए पागल से हो रहे हैं। जब से तुम्हें देखा है, न खाते हैं न पीते हैं; और न किसी से कुछ बोलते हैं। रात-दिन तुम्हें याद कर, रोया करते हैं।"

निर्मला के शरीर में मानो आग-सी लग गई। क्रोध से आपाद-पर्यन्त काँप गया। वह हार को फेंकती हुई बोली—क्या तुम गहने का लोभ दिखा कर मेरा सत्यानाश करने आई हो ? क्या मुझे उन स्त्रियों में समझ रक्खा है जो तुम्हारी प्रवञ्चना में पड़ कर अपना सर्वस्व खो चुकी हैं। जाओ, मेरे सामने से चली जाओ। मुझ पर तुम्हारा जादू चलने का नहीं।

"निर्मला ! तुम कैसी भूल कर रही हो। जिसके एक शब्द के लिए हज़ारों स्त्रियाँ लालायित रहती हैं, जिसके भय से सारा गाँव काँप उठता है, उसीका तुम अनादर कर रही हो। उसीसे बैर मोल ले रही हो। ज़रा इसका परिणाम सोच लो।"

"जा, अपने मालिक से कह दे, मैं उनसे नहीं डरती। प्राण रहते मैं अपना धर्म नहीं खो सकती। बस, तुम यहाँ से चली जाओ।

"अच्छा, जाती हूँ, पर फिर भी कहे जाती हूँ कि कैलासचन्द्र से बैर करना ठीक नहीं। ख़ूब सोच-विचार लेना। कहीं पीछे पछताना न पड़े। क्योंकि—गया वक़्त फिर हाथ आता नहीं।"

निर्मला ने घृणापूर्ण दृष्टि से श्यामा की ओर देखा। श्यामा चली गई।

५

"क्या, किसी तरह भी राज़ी नहीं हुई ?"—कैलास ने कड़े स्वर में पूछा।

श्यामा कम्पित स्वर में बोली—बाबू, मैंने कोशिश तो भरपूर की, लेकिन.........।

"लेकिन का क्या अर्थ ?"—बीच ही में कैलास बोल उठा।

"वह पतिव्रता है। उस पर विजय पाना सहज नहीं।"—श्यामा गम्भीर भाव से बोली।

"परन्तु क्या, यह सम्भव है कि मेरे कुल धन-वैभव की अधिकारिणी बनने से वह इन्कार कर दे। शायद तुमने मेरा प्रेम-सम्वाद उस तक पहुँचाया ही नहीं।"—कैलास एक साँस में कह गया।

"नहीं बाबू जी ! मैंने सब कुछ किया। कितने प्रलोभन दिए। धन सम्पत्ति का लोभ दिखाया—स्वर्गीय सुखों का चित्र खींच कर दिखलाया और अन्त में आपके प्रभुत्व का भय दिखाया। परन्तु सब व्यर्थ। उसके सतीत्व के सामने एक भी न टिक सका। सबको उसने पैरों तले कुचल डाला। वह सती है, उसका हृदय सतीत्व के प्रखर आलोक से आलोकित हो रहा है। उसके सामने स्वर्ग-राज्य भी हेय है। आपका अनन्त वैभव क्या, यदि स्वयं देवराज इन्द्र भी अपने असीम वैभव को निछावर कर दें, तो निर्मला सत्पथ से विचलित नहीं हो सकती। आप उसे भूल जाइए।

कैलास क्रोध से काँप उठा। मुख आरक्त हो गया। तेवरों पर बल आ गए। आँखों से चिनगारियाँ निकलने लगीं। वह तैश में आकर कहने लगा—"दिन भर मेहनत-मज़दूरी करके एक मुट्ठी अन्न पर ज़िन्दगी बसर करने वाली स्त्री की इतनी हिम्मत, कि कैलास की प्रेम-पात्री बनने से इन्कार कर दे। बड़े-बड़े धनी-मानी भी जिसके आगे हाथ बाँधे खड़े रहते हैं, क्या एक दरिद्र औरत उसके विरुद्ध सर उठाएगी ? उससे बैर मोल लेगी ? मैं नहीं चाहता था कि एक दुखिया पर किसी तरह का अत्याचार करूँ—बलपूर्वक पेश आऊँ। लेकिन लाचार होकर अब उसी मार्ग का अवलम्बन करना पड़ता है। देखूँ, कब तक वह अभिमानिनी अपने सतीत्व को सुरक्षित रख सकती है। अब स्वयं परमात्मा भी उसकी रक्षा करना चाहें तो भी उसका बचना असम्भव है।" कह कर कैलास चुप हो गया। श्यामा भी यही चाहती थी। कैलास को उत्तेजित करके वह अपने घर चली गई।

६

निशीथ रात्रि में जब अन्धकार प्रगाढ़ हो जाता, चतुर्दिक निर्जन नीरवता फैल जाती, चन्द्रमा किरण-रथ पर बैठ कर विहँसने लगता और सारा विश्व निद्रा-देवी की गोद में निर्जीव सा हो जाता तब निर्मला जीर्ण-शीर्ण शय्या पर पड़ी अपने दग्ध हृदय को आँसुओं से सींचा करती थी। इन अश्रु-कणों से उसकी अन्तर्ज्वाला सदा के लिए नहीं, तो कुछ क्षण के लिए बुझ अवश्य जाती। जान पड़ता, स्वयं महामाया उसे सान्त्वना दे रही है। वह शान्त होती, पर कैलास का याद आते ही फिर रो पड़ती। यह प्रति रात की कार्यवाही थी।

बरसात की अँधेरी रात थी। चन्द्रमा काले बादलों की ओट से लुक-छिप कर ताक रहे थे। रामदीन और निर्मला पास ही पास सो रहे थे। बीच में बालक रामू भी सो रहा था। रामदीन और रामू ख़र्राटे ले रहे थे। परन्तु निर्मला को नींद कहाँ ? वह अपने अन्तर्दावानल को शान्त करने में तल्लीन थी। किन्तु आज आँसू बेचारे भी लाचार थे। वे जितना अन्तर्दाह को बुझाने की कोशिश करते, वह उतना ही भीषण होता जाता था। निर्मला छटपटा रही थी।

सहसा हल्ला हुआ—रामदीन, निकलो, घर में आग लग गई है। भागो-भागो, जल्दी भागो। साथ ही बहुत से मनुष्य किवाड़ भी पीट रहे थे। रामदीन चौंक कर उठा। देखा घर के छज्जे पर अग्नि-ज्वाला लहरा रही है। जैसे-तैसे तीनों प्राणी घर से भाग निकले। बाहर बहुत से आग बुझाने वाले जमा थे। घड़ा का घड़ा पानी भगवान हुताशन पर चढ़ने लगा, पर उनकी लपटें कम न हुईं।

फूस का छप्पर बारूद के ढेर की तरह धधक उठा। लाख चेष्टाएँ करने पर भी सर्वभुक देव न शान्त हुए। देखते-देखते दरिद्र का राजमहल जल कर भस्म हो गया !

रामदीन निराश्रय हो गया।

परन्तु इतने पर भी स्वार्थ-साधन होते न देख, कैलास ने अपने तरकस से दूसरा तीर निकाला। वह रामदीन को मार्ग का कण्टक समझ, उसे दूर करने का उपाय ढूँढ़ने लगा।

सन्ध्या हो रही थी। भगवान अन्शुमाली संसार से विदा ले रहे थे। गाँव का गोपी अहीर रामदीन को एक छोटी सी पोटली देता हुआ बोला—रामदीन, मैं एक कार्यवश मालिक के पास जा रहा हूँ। इसे रक्खो, अभी लौट कर ले जाऊँगा। ख़ूब सँभाल कर रखना, कहीं भूल न जाय।

गोपी चला गया। रामदीन ने उस पोटली को प्राणों के सहारे रख छोड़ा। परन्तु सारी रात व्यतीत हो गई, गोपी न आया।

(शेष मैटर १७वें पृष्ठ के पहले और दूसरे कॉलम में देखिए)



सोवियट के दो महत्वपूर्ण कार्य

[श्री० प्रभूदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसर्च-स्कॉलर]

विधान-विधायिनी सभा का प्रश्न सोवियट शासन के सम्मुख एक प्रधान प्रश्न था। पाठकों को स्मरण होगा कि जनता को पुनः-पुनः आश्वासन दिया गया था कि विधान-विधायिनी सभा शीघ्र बुलाई जावेगी। सोवियट शासन की प्रारम्भिक कठिनाइयाँ दूर होते ही सभा की प्रतीक्षा की जाने लगी। पर उपर्युक्त सभा के बारे में बोलशेविकों के विचार अब बदल गए थे। वे अब विधान-विधायिनी सभा को व्यर्थ समझते थे और उसे बुला कर समय नष्ट नहीं करना चाहते थे। बोलशेविकों के नेता लेनिन ने सुप्रसिद्ध 'प्रवदा' पत्र में इसी प्रश्न पर अपने विचार प्रकट किए थे। अपने लेख में लेनिन ने लिखा था कि विधान-विधायिनी सभा की अब कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अब तो जनता स्वयं शासन कर रही थी। सोवियट-शासन जनता का शासन था। किसी प्रश्न पर सोवियट की राय ही अन्तिम राय थी। अतः सोवियट के सामने विधान-विधायिनीय सभा की कोई हस्ती न थी। एक बात और थी। विधान-विधायिनी सभा के मेम्बर पहिले से निश्चित हो चुके थे। जिस समय मेम्बरों की सूची बनी थी, उस समय नरम दल का बोलबाला था। फलतः उपर्युक्त सूची में नरम दल के लोगों की भरमार थी। उस समय जनता में न तो इतनी जागृति ही थी और न कोई उसके सामने दूसरा चारा ही था। अब जनता निस्सहाय थी उस समय उसने उन मेम्बरों को स्वीकार कर लिया था। पर अब जनता वह पुरानी जनता न रह गई थी। इतने दिनों में रूस में ज़मीन-आसमान का अन्तर हो गया था। जनता की मनोवृत्ति अब बदल गई थी। वह बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अतः भला दक़ियानूसी विधान-विधायिनी सभा जनता के भाग्य का निर्णय कैसे कर सकती थी?

पर देश में अब भी एक ऐसा दल था, जो विधान-विधायिनी सभा को बुलाना चाहता था। इस दल में नरम विचार के लोग शामिल थे। उनका कहना था कि विधान-विधायिनी सभा ही जनता की सच्ची प्रतिनिधि सभा है। सभा की अवहेलना करके बोलशेविक दल देश पर अपना सिक्का जमाना चाहता था। परन्तु किसी भी एक दल को देश का भाग्य-विधाता बनाना वे पसन्द नहीं करते थे। इसीलिए वे सभा बुलाने को बहुत उत्सुक थे।

नरम दल की एक सभा हो रही थी। सभा में देश की वर्तमान स्थिति पर विचार हो रहा था। एक सदस्य ने कहा—"बोलशेविकों के बिना ही सभा प्रारम्भ कर दी जावे। हम अधिक आसरा नहीं देख सकते। हमें उनसे आगे बढ़ना चाहिए।" दूसरे ने कहा—"सब प्रयत्न निष्फल होंगे। वे हमारी बातें सुनते ही नहीं। वे हँसते हैं और कहते हैं, जब लेनिन आज्ञा देंगे, तभी हम सभा आरम्भ करेंगे। तब तक चुपचाप बैठे रहो।" "बड़े शर्म की बात है। कुछ न कुछ करना ही चाहिए।" उसने फिर कहा। उसे उत्तर मिला, "पर हम कर ही क्या सकते हैं?"

येन केन प्रकारेण एक दिन विधान-विधायिनी सभा की बैठक प्रारम्भ हुई। लेनिन सभा में एक कोने में चुपचाप बैठा था। सबसे पहिले ज़ेरेटली (Tseretelli) बोलने के लिए खड़ा हुआ। उसके उठते ही सभा में शोर-गुल मच गया। और हथियार भी चमकने लगे। इसके बाद एक से एक सुन्दर भाषण हुए। पर कोई भी भाषण ध्यानपूर्वक नहीं सुना गया। सभा का बहुमत नरम विचारों का था। अतः सभा ने जनता के मूल-अधिकारों की घोषणा को सभा के कार्य-क्रम में लेने से इन्कार कर दिया। सभा की उपर्युक्त मनोवृत्ति ने स्पष्ट कर दिया कि बोलशेविकों के लिए तथा उनके विचार के अन्य लोगों के लिए, सभा में कोई स्थान नहीं है। जिन लोगों का सभा में बहुमत था, वे सभा के बाहर भी बोलशेविकों के विरुद्ध प्रचार कर रहे थे। उनके पत्र जनता को सोवियट के विरुद्ध भड़का रहे थे। विरोधियों की इस मनोवृत्ति को देख कर बोलशेविक अपने अनुयायियों सहित विधान-विधायिनी सभा से उठ कर चले गए। बोलशेविकों की केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी ने अपनी एक बैठक में निश्चय किया कि विधान-विधायिनी सभा तोड़ दी जावे। फलतः बोलशेविकों के जाते ही सभा में गड़बड़ी मच गई। लोग दर्शकों की गैलरी से आ-आ कर बीच सभा में बैठने लगे। प्रतिनिधियों के स्थानों पर बैठ कर उन्होंने हल्ला मचाना प्रारम्भ कर दिया। वे किसी की परवा ही न करते थे। अनेक प्रयत्न करने पर भी सभा में शान्ति स्थापित न की जा सकी। अन्त में स्थिति हाथ से बाहर होते देख, सभापति तथा अन्यान्य सदस्य सभा से उठ कर चल दिए।

दूसरे दिन नगर के अनेक स्थानों पर सभाएँ हुईं। फ़ैक्टरियों, बैरकों और वॉर्डों में सभाओं की धूम मच गई। बोलशेविक नेता इन सभाओं में भाषण देते थे। जनता की अपार भीड़ अपने नेताओं के भाषण ध्यान से सुनती थी। विरोधियों का कहीं पता भी न था। इन सभाओं में विधान-विधायिनी सभा की निन्दा की गई। विधान-विधायिनी सभा के पक्ष में किसी ने एक शब्द तक न कहा।

इस प्रकार विधान-विधायिनी सभा का अन्त हुआ। जिस सभा की चर्चा इतने दिनों से हो रही थी, जिस सभा की बाट उत्सुकता से देखी जा रही थी, बोलशेविकों के विरोध ने उसका अन्त कर दिया।

विधान-विधायिनी सभा का प्रश्न तो सोवियट सरकार ने बड़ी सरलता से हल कर डाला। पर अभी एक और प्रश्न था, जिसका उसे मुक़ाबला करना था और वह था शान्ति का प्रश्न। सोवियट-सरकार युद्ध का अन्त कर देना चाहती थी। वह चाहती थी कि शान्ति स्थापित हो जावे। पर युद्ध के लोलुप यूरोपीय-राष्ट्र रूस की शान्ति-चर्चा पसन्द नहीं करते थे। उनकी रक्त-पिपासा अभी शान्त नहीं हुई थी। मित्र-राष्ट्र समझते थे कि क्रान्ति के पश्चात् रूस उनके साथ कन्धे से कन्धा मिला कर युद्ध जीतने का प्रयत्न करेगा। इसीलिए उन्होंने क्रान्ति का विरोध नहीं किया था। अब, जब उन्होंने देखा कि बोलशेविक युद्ध का सिद्धान्तः विरोध कर रहे हैं तब वे रूस का विरोध करने लगे। उन्होंने रूस का आर्थिक तथा राजनीतिक बहिष्कार कर दिया। रूस से सारे राजनीतिक सम्बन्ध तोड़ दिए गए। उन लोगों ने अपने-अपने दूत रूस से वापिस बुला लिए। रूस के साथ व्यापार-वाणिज्य भी बन्द हो गया। वे सोवियट रूस को पनपने नहीं देना चाहते थे और उसके मार्ग में रोड़े अटकाना चाहते थे। ज़ार ने उन राष्ट्रों के साथ कुछ सन्धियाँ की थीं। उन सन्धियों में अन्य बातों के साथ-साथ युद्ध का समर्थन भी किया गया था। उन राष्ट्रों ने सोवियट रूस से तक़ाज़ा किया कि वह ज़ार की सन्धियों को कार्यान्वित करे। परन्तु रूस ने ज़ार की सन्धियों को मानने से एकदम इन्कार कर दिया। उसने अन्य राष्ट्रों को यह भी बता दिया कि वह साम्राज्य-विस्तार का विरोधी है। परन्तु कोई भी राष्ट्र रूस की शान्ति-चर्चा सुनने को तैयार न था। हाँ, जर्मनी अवश्य रूस के साथ सन्धि-चर्चा करने को राज़ी मालूम होता था। फलतः रूस ने जर्मनी से एक पृथक सन्धि करनी चाही।

ब्रेस्ट-लिटोवस्क (Brest-Litovsk) नामक स्थान पर बराबर तीन महीने तक जर्मनी के साथ सन्धि-चर्चा होती रही। दोनों तरफ़ से ख़ूब बहसें हुईं। ख़ूब बाल की खाल निकाली गई। पर परिणाम कुछ भी नहीं निकला। कभी-कभी अवश्य सफलता के कुछ चिह्न दिखाई पड़ जाते थे, पर जर्मनी की शर्तें इतनी कड़ी थीं, कि उन्हें मानना रूस के लिए एकदम असम्भव था। इसलिए सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर करना ट्रॉटस्की के लिए अत्यन्त कठिन हो गया। इस स्थिति से घबरा कर ट्रॉटस्की ने कहा था "हम लोग सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे; पर हम लोग युद्ध भी नहीं करेंगे। हम अपनी सेना लौटा लेंगे और जर्मनी और ऑस्ट्रिया-हङ्गरी के मज़दूरों तथा किसानों से क्रान्ति करने की अपील करेंगे।" ट्रॉटस्की का यह कथन भावी जर्मन-क्रान्ति के लिए एक खुल्लमखुल्ला न्योता था। "न युद्ध न शान्ति।" यह घोषणा ट्रॉटस्की ने ब्रेस्ट पहुँच कर की इस घोषणा ने रूस के शत्रुओं को चौंका दिया। क्योंकि शत्रु इसके लिए तैयार न था। अस्तु— जर्मनी ने पुनः युद्ध छेड़ दिया। उसकी सेना को किसी ने नहीं रोका। रूस ने अपनी सेना वहाँ से पहिले ही हटा ली थी। जर्मन-सेना एक के बाद एक रूसी नगरों पर अधिकार करती हुई आगे बढ़ने लगी। बहुत शीघ्र वह पेट्रोग्राड के समीप पहुँच गई। परन्तु न कहीं युद्ध हुआ और न किसी ने उसका मार्ग रोका।

परन्तु इस भयावह परिस्थिति के कारण रूस के कम्यूनिस्ट-दल में भीषण मतभेद पैदा हो गया। शान्ति के प्रश्न पर दो दल हो गए। एक दल तो उन लोगों का था, जो 'न युद्ध न शान्ति' की नीति को मानता था। इस दल का मुखिया था, ट्रॉटस्की। इस दल ने अपनी सारी आशाओं का केन्द्र जर्मन-क्रान्ति को ही

बना रक्खा था। इसका कहना था कि जर्मन-सेना का आगे बढ़ते जाना जर्मन-क्रान्ति के लिए एक शुभ लक्षण है। क्योंकि जब वह आगे बढ़ती जावेगी तो रूसी किसान और मज़दूर उसके साथ गोरिला-युद्ध (Guerrila War) आरम्भ कर देंगे। इससे पहले जर्मन-सेना में क्रान्ति फैलेगी और फिर जर्मन-जाति में। यह दल जर्मन-सेना के लिए मास्को और पेट्रोग्राड छोड़ने तक को तैयार था। उसकी धारणा थी कि इस चाल से हम क्रान्ति को शीघ्र बुला लेंगे। इस दल के विचार में जर्मनी के साथ सन्धि करना संसार की क्रान्तियों के साथ दग़ा करना था।

दूसरा दल लेनिन का था और वह समय चाहता था। परन्तु लेनिन की व्यक्तिगत राय थी कि जर्मनी के साथ सन्धि कर ली जावे। क्योंकि सन्धि में देर होने से रूस को हानि उठानी पड़ेगी और फिर जर्मनी की शर्तें और भी कड़ी हो जावेंगी, परन्तु लेनिन अब तक चुप था। क्योंकि वह अपने दल में फूट नहीं डालना चाहता था। पर अब वह ख़ामोश रहना घातक समझता था।

सन् १९१८ की २२वीं फ़रवरी को बोलशेविकों की केन्द्रीय कमिटी की बैठक हुई। इस बैठक में सात सभासदों ने सन्धि के पक्ष में राय दी। इन लोगों का कहना था कि जर्मनी की शर्तें फ़ौरन मान ली जावें। चार सदस्य सन्धि के विरुद्ध थे। इसलिए वे तटस्थ रहे। क्योंकि वे लेनिन का विरोध नहीं करना चाहते थे। स्वयम् ट्रॉटस्की भी तटस्थ था।

अन्त में बेतार द्वारा जर्मनी को सूचित किया गया—ब्रेस्ट की सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए रूस तैयार है। दो दिन पश्चात् जर्मनी का उत्तर आया। परन्तु उत्तर क्या था, अल्टीमेटम (चुनौती) था। सन्धि की शर्तें और भी कड़ी बना दी गई थीं और इन शर्तों को स्वीकार करने के लिए कुल ४८ घण्टे का समय दिया गया था। ख़ैर, इस अल्टीमेटम पर विचार करने के लिए उपर्युक्त केन्द्रीय कमिटी और सोवियट की एक संयुक्त सभा हुई। इस सभा में सन्धि का ज़ोरों से विरोध किया गया। सन्धि के विरोधियों ने कहा—"हम युद्ध नहीं चाहते, शान्ति चाहते हैं। परन्तु बेइज़्ज़ती के साथ नहीं, और न देशद्रोही बन कर क्रान्ति की रक्षा के लिए लड़ने में देश की तमाम जनता हमारा साथ देगी।"

इस सभा में लेनिन ने एक अत्यन्त सुन्दर तथा प्रभावशाली भाषण दिया था। उसने कहा, "हाँ, हम निस्सहाय हैं और जर्मन साम्राज्यवाद ने हम पर विजय प्राप्त की है। उसने हमारी छाती पर चढ़ कर हमारे सिर पर तमञ्चा तान रक्खा है और पश्चिम में ऐसी क्रान्ति कहाँ है जो जर्मन साम्राज्यवाद के कठिन पञ्जे से हमें छुड़ावे। इसी क्षण आप हमें एक लाख सैनिकों की एक दृढ़ सेना दीजिए, जो शत्रु को देख कर कम्पित न हो, तो मैं सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं करूँगा। अभी तक मैंने आपको बाधा नहीं पहुँचाई है। मैं चुपचाप अलग हो गया था। मैंने आपको बातचीत करने के लिए पूरे दो महीने दे दिए थे। क्या आपने एक विशाल सेना खड़ी कर ली है? क्या आपने बातें बनाने और हल्ला मचाने के अलावा और भी कुछ किया है?

"अगर हम मास्को और पेट्रोग्राड छोड़ कर अरल प्रदेश चले जावें तो हमें जर्मनी से केवल दो-तीन सप्ताह के लिए छुट्टी मिलेगी। परन्तु क्या आप ज़िम्मेदारी लेते हैं, कि इन दो सप्ताहों में संसार में क्रान्ति हो जावेगी। मैं मानता हूँ कि यह सन्धि अत्यन्त अपमानजनक है। पर यदि आप आज सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं करते तो एक महीने पश्चात् जिस सन्धि पर आपको हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, उसकी शर्तें इन शर्तों की अपेक्षा सौ गुनी बदतर होंगी।

"यदि आप संसार की क्रान्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं और यदि आप सोवियट प्रजातन्त्र को चिरजीवी रखना चाहते हैं तो आपको इस अपमानकारी सन्धि-पत्र पर अवश्य ही हस्ताक्षर कर देना चाहिए।

"आप समझते हैं कि क्रान्ति के मार्ग में गुलाब के फूल बिछे हैं और हम लोग सर्वदा झण्डा हिलाते हुए और अन्तर्राष्ट्रीय नारे लगाते हुए विजयी होते चले जावेंगे तब तो क्रान्ति होना सरल है। परन्तु क्रान्ति कोई खेल-तमाशा नहीं है, क्रान्ति के मार्ग में काँटे बिछे हैं। आपको घुटने तक कीचड़ में चलना होगा। आवश्यकता पड़ने पर ग़लीज़ के ढेर पर पेट के बल रेंगना पड़ेगा। तब इस युद्ध में हमारी विजय होगी।"

बोलशेविकों की निजी सभा में भी सन्धि की शर्तों के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न किए गए। सन्धि के विरोधियों ने लेनिन पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी।

स्टेकलोव (Steklov) ने लेनिन से पूछा—कॉमरेड लेनिन, आप सन्धि की उस शर्त को किस प्रकार पूरी करेंगे जिसमें कहा गया है कि उकरेन प्रान्त से रूसी सेनाएँ हटा ली जावें। क्या हम निश्शस्त्र प्रान्त को लुटेरे जर्मनों के हाथों में सौंप देंगे?

लेनिन ने उत्तर दिया—"सन्धि के अनुसार हम अपनी रूसी सेनाएँ उकरेन प्रान्त से हटा लेंगे। शैतान को यह पता ही नहीं है कि कौन सी सेनाएँ उकरेन की हैं और कौन सी रूस की। सम्भव है कि वहाँ रूसी सेनाएँ हों ही नहीं, सभी सेनाएँ उकरेन की हों और हमें वास्तव में कुछ हटाना ही न पड़े।" (हँसी)

"क्या हम फ़िनलैण्ड के साथियों की सहायता न करें और उन्हें प्रबल शत्रु से अकेले युद्ध करने दें?"

"हम उन्हें सहायता नहीं दे सकते। पर ज़रा सोचिए तो, कल क्या हुआ था! रेल के कुछ डब्बे, जिनमें गोला-बारूद आदि सामान भरा था और जो दक्षिण भेजे जाने को थे, रेलवे कर्मचारियों की 'लापरवाही' से फ़िनलैण्ड भेज दिए गए। ऐसी 'लापरवाही' सदा हो सकती है। जहाँ तक नाविकों का सम्बन्ध है, हमारे फ़िनलैण्ड के साथियों ने इनसे स्वयं उन्हें वापस बुला लेने को कहा है। क्योंकि वे नाविक इतने पतित हैं कि अपने शस्त्र तक शत्रुओं को बेच देते हैं।"

"पर हमें साम्राज्यवाद के विरुद्ध सारा आन्दोलन बन्द कर देना होगा और विश्वव्यापी क्रान्ति की तैयारी रोक देनी होगी?"

"मुझे पता न था कि आज राजनीति के बच्चों से पाला पड़ा है। मैं तो समझता था कि हम सब के सब पुराने खुर्राट हैं। आप ज़ार के समय उसकी आज्ञा के विरुद्ध ज़ोरों से आन्दोलन कैसे करते थे? जर्मनी का क़ैसर रूस के निकोलस से अधिक होशियार नहीं है।"

"पर हमारी पार्टी के पत्र साम्राज्यवाद और क़ैसर के विरुद्ध कुछ नहीं छाप सकते। क्योंकि ऐसा करना ब्रेस्ट-सन्धि के विपरीत होगा।"

"केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी सन्धि पर हस्ताक्षर कर रही है। पर वह पार्टी की केन्द्रीय कमिटी नहीं है। केन्द्रीय कमिटी के बर्ताव के लिए सोवियट सरकार उत्तरदायी नहीं है।

इस प्रकार लेनिन ने सारी शङ्काओं का समाधान किया। लोगों का भय जाता रहा। वे समझ गए कि वे सन्धि को जितनी बुरी समझते थे, वास्तव में वह उतनी बुरी नहीं है। उन्हें विश्वास हो गया कि लेनिन—ऐसे नेताओं के हाथों में क्रान्ति सदा सुरक्षित है। फलतः बोलशेविकों ने अपनी सभा में निश्चय किया कि वे सन्धि का समर्थन करेंगे। इस पार्टी के जिन मेम्बरों की व्यक्तिगत राय सन्धि के विपरीत थी, उनसे भी साधारण सभा में सन्धि के पक्ष में राय देने को कहा गया। इस प्रश्न पर किसी को भी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नहीं दी गई।

अन्त में साधारण सभा हुई। कुछ लोगों ने वहाँ भी सन्धि का विरोध किया। पर बहुमत से सन्धि का प्रस्ताव पास हो गया। कम्यूनिस्ट दल के प्रत्येक मेम्बर ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। विरोधियों ने कम्यूनिस्टों को देशद्रोही तथा जर्मन-जासूस आदि विशेषणों से याद किया। उनका अब भी विश्वास था कि सन्धि करके वे लोग रूस को जर्मन के हाथ बेच रहे हैं। अस्तु।

दूसरे दिन प्रातःकाल बेतार के तार द्वारा बर्लिन, वियेना, सोफ़िया और क़ुस्तुन्तुनिया को सूचना दी गई कि रूस ब्रेस्ट-सन्धि स्वीकार करने को तैयार है। उसी दिन सोवियट डेलीगेशन ब्रेस्ट के लिए रवाना हो गया। सोकोलनिकोव उसका मुखिया था और जाफ़े राजनीतिक सलाहकार। जब ये लोग ब्रेस्ट पहुँचे तो उन्हें पता चला कि अल्टीमेटम और भी कड़ा बना दिया गया है, क्योंकि टर्की ने अपनी कुछ और नई माँगें बढ़ा दी थीं।

सोवियट डेलीगेशन ने इन माँगों का घोर विरोध किया। उन्होंने कहा, कि हम हस्ताक्षर करने को तैयार हैं, पर हम चाहते हैं कि संसार यह देख ले कि साम्राज्यवाद हम पर कितना अत्याचार कर रहा है।

तीसरी मार्च को दोनों तरफ़ से सन्धि पर हस्ताक्षर हो गए। कम्यूनिस्ट पार्टी की सातवीं कॉङ्ग्रेस के सामने उपरोक्त सन्धि को स्वीकार करने का प्रश्न आया। ३० वोट स्वीकार करने के पक्ष में थे और १२ वोट विरुद्ध। फलतः सन्धि स्वीकार कर ली गई।

१४वीं मार्च को इसी प्रश्न पर विचार करने के लिए सोवियट कॉङ्ग्रेस की विशेष बैठक हुई। बोलशेविक पार्टी के अलावा शेष अन्य पार्टियों ने सन्धि को स्वीकार न करने को कहा, फिर भी बहुमत से सन्धि स्वीकार कर ली गई।

जर्मन फ़ेडरल कौंसिल ने भी १७वीं मार्च को सन्धि स्वीकार कर ली। जर्मन पार्लिमेण्ट ने भी सर्वसम्मति से सन्धि को स्वीकार कर लिया। पर जर्मनी में भी एक दल सन्धि का विरोधी था और वह था स्वतन्त्र साम्यवादी दल। लेनिन का विश्वास था कि बहुत शीघ्र जर्मनी में क्रान्ति होगी।

इसीलिए उसने सन्धि करने पर इसलिए ज़ोर दिया था कि वह समझता था कि क्रान्ति के फल-स्वरूप जर्मनी का शासन जनता के हाथ में आ जावेगा और फिर जर्मनी की जनता स्वयं सन्धि की कड़ी शर्तों को हटा कर रूस के साथ रियायत करेगी। इस तरह रूस का काम भी निकल जावेगा और हानि भी न उठानी पड़ेगी। साँप मर जावेगा और लाठी भी न टूटेगी। परन्तु लेनिन के विरोधी उसकी इस दूरदर्शिता पर विश्वास न करते थे।

परन्तु लेनिन कितना दूरदर्शी था और वह हवा का रुख़ कितना पहचानता था, इसका पता इसी से चलता है कि सचमुच कुछ महीनों के अन्दर ही जर्मनी में भीषण क्रान्ति हो गई। ९ नवम्बर को इस क्रान्ति का श्रीगणेश हुआ। देखते-देखते क़ैसरशाही का तख़्ता उलट दिया गया। जर्मनी की जनता जर्मनी की भाग्य-विधाता बन गई और ब्रेस्ट की सन्धि रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई। लेनिन के विरोधी भी उसकी दूरदर्शिता के क़ायल हो गए और उसकी बुद्धि की प्रशंसा करने लगे।

❀ ❀ ❀

विसर्जन

(१४वें पृष्ठ का शेषांश)

७

सवेरा होते ही गाँव में तहलका मच गया । ज़मींदार के घर चोरी हो गई है । किसी ने रात को उनके शयनागार से हीरे की अँगूठी चुरा ली है । सब घबड़ा उठे । नौकर-चाकर भय से थर-थर काँप रहे थे । कैलास ने क्रोधावेश में किसी को मारा, किसी को गालियाँ दीं । पर अँगूठी का पता न चला । थाने में इत्तला हुई । दारोग़ा जी स-दल-बल आ पहुँचे । कई घण्टों तक एक निर्जन कोठरी में कैलास तथा दारोग़ा जी बातें करते रहे । इसके बाद लोगों की तलाशी होने लगी । नौकर-चाकरों के घरों की तलाशी हुई । पर अँगूठी न मिली । अन्त में कई आदमियों के साथ रामदीन भी पकड़ा गया । उसकी भी तलाशी ली जाने लगी । खोजते-खोजते एक गठरी में हीरे की अँगूठी तथा फटे-पुराने कपड़े मिले । दारोग़ा जी कड़क कर बोले—रामदीन, यह काम कब से सीखा है ? मैं तो जानता था, तुम दुखिया हो—सीधे-सादे हो ।

"दोहाई सरकार की, यह पोटली मेरी नहीं है । कल सन्ध्या को गोपी मुझे रखने के लिए दे गया था, और अब तक नहीं ले गया ।"—रामदीन ने डरते-डरते सारा हाल कह दिया ।

"बदमाश, अब जान बचाने के लिए अपना पाप दूसरों के सिर मढ़ता है । सच-सच बतला, नहीं मारे ठोकरों के सीधा कर दूँगा । जानता नहीं, मैं कौन हूँ ?"

"दोहाई दारोग़ा साहब की, मैंने चोरी नहीं की । सचमुच गोपी मुझे दे गया था । बुला कर उससे पूछ लिया जाय ।"

"चोर का मुँह चाँद । मैं उससे पूछता फिरूँ । मुझे पढ़ाने चला है । भोलासिंह, बाँधो पाजी को । बिना चालान किए इसका दिमाग़ ठीक न होगा । दो-चार वर्ष बच्चू जेल में सड़ेंगे, तब चोरी करने का मज़ा मालूम होगा ।"

निर्दोष रामदीन का चालान कर दिया गया । ३७९ दफ़ा के अनुसार मुक़दमा चला, गवाहों की कमी न थी । बड़े-बड़े धर्म-धुरन्धरों ने शपथपूर्वक रामदीन के विरुद्ध गवाहियाँ दीं । अपराध प्रमाणित था । रामदीन दो वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया, निर्मला मूर्च्छित होकर गिर पड़ी ।

८

रामदीन को जेल भेज कर कैलास ने समझा, अब निर्मला अवश्य ही मेरी बातें स्वीकार कर लेगी । उसे मालूम न था कि निर्मला का हृदय कितना ऊँचा और उसका धर्म कितना अटल है ।

निर्मला सती थी—पति-परायणा थी । पति-देवता से बिछुड़ते ही उसका जीवन असह्य हो उठा । विरह की भीषण ज्वाला से उसकी यौवन-श्री मुरझा गई, देह-लता झुलस गई और उसकी सारी सुन्दरता भस्मीभूत हो गई । वह सोचने लगी, इस व्यथित जीवन से मृत्यु का अनुगामी होना कहीं सुखकर है ।

सवेरा हो रहा था । एक धुँधला प्रकाश सर्वत्र फैल चुका था । संसार अँगड़ाइयाँ लेता हुआ जाग पड़ा था । किन्तु निर्मला शय्या पर आँचल से मुख छिपाए अचेत पड़ी थी । रामू "माँ-माँ" की मधुर ध्वनि से पुकार रहा था ।

धीरे-धीरे प्राची दिशा के प्राङ्गण में भगवान भुवन-भास्कर पूर्ण प्रभा के साथ प्रादुर्भूत हुए । उनकी सुवर्ण-किरणें तृण की टट्टियों से होकर निर्मला के अचैतन्य शरीर पर लोट गईं, मुर्झाए कुसुम का मधुर सुवास लेने लगीं । किन्तु निर्मला अब भी न जागी । रामू अभ्रभेदी स्वर से रो उठा । उसका कर्ण-भेदी स्वर सुन कर बहुत से लोग जमा हो गए । ख़बर पाकर कैलास भी आया और घबड़ाए हृदय से निर्मला की परीक्षा करने लगा । मुख का आँचल हटाया, उसके होश उड़ गए ! देखा, मुख कान्ति-हीन हो रहा था । शरीर पर हाथ रक्खा, बिलकुल सर्द पाया । नाड़ी पकड़ी—गतिहीन थी । सहसा उसके पार्श्व-देश में पड़ी हुई एक पुड़िए पर नज़र पड़ी । ग़ौर से देखा, उसमें 'सङ्खिया' थी । उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं । हृदय धक् से हो गया । प्राण सूख गए । एक भीषण चीख़ मार कर निर्मला के चरणों में लोट गया और मूर्च्छित हो गया । एकत्रित लोगों में एक अजीब उदासी छा गई । सबकी आँखें सावन-भादों की नदी की तरह उमड़ पड़ीं । किसी प्रकार कैलास को उठा-पठा कर घर पहुँचाया और निर्मला के निर्जीव शरीर को श्मशान !

इसके दूसरे ही दिन कैलास ने अपनी सारी सम्पत्ति रामू के नाम लिख दी और उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया । यह ख़बर बिजली की भाँति नगर में फैल गई ।

❀ ❀ ❀

मुसोलिनी का ईश्वर पर विश्वास

[अनुवादक—श्री० देवराज जी उपाध्याय]

ईश्वर ही तुम्हारे सारे कर्त्तव्यों का मूल-स्रोत है । उसीके विराट नियमों में तुम्हें अपने कर्त्तव्यों की सच्ची परिभाषा मिलेगी । उन्हीं विराट नियमों का उत्तरोत्तर उद्घाटन करना तथा उन्हें कार्य-रूप में लाना मानव-जीवन का ध्येय है ।

'ईश्वर का अस्तित्व है'—इसे प्रमाणित करने की न तो मुझे आवश्यकता है और न मेरी इच्छा ही है । ऐसा प्रयत्न, मेरी दृष्टि में, उतना ही पापपूर्ण है जितना कि उसके अस्तित्व को अस्वीकार करना मूर्खतापूर्ण है । ईश्वर का अस्तित्व है, क्योंकि मेरा अस्तित्व है । ईश्वर निवास करता है, हमारी चेतना में, मानव-जाति की आत्मा में तथा उस विशाल विश्व की तह में, जिससे हम परिवेष्ठित हैं । हमारी आत्मा उसे सम्पत्ति तथा विपत्ति की गम्भीर घड़ियों में याद करती है । मानव-जाति उसके नाम में परिवर्तन करने या उसके पवित्र नाम में कालिमा लगाने में कुछ काल के लिए भले ही समर्थ हो, पर उसके नाम पर सदा के लिए पर्दा डाल देना, उसकी सामर्थ्य के बाहर की बात है । विश्व की यह सुव्यवस्था, विश्व का प्रत्येक तान, प्रत्येक स्पन्दन तथा प्रत्येक नियम उसका परिचय देता है । तुम्हारे मध्य में कोई नास्तिक नहीं है ; यदि कोई ऐसा हो भी तो वह धिक्कार का पात्र नहीं, परन्तु दया का पात्र है । उसकी दशा पर हमें रोना चाहिए । जो मनुष्य तारावलियों से सुशोभित रजनी में, अथवा अपने प्राण-प्रिय परिचितों के क़ब्र के सामने अथवा आत्मोत्सर्ग के ज्वलन्त उदाहरणों के समक्ष भी ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करता है, वह सचमुच ही बड़ा अभागा या बड़ा ही दुष्ट है । निस्सन्देह, सर्व-प्रथम नास्तिक वही मनुष्य था, जिसने सब मनुष्यों से अपने दुष्कर्मों को छिपा कर सर्वदर्शी—जिससे कुछ भी गोपनीय नहीं रह सकता, उस ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार कर, उससे भी पीछा छुड़ाने की कोशिश की होगी । इस प्रकार उसने अपने पाप-जनित अनुताप के दशन के गला घोंट देने का प्रयास किया होगा । शायद वह एक अत्याचारी था, जिसने अपने भाइयों की स्वतन्त्रता के साथ-साथ उनकी आत्मा का भी ख़ून करके कर्त्तव्य-निष्ठा एवं चिरन्तन अधिकारों के स्थान पर पाशविक शक्ति की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न किया है । फिर एक शताब्दी के बाद दूसरी शताब्दी में ऐसे भी कुछ आदमी होते गए, जिनके दार्शनिक मस्तिष्क के विक्षेप के कारण नास्तिकवाद का प्रचार हुआ । पर ऐसे आदमियों की संख्या बहुत थोड़ी रही और जो थे भी वे लज्जित से रहते थे । थोड़े ही दिन के बाद एक ऐसे जन-समूह की उत्पत्ति हुई, जिसने तात्कालीन किसी ख़ास सम्प्रदाय या पीड़क शक्ति द्वारा प्रतिष्ठित निर्जीव एवं भ्रामक विचारों से तङ्ग आकर ईश्वर को ही अस्वीकार कर दिया; पर यह क्षणिक था और उस समय भी उन्हें किसी ईश्वरत्व की इतनी कड़ी ज़रूरत पड़ी कि, उन्हें बुद्धिदेवी तथा प्रकृति देवी की पूजा करनी ही पड़ी । आज बहुत से ऐसे मनुष्य हैं, जो सारे मत-मतान्तरों से घृणा करते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि असली कार्यों में बुराइयों का प्राधान्य है, परन्तु उनमें से एक को भी नास्तिक बनने का साहस नहीं है । बहुत से ऐसे पुजारी हैं, जो अर्थ-लोलुपता की वेदी पर ईश्वर के नाम की हत्या किया करते हैं; ऐसे अत्याचारी भी हैं, जो ईश्वर को अपने अत्याचारों का रक्षक बता कर उसकी छीछालेदर करते हैं । परन्तु इससे क्या ? बहुधा सूर्य-ज्योति गन्दे कुहरों से छन कर धीमे रूप में पहुँचती है; तो क्या हम इसीसे उस सूर्य तथा ज्योति विकीर्ण करने वाली उसकी किरणों को अस्वीकार कर देंगे ? चूँकि बहुत से दुराचारी स्वतन्त्रता में उच्छृङ्खलता ला देते हैं, इसीसे क्या हम स्वतन्त्रता को दोषी ठहराएँगे ? सारे कुत्सित विचारों तथा भ्रम के रहते हुए भी, जिनके द्वारा उसके नाम को कलुषित करने की चेष्टा की गई है, ईश्वर-विश्वास की चिरन्तन ज्योति देदीप्यमान रहती है । असत्य और बुराइयों का नाश अत्याचारों के नाश की तरह अवश्यम्भावी है । परन्तु ईश्वर तथा उसकी प्रतिकृति मानव-जाति सदा विद्यमान रहती है । जिस तरह मनुष्य दासता, दारिद्र्य तथा कष्टों की कँटीली राह को पार कर शक्ति और आत्म-स्वतन्त्रता के पास पहुँचता है, उसी तरह नामधारी मज़हबों की समाधि पर उसका पवित्र नाम और भी जाज्वल्यमान होकर, पवित्र होकर एवं पूज्य होकर उग आता है ।

मैं आज ईश्वर-सम्बन्धी बातें उसके अस्तित्व को दर्शाने के लिए या यह कहने के लिए कि तुम्हें उसकी पूजा करनी चाहिए, नहीं कह रहा हूँ । तुम तो अपने तथा और जीवों के जीवन की प्रत्येक अनुभूति में उसकी पूजा करते हो, चाहे उसका नाम उच्चारण करो या न करो । परन्तु आज तुम्हें उसकी पूजा की विधि बताऊँगा । हम पर शासन करने वाली जाति के लोगों के मानस में भूल समा गई है और सम्पर्क से तुममें भी वह भूल बैठती जाती है, उसी भूल की ओर से तुम्हें सचेत करूँगा । वह भूल नास्तिकवाद से कम भयङ्कर तथा नाशकारी नहीं है ।

मनुष्यों में यह प्रवृत्ति है कि वे ईश्वर और उसकी

महान कृति पृथ्वी, जिस पर हम जीवन का अंश व्यतीत करते हैं, दोनों में कुछ भी सम्बन्ध नहीं समझते ; इन्हें दो पृथक-पृथक चीज़ समझते हैं। यही सब से बड़ी भूल है। एक ओर तुम्हें ऐसे मनुष्य मिलेंगे, जो कहेंगे कि सच है, ईश्वर का अस्तित्व है; पर केवल तुम्हें इतना ही करना है कि उसके अस्तित्व को स्वीकार करो और उसकी पूजा करो। ईश्वर और मनुष्य के सम्बन्ध को अच्छी तरह समझना तथा उसकी व्याख्या करना मनुष्य की समझ के बाहर की बात है। यह एक ऐसी बात है कि तुम्हारी आत्मा ही स्वयं इस सम्बन्ध में ईश्वर से तर्क-वितर्क कर सकती है। इस विषय पर तुम अपने इच्छानुसार विचार करने के लिए स्वतन्त्र हो। परन्तु साथियों पर उन्हें प्रकट करने की कोशिश करो। अथवा न तो उन्हें पार्थिव जगत के किसी बात में उपयोग करने का ही यत्न करो। राजनीति एक और चीज़ है और धर्म दूसरी। एक-दूसरे को मिश्रित मत करो। स्वर्ग की बातों को किसी सर्वमान्य आध्यात्मिक शासन के हाथ में छोड़ दो। परन्तु यदि वह शासन तुम्हें अपने कर्तव्यों से च्युत होता दीख पड़े, तो उसमें अविश्वास करने का अधिकार अपने पास रक्खो; सबको सोचने और विश्वास करने की स्वतन्त्रता दे दो। तुम्हें केवल सांसारिक बातों में ही एकता पर ज़ोर देना चाहिए। तुम आध्यात्मवादी रहो या अनात्मवादी, पर तुम मनुष्य की समानता, स्वतन्त्रता, बहुसंख्यक लोगों की भलाई, सार्वजनिक मताधिकारों के हामी तो हो न? तब इनकी प्राप्ति के लिए सङ्गठित हो जाओ; इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि तुम्हारे ईश्वर-सम्बन्धी विचार भी एक हों।

दूसरी ओर ऐसे भी मनुष्य मिलते हैं, जो तुमसे कहेंगे—ईश्वर है अवश्य, परन्तु वह इतना महान है, इतनी दूर है कि मानवीय शक्ति से उसके पास पहुँचना दुर्लभ है। पृथ्वी तुच्छ पदार्थ है; जीवन नश्वर है। प्रथम से हाथ खींच लो और दूसरे को उसकी उचित क़ीमत से अधिक मूल्यवान मत समझो। तुम्हारी आत्मा के अमर जीवन की तुलना में तुम्हारे सांसारिक स्वार्थों का मूल्य ही क्या है? सोचो, ईश्वर की ओर देखो। इसकी परवाह ही क्या कि तुम किस अवस्था में यहाँ जीवन-यापन कर रहे हो। मृत्यु अनिवार्य है। ईश्वर के दरबार में, तुमने उसके चिन्तन में जितना ध्यान दिया है, उसीके अनुसार तुम्हारा निर्णय होगा; सांसारिक बातों में दिए गए ध्यान की वहाँ क़तई पूछ नहीं है। यदि तुम पर विपत्तियाँ मँडरा रही हैं तो उस परमात्मा को धन्यवाद दो, जिसने तुम्हारे पास इन्हें भेजा है। पार्थिव जीवन तुम्हारी परीक्षा का समय है; इस पृथ्वी पर तुम्हारा देश-निकाला हुआ है। इसे हेय दृष्टि से देखो तथा इससे ऊपर उठने की कोशिश करो। दुख, दारिद्र्य और दासता में रहते हुए भी तुम ईश्वर की शरण में जा सकते हो, और उसकी पूजा द्वारा सांसारिक चीज़ों को हेय दृष्टि से देख कर और भविष्य के विश्वास द्वारा तुम अपने को पवित्र बना सकते हो।

इन दोनों में प्रथम पक्ष ईश्वर से प्रेम नहीं करता और दूसरा उसको पहचानता ही नहीं।

प्रथम दल वालों से कहो कि मनुष्य एक है, तुम उसको दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते। यह सम्भव नहीं कि समाज-सञ्चालन के सिद्धान्तों में वह तुमसे सहमत हो, परन्तु उसकी उत्पत्ति, ध्येय और जीवन के नियमों के सम्बन्ध में तुमसे मतभेद रखता हो। जब भारतीयों ने यह सिद्धान्त माना कि किसी की उत्पत्ति ब्रह्मा के सिर से, किसी की भुजा से, किसी की चरण से हुई है। और प्रथम को मानसिक सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनाया, दूसरे को युद्ध का भार दिया, तीसरे को सेवा-कार्य दिया, तब उन्होंने अपने सङ्गठन में एक ऐसी स्थिरता प्रदान की, जो तब तक क़ायम रहेगी जब तक उनका विश्वास उस सिद्धान्त पर रहेगा। जब क्रिश्चियनों ने संसार के सामने यह घोषित किया—"हम सब ईश्वर की ही सन्तान हैं और इस नाते सब भाई-भाई हैं।" मानव-जाति के इतिहास में हम तुम्हें यह दिखला सकते हैं कि प्रत्येक धार्मिक विकाश के साथ-साथ सामाजिक उन्नति हुई है। परन्तु धर्म के प्रति उदासीनता के विकाश के साथ सिवा अराजकता के और कुछ भी नहीं दिखा सकते। तुम नाश करने में समर्थ हो सके हो, पर सृजन करने में नहीं। प्रोटेस्टेंटिज़्म के एक सिद्धान्त की अत्युक्ति कर देने की वजह से और जिसे आज प्रोटेस्टेंटिज़्म भी परित्याग करने की ज़रूरत महसूस कर रहा है—वैयक्तिक स्वतन्त्रता के सिद्धान्त के आधार पर सारे विचारों की नींव डालने से हम किस अवस्था पर पहुँच गए हैं। इसका तुम्हें कुछ ख़याल है? व्यापार में धाँधली मची हुई है, अर्थात् निर्बलों की लूट हो रही है; राजनीति में स्वतन्त्रता की छीछालेदर हो रही है, अर्थात् उन निर्बलों पर, जिनके पास अपने अधिकारों

आप क्या सचमुच हमारे हो गए!

[नाख़ुदाए सख़ुन हज़रत "नूह" नारवी]

आज झगड़े ख़त्म सारे हो गए,
हम तुम्हारे, तुम हमारे हो गए!
कुछ मेरे उनके इशारे हो गए,
दिल ही दिल में, वारे-न्यारे हो गए!
हमको जिनकी दोस्ती पर नाज़ था,
लो वही दुश्मन हमारे हो गए!
मुझको तनहा बहरे[1] ग़म में छोड़ कर,
रफ़्ता-रफ़्ता सब किनारे हो गए!
दिल को रोऊँ या जिगर[2] का ग़म करूँ,
सैकड़ों ऐसे ख़िसारे[3] हो गए!
चूकते हैं, वह लगावट से कहीं,
लड़ गईं आँखें इशारे हो गए!
हमको इस का एतबार आता नहीं,
आप क्या सचमुच हमारे हो गए!
बस तेरे लुत्फ़ो[4] करम की देर थी,
"नूह" से हम "नूह" प्यारे हो गए!

१—दुख का समुन्दर, २—कलेजा, ३—नुक़सान, ४—कृपा।

के उपयोग करने का न तो साधन है, न समय है और न ज्ञान है; धर्म में अहम्वाद का बोल-बाला है। अर्थात् असहाय दीनों को पृथक कर उनके नाश का उपक्रम हो रहा है। हम एक सङ्घ के इच्छुक हैं, परन्तु ऐसे भाइयों के सहयोग के बिना, जो एक ही पथ-प्रदर्शक सिद्धान्तों में विश्वास करते हों, एक ही सिद्धान्त-सूत्र में आबद्ध हों तथा एक ही नाम का साक्षी देते हों, इस सङ्घ की प्राप्ति कैसे हो सकती है? हम एक प्रकार की शिक्षा चाहते हैं, पर इस शिक्षा का प्रचार कैसे हो सकता है, जब तक इसके 'आदि-मध्य-अवसान' सम्बन्धी सिद्धान्त एक न हों। हम एक सर्वदेशीय शिक्षा चाहते हैं, पर यह एक साधारण विचार के अभाव में कैसे सम्भव हो सकता है? हम एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, परन्तु इसमें सफल कैसे हो सकते हैं, जब तक हमारा लक्ष्य एक न हो, हमारे कर्तव्य-पथ में एकता न हो? यदि हमारे ईश्वर-सम्बन्धी विचारों में विभिन्नता है, तब हम एक कर्तव्य का निश्चय कैसे कर सकते हैं। निस्सन्देह, सार्वजनिक मताधिकार बड़ी अच्छी चीज़ है; यही एक साधन है, जिसके द्वारा कोई देश अपना शासन समय-समय पर होने वाली भयानक उथल-पुथल के बिना भी सञ्चालित कर सकता है। पर सार्वजनिक मताधिकार उसी देश में समूचे राष्ट्र की मनोवृत्ति तथा इच्छा का परिचय हो सकता है, जहाँ पर एक विश्वास की प्रधानता हो; पर जहाँ पर इस साधारण विश्वास का अभाव है, वहाँ पर यह सिवा बहुसंख्यक दल के स्वार्थ का रक्षक तथा औरों के पीसने के साधन के सिवा और हो ही क्या सकता है? उस देश में, जहाँ पर धार्मिक भावनाओं का अभाव हो या उसके प्रति लोग उदासीन हों, वहाँ पर सब राजनीतिक सुधार तभी तक स्थिर रह सकते हैं, जब तक वे कुछ व्यक्तियों के 'मरज़ी' (Whim) के अनुकूल हों। गत पचास वर्षों के अनुभव से हम इस विषय पर काफ़ी सीख चुके हैं।

दूसरे दल वाले जो, पृथ्वी और स्वर्ग के पृथकत्व के पोषक हैं, उनसे कहो कि पृथ्वी और स्वर्ग, मार्ग और उसके छोर की तरह एक ही हैं, दो नहीं। ऐसा मत कहो कि पृथ्वी तुच्छ है; ईश्वर ने इसका निर्माण किया है कि हम इसके सहारे उसके पास पहुँच सकें। संसार विलासिता और प्रलोभन के पीछे मरते रहने की जगह नहीं है, पर यह वह जगह है, जहाँ हमें आत्मोन्नति के लिए परिश्रम तथा उच्च-जीवन पर अग्रसर होने के लिए श्रम करना चाहिए। तुम कहते हो कि सभी सांसारिक चीज़ों से घृणा करनी चाहिए, पार्थिव चीज़ों पर ठोकर मारना चाहिए, ताकि हम उस आध्यात्मिक जीवन में लग सकें। परन्तु यह पार्थिव जीवन उस आध्यात्मिक जीवन-नाटक का विष्कम्भक तथा उसकी प्राप्ति का एक मञ्ज़िल मात्र नहीं तो और क्या है? क्या तुम यह नहीं समझते कि अन्तिम सीढ़ी, जिससे हमें कोठे पर चढ़ना है, उसकी सराहना कर और प्रथम सीढ़ी की अवहेलना कर तुम लोगों को पथ-भ्रष्ट कर रहे हो? आत्मिक जीवन प्रत्येक अवस्था में सांसारिक या उससे आगे आने वाली अवस्था में पवित्र है; अतएव प्रत्येक अवस्था आगे आने वाली अवस्था की तैयारी मात्र है, प्रत्येक साधारण उन्नति उस ईश्वर-प्रदत्त चिरन्तन जीवन की विकाश-प्रगति में एवं मनुष्य-जाति के सामूहिक जीवन में सहायता देने वाली है।

ईश्वर ने तुम्हें इस पृथ्वी पर रक्खा है; उसने तुम्हारे चारों तरफ़ तुम्हारे सदृश लाखों मनुष्य पैदा किए हैं, जिनके मस्तिष्क की पुष्टि तुम्हारे विचारों से होती है, जिनकी उन्नति तुम्हारी उन्नति के साथ होती है, जिनका जीवन तुम्हारे जीवन से पुष्पित तथा पल्लवित होता है। एकान्तवास की विपत्तियों से बचाने के लिए उसने तुम्हारे साथ-साथ ऐसी ज़रूरतें जोड़ दी हैं, जिसकी पूर्ति तुम अकेले कर नहीं सकते। तुममें सामाजिक जीवन व्यतीत करने की स्वाभाविक प्रेरणा है, जो तुम्हें पशुओं से अलग करती है, जिनमें यह भाव प्रसुप्त रहता है। उसने तुम्हारे सामने एक विशाल दुनिया खोल रक्खी है, जिसे तुम पार्थिव कहते हो। पर जो रमणीय है तथा जिसमें जीवन का स्फुरण है, वैसा जीवन जिसे तुम भूल नहीं सकते, ईश्वर के स्मारक-रूप में जिसका पग-पग पर दर्शन होता है। परन्तु तो भी उसमें तुम्हारे परिश्रम की ज़रूरत है। उसकी विविध उद्भावनाओं में तुम्हारी ज़रूरत तथा है जिसकी शक्ति में तुम्हारी कर्तव्य-शक्ति के अनुपात में ही वृद्धि होगी, उसने तुम्हारे हृदय में असंख्य भावों का बीज डाल रक्खा है—दुखियों के लिए करुणा, हँसने वालों

के लिए प्रसन्नता, सहयोगियों पर अत्याचारियों के लिए क्रोध, सत्य के लिए अमित प्यास, उस प्रखर बुद्धि के लिए प्रशंसा, जो सत्य का उद्घाटन करता है; उनके लिए प्रशंसा, जो इस सर्व-हितकारी बात को काम में लाते हैं; उनके लिए धार्मिक श्रद्धा, जो सत्य की विजय में असमर्थ रहने पर भी उसी की खोज में शहीद हो जाते हैं और ख़ून की छीटों को ही उसका साक्षी छोड़ जाते हैं। परन्तु तो भी ईश्वर ने जो तुम्हारे लिए मिशन ठीक कर रक्खा है और जिसकी ओर ये भाव इशारा कर रहे हैं, उस पर तुम कुछ भी ध्यान नहीं देते।

ऐसा जो करने का प्रयत्न करता है, क्या ईश्वर उसे दण्ड नहीं देता? क्या ग़ुलाम पतन के गढ़े में सदा पड़ा नहीं रहता? एक मज़दूर को देखो, जब तक वह अपने शरीरस्थ ईश्वरीय जीवन को ज्ञान की ज्योति से हीन, शारीरिक कार्य में ही संलग्न रखता है। तब तक क्या उसकी आत्मा वासना की भूख, तथा पार्थिव (Instinct) की तृप्ति की भूलभुलैया में पड़ कर घुटती नहीं रहती? क्या देश तथा उसकी स्वतन्त्रता के लिए लड़ने वाले पोलों से रूसियों में धार्मिक भावना अधिक जागृत है? "जहाँ पर ईश्वर की भावना काम करती है वहीं पर स्वतन्त्रता है"—यह बात एक बड़े पैग़म्बर द्वारा कही गई है। तुम्हारा तो कोई धर्म नहीं; यह तो कुछ आदमियों का एक गुट्ट है, जिन्हें अपने मूल का ज्ञान नहीं; जो यह बात भूल गए हैं कि उनके पूर्वजों ने एक बिगड़े समाज के लिए कितना युद्ध किया है, उस पर विजय प्राप्त की है और इस संसार को, जिससे वे घृणा करते हैं, बनाने में कितनी मिहनत की है। वे विचार, जो प्राचीन रीतियों की समाधि पर उत्पन्न होते हैं, समाज को तत्कालीन अवस्था में परिवर्तन करते हैं; क्योंकि प्रत्येक सच्चा विचार और विश्वास मानव-जाति के प्रत्येक भाग में कार्यकर्ता है, क्योंकि संसार एक स्वर्ग में विश्वास करता है और उसीके अनुरूप भी अपने को बनाना चाहता है। क्रिश्चियनों की प्रार्थना है—"ऐ परमात्मन्! तुम्हारा स्वर्ग का राज्य इस पृथ्वी पर उतर आवे।" मानव-जाति का इतिहास भिन्न-भिन्न रूपों में तथा विविध प्रकारों में इसी की पुनरावृत्ति करता है। 'स्वर्ग का साम्राज्य इस पृथ्वी पर उतर आवे'। भाइयो, पहले से भी अच्छी तरह से याद करो और अच्छे रूप से काम में लाओ, यही तुम्हारे विश्वास की आवाज़ हो। इसकी पुनरावृत्ति करो और ऐसा आचरण करो कि इसका उद्देश्य पूरा हो। तुम उन लोगों की बात पर क़तई मत ध्यान दो, जो तुम्हें निष्क्रिय समर्पण, सांसारिक चीज़ों के प्रति उदासीनता, अन्यायपूर्ण लौकिक सत्ता के सामने झुकाने की सलाह देते हैं और तुमसे कहते हैं कि 'ज़ार की चीज़ ज़ार को दो और ईश्वर की चीज़ ईश्वर को'। क्या वे एक भी चीज़ बता सकते हैं, जो ईश्वर की नहीं? ज़ार की चीज़ ज़ार की तभी तक है, जब तक वह ईश्वरीय नियम का पालन करती है। ज़ार अर्थात् लौकिक सत्ता या कोई सरकार परमात्मा की इच्छा को कार्यरूप में लाने का अस्त्र-मात्र है। जब कभी वह इस इच्छा के विरुद्ध आचरण करे, तो उसे बदल देना तुम्हारा हक़ ही नहीं, वरन् धर्म भी है। तुम इस पृथ्वी पर रहते ही क्यों हो, यदि तुम अपने साधन के मुताबिक़ अपने सरहद के भीतर ईश्वर की इच्छा को कार्यरूप में लाने का प्रयत्न नहीं करते। मानव-जाति की एकता, जो ईश्वर की एकाई का परिणाम है, विश्वास रखने का बहाना ही क्यों करते हो, यदि तुम मानव-जाति को विभक्त करने वाले भिन्न-भिन्न मनमौजी विभागों को और शत्रुता को दूर करने का प्रयत्न भी नहीं करते? तुम स्वतन्त्रता में, जो मनुष्य के उत्तरदायित्व का मूल है, क्यों विश्वास करते हो, यदि तुम उन अड़चनों को दूर नहीं कर देते, जो पहले (स्वतन्त्रता) में रोड़ा अटकाते हैं और दूसरे (उत्तरदायित्व) को दूषित कर देते हैं। क्यों तुम बन्धुत्व में विश्वास करते हो, यदि तुम प्रतिदिन अपने भाइयों को पद्-दलित, पतित और घृणित होते देखते हो। पृथ्वी हमारी मिहनत का क्षेत्र है; इसे हमें कोसना नहीं चाहिए, इसे पवित्र करना चाहिए। ये पार्थिव शक्तियाँ, जिनसे हम परिवेष्टित हैं, हमारे परिश्रम के साधन हैं, इन्हें अस्वीकार नहीं करना चाहिए, परन्तु उनका सदुपयोग करना चाहिए।

परन्तु ईश्वर के बिना तुम यह कर ही नहीं सकते। मैंने तुमसे कर्तव्यों के विषय में कुछ कहा है। मैंने तुमसे कहा है कि केवल स्वत्वों (Rights) का ज्ञान ही सर्वदा उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए काफ़ी नहीं है; अपनी अवस्था में क्रमिक उन्नति करने में समर्थ नहीं है। बिना ईश्वर के हम कर्तव्य का ज्ञान ही कहाँ से पा सकते हैं। ईश्वर के अभाव में कोई भी राजनीतिक सत्ता, जिसे तुम पसन्द करो, वह अन्ध, पाशविक, अत्याचारपूर्ण शक्ति पर अवलम्बित है। इससे पीछा छुड़ाने का कुछ भी उपाय नहीं है। मानवीय चीज़ों का विकास दो ही बातों पर निर्भर है—या तो उस ईश्वरीय नियम पर, जिसका हमें पता लगा कर कार्यरूप में लाना होगा, या तो सुयोग पर, उस क्षणिक अवस्था पर और उस आदमी के चातुर्य पर, जिसके द्वारा वह उन सुयोगों का उपयोग कर सके। हमें या तो ईश्वर की आज्ञा माननी होगी या मनुष्य (एक हों या बहुत, इससे मतलब नहीं) की। जब सब मस्तिष्कों पर राज्य करने वाला 'वृहद् मस्तिष्क' न हो, तब तक बलवान द्वारा निर्बलों पर होने वाले अत्याचारों को रोक ही कौन सकता है? जब तक कोई एक पवित्र, शुद्ध नियम वर्तमान न हो और जो मनुष्य-निर्मित नहीं हो, तब तक हम किसी कार्य के न्याय और अन्याय की जाँच ही कैसे कर सकते हैं? किसके नाम पर हम अत्याचार और असमानता के विरोध में आवाज़ उठा सकते हैं? ईश्वर के अभाव में सिवा Fact के कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो राज्य कर सके—वही Fact चाहे उसे क्रान्ति या 'बोनापार्ट' के नाम से पुकारो, जिसके सामने आज पदार्थवादी सर झुकाते हैं। वही Fact जिसको इटली या कहीं के पदार्थवादी आज हमारे सिद्धान्तों से सहमत रहने पर भी अपने अकर्मण्यता के लिए बहाना बनाते हैं। हम आपसी व्यक्तिगत रायों के नाम पर ही मनुष्यों से आहुति या शहीद हो जाने के लिए कैसे कह सकते हैं। भला हम अपने स्वार्थों के आधार पर ही उन गूढ़ सिद्धान्तों को कार्यरूप में लाने के लिए लोगों से कैसे कह सकते हैं। जब तक हम व्यक्तिगत-रूप में अपनी प्रखर बुद्धि द्वारा निश्चित किए गए सिद्धान्तों की बातें करेंगे, तब तक केवल, आज की तरह, बात के साथी मिलेंगे, काम के नहीं। "ईश्वर की इच्छा है! ईश्वर की इच्छा है!!" यही आवाज़ सदा सब क्रान्तियों में गूँजती रही है और यही आवाज़ है, जो सोते को जगा सकती है, कायरों में साहस का सञ्चार कर सकती है, कृपणों में भी त्याग का भाव भर सकती है, और मानव-सिद्धान्तों पर अविश्वास करने वालों में भी विश्वास का भाव भर सकती है। लोगों को बता दो कि जिस मुक्ति या क्रमिक विकाश की ओर तुम उनका आह्वान कर रहे हो, वह ईश्वरीय इच्छा का एक अङ्ग है, कोई भी उसका विरोध नहीं करेगा। लोगों को यह समझा दो कि जिस कार्य में तुमने हाथ लगाया है, वह मनुष्य के अमर जीवन का एक अङ्ग है और वर्तमान के सब दुख उज्ज्वल भविष्य के सामने कुछ नहीं हैं। ईश्वर के बिना तुम शासन कर सकते हो, हृदय को नहीं जीत सकते; तुम एक अत्याचारी बन सकते हो, पर शिक्षक तथा पैग़म्बर नहीं।

"ईश्वर की इच्छा! ईश्वर की इच्छा!!" भाइयो! यही तुम्हारे आदमियों की, इटली-राष्ट्र की आवाज़ है। राष्ट्र के सच्चे पुजारी! तुम उन लोगों के धोखे में मत पड़ो, जो कहते हैं कि इटली में राजनीतिक प्रवृत्ति नहीं है और धार्मिक भाव उससे कूच कर गए हैं। जब तक इटली आपस की फूट के रहते हुए भी महान और कर्तव्यशील रहा, तब तक धार्मिक भावना दूर नहीं हुई थी; परन्तु यह दूर उस समय हो गई थी, जब फ़्लॉरेन्स का पतन हो गया था, और इटली की आज़ादी को चार्ल्स की विदेशी तलवार और पोप की धोखेबाज़ियों ने कुचल दिया था और हम राष्ट्रीय रूप परित्याग कर ऐसा जीवन व्यतीत करने लगे थे, मानो हम एक स्पेनियर्ड हैं, दूसरा जर्मन और तीसरा फ़्रेञ्च है। हमारे यहाँ के विद्वान राजकुमारों के यहाँ हँसोड़ों का काम करने लगे और अपने मालिकों को प्रत्येक वस्तु की दिल्लगी उड़ा कर उत्तेजित करना ही उनका कर्तव्य हो गया। पुरोहित लोग यह देख कर कि सत्य को व्यावहारिक रूप में लाना असम्भव है, धर्म के साथ 'बनियई' करने लगे; उन लोगों से उन्होंने ध्यान हटा लिया, जिनको सुशिक्षित करना उनका धर्म था और ख़ुदग़र्ज़ बन बैठे। साधारण जनता विद्वानों से घृणा पाकर, पुरोहितों की धोखेबाज़ी से तङ्ग आकर, सार्वजनिक बातों से हर प्रकार वञ्चित हो, प्रतिहिंसा के भावों से प्रेरित हो, विद्वानों की दिल्लगी उड़ाने लगी; पुरोहितों में अविश्वास करने लगी। जनता प्राचीन क्रीड (Creed) के विरुद्ध बग़ावत करने लगी। क्योंकि उसने देखा कि वे दूषित हो गए हैं। तब से आज तक हम अपने को पतन तथा अकर्मण्यता के गह्वर में गिराते चले गए हैं। परन्तु अब हम फिर भी उठना चाहते हैं। हमें अपनी राष्ट्रीय परिपाटी याद करनी होगी। हमें यह याद रहना चाहिए कि बारहवीं शताब्दी में लम्बैर्डों ने अपने होठों पर ईश्वर का नाम रख कर तथा अपने युद्धों के बीच ईश्वर-विश्वास की प्रतिमूर्ति रख कर जर्मनों को परास्त किया और अपनी खोई हुई आज़ादी को उनके हाथों से छीन लिया। हमें याद रखना होगा कि टस्कैनी-निवासी के प्रजातन्त्रवादी अपनी पार्लामेण्ट की बैठक गिरजों में करते थे। हमें उन फ़्लोरेण्टाइन के राजगीरों को भी न भूलना चाहिए, जिन्होंने अपनी स्वतन्त्रता को मेडीकी के ख़ानदान के हाथ में (House of medici) देने से इन्कार कर दिया और क्राइस्ट को अपने प्रजातन्त्र का प्रधान चुना। हमें उस सन्त 'Savonarala' को नहीं भूलना चाहिए, जो एक ही साँस में ईश्वर में विश्वास और जनता के अधिकार का प्रचार करता था। हमें उन जेनेवा के भाइयों को भी याद रखनी चाहिए, जिन्होंने पत्थर के अस्त्रों के सहारे अपने देवता मेरी के नाम पर अपने देश को जर्मनों के हाथ से स्वतन्त्र किया। ऐसे ही और बहुत से कार्यों को नहीं भूलना चाहिए, जहाँ धार्मिक भावों ने इटली की विचार-धारा की रक्षा तथा वृद्धि की है। हमारे आदमियों में धार्मिक भाव प्रच्छन्न-रूप में है, केवल उसे जाग्रत करने की आवश्यकता है। जिसे इस भाव को जाग्रत करने की कला मालूम है, वह बीसों राजनीतिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन से भी अधिक देश-सेवा कर सकता है। शायद विदेशी एकच्छत्र शासन-विधान के पक्षपातियों के अनुयायीगणों में, जिन्होंने पूर्व इटली की जागृति में नेतृत्व ग्रहण किया था, इसी भाव का अभाव था; यही कारण है कि इटली-निवासियों ने अभी तक उन प्रयत्नों में पूरा साथ नहीं दिया है। भाइयो, ईश्वर के नाम पर प्रचार करो। जिसके पास एक इटली का हृदय है, वह तुम्हारा अनुसरण करेगा।

*   *   *

कविता-कुञ्ज

पथिक से—

[श्रीमती शान्तिदेवी]

पथिक जाने की क्या जल्दी
अभी ठहरे ही कितनी देर,
कहो! जाना है और कहाँ
कह रहे हो क्यों हुई अबेर।

❀

ठहरते हो जो मेरे सङ्ग
कहाओगे तो पथिक! उदार,
नहीं तो ले जाओगे साथ
पथिक, बेसुध पीड़ा का हार।

❀

अभी तो वर्षा-ऋतु आई,
बाद आएगा शिशिर-वसन्त,
सुनोगे जब बरसाती गीत
तभी होगा क्लेशों का अन्त।

व्यवहार

[श्री० शिवदर्शन जी]

कहो रवि, कैसा यह व्यवहार?
जान पड़ता है अत्याचार!
रहता एक तुम्हारा बस नलिनी को प्रेमाधार,
सन्तत रहती मग्न, तुम्हारा ध्यान हृदय में धार।
खिल जाती, हो जाता उसमें जीवन का सञ्चार,
सुन करके आगमन तुम्हारा, देती नेत्र उघार॥
जग कहता है–'दिया सभी कुछ उसने तुम पर वार।'
किन्तु विरह-वेदना सहाते उसको बारम्बार॥

अभिलाषा

[श्री० गुरुप्रकाश जी गुप्त, 'मुकुल']

जलधि में उठ जाए तूफ़ान,
धरा पर आ जाए भूचाल।
हृदय भूधर के फट जाएँ,
काँप उठे सारा पाताल॥

❀

आसन ब्रह्मा का हिल जाए,
स्वर्ग में भी होवे हलचल।
उगले सूर्य अनल की ज्वाल,
सुमन त्याग दें निज परिमल॥

❀

शान्ति मिट जाए जग से,
उर में लगें बला से तीर।
युक्ति बस ऐसी हो भगवान,
जाग उठें भारत के वीर॥

होड़

[श्री० सूर्यदेवप्रसाद जी वर्मा]

तूने ठान लिया है मुझको,
जितना ही ठुकराना—
मैंने ठान लिया है तुझको,
उतना ही अपनाना।

❀

बरसाएगा तू जितना ही,
तिरस्कार की आग—
बरसाऊँगा मैं उतना ही,
सुधा-सलिल अनुराग!

❀

जीवन की बाज़ी पर मैंने,
है यह होड़ लगाई।
देखूँ, कैसे, कब तक रहती
तेरी यह निठुराई।

अनुरोध!

[श्री० कपिलदेव नारायणसिंह जी "सुहृद"]

चित्रकार! इन कलियों के,
यौवन पर हृदय लुटाओ!
कविवर! इनके अलहड़पन पर,
कविता अमर बनाओ!
गायक! इनके नवविकास का,
गीत मनोहर गाओ।
प्रेमी! आज प्रेम से बढ़ कर,
इनको गले लगाओ!
नटवर! अखिल-विश्व-रचना को,
इनमें आज मिला दो!
और प्रलय के बीच इन्हीं सी,
कलिका एक खिला दो!

गुरु-दीक्षा

[श्री० राजाराम जी खरे]

गुरुवर उन्हें बनाऊँगा मैं,
देश-प्रेम जिनका है मन्त्र।
जो सुधार के बने उपासक,
जिन्हें न भाते झूठे तन्त्र॥

❀

जाति-भेद का भूत न जिनके,
सिर पर बैठा रहता है।
कर्म-योग के कठिन मार्ग पर,
जिनका मन दुख सहता है॥

❀

दीन-दुखी जन की सेवा ही,
जिनकी प्रभु की पूजा है।
पूज्य वही हैं जग में मेरे,
और न कोई दूजा है॥

ऊषा

[श्री० जनककिशोरी देवी जी 'नवीना']

निर्जन अगम सघन कानन में,
बिखराती हो तुम मोती।
किसे जगाती हो बन-देवी,
लाल पहन करके धोती?
विहँगों के कलरव के सँग तुम,
वंशी मुदित बजाती हो।
किसे सुनाने के हित बनिते,
मधुर भैरवी गाती हो?
जल-तरङ्ग के सङ्ग शुभे,
तुम कर क्रीड़ा इठलाती हो।
मणिमाला समान जल करके,
शोभा नित्य बढ़ाती हो!
निर्मल आभा प्रकृति नटी की
एक मात्र तुम भूषा।
शोभा की चिर-सङ्गिनि सुललित,
एक मात्र तुम ऊषा॥

सुमन

[श्री० "लहरी"]

फूल रहा हूँ फुलवाड़ी में,
किरणों का वैभव लेकर।
इतराता हूँ उनके बल पर
मारुत को मदिरा देकर॥
इसी कटीली झुरमुट में,
भय है, झड़ पड़ूँ न धन खोकर।
ले न सकूँगा सिसकी भी,
पथिकों की मैं खाकर ठोकर॥
दे शशि-बाला मधुर थपकियाँ,
पय-पीयूष पिला कर।
कौन जानता, प्यार-प्यार में,
देगी पटक शिला पर॥
मधुपों का ममत्व ही कितना,
स्वार्थमयी जगती में।
लेंगे लूट सुरभि बहुरुपिए,
स्नेह न उनके जी में॥
मालाकार, न निष्ठुर बन,
चुन लेना, बिखर न जाऊँ!
उग्र-झकोरों से क्षण में,
अन्तिम घड़ियाँ दुलराऊँ॥
"उपयोगी जीवन, जीवन है",
स्वर्ग-सौख्य से बढ़ कर!
अभी बनूँगा उस शहीद की,
जड़-समाधि पर चढ़ कर॥

❀ ❀ ❀



स्वर्गीय सुधीरचन्द्र गुप्त—कर्नल सिम्पसन के हत्याकारी स्व० दिनेशचन्द्र गुप्त के अन्यतम साथी, जिन्होंने हत्या-काण्ड के बाद ही आत्म-हत्या कर ली थी।

स्वर्गीय विनयकृष्ण बोस—कर्नल सिम्पसन हत्याकारी स्व० दिनेशचन्द्र गुप्त के अन्यतम साथी, जिन्होंने हत्या-काण्ड के बाद ही आत्म-हत्या कर ली थी। कहा जाता है कि ढाका में पुलीस-इन्स्पेक्टर जनरल मि० लोमैन को इन्होंने ही मारा था।





चटगाँव के सुप्रसिद्ध विप्लवकारी नेता—श्री० गणेश घोष—जिन पर चटगाँव की विशेष अदालत से मामला चल रहा है।



श्री० लोकनाथ बाल के भाई—स्वर्गीय प्रभासनाथ बाल—जो १८वीं एप्रिल, १९३० को जलालाबाद पहाड़ी पर फ़ौज से लड़ते हुए मारे गए।



चटगाँव-विद्रोह के विप्लवकारी नेता—श्री० अम्बिका चक्रवर्ती—जिन पर चटगाँव की विशेष अदालत में अभियोग चल रहा है।



श्री० शङ्करलाल अग्रवाल (उम्र १६ वर्ष) आप जबलपुर के उत्साही कार्यकर्ता हैं और चार मास की सज़ा भोग चुके हैं।

स्वर्गीय श्री० दिनेशचन्द्र गुप्त, जिन्हें कलकत्ता के राईटर्स बिल्डिङ्ग में जेलों के इन्स्पेक्टर-जनरल कर्नल सिम्पसन की हत्या करने के अभियोग में फाँसी की सज़ा दी गई है।



यदि अवसर दिया जाय तो स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकतीं ?



योतमाल (मध्य-प्रान्त) के म्युनिसिपैलिटी की सदस्या—श्रीमती आनन्दाबाई दामले—आप उच्च-कोटि की शिक्षिता महिला-रत्न हैं।



मट्टनचेरी (कोचीन स्टेट) के महिला हस्पताल की सिविल सर्जन—मिसेज़ आर० ई० कोहलॉफ़।



सैदपेट (मद्रास) म्युनिसिपैलिटी की सदस्या—श्रीमती सी० कृष्णम्मा—आप अपने प्रान्त में स्त्री-शिक्षा का ज़ोरों से प्रचार कर रही हैं।

कुर्ग में कॉफ़ी (क़हवा) की सफलतापूर्वक खेती करने वाली—श्रीमती डी० सकम्मा आपने गत वर्ष मैसूर की 'कुरू-लिना सेटी एसोसिएशन' को ३० हज़ार रुपयों का दान दिया था। समाज-सेवा के कार्य में आपकी विशेष अभिरुचि है।





अमरेली (काठियावाड़) की महिला-समिति की प्रधाना—श्रीमती यशोदाबाई भाटे—जिन्होंने समाज की सेवा करना ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया है।



लखनऊ के सुप्रसिद्ध समाज-सेवी स्वर्गीय जस्टिस गोकरणनाथ की पुत्री—श्रीमती फूलमती शुक्ला, एम० ए०, जो अपने सुललित एवं सारगर्भित व्याख्यान देने के लिए विख्यात हैं।

बेलगाम (बम्बई) के महिला-क्लब की प्रधाना—श्रीमती एम० डी० मोडक—आप महिलाओं की उन्नति के लिए विशेष रूप से प्रयत्न कर रही हैं।



'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



रेशमी कपड़े बुनते हुए बालि द्वीप की वन्य-जाति (Balinese) की कुछ महिलाएँ—इस जाति की स्त्रियाँ सूती तथा रेशमी कपड़े बुनने के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या भारतीय देवियाँ अपनी इन 'असभ्य' बहिनों से शिक्षा ग्रहण करेंगी ?



अमेरिका की एक नवयुवती, जो सर्कस के खेलों में अपना सानी नहीं रखती। इस नवयुवती ने ख़ास कर घुड़-सवारी में विशेषता प्राप्त की है। इस चित्र में पाठक 'अलिफ़' घोड़े पर महिला को सवार देखेंगे।



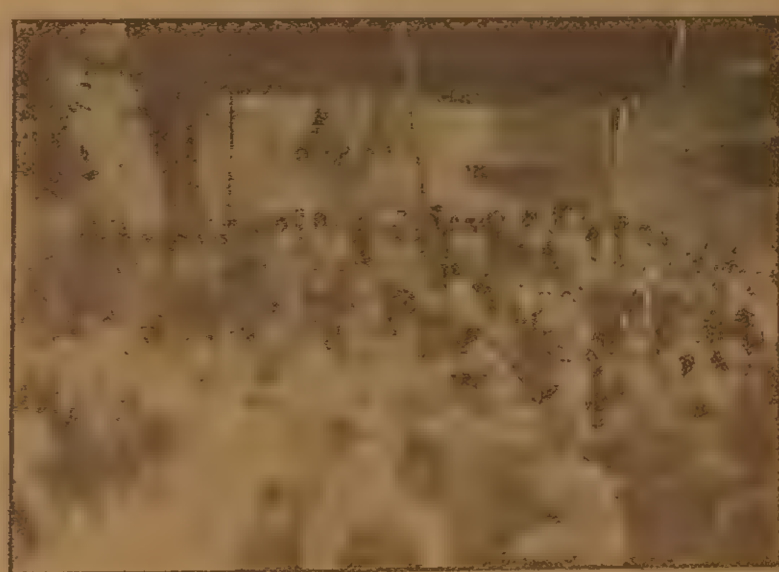
अमेरिका का कलियुगी कुत्ता—जिसके ज़िम्मे बिल्ली के बच्चे को प्रेमपूर्वक दूध पिलाने जैसा नाज़ुक काम सौंपा गया है।



लाख और मोम की रँगाई के काम में प्रसिद्ध जावा द्वीप की महिलाएँ बड़ी सफलता-पूर्वक अपनी जीविका उपार्जन कर लेती हैं ; इनके रँगाई के काम दूर-दूर तक जाते हैं, फिर भी सभ्य कहने वाली जातियाँ इन्हें न जाने क्यों 'असभ्य' बतलाती हैं ?

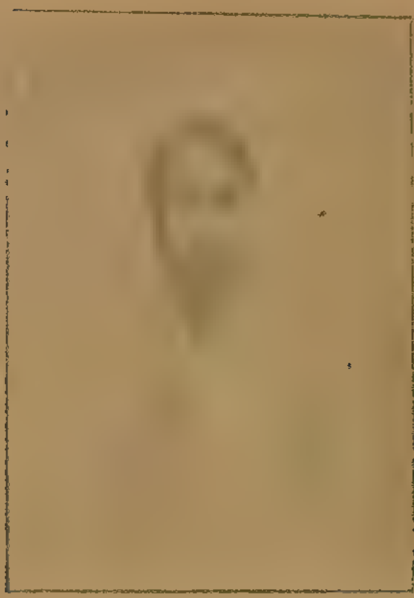


जर्मनी की सुप्रसिद्ध गोल्फ़ तथा पोलो की खिलाड़िन—मिस हेलेन मेयर—जिन्हें हाल ही में समस्त यूरोप में सब से अच्छा खिलाड़ी मान कर पुरस्कृत किया गया है।



मिसेज़ बख़्शी (लखनऊ) सिरसागञ्ज (मैनपुरी) की महिला कॉन्फ़्रेन्स में भाषण दे रही हैं।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



बनारस बम-केस की अन्यतम अभियुक्ता—श्रीमती राधारानी सेन—जिन पर दौरा अदालत में मामला चल रहा था और जो सर्वथा निर्दोष पाकर मुक्त कर दी गई।



बम्बई के सुप्रसिद्ध व्यवसायी श्री० कोठावाला की तीन आदर्श कन्याएं—(बाँईं ओर से) कुमारी के०, कुमारी आर० तथा कुमारी एन० कोठावाला।



कैलिफ़ोर्निया (अमेरिका) की कुछ महिलाएँ, जिन्हें फ़ौजी शिक्षा दी जा रही है। इस चित्र में पाठक इन्हें परेड करते हुए देखेंगे।



श्रीमती यमुनाबाई—आप जबलपुर के "महाकोशल प्रान्तीय महिला सेवा-सङ्घ" की अध्यक्षा हैं।



रूस के स्त्री-पुरुषों में आजकल जीविकोपार्जन के क्षेत्र में बड़ी प्रतिद्वन्दिता हो रही है। फल-स्वरूप महिलाएँ पुरुषों के प्रत्येक कार्यक्षेत्र पर आक्रमण कर रही हैं। इस चित्र में पाठक ढलाई के कार्य में सफलता प्राप्त करने वाली एक रूसी महिला को देखेंगे।



सोवियट (प्रजातन्त्र) रूस की उन महिलाओं में से तीन—जो मूँगे और मोती के व्यापार में अपना सानी नहीं रखतीं। इस चित्र में पाठक इन्हें मोती परखते हुए देखेंगे।



और आए वह हमारी चश्मे तर के सामने, पानी-पानी होगई काली घटा बरसात की।
सारा आलम शाद हो सारा ज़माना शाद हो, झूम कर बरसे अगर काली घटा बरसात की।

सबज़ए[१] मीना का आलम दीदनी[२] है आजकल,
मैकदे[३] को दौड़ी जाती है घटा बरसात की।

—"आतिश" लखनवी

बढ़ती है रोने से मस्तों के फ़िज़ा[४] बरसात की,
आ गई क्या घट के आँखों में घटा बरसात की।
आठ-आठ आँसू रुलाती है तेरे होठों की याद,
ऐ परी मिस्सी है या ओदी घटा बरसात की।
आँसुओं में डूब जाएँ बदलियाँ ऐ चश्मेतर,
अब तो ज़ोर अपना बढ़ा ,कूअत घटी बरसात की।
साक़िया जामो[५] सुबू से ऐसी आराइश बढ़े,
आके मैख़ाने पे सद्क़े हो घटा बरसात की।
बर्क़[७] चमकाती हुई कुहसार से उट्ठी नहीं,
नीमचे[६] खींचे हुए आई घटा बरसात की।
जब चमन में आ गया मस्तों को सावन का ख़याल,
सावनी गाती हुई आई घटा बरसात की।
शोख़ियाँ हैं दुख़्ते-रिज़ की या कि बिजली की चमक
बोतलें हैं मै की या काली घटा बरसात की।

—"अमीर" लखनवी

है दिलाती यादे मै-नोशी फ़िज़ा बरसात की,
दिल बढ़ा जाती है आ-आ कर घटा बरसात की।
बँध गई है रहमते हक़ से हवा बरसात की,
नाम खुलने का नहीं लेती घटा बरसात की।
हो शरीके बज़्मे-मै[९] ज़ाहिद भी तोबा तोड़ कर,
झूमती क़िब्ले[१०] से उट्ठी है घटा बरसात की।
वह पपीहों की सदाएँ और वह मोरों का रक़्स[११]
वह हवाए सद वह काली घटा बरसात की।
अस्ल तो यों है मै वो माशूक़ का जब लुत्फ़ है,
चाँदनी हो रात को दिन को घटा बरसात की।

—"चकबस्त" लखनवी

अब मेरे साक़ी तअम्मुल[१२] है तुझे किस बात का,
वह उठी, वह आई, वह छाई घटा बरसात की।

१—हरे रङ्ग का शीशा, २—देखने योग्य, ३—शराबख़ाना, ४—रौनक़, ५—पियाला, ६—सिंगार, ७—बिजली, ८—शराब, ९—शराब की सभा, १०—पच्छिम, ११—नाच, १२—देर,

फ़ुर्क़ते[१३] जानाँ में था पहले ही से यह अश्कबार
और ले डूबी मेरे दिल को घटा बरसात की।
और आए वह हमारी चश्मे तर के सामने,
पानी-पानी होगई काली घटा बरसात की।

—"नूह" नारवी

ले उड़ी इसको भी अब शायद हवा बरसात की,
झूमती-फिरती है मस्ती में घटा बरसात की।
मैं तो जब समझूँ मुआफ़िक़ है हवा बरसात की,
दौरे मै हो, वह हों, छाई हो घटा बरसात की।
क्यों न माँगें हर कसो-नाकस दुआ बरसात की,
रिज़्क़[१४] पहुँचाती है दुनिया को घटा बरसात की।
मैकदे की सिम्त रिन्दों[१५] के क़दम उठने लगे,
क्या पयामे[१६] मैकशी लाई घटा बरसात की।

बरसात में पीने का मज़ा आता है

(नाख़ुदाए सख़ुन हज़रत "नूह" नारवी)

बरसात में पीने का मज़ा आता है,
दरिया में सफ़ीने[१] का मज़ा आता है।
ऐ "नूह" जो क़िस्मत से हो पहलू में कोई,
मरने में भी जीने का मज़ा आता है।

१—नाव।

पीने वालो दौर पर अब दौर चलना चाहिए,
वह उमड़ कर आई वह छाई घटा बरसात की।
बाद-ख़्वारों[१७] की नज़र में क्यों न कौंदें बिजलियाँ,
जामे-ज़र्रीं[१८] है लिए काली घटा बरसात की।

—"शातिर" इलाहाबादी

देखते बनती है अब तो हर अदा बरसात की,
हुस्न की दुनिया लिए आई घटा बरसात की।
जो कभी खुलकर न बरसे जो बरसकर खुल न जाय,
रिन्द कहते हैं वही बस है घटा बरसात की।
रात-दिन में फ़र्क़ अब कुछ भी नज़र आता नहीं,
क्या नया अन्धेर करती है घटा बरसात की।

१३—प्रेमी का वियोग, १४—रोज़ी, १५—शराबियों, १६—शराब पीने का निमन्त्रण, १७—शराबियों, १८—सोनहला प्याला,

पीने वाले मस्त हो जाते हैं इसको देख कर,
ओदी-ओदी, काली-काली यह घटा बरसात की।
बन्दा-परवर आपके बीमारे फ़ुर्क़त के लिए,
बन गई है एक बला काली घटा बरसात की।
सब्र ऐ दिल जल्द होगा बारिशे अब्रे-करम[१९],
छा रही है फिर नए सर से घटा बरसात की।

—"ज़ाहिद" इलाहाबादी

चलते-चलते रुक गई ठण्ढी हवा बरसात की,
टूट कर बरसेगी अब काली घटा बरसात की।
कह गई बिजली चमक कर यह अँधेरी रात में,
देखने वालो ज़रा देखो घटा बरसात की।

—"ग़ाफ़िल" इलाहाबादी

आज साक़ी बादए ख़ुश[२०] रङ्ग दे जी खोल कर,
कल ख़ुदा जाने कहाँ जाए घटा बरसात की।
आगया ज़ाहिद को भी पीने-पिलाने का ख़याल,
इस अदा से छाई है काली घटा बरसात की।
आज ज़ाहिद भी शरीके बज़्मे रिन्दाँ[२१] हो गया,
अल्ला-अल्ला इस तरह छाई घटा बरसात की।

—"हुनर" गयावी

बाम[२२] पर आकर अगर वह अपनी ज़ुल्फ़ें खोल दें,
तो बलाएँ क्यों न ले काली घटा बरसात की।
आस्माँ से अब शराबे नाब[२३] बरसे क्या अजब,
कह गई रिन्दों से यह काली घटा बरसात की।
पीने वाले सब से पहिले माँगते हैं यह दुआ,
मैकदे पर टूट कर बरसे घटा बरसात की।
बादाकश इस पर नहीं करते ज़रा भी एतबार,
चलती-फिरती छाँव है काली घटा बरसात की।
सारा आलम शाद[२४] हो सारा ज़माना शाद हो,
झूम कर बरसे अगर काली घटा बरसात की।
देख कर इसको तड़प उट्ठा दिले पुर-आरज़ू,
क्या कोई माशूक़ है ओदी घटा बरसात की।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

१९—दया के बादल, २०—अच्छी शराब, २१—शराबियों की सुहबत, २२—कोठा, २३—ख़ालिस, २४—प्रसन्न।

❀ ❀ ❀

सरकारी गवाह कैसे गढ़े जाते हैं ??

प्रथम लाहौर कॉन्सपिरेसी केस के सरकारी गवाह ब्रह्मदत्त ने, जिस पर अपना बयान वापस लेने के कारण, मुक़दमा चलाया जा रहा है अदालत के सामने नीचे लिखा बयान दिया है :—

"मैं अपने गाँव महाराजपुर में, जो ज़िला कानपुर में है, २ मई को गिरफ़्तार हुआ था। दो महीने तक मुझे पुलीस ने क़ानून-विरुद्ध हवालात में रक्खा। उसके बाद मुझे उनकी इच्छानुसार बयान देने को मजबूर किया गया। पहले एक महीने तक जब मुझे लाहौर के पुराने क़िले में रक्खा गया था, ख़ुफ़िया पुलीस के अफ़सर लोग, जैसे सय्यद अहमदशाह डि० सु० पु०, ख़्वाजा ताजदीन इ० पु०, मुमताज हुसेन इ० पु०—आ-आ कर मुझे फुसलाते-समझाते और दबाते कि मैं इस षड्यन्त्र के मामले में गवाह बन जाऊँ, लेकिन मैं बराबर इन्कार करता। इसके पश्चात् मुझे अनारकली पुलीस स्टेशन में हटाया गया और फिर वहाँ से चारिंग क्रॉस पुलीस स्टेशन में, जहाँ कि मैं ३० अगस्त, १९३० तक रहा और ख़ास अदालत के सामने बयान देने के लिए खड़ा किया गया।

हवालात में मैं अपनी बूढ़ी माँ और अत्यन्त वृद्ध पितामह की याद में रिहाई के लिए चिन्तित रहता, क्योंकि उनको मेरे सिवा और कोई न था, इसलिए उनका मेरी गिरफ़्तारी पर दुखी होना स्वाभाविक बात थी। पुलीस वालों ने मेरी इस चिन्तित अवस्था का अनुचित लाभ उठाया और यह समझ कर कि मैं उनके हाथ की अच्छी कठपुतली बन सकूँगा, मुझे सरकारी गवाह बनाने की फ़िक्र में लगे।

तीन अवस्थाएँ

भौतिक जगत में प्रत्येक चीज़ की तीन अवस्थाएँ होती हैं। पुलीस के लिए वह अवस्थाएँ हैं लालच देना, धमकाना और सताना। पुलीस एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर कैसे उतरती है, यह एक मनोरञ्जक बात है। जब मुझे कानपुर से लाहौर लाया गया तो ख़ुफ़िया पुलीस वाले स्वागत के लिए स्टेशन पर तैयार खड़े थे। क़िले पहुँचते ही मुझे नियाज़अहमद ख़ाँ डी० एस० पी० के कमरे में ले गए। मेरा चेहरा कपड़े से ढका था। सुपरिण्टेण्डेण्ट साहब ने मुँह से कपड़ा हटाने को कहा और बोले—"हम लोग, पञ्जाब के पुलीस अफ़सर, यू० पी० के पुलीस अफ़सरों की तरह नहीं हैं—वह तो निहायत ही बेईमान होते हैं।" इसके बाद कहने लगे कि "मैंने कई आदमियों को उनके बयान देने के बाद ही छोड़ दिया, क्योंकि कोई अपराधी ठहराने वाली बात मुझे नहीं मिली। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है, अगर अपना पूरा बयान दे दोगे तो मैं तुम्हें भी ज़ाती ज़मानत पर छोड़ दूँगा।" इतनी बात हो चुकने के बाद मुझे कोठरी में बन्द कर दिया गया। जब मैं अपनी कोठरी में पड़ा था, सय्यद अहमद शाह डी० एस० पी० मेरी तरफ़ होकर निकले। मुझे धरती पर लेटा हुआ देख कर हेड-कॉन्स्टेबिल और कॉन्स्टेबिल को झिड़क कर कहने लगे—"हरामज़ादो, तुम नहीं देखते कि यह कितना सीधा बाबू है। यह षड्यन्त्रकारी नहीं हो सकते, इनको बिस्तर और कम्बल दे दो।" वह मेरे पास आकर कहने लगे—"अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मिलेगी।" उन्होंने और दो सब-इन्स्पेक्टरों को मेरे पास बातचीत करने भेजा। इन सब-इन्स्पेक्टरों ने ख़ान नियाज़अहमद ख़ाँ को ईश्वर-भक्त कह कर उनकी बड़ी तारीफ़ की और कहा कि इन्होंने बहुत लोगों को छोड़ दिया है, हर एक आदमी पर वह दया करते हैं और अगर तुम अपना बयान दे दोगे, तो तुम्हें भी वह छोड़ देंगे। ग्रीष्म ऋतु की गर्मी ख़ूब पड़ रही थी। सायङ्काल के समय शाहजी नाम के एक हेड-कॉन्स्टेबिल ने आकर मुझसे कहा कि तुम्हें ख़ाँ साहब ताज़ी हवा खाने के लिए ऊपर बुला रहे हैं। जब मैं ऊपर गया तो ख़ाँ साहब ने खड़े होकर मुझसे हाथ मिलाया और मुझे सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठने को कहा। इस समय वहाँ उनके और मेरे सिवा और कोई न था। इन्होंने अखिफ़लैला का हवाला देकर अपनी ख़ूब प्रशंसा की और मुझे फल और दूध खाने को दिया। फिर बातचीत होने लगी आपने मुझसे कहा कि तुम मुझसे अपना सारा क़िस्सा बतला दो, मैं उसे किसी दूसरे से न कहूँगा, बल्कि तुम्हारे छुड़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि तुम्हें देख कर मेरा हृदय विचलित हो उठा है। ऐसा अनेक दिनों तक होता रहा। मुझ पर इसका कुछ असर न हुआ, क्योंकि मैं कुछ जानता ही नहीं था। पाँच आदमी सरकारी गवाह बन चुके थे। ख़ुफ़िया वाले मुझे भी सरकारी गवाह बनाने की फ़िक्र में थे। कहने लगे कि देखो, देहली-षड्यन्त्र में दीनानाथ को १२,०००) दिया गया है। वह सरकारी गवाह बना था। ६,०००) रुपया और एक पिस्तौल देने का वादा जयगोपाल से है और चार-चार हज़ार रुपया दूसरे सरकारी गवाहों को मिलेंगे। आपको भी ४,०००) रुपया मिलेगा और बाद में इन्स्पेक्टर-पुलीस या तहसीलदार बना दिए जाओगे। देखो, ख़ानबहादुर अब्दुल अज़ीज़ जो चाहे कर सकते हैं। वह अपने कर्तव्य के यथावत पालन करने से सरकार के बड़े कृपा-पात्र हो गए हैं। अगर तुम सरकारी गवाह न बनोगे तो समझ लो कि पुलीस को सब ताक़त है, तुम्हें कई मुक़दमों में फँसा देगी, तुम्हारी जायदाद ज़ब्त करा लेगी। तुम्हारे घर में चोरी करा देगी।

अत्याचार का आरोप

जब पुलीस ने देखा कि लालच और धमकी की दोनों अवस्थाएँ निकल गईं, मुझ पर उनका कुछ भी असर न हुआ, तब उसने मुझे प्रतिहिंसा की धमकी दी और निर्लज्ज यातना पर तुल गई। कई दिन मुझे भोजन न दिया, कई रातों मुझे हथकड़ी डाल कर खड़ा रक्खा, क्षणभर भी आराम न करने दिया। सर्वोपरि यह किया कि मेरे मुँह पर प्रखर बिजली की रोशनी, मेरी आँखों के सामने करके, इस बात का ख़्याल रखती—कि कहीं मैं तनिक भी आँखें तो नहीं झपकाता और जब कभी स्वतः आँख झपक जाती तो मुँह पर तमाचा लगाती। एक पुलीस का आदमी इस बात के लिए नियत कर दिया गया कि वह आँख झपकने पर मेरे तमाचा लगाता रहे। सोना तो एकदम असम्भव था, क्योंकि मुझे खड़ा रक्खा जाता था। इन सब अमानुषिक यातनाओं का फल यह हुआ कि मैं बीमार हो गया, आँखों में पीड़ा उत्पन्न हो गई और दृष्टि भी कमज़ोर पड़ गई। जब मेरी आँखें ज़्यादा ख़राब हुईं तब पुलीस को मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा और वह मुझे चक्षु-रोग निष्णात डॉक्टर के पास ले गई, जिसका नाम मुझे बाद में मालूम हुआ कि दौलतराम है। डॉक्टर से मेरा नाम सिकन्दरलाल, डी० ए० वी० कॉलेज का छात्र बतलाया गया। डॉक्टर ने देख कर, मेरी आँखों को कमज़ोर, बुरी दशा में, बतला कर मेरे लिए दवा और चश्मा तजवीज़ किया। जो चश्मा मैं लगा रहा हूँ वही चश्मा है। इसे मुझे पुलीस ने अपने ख़र्च से लाकर दिया था। जब मेरी आँखों की परीक्षा करने के लिए डॉक्टर मुझे अँधेरे कमरे में ले जाने लगा तो एक पुलीस के सिपाही ने भी मेरे साथ जाना चाहा, परन्तु डॉक्टर ने कहा कि अँधेरी कोठरी में बहुत कम जगह है और मुझे किसी की सहायता की दरकार नहीं, तब पुलीस का आदमी बाहर खड़ा रहा और मैं डॉक्टर के साथ अँधेरे कमरे में नेत्र-परीक्षा के लिए गया, अन्दर जाकर मैंने डॉक्टर से अपना असली नाम और पुलीस-कृत अत्याचारों को बतलाया। जिन दिनों पुलीस मुझे दारुण-यन्त्रणा दे रही थी, उन दिनों मुझे अपने नाते के भाई से नहीं मिलने दिया गया; यद्यपि जब मैं क़िले या अनारकली की हवालात में था, मुझे बराबर उससे मिलने दिया जाता था। कारण प्रकट है, पुलीस वाले डरते थे कि कहीं मेरे रिश्तेदारों के साथ मिलने-जुलने से या किसी अन्य बाहरी के प्रयोग से मुझे सरकारी गवाह बनाने वाली उनकी व्यवस्था ख़राब न हो जाय।

बयान रचा गया

इन लगातार यन्त्रणाओं से बचने के लिए, निर्बल व दुर्बल हो जाने के कारण, मैंने अपना विरुद्धाचरण छोड़ दिया। जान गया कि पुलीस सर्वशक्तिमान है और न्याय की कोई आशा नहीं। फिर भी मैंने दृढ़ विचार कर लिया था कि जब कभी यह मुझे बयान देने के लिए या माफ़ी दिलाने के लिए डिप्टी कमिश्नर के सामने ले जायँगे तो मैं उनके सामने माफ़ी लेने से इन्कार कर दूँगा। सरकारी गवाह बनने की मेरी मूक सम्मति पाकर, सी० आई० डी० के अफ़सरों ने मेरा एक ऐसा लम्बा बयान रच डाला, जिसकी कुछ थोड़ी सी बातों को छोड़ कर शेष सब मेरे लिए एक नई गाथा थी। पुलीस वालों ने यह भी कहा कि दूसरे सरकारी गवाहों के लिए भी ऐसा ही किया गया था। सब से अच्छी गवाही का सब से अच्छा इनाम मिलता है। इस बयान को मुझे कण्ठस्थ करने के लिए कहा गया। लाला मलिकराज मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने से पहले सय्यद मुहम्मद शाह और मलिक बरख़ुरदार ख़ाँ ने मेरे बयान को मुझसे कई बार सुना। यहाँ तक कि मैं पक्का पढ़ा हुआ तोता बन गया। इस प्रकार गवाहों का पढ़ाना बहुत सामान्य बात है; ख़ासकर जब कि गवाह को अदालत में पेश करके गवाही दिलानी होती है। जब मैं अदालत में गवाही देने के लिए पेश होने वाला था, मुझे रोज़ चारिंग क्रॉस पुलीस स्टेशन से फ़ोर्ट जाना पड़ता था। दिन में सय्यद अहमद शाह डी० एस० पी०, मलिक बरख़ुरदार ख़ाँ सब-इन्स्पेक्टर, सिद्दीक़अली शाह इन्स्पेक्टर मुझे बयान याद कराया करते और मुझसे उसी बयान को बारम्बार सुनते। सायङ्काल में रायसाहब लाला गोपालदास सरकारी वकील उसी बयान के आधार पर मुझसे जिरह करते। रायसाहब ने मुझसे कहा था कि अदालत में जब तुम किसी प्रश्न का उत्तर न दे सको तो कह दिया करना कि 'मुझे याद नहीं है।' मैंने रायसाहब गोपालदास को इसी मुक़दमे के सरकारी गवाह ललितमोहन जी को भी सिखलाते देखा है।

गवाहों को बयान सिखलाते मैंने देखा

बहुत से झूठे गवाहों को गवाही देने के लिए मजबूर किया गया था। अक्टूबर, १९२९ में एक दिन मुझे उन कपड़ों के लेने के लिए फ़ोर्ट ले गए, जिन्हें मेरे लिए ख़ाँ साहब नियाज़अहमद ख़ान ने तैयार कराया था। दिन ठण्डा था इसलिए मुझे नीचे ही धूप में एक कमरे के सामने बैठाल दिया। जिस कमरे के सामने मैं बैठाया गया था उसके भीतर एक सब-इन्स्पेक्टर किसी ग्रामीण को धमका कर यह कह रहा था कि तुम अदालत में

कहना कि जब 'मैं तहसील की दीवार के पीछे पेशाब कर रहा था, मुझे पिस्तौल के छूटने की आवाज़ सुन पड़ी। जब मैंने उठ कर देखा तो वास्तव में मिस्टर सॉण्डर्स पर सरदार भगतसिंह को गोली चलाते पाया, सब-इन्स्पेक्टर ने कहा कि अगर तुम यह गवाही न दोगे, तो तुम्हारी नम्बरदारी छीन ली जायगी और दफ़ा ११० में तुम्हारा चालान कर दिया जायगा। यह बात हो ही रही थी कि किसी ने सब-इन्स्पेक्टर को मेरी मौजूदगी की ख़बर दी। वह तुरन्त उस आदमी को अपने साथ ले, दूसरी राह से निकल गया।

पहचान की परेडें

अनेक झूठी शिनाख़्त की परेडें फ़ोर्ट में हुआ करती थीं। एक बार मुझे श्री० 'एम०' और श्री० कुन्दन लाल को पहचानने के लिए बुलाया गया, यद्यपि मैंने इनको पहले कभी नहीं देखा था। पुलीस अफ़सरों ने उनका पूरा ढाँचा और चेहरे की विशेष बातें बतला कर कहा कि तुम पहचान लेना। जब मैं कमरे में गया तो उन्हें न पहचान सका। इसी तरह पी० एन० घोष, मन-मोहन और ललितकुमार तीनों सरकारी गवाहों ने अदालत में मेरी झूठी पहचान की। घोष और मन-मोहन ने कहा कि मुझे उन्होंने दिल्ली वाली क्रान्तिकारियों की सभा में श्री पाँडे के साथ देखा था। ललितकुमार ने मुझे यह कह कर पहचाना कि मैं ही कानपुर से इलाहाबाद को मिस्टर सान्याल के लिए पत्र लेकर उनके पास गया था। सच तो यह है कि न मैं कभी दिल्ली में क्रान्तिकारियों की सभा में गया, न और कहीं, न मैं कभी इलाहाबाद पत्र वाहक बन कर गया। पुलीस के पास इन बयानों का कोई अनुमोदन नहीं है। यह पुलीस की नितान्त मनगढ़न्त है। उन्होंने मुझे क्रान्तिकारी-दल का आदमी सिद्ध करने के लिए यह बनावट की। क्योंकि बिना इसके मेरा बयान उनके लिए व्यर्थ हो जाता। इन लोगों ने मुझे अदालत में पहचान लिया, क्योंकि इन्होंने मुझे अनेक बार पहले क़िले में देखा था और यह पुलीस की पहले की सधी-सधाई बात थी।

सरकारी गवाहों को मेरी पहचान करा दी गई थी

लाहौर कॉङ्ग्रेस की बैठक के पहले, ललित के साक्षी होने के पश्चात मैं पण्डित श्रीकृष्ण की अदालत में पेश किया जाने वाला था। इसी कारण मुझे अपना बयान देने के लिए रोज़ फ़ोर्ट में बुलाया जाता था। पहले दिन जब मैं फ़ोर्ट पहुँच कर ऊपर की मंज़िल में डी० एस० पी० सय्यद अहमद शाह के पास बैठा था, तो इन्स्पेक्टर ख़्वाजा ताजदीन और सब-इन्स्पेक्टर कर्तारशाह भी पास ही थे। इसी समय डी० एस० पी० ने मेरे लिए कुछ मिठाई मँगवाई और पी०एन० घोष और मन-मोहन को भी साथ में खाने के लिए बुलवाया। वे लोग बुलाने के अनुसार आ गए और हम लोगों के पास अनुमान आध घण्टे बैठे रहे और विभिन्न विषयों पर बातें होती रहीं, इसके बाद उन्होंने मुझे कई बार देखा था। दूसरे दिन मैं नीचे धूप में बैठा था, मेरे पास उपर्युक्त आदमियों के अतिरिक्त इन्स्पेक्टर सिद्दीक़अली शाह और सब-इन्स्पेक्टर बाख़ुर-दार ख़ान थे। मैं अपने बयान की पुनरावृत्ति कर रहा था, तब ललितकुमार अदालत जाने के लिए तैयार होकर नीचे उतरा। लेकिन पुलीस की मोटर उस समय नहीं आई थी। इसलिए वह आकर मेरे पास मोटर की प्रतीक्षा में बैठ गया और मोटर आ जाने पर अदालत में गवाही देने गया। इसके उपरान्त भी उसने मुझे अनेक बार फ़ोर्ट में देखा था। इसलिए अगर उसने मुझे पहचान लिया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह शिनाख़्त या पहचान का कैसा सुन्दर तमाशा है। इन तमाम बातों को दृष्टि में रख कर मैंने यह नतीजा निकाला कि किसी भी मुक़दमे में प्रतिवाद किया ही न जाय। पुलिस सर्व-शक्तिमान है, वह झूठे गवाह देती है, गवाहों को पढ़ा कर पेश करती है और झूठे पहिचान की परेडें कराती है। पुलिस जो चाहती है; करती है।

मैं निर्दोष हूँ

असली मुक़दमे में मेरे विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं था, मिस्टर सुरेन्द्रनाथ पाण्डे, जिन पर ऐसा दोषारोपण किया गया था, छोड़ दिए गए। मैं पुलिस को ललकार कर कहता हूँ कि वह मुझे मौलिक मामले में अपराधी सिद्ध करे। १२१ दफ़ा में तो चौदह वर्ष तक की सज़ा है, १९२ में तो ज़्यादा से ज़्यादा ७ साल की ही सज़ा है। किसी को झूठी गवाही में उसी पर अभियोग चलाया जाता है, जबकि मौलिक मामले में अपराध की सज़ा कम हो। वह जान-बूझ कर मुझ पर असली अपराध का मुक़दमा नहीं चला रहे थे, क्योंकि उनके पास मेरे विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है। उन्हें उन अपराधों का प्रमाण अदालत में देना चाहिए, जिनको मैं आरोप करने वाले के कहने के मुताबिक़ जानता हूँ और असली अपराध का ही मुझे दोषी निर्धारित करना चाहिए। अगर वह स्वतन्त्र प्रमाण दे सकते हैं—उन सरकारी गवाहों से नहीं, जिनके मुँह उन्होंने इन बातों को रख दिया है—तो मैं बिना प्रतिवाद किए ही अदालत जो दण्ड देगी उसे शिरोधार्य करूँगा। मेरे विचार में यह कदापि नहीं आया कि मुझे स्वेच्छा-विरुद्ध सरकारी गवाह बनने के अपराध में सज़ा दे देंगे।

अतः परमौलिक अभियोग में उस पर जो अपराध लगाए गए थे, उनका सङ्केत करने के पश्चात् अभियुक्त ने फिर कहना आरम्भ किया—लाला मलिकराज मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान है, उससे यह बात स्पष्ट प्रकट होती है कि बयान मेरा नहीं है बल्कि पुलिस ने बनाकर तय्यार किया है और उसे मुझे इसलिए याद कराया गया है कि मैं उसे मजिस्ट्रेट के सामने दोहरा दूँ। मैंने अभियोक्ता की इच्छानुसार अदालत के सामने झूठी गवाही नहीं दी। मुझ पर अभियोग चलाया जाता है। सत्य तो यह है कि सचाई को दण्ड दिलाने की तदबीर हो रही है। भगवन्! क्या इस घर-विभाग के उच्च अधिकारियों का ऐसा काम करना ईमानदारी है? क्या उनका यह सब उपर्युक्त काम न्यायसङ्गत है? इन सब बातों के देखते हुए क्या जो दण्ड सरदार भगतसिंह और उनके साथियों को दिया गया है, न्यायसङ्गत कहा जा सकता है? क्या अदालत के माननीय जजों का मेरे उस बयान को, जिसमें मुक़द्दमे की सच्ची घटनाओं का मैंने उल्लेख किया था और जेल से जिन बातों की शिकायत की थी, वह अदालत के सामने पेश होने पर पूरा-पूरा न लिखना, न्याय और सत्य से हटना नहीं है? जो बयान मैंने जेल से भेजा था, उसमें इस बात का सूक्ष्म विवरण था कि पुलीस ने किस तरह मुझे झूठा गवाह बनने के लिए मजबूर किया और मुझ पर कितने भारी अत्याचार किए, उसे सबूत में नहीं लिया गया।

क्षमा कैसे किया गया

भगवन्! अब मैं आप से कह देना चाहता हूँ कि क्यों मैंने लाला मलिकराज से अपनी सरकारी गवाह बनने की अनिच्छा प्रकट नहीं की, न यह कहा कि मेरा सम्बन्ध क्रान्तिकारियों से कुछ भी नहीं है और क्यों मैं डिपुटी कमिश्नर के सामने सच-सच बात नहीं कह सका। मैं जानता था कि उन दिनों मिस्टर 'पकिल' लाहौर के डिपुटी कमिश्नर थे, क्योंकि उनके सामने एक बार मुझे रिमाण्ड लेने के लिए पहले पेश किया गया था। मुझे मिस्टर 'पकिल के सामने ले जाने के बदले किसी दूसरे अफ़सर को दिखलाया गया, जिसे मैंने उस वक़्त पुलीस-अफ़सर समझा था। वहाँ से लौटने पर पुलीस ने मुझे बतलाया कि ऐडीशनल डिपुटी मैजिस्ट्रेट ने मुझे माफ़ी दे दी। इसलिए मैं उनसे कुछ न कह सका। मैंने मिस्टर 'लेविस' ए० डी० एम० को कभी नहीं देखा, न मुझे उनकी कोर्ट में कभी ले जाया गया, न मुझसे उनसे कभी बात हुई। अगर मुझे मिस्टर 'लेविस' के पास क्षमा दिलाने के लिए ले जाते और वह मुझसे स्पष्टतया बतलाते कि मुझे सब बात सत्य-सत्य कहनी होगी, तो मैं निश्चय ही उनसे कहता कि किस तरह पुलीस मुझे अपनी इच्छा के अनुसार गवाही देने को ज़ोर डाल रही है और मैं नहीं चाहता। वास्तव में मैंने क्षमा स्वीकार ही नहीं की।

उसी दिन या उसके दूसरे दिन मुझे मिस्टर मलिक-राज मैजिस्ट्रेट के सामने मेरा बयान लिखाने ले गए। जो सब-इन्स्पेक्टर मुझे ले गया था, उसने मुझसे कहा कि वह मैजिस्ट्रेट का रिश्तेदार है। मैं डर गया और समझा कि अगर मैं अपना बयान न लिखाऊँगा तो मैजिस्ट्रेट सब-इन्सपेक्टर का नातेदार होने के कारण, मुझे जुडीशल हवालात में न भेज कर फिर पुलीस के हवाले कर देगा और वहाँ मुझे अनेक प्रकार की यातनाएँ भोगनी पड़ेंगी। यही कारण हैं, जिनसे प्रेरित होकर मैंने पुलीस के तैयार किए हुए बयान को अपना बयान कह कर लिखाया।

पुलिस का सरकारी गवाह पर सन्देह

यद्यपि मैंने अपना बयान दे दिया था, फिर भी पुलिस को सन्देह था कि मैं अपना बयान वापस कर लूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे अदालत के सामने सच्ची गाथा कह देने के लिए धोखा दिया था। इसीलिए उन्होंने मुझे पण्डित श्रीकृष्ण के सामने नहीं पेश किया, यद्यपि दूसरे पाँच सरकारी गवाहों की साक्षी हो चुकी थी, लेकिन मेरी पेशी २० अगस्त सन् १९३० तक रोक रक्खी गई। अदालत (ट्रिब्यूनल) के सामने भी मुझे सबके बाद पेश किया गया था। यह बात पुलीस ने जान-बूझ कर की थी कि कहीं ऐसा न हो कि दूसरे सरकारी गवाह भी अपने बयान वापस कर लें। जब मुझे अदालत के सामने पेश किया गया, तो मैंने सब सच-सच कह दिया, क्योंकि तभी मैं अदालत के सामने पहुँचा था और तभी उससे इस बात की प्रार्थना कर सकता था कि मुझे पुलीस की हवालात से हटाकर जुडीशल हवालात में रक्खा जाय और मेरी रक्षा की जाय। मैं क्षमा की शर्त तोड़ने का दोषी होता और ईश्वर और मनुष्य दोनों के सामने अपराधी ठहरता, अगर मैं उसी बयान पर अड़ा रहता, जो मैंने अत्याचार से दब कर लाला मलिकराज मैजिस्ट्रेट के सामने दिया था। मिस्टर मलिकराज ने ६ बजे सायङ्काल में मेरा बयान पुलीस की इच्छा के अनुसार लिख कर मेरे भय को परिपुष्ट कर दिया, इसके बाद उन्होंने मुझसे पुलीस के सिखलाए बयानों की कई बातों पर जिरह की, जिसके लिए मैं निस्सन्देह ज़िम्मेवार नहीं हो सकता। फिर मैजिस्ट्रेट ने मुझे पुलीस सब-इन्स्पेक्टर के हवाले कर दिया, साथ ही उसे दोनों बयान दे दिए। उनमें एक तो वह था, जो पुलीस से उन्हें मिला था, जिसके आधार पर उन्होंने जिरह की थी और दूसरा वह था, जो इन्होंने स्वयम् लिखा था। भगवन्! अब आप को ज्ञात होगा कि मैं लगातार अदालत के सामने आने तक भयभीत रहा। अदालत में मैंने तीन जज बैठे देखे, उन्होंने मुझसे निर्भय होकर सत्य बोलने को कहा और श्रीमन्! मैंने ऐसा ही किया। अब मुझे दण्ड देना सत्य

(शेष मैटर २९वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

लाहौर षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

ता० ६ अगस्त को दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अभियुक्त सुखदेवराज के अन्य क़ैदियों के साथ रहने के सम्बन्ध में फिर बहस हुई।

अदालत ने सरकारी वकील से कहा कि अभियुक्त सुखदेवराज को षड्यन्त्र केस के अन्य अभियुक्तों के साथ रहने की इजाज़त देने में क्या हानि है?

सरकारी वकील ने कहा कि मैं गवर्नमेण्ट की आशङ्काओं को नहीं बतला सकता, परन्तु यह कह सकता हूँ कि अभियुक्त सुखदेवराज को अन्य अभियुक्तों से अलग रखना जेल की नियम की रक्षा के लिए आवश्यक है। जेल-मैनुअल के ६८ और ६९ पैरा का हवाला देते हुए, आपने कहा कि सुपरिण्टेण्डेण्ट इस प्रकार की आज्ञा दे सकता है। आपने कहा कि जेल स्वतन्त्र व्यक्ति का मकान नहीं है। क़ैदियों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है।

सुखदेवराज अपने साथी क्रान्तिकारियों के साथ रहने की आवश्यकता पेश कर सकते हैं, परन्तु जेल के नियम की दृष्टि से उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती।

साथ रहने का तात्पर्य यह नहीं है कि साथ रहने वालों की रुचियों में समानता हो। यह आवश्यक नहीं है कि अच्छी श्रेणी के विचाराधीन क़ैदी केवल अच्छी ही श्रेणी के क़ैदियों के साथ रक्खे जायँ।

अभियुक्त सुखदेवराज ने सरकारी वकील की बहस का उत्तर देते हुए कहा कि सरकारी वकील ने जेल-मैनुअल के ६८ और ६९ पैराग्राफ़ों के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, वह ठीक नहीं है। सुपरिण्टेण्डेण्ट उन पैराग्राफ़ों के अनुसार तब तक कोई हुक्म नहीं निकाल सकते, जब तक कि उस हुक्म का जेल-मैनुअल की अन्य दफ़ाओं से सामञ्जस्य न हो।

गवर्नमेण्ट की आशङ्का के प्रश्न के सम्बन्ध में अभियुक्त सुखदेवराज ने कहा कि जब तक सरकारी वकील उस विषय में पूरी बात अदालत के सामने न पेश कर दें, तब तक अदालत का कर्तव्य है कि वह सरकारी वकील की कही हुई बातों पर कोई ध्यान न दे। गवर्नमेण्ट को स्पष्ट होकर सामने आना चाहिए और उन सब बातों को अदालत के सामने प्रकट कर देना चाहिए जो कि उसके पास हों। अभियुक्त सुखदेवराज ने कहा कि मैं जीवन में प्रथम बार सेण्ट्रल जेल में लाया गया हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे विरुद्ध जेल के नियम भङ्ग होने की आशङ्का किस आधार पर की जा रही है। सरकारी वकील ने अदालत से कहा है कि अभियुक्त सुखदेवराज को क्रान्तिकारी साथियों के साथ रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यह बात स्पष्ट है कि राजनीतिक कारणों से हम लोग साथ रहने की बात नहीं सोचते। मैं राजनीतिक कारणों के आधार पर किसी सुविधा की प्रार्थना नहीं करता। मेरा कहना यह है कि गवर्नमेण्ट ऐसे कारणों के आधार पर हुक्म निकाल रही है जो कि उसके उपयुक्त नहीं हैं। सुखदेवराज ने गवर्नमेण्ट के बनाए नियमों का हवाला देकर यह दिखलाया कि साथ रहने का अर्थ यह है कि साथियों में रुचि की समानता हो। साथ रहने वालों में परस्पर साथ रहने की इच्छा हो। जो तीन 'सी' क्लास के विचाराधीन क़ैदी मेरे साथ रोज़ रहने के लिए भेजे जाते हैं, वे मेरे पास आने से इन्कार कर सकते हैं। सम्भव है वे मेरा साथ न चाहते हों।

अभियुक्त सुखदेवराज ने कहा कि सरकारी वकील ने कई दिन तक अदालत की कार्रवाई स्थगित रहने के बाद, अदालत के सामने आज जो बात बतलाई है वह कोई विशेष बात नहीं है। वास्तव में गवर्नमेण्ट ने इस विषय में कुछ बतलाने से इन्कार कर दिया है। यही बात हाईकोर्ट के सामने और इस अदालत के सामने आज से बहुत दिन पहले कही जा चुकी है। उस बात के कहने पर भी हाईकोर्ट ने और स्पेशल ट्रिब्यूनल ने अपने फ़ैसलों में अभियुक्त की हिरासत ग़ैर-क़ानूनी बतलाया था।

प्रेज़िडेण्ट ने सुखदेवराज से पूछा कि क्या तुम 'सी' क्लास के विचाराधीन क़ैदियों के साथ रहना स्वीकार करोगे?

सुखदेवराज ने कहा कि यह बात पहले की अपेक्षा क़ानून के अधिक अनुकूल मालूम होती है।

अदालत से मेरी प्रार्थना है कि इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं बोर्स्टल जेल में भेज दिया जा सकता हूँ, जहाँ अच्छी श्रेणी के विचाराधीन क़ैदी मिल सकते हैं।

अदालत ने फ़ैसला स्थगित रक्खा है।

ता० ७ अगस्त को दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अभियुक्त सुखदेवराज के मामले में सबूत-पक्ष की ओर से गवाहों की गवाहियाँ हुईं।

अभियुक्त सुखदेवराज ने सबूत की ओर के गवाह शेख़ मोहम्मदरशीद मैजिस्ट्रेट से जिरह की, अभियुक्त ने अदालत से कहा कि—"मैं यह दिखलाना चाहता हूँ कि ऐसे भी मैजिस्ट्रेट हैं जो सरकार के हाथ के अस्त्र हैं और वे उसके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। उपस्थित गवाह वैसे ही मैजिस्ट्रेटों में एक हैं।" मैजिस्ट्रेट की गवाही दो मिनट में समाप्त हो गई थी, परन्तु जिरह में आधा घण्टा से अधिक लग गया।

अदालत की कार्रवाई के प्रारम्भ होने पर पहले स्पेशल ट्रिब्यूनल ने अभियुक्त सुखदेवराज की उस अर्ज़ी पर फ़ैसला सुनाया। जिसमें अभियुक्त सुखदेवराज को अच्छी श्रेणी के क़ैदियों के साथ रहने की आज्ञा देने की प्रार्थना की गई थी। फ़ैसला इस प्रकार था :—

"अभियुक्त सुखदेवराज ने एक अर्ज़ी पेश की है, जिसमें कहा है कि ट्रिब्यूनल के २० जुलाई के हुक्म के पालन करने के लिए जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट ने मेरी ग़ैर-क़ानूनी हिरासत के सम्बन्ध में जो उपाय ग्रहण किए हैं, वे ग़ैर-क़ानूनी हैं। अभियुक्त ने प्रार्थना की है कि या तो मुझे अच्छी श्रेणी के क़ैदियों के साथ रहने की आज्ञा दी जाय या ज़मानत पर छोड़ दिया जाय।

"हम लोगों ने अभियुक्त और सरकार दोनों ओर की बहस सुन ली है। हमारी राय में जेल-अधिकारियों की कार्रवाई जेल के किसी क़ानून के किसी नियम के विरुद्ध नहीं है। न्याय की दृष्टि से कुछ कहा जा सकता है कि जेल-अधिकारियों ने जिस ढङ्ग से क़ानून का पालन किया है, वह शाब्दिक अधिक है। परन्तु २० जुलाई के हुक्म के अनुसार यह स्पष्ट है कि अभियुक्त की हिरासत केवल क़ानून के शब्दों के अनुसार ग़ैर-क़ानूनी थी। वास्तव में परिस्थितियों के अनुसार उसमें कोई विशेष कठिनाई नहीं थी। इस वक़्त अभियुक्त की स्थिति पहले से अच्छी हो गई है, क्योंकि जेल में अब वह षड्यन्त्र के अन्य अभियुक्तों से सप्ताह में क़रीब चार बार मिल सकता है।

दो मुख्य बातें

"अभियुक्त की ओर से दो मुख्य बातें कही गई हैं। पहली बात यह है कि अभियुक्त को अच्छी श्रेणी के क़ैदियों के साथ रहने का अधिकार है। दूसरी बात यह है कि अभियुक्त के रहने के स्थान पर प्रतिदिन कुछ साधारण क़ैदियों को साथ रहने के लिए ले जाने से क़ानून के अनुसार साथ रहने की पूर्ति नहीं होती। अभियुक्त का दावा है कि उसे चौबीस घण्टा स्वतन्त्र और अबाधित साथ रहने का अधिकार होना चाहिए।

"दूसरी बात से हम असहमत हैं। जेल-मैनुअल के ५७७ नियम के अनुसार यह स्पष्ट है कि साधारणतया क़ैदी सूर्यास्त से सूर्योदय तक अपनी कोठरियों या बैरकों में बन्द रक्खे जाते हैं। इस वक़्त के बीच में एकान्त कोठरियों में रहने वाले क़ैदी स्वभावतः अकेले रहते हैं। अभियुक्त किसी भी विचाराधीन क़ैदी के साथ रहने के लिए दावा नहीं पेश कर सकता। ऐसा असम्भव होगा, क्योंकि मुझे ख़बर मिली है कि तीन बैरकों में ५०० विचाराधीन क़ैदी हैं। हमारी राय में यह मानते हुए भी कि साधारण विचाराधीन क़ैदियों के साथ रहना क़ानून से उचित है। अभियुक्त के रहने के स्थान पर तीन-चार क़ैदियों को उसके साथ सूर्योदय से सन्ध्या तक रहने के लिए भेज देने का नियम ग़ैर-क़ानूनी नहीं है। इस सम्बन्ध में अभियुक्त की अर्ज़ी में ३२ पैराग्राफ़ में जिन बातों का सरकारी वकील ने ज़िक्र किया है, जिनको अभियुक्त ने स्वीकार किया है कि वे सुनी हुई बातें हैं और उन हुक्मों को व्यावहारिक रूप नहीं दिया गया।

"अब हम अभियुक्त की पहली बात पर विचार करते हैं। प्रिज़न ऐक्ट की ६० दफ़ा के अनुसार बने हुए विशेष नियमों की दफ़ा दो के आधार पर अभियुक्त ने कहा है कि मेरी हैसियत 'ए' क्लास के क़ैदियों की है। हम इस बात को निश्चित रूप से मानने के लिए तैयार नहीं हैं, परन्तु बहस के लिए माने लेते हैं। अभियुक्त का कहना है कि मैं दूसरे क़ैदियों से अलग, परन्तु अपनी श्रेणी के क़ैदियों के साथ रक्खा जाऊँ। इसका अर्थ यह है कि अभियुक्त एकान्त कोठरी में अच्छी श्रेणी के क़ैदियों के साथ रहना चाहता है। सेण्ट्रल जेल में अच्छी श्रेणी के क़ैदी केवल इस षड्यन्त्र केस के क़ैदी हैं। इसका अर्थ यह है कि अभियुक्त उनके साथ रहे।

"परन्तु जेलों के इन्स्पेक्टर-जनरल ने जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट के उस हुक्म को बदल दिया है, जिसके अनुसार अभियुक्त को अन्य क़ैदियों के साथ रहने की इजाज़त मिल गई थी। जेलों के इन्स्पेक्टर-जेनरल ने हुक्म दिया है कि अभियुक्त सुखदेवराज उनसे अलग रक्खा जाय। अगर यह हुक्म ठीक है तो अभियुक्त के लिए जेल में अच्छी श्रेणी के क़ैदियों का प्रश्न ही नहीं रहता। ग़ैर-क़ानूनी हिरासत से बचाने के लिए अभियुक्त को साधारण विचाराधीन क़ैदियों के साथ रहने की इजाज़त रहनी चाहिए।

(२८वें पृष्ठ का शेषांश)

बोलने के लिए दण्ड देना होगा और मैं समझता हूँ, क़ानून का यह मन्तव्य नहीं है।

जो बयान मुझसे पुलीस दिलवाना चाहती थी, वह दो आदमियों के विरुद्ध होता था अर्थात् विजयकुमार सिंह और सुरेन्द्र पाण्डे। सरकारी वकील ने अदालत के सामने बयान किया था कि सुरेन्द्र पाण्डे के विरुद्ध मेरे पास और कोई प्रमाण नहीं है और पाण्डे बरी किया गया। इनके छूटने के समय तक मेरा बयान नहीं हुआ था। इससे भी ज़ाहिर है कि अभियोक्ता-पक्ष को स्वयम् मेरे बयानों पर भरोसा न था।"

❀ ❀ ❀

इन्स्पेक्टर-जनरल का हुक्म

"हम नहीं समझते कि इन्स्पेक्टर-जनरल के हुक्म का विरोध करना कहाँ तक क़ानून की दृष्टि से उचित हो सकता है। सरकार की ओर से कहा गया है कि ऐसे निश्चित कारण मौजूद हैं, जिनसे सन्देह होता है कि अभियुक्त सुखदेवराज को अन्य अभियुक्तों के साथ रखने से जेल का विनयन भङ्ग होने की आशङ्का है। हमें इस बात से मतलब नहीं है, कि सरकार उन कारणों को या जहाँ से वे मालूम हुए हैं, उन ज़रियों को बतलाना नहीं चाहती। अभियुक्त-पक्ष की ओर से ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है, जिससे सरकारी वकील के इस कथन में कि इन्स्पेक्टर-जनरल ने जो कुछ किया है वह क़ानून के अनुसार किया है, हम कोई सन्देह कर सकें। मैनुअल के ६८ नियम में "आवश्यक और उपयुक्त" शब्द लिखे हुए हैं। उन शब्दों का तात्पर्य यह है कि जिस अधिकारी ने हुक्म निकाला हो उसकी दृष्टि में वह आवश्यक और उपयुक्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त और दूसरा उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं हो सकता। हमारी राय में जेल-अधिकारी द्वारा निकाले गए हुक्म में अदालत तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि यह न प्रमाणित कर दिया जाय कि वह हुक्म अधिकारी ने मन की तरङ्ग में आकर निकाल दिया है या उस हुक्म को उसने अपनी सम्मति से नहीं निकाला। यह बात इस मामले में प्रमाणित नहीं की गई। हम समझते हैं कि सरकार ने जिन कारणों से अभियुक्त को अन्य अभियुक्तों से अलग रक्खा है, उनको प्रकट करने के लिए ज़ोर देने और उनके आधार पर यह निर्णय करने से कि अधिकारी के सामने हुक्म निकालने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ मौजूद थीं या नहीं, कोई मतलब न सिद्ध होगा। वैसा करने का तात्पर्य यह होगा कि इस अदालत की सम्मति में उस हुक्म का निकालना आवश्यक नहीं था। परन्तु अधिकारी को अपनी सम्मति के अनुसार हुक्म निकालने का अधिकार है, अदालत की सम्मति के अनुसार नहीं। किसी भी अदालत को ऐसे हुक्म को केवल इस कारण से नामञ्ज़ूर कर देना चाहिए कि यदि उसे सरकार की ओर के कारण मालूम होते तो उसने उस हुक्म का निकालना उचित न समझा होता।

क़ानूनन् उचित है

"इसलिए हमारे पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इन्स्पेक्टर-जनरल ने सरकार की ओर के कारणों के जाने बिना हुक्म निकाल दिया है या उन्होंने ६८ नियम के अनुसार हुक्म निकालना आवश्यक नहीं समझा। हम इन्स्पेक्टर-जनरल के हुक्म को क़ानूनन् उचित समझते हैं। विशेषकर ऐसी परिस्थिति में जब कि यह नहीं प्रमाणित किया गया कि वह किस क़ानून के विरुद्ध है।

"इसलिए हमारा निर्णय है कि जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट ने हमारे २६ जुलाई के हुक्म को जिस तरह से पालन किया है, वह किसी प्रकार ग़ैर-क़ानूनी नहीं है और पहले क़ानून के शब्दों के अनुसार जो ग़ैर-क़ानूनीपन था, वह भी दूर कर दिया जा चुका है।

"निस्सन्देह अभियुक्त के अन्य अभियुक्तों के साथ रखने के लिए अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए वह साधारण विचाराधीन क़ैदियों के बैरक में रक्खा जा सकता है, परन्तु यह देखते हुए कि जो उपाय ग्रहण किया गया है उसमें कोई ग़ैर-क़ानूनीपन नहीं है, हमें कोई आदेश देने का अधिकार नहीं है।

"ज़मानत के विषय में ज़ोर नहीं दिया गया। हम ज़मानत के लिए कोई कारण नहीं देखते।

"इसलिए हम अर्ज़ी नामञ्ज़ूर करते हैं।"

अर्ज़ी पर फ़ैसला सुना देने के बाद ट्रिब्यूनल ने सबूत के गवाहों की गवाहियाँ दर्ज करना प्रारम्भ किया।

सनातन-धर्म कॉलेज के प्रोफ़ेसर कैलाशनाथ की गवाही के बाद लाहौर के फ़र्स्ट क्लास के मैजिस्ट्रेट मि० मोहम्मदरशीद ने कहा कि १६ मई, सन् १९३१ को एडिशनल मैजिस्ट्रेट ने मुझे अभियुक्त सुखदेवराज की शनाख़्त की कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। लाहौर के कर्तारसिंह ने अभियुक्त की शनाख़्त की थी और कहा था कि मैंने अभियुक्त को मुख़बिर इन्द्रपाल के यहाँ आते हुए देखा था।

जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि शनाख़्त के लिए मुझे एडिशनल मैजिस्ट्रेट के पास से टेलीफ़ोन से ख़बर मिली थी या लिखा हुआ हुक्म मिला था। अगर टेलीफ़ोन से ख़बर मिली होगी तो या तो मैं अदालत में रहा हूँगा या घर से लाहौर फ़ोर्ट चला गया हूँगा। शनाख़्त की परेड के पहले मैंने अभियुक्त के पास शनाख़्त के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं भेजी थी। मैं यह नहीं कह सकता कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एडिशनल मैजिस्ट्रेट ने ऐसी कोई सूचना भेजी थी या नहीं। मुझे यह मालूम नहीं कि अभियुक्त ने शनाख़्त के समय अपने वकील की उपस्थिति के लिए प्रार्थना की थी। अगर अभियुक्त ने ऐसी प्रार्थना की होती तो यह सम्भव नहीं है कि मैंने उसे नामञ्ज़ूर कर दिया होता।

गवाह ने कहा कि जिन व्यक्तियों के साथ अभियुक्त मिला दिया गया था वे बाद में लाए गए थे। मैंने उन व्यक्तियों और पुलीस के आदमियों के बीच बातचीत रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया। मैं कह नहीं सकता कि उन व्यक्तियों के भी अभियुक्त की तरह छोटी-छोटी मूँछें और दाढ़ियाँ थीं या नहीं।

गवाह ने कहा कि लाहौर में उसी कमरे में मैंने पुलीस को अभियुक्त की हिरासत के लिए १५ दिन की मोहलत दी थी। गवाह ने कहा कि मुझे वह केस नहीं मालूम, जिसमें मैंने अभियुक्त को पुलीस की हिरासत में रखने के लिए मोहलत दी थी। अभियुक्त के यह बतलाने पर कि वह केस ताज़ीरात हिन्द की दफ़ा ३०७ और आर्म्स-ऐक्ट का था। गवाह को केस की याद आ गई। गवाह ने कहा कि एक सी० आई० डी० अफ़सर के साथ मैं अभियुक्त की कोठरी में मोहलत देने के लिए गया था।

दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस की सुनवाई आज ता० १० अगस्त को स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने फिर पेश हुई।

अभियुक्तों की ओर से मि० श्यामलाल ने अदालत से कहा कि अभियुक्तों को जेल में अर्ज़ी लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती। इसलिए उन्हें अदालत में लिखने की इजाज़त दी जाय। अदालत ने इजाज़त दे दी।

अभियुक्तों ने अदालत से यह भी शिकायत की कि हम लोग कोठरियों में बन्द कर दिए गए हैं और सफ़ाई देने की सम्पूर्ण सुविधाएँ हटा ली गई हैं।

इस पर ट्रिब्यूनल ने जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट को लिखा कि जहाँ तक सम्भव हो, अभियुक्तों को सफ़ाई की सुविधा देनी चाहिए।

इसके बाद अभियुक्तों ने जेल की शिकायतों के सम्बन्ध में शपथ-पत्र पेश किए। अर्ज़ी पहले ही दी जा चुकी थी। अदालत ने सरकारी वकील को सूचना देते हुए अर्ज़ी पर बहस करने के लिए ता० १९ अगस्त नियत की।

भागराम ने बीमार होने के कारण अपनी तरफ़ से पैरवी के लिए किसी को नियुक्त करने से इन्कार कर दिया और अपने लिए उपयुक्त रीति से औषधि के प्रबन्ध करने के लिए प्रार्थना की।

इसके बाद डॉक्टरी के विशेषज्ञों की रिपोर्ट का विरोध किया गया। अभियुक्त-पक्ष ने अदालत से कहा कि भागराम का एक पैर और एक हाथ लक़वे के कारण बेकाम हो गया है, ऐसी हालत में यह नहीं कहा जा सकता कि भागराम बीमार नहीं है। भागराम की डॉक्टरी-परीक्षा किसी दूसरे डॉक्टरी के विशेषज्ञ से कराई जाय।

निश्चय हुआ कि अभियुक्त की जाँच करने के लिए डॉ० निहालचन्द सीकरी नियुक्त किए जायँ।

इसके बाद सरकारी वकील से जाँच के लिए इजाज़त प्राप्त करने के लिए कहा गया। अभियुक्त भागराम की अनुपस्थिति में मामले की कार्रवाई प्रारम्भ न हो सकने के कारण ता० १९ अगस्त के लिए अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

ता० १० अगस्त को सय्यद बशीर हैदर मैजिस्ट्रेट के सामने दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्त भागराम का मामला पेश हुआ। अनशन करने के अपराध में अभियुक्त भागराम के विरुद्ध सेण्ट्रल जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट मेजर एस० डी० सोंधी ने प्रिज़न एक्ट की दफ़ा ५२ के अनुसार यह मामला चलाया है।

जबकि मैजिस्ट्रेट रायबहादुर पण्डित उशालाप्रसाद और सी० आई० डी० के डी० एस० पी० सरदार प्रतापसिंह मेजर सोंधी से बातचीत करने में लगे हुए थे, उसी समय सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल, अमोलकराम कपूर और अमरनाथ मेहता भागराम से मुलाक़ात कर रहे थे। मामले की कार्रवाई डिप्टी-सुपरिण्टेण्डेण्ट के कमरे में प्रारम्भ हुई।

प्रारम्भ में अभियुक्त-पक्ष ने क़ानून का हवाला देते हुए कहा कि मैजिस्ट्रेट प्रान्तीय गवर्नमेण्ट की आज्ञा के बिना जेल के अन्दर अदालत की कार्रवाई नहीं प्रारम्भ कर सकता।

सरकारी वकील ने कहा कि यह बात ठीक है, परन्तु डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पूछना चाहिए कि इस प्रकार की कोई आज्ञा आई है या नहीं।

इसी समय मेजर सोंधी अदालत से चले गए और कुछ मिनटों के बाद वापस आ गए, आपने मैजिस्ट्रेट से कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने टेलीफ़ोन से आवश्यक इजाज़त दे दी है।

मि० अमोलकराम कपूर ने कहा कि मेजर सोंधी द्वारा लाई गई टेलीफ़ोन की ख़बर प्रान्तीय गवर्नमेण्ट की उपयुक्त और क़ानूनी आज्ञा नहीं है।

मैजिस्ट्रेट ने कहा कि यह बिल्कुल काफ़ी है।

इस पर सफ़ाई के वकील ने एक अर्ज़ी पेश की, जिसमें इस प्रकार से प्राप्त प्रान्तीय गवर्नमेण्ट की आज्ञा के औचित्य का विरोध किया गया और टेलीफ़ोन द्वारा उपरोक्त आज्ञा के सम्बन्ध में मेजर सोंधी से शपथ लेकर गवाही देने के लिए कहा गया। यह भी कहा गया कि मि० सोंधी से शपथ लेकर पूछा जाय कि अभियुक्त अदालत में हाज़िर होने लायक़ है या नहीं।

(क्रमशः)

दिल्ली षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

ता० ३० जुलाई को दिल्ली षड्यन्त्र केस में मि० बोस की जिरह के उत्तर में मुख़बिर कैलाशपति ने कहा कि मैं दिल्ली से कानपुर जनवरी के तीसरे सप्ताह में गया था। आज़ाद रामसिंह के मकान पर आए थे और मुझे सिविल अस्पताल ले गए थे। वहाँ मैं हामिद के कमरे में पहुँचाया गया था। आज़ाद ने हामिद को वीरभद्र तिवारी को लाने के लिए भेजा। वे आधा घण्टा में आ गए। मैंने तिवारी से लाहौर काँग्रेस और प्रतुल गाङ्गुली के विषय में बातचीत की। वीरभद्र तिवारी ने हामिद को कुछ पर्चे लाने के लिए भेजा, जोकि वह पन्द्रह या बीस मिनट में ले आया। तिवारी ने कहा था कि हामिद दल में कार्य कर रहा है। किसी ने हामिद से मेरा परिचय नहीं कराया था। मुझे मालूम है कि हामिद गिरफ़्तार करके दिल्ली लाया गया था। मैं लाहौर फ़ोर्ट में उसकी शनाख़्त करने के लिए गया था। मैं उस समय फ़ोर्ट में बैरक में रहता था।

मुख़बिर ने कहा कि असली घी-स्टोर्स के मालिक चम्पालाल और जोतीप्रसाद दो भाई मेरे परिचित थे। मैं अपने पत्र आदि हमेशा असली घी-स्टोर्स के पते पर मँगाया करता था। चम्पालाल मेरा असली नाम नहीं जानता था। वह मुझे शीतल के नाम से जानता था।

इसी बीच में रुद्रदत्त ने कहा—लाला शङ्करलाल को मालूम था, जिन्होंने तुम्हें अपने दफ़्तर से निकाल दिया था।

इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि मैं जोतीप्रसाद से भारत की स्वाधीनता सरीखे साधारण राजनीतिक प्रश्नों पर बातचीत किया करता था। मैं और जोतीप्रसाद इस बात में सहमत थे कि हिन्दुस्तान को स्वाधीन होना चाहिए। एप्रिल, मई या जून, सन् १९३० में मैंने जोतीप्रसाद से षड्यन्त्र सम्बन्धी बातें की थीं। दोनों इस बात से सहमत थे कि हिन्दुस्तान को क्रान्तिकारी उपायों से स्वतन्त्र करना चाहिए। मुझे यह याद नहीं है कि मैंने उनसे दिल्ली में षड्यन्त्रकारी दल होने की बात कही थी या नहीं, परन्तु जोतीप्रसाद षड्यन्त्रकारी दल होने की बात जानते थे। मैं जोतीप्रसाद से दल की बातें किया करता था, परन्तु उन्हें दल के रहस्य कभी नहीं बतलाए। जोतीप्रसाद सदस्यों के नाम नहीं जानते थे, परन्तु वे यह जानते थे कि मैं दिल्ली के दल का प्रधान हूँ।

प्र०—क्या यह बतलाना दल के नियमों के विरुद्ध नहीं है और क्या यह गुप्त बात नहीं है?

उ०—यह दल के विरुद्ध है, परन्तु यह बात मैंने नहीं बतलाई थी। मेरा ख़्याल है कि यह बात विमल ने जोतीप्रसाद से बतलाई होगी।

गाडोदिया स्टोर की डकैती

भवानीसिंह, भवानीसहाय, आज़ाद, हज़ारीलाल, काशीराम, एन० के० निगम, विमलप्रसाद जैन और सम्भवतः कुछ अन्य सदस्य जोतीप्रसाद को जानते थे। जोतीप्रसाद उनको हमारे दल के सदस्य होने का सन्देह करते थे। जोतीप्रसाद गाडोदिया स्वदेशी स्टोर डकैती के विषय में जानते थे। मैंने उन्हें दल के कार्य के विषय में बतलाया था।

प्र०—क्या यह दल के नियमों के विरुद्ध नहीं है?

उ०—नहीं, क्योंकि ऐसी ख़बरें देकर मुझे उनकी सहानुभूति अपनी ओर आकर्षित करनी थी।

प्र०—क्या दल के लूट आदि के कार्य गुप्त कार्य नहीं हैं?

उ०—परन्तु उन कार्यों का महत्व कार्य हो जाने पर कम हो जाता है।

प्र०—क्या दल के नियमों में यह बात लिखी हुई है?

उ०—यह साधारण समझ की बात है।

प्र०—क्या तुमने जोतीप्रसाद को दल का सदस्य बनाने का प्रयत्न किया था?

उ०—मैंने उन्हें इसके लिए उपयुक्त नहीं समझा।

प्र०—क्यों?

उ०—क्योंकि वे गृहस्थी के मामलों में व्यस्त थे।

मुख़बिर ने कहा कि मैं जोतीप्रसाद से आर्थिक सहायता की आशा करता था। मैंने उनसे २५० रुपए लिए थे और अन्य अवसरों पर भी बहुत रुपया लिया था। मैं अक्सर जोतीप्रसाद के पास उनकी दूकान पर जाया करता था और षड्यन्त्रकारी विषयों पर बातें किया करता था।

इसके बाद अदालत जलपान के लिए स्थगित हो गई।

जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर मि० बोस की जिरह के प्रश्न के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि हम लोगों ने नालगढ़ा में रामचन्द्र शर्मा से एक बन्दूक़ ख़रीदने के लिए दिल्ली आने के लिए कहा था। नालगढ़ा को हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का केन्द्र बनाने का निश्चय शर्मा की राय से किया गया था। शर्मा से कहा गया था कि दल का उद्देश्य सशस्त्र विप्लव द्वारा सोशलिस्ट प्रजातन्त्र स्थापित करने का था। शर्मा खड़ी बावली में असली घी स्टोर में ठहरे थे। मुख़बिर ने कहा कि संयोग से मैं विमलप्रसाद के घर गया और वहाँ शर्मा से मिला। मैंने शर्मा से कहा कि दूसरे दिन मैं बन्दूक़ ख़रीदने के लिए रुपया लाऊँगा। दूसरे दिन मैंने बन्दूक़ ख़रीदने के लिए शर्मा को १५० रुपया दिए थे। उस दिन बन्दूक़ ख़रीदने का कार्य स्थगित कर दिया गया, क्योंकि बन्दूक़ ख़रीदने के लिए शर्मा के साथ आज़ाद भी जाना चाहते थे। बन्दूक़ ख़रीदी जाने के बाद मैंने उसे देखा था। नालगढ़ा में शर्मा के पास तीन बन्दूक़ें थीं। दो देश की बनी हुई थीं और एक हैमरलेस थी।

जब बी० एस० ए० मोटर साइकिल के हिस्से, जो कि वायसरॉय की ट्रेन उड़ाने के कार्य में इस्तेमाल की गई थी, शर्मा को दिए गए तब वे जानते थे कि वे हिस्से उसी मोटरसाइकिल के थे। उस समय तक वे दल के सदस्य नहीं थे। मैं दल के सभी मामलों को शर्मा के साझीदार ब्रह्मानन्द से गुप्त रखता था। मोटरसाइकिल के सम्बन्ध की सब बातें ब्रह्मानन्द से गुप्त रक्खी गई थीं।

गोली-बारूद की ख़रीद

मुख़बिर ने कहा कि मुझे याद नहीं है कि दल के इस्तेमाल के लिए कितनी बार गोली-बारूद ख़रीदी गई थी। दिल्ली केन्द्र में आठ या दस बार गोली-बारूद ख़रीदी गई थी। मुझे ठीक तारीख़ें या उनकी तादाद याद नहीं है। मेरी मौजूदगी में कभी गोली-बारूद नहीं ख़रीदी गई। मैंने गोली चलाने के अभ्यास में दो बार भाग लिया था, एक बार अजमेर में और एक बार नालगढ़ा में।

इसी बीच में मि० बोस ने मुख़बिर द्वारा १० नवम्बर को पुलीस के सामने दिए गए बयान को पढ़ कर सुनाया और पूछा कि उस बयान में तुमने निम्नलिखित शब्द कहे थे या नहीं, "ब्रह्मानन्द से कोई बात गुप्त नहीं रक्खी जाती थी।" मुख़बिर ने कहा कि मुझे याद नहीं है। मि० बोस ने कहा कि मुख़बिर के बयानों में परस्पर विरोधी बातें हैं। मि० बोस ने मुख़बिर की कही हुई अन्य बातों के सम्बन्ध में भी यह दोष प्रमाणित करने की चेष्टा की। आपने कहा कि मुख़बिर ने आज अपने बयान में कहा है कि शर्मा के अतिरिक्त दल के किसी सदस्य के पास लाइसेन्स नहीं था। मुख़बिर ने पुलीस के सामने दिए गए बयान में कहा था कि अभियुक्त विमलप्रसाद जैन के पास बन्दूक़ का लाइसेन्स था, जिससे वह बम बनाने के लिए गनकाटन ख़रीद लिया करता था। मुख़बिर ने कहा कि मैंने ऐसा बयान दिया था।

आगे जिरह के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि मैं यशपाल से अभियुक्त निगम के मकान पर २ जनवरी को मिला था। भगवतीचरण उस दिन नहीं आए थे, लेकिन आज़ाद मौजूद थे। यशपाल ने वायसरॉय की ट्रेन उड़ाने का विवरण बतलाया। अभियुक्तों में बड़ी हँसी हुई, जब मुख़बिर ने कहा कि बटन पुराने क़िले की तरफ़ से दबाई गई थी। मुख़बिर ने कहा कि मुझे याद नहीं है कि मैंने यशपाल से ज़मीन के अन्दर लगाए गए तारों और बम के फ़िट करने वाले व्यक्ति के विषय में पूछा था या नहीं। जिस बम का प्रयोग किया गया था वह विशेष प्रकार का था, परन्तु मैं उस बम या बिजली के बटन के विषय में विशेष विवरण नहीं जानता।

मुख़बिर ने कहा कि पूर्व निर्णय के अनुसार मैं ७ जनवरी को कुदसिया बाग़ में यशपाल से फिर मिला था। उस दिन शाम को भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में विचार करने के लिए दल की एक सभा की गई थी। सभा में आज़ाद, भगवतीचरण, मैं और यशपाल उपस्थित थे। और दूसरे सदस्यों को निमन्त्रण नहीं दिया गया था। भगवतीचरण ने प्रस्ताव किया कि लाहौर काँग्रेस के प्रस्ताव के उत्तर में २६ जनवरी को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर पर्चे वितरित किए जावें।

ता० १३ जुलाई को दिल्ली षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने एक सनसनीदार बात हो गई। इन्स्पेक्टर सिनट ने "हिन्दुस्तान टाइम्स" के प्रतिनिधि मि० चमनलाल के विरुद्ध दोष लगाया कि वे सफ़ाई के वकील मि० बलजीतसिंह के द्वारा अभियुक्त से बातचीत कर रहे हैं।

अभियुक्त और सफ़ाई के वकील ने इस दोषारोपण का घोर विरोध किया और अदालत से कहा कि इन्स्पेक्टर पर अदालत की तौहीन करने का मामला चलाया जाय।

वास्तविक बातें

"हिन्दुस्तान टाइम्स" के प्रतिनिधि के कथनानुसार वास्तविक घटना इस प्रकार थी। मि० बलजीतसिंह ने मि० चमनलाल से कहा कि मुझे बम्बई के लेमिङ्गटन रोड गोली काण्ड की कार्रवाई देखने के लिए दिसम्बर सन् १९३० और जनवरी सन् १९३१ के "हिन्दुस्तान टाइम्स" की फ़ाइलों की ज़रूरत है। मि० चमनलाल ने सुजनता के ख़्याल से "हिन्दुस्तान टाइम्स" के ऑफ़िस में इसकी ख़बर भेज दी और फ़ाइलें आ गईं। ऑफ़िस में टेलीफ़ोन करने के बाद ही पुलीस इन्स्पेक्टर मि० सिनट ने धमकी के रूप से कहा कि, "तुम मि० बलजीतसिंह के द्वारा" अभियुक्त से बातचीत कर रहे हो। मि०

चमनलाल ने मैत्री भाव से इस झूठे अभियोग का विरोध किया, जिस पर इन्स्पेक्टर ने कहा कि "मैं देखूँगा।"

इन्स्पेक्टर ने अदालत के सामने इस विषय में एक लिखित रिपोर्ट पेश की। मि० चमनलाल ने ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट को अपनी रक्षा करने के लिए लिखा।

इसी बीच में अदालत जलपान के लिए स्थगित हो गई।

अनुचित झूठ

जलपान के समय अभियुक्त गाना गाने में व्यस्त थे। २ बजे जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर सफ़ाई के वकील मि० बलजीतसिंह ने ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुझे अत्यन्त खेद के साथ जलपान के पहले की घटना का ज़िक्र करना पड़ा है। यूरोपियन पुलीस अफ़सर मि० सिनट ने "हिन्दुस्तान टाइम्स" के प्रतिनिधि मि० चमनलाल से कहा कि "तुम मि० बलजीतसिंह के द्वारा अभियुक्त से बातचीत कर रहे हो।"

मि० बलजीतसिंह ने कहा कि "यह कथन अनुचित झूठ है।" आपने कहा कि "यह क़ानूनी सलाहकार पर आक्षेप है, जिसे अदालत के अफ़सर की हैसियत से अदालत की रक्षा पाने का अधिकार है।"

आगे चल कर आपने कहा कि इन्स्पेक्टर पर अदालत की तौहीन करने का मामला चलाना चाहिए। अगर अदालत इस बात पर ध्यान न देगी तो मैं यह मामला हाईकोर्ट के सामने पेश करूँगा।

अभियुक्त का विरोध

श्री० विद्याभूषण एम० ए० ने इन्स्पेक्टर सिनट के कथन का ज़बरदस्त विरोध किया और कहा कि मि० चमनलाल से बातचीत कर सकना अत्यन्त असम्भव है। वास्तव में पुलीस हम लोगों में भय उत्पन्न करने में असफल होकर हमारे क़ानूनी सलाहकार पर भय उत्पन्न करना चाहती है।

आपने कहा कि अगर पुलीस का रुख़ ऐसा ही बना रहा तो हम लोग सफ़ाई नहीं दे सकेंगे। हम लोग आज ही कोई भी सज़ा स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।

श्री० विद्याभूषण ने कहा कि इन्स्पेक्टर से अपने शब्दों को वापस करने के लिए कहना चाहिए।

इसके बाद आपने अदालत में मि० सिनट के व्यवहारों के सम्बन्ध में बातें बतलाईं। आपने कहा कि "हम लोगों ने डरना नहीं सीखा और इस कठघरे में भी हम लोगों को डर सीखना नहीं है।" कठघरे में हम लोगों की आपस की बातचीत पुलीस सुन लिया करती है। हमने पुलीस के हटाने की प्रार्थना की थी, परन्तु वह स्वीकार नहीं की गई। हम लोगों को जलपान के समय लोगों से मिलने की भी इजाज़त नहीं मिलती थी।

विमलप्रसाद जैन के सम्बन्धी श्री० फूलचन्द से कह दिया गया कि वे अभियुक्त से नहीं मिल सकते।

दूसरा विरोध

अभियुक्त रुद्रदत्त ने भी बड़ी ज़बरदस्त भाषा में विरोध किया।

ट्रिब्यूनल के सदस्य ख़ाँ बहादुर अमीरअली ने कहा—कोई भी व्यक्ति किसी के दबाव में नहीं है।

रायबहादुर कुँवर सेन ने कहा कि हम लोग प्रत्येक प्रश्न पर अपनी स्वतन्त्र राय देते रहे हैं। एक अभियुक्त ने जो शब्द कहे हैं, वे अनुचित हैं।

अभियुक्त पक्ष के बड़े वकील

डॉ० किचलू ने कहा कि हाँ, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ।

सिनट के दोषारोपण के सम्बन्ध में डॉ० किचलू ने कहा कि अगर, कही हुई बातें सच हैं तो बहुत गम्भीर हैं और उस व्यक्ति के विरुद्ध अदालत की तौहीन का मामला चलना चाहिए।

सरकारी वकील ने कहा कि 'बार' के सदस्य की हैसियत से मुझे ट्रिब्यूनल के सदस्यों के विरुद्ध दोषारोपण सुन कर बहुत कष्ट पहुँचा है।

अदालत की कारंवाई स्थगित होने के बाद ट्रिब्यूनल के सदस्य प्रेज़िडेण्ट के कमरे में एकत्र हुए और उन्होंने मि० चमनलाल, डॉ० किचलू, मि० बलजीतसिंह और इन्स्पेक्टर को बुलाया। यह मालूम नहीं हुआ कि इस मामले में ट्रिब्यूनल ने क्या कारंवाई करने का विचार किया है।

अभियुक्त पक्ष की ओर से अर्ज़ी

आज ट्रिब्यूनल के सामने उस अर्ज़ी पर बहस हुई, जिसमें ट्रिब्यूनल से भिन्न-भिन्न षड्यन्त्रों की मिसिलें मँगाने के लिए कहा था। अभियुक्त-पक्ष के सीनियर वकील डॉ० किचलू ने इस सम्बन्ध में मुख़बिर कैलाशपति के बयान के उन अंशों का हवाला दिया, जिनमें इस षड्यन्त्र केस का अन्य षड्यन्त्र केसों से सम्बन्ध बतलाया गया था।

सरकारी वकील ने कहा कि इस षड्यन्त्र से एसेम्बली बम केस, काकोरी ट्रेन-डकैती केस, अहमदगढ़ ट्रेन-डकैती केस, चटगाँव शस्त्रागार केस और लैमिङ्गटन रोड गोली-काण्ड केस से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। उनकी मिसिलों से इस केस से कोई सम्बन्ध नहीं है।

बाक़ी तीन केसों के सम्बन्ध में, जो कि प्रथम लाहौर षड्यन्त्र केस, दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस और भुसावल बम-केस हैं, आपने कहा कि केवल उन गवाहों की गवाहियों की नक़ल मँगा लेनी चाहिए जो कि इस मामले में हैं और उपरोक्त तीनों मामलों में भी रह चुके हैं।

आपने कहा कि इस अर्ज़ी के कारण मामले की कारंवाई रुकी रहेगी। अभियुक्त पक्ष इसके लिए एप्रिल के तीसरे सप्ताह में अर्ज़ी पेश कर सकते थे। ख़ाँ बहादुर अमीरअली ने कहा कि अभी मुक़द्दमे का प्रारम्भ ही है, अभियुक्त-पक्ष के लिए इस समय अर्ज़ी पेश करने में कोई बाधा नहीं है।

डॉ० किचलू ने ट्रिब्यूनल और सरकारी वकील को विश्वास दिलाया कि हम लोग एक मिनट के लिए भी अदालत की कारंवाई स्थगित नहीं करना चाहते। वास्तव में हम लोग उससे ऊ[illegible] अर्ज़ी अदालत की कारंवाई रोकने के लिए नहीं पेश की गई।

ता० ६ अगस्त, दिल्ली षड्यन्त्र केस की कारंवाई अभियुक्त धन्वन्तरि और पोद्दार के बीमार हो जाने के कारण स्थगित रही। बाक़ी अभियुक्त और अभियुक्त-पक्ष के वकील मामले में पेश की गई वस्तुओं की जाँच में व्यस्त रहे।

आज अभियुक्त पोद्दार की ओर से ज़मानत के लिए एक अर्ज़ी पेश की गई। अर्ज़ी में उसने कहा था कि गिरफ़्तारी के समय से ही मैं बीमार रहा हूँ और एक महीने से अस्पताल में हूँ। पहले एक फोड़े का ऑपरेशन हो चुका है। अब कान में एक फोड़े का ऑपरेशन होने वाला है। स्वास्थ्य-रक्षा के लिए प्रार्थना है कि छोड़ दिया जाऊँ। दूसरे, मामला लम्बा है क्योंकि सबूत की ओर से ४५० गवाह हैं। यह स्पष्ट है कि केवल सबूत-पक्ष की कारंवाई में एक साल लग जायगा। अब तक जो गवाही दर्ज की जा चुकी है, उससे स्पष्ट है कि मेरे विरुद्ध कोई मामला नहीं है।

अदालत ने अर्ज़ी पर बहस करने के लिए ता० १२ अगस्त नियत की।

ता० ४ अगस्त को दिल्ली षड्यन्त्र केस में जलपान के समय ट्रिब्यूनल के सदस्यों ने "हिन्दुस्तान टाइम्स" के प्रतिनिधि से कहा कि इन्स्पेक्टर सिनट ने, जिन्होंने कहा था कि "मि० चमनलाल ने मि० बलजीतसिंह के द्वारा अभियुक्त से बातचीत की" अपने शब्दों को वापस लिया है और उसके लिए खेद प्रकट किया है। ट्रिब्यूनल के जजों ने कहा कि इतने से यह अप्रिय मामला समाप्त हो जायगा। "हिन्दुस्तान टाइम्स" के प्रतिनिधि ने इस कार्य के लिए जजों को धन्यवाद दिया और उन्हें विश्वास दिलाया कि जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है मैं खेद-प्रकाश से सन्तुष्ट हूँ। इन्स्पेक्टर सिनट दो सप्ताह की छुट्टी पर गए हैं।

जलपान के बाद अदालत में सिनट की घटना पर ज़बरदस्त बहस हुई।

मि० बलजीतसिंह ने "स्टेट्समैन" में प्रकाशित इस घटना की रिपोर्ट पर कड़ी टीका की।

अभियुक्त विद्याभूषण ने अदालत से ज़ोर देकर कहा कि मि० सिनट द्वारा शब्दों का वापस कर लिया जाना और खेद प्रकट कर देना काफ़ी नहीं है। कठघरे के पास खड़ी हुई पुलीस हम लोगों की बातचीत सुन लिया करती है। यह सब इन्स्पेक्टर सिनट के हुक्मों के द्वारा होता है जो कि हम लोगों को हमेशा कष्ट दिया करते हैं। ऐसे इन्स्पेक्टर को, जिसने हम लोगों की बातचीत सुनने के लिए अङ्गरेज़ी जानने वाले कॉन्स्टेबिलों को नियुक्त किया था, बदल देना चाहिए।

प्रेज़िडेण्ट—उन्होंने अपने शब्दों को वापस कर लिया है।

विद्याभूषण—उन्हें हम लोगों की उपस्थिति में ऐसा करना चाहिए।

ख़ाँ बहादुर अमीरअली—वे छुट्टी पर हैं।

विद्याभूषण—यह तो गवर्नमेण्ट का तरीक़ा है। (इस पर हँसी हुई)

सफ़ाई के वकील मि० बलजीतसिंह ने भी यह शिकायत की कि हम लोग पुलीस और स्पेशल सी० आई० डी० के आदमियों के चक्कर लगाने के कारण आपस में स्वतन्त्रतापूर्वक मामले की बातचीत नहीं कर सकते। इस प्रकार हम लोग न्यायालय के उस वायुमण्डल से वञ्चित हैं जो कि मामले की कारंवाई के लिए आवश्यक है। अभियुक्त विद्याभूषण ने ज़ोर देकर कहा कि इन्स्पेक्टर सिनट की जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति नियुक्त किया जाय।

मि० बलजीतसिंह ने सिनट के सम्बन्ध में "स्टेट्समैन" में छपी हुई घटना का हवाला देते हुए कहा कि "स्टेट्समैन" में वह ख़बर बिल्कुल भ्रमात्मक ढङ्ग से छपी है। अदालत को उस पत्र के विरुद्ध कारंवाई करनी चाहिए।

प्रेज़िडेण्ट—ख़बर में क्या ग़लती है?

मि० बलजीतसिंह ने रिपोर्ट को पढ़ कर सुनाया और कहा कि ट्रिब्यूनल ने मुझसे उस घटना को स्पष्ट करने के लिए कभी नहीं कहा था। वास्तव में अदालत से उस विषय में शिकायत मैंने ही की थी, परन्तु उस पत्र की ख़बर से मालूम होता है कि दोषी मैं ही था और मुझसे मामले को स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। मि० सिनट ने अपने शब्दों के लिए खेद प्रकट किया था।

डॉ० किचलू ने आश्चर्य प्रकट किया कि "स्टेट्समैन" ने अभियुक्त-पक्ष के वकील के नाम के साथ "मि०" लगाने का साधारण शिष्टाचार तक का प्रयोग नहीं किया।

प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि 'मैं उपरोक्त पत्र पर कोई मामला चलाने की आवश्यकता नहीं समझता।'

अभियुक्त विद्याभूषण ने फिर कहा कि इन्स्पेक्टर-

लिनट को अदालत में हम लोगों की उपस्थिति में शब्द वापस लेना चाहिए।

रायबहादुर कुँवरसेन—वे शब्द खुली अदालत में नहीं कहे गए थे।

विद्याभूषण—परन्तु शिकायत तो अदालत के सामने हुई थी।

इसके बाद ट्रिब्यूनल के सदस्यों ने आपस में कुछ परामर्श किया और अदालत के सामने घोषित किया कि लिनट वाली घटना अब समाप्त हो गई। हमें नहीं मालूम कि इन्स्पेक्टर को हटाने का हमें अधिकार है या नहीं और न वह हमें उचित ही दीख पड़ता है।

इसके बाद सरकारी वकील चौधरी ज़फ़रुल्ला ख़ाँ इस विषय में बोलने के लिए उठे परन्तु अभियुक्त विद्याभूषण ने बीच में ही आपत्ति करते हुए कहा कि इस विषय में अब अधिक कुछ नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि अदालत ने उस विषय को पहले ही समाप्त कर दिया है।

प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि मैं इस विषय में कोई नई बात जानने के लिए उन्हें बोलने की इजाज़त दे सकता हूँ। सरकारी वकील ने कहा कि अङ्ग्रेज़ी जानने वाले कॉन्स्टेबिल को इन्स्पेक्टर लिनट ने नहीं, बल्कि रिज़र्व इन्स्पेक्टर ने नियुक्त किया था और वह शिकायत करने पर हटा दिया गया था। मि० बैनरजी ने कहा कि इन्स्पेक्टर लिनट के शब्दों से अदालत की तौहीन हुई है। अदालत से आशा की जाती है कि वह ऐसे विषय को 'बार' के सब सदस्यों के सामने उपस्थित करेगी। प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि यह वैयक्तिक मामला है।

इसके बाद मि० बोस की जिरह के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि वॉयसरॉय की ट्रेन-घटना में प्रयोग की गई बी० एस० ए० मोटर साइकिल को यशपाल हिन्दू कॉलेज के नए होस्टल में लाया था और वह निगम के कमरे में तीन दिन तक रक्खी रही थी। मैंने भवानीसिंह और कुछ अन्य सदस्यों से कहा था कि मोटर साइकिल दल की है। बाद में मोटर साइकिल के पुर्ज़े अलग-अलग कर दिए गए थे। मैं यह नहीं कह सकता कि कितने हिस्सों में मोटर साइकिल अलग की गई थी। मुख़बिर ने कहा कि इसमें मुझे १ घण्टे लगे थे। भगवतीचरण और यशपाल डरते थे कि कहीं कोई पता न लग जाय और मोटर साइकिल पकड़ न ली जाय, इसलिए मोटर साइकिल के पुर्ज़े अलग कर दिए गए थे। मि० बोस ने मुख़बिर के आज के बयान से, पुलीस के सामने दिए गए बयानों से तुलना करके यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया कि मुख़बिर के बयान परस्पर विरोधी हैं।

आगे मि० बोस की जिरह के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि षड्यन्त्रकारी दल की एक सभा एप्रिल में की गई थी। जून महीने में कुदसिया बाग़ में दो या तीन सभाएँ हुई थीं। जून महीने में गाडोदिया स्वदेशी-स्टोर की डकैती के पहले एक सभा निगम के निवास-स्थान में हुई थी और दूसरी भवानीसिंह के निवास-स्थान में हुई थी।

आर० के० विश्वास

जलपान के बाद रामकिशन विश्वास की स्मृति में सम्मान प्रकट करने लिए जिसको कलकत्ता में फाँसी हुई थी, अभियुक्तों की ओर से एक वक्तव्य पढ़ा गया।

ता० ५ अगस्त को दिल्ली षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अभियुक्त पोद्दार की ज़मानत की अर्ज़ी पर बहस हुई। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जेल और चीफ़ मेडिकल ऑफ़सर ने ट्रिब्यूनल के पास भेजी हुई अपनी रिपोर्ट में कहा कि "ज़मानत पर छोड़ा जाना अभियुक्त के स्वास्थ्य के लिए निश्चय रूप से लाभदायक होगा, अगर उसके विरुद्ध कोई गम्भीर अभियोग न हो तो मैं डॉक्टरी आधार पर अभियुक्त की ज़मानत की अर्ज़ी का समर्थन करता हूँ।

सुपरिण्टेण्डेण्ट जेल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अभियुक्त पर हिरासत का प्रभाव पड़ा है। वह बहुत ही नाज़ुक व्यक्ति है इसलिए उसे कष्ट पहुँचा है। उसके कई फोड़े हो गए हैं और एक और विशेष प्रकार के फोड़े के होने की आशङ्का है। सुपरिण्टेण्डेण्ट ने अपनी रिपोर्ट में डॉक्टरी कारणों के आधार पर अभियुक्त को छोड़ने की सिफ़ारिश की थी।

डॉक्टर किचलू ने ज़मानत की अर्ज़ी पर बहस करते हुए कहा कि जेल के चीफ़ मेडिकल अफ़सर की रिपोर्ट के बाद मुझे इस विषय में विस्तार से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाब्ता फ़ौजदारी की ४९७ दफ़ा के नए विधान के अनुसार क़ैदी को उसके स्वास्थ्य के ख़राब होने की हालत में छोड़ देने का नियम बन गया है। यह एक वास्तविक बात है कि अभियुक्त पोद्दार का स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो रहा है। केवल उसकी बीमारी के कारण अदालत की कार्रवाई दो बार स्थगित हो चुकी है। डॉक्टर किचलू ने कहा कि अभियुक्त के जो एक विशेष प्रकार का फोड़ा निकला है वह बहुत ही गम्भीर बीमारी है। अभियुक्त के लिए वह जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। मैं ज़मानत की तादाद और उसकी शर्तें अदालत के विचार पर छोड़ता हूँ।

सरकारी वकील का दृष्टिकोण

चौधरी ज़फ़रुल्ला ख़ाँ ने कहा कि बीमारी का मामला ऐसा है कि मैं इस विषय में तर्क नहीं करना चाहता। डॉक्टरी राय मालूम हो चुकी है, इसलिए अब मैं ज़ाब्ता फ़ौजदारी की ४९७ दफ़ा के अनुसार डॉक्टरी कारणों के आधार पर ज़मानत पर छोड़ने का प्रश्न अदालत के विचार पर छोड़ता हूँ। आपने कहा कि यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जब कुछ समय के बाद अभियुक्त स्वस्थ हालत में हो जायगा, उस समय अदालत को ज़मानत वापस लेने का अधिकार रहेगा।

अभियुक्त का एक मात्र अपराध

इसके बाद प्रेज़िडेण्ट ने डॉक्टर किचलू से संक्षेप में अर्ज़ी पर बहस करने के लिए कहा।

डॉ० किचलू ने कहा कि अभियुक्त पोद्दार के कार्य केवल ग्वालियर में हुए थे। मुख़बिर कैलाशपति के बयान के अनुसार उस पर अपने किराए के मकान में केवल पिकरिक एसिड बनाने का अभियोग लगाया गया है। परन्तु मुख़बिर कैलाशपति ने जिरह के उत्तर में कहा है कि मेरे ग्वालियर जाने के पहले पोद्दार ने दल के कार्य के लिए मकान किराए पर लिया था परन्तु किराया मेरे सामने नहीं दिया गया था। जिस समय पिकरिक एसिड बना करती थी उस समय पोद्दार कॉलेज जाया करता था। इससे मालूम होता है कि पोद्दार हर समय कार्य नहीं करता था।

मुख़बिर कैलाशपति ने यह भी कहा है कि मेरे ग्वालियर से चले जाने के बाद मैंने कभी नहीं सुना कि पोद्दार ने किसी कार्य में भाग लिया था। कुछ समय के बाद मुझे मालूम हुआ कि पोद्दार दल से अलग हो गया है और दल का कोई कार्य नहीं करता। डॉक्टर किचलू ने कहा कि यदि प्रमाणित हो गया तो अभियुक्त पोद्दार पर एक मात्र अभियोग पिकरिक एसिड बनाने का है।

सरकारी वकील चौधरी ज़फ़रुल्ला ख़ाँ ने सबूत पक्ष की ओर से बहस करते हुए कहा कि जो गवाही अदालत में दर्ज हो चुकी है केवल उसी पर विचार न करना चाहिए; क्योंकि और भी गवाही अभी दर्ज होना बाक़ी है। आपने अभियुक्त पोद्दार के सहपाठी मुख़बिर डी० बी० तैलङ्ग के मैजिस्ट्रेट मि० ईसर के सामने दिए गए बयान को पढ़ कर सुनाया, जिसमें उसने कहा था कि पोद्दार ने मकान किराए पर लिया था और वह पिकरिक एसिड के बनाने में भाग लिया करता था। उसने कहा था कि पोद्दार षड्यन्त्रकारी दल का सदस्य है। उसने दल के लिए मकान किराए पर लिया था। मकान में विस्फोटक वस्तुओं के बनाने का कार्य हुआ करता था। पोद्दार स्वयं पिकरिक एसिड बनाया करता था। बाद में वह मकान दल का केन्द्र-स्थान बन गया था और उसका उपयोग हथियारों आदि के एकत्र करने के कार्य में होता था। इन सब बातों को देखते हुए अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग बहुत स्पष्ट है। मामले के विचार से अभियुक्त की ज़मानत मञ्जूर करने का कोई कारण नहीं है। अगर अभियुक्त का स्वास्थ्य न ख़राब होता तो मैंने ज़मानत की अर्ज़ी का ज़बरदस्त विरोध किया होता। जो हो डॉक्टरी कारणों के आधार पर मैं ज़मानत की अर्ज़ी का समर्थन करता हूँ।

ख़ाँ बहादुर अमीरअली ने पूछा कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष अपराध करने का अभियोग तो नहीं है?

डॉ० किचलू—जी नहीं, कोई अभियोग नहीं है।

सरकारी वकील ने कहा—पिकरिक एसिड के बनाने का कार्य है।

ख़ाँ बहादुर अमीरअली—कोई और प्रत्यक्ष कार्य का अभियोग है?

सरकारी वकील ने कहा—कोई दूसरा प्रत्यक्ष कार्य का अभियोग नहीं है।

ट्रिब्यूनल ने अर्ज़ी पर फ़ैसला कल के लिए स्थगित रक्खा।

प्रेज़िडेण्ट के एक प्रश्न के उत्तर में डॉ० किचलू ने कहा कि अभियुक्त का पिता एक उत्तरदायी गवर्नमेण्ट-कर्मचारी है। वह झाँसी में रेलवे का हेड-क्लर्क है। वह उसकी औषधि के लिए ज़िम्मेदार रहेगा। अभियुक्त की अनुपस्थिति में उसकी ओर से एक वकील पैरवी करेगा।

मुख़बिर कैलाशपति के बीमार हो जाने के कारण अदालत की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हो गई।

ता० ६ अगस्त को दिल्ली षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल ने अभियुक्त पोद्दार की ज़मानत की अर्ज़ी पर फ़ैसला सुनाया।

ट्रिब्यूनल ने अपने फ़ैसले में कहा कि जो बातें मेरे सामने पेश की गई हैं, उन्हें देखते हुए हमें विश्वास है कि स्वास्थ्य के ख़्याल से ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा ४९७ के अनुसार अभियुक्त को ज़मानत पर छोड़ देना चाहिए। यह ज़मानत केवल डॉक्टरी कारणों के आधार पर मञ्जूर की जाती है, मामले की बातों को विचार कर नहीं की जाती। इसलिए हमने अभी दो महीने के लिए ज़मानत मञ्जूर करने का निश्चय किया है। दो महीने के बाद इस मामले पर फिर विचार किया जायगा। ट्रिब्यूनल ने अपने फ़ैसले में यह भी कहा कि ज़मानत पर छूटने के बाद बीमारी के कारण अभियुक्त के अदालत में न हाज़िर हो सकने पर अभियुक्त की पैरवी के लिए वकील का प्रबन्ध हो जाना चाहिए।

ट्रिब्यूनल ने हुक्म दिया कि अभियुक्त को पन्द्रह सौ रुपए की दो ज़मानतें और पाँच सौ रुपए की एक व्यक्तिगत ज़मानत दाख़िल करनी चाहिए। इस हुक्म की नक़लें डिस्ट्रिक्ट जेल में अभियुक्त के पास और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भेज दी गई हैं। मैजिस्ट्रेट ज़मानत पर अपनी स्वीकृति दे देगा।

अभियुक्त विद्याभूषण, पोद्दार और हरकेश बीमार हो जाने के कारण अनुपस्थित थे, परन्तु उनकी अनुपस्थिति

में भी दफ़ा ५१४ के अनुसार अदालत की कार्रवाई जारी रही। डॉ० किचलू उनकी ओर से पैरवी करते थे।

अखिल भारतीय युद्ध

इसके बाद मि० एस० एन० बोस ने मुख़बिर कैलाशपति से जिरह प्रारम्भ की। कल की बीमारी के कारण मुख़बिर को बैठने के लिए कुर्सी दी गई। मुख़बिर से यूनिवर्सल ड्रग स्टोर से एसिड ख़रीदने और स्टोर के मालिक बाबूराम से परिचय के सम्बन्ध में प्रश्न किए गए। मुख़बिर ने कहा कि मैंने बाबूराम से कह दिया था कि मुझे बहुत एसिड की ज़रूरत है। बाबूराम के यह पूछने पर कि इतनी एसिड का क्या करोगे, मैंने कहा था कि "भारतवर्ष भर में छिपे हुए ढङ्ग से युद्ध करने के लिए बमों के बनाने की ज़रूरत है।" मुख़बिर ने कहा कि बाबूराम ने हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के धन और उसकी सदस्यता के सम्बन्ध में मुझसे कोई बात नहीं पूछी। बाबूराम ने मूल्य देने पर सब एसिड दे देने का वचन दिया था, यह पहले ही निश्चय कर लिया गया था। मुख़बिर ने कहा कि मैं नहीं जानता था कि एसिड के बेचने में कोई प्रतिबन्ध है या नहीं। मैंने बाबूराम से केवल 'मर्क' का बनाया हुआ एसिड ख़रीदने के लिए कहा था।

एक दिन मुख़बिर बालकिशन जो कि यूनिवर्सल ड्रग स्टोर का कम्पाउण्डर था, अभियुक्त बाबूराम के पास से ख़बर लाया कि एक हज़ार पाउण्ड एसिड आई है रुपए का प्रबन्ध कीजिए। मुख़बिर ने कहा कि मैंने जुलाई या अगस्त में एसिड के लिए ऑर्डर दिया था परन्तु नाइट्रिक और सल्फ़्यूरिक एसिड की मात्रा नहीं बतलाई थी। डॉक्टर नाइट्रिक और सल्फ़्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। सुनार भी उनका प्रयोग करते हैं। मैं नहीं कह सकता कि दिल्ली में और भी किसी कार्य में उनका प्रयोग होता है या नहीं। मैं यह भी नहीं जानता कि दिल्ली में कारबोलिक एसिड का किस कार्य में प्रयोग होता है। मुख़बिर ने कहा कि मैंने दूसरी दूकानों में एसिड की दर नहीं पूछी। हज़ारीलाल ने मुझसे कहा था कि बालकिशन दल की सहायता करने को तैयार है और वह आसानी के साथ एसिड का प्रबन्ध कर सकता है।

मुख़बिर ने कहा कि मैंने बालकिशन को दल से सहानुभूति रखने वाले कार्यशील व्यक्तियों में रख लिया था। मैंने उसे दल का नियमित सदस्य बनाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। ऐसी ही बात अभियुक्त बाबूराम गुप्त के सम्बन्ध में भी हुई थी।

रायबहादुर कुँवरसेन ने पूछा—क्या तुम्हारे पास कार्यशील सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों की लिखी हुई नामावली थी।

मुख़बिर—मानसिक नामावली थी।

आगे जिरह के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि यद्यपि मैं यूनिवर्सल ड्रग स्टोर में अनेक बार गया था परन्तु मैंने डॉ० रणजीतसिंह से और बाबूराम के पास जो तीन नवयुवक बैठा करते थे उनसे कभी कोई बातचीत नहीं की।

पहली बार मैंने बाबूराम को १५० रुपए दिए थे। अगस्त में मैंने फिर ६०० रुपए दिए थे। मुझे इन रुपयों की कोई रसीद नहीं मिली।

प्र०—तुमने इन एसिडों को प्रान्तीय सङ्गठन-कर्ता की हैसियत से ख़रीदा था या केन्द्रीय कौन्सिल के सदस्य की हैसियत से ख़रीदा था।

उ०—मैंने उन्हें प्रान्तीय सङ्गठन-कर्ता की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारी पर ख़रीदा था, परन्तु मैं कह नहीं सकता कि मुझे केन्द्रीय कौन्सिल की इजाज़त मिली थी या नहीं।

अगस्त महीने में केन्द्रीय कौन्सिल की सभा में मैंने इन एसिडों आदि की ख़रीद की बात बतला दी थी।

इस बीच में मुख़बिर के सामने, मुख़बिर के पुलीस के सामने दिए गए बयान की बात पेश की गई, जिसमें उसने कहा था कि मैंने हज़ारीलाल के द्वारा यूनिवर्सल ड्रग स्टोर से ५०० रुपए का एसिड वग़ैरह ख़रीदा था। मुख़बिर ने कहा कि मैंने बयान में ५०० रुपए नहीं बतलाए थे।

जलपान के बाद

जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर मि० एस० एन० बोस की जिरह के उत्तर में मुख़बिर कैलाशपति ने कहा कि मैंने पुलीस के सामने दिए गए बयान में यह नहीं कहा था कि जून, सन् १९३० में सौ पाउण्ड 'पोटैशियम क्लोरेट' क़रीब १५० रुपए की ख़रीदी गई थी और रुपए उसी वक्त दे दिए गए थे।

मुख़बिर ने कहा कि मैं डॉ० सेन से मिलने कभी नहीं गया। मैं अभियुक्त बाबूराम से अक्टूबर के प्रारम्भ में उनके घर पर आख़िरी बार मिला था परन्तु जिस कार्य से मैं मिला था वह मुझे याद नहीं है।

मैं पटना बम-केस के अभियुक्त हज़ारीलाल से एप्रिल महीने के निर्णय के अनुसार क्वीन्स गार्डेन में मिला करता था। परन्तु थोड़े समय के लिए मैं भवानीसिंह के मकान पर निशानेबाज़ी का अभ्यास करने के लिए जाया करता था। मई महीने में हज़ारीलाल मुख़बिर बालकिशन के साथ रहता था, मैं उससे एसिड के लिए प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में मिला करता था।

(क्रमशः)

❀



[हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष]

प्रथम तो न्याय का रोग स्वयं ही बड़ा बुरा होता है और जिस पर आक्रमण करता है, उसे परेशान किए रहता है, दूसरे जब उसमें निगोड़ी दया घुस पड़ती है, तो 'एक तो तितलौकी, दूसरे नीम चढ़ी' वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है और बेचारा न्यायकर्त्ता स्वयं ही न्याय तथा दया का पात्र बन जाता है। श्रीजगद्गुरु की प्रार्थना है कि अल्लाहपाक किसी को ऐसी कशमकश में न डाले।

❀

बनारस की सर्वगुणालङ्कृता आयुष्मती पुलीस ने एक बङ्गाली महिला के घर में एक ट्रङ्क में बन्द कुछ विस्फोटक पदार्थों का आविष्कार किया। दो बङ्गाली महिलाएँ और एक बङ्गाली युवक पर अदालत में मामला चला। गवाहियाँ हुईं, बहसें हुईं, पितरपख से पहले ही इस भाग्यवान देश के हज़ारों रुपयों का श्राद्ध हुआ और अन्त में न्याय की बारी आई।

❀

एक महिला अभियुक्त तो साफ़ छोड़ दी गई। शायद उसका पुण्य-बल उतना प्रबल न था और न उसकी तक़दीर में जेल की 'शत-स्वादी' रोटियाँ ही बदी थीं। बाबा विश्वनाथ और कालभैरव को भी बेचारी पर दया न आई और न न्यायदेव की ही नज़र उस पर पड़ी।

❀

परन्तु दूसरी का पुण्य प्रताप अत्यन्त प्रखर हो रहा था। इसलिए न्याय-निपुण दौरा जज महोदय ने उसे विस्फोटक पदार्थ एक्ट के अनुसार आजीवन कालेपानी का और आर्म्स एक्ट के अनुसार तीन वर्ष तक कारावास का दण्ड प्रदान किया। परन्तु घबराइए नहीं, जज साहब समझदार आदमी मालूम होते हैं, लेहाज़ा विस्फोटक पदार्थ रखने के अपराध में आजीवन कालेपानी की सज़ा भोग लेने पर दूसरी तीन वर्ष वाली बचकानी सज़ा भोगने के लिए, उसे फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अर्थात् दोनों सज़ाएँ एक साथ ही चलेंगी।

❀

सो जनाब, एक स्त्री के और ऐसे गुरुतर अपराध करते भी, ऐसी मामूली सज़ा देकर जज साहब ने केवल उस पर ही दया नहीं दिखाई है, बल्कि ग़रीब और बूढ़े विधाता पर भी उन्होंने बड़ी मेहरबानी की है। इसलिए हमें विश्वास है कि जब तक वह बुड्ढा जिएगा तब तक बनारस के दौरा जज साहब का एहसानमन्द रहेगा।

❀

क्योंकि अगर जज साहब दया के फेर में न पड़ते और दोनों सज़ाओं को अलग-अलग भोगने की व्यवस्था कर देते, तो बेचारे विधाता राम बेमौत मर जाते—बड़ी तवालत और क़बाहत में पड़ते। मरने पर उसे फिर स्त्री का जन्म देना पड़ता और ख़ास बनारस में ही। सूरत-शक्ल और नाम-धाम भी वही रखना पड़ता। एक सज़ा भोगने के बाद तत्काल ही दूसरी सज़ा आरम्भ होती, इसलिए पुनर्जन्म के समय उसकी अवस्था का भी ख़याल रखना पड़ता और शिशुरूप के बदले उसे युवती या प्रौढ़ारूप में जन्म देना पड़ता।

❀

ख़ैर, सबसे बड़ी दयाशीलता तो जज साहब ने यह दिखाई है कि भारत में जन्म लेने के गुरुतर अपराध में उसे ज़रा भी दण्ड नहीं दिया। आख़िर, यह अपराध क्या कुछ कम था? हमें तो डर है कि कहीं जज महोदय का फ़ैसला पढ़ कर बेचारा न्याय कुढ़ कर मर न जाय! हालाँ कि इस मामले में तुला हुआ दण्ड प्रदान करने में आप ने सारे संसार के न्यायकर्ताओं का रिकार्ड बीट डाउन कर दिया है।

❀

कुछ भी हो जनाब, श्रीजगद्गुरु की तो यह दृढ़ धारणा है कि इस बनारसी न्याय को देख कर भारत की जनता मुग्ध हो जाएगी और सभी नौकरशाही के न्यायालयों पर उसकी श्रद्धा बरसाती नदी की तरह बढ़ जाएगी और आश्चर्य नहीं कि लोग हरिकीर्तन आदि छोड़ कर आइन्दा से भव-बन्धन की विमुक्ति के लिए न्यायकीर्तन ही आरम्भ कर दें। हिज़ होलीनेस ने तो निश्चय कर लिया है, कि भाँग-बूटी के बाद प्रतिदिन दो घण्टे इस अनुपम न्यायपरायणता की कथा श्रीमती गुरुआनी जी को सुनाया करेंगे।

❀

बनारस हर बात में अपनी एक विशेषता रखता है। 'राँड़, साँड़, सीढ़ी और संन्यासी' की पुरानी कहावत तो आप ने सुनी ही होगी? काशी के पण्डित, पण्डे, गुण्डे, भङ्गड़ और भिखमङ्गे भी अपना एक स्थान रखते हैं। कविवर श्री० मैथिलीशरण जी गुप्त ने काशी को 'उपन्यासमयी काशी' कह कर उसकी साहित्यिक विशेषता का बखान किया है। 'विमल बी० ए० पास बाबू श्यामसुन्दर दास', कहानी-सम्राट् लाला मुन्शी प्रेमचन्द जी और छायावादी कविता के 'वाल्मीकि' अर्थात् आदिकवि श्री० जयशङ्करप्रसाद जी भी बनारस की ही विभूतियाँ हैं।

❀

बस, शायद एक न्याय-विचार सम्बन्धी विशेषता की कमी थी, सो उसे भी वहाँ के दौरा जज महोदय ने अपने अभिनव 'बनारसी न्याय' द्वारा पूरा कर दिया। बड़ी भारी त्रुटि दूर होगई और काशी साङ्गोपाङ्ग निहाल हो गई। आख़िर, बाबा विश्वनाथ की तीन लोक से न्यारी पुरी, तीन लोक से न्यारे जज साहब के रहते ही अपनी एक विशेष विशेषता से वञ्चित रह जाती, यह कैसे हो सकता था?

❀

बाबा शौकतअली अगर अभी 'लण्डन' की छाया तले न पहुँचे होंगे तो भी विक्टोरिया टॉवर का सुउच्च कङ्गूरा देख-देख कर पुलकित तो अवश्य ही होते होंगे। भारतीय नौकरशाही की कृपा से राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स के प्रतिनिधि हो गए, बेचारे का जीवन का जनम छूट गया! वल्लाह, अब आप भी पाँचों सवारों में हैं! ऐ हट जा घास वाली सामने से, मौलाना आ रहे हैं!

❀

मौलाना का, जहाज़ी ज़िन्दगी के दिलचस्प हालात से लबरेज़ पहला मकतूब गरामी, (गरिमापूर्ण पत्र) मौलाना के ही 'ख़िलाफ़त' अख़बार में पढ़ कर श्री० जगद्गुरु की दाढ़ी और तोंद में ऐसा भूचाल आया है कि सिन्ध का हाल वाला भूचाल भी सिटपिटा कर रह गया। वल्लाह, पत्र क्या है, शैतान की आँत है और मज़मून भी वैसा ही पुरपुरु, जैसा 'आँत' में हुआ करता है।

❀

ज़रा बानगी लीजिए। मौलाना फ़रमाते हैं—"तूफ़ान का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, एक वक़्त का खाना भी नाग़ा नहीं किया।" अच्छा किया, वरना कहीं पेट में भूख का तूफ़ान जारी हो जाता, तो बेचारे बावर्ची की जान आफ़त में आ जाती। आख़िर, बेचारा बावर्ची ही तो होगा या कोई ख़न्दक भरने वाला!

❀

और सुनिए—"महाराजा बीकानेर ख़ास कर मेरी ही तरह बहुत हँसते फिरते हैं, मेरा बहुत ख़याल रखते हैं और एक-दो बार ज़रूर गले से लगा लेते हैं।" या ख़ुदा मज़हब अजायब! मगर यह फ़रमाना तो भूल ही गए कि एकान्त में या सबके सामने! ख़ैर, इस बुढ़ौती में भी मौलाना के क़द्रदाँ मौजूद हैं, यह बड़ी ख़ुशी की बात है। आख़िर मौलाना साहब हैं भी तो रियासत रामपुर के अधिवासी। लखनऊ के बाद सुनते हैं, रामपुर का ही नम्बर है।

❀

भारत के ग्यारह करोड़ अछूत नामधारी हिन्दुओं के सिरों पर चोटी मौलाना को बहुत दिनों से खटकती है, इसलिए उनपर आपकी असीम कृपा रहती है। यहाँ तक कि महाराज बीकानेर की गुलगुली गोद में भी उन्हें नहीं भूले हैं और अपने भूरि भोजन का वर्णन करते-करते 'ज़र मी ख़ुरम' अर्थात् मैं माल चाबता हूँ, कहने के साथ ही अछूतों के लिए अश्रुनीर विसर्जन आरम्भ कर देते हैं। बाहर समुद्र का तूफ़ान और अन्दर अछूतों के लिए दया का तूफ़ान। अगर 'ज़र मी ख़ुरम' की सुविधा न होती, तो सचमुच बड़ी कठिन समस्या थी।

❀

मौलाना के मशकोपम वृकोदर पर महात्मा गाँधी का बड़ा एहसान है, बल्कि यों कहिए कि 'मुलतान' के महोदर में बैठकर 'ज़र मी ख़ुरम' का मज़ा उन्हीं लँगोटी बाबा के चप्पलों का ही तुफ़ैल है। इसलिए नमाज़ की तरह प्रतिदिन एक बार महात्मा गाँधी को कोस लेना मौलाना ने अपना मज़हबी फ़र्ज़ बना लिया है। इसीलिए इस 'मकतूब गरामी' में भी आपने अपना वह फ़र्ज़ अच्छी तरह अदा कर दिया है। महात्मा के एहसानों को भला मौलाना कैसे भूल सकते हैं?

मौलाना के भूरि भोजन का हाल कुछ न पूछिए। 'माले मुफ़्त और दिले बेरहम' का मामला है। सवेरे सो कर उठते ही सेबों और नींबुओं पर हाथ साफ़ करते और दाँतों का मोरचा छुड़ाते हैं। आठ बजे उन्हीं के शब्दों में सुनिए—"नाश्ते को जाता हूँ, अञ्जीर का मुरब्बा या परों का पुडिङ्ग बालाई के साथ मिलता है। थोड़े अण्डे भी खाता हूँ। मक्खन और रोटी निहायत उम्दा होती है और बाद को फल!" ख़याल रखिएगा, यह नाश्ते की फ़िहरिस्त है। इसके बाद भोजन, तीसरे पहर को फिर नाश्ता और रात को बयालू। एक तो "मुलतान" स्वयं ही २१ हज़ार टन का वज़नी है, फिर कई टन की मौलाना की भारी-भरकम काया और ऊपर से भोजन का यह हाल! ऐसी हालत में अगर मुलतान का वज़न लण्डन पहुँचते-पहुँचते २२-२३ हज़ार टन हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।

❀

ख़ैर, पेट भरने पर तो दूर की सूझती ही है और फिर जहाँ अण्डों और बालाई की रेल-पेल हो, वहाँ तो 'तीन' की भी सूझने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं। अतः मौलाना ने भी तीन की ही हाँकी है। आप फ़रमाते हैं—"हम मुसलमान चाहते हैं कि हम वालियान मुल्क के साथ मिल कर काम करें और हिन्दोस्तान का इन्तज़ाम करके दिखाएँ कि किस तरह हम बग़ैर कॉङ्ग्रेस के भी ज़िन्दा रह सकते हैं।" आमीन! आमीन!! अजी जनाब, हमारे मौलाना दर्जनों कचहरियों के मुन्तज़िम रह चुके हैं। अगर वालियान मुल्क के साथ मिल जाएँ तो वल्लाह क़ारूरे में क़ारूरा मिल जाए और ऐसा इन्तज़ाम हो कि सारा देश सातवें आसमान पर पहुँच जाए।

❀ ❀ ❀

आशा है, मौलाना की यह जोशीली उक्ति सुन कर चचा चर्चिल फड़क उठे होंगे और मौलाना के स्वागत के लिए 'चेरी ब्लोसम' की मालाएँ तय्यार करवा रहे होंगे। और भावी ख़ानबहादुर की लिस्ट में आपका नाम भी दर्ज करा दिया होगा। तब तक मौलाना जहाज़ के गोरे और गोरियों से मिल कर ही अपना जीवन सफल कर लेते हैं। बड़ा मज़ा है। मौलाना की बाछें खिल गई हैं। आपने अपने पत्र के आरम्भ में ही अपनी इस ख़ुश-क़िस्मती का विशद वर्णन किया है। बक़ौल पण्डित अमृतलाल चक्रवर्ती, निलुआ तो एकदम बीलू बाबू हो गया!

❀ ❀ ❀

मौलाना साहब अपने ख़त में लिखते हैं—"मेरे चन्द वालदियरों की मौजूदगी ने सोने पर सुहागे का काम किया। हर मुसाफ़िर बड़ी तपाक से मिलता था, ख़ास कर अङ्गरेज़ और उनकी बीबियाँ। बक़ौल शायर मरहूम—

परियाँ भी तो मुश्ताक़ हैं, हूरें भी तो मुश्ताक़!
एक धूम मचा दी है, हमारी भी वफ़ा ने।"

फिर फ़रमाते हैं—"इनशा अल्लाह इस ग़ज़ल का मतला (प्रथम पद) भी ज़रूर सही साबित होगा—

"वह ईद को ख़ुद आए हैं मिलने के बहाने,
यह दिन तो दिखाया शबे फ़ुर्क़त की दुआ ने।"

देखा आपने? कैसी राज़ो नियाज़ की बातें हैं। मौलाना की बुढ़ौती सार्थक हो रही है। 'मुलतान' में ही बहिश्त के मज़े ले रहे हैं। बक़ौल दुनिया वालों के हम तो यही कहेंगे कि जैसे मौलाना के भाग जगे वैसे सात घर शत्रु के भी जगें।

❀

ब्लॉक हमसे ख़रीदिए!

'चाँद' तथा 'भविष्य' में छपे हुए इकरङ्गे ब्लॉक यदि कोई सज्जन ख़रीदना चाहें तो उन्हें वे आधे मूल्य अर्थात् ३ आने प्रति वर्ग इञ्च के हिसाब से दे दिए जावेंगे; किसी भी छोटे ब्लॉक का मूल्य २) से कम न होगा। डाक-ख़र्च ख़रीदार को देना होगा।

मैनेजर 'भविष्य' चन्द्रलोक, इलाहाबाद

THE BHAVISHYA

Registered No. A—2085

'भविष्य' का चन्दा
वार्षिक चन्दा ... १२)
छःमाही चन्दा ... ६।।)
तिमाही चन्दा ... ३।।)
एक प्रति का मूल्य ।)

भविष्य

साप्ताहिक संस्करण

का

जुबली-नम्बर

एक प्रार्थना
वार्षिक चन्दे अथवा फ़ी कॉपी के मूल्य में कुछ भी नुक़्ताचीनी करने से पहिले मित्रों को 'भविष्य' में प्रकाशित अलभ्य सामग्री और उसके प्राप्त करने के असाधारण व्यय पर भी दृष्टिपात करना चाहिए।

तार का पता :
'भविष्य'

टेलीफ़ोन-नम्बर
२०५

इस अङ्क का मूल्य केवल ।।।) आना

पाठकों को "जुबली-नम्बर" पढ़ कर आश्चर्य अवश्य होगा, क्योंकि 'भविष्य' को प्रकाशित हुए ५० वर्ष नहीं ; बल्कि अभी केवल ५० सप्ताह ही हुए हैं। किन्तु 'भविष्य' के मित्रों, शुभचिन्तकों एवं बुज़ुर्गों ने दूसरे वर्ष का पहिला अङ्क "जुबली-अङ्क" के नाम से एक बृहत् विशेषाङ्क प्रकाशित करने का अनुरोध किया है, जो बाध्य होकर संस्था के प्रवर्तकों को स्वीकार करना पड़ा; अतएव निश्चय यह किया गया है, कि 'भविष्य' का ५१वाँ अङ्क विशेषाङ्क के रूप में प्रकाशित किया जाय, शायद पाठकों को बतलाना न होगा कि 'भविष्य' का प्रत्येक सप्ताह उसके लिए एक वर्ष का सुदीर्घ काल सिद्ध हुआ है और इसलिए यदि हम ५० सप्ताहों को ५० वर्ष के समान मान कर अपने हृदय को साध पूरी कर लें तो इसमें हानि ही क्या है ? किन्तु यह विशेषाङ्क हम इतना सुन्दर प्रकाशित करना चाहते हैं, जितना सुन्दर एवं महत्वपूर्ण अङ्क आज तक भारत में कभी भी प्रकाशित नहीं हुआ ; किन्तु सारे साधनों को एकत्र करने में थोड़े समय की भी ज़रूरत है और चूँकि पूरे एक वर्ष में 'भविष्य' ने एक सप्ताह तक की छुट्टी नहीं ली है (जबकि होली पर अन्य पत्र पूरे एक सप्ताह की छुट्टी ग्रहण करते हैं, ठीक उसी समय हमने 'भविष्य' का कॉङ्ग्रेस-अङ्क पाठकों को भेंट किया था) इसलिए हम दो सप्ताह की छुट्टी भी लेना चाहते हैं ; अतएव ५० अङ्क पूरे करके साप्ताहिक 'भविष्य' नाम-मात्र के लिए दो सप्ताह की छुट्टी ग्रहण करेगा और इसका ५१वाँ अङ्क

[illegible] के नाम से एक बृहत् विशेषाङ्क

के रूप में प्रकाशित होगा। इस विशेषाङ्क में लगभग १०० पृष्ठ, सैकड़ों चित्र तथा कार्टून (कुछ चित्र आर्ट पेपर पर) भी रहेंगे। कवर तिरङ्गा होगा। नया कवर, नया टाइप, ठोस पाठ्य सामग्री तथा अनेक महत्वपूर्ण बातें इस विशेषाङ्क में पाठकों को मिलेंगी। छपाई-सफ़ाई दर्शनीय होगी। मूल्य लागत मात्र

केवल बारह आना होगा

किन्तु जो लोग 'भविष्य' (साप्ताहिक संस्करण) के ग्राहक हैं, उन्हें तथा जो विशेषाङ्क प्रकाशित होने के पूर्व ही स्थायी ग्राहकों की श्रेणी में चन्दा पेशगी भेज कर नाम लिखा लेंगे, उन्हें यह विशेषाङ्क उनके चन्दे में ही दिया जायगा।

यदि आप स्थायी ग्राहक नहीं हैं तो शीघ्र ही अपना नाम लिखा लीजिए।

[illegible]

'चाँद' के विशेषाङ्क के लिए, जो आगामी नवम्बर (दीपावली) के अवसर पर "राजपूताना-अङ्क" के नाम से एक बृहत् विशेषाङ्क प्रकाशित होगा, तथा 'भविष्य' के "जुबली-अङ्क" के लिए, ग्राहकों की सुविधा को दृष्टि में रख कर अभी से कूपन छपा दिए गए हैं। ये कूपन 'भविष्य' की समस्त एजेन्सियों द्वारा अथवा इस संस्था की शाखों द्वारा अभी से ख़रीद कर अपनी कॉपी रिज़र्व करा लीजिए, नहीं तो मिलना कठिन हो जायगा।

"तुरन्त अथवा कभी नहीं" का प्रश्न है !!

व्यवस्थापक "भविष्य" चन्द्रलोक, इलाहाबाद

28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad

Telephone:
205

Telegrams:
'Bhavishya'

भविष्य

'भविष्य' का चन्दा

वार्षिक चन्दा ... १२) रु०
छःमाही चन्दा ... ६॥) रु०
तिमाही चन्दा ... ३॥) रु०
एक प्रति का मूल्य चार आने
Annas Four Per Copy

एक प्रार्थना

वार्षिक चन्दे अथवा फ़ी कॉपी के मूल्य में कुछ भी नुक़्ताचीनी करने में पहिले मित्रों को 'भविष्य' में प्रकाशित अलभ्य सामग्री और उसके प्राप्त करने के असाधारण व्यय पर भी दृष्टिपात करना चाहिए।

वर्ष १, खण्ड ४ | इलाहाबाद—सोमवार; १४ सितम्बर, १९३१ | सं० १४ पूर्ण सं० ५०



4

THE FINE ART PRINTING COTTAGE. CHANDRALOK. ALLAHABAD.

इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और दूरदर्शी पाठक-पाठिकाओं से आशा की जाती है कि यथाशक्ति 'भविष्य' तथा 'चाँद' और विद्याविनोद-ग्रन्थमाला का प्रचार कर, व संस्था को और भी अधिक सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !!

भविष्य

पाठकों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, वे एकमात्र भारतीय परिवारों एवं व्यक्तिगत मङ्गल-कामना को दृष्टि में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !!

वर्ष १, खण्ड ४ || इलाहाबाद—सोमवार ; १४ सितम्बर, १९३१ || संख्या १४, पूर्ण संख्या ५०

लन्दन में महात्मा गाँधी का अपूर्व स्वागत हुआ !

बन्दरगाह पर हज़ारों की भीड़ :: हर्ष-नाद से आकाश हिल उठा !

[हमारा रियूटर का विशेष तार]

लन्दन, ११ सितम्बर

आज महात्मा जी मार्सलीज़ पर जहाज़ से उतरे। कहा जाता है कि महात्मा जी ने जहाज़ की यात्रा में मौ० शौकत अली से बातें कर साम्प्रदायिक मसले को बहुत कुछ सुलझा लिया है। मौ० शौकत अली ने डॉ० अन्सारी के गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में प्रतिनिधि-स्वरूप शामिल होने का समर्थन करने का वचन दिया है !

मार्सलीज़ के बन्दरगाह पर सैकड़ों की संख्या में जनता महात्मा जी के दर्शन के लिए एकत्र थी। इसी बीच में 'राजपूताना' जहाज़ महात्मा जी को लेकर बन्दरगाह पर पहुँच गया। जहाज़ के पहुँचते ही महात्मा जी को सिर्फ़ लँगोटी पहने और अपनी बनाई हुई चादर को कड़ी सरदी और बारिश में ओढ़े हुए जहाज़ के डेक पर खड़े देख कर जनता ने गगन-भेदी हर्षनाद किया। भारतीय विद्यार्थियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से आकाश को कम्पायमान कर दिया। महात्मा जी ने भी इसके उत्तर में ताली बजाई, किन्तु वह 'नक़ारख़ाने में तूती की आवाज़' सिद्ध हुई।

जैसे ही जनता की भीड़ कुछ कम हुई, वैसे ही समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों और फ़ोटो लेने वालों का ताँता लग गया। पुलीस ने बड़ी मुश्किल से भीड़ को संयमित कर पाया। भीड़ इतनी थी और महात्मा जी को इतना परिश्रम पड़ा कि कुछ क्षण उन्हें हवादार स्थान में विश्राम लेना पड़ा। पत्र-प्रतिनिधियों को महात्मा जी ने पाँच-पाँच के जत्थे में बुलाया, और उनसे बातें कीं।

गाँधी जी १२ सितम्बर को चार बजे शाम को लन्दन पहुँच गए।

महात्मा जी का वक्तव्य

महात्मा जी ने मार्सलीज़ पहुँच कर कहा कि—"१७ वर्ष बाद इङ्गलैण्ड जाने में मुझे कुछ 'घबराहट सी, होती है। मेरी जहाज़ की यात्रा कप्तान और समस्त जहाज़ी कर्मचारियों की कृपा से बड़े आनन्द की रही।" महात्मा जी ने अपने मित्रों से यह कहा है कि—"मुझे लन्दन के नेताओं की ख़ानगी कॉन्फ्रेन्स से गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स की अपेक्षा अधिक सफलता की आशा है।" रियूटर के प्रतिनिधि से आपने कहा—"मैं अपने देश की स्वतन्त्रता सम्बन्धी अपने जीवन के स्वप्नों का अनुभव करने इङ्गलैण्ड जा रहा हूँ। इङ्गलैण्ड की सरकार के परिवर्तन का मेरी नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। होर मुझे सच्चे अङ्गरेज़ मालूम होते हैं, उनकी सहानुभूति विपरीत होने की अपेक्षा मेरे पक्ष में ही होगी।" यह पूछने पर कि आप सम्राट से मिलने जाएँगे या नहीं, महात्मा जी ने कहा कि—"मैं अङ्गरेज़ी सरकार का क़ैदी हूँ। यदि आप चाहेंगे तो जाऊँगा।"

एसेम्बली में प्रेस-बिल उपस्थित हो गया

कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी की ओर से बिल का घोर विरोध

शिमला, ११ सितम्बर

आज एसेम्बली में नया प्रेस-बिल सर जेम्स क्रेरार ने उपस्थित कर दिया और उसे एक निर्वाचित कमिटी में, जिसमें सर्वश्री भगतराम पुरी, रङ्गा ऐयर, आर्थर मूर, सर अब्दुल्ला सुहरावर्दी, डॉ० डेसूज़ा, ए० हून, एस० आर० पण्डित, सर अब्दुल रहीम और स्वयं सर जेम्स क्रेरार रहेंगे, सर जेम्स ने उस पर १८ सितम्बर तक रिपोर्ट देने के लिए भी प्रस्ताव किया। बिल उपस्थित करते हुए सर जेम्स क्रेरार ने कहा कि हाल की भीषण हत्याओं से सार्वजनिक मत को बड़ा धक्का लगा है। वर्तमान स्थिति में इस बिल के पेश करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। अन्त में उन्होंने इस वर्ष के अन्दर हुए आतङ्ककारी आक्रमणों का ज़िक्र करते हुए कहा, कि यह क़ानून सीधे-साधे नवयुवकों को शरारत-पूर्ण लेखों या व्याख्यानों से बचाने के लिए बनाया जा रहा है।

नए प्रेस-बिल पर निन्दात्मक प्रस्ताव

अहमदाबाद, ११ सितम्बर

कॉङ्ग्रेस वर्किङ्ग-कमिटी ने नए प्रेस-बिल के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव पास किया है—वर्किङ्ग कमिटी यद्यपि वह सदा से हिंसा का विरोध और उसकी निन्दा करती रही है, इस समय एसेम्बली के सामने उपस्थित प्रेस-बिल को बहुत कठोर और बिल्कुल अनावश्यक समझती है, क्योंकि इससे दण्ड के विधान में एक और धारा बढ़ती है और इससे समाचार-पत्रों की जायदाद और स्वतन्त्रता पर सीधा आक्रमण होता है। कमिटी यह घोषित करती है कि बिल का दायरा इतना विस्तृत और सन्दिग्ध है कि जनता के किसी भी काम को हिंसा का नाम दिया जा सकता है। सरकार ने समझौते के सम्बन्ध में जो अर्थ लगाए हैं, जैसे बहुत से क़ैदी अभी तक जेल में हैं, उन्हें देखते हुए कमिटी को अपने इस भय को प्रदर्शित करने का प्रबल कारण है। इस के अतिरिक्त कमिटी की राय में यह प्रस्तावित क़ानून बनाना गत वर्ष के प्रेस-ऑर्डिनेन्स को और अधिक विस्तृत रूप में जारी करना है; इसलिए कमिटी यह समझती है कि समझौते के दौरान में इस क़ानून को बनाना दिल्ली-समझौते को साफ़-साफ़ तोड़ना है।

पत्रकार-सङ्घ के मन्त्री का तार

बम्बई, ११ सितम्बर

पत्रकार-सङ्घ के मन्त्री श्री० ब्रेलवी ने नीचे लिखा तार भारत-सरकार के होम-सेक्रेटरी और एसेम्बली के प्रेज़िडेण्ट के पास भेजा है—अपने ९ सितम्बर को भेजे हुए तार के सिलसिले में मैं इतना और सूचित करना चाहता हूँ, कि जब समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था, उस समय प्रेस-ऑर्डिनेन्स जारी था, इसलिए यह नया प्रेस-बिल जारी करना, समझौते को स्पष्ट तोड़ना है।

महात्मा जी के स्वागत की तैयारी
स्वागतियों में मि० चर्चिल भी हैं !

लन्दन, ९ सितम्बर

महात्मा गाँधी के लन्दन पहुँचने पर स्वागत करने के लिए स्वागत कमिटी ने चौदह सौ ब्रिटिश नेताओं को निमन्त्रित किया है। इनमें से एक श्री० चर्चिल महोदय भी हैं। महात्मा गाँधी सम्भवतः १२ सितम्बर को ५ बजे शाम के वक्त लन्दन पहुँचेंगे। लन्दन पहुँचते ही यूस्टन रोड पर "फ़्रेन्ड्स हाउस" में आपका स्वागत किया जायगा। मि० हाउसमैन स्वागत में एक वक्तृता देंगे और महात्मा गाँधी उसका उत्तर देंगे। गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स के व्हाइट सोशल सेक्रेटरी मि० विन्सेन्ट फ़ॉकस्टोन से मोटर द्वारा आपको लन्दन पहुँचाएँगे। स्वागत के बाद महात्मा गाँधी किंग्सले हॉल जायँगे।

दिल्ली-षड्यन्त्र केस

नई दिल्ली, ९ सितम्बर

अभियुक्त बिमलप्रसाद जैन के अदालत में हाज़िर होने से बार-बार इन्कार कर देने के कारण स्पेशल ट्रिब्यूनल को अभियुक्त बिमलप्रसाद से अदालत में हाज़िर होने को कहने के लिए अदालत के क्लर्क को भेजना पड़ा। अभियुक्त वात्सायन के अतिरिक्त, जो कि बीमार है, अदालत में सब अभियुक्त उपस्थित थे। श्री० वात्सायन की तरफ़ से किसी पैरवी करने वाले व्यक्ति के न होने के कारण अदालत की कार्रवाई दूसरे दिन के लिए स्थगित हो गई।



महात्मा जी की रक्षा का प्रबन्ध

लन्दन का समाचार है कि स्कॉटलैण्ड यार्ड (लन्दन के पुलीस-विभाग) ने महात्मा गाँधी और राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स के अन्य प्रतिनिधियों की रक्षा के लिए, जब तक वे इङ्गलैण्ड में रहेंगे, विशेष प्रबन्ध किया है।

'पायोनियर' का मामला

पाठकों को स्मरण होगा कि इलाहाबाद के 'पायोनियर' पर 'चाँद' और 'भविष्य' के अध्यक्ष श्री० रामरखसिंह जी सहगल ने 'प्रेस का कीपर' लिखने के कारण अदालत की मान-हानि का दावा किया था। उस सम्बन्ध में 'पायोनियर' के नाम नोटिस जारी हो गया था और उसकी पेशी ९ सितम्बर को होने वाली थी। पर एकाएक ८ सितम्बर को वह मामला खारिज कर दिया गया। कारण यह बतलाया गया है कि '३) रु० नोटिस के जमा नहीं किए गए।'

श्री० के० सी० राय का देहान्त

माननीय व्यक्तियों के शोक-सूचक उद्गार

शिमला, ७ सितम्बर

आज लेजिस्लेटिव एसेम्बली का अधिवेशन सर इब्राहीम रहमतुल्ला की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ, ग़ैर-सरकारी मेम्बरों की संख्या कम थी। कुछ तो शिमला पहुँच न सके थे और कुछ राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स में गए हुए हैं। दोपहर के समय जब कि एसेम्बली की कार्रवाही हो रही थी, एसोसिएटेड प्रेस के प्रधान सम्पादक श्री० के० सी० रॉय लक़वे के आक्रमण से गिर पड़े। उनको तुरन्त उठा कर रिपन अस्पताल में भेजा गया, जहाँ साढ़े चार बजे उनका देहान्त हो गया। श्री० रॉय की इस प्रकार मृत्यु पर सब को खेद हुआ। वे अपने पीछे विधवा पत्नी और तीन बच्चे छोड़ गए हैं।

अख़बारों की तलाशी

कलकत्ता, ७ सितम्बर

आज शाम को पुलीस ने 'एडवान्स', 'लिबर्टी' और दूसरे राष्ट्रीय समाचार-पत्रों के कार्यालयों की तलाशी ली। कहा जाता है कि इसका कारण बड़े बाज़ार की पिकेटिङ्ग के सम्बन्ध में प्रकाशित होने वाले समाचार थे।

पाँच सौ रुपए इनाम !

कलकत्ता, ७ सितम्बर

कलकत्ता के सेशन्स जज मि० गार्लिक के मृत हत्याकारी के फ़ोटो को पहिचानने के लिए ५००) रु० के इनाम की घोषणा की गई है।

बर्मा के विद्रोही नेता की अपील

रङ्गून, ७ सितम्बर

बर्मा-विद्रोह के श्री० नेता सायासान, जिन्हें फाँसी का दण्ड सुनाया गया है, की अपील हाईकोर्ट में दाख़िल कर दी गई है।

गोलमेज़ियों का सम्मान

लन्दन, ६ सितम्बर

'लन्दन ऑथोरिटी पार्टी' के चेयरमैन लॉर्ड रिची ने राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स के प्रतिनिधियों को निमन्त्रण देकर बुलाया। उनको एक क्रूज़र पर बैठा कर टेम्स की सैर कराई गई और बन्दरगाह के प्रबन्ध तथा विभिन्न प्रकार के जहाज़ों के आवागमन का सुप्रकाशित दृश्य दिखलाया गया। दर्शक इससे बड़े प्रसन्न हुए।

इलाहाबाद में पिकेटिङ्ग

इलाहाबाद की सिटी कॉङ्ग्रेस कमिटी को सूचना मिली है कि ६ तारीख़ को एक मुसलमान कपड़े के दुकानदार ने एक मुसलमान वालण्टियर को पीटा है। वह ग्राहकों से उस दुकान से कपड़ा न ख़रीदने को कह रहा था। वालण्टियर की कनपटी सूजी थी। दुकानदार मार-पीट करने की बात से इन्कार करता है और कहता है कि मैंने सिर्फ़ धक्का देकर वालण्टियर को अपने यहाँ से हटाया था।

शहर के कपड़े के दुकानदारों का एक डेपुटेशन पण्डित जवाहरलाल नेहरू तथा श्री० टी० के० शेरवानी से मिला और प्रार्थना की कि उनको अपने यहाँ रक्खा विदेशी ऊनी कपड़ा बेचने की इजाज़त दे दी जाय, वरना उनकी बड़ी हानि होगी। पर दोनों नेताओं ने ऐसा कर सकने में असमर्थता प्रकट की, क्योंकि वर्किङ्ग कमिटी तय कर चुकी है कि स्थानीय कमिटियाँ दुकानदारों से इस सम्बन्ध में किसी तरह का समझौता नहीं कर सकतीं। पर उनको यह आश्वासन दिया गया कि उनका मामला वर्किङ्ग कमिटी के सामने अवश्य पेश कर दिया जायगा।

—वियना (ऑस्ट्रिया) से ख़बर आई है कि एसेम्बली के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री० विट्ठलभाई पटेल अब अस्पताल छोड़ने लायक़ हो गए हैं और एतवार को हवाई जहाज़ द्वारा लन्दन पहुँचने वाले हैं।

गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स की कार्रवाई

अक्टूबर तक समाप्त होने की आशा

लन्दन, ६ सितम्बर

अक्टूबर के आख़ीर तक या इसी के लगभग गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स की कार्रवाई समाप्त हो जाने की आशा की जाती है। कॉन्फ्रेन्स के प्रभावशाली सदस्यों ने ज़ोर दिया है कि यह कॉन्फ्रेन्स अन्तिम और निर्णायक कॉन्फ्रेन्स होनी चाहिए।

गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स और सर अली इमाम

पटना, ६ सितम्बर

इङ्गलैण्ड के लिए रवाना होने के पहले, एसोसिएटेड प्रेस के प्रतिनिधि के पूछने पर गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स की अल्प-संख्यक कमिटी के राष्ट्रीय मुस्लिम सदस्य सर अली इमाम ने कहा कि "भारत की राजनीतिक स्वतन्त्रता हिन्दुस्तानियों के हाथ में है। गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स उसके लिए केवल एक अवसर है। उसका उचित उपयोग करने से भारतीय आकांक्षाओं को प्रकट करने का मतलब सिद्ध किया जा सकता है। समान आधार न होने पर गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स जैसे उपायों की निरर्थकता स्पष्ट है।

"लन्दन कॉन्फ्रेन्स की सफलता ब्रिटिश प्रतिनिधियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण भारतीय दृष्टिकोणों के एक रूप में प्रकट करने पर निर्भर है। भारत के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों को लन्दन-कॉन्फ्रेन्स के परिणामों के लिए इस ज़रूरी शर्त को समझ लेना चाहिए।

वकीलों का सम्मान

जालन्धर में सब-जज द्वारा एक जूनियर वकील को कोर्ट से बाहर निकाले जाने के कारण बड़ी सनसनी फैल रही है।

कहा जाता है कि कोर्ट ने पहिले भी कई बार वकीलों तथा मुक़दमा लड़ने वालों से ऐसा ही व्यवहार किया है। सब-जज के इस व्यवहार से सारे शहर में असन्तोष फैल गया है और घर-घर इसी बात की चर्चा हो रही है।

गुण्डों की शरारत

रोहतक का समाचार है कि जब कॉङ्ग्रेस की अधीनता में एक-सार्वजनिक सभा हो रही थी, एक गाँव के अफ़सर के निर्देशानुसार कुछ गुण्डों ने सभा को तितर-बितर कर दिया। पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट घटनास्थल पर पहुँच गए हैं, परन्तु कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं का विश्वास है कि इससे कोई फल नहीं हो सकता।

मोटर में बम का मामला

मुनीश्वर अवस्थी और उनके दो साथियों का मामला, जो कि कानपुर में गङ्गा जी के पुल पर कुछ ख़ाली बम लिए हुए मोटर में पकड़े गए थे, मैजिस्ट्रेट मि० ए० डी० बैनर्जी की अदालत में प्रारम्भ हुआ।

सुबूत की ओर से स्थानापन्न पुलीस सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० सिवर्ड और मि० फ़ैज़ल हुसेन के बयान हुए। मि० सिवर्ड ने तलाशी में पाई हुई चीज़ों के विषय में गवाही दी। उन चीज़ों में कुछ ख़ाली बम और हिन्दी में लिखे हुए "तातिया टोपी" और "आहुति" या "जयपाल" नाम के काग़ज़ मिले थे। फ़ैज़ुल हुसैन ने कहा कि सीतापुर जेल में अभियुक्त पर षड्यन्त्रकारी होने का सन्देह किया गया था। बाहर के षड्यन्त्रकारियों से जेल के अफ़सरों पर आक्रमण करने के लिए कहा गया था। अभियुक्त और महेशचन्द्र मेहता के विरुद्ध जेल-नियम भङ्ग करने का भी मामला चलाया गया था।

—नई दिल्ली की पुलीस ने चोरी के अभियोग में याक़ूबअली नामक एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया है। वह पहिले एक पुलीस सब-इन्स्पेक्टर का नौकर रह चुका है और चोरी करने के अपराध में ६ माह की सज़ा भोग चुका है।

—सहारनपुर में ज़िला राजनीतिक कॉन्फ्रेन्स की तैयारियाँ हो रही हैं। अधिवेशन की तारीख़ १८ और १६ सितम्बर नियत की गई है। पं० जवाहरलाल नेहरू और डॉ० अन्सारी के भी आने की आशा है। १९ सितम्बर को एक स्वदेशी बाज़ार का उद्घाटन होगा, जो २१ तारीख़ तक खुला रहेगा। जो लोग उसमें खद्दर या कोई अन्य शुद्ध स्वदेशी वस्तु विक्रयार्थ भेजना चाहें, उनको १३ तारीख़ तक भेज देना चाहिए।

—प्रतापगढ़ के डिप्टी कमिश्नर श्री० विष्णुसहाय छुट्टी पर जा रहे हैं। आप एक सर्वप्रिय हाकिम थे, और लोगों से सहानुभूति और सभ्यता का व्यवहार करते थे। आपके जाने पर सर्व-साधारण ने बहुत खेद प्रकट किया है।

पेडी-हत्याकाण्ड का मामला

मि० जेम्स पेडी की हत्या के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए श्री० विवेकानन्द बोस तथा अन्य तीन व्यक्तियों के विरुद्ध, जो कुछ समय तक हिरासत में रखने के बाद दस-दस हज़ार की ज़मानत पर छोड़ दिए गए थे, मामले की सुनवाई सब-डिविज़नल ऑफ़िसर के इजलास में शुरू हो गई है।

अभियुक्त-पक्ष के वकीलों ने एतराज़ किया कि पुलीस जाँच करने के लिए बड़ा समय ले रही है। सब-डिवीज़नल ऑफ़िसर ने कहा कि पुलिस की जाँच कारण रहित नहीं है और उन्होंने अभियुक्तों को उसी ज़मानत में रहने के लिए आज्ञा देकर आगामी ३ अक्टूबर तक के लिए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है।

—पेशावर का समाचार है कि चीफ़ कमिश्नर ने पुलीस ऐक्ट की दफ़ा १५ के अनुसार घोषित किया है कि डेराइस्माइलख़ाँ शहर "अव्यवस्थित और ख़तरनाक हालत में है।" यह घोषणा दो महीने तक लागू रहेगी। अतिरिक्त गज़ट में कमिश्नर ने यह भी घोषित किया है कि रावलपिण्डी का ३ सितम्बर का 'मैबर' नाम का एक समाचारपत्र, जिसके सम्पादक गुलाम रब्बानी हैं, जहाँ मिले ज़ब्त कर लिए जाय।

बदमाशों से मज़दूरों की मुठभेड़

हाथरस का समाचार है कि गत शुक्रवार को प्रातःकाल शहर को जाते हुए मज़दूरों पर कुछ बदमाशों ने आक्रमण किया जिससे एक बदमाश मारा गया। पुलिस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है।

यू० पी० कौन्सिल के सदस्यों के भत्ते में कमी

संयुक्त-प्रान्त की सरकार सरकारी नौकरों के सफ़र के भत्ते में कमी करने के बाद कौन्सिल के ग़ैर सरकारी सदस्यों के दैनिक भत्ते में कमी करने का विचार कर रही है। अब तक १० रुपया दैनिक भत्ता लखनऊ में किए जाने वाले अधिवेशनों में और १५ रुपया पहाड़ों पर किए जाने वाले अधिवेशनों में दिया जाता था। इसे घटा कर साढ़े सात रुपया और १० रुपया कर देने का विचार हो रहा है।

ट्रेड यूनियन कॉङ्ग्रेस का प्रस्ताव

लन्दन का समाचार है कि ब्रिटेन की ट्रेड यूनियन कॉङ्ग्रेस ने, जिसका अधिवेशन ब्रिस्टल में हो रहा है, मज़दूरों के कार्य करने के घण्टों को ४० घण्टे प्रति सप्ताह करने और छुट्टियों का पूरा वेतन देने का प्रस्ताव किया है।

"स्वराज्य की डिग्री"

कॉङ्ग्रेस नेताओं के भाषण

अहमदाबाद, ६ सितम्बर

एक बहुत बड़ी सार्वजनिक सभा में कॉङ्ग्रेस वर्किङ्ग कमिटी के सदस्यों के भाषण हुए। ऐसी सभा डेढ़ वर्ष पहिले, महात्मा गाँधी की डण्डी-यात्रा के पहले होने वाली कॉङ्ग्रेस वर्किङ्ग कमिटी की बैठक के समय हुई थी। वक्ताओं ने उस घटना का ज़िक्र करते हुए लोगों को उस समय पूर्ण स्वराज्य लिए बिना विश्राम न लेने की प्रतिज्ञा की याद दिलाई, जब महात्मा गाँधी जेल से छोड़े गए थे और समझौते के लिए वायसरॉय के भवन में बुलाए गए थे तब लोगों को स्वराज्य की डिग्री मिली थी। महात्मा गाँधी उस डिग्री को वसूल कर सकेंगे, अगर हम लोग दृढ़ रहेंगे। हम लोगों को महात्मा गाँधी के शब्द पर जीवन-बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि महात्मा गाँधी की आवाज़ सेण्ट जेम्स पैलेस में सुनी जायगी—अगर उनके साथ जनता की शक्ति रहेगी।

डॉ० अन्सारी ने कहा कि राष्ट्रीय मुसलमान कॉङ्ग्रेस द्वारा निर्धारित स्वराज्य चाहते हैं, मि० जिन्ना द्वारा निर्धारित स्वराज्य नहीं।

डॉ० महमूद ने कहा कि मुसलमान भावी युद्ध में हिन्दुओं की तरह शामिल होंगे, अगर वह सन् १९३२ में छिड़ा।

मकान-भाड़ा घटाने का आन्दोलन

दिल्ली में सत्याग्रह होगा

दिल्ली, ६ सितम्बर

दिल्ली में मकान-भाड़ा घटाने का आन्दोलन ज़ोरों से चल रहा है। भाड़ा-कमिटी ने अब यह निश्चय किया है कि जो मकान-मालिक किराया घटाना स्वीकार नहीं करते उनके मकानों पर सत्याग्रह किया जाय। कमिटी ने यह आन्दोलन चलाने के लिए एक पिकेटिङ्ग सब-कमिटी, एक डिफ़ेन्स सब-कमिटी और एक अर्थ सब-कमिटी स्थापित की है।

—अलीगढ़ का ६ सितम्बर का समाचार है कि यू० पी० के होम-मेम्बर नवाब छतारी की जगह नवाब सर मुहम्मद मुज़म्मिल उल्ला ख़ाँ नियुक्त किए गए हैं। नवाब छतारी गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं।

नए प्रेस-ऐक्ट पर 'हिन्दू'-सम्पादक

बम्बई, १० सितम्बर

मद्रास के सुप्रसिद्ध 'हिन्दू' पत्र के सम्पादक श्री० ए० रङ्गस्वामी आयङ्गर ने, जो आजकल गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स के सम्बन्ध में लन्दन में हैं, 'बॉम्बे-क्रॉनिकल' के प्रतिनिधि से नए प्रेस-बिल के सम्बन्ध में बातें करते हुए कहा कि इस बिल से समाचार-पत्रों की स्वाधीनता और स्वतन्त्र-मत-प्रदर्शन के विरुद्ध एक और क़ानून तैयार किया जा रहा है। एसेम्बली के मेम्बरों को एकमत होकर इसका विरोध करना चाहिए और समाचार पत्रों की वैध स्वतन्त्रता की रक्षा करनी चाहिए।

रेलवे-जाँच-कमिटी

बम्बई, १० सितम्बर

रेलवे-जाँच-कमिटी की बैठक आज फिर बम्बई में हुई। रेलवे श्रमजीवी-सङ्घ की ओर से श्री० जमनादास मेहता की गवाही हुई। श्री० जमनादास ने कहा कि रेलवे श्रमजीवी-सङ्घ और रेलवे-बोर्ड के झगड़े के बीच की सभी बातें जाँच-कमिटी के सामने नहीं लाई गई हैं। बम्बई में अपना काम समाप्त करने के बाद जाँच-कमिटी मद्रास, कलकत्ता, नागपुर सदृश अन्य प्रमुख नगरों को भी जायगी।

चीफ़ कमिश्नर खड्ड में गिर कर मर गए

शिमला, १० सितम्बर

सीमा प्रान्त के चीफ़ कमिश्नर सर स्टुआर्ट पियर्स कल शाम को नाथियागाली के पास एक गहरे खड्ड में गिर कर मर गए। जब यह भीषण दुर्घटना हुई तो उनकी पत्नी भी उनके साथ थीं।

कॉङ्ग्रेस वर्किङ्ग कमिटी

मिलों के सम्बन्ध में निर्णय

अहमदाबाद, १० सितम्बर

कॉङ्ग्रेस वर्किङ्ग कमिटी ने, मिलों को स्वीकृत सूची से अलग करने वाली कमिटी से कहा कि उन मिलों से जो कि प्रति दिन दस घण्टे से अधिक कार्य करती हैं, प्रति दिन दस घण्टे के अनुसार कार्य करने और जिन मिलों में मज़दूरी कम हो गई है वहाँ फिर वही मज़दूरी देने के लिए कहा जाय। कमिटी को अधिकार दिया गया है कि उपरोक्त प्रार्थना के अनुसार कार्य न होने पर, वह नियमानुसार नोटिस और समय देकर स्वीकृत मिलों की सूची से उनके नाम हटा दे।

—तञ्जोर का समाचार है कि दो कॉङ्ग्रेस वालण्टियरों से नेक-चलनी की ज़मानतें माँगी गई थीं। इन्कार करने पर उनको छः-छः मास की सादी क़ैद की सज़ा दी गई।

रण्डियों के मकानों पर पिकेटिङ्ग

पेशावर के ख़िलाफ़त वालन्टियरों ने वहाँ के म्युनिसिपल बोर्ड को १५ दिन की नोटिस दिया था कि रण्डियों को शहर से हटा दिया जाय। उस मियाद के ख़त्म हो जाने पर ६ सितम्बर से वालन्टियरों ने रण्डियों के मकानों और उनके पास के बाज़ारों पर शान्तिमय पिकेटिङ्ग आरम्भ कर दी है। इसके फल से वह मुक़ाम, जहाँ सदा चहल-पहल रहा करती थी, सुनसान पड़ा है।

९३ रुपए भूमि-कर के लिए गिरफ़्तारी

किरावली (आगरा) के एक प्रसिद्ध ज़मींदार श्री० शिवदयाल पालीवाल, जो कि वहाँ की तहसील कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रेज़िडेण्ट भी हैं, भूमि-कर के ९३ रुपए अदा न करने के लिए गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। वे किसी कार्यवश तहसीलदार की कचहरी में गए थे। वहीं उनको पकड़ कर हवालात में बन्द कर दिया गया।

—डॉ० नेविल बेसेण्ट पटने से प्रकाशित होने वाले 'इण्डियन नेशन' नामक पत्र के सम्पादक नियत किए गए हैं। आपने लिखा है कि इस नई नियुक्ति से उक्त पत्र की नीति में कोई अन्तर न पड़ेगा और पत्र का उद्देश्य पहले के समान भारत की भलाई करना ही रहेगा। आप पहले लन्दन के 'टाइम्स' के वैदेशिक विभाग के सम्पादक थे।

हथियारों के लिए तलाशी

गत ८ सितम्बर को पुलिस ने राँची (बिहार) की ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रेज़िडेण्ट डॉ० पूर्णचन्द्र मित्र के घर और मित्र-स्टोर की तलाशी ली। तलाशी बिना लायसेन्स के हथियारों और गोली-बारूद के लिए ली गई थी, पर ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। पुलिस वाले कुछ पैम्फ़्लेट, 'चटगाँव आरमरी रेड' के अभियुक्तों तथा भगतसिंह के फ़ोटो आदि ले गई। तलाशी ख़ुद पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट ने ली थी और पुलिस का बहुत कड़ा इन्तज़ाम था।

—काठियावाड़ की कितनी ही रियासतों में विदेशी खिलौनों की पिकेटिङ्ग और जुआ रोकने में प्रशंसनीय सफलता हो रही है। इसी जन्माष्टमी के अवसर पर स्वदेशी खिलौनों की धूम-धाम से बिक्री हुई और बड़े सुन्दर-सुन्दर खिलौने बिकने आए। राजकोट और ध्राङ्गध्रा के समान कुछ उन्नतिशील रियासतों ने अपने यहाँ मेलों में जुआ का होना भी बन्द करवा दिया है। वढ़वान, लिम्बड़ी, बरवाला, धोलेरा आदि कई नगरों में यूथ लीग के सदस्यों ने लोगों को विदेशी खिलौने न ख़रीदने और जुए में रुपया बर्बाद न करने को बड़े आग्रहपूर्वक समझाया, इस शान्तिमय पिकेटिङ्ग का फल बहुत अच्छा हुआ है और इस वर्ष काठियावाड़ की जनता का क़रीब दो-तीन लाख रुपया बचा है जो खिलौनों और जुए में नष्ट होता था।

—नागपुर में भी शाम बैङ्कर नामक पारसी नवयुवक ने बलमोरिया की शराब की दुकान पर इसलिए भूखों रह कर धरना दिया था कि वह पारसियों के नए वर्ष-दिवस पर शराब न बेचें। अब पारसी लोगों ने उस रोज़ शराब न लेने की प्रतिज्ञा कर ली है और इसलिए मि० शाम बैङ्कर भोजन करने लग गए हैं।

—मद्रास हाईकोर्ट में ५ सितम्बर को बङ्गाल, नागपुर रेलवेमेन यूनियन के भूतपूर्व सेक्रेटरी मि० एस० एस० ऐय्यर के विरुद्ध, जिन्होंने मज़दूरों को रेलगाड़ी रोकने के लिए प्रोत्साहित किया था, मामले की सुनवाई शुरू हुई। ३ कॉन्स्टेबिलों से जिरह की गई, जिन्होंने बतलाया कि अभियुक्त ने मज़दूरों को गाड़ी रोकने तथा हड़ताल करने के लिए उकसाया। मामले की सुनवाई आगामी १६ सितम्बर तक के लिए स्थगित हो गई।

गवर्नमेण्ट का व्यङ्ग !

कुडालो (मद्रास) के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने गवर्नमेण्ट से सड़कों की मरम्मत के लिए १,१७५) रु० की सहायता माँगी थी। इसी बोर्ड ने सत्याग्रह आन्दोलन के समय पिकेटिङ्ग के लिए एक हज़ार रुपया मञ्ज़ूर किया था। उसकी याद दिखाते हुए स्थानीय कलक्टर ने बोर्ड को लिखा है कि "इससे मालूम होता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सड़कों के लिए आवश्यक धन का प्रबन्ध स्वयम् ही कर लेना चाहिए। गवर्नमेण्ट खेदपूर्वक बोर्ड की इस सहायता की प्रार्थना को अस्वीकार करती है।"

पटना बम-केस

अभियुक्त बरी कर दिए गए

पटना के सिटी मैजिस्ट्रेट ने राय महेन्द्रप्रसाद और अन्य अभियुक्तों को, जो पटना बम-काण्ड के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए थे, सन्तोषजनक गवाही न मिलने से छोड़ दिया।

सम्पादक पर सरकार का कोप

पाठकों को स्मरण होगा कि हाल में कलकत्ते के 'श्रमिक' नामक बङ्गला साप्ताहिक पत्र के सम्पादक श्री० रमणीरञ्जन गुह राय को राजद्रोह के अभियोग में छः मास का कठिन कारागार दण्ड मिला था। अब उन पर चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट की अदालत में एक नया मुक़दमा दफ़ा १५३ ए (विभिन्न दलों में घृणा फैलाना) के अनुसार चलाया गया है। 'श्रमिक' में एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसका शीर्षक था—"ए सफ़ेद व्यापारी" उसीके लिए यह मुक़दमा चलाया गया है।

—ढाका का समाचार है कि वारी पोस्ट की डकैती के सम्बन्ध में नीरोद गुहा और धीरेन सेन, दो नवयुवक गिरफ़्तार किए गए हैं। कहा जाता है कि पोस्ट ऑफ़िस के चपरासी ने जिससे रिवॉल्वर दिखला कर रुपया छीना गया था, नीरोद गुह की शनाख़्त की है।

—मैमनसिंह में पुलिस ने प्रान्तीय वालण्टियर-दल के एक प्रमुख सदस्य श्री० विनोदविहारी चक्रवर्ती के घर की तलाशी ली। वे कलकत्ता में 'बङ्गाल क्रिमनल लॉ एमेण्डमेण्ट' के अनुसार गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने डेढ़ घण्टे तक तलाशी ली, पर कोई चीज़ आपत्तिजनक नहीं मिली।

—'मज़लूमी ख़ानदान का ख़ूनी दास्तान' श्री० मुहम्मद महताब कृत तथा 'नारा-ए-जङ्ग' सय्यद अली हुसेन कृत नामी पुस्तिकाओं को पञ्जाब-सरकार ने इण्डियन स्टेट्स एक्ट की धारा ३ तथा भारतीय दण्ड-विधान की धारा १२४ ए के अनुसार ज़ब्त कर लिया है।

—अहमदाबाद का १० सितम्बर का समाचार है कि हिन्दुस्तानी सेवादल के केन्द्रीय बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कॉङ्ग्रेस वर्किङ्ग कमिटी ने स्वयंसेविकाओं के सङ्गठन के विषय में निश्चय किया है कि जब तक स्वयंसेविकाओं की केन्द्रीय कमिटी नहीं क़ायम हो जाती या उस सम्बन्ध में दूसरे प्रबन्ध नहीं हो जाते तब तक रिपोर्ट में दी गई सलाह के अनुसार एक स्त्री सङ्गठनकर्ता सलाहकार की हैसियत से नियुक्त कर दी जाय। केन्द्रीय बोर्ड को इस नियुक्ति का और इस सम्बन्ध में दूसरी आवश्यकीय कार्रवाइयों के करने का अधिकार दिया गया है।

—अजमेर की नौजवान भारत-सभा, समाचार-पत्रों के ऑफ़िसों तथा शहर के अन्य बहुत से स्थानों की स्थानीय सी० आई० डी० ने क्रान्तिकारी-साहित्य के लिए तलाशियाँ लीं। परन्तु कहीं भी कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली।

पुलिस और बंगाली युवकों में युद्ध

हथियारों सहित दो नवयुवक गिरफ़्तार

देवेन्द्रनाथ भट्टाचार्य (उम्र २२ साल) और श्याम-बिहारी मुकर्जी (उम्र २६ साल) नामक दो बङ्गाली नवयुवकों को पुलिस ने भद्रेश्वर के पास, जो ईस्ट इण्डियन रेलवे का एक स्टेशन है, गिरफ़्तार किया है। कहा गया है कि वे चिनसुरा के पास ग्राण्ड ट्रङ्क रोड पर एक टैक्सी गाड़ी को रोक कर उस पर सवार हुए और कुछ दूर जाने पर गाड़ी के ड्राइवर को पिस्तौल से धमका कर नीचे उतार दिया। ड्राइवर ने मानकुण्डू नामक स्टेशन पर जाकर इस घटना की इत्तला दी। वहाँ के स्टेशन-मास्टर ने रेलवे-पुलिस को सूचित कर दिया। जब वे युवक मोटर में भद्रेश्वर और वैद्यवटी के लेविल क्रॉसिङ्ग पर पहुँचे तो पुलिस ने उनको ठहरा कर पकड़ना चाहा। इस पर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ और दोनों युवकों तथा एक हेड-कॉन्स्टेबिल को चोट लगी। तलाशी लेने पर उनके पास एक भरा हुआ छः नला रिवॉल्वर और एक ख़ञ्जर मिला। भट्टाचार्य के पास लखनऊ से हबड़ा तक का टिकिट भी पाया गया, और मालूम हुआ कि वह लखनऊ का रहने वाला है। वे दोनों इज़्ज़तदार घरानों के लड़के हैं और उनमें से एक बी० एस-सी० पास है। पुलिस ने उनको सीराम-पुर के सब-डिवीज़नल ऑफ़ीसर के सामने पेश किया और वे हवालात में भेज दिए गए।

बर्मा में पुलिस और विद्रोहियों की मुठभेड़

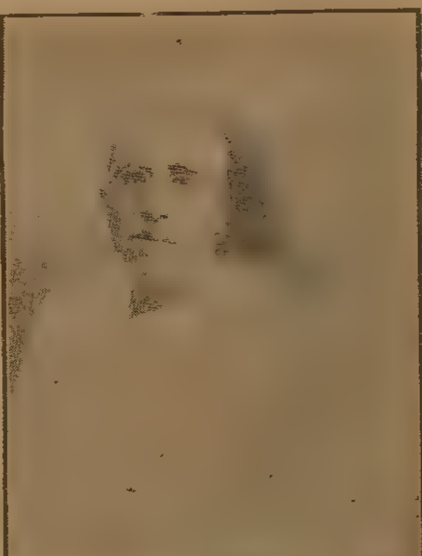
बन्दूकें, बम, तोपें तथा अन्य अस्त्र-शस्त्र मिले

बर्मी विद्रोहियों के दो और कैम्पों को पुलिस और फ़ौजी सिपाहियों ने नष्ट कर डाला। पहले कैम्प में कितने विद्रोही नेता मारे गए, एक घायल हुआ और तीन गिरफ़्तार कर लिए गए। विद्रोहियों ने भी सरकारी सिपाहियों पर गोलियाँ चलाईं, पर किसी को चोट नहीं लगी। कैम्प में छः बन्दूकें, बहुत से बम और दूसरे हथियार मिले। दूसरे कैम्प में से विद्रोही पहले ही ग़ायब हो गए, सिपाहियों को वहाँ तीन देशी तोपें मिलीं। प्रोम नामक स्थान, में २५-३० विद्रोहियों ने एक गाँव में डाका डाला, जिसमें एक देहाती मारा गया। रङ्गून शहर के बिलकुल पास एक बर्मी घर पर भी डाका पड़ा, जिसमें डाकू पुरुष और स्त्रियों को मार-पीट कर दो हज़ार का माल ले गए। और भी कितने ही क़स्बों से डाके की ख़बरें मिली हैं।

स्वामी गोविन्दानन्द गिरफ़्तार

कराची, ६ सितम्बर

अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के सदस्य और सिन्ध के सुप्रसिद्ध नेता स्वामी गोविन्दानन्द जी आज दोपहर को राजद्रोह के अपराध में गिरफ़्तार कर लिए गए। गिरफ़्तारी के पहले अपने सन्देश में आपने यह



स्वामी गोविन्दानन्द

कहा कि उनकी गिरफ़्तारी दिल्ली-समझौते की शर्त का स्पष्ट रूप से तोड़ा जाना है, परन्तु अपने अनुयाइयों से आपने पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करने और विलायती चीज़ों का बॉयकाट करने को कहा।

"पूँजीवाद का नाश हो"

बम्बई में प्रेस-कर्मचारियों का जुलूस

बम्बई के 'डेली मेल' में काम करने वाले प्रेस कर्मचारियों का एक जुलूस 'बम्बई प्रेस वर्कर यूनियन' की अध्यक्षता में निकला। जुलूस "इन्क़िलाब ज़िन्दाबाद" "प्रेस मज़दूर ज़िन्दाबाद", पूँजीवाद का नाश हो"— आदि के नारे लगाता हुआ फ़ोर्ट में घूमा। ये लोग "टाइम्स ऑफ़ इण्डिया" "बॉम्बे क्रॉनिकल" और "फ़्री प्रेस" आदि ऑफ़िसों के सामने गए और नेताओं ने उन स्थानों के कर्मचारियों के सामने 'डेली मेल' के कर्मचारियों की दुर्दशा का वर्णन किया। ये लोग 'डेली मेल' प्रेस के बन्द कर दिए जाने से बेकार घूम रहे हैं और उनको पिछले सात महीने से एक पाई भी नहीं दी गई है। भाषणकर्ताओं ने बतलाया कि पूँजीवाद में लोगों की रक्षा कैसी अनिश्चित रहती है। जुलूस में कुछ चन्दा भी इकट्ठा किया गया। कितने ही प्रेसों के कर्मचारियों की एक विशाल सभा 'डेली मेल' के ऑफ़िस के सामने की गई।

—संयुक्त-प्रान्तीय सेवा-दल प्रान्त के स्वयंसेवकों को ट्रेनिङ्ग देने के लिए बनारस में शिविर कायम करने का प्रबन्ध कर रहा है। ट्रेनिंग १६ सितम्बर को प्रारम्भ होगी।

—रायपुर (सी० पी०) की म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में कॉङ्ग्रेस वालों को पूर्ण सफलता मिली है और सदस्यों में बहुमत कॉङ्ग्रेस का ही है। श्री० वामनराव लाखे नाम के एक प्राचीन कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ता बिना विरोध के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं।

चटगाँव की भीषण लूटमार और पुलीस की नृशंसता

अब तक चटगाँव के सम्बन्ध में जो हाल छपे हैं, उनसे भी अधिक भयङ्कर बातों का हाल में उद्घाटन हुआ है। इन बातों को सुन कर बहुतों को स्यात् आश्चर्य होगा और कह उठेंगे कि ब्रिटिश राज्य में ऐसा होना असम्भव है।

३१ अगस्त को प्रातःकाल से तीसरे पहर तक मुसलमान लोग स्वच्छन्दता से लूट व ताराज़ करते रहे, पुलीस खड़ी देखती रही। पुलीस की आँखों के सामने सड़कों पर लुटेरे मुसलमानों ने लूट के माल का हिस्सा-बखरा किया।

लूटे हुए माल की रवानगी

सोमवार को तीसरे पहर दो बजे कमिश्नर साहब राँगामाटी होकर चटगाँव को लौटे। उस समय सैकड़ों नावों पर दाल, चावल के बोरे, टिनों में मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, कपड़ों की गाँठें, पीतल, काँसा और अनेक बिसाती खाने की चीज़ें लादे हुए लुटेरे कर्णफूली नदी के पार उतर रहे थे। क्या कमिश्नर को यह नहीं मालूम था कि वह चटगाँव के हिन्दुओं का लूटा हुआ माल है? यह सुई नहीं थी, न सौदागरों का काफ़ला था। कमिश्नर ने इस अजीब बात को देख कर कम से कम पूछा तो ज़रूर होगा कि आख़िर मामला क्या है? ख़ैर।

पुलीस की करतूत

इसी रात को १५-१६ दलों में दारोग़ा, सारजण्ट, कॉन्स्टेबिल, गोरखा पलटन के सिपाही वग़ैरह बन्दूक़, रिवॉलवर, लाठी, डण्डा लेकर अलग-अलग रात में ११ बजे निकल पड़े और नगर के बहुत से मकानों की तलाशी ली। आधी रात के सन्नाटे में जब लोग पड़े सो रहे थे, यह प्रजा-रक्षक-दल के लोग नागरिकों के घरों में घुस पड़े और मार-काट शुरू कर दी। आलमारी, सन्दूक़, बक्स, ट्रङ्क, शीशी और बोतलें, डण्डों, लाठियों और बन्दूक़ के कुन्दों से तोड़ डाली गईं।

इन लोगों ने पञ्चजन्य प्रेस में घुस कर प्रेस की मेशीन हथोड़ी से तोड़ी, ऑयल इञ्जिन और इलेक्ट्रिक मोटर चूर-चूर कर डाला, टाइप, काग़ज़, हिसाब-किताब के काग़ज़, सबको ख़ूब नष्ट किया। पुलीस ने ऐसा अमानुषिक अत्याचार एक जगह नहीं, कई जगह किया। साफ़ मालूम होता है कि पुलीस की इस प्रकार की उद्दण्डता का मतलब नगर-निवासियों में त्रास फैलाना था।

चटगाँव के और पास के गाँवों में भी कम अत्याचार नहीं हुआ। सोमवार को प्रभात में एक पुलीस कर्मचारी, गोरखा और सारजण्ट को साथ लेकर पटिया नामक ग्राम में गये और वहाँ प्युनिटिव पुलिस के साथ मिले। इन लोगों ने जो उपद्रव पटिया और उसके आसपास के गाँव में मचाया वह जल्दी सच मानना भी कठिन होता है। इस घटना के सम्बन्ध में पटिया के बार एसोसिएशन ने जो प्रस्ताव ग्रहण किया है, वह हमें परिस्थिति बतलाने के लिए पर्याप्त है:—

"दुःख है कि २ अगस्त को ११ बजे दो यूरोपियन कर्मचारी कितने ही हथियारबन्द सिपाहियों को लेकर अकस्मात् पटिया के दो हाई स्कूलों में घुसे और अनायास ही हिन्दू लड़कों को लाठी और बेत से पीटने लगे और बड़ी निर्दयता से मारा। एक-एक बच्चे को खींच कर बेञ्च पर सुला दिया, दो सिपाहियों ने उनके हाथ-पैर मज़बूती से पकड़ लिए, तीसरे ने उनके बदन को नङ्गा कर दिया और चौथे ने उन्हें बेत मारते-मारते रक्ताक्त करके बेहोश दशा में छोड़ा।"

पटिया के सिवा पास के एक ग्राम में स्वर्गीय प्रसन्न सेन के मकान में पुलीस और गोरखा घुस गए और जो अत्याचार किया वह भी कम भयानक बात नहीं है।

जाँच-कमिटी

कलकत्ते से एक ग़ैर-सरकारी जाँच कमेटी ७ सितम्बर को प्रातःकाल चटगाँव पहुँची है। इसके सामने कई दिन तक फ़ौजी पुलीस ने जो-जो अत्याचार किए थे, उनका विस्तृत विवरण जनता ने रक्खा। इस जाँच से साफ़ साबित है कि ऊँचे अफ़सर के आदेश के अनुसार गोरखा पुलीस ने रामकृष्ण विश्वास, प्रसन्न सेन, हरीपद भट्टाचार्य (जो ख़ानबहादुर अमानुल्ला की हत्या करने के सन्देह में पकड़े गए हैं), अस्त्रागार लूटने का एक भागा हुआ मुल्जिम तारकेश्वर दस्तादार के मकानों को मिट्टी का तेल डाल कर उनमें आग लगा दी गई, जिससे वह बिलकुल जल गए। हरीपद के घर जलने का दृश्य हरीपद को ले जाकर दिखलाया गया।

इसके अतिरिक्त श्रीपूर में ४, खारणद्वीप में ६, कानूनगो पाडा में ८, पिवडातालो में १६, हौला गोतली में भी कई एक घरों को नुक़सान पहुँचाया गया है, असबाब वग़ैरह को भी क्षति पहुँची है। कई फ़ौजदारी के मुक़दमे चल रहे हैं।

श्री० सेन गुप्त को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का पत्र

जाँच कमिटी के प्रमुख श्रीयुत सेन गुप्त को ट्रेन के कमरे से उतरने के पहले ही डि० मैजिस्ट्रेट का एक पत्र डिप्टी मैजिस्ट्रेट की मारफ़त मिला। इस पत्र में लिखा था सेन गुप्त को चटगाँव पहुँच कर डि० मैजिस्ट्रेट से मिलना चाहिए, डि० मैजिस्ट्रेट अवस्था की गुरुता उन्हें ख़ूब समझा देंगे।

सेन गुप्त का उत्तर

श्रीयुत सेन गुप्त ने पत्र के उत्तर में कहा कि मैं जाँच कमिटी के दूसरे सदस्यों तथा चटगाँव के हिन्दू-मुसलमान नेताओं से बिना परामर्श किए मैजिस्ट्रेट की इस बात के अनुसार काम नहीं कर सकता।

चटगाँव पहुँच कर श्रीयुत सेन गुप्त ने दूसरे सदस्यों और नेताओं से परामर्श किया। परामर्श में निश्चय हुआ कि श्रीयुत सेन गुप्त डि० मैजिस्ट्रेट से मिलें, ताकि सरकार-पक्ष की गवाहियों का भी बयान हो सके। अगर डि० मैजिस्ट्रेट न माने तो उससे कहा जाय कि दूसरे पक्षों की गवाहियों के बयान लेवे और सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत आवे तो वह उसका उत्तर दे सके, अथवा सारा मामला विशद-रूप से समझा कर मैजिस्ट्रेट साहब एक विज्ञप्ति निकालें। इसके अनुसार श्रीयुत सेन गुप्त जाकर पहले कमिश्नर नेलसन से मिले, थोड़ी ही देर में मैजिस्ट्रेट भी वहाँ ही आ गए। इन लोगों से श्री० सेन गुप्त की डेढ़ घण्टा तक बातचीत होती रही, अन्त में निश्चय हुआ कि श्री० सेन गुप्त के प्रस्ताव पर कमिश्नर और मैजिस्ट्रेट विचार करेंगे और इस मामले को प्रान्तिक-सरकार तक भी पहुँचाया जा सकता है।

सरकार की तरफ़ से विश्वास दिलाया गया है कि सरकार इस जाँच कमिटी के काम में बाधा न डालेगी और जाँच कमिटी के सदस्यों की सुविधा के लिए कर्फ़्यू ऑर्डर भी बदल दिया जायगा। हाल में कर्फ़्यू ऑर्डर आठ बजे रात से आरम्भ होता है।

जाँच कमिटी ने अपना काम शुरू कर दिया है, लोगों में कुछ शान्ति आई है व घबराहट कम हुई है।

नरपिशाच ससुर का भयंकर कृत्य

पतोहू को जलते हुए करछुल से मार डाला

लखनऊ के चीफ़ कोर्ट में मनीराम पासी नामक व्यक्ति ने फाँसी की सज़ा के विरुद्ध अपील की है। अभियुक्त ज़िला बाराबङ्की का रहने वाला है और वहाँ के सेशन जज ने उसे अपनी पतोहू की हत्या करने के अपराध में फाँसी की सज़ा दी थी। हत्या का कारण यह बतलाया जाता है कि उसकी पतोहू ने, जिसका नाम मेकी था और जिसकी उम्र केवल नौ वर्ष की थी, अपने ससुर की रोटी को खा लिया, इस पर उस नरपिशाच ने एक करछुल आग में डाल कर लाल किया और उससे ग़रीब बालिका के बदन भर को दाग दिया। उसने करछुल को उसके बदन पर इतनी देर तक दबाए रखा जब तक कि उसकी खाल ही नहीं, वरन् मांस तक जल गया। बदन का कोई भाग जलने से नहीं बचा है। गुप्त अङ्गों तक को निर्दयता के साथ दागा गया है। इसके फल से लड़की दो रोज़ बाद तड़प-तड़प कर मर गई। चीफ़ कोर्ट के जजों ने यह स्वीकार करते हुए कि अभियुक्त ७० वर्ष का बूढ़ा आदमी है और इस दृष्टि से फाँसी का दण्ड बहुत कड़ा है, फ़ैसला किया कि उसका क़सूर बहुत भयङ्कर और जघन्य है। इसलिए उसकी अपील रद्द कर दी गई।

एक हिन्दू देवी की बहादुरी

अकेली चार सशस्त्र डाकुओं से लड़ती रही

लाहौर के मेयो अस्पताल में एक हिन्दू-स्त्री अपने पति के साथ घायल होकर आई है। कहा जाता है कि एक दिन उसका पति, जिसका नाम विष्णुदत्त है और जो लाहौर के कूचा गुरुदत्तसिंह नामक स्थान में दुकान करता है, रात को सर्कस देखने गया और दो बजे लौट कर घर आया और जहाँ उसके बच्चे और बीबी सोए थे, वहीं सो गया। थोड़ी देर के बाद चार सशस्त्र डाकू उसके घर में घुस आए और विष्णुदत्त तथा उसकी स्त्री को जगाकर कहा कि अपने सब गहने और नक़द रुपए लाकर दे दो, नहीं तो तुम्हारे लड़के क़तल कर दिए जावेंगे। यह सुनते ही विष्णुदत्त की स्त्री आगे बढ़ी और डाकुओं को धक्के देकर कोठे से नीचे गिरा दिया। इसके बाद उसने बच्चों को जगाया और एक कोठरी में उन्हें बन्द करके डाकुओं के सामने आ डटी और उनके साथ लड़ने लगी। परन्तु डाकुओं के पास तेज़ धार वाले हथियार थे, इसलिए उन्होंने उसे तथा उसके पति को बुरी तरह घायल कर दिया। अन्त में बहादुर स्त्री ने एक डाकू का छुरा छीन लिया और उसकी छाती पर चढ़ बैठी। इतने में तमाम महल्ले में खलबली मच गई। बहुत से आदमी एकत्र हो गए और डाकू पकड़ लिए गए।

रूस का पञ्चवर्षीय आयोजन और श्री० जॉर्ज बर्नर्ड शा

[श्री० मथुरालाल जी शर्मा एम०, ए०, डी-लिट्]

श्री० जॉर्ज बर्नर्ड शा वर्तमान इङ्गलैण्ड के एक प्रमुख लेखक हैं। उनके रचे हुए उपन्यास, नाटक और गल्पें अङ्गरेज़ी भाषा-भाषी संसार में तो चाव से पढ़ी ही जाती हैं, साथ ही यूरोप की सब प्रधान भाषाओं के सिवा चीनी, जापानी और तुर्की भाषाओं में भी उनके कई ग्रन्थों के अनुवाद हो चुके हैं। इस समय इङ्गलैण्ड के रङ्ग-मञ्चों पर, सिनेमा घरों में, मीमांसा-पत्रों में और क्लबों में सर्वत्र बर्नर्ड शा की चर्चा रहती है। यदि मि० शा किसी नई पुस्तक की रचना करते हैं तो प्रकाशक लोग उस पर टूट पड़ते हैं, समाचार-पत्रों के पन्ने उसकी आलोचना से भरे रहते हैं और पुस्तकालयों तथा विद्यालयों में उसकी धूम मच जाती है। जब मि० शा का कोई नाटक प्रकाशित होता है, तो इङ्गलैण्ड के ऐक्टर उसका अभिनय करने में अपना चातुर्य प्रकट करने लगते हैं और सिनेमा कम्पनी उसका चित्र तैयार करने में लग जाती हैं। बर्नर्ड शा उच्च श्रेणी के साहित्यिक होने के साथ ही एक तीव्र सोशलिस्ट अर्थात् साम्यवादी हैं। साम्यवादी जनता में उनके ग्रन्थ का बड़ा प्रचार है। और उनकी प्रत्येक रचना में साम्यवादी विचारों का इतनी सुन्दरता के साथ समावेश होता है कि पाठक को यह पता नहीं लगता कि साम्यवाद का प्रचार करने के निमित्त ही उस ग्रन्थ की रचना की गई है! अभी थोड़े दिन हुए, मि० शा रूस गए थे। वहाँ की स्थिति का आपने बड़ी सूक्ष्मता से निरीक्षण किया है और उस पर अपने विचार प्रकट किए हैं। रूस के विषय में इस समय अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार का विपुल साहित्य तैयार हो गया है, इसके कारण वहाँ की वास्तविक स्थिति का पता लगाना बड़ा कठिन है। मि० शा ने सोशलिस्ट की हैसियत से बड़ी सहानुभूति के साथ रूस की सब बातें देखी हैं और अपनी ओजस्विनी तथा हृदय-हारिणी भाषा में उसका बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। हम मि० शा के लेख का निम्न पंक्तियों में भावानुवाद देते हैं, जिससे पाठकों को रूस की स्थिति का ज्ञान होगा तथा साथ ही मि० शा की ओजपूर्ण शैली का भी अनुमान हो सकेगा:—

"इस समय जिनसे हो सके उन्हें रूस जाना चाहिए। मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि अधिकांश लोग जा सकते हैं। आने-जाने और वहाँ रहने के ख़र्चे को सहन करना साधारण आदमियों के लिए कठिन है, परन्तु फिर भी जिनसे हो सके उन्हें जाना चाहिए। मैं यह सलाह इसलिए देता हूँ कि जिस सोशलिज़्म की मैं कल्पना किया करता था, जिसका प्रचार मेरे जीवन का सुख-स्वप्न था, वही सोशलिज़्म, वही वैषम्य का अभाव रूस में कार्य-रूप में परिणत हो गया है। रूस के शासन-विधान की आधार-शिला सोशलिज़्म है। वहाँ के शासन का सर्व-प्रथम सिद्धान्त है, रूस में न किसी को छोटा माना जावे, न किसी को बड़ा। रूस ने व्यक्तिगत सम्पत्ति का अन्त कर दिया है और पूँजीवाद को तिलाञ्जलि दे दी है। रूस एक ऐसा देश है, जिसने कल्पना को वास्तविकता का रूप देकर संसार के सामने एक आश्चर्यजनक आदर्श उपस्थित किया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रूस जाओ। जिन देशों में पूँजीवाद की प्रधानता है, वहाँ के सोशलिस्ट लोगों को साम्यवाद के वर्तमान स्वरूप का कुछ पता नहीं। वे एक अदृश्य और अपरिचित पदार्थ की खोज में हैं। वे सोशलिज़्म की कल्पना करते हैं, पर उन्हें उसके दर्शन नहीं होते। आप रूस में जाइए और अपनी निराकार भावनाओं की साकार प्रतिमा का दर्शन कीजिए। आप रूस में जिधर जाएँगे, उधर ही आपको आश्चर्यकारी दृश्य दिखाई देंगे। मैं आप लोगों को रूस का सर्वाङ्ग चित्र नहीं दिखा सकता। केवल उसके कुछ अङ्गों का ख़ाका आपके सामने खड़ा करूँगा।

जिस बात को जान कर मुझे सब से अधिक सन्तोष हुआ, वह थी रूस का 'फ़ेबियन सोशलिज़्म' है। स्टेलियन और ट्रॉटस्की यदि इस बात को सुनेंगे तो बहुत हँसेंगे। परन्तु फ़ेबिन वास्तव में क्रान्तिकारी नहीं था। सामाजिक और आर्थिक विषमता उसे शूल सी चुभती थी, परन्तु सिद्धान्ततः वह यही चाहता था कि किसी शान्तिमय उपाय से जगत में समानता की स्थापना हो। यही रूस में हो गया है। आप आश्चर्य मत कीजिए। मैं फिर कहूँगा कि रूस में फ़ेबियन सोशलिज़्म की स्थापना हो चुकी है, मैं आपको और भी अधिक आश्चर्यकारी बात सुनाऊँगा। आप रात-दिन सुनते और पढ़ते हैं कि रूस नास्तिक हो गया, वहाँ के गिरजाघर किसानों के क्लब बन गए, बाइबिल का पठन-पाठन त्याग दिया गया। लेकिन रूस में भ्रमण करने से मेरी यह धारणा हुई है कि वह बड़ा धार्मिक देश है। मैंने वहाँ के लोगों से कहा कि थर्ड इण्टर-नेशनल (तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय) एक धार्मिक संस्था है तो लोगों को बड़ा अचम्भा हुआ, बड़ी हँसी आई। फिर भी मैंने कहा कि रूस का सोशलिज़्म, फ़ेबियन सोशलिज़्म है और वह धर्ममय है।

मुझे बहुत सी बातें कहनी चाहिए, परन्तु मैं इधर-उधर की केवल दो-चार बातें ही कहूँगा। जिस शीघ्रगति के साथ रूस में परिवर्तन हो रहे हैं, उस पर अचम्भा हुए बिना नहीं रह सकता। हम कल्पना करते हैं, वे कार्य करते हैं। उनकी कहाँ तक प्रशंसा की जाय। वास्तव में उनकी शैली, उनका आयोजन, सब प्रशंसा के योग्य हैं। रूस की शासन-मैशीन के पुर्ज़ों में तेल डाला जाता है, परन्तु हमारे यहाँ तेल के स्थान पर बालू से काम लिया जाता है। फलतः रूस का शासन शान्ति, सुगमता और निरुपद्रव के साथ चल रहा है। परन्तु हमारे यहाँ इस मैशीन से निरन्तर कर्णकटु और दुखदायी शोर होता रहता है। रूस में शासन-यन्त्र बिना सङ्घर्ष (Friction) के चलता है। हमारे यहाँ पूँजीपतियों की भीड़ है और अधभूखे श्रमजीवियों की भरमार। मज़दूर लोग अपने निरन्तर परिश्रम के बदले में पेट भरने के लिए रोटियाँ और तन ढँकने के लिए कपड़ा भी कठिनता से प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जीवन-शैली का मूल-आधार अत्यन्त भयावह है। पूँजीपति अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है और मज़दूरों को कम से कम वेतन देना चाहता है। उधर मज़दूर लोग अधिक से अधिक मज़दूरी लेना चाहते हैं और कम से कम काम करना चाहते हैं। इससे सङ्घर्ष उत्पन्न होकर सामाजिक जीवन द्वेष, कषाय (लोभ) और प्रतिस्पर्धा से कलुषित हो जाता है। सुन्दरता के स्थान में भयङ्करता, मधुरता के स्थान में कटुता, प्रेम के स्थान में घृणा, समन्वय के स्थान में पार्थक्य और सहयोग के स्थान में बहिष्कार, यह दृश्य हमारी विषम पद्धति का फल है।

मैं मास्को नगर की एक बिजली-फ़ैक्टरी में गया। वह दिन मुझे अब तक याद है। मैं प्रत्येक दृश्य को देखने के लिए अपनी आँखों को सदैव खुली रखता था। मैं रूस में यह देखने के लिए नहीं गया था कि पूँजीवाद के समय की कितनी निर्धनता और मूर्खता वहाँ अब भी बाक़ी है। यह तो मैं अपने कमरे के अन्दर बैठा हुआ लन्दन में ही देख सकता हूँ। मैं रूस की उत्तमता देखने गया था। मैं जानना चाहता था कि साम्यवाद की कल्पना को किस हद तक साकार-स्वरूप दिया जा चुका है। जब मैं इस फ़ैक्टरी में था, एक नवयुवक को मुझसे मिलाया गया। उसके कोट पर एक तमग़ा लगा हुआ था और उसके चेहरे पर सफलता-प्राप्ति का गर्व था। उसकी क्षमता में विश्वास टपकता था। पूछने पर मुझे मालूम हुआ कि पञ्चवर्षीय आयोजन को पूरा करने के लिए उस फ़ैक्टरी में उसने ही सब से पहले उत्साह प्रकट किया था और अपने साथियों को आकर्षित किया था। मैंने उससे कहा—"नवयुवक, यदि तुम इङ्गलैण्ड में होते और तुमने यहाँ जितना काम किया, इससे दुगुना भी काम करते तो भी तुम्हारी प्रसिद्धि नहीं हो सकती थी, बल्कि तुमको मक्कार समझा जाता। कम से कम पहले तो ऐसा ही हुआ करता था। अब पता नहीं, इस समय क्या हो। इतना काम करने पर शायद तुम इस ख़तरे में पड़ जाते कि कोई तुम्हारा साथी ईंट से तुम्हारा सिर फोड़ डाले। अगर जीवन में तुम इसी दिलचस्पी से काम करना चाहते हो तो तुम रूस में ही रहो।" मेरा विश्वास है कि ऐसा काम करने वाला मज़दूर अपने मज़दूर भाइयों में इङ्गलैण्ड में बदनाम हुए बिना नहीं रह सकता। यह हमारी मैशीन में रेत के चिह्न हैं। इस समय विश्वव्यापिनी वाणिज्य-शिथिलता है, परन्तु फिर भी मेरा विश्वास है कि इङ्गलैण्ड के पूँजीपति कोई क्षति नहीं उठा रहे हैं। बल्कि दिन-दिन मालामाल होते जा रहे हैं। इस रोग की एक मात्र औषधि, मेरी राय में, यह है कि हम भी पञ्चवर्षीय आयोजन का अनुसरण करें और अमेरिका भी इसका अनुसरण करे।

क्या कारण है कि हम यहाँ पञ्चवर्षीय आयोजन को हाथ में नहीं ले सकते? रूस में बड़ी सुगमता से इसका आरम्भ कर दिया गया और बड़ी उत्तमता के साथ वहाँ इसका कार्य चल रहा है। फिर हमारे लिए कौन सी कठिनता है? आप जानते हैं कि आजकल रूस के कारख़ानों में क्या आवाज़ सुनाई देती है। लोग प्रायः कहते हैं—"रूखा-सूखा जैसा मिले वैसा खाओ, विलास की चिन्ता छोड़ो और पाँच वर्ष तक मन लगा कर अनवरत परिश्रम करो। पञ्चवर्षीय आयोजन सफल होना चाहिए।" कारख़ानों में ऐसे प्रोत्साहन का अनुमोदन होता है और मज़दूर लोग बड़े चाव से काम करते हैं। आप इङ्गलैण्ड में यह बात कहें तो क्या आप जानते हैं कि क्या उत्तर मिलेगा? मज़दूर कहेंगे, जी हाँ, हम पाँच वर्ष तक स्वादिष्ट भोजन से वञ्चित रहें, और पेट बाँध कर पूँजीपतियों की पूँजी को बढ़ावें, जिसके कारण उनकी सुस्ती और उनकी उपेक्षा और भी बढ़े। हम तो मज़दूर हैं और हमारा काम है अधिक से अधिक मज़दूरी लेना और कम से कम काम करना। रूस में आपको ऐसा उत्तर नहीं मिलेगा। वहाँ के मज़दूर जानते हैं कि पञ्चवर्षीय आयोजन से जो लाभ होगा वह उनमें विभक्त कर दिया जायगा।

रूस के विषय में कुछ ऐसी बातें हैं, जिनको सुन कर आपको आश्चर्य होगा। वहाँ आपको अपने रहने के मकान का किराया देना पड़ता है। चाहे आपका अपना मकान हो तो भी वह अपना नहीं माना जाता। रूसी

लोगों को अदब का अधिक ख़्याल नहीं है। प्रसन्नता-पूर्वक पाँच रूसी एक कमरे में रह सकते हैं और स्थान की सङ्कीर्णता न हो तो दस तक साथ-साथ रह जाते हैं। यदि आपको इस पर आश्चर्य हो तो हो, पर मुझसे कई रूसियों ने कहा कि उनको अकेले कमरे में नींद नहीं आती। मैं एक दिन मॉस्को के स्टेट बैङ्क में गया। मैं ज़ार के राज्य-मुकुट के रत्नों को देखना चाहता था और एक हुण्डी के भी मुझे रुपए लेने थे। मैंने जाते ही कहा कि हुण्डी के सम्बन्ध में मेरे पास ऐसे प्रतिष्ठित लोगों के पत्र हैं, जिनको बैङ्क जानता है। सुनते ही एक कर्मचारी ने कहा—"इसकी चिन्ता न कीजिए, आपको चेक के रुपए अभी मिल जावेंगे।" मुझे उस समय बड़ी प्रसन्नता हुई और चाहा कि अपना सब रुपया ऐसे बैङ्क में ही जमा करना चाहिए, जहाँ ऐसी भलमनसी का बर्ताव होता हो। रूस के बैङ्कों में ब्याज भी आठ प्रतिशत सालाना तक मिलता है। मकान के किराए के विषय में हमारे देश में और रूस में इतना ही अन्तर है कि हम लोग मकान का किराया ऐसे आदमी को देते हैं, जिसके पास पहले से ही धन की प्रचुरता है और जो उस किराए को विलास या व्यभिचार में नष्ट कर डालता है। रूस में यह किराया राज्यकोष में जमा होता है और जनता के हित के लिए ख़र्च किया जाता है। आप अनुमान कर सकते हैं कि केवल लन्दन नगर का किराया ही यदि जनता के कार्यों के लिए एकत्र किया जाय, तो एक काफ़ी रक़म जमा हो सकती है। परन्तु लन्दन नगर में ऐसी बात करना या ऐसा आयोजन करना बोल्शेविज़्म, सोशलिज़्म या कम्यूनिज़्म के नाम से पुकारा जाता है। ऐसी बात करने से लन्दन में त्रास उत्पन्न हो जाता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकता हूँ कि लन्दन के लोग मूर्ख हैं और मास्को के निवासी समझदार हैं।

यदि रूसियों से यह कहा जाय कि हम लोग मूर्ख हैं, तो उनको विश्वास नहीं होता। कम से कम उनको यह अनुमान तो कभी नहीं हो सकता कि हमारी मूर्खता इतनी उन्नत अवस्था को पहुँची हुई है। हमारे मूर्खता के कामों में भी उनको ज्ञान का भाव होता है। एक समय बात करते हुए राष्ट्रपति स्टेलिन ने एक जटिल समस्या के विषय में मुझसे कहा—"मि० शा, इसको कोई भी समझदार आदमी समझ सकता है।" मैंने कहा कि समझ का ही तो हमारे यहाँ टोटा है। परन्तु इतने पर भी उन्होंने ना माना। उनको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि संसार में इस समय भी ऐसे मनुष्य हो सकते हैं, जो कम्यूनिस्ट शासन की सुन्दरता को न समझ सकें। यह बात आपके ध्यान देने योग्य है। एक साधारण से साधारण अङ्गरेज़ भी, यह विश्वास करता है कि नैतिकता और बुद्धिमत्ता में ऊँची से ऊँची श्रेणी के रूसी राजनीतिज्ञ से वह बढ़ा-चढ़ा है। यह भारी भ्रम है, जो हमको हटाना चाहिए।

नैतिक दृष्टि से एक अङ्गरेज़ एक रूसी की अपेक्षा बहुत गिरा हुआ है। बुद्धिमत्ता का तो कहना ही क्या। ईटन और ऑक्सफ़ोर्ड के विद्यालयों में जो लड़कों के दिमाग़ों में भूसा भरा जाता है, उसे तो आप जानते ही हैं। रूस में कम्यूनिज़्म के कारण नैतिक दृष्टि से वे लोग हमसे कहीं बढ़े-चढ़े हैं और उनकी बुद्धि तो निश्चित रूप से हमारी अपेक्षा अधिक उज्ज्वल, परिमार्जित और निर्मल है। उन लोगों की शिक्षा मार्क्स की शिक्षा से आरम्भ होती है। मार्क्स के ग्रन्थों के अध्ययन से विद्यार्थी में स्वतः ही यह धारणा उत्पन्न हो जाती है कि उससे अधिक कोई क्या जानता होगा। एक समय मैंने लिट्वीनॉफ़ से कहा—"आपको स्मरण है, लॉर्ड कर्ज़न से आपकी क्या बातचीत हुआ करती थी।" उसने कहा—"हाँ, लॉर्ड कर्ज़न, वह अत्यन्त साधारण बुद्धिवाला आदमी था। उसकी सी समझ वालों के साथ राजनीतिक विषयों पर क्या बात की जाय। मैं उससे राजनीति पर बातचीत करना कभी पसन्द नहीं करता था। ऐसे गम्भीर विषय पर लॉर्ड कर्ज़न से बातचीत करना मेरे फ़रशी के साथ बातचीत करने के बराबर था।" आप यह न समझ लें कि लिट्वीनॉफ़ बड़ा मग़रूर था। यदि मैं आपसे लॉर्ड कर्ज़न के ग़रूर की कहानियाँ कहूँ तो आपको पता चले कि लिट्वीनॉफ़ की गर्वोक्ति वास्तव में कुछ नहीं है। वास्तव में हम लोग बुद्धि से ख़ाली हैं। रूसी लोग समझते हैं कि हम उतने बुद्धिहीन नहीं हैं, जितने कि हम वास्तव में हैं।

रूस का वर्तमान पञ्चवर्षीय आयोजन एक अत्यन्त ठोस कार्य-क्रम है। यदि आप आँख खोल कर देखें तो आपको स्पष्ट पता चल जायगा कि इसमें विफलता की कहीं गुञ्जाइश ही नहीं है। निराशावादी से निराशावादी भी उत्साहपूर्ण मज़दूरों को काम करते हुए देख कर यह आशा किए बिना नहीं रह सकता कि पञ्चवर्षीय आयोजन सफल होगा। विश्व-व्यापी वर्तमान आर्थिक क्षोभ से मुक्ति प्राप्त करने का एक मात्र साधन पञ्चवर्षीय आयोजन है। हमारी व्यवसाय-परम्परा हमको एक अत्यन्त गहरे अन्धकारमय गर्त की ओर ले जा रही है। हमको इसका पता नहीं, परन्तु रूसियों को यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। रूसी हमको मूर्ख समझते हैं। मूर्खों से वास्तव में किसी को भय नहीं होना चाहिए। परन्तु रूसियों को हमसे भय है। उनसे आप कुछ भी कहें, परन्तु वे कभी इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि हम शान्ति चाहते हैं। उनका ख़्याल है कि मिस्टर चर्चिल जिस दिन चाहेंगे उसी दिन युद्ध छिड़ जायगा। जनता विरोध करेगी तो भी चलेगी मिस्टर चर्चिल की ही। रूस में कुछ विरोधी बातों की ओर मेरा विशेष ध्यान गया। कुछ विषयों में रूसी सरकार निर्दय है और कुछ विषयों में असीम दयालु। रूस के बच्चों को मैंने अत्यन्त साफ़ पाया। यह वास्तव में उनके साथ कठोरता है। बच्चों को साफ़ रखना चाहिए, परन्तु निरन्तर सफ़ाई भी अच्छी नहीं। विशेषकर खेलते समय उनकी सफ़ाई पर ज़ोर नहीं देना चाहिए। परन्तु रूस में खेलते समय भी सफ़ाई के विषय में बड़ी कठोरता की जाती है। मैं इसको निर्दयता समझता हूँ। सरकार की दयालुता बच्चों की रक्षा, गर्भवती स्त्रियों को छुट्टी, प्रसव-समय में उनके भरण-पोषण का प्रबन्ध और सम्पूर्ण देशवासियों के लिए पेट भर रोटियों का आयोजन आदि से ज़ाहिर होती है।

वहाँ के प्रबन्ध की उत्तमता का मैं आपको एक दृष्टान्त दूँगा। हमारे देश में जनता और पुलीस का सम्बन्ध काफ़ी अच्छा है, परन्तु रूस में यह सम्बन्ध अत्यन्त प्रशंसनीय है। लेनिनग्राड में मैंने देखा कि अमेरिकन यात्री फ़ोटोग्राफ़ ले रहा था। यह देख कर एक पुलीस कॉन्स्टेबिल आया और बड़े अदब के साथ उसने कहा—"महाशय, आप फ़ोटो नहीं ले सकते; मेरे ख़्याल से हमारे देश में इसकी मुमानियत है।" अमेरिकन यात्री चिढ़ गया और कहा—"मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ।" तब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि वह अमेरिकन यात्री देश का क़ानून-भङ्ग कर रहा था या नहीं। ऐसी स्थिति में एक अङ्गरेज़ कॉन्स्टेबिल उस यात्री को थाने में ले जाता और पुलीस-इन्स्पेक्टर के सामने पेश करता, परन्तु रूसी कॉन्स्टेबिल ने कहा—"अच्छा मैं थाने में जाता हूँ और तलाश करके आता हूँ कि आप नियम को भङ्ग कर रहे हैं कि नहीं?" वह थाने में गया और अमेरिकन सज्जन अपनी भलमनसी के साथ वहाँ उसकी प्रतीक्षा करता रहा। वापस आकर कॉन्स्टेबिल ने कहा—"महाशय, मेरी भूल थी, आप फ़ोटो ले सकते हैं और मुझे क्षमा कीजिए।"

जब लेडी एस्टर ने राष्ट्रपति स्टेलिन से कहा कि रूस में बालकों के साथ बड़ा कठोर व्यवहार होता है, तब उसने तत्काल उत्तर दिया—"इङ्गलैण्ड में तो आप शारीरिक दण्ड भी देते हैं।" मेरे ख़्याल से इङ्गलैण्ड और रूस की सभ्यता का अन्तर इस एक ही बात से स्पष्ट हो जाता है। रूस में बच्चों को मारना-पीटना जुर्म है। यहाँ तक कि माँ-बाप भी यदि शारीरिक दण्ड दें तो बच्चे पुलीस में रिपोर्ट कर सकते हैं। रूस में प्राण-दण्ड तो दिया ही नहीं जाता। इसका वहाँ बिल्कुल अन्त कर दिया गया है। वहाँ आप बहुत सस्ते में क़त्ल कर सकते हैं। हत्या के अपराध के लिए प्रायः ४ वर्ष का कारावास दिया जाता है। सम्भव है कि यदि हत्या अत्यन्त जघन्य उद्देश्य से की गई हो तो पाँच वर्ष तक की क़ैद मिल जाय। प्राण-दण्ड का अन्त कर दिया गया है, परन्तु राजनैतिक अपराधों के लिए गोली से मार दिया जाता है। इस विषय में रूसी सरकार अत्यन्त निर्दय है। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि रूस में सट्टेबाज़ी भयङ्कर जुर्म माना जाता है। ऐसे अपराधियों को जेल में रख दिया जाता है, थोड़े दिन उसके रिश्तेदार उसके पास खाना पहुँचा सकते हैं और फिर २-३ दिन तक भूखा रख कर उसे गोली से मार दिया जाता है। हमारे देश में सट्टेबाज़ी की प्रशंसा होती है। सट्टेबाज़ों को पार्लामेण्ट का मेम्बर चुना जाता है और उपाधियों से विभूषित किया जाता है। कुछ वर्ष पूर्व रूस में सट्टेबाज़ी का बहुत ज़ोर था। महासमर के अन्त में जैसे हमारे यहाँ लोगों ने जर्मनी के नोट ख़रीदने शुरू किए थे, ठीक उसी चाव और आतुरता के साथ रूस में सट्टा चलने लगा, जिसका फल यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में रुपए के दर्शन होना कठिन हो गया। रूसी सरकार ने इस विषम स्थिति का बहुत शीघ्रता और सरलता के साथ निवारण कर दिया। उसने एक सहस्र ऐसे व्यक्तियों का पता लगाया, जो सट्टे का व्यापार करते थे, या जिन पर ऐसा व्यापार करने का सन्देह किया जाता था। लोगों को त्रस्त करने के लिए और सट्टे की अवाञ्छनीयता लोगों के दिलों में जमाने के लिए प्रसिद्ध-प्रसिद्ध नगरों और गाँवों में, जहाँ अधिक संख्या में लोग एकत्रित हो सकते थे, वहाँ दो सट्टेबाज़ों को गोली से मार दिया गया। इस नृशंसता का फल यह हुआ कि तत्काल रुपया जहाँ होना चाहिए था, वहीं वापस आ गया। रूस के विषय में प्रायः आप यह सुना करते हैं कि वहाँ के कवि, लेखक और कलाविद भूखों मरते हैं। उनकी जठर-ज्वाला को शान्त करने की चिन्ता सरकार उस समय करती है। जब पहले मज़दूर सन्तुष्ट हो जाते हैं। इस बात की सत्यता जानने के लिए मैं लेखकों से मिला और मैंने देखा कि वे निहायत ख़ुशहाल थे। उनमें एक भी लेखक ऐसा नहीं था, जिस पर क़र्ज़ा हो या जो अपने किसी काम के लिए किसी से ऋण लेना चाहता हो। मैंने एक विद्वान से पूछा,—"आप तो मज़दूर नहीं लेखक हैं, फिर आप इतने ख़ुशहाल क्यों हैं?" मुझे उत्तर मिला कि—"हम विद्वान नहीं, किन्तु दिमाग़ी मज़दूर हैं।"

अपने देश में हम जनता का कुछ हित नहीं कर सकते। इसका कारण है हमारा पार्लामेण्ट-सिस्टम। पूँजीवादी संसार इस शासन-पद्धति पर गर्व करता है। परन्तु वास्तव में यह पद्धति इतनी पक्की, इतनी जटिल, इतनी निश्चित और इतनी अचल हो गई है कि जो काम आध घन्टे में हो जाना चाहिए उस काम को करने के लिए पार्लामेण्ट में ३० साल लग जाते हैं। रूस में आधे घण्टे का काम आधे ही घण्टे में होता है और उसमें कोई भूल नहीं होती। वहाँ हमारी जैसी पार्लमेण्ट और हमारी जैसी मूर्खता नहीं है। वहाँ ऐसी समितियाँ अवश्य हैं, जो नीति पर बहस करती हैं। परन्तु

जब कोई कार्य करना होता है तो वह डिक्टेटर के हुक्म से किया जाता है। उस पर उस कार्य की पूरी ज़िम्मेदारी होती है। यदि वह भूल या प्रमाद करता है तो उसका पतन हो जाता है। वह जानता है, कि जब डिक्टेटर के आसन पर है, उसको देश-हित की दृष्टि से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और यदि वह नहीं कर सकता है तो उसको दूसरों के लिए अपना स्थान छोड़ देना चाहिए। लोकमत का बहाना लेकर रूस में डिक्टेटर अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं हट सकता। हमारे देश में मन्त्री यह आड़ ले सकता है कि जिसे और उसने जनता का रुख़ देखा उसने वही कार्य किया। परन्तु रूस में ऐसी बातों से काम नहीं चल सकता। वहाँ ज़िम्मेदारी को निभाना ही पड़ता है। यदि स्टेलिन अपने दोस्त को मन्त्री बना दे तो उसकी कोई मीमांसा नहीं होती। रूस से वास्तव में दलबन्दी उठ गई है। शासन-सूत्र किसी के हाथ में इसलिए नहीं रह सकता कि वह किसी ख़ास दल का नेता है, बल्कि इसलिए रहता है कि वह ज़िम्मेदारी को समझता है और पूरी करता है। वास्तव में प्रजातन्त्र शासन इसी को कहते हैं। हमारे देश में प्रजातन्त्र का नाम है। प्रजातन्त्र नहीं है। पार्लामेन्ट शासन में ज़िम्मेदारी का अभाव रहता है, दलबन्दियों की भरमार होती है, बकवास का ज़ोर रहता है, और असली काम की बहुत कमी। जब हमारे देश में सोशलिज़्म आएगा तो हम अपनी शासन-पद्धति को आदि से अन्त तक बदलेंगे।

लेडी एस्टर के विषय में मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि "ईश्वर के बिना रूस का काम नहीं चल सकता। इस समय चाहे रूसी लोग नास्तिक हो जायँ, परन्तु एक दिन वे भगवद्भक्ति की आवश्यकता का अनुभव करेंगे।" लेकिन मेरी धारणा है कि रूसियों को अपनी वर्तमान स्थिति से वापस मुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे इस समय ही आस्था से भरे हुए हैं। वास्तव में यूनानी और रूसी ईसाई धर्म निकम्मा सम्प्रदाय था। आप लोगों ने सुना होगा कि रूस में एक बड़ा गिरजाघर नास्तिकता का अजायबघर बना दिया गया है। जब मैंने रूस में इसका ज़िक्र किया तो लोग अवाक् रह गए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब मैंने उस अजायबघर को देखा तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने चाहा कि मार्टन लूथर पुनर्जीवित होकर या बेलफास्ट के ईसाई सन्त फिर इस लोक में आकर इस गिरजाघर की दशा देखेंगे। वास्तव में यह गिरजाघर नास्तिकता का अजायबघर नहीं बनाया गया है, बल्कि पण्डे और पुरोहितों की धूर्तता का, उनकी कपट-लीला और उनका पाप-कौशल, इन सब के नमूने उस अजायबघर में रक्खे गए हैं। किस प्रकार पादरी लोग भोली-भाली जनता का धन अपहरण करते थे और फिर किस प्रकार उसको भोग और विलास में नष्ट करते थे, इन सबके प्रत्यक्ष उदाहरण वहाँ पर जुटाए गए हैं। क्या यह नास्तिकता है?

मेरा तो यह कहना है कि रूस की सोशलिज़्म वास्तव में एक धार्मिक संस्था है। तुमको पर्याप्त भोजन मिलेगा और कम समय तक काम करना पड़ेगा, केवल यही रूस में नहीं है, आप वहाँ जाकर खुली आँखों से देखें तो आपको पता लगेगा कि मज़दूर लोग किस निष्ठा से और किस रुचि से काम करते हैं। उनके हृदय में एक प्रकार का आध्यात्मिक आवेश है। वे हृदय से चाहते हैं कि पञ्चवर्षीय आयोजन सफल हो। यही उनका मुक्ति-मार्ग है और यही उनका उपास्य देव। जो आदमी ख़ूब कमाता और खाता है, जिसको स्वयं अपने पेट की चिन्ता है, जिसके पास रहने को छोटा सा साफ़-सुथरा मकान है और जो औरों की भलाई में अपनी भलाई समझता है, क्या वह धार्मिक पुरुष नहीं है। मैं उसी आदमी को धार्मिक पुरुष कहूँगा जो अपनी चिन्ताओं को स्वयं झेल कर संसार की चिन्ताओं को कम करने का प्रयास करता है। रूस का मज़दूर अपने लिए मज़दूरी नहीं करता, न उसको बच्चे के पालन की चिन्ता है, न कुटुम्ब के भरण-पोषण की फ़िक्र। अपना पेट भरने के अनन्तर वह देश के लिए कार्य करता है। इतना ही नहीं, बल्कि उसका सुख-स्वप्न यह है कि सारे संसार से वैषम्य हट कर सब में एकता की स्थापना हो। क्या यह भावना धार्मिक भावना नहीं है? मैंने रूसी नेताओं से बातों में कहा कि थर्ड इण्टर नेशनल का जब जलसा होगा तो राज और धर्म में सङ्घर्ष अवश्य होगा। स्टेलिन ने मुस्करा कर कहा, हाँ मिस्टर शा०, उस पवित्र दिन की उत्सुकता से परीक्षा कर रहा हूँ। आख़िर निश्चय हो जायगा कि धार्मिक कौन है और अधार्मिक कौन?

❀ ❀ ❀

भावी युद्ध और रूस

[श्री० गणेशशङ्कर जी]

आजकल संसार में साम्यवाद का प्रचार हर एक मुल्क में हो रहा है, लेकिन इसके विपक्ष में (Capitalists) पूँजीवाद का भी ख़ूब प्रचार हो रहा है। जितने भी पूँजीवादी मुल्क हैं वे सभी गुप्त तौर पर लड़ाई की तय्यारी कर रहे हैं और गुप्त ही तौर पर एक दूसरे की राय ले रहे हैं। लड़ाई किसके साथ? रूस के। रूस, जो ग़रीब मज़दूर और किसानों के लिए इतना प्रयत्न कर रहा है, और जिसके नौजवान ग़रीबों के लिए फाँसी के तख़्तों पर लटक गए हैं, और कितने ही ज़ार की फ़ौज की गोलियों के शिकार हुए हैं, आज उस रूस के ख़िलाफ़ गुप्त तौर पर संसार के पूँजीवादी जङ्ग की तैयारी कर रहे हैं। क्यों न तैयारी करें; क्योंकि फिर ग़रीबों का ख़ून किस तरह चूसेंगे।

कुछ पूँजीवादी मुल्कों की आगामी युद्ध की तैयारी का प्रमाण यों है:—

मैशीनगन्स

	सन् १९२३	सन् १९३१
फ़्रान्स ...	७,००० ...	८,०००
इङ्गलैण्ड ...	७,००० ...	९,०००
अमेरिका ...	१६,००० ...	२०,०००

२—हवाई जहाज़

फ़्रान्स ...	३,००० ...	४,५००
इङ्गलैण्ड ...	३,००० ...	४,५००
अमेरिका ...	२,५०० ...	९,०००

३—विषैली वस्तुएँ

फ़्रान्स ...	४,००० ...	१०,०००
इङ्गलैण्ड ...	४,००० ...	१०,०००
अमेरिका ...	१०,००० ...	४०,०००

बहुत से हवाई जहाज़ ऐसे बनाए हैं, जोकि एक हज़ार गोले (Bombs) ले जा सकते हैं, और बहुत से जहाज़ ऐसे हैं कि अगर उनको गोली का निशाना बनाया जाय तो उनके ज़मीन पर गिरने से नज़दीक जितनी भी आबादी होगी, वह सब विषैली वायु से, जो कि उस जहाज़ के फटने से निकलेगी, बरबाद हो जाएगी और सब जीव-जन्तु मर जायँगे! बहुत से बिना आवाज़ (Noiseless) के हवाई जहाज़ बनाए हैं, और जो एक घण्टे के अन्दर आजकल के हवाई जहाज़ों से कितना ही गुना रास्ता पूरा करते हैं।

मि० चर्चिल ने सितम्बर, १९२४ में एक अङ्गरेज़ी मासिक-पत्र 'Pall Mall Magazine' में लिखा था:—

"हमें एक ऐसा गोला (Bomb) तय्यार करना चाहिए, जो कि नारङ्गी से बड़ा न हो और जिसकी ज़हरीली शक्ति एक हज़ार कोरडाइट (Cordite) टन के बराबर हो, जो दुश्मन के सारे शहर को बरबाद कर दे। कुछ वैज्ञानिक मनुष्य ऐसी ईजाद कर रहे हैं, जोकि शत्रु के यहाँ ऐसे ज़हरीले कीड़े पैदा करेंगे, जोकि उसकी फ़ौज, जानवर, फ़सल, और दो प्रकार के जीव-जन्तुओं का नाश कर देंगे। वह फ़ौज इत्यादि का ही नाश नहीं करेंगे, बल्कि सारे मुल्क में दूर-दूर तक फैल कर मनुष्यों को या जो जीव-जन्तु हो, मौत के हवाले करेंगे। इसकी तय्यारी काफ़ी हो रही है।

यही नहीं, बल्कि इङ्गलैण्ड के एक बड़े फ़ौजी अफ़सर, जनरल मिलर ने ४ जुलाई, १९३१ के 'दी सन्डे रेफ़रेन्स' (The Sunday Reference) में लिखा है:—

"हम लड़ाई के लिए बिलकुल तय्यार हैं। हम किसी ख़ास अवसर को देख रहे हैं। जो मुल्क बोलशेविज़्म का नाम दुनिया से मिटाना चाहता है, उससे रुपए-पैसों से मदद चाहते हैं। हमारे पास बिलकुल सुरक्षित फ़ौज है। जब कभी भी रूस कुछ शरारत करेगा, हम उसके मुल्क की सीमा पर पहुँच जायँगे। हमारे पास फ़ौज और नेताओं की कमी नहीं है। पेरिस, जोकि फ़्रान्स की राजधानी है, वहाँ हज़ारों आदमी फ़ौजी शिक्षा पा रहे हैं। जब यूरोप अपनी सङ्गठित शक्ति से कम्यूनिज़्म के ख़िलाफ़ जङ्ग शुरू करेगा, तब हम भी दूसरी फ़ौजों के साथ कन्धे से कन्धा लगा कर चलेंगे।"

फ़्रान्स भी ख़ूब तैयारी कर रहा है और मौक़ा देख कर वह भी युद्ध में शामिल हो जाएगा। एक अङ्गरेज़ी पत्र में लिखा था कि इङ्गलैण्ड से ६० आदमी 'रिगा' जोकि रूस का एक शहर है, वहाँ की हालत देखने और वहाँ की भाषा सीखने गए हैं।

लिखने का मतलब यह है कि रूस के साथ युद्ध की तैयारी ख़ूब ज़ोरों से हो रही है। परन्तु इस युद्ध से नाश होगा ग़रीबों का। वही लड़ाई में जायँगे, मौत के मुँह में प्रवेश करेंगे। कहने का मतलब यह है कि आगामी लड़ाई में ग़रीबों की ही तबाही होगी। सन् १९१४ की घमासान लड़ाई, जिसे यूरोप का महासमर कहते हैं, उसका परिणाम क्या हुआ। आज रूस ही ऐसा मुल्क है, जो मज़दूर और किसानों का भला चाहता है। परन्तु ग़रीबों का ख़ून चूसने वाले कब यह देख सकते हैं। उन्हें तो ग़ुलामों की ज़रूरत है। अगर ग़ुलाम न रहे तो फिर उनका काम कौन करेगा, और एक रुपए की मज़दूरी में से आठ आने या बारह आने के पैसे किसकी जेब में जायँगे। देखें, अब ज़माना क्या रङ्ग पलटता है, और आगामी संग्राम का क्या नतीजा होता है? और भारत क्या करता है?

❀ ❀ ❀

सम्राट पञ्चम जॉर्ज की उदारता

समस्त राज-परिवार ने अपना ख़र्च घटाया

लन्दन से ख़बर आई है, कि राष्ट्रीय व्यय-सङ्कोच-व्यवस्था में सम्राट पञ्चम जॉर्ज ने भी हाथ बँटाया है। उन्होंने इङ्गलैण्ड के प्रधान मन्त्री को तार द्वारा सूचित किया है कि जब तक ग्रेटब्रिटेन की आर्थिक अवस्था संशयापन्न रहेगी, तब तक के लिए वे अपने पारिवारिक ख़र्च में से ५०,००० पौण्ड कम कर देंगे।



भविष्य

१४ सितम्बर, सन् १९३१

राष्ट्रीय झण्डा

राष्ट्रीय झण्डा राष्ट्र के व्यक्तित्व का निदर्शक और राष्ट्रीय आत्मा का परिचायक चिन्ह है। वह संसार के राष्ट्रों के साथ स्थान पाने वाला कौन सा राष्ट्र है, जिसका अपना झण्डा नहीं? वह कौन सी जाति है, जो अपने झण्डे को सम्मान के साथ राष्ट्र-सङ्घ में देखना नहीं चाहती? झण्डा राष्ट्र की जान है, शान है, धर्म और ईमान है। संसार के समस्त जीवित जातियों और जाग्रत राष्ट्रों का एक झण्डा होता है। झण्डे के साथ बाह्य चिन्हों के सिवा कुछ आन्तरिक पवित्र भावनाएँ भी होती हैं। यही कारण है कि प्रत्येक स्वतन्त्र जाति अपना एक पृथक झण्डा रखती है।

बड़े-बड़े वीरों ने, अपने झण्डे के मान की रक्षा के लिए अपनी जानें दी हैं। बहादुरों के लिए तो झण्डा एक महत्वपूर्ण उपास्यदेव होता है। नैपोलियन ईसाई था, फिर भी जब उसे बलात् फ़्रान्स छोड़ना पड़ा, तो चलते समय उसने अपने प्यारे 'ईगिल' को मँगा कर छाती से लगाया और सम्मानपूर्वक देख कर उसके चिर-स्थायी और सुरक्षित रहने की कामना प्रकट की। हिन्दू-मुसलमान इतिहासों में भी झण्डे की प्रतिष्ठा का विधान पाया जाता है। लड़ाइयों में झण्डे के सामने पीठ देने वाले कायर को पहले भी दण्ड दिया जाता था और आज भी दण्ड का विधान है। प्राचीन काल में माताएँ समराङ्गण में जाते हुए बच्चों को शिक्षा देती थीं, कि शत्रु का हरेक वार छाती पर लेना, झण्डे को पीठ मत देना। यह झण्डे की महत्ता है।

हर एक जाति का झण्डा अलग-अलग होता है और जैसा हम कह चुके हैं, उसके बाहरी चिन्हों का अर्थ व्यक्तित्व का निदर्शक होता है। किन्तु उसके साथ भीतरी भावों का भी सम्बन्ध है। भारत का पहला तिरङ्गा झण्डा, लाल, हरा और श्वेत, अन्य देशीय झण्डों से विशेषता रखता था। ऐसा नहीं था, कि इन्हीं तीन रङ्गों का ऐसा ही झण्डा दूसरे राष्ट्र का पहले से मौजूद हो। इसकी आन्तरिक भावना में धार्मिक सम्प्रदायों का निदर्शन था। हिन्दू-धर्म, मुसलमान-धर्म और अन्य अल्प-संख्यक धर्मावलम्बियों के संयोग का भाव था। निस्सन्देह यह भाव वाञ्छनीय नहीं था। इन भावों से, जिस विषमय साम्प्रदायिकता को राष्ट्र के निमित्त विनष्ट करने की आवश्यकता है, उसकी परिपुष्टि होती थी। यही कारण था कि सिक्खों ने राष्ट्रीय झण्डे में अपने सम्प्रदाय का भी व्यक्तिकरण चाहा और इसके लिए बड़ा कोलाहल मचाया। कौन जानता है कि आगे चल कर हमारे प्यारे देशी ईसाई भाई, बौद्ध और जैन भाई आदि भी इसी प्रकार की माँग पेश न करते?

परन्तु राष्ट्रीयता का स्थान धर्मान्धता और साम्प्रदायिकता से कहीं अधिक ऊँचा है। फलतः राष्ट्रीय झण्डे में साम्प्रदायिक भावों का स्थान पाना राष्ट्र की जड़ में घुन लगना है।

नए झण्डे में जो तीन रङ्ग रक्खे गए हैं, उनमें एक का रङ्ग बदला गया है और शेष दो रङ्गों का स्थान बदला है।

इस बार नए झण्डे में सब के ऊपर केसरिया रङ्ग है, जो साहस, उत्सर्ग और त्याग का द्योतक समझा जाता है, इसके बाद श्वेत रङ्ग शान्ति और सत्य की प्रतिमूर्त्ति माना जाता है, तीसरा हरा रङ्ग विश्वास और शूरता का ज्ञापक है। श्वेत रङ्ग पर नीले रङ्ग का चर्ख़ा अङ्कित रहेगा।

इस नवीन झण्डे की अभ्यर्थना तारीख़ ३० अगस्त को सारे भारत में बड़े समारोह के साथ की गई। भविष्य में हमारे देश का राष्ट्रीय झण्डा इसी विशेष रूप में संसार के सब विभागों में पहचाना जायगा और भारतवासी इसके लिए जीना और मरना सीखेंगे। क्योंकि जैसा ऊपर कहा गया है, इससे केवल भारत के झण्डे की दूसरे झण्डों से पहचान कराना ही अभीष्ट नहीं है, जाति के अन्दर भी इसकी कुछ ज़रूरत है। वह ज़रूरत चर्ख़े के निशान से और पूरी हो जाती है। भारतवासियों में हरेक स्त्री, पुरुष, हिन्दू, मुसलमान और ईसाई मिल कर इस बात का अनेक बार विचार करके समझ चुके हैं कि भारत की पराधीनता का एक मात्र कारण अपने घर के बने वस्त्र का न होना है। भारत अन्न पैदा करता है, लेकिन लज्जा-निवारण करने के लिए अपनी पैदा की हुई रूई से कपड़ा नहीं बनाता।

हमारे देश में इतने कारख़ाने नहीं हैं कि देश की आवश्यकता के लायक़ कपड़ा बना सकें। राष्ट्रीय झण्डे पर चर्ख़े का निशान हमें प्रति क्षण अपनी इस कमज़ोरी को दूर करने की याद दिलाता रहता है। हमारा झण्डा खादी का होता है, उसका भी अर्थ यही है कि खादी जो अपने हाथ के कते सूत से तैयार हुई है वही हमारी प्रतिष्ठा की चीज़ है।

हमारे प्रत्येक गाँव में जिस तरह खेती होती है, अगर उसी तरह ग्राम के लोग सूत कातना और कपड़ा बनाना सीख लें तो उनकी वास्तविक स्वाधीनता उनमें आ जाती है। अगर कुछ बाक़ी रह जाती है तो बाहरी लोगों की ज़बरदस्ती। बाहरी लोगों से हमारा मतलब उन लोगों से है, जो श्रम नहीं करते और हमारी पैदावार हम से बलात् ले लेते हैं, और जितना जो चाहता है, ले लेते हैं।

चर्ख़े से एक ऐतिहासिक घटना यह भी हमें याद आती है कि हमें विदेशीय जुलाहों ने जीता है। अगर हम फिर अपनी चर्ख़े की चातुरी अपने घर में लौटा लावें और विदेशी जुलाहों के आश्रित न रहें तो हम शीघ्र ही स्वतन्त्र हो सकते हैं।

महात्मा गाँधी अपनी जाति किसान और जुलाहा बतलाते हैं। वह इसीलिए, कि देश को वास्तव में स्वतन्त्र करने की शक्ति किसी में है तो वह किसान और जुलाहों में ही है।

इसलिए हम समस्त भारतवासी उस झण्डे को, जो ३० अगस्त को सारे भारत में ऊँचा किया गया है, हृदय से सम्मान करें, उसे समझें और उससे शिक्षा ग्रहण करें। वह भारत की स्वतन्त्रता की मञ्ज़िल दिखलाने वाला एक बड़ा साधन है।

शौकत एण्ड को०

प्रत्यक्ष में मौलाना शौकत अली और उनके दल की विजय हो गई। गोलमेज़ के प्रथम अधिवेशन में मौलाना शौकत अली अपने छुटके भैया के पिछलग्गू बन कर इङ्गलैण्ड गए थे, परन्तु अब सरकार ने उनको तथा उनके मित्र शफ़ी दाऊदी जैसे कट्टर मुसलमान को निमन्त्रित करके सम्मानित किया है। मौलाना शौकत अली सत्याग्रह संग्राम के आरम्भ से ही इसके विरोधी हैं और अपने अनुयायी मुसलमानों को राष्ट्रीय उद्धार के प्रयत्न से अलग रखने के लिए प्राणपण से चेष्टा कर रहे हैं। भारतीय मुसलमान अपने को भारतीय मानने में अपना गौरव नहीं समझते और इसके उद्धार के लिए आत्मोत्सर्ग करने पर बहुत कम तैयार होते हैं। सन् १९१९ के संग्राम में ख़िलाफ़त के कारण मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली का दल सत्याग्रह संग्राम में सम्मिलित हो गया था, लेकिन ज्योंही टर्की के भाग्य का फ़ैसला हुआ और सुल्तान ख़लीफ़ा के विलीन-वैभव की पुनरावृत्ति की कोई आशा नहीं रही, त्योंही मौलाना मोहम्मद अली का उत्साह शिथिल होने लगा। मक्का और मदीना के गीत गाने वाले और दजला तथा फ़ुरात के स्वप्न देखने वाले मौलाना मोहम्मद अली भारतोद्धार की वेदी पर कैसे बलिदान होते, इसलिए जिस समय, अप्रैल, सन् १९३० में, महात्मा गाँधी ने शङ्खनाद किया, मौलाना साहब ने उनका साथ नहीं दिया। रणभेरी को सुन कर, कहते हैं, कायरों का ख़ून भी खौलने लगता है, परन्तु मौलाना साहब टस से मस नहीं हुए। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने स्वातन्त्र्य-प्रिय और रणोत्सुक मुसलमानों को सत्याग्रह में सम्मिलित होने से रोका और अपना एक ख़ासा दल बना लिया, जिसका ध्येय रहा नौकरशाही की ख़ुशामद, सत्याग्रह-आन्दोलन का विरोध, तञ्ज़ीम-कार्य और हिन्दुओं के प्रति विष-वमन। नौकरशाही इससे बहुत प्रसन्न रही और मोहम्मद अली साहब को गोलमेज़ अधिवेशन में निमन्त्रित किया गया। मौलाना साहब ने एक निहायत दिलचस्प भाषण देकर गौराङ्ग-प्रभुओं को अपने प्राण अर्पण कर दिए। तब बड़े भैया को गद्दी पर विराजे। डॉ० अन्सारी ने मौलाना शौकत अली को राष्ट्रीय बनाने का बहुत प्रयत्न किया, पर सफलता नहीं हुई। होती भी कैसे? अगर अपनी जान को जोखिम में डाले बिना ही और किसी प्रकार के त्याग किए बिना ही, लीडरी बनी रहे और जहाँ जाएँ वहाँ पुलीस विभाग के मुसलमान

कॉन्स्टेबिल स्वागत करने में फूल वर्षाने को तैयार मिलें और फिर हो सरकार का माथे पर हाथ—तो सत्याग्रह संग्राम में सम्मिलित होने की आवश्यकता ही कहाँ रह गई ? सरकार मौलाना के स्वर को बहुत पसन्द करती है इसलिए उनके साथ ताल देने वाले दो और साथियों को गोलमेज़ महफ़िल में बुलाया है। देखें मौलाना साहब अपने श्वेत-प्रभुओं को प्रसन्न रखने के लिए, अब कैसा तराना गाते हैं।

❀ ❀ ❀

हिंसावाद की बाढ़

पिछले कई सप्ताह से हिंसा और हिंसा के प्रयत्नों के समाचार बढ़ रहे हैं। कई जगह अङ्गरेज़ अफ़सरों पर गोलियाँ चलाई गई हैं, कुछ हत्याएँ हुई हैं और कई हत्याओं की तैयारी का पुलीस ने पता लगाया है। प्रत्येक देश के स्वतन्त्रता-संग्राम में राजनैतिक हत्याएँ, एक आवश्यक कार्यक्रम रहा है। फ्रान्स, जर्मनी, रूस, इटली और आयर्लैंण्ड सर्वत्र स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए इस प्रकार की हत्याएँ की गई हैं। मार-काट और रक्त-पात स्वतन्त्रता-प्राप्ति का परम्परागत साधन है, लेकिन महात्मा गाँधी ने हमारे सामने एक ऐसा साधन उपस्थित किया है, जो संसार के इतिहास में नया है और जिस की सफलता में आज से एक वर्ष पहले तक संसार को विश्वास नहीं होता था। परन्तु पिछले वर्ष के सत्याग्रह संग्राम की सफलता ने सिद्ध कर दिया है कि महात्मा गाँधी का साधन सब दृष्टियों से सर्वोत्तम साधन है। नैतिक दृष्टि से तो इससे बढ़ कर कोई साधन हो ही नहीं सकता। प्रेम और सत्य के द्वारा विपक्षियों को अत्याचार स्वीकार करवाना और स्वयं अत्याचार सह कर अत्याचारियों को नृशंसता से रोकना, मानो एक प्रकार का धर्म-प्रचार है। मनुष्य के हृदय में जो बदला लेने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वह सत्याग्रह के कारण शान्त हो जाती है। क्योंकि सत्याग्रह विपक्षियों को हानि पहुँचाने का प्रयत्न नहीं है, बल्कि उनको सम्मान-प्रदर्शन द्वारा स्वयं अपने कष्टों को हटाने का साधन है। रक्तपात करने से विरोधियों में पाशविकता अधिकाधिक जाग्रत होती जाती है, और शत्रु सदैव शत्रु ही बने रहते हैं। लेकिन महात्मा गाँधी का सत्याग्रह दोनों पक्षों की पाशविकता को हटाता है, व्यावहारिक दृष्टि से भी सत्याग्रह ही एक सफलता का साधन हो सकता है। इस समय ब्रिटिश सरकार के पास नर-संहार के इतने भीषण शस्त्र और अस्त्र विद्यमान हैं कि बात की बात में लाखों आदमियों का उनके द्वारा विनाश किया जा सकता है। दस पाँच अफ़सरों की हत्या करने से उनके शासन का अन्त नहीं हो सकता और न अफ़सरों का अभाव ही हो सकता है। एक अफ़सर को मार कर षड्यन्त्रकारी क्षणिक शान्ति प्राप्त कर सकते हैं और अपने हृदय की कसक निकाल सकते हैं, किन्तु इससे हमारा देश आज़ाद नहीं हो सकता। बल्कि स्वतन्त्रता-संग्राम की कठिनाइयाँ और भी बढ़ती हैं और एक जान के पीछे हमको कितनी ही जानें देनी पड़ती हैं। इस समय जब सत्याग्रह की विजय हो रही है और सारा संसार हमारे अभूतपूर्व साधन की ओर एक टक से देख रहा है, तो जोश में आकर नवयुवकों को हिंसावाद की ओर नहीं झुकना चाहिए। हमारा और हमारी संस्कृति का कल्याण इसी में है कि हम तन से और मन से साबरमती के ऋषि का अनुसरण करें।

❀ ❀ ❀

काश्मीर और मुसलमान

हमारे देश के राष्ट्रीय जीवन में हिन्दू-मुसलमानों के साम्प्रदायिक झगड़े बड़ी दुखदायी समस्या है। साम्प्रदायिक कट्टरता के आवेश में लोग उचित और अनुचित का विचार भूल जाते हैं और मुसलमान-मुसलमान एक तरफ़ और हिन्दू-हिन्दू दूसरी तरफ़ होकर झगड़ने लगते हैं। काश्मीर राज्य की ९५ प्रतिशत प्रजा मुसलमान है और शेष हिन्दू। १८वीं शताब्दी के आरम्भ से ही वहाँ हिन्दुओं का राज्य है, पर कभी किसी मुसलमान को यह शिकायत करने का मौक़ा नहीं आया था कि उसको मुसलमान की हैसियत से राज्य में कोई तकलीफ़ है। दुःख का विषय है कि कुछ अर्से से साम्प्रदायिक-विष भारतवर्ष में बहुत फैल गया है। इसके क्या कारण हैं, सो हम क्या बतावें ? इस विषय में मौन धारण करना ही अच्छा है। अब यह विषय ब्रिटिश भारत की सीमा को लाँघ कर काश्मीर में भी पहुँच गया है। बाहर के ग़ैर-ज़िम्मेदार कट्टर मुसलमानों ने धर्म-प्रचारकों के वेश में काश्मीर जाकर तथा उत्तेजक व्याख्यान दे-देकर मुसलमानों को हिन्दुओं के विरुद्ध बहुत भड़काया और सदियों से भाइयों की तरह रहने वाले हिन्दू-मुसलमानों को एक दूसरे का घोर शत्रु बना दिया। इस प्रकार लोगों को उकसा कर और कुछ समय तक अपने दिन आनन्द से काट कर ये लोग वापिस अपने घर आए और काश्मीर में विषम स्थिति पैदा कर दी। जब इस प्रकार के व्याख्यानों की संख्या बढ़ने लगी तो एक बाहर के वक्ता को वहाँ की सरकार ने गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया, जिसके फल-स्वरूप मुसलमानों ने मिल कर जेल पर धावा किया और सरकार को विवश होकर गोली चलाने का हुक्म देना पड़ा। इस घटना को रियासत का ज़ुल्म बतला कर मुसलमानों ने आन्दोलन शुरू किया। मुसलमानों का आन्दोलन यदि रियासत के अन्दर ही अन्दर होता तो कोई दुःख की बात न थी। प्रजा को अपने राजा से पुकार करने का और राजा उसके सुनने में उपेक्षा करे तो उसके विरुद्ध आन्दोलन करने का, बल्कि हम तो यहाँ तक कहेंगे कि नृशंस शासन का अन्त तक कर देने का प्रजा को अधिकार है। यदि काश्मीर के मुसलमानों को हिन्दुओं से तकलीफ़ है या सरकार के प्रति उनको कोई शिकायत है तो वे आन्दोलन करें और सरकार से विधिपूर्वक प्रार्थना करें। उनकी वास्तविक तकलीफ़ों के प्रति हमारी सहानुभूति होगी और उनकी सफलता के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। ऐसी हालत में यह ख़याल न रहेगा कि उत्पीड़ित प्रजा हिन्दू है या मुसलमान, बाहरी जगत केवल इसलिए सहानुभूति प्रगट करेगा और सफलता की कामना करेगा कि जनता उत्पीड़ित है। उत्पीड़न चाहे हिन्दू के प्रति हो, चाहे हिन्दू की ओर से हो, चाहे मुसलमान के प्रति हो, चाहे उसकी ओर से हो, प्रत्येक दशा में निन्दनीय है। ज़ुल्म और ज़्यादती की कोई क़ौम नहीं है। हमें दुःख इस बात का है कि कट्टर मुसलमानों ने काश्मीर में केवल इसलिए आग भड़काई है कि वहाँ हिन्दू राजा है और अब जो उसको सारे देश के मुसलमानों का प्रश्न बनाए जाने का यत्न किया जा रहा है, उसका भी कारण वही है। मुसलमानों के साथ न्याय या अन्याय जो कुछ हुआ है, वह काश्मीर में हुआ है और वह वहाँ की प्रजा होने के नाते से, न कि इसलिए कि वह मुसलमान है। फिर भी शिमला के होटलों में निठल्ले बैठे हुए जब और कुछ काम न सूझा तो सर ज़ुलफ़िक़ार ख़ाँ, मिस्टर शफ़ी दाऊदी और उनके चन्द मित्रों ने यह सोचा कि महाराजा काश्मीर को त्रस्त करने के लिए अखिल भारतवर्ष के मुसलमानों द्वारा १४ अगस्त को काश्मीर दिवस मनाया जावे। इसके अनुकूल १४ तारीख़ को भारतवर्ष के प्रसिद्ध नगरों में मुसलमानों के जलूस निकले जिसमें इस्लाम ज़िन्दाबाद और काश्मीर स्टेट बर्बाद के नारे लगाए गए। सभाओं में काश्मीर सरकार के विरुद्ध भाषण दिए गए और अनेक प्रकार के कल्पित दुःखों का वर्णन किया गया। इन प्रदर्शनों में बहुत कम मुसलमानों ने साथ दिया, तो भी मुसलमानों में सनसनी फैल गई। इस आन्दोलन की निस्सारता इसी से प्रकट है कि शिमला के मुस्लिम नेताओं ने जो तक़लीफ़ें बतलाई हैं और जो सुधार सुझाए हैं, उनमें और काश्मीर राज्य का मुस्लिम डेपुटेशन जो अभी काश्मीर महाराजा से मिला, उसकी माँगों में बड़ा अन्तर है। काश्मीर के मुसलमान केवल हिन्दुओं की शिकायत करते हैं और सर ज़ुलफ़िक़ार ख़ाँ तथा रामपुर के मुटके भैया, सदियों पुराने हिन्दू रियासत के ज़ुल्मों की एक लम्बी फ़ेहरिस्त गाया करते हैं, फ़ुरसत के समय में कल्पना-शक्ति कितनी तीव्र हो जाती है, यह इसका प्रमाण है। इस समय सब से बड़ी मार्के की बात है, यह कि गवर्नमेण्ट हिन्द-प्रिन्सेज़-प्रोटेक्शन-एक्ट को कैसे भूले हुए है।

हम मुसलमान भाइयों से अपील करते हैं कि वे साम्प्रदायिकता को छोड़ कर राष्ट्रीयता की ओर बढ़ें। अगर इस ज़हर को फैलने दिया, तो यह काश्मीर में ही नहीं, न मालूम कहाँ-कहाँ पहुँचेगा। पाठक जानते हैं कि पालनपुर, रामपुर, भूपाल, टोंक, जावरा, जूनागढ़ और हैदराबाद में अधिकांश जनता हिन्दू है और शासक मुसलमान। देशी राज्यों में पिछले कुछ साल से पूर्व कोई साम्प्रदायिक झगड़े नहीं होते थे और जो गत दो-चार वर्षों के अन्दर हुए, वे वहाँ की सरकारों ने शान्त कर दिए। यह पहला ही मौक़ा है कि एक देशी राज्य के अन्दरूनी साम्प्रदायिक झगड़े को सार्वदेशिक रूप देने का प्रयत्न किया जा रहा है। ताज़े समाचारों से प्रकट है कि काश्मीर का झगड़ा शान्त हो रहा है और सर ज़ुलफ़िक़ार ख़ाँ आदि ने जो आन्दोलन किया उसका काश्मीर राज्य पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन आशङ्का इस बात की है कि इस प्रकार की साम्प्रदायिकता की कहीं आवृत्तियाँ न होने लगें और छोटे-छोटे स्थानीय मामले सार्वदेशिकता का रूप धारण करके भयङ्कर स्थिति को और भी भयङ्कर न बना दें !

❀ ❀ ❀

इङ्गलैण्ड की नई सरकार

वाणिज्य की शिथिलता और आर्थिक सङ्कट इस समय समस्त संसार को घेरे हुए है। क्या यूरोप, क्या अमेरिका और क्या एशिया, सर्वत्र आर्थिक सङ्कट ने विषम रूप धारण कर रक्खा है। बड़े-बड़े धुरन्धर अर्थ-शास्त्रियों की अक़्ल हैरान है कि इस विश्व-व्यापी आपत्ति का निवारण कैसे हो। इङ्गलैण्ड में कई साल से बेकारी का प्रश्न अत्यन्त भयङ्कर हो उठा है और सरकार के सामने निरन्तर यही समस्या है कि उसको कैसे हल किया जाय। जिस समय इङ्गलैण्ड का शासन-सूत्र कञ्ज़रवेटिव सरकार के हाथ में था और बेकारी का प्रश्न उससे हल नहीं हो सकता था, तो मज़दूर-दल उसका विरोध करते हुए, हमेशा यह कहा करता था कि यदि शासन हमारे हाथ में होता तो हम बेकारी को अवश्य हटा देते। आज से लगभग ३ वर्ष पूर्व पार्लियामेण्ट का चुनाव हुआ तो बेकारी की विषमता मज़दूर नेताओं का निर्वाचन-मन्त्र था। आख़िर मज़दूर लोग बहुसंख्यक रूप में निर्वाचित हो गए और मज़दूर सर-

कार इङ्गलैण्ड का शासन करने लगी। इसी अर्से में रूस ने पञ्चवर्षीय आयोजन आरम्भ किया। चीन, पैलेस्टाइन और ईरान में अङ्गरेज़ी माल की खपत बहुत कम हो गई और भारत में स्वातन्त्र्य-संग्राम के साथ ही साथ विदेशी माल का बहिष्कार होने लगा। इसके अतिरिक्त अन्य कई विश्वव्यापी आर्थिक कारणों से इङ्गलैण्ड के व्यापार में शिथिलता बढ़ती गई और बेकारी ने चिन्ता-जनक रूप धारण करके विश्व में खलबली पैदा कर दी। ट्रेड-यूनियन कॉङ्ग्रेस नामक मज़दूरों की एक विशाल संस्था ने जब देखा कि सरकार की नीति से इङ्गलैण्ड की बेकारी घटती नहीं, बल्कि दिन-दिन बढ़ती जाती है तो उसने सरकार की तीव्र आलोचना करना आरम्भ कर दिया। पार्लिमेण्ट की मज़दूर पार्टी के बहुसंख्यक मज़दूर-प्रतिनिधि सरकार के विरोधी हो गए। लिबरल और कन्ज़रवेटिव विरोधी पहिले से ही थे। इसे देख कर मन्त्रिमण्डल का सिंहासन हिल उठा और प्रधान मन्त्री श्री० मेकडॉनल्ड ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया।

परन्तु मि०मेकडॉनल्ड फिर भी अन्य नेताओं से बाज़ी मार ले गए। उन्होंने अन्य दलों से मिल कर यह तय कर लिया कि भविष्य के लिए राष्ट्रीय सरकार की रचना की जाय। इङ्गलैण्ड में राष्ट्रीय सरकार उसको कहते हैं, जिसके मन्त्रि-मण्डल में पार्लिमेण्ट की सब पार्टियों के सदस्य सम्मिलित हों। इस समय जो मन्त्रि-मण्डल बना है, उसके प्रधान-मन्त्री मि० मेकडॉनल्ड ही हैं। लेकिन भारत-सचिव सर सेम्युएल होर हुए हैं। भारत के भूतपूर्व वॉयसरॉय लॉर्ड-रीडिङ्ग पर-राष्ट्र-सचिव नियत हुए हैं और कन्ज़रवेटिव दल के नेता मि० बाल्डविन। नई सरकार का उद्देश्य शासन के सब विभागों में ख़र्चे की कमी करना और आर्थिक सङ्कट का निवारण करना है। पार्टी-नेताओं ने मिल कर यह तय कर लिया है कि जब वर्तमान विषम स्थिति हट जाएगी तो पार्लिमेण्ट के अलग-अलग दल अपनी पूर्व-नीति को पुनः ग्रहण कर लेंगे।

सरकार के स्वरूप का परिवर्तन इङ्गलैण्ड में एक महत्वपूर्ण घटना है। परन्तु हम लोगों को इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। महात्मा गाँधी ने व्यङ्ग रूप में एक समाचार पत्र के प्रतिनिधि से कहा है कि यह बात एक गहन राजनैतिक विषय है, जिस पर मैं अपनी सम्मति नहीं दे सकता और पण्डित जवाहरलाल जी ने यह कहा है कि जब भारत का प्रश्न उपस्थित होता है तो किसी भी पार्टी का शासन हो, वह राष्ट्रीय शासन के बराबर है। उनके कथन का अभिप्राय यह है कि भारत के विषय में पार्लियामेण्ट की हमेशा एक ही नीति रहती है। शासन-सूत्र किसी भी दल के हाथ में क्यों न हो, भारत के प्रति पार्लिमेण्ट की नीति-परम्परा कभी नहीं बदलती। पाठक जानते हैं कि मज़दूर दल आर्थिक विषमता को हटाने के लिए और आज़ादी के लिए प्रयत्न करता रहता है, परन्तु उसके यह प्रयत्न वास्तव में इङ्गलैण्ड के लिए हैं, अन्य देशों के लिए नहीं। मज़दूर-दल के शासन-काल में ही भारत के सत्तर हज़ार नवयुवक और नवयुवतियाँ देशभक्ति के अपराध में जेलों में ठूँसे गए। हज़ारों सत्याग्रहियों को लाठियों और गोलियों से घायल किया गया। कितने ही गाँवों के कृषकों को लगान देने पर मजबूर करके नितान्त अकिञ्चन बनाया गया और कई स्थानों पर स्त्रियों का घोर अपमान किया गया। जो दल आर्थिक विषमता को हटा कर मज़दूरों का कल्याण करने का दावा करता है, उसके शासन-काल में ही महात्मा गाँधी, पूज्य मालवीय जी, त्यागमूर्ति स्वर्गीय पं० मोतीलाल नेहरू और प्रेज़िडेण्ट पटेल आदि ऋषि-तुल्य नेता जेलों में बन्द किए गए थे। देखें अब राष्ट्रीय सरकार क्या-क्या लीलायें दिखाती है?

❀ ❀ ❀

बर्मा के लिए गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स

ब्रिटिश सरकार ने अभी हाल ही में घोषित किया है कि अगले सितम्बर में बर्मा के भावी शासन-विधान का स्वरूप निश्चित करने के लिए इङ्गलैण्ड में एक गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स की जायगी। यह तो स्पष्ट ही है कि इस कॉन्फ़्रेन्स में गवर्नमेण्ट उन्हीं बर्मी नेताओं को बुलाएगी, जो उसकी नीति के पोषक होंगे, या जिन में गवर्नमेण्ट की नीति का खुल्लमखुल्ला विरोध करने का साहस न होगा। इस प्रकार गवर्नमेण्ट अपने ध्येय की पूर्ति कर सकेगी।

एक अर्से से गवर्नमेण्ट यह चाह रही है कि बर्मा को भारत से पृथक कर दिया जाय। सरकार-भक्त समाचार पत्रों में पार्थक्य नीति के लिए निरन्तर आन्दोलन हो रहा है। गवर्नर और अन्य उच्च कर्मचारी अपने भाषणों में किसी न किसी प्रकार पृथकता के लाभ प्रदर्शित करने का अवसर ढूँढ लेते हैं। सरकार ने अपनी नीति के सन्तोषक अनेक दब्बू और अदूरदर्शी बर्मी नेता भी खड़े कर लिए हैं। बर्मा में निवास करने वाले भारत-वासियों के प्रति बर्मियों में द्वेष उत्पन्न करने के लिए अनेक साधनों का उपयोग किया जा रहा है। पिछली गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स में बर्मा का नामधारी प्रतिनिधि जिसे गवर्नमेण्ट ने इङ्गलैण्ड भेजा था, वह भी पार्थक्य नीति का पोषक है। सरकार की तरफ़ से वर्त्तमान बर्मी बलवे के जो समाचार प्रकाशित किए जाते हैं, उनमें भी हम प्रायः यह पढ़ते हैं कि बर्मी लोग भारतीयों से घृणा करते हैं और उनका बर्मा में निवास उनको अनधिकार चेष्टा मालूम देती है। पाठकों ने हाल ही में पढ़ा होगा कि कई गाँव के बर्मियों ने भारतीयों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और कई स्थानों पर उनको खदेड़ भगाया।

हमारी समझ में यह बात नहीं आई कि बर्मा और भारत का सम्पर्क कई हज़ार वर्ष से है, परन्तु ऐसी स्थिति पिछले चन्द साल से ही क्यों उपस्थित हुई? भारत-सरकार को इस बात का अभिमान है कि भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्त उसकी न्याय-नीति और अप्रतिम-सत्ता के कारण ही एक राज्य में मिले हुए हैं। और जिस दिन यहाँ से गोरे प्रभु बिदा हो जाएँगे उस दिन फिर भारत उन्हीं भागों में विभक्त हो जायगा। यदि यह दावा सच है तो अत्यन्त नम्रता और सम्मान के साथ सरकार से हम पूछते हैं कि साठ-सत्तर वर्ष तक बर्मा भारत के साथ रह कर अब क्यों अलग होना चाहता है? शान्ति और एकता की हिमायती सरकार इतने वर्ष तक एक विस्तृत प्रान्त को भारत के साथ रख कर अब क्यों अलग करना चाहती है? बर्मा में राष्ट्रीय दल के नेता और अनुयायी लोग पृथकता के विरुद्ध हैं। कई सभाओं में इसका विरोध किया जा चुका है। अभी हाल में इस राष्ट्रीय दल का एक डेपुटेशन महात्मा गाँधी की सेवा में उपस्थित हुआ था और निवेदन किया था कि बर्मा को भारत से पृथक करना राष्ट्रीय दृष्टि से बर्मा के लिए अहितकर है। परन्तु सरकार ने पृथकता के विषय में अन्तिम निश्चय कर लिया है, यह बर्मा सम्बन्धी गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स के एलान से स्पष्ट है। वास्तव में बर्मा को भारत से अलग करने में सरकार की एक गहरी चाल है। सरकार-भक्त-बर्मियों को अभी इसका पता नहीं लगता, परन्तु शीघ्र ही उन्हें पछताना पड़ेगा। भारत-जैसे विशाल और विस्तृत देश के साथ रह कर बर्मा राजनैतिक स्वतन्त्रता शीघ्र ही प्राप्त कर सकता था, परन्तु पृथक हो जाने पर उसको दबाने में सरकार को कोई हिचक तथा कठिनाई नहीं होगी।

❀ ❀ ❀

काले क़ानून की सृष्टि!

हम कई दिनों से जिस प्रेस और सम्वाद-पत्र-घातक क़ानून की चर्चा सुनते थे, वह व्यवस्थापिका परिषद में होम-मेम्बर मिस्टर केरार द्वारा गत ७ सितम्बर को उपस्थित हो गया। मिस्टर केरार ने बतलाया कि पहले जो बिल बना था, उसकी मार बहुत लम्बी थी, लेकिन इसकी मार कम दूर की है। यह क़ानून हिंसाओं को उत्तेजना देने वाले कार्यों के विरुद्ध प्रयुक्त होगा। मिस्टर बी० दास ने बिल के पेश करने का विरोध किया, परन्तु बिल पेश हो ही गया।

तुर्रा यह है कि ७ तारीख़ को बिल पेश हुआ और ११ सितम्बर शुक्रवार को एक विशिष्ट समिति को सौंप दिया गया और इस प्रतिबन्ध के साथ सौंपा गया कि समिति सात दिन के भीतर ही अपनी रिपोर्ट परिषद के सामने उपस्थित कर दे!

साधारणतः नियम यह है कि जब किसी नए क़ानून के लिए पाण्डु-लिपि (बिल) तैयार होती है तो वह अच्छी तरह सम्वाद-पत्रों में प्रकाशित कराई जाती है, जिससे जिस जनता के हित की दृष्टि से क़ानून बनाया जाता है, वह अच्छी तरह मसविदे को समझ कर, उस पर अपने विचारों को प्रकट कर सके। परन्तु इस मारात्मक क़ानून के लिए सरकार ने ज़रूरी नहीं समझा कि उसकी पाण्डुलिपि पूरी तरह पर प्रकाशित की जाय। शायद इसका यही कारण है कि प्लेग या हैज़े की बीमारी भी रोगी को दवा करने का काफ़ी समय नहीं देती, फिर उसी प्रकार के क़ानून की चाल-ढाल उसी के समान होना उचित है।

इस क़ानून पर विचार करने के लिए ५-६ दिन काफ़ी हैं या नहीं और इस विशिष्ट-समिति में कौन-कौन लोग होंगे, इस पर ध्यान देना व्यर्थ है। वर्तमान व्यवस्थापिका परिषद में राष्ट्रीय पक्ष के स्पष्टवादी सदस्य इने-गिने ही हैं, शेष सब 'हाँ-हज़ूर' दल के लोग हैं, उनसे चतुर मिस्टर केरार ने पहले से सलाह कर ली है या अनुमति ले ली है।

हमें आज से ही यह समझ लेना चाहिए कि सिवा सरकारी, अर्द्ध सरकारी, गोरे, अधगोरे और हाँ-हज़ूरी देशी पत्रों के, अब किसी का गुज़र होने वाला नहीं है।

दुनिया का दस्तूर है कि वह शत्रु के भी सच्चे वार की सराहना करती है, चोरों और डाकुओं के भी साहस और बहादुरी की प्रशंसा करती है। लेकिन इसका यह अर्थ कभी नहीं होता कि सराहना करने वाला चोरी और डाके को पसन्द करता है, चोर और डाकुओं को उनकी दुष्कृतियों के करने को प्रोत्साहन देता है। शत्रु की सराहना से क्या यह मतलब होता है कि वह जीत जाय और ऐसे ही तन-तन कर हमारे ऊपर वार करे, जिससे हम जल्दी हार जायँ? अगर इस प्रकार की प्रशंसा का अर्थ है शत्रु और पापात्माओं को प्रोत्साहन देना तो निस्सन्देह ऐसे अर्थ करने वाले के अन्तःकरण से वीर्य्य और शौर्य्य का लोप हो गया है, वह गन्दा हृदय कायरता-तमाच्छादित संसार को विशुद्ध रूप से समझने में सर्वथा असमर्थ है।

हम बतला देना चाहते हैं कि इस प्रकार एक क्या, एक सहस्र क़ानून सरकार क्यों न बनावे, मनुष्य-स्वभाव जो कल्पान्तर से बना है वह क़ानूनों से कदापि नहीं बदल सकता, संसार कुत्ते को कुत्ता और बिल्ली को बिल्ली कहना नहीं छोड़ सकता।

आज पर्य्यन्त जो कुछ भी सम्वादपत्रों में लिखा गया, जिनमें से कुछ उद्धरण पुस्तक के रूप में एसेम्बली में बाँटे भी गए हैं और जिन्हें हमारे साहित्याचार्य्य

मि० केरार होम-मेम्बर ने बड़े ग़ौर से पढ़ा और एसेम्बली के मेम्बरों को, सम्भवतः बड़े लाट को भी पढ़ाया है, उनमें से एक में भी यह न मिलेगा कि 'सरदार भगतसिंह ने जो किया ठीक किया, ऐसा ही होना चाहिए था और दूसरे देश के नवयुवकों को भी इसी पथ का पथिक और इसी व्रत का व्रती होना चाहिए।'

यह हो भी कैसे सकता था, जबकि देश भर का सिद्धान्त अहिंसात्मक है। अगर सरकार की या होम-मेम्बर की धारणा ठीक होती तो पिछले आन्दोलन में सारे देश में लट्ठ बज उठना चाहिए था। हम लोग दूर-दूर ग्रामों में फिरते थे, जहाँ चौकीदारों का पुतला तक भी नहीं होता था और हमारे सामने सुनने वाले बे-पढ़े ग्रामीण होते थे, जिन्हें लट्ठ चलाना, मरना-मारना खेल है, उस समय हम उनको प्रोत्साहन दे सकते थे—कह सकते थे कि उठो, रक्तपात के लिए तैयार हो जाओ। पर ऐसा करना न हमें अभीष्ट था, न हमारे प्रधान नेता को पसन्द था।

बमबाज़ बच्चों के लिए न रास्ते बन्द हैं, न उनके पहचानने के लिए अभी तक सरकार ने किसी ऐसे औज़ार का आविष्कार ही किया है जिससे वे राह चलते पकड़े जा सकें। यह लोग चाहे जहाँ जाकर अपनी विद्या और अपने मनोभावों को स्वतन्त्रता से फैला सकते थे। लेकिन नहीं, जनता को महात्मा जी का सन्देश इनकी बातों के सुनने से बराबर निश्चेष्ट करता रहा।

जब इङ्गलैण्ड और जर्मनी में गत महासमर काल में देश-घाती लोग पैदा हो सकते हैं, जो धन के लिए अपना भेद दुश्मनों को दे दें तो भारत की ३२ करोड़ की आबादी में ऐसे मुट्ठी भर आदमियों का होना अनहोनी बात नहीं है, जो यह समझते हों कि अपने विरोधी को प्यार करना कायरता है और उसका रक्तपात करना वीरता है। इनमें से किसी की जब सराहना की जाती है तो उनकी कृति की सराहना नहीं होती, किन्तु उनके त्याग के भावों की सराहना होती है, साहस की सराहना होती है।

अगर हमारी तरफ़ से हिंसा द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त करने में पक्षपातियों के प्रति देश का हार्दिक और वास्तविक प्रेम होता या सम्वाद-पत्रों की मनोवृत्ति उन लोगों के अनुकूल होती तो भारतवर्ष कब का ही आयर्लैण्ड बन गया होता। लेकिन हमारी यह सब दलीलें बेकार हैं, भेड़िए के आगे बेचारी बकरी की एक भी दलील न चल सकी और आख़िर उसने बकरी को उदर-दरी में धर ही लिया!

❀ ❀ ❀

ख़र्च में कमी की ज़रूरत

ब्रिटेन में पार्लियामेण्ट के सदस्यों और मन्त्रि-मण्डल के सदस्यों तथा और-और विभाग के कर्मचारियों के वेतन में कमी करने की तजवीज़ हुई है और इस आर्थिक कष्ट के समय ऐसा होना उचित ही है। इङ्गलैण्ड की आर्थिक दशा बहुत शोचनीय है, बेकारी बढ़ रही है, सरकार के सिर पर ऋण का भार भी कम नहीं है, नया कर लगाने से जनता में कोलाहल मचेगा, चीत्कार फैलेगा!

लेकिन अभागे भारत में भूख से मरने वालों, बेकारों का तो न कोई लेखा है न पूछने वाला है, ऋण भी सर से ऊँचा हो गया है। किसानों की हड्डियों को फोड़-फोड़ कर ज़मींदारों द्वारा लगान वसूल होता है, फिर भी लगान पूरी तरह नहीं मिलता। नया कर लगाने का अर्थ मरते को मारना होगा? इतने पर भी हम देखते हैं कि थोड़ी-थोड़ी तनख़्वाह वाले नए नौकर निकाले जाते हैं, कहीं रेलवे में आदमियों की कमी की जाती है, कहीं भूख से मरते छोटे नौकरों के वेतन पर दृष्टि डाली जाती है।

अच्छा होता, जो बड़े लाट साहब का वेतन, छोटे लाटों की तनख़्वाह, कमिश्नरों, कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, जजों इत्यादि-इत्यादि का मासिक वेतन आधा कर दिया जाता। इस तरह भारत के १७ सूबों में काफ़ी बचत हो सकती थी और किसी को कष्ट भी प्रतीत न होता। क्योंकि हम देखते हैं कि ये ही मोटी-मोटी तनख़्वाह पाने वाले हज़रात लम्बी-लम्बी रक़में बैङ्कों में जमा करते हैं, ज़मींदारी ख़रीदते और अनाप-शनाप ख़र्च करते हैं। अगर यह लोग ५-७ वर्ष में धनवान होने के बदले १५-२० वर्ष में धनवान होंगे, या दस लाख के धनी होने के स्थान में पाँच लाख के ही धनी होंगे तो इतना बुरा न होगा, जितना कि अगणित आदमियों के अन्न और वस्त्र की कमी से मर जाने से होता है।

१०००) पाने वाले का काम २००) में चल सकता है, किन्तु ३०), ४०) या १००) पाने वाले का काम १५) २०), २०) से या बिल्कुल पैसा न होने से नहीं चल सकता।

जब तक कोई आदमी ख़र्च का नियन्त्रण नहीं करता, वह चाहे जितना पैदा करे, कभी भी धनवान और सुखी नहीं हो सकता। गवर्नमेण्टों को भी समझना चाहिए कि वह कम से कम दाम के नौकर रक्खें और कम से कम जनता पर कर लगाएँ और जो कर लगाएँ उसका भार धनवानों पर अधिक पड़े, ग़रीब उसके नीचे न दबें। इससे गवर्नमेण्ट को चिन्तित न होना पड़ेगा, जनता सुखी रहेगी और सरकार पर मुसीबत पड़ने के समय स्वतः धन, जन से सहायता तैयार मिलेगी। आजकल तो सरकार और जनपद में शत्रुता का भाव देखा जाता है, इसका एकमात्र कारण जनता का सरकार द्वारा लूटा जाना है।

❀ ❀ ❀

"समझौता नहीं, युद्ध का वातावरण"

"आत्मरक्षात्मक सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा"

देश की स्थिति पर कॉङ्ग्रेसी नेताओं की राय

अहमदाबाद, १० सितम्बर

कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी के सम्बन्ध में आए हुए कॉङ्ग्रेसी नेताओं ने देश की वर्तमान स्थिति पर विचार प्रकट करते हुए एसोसिएटेड प्रेस के प्रतिनिधि से कहा है—'परिस्थिति बदतर होती जा रही है, यह वातावरण समझौते का नहीं, युद्ध का है। अधिकारीगण समझौते की शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं। वे कॉङ्ग्रेस वालों को बराबर सता रहे हैं। पुलीस कॉङ्ग्रेस की साधारण कार्रवाइयों में हस्तक्षेप कर रही है। अनेक स्थानों पर आत्मरक्षात्मक सत्याग्रह आरम्भ करने का स्पष्ट अवसर उपस्थित है, परन्तु हम लोग यह सत्याग्रह आरम्भ करने की आज्ञा माँगने में केवल इस बात से हिचकिचा रहे हैं कि हम सब लोगों की इच्छा है कि इस समय, जब कि गाँधी जी लन्दन में हैं, कोई अरुचिकर परिस्थिति न उत्पन्न हो जाय। यदि यह स्थिति असह्य हो गई, तो हम लोगों को किसी भी क्षण आत्मरक्षात्मक सत्याग्रह शुरू करने पर बाध्य होना पड़ेगा।'

इसके बाद अनेक सदस्यों ने स्थान-स्थान पर अधिकारियों द्वारा समझौते की शर्तें तोड़ी जाने वाली घटनाओं का वर्णन किया। एक सदस्य ने कहा कि मद्रास प्रान्त में चित्तोर के कलेक्टर ने सभाएँ नहीं होने दीं, राष्ट्रीय झण्डों के फहराने की मनाही कर दी और शान्तिपूर्ण पिकेटिङ्ग रोक दी। दूसरे सदस्य ने यह कहा कि अमृतसर ज़िले में अतिरिक्त पुलीस अभी तक क़ायम है और बड़ी सख़्ती से उसका टैक्स वसूल किया जाता है।

पुलीस से पीड़ित युवक!

हमारे पास श्री० जगमन्दिर दास जैन देहलीनिवासी का एक पत्र आया है, हम उसका सार नीचे देते हैं:—

"मैं दिल्ली षड्यन्त्र केस के अभियुक्त विमलप्रसाद का भाई हूँ। 'भविष्य' में नोटिस देख कर नौकरी की तलाश में ७ सितम्बर को इलाहाबाद पहुँचा। मुझे 'चाँद' कार्यालय में लेखक की जगह भी मिल गई।

"जैसे ही मैं इलाहाबाद जङ्क्शन स्टेशन पर उतरा कि ख़ुफ़िया पुलीस ने मेरा पीछा किया। दिन-रात जहाँ मैं रहा, पुलीस स्थान को घेरे रही। ६ सितम्बर को 'चाँद' कार्यालय में भी जाँच की गई थी। यह परिस्थिति देख, श्री० सहगल जी ने मुझे नौकरी से अलग कर दिया।

"६ ता० को मैंने सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलीस को एक दरख़्वास्त दी कि मुझे ख़ुफ़िया पुलीस रात-दिन दिक़ कर रही है। या तो आप पुलीस हटा कर मुझे नौकरी करने दें या मुझे गिरफ़्तार कर लें। इसका उत्तर सु० पुलीस ने ज़बानी कह दिया कि दिल्ली से ख़बर मँगा कर ठीक जवाब दिया जायगा।

"अन्त में सु० पु० की आज्ञानुसार दो सिपाहियों के साथ मैं धर्मशाले से अपना असबाब लेकर कर्नलगञ्ज पुलीस थाने गया। वहाँ मेरी तलाशी हुई। तलाशी के समय सिवा मेरे साथ के दो सिपाहियों और एक पुलीस स्टेशन के सब-इन्स्पेक्टर के और कोई नहीं था। तलाशी में कोई दोषारोपक चीज़ मेरे पास नहीं निकली। श्री० बिमल प्रसाद के दो फ़ोटो मेरे पास थे। उन्हें पुलीस ने ले लिए। बाद में २००) का मुचलका लेकर मुझे ता० ११ को छोड़ा और दोनों फ़ोटो लौटा दिए, इसलिए मैं आज घर वापस जा रहा हूँ।"

हमको श्री० जगमन्दिर दास की बातों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं जान पड़ता। दिल्ली के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे एक सम्वाद से भी हमको विदित होता है कि पिछले शनिवार को वे जेल में अपने भाई से नौकरी के लिए बाहर जाने के सम्बन्ध में सम्मति लेने गए थे, पर भेंट करने की आज्ञा नहीं दी गई, इस तरह पर नौजवान बेकार लड़के को सताना और नौकरी से वञ्चित रखने से न पुलीस की प्रतिष्ठा बढ़ती है और न वही अर्थ सिद्ध होता है, जिसके लिए पुलीस दौड़-धूप करती है। पढ़े-लिखे बेकार लड़के ही ज़्यादा बमबाज़ी में भाग लेते हैं, अगर यह सब काम में लग जायँ तो बहुत कुछ सरकार की इस ओर की चिन्ता कम हो जाय। मगर पुलीस और सरकार सब उल्टी ही चाल चलते हैं—इसका कोई इलाज नहीं!

❀ ❀ ❀



उसके द्वार पर

[श्री० हरिश्चन्द्र जी वर्मा, विशारद]

रामलीला में फ़साद हो जाने का समाचार सारे नगर में फैल ही चुका था। घर-घर में स्त्रियाँ और बूढ़े आदि अपने पति, पुत्रों तथा बच्चों आदि के सकुशल लौट आने की चिन्ता में व्याकुल हो रहे थे। घड़ी-घड़ी पर मेले से प्राण बचा कर लौटे हुए लोग आते थे और उनकी ज़बानी नई-नई अफ़वाहें सुनाई देती थीं। कोई कहता था कि मुसलमान पिट रहे हैं, हिन्दू ज़बर हैं और कोई कहता हिन्दू पिट रहे हैं, मुसलमानों की बन आई है। पल-पल पर हलचल बढ़ती जा रही थी। ऐसा प्रतीत होता था, मानो लड़ाके इधर ही को बढ़ते चले आ रहे हैं। दूकानदार शीघ्रता से दूकानें बन्द करके घरों को भागने लगे। जिसे देखो, वही एक-दूसरे को अन्दर हो जाने को कह रहा था।

देखते-देखते 'अल्लाहो अकबर' और 'बजरङ्गबली की जय' के नारों से आकाश गूँज उठा। क्षण भर में एक बड़ी भीड़ हो-हल्ला मचाती हुई सामने वाली सड़क पर से निकल गई। तड़ातड़ लाठियाँ बज रही थीं और घायल सड़क पर गिर रहे थे। स्थान-स्थान पर रक्त से भूमि लाल हो रही थी। थोड़ी देर के बाद सड़कों पर सन्नाटा छा गया और उधर आकाश में सूर्य भगवान ने भी अपनी स्वर्णमयी किरणों के जाल को पूर्णतया समेट लिया। कदाचित वे एक ही परमेश्वर की बनाई दो जातियों के, जिन्हें आपस में प्रेम तथा ऐक्य से रहना चाहिए, साम्प्रदायिक झगड़े को देखना नहीं चाहते थे। अन्धकार का आरम्भ हो गया; आकाश में कहीं-कहीं एकाध तारा अपनी क्षीण ज्योति से टिमटिमा आया था।

इस समय पुलीस के सिपाही तथा सेवा-समिति के स्वयंसेवक गिरे और आहत मनुष्यों को अस्पताल पहुँचा रहे थे। मृतकों के शव खोज-खोज कर उनके संरक्षकों को सौंपे जा रहे थे।

ख

गिर्जे की घड़ी 'टन-टन' करके दो बजा चुकी थी। रामलीला के मैदान से नगर को आने वाली राह पर एक पतली गली के भीतर पूर्ण सन्नाटा था। केवल आकाश के एक भाग से चन्द्रदेव संसार पर अपनी शान्तिमयी किरणों का जाल फैलाए उसकी दयनीय दशा का अवलोकन कर रहे थे। एक छोटे अथवा कच्चे मकान के बाहरी कमरे में एक दीपक अपनी मन्द ज्योति से जल रहा था। कमरे में एक चारपाई पर एक ४२-४३ वर्षीया प्रौढ़ा बैठी थी। उसके सम्मुख एक दूसरी चारपाई पर एक बाईस-तेईस वर्षीय युवक तुर्की टोपी लगाए बैठा था। दोनों में कुछ बातचीत हो रही थी।

वृद्धा ने कहा—बेटा अनवार! अभी ऐसी जल्दी क्या है? जब झगड़ा शान्त हो जाय तो चले जाना। देखो चारों ओर कुहराम मचा है, क्षण-क्षण पर धावे हो रहे हैं, स्थान-स्थान पर मार-काट मची है। भगवान ही मालिक हैं।

अन०—नहीं माँ! अब कोई डर की बात नहीं है। अब मैं चुपके से अपने घर चला जाऊँगा। दिन में जाने में ज़्यादा ख़तरा था, उधर मेरे घर पर भी सब लोग घबराते होंगे, इसलिए जाना ज़रूरी है।

वृद्धा—अच्छी बात है, जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे।

अन०—शुक्र है, उस परवरदिगार का माँ, जो तुमने ऐन मौक़े पर मुझे अपने घर में जगह दी, वरना अगर वे हिन्दू मुझे इस घर में घुसते देख लेते तो कभी ज़िन्दा न छोड़ते।

वृद्धा—हाँ बेटा, वही भगवान ठीक समय पर सब की रक्षा करता है।

अन०—अच्छा माँ! अब इजाज़त दो।

वृद्धा—जाओ बेटा, परमेश्वर तुम्हें कुशल से घर पहुँचा दें।

वृद्धा ने उठ कर द्वार खोला, अनवार बाहर निकला। उसने वृद्धा को प्रणाम किया, वृद्धा ने आशीर्वाद दिया।

अनवार देखते-देखते आँखों से ओझल हो गया। वृद्धा ने द्वार बन्द कर लिए।

ग

नगर में कर्फ़्यू ऑर्डर लग चुका था। पुलीस ज़ोर शोर से झगड़े को शान्त करने का प्रयत्न कर रही थी परन्तु कुछ विशेष फल होता दिखाई न देता था। धावे तथा चढ़ाइयाँ होना अब बन्द हो चुकी थीं, परन्तु क़त्ल अभी तक जारी थे। एका-दुका कोई हिन्दू मुसलमानों के घात में या मुसलमान हिन्दुओं के घात में पड़ जाता तो क़त्ल कर दिया जाता था। गुण्डे गुट्ट बाँधे छिपे बैठे ताका करते थे और अवसर पा, हाथ साफ़ कर, चम्पत हो जाते थे। स्टेशन पर पुलीस का पहरा था। वहाँ से कोई आदमी शहर में न आने पाता था।

परन्तु 'सेविन-अप-ट्रेन' से उतरे हुए मुसाफ़िरों में से एक युवक शीघ्रतापूर्वक सबकी दृष्टि बचा कर स्टेशन की दूसरी ओर से नगर की ओर चल दिया। उसके शरीर पर केवल एक मोटी धोती, एक खद्दर की कमीज़ तथा कोट और एक गाँधी टोपी थी। गले में एक लम्बा गाढ़े का अँगोछा भी पड़ा था। उसके मुख पर चिन्ता तथा व्यग्रता के चिन्ह स्पष्ट थे। वह तेज़ी से डग बढ़ाए एक फेर-फार की राह से चला जा रहा था। सारी सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। मार्ग प्रायः बस्ती से बाहर होने के कारण वहाँ कोई मनुष्य आता-जाता दिखलाई न देता था। क़रीब दो फ़र्लाङ्ग आगे पूर्व की ओर एक गली थी। युवक इसी गली में घुस गया।

पक्के फ़र्श की शब्द-शून्य गली में युवक के जूतों की खट-खट निकट के मकानों की दीवारों से टकरा कर प्रतिध्वनि पैदा कर रही थी। युवक भी उसी ध्वनि में मस्त जल्दी-जल्दी क़दम बढ़ाए चला जा रहा था। सहसा बराबर के एक मकान की खिड़की से एक दाढ़ी वाले पुरुष ने झाँक कर देखा। युवक उस समय तक कोई दस क़दम आगे आ चुका था। क्षण भर में निकट के घर का द्वार खोल कर एक युवा पुरुष नङ्गे पैर निकला और तेज़ी से युवक के पीछे दौड़ा। उसके दाहिने हाथ में एक चमचमाता छुरा था। इसी समय कई और लोग निकल कर उसकी ओर देखने लगे। कुछ दूर आगे चल कर गली एक दूसरी सड़क से मिलती थी। युवक उस समय गली समाप्त कर सड़क पर आने वाला ही था कि पीछे से किसी के पैरों की ध्वनि सुनाई दी। वह रुका, घूम कर देखा, परन्तु घूमने के पूर्व ही छुरा उसके वक्षस्थल के पार हो चुका था। वह 'आह' कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। ख़ून की धारा बह चली, शरीर तड़पने लगा।

सौभाग्य से पुलीस के चार सिपाही उधर से आ निकले। उन्होंने यह हत्याकाण्ड देखा। वे दौड़े, परन्तु मारने वाला तब तक घर में घुस चुका था। वे उसे पकड़ न सके। उसने उनके पहुँचने के पूर्व ही भीतर घुस, द्वार बन्द कर लिया। अब सिपाहियों ने आपस में सम्मति की। दो ने आहत युवक को सँभाला, तीसरा द्वार पर रहा, चौथे ने जाकर थाने में ख़बर दी। गारद आई, आहत को अस्पताल पहुँचाया गया। मकान की तलाशी हुई। घातक भागने का प्रयत्न करने पर भी गिरफ़्तार कर, थाने भेजा गया। पाँच पुरुष और भी गिरफ़्तार हुए।

कुछ देर में गली में पुनः सन्नाटा छा गया।

घ

अस्पताल पहुँच कर मृतप्राय युवक का बयान लिया गया। उसने बताया कि "उसका नाम दीनानाथ है। वह चार-पाँच दिन से कहीं बाहर गया हुआ था। शहर में दङ्गे का समाचार सुन कर वह तुरन्त अपनी वृद्धा माता के पास लौटा आ रहा था। उसके केवल एक वृद्धा माता ही है।" इससे अधिक वह और कुछ न कह सका। उसके मुख और आहत-स्थान से रक्तपात होने लगा। वाक्शक्ति बन्द हो गई। निर्जीव शरीर पीला पड़ गया।

युवक की जीवनाशा क्षण-क्षण पर निराशा के रूप में परिणत होती जा रही थी, वह अब केवल कुछ मिनटों का ही अतिथि था। पुलीस ने उसकी माता को उसकी दशा का समाचार दे दिया था। यह बतलाना आवश्यक नहीं कि उसकी माता वही वृद्धा थी, जिसने आज से तीन दिन पहले एक मुसलमान युवक की प्राण-रक्षा की थी। अभागिनी ने यह हृदय-विदारक समाचार सुना तो उसके प्राण सूख गए! कलेजे पर पत्थर सा गिर पड़ा। तुरन्त अचेत हो गई। चेत आने पर पुलीस उसे अस्पताल ले गई। बड़ी कठिनता से वह अस्पताल पहुँची। दीनानाथ की साँस तीव्रता से चल रही थी। उसके नेत्र बन्द थे। माता ने पुत्र को देखा, तो चीख़ कर उससे लिपट गई। उसके नेत्रों से झर-झर अश्रु-धारा बह रही थी। मुख से एक शब्द भी न

निकलता था। उसने उसके मुख की ओर देखा, प्रेम के आवेग में झट मुँह बढ़ा कर उसने पुत्र के ओष्ठ चूम लिए।

युवक की मूर्च्छा टूट गई। उसने अन्तिम बार, केवल अन्तिम बार, अपने उन्मीलित नेत्र खोले, माता को देखा, टकटकी बँध गई, बोलने का प्रयत्न किया, परन्तु जिह्वा ने साथ न दिया। ओष्ठ हिले, परन्तु शब्द न निकले। हृदय के विचार घुल-घुल कर नेत्रों की राह बहने लगे। उसने उठने का प्रयत्न किया, परन्तु निष्फल! वृद्धा ने उसे सँभाला उसने हाथ बढ़ा कर जननी के पैर छुए, अन्तिम बार निराशा भरी दृष्टि से संसार की ओर देखा और सदा के लिए नेत्र बन्द कर लिए।

वृद्धा विस्फारित नेत्रों से यह सब देख रही थी। उसके नेत्रों की पुतलियाँ अचल थीं, नेत्रों में आँसू न थे। उनसे तो निकल रही थीं किरणें—केवल दारुण विक्षिप्ति की।

५

दङ्गे के मुक़दमे ज़ोर-शोर से चल रहे हैं। प्रति दिन दस-पाँच केस पेश होते हैं और जुर्माना, क़ैद तथा अन्य प्रकार के दण्डों के साथ फ़ैसले सुना दिए जाते हैं। इधर कई दिनों से अनवार हुसेन नामक युवक पर दीनानाथ की हत्या का मुक़दमा चल रहा था। यथार्थ में उस दिन दीनानाथ को छुरी मारने वाला था भी वही। प्रति दिन पेशी होती है, घण्टों बहसें होती हैं और तारीख़ बदल दी जाती है। अदालत हर रोज़ खचाखच भरी रहती है। लोग फ़ैसला सुनने को टूटे पड़ते हैं। परन्तु सन्ध्या को निराश होकर लौट आते हैं। अन्त में आज मुक़दमे का फ़ैसला सुना दिया गया

अनवार को फाँसी और उनके साथियों को नौ-नौ मास का कठिन कारावास का दण्ड मिला। अनवार का कलेजा बैठ गया, कर्मों के पश्चात्ताप का भूत उसके सिर पर सवार हो गया। मृत्यु-भय से उसका रोम-रोम काँप उठा। अदालत से भीड़ छँट चुकी थी। लोग भाँति-भाँति की चर्चा करते, अपने घरों को जा चुके थे। अनवार उस समय पुलीस के साथ जेलख़ाने जा रहा था। अदालत के बरामदे से निकल कर सीधे सड़क से न जाकर पुलीस के सिपाही उसे निकट की पगडण्डी से ले चले। उस समय कुल कचहरी बन्द हो चुकी थी। केवल बचे-खुचे अमले दफ़्तरों को बन्द कर, अपने-अपने घरों की ओर लपक रहे थे।

बरामदे के अन्त सीढ़ी पर एक पगली बैठी थी। उसका सिर खुला था। सन-जैसे श्वेत-केश सिर से कन्धे तक फैले हुए थे। शरीर पर केवल एक धोती थी। वह दीनानाथ की वृद्धा माता थी। अनवार ने उसे पहचान लिया। क्षण-भर में किसी पूर्व-घटना की याद ने अनवार को नख से शिख तक कँपा दिया। इसी वृद्धा ने एक दिन उसके प्राण बचाए थे। उसके हृदय में एक विकट चीत्कार सा मच गया। आह! प्राण-रक्षा का क्या यही बदला है? क्या इसी के लिए वृद्धा ने उस दिन उसके प्राण बचाए थे? तुरन्त ही मन ने कहा—परन्तु मुझे यह तो नहीं ज्ञात था कि यह मेरी प्राणरक्षक माँ का पुत्र है। जो कुछ हुआ, धोके से......।

आत्मा ने बात काट कर कहा—हिश! तनिक-तनिक सी बात पर धर्म का नाश समझने वाले, धर्मान्ध धर्म के ठेकेदारों की उत्तेजना से प्रेरित हो, क्या इस प्रकार आपस में कट-मरना चाहिए था? यदि मैं उस उत्तेजना में न पड़ता तो क्या यह सब होता?

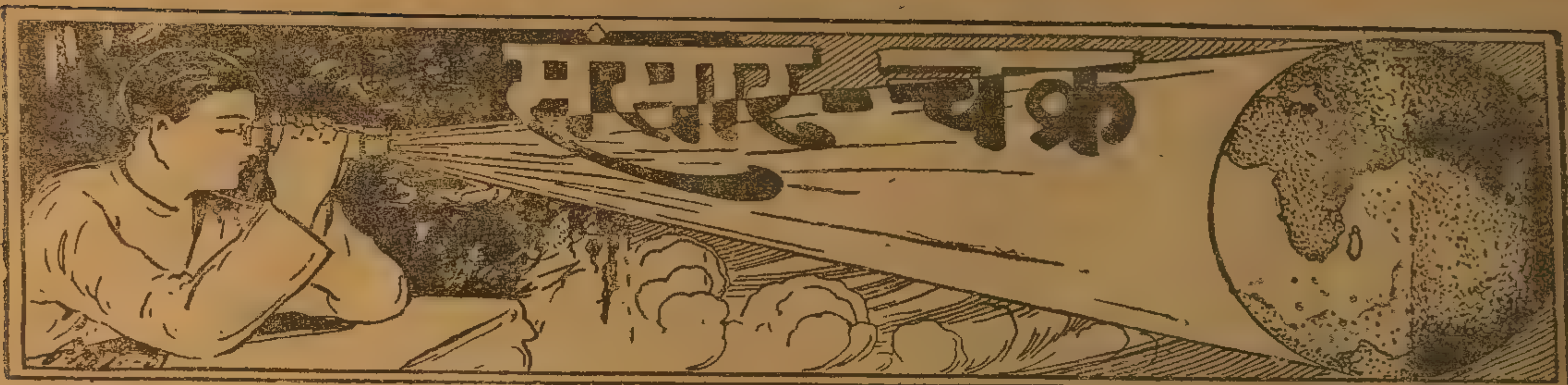
(शेष मैटर १६वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए)

घण्टा नहीं बजेगा!

[श्री० इन्द्रजीत शर्मा]

था शाम रोज़े-मातम का गिरने वाला परदा! इङ्गलैण्ड का वह सूरज लबे-बाम जा लगा था!!
उस वक़्त का वह मन्ज़र कुछ ऐसा जाँ-फ़िज़ा था! गोया कि रूहे-ताज़ा हर शै में फूँकता था!!
वह आख़िरी शुआएँ दो बेबसों के दिल पर! उफ़्! क़हर ढा रही थीं बोसे ज़बीं के लेकर!!
इक होने वाली बीबी थी नाज़नीन कमसिन! एक होने वाला शौहर—था मरने वाला लेकिन!!
ग़मगीं था सर झुकाए महुए-ख़्याल बेबस! तस्वीरे ग़म सरापा बेक़ीलो-क़ाल बेकस!!
बारे अलम से उसके उठते क़दम नहीं थे! भारी बने हुए थे पड़ते कहीं-कहीं थे!!
बिखरे थे नाज़नीं के चमकीले बाल सर पर! और यह सदा लबों से आती थी लड़खड़ा कर!!
"घण्टा नहीं बजेगा—घण्टा नहीं बजेगा!!"
इक मजिस कुहिन वह जिसमें जवाँ मुक़ैय्यद! दीवारें काली-काली और काले-काले गुम्बद!!
वहशत बरस रही थी दीवार और दर पर! दोज़ख़ का था नमूना वह ख़ौफ़नाक मन्ज़र!!
ज़िन्दाँ की सिम्त करके घड़याली से इशारा! करने लगी हसीं वह यों राज़ आशकारा—
बेचारा मेरा आशिक़ उस जेल में पड़ा है! जिसको सेशन जजी से यह हुक्म हो चुका है!!
"जब शब को तेरे घण्टे का होगा शोर महशर! खींचेंगे उसको क़ातिल उफ़्! दार पर चढ़ा कर!!
तेरे सिवा जहाँ में हामी मेरा न यावर! फूटा मेरा मुक़द्दर अफ़सोस! यह मुक़द्दर!!
जब तक न आसमाँ पर ज़ुल्मत हो आज तारी! घण्टा न बजने पाए क़ुरबान जाऊँ वारी"!!
आई वही सदा फिर शीरीं दहन से बाहर! भूरे लबों से रुक-रुक कर और लड़खड़ा कर—
"घण्टा नहीं बजेगा—घण्टा नहीं बजेगा!!"
घण्टा बजाने वाला कहने लगा कि "घण्टा—बजता रहा है मग़रिब के वक़्त यह हमेशा!!
अब तक नहीं हुई है मुझसे नमकहरामी! इस फ़र्ज़ की बदौलत पाई है नेक-नामी!!
काटी है उम्र सारी घण्टा बजा-बजा कर! क्यों फ़र्ज़े मन्सबी से हो जाऊँ आज बाहर?
दामाने आक़बत पर धब्बा न मैं लगाऊँ! यह ज़िन्दगी का जौहर क्यों मुफ़्त में गवाऊँ?
घण्टा तो यह बजेगा—घण्टा तो यह बजेगा!!"
सुन कर जुनूँ समाया यह नाज़नीं के सर में! चेहरा बदल गया वह, वहशत-भरी नज़र में!!
बेदर्द जज ने होकर जो हुक्म दे दिया था! रह-रह के नाज़नीं के दिल में वह गूँजता था!!
आता था ध्यान जिस दम—बढ़ती थी बेक़रारी! घण्टा बजेगा फाँसी 'बेसिल' को जब लगेगी!!
सीने में उसके ग़म का शोला भड़क रहा था! और यों लबों पै मिसरा आकर अटक रहा था—
"घण्टा नहीं बजेगा—घण्टा नहीं बजेगा!!"
कुछ दिल में ग़ौर करके उसने कुलाँच मारी! हिम्मत के दर की यानी बन कर चली भिखारी!!
घण्टा बजाने वाले को रस्ते ही में छोड़ा! बढ़ती रही वह आगे, पीछे को मुँह न मोड़ा!!
बेकार एक लमहा खोने नहीं वह पाई! मीनार ही पै चढ़ने की सिर में धुन समाई!!
नज़रों से उसके बच कर ज़ीने पै चढ़ गई वह! और जानिबे-दरा फिर जल्दी से बढ़ गई वह!!
चमकीली उसकी आँखें होठों पै थी सुफ़ेदी! और यह सदा बराबर मुँह से निकल रही थी—
"घण्टा नहीं बजेगा—घण्टा नहीं बजेगा!!"
ऊपर की सीढ़ियों पर चढ़ कर पहुँच गई जब! आने लगा था मन्ज़र इक और ही नज़र तब!!
क़ासिद अजल का बन कर घण्टा लटक रहा था! ज़ीना अजल का खोले मुँह नीचे तक रहा था!!
बेख़ौफ़ी से उचक कर लटकन को उसने पकड़ा! गोया अजल को दोनों हाथों से अपने जकड़ा!!
घड़ियाली था वह बहरा, खींचा जो उसने रस्सा! समझा कि मौत का यह बजने लगा है घण्टा!!
पकड़े रही वह लेकिन गुम्बद में सर पटकती! लटकन से वह झटकती घण्टे से वह अटकती!!
दिल में समझ लिया था—लटकन अगर यह छोड़ा! मिल ही नहीं सकेगा मेरा जहाँ में जोड़ा!!
गो हिल रहा था घण्टा बाँगे-दरा न निकली! लड़की ग़ज़ब की निकली—निकली बला की पुतली!!
धड़की-सी लग रही थी गो दिल में उसके अकसर! लेकिन सदा यह मुँह से आती रही बराबर—
"घण्टा नहीं बजेगा—घण्टा नहीं बजेगा!!"
बजने का वक़्त घण्टे का जब गुज़र गया था—और झूमता हुआ वह लटकन ठहर गया था!!
आहिस्तगी से लटकन को छोड़ कर वह उतरी! ज़ीने से नीचे आई बेचारी गिरती-पड़ती!!
ज़ुल्मत-कदा बना था तारीक ऐसा ज़ीना! सदियों वहाँ बशर ने पहले क़दम न रक्खा!!
जो काम कर गई वह विरदे-ज़बाँ रहेगा—और इश्क़ के कशिश का सदियों खिंचेगा ख़ाका!!
मग़रिब के वक़्त जब वह ख़ुर्शीद की शुआएँ—फ़ाके फ़लक को रौशन इन्साँ का दिल लुभाएँ!!
बूढ़े पिदर सुनाएँ बच्चों को यह कहानी! घण्टे ने रौशनी की शब को सदा न दी थी!!
आया 'क्रॉम्वेल' तो नक़्शा इक और देखा! गिरजे में नाज़नीं को देखा बग़ौर देखा!!
जिसकी जबीं से ज़ाहिर फ़रहत के कुछ निशाँ थे! रञ्जो-अलम के सामाँ मस्तूर बेगुमाँ थे!!
क़दमों में गिर के बोली—"क़िस्सा हुज़ूर है यह—घड़ियाली बेख़ता है—मेरा क़ुसूर है यह!!
यह हाथ मेरे रस्से से आह! ख़ूँ चकाँ हैं! कुचली हुई पड़ी है जो इनमें हड्डियाँ हैं!!"
यों मुल्तजी हुआ था ग़मगीं रूए-ज़ेबा—वह प्यारा-प्यारा चेहरा-वह भोला-भोला चेहरा!!
डाला असर यकायक ऐसा 'क्रॉम्वेल' पर—धुँधली-सी रौशनी में उन आँखों ने चमक कर!!
कहने लगा कि—"शैदा ज़िन्दा तेरा रहेगा! और हुक्म रात भर यह बाक़िद मेरा रहेगा—
"घण्टा नहीं बजेगा—घण्टा नहीं बजेगा!!"*

* अङ्गरेज़ी के सुप्रसिद्ध कवि मिस्टर रोज़ हार्टविक थॉर्प की एक कविता का उर्दू-अनुवाद।



बर्मा की संक्षिप्त इतिवृत्ति

[श्री० राधामोहन गोकुल जी]

वर्तमान बर्मा ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रान्त है। इसकी उत्तर-दक्षिण की लम्बाई तिब्बत से मलाया प्रायद्वीप तक १,१०० मील है। इसके पश्चिम में बङ्गाल, आसाम, और बङ्गाल की खाड़ी है और पूर्व में यूनम, फ्रान्सीसी, लेओस तथा स्याम देश हैं।

बर्मा का क्षेत्रफल २,३१,००० वर्गमील के लगभग है, किन्तु अभी तक ठीक सर्वे नहीं हो सकी। बर्मा के उत्तर में एक विस्तीर्ण पहाड़ी प्रदेश है और वहाँ पर कई पहाड़ों और जङ्गलों में निवास करने वाली जातियाँ बसती हैं। पूर्व में 'वा' नाम की एक जाति रहती है, जो मनुष्यों के सरों का लक्ष्य-वेध करने में बड़ी निपुण है। इसके अलावा वहाँ और भी कई बहादुर जातियाँ हैं, जिनके सबब से ब्रिटिश सर्वे पार्टी उस प्रान्त का नाप नहीं करने पाती।

बर्मा सदृश बृहत् देश का जलवायु सर्वत्र एक सा होना असम्भव है। इरावदी नदी के दहाने की ओर वर्षा अधिक होती है। प्रति वर्ष १०० से ३०० इञ्च तक पानी बरसता है। नदी के मध्यवर्ती प्रदेश में २०-२५ इञ्च वर्षा होती है और पूर्व की ओर ६०-७० इञ्च वर्षा का मध्यांश अनुमान किया जाता है। नीची धरती में, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा बरसता है, बीमारी भी अधिक होती है। यहाँ भी भारत के समान जाड़ा, गर्मी और बरसात तीन ऋतुएँ होती हैं

ब्रह्मदेश की जन-संख्या अनुमानतः डेढ़ करोड़ है। इसके निवासी प्रायः सबके सब बौद्ध धर्मानुयायी हैं। यह मांस-मछली आदि ख़ूब खाते हैं, परन्तु अपने हाथ से जीव-हत्या करना पाप समझते हैं। बर्मी लोग स्वभाव के उग्र और लड़ाकू होते हैं। किन्तु इनका सङ्गठन भारत की तरह ढीला है। बर्मा में सिक्खों तथा गोरखों आदि की यथेष्ट हिन्दुस्तानी सेना ब्रिटिश सरकार बर्मी लोगों पर अपना आतङ्क बनाए रखने के निमित्त सदैव तय्यार रखती है।

ब्रह्मदेश पहले बहुत सम्पन्न था, अब भी वहाँ की उर्वरा और रत्नगर्भा भूमि सब प्रकार के फल, फूल, लकड़ी, चावल, रूई, तमाकू, चाय, लाख, नीलम आदि के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी के तेल की भी एक बहुत बड़ी खान है, जो एक अङ्गरेज़ी कम्पनी के हाथ में है, जिसका नाम है बर्मा आयल को०।

बर्मा की एक स्वतन्त्र भाषा है, परन्तु इधर बौद्ध-संस्कृत और पाली भाषा का उस पर विशेष प्रभाव देखा जाता है। अङ्गरेज़ी का भी प्रचलन बहुत बढ़ गया है। भारत की भाँति यहाँ भी अनेक स्कूल हैं, जिनमें सरकारी नौकरियों और वकालत के लिए उपयुक्त छात्र ढाले जाते हैं।

जनवरी सन् १८८६ में अङ्गरेज़ सरकार ने, जिसकी छेड़-छाड़ बर्मा के साथ १९वीं सदी के आरम्भ से ही शुरू हो गई थी, बर्मा के राजा थीबा को गिरफ़्तार करके उसका राज्य भारत में मिला लिया।

बर्मा के साथ अङ्गरेज़ों की पहिली लड़ाई सन् १८२७ ई० में और दूसरी सन् १८५१ ई० में हुई थी। इस तरह अध्यवसायी अङ्गरेज़ों ने कल, बल और छल से जिस तरह भी हो सका, अनुमानतः ७५ वर्ष की अनवरत चेष्टा से बर्मा को बर्मियों से छीन कर अपनी भोग्य-भूमि बना ली।

बर्मा का प्राचीन इतिहास हम सूक्ष्मरूप में यहाँ एक प्रसिद्ध अङ्गरेज़ की ज़बानी पाठकों के मनोरञ्जन और जानकारी के लिए उपस्थित करते हैं।

यों तो बर्मा के प्राचीन इतिहास पर विद्वानों के लिखे बहुत से ग्रन्थ हैं, लेकिन साधारण लोगों के जानने योग्य सार बातें बहुत थोड़ी हैं, उन्हीं को हम यहाँ लिपिबद्ध करते हैं। बर्मा के प्राचीन इतिहास लिखने वालों को अधिकतर सामान चीन से मिला है, दूसरे साधनों से जो ऐतिहासिक मसाला मिलता है, वह बहुत अनिश्चित, अस्पष्ट और असन्तोषजनक है। भारत और बर्मा अथच चीन का बहुत पुराना सम्बन्ध है। फिर भी भारत में बर्मा के इतिहास के सम्बन्ध में कोई ऐतिहासिक पुस्तक अद्यावधि नहीं मिली। यह समझना भूल है कि जिस तरह शान, ताई और स्यामी चीन की संस्कृति को अस्वीकार करने के कारण चीन से निकल कर दूसरी जगह आ बसे हैं, वैसे ही बर्मा भी हैं। बर्मी एक बहुत प्राचीन काल की स्वतन्त्र जाति है। यद्यपि बर्मी भाषा पर जैसा हमने ऊपर कहा है, पाली का बहुत प्रभाव पड़ा है, फिर भी भाषा का मूलाधार प्रस्तुत है। इस भाषा में छोटे-छोटे एक ही बार में बोले जाने वाले शब्द पाए जाते हैं, जो इस भाषा की प्राचीनता के द्योतक हैं।

पौराणिक गाथा

भारतीय दन्त-कथा चली आती है कि कुछ क्षत्रिय-राजकुमार मणिपुर के रास्ते से बर्मा पहुँचे और वहाँ तीन विभिन्न उपजातियों को मिला कर एक किया, जिसका नाम 'पाइव' या 'पायो' पड़ा। यही बर्मा का सब से पहला राज्य हुआ। इस बात का पूरा-पूरा समर्थन चीन के ऐतिहासिक विवरण से भी होता है। प्राचीन चीन वालों ने 'प्याव' वा 'प्यू' नाम के देश का वर्णन किया है, जो कि शान-ताई-स्यामी जाति के अधिगत मसीही आठवीं शताब्दि तक रहा। इस शताब्दि में चीनियों ने शान-ताई-स्यामियों को यूँनन प्रदेश में छिन्न-भिन्न कर दिया और प्यू-सभ्यता और अभिनिर्माण को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। इस तमसाच्छन्न मौलिक ऐतिहासिक गाथा के सम्बन्ध में जो विद्वत्तापूर्ण लेख हैं, उनका यहाँ समावेश नहीं हो सकता। हम बर्मा के इतिहास की कुछ बातें आज-कल की दृष्टि से लिपिबद्ध करने जा रहे हैं।

यहाँ प्रसङ्गवशात एक बात बतला देने की है। तातारियों, तिब्बतियों और शान-ताई-स्यामियों के साथ चीनियों के अनेक युद्धों के पीछे चीन का साम्राज्य स्वतः दो भागों में विभक्त हो गया था। तातारी उत्तर में राज्य करने और वास्तविक चीनी कहलाने वाले लोग दक्षिण के शासक थे। दशवीं शताब्दि मसीही के मध्य से १३वीं शताब्दि के मध्य तक अनुमान ३०० वर्ष पर्यन्त दक्षिणी महाराजाओं ने एक विभाजक रेखा खींच कर कह दिया था कि हम इसके उत्तर के लोगों अर्थात् रेखा के दक्षिण-पश्चिम के बर्बरों से कोई सम्बन्ध न रक्खेंगे।

तातारियों और मङ्गोलों की आदिम विजय

ईस्वी सन् १६१ और १८० के बीच में होने वाले मारकस औरीलियस के समय में किम्बा मसीही आठवीं शताब्दि में पुराने ज़माने के चीनी बर्मा की बाबत चाहे जो कुछ जानते रहे हों, परन्तु १०० से १२०० शताब्दि तक का हाल उन्हें कुछ भी मालूम नहीं। इन दिनों चङ्गेज़ ख़ाँ और उसकी सन्तति ने दुनिया को जहाँ तक वश चला, जीतना आरम्भ किया। यहाँ तक कि उन्होंने प्रारम्भ काल के मञ्चुओं को भी जीत लिया था। इन तीन शताब्दियों में उत्तरी या तातारियों के राज्यवंश इस तरह झगड़ों में फँसे रहने के कारण दक्षिण-पश्चिम की ओर न बढ़ सके और दक्षिणी शासक-गण जाना ही नहीं पसन्द करते थे। इस तरह तिब्बती, बर्मी, स्यामी, भारतीय और कम्बोडी मनमानी करते रहने को स्वतन्त्र छूटे रहे। परन्तु उसी सीमा तक, जहाँ तक कि थल पर होकर आने-जाने का सम्बन्ध था। लेकिन जल-मार्ग से जावा, सुमात्रा और दक्षिण भारत के साथ गमनागमन का मार्ग खुला रहा। और भी कई चीनी समसामयिक लेखकों ने पूकान का सङ्केत किया है, जिसका अर्थ निश्चय ही 'पैगैन' है, जिसको बर्मी लोग अपनी भाषा में 'पुगान' लिखते हैं।

बर्मा का देशीय इतिहास है, जो महा मजविन के नाम से प्रसिद्ध है। परन्तु उसमें लेखक ने राजवंश के विरुद्ध कुछ नहीं लिखा है, और या तो उन बातों को छोड़ गया है अथवा बातों को बदल दिया है। इस लिए अङ्गरेज़ इतिहासकारों ने इसको ध्यान में ही नहीं लिया। सन् १०१० में 'अनवरत' पैगन नगर की राजधानी में प्रतिष्ठित हुआ। उसका प्रपौत्र अलग सीथू राजा हुआ, जिसने दक्षिण चीन को, सन् ११०६ में कर भेजा था। इस समय से १५० वर्ष बाद तक, जब कि मङ्गोल जाति ने चीन को जीता, चीन और पूगन के बीच में इतने दिनों के भीतर जो कुछ भी प्रघटित हुआ होगा, वह अर्द्ध शान, अर्द्ध चीन ताली (यूँनन) राजवंश के साथ हुआ होगा। क्योंकि इस प्रान्त को सङ्ग राजवंश ने ९६० से १२६० तक जान-बूझ कर छोड़ दिया था। अन्तिम पूगन राजा नरसिंहपति राज्य करता था, जब 'कुबलई' ने 'मञ्जी' को पराजित किया।

मिंग वंश के अन्तिम राजपुत्र को बर्मा में शरण लेनी पड़ी थी। परन्तु बर्मा के राजा ने उसे चीनी क्षत्रप के हवाले कर दिया। यह क्षत्रप मञ्चुओं की तरफ़

का था; बाद में इसी क्षत्रप* ने यूँनन में अपना निज का राज्य स्थापित करना चाहा था और ऐसा ही करने के लिए उसने कायटन और फूचाऊ के क्षत्रपों (गवर्नरों) को भी उकसाया था।

इस तरह मालूम होता है कि २०० वर्ष पूर्ववर्ती मङ्गोलों की भाँति मञ्चू भी दक्षिण चीन को पुनः हस्तगत करने के लिए उद्योग करने लगे। अभी तक इन्होंने बर्मा और नेपाल आदि अपनाने का दावा नहीं किया था। सन् १७३१ के बाद मञ्चुओं का बर्मा और शानताई स्याम पर आक्रमण आरम्भ हुआ। लेकिन जलवायु के कारण और पहाड़ों, जङ्गलों के मार्गों की अनभिज्ञता के कारण १७६७ के खुले समर में मञ्चू हार गए। जैसे बर्मा की पहली लड़ाई में अङ्गरेज़ों की बड़ी हार हुई थी। बर्मी लोगों को यह नहीं मालूम हुआ कि इस लड़ाई में मञ्चुओं का सेनापति मिंग ज्वाई मारा गया। इसलिए विजयी होने पर भी दूसरी लड़ाई के भय से उन्होंने चीन से सन्धि कर ली। सन्धि की शर्त यह हुई कि बर्मा चीन को और चीन बर्मा को भेंट भेजा करे। इसका मतलब यह था कि चीन राज अपनी प्रजा से कहे कि हमें बर्मा ने कर भेजा है, और बर्मा राज अपनी प्रजा से कहे कि चीन हमारा करद है, उसने हमें कर भेजा है।

सन् १८८६ ई० में ब्रिटेन के बर्मा जीत लेने के बाद चीन के मारक्वीस टिसंग को लन्दन में इसको सिद्ध करने में तनिक भी कठिनाई नहीं हुई कि एक बार चीन ने भामो ले लिया था और बर्मा से दश वर्षीय कर अब चीन को लेना है।

बर्मा के राजवंश का अन्तिम राजा थीवा के साथ अन्त हुआ। इस महाराज को १८८६ में अङ्गरेज़ों ने गिरफ़्तार करके हिन्दुस्तान में क़ैद कर रक्खा था, जैसे बहादुर-अली शाह को दिल्ली से बर्मा भेजा था। इस घराने का प्रथम पुरुष अलोम्प्रा अलौगप्या था, इसी ने १८५५ ई० में अपने घराने की बुनियाद डाली थी। यह बात सन् १७४० ई० में पुराने पेगू वंश के पतन पर प्रतिस्पर्धी घराने के पारस्परिक झगड़ों के बाद की है। अलोम्प्रा १७६० में, जब कि स्याम से लड़ाई हो रही थी, मरा। कई घरू मार-काट के पीछे अलाम्परा का चौथा लड़का मेंग तारागाई, जिसका दूसरा नाम 'बोदावपाया' था, गद्दी पर बैठा। इसने १७८३ ई० में अपनी राजधानी 'अबा' से हटा कर इरावदी के पूर्वी तट पर अमरपुरा में बनाई और १७९३ ई० में स्याम के साथ सन्तोषजनक सन्धि हो गई।

सन् १७९५ ई० में ही ब्रिटिश इण्डियन सरकार और बर्मा में अराकान व चटगाँव को लेकर झगड़ा उठा। बात यह थी कि अराकान, आसाम; जो बर्मा के राज्य में था और भारत से मिला हुआ था; यहाँ पर अङ्गरेज़ों ने बहुत अत्याचार करना शुरू कर दिया। अफ़सर अङ्गरेज़ लोग अपना माल बर्मा के इलाक़े में ले जाते और चुङ्गी का कर देने से इन्कार करके झगड़े कर बैठते। इसी बात को लेकर एक बार बर्मा के हाकिमों और अङ्गरेज़ों से झगड़ा हो गया, जिसमें एक अङ्गरेज़ सरदार मारा गया। इसी झगड़े के सम्बन्ध में अङ्गरेज़ों ने अपना एक दूत बर्मा भेजा, जिसका नाम मेजर साइम्स था। इस समय ब्रिटिश भारत सरकार का जो बर्ताव बर्मा के साथ हुआ, उसका पता श्री० बसु महोदय के भारतीय इतिहास से मिल सकता है। इस लेख में इन बातों का विस्तृत लिखना असम्भव है।

इसके अन्तर अङ्गरेज़ी सरकार ने बर्मा के राजा 'बगइदा' पर मनीपूर होकर बङ्गाल पर आक्रमण करने का दोष लगाया और झगड़ा ख़रीदने पर उतर पड़े।

फलतः सन् १८२४ ई० में अङ्गरेज़ों ने बर्मा पर चढ़ाई की। पहले तो अङ्गरेज़ी सेना बुरी तरह से हारी। इस हार से सारे भारत और ब्रिटेन में कोलाहल मच गया। लेकिन अङ्गरेज़ बड़े अध्यवसायी होते हैं। इन्होंने अराकान के और बर्मा के शक्ति-सम्पन्न लोगों को और कई सरकारी नौकरों को मिला कर अपना झगड़ा जारी रक्खा। बर्मा वास्तव में घरू भेद-भाव के कारण भीतर ही भीतर जर्जर हो रहा था। १८२५-२६ में बर्मा को झुकना पड़ा। यही पहला बर्मा-युद्ध था। इस युद्ध की सन्धि में रङ्गून तो अङ्गरेज़ों ने हरजाना लेकर छोड़ दिया, बाक़ी आसाम, अराकान और त्रिनाश्रम भारत में मिला लिए गए।

इस प्रकार १८३७ से १८४६ पर्यन्त चला, परन्तु जब बर्मा राज 'बगइदा' के मरने पर 'पेगन मिन' गद्दी पर बैठा तो बहाना ढूँढ़ कर अङ्गरेज़ों ने १८५१ में दूसरे बर्मा-युद्ध का आयोजन किया। और १८५२ में 'पेगन' को गद्दी से उतार कर उसके छोटे भाई 'मिनदन मिन' को गद्दी पर बैठाया, साथ ही 'पीगू' को भारत में मिला लिया। यह दूसरे बर्मा-युद्ध का परिणाम है।

अङ्गरेज़ों ने यह सब लीला लगातार लगभग ५०-६० वर्ष के अध्यवसाय और चेष्टा से की। दूसरी लड़ाई के बाद बर्मा का एक अंश अङ्गरेज़ों ने ब्रिटिश बर्मा के नाम से विघोषित किया और कर्नल फायरे को उसका चीफ़ कमिश्नर बनाया। यह कर्नल साहब मायडले को राजधानी बना कर वहीं रहने लगे। १८६७ में फायरे की बिदाई पर बर्मा के साथ अङ्गरेज़ों की नई सन्धि हुई। इसके द्वारा अनेक व्यापार सम्बन्धी शर्तें तय हुईं और बर्मा के विरोधियों को अङ्गरेज़ों ने बर्मा के हवाले कर दिया और बर्मा ने अङ्गरेज़ी राज्य-विरुद्ध लोगों को इनको सौंप दिया।

मिनदन ने अङ्गरेज़ों के अनुग्रह से २६ वर्ष बर्मा में शासन किया। १८७८ में उसके मरने के बाद 'थीबा' बर्मा की लुटी-कुटी गद्दी पर बैठा। अङ्गरेज़ों की दाढ़ को बर्मा का मज़ा मिल चुका था, यह बर्मा की रत्नगर्भा भूमि को अधिकृत करने को १७९५ से लालायित थे।

अब अवसर पाकर नवयुवक थीबा को कोंचने लगे और अनेक प्रकार के दोषारोपण के बाद १८८५ में, जब भारत में लॉर्ड डफ़रिन वायसराय थे, बर्मा भारत में मिला लिया गया। यह हम ऊपर कह चुके हैं।

१ जनवरी १८८६ से बर्मा ग्रेटब्रिटेन की पैतृक सम्पत्ति बन गया। लेकिन बर्मा के लोग बड़े लड़ने वाले और देश-प्रेमी थे। अब तो भारत की तरह उनके भी मन में गुलामी का महत्व समा गया है। अगर भीतरी कलह न होती तो बर्मा ख़ूब लड़ता, हार-जीत की बात दूसरी है। थीबा के बन्दी होने के बाद भी बर्मा ३ वर्ष तक अङ्गरेज़ों से लोहा लेता रहा। इन बहादुर देशभक्तों को अङ्गरेज़ों ने इतिहास में डाकू की उपाधि दी है। अन्त में ३-४ वर्ष के बाद सब दब कर बैठ गए। यही बौद्ध बर्मा का दुखमय सूक्ष्म इतिहास है।

अब फिर बर्मा ने स्वतन्त्रता के लिए सिर उठाया है। देखिए क्या होता है—

> यह कह कर मर गई बुलबुल क़फ़स में।
> न हो बन्दा किसी बन्दे के बस में।

❁

* अंग्रेज़ी शब्द Satrap फ़ारसी का है और फ़ारसी की प्रकृति संस्कृत है। संस्कृत में गवर्नर को क्षत्रप और गवर्नर-जनरल को महाक्षत्रप कहते हैं। फ़ारस में भी यह शब्द इसी अर्थ में व्यवहृत होता है।

—लेखक

नए फ़ैशन की बीबी मिल गई है

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

इस ख़्याले नेक पर मरते हैं हम,
यानी "बिसकुट" "केक" पर मरते हैं हम!

❁

यह बन्दा इसलिए दरबार में है,
कि मेरी पूछ-गछ सरकार में है!

❁

हमारा दिल यह सुन कर रो रहा है,
जहाँ देखो "रिडक्शन"[१] हो रहा है!

❁

कली यों दिल की देखो खिल गई है,
नए "फ़ैशन" की बीबी मिल गई है!

❁

दिन हैं साहब के, रात साहब की,
है ज़माने में बात साहब की!

❁

न हरम[२] से न दैर[३] से मतलब,
है "रसिक जी"[४] को सैर से मतलब!

❁

क़द्र भी, और इसमें ख़्वारी[५] भी,
एक तमाशा है पेशकारी भी!

१—काट-छाँट, २—काबा, ३—मन्दिर, ४—प्रयाग के मशहूर फ़ोटोग्राफ़र बाबू रसिकबिहारी लाल विश्वकर्मा से मतलब है, ५—निरादर।

❁

उसके द्वार पर

(१४वें पृष्ठ का शेषांश)

वृद्धा के सम्मुख पहुँचते ही अनवार एकदम धरती पर बैठ गया। उसके नेत्रों से जल-धारा बह रही थी। उसने हाथ जोड़ कर कहा—'माँ!......!' उसका कण्ठ रुँध गया। वह आगे कुछ न कह सका।

पगली ने दृष्टि उठा कर अनवार को देखा। क्रोध और घृणा से उसके नेत्र लाल हो गए। उसने मुँह फेर लिया।

अनवार ने अत्यन्त कष्ट से कहा—क्ष-मा-क-र...... मा-आ-फ़ माँ! उसके नेत्रों की धारा ने कण्ठ को रोक दिया।

पगली ने फिर मुँह फेर कर उसकी ओर देखा। इस बार उसके नेत्रों से भी गङ्गा-यमुना बह रही थीं। उसने दोनों हाथ ऊपर उठा कर कहा—'जा! तेरा अपराध अब वही क्षमा करेगा।'

परन्तु अनवार न हिला। उसके नेत्र वहीं गड़ गए। पुलीस वाले उसे उठाने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहे थे।

❁ ❁ ❁

पूँजीवाद और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता

[श्री० राधेश्याम शर्मा, बी० ए०]

ऐसा मालूम पड़ता है कि साम्यवाद की लहर जो पश्चिम से उठी है, इसके थपेड़े में शीघ्र ही सारा संसार आ जायगा। कुलीन, अकुलीन, धनी-निर्धन बड़े-छोटे सबको समान नागरिक अधिकार प्राप्त हैं, न्याय और क़ानून की दृष्टि में सब बराबर हैं। आज निम्न से निम्न श्रेणी के अङ्गरेज़ मज़दूर को भी इस बात का अभिमान है कि शासन की बाग-डोर जिस सरकार के हाथ में है, उसके भाग्य-विधाता श्रमजीवी ही हैं, जिनमें उसका भी अपना एक विशेष स्थान है और अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार वह भी राज्य-सञ्चालन में योग देता है। उसकी स्वातन्त्र्य-भावना उस समय और भी गौरवमयी हो जाती है, जब वह अनन्त जन-समुदाय के बीच खड़ा हुआ, किसी राष्ट्रीय त्योहार या उत्सव के उपलक्ष्य में, सैनिक बैण्ड में अपना राष्ट्रीय-गान सुनता है। उस समय क्षण भर के लिए वह सब कष्ट भूल जाता है और सोचने लगता है कि मेरे नागरिक अधिकार देश के किसी भी व्यक्ति से कम नहीं हैं—मैं पूर्ण स्वतन्त्र हूँ। किन्तु अपने दैनिक जीवन में वह अपने को कैसा पाता है? क्या राष्ट्र के सभी नागरिक समान रूप से स्वतन्त्र होते हैं? आज हमें इसी प्रकार विचार करना है।

कुछ लोगों का ख़्याल है कि दासत्व का अभाव ही स्वतन्त्रता है। यदि यह मान लिया जाय तो सहारा रेगिस्तान में भूख-प्यास से व्याकुल यात्री—और काम की तलाश में मारा-मारा फिरने वाला अमेरिकन मज़दूर दोनों ही स्वतन्त्र हैं और दोनों ही किसी को स्वामी मानने को तैयार नहीं। किन्तु इस तरह की स्वतन्त्रता तो उन्हें केवल मरने के लिए स्वतन्त्रता देना है। उद्योग और धन्धे के युग में कोई व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं को अकेले पूरी नहीं कर सकता। अस्तु, आजकल स्वतन्त्र वही है, जो अन्य व्यक्तियों द्वारा बनाई हुई वस्तुओं और उनके द्वारा की गई सेवाओं का उचित रूप से लाभ उठा सके। दूसरे शब्दों में वही स्वतन्त्र है, जो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी भोजन, वस्त्र और एक अच्छा सा मकान पा सके—जो अपने मस्तिष्क की उन्नति के लिए उचित मात्रा में शिक्षा प्राप्त कर सके। और इतनी आवश्यकताएँ पूर्ण होने पर भी उसके पास इतना धन रहना चाहिए कि समय-समय पर अपने मित्रों को दावतें दे सके, अपने मनोरञ्जन के लिए सिनेमा और थियेटर आदि देख सके तथा देश-विदेशों में घूम सके। थोड़े शब्दों में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपनी नैसर्गिक शक्तियों के उन्नत करने और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के सुयोग को कह सकते हैं। किन्तु यह सुयोग किसी को कम है और किसी को अधिक। एक धनी व्यक्ति अधिक से अधिक वस्तुएँ और अगणित व्यक्तियों की सेवा पाने का हक़दार, बिना कुछ परिश्रम किए ही, केवल कुछ धन देकर हो सकता है और इसकी उसे स्वतन्त्रता है। दूसरी ओर एक ग़रीब मज़दूर भी स्वतन्त्र है, पर उसकी स्वतन्त्रता रात-दिन पसीना बहा कर, आधा पेट भोजन करके जीवनमृत दशा में रहने की है। अस्तु, हम कह सकते हैं कि जो जितना धनवान है, वह व्यक्तिगत रूप से उतना स्वतन्त्र है।

अभी हाल ही में सर मालकम हेली ने अपनी स्पीच में कॉङ्ग्रेस को उत्तर देते हुए कहा था कि यदि ज़मीन्दार किसानों पर अत्याचार करते हैं तो किसानों को भी उनके विरुद्ध क़ानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। भारत सरकार की तरह अन्य देशों की सरकारें भी इसी सिद्धान्त का दम भरती हैं कि All are equal before the law अर्थात् क़ानून के सामने सभी समान हैं। किन्तु यदि हम इसकी तह में जाकर देखें, तो इसकी नींव बालू के क़िले की नींव से अधिक मज़बूत नहीं होगी। न्यायालयों का उद्देश्य है कि जो लोग फ़ौजदारी, चोरी और धोकेबाज़ी इत्यादि करके दूसरों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नष्ट करते हैं, उन्हें दण्ड दें, किन्तु फिर भी असंख्य मूक-हृदयों की करुण-पुकार वहाँ तक नहीं पहुँचती। वे दीन-हीन व्यक्ति, जिन्हें क़ानून की शरण जाने की सब से अधिक आवश्यकता है, जो रात-दिन ज़मीन्दारों और पूँजीपतियों द्वारा पीड़ित किए जाते हैं, कभी क़ानून की शरण नहीं जाते। इसलिए नहीं कि उन्हें मारा-पीटा नहीं जाता, इसलिए नहीं कि ग़ैर-क़ानूनी चालों से उनका सर्वस्व अपहरण नहीं किया जाता, किन्तु इसलिए कि न तो उनमें अपने मालिकों के विरुद्ध खड़े होने का साहस है और न उनके पास अदालत का भारी ख़र्च बरदाश्त करने के लिए धन ही। न्यायालय में एक धनी और निर्धन की परिस्थिति में ज़मीन-आसमान का अन्तर हो जाता है। सिवा प्राण-वध के अन्य अपराधों के लिए अमीर आदमी को केवल समन से ही बुलाया जाता है, परन्तु बेचारा ग़रीब आदमी उन्हीं दोषों के लिए पकड़ कर विचाराधीन क़ैदियों में रख दिया जाता है। फिर अमीर आदमी मुचलका देकर छूट सकता है, वह साम, दाम, दण्ड-भेद आदि उपायों से गवाही तैयार करा कर अपनी निर्दोषिता प्रमाणित कर सकता है; वह अच्छे से अच्छे वकील द्वारा अपनी पैरवी करा सकता है, मुक़दमा एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भिजवा सकता है। अन्त में यदि न्यायालय उसे जुर्माने का दण्ड देता है, तो धनिक के लिए यह कुछ भी नहीं। पर बेचारे निर्धन को जुर्माना न देने के अपराध में जेल जाना ही पड़ेगा और यदि किसी तरह जुर्माना भी दे, तो अपने और अपने परिवार के पेट पालने को उसके पास कुछ नहीं रह जाता। यही ग़रीबों की क़ानूनी स्वतन्त्रता है।

ग़रीब और अमीर को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का यह भेद इतने अधिक काल से चला आया है कि वे सोचने लग गए हैं, संसार ऐसा ही है, जिसमें अमीरों का काम ग़रीबों को लूटना-खसोटना है, और ग़रीबों को इन सब अत्याचारों को चुपचाप सहना है। ज़मीन्दार और पूँजीपतियों के हाथ में किसान और मज़दूर केवल 'उत्पादन के औज़ार' (Instruments of Production) रह गए हैं, उनके जीवन का उद्देश्य अपने मालिकों के लिए ऐश्वर्य और सुख की सामग्री जुटाना है। अमीर आदमी और उसकी स्त्री और बच्चे जब चाहते हैं, तब सोकर उठते हैं, अपने इच्छानुसार खाते-पीते हैं, जो चाहे करते हैं, या खेलते हैं—तात्पर्य यह है कि दिन भर का कार्यक्रम उनकी इच्छा पर निर्भर है—वे सब कुछ करने के लिए स्वतन्त्र हैं। दूसरी तरफ़ एक मज़दूर को सुबह से शाम तक अपने मालिक के आज्ञानुसार जीवन बिताना पड़ता है। मिल की ह्विसिल सुनते ही वह काम पर आ जाता है, जैसा और जितना काम मालिक देता है उसे करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में अपनी इच्छा से कुछ भी करने को वह स्वतन्त्र नहीं है—उसके मालिक की आज्ञा ही उसकी इच्छा है।

अब प्रश्न यह उठता है कि इन ज़मीन्दारों, मिल-मालिकों और बैङ्करों आदि को क्या अधिकार है कि वे अपने लाखों भाइयों का जीवनक्रम अपनी इच्छा के अधीन कर लें, उन्हें क्या अधिकार है कि उनसे जीवन का आनन्द और सुख छीन लें, और उन्हें अपने बिना दाम के ख़रीदे हुए दास बना लें। यहाँ हमारा विरोध अधिकार से नहीं है—अधिकार तो एक कॉन्स्टेबिल को भी होता है। उसके हाथ उठा देने से मोटर, गाड़ी, साइकिल आदि सबको रुकना पड़ता है, पर कॉन्स्टेबिल के इस अधिकार को कोई अनुचित नहीं बताता। सेनेटरी इन्स्पेक्टर गन्दी मिठाई को हलवाई की दूकान से फेंकवा देता है, रेलवे-गार्ड आज्ञा देता है, अपनी जगह पर बैठ जाओ। इन सब आज्ञाओं को लोग इसलिए मानते हैं कि ये आज्ञाएँ उनके ही भले के लिये हैं, इनसे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की क्षति नहीं, वरन् रक्षा ही होती है। दूसरे जनता जानती है कि यह उनका जन्मसिद्ध अधिकार थोड़े ही है और न इसमें उनकी कोई स्वार्थ-कामना ही होती है, वरन् उनकी योग्यता के कारण सरकार ने उनको यह काम दिया है, जिसे वे निःस्वार्थ भाव से करते हैं। यदि हममें से किसी के साथ कोई सरकारी कर्मचारी असभ्य व्यवहार करे तो हमें उसकी शिकायत करने का पूर्ण अधिकार है, और यदि सरकार की यह नीति हमको पसन्द नहीं, तो व्यवस्थापक सभा आदि में प्रश्न द्वारा हम उसको प्रभावित कर सकते हैं। जो अधिकार जनता ने सरकार को दिया है, उसे वह ले भी सकती है—पर किसानों और मज़दूरों को अपने आर्थिक शासकों के विरुद्ध आवाज़ उठाने की इतनी स्वतन्त्रता नहीं है। जनता की तरह अपने शासकों को निर्वाचन करने की शक्ति न रहने के कारण ये लोग ज़मीन्दार और पूँजीपतियों के उत्तरदायित्व से रहित और स्वार्थपूर्ण अधिकारों का विरोध नहीं कर सकते। फिर चुपचाप अत्याचार सहते-सहते पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें आत्म-सम्मान और उत्थान की भावना इतनी कम रह जाती है कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में इस ज़मीन आसमान के अन्तर को वे प्रकृति का एक स्वभाव समझने लगते हैं।

पूँजीवाद ने जिस वातावरण को जन्म दिया है, उसमें मज़दूर, क्लर्क आदि लोगों की तो आफ़त आती ही है, पर अन्य व्यक्ति भी इसके नाशकारी प्रभाव से अछूते नहीं रह सकते। स्कॉटलैण्ड और वेल्स के जिन रमणीक स्थानों में गड़रिए भेड़ें चराते थे, जहाँ किसी दिन खेल

बधाई

श्री० जी० एस० पथिक, बी० ए०, बी० कॉम लिखते हैं—

'भविष्य' हिन्दी में उच्च कोटि का पत्र है। उसके प्रकाशन से आज सभी हिन्दी साप्ताहिकों का जीवन सङ्कट-जनक हो गया है और वे अपना कलेवर 'भविष्य' के रूप में बदलने के लिए बाध्य हुए हैं। हिन्दी के अत्यन्त प्राचीन और प्रभावशाली पत्र भी 'भविष्य' के प्रकाशन से दब गए हैं। मैंने अपने इस भ्रमण में देखा कि हिन्दी जनता 'भविष्य' को चाहती है। कहना न होगा कि 'भविष्य' ने हिन्दी साप्ताहिकों की दशा ही बदल दी। इसके लिए आपको अनेक साधुवाद!

❀ ❀ ❀

लहलहाते थे, आज वहाँ घने, धुवाँधार नगर बस गए हैं, जिनमें लोग यदि न रहें तो जायँ कहाँ। आराम-तलब अमीर लोग, जिनकी स्वार्थपरता ही इस सत्यानाशी हलचल की जड़ है, तो विज्ञान द्वारा आविष्कृत नवीन उपायों से इस गन्दगी और कष्ट से बच जाते हैं, पर ग़रीबों का जीवन बड़ा ही दुःखदायी हो जाता है। वे छोटे-छोटे मकानों में रहते हैं, जहाँ शुद्ध वायु कभी पहुँच ही नहीं सकती, उनको पवित्र भोजन और जल तक मिलना एक तरह से असम्भव हो जाता है। यदि कभी कोई कारख़ाने का मज़दूर नगर के बाहर जाता है, तो नदी, वन और पर्वत आदि के मनमोहक दृश्यों को आँखें फाड़-फाड़ कर देखता है और सोचता है कि परमात्मा ने जो प्रकृति का यह अनन्त सौन्दर्य मनुष्य-मात्र के लिए दिया है, पूँजीपतियों को इससे हमें वञ्चित करने का क्या अधिकार है?

इस पूँजीवाद के युग में यदि केवल स्वतन्त्रता ही नष्ट होती तो भी ग़नीमत थी, पर पूँजीपतियों ने तो हमसे हमारी आन्तरिक स्वतन्त्रता भी छीन ली है। उनका तो मानो यह कहना है कि करने दो धर्माचार्य और सुधारकों को, कितना प्रयत्न करते हैं; जब तक सिनेमाघर, नाटकघर और नृत्यालयों पर हमारा अधिकार है, तब तक जनता की मानसिक प्रवृत्ति पर तो हमारा अधिकार रहेगा ही। जब तक हमारे हाथ में दो-दो पैसे में बिकने वाले पत्र हैं, तब तक हम चाहे जो कर सकते हैं, जब चाहें जैसे जनता के विचारों में परिवर्तन कर सकते हैं।

कुछ लोग कहेंगे कि जब पूँजीपतियों का जनता पर इतना कड़ा शासन है, तो सरकार किस मर्ज़ की दवा है? किन्तु वास्तव में सरकार तो इन्हीं के इशारे पर नाचती है। क्योंकि जनता की रुचि जब पूँजीपतियों के हाथ में है तो सरकार, जो जनता द्वारा ही निर्वाचित होती है, उस पर पूँजीपतियों का प्रभाव होना अनिवार्य है। बड़े-बड़े बैङ्कों, मिलों, जहाज़ों और व्यापारी-कम्पनियों के गुट्टों का प्रान्तीय और देशी सरकारों पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। और यदि कहीं सरकार विदेशी हुई, तब तो पूँजीपतियों की बन ही आती है। यहाँ हमारे पास भारत सरकार की सर्वदेशीय व्यापार सम्बन्धिनी एक्स्चेञ्ज और शिपिङ्ग की पक्षपातपूर्ण नीति (Policy) को बताने के लिए स्थान नहीं है, नहीं तो यह और भी स्पष्ट हो जाता कि प्रभावशाली पूँजीपतियों के गिरोह के हाथ में बड़ी से बड़ी सरकारें' किस तरह खिलौने बन जाती हैं। जनता के निर्वाचित सदस्य यदि व्यवस्थापक सभा में सरकार से प्रश्न पर प्रश्न करते हैं, तो पहले तो सरकार कोई बहाना बना कर मामले को टाल देना चाहती है, पर जब देखती है कि अब कोई छुटकारे का मार्ग नहीं है, तो विवश होकर एक जाँच-कमीशन बैठा कर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेती है और विदेशी पूँजीपति सदा की भाँति जनता का धन-शोषण अबाधित गति से करते रहते हैं।

कहने का तात्पर्य यह है कि पश्चिम में—और किसी हद तक भारत में भी—इस स्वतन्त्रता के युग में (मज़दूर और किसानों की तो बात ही जाने दीजिये) वकील, बैरिस्टर, सम्पादक, इञ्जीनियर और मैनेजर तक सब इन विशालोदर धनिकों के वश में हो गए। विद्या और बुद्धि धन की उँगलियों पर नाचते फिरते हैं। सेठ जी की मिल में यदि एक क्लर्क की आवश्यकता है, तो पचासों मध्यम श्रेणी के योग्य व्यक्ति उसे पा जाने में अपना सौभाग्य समझेंगे। और जब नौकर ही हो गए तो स्वतन्त्रता कहाँ रही, तब न तो स्वतन्त्रता से आप कोई कार्य ही कर सकते हैं और न स्वतन्त्र विचार ही रख सकते हैं। यदि आपके सेठ जी सरकार-भक्त हैं, तो आपको न, मन चाहे जैसा कपड़ा पहनने की स्वतन्त्रता है, और न राजनैतिक विचारों ही की। यदि आप किसी समाचार-पत्र के कर्मचारी हैं तो आप को प्रधान सम्पादक की नीति से सहानुभूति रखनी होगी और प्रधान सम्पादक को अपने अन्नदाताओं के विचारों को पत्र के कॉलमों में रखना होगा, चाहे स्वतन्त्र रूप से उनके व्यक्तिगत विचार कुछ भी क्यों न हों। यह इस युग की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता है।

❀ ❀ ❀

महात्मा गाँधी के चरणों में—

[श्री० व्योहार राजेन्द्रसिंह जी, भूतपूर्व एम० एल० सी०]

हमारे प्रान्त के सौभाग्य से महात्मा जी प्रतिवर्ष दिसम्बर मास में वर्धा के आश्रम में कुछ दिन आकर विश्राम लेते हैं। विश्राम क्या लेते हैं, अपने कर्ममय जीवन को आश्रम की शान्ति में छिपाने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि उस जागरूक तथा सतत कर्मशील पुरुष को इस जीवन में शान्ति नहीं, उनके कर्म की धारा शान्तिमय आश्रम के प्रशान्त वातावरण में भी उसी प्रकार प्रवाहित रहती है, अथवा कहना चाहिए कि इस वातावरण को पाकर वह एकान्त में और भी निभृत रूप से प्रवाहित हो उठती है। यद्यपि बाहर से देखने में उसका प्रवाह मन्द दीख पड़ता है, किन्तु अन्तर में उसका वेग और भी प्रखरतर हो जाता है। यदि देश के क्रिया-कलाप में इधर-उधर दौड़ते समय उसका बाहरी प्रवाह प्रबल दीख पड़ता है, तो भी आश्रम की निभृत छाया में उसका आन्तरिक प्रवाह प्रबलतर हो जाता है और इस प्रवाह का अशान्त वेग अथवा बाहरी शान्ति के भीतर से आन्तरिक प्रवाह की प्रबलता ऐसे ही समय में दीख पड़ती है। कर्मयोगमय जीवन बिताने वाले महापुरुषों की विशेषता यही है कि बाहरी कर्मधारा में भी वे अपनी आन्तरिक शक्ति को विचलित नहीं होने देते और ऐसे कर्मशील शान्तात्माओं में आज भारत में क्या, संसार में महात्मा जी का स्थान अग्रगण्य है।

कर्मशीलता और शान्ति जो परस्पर विरोधिनी बातें समझी जाती हैं, उनका उचित सम्मिश्रण यदि देखना हो तो वह गाँधी जी की मूर्ति में मिल सकता है। वे आज इन विरोधी गुणों के उचित सङ्कलन के जीते-जागते उदाहरण बन रहे हैं। यही बात उन लोकोत्तर बातों में से एक है, जिनके कारण भारत ही के नहीं, बल्कि संसार के विचारशील स्त्री-पुरुष इस तीन पसली के मनुष्य की ओर आकर्षित होकर उसके दर्शनों को सात समुद्र पार कर आते हैं।

आज यूरोप और अमेरिका के विद्वान लोग महात्मा जी के विचारों से जितने प्रभावित होकर उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, उतने शायद हमारे यहाँ के लोग नहीं। बहुत से तो उनकी अर्धनग्न वेश-भूषा को असभ्यता की निशानी समझते होंगे। किन्तु इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि संसार की विचार-धारा तथा भारतवर्ष के धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, और आर्थिक सभी अङ्गों पर इस एक महापुरुष का जितना प्रभाव पड़ा है, उतना दूसरे का नहीं।

सब से पहिले दक्षिण अफ़्रिका के सत्याग्रह के समय से उनका नाम देश के सामने आया। उसके बाद खेड़ा तथा चम्पारन आदि आन्दोलनों की सफलता ने उन्हें और भी प्रकाश में लाया। उनके व्यक्तित्व का सब से अधिक प्रकाश असहयोग आन्दोलन के समय से संसार और भारतवर्ष के सामने आया। किन्तु उनके व्यक्तित्व की आन्तरिक सुन्दरता का शान्त प्रकाश उसके बाद हमारे सामने प्रगट हुआ है और उसके उत्तरोत्तर बढ़ने का क्रम जारी है। किन्तु महापुरुष अपने जीवन-काल में बहुत कम समझे जाते हैं। प्रत्येक देश के लिए यह नियम लागू होता है। अभी हम लोगों ने भी महात्मा जी की महत्ता को अच्छी तरह नहीं समझ पाया है। यद्यपि महात्मा जी अपने जीवन-काल ही में इतने अधिक पूज्य हो गए हैं, जितने कि बहुत कम महापुरुष होते हैं। किन्तु तो भी मेरी तुच्छ सम्मति में उनका असली महत्व हम तब समझेंगे, जब उन्हें पार्थिव रूप से समझने का अवसर पाएँगे।

व्यक्तिगत रूप से लेखक पर महात्मा जी तथा उनके सिद्धान्तों का प्रभाव असहयोग के समय से पड़ना प्रारम्भ हुआ। नागपुर कॉङ्ग्रेस के समय उनके दर्शन करने का प्रथम सौभाग्य जब से प्राप्त हुआ, तभी से उनके व्यक्तित्व तथा सिद्धान्तों की ओर अधिकाधिक आकर्षण होता गया तथा उनसे व्यक्तिगत समीपत्व में आने की इच्छा प्रबलतर होती गई। इसी भावना के अनुकूल सत्याग्रह-आश्रम साबरमती की यात्रा की थी। किन्तु उस समय पुनीत दर्शनों से वञ्चित रहना पड़ा, क्योंकि वह मूर्ति उस समय महात्माओं के उचित पुरस्कार में मिलने वाले यरवदा जेल के घनान्धकार को दूर कर रही थी। उसके बाद बिना प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किए ही उनके 'यङ्ग इण्डिया' और 'नवजीवन' पत्रों तथा 'हिन्द स्वराज्य' आदि पुस्तकों तथा उनके विषय में लिखी हुई स्वदेशी व विदेशी लेखकों की लिखी हुई पुस्तकें पढ़ने से वह श्रद्धा और भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। फ़्रान्स के महामति रोम्याँ रोलाँ की "महात्मा गाँधी" नामक पुस्तक सब से पहिली थी, जिसने हृदय पर असर किया। उसके बाद प्रसिद्ध जर्मनी लेखिका रेनी फुलप मिलर (Rene Fullop Miller) की 'Lenin and Gandhi' (लेनिन और गाँधी) ने तो चित्त और मस्तिष्क में उथल-पुथल मचा दी। अन्तिम, किन्तु महत्वपूर्ण महात्मा जी के क्रमशः प्रकाशित आत्म-चरित्र ने, तो उनके व्यक्तित्व के अनेक रहस्यों पर प्रकाश डाल कर हृदय, बुद्धि तथा आत्मा तीनों पर पूर्ण अधिकार जमा लिया। इस प्रकार सन् १९२० से इस महापुरुष के जीवन और सिद्धान्तों का अध्ययन बराबर चलता रहा।

वैसे तो महात्मा जी के दर्शन कॉङ्ग्रेसों के अवसर पर प्रायः प्रति वर्ष हो जाया करते थे, किन्तु उससे सन्तोष बिल्कुल नहीं हो पाया। कार्य-भार में व्यस्त रहने के कारण, इन अवसरों पर चन्द मिनटों के लिए उनके दर्शन हो जाना बड़े सौभाग्य की बात है। फिर वहाँ इस प्रकार के हज़ारों दर्शनार्थियों के कारण उनके कार्य में बहुत व्याघात पड़ता है—सब काम छोड़, दर्शन देना ही मुख्य कार्य हो जाता है। उसके ऊपर जय-जयकार, पुष्प-वर्षा और चरण-स्पर्श की बौछारें त्रिशूल की

तरह उनकी शान्ति भङ्ग कर, वेदना पहुँचाती हैं। अतः ऐसे समारोहों के समय व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित करना तो दूर रहा, दो बातें करना या उनके शान्त रूप के दर्शन कर पाना भी दुर्लभ हो जाता है। समीप से उनके व्यक्तिगत आन्तरिक जीवन को अध्ययन करना, व्यक्तिगत परिचय प्राप्त करना तथा शङ्का-समाधान आदि कर अपने जीवन को पवित्रतर बनाने का अवसर प्राप्त करने की लालसा बनी ही रही। उसकी पूर्ति आश्रमों के शान्त और अवकाशमय वातावरण में ही हो सकती है। इच्छा रहते हुए भी साबरमती में कुछ काल रहने का अवसर न मिला, किन्तु वर्धा के आश्रम में उसकी कुछ-कुछ पूर्ति हुई। पूर्ण सन्तोष और कल्याण तो कुछ काल रह कर प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेवया के त्रिविध उपाय से ही हो सकता है। अस्तु।

अब भूमिका को अधिक न बढ़ा कर, अपनी वर्धा-यात्रा का वर्णन तथा उसके प्रभावों का वर्णन करना ही उपयुक्त होगा। गत वर्ष और इस वर्ष दोनों समय यह अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ। ज्योंही महात्मा जी विश्राम लेने के विचार से वर्धा-आश्रम पधारे, मैं भी सेठ जमनालाल जी से तय कर, इस अवसर से लाभ उठाने के लिए वहाँ पहुँच गया। यद्यपि एक सप्ताह से अधिक रहने का अवसर नहीं मिला, किन्तु इतने थोड़े समय ही में जो लाभ हुआ, वह वर्णनातीत है।

आश्रम में पहुँचने के पूर्व जो विचार-तरङ्गें और उमङ्गें, हृदय में लहरें मारने लगीं, उनका वर्णन करना असम्भव है। ज्यों-ज्यों महात्मा जी की आत्मा और कार्यों से अपनी तुलना करते हैं, हृदय में अत्यन्त ग्लानि होती है कि किस प्रकार उनके सामने उपस्थित होकर उनकी पवित्र हृदय-वेधी दृष्टि का सामना करेंगे।

आश्रम, महात्मा जी के सच्चे भक्त और अनुगामी सेठ जमनालाल जी की कृति है तथा उनके त्याग का उदाहरण है। जब से सेठ जी महात्मा जी के प्रभाव में आए हैं, तब से उनका सारा जीवन बदल गया है। उन्होंने जो भी राष्ट्र-सेवाओं में दान और व्यक्तिगत त्याग किए हैं, उनका वर्णन करने का यहाँ अवसर नहीं। इतना ही कह देना काफ़ी है कि वे सब महात्मा जी के हृदय-स्पर्शी प्रभाव के कारण हुए तथा आश्रम भी उनमें से एक प्रधान है।

वर्धा स्टेशन से लगभग दो मील की दूरी पर यह आश्रम स्थित है। आचार्य विनोबा जी की अध्यक्षता में यह राष्ट्रीय तथा खादी-शिक्षा का कार्य सन् १९१९ से करता आता है। सपाट मैदान पर कुछ पक्के भवन ही इस आश्रम में सब कुछ हैं। इन भवनों में से कुछ में तो आश्रमवासी निवास करते तथा एक में बुनाई, कताई आदि कार्य होते हैं। समीप ही एक दुमञ्ज़िले भवन के ऊपर के छोटे से कमरे में उस महात्मा का स्थान है, जिसने उससे भी छोटे से शरीर; किन्तु सबसे बड़ी आत्मा से सारे संसार को हिला दिया है।

किन्तु सुनने या देखने वाले को सचमुच सन्देह होता है कि संसार पर इतना भारी प्रभाव डालने वाली, ब्रिटिश सरकार सरीखी प्रबल सरकार को दहलाने वाली तथा सारे देश में क्रान्ति पैदा कर देने वाली आत्मा, क्या इतने छोटे से जीर्ण-शीर्ण शरीर की सूखी हड्डियों में क़ैद है? सचमुच सन्देह होता है, परन्तु सचमुच देख रहे हैं। तब सन्देह को स्थान कहाँ? सचमुच उस शरीर में कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो उसके भीतर छिपी हुई आत्मा की महानता और उच्चता का परिचय दे। किन्तु एक वस्तु अवश्य है। एक नहीं दो हैं, और वे हैं, उस वृद्ध चेहरे पर भीतर घुसी हुई तेज आँखें, जो उसके भीतर की आत्मा का प्रकाश बाहर लाती हैं। ऐसा आलूम पड़ता है कि वह उनके द्वारा हमारे हृदय तक प्रवेश कर, उसे टटोल रहा है। इसी कारण उनसे आँख मिलाने की हिम्मत नहीं पड़ती, छिप जाने को जी चाहता है। किन्तु एक बार सामने जाने पर फिर लुका-छिपी नहीं चल सकती। जो कुछ भीतर हो, बाहर आ जाता है—"मायापति सेवक सन माया" करना असम्भव हो जाता है।

प्रथम दर्शन चर्ख़ा चलाते समय हुए। यही समय आगन्तुकों से मिलने या बातचीत करने का रहता है। ४ से ५ तक चाहे जो कोई आकर दर्शन तथा बातें कर सकता है। यदि अन्य समय मिलना हो तो ख़ास समय नियत कराना पड़ता है; जोकि कठिनाई से होता है। अस्तु।

An Appreciation

Pro. H. S. Nanjundiah, M.A., writes from Lakshmipuram, Mysore City, in his letter dated August 24, 1931.

I am a regular reader of CHAND and though my knowledge of Hindi must necessarily be very limited, I know enough to appreciate the fine vignettes that you contribute to that magazine. Permit me to congratulate you on this excellence both of matter and of styles. Your stories are always pitched in a somewhat emotional key but there is nothing cheap about the sentiments and though "love" is the permanent motive I have never seen your catering to the grosser tastes of your reader. The stories are characterised by a fine delicacy and deep psychological insight, which we rarely come across in our "vernacular" journals. As regards style you seem to strike a very happy medium between the pedantic and the colloquial. Not being a Hindi Scholar myself I do not know how far my estimate is valid and it is only as a love of fine literature, I am writing you this letter. Wishing you many years of happiness and fruitful literary activity and requesting you to accept my humble tributes.

❀ ❀ ❀

प्रथम दृष्टि पड़ते ही जो चित्त पर असर हुआ, वह था बाहरी और भीतरी स्वच्छता तथा निर्मलता। शुभ्र खादी की आधी ढँकी हुई हड्डियों के भीतर से विशुभ्र आत्मा का प्रकाश निकलता है। मानो सफ़ेद मोटी खादी आन्तरिक निर्मलता का बाह्य चिह्न-मात्र है। ऐसी पवित्र मूर्ति का चरण स्पर्श करने में भी हिचक लगती है। किन्तु इसके बिना सन्तोष भी नहीं होता। जमनालाल जी ने एक एम० एल० सी० कह कर मेरा परिचय कराया। इसमें भी मुझे सङ्कोच हुआ तथा धक्का-सा लगा। अब अधिक बातचीत नहीं हो सकी, अनेक दर्शनार्थी बैठे थे। उनसे एक-दो बातें करने में ही चर्ख़ा चलाने का समय समाप्त हो गया। पाँच बजते ही भोजन की घण्टी बज गई और सब लोगों को उठ आना पड़ा।

पहले आश्रम में महात्मा जी की दिनचर्या का वर्णन कर देना अच्छा होगा। प्रातःकाल ४ बजे के कुछ पहिले उठने की पहली घण्टी बजती है। १५ मिनट बाद दूसरी घण्टी होते ही सब आश्रमवासी प्रार्थना के लिए महात्मा जी की कोठी के सामने छत पर जमा हो जाते हैं और प्रार्थना आरम्भ हो जाती है। सब लोग एक साथ मिल कर :—

प्रातः भजामि स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वं
सच्चित्सुखं परमहंसगतिंतुरीयम्।
यत् स्वप्न जागर सुषुप्तमवैति नित्यम्
तद् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूत सन्धः॥

आदि प्रार्थना के श्लोकों की आवृत्ति करते हैं। तत्पश्चात् "श्रीराम जय राम जय जय राम" आदि की ध्वनि होती है। फिर आश्रम के आचार्य विनोबा जी य और कोई तानपूरे पर, तुलसी, कबीर, तुकाराम, रामदास या नरसी मेहता आदि का कोई भजन गाते हैं और सब उसके पीछे अनुसरण करते हैं। इसके बाद फिर राम-ध्वनि होती है। अन्त में सब मिल कर गीता के एक अध्याय का पाठ करते हैं। इस प्रकार आध घण्टा से लेकर पौन घण्टा तक में प्रार्थना समाप्त हो जाती है। उषा-काल की पुण्य बेला में सुमधुर सङ्गीत तथा प्रातः-स्मरण का आनन्द वे ही अनुभव कर सकते हैं, जिनको इसमें भाग लेने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है।

इसके बाद नित्य-कर्म से निवृत्त होकर महात्मा जी ६½ बजे घूमने को निकल पड़ते हैं। जिसको साथ जाना होता है वे साथ चले जाते हैं। इस समय बातचीत आदि करने का अच्छा अवसर मिल जाता है। लगभग एक घण्टा में वे दो मील का चक्कर लगा कर लौटते हैं। एक घण्टा अध्ययन आदि करते रहते हैं। ९ बजे भोजन की घण्टी बजती है, और सब लोग भोजनशाला में एकत्र हो जाते हैं। भोजन व विश्राम के बाद दोपहर में महात्मा जी 'यङ्ग-इण्डिया' आदि के लिए लेख लिखने तथा पत्रों का उत्तर आदि लिखवाने में लगे रहते हैं। ३॥ या ४ बजे से ५ बजे तक चर्ख़ा चलाने का समय है। इस समय कोई भी जाकर दर्शन या बातचीत कर सकता है। ठीक पाँच बजे भोजन की घण्टी होती है और ६ बजे भोजनादि कर, फिर टहलने को निकल पड़ते हैं। इस समय फिर लोग साथ हो लेते हैं तथा बातचीत आदि होती जाती है। लौट कर ७॥ बजे फिर सब लोग प्रार्थना के लिए एकत्रित होते हैं। सबेरे के अनुसार सन्ध्या-प्रार्थना के बाद भजन-गायन तथा रामध्वनि के बाद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोकों का पारायण होता है! दोनों प्रार्थनाओं में महात्मा जी बराबर उपस्थित रहते हैं। इस समय उनकी प्रशान्त मुद्रा से जान पड़ता है कि वे गीता के उक्त श्लोकों के मूर्तिमान अवतार बने हुए हैं। उन्हें प्रत्यक्ष अपने जीवन में उतार कर बता रहे हैं। इन प्रार्थनाओं में सम्मिलित होना, सचमुच बड़े सौभाग्य तथा लोकोत्तर आनन्द देने वाली बात है।

इसी दिनचर्या के अनुसार नियमित रूप से काम होता है। रविवार की रात्रि से लेकर सोमवार के दिन भर महात्मा जी मौन धारण करते हैं और इस दिन 'नवजीवन' और 'यङ्ग-इण्डिया' के लिए लेख लिखा करते हैं। शेष कार्य उसी प्रकार होते हैं। गत वर्ष जब मैं आश्रम में गया था तब महात्मा जी कच्चे अन्न के प्रयोग में लगे हुए थे। बहुत से दूसरे लोग भी उनके साथ इस प्रयोग में लगे हुए थे। कुछ समय बाद स्वास्थ्य ख़राब हो जाने पर उन्हें यह प्रयोग बन्द कर देना पड़ा—यह बात सभी को प्रगट है।

❀ ❀ ❀

कविता-कुञ्ज

क़ब्रिस्तान

[श्री० जैतली रमाशङ्कर जी]

चाँदनी के पूर्ण रूप विकाश में,
अर्द्ध रात्रि व्यतीत थी जब हो चुकी।
स्तब्ध शीतल वायुमण्डल में खड़े,
देवदार विशाल, क़ब्रिस्तान पर—
थे तनिक आतङ्क सा फैला रहे।

चुप रहो, लेटो हुई कितनी यहाँ
हैं हृदय की दग्ध आतप कामना!
तरल आँखें आज भी किस लालसा—
से रही हैं देख नीलाकाश को।

❀

कुछ मिला कर पञ्च तत्वों में स्वयं,
फेंक देते अस्थियाँ औ' राख को!
और कुछ भावुक हृदय पवि-भार से,
हैं दबा देते स्वजन को आप ही!

समय की गम्भोर सरिता की लहर,
एक को विस्मृत क्षितिज की ओर ले—
आप ही जाती बहा, औ' एक को—
बन्द जल पर एक कोने में सदा।

स्तब्ध कम्पन पर झुलाती हो सदय,
हाथ ढीले पड़ गए, जिनसे न जल
जीर्ण नौका का उलीचा जा सका।
ज्वार-भाटा दुःख औ' सुख का जहाँ,
झुर्रियाँ है डाल देता गाल पर,
खीज जाते आप हैं जो भाग्य से
और जाता खीज जिनसे भाग्य है,
स्तब्ध थे वे एक ओर पड़े हुए।

कुछ हृदय उद्दाम आकांक्षा लिए,
भूल सीधी राह, अल्हड़ जलधि की
अर्ध निमीलित किसी चट्टान से,
लाख बचने पर स्वयं टकरा गए।

कुछ सदा जो फूँक रखते पैर थे
पड़ गए दुर्भाग्य भोषण भँवर में,
कूल पर आत्मज खड़े लखते रहे,
लुप्त पर जल-राशि में वह होगए!

चुप रहो! सोई हुई पीड़ा कहीं,
जाग जावे दग्ध हृदयों की नहीं।
छू न जावें यह पके व्रण अवनि के।*

*मसूरी क़ब्रिस्तान पर लिखी हुई कविता।

❀ ❀ ❀

'वह'

[श्री० गङ्गाप्रसाद जी गौड़]

स्वप्न-राज्य की देवी थी वह,
या ऊषा की लाली थी।
मानवता की अबुझ पहेली,
या यौवन-मद-प्याली थी॥
पावन-प्रेम-पुजारिन थी वह,
प्रेम-सुधा-मतवालिन थी।
मेरे हृद्योद्यान मात्र को,
वह सुप्रवीणा मालिन थी॥
आज वही उद्यान-शून्य है,
मालिन उसकी रूठ गई।
रूठ गई, पर कौन कहे यह—
प्रेम-रज्जु है टूट गई।

❀ ❀ ❀

प्रेमी

[श्री० गङ्गाविष्णु पाण्डेय विद्याभूषण "विष्णु"]

अपने-बिगाने की उसे न सुध रहती है,
होती उसकी है चित्त-वृत्ति ज्यों चलित की।
निन्दित समझ के न पास में बिठाता कोई,
मानते उसे हैं लोग श्रेणी में दलित की।
लाख समझाने से भी ध्यान में न असर कुछ,
भूल जातीं बातें सब गणित-फलित की।
लाज शर्म का न ख़्याल उसे रहता है,
कोर गड़ जाती जिसके है लोचन-ललित की।

❀ ❀ ❀

ओ! घूँघट वाली

[श्री० रामकर्ण जी द्विवेदी]

मेरे मन की यह अभिलाषा, करके पूर्ण मिटा दे।
रुक जा, रुक जा, तन्वि! तृषित नयनों की प्यास बुझा दे

इस घूँघट के पट के भीतर
छिपे इन्दु की छटा, छहर कर
मेरे मन को पुलकाती है
नाना भाँति भावनाएँ भर

खोल-खोल, अपना सुधांशु सा प्रिय मुखड़ा दिखला दे
तरुणि लटक से, अखिल विश्व में, प्रेम-सुधा बरसा दे

यह तेरा पट बना निराला
करता है मन को मतवाला
मुग्ध विश्व लख खड़ा हुआ है
तेरे निकट हृदय को ला-ला

जिसका पट ही लहर-लहर कर, मन में आग लगा दे
तो उसके सुन्दर आनन का कवि किससे उपमा दे

❀ ❀ ❀

यमुने!

[श्री० सोहनलाल जी द्विवेदी]

यमुने, कलकल क्या करती हो,
रोती हो या गाती हो?
बही जा रहा कहाँ मौन बन,
क्यों कुछ नहीं बताती हो?

कहाँ तुम्हारी सखी राधिका,
कहाँ तुम्हारे प्यारे श्याम?
कहाँ गोप-बधुएँ जाती हैं,
भरने को अब नीर ललाम?

❀

पनघट पर अब भीड़-भाड़—
क्यों वैसी नहीं दिखाती है?
वह उल्लास हिलोर कहाँ अब,
किस तट पर टकराती है?

❀

कहाँ आजकल मुरलीधर की,
सुमधुर मुरली बजती है?
कहाँ ग्वालबालों की अनुपम,
प्यारी टोली सजती है?

❀

कहाँ तुम्हारे लता-भवन हैं,
कहाँ तुम्हारे सघन निकुञ्ज?
कहाँ भृङ्ग गुञ्जार कर रहे,
कहाँ कञ्ज के मञ्जुल पुञ्ज?

❀

पहिले के आनन्द-विभव की,
रही न एक निशानी है।
मूक व्यथा उर उपजाने को,
बाक़ी रही कहानी है।

❀

इठलाता था सदन तुम्हारा,
जो पहिले शुचि स्वर्ग समान।
वहीं विकलता नृत्य कर रही,
आज बना वह नग्न मसान।

❀

जो थे पहिले नन्दन बन से,
हरित पल्लवित कुसुमित कूल।
हैं झाड़ी-झङ्खाड़ वहीं पर,
उड़ती रेत भयानक धूल।

❀ ❀ ❀

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



गुरुदासपुर का १३ वर्षीय षड्यन्त्रकारी बालक—महन्त नरेन्द्रनाथ, जो दफ़ा ३१२ और दफ़ा १२० के अनुसार गिरफ़्तार किए गए हैं।



सुप्रसिद्ध विप्लवकारी नवयुवक—चौधरी शेरजङ्ग—जो आजीवन कारावास दण्ड भोग रहे हैं।



'चाँद' तथा 'भविष्य' के प्रतिभाशाली चित्रकार—
श्री० एच० बागची



ट्रावङ्कोर की सीनियर महारानी साहिबा—जो आगामी नवम्बर में बालिग़ होने पर सारा राज्य-भार राजकुमार को सौंप देंगी।

यदि अवसर दिया जाय तो स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकतीं ?



बेज़वाड़ा (आन्ध्र प्रान्त) प्रान्त की सुप्रसिद्ध रमणी-रत्न—श्रीमती ए० आर० लक्ष्मीपति, बी० ए०—जो कई शिक्षा-सम्मेलनों का नेतृत्व ग्रहण कर चुकी हैं।



सुप्रसिद्ध देशभक्त और आदर्श-नरेश—राजा कालाकाँकर की धर्म्म-पत्नी—जिन्होंने आजीवन स्वदेशी वस्तुओं तथा खादी ही के व्यवहार का व्रत लिया है।



डॉक्टर एम० नरोहा—जो वियना में होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय महिला सङ्घ में भारतीय महिला-प्रतिनिधि की हैसियत से पधारी थीं।



मैसूर राज्य की मुकुट-मणि—श्रीमती अलम्मा, आप समस्त राज्य में अपनी धर्म-परायणता के लिए विख्यात हैं। मैसूर नरेश ने कुछ दिन हुए आपको "धर्मपरायणा" की उपाधि से विभूषित भी किया था।



मध्य-प्रान्त के सुप्रसिद्ध नागरिक माननीय श्रीपद बलवन्त ताम्बे (जो कुछ दिनों तक स्थानापन्न गवर्नर भी रह चुके हैं) की धर्मपत्नी—श्रीमती ताम्बे जो अपनी सामाजिक सेवाओं के लिए विख्यात हैं।



कराची के कन्या महाविद्यालय की व्यवस्थापिनी—श्रीमती हरदेवी बाई—जो मज़दूर जाँच कमिटी की मनोनीत सदस्या भी नियुक्त हुई थीं।



श्रीमती मृणालदास गुप्त, एम० ए०, जो गत वर्ष ढाका (बङ्गाल) विश्वविद्यालय की संस्कृत एवं बङ्गला की परीक्षा में सर्वोच्च रही थीं—आपके पिता स्वर्गीय रायबहादुर कमलनाथ दास गुप्त भी स्त्री-शिक्षा के बड़े पक्षपाती थे।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ



कोरिया के नव-विवाहित दम्पति



तिब्बत के उच्च घराने की एक युवती

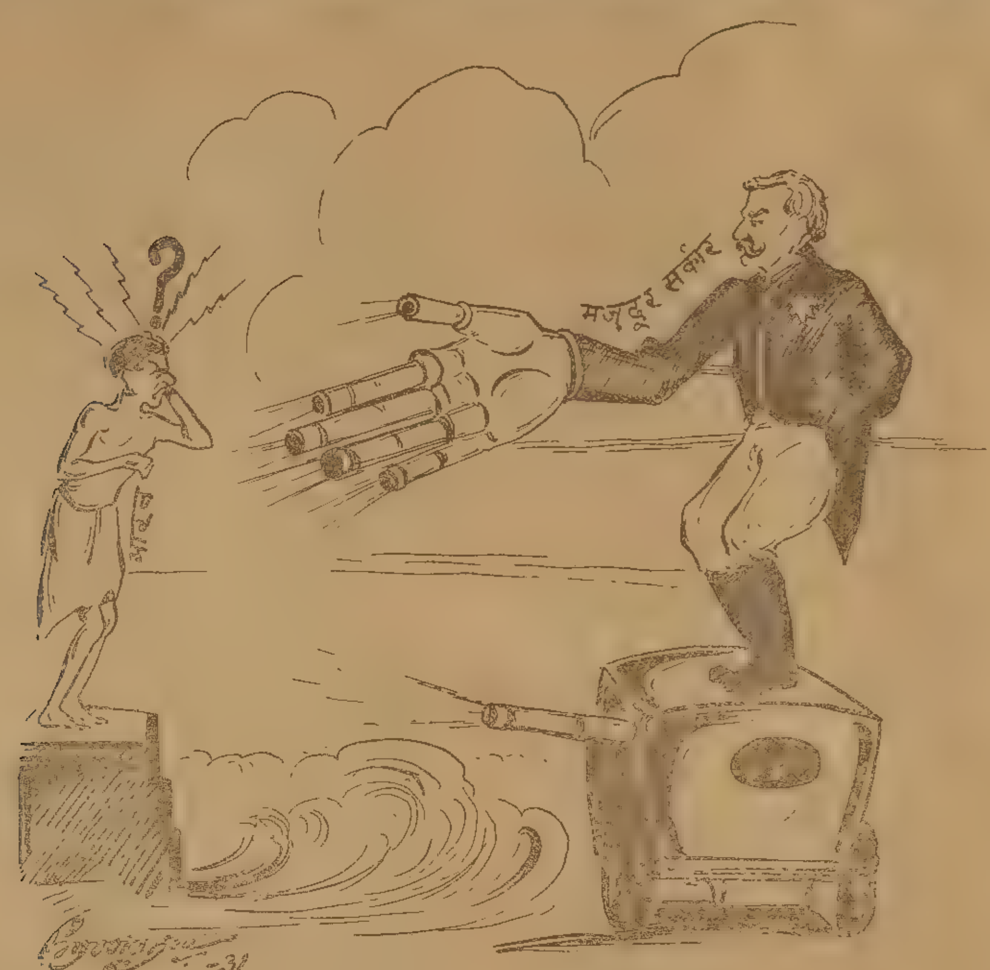


एन्यू द्वीप की कन्याएँ—जिनकी कष्ट-कहानी भारतीय स्त्रियों से भी अधिक दारुण है।



टोंगा द्वीप की कन्या कौमारकेश और चटाई के सहित

'भविष्य' की व्यङ्ग-चित्रावली का एक पृष्ठ



'मज़दूर सरकार' का फ़ौलादी पञ्जा !



'अर्द्ध-नग्न फ़क़ीर' का जादू !



जॉनबुल का टकसाल



प्यारी रुत, ठण्ढी हवा, काली घटा बरसात की, क्या भली मालूम होती है फ़िज़ा बरसात की।
हाय यह रुत और यह काली घटा बरसात की, मुझको तड़पाने लगी एक-एक फ़िज़ा बरसात की।

साथ देगी क्या मेरा रोने में सावन की झड़ी,
सोज़िशे[1] दिल से नहीं गरमी सिवा बरसात की!

—"आतिश" लखनवी

मोर नाचे, कोयलें कूकीं, पपीहे बोल उठे,
वस्ल[2] के दिन आगए फ़स्ल आई क्या बरसात की।
क्या तेरी ज़ुल्फ़ें सियह को देख कर शर्मा गईं,
भीगी-भीगी रात है ऐ महलक़ा[3] बरसात की।
मैकशों[4] के दिल में दाग़ आँखों में साक़ी के ख़ुमार,
यह निशानी रह गई है, जा-बजा बरसात की।
चलती है ठण्ढी हवा नज़दीक है दौरे शराब;
मुज़दा[5] मस्तों को ख़बर लाई सबा[6] बरसात की।
हिज्र[7] में सब बेमज़ा है, वस्ल में सब बामज़ा,
फ़स्ल गर्मा की हो, या जाड़े की, या बरसात की।
टक्करें लीं अब्र से मस्तों ने पी-पीकर शराब,
क्या बला होती है मस्ती साक़िया बरसात की।

—"अमीर" लखनवी

उग रहा है हर तरफ़ सब्ज़ा दरो दीवार पर,
इन्तेहा गर्मी की है, और इब्तेदा बरसात की।
नाज़ हो जिसको बहारे मिस्रो शामो रूम पर,
सर ज़मीने हिन्द में देखे फ़िज़ा[8] बरसात की।

—"चकबस्त" लखनवी

प्यारी रुत ठण्ढी हवा, काली घटा बरसात की,
क्या भली मालूम होती है फ़िज़ा बरसात की।
मैं हूँ वह मैख़्वार[9] ऐ साक़ी कि मेरे वास्ते,
शर्त है क्या फ़स्ले गुल की क़ैद क्या बरसात की,
रञ्जो ग़म अन्दोहो[10] हिरमाँ दर्द आज़ार इज़्तेराब
इक मेरे दिल पर इनायत है बराबर सात की।
क्या कहूँ क्या रात है, क्या दिन है, क्या अय्याम है
हाय यह बरसात के, बरसात का, बरसात की।
"नूह" तुमको फिर वही तूफ़ाँ उठाना चाहिए,
लोग करते हैं शिकायत जाबजा बरसात की।

—"नूह" नारवी

वह उठे बादल वह चमकी बर्क़[12], वह पानी गिरा,
हर किसी को फ़िक्र थी बेइन्तेहा बरसात की!
उससे पूछो जिसने लूटे हों मज़े बरसात के,
क़द्र क्या जानेगा कोई दूसरा बरसात की।
चन्द टुकड़े अब्र[13] के हैं, चाँद को घेरे हुए,
देखते बनती है यह प्यारी फ़िज़ा बरसात की।

१—जलन, २—मिलन ३—चाँद सी सूरत वाला, ४—शराबियों, ५—ख़ुश-ख़बरी, ६—हवा, ७—बिरह, ८—रौनक़, ९—शराबी १०—रञ्ज, ११—बेक़रार, १२—बिजली १३—बादल,

मेरे साक़ी मस्त हो कर झूम उट्ठूँ एक बार,
वह पिला मुझको जो खींची हो ज़रा बरसात की।

—"ग़ाफ़िल" इलाहाबादी

क्यों न हो हर शख़्स के लब पर सना[14] बरसात की
रुत है सारे मौसमों में दिलकुशा बरसात की।
क़ुदरती मञ्ज़र पे क्यों आलम न हो जाए फ़िदा,
जज़्ब[15] करती है नज़र को हर अदा बरसात की।
ज़िन्दगी मुरदा दिलों में आ गई है "आफ़ताब",
हैं हवाएँ ठण्ढी-ठण्ढी जाँ फ़िज़ा बरसात की।

—"आफ़ताब" पानीपती

अब्र हो, माशूक़ हो, हाथों में हो जामे शराब,
यह मिले सामान तब देखें फ़िज़ा बरसात की।
आज वह नामे ख़ुदा सर गर्म आराइश[16] हुए,
हो गई नाज़िल बला हम पर यह क्या बरसात की

—"आनन्द" रामपूरी

मैकदे पर छाई है प्यारी फ़िज़ा बरसात की,
मैकशो का दिल बढ़ाती है घटा बरसात की।
सूए मैख़ाना चला हूँ लेके ज़ौक़े[17] मैकशी,
गुञ्चए[18] दिल को खिलाएगी हवा बरसात की।

—"आनन्द" सहारनपूरी

आस्माँ पर छा गई काली घटा बरसात की।
ठण्ढी ठण्ढी ख़ुल्द[19] से आई हवा बरसात की।
क्यों तरोताज़ा न हों बरसात में ज़ख़्मे[20] कुहन,
कर गई सब को हरा काली घटा बरसात की।

—"इन्द्रजीत शर्मा" मछरवी

यूँ तो छाई है ज़माने पर घटा बरसात की
दीदनी[21] है बाग़ में लेकिन फ़िज़ा बरसात की।
जोश पर हैं दीदये तर भी हमारे आजकल।
इसके आगे क्या हक़ीक़त है भला बरसात की।

—"ज़ाहिद" इलाहाबादी

देख कर रङ्गीनियाँ हद से सिवा बरसात की।
धूम है बाग़े जहाँ में जा-बजा बरसात की।

—"अख़गर" लखनवी

तोबा करने के लिए तैयार जब होते हैं हम।
दिल बढ़ा जाती है आ-आकर घटा बरसात की।

—"आशुफ़्ता" साहब

चल रही है तीर बन-बन कर हवा बरसात की।
ख़ूँ मुझे रुलवा रही है यह घटा बरसात की।
हसरतें बर आयेंगी निकलेंगे सब अरमाँ तेरे।
रुत दिले बेतर्ब[22] आने दे ज़रा बरसात की।

—"ज़ार" रामपूरी

१४—तारीफ़, १५—खिंचाव, १६—सिंगार, १७—शराब पीने का शौक़, १८—कलियाँ, १९—बैकुण्ठ, २०—पुराने घाव, २१—देखने लायक़, २२—बेचैन,

पत्ता-पत्ता डाली-डाली हुस्न से मामूर[23] है।
नूर बरसाती है गुलशन में घटा बरसात की।

—"शैदा" देहलवी

आज रह जाए न साक़ी आरज़ू बाक़ी कोई।
झूम कर क़िब्ले[24] से उट्ठी है घटा बरसात की।

—"शैदा" अमरोहवी

बिजलियाँ दिल पर तबस्सुम[25] से गिराने आगईं,
जान की लेवा बनी है हर अदा बरसात की।

—"सिद्दीक़" देहलवी

किस लताफ़त[26] से है अब निखरी फ़िज़ा बरसात की
आई है धुल-धुल के पानी से हवा बरसात की।

—"दिलावर" अज़ीमाबादी

देखिए क्या-क्या गुहर-बारी[27] करे काली घटा।
आई है वह ज़ेब तन करके क़बा[28] बरसात की।

—"दास" मुरादाबादी

कैफ़ियत[29] क्या-क्या दिखाती है वह बरसात की,
जोश पर मस्ती को लाती है घटा बरसात की।
है रवाँ बारह महीने मेरे आँखों की झड़ी।
चश्मे-तर[30] से पानी-पानी है घटा बरसात की।

—रतनलाल "राज़"

रङ्ग लाई है चमन में आज क्या फ़स्ले बहार।
गुल खिलाती है नया बादे सबा बरसात की।
आजकल "बेबाक" मौसिम माँगता है और कुछ।
किस तरह बरदाश्त की जाए जफ़ा[31] बरसात की

—"बेबाक" पीलीभीतवी

दौर मस्ती चल रहा है सद्क़े में बरसात के।
क्यों न लें हम भी बलायें साक़िया बरसात की।

—"बहर" मुज़फ़्फ़रनगरी

हाय यह रुत और यह काली घटा बरसात की,
मुझको तड़पाने लगी एक-एक फ़िज़ा बरसात की
दिल पसन्दे ख़ल्क़[32] है एक-एक अदा बरसात की,
हश्र[33] तक यों ही रहे यारब फ़िज़ा बरसात की।
कहती है दुनिया जिसे काली घटा बरसात की,
है हक़ीक़त में वही ज़ुल्फ़े[34] दुता बरसात की।
पीने वाले जाम[35] उड़ाओ ख़ुम[36] सँभालो मैं पियो,
यह समाँ बरसात का, ऐसी फ़िज़ा बरसात की।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

२३—आबाद, २४—काबे से, २५—हँसी, २६—मज़ा, २७—मोती बरसाना, २८—कपड़ा, २९—हालत ३०—आँसू भरी आँख, ३१—ज़ुल्म, ३२—संसार, ३३—प्रलय, ३४—केश, ३५—प्याला, ३६—मटका।

'धर्म और भगवान् मृत्यु-शय्या पर'

[श्री० विश्वम्भरसहाय जी 'विनोद', बी० ए०, एसिस्टैण्ट एडिटर 'टुडे' बनारस]

'भविष्य' में 'धर्म और भगवान् मृत्यु-शय्या पर' शीर्षक कई लेख निकल चुके हैं। कुछ लेखकों ने पानी पी-पीकर ईश्वर को कोसा है और पाठकों को यह बतलाने का प्रयत्न किया है कि शीघ्र ही भारत में भी वह समय आने वाला है जब कि रूस की भाँति हमारे मन्दिरों, मस्जिदों और गिरजों में घण्टा-घड़ियाल, नमाज़ और प्रार्थना के बजाय सिनेमा दिखाए जाया करेंगे। तात्पर्य यह है कि कुछ समयान्तर भारत से ईश्वर को बस्ता-बोरिया बाँध कर कोई और स्थान तलाश करना पड़ेगा। इसके विपरीत दूसरे मित्रों ने, जिनमें श्री० वासुदेव कृष्ण ताटके, एम०ए० का नाम उल्लेखनीय है, दूसरे पत्रों में इस प्रकार के लेख लिखे हैं, जिनमें ईश्वर-विरोधी पक्ष की कड़ी आलोचना की गई है।

उपर्युक्त लेख के समर्थन में 'भविष्य' ३० जुलाई, १९३१ के अङ्क में श्री० कुमार सुरेशसिंह जी, कालाकाँकर ने अपने विचार प्रकट किए हैं। बजाय इसके कि आप विषय पर अपने भाव प्रकट करते, आपने ताटके जी को आड़े हाथों लिया है और जवानी के जोश तथा नई रोशनी के प्रभाव में ख़ूब खरी-खोटी सुनाई हैं। लेख को हमने आदि से अन्त तक पढ़ा, हमें कहीं भी यह पता नहीं चला कि आख़िर वह कौन सी युक्ति है, जो हमें क़ायल करे कि ईश्वर की सत्ता को मानना ढकोसला है। हाँ, यदि लेखक महाशय यही समझते हों कि केवल इतना ही लिख देना पर्याप्त है कि ईश्वर किस चिड़िया का नाम है, हम उसे क्यों मानें और बस संसार उनके मत का हो जाय, तो वह अभी गहरे स्वप्न में हैं! लेख के बीच में यह भी दुहाई दी गई है कि हमारे बहुत से नेता ऐसे हैं, जो नास्तिकता में विश्वास रखते हैं, इत्यादि। इसी प्रकार की और बहुत सी बातें सुयोग्य लेखक महाशय ने इधर-उधर से इकट्ठी कर ली हैं।

इससे पूर्व कि हम कुछ आगे लिखें, यह जान लेना आवश्यक है कि वास्तविक स्थिति क्या है, जिसमें से होकर हम गुज़र रहे हैं। बात यह है कि हमें नक़ल करनी ख़ूब आती है। इस कला में हम सिद्धहस्त हैं। चूँकि रूस यह कहता है कि ईश्वर कोई बला नहीं, हमने भी पूर्ण इरादा कर लिया कि बस ईश्वर को दफ़ना कर ही जल-पान करेंगे। चूँकि इङ्गलैण्ड के कुछ मनुष्य यह कहते हैं कि मूँछें रखना वहशीपन की निशानी है, बस हम तैयार हो गए कि ठीक तो है। चूँकि पैरिस का सभ्य समाज यह दावा करता है कि शराब न पीने वाले तो दहक़ानी होते हैं, इसलिए हमने भी इरादा कर लिया कि संसार में रहेंगे तो सभ्य बन कर ही रहेंगे। हम पेरिस वालों से पीछे क्यों रहें? यही हममें से बहुतों का सिद्धान्त है और यही अन्तिम ध्येय है। इस बात के ऊपर बहुत ज़ोर दिया जाता है कि रूस वाले गिरजों को तोड़-तोड़ कर सिनेमा-हॉल बनाते जा रहे हैं, क्या आख़िर उन्होंने घास खाई है, जो उन्हें यह ख़ब्त सवार हुआ है? तो फिर हम भी वैसा ही क्यों न करें? मैं यहाँ पर एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि माना, इसमें कुछ आपत्ति नहीं कि वह गिरजों को बायस्कोप या अजायबघर क्यों बनाते हैं, परन्तु क्या इसका अर्थ यह है कि ईश्वर गिरजे के अन्दर बन्द है और यदि गिरजे पर क़ब्ज़ा कर लिया गया तो ईश्वर को सदैव के लिए बाहर निकाल दिया?

हमारे मित्रों ने ईश्वर को न जाने क्यों कोई खिलौना या मिट्टी का बुत समझ रक्खा है, जिस पर आक्रमण करके वह उसकी सत्ता का नाश करना चाहते हैं। असल बात तो यह है कि हमारे यह स्वतन्त्र-विचारवादी (Social customs and practices) सामाजिक प्रथाओं को ही ईश्वर का रूप समझ बैठे हैं। धर्म और सामाजिक प्रथाओं में बड़ा अन्तर है। सामाजिक प्रथाएँ देश-काल के अनुसार भिन्न-भिन्न होती हैं, परन्तु धर्म भिन्न-भिन्न नहीं हो सकता। जिसको हमारे मित्र धर्म का रूप समझे बैठे हैं, वह वास्तव में सामाजिक प्रथाएँ हैं। इसको समझने के लिए हमें कुछ उदाहरणों का आश्रय लेना पड़ेगा।

मुसलमानों के सर्व-प्रथम नेता हज़रत मुहम्मद ने अपने अनुयायियों को सङ्गठित करने के लिए उनके लिए एक क़ानून (Code) बनाया कि तुम पाँच समय नमाज़ पढ़ा करो, नमाज़ पढ़ते समय तुम इस प्रकार के आसन किया करो। वास्तव में देखा जाय तो यह केवल एक समुदाय को सङ्गठन में बाँधने के अतिरिक्त और किसी भी विशेष लाभ के पहुँचाने वाली बात नहीं। ईश्वर यदि कुछ वस्तु है और उसकी उपासना करनी उचित है तो चाहे हम मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ें या रेल के प्लेटफ़ार्म पर, एक ही बात होगी। हम पाँच समय पढ़ें या एक समय, या कभी न पढ़ें, तो हमारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ सकती। और भी इस प्रकार के कुछ नियम मुस्लिम समाज में प्रचलित हैं, जो उस समाज को एक सूत्र में बाँधने में सहायक होते हैं। अब यदि भूल व अविद्या के कारण इन सामाजिक नियमों को बिना देश-काल विचारे हुए यह समुदाय पालन करना अपना उद्देश्य बना ले, चाहे उससे लाभ की अपेक्षा हानि ही हो, तो इसमें धर्म और भगवान का क्या दोष?

इसी प्रकार से हम हिन्दू-समाज या आर्य-समाज अथवा किसी दूसरे समाज की सामाजिक प्रथाओं के उदाहरण ले सकते हैं। इन मित्रों ने इस बात पर बहुत ज़ोर दिया है कि धर्म के नाम पर बहुत अत्याचार होते हैं, मन्दिरों में तथा तीर्थ-स्थानों पर, जो धर्म के अड्डे समझे जाते हैं, खुल्लमखुल्ला धर्म के सिद्धान्तों की अवहेलना की जाती है। धर्म के नाम पर संसार में बड़े-बड़े युद्ध हुए हैं तथैव धर्म का नाम लेना ही छोड़ देना उचित है। यह तर्क बड़ा ही निस्सार है। हम पूर्णतया अपने मित्रों से सहमत हैं कि उन स्थानों पर, जो धर्म-स्थान माने जाते हैं, बड़ी-बड़ी कुचेष्टाएँ होती हैं, धर्म का नाम लेकर मनुष्यों ने एक दूसरे का ख़ून किया है, धर्म की दुहाई देकर ही आए-दिन सैकड़ों हिन्दू-मुसलमानों के सिर फूटते हैं; परन्तु क्या इसका अर्थ यह है कि हम असली बीमारी का निदान न सोच कर, ऊपरी बातों को ही बीमारी की जड़ समझ बैठें? हम ऐसा ही कर रहे हैं। हम अपने समाज में अनेक प्रकार की बुराइयाँ पाते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि पूर्ण प्रयत्न से उन बुराइयों का सुधार करें, मन्दिरों का प्रबन्ध करने के लिए कमेटियाँ बनाएँ तथा वहाँ से अवाञ्छनीय व्यक्तियों को अलग करें। जिस कार्य के लिए मन्दिर और मस्जिदें बनाई गई थीं, उस कार्य के लिए ही उनका उपयोग किया जाय। मन्दिरों में स्कूल स्थापित कर सकते हैं, सार्वजनिक मीटिङ्ग के लिए मन्दिर व मस्जिद उपयुक्त स्थान हो सकते हैं। परन्तु नहीं, यदि आपने इसी पर कमर कस रक्खी है कि करना-धरना तो कुछ नहीं, हमें तो संसार के कोष से धर्म और ईश्वर का नाम मिटा देना है तो इसका कोई उपाय नहीं। माना, दो समुदायों में धर्म के नाम पर लड़ाई होती है, यदि धर्म का नाम मिट भी गया तो क्या वे समुदाय पार्टी के नाम पर नहीं लड़ सकते। राजनैतिक दलबन्दियों के कारण क्या कुछ कम युद्ध होते हैं? तो फिर आप यह कहेंगे कि 'पार्टी' शब्द या 'नैतिक विचारों' का ही संसार से ख़ातमा करना चाहिए, क्योंकि न तो भिन्न-भिन्न नैतिक विचार लोगों में रहेंगे, न यह आपस की कलह होगी। यदि यही सिलसिला चलता रहा तो इसका अन्त कहाँ होगा, आप ही सोचें। यह तो ऐसी ही बात हुई कि यदि किसी म्युनिसिपैलिटी में कुप्रबन्ध के कारण सड़कों की हालत ख़राब है, या म्युनिसिपैलिटी क़र्ज़दार होती जा रही है तो हम फ़ैसला दे दें कि म्युनिसिपैलिटी को तोड़ देना ही उचित है, न तो म्युनिसिपैलिटी रहेगी और न सड़कें इस बुरी दशा में होंगी। सड़कों की दशा या म्युनिसिपैलिटी का क़र्ज़ा तभी दुरुस्त हो सकता है, जब कि हम उसके प्रबन्ध को ठीक करें, न कि उस संस्था का अन्त करने से?

प्रश्न यह उठता है कि फिर धर्म क्या है, जिसको सामाजिक प्रथाओं से भिन्न बतलाया गया है। संस्कृत के एक कवि ने धर्म की व्याख्या बड़े सुन्दर ढङ्ग से की है। वह धर्म के लक्षण बतलाते हुए लिखता है:—

धृति क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकंधर्मलक्षणम्॥

धर्म के दश लक्षण बतलाए गए हैं। धैर्य, क्षमा, सहनशीलता, शुद्धताई, सत्य, इन्द्रियों पर क़ाबू, विद्या का ग्रहण, क्रोध का न होना, इत्यादि। इनके यहाँ लिखने का यह तात्पर्य नहीं कि हम इन दश लक्षणों को ही मान कर बैठ जाते हैं, केवल लिखने का आशय यह है कि जिसे धर्म कहा जाता है वह कोई ऐसी वस्तु नहीं, जिसे एक व्यक्ति कुछ माने दूसरा कुछ। मैं अपने उन भाइयों से पूछता हूँ जो अपने को नास्तिक कहने में गौरव समझते हैं कि उन्होंने धर्म को क्या समझ लिया है, जिसे वे मृत्यु-शय्या पर लिटाना चाहते हैं। क्या संसार से सत्य, मान-मर्यादा की सत्ता को मिटा कर वह धर्म का नाश कर देंगे? कर भी दिया तो क्या फल होगा?

दूसरा काँटा जो हमारे इन भाइयों की आँखों में खटकता है, वह ईश्वर का होना या न होना है। ठीक है, ईश्वर को किसी ने नहीं देखा। देखें तो तब, जब कि उसका कोई निश्चित रूप हो। इस पर भिन्न-भिन्न दलों में बड़े-बड़े वाद-विवाद हो चुके हैं कि ईश्वर कोई वस्तु है या नहीं। यदि है तो शरीरधारी या काया-रहित, सर्वव्यापक है या एकान्तर्यामी, इत्यादि। हम इन सब वाद-विवादों में पड़ना नहीं चाहते। हम तो केवल इतना ही लिख कर समाप्त कर देना चाहते हैं कि ईश्वर किसी विशेष पदार्थ को हम नहीं मानते हैं। वह एक शक्ति है, जिसकी सत्ता का ज्ञान हमें पग-पग पर होता है। जब मनुष्य कोई अनुचित कार्य करना चाहता है, तो उसके हृदय में एक भय उत्पन्न होता है, एक अज्ञात शक्ति उसको प्रेरणा करती है कि वह इस कार्य को न करे। इसी प्रकार मनुष्य को अपने नित्य के जीवन में इस अज्ञात शक्ति का परिचय पग-पग पर होता है, हम इसे ही ईश्वर की शक्ति मानते हैं।

अन्त में हम अपने नवयुवक समाज से अनुरोध करते हैं कि स्वतन्त्रता को स्वच्छन्दता का रूप न दें। स्वतन्त्रता के आवेग में हमारे नवयुवक-समाज ने यह समझ लिया है कि वह सब बातें, जो मनुष्य को नियम में बाँधती हैं, पाखण्ड हैं। यही रफ़्तार रही तो कुछ

(शेष मैटर २८ वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

श्री० मानवेन्द्रनाथ रॉय का बयान

पहली सितम्बर को श्री० मानवेन्द्रनाथ रॉय ने अपनी मुचलके की दरख़्वास्त पेश करते हुए नीचे लिखी बहस की :—

"मैं अदालत को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे स्वयम् अपनी प्रार्थना को उपस्थित करने और बोलने की अनुमति प्रदान की। यह अनुमति मैंने इसलिए माँगी थी कि मेरे वकील अदालत के कार्यकर्ता होने के कारण कहीं उन तर्कों और युक्तियों को अदालत के सामने रखने में असुविधा न मालूम करें, जिन्हें मैं उपस्थित करना चाहता हूँ। वे लोग ऐसे विधानों और शैष्टाचारिक नियमों से बँधे होते हैं जो ऐसे विशुद्ध राजनैतिक मामलों में, जैसा कि यह है, कड़ाई के साथ नहीं पालन किए जा सकते। फिर ऐसे मामले में कि एक साधारण चिट्ठी के अन्दर किसी ने अपने राजनैतिक विचार प्रकट किए हों और कहा यह जाय कि इस निर्दोष काग़ज़ की पीठ पर, जिस पर पत्र लिखा गया है, भारी तोपख़ाना राजसिंहासन की शत्रुता के लिए छिपा खड़ा है। ऐसे क़ानून का औचित्य और उसकी नियमतन्त्रता, जिसके आधार पर मेरा विचार हो रहा है, इस क़िस्म के मुक़दमों में अवश्य ही जाँचनी-पड़तालनी पड़ेगी। मेरे अपनी अवस्थिति, अपने विचार और अपने कामों को न्याय-सङ्गत प्रमाणित करने का अर्थ होगा भारतस्थ अङ्गरेज़ी राज्य को ललकारना। देखता हूँ, कि अदालत मेरे इस बयान को अपराध की स्वीकृति समझ कर लिख रही है और वादी-पक्ष मारे ख़ुशी के उछलता होगा। मैं वादी-पक्ष को बधाई देता हूँ और इस प्रकार के असीम आनन्द का वादा करता हूँ कि उन्हें मुझसे इस तरह की इतनी स्वीकृतियाँ मिलेंगी कि वह घबरा जाएँगे। यह अपराध की स्वीकृतियाँ बिना ज़ोर-ज़ुल्म के स्वेच्छा से होंगी।

लिखित प्रार्थना-पत्र के अतिरिक्त मुझे केवल एक-दो बातें कहनी हैं। क़ानून की जिस पद्धति के अनुसार मेरा विचार हो रहा है और जिसके अधीन यह अदालत है उसीका मन्तव्य है कि जब तक मुलज़िम का अपराध करना उचित प्रमाणों से सिद्ध न हो जाय तब तक उसे निर्दोष समझना चाहिए। इस अदालत की सीमा में पाँच सप्ताह से अधिक होते हैं कि मैं बन्धन में हूँ, यद्यपि मेरे अपराधी होने का कोई प्रमाण अभी तक उसके सामने नहीं रक्खा गया। कम से कम प्रकट रूप से या मेरी जानकारी में तो कोई प्रमाण नहीं दिया गया। इसलिए क़ानून के शब्दों और भावों के अनुसार अब तक अदालत मुझे अवश्य ही निर्दोष समझे। आपने एक निरपराध को पाँच सप्ताह से अधिक बन्धन में रख छोड़ा है। अब और भी इस तरह अन्धन-बन्धन में रखना क्या न्यायानुमोदित है?

मैं जानता हूँ कि इस प्रश्न का क्या उत्तर मिलेगा। आप क़ानून के शब्दों में शरण लेंगे और कहेंगे कि भारत-दण्ड-संग्रह की जिस धारा के अनुसार मुझे पकड़ा गया है, उसमें राज़ीनामा और ज़मानत-मुचलके का विधान नहीं है। सुतराम् यदि यह मुक़दमा ५० वर्ष तक चले या वादी को इस बात के निश्चय करने में कि मेरे मामले में कैसे क्या किया जाय, कई वर्ष लग जायँ, तो इस बीच में मैं जेल में ही पड़ा सड़ा करूँ। जिसका यह अर्थ है कि मैं अवश्य दण्ड भोगूँ; यद्यपि क़ानून मुझे निर्दोष बतलाता है।

निस्सन्देह मैं सरकार के साथ सुलह करने की इच्छा नहीं रखता। क्योंकि यह झगड़ा मेरा वैयक्तिक झगड़ा नहीं है, यह तो ऐतिहासिक झगड़ा है जो मार के पीड़ित और लुटी जनता और उस विदेशी एजेन्सी के साथ हैं जिसने इस देश की हुकूमत को आत्मसात् कर लिया है।

मुचलके की बाबत तो मामला दूसरा ही है। दफ़ा १२१ (अ) भारत-दण्ड-संग्रह में मुचलका नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमानात्मक रूप से इसमें गम्भीर विषय का सम्बन्ध है, इसमें प्रतिष्ठित शासन सत्ता के नष्ट हो जाने का भय है। व्यवहार में तो यही बात है कि किसी को भी इस दफ़ा में पकड़ सकते हैं। अन्य फ़ौजदारी क़ानूनों की तरह यह क़ानून भी मिलते-जुलते अङ्गरेज़ी क़ानून के नमूने पर बना है। जिसका 'टेजन फैलनी' क़ानून नाम धरा गया है। लेकिन सर जेम्स स्टिफ़ेनर, जिनकी बदौलत यह विधान की पुस्तक में रक्खा गया, बड़े भारी चित्रकला-विधान शिल्पी की आत्मा रखते होंगे, कारण कि वस्तु नमूने से बिल्कुल नहीं मिलती। क़ानून में बदले की प्यासी उस साम्राज्यवादी आत्मा की छाप झलकती है जो ग़दर की स्मृति-छाया से काँप रही हो।

मूल अङ्गरेज़ी क़ानून में तो जब तक किसी प्रकट अभिसन्धि का काम प्रमाणित न हो, षड्यन्त्र सिद्ध नहीं होता। जब किसी प्रकट अभिसन्धि से किए हुए काम के लिए पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध अभियोग का सकारण अनुमान सरलता से किया जाता है कि राजा के विरुद्ध लड़ाई करने का षड्यन्त्र हुआ। लेकिन हिन्दुस्तान के क़ानून में 'किसी अभिसन्धि साधन के लिए प्रकाश्य काम' को छोड़ दिया गया है और ऐसे सन्दिग्धार्थ शब्दों में और इतने लचीले ढङ्ग से लिखा गया है कि कोई भी आदमी, जो वर्तमान शासन-पद्धति को बदलने की राय प्रकट करे, वही पकड़ा जा सकता है। इस पर भी इस दफ़ा में मुचलका नहीं हो सकता, केवल इसलिए कि यह दफ़ा अनिष्ट करने वाली और किसी प्रवृत्ति को लिए हुए अङ्गरेज़ी क़ानून का जो शासन-सत्ता के विरुद्ध वास्तविक अपराध के साथ बर्ताव करने को बना है, हास्यजनक विकृत चित्र है। यह हानिकर और एक पक्ष की ओर झुकने वाला क़ानून खेल-तमाशे की तरह हलके मन से काम में लाया जाता है। प्रायः लोगों को इसी दफ़ा में पकड़ लिया जाता है, लेकिन उनका कोई अपराध नहीं होता, सिवा इसके कि उनका राजनैतिक मत अधिकारियों के मनोभावों के अनुकूल नहीं होता।

इसलिए इस बात का मानना हास्यजनक है कि जो आदमी इस दफ़ा के अनुसार पकड़ा जाय, उसकी ज़मानत-मुचलका न हो। जुदा-जुदा मामलों को उनकी पात्रता के अनुसार निर्णय करना चाहिए और मुचलका मञ्ज़ूर करना चाहिए, जब कि क़ानून का मन्तव्य और मूल सिद्धान्त बाधक न होता हो। मेरे मामले में मैं प्रतिपादन करता हूँ कि बिना फ़ौजदारी क़ानून के साधारण मौलिक सिद्धान्त और प्रचलित प्रथा को बिना तोड़े मेरी मुचलके की प्रार्थना अस्वीकृत नहीं हो सकती।

अतः, पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की नज़ीर है कि जो लोग दफ़ा १२१ (अ) भारत-दण्ड-संग्रह के अनुसार पकड़े जाएँ उनको मुचलके पर छोड़ने से सदा इन्कार कर देना ज़रूरी नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज्ञा दी थी कि मेरठ षड्यन्त्र के मुक़दमे के अभियुक्तों को मुचलके पर छोड़ देना चाहिए। यह आज्ञा ठीक इसी आधार पर हुई थी कि उनके विरुद्ध किसी प्रकट अभिसन्धि का प्रमाण नहीं था, जो प्रमाण थे उनसे उन्हें पूरी क़ानूनी सज़ा नहीं हो सकती थी। जस्टिस मुकर्जी की आज्ञा से फ़ुलबेञ्च में जजों ने एक अंश में मतभेद किया और निश्चित मत दिया कि जिन अपराधों में मौत या आजीवन कारावास का दण्ड होता है उनमें मुचलका नहीं लिया जा सकता।

यहाँ यह तर्क हो सकता है कि यह अदालत, वह दर्जा नहीं रखती जो मेरठ के षड्यन्त्र के मामले के सम्बन्ध में इलाहाबाद हाईकोर्ट का है। इस अदालत को यह नहीं मालूम कि वादी की ओर से किस तरह का प्रमाण पेश किया जायगा।

भगवन् मेरा ठीक यह विवाद है। अभी तक अदालत के सामने मेरे विरुद्ध बिल्कुल कोई सबूत नहीं पेश किया गया। आप पूर्व ज्ञान के आधार पर कोई मत नहीं स्थिर कर सकते। अभी तक आपको मालूम नहीं है कि जो प्रमाण मेरे विरुद्ध दिया जायगा उससे मैं क़ानून के पूरे दण्ड का भागी होऊँगा इसलिए मेरा मुचलके पर छूटने के अधिकार न मिले। इसलिए आप मुझे अब अधिक काल तक बन्धन में कैसे रख सकते हैं?

मैं क़ानून के आधार पर इस बात की पुष्टि करता हूँ कि वादी के पास मेरे विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है इसीलिए उसकी ओर से सुस्ती हो रही है। सात वर्ष पहले के निकले वारण्ट के अनुसार मुझे पकड़ा गया है, जो उस मुक़दमे के सम्बन्ध में है, जिसमें अदालत में उपस्थित मुल्ज़िमों को सज़ा दी गई थी। मुझे पकड़ते ही तुरन्त मेरे मामले की जाँच क्यों नहीं हुई? वादी के पास मामला तैयार था लेकिन १९२४ के कानपूर षड्यन्त्र के मामले में प्रमाण बहुत कमज़ोर था। ऐसे हास्यास्पद सबूत पर राजनैतिक मामलों में मुल्ज़िमों को सज़ा देना केवल ऐसे देश में हो सकता है जो विदेशी शासन के आधीन हो, जहाँ न्याय एक तमाशा बना हो। सात वर्ष बाद वादी फिर उसी प्रहसन का अभिनय करना नहीं चाहते। मैं उनके इस भाव की प्रशंसा करता हूँ। इस बार वह अधिक प्रशस्त तमाशा दिखलाना चाहते हैं। लेकिन जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कुछ पैदा कर देना कठिन है। साथ ही वादी-पक्ष बड़ा चतुर है वह उसी कहावत को चरितार्थ करना चाहता है कि कुत्ते के मारने के लिए कोई भी लकड़ी क्यों न हो, ठीक है। इसलिए पुराना कीड़ों का खाया हुआ वारण्ट काम में लाया गया, उसी के आधार पर मुझे पकड़ कर हवालात में रक्खा गया और अब नया नाटक रचा जा रहा है। मेरे पकड़े जाने के बाद तुरन्त ही वादी का प्रमाण पेश न करना सिद्ध करता है कि मेरे विरुद्ध नितान्त अपर्याप्त प्रमाण उसके पास है। इसलिए इस दशा में मैं अधिक दिन तक अब हवालात में नहीं रक्खा जा सकता।

क़ानून और नियम के निवासीगण सात वर्ष तक मेरी चाह में रहे। भूखे मरते भारतवासियों से निचोड़ा हुआ बहुत सा धन ख़र्च किया गया और सारे संसार

'धर्म और भगवान मृत्यु-शय्या पर'

(२७ वें पृष्ठ का शेषांश)

समयोपरान्त हमारे किसी भी जीवन में नियन्त्रण न रहेगा। हमारा नवयुवक-समाज इस प्रश्न पर ध्यान देगा कि हमारा वास्तविक धर्म वही है, जिसे ग्रहण कर हम अपने देश को स्वतन्त्र कर सकें तथा अपनी सभ्यता की रक्षा कर सकें।

❀ ❀ ❀

में मेरी खोज के लिए पुलीस के एजेण्ट और ख़ुफ़िया वाले भेजे गए। दूसरे पूँजीवादी देशों के पुलीस का सहयोग लिया गया, जान पड़ता है बहुत बड़े ख़र्च से यह सहयोग मिला होगा और वह ख़र्च भारत के श्रमिकों को ही देना पड़ा है, जिससे मुझे एक देश से दूसरे देश में निकाला गया और इस काम के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को भङ्ग किया गया। हिन्दुस्तान के मैजिस्ट्रेट के निकाले हुए वारण्ट की तामील के अभिप्राय से १९२४ की पहली अङ्गरेज़ी मज़दूर सरकार फ़्रान्स की पुलीस तक को तरग़ीब दी कि वह मुझे स्कॉटलैण्ड यार्ड की पुलिस के हवाले कर दे, लेकिन यह तदबीर विफल हुई।

अन्त में हिन्दुस्तान की पुलीस को वह आदमी मिल गया, जिसे वह चाहते थे, परन्तु उनके पास ऐसा सबूत नहीं है जिससे वह उनकी इच्छानुसार भारी सज़ा पा जाय। मुझे दुख है कि मैं इस काम में पुलीस की सहायता नहीं कर सकता। हम कम्यूनिस्ट उतनी मूर्खता से काम नहीं करते, जितनी मूर्खता से पुलीस चाहती है कि हम करें। यद्यपि बोलशेविक हैं, हम पुराने धनपात्रों की नीति का अनुकरण नहीं करते। हम ख़ून से भरी छुरी मुँह में दाब कर अन्धकार में नहीं घुसते। कोई मारात्मक हथियार नहीं है न बोलशेविकों को धन मिलता जैसा कि क़िस्सा गढ़ा गया है, न इस बेहूदा सिद्धान्त का कोई सुबूत है क मैं किसी दूसरे देश का एजेण्ट हूँ जैसा कि बम्बई की पुलीस ने अपनी दुमधारी बुद्धिमत्ता से संसार में प्रसिद्ध कर रक्खा है। न इसी बात का प्रमाण है कि कहीं कोई दूषित षड्यन्त्र है। जो काग़ज़ात मेरे शरीर की तलाशी में पकड़ने के समय मिले हैं, उनसे अगर उनको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो तो कुछ राजनैतिक शिक्षा उन्हें मिल सकती है। लेकिन वह षड्यन्त्र नहीं सिद्ध कर सकते। वह सिवा उसके जो संसार जानता है और जिससे मुझे इन्कार नहीं है और कुछ साबित नहीं कर सकते। वह यह साबित करते हैं कि मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि कोई विदेशी शक्ति भारतवासियों के भाग्य का निर्णय करे और यह कि मैं भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता का पक्षपाती हूँ, और यह फ़ाल (Goal) प्रत्येक प्राप्य उपायों से प्राप्त करना होगा। इस अभीष्ट-सिद्धि के लिए मैंने वश पड़ते सब कुछ किया है और अगर अवसर मिला तो फिर अपने वश भर कोशिश करूँगा कि हिन्दुस्तान की सताई हुई, लुटी खुँसी जनता ग़रीबों की ही क्रान्तिकारी दल के नेतृत्व में सङ्गठित हो जाय; क्योंकि भारत को औपनिवेशिक ग़ुलामी से छुड़ाने का और कोई उपाय नहीं है।

सरकार के लिए मेरे मत को नापसन्द करना स्वाभाविक है, किन्तु अनिश्चित काल तक मैं हवालात में नहीं रक्खा जा सकता। यह तो क़ैद है, जो मेरे अपराधी सिद्ध होने के पहले ही मुझे भोगाई जा रही है, केवल इसलिए कि मेरे विचारों को सरकार पसन्द नहीं करती और मुझे भयानक जन्तु समझती है। जिस क़ानून को सरकार ने बलात् भारतवासियों के गले बाँधा है उसको स्वयम् पालन करे। उसीके क़ानून के अनुसार पसन्द और नापसन्द कोई प्रमाण नहीं है। अदालत वादी के मत की कल्पना के पीछे नहीं चल सकती। उसे मामले के तत्व के अनुसार काम करना होगा। इस दशा में बिना क़ानून की उस पद्धति को बिल्कुल तोड़े; जिसके आधार पर अङ्गरेज़ी राज भारतवासियों के सर पर मढ़ा गया है, मुझे अधिक दिन तक हवालात में नहीं रक्खा जा सकता। मेरे मुचलके की दरख़्वास्त को नामञ्ज़ूर करना न्याय का चञ्चलता के साथ गला घोंटना होगा। अगर मेरी मुचलके की दरख़्वास्त नामञ्ज़ूर हुई, तो एक बार फिर भारत की ब्रिटिश सरकार चाहे करोड़ द्वीप रही हो, अपनी-अपनी सूरत में संसार के सामने आवेगी, आपापन्थी नौकरशाही कोई क़ानून नहीं समझती, सिवा लुटेरी साम्राज्यवादिता के। इसलिए भारतवासियों का अधिकार एक बार दृढ़ हो जायगा कि वह ऐसी सरकार के विरोध में खड़े हो जायँ और उसे उखाड़ फेंके।

इस मुक़द्मे में एक पक्ष मेरा होने के नाते मुझे हवालात में रखने का अर्थ होगा, अपने मुक़द्मे की पैरवी से वञ्चित रखना। पहले तो मैं अपने शत्रु के बन्धन में हूँ। ऐसी दशा में कोई आदमी अपनी पैरवी की सुविधा बहुत मुश्किल से पा सकता है। दूसरे अदालत और वादी दोनों को अधिकार उसी शत्रु से मिलते हैं। जो अधिकारी मेरे विरुद्ध मुक़द्मा चलाता है, मुझे हवालात में डाल रखता है, वही मेरा न्याय करने बैठता है। सरकारी नौकर कैसे निष्पक्ष हो सकता है, ख़ासकर ऐसे मामले में, जिसमें ख़ुद सरकार एक पक्ष में हो? इससे मेरा मतलब मैजिस्ट्रेट की वैयक्तिक ईमानदारी पर हमला करने से नहीं है। लेकिन उसकी परिस्थिति बड़ी गड़बड़ है। उदाहरण के लिए अब तक मुक़द्मा अदालत और वादी की सम्मति से ही स्थगित होते रहे। इसलिए मैं देखता हूँ कि मैं एक अपवित्र मित्रता में बँधे विरोधियों के समक्ष हूँ। इस तरह वादी के हाथ में विवश शिकार की भाँति हूँ, अगर मैं इस हवालात में ही पड़ा रक्खा जाऊँ। वादी मुझे अपने वश में रखना चाहता है। इसलिए मैं न्यायालय से प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे मुचलके पर छोड़ कर अपनी पक्षपातहीनता प्रदर्शित करे।

कुछ कठिनाइयाँ, जो मुझे झेलनी पड़ी हैं, उनको सूक्ष्म रूप से मैं कहे देता हूँ। मैं अपनी इच्छा के अनुसार या उनकी सुविधा के अनुसार अपने वकीलों से भी नहीं मिलने पाता। दूसरे मिलने वालों के सम्बन्ध में मुझे साधारण हवालातियों से अधिक कोई भी स्वतन्त्रता नहीं है। मिलने वाले मुझसे रविवार को ही मिल सकते हैं। डिफ़ेन्स कमिटी के सदस्यों के साथ मिलने में भी कोई अतिरेचन नहीं किया जाता। अब तक डिफ़ेन्स कमिटी के मन्त्री भी मुझसे नहीं मिल सके। निस्सन्देह मेरे पत्र-व्यवहार भी गुप्त नहीं रक्खे जाते। जो कुछ मैं लिखता हूँ, वह सब सरकारी अफ़सरों को ठिकाने पर पहुँचने के पहले ही मालूम हो जाता है। अक्सर जो मैं लिखता हूँ, ठीक ठिकाने पर पहुँचते ही नहीं। अदालत समय की उदारता नहीं दिखला रही है, इसलिए मैं अपनी कठिनाइयों की सूची को, जो बहुत लम्बी है, कम किए देता हूँ।

मैं अपना वक्तव्य समाप्त करने के पूर्व एक बार फिर कह देना चाहता हूँ कि मैं जान-बूझ कर अपने मुक़द्मे की पैरवी से वञ्चित किया जा रहा हूँ। या तो मुझे ऐसी सुविधाएँ मिलें कि मैं बड़े-बड़े राजनैतिक और शासन सङ्गठन सम्बन्धी प्रश्नों को, जो इस मुक़द्मे में हैं, लड़ूँ, अपनी परिस्थिति को साफ़-साफ़ पूरी तरह से निर्भ्रान्त रूप से प्रकट कर दूँ अथवा क़ानून का ढकोसला उठा दीजिए, न्याय के निष्पक्ष बर्तने का बहाना दूर कीजिए और मुझे एकदम सज़ा दे दीजिए; क्योंकि मेरा मत भारत के विदेशी शासकों को बुरा लगता है।

❀ ❀ ❀

अंगरेज़ों की जान ख़तरे में !

गत तीन वर्षों में मारे गए और घायल हुए गोरे अफ़सरों की सूची

इङ्गलैण्ड की पार्लामेण्ट के एक सदस्य के प्रश्न के उत्तर में भारत-सचिव मि० वेजउड बेन ने उन सिविल और मिलेटरी अङ्गरेज़ अफ़सरों की एक सूची पेश की है, जो भारतीय क्रान्तिकारियों द्वारा, गत ता० १७ दिसम्बर सन् १९२८ से लेकर अब तक मारे गए हैं या जिन्हें मार डालने की चेष्टा की गई है ; तारीख़वार सूची इस प्रकार है :—

सन् १९२८

दिसम्बर १७—लाहौर में पुलिस अफ़सर जे० पी० सॉण्डर्स की हत्या की गई।

सन् १९२९

एप्रिल ८—दिल्ली—व्यवस्थापिका सभा में बम फेंका गया।

एप्रिल २२—सीमा-प्रान्त—एक सिपाही ने कप्तान डबल्यू० सी० एस० हेक्राफ़्ट को गोली मार कर ठण्डा कर दिया।

जून १४—वज़ीरिस्तान—रजमाक जाते हुए रास्ते में कप्तान एम० स्टीफ़ेन को गोली से मारा गया।

दिसम्बर २३—दिल्ली—वायसरॉय की ट्रेन को सुरङ्ग से उड़ा देने की चेष्टा की गई।

सन् १९३०

फ़रवरी १—लाहौर—अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट मिस्टर लेविस को मारने की चेष्टा की गई। मिस्टर लेविस के एक दोस्त के ऊपर भी गोली का वार हुआ, जिसे मि० लेविस ने अपनी मोटर मँगनी दी थी।

फ़रवरी २—लोटा लाई—गोली चलाते हुए सारजेण्ट आइव्ज़ को जान से मारा गया।

फ़रवरी २४-२५—लण्डी कोटल—ख़ैबर के एसिस्टेण्ट गेरीजन एञ्जिनियर लेफ़्टीनेण्ट जी० ई० एच० हॉकोज़ को बदमाशों ने मार डाला।

एप्रिल १८-१९—चटगाँव—बङ्गाल के आतङ्क उत्पन्नकारी दल ने रेलवे और पुलिस के अस्त्रागार पर धावा किया, इसमें दो यूरोपियन जान से मारे गए।

मई २०—मुलतान—पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट को बम से हलकी सी चोट आई।

जून ६—लायलपुर—चिनाब क्लब के अहाते में बम फेंका गया।

अगस्त—झाँसी कमिश्नर पर आक्रमण की चेष्टा हुई। कमिश्नर के बँगले में एक आदमी बम और पिस्तौल लिए पकड़ा गया।

अगस्त २५—कलकत्ता—सर सी० टेगार्ट पुलिस कमिश्नर पर बम फेंके गए।

अगस्त २८—ढाका—बङ्गाल पुलिस इन्स्पेक्टर-जनरल मिस्टर ई० आई० लोमैन मारे गए और मिस्टर ई० हाडसन सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस को गहरी चोट आई।

अक्टूबर १९—लाहौर—पुलिस इन्स्पेक्टर मिस्टर स्मिथ को बध करने की चेष्टा की गई।

अक्टूबर १८—बम्बई—आधी रात के समय लेमिङ्गटन रोड पुलिस स्टेशन में घुसने के समय मिस्टर टेलर और उनकी पत्नी पर गोली चलाई गई। दोनों को हलकी चोटें आईं।

अक्टूबर २८—बर्मा—जिस मेल ट्रेन में बर्मा सरकार के ख़ास-ख़ास सदस्य बैठे थे उसको ध्वंस करने की चेष्टा की गई।

अक्टूबर २९—कलकत्ता—दक्खिन कलकत्ता के यूरोपियन एसिस्टेण्ट पुलिस कमिश्नर के मकान में बम फूटा।

दिसम्बर ४—हैदराबाद—पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट के मकान के अहाते में बम फेंका गया।

दिसम्बर ८—कलकत्ता—राइटर बिल्डिङ्ग्स में लेफ़्टीनेण्ट करनल एन० एस० सिम्पसन, आई० एम० एस० मारे गए और मिस्टर जे० डबल्यू० नेलसन आई० सी० एस० ज़ख़्मी हुए।

दिसम्बर ९—लाहौर—परेड पर कप्तान पी०डबल्यू० जे० मैक्लीनेगहेन गोली से मारे गए।

दिसम्बर २३—लाहौर—विश्वविद्यालय से लौटते हुए पञ्जाब के गवर्नर सर जी० डी० मोन्टमोरेन्सी पर गोली चलाई गई और वे घायल हुए।

दिसम्बर २४—बेवा (बर्मा)—मिस्टर एच० बी० डबल्यू० फ़ील्ड क्लार्क फ़ारेस्ट एञ्जीनियर मारे गए।

सन् १९३१

१८ फ़रवरी—चारसद्दा—एसिस्टेन्ट कमिश्नर कप्तान एच० ए० बार्निस को मार डालने की चेष्टा की गई।

मार्च १७—कृष्णनगर—सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस के मकान पर बम फेंका गया।

एप्रिल ५-६—चारसद्दा—कप्तान एच० ए० बार्निस की जान पर पुनः आक्रमण।

एप्रिल ८—मिदनापुर—डि० मैजिस्ट्रेट मिस्टर जे० पेड्डी को गोली मारी गई, दूसरे दिन वह मर गए।

मई २२—कानपुर—एक मामूली चिट्ठी का बम, जो जल उठने वाले चूर्ण और काँच के टुकड़ों का बना था, सु० पु० के पास भेजा गया।

जुलाई २२—पूना—फ़र्ग्युसन कॉलेज के निरीक्षण के समय बम्बई के स्थानापन्न गवर्नर सर ई० हॉटसन को गोली से मारने की चेष्टा की गई।

जुलाई २३—मध्य-प्रदेश—पञ्जाब को जाती हुई डाक गाड़ी में लेफ़० हेक्स्ट और लेफ़० शीहेन को घायल किया गया। बाद में हेक्स्ट मर गया।

जुलाई २७—अलीपुर—डि० और सेशन जज मिस्टर आर० आर० गार्लिक, आई० सी० एस० को मार दिया गया।

अगस्त २१—टेंगाइल (बङ्गाल)—ढाका के कमिश्नर मिस्टर अलेक्ज़ेण्डर केसिल्स घायल किए गए।

"अत्याचारी का उपयुक्त दण्ड गोली से मार देना है।"

दिल्ली षड्यन्त्र केस में मुख़बिर का सनसनीपूर्ण बयान

ता ४ सितम्बर को दिल्ली षड्यन्त्र केस की कार्रवाई स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने फिर पेश हुई।

अभियुक्त-पक्ष के सीनियर वकील डॉ० किचलू की जिरह के उत्तर में मुख़बिर कैलाशपति ने कहा कि मैं हिन्दू हूँ और मेरा विश्वास हिन्दू-धर्म में उस समय भी था जब मैं दल में था। परन्तु मैं यह नहीं जानता कि हिन्दू-धर्म या हिन्दू-शास्त्र के अनुसार एक विवाहित स्त्री का एक अपरिचित अविवाहित पुरुष के साथ एक ही कमरे में रात-दिन रहना उचित है या नहीं, क्योंकि मैंने इस विषय का कोई विशेष अध्ययन नहीं किया। मैं चन्द्रावती को प्यार करता हूँ, यही कारण है कि वह मेरे साथ रहती थी। मैंने कभी किसी स्त्री से विवाह करने की दृष्टि से प्रेम नहीं किया। मैंने केवल प्रेम के लिए प्रेम किया। मैं जानता था कि चन्द्रावती दल की सदस्य नहीं है। मुझे यह नहीं मालूम कि चन्द्रावती को यह मालूम था कि नहीं कि मैं दल का सदस्य था। दल को भी यह नहीं मालूम था कि वह मुझसे प्रेम करती है। मैंने उससे दल के विषय में कभी कोई बातचीत नहीं की। हम लोग अपनी व्यक्तिगत बातें और भारतीय राजनीति की बातें किया करते थे, परन्तु मुझे बातचीत का कोई विशेष विषय याद नहीं है। दल के कार्य से बाहर जाने पर मैंने चन्द्रावती को कभी प्रेम-पत्र नहीं लिखा।

मैं उसको भेंट करने के लिए कभी कोई चीज़ बाहर से नहीं लाया था। मैं अजमेर से सिल्क की साड़ी नहीं लाया था। मैं उसे जीजी कहा करता था। जीजी का अर्थ बहिन है। वह मुझे बाबू कहा करती थी। मुझे याद नहीं है कि मैंने उसे कभी "मानिक" कहा था। मैंने उसे कभी कमला नहीं कहा था। मैंने उसे कभी चन्द्रावती रानी या कमलारानी नहीं कहा। मैं सुशीला नाम की किसी स्त्री को नहीं जानता। चन्द्रावती मेरे, सुशीला नाम की किसी स्त्री के साथ सम्बन्ध होने के कारण कभी ईर्षा नहीं करती थी। मैंने चन्द्रावती को छोड़ कर और कभी किसी से प्रेम नहीं किया।

इसके बाद मुख़बिर कैलाशपति के बयान से कुछ अंश पढ़ कर सुनाए गए, जिसमें उसने व्यक्तिगत आतङ्क के कार्यों का विरोध किया था। मुख़बिर से कुछ शब्दों और वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए कहा गया। मुख़बिर ने कहा कि "अत्याचारियों" से मेरा तात्पर्य उन लोगों से है जो जनता पर अत्याचार करते हैं, ऐसे अत्याचार करने वालों में सरकारी अफ़सर भी हो सकते हैं। उनके लिए उपयुक्त दण्ड गोली से मार देना है। मुख़बिर ने कहा कि मैं अत्यन्त घृणित अत्याचारियों को दण्ड देकर और बिल्कुल उचित और सच्चा आतङ्क उत्पन्न करके जनता में जागृति और क्रान्तकारी भाव फैलाने में अब भी विश्वास रखता हूँ।

अदालत में प्रेम-पत्र

जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर अभियुक्त-पक्ष के वकील ने मुख़बिर कैलाशपति को उसी के लिखे प्रेम-पत्र को पढ़ने के लिए दिया। मुख़बिर ने कहा कि यह पत्र मेरा नहीं है।

मालिक बनाम "कीपर" का मामला

निकट-सम्बन्धी की मृत्यु होने पर भी पेशी नहीं रुक सकती !!

क्या प्रान्तीय सरकार के पास इस नृशंसता का कोई उत्तर है ??

गत शनिवार ५ सितम्बर को प्रातःकाल दो बजे 'चाँद' तथा 'भविष्य' के अध्यक्ष श्री० सहगल जी की भावज ('चाँद' तथा 'भविष्य' के प्रधान व्यवस्थापक और श्री० सहगल जी के छोटे भाई श्री० नन्दगोपालसिंह सहगल की धर्मपत्नी) का स्वर्गवास हो गया। सहगल जी के भाई धर्मपत्नी के इस आकस्मिक वियोग को सहन नहीं कर सके और उन्हें बेहोशी का दौरा होने लगा। जब कि लाश अस्पताल से संस्था में लाई गई, उस समय उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि वे अन्तिम बार धर्मपत्नी के शव तक के दर्शन नहीं कर सके। ऐसी हालत में अपनी धर्मपत्नी का अन्तिम संस्कार करना उनके लिए एक बार ही असम्भव था। डॉक्टरों की राय से श्री० सहगल जी को ही अन्तिम संस्कार करना पड़ा। अस्तु।

पाठकों को विदित है कि कम से कम १३ दिन तक 'कर्ता' घर से बाहर नहीं निकलता और उसे बहुत सी धार्मिक रस्मों एवं कार्यों का सम्पादन करना पड़ता है। शोक एवं उद्विग्नता आदि पीड़ाएँ कल्पना की विषय हैं और पाठक सहज ही इसका अनुमान लगा सकते हैं। चूँकि 'प्रेस-एक्ट' वाले मामले की पेशी ७वीं सितम्बर को होने वाली थी और चूँकि सहगल जी दाह-कर्म करने के कारण तथा स्वाभाविक क्लेश होने के कारण अदालत में नहीं जा सकते थे इसलिए उन्होंने ख़ाँ साहब रहमान बख़्श क़ादरी के पास इस आशय का एक पत्र लिखा कि "चूँकि मैंने दाह-कर्म किया है, इसलिए क्रिया तक (अर्थात् दो सप्ताह तक) मैं मामले में भाग नहीं ले सकता। आपकी वास्तव में बड़ी दया होगी, यदि दो सप्ताह तक आप मामले की पेशी स्थगित कर दें।" पत्र की नक़ल इस प्रकार है :—

Chand Office, Allahabad
7th September, 1931

Sir,

I am very sorry to inform you that my brother's wife, who has been ailing in the Dufferin Hospital of long, expired at 2 A. M. on Saturday and due to the serious illness of my brother I had to perform the last rites and as such I cannot take part in anything for 13 days to come. Mr. Mukerjee has also gone to his home with your permission and even if he was here, I was not in a fit state of mind to instruct him or personally take part in the proceedings.

It will therefore be extremely good of you to postpone further hearings of the case for at least 2 weeks and kindly inform me of the next date at your convenience.

Very truly your's,
Sd. R. Saigal.
7-9-31.

Khan Sahib,
Maulvi Rahman Bux Qadri,
Magistrate 1st Class,
Allahabad.

संस्था से ठीक १० बजे चपरासी यह पत्र लेकर भेजा गया था, जो उत्तर लेकर वापस आया। देरी का कारण पूछने पर उसने बतलाया, कि २-३ बार पत्र लिख-लिख कर फाड़ डाले गए, इसीलिए उसे देरी हुई। पत्र का आशय यह है कि "मुक़दमा दो सप्ताह तक कदापि स्थगित नहीं किया जा सकता। १० सितम्बर को मामले की पेशी होगी और उस दिन आपको अवश्य आना पड़ेगा। दूसरी पेशी पूर्व निर्णय के अनुसार १४ तारीख़ को अवश्य होगी और मैं इसमें कोई तरमीम नहीं कर सकता। कृपया आठ आने का टिकट भेज दीजिए, ताकि आपके इस पत्र पर लगाया जा सके, या १० वीं तारीख़ को अपने साथ लेते आइएगा।" पत्र की नक़ल इस प्रकार है :—

Kutchery, Allahabad
7th Sept., 1931

Dear Sir,

Your letter of to-day. It is impossible for me to adjourn the case for 2 weeks. The witnesses will come to-day and it is difficult to postpone cases. However, I am postponing your case to-day and the case wil be taken up on 10/9/1931 (Court time is 11 a. m.) and you must appear on 10/9/1931 at 1 p. m. The witnesses called for to-day with your consent and the approval of your counsel will be examined on 10/9/1931 and the next date will be 14th as already fixed with the consent of your counsel, no change is possible. Please note this. I regret I cannot make any further alterations.

Your's truly,
Sd. R. B. Qadri.

To
R. Saigal, Esq.,

Please send one -/8/- Court-fee stamp for this application or bring it on 10th.

Sd. R. B. Qadri

मैजिस्ट्रेट साहब की इस आज्ञा के विरुद्ध श्री० सहगल जी ने स्थानीय सेशन कोर्ट में अपील की थी, किन्तु वही आज्ञा बहाल रही। अन्त में हाईकोर्ट का द्वार खटखटाया, परन्तु वहाँ भी कोई सुनवाई न हुई। और अन्त में मैजिस्ट्रेट साहब की आज्ञा ही बहाल रक्खी गई !

❀ ❀ ❀

महापुरुषों के विचार

[श्री० जे० पी० गुप्ता]

"पशुबल से डरने की ज़रूरत नहीं। बेत की चोट की परवा मत करो। यदि तुम हँसते-हँसते जेल चले जाओगे, सूली पर चढ़ जाओगे, मौत को गले लगाओगे तो मरोगे नहीं, वरन् अमर हो जाओगे और संसार के शहीदों में तुम्हारी गिनती अनन्त काल तक होती रहेगी।"

—सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी

"जितनी बार हमारा पतन होगा, उतनी ही बार उठने में हमारा गौरव है।"

—महात्मा गाँधी

"ग़रीबों की पुकार सुन कर जो मनुष्य अपने कानों को बन्द कर लेता है, निश्चय जानो कि वह भी एक दिन उसी तरह चिल्लाएगा, चीख़ेगा, मदद के लिए पुकार मचाएगा, पर कोई उसकी एक न सुनेगा।"

—ओल्ड टैस्टामेण्ट

"आत्मिक पराजय का मूल्य बड़ी से बड़ी सांसारिक विजय भी नहीं चुका सकती।"

—टेरेन्स मैक्स्वनी

दास देश में दोष फलते और फूलते हैं। जो आदमी यह बात भली भाँति हृदयङ्गम कर लेता है उसके लिए इसके विरुद्ध लड़ने के सिवा और चारा ही नहीं रहता। दासता के साथ हम सन्धि नहीं कर सकते।

—टेरेन्स मैक्स्वनी

❀

क्या ब्रिटेन दिवालिया होने जा रहा है?

[कलकत्ता के 'लिबर्टी' नामक अख़बार में, डॉक्टर तारकनाथ दास पी-एच० डी० ने ब्रिटेन की वर्तमान आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में एक गवेषणापूर्ण लेख लिखा है। 'भविष्य' के पाठकों के मनोरञ्जनार्थ उसका सारांश नीचे दिया जाता है।

स० 'भविष्य']

अङ्गरेज़ राजनीतिज्ञ और व्यापारी लोग, जो भारत पर सदा के लिए अपना अधिकार रखना चाहते हैं, और इच्छा रखते हैं कि भारत की आर्थिक शक्ति, उसकी सोने की बचत और बाज़ार वग़ैरह ब्रिटेन के हित के काम में आता रहे, वह लगातार भारतवासियों के कान में यही फूँका करते हैं कि भारत को आर्थिक रक्षाओं की ज़रूरत है। ब्रिटेन भारत की अपेक्षा इसकी अधिक अच्छी तरह रक्षा कर सकता है। भारत के स्वार्थी राजनीतिज्ञ देश के शासन की अपने में योग्यता व भरोसा नहीं देखते, इसलिए ब्रिटेन की हाँ में हाँ मिला देते हैं।

भारत के राजनीतिज्ञों को उचित है कि अपने देश की साम्पत्तिक समस्या पर ब्रिटेन को पूरा अधिकार देने के पहले देख लें कि ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कैसी है।

अमरीका, फ़्रान्स, हॉलैण्ड और बेलजियम आदि स्थानों में भी यहाँ तक कि जर्मनी में भी, यह प्रश्न खड़ा हो गया है कि 'क्या ब्रिटेन दिवालिया होने जा रहा है?'

ब्रिटेन की औद्योगिक दशा खोखली हो रही है। जिन्हें सन्देह हो, वे उसकी बेकारी, सम्पत्ति और उद्योग-धन्धे सम्बन्धी तीनों रिपोर्टें पढ़ें और उसके राष्ट्रीय ख़र्च का भी विवरण देखें। इनसे उन ख़राबियों का पता चलेगा, जिन्होंने ब्रिटेन को जकड़ रक्खा है। इस वर्ष ब्रिटेन के बजट में ९६ अरब पाउण्ड (९६०००००००००) का घाटा है। पिछले कतिपय महीनों में लन्दन की अन्तर्राष्ट्रीय बैङ्कों ने मिस्टर स्नाउडेन को सचेत किया है कि अगर ब्रिटिश सरकार ने अपनी बजट की निर्बलता दूर न की, तो संसार में उसकी साख निश्चय कम हो जायगी।

ब्रिटेन अपने को सँभाल नहीं सकता, जब तक कि, विदेशी धन उसकी बैङ्कों में न जमा होता रहे और बाहरी धन उस समय तक नहीं जमा हो सकता जब तक कि पूरा विश्वास न हो।

ब्रिटेन का बहुत सा धन विदेशों में लगा हुआ है, फिर भी वह डगमगा रहा है। एक साहूकार इस सम्बन्ध में कहता है :—

हम अङ्गरेज़ लोग ऋण लेते कम थे और देते अधिक थे और विश्वास करते थे कि अन्तर्राष्ट्रीय साम्पत्तिक परिस्थिति हमारी दुर्जेय है। अब हाल यह है कि हमारे ऊपर थाती के रूप में विदेश का ऋण बहुत है—अनुमान बीस-पचीस करोड़ पाउण्ड होगा—और पास में माल कुछ नहीं, जिससे जल्दी इनका भुगतान हो सके। इसी परिस्थिति को मिटाने के लिए हाल में अमेरिका और फ़्रान्स से पाँच करोड़ पाउण्ड इङ्गलैण्ड ने उधार भी लिया है। इतने पर भी इङ्गलैण्ड की साम्पत्तिक दशा दृढ़ आधार पर नहीं है

लन्दन का 'ऑबज़र्वर' पत्र ९ अगस्त के अङ्क में इस सम्पर्क में लिखता है :—

जो सन्देह ब्रिटेन की साम्पत्तिक दशा पर पैदा हुए, वह एकदम नहीं पैदा हो गए। इसके कारण एक अर्से से धीरे-धीरे घनीभूत होते रहे हैं। जो चोटें ब्रिटिश अर्थ और उद्योग पर धीरे-धीरे पड़ती रही हैं उनसे क्या पाउण्ड बच सकता है। कहीं पाउण्ड का भी वही हाल न हो जो कभी जर्मन 'मार्क्स' फ़्रान्सीसी 'फ़्रेङ्क' और इटली के लिए हो चुका है

जब इङ्गलैण्ड दिवाले की ओर अग्रसर हो रहा था, महात्मा गाँधी ने गवर्नमेण्ट के साथ समझौता कर लिया, इससे इङ्गलैण्ड को जो मदद मिली है, हमारे देश के राजनैतिक नेता उसका अन्दाज़ा नहीं लगा सकते। हिन्दुस्तान के बहिष्कार आन्दोलन से इङ्गलैण्ड की साख में और भी बट्टा लगा चला जा रहा था, क्योंकि उसकी कारीगरी को धक्का पहुँचता था और बेकारों की संख्या ज़ोर से बढ़ रही थी। अगर करबन्दी और क़ानून की भद्र अवज्ञा का आन्दोलन चलता रहता तो इङ्गलैण्ड की दशा और भी बिगड़ जाती और दिवाला पास आ जाता। पिछले महासमर में भी अहिंसा के व्रती होते हुए महात्मा जी ने इङ्गलैण्ड को सेना भर्ती करके दी और इस बार इङ्गलैण्ड के निकलते हुए दिवाले के रोकने में मदद की और उसकी इज़्ज़त रक्खी। क्या इसका प्रतिफल भारत को यही मिलेगा कि भारत पर आर्थिक संरक्षण का भार लादा जाय, जिससे भारत के ख़ज़ाने की कुञ्जी इङ्गलैण्ड के हाथ में रहे। भारत को पूर्ण आर्थिक स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए।

❀ ❀ ❀

अख़बारों की स्वाधीनता पर वज्र-प्रहार

नए प्रेस-सम्बन्धी क़ानून का संक्षिप्त ब्योरा

जो नया क़ानून प्रेस और सम्वाद-पत्रों को कुचलने के लिए व्यवस्थापिका परिषद् के गर्भ से इसी मास के अन्त तक उत्पन्न होने वाला है, उसका हम समास में पाठकों को परिचय करा देना आवश्यक समझते हैं। जो व्यक्ति प्रेस-ऐक्ट की दफ़ा ४ के अनुसार प्रेस का डिक्लेरेशन देगा, उसे डिक्लेरेशन देने के मैजिस्ट्रेट के यहाँ मैजिस्ट्रेट की आज्ञानुसार ज़मानत दाख़िल करनी होगी। यह न ५००) से कम होगी, न २०००) से अधिक। यदि मैजिस्ट्रेट चाहेगा तो नक़द या प्रामेसरी नोटों में लेगा। मैजिस्ट्रेट जिसे चाहेगा, ज़मानत से बरी कर सकेगा। अगर किसी प्रेस चलाने वाले से पहले ज़मानत ली जा चुकी होगी, तो उससे इस दफ़ा में ५०००) तक ज़मानत ली जा सकेगी।

यदि मैजिस्ट्रेट किसी को बेज़मानत डिक्लेरेशन दे देगा, तो जब वह उचित समझेगा, अपना हुक्म रद्द करके ऊपर की किसी धारा के अनुसार ज़मानत ले सकेगा। जो प्रेस इस क़ानून के पास होने के पहले से चल रहे हैं, उनमें से किसी की बाबत अगर प्रान्तीय सरकार को यह मालूम हो कि वह इस क़ानून के विरुद्ध काम करता है, तो उसे अधिकार होगा कि वह ५००) से ५०००) तक की ज़मानत मैजिस्ट्रेसी में जमा करने की आज्ञा निकाले।

ज़मानत ज़ब्त कब होगी?

अगर प्रान्तिक सरकार को मालूम हो कि कोई छापाख़ाना, जिससे ज़मानत जमा कराई जा चुकी है, किसी ऐसे सम्वाद-पत्र, पुस्तक या दूसरे काग़ज़ के छापने का काम करता है, जिसमें कोई ऐसे शब्द, चिह्न या चित्र आदि रहते हैं, जिनसे बहुत सम्भव है, या जिनका झुकाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से ऐसा है जिनसे प्राणघात करने का प्रोत्साहन होता है, या उत्तेजना मिलती हो या बल-प्रयोग करने की प्रकृति उत्पन्न होती हो अथवा किसी के किए हुए ऐसे कामों को प्रोत्साहित किया गया हो, या साधुवाद दिया गया हो, चाहे बात वास्तविक हो या कल्पित, कहानी द्वारा, फिर चाहे इन बातों का सङ्केत किया गया हो, राय दी गई हो, इशारा या सूचना को गई हो, हवाला दिया गया हो, अलङ्कार आदि द्वारा दर्शाया गया हो, तो सरकार ऐसे प्रेस के चलाने वाले (Keeper) को लिखित सूचना देगी, जिसमें दूषित वाक्यों, इशारों या चित्रों आदि का जो भी हो विवरण होगा, और कह देगी कि तुम्हारी ज़मानत जो जमा थी वह सब की सब या उसका कुछ अंश ज़ब्त किया गया और उस सम्वाद-पत्र, पुस्तक या काग़ज़ की सारी प्रतियाँ, जिनमें उक्त दूषित विषय छपा था, ब्रिटिश भारत में जहाँ कहीं भी मिलें, ज़ब्त की गईं। इस नोटिस के दस दिन बाद पहला डिक्लेरेशन रद्द समझा जायगा।

दूसरी बार जो फिर डिक्लेरेशन दिया जायगा तो मैजिस्ट्रेट को अधिकार होगा कि कम से कम १,०००) से लेकर १,००००) की ज़मानत लेकर नया डिक्लेरेशन ले। अगर सब ज़मानत ज़ब्त न हुई होगी तो मैजिस्ट्रेट की माँगी हुई ज़मानत में से बची रक़म कम करके बाक़ी दाख़िल करनी होगी।

दूसरी बार ज़मानत जमा कर देने के बाद अगर सरकार की समझ में उसी प्रेस ने फिर वही क़सूर किया तो उसे पहले की भाँति नोटिस के द्वारा अधिकार होगा कि वह (१) सारी ज़मानत या उसका कुछ अंश ज़ब्त कर ले। (२) छापाख़ाना ज़ब्त कर ले। (३) छपा हुआ आपत्ति-जनक सामान ज़ब्त कर ले।

प्रकाशक की ज़िम्मेदारी

प्रत्येक सम्वाद-पत्र का प्रकाशक, जो प्रेस-ऐक्ट १८६७ की दफ़ा ५ के अनुसार डिक्लेरेशन देता है, उसे भी पहिली बार प्रेस वाले के अनुसार ५००) से २,०००) तक की ज़मानत मैजिस्ट्रेट की मर्ज़ी के अनुसार देनी होगी, यदि मैजिस्ट्रेट चाहेगा तो ज़मानत से प्रार्थी को मुक्त कर देगा।

दूसरी दफ़ा भी प्रेस के डिक्लेरेशन देने वालों की भाँति ही है, ५००) से ५ ०००) तक मैजिस्ट्रेट ज़मानत ले सकेगा—अगर पहले कभी ज़मानत ली जा चुकी होगी।

जिससे ज़मानत लेना मैजिस्ट्रेट ने ज़रूरी न समझा होगा और बाद में ज़रूरी समझेगा, उससे ज़मानत ले सकेगा।

इस क़ानून के प्रचलित होने के पहले जो सम्वाद पत्र चल रहे हैं, उनसे भी सरकार ज़रूरी समझेगी तो ५००) से ५०००) तक ज़मानत ले सकेगी।

अगर सरकार की समझ में किसी सम्वाद-पत्र ने, जिससे ज़मानत ली गई है, कुछ ऐसे शब्द, चिन्ह या चित्र आदि दिए हैं, जो सकार की समझ में वैसे हैं

[शेष मैटर ३५वें पृष्ठ के तीसरे कालम के नीचे देखिए]

अद्भुत पर्वत

[श्री॰ जयकरण पाण्डेय]

संसार के सर्वोच्च पर्वत-शिखरों में सबसे ऊँचा हिमालय का गौरीशङ्कर शिखर या 'मौण्ट एवेरिस्ट' है, जिसकी ऊँचाई समुद्र-तट से २६,००२ फ़ीट है। संसार के बहुत से अगम्य स्थानों के अन्वेषण करने का गौरव यूरोप-निवासियों को प्राप्त है। फलतः इस शिखर को भी ढूँढ़ने तथा इसकी ऊँचाई आदि ज्ञात करने का श्रेय उन्हीं यूरोप-निवासियों को है। यह पर्वत-शिखर अन्य शिखरों से इस प्रकार घिरा हुआ है कि यद्यपि यह समुद्र-तट से ६ मील ऊँचा है, तथापि भारतवर्ष के केवल दो या तीन स्थानों से ही देखा जा सकता है।

यद्यपि 'एवेरिस्ट' भारतवर्ष से देखा जा सकता था; किन्तु यह तिब्बत और नैपाल की सीमा पर स्थित है और आज से थोड़े दिन पहले तक विदेशी जातियों का इन देशों में आना निषिद्ध था, इसलिए 'एवेरिस्ट' के अधिक समीप पहुँच कर इसके समीपवर्ती स्थानों का पता लगाना असम्भव था।

सन् १६२१ ईस्वी में आङ्गल देशीय पहाड़ी मनुष्यों को 'एवेरिस्ट' पर्वत के समीप जाकर अन्वेषण करने तथा उसकी चोटी पर पहुँच कर नाप करने की आज्ञा दी गई। इस यात्रा में बहुत सी अद्भुत बातें सिद्ध हुईं तथा सहस्रों मील सर्वथा अज्ञात भूतल का अन्वेषण हुआ। अन्वेषकों को भिन्न-भिन्न प्रकार के जलवायु का सामना करना पड़ा; घाटियों में उष्ण देशीय जङ्गल तथा बालुकामय रेगिस्तान थे। ऊँचाई के अर्द्धभाग का जलवायु ग्रेट-ब्रिटेन के सदृश दिखलाई पड़ा; पर्वत के ऊपरी भाग के समीप सदैव बर्फ़ जमी रहती थी, जहाँ महान ग्लेशियर शिखरों के बीच भीषण गति से प्रवाहित हो रहे थे तथा हिममय आँधी सदा बहती रहती थी।

अन्वेषक शिखर से एक मील दूर ही थे कि उन्हें शीत की अधिकता के कारण लौटना पड़ा, क्योंकि शरद ऋतु समीप थी और इस कारण चढ़ाई के अन्तिम तथा सब से कठिन भाग के लिए अन्वेषकों का दूसरा समूह भेजा गया। यह दल कई प्रयत्नों के पश्चात् २७,३०० फ़ीट की ऊँचाई तक पहुँच सका; यहाँ हवा इतनी पतली है कि बड़े पर्वत-शिखर पर चढ़ने वाले कुशल अन्वेषकों को भी औषजन (ऑक्सिजन) की प्राप्ति के लिए यन्त्रों का सहारा लेना अत्यावश्यक सिद्ध हुआ, किन्तु उससे उनका बोझ अत्यधिक हो गया। पाँच रात्रि के घोर परिश्रम के पश्चात् उन्होंने २१,००० फ़ीट की दूरी को तथा दो रात्रि के पश्चात् २५,५०० फ़ीट की दूरी को तय किया, किन्तु इसी दशा में मौसिमी हवा उठी तथा अन्वेषक पाला में अति क्लेशित हुए और आगे जाने से बिल्कुल निराश हो गए। १६२४ ईस्वी में फिर से कार्य-सिद्धि के लिए उद्योग किया गया तथा दो वीर आरोही, मेसर्स मेलरी और इरविन २८,२२७ फ़ीट की ऊँचाई पर देखे गए, जो कि शिखर से ८०० फ़ीट नीचे है; किन्तु उन लोगों का प्राणान्त हो गया, अतएव इस विषय में सन्देह है कि वे शिखर पर पहुँच सके थे या नहीं। निस्सदेह संसार में सब से ऊँची चोटी का अवलोकन हो गया, यद्यपि उससे आर्थिक लाभ प्राप्त हो अथवा न हो।

आल्पस का ऊँचा पर्वत यद्यपि एवेरिस्ट के तुल्य ऊँचा नहीं है, तथापि इसका दृश्य अत्यन्त ही मनोरञ्जक है।

ब्लाङ्क पर्वत, जिसकी सर्वोच्च चोटी १५,२१५ फ़ीट है, समुद्र-तट से ठीक तीन मील ऊँचा है। सर्व-प्रथम सन् १७८६ ईस्वी में दो फ़्रान्सीसी अन्वेषक इस पर चढ़े और दूसरे वर्ष एक तीसरे फ़्रान्सीसी युवक ने इसकी सर्वोच्च चोटी पर पदार्पण किया; इनके साथ अठारह पथ-प्रदर्शक थे। आधुनिक समय में शिखर का रास्ता लोगों को अच्छी तरह ज्ञात है तथा अन्वेषकों का झुण्ड प्रतिवर्ष इस पर चढ़ता है।

जङ्गफ़्रू जो स्विट्ज़रलैण्ड के ऊँचे पर्वतों में से मुख्य पर्वत है, सूर्योदय के समय शिखर से दिखाई पड़ने वाले दृश्य के लिए अति प्रख्यात है। इस पर्वत पर आरोहण करना अति दुष्कर तथा भयानक समझा जाता था, किन्तु वर्तमान काल में रेलवे लाइन इसके ढाल पर उन लोगों के लिए बनी हुई है, जो पर्वत के ऊपर चढ़ाई की कठिनाई का अनुभव नहीं करना चाहते।

मैटर्न आल्पस पर्वत की तीसरी ऊँची चोटी है। १८६५ ईस्वी में चार अङ्गरेज़ों ने तीन पथ-प्रदर्शकों के साथ इसके निरीक्षण करने के निमित्त प्रस्थान किया और शिखर पर कुशलपूर्वक पहुँच भी गए, किन्तु उतार के समय इनमें से तीन अङ्गरेज़ तथा एक पथ-प्रदर्शक फिसल कर बहुत ऊँचाई से पर्वत के नीचे ग्लेशियर में लुढ़क गए तथा चारों काल के ग्रास बने।

जापान के फ़्यूजियामा पर्वत की चोटी अत्यन्त सुन्दर और प्रसिद्ध है। फ़्यूजियामा शब्द का अर्थ अमरत्व का पर्वत है। फ़्यूजी को जापानी अति पवित्र मानते हैं, इसके दर्शनार्थ सहस्रों यात्री प्रति वर्ष इसके शिखर तक यात्रा करते हैं। फ़्यूजी बिल्कुल अकेला शिखर है, जो जापान की राजधानी टोकियो से ६० मील के लगभग दक्खिन-पश्चिम के मैदान में स्थित है। यह एवेरिस्ट तथा बैङ्क शिखरों के सदृश किसी महान पर्वत-श्रेणी का भाग नहीं है, अतएव अधिक चौरस मैदान में स्थित होने के कारण विशेष ऊँचा दिखलाई पड़ता है।

अफ़्रिका में फ़्यूजीयामा के सदृश किलिमाजारो नामक शिखर है, जो कुछ ही दिनों पूर्व देखा जा सका है और शान्त ज्वालामुखी ज्ञात हुआ है। दक्षिण अमेरिका में हिमालय की एवेरिस्ट चोटी के लगभग समकक्ष चोटियाँ एंडीज़ पर्वत की विशाल श्रेणी में स्थित हैं। सर्वोच्च पर्वतों में से कुछ इक्वेडर में बिल्कुल भूमध्य-रेखा पर हैं। चिम्बोरेज़ो, जो २,००० फ़ीट से अधिक ऊँचा है, विषवत् रेखा पर स्थित है, किन्तु इसकी चोटी सदैव बर्फ़ से ढकी रहती है और इसके हिमाच्छादित शान्त मुख के नीचे इसकी घाटी से ग्लेशियर की धारा बहती रहती है। कोटेपैक्सी, जो क़रीब २०,००० फ़ीट ऊँचा है, अभी तक जाग्रत अवस्था में है तथा सौन्दर्य में इसका स्थान केवल फ़्यूजीयामा के नीचे है।

गत दो शताब्दियों के पूर्व यह जान पड़ता है कि पर्वत-शिखरों पर पहुँचने के लिए लोगों ने कभी विचार भी नहीं किया, किन्तु एवेरिस्ट और इसी भाँति के हिमालय पर्वत के विशाल शिखरों को छोड़ कर मनुष्यों ने गत दो शताब्दियों में संसार के प्रायः सभी पर्वत-शिखरों पर चढ़ने में सफलता प्राप्त कर ली। आधुनिक युग में साहसी व्यक्तियों ने अफ़्रिका के रहस्यमय भीतरी भाग और मध्य एशिया के दुरूह मैदान में भी घुस कर प्रत्येक महाद्वीप के ऊँचे से ऊँचे स्थानों पर पहुँच कर अपनी पहुँच कर ली है। फिर भी एक दूसरी तथा कदाचित् इससे अधिक भीषण खोज शेष है। यह संसार के बहुत से भागों में तथा विशेषकर चूने के पत्थर के स्थानों में स्वयम् पर्वतों के अन्दर घुसे हुए विकराल खोहों का अन्वेषण है। बहुत सी खोहों का आंशिक रूप से अन्वेषण हुआ है, परन्तु कौन जानता है कि उनके पीछे क्या रहस्य छिपा है। यह निश्चय है कि भूतल के नीचे मनोरम खोहों से चमकते हुए सहस्रों विस्तृत दालान हैं, जिन्हें किसी मनुष्य ने अभी तक नहीं देखा है।

❀ ❀ ❀

अख़बारों की स्वाधीनता पर वज्र-प्रहार

(३३वें पृष्ठ का शेषांश)

जिनका ज़िक्र ऊपर आ चुका है, तो सरकार सारी ज़मानत ज़ब्त कर लेगी अथवा उसका कुछ अंश। नोटिस निकलने की तारीख़ से दस दिन बाद पहला डिक्लेरेशन रद्द हो जाएगा।

दूसरी बार डिक्लेरेशन देने पर मैजिस्ट्रेट की इच्छानुसार १०००) से १००००) तक की ज़मानत होगी। अगर पहली ज़मानत सब न ज़ब्त हुई होगी, तो बचा हुआ रुपया दूसरी ज़मानत में कम कर दिया जाएगा।

अगर फिर भी सरकार की नज़र में सम्बाद-पत्र के प्रकाशक ने वही क़सूर किया, जिसके कारण पहली ज़मानत ज़ब्त हुई थी, तो इस बार सरकार जैसा उचित समझेगी, कुल ज़मानत या उसका कुछ अंश ज़ब्त कर लेगी। उस सम्बादपत्र की सारी प्रतियाँ ब्रिटिश भारत में जहाँ पाएगी, ज़ब्त कर लेगी। नोटिस की तारीख़ से १० दिन के बाद डिक्लेरेशन रद्द समझा जाएगा और फिर ऐसे सम्बाद-पत्र को छपने की मञ्ज़ूरी न दी जाएगी जब तक कि प्रान्तिक सरकार की इजाज़त न हो।

जो कोई आदमी ज़मानत माँगी जाने पर, ज़मानत दिए बिना, पुस्तक या सम्बाद-पत्र आदि छापने के लिए छापाख़ाना रक्खेगा, उसे वही सज़ा होगी जो धारा ४ के अनुसार डिक्लेरेशन नहीं देता और प्रेस रखता है।

जो ज़मानत माँगी जाने पर बिना ज़मानत दाख़िल किए सम्बाद-पत्र प्रकाशित करता है, उसे भी वही दण्ड मिलेगा जो बिना डिक्लेरेशन के सम्बाद-पत्र प्रकाशित करने वाले के लिए है।

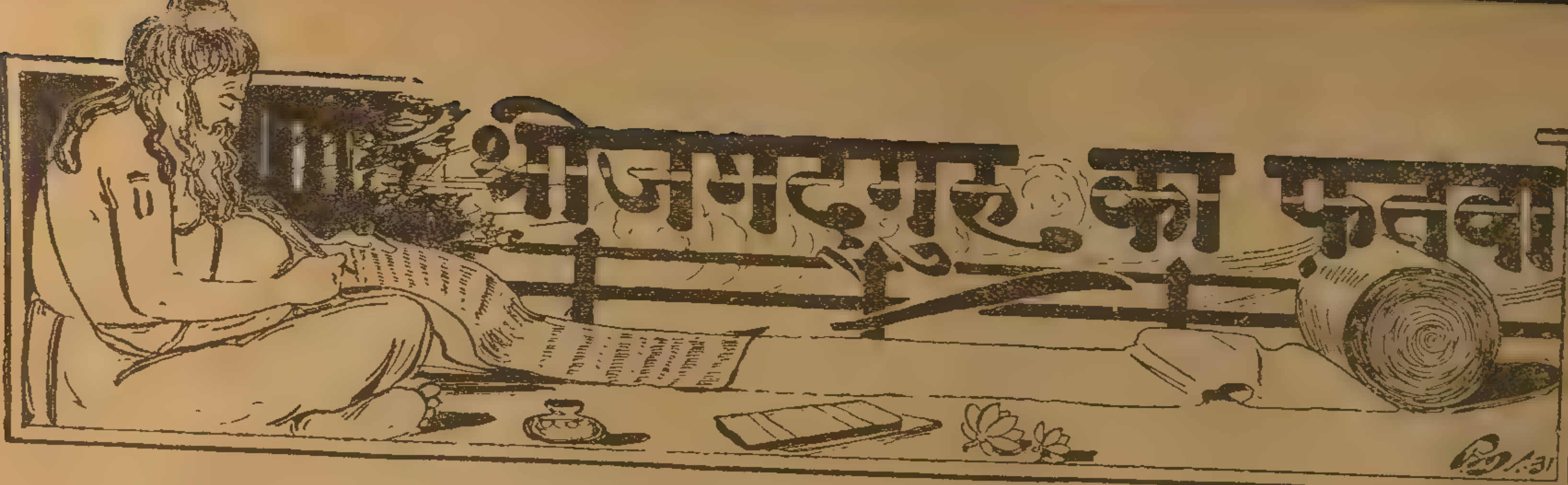
जो ज़मानत देने के पहले प्रेस से काम लिया जाएगा, तो सरकार प्रेस को ज़ब्त कर सकेगी, क्योंकि ज़मानत माँगी जाने के बाद प्रेस को काम में न लाना चाहिए।

सम्बाद-पत्र का प्रकाशक अथवा प्रेस का चालक जब चाहे मैजिस्ट्रेट को दरख़्वास्त देकर अपनी ज़मानत वापिस ले सकेगा।

जहाँ कोई प्रेस है या ज़ब्त किए हुए सम्बाद-पत्र, किताब या दूसरे काग़ज़ हैं, उस जगह की तलाशी के लिए प्रान्तीय सरकार मैजिस्ट्रेट को आज्ञा दे सकती है कि वह किसी पुलिस-अफ़सर को, जो सब-इन्स्पेक्टर से नीचे दर्जे का न हो, नियत करे, जो उन चीज़ों को, जिनकी ज़ब्ती का हुक्म हुआ है, हस्तगत करके रक्खे, किसी मकान में उन चीज़ों के लिए तलाशी लेने जाय, जहाँ वह हो या उनके होने का सन्देह हो या जहाँ ऐसा सम्बाद-पत्र, पुस्तक बिक्री के लिए, पब्लिक के देखने के लिए, बाँटने के लिए रक्खे जाने का सन्देह हो।

ज़ब्ती के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील हो सकेगी। इस प्रकार की अपीलें स्पेशल बेञ्च में सुनी जाएँगी। हाईकोर्ट को अधिकार होगा कि ज़ब्त की हुई ज़मानत या दूसरी चीज़ को लौटा देने की आज्ञा दे।

* * *



[हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष]

आवश्यकता है, श्री० जगद्गुरु को एक ऐसे मीर मुन्शी की, जो रङ्ग का चाहे धवल-शुभ्र न हो, परन्तु अक़्ल ठीक भारत-सरकार के मीर-मुन्शी श्री० क्रेरार की सी रखता हो। वेतन योग्यतानुसार—कुल्हड़ से लेकर ठिलिया भर तक दूधिया बूटी, दोनों वक़्त अर्थात् सवेरे और शाम को, पूरी महारत हो लेने पर 'कागावासी' और मध्यान-कालीन 'राजसी' के सम्बन्ध में भी विवेचना की जाएगी।

कार्य—जिस दिन कहीं से दक्षिणा न प्राप्त हो, उस दिन बूटी के लिए पैसों का जुगाड़ करना; जिस तरह कि डाले के दिनों में माल गाँठने का उपाय श्री० क्रेरार साहब कर लेते हैं। उपाय इच्छानुसार, प्रतिवाद अपने सगे बाप का भी न सुनना। कोई चीख़े या चिल्लाए, परवाह करने की आवश्यकता नहीं। समय और सुयोग से लाभ उठाने के लिए सदैव तत्पर रहना। बस इतने 'क्वालीफ़िकेशन' से ही काम चल जाएगा।

श्रावण, पितरपख, महामारी अर्थात् श्राद्ध और तर्पण के बाहुल्य के दिन और विवाहादि के दिनों में छुट्टी रहेगी। क्योंकि इन दिनों दक्षिणा का अभाव नहीं होता और भाँग-बूटी का प्रबन्ध स्वयं गुरुआनी जी अपने हाथों में ले लेती हैं, जैसे महारानी द्रौपदी ने महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर सारा प्रबन्ध अपने हाथों में ले रक्खा था।

इसके लिए ठीक श्री० क्रेरार साहब की योग्यता का आदमी चाहिए। क्योंकि आपकी चतुरता, बुद्धिमत्ता समय और सुयोग के अनुसार कार्यपटुता देख कर हिज़ होलीनेस आपाद-मस्तक विमुग्ध हो गए हैं। इनकी धारणा है कि जब तक श्रीमान् क्रेरार साहब सखी नौकरशाही के मीर-मुन्शी के पद पर प्रतिष्ठित हैं, तब तक स्वयं शनिदेव भी सखी का बाल बाँका नहीं कर सकते।

देश के मुष्टिमेय उच्छृङ्खल और काण्ड-ज्ञान-हीन नवयुवकों द्वारा सरकारी कर्मचारियों की हत्याएँ होती देख कर सारे देश के बुद्धिमान उद्विग्न और व्यग्र हो रहे थे। सभी चिन्तित थे कि ये चिनगारियाँ कैसे बुझें? महात्मा गाँधी से लेकर श्री० रक्तूराम तक ने ऐसी नृशंस नर-हत्याओं की निन्दा की। इसे रोकने के लिए बड़े-बड़े बुद्धिमानों ने मत्था मारा और टापते रह गए।

परन्तु धन्य हैं श्री० क्रेरार साहब, जिन्होंने सारे रोगों के लिए, बात की बात में एक "अक्सीरे आज़म" ढूँढ़ निकाला, जिसे देख कर अरस्तू और लुकमान भी अश-अश करके रह जाएँगे। धन्वन्तरि होते तो क़सम ख़ुदा की, अपने एक हाथ की हर्रे और दूसरे हाथ की जोंक श्री० क्रेरार साहब को सौंप कर उन्हें गोद ले लेते।

श्रीजगद्गुरु के इस 'हाफ़डज़न' सुदिप्पण-विशिष्ट उपर्युक्त भूमिका का तात्पर्य यह है कि श्रीमान क्रेरार साहब ने देश के अमनोआमान को क़ायम रखने के लिए, एसेम्बली में अपना एक 'प्रेस-पछाड़क' बिल पेश कर दिया है। अगले सप्ताह यह बिल क़ानून बन जाएगा, जैसे मट्टी का लोंदा पक कर ईंट हो जाता है।

इसके बाद 'मारे घुटना फूटे आँख' वाली कहावत चरितार्थ होगी। देश के प्रेस और पत्र जेठ की धूप में पड़े खटमलों की तरह छटपटा कर मर जाएँगे और सारे देश में अमनोआमान क़ायम हो जाएगा। अनारकिस्टों के हाथों में कोढ़ फूट जाएगा, यूरोप के पिस्तौलों के कारख़ानों में आग लग जायगी या चटगाँव के मुसलमान उन्हें लूट-पाट कर ठीक कर देंगे, बारूद बनाने वाले आत्म-हत्या कर लेंगे और मिस नौकरशाही आनन्दपूर्वक थिरक-थिरक कर सप्तम स्वर में गा उठेंगी,—

ट्विङ्किल-ट्विङ्किल लिटिल स्टार !
हाउ आई वण्डर ह्वाट यू आर !!

आपको मालूम नहीं, सारे ख़ुराफ़ात की जड़ ये अख़बार वाले हैं। इनकी बीबियाँ पिस्तौल बनाती हैं और बच्चे बम! इनकी लेखनी में ऐसा जादू भरा है कि जिसे चाहें तीसमारखाँ बना दें और जिसे चाहें रुस्तम। अगर ये लिख दें कि ताँतिया भील नामक डाकू बड़ा बहादुर था, उसने थाने में जाकर एक पुलीस के दारोग़ा की नाक काट ली थी, तो बस सारे देश के नवयुवक छुरी लेकर पुलीस के दारोग़ों की नाकें काटने लग जाएँ, और अगर ये लिख दें कि श्रीमान क्रेरार साहब बड़े बुद्धिमान और चतुर आदमी हैं, तो लाला रिखई ठाकुर का भोंदुआ भी भारत-सरकार का प्राइम-मिनिस्टर बन जाय।

काशी के एक सुप्रसिद्ध स्वर्गीय विद्वान और साधक कहा करते थे कि जिस.........के ऊपर......दूँ, वह राजा हो जाए। सुनते हैं, उनमें शक्ति भी ऐसी थी और ऐसी ही अलौकिक और अपूर्व शक्ति श्रीमान क्रेरार साहब की कृपा से इस देश के अख़बार वालों को प्राप्त हो गई है। ये सर्वशक्तिमान जो चाहें कर और करा सकते हैं। "यह चाहैं सुमेरु को छार करैं, अरु छार को चाहैं सुमेरु बनावैं !"

सुतरां श्री० क्रेरार साहब की ज़बानी इस देश के अख़बारों और प्रेसों की इस अलौकिक शक्ति का परिचय पाकर श्री० जगद्गुरु आजकल अपने भङ्गघोटने के सम्बन्ध में विशेष चिन्तित रहने लगे हैं और बड़ी सतर्कता से उसकी रक्षा किया करते हैं। क्योंकि ख़ुदाना-ख़्वास्ता अगर किसी मनचले सम्पादक की नज़र उस पर पड़ गई और कम्बख़्त डण्डे के बजाय तोप या मशीनगन बन गया तो भाँग घोटने से तो गए ही, साथ ही 'आर्म्स-ऐक्ट' का भी शिकार होना पड़ेगा।

इधर कुछ दिनों से प्रेसों और अख़बारों पर श्रीमान शनिदेव की असीम अनुकम्पा है। बहुत से प्रेस-कर्मचारी अन्नाभाव के कारण चान्द्रायण करके वैतरणी पार कर जाना चाहते हैं। जो पूर्वजन्म के पुण्य-प्रताप से किसी तरह जी रहे हैं, वे भी इस शनिदेव के सहोदर 'ऐक्ट' की बदौलत भव-बन्धन से विमुक्त हो जाएँगे। फिर तो सारे देश का कोना-कोना 'ओ३म् शान्तिः शान्तिः' से गूँज उठेगा और उनके बाल-बच्चे श्रीमान क्रेरार का आन्तरिक आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।

ऐसी दशा में अगर आस्तिकों का यह विश्वास हो कि एसेम्बली के स्वनाम-धन्य सदस्य और भारतीय प्रेसों के एकमात्र प्रतिनिधि श्री० केशवचन्द्र रॉय जगन्नियन्ता के पास श्रीमान क्रेरार साहब और श्रीमती नौकरशाही की शान्ति-प्रियता की कथा सुनाने ही चले गए हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्योंकि श्रीमती के इस शान्ति-प्रियता रोग का इलाज भी अब जगन्नियन्ता ही कर सकते हैं।

ख़ैर, मङ्गलाचरण अच्छा हुआ है, नवीन प्रेस-ऐक्ट के गर्भाधान संस्कार के साथ ही श्री० रॉय को शहीद होना पड़ा है। फलतः परम आशावादी श्रीजगद्गुरु को दृढ़ आशा है कि नान्दीमुख श्राद्ध तक कुछ और विधवाओं की वृद्धि भी इस देश में हो जायगी और फिर 'गेज़ेटेड' होकर जब 'बबुआ जी' गिल्ली-डण्डा खेलने लायक़ हो जाएँगे, तब तो बस —

किसी को मारा, किसी को काटा, किसी को छोड़ा हलाल करके।

ख़ैर, अपने राम तो 'भाग्यं फलति सर्वत्रम् न च विद्या न च पौरुषम्' के पक्षपाती हैं। देश के अख़बारों और प्रेसों की कपाल-क्रिया अगर श्रीमान क्रेरार साहब के हाथों ही बदी होगी तो उसे कौन टाल सकता है? फिर उपर्युक्त अधिकारी के हाथ से अन्त्येष्टि होती भी बड़े सौभाग्य से है। प्रसन्नता की बात तो यह है कि श्रीमान क्रेरार साहब अपने इस शुभानुष्ठान द्वारा दादा रौलट से भी बढ़ कर बाज़ी मार ले जाएँगे। आपके पवित्र स्मृति की अटल छाप भारतवासी मात्र के हृदय-पटल पर अङ्कित रहेगी—

कहैंगे सबै नैन नीर भरि-भरि पाछे, प्यारे 'हरिचन्द' की कहानी रह जायगी !

ख़ैर, 'यहाँ की बातें यहाँ ही रह गईं, अब आगे का सुनो हवाल!' आल्हा-खण्ड की इस उक्ति के अनुसार, आइए ज़रा यहीं से बैठे विलायत की सैर कर लें। क्योंकि आजकल वहाँ फ़ेडरल कमिटी की बैठक हो रही है और विलायत के चतुर राजनीतिज्ञगणों ने 'वचनम् किं दरिद्रता' के अनुसार दाता कर्ण को भी मात कर दिया है। एक तो ब्रिटेन को ९६ अरब पौण्ड का घाटा और ऊपर से यह सख़ावत। ख़ुदा न करे, अगर कहीं राजा हरिश्चन्द्र की तरह डोम के हाथ बिकना पड़ा तो बड़ी मुश्किल होगी।

बातें लॉर्ड सैङ्की से लेकर भूतपूर्व (यह 'भूतपूर्व" क़सम .ख़ुदा की, कलेजे में काँटे की तरह चुभ रहा है) भारत-सचिव मि० वेजउड बेन तक सभी 'भारत-बन्धुओं' ने एक से बढ़ कर एक लच्छेदार और श्रुति-मधुर सुनाई हैं, परन्तु इन सब में मीर हैं, हमारे चिर-परिचित दादा मुग्धानल देव। आपने अभय वाणी उच्चारण करते हुए कहा है, यहाँ चाहे कितना ही राज-नीतिक परिवर्तन या अर्थनीतिक सङ्कट क्यों न उपस्थित हो जाय, हमारी राष्ट्रीय नीति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता ! विगत गोलटेबिल के समय जो अवस्था थी, वही अब भी है, अर्थात् भारत के सम्बन्ध में—

वही रफ़्तार बेढङ्गी, जो पहले थी वह अब तक है !

❀

सर सेमुएल होर 'कज़ड़दल' (Conservative Party) के प्रतिनिधि और नवीना नेशनल सरकार के नवीन भारत-सचिव हैं । इसलिए आपने अपने 'अभयरूप' से दादा मुग्धानल देव की शहनाई में सुर मिलाया है । अन्याय सुहृदों ने भी 'दिलो जाँ दीनो ईमाँ है, जो लेना हो सनम ले लो" कह कर बूढ़े भारत को आप्यायित किया है। माशा अल्लाह, फ़ेडरल कमिटी की उद्बोधिनी स्पीचें पढ़ कर तो बस यही कहना पड़ता है कि—

हमारे भी हैं मेहरबाँ कैसे-कैसे !

❀

ऐसी उदारता, सख़ावत और वदान्यता से लबालब भरी हुई लच्छेदार वाणी सुन कर भला कौन सङ्गदिल पिघल कर पानी न हो जाएगा ? फलतः भारत के मुँह-फोड़ प्रतिनिधियों ने भी भाव-विह्वल चित्त से प्रत्युत्तर प्रदान किया है—

त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
त्वमेव नाती च पोता त्वमेव ।
त्वमेव 'दादा' त्वमेव 'दादी'
त्वमेव सर्वं मम देव देव ।

❀

परन्तु अपने राम तो स्वयं मर कर स्वर्ग देखने के पक्षपाती हैं। इसीलिए इन्हें दूसरे की घोंटी हुई बूटी में ज़रा कम मज़ा आता है। फलतः इन्हें न तो लच्छेदार स्पीचों से कोई मतलब है, न विलायत की नवीन सरकार के गोरखधन्धे से कोई प्रेम। इन्हें तो बस, चचा चर्चिल के कथन पर सोलह आने विश्वास है। क्योंकि इङ्गलैण्ड भर में वही एक सच्चा और साधु-पुरुष है। भगवान उन्हें कुशल-क्षेम से रक्खें ।

❀

भारत के इस सच्चे प्रेमी ने आज से कई महीने पहले ही कह दिया था कि "मैया तजौं दैया पै कन्हैया नाहिं तजिहों !" यह पुरानी कामधेनु, जब चाहिए तभी ठिलिया भर देने वाली सूधी गौ क्या सहज ही छोड़ देने की चीज़ है ? इसी बल पर श्री ब्रितानिया सारे संसार में सहज सुहागिन बनी फिर[illegible] छोड़ कर क्य । बेचारी वैधव्य भोगेंगी[illegible]

❀

THE BHAVISHYA

'भविष्य' का चन्दा
वार्षिक चन्दा ... १२)
छःमाही चन्दा ... ६॥)
तिमाही चन्दा ... ३॥)
एक प्रति का मूल्य ।)

तार का पता :
'भविष्य'

भविष्य

साप्ताहिक संस्करण

का

जुबली-नम्बर

इस अङ्क का

मूल्य केवल

...कों को "जुबली-नम्बर" पढ़ कर आश्चर्य अवश्य होगा, क्योंकि 'भविष्य' को प्रकाशित हुए ५० वर्ष नहीं;
। किन्तु 'भविष्य' के मित्रों, शुभचिन्तकों एवं बुज़ुर्गों ने दूसरे वर्ष का पहिला अङ्क "जुबली-अङ्क" के नाम
अनुरोध किया है, जो बाध्य होकर संस्था के प्रवर्तकों को स्वीकार करना पड़ा; अतएव निश्चय यह कि
...ाङ्क के रूप में प्रकाशित किया जाय, शायद पाठकों को बतलाना न होगा कि 'भविष्य' का प्रत्येक
हुआ है और इसलिए यदि हम ५० सप्ताहों को ५० वर्ष के समान मान कर अपने हृदय की सा
विशेषाङ्क हम इतना सुन्दर प्रकाशित करना चाहते हैं, जितना सुन्दर एवं महत्वपूर्ण अङ्क अ
...न्तु सारे साधनों को एकत्र करने में थोड़े समय की भी ज़रूरत है और चूँकि पूरे एक
...ली है (जबकि होली पर अन्य पत्र पूरे एक सप्ताह की छुट्टी ग्रहण करते हैं, ठीक उसी सम
...भेंट किया था) इसलिए हम दो सप्ताह की छुट्टी भी लेना चाहते हैं ; अतएव ५० अङ्क पूरे करके
...ाह की छुट्टी ग्रहण करेगा और इसका ५१वाँ अङ्क

'जुबली-अङ्क' के नाम से एक बृहत् विशेषाङ्क

...त होगा। इस विशेषाङ्क में लगभग १०० पृष्ठ, सैकड़ों चित्र तथा कार्टून (कुछ चित्र आर्ट पेपर पर) भी
...वर, नया टाइप, ठोस पाठ्य सामग्री तथा अनेक महत्वपूर्ण बातें इस विशेषाङ्क में पाठकों को मिलेंगी। छपाई-
...त्र

केवल बारह आना होगा

'भविष्य' (साप्ताहिक संस्करण) के ग्राहक हैं, उन्हें तथा जो विशेषाङ्क प्रकाशित होने के पूर्व ही स्थायी
...भेज कर नाम लिखा लेंगे, उन्हें यह विशेषाङ्क उनके चन्दे में ही दिया जायगा।

यदि आप स्थायी ग्राहक नहीं हैं तो शीघ्र ही अपना नाम लिखा लीजिए।

एजण्टों तथा विज्ञापनदाताओं को तुरन्त अपना ऑर्डर रजिस्टर करा लेना चाहि...

'चाँद' के विशेषाङ्क के लिए, जो आगामी नवम्बर (दीपावली) के अवसर पर "राजपूताना-अङ्क" के नाम से
...काशित होगा, तथा 'भविष्य' के "जुबली-अङ्क" के लिए, ग्राहकों की सुविधा को दृष्टि में रख कर अभी से कूपन छा...
...भविष्य' की समस्त एजन्सियों द्वारा अथवा इस संस्था की शाखों द्वारा अभी से ख़रीद कर अपनी कॉपी रिज़र्व करा ली...
...ठिन हो जायगा।

"तुरन्त अथवा कभी नहीं" का प्रश्न है !!

व्यवस्थापक "भविष्य" चन्द्रलोक, इलाहाबाद

Printed, Published and Edited by Shrimati Lakshmi Devi, at The Fine Art Printing Cot...
28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad